https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

10वां संस्करण

भारतीय अर्थव्यवस्था

रमेश सिंह

e-Book में भी उपलब्ध

Mc Graw Hill Education

सिविल सेवा, विश्वविद्यालय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

10 वां संस्करण

भारतीय अर्थव्यवस्था

सिविल सेवा, विश्वविद्यालय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

लेखक के बारे में

रमेश सिंह, *दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स* के भूतपूर्व छात्र तथा एक **शिक्षाविद्** एवं **सलाहकार** हैं जिनके पास सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के अध्यापन का लगभग दो दशकों से अधिक का अनुभव है। इनकी गणना सफलतम लेखकों में की जाती है जिन्होंने *मैक्ग्रॉहिल एजुकेशन, इंडिया* के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों माध्यमों में अनेक लोकप्रिय पुस्तकों की रचना की है, यथा–*इंडियन इकोनॉमी, भारत का भूगोल, भौगोलिक मॉडल्स, ऑब्जेक्टिव इंडियन इकोनॉमी एण्ड सोशल डेवलपमेंट, थाउजेंड प्लस क्वेशचन ऑन जनरल साइंस* तथा *कंटेम्पररी एसेज।* *इकोनॉमिक्स फॉर वनडे इक्जाम्स* इनकी इस प्रकाशन से शीघ्र प्रकाशित होने वाली आगामी पुस्तक है।

भारत सरकार की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं *योजना एवं कुरुक्षेत्र* के अतिरिक्त देश की विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में भी श्री सिंह के लेख प्रकाशित होते रहे हैं। अर्थशास्त्र की जटिल अवधारणाओं को आम बनाने तथा आसानी से समझाने की विलक्षण क्षमता के धनी श्री सिंह एक बेहतरीन शिक्षक हैं जिनकी अर्थशास्त्र एवं निबंध की विशेष कक्षाएं पूरे देश में लोकप्रिय हैं। लेखक दिल्ली में अन्याय शैक्षणिक एवं सामाजिक कार्यों में संलग्न हैं।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

10 वां संस्करण

भारतीय अर्थव्यवस्था

सिविल सेवा, विश्वविद्यालय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु

रमेश सिंह
शिक्षाविद् एवं सलाहकार

Mc Graw Hill Education

McGraw Hill Education (India) Private Limited
CHENNAI

McGraw Hill Education Offices
Chennai New York St Louis San Francisco Auckland Bogotá Caracas
Kuala Lumpur Lisbon London Madrid Mexico City Milan Montreal
San Juan Santiago Singapore Sydney Tokyo Toronto

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

McGraw Hill Education (India) Private Limited

Published by McGraw Hill Education (India) Private Limited,
444/1, Sri Ekambara Naicker Industrial Estate, Alapakkam, Porur, Chennai - 600 116

Bhartiya Arthvyavastha, 10/e

Copyright © 2018 by McGraw Hill Education (India) Private Limited

No Part of this publication may be reproduced or distributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise or stored in a database or retrieval system without the prior written permission of the publishers. The program listings (if any) may be entered, stored and executed in a computer system, but they may not be reproduced for publication.

This edition can be exported from India only by the publishers.
McGraw Hill Education (India) Private Limited

1 2 3 4 5 6 7 8 9 D102542 22 21 20 19 18

Printed and bound in India

ISBN (13) : 978-93-87572-85-0
ISBN (10) : 93-87572-85-4

Information contained in this work has been obtained by McGraw Hill Education (India), from sources believed to be reliable. However, neither McGraw Hill Education (India) nor its authors guarantee the accuracy or completeness of any information published herein, and neither McGraw Hill Education (India) nor its authors shall be responsible for any errors, omissions,or damages arising out of use of this information. This work is published with the understanding that McGraw Hill Education (India) and its authors are supplying information but are not attempting to render engineering or other professional services. If such services are required, the assistance of an appropriate professional should be sought.

Cover Design: Creative Designer

Visit us at: www.mheducation.co.in

Write to us at: info.india@mheducation.com

CIN: U22200TN1970PTC111531

Toll Free Number: 1800 103 5875

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

सदैव प्रोत्साहित करने,

कर्मठता की शिक्षा तथा स्नेहिल आशीर्वाद

देने के लिए अपने पूज्य श्वसुर जी एवं श्वश्रू जी

श्री परमानन्द सिन्हा एवं *स्वर्गीय श्रीमति प्रमिला सिन्हा*

को सादर समर्पित

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

दसवें संस्करण का प्राक्कथन

पुस्तक के दसवें संस्करण को प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। इसके एक दशक का सफर वैसे तो बहुत लंबा नहीं लगता पर साल-दर-साल इसके नये संस्करणों से जुड़ी संशोधन कार्य की गहनता एवं गूढ़ता को देखा जाए तो यह अवधि मुझे काफी बड़ी लगती है। सर्वाधिक बिकने वाला (best-seller) पुस्तक बनना एक बड़ी उपलब्धि रही लेकिन इस स्थान पर कायम रहने की कोशिश मेरे लिए काफी चुनौती भरा रहा है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विगत कुछ वर्ष काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। सरकार द्वारा इस अवधि में कई मौलिक बदलावों की शुरूआत की गयी जिसमें 'रूपान्तरकारी सुधारों' (transformative reforms) को सर्वाधिक अतिवादी (radical) माना जा सकता है। विमुद्रीकरण, शोधन अक्षमता एवं दिवालियापन (insolvency and bankruptcy) कानून, बेनामी कानून तथा जी.एस.टी का कार्यान्वयन इस दिशा में की गई अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत पहलें रहीं। सरकार लोक कल्याण के प्रति भी समान रूप से कटिबद्ध रही है–'आयुष्मान भारत' इस दिशा में उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम रहा है।

नीति निर्माण की दृष्टिकोण से सरकार द्वारा देश के विकास के 'एजेंडा' को रूपांतरित करने की उच्च इच्छा शक्ति दर्शायी जा रही है। इस कार्य में नीति आयोग द्वारा एक 'साकल्यवादी विकास' (holistic development) के मॉडल का विकास किया जा रहा है। हालांकि इस दिशा में की गयी कोशिशों का परिणाम सरकारों द्वारा दर्शायी गई संघवादी परिपक्वता पर निर्भर करेगा।

वर्तमान समय में भारत को विश्व समुदाय द्वारा वैश्विक अर्थव्यवस्था के वृद्धि इंजन के रूप में देखा रहा है जो तेजी (boom) की ओर अग्रसर है। गरीबी के उन्मूलन एवं मानव विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था से लाभ की आवश्यकता होगी जो वर्तमान में एक चुनौती भरा कार्य लग रहा है, क्योंकि विश्व की कुछ अर्थव्यवस्थाओं द्वारा वैश्वीकरण के प्रति सरंक्षणवादी रुख दर्शाया जा रहा है। नये नीतिगत कदमों एवं उभरती चुनौतियों के मद्देनजर भारतीय अर्थव्यवस्था का भविष्य भी घटनापूर्ण होगा ऐसा माना जा सकता है।

नया संस्करण भारतीय अर्थव्यवस्था एंव वैश्विक आर्थिक जगत की गतिजता के प्रति पूर्णरूप से सजग है। यह एक पूर्ण संशोधित, पुनर्संरचित एवं सरलीकृत संस्करण है जो पाठकों की जरूरतों को और बेहतर ढंग से पूरा कर पाएगा।

इस संस्करण में नया क्या है?

- बदलते समय एवं आने वाली परीक्षाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे *भारत-2018*, *आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18*, *संघीय बजट 2018-19*, *नीति आयोग* एवं *भारत विकास रिपोर्ट-2017* की महत्वपूर्ण सूचनाओं के आधार पर सावधानीपूर्वक संशोधित किया गया है।
- *राष्ट्रीय आय*; *विश्व खुशहाली रिर्पोर्ट 2018*; *रुपांतरकारी सुधारों* के बदलते आयाम; इत्यादि विषयों को परीक्षाओं की जरूरतों के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है।
- *नियोजन* की बदलती सोच एवं प्राथमिकताओं को पूर्णत: संशोधित किया गया है तथा साथ-साथ नीति आयोग के नियतम एवं एक्शन एजेंडा पर पूर्ण परिचर्चा प्रस्तुत की गयी है।
- *उद्योग*, *आधारभूत संरचना* एवं *सेवाओं* से संबद्ध अध्यायों को यथानुसार संशोधित किया गया है एवं साथ ही संभार-तंत्र क्षेत्र; आवासीय नीति; अनुसंधान एवं विकास; अंतरिक्ष सेवाएं एवं वर्तमान चुनौतियों जैसे नये विषयों को शामिल किया गया है।
- *मुद्रास्फीति* खंड को संशोधित करने के साथ-साथ इसमें कई नये विषय शामिल किए गए हैं, यथा संशोधित डब्लू.पी.आई., मुद्रास्फीति के वर्तमान रुझान एवं मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाये गए सरकारी कदम; इत्यादि।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

- मौलिक संशोधन के साथ-साथ *कृषि व्यवस्था* अध्याय में कई नये विषयों को शामिल किया गया है, यथा भारतीय कृषि का नारीकरण; महिला किसानों पर परिचर्चा; जलवायु स्मार्ट कृषि तथा भविष्य की नीति संबंधी आऊटलुक।
- *वित्त बाजार* से जुड़े खण्डों को बदलते समय के अनुसार पूर्णतया संशोधित किया गया है तथा उनमें कई नये विषयों को शामिल किया गया है, जैसे—गैर निष्पादनकारी परिसम्पतियों की मात्रा में आयी हाल की वृद्धि; स्टैंडिंग डिपोजिट फेसिलिटी योजना; शोधन अक्षमता एवं दिवालियापन कानून; सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण; एफ.आर.डी.आई. विधेयक; बीमा गहनता एवं बीमा घनत्व।
- *वैदेशिक क्षेत्र* अध्याय को पूर्णत: संशोधित करते हुए इसमें कई नये विषयों को शामिल किया गया है यथा-भारत का बाह्‌य निष्पादन; व्यापार साझेदार; व्यापार की बनावट; विदेशी विनिमय भंडार; विदेशी ऋण एवं इसकी बनावट; विश्व व्यापार संगठन की ब्युनस आयर्स सम्मेलन एवं भारत।
- *कर संरचना* एवं *बजटिंग* अध्यायों को संशोधित करने के साथ-साथ इसमें कई नये विषयों को शामिल किया गया है, यथा—जी.एस.टी के माध्यम से अर्थव्यवस्था को समझने की कोशिश; कर अनुपालन पर विमुद्रीकरण का प्रभाव; एफ.आर.बी.एम. समीक्षा समिति के सुझावों पर अमल; ऋण नियम; राजकोषीय ग्लाईड 'पाथ' तथा सरकारों की वर्तमान राजकोषीय स्थिति।
- नीति निर्माण की प्रक्रिया में वर्तमान समय में *जलवायु परिवर्तन* सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है, अत: इससे जुड़े अध्याय को पूरी तरह नवीकृत किया गया है तथा इसमें कई नवीन विषयों को शामिल किया गया है, यथा—कॉप 22; कॉप 23; भारत एवं एस.डी.जी; जलवायु परिवर्तन वित्त; भविष्य का नीति दृष्टिकोण।
- *भारत में मानव विकास* से जुड़े अध्याय को संशोधित किया गया है तथा इसमें कई नवीन एवं सामयिक विषयों को जोड़ा गया है, यथा—रोगों का बोझ; भारत: हैल्थ ऑफ नेशंस स्टेट्स 2017 रिपोर्ट; 'डेली' की अवधारणा; स्वच्छ भारत मिशन का निष्पादन; स्वास्थ्य लोक व्यय; इत्यादि।
- *आर्थिक अवधारणाओं एवं शब्दावलियों* से जुड़े अध्याय को संशोधित करने के साथ-साथ इसमें कई नये विषयों को शामिल किया गया है—तरलता कवरेज अनुपात; लेटर ऑफ अंडरटेकिंग; नेट स्टेबल फंडिंग अनुपात; स्टैंडिंग डिपॉजिट फेसिलिटी योजना; स्विफ्ट; इत्यादि।
- *बहुविकल्पीय प्रश्नों* से जुड़े अध्याय के संशोधन के साथ-साथ इसमें बहुत सारे पुराने प्रश्नों की जगहों पर नये एवं समसामयिक प्रश्नों को शामिल किया गया है जो अत्यधिक परीक्षोपयोगी हैं, यथा—एस.डी.एफ.सी; एल.ओ.यू; स्विफ्ट; तरलता; ब्याज दर; एफ.आर.बी.एम. अधिनियम की समीक्षा; एल.सी.आर; एन.एस.एफ.आर; रुपये की परिवर्तनीयता; इन्वर्टेड सीमा शुल्क; क्रीप्टो-करेंसी; राष्ट्रीय आय के लेखांकन की नयी विधि; लोक परिसम्पतियों में सरकारी निवेश का व्यापक प्रबंधन; खुशहाली सूचकांक, इत्यादि।
- *चयनित प्रश्नों के उत्तर* संबंधी अध्याय को पूरी तरह से संशोधित करते हुए इसमें कई नये एवं समसामयिक प्रश्नों (पुराने प्रश्नों की जगह पर) को शामिल किया गया है, यथा-विश्व व्यापार संगठन का 11वां सम्मेलन एवं भारत; जलवायु स्मार्ट कृषि; बढ़ता एन.पी.ए.; संभारतंत्र क्षेत्र; इत्यादि।
- पिछले संस्करणों की भांति नये संस्करण में भी *आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18* तथा *संघीय बजट 2018-19* पर अलग से अध्याय दिए गए हैं जिन्हें परीक्षाओं की मांग के अनुसार प्रस्तुत किया गया है।

लेखन की पूरी जिम्मेवारी के एहसास के साथ मैं इस नवीन संस्करण को पाठकों को अर्पित करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले वर्षों 2018 एवं 2019 की परीक्षाओं में उन्हें इसके माध्यम से काफी सहायता मिलेगी। पाठकों के रचनात्मक सुझावों का हमेशा स्वागत है।

पाठकों को उनके आगामी परीक्षाओं में सफलता की कामना के साथ।

रमेश सिंह
www.rameshsingh.org
dr.rmsh@gmail.com

www.facebook.com/IndianEconomyMHE

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

प्रथम संस्करण का प्राक्कथन

लेखन के प्रति मेरा पहला गंभीर झुकाव तब हुआ जब 1988 में मेरा एक लेख प्रतिष्ठित साप्ताहिक *'मेनस्ट्रीम'* (Mainstream) में छपा तब मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में स्नात्तकोत्तर का छात्र था। वर्ष 1990-91 में जब भारत गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था, तब मेरी छात्रों से हुई बातचीत से मुझे लगा कि इनमें आर्थिक समझ का सर्वथा अभाव था। उन्हें वास्तव में एक ऐसी पुस्तक चाहिए थी, जिसमें एक साथ अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थशास्त्र तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की सम्मिलित चर्चा की गयी हो। गैर-अर्थशास्त्र पृष्ठभूमि वाले छात्रों के लिए तो यह नितांत आवश्यक था। यह पुस्तक इसी दिशा में की गयी एक कोशिश है जिसका अंग्रेजी संस्करण टाटा मैग्रा-हिल द्वारा 2008 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन इस स्वप्न के पूरा होने में लगभग दो दशक लगे।

पुस्तक द्वारा संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) एवं राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के सामान्य अध्ययन, ऐच्छिक विषयों अर्थशास्त्र तथा लोक प्रशासन से जुड़े पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखा गया है। भारतीय विश्वविद्यालयों के स्नात्तक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों से भी इसका गहरा आंतरिक संबंध है। पुस्तक में निम्न बातों पर विशेष बल दिया गया है:

- अर्थशास्त्र की अवधारणाओं की एक मौलिक एवं स्पष्ट समझ विकसित करना ताकि इससे जुड़े 'वस्तुनिष्ठ' (Objective) एवं 'विषयनिष्ठ' (Subjective) दोनों ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकें।

- भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े आधारभूत मुद्दों के साथ-साथ समसामयिक ज्वलंत विषयों पर एक बेहतर समझ विकसित कराने की कोशिश की गयी है (संघ लोक सेवा की परीक्षाओं की भविष्य की मांग यही होने की संभावना है!)।

- वैसे छात्र/पाठक जिनकी पृष्ठभूमि अर्थशास्त्र की नहीं रही है उनके लिए यह अत्यंत उपयोगी पुस्तक है।

- आने वाले समय में प्रश्नों की प्रकृति में होने वाले परिवर्तन की दिशा (जो CSAT की घोषणा से अंदाजा लगाया जा सकता है) में यह पुस्तक पूरी तरह सतर्कता बरतती है।

- संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 2010 की प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन के प्रश्न-पत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था का खण्ड विस्तृत हो गया है- इस बदलते परिवेश में इस पुस्तक की भूमिका और बढ़ जाती है।

- इस पुस्तक में भारत 2010, आर्थिक समीक्षा 2009-10 के साथ-साथ भारत सरकार के अन्यान्य विभागों एवं संकायों की नवीनतम् घोषणाओं और सूचनाओं को शामिल किया गया है।

- अंतत: पुस्तक की सूचनाओं को मानकता एवं मान्यता प्रदान करने के लिए उल्लेख एवं संदर्भ (Notes & References) को उच्च कोटि का आधार प्रदान किया गया है (पुस्तकों के पृष्ठ सहित)।

इसके अंग्रेजी संस्करण के पाठकों द्वारा पुस्तक की सराहना भी की गयी है तथा कई उपयोगी सलाह भी दिए गए हैं। इन सलाहों को इस पुस्तक में उचित स्थान देने की कोशिश की गयी है।

पुस्तक लेखन के दौरान गुरु सदृश प्रो. माजिद हुसैन की व्यवहारिक सलाह एवं प्रोत्साहन तथा उपयोगिता को मैं तहे दिल से नमन करता हूं। 'सिविल्स इंडिया' के सहकर्मियों रीतुराज सिंह एवं श्री आशीष कुमार वशिष्ठ की उपयोगी सलाहों का मैं

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

आदर करता हूं। श्री वशिष्ठ की इसमें अनुवाद से जुड़ी भूमिका भी रही है। इस कार्य के संपन्न होने में श्री राजेश कुमार बघेल, श्री राकेश कुमार, मो. इश्तियाक एवं श्री राजीव कुमार की कई स्तरों पर उत्साहजनक भूमिका रही है जिनके प्रति मैं हमेशा आभारी रहूंगा।

अंततः मैं अपनी धर्मपत्नी श्रीमति ईला सिंह के त्याग, प्रोत्साहन एवं कई छोटे-छोटे बलिदानों के प्रति जीवनभर आभारी रहूंगा जिसके बिना यह पुस्तक शायद पूरी नहीं होती। सबसे मधुर आभार मैं अपनी दोनों ही पुत्रियों मेधा और स्मिति सिंह को दूंगा जिनकी हंसी, स्नेह और अबोध उक्तियां मुझे काम करने के प्रति प्रेरणा देती रहीं।

इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए मैं मैग्रा-हिल के धर्मेन्द शर्मा का आभार प्रकट करना चाहूँगा जिन्होंने प्रकाशन से जुड़ी अन्यान्य बारिकीयों को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक का प्रकाशन रिकॉर्ड समय सीमा में करवाने का कष्ट किया।

मैं पाठकों के विचारों एवं उपयोगी सलाहों का स्वागत करता हूं।

रमेश सिंह

dr.rmsh@gmail.com

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

सिविल सेवा परीक्षा के विषय में

इस प्रतियोगिता परीक्षा में दो क्रमिक चरण हैं:

1. मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा (वस्तुपरक) तथा
2. विभिन्न सेवाओं तथा पदों पर भर्ती हेतु उम्मीदवारों का चयन करने के लिए सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा (लिखित तथा साक्षात्कार)

प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा की रूपरेखा तथा विषय

क. प्रारंभिक परीक्षा: परीक्षा में दो अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे जिसमें प्रत्येक प्रश्न-पत्र 200 अंकों का होगा।

नोट:

(i) दोनों ही प्रश्न-पत्र वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) प्रकार के होंगे।

(ii) प्रश्न-पत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में तैयार किए जाएंगे। तथापि, दसवीं कक्षा स्तर के अंग्रेजी भाषा के बोधगम्यता कौशल से संबंधी प्रश्नों का परीक्षण, प्रश्न-पत्र में केवल अंग्रेजी भाषा के उद्धरणों के माध्यम से, हिन्दी अनुवाद उपलब्ध कराए बिना किया जाएगा।

(iii) पाठ्यक्रम संबंधी विवरण खंड-III के भाग-क में दिया गया है।

(iv) प्रत्येक प्रश्न-पत्र दो घंटे की अवधि का होगा। तथापि, नेत्रहीन उम्मीदवारों को प्रत्येक प्रश्न-पत्र में बीस मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा ।

ख. मुख्य परीक्षा: लिखित परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न-पत्र होंगे:

अर्हक प्रश्न-पत्र

प्रश्न-पत्र अ — **300 अंक**
(संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थित कोई एक भाषा)

प्रश्न-पत्र ब — **300 अंक**
(अंग्रेजी)

प्रश्न-पत्र : I

निबंध — **250 अंक**

प्रश्न-पत्र : II

सामान्य अध्ययन-I — **250 अंक**
(भारतीय विरासत और संस्कृति,
विश्व का इतिहास एवं भूगोल
और समाज)

प्रश्न-पत्र : III

सामान्य अध्ययन-II — **250 अंक**
(शासन व्यवस्था, संविधान, शासन-प्रणाली,
सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध)

प्रश्न-पत्र : IV

सामान्य अध्ययन-III — **250 अंक**
(प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास,
जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन)

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

प्रश्न-पत्र : V

सामान्य अध्ययन-IV (नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरूचि	250 अंक

प्रश्न-पत्र : VI

वैकल्पिक विषय प्रश्न-पत्र-I	250 अंक

प्रश्न-पत्र : VII

वैकल्पिक विषय प्रश्न-पत्र-II	250 अंक
उपयोग (लिखित परीक्षा)	1750 अंक
व्यक्तित्व परीक्षण	275 अंक
कुल योग	2025 अंक

उम्मीदवार निम्नलिखित दी गई सूची में से किसी एक वैकल्पिक विषय का चयन कर सकते हैं:

मुख्य परीक्षा के लिए ऐच्छिक विषयों की सूची

समूह-1

1. कृषि विज्ञान
2. पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान
3. नृविज्ञान
4. वनस्पति विज्ञान
5. रसायन विज्ञान
6. सिविल इंजीनियरिंग
7. वाणिज्य शास्त्र तथा लेखा विधि
8. अर्थशास्त्र
9. विद्युत इंजीनियरिंग
10. भूगोल
11. भू-विज्ञान
12. इतिहास
13. विधि
14. प्रबंधन
15. गणित
16. यांत्रिक इंजीनियरिंग
17. चिकित्सा विज्ञान
18. दर्शन शास्त्र
19. भौतिकी
20. राजनीति विज्ञान तथा अन्तर्राष्ट्रीय संबंध
21. मनोविज्ञान
22. लोक प्रशासन
23. समाज शास्त्र
24. सांख्यिकी
25. प्राणी विज्ञान

समूह-2

निम्नलिखित भाषाओं में से किसी एक भाषा का साहित्य:

असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगू, उर्दू और अंग्रेजी।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

विषय–सूची

दसवें संस्करण का प्राक्कथन (*vii*)

प्रथम संस्करण का प्राक्कथन (*ix*)

सिविल सेवा परीक्षा के विषय में (*xi*)

1. प्रस्तावना (Introduction) 1.1 - 1.22

- अर्थशास्त्र–विषय 1.2
  - कार्यकारी परिभाषा 1.2
  - अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था 1.3
  - अर्थशास्त्र का केंद्र 1.4
  - अर्थव्यवस्थाओं की मुख्य चुनौतियां 1.4
  - वितरण तंत्र मॉडल 1.5
- अर्थव्यवस्था का संगठन 1.5
  1. पूँजीवादी अर्थव्यवस्था 1.5
  2. राज्य अर्थव्यवस्था 1.6
  3. मिश्रित अर्थव्यवस्था 1.6
- अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका 1.9
- वाशिंगटन सहमति 1.11
- अर्थव्यवस्था के क्षेत्र 1.13
  1. प्राथमिक क्षेत्र 1.13
  2. द्वितीयक क्षेत्र 1.13
  3. तृतीयक क्षेत्र 1.13
- अर्थव्यवस्था के प्रकार 1.13
  1. कृषक अर्थव्यवस्था 1.13
  2. औद्योगिक अर्थव्यवस्था 1.14
  3. सेवा अर्थव्यवस्था 1.14
- राष्ट्रीय आय की अवधारणा 1.14
  - जीडीपी 1.15
  - एनडीपी 1.15
  - जीएनपी 1.16
  - एनएनपी 1.17
  - राष्ट्रीय आय की लागत और मूल्य 1.18
  - कर और राष्ट्रीय आय 1.19
  - छूट और राष्ट्रीय आय 1.20
- राष्ट्रीय आय लेखा के आधार वर्ष एवं विधि में संशोधन 1.20
- 2017-18 के लिए आय के अनुमान 1.22

2. वृद्धि, विकास एवं खुशहाली (Growth, Development and Happiness) 2.1 - 2.23

- प्रस्तावना 2.2
- प्रगति 2.2
- आर्थिक संवृद्धि 2.2
- आर्थिक विकास 2.3
  - विकास मापन 2.4
  - मानव विकास सूचकांक 2.4
  - बहस जारी 2.6
  - विकास का आत्मविश्लेषण 2.7
- खुशहाली 2.9
  - खुशहाली का अर्थ 2.11
  - पृष्ठभूमि 2.13
  - खुशहाली के विचार की पुनर्कल्पना 2.13
  - और अंत में 2.18
- मानव व्यवहार की अन्तर्दृष्टि 2.20
  - सामाजिक मानदंड, संस्कृति और विकास 2.20
  - मूल्य और अर्थशास्त्र 2.22

3. भारतीय अर्थव्यवस्था का उद्‌भव (Evolution of the Indian Economy) 3.1 - 3.13

- पृष्ठभूमि 3.2
- प्राथमिक चालक बल-कृषि बनाम उद्योग 3.3
- नियोजित एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था 3.8
- सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर 3.10
  1. अधिरचना संबंधी जरूरतें 3.10
  2. औद्योगिक जरूरतें 3.11
  3. रोजगार सृजन 3.11
  4. मुनाफा तथा सामाजिक क्षेत्र का विकास 3.12
  5. निजी क्षेत्र का उदय 3.13

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

4. आर्थिक नियोजन (Economic Planning) 4.1 - 4.9

- प्रस्तावना 4.2
- परिभाषा 4.2
- नियोजन की शुरूआत और प्रसार 4.5
  1. प्रादेशिक नियोजन 4.5
  2. राष्ट्रीय नियोजन 4.5
- नियोजन के प्रकार 4.6
  1. आदेशात्मक नियोजन 4.6
  2. निर्देशात्मक नियोजन 4.7

5. भारत में नियोजन (Planning in India) 5.1 - 5.67

- परिचय 5.2
- पृष्ठभूमि 5.2
  - विश्वेश्वरैया योजना 5.2
  - फिक्की का प्रस्ताव 5.3
  - काँग्रेस योजना 5.3
  - बॉम्बे प्लान 5.5
  - गाँधीवादी योजना 5.6
  - जन योजना 5.6
  - सर्वोदय योजना 5.7
  - कुछ क्षेत्रवार रिपोर्ट 5.7
- योजना के प्रमुख उद्देश्य 5.8
- योजना आयोग 5.12
  - योजना आयोग के कार्य 5.14
  - योजना आयोग का समाधि-लेख 5.16
- राष्ट्रीय विकास परिषद 5.17
- केंद्रीय नियोजन 5.20
  - A. पंचवर्षीय योजनाएं 5.20
    - पहली योजना 5.20
    - दूसरी योजना 5.20
    - तीसरी योजना 5.20
    - तीन वार्षिक योजनाएं 5.21
    - चौथी योजना 5.21
    - पाँचवीं योजना 5.21
    - छठी योजना 5.22
    - सातवीं योजना 5.23
    - दो वार्षिक योजनाएं 5.24
    - आठवीं योजना 5.24
    - नवीं योजना 5.25
    - दसवीं योजना 5.26
    - ग्यारहवीं योजना 5.26
    - बारहवीं योजना 5.28
  - B. बीस-सूत्री कार्यक्रम 5.29
  - C. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 5.30
- बहु-स्तरीय नियोजन 5.31
  - प्रथम स्तर: राज्य स्तर नियोजन 5.32
  - द्वितीय स्तर: राज्य स्तर नियोजन 5.32
  - तृतीय स्तर: जिला स्तर नियोजन 5.32
  - चौथा स्तर: ब्लॉक स्तर नियोजन 5.32
  - पाँचवाँ स्तर: स्थानीय स्तर नियोजन 5.32
- विकेन्द्रित नियोजन 5.33
- योजना आयोग तथा वित्त आयोग 5.35
- एक आलोचनात्मक मूल्यांकन 5.36
  1. नियोजन में 'परिदृश्य' की कमी 5.36
  2. संतुलित वृद्धि दर विकास को प्रोत्साहित करने में विफलता 5.37
  3. नियोजन की अत्यधिक केंद्रित प्रकृति 5.38
  4. दोषपूर्ण रोजगार नीति 5.39
  5. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर अत्यधिक जोर 5.39
  6. कृषि पर उद्योग का आधिपत्य 5.39
  7. दोषपूर्ण औद्योगिक स्थान-निर्धारण नीति 5.40
  8. गलत वित्तीय नीति 5.40
  9. नियोजन प्रक्रिया का राजनीतिकरण 5.40
- समावेशी वृद्धि 5.41
  - दीर्घकालिक नीति 5.42
- संसाधन संघटन 5.42
- निवेश मॉडल 5.44
  - चरण-एक (1951-69) 5.44
  - चरण-दो (1970-73) 5.45
  - चरण-तीन (1974-90) 5.45
  - चरण-चार (1991 के बाद) 5.46
- केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं एवं केंद्र प्रायोजित योजनाएं 5.48
  - केंद्रीय योजना सहायता 5.49
  - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की पुनर्संरचना 5.50
- स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यक्रम 5.51
- कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन 5.52
  - सांगठनिक ढाँचा 5.53
  - नियोजन योजना के रूप में मूल्यांकन 5.53
- नीति आयोग 5.54
  - भारत का रूपांतरण 5.54
  - बदलते भारत की रूपरेखा 5.55
    1. जनसांख्यिकीय परिवर्तन 5.55
    2. आर्थिक परिवर्तन 5.55
    3. परिवर्तित निजी क्षेत्र 5.55
    4. भूमंडलीकरण की शक्तियां 5.56
    5. राज्यों की भूमिका 5.56
    6. प्रौद्योगिकीय परिप्रेक्ष्य 5.56
  - परिवर्तन अवश्यमभावी 5.56
  - नीति आयोग के कार्य 5.57
  - मार्गदर्शक सिद्धांत 5.60
  - नीति आयोग की संरचना 5.60
  - आयोग की विशेषज्ञ शाखाएं 5.61

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

सुशासन का वाहक 5.62
- हाल ही में हुए परिवर्तन 5.62

नियतम 5.62
- नीति आयोग का एक्शन ऐजेंडा 5.63

राजस्व एवं व्यय 5.63
कृषि 5.64
उद्योग एवं सेवाएं 5.64
शहरी विकास 5.64
प्रादेशिक रणनीति 5.64
परिवहन एवं डिजीटल संपर्क 5.64
ऊर्जा 5.65
विज्ञान एवं तकनीक 5.65
अभिशासन 5.65
कराधान एवं विनियमन 5.65
कानून का नियम 5.66
शिक्षा एवं कौशल विकास 5.66
स्वास्थ्य 5.66
समावेशी समाज का निर्माण 5.66
पर्यावरण एवं जल संसाधन 5.67

6. आर्थिक सुधार (Economic Reforms) 6.1 - 6.15

- प्रस्तावना 6.2
- आर्थिक सुधार 6.2
  1. योजना मॉडल 6.2
  2. वाशिंगटन सहमति 6.3
  3. मिश्रित अर्थव्यवस्था 6.3
- भारत में आर्थिक सुधार 6.4

बाध्यकारी सुधार 6.5
आर्थिक सुधारों की युक्तियां 6.7
एलपीजी 6.7
- उदारीकरण 6.7
- निजीकरण 6.8
- वैश्वीकरण 6.9
- आर्थिक सुधारों की पीढ़ियां 6.11

प्रथम पीढ़ी के सुधार: 1991–2000 6.11
द्वितीय पीढ़ी के सुधार: 2000–01 के बाद 6.12
(i) कारक बाजार सुधार 6.12
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र सुधार 6.12
(iii) सरकार एवं लोक संस्थानों में सुधार 6.12
(iv) वैधानिक क्षेत्र सुधार 6.13
(v) क्रांतिक क्षेत्र सुधार 6.13
तृतीय पीढ़ी के सुधार 6.14
चौथी पीढ़ी के सुधार 6.14
- सुधारों का दृष्टिकोण 6.14

7. मुद्रास्फीति एवं व्यापार चक्र (Inflation and Business Cycle) 7.1 - 7.33

खण्ड-अ

- प्रस्तावना 7.2
- परिभाषा 7.2
- मुद्रास्फीति क्यों होती है? 7.3
  1. 1970 के दशक से पूर्व 7.3
  2. 1970 के दशक के बाद 7.3
  3. मुद्रास्फीति नियंत्रण के उपाय 7.4
- मुद्रास्फीति के प्रकार 7.5
  1. अल्प मुद्रास्फीति 7.5
  2. सरपट मुद्रास्फीति 7.6
  3. अति मुद्रास्फीति 7.6
- मुद्रास्फीति के अन्य भिन्न रूप 7.6
  I. गत्यावरोध/मार्गावरोध मुद्रास्फीति 7.6
  II. मर्म मुद्रास्फीति 7.7
- अन्य महत्वपूर्ण पद 7.7

मुद्रास्फीतिकारी अंतर 7.7
मुद्रा अवस्फीतिकारी अंतर 7.7
मुद्रास्फीति कर 7.7
मुद्रास्फीति कुंडली 7.7
मुद्रास्फीति लेखा 7.8
मुद्रास्फीति अधिमूल्य 7.8
फिलिप्स वक्र 7.8
प्रतिसारजन्य मुद्रास्फीति 7.9
स्थगनजन्य मुद्रास्फीति 7.9
- मुद्रास्फीति लक्ष्यन 7.10

तिरछी मुद्रास्फीति 7.11
सकल घरेलू उत्पाद अवस्फीतिकारक 7.11
- आधार प्रभाव 7.12
- मुद्रास्फीति के प्रभाव 7.12
  1. ऋणदाता और देनदार पर 7.12
  2. उधारी पर 7.12
  3. कुल मांग पर 7.12
  4. निवेश पर 7.12
  5. आय पर 7.13
  6. बचत पर 7.13
  7. खर्च पर 7.13
  8. कर पर 7.13
  9. विनिमय दर पर 7.14
  10. निर्यात पर 7.14
  11. आयात पर 7.14
  12. व्यापार संतुलन पर 7.14
  13. रोजगार पर 7.14
  14. मजदूरी पर 7.14
  15. स्वरोजगार पर 7.14
  16. अर्थव्यवस्था पर 7.14

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

- **भारत में मुद्रास्फीति** 7.15
  - थोक मूल्य सूचकांक 7.15
  - संशोधित थोक मूल्य सूचकांक 7.15
  - उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 7.16
  - 1. सीपीआई-आईडब्ल्यू 7.17
  - 2. सीपीआई-यूएनएमई 7.17
  - 3. सीपीआई-एएल 7.17
  - 4. सीपीआई-आरएल 7.18
  - उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का पुनरीक्षण 7.18
  - मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियां 7.20
  - 1. संरचनात्मक मुद्रास्फीति 7.22
  - 2. लागत-दबाव मुद्रास्फीति 7.22
  - 3. राजकोषीय नीति 7.22
  - मुद्रास्फीति का स्वस्थ परास 7.23
  - उत्पादक मूल्य सूचकांक 7.24
  - हाउसिंग प्राइस इंडेक्स 7.25
  - सेवा मूल्य सूचकांक 7.26
- **मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए सरकार के कदम** 7.27

खण्ड-ब

- **प्रस्तावना** 7.28
- **मंदी** 7.28
- **समुत्थान** 7.29
- **उछाल** 7.29
- **प्रतिसार** 7.30
- **संवृद्धि प्रतिसार** 7.31
- **डबल-डिप रिसेशन** 7.32
- **अबेनोमिक्स** 7.32
- **निष्कर्ष** 7.33

8. कृषि एवं खाद्य प्रबंधन 8.1 - 8.60
(Agriculture and Food Management)

- **प्रस्तावना** 8.3
- **खरीफ एवं रबी** 8.4
- **भारत का खाद्य दर्शन** 8.5
  - प्रथम चरण 8.5
  - द्वितीय चरण 8.5
  - तीसरा चरण 8.6
- **भूमि सुधार** 8.6
  - चरण-I 8.6
  - भूमि सुधारों की विफलता के कारण 8.8
  - भूमि सुधार तथा हरित क्रांति 8.8
  - चरण-II 8.8
  - कृषि संपत्ति/जोत-क्षेत्र 8.10
- **हरित क्रांति** 8.11
  - हरित क्रांति के घटक 8.12
  - हरित क्रांति के प्रभाव 8.13
  - निष्कर्ष 8.14
- **फसल पद्धति** 8.14
  - प्रचलित कृषि प्रणाली 8.14
  - फसल पद्धति में बदलाव 8.15
- **पशुपालन** 8.17
- **खाद्य प्रबंधन** 8.18
  - न्यूनतम समर्थन मूल्य 8.19
  - बाजार हस्तक्षेप योजना 8.19
  - प्रापण/खरीद मूल्य 8.19
  - निर्गम मूल्य 8.20
- **बफर स्टॉक** 8.20
  - विकेंद्रीकृत खरीद योजना 8.20
- **भंडारण** 8.21
  - खाद्यान्नों की आर्थिक लागत 8.21
  - खुला बाजार बिक्री योजना 8.22
  - मूल्य स्थिरीकरण कोष 8.22
- **खेती में सब्सिडी** 8.22
- **खाद्य सुरक्षा** 8.24
- **पीडीएस व खाद्य सब्सिडी** 8.25
- **कृषि विपणन** 8.26
  - आदर्श एपीएमसी कानून 8.27
- **कृषि व्यापार की सुरक्षा** 8.29
- **जिंस वायदा बाजार** 8.29
- **ऊर्ध्व प्रवाह एवं अनुप्रवाह की जरूरतें** 8.30
- **आपूर्ति शृंखला प्रबंधन** 8.31
- **ऊर्ध्व प्रवाह, अनुप्रवाह एवं आपूर्ति शृंखला प्रबंधन में एफडीआई** 8.32
- **कृषि अपशिष्ट विमर्श** 8.33
- **सिंचाई** 8.34
  - सिंचाई संभावना व उपयोग 8.34
  - सिंचाई क्षमता 8.35
  - जल उत्पादकता 8.35
- **कृषि मशीनीकरण** 8.36
- **बीज विकास** 8.37
- **उर्वरक** 8.37
- **कीटनाशक** 8.39
- **कृषि ऋण एवं किसानों द्वारा आत्महत्या** 8.39
- **कृषि विस्तार सेवाएं** 8.40
- **पीएमएफबीवाई** 8.41
- **सतत् कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन** 8.42
- **विश्व व्यापार संगठन और भारतीय कृषि: संभावनाएं एवं चुनौतियां** 8.43
  - संभावनाएं 8.44
  - चुनौतियां 8.45

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

- विश्व व्यापार संगठन एवं कृषि छूट 8.48
  - सकल सहायता व्यवस्था 8.48
  - पेटियां 8.48
  - पीली अथवा तृणमणि पेटी 8.49
  - नीली पेटी 8.49
  - हरित पेटी 8.49
  - सामाजिक एवं विकास पेटी 8.50
  - निर्यात छूट 8.50
  - स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपाय 8.50
  - नामा 8.51
  - स्विस सूत्र 8.51
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 8.51
- खाद्य प्रसंस्करण 8.53
  - महत्व 8.53
  - लक्ष्य 8.53
  - नियम-विनियम 8.54
  - योगदान 8.54
  - अधिरचना विकास 8.54
  - मेगा फूड पार्क योजना 8.55
  - शीत शृंखला, मूल्य योग एवं संरक्षण 8.55
  - वधशालाओं/बूचड़खानों का आधुनिकीकरण 8.55
  - तकनीकी उन्नयन 8.55
  - गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक तथा शोध एवं विकास तथा प्रोत्साहक गतिविधियां 8.55
  - मानव संसाधन विकास 8.55
  - भारतीय उपज प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान का सुदृढ़ीकरण 8.56
  - राष्ट्रीय मांस एवं कुक्कुट प्रसंस्करण 8.56
  - भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड 8.56
  - राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान 8.56
  - राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन 8.57
  - चुनौतियां 8.57
  - भविष्य के लिए आउटलुक 8.57
- कृषि आय दोहरीकरण 8.58
- महिला किसान 8.58
- जलवायु स्मार्ट कृषि 8.59
- भविष्य की ओर 8.59

9. उद्योग एवं विनिर्माण (Industry and Infrastructure) 9.1 - 9.48

- प्रस्तावना 9.3
- 1986 के पूर्व की औद्योगिक नीतियां 9.3
  - 1948 की औद्योगिक नीति का प्रस्ताव 9.3
  - 1956 की औद्योगिक नीति का प्रस्ताव 9.4
  - 1969 की औद्योगिक नीति 9.5
  - 1973 की औद्योगिक नीति 9.6
  - 1977 की औद्योगिक नीति 9.7
  - 1980 की औद्योगिक नीति का प्रस्ताव 9.8
  - 1985 तथा 1986 की औद्योगिक नीतियों का प्रस्ताव 9.8
- नई औद्योगिक नीति, 1991 9.10
  1. उद्योगों को अनारक्षित करना 9.11
  2. उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग हटाना 9.11
  3. MRTP सीमा का समापन 9.11
  4. विदेशी निवेश को प्रोत्साहन 9.12
  5. FEMA द्वारा FERA का प्रतिस्थापन्न 9.12
  6. उद्योगों की अवस्थिति 9.12
  7. चरणबद्ध उत्पादन की अनिवार्यता का अंत 9.13
  8. ऋणों को शेयरों में परिवर्तित करने की अनिवार्यता का समापन 9.13
- विनिवेश 9.15
  - विनिवेश के प्रकार 9.16
  - वर्तमान विदेश नीति 9.17
  - विनिवेश से हुई प्राप्ति : इसके उपयोग पर विवाद 9.18
- एमएसएमई क्षेत्र 9.20
- क्षेत्रीय चिंताएं 9.21
  - इस्पात उद्योग 9.21
  - एलुमिनियम उद्योग 9.21
  - वस्त्र-फुटवियर क्षेत्र 9.22
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश माप 9.24
- व्यवसाय करने की सहूलियत 9.25
- मेक इन इंडिया 9.26
- स्टार्ट-अप इंडिया 9.28
- भारतीय अधिसरंचना 9.29
  - परिचय 9.29
  - आधिकारिक विचारधारा 9.30
- उदय योजना 9.31
- रेलवे 9.34
- सड़क 9.35
- नागर विमानन 9.36
- समुद्री कार्यसूची 2010-2020 9.37
- स्मार्ट सिटी 9.37
- निजी क्षेत्र और शहरीकरण 9.39
- पीपीपी मॉडल 9.40
- पेट्रोलियम क्षेत्र की चिंताएं 9.43
- अक्षय ऊर्जा 9.44
- संभारतंत्र क्षेत्र 9.45
- आवास नीति 9.46
  - किराये के आवास 9.46
- नयी चुनौतियां 9.47

10. सेवा क्षेत्र (Services Sector) 10.1 - 10.14

- परिचय 10.2
- भारत एवं वैश्विक सेवाएं 10.2

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

भारत का सेवा निष्पादन 10.3
सेवा क्षेत्र में एफ.डी.आई. 10.3
सेवाओं का व्यापार 10.4
परामर्श सेवाएं 10.5
- शोध एवं विकास सेवाएं 10.5
- अंतरिक्ष सेवाएं 10.6
- विनिर्माण बनाम सेवाएं 10.7
- वैश्विक वार्ताएं 10.8
विश्व व्यापार संगठन समझौता 10.8
द्विपक्षीय समझौता 10.8
- प्रतिबंध एवं नियमन 10.9
व्यापार और परिवहन सेवाएं 10.9
विनिर्माण विकास 10.10
लेखाविधि सेवाएं 10.10
विधि सेवाएं 10.10
शिक्षा सेवाएं 10.10
- सुधारों की आवश्यकता 10.11
सामान्य मुद्दे 10.11
क्षेत्रवार मुद्दे 10.11
- भविष्य की रूपरेखा 10.13

11. भारतीय वित्त बाजार 11.1 - 11.16
(Indian Financial Market)

- परिभाषा 11.2
- भारतीय मुद्रा बाजार 11.2
1. असंगठित मुद्रा बाजार 11.3
2. संगठित मुद्रा बाजार 11.4
- म्युचुअल फंड 11.7
- डिस्काउंट एण्ड फाइनेंस हाऊस ऑफ इंडिया 11.9
- भारतीय पूंजी बाजार 11.10
परियोजना वित्त पोषण 11.10
A. वित्तीय संस्थान 11.10
B. बैंकिंग उद्योग 11.13
C. बीमा उद्योग 11.14
D. प्रतिभूति बाजार 11.14
- वित्तीय विनियमन 11.14
नियामक ऐजेंसियां 11.14
अर्द्ध-नियामक एजेंसियां 11.15
केंद्रीय मंत्रालय 11.15
राज्य सरकारें 11.15
कुछ मध्यवर्ती वित्तीय संस्थाओं के लिए अलग क़ानून 11.15
एफएसडीसी की स्थापना 11.15

12. भारत में बैंकिंग 12.1 - 12.45
(Banking in India)

- प्रस्तावना 12.3
- एनबीएफसी 12.3
ऋण-पत्र रिडेम्पशन 12.5
- भारतीय रिजर्व बैंक 12.5
- मौद्रिक एवं साख नीति 12.6
नकद आरक्षण अनुपात 12.6
सांविधिक तरलता अनुपात 12.7
बैंक दर 12.7
रेपो दर 12.8
प्रतिवर्ती रेपो दर 12.8
मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा 12.8
दूसरे साधन 12.8
- बेस दर 12.10
- एमसीएलआर 12.11
- संशोधित एलएमएफ 12.11
- भारत में बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण एवं विकास 12.12
एसबीआई का उद्भव 12.12
राष्ट्रीयकृत बैंकों का उद्भव 12.12
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 12.13
- सहकारी बैंक 12.14
इन बैंकों की समस्याएं 12.15
- वित्तीय क्षेत्र में सुधार 12.15
सीएफएस की सिफारिशें 12.16
- बैंक क्षेत्र में सुधार 12.18
डीआरआई 12.19
प्राथमकिता वाले क्षेत्रों को ऋण 12.19
- गैर-लाभकारी एवं दाब परिसंपत्तियां 12.20
हाल की वृद्धि 12.20
एनपीए के समाधान 12.21
- सार्वजनिक क्षेत्र परिसंपत्ति पुनरुद्धार संस्था (पारा) 12.22
- शोधन-अक्षमता एवं दिवालियापन 12.23
एसएआरएफएईएसई अधिनियम, 2002 12.24
- दुराग्रही चूककर्ता 12.25
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात 12.25
सीएआर बनाए रखना क्यों जरूरी है? 12.27
- बेसल समझौता 12.27
बेसल-III के प्रावधान 12.29
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा बेसल-III का अनुपालन 12.29
मुद्रा का स्टॉक 12.30

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

मुद्रा की तरलता	12.32
संकीर्ण मुद्रा	12.32
विस्तृत मुद्रा	12.33
मुद्रा की आपूर्ति	12.33
उच्च शक्ति वाला धन	12.33
न्यूनतम संचय	12.33
आरक्षित धन	12.34
मुद्रा गुणक	12.34
साख सलाह	12.34
साख मूल्यांकन	12.34
• **अनिवासी भारतीय जमा**	12.35
नए बैंक को लाइसेंस देने संबंधी दिशा-निर्देश	12.36
• **एटीएम का वर्गीकरण**	12.38
नॉन-ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी)	12.38
• **निधि**	12.39
• **चिट फंड**	12.41
• **लघु एवं भुगतान बैंक**	12.41
लघु बैंक	12.42
भुगतान बैंक	12.43
• **वित्तीय समावेशन**	12.43
प्रधानमंत्री जनधन योजना	12.43
• **बैंकों का परिसंपत्ति-दायित्व प्रबंधन**	12.44
• **स्वर्ण निवेश की योजनाएं**	12.44
संप्रभु स्वर्ण बॉण्ड	12.45
गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम	12.45
• **मुद्रा बैंक**	12.45

13. भारत में बीमा (Insurance in India) 13.1 - 13.12

• **परिभाषा**	13.2
• **बीमा उद्योग**	13.2
भारतीय जीवन बीमा निगम	13.2
साधारण बीमा निगम	13.2
• **ए.आई.सी.आई.एल.**	13.3
सार्वजनिक क्षेत्र बीमा कंपनियां	13.3
• **बीमा सुधार**	13.3
बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण-इरडा	13.3
• **पुनर्बीमा**	13.4
• **जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम**	13.4
• **निर्यात ऋण गारंटी निगम**	13.5
• **राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता**	13.5
• **आगे की चुनौतियां**	13.6
• **बीमा प्रवेशन**	13.8
नीतिगत पहलें	13.9
• **सुधार की नई पहलें**	13.9
• **नयी बीमा योजनाएं**	13.11
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	13.11
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	13.12

14. भारत में प्रतिभूति बाजार (Security Market in India) 14.1 - 14.37

• **परिभाषा**	14.2
• **प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार**	14.2
• **स्टॉक एक्सचेंज**	14.2
एन.एस.ई.	14.3
ओ.टी.सी.ई.आई.	14.3
आई.एस.ई.	14.3
बी.एस.ई.	14.3
इण्डो-नेक्स्ट	14.4
एस.एम.ई. एक्सचेंज : बी.एस.ई.एस.एम.ई. एवं इमर्ज	14.4
स्टॉक एक्सचेंज के किरदार	14.6
• **सेबी**	14.7
• **वस्तु व्यापार**	14.7
एफएमसी	14.9
• **स्पॉट एक्सचेंज**	14.9
भारत में स्पॉट एक्सचेंज	14.10
स्पॉट एक्सचेंजों के लाभ	14.10
प्राथमिक बाजार से पूंजी उगाही	14.11
• **स्टॉक बाजार के महत्वपूर्ण पद**	14.11
स्क्रिप शेयर	14.11
स्वेट शेयर	14.11
रॉलिंग सैटलमेंट	14.11
बदला	14.11
औंधा बदला	14.11
वायदा	14.12
न्यासी	14.12
स्प्रेड	14.12
बाजार के बाहर सौदे	14.12
एन.एस.सी.सी.	14.12
असहोपकारीकरण	14.12
अधिकृत पूंजी	14.12
देय पूंजी	14.12
पूर्वक्रीत पूंजी	14.12
निर्गमित पूंजी	14.12
ग्रीनशू ऑप्शन	14.13
पैनी स्टॉक	14.13
ईएसओपी	14.13
एसबीटी	14.13
ओएफसीडी	14.13
डेरिवेटिव्स	14.14
भारतीय निपेक्षागार रसीद	14.14
सममूल्य एवं अधिमूल्य पर शेयर	14.15

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

- विदेशी वित्तीय निवेशक 14.16
  विदेशी निवेश के लिए नए नियम 14.17
- ऐंजल निवेशक 14.18
- क्यूएफआई योजना 14.19
- आरएफपीआई 14.19
- पार्टीसिपेटरी नोट्स (पीएनएस) 14.20
  पीएन की लोकप्रियता का कारण 14.20
  पीएन का विनियमन 14.21
  पीएन संबंधी चिन्ताएं 14.22
  अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति 14.23
  हेज फंड 14.23
- शॉट सेलिंग 14.24
  मंदड़िया एवं तेजड़िया 14.24
  बुक बिल्डिंग 14.24
  आई.पी.ओ. 14.24
  प्राइस बैंड 14.24
  ई.सी.बी. नीति 14.24
- राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना 14.26
- क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (सीडीएस) 14.27
- प्रतिभूतिकरण 14.28
- भारत में कॉरपोरेट बॉण्ड 14.28
- मुद्रास्फीति-सूचकांकित बॉण्ड 14.31
- स्वर्ण विनिमय व्यापार कोष 14.32
  ई-गोल्ड 14.32
- सीपीएसई ईटीएफ 14.32
- पेंशन क्षेत्र में सुधार 14.33
  वित्तीय स्थायित्व और विकास परिषद (एफएसडीसी) 14.34
  वित्तीय आंकलन कार्यक्रम 14.34
  वित्तीय कार्यवाही कार्य बल 14.35
- भू-भवन संपत्ति एवं अधिसरंचना निवेश न्यास 14.36
  भू-भवन संपत्ति निवेश न्यास 14.36
  अधिरचना निवेश न्यास 14.36

15. भारत का वैदेशिक क्षेत्र 15.1 - 15.27
(External Sectors in India)

- परिभाषा 15.3
- विदेशी मुद्रा भंडार 15.3
  ईष्टतम विदेशी मुद्रा-पहेली 15.3
- विदेशी ऋण 15.4
- नियत मुद्रा व्यवस्था 15.5
- उत्प्लावित मुद्रा व्यवस्था 15.5
- प्रबंधित विनिमय दर 15.5
- विदेशी विनिमय बाजार 15.6
- भारत में विनिमय दर 15.6
- व्यापार शेष 15.7
- व्यापार नीति 15.7
- मूल्य ह्रास 15.7
- अवमूल्यन 15.7
- पुनर्मूल्यन 15.7
- अधिमूल्यन 15.8
- चालू खाता 15.8
- पूंजी खाता 15.8
- भुगतान संतुलन 15.8
- परिवर्तनीयता 15.9
  भारत में परिवर्तनीयता 15.9
  चालू खाता 15.9
  पूंजी खाता 15.9
- लर्म्स 15.10
- सामान्य प्रभावी विनिमय दर 15.10
- वास्तविक प्रभावी विनिमय दर 15.10
- ईएफएफ 15.10
- भारत पर आईएमएफ की शर्तें 15.11
- कड़ी मुद्रा 15.11
- मुलायम मुद्रा 15.12
- उष्ण मुद्रा 15.12
- ऊष्मित मुद्रा 15.12
- सस्ती मुद्रा 15.12
- महंगी मुद्रा 15.12
- विशेष आर्थिक क्षेत्र 15.12
- जी.ए.ए.आर. 15.14
- विदेशी मुद्रा उधारी में जोखिम 15.15
- भारत का बाह्य निष्पादन 15.16
  व्यापार परिदृश्य 15.16
  व्यापार साझेदार 15.16
  अदृश्य 15.17
  व्यापार की बनावट 15.17
- व्यापार को बढ़ाने के लिए नए कदम 15.18
- विनिमय दर निगरानी 15.19
- भारत के आरटीए 15.20
- नई विदेश व्यापार नीति, 2015 15.21
- अंतर-प्रशांत भागीदारी 15.23
- ट्रांस अटलांटिक व्यापार एवं निवेश साझेदारी 15.24
- अवैश्वीकरण और भारत 15.25

16. अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन एवं भारत 16.1 - 16.15
(International Economic Organisations & India)

- अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली 16.2
  सामंजस्य 16.2
  तरलता 16.2
  विश्वास 16.2

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

- ब्रेटन वुड्स विकास 16.2
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 16.3
  - भारत का 'कोटा' एवं 'रैंक' 16.4
  - अमेरिका/यूरोपीय संघ का वर्तमान वित्तीय संकट: अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की चुनौतियां 16.4
- विश्व बैंक 16.5
  - अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक 16.5
  - अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी 16.5
  - अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम 16.6
  - बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी 16.6
  - अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र 16.6
- भारत का बी.आई.पी.ए. 16.7
- एशियाई विकास बैंक 16.7
- ओ.ई.सी.डी. 16.8
- विश्व व्यापार संगठन 16.9
- नैरोबी वार्ता और भारत 16.9
- ब्यूनस आयर्स सम्मेलन एवं भारत 16.11
- ब्रिक्स बैंक 16.12
- एशियाई अधिसंरचना निवेश बैंक 16.13

17. भारत में कर संरचना 17.1 - 17.20
(Tax Structure in India)

- कर 17.2
  - करापात 17.2
  - कराघात 17.2
  - प्रत्यक्ष कर 17.2
  - अप्रत्यक्ष कर 17.2
- कराधान की विधियां 17.3
  - प्रगामी कराधान 17.3
  - प्रतिगामी कराधान 17.3
  - समानुपाती कराधान 17.3
- एक अच्छी कर व्यवस्था 17.3
  - (i) न्यायसंगति 17.4
  - (ii) दक्षता 17.4
  - (iii) प्रशासनिक सरलता 17.4
  - (iv) लचीलापन 17.4
- व्यय की विधियां 17.4
- मूल्यवर्द्धित कर 17.5
  - भारत में 'वैट' की आवश्यकता 17.5
  - वैट का अनुभव 17.6
- वस्तु और सेवा कर 17.6
  - कार्यान्वयन प्रक्रिया 17.7
  - जी.एस.टी. के माध्यम से अर्थव्यवस्था की समझ 17.8
- वस्तु सौदा कर 17.9
- प्रतिभूति सौदा कर 17.10
- पूंजी लाभ कर 17.10
- न्यूनतम वैकल्पिक कर 17.10
- निवेश भत्ता 17.11
- कर व्यय 17.12
- समाहरण दर 17.12
- 14वां वित्त आयोग 17.13
- वित्त आयोग की सिफारिशें 17.14
- वित्त आयोग : अवधारणाएं एवं परिभाषाएं 17.15
  - कर अंतरण 17.15
  - विभाज्य पूल 17.15
  - सहायता अनुदान 17.16
  - राजकोषीय क्षमता/आय में अंतर 17.16
  - राजकोषीय अनुशासन 17.17
- वैधता और कराधान 17.17
- आय एवं उपभोग विसंगति 17.18
- भविष्य की ओर 17.19

18. भारत में लोक वित्त 18.1 - 18.32
(Public Finance in India)

- प्रस्तावना 18.2
- बजट 18.2
  - बजट के आंकड़े 18.2
  - विकासात्मक तथा गैर-विकासात्मक व्यय 18.3
  - योजनागत तथा गैर-योजनागत व्यय 18.3
  - राजस्व 18.5
  - गैर-राजस्व 18.5
  - प्राप्तियां 18.5
  - राजस्व प्राप्तियां 18.5
  - कर राजस्व प्राप्तियां 18.5
  - गैर-कर राजस्व प्राप्तियां 18.5
  - राजस्व व्यय 18.5
  - राजस्व घाटा 18.6
  - प्रभावी राजस्व घाटा 18.6
  - राजस्व बजट 18.7
  - पूँजी बजट 18.7
  - पूँजी प्राप्तियाँ 18.7
  - पूँजी व्यय 18.7
  - पूँजी घाटा 18.8
  - राजकोषीय घाटा 18.8
  - प्राथमिक घाटा 18.9
  - मौद्रीकृत घाटा 18.9
  - बजट घाटा तथा बजट अधिशेष 18.9
- घाटे का वित्त पोषण 18.10
  - घाटे के वित्त पोषण की आवश्यकता 18.10
  - घाटे के वित्त पोषण के साधन 18.11
  - राजकोषीय घाटे के संघटक 18.12
- राजकोषीय नीति 18.13

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

भारत में घाटे का वित्त पोषण 18.14
प्रथम चरण (1947-70) 18.14
द्वितीय चरण (1970-1991) 18.14
तीसरा चरण (1991 के बाद) 18.15
- भारत की राजकोषीय स्थिति : एक परिचर्चा 18.15
एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, 2003 18.17
- सरकारी खर्च को सीमित करना 18.19
- भारत में राजकोषीय समेकन 18.21
- शून्य आधारित बजट 18.23
- प्रभारित व्यय 18.24
- बजट के प्रकार 18.24
'गोल्डन रूल' 18.24
संतुलित बजट 18.25
'जेंडर बजटिंग' 18.25
'आउटकम' एवं 'परफॉर्मेन्स' बजट 18.25
- कटौती प्रस्ताव 18.25
- त्रिविधा 18.26
- राजकोषीय कंप्यूटरीकरण 18.27
सरकार 18.27
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण 18.28
- व्यय प्रबंधन आयोग 18.29
- सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता 18.29
सार्वजनिक निवेश की भूमिका 18.29
- वर्तमान राजकोषीय स्थिति 18.31

19. धारणीयता एवं जलवायु परिवर्तन: भारत और विश्व (Sustainability and Climate Change: India and the World) 19.1 - 19.15

- परिचय 19.2
- वैश्विक उत्सर्जन 19.3
- सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) 19.3
भारत एवं एस.डी.जी 19.4
- पेरिस समझौता (कॉप 21) 19.4
- ग्रीन फाइनेंस 19.6
- जलवायु वित्त 19.7
वैश्विक जलवायु कोष 19.8
जीसीएफ 19.8
जीईएफ 19.9
- धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन: भारतीय परिप्रेक्ष्य 19.9
- आईएनडीसीज 19.10
- भारत और जलवायु परिवर्तन 19.12
एनएपीसीसी 19.12
एसएपीसीसी 19.13
एनएएफसीसी 19.13
कोयला सेस और राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष 19.13
परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड 19.13
अक्षय ऊर्जा 19.13
- भविष्य का परिदृश्य 19.15
उपसंहार 19.15

20. भारत में मानव विकास (Human Development in India) 20.1 - 20.21

- परिचय 20.2
- एच.डी.आर. 2016 20.3
- लैंगिक मुद्दे 20.4
महिला की निजता 20.4
जनसंख्या नीति के कुप्रभाव 20.5
- गरीबी का प्राक्कलन 20.5
- समावेशी वृद्धि को बढ़ावा 20.6
सुगम्य भारत अभियान 20.6
पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाना 20.7
- जनसांख्यिकी 20.8
- सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना 20.10
- शैक्षणिक परिदृश्य 20.10
- रोजगार परिदृश्य 20.12
महिलाओं के अवैतनिक कार्य 20.12
कौशल भेद 20.13
- श्रम सुधार 20.14
- बाल श्रम 20.16
- स्वास्थ्य परिदृश्य 20.16
- रोगों का बोझ 20.17
- स्वच्छ भारत मिशन 20.19
- स्वास्थ्य व्यय 20.19
- सामाजिक क्षेत्र व्यय 20.19
- नीतिगत सुझाव 20.20

21. ज्वलंत सामाजिक-आर्थिक मुद्दे (Burning Socio-Economic Issues) 21.1 - 21.26

1. बुरे बैंक 21.2
परिचय 21.2
अवधारणा 21.2
बुरे बैंक के मॉडल 21.2
निष्कर्ष 21.3
2. जनसांख्यिकीय लाभांश 21.3
परिचय 21.3
भारत के जनसांख्यिकीय आंकड़े 21.4
निष्कर्ष 21.6
3. दोहरी बैलेंस शीट का संकट 21.6
परिचय 21.6
समस्या 21.6
समाधान 21.7

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

'पारा' की कार्यपद्धति 21.8
4. सबके लिए स्वास्थ्य देखभाल 21.9
प्रस्तावना 21.9
चुनौतियां 21.10
समाधान के लिए आगे बढ़ना 21.10
5. विमौद्रीकरण के उत्तरप्रभाव 21.12
परिचय 21.12
संभावनाओं का दोहन 21.14
निष्कर्ष 21.14
6. असमानता पर ध्यान संकेंद्रण 21.15
परिचय 21.15
असमानता से संबंधी चिन्ताएं 21.15
असमानता पर निगरानी रखने की जरूरत है 21.16
समाधान की तलाश 21.16
निष्कर्ष 21.17
7. सार्वभौम मूल आय (यूबीआई) 21.17
परिचय 21.17
एक प्रभावी विचार 21.18
योजना के कार्यान्वयन की रूपरेखा 21.18
फायदे 21.19
निष्कर्ष 21.19
8. राज्य में वैधता एवं सामाजिक-आर्थिक रूपांतरण 21.19
परिचय 21.19
वैश्विक अनुभव 21.20
आज के लिए सुझाव 21.20
निष्कर्ष 21.21
9. कृषि ऋणग्रस्तता एवं कृषि नीति 21.21
परिचय 21.21
किसानों की ऋणग्रस्तता 21.22
किसानों की आमदनी 21.22
संस्थागत और गैर-संस्थागत ऋण 21.22
संभावित निदान 21.23
निष्कर्ष 21.24
10. वैश्वीकरण—उत्तरप्रभाव 21.24
परिचय 21.24
विश्व की बदलती रूपरेखा 21.24
क्षेत्रीय व्यापारिक समझौतों का असर 21.25
बहुपक्षीयवाद का भविष्य 21.25
भारत का मामला 21.26
निष्कर्ष 21.26

22. आर्थिक अवधारणाएं तथा शब्दावलियाँ 22.1 - 22.61
(Economic Concepts and Terminologies)

- प्रभुत्व का दुरुपयोग 22.2
- सक्रियता दर 22.2
- ए.डी.आर. 22.2
- ए.डी.एस. परिवर्तन प्रस्ताव 22.2
- प्रतिकूल चयन 22.3
- कृषीय विस्तार 22.3
- कृषि श्रमिक 22.3
- अल्पाइन परिवर्तनीय बंधपत्र 22.3
- एमोर्टाइजेशन 22.3
- एण्डियन संधि 22.3
- एनीमल स्प्रिट 22.4
- एण्टीट्रस्ट 22.4
- मूल्य वृद्धि 22.4
- विवाचन 22.4
- परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी 22.4
- परिसम्पत्ति 22.5
- अभ्यर्पित राजस्व 22.5
- ऑटार्कि 22.5
- मंदी बदला 22.6
- बैक-टू-बैक लोन 22.6
- बैड बैंक 22.6
- बुरा ऋण 22.6
- बदला 22.6
- संतुलित बजट 22.6
- भुगतान संतुलन 22.7
- बलून भुगतान 22.7
- स्थान आधारित मूल्य व्यवस्था 22.7
- बेलवेदर स्टॉक 22.7
- वित्तीय निरीक्षण बोर्ड 22.7
- ब्लैक स्कोल्स 22.7
- बॉण्ड 22.7
- बुक बिल्डिंग 22.7
- ब्रैकेट क्रीप 22.8
- वृहत आधार वाला फंड 22.8
- ब्राऊनफील्ड लोकेशन 22.8
- बबल 22.8
- बजट लाइन 22.8
- बुलेट पुनर्भुगतान 22.8
- सर्राफा/बुलियन 22.9
- व्यावसायिक चक्र 22.9
- व्यस्त एवं मंद मौसम 22.9
- क्रेता बाजार 22.9
- खरीद 22.9
- कैमलस 22.10
- पूँजी 22.10
- पूँजी पर्याप्तता अनुपात 22.11
- पूँजी उपभोग 22.11
- पूँजी निर्गत अनुपात 22.11
- कार्बन क्रेडिट 22.11

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

- कैरी ट्रेड 22.11
- कैश काउ 22.11
- केवईट एम्पटर 22.12
- सेटीरस पेरीबस 22.12
- चीनी दीवार 22.12
- सर्किट सीमा 22.12
- पुरातन अर्थशास्त्र 22.12
- क्लीन कोल 22.12
- संपार्श्विक 22.12
- क्लोज्ड शॉप 22.12
- सामूहिक उत्पाद 22.13
- प्रतिबद्ध व्यय 22.13
- कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स 22.13
- वस्तु मुद्रा 22.13
- समुदायीकरण 22.13
- तुलनात्मक लाभ 22.13
- कंसोल 22.13
- संकाय 22.14
- टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं 22.14
- गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं 22.14
- ध्यानाकर्षी उपभोग 22.14
- संसर्ग 22.14
- कॉण्ट्रेरियन 22.14
- कोर निवेश कंपनियाँ 22.14
- कंपनी धारणीयता सूचकांक 22.14
- संशुद्धि 22.14
- प्रतिकारी शुल्क 22.14
- रचनात्मक ध्वंस 22.15
- घोर पूँजीवाद 22.15
- क्रॉस सब्सिडी 22.15
- जन-समूह कोषण 22.15
- क्रॉउडिंग आउट इफेक्ट 22.15
- कंपनियों का सामाजिक दायित्व 22.15
- ऋण-पत्र/डिबेंचर 22.16
- ऋण प्रतिप्राप्ति न्यायाधिकरण 22.16
- विसंबंधन सिद्धांत 22.16
- वि-औद्योगीकरण 22.16
- डीमेट खाता 22.16
- डीमर्जर 22.17
- डिरेवेटिव 22.17
- घरेलू संस्थागत निवेशक 22.17
- प्रत्यक्ष मूल्य 22.17
- प्रत्यक्ष निवेश 22.17
- डर्टी फ्लोट 22.17
- छूट घर 22.17
- डिसगोर्जमेन्ट 22.17
- बचत-ह्रास 22.18
- डोमिनो प्रभाव 22.18
- डाउ-जोन्स सूचकांक 22.18
- डंपिंग 22.18
- डच बीमारी 22.18
- ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम 22.18
- ड्यूटी एंटाइलमेंट पासबुक स्कीम 22.18
- ई-बिजनेस 22.18
- ई-कॉमर्स 22.19
- मापक्रम का आर्थिक सिद्धांत 22.19
- क्षेत्र-विविधा का आर्थिक सिद्धांत 22.19
- एजबर्थ बॉक्स 22.19
- प्रभावी राजस्व घाटा 22.19
- एन्जेल का सिद्धांत 22.19
- पर्यावरणीय लेखाकरण 22.19
- पर्यावरणीय लेखा परीक्षण 22.19
- पर्यावरणीय कर 22.19
- इक्विटी संबंधित बचत योजना 22.20
- इक्विटी शेयर 22.20
- एस्क्रो अकाउंट 22.20
- कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना 22.21
- एक्सप्लोडिंग आर्म 22.21
- बाह्यताएं 22.21
- विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड 22.21
- संघीय निधि दर 22.21
- न्यासीय प्रचालन 22.21
- फाइनेंशियल क्लोजर 22.21
- वित्तीय स्थिरता बोर्ड 22.22
- वित्तीय बाधा 22.22
- वित्तीय तटस्थता 22.22
- फिशर प्रभाव 22.22
- फ्लैग ऑफ कन्वीनियन्स 22.22
- बाध्य बचत 22.23
- एफ.ओ.बी. 22.23
- जीवन बीमा कंपनी का रूप 22.23
- अग्रवर्ती अनुबन्ध 22.23
- अग्रवर्ती व्यापार 22.23
- आंशिक बैंकिंग 22.23
- मुक्त वस्तुएं 22.23
- मुक्त व्यापार 22.24
- मुक्त बन्दरगाह 22.24
- अनुषंगी लाभ कर 22.24
- गैलप पॉल 22.24
- 'गेम' सिद्धांत 22.24

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

- जी.डी.आर. 22.25
- गिफ्फिन वस्तु 22.25
- गिनी गुणांक 22.25
- गोल्डन हैण्डशेक 22.25
- 'गोल्डन हैण्डकफ'' 22.25
- ''गोल्डन हैलो'' 22.26
- गोल्डन रूल 22.26
- गुडहर्ट नियम 22.26
- गो-गो फण्ड 22.26
- 'ग्रेटर फूल' सिद्धांत 22.26
- ग्रीनफिल्ड निवेश 22.26
- ग्रीनफील्ड अवस्थिति 22.26
- हरित क्रांति एवं संस्थान 22.26
- ग्रीनशू विकल्प 22.26
- ग्रेशम का नियम 22.27
- ग्रीनस्पैन पुट 22.27
- ग्रे मार्केट 22.27
- वृद्धि ह्रास 22.27
- हेज निधि 22.27
- हरफिनडाहल सूचकांक 22.28
- अप्रत्यक्ष मूल्य कटौती 22.28
- अप्रत्यक्ष मूल्य वृद्धि 22.28
- गुप्त/अप्रत्यक्ष कर 22.28
- ऐतिहासिक मूल्य 22.28
- जमाखोरी 22.28
- होग चक्र 22.28
- असाध्य त्रयी 22.28
- भारत की संप्रभु रेटिंग 22.28
- अनधिमान वक्र 22.29
- प्रेरित निवेश 22.29
- आई.आई.एफ.सी.एल. 22.29
- निष्कृष्ट उत्पाद 22.29
- मुद्रास्फीति 22.29
- अंतरंगी व्यापार 22.29
- दिवाला/दिवालियापन 22.29
- सम्पत्ति-सूची/सामान-सूची 22.29
- इनविजिबल हैण्ड 22.29
- आई. पी. ओ. 22.29
- आई. एस सूची 22.30
- इस्लामिक बैंकिंग 22.30
- सममूल्य रेखा 22.31
- सममूल्य वक्र 22.31
- जे. वक्र प्रभाव 22.31
- जॉबर 22.31
- जॅन्क बॉण्ड 22.31
- कर्ब डीलिंग 22.31
- खिलजी प्रभाव 22.31
- क्लेप्टोक्रैसी 22.32
- कोनड्राटिफ चक्र 22.32
- तरलता समंजन सुविधा 22.32
- लाफेर वक्र 22.32
- झूठा ऋण 22.32
- लिबोर 22.32
- जीवन-चक्र परिकल्पना 22.33
- जीवन बीमा से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण शब्द/अवधारणाएं 22.33
  - वृत्तिदान नीति 22.33
  - लाभार्थी 22.33
  - सीमित जीवन बीमा 22.33
  - पूर्ण जीवन बीमा 22.33
  - परिवर्ती सार्वभौम जीवन बीमा पॉलिसी 22.33
  - बीमा किस्त 22.33
  - वार्षिक भ्रति 22.33
  - समूह जीवन बीमा 22.33
  - समापन 22.33
  - एकमुश्त भुगतान 22.33
- परिसमापन 22.34
- तरल संपत्ति 22.34
- तरलता 22.34
- तरलता व्याप्ति अनुपात 22.34
- तरलता प्राथमिकता 22.34
- तरलता जाल 22.34
- एल.एम.सूची 22.34
- स्थानीय क्षेत्र बैंक 22.34
- संचलनशील सिद्धांत 22.34
- लॉरेन्ज वक्र 22.34
- एल.ओ.यू. 22.34
- श्रम भ्रांति का पिंड 22.35
- समष्टि तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र 22.35
- मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 22.35
- सीमान्त उपयोगिता 22.35
- बाजार पूँजीकरण 22.35
- बाजार निर्माता 22.35
- बहुउपयोगी स्मार्ट कॉर्ड 22.35
- मार्शल योजना 22.36
- मेन्यू खर्च 22.36
- मिड-कैप निधि 22.36
- एम.एफ.बी.एस. 22.36
- मिड-कैप शेयर 22.36
- व्यापारिक बैंकिंग 22.37
- मेजानाइन फाइनेंसिंग 22.37

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

- मिबिड 22.37
- मिबोर 22.37
- मध्यम वर्ग 22.37
- सूक्ष्म ऋण 22.37
- कष्ट सूचकांक 22.38
- मौद्रिक उदासीनता 22.38
- मुद्रा भ्रांति 22.38
- नैतिक संकट 22.38
- सबसे पंसदीदा राष्ट्र 22.38
- संकीर्ण बैंकिंग 22.38
- नैश सन्तुलन 22.39
- नव-शास्त्रीय अर्थशास्त्र 22.39
- शुद्ध आय 22.39
- निवल स्थायी निधियन अनुपात 22.39
- शुद्ध मूल्य 22.39
- नयी फेंशन योजना 22.39
- निंजा 22.40
- सांकेतिक मूल्य 22.40
- गैर-श्रमिक 22.40
- नोरका 22.40
- सामान्य वस्तुएं 22.41
- अकृत परिकल्पना 22.41
- न्यूमरेर 22.41
- गैर-मतदान शेयर 22.41
- ऑयल बॉण्ड 22.41
- ओकुन का सिद्धान्त 22.41
- मुक्त बाजार संचालन 22.42
- अवसर मूल्य 22.42
- ओवर दी काउंटर 22.42
- समानांतर आयात 22.42
- पेरेटो सिद्धांत 22.42
- पार्किसन सिद्धांत 22.42
- पेनी स्टॉक 22.42
- फिलिप्स वक्र 22.42
- पिग्गीबैक ऋण 22.42
- पिगऊ प्रभाव 22.42
- अधिमान्य शेयर 22.43
- मूल्य-अर्जन अनुपात 22.43
- प्राथमिक तथा द्वितीयक बाजार 22.43
- प्राथमिक विक्रेता 22.43
- बंदी की दुविधा 22.43
- जनसंख्या जाल 22.44
- गरीबी जाल 22.44
- प्रेडेटरी प्राइसिंग 22.44
- क्रय शक्ति समानता 22.44
- क्रय कर 22.45
- सीमित संस्थागत नियोजन 22.45
- क्यू सिद्धान्त 22.45
- रैण्डम वॉक् 22.45
- रेड लाइनिंग 22.45
- किराया 22.45
- किराये का प्रयत्न 22.46
- किराया पेक्षी व्यवहार 22.46
- प्रतिस्थापन्न मूल्य 22.46
- अवशिष्ट जोखिम 22.46
- खुदरा बैंकिंग 22.46
- पश्चगमन 22.46
- विपरीत हस्तांतरण 22.46
- अवशिष्ट बेरोजगारी 22.47
- विपरीत रेहन 22.47
- विपरीत लाभ अन्तर 22.47
- उद्घाटित प्राथमिकता 22.47
- रिकार्डियन समानता 22.47
- रिस्क सीकिंग 22.47
- अँगूठे का नियम 22.48
- राउण्डिंग एरर 22.48
- वेतन 22.48
- संतोषजनक सिद्धांत 22.48
- से का नियम 22.48
- दूसरा सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत 22.48
- सिक्युरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स 22.49
- सेन्नोरेज 22.49
- जब्ती 22.49
- छाया बैंकिंग 22.49
- शार्पे अनुपात 22.49
- शॉर्ट सेलिंग 22.49
- बंद उत्पादन मूल्य 22.49
- स्किमिंग मूल्य 22.49
- स्मर्फिंग 22.49
- सामाजिक मूल्य 22.50
- संपन्नता मात्रा 22.50
- सरकार से खतरा 22.50
- नकद मूल्य 22.50
- फैलाव 22.50
- मानक विचलन 22.50
- स्टैडिंग जमा सुविधा योजन 22.50
- दूराव कर 22.50
- प्रसंभात्य प्रक्रिया 22.51
- सब-प्राइम संकट 22.51
- सब्सिडी के लिए बोली लगाना 22.51

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

- प्रतिस्थापन्न प्रभाव 22.51
- डूबती लागत 22.51
- विनिमय/अदला-बदली 22.52
  - मुद्रा की आदला-बदली 22.52
  - ऋण अदला-बदली 22.52
  - ब्याज दर अदला-बदली 22.52
  - उत्पाद की अदला-बदली 22.52
- स्विफ्ट 22.52
- संप्रभु धन निधि 22.52
- स्विस फॉर्मूला 22.52
- व्यवस्थात्मक खतरा 22.53
- अधिग्रहण 22.53
- अधीनीकरण हेतु बोली लगाना 22.53
  - ब्लैक नाइट 22.53
  - गोल्डन पैराशूट 22.53
  - ग्रीन मेल 22.53
  - लिवरेज्ड बिड 22.54
  - पैक-मैन डिकेंस 22.54
  - जहरीली गोली 22.54
  - पोर्क्यूपाइन 22.54
  - शार्क रेपेलेंट्स 22.54
  - व्हाइट नाइट 22.54
- कर प्रतीपन 22.54
- टेलर का नियम 22.54
- तकनीकी बेरोजगारी 22.54
- तीसरे पक्ष का बीमा 22.54
- तीसरा मार्ग 22.55
- कठोर मुद्रा 22.55
- दराज मुद्रा 22.55
- टोबिन कर 22.55
- संपूर्ण उत्पाद 22.55
- व्यापार सृजन 22.55
- सामान्यों की त्रासदी 22.55
- हस्तांतरित भुगतान 22.55
- हस्तांतरित अर्जन 22.56
- हस्तांतरित मूल्य 22.56
- यूलिप एवं एमएफएस 22.56
- अंडरराइटिंग 22.56
- असुरक्षित ऋण 22.56
- सूदखोरी 22.56
- वीजीएफ 22.57
- वेबलेन प्रभाव 22.57
- प्रसार की गति 22.57
- वेंचर पूँजी 22.57
- वल्चर फण्ड 22.57
- वोस्ट्रो अकाउंट 22.58
- वॉलरस नियम 22.58
- अपव्ययी परिसम्पत्ति 22.58
- भाररहित अर्थव्यवस्था 22.58
- कल्याणकारी अर्थशास्त्र 22.58
- वाइल्डकैट स्ट्राईक 22.59
- विलियमसन ट्रेड-ऑफ मॉडल 22.59
- विनर्स कर्स 22.59
- कर रोकना 22.59
- श्रमिक (जनगणना की परिभाषा) 22.59
- श्रमिक जनसंख्या अनुपात 22.60
- कार्यमेला 22.60
- एक्स-इनएफिशिएंसी 22.60
- यील्ड अंतर 22.60
- जीरो कूपन बॉण्ड 22.60
- जीरो सम गेम 22.60
- शून्य खेती 22.61

23. चयनित बहुविकल्पीय प्रश्न (Selected Multiple Choice Questions) 23.1 - 23.46

- सेट-1 23.2
  - (स्पष्टीकरण सहित उत्तर कुंजी) 23.7
- सेट-2 23.10
  - (स्पष्टीकरण सहित उत्तर कुंजी) 23.15
- सेट-3 23.18
  - (स्पष्टीकरण सहित उत्तर कुंजी) 23.23
- सेट-4 23.26
  - (स्पष्टीकरण सहित उत्तर कुंजी) 23.30
- सेट-5 23.32
  - (स्पष्टीकरण सहित उत्तर कुंजी) 23.37
- सेट-6 23.39
  - (स्पष्टीकरण सहित उत्तर कुंजी) 23.44

24. चयनित प्रश्नों के उत्तर (Model Answers to Selected Questions) 24.1 - 24.31

25. आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 (Economic Survey 2017–18) 25.1 - 25.29

- 2017-18 में जीडीपी में वृद्धि 25.2
- मुख्य क्षेत्रों में सकल मूल्यवर्धन की वृद्धि 25.5
- तिमाहीवार सकल मूल्यवर्द्धन में वृद्धि 25.6
- प्रति व्यक्ति आय 25.8
- सकल घरेलू उत्पाद और इसके घटक 25.8
- अंतिम उपभोग व्यय 25.9
- बचत और निवेश 25.9

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

- बचत 25.10
- निवेश 25.12
- लोक वित्त 25.14
- कीमतें और मौद्रिक प्रबंधन 25.15
  कीमतें एवं मुद्रास्फीति 25.15
- मौद्रिक प्रबंधन एवं वित्तीय हस्तक्षेप 25.15
- विदेशी क्षेत्र 25.16
- भारत का वाणिज्यिक व्यापार 25.16
- भुगतान शेष 25.17
- अदृश्य घटक 25.18
- वर्ष 2017-18 की पहली छमाही में बीओपी का पूंजी/वित्त खाता 25.18
- विदेशी मुद्रा भंडार 25.18
- विनिमय दर 25.18
- विदेशी कर्ज 25.19
- व्यापार नीति 25.20
- वर्ष 2018-19 के लिए विकास की भावी संभावनाएं 25.20
- क्षेत्रवार घटनाक्रम 25.21
  कृषि एवं सहायक सेक्टर 25.21
- उद्योग, कॉरपोरेट और अवसंरचना निष्पादन 25.22
  क्षेत्रवार की गई पहल 25.23
- अवसंरचनात्मक कार्य निष्पादन 25.24
- सेवाएं 25.25
- सामाजिक अधिसंरचना 25.27
  सामाजिक अधिसंरचना पर व्यय 25.27
  शिक्षा की स्थिति 25.27
  ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन 25.27
  श्रम सुधार 25.27
- धारणीय विकास, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन 25.28
  धारणीय विकास लक्ष्य 25.28
  शहरी भारत और धारणीय विकास 25.28
  धारणीय ऊर्जा की उपलब्धता 25.28
  भारत और जलवायु परिवर्तन 25.29
- जलवायु परिवर्तन पर वर्तमान बहुपक्षीय वार्ताएं 25.29

26. संघीय बजट 2018–19 (Union Budget 2018–19) 26.1 - 26.20

- प्रशासन अर्थव्यवस्था तथा विकास 26.2
- निवेश-व्यय तथा नीतिगत पहल 26.2
  कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था 26.2
- स्वास्थ्य शिक्षा तथा सामाजिक संरक्षण 26.6
- मध्यम, लघु तथा सूक्ष्म उद्यम एवं रोजगार 26.8
- आधारभूत सुविधाओं तथा वित्तीय क्षेत्र में हुए विकास 26.9
- संस्थाओं का निर्माण तथा सार्वजनिक सेवाओं की सुपुर्दगी में सुधार 26.12
- राजकोषीय प्रबंधन 26.14
- कर प्रस्ताव 26.14
- कृषि के संबंध में फसल कटाई के उपरांत क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए कर प्रोत्साहन 26.15
- रोजगार सृजन 26.16
- रियल एस्टेट के लिए प्रोत्साहन 26.16
- सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमियों को प्रोत्साहन 26.16
- वेतनभोगी कर दाताओं को राहत 26.16
- वरिष्ठ नागरिकों को राहत 26.17
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) के लिए कर-प्रोत्साहन 26.17
- नकदी अर्थव्यवस्था के नियंत्रण हेतु किए गए अन्य उपाय 26.18
- दीर्घावधिक पूंजी लाभ (एलटीसीजी) का यौक्तिकीकरण 26.18
- स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 26.19
- ई-निर्धारण 26.19
- अप्रत्यक्ष कर 26.19

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

अध्याय 1

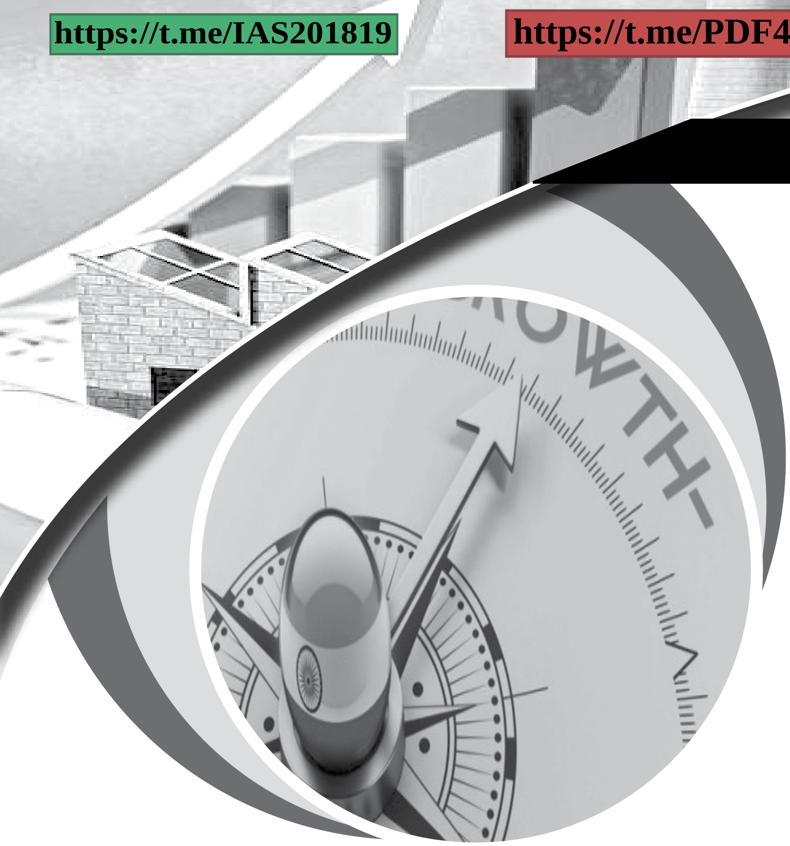

प्रस्तावना
(INTRODUCTION)

*वस्तुएं और सेवाएं कैसे सृजित, वितरित और उपभोग की जाती हैं, इसके अध्ययन को अर्थशास्त्र कहते हैं। चूंकि संसाधन हमेशा ही कम होते हैं इसलिए ब्रितानी अर्थशास्त्री लियोनेल रॉबिन्स ने 1935 में इसे 'कमी का विज्ञान' कहा था।**

इस अध्याय में

- अर्थशास्त्र–विषय
- अर्थव्यवस्था का संगठन
- अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका
- वाशिंगटन सहमति
- अर्थव्यवस्था के क्षेत्र
- अर्थव्यवस्था के प्रकार
- राष्ट्रीय आय की अवधारणा
- राष्ट्रीय आय लेखा के आधार वर्ष एवं विधि में संशोधन
- 2017–18 के लिए आय के अनुमान

* *देखें डेविड ऑरेल और बॉरिन वैन लून, इंट्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक्स: अ ग्राफिक गाइड, फेबर एंड फेबर, लंदन, 2011, पृष्ठ-3*

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

अर्थशास्त्र–विषय (ECONOMICS–THE DISCIPLINE)

किसी भी विषय का अध्ययन उसे परिभाषित करने की प्रक्रिया से शुरू होता है। अर्थशास्त्र भी इसका अपवाद नहीं है। किसी भी विषय की परिभाषा तय करने की प्रक्रिया आसान नहीं होती। आखिर में, हमें उसे परिभाषा को स्वीकार कर लेना होता है, जिसे हम आंशिक परिभाषा मान सकते हैं। अलग-अलग अर्थशास्त्री विषय को अलग-अलग नजरिए से देखते हैं। ऐसे में इनकी परिभाषाएं भी अलग-अलग होती हैं लेकिन एक कार्यकारी परिभाषा तय करने के लिए अलग-अलग परिभाषाओं के अंतर को कम करने की कोशिश की जाती है।

कार्यकारी परिभाषा पर पहुंचने से पहले, इस दिशा में की गयी दो अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्य कोशिशों का उल्लेख जरूरी है:

1. अर्थशास्त्र उस अवधारणा का अध्ययन है जो बताता है कि समाज किस तरह से दुर्लभ संसाधनों की मदद से मूल्यवान उत्पाद तैयार करता है और उसे विभिन्न लोगों के बीच वितरित करता है।[1]

इस परिभाषा के नजरिए से देखें तो दो बातें अहम हैं। उत्पाद दुर्लभ हैं, और समाज को संसाधनों का इस्तेमाल प्रभावी ढंग से करना चाहिए। जाहिर है, अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण विषय है जो संसाधनों की दुर्लभता और प्रभावी उपयोग की मांग का अध्ययन करता है।

पिछली आधी शताब्दी के दौरान अर्थशास्त्र के अध्ययन में विभिन्न विषयों को शामिल किया गया है जो यह अलग-अलग छात्रों के विविध उद्देश्यों को पूरा करते हैं। कुछ पैसा बनाने के लिए अर्थशास्त्र पढ़ते हैं (विकसित देशों के ज्यादातर छात्र खुद को अमीर बनाने के लिए ही अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। लेकिन यह विकासशील देशों के लिए सही नहीं है। अगर सामान्य तौर पर कहें तो विकासशील देशों में अर्थशास्त्र केवल पढ़ा और पढ़ाया जाता है, उसका प्रयोग नहीं होता)। गरीबी, बेरोजगारी, मानव संसाधन विकास, शेयर, लाभांश, बैंकिंग शब्दावली, मूल्य और उसमें आने वाला बदलाव, ई-कॉमर्स, इत्यादि के बारे में जानने के लिए भी कुछ लोग अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। कुछ अन्य लोग अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए भी अर्थशास्त्र पढ़ते हैं।

2. व्यक्ति, फर्म, सरकार एवं अन्य संस्थाएं समाज में अपने विकल्पों का चयन कैसे करते हैं और यह चयन संसाधनों के उपयोग में समाज को किस तरह से प्रभावित करता है इसका अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है।[2]

मानव जीवन पृथ्वी पर मौजूद संसाधनों से बनाए गए कई तरह के उत्पादों के उपयोग पर निर्भर करता है। मानवों की चाहत की कोई सीमा नहीं है। हमारी जरूरतों और चाहतों को पूरा करने के लिए हमें असीमित संसाधनों की जरूरत है। लेकिन संसाधन सीमित हैं! ऐसी स्थिति में व्यक्ति एवं मानव समाज सीमित संसाधनों से अपनी प्रतिस्पर्द्धी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करता है इन्हें ही सोचना है। इसका मतलब यह है कि दुर्लभ संसाधनों के उपयोग से पहले हमें अपनी जरूरतों को प्राथमिकता के हिसाब से तय करने की जरूरत है। इस प्रक्रिया के चलते, कुछ लोगों की जरूरत कभी पूरी नहीं हो पाएगी। इस दौरान यह भी सही है कि कुछ लोगों की कुछ जरूरतें सीमित संसाधनों के बावजूद कई बार पूरी हो सकती है।

बहरहाल, अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके तहत यह अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति, समाज और सरकार किस तरह से अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से संसाधनों का इस्तेमाल अपनी आवश्यकतानुसार करते हैं। ऐसे विकल्प का चयन कला भी है और विज्ञान भी। मानव समाज द्वारा चुने गए विकल्प जो समय और स्थान के साथ बदलते रहते हैं, के अध्ययन को ही अर्थशास्त्र कहते हैं। यह मानव जीवन के अध्ययन से जुड़ा बेहतरीन विषय है।

कार्यकारी परिभाषा (A Working Definition)

किसी भी विषय को पढ़ने के लिए उसे महसूस करना भी जरूरी है। इसकी शुरुआत विषय की परिभाषा से ही

1. Samuelson, P.A. and Nordhaus, W.D., ***Economics,*** Tata McGraw-Hill Pub. Company Ltd., N. Delhi, 2005, p. 4.

2. Stiglitz, J.E. and Walsh, C.E., ***Economics,*** W.W. Norton & Company, New York, 2006, p.6.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

होती है। लेकिन परिभाषाओं के साथ मुश्किल यह है कि ज्यादातर समय में परिभाषाएं काफी उलझाने वाली और तकनीकी शब्दों से भरी होती हैं। कई बार तो यह आम लोगों की समझ से बाहर की बात होती है। अर्थशास्त्रों के छात्रों को भी कई बार परिभाषाएं समझ में नहीं आती हैं। यही वजह है कि परिभाषा को बेहद सहज और सर्वसुलभ बनाने की जरूरत है।

मानव अपने रोजमर्रा के जीवन में कई तरह की गतिविधियों में शामिल होते हैं। इन गतिविधियों को आप विभिन्न वर्गों में बांट सकते हैं—सामाजिक, राजनैतिक, आदि।

अर्थव्यवस्था मानव समाज की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है। ठीक इसी तरह से राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान, सामाजिक गतिविधियों का अध्ययन सामाजिक विज्ञान और प्रशासनिक गतिविधियों का अध्ययन लोक प्रशासन कहलाता है। चूंकि यह सब मानव गतिविधियों का अध्ययन है, लिहाजा इसे मानविकी कहते हैं।

लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आर्थिक गतिविधियां क्या हैं? लाभ, हानि, आजीविका, पेशा, मजदूरी, रोजगार इत्यादि आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। इन सब गतिविधियों का अध्ययन अर्थशास्त्र में होता है। वर्तमान समय में अर्थशास्त्र की कई शाखाएं हैं और उनके तहत आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन ग्लोबल, मैक्रो और माइक्रो स्तर पर होता है।

कभी आपने सोचा है, कुछ लोग किफायती कार का इस्तेमाल क्यों करते हैं और कुछ लोग ईंधन फूंकने वाली स्पोर्ट्स कार का इस्तेमाल क्यों करते हैं? गरीब लोग गरीब क्यों हैं? क्या पूंजीवाद आर्थिक असमानता को बढ़ाता है? क्या भूमंडलीकरण से अमीर और गरीब के बीच की खाई कम हुई है? ऐसे ही ढेरों सवाल अर्थशास्त्र के दायरे में आते हैं। आज के समय में सूचना प्रौद्योगिकी ने भी अर्थशास्त्र को नया आयाम दिया है।

अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था

(Economics and The Economy)

अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच संबंध सामान्य रूप में सिद्धांत और अभ्यास के रूप में देखा जा सकता है। अर्थशास्त्र बाजार के सिद्धांतों, रोजगार इत्यादि की बात करता है जबकि अर्थव्यवस्था खास क्षेत्रों में सिद्धांतों को अपनाने के बाद की वास्तविक तस्वीर होती है।

इसे इस रूप में भी समझा जा सकता है– अर्थव्यवस्था किसी खास इलाके का अर्थशास्त्र होता है। वर्तमान में खास इलाके को आप देश के तौर पर देख सकते हैं–भारतीय अर्थव्यवस्था, रूसी अर्थव्यवस्था, फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था, इत्यादि। यानी अपने आप में अर्थव्यवस्था का कुछ मतलब नहीं होता, लेकिन जैसे ही किसी देश, किसी क्षेत्र या किसी खास ब्लॉक का नाम इससे जोड़ देते हैं, इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है। जब हम विकसित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो इसका मतलब विकसित देशों की अर्थव्यवस्था है।

दुनिया के कुछ देश एकसमान आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ठीक उसी समय उनकी कुछ विशिष्ट समस्याएं भी होती हैं। अर्थशास्त्री इन समस्याओं के समाधान के लिए कुछ सिद्धांतों को अपनाने की सलाह देते हैं। अब यह उस खास देश पर निर्भर है कि वह किन अर्थशास्त्रियों के सिद्धांतों को अपनाता है। ऐसे में कई देश एक तरह की समस्याओं के निदान के लिए एक ही तरह के सिद्धांत को अपनाते हैं जबकि दूसरी ओर एक जैसी समस्या के लिए दो देश अलग-अलग सिद्धांत भी अपना सकते हैं। दोनों ही सूरत में नतीजा एक जैसा भी हो सकता है और काफी अलग भी हो सकता है। ऐसा क्यों होता है?

मूल रूप से आर्थिक सिद्धांत मानव समाज की आर्थिक गतिविधियों के व्यवहार और उनकी उम्मीदों पर आधारित होता है। मानव व्यवहार काफी आंतरिक और बाहरी कारकों पर निर्भर होता है और इनमें विविधता भी हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता का स्तर, सामाजिक-राजनीतिक परिस्थिति, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मानव संसाधनों की मानसिकता, इन सबका असर व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर होता है। ऐसे में अर्थशास्त्रियों के लिए किसी आर्थिक नीति के असर के बारे में अनुमान लगाना काफी मुश्किल काम है। वैसे भी नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया और आपूर्ति व्यवस्था की भी आर्थिक चुनौतियों के हल में अहम भूमिका होती है। यही वजह है कि

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

आपको अर्थशास्त्र में उतनी विवधता नहीं मिलेगी जितनी अर्थव्यवस्था से जाहिर होगी। यह कहना अतिरेक नहीं है कि दुनिया की दो अर्थव्यवस्थाएं कभी एक समान नहीं हो सकतीं। हालांकि उन्हें विस्तृत दायरे में विकसित या विकासशील या फिर कृषि आधारित या उद्योग आधारित अर्थव्यवस्थाएं कहा जा सकता है।

वैसे ऐसी ही विविधताएं अर्थशास्त्र को दिलचस्प विषय बनाती हैं। अर्थव्यवस्थाओं की विविधता के चलते अर्थशास्त्री सिद्धांतों और विचारों में भी सुधार करते रहते हैं। यह कहना ज्यादा सही होगा कि अर्थशास्त्र भी वास्तविक चलन से विकसित होता रहता है। व्यावहारिक चलन में नए आयाम जुड़ते हैं तो अर्थशास्त्र के सिद्धांतों में भी नयापन आता जाता है।

अर्थशास्त्र का केंद्र (Focus of Economics)

अर्थशास्त्र के अध्ययन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? अर्थशास्त्री और अर्थशास्त्र का अंतिम लक्ष्य क्या है? अब तक का अर्थशास्त्रीय विकास किस दिशा में किए गए प्रयासों का प्रतिफल रहा है?

हालाँकि अर्थशास्त्र की विषय-वस्तु का आकार आज काफी वृहद् है, लेकिन अगर हम इसके अब तक के विकास का सार निकालें तो इसके केंद्र में 'पृथ्वी पर मानव जीवन की बेहतरी' रहा है। मानव जीवन में सुधार और मानव जगत् के जीवन स्तर में सुधार अर्थशास्त्र का केंद्र रहा है। कोई देश या अर्थव्यवस्था किन विधियों के द्वारा अपनी क्षमताओं का अधिकतम जनसंख्या की खुशहाली के लिए उपयोग करें, अर्थशास्त्र इस दिशा में प्रयासरत रहा है। इस प्रक्रिया में अन्यान्य अवधारणाओं और सिद्धांतों का विकास हुआ। इस दिशा में सबसे पहला सशक्त प्रयास स्कॉटलैंड के प्रख्यात दार्शनिक अर्थशास्त्री **एडम स्मिथ** द्वारा किया गया, जब उनकी पुस्तक ***द वेल्थ ऑफ नेशन्स*** *(1776)* का प्रकाशन हुआ। इस पुस्तक से ही शास्त्रीय अर्थशास्त्र (classical economics) का उद्गम माना जाता है। इसी प्रकार, आने वाले काल में, अनेक अर्थविदों द्वारा एक-से-एक बेहतर और विविध पुस्तकें लिखीं गयीं, जिन सबका एक ही उद्देश्य था–मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन तथा उन गतिविधियों की सर्वोच्च क्षमता का विकास ताकि मानव जीवन को बेहतर-से-बेहतर बनाया जा सके। मानव जीवन की बेहतरी की दिशा में अर्थशास्त्र का यह दौर आज भी जारी है।

अर्थव्यवस्थाओं की मुख्य चुनौतियां (Main Challenges of Economies)

चाहे काल खण्ड कुछ भी रहा हो अर्थव्यवस्थाओं की मूल चुनौती रही है–अपनी जनसंख्या को आवश्यकता की **वस्तुओं** और **सेवाओं** (goods and services) को उपलब्ध कराना। वस्तुओं की श्रेणी में आवश्यक मदें, यथा–भोजन, आवास, वस्त्र इत्यादि से लेकर गैर-आवश्यक मदें, यथा–रेफ्रीजरेटर, टी.वी., कार इत्यादि हो सकती हैं। इसी प्रकार, जनसंख्या को जिन सेवाओं की आवश्यकता होती है, वे स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल से लेकर उच्चतर प्रकार की सेवाएँ, जैसे–बैंकिंग, बीमा, वायु परिवहन, टेलीफोन, इंटरनेट इत्यादि तक हो सकती हैं। कोई अर्थव्यवस्था जैसे-जैसे विकास की ओर अग्रसर होती है उसकी वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा और प्रकार दोनों बढ़ती जाती हैं। सीमित संसाधनों का ईष्टतम् (Optimum) दोहन करके अपने समसामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना प्रत्येक अर्थव्यवस्था की चुनौती रही है। कोई भी अर्थव्यवस्था जैसे ही एक श्रेणी की वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने में सफल होने की स्थिति में आती है विकास के नये स्तर में उच्चतर श्रेणी की वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार अपनी जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने का यह दौर प्रत्येक अर्थव्यवस्था में अनवरत चलता रहता है और यह प्रक्रिया कभी नहीं खत्म होने वाली है।

इस चुनौती के दो आयाम हैं–***प्रथम,*** अपने उपलब्ध संसाधनों के दोहन के द्वारा उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन जिनकी उस समय जनसंख्या को आवश्यकता होती है। अपनी उत्पादन प्रक्रिया का यह स्तर प्राप्त करना आवश्यक होता है। उत्पादन के इस स्तर को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त मात्रा के ***निवेश*** की आवश्यकता होती है। यह निवेश वहाँ की सरकार, निजी क्षेत्र (देशी और/या विदेशी) या फिर सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से जुटाया जा सकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उचित स्तर के उत्पादन के बाद ***द्वितीय*** चुनौती है, वितरण की। उत्पादित वस्तु को जनसंख्या

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

तक वितरण (distribution) की किस प्रणाली द्वारा पहुंचाना उचित होगा, यह दूसरी चुनौती होती है।

वितरण तंत्र मॉडल (Distribution Network Models)

वितरण तंत्र के क्षेत्र में तीन मॉडल ऐतिहासिक रूप से अस्तित्व में हैं-**राज्य, बाजार** तथा **राज्य-बाजार का मिला-जुला मॉडल**। पहले प्रकार की वितरण प्रणाली में राज्य (अर्थात् सरकार) वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति का पूरा जिम्मा लेता है, जिसके लिए उपभोक्ता को कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है। इस प्रणाली के सर्वोत्तम उदाहरण हैं—पूर्व सोवियत संघ और चीन। दूसरे प्रकार की प्रणाली बाजार आधारित है जो कि मूल्य प्रणाली (price mechanism) के अनुसार कार्य करती है। इस प्रणाली में वस्तुओं एवं सेवाओं की बाजार में उपलब्धता उनकी माँग एवं आपूर्ति के आधार पर होती है, उनका मूल्य खुले बाजार में निर्धारित होता है। पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाओं की यही वितरण प्रणाली थी (सन् 1929 की महान मंदी तक यूरो-अमेरिकी देशों में)। तीसरी और सर्वाधिक प्रचलित वितरण प्रणाली अन्य दोनों प्रणालियों के अनुभवों से उपजी जो कि राज्य-बाजार का मिश्रण है। इस प्रणाली में कतिपय वस्तुओं और सेवाओं को लोगों के बीच राज्य द्वारा मुफ्त या छूट (Subsidy) पर उपलब्ध कराया जाता है, जबकि कुछ अन्य वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति सीधे बाजार करता है जिसके लिए उपभोक्ताओं को बाजार-आधारित मूल्य चुकाना पड़ता है। दुनिया की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएँ इन्हीं में से एक या अन्य प्रकार की वितरण प्रणालियों का अनुसरण करती हैं। जनसंख्या की सामाजिक-आर्थिक रचना में परिवर्तन के अनुरूप अर्थव्यवस्थाओं में राज्य एवं बाजार द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति के मिश्रण की पुनर्परिभाषा की जाती है।

अर्थव्यवस्था का संगठन (ORGANISING AN ECONOMY)

ऐतिहासिक तौर पर नागरिक समाज पर जिस एक मुद्दे ने सबसे ज्यादा प्रभाव डाला है वह अर्थव्यवस्था में उत्पादन की प्रक्रिया की व्यवस्था है। क्या उत्पादन पूरी तरह से सिर्फ सरकार या राज्य की जिम्मेदारी होनी चाहिए? या फिर इसमें निजी क्षेत्र को भी काम करने की मंजूरी होनी चाहिए? या फिर संयुक्त उपक्रम सबसे बेहतर उपाय है-राज्य और निजी क्षेत्र की साझेदारी का उपक्रम।

संबंधित देशों की समसामयिक विचारधारा के अनुरूप विश्व में अर्थव्यवस्था को संगठित करने की अब तक तीन प्रणालियां उद्भूत हुई हैं। अर्थशास्त्र की बेहतर समझ के लिए इनका संक्षिप्त विवरण आवश्यक है:

1. पूँजीवादी अर्थव्यवस्था (Capitalistic Economy)

1776 में प्रकाशित एडम स्मिथ की मशहूर किताब *'द वेल्थ ऑफ नेशंस'* को पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। एडम स्मिथ (1723-1790) स्कॉटलैंड में जन्मे दार्शनिक-अर्थशास्त्री थे। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के प्रोफेसर स्मिथ के लेखन ने कुछ खास विचारों को जन्म दिया, पश्चिमी देशों में लोकप्रिय हुए और अंततः पूँजीवाद का जन्म हुआ। उन्होंने तब वाणिज्य और उद्योग में सरकार के ज्यादा नियमन के खिलाफ आवाज उठाई थी। इस नियमन की वजह से अर्थव्यवस्था का विकास उस रफ्तार से नहीं हो पा रहा था जिस रफ्तार से हो सकता था। उनके मुताबिक इसके चलते ही लोगों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर नहीं हो पा रही थी। उन्होंने 'श्रम विभाजन' पर जोर देते हुए कहा था कि अर्थव्यवस्था में सरकारी अहस्तक्षेप (Non-interference by the government) की नीति अपनाई जानी चाहिए। उन्होंने अपने सैद्धांतिक प्रस्ताव में बताया कि 'बाजार की शक्तियों' के 'अदृश्य हाथ' (invisible hand) देश में संतुलन की स्थिति को लाएंगे और आम लोगों की स्थिति बेहतर होगी। लोकहित के लिए कोई अर्थव्यवस्था काम करे, इसके लिए स्मिथ ने बाजार में 'प्रतिस्पर्धा' को जरूरी माना था।

जब संयुक्त राज्य अमेरिका स्वतंत्र हुआ तो उसने एडम स्मिथ के विचारों को अपनी नीतियों में शामिल कर लिया। यह एडम स्मिथ की किताब *'वेल्थ ऑफ नेशन्स'* के प्रकाशित होने के एक साल बाद ही हो गया। इसके बाद स्मिथ के विचार दूसरे यूरोपीय और अमेरिकी देशों में फैले। 1800 आते-आते वहां की अर्थव्यवस्था को पूँजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाने लगा जिसके, बाद में, कई और नाम

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

भी प्रचलित हुए-प्राइवेट इंटरप्राइजेज सिस्टम, फ्री इंटरप्राइजेज सिस्टम और मार्केट इकॉनोमी।

इस व्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसे किस कीमत पर बेचना है, ये सब बाजार तय करता है, इसमें सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है।

2. राज्य अर्थव्यवस्था (State Economy)

अर्थव्यवस्था के इस प्रारूप का पहली बार सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने (1818-1883) दिया था, जो एक व्यवस्था के तौर पर पहली बार 1917 की वोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में नजर आई और इसका आदर्श रुप चीन (1949) में सामने आया। यह अर्थव्यवस्था पूर्वी यूरोप के कई देशों में प्रचलित हुई। राज्य अर्थव्यवस्था की दो अलग-अलग शैलियां नजर आती हैं, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को *समाजवादी अर्थव्यवस्था* कहते हैं जबकि 1985 से पहले चीन की अर्थव्यवस्था को *साम्यवादी अर्थव्यवस्था* कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण की बात शामिल थी और अर्थव्यवस्था को चलाने में सरकार की बड़ी भूमिका थी वहीं साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सभी संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण था यहां तक श्रम संसाधन भी सरकार के अधीन ही थे। इसमें सरकार के पास सारी शक्तियां मौजूद होती हैं। मार्क्स के मुताबिक समाजवाद, साम्यवाद के रास्ते में बदलाव का समय है लेकिन यह वास्तविकता में कभी होता नहीं है।

मूल रूप से इस अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति ही पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता के विरोध में हुई। इसमें हर विपरीत बातों को शामिल किया गया। इसमें उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सबका फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो गैर-बाजारी अर्थव्यवस्था होती है।

समाजवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की शोषण के नाम पर आलोचना करती हैं। इसके जवाब में पूँजीवादी अर्थशास्त्री इसे राज्य पूँजीवाद कहते हैं, जहां केवल सरकार शोषक होती है। 1980 के मध्य तक साम्यवादी और गैर-साम्यवादी नजरिए से बौद्धिक जमात में गंभीर बहस हुआ करती थी।

3. मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy)

बाजार के पास खुद को सही करने के गुण और एडम स्मिथ के अदृश्य हाथ वाली अर्थव्यवस्था को 1929 की आर्थिक महामंदी में बड़ा झटका लगा। अमेरिका ही नहीं पश्चिम यूरोप के कई देशों को भी इस महामंदी ने अपनी चपेट में ले लिया था, जिसके चलते भारी बेरोजगारी, मांग और आर्थिक गतिविधियों में कमी और उद्योग-धंधों पर तालाबंदी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इन समस्याओं से स्मिथ के विचार उबरने में नाकाम रहे। ऐसे समय में एक नए नजरिए ने जन्म लिया, जो मशहूर किताब '*द जनरल थ्योरी ऑफ एंप्लायमेंट, इंटरेस्ट और मनी*' (1936) में शामिल है। इसे देने वाले मशहूर ब्रिटिश अर्थशास्त्री एवं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन मेनार्ड केंस (1883-1946) थे।

केंस ने सरकारी अहस्तक्षेप के मूल सिद्धांतों और अदृश्य हाथों की प्रवृति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अदृश्य हाथ संतुलन की स्थिति पैदा भी करेगी, लेकिन वह गरीबों का गला घोंटकर ही संभव होगा। उन्होंने कहा मूल्य और मजदूरी में इतना लचीलापन नहीं होगा कि सबको नौकरी मिल पाएगी। उनके मुताबिक पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के पूर्ण रूप से लागू होने के बाद भी कुछ लोग बेरोजगार रहेंगे। ऐसे में मांग में गिरावट के साथ बाजार में मंदी का दौर शुरू हो सकता है, जिस पर अगर अंकुश नहीं लगा तो वह 1929 की तरह महामंदी के दौर में परिवर्तित हो सकता है। बाजार की अर्थव्यवस्था की सीमाओं पर केंस ने सवाल उठाते हुए सुझाव दिया कि अर्थव्यवस्था में सरकार का मजबूत दखल होना जरूरी है।

मंदी से अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए केंस ने सरकारी खर्चे बढ़ाने, विवेकाधीन मौद्रिक नीति (राजकोषीय घाटा, ब्याज दर में कटौती, मुद्रा की सस्ती आपूर्ति इत्यादि) और उत्पाद और सेवाओं की मांग को मजबूत करने का सुझाव दिया क्योंकि यह सब मंदी के अहम कारक थे। जब केंस आर्थिक मंदी के कारकों की तलाश कर रहे थे और उससे बचाव के रास्ते तलाश रहे

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

थे तब पूरे यूरोप अमेरिका में पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का चलन छाया हुआ था।

उन्होंने सुझाव दिया कि पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में समाजवादी अर्थव्यवस्था (पूर्व सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था) को अपने में पचाना चाहिए। उस दौर में पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में सभी सामान और सेवा बाजार व्यवस्था अधीन थी। इसका मतलब यह हुआ कि आम लोगों की जरूरत की हर चीज की आपूर्ति प्राइवेट इंटरप्राइजेज द्वारा की जाती थी। इसका नतीजा यह हुआ कि पैसे और धन का प्रवाह (आम आदमी से उत्पादन और आपूर्ति संभालने वाले चंद लोगों की ओर) होने लगा और इस प्रक्रिया में आम आदमी की क्रय शक्ति लगातार गिरती गई। आखिर में, इससे मांग बुरी तरह प्रभावित हुई और आर्थिक महामंदी का दौर आ गया।

केंस की सलाह के मुताबिक कई पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में नई आर्थिक नीतियों को शुरू किया गया। इनमें बेहद महत्वपूर्ण बदलाव हुए, जिसके मुताबिक अर्थव्यवस्था में सरकार की सक्रिय भूमिका की शुरुआत भी हुई। सरकार ने कुछ आधारभूत उत्पाद और सेवाओं का उत्पादन और उसका वितरण शुरू किया, जिसे पब्लिक गुड्स कहा गया। इन उत्पादों का लक्ष्य सभी लोगों को न्यूनतम पोषण, स्वास्थ्य सुविधा, सफाई, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना था। जरूरत पड़ने पर इन उत्पादों पर होने वाला खर्च आम लोगों के कर पर डाला जा सकता था। 1930 से लेकर 1950 तक यूरोप और अमेरिका में कुल जीडीपी का 50 फीसदी हिस्सा सरकार द्वारा सार्वजनिक उत्पादों के उत्पादन पर खर्च किया गया, जो सोशल सेक्टर के नाम से भी मशहूर है। अत्यधिक आवश्यकता वाले उत्पाद और सेवा को आज तक लोग प्राइवेट गुड्स के नाम से खरीदते हैं। इसे कुछ ही दिनों के भीतर सरकार को मुफ्त में मुहैया कराना पड़ा ताकि आम जनता बाजार में मौजूद सुविधा और सामान पर खर्च कर सके ताकि उनकी मांग कायम हो।

उपरोक्त उदाहरण यहां यह समझाने के लिए दिए गए हैं कि किस तरह से पूँजीवादी व्यवस्था ने खुद को नए सिरे से बदला और इसमें कुछ उपयोगी गैर-बाजारी अर्थव्यवस्था यानी सरकारी अर्थव्यवस्था को शामिल किया गया। ***मिश्रित अर्थव्यवस्था*** की शुरुआत इस तरह से हुई और इससे पूँजीवादी अर्थव्यवस्था को चुनौती मिली।

अर्थव्यवस्थाओं के विकास के इस दौर में सरकारी अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति को देखना भी दिलचस्प है। पोलिश दार्शनिक **ऑस्कर लांज (1904-65)** ने 1950 के दशक में वही प्रस्ताव सामाजवादी अर्थव्यवस्थाओं के लिए दिया था जो केंस ने पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए दिया था। प्रोफेसर लांज ने समाजवादी अर्थव्यवस्था की अच्छी चीजों की प्रशंसा के साथ पूँजीवादी आर्थिक प्रणाली से कुछ अच्छे तत्वों के समावेश की सलाह दी थी। उन्होंने सरकारी अर्थव्यवस्थाओं को बाजार समाजवाद (मार्केट सोशलिज्म) की तरफ अग्रसर होने की सलाह दी।[3] (मार्केट सोशलिज्म शब्द ऑस्कर लांज की देन है)। हालांकि सरकारी अर्थव्यवस्थाओं ने उनकी सलाहों को खारिज कर दिया, उस वक्त समाजवादी अर्थव्यवस्था में इस तरह के बदलाव को निंदनीय माना गया (हालांकि बाद में यह सुझाव कहीं ज्यादा लोकतांत्रिक साबित हुआ)। केंस ने सुझाव दिया था कि पूँजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए जबकि प्रोफेसर लांज ने कहा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। लोकतंत्र में इस तरह के प्रयोग की गुंजाइश होती है, जिसका परिणाम आने वाले समय में मालूम होता है। लेकिन समाजावादी और साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्थाएं अपनी प्रकृति में जड़ होती हैं लिहाजा उन्होंने कोई प्रयोग नहीं किए और इसका असर हुआ कि उनकी अर्थव्यवस्थाओं का पतन शुरू हो गया। साम्यवादी चीन में माओत्से तुंग के नेतृत्व में पहली बार अर्थव्यवस्था में सरकार के पूर्ण नियंत्रण के खिलाफ में विचार सामने आया। अंतत: चीन ने अपनी सरकारी अर्थव्यवस्था में सीमित दायरे में बाजार की अर्थव्यवस्था को शामिल करने की शुरुआत की। इस दिशा में 1985 में चीन ने ओपन डोर (Open Door) की नीति के अंतर्गत बाजार समाजवाद को अपनाया। यह बाजार

3. Galbraith, J.K., ***A History of Economics***, Penguin Books, London, 1991, pp. 188–89.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

समाजवाद (मार्केट सोशलिज्म) का पहला उदाहरण रहा। दूसरे सरकारी अर्थव्यवस्था वाले देश चीन की तरह प्रयोग करने में नाकाम रहे क्योंकि उन्होंने इसके लिए पूरी तैयारी नहीं की। हालांकि दूसरी सरकारी अर्थव्यवस्थाओं के लिए बाजार की अर्थव्यवस्था को शामिल करना उतना आसान भी नहीं था। सोवियत संघ में भी बाजार की अर्थव्यवस्था को शामिल करने की कोशिश हुई। सोवियत संघ में ग्लासनोस्ट (Glasnost) और परेस्त्रोइका (Prestroika) नामक विचारों को अपनाया गया। रूसी शब्द ग्लासनोहत का मतलब खुलापन होता है जबकि पेरेस्त्रोइका से तात्पर्य पुनर्संरचना से है। इसके परिणाम के चलते ही सोवियत संघ का बंटवारा हो गया। विशेषज्ञों के मुताबिक बंटवारे की वजह आर्थिक कुप्रबंधन के चलते राजनीतिक व्यवस्था का चरमरा जाना रहा। दूसरी सरकारी अर्थव्यवस्थाओं ने जब मार्केट सोशलिज्म को अपनाने की कोशिश की तो बदलाव के दौर में उन्हें गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजरना पड़ा। दरअसल बाजार समाजवाद की दिशा में अग्रसर होने से पहले कई मापदंडों पर उसकी तैयारी करनी होती है। चीन ने माओत्से के समय से ही (खासकर 1975 के बाद से) इस दिशा में काफी होमवर्क शुरू कर दिया था। इसके चलते ही वह अपनी अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने में कामयाब रहा। सरकारी अर्थव्यवस्था से बाजार की बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का चीन सबसे आदर्श उदाहरण है।

इन दो घटनाओं का दायरा कई दशकों तक फैला हुआ था, जिसके तहत अलग-अलग आर्थिक व्यवस्थाओं ने दूसरे के अनुभव और व्यवस्थाओं को अपने में समाहित किया। लेकिन 1980 के अंत तक दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था सैद्धांतिक या व्यावहारिक तौर पर न तो पूँजीवादी रह गई थी और न ही समाजवादी।

द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद के चुंगल से निकले दुनिया के कई देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इनमें भारत, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। इन देशों के राजनेताओं को भविष्यदृष्टा माना गया जो 1990 के दशक के मध्य तक आते-आते साबित भी हुआ।

वैसे व्यावहारिक तौर पर, मिश्रित अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया में कोई खास उत्साह नहीं दिखा था। इस व्यवस्था की विशेषताओं और उसके अस्तित्व को लेकर किसी ठोस विचार का सामने आना बाकी था। इस दिशा में पहला विचार विश्व बैंक का आया। विश्व बैंक ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की खासियतों के साथ-साथ अर्थव्यवस्था में राज्य की दखल की जरूरत को भी स्वीकार किया।[4] यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के नजरिए में बड़ा बदलाव था क्योंकि विश्व बैंक (डब्ल्यूबी) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को मुक्त बाजार वाली अर्थव्यवस्था का हिमायती माना जाता है।

मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में यह राय तब बनी जब 1999 में विश्व बैंक की रिपोर्ट *21वीं सदी में प्रवेश* (*Entering the 21st Century*) के नाम से प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा, ''सरकार विकास में अहम भूमिका निभाती है, लेकिन ऐसा कोई तय नियम नहीं है जो सरकार को बताए कि उन्हें क्या करना चाहिए।'' विश्व बैंक ने आगे जाकर इस रिपोर्ट के माध्यम से सरकारों को सलाह दी कि अपने आर्थिक विकास, सामाजिक-राजनीतिक और अन्य ऐतिहासिक कारकों को ध्यान में रखते हुए वह उन खास क्षेत्रों और उसमें खास दायरे की पहचान करे जिसमें बाजार और सरकार दोनों का दखल हो।

विश्व बैंक के इस अंतिम दस्तावेज ने एक तरह से ऐतिहासिक तौर पर चली आ रही अर्थव्यवस्थाओं के दौर यानी मुक्त बाजार की अर्थव्यवस्था और सरकारी अर्थव्यवस्था यानी एडम स्मिथ और कार्ल मार्क्स की मान्यताओं को खारिज कर दिया। ऐसा दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं के अनुभवों के आधार पर किया गया। इस अर्थव्यवस्था ने दोनों तरह की अर्थव्यवस्था के मेल से बनी मिश्रित अर्थव्यवस्था की वकालत की। इस तरह से लंबे समय से चला आ रहा वह विवाद भी समाप्त हुआ कि कौन-सी अर्थव्यवस्था बेहतर है-बाजार वाली अर्थव्यवस्था या फिर सरकारी अर्थव्यवस्था। इस दस्तावेज में दोनों अर्थव्यवस्थाओं की खासियतों को शामिल किया गया और इसके मुताबिक दोनों व्यवस्थाओं की खासियतें एक-दूसरे की पूरक हैं। वास्तविक समस्या बाजार या फिर सरकार का होना भर नहीं है, बल्कि दोनों को मिलाकर बेहतर व्यवस्था बनाना है। बाजार की

4. ***The East Asian Miracle,*** W.B. Study, 1993.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

अर्थव्यवस्था किसी देश की अर्थव्यवस्था के अनुकूल हो सकती है और किसी देश के लिए प्रतिकूल-यह केवल विभिन्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति के चलते संभव होगा। ठीक उसी तरह से, सरकारी अर्थव्यवस्था भी किसी एक अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी हो सकती है, किसी के लिए नहीं हो सकती है।

वैसे यह तय है कि आर्थिक व्यवस्थाओं में न तो पूँजीवाद ही सबसे अच्छा है और न ही सरकारी अर्थव्यवस्था, हां इन दोनों का मिला हुआ स्वरूप मौजूदा समय में सबसे अच्छा है। सरकार-बाजार काफी हद तक किसी भी अर्थव्यवस्था के सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर निर्भर होते हैं लिहाजा इसका कोई निश्चित प्रारूप नहीं बन पाया है, जिसे दुनिया भर में एकसमान तौर पर लागू किया जा सकता था। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को बाजार और सरकार की हिस्सेदारी को खुद से तलाशना होता है। वैसे ये भी संभव है कि किसी अर्थव्यवस्था को बदलते समय के साथ सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक स्थितियों में बदलाव के चलते अपनी मिश्रित अर्थनीतियों में बदलाव लाना पड़ सकता है।

भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया 1991 में शुरू हुई। भारत तो स्वंतत्रता के बाद से ही मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश रहा है। लेकिन 1991 में भारत के लिए एक नई मिश्रित अर्थव्यवस्था की तलाश शुरू हुई।

स्वतंत्रता के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, उस दौर में मिश्रित अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया भर में भ्रम की स्थिति थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ आधारभूत और महत्वपूर्ण क्षेत्र की आर्थिक जिम्मेदारी केंद्र एवं राज्य सरकारों की होती है और बाकी आर्थिक गतिविधियों को बाजार के निजी समूहों के लिए छोड़ दिया जाता है। भारत ने स्वतंत्रता के बाद जिस मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया वह उस वक्त की सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल थी। 1990 के दशक में भारत में आर्थिक सुधार शुरू हुए तब अर्थव्यवस्था में सरकार और बाजार की हिस्सेदारी को नए सिरे से परिभाषित किया गया और एक नई मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में बदलाव के चलते सरकार और बाजार की हिस्सेदारी में बदलाव हुआ। नई मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार की अर्थव्यवस्था का पक्ष लिया गया। कई व्यवस्थाएं, जिन पर सरकार का पूरा नियंत्रण था, उसे निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोल दिया गया। इसके कई उदाहरण हैं-दूरसंचार, ऊर्जा, सड़क, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस इत्यादि। इसी समय में कुछ ऐसे भी क्षेत्र रहे, जिन्हें सरकार के अधीन ही रखा गया। इन क्षेत्रों को सामूहिक रूप से सामाजिक क्षेत्र कहा जा सकता है, इनमें शामिल हैं-शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सफाई, पोषण, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि।

भारत 1991 से पहले भी मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश था और 1991 के बाद भी इसकी अर्थव्यवस्था मिश्रित ही रही, लेकिन सरकार और बाजार की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी बदल गई। आने वाले समय में सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक कारकों में बदलाव होने पर भारत अपनी अर्थव्यवस्था में जरूरत के मुताबिक बदलाव कर सकता है।

मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत और उसके विकास ने लंबे समय से चली आ रही उस बहस को खत्म कर दिया कि कौन-सी अर्थव्यवस्था सबसे बेहतर है। यह बहस 1776 में एडम स्मिथ की पुस्तक *वेल्थ ऑफ नेशंस* से शुरू हुआ था और विश्व बैंक की 1999 की *विश्व बैंक विकास* रिपोर्ट के प्रकाशित होने तक जारी रहा था।[5] यह भ्रम की स्थिति करीब सवा दो सौ साल (1776 से 2000) तक बनी रही। मौजूदा समय में विश्व की अर्थव्यवस्था पर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का दबदबा है। डबल्यूटीओ जिस मिश्रित अर्थव्यवस्था का पक्षधर है वह मुक्त बाजार की अर्थव्यवस्था है। हालांकि इसमें ऐसा भी नहीं है कि सरकार अर्थव्यवस्था में दखल नहीं दे सकती, बल्कि यह जरूरत पड़ने पर सरकार के कहीं ज्यादा दखल की जगह बनाती है।

अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका (ROLE OF THE STATE IN AN ECONOMY)

अर्थव्यवस्था को संगठित करने का विवाद वास्तव में इस बात के चारों ओर घूमता रहा कि अर्थव्यवस्था में राज्य/

5. World Bank, World Development Report, 1999.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए।[6] अर्थव्यवस्था में राज्य की तीन भूमिकाएं स्पष्ट होती हैं:

(i) अर्थव्यवस्था के **नियामक** (regulator) की भूमिका, जिसके अंतर्गत राज्य प्रमुख आर्थिक नीतियां बनाता है और उनका कार्यान्वयन करता है। आर्थिक नियामक की भूमिका पूँजीवादी, राज्य अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था तीनों ही में राज्य के पास रहा है।

(ii) **'निजी वस्तुओं और सेवाओं'** के उत्पादकर्ता और आपूर्तिकर्ता की भूमिका जिसके अंतर्गत राज्य अपनी भूमिका का दो रूप में निर्वाह कर सकता है–***प्रथम रूप***, जिसके अंतर्गत इन उत्पादों को नागरिकों तक बिना किसी मूल्य के आपूर्ति की जाती है जैसा कि राज अर्थव्यवस्थाओं (समाजवादी और साम्यवादी) में होता था। ***दूसरे रूप*** में राज्य इन उत्पादों को उपभोक्ता तक बाजार व्यवस्था के अनुसार पहुंचाता है जैसा कि मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में वर्तमान में दिखता है जहां सरकारी कंपनियां निजी कंपनियों की तरह यह कार्य लाभ या फिर कुछ सब्सिडी देकर कर रही हैं।

(iii) **'लोक वस्तुओं'** या **'सामाजिक वस्तुओं'** (social goods) के आपूर्तिकर्ता की भूमिका, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, सामाजिक सुरक्षा, इत्यादि सुविधाओं का जनता को सरकार द्वारा बिना किसी भुगतान का पहुंचाया जाता है। इनका भुगतान पूरी अर्थव्यवस्था (सरकार) करती है। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में राज्य यह भूमिका नहीं निभाता था।

विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं अपनी सामाजिक-राजनीतिक विचारधाराओं के मुताबिक अपने राज्य के लिए विभिन्न भूमिकाएं तय करती हैं। अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए दुनिया में अलग-अलग सिद्धांत अपनाए जाते हैं, इस वजह से अतीत में विभिन्न आर्थिक व्यवस्थाओं की शुरुआत हुई।

अर्थव्यवस्था के नियमन पर कोई विवाद नहीं है, क्योंकि सभी तरह की अर्थव्यवस्थाओं में सरकार ही उसे नियमित करती हैं। लेकिन राज्यों की ओर से दो अन्य गतिविधियों के चयन की वजह से वास्तिवक अंतर पैदा होता है। जिस अर्थव्यवस्था में दोनों भूमिकाएं (ii और iii) सरकार के अधीन होती हैं उन्हें सरकारी अर्थव्यवस्थाएं कहते हैं। इसमें दो तरह की अर्थव्यवस्थाएं होती है-समाजवादी और दूसरी साम्यवादी। समाजवादी अर्थव्यवस्था में श्रम सरकार के अधीन नहीं होता, लेकिन उनका शोषण सरकार नहीं कर सकती है। जबकि साम्यवादी (कम्यूनिस्ट) अर्थव्यवस्था में श्रम सरकार के अधीन होता है। इन दोनों अर्थव्यवस्था का कोई बाजार नहीं है।

जिस व्यवस्था में दोनों भूमिका (ii और iii) की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र को मिलती है उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें राज्य की कोई भूमिका नहीं होती है लेकिन वह नियामक के तौर पर अपनी भूमिका जरूर निभाता है।

मिश्रित अर्थव्यवस्था में एक भूमिका (iv भूमिका) तय होती है, इसमें जरूरतमंद लोगों को जरूरत का सामान मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। कुछ मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में सरकारें ये जिम्मेदारी उठाती हैं या फिर बहुत ज्यादा भार अनुदान देकर वहन करती हैं।

विश्व बैंक की रिपोर्ट 1999 एक तरह से अर्थव्यवस्था में सरकार की उपयुक्त भूमिका को दर्शाती है। इसके मुताबिक समाजिक और राजनीतिक जरूरत के मुताबिक सरकार की भूमिका में भी बदलाव संभव है। राजनीतिक समस्याएं तीन चीजों के मिलने से बनती हैं:

(i) आर्थिक निपुणता,

(ii) सामाजिक न्याय, और;

(iii) व्यक्तिगत स्वतंत्रता।

इन तीन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में ये इजाजत नहीं दी जा सकती है कि

6. A highly concise and to-the-point idea on the issue comes from Joseph. E. Stiglits, **'The Role of Government in Economic Development',** the keynote address at the Annual World Bank Conference on Development Economics, 1996.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

जिसमें केवल राज्य की भूमिका हो या फिर केवल बाजार की भूमिका हो। इन चुनौतियों का सामना तभी हो सकता है जब सरकार और बाजार दोनों को संतुलित भूमिका दी जाए। संतुलन की परिभाषा मौजूदा स्थिति और भविष्य के लक्ष्य के आधार पर तय होती है। मौजूदा भूमंडलीकरण की दुनिया में सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सटीक संतुलन को ही आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया कहते हैं।

अगर हम किसी अर्थव्यवस्था की जरूरत का आकलन करेंगे तो इसमें राज्य की कुछ अनिवार्य भूमिका नजर आएगी:

(i) अगर किसी अर्थव्यवस्था में निजी व्यक्ति या फिर समूह पर नियमन और नियंत्रण की जिम्मेदारी सौंपी जाए, तो वह दूसरों की कीमत पर खुद मुनाफा कमाने पर जोर देंगे। ऐसे में ये भूमिका सरकार के अधीन ही होनी चाहिए। यह लोकतांत्रिक और राजनीतिक व्यवस्था के लिए उपयुक्त भी है क्योंकि इससे बड़ी आबादी के हितों का ख्याल रखना संभव है।

(ii) सामान का उत्पादन और वितरण की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र को सौंपी जा सकती है क्योंकि यह क्षेत्र मुनाफा कमाने वाला क्षेत्र है। सरकार अगर इस क्षेत्र की जिम्मेदारी उठाती है तो उस पर काफी बोझ पड़ेगा। हालांकि दुनिया के कई देशों में उपयुक्त निजी क्षेत्र की मौजूदगी नहीं होने से यह जिम्मेदारी सरकारों के अधीन भी है। भारत भी उन देशों में एक है। हालांकि कुछ देशों में निजी क्षेत्र को सक्षम बनाने के लिए सरकारों ने यह जिम्मेदारी पूरी तरह से निजी क्षेत्रों के लिए छोड़ा हुआ है। भारत में यह प्रक्रिया विलंबित है जबकि इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया में सरकार ने अपनी जिम्मेदारियां को छोड़ दिया है ताकि निजी क्षेत्र आ सकें।

(iii) हालांकि जरूरतमंद लोगों के लिए रोजमर्रा के जीवन में जरूरी उत्पादों की आपूर्ति निजी क्षेत्र पर नहीं छोड़ी जा सकती है क्योंकि यह नुकसान देने वाला है। इसका मतलब यह है कि सरकार को यह जिम्मेदारी खुद लेनी होगी या फिर अपनी जिम्मेदारी को इस क्षेत्र में बढ़ाना होगा। भारत में आर्थिक सुधारों के बाद यही स्थिति है।

निजी क्षेत्र सामानों के उत्पादन और वितरण में सक्षम है, लिहाजा सरकार इस क्षेत्र विशेष में लगे अपने मानव और आर्थिक संसाधनों की बचत कर सकती है।

विश्व बैंक के अध्ययन के मुताबिक, पूर्वी एशियाई चमत्कार (1993) में यह देखा गया कि ऊपर के उदाहरण से एक तरह की मिश्रित अर्थव्यवस्था दूसरी तरह की मिश्रित अर्थव्यवस्था में तब्दील हो गई। यह बदलाव मलेशिया, थाईलैंड और दक्षिण कोरियाई अर्थव्यवस्था में नजर आया, यहां यह बदलाव 1960 के दशक से हुआ था। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में यह बदलाव उपयुक्त समय पर शुरू नहीं हुआ। 1991–92 में यह काफी देरी से शुरू हुआ और इसे अनिवार्य किया गया। पूर्वी एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था में भी इसी तरह के सुधार हुए, लेकिन वे अपनी मर्जी से किए गए थे।

वाशिंगटन सहमति (Washington Consenus)

'वाशिंगटन सहमति' शब्दावली अमेरिकी अर्थशास्त्री जॉन विलियमसन[7] द्वारा 1989 में प्रयुक्त की गई। इसके अंतर्गत उन्होंने तत्कालीन लातिन अमेरिकी देशों के लिए नीतिगत सुधार सुझाए जिन पर वाशिंगटन स्थित अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक जैसी संस्थाओं की भी सहमति थी और वे इन्हें इन देशों को संकट से उबारने के लिए जरूरी मानती थीं। इन नीतिगत सुधारों के निम्नलिखित दस आयाम थे:

7. John Williamson, **'What Washington Means by Policy Reform'**, Chapter 2 in John Williamson (ed.), *Latin American Adjustment: How Much Has Happened?*, 1990; Institute for International Economics and John Williamson, **'What Should the Bank Think About the Washington Consensus'**, Background Paper to the World Bank's *World Development Report 2000*, Washington DC, July 1999.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(i) वित्तीय अनुशासन;

(ii) सार्वजनिक खर्च की प्राथमिकताओं को ऐसे क्षेत्रों की ओर पुनर्निर्देशित करना जिनसे उच्च प्राप्ति की संभावना हो, जैसे–प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा तथा आधारभूत संरचना;

(iii) कर सुधार (सीमांत दरों में कमी तथा कराधार को बड़ा करना);

(iv) ब्याज दर उदारीकरण;

(v) प्रतिस्पर्धापूर्ण विनिमय दर;

(vi) व्यापार उदारीकरण;

(vii) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंत:प्रवाह का उदारीकरण;

(viii) निजीकरण;

(ix) विनियमन (प्रवेश एवं विकास में बाधाओं को दूर करने के अर्थ में), तथा;

(x) संपत्ति अधिकारों की रक्षा।

हालाँकि आने वाले समय में, यह शब्दावली नव-उदारवाद (लातिन अमेरिका में), बाजारवादी रूढ़िवाद (जैसा कि 1998 में जॉर्ज सोरोस ने कहा), यहाँ तक कि पूरी दुनिया में भूमंडलीकरण की समानार्थक हो गई। यह ऐसे अति विश्वास और अंधा प्रतिबद्धता दर्शाने के लिए भी प्रयुक्त हुई कि **बाजार कैसी भी स्थिति संभाल सकता है।**

लेकिन वस्तुस्थिति भिन्न रही है-अस्सी और नब्बे के दशक के दौरान भी इन नीतियों की अनुशंसा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश तथा विश्व बैंक यू.एस. ट्रेजरी के साथ मिलकर करते आ रहे थे।[8] ये नुस्खे उस समय लातिन अमेरिका के देशों की वास्तविक समस्याओं के हल के लिए सुझाए गए थे और बाद में अन्यान्य परिस्थितियों में भी इनके उपयोग की कोशिशों का विरोध उन लोगों ने भी किया जो इनके प्रतिपादक थे। वाशिंगटन-सहमति का हवाला देना विशेषकर जॉन विलियमसन[9] के लिए मानो दुर्भाग्यपूर्ण ही लगता रहा है, जो कि इसके जनक रहे। वे कहते हैं कि दुनिया भर में प्रेक्षक ऐसा मानते हैं कि वाशिंगटन सहमति का अभिप्राय ऐसी नव-उदारवादी नीतियों से है जो कि लाचार देशों के ऊपर वाशिंगटन स्थित वित्तीय संस्थाओं ने थोपी है और जो उनके यहाँ संकट और दुर्दशा का कारण बनी हैं। ऐसे लोग भी हैं जो इस शब्दावली को क्रोध और घृणा के साथ ही उच्चारते हैं। विलियमसन पुन: कहते हैं कि अनेक लोग यह समझते हैं कि जैसे इस सहमति दस्तावेज के बिन्दु उन नियमों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका विकासशील देशों पर जबरन लादना चाहता है। इसके बदले, विलियमसन हमेशा से यह मानते रहे हैं कि ये अनुशंसाएँ अथवा नुस्खे उन सहमतियाँ का प्रतिनिधित्व इसलिए करते हैं कि वास्तव में वे सार्वभौमिक हैं। इस योजना के अनेक प्रतिपादकों का यह विचार है कि इनके पीछे कोई सख्त नव-उदारवादी ऐजेंडा नहीं है जैसा कि मुक्त व्यापार के विरोधी समझते हैं या दावा करते है, बल्कि उन्हें इसे एक अनुदार मूल्यांकन के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए कि एक देश में आर्थिक स्थिरता किस प्रकार की नीतियों से संभव है।

लेकिन हुआ यह कि इन नीतियों से उन प्रक्रियाओं की शुरूआत हुई जिन्हें उदारीकरण, निजीकरण एवं भूमंडलीकरण कहा जाता है। इनके चलते अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका सीमित कर दी गई-पूरी दुनिया में। उन देशों में कहीं अधिक, जो विश्व बैंक से विकास निधि प्राप्त कर रहे थे अथवा जो भुगतान संतुलन संकट के समय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता मांगने जाते रहे थे (जैसा कि भारत में, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों पर 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई)। यह सब ऐसा था मानो एडम स्मिथ के 'मुक्त व्यापार' (उदारवाद) के नुस्खे का पुनर्जन्म (नवउदारवाद) हुआ हो।

8. Stiglitz, J. E., **Initiative for Policy Dialogue**, a paper presented at the conference *From the Washington Consensus towards a new Global Governance*, Barcelona, September 2004. The conference was sponsored by the Ford Foundation, the MacArthur Foundation, and the Mott Foundation.

9. Williamson, J., ***Did the Washington Consensus Fail?***, Institute for International Economics, Washington DC, 2002.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

आज अनेक विद्वान यह मानते हैं कि हाल के अमेरिका और यूरोप के आर्थिक संकटों का कारण कहीं-न-कहीं 'सहमति' (Consensus) में निहित है। पश्चिमी अर्थव्यवस्था में आई महामंदी (अमेरिका के सब-प्राइम संकट के पश्चात्) के जो परिणाम हुए उसमें ऐसा विश्वास किया जाता है कि वृद्धि तथा विकास को सही करने अथवा पटरी पर लाने के लिए बाजार पर निर्भरता अब और नहीं चल सकती और दुनिया अब एक 'विकास राज्य' (Development State) के पक्ष में कुछ सहमत हो सकती है जैसा कि पूर्वी एशिया के देश अपनी मजबूत वृद्धि के लिए कभी भी 'सहमति' (Consensus) के पीछे नहीं गए। कीन्स के 'हस्तक्षेपकारी राज्य' (Interventionist State) का विचार आज की परिस्थितियों में एकमात्र विकल्प प्रतीत होता है - जैसा कि अमेरिका के नोबल अर्थशास्त्री पॉल क्रुगमैन मानते हैं और जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे भी इसी रास्ते का अनुसरण कर रहे हैं (The Three Arrows of Abenomics)।

अर्थव्यवस्था के क्षेत्र (Sectors of an Economy)

प्रत्येक अर्थव्यवस्था अपनी आर्थिक गतिविधियों को आय अर्जन के मामले में महत्तमीकृत करना चाहता है ताकि आर्थिक गतिविधियाँ लाभकारी से और अधिक लाभकारी हो सकें। चाहे आर्थिक संगठन की व्यवस्था कुछ भी हो अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में बांटा गया है, जिन्हें अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक (Sector) कहा जाता है:

1. प्राथमिक क्षेत्र (Primary Sector)

अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है; यथा—उत्खनन, कृषि कार्य, पशुपालन, मछली पालन, इत्यादि। इसी क्षेत्रक को कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां (agriculture and allied activities) भी कहा जाता है।[10]

10. Michael P. Todaro and Stephen C. Smith, ***Economic Development***, Pearson Education, 8th Ed., N. Delhi, p. 440.

2. द्वितीयक क्षेत्र (Secondary Sector)

अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल (raw material) की तरह उपयोग करता है द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। उदाहरण के लिए लौह एवं इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन, बिस्किट, केक इत्यादि उद्योग। वास्तव में इस क्षेत्रक में विनिर्माण (manufacturing) कार्य होता है यही कारण है कि इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है।

3. तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector)

इस क्षेत्रक में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है; यथा—बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन इत्यादि। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है।

अर्थव्यवस्था के प्रकार (Types of Economy)

किसी अर्थव्यवस्था में उनके क्षेत्रकों का सकल आय में क्या योगदान है और कितने लोग उन पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं, इन बातों के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का नामकरण भी होता है:

1. कृषक अर्थव्यवस्था (Agrarian Economy)

अगर किसी अर्थव्यवस्था के सकल उत्पादन (सकल घरेलू उत्पाद) में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 50 प्रतिशत या इसके अधिक हो तो वह कृषक अर्थव्यवस्था कही जाती है। स्वतंत्रता-प्राप्ति के समय भारत एक ऐसी ही अर्थव्यवस्था था; लेकिन आज इसकी सकल आय में हिस्सा घटकर 18 प्रतिशत के आस-पास रह गया है। इस दृष्टिकोण से भारत एक कृषक अर्थव्यवस्था नहीं लगता, लेकिन आज भी इस क्षेत्र पर भारत के लगभग 49 प्रतिशत लोग अपनी आजीविका (Livelihood) के लिए निर्भर हैं। यह एक विशेष परिस्थिति है, जहां सकल आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जिस अनुपात में घटा है। आजीविका के लिए इस पर लोगों की निर्भरता उस अनुपात में नहीं घटी है—जनसंख्या का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर स्थानांतरण नहीं हुआ है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

2. औद्योगिक अर्थव्यवस्था (Industrial Economy)

ऐसी अर्थव्यवस्था में उसकी सकल आय में द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा 50 प्रतिशत या इससे अधिक रहता है तथा इसी अनुपात में इस क्षेत्रक पर लोगों की निर्भरता भी रहती है। पूरा-का-पूरा यूरोप-अमेरिका इस स्थिति में रहा था, जब उन्हें औद्योगीकृत अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया था। यह स्थिति भारत में अभी तक नहीं आयी-न तो द्वितीयक क्षेत्र का योगदान इस स्तर तक बढ़ा न ही इस पर जनसंख्या की निर्भरता ही बढ़ी।

3. सेवा अर्थव्यवस्था (Service Economy)

ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत सकल आय में तृतीयक क्षेत्र का योगदान 50 प्रतिशत या उससे ज्यादा होता है, उसे सेवा अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाले पहले पहल वह देश थे, जो पहले पहल औद्योगिक अर्थव्यवस्था को अपना चुके थे। इस अर्थव्यवस्था में ज्यादातर लोगों की आजीविका तृतीयक क्षेत्र से पूरा होता है। बीते एक दशक के दौरान (2003-04 से लेकर 2012-13) सेवा क्षेत्र में ही ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है।[11] इस दौरान पूरी अर्थव्यवस्था में हुई वृद्धि में 65 प्रतिशत हिस्सेदारी सेवा क्षेत्र की रही है जबकि 27 प्रतिशत उद्योग-धंधों और 8 प्रतिशत कृषि क्षेत्र का योगदान रहा है।

19वीं सदी के अंत तक, कम से कम पश्चिमी देशों में तो यह सत्यापित हो चुका था कि औद्यौगिक गतिविधियां कृषिगत गतिविधियों की तुलना में आय अर्जित करने का बेहतर और तेज तरीका है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह मान्यता पूरी दुनिया में मान्य हो गई और सभी देशों में औद्योगीकरण की होड़ शुरू हो गई। जब कई देशों ने औद्योगीकरण की कामयाबी के साथ अपना लिया तो आबादी का बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र से उद्योग धंधों की तरफ आया। इस बदलाव की प्रक्रिया को ही ***वृद्धि के चरण*** (Stages of Growth) के रूप में परिभाषित किया गया।[12]

औद्योगीकरण के बढ़ने से, कृषिगत क्षेत्रों पर लोगों की निर्भरता कम होती गई और उद्योग-धंधों पर निर्भरता बढ़ती गई। ठीक इसी तरह का बदलाव, उद्योग-धंधों से सेवा के क्षेत्र में बदलाव करने के दौरान नजर आया। सर्विस सेक्टर पर निर्भर आबादी को औद्योगीकरण के बाद के दौर की आबादी माना गया और इसे सर्विस सोसायटीज के रुप में भी मान्यता मिली। पूरे यूरोप और अमेरिका में कुल उत्पादन का करीब 50 प्रतिशत हिस्सा सेवा क्षेत्र से आ रहा था और लगभग आधी आबादी की आजीविका भी इस पर निर्भर थी। यानी किसी क्षेत्र की उसकी आय में योगदान और उस पर निर्भर जनसंख्या में साम्यता थी, लेकिन कुछ देशों के मामले में ऐसा नहीं हुआ। भारत में उन देशों में शामिल था, जहां यह साम्यता नहीं थी।

राष्ट्रीय आय की अवधारणा (The Idea of National Income)

अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। अर्थशास्त्र एवं किसी अर्थव्यवस्था की समझ के लिए राष्ट्रीय आय की गणना से जुड़ी अवधारणों का स्पष्ट होना आवश्यक है। वैसे तो इसका पता सामान्य तौर पर देश और वहां के लोगों की खुशहाली और उनकी प्रसन्नता से लगाते हैं। यह तरीका आज भी इस्तेमाल होता है हालांकि हम यह जान चुके हैं कि आय से किसी भी समाज के बेहतर और कुशल होने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इस राय के पीछे कई वजहें भी हैं। जब 1990 के शुरुआती सालों में मानव विकास सूचकांक की शुरुआत हुई। इस सूचकांक में किसी भी देश में प्रति व्यक्ति आय को काफी प्राथमिकता दी गई थी। लेकिन समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति तभी बेहतर होती है जब इन क्षेत्रों में भारी पैमाने पर निवेश किया जाता हो। यही वजह है कि विकास या मानव विकास का केंद्र बिंदु आय को माना जाता है।

11. Ministry of Finance, ***Economic Survey 2012–13***, Government of India, New Delhi, 2013, p. 30.

12. Walt W. Rostow, ***The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto***, Cambridge University Press, London, 1960, pp. 1–5.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

एक आदमी की आय को आकलित किया जा सकता है, उसी तरह से पूरे देश की आय का आकलन संभव है और पूरे विश्व की आय का अनुमान लगाना संभव है हालांकि पूरे विश्व की आय को मापने का तरीका मुश्किल जरूर है। बहरहाल किसी भी देश की आय को आकलित करने के लिए अर्थशास्त्र में *चार दृष्टिकोण* हैं।[13] ये चारों दृष्टिकोण हैं- GDP, NDP, GNP और NNP। यह सब किसी भी देश की राष्ट्रीय आय के रूप हैं, लेकिन सब एक-दूसरे से अलग हैं। ये अलग-अलग किसी भी देश की आय के बारे में अपने खास अंदाज में विश्लेषण करते हैं। इस अध्याय में हम इन चारों दृष्टिकोण के बारे में अलग-अलग अध्ययन करेंगे।

जीडीपी (GDP)

सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product–GDP) किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम (Final) मौद्रिक मूल्य है। भारत के लिए यह एक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। इसका आकलन राष्ट्रीय निजी उपभोग, सकल निवेश, सरकारी एवं व्यापार शेष (निर्यात-आयात) के योगफल द्वारा भी किया जाता है। इस विधि में देश के बाहर उत्पादित आयातों के व्यय को तथा उन देश-निर्मित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य जुड़ा होता है जिन्हें देश में नहीं बेचा गया है।

इस दृष्टिकोण में इस्तेमाल किए गए पदों को समझना आवश्यक है। अर्थव्यवस्था और वाणिज्य में ग्रास का मतलब वही होता है जो गणित में कुल का मतलब होता है। 'डोमेस्टिक' का मतलब सभी अर्थव्यवस्थाओं में किसी भी देश और उसकी पूँजी के दायरे में होने वाली आर्थिक गतिविधि है। 'प्रॉडक्ट' का मतलब सामान और सेवा है, जबकि 'फाइनल' का मतलब है कि किसी भी उत्पाद में अब वैल्यू एडिशन का मौका नहीं है। जीडीपी के विभिन्न उपयोग निम्न हैं:

(i) GDP में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर (Growth Rate) है। उदाहरण के लिए किसी देश की GDP 107 रुपया है और यह बीते साल से 7 रुपया ज्यादा है तो उस देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7 प्रतिशत है। जब हम किसी देश की अर्थव्यवस्था को ग्रोइंग इकॉनमी कहते हैं तो मतलब यह होता है कि देश की आय परिमाणात्मक रूप से बढ़ रही है।

(ii) यह परिमाणात्मक दृष्टिकोण है। इसके आकार से देश की आंतरिक शक्ति का पता चलता है। लेकिन इससे देश के अंदर उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता के स्तर का पता नहीं चल पाता है।

(iii) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की ओर से सदस्य देशों का तुलनात्मक विश्लेषण इसके आधार पर ही किया जाता है।

एनडीपी (NDP)

शुद्ध घरेलू उत्पाद (NDP), किसी भी अर्थव्यवस्था का वह जीडीपी है, जिसमें से एक वर्ष के दौरान होने वाली मूल्य कटौती को घटाकर प्राप्त किया जाता है। वास्तव में जिन संसाधनों द्वारा उत्पादन किया जाता है, उपयोग के दौरान उनके मूल्य में कमी हो जाती है, जिसका मतलब उस सामान का घिसने (Depreciation) या टूटने-फूटने से होता है। इसमें मूल्य कटौती की दर सरकार निर्धारित करती है। भारत में यह फैसला केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है। यह एक सूची जारी करता है जिसके मुताबिक विभिन्न उत्पादों में होने वाली मूल्य कटौती (घिसावट) की दर तय होती है। उदाहरण के लिए, भारत में रिहाइशी निवास की सालाना मूल्य कटौती एक प्रतिशत है, वहीं बिजली से चलने वाले पंखे के मूल्य में 10 प्रतिशत की कमी होती है। अर्थशास्त्र में मूल्य कटौती का इस्तेमाल किस तरह से होता है, ये उसका एक उदाहरण है। दूसरा तरीका ये भी है जब बाहरी क्षेत्र में उसका इस्तेमाल होता है जब

13. The discussion on National Income Accounting is based on several textbooks of economics and the documents released by the **International Monetary Fund (IMF)** and the **World Bank (WB)** in the areas of **Comparative Economics** and **International Economics.** It was **Simon Kuznets,** a Nobel Prize winning economist from the USA who first conceived the idea of GDP in 1934.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

घरेलू मुद्रा विदेशी मुद्रा के सामने कमजोर होता है। अगर बाजार की व्यवस्था में घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के सामने कम होता है तो उसे घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। यह घरेलू मुद्रा में दर्ज गिरावट से तय होता है।

इस तरह से देखें तो NDP = GDP – घिसावट।

ऐसे में जाहिर है कि किसी भी वर्ष में किसी भी अर्थव्यवस्था में एनडीपी हमेशा उस साल की जीडीपी से कम होगा। अवमूल्यन को शून्य करने का कोई भी तरीका नहीं है। लेकिन मानव समाज इस अवमूल्यन को कम से कम करने के लिए कई तरकीबें निकाल चुका है।

NDP का अलग-अलग प्रयोग निम्न है:

(a) घरेलू इस्तेमाल के लिए-इसका इस्तेमाल घिसावट के चलते होने वाले नुकसान को समझने के लिए किया जाता है। इतना ही नहीं खास समयावधि के दौरान उद्योग-धंधे और कारोबार में अलग-अलग क्षेत्र की स्थिति का अंदाजा भी इससे लगाया जा सकता है।

(ii) अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की उपलब्धि को दर्शाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।

लेकिन एनडीपी का इस्तेमाल दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना के लिए नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों है? इसकी वजह है दुनिया की अलग-अलग अर्थव्यवस्थाएं अपने यहां मूल्य कटौती की अलग-अलग दरें निर्धारित करती हैं। यह दर मूल रूप से तार्किक आधार पर तय होता है। (उदाहरण के लिए भारत में मकान में होने वाले मूल्य कटौती की दर को लें, मकान बनाने में सीमेंट, ईट, बालू और लोहे की छड़ इत्यादि का इस्तेमाल होता है और यह माना जाता है कि ये आने वाले 100 साल तक चलेंगी। लिहाजा यहां मूल्य कटौती की दर 1 प्रतिशत सालाना होती है।) हालांकि यह जरूरी नहीं है कि हर बार इसका फैसला तार्किकता के आधार पर ही हो। उदाहरण के लिए, फरवरी 2002 में भारी वाहन (ऐसे वाहन जिनमें 6 या उससे ज्यादा चक्के हों) में मूल्य कटौती की दर 20 प्रतिशत थी लेकिन उसे आगे चलकर 40 प्रतिशत कर दिया गया। ऐसा देश में भारी वाहन की बिक्री को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया। दर को दोगुना करने के लिए कोई तर्क सही नहीं हो सकता। मूलत: मूल्य कटौती और उसकी दरें भी आधुनिक सरकारों के लिए आर्थिक नीतियों को बनाने के लिए एक हथियार है। अर्थव्यवस्था में अवमूल्यन का तीसरी तरह से इस्तेमाल इस रूप में होता है।

जीएनपी (GNP)

किसी अर्थव्यवस्था में ग्रॉस नेशनल प्रॉडक्ट (GNP) उस आय को कहते है जो जीडीपी में विदेशों से होने वाली आय को जोड़कर हासिल होता है। इसमें देश की सीमा से बाहर होने वाली आर्थिक गतिविधियों को भी शामिल किया जाता है। विदेशों से होने वाली आय में निम्नांकित पहलू शामिल हैं:

(i) ***निजी प्रेषण (Private Remittances):*** भारत के नागरिक दुनिया के दूसरे देशों में काम करते हैं और दुनिया के दूसरे देशों के नागरिक भारत में भी काम करते हैं। इन लोगों के निजी लेनदेन से जो आमदनी होती है उसे निजी प्रेषण से होने वाली आमदनी कहते है। भारत 1990 के दशक की शुरुआत तक हमेशा फायदे में रहा क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय लोग खाड़ी देशों में काम कर रहे थे (हालांकि खाड़ी युद्ध के चलते इसमें भारी कमी देखने को मिली)। इसके बाद भारतीय अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों में काम करने के लिए जाते रहे। आज भारत दुनिया में निजी प्रेषण के जरिए सर्वाधिक आमदनी करने वाला देश है। विश्व बैंक के अनुमान के मुताबिक 2015 में भारत को इस तरीके से 72 अरब डॉलर की आमदनी का अनुमान है (2013 में भारत को 70 अरब डॉलर की आमदनी हुई थी, साल में सबसे ज्यादा)। चीन 2014 में 64 अरब डॉलर की आमदनी के साथ दूसरे नंबर पर है।

(ii) ***विदेशी कर्जे पर ब्याज (Interest of the External Loans):*** ब्याज के भुगतान पर कुल फायदा या नुकसान। इसमें एक स्थिति वह होती जहां एक अर्थव्यवस्था दूसरे देशों को कर्जे

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

पर रकम देता है, तो उसे ब्याज की आमदनी होती है। एक दूसरी स्थिति भी है, जब कोई अर्थव्यवस्था किन्हीं दूसरे देशों से कर्ज लेता है तो उसे ब्याज का भुगतान करना होता है। भारत की इस ब्याज से होने वाली आय इसके ब्याज व्यय से कम होती है क्योंकि इसके द्वारा लिया गया विदेशी कर्ज इसके द्वारा दिए गए ऐसे कर्ज से अधिक है।

(iii) ***विदेशी अनुदान (External Grants):*** इसके अंतर्गत भारत द्वारा प्राप्त किए गए एवं दूसरे देशों को दिए गए अनुदान का शेष (Balance) शामिल किया जाता है। काफी निम्न ही सही लेकिन भारत को अन्यान्य विदेशी क्षेत्रों से अनुदान की प्राप्ति होती है (यथा UNDP एवं राष्ट्रों से) जो मूलतः मानवीय आधारों पर दिए जाते हैं। वैश्वीकरण के प्रारंभ के बाद भारत का अनुदान व्यय बढ़ता गया है-यह भारत के राजनयिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय पहल पर उच्च भूमिका अदा करने के प्रयास से जुड़ा है।

बहरहाल, इन तीनों अलग-अलग मदों से होने वाली आमदनी कुल मिलाकर लाभ में भी हो सकती है और नुकसान में भी हो सकती है। भारत के मामले में यह हमेशा नुकसान वाली स्थिति में होती है क्योंकि भारत पर काफी ज्यादा विदेशी कर्ज है और अनुदान की प्राप्ति घटती गयी है। इसका मतलब यह कि भारत के GNP को हासिल करने के लिए GDP में विदेशों से होने वाली आमदनी जुड़ने के बजाए घटेगी।

सामान्य फॉर्मूले के मुताबिक GNP, GDP+ विदेशों से होने वाली आय के बराबर है। लेकिन भारत के मामले में विदेशों से होने वाली आमदनी के बदले हानि होती है लिहाजा भारत का GNP हमेशा GDP विदेशों से होने वाली आमदनी के बराबर होता है। यानी भारत का GNP हमेशा GDP से कमतर होता है।

GNP के **विभिन्न उपयोग** इस तरह से हैं:

(i) इस राष्ट्रीय आय के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) दुनिया के देशों की रैंकिंग तय करता है। इसके आधार पर आईएमएफ देशों को उनकी क्रय शक्ति तुल्यता (PPP) के आधार पर रैंक करता है। PPP के बारे में विस्तार से आप अध्याय-22 में पढ़ सकते हैं। इस आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन और यू.एस.ए. के बाद भारत का स्थान है। लेकिन भारतीय मुद्रा के विनिमय दर के आधार पर भारत दुनिया की ***7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था*** है (आई.एम.एफ., अप्रैल 2016)। अब यह तुलना GDP के आधार पर भी की जाती है।

(ii) राष्ट्रीय आय को आंकने के लिहाज से GNP, GDP की तुलना में विस्तृत पैमाना है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था की परिमाणात्मक के साथ-साथ गुणात्मक तस्वीर भी पेश करता है। किसी भी अर्थव्यवस्था की आंतरिक के साथ-साथ बाहरी ताकत को भी बताता है।

(iii) यह किसी भी अर्थव्यवस्था के पैटर्न और उसके उत्पादन के व्यवहार को समझने में काफी मदद करता है। यह बताता है कि बाहरी दुनिया किसी देश के खास उत्पाद पर कितनी निर्भर है और वह उत्पाद दुनिया के देशों पर कितना निर्भर है। यह अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में किसी भी अर्थव्यवस्था को अपने मानव संसाधनों के बारे में, उनकी संख्या और और उनसे होने वाली आमदनी के बारे में बताता है। इसके अलावा यह किसी भी अर्थव्यवस्था के दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ रिश्ते पर भी रोशनी डालता है (यह दुनिया के देशों से लिए कर्जे या फिर दूसरे देशों को दिए कर्जे से पता चलता है)।

एनएनपी (NNP)

ग्रॉस नेशनल प्रॉडक्ट (GNP) में से मूल्य कटौती को घटाने के बाद जो आय बचती है, उसे ही किसी अर्थव्यवस्था का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP) कहते हैं।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

यानी NNP को हम इस तरह से हासिल कर सकते हैं:

NNP = GNP – घिसावट

या फिर,

NNP = GDP + विदेशों से होने वाली आय – मूल्य कटौती

NNP के **विभिन्न उपयोग** इस तरह से हैं:

(i) यह किसी भी अर्थव्यवस्था की **राष्ट्रीय आय** (National Income (NI) है। यद्यपि GDP, NDP और GNP सभी राष्ट्रीय आय ही हैं लेकिन राष्ट्रीय आय (NI) के तौर पर नहीं लिखा जाता।

(ii) यह किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को आकलित करने का सबसे बेहतरीन तरीका है।

(iii) जब हम NNP को देश की कुल आबादी से भाग देते हैं तो उससे देश की **प्रति व्यक्ति आय** का पता चलता है। यह प्रति व्यक्ति सालाना आय होती है। यहां एक मूल बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि अलग-अलग देशों में मूल्य कटौती की दर अलग-अलग होती है। ऐसे में किसी देश में मूल्य कटौती की दर ज्यादा होने पर प्रति व्यक्ति की आय में कमी होती है। (यही वजह है कि मूल्य कटौती का इस्तेमाल नीति निर्माण में हथियार के तौर पर किया जाता है)। हालांकि अर्थव्यवस्थाओं को किसी भी संपत्ति के मूल्य में कटौती करने का प्रस्ताव दिया जाता है। जब आईएमएफ, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसी वित्त संस्थाएं नेशनल इनकम के आधार पर देशों की तुलना करती हैं।

वैसे राष्ट्रीय आय आकलित करने के लिए सेंट्रल सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) ने जनवरी 2015 में बेस ईयर और मेथडॉलॉजी को संशोधित किया है। इसका वर्णन आगे दिया गया है।

राष्ट्रीय आय की लागत और मूल्य (Cost and Price of National Income)

राष्ट्रीय आय की गणना करते समय 'लागत' और 'मूल्य' भी तय कर लिए जाने चाहिए। दरअसल लागत और मूल्य की दो श्रेणियां होती हैं; और अर्थव्यवस्था को यह तय करना होता कि कौन-सी दो लागत और कौन-से दो मूल्य राष्ट्रीय आय का हिसाब लगाने में काम आएंगे। हमें इस भ्रम और इस भ्रम की उपयुक्तता को समझ लेना चाहिए।[14]

(i) **लागत:** किसी अर्थव्यवस्था की आय, मतलब, इसकी कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना या तो 'घटक लागत' पर की जा सकती है या फिर 'बाजार लागत' पर। इन दोनों में अंतर क्या होता है? 'घटक लागत' मूलत: 'निवेश की गई लागत' होती है जिसे उत्पादक उत्पादन प्रक्रिया के दौरान लगाता है (जैसे कि पूंजी की लागत, मतलब, ऋणों पर ब्याज, कच्चा माल, श्रम, किराया, बिजली आदि)।

इसे 'कारखाना लागत' या 'उत्पादन लागत/मूल्य' भी कहते हैं। यह कुछ और नहीं निर्माता के नजरिए से वस्तु की 'कीमत' है। दूसरी तरफ 'बाजार लागत' वस्तु की 'घटक लागत' पर अप्रत्यक्ष कर जोडने के बाद निकाली जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह लागत जिस पर वस्तु बाजार में पहुंचती है, मतलब शोरूमों में (उत्पादक केंद्र सरकार को सेनवेट/केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीएसटी देते हैं)। इसे 'कारखाना मूल्य' भी कहते हैं।

भारत आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय आय की गणना कारक लागत (Factor cost) पर किया

14. The information on issues like 'cost', 'price', 'taxes' and 'subsidies' are based on the different **Discussion Papers** released by the **Central Statistical Organisation** (GoI) from time to time.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

करता था। वैसे राष्ट्रीय आय के आंकड़े बाजार लागत (market cost) पर भी प्रकाशित किए जाते थे जिसका इस्तेमाल सरकार के साथ-साथ निजी क्षेत्र भी किया करता था। **जनवरी 2015** से CSO द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना **बाजार मूल्य** (market price) पर की जा रही है जो वास्तव में बाजार लागत (market cost) पर ही है। सकल मूल्य वर्द्धन (GVA) में उत्पाद करों (Product taxes) को शामिल करने के बाद 'बाजार मूल्य' ज्ञात होता है। उत्पाद कर केन्द्र एवं राज्यों के अप्रत्यक्ष कर (Indirect tax) हैं। वस्तु एवं सेवा कर (GST) को अपना लेने के बाद इस गणना में काफी सुविधा होगी।

(ii) **मूल्य:** आय को दो-मूल्यों स्थायी और वर्तमान से निकाला जा सकता है। स्थायी और वर्तमान मूल्य में अंतर सिर्फ मुद्रास्फीति के असर का है। स्थायी मूल्य के मामले में मुद्रास्फीति को पहले के एक साल में स्थिर माना जाता है (पहले से इस साल को 'आधार वर्ष' माना जाता है) जबकि वर्तमान मूल्य के मामले में आज की मुद्रास्फीति को जोड़ा जाता है। दरअसल, वर्तमान मूल्य अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) है जिसे हम बाजार में बिकने वाली चीजों पर अंकित देखते हैं।

नई गाइडलाइंस के मुताबिक भारत का बेस ईयर 1993-94 से संशोधित होकर 2004-05 हो गया है। (इसके मुताबिक आंकड़ों को आंकड़ों की नई सीरीज कह रहे हैं।) इसकी घोषणा सितंबर 2010 में हुई थी। भारत अपनी राष्ट्रीय आय का आकलन स्थिर मूल्य पर करता है, यही हाल दूसरे विकासशील देशों का है। वहीं विकसित देश अपनी राष्ट्रीय आय का आकलन वर्तमान मूल्य के आधार पर करते हैं। हालांकि सांख्यिकी गणना के लिए सीएसओ वर्तमान मूल्य के आधार पर भी राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी करता है। आखिर क्यों? दरअसल, भारत के नीति निर्माण में महंगाई एक चुनौतीपूर्ण पहलू है। महंगाई की दर बढ़ ही रही है और यह स्थायित्व के करीब नहीं पहुंच सकी है। ऐसे में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों की आमदनी में वृद्धि के स्तर का आकलन संभव नहीं होगा और सरकार को कभी भी अपने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के वास्तविक असर का पता नहीं चलेगा।

यहां आमदनी के एक महत्वपूर्ण पहलू को समझना जरूरी है। किसी भी व्यक्ति विशेष की आमदनी तीन प्रारूप की हो सकती है-*पहला प्रारूप,* नाममात्र आय का है, जिसमें आपको प्रति दिन या प्रति माह के हिसाब से मजदूरी मिल जाती है। *दूसरा प्रारूप* है, वास्तविक आमदनी का है। इसमें आपकी नाममात्र आय में से मौजूदा दिन की महंगाई दर को घटाकर उसे प्रतिशत रूप में व्यक्त करना होगा। इससे आपको वास्तविक आमदनी का पता चलता है। अंतिम प्रारूप व्यय योग्य आय का है। यह आय कमाने वाला खर्च कर सकता है, यह आप वास्तविक आमदनी में से टैक्स घटाकर प्राप्त करते हैं। अभ्यास में होता यह है कि नाममात्र की आय में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, अगर महंगाई की दर 10 प्रतिशत हो तो यह 15 प्रतिशत दिखाई देगी। भारत के उलट दुनिया के कई विकसित देशों में महंगाई की दर कई सालों से 2 प्रतिशत के आसपास है। यही वजह है कि उनके स्थिर और वर्तमान मूल्य की स्थिति में आमदनी के बीच कोई बड़ा अंतर नहीं होगा। यही वजह है कि विकसित देश वर्तमान मूल्य के आधार पर राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं, जो कहीं ज्यादा भरोसेमंद आंकड़े होते हैं।

कर और राष्ट्रीय आय
(Taxes and National Income)

राष्ट्रीय आय को आकलित करने के दौरान सरकार द्वारा एकत्रित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को भी शामिल किया जाता है। भारत के संदर्भ में प्रत्यक्ष कर के दायरे में व्यक्तिगत आयकर और कॉरपोरेट आयकर इत्यादि आते हैं। इस कर को शामिल करते हुए राष्ट्रीय आय के आकलन में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है यह फैक्टर कॉस्ट पर आधारित है या फिर मार्केट कॉस्ट पर, क्योंकि दोनों मूल्यों पर प्रत्यक्ष कर समान होता है। यह कर संबंधित शख्स और संस्था से लिए जाते हैं।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

लेकिन दूसरी ओर अप्रत्यक्ष कर (उत्पाद कर, मूल्यवर्द्धित कर, बिक्री कर इत्यादि) के दौरान तब ख्याल रखने की जरूरत है जब राष्ट्रीय आय में शामिल करने के वक्त इसका आकलन फैक्टर कॉस्ट पर हुआ हो। अगर राष्ट्रीय आय का आकलन फैक्टर कॉस्ट पर हो तो कुल में से अप्रत्यक्ष कर को घटाने की जरूरत है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि यह कर दो बार शामिल हो चुका है-एक तो आम लोग और समूह द्वारा (अपनी व्यय करने वाली रकम से कुछ खरीदते हैं तब) और दूसरी बार सरकार की अपनी आय रसीद के जरिए। अप्रत्यक्ष कर का स्रोत हमेशा व्यय करने वाली आय ही होता है। अगर राष्ट्रीय आय का आकलन फैक्टर कॉस्ट पर हुआ हो, तो हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं:

फैक्टर कॉस्ट पर नेशनल इनकम = मार्केट कॉस्ट पर NNP – अप्रत्यक्ष कर

अगर नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय का आकलन मार्केट कॉस्ट (बाजार मूल्य) पर हो तो अप्रत्यक्ष कर को घटाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार अपनी राष्ट्रीय आय में अप्रत्यक्ष कर से होने वाली आमदनी को शामिल नहीं करती है। इससे साफ है कि फैक्टर कॉस्ट पर राष्ट्रीय आय का आकलन अप्रत्यक्ष कर से जुड़ा हुआ है।

छूट और राष्ट्रीय आय (Subsidies and National Income)

अप्रत्यक्ष कर की तरह ही सरकार को राष्ट्रीय आय आकलित करते वक्त विभिन्न अनुदानों को भी शामिल करना पड़ता है। भारतीय संदर्भ में अनुदान को मार्केट कॉस्ट पर राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। मार्केट कॉस्ट पर राष्ट्रीय आय में अनुदान को जोड़कर हमें फैक्टर कॉस्ट पर राष्ट्रीय आय हासिल होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सरकारें अनुदान में जो उत्पाद और सेवा मुहैया कराती है वह उनका वास्तविक फैक्टर कॉस्ट नहीं होता है। ऐसे में हमारा फॉर्मूला तैयार होता है:

फैक्टर कॉस्ट पर राष्ट्रीय आय = मार्केट कॉस्ट पर NNP + अनुदान

अगर राष्ट्रीय आय मार्केट कॉस्ट पर आकलित हो और सरकार ने कोई अनुदान नहीं दिया हो तो इसे एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होती। हालांकि दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं है जो किसी-न-किसी रूप में अपने यहां अनुदान नहीं देती हो।

अब अप्रत्यक्ष कर और अनुदान को एक साथ रखने पर भारत की राष्ट्रीय आय को आकलित करने का फॉर्मूला है (भारत में यह आकलन फैक्टर कॉस्ट पर होता है):

फैक्टर कॉस्ट पर राष्ट्रीय आय = मार्केट कॉस्ट पर NNP – अप्रत्यक्ष कर + अनुदान

राष्ट्रीय आय लेखा के आधार वर्ष एवं विधि में संशोधन (Revision in the Base Year and Method of National Income Accounting)

केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने जनवरी 2015 में राष्ट्रीय लेखा के **नए** एवं **संशोधित** आंकड़े जारी किए गए हैं जिनमें दो परिवर्तन किए गए हैं:

(i) इसके अन्तर्गत **आधार वर्ष** 2004-05 को संशोधित करके 2011-12 कर दिया गया है। यह राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) के अनुसंशा के आधार पर किया गया है जिसमें प्रत्येक 5 वर्ष पर सभी आर्थिक घटकों के आधार वर्ष को संशोधन करने की सलाह दी गई थी।

(ii) राष्ट्रीय लेखा के गणना की *कार्यप्रणाली* में संशोधन कर अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के अनुरूप राष्ट्रीय लेखा–2008 के उपाय की पूर्ति की गई।

चालू आधार वर्ष का संशोधन जनवरी, 2010 में किए गए संशोधन के बाद का है। आधार वर्ष में हुए संशोधन में शामिल किए गए **प्रमुख फेरबदल** निम्नलिखित हैं:

(i) वर्तमान में विकास को स्थिर बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. द्वारा मापा जाएगा, जिसे इसके बाद ''GDP'' के रूप में संदर्भित किया जाएगा,

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलन है। इससे पूर्व, विकास को स्थिर मूल्यों पर कारक लागत पर GDP में वृद्धि दर की दृष्टि से मापा जाता था।

(ii) जोड़े गए सकल मूल्य का क्षेत्रवार अनुमान अब कारक लागत के स्थान पर मूल कीमतों पर किया जाएगा। कारक लागत पर GVA,[15] **मूल कीमतों**[16] पर GVA और GDP (बाजार कीमतों पर) के बीच संबंध नीचे दिया गया है।

मूल कीमतों पर जीवीए = सीई + ओएस/एमआई + सीएफसी + उत्पादन कर रहित उत्पादन

इमदाद कारक लागत पर जीवीए = मूल कीमतों पर जीवीए – उत्पादन कर रहित उत्पादन सब्सिडी

GDP = $\sum$ मूल कीमतों पर जीवीए + उत्पाद कर – उत्पाद सब्सिडी

(जहां **सीई**: कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति; **ओएस**: परिचालन अधिशेष; **एमआई**: मिश्रित आय; और **सीएफसी**: अचल पूंजी का उपभोग है। **उत्पादन** करों या उत्पादन सब्सिडियों का भुगतान या इनकी प्राप्ति उत्पादन से संबंधित होती है और ये वास्तविक उत्पादन के परिमाण पर आश्रित नहीं होते। **उत्पादन करों** के कुछ उदाहरण **भू-राजस्व, स्टाम्प** और **पंजीयन शुल्क** तथा **व्यावसायिक कर** हैं। कुछ उत्पादन सब्सिडी रेलवे को सब्सिडी, किसानों को वस्तुगत सब्सिडी, गांवों और लघु उद्योगों को सब्सिडी, निगमों या सहकारी समितियों को प्रशासनिक सब्सिडी आदि हैं। **उत्पादन करों** या **सब्सिडी** का भुगतान या इनकी प्राप्ति उत्पाद के प्रति यूनिट पर होती है। उत्पाद करों के कुछ उदाहरण उत्पाद कर, बिक्री कर, सेवा कर और आयात-निर्यात शुल्क है। उत्पाद सब्सिडी में खाद्यान्न, पेट्रोलियम और उर्वरक सब्सिडी, किसानों के परिवारों आदि को बैंकों के जरिए प्रदत्त ब्याज इमदाद, परिवारों का बीमा कराने के लिए कम दरों पर प्रदत्त सब्सिडी शामिल हैं।

(iii) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की ई-अभिशासन पहल, एमसीए 21 के अंतर्गत उसमें यथा दर्ज कंपनियों के वार्षिक लेखाओं के समावेशन से विनिर्माण और सेवा दोनों ही कारपोरेट क्षेत्र की व्यापक कवरेज। विनिर्माण कंपनियों के एमसीए 21 डाटाबेस के उपभोग से इन कंपनियों द्वारा विनिर्माण से भिन्न किए गए कार्यों का हिसाब-किताब रखने में मदद मिली है।

(iv) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टाक ब्रोकर, स्टाक एक्सचेंजों, आस्ति प्रबंधन कंपनियों, म्युचुअल फंडों और पेंशन फंडों, और पेंशन निधि एवं विनियामक विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) और बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) सहित विनियामक निकायों के लेखाओं से सूचना के समावेशन से वित्तीय क्षेत्र को व्यापक सुरक्षा कवरेज।

(v) स्थानीय निकायों और स्वायत संस्थाओं के कार्यकलापों, जिनमें इन संस्थाओं को प्रदत्त लगभग 60 प्रतिशत अनुदान/अंतरण राशियां शामिल हैं, की संवर्धित कवरेज।

15. GVA, which measures the difference in value between the final good and the cost of ingredients used in its production, widens the scope of capturing more economic activity than the earlier 'factor cost' approach—a sum of the total cost of all factors used to produce a good or service, net of taxes and subsidies.

16. The **basic price** is the amount receivable by the producer from the purchaser for a unit of a good or service produced as output minus any tax payable (such as sales tax or VAT the buyer pays), and plus any subsidy receivable, on that unit as a consequence of its production or sale; it excludes any transport charges invoiced separately by the producer. In other words, the basic price is what the seller collects for the sale, as opposed to what the buyer pays.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

2017-18 के लिए आय के अनुमान (INCOME ESTIMATES FOR 2017-18)

वित्तीय वर्ष 2017-18 के राष्ट्रीय आय से संबंधित प्रमुख आंकड़े निम्न प्रकार (*आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18*, Vol. 2) रहने के अनुमान है:

(i) **जी.डी.पी.** (स्थायी बाजार मूल्यों पर) के 129.85 लाख करोड़ रु. रहने का अनुमान है जो 6.5% वृद्धि पर दर्शाता है (वर्ष 2016-17 के 7.1% से कम)।

(ii) **जी.वी.ए.** (स्थायी बेसिक मूल्यों पर) के 118.71 लाख करोड़ रु. रहने का अनुमान है जो 6.1% वृद्धि पर दर्शाता है (वर्ष 2016-17 के 6.6% से कम)।

(iii) **प्रति व्यक्ति आय** (चालू मूल्यों पर) के 1,11,782 रु. रहने का अनुमान है जो वर्ष 2016-17 के 1,03,219 रु. से अधिक है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

अध्याय 2

वृद्धि, विकास एवं खुशहाली (GROWTH, DEVELOPMENT AND HAPPINESS)

*साल 1971 में ही भूटान ने जीडीपी को प्रगति मापने के एकमात्र तरीके के रूप में अस्वीकार कर दिया था- इसकी जगह इसने विकास के एक विचार को साधने में सफलता पाई, जो समृद्धि को समग्र राष्ट्रीय खुशी (जीएनएच) के औपचारिक सिद्धांत और नागरिकों और प्राकृतिक वातावरण की आध्यात्मिक, शारीरिक, सामाजिक और पर्यावरणीय सेहत के आधार पर मापता है। दशकों से यह विचार कि सुख को भौतिक वृद्धि पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए दुनिया भर में विचित्र माना जाता रहा है। अब ढहते वित्तीय ढांचों, समग्र असमानता और बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय विनाश से आक्रांत दुनिया में इस छोटे से बौद्ध देश की विचारधारा काफी रुचि जगा रही है। साल 2011 में संयुक्त राष्ट्र ने भूटान के विकास के समग्र विचार के आह्वान को अपना लिया जिसका 68 देशों ने समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र का एक पैनल अब यह विचार कर रहा है कि क्या भूटान के जीएनएच मॉडल को पूरी दुनिया पर लागू किया जा सकता है।**

इस अध्याय में

- ❑ प्रस्तावना
- ❑ प्रगति
- ❑ आर्थिक संवृद्धि
- ❑ आर्थिक विकास
- ❑ खुशहाली
- ❑ मानव व्यवहार की अन्तर्दृष्टि

* *ऐनी केली ने गार्डियन, वॉशिंगटन, डीसी, 1 सितंबर, 2012 में लिखा है।*

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

प्रस्तावना (INTRODUCTION)

ऋषियों और दार्शनिकों की तरह ही बेहतर कल की तलाश की इंसानी पहल का अर्थशास्त्री भी एक हिस्सा हैं। हम इस दिशा में अर्थशास्त्र के साहित्य के रूप में आ रहे कई मतों के गवाह हैं, जो एक आम इंसान के लिए 'प्रगति' जैसे बेहद सरल शब्द से शुरू होकर 'वृद्धि', 'विकास' और 'मानव विकास' जैसे तकनीकी पक्ष तक जाते हैं। 'आर्थिक व्यक्ति' के विचार पर बढ़ती निर्भरता के साथ युद्ध के दशकों के बाद दुनिया ने अपार धन दौलत बनाई। वो 1980 का दशक था जब सामाजिक विज्ञानियों ने इंसानी गतिविधियों का व्यापक अध्ययन शुरू किया और अंतत: 'आर्थिक व्यक्ति' ('तार्किक व्यक्ति') के पूरे विचार को ही चुनौती दी। यहीं से धरती पर इंसानों के जीवन के आत्मावलोकन की इच्छा को जीवन मिला। इस बीच मानवता को जलवायु परिवर्तन की अबूझ पहेली का भी सामना करना पड़ा। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के सौजन्य से दुनिया के पास विश्व प्रसन्नता (World Happiness) रिपोर्ट है।

प्रगति (PROGRESS)

प्रगति अर्थशास्त्र की कोई विशेष अवधारणा नहीं है, लेकिन विशेषज्ञ इसका इस्तेमाल बेहतरी और किसी चीज में बढ़ोतरी के लिए करते हैं। आम लोगों के जीवन और अर्थव्यवस्था में लंबे समय तक चलने वाले साकारात्मक बदलाव को अर्थव्यवस्था में प्रगति कहते हैं। इसके गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों पक्ष में हैं। कुछ समय के बाद, कुछ अर्थशास्त्री प्रोग्रेस (प्रगति), ग्रोथ (वृद्धि) और डेवलपमेंट (विकास) का इस्तेमाल एक ही चीज के लिए करते हैं। तीनों शब्द एक-दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन 1960, 1970 और 1980 के दशक में इन शब्दों के मायने अलग-अलग स्पष्ट हुए।[1] इसमें प्रगति एक सामान्य पद है, जिसका अर्थशास्त्र में कोई मायने नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल वृद्धि और विकास को संयुक्त तौर पर संबोधित करने के लिए करते हैं। लेकिन वृद्धि और विकास के अपने अपने स्पष्ट अर्थ होते हैं।

1. Based on the analyses in Michael P. Todaro and Stephen C. Smith, ***Economic Development,*** Pearson Education, 8th Ed., New Delhi, 2004, pp. 9–11.

आर्थिक संवृद्धि (ECONOMIC GROWTH)

जीव विज्ञान का शब्द है ग्रोथ। यह जीवों के बढ़ने की प्रवृति को जाहिर करता है। अर्थव्यवस्था में इसका मतलब आर्थिक वृद्धि से है। समय के साथ आर्थिक मापदंड को बताने वाले *अस्थिरांकों* में बढ़ोतरी को आर्थिक वृद्धि कहते हैं।[2] यह किसी व्यक्ति या किसी अर्थव्यवस्था या दुनिया की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इस्तेमाल कर सकते हैं।

आर्थिक वृद्धि का सबसे अहम घटक *गुणात्मकता* है। इसे दर्शाने के लिए सभी मापदंडों का इस्तेमाल किया जा सकता है। आर्थिक वृद्धि के कुछ उदाहरण इस तरह से हैं:

(i) किसी अर्थव्यवस्था में एक दशक के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि को मापा जा सकता है और यह टन में मापा जा सकता है।

(ii) किसी अर्थव्यवस्था में सड़क नेटवर्क में एक दशक या फिर किसी समय अंतराल में हुई वृद्धि का पता किलोमीटर और मील की लंबाई से चल सकता है।

(iii) ठीक इसी तरह, किसी अर्थव्यवस्था में हुई वृद्धि का आकलन कुल उत्पादन के मूल्य से लगाया जा सकता है।

(iv) किसी समयावधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में मुनाफे का आकलन भी किया जा सकता है।

इस हिसाब से ***आर्थिक वृद्धि*** को ***एक तरह से मात्रात्मक प्रगति*** भी कह सकते हैं।

आर्थिक ***वृद्धि की दर*** मापने के लिए वृद्धि में अंतर को प्रतिशत में निकालते हैं। उदाहरण के लिए अगर एक डेयरी उत्पादक एक महीने में 100 लीटर दूध का उत्पादन करता है और उसके अगले महीने में दूध उत्पादन बढ़कर 105 लीटर हो जाता है तो उसकी डेयरी की संवृद्धि दर पांच

2. As the IMF and the WB considered this yardstick of development as quoted in Gerald M. Meier and James E. Rauch, ***Leading Issues in Economic Development,*** Oxford University Press, New Delhi, 2006, pp. 12–14.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

प्रतिशत है। इस तरह से हम किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी भी समयावधि के दौरान होने वाली वृद्धि दर को हासिल कर सकते हैं। वृद्धि दर एक तरह से ***वार्षिक अवधारणा*** है, जिसे उस समय सीमा के साथ जोड़कर देखा जाता है।

वैसे वृद्धि अपने आप में मूल्य रहित पद है, लेकिन यह किसी अर्थव्यवस्था में किसी खास समयावधि के दौरान सकारात्मक और नकारात्मक असर पड़ सकता है। लेकिन हम इसका इस्तेमाल प्रायः सकारात्मक संदर्भ में करते हैं। अगर अर्थशास्त्री कहते हैं कि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो उनका मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में सकारात्मक वृद्धि हो रही है। नहीं तो वे ***ऋणात्मक वृद्धि*** शब्द का इस्तेमाल करते।

आर्थिक वृद्धि पद का इस्तेमाल अर्थशास्त्र में काफी होता है। यह केवल राष्ट्रीय स्तर के आकलन और नीति निर्धारण के लिए नहीं होता है बल्कि यह अर्थशास्त्र के विस्तृत अध्ययन में भी उपयोगी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वित्तीय और व्यवसायिक संस्थान इसी वृद्धि दर के आंकडों का इस्तेमाल कर नीति और वित्तीय योजना तैयार करते हैं।

आर्थिक विकास (ECONOMIC DEVELOPMENT)

अर्थव्यवस्थाओं की शुरुआत के लंबे समय के बाद अर्थशास्त्रियों ने परिमाणात्मक उत्पादन बढ़ाने और देश की अर्थव्यवस्था में आमदनी बढ़ाने पर ध्यान देना शुरू किया। अर्थशास्त्री जिन मुद्दों की सबसे ज्यादा चर्चा करते थे-वह उत्पादन का परिमाण बढ़ाना और किसी देश की आमदनी बढ़ाने का मुद्दा होता था। यह मान्यता थी कि जो अर्थव्यवस्था अपनी उत्पादन को परिमाण में बढ़ाने में कामयाब हो जाता है उसकी आदमनी अपने आप बढ़ जाती है और इससे लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक बदलाव आ जाता है। लेकिन उस वक्त लोगों के जीवन में गुणात्मक बदलाव की बात नहीं होती थी। यही वजह है कि 1950 के दशक तक लोग वृद्धि और विकास की अलग-अलग पहचान करने में नाकाम रहे थे हालांकि वे इनके अंतरों के बारे में जानते थे।

1960 के दशक और उसके बाद के दशक में कई देशों के अर्थशास्त्रियों की राय थी कि अपेक्षाकृत वृद्धि दर ज्यादा है लेकिन जीवनस्तर में गुणात्मक बदलाव कम हो रहा था। समय आ गया था जब आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि को अलग-अलग परिभाषित करने की जरूरत थी। अर्थशास्त्रियों के लिए, विकास का असर लोगों के जीवन की गुणवत्ता के स्तर पर दिखना चाहिए। यह जाहिर करने के निम्न घटक हैं:

(i) पोषण का स्तर;

(ii) स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच और विस्तार, अस्पताल, दवाईयां, सुरक्षित पेय जल, टीकाकरण और साफ-सफाई;

(iii) लोगों में शिक्षा का स्तर, तथा;

(iv) दूसरे मानक, जिन पर जीवन की गुणवत्ता निर्भर करती है।

यहां एक मूल बात ध्यान में रखने की जरूरत है, जिसके मुताबिक आम लोगों को न्यूनतम सुविधाएं मिलनी (जिसमें खाना, स्वास्थ्य और शिक्षा इत्यादि) शामिल है। इसके अलावा एक न्यूनतम आमदनी की भी गारंटी होनी चाहिए। आमदनी उत्पादक गतिविधियों से होती है। इसका मतलब है कि विकास सुनिश्चित करने से पहले हमें आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करनी होगी। उच्च आर्थिक विकास उच्च आर्थिक वृद्धि की मांग करता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उच्च आर्थिक वृद्धि दर से उच्च आर्थिक विकास हासिल किया जा सकता है। यह ऐसी उलझन थी, जिसे पुराने समय के अर्थशास्त्री के स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे। इस उलझन को समझने के लिए एक उदाहरण है-दो परिवारों की एक जैसी आमदनी है, लेकिन विकास के मापकों पर उनके खर्चे अलग-अलग हैं। एक परिवार स्वास्थ्य, शिक्षा और बचत पर खर्च करता है जबकि दूसरा परिवार कोई बचत नहीं करता, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करता है। ऐसे में दूसरा परिवार निश्चित तौर पर पहले परिवार की तुलना में ज्यादा विकसित होगा। ऐसे में निश्चित तौर पर वृद्धि और विकास के अलग-अलग मामले हो सकते हैं:

(i) उच्च वृद्धि और उच्च विकास

(ii) उच्च वृद्धि और कम विकास

(iii) कम वृद्धि और उच्च विकास

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

ऊपर दिए गए संयोजन की प्रकृति विस्तार में ले जाती है, लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि उच्च आमदनी और वृद्धि के लिए लगातार प्रयास की जरूरत है। यही बात आर्थिक विकास और उच्च आर्थिक विकास के लिए भी लागू होती है।

बिना सतत् सार्वजनिक नीतियों के दुनिया भर में कहीं भी विकास नहीं हो सकता। उसी तरह से, हम कह सकते हैं कि वृद्धि के बिना भी विकास नहीं हो सकता।

हालांकि बिना विकास के वृद्धि का पहला उदाहरण खाड़ी देशों में अर्थशास्त्रियों को दिखा। इन अर्थव्यवस्थाओं में आमदनी और आर्थिक वृद्धि उच्चतर स्तर पर होती है। ऐसे में अर्थशास्त्र की नई शाखा *डेवलपमेंट इकॉनामिक्स* (विकास अर्थशास्त्र) का जन्म हुआ। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आने के बाद नियमित तौर पर आर्थिक नीतियां तय होने लगीं और इससे कम विकसित अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि और विकास पर नजर रखना संभव हुआ।

हम कह सकते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था में ***आर्थिक विकास, मात्रात्मक और गुणात्मक प्रगति*** ही है।[3] इसका मतलब यह है कि जब हम वृद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो मात्रात्मक प्रगति की बात कर रहे हैं और जब हम विकास की बात करते हैं तब मात्रात्मक के साथ गुणात्मक प्रगति की भी बात हो रही है। जब आर्थिक वृद्धि का इस्तेमाल विकास के लिए होता है तो वृद्धि की तेज रफ्तार का पता चलता है और इसके दायरे में बड़ी आबादी आ जाती है। उसी तरह से उच्च वृद्धि दर और कम विकास या फिर बीमारू विकास का असर यह होता है कि वृद्धि में गिरावट आ जाती है। यानी वृद्धि और विकास में एक सर्कुलर रिश्ता है। जब आर्थिक महामंदी का दौर आता है तो यह रिश्ता टूट जाता है। जब *कल्याणकारी राज्य* यानी वेलफेयर स्टेट का कांसेप्ट स्थापित हुआ तब दुनिया भर की सरकारों, नीति निर्माताओं और अर्थशास्त्रियों का ध्यान इस विषय पर गया। इसके बाद अर्थशास्त्र की नई शाखा–*वेलफेयर इकॉनामिक्स* की शुरुआत हुई, जिसमें कल्याणकारी राज्य और उसके विकास की बातें शामिल होती हैं।

3. *World Bank*, ***World Development Report 1991***, Oxford University Press, New York, 1991, p. 4.

विकास मापन (Measuring Development)

यद्यपि अर्थशास्त्री वृद्धि और विकास के मध्य अंतरों को स्पष्ट करने में समर्थ थे (महबूब–उल–हक, एक प्रसिद्ध पाकिस्तानी अर्थशास्त्री ने यह 1970 दशक के प्रारंभ में ही कर लिया था), इसमें कुछ और समय लगा, जब विकास मापन की सही विधि को विकसित किया जा सका। यह एक स्थापित तथ्य है कि प्रगति का लक्ष्य मात्र 'आय में वृद्धि' से कहीं अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय निकाय, जैसे–संयुक्त राष्ट्र, आईएमएफ और डब्ल्यू.बी. विश्व के अल्पविकसित क्षेत्रों के विकास के बारे में अधिक चिंतित थे। परन्तु इस दिशा में कोई भी प्रयास तभी संभव था जब किसी अर्थव्यवस्था के विकासात्मक स्तर को मापने के लिए साधन और उपाय हों और ऐसे कारक हों, जिन्हें विकास के लक्षण माना जा सके। विकास को मापने के लिए किसी सूत्र/उपाय को मूलतः दो प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था:

(i) पहले स्तर पर यह परिभाषित करना कठिन था कि विकास के घटक क्या हैं? विकास दर्शाने वाले कारक अनेक हो सकते हैं, जैसे–आय/खपत स्तर, खपत की गुणवत्ता, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, सुरक्षित पेयजल, साक्षरता और शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, शांतिपूर्ण समुदाय जीवन, सामाजिक सम्मान की उपलब्धता, मनोरंजन, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण इत्यादि। यह वस्तुतः काफी कठिन कार्य है कि विकास के इन कारकों पर विशेषज्ञों में सहमति प्राप्त की जा सके।

(ii) दूसरे स्तर पर एक अवधारणा को मात्रात्मक रूप में लेना अत्यधिक कठिन है, क्योंकि विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक पहलू होते हैं, गुणात्मक पहलुओं, जैसे—सौंदर्य, स्वाद, इत्यादि; की तुलना करना आसान है, परन्तु इन्हें मापने के लिए हमारे पास कोई मापन स्केल नहीं है।

मानव विकास सूचकांक (Human Development Index)

अर्थव्यवस्थाओं के बीच विकास की तुलनात्मक गणना को लेकर दुविधा तब हल हुई जब युनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम (यू.एन.डी.पी.) ने 1990 में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट (ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट) यानि

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

एच.डी.आर. प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक (एच.डी.आई.) था जो विकास के स्तर को मापने और परिभाषित करने का पहला प्रयास था। इस 'सूचकांक' को अग्रणी विद्वानों, विकास के काम से जुड़े लोगों और यू.एन.डी.पी. के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस के सदस्यों ने तैयार की थी। मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाले ऐसे पहले दल का नेतृत्व **महबूब-उल-हक** और **इंगे कौल** ने किया था। इस सूचकांक में शब्द 'मानव विकास' असल में 'विकास' का ही एक उप-सिद्धांत रूप है।

मानव विकास रिपोर्ट तीन संकेतकों-*स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर*-को मिलाकर विकास को मापती है। इन तीनों संकेतकों को समग्र रूप से मानव विकास सूचकांक यानी एच.डी.आई. में बदल दिया जाता है। एच.डी.आई. में एक सांख्यिकी आंकड़े की रचना असल में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, जिससे 'सामाजिक' और 'आर्थिक' विकास की समझ के लिए एक संदर्भ बिंदु मिल सका। एच.डी.आई. हर पैमाने के लिए न्यूनतम और अधिकतम सीमा तय करता है जिसे *'गोलपोस्ट'* कहा जाता है और उसके बाद दिखाया जाता है कि इस गोलपोस्ट के संबंध में हर देश कहां ठहरता है। इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच बताई जाती है (यानी सूचकांक *एक के स्तर* पर तैयार किया जाता है)। समग्र सूचकांक के विकास के लिए जिन *तीन* संकेतकों का इस्तेमाल होता है वे निम्नलिखित हैं:

एच.डी.आई. के घटक **शिक्षा** को अब (एच.डी.आर.[4] 2010 से) दो अन्य संकेतकों से मापा जाता है:

(i) **पढ़ाई के सालों का औसत (25 साल की उम्र के वयस्कों के लिए):** ये यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर स्टैटिस्टिक्स डेटाबेस में उपलब्ध जनगणना और सर्वेक्षणों से हासिल स्कूली शिक्षा के आंकड़ों और *बारो एंड ली* (2010) पद्धति पर आधारित है।

(ii) **पढ़ाई के संभावित साल (स्कूल जाने की उम्र में बच्चों के लिए):** ये अनुमान पढ़ाई के हर स्तर पर उम्र के आधार पर नाम लिखाने और हर स्तर पर स्कूल जाने की आधिकारिक उम्र पर आधारित है। स्कूल में पढ़ाई के अनुमानित साल की अधिकतम सीमा 18 वर्ष है।

इन संकेतकों को न्यूनतम वैल्यू शून्य और 1980 से 2012 के बीच देशों में स्कूलों में पढ़ाई के औसत साल की वास्तव में पाई गई अधिकतम वैल्यू से सामान्य बनाया जाता है। साल 2010 में अमेरिका में इसके 13.3 साल होने का आकलन किया गया था। *शैक्षिक सूचकांक* दो सूचियों का ज्यामितीय औसत है।

स्वास्थ्य मानव विकास सूचकांक के जन्म घटक की **जीवन प्रत्याशा** द्वारा मापा जाता है और इसकी गणना न्यूनतम 20 साल और अधिकतम 83.57 साल के आधार पर की जातीहै। यह 1980 से 2012 के बीच की समय श्रेणियों में विभिन्न देशों में मापी गई संकेतकों की अधिकतम वैल्यू है। इसलिए किसी देश के लिए दीर्घायु घटक जहां जन्म जीवन प्रत्याशा 55 साल है वहां 0.551 होगी।

जीवन स्तर घटक को ***जी.एन.आई.*** (ग्रॉस नेशनल इनकम/उत्पाद) प्रति व्यक्ति अमेरिकी डॉलर में क्रय शक्ति समता (PPP$) से मापा जाता है न कि पूर्व की प्रति व्यक्ति जीडीपी से। 2012 में कतर के लिए, न्यूनतम आय के लिए *गोलपोस्ट* 100 अमेरिकी डॉलर को लिया गया और अधिकतम के लिए 87,478 अमेरिकी डॉलर। मानव विकास सूचकांक जीएनआई के बढ़ने के साथ आय के कम होते महत्व को परिलक्षित करने के लिए आय के लघुगणक का इस्तेमाल करता है।

एच.डी.आई. के तीनों पक्षों की सूचियों के अंकों को फिर ज्यामितिय औसत के जरिये समग्र सूचकांक में बदला जाता है। एच.डी.आई. विभिन्न देशों के अंदर और उनके बीच अनुभवों के निर्देशात्मक तुलना का मार्ग भी प्रशस्त करता है।

यू.एन.डी.पी. ऊपर बताए गए तीन मानकों[5] के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को एक की स्केल (यानी 0.000–1.000) के बीच उनके प्रदर्शन के आधार पर स्थान देता है। इन उपलब्धियों के आधार पर देशों को मुख्य तौर पर तीन

4. UNDP, ***Human Development Report, 2013*** and ***Human Development Report, 2010,*** United Nations Development Programme, New York, USA, 2013 and 2010.

5. Todaro and Smith, ***Economic Development***, p. 58.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है जिसके लिए सूचकांक में प्वाइंट्स की श्रेणियां बनी होती है:

(i) **उच्च मानव विकास वाले देश:** सूचकांक में 0.800 से 1.000 अंक

(ii) **मध्यम मानव विकास वाले देश:** सूचकांक में 0.500 से 0.799 अंक

(iii) **निम्न मानव विकास वाले देश:** सूचकांक में 0.000 से 0.499 अंक

मानव विकास रिपोर्ट, 2016 पर अध्याय 20 में चर्चा की गई है। इसके साथ ही दुनिया में भारत की सापेक्ष स्थिति पर भी चर्चा की गई है।

बहस जारी (The Debate Continues)

यू.एन.डी.पी. की टीम ने यद्यपि इस बात पर सहमति बना ली है कि विकास के घटक क्या होंगे लेकिन दुनिया भर में शिक्षाविद् और विशेषज्ञ इस पर बहस कर रहे हैं। 1995 तक दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं ने यू.एन.डी.पी. द्वारा प्रतिपादित मानव विकास के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था। मूल रूप से विश्व बैंक ने 1990 के दशक से ही सदस्य देशों में विकासपरक प्रयासों की गुणवत्ता को बढ़ाने और उसके अनुरूप सस्ते विकासपरक कोष आवंटित करने के लिए यू.एन.डी.पी. द्वारा तैयार मानव विकास रिपोर्ट का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। स्वाभाविक रूप से सदस्य देशों ने अपनी नीतियों में आय, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा जैसे मानकों पर जोर देना शुरू कर दिया और इस तरह से मानव विकास सूचकांक के विचार को बाध्यकारी या फिर स्वैच्छिक रूप से दुनिया भर में स्वीकार्यता मिल गई।

काफी सालों तक विशेषज्ञ और विद्वान विकास को परिभाषित करने के अपने-अपने प्रारूप लेकर आते रहे। वे विकास को परिभाषित करने वाले कारकों पर असमान रूप से वजन देते रहे। इसके साथ ही उन्होंने कई मानकों में पूरी तरह से अलग मानकों का चयन किया जो उनके अनुसार विकास को ज्यादा स्पष्ट तरीके से परिभाषित करते थे, क्योंकि गुणवत्ता मुल्यों को तय करने और नियामक परिकल्पना का मामला है इसलिए इस प्रस्तुति की भी गुंजाइश थी। इनमें से अधिकतर प्रयास वैकल्पिक विकास सूचकांक के लिए सही नुस्खे नहीं थे, लेकिन वे वास्तव में बौद्धिक व्यंग्यों के जरिये मानव विकास सूचकांक के अपूर्ण होने को दर्शाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा ही एक प्रयास 1999 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्रियों और विद्वानों ने किया, जिन्होंने अपने अध्ययन में बांग्लादेश को दुनिया में सर्वाधिक विकसित राष्ट्र तथा अमेरिका, नॉर्वे, स्वीडन आदि देशों को सूचकांक में सबसे निचले पायदान पर दिखाया।

वास्तव में ऐसे सूचकांक के जरिये ये काफी हद तक संभव है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि मानसिक शांति विकास और मानव जीवन की बेहतरी के लिए बेहद जरूरी तत्व है जो काफी हद तक इस तथ्य पर निर्भर करता है कि हर दिन हम कितना सो पाते हैं। घरों में चोरी या लूटपाट की आशंका पर निर्भर करता है कि हम कितने निश्चिंत होकर सो सकते हैं...जो दूसरे शब्दों में इस बात पर निर्भर करता है कि इनके न होने को लेकर हम कितने आश्वस्त हैं। इसका मतलब हम अच्छी नींद के बारे में जानने की कोशिश घरों में चोरी और लूटपाट की घटनाओं के आंकड़ों से करते हैं। छोटी-मोटी चोरियों के बारे में आम तौर पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती ऐसे में सर्वेक्षण करने वाले ऐसे मामले में मान लीजिए देश में एक साल में तालों की बिक्री के आंकड़ों से इसे जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे में उस देशों में लोगों को सबसे ज्यादा बेफिक्र सोने वाला माना जाना चाहिए जहां लोगों के पास चोरी होने या लूटपाट होने का जोखिम जैसी कोई बात न हो, यानी सबसे बेहतर मानसिक शांति हो। इसलिए वो सबसे विकसित देश होगा।

वास्तव में मानव विकास सूचकांक को विशेषज्ञों के समूह द्वारा विकसित विकास को मापने का एक ऐसा संभव आधार माना जा सकता है जिसे लेकर अधिकतर जानकारों के बीच सहमति है। लेकिन जिन तय पैमानों पर सूचकांक देशों के विकास का आकलन करता है वो वास्तव में कई दूसरे अहम कारकों को छोड़ देता है जो किसी अर्थव्यवस्था के विकास और जीवन स्तर को प्रभावित करते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसे दूसरे कारक जो हमारे जीवन के स्तर को प्रभावित करते हैं निम्नलिखित हो सकते हैं:

(i) अर्थव्यवस्था के सांस्कृतिक पहलू,

(ii) पर्यावरण की शुद्धता और सौंदर्यबोध को लेकर नजरिया;

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(iii) अर्थव्यवस्था के नियम और प्रशासन से संबंधित पहलू;

(iv) खुशहाली और प्रतिष्ठा को लेकर लोगों के विचार, और;

(v) मानव जीवन को लेकर नैतिक परिदृश्य।

विकास का आत्मविश्लेषण (Introspecting Development)[6]

विकास के असली अर्थ को लेकर भ्रम तब शुरू हुआ जब विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अस्तित्व में आए। विशेषज्ञ विकासशील देशों में विकास प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे थे, वो विकसित देशों के प्रदर्शन की रिपोर्टों का भी सर्वेक्षण कर रहे थे। एच.डी.आई. में जब पहले 20 स्थान पाने के बाद पश्चिमी दुनिया को विकसित देश घोषित कर दिया गया तब सामाजिक वैज्ञानिकों ने इन अर्थव्यवस्थाओं में जीवन की दशा का मूल्यांकन शुरू किया। ऐसे अधिकतर अध्ययनों में पाया गया कि पश्चिमी देशों में जीवन में सब कुछ था, सिवाय खुशी के। अपराध, भ्रष्टाचार, लूटपाट, फिरौती, मादक पदार्थों की तस्करी, वैश्यावृत्ति, बलात्कार, नरसंहार, नैतिक पतन, यौन विकृति आदि; सभी प्रकार के तथाकथित विकार विकसित देशों में बढ़ रहे थे। इसका मतलब था कि विकास उन्हें खुशी, मानसिक शांति, खुशहाली और अच्छे हालात में रहने का

6. There were diverse opinions about the real meaning of 'development'—by mid-1940s upto almost the whole 1950s it meant 5–7 per cent growth rate in an economy—even by the IMF and WB. By the late 1960s ***new views*** of development started emerging. **Arthur Lewis** had seen development in the sense of *human freedom* in 1963 itself when he concluded that "the advantage of economic growth is not that wealth increases happiness, but that it increases the range of human choice." For him development means a freedom from 'servitude'—mankind could be free to have choices to lead a life full of material goods or in spiritual contemplation (W. Arthur Lewis, ***The Theory of Economic Growth,*** Allen & Unwin, London, 1963, p. 420).

For **Dudley Seers** development meant more employment and equality besides a falling poverty ('The Meaning of Development', a paper presented at the 11th World Conference of the Society for International Development, New Delhi, 1969, p. 3). Dudley Seers was later supported by many other economists such as **Denis Goulet** (***The Cruel Choice: A New Concept in the Theory of Development,*** Atheneum, New York, 1971, p. 23), Richard Brinkman (1995), P. Jegadish Gandhi (1996) and many others.

The **International Labour Organization** (ILO) had also articulated by the mid-1970s that economic development must be able to deliver the economic ability that people can meet their basic needs (the concept of 'sustenance') besides the elimination of absolute poverty, creating more employment and lessening income inequalities (***Employment, Growth and Basic Needs,*** ILO, Geneva, 1976). **Amartya Sen** articulated a similar view via his ideas of 'capabilities' and 'entitlements' ("Development: Which Way Now?", ***Economic Journal 93,*** December 1983, pp. 754–57).

By 1994, the United Nations looked to including the element of 'capabilities' in its idea of development when it concludes that 'human beings are born with certain potential capabilities and the purpose of development is to create an environment in which all people can expand their capabilities in present times and in future. Wealth is important for human life. But to concentrate exclusively on it is wrong for two reasons. First, accumulating wealth is not necessary for the fulfillment of some important human choices.... Second, human choices extend far beyond economic well-being' ***(UNDP, Human Development Report 1994,*** Oxford University Press, New York, 1994, pp. 13–15).

The **World Bank** by 1991 had also changed its views about development and had concluded that for improving the *quality of life* we should include education, health, nutrition, less proverty, cleaner environment, equality, greater freedom and richer cultural life as the goals of development.

Amartya Sen, a leading thinker on the meaning of development attracted attention for articulating human goals of development. He opined that enhancing the lives and the freedoms we enjoy, should be the concerns of development known as the 'capabilities' approach to development (see his ***Commodities and Capabilities***, North Holland, Amsterdam, 1985 and ***Development as Freedom***, Alfred Knopf, New York, 1999).

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

अनुभव देने में विफल रहा। विद्वानों ने दुनियाभर में विकास के लिए किए गए प्रयासों पर ही प्रश्न उठाने शुरू कर दिए। उनमें से अधिकतर ने विकास को फिर से परिभाषित करने पर बल दिया जो मनुष्य को खुशियां दे सके।

विकसित दुनिया में विकास के कारण खुशी क्यों नहीं आई? इस सवाल का जवाब किसी एक तथ्य में नहीं छिपा है बल्कि ये मानव जीवन के कई पहलुओं को छूता है। पहला जब कभी भी अर्थशास्त्री प्रगति की बात करते हैं तो उनका आशय मानव जीवन की संपूर्ण खुशी से होता है।

सामाजिक वैज्ञानिक हालांकि ***'खुशी'*** के पर्यायवाची के तौर पर प्रगति, वृद्धि, विकास, संपन्नता और कल्याण का इस्तेमाल कर रहे हैं। खुशी एक नियामक धारणा के साथ ही एक मनोदशा है। इसलिए इसके विचार में एक अर्थव्यवस्था से दूसरी अर्थव्यस्था में अंतर आ सकता है।

दूसरा, जिस अवधि में विकास को परिभाषित किया गया, ये माना जाता है कि कुछ निर्धारित भौतिक संसाधनों की आपूर्ति से इंसानी जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। इन संसाधनों को इस तरह से निर्दिष्ट किया गया-बेहतर आय का स्तर, पोषण का उचित स्तर, स्वास्थ्य सुविधाएं, साक्षरता और शिक्षा आदि।

खुशी विकास से कहीं ज्यादा व्यापक चीज है। वो तथाकथित 'विकास' जिसे हासिल करने के लिए दुनिया पिछले कई दशकों से कड़ी मेहनत कर रही है वो इंसानों को भौतिक खुशी देने में सक्षम है। खुशी का एक गैर- भौतिक पहलू भी है। इसका आशय है कि जब तक दुनिया अपने विकास के परिदृश्य (यानी भौतिक खुशी) को और पुष्ट करने में लगी रहेगी तब तक उसे खुशी का गैर-भौतिक हिस्सा हासिल नहीं हो सकता। हमारे जीवन का गैर-भौतिक हिस्सा, मूल्यों, धर्म, आध्यात्म और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ा है, जैसे-विकास या मानव विकास को भौतिक संदर्भों में परिभाषित किया गया है, ये हमें भौतिक खुशी ही प्रदान कर सकता है जो विकसित दुनिया में देखी जा सकती है। विकास की आंशिक परिभाषा के कारण विकसित राष्ट्र विकास हासिल कर पाए। यानी खुशी, लेकिन सिर्फ भौतिक खुशी और खुशी के गैर-भौतिक हिस्से के लिए हमें स्वाभाविक रूप से विकास अपने 'विचार' को आज नहीं तो कल नए सिरे से परिभाषित करना होगा।

किसी तरह एक छोटा राष्ट्र विकास को अपने तरीके से परिभाषित कर पाया जिसमें जिंदगी के भौतिक और गैर-भौतिक दोनों पहलू मौजूद थे और उसने इसे ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस (जी.एन.एच.) कहा, ये राष्ट्र था-भूटान।

ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस: भूटान हिमालय की गोद में बसा एक छोटा-सा और आर्थिक तौर पर नगण्य राष्ट्र है। उसने 1970 के दशक की शुरुआत में विकास को मापने की एक नई धारणा पेश की-ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस (जी.एन.एच.)। यू.एन.डी.पी. द्वारा प्रतिपादित मानव विकास के विचार को खारिज किए बगैर ये राष्ट्र जी.एन.एच. द्वारा तय लक्ष्यों का पीछा करता रहा। भूटान 1972 से जी.एन.एच. का पालन कर रहा है, जिसमें खुशी/विकास को हासिल करने के निम्नलिखित पैमाने हैं:

(i) उच्च वास्तविक प्रति व्यक्ति आय
(ii) सुशासन
(iii) पर्यावरण संरक्षण
(iv) संस्कृति संवर्धन (मूल्यों को समाहित करना और आध्यात्म को भी शामिल करना, जिसके बगैर प्रगति वरदान की जगह श्राप बनकर रह जाएगी)।

वास्तविक प्रति व्यक्ति आय के स्तर पर जी.एन.एच. और एच.डी.आई. एक जैसे हैं। हालांकि 'सुशासन' के मुद्दे पर एच.डी.आई. कुछ नहीं कहता, आज इसे दुनिया भर में प्रमोट किया जा रहा है खास तौर पर तबसे जबसे 1995 में विश्व बैंक इस पर अपनी रिपोर्ट लेकर आया और सदस्य राष्ट्रों में इसे लागू कराया। पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर एच.डी.आई. हालांकि प्रत्यक्ष तौर पर कुछ नहीं कहता लेकिन विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र संघ पहले ही सतत विकास की तात्कालिकता को स्वीकार कर चुके हैं। 1990 के दशक की शुरुआत में इस विषय पर अलग से संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन भी हो चुका है।

इसका मतलब जी.एन.एच. और एच.डी.आई. में मूल अंतर वास्तव में विकास के हमारे (यू.एन.डी.पी. के) विचार में मूल्यों और आध्यात्मिक पहलू को आत्मसात् करने के स्तर का है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

एक निष्पक्ष विश्लेषण साफ तौर पर ये बताता है कि भौतिक उपलब्धियां हमें खुशी देने में पूरी तरह सक्षम नहीं हैं क्योंकि इसके आधार में मूल्यों की कमी होती है। जहां तक मूल्यों की बात है तो ये धार्मिक और आध्यात्मिक जड़ों में होते हैं। लेकिन नई दुनिया जीवन की वैज्ञानिक और धर्मनिरपेक्ष विवेचना से निर्दिष्ट होती है और दुनिया हमेशा ही मानव जीवन में आध्यात्मिक कारकों को पहचानने को लेकर संदेहास्पद रही है। बजाए इसके कि धर्मनिरपेक्षता का पश्चिमी विचार भगवान जैसी किसी चीज के अस्तित्व को खारिज करने से परिभाषित होता है और आध्यात्म की पारंपरिक परिकल्पना को भी अज्ञानता और रूढ़िवादिता की दलील देकर खारिज करता है। इसे स्वीकार करने में किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए कि विकास के नाम पर अंततः पश्चिमी विचारधारा आधुनिक दुनिया और जीवन के तौर-तरीकों पर अपनी धाक रखती है। विकास का ये विचार, जिसे दुनिया का अधिकांश हिस्सा मानता है। शत प्रतिशत सांसारिक है और आज कोई भी ये देख सकता है कि अंत में इस दुनिया के पास अपने लिए किस तरह की खुशी रहेगी।

यू.एन.डी.पी. के एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री द्वारा जी.एन.एच. पर आधारित भूटान के विकास के अनुभवों के अध्ययन से 'समग्र खुशी' के विचार को बल मिला है और यही विकास का परिणाम भी होना चाहिए। इस अध्ययन के मुताबिक 1984 से 98 का दौर इस दृष्टि से देखने योग्य था क्योंकि इस दौरान जीवन प्रत्याशा में शानदार 19 साल की बढ़ोतरी हुई, स्कूल में नाम लिखाने वालों की संख्या 72 प्रतिशत तक पहुंचगई और साक्षरता महज 17 प्रतिशत से बढ़कर 47.5 प्रतिशत तक पहुंच गई।[7]

अमेरिका में विश्व ट्रेड टॉवर पर आतंकी हमले के बाद पूरी दुनिया में एक मनोवैज्ञानिक काया पलट हुआ और विकास को लेकर इस दुनिया से उस दुनिया तक लोगों का आधार हिल गया। जो दुनिया एक तरह वैश्वीकरण की प्रक्रिया में थी वो इस आत्मावलोकन में लग गई कि क्या बहुसांस्कृतिक सह-अस्तित्व संभव है? 2004 की मानव विकास रिपोर्ट का शीर्षक था–कल्चरल लिबर्टी इन टुडेज़ डाइवर्स विश्व। हम इस तरह से इस पूरी चर्चा को समेट सकते हैं कि मानव जाति इस समय आत्मावलोकन और परिवर्तन के एक बेहद गंभीर दौर से गुजर रही है जहां दुनिया में प्रभावशाली मत ये है कि विकास की अवधारणा को नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को शामिल करते हुए नए सिरे से परिभाषित किया जाए। लेकिन अब तक विकास के प्रतिपादकों को ये मानने में संकोच है कि जीवन के एक गैर-भौतिक हिस्सा भी होता है और विकास को खुशी के साथ जोड़ने के लिए इसे अनुभव किए जाने की आवश्यकता है।

खुशहाली (HAPPINESS)

सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्युशन नेटवर्क (SDSN), एक संयुक्त राष्ट्र संघ का निकाय, द्वारा मध्य-मार्च 2018 में **विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2018** का प्रकाशन किया गया। विश्व के 156 देशों के सर्वेक्षण पर आधारित यह इस श्रृंखला का छठा रिपोर्ट है (वर्ष 2014 में इसका प्रकाशन नहीं हुआ था) जिसे अनुसंधानकर्ताओं के गठबंधन द्वारा तैयार किया जाता है।[8] इस रिपोर्ट द्वारा संबंधित देशों की खुशहाली एवं कल्याण (well-being) की माप करता है ताकि राष्ट्रों की लोक नीति निर्माण को दिशा-निर्देश मिल सके। खुशहाली की माप के लिए इसमें 6 प्राचल (parameter) को आधार बनाया जाता है:

7. **Stefan Priesner**, a senior economist with the UNDP conducted the study for the John Hopkins University, USA, in 2005.

8. The WHRs have three editors: **1. John F. Helliwell**, Vancouver School of Economics, University of British Columbia, and the Canadian Institute for Advanced Research (CIFAR); **2. Richard Layard**, Director, Well-Being Programme, Centre for Economic Performance, London School of Economics; **3. Jeffrey D. Sachs**, Director, The Earth Institute, Columbia University. [The reports were written by a group of independent experts acting in their personal capacities—any views expressed in these reports do not necessarily reflect the views of any organisation, agency or programme of the United Nations.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

1. प्रति व्यक्ति जी.डी.पीच (क्रय शक्ति तुल्यता के आधार पर)
2. सामाजिक सहयोग (किसी विश्वासी का होना)
3. स्वस्थ जीवन प्रत्याशा (जन्म के समय)
4. जीवन में इच्छाओं की स्वच्छंदता
5. उदारता (Generosity)
6. भ्रष्टाचार का बोध (Perception of Corruption)

इस रिपोर्ट के ***प्रमख अंश*** का विवरण निम्न प्रकार है:

- विश्व के 10 सबसे खुशहाल देश (उनके घटते पादान के अनुसार) हैं-फिनलैंड (5), नार्वे (1), डेनमार्क (2), आइसलैंड (2), स्विटजरलैंड (4), नीदरलैंड (6), कनाडा (7), न्यूजीलैंड (8), स्वीडन (10) एवं आस्ट्रेलिया (9)। देशों के पिछले वर्ष के पादान कोष्ठकों (brackets) में दिए गए हैं।
- बुरुंडी विश्व में सबसे निम्न खुशहाल देश है जिसका पादान इस वर्ष 156वां है (पिछले वर्ष के 147वें की जगह पर)। इसके बाद के दो स्थानों (155वें एवं 154वें) पर क्रमश: सेंट्रल अफ्रीकी गणराज्य (पिछले वर्ष 155वां) और दक्षिणी सूडान (पिछले वर्ष 148वां) है।
- **भारत** को 133वां रैंक मिला है जो पिछले रिपोर्ट की तुलना में 11 पादान नीचे है (वर्ष 2016 के रिपोर्ट में भारत का स्थान 122वां था जो वर्ष 2015 की रिपोर्ट से 4 पादान नीचे था)। भारत का रैंक 'सार्क' देशों में सबसे नीचे है (सिर्फ युद्ध-विध्वंसित अफगानिस्तान को छोड़कर जिसका पादान 145वां है)-पाकिस्तान 75वें पादान पर (पिछले वर्ष से 5 पादान ऊपर), नेपाल 101वें स्थन पर, भूटान 97वें स्थान, बांग्लादेश 115वें, श्री लंका 116वें स्थान एवं चीन 86वें स्थान पर।
- फिनलैंड विश्व के खुशहालतम देश होने के साथ-साथ कई मामलों में सर्वोच्चता हासिल कर सका है, यथा-विश्व का सर्वोच्च **स्थायी**, सर्वोच्च **सुरक्षित** एवं सबसे **अभिशासित** देश। इसके साथ ही इसे सबसे कम **भ्रष्टाचार** एवं सामाजिक रूप से सर्वाधिक **प्रगतिशील** देश बताया गया है। इसके आप्रवासियों (immigrants) में विश्व के इस श्रेणी की जनसंख्या में सर्वोच्च **खुशहाली** है। इस देश की नीतियां विश्व में सर्वाधिक **भरोसेमंद** एवं इसके **बैंक सर्वाधिक मजबूत** हैं। यह उस देश (जनसंख्या 55 लाख) की उपलब्धियां हैं जो आज से लगभग 150 वर्षों पूर्व प्राकृतिक भुखमरी से त्रस्त था।
- इस रिपोर्ट **यू.एस.ए.** पर एक विशेष अध्याय को शामिल किया गया है जिसका वर्तमान खुशहाली रैंक 18वां है (पिछले वर्ष से 4 पायदान नीचे)। यह अध्याय इस बात के अध्ययन से प्रेरित है कि क्यों यह देश जो कि खुशहाली पादानों में सर्वोच्च में से एक पादान पर था लगातार नीचे गिरता गया है जिसकी प्रति व्यक्ति आय विश्व में सर्वोच्च में से एक है। रिपोर्ट के अनुसार, इस देश की खुशहाली को तीन महत्वपूर्ण कारकों ने नियमित (systematic) ह्रास (loss) किया है। ये तीन अंत:संबंधित महामारियां (epidemic) हैं-मोटापा (obesity), मादक पदार्थों का दुरुपयोग (विशेषकर अफीम की लत) तथा खिन्नता/अवनमन (depression)।
- **लैटिन अमेरिका** जो उच्च भ्रष्टाचार, हिंसा एवं अपराध दरों, आय की उच्च असमानता एवं उच्च गरीबी के लिए जाना जाता है, खुशहाली रिपोर्ट में इसका पादान सापेक्षिक रूप से उच्च बना रहा है। ऐसी स्थिति के लिए रिपोर्ट द्वारा इसकी कुछ विशेषताओं को जिम्मेवार बताया गया है, यथा-उच्च **पारिवारिक स्नेह** (family warmth) एवं **सहयोगी सामाजिक संबंध**-जिन कारणों से यहां की विकास प्रबंधन की सोच/विचार में इन पर ज्यारा झुकाव रहा है।
- इस रिपोर्ट में **पहली बार आप्रवासियों** (immigrants) की खुशहाली को शामिल किया गया है (117 देशों

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

के लिए)। इसके अनुसार इनकी खुशहाली कहां से इनका प्रवसन (migration) हुआ है इस बात पर काफी कम निर्भर करता है (यह निर्माता भी अल्पावधिक है)। वास्तव में इनकी खुशहाली उस देश की खुशहाली पर निर्भर करती है जहां के वे आप्रवासी हैं। वैसे प्रवसन के देश का इन पर एक ऋणत्मक खुशहाली प्रभाव पाया गया (जो 10 से 25 प्रतिशत का अधिक प्रतिकूल प्रभाव छोड़ता है)। उधर विश्व की सबसे बड़ी प्रवसन प्रक्रिया-**चीन** में लाखों लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों को होने वाला प्रवसन-इस रिपोर्ट का विशेष अध्ययन रहा है। इसके अनुसार शहरों में आने के बाद इनकी खुशहाली में कोई वृद्धि नहीं आयी है।

- इस बार का रिपोर्ट एक विशेष मोड़ पर जाकर समाप्त होता है जहां इसके द्वारा **तीन उभरती हुई स्वास्थ्य समस्याओं** की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया है-मोटापा, अफीम संकट एवं खिन्नता/ अवनमन। इन समस्याओं के प्रति रिपोर्ट का दृष्किोण वैश्विक है लेकिन साक्ष्यों एवं परिचर्चाओं के केन्द्र में यू.एस.ए. है जहां इन तीन समस्याओं में दुनिया में सर्वाधिक तेज वृद्धि आ रही है।

खुशहाली का अर्थ

(The Meaning of Happiness)

'खुशहाली' शब्द जटिल अर्थों वाला है और इसका उपयोग हल्के तरीके से नहीं किया जाता। खुशहाली मनुष्य मात्र की आकांक्षा है जो कि सामाजिक प्रगति का पैमाना भी बन सकता है। तब भी, क्या दुनिया भर के देशों के लोग खुश हैं? अगर नहीं, तो इसके लिए और क्या किया जा सकता है? सही माप की कुंजी 'खुशहाली' शब्द के अर्थ में ही निहित है। डब्लू.एच.आर. 2013 के अनुसार, समस्या है कि खुशहाली शब्द का उपयोग दो अर्थों में किया जाता है:

(i) एक भाव (Emotion) के रूप में (क्या आप कल खुश थे?)

(ii) एक मूल्यांकन (Evaluation) के रूप में (क्या आप अपने जीवन से खुश हैं?)

यदि विभिन्न व्यक्तियों से इन दो अलग प्रश्नों के बारे में पूछा जाए तो उत्तरों से खुशहाली के पैमाने का पता लगाना मुश्किल होगा। सामाजिक प्रगति का पता लगाने के लिए व्यक्तियों के खुशहाली संबंधी उत्तरों से भाव में अस्थाई परिवर्तन से कुछ अधिक जानकारी मिल सकेगी अथवा निर्धन व्यक्ति जो खुशहाली की अभिव्यक्ति भावनाओं के रूप में करता है, समाज की निर्धानता से लड़ने के संकल्प अथवा इच्छा शक्ति को ही जाने-अनजाने समाप्त कर सकता है। सौभाग्य से, खुशहाली सर्वेक्षणों के उत्तरदाता भ्रमित करने वाली ऐसी गलतियां नहीं करते हैं। दोनों ही विश्व खुशहाली प्रतिवेदनों (WHRS) ने यह दर्शाया है कि उत्तरदाता 'खुशहाली एक भावना' तथा जीवन संतुष्टि के अर्थ में 'खुशहाली' में अंतर की पहचान रखते हैं। इन प्रश्नों के उनके उत्तर भी बिल्कुल अलग रहे हैं। अत्यंत गरीब व्यक्ति भी एक समय विशेष में भावनात्मक रूप से खुद को खुशहाल कह सकता है जबकि समग्र रूप में जीवन के प्रति अपनी धारणा के बारे में उसकी खुशहाली का स्तर बहुत कम हो सकता है। वास्तव में जो लोग अति निर्धनता में जीवन जी रहे हैं उनमें समग्र रूप में जीवन के प्रति खुशहाली का स्तर बहुत नीचे होता है। ऐसे उत्तरों से समाज को निर्धनता की स्थिति समाप्त करने के लिए तत्पर होना चाहिए।

विश्व खुशहाली प्रतिवेदन, ***डब्लू.एच.आर. 2015*** व्यक्तिपरक कुशलता (Subjective well-being)[9], जीवन मूल्यांकन[10] जीवन संतुष्टि[11] तथा समग्र रूप में जीवन से

9. ***Guidelines on Measuring Subjective Well-being,*** OECD, Paris, 2013.
10. Used in the ***World Values Survey***, the ***European Social Survey*** and many other national and international surveys. It is the core 'life evaluation' question recommended by the OECD (2013), and in the first ***World Happiness Report***.
11. The *Gallup World Poll (GWP)* – the GWP includes the 'life satisfaction' question on a 0 to 10 scale on an experimental basis, giving a sample sufficiently large to show that when used with consistent samples the two questions provide mutually supportive information on the size and relative importance of the correlates.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

खुशहाली अथवा खुशी[12] के प्राथमिक पैमानों पर आधारित है। इस प्रकार, खुशहाली दो बार सामने आती है –एक बार भावनात्मक प्रतिवेदन के रूप में तथा एक बार जीवन मूल्यांकन के एक भाग के रूप में, दोनों ही अर्थों में खुशहाली की प्रवृत्ति और कारणों के बारे में विचारणीय प्रमाण प्रस्तुत करती है।

खुशहाली की प्रवृत्तियाँ (Trends in Happiness)

यह रिपोर्ट दुनिया भर में प्रसन्नता के स्तर, व्याख्याएँ, परिवर्तन तथा समानता संबंधी आँकड़े प्रस्तुत करती है। दुनिया पिछले पाँच वर्षों में तुलनात्मक रूप से ***थोड़ी और खुशहाल*** तथा उदार हुई है और यह स्थिति 2007–08 के वित्तीय संकट के बाद बनी है, जिसके खुशहाली के स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव हुए हैं। उप-सहारा क्षेत्रों में बेहतर जीवन के लिए प्रदान किए जा रहे सहयोग में सुधार, साथ ही वृहत्तर यूरोप में सामाजिक बनावट की गुणवत्ता पर केंद्रित लगातार चल रही कोशिशों से दुनिया भर के विभिन्न इलाकों में कुशलता अथवा सुखानुभूति के समान वितरण की दिशा में प्रगति हुई है। इस व्यापक परिदृश्य के अंदर परस्पर एक-दूसरे को काटती महाद्वीपीय धाराएँ भी महत्वपूर्ण रही हैं। जीवन की गुणवत्ता में सुधार विशेष रूप से लातिन अमेरिका तथा कैरिबियन देशों में दृष्टव्य रहा है जबकि वित्तीय संकट के कारण कई क्षेत्र कटौतियों से जूझते रहे हैं, जैसे – पश्चिमी यूरोप तथा अन्य पश्चिमी औद्योगिक देश, अथवा वित्तीय संकट के साथ-साथ राजनीतिक एवं सामाजिक अस्थिरता से जूझते देश, जैसे कि मध्य-पूर्व तथा उत्तरी अफ्रीका के देश।

एच.डी.आर. संबंध (HDR linkage)

डब्लू.एच.आर. 2013 मानव विकास (*मानव विकास रिपोर्ट* में प्रयुक्त यू.एन.डी.पी. का विचार) तथा 'जीवन मूल्यांकन' दृष्टिकोण के बीच अवधारणात्मक एवं अनुभूतिमूलक सम्बन्धों का अनुसंधान करता है, जिससे कि मानव प्रगति की समझ बनाने में मदद मिले। यह दस्तावेज यह दलील देता है कि दोनों ही दृष्टिकोण उन्नति और विकास को उन रास्तों से समझने की आकांक्षा रखते हैं जो कि सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) से अलग जाते हैं और लोगों को केंद्र में रखते हैं। और चूँकि 'मानव विकास इस अवधारणात्मक दृष्टिकोण के केंद्र में है तथा 'जीवन मूल्यांकन' (Life Evaluation) अनुभूतिमूलक है, व्यवहार में इन दोनों के बीच परस्पर व्यापन की स्थिति बनती है। मानव विकास के अनेक आयाम 'व्यक्तिपरक कुशलता' की व्यवस्था के लिए प्रमुख चर राशियों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये दोनों दृष्टिकोण हमारे लिए पूरक लेंसों की तरह हैं जिनसे हमें यह आकलन करने में मदद मिलती है कि वास्तव में जीवन में बेहतरी आ रही है या नहीं।

निष्कर्ष (Conclusion)

अंत में यह निष्कर्ष निकाला जा सकताा है कि, आज की दुनिया में इस बात की माँग बढ़ रही है कि नीतियों को उन चीजों के निकट, उनसे जोड़कर रखा जाए जो वास्तव में लोगों को प्रभावित करते हैं, उनके लिए जरूरी है। ऐसा इसलिए कि लोग ही अपने जीवन को चरितार्थ करते हैं, कोई दूसरा नहीं। पिछले कुछ वर्षों में अधिक-से-अधिक विश्व नेता (जैसे-जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पार्क ग्यून-हाइ तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरुन) लोगों की कुशलता अथवा सुखानुभूति को अपने-अपने देशों एवं दुनिया के बेहतरी का मार्गदर्शक कारक मान रहे हैं। विश्व प्रसन्नता प्रतिवेदन (WHR) प्रसन्नता को लोगों की जानकारी तथा जन-नीतियों के दायरे में लाने वाले प्रयासों को मजबूती देता है। यह प्रतिवेदन इस तथ्य के ठोस प्रमाण प्रस्तुत करता है कि प्रसन्नता की व्यवस्थित माप एवं विश्लेषण में दुनिया में खुशहाली तथा धारणीय विकास (Sustainable Development) की स्थिति बेहतर बनाने के लिए शिक्षित कर सकता है। अब यह विभिन्न देशों पर निर्भर करता है कि वे इस प्रतिवेदन के निष्कर्षों का किस प्रकार उपयोग करते हैं।

---

12. The ***European Social Survey*** contains questions about 'happiness with life as a whole', and about life satisfaction, both on the same 0 to 10 numerical scale. The responses provide the scientific base to support the WHR findings that answers to the two questions give consistent (and mutually supportive) information about the correlates of a good life.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

पृष्ठभूमि (Background)

जुलाई 2011 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने एक संकल्प पारित किया[13]। इसने सदस्य देशों से अपनी जनता की खुशहाली अथवा सुखानुभूति मापने के लिए आमंत्रित किया और इसका उपयोग जन-नीतियों को निर्देशित करने के लिए कहा। इसके पश्चात अप्रैल 2013 में संयुक्त राष्ट्र में खुशहाली एवं कुशलता पर एक उच्च-स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता भूटान के प्रधानमंत्री ने की। उसी समय **प्रथम** *विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2013* प्रकाशित हुआ[14]। इसके कुछ महीनों बाद कुशलता मापने के अंतर्राष्ट्रीय मानदण्ड के रूप में ओ.ई.सी.डी. मार्गदर्शक (OECD Guidance) आएं।[15]

खुशहाली के विचार की पुनर्कल्पना (Re-imagining the Idea of Happiness)

मानवता के लिए सुखमय जीवन न केवल संतों, फकीरों और दार्शनिकों बल्कि अर्थशास्त्रियों का भी लक्ष्य रहा है। अर्थशास्त्र संबंधी जितना भी साहित्य है उन्नति, वृद्धि तथा विकास पर, वह अंततः मानव जीवन में अधिक सुख और आनंद लाने के लिए लक्षित रहा है। समय के साथ-साथ अलग-अलग विचार सामने आते रहे हैं। इस अत्यंत आत्मपरक शब्दावली 'खुशहाली' अथवा आनंद की व्याख्या करने के लिए और अंततः मानवता आज यहाँ तक पहुँची है।

एक समय ऐसा भी आया जबकि विद्वानों और विश्व नेताओं ने यह चरम प्रश्न उठाया – क्या आज हम अधिक खुशहाल हैं? और पूरी दुनिया में इसकी जाँच/परीक्षा के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संकल्प 2011 आया जिसमें सदस्य देशों का आह्वान किया गया कि वे अपने लोगों की खुशहाली के स्तर को मापें और इसी आधार पर जन-नीतियों का निर्माण करें। डब्ल्यू.एच.आर. 2012 के ही एक रोचक और आँख खोलने वाली जिज्ञासा रखी गई है कि दुनिया में मानव-कुशलता अथवा खुशहाली की स्थिति क्या है? आने वाले समय में नीति-निर्माताओं के बीच जो बदलाव अपेक्षित हैं, उसे समझने के लिए ***प्रथम डब्ल्यू.एच.आर.*** से ***कुछ विचारों को उठा*** लेना श्रेयस्कर होगा[16]।

(i) यह चरम विरोधाभासों का युग है। एक ओर जहाँ दुनिया में अकल्पनीय परिष्कार वाली तकनीक का लोग आनंद उठा रहे हैं, वहीं एक बिलियन लोगों के पास पर्याप्त भोजन भी नहीं है। विश्व अर्थव्यवस्था या आधुनिक तकनीक और सांगठनिक प्रगति के बूते पर उत्पादकता के नये शिखर छू रही है, लेकिन साथ ही उसी अनुपात में इससे प्राकृतिक पर्यावरण का क्षय हो रहा है। पारम्परिक पैमाने पर देखें तो अनेक देशों में भारी आर्थिक प्रगति हुई है, लेकिन इस के साथ आधुनिक जीवन में मोटापा, धूम्रपान, मधुमेह, अवसाद आदि व्याधियाँ बढ़ रही हैं। **बुद्ध** और **सुकरात** जैसे संतों-महात्माओं ने मानवता को बार-बार आगाह किया था कि केवल भौतिक उपलब्धि हमारी आंतरिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती। मानवीय आवश्यकताओं विशेष कर कष्टों को दूर करने, सामाजिक न्याय तथा आनंद की प्राप्ति के लिए भौतिक जीवन का उपयोग होना चाहिए।

(ii) *डब्ल्यू.एच.आर. 2012* अमेरिका-विश्व की आर्थिक महाशक्ति-के बारे में एक उदाहरण प्रमुखता से प्रस्तुत करता है, जिसने पिछली आधी सदी के दौरान महान आर्थिक और तकनीकी प्रगति की है, लेकिन नागरिकों की आत्म प्रतिवेदित (Self Reported) प्रसन्नता

13. UN General Assembly, ***Happiness: Towards a Holistic Approach to Development,*** United Nations 19 July 2011.
14. J. F. Helliwell, R. Layard & J. Sachs (eds.), ***World Happiness Report 2012,*** Earth Institute, New York, USA, 2012.
15. OECD; **Guidelines on Measuring Subjective Well-being,** Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris, 2013.
16. J. F. Helliwell, R. Layard and J. Sachs (eds.), ***World Happiness Report 2012,*** Earth Institute, New York, USA, 2012.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

में बिना कोई वृद्धि किए, जो कि आज की निम्नलिखित गंभीर चिंताओं से प्रकट होता है:

(a) अनिश्चितता एवं चिंता चरम पर।

(b) सामाजिक और आर्थिक असमानता में भारी वृद्धि।

(c) सामाजिक विश्वास अथवा भरोसे में कमी।

(d) सरकार में भरोसा सर्वकालिक न्यूनता।

शायद इन्हीं कारणों से, अमेरिका में दशकों की सकल घरेलू उत्पाद (जीएनपी) में बढ़त के बावजूद जीवन-संतुष्टि स्तर स्थिर रहा है।

(iii) निर्धनता, चिंता, पर्यावरण क्षय तथा अप्रसन्नता अगर विपुल प्रचुरता की वास्तविकताएँ हैं तो यह अनायास नहीं हैं और मात्र जिज्ञासा का विषय नहीं है। इन पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है; मानव इतिहास के इस मुकाम पर, ज्ञातव्य हो कि हम आज एक नये युग में प्रवेश कर रहे हैं '*ऐन्थ्रोपोसिन*'(Anthropocene)[17] नाम दिया है इसे हमारे भू-प्रणाली वैज्ञानिकों ने। 'ऐन्थ्रोपोसिन' हमारे समाज को अनिवार्य रूप से बदलेगा। यदि हम वर्तमान आर्थिक प्रक्षेप-पथ को विचारहीन होकर जारी रखते हैं तो इसका अर्थ होगा कि हम धरती के जीवन रक्षक प्रणालियों; आहार आपूर्ति, स्वच्छ जल, तथा स्थिर जलवायु; जो कि मानव स्वास्थ्य बल्कि कहीं-कहीं तो मानवीय अस्तित्व के लिए अनिवार्य है, को जोखिम में डाल रहे हैं। आने वाले वर्षों या दशकों में धारती के कुछ भंगुर भागों में जीवन वास्तव में कठिन हो जाने वाला है। हम जीवन रक्षक प्रणालियों में आई गिरावट को अभी ही 'हॉर्न ऑफ अफ्रीका' तथा मध्य एशिया के कुछ शुष्क इलाकों में महसूस कर रहे हैं।

दूसरी ओर, यदि हम बुद्धिमत्तापूर्वक आगे बढ़े तो हम पूरी दुनिया में जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हुए भी धरती की सुरक्षा कर सकते हैं। ऐसा हम उन *जीवनशैलियों* एवं तकनीकों का इस्तेमाल करके कर सकते हैं जो **खुशहाली** (अथवा जीवन संतुष्टि) की अभिवृद्धि करते हैं और दूसरी ओर पर्यावरण को मानव समाज से हुई क्षति को भी कम कर सकते हैं। कुशलता (Well Being), सामाजिक समावेशिता तथा पर्यावरणीय धारणीयता को मिलाकर एक शब्दावली बनी है – धारणीय विकास (Sustainable Development)। निष्कर्ष रूप में इसके संदेह नहीं कि 'खुशहाली की खोज' ही ' धरणीय विकास की खोज' से अत्यंत सघन रूप में जुड़ी है।

(iv) एक निर्धन समाज में भौतिक उपलब्धि की चाह का विशेष आधार जरूर बनता है। उच्चतर घरेलू आय (अथवा उच्च प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद) निर्धनों के जीवन स्तर में सुधार को रेखांकित करता है। निर्धन लोग अनेक प्रकार की वंचनाओं का संकट झेलते हैं—अपर्याप्त आहार आपूर्ति, आयप्रद रोजगार, स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच, सुरक्षित आवास, सुरक्षित जल तथा स्वच्छता तथा शैक्षिक अवसर। एकदम निचले स्तर पर आय वृद्धि से निश्चित रूप से मानवीय कुशलता की स्थिति सुधारती है। इसमें आश्चर्य नहीं कि अपनी अल्प आय में वृद्धि से निर्धन लोग बढ़ती संतुष्टि को प्रतिवेदित या अभिव्यक्त करते हैं।

आय-वर्णक्रम (Income Spectrum) के विपरीत छोर पर उच्च आय वर्ग के अधिकतर लोगों के

17. The Anthropocene is a newly invented term that combines two Greek words: 'anthropo' for human; and 'cene' for new, as in a new geological epoch. The Anthropocene is the new epoch in which humanity, through its technological prowess and population of 7 billion, has become the major driver of changes of Earth's physical systems, including the climate, carbon cycle, water cycle, nitrogen cycle and biodiversity.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

लिए मूलभूत वंचनाओं को पराजित कर लिया गया है। उनके पास दैनिक जरूरतों के लिए पर्याप्त भोजन है, आवास तथा मूलभूत सुविधाएँ (जैसे-स्वच्छ जल तथा स्वच्छता) तथा वस्त्र आदि हैं। वास्तव में, मूलभूत जरूरतों के ऊपर उनके पास सुविधाओं का आधिक्य है। **समृद्धि की दशाओं ने स्वयं अपने लिए फंदे तैयार कर लिए हैं।**

सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि समृद्ध लोगों की जीवन शैली से निर्धन लोगों के अस्तित्व के लिए जोखिम पैदा होता है। मानव-प्रयासों से जलवायु परिवर्तन पहले ही निर्धन क्षेत्रों के लिए त्रासदी ला रहा है, इससे जीवन भी खतरे में पड़ रहा हैं। आजीविका भी छिन रही है। यह स्थिति बता रही है कि सम्पन्न लोग उन लोगों (निर्धनों) से इतने अलग होते हैं जिनके अस्तित्व को वे जोखिम में डाल रहे हैं, कि उनमें व्यावहारिक अथवा नैतिक रूप से अपने व्यवहार के प्रति कोई दायित्व-बोध नहीं होता कि उसका प्रतिकूल प्रभाव कितना गहरा है।

(v) **समृद्धि** के साथ विपत्तियाँ और समस्याएँ भी आई हैं, जैसे–मोटापा, वयस्क मधुमेह, तम्बाकू जनित रोग, खान-पान की गड़बड़ियाँ, मनोवैज्ञानिक गड़बडियाँ, शॉपिंग, टीवी तथा जुए की आदतें -ये सब विकास की अव्यवस्था और गड़बड़ियों के उदाहरण हैं। उसी प्रकार समुदाय की क्षति, सामाजिक भरोसे में कमी तथा आधुनिक भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था की लहर से उपजी चिंताएँ, बेरोजगारी का खतरा अथवा स्वास्थ्य बीमा से अनवरित बीमारियाँ (अमेरिका सहित दुनिया के अनेक देशों में) आदि भी जीवन को दूभर बना रहे हैं।

(vi) उच्च औसत आय से हमेशा औसत कुशलता का स्तर ऊँचा नहीं किया जा सकता, इसका सटीक उदाहरण अमेरिका है, जैसा कि प्रोफेसर रिचर्ड ईस्टरलीन[18] ने गौर किया है, जहाँ सकल प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पाद 1960 से तीन के कारक में बढ़ी है जबकि औसत प्रसन्नता की माप पिछली आधी सदी से अपरिवर्तित रही है। अमेरिका के बढ़ते उत्पादन से पर्यावरण की व्यापक क्षति हुई है, खासकर ग्रीन हाउस गैसों तथा मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन के माध्यम से और तब भी अमेरिकी लोगों की कुशलता का स्तर बढ़ा नहीं। इस प्रकार हमारे पास कुशलता का अल्पकालिक लाभ बनाम दीर्घकालिक पर्यावरणीय लागत का कोई 'ट्रेड-ऑफ' नहीं, हमें अल्पकालीन लाभों को आर्फसैटिंग (Offsetting) के बिना भी पर्यावरण की क्षति सहनी है। ईस्टरलीन ने अमेरिका में यह विरोधाभास उजागर किया कि किसी भी समय धनी निर्धनों से अधिक खुश (प्रसन्न) हैं, लेकिन कुल मिलाकर समाज में सम्पन्नता आने के बाद भी प्रसन्नता नहीं बढ़ी। ऐसा चार कारणों से हुआ :

(a) व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। वे उस समय खुशहाल रहते हैं जब सामाजिक (अथवा आय के) सोपान पर वे ऊँचे स्थान पर रहते हैं। तब भी जब सभी साथ-साथ ऊँचाई पर आते हैं तो उनकी सापेक्षिक स्थिति अपरिवर्तित रहती है।

(b) लाभों में समान हिस्सेदारी नहीं की गई, बल्कि वे अधिक लाभ में रहे जो आय तथा शैक्षिक वितरण में शीर्ष पर थे।

18. Among the foremost contributors to the *Happiness Economics*, Easterlin is particularly known for his 1974 article **'Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence'** (his ideas are today known as the ***Easterlin Paradox,*** was proposed by him in this article). Here he concluded that contrary to expectation, happiness at a national level does not increase with wealth once basic needs are fulfilled.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(c) अन्य सामाजिक कारकों-असुरक्षा, सामाजिक भरोसे में कमी, सरकार के प्रति भरोसे में कमी-ने उच्च आय के लाभों को महसूस नहीं होने दिया।

(d) जब व्यक्तियों की आय बढ़ती है तो उनकी खुशहाली में एक आरंभिक उछाल आता है, लेकिन बढ़ी हुई आय के साथ अनुकूलन के साथ ही वे खुशहाली के पुराने स्तर पर लौट आते हैं।

(vii) यह (फिनोमेना परिघटना) धनी देशों के आर्थिक वृद्धि प्राप्त करने के बाद उनकी खुशहाली को बढ़ाने में रुकावट बन जाती है। वास्तव में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सतत् वृद्धि ही खुशहाली का रास्ता है। इस सूत्र (फार्मूला) पर संदेह करने के अन्य सामान्य कारण भी हैं, जबकि उच्च आय कुछ हद तक खुशहाली की वृद्धि कर सकती है, उच्चतर आय की आकांक्षा वास्तव में व्यक्ति की खुशहाली को कम कर देती है। दूसरे शब्दों में, अधिक पैसा होना अच्छा हो सकता है, लेकिन इसके लिए लालायित रहना उचित नहीं हो सकता। **मनोवैज्ञानिकों** ने बार-बार यह दिखाया है कि उच्च आय के लिए उच्च प्रीमियम चुकाने वाले लोग सामान्यतया कम सुखी होते हैं, जबकि उनके मुकाबले वे व्यक्ति अधिक सुखी होते हैं जो उच्चतर आय की लालसा नहीं रखते। अरस्तू और बुद्ध ने मानवता को उपदेश दिया था कि वह एक ओर तपश्चर्या और दूसरी ओर भौतिक समृद्धि की लालसा के बीच मध्य मार्ग का अनुसरण करे।

(viii) एक और समस्या है नई भौतिक आवश्यकताओं की अनवरत ***विज्ञापनों*** के माध्यम से, जिसमें शक्तिशाली रूपकों के साथ ही प्रलोभन के अन्यान्य साधनों का उपयोग किया जाता है। चूँकि ये रूपक और बिंबविधान हमारे उपयोग के समस्त डिजिटल उपस्करों पर उपलब्ध हैं, विज्ञापन का अभूतपूर्व प्रवाह हमारे बीच बन रहा है। आज विज्ञापन 500 बिलियन डॉलर प्रतिवर्ष का व्यवसाय बन गया है। इसका लक्ष्य तृप्ति अथवा संतुष्टि पर विजय पाना है; ***आवश्यकताओं और लालसाओं*** का सतत सृजन करके विज्ञापनकर्ता एवं विपणनकर्ता इसके लिए लोगों की मनोवैज्ञानिक कमजोरियों एवं अचेतन में पल रही इच्छाओं का लाभ उठाते हैं। सिगरेट, कैफीन, चीनी तथा ट्रांस-फैट्स -सभी लालसा पैदा करने वाली चीजें हैं अगर इन्हें सीधे-सीधे व्यसन न भी मानें तो। भौतिक बिंबविधान को लगातार साफ-साफ दिखाकर फैशन को बेचा जाता है। उसी प्रकार विभिन्न उत्पादों को उच्च सामाजिक स्थिति से न कि वास्तविक जरूरतों से जोड़कर दिखाया और बेचा जाता है।

(ix) धनी बनकर सुखी बनने के चिंतन को 'आज की सीमांत उपयोगिता के ह्रास' के नियम[19] से भी चुनौती मिलती है, जिसके अनुसार एक निश्चित बिन्दु पर उपलब्धियाँ/लाभ बहुत कम/छोटे होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि निर्धन लोग आय में कुछ डॉलर का इजाफा होने पर ही धनी लोगों से अधिक खुशहाल या सुखी होते हैं। यह एक बेहतर कारण है जिसके चलते ओ.ई.सी.डी. देशों में कर एवं स्थानांतरण प्रणाली (Cash and Transfer Systems) इस प्रकार बन गई है जिसके उच्च आय वाले परिवारों से राजस्व वसूला जाता है और निम्न आय वाले परिवारों में उसका स्थानांतरण कर दिया जाता है। दूसरे तरीके से देखें तो घरेलू आय

19. Suppose that a poor household at Rs. 1,000 income requires an extra Rs. 100 to raise its life satisfaction level (or happiness) by one notch. A rich household at Rs. 1,000,000 income (one thousand times as much as the poor household) would need one thousand times more money, or Rs. 100,000, to raise its well-being by the same one notch. Gains in income have to be of equal proportions to household income to have the same benefit in units of life satisfaction.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

में असमानता कुल कर एवं स्थानांतरण (Net of Taxes and Transfers) प्रणालीगत रूप में पहले के करों एवं स्थानांतरणों (Before Taxes and Transfers) से निम्न या कम होता है।[20]

(x) ***पश्चिमी अर्थशास्त्रियों*** का सतत् जी.एन.पी. वृद्धि का तर्क मानवता के ऐसे विजन से निर्मित है, जो संतों-उपदेशकों के विवेक, मनोवैज्ञानिकों के शोधों तथा विज्ञापनकर्ताओं के अभ्यास के विरुद्ध खड़ा है। अर्थशास्त्री यह मानते हैं कि व्यक्ति **'तर्कसंगत निर्णयकर्ता'** होते हैं जो जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और उसे कैसे प्राप्त करना है अपने निर्धारित बजट में। व्यक्ति अपना ही ध्यान रखते हैं और अपने द्वारा किए गए उपभोग से आनंद प्राप्त करते हैं। एक उपभोक्ता के रूप में अपनी प्राथमिकताओं के बदलने का अंदाजा उन्हें पहले ही हो जाता है। कुछ अर्थशास्त्री तो यहाँ तक कहते हैं कि दवा-व्यसनी (Drug Addicted) तर्कसंगत व्यवहार करते हैं-दवा उपयोग के शुरुआती लाभों के बाद के भारी व्यसन के नुकसान को 'ट्रेड ऑफ' करके।

(xi) हम यह समझते हैं कि हमें एक भिन्न प्रकार की मानवता का मॉडल चाहिए, जिसमें हममें आवेगों, भावनाओं और तर्कसंगत सोच, अचेतन या चेतन निर्णय निर्धारण, **तीव्र** अथवा **मंद** चिंतन प्रक्रिया की एक जटिल प्रक्रिया चलती रहे। हम अनेक निर्णय भावनाओं अथवा प्रवृत्तिगत आवेगों में लेते हैं, जिन्हें बाद में सचेत विचार से तर्कसंगत बनाया जाता है। हमारे निर्णय संगतों बिम्बविधानों, सामाजिक संवर्गों तथा विज्ञापनों से प्रभावित होते हैं। हम अपने अनुक्रमिक पसंदों या विकल्पों (Sequential Choices) के प्रति असंगत या असमरूप हो सकते हैं, जिससे कि सुसंगत स्थिरता के मूल मानकों को हासिल करने में हम विफल रहते हैं और हम अपनी मानसिक तंत्र के प्रति भी अनजान रहते हैं जिससे कि हम गलतियाँ कर बैठते हैं। व्यसनी अपने आने वाले दिनों की वेदना का अंदाजा नहीं लगा सकता। हम अभी खर्च करते जाते हैं, दिवालिएपन का परिणाम बाद में भुगतते हैं। हम पुनः यह समझते हैं कि हम सामाजिक पशु हैं। हम नकल करके सीखते हैं, **सामाजिक परम्पराओं** को निभाकर खुशी हासिल करते हैं, साथ ही **समुदाय के प्रति जुड़ाव और लगाव** महसूस करते हैं।

(xii) मनुष्य दूसरों के दर्द को महसूस करता है। हमारे अंदर 'मिरर न्यूरॉन्स' होते हैं जिससे हम दूसरों के दृष्टिकोण से भी चीजों को देख-समझ सकते हैं। इन क्षमताओं के कारण हम अजनबियों से भी ***सहयोग*** कर सकते हैं, और उन कार्यों में भी खुद को लगा सकते हैं जिनमें किसी प्राप्ति या पुरस्कार की संभावना न हो। साथ ही असहयोग करने वालों को दंडित करने की भी क्षमता हममें होती है और अपने ऊपर खतरा मोल लेकर भी हम दण्ड को कार्यान्वित करते हैं।

तब भी इस प्रकार के सहयोग एवं साझेपन की एक सीमा है। हम धोखा भी करते हैं, वचन भंग भी करते हैं, यहाँ तक कि बाह्य समूह के सदस्यों को मार भी देते हैं। हम अस्मिता की राजनीति में संलग्न रहते हैं, बाहरियों के प्रति क्रूरता बरतते हैं, क्योंकि अपने समूह के प्रति अपनापन रखते हैं। मानव स्वभाव हमेशा से ऐसा रहा है, उस समय भी जब बुद्ध ने मानवता को सांसारिक सुखों की मरीचिकाओं के बारे में शिक्षा दी थी, तब भी जबकि ग्रीकों ने हमें बहकाने वाले उन 'सायरन साँग्स' के प्रति सावधान किया था जो हमें हमारी जीवन धारा से विलग कर सकते थे। आज हमारे

20. On an average across, the OECD countries, cash transfers and income taxes reduce inequality by one third. Poverty is around 60 per cent lower than it would be without taxes and benefits. Even among the working-age population, government redistribution reduces poverty by about 50 per cent *(OECD, 2008).*

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

पास पहले की तुलना में बहुत अधिक विकल्प हैं। प्राचीन संसार में विकल्प अत्यल्प थे; खूब मेहनत करना ताकि पर्याप्त भोजन मिल सके—और तब भी अकाल और महामारी के जोखिम का सामना करना।

(xiii) आज, हमारे पास विकल्प वास्तव में मौजूद हैं। क्या दुनिया को सकल राष्ट्र उत्पाद (जी.एन.पी.) को पर्यावरण विनाश की सीमा तक आगे बढ़ाना चाहिए, तब भी जबकि स.रा.उ. (जी.एन.पी.) के संवृद्धि लाभ (Incremental Gains) में बढ़त नहीं हो रही है और समृद्ध वर्गों में खुशहाली की वृद्धि नहीं हो रही है? क्या हमें समुदाय और सामाजिक भरोसे की कीमत पर उच्चतर निजी आय के पीछे भागना चाहिए? क्या सरकारों को विज्ञापनों पर प्रतिवर्ष खर्च होने वाले 500 बिलियन डॉलर के एक छोटे-से अंश को इस काम के लिए नहीं खर्च करना चाहिए कि लोगों को और परिवारों को अपनी प्रेरणाओं, आवश्यकताओं तथा उपभोक्ता के रूप में अपनी जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिले? क्या हमें समाज के कुछ हिस्सों को मुनाफे की प्रेरणा से बाहर निकालकर **समाज में सहयोग**, भरोसा तथा **सामुदायिकता** को बढ़ाने के लिए काम नहीं करना चाहिए? हाल के एक विश्लेषण[21] में फिनलैंड की स्कूली व्यवस्था की उत्कृष्टता के बारे में कहा गया है कि इसे स्कूलों में सामुदायिकता तथा समानता की भावना जागृत करके हासिल किया गया है। यह अमेरिका के शिक्षा सुधार से **बिल्कुल अलग** है जहाँ कि जोर **परीक्षा, माप** तथा *विद्यार्थियों के जाँच प्रदर्शन* पर आधारित शिक्षकों के वेतन पर है।

21. Pasi Sahlberg, '**Education Policies for Raising Student Learning: The Finnish Approach;** *Journal of Education Policy, 22*(2), March 2007, World Bank, Washington DC, pp. 147–171.

और अंत में (At the End)

डब्ल्यू एच आर 2012 के आत्मपरीक्षक अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकलता है कि ऐसा मानने के पर्याप्त कारण हैं कि हमें खुशहाली, कुशलता के आर्थिक स्रोतों पर **पुनर्विचार** करने की जरूरत है, समृद्ध देशों में और भी अधिक। उच्च आय वाले देशों ने गरीबी, भूख और बीमारी के संकट पर बहुत हद तक पार पा लिया है। गरीब देशों को इनसे मुक्ति पानी है, लेकिन निर्धनता की समाप्ति के पश्चात् आगे क्या? आखिर मूलभूत आर्थिक जरूरतें सामाजिक परिवर्तन की चालक नहीं रह जातीं, तब खुशहाली-कुशलता प्राप्त करने का रास्ता क्या हो? ऐन्थ्रोपोसिन काल में मानवता का पथ-प्रदर्शन कौन करेगा—विज्ञापन, धारणीयता, समुदाय, अथवा कुछ और? खुशहाली अथवा सुख का रास्ता कौन-सा है?

अधिकतर लोग मानते हैं कि समाजों को अपने नागरिकों के लिए खुशहाली की प्राप्ति करनी चाहिए। अमेरिका के संस्थापक पूर्वजों ने सुख अथवा प्रसन्नता प्राप्त करने के अनहरणीय अधिकार को मान्यता दी थी। ब्रिटिश दार्शनिकों ने 'गेटेस्ट गुड फॉर दि ग्रेटेस्ट नम्बर' की चर्चा की थी। भूटान ने अपने लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के स्थान पर प्रसिद्ध सकल घरेलू खुशहाली (Gross National Happiness) के लक्ष्य को अपनाया। चीन भी समरस समाज के रास्ते चलना चाहता है। तब भी अधिकतर लोग शायद अब भी मानते हैं कि सुख या खुशहाली देखने वालों की आँखों में है, यह एक वैयक्तिक पसंद है, वह ऐसी कोई चीज है जिसे निजी तौर पर देखने और बरतने की जरूरत है, एक राष्ट्रीय नीति के तौर पर चलाने की नहीं। खुशहाली बहुत हद तक भावनिष्ठ अथवा आत्मपरक, जटिल अवधारणा है जिसे राष्ट्रीय लक्ष्यों की कसौटी नहीं बनाया जा सकता, लेकिन यह पारम्परिक विचार है, अनुभव और साक्ष्य इस विचार को तेजी से बदल रहे हैं।

मनोवैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों, चुनाव विशेषज्ञों, समाजशास्त्रियों तथा अन्य विशेषज्ञों के **अध्ययनों** ने यह दर्शाया है कि खुशहाली यद्यपि एक आत्मपरक अनुभव है, इसकी वस्तुनिष्ठ माप, आकलन, प्रेक्षणीय मस्तिष्क प्रकार्यता के साथ उसकी सह-संबद्धता स्थापित करना संभव है तथा व्यक्ति एवं

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

समाज की विशेषताओं के साथ उसकी संबद्धता का पता लगाया जा सकता है। लोगों से यह पूछना कि क्या वे खुश हैं, अपने जीवन से संतुष्ट हैं, समाज के बारे में भी कई महत्वपूर्ण सूचनाएँ देता है। यह समाज के आंतरिक संकटों तथा मजबूती का संकेत भी कर सकता है। यह परिवर्तन की जरूरतों के बारे में भी बता सकता है। खुशहाली के उभरते हुए वैज्ञानिक अध्ययन का विचार चाहे वे व्यक्ति और उनकी पसंद एवं विकल्प हों या जीवन संतुष्टि के बारे में समाज अथवा नागरिकों द्वारा व्यक्त मत -डब्ल्यू.एच.आर. 2012 खुशहाली के प्रमुख मापों के आधार पर इन अध्ययनों की कथा का सार प्रस्तुत करता है:

(i) दैनिक आवेगों में उतार-चढ़ाव, तथा;

(ii) एक व्यक्ति का जीवन के बारे में समग्र मूल्यांकन।

पहली कोटि को प्राय: 'प्रभावित' या 'कृत्रिम' खुशहाली कहते हैं, जबकि दूसरी को 'मूल्यांकनीय खुशहाली'।

यह जानना आवश्यक है कि दोनों ही प्रकार की खुशहालिओं के पहले से जानने योग्य (Predictable) कारक हैं, जिनमें हमारी मानवीय प्रवृत्ति तथा सामाजिक जीवन के अनेक पक्ष उजागर होते हैं। *प्रभावित खुशहाली* (Affective Happiness) दैनंदिन की मित्रता की खुशी, परिवार के साथ समय बिताना और यौन क्रिया और दफ्तर में अपने वरिष्ठ के साथ बैठकों में प्रतिबिंबित होती है। दूसरी ओर *मूल्यांकनीय खुशहाल* जीवन के और ही आयामों की माप करती है -उनकी जो समग्र खुशहाली अथवा निराशा के लिए जिम्मेदार होते हैं। उच्चतर आय, शरीर और मन की बेहतर तंदुरुस्ती और साथ ही व्यक्ति के अपने समुदाय के प्रति उच्च विश्वास -ये सब उच्च जीवन संतुष्टि के कारक हैं, जबकि खराब स्वास्थ्य तथा समुदाय में गहरे विभाजन निम्न स्तर की जीवन संतुष्टि के परिचायक हैं।

खुशहाली विभिन्न समाजों एवं कालों में प्रणालीगत रूप में भिन्न होती है और इसके कारण पहचाने जा सकते हैं। यहाँ तक कि जन-नीतियों की रूपरेखा और उनके कार्यान्वयन के तरीकों से इन्हें बदला भी जा सकता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि, किस प्रकार विशेष प्रकार की नीतियों को लागू कर राष्ट्रीय आय को बढ़ाया जा सकता है, उसी प्रकार लोगों की खुशहाली अथवा सुख की भी अभिवृद्धि की जा सकती है। **भूटान** इस दिशा में अत्यंत और गहरी अंतदृष्टि से युक्त सर्वथा नये प्रयास कर रहा है। एक घर की आय जीवन संतुष्टि में योग करती है, लेकिन सीमित रूप में, दूसरी चीजें अधिक प्रभावी होती हैं :

(i) सामुदायिक विश्वास अथवा भरोसा।

(ii) शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य।

(iii) गवर्नेंस (राजकाज) की गुणवत्ता एवं कानून का शासन।

आय बढ़ाकर विशेषकर निर्धन समाजों में खुशहाली बढ़ाई जा सकती है, लेकिन सहयोग और एकता बढ़ाकर बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं – खासकर धनी समाजों में जहाँ आय की सीमांत उपयोगिता निम्न होती है। यह आकस्मिक नहीं है कि दुनिया के वही सबसे सुखी और खुशहाल देश उच्चतम आय वाले देश भी बनने की ओर अग्रसर होते हैं जिनके यहाँ सामाजिक समानता, भरोसा तथा गुणवत्तापूर्ण गवर्नेंस होता है। हाल के वर्षों में डेनमार्क ऐसे देशों में शीर्ष पर है। यह भी अनायास नहीं है कि पिछले पचास वर्षों में अमेरिका में *जीवन-संतुष्टि स्तर नहीं बढ़ा है, जबकि इसी अवधि में असमानता बढ़ी है, सामाजिक भरोसे में कमी आई है और लोगों का सरकार में विश्वास कम हुआ है।*

खुशहाली के सह-संबद्धों की पहचान कर लेना एक बात है और पूरे समाज में अनुकूल जन-नीतियों के इस्तेमाल से खुशहाली का स्तर बढ़ा देना दूसरी बात। भूटान के जी.एन.एच. (Gross National Happpiness) का यही लक्ष्य है और अधिक-से-अधिक देशों के लिए जीवन-संतुष्टि स्तर बढ़ाने के लिए प्रेरणा भी। प्रमुख लक्ष्य यह है कि पूरे समाज के खुशहाली स्तर को मापने में विभिन्न प्रयासरत देश ***'खुशहाली जाल'*** (Happiness Trap) की अनदेखी कर सकते हैं जो कि अमेरिका में हाल के दशकों में देखने को मिले, जहाँ कि जी.एन.पी. लगातार ऊपर चढ़ता रहा जबकि जीवन संतुष्टि का स्तर नीचे गिरता रहा।

भूटान में जबसे (1972) राजा ने सुख के लक्ष्य को दौलत के लक्ष्य से ऊपर रखा तबसे जीएनएच (ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस) का विचार अन्वेषण और विकास

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

की एक कहानी सुनाता है। भूटान के लिए सुख महज प्रेरणदायक सूचनापट्ट से बढ़कर साबित हुआ; यह शासन और नीति-निर्माण के लिए भी सुव्यवस्था का सिद्धांत बन गया। 'जीएनएच इंडेक्स' दुनिया में अपनी तरह का **पहला** है, सुख को मापने का एक गंभीर, विचारवान और निरंतर प्रयास। उन मापों को सरकारी नीतियां तैयार करने में प्रयोग किया जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले सालों में दुनिया के कई देश भूटान और हाल ही में प्रकाशित दो वर्ल्ड हैप्पिनेस रिपोर्ट्स से सीखेंगे।

मानव व्यवहार की अन्तर्दृष्टि (Insight into Human Behaviour)

विश्व बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में *(विश्व विकास रिपोर्ट 2015: दिमाग, समाज और व्यवहार)* में कहा है कि, विकास की नीतियां तब ज्यादा प्रभावी हो जाती हैं जब उन्हें मानव व्यवहार के ज्ञान के साथ मिलाया जाए। इसमें आगे कहा गया है कि **व्यवहारपरक अर्थशास्त्र** की जानकारी वाले नीति निर्णय विकास को बढ़ावा देने और समाज के भले के लिए प्रभावशाली सुधार ला सकते हैं। इसमें भारत के स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र से कुछ उदाहरण दिए गए हैं:

- जब कुछ चुनिंदा गांवों में समुदाय के नेतृत्व में पूर्ण स्वच्छता (सीएलटीएस) कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें शौचालय निर्माण पर सब्सिडी दी गई और फैलने वाली बीमारियों के बारे में बताया गया, तो खुले में शौच किया जाना बड़ी संख्या में, 11 फीसदी तक कम हो गया।
- माइक्रो फाइनेंस उपभोक्ताओं और उनसे पैसा वसूलने वाले समूहों के बीच होने वाली मियादी बैठकों की अवधि मासिक के बजाय साप्ताहिक करने से ऋण न चुकाने के मामले में तीन गुना तक कम हो गए।
- शोध ने साबित किया कि जातिगत पहचान जाहिर न किए जाने पर पिछडी जातियों के लड़के पहेलियां सुलझाने में उच्च जातियों के लडकों के समान ही थे। लेकिन एक मिश्रित समूह, जिसमें जातिगत पहचान पहेली सुलझाने के पहले ही उजागर कर दी गई थी, में पिछड़ी जातियों के लड़कों की उपलब्धियों में उल्लेखनीय 'जातिगत अंतर' नजर आया और वे 23 प्रतिशत पिछड़ गए (रिपोर्ट के अनुसार, परीक्षा लेने वालों को जाति पहले ही पता चल गई थी, जिससे उनका कार्य निष्पादन प्रभावित हुआ)।

रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि रूढिवादी ढांचे से क्षमता में काफी अंतर आ जाता है, जिससे फिर से वही रूढिवादिता हावी होती है और बहिष्कार का आधार बनती है-यह एक विषचक्र बन जाता है। इस चक्र को तोड़ने के तरीके ढूंढकर वंचितों का बड़े पैमाने पर भला किया जा सकता है।

सामाजिक मानदंड, संस्कृति और विकास (Social Norms, Culture and Development)

आर्थिक विकास न सिर्फ राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति और कराधान को सही करने पर निर्भर करता है; बल्कि इसका आधार इंसान के मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, संस्कृति और मानदंडों में भी होता है। अर्थशास्त्र के पेशे में इसका थोडा विरोध हुआ क्योंकि इसका अर्थ एक तरह से शास्त्रों को आस-पास रखने का आधार देना होता।[22] हालिया, 2015 की *विश्व विकास रिपोर्ट (डब्ल्यूडीआर)* विकास के व्यवहारपरक और सामाजिक आधारों पर केंद्रित है और उसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली है।

सरकारी दस्तावेज (सामान्यत: रूखे, स्पष्ट) अक्सर विकास और आर्थिक क्षमता को बढ़ाने में सामाजिक मानदंडों और संस्कृति का कोई उल्लेख नहीं करते। हालांकि अब ऐसी रचनाएं बढ़ती जा रही हैं जो बताती हैं कि सामाजिक

22. Kaushik Basu, Chief Economist, World Bank, *Livemint*, N. Delhi, 3 February, 2015.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

मानदंड और सांस्कृतिक परंपराएं आर्थिक क्षमता और विकास के महत्वपूर्ण अंग हैं। इसे दर्शाने वाले विशाल देश व्यापक शोध और लैबोरेट्री एक्सपेरिमेंट हैं। अक्सर ही कहा जाता है कि किसी देश का विकास इसके संसाधनों, मानव शक्ति और आर्थिक नीतियों, उदाहरण के लिए राजकोषीय और मौद्रिक नीति, की दिशा पर निर्भर करता है लेकिन इसके साथ ही सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंड भी हैं जो समाज में व्याप्त हैं। ऐसे समाज जो निजी शराफत और विश्वास से संपन्न होते हैं, उन्हें यह स्वाभाविक लाभ होता है कि किसी तीसरे पक्ष को अनुबंध लागू नहीं करने पड़ते। बाहर वालों के लिए यह जानकारी, कि खास समाज विश्वसनीय है, ही व्यापार और कारोबार करने के लिए काफी होती है। विकास के इन 'सामाजिक' कामों को आर्थिक नीतियों पर रचनाओं में पर्याप्त पहचान क्यों नहीं मिलती, इसकी एक वजह कि यह है कि अर्थशास्त्र के लिए मददगार यह सामाजिक गुण कैसे हासिल किए जाते हैं, इसे पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। सौभाग्य से एक नया विषय *व्यवहारपरक अर्थशास्त्र* हमें परंपराओं और स्वभाव के निर्माण पर कुछ ज्ञान देने जा रहा है:[23]

- उदाहरण के लिए, यह मानी हुई बात है कि जिन भवन और कार्यस्थल जिनका रख-रखाव ज्यादा साफ, सुंदर किया जाता है वहां लोग ज्यादातर ईमानदार और भ्रष्ट आचरण से बचने वाले होते हैं। यह लगभग इसी तरह है कि हमारा मानसिक झुकाव हो कि हम एक अच्छे वातावरण को अपने भ्रष्ट आचरण से बर्बाद न करें।
- न्यूयॉर्क शहर में दीवारों से ग्रैफिटी (भित्तिचित्र) हटाकर और शहर की सफाई करके वहां अन्य चीजों के अलावा भारी संख्या में होने वाले अपराधों पर भी नियंत्रण पाया गया। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग ने गुंडागर्दी रोकने और सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को डराने वाली ग्रैफिटी हटाने का फैसला लिया। शहर की फिजा को ज्यादा सुंदर बनाने से किसी तरह संभावित अपराधी को कम अपराध करने को प्रेरित किया जा सका।
- किसी को भी इसका आम उदाहरण मैट्रो में सफर करने वाले दिल्ली वालों के व्यवहार में दिख सकता है। व्यापक रूप से यह देखा गया है कि लोग दिल्ली की साफ-सुथरी मैट्रो में यात्रा के दौरान बेहतर बर्ताव करते हैं (कुछ का कहना है कि वह अपने बुरे बर्ताव को वापस जमीन तक आने के लिए टाल देते हैं)।

इस तरह यह समाजशास्त्र के प्रभावशाली *टूटी खिड़की* सिद्धांत के अनुरूप ही है। इसके अनुसार अगर हम छोटे स्तर के असामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए छोटे-छोटे कदम उठाते हैं तो इससे स्वाभाविक रूप से बड़े अपराधों और भ्रष्टाचार के कृत्यों पर एक निरोधी असर होता है। इसके अलावा नागरिकों के कुछ सामूहिक गुणों जैसे कि ईमानदारी, विश्वसनीयता की असली पहचान और जागरूकता समूचे समाज को इन गुणों को अपनाने के काबिल बनाती है और सर्वव्यापी मुफ्त के फायदे उठाने की समस्या से निजात दिलाती है।

अर्थशास्त्र में इस तरह की रचनाएं[24] बढ़ रही हैं जिनके अनुसार **समाज-परस्त व्यवहार**, जिसमें *परोकारिता* और *विश्वसनीयता* शामिल हैं, इंसानों में जन्मजात होता है और अर्थवस्था को प्रभावी ढंग से चलाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में काम करता है। दूसरे शब्दों में इंसानों में दूसरे लोगों के लिए निजी फायदे से ऊपर उठने की स्वाभाविक क्षमता होती है या इसी की जरूरत होती है क्योंकि उस व्यक्ति ने एक वायदा किया हुआ है। यह विशेषता भले ही इंसान में क्रमिक विकास से ही हो लेकिन आज इसकी मौजूदगी को हाल के अध्ययनों में लैबोरेट्री टेस्ट के जरिए दर्शाया गया है।

23. Ministry of Finance, ***Economic Survey 2009–10,*** Government of India, N Delhi, pp. 34–35.

24. Over half a dozen contemporary works have been cited as references by the Ministry of Finance, ***Economic Survey 2010–11,*** Government of India, N Delhi, p. 40.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

मूल्य और अर्थशास्त्र (Values and Economics)

मनोविज्ञान और विकासपरक जीव विज्ञान में एक शोध[25] से दर्शाया गया है कि **नैतिकता**, **परोपकार** और **मूल्य** मानी जाने वाली अन्य बातें इंसानी दिमाग का जन्मजात हिस्सा होती हैं, फिर भी जिस परिवेश में एक व्यक्ति रहता है वह उनका पोषण कर सकती हैं या कुचल सकती हैं। हालांकि इन इंसानी और नैतिक गुणों की पहचान का आर्थिक विकास पर भारी असर पड़ सकता था, लेकिन इसका अर्थशास्त्र में देरी से प्रवेश हुआ। इसलिए इस पर रचनाएं नई और छोटी हैं। दरअसल हालिया शोध दिखाते हैं कि समाज में कुछ 'अच्छे' लोग होने से व्यवहार का स्तर ऊपर उठ सकता है जिससे हम कुल मिलाकर एक बेहतर समाज बना सकते हैं। इसके भी प्रमाण हैं कि सामाजिक मानदंड और आदतें जो पहली नजर में किसी समाज में अंदर तक सीमाएं लगाती हैं, अल्पकाल में ही बदल सकती हैं। इस तर्क से तो किसी देश के लिए सामाजिक मानदंडों को विकसित और पोषित किया जा सकता है जो अधिक सक्रिय अर्थव्यवस्था को सक्षम करें।

एक देश की आर्थिक प्रगति की बात करते हुए सारा ध्यान, प्रशंसा और आलोचना दोनों, सामान्यतः सरकार पर केंद्रित रहता है। हालांकि यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि वह बहुत कुछ नागरिक समाज, फर्मों, किसानों और आम नागरिकों पर भी निर्भर होती है। सामाजिक मानदंड और सामूहिक विश्वास जो इन पक्षों के व्यवहार को आकार देते हैं, किसी देश के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

ईमानदारी, समयबद्धता, वायदे पूरे करने की प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार के प्रति नजरिया ऐसी विशेषताएं हैं जो सामाजिक विश्वास और मानदंड से बनती हैं और व्यवहार के तरीके आदत बन सकते हैं। इसके अलावा भारत जैसे एक लोकतंत्र में सरकार क्या कर सकती है यह काफी हद तक इस पर निर्भर करता है कि आम लोग क्या सोचते हैं और किस पर यकीन करते हैं। चुनावी राजनीति का अर्थ यही है। पहले इस पर ज्यादा ध्यान क्यों नहीं गया, इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि पारंपरिक अर्थशास्त्र के बारे में इतना ज्यादा लिखा गया था कि जैसे जीवन के ये गैर-अर्थशास्त्रीय पहलू महत्वहीन हैं। लेकिन अब हम जानते हैं कि एक बाजार आधारित अर्थव्यस्था नहीं चल सकती अगर लोग पूरी तरह खुद सोचकर काम करने वाले हों। जहां निजी-हित आर्थिक विकास का एक मुख्य कारक है, यह भी महत्वपूर्ण है कि माना जाए कि ईमानदारी, **सत्यनिष्ठा**, और विश्वसनीयता उस सीमेंट का काम करते हैं जो समाज को बांधता है। एक समय था जब अर्थशास्त्री इन सामाजिक मानदंडों, प्राथमिकताओं और परंपराओं को अपरिवर्तनीय मानकर व्यवहार करते थे। अगर ऐसा था तो उनके असर का विश्लेषण करने का कोई खास फायदा नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि लोगों में यह गुण बदले जा सकते हैं। ईमानदारी और शराफत को पोषित किया जा सकता है और भ्रष्टाचार से विमुखता को मजबूत किया जा सकता है।

अगर किसी देश में यह गुण अपर्याप्त या नहीं हैं तो यह संभव है कि वह देश जड़ हो जाएगा और अराजक गरीबी के जाल में फंसा रहेगा। उदाहरण के लिए उन **अनुबंधों** को लीजिए जो बाजार को विकसित होने और आर्थिक जिंदगी का आधार तैयार करते हैं। अगर किसी देश में अनुबंध की व्यवस्था इतनी कमजोर होगी कि अगर कोई बैंक मकान खरीदने के लिए किसी व्यक्ति को 20 साल का ऋण देता है, जिसके लौटाए न जाने की बहुत ज्यादा आशंका है तो इसका असर यह नहीं पड़ेगा कि

25. Several recent literature have been quoted by the ***Economic Survey 2011-12***, Ministry of Finance, GoI, N Delhi, p. 44:
    (i) F. Fukuyama, ***Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity***, Free Press, New York, 1996.
    (ii) A. S. Guha, and B. Guha, 'The Persistence of Goodness', ***Journal of Institutional and Theoretical Economics,*** 2012.
    (iii) M. D. Hauser, ***Moral Minds***, Harper Collins, New York, 2012.
    (iv) T. Hashimoto, 'Japanese Clocks and the History of Punctuality in Modern Japan', ***East Asian Science, Technology, and Society 2,*** 2008.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

उस देश में बैंक भारी घाटे में जाएंगे। इसका असर यह होगा कि बैंक ऋण नहीं देंगे और मकान का बाजार बहुत अल्पविकसित रहेगा और मकानों की कुल संख्या बहुत कम रहेगी।

जटिल और बड़े अनुबंध लागू करने, विशेषकर जिन्हें लंबे समय तक सुरक्षा दी गई हो, की जिम्मेदारी राज्य की है। राज्य कानून और व्यवस्था उपलब्ध करवाता है ताकि लोग अनुबंध कर सकें। आर्थिक जीवन रोजमर्रा के अनुबंधों से भरा होता है (उदाहरण के लिए, आप मुझे अपनी टैक्सी में यात्रा करने देते हैं और उसके अंत में आपको भुगतान करता हूं; मैं आपको पैसे देता हूं और आप मेरा घर अगले दो दिन तक पेंट करते हैं; या आप मेरा घर दो दिन तक पेंट करते हैं और मैं उसके बाद आपको पैसे देता हूं)। रोजमर्रा की इन स्थितियों में राज्य और अदालतों को लाना बहुत बोझिल होगा। यहां मुख्य जमानती लोगों की व्यक्तिगत **सत्यनिष्ठा** और **विश्वसनीयता** होनी चाहिए। जिन समाजों ने सफलतापूर्वक इन गुणों को विकसित कर लिया है उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है; जो समाज इन विशेषताओं में पीछे रह गए उनकी आर्थिक प्रगति भी कमजोर ही रही है।

यह ठीक-ठीक पता नहीं है कि इन मूल्यों को समाज में कैसे शामिल किया जाए। लेकिन, उम्मीद की जा सकती है कि इनके महत्व के बारे में लिखते रहने से बदलाव की प्रेरणा मिलेगी, जैसे ही आम लोगों को यह अहसास होगा कि **आर्थिक प्रगति** के लिए ये **सामाजिक गुण** उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितनी कि वह नीतियां जो सीधे अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं, जैसे–स्टॉक मार्केट का चलना या बाजार में प्रतियोगिता के नियम तय करना।

इसके अलावा, आधारभूत साक्षरता और बेहतर शिक्षा भी मददगार होगी क्योंकि फिर लोग खुद ही, अपने स्तर पर विचार कर सकते हैं और निष्कर्ष निकाल सकते हैं। साक्षरता का और फायदा है इसका परिणाम यह होता है कि सामान्यजन ऐसी नीतियों की मांग करते हैं जो वास्तव में बेहतर होती हैं, उनके बजाय जो सिर्फ सतह पर बेहतर दिखती हैं और भारत जैसे लोकतांत्रिक समाज में इससे राजनेता बेहतर नीतियां चुनना शुरू करेंगे। अंततः राजनेता और नीति-निर्माता अगर ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, और विश्वसनीयता के गुणों के *आदर्श* बनें तो गाड़ी चल पड़ेगी। नीति-निर्माण में इंसानी जीवन के व्यवहारपरक पहलुओं को शामिल करना लोगों के कल्याण में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

अध्याय 3

भारतीय अर्थव्यवस्था का उद्भव (EVOLUTION OF THE INDIAN ECONOMY)

*साल 1757 के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का शासन अपने हाथ में ले लिया, ब्रिटेन के भारत के साथ संबंध शोषणकारी हो गए, क्योंकि ब्रिटेन के निर्यात और चीन को अफीम के निर्यात के लिए पैसा बंगाल की कर आय से दिया जाता था। इस बात के पर्याप्त सबूत नहीं हैं कि यूरोपीय तकनीक एशिया स्थानांतरित हुई होगी। चीन और भारत के अनुभव को बारीकी से देखने की जरूरत इसलिए है कि इन देशों में सन् 1500 में एशिया की आबादी और जीपीपी का तीन-चौथाई हिस्सा था।**

इस अध्याय में

- ❑ पृष्ठभूमि
- ❑ प्राथमिक चालक बल–कृषि बनाम उद्योग
- ❑ नियोजित एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था
- ❑ सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर

*देखें एंगस मेडिसिन, ग्रोथ एंड एंटरैक्शन इन दि वर्ल्ड इकोनॉमी: दि रूट्स ऑफ मॉडनिटी, दि एईआई प्रेस, वॉशिंगटन डीसी, 2005, पृष्ठ 60

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

पृष्ठभूमि (THE BACKGROUND)

स्वतंत्रता-प्राप्ति के समय भारत की अर्थव्यवस्था बदतर स्थिति में थी। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का सटीक उदाहरण होने के कारण भारत अपनी नहीं बल्कि औपनिवेशिक शक्ति (यू.के.) के विकास का कार्य कर रहा था। कृषि और उद्योग दोनों में ही संरचनात्मक विसंगतियाँ थीं, जिसमें राज्य एकदम सीमांत भूमिका निभा रहा था। भारत की आजादी के 50 वर्ष पहले से जहाँ विश्व के दूसरे देशों में आर्थिक विकास में सरकार (राज्य) द्वारा सक्रिय भूमिका निभायी जा रही थी (इंग्लैंड में भी), वहीं भारत की सरकार ऐसा कुछ करने के बजाय एक आर्थिक शोषक का कार्य करती रही थी।[1]

भारत से इंग्लैंड निवेश योग्य पूँजी का न सिर्फ एकतरफा हस्तांतरण जारी था, जिसे धन-निष्कासन (ड्रेन ऑफ वेल्थ) भी कहा गया है, बल्कि रुपये की असमान विनिमय दर के प्रचलन से भारतीय वाणिज्य, व्यापार और हस्तकरघा उद्योग को गहरी क्षति पहुंच रही थी। पूरे औपनिवेशिक काल में अंग्रेजी सरकार ने भारत की उन क्षमताओं के विकास पर ध्यान दिया, जिनसे भारत प्राथमिक उत्पादों का वृहत् निर्यातक बन सके। साथ ही ब्रिटिश प्रतिरक्षा व्यय का एक बहुत बड़ा भाग भी भारत पर लदा हुआ था।[2]

ब्रिटिश शासकों ने सामाजिक क्षेत्र की उपेक्षा की जिसका नकारात्मक प्रभाव अर्थव्यवस्था में उत्पादन और उत्पादकता पर पड़ा। ब्रिटिश शासन में भारत निरक्षरों का महाद्वीप बना रहा। स्वतंत्रता-प्राप्ति के समय साक्षरता दर मात्र 17 प्रतिशत थी, जबकि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 32.5 वर्ष थी।[3]

उपनिवेशवादियों ने भारत के औद्योगीकरण की भी उपेक्षा की; भारत को औद्योगिक देश बनाने के लिए जरूरी आधारभूत ढाँचे का विकास नहीं किया, बल्कि यहाँ के कच्चे माल के शोषण और उपभोग के लिए किया जो भारतीय पूँजीपति उभरे भी वे प्राय: ब्रिटिश वाणिज्यिक पूँजी पर निर्भर थे और उद्योग के अनेक क्षेत्रक ब्रिटिश प्रतिष्ठानों के अधीन अथवा उनके द्वारा संचालित थे, जैसे – जहाजरानी, बैंकिंग, बीमा, कोयला, बागान तथा जूट इत्यादि।[4]

स्वतंत्रता-पूर्व का काल कुल मिलाकर ठहराव का काल था जिसमें उत्पादन की संरचना अथवा उत्पादकता के स्तर में कोई परिवर्तन दृष्टव्य नहीं था – 20वीं सदी के पूर्वार्द्ध में वास्तविक उत्पादन दर 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष या इससे भी कम थी।[5]

ब्रिटिश शासन में भारत का आर्थिक प्रदर्शन कुल मिलाकर निम्न स्तर पर था। आर्थिक सांख्यिकविद् अंगस मैडिसन के अनुसार 1600 से 1870 ईस्वी तक भारत में प्रति व्यक्ति वृद्धि दर शून्य थी – 1870 से 1947 के बीच प्रति व्यक्ति वृद्धि दर 0.2 प्रतिशत थी, जबकि ब्रिटेन में 1 प्रतिशत रही थी।[6] 1899 में 18 रुपये तथा 1895 के लिए 39.5 रुपये की प्रति व्यक्ति आय का आँकड़ा भारतीय जनता की घोर दरिद्रता की कहानी कहता है।[7] 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध तथा 20वीं सदी के पूर्वार्द्ध में बार-बार के अकालों तथा महामारियों से भारत की ब्रिटिश सरकार की सामाजिक-आर्थिक जिम्मेदारियों के प्रति घोर लापरवाही

1. Bipan Chandra, Mridula Mukherjee and Aditya Mukherjee, ***India After Independence,*** Penguin Books, New Delhi, p. 341.
2. Bipan Chandra, **'The Colonial Legacy'** in Bimal Jalan (ed.) ***The Indian Economy: Problems and Prospects***, Penguin Books, New Delhi, Revised Edition, 2004, p. 5.
3. B. R. Tomlinson, ***The Economy of Modern India 1860–1970,*** Cambridge University Press, Cambridge, 1993, p. 7.
4. Angus Maddison, ***The World Economy: A Millennial Perspective,*** OECD, Paris, 2001, p. 116.
5. A. Vaidyanathan, 'The Indian Economy Since Independence (1947–90)', in Dharma Kumar (ed.), ***The Cambridge Economic History of India,*** Vol.II, Cambridge University Press, Cambridge, England, Expanded Edition, 2005, p. 947.
6. Angus Maddison, **The World Economy**, p. 116.
7. The respective data of Digby and Atkinson have been quoted by Sumit Sarkar, ***Modern India 1885–1947,*** Macmillan, New Delhi, 1983, p. 42.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

प्रकट होती है जबकि दूसरी ओर जनता के घोर दु:ख-दैन्य का अनुमान भी लगता है।[8]

राजनेताओं और उद्योगपतियों को भारत के आजाद होने के बाद देश की आर्थिक स्थिति का अंदाजा भी था और चिंता भी थी। यही वजह है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के आर्थिक विकास में कई लोगों ने अहम भूमिका निभाई। आजादी से पहले ही कई प्रमुख रणनीतिक मुद्दों पर आपसी सहमति[9] भी देखने को मिली। ये मुद्दे निम्नांकित थे:

(i) विकास की सीधी जिम्मेदारी राज्यों एवं सरकारों की होगी।

(ii) सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए महत्वाकांक्षी और अहम भूमिका होगी।

(iii) भारी उद्योग के विकास की जरूरत।

(iv) विदेशी निवेश के लिए उत्साह दिखाने की जरूरत नहीं।

(v) आर्थिक योजना की जरूरत।

जब देश स्वतंत्र हुआ तब सरकार के सामने आर्थिक क्षेत्र में विकास के लिए एक व्यवस्थित संस्था की जरूरत थी। तब देश की अर्थव्यवस्था से कोई उम्मीद नहीं थी, ऐसे में ऐसी संस्था को बनाना भी मुश्किल चुनौतियों से भरा था। राजनीतिक नेतृत्व के सामने आर्थिक वृद्धि और विकास की भारी मांग को पूरा करने की चुनौती थी क्योंकि देश की जनता वादों और राष्ट्रीयता के उभार पर सवार थी। यह कोई आसान काम नहीं था।

---

8. Recounted vividly by Mike Davis in his ***Late Victorian Holocaust: El Nino Famines and the Making of the Third World*** (Verso, London & New York, 2001, p. 162), where he links the monsoon failures in India to El Nino—Southern Oscillation (ENSO) climate fluctuations in the western Pacific. The monsoon failure leading to drought and hunger one year and then to a severe malaria epidemic the next when the rains reappeared and a burst of mosquito abundance afflicted a weakened population.
9. Bipan Chandra et. al., ***India's Struggle for Independence,*** p. 15.

तब देश के राजनीतिक नेतृत्व ने ये फैसला लिया कि वक्त देश के भविष्य को आकार देने का है। कई महत्वपूर्ण और अहम फैसले 1956 में लिए गए, जो आज तक भारतीय अर्थव्यवस्था के ढांचे में अपना योगदान दे रहे हैं। ये फैसले आर्थिक सुधारों से पहले तो बेहद अहम साबित हुए ही, आर्थिक सुधारों के बाद भी उनका असर कायम रहा। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति और उसकी संभावनाओं को समझने के लिए आपका ये जानना बेहद जरूरी है कि किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था विकसित हुई। इससे जुड़े तथ्य, घटनाएं, वजहें और अन्य घटकों को जानना भी उपयोगी हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के सफर की झलक।

प्राथमिक चालक बल-कृषि बनाम उद्योग (PRIME MOVING FORCE– AGRICULTURE VS. INDUSTRY)

भारत में क्षेत्र का चयन बहस का प्रासंगिक मुद्दा रहा है कि कौन-सा क्षेत्रक विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। तत्कालीन सरकार ने उद्योग को भारत की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने वाली प्रधान चालक शक्ति मानकर इसका ही चयन किया। भारत को उद्योग के बदले उस समय कृषि को विकास की बेहतर संभावना के लिए प्रधान चालक बल के रूप में चयन करना चाहिए था या नहीं – आज भी विशेषज्ञों के बीच यह बहस जारी है।

प्रत्येक अर्थव्यवस्था को अपने विकास के लिए प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों का दोहन करना पड़ता है। एक निर्धारित समय सीमा में हासिल करने के लिए लक्ष्यों की प्राथमिकता भी तय करनी पड़ती है। संसाधनों (प्राकृतिक तथा मानव) की उपलब्धता अथवा अनुपलब्धता ही एक मात्र मुद्दा नहीं है जो एक अर्थव्यवस्था यह तय करके घोषित करे कि उसे प्रधान चालक शक्ति के रूप में कृषि को चुनना है अथवा उद्योग को। इसके अलावा भी अनेक सामाजिक-राजनीतिक दबाव तथा उद्देश्य होते हैं जिनकी ऐसे निर्णयों में भूमिका होती है।

स्वतंत्रता के पश्चात् राजनीतिक नेतृत्व ने उद्योग को अर्थव्यवस्था की प्रधान चालक शक्ति के रूप में चुना –

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

यह पहले ही राष्ट्रवादी नेताओं के प्रभावी समूह द्वारा 1930 के दशक के मध्य में ही तय किया जा चुका था जबकि उन्होंने भारत में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता अनुभव भी 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति (National Planning Committee) का गठन किया था। उपलब्ध संसाधनों के मद्देनजर यह एक अतार्किक निर्णय था क्योंकि भारत में उन पूर्वापेक्षाओं अथवा जरूरतों का अभाव था, जिनके कारण उद्योग को प्रधान चालक घोषित किया जा सकता, जैसे:

(i) आधारभूत संरचना, जैसे-बिजली, परिवहन तथा संचार की अनुपस्थिति;

(ii) आधारभूत उद्योग-लोहा एवं इस्पात, सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, तेलशोधन तथा बिजली की नगण्य उपस्थिति;

(iii) निवेश योग्य पूँजी की कमी-चाहे वह सरकार हो या निजी क्षेत्र;

(iv) उद्योग की प्रक्रिया को चलाने के लिए जरूरी प्रौद्योगिकी की अनुपस्थिति तथा शोध एवं विकास का सर्वथा अभाव;

(v) कुशल मानव संसाधन की कमी;

(vi) लोगों में उद्यमशीलता का अभाव;

(vii) औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार की अनुपस्थिति, तथा;

(viii) अन्य सामाजिक-मनोवैज्ञानिक कारक जो कि अर्थव्यवस्था के सुचारू औद्योगीकरण में बाधक तत्व बने।

वास्तव में, भारत के लिए अर्थव्यवस्था की चालक शक्ति के रूप में कृषि ही सबसे स्वाभाविक विकल्प होता क्योंकि:

(i) भारत के पास उर्वर भूमि के रूप में प्राकृतिक संसाधन मौजूद था जो कि कृषि के लिए उपयुक्त था।

(ii) मानव पूँजी के लिए किसी उच्च कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं थी।

मात्र अपने भूमि स्वामित्व सिंचाई तथा कृषि के अन्य इनपुट के पुनर्गठन से भारत अपने विकास की बेहतर संभावना तलाश सकता था। एक बार यह सुनिश्चित कर लेने के बाद कि देश में अन्न, आवास, मूलभूत स्वास्थ्य सुविधा आदि का संकट नहीं है, विकास का एक लक्ष्य तो हासिल किया ही जा सकता था - आम लोगों के कल्याण का लक्ष्य। एक बार लोगों द्वारा एक स्तर की क्रय शक्ति अर्जित कर लेने के बाद भारत उद्योगों के विस्तार में लग सकता था। भारत उतनी अतिरिक्त आय सृजित करने में सक्षम था जितनी कि उभर रहे उद्योगों की बाजारू सफलता के लिए जरूरी थी। चीन ने 1949 में यही किया। अपने संसाधनों का सम्यक् मूल्यांकन करके उसने कृषि को अर्थव्यवस्था की प्रधान चालक शक्ति घोषित किया। कृषि से जो अतिरिक्त आमदनी हुई, उसका औद्योगीकरण की पूर्व आवश्यकताओं के विकास के लिए निवेश किया गया जबकि 1970 के दशक में देश इसके लिए तैयार हुआ।

औद्योगिक चीन का उदय इतना प्रभावकारी था कि उसकी धमक तथाकथित उन्नत विकसित तथा औद्योगिक देशों में भी अनुभव की गई। चीन का उद्योग संबंधी प्रयास चीन को एक विशाल औद्योगिक देश के रूप में बदलने में फलीभूत हुआ।

प्रश्न उठता है कि स्वतंत्र भारत का नेतृत्व क्या वास्तविकताओं का विश्लेषण करने में सक्षम नहीं था जैसा कि ऊपर विवेचन किया गया और यह निष्कर्ष सामने आया कि कृषि को उद्योग के ऊपर प्रधानता मिलनी चाहिए थी? क्या यह संभव है कि पंडित नेहरू भारत की जमीनी वास्तविकताओं का विवेकपूर्ण विश्लेषण करने में चूक गए, जो कि अपने समय में एशिया के स्वप्नदर्शी नेताओं में बहुत ऊँचे कद के थे (उस समय माओ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर उभर कर नहीं आए थे)? यह कैसे संभव हुआ कि भारत स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात कृषि को प्राथमिकता का क्षेत्र घोषित करने में विफल रहा है जबकि उसने आजादी की लड़ाई गाँव, कृषि तथा ग्रामीण विकास को प्रमुखता देने वाले गाँधीवादी सिद्धांतों के आधार पर लड़ी थी। भले ही गाँधीजी सत्ता से दूर रहे लेकिन कितने ही उद्भट् गाँधीवादी सरकार में शामिल थे और इसमें भी संदेह नहीं कि सरकार के अंदर जो मुख्य प्रेरणा सरकारी निर्णयों को संचालित करती थी, वह और कुछ नहीं बल्कि 'गाँधीवादी समाजवाद' था उस समय अनेक ऐसे निर्णय थे जिन पर

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

उस काल की मुख्य राजनीतिक शक्ति का प्रभाव था, फिर भी कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व अर्थात नेहरूजी के स्वप्नदर्शी रुझानों के प्रभाव में लिए गए। यही कारण है कि स्वतंत्र भारत के आर्थिक चिंतन को आज भी नेहरूवादी अर्थशास्त्र के रूप में जाना और स्वीकार किया जाता है। यदि हम भारतीय आर्थिक इतिहास के प्रमुख साहित्य पर नजर दौड़ाएं, उस समय के आलोचकों तथा समकालीन विशेषताओं के विचारों पर गौर करें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों भारत ने उद्योग को अर्थव्यवस्था की प्रमुख चालक शक्ति के रूप में अपनाया जबकि कृषि ही उसके लिए सबसे सहज और सार्थक विकल्प था (यह हमारे लिए प्रीतिकर प्रसंग नहीं है कि आज भी विशेषज्ञों के बीच यह विषय बहस का मुद्दा है)। निम्न प्रकार से इसे और स्पष्ट किया जा सकता है:

(i) उपलब्ध संसाधनों के मद्‌देनजर कृषि ही अर्थव्यवस्था की प्रधान चालक बल के रूप में स्वाभाविक विकल्प थी (कृषि योग्य भूमि तथा मानव शक्ति), लेकिन चूँकि भारतीय कृषि में पारम्परिक औजारों तथा तकनीक का इस्तेमाल हो रहा था, इसलिए इसके आधुनिकीकरण तथा भविष्य में यांत्रिकीकरण (कुछ अंशों में) की प्रक्रिया स्वदेशी औद्योगिक आधार के अभाव में बाधित हो जाती। यदि हम इसके लिए आयात का सहारा लेते तो इसके लिए पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार की जरूरत थी, साथ ही विदेशों पर निर्भरता भी बन जाती। उद्योग को प्रधान चालक शक्ति के रूप में चुनाव करके वास्तव में हम अर्थव्यवस्था का औद्योगीकरण तो कर ही रहे थे, पारम्परिक कृषि का आधुनिकीकरण भी कर रहे थे।

(ii) पूरी दुनिया में, विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) सहित प्रबल विचारधारा औद्योगीकरण के पक्ष में थी-तीव्रतर वृद्धि तथा अंततः तीव्रतर विकास के लिए। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ सदस्य देशों को हर औद्योगीकरण के लिए हर दृष्टिकोण से समर्थन दे रही थी। यही स्थिति विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ भी थी। इस समर्थन और सहयोग के आधार पर न सिर्फ औद्योगीकरण तेज होना था, बल्कि भविष्य में औद्योगिक निर्यातक बनने की आशा भी बँधती थी। ऐसा सहयोग सदस्य देशों को उस स्थिति में नहीं मिल सकता था जब वे कृषि को प्रधान चालक शक्ति मानकर चलते। वास्तव में कृषि को आगे लेकर चलना कहीं न कहीं पिछड़ेपन की निशानी भी था। भारत का राजनीतिक नेतृत्व देश को आगे ले जाने को संकल्पित था, पीछे नहीं। यह तो 1990 के दशक में जरूर संभव हुआ कि दुनिया और विश्व बैंक/अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कृषि क्षेत्र के प्रति दृष्टिकोण बदला और इस पर बल देना पिछड़ेपन की निशानी नहीं रह गया।

(iii) द्वितीय विश्व युद्ध ने सामरिक शक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध कर दी। सामरिक शक्ति के लिए एक देश को मात्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी ही नहीं बल्कि औद्योगिक आधार भी चाहिए। भारत को भी एक शक्तिशाली सामरिक आधार विकसित करना था-प्रतिरोधक बल के रूप में। उद्योग क्षेत्र को प्रधान चालक बल बनाकर एक साथ अनेक चुनौतियों का समाधान ढूँढ़ने की कोशिश की गई–***पहला***, उद्योग से तीव्र वृद्धि संभव होगी, ***दूसरा***, कृषि का आधुनिकीकरण संभव होगा तथा ***तीसरा***, देश अपनी प्रतिरक्षा शक्ति का विकास कर सकेगा। चूँकि अर्थव्यवस्था में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तैयारी को भी प्रधानता मिली थी, इसकी उपलब्धियाँ आधुनिक विश्व के अनुरूप होतीं (यह भारत में बहुत हद तक संभव हुआ)।

(iv) स्वतंत्रता पूर्व भी राष्ट्रीय नेताओं के साथ-साथ समाज विज्ञानियों के बीच इस बात पर एक राय थी कि भारत में सामाजिक परिवर्तन को गति मिलनी चाहिए क्योंकि देश आधुनिकता के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था। इसके लिए परम्परागत एवं पुरानी जीवन शैली को त्यागना तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त कृषि एक अनिवार्यता थी। यह

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

सोच भी पूर्ण औद्योगीकरण की ओर देश को ले जाने का कारण बना।

(v) भारत को स्वतंत्रता मिलने तक औद्योगीकरण की ताकत का अनुभव दुनिया को हो चुका था और इसकी सक्षमता अथवा सामर्थ्य में कोई संदेह नहीं रहा था।

उपरोक्त कारणों से भारत स्वतंत्रता-पश्चात तीव्र औद्योगीकरण की ओर उन्मुख हुआ और यही अर्थव्यवस्था की प्रधान चालक शक्ति बन गया। शायद संसाधन संबंधी एवं भारत की स्वभावगत वास्तविकताएँ औद्योगीकृत एवं विकसित भारत की आशाओं-आकांक्षाओं में खो गईं। फिर भी यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि भारतीय अर्थव्यवस्था इसमें पूर्णत: विफल रही है। इस विषय पर विशेषज्ञ एकमत नहीं हैं।

20वीं सदी के अंतिम दशक में कृषि को लेकर आर्थिक विचारों की दुनिया में बड़े परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए। कृषि किसी अर्थव्यवस्था के लिए पिछड़ेपन का प्रतीक नहीं रह गया अगर इसे वृद्धि एवं विकास का इंजन बनाने के प्रयास हुए। चीन ने सिद्ध कर दिखाया कि किस प्रकार कृषि को अर्थव्यवस्था की प्रधान चालक शक्ति बनाकर आंतरिक एवं बाह्य रूप से शक्ति संपन्न होकर एक बड़ी औद्योगिक अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। सुधार प्रयासों एवं प्रक्रियाओं से गुजरते हुए भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही अपनाई गई लगभग सभी आर्थिक नीतियों की समीक्षा आत्मविश्लेषण की दृष्टि से कर रहा था। अब कृषि क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करने का समय आ पहुँचा था। भारतीय आर्थिक चिंतन में एक बड़ा परिवर्तन[10] आया जबकि वर्ष 2002 में भारत सरकार ने घोषणा की कि अब से **कृषि ही उद्योग के स्थान पर अर्थव्यवस्था की प्रधान चालक शक्ति** (PMF, prime moving force) होगी। यह ऐतिहासिक महत्व का बदलाव था जिसे उच्चस्तरीय आर्थिक चिंतन केन्द्र (economic think tank) योजना आयोग ने संभव बनाया था जबकि दसवीं योजना (2002-07) की शुरुआत की गई। योजना आयोग[11] के अनुसार इस नीतिगत परिवर्तन से अर्थव्यवस्था तीन बड़ी चुनौतियों से निबटने में समर्थ होगी –

(i) अर्थव्यवस्था कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा हासिल करने में समर्थ होगी। इसके अतिरिक्त कृषि अधिशेष (agricultural surplus) से भूमंडलीकृत होती विश्व अर्थव्यवस्था में विश्व व्यापार समझौते (WTO) का लाभ उठाकर निर्यात की संभावना बनाई जा सकेगी।

(ii) गरीबी उन्मूलन की समस्या बहुत हद तक हल की जा सकेगी क्योंकि कृषि की प्रधानता से यह उच्चतर आय सृजन वाला व्यवसाय बन जाएगी और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी अधिक लाभकारी रोजगार होने से वृद्धि होगी।

(iii) बाजार की दृष्टि से 'विफल' उदाहरण के रूप में देखे जाने वाले भारत की स्थिति में भी सुधार हो सकेगा।[12]

---

10. The Government of India had shown such an intention in two regular Union Budgets (i.e., the fiscals 2000–01 and 2001–02) but has not announced the shift officially.

11. Planning Commission, ***Tenth Five Year Plan (2002–07)***, Government of India, New Delhi, 2002.

12. It has been argued by economists time and again that India is a typical example of 'market failure'. Market failure is a situation when there are goods and services in an economy and its requirement too, but due to lack of purchasing power the requirements of the people are not translated into demand. Whatever industrial goods and services India had been able to produce they had stagnated or stunted sales in the market as the largest section of the consumers earned their livelihood from the agriculture sector, which is unable to create a purchasing power to the levels required by the market. As agricultural activities will become more gainful and profitable, the masses depending on it will have the level of purchasing capacity to purchase the industrial goods and services from the market. Thus, the Indian market won't fail. The view has been articulated by Amartya Sen and Jean Dreze in their monograph titled ***India: Economic Development and Social Opportunity***, United Nations University, 1996.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

कृषि क्षेत्र के बारे में वैसे तो वैश्विक (WB एवं IMF सहित) बोध (perception) 1990 के दशक के मध्य तक बदल चुका था लेकिन इस दिशा में भारत की आधिकारिक घोषणा कुछ विलंब से हो पायी-भारत में वर्ष 2002 में कृषि क्षेत्र को (औद्योगिक क्षेत्र के बदले में) अर्थव्यवस्था की 'प्राथमिक चालक बल' (Prime Moving Force) मानी गयी। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की उच्च भूमिका के मामले में आज सरकार एवं विशेषज्ञों की सोच एक जैसी है। वैसे देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में कृषि की हिस्सेदारी घटती गयी है (**17.4 प्रतिशत**)। लेकिन रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में इसकी हिस्सेदारी (**48.7 प्रतिशत**) आज भी काफी उच्च है।[13]

चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना का निर्धारण उत्तरोत्तर आने वाली औद्योगिक नीतियों से हुआ था यही कारण रहा कि आर्थिक सुधारों की शुरुआत भी इसी क्षेत्र से हुयी। जहां तक कृषि क्षेत्र में आर्थिक सुधारों की बात है तो इसकी शुरुआत कुछ विलंब से हो सकी-वर्ष 2000 की शुरुआत में। इस विलंब के लिए जिम्मेदार *मुख्य कारण* निम्न प्रकार रहे:

(i) आर्थिक सुधारों में निजी निवेश को बढ़ावा देना तय था। चूंकि कृषि क्षेत्र पहले से ही निजी क्षेत्र के लिए मुक्त था इसमें निजी निवेश को बढ़ावा देने का रास्ता सिर्फ 'संगठित' (Corporate) एवं 'ठेका' (Contract) रह गया था और देश की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति इसके लिए तैयार नहीं थी।

(ii) कृषि समाज में आर्थिक सुधारों के बारे में अनभिज्ञता एवं शक का माहौल था (कि यह प्रक्रिया धनी वर्ग के लिए ही लाभकारी है)।

(iii) कृषि क्षेत्र पर जीवन निर्वाह के लिए चूंकि निर्भरता काफी उच्च है जिस कारण भूमि अधिग्रहण या अन्य कृषि सुधारों को अंजाम देना मुश्किल बना रहा। भारत को पहले औद्योगिक क्षेत्र (विशेषकर रोजगार-त्वरित विनिर्माण क्षेत्र) के विस्तार द्वारा कृषि पर निर्भर जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराने की जरूरत है तभी कृषि क्षेत्र में उचित सुधारों को क्रियान्वित किया जा सकता है।

किसी एक क्षेत्र जिसमें केन्द्र एवं राज्य की सरकारें सर्वाधिक अवरोधों का सामना करती रही हैं वह है कृषि क्षेत्र। वर्तमान समय में इस क्षेत्र के **आवश्यक** सुधारों एवं संबंधित अवरोधों को निम्न प्रकार देखा जा सकता है :

(i) देश में एक *राष्ट्रीय कृषि बाजार* की आवश्यकता है लेकिन राजनीतिक शक्ति के अभाव में राज्यों द्वारा उचित प्रकार के कृषि उत्पाद बाजार समितियों (ADMCs) का निर्माण लंबित है।

(ii) कृषि में *संगठित क्षेत्र के निवेश* को बढ़ावा इसलिए नहीं दिया जा पा रहा है क्योंकि देश में भूमि अधिग्रहण की एक प्रभावी और पारदर्शी नीति उपलब्ध नहीं है।

(iii) *श्रम सुधारों* के अभाव में न सिर्फ वाणिज्यिक कृषि का विकास नहीं हो पा रहा है बल्कि उचित औद्योगिक विकास करके कृषि पर जनसंख्या के भारी बोझ को कम करना संभव नहीं हो पा रहा है।

(iv) उचित अनुसंधान एवं विकास तथा निवेश की कमियों के कारण *कृषि मशीनीकरण* बाधित हो रहा है।

(v) कृषि क्षेत्र में सही स्तर एवं प्रकार के *अनुसंधान एवं विकास* की आवश्यकता है लेकिन उचित वातावरण के अभाव में इस दिशा में दक्ष एवं सक्षम निजी क्षेत्र को बढ़ावा नहीं दिया जा सका है।

(vi) कृषि उत्पादों के बाजार तक की पहुंच को स्थापित करने के लिए देश को *'सप्लाई चेन प्रबंधन'* में उचित निवेश करने की आवश्यकता है।

13. Ministry of Finance, **Economic Survey 2015–16,** Government of India, Vol. 2, p. 98.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(vii) इसी प्रकार कृषि उत्पादों के लिए उचित किस्म के *'कमोडिटी ट्रेडिंग'* की व्यवस्था अत्यावश्यक है ताकि इन उत्पादों का सही और जोखिम रहित मूल्य की खोज हो सके।

(viii) ताकि भारतीय कृषि *वैश्वीकृत* ही रहे आर्थिक हालात में विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा कर सकें, भारत की तैयारी काफी कमजोर रही है।

(ix) इसी प्रकार कृषि को *लाभकारी* (remunerative) बनाना अत्यावश्यक है ताकि कृषक समाज अपने कृषि कार्यो से बाजार-आधारित (Market-based) आय अर्जित कर सके। कृषि संकट (agrarian crisis) के लिए यह एक भारी कारण रहा है।

विशेषज्ञों की राय में भारतीय कृषि क्षेत्र के विकास एवं सुधार के लिए देश की सरकारों में उच्च स्तरीय सहभागिता का होना काफी जरूरी है। कृषक समाज में जागरूकता तथा सरकारों की सही नीतियों के द्वारा ही इस क्षेत्र का उचित विकास संभव है।

नियोजित एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था (Planned and Mixed Economy)

स्वतंत्र भारत एक नियोजित एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश बना। भारत को राष्ट्रीय नियोजन की आवश्यकता थी, यह राजनीतिक नेतृत्व ने आजादी के इस वर्ष पूर्व ही तय कर लिया था।[14] भारत न केवल संसाधन के स्तर पर क्षेत्रीय असमानताओं का सामना कर रहा था, बल्कि अन्तर्क्षेत्रीय असमानताएँ भी यहाँ सदियों से मौजूद थीं। व्यापक निर्धनता तभी दूर हो सकती थी जब सरकार आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया शुरू करती। इसलिए असमानताएँ दूर करने में आर्थिक नियोजन को एक कारगर औजार माना गया।

वास्तव में भारतीय जनता की घोर निर्धनता की स्थिति ने ही सरकार को नियोजन की प्रक्रिया अपनाने को विवश किया, जिससे कि वह संसाधनों के आवंटन तथा उनको एकत्रित कर समत्वपूर्ण वृत्ति एवं विकास के लिए अपनी सक्रिय भूमिका निभा सके। यद्यपि भारत संवैधानिक रूप से राज्यों का एक संघ था, नियोजन की प्रक्रिया में गतिविधियों के नियमन एवं निदेशन का अधिकार अधिक से अधिक केन्द्र सरकार के हाथों में केन्द्रित होता गया।[15]

भारत के नियोजित अर्थव्यवस्था अपनाने के पीछे कुछ तत्कालीन अनुभव भी थे, जिन्होंने दुनिया को प्रभावित किया था—[16] ***पहला,*** 1929 की मंदी और दूसरे महायुद्ध के बाद पुनर्निर्माण की चुनौती के कारण विशेषज्ञ इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि राज्य को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाहिए (एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित 'अहस्तक्षेप' के विचार के विपरीत)। ***दूसरा,*** लगभग इसी काल में सोवियत संघ एवं पूर्वी यूरोप के देशों की 'कमांड' अर्थव्यवस्थाएँ (अर्थात् राज्य अर्थव्यवस्थाएँ) अपने तीव्र आर्थिक वृद्धि की खबरें बना रही थी। 1950 एवं 1960 के दशक में दुनिया भर में नीति-निर्माताओं की राय अर्थव्यवस्था में राज्य की सक्रिय भूमिका के पक्ष में बन रही थी। ***तीसरा,*** दुनिया भर में बाजारी विफलता (market failure) की स्थितियों को निष्प्रभावी करने में राज्य की प्रभावी भूमिका को स्वीकार किया जा रहा था। ध्यातव्य है कि, 1929 की महामंदी के दौरान बाजारी विफलता की स्थिति बनी थी जबकि माँग निम्नतम स्तर तक गिर गई थी। अनेक नव-स्वतंत्र विकासशील राष्ट्रों के लिए इसीलिए आर्थिक नियोजन एक स्वाभाविक विकल्प बना। यह सोचा गया कि आर्थिक नियोजन एक निश्चित समय सीमा में प्राथमिकता शुदा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधन जुटाने में राज्य की सहायता करता है।

एक बार जब राजनीतिक नेतृत्व ने भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था को स्वीकार कर लिया, उनके लिए यह स्पष्ट करना जरूरी हो गया कि अर्थव्यवस्था की सांगठनिक प्रकृति क्या होगी। वह राज्य अर्थव्यवस्था होगी

14. **National Planning Committee,** GoI, N. Delhi, 1949.

15. Bimal Jalan, ***India's Economic Policy,*** Penguin Books, New Delhi, 1993, p. 2.

16. C. Rangarajan, ***Perspectives on Indian Economy,*** UBSPD, New Delhi, 2004, p. 96.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

या फिर मिश्रित, क्योंकि मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था (पूँजीवादी अर्थव्यवस्था) में नियोजन संभव नहीं होता। भारत में नियोजन का विचार सोवियत नियोजन (यह योजना) से प्रेरित था जो कि एक 'कमांड' अर्थव्यवस्था थी और लोकतांत्रिक भारत की जरूरतों के अनुरूप नहीं थी जहाँ अब तक अर्थव्यवस्था निजी स्वामित्व वाली थी।[17] भारत में नियोजन के पीछे सबसे प्रभावी शक्ति कम से कम आजादी के बाद, नेहरू थे जो दृढ़ समाजवादी झुकावों वाले नेता थे। उन्होंने अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को जल्दी परिभाषित करना जरूरी समझा जो कि कभी तो बिल्कुल सोवियत संघ की तरह दिखने वाली थी और कभी इसके बिल्कुल उलट। हालाँकि उस समय तक पूँजीवादी-लोकतांत्रिक प्रणाली भी फ्रांस में एक उदाहरण बन रही थी (1947), लेकिन भारत को देने के लिए इसका अनुभव अत्यल्प था। फ्रांस में यह प्रणाली 1944-45 में ही अपनाई थी। आर्थिक वृद्धि को गति प्रदान करने के लिए योजनाकारों ने पहली ही पंचवर्षीय योजना में राज्य और बाजार की अपनी-अपनी भूमिका को परिभाषित किया। निम्नलिखित पंक्तियाँ अब भी समय से आगे दिखती हैं और अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को निजी क्षेत्र की भूमिका के मुकाबले बिल्कुल स्पष्ट कर देती हैं:

''इससे हमारे समक्ष नियोजन की तकनीक की समस्या आती है। इस समस्या को देखने का एक दृष्टिकोण, जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है, यह हो सकता है कि उत्पादन के साधनों का कमोबेश पूर्ण राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए तथा संसाधनों के आवंटन और राष्ट्रीय उत्पाद के वितरण पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण स्थापित कर दिया जाए। मात्र नियोजन के एक तकनीक के रूप में निर्णय करने पर यह एक आशाजनक कार्रवाई प्रतीत हो सकती है। लेकिन ऊपर रेखांकित उद्देश्यों की पृष्ठभूमि में साथ व्यावहारिक दृष्टि से विचार करने पर, सार्वजनिक क्षेत्र का ऐसा विस्तार, वर्तमान अवस्था में, न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नियोजन का अर्थ है उत्पादक शक्ति के पुनर्संघटन में दबाव अथवा बल प्रयोग का न्यूनतम उपयोग। इस अवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के उपलब्ध संसाधनों का नये ढंग से निवेश के लिए उपयोग करता है, न कि वर्तमान उत्पादन क्षमता के अधिग्रहण में उनका इस्तेमाल होना चाहिए। कुछ मामलों में उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक स्वामित्व जरूरी हो सकता है जबकि अन्य के लिए सार्वजनिक विनियमन एवं नियंत्रण। निजी क्षेत्र को, तथापि, उत्पादन तथा वितरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। हाल की परिस्थितियों में इसीलिए नियोजन का अर्थ व्यावहारिक रूप में ऐसी अर्थव्यवस्था से होगा जो राज्य द्वारा मार्गदर्शित एवं निदेशित हों जबकि अंशतः राज कार्य द्वारा तथा अंशतः निजी प्रयासों एवं पहलों से संचालित हो।''[18]

ऊपर उद्धृत पंक्तियाँ कल्पनाशीलता में अपने समय से आगे हैं। यह कहना उपयुक्त होगा कि 1950 के दशक में विशेषज्ञों ने अर्थव्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप का पक्ष लिया, आने वाले तीन दशकों में ***पूर्व एशियाई चमत्कार*** (East Asian Miracle,WB)[19] ऐसे हस्तक्षेप की सीमा परिभाषित करने वाला था। पूर्व एशिया के देशों ने तीन दशकों से उच्च वृद्धि दर बनाए रखने में सफलता पाई और इस चर्चा को पुनर्जीवित कर दिया अर्थव्यवस्था में राज्य और बाजार की क्या भूमिकाएँ हैं, साथ ही राज्य की भूमिका की प्रकृति क्या हो। इन चर्चाओं का निष्कर्ष जैसा कि विश्व बैंक ने 1993 में प्रस्तुत किया, वही रहा जो कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में उल्लिखित था।

मिश्रित अर्थव्यवस्था के भारतीय संस्करण की वास्तविक प्रकृति 1951 में रेखांकित की गई, लेकिन 1950 के दशक में इसका क्रमिक विकास हुआ।[20] 1950 के दशक के अंत तक मिश्रित अर्थव्यवस्था को लगभग

17. Rakesh Mohan, 'Industrial Policy and Control' in Bimal Jalan (ed.), ***The Indian Economy: Problems and Prospects,*** p. 101.

18. Planning Commission, ***The First Five Year Plan: A Draft Outline,*** GoI, New Delhi, 1951.

19. **World Bank, *The East Asian Miracle,*** World Bank, Washington D.C, 1993.

20. We see the process of evolution specially in the industrial policies, India pursued since 1948 to 1956.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

पूरी तरह त्याग दिया गया और 1980 के दशक के मध्य तथा अंत में 1990 के दशक की शुरुआत में यह विचार अपने 'सुप्तावस्था' (hybernation) से बाहर आया जबकि आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई।

आर्थिक सुधारों की शुरुआत के पश्चात् भारत सरकार द्वारा नियोजन की प्रक्रिया और योजना आयोग के कार्यों में समुचित बदलाव करने की कोशिश की गयी ताकि सुधार एवं नियोजन की प्रक्रियाएं एक-दूसरे से सम्मिलित रह सके। इस प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था के विकास के लिए निजी निवेश को बढ़ाने पर बल रहा।

वर्ष 2015 की शुरुआत में सरकार द्वारा एक बड़े बदलाव की घोषणा की गयी-वर्तमान योजना आयोग की जगह पर एक नये 'चिंतक निकाय' (Think Tank) **नीति आयोग** की स्थापना की गयी। इस नये निकाय के माध्यम से सरकार द्वारा विकास एवं नियोजन की विधि (Methodology) और प्रक्रिया (Process) दोनों ही में अभूतपूर्व परिवर्तन करने की कोशिश की गयी है। सहकारी संघवाद; विकेन्द्रीकृत, बहु-आयामी एवं समेकित विकास सहित विकास के एक भारतीय मॉडल के निर्माण, इत्यादि पर इसमें विशेष बल है। इस प्रकार भारत विकास के ऐसे मॉडल पर कार्य करने की ओर अग्रसर है जिसमें केन्द्र एवं राज्य सरकारों के साथ-साथ संगठित क्षेत्र, सिविल समाज एवं आम आदमी, सभी पक्षों को शामिल करने पर बल है।

सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर (Emphasis on The Public Sector)

राज्य को अर्थव्यवस्था में एक सक्रिय और प्रभावी भूमिका निभानी है, स्वतंत्रता-प्राप्ति तक यह बिल्कुल निश्चित हो गया था। उस समय तक इस बारे में उन लोगों के मन में कोई संदेह नहीं था जो तत्कालीन राजनीति के केन्द्र में थे। स्वाभाविक रूप से राज्य नियंत्रित एक वृहद ढाँचे का निर्माण किया जाना था, अर्थात् सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (PSUs) की स्थापना करनी थी। आलोचना तो दूर, उस समय तो पीएसयू का महिमामंडन किया जा रहा था। कुछ अत्यंत प्रशंसनीय उद्देश्य पीएसयू के लिए निर्धारित किए गए, कुछ अन्य लक्ष्य जबकि ऐसे थे जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के मूल तत्व के साथ रहे थे। हम इस विषय का निष्पक्ष एवं विवेकसम्मत विश्लेषण करेंगे। आज जबकि पीएसयू की चतुर्दिक आलोचना हो रही है और उनके निजीकरण के प्रयास भी चल रहे हैं, हम भारतीय अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका को समझने का प्रयास करेंगे। हम निम्नलिखित बड़ी एवं महत्वपूर्ण जरूरतों के आलोक में पीएसयू के महत्वाकांक्षी विस्तार के कारणों को समझने की कोशिश करेंगे।

1. अधिरचना संबंधी जरूरतें (Infrastactual Needs)

प्रत्येक अर्थव्यवस्था चाहे वह कृषि, औद्योगिक अथवा उत्तर-औद्योगिक हों, को उपयुक्त स्तर की आधारभूत संरचना की जरूरत होती है, जैसे-बिजली, परिवहन तथा संचार। इनकी स्वस्थ उपस्थिति एवं विस्तार के बिना कोई भी अर्थव्यवस्था न वृद्धि कर सकती है न विकास।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के समय भारत में इन मूलभूत जरूरतों की भी नगण्य उपस्थिति थी। रेलवे तथा डाक एवं तार के क्षेत्र में अभी शुरूआत भर हुई थी। बिजली की उपलब्धता सरकारी हल्कों एवं राजघरानों तक सिमटी थी (इसका अर्थ यह हुआ कि भारत ने अगर प्रमुख चालक बल के रूप में कृषि का भी चुनाव किया होता तो आधारभूत संरचना क्षेत्र का विकास करना पड़ता)।

इन क्षेत्रकों के विकास में अत्यधिक पूँजी निवेश के साथ-साथ भारी इंजीनियरी तथा तकनीकी सहयोग की आवश्यकता होती है। आधारभूत संरचना क्षेत्र को विस्तार उस समय निजी क्षेत्र के माध्यम से संभव नहीं था क्योंकि उसमें निम्नलिखित का प्रबंध करने की क्षमता नहीं थी:

(i) भारी निवेश (घरेलू के साथ ही विदेशी मुद्रा में);

(ii) प्रौद्योगिकी;

(iii) कुशल मानव शक्ति, एवं;

(iv) उद्यमशीलता।

यदि उपर्युक्त की उपलब्धता निजी क्षेत्र के पास होती भी तो उसके लिए आगे बढ़ना संभव नहीं होता क्योंकि ऐसी आधारभूत संरचना के लिए कोई बाजार नहीं था।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

यह आधारभूत संरचना अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी जरूरत थी लेकिन इनके लिए या तो रियायती या फिर मुफ्त एवं खुली आपूर्ति की व्यवस्था करनी पड़ती क्योंकि आम जनता में बाजार द्वारा निर्धारित क्रय-शक्ति का अभाव था। इन विशेष परिस्थितियों में आधारभूत संरचना विकास का दायित्व केवल सरकार ही संभाल सकती थी। सरकार के लिए यह संभव था कि वह इस क्षेत्रक के विकास के लिए जरूरी उपादानों का प्रबंध करे, साथ ही जरूरतमंद क्षेत्रों में तथा उपभोक्ताओं तक उनकी आपूर्ति और वितरण करे जिससे कि अर्थव्यवस्था की पर्याप्त वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त अन्य किसी विकल्प का अभाव था, यही कारण है कि आधारभूत संरचना क्षेत्र में राज्य की इतनी प्रभावकारी उपस्थिति है कि अन्य संबंधित क्षेत्रों, जैसे- बिजली, रेलवे, विमानन तथा दूरसंचार आदि में राज्य का एकाधिकार है।

2. औद्योगिक जरूरतें (Industrial Needs)

जैसा कि हमने पिछले पृष्ठों पर देखा, भारत ने उद्योग को अर्थव्यवस्था की प्रमुख चालक शक्ति के रूप में चुना। उद्योगों के कतिपय ऐसे क्षेत्र थे, जिनमें अपरिहार्य कारणों से सरकार को निवेश करना था। औद्योगीकरण के लिए कुछ विशेष उद्योगों की उपस्थिति आवश्यक है। इन्हें भारत में कई नामों से जाना जाता है-आधारभूत उद्योग (Basic industries), आधारभूत सरंचना उद्योग (Infrastructure industries), कोर उद्योग/क्षेत्र (Core industries/sector)। इन आठ उद्योगों (पहले से विद्यमान 6 उद्योगों की सूची में 2 अन्य उद्योगों, यथा–प्राकृतिक गैस एवं उर्वरक को वर्ष 2013 में शामिल किया गया) का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में कुल 40.27 प्रतिशत भार (weight) है। ये उद्योग निम्न प्रकार हैं (भार सहित):[21]

1. तेल शोधन उत्पाद (11.29 प्रतिशत)
2. विद्युत् (7.99 प्रतिशत)
3. इस्पात (7.22 प्रतिशत)
4. कोयला (4.16 प्रतिशत)
5. कच्चा तेल (3.62 प्रतिशत)
6. प्राकृतिक गैस (2.77 प्रतिशत)
7. सीमेंट (2.16 प्रतिशत)
8. उर्वरक (1.06 प्रतिशत)

आधारभूत संरचना क्षेत्रक की तरह ही, आधारभूत संरचना उद्योगों के लिए भी भारी पूँजी के साथ ही प्रौद्योगिकी, मानव शक्ति तथा उद्यमशीलता की भी बड़े पैमाने पर जरूरत होती है, जो कि पुनः निजी क्षेत्र द्वारा जुटाना संभव नहीं माना गया। यदि निजी क्षेत्र 'मूलभूत उद्योगों' वस्तुओं की आपूर्ति कर भी पाते है तब भी उपभोक्ताओं की कमजोर क्रयशक्ति के कारण वे अपना उत्पाद बाजार में विक्रय करने में सफल नहीं हो पाते। शायद यह एक और कारण था कि मूलभूत उद्योगों की स्थापना का दायित्व सरकार ने ही स्वयं वहन किया।

छह मूलभूत उद्योगों में से सीमेंट क्षेत्रक निजी क्षेत्र में कुछ मजबूत था। लोहा एवं इस्पात क्षेत्रक में निजी क्षेत्र एक अकेली कम्पनी की उपस्थिति थी। कोयला क्षेत्रक निजी क्षेत्र द्वारा नियंत्रित था जबकि कच्चे तेल एवं तेलशोधन में निजी क्षेत्र ने अभी कदम ही रखे थे। उद्योगशील भारत द्वारा माँग का जो स्तर बनना था उसकी पूर्ति उस समय के मूलभूत उद्योगों में विद्यमान क्षमता से संभव नहीं थी। न ही उनमें अपेक्षित विस्तार तत्कालीन निजी क्षेत्र के संचालकों द्वारा संभव था। अन्य किसी विकल्प के अभाव में सरकार ने तय किया कि वह स्वयं ही इसमें प्रमुख भूमिका निभाए। इसीलिए हम आज उनमें से अधिकांश के सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का एकाधिकार देखते हैं।

3. रोजगार सृजन (Employment Generation)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को रोजगार सृजन रणनीति के महत्वपूर्ण अंग के रूप में भी देखा गया। लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली एक सरकार मात्र अर्थशास्त्र पर ही केन्द्रित नहीं रह सकती बल्कि उसे राष्ट्र के सामाजिक-राजनीतिक

21. The revised *Index of Industrial Production (IIP)* was released by the **Central Statistics Office** (CSO) on 12th May 2017. Aimed at capturing the structural changes in the economy and improve the quality of representation, the revision includes many things such as—shifting the base year to 2011-12 from 2004-05, changes in the basket of commodities and their weights.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

आयामों पर भी विचार करना होता है, उन लक्ष्यों की भी पूर्ति करनी पड़ती है। सभ्य देश निर्धनता की गंभीर समस्या से जूझ रहा था तथा श्रमशक्ति में तीव्र वृत्ति हो रही थी। निर्धन लोगों को रोजगार प्रदान करना गरीबी-उन्मूलन का समयसिद्ध उपाय है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से यह अपेक्षा की गई कि वे रोजगार योग्य श्रमशक्ति अथवा कार्यशक्ति के लिए पर्याप्त रोजगार सृजित करेंगे।

देश में सामाजिक परिवर्तन की भी जरूरत अनुभव की जा रही थी। देश में ज्यादातर लोगों की यहाँ की प्राचीन जाति व्यवस्था से जुड़ी थी जिसमें जमीन का स्वामित्व ऊँची जातियों के हाथ था, जबकि जमीन 80 प्रतिशत लोगों की आजीविका का एकमात्र साधन था। भूमि सुधार की महत्वाकांक्षी नीति को लागू करने के साथ-साथ सरकार ने समाज के निर्बल वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की भी व्यवस्था थी। नये बनते सार्वजनिक उपक्रमों से यह अपेक्षा थी कि उनके लिए सृजित नौकरियों का वितरण सरकार अपनी आरक्षण नीति के अनुसार कर सकेगी, यानी आरक्षण को सामाजिक परिवर्तन के लिए एक आर्थिक औजार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था।

ऐसे अन्य पूँजी साधन क्षेत्रकों के लिए जिनमें सरकारी कम्पनियाँ प्रवेश करने वाली थीं, निवेश की जानी वाली राशि का प्रबंध कोई आसान कार्य नहीं था। सरकार ने अपनी ओर से करारोपण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण, बल्कि अंतिम उपाय के रूप में मुद्रा की छपाई के माध्यम से भी निधि का प्रबंध कर रही थी। सरकार उच्च करारोपण तथा भारी सार्वजनिक ऋणग्रस्तता को भारत की रोजगार पाने योग्य आबादी को रोजगार प्रदान करके औचित्य प्रदान करने की कोशिश कर रही थी।

सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को 'ट्रिकल डाउन इफेक्ट' का केन्द्र समझ रही थी। सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों को स्थापित करने एवं चलाने के लिए सब कुछ किया क्योंकि ऐसा समझा जा रहा था कि इनके लाभ रिसकर लोगों तक पहुँचेंगे और अंततः देश में वृद्धि और विकास को ही बल मिलेगा। सार्वजनिक उपक्रमों के रोजगार को 'ट्रिकल डाउन' सिद्धांत के प्रभाव में ही सामान्यतः समझा गया। एक समय, नेहरू जी ने सार्वजनिक उपक्रमों का उल्लेख 'भारत के नये मंदिरों' के रूप में किया। सरकार तो इनके माध्यम से प्रत्येक घर-परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी देने के लिए प्रतिबद्ध थी। इसमें भविष्य में श्रम बल के आयामों का आकलन नहीं किया गया, न ही इतने बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करने के लिए जरूरी संसाधनों को ही ध्यान में रखा गया। लेकिन सरकार नये सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना करती गई बिना इसके वित्तीय परिणामों की परवाह किए - केवल यह मानकर कि वे ही समत्वपूर्ण वृद्धि के वास्तविक इंजन हैं। सार्वजनिक उपक्रमों के रोजगार सृजन के दायित्व को इस सीमा तक विस्तारित किया गया कि अधिकांश इकाइयों में श्रमशक्ति की अत्यधिक आपूति हो गई। परिणामस्वरूप सार्वजनिक इकाइयों का मुनाफा तथा लाभ श्रमिकों के वेतन, पेंशन तथा भविष्य निधि खाते में ही खपने लगा (अंतिम दो मदों का विलंबित वित्तीय प्रभाव हुआ)।

4. मुनाफा तथा सामाजिक क्षेत्र का विकास (Profit and Development of the Social Sector)

सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों में जाने वाले निवेश की प्रकृति सम्पत्ति सृजन की थी तथा इन इकाइयों को उत्पादक गतिविधियों में लगना था। यह स्वाभाविक था कि सरकार इनसे हुए मुनाफे पर नियंत्रण रखती। जो वस्तुएँ एवं सेवाएँ इन इकाइयों द्वारा उत्पादित एवं विक्रय की जानी थीं उनसे सरकार को आय सुनिश्चित थी। सरकार की यह सार्वजनिक उपक्रमों से सृजित आय को खर्च करने की एक सचेत नीति थी। इस आय का उपयोग 'सामाजिक वस्तु' यानि 'सार्वजनिक वस्तु' (public goods) की आपूर्ति में करना था और इस प्रकार भारत में एक विकसित सामाजिक क्षेत्र को खड़ा करना था। सामाजिक वस्तु से सरकार का आशय भारतीय जनता को कतिपय वस्तुओं एवं सेवाओं की सार्वभौम रूप से सुनिश्चित करना था। इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल, सामाजिक सुरक्षा आदि शामिल थे। इसका अर्थ यह कि सार्वजनिक उपक्रमों को सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए राजस्व उपार्जन के माध्यम के रुप में देखा गया। अनेक कारणों से सार्वजनिक उपक्रम उतना राजस्व (मुनाफा) नहीं अर्जित कर पाए जितना कि

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

सामाजिक क्षेत्र के स्वस्थ विकास के लिए जरूरी था। इसके चलते देश में सार्वजनिक वस्तुओं की उपलब्धता पर बुरा असर पड़ा। यहाँ तो सरकार को मुनाफा कमाकर देना था और यहाँ सार्वजनिक उपक्रम बड़ी संख्या में घाटे में चलना शुरू हो गए। उनको सम्भालने के लिए बजटीय सहायता एक नियमित प्रक्रिया बन गई।

5. निजी क्षेत्र का उदय
(Rise of the Private Sector)

जैसे ही सार्वजनिक उपक्रम अर्थव्यवस्था की आधारभूत संरचना तथा मूलभूत उद्योगों की आपूर्ति का दायित्व ले लेंगे, वैसे ही निजी क्षेत्र के उद्योगों के लिए भी आधार तैयार होता जाएगा। देश में निजी क्षेत्र के उद्योगों के उदय के साथ औद्योगीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। सार्वजनिक उपक्रमों के लिए जो भूमिकाएँ निर्धारित की गई थीं, उनमें यह सबसे अधिक दूरदृष्टि सम्पन्न भूमिका यही थी। अन्य भूमिकाओं का क्या हुआ, यह एक अलग मामला है जिस पर हम तब लौटेंगे जब देश के औद्योगिक परिदृश्य पर चर्चा करेंगे। यहाँ हमने विश्लेषण किया कि क्यों भारत सरकार ने स्वतंत्रता पश्चात् सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार के लिए ऐसी महत्वाकांक्षी योजना तैयार की थी।

इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक उपक्रमों को स्थापित करने के पीछे विकासात्मक चिंताओं से जुड़ी अन्य बातें भी थीं, जैसे-उत्पादन में आत्मनिर्भरता, संतुलित क्षेत्रीय विकास, लघु एवं आनुषंगिक उद्योगों का फैलाव, निम्न एवं स्थिर कीमतें तथा भुगतान संतुलन में दीर्घकालिक साम्य। समय बीतने के साथ सार्वजनिक उपक्रमों ने देश की उन्नति और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।[22]

वर्ष 1985-86 आते-आते, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (Public Sector Undertaking) की दक्षता (efficiency) पर पूरे विश्व में (WB एवं IMF सहित) एक आम सहमति-सी उभरी। इसके प्रतिफल के रूप में 'वाशिंगटन सहमति' का उदय हुआ जिसने 'नव-उदारवादी (neo-liberal) आर्थिक नीतियों की एक वैश्विक कोशिश के रूप में विश्व जगत को प्रभावित किया। इस प्रकार भारत समेत विश्व के अधिकांश देशों में सरकारी कंपनियों के निजीकरण एवं विनिवेश की प्रक्रिया शुरू हुई। 1990 के दशक के अंत तक शोधों एवं अध्ययनों से यह पता चला कि 'अध्यक्षता' सरकारी नहीं बल्कि निजी क्षेत्र की कंपनियों में भी हो सकती है। लेकिन तब तक विश्व के बहुत सारे देशों में निजी क्षेत्र को अत्यधिक उदारवादी तरीके से विनियमित (regulate) किया जाने लगा था। सरकारों की ऐसी सोच इस बात पर टिकी थी कि बहुत सारी आर्थिक चुनौतियों का समाधान 'बाजार' (यथा-निजी क्षेत्र) कर सकता है। अंततः वर्ष 2007-08 के अमेरिकी 'सब-प्राइम' (Sub-Prime) संकट के उपरांत इस सोच (nco-liberal) पर एक तरह से भारी प्रश्न-चिन्ह लगा और विश्व में इस तरह की आर्थिक नीतियों पर एक तरह से विराम-सा लग गया।

इस बीच भारत द्वारा सरकारी कंपनियों के निजीकरण पर रोक लगा दी गयी (वर्ष 2003-04 में) लेकिन इनमें विनिवेश की प्रक्रिया जारी रही। सरकार की यह सोच रही कि ये कंपनियां सरकारी स्वामित्व में बनी रहेंगी। वित्ताय वर्ष **2016-17** में सरकार द्वारा पुनः विनिवेश की उस नीति का प्रस्ताव रखा गया है जिनके माध्यम से सरकारी कंपनियों के निजीकरण का प्रावधान है ('रणनीतिक विनिवेश')। सरकार की यह नीति कई समसामयिक मुद्दों से जुड़ी है-अनावश्यक क्षेत्रों से सरकार का बाहर निकलना; निवेश के लिए धन की व्यवस्था; उस क्षेत्र में सरकारी निवेश को उचित स्तर तक बढ़ाना जिनमें निजी निवेश की संभावना नहीं है या नगण्य है; निजी क्षेत्र को कार्य करने का समान स्तर (level playing field) उपलब्ध कराना; इत्यादि।

22. Sumit Bose and Sharat Kumar, 'Public-sector Enterprises', in Kaushik Basu and Annemie Maertens (eds.), ***The New Oxford Companion to Economics in India***, Vol. II, Oxford University Press, New Delhi, 2012, p. 578–83.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

अध्याय 4

आर्थिक नियोजन (ECONOMIC PLANNING)

*योजना बनाने और योजनागत समाज में रहने का विचार अलग-अलग स्तर पर अब लगभग सभी स्वीकारते हैं। लेकिन योजना बनाने का खुद में कोई विशेष अर्थ नहीं है और हमेशा इसके परिणाम अच्छे नहीं होते। सब कुछ योजना के उद्देश्यों पर और नियंत्रण करने वाली सत्ता और यकीनन इसके साथ ही इसके पीछे खड़ी सरकार पर निर्भर करता है।**

इस अध्याय में

- ❑ प्रस्तावना
- ❑ परिभाषा
- ❑ नियोजन की शुरूआत और प्रसार
- ❑ नियोजन के प्रकार

** जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने दि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, छठा संस्करण (पहला संस्करण 1946, ऑक्सफोर्ड लंदन) नई दिल्ली, 1994, पृष्ठ 501*

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

प्रस्तावना (INTRODUCTION)

आर्थिक योजना पर बहस को सिर्फ अकादमिक अभ्यास तक न सिमटे रहने देने के क्रम में, हमें विविध अर्थव्यवस्थाओं में मौजूद वास्तविक जिंदगी के उदाहरणों पर चर्चा करने की जरूरत है। योजना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बगैर, हम भारत में योजना का मतलब और किरदार, दोनों नहीं समझ सकते। यह छोटा-सा अध्याय पाठकों को आर्थिक योजना की अवधारणा से जुड़े ***क्या, क्यों*** और ***कैसे*** से अवगत कराता है, साथ ही समय-समय पर विभिन्न देशों के, जिसमें भारत भी शामिल है, प्रयोगों की चर्चा भी करता है। इसे अगले अध्याय *भारत में नियोजन* से पहले का सहायक सैद्धांतिक अध्याय भी समझा जा सकता है।

परिभाषा (DEFINITION)

नियोजन एक ऐसी अवधारणा है, जिसका आज विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र में इसका मूल अर्थ एक जैसा है। अलग-अलग विद्वानों द्वारा आर्थिक नियोजन को अलग-अलग प्रकार से परिभाषित किया गया है। उनकी परिभाषाओं में अंतर का कारण उनके नियोजन के प्रति दृष्टिकोण में अंतर के कारण रहा है।

हम इन परिभाषाओं को समाहित करते हुए आर्थिक नियोजन की एक व्यापक और कार्यकारी परिभाषा तैयार कर सकते हैं, **''पूर्ण-परिभाषित (well-defined) आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम् (Optimum) दोहन करने की प्रक्रिया (process) ही आर्थिक नियोजन है।''** यह वर्तमान समय में सर्वाधिक मान्य परिभाषा है। वर्ष 1987 तक, जब सतत् विकास (Sustainable Development) की अवधारणा का उदय हुआ, नियोजन प्रक्रिया में संसाधनों के 'महत्तम' (ईष्टतम् की जगह) दोहन की बात की जाती थी। बाद में नगर नियोजन, औद्योगिक नियोजन, से लेकर परिवार नियोजन तक की अवधारणाओं का विकास हुआ।

साल 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार राष्ट्रीय योजना समिति (नेशनल प्लानिंग कमेटी) की स्थापना की, जिसने देश में योजना-निर्माण को परिभाषित करने की कोशिश की (1940 में यह समिति स्थापित हुई थी, वैसे 1949 में अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी)। इसे योजना की सबसे व्यापक और संभव परिभाषा समझा जा सकता है, ''एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत योजना को ऐसे परिभाषित किया जा सकता है कि वह औद्योगिक समन्वय, जिसमें खपत, उत्पादन, निवेश, कारोबार और आय-वितरण के निष्पक्ष विशेषज्ञ हों और जो राष्ट्र के प्रतिनिधियों द्वारा तैयार सामाजिक उद्देश्य के अनुरूप काम करे। ऐसी योजना को न सिर्फ अर्थव्यवस्था और जीवन-स्तर के उत्थान के दृष्टिकोण से देखा जाता था, बल्कि इसमें सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों व जीवन के मानवीय पक्ष के भी नजरिये जरूर होते थे।[1]''

1930 के दशक के अंत तक, यह राजनीतिक सहमति बन चुकी थी कि स्वतंत्र भारत एक नियोजित अर्थव्यवस्था होगा। जब 1950 के शुरू में भारत ने आर्थिक योजना बनाने की शुरुआत की, तब भारतीय योजना आयोग ने भी योजना को परिभाषित करने का काम किया। योजना आयोग के अनुसार, ''सभी नीतियों को ढांचागत रूप देने के संदर्भ में योजना, उद्देश्यों की सुपरिभाषित प्रणाली को शामिल करती है। साथ ही, इसमें परिभाषित नतीजों की प्राप्ति को बढ़ावा देने की कार्य-नीति होती है। योजना समस्याओं के तार्किक समाधान को पाने का एक अनिवार्य प्रयास है, अर्थ व अंत के बीच समन्वय की कोशिश है, इसलिए यह पारंपरिक गलत तरीकों से पूरी तरह अलग है, जिसके कारण अक्सर इसमें सुधार व पुनर्निर्माण की वचनबद्धता रहती है।[2]''

युद्धोपरांत काल में, कई सारे नए आजाद देश आयोजना की तरफ आकर्षित हुए। बदलाव की कई सारी शक्तियां औद्योगीकरण की बाध्यकारी आवश्यकताओं या विकास-प्रक्रिया की निरंतरता के मुद्दे के कारण योजना-निर्माण के मूल विचारों को संशोधित करते रहे। लेकिन अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमें योजना की समसामयिक और व्यवहार्य परिभाषा चाहिए। *हम इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि यह उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्कृष्ट उपयोग द्वारा सुपरिभाषित लक्ष्यों को पाने की*

1. S. R. Maheshwari, ***A Dictionary of Public Administration,*** Orient Longman, New Delhi, 2002, p. 371.
2. Planning Commission, ***First Five Year Plan (1951–56),*** Government of India, New Delhi, 1991, p. 7.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

प्रक्रिया है।[3] आर्थिक योजना के निर्माण के दौरान सरकार विकास-लक्ष्यों को निर्धारित करती है और एक लंबे समय में लिए गए आर्थिक फैसलों के बीच सोच-विचार कर समन्वय बिठाने की कोशिश करती है, ताकि देश को प्रभावित करने वाले तत्वों (जैसे–आय, खपत, रोजगार, बचत, निवेश, आयात, निर्यात, वगैरह) की वृद्धि और स्तर को प्रभावित, निर्देशित और कुछ मामलों में नियंत्रित किया जा सके।[4]

ऐसे में, एक आर्थिक योजना सामान्यतः एक व्यक्त कार्य-नीति के साथ दिए गए समय में निश्चित आर्थिक लक्ष्यों को पाना है। आर्थिक योजनाएं व्यापक या आंशिक हो सकती हैं। एक ***विस्तृत योजना*** अर्थव्यवस्था के सभी बड़े पहलुओं को समाहित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करती है। वहीं एक ***आंशिक योजना*** अर्थव्यवस्था के एक हिस्से (जैसे–कृषि, उद्योग, निजी क्षेत्र आदि) के लिए लक्ष्य निर्धारित करती है। अगर व्यापक संदर्भ में लें, तो योजना-निर्माण की प्रक्रिया अपने आपमें एक अभ्यास है, जिसमें सरकार सबसे पहले सामाजिक उद्देश्य चुनती है, उसके बाद कई लक्ष्य निर्धारित करती है (जैसे–आर्थिक लक्ष्य) और अंत में एक विकास-योजना को लागू करवाने, उसमें तालमेल बिठाने और उसकी निगरानी करने के लिए ढांचागत काम करती है।[5]

यह बेहद साफ होना चाहिए कि योजना का ख्याल सबसे पहले अपने व्यावहारिक रूप में हो। इस पर अमल करने वाले देशों के अनुभवों के अध्ययनों और सर्वेक्षणों के आधार पर विशेषज्ञ योजना-निर्माण के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए योजना-निर्माण के मामले में दिशा व्यवहार से सिद्धांत की ओर होनी चाहिए। योजना-निर्माण की प्रकृति और तरीके, दोनों इसी कारण एक देश से दूसरे देश में एक समय से दूसरे समय में बदलते रहते हैं। आगामी पृष्ठों में हम पढ़ेंगे कि समय के साथ नियोजन के तरीके स्वयंमेव भी ईजाद हुए, क्योंकि कई देशों ने इससे प्रयोग किए।

व्यवहार्य परिभाषा के अनुसार, हम योजना-निर्माण के बारे में ये चीजें देख सकते हैं:

(i) **योजना एक प्रक्रिया है।** इसका मतलब हुआ कि प्लानिंग कुछ करने की प्रक्रिया है। जब तक हमारी जिंदगी से जुड़े लक्ष्य और उद्देश्य बचे रहेंगे, तब तक यह प्रक्रिया चालू रह सकती है। हमारी जरूरतों के बदलते स्वरूप के साथ, योजना-निर्माण की प्रक्रिया के स्वरूप और अभिप्राय में भी बदलाव देखे जा सकते हैं। प्लानिंग अपने आप में एक अंत नहीं है। जिस प्रकार प्रक्रिया तेज होती है और मंद पड़ती है, दिशा बदलती रहती है, वही सब कुछ योजना-निर्माण में भी होता है।

(ii) **योजना-निर्माण को सुपरिभाषित लक्ष्य चाहिए।** दूसरे विश्व-युद्ध के बाद, कई देश विकास योजना की तरफ बढ़े। इन देशों के सामने कई सामाजिक-आर्थिक बाधाएं थीं। उन्होंने पहले कुछ लक्ष्य और उद्देश्य बनाए और इसके बाद प्लानिंग के जरिये उनको साकार करना शुरू किया। समय के साथ, यह सहमति बनी कि प्लानिंग के पास कुछ लक्ष्य होने चाहिए और ये लक्ष्य सुपरिभाषित हों, न कि अनिश्चित व अस्पष्ट हों, ताकि आर्थिक संगठन में सरकार द्वारा अपने विवेक के अनुरूप किया गया हस्तक्षेप लोकतांत्रिक रूप से पारदर्शी और न्यायोचित रहे। यहां तक कि गैर-लोकतांत्रिक देशों में (जैसे–पूर्व यूएसएसआर, चीन, पोलैंड, आदि) भी प्लानिंग के लक्ष्य साफ तौर पर परिभाषित होते रहे हैं।[6]

---

3. After the emergence of the concept of **Sustainable Development** (1987) experts across the world started using the term 'optimum' in place of the hitherto used term 'maximum'.
4. Michael P. Todaro, ***Development Planning: Models and Methods.*** Oxford University Press, Nairobi, 1971.
5. United Nations Department of Economic Affairs, ***Measures for Economic Development of Underdeveloped Countries,*** UNO, DEA, New York, 1951, p. 63.
6. The Gosplan, ***First Five Year Plan (1928–33),*** USSR, 1928.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(iii) ***उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्कृष्ट उपयोग होना चाहिए।*** यहां पर हम दो अवधारणाएं पाते हैं। पहली संसाधनों के उपयोग से जुड़ी है। संवहनीयता के विचार के उद्भव से पहले, यानी 1987 से पहले तक विशेषज्ञ 'अधिकतम' संसाधन दोहन पर जोर देते थे। लेकिन जैसे ही दुनिया भर के विशेषज्ञों ने आत्म-निरीक्षण से पाया कि संसाधनों के दोहन का यह तरीका भरोसेमंद नहीं है, तब से टिकाऊ या संवहनीय तौर-तरीकों को शामिल किया गया। इसलिए इसमें यह विचार डाला गया कि संसाधनों का इस्तेमाल 'मुमकिन सबसे बढ़िया' तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि पर्यावरणीय क्षय न्यूनतम हो और आने वाली पीढ़ियां भी इस प्रगति के साथ कदमताल कर सकें। दूसरी अवधारणा उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी है। प्राकृतिक और मानव संसाधन, स्थानीय भी हो सकते हैं और बाहरी भी। अधिकतर देश ऐसी योजना बनाते थे, जो उनके स्थानीय संसाधनों को इस्तेमाल में ला सके। वहीं, कई अन्य देशों ने बाहरी संसाधनों को पाने की भी कोशिशें कीं। इसके लिए उन्होंने अपनी कूटनीतिक सूझ-बूझ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे–राष्ट्रीय योजना के लिए कदम बढ़ाने वाले पहले देश सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोपीय देशों में मौजूद संसाधनों का लाभ उठाया। भारत भी अपने विकास के लिए बाहरी संसाधनों का इस्तेमाल करता है, जहां उसे इसकी जरूरत लगती है और जहां से लाभ उठाना संभव होता है।[7]

1950 के दशक तक, दुनिया भर में योजना-निर्माण संसाधनों के इस्तेमाल का एक तरीका बना, ताकि नीति-निर्माताओं द्वारा निर्धारित किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सके:

(i) कई देशों में एक विशेष आकार के परिवार को पाने के लिए **परिवार नियोजन** शुरू हुआ।

(ii) पहले से मौजूद और नए बनने वाले शहरी क्षेत्रों को सामाजिक और भौतिक बुनियादी संरचनों देने के लिए **नगर या शहरी योजना** बनाई गई।

(iii) एक देश अपने राजस्व को विभिन्न व्यय श्रेणियों में सबसे अच्छा उपयोग कर सके, वह **वित्तीय योजना** कहलाई। वित्तीय योजना **बजटिंग** के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध है। हर बजट, चाहे वह सरकार का हो या किसी निजी क्षेत्र का, कुछ और नहीं है, बल्कि वित्तीय योजना के क्षेत्र में एक काम है।

(iv) इसी तरह, बड़े और छोटे स्तरों पर, कई सारे योजनागत प्रक्रियाएं हो सकती हैं– कृषि योजना, औद्योगीकरण योजना, सिंचाई योजना, सड़क योजना, भवन योजना, वगैरह।

आसान शब्दों में, हमारे पास जो संसाधन हैं, उनके जरिये किसी भी प्रकार के लक्ष्य को पाने की कला प्लानिंग की प्रक्रिया है। हम एक बेहद आसान उदाहरण दे सकते हैं। एक वर्ग के छात्र अलग-अलग जगहों से आकर सही समय पर कक्षा में शामिल हो जाते हैं। कैसे वे इसे मुमकिन कर पाते हैं? साफ है, सभी अपने समय की इस तरह से प्लानिंग करते हैं कि एक ही समय में सब कक्षा के अंदर होते हैं, जबकि उनके घर कक्षा से समान दूरी पर नहीं होते हैं। बेशक, हर किसी के पास अलग तरह की समय-योजना होगी। कोई बिस्तर पर चाय पीना पसंद करता होगा, कोई नहीं। कोई नाश्ता घर पर करता होगा, तो कोई कॉलेज कैंटीन में, आदि।

इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम ईमानदारी से अपने समय को नियोजित करके नहीं चलते हों या अपने समय-नियोजन की घोषणा नहीं करते हों, तब भी हम रोज अपने दिन की रूप-रेखा तैयार कर लेते हैं। इसी तरह, कई देश घोषणा करता है कि वे सुनियोजित अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन कई देश इस तरह की नीतिगत घोषणा नहीं करते। सोवियत संघ, पोलैंड, चीन, फ्रांस, भारत पहली वाली श्रेणी के देश हैं। वहीं अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको दूसरी श्रेणी

7. Many of the PSUs in the 1950s and the early 1960s were not only set up with natural resources (capital as well as machines) from USSR, Germany, etc., but even the human resource was also tapped from there for few years.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

में आते हैं।[8] लेकिन यहां हम योजना-निर्माण की सचेत प्रक्रिया की बात कर रहे थे। समय के साथ योजना-निर्माण का कोई और प्रकार, जरिया और तरीका आएगा, क्योंकि कई देश प्लानिंग की अपनी प्रक्रिया शुरू करेंगे।

नियोजन की शुरूआत और प्रसार (ORIGIN & EXPANSION OF PLANNING)

आर्थिक विकास हासिल करने के तरीके के रूप में विभिन्न देशों ने विभिन्न समय और अलग-अलग स्तर पर नियोजन किया है। इन्हें हम नीचे देख सकते है:

1. प्रादेशिक नियोजन (Regional Planning)

किसी भी देश द्वारा विकास नीति के एक हिस्से के रूप में पहली बार क्षेत्रीय स्तर पर नियोजन किया गया था। अमेरिका ने पहली बार प्रादेशिक नियोजन किया था जब उसने 1916 में टेनेसी वैली अथॉरिटी (टीवीए) की स्थापना की। यह दक्षिण-पूर्वी अमेरिका में बड़े पैमाने का पुनरुद्धार कार्यक्रम था, जिसमें सात राज्यों के हिस्से शामिल थे। इसके प्राथमिक उद्देश्य तो बाढ़ नियंत्रण, मृदा संरक्षण और बिजली उपलब्ध करवाना था लेकिन टीवीए/प्रादेशिक नियोजन निर्दिष्ट क्षेत्र में कई अन्य गतिविधियों में भी सक्रिय था जैसे कि औद्योगिक विकास, वन निर्माण, वन्य जीवन संरक्षण, शहरी नियोजन, सड़क और रेल निर्माण, खेती के अच्छे तरीकों को प्रोत्साहन देना और मलेरिया नियंत्रण।[9] अमेरिका का प्रादेशिक नियोजन का अनुभव इसके परिभाषित लक्ष्यों को हासिल करने में इतना सफल रहा कि यह कई देशों के लिए एक आदर्श और प्रेरणा का स्रोत बना। आने वाले देशों में भारत (1948) में दामोदर वैली कॉर्पोरेशन (डीवीसी) और घाना में वोल्टा रिवर प्रोजेक्ट (1966) आदि बने।

2. राष्ट्रीय नियोजन (National Planning)

राष्ट्रीय नियोजन के आधिकारिक प्रयोग की जड़ें सोवियत रूस की वोल्शेविक क्रांति (1917) में हैं। औद्योगीकरण की रफ्तार से असंतुष्ट जोसेफ स्टालिन ने 1928 में सोवियत संघ के लिए केंद्रीय नियोजन की नीति का ऐलान किया। 1928 में आर्थिक नियोजन के अलावा स्टालिन ने जो अतिवादी कदम उठाए उनमें खेती का सामूहिकीकरण और जबरन तैयार औद्योगीकरण था।[10] सोवियत संघ में पहली पंचवर्षीय योजना 1928-33 के बीच लागू हुई और दुनिया को राष्ट्रीय योजना का पहला अनुभव मिला। मशहूर सोवियत नारा 'ग्रेट लीप फॉरवर्ड' राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक नियोजन की शुरुआत से तीव्र औद्योगीकरण के लिए लगाया गया था। सोवियत नियोजन (जिसे ***दि गोसप्लान*** कहा गया था) के स्वरूप और पैमाने का प्रत्यक्ष या परोक्ष असर हर उस देश पर पड़ा जिसने नियोजन किया, चाहे उस देश की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी हो या मिश्रित। भारत की नियोजन प्रक्रिया पर सोवियत नियोजन का सीधा असर पड़ा। पहली सोवियत योजना में भारी उद्योगों को हल्के उद्योगों पर प्राथमिकता दी जानी थी और उपभोक्ता वस्तुओं पर तब ध्यान दिया जाना था जबकि अन्य प्राथमिकताओं की सभी जरूरतें पूरी हो गई हों। हमें भारतीय नियोजन प्रक्रिया में यही जोर दिखता है।[11] आर्थिक नियोजन का सोवियत ढांचा पूर्वी यूरोपीय देशों में फैल गया, खासतौर पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और ऐसा नियोजन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (1949) में अपने असली रूप में आया। 40 के दशक की शुरुआत में राष्ट्रीय नियोजन के विचार

8. Though the USA was the first to go for planning, but at the regional level (Tennessee Valley Authority, 1916)—it never announced its intention for national planning.
9. Leong, G.C. and Morgan, G.C., ***Human and Economic Geography***, Oxford University Press, Oxford, 1982, p. 145.
10. Alec Nove, ***An Economic History of the USSR***, 3rd ed., Penguin Books, Baltimore, USA, 1990, p. 139.
11. Rakesh Mohan 'Industrial Policy and Controls' in the Bimal Jalan (eds), ***The Indian Economy: Problems and Prospects***, Penguin Books, New Delhi, 2004., p. 101. Also see Bipan Chandra et. al., ***India After Independence***, Penguin Books, New Delhi, 2000, pp. 341–42, as well as A. Vaidyanathan, 'The Indian Economy Since Independence (1947–70)' in Dharma kumar (ed.), ***The Cambridge Economic History of India***, Vol. II, Cambridge University Press, Cambridge, 1983, pp. 949–50.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

को फ्रांस ने अपनाया और दुनिया ने देखा कि अब तक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और गैर-केंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था (यानि कि लोकतांत्रिक व्यवस्था) ने राष्ट्रीय नियोजन शुरू किया। फ्रांस ने राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक नियोजन खुद को एक मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित करने के बाद शुरू किया।

नियोजन के प्रकार (TYPES OF PLANNING)

सोवियत संघ के पहली बार राष्ट्रीय योजना शुरू करने के बाद कई अन्य देशों ने इसका अनुसरण किया लेकिन उनके तरीके और व्यवहार अलग थे। हालांकि नियोजन के कई प्रकार हैं लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक संगठन के आधार वाले (जो राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था) हैं। आर्थिक प्रणाली के प्रकार के आधार पर विकासक्रम में नियोजन के दो प्रकार उभरे:

1. आदेशात्मक नियोजन (Imperative Planning)

वह नियोजन प्रक्रिया जो राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था (समाजवादी या साम्यवादी) के अनुसार होती हैं उन्हें आदेशात्मक नियोजन कहा जाता है। ऐसे नियोजन को ***निर्देशात्मक*** या ***लक्ष्य*** (Target) आधारित ***नियोजन*** कहते हैं। ऐसे नियोजन के दो प्रकार होते हैं। समाजवादी प्रणाली में सभी आर्थिक फैसले सरकार के हाथ में केंद्रीकृत होते हैं, जिसमें संसाधनों पर सामूहिक स्वामित्व होता है (श्रम के सिवा)। साम्यवादी प्रणाली में (जो चीन पहले था) में सभी संसाधनों पर सरकार का कब्जा होता है और वही प्रयोग करती है (श्रम समेत; इसलिए साम्यवादी चीन ऐसी प्रणाली का असली उदाहरण था। सोवियत संघ में भी थोड़ा बहुत 'बाजार' मौजूद था-हालांकि 1928 में स्टालिन ने खेती के सामूहीकरण को लागू कर दिया था लेकिन सिर्फ 94 फीसदी किसान ही इस प्रक्रिया में शामिल किए जा सके थे।[12] ऐसी योजना की मूल विशेषताएं निम्न हैं:

(i) नियोजन में विकास और वृद्धि के *संख्यावाचक (मात्रात्मक) लक्ष्य* तय कर दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि पांच लाख टन स्टील, दो लाख टन सीमेंट, 10,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग, 5,000 प्राथमिक स्कूल, आदि आने वाले 5 या 6 साल में तैयार कर दिए जाएंगे।

(ii) चूंकि सरकार का सभी संसाधनों पर स्वामित्व होता है इसलिए ऊपर उल्लिखित योजनागत लक्ष्यों को हासिल करना बहुत संभव होता है।

(iii) बाजार, मूल्य प्रणाली की इसमें करीब-करीब कोई भूमिका नहीं होती क्योंकि सभी आर्थिक निर्णय केंद्रीकृत ढंग से राज्य सरकार द्वारा लिए जाते हैं।

(iv) अर्थव्यवस्था में निजी भागीदारी नहीं होती, सिर्फ सरकार ही अर्थव्यवस्था में भूमिका निभाती है।

आदेशात्मक अर्थव्यवस्था में इस तरह का नियोजन होता है। इसीलिए इस तरह की अर्थव्यवस्थाओं को ***केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्थाओं*** के रूप में भी जाना जाता है— सोवियत संघ, पोलैंड, हंगरी, ऑस्ट्रिया, रोमानिया आदि और अंततः चीन। दरअसल सोवियत खेमे के बहुत से महान अर्थशास्त्रियों के ब्रिटेन और अमेरिका प्रवास के बाद आदेशात्मक अर्थव्यवस्थाओं में नियोजन की प्रवृत्ति और प्रयोजन को लेकर बहस शुरू हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसे अर्थशास्त्रियों में से बहुत से अपने मूल देश की सेवा करने वापस लौट गए और किसी हद तक वहां क्रांति को झेला।[13] उनकी सामयिक और सुस्पष्ट आर्थिक सोच ने ही युद्ध के बाद की दुनिया में मिश्रित अर्थव्यवस्था

12. Samuelson, P. A. and Nordhaus, W. D, ***Economics,*** McGraw-Hill Companies Inc., N. York, 2005., p. 591.

13. From Poland two great economists Oskar Lange (1904–65) and Michal Kalecki (1899–1970); from Hungary, William J. Fellner (1905–83), Nicholas Kaldor (1908–86), Thomas Balogh (1905–85) and Eric Roll (1907–95); from post-war Austria Ludwig von Mises (1880–1973), Friedrich A. von Hayek (1899–1992), Fritz Machlup (1902–83), Gottfried Haberler (1900–96) and Joseph A. Schumpeter (1883–1950) [J.K. Galbraith, ***A History of Economics,*** Penguin Books, London, 1987, pp. 187–90].

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

का आधार तैयार किया। इनमें से एक पोलैंड के मशहूर अर्थशास्त्री ऑस्कर लैंग थे, जो वापस जाकर पोलिश स्टेट इकोनॉमिक काउंसिल (भारत में प्लानिंग कमीशन की तर्ज पर) चेयरमैन बने। उन्होंने 50 के दशक में 'समाजवादी बाजार' (market socialism) का सुझाव दिया और इसकी रचना की। उनके समाजवादी बाजार के विचार को न सिर्फ पोलैंड बल्कि उस समय की अन्य राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्थाओं ने खारिज कर दिया था।[14]

इस तरह का नियोजन अपने शीर्ष में पहुंचा चीन में सांस्कृतिक क्रांति (1966-69) के बाद, जिससे 1949 के बाद सोवियत-तर्ज की केंद्रीय नियोजन प्रणाली अपनाने वाले देश में आर्थिक मंदी आ गई। डेंग शिया ओपिंग (1977-79) के समय चीन ने आर्थिक शक्तियों को बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकृत कर दिया और अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए 1985 में ***'दरवाजे खोलने की नीति'*** की घोषणा की। चीन की दरवाजे खोलने की नीति साम्यवादी राजनीतिक ढांचे के तहत समाजवादी बाजार की दिशा में बढ़ाया गया कदम थी (लोकतंत्र के लिए लोकप्रिय छात्र आंदोलन को 1989 में थियानमन चौक पर निर्दयतापूर्वक दबा दिया था)। इसी तरह राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था के नाकाम अनुभव से बचने के लिए सोवियत संघ ने मिखाइल गोर्वाचेव के नेतृत्व में 1985 में राजनीतिक और आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया शुरू की, जिसे ***प्रेसत्रोरिका*** (नवीनीकरण) और ***ग्लासनोस्त*** (खुलापन) कहा गया। अन्य पूर्वी यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं ने भी 1989 के बाद इसी तरह के आर्थिक सुधारों का अनुसरण किया। इस तरह 80 के दशक के अंत तक सभी राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्थाएं बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में बढ़ चुकी थीं। उसके बाद से किसी भी देश ने आदेशात्मक नियोजन को नहीं अपनाया।

14. It was blasphemous to preach in favour of market in the socialist world at that time—he was not put behind the bars was a great mercy on him. Oskar Lange towards the end of his life told Paul M. Sweezy, the most noted American Marxist scholar, that during this period he did not retire for the night without speculating as to whether he might be arrested before the dawn (J.K. Galbraith, ***A History of Economics,*** p. 189).

2. निर्देशात्मक नियोजन (Indicative Planning)

सोवियत संघ में नियोजन शुरू होने के बाद के दो दशकों में नियोजन के विचार पर लोकतांत्रिक दुनिया का ध्यान गया। फिर ऐसा समय आया जब ऐसी कुछ अर्थव्यवस्थाओं ने राष्ट्रीय नियोजन शुरू किया। चूंकि न तो वह राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्थाएं थीं न ही उनकी राजनीतिक प्रणाली साम्यवादी/समाजवादी थीं, इसलिए उनके नियोजन को आदेशात्मक अर्थव्यवस्था से अलग होना था। ऐसे नियोजन को अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों ने निर्देशात्मक नियोजन कहा। इसकी विशेषताओं को नीचे दर्शाया गया है:

(i) निर्देशात्मक नियोजन का पालन करने वाली सभी अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित अर्थव्यवस्था थीं।

(ii) एक केंद्र नियोजित अर्थवस्था के विपरीत (जो देश आदेशात्मक नियोजन का पालन कर रहे थे) निर्देशात्मक नियोजन बाजार (मूल्य प्रणाली) की जगह लेने के बजाय इसके जरिए काम करता है।[15]

(iii) संख्यात्मक/मात्रात्मक लक्ष्य निर्धारित करने के साथ ही (आदेशात्मक नियोजन की तरह ही) योजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्थाएं निर्देशात्मक प्रकृति की आर्थिक नीतियों की भी घोषणा करती हैं।

(iv) आर्थिक नीतियों की निर्देशात्मक प्रवृत्ति जिनका ऐलान ऐसे नियोजन में किया जाता है दरअसल निजी क्षेत्र को आर्थिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में उत्साहित या निरुत्साहित करती हैं।

चालीस के दशक के मध्य में मिश्रित अर्थव्यवस्था बनने के बाद फ्रांस ने 1947 में अपनी पहली छह वर्षीय योजना शुरू की जिसे ***मॉनेट योजना*** (वह योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे और फ्रांस में तत्कालीन योजना मंत्री थे) कहा जाता है।[16] बाद में मॉनेट योजना निर्देशात्मक नियोजन

15. ***Collins Internet-linked Dictionary of Economics***, Glasgow, 2006.

16. George Albert Steiner, ***Government's Role in Economic Life,*** McGraw-Hill, New York, 1953, p. 152.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

की पर्यायवाची बन गई। इस योजना को कभी-कभी ***सेक्टर योजना*** भी कहा जाता है क्योंकि सरकार ने विकास के मूल के रूप में आठ आधारभूत उद्योगों को चुना था जिसके लिए नियोजन लगभग *आदेशात्मक* था, जो राज्य सरकार के एकाधिकार में थे (यह ऐसे क्षेत्र थे जिन पर 1944 तक, जब तक फ्रांस ने उनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया, निजी क्षेत्र का स्वामित्व था)।[17] अन्य आर्थिक गतिविधियां निजी साझीदारी के लिए खुली हुई थीं जिनके लिए निर्देशात्मक नीति नियोजन अनिवार्य था। फ्रांस के साथ ही जापान ने भी निर्देशात्मक नियोजन को बेहद सफलता के साथ किया है। साल 1965 में ब्रिटेन ने राष्ट्रीय योजना के साथ ऐसा नियोजन किया और कुछ घटनाएं होने के बाद 1966 में इसे छोड़ दिया (एक भुगतान संकट खड़ा हो गया था जिसकी वजह से महंगाई कम करने के उपाय करने पड़े)। तब से ब्रिटेन ने कभी भी नियोजन नहीं किया।[18]

हालांकि आर्थिक विकास के उपकरण के रूप में आर्थिक नियोजन के सबसे पहले प्रयोग अमेरिका ने किया था (क्षेत्रीय स्तर पर 1916 में टेनेसी वैली अथॉरिटी के साथ), लेकिन इसने कभी औपचारिक राष्ट्रीय नियोजन नहीं किया। चालीस के दशक में कुछ अर्थशास्त्री राष्ट्रीय नियोजन के पुरजोर समर्थक थे। हम लोगों को अमेरिका में निर्देशात्मक नियोजन की झलक नियमित अंतराल पर आने वाली *प्रेजिडेंशियल रिपोर्ट्स* में दिख सकती है। यह रिपोर्ट्स संसाधनों के इस्तेमाल और सरकार की अपनी लक्ष्यों के प्रति घोषणाओं के लिए 'मानदंड' हैं-मूल रूप से सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए। मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं निर्देशात्मक नियोजन का जिस तरह प्रयोग करती हैं, उससे विकास के लक्ष्य तभी हासिल किए जा सकते हैं जब सरकारी और निजी उद्यम एक ही साइकिल के दो सवारों की तरह काम करें। इसीलिए योजना के लक्ष्यों के अलावा सरकार को कुछ निर्देशात्मक नीतियों की भी घोषणा करनी होती है ताकि निजी क्षेत्र को आर्थिक गतिविधियों को योजना के लक्ष्यों की दिशा में काम करने की प्रेरणा दी जा सके।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तकरीबन सभी नव-स्वतंत्र देशों ने नियोजित विकास का रास्ता अपनाया। हालांकि उन्होंने मोटे-तौर पर निर्देशात्मक नियोजन को ही अपनाया था लेकिन उनमें से बहुत सारों में आदेशात्मक नियोजन के गंभीर संकेत नजर आ रहे थे। भारत के संदर्भ में, आदेशात्मक नियोजन के प्रति भारी झुकाव को 1991 में आर्थिक सुधार शुरू होने के बाद ही दुरुस्त किया जा सका।

आज, दुनियाभर में ज्यादातर देशों में केवल मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं, किसी भी देश के विकास की योजनाएं केवल सांकेतिक प्रकार की हो गई हैं। वाशिंगटन सर्वसम्मति (1985), 1998 की सेंटियागो/नई सर्वसम्मति और विश्व व्यापार संगठन (1995) के तहत विकास को बढ़ावा देने में बाजार की जरूरत और भूमिका के पुनरुद्धार के बाद, सिर्फ सांकेतिक नियोजन ही संभव रह गया है क्योंकि राज्य अर्थव्यवस्था, विशेषकर सामाजिक महत्व के क्षेत्रों (यानी पोषण, स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आदि) में सीमांत भूमिका निभा रहे हैं।

हमारे दृष्टिकोण के हिसाब से अभी कई अन्य प्रकार की योजनाएं भी बन रही हैं। उदाहरण के लिए, क्षेत्रीय नजरिये की दृष्टि से योजना *क्षेत्रीय* या *राष्ट्रीय* हो सकती है। राजनीतिक दृष्टिकोण से योजना *केंद्रीय*, *राज्य स्तरीय* या *स्थानीय* हो सकती है। इसी तरह, भागीदारी दृष्टिकोण से योजना को *केंद्रीकृत* और *विकेंद्रीकृत* के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, अस्थायी दृष्टिकोण से योजना *लंबी* या *छोटी अवधि* की (सापेक्ष अर्थों में) हो सकती है। अंत में, मूल्य दृष्टिकोण से योजना *आर्थिक* या *विकासात्मक* हो सकती है।

योजना का एक प्रमुख वर्गीकरण सामाजिक प्रभाव के आधार पर किया जाता है। ऐसी योजना जिसमें सामाजिक और संस्थागत आयामों पर कम जोर दिया जाता है उसे ***व्यवस्था योजना*** (Systems Planning) के रूप में जाना जाता है। इस

17. India had a French influence on its development planning when it followed almost state monopoly in the six infrastructure industries also known as the ***core*** or the ***basic*** industries, i.e., cement, iron and steel, coal, crude oil, oil refinery and electricity.
18. Though the planning agencies the National Economic Development Council (NEDC) and the Economic Development Committees (EDCs) continued functioning, it was in 1992 that the NEDC was abolished (***Collins Dictionary of Economics,*** 2006).

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

तरह की योजना बनाने में योजनाकार स्थापित लक्ष्यों के संबंध में जाति, पंथ, क्षेत्र, भाषा, विवाह, परिवार, आदि मुद्दों को कम महत्व देते हुए सर्वोत्तम संभव परिणामों के लिए खोज करता है। इसके विपरीत, ***मानक योजना*** (Normative Planning) सामाजिक-संस्थागत कारकों को उचित महत्व देती है। यह सामाजिक-तकनीकी दृष्टिकोण से बनाई गई योजना है, लेकिन सिर्फ उस देश के लिए उपयुक्त है जहां सामाजिक विविधताएं बहुत कम हैं (स्वाभाविक तौर पर, भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है)। लेकिन, आने वाले वर्षों में नीति-निर्माताओं की सोच में बहुत बदलाव आया है। *आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11* संभवतः भारत सरकार का पहला दस्तावेज है जो भारत में योजना के लिए ***मानक दृष्टिकोण*** की आवश्यकता की वकालत करता है। ऐसा माना जाता है कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम/योजनाएं जब तक लोगों के रीति-रिवाजों, परंपराओं और स्वभाव के साथ मेल नहीं खाएंगी, तब तक लक्षित आबादी तक उनकी स्वीकार्यता वांछित स्तर तक नहीं होगी। कार्यक्रमों/योजनाओं और लक्षित आबादी के बीच मजबूत रिश्ता बनाने को अब योजना और नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। सोच में इस तरह का बदलाव दुनिया में भारत और दूसरे देशों के अनुभवों पर आधारित है।

जनवरी 2015 में भारत सरकार द्वारा योजना आयोग की जगह *नीति आयोग* की स्थापना की गयी। अगर हम इस नये ***'नीति चिंतक निकाय'*** के कार्यों को देखें तो स्पष्ट ज्ञात होता है कि भारत आधिकारिक रूप से ***'मानक नियोजन'*** को अपनाने की ओर अग्रसर हो चुका है। इस निकाय को एक ऐसे ***विकास मॉडल*** के निर्माण का कार्य दिया गया है जो कि 'भारतीय' हो अर्थात् इस विकास मॉडल में भारत की ***सांस्कृतिक*** एवं ***मूल्य विधानों*** का घटक भी शामिल हो।

हाल के वर्षों में भारत सरकार द्वारा इस दिशा में कई पहल की गयी हैं तथा इसके परिणाम भी अच्छे मिले हैं 'सामाजिक मानकों' (Social Norms) को प्रभावित करने की दिशा में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को *आर्थिक समीक्षा 2015-16* ने भी उद्घृत किया है:

(i) धनी लोगों को छूटों (Subsidies) को छोड़ने के लिए समझाना (Persuade);

(ii) लड़कियों के प्रति सामाजिक पूर्वाग्रहों (prejudices) को कम करने का प्रयास;

(iii) खुले में शौच नहीं करने के स्वास्थ्य संबंधी लाभों के प्रति लोगों को जागरूक करने की कोशिश, एवं;

(iv) सार्वजनिक स्थानों को साफ-सुथरा रखने के लिए लोगों को उत्साहित करने का प्रयास।

विश्व के कई अन्य देशों की तरह भारत द्वारा भी आर्थिक विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों में 'व्यवहारिक बदलाव' करने पर ध्यान दिया जा रहा है। इस दिशा में भारत के प्रयास की सराहना *विश्व विकास रिपोर्ट-2015* (विश्व बैंक) में भी की गयी है। भारत द्वारा किए जा रहे उपरोक्त सारे प्रयास 'मानक नियोजन' के उदाहरण हैं।

आर्थिक नियोजन को और अधिक प्रकार—***क्षेत्रीय*** और ***स्थानिक*** में वर्गीकृत किया जाता है। क्षेत्रीय (Sectoral) योजना बनाने में योजनाकार अर्थव्यवस्था के विशेष क्षेत्र पर जोर देता है, जैसे—कृषि, उद्योग या सेवा क्षेत्र। स्थानिक (Spatial) योजना में विकास को स्थानिक ढाँचे में देखा जाता है। विकास के स्थानिक आयामों को राष्ट्रीय आर्थिक विकास की जरूरतों और दबाव में परिभाषित किया जा सकता है। भारतीय नियोजन मौलिक रूप से एक स्तरीय (single level) और क्षेत्रक दृष्टिकोण (sectoral approach) पर निर्भर रहा है। वैसे 1990 के दशक से नियोजन की प्रक्रिया में *बहुस्तरीय (multi-level)* एवं *प्रादेशिक (regional)* तत्वों पर बल बढ़ता गया है जिनमें हमें *मानक (normative)* आयामों पर भी बढ़ते जोर का स्पष्ट संकेत मिलता है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

अध्याय 5

भारत में नियोजन
(PLANNING IN INDIA)

*पहली आठ योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रसार पर बल रहा, जिसमें बुनियादी और भारी उद्योगों पर बड़े पैमाने पर निवेश हुआ, लेकिन 1997 में नौवीं योजना के शुभारंभ के बाद ही सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर देने की बात कम सुनाई देने लगी और देश में नियोजन की वर्तमान सोच, आमतौर पर ये है कि इसे सांकेतिक प्रकार का होना चाहिए।**

इस अध्याय में

- परिचय
- पृष्ठभूमि
- योजना के प्रमुख उद्देश्य
- योजना आयोग
- राष्ट्रीय विकास परिषद
- केंद्रीय नियोजन
- बहु–स्तरीय नियोजन
- विकेन्द्रित नियोजन
- योजना आयोग तथा वित्त आयोग
- एक आलोचनात्मक मूल्यांकन
- समावेशी वृद्धि
- संसाधन संघटन
- निवेश मॉडल
- केंद्रीय क्षेत्र योजनाएँ एवं केंद्र प्रायोजित योजनाएँ
- स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यक्रम
- कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन
- नीति आयोग
- हाल ही में हुए परिवर्तन

* *योजना आयोग, 'एन ओवरव्यू ऑफ प्लैनिंग इन इंडिया', भारत सरकार, नई दिल्ली, 2013*

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

परिचय (INTRODUCTION)

सोवियत संघ ने पहली बार राष्ट्रीय नियोजन का विचार सामने रखा और इसे अपनाया। काफी समय तक लम्बी चर्चा एवं विमर्श के पश्चात् पहली सोवियत योजना (नियोजन) 1928 में पाँच वर्षों की अवधि के लिए शुरू की गई। हालाँकि सोवियत संघ के बाहर दुनिया को 1930 तक विकास योजना के तौर-तरीकों के बारे में मालूम नहीं था। 1920 तथा 1930 के दशक[1] में पूर्वी यूरोपीय देशों के अर्थशास्त्रियों के ब्रिटेन तथा अमेरिका में पलायन के पश्चात दुनिया को आर्थिक/राष्ट्रीय नियोजन के बारे में जानकारी मिल सकी। तब तो पूरा औपनिवेशिक विश्व तथा तत्कालीन लोकतांत्रिक देश आर्थिक प्रगति में नियोजन को औजार के रूप में प्रयुक्त करने के विचार से अत्यन्त प्रभावित हुए। पूर्व के ब्रिटिश उपनिवेशों के समाजवादी रुझान वाले राष्ट्रीय नेता आर्थिक नियोजन के विचार से कहीं अधिक प्रभावित हुए। 1930 का लगभग पूरा दशक इस बात का साक्षी रहा जबकि राष्ट्रवादी, पूँजीवादी, समाजवादी, लोकतंत्रवादी तथा अकादमिक समुदाय के लोग भारत में किसी न किसी समय आर्थिक नियोजन की जरूरत की वकालत करते नजर आए।[2]

इस प्रकार स्वतंत्र भारत एक नियोजित अर्थव्यवस्था वाला देश होगा यह निश्चित हो गया। भारत का आर्थिक इतिहास वास्तव में नियोजन का इतिहास है।[3] तब भी जबकि 1991-92 में तथाकथित आर्थिक सुधारों की शुरुआत की गई। सुधारों की रूपरेखा के बारे में अपने सुझावों को योजना आयोग ने स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया।[4] एक बार जब सुधारों की शुरुआत हो गई तब उस समय के चिंतन समूह (Think tank) ने आगे की योजनाओं की दिशा क्या होगी इसका निरूपण शुरू कर दिया।[5] भारत में नियोजन का इतिहास अपने आप में एक शैक्षिक भ्रमण की तरह है क्योंकि यद्यपि योजना आयोग एक राजनीतिक निकाय है। इसने बार-बार अच्छे अर्थशास्त्र की ओर इंगित करने में कभी संकोच नहीं किया। इस प्रकार भारत में नियोजन प्रक्रिया पर हम निम्न प्रकार से दृष्टिपात कर सकते हैं:

1. J.K. Galbraith, ***A History of Economics,*** (London: Penguin Books 199), p. 187.
2. Bipan Chandra, 'The Colonial Legacy', in Bimal Jalan (ed.), ***The Indian Economy: Problems and Prospects,*** (New Delhi: Penguin books, 2004).
3. Arjun Sengupta, 'The planning Regime since 1951' in N.N. Vohra and Sabyasachi Bhattacharya (eds), ***Looking Back: India in the Twentieth Century*** (New Delhi: National Book Trust, 2001), p. 121.
4. Planning Commission, ***Seventh Five Year Plan (1985–90),*** (New Delhi: Government of India), 1985.

पृष्ठभूमि (BACKGROUND)

1930 के दशक तक नियोजन का विचार भारत में बौद्धिक तथा राजनीतिक चर्चाओं में स्थान बना चुका था। भारत में नियोजन की अनिवार्यता दर्शाते अनेक प्रस्ताव सामने लाए गए लेकिन ब्रिटिश सरकार पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन इन प्रस्तावों की उपयोगिता स्वतंत्र भारत में तब सार्थक हुई जब कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का रास्ता अपनाया गया। इन प्रस्तावों में से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं:

विश्वेश्वरैया योजना (Vishvesvaraya Plan)

भारतीय नियोजन की पहली रूपरेखा को प्रस्तुत करने का श्रेय लोकप्रिय अभियंता तथा मैसूर राज के पूर्व दीवान एम. विश्वेश्वरैया को जाता है जो उनकी पुस्तक *'दि प्लांड इकॅनोमी ऑफ इंडिया'*[6], (1934 में प्रकाशित) में उल्लिखित है। राज्य नियोजन का उनका विचार वास्तव में लोकतांत्रिक पूँजीवाद (अमेरिका की तरह का) में व्यवहारिक व उपयोगी थे जिसमें औद्योगीकीकरण पर बल था-कृषि क्षेत्र से श्रम का उद्योगों की ओर संक्रमण, जिसके माध्यम से एक दशक में राष्ट्रीय आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। हालाँकि इस योजना पर ब्रिटिश सरकार द्वारा कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई, इससे देश के शिक्षित वर्ग में राष्ट्रीय नियोजन के प्रति आकर्षण बढ़ा।

5. Planning Commission, ***The 8th, 9th, 10th and 11th Plans,*** New Delhi: Government of India.
6. Sumit Sarkar, ***Modern India: 1855–1947,*** (New Delhi: Macmillan, 1983), pp. 360–61.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

फिक्की का प्रस्ताव (The FICCI Proposal)

1934 में फिक्की (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, FICCI) द्वारा भारत में राष्ट्रीय नियोजन की गंभीर जरूरत बताई गई। फिक्की भारतीय उद्योगपतियों का सर्वप्रमुख संगठन था। इसके अध्यक्ष एन.आर. सरकार ने अहस्तक्षेप को बीते युग का सिद्धांत घोषित कर दिया और कहा कि भारत जैसे पिछड़े देश में आर्थिक विकास के लिए एक व्यापक योजना बनाई जानी चाहिए जिसमें समस्त आर्थिक गतिविधियों का समावेश हो। पूँजीपति वर्ग की राय जाहिर करते हुए उन्होंने एक उच्च शक्ति प्रवाह राष्ट्रीय योजना आयोग (National Planning Commission) की जरूरत बताई जो नियोजन की संपूर्ण प्रक्रिया का समन्वय करे जिससे कि देश का अतीत के साथ संरचनात्मक विच्छेद हो और वह अपनी उन्नति की संपूर्ण क्षमता का उपयोग कर सके।[7]

19वीं सदी के अंत तक, राष्ट्रवादियों (जैसे एम.जी. रानाडे तथा दादाभाई नौरोजी) का आर्थिक चिंतन अर्थव्यवस्था में राज्य की प्रभावी भूमिका के पक्ष में था और 'बाजार की प्रक्रियाओं' (market mechanism) की सफलता को लेकर संदेह व्यक्त किया जा रहा था। इस दृष्टि को एक ओर कीन्स के अर्थशास्त्रीय सिद्धांत से बल मिला जो कि अमेरिका में महामंदी के दौरान सामने आया–'दि न्यू डील' के रूप में, जबकि दूसरी ओर राष्ट्रीय नियोजन में सोवियत प्रयोगों से। इस प्रकार भारत का पूँजीपति वर्ग भी इन घटनाओं से गहरे प्रभावित हो रहा था और फिक्की के नियोजन संबंधी विचारों में इसकी अभिव्यक्ति भी हुई।

काँग्रेस योजना (The Congress Plan)

हालाँकि महात्मा गाँधी सहित अनेक गाँधीवादी तथा कुछ व्यवसायी एवं सम्पत्तिवान काँग्रेसी केन्द्रीकृत राज्य नियोजन के प्रति पार्टी की किसी प्रतिबद्धता के पक्ष में नहीं थे,[8] काँग्रेस अध्यक्ष सुभाष चन्द्र बोस की पहल[9] पर 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति (National Planning Committee, NPC) का गठन किया गया और जवाहरलाल नेहरू इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए। इस समिति को जिम्मेवारी दी गई कि अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों के विकास की ठोस नीति एवं कार्यक्रम तैयार किए जाएँ। मूलत: एन.पी.सी. का गठन काँग्रेसशासित प्रांतों के उद्योग मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान हुआ था। इसमें अन्य प्रांतों को भी आमंत्रित किया गया था। इस सम्मेलन में एम. विश्ववेश्वरैया, जे.आर.डी., जी.डी. बिड़ला तथा लाला श्रीराम सहित अनेक अकादमिक एवं तकनीक क्षेत्र के विशेषज्ञों सहित प्रांतीय नौकरशाह, श्रमसंघ नेता, समाजवादी तथा साम्यवादी आदि भी आमंत्रित थे। 15 सदस्यीय एनपीसी के 29 उप-समितियाँ तथा कुल 350 सदस्य थे, इन सबने मिलकर 29 खंडों में अपनी अनुशंसाएँ प्रस्तुत कीं।[10] समिति के कार्य में उस समय व्यवधान हुआ जबकि द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ गया, साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसके अध्यक्ष सहित कई सदस्य गिरफ्तार हो गए। इस कारण 1940 से 1945 के दौरान नाममात्र को यह समिति अस्तित्व में रह गई। हालाँकि 1949 में समिति की अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित हुई, नियोजन संबंधी प्रगति 1946 तक अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई।

"अनेक मूल्यवान रिपोर्टों की एक कड़ी प्रकाश में आई जिससे एनपीसी तथा इसकी उप-समितियों के रचनात्मक चिंतन की झलक मिलती है, साथ ही इस विषय पर कार्य करने के दौरान उनके द्वारा संगृहीत दस्तावेज एवं सामग्री भी सामने आई। समिति का महत्व इन रिपोर्टों में उतना नहीं है जितना कि इस बात में कि इसने देश भर में इस विषय में रुचि जागृत कर दी कि समन्वित नियोजन ही लोगों के जीवन स्तर में सुधार का एकमात्र माध्यम है, और इसी के जरिए सामाजिक तथा आर्थिक ढाँचे में मौलिक परिवर्तन लाया जा सकता है।"[11]

7. Bipan Chandra etal., ***India After Independence, 1947–2000,*** (New Delhi: Penguin Books, 2000), p. 341.
8. A. Vaidyanathan. 'The Indian Economy Since Independence (1947–70)', in Dharma Kumar (ed), ***The Cambridge Economic History of India,*** Vol.II, (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), p. 949.
9. Sumit Sarkar, ***Modern India,*** p. 360.
10. Publications Division, ***The Gazetteer of India,*** Vol.3, (New Delhi: Government of India, 1975), p. 2.
11. ***Ibid.,*** pp. 2–3.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

एनपीसी के गठन के बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रगति इस दिशा में हुई जिसने स्वतंत्र भारत में समन्वित नियोजन की नींव रखी। इसे इस प्रकार देखा जा सकता है:

(i) **युद्धोत्तर पुनर्निर्माण समिति (Post War Reconstraction Committee):** जून, 1941 में भारत सरकार ने लोगों की माँग पर एक 'युद्धोत्तर पुनर्निर्माण समिति' का गठन किया जिसे अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन की विभिन्न योजनाओं पर विचार करना था।[12]

(ii) **अर्थशास्त्रियों की परामर्शदात्री समिति (Consultative Committee of Economists):** रामास्वामी मुदालियार की अध्यक्षता में 1941 में अर्थशास्त्रियों की एक परामर्शदात्री समिति का गठन हुआ जिससे कि अपेक्षा की गई कि वह चार युद्धोत्तर पुनर्निर्माण समितियों को देश के लिए राष्ट्रीय योजना को कार्यान्वित करने के लिए अपने सुझाव देगी।

हालाँकि समिति ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अनेक योजनाएँ सुझाई लेकिन उनका व्यावहारिक महत्व नगण्य था और उनमें अकादमिक पूर्वाग्रह भरे पड़े थे।

(iii) **योजना एवं विकास विभाग (Planning and Development Department):** सभी संभावित विलंब के पश्चात् 1944 में सरकार ने योजना एवं विकास विभाग का गठन वायसराय कार्यकारिणी परिषद के एक सदस्य की अगुआई में किया जिससे कि देश में योजना कार्यों का संगठन एवं समन्वयन किया जा सके। आर्देशिर दलाल (बॉम्बे प्लान के नियंत्रक) इसके कार्यकारी सदस्य नियुक्त किए गए। विशेषज्ञों के 20 पैनल गठित किए गए। केन्द्रीय विभागों तथा प्रांतों एवं भारतीय राजशास्त्रियों को औद्योगिकीकरण के लिए विस्तृत योजनाएँ तैयार करने के लिए आमंत्रित किया गया। यह विभाग 1946 में बंद कर दिया गया।

(iv) **सलाहकार योजना बोर्ड (Advisory Planning Board) :** अक्टूबर, 1946 में भारत सरकार ने एक कमिटी की नियुक्ति की–सलाहकार योजना बोर्ड[13] जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा अब तक बनाई गई योजनाओं, राष्ट्रीय योजना समिति के कार्यों तथा अन्यान्य योजना प्रस्तावों की समीक्षा का दायित्व सौंपा गया। इसके साथ ही बोर्ड को नियोजन के भावी तंत्र तथा उद्देश्यों एवं प्राथमिकताओं के संबंध में अपनी अनुशंसाएँ भी देनी थीं। बोर्ड ने एक एकल चुस्त अधिकार सम्पन्न संगठन ...... जो कि सीधे मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी हो जो लगातार ''नियोजन के सभी पहलुओं एवं प्रक्रियाओं पर नजर रखे''[14] यह वास्तव में एक राष्ट्रीय योजना आयोग के गठन की स्पष्ट सलाह थी जैसी कि फिक्की ने 1934 में की थी, जिसे विकास नियोजन के क्षेत्र में स्वायत्तता तथा सर्वाधिकार हासिल होगा, जो कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल के साथ मिलकर कार्य करेगा तथा प्रांतों के विकासात्मक निर्णयों को भी प्रभावित कर सकेगा। यह आखिरकार होकर रहा जबकि 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया।

बोर्ड ने 1947 की अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से विचार व्यक्त किया कि ''बड़े उद्योगों का समुचित विकास तभी संभव है जबकि राजनीतिक इकाइयाँ चाहे वह केन्द्र हो या राज्य, एक साझे योजना के अनुरूप कार्य करने पर सहमत हो।''[15] इस सुझाव का स्वतंत्र भारत में नियोजन

12. There was a popular view in favour of rapid industrialisation among the important nationalists, economists and the business class of that time.

13. The Board was set up by the Interim Government formed in 1946.

14. Dharma Kumar (ed.), ***The Cambridge Economic History of India,*** Vol.II, p. 950.

15. Kalikinkar Datta, ***An Advanced History of India,*** 4th Edition (New Delhi: Macmillan, 2006), pp. 955–56.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

प्रक्रिया पर व्यापक प्रभाव हुआ, जैसा कि बोर्ड विकास नियोजन की एक एकबद्धता की प्रकृति प्रदान करने की हमेशा कोशिश करता रहा। लेकिन इस प्रक्रिया के अंतर्गत भारतीय नियोजन के केन्द्रीकृत होने की प्रवृत्ति भी विद्यमान थी, जिसके विरोध में अनेक राज्य आपत्तियाँ उठा सकते थे और इसका परिणाम केन्द्र-राज्य संबंधों में गिरावट के रूप में सामने आता।[16] हालाँकि 1920 से ही राजनीतिक नेतृत्व देश में विकेन्द्रित नियोजन की जरूरत के प्रति सचेत रहा था।[17]

बॉम्बे प्लान (The Bombay Plan)

'भारत के आर्थिक विकास की योजना' (A Plan of Economic Development of India) का ही लोकप्रिय नामकरण बॉम्बे प्लान हो गया, जिसे भारत के प्रमुख पूँजीपतियों के एक वर्ग ने तैयार किया था। इसमें आठ पूँजीपति शामिल थे-पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जे.आर.डी. टाटा, जी.डी. बिड़ला, लाला श्रीराम, कस्तूर भाई लालभाई, ए.डी. श्रौफ, अवरेशिर दलाल तथा जॉन मथाई।[18] यह योजना 1944–45 में प्रकाशित हुई। उपरोक्त आठ पूँजीपतियों में पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, राष्ट्रीय योजना समिति (National Planning Committee–NPC, 1938) के 15 सदस्यों में एक थे।[19] शेष तीन- जे. आर.डी. टाटा, जी.डी. बिड़ला तथा लाला श्रीराम राष्ट्रीय योजना समिति की उप-समितियों के सदस्य (कुल 29) थे।[20]

योजना की जरूरत तथा एनपीसी तथा बॉम्बे प्लान के सदस्यों की साझी सदस्यता से इन दोनों बड़ी योजनाओं के बीच स्पष्ट सहमति बन सकी जिसका प्रतिफल स्वतंत्रता के पश्चात देश की आर्थिक व्यवस्था का एक स्वरूप प्रदान करने में सामने आया। इन सहमतियों[21] में से कुछ प्रमुख की चर्चा यहाँ आवश्यक है:

(i) ***कृषि पुनर्रचना*** के मामले में मूलभूत सहमति सभी प्रकार के बिचौलियों (जमींदारी उन्मूलन) का उन्मूलन, न्यूनतम मजदूरी, कृषक उत्पादकों को न्यूनतम अथवा उचित मूल्य की गारंटी, सहकारी संस्थाएँ, ऋण एवं विपणन सहायता।

(ii) ***औद्योगीकरण*** पर सहमति जिसके तहत दोनों योजनाओं ने भारी पूँजीगत वस्तुओं तथा मूलभूत उद्योगों (बॉम्बे प्लान ने अपने कुल योजना आकार का 35 प्रतिशत इनको आवंटित किया था) पर जोर दिया।

(iii) सोवियत योजना से सीख लेकर एनपीसी तथा बॉम्बे प्लान दोनों ***अनिवार्य उपभोक्ता वस्तु उद्योगों का भी विकास*** साथ ही साथ चाहते थे लेकिन थोड़ी धीमी गति से।

(iv) दोनों योजनाएँ ***मध्यम उद्योगों, लघु उद्योगों एवं कुटीर उद्योगों*** को प्रोत्साहन देने को महत्वपूर्ण मानती थीं क्योंकि इनमें अधिक रोजगार पैदा किया जा सकता था और बदले में इन्हें कम पूँजी तथा कमतर स्तर के संयंत्रों एवं मशीनरी की आवश्यकता थी।

(v) दोनों योजनाएँ मानती थीं कि ***राज्य की अर्थव्यवस्था में नियोजन***, नियंत्रण तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे-व्यापार, उद्योग तथा बैंकिंग को राज्य के स्वामित्व (सार्वजनिक कोष) अथवा प्रत्यक्ष एवं अत्यधिक नियंत्रण के माध्यम से एक सक्रिय भूमिका निभानी थी।

(vi) दोनों ही योजनाओं ने ***समाज कल्याण*** के व्यापक उपायों का पक्ष लिया जिसमें कि काम

---

16. S.N. Jha and P.C. Mathur (eds), ***Decentralisation and Local Politics,*** (New Delhi: Sage Publications, 2002), pp. 28–30.
17 A. H. Hanson, ***The Process of Planning: A Study of India's Five-Year Plans, 1950–1964*** (london: Oxford University Press, 1966), pp. 152–55.
18. Bipan Chandra, 'The Colonial Legacy', p. 23.
19. Partha Chatterjee, 'Development Planning and the Indian Planning', in Partha Chatterjee (ed.), ***State and Politics in India*** (New Delhi: Oxford University Press, 1997), p. 273.
20. Rakesh Mohan, 'Industrial Policy and Contorls', in Bimal Jalan (ed.), ***Indian Economy: Problems and Prospects*** (New Delhi: Penguin Books, 1994).
21. Bipan Chandra, **'The Colonial Legacy'**, pp. 23–31.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

अधिकार एवं पूर्ण रोजगार, न्यूनतम मजदूरी की गारंटी, जल एवं स्वच्छता, नि:शुल्क शिक्षा, बेरोजगारी एवं बीमारी के लिए सामाजिक बीमा पर अधिक सरकारी खर्च, तथा उपयोगी सेवाओं, जैसे–बिजली और परिवहन, को राज्य सब्सिडी के माध्यम से कम कीमत पर उपलब्ध कराना आदि शामिल थीं।

(vii) दोनों ही योजनाएँ एक ऐसी योजना बनाए जाने पर एकमत थीं जिसके माध्यम से ***असमानताओं*** को दूर किया जा सके—प्रगतिशील करारोपण तथा धन के संकेन्द्रण पर रोक लगाकर। बराबरी, अर्थात असमानता को अवांछनीय माना गया क्योंकि इससे घरेलू बाजार पर बंदिश लगती है।

गाँधीवादी योजना (Gandhian Plan)

गाँधीवादी आर्थिक चिंतन की मूल भावना का समावेश करते हुए श्रीमान् नारायण अग्रवाल ने 1944 में इस योजना का सूत्रण किया। इस योजना में कृषि पर अधिक जोर दिया गया था। यहाँ तक कि अगर उन्होंने औद्योगीकरण का भी पक्ष लिया हो कुटीर एवं ग्रामोद्योग के स्तर तक ही, न कि एनपीसी तथा बॉम्बे प्लान की तरह बड़े एवं भारी उद्योगों का समर्थन किया। इस योजना ने भारत के लिए एक 'विकेन्द्रित आर्थिक संरचना' की रूपरेखा प्रस्तुत की जिसमें 'आत्मनिर्भर गाँवों' की व्यवस्था होगी।

यहाँ यह ध्यान देने की जरूरत है कि गाँधीवादी एनसीपी अथवा बॉम्बे प्लान के केन्द्रीकृत नियोजन, राज्य की अर्थव्यवस्था में प्रभावी भूमिका तथा औद्योगीकरण पर बल देने जैसे विचारों से सहमत नहीं थे।[22] गाँधीजी के लिए मशीनें, वाणिज्यीकरण तथा केन्द्रीकृत राज्य शक्ति आधुनिक सभ्यता के अभिशाप की तरह थे जिन्हें यूरोपीय उपनिवेशवाद ने भारतीय लोगों पर थोपा था। गाँधीजी के अनुसार उद्योगवाद, न कि उद्योग लगाने की अक्षमता, भारत की गरीबी का मूल कारण था। बाद में 1940 के दशक में काँग्रेस ने इसी आधार पर उपनिवेशी शासन के विरुद्ध बड़ा जनांदोलन खड़ा किया। लेकिन एनसीपी में काँग्रेस ने इन मुद्दों पर अलग राय कायम की और एक तरह से गाँधीजी के मत को छोड़ दिया। एनपीसी के पहले ही सत्र में 15 सदस्यीय एनपीसी के एकमात्र गाँधीवादी सदस्य जे. सी. कुमारप्पा ने यह कहकर गतिरोध पैदा कर दिया कि एनसीपी को औद्योगीकरण की योजना पर विचार करने का क्या अधिकार है। उन्होंने कहा कि काँग्रेस की प्राथमिकता है आधुनिक उद्योगवाद को सीमित करना, उसे समाप्त करना। बाद में नेहरू जी ने हस्तक्षेप कर घोषणा की कि एनपीसी ज्यादातर सदस्य यह अनुभव करते हैं कि बड़े उद्योगों को उस सीमा तक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जहाँ तक कि वे कुटीर उद्योगों के लिए संकट न पैदा कर दें।[23] यह एक लम्बा वैचारिक गतिरोध चला जिसने इस योजना के माध्यम से नियोजन अथवा योजना के बारे में गाँधीवादी मत को रखने की अनिवार्यता पैदा की।

जन योजना (The People's Plan)

1945 में एक और योजना सामने आई जिसका सूत्रण रैडिकल ह्युमनिस्ट नेता एम.एन. राय ने किया जो कि युद्धोत्तर पुनर्निर्माण समिति (इंडियन ट्रेड यूनियन से सम्बद्ध) के अध्यक्ष थे। यह योजना मार्क्सवादी समाजवाद पर आधारित थी, जिसने लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जरूरत की वकालत की।[24] इस योजना में कृषि एवं उद्योग क्षेत्र दोनों को प्रमुखता दी गई। अनेक अर्थशास्त्रियों का मत है कि भारतीय योजनाकरण में जो समाजवादी रुझान है, उसके पीछे यही योजना है। 1990 के दशक के यूनाइटेड फ्रंट सरकार तथा 2004 के यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलाएंस (यूपीए) के न्यूनतम साझा कार्यक्रम की प्रेरणा यही योजना रही, ऐसा माना जाता है। 'मानवीय चेहरे के साथ आर्थिक सुधार' का नारा जिसके साथ 1990 के दशक में

22. Dharma Kumar, ***The Cambridge Economic History of India***, p. 949.

23. Partha Chatterjee, 'Development Planning and the Indian Planning', p. 275.

24. S.K. Ray, ***Indian Economy*** (New Delhi: Prentice Hall, 1987), p. 369.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई, उसमें इसी जन-योजना को प्रतिध्वनि थी।

सर्वोदय योजना (The Sarvodaya Plan)

एनसीपी की रिपोर्ट प्रकाशित होने के पश्चात जबकि सरकार पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने की तैयारी कर रही थी, भारत के नियोजित विकास का एक खाका प्रसिद्ध समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने 1950 में प्रस्तुत किया जिसे 'सर्वोदय योजना' के नाम से जाना जाता है। इस योजना की मूल प्रेरणा गाँधीवादी पद्धति का सामुदायिक रचनात्मक कार्य तथा ट्रस्टीशिप था, साथ ही सर्वोदय नेता विनोबा भावे की सर्वोदय का विचार भी इसमें समाविष्ट था। इस योजना में विन्यस्त प्रमुख विचार गाँधीवादी योजना से बहुत मिलते-जुलते थे, जैसे कि कृषि, कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों पर बल, आत्मनिर्भरता तथा विदेशी पूँजी तथा तकनीक पर प्राय: नगण्य निर्भरता, भूमि सुधार, आत्मनिर्भर गाँव, तथा योजना को विकेन्द्रीकृत सहभागी प्रकार आदि।[25] इस योजना की कुछ स्वीकार्य विचारों को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पंचवर्षीय योजनाओं में उचित महत्व प्राप्त हुआ।

1960 के दशक की शुरुआत तक जयप्रकाश नारायण भारतीय नियोजन प्रक्रिया के कटु आलोचक बन गए थे, विशेषकर इसकी केन्द्रीकरण की बढ़ती प्रकृति तथा इसमें जन-सहभागिता की अनुपस्थिति को लेकर। वास्तव में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का विचार तत्कालीन स्थापित शक्ति संरचना-विधायकों/सांसदों, नौकरशाहों तथा राज्यस्तरीय राजनीतिक नेताओं को बिल्कुल रास नहीं आता था।[26] इसी कारण जयप्रकाश नारायण कमिटी (1961) भारतीय योजना पद्धति के विरुद्ध हो गई। कमिटी ने यह बात सामने रखी कि एक बार पंचायती राज को योजना निर्माण एवं योजना कार्यान्वयन की ऐजेंसी के लिए जिम्मेदार मानने के बाद "विषयवार वैयक्तिक आवंटन को एक मार्गदर्शक के रूप में भी मानने का कोई वैध कारण नहीं रह जाता।"[27]

कमेटी के विनम्र सुझावों को दरकिनार कर कई केन्द्रीय योजनाएँ, जैसे-लघु कृषक विकास ऐजेंसी (Small farmers Development Agency, SFDA), सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (Drought from Area Programme, DPAP), जनजातीय विकास कार्यक्रम (Intensive tribal Development Programme, ITDP), सघन कृषि जिला कार्यक्रम (Intensive Agricultural District Programme, IADP), आदि सरकार द्वारा शुरू की गईं और इन्हें पंचायत के विषय-क्षेत्र से एकदम बाहर रखा।

यह तो 73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों (1992) के पश्चात् ही संभव हुआ कि स्थानीय निकायों की भूमिका एवं नियोजित विकास में उनका महत्व स्वीकार किया गया और अंतत: जयप्रकाश नारायण के विचारों को ही मानना पड़ा।

कुछ क्षेत्रवार रिपोर्ट (Some Areawise Reports)

1940 के दशक तक भारत में नियोजित विकास की जरुरत को अधिकाधिक मान्यता मिल गई थी। लोकप्रिय जनमत के दबाव में सरकार ने इस दिशा में कुछ नियोजित कार्यवाहियाँ करनी शुरू कीं। 1940 के दशक में हम अनेक क्षेत्र-विशिष्ट रिपोर्टें प्रकाशित होते देखते हैं:[28]

(i) कृषि ऋण पर गाडगिल रिपोर्ट
(ii) कृषि विकास पर खेरागत रिपोर्ट
(iii) कृषि मूल्य पर कृष्णाभाचारी रिपोर्ट
(iv) सहकारी समितियों पर सरैया रिपोर्ट
(v) सिंचाई पर अनेक रिपोर्टों की शृंखला (सतह जल, नहर आदि)

इन सब रिपोर्टों को सावधानीपूर्वक एवं पर्याप्त विद्वता एवं दक्षता के साथ तैयार किया गया था, लेकिन सरकार इनके निष्कर्षों को लागू करने के प्रति तनिक भी उत्साहित

25. A.H. Hanson, ***The Process of Planning***, p. 175.
26. George Mathew, ***Power to the People,*** in M.K. Santhanam (ed.), ***50 Years of Indian Republic*** (New Delhi: Publications Division, Government of India, 200), p. 32.
27. L.C. Jain, et al., ***Grass Without Roots*** (New Delhi: Sage Publications, 1985).
28. A. H. Hanson, ***The Process of Planning,*** p. 180.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

नहीं दिखी। लेकिन स्वतंत्र भारत में इन रिपोर्टों का बहुत लाभ उठाया गया जबकि नियोजन की शुरुआत इन सभी क्षेत्रों को समावेशित कर दी गई।

इस निष्कर्ष तक पहुँचने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि स्वतंत्रता-पूर्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत सरकार तथा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, प्रमुख उद्योगपतियों एवं अन्य के बीच निम्नलिखित सिद्धांतों के प्रति पर्याप्त महत्वपूर्ण स्तर तक एक सहमति बन गई थी:[29]

(i) एक केन्द्रीय योजना निर्माण होना चाहिए जिसमें राज्य एक सक्रिय भूमिका अदा करे जिससे कि सामाजिक, आर्थिक विकास हो तथा जीवन स्तर में एक तीव्र उठान आए;

(ii) नियंत्रण एवं लाइसेंसीकरण व्यवस्थित रूप से हो, जिससे कि निवेश को वांछनीय चैनलों में निर्देशित किया जा सके तथा समत्वपूर्ण वितरण सुनिश्चित किया जा सके;

(iii) जबकि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास होना चाहिए, मूलभूत उद्योगों की स्थापना विशेष रूप से जरूरी एवं महत्वपूर्ण है। इसमें राज्य के स्वामित्व वाले एवं राज्य नियंत्रित उद्यमों की एक विशेष भूमिका है। हालाँकि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों को अलग-अलग क्षेत्रों को आवंटित करने के मुद्दे पर दृष्टिकोणों में अंतर था।

यह भी कम रोचक विषय नहीं है कि उपरोक्त सभी समझौतों और सहमतियों तक स्वतंत्रता-पूर्व के दो दशकों के दौरान एक उद्विकासात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत ही पहुँचा जा सका जबकि देश में नियोजित विकास की जरूरत पर लगातार हुई चर्चाओं एवं कार्यवाहियों को अंजाम दिया गया।

''भारत सरकार द्वारा तैयार योजना, बॉम्बे प्लान एवं अन्य योजनाओं, जिनकी ऊपर चर्चा की गई (एनसीपी तथा सर्वोदय प्लान को छोड़कर) की गंभीर सीमाएँ भी थीं। जब उन्हें तैयार किया गया तब तक यह मालूम हो चुका था कि सत्ता के हस्तांतरण में अब विलंब नहीं है, लेकिन सरकार के स्वरूप के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, न अनुभव था। योजनाएँ अधिकतर विशेषज्ञों के द्वारा तैयार की गई थीं और इनमें कोई आपसी समन्वय नहीं था। उनके पीछे कोई सामाजिक दर्शन नहीं था। स्वतंत्रता के आने तक, वे अपर्याप्त सिद्ध हुई, हालाँकि नियोजन तथा इसके तरीके पर जो चिंतन-मनन हुआ वह भविष्य के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ।''[30]

योजना के प्रमुख उद्देश्य (Major Objectives of Planning)

भारत में नियोजन जनाकांक्षाओं तथा भविष्य के सपनों को साकार करने का एक उपकरण था। हम जानते हैं कि भविष्य के भारत की नींव एक दिन में नहीं पड़ी। सपनों का भारत बनाने की प्रक्रिया समूचे स्वतंत्रता आंदोलन काल के दौरान चलती रही। इन आकांक्षाओं और लक्ष्यों को राष्ट्रीय योजना समिति (NPC) की रिपोर्टों, संविधान सभा की चर्चाओं, तथा अंततः संविधान में समुचित महत्व व स्थान मिला। स्वतंत्रता आंदोलन के उठान के दौर, साथ ही सोवियत संघ तथा फ्रांस की नियोजन शैलियों से प्रभाव ग्रहण कर एनपीसी ने भारत में नियोजन के उद्देश्यों की रूपरेखा निर्धारित की। भारत की नियोजन प्रक्रिया में राष्ट्रीय आंदोलन की आकांक्षाओं तथा भावी पीढ़ियों की जरूरतों एवं अपेक्षाओं को शामिल किया गया। हालाँकि ऐसा करना यह भारत में नियोजन के उद्देश्यों पर एक अत्यंत सामान्य टिप्पणी माना जाएगा। हमें इस विषय में चर्चा आगे बढ़ाने के लिए भारत में नियोजन के विशिष्ट एवं वस्तुनिष्ठ लक्ष्यों पर गौर करना होगा। नियोजन के विषय में चली चर्चाएँ एवं कुछ ऐतिहासिक विमर्श इस दिशा में हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं:

(i) सारी परिस्थितियों एवं दशकों में निर्मित सामाजिक दर्शन के आलोक में समीक्षा करते हुए संविधान सभा इस निष्कर्ष पर पहुँची कि इस 'बढ़ती आकांक्षाओं की क्रांति' को रचनात्मक दिशा में मोड़ने के लिए भारत को

29. Publications Division, ***The Gazatteir of India***, p. 5.

30. Ibid., p. 5.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

सावधानी से सुनियोजित दीर्घकालीन सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए दृढ़संकल्पित प्रयास करना चाहिए, साथ ही आधुनिक वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय प्रगति का उपयोग कर जीवन स्तर में द्रुत एवं प्रशंसनीय सुधार करना चाहिए और इस प्रक्रिया में अधिकतम सामाजिक न्याय को सुलभ बनाना चाहिए। कुल मिलाकर यह भारत को एक 'कल्याण राज्य' (Welfare State) बनाने का आह्वान था।[31] इन महत्वपूर्ण चर्चाओं में न केवल देश में नियोजन की अनिवार्यता पैदा कर दी बल्कि नियोजन के प्रमुख उद्देश्यों को भी रेखांकित कर दिया।

(ii) भारत में नियोजन के उद्देश्यों से संबंधित तीन महत्वपूर्ण विशेषताएँ संवैधानिक प्रावधानों में जोड़ी गईं[32]:

(a) आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन एक समवर्ती विषय है। 'केन्द्र', 'राज्य' अथवा 'समवर्ती' सूची तथा इनके लिए विषयों का निर्धारण करते हुए संविधान केन्द्र को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह महत्वपूर्ण क्षेत्र की गतिविधियों में समन्वित विकास सुनिश्चित करे तथा राज्य को उनके लिए निर्धारित विषयों में पहल तथा प्राधिकार संरक्षित करने के उपाय करे।

(b) संविधान में केन्द्र तथा राज्यों तथा राज्यों के समूहों के बीच स्वैच्छिक आधार पर सहयोग बढ़ाने, साझे हितों के विषयों पर विधायी प्रक्रियाओं एवं प्रशासन में अनुसंधान करने और इस प्रकार संघीय संविधान (अनुच्छेद 249, 252, 257, 258, 258-ए तथा 312) में अन्तर्निहित कठोरताओं की उपेक्षा के प्रावधान मौजूद हैं।

(c) संविधान कल्याण राज्य के स्वरूप के अलावा उन मौलिक सिद्धांतों के स्वरूप को भी रेखांकित करता है जिन पर वह आधारित होना चाहिए।

ये नियोजन तथा उसके उद्देश्यों की प्रमुख आधारशिलाएँ हैं जो संविधान में सन्निहित हैं और यह आने वाले दशकों में केन्द्र-राज्यों के बीच रस्साकशी का कारण बनेगा और सरकार को 'मानवीय चेहरा के साथ सुधार' का जुमला अपनाने को बाध्य करेगा। हम देखते हैं कि किस प्रकार 1990 के दशकों में आर्थिक सुधारों के युग में नियोजन ने उल्टी दिशा पकड़ी।

(iii) सरकार ने संविधान के सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों के संवैधानिक प्रावधानों का संदर्भ लेते हुए मार्च 1950 में योजना आयोग के गठन की घोषणा एवं संकल्प के द्वारा व्यक्त की। मौलिक अधिकार तथा नीति-निदेशक सिद्धांत प्रत्येक नागरिक के लिए आय के अलावा आजीविका का पर्याप्त साधन, रोजगार के लिए अवसर तथा न्याय एवं समता पर आधारित एक सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। इस प्रकार, नियोजन के मूलभूत उद्देश्य[33] भारत के संविधान के प्रावधानों में ही उल्लिखित है। इनका उल्लेख पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56) में इन शब्दों में किया गया:

''वर्तमान परिस्थितियों में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की जरूरत निर्धनता तथा आय, धन तथा अवसर में असमानता की यथार्थ परिस्थितियों से बनती है। स्पष्ट है कि निर्धनता को केवल धन के पुनर्वितरण से समाप्त नहीं किया जा सकता। न ही उत्पादन बढ़ाने को लक्षित कोई एक कार्यक्रम वर्तमान असमानताओं को दूर कर सकता है। इन दोनों पर एक साथ विचार करना होगा।''

31. Ibid.
32. Ibid., pp. 7–10
33. Ibid.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(iv) नियोजन के उपरोक्त उद्देश्य किसी-न-किसी रूप में आने वाले समय में भी प्रमुखता पाते रहे। जैसा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-61) कहती है:

"इस योजना को प्रथम योजना अवधि में शुरू की गई प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। इसके द्वारा उत्पादन, विनिवेश तथा रोजगार में व्यापक वृद्धि प्रदान करनी है। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को उसके आर्थिक ही नहीं सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति की दृष्टि से भी गतिशीलता प्रदान करने के लिए जरूरी संस्थागत परिवर्तनों की गति को तेज करना होगा।"

(v) यही उद्देश्य छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में भी निम्न शब्दों में दोहराए गए:

"भारत में आर्थिक नियोजन का मूलभूत कार्य अर्थव्यवस्था में ढाँचागत परिवर्तन लाना है जिससे उच्च एवं स्थिर वृद्धि दर हासिल की जा सके, लोगों के जीवन-स्तर में उत्तरोत्तर सुधार हो और गरीबी तथा बेकारी उन्मूलन हो और अंतत: एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का मौलिक आधार बने।"

(vi) यह जानना बहुत जरूरी होगा कि 1991-92 में शुरू किए गए आर्थिक सुधारों के समय नियोजन के उद्देश्य क्या रखे गए थे, क्योंकि इस नई आर्थिक नीति ने विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों के समक्ष देश में नियोजन के उद्देश्यों को लेकर प्रश्नजनक चीजों के बारे में निष्कर्ष निकालने पर विवश कर दिया:

(a) वेतन से हटाकर स्वरोजगार पर निर्भरता की जरूरत

(b) सरकार पीछे हट रही है और अर्थव्यवस्था निजी-समर्थक होती जा रही है तथा क्षेत्रवार विचार करें तो परियोजना के सामाजिक उद्देश्य गौण होते जाएँगे।

(c) अब तक रेखांकित किए गए नियोजन के उद्देश्य धुँधले बना दिए गए हैं।

(d) विदेशी निवेश को बढ़ावा से अर्थव्यवस्था नव-उपनिवेशवाद के चंगुल में फँस जाएगी, आदि।

लेकिन उपरोक्त सभी शंकाएँ आने वाली योजनाओं में स्पष्ट शब्दों में निर्मूल सिद्ध हुई। परवर्ती योजनाओं से हम इस प्रकार उद्धृत कर सकते हैं:

- "भविष्य में आर्थिक विकास के लिए, अर्थव्यवस्था निजी सहभागिता पर अधिक निर्भर रहेगी तथा हालाँकि मोटे उद्देश्य वही रहेंगे, लेकिन नियोजन की प्रकृति अधिक प्रतीकात्मक हो जाएगी।" यह घोषणा आर्थिक सुधारों को लागू करते समय (23 जुलाई, 1991) में की गई थी, तभी आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) की शुरुआत भी हुई थी। "नियोजन के मूल उद्देश्यों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया जबकि नीतियों के उपकरणों में परिवर्तन किया गया।"-यह घोषणा आर्थिक सुधारों को लागू करते समय सरकार ने की (1991)।
- 9वीं योजना (1997-2002) की शुरुआत करते यह घोषणा की गई-"पंडितजी द्वारा स्थापित भारत में नियोजन के उद्देश्यों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। 9वीं योजना में किसी नयी खोज में प्रवृत होने की मंशा नहीं है। लेकिन यह योजना जिन लक्ष्यों व उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहती है वे पिछले अनुभवों की सीख पर आधारित है जिनमें आठवीं योजना भी शामिल है। ये आज की समस्याओं तथा चुनौतियों को संबोधित हैं तथा कल के लिए देश को तैयार करने की कोशिश भी करते हैं।"[34]

34. Deputy Chairman, Planning Commission, May 1999. It is interesting to note here that the composition of the polity in the Centre was dominated by the BJP, while the Deputy Chairman, Planning Commission was K.C. Pant (an old congress man)—continuity in the basic ideas and objectives of planning being maintained.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

अंत में नियोजन प्रक्रिया तथा भारत में नियोजन के छह प्रमुख उद्देश्यों[35] पर एक व्यापक सहमति बनती दिखती है। ये छह उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

(i) **आर्थिक वृद्धि:** भारत में नियोजन के सर्वोच्च लक्ष्यों में शामिल रहा है-अर्थव्यवस्था में उत्पादन स्तर में स्थिर वृद्धि, जो आज के लिए भी सच है और भविष्य के लिए भी, बिना किसी संदेह के।

(ii) **गरीबी उन्मूलन:** गरीबी उन्मूलन वह सर्वप्रमुख विषय था जिसने एनसीपी सदस्यों के साथ ही संविधान सभा में भी सदस्यों का ध्रुवीकरण कर दिया, इस हद तक कि नियोजित अर्थव्यवस्था के पक्ष में आजादी के पहले ही निर्णय ले लिया गया। गरीबी उन्मूलन को लक्षित अनेक कार्यक्रम देश में सभी सरकारों द्वारा चलाए गए और यह आज भी जारी है कहीं अधिक गंभीरता के साथ (जैसे–एन.आर.जी.ई.पी.–जिसे यूपीए सरकार ने 2006 में शुरू किया वह भी एक अधिनियम बनाकर; यह विषय ने उच्च राजनीतिक स्तर पर ध्यान खींचा)।

(iii) **रोजगार सृजन:** गरीबों को रोजगार प्रदान करना गरीबी उन्मूलन के लिए अर्थशास्त्र का सर्वोत्तम औजार रहा है। इस प्रकार भारत में नियोजन का यह स्वाभाविक उद्देश्य बन जाता है जब इसे गरीबी उन्मूलन के लिए अपनाया जाता है। भारत में रोजगार सृजन इसीलिए गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य का हिस्सा रहा है। कई सामान्य कार्यक्रम एवं योजनाएँ इस दिशा में समय-समय पर सरकार द्वारा शुरू की जाती रही हैं, उनमें वेतन रोजगार पर आधारित कुछ कार्यक्रम अभी भी अस्तित्व में हैं, अन्य स्वरोजगार पर आधारित कार्यक्रम हैं।

(iv) **आर्थिक असमानता पर नियंत्रण:** भारत में अंतर-वैयक्तिक (Inter-personal) तथा अंत:वैयक्तिक (Intra-personal) स्तर पर आर्थिक गैर-बराबरी स्पष्ट रूप से द्रष्टव्य थी। सभी प्रकार की आर्थिक असमानताओं को रोकने के लिए आर्थिक नियोजन भारत में नियोजन की शुरुआत तक एक औजार के रूप में स्वीकार्य हो चुका था।[36] नियोजन के इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न सरकारों ने तरह-तरह की नवाचारी नीतियों को लागू किया, यहाँ तक कि कभी-कभी संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों से भी इनके टकराव की स्थिति बनी।

हालाँकि भारतीय नियोजन को कुछ सामाजिक-आर्थिक उद्देश्य पूरे करने हैं, मात्र आर्थिक नियोजन को ही नियोजन प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया (तकनीकी रूप से) और सामाजिक नियोजन (सामाजिक अभियंत्रण कहना बेहतर होगा) राजनीतिक प्रक्रिया के ऊपर छोड़ दिया गया। यही कारण है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रीमियर शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण, भूमि सुधार, अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन आदि विषय योजना आयोग के दायरे में नहीं आते।

(v) **आत्मनिर्भरता:** 1930 तथा 1940 के दशकों के दौरान राष्ट्रवादियों, पूँजीपतियों एवं एनसीपी की यह अभिलाषा थी कि आर्थिक गतिविधियों के प्रत्येक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भरता को विश्व अर्थव्यवस्था में एक अधीनस्थ स्थिति को दूर करने के लिए भी इसकी जरूरत अनुभव की गई। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने विचार व्यक्त

35. Publications Division, ***India*** (New Delhi: Government of India, various years).

36. Duely discussed by the NPC as well as the Constituent Assembly.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

किया था-आत्मनिर्भरता का अर्थ ''अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को छोड़ देना नहीं है, उसे बढ़ावा देना चाहिए लेकिन इस दृष्टिकोण से कि आर्थिक साम्राज्यवाद का निषेध किया जाए।''[37] भारत अभी भी अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए कोशिश कर रहा है, दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के पश्चात के भूमंडलीकृत दुनिया में उच्चतर परस्पर निर्भरता की वास्तविकताओं से भी जूझ रहा है।

(vi) **आधुनिकीकरण (Modernisation):** पारम्परिक अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण को नियोजन का सर्वोच्च उद्देश्य माना गया था। विशेषकर कृषि क्षेत्र को तत्काल खेती एवं दुग्ध उत्पादन आदि में आधुनिक पद्धतियों एवं तकनीक के समावेश की जरूरत थी। उसी प्रकार शिक्षा में भी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था को अपनाए जाने की जरुरत है।

भारत ने आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व को स्वीकार किया। चूँकि अर्थव्यवस्था के प्रमुख चालक शक्ति (PMF) के रूप में उद्योग को अपनाया गया था, इसलिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बदलते आयामों को अपनाना आवश्यक था।

भारत में नियोजन के प्रमुख उद्देश्य न केवल व्यापक हैं बल्कि खुले हुए भी हैं। यही कारण है कि समय बीतने के साथ-साथ इन उद्देश्यों में परिवर्तन की जरूरत कभी नहीं पड़ी। इसका अर्थ यह कि एक योजना के सम्पन्न होते ही दूसरी योजना के उद्देश्य स्वतः निर्धारित हो जाते हैं। जहाँ तक उद्देश्यों की बनावट का प्रश्न है, हम विश्वासपूर्वक इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि संविधान की प्रस्तावना,[38] राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत,[39] मौलिक अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों में व्यक्त समस्त आकांक्षाएँ इसमें समाहित हैं। सभी राष्ट्रवादियों एवं स्वतंत्रता सेनानियों की अभिलाषाएँ हमारी भारतीय नियोजन व्यवस्था की आत्मा में गूँज रही हैं।

आर्थिक नियोजन के उपरोक्त उद्देश्य योजना आयोग के साथ ही निरस्त हो चुके हैं। योजना आयोग की जगह **नीति आयोग** की स्थापना की गई है तथा साथ-साथ नियोजन के उद्देश्यों को संघीय, समावेशी एवं साकल्यवादी/संपूर्ण (holistic) बनाने की घोषणा की गयी है (इसकी चर्चा इसी अध्याय में 'नीति आयोग' उप-खण्ड में की गयी है)।

योजना आयोग (THE PLANNING COMMISSION)

राष्ट्रीय योजना समिति के रिपोर्ट के प्रकाशन (1949) के बाद 'आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन' को संविधान में शामिल करने पर सहमति बनी तथा यह चरण देश में औपचारिक रूप से नियोजन की शुरुआत के लिए अनुकूल था।[40] यद्यपि स्वतंत्रता के बाद ही अर्थव्यवस्था नियोजन के सिद्धान्तों पर चल रहा था लेकिन इन सिद्धान्तों पर

37. ***National Planning Committee Report;*** Also Nehru in ***The Discovery of India.***

38. The Preamble was declared by the Supreme Court as an ***integral part of the Constitution*** and any amendments amounting to a change in its meaning and spirit amounted to the violation of the 'basic feature' of the Constitution (Keshvanand Barti, 1973 and S.R. Bommai, 1994 cases). This further magnified the objectives and role of Planning in India.

39. As the different Articles of the Directive Principles got interpreted as being complementary parts of the Fundamental Rights, their enforcement became obligatory for the Government in coming times, still broadening the objectives of planning in the country.

40. Distribution of Legislative Power, List-III, Entry 20.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

यह खण्डशः कार्य कर रहा था।[41] राष्ट्रीय स्तर पर पूरे अर्थव्यवस्था के लिए औपचारिक रूप से नियोजन की शुरुआत करने के लिए एक स्थायी विशेष निकाय की आवश्यकता थी जो नियोजन के संपूर्ण क्षेत्र का उत्तरदायित्व उठा सके, जैसे—योजना निर्माण, संसाधन की उपलब्धता, कार्यान्वयन तथा पुनरीक्षण; चूँकि नियोजन एक तकनीकी विषय है।[42] इस तरह मार्च, 1950 में मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग का गठन हुआ।[43] इसकी रचना, कानूनी स्थिति, इत्यादि से सम्बन्धित महत्वपूर्ण विवरण निम्नलिखित हैं:

(i) यह एक **अतिरिक्त-संविधानिक** (गैर-सांविधानिक) तथा **गैर-वैधानिक** निकाय था (यद्यपि 'नियोजन' की धारणा संविधान से ली गई थी)।

(ii) आर्थिक विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों हेतु भारत सरकार के लिए यह एक **सलाहकारी निकाय** था।

(iii) यह आर्थिक विकास के लिए एक ''विचारक मंडल'' (Think tank) था, जिसके पदेन अध्यक्ष (ex-officio chairman) प्रधानमंत्री थे तथा जिसके तहत एक **उपाध्यक्ष** का भी प्रावधान था।[44] उपाध्यक्ष का मुख्य कार्य आयोग के कार्यों को समन्वित करना था।[45]

(iv) 6 केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य इसके **पदेन सदस्य** (ex-officio members) थे तथा इस आयोग में एक सचिव सदस्य (Member Secretary) होता था।[46] इसके अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा सकती थी (चूँकि नियोजन के लिए अनेक विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है)। योजना मंत्री भी इस आयोग के पदेन सदस्य थे।[47]

(v) यह एक **स्वायत्त निकाय** था, जिसका मुख्य मुद्दों पर अपना विचार होता था तथा सरकार के समक्ष यह अपने विचारों को रखता था। यह केन्द्र तथा राज्य मंत्रिमंडल के संपर्क में रहकर कार्य करता है तथा उनकी नीतियों के बारे में इस आयोग को पूर्ण जानकारी होती थी।

(vi) सामाजिक तथा आर्थिक नीतियों में प्रस्तावित परिवर्तन के लिए इस आयोग से **परामर्श** लिया जाता था। स्वतंत्र विचारों के आदान-प्रदान को सुनिश्चित करने के लिए योजना आयोग ने यह **परंपरा** स्थापित की थी कि आयोग तथा केन्द्र

41. Though formal planning commenced in the fiscal 1951–52, planning has already commenced with the Industrial Policy Resolution, 1948. More so, the Prime Minister of India who headed the NPC had already taken firm decision that India would be a planned economy by August 1937 (Congress Working Committee, Wardha). Thus, the economy takes its first wink in the planned era!

42. Alan W. evans, 'Economic and Planning', in Jean Forbes (ed.), ***Studies in Social Science and Planning*** (Edinburgh: Scottish Academy Press, 972), p. 121.

43 I. Publications Division, ***The Gazetter of India***, p. 10.

II. S.R. Maheshwari (Indian Administration (New Delhi: Orient Longman, 2002), p. 121).

III. ('The Indian Economy Since Independence', p. 949).

44. The post of Deputy Chairman was later given a Cabinet rank in the Union Council of Minister.

45. Publications Division, ***Gazetteer of India,*** p. 11.

46. Publications Division, ***India 2008*** (New Delhi: Ministry of Information and Broadcasting, Govrnment of India, 2009), p. 676.

47. There was a provision of only *three* Cabinet Ministers as its ***ex-officio*** members namely the Finance, Human Resource Development and Defence upto July 2004 when the United Progressive Alliance Government increased it to include the other *three* Cabinet Ministers, viz., the Railways, Agriculture and Information Technology. It has been only once in the history of the PC that it had *six* Cabinet Ministers as its ex-officio members, i.e., in the final years of the Rajiv Gandhi regime (***The Economic Times,*** 16 July 2004, N. Delhi Edition).

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

व राज्य सरकारों के बीच विचारों के मतभेद का प्रचार नहीं किया जाएगा।

(vii) यह केन्द्रीय मंत्रिमंडल से सचिवालय स्तर पर **जुड़ा** हुआ था। योजना आयोग मंत्रिमंडल संगठन का एक भाग था। तथा इसके लिए 'माँग-अनुदान' (demand for grant) को बजट में मंत्रिमंडल सचिवालय की माँग के तहत रखा गया था।

(viii) इसका कार्यालय 'योजना भवन' में था। आयोग के कर्मचारियों में सचिव व सलाहकार शामिल हैं तथा इसमें एक अनुसंधान संगठन भी मौजूद थे।[48]

(ix) योजना आयोग एक **तकनीकी निकाय** (Technical Body) था तथा सम्बद्ध अवधि में नियोजन की आवश्यकता के अनुसार इस निकाय में विशेषज्ञों एवं पेशेवरों को शामिल किया जाता था।

(x) आयोग को **कार्यकारी शक्तियाँ** (Executive Powers) प्राप्त थीं।[49]

योजना आयोग के कार्य

(Functions of Planning Commission)

यद्यपि योजना आयोग का गठन नियोजन के उद्देश्य के लिए किया गया था, लेकिन यह किसी को नहीं पता था कि यह आयोग अपने कार्यों का विस्तार देश के सम्पूर्ण प्रशासन क्षेत्र में कर लेगा। इसे देश का 'आर्थिक मंत्रिमंडल' कहा गया जिसने संविधानिक निकाय, जैसे–**वित्त आयोग**[50] के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण किया तथा जो संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं था।[51] समय के साथ इसने एक **बड़े नौकरशाही संगठन**[52] को स्थापित किया, जिसके कारण नेहरू ने कहा था कि, ''आयोग जो गंभीर विचारकों का एक लघु निकाय था, अब एक सरकारी विभाग में परिवर्तित हो चुका है, जिसमें सचिवों व निदेशकों की भीड़ रहती है तथा जिसका एक बड़ा भवन है।''[53]

यद्यपि योजना आयोग के कार्यों में विस्तार किया गया ताकि नियोजन की समयानुसार आवश्यकताओं को इसमें शामिल किया जा सके (खासतौर पर आर्थिक सुधार के बाद का दौर) लेकिन इसके कार्यों की घोषणा उसी सरकारी आदेश द्वारा की गई जिसने इसे स्थापित किया था। इसके अनुसार योजना आयोग:[54]

(i) देश के भौतिक, पूँजीगत तथा मानव संसाधनों का मूल्यांकन करता है जिसमें तकनीकी कर्मचारी भी शामिल हैं तथा उन संसाधनों के वृद्धि की संभावनाओं की जाँच करता है, जो देश की आवश्यकताओं की तुलना में कम हैं।

(ii) देश के संसाधनों के अधिक प्रभावी तथा संतुलित उपयोग की योजना को सूत्रबद्ध करता है।

(iii) प्राथमिकताओं के निर्धारण के अनुसार उन चरणों को परिभाषित करता है जिनमें योजनाओं को

48. Publications Division, ***Gazetteer of India,*** p. 11.

49. Prima facie a body should have been either constitutional or statutory to wield the executive powers, but as a number of Cabinet Ministers as well as the PM himself were directly involved with the PC, it used to weild executive powers for all practical purposes.

50. Rajamannar was the Chairman of the Fourth Finance Commission. See Ministry of Finance Report of the Fourth Finance Commission (New Delhi: Government of India, 1965) pp. 88–90.

51. By the 1950s it was a general criticism of the PC which looked highly logical. But through the entire period of planning the Government never did think to convert the PC into a constitutional body. Practically enough, the Union Cabinet and the whole Government is accountable to the Parliament for the functions of the PC as it has complete mandate and support of the governments of the time.

52. Appleby, ***Public Administration in India: Report of A Survey,*** Ford Foundation, 1953, p. 22.

53. As quoted in D.D. Basu, ***An Introduction to the Constitution of India*** (New Delhi: Wadhwa & Company, 1999), p. 330.

54. Publication Division, ***The Gazetteer of India, Vol. 3,*** op.cit., pp.10–11.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

कार्यान्वित किया जाएगा तथा प्रत्येक चरण को पूरा करने के लिए संसाधनों के आवंटन को प्रस्तावित करता है।

(iv) उन कारकों को सूचित करता है, जिनकी प्रवृत्ति आर्थिक विकास को घटाने की है तथा उन परिस्थितियों को निर्धारित करता है जो वर्तमान सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति के संदर्भ में योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है।

(v) योजना के प्रत्येक चरण के सभी पहलुओं के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक मशीनरी की प्रकृति को निर्धारित करता है।

(vi) योजना के प्रत्येक चरण के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का समय-समय पर मूल्यांकन करना तथा ऐसे मूल्यांकन द्वारा दिए गए आवश्यक सुझावों के तर्ज पर नीति तथा उपायों के बीच सामंजस्य स्थापित करना।

(vii) ऐसे अंतरिम अथवा आनुषंगिक सुझाव देना जो दिए गए संदर्भ में उचित प्रतीत हों या तो इसे निर्दिष्ट किए गए कार्यों के निर्वहण को सरल बनाने में, अथवा वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों, वर्तमान नीतिगत उपायों तथा विकास कार्यक्रमों पर सोच-विचार करने के लिए अथवा ऐसे विशेष समस्याओं की जाँच के लिए जो उनके राय के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा भेजा जाए।''

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) की शुरुआत के साथ ही सरकार ने (तत्कालीन) योजना आयोग को निम्नलिखित दो नए कार्य सौंपे:

(i) संचालन समिति (Steering Committee) की मदद से 'आर्थिक सुधार' की प्रक्रिया के विशेष संदर्भ में योजनाओं के कार्यान्वयन का निरीक्षण करना।

यहाँ यह उल्लिखित करना जरूरी है कि, देश में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया शुरू होने के बाद (1990 के दशक की शुरुआत में) अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका कुछ क्षेत्रों में घट गई है तथा यह कुछ क्षेत्रों में बढ़ गई है। अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को पुनः परिभाषित करने (यद्यपि यह विश्व व्यापक समसामयिक विचार था) की प्रक्रिया से ज्यादातर विशेषज्ञों तथा व्यवसायिक समुदायों ने यह निष्कर्ष निकाला कि अर्थव्यवस्था में नियोजन की कोई भूमिका नहीं रह जाएगी। 1991-92 की नई आर्थिक नीति प्रत्यक्षतः देश में बाजार अर्थव्यवस्था के विस्तार का प्रस्ताव था। लेकिन यह पूर्णतः सही नहीं था। नियोजन अप्रसांगिक नहीं बना केवल इसे एक नई दिशा की जरूरत थी। आर्थिक सुधार के व्यापक प्रक्रिया के लिए यह अत्यधिक जरूरी था कि नियोजन अपना महत्व नहीं खोए। योजना आयोग के इस नए कार्य को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

(ii) विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रगति का निरीक्षण करना। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि पहली बार योजना आयोग ने दस क्षेत्रों के लिए 'नियंत्रित/प्रोबोधन किए जाने वाले लक्ष्यों' (Monitorable Targets) को निर्धारित किया है जो विकास के संकेतक हैं। केन्द्रीय मंत्रालयों को इन लक्ष्यों से जोड़ा गया है। मंत्रालयों के समय निर्धारित कार्यों का अब निरीक्षण योजना आयोग के द्वारा इसके नए कार्य के तहत किया जाएगा।

ऊपर दिए गए दो नए कार्यों के साथ योजना आयोग अब वास्तविक रूप में एक 'अधि-मंत्रिमंडल (Super Cabinet) के रूप में उभरा है। चूँकि मूलतः उपाध्यक्ष ही योजना आयोग के सामान्य बैठकों का संचालन करता

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

है इसलिए आर्थिक नीतियों की दिशा एवं प्रकृति को स्पष्ट करने में उसकी अहम भूमिका होती है।[55] अपने पहले नए कार्य के द्वारा आयोग आर्थिक सुधारों के आयाम को स्पष्ट करता है तथा अपने दूसरे नए कार्य के द्वारा आयोग विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों को प्रभावित करता है। मूल रूप में ऐसा प्रतीत होता है कि योजना आयोग देश के विकास में वास्तविक विचारक मंडल के रूप में उभरा है।[56]

योजना आयोग वर्ष 2002 के उपरान्त राज्यों के आर्थिक नीतियों को भी प्रभावित करने में बहुत हद तक सफल रहा था, यद्यपि योजना आयोग राज्यों की योजनाओं के नहीं बनाता था लेकिन यह राज्यों के समस्त आर्थिक नीतियों को प्रभावित करता था।[57] केन्द्र की ही तरह राज्यों के लिए भी उन्हीं क्षेत्रों/विकास सूचकांक के लिए नियंत्रित किए जाने वाले लक्ष्यों ('Monitoring targets') को निर्धारित करने के कारण यह संभव हो सका था।[58] इन लक्ष्यों से संबंधित प्रदर्शन के लिए राज्य योजना आयोग के संवीक्षण एवं निरीक्षण के प्रति उत्तरदायी था। इस तरह केन्द्र सरकार योजना आयोग के नए कार्यों द्वारा राज्य सरकारों पर नियंत्रण रख सकता था।

हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि योजना आयोग अपने दो नए कार्यों की मदद से न केवल केन्द्र के बल्कि राज्यों के विभिन्न आर्थिक नीतियों को एक करने में सफल रहा था। इससे पहले विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालय के नीतियों तथा योजना आयोग द्वारा स्पष्ट किए गए विचारों के बीच सामंजस्य की कमी थी। यद्यपि समसामयिक गठबंधन की राजनीति कभी-कभी योजना आयोग के विचारों से मतभेद रखती थी।

योजना आयोग का समाधि-लेख (An Epitaph to the Planning Commission)

1 जनवरी, 2015 को सरकार ने औपचारिक रूप से योजना आयोग को समाप्त कर इसके स्थान पर एक नया निकाय 'नीति आयोग' का गठन किया। इसके साथ ही स्वतंत्र भारत के आर्थिक इतिहास का एक युग का अंत हो गया। विषय विशेषज्ञों, राजनीतिज्ञों तथा मीडिया के बीच लंबे समय से यह बहस का विषय बना हुआ था कि योजना आयोग को पुनर्जीवित करना बेहतर होगा अथवा इसका उन्मूलन। चर्चा कई बार भावनात्मक भी हो जाती थी। लेकिन सरकार ने अपने विवेक के अनुसार यह कदम उठाया (इस अध्याय के 'नीति आयोग' खण्ड में इस विषय पर विस्तृत चर्चा की गई है)।

योजना आयोग के समाधि-लेख के रूप में स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय (Independent Evaluation Office, IEO) द्वारा जून 2014 में प्रधानमंत्री कार्यालय को समर्पित प्रतिवेदन पर दृष्टिपात प्रासंगिक होगा। इसके अनुसार योजना आयोग का गठन एक नवजात लोकतंत्र तथा कमजोर,

55. It is not without that the Government decides to call in Montek Singh Ahluwalia, an economist of international repute to officiate as the Deputy Chairman of the PC. Every idea and opinion of Mr. Ahluwalia was understood by the coalition partners of the UPA Government as a thing the Government is necessarily going to implement in future. One can imagine the increased role of the office of the PC. There is always a hue and cry every time the Deputy Chairman articulates an idea or opinion. Though the PC is chaired by the PM, it seems that the Deputy Chairman has started availing enough autonomy to speak his mind.
56. Ibid.
57. As per the original mandate, the PC was supposed to formulate the state plans also. By 1960s, with the decision to follow the multi-level planning (MLP) in the country the states started having their own state planning boards (SPBs).
58. In setting these targets the concerned states were consulted approach of planning was followed.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

अनुभवहीन अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए किया गया था। इसके अंतर्गत नियोजन के लिए 'शीर्ष से नीचे दृष्टिकोण' का सहारा लिया गया था, जिसमें एक गतिशील केन्द्र सरकार कमजोर राज्यों के लिए आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करे। प्रतिवेदन में वर्तमान योजना आयोग को भारत के विकास में बाधक माना गया। प्रतिवेदन में यह भी जोड़ा गया कि इतनी वृहद संस्था में सुधार आसान नहीं है और इसके स्थान पर एक नई संस्था या निकाय को खड़ा करना श्रेयस्कर होगा जो राज्यों को विचार के स्तर पर सहायता प्रदान करे, उन्हें दीर्घकालीन चिंतन के आधार पर सुधारों के अनुरूप ढालने में मदद करे। आई.ई.ओ. की योजना आयोग के बारे में निम्नलिखित सलाह उल्लेखनीय है:

(i) योजना आयोग को समाप्त कर इसके स्थान पर सुधार एवं समाधान आयोग (Reform and Solution Commission–RSC) का गठन किया जाना चाहिए। जिसमें विषय विशेषज्ञों को रखा जाए तथा जो मंत्रालयी प्रशासनिक ढांचे से युक्त हो। नई संस्था में प्रमुख व्यापारिक एवं औद्योगिक संगठनों, नागरिक समाज प्रतिनिधियों, अकादमियों आदि का पूर्णकालिक प्रतिनिधित्व हो, जिससे कि उनकी चिंताओं पर ध्यान दिया जा सके तथा दीर्घकालीन रणनीति के सूत्रण में उनकी विशेषज्ञता का लाभ उठाया जा सके।

(ii) आर.सी.सी. के तीन प्रमुख कार्य होंगे:

(a) यह एक समाधान केन्द्र के रूप में कार्य करेगा। साथ ही ऐसे विचारों के कोष के रूप में कार्य करेगा जिनका विभिन्न प्रदेशों एवं जिलों, साथ ही विश्व के अन्य भागों में विकास के विभिन्न पक्षों पर सफल रहे,

(b) यह समेकित प्रणालीगत सुधार के लिए विचार सुझाएगा, तथा;

(c) नई उभरती चुनौतियों की पहचान कर उनके समाधान का तरीका सुझाएगा।

(iii) योजना आयोग द्वारा निष्पादित वर्तमान कार्यों को उन निकायों को हस्तगत करना चाहिए जो कि इनका निष्पादन बेहतर ढंग से करने के लिए प्रकल्पित किए गए हैं।

(iv) चूँकि स्थानीय जरूरतों एवं संसाधनों के बारे में राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार तथा स्थानीय संस्थाओं के अपेक्षा अधिक जानकारी होती है। इसलिए उन्हें राज्य सरकार प्राथमिकताओं को चिन्हित करने तथा सुधारों को लागू करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और केन्द्रीय संस्थाओं के निर्देशों से मुक्त होना चाहिए।

(v) दीर्घकालीन आर्थिक चिंतन एवं समन्वय का कार्य करने के लिए एक नई संस्था स्थापित की जानी चाहिए जो कि सरकार के अंदर 'थिंक टैंक' के रूप में कार्य करे।

(vi) वित्त आयोग को स्थायी निकाय बनाकर इसे राज्यों को राजस्व आवंटन के लिए उत्तरदायी बनाना चाहिए तथा वित्त मंत्रालय को विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के बीच निधि का बंटवारा करने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए।

आई.ई.ओ. जो कि स्वयं योजना आयोग का ही मानस–शिशु है कि योजना आयोग संबंधी मंतव्य काफी आश्चर्यजनक थे और कुछ लोगों को तो इससे आघात लगा। योजना आयोग को प्रतिस्थापित करने वाली नई संस्था वास्तव में बेहतरी के लिए होगी एवं अपने वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होगी। इसका मूल्यांकन एवं विश्लेषण भविष्य में होगा। इस बीच आई.ई.ओ. द्वारा दिए गए कुछ परामर्शों को नवसृजित 'नीति आयोग' में भी साफ–साफ देख सकते हैं।

नोट: *इस संस्करण में नीति आयोग पर विस्तृत सामग्री दी गई है, साथ ही योजना आयोग संबंधी सामग्री को तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा के लिए अपरिवर्तित रखा गया है।*

राष्ट्रीय विकास परिषद
(NATIONAL DEVELOPMENT COUNCIL)

राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) की स्थापना अगस्त 1952 में मंत्रिमण्डल सचिवालय (Cabinet Secretariat) के

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

एक प्रस्ताव[59] द्वारा हुई। पहली पंचवर्षीय योजना ने इसके गठन का सुझाव दिया तथा इसके बारे में एक संक्षिप्त व उपयुक्त टिप्पणी की:[60]

''भारत के आकार के समान देश में जहाँ राज्यों को संविधान में उनके दायित्व के क्षेत्र के तहत पूर्ण स्वायत्तता दी गई है, एक ऐसे मंच की आवश्यकता थी, जैसे—राष्ट्रीय विकास परिषद जहाँ समय-समय पर प्रधानमंत्री तथा राज्यों के मुख्यमंत्री योजना के संचालन तथा इसके विभिन्न पहलुओं का पुनरीक्षण कर सकें।'' राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन के कुछ मुख्य कारणों को नीचे दर्शाया गया है:

(i) केन्द्रीय योजनाओं की शुरुआत राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों में की गई थी जिसमें राज्य-स्तर के कर्मचारियों की भागीदारी आवश्यक थी, चूँकि इस उद्देश्य के कार्यान्वयन के लिए योजना आयोग के पास कर्मचारी उपलब्ध नहीं थे (यद्यपि योजना आयोग को योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी) इसलिए संघीय इकाइयों की सहमति तथा उनका सहयोग जरूरी था।

(ii) आर्थिक नियोजन की धारणा की उत्पत्ति एक केन्द्रीयकृत व्यवस्था अर्थात् सोवियत संघ में हुई। भारत के लिए नियोजन की प्रक्रिया का प्रजातंत्रीकरण/विकेन्द्रीकरण विकास को प्रोत्साहित करने से कम कठिन कार्य/चुनौती नहीं था। भारतीय नियोजन को सही ही, एक परीक्षण-प्रणाली (trial and error method) कहा जाता है जो स्वतंत्रता तथा प्रगति, केन्द्रीय नियन्त्रण एवं निजी पहल, राष्ट्रीय नियोजन व स्थानीय अधिकारियों के बीच संतुलन स्थापित करता है।[61] राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना को भारत में विकेन्द्रीकरण की दिशा में एक कदम माना जाता है।

(iii) संघीय अनम्यता के संविधानिक परिरूप में यह आवश्यक था कि सम्पूर्ण नियोजन की प्रक्रिया को एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान किया जाए। भारतीय संघ की स्वायत्त एवं अनम्य इकाइयों को तनुकृत करने का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा पूरा किया जाता है।[62]

राष्ट्रीय विकास परिषद् ने शुरू में प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा योजना आयोग के सभी सदस्य शामिल रहते थे। इसकी पहली बैठक 8-9 नवम्बर, 1952 में जवाहर लाल नेहरु ने कहा था-''एन. डी.सी. राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार के बीच राष्ट्र के विकास के लिए निकटतम सहयोग का एक कोरम है।'' उने शब्दों में एन.डी.सी. की स्थापना नियोजन तथा सामान्य आर्थिक नीतियों पर केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच समझदारी एवं परामर्श बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा पर एन.डी. सी. का पुनर्गठन अक्टूबर, 1967 को मंत्रीमंडल के एक संकल्प के द्वारा किया गया जिसमें इसके कार्यों को भी पुनर्परिभाषित किया गया। पुनर्गठित एन.डी.सी. में प्रधानमंत्री, उनके सभी मंत्रिमंडलीय सहयोगी अर्थात् मंत्री, सभी राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के मुख्यमंत्री तथा योजना आयोग के सभी सदस्य शामिल किए गए। इसमें दिल्ली प्रशासन का प्रतिनिधित्व उप-राज्यपाल तथा मुख्य कार्यपालक पार्षद करते हैं एवं अन्य संघीय क्षेत्रों के लिए उनके प्रशासक इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। अन्य केन्द्रीय मंत्रियों तथा राज्य मंत्रियों को भी परिषद् की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। पुनर्गठित परिषद् में योजना आयोग के

59. Cabinet Secretariat, ***Resolution No. 62/CF/50*** (06.08.1952) Government of India, New Delhi.

60. Planning Commission, First Five year Plan: A Draft Outline (New Delhi: Government of India, 1957), p. 253.

61. Publications Divisions, ***The Gazetteer of India***, p. 10.

62. The Advisory Planning Board (1946) set up by the Interim Government had suggested for such a consultative body with the representatives from the provinces, the princely states and some other interests to advise the Planning Commission for the success of planning in India.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

सचिव, परिषद् के सचिव के रूप में कार्य करते हैं और परिषद् की जरूरतों के लिए योजना आयोग सभी प्रशासनिक एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराता है। परिषद् की मूल प्रकृति एवं वैधिक स्थिति योजना आयोग के समान ही है। एन.डी.सी. के पुनर्रीक्षित[63] कार्य निम्नलिखित हैं:

(i) योजनाओं के लिए सूत्रबद्ध प्रस्तावों पर सभी मुख्य चरणों में विचार करना तथा उन्हें स्वीकार करना;

(ii) समय-समय पर योजनाओं के कार्यान्वयन का पुनरीक्षण करना;

(iii) राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों के मुख्य प्रश्नों पर विचार करना;

(iv) राष्ट्रीय योजना में तय किए गए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपायों का सुझाव देना, जिसमें लोगों की सक्रिय भागीदारी तथा सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए उपाय, प्रशासनिक सेवाओं की कार्यकुशलता सुधारने के उपाय तथा सभी नागरिकों के सहयोग से व राष्ट्रीय विकास के लिए संचय किए गए संसाधनों द्वारा कम विकसित क्षेत्रों तथा पिछड़े वर्गों का पूर्ण विकास शामिल है।[64]

यद्यपि राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन से पहले ही भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई थी, योजना के अंतिम वर्ष से पहले इस निकाय की अनेक बैठकें हुईं तथा उपयोगी विचार-विमर्शों (लगभग सभी) को सरकार द्वारा नियोजन की प्रक्रिया में शामिल किया गया, तथापि, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद (जो देश में प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के सबसे प्रमुख समर्थक थे)[65] राष्ट्रीय विकास परिषद निहित स्वार्थों वाले समूहों का एक लघु सभा बन कर रह गया, जिसकी बैठकों में मात्र काँग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ही भाग लेते थे। अन्य राजनीतिक दलों द्वारा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री प्रायः इन बैठकों में नहीं आते थे और यदि आए तो बैठकों में 'हंगामा' के अलावा और कुछ नहीं होता था चूँकि सरकार उनकी सलाहों को बड़ी मुश्किल से ही समाहित कर पाती थी। केंद्र तथा राज्यों के बीच मतभेद इस चरण से और अधिक गहरे हो गए तथा सहयोगी संघ (Cooperative Federalism) के सिद्धांतों का अपकर्ष हुआ।

1990 के दशक के मध्य में ही हम राष्ट्रीय विकास परिषद के खोए हुए गौरव तथा विकेंद्रित नियोजन के जोश को पुनरुज्जीवित कर पाए। यह तीन मुख्य कारणों से संभव हुआ:

(i) आर्थिक सुधारों के दौर में निजी पूँजी पर अधिक निर्भरता के कारण यह आवश्यक हो गया कि राज्यों को आर्थिक मामलों में अधिक स्वायत्तता की अनुमति दी जाए। विश्व व्यापार संगठन की व्यवस्था के तहत यह एक आर्थिक अनिवार्यता हो गई।

(ii) 73वें तथा 74वें संविधानिक संशोधनों के कारण स्थानीय स्तर का नियोजन एक संविधानिक अनिवार्यता बन गया है।

---

63. Other than the ***Cabinet Resolution,*** it is also quoted is The ***Gazetteer of India*** (Publications Divsion, The Gazetteer of India, p. 15).

64. The ***italicised*** words are here highlighting the level of the Government's consciousness about the concerned issues of decentralised planning, regional and individual inequalities to which the planning was to be specially attentive.

65. George Mathew, undoubtedly among the legendary commentator on the Panchayat Raj/ democratic decentralisation calls Nehru as "its most eminent champion at the national level". Similarly, the reputed historians Bipan Chandra and others call Nehru as "the greatest champion of planned economic development". For Nehru the process of planning in the country was to be democratic about which seems very clear, as his writings support.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(iii) अंत में यह गठबंधन राजनीति की अनिवार्यता है जो केंद्रीय सरकार के गठन में केंद्र को राज्यों के पक्ष में अधिक झुका देती है।

विकेन्द्रित नियोजन के विशेषज्ञों के अनुसार ऊपर दिए गए कारणों में से अंतिम कारण ने सबसे अहम भूमिका निभाई है। वर्ष 2002 तक नियोजन के क्षेत्र में एक बेहतर संघीय परिपक्वता (Federal Maturity) उभरती दिखती है-पिछली तीनों ही योजनाएं (10वीं, 11वीं एवं 12वीं) राष्ट्रीय विकास परिषद् के सभी सदस्यों की सहमति से स्वीकृत की गयीं।

इस परिषद् की पिछली बैठक दिसंबर 2012 (57वीं बैठक) में संपन्न हुई। तब से लेकर अब तक इसकी कोई बैठक नहीं बुलायी गयी है। ऐसा माना जा रहा है कि इस परिषद् को आने वाले समय में या तो निरस्त कर दिया जाएगा या नये निकाय-नीति आयोग के **शासी परिषद** (Governing Council) में समाहित कर दिया जाएगा। शासी परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद् की तुलना में केन्द्र एवं राज्यों के मध्य विकास नियोजन संबंधी समझ और साझेदारी के लिए एक ज्यादा सक्षम निकाय है।

केंद्रीय नियोजन (CENTRAL PLANNING)

केंद्रीय सरकार द्वारा सूत्रबद्ध योजनाओं, जिसके राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन के लिए केंद्र द्वारा वित्त प्रदान की जाती हो को केन्द्रीय योजना कहते हैं। केंद्र सरकार ने ऐसे तीन योजनाओं की शुरुआत की है तथा सरकार ने उनके कार्यान्वयन के लिए निरन्तरता कायम रखी है। ये तीन योजनाएँ हैं:

A. पंचवर्षीय योजना;

B. बीस-सूत्री कार्यक्रम;

C. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना।

इन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

A. पंचवर्षीय योजनाएं Five Year Plans)

यह केंद्रीय योजनाओं में सबसे महत्त्वपूर्ण है तथा भारत में नियोजन की शुरुआत के बाद निरंतर इन योजनाओं का कार्यान्वयन एक के बाद एक हो रहा है। चूँकि भारत में नियोजन एक राजनीतिक अभ्यास है इसलिए देश की पंचवर्षीय योजनाओं ने अपने जीवन काल में अभी तक कई अस्थिर तथा संकटपूर्ण क्षण देखे हैं। इन वर्षों में नियोजन से सम्बंधित कई नए विकास हुए। यहाँ हम योजनाओं के सारांश तथा कार्यान्वयन की अवधि पर दृष्टिपात करेंगे:

पहली योजना (First Plan)

इस योजना की अवधि 1951-56 थी। चूँकि अर्थव्यवस्था वृहत् पैमाने पर खाद्यान्न के आयात (1951) की समस्या तथा मूल्यों में वृद्धि के दबाव का सामना कर रहा था इसलिए योजना ने सबसे अधिक प्राथमिकता कृषि को दी, जिसमें सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाएं शामिल थीं। योजना के लागत का लगभग 44.6 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSUs) को आवंटित किया गया।

इस योजना की शुरुआत सामाजिक-आर्थिक विकास के बड़े-बड़े लक्ष्यों के साथ हुई जो आने वाले वर्षों में विफल हो गई।

दूसरी योजना (Second Plan)

इस योजना की अवधि 1956-61 थी। इस योजना के तहत विकास की नीति ने तीव्र औद्योगीकरण पर बल दिया, जिसमें भारी उद्योगों तथा पूँजीगत माल को प्राथमिकता दी गई।[66] इस योजना का विकास प्रो. महालनोबिस द्वारा किया गया। बंद अथवा सीमित अर्थव्यवस्था, खाद्यान्न तथा पूँजी की कमी इस योजना के व्यवधान थे।

तीसरी योजना (Third Plan)

इस योजना की अवधि 1961-65 थी। इस योजना का एक उद्देश्य कृषि का विकास था।[67] इसके अलावा इस योजना ने पहली बार संतुलित क्षेत्रीय विकास के उद्देश्य पर विचार किया। इस योजना के लिए दुर्भाग्य की कतार लंबी

66. Sukhomoy Chakravarti, ***Development Planning: The Indian Experience*** (New Hork: Oxford University Press, 1989), pp. 9–11.

67. C. Rangarajan, ***Indian Economy: Essays on Money and Finance*** (New Delhi: UPSBD, 1998), p. 272.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

थी–दो युद्ध, एक चीन के साथ (1961–62) तथा दूसरा पाकिस्तान के साथ (1965–66) तथा भयंकर सूखे के परिणामस्वरूप 1965–66 का अकाल। वित्त के अभाव के कारण यह योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी।

तीन वार्षिक योजनाएँ (Three Annual Plans)

तीन क्रमिक वार्षिक योजनाओं की अवधि 1966 से 1969 तक थी। यद्यपि चौथी पंचवर्षीय योजना कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1966 में तैयार थी, लेकिन वित्तीय स्थिति बिगड़ जाने के कारण तथा चीन से पराजित होने पर देश का मनोबल टूट जाने के कारण सरकार ने वर्ष 1966–67 के लिए एक वार्षिक योजना का निश्चय किया। सरकार ने आगामी वर्षों में भी वार्षिक योजनाओं का निर्णय इन्हीं कारणों से लिया। इन वार्षिक योजनाओं का मोटे तौर पर उद्देश्य चौथे योजना की रूपरेखा में शामिल था, जिसे 1966–71 की अवधि के लिए कार्यान्वित किया जाना था यदि देश की वित्तीय स्थिति नहीं बिगड़ती तो।

प्रत्येक योजना की अवधि पाँच वर्ष होने के कारण कुछ अर्थशास्त्रियों तथा संसद में विपक्ष ने इस अवधि को नियोजन प्रक्रिया का **अन्तराल** एवं **'योजना-अवकाश'** कहा अर्थात् नियोजन की प्रक्रिया इस दौरान अवकाश पर थी।[68]

चौथी योजना (Fourth Plan)

योजना की अवधि 1969–74 थी। यह योजना गाडगिल योजना पर आधारित थी, जिसमें **स्थायित्व के साथ विकास** तथा **आत्मनिर्भरता की ओर प्रगति** की धारणा पर विशेष बल दिया गया था।

सूखा तथा 1971–72 के भारत-पाक युद्ध के कारण योजना के लिए वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया।

नियोजन का राजनीतिकरण इस योजना से प्रारंभ होता है जिसने आने वाली योजनाओं में एक 'लोकप्रिय' रूप ले लिया। दो अंकों वाली मुद्रास्फीति के कारण वित्तीय घाटे में वृद्धि हो गई तथा आर्थिक सहायता (Subsidies) के कारण गैर-योजना व्यय अधिक हो गया। 'राष्ट्रीयकरण' की दिशा में पहली पहल एवं अधिक नियंत्रण व विनियमन इस योजना की कुछ अन्य मुख्य विशेषताएँ थी, जिनमें 1990 के दशक के शुरुआती दौर तक कोई बदलाव नहीं आया। केंद्र में राजनीतिक स्थायित्व की खोज नियोजन को वास्तविक राजनीति के एक साधन में परिवर्तित करती है, जिसके परिणामस्वरूप योजना-दर-योजना 'केंद्रीयकरण' बढ़ता जाता है।

पाँचवीं योजना (Fifth Plan)

इस योजना ने (1974–79) **गरीबी उन्मूलन** तथा **आत्मनिर्भरता** पर बल दिया।[69] गरीबी उन्मूलन की लोकप्रिय वाक्पटुता उस संवेदनात्मक चरम सीमा तक जा पहुँची जहाँ से एक नई योजना, अर्थात् बीस सूत्री कार्यक्रम (1975) की शुरुआत की गई, जिसमें 'स्थायित्व के साथ विकास' के उद्देश्य को न्यूनतम महत्व दिया गया (यह चौथी योजना का एक मुख्य उद्देश्य था)।

नियोजन की प्रक्रिया का अधिक राजनीतिकरण हो गया। अत्यधिक मुद्रास्फीति दर के कारण सरकार ने मुद्रास्फीति को स्थायी बनाने का एक नया कार्य भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा (यह कार्य भारतीय रिजर्व बैंक आज भी कर रहा है)। एक विवेचित मूल्य वेतन नीति की शुरुआत की गई, जिसके द्वारा वेतनभोगियों पर मुद्रास्फीति से उत्पन्न संकट को रोके जाने का प्रयास किया गया। इस योजना ने सामाजिक-आर्थिक तथा क्षेत्रीय असमानता में बढ़ोतरी देखी यद्यपि उन्हें संबोधित करने के लिए अनेक संस्थागत, वित्तीय तथा अन्य उपायों की शुरुआत सरकार द्वारा की गई। राष्ट्रीयकरण की नीति जारी रही। अभिशासन के स्तर में व्यापक अपकर्ष हुआ। ''अपराधियों-राजनीतिज्ञों-नौकरशाही'' का एक सिंडिकेट पहली बार उभरते हुए सामने नजर आता प्रतीत हो रहा था।[70]

68. It should be noted here that as per the official version of the Government of India, the planning has been a *continuous process* in the country and there is no term like 'Plan Holiday' in Its official documents. The term was given by the critics and popularised by the contemporary media.

69. Experts believe this Plan to be somewhat based on the ideas of D.P. Dhar, the Minister for Planning at that time.

70. **N.N. Vohra Committee Report,** Government of India, N. Delhi, 1993.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

योजना की अवधि कठोर आपातकाल के कारण बुरी तरह अवरुद्ध हुई तथा केन्द्र में सरकार में परिवर्तन हुआ—जनता पार्टी एक भारी बहुमत के साथ 1977 में सत्ता में आई। चूँकि तत्कालीन सरकार का केंद्रीय नियोजन पर पूरी तरह नियंत्रण था इसलिए नई सरकार के लिए पिछली सरकार की पाँचवीं योजना को जारी रखना मुश्किल हो गया, खासतौर पर तब जब योजना को पूरा होने में एक से अधिक वर्ष बाकी था। भारतीय नियोजन से संबंधित इन नाटकीय घटनाओं को वस्तुनिष्ठ रूप में निम्नलिखित तरीके से देखा जा सकता है:

(i) जनता पार्टी की सरकार ने पांचवीं योजना की अवधि को एक वर्ष घटा दिया अर्थात् वित्त वर्ष 1978-79 की जगह यह योजना अब वर्ष 1977-78 में पूरा होनी थी।

(ii) एक नई योजना (छठी योजना, 1978-83) की शुरुआत नई सरकार द्वारा की गई, जिसे **'रोलिंग प्लान'** की संज्ञा दी गई।[71]

(iii) 1980 में पुन: केन्द्र में सत्ता में परिवर्तन हुआ-काँग्रेस सत्ता में वापस आई, जिसने जनता पार्टी की छठी योजना को वर्ष 1980 में ही परित्यक्त कर दिया।

(iv) नई सरकार ने एक नई **छठी योजना** की शुरुआत 1980-85 की अवधि के लिए की, लेकिन उस समय जनता पार्टी की छठी योजना के दो वित्तीय वर्ष पूरे हो चुके थे। काँग्रेस की सरकार द्वारा योजना के इन दो वर्षों को एक दिलचस्प तरीके से समंजित किया गया:

(a) पहले वर्ष (1978-79) को पाँचवीं योजना में जोड़ दिया गया जिसकी अवधि को जनता पार्टी सरकार द्वारा घटाकर चार वर्ष का कर दिया गया था। इस तरह पाँचवीं योजना आधिकारिक रूप से फिर से पाँच वर्षों की हो गई (1974-79)।

(b) दूसरे वर्ष (1979-80) को काँग्रेस सरकार ने एक **वार्षिक योजना** का वर्ष घोषित किया। इस योजना को जनता पार्टी के **'रोलिंग प्लान'** का एकमात्र स्वतंत्र अवशेष माना जा सकता है।

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85), जो भारत की एक अधिकारिक योजना नहीं बन पाई, ने कुछ नए आर्थिक विचारों तथा आदर्शों पर बल दिया-विदेशी निवेश को लगभग नकार दिया गया; मूल्य नियंत्रण पर नए तरीके से बल दिया गया; सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का नवीकरण; छोटे तथा लघु उद्योगों पर बल दिया गया; पंचायती राज संस्थानों में नई जान डाली गई अर्थात् पंचायती राज संस्थानों के दूसरे चरण का पुनरुत्थान; कृषि तथा ग्रामीण विकास के विषय पर पुन: दिया गया, इत्यादि।

छठी योजना (Sixth Plan)

इस योजना (1980-85) की शुरुआत **'गरीबी हटाओ'** (गरीबी उन्मूलन) नारे के साथ की गई।[72] इससे पहले

71. It should be noted here that there is nothing like the 'Rolling Plan' in the official documents of planning in India. Basically, the origin of the concept of the 'Rolling Plan' goes back to the period when India went for the Annual Plans (1966–69) for the first time and the critics noted it as a ***discontinuity*** in the planning process, calling it a period of the 'plan holiday'. The basic trait of the 'Rolling Plan' was its ***continuity,*** while the Congress commenced its Sixth Plan (1980–85) the idea of the 'Rolling Plan' was cancelled, as for the new Government the element of 'rolling' (continuity) was already in the Indian Planning— India was following the approach of the 'perspective planning'. A separate Division of Perspective Planning was already functioning in the Yojana Bhavan since the mid-1970s. The two elements which make a plan a 'perspective plan' are, firstly, the 'continuity' and secondly, 'evaluation-based' planning. For the Congress Government, logically, the planning in India was not only 'rolling' but more than that it was evaluation-based, too.

72. Some experts see this Plan as a symbol of the planning being converted to a complete politics—with utter populism entering into the planning process of India. The circle of the politicisation of planning gets completed with this Plan

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

एक कार्यक्रम (बीस सूत्री कार्यक्रम-Twenty Point Programme) का प्रयोग इसी सरकार द्वारा पाँचवीं योजना में किया गया था, जिसके द्वारा गरीब जनता के जीवन स्तर को सुधारने की कोशिश प्रत्यक्ष रूप से की गई (गरीबी उन्मूलन की योजना, लेकिन कार्यक्रम में 'गरीबी हटाओ' का नारा नहीं दिया गया)।

कुछ मुख्य मुद्दे, जिन्हें इस योजना के तहत सम्बोधित किया गया वे हैं–ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिक आधारभूत संरचना पर बल; एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (1979) द्वारा ग्रामीण गरीबी को खत्म करना तथा क्षेत्रीय असमानता को घटाना; लक्ष्य समूह प्रस्ताव की शुरुआत की[73] अनेक राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों तथा योजनाओं की शुरुआत इस पंचवर्षीय योजना द्वारा की गई, जिसके द्वारा सामाजिक-आर्थिक विकास के विशेष क्षेत्रों तथा विशेष मामलों को संबोधित किया गया (इसे 'लक्ष्य समूह' प्रस्ताव कहते हैं):[74]

(i) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NRED)-1980
(ii) पुनर्संरचित बीस सूत्री कार्यक्रम-1982
(iii) बायोगैस कार्यक्रम-1982
(iv) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों का विकास (DWERA)-1983
(v) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (RLEGP)-1983
(vi) शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम (SEEUP)-1983
(vii) डेयरी विकास कार्यक्रम (DDP)-1983
(viii) ग्रामीण तथा लघु उद्योग विकास कार्यक्रम (VSIDP)-1983
(ix) जनजातीय विकास ऐजेन्सी (TDA)-1983
(x) राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम (NSP)-1983
(xi) गहन दलहन विकास कार्यक्रम (IPDP)-1983
(xii) गहन कपास विकास कार्यक्रम (ICDP)-1983
(xiii) खादी तथा ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम (KVIP) -1983
(xiv) पददलित क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम (PDA)-1983
(xv) महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम (SPWC)-1983

सातवीं योजना (Seventh Plan)

इस योजना (1985-90) ने तीव्र खाद्यान्न उत्पादन, रोजगार तथा सामान्य उत्पादकता में बढ़ोतरी पर बल दिया। नियोजन के मूल सिद्धांत, जैसे–**विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता** तथा **सामाजिक न्याय;** योजना के आधार के रूप में कायम रहे। जवाहर रोजगार योजना (JRY) की शुरुआत 1989 में हुई[75], जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों में वेतन-रोजगार उत्पन्न करना था। पहले से चल रहे कुछ कार्यक्रमों, जैसे—IRDP, CADP, DPAP तथा DDP; का पुनर्भिमुखीकरण किया गया।

सरकार ने अभी तक के सभी विकास के कार्यक्रमों के उपलब्धियों का मूल्यांकन किया – इसका श्रेय भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री को जाता है। किसी तरह प्रजातंत्र तथा विकास का जुड़ाव राजनीतिक अभिजात्य वर्ग (Political Elite) के सोच में बदलाव के साथ हुआ जिसने विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण का सहारा लिया, यद्यपि सरकार द्वारा PRI विधेयकों को पारित किया जाता रहा लेकिन इसने अपने लिए ठोस आधार रखा चूँकि 73वाँ तथा 74वाँ संविधान संशोधन 1990 के दशक के शुरुआत में ही संभव हो सका।

यद्यपि अर्थव्यवस्था का विकास दर 1980 के दशक में बेहतर रहा, खासतौर पर दूसरे अर्द्ध में, लेकिन यह

73. 'Target group' approach of planning is selecting the group of people where a particular problem is and attacking the problem directly. The TPP was the first such programme in India.
74. Publications Division, ***India 1980–1983*** (New Delhi: Government of India,).
75. Planning Commission, ***Seventh Five Year Plan (1980–85)*** (New Delhi: Government of India, 1980).

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

वित्तीय असंतुलन की कीमत पर हुआ। इस योजना के अन्त तक भारत की भुगतान संतुलन की स्थिति बिगड़ गई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था उन बड़े ऋणों की शर्तों को पूरा करने में नाकाम रही, जिन पर सरकारी व्यय इस अवधि के दौरान मुख्य रूप से निर्भर था।[76] इस योजना के लिए कोई ठोस वित्तीय नीति नहीं थी, जिसके कारण अर्थव्यवस्था भुगतान संतुलन तथा वित्तीय घाटे के चपेट में आ गई।[77] भारत ने अपने विकास की संभावनाओं को वाणिज्यिक तथा अन्य विदेशी आधार से पूरा करने की कोशिश की जो कठिन शर्तों पर थीं तथा जिन्हें अर्थव्यवस्था पूरी करने में नाकाम रही। उदारीकरण की प्रक्रिया में घरेलू बाजार के लिए आंतरिक माँग के विस्तार को अनुमति दी गई बगैर निर्यातों के समान स्तर को विकसित किए तथा भारतीय आयातों को महँगे विदेशी ऋणों द्वारा वित्त प्रदान किया गया। ऐसी 'आंतरिक अभिमुख' वित्तीय नीति एक गलती थी, जब अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी सहायता का परिदृश्य बिगड़ा जा रहा था।[78]

दो वार्षिक योजनाएँ (Two Annual Plans)

आठवीं योजना (जिसकी अवधि 1990–95 निर्धारित की गई थी) की शुरुआत नहीं हो पाई चूँकि केन्द्र में तेजी से राजनीतिक बदलाव आ रहा था।[79] आठवीं योजना का पथ से हटकर तथा पुनर्संरचना-अभिमुख सुझाव, विश्वभर में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया तथा 1980 के दशक के अंत की वित्तीय असंतुलन कुछ अन्य मुख्य कारण थे जिनके कारण आठवीं योजना के शुरुआत में देरी हुई। नई सरकार जो केंद्र में सत्ता में जून 1991 में आई ने यह निर्णय लिया कि आठवीं योजना की शुरुआत की जाए तथा यह 1992–97 की अवधि के लिए होगी तथा वित्तीय वर्ष 1990–91 तथा 1991–92 को दो भिन्न वार्षिक योजनाओं के रूप में देखा जाएगा। इन दो क्रमिक वार्षिक योजनाओं (1990–92) को आठवीं योजना (1990–95) के प्रस्ताव के ढाँचे के अंतर्गत सूत्रबद्ध किया गया, जिसका मुख्य बल अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न करने तथा सामाजिक परिवर्तन पर था।

आठवीं योजना (Eigth Plan)

आठवीं योजना (1992–97) की शुरुआत एक नए आर्थिक परिदृश्य में हुई। आर्थिक सुधार की प्रक्रिया शुरू (जुलाई, 1991) हो चुकी थी, जिसके तहत बिगड़ी भुगतान संतुलन (BoP), अत्यधिक वित्तीय घाटे तथा मुद्रास्फीति की बढ़ती दर के लिए संरचनात्मक समंजस्य तथा व्यष्टि स्थिरीकरण की नीतियों की शुरुआत की गई।

यह पहली योजना थी जिसने देश द्वारा अनेक दशकों से जारी रखे गए व्यष्टि-आर्थिक नीतियों का आत्म-निरीक्षण किया। इस योजना द्वारा मुख्य रूप से जिन मामलों पर ध्यान दिया गया तथा इसके द्वारा दिए गए सुझाव संक्षिप्त रूप से निम्नलिखित है:[80]

(i) अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को तत्काल पुन: परिभाषित करने का सुझाव;

(ii) 'बाजार-आधारित' विकास का सुझाव उन क्षेत्रों के लिए जो इसके लिए समर्थ हैं, अर्थात् अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की बड़ी भूमिका;[81]

76. Similar financial strategy to promote growth and development had led the Soviet Union to economic collapse via the balance of payment crisis during Gorbachev's regime by 1991, as is pointed out by Jeffrey Sachs in ***The End of Poverty*** ((London: Penguin Books, 2005), pp. 131–34).

77. C. Rangarajan, ***Indian Economy***, p. 274.

78. ***Bimal Jalan*** in Bimal Jalan (ed.), 1992, pp. 190–191, op.cit.

79. This is the official version for the delay (Publications Division, ***India 2007*** (New Delhi: Government of India, 2007), p. 680.

80. It should be noted here that the kind of economic reforms India started in 1991–92 were ***almost ditto suggested*** by the Eighth Plan. The suggestions were based on India's own experience and the experiences of the world economies after the Second World War. The Sixth and the Seventh Plans had suggested almost on the similar lines which made the Governments of the time go for the so-called 'liberalisation' moves in the mid-1980s

81. C. Rangarajan, ***Indian Economy,*** p. 275–276.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(iii) आधारभूत संरचना क्षेत्र में अधिक निवेश, खासतौर से पिछड़े राज्यों के लिए;

(iv) बढ़ते गैर–योजना व्यय तथा वित्तीय घाटे को रोकना;

(v) आर्थिक सहायता (छूट) को पुनर्संरचित तथा पुनः संकेन्द्रित करना;

(vi) नियोजन को तत्काल 'विकेंद्रित' करने की आवश्यकता;

(vii) सहकारी संघवाद पर विशेष ध्यान देने की जरूरत;

(viii) 'कृषि' तथा अन्य 'ग्रामीण क्रियाओं' पर अधिक बल का सुझाव दिया गया, जिसके लिए योजना ने आनुभविक प्रमाण का उदाहरण दिया, जो अर्थव्यवस्था में सुधार लाते हैं ताकि बेहतर जीवन–स्तर को प्राप्त किया जा सके तथा संतुलित विकास को प्रोत्साहित किया जा सके–यह नियोजन की धारणा में परिवर्तन था।

ज्यों ही अर्थव्यवस्था उदारीकरण की ओर अग्रसर हुई सभी ओर से इस कदम की आलोचना की गई। नियोजन की प्रक्रिया की भी आलोचना निम्नलिखित कारणों से की गई:

(i) ज्यों ही अर्थव्यवस्था बाजार अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ती है नियोजन 'अप्रासंगिक' हो जाता है;

(ii) जब राज्य अर्थव्यवस्था में अपने नियंत्रण से पीछे हट रही हो (Rolling Back) तो नियोजन का कोई अर्थ नहीं होता;

(iii) उदारीकरण के दौर में नियोजन की प्रक्रिया को पुनर्संरचित किया जाना चाहिए।

(iv) 'सामाजिक क्षेत्र' (जैसे–शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, इत्यादि) पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।

नवीं योजना (Ninth Plan)

नवीं योजना (1997–2002) की शुरुआत उस समय हुई जब अर्थव्यवस्थाओं में चौतरफा मंदी दक्षिण–पूर्वी एशियाई वित्तीय संकट (1996–97) के कारण देखी जा सकती थी। यद्यपि उदारीकरण की प्रक्रिया की आलोचना अभी भी की जा रही थी, अर्थव्यवस्था अब 1990 के दशक के शुरुआत के वित्तीय अव्यवस्था से बाहर निकल चुकी थी। एक 'निर्देशात्मक नियोजन' की सामान्य प्रकृति के समान इस योजना ने न केवल एक उच्च विकास दर (7 प्रतिशत) का लक्ष्य रखा बल्कि अपने आप को समय निर्धारित 'सामाजिक उद्देश्यों' की तरफ निर्दिष्ट किया। सात मूल न्यूनतम सेवाओं (Basic Minimum Services - BMS) पर बल दिया गया, जिसमें इन सेवाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मौजूद था ताकि संपूर्ण जनसंख्या को निर्धारित समय में शामिल किया जा सके। मूल न्यूनतम सेवाओं में निम्नलिखित सम्मिलित है:[82]

(i) पीने योग्य स्वच्छ जल;

(ii) प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ;

(iii) प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण;

(iv) निराश्रय गरीब परिवारों के लिए सार्वजनिक आवासीय सहायता;

(v) बच्चों के लिए; पौष्टिक आहार की व्यवस्था;

(vi) सभी गाँवों एवं वास स्थानों का संयोजन;

(vii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सरल एवं कारगर बनाना।

वित्तीय समेकन का मामला इस योजना के शुरुआत के साथ पहली बार एक उच्च प्राथमिकता का मामला बन गया, जिसका मुख्य बल निम्नलिखित[83] मामलों पर था:

(i) उन्नत राजस्व एकत्रण तथा गैर–जरूरी खर्चों पर नियंत्रण के संयोजन द्वारा सरकार के (जिसमें केन्द्र, राज्य तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम शामिल हैं) वित्तीय घाटे को कम करना;

(ii) आर्थिक सहायता/छूट (Subsidies) को घटाना, आर्थिक सेवाओं पर उपभोक्ता शुल्क एकत्रित करना (जैसे–विद्युत, परिवहन, इत्यादि), ब्याज,

82. Publications Division, ***India 2007,*** pp. 682–83.

83. Ministry of Finance, ***Economic Survey*** (1998–200) (New Delhi: Government of India, Various Years); Publications Division, ***India 2007,*** p. 683.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

वेतन, पेंशन, भविष्य-निधि, इत्यादि को कम करना,

(iii) नियोजन का विकेन्द्रीकरण तथा राज्यों एवं पंचायती राज संस्थानों पर अधिक निर्भरता के साथ इनका कार्यान्वयन।

दसवीं योजना (Tenth Plan)

यह योजना (2002-07) उन उद्देश्यों के साथ शुरू हुई जिन्हें सूत्रबद्ध करने में राष्ट्रीय विकास परिषद की अधिक भागीदारी थी। इस योजना के दौरान कुछ अति महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में नियोजन की नीति में बदलाव आया। इनमें से कुछ मुख्य हैं:[84]

(i) प्रति व्यक्ति आय को 10 वर्षों में दुगना किया जाना;

(ii) यह मानना की उच्च विकास दर ही मात्र उद्देश्य नहीं है, इसके द्वारा लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आना चाहिए;

(iii) पहली बार इस योजना ने केंद्र तथा राज्यों के विकास के ग्यारह चयनित सूचकों के लिए अनुश्रवणित लक्ष्य (Monitorable targets) निर्धारित किया;

(iv) ''अभिशासन'' को विकास का एक कारक माना गया;

(v) नियोजन में राज्य की भूमिका में बढ़ोतरी, जिसमें पंचायती राज संस्थानों को बड़े रूप में शामिल किया गया।

(vi) प्रत्येक क्षेत्र में नीतिगत तथा संस्थागत सुधार करना, जैसे-सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में सुधार, कानूनी सुधार, प्रशासनिक सुधार, श्रम सुधार

(vii) कृषि क्षेत्र को अर्थव्यवस्था का मूल प्रेरक बल (Prime Moving Force - PMF) घोषित किया गया;

(viii) सामाजिक क्षेत्र (जैसे-स्वास्थ्य, शिक्षा, इत्यादि) पर अधिक बल;

(ix) आर्थिक सुधार तथा नियोजन की प्रक्रियाओं की प्रासंगिकता पर बल इत्यादि

इस योजना के मध्यावधि मूल्यांकन को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जून 2005 में अनुमोदित किया गया। यह मूल्यांकन इस योजना के प्रदर्शन के बारे में एक मिश्रित विचार देता है। इस मूल्यांकन के अनुसार देश का प्रदर्शन अनेक क्षेत्रों में संतोषजनक रहा तथा इसे संघटित करने की आवश्यकता है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कमजोरियाँ भी रहीं, जिन्हें यदि नहीं सुधारा गया तो यह वर्तमान प्रदर्शन स्तर को भी कमजोर कर देगा।[85]

ग्यारहवीं योजना (Eleventh Plan)

इस योजना का लक्ष्य सतत् वृद्धि की अवधारणा की प्राप्ति के साथ-साथ 10% की वृद्धि दर भी प्राप्त करना था। इस लक्ष्य को हासिल करने में योजना आयोग ने भी शंका जताई थी क्योंकि वित्तीय जिम्मेदारी एवं बजट प्रबंधन अधिनियम को ज्यादा प्राथमिकता देना तय था। वर्तमान समय में आर्थिक क्षेत्र में आए उतार-चढ़ाव ने सरकार की चिंता को बढ़ाया है। मुख्य चिंताएं इस तरह हैं:

(i) उच्च महंगाई दर (6 फीसदी से ज्यादा) की वजह से क्रेडिट पॉलिसी को सख्त बनाने की जरूरत है। इससे अर्थव्यवस्था में निवेश कम होने लगता है (उत्पादन भी कम हो जाता है)।

(ii) रुपए के मजबूत होने से निर्यात के जरिए होने वाली आमदनी तेजी से घटती है।

(iii) महंगे खाद्यान्न और दूसरी चीजों के दाम बढ़ना, गरीब लोगों के लिए महंगा खाद्यान्न और दूसरी चीजों के दाम बढ़ना।

(iv) कच्चे तेल की कीमतें राष्ट्रीय खजाने के लिए एक बोझ बन गई हैं।

84. Planning Commission, ***Tenth Five year Plan (2002–07),*** (New Delhi: Government of India,).

85. Planning Commission, ***Mid-Term Appraisal of the Tenth Plan*** (New Delhi: Government of India).

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना: निष्पादन
(Eleventh Plan: Performance)

योजना आयोग ने योजनाओं का बीच में मूल्यांकन करने की कोशिश की, जिस पर जुलाई 2010 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने विचार किया और अपनी स्वीकृति दी। मूल्यांकन दस्तावेज ने विकास कामों की समीक्षा की और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अलग-अलग क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को आंका गया। इस आकलन सुधार के परामर्श भी थे। कुछ चुने हुए क्षेत्रों में इसने समस्याओं की तरफ ध्यान खींचने का काम किया। उन अवरोधों को भी चिन्हित किया, जो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की शेष समय-सीमा और 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रासंगिक हो सकते थे।

अन्य मुद्दों के साथ इसमें हैं:

(i) कृषि में उत्साह की पुनर्बहाली
(ii) भारत के जल-संसाधन का प्रबंधन
(iii) ऊर्जा उत्पादन लक्ष्यों को पाने में आती समस्याएं
(iv) शहरीकरण से जुड़े मुद्दे
(v) आदिवासी विकास से जुड़ी विशेष समस्याएं

कृषि के मद्देनजर समय-सीमा के बीच में हुआ मूल्यांकन बताता है कि हालांकि, 11वीं योजना में कृषिगत प्रदर्शन व विकास-दर, दोनों 10वीं योजना से बेहतर लगते हैं, लेकिन सालाना चार प्रतिशत के लक्ष्य को नहीं पाया जा सकता। कृषि पर ध्यान की जरूरत के अलावा ऊपर बताए गए दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए केंद्र और राज्यों को सम्मिलित कार्रवाई करनी पड़ेगी।

योजना आयोग द्वारा गरीबी आकलन पर समीक्षा भी महत्वपूर्ण है। खासकर तब, जब यह मुद्दा देश में बहस का विषय बन चुका है। योजना आयोग देश में, राष्ट्रीय स्तर पर और राज्यों में, गरीबी का आकलन करने की एक केंद्रीय ऐजेंसी है। यह गरीबी का पता गरीबी रेखा के आधार पर करता है, जो प्रति माह प्रति व्यक्ति खर्च के संदर्भ में परिभाषित है। 'गरीब की संख्या और अनुपात के निर्धारण' पर विशेषज्ञ दल की एक रिपोर्ट ने जो कार्य-पद्धति बनाई है, उसी के आधार पर 1977 से आयोग गरीबी रेखा और गरीबी अनुपात का आकलन कर रहा है। इस रिपोर्ट को लकड़ावाला समिति की रिपोर्ट कहते हैं। ऊपर चर्चा की गई गरीबी रेखा के इस्तेमाल से गरीबी-अनुपात का पता चलता है। लगभग हर पांच साल पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा पारिवारिक व्यय के बड़े नमूने से गरीबी रेखा निकाली जाती है।

गरीबी के आकलन के लिए मौजूद तौर-तरीकों की पुनर्समीक्षा हेतु प्रोफेसर सुरेश डी. तेंदुलकर की अध्यक्षता में दिसंबर 2005 को योजना आयोग ने एक विशेषज्ञ दल का गठन किया। इस दल ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2009 में सौंपी। गरीबी की बहुआयामी प्रकृति को पहचानने के साथ, विशेषज्ञ दल ने यह सिफारिश की कि कैलोरी ग्रहण की मात्रा पर गरीबी रेखा भरोसा छोड़कर मिश्रित संदर्भ अवधि (एमआरपी) को अपनाए, जो परिवार के उपभोग-व्यय के आकलन पर निर्धारित हो। चूंकि भविष्य की गरीबी रेखा के लिए एमआरपी है, इसलिए यह शहरी गरीबी रेखा अंक (पीएलबी) के लिए भी समतुल्य है। इस प्रक्रिया के आधार पर साल 2004-05 में ग्रामीण भारत में 41.8 प्रतिशत लोग गरीब हैं। शहर में 25.7 और पूरे भारत के स्तर पर 37.2 प्रतिशत लोग गरीब बताए गए। हालांकि, अलग-अलग कार्य-पद्धति के कारण तेंदुलकर समिति का आकलन तत्कालीन गरीबी आकलन से मेल नहीं खा सकता। जैसा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य-अवधि मूल्यांकन में यह संकेत दिया गया था कि तेंदुलकर समिति की अनुशंसाओं, जो 2004-05 के लिए संशोधित गरीबी रेखा और गरीबी अनुपात पर थीं, को योजना आयोग ने स्वीकार किया। तेंदुलकर समिति ने यह विशेष तौर पर बताया कि 2004-05 में निर्धारित ग्रामीण गरीबी की फीसदी में जो बदलाव हुआ है, वह नई गरीबी रेखा के नियम को लागू करने से हुआ है, न कि इसकी यह व्याख्या यह की जाए कि इस बीच गरीबी बढ़ी है। समिति ने यह भी कहा कि चाहे हम पुरानी गणना को लें या नई को, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत गिरा है।

योजना आयोग के अनुसार, आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए सरकार द्वारा अपनाए गए विस्तृत राजस्व उपायों को, जो वैश्विक मंदी से मुकाबले के लिए हैं, साल 2009-10 में भी जारी रखा गया। इससे घाटे के महत्वपूर्ण सूचक और ज्यादा हो गए। केंद्र का राजकोषीय घाटा 2007-08 में 2.5 प्रतिशत था, जो 2008-09 में बढ़कर

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

छह प्रतिशत हो गया और 2009-10 में 6.4 प्रतिशत पर जा पहुंचा लेकिन 2009-10 (संशोधित अनुमान) में यह घटकर 5.1 प्रतिशत पर गया और जो 2011-12 के लिए बजट अनुमान है, उसने राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद का 4.6 प्रतिशत बताया है। इसी तरह, साल 2007-08 में केंद्र का राजस्व घाटा 1.1 प्रतिशत था, जो बढ़कर 2008-09 में 4.5 प्रतिशत हो गया और 2009-10 में 5.2 प्रतिशत पर जा पहुंचा। साल 2010-11 (संशोधित अनुमान) के लिए यह गिरकर 3.4 प्रतिशत पर चला गया। और 2011-12 (बजट अनुमान) के लिए इसे सकल घरेलू उत्पाद के 3.4 प्रतिशत पर ही आंका गया है। केंद्रीय घाटे में वृद्धि के पीछे पहले से निर्धारित राजस्व है, जबकि अप्रत्यक्ष कर दरों में गिरावट आई और वैश्विक मंदी के मध्य अर्थव्यवस्था में मांग को उछाल देने के क्रम में सार्वजनिक खर्च में बढ़ोतरी हुई।

मूल्य-स्थिरता का मुद्दा योजना अवधि के आधे से अधिक समय तक बना रहता है। मूल्य-वृद्धि के संकट से बचने के लिए एक तरफ सरकार को कई कर-रियायतों की घोषणा करनी पड़ती है, तो दूसरी तरफ, आम जन पर आयातित तेल की कीमतों का बोझ भी नहीं पड़ने देना होता है। नतीजतन, सरकारी खजाने में फंड की कमी की स्थिति आती है और अंत में, सरकार के पास निवेश किए जाने वाले फंड की न्यूनतम आपूर्ति हो जाती है। यही सब कारण रहें, जिनसे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अपने लक्ष्य से पीछे रह गई।

बारहवीं योजना (Twelfth Plan)

बारहवीं योजना (2012-17) के प्रस्ताव पत्र को काफी सलाह मशविरा के साथ तैयार किया गया था। इसमें आज तक लोगों से परामर्श मांगे जा रहे हैं क्योंकि माना जा रहा है कि आज का नागरिक समाज के पास कहीं ज्यादा सूचनाएं हैं और वह नीति निर्धारण की प्रक्रिया में शामिल होना चाहता है। देशभर के 950 से ज्यादा नागरिक संगठन इस प्रस्ताव में अपना इनपुट दे चुके हैं। कारोबारी संघ यहां तक कि लघु उद्योगों के संघ से भी संपर्क किया गया है। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया (गूगल हैंग आउट) के जरिए भी लोगों से सलाहें मांगी जा रही हैं। सभी राज्य सरकारें और स्थानीय जन प्रतिनिधि संस्थाएं और संघों से भी संपर्क किया गया है। इसके लिए पांच क्षेत्रीय परामर्श बैठकों का आयोजन किया गया है। हालांकि इसके प्रस्ताव पत्र को 2011 के मध्य तक राष्ट्रीय विकास परिषद (नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल) से मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन योजना के शुरू हो जाने के काफी बाद तक इसे अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चलती रही (ऐसा दसवीं और ग्यारहवीं योजना के साथ भी हुआ था)।

प्रस्ताव पत्र में योजना के मुख्य लक्ष्यों के अलावा उसे पूरा करने की राह में आने वाली चुनौतियों का जिक्र भी किया गया था। इसके अलावा इसमें लक्ष्य को पूरा करने की प्रक्रिया और उसके तरीके को भी शामिल किया गया। इस प्रपत्र में संक्षेप में निम्नलिखित तथ्यों को सम्मिलित किया गया था:

(i) योजना में आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य 9 प्रतिशत रखा गया। योजना के अनुसार वैश्विक हालात के मद्देनजर इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ कठोर कदम उठाए जाने थे।

(ii) कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर का लक्ष्य 4 प्रतिशत रखा गया खाद्यान्न वृद्धि दर तथा गैर-खाद्यान्न क्षेत्र वृद्धि दर का लक्ष्य क्रमशः 2 प्रतिशत और 5-6 प्रतिशत रखा गया।

(iii) योजना के अनुसार कृषि वृद्धि दर को उच्च रखने से न सिर्फ ग्रामीण जनसंख्या को बेहतर आमदनी होगी बल्कि इससे महँगाई से निपटने में भी मदद मिलेगी। ज्ञात है कि 11वीं योजना के अंत में खाद्यान्न की महँगाई भी एक समस्या बनी थी।

(iv) ग्यारहवीं योजना में कार्यान्वित वे सभी प्रमुख कार्यक्रम, जिनका उद्देश्य 'समेकित विकास' था, बारहवीं योजना में भी कार्यान्वित किए गए।

(v) ऐसी स्थिति में योजना द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि जहाँ घरेलू ऊर्जा का उत्पादन सीमित है वहीं आने वाले समय में वैश्विक ऊर्जा मूल्यों में वृद्धि की संभावना होगी।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(vi) योजना के अनुसार 9 प्रतिशत की वृद्धि दर को प्राप्त करने के लिए देश की वाणिज्यिक ऊर्जा आपूर्ति को प्रतिवर्ष 6.5 से 7 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना आवश्यक होगा। चूंकि भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भर नहीं है। अत: प्रपत्र में आने वाले वर्षों में इनके आयात के बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई। भारत की पेट्रोलियम आवश्यकता की आयात पर निर्भरता और बढ़ने तथा इस योजना के दौरान 80 प्रतिशत तक पहुँच जाने की भी संभावना व्यक्त की गई।

(vii) योजना द्वारा भारत में आने वाले वर्षों की कोयले की माँग पर चिंता जताई गयी। कोयला-आधारित बिजली-उत्पादन इसकी माँग का मुख्य कारण रहने तथा आयात पर निर्भरता बढ़ने का अनुमान लगाया गया।

(viii) योजना द्वारा देश में 'उत्पादन की ऊर्जा तीव्रता' (energy intensity of production) को निम्न करने की सलाह दी गयी है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन के घरेलू क्षमता के विस्तार की भी सलाह दी गयी।

(ix) जल संसाधन के क्षेत्र में योजना द्वारा जल प्रबंधन के एक 'होलिस्टिक' (holistic) नीति के विकास की सलाह दी गयी। इसके अतिरिक्त 'जल संरक्षण' तथा जल के अधिक 'सक्षम' उपयोग (विशेषकर कृषि क्षेत्र में) को भी सलाह दी गयी।

(x) 'भूमि अधिग्रहण' के मुद्दे पर योजना द्वारा एक ऐसी नीति के विकास की सलाह दी गयी, जिसमें हर्जाने की राशि तार्किक हो ताकि अन्यान्य विकास आवश्यकताओं के लिए भूमि की आपूर्ति हो सके तथा जमीन मालिक की आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखा जा सके।

(xi) योजना ने **स्वास्थ्य, शिक्षा** और **कौशल विकास** को 'फोकस' क्षेत्र माना गया। इसके अतिरिक्त 'सार्वभौमिक स्वास्थ्य' की अवधारणा पर विशेष बल दिया गया-योजना में इसके लिए संभावित व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत रखा गया (भारत सरकार द्वारा इसे योजनावधि में 1.5 से 2.0 प्रतिशत तक ही रखने स्वीकृति दी गई है)। योजना में इन क्षेत्रों में 'निजी क्षेत्र' की सहभागिता की संभावनाओं को भी सलाह दी गई।

(xii) योजना के अनुसार 9 प्रतिशत की वृद्धि दर बिना आधारभूत सरंचनाओं के उचित विकास के संभव नहीं है। देश में इस क्षेत्र में पहले से ही कमी व्याप्त रही है। इसके लिए योजना द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ 'सार्वजनिक-निजी साझीदारी' दोनों ही विकल्पों पर विशेष बल देने की बात कही गयी।

(xiii) योजना के लिए उचित संसाधन जुटाने हेतु 'राजकोषीय समेकन' (fiscal consolidation) के क्षेत्र में कुछ कठोर निर्णय लेने की सलाह दी गयी। साथ ही संसाधनों की कमी को देखते हुए कुछ क्षेत्रों को 'प्राथमिकता' देने की सलाह दी गयी, यथा-स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आधारभूत संरचना आदि।

(xiv) अंत में योजना पत्र द्वारा संसाधनों के अधिक 'कार्यकुशल' (efficient) उपयोग पर बल दिया गया। यह बात संसाधनों की कमी की स्थिति में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस दिशा में योजना द्वारा 'कई उपयोगी सलाह भी दी गयीं, जैसे—कार्यान्यवयन ऐजेन्सी को अधिक स्वतंत्रता; लचीलापन तथा एक क्षेत्र के कई कार्यक्रमों का अभिसरण (convergence); क्षमता विकास; प्रबोधन (monitoring) एवं उत्तरदायित्व।

B. बीस-सूत्री कार्यक्रम (20-Point Programme)

बीस-सूत्री कार्यक्रम (Twenty Point Programme–TPP) दूसरी केंद्रीय योजना है, जिसकी शुरुआत जुलाई 1975 में की गई। इस कार्यक्रम की शुरुआत केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित अनेक योजनाओं के समन्वित तथा

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

गहन नियंत्रण के लिए की गई थी। इस कार्यक्रम का **मूल उद्देश्य** लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना था, खासतौर पर गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के जीवन–स्तर में। इस कार्यक्रम के तहत उन योजनाओं पर बल दिया गया जो गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन–स्तर को सुधारने में कारगर साबित होते हैं।

इस योजना को 1982 तथा 1986 में पुनर्संरचित किया गया। यू.पी.ए. सरकार द्वारा इसकी पुनः संरचना की गयी है। वर्तमान कार्यक्रम में 119 विषय हैं, जिसे 20 सूत्रों में समूहित किया गया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन–स्तर को सुधारने से संबंधित हैं। इन विषयों में से 54 को मूल्यांकन मानदण्ड के आधार पर नियंत्रित किया जाता है, 65 विषयों को पूर्व-निर्धारित भौतिक लक्ष्यों के आधार पर तथा 20 बचे महत्वपूर्ण विषयों को मासिक आधार पर नियंत्रित किया जाता था। इन लक्ष्यों का निर्धारण केंद्र के मंत्रालयों द्वारा राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के परामर्श के साथ किया जाता है। इस कार्यक्रम का आवंटन विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के तहत किया जाता है।

आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के लिए 21वीं सदी की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बीस सूत्रीय कार्यक्रम-1986 को नया रूप देते हुए इसे नया नाम 'बीस सूत्री कार्यक्रम-2006' दिया गया। यह संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शामिल था।

ग्रामीण गरीबी के प्रति 'प्रत्यक्ष आक्रमण' (direct attack) की विधि का प्रयोग आवश्यक है, इसकी शुरुआत 20-सूत्री कार्यक्रम से हुआ। इस विधि का एक बड़ा स्वरूप तब देखने को मिलता है जब सरकार द्वारा एक पंचवर्षीय योजना (5वीं योजना, 1974–79) की घोषणा 'गरीबी हटाओ' के नारे के साथ की गयी। यह अर्थशास्त्र और राजनीति का एक बेहतर मिश्रण था। आने वाले समय की सभी सरकारों ने इस कार्यक्रम को निर्बाध रूप से जारी रखा है।

वर्ष 2015 के मध्य में, इस कार्यक्रम को प्रबोधित (monitoring) करने वाले मंत्रालय (सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय को इसे निरस्त करने की सलाह दी गयी। मंत्रालय के अनुसार यह कार्यक्रम अब प्रासंगिक नहीं रह गया है। वर्तमान में सरकार अंतर-मंत्रालय समूह (IMG) की सलाह पर इसकी पुनः संरचना की दिशा में कार्य कर रही है।

C. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) केंद्रीय योजनाओं में सबसे अंतिम योजना है तथा यह शुरू की गई सबसे नवीनतम योजना भी है। इस योजना की शुरुआत 23 दिसंबर, 1993 को की गई, जिसमें प्रत्येक सांसद को 5 लाख रुपये की राशि दी गई, जिसे वर्ष 1994–95 में बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया। सांसदों ने इस राशि को 1997–98 में 5 करोड़ तक बढ़ाने की माँग की, लेकिन अंततोगत्वा सरकार ने इसे 1998–99 में बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया। अप्रैल 2011 में इसकी राशि बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी गयी।

1990 के दशक की शुरुआत में सभी सांसदों की दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यह माँग थी कि एक ऐसी योजना की आवश्यकता है, जिसमें विकास का लाभ प्रत्यक्ष रूप से जनता को उनके प्रतिनिधियों द्वारा पहुँचे। सरकार ने इस माँग पर गौर किया तथा इस तरह (MPLADS) की शुरुआत हुई।

इस योजना के तहत सांसद कुछ कार्यों का सुझाव सम्बंधित जिलाधीश को देते हैं (जैसे-स्थायी सामुदायिक सम्पत्ति उत्पन्न करना जो स्थानीय विकास की आवश्यकताओं पर आधारित हो)।[86] इस योजना का संचालन निर्देशों के एक समूह द्वारा किया गया जिसे व्यापक रूप से संशोधित कर नवम्बर 2005 में जारी किया गया। इस योजना के

86. For development works the MP, Lower House (the Lok Sabha) may select one or more districts of his/her constituency; the MP, Upper House (the Rajya Sabha) may select any one or more districts from his/her constituency (i.e., a state or an UT); and the nominated MPs may select any one or more districts from their constituency (i.e., the whole country).

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

प्रदर्शन में सुधार अति सक्रिय नीति प्रस्तावों तथा नियंत्रण एवं पुनरीक्षण पर बल देने के कारण हुआ।[87]

वर्तमान वर्षों में इस योजना की अनेक कमियाँ सामने आईं जिनका संबंध निधियों के दुरुपयोग या इसके अनुपयोग से था, खासकर पिछड़े राज्यों में। पंचायती राज संस्थानों के स्तर पर जन-प्रतिनिधि इस योजना को रद्द करने की माँग कर रहे हैं। चूँकि यह विकेंद्रित नियोजन का उलंघन करता है। इसके स्थान पर उनकी यह माँग है कि समान प्रकार के कार्यों के लिए इस निधि को स्थानीय निकायों के हाथों में प्रत्यक्ष रूप से सुपुर्द कर दिया जाए।[88]

मई 2014 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MPSPI) द्वारा इस योजना से संबंधित संशोधित दिशा-निर्देश की घोषणा की गयी जो अपेक्षाकृत सरल, स्पष्ट और आसानी से समझने योग्य हैं। इसके मुख्य भाग इस प्रकार हैं:

- इसके अंतर्गत न सिर्फ निषेधित मदों बल्कि अनुज्ञेय (permissible) मदों की भी चर्चा है।
- अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में अब 'ट्रस्ट' (trusts) और गैर-सरकारी संगठन (NGOs) 75 लाख रुपये तक का निर्माण कार्य कर सकते हैं (पहले यह 50 लाख रु. ही था)।
- सहकारी समितियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है-उद्देश्य है सहकारी आंदोलन और ग्रामीण विकास का प्रोत्साहन।
- इस योजना के अंतर्गत व्यक्त एवं ठप्प कार्यों को राज्य सरकारें पूरा करेंगी।
- प्राकृतिक एवं मानव-जनित दोनों प्रकार की आपदाओं के लिए धन आवंटन संभव।
- अब सांसद द्वारा धन का आवंटन अपने संसदीय क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र के बाहर भी किया जा सकता है।
- इसे अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (जैसे-MGNAREGA) एवं राज्यों की योजनाओं के साथ मिलाकर इस्तेमाल संभव है।
- इसके कोष का आवंटन अब स्थानीय निकायों (PRIs) को भी किया जा सकता है।
- अब इसमें आम जनता एवं सामुदायिक समूहों से धन का योगदान संभव है।
- स्थानीय समस्याओं के समाधान से जुड़े नये अण्वेषण का वार्षिक प्रतिस्पर्धा ('वन एम.पी.-वन आईडिया') जारी रखा गया है।
- योजना के क्रियान्वयन एवं लेखा परीक्षण (auditing) के लिए एक बेहतर व्यवस्था का विकास किया गया है।

नये दिशा-निर्देशों के द्वारा सांसदों को परियोजनाओं के चयन का ज्यादा लचीला प्रारूप प्रस्तुत किया गया है जिसका संबंध अन्यान्य क्षेत्रों से है, यथा-आधारभूत संरचना विकास, पेयजल, साफ-सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, इत्यादि। माना जा रहा है कि इससे इस योजना में एक नयी गति आएगी।

बहु-स्तरीय नियोजन (MULTI-LEVEL PLANNING)

1950 के दशक के अन्त में तथा 1960 के दशक की शुरुआत में राज्यों ने राज्य स्तर पर योजना बनाने की माँग की। 1960 के दशक के मध्य में केंद्र द्वारा राज्यों को यह अधिकार प्रदान किया गया तथा यह सलाह दी गई कि वे नियोजन को प्रशासन के निचले स्तर तक भी, प्रोत्साहित करें; जैसे-नगरपालिका तथा निगम के द्वारा जिला स्तर पर नियोजन तथा पंचायत एवं जनजातीय बोर्ड द्वारा ब्लॉक स्तर पर। 1980 के दशक के शुरुआत में भारत एक बहुस्तरीय नियोजन वाला देश था, जिसमें नियोजन की संरचना तथा स्तर निम्नलिखित थे:

87. As the Government reports in Publications Division, ***India 2007,*** pp. 711–12.
88. We may especially quote the '21 Point Memorandum' handed over by the ***All India Panchayat Adhyakshas Meet,*** mid-2002, N. Delhi to the President and the Central Government of the time.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

प्रथम स्तर: राज्य स्तर नियोजन

इस स्तर पर केंद्रीय योजनाओं के तीन प्रकार का क्रमिक विकास हुआ–पंचवर्षीय योजना, बीस-सूत्री योजना तथा MPLADS.

द्वितीय स्तर: राज्य स्तर नियोजन

1960 के दशक तक राज्य अपने-अपने नियोजन निकायों, राज्य नियोजन बोर्डों (जिसके अध्यक्ष वस्तुत: मुख्यमंत्री होते थे) के द्वारा राज्य स्तर पर योजनाएँ बना रहे थे। राज्यों की योजनाओं की अवधि पाँच वर्षों की थी तथा ये केंद्र की पंचवर्षीय योजना के समानान्तर थे।

तृतीय स्तर: जिला स्तर नियोजन

1960 के दशक के अंत से राज्यों के सभी जिलों की अपनी योजनाएँ थीं तथा उनके अपने-अपने जिला नियोजन बोर्ड[89] थे, जिसके वस्तुत: अध्यक्ष (Defacto Chairman) जिलाधीश थे। 89 जिला स्तर की योजनाओं का कार्यान्वयन नगरपालिका या निगमों द्वारा नगरीय क्षेत्रों में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक द्वारा किया जाता है।

चौथा स्तर: ब्लॉक स्तर नियोजन

जिला स्तर के नियोजन के एक भाग के रूप में ब्लॉक स्तर के नियोजन का विकास हुआ, जिसमें जिला नियोजन बोर्ड नियोजन के एक केंद्रक अभिकरण (Nodal Agency) के रूप में था। ब्लॉक के नीचे, भारत में स्थानीय स्तर पर भी नियोजन का विकास हुआ।

पाँचवाँ स्तर: स्थानीय स्तर नियोजन

1980 के दशक के शुरुआत से भारत में योजनाओं का कार्यान्वयन स्थानीय स्तर पर ब्लॉक द्वारा किया गया, जिसमें जिला नियोजन बोर्ड केन्द्रक अभिकरण (Nodal Agency) के रूप में था।

जनसंख्या में सामाजिक–आर्थिक विभेदीकरण के कारण भारत में स्थानीय स्तर के नियोजन का विकास इसके **तीन रूपभेद** (variants) के साथ हुआ, जो निम्नलिखित है:[90]

(i) ग्रामीण स्तर नियोजन

(ii) पहाड़ी क्षेत्र नियोजन

(iii) जनजातीय क्षेत्र नियोजन

मूलत: बहु-स्तरीय नियोजन की शुरुआत देश में विकेंद्रित नियोजन की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। यह प्रजातांत्रिक नियोजन का भारतीय रूप है, जो नियोजन की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है, लेकिन यह इस उद्देश्य में कई कारणों से सफल नहीं हुआ। ये कारण निम्नलिखित हैं:

(i) यह विभिन्न योजनाओं के निर्माण में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने में असफल रहा। बहु-स्तरीय नियोजन के मॉडल का मूल मंत्र यह था कि एक बार जब स्थानीय स्तर की योजनाओं को ब्लॉक को सौंपा जाएगा, ब्लॉक अपनी योजनाएँ बनाएगा तथा उन्हें अपने जिले को सौंप देगा। जिला स्तर की योजनाओं को सूत्रबद्ध किया जाएगा। इसी तरह राज्य की योजनाओं को तथा केंद्र के पंचवर्षीय योजनाओं को सूत्रबद्ध किया जाएगा। इस तरह नियोजन के प्रत्येक कदम में देश के सभी लोग भाग लेंगे–एक विशेष प्रकार की 'योजना समानुभूति' (Plan Empathy)। इस प्रक्रिया द्वारा विकसित हो सकती है, लेकिन यह सच साबित नहीं हुआ। प्रत्येक स्तर पर अलग–अलग योजनाएँ बनती हैं–यह समानुभूति कारक की कमी को दर्शाता है।

89. After the implementation of the 74th Constitutional Amendments they have become the District Planning Committees (DPCs).

90. While people in some areas have socio-cultural similarities (as in the hill areas with no tribal population and the people living in the plains, i.e., villages) they lack economic similarities. Similarly, while people living in the tribal areas and the hill areas have economic similarities they lack socio-cultural similarities. That is why all these three habitations had three sets of planning patterns.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(ii) केवल केन्द्रीय योजनाओं को कार्यान्वित किया गया चूँकि राज्यों के पास योजनाओं के लिए पर्याप्त वित्त मौजूद नहीं था। उन्हें केन्द्रीय योजनाओं को ही कार्यान्वित करके संतुष्ट होना पड़ा, यह राज्यों की समानुभूति को शामिल करने में विफल रहा।

(iii) चूँकि भारत में स्थानीय निकायों को संविधानिक अधिदेश प्राप्त नहीं था इसलिए वे राज्य नियोजन प्रक्रिया के लिए संपूरक भूमिका निभा रहे थे। चूँकि उन्हें किसी तरह की वित्तीय स्वतंत्रता नहीं थी इसलिए उनकी योजनाएँ यदि सूत्रबद्ध भी हों तो वे महज कागज पर ही रह जाते थे।

(iv) इस तरह बहु-स्तरीय नियोजन लोगों की भागीदारी को नियोजन में शामिल करने में विफल रहा, जिससे स्थानीय आकांक्षाओं को ठेस पहुँची है।[91]

लेकिन कम-से-कम बहु-स्तरीय नियोजन की विफलता ने सरकार को विकेन्द्रित नियोजन की दिशा में फिर से सोचने के लिए बाध्य कर दिया, जिसके कारण दो मुख्य संविधानिक संशोधनों – 73वें तथा 74वें का अधिनियमन हुआ।

विकेन्द्रित नियोजन (DECENTRALISED PLANNING)

आर्थिक नियोजन केन्द्रकृत राजनीतिक व्यवस्था (समाजवादी तथा साम्यवादी) का एक तत्व है। नियोजित अर्थव्यवस्था (Planned Economy) के पक्ष में निर्णय लेते समय भारत के समक्ष दो चुनौतियाँ थीं:

(i) पहली चुनौती थी कि नियोजन के उद्देश्यों को समय निर्धारित सीमा में साकार किया जाए।

(ii) दूसरी चुनौती प्रजातांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक नियोजन को विकास का एक उपयुक्त साधन बनाने का था–नियोजन की प्रक्रिया का प्रजातंत्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण।

सरकार ने नियोजन की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण राष्ट्रीय विकास परिषद को स्थापित करके तथा बहु-स्तरीय नियोजन को प्रोत्साहित करके किया लेकिन इसके उत्साहवर्द्धक परिणाम नहीं हुए। 1980 के दशक के अन्त तक एक प्रत्यक्ष संबंध विकास तथा प्रजातंत्र के बीच स्थापित किया गया।[92] यह सिद्ध हो गया कि उपरोक्त चुनौतियाँ मूलत: सम्पूरक हैं–पहली चुनौती (विकेंद्रीकरण) का समाधान ढूँढ़े बगैर दूसरी चुनौती (विकास) का समाधान ढूँढ़ना मुश्किल है। पंचायती राज संस्थानों को संविधानिक दर्जा दिए जाने के बाद नियोजन अब सभी स्तर एक संविधानिक प्रक्रिया बन गई है।

यद्यपि केंद्रीय तथा राज्य स्तर नियोजन अभी भी अतिरिक्त संविधानिक (Extra-Constitutional) प्रक्रिया है परंतु यह स्थानीय निकायों के स्तर पर एक संविधानिक प्रक्रिया बन चुकी है। केरल ने स्थानीय निकायों द्वारा योजना बनाने के संबंध में उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित किया है।[93] लेकिन स्थानीय निकायों को अपनी विकास की योजनाएँ बनाने से पहले अभी अनेक बाधाओं को पार करना है। विशेषज्ञों के अनुसार ये बाधाएँ निम्नलिखित हैं:

(i) पंचायती राज संस्थानों का वित्तीय दर्जा अभी भी स्थापित नहीं है।

91. G.V.K. Rao Committee (CAARD), 1985; L.M. Singhvi Committee (CCPPRI), 1986 and Sarkaria Commission, 1988 all discussed this inter-connection (Suresh Mishra, ***Legislative Status of Panchayat Raj in India*** (New Delhi: Indian Institute of Public Administration, 1997).

92. Governments' failure in including the local aspirations in the process of planned development has been considered by major experts as the foremost reason behind the success of the regional political parties, which has led to the governments of the 'compromises', i.e., coalition governments, at the Centre and in the states via the 'hung parliaments' and the 'hung assemblies', respectively.

93. Jose George, 'Panchayats and Participatory Planning in Kerala', ***The Indian Journal of Public Administration,*** Vol. XLIII, No.1, January–March 1997.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(ii) अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि किन करों को पंचायती राज संस्थान लागू कर सकते हैं।

(iii) राज्यों की विधानसभाएँ पंचायती राज संस्थानों को यथासमय तथा जरूरी अधिकार सौंपने में व्यवधान उत्पन्न कर रही हैं।

(iv) सूचना के अधिकार के सम्बंध में तथा पंचायती राज संस्थानों के कार्यों के संबंध में स्थानीय लोगों की जागरूकता कम है।

(v) कुछ राज्यों में पंचायती राज संस्थानों के चुनाव को पैसा तथा बल प्रभावित करता है।

वर्ष 2002 के मध्य में एक अखिल भारतीय पंचायत अध्यक्ष सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। सम्मेलन के अंत में पंचायत अध्यक्षों ने एक '21 सूत्री ज्ञापन-पत्र' सरकार को सौंपा, जो पंचायत राज संस्थानों के वित्तीय दर्जे से संबंधित था। जुलाई 2002 में जिला ग्रामीण विकास ऐजेन्सी (District Rural Development Agency - DRDA) के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की कि पंचायती राज संस्थानों को 'वित्तीय स्वायत्तता' जल्दी ही दी जाएगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह घोषणा कि यदि राजनीतिक आम-सहमति हुई तो सरकार इसके लिए संवैधानिक संशोधन करेगी। दुर्भाग्यवश एन.डी.ए. गठबंधन अगले आम चुनाव में सत्ता में वापस नहीं आ सकी। यू.पी.ए. सरकार प्रजातांत्रिक सहभागिता के मुद्दे पर गंभीर नहीं नजर आ रही है। वर्ष 2006 के मध्य में योजना आयोग ने पत्र लिखकर प्रत्येक राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यह सूचित किया कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ होने से पहले आयोग यह चाहता है कि प्रत्येक राज्यों में पंचायती राज संस्थानों को उनके कार्यात्मक शक्ति सौंप दिए जाए अन्यथा स्थानीय विकास की निधि उन्हें नहीं प्रदान की जाएगी। यह केंद्र सरकार की गंभीरता को दर्शाता है।

जनवरी 2015 में नये निकाय, **नीति आयोग** की स्थापना के उपरांत, देश में विकेन्द्रीकृत नियोजन की रूपरेखा एक तरह से पुनः आरेखित होती प्रतीत होती है। इसके अंतर्गत शामिल नये पहलू कुछ निम्न प्रकार हैं:

- विकास का नियोजन एक समेकित तरीके से होगा जिसमें राष्ट्र, राज्यों एवं स्थानीय निकायों, तीनों स्तरों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा है।
- विकास के इस नये मॉडल में 'टॉप-डाऊन' (Top-down) की जगह पर 'बॉटम-अप' (Bottom-up) अवधारणा का उपयोग किया जाएगा है।
- जहां तक नियोजित विकास के लिए धन आवंटन का प्रश्न है तो इसके निर्णय प्रक्रिया का कार्य नीति आयोग के 'शासी परिषद्' (Governing Council) द्वारा किया जाएगा, जिससे राज्यों को इस प्रक्रिया में भी हिस्सा लेने का अवसर प्राप्त होगा।
- विकास की अवधारणा में 'टीम भारत' का बोध होगा जो कि एक 'राष्ट्रीय ऐजेंडा' के तहत कार्य करेगा।
- सरकार द्वारा 'सहकारी संघवाद' के आधार पर कार्य करने पर बल दिया जा रहा है जो विकेन्द्रीकृत विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है।

वित्तीय **वर्ष 2015-16** से केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों के विकास को बढ़ावा देने संबंधी उनकी धन की कमी की तरफ विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है:

(i) राज्यों को अब केंद्रीय करों में 42 प्रतिशत (32 प्रतिशत से बढ़कर) हिस्सा प्राप्त हो रहा है (सरकार द्वारा 14वें वित्त आयोग की सिफारिश को मान लिया गया)।

(ii) राज्यों को अब केन्द्र से अपनी राज्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उदारीकृत तरीके से धन (ऋण एवं अनुदान) प्राप्त हो रहा है।

(iii) वस्तु एवं सेवा कर (GST) को जल्दी लागू करने के पीछे एक उद्देश्य राज्यों के राजस्व आय को स्वतः बढ़ाना भी है।

(iv) अब राज्य बिना केन्द्र से अनुमति लिए बाजार से ऋण से सकते है (लेकिन इसके लिए पहले केन्द्र की पहल अब भी जरूरी है)। राज्यों को विद्युत वितरक कंपनियों के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्रियान्वित 'उदय' (UDAY) एक इसी तरह की पहल है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

योजना आयोग तथा वित्त आयोग (Planning Commission & Finance Commission)

संघीय राजनीतिक व्यवस्थाओं में केंद्र तथा राज्य सरकारों को स्वतंत्र वित्तीय नियंत्रण प्रदान किया गया है ताकि वे अपने विशिष्ट कार्यों को सम्पन्न कर सकें।[94] इन्हीं उद्देश्यों के लिए भारत के संविधान में विस्तार से प्रावधान हैं,[95] अर्थात् वित्त आयोग का गठन जो केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संसाधन के आवंटन के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को सुझाव देगा, लेकिन संसद द्वारा वित्त आयोग को प्रदत्त शक्तियाँ इसके कार्यों को उस हद तक सीमित करती हैं, जहाँ राज्यों के राजस्व अंतर (Revenue Gap) को प्राप्त किया जा सके तथा राज्यों के लिए केंद्र द्वारा सहायतार्थ अनुदान (Grant-in-aid) की सिफारिश की जाए। वित्त आयोग राज्यों के पूँजी संबंधित विषयों को निर्धारित नहीं कर सकता है (यद्यपि संविधान केन्द्र द्वारा राज्यों के लिए सहायता निर्धारित करने के लिए वित्त आयोग के पूँजी अथवा राजस्व से संबंधित भूमिका को वर्गीकृत नहीं करता है)।

इसी बीच नियोजन की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय (extra-constitutional body) – योजना आयोग का गठन पहले वित्त आयोग के गठन से भी पहले हुआ। योजना आयोग केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता निर्धारित करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चूँकि सभी विकास योजनाएँ, कार्यक्रम तथा परियोजनाएँ इसके क्षेत्र के तहत आते हैं। केंद्र द्वारा विकास कार्यों के लिए राज्यों को दिए गए सभी अनुदान तथा ऋण योजना आयोग के सिफारिश पर निर्भर करते हैं। इसलिए योजना आयोग की भूमिका वित्त आयोग की भूमिका को सीमित करती है[96], अर्थात् एक गैर-संविधानिक निकाय एक संविधानिक निकाय को ग्रस्त कर देती है। पी.जे. राजामन्नार, जिन्होंने वित्त आयोग की अध्यक्षता की (1966-69) ने यह सुझाव दिया कि संविधान को संशोधित करके दोनों आयोग के सापेक्षिक क्षेत्र तथा कार्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए तथा योजना आयोग को सरकार से स्वतंत्र एक वैधानिक निकाय बना दिया जाना चाहिए, लेकिन केंद्र में भिन्न सरकारों द्वारा इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि ज्यादातर वित्त आयोगों ने केंद्रीय कर (आयकर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क) तथा सहायतार्थ अनुदान में कुछ अतिरिक्त शेयर हस्तांतरित कर दिए हैं।

1990 के दशक से कुछ घटनाओं ने विकास की प्रक्रिया में राज्यों की भूमिका को लेकर केंद्र सरकार के विचार में परिवर्तन किया। कुछ मुख्य घटनाएँ निम्नलिखित हैं:

(i) आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया, जिसकी शुरुआत 1991-92 में हुई, में राज्यों की सक्रिय आर्थिक सहभागित जरूरी थी।

(ii) 'सहभागिता नियोजन' के संवैधानिक जरूरतों को 73वें तथा 74वें संविधानिक संशोधनों ने पूरा किया जिसे 1993 में पारित किया गया था।

(iii) केंद्र में गठबंधन राजनीति की शुरुआत हुई जहाँ एक दर्जन से अधिक क्षेत्रीय संबंध वाले राजनीतिक दलों ने सरकार बनाने हेतु आपस में गठबंधन किया।

(iv) दसवें वित्त आयोग की सिफारिश, जिसके उपरांत एक संविधानिक संशोधन ने शक्ति हस्तांतरण की वैकल्पिक पद्धति (Alternative Method of Devolution) को वर्ष 1995 में कानून बनाया।

(v) समय की भिन्न नई माँगें, जैसे-कर सुधार, कृषीय विकास, औद्योगिक विस्तार इत्यादि।

राज्यों द्वारा अपने विकास की जरूरतों को पूरा करने हेतु वित्तीय संसाधन को प्रोत्साहित करने के क्षेत्र में वर्ष 2002 एक विभाजक के रूप में देखा जाता है। जुलाई 2002 में सरकार द्वारा बारहवीं वित्त आयोग (2005-10) को स्थापित करते समय तत्कालीन वित्त मंत्री ने यह घोषणा की कि भविष्य में योजना आयोग वित्त आयोग के लिए एक

94. As K.C. *Wheare* writes about the classical federal constitutions in ***Federal Government*** (New Delhi: Oxford University Press, 1956), p. 97.

95. Articles 270, 273, 275 and 280 of the ***Constitution of India.***

96. Ministry of Finance, ***Report of the Fourth Finance Commission,*** p. 88.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

सहयोगी की भूमिका अदा करेगा। इसी घोषणा में सरकार ने योजना आयोग के एक सदस्य को वित्त आयोग का भी सदस्य बनाया (यह इन दोनों निकायों के बीच भौतिक तथा सैद्धान्तिक संबंध का प्रतीक था)।[97] ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सरकार ने चौथे वित्त आयोग की सिफारिश को बहुत हद तक मान लिया था। यद्यपि आलोचकों का यह मानना था कि यह एक संवैधानिक निकाय का एक गैर-संविधानिक निकाय द्वारा उल्लंघन है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय संघ के समकालीन जरूरतों को प्रोत्साहित करने का एक प्रतीक है।

एक दूसरा महत्वपूर्ण कदम तब उठाया गया जब वित्तीय दायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम (Fiscal Responsibility and Budget Management Act–FRBM) वर्ष 2003 में पारित किया गया, जो राज्य सरकारों को यह अधिकार देता है कि वे अपने योजना व्यय की पूर्ति के लिए बाजार से उधार ले सकते हैं तथा इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है (बशर्ते उन्होंने अपने-अपने निजी वित्तीय दायित्व अधिनियम को पारित किया हो)।[98] इस कदम ने राज्यों के लिए अधिक स्वायत्त योजना सहभागिता सुनिश्चित करके देश में सहभागिता नियोजन को प्रोत्साहित किया।

यदि हम कर सुधार की प्रक्रिया को देखें तो राज्यों द्वारा अधिक-से-अधिक कर वसूलने की सामान्य प्रवृत्ति नजर आती है, जिसमें मूल्य-वर्द्धित कर (VAT) एक सुस्पष्ट उदाहरण है, जिसके द्वारा लगभग सभी राज्य अपने सकल राजस्व कर प्राप्ति में वृद्धि करते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है यदि अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2009-10 में प्रस्तावित वस्तु तथा सेवा कर (Goods and Services Tax—GST) का अधिनियमन करें।

योजना आयोग की जगह जनवरी 2015 में, नीति आयोग की स्थापना के उपरांत स्थिति बिलकुल बदल गयी है। अब योजना एवं वित्त आयोग संबंधी वित्तीय विवाद भी समाप्त हो चुका है। वैसे इसका हमेशा ही एक अकादमीय महत्व रहेगा तथा नीति-निर्माताओं को एक तरह से दिशा-निर्देश देता रहेगा।

नीति आयोग के आने के उपरांत केन्द्र से राज्यों को मिलने वाले वित्तीय सहायता की पूरी रूपरेखा ही बदलने की प्रक्रिया में है। इस आयोग के निर्णयों में आज राज्यों की सक्रिय भागीदारी है (इनका 'शासी परिषद्' में होने से)। राज्यों के धन आवंटन में मामले में जो विचार-विमर्श की प्रक्रिया होगी उसमें स्वयं राज्य भी शामिल रहेंगे। राजकोषीय एवं सहकारी संघवाद की परिपक्वता का वास्तव में यह एक नया उदाहरण होगा।

एक आलोचनात्मक मूल्यांकन (A Critical Evaluation)

भारत में नियोजन की प्रक्रिया की शुरुआत से ही आलोचना कई कारणों से की जा रही है। समय के साथ न केवल इसके आलोचनाओं में वृद्धि हुई बल्कि नियोजन की कमियों की ओर भी संकेत किया गया। सरकार ने इन कमियों पर ध्यान दिया। आलोचनाओं के कारण आज भी मौजूद हैं, लेकिन अंतर यह है कि न केवल सरकार इनके प्रति सचेत है बल्कि उन्हें दूर करने की कोशिश भी कर रही है। भारत में नियोजन की प्रक्रिया की अलोचनाओं तथा सरकार द्वारा उन्हें दूर करने के लिए उठाए गए कदमों को निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है:

1. नियोजन में 'परिदृश्य' की कमी (Lack of 'Perspective' in Planning)

विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी देश में आर्थिक नियोजन के लिए 'परिदृश्य' तत्व का होना आवश्यक है। इसके लिए दो आवश्यकताओं को पूरा करना होगा:

97. In the 10th Plan, **Som Pal** was that common member in both the Commissions (who resigned from the PC once the UPA-I came to power). But this arrangement has been followed by the government in all new Commissions since then—with **B. K. Chaturvedi** and **Prof. Abhijit Sen** (Members, PC) being the *Additional Members* of the *13th* and *14th Finance Commissions*.

98. This should be considered a great fiscal freedom to the states (which even the constitution could not forsee) and also making them behave with more responsibility in fiscal matters. More than 20 states have passed their Fiscal Responsibility Acts (FRAs) by now and are borrowing from the market for their planned needs.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(i) नियोजन की प्रक्रिया मूल्यांकन आधारित होनी चाहिए, तथा;

(ii) 'लघुकालीन' उद्देश्यों के साथ-साथ दीर्घकालीन उद्देश्यों को भी प्राप्त किया जाना चाहिए।

भारत के संदर्भ में अगले योजना की शुरुआत पूर्वगत योजना के मूल्यांकन किए बगैर होती है। यह निम्नलिखित कारणों से होती है:

(a) राष्ट्रीय स्तर पर एक केंद्रक अभिकरण (nodal agency) की कमी, जो आँकड़ों को एकत्र करने के लिए जिम्मेदार होता है;

(b) राजव्यवस्था की संघीय प्रकृति के कारण आँकड़ों का एकत्रण देरी से होता है एवं राज्यों पर अधिक निर्भर किया जाता है, तथा;

(c) तीव्र गति से आँकड़ों का वितरण संभव नहीं है।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग, 2000 (जिसके अध्यक्ष सी. रंगराजन थे) की सिफारिशों के बाद सरकार संघीय बाधाओं को पार कर अखिल-भारतीय स्तर पर आँकड़ों के एकत्रण के लिए एक केंद्रक अभिकरण को स्थापित करने पर विचार कर रही है।

तीव्र गति से आँकड़ों के वितरण के लिए कम्प्यूटर लगाए जा रहे हैं। अभी योजनाओं की शुरुआत अनुमानित आँकड़ों के आधार पर की जाती है (अस्थायी, अत्याधुनिक, इत्यादि) जो करीब-करीब वास्तविक आँकड़ों के समान होते हैं, लेकिन एक बार विचार की गयीं उपरोक्त व्यवस्थाएँ सही स्थान पर हों तो निःसंदेह भारतीय नियोजन मूल्यांकन आधारित होगा। इसी बीच केंद्रीय बजट की 'त्रैमासिक समीक्षा' तथा परफॉर्मेन्स निष्पादित बजट बजटिंग' ने मूल्यांकन के तत्व को बहुत हद तक शामिल किया है।

पहली योजना ने दीर्घकालीन लक्ष्य (20 वर्षों के लिए) तथा लघुकालीन लक्ष्य (5 वर्षों के लिए) निर्धारित किया, लेकिन समय के साथ जरूरी संसाधन जुटाने की विफलता तथा केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता के कारण यह परम्परा स्थापित की गई कि नियोजन के लिए लघुकालीन लक्ष्य ही निर्धारित किए जाएँगे। दसवीं योजना के शुरुआत से इस कमी को दूर करने की कोशिश की गई है। इस योजना ने न केवल दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारित किए बल्कि ग्यारहवीं योजना के लिए भी अनुश्रवणित लक्ष्य (monitorable targets) को निर्धारित किया।

यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि सरकार 'परिदृश्य' नियोजन की आवश्यकता से अभिज्ञ थी तथा 1970 के दशक के मध्य से इस नाम से एक अलग विभाग योजना भवन में कार्य कर रही है *(वर्तमान में योजना आयोग में 31 प्रभाग हैं)*।

2. संतुलित वृद्धि दर विकास को प्रोत्साहित करने में विफलता (Failure in Promoting a Balanced Growth and Development)

भारतीय नियोजन क्षेत्रानुसार संतुलित विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रही है। यद्यपि इस वास्तविकता पर दूसरी योजना ने ध्यान दिया पर उठाए गए कदम अपर्याप्त तथा अदूरदर्शी थे। राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक नियोजन संतुलित विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में साबित हुआ है, लेकिन भारत के संदर्भ में यह बिल्कुल विपरीत है।

संतुलित विकास के मुद्दे के लिए नियोजन प्रक्रिया सही साधनों का इस्तेमाल कर रही है, अर्थात् क्षेत्रीय आधार (प्राथमिक, द्वितीयक तथा संघीय कारणों से) पर योजना निधि का आवंटन, लेकिन राजनीतिक कारणों से राज्यों को योजना निधि आवंटित करने की पद्धति में विसंगति उत्पन्न हुई। सैद्धांतिक स्तर पर सरकार को इसका निदान मालूम था लेकिन व्यवहारिक स्तर पर नियोजन की प्रक्रिया को वास्तविक राजनीति ने प्रभावित किया। इसका कारण प्रजातांत्रिक अपरिपक्वता तथा नियोजन की प्रक्रिया का राजनीतिकरण था।

स्थिति में अब बेहतर के लिए बदलाव आया है। सरकार ने देश में संतुलित विकास के लिए एक दो तरफा नीति अपनाई है:

(i) केंद्रीय सरकार के निवेश के लिए पिछड़े क्षेत्रों को आजकल प्राथमिकता दी जा रही है (1950 के दशक से शुरू की गई नीति के समान) लेकिन केंद्र द्वारा 'विभेदी विकास रणनीति'

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(Differential Development Strategy) की एक नई शुरुआत दसवीं योजना द्वारा की गई है। इस नीति के तहत विभिन्न राज्यों के विकास प्रतिबंधों का सामना नीति के विभेदीकरण द्वारा किया गया है। अधिक जरूरतमंद राज्यों के योजनाबद्ध विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा अतिरिक्त निधि तथा सहायता प्रदान की जाती है, यह कदम राजनीतिक मतभेदों से परे है (यह वर्तमान में आर्थिक विकास के मुद्दे पर राजनीतिक परिपक्वता का प्रतीक है)।

(ii) देश में क्षेत्रीय असंतुलनता के विषय को संबोधित करने के लिए नियोजन की एक संपूरक नीति भी है। देश में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियोजन की प्रकृति का झुकाव अधिक-से-अधिक **सांकेतिक/परिचयात्मक नियोजन** (Indicative Planning) की तरफ होना था। अर्थव्यवस्था को भविष्य में विकास के लिए अधिक-से-अधिक निजी क्षेत्र के निवेश पर निर्भर होना था, लेकिन निजी क्षेत्र स्वभाविक रूप से उन क्षेत्रों में निवेश करेगा, जहाँ आधारभूत संरचना बेहतर हो। चूँकि विकसित क्षेत्रों में आधारभूत संरचना बेहतर है इसलिए वे अधिक निजी निवेश आकर्षित करेंगे, जिसके फलस्वरूप असंतुलित विकास में वृद्धि होगी। इस समस्या से निपटने के लिए केन्द्र निम्न आधारभूत संरचना वाले राज्यों को प्रोत्साहित कर रहा है। समस्या का निदान धीमी गति से हो रहा है, लेकिन कम-से-कम सरकार इस समस्या को संबोधित कर रही है तथा इस नीति की कोई आलोचना नहीं की जा रही है। फिर भी संतुलित विकास भारत में नियोजन के लिए एक बड़ी चुनौती है।

3. नियोजन की अत्यधिक केंद्रित प्रकृति (Highly Centralised Nature of Planning)

1950 के दशक से ही नियोजन की प्रक्रिया का विकेंद्रिकरण सरकार का एक मुख्य लक्ष्य रहा है, लेकिन नेहरू के कार्यकाल के बाद सभी योजनाओं में हम केंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन तथा बहु-स्तरीय नियोजन को प्रोत्साहित करने से इस दिशा में उत्साहवर्द्धक परिणाम नजर नहीं आ रहे हैं। यह भारत में नियोजन की मुख्य आलोचनाओं में से एक है। राष्ट्रीय नियोजन समिति तथा पहली पंचवर्षीय योजना ने देश में 'प्रजातांत्रिक नियोजन' पर बल दिया है।

1980 के दशक के मध्य में केंद्र के रुख में बदलाव आया तथा विकेंद्रित नियोजन की आवश्यकता पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। अंततोगत्वा 1990 के दशक के शुरुआत में दो संविधानिक संशोधनों (73वां तथा 74वां) ने संविधानिक अधिकार स्थानीय निकायों को देकर विकेंद्रित नियोजन का समर्थन किया। इसके साथ ही नियोजन का एक नया दौर शुरू हुआ, लेकिन अभी भी स्थानीय निकायों का नियोजन नवजात अवस्था में है तथा उनके लिए समुचित वित्त की कमी है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि ज्यों ही इनके लिए समुचित स्तर तक वित्तीय साधनों का प्रबंध हो जाएगा या स्थानीय निकायों को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की जाएगी, त्यों ही विकेंद्रित नियोजन की प्रक्रिया को निःसंदेह एक नई दिशा तथा अर्थ प्रदान किया जाएगा।

दसवीं योजना ने नियोजन की प्रक्रिया में राज्यों की भूमिका पर अधिक बल दिया। इस योजना ने राष्ट्रीय नियोजन प्रक्रिया में राज्यों को सम्मिलित करने का प्रयास किया। केंद्र आजकल राज्यों के उन प्रतिबंधों के बारे में चिंतित हैं, जो विकास को अवरोधित करते हैं तथा केंद्र, राज्यों के योजनाओं को यथासंभव समर्थन देने की कोशिश कर रहा है। बदले में केंद्र राज्यों से अधिक तथा पारदर्शी वित्तीय अनुपालन की माँग करता है। कुछ समय के बाद हम यह आशा करते हैं कि नियोजन की इस आलोचना का कोई आधार नहीं रहेगा। *आर्थिक समीक्षा 2011-12* द्वारा जन-सहभागिता की तरफ विशेष ध्यानाकर्षण कराया गया था। समीक्षा का कहना है कि ईमानदारी, भ्रष्टाचार, समय के प्रति कटिबद्धता इत्यादि बातें समाज के रीति-रिवाजों एवं उसकी मान्यताओं से निर्धारित होती हैं। भारत जैसे लोकतंत्र में लोगों की सोच और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना सरकार के लिए एक आवश्यक कार्य होना चाहिए। समीक्षा द्वारा आगे 'सिविल सोसायटी' की लोकपाल

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

अधिनियम की मांग को सही ठहराया गया है तथा सरकार द्वारा इस सिलसिले में किए गए विलंब को भी उद्धृत किया गया है। अगर आम आदमी एक भ्रष्टाचार-रहित सरकार की माँग कर रहा है तो सरकार को इस अवसर को जनता की मान्यताओं का प्रतिबिंब मानकर इस दिशा में कार्य करना चाहिए।[99]

4. दोषपूर्ण रोजगार नीति (Lop-sided Employment Strategy)

खासकर दूसरी योजना के बाद से भारत में नियोजन 'पूँजी गहन' (Capital intensive) उद्योगों के पक्ष में झुकी हुई नजर आती है। सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसे उद्योग रोजगार के अधिक अवसर नहीं उत्पन्न कर पा रहे हैं। इनकी बजाय भारत को 'श्रम-गहन' (Labour intensive) उद्योगों को अपनाना चाहिए था। आर्थिक सुधार के दौर में रुख बदला है तथा नियोजन की प्रक्रिया कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित कर रही है, जिसके तहत कृषि उद्योग तथा कृषि निर्यात पर बल दिया गया है ताकि अधिक लाभकर व उन्नत रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें। 'वेतन रोजगार' की जगह अब 'स्वरोजगार' पर बल दिया जाने लगा है तथा असंतुलित रोजगार को दूर करने की कोशिश की जाने लगी है।

5. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर अत्यधिक जोर (Excessive Emphasis on PSUs)

भारत की योजना व्यवस्था में सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) पर उपयुक्त वजहों से ही अत्यधिक जोर दिया गया। लेकिन यह गलत तरीके से लागू किया गया और अपेक्षाकृत लंबे समय तक इसे जारी रखा गया। कुछ क्षेत्रों में एक लंबी अवधि तक राज्य के एकाधिकार को जारी रखा गया वह भी घाटे में जिसके फलस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा उत्पादित मुख्य वस्तुओं व सेवाओं के लिए माँग–आपूर्ति अंतर नजर आने लगा। यद्यपि आर्थिक सुधार प्रक्रिया शुरू होने के बाद देश के कई नीतियों में बदलाव लाया गया, लेकिन बीते दिनों का प्रभाव अभी भी व्याप्त है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सुधार तथा निजी क्षेत्र की ओर उदारवादी रुख, जिसमें सम्पूर्ण बाजार सुधार शामिल हो, की आवश्यकता है ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर अत्यधिक बल देने के कारण हुयी विसंगति को दूर किया जा सके।

6. कृषि पर उद्योग का आधिपत्य (Agriculture Overshadowed by Industry)

समय के साथ औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करना नियोजन प्रक्रिया का मुख्य कार्य था जिससे कृषि क्षेत्र गौण हो गया है। यद्यपि योजनाएँ कृषि को प्रोत्साहित कर रही थीं, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तथा उद्योग क्षेत्र को इस तरह गौरवान्वित किया गया कि कृषि क्षेत्र के लिए समय तथा संसाधन कम नजर आने लगे। ऐसी नीति हमेशा देश के लिए खाद्य असुरक्षा उत्पन्न करती है (वर्तमान में भी यह स्थिति देखी जा सकती है) तथा वे लोग जो अपनी जीविका तथा आय (यह वर्ग अभी भी 58.4 प्रतिशत है)[100] के लिए कृषि पर निर्भर हैं अपने क्रय शक्ति को उस हद तक नहीं बढ़ा सकते हैं, जहाँ से 'बाजार विफलता' की स्थिति को विपर्यस्त (reverse) किया जा सके। भारत में आज भी औद्योगिक विकास कृषीय विकास पर निर्भर है।

दसवीं योजना कृषि को विकास का 'मूल तत्व' मानती है। नियोजन की नीति में इस सैद्धांतिक बदलाव का स्वागत किया गया है। वर्तमान में उद्योग अपने आप को कायम रखने में सक्षम हैं, लेकिन पिछड़े हुए कृषि क्षेत्र को सरकार द्वारा विशेष ध्यान तथा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इस तरह कृषि पर आश्रित लोग विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रोत्साहित वैश्वीकरण (Globalisation) का लाभ उठा सकेंगे अन्यथा यह प्रक्रिया लोगों को लाभ देने में अप्रभावी होगी।

99. Ministry of Finance, ***Economic Survey 2011–12*** (New Delhi: Government of India, 2012), p. 30.

100. Ministry of Finance, Economic Survey 2012–13 (New Delhi: Government of India, 2013), p. 173.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

7. दोषपूर्ण औद्योगिक स्थान-निर्धारण नीति (Faulty Industrial Location Policy)

'औद्योगिक स्थान-निर्धारण' के लिए समय के साथ परखे हुए सिद्धान्त हैं, जो कच्चे माल की निकटता, बाजार, सस्ते श्रम, बेहतर परिवहन तथा संचार, इत्यादि को महत्व देते हैं, लेकिन योजनाओं ने हमेशा नई औद्योगिक इकाइयों को अर्थात् सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को देश के पिछड़े क्षेत्र में स्थापित करने को प्राथमिकता दी है, जो औद्योगिक स्थान-निर्धारण के सिद्धान्त के विपरीत है। कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा समुचित औद्योगिक आधारभूत संरचना स्थापित करना आवश्यक है। चूँकि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को प्रशिक्षित श्रम बल की आवश्यकता होती है, इसलिए जिन क्षेत्रों में ऐसे उद्यम स्थापित किए गए वहाँ रोजगार का अधिक लाभ नहीं मिल पाया है। सरकार अभी भी इस औद्योगिक स्थान निर्धारण नीति को जारी रखे हुए है, लेकिन अब नए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम परंपरागत क्षेत्रों में कम ही स्थापित किए जा रहे हैं।

8. गलत वित्तीय नीति (Wrong Financial Strategy)

संसाधनों को एकत्र करना ताकि अत्यधिक पूँजी-गहन योजनाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों) का समर्थन किया जा सके, सरकार के लिए हमेशा एक चुनौती बनी रही है। योजनाओं का समर्थन करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गयी, जैसे-एक अत्यधिक जटिल तथा उदार कर संरचना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इत्यादि। इस तरह कर बचाव, समानांतर अर्थव्यवस्था तथा निजी क्षेत्र के लिए कम से कम पूँजी भारत का भविष्य बना। आर्थिक सहायता/छूट में विस्तार, वेतन तथा ब्याज भार में प्रत्येक वर्ष बढ़ोतरी ने गैर-योजना व्यय में वृद्धि की है, जिससे योजना व्यय के लिए पर्याप्त निधि का अभाव हो गया है अर्थात् विकास के लिए किए गए खर्च।

आर्थिक सुधार के दौर में सरकार ने वित्तीय नीति पर ध्यान देना शुरू किया ताकि योजनाओं का सही दिशा में समर्थन किया जा सके। कर सुधार के अतिरिक्त हाल ही के वर्षों में वित्तीय सुधार तथा वित्तीय समेकन पर पूरा ध्यान दिया गया है।

9. नियोजन प्रक्रिया का राजनीतिकरण (Politicisation of the Planning Porocess)

एक प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में सामाजिक-राजनीतिक महत्व के लगभग प्रत्येक विषय को राजनीति प्रभावित करती है। यह अविकसित प्रजातंत्रों के मामले में अधिक सही है। देश में नियोजन की प्रक्रिया के लिए भी यह सही है। आर्थिक नियोजन का अधिक-से-अधिक राजनीतिकरण के कारण एक ऐसी रूपरेखा का विकास होता है कि कभी-कभी नियोजन विपरीत उद्देश्यों की भी पूर्ति करता है, उदाहरण के लिए हम यह जानते हैं कि नियोजन संतुलित क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करने का साधन है, लेकिन भारत में केंद्र के सरकार की राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए यह असंतुलित विकास को प्रोत्साहित करता है।

इस तरह हम देखते हैं कि सरकार हाल ही के वर्षों में नियोजन की आलोचनाओं को संबोधित करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे कई संरचनात्मक कदमों का बेहतर परिणाम भविष्य में दिख सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अधिक जागरुक नागरिकों के कारण भविष्य में बेहतर से बेहतर नियोजन होगा।

पिछले कुछ सालों में आम लोगों में गठबंधन की राजनीति, घोटाले इत्यादि को लेकर काफी क्षोभ नजर आया है। आर्थिक सर्वे 2014-15 में भी गठबंधन की राजनीति और भारत की संघीय व्यवस्था की आलोचना की गई थी। इसके चलते कई अहम फैसलों में देरी हुई-तेल पर सब्सिडी से लेकर कर छूट तक। रिटेल में विदेशी निवेश और खाद्यान्नों के मुक्त आंदोलन में। सरकार से बाहर हर किसी ने माना था कि ये सब पॉलिसी पैरालिसिस का मसला है। आर्थिक सर्वे में इसे चिंता का विषय बताया गया। इसमें राजनीतिज्ञों एवं नीति निर्णायकों को रोल मॉडल बनकर आगे आकर काम करने की सलाह दी गई। इतना ही नहीं, इसमें आम आदमी की सोच को बदलने की बात भी कही गई। इसमें कहा गया-रोजमर्रा की स्थिति में (मतलब कैब हायर करने से लेकर किसी कारपेंटर को हायर करने) के मसले में सरकार को या फिर अदालत को घसीटना मुश्किल पैदा

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

करने वाला है। यहां मुख्य भरोसा आम लोगों के खुद की ईमानदारी और विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ है।[101]

आर्थिक समीक्षा 2012-13 द्वारा पिछले 5 वर्षों से जारी वैश्विक वित्तीय संकट के मद्देनजर *नियोजन के नये उद्देश्य* तलाशने की सलाह दी गयी है-ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए 'सामाजिक-सुरक्षा नेट' का मजबूत बनाया जाना जरूरी है। भारत द्वारा हाल के वर्षों में 'समेकित विकास' पर दिया गया विशेष बल इस वैश्विक समस्या के आने के बावजूद भी इसे बड़े अर्थों में प्रभावित नहीं कर पाया है।[102]

समावेशी वृद्धि (INCLUSIVE GROWTH)

समावेशी वृद्धि, वृद्धि की एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे व्यापक लाभ प्राप्त होता है तथा जो सभी के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है (यू.एन.डी.पी. तथा 11वीं योजना)। मूलत: वृद्धि एवं विकास की धारणा में समावेशिता का तत्व शामिल रहता है लेकिन अक्सर कुछ कारणों से इसकी प्रक्रिया गैर-समावेशी हो सकती है।

2001-01 में भारत सरकार अर्थव्यवस्था में समावेशिता को लेकर स्पष्ट होने की जरूरत तब समझी जबकि आर्थिक सुधारों की समीक्षा चल रही थी। यह पाया गया कि इन सुधार प्रक्रिया से अर्थव्यवस्था तीव्र एवं उच्च संपत्ति सृजन की ओर बढ़ी है लेकिन सभी लोग इसके हिस्सा नहीं बन सके, सिर्फ साधन सम्पन्न (भौतिक एवं मानव) ही आर्थिक सुधार का लाभ उठा सके। यह आकलन किया गया कि सुधारों का सुफल वंचित एवं हाशियाकृत वर्गों तक नहीं पहुँच पाया। इसका मतलब की सुधारों से भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अप्रभावित और इससे बाहर था। इसी पृष्ठभूमि में सरकार ने समावेशी वृद्धि की सुविचारित नीति को अपनाया। सुधारों के शुरुआत की पूर्व से ही समावेशिता का यह तत्व अनुपस्थित था, लेकिन सुधारों के दौरान अर्थव्यवस्था द्वारा उच्च गति की वृद्धि प्राप्त करने के कारण यह अधिक दृष्टव्य होने लगा। हालाँकि सरकार ने 2000-01 में ही इस मुद्दे पर ध्यान देना शुरू कर दिया था, लेकिन 11वीं योजना (2007-12) के दौरान ही देश में समावेशी वृद्धि को लेकर एक स्पष्ट नीति सामने आई जिसमें वंचित एवं हाशियाकृत अथवा सीमांत वर्गों विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं महिला को वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया में शामिल किया गया। 12वीं योजना (2012-17) तक इस विषय को और अधिक महत्व तब मिल गया जबकि योजना के नारे में ही 'तीव्रतर, धारणीय तथा अधिक समावेशी वृद्धि' को शामिल कर लिया गया। समय बीतने के साथ सरकार समावेशी वृद्धि के लिए अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक नीति बनाती रही:

101. ***Economic Survey 2011-12,*** MoF, GoI, N. Delhi, p. 30.
102. Ministry of Finance, ***Economic Survey 2012–13,*** p. 269.

अल्पकालिक नीति (Short-term Policy)

इस नीति का लक्ष्य वंचित एवं सीमांत वर्गों को जीवन के अस्तित्व के लिए अनिवार्य वस्तुएँ एवं सेवाएँ प्रदान करना है। इसके लिए कुछ केन्द्रीय योजनाएँ तथा कुछ केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ सरकारों द्वारा चलायी जाती है। यह नीति निम्नलिखित क्षेत्रों को स्पर्श करती है:

- खाद्य एवं पोषाहार (अन्नपूर्णा, अंत्योदय, मध्याह्न भोजन तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आदि)।
- स्वास्थ्य एवं स्वच्छता (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, संपूर्ण स्वच्छता अभियान, आशा, इन्द्रधनुष मिशन तथा स्वच्छ भारत मिशन अभियान आदि)।
- आवास (इंदिरा आवास योजना, राजीव आवास योजना आदि)।
- पेयजल (राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम आदि)।
- शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, आदर्श विद्यालय योजना)।

अल्पकालीन नीति की दो कमियाँ हैं, जिनमें *पहली,* इसके अंतर्गत योजनाएँ सब्सिडी आधारित है, जिनका देश के खजाने पर भारी बोझ पड़ता है अर्थात् ये दीर्घकाल के लिए उपयुक्त नहीं है तथा *दूसरी,* इनसे लक्षित आबादी को आत्मनिर्भर बनाने में कोई सफलता नहीं मिली है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

यही कारण है कि सरकार ने एक दीर्घकालीन नीति का भी सूत्रपात किया है।

दीर्घकालिक नीति (Long-term Policy)

यह नीति लक्षित समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। इसमें धरणीयता का भी तत्व है। सरकार के प्रयासों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है:

- गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन को लक्षित सभी योजनाएँ;
- किसी भी स्तर पर शिक्षा को बढ़ावा देने वाले सभी कार्यक्रम;
- शिक्षा का व्यावसायीकरण (ऐसा एक पुराना विचार था औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आई.टी.आई.), तथा;
- कौशल विकास (एक नया विचार)।

हाल के समय में आबादी को सही कौशल प्रदान किए जाने पर अधिक जोर दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने 2008-09 ने एक कौशल विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मार्फत शुरू किया। निगम वित्त मंत्रालय के अधीन एक गैर-लाभ अर्जन कंपनी है जिसका 49 प्रतिशत स्वामित्व भारत सरकार तथा 51 प्रतिशत निजी क्षेत्रों के पास है-सार्वजनिक निधि भागीदारी, पी.पी.पी. के अंतर्गत। निगम द्वारा 500 मिलियन लोगों को 2022 तक कौशल प्रदान करने/उन्नयन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके लिए निजी क्षेत्र ने कौशल विकास कार्यक्रमों संबंधी पहलों का उपयोग करने तथा धनराशि उपलब्ध कराने पर बल दिया गया है। केन्द्र में नई सरकार ने 'स्किल इंडिया' (Skill India) का आह्वान किया है।

इस प्रकार हम समावेशी विकास के लिए भारत सरकार द्वारा एक पूर्णपरिक्षित धरणीय नीति का निर्माण एवं कार्यावयन देखते हैं। योजना आयोग (11वीं योजना) कहता है कि समावेशी वृद्धि तभी सुनिश्चित की जा सकती है। जबकि उसमें एक सीमा तक सशक्तिकरण भी मौजूद हो जिससे कि सहभागिता की भावना का सृजन हो जो कि लोकतांत्रिक राजनीति के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार समावेशी वृद्धि के किसी भी विजन के लिए वंचित एवं सीमांत समूहों का सशक्तिकरण एक अनिवार्य हिस्सा है। भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति लोकतंत्र के तीसरे स्तर के रूप में पंचायती राज संस्थाओं में अ.जा., अ.ज.जा. तथा महिलाओं को आरक्षण प्रदान करते हुए सभी समूहों के सशक्तिकरण एवं सहभागिता का अवसर प्रदान करता है। इन संस्थाओं को अधिक शक्ति एवं दायित्व का प्रतिनिधायन कर अधिक प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए।

11वीं एवं 12वीं योजना ने समावेशी वृद्धि की रणनीति, वृद्धि की पारंपरिक रणनीति के तौर पर ही नहीं थी जिसमें समावेशिता के लक्षित कुछ तत्वों को जोड़ दिया गया। इसके विपरीत यह एक ऐसी रणनीति है जिसका लक्ष्य एक विशेष प्रकार की वृद्धि प्रक्रिया को प्राप्त करना है जिससे कि समावेशिता एवं धरणीयता के उद्देश्यों को हासिल किया जा सकता है। समावेशी वृद्धि रणनीति की एक प्रमुख विशेषता यह है कि सकल घरेलू उत्पाद को साध्य के रूप में न देखकर एक साधन के रूप में ही देखा जाता है। इसके लिए अनुश्रवणीय लक्ष्यों (Monitorable Targets) को अपनाया जाए जिनमें समावेशी वृद्धि के बहुआयामी आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्य प्रतिबिंबित हो। साथ चलने वाली परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रभावी एवं ससमय कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए इन लक्ष्यों को राज्यों के स्तर पर भी विभाजित कर देना चाहिए जो कि अधिकांश कार्यक्रमों को लागू करते हैं।

संसाधन संघटन (RESOURCE MOBILISATION)

यह एक वृहद शब्दावली है, जिसमें अर्थव्यवस्था के संसाधनों भौतिक एवं मानव को वांछित सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जुटाया एवं निर्देशित किया जाता है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा संचालित सभी आर्थिक नीतियाँ शामिल हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि यह केन्द्र एवं राज्य सरकारों की राजकोषीय नीतियों का सार तत्व एवं अंतिम परिणाम है।

चूँकि भारतीय अर्थव्यवस्था वांछित वृद्धि एवं विकास की राह पर अग्रसर है। भारत सरकार को अर्थव्यवस्था

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

के विभिन्न कारकों अथवा अभिकर्ताओं के लिए संसाधनों की लामबंदी के मुद्दे का ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे:

(i) भारत सरकार;

(ii) राज्य सरकार;

(iii) निजी क्षेत्र, तथा;

(iv) आम जनता।

भारत में नियोजित विकास के लिए संसाधन जुटाने का दायित्व योजना आयोग को सौंपा गया था, जो कि भारत सरकार तथा राज्य सरकारों की निधि संबंधी जरूरतों का ध्यान रखता था। व्यवहार्यत: योजना आयोग ही अर्थव्यवस्था के योजनागत लक्ष्यों के लिए जरूरी निधि की व्यवस्था करता था। इन योजना लक्ष्यों का निर्धारण भारत सरकार स्वयं योजना आयोग के माध्यम से ही करती है। राज्यों द्वारा निर्धारित योजना लक्ष्यों का ध्यान भी योजना आयोग ही रखता रहा है। हालाँकि संसाधन जुटाने का दायित्व अंतत: केन्द्रीय वित्त मंत्रालय पर ही रहा है जिसमें विभिन्न विभागों एवं मंत्रालय के संभागों की विविध एवं एकाग्र भूमिकाएँ रही हैं:

(i) **भारत सरकार:** जिस सीमा तक भारत सरकार इसमें संलग्न है, इसे दो कोटियों के नियोजित लक्ष्यों के लिए निधि की जरूरत है:

(a) अधिरचना संबंधी लक्ष्य (जिसमें बिजली, परिवहन तथा संचार शामिल हैं-आने वाले वर्षों में कई अन्य प्रक्षेत्र भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जैसे-प्रौद्योगिकी, शहरी अधिरचना आदि), तथा;

(b) सामाजिक क्षेत्र संबंधी लक्ष्य (जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा आदि शामिल हैं जिन्हें 2010-11 से मानव विकास संबंधी लक्ष्य भी कहा जाता है)। इसके लिए निधि की व्यवस्था की जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय के योजना वित्त-II प्रभाग पर है।

(ii) **राज्य सरकारें:** भारत सरकार की वित्तीय जरूरतों के अतिरिक्त राज्यों को भी अपने विकासात्मक जरूरतों के लिए धन चाहिए। इसके लिए तीन स्रोतों से निधि जुटाई जाती है-*पहला*, उनके अपने आय स्रोतों तथा बाजार से लिए ऋण से आय (13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के बाद राज्यों को अपने योजनागत खर्च 25 प्रतिशत का वित्तयन बाजार ऋण से करने की अनुमति मिल गई है और इसके लिए उन्हें भारत सरकार से अनुमति लेनी आवश्यक नहीं है अगर उन्होंने राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम को प्रभावकारी बना दिया है)। *दूसरा*, भारत सरकार से प्राप्त ऋणों के द्वारा जो कि योजना आयोग की सलाह पर प्राप्त होता है (वित्त मंत्रालय भारत सरकार इन खर्चों को योजना वित्त–I प्रभाग के अंतर्गत दर्शाता है)। *तीसरा*, भारत सरकार के केन्द्रीय स्रोत की योजनाओं केन्द्र प्रायोजित योजनाओं तथा अतिरिक्त केन्द्रीय आवंटनों के द्वारा (जिससे विशेष दर्जा वाले राज्यों के लिए निधि का हस्तांतरण भी शामिल है)।

(iii) **निजी क्षेत्र (Private Sector):** सरकार के अलावा एक बड़ी धनराशि की जरूरत निजी क्षेत्र को भी होती है जिससे कि वे अपने तात्कालिक अथवा अल्पकालिक लक्ष्यों (कार्यशील पूँजी) तथा दूरगामी लक्ष्यों (पूँजी बाजार) की जरूरतों को पूरा कर सकें। भारत सरकार को इस मुद्दे का भी ध्यान रखना जरूरी है-वित्तीय व्यवस्था का संचालन इस प्रकार हो कि निजी क्षेत्र भी अपने लिए संसाधन जुटा सके। मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए तो यह और भी जरूरी है, जो कि सुधार के रास्ते पर है और निजी क्षेत्र की अधिक सहभागिता जिसकी जरूरत है। इसके लिए वित्तीय प्रणाली में एक निदेशित सुधार की जरूरत है क्योंकि सुधार के पूर्व वर्तमान प्रणाली को इस प्रकार खड़ा किया गया था कि यह सरकार की जरूरतों के लिए ही संसाधन जुटाने में प्रयुक्त हो सके। यहाँ आशय यह है कि निधि का प्रवाह निजी क्षेत्र की ओर भी सुगमता से हो और वित्तीय प्रक्षेत्र,

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

कर संरचना, केन्द्र और राज्यों की राजकोषीय नीतियाँ सुधार की प्रक्रिया के अंतर्गत हों।

(iv) **साधारण जन (General Public):** सरकार और निजी क्षेत्र के ही अर्थव्यवस्था में आम आदमी को भी आम खर्च एवं निवेश के लिए निधि की जरूरत होती है। सरकार को ऐसी राजकोषीय नीतियाँ बनाने की दरकार होती है जिससे कि साधारण जनता की पहुँच भी निधि तक बन सके। उनके द्वारा बचत निवेश के रूप में इस्तेमाल होती है, बशर्ते वे बचत कर सकें। बचत के अलावा लोगों को इतनी धनराशि अथवा प्रोत्साहन मिलनी चाहिए जिससे कि वे प्राथमिक अथवा द्वितीयक प्रतिभूति बाजार में, अथवा वित्तीय उपकरणों (शेयर, बॉण्ड, म्युचुअल फंड, पेंशन फंड, बीमा आदि) में सीधे निवेश कर सकें।

साधारण जन अर्थव्यवस्था में 'माँग' के प्रमुख चालक हैं। सुधार के दौरान भारत सरकार ने दो लक्ष्य निर्धारित किए हैं–एक ओर निजी क्षेत्र को बढ़ावा जिससे कि आपूर्ति बढ़ाई जा सके (संरचनात्मक सुधारों के जरिए) तथा दूसरी ओर अर्थव्यवस्था में पर्याप्त माँग पैदा करना (वृहत् आर्थिक स्थिरीकरण के जरिए)। भारत सरकार ने आजादी के बाद से संसाधन जुटाने के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग किया है जिससे कि वांछित विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। संसाधनों का एक हिस्सा निवेश के लिए प्रयुक्त होता है (अर्थात् उत्पादक परिसंपत्ति के निर्माण के लिए) जिसके लिए अब तक अनेक निवेश मॉडल आजमाए जा चुके हैं।

निवेश मॉडल (INVESTMENT MODELS)

निवेश आय अर्जन के लिए उत्पादक गतिविधियों में पैसा लगाने की एक प्रक्रिया है। यह प्रत्यक्षत: (प्राथमिक, द्वितीयक अथवा तृतीयक प्रक्षेत्रों की विभिन्न गतिविधियों में) तथा अप्रत्यक्षत: (वित्तीय प्रतिभूतियों, जैसे–शेयर, डिबेंचर, बाँड, म्युचुअल फंड आदि) होता है। भारत के मामले में 'निवेश मॉडल' वे साधन और उपकरण हैं जिनके माध्यम से भारत सरकार जरूरी धनराशि जुटान का प्रयास करती है जिससे कि नियोजित विकास के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। भारत में नियोजन प्रक्रिया की शुरुआत (1951) से ही भारत सरकार द्वारा विभिन्न मॉडलों का उपयोग संसाधन जुटाने के लिए प्रयास किया जाता रहा है–यह एक प्रकार से उद्‌विकास की प्रक्रिया रही है। हम इसे निम्नलिखित चरणों से समझ सकते हैं:

चरण-एक (1951-69)

यह सरकार की अगुआई में विकास का चरण है जिसमें भारत सरकार प्रत्येक आंतरिक व बाह्य साधनों का उपयोग संसाधन जुटाने के लिए करती रही। संसाधन आवंटन के प्रमुख स्रोत में–अधिरचना एवं सामाजिक प्रक्षेत्र। प्रसिद्ध 'महालनोविस प्लान' को इस चरण में लागू किया गया। इस अवधि में संपूर्ण वित्तीय प्रणाली, कर प्रणाली एवं राजकोषीय नीति का नियमन किया गया ताकि भारत सरकार की नियोजन संबंधी वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए अधिकाधिक निधि जुटाई जा सके।

यह चरण निवेश योग्य निधि की आवश्यकता एवं उपलब्धता के बीच असंगति के कारण प्रभावित हुआ–निधि की आवश्यकता तथा इनके संघटन अथवा उपलब्धता के बीच हमेशा एक अंतर बना रहा। इस प्रकार सरकार के निवेश लक्ष्य कई बार (चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय भी संसाधन आवंटन प्रक्रिया में विचलन आया) पटरी से उतरे। लेकिन कुल मिलाकर सरकार देश में औद्योगीकरण की प्रक्रिया शुरू करने में सफल रही, वह भी लगभग शून्य से आरंभ कर अधिरचना क्षेत्र तथा आधारभूत उद्योगों के लिए भारी मात्रा में निधि जुटाने का प्रबंध किया गया। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी निधि की व्यवस्था की गई हालाँकि कम मात्रा में, क्योंकि भारत सरकार 'सार्वजनिक क्षेत्र के महिमामंडन' के प्रति पहले से ही प्रतिबद्ध थी। यह वह दौर था जबकि भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र को 'आधुनिक भारत के मंदिर' से अभिहीत कर रही थी।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

चरण-दो (1970-73)

1970 की औद्योगिक नीति से भारत सरकार नियोजित विकास में निजी पूँजी के समावेश के प्रति उन्मुख हुई-हालाँकि बहुत व्यापक और खुले रूप में नहीं। यहीं संयुक्त क्षेत्र (Joint Sector) उभर कर सामने आता है, जिसमें केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं निजी क्षेत्र औद्योगिक प्रक्षेत्र में साथ-साथ शामिल हो सकते थे। ऐसा मूलत: निजी क्षेत्र को उन क्षेत्रों में आने के लिए प्रेरित करने के लिए किया गया जो कि उनके लिए खुले तो थे लेकिन कुछ तकनीकी एवं वित्तीय कारणों से उसमें सहभागी नहीं बन रहे थे। समय बीतने के साथ सरकारों ने ऐसे उद्यमों को छोड़ दिया और ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से निजी नियंत्रण के अंतर्गत आ गए। इस तरह पहली बार सरकार नियोजित विकास के लिए निजी निधियन के लिए तैयार दिखी, लेकिन सरकार के एकाधिकार वाली औद्योगिक गतिविधियों में निजी भागीदारी देखने को नहीं मिली, यह 1991 के बाद ही संभव हो सका, जबकि सुधार प्रक्रिया की शुरुआत हुई।

चरण-तीन (1974-90)

1974 में 'फेरा' (FERA) लागू होने के बाद भारत सरकार नियोजित विकास की प्रक्रिया में विदेशी पूँजी के सहयोग के लिए तैयार हुई, लेकिन यह नकद विदेशी निवेश के माध्यम से नहीं होना था बल्कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के रास्ते होना था और वह भी निजी क्षेत्र द्वारा प्रस्तावित कुल परियोजना मूल्य के 26 प्रतिशत की अंतर्गत ही। मूलत: 'फेरा' के अंतर्गत सरकार ने भारतीय निजी क्षेत्र में विदेशी मुद्रा का प्रवाह नियंत्रित कर दिया जिससे कि तकनीकी स्तर उन्नयन प्रक्रिया तथा पूरे विश्व भर से आधुनिक तकनीक के हस्तांतरण पर भी असर पड़ा। इस अंतर को पूरा करने के लिए तकनीक हस्तांतरण मार्ग की व्यवस्था की गई। इसका अर्थ यह कि भारत सरकार विकास प्रक्रिया में विदेशी निवेश का समावेश चाहती भी तो यह दो प्रकार से प्रतिबंधित था:

(i) यह न तो प्रत्यक्ष था, जैसा कि हम आज के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में देखते हैं, न ही अप्रत्यक्ष (पी.आई.एस. की तरह) बल्कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम ही विदेशी निवेश आना था।

(ii) विदेशी उपक्रम केवल उन्हीं क्षेत्रों में प्रवेश पा सकते थे जो कि भारतीय निजी क्षेत्र (औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 की अनुसूची-बी के अंतर्गत) के लिए खुले थे। भारत सरकार के एकाधिकार के अंतर्गत जो भी उद्योग आते थे उनमें उनका प्रवेश बंद था।

इसका अर्थ यह है कि भारत एक ऐसे निवेश मॉडल को अपनाने में विफल रहा जिससे कि विदेशी पूँजी के बेहतर तत्वों का दोहन किया जा सकता-आधुनिक प्रौद्योगिकी, बेहतर कार्य-संस्कृति तथा सबसे महत्वपूर्ण अत्यंत विरल निवेश योग्य पूँजी। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के लिए यह एक खोया हुआ अवसर था। 1965-66 तक मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड तथा दक्षिण कोरिया जैसे दक्षिण-पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के विदेशी निवेश के लिए खुल गई थी। साथ ही वहाँ की सरकारों ने उन औद्योगिक प्रक्षेत्रों को नियंत्रण मुक्त कर दिया जो कि, पूर्ण रूप से सरकार द्वारा नियंत्रित थीं। उल्लेखनीय है कि इन देशों की अर्थव्यवस्थाएँ भी स्वतंत्रता के पश्चात् भारत की अर्थव्यवस्था के साथ ही शुरू हुईं। इस प्रकार इन देशों में विरल निवेश योग्य पूँजी का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के आधुनिक प्रौद्योगिकी, विश्वस्तरीय कार्य-संस्कृति तथा उद्यमशीलता का भी दोहन करने का अवसर मिला। जल्द ही ये अर्थव्यवस्थाएँ 'एशियन टाइगर्स' के रूप में जानी जाने लगीं।

1985 के बाद संसाधन जुटाने में एक प्रकार की गतिशीलता दिखाई देती है। लगातार दो योजना आयोगों ने अर्थव्यवस्था को खोलने तथा भारतीय एवं विदेशी निजी पूँजी के ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश की वकालत की जो कि अब तक भारत सरकार के लिए आरक्षित थी। इनका सुझाव था कि भारत सरकार को उन क्षेत्रों से हट जाना चाहिए जहाँ कि निजी क्षेत्र कमान संभाल सकते थे। जैसे कि आधारभूत संरचना क्षेत्र, साथ ही भारत सरकार को ऐसे क्षेत्रों पर ध्यान देने को कहा गया जिनमें निजी क्षेत्रों की कोई रुचि नहीं हो सकती थी, जैसे कि सामाजिक क्षेत्र।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

एक अर्थ में इस दौरान हम भारत सरकार के अंदर एक वैचारिक बदलाव देखते हैं जो कि आर्थिक विकास प्रक्रिया में निजी क्षेत्र की सक्रिय अथवा केन्द्रीय भूमिका के पक्ष में था। यह एक बिल्कुल अलग तरह की निवेश मॉडल को अपनाने का मामला था। लेकिन, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण सरकारें इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं हुईं। हालाँकि इस ओर सरकार का रुझान 1985 तथा 1986 की औद्योगिक नीतियों में दिखाई देता है। हालाँकि इसे आर्थिक सुधार के अर्थ में नहीं लिया जाना चाहिए, जो कि वास्तव में 1991 से ही आरंभ किए गए।

1990 तक निवेश मॉडल के सारांश के रूप में हम निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रकाश डाल सकते हैं:

(i) सरकार ही अर्थव्यवस्था में सर्वप्रमुख निवेशक बनी रही और विशेषज्ञों का मानना है कि भारत एक उचित निवेश मॉडल को अपनाने में विलंब करता रहा, जिससे कि निजी क्षेत्र की क्षमता का उपयोग विकास प्रक्रिया में किया जा सकता।

(ii) 1960 के दशक के अंत तथा 1980 के दशक तक राष्ट्रीयकरण के अभियानों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर बढ़ता ही रहा, जबकि इस समय तक दक्षिण-पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का निजीकरण कर इनका घाटाग्रस्त इकाइयों से लाभ कमाने वाली समाजोन्मुख इकाइयों में रूपांतरण कर दिया गया था और यही वृद्धि एवं विकास के वास्तविक चालक बन गई थी।

(iii) कर प्रणाली की पुनर्रचना अधिकतम कर राजस्व को बढ़ाने के लिए की गई जिसके कारण कर वंचना के साथ ही नागरिकों पर कर का बोझ बहुत बढ़ गया।

(iv) भारत सरकार गैर-योजना खर्चों में कटौती करती रही, जिससे कि नियोजित विकास के उद्देश्य से संसाधनों का आवंटन किया जाता रहे। इससे शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे अनिवार्य क्षेत्रों में भी खर्च कम कर दिया गया।

(v) वित्तीय प्रणाली पर सरकार की अत्यधिक निर्भरता से निजी क्षेत्र अपनी जरूरतों के लिए उपयुक्त स्तर तक निधि का प्रबंध नहीं कर पाया।

(vi) प्रौद्योगिकी स्तर उन्नयन तथा नई तकनीक की शुरुआत को निजी क्षेत्र को विदेशी मुद्रा की अनुपलब्धता के कारण झटका लगा (भारत सरकार 1970 के अंत तक अपने बाहरी दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का अनुभव करने लगी थी और ऐसी स्थिति सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के विस्तार के कारण पैदा हुई थी)।

(vii) इस मॉडल में निधि के प्रमुख स्रोत थे-सरकारी कर राजस्व आंतरिक लेनदारी, बाहरी लेनदारी तथा मुद्रा का मुद्रण।

निधि की आवश्यकता तथा उसकी उपलब्धता के बीच हमेशा अंतर बना रहा जिसके कारण सरकार के निवेश लक्ष्य पूरे नहीं किए जा सके। इसी बीच अधिरचना क्षेत्र में कमी से एक बड़ा संकट खड़ा होने लगा था। 1960 के दशक तक भारतीय निजी क्षेत्र इस प्रक्षेत्र में प्रवेश का इच्छुक था, जिससे कि पर्याप्त आधारभूत संरचना का विकास किया जा सके, लेकिन कुछ कारणों से हम देखते हैं कि इन क्षेत्रों में भारत सरकार का एकाधिकार बना रहा।

चरण-चार (1991 के बाद)

अर्थव्यवस्था के मूलभूत तत्वों में जारी कमजोरी तथा इसके पश्चात् खाड़ी युद्ध-I के पश्चात भारत 1980 के दशक के अंत तक भुगतान संतुलन के एक बड़े संकट से दो-चार हुआ। इससे उबरने के लिए भारत को वित्तीय मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के पास जाना पड़ा। आई.एम.एफ. ने कुछ शर्तों पर सहायता देना स्वीकार किया और इन्हीं शर्तों को पूरा करने के लिए 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई।

सुधार युग भारत को भविष्य में अर्थव्यवस्था के विकास के लिए निजी क्षेत्र को शामिल करने को बाध्य किया और यही एक अलग निवेश मॉडल सामने आया जिसके प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं:

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(i) अब तक सरकारी एकाधिकारवाद के अंतर्गत रहे उद्योगों को निजी निवेश के लिए खोला गया-आणविक अनुसंधान, आणविक ऊर्जा तथा रेलवे का छोड़कर (बाद में अंतिम दो क्षेत्रों को आंशिक रूप से खोला गया) और इन सभी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (26-100 प्रतिशत) की अनुमति दी गई। यहाँ आधारभूत संरचना क्षेत्र के लिए निवेश मॉडल सरकारी नियंत्रण से निजी नियंत्रण में रूपांतरित हुआ।

(ii) आने वाले समय में भारत सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के विचार को एक निवेश मॉडल के रूप में प्रश्रय मिला जिसके माध्यम से निजी क्षेत्र को इन प्रक्षेत्रों में आने के लिए पर्याप्त स्थान तथा आत्मविश्वास प्रदान किया जा सके (कारण कि निजी क्षेत्र इस क्षेत्र की कुछ आंतरिक समस्याओं के कारण उनमें सहयोग करने को इच्छुक नहीं था। ऐसी एक समस्या थी बाजारवादी सुधार का अभाव। दसवीं योजना तक निजी क्षेत्र ने आधारभूत संरचना परियोजनाओं में पी.पी.पी. के तहत लगभग 21 प्रतिशत तक निधि खर्च किया, जो कि बाद में 11वीं योजना तक बढ़कर 32 प्रतिशत हो गया। पिछली दो योजनाओं के आधार पर योजना आयोग ने यह विचार प्रक्षेपित किया कि निजी क्षेत्र 12वीं योजना तक आधारभूत संरचना विकास के लिए जरूरी धन का 50 प्रतिशत (अधिक यथार्त रूप में 48 प्रतिशत) की व्यवस्था कर लेगा। यहाँ यह बिन्दु भूलना नहीं चाहिए कि भविष्य में आधारभूत संरचना क्षेत्र पूरी तरह निजी क्षेत्र द्वारा संभाला जाएगा-सुधार प्रक्रिया की परिणति के रूप में।

(iii) 2002 में सार्वजनिक-निजी-जन-भागीदारी (PPPP) का विचार दसवीं योजना (2002-07) के माध्यम से सामने ले आई, जिसका उपयोग स्थानीय स्तर पर हो सकता है जहाँ कि भौतिक एवं सामाजिक अधिरचना के सृजन के लिए स्थानीय संसाधनों को जुटाया जाता है। इसकी शुरुआत जल संभरण प्रबंधन क्षेत्र में सफलतापूर्वक की गई। गुजरात सरकार ने पानी पंचायतों में इसका अत्यंत सफल प्रदर्शन किया।

(iv) आधारभूत संरचना पी.पी.पी. में अपने हिस्से का धन जुटाने में निजी क्षेत्र का सहयोग करने के लिए सरकार ने आधारभूत संरचना विकास फंड (Infrastructure Development Fund) का गठन वहनीयता अंतर निधियन (ViabilityGap Funding, VGF) के लिए किया है।

(v) पी.पी.पी. के आम विचार के अंतर्गत सरकार ने निवेश मॉडल के कुछ अन्य विकल्पों को भी सामने रखा है, जैसे-BOT (Built Operate Transfer), BOO (Built on Operation), BOOT (Built Own Operate Transfer), BLT(Built Lease Transfer), BOLT(Built Operate Lease Transfer), DBFO (Design Built Finance Operate), DBOT (Design Built Operate Transfer), DCMF (Design Construct Manage Finance) आदि।

(vi) सामाजिक क्षेत्र के विस्तार के लिए संसाधन जुटाने में सरकार ने विशेष ध्यान दिया है, लेकिन सरकार के नजरिये से इस क्षेत्र से सम्यक एवं ससमय विकास में अब भी अपर्याप्त निधि एक समस्या है। इस प्रकार 2012 तक सरकार ने इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सहभागिता को शामिल किया। मुख्य रूप से शिक्षा तथा स्वास्थ्य में पी.पी.पी. के माध्यम से हालाँकि अभी इसकी औपचारिक शुरुआत नहीं हो सकी है। इसी बीच कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व का प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 में किया गया है। इससे धन की कमी से जूझ रहे क्षेत्र में निधि का प्रवाह बना है। 2015 की शुरुआत तक सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र को सी.एस.आर. के तहत सीधे भारत सरकार को स्वच्छ भारत अभियान में योगदान करने को कहा है।

(vii) चूँकि कॉरपोरेट क्षेत्र अपनी निवेश की जरूरतों के लिए पर्याप्त संसाधन जुटा सकता है, सरकार

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

ने पूरी कर संरचना, वित्तीय संरचना तथा राजकोषीय नीति की पुनर्रचना की शुरुआत की है। अब चूँकि विकासात्मक जरूरतों के लिए अर्थव्यवस्था निजी सहभागिता पर अधिक निर्भर रहने वाली है, सरकार ने धन के खर्च पर कुछ पाबंदी लगाई है और राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है। सब्सिडी को लक्षित करने के मामले पर जोर दिया जा रहा है। उनके बेहतर वितरण व्यवस्था, साथ ही पेंशन सुधार आदि पर भी जोर दिया गया है जिससे कि सरकार अपने वित्तीय बोझ की कमी कर सके तथा निजी क्षेत्र के लिए अर्थव्यवस्था में पर्याप्त धन का प्रवाह बनाया जा सके।

(viii) आम जनता की निवेश जरूरतों एवं खर्चों का ध्यान रखने के लिए सरकार सस्ते ब्याज दर वाली व्यवस्था, सही वित्तीय पर्यावरण स्थिर मुद्रास्फीति एवं विनिमय दर आदि के प्रति संकल्पबद्ध है। वृद्धि प्रक्रिया को समावेशी बनाना अब सरकार की घोषित नीति है।

(ix) 2014 के मध्य में नई सरकार के सत्ता संभालने के बाद निजी क्षेत्र के लिए एक प्रेरक वातावरण बना है और यह विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी निवेश योग्य निधि निजी क्षेत्र से प्राप्त करने के लिए जरूरी है। सरकार व्यवसाय एवं व्यापार में सहजता की स्थिति लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सरकार सही प्रकार के भूमि अधिग्रहण कानून, श्रम कानून, कंपनी कानून, कर कानून तथा सरकारी प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के लिए प्रयासरत दिखती है।

कुल मिलाकर वर्तमान में निवेश मॉडल निजी क्षेत्र की अग्रता वाला दिखता है और इसके लिए सरकार जरूरी वित्तीय व्यवस्था, कानूनी ढाँचा तथा श्रम कानून आदि में जरूरी परिवर्तनों के लिए आगे बढ़ी है। इस मॉडल के पीछे मुख्य विचार निजी क्षेत्र की छिपी हुई क्षमता को उजागर करना है। जहाँ तक सरकार की भूमिका का सवाल है, सरकार की भूमिका एक नियामक तक सीमित रहेगी लेकिन वंचित एवं सीमांत वर्गों के लिए सुविधा प्रदायक तथा परिचारक की भी होगी, जिससे कि आर्थिक सुधार माननीय भी बना रहे। पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय संकट को देखते हुए संसाधन जुटाने की चुनौती विषम हो गई है और अच्छा होगा अगर सरकार एक कामकाजी निवेश मॉडल का विकास आज की परिस्थितियों के लिए कर सके।

केंद्रीय क्षेत्र योजनाएँ एवं केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (Central Sector Shcemes and Centrally Sponsored Schemes

भारत में विकास की योजनाएं दो तरह की होती हैं-केंद्रीय योजनाएं एवं केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं। इन दोनों के नाम केंद्र सरकार की ओर से दिए गए खर्चे के आधार पर रखे गए हैं। केंद्रीय योजनाएं वे योजनाएं होती हैं जिन्हें केंद्र सरकार पूरी तरह से वित्त पोषित करती हैं और केंद्र सरकार की व्यवस्थाएं इसे लागू करती है। ये योजनाएं संघीय सूची से संबंधित होती है। वैसे केंद्रीय मंत्रालय चाहे तो सीधे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में केंद्रीय योजनाओं को लागू कर सकता है, लेकिन इसके संसाधन राज्यों को स्थानांतरित नहीं किए जा सकते।

संघीय बजट 2016-17 के अनुसार, भारत सरकार द्वारा इन योजनाओं, जिनकी संख्या 1500 थी, की पुनःसंरचना की गयी है। अब इनकी संख्या मात्र 300 है। पुनःसंरचना का उद्देश्य व्यय आच्छादन (Overlapping) को रोकना तथा प्रबोधन (Monitoring) एवं मूल्यांकन को बढ़ावा देना है।

केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSSs) के वित्त पोषण के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारें दोनों जिम्मेदार होती हैं, इसका अनुपात 50:50, 70:30, 75:25 अथवा 90:10 तक हो सकता है। इनका कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इन योजनाओं को चयन राज्य सूची से किया जाता है ताकि राज्य उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दें जिन पर तत्काल ध्यान देना जरूरी है। इन योजनाओं के लिए धनराशि या तो राज्यों की समेकित निधि (Consolidated Funds of State) के द्वारा अथवा राज्य/जिला स्तरीय स्वशासी निकायों/

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

कार्यान्वयन ऐजेंसियों को सीधे स्थानांतरित की जाती है। बैजल समिति की रिपोर्ट (1987) के अनुसार केंद्र प्रायोजित योजनाओं को ऐसी योजनाओं के रूप में परिभाषित किया गया है जो केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रत्यक्षत: वित्त पोषित की जाती हैं तथा जिनको राज्य सरकारें या उनकी ऐजेंसियाँ लागू करती हैं। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि उनके वित्तीयन (Financing) की परिपाटी क्या है, बशर्ते वे संघीय सूची के अंतर्गत आती हैं।

अवधारणात्मक रूप में, केंद्रीय योजनाएँ एवं अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (Additional Central Assistance) योजनाएँ केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को हस्तांतरित कर दी जाती हैं। दोनों योजनाओं में अंतर का कारण इनका ऐतिहासिक विकास, इनकी बजटीय प्रावधान तथा धनराशि का नियंत्रण एवं विमुक्ति में है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए संबंधित मंत्रालय के अंतर्गत बजटीय प्रावधान किया जाता है और वे ही इनके लिए राशि विमुक्ति का प्रबंध करते हैं।

केंद्रीय योजना सहायता

भारत सरकार द्वारा राज्यों की पंचवर्षीय योजनाओं के लिए जो वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है उसे ही केंद्रीय योजना सहायता (Central Plan Assistance) कहते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित का प्रावधान है:

(i) **सामान्य केंद्रीय सहायता (Normal Central Assistance):** इसका वितरण गाडगिल-मुखर्जी फॉर्मूला पर आधारित है। केंद्रीय सहायता निर्धारित करने के लिए गाडगिल फॉर्मूला चौथी योजना से ही अपनाया गया है और समय-समय पर इसमें संशोधन भी किए गए हैं। इसमें आवंटन योजना आयोग द्वारा किया जाता है।

(ii) **अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (Additional Central Assistance):** यह सहायता बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (Externally Aided Projects) के लिए प्रदान की जाती है और इस सहायता की कोई सीमा नहीं है। सामान्य केंद्रीय सहायता के विपरीत यह योजना आधारित सहायता है। ऐसी योजनाओं का सम्पूर्ण विवरण व्यय बजट, खंड एक के विवरण 16 (Statement 16 of the Expenditure Budget Vol I) में किया जाता है। यह सहायता एक बार में भी दी जा सकती है और अग्रिम में भी। एकल अतिरिक्त केंद्रीय सहायता ऐसी सहायता है जो राज्य विशेष को योजना आयोग द्वारा राज्य केंद्रित कार्यक्रमों एवं योजनाओं के लिए प्रदान की जाती है। यह एक बार में दी जाती है और आवर्ती नहीं होती। यह सहायता स्व-विवेक के आधार पर दी जाती है। अग्रिम ए.सी.ए. विशेष कोटि के राज्यों (Special Category States) को वित्तीय संकट के समय की जाती है, जिसकी वसूली दस साल के अंदर की जाती है।

(iii) **विशेष केंद्रीय सहायता (Special Central Assisance, SCA):** यह सहायता विशेष परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों, जैसे–पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम आदि के लिए दी जाती है (अपवाद के रूप में, अग्रिम केंद्रीय सहायता भी प्रदान की जा सकती है)। यह विशेष योजना सहायता केवल विशेष कोटि के राज्यों को अपने संसाधनों और योजना जरूरतों के बीच अंतर को पाटने के लिए दी जाती है। दूसरे शब्दों में, विशेष केंद्रीय सहायता विशेष कोटि के राज्यों के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता है।

केंद्रीय योजना सहायता विशेष उद्देश्यों के लिए प्रयोज्य वित्तपोषण की योजनाओं के अनुसार प्रदान की जाती है जो कि योजना आयोग द्वारा स्वीकृत होती है। यह अनुदान तथा/अथवा कर्ज के रूप में, जैसी शर्तें वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित की गई हों, प्रदान की जाती है। अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में केंद्रीय सहायता विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं, जैसे–त्वरित कृषि लाभ कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आदि के लिए प्रदान की जाती है। विशेष केंद्रीय सहायता को राज्यों एवं संघशासित क्षेत्रों

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

को विशेष घटक योजना (Special Component Plan) जो अनुसूचित जाति उप-योजना के नाम से भी जानी जाती है, के साथ दी जाती है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) के अंतर्गत प्रदत्त पाँच करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की राशि भी केंद्रीय सहायता के अंतर्गत आती है।

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की पुनर्संरचना (Restructuring of the CSSs)

12वीं योजना (2012-17) के लिए भारत सरकार द्वारा वर्तमान 137 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes-CSSs) को पुनःसंरचित करके 66 कर दिया गया था। इनमें 17 'फ्लैगशिप योजनाएं' भी शामिल थीं। सरकार द्वारा उनकी पुनःसंरचना के लिए एक समिति (बी.के. चतुर्वेदी की अध्यक्षता में) का गठन किया गया था जिसने अपने सुझाव वर्ष 2011 के अंत में सौंप दिए थे।

इस बीच 14वें वित्त आयोग की सिफारिश भी आ गयी। आयोग ने केन्द्र से राज्यों को प्राप्त होने वाले आवंटन को शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं साफ-सफाई तक सीमित रखने की भी सलाह दी हैं चूंकि इन योजनाओं का संबंध राष्ट्रीय महत्व मदों से था अतः भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 में 66 में से 50 ऐसी योजनाओं को जारी रखा गया। बची हुई 16 योजनाओं को या तो केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं में शामिल कर लिया गया या फिर राज्यों को हस्तांतरित कर दिया गया। इन योजनाओं को केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को उनके बजटों के माध्यम से वित्त पोषित किया जाने लगा। इस नयी व्यवस्था से न सिर्फ राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्राप्त हुई बल्कि उन्हें इन पर अधिक प्राधिकार (authority) भी मिला। राज्यों के उत्तरदायित्व को बढ़ाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण संघीय बजट 2014-15 में की गयी।

मार्च 2015 में नीति आयोग के 'शासी परिषद्' (Governing Council) के निर्णय के आधार पर इन योजनाओं के तार्कीकरण (Rationalisation) के लिए मुख्यमंत्रियों के एक उप-समूह का गठन किया गया। इस उप-समूह को एक विशेष निर्देशक-सिद्धांत के तहत काम करना था-केन्द्र, राज्य एवं संघशासित प्रदेश 'टीम भारत' की तरह काम करते हुए 'सहकारी संघवाद' की भावना से तहत 'विजन-2020' (Vision 2020) के लक्ष्यों को साकार करने की दिशा में कार्य करेंगे (वर्ष 2020 भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ है) 'विजन-2020' के उद्देश्य व्यापक रूप से निम्न हैं:

(i) जीवन में आत्म-सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए सभी नागरिकों को समानता के आधार पर मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, और;

(ii) प्रत्येक नागरिक को उनकी क्षमता के अनुसार वृद्धि एवं विकसित होने के अवसर प्रदान करना।

इस उप-समूह की अनुशंसा के आधार पर अब केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को पुरःसंरक्षित करके संख्या में सिर्फ 30 कर दिया गया है (संघीय बजट 2016-17)। इस व्यय आच्छादन से बचा जा सकेगा तथा उन योजनाओं में दृश्यता (Visibility) और प्रभाव (Impact) का समावेश हो सकेगा। पुनःसंरचना से जुड़े मुख्य तथ्य निम्न प्रकार हैं:

- योजनाओं को दो वर्गों में रखा गया है-क्रोड (Core) एवं वैकल्पिक (Optional) योजनाएं।
- क्रोड योजनाओं में केन्द्र एवं राज्यों की व्यय भागीदारी इस प्रकार होगी - 90:10 (8 उत्तर-पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों के लिए) तथा 60:40 (अन्य राज्यों के लिए)। संघशासित प्रदेशों में व्यय का पूरा वहन केन्द्र सरकार करेगी।
- वैकल्पिक योजनाओं में केन्द्र एवं राज्यों की व्यय भागीदारी इस प्रकार होगी-80:20 (8 उत्तर-पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों के लिए) तथा 50:50 (अन्य राज्यों के लिए)। संघशासित प्रदेशों के पूरे व्यय का वहन केन्द्र करेगा।
- क्रोड योजनाओं में जिनका संबंध 'सामाजिक सुरक्षा' एवं 'सामाजिक समावेशन' से है उन्हें 'क्रोड का क्रोड' (Core of Core) माना गया है और उन्हें 'राष्ट्रीय एजेंडा' के तहत व्यय में प्राथमिकता प्राप्त है।
- वैकल्पिक योजनाओं के चयन में जहां राज्यों को पूरी स्वतंत्रता है वहीं इसके धन को किसी दूसरी CSSs के लिए व्यय करने संबंधी लचीलापन भी प्रदान किया गया है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

- आने वाले समय में ऐसी योजनाएं सिर्फ उन चुनिंदा क्षेत्रों में ही लायी जायेंगी जो 'राष्ट्रीय विकास ऐजेंडा' से जुड़े होंगे। ऐसे क्षेत्रों का निर्णय नीति आयोग (शासी परिषद् के द्वारा) द्वारा लिया जाएगा।
- केन्द्रीय मंत्रालयों एवं राज्यों के साथ-साथ नीति आयोग को भी प्रबोधन (Monitoring) का अधिकार होगा।
- नीति आयोग इन योजनाओं का मूल्यांकन किसी तृतीय पक्ष (Third Party) से भी करा सकेगा।

इस प्रकार, लंबे समय से चल रहे CSSs की पुनर्संरचना संबंधी प्रक्रिया पूरी हो गयी है तथा वर्ष 2016-17 के लिए इनकी संख्या अब सिर्फ 30 रह गयी है।

स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (INDEPENDENT EVALUATION OFFICE)

फरवरी 2014 में भारत सरकार द्वारा एक स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय स्थापित किया गया है जो कि सरकार के निकटस्थ रहकर कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों जिनमें वृहत पैमाने पर संसाधन जुटाने की जरूरत होती है, की सार्वजनिक जवाबदेही को मजबूती प्रदान करे। इनमें फ्लैगशिप योजनाएँ एवं कार्यक्रम शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्थित स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय[103] (Independent Evaluation Office, IEO) तर्ज पर इस निकाय का गठन अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों के आधार पर विश्व बैंक तथा ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग के सहयोग से किया गया है। इसकी रचना मैक्सिको के 'राष्ट्रीय सामाजिक विकास नीति मूल्यांकन परिषद' हिसाब से की गई है।

आई.ई.ओ. (IEO) योजना आयोग से सम्बद्ध एक स्वतंत्र कार्यालय होगा जो कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित एक गवर्निंग बोर्ड के अधीन होगा। इसका वित्त पोषण योजना आयोग द्वारा होगा और एक पूर्णकालिक महानिदेशक इसका प्रमुख होगा (वर्तमान में अजय छिब्बर) जो योजना आयोग के सदस्य/संघीय मंत्री के समकक्ष हैसियत का होगा। महानिदेशक का तीन वर्षों का कार्यकाल होगा जो पाँच वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा। आई.ई.ओ. के स्टाफ महानिदेशक द्वारा नियुक्त किए जाएँगे बिना किसी हस्तक्षेप के, साथ ही इसकी स्वतंत्र बजट लाइन होगी।

ऐसा अनुभव किया जाता है कि, सरकारी कार्यक्रमों को समवर्ती स्वतंत्र मूल्यांकन से काफी लाभ मिल सकता है। वर्तमान में समवर्ती मूल्यांकन सम्बधित मंत्रालयों द्वारा पहले से जारी समानांतर प्रक्रिया के रूप में मौजूद है। चालू कार्यक्रमों का विशेषज्ञ मूल्यांकन योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा किया जाता रहा है। आई.ई.ओ. से अपेक्षा की जाती है कि उससे यह मूल्यांकन प्रक्रिया सुदृढ़ और सशक्त होगी। आई.ई.ओ. के मुख्य उद्देश्य हैं:

(i) सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रभाव एवं परिणामों का आकलन करके उनकी प्रभावकारिता में वृद्धि करने में मदद करना।

(ii) विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाले सभी मूल्यांकनों के लिए दिशा-निर्देश तथा कार्य-पद्धति तैयार करना तथा सरकारी व्यवस्था में खुलापन एवं सीखने की संस्कृति का विकास करना।

(iii) विकास प्रचलनों में भारत को सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकित साक्ष्यों से जोड़ना तथा दूसरों की सफलता एवं गलतियों से सीखने में मदद करना

स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के कार्यकलापों को निम्नवत् रखा जा सकता है:

---

103. An Independent Evaluation Office (IEO) functions in the International Monetary Fund (IMF) since 2001, which conducts independent and objective *evaluations* of Fund's policies and activities. Under its Terms of Reference, it is fully independent from the Management of the IMF and operates at arm's length from the Board of Executive Directors with the following *three* missions—(i) Enhancing the learning culture within the Fund, (ii) Strengthening the Fund's external credibility, and (iii) Supporting institutional governance and oversight *(Source: Independent Evaluation Office, IMF, Washington DC, 2014).*

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(i) यह योजना कार्यक्रमों विशेषकर फ्लैगशिप कार्यक्रमों का स्वतंत्र मूल्यांकन करेगा। साथ ही उनकी प्रभावकारिता, प्रासंगिकता एवं प्रभावों का भी आकलन करेगा। इसके अलावा यह सार्वजनिक वित्त पोषण वाले किसी भी कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(ii) आई.ई.ओ. की कार्य-प्रणाली विचार-विमर्श की खुली प्रक्रिया जिसमें नागरिक समाज से प्राप्त फीडबैक भी शामिल है, पर आधारित होगी और इसे सार्वजनिक किया जाएगा।

(iii) आई.ई.ओ. सभी स्वतंत्र मूल्यांकनों के लिए संदर्भ शर्तें (Term of reference) तैयार करेगा, जो कि चयनित संस्थानों एवं शोधकर्ताओं द्वारा सम्पन्न कराए जाएंगे और इसका आकार प्रतिस्पर्द्धात्मक होगा।

(iv) आई.ई.ओ. सरकार के किसी भी विभाग या एजेंसी को मूल्यांकन अथवा अनुश्रवण व्यवस्था की गुणवत्ता में सुधार के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा। ऐसे सहयोग का आशय समस्त मूल्यांकनों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत एक साझी कार्यपद्धति के अन्तर्गत लाना है। साथ ही बेहतर विकास परिणामों को प्राप्त करना तथा सरकार में सीखने की संस्कृति को प्रोत्साहित करना।

(v) इसकी रिपोर्टें संसद को तथा प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपी जाएंगी। साथ ही इन्हें इसकी वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

(vi) यह स्वतंत्र एवं व्यावसायिक रूप से मूल्यांकित भारतीय कार्यक्रमों को दक्षिण-दक्षिण सहयोग की भावना के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराएगा।

(vii) आई.ई.ओ. स्वतंत्र मूल्यांकन प्राधिकार के रूप में विकासात्मक सक्षमता पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फोरमों पर भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रचलनों की तर्ज पर भारतीय मूल्यांकन व्यवस्था में सुधार का प्रावधान करेगा। कार्यालय अपनी पहली रिपोर्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा मातृ-मृत्यु दर पर जून-जुलाई 2014 तक प्रस्तुत करेगा।

स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय (IEO) द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्रों का मूल्यांकन पहले किया जाएगा तथा उसके बाद मनरेगा तथा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन (JNNURM) की बारी आई।

इस बीच सितम्बर 2014 में आई.ई.ओ. के महानिदेशक को सेवानिवृत्त कर दिया गया। वर्तमान में आई.ई.ओ. को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय के विचार-विमर्श में 'कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन' (PEO) के रहते एक नई संस्था के गठन पर सवाल उठाए गए हैं। इस उद्देश्य के लिए गठित सचिवों की समिति ने पी.ई.ओ. को सुदृढ़ करने का निश्चय किया है और यह विकल्प खुला है कि आई.ई.ओ. को पी.ई.ओ. के अंतर्गत रखा जाए या निरस्त कर दिया जाए।

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (PROGRAMME EVALUATION ORGANISATION)

इसकी स्थापना 1952 में योजना आयोग के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में एक स्वतंत्र संगठन के रूप में की गई थी जिसे सामुदायिक विकास कार्यक्रमों तथा अन्य सघन क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के मूल्यांकन का भार सौंपा गया था। इस मूल्यांकन व्यवस्था को पहली योजना में प्रयुक्त मूल्यांकन पद्धतियों एवं तकनीकों के विकास से और सुदृढ़ बनाया गया। साथ ही तीसरी योजना 1961-66 तथा चौथी योजना 1969-72 में राज्यों में मूल्यांकन तंत्र के स्थापना की गई। धीरे-धीरे कार्यक्रमों एवं योजनाओं के अन्य क्षेत्रों-कृषि सहयोग, ग्रामीण उद्योग, मत्स्य पालन, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण, सार्वजनिक वितरण, जनजाति विकास, सामाजिक वानिकी आदि में विस्तार के साथ-साथ पी.ई.ओ. द्वारा चलाए जा रहे मूल्यांकन कार्यो को अन्य महत्वपूर्ण केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में भी विस्तारित किया गया है।

पी.ई.ओ. के प्रमुख कार्य कुछ विशेष चयनित कार्यक्रमों एवं योजनाओं का मूल्यांकन योजना आयोग के विभिन्न प्रभागों, केन्द्रीय मंत्रालयों तथा भारत सरकार के

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

विभागों की जरूरतों के हिसाब से संपादित करना है। मूल्यांकन अध्ययन को निम्नलिखित के आकलन के लिए प्रकाशित किया गया है:

(i) कार्य निष्पादन
(ii) क्रियान्वन की प्रक्रिया
(iii) वितरण प्रणाली की प्रभावकारिता
(iv) कार्यक्रमों का प्रभाव

पी.ई.ओ. (PEO) के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

(i) विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया एवं प्रभाव का वस्तुनिष्ठ आकलन।
(ii) प्रशासन एवं कार्यपालन के विभिन्न स्तरों पर सफलताओं एवं विफलताओं की पहचान, सफलता या विफलता के कारणों का विश्लेषण।
(iii) विस्तार पद्धतियों तथा जनता की प्रतिक्रियाओं की जाँच करके भविष्य में नये कार्यक्रमों एवं योजनाओं के सूत्रण एवं कार्यान्वयन में सुधार का सबक लेना।

सांगठनिक ढाँचा

पी.ई.ओ. प्राथमिकत: एक क्षेत्र स्तरीय (Field level) संगठन है जो कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष के अधीन कार्य करता है। इसका एक त्रिस्तरीय ढाँचा है:

पहला स्तर: शीर्ष पर इसका मुख्यालय योजना आयोग में है जो विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन अध्ययनों के लिए उपयुक्त पद्धतियों एवं सांख्यिकी प्रकल्पों का विकास करता है; निदर्शन सर्वेक्षणों का आयोजन, आँकड़ों का प्रसंस्करण, सांख्यिकीय विश्लेषण तथा क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा सृजित गुणात्मक एवं परिणात्मक आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या तथा मूल्यांकन प्रतिवेदनों के प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है। यह संगठन सलाहकार (मूल्यांकन) के अधीन कार्य करता है।

दूसरा स्तर: यह मध्यवर्ती स्तर है जिसमें क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय आते हैं जिनकी संख्या 7 है तथा जो चंडीगढ़, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ तथा मुम्बई में स्थित है।

तीसरा स्तर: इसके अंतर्गत क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत क्षेत्रीय इकाइयाँ आती है जो परियोजना मूल्यांकन कार्यालयों के रूप में जानी जाती है। ये 8 बड़े राज्यों की राजधानियों में स्थित है-गुवाहाटी, भुवनेश्वर, शिमला, बंगलुरु, भोपाल, पटना, तिरुवनंतपुरम् तथा अहमदाबाद।

नियोजन योजना के रूप में मूल्यांकन (Evalution as Plan Scheme)

10वीं योजना की दस्तावेज ने इंगित किया है कि कार्यक्रमों एवं योजनाओं की विफलता का एक सबसे सामान्य कारण इन कार्यक्रम/परियोजनाओं/योजनाओं का दोषपूर्ण एवं अपूर्ण डिजाइन है। इनका सूत्रण करते समय अधिक व्यवस्थित एवं व्यावसायिक तरीकों की दरकार है। अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की जो वर्तमान प्रक्रियाएँ हैं उनको सुदृढ़ करने की जरूरत है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजनाएँ जैसी सोची गई हैं वैसे ही कार्यावित हो तथा उनका प्रभाव भी नियोजित हो। ऊपर प्रस्तावित रणनीति से निश्चय ही नियोजित कार्यक्रमों में संसाधनों के इस्तेमाल तथा कार्य-प्रदर्शन में सुधार और कार्य-कुशलता आई। लेकिन, सरकार के अंदर और बाहर मूल्यांकन की क्षमता सीमित है। मूल्यांकन को एक प्रभावकारी औजार बनाने के लिए मूल्यांकन संगठनों की क्षमता बढ़ानी होगी। 'अनुश्रवण एवं मूल्यांकन' प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु कार्यदल की स्थापना योजना आयोग द्वारा 2012 में की गई, जिसने मूल्यांकन क्षमता को बढ़ाने तथा नियोजन योजना में मूल्यांकन को शामिल करने की अनुशंसा की है।

पी.ई.ओ. राज्य मूल्यांकन संगठनों को भी अपने मूल्यांकन प्रतिवेदनों को योजना आयोग को भेजने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि इन्हें भी इंटरनेट पर रखा जा सके (अब इन्हें 'नीति आयोग' को भेजा जा सकता है)। 2014 के अंत तक सरकार ने पी.ई.ओ. को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया और इस दिशा में उठाए गए कदमों की प्रतीक्षा की जा रही है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

नीति आयोग (NITI AAYOG)

2014 के मध्य में केन्द्र में एक मजबूत और स्थिर सरकार पदारूढ़ हुई। नई सरकार में कई क्षेत्रों में नई ऊर्जा और उत्साह का वातावरण देखा जा रहा है। देश में वृद्धि एवं विकास को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से संघीय ढाँचे को पुनर्परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। अब हम राज्यों को मजबूत बनाने और आगे करने की दिशा में एक नीतिगत परिवर्तन देख रहे हैं जिससे कि उन्हें अधिक वित्तीय उत्तरदायित्व दिया जा सके और उनका वित्तीय दायरा भी बढ़ाया जा सके।[104] इस दिशा में अपने वायदों पर कायम रहते हुए भारत सरकार ने योजना आयोग को भंग करके इसके स्थान पर 'नीति आयोग' की स्थापना की है। नीति (NITI) का अर्थ है–'National Institute for Transforming India' सरकार इस नई संस्था में टीम इंडिया का उदय देखने को अच्छुक है। योजना से नीति की ओर इस परिवर्तन के बारे में अभी से कुछ नतीजों पर पहुँचना जल्दबाजी होगी। पुरानी एवं नई संस्थाओं के बीच कोई अकादमिक तुलना भी वर्तमान में संभव नहीं है। समय बीतने के बाद ही इस पर कोई निर्णय दिया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत अब भी एक नियोजित अर्थव्यवस्था है। यहाँ जो चर्चा की जा रही है वह नीति आयोग के बनने के पूर्व एवं उसके पश्चात् भारत सरकार द्वारा जारी दस्तावेजों पर आधारित है। इन दस्तावेजों में भारत सरकार ने एक नई संस्था की जरूरत के पीछे कारण बताए हैं तथा इसके साथ ही नई संस्था के लिए एक बहु-उत्साहजनक एवं गैर-पारंपरिक भूमिका एवं प्रकार्य भी निश्चित किए हैं।

इस बारे में 10वीं योजना 2002-07 में पहली बार एन.डी.ए. के शासन में एक दस्तावेज में यह आह्वान किया गया कि यदि राज्य विकसित हो तो देश भी विकसित होगा। हम विकेन्द्रित नियोजन की ओर एक परिवर्तन देखते हैं (योजना को जन-योजना कहकर पुकारा जाता था)। अनुश्रवणीय लक्ष्यों का नया विचार इसी योजनावधि में आया था जिसमें राज्यों को नियोजित विकास की प्रक्रिया में अधिक भागीदारी तथा जिम्मेदारी प्रदान की गई थी। इसी योजना अवधि में कुछ और कदम भी उठाए गए जिससे कि विकास प्रक्रिया की मुख्यधारा में राज्य अधिकाधिक शामिल है।

भारत का रूपांतरण (Transforming India)

सरकार 'नीति आयोग' की सहायता से भारत के विकास एजेंडा को रूपांतरित करना चाहती है और उसमें 'योजना से नीति की ओर' का आह्वान किया है। भारत में पिछले छह दशकों में भारी नीतिगत परिवर्तन हुए हैं-राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रौद्योगिक तथा जनसांख्यिकी रूप से। सरकार की भूमिका भी राष्ट्रीय विकास के लिए उसी प्रकार समानांतर रूप से विकसित होती रही है। बदलते समय के साथ समायोजन के लिए सरकार ने नीति आयोग को भारत के लोगों की जरूरतों एवं आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए साधन के रूप में स्थापित किया है। सरकार की सोच है कि नई संस्था विकास प्रक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करेगी तथा विकास के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण रखते हुए इसे सार्वजनिक क्षेत्र एवं भारत सरकार की सीमित परिधि से बाहर जाकर अनुकूल वातावरण का निर्माण करेगी। इसके साधन होंगे:

(i) राज्यों को राष्ट्रीय विकास में बराबर का भागीदार बनाकर उनकी भूमिका को शक्तिशाली बनाना और इस प्रकार सहकारी संघवाद (Co-operative Federalism) के सिद्धांत को कार्य व्यवहार में परिणित करना।

---

104. Such a stance in the process of planning we find in the document of the 10th Plan (2002–07) for the first time when the government of the time (the NDA-led) made the call : **'if states are developed, the nation is developed'**. We find a pronounced shift towards 'decentralised planning' (the Plan was nicknamed as the 'People's Plan'). The new idea of 'monitorable targets' also commenced in this plan giving states more say and accountibility in the process of planned development (these targets were continued within the forthcoming Plans). Several other steps were also taken in this Plan aimed at bringing the states in the mainstream of the developmental process, viz., by giving them increased role and accountibility.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(ii) आतंरिक एवं बाह्य संसाधनों का एक ज्ञान केन्द्र (knowledge hub) बनाना। जहाँ कि सुशासन एवं सर्वोत्तम प्रचलनों की एक मंजूषा स्थापित रहे, साथ ही एक 'थिंक टैंक' के रूप में जो सरकार के सभी स्तरों पर अपनी रणनीतिक विशेषज्ञता उपलब्ध कराये।

(iii) एक ऐसा सहयोगी मंच जहाँ कि अनुश्रवण, प्रगति, अंतरों को पाटने तथा केन्द्र एवं राज्य के विभिन्न मंत्रालयों को विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के संयुक्त उद्यम में एक जगह लाकर कार्यान्वयण के एक सहयोगी मंच के रूप में कार्य करे।

बदलते भारत की रूपरेखा (Changing contours of India)

सरकार यह मानती है कि योजना आयोग ने भारत की अच्छी सेवा की है। लेकिन पिछले 65 वर्षों में भारत नाटकीय रूप से बदला है-वह भी अनेक स्तरों और पैमानों पर। इन परिवर्तनकारी शक्तियों ने भारत की शक्ल बदल दी है और विशेषकर यह पाँच क्षेत्रों में हुआ जैसा कि सरकारी दस्तावेजों से स्पष्ट होता है:

1. जनसांख्यिकीय परिवर्तन (Demographic Shift)

भारत की जनसंख्या तिगुनी बढ़कर 121 करोड़ तक पहुँच गई है। इसके अंतर्गत शहरी जनसंख्या में जुड़ी 30 करोड़ की आबादी भी शामिल है। इसके साथ ही 35 वर्ष से कम उम्र के 55 करोड़ युवा जनसंख्या के हिस्सा बने हैं। विकास, साक्षरता एवं संचार के बढ़ते स्तर के साथ लोगों की आकांक्षाएँ अभाव व अस्तित्व के स्तर से आगे बढ़कर सुरक्षा व अधिशेष तक जा पहुँची हैं। आज का भारत बिल्कुल बदला हुआ भारत है और भारत की शासन व्यवस्था को इस बदले हुए भारत की जरूरतों के अनुरूप बदलना है।

2. आर्थिक परिवर्तन (Economic Shift)

भारत की अर्थव्यवस्था में भी भारी बदलाव आया है। इसका सौ गुणा विस्तार हुआ है-सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 1000 करोड़ रुपये से शुरू होकर और 100 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया है वर्तमान मूल्यों पर। इस प्रकार आज यह विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक है। भारत के जी.डी.पी. में कृषि के हिस्से में भारी गिरावट आई है-50 प्रतिशत से गिरकर 15 प्रतिशत। पहली योजना के 2400 करोड़ रुपये के योजना आकार से बढ़कर आज 12वीं योजना का योजनाकार 43 लाख करोड़ रुपये का हो चुका है। प्राथमिकताएँ, रणनीतियाँ एवं संरचनाएँ जो योजना आयोग के जन्म के समय से चली आ रही हैं, अब बदलनी चाहिए। इस व्यापक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में भारत में योजना प्रक्रिया की प्रकृति को ही बदलने की जरूरत है, ऐसा सरकार मानती है।

3. परिवर्तित निजी क्षेत्र (Changed Private Sector)

भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति तथा इसमें सरकार की भूमिका में भारी परिवर्तन आया है। लगातार खुलती तथा उदारीकृत होती अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की आज एक अत्यंत जीवंत और गतिशील भूमिका है। निजी क्षेत्र मात्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुहाने पर ही नहीं बल्कि वैश्विक पैमाने और पहुँच के साथ अपनी सार्थक भूमिका निभा रहा है। यह बदला हुआ आर्थिक परिदृश्य प्रशासनिक बदलाव की जो माँग करता है जिसमें सरकार की भूमिका आदेश एवं नियंत्रण पारिस्थितिक प्रणाली में संसाधनों के आवंटन से आगे बढ़कर एक बाजार पारिस्थितिकी प्रणाली (market eco-system) को निवेशित, समर्थित एवं नियमित करने की होनी चाहिए। राष्ट्रीय विकास को अब सार्वजनिक क्षेत्र से परे देखने की जरूरत है। सरकार को 'पहले प्रदायक एवं अंतिम आश्रय' तथा अर्थव्यवस्था के 'बड़े खिलाड़ी' की अपनी भूमिका में परिवर्तन करके एक 'सामर्थ्यकारी वातावरण' का पोषण करने वाले 'उत्प्रेरक' की भूमिका में आना चाहिए जहाँ कि छोटे-से-छोटे उद्यमियों से लेकर बड़ी-से-बड़ी कम्पनियों की उद्यमशीलता परवान चढ़े। इससे एक महत्वपूर्ण बात यह होगी कि सरकार जन-कल्याण के क्षेत्र, जैसे-खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आजीविका आदि पर अपने बहुमूल्य संसाधनों को अधिक खर्च कर सकेगी।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

4. भूमंडलीकरण की शक्तियाँ

(Forces of globalisation)

हाल के दशकों में बहुत हद तक दुनिया भी एक 'विश्वग्राम' के रूप में विकसित हुई है। विभिन्न देश और समाज आपस में आधुनिक परिवहन, संचार, जन-माध्यम तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों एवं संस्थाओं के अंतरजाल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। ऐसे वातावरण में भारत की अर्थिक क्रियाएँ वैश्विक गतिशीलता को बढ़ाती है। साथ ही हमारी अर्थव्यवस्था भी सुदूर घट रही घटनाओं से भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहती। इसलिए सरकार के कामकाज को जोड़कर आर्थिक नीति की रूपरेखा में विश्व आर्थिक प्रणाली से हमारे जुड़ाव की वास्तविकताओं को शामिल करना चाहिए।

5. राज्यों की भूमिका

(Role of The States)

भारतीय राज्यों का विकास केन्द्र के उपांगों से शुरू होकर राष्ट्रीय विकास के वास्तविक चालकों के रूप में हुआ है। इसलिए राज्यों का विकास राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिए क्योंकि राज्यों के विकास में ही देश की प्रगति है। इसी कारण केन्द्रीकृत नियोजन में 'सबके प्रति समान व्यवहार' दृष्टिकोण स्वाभाविक रूप से अंतर्विष्ट रहता है, लेकिन अब यह व्यावहारिक नहीं रह गया है। राज्यों को भी सुना जाना जरूरी है और उन्हें भी कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के कथन में, ''जहाँ केन्द्रीय नियंत्रण तथा एकरूपता अनिवार्य न हो या अव्यवहार्य हो, वहाँ सत्ता का केन्द्रीकरण अनुचित है।'' इस प्रकार जहाँ भारत की रणनीतियाँ वैश्विक अनुभवों तथा राष्ट्रीय सहक्रिया से उपजें और विकसित हों, वहीं वे स्थानीय जरूरतों एवं अवसरों के अनुरूप ढलें, यह देखना होगा।

6. प्रौद्योगिकीय परिप्रेक्ष्य

(Technology Paradigm)

प्रौद्योगिकीय प्रगति तथा सूचना प्रसार ने भारत की सृजनशील ऊर्जा के लिए द्वार खोल दिया है। इससे हमारे वैविध्यपूर्ण क्षेत्रों तथा पारिस्थितिकी प्रणालियों एक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा समाज में विन्यस्त कर दिया है और इससे समन्वय एवं सहकार का मार्ग प्रशस्त हुआ है। प्रौद्योगिकी की भूमिका पारदर्शिता लाने एवं कार्यकुशलता बढ़ाने में भी है जिससे कि सरकारें और उत्तरदायी बनी हैं। इस प्रकार यह जरूरी है कि प्रौद्योगिकी भारत की नीति एवं शासन की प्रणाली में केन्द्रस्थ रहे।

परिवर्तन अवश्यमभावी (Change must come)

ऊपर वर्णित परिवर्तनों को आज विशेषज्ञ कई वर्षों से पहचान रहे हैं। अर्थव्यवस्था में बदलाव के अनुरूप अर्थव्यवस्था को निवेशित करने वाली संस्थाओं में भी परिवर्तन होना चाहिए। सरकार ऐसे दृष्टांतों का हवाला देती है जबकि उपयुक्त व सार्थक बदलाव के सुझाव योजना आयोग में अनेक विशेषज्ञों, समितियों, यहाँ तक कि स्वयं योजना आयोग द्वारा सुझाए गए, यथा:

(i) आठवीं योजना (1992-97) दस्तावेज (आर्थिक सुधारों की 1991 में शुरुआत के बाद का पहला दस्तावेज) में स्पष्ट रूप से कहा गया कि चूँकि सरकार की भूमिका की समीक्षा हो रही है और इसकी पुनर्रचना हो रही है, तो योजना आयोग की भूमिका एवं प्रकार्यों पर भी पुनर्विचार जरूरी है। बदलती परिपाटियों के अनुरूप योजना आयोग में भी बदलाव जरूरी है, इसे पुरानी कार्य पद्धतियों एवं धारणाओं से मुक्त करना जरूरी है जो कि आज अप्रासंगिक हो चुकी हैं। इनके स्थान पर नयी सोच व कार्य पद्धतियों को अपनाने की जरूरत है जो भारत के एवं दुनिया के अन्य देशों के जमीनी अनुभवों पर आधारित हैं। विशेषत: योजना आयोग को सुधार प्रक्रिया के अनुरूप अवश्य बदलना चाहिए।

(ii) 15वीं लोकसभा की स्थाई वित्त समिति (The standing committee on finance of the 15th Lok Sabha) ने अनुदान माँग पर अपनी 35वीं रिपोर्ट (2011-12) में यह कहा कि ''योजना आयोग को पैदा होती सामाजिक वास्तविकताओं के अनुरूप अपने को ढालना है, नियोजन प्रक्रिया को आर्थिक सुधारों एवं परिणामों के

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

साथ जोड़ने के लिए खुद को अधिक प्रासंगिक एवं प्रभावकारी बनाना है, विशेषकर गरीबों के लिए।'' नियोजन प्रक्रिया को आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया से जोड़ने के संदर्भ में यह आवश्यक था।

(iii) पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने योजना आयोग को अपने विदाई भाषण (अप्रैल 2014) में कहा–''आज की नई दुनिया में योजना आयोग के लिए कैसी भूमिका होनी चाहिए। अब भी हम उन्हीं उपकरणों एवं दृष्टिकोणों का उपयोग तो नहीं कर रहे जो एक अलग दौर के लिए बनाए गए थे? योजना आयोग को और कौन-सी अतिरिक्त भूमिकाएँ अपनानी चाहिए, साथ ही इसे वृद्धि प्रक्रियाओं के लिए प्रासंगिक बने रहने के लिए अपने अंदर कौन-सी क्षमताएँ विकसित करनी चाहिए?'' डॉ. मनमोहन के स्वयं एक मान्य अर्थशास्त्री होने के नाते इस कथन का विशेष महत्व है।

परिवर्तन के लिए और आधार ढूँढते सरकार ने महात्मा गाँधी को भी उद्धृत किया, ''सतत् परिवर्तन जीवन का नियम हैं और एक व्यक्ति जो स्थिर दिखने के लिए अपने मतवाद को बनाए रखने की कोशिश करता है, स्वयं को एक मिथ्या स्थिति की ओर धकेल देता है।'' सरकार यहाँ पुन: जोड़ती है-इस सिद्धांत पर खरे उतरने के लिए नीति-निर्धारक संस्थाओं को भारत के संविधान की संस्थापक नीतियाँ जिनकी जड़ें भारतीयता में, हमारे सभ्यता मत इतिहास और मूल्यों में है, के प्रति सच्ची रहते हुए आज के नये भारत की नयी गतिशीलता के अनुरूप ढलना एवं विकसित होना चाहिए। यह हर प्रकार से विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत के अपने साधनों, तरीकों, औजारों एवं दृष्टिकोणों को साधने का एक संकल्प था।

सरकार के लिए नीति आयोग को उपरोक्त आकांक्षाओं को वास्तविक बनाने वाली संस्था बनना है। आयोग की स्थापना विभिन्न हितधारक समूहों, राज्य सरकारों, प्रासंगिक संस्थाओं, विषय विशेषज्ञों एवं आम लोगों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद की जा रही है।

नीति आयोग के कार्य (Functions of NITI Aayog)

एक परिपक्व भारतीय राष्ट्रीयता के निर्माण की प्रक्रिया में देश ने बहुलतावाद तथा विकेन्द्रीकरण को व्यापक रूप से मान्य किया है और अपनाया है। इसके मद्देनजर केन्द्र सरकार के राज्य सरकारों एवं स्थानीय स्तरों की संस्थाओं के प्रति दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन की दरकार है। राज्य सरकारों एवं स्थानीय निकायों को भी विकास प्रक्रिया में बराबर का भागीदार बनाना आवश्यक है और इसके लिए निम्नलिखित बदलाव होने चाहिए:

(i) उनकी विकासात्मक जरूरतों एवं आकांक्षाओं को समझना,

(ii) राष्ट्रीय नीतियों एवं कार्यक्रमों में लचीलापन लाते हुए विविध स्थानीय वास्तविकताओं का समावेश करना।

इस प्रकार नई संस्था नीति आयोग को 'टीम इंडिया' के नये सिद्धांत के अनुरूप तैयार होना है, औपचारिक रूप से उल्लेखनीय निम्नलिखित प्रकार्यों को हाथ में लेकर:

1. **सहकारी एवं प्रतियोगितापूर्ण संघवाद (Co-operation and Competitive Federation):** यह सहकारी संघवाद के संचालन का प्राथमिक मंच होगा, जिसमें राज्यों की राष्ट्रीय नीतियाँ बनाने में सहभागी बनाया जाएगा, साथ ही गुणात्मक एवं परिणामात्मक लक्ष्यों के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्रियों की संयुक्त अधिकार शक्ति का उपयोग किया जाएगा। ऐसा केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच व्यवस्थित एवं सुगठित अंत:क्रियाओं के माध्यम से संभव होगा, जिसमें विकास के मुद्दों के प्रति समझ बनाकर रणनीतियों एवं कार्यान्वयन प्रक्रियाओं को लेकर सर्वसम्मति प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी। इस प्रकार 'केन्द्र से राज्य की ओर' की एकतरफा नीति के स्थान पर सतत् केन्द्र-राज्य सहभागिता की नीति अपनाई जाएगी।

   आयोग इस सहयोग का इस प्रकार बढ़ाने में मदद करेगा कि एक प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा मिले-केन्द्र राज्यों के साथ तथा राज्य

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

केन्द्र के साथ प्रतिस्पर्धा करे, साथ ही राज्य आपस में भी प्रतिस्पर्धा करें, इस प्रकार देश के विकास का एक संयुक्त अभियान शुरू हो।

2. **साझा राष्ट्रीय ऐजेंडा (Shared National Agenda):** इससे देश के विकास की प्राथमिकताओं एवं रणनीतियों के प्रति एक साझा 'विजन' विकसित होगा, राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ। इससे राष्ट्रीय ऐजेंडा की एक रूपरेखा बनेगी जिसका कार्यान्वयन प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री करेंगे।

3. **केन्द्र राज्यों का सच्चा मित्र (State's Best Friend at the Centre):** केन्द्र राज्यों को उनकी अपनी चुनौतियों का सामना करने में सहायता प्रदान करेगा, जो अनेक माध्यमों से संभव होगा, जैसे—मंत्रालयों के साथ समन्वय करके, केन्द्र में उनके विचारों को स्थापित करके तथा परामर्श सहयोग तथा क्षमता निर्माण के द्वारा।

4. **विकेन्द्रित नियोजन (Decentralised Planning) :** नये निकाय को नियोजन प्रक्रिया की पुनर्रचना करके इसे 'सतह-ऊर्ध्व मॉडल' के रूप में विकसित करना है, राज्यों को मजबूत बनाते हुए उन्हें नीचे की स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाने के लिए मार्गदर्शन करना है जिससे कि ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं के सूत्रण की एक प्रक्रिया विकसित की जा सके जिनका समाहार सरकार के उच्चतर स्तरों पर हो सके।

भारतीय सरकारी संस्थाओं की परिपक्वता के साथ ही उनके प्रकार्यों में विशेषज्ञता आती गई है। यहाँ इसीलिए यह आवश्यक हो गया है कि गवर्नेंस के 'रणनीति' तत्व को 'प्रक्रिया' तथा 'कार्यान्वयन' से अलग करके उसपर अधिक ऊर्जा लगाई जाए। सरकार के एक समर्पित 'थिंक टैंक' के रूप में नीति आयोग यह 'निदेशन' भूमिका निभाएगा, देश के भविष्य का निरूपण करेगा। यह विशेषज्ञतापूर्ण योग-रणनीतिक, प्रकार्यात्मक एवं तकनीकी-प्रधानमंत्री एवं सरकार (केन्द्र और राज्य सरकार) को देगा, ऐसे मुद्दों पर जो कि देश के विकास एजेंडा के लिए महत्वपूर्ण हों। यानी नया निकाय 'थिंक टैंक' के रूप में कार्य करेगा।

5. **दृष्टि एवं परिदृश्य नियोजन (Vision and Scenario Planning):** भारत के भविष्य के मध्यम तथा दीर्घकालीन रणनीतिक रूपरेखा का प्रकल्प (design) तैयार करना-योजनाओं, प्रक्षेत्रों, क्षेत्रों एवं समय से आगे-सभी संभव वैकल्पिक धारणाओं को शामिल करते हुए। यही 'राष्ट्रीय सुधार ऐजेंडा के चालक' हैं जो महत्वपूर्ण अंतरों की पहचान करके अब तक इस्तेमाल नहीं की गई क्षमताओं का पूरा-पूरा उपयोग करेंगे। इन्हें अपनी सफलता तथा उपादेयता के प्रति आंतरिक रूप से सचेत एवं गतिशील होगा और ऐसा वातावरण सृजित करना होगा जिसमें उभरती प्रवृत्तियों का समावेश किया जा सके और नयी चुनौतियों का उत्तर दिया जा सके।

इसका अर्थ एक मूलभूत बदलाव होगा। देश का पैसा कहाँ जाता है-इसके नियोजन से ऐसे नियोजन की ओर अंतरण जिसमें यह देखना है कि हम देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। इस नयी संस्था की स्थिति भारत सरकार तथा राज्य सरकारों की समस्त विकास गतिविधियों का समेकन करने की है, इसलिए यह इस उद्देश्य के सर्वथा उपयुक्त है।

6. **क्षेत्र रणनीति (Domain Stategies):** प्रक्षेत्रीय एवं अंतर-प्रक्षेत्रीय विशेषज्ञता एवं विशिष्टता का 'भंडार' निर्मित करके केन्द्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के विकास नियोजन तथा उनकी समस्याओं का समाधान करने में सहायता प्रदान करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। इससे सुशासन के सर्वोत्तम प्रचलनों (राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर) को, विशेषकर देश में व्यवस्थागत

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

सुधार एवं बदलाव के लिए अपनाने में मदद मिलेगी।

7. **ध्वनि-तख्ता (Sounding Board):** आंतरिक ध्वनि-तख्ता (intiouse sounding board) के रूप में सरकार की स्थिति को वस्तुनिष्ठ आलोचना एवं व्यापक प्रति-धारणाओं के माध्यम से गठन तथा परिष्कृत करना।

8. **विशेषज्ञाता का अंतरजाल (Network of Expertise):** सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों में बाहरी विचारों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के एक सहयोगी समुदाय के माध्यम से शामिल करना। इसक लिए सरकार का बाहरी दुनिया से जुड़ाव आवश्यक है, अकादेमिक जगत (विश्वविद्यालयों, थिंक टैंक, तथा शोध संस्थानों) निजी क्षेत्र विशेषज्ञता तथा व्यापक रूप में लोगों को नीति-निर्माण प्रक्रिया में संलग्न करना आवश्यक होगा-जैसा कि ऋग्वेद में कहा गया है, ''सभी दिशाओं से सद्विचारों के प्रवाह का हम स्वागत करें!''

9. **ज्ञान एवं नवाचार केन्द्र (Knowledge and Innovation Hub):** यह निकाय सुशासन पर शोध एवं सर्वोत्तम प्रचलनों का एक 'संग्राहक' (accumulator) तथा 'प्रसारक' (dioseminator) बने-एक आधुनिक संसाधन केन्द्र के माध्यम से, जो कि इनकी चिन्हित करे, विश्लेषण करे तथा उनकी प्रतिकृति (replication) को साझा करे। दस्तावेज में आगे दर्ज है-उत्तरोत्तर प्रौढ़ होती भारतीय जनता अपना ध्यान वास्तविक वितरण तथा परिणाम पर केन्द्रित कर दिया है। बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नयी संस्था को नियोजन एवं रणनीति निर्माण से आगे जाकर विकास ऐजेंडे का लागू करने की ओर भी ध्यान देना होगा। इसके लिए कार्यान्वयन को नियोजन प्रक्रिया के केन्द्र में लाना होगा, वास्तविक परिणामों, यथार्थ लक्ष्यों, समयबद्धता, सक्षम अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के माध्यम से। अर्थात् केवल नियोजन अथवा योजना-निर्माण की अवधारणा से 'कार्यान्वयन के लिए नियोजन' की ओर बढ़ना होगा। यह सरकारी तंत्र के लिए उत्प्रेरक का कार्य भी करेगी-अंतरों को पाटने, क्षमता बढ़ाने तथा अवरोधों को हटाने में।

10. **सुसंगतिकरण (Harmonisation):** सरकार ने विभिन्न स्तरों की प्रक्षेत्र कार्यवाहियों में सुसंगतता स्थापित करना, विशेषकर एक-दूसरे प्रक्षेत्र को प्रमाणित करने वाले मुद्दों के शामिल होने पर संचार, समन्वय, सहयोग एवं समस्त हितधारकों के अभिसरण के माध्यम से। बल इस बात पर कि विकास में एक समेकित एवं समग्र दृष्टिकोण पर सभी के बीच सहमति बने।

11. **संघर्षों का समाधान (Conflict Resolution):** अंतर-प्रक्षेत्रीय, अंतर-विभागीय, अंतर-प्रांतीय तथा केन्द्र-राज्यों के बीच पारस्परिक सहमति के एक मंच प्रदान करना और सबके हित में सर्वसम्मति का निर्माण करना। कार्यान्वयन के स्तर पर स्पष्टता एवं तीव्रता लाना।

12. **विश्व के साथ अंतरापृष्ठीय समन्वय (Coordinating interface with the world):** यह एक 'नोडल प्वाइंट' होगा कि भारत के विकास के लिए वैश्विक विषय विशेषज्ञता तथा संसाधनों का रणनीतिक इस्तेमाल किया जाए।

13. **आंतरिक परामर्शिता (Internal consultancy):** यह निकाय नीति एवं कार्यक्रम को डिजाइन करने में केन्द्र तथा राज्यों को आंतरिक परामर्शिता प्रदान करेगा जिनमें विकेन्द्रीकरण, लचीलापन तथा परिणामोन्मुखता पर विशेष बल होगा। इसमें सार्वजनिक-निजी भागीदारी की रचना तथा कार्यान्वयन संबंधी विशेष कुशलता भी शामिल होगी।

14. **क्षमता निर्माण (Capacity Building):** सरकार में क्षमता निर्माण तथा प्रौद्योगिकी स्तर उन्नयन के लिए तैयारी पर जोर दिया जाएगा, जो अद्यतन

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

वैश्विक प्रवृत्तियों तथा प्रबंधकीय एवं तकनीकी जानकारी पर आधारित होगा।

15. **अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (Monitoring and Evaluation):** यह नीतियों एवं कार्यक्रमों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करेगा, साथ ही उनके प्रभाव का मूल्यांकन भी कार्य-प्रदर्शन मैट्रिक्स तथा व्यापक कार्यक्रम मूल्यांकन के आधार पर करेगा। यह न केवल कमजोरियों एवं अवरोधों को चिन्हित कर उनका निदान करेगा, बल्कि आँकड़ा-संचालित (data driven) नीति-निर्माण के माध्यम से अधिक कार्यकुशलता तथा प्रभावकारिता को प्रोत्साहित करेगा।

मार्गदर्शक सिद्धांत (The Guiding Principle)

सरकारी दस्तावेजों में नयी संस्था के उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट हैं-अपने कामकाज को अंजाम देते हुए संस्था विकास के एक ऐसे 'विजन' से निर्देशित होगी जो समावेशी है, समत्वपूर्ण है तथा धरणीय है। संस्था को सशक्तीकरण की ऐसी रणनीति के साथ कार्य करना है जो कि मानवीय गरिमा तथा राष्ट्रीय आत्मसम्मान पर आधारित हो। दस्तावेज इसके लिए स्वामी विवेकानंद को उद्धृत करता है, ''हर किसी को उसके अपने उच्चतम आदर्शों के लिए संघर्ष करने को प्रेरित करना ......।'' नयी संस्था को एक ऐसे विकास मॉडल का अनुसरण करना है जो सर्वोन्मुखी व्यापक, समावेशी ओर समग्र हो।

अंत्योदय (Antyadaya): गरीबों, सीमांतों तथा पददलितों का उत्थान (दस्तावेज पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 'अंत्योदय' के विचार को उद्धृत करता है) को प्राथमिकता। विकास अपूर्ण तथा अर्थहीन है यदि यह मुख्यधारा से सबसे दूर खड़े व्यक्ति का स्पर्श नहीं करता। गरीबी से भयानक और दु:खदायी दूसरी कोई चीज नहीं (जैसा कि कवि तिरुवल्लुर ने कहा था)।

समावेश (Inclusion): भेद, असुरक्षित एवं सीमांत वर्गों का सशक्तीकरण तथा पहचान आधारित हर प्रकार का भेदभाव-लिंग, क्षेत्र, धर्म, जाति, वर्ग आदि का निराकरण समावेशिता के महत्व को रेखांकित करता है। दस्तावेज में शंकर देव के कथन को उद्धृत कर इसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है, ''हर जीव को अपनी आत्मा के समतुल्य देखना सर्वोच्च साधन (मोक्ष प्राप्त करने का) हैं।'' गरीबों को भी अपना भाग्य-निर्माता बनने का पूरा अधिकार है, और राष्ट्र के विकल्पों के चुनाव में उनका भी समान प्रभाव होना चाहिए।

गाँव (Village) : विकास प्रक्रिया से गाँवों को जोड़ना; अपने लोकाचार व संस्कृति की तलशिला की जीवन-शक्ति एवं ऊर्जा का उपयोग।

जनसंख्यात्मक लाभ (Demographic Dividend) : अपनी सबसे बड़ी पूँजी, भारत के लोगों की क्षमता का उपयोग, उनकी शिक्षा, कौशल विकास एवं सशक्तीकरण के माध्यम से, उन्हें उत्पादक आजीविका अवसर उपलब्ध कराकर।

जन-सहभागिता (People's Participation): विकास प्रक्रिया को जन-चालित बनाने के लिए एक जागृत एवं सहभागी नागरिकों को सुशासन का वास्तविक चालक बनाना। इसके लिए हमारे विस्तारित परिवार के अंग अप्रवासी भारतीयों को शामिल करना जो दुनिया भर में फैले हैं, जिनकी भू-आर्थिक एवं भू-राजनीतिक शक्ति महत्वपूर्ण है और उसका उपयोग भारत के विकास में किया जाना चाहिए।

अभिशासन (Governance): एक खुले, पारदर्शी, उत्तरदायी, तत्पर तथा उद्देश्यपरक अभिशासन की स्थापना जो 'लागत से उत्पादन से परिणाम' की ओर अंतरित एवं एकाग्र हो।

धरणीयता (Sustainability): नियोजन एवं विकास प्रक्रिया के केन्द्र में धरणीयता हो जो कि पर्यावरण के प्रति सम्मान की भारी प्राचीन परम्पराओं पर आधारित हो।

नीति आयोग की संरचना (Structure of NITI Aayog)

आयोग एक कृश संगठन (leen organisation) होगा जिसे विशेषज्ञता के संजाल के रूप में संदर्भित किया गया हो, जो प्रकार्यता, नमनीयता तथा विषय क्षेत्र के ज्ञान पर आधारित हो। इसकी निम्नलिखित 'संरचना' एवं प्रक्रियाएँ होंगी:

(i) **अध्यक्ष (Chairman):** भारत के प्रधानमंत्री

(ii) **प्रशासी परिषद:** सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा संघीय क्षेत्रों के उप-राज्यपाल

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(iii) **क्षेत्रीय परिषदें:** इनका गठन ऐसे विशिष्ट मुद्दों के समाधान के लिए दिया जाएगा जो दो से अधिक राज्यों अथवा क्षेत्रों को प्रभावित करते हों। आयोग में नियोजन राज्य स्तर से शुरू होगा जिसमें कि प्रधानमंत्री द्वारा आहूत क्षेत्रीय परिषदें प्राथमिकता के क्षेत्रों को चिन्हित करेंगी और जो राज्यों के संबंधित उप-समूहों (जिनका समूहन भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक समानताओं के आधार पर किया जा सकता है) तथा केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ संयुक्त रूप से नेतृत्व करेंगी। क्षेत्रीय परिषदों की निम्न विशेषताएँ होंगी:

(a) एक निश्चित कालावधि होगी जिसमें रणनीति बनाने तथा कार्यान्वयन को देखने का दायित्व होगा।

(b) इसके प्रमुख मुख्यमंत्री समूह में से कोई एक मुख्यमंत्री (चक्रीय आधार पर) तथा उससे संबंधित केन्द्रीय मंत्री संयुक्त रूप से होंगे।

(c) इसमें प्रक्षेत्रीय केन्द्रीय मंत्री तथा सचिवगण तथा राज्यमंत्री एवं संबंधित सचिवगण होंगे।

(d) यह संबंधित विषय विशेषज्ञ एवं अकादेमिक संस्थानों से जुड़ी रहेगी।

(e) आयोग मुख्यालय में इसका एक सहायक सेल (support cell) होगा।

(iv) **विशेष आमंत्रित (Special Invitees):** विशेषज्ञ, अभ्यासकर्ता जिनको विषय विशेष में सुविज्ञता प्राप्त हो, प्रधानमंत्री द्वारा नामित विशेष आमंत्रितों में शामिल होंगे।

(v) **पूर्णकालिक सांगठनिक रूपरेखा (Full time organisational framework):** प्रधानमंत्री के अध्यक्ष होने के अतिरिक्त इसमें निम्नलिखित होंगे:

(a) **उपाध्यक्ष (Vice-chairman):** प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त।

(b) **सदस्य (Members):** सभी पूर्णकालिक।

(c) **अंशकालिक सदस्य (Part-time Members):** अधिकतम 2, जो कि शीर्ष विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों आदि से 'पदेन' हैसियत में नियुक्त किए जाएँगे। ये सदस्य चक्रीय आधार पर नियुक्त होंगे।

(d) **पदेन सदस्य (Ex-officio Members):** अधिकतम 4 सदस्य जो कि मंत्रिपरिषद में से प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएँगे।

(e) **मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (Chief Executive Officers):** प्रधानमंत्री द्वारा निश्चित कार्यावधि के लिए नियुक्त, भारत सरकार के सचिव के समकक्ष की हैसियत।

(f) **सचिवालय (Secretariat):** आवश्यकतानुसार।

आयोग की विशेषज्ञ शाखाएँ (Specialised Wings in the Ayog)

आयोग के अंतर्गत अनेक विशेषज्ञ शाखाएँ होंगी:

(i) **शाखा (Research Wing):** यह अंत:गृह प्रक्षेत्रीय विशेषज्ञता (in-house sectoral expertise) विकसित करेगी, जिसमें शोध विषय विशेषज्ञ तथा विद्वान रहेंगे।

(ii) **परामर्शी शाखा (Consultancy Wing):** यह केन्द्र एवं राज्य सरकारों, के उपयोग के विशेषज्ञता एवं निधियन (funding) का एक ऐसा बाजार उपलब्ध करायेगी, उनकी जरूरतों के हिसाब से हल सुझाने के लिए सार्वजनिक एवं निजी तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समाधानकर्ता होंगे। नीति आयोग स्वयं सभी सेवाएँ देने के स्थान पर मिलानकर्ता की भूमिका में होगा और प्राथमिकता वाले मामलों में अपने संसाधनों पर एकाग्र होगा, जबकि शेष के लिए मार्गदर्शन एवं 'क्वालिटी-चेक' प्रदान करेगा।

(iii) **टीम इंडिया शाखा (Team India Wing):** इसमें प्रत्येक राज्य, मंत्रालय तथा सेवा के प्रतिनिधि होंगे तथा यह राष्ट्रीय सहयोग के

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

एक स्थाई मंच के रूप में कार्य करेगा। प्रत्येक प्रतिनिधि:

(a) सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक राज्य/मंत्रालय की आयोग में निरंतर उपस्थिति एवं सहभागिता है,

(b) राज्य/मंत्रालय तथा आयोग के बीच एक प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करेगा-विकास से जुड़े सभी मामलों पर समर्पित सम्पर्क-अंतरापृष्ठ (dedicated liaison interface) के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए।

एक राष्ट्रीय 'धुरी-अर' (Hub-spoke) संस्थागत मॉडल विकसित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक राज्य तथा मंत्रालय को समर्पित 'दर्पण-संस्थान' (mirror-institution) विकसित करने के लिए कहा जाएगा जो कि संवाद और अंत:क्रिया के लिए अंतरापृष्ठ की तरह काम करें। ये संस्थाएँ बदले में विशेषज्ञता का स्वयं अपना संजाल राज्य एवं मंत्रालय के स्तर पर विकसित करेंगी। नीति आयोग केन्द्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के साथ निकट सहयोग, परामर्श तथा समन्वय स्थापित कर कार्य करेगा। यह केन्द्र एवं राज्य सरकारों को अपनी अनुशंसाएँ भेजेगा जबकि कार्यान्वयन की जिम्मेदारी उनकी होगी।

सुशासन का वाहक (Vehicle of Good Governance)

आयोग से सुशासन की महत्वपूर्ण जरूरतों की पूर्ति की अपेक्षा की जाती है जो कि जन-केन्द्रित, सहभागितापूर्ण, सहयोगी, पारदर्शी तथा नीतिचालित हो। यह विकास प्रक्रिया को महत्वपूर्ण निदेशात्मक तथा संस्थागत योग (input) प्रदान करेगा, जो वितरण योग्य वस्तुओं एवं परिणामों पर एकाग्र होगा। यह और इसके अतिरिक्त नये विचारों को प्रसारित करना आयोग का मूल लक्ष्य होगा। अंत में दस्तावेज चाणक्य को उद्धृत करते सुशासन की अनिवार्यता को रेखांकित करता है, "किसी राष्ट्र के वैभव, सुख एवं प्रसन्नता के मूल में सुशासन है।"

इस प्रकार नीति आयोग विचार न केवल नवाचारी है बल्कि आज की परिस्थितियों में प्रासंगिक और नया भी है, 'प्रसन्नता' के नये उभरते विचार एवं जरूरत के अनुरूप (जैसा कि संयुक्त राष्ट्र के 'विश्व प्रसन्नता प्रतिवेदन' में प्रायोजित किया गया है)। यह भारत की संस्कृति एवं लोकाचार का विकास मॉडल में समावेशित करने की माँग करता है-सूक्ष्म रूप से वृद्धि एवं विकास के मुद्दे को भारतीय जनता के 'व्यवहार संबंधी' आयामों से जोड़ता है (और यह विश्व बैंक के हाल के प्रस्ताव के अनुरूप है जो कि विश्व विकास प्रतिवेदन 2015 में उल्लिखित है)। हम ऐसे कुछ चमकते 'सितारे' नयी गठित संस्था में देखते हैं जिनका विश्लेषण और चर्चा बार-बार विश्लेषकों, विशेषज्ञों तथा विद्वानों द्वारा भविष्य में की जाएगी। अंत में हम निष्कर्ष दे सकते हैं कि पूर्व की संस्था योजना आयोग जिन कुछ उद्देश्यों के लिए बनाई गई थी वे पुराने समय के हिसाब से ठीक थे लेकिन आज के समय की जरूरत है हम उस विरासत को एक नये स्तर पर ले जाएँ जहाँ कि हम नये भारत का निर्माण कर सकें, जहाँ कि देश के प्रत्येक नागरिक की ऊर्जा और क्षमता का सार्थक उपयोग कर सकें जो कि पूरी दुनिया के लिए भी सुलभ हो (भूमंडलीकरण के विचार की संगति में)।

हाल ही में हुए परिवर्तन (RECENT DEVELOPMENTS)

नियतम (Niyatam)

नीति आयोग को एक 'साझे राष्ट्रीय ऐजेंडा' (shared national agenda) पर कार्य करना है जिसकी रीढ़ 'सहकारी संघवाद' है। राष्ट्रीय विकास ऐजेंडा को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों की प्रशासनिक एवं वैधानिक सरंचना का समन्वय आवश्यक होगा। अभिशासन (governance) के मामले में राज्यों की स्थिति सराहनीय नहीं रही है (जैसा कि 10वीं पंचवर्षीय योजना द्वारा 2002 कहा गया है)। इस मामले में 'नियतम' (Niyatam) एक प्रभावी पहल माना जा रहा है। वर्ष 2015-16 के उत्तरार्द्ध में नीति आयोग द्वारा नियतम (NITI Initiative to Yield Aspirational Targets and Actionable Means) की पहल की गयी जिसके अंतर्गत आयोग राज्यों से जुड़े निम्न 6 मुद्दों पर सक्रिय रूप से संलग्न है:

1. **सरकार का आकार (Size of the Government):** प्रशासनिक दक्षता एवं प्रभावशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकारी विभागों की सरंचना को कम करके महत्तम्

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

20 तक करना। वैसे सरकारों के आकार को लोक सभा एवं विधान सभाओ के सदस्यों के 15 प्रतिशत (महत्तम्) तक ही होना तय है (91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2003), वर्तमान में कई राज्य सरकारों में मंत्रालयों एवं विभागों की संख्या कहीं अधिक है।

2. **योजनाओं का युक्तिकरण (Rationalisation of Schemes):** राज्यों एवं केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का युक्तिकरण ताकि राज्यों को अधिक राजस्व प्रदान किया जा सके (14वें वित्त आयोग की सिफारिश के मद्देनजर) और राज्य अपने बजट को बेहतर बना सकें।

3. **विकास प्रबोधन (Development Monitoring):** इसके अंतर्गत राज्यों की विकास प्रक्रिया का प्रबोधन किया जाना तय है। प्रबोधन के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जल, बिजली, मोबाईल पहुंच जैसे संकेतकों के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। इन आंकड़ों का अंतर-राज्यीय तुलना के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत राज्यों के प्रबोधन में ही उपयोग होगा।

4. **जिला नियोजन (Distric Planning):** जिलों की मजबूतियों एवे कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए उनके नियोजन की व्यवस्था करना ताकि उनके विकास की प्रक्रिया में सार्वजनिक एवं निजी सहभागिता का सही समन्वय किया जा सके।

5. **परिणाम फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट (Result Frame-work Document):** प्रखंड स्तर (Block level) पर परिणम फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट की स्थापना करना ताकि दो उद्देश्यों की पूर्ति हो सके-***प्रथम***, प्रक्रिया-उन्मुखता (Process-Orientation) के 'फोकस' को परिणाम-उन्मुखता (result-orientation) में बदलना तथा ***द्वितीय***, वर्ष के अंत में निष्पादन के मूल्यांकन के लिए वस्तुपरक आधार का विकास किया जा सके।

6. **वैधानिक सुधार (Legal Reforms):** सरकारी काम-काज को दक्ष (efficient) बनाने के लिए वैधानिक सुधारों को बढ़ावा देना। इनके अंतर्गत पुराने कानूनों को निरस्त करने, बचे कानूनों को तार्किक बनाना तथा नये क्षेत्रों के लिए नये नियम-कानूनों का निर्माण जैसे कार्य शामिल करना हैं।

विश्लेषकों के अनुसार, विकास के राष्ट्रीय ऐजेंडा से जुड़े लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ***नियतम*** पहल एक महत्वपूर्ण कदम है।

नीति आयोग का एक्शन ऐजेंडा (Action Agenda of NITI Aayog)

नीति आयोग ने मई 2016 से - 15-वर्षीय विजन' डॉक्यूमेंट पर करना प्रारंभ किया जिसके अंतर्गत एक '7-वर्षीय कार्यनीति' एवं '3-वर्षीय एक्शन ऐजेंडा' भी शामिल हैं। 'तीन वर्षीय कार्यवाही' डॉक्यूमेंट का प्रकाशन सबसे पहले किया गया (इसके महत्व को प्राथमिकता देते हुए) जिस पर अमल प्रारंभ हो चुका है।

उत्तरोत्तर उदार हो रही अर्थव्यवस्था, पिछले दशकों के अनुभव एंव बदलती वैश्विक आर्थिक गतिजता के मद्देनजर देश की विकास प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए नये ***उपकरणों*** (tools) एवं ***दृष्टिकोणों*** (approaches) की आवश्यश्कता है (पंचवर्षीय योजनाएं इन वास्तविकताओं के प्रति उतनी संवेदनशील नहीं रह गयी थीं)। केन्द्र, राज्य एवं अन्य हितधारकों (stakeholders) के मध्य हुए विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत नीति आयोग द्वारा 'तीन वर्षीय कार्यवाही ऐजेंडा' को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें कुल 7 भाग एवं 24 अध्याय हैं। इस प्रारूप पत्र का[105] एक संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

राजस्व एवं व्यय (Revenue and Expenditure)

इसमें केन्द्र सरकार के लिए एक 'मध्यावधि व्यय की रूपरेखा' (Medium Term Expenditure Framework)

105. *Draft Three Year Action Agenda (2017-18 to 2019-20)*, NITI Aayog, PMO, N. Delhi, 23rd April, 2017.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

का विवरण हैं। राजस्व के पूर्वानुमानों के आधार पर इसमें क्षेत्रवार व्यय आवंटन का प्रस्ताव है।

इसके अंतर्गत वर्ष 2019-20 तक राजकोषीय घाटे को जी.डी.पी. के 3% एवं राजस्व घाटे को जी.डी.पी. के 0.9% तक घटाने का प्रस्ताव है।

अतिरिक्त राजस्व को उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर व्यय करने की सलाह दी गयी है, जैसे-स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ग्रामीण विकास, प्रतिरक्षा रेलवे, सड़क एवं अन्य पूंजीगत व्यय।

कृषि (Agricultue)

- किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुनी करना।
- कृषि उत्पादों से किसानों की लाभकारी आमदनी हो इसके लिए कृषि उत्पाद के विपणन (marketing) में सुधार।
- सिंचाई सुधार, तेज बीज विकास एवं बदलाव तथा 'प्रिसीजन कृषि' (precision agriculture) के माध्यम से कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना।
- कृषि क्षेत्र के लिए एक अलग 'रोड मैप' भी तैयार किया गया है (नीति आयोग के सदस्य रमेश चांद द्वारा)।

उद्योग एवं सेवाएं (Industry and Services)

- इन क्षेत्रों के लिए व्यापक (overarching) कार्य बिन्दुओं (action points) का चयन किया गया है।
- निर्यात संवर्द्धन एवं उच्च उत्पादकता वाले रोजगार के सृजन के लिए 'तटीय रोजगार क्षेत्रों' (Coastal Employment Zones) के निर्माण की सलाह।
- संबद्ध कानूनों में सुधार करके लचीले श्रम-बाजार का निर्माण।
- विशेष क्षेत्रों के लिए कार्य बिन्दुओं की सलाह, यथा-कपड़ा, चमड़ा और जूता, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, रहन एवं आभूषण, पर्यटन, वित्त एवं रियल एस्टेट।

शहरी विकास (Urban Development)

भूमि के मूल्यों में कमी करना ताकि ज्यादा शहरी भूमि के द्वारा सस्ते आवास (affordable houses) की व्यवस्था हो सके। इसके लिए निम्न चार बिन्दुओं पर कार्य करना तय किया गया है:

1. भूमि परिवर्तन (Conversion) संबंधी लचीले कानून की व्यवस्था,
2. रुग्ण (sick) इकाईयों (सरकारी एवं निजी कंपनियों) के भूमि को अन्य उपयोग में लाने की व्यवस्था,
3. जहां भी संभव हो भूमि को शहरी भूमि के रूप में उपलब्धता की व्यवस्था, तथा;
4. फ्लोर स्पेस (floor space) संकेतक को उदार बनाना।

इसके अतिरिक्त इस दिशा में कुछ अन्य प्रमुख बिन्दुओं पर भी कार्य करने का प्रस्ताव है:

- किराया नियंत्रण (rent control) कानून में 'मॉडल टेनेंसी एक्ट' की तर्ज पर सुधार करना।
- कई बिस्तर वाले (dormitory) आवास को बढ़ावा देना।
- शहरी भूमि के स्वामित्व में सुधार।
- नगर परिवहन एवं कचरा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना।

प्रादेशिक रणनीति (Regional Strategy)

- निम्न प्रदेशों के विकास पर केन्द्रित कार्य योजना:
  - (i) पूर्वोत्तर प्रदेश,
  - (ii) तटीय एवं द्वीप प्रदेश,
  - (iii) उत्तर हिमालयी राज्य प्रदेश, एवं
  - (iv) रेगिस्तान एवं सूखा संभावित प्रदेश।

परिवहन एवं डिजीटल संपर्क (Transporation and Digital Connectivity)

- सड़क, रेल, नौपरिवहन एवं बंदरगाह, अंतर्देशीय जलमार्ग तथा नागरिक उड्डयन की आधारभूत संरचना का मजबूतीकरण।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

- 'अंतिम मील' (Last mile) के डिजीटल संपर्क को सुनिश्चित करना ताकि ई-अभिशासन (e-governance) एवं वित्तीय समेकन की व्यवस्था हो सके। इसके लिए बुनियादी ढांचे के मजबूतीकरण के साथ-साथ भुगतान सरंचना में सरलीकरण एवं साक्षरता जैसे मदों पर बल देने की सलाह।
- इस क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) को बढ़ावा देने पर बल। इसके लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (IIFCL) को पुर्वोन्मुख करने, सस्ते ऋण उपादनों की व्यवस्था करने तथा राष्ट्रीय आधारभूत निवेश कोष (NIIF) के संचालन की सलाह दी गयी है।

ऊर्जा (Energy)

- वर्ष 2022 तक सभी घरों में बिजली, गरीबी रेखा के नीचे के सभी घरों में एल.पी.जी. की आपूर्ति करना, वर्ष 2022 तक 'ब्लैक कार्बन' (Black Carbon) का उन्मूलन तथा 100 स्मार्ट शहरों में गैस वितरण उपलब्धता जैसे उपभोक्ता-अनुकूल कार्यक्रम के संचालन पर ध्यान दिया जाना है।
- उद्योगों को प्रतिस्पर्द्धी मूल्यों पर बिजली की आपूर्ति करने के उद्देश्य से बिजली की क्रॉस सब्सिडी (cross subsidy) में कमी करना।
- कोयला क्षेत्र के लिए एक नियामक (regulator) की व्यवस्था करना तथा कोयले के व्यावसायिक खनन (commercial minning) को बढ़ावा देना तथा श्रम उत्पादकता में सुधार।

विज्ञान एवं तकनीक (Science and Technology)

- सरकारी योजनाओं का व्यापक 'डाटाबेस' तैयार करना तथा उनके मूल्यांकन द्वारा उनमें आवश्यक सुधार करना।
- शिक्षा एवं उद्योगों में मांग के आधार पर अनुसंधान करने के लिए क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) के दिशा-निर्देश का विकास करना ताकि उद्योग एवं शिक्षा जगत के बीच एक बेहतर संपर्क स्थापित किया जा सके।
- 'चैनल एस. एंड टी.' (Channel S & T) को विकास की चुनौतियों के समाधान के लिए उपयोग में लाना - शिक्षा की उपलब्धि, कृषि उत्पादकता में सुधार एवं अवशिष्ट जल प्रबंधन (waste-water management)।
- राष्ट्रीय समस्याओं की पहचान एवं उनके समाधान के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय विज्ञान, तकनीक एवं अण्वेषण फाउंडेशन (NSTIF) के स्थापना की सलाह।
- पेटेंट व्यवस्था में सुधार करना।

अभिशासन (Governance)

- सरकारी गतिविधियों का पुनर्अंशांकन (re-calibration) ताकि इसकी भूमिका सार्वजनिक प्रावधानों से जुड़े क्षेत्रों में बढ़ायी जा सके और गैर-सार्वजनिक प्रावधानों में घटायी जा सके।
- घाटे में चल रहे चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को बंद करना तथा निर्धारित किए गए 20 ऐसे उपक्रमों का रणनीतिक विनिवेश (Strategic disinvestment) करना।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के क्षेत्र में सरकार की भूमिका को बढ़ाना।
- बेहतर मानव संसाधन प्रबंधन द्वारा सिविल सेवाओं का मजबूतीकरण, ई-अभिशासन, सचिवों के कार्यकाल से जुड़ी विसंगितियों पर ध्यान देना तथा वैशेषिकता (specialisation) को बढ़ाते हुए इन सेवाओं में पार्श्व (lateral) प्रवेश की व्यवस्था करना।

कराधान एवं विनियमन (Taxation and Regulation)

- कर की चोरी रोकने तथा कर के आधार को विस्तृत करने संबंधी सुधार करना। उदाहरण के लिए, वर्तमान सीमा शुल्क दरों को एकीकृत (unified) करना।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

- सभी क्षेत्रों से जुड़ी सरकारी विनियमन व्यवस्था की व्यापक समीक्षा तथा सुधार करके प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए एक संस्थानिक व्यवस्था की स्थापना करना।
- सार्वजनिक खरीद (procurement) को मजबूतीकृत करना।

कानून का नियम (Rule of Law)

- व्यापक वैधानिक सुधारों पर बल, जिनमें अधिक-से-अधिक सूचना एवं संचार तकनीक का इस्तेमाल शामिल हो साथ ही सरंचनात्मक निष्पादन मूल्यांकन एवं वैधानिक कार्यभार को कम करने पर बल हो।
- राज्यों की पुलिस व्यवस्था से जुड़े विधायी, प्रशासनिक एवं परिचालन संबंधी सुधारों की सलाह।

शिक्षा एवं कौशल विकास (Education and Skill Development)

- मौलिक ज्ञानार्जन को ध्यान में रखकर स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर बल।
- आगत-आधारित (input-based) मूल्यांकन व्यवस्था से उत्पादन-आधारित (output-basd) मूल्यांकन व्यवस्था की तरफ अग्रसर होना।
- हर क्षेत्र में 'आउटकम' की 'रैंकिंग' (ranking)।
- शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं संचार तकनीक का न्याय संगत उपयोग करना।
- आठवीं कक्षा तक स्वतः पदोन्नति (automatic promotion) की नीति की पुनः समीक्षा करना।
- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के लिए कतारीय (tiered) विनियमन की व्यवस्था जिसमें शीर्षस्थ विश्वविद्यालयों को अधिकांश स्वायत्तता देने की व्यवस्था हो।
- 'विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय' योजना के अंतर्गत सरकारी विश्वविद्यालयों में उचित निवेश करना।

स्वास्थ्य (Health)

- सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में सरकारी व्यय को बढ़ाने पर बल तथा इसके लिए समर्पित कार्य बल की व्यवस्था एवं जिला स्तर पर इससे जुड़े आंकड़ों को 'यूनिफॉर्म' (uniform) बनाना।
- स्वास्थ्य के लिए एक मॉडल मानव संसाधन नीति का निर्माण तथा प्राथमिक स्तर पर कार्य करने वाले नर्सों एवं आयुष कार्मिकों के लिए एक तीन-वर्षीय 'ब्रिज कोर्स' (bridge course) का विकास करना।
- इंडियन मेडिकल काउंसिल (IMC) अधिनियम तथा होम्योपैथिक एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति से जुड़े अधिनियमों में सुधार करना।
- राष्ट्रीय पोषण मिशन (NNM) की शुरूआत के साथ-साथ व्यापक पोषण सूचना व्यवस्था (NES) का विकास करने की सलाह।

समावेशी समाज का निर्माण (Building Inclusive Society)

- महिलाओं, बच्चों, युवाओं, अल्संख्यकों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों, ओबीसी, विकलांगों एवं वयोवृद्ध नागरिकों के कल्याण में वृद्धि करना।
- देश में महिलाओं की प्रस्थिति (Status) की जानकारी के लिए एक 'सामाजिक लिंग-आधारित सूचकांक' (Composite gender-based index) का विकास करना।
- कौशल-आधारित शिक्षा एवं पाठ्येत्तर गतिविधियों को स्कूली पाठ्यक्रम का अभिन्न एवं अनिवार्य अंग बनाना तथा लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए अण्वेषण-आधारित नकद हस्तांतरण योजनाओं का निर्माण करना।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

पर्यावरण एवं जल संसाधन (Environment and Water Resources)

- सतत्ता (sustainability) पर ध्यान देते हुए विनियमन संरचना को कारगर/सरल (streamline) बनाना एवं उच्च वृद्धि को प्रोत्साहित करना।
- शहरों के वायु प्रदूषण के समाधान के लिए उचित कदम उठाना।
- निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई तथा वृक्षों के स्थानांतरण संबंधी नीतियों की समीक्षा।
- भूमिगत जल के प्रबंधन को बेहतर करके तथा विशिष्ट औद्योगिक इकाईयों के लिए 'स्मार्ट' वॉटर मीटर की व्यवस्था करके जल के संपोषणीय इस्तेमाल को बढ़ावा देना। इस दिशा में उपयुक्त पर्यावरणीय विनियमन की व्यवस्था करना।

नीति आयेग का 'एक्शन ऐजेंडा' व्यवहार्य (actionable) होने के साथ-साथ आकांक्षीय (aspirational) भी हैं। हालांकि इस ऐजेंडा का निष्पादन देश की संघवादी परिपक्वता पर निर्भर करेगा लेकिन भविष्य के नीति सुधारों के लिए यह एक शैक्षणिक आधार की तरह कार्य करेगा। वर्तमान में नीति आयोग 'पंद्रह वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट' एवं 'सात वर्षीय स्ट्रटैजी फ्रेमवर्क' के निर्माण में संलग्न है जिनका प्रकाशन कभी भी संभव है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

अध्याय 6

आर्थिक सुधार
(ECONOMIC REFORMS)

*दूसरे कई देशों में चल रहे सुधारों के मुकाबले भारत के सुधार कार्यक्रम की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसका जोर तेजी से पुनर्गठन या 'शॉक थेरेपी' के बजाय उत्तरोत्तर विकास और विकासवादी परिवर्तन पर रहा है। ये उत्तरोत्तर सुधार अक्सर देश के अंदर और बाहर सुधारों की बात करने वाले अधीर अधिवक्ताओं की प्रतिकूल टिप्पणी का विषय रहे हैं।**

इस अध्याय में

- ❏ प्रस्तावना
- ❏ आर्थिक सुधार
- ❏ भारत में आर्थिक सुधार
- ❏ उदारीकरण
- ❏ निजीकरण
- ❏ वैश्वीकरण
- ❏ आर्थिक सुधारों की पीढ़ियां
- ❏ सुधारों का दृष्टिकोण

** जून 1993 में लंदन स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मर्टन कॉलेज में 'भारत के आर्थिक सुधारों' पर संगोष्ठी में उद्घाटन भाषण देते हुए मोंटेक सिंह अहलूवालिया।*

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

प्रस्तावना (INTRODUCTION)

1991 में आरंभ हुए आर्थिक सुधार आज 25वें वर्ष में है। इस पूरे दौर में शायद ही कोई ऐसा दिन बीता हो जबकि इस विषय पर कोई समाचार, समाचार विश्लेषण, अथवा लेख आदि प्रकाशित न हुए हों। इसी बीच भारत में आर्थिक सुधारों पर कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हुईं जिन्हें भारत तथा विदेश के कुछ सबसे महत्वपूर्ण अर्थशास्त्रियों एवं अर्थशास्त्र के जानकारों ने लिखा। तब भी अनेक विद्यार्थी, विशेषकर वे जो अर्थशास्त्र की पृष्ठभूमि से नहीं आते, अब भी आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के लाभ-हानि को लेकर विभ्रम में रहते हैं।

आर्थिक सुधार (ECONOMIC REFORMS)

सामान्यतया आर्थिक सुधार का तात्पर्य प्रक्रिया से लगाया जाता है जिसमें किसी अर्थव्यवस्था में सरकार राज्य की भूमिका को सीमित करती है जबकि निजी क्षेत्र की भूमिका को विस्तारित करती है। इसलिए अब हम आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को लेखक की विद्यार्थियों के साथ कक्षा में चर्चा-संवाद के आधार पर समझें। आर्थिक सुधार को किसी अर्थव्यवस्था में नीतिगत परिवर्तन के तौर पर देखना श्रेयस्कर होगा जिसमें एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था की ओर अथवा ***'वैकल्पिक विकास रणनीतियों'*** की ओर संक्रमण होता है। अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था के कार्य-प्रदर्शन में अंतरों का कारण वास्तव में उनके द्वारा अपनाई गई रणनीतियों में अंतर अथवा भिन्नता को मानते हैं। विकास की रणनीतियाँ विभिन्न देशों द्वारा प्रयास एवं त्रुटि की लम्बी अवधि में गुजरकर विकसित होते हैं, और रणनीतियों का अंतर का कारण अलग-अलग विचारधाराएँ हैं जिनके आधार पर रणनीतियाँ बनाई जाती हैं। लेकिन वास्तव में यह प्रक्रिया एक शैक्षिक दौरे की तरह होती है। भारत के संदर्भ 'आर्थिक सुधार' पदावली अथवा इससे संबंधित विभ्रमों की स्पष्टता के लिए हमें 'विभिन्न विकास रणनीतियों' पर गौर करना चाहिए जो कि समय के साथ विकसित हुई हैं। एक संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:

1. योजना मॉडल (Planning Model)

सोवियत संघ के उत्थान तक यूरो-अमेरिकी देशों में पूँजीवादी तरीके की विकास रणनीति अपनाई जाती थी। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में 'अहस्तक्षेप' के सिद्धांत का पालन किया जाता था और इसमें निजी क्षेत्र की ही प्रमुख भूमिका होती थी। जब सोवियत संघ में आर्थिक नियोजन मॉडल को अपनाया गया (जिसका अनुकरण पूर्वी यूरोप के साथ ही चीन ने 1949 में किया), तब अधिकतर विकासशील देशों ने अपनी स्वतंत्रता की उपलब्धि के पश्चात् समाजवाद के विचार से प्रभावित होकर नियोजित विकास का रास्ता अपनाया। इन देशों की सरकारों ने नियोजित विकास में केन्द्रीय भूमिका हाथ में ली। चूँकि इनके यहाँ अर्थव्यवस्था में विदेशी उपनिवेशवादी प्रभावी थे, इसलिए उन्हें डर था कि यदि वे अपनी अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए खोलेंगे तो एक नई प्रकार की अधीनता में फँस जाएँगे - बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के चंगुल में। यही कारण है कि ऐसे ज्यादातर देशों ने 'संरक्षणवादी आर्थिक नीति' (Protectionist Economic Policy) अपनाई जिसमें ***आयात प्रतिस्थापन*** का सहारा भी लिया गया। लेकिन 1970 के दशक तक दुनिया को इस बात के ठोस प्रमाण मिलने लगे थे कि समाजवादी अथवा नियोजित अर्थव्यवस्थाएँ[1] अपनी किस्म की विकास रणनीतियों के प्रति इसलिए आकृष्ट थीं कि या तो उनके यहाँ वृद्धि दर धीमी अथवा निम्न थी, या फिर वे ठहराव का शिकार हो रही थीं। इस अनुभवों ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया जिसे सामान्यतया ***'वाशिंगटन सहमति'*** (Washington Consensus) के नाम से जाना जाता है।

1. There were many developing non-socialist countries which also accepted the economic planning as their development strategy (France should not be counted among them as it was a developed economy by then). These countries were following the 'mixed economy' model, but their form was closer to the command economies, i.e., the state economy or the socialist economy.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

2. वाशिंगटन सहमति (Washington Consensus)

1980 के दशक तक एक नई विकास रणनीति अस्तित्व में आई। हालाँकि यह कोई एकदम नया विचार नहीं था, बल्कि उस पुराने विचार की तरह था जो कि नये विचार की विफलता के बाद दोषमुक्त मान लिया गया हो। जब दुनिया ने राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था की सीमाओं को समझा, बाजार के पक्ष में नये तर्क गढ़े जाने लगे, अर्थात् निजी क्षेत्र को व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया जाने लगा। अनेक देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को दूसरी अति की ओर ले जाने को उद्धृत हुए क्योंकि अर्थव्यवस्था में अब वे राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप चाहते थे। समाजवादी तथा नियोजित अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों से यह अपील की जाने लगी कि वे निजीकरण तथा उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू करें और इसके लिए राज्य के स्वामित्व वाली कम्पनियों को निजी हाथों में बेचें, साथ ही अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप को बिल्कुल समाप्त कर दें। इन देशों को यह सलाह भी दी जाने लगी कि वे ऐसे उपाय करें जिससे उनकी अर्थव्यवस्थाओं में माँग पैदा हो ***(यानी वृहत अर्थशास्त्री स्थिरीकरण उपाय)***। इस प्रकार की विकास रणनीति की रूपरेखा को मोटे-तौर पर '***वाशिंगटन सहमति***'[2] के नाम से जाना जाता है।

इस सहमति को मोटे-तौर पर 'आर्थिक सुधार' के रूप में जाना जाता है जिसका अनुसरण 1980 के दशक में लगभग सभी समाजवादी, साम्यवादी तथा नियोजित विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने किसी न किसी रूप में[3] अनुसरण किया। इसी दौर में आर्थिक सुधार की शब्दावली चलन में आई। इसे शुरू में 'नंगे पूँजीवाद' के प्रोत्साहन के रूप में देखा गया जिसमें अर्थव्यवस्था खुले तथा विदेशी निवेश के प्रति भी एक खुलापन आया। विकासशील देशों की सरकारों को अपने यहाँ विपक्ष की तीखी आलोचना झेलनी पड़ी कि वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के दबाव में काम कर रही हैं और 'नव-साम्राज्यवाद' को प्रोत्साहित कर रही हैं।

लेकिन ये नीतियाँ अनेक मामलों में पूर्ववर्ती नीतियों से वृद्धि बढ़ाने में बेहतर सिद्ध नहीं हुईं। लेकिन किसी-न-किसी तरह बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के पक्ष में रुझान बढ़ता गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री मार्ग्रेट थैचर के नेतृत्व में ब्रिटेन ने राजनीतिक रूप से सबसे अधिक प्रत्यक्ष रूप में निजीकरण के प्रयास किए, वह भी बिना किसी राजनीतिक चर्चा के (यह लोकतांत्रिक देशों के लिए अब तक उदाहरण बना हुआ है)।[4] यहाँ यह ध्यान देना जरूरी है कि 1929 की महामंदी के पश्चात् जे.एम. कीन्स ने 'मजबूत राज्य हस्तक्षेप' की अनुशंसा की थी और आखिरकार इसी नीति के तहत यूरो-अमेरिकी देशों में संकट को समाप्त करने में सहायता मिली। अर्थव्यवस्था में राज्य हस्तक्षेप की नीति को 'वाशिंगटन सहमति' द्वारा पलटा गया। लेकिन जल्द ही यह सहमति भी एक अन्य विकास रणनीति द्वारा प्रतिस्थापित की गई।

3. मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy)

1990 के दशक के मध्य तक यह बात स्पष्ट हो गई कि इन दोनों अतियों अर्थात् वाशिंगटन सहमति तथा राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था से विकास रणनीतियों का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता।[5] पूर्वी एशिया के देशों की सफलता, 1997-98 के दौरान पैदा हुए आर्थिक संकट के बावजूद,

2. As the strategy was advocated by the IMF, the WB and the US Treasury (i.e., US Ministry of Finance) all located in Washington, it properly came to be known as Washington Consensus.
3. Without changing the broad contours of economic policy, the Government in India had also come, under the influence of this consensus, followed a great many ***liberal*** policies (during Rajiv Gandhi's regime) in the 1980s.
4. ***Collins Dictionary of Economics,*** Glasgow, 2006, pp. 417–18.
5. World Bank, ***The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy.*** (Washington DC: Oxford University Press, 1993).

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

उस समय वाशिंगटन सहमति वाले नियोजन मॉडल[6] का अनुसरण करने वाले देशों की तुलना में बिल्कुल अलग है।

पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं ने विकासात्मक कार्यनीति को बढ़ावा दिया है, जिनकी सबसे विशिष्ट विशेषता यह है कि वे अपनी अर्थव्यवस्थाओं में राष्ट्र/सरकार की भूमिका और बाजार/निजी क्षेत्र के मध्य संतुलन बनाने में कामयाब रही है। यह सचमुच एक नई प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, जो स्थायी रूप से या तो राष्ट्र हस्तक्षेप या मुक्त बाजार की ओर झुकी हुई थी, परन्तु हमेशा राष्ट्र और बाजार का संतुलित मिश्रण अर्थव्यवस्था की आर्थिक आवश्यकता के अनुसार था। पूर्वी एशियाई देशों ने बाजारोन्मुखी नीतियों का अनुसरण किया था, जिसने निजी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा दिया बाजार को बढ़ावा और नियंत्रित किया, इसे बदला नहीं।[7]

तकनीकी रूप में किसी देश की आर्थिक नीति को उपरोक्त तीन वैकल्पिक विकास कार्यनीतियों में बदलना ही आर्थिक सुधार है। परन्तु विश्व इतिहास में कार्यनीतियों में बदलाव ही आर्थिक सुधार है। परन्तु विश्व इतिहास में अर्थव्यवस्थाओं के बाजार की ओर झुकाव हो ही आर्थिक सुधार कहा जाता है। भारतीय मामले में, इसे हमेशा इसी अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। यहां नोट करने वाली बात है कि जब 1990 के दशक के प्रारंभ में भारत ने आर्थिक सुधारों का कार्यक्रम प्रारंभ किया था, तो विश्व मत निजीकरण, उदारीकरण, विराष्ट्रीयकरण इत्यादि के संबंध में आर्थिक सुधारों का मुख्य आधार था। परन्तु 1990 दशक के मध्य तक विश्व मत मिश्रित अर्थव्यवस्था का हो गया, परन्तु एक अन्य परिवर्तन विश्व अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करने वाला था अर्थात् विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ) द्वारा प्रायोजित वैश्वीकरण के पक्ष में। अब, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं जिनकी आयोजना ही मुख्य विकास कार्यनीति हो) सहित परिवर्तनशील अर्थव्यवस्थाएं (रूस, और पूरा पूर्वी यूरोप, चीन) जो कि बाजारोन्मुखी सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा दे रही थी, चिन्ता में आ गईं। वैश्विक परिवेश में विकास और प्रतिस्पर्धा के लिए उन्हें तत्काल एक और राष्ट्र प्रभुत्व वाली अर्थव्यवस्था सें मुक्ति और दूसरी ओर बाजार और राष्ट्र के मध्य संतुलन की आवश्यकता थी। प्रत्येक ने अपने ढंग से अपने पक्ष में परिणाम प्राप्त करने के प्रयास किए और मिश्रित सफलता प्राप्त की। भारत में सरकारें जनता को यह समझाने में असफल रही कि अर्थव्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है और इन प्रयासों से सबको लाभ होगा। 1991 के बाद से प्रत्येक चुनाव में जनता ने सुधार-समर्थक सरकारों का समर्थन नहीं किया है। यद्यपि भारत में आर्थिक सुधारों का शुरूआत ***'मानव के लिए सुधारों'*** के विचार के साथ हुई थी, परन्तु इस विचार को जन-मानस का समर्थन नहीं मिला। हम आशा कर सकते हैं कि अपने वाले समय में जन-मानस इन सुधारों से स्वयं को जुड़ा महसूस करेगा और स्पष्ट संदेश पहुंचेगा कि सुधारों से सभी लाभान्वित होंगे।

भारत में आर्थिक सुधार (ECONOMIC REFORMS IN INDIA)

23 जुलाई 1991 को भारत ने राजकोषीय और भुगतान शेष (बीओपी) संकट के लिए प्रतिक्रिया के रूप में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ की। सुधार ऐतिहासिक थे और इससे आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था की तस्वीर और प्रकृति बदलने वाली थी। सुधार और संबंधित कार्यक्रम अभी भी परिवर्तन पर बल देते हुए जारी है, परन्तु मई 2004 में यूपीए सरकार की वापसी के साथ इन्हें धीमा पाया गया है। इससे पूर्व 1980 दशक के मध्य में सरकारों ने आर्थिक सुधारों के लिए पहले कदम उठाए थे। यद्यपि 1980 दशक के सुधारों ने विनियमन की एक सीमित प्रकृति और अशंतः उदारीकरण को ही देखा, 1990 के दशक में उद्योग, व्यापार, निवेश के क्षेत्रों में सुधार प्रारंभ हुए और बाद में सम्मिलित कृषि का आयात काफी व्यापक और गहरा था।[8] यद्यपि

6. *Ibid*.
7. As is concluded by Stiglitz and Walsh, p. 800, op. cit.
8. Jeffrey D. Sachs, Ashutosh Varshney and Nirupan Bajpai, ***India in the Era of Economic Reforms***, (New Delhi: Oxford University Press, 199), p. 1.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

सरकार द्वारा 1980 के दशक में ही उदारवादी नीतियों की घोषणा कर दी गई थी, जिसमें आर्थिक सुधारों का नारा दिया गया था, इसे पूर्ण वेग के साथ 1990 के दशक के प्रारंभ में ही लागू किया जा सका। परन्तु 1980 के दशक के आर्थिक सुधारों, जो कि ***'वांशिगटन सहमति'*** विचारधारा के अतर्गत थे, का अर्थव्यवस्था पर नाकारात्मक प्रभाव पड़ा। संपूर्ण सातवीं योजना (1985-90) ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारी बाह्य ऋणों के साथ बाजार विनियमों को और बढ़ावा (नीति सुधार जोर के रूप में) दिया। यद्यपि इस जोर ने उच्च औद्योगिक वृद्धि दर को बढ़ाया (विदेशी ऋणों के साथ कीमत आयातों पर आश्रित) जिसे उद्योग वापस करने और सेवा करने में समर्थ नहीं थे। इससे विदेशी ऋणदारी में भी काफी वृद्धि हुई, जिसने 1991 के बीओपी संकट में अहम भूमिका निभाई।[9] इस संकट के तत्काल बाद खाड़ी युद्ध आया, जिसके भारतीय विनिमय दर पर दो दीर्घकारी नाकारात्मक प्रभाव डाले–*पहला*, युद्ध के कारण तेल कीमतों में वृद्धि हुई जिस कारण भारत को तुलनात्मक रूप से कम अवधि में अपनी विदेशी विनिमय का प्रयोग करना पड़ा, और; *दूसरा*, खाड़ी क्षेत्र में कार्यरत भारतीयों के प्रेषण में कमी आई (क्योंकि आपातकाल में निकलना पड़ा दोनों संकटों का एक ही कारण) खाड़ी युद्ध था। परन्तु भुगतान शेष संकट इससे भी गहरा था, जिसमें विदेशी ऋण बढ़ा, जो कि जीडीपी के 8 प्रतिशत से अधिक राजकोषीय घाटे के बराबर था और यह हाइपर-मुद्रास्फीति (13 प्रतिशत से अधिक) की स्थिति थी।[10]

उस समय की अल्पसंख्यक सरकार ने एक कड़ा और विवादास्पद कदम आर्थिक सुधारों के रूप में उठाया, जिसकी 1990 के दशक में सभी-संसद में विपक्ष, वामपंथी दलों, औद्योगिक घरानों/व्यापार घरानों, मीडिया विशेषज्ञों और जन-मानस द्वारा आलोचना की गई। अब चूंकि सुधारों के लाभ कई लोगों तक पहुंच चुके हैं, इसकी आलोचना कम हो गई है। परन्तु अभी भी जन-मानस द्वारा इसे गरीब विरोधी और अमीर समर्थक माना जाता है- जन-मानस अर्थात् जो लोग देश के राजनीतिक भविष्य का निर्णय करते हैं। सभी के द्वारा एक बात तो अवश्य मानी जाती है अर्थात् लाभ वांछित गति के साथ जनता *(आम आदमी)* तक नहीं पहुंचे हैं।[11] समय की मांग वितरक वृद्धि की है यद्यपि सुधार अर्थव्यवस्था को उच्च वृद्धि दर पर ले गए हैं।

बाध्यकारी सुधार (Obligatory Reform)

1980 के दशक से कुछ अन्य अर्थव्यवस्थाओं द्वारा प्रारंभ समान आर्थिक सुधार, संबंधित देशों के स्वैच्छिक निर्णय थे। परन्तु भारत वे मामले में बीओपी संकट के आलोक में सरकार द्वारा लिया गया यह गैर-स्वैच्छिक निर्णय था। आईएमएफ के ईएफएफ कार्यक्रम के अंतर्गत देशों को अपने बीओपी संकट के शमन हेतु बाह्य मुद्रा सहायता मिलती है, परन्तु ऐसी सहायता अर्थव्यवस्था पर कुछ दायित्व शर्तों के साथ मिलती है। आईएमएफ के इस संबंध में कोई निर्धारित नियम नहीं है, यद्यपि इन्हें आवश्यकता के समय बीओपी संकट में चल रही अर्थव्यवस्था के लिए तैयार और विहित किया जाता है, यहां यह उल्लेख करना होगा कि भारत पर लगाई गई शर्तों की प्रकृति के अनुसार सभी आर्थिक सुधारों को उनके द्वारा तैयार किया जाना था। इसका अर्थ है भारत द्वारा अनुसरित सुधार भारत और उसकी जनता द्वारा अध्यादेशित सरकार द्वारा तैयार नहीं किए गए हैं हाँ सरकार के अंदर और बाहर ऐसे अनेक विशेषज्ञ थे, जिन्होंने

9. J. Barkley Rosser, Jr. and Marina V. Rosser, ***Comparative Economics in a Transforming World Economy,*** 2nd Edition (New Delhi: Prentice Hall of India, 2005), p. 469.
10. Vijay Joshi and I. M. D. Little, ***India's Economic Reforms, 1991–2001,*** (Oxford: Clarendon Press, 1996), p. 17.
11. The feeling is even shared by the government of the present time. One may refer to the similar open acceptance by India's Minister of Commerce at the Davos Summit of the World Economic Forum (2007). In an interview to the ***CNN-IBN*** programme, the Cabinet Minister for Panchayat Raj, and the North East (Mani Shankar Aiyar) on 20 May 2007 opined that benefits of higher growth are going to the selected 'classes' and not to the 'masses'.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

अर्थव्यवस्था को सही मार्ग पर लाने के लिए समान आर्थिक उपायों का समर्थन किया। कई 1970 के दशक से ही इसकी वकालत कर रहे थे, बल्कि कई अन्य मध्य 1980 दशक से इसका समर्थन कर रहे थे।[12] परन्तु फिर भी क्यों राव-मनमोहन सरकार को भारत में आर्थिक सुधार प्रक्रिया प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है, यह इसलिए क्योंकि उन्होंने इसका अनुसरण करना उपयुक्त समझा और इसे भारत में राजनीतिक रूप से संभव बनाया। कल्पना कीजिए एक सरकार राष्ट्र-स्वामित्व कंपनियों को निजी क्षेत्र को बेचना चाहती है या बंद करना चाहती है जो कंपनियां 'आधुनिक भारत के मंदिर' होंगी। जन-मानस को समझा दिया गया कि सरकार आईएमएफ के दिग्गजों, साम्राज्यवादी ताकतों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, आदि के आगे झुक गई है। आज भी अर्थव्यवस्था के अनेक वर्गों में ऐसी धारणा है कि आर्थिक सुधारों की राजनीतिक से भारत को लाभ की तुलना में हानि अधिक हुई है। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि आर्थिक सुधारों को लेकर राजनीतिक सहमति नहीं थी। भारत में राजनीतिक दल सुधारों के मुद्दे पर अलग है। दलों में जनता के समान राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है ताकि सुधार कार्यक्रम से सफलता पाई जा सके। यह सही है कि बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली में लोकतांत्रिक परिपक्वता आती है परन्तु इसमें समय लगता है। जहां जन-मानस अनभिज्ञ और अज्ञानी हो समय अधिक लगता है। ऐसी स्थितियों में धर्म, जाति इत्यादि के संवेदनशील मुद्दे अपनी स्वयं की भूमिकाएं निभाते हैं।

IMF के विस्तारित कोष सुविधा (EFF) से जुड़ी शर्तें, जिन्हें भारत को पूरा करना था, निम्न प्रकार थीं:

(i) रुपये की विनिमय दर में 22.8% की कमी करना (जिसके परिणामस्वरूप भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के समक्ष 21 रु. से गिरकर 27 रु. प्रति डॉलर हो गया और डॉलर की मांग थोड़ी मंद पड़ी);

(ii) आयात शुल्क (Custom Duty) की शीर्ष दर को वर्तमान 130% से कम करके 30% पर लाना (जिसे भारत द्वारा वर्ष 2000-01 में पूरा कर लिया गया) तथा सभी आयात योग्य वस्तुओं को मुक्त सामान्य लाइसेंसिंग (Open General Licencing–OGL) के अंतर्गत करना। इसके अंतर्गत आयात पर लगे सभी मात्रात्मक (Quantitative) प्रतिबंधों को हटाना अनिवार्य किया गया;

(iii) आयात शुल्क में कमी से होने वाली सरकार की कर प्राप्तियों को पूरा करने के लिए उत्पाद कर (excise duty) में 20% वृद्धि करना, और;

(iv) सरकारी व्यय (वेतन, पेंशन, आकस्मिक निधि, छूट, प्रतिरक्षा व्यय, ब्याज इत्यादि) में प्रतिवर्ष 10% की दर से कमी करना।

मिश्रित आर्थिक प्रणाली में पूर्वी एशियाई देशों की सफलता, 1997-98 के दौर के वित्तीय संकट को ध्यान में रखते के बावजूद, इस दौर की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से बिल्कुल अलग दिखती है जो वाशिंगटन सहमति वाले योजना मॉडल का अनुसरण कर रहे थे। पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाएं न केवल उच्च वृद्धि दर बनाए रखने में सफल रहीं, बल्कि गरीबी घटाने व शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने में भी उन्होंने सफलता पाई।

पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं ने एक ऐसी विकास रणनीति को आगे बढ़ाया, जिसमें अर्थव्यवस्था में राज्य सरकार एवं निजी क्षेत्र/बाजार की भूमिका में बहुत ही उपयुक्त संतुलन बनाया गया था। यह वास्तव में एक नये प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था थी जो कि स्थाई रूप से न तो राज्य हस्तक्षेप, न ही मुक्त बाजार के पक्ष में झुकी थी, बल्कि अर्थव्यवस्था की सामाजिक-आर्थिक दशाओं एवं जरूरतों के हिसाब से इन दोनों का एक संतुलित मिश्रण स्थापित किया जा रहा था। पूर्वी एशिया देश बाजारोन्मुख नीतियों से चल रहे थे जिनमें निजी क्षेत्र के विकास को

12. The Seventh and the Eight Plans have many such suggestions to give to the governments of the time, especially the latter Plan called for the same nature of the reform process, very clearly.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

बढ़ावा मिल रहा था। बाजार को बढ़ाने, उसे अभिशासित करने के लिए न कि उसे प्रतिस्थापित करने के लिए।[13]

आर्थिक सुधारों की युक्तियां (Measures of Economic Reforms)

भारत के आर्थिक सुधारों में दो प्रकार की ***युक्तियां*** (Measures) शामिल हैं:

1. समष्टि अर्थशास्त्रीय स्थिरीकरण युक्तियां (Macroeconomic Stabilisation Measures)

इन उपायों द्वारा अर्थव्यवस्था की सकल मांग को बढ़ाने की कोशिश थी, लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि करके।

2. संरचनात्मक सुधार युक्तियां (Structural Reforms)

इन उपायों के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में सकल आपूर्ति को बढ़ाने का उद्देश्य निहित था—उत्पादन प्रक्रिया को उन्मुक्त (Unshakle) करके। इससे स्वत: ही अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी ताकि यह संवर्धित उत्पादकता और उत्पादन की अपनी क्षमता की तलाश कर सके। लोगों की खरीद क्षमता को बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था की बढ़ी हुई आय की आवश्यकता है, जो कार्यकलापों के बढ़े हुए स्तरों से आती है। इस प्रकार प्राप्त आय को लोगों में वितरित किया जाता है जिनकी क्रय शक्ति बढ़ाई जाती है। यह समष्टि अर्थव्यवस्था नीतियों के उपयुक्त सैट को सही ढंग से प्रारम्भ कर संभव होगा। लक्षित जनसंख्या में आय को वितरित होने में समय लगता है परन्तु सरकार द्वारा आपूर्ति को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम अर्थात् उत्पादन बढ़ाना स्पष्ट दिखाई देगा। चूकि उत्पादन (पूंजीवादियों) द्वारा किया जाता है इसलिए प्रथम दृष्टया ऐसे आकारीय सुधार उपाय अमीर समर्थक और उद्योग समर्थक या पूंजीवादी समर्थक लगते है, जिन्हें भिन्न नामों से जाना जाता है। अज्ञानी लोग ऐसे तर्क में आसानी से आ जाते हैं, जो कि अमीर समर्थक है। वह अनिवार्यत: गरीब विरोधी है। परन्तु आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया में ऐसा नहीं है। जब तक अर्थव्यवस्था उच्च वृद्धि दर (आय) प्राप्त नहीं करती जन-मानस की क्रय शक्ति कहां से बढ़ेगी और बढ़ी हुई आय हर किसी तक पहुंचाने में समय लगता है। यदि अर्थव्यवस्था में राजनीतिक स्थिरता न हो, तो अस्थिर और निरंतर बदलती सरकारों द्वारा निर्धारित अल्प-अवधि लक्ष्यों के कारण इस प्रक्रिया में और अधिक समय लग सकता है जैसा कि ठीक भारत के मामले में है।

एलपीजी (The LPG)

भारत में सुधारों की प्रक्रिया को तीन अन्य प्रक्रियाओं अर्थात् उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसे एल.पी.जी कहा जाता है। यह तीन प्रक्रियाएं भारत द्वारा प्रवृत सुधार प्रक्रिया के लक्षणों को वर्णित करती हैं। स्पष्ट रूप में उदारीकरण सुधार की दिशा, निजीकरण सुधार के ***मार्ग*** और वैश्वीकरण सुधार के ***अनंतिम लक्ष्य*** को दर्शाता है तथापि इन शब्दों का वास्तविक अर्थ और सही अभिप्राय विश्व भर ओर विशेषकर भारत में प्रयुक्त इन शब्दों के अर्थों से समझना उपयोगी होगा।

उदारीकरण (LIBERALISATION)

उदारीकरण शब्द की उत्पत्ति राजनीतिक विचारधारा 'उदारवाद' से हुई है, जो कि उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई थी (यह वस्तुत: पिछली तीन शताब्दियों में विकसित हुई थी)। इस शब्द को कई बार ***मेटा*** (metaideology) ***विचारधारा*** के रूप में व्यक्त किया जाता है जो कि कई विरोधी मूल्यों और मान्यताओं को अपनाने में सक्षम है। यह विचारधारा सामंतवाद के विघटन और ***बाजार*** या ***पूंजीवादी*** समाज[14] की वृद्धि का परिणाम है जो कि एड्म स्मिथ (अमेरिका में इस विचार धारा के संस्थापक) की लेखनी

13. Ministry of Finance, ***Economic Survey 1991–92: Part II Sectoral Developments & New Industrial Policy, 1991,*** GoI, New Delhi.

14. Andrew Heywood, ***Politics,*** (New York: Palgrave, 2002), p. 43.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

में परिलक्षित हुई और जिसने ***अहस्तक्षेप***[15] के सिद्धांत के रूप में पहचान प्राप्त की।

उदारीकरण शब्द को अर्थव्यवस्था में वहीं अर्थ होगा, जो कि इसके मूल शब्द उदारवाद का है। अर्थव्यवस्था में बाजार समर्थक या पूंजीवादी समर्थक की ओर आर्थिक नीतियों का झुकाव ही उदारीकरण है। हमने 1970 के दशक में इसे संपूर्ण यूरो-अमेरिका और विशेषकर 1980 के दशक में होते हुए देखा है[16] इसका सबसे विशिष्ट उदाहरण 1980 दशक मध्य में चीन है, जब इसने ***'खुले द्वार की नीति'*** (Open door policy) की घोषणा की थी। यद्यपि चीन में आज भी कुछ विशिष्ट उदारवादी लवणों का अभाव है। उदाहरण के लिए व्यक्तिवाद, स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक प्रणाली इत्यादि फिर भी चीन को उदारवादी अर्थव्यवस्था कहा गया।

हम विश्व अर्थव्यवस्था इतिहास से एक अन्य उदाहरण लेते हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमेरिका और साम्यवादी (कम्यूनिस्ट) चीन दूसरी ओर-ये उदारवादी (illiberal) अर्थव्यवस्था के दो श्रेष्ठ उदाहरण हैं और चीन अउदारवादी अर्थव्यवस्था का श्रेष्ठ उदाहरण है। अमेरिका दक्षिण ध्रुव पर और चीन उत्तरी ध्रुव पर है। इसलिए दक्षिण की ओर कोई भी नीति उदारीकरण है, दक्षिण से उत्तर की ओर कोई भी नीति गैर-उदारीकरण है।

इसका अर्थ है–राज्य अर्थव्यवस्था के घटते लक्षण और बाजार अर्थव्यवस्था के बढ़ते लक्षण उदारीकरण है। इसी प्रकार इसका विपरीत गैर-उदारीकरण होगा। तकनीकी रूप में दोनों आर्थिक सुधारों की प्रक्रियाएं हैं चूंकि शब्द के रूप में सुधार दिशा के बारे में कुछ नहीं कहता है। विश्व में सभी आर्थिक सुधार उत्तर से दक्षिण के लिए हुए हैं। यही उदारीकरण की प्रक्रिया के भी साथ है।

इसका अर्थ है–भारतीय मामले में उदारीकरण को आर्थिक सुधारों की दिशा दिखाने के लिए प्रयुक्त किया गया है जिसमें राष्ट्र या योजना या कमाण्ड अर्थव्यवस्था का घटता प्रभुत्व हो और खुले बाजार या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बढ़ता प्रभुत्व हो। यह पूंजीवाद की ओर कदम है। भारत राष्ट्र-बाजार-मिश्रण में अपना संतुलन बिठाने का प्रयास कर रहा है। इसका अर्थ है यदि आर्थिक सुधारों की दिशा बाजार अर्थव्यवस्था की ओर है तो भी इसे पूंजीवाद की ओर अंधी दौड नहीं कहा जा सकता। चूंकि पूर्ववर्ती वर्षों में अर्थव्यवस्था का रूप राष्ट्र अर्थव्यवस्था के अधिक निकट था, इसे बाजार के साथ अधिक स्तर तक मिश्रित होना होगा। परन्तु लंबे समय में उदारवाद संसदों की शक्तियों को सीमित कर देता।[17]

निजीकरण (PRIVATISATION)

1980 और 1990 के दशकों ने सरकारों, विशेषकर अमेरिका और इंग्लैण्ड में नई अधिकार वरीयताओं और आस्थाओं के प्रभाव के अंतर्गत 'रोलिंग बैक' को देखा।[18] जिन नीतियों के अंतर्गत 'रोल बैक' किया जाता है उसमें विनियमन, निजीकरण और लोक सेवाओं, बाजार सुधारों को प्रारंभ करना सम्मिलित है। उस समय निजीकरण का प्रयोग राष्ट्र परिसंपत्तियों को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने के रूप में किया जाता था।[19] निजीकरण शब्द की उत्पत्ति उस समय हुई जब विश्व की अधिक-से-अधिक मुद्रा इस ओर गई, पहले पूर्व यूरोपीय राष्ट्र और बाद में विकासशील लोकतांत्रिक राष्ट्रों ने इसे अपनाया। परन्तु इस अवधि में निजीकरण शब्द के अनेक अर्थ और अभिप्राय विकसित हुए। हम उन्हें निम्नानुसार देख सकते हैं:

15. Robert Nisbet, ***Prejudices: A Philosophical Dictionary,*** (Massachusetts: Harvard University Press, 1982), p. 211.
16. **'Economics: Making Sense of the Modern Economy'** ***The Economist,*** London, 1999, pp. 225–26.
17. J.K. Galbraith, ***A History of Economics,*** (London: Penguin Books,), p. 123, 1780.
18. Andrew Heywood, ***Politics,*** p. 100.
19. Stiglitz and Walsh, ***Economics,*** pp. 802–3.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(i) निजीकरण अपने सटीक अर्थ में **वि-राष्ट्रीयकरण**[20] है अर्थात् परिसंपत्तियों का राज्य के स्वामित्व से निजी क्षेत्र को हस्तातंरण है, जो कि 100 प्रतिशत तक है, ऐसे कड़े उपाय विश्व में केवल एक बार ही कहीं होते हैं, जिसमें कोई राजनीतिक गिरावट न हो। 1980 के दशक में थैचर शासन के दौरान इंग्लैण्ड में ऐसा हुआ था। निजीकरण के इस मार्ग को लगभग सभी लोकतांत्रिक प्रणलियों द्वारा अस्वीकार किया गया। 1990 के मध्य में कुछ दक्षिण यूरापीय राष्ट्रों, इटली स्पेन फ्रांस और अमेरिका, ने ऐसे कदम उठाए।[21] भारत ने कभी ऐसे निजीकरण में प्रवेश नहीं किया।

(ii) जिस अर्थ में निजीकरण का प्रयोग किया जाता है, वह विश्व भर में **विनिवेश** की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में शेयरों को राष्ट्र स्वामित्व कंपनियों से निजी क्षेत्र को बेचना सम्मिलित है विनिवेश राज्य से निजी क्षेत्र को 100 प्रतिशत से कम स्वामित्व का अंतरण है। यदि सरकार द्वारा परिसंपत्ति के केवल 49 प्रतिशत को बेचा जाए और शेष स्वामित्व अपने पास रखा जाए तो इसे विचारार्थ निजीकरण कहा जाता है। यदि राष्ट्र स्वामित्व शेयरों की बिक्री 51 प्रतिशत तक की जाए तो स्वामित्व निजी क्षेत्र को हस्तांतरित कहलाएगा और इसे तब भी निजीकरण कहा जाएगा।

(iii) तीसरे और अंतिम अर्थ में प्रयुक्त निजीकरण शब्द विश्व भर में काफी व्यापक है। मूलत: प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में आर्थिक नीतियां निजी क्षेत्र या पूंजी (अर्थव्यवस्था) के विस्तार को ही बढ़ावा देती हैं और इसे ही विशेषज्ञों और सरकारों द्वारा निजीकरण की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। हम भारत से कुछ उदाहरण दे सकते है। उद्योगों के लाइसेंस समाप्त करना और विआरक्षण यहां तक कि सब्सिडी में कमी, विदेशी निवेश इत्यादि को स्वीकृति।[22]

यहां हम भारत में उदारीकरण को निजीकरण से जोड़ सकते हैं। उदारीकरण भारत में सुधार की दिशा बताता है अर्थात् बाजार के प्रभुत्व की ओर झुकाव परन्तु इसे कैसे प्राप्त किया जाएगा? मूलत: निजीकरण सुधार का मार्ग है। इसका अर्थ है जो भी 'बाजार' के लिए संवर्द्धन करे वह भारत में सुधार प्रक्रिया के मार्ग में सम्मिलित होगा।

वैश्वीकरण (GLOBALISATION)

वैश्वीकरण की प्रक्रिया को हमेशा आर्थिक अर्थों में प्रयुक्त किया गया है जबकि इसने हमेशा राजनीतिक और सांस्कृतिक आयात ग्रहण किए हैं, एक बार जब आर्थिक परिवर्तन होते है तो इसके अनेक समाजिक राजनीतिक प्रभाव[23] होते हैं, वैश्वीकरण को सामान्यत: राष्ट्रों के मध्य आर्थिक एकीकरण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है[24] जब अनेक राष्ट्रों का अभी जन्म भी नहीं हुआ था, तो विश्व के कई देश वैश्वीकरण अपना चुके थे अर्थात् अर्थव्यवस्थाओं के मध्य निकट संबंध थे।[25] यह वैश्वीकरण 1800 से 1930 तक महान मंदी और दो विश्व युद्धों तक अबाधित रूप से चलता रहा, जिसने छंटनी और 1930 के दशक के प्रारंभ से अनेक व्यापार प्रतिबंध लगाए।[26]

20. Collins, Oxford, Penguin, ***Dictionary of Economics,*** relevent pages.
21. Samuelson and Nordhaus, ***Economics,*** p. 199.
22. New Industrial Policy, 1991 & several documents of GoI since then.
23. Talcott Parsons, ***The Structure of Social Action***, (New York: McGraw Hill, 1937).
24. Samuelson and Nordhaus, ***Economics,*** p. 32.
25. Stiglitz and Walsh, ***Economics,*** p. 804.
26. Thomas L. Friedman, ***The World is Flat,*** (London: Penguin Books, 2006), 9. Stiglitz & Walsh, ***Economics,*** p. 804.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

इस अवधारणा को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) द्वारा पुन: 1980 के दशक के मध्य में बल प्रदान किया गया। अपनी पूर्व परिभाषा में संगठन ने वैश्वीकरण को संकुचित और व्यापार जैसे अर्थ में परिभाषित किया था, ***''किसी ओईसीडी कंपनी द्वारा अपनी उत्पत्ति के देश के बाहर अपने लाभ हेतु क्रॉस बॉर्डर निवेश वैश्वीकरण है।''*** ओईसीडी सम्मेलन के बाद विश्व की विकसित अर्थव्यवस्थाओं द्वारा डब्ल्यू.टी.ओ. पर जीएटीटी को हटाने का दबाव बनाया गया। मारकेश (1994) में समाप्त गैर-चर्चाओं के उरुग्वे दौर के बाद डब्ल्यू.टी.ओ. का जन्म हुआ। इसी दौरान ओईसीडी (1995) ने वैश्वीकरण को आधिकारिक रूप में परिभाषित किया। ''विशिष्ट राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं से वैश्विक अर्थव्यवस्था की ओर अंतरण जिसमें उत्पादन अंतर्राष्ट्रीकरण हो और देशों के मध्य वित्तीय पूंजी बहाव स्वतंत्र और तात्कालिक हो।''[27]

डब्ल्यू.टी.ओ. के लिए वैश्वीकरण का अर्थ, ***''विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का माल और सेवाओं, पूँजी और श्रम बल की आवंटित क्रॉस ब्रॉर्डर आवाजाही की ओर झुकाव है।''*** इसका साधारण अर्थ है कि जो राष्ट्र डब्ल्यू.टी.ओ. के वैश्वीकरण की प्रक्रिया में हस्ताक्षरकर्ता हैं, उनके लिए विदेशी या देशज सामान और सेवाओं, पूंजी और श्रम जैसा कुछ भी नहीं होगा। विश्व समय के साथ एक समान और सपाट अवसर स्थल बन रहा है।[28]

अनेक राजनीतिक वैज्ञानिकों (जो कि वर्तमान विश्व का काफी प्रभुत्वशाली वर्ग है) के लिए वैश्वीकरण एक ऐसी स्थिति का प्रादुर्भाव है, जहां हमारे जीवन पर दूर के हिस्से में होने वाले परिवर्तनों और निर्णयों का भी प्रभाव पड़ता है, जो कि हमारे द्वारा नहीं लिए गए होते, विशेषज्ञों का एक वर्ग मानता है कि वैश्वीकरण राष्ट्र का अधीनस्थ है, जबकि अन्य वर्ग मानना है कि स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक घटनाओं में निरंतर अन्योन्य क्रिया होती है और इसमें से कोई एक किसी दूसरे के अधीनस्थ होता है। बल्कि वैश्वीकरण, इस अर्थ में राजनीति प्रक्रिया के प्रसार सहित इसकी गहराई को इंगित करती है।[29]

27. As quoted in Andrew Heywood, ***Politics,*** p. 139.
28. As Friedman shows in his best-seller, ***The World is Flat,*** p. 9.

भारत डब्ल्यू.टी.ओ. के संस्थापक सदस्यों में से एक है और ऐसी किसी बाध्यता के बिना अपने आर्थिक सुधारों के माध्यम से वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए बाध्य है। यह अलग बात है कि स्वयं भारत में 1991 के बाद सुधारों की प्रक्रिया ठीक वैश्वीकरण के बाद प्रारंभ हुई।[30]

अब हम तीनों प्रक्रियाओं को एक साथ जोड़ सकते हैं। एलपीजी, जिसके साथ भारत ने अपनी सुधार प्रक्रिया की शुरूआत की। उदारीकरण की प्रक्रिया अर्थव्यवस्था की बाजार अर्थव्यवस्था की ओर दिशा को दर्शाती है, निजीकरण वह मार्ग है जिस पर यह अंतिम लक्ष्य अर्थात् वैश्वीकरण को प्राप्त करने के लिए यात्रा करेगी।

यह नोट किया जाना चाहिए कि वैश्वीकरण संबंधी भारतीय विचार की अवधारणा गहराई और निरंतर कल्याण राज्य की ओर प्रवृत्त है, जो कि एक स्पष्ट संदर्भ के रूप में दिन-प्रतिदिन की सार्वजनिक रीति के रूप मे आता है। आईएमएफ विश्व बैंक और विकसित राष्ट्रों सहित विश्व ने अब निरंतर इस तथ्य को पहचान प्रदान की है कि विश्व अर्थव्यवस्थाओं के वैश्वीकरण का आधिकारिक लक्ष्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक विश्व के गरीबों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान नहीं किया जाएगा। यदि गरीबों, अर्थात् विश्व की 1/5 जनसंख्या को शामिल किए बिना

29. As put by the ***Oxford's Dictionary of Politics,*** N. Delhi, 24 pp. 222–25; Andrew Heywood, ***Politics,*** p.138.
30. It should be noted here that the whole Euro-America has already started promoting globalisation by the mid-1980s as the WTO deliberations at Uruguay started. The formation of the WTO only gave globalisation an official mandate in 1995, once it started its functions. It means, for India, globalisation was a reality by 1991 itself—one has to move as the dominant forces move.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

वैश्वीकरण पूरा किया जाता है तो क्या इसे विश्व का विकास कहा जाएगा?

आर्थिक सुधारों की पीढ़ियां (GENERATIONS OF ECONOMIC REFORMS)

यद्यपि जब भारत ने 1991 में आर्थिक सुधारों को प्रारंभ किए तो ऐसी कोई घोषणा या प्रस्ताव नहीं था, तथापि आने वाले वर्षों मे सरकारों द्वारा सुधारों की कई पीढ़ियों की घोषणा की गई।[31] अब तक सुधारों की ***तीन*** पीढ़ियों की घोषणा की जा चुकी है, जबकि विशेषज्ञ ***चौथी*** पीढ़ी की भी घोषणा करते हैं। हम निम्नानुसार भारत में सुधार प्रक्रिया की मूल पद्धति और लक्षणों को समझने के लिए विभिन्न सुधारों की पीढ़ियों के संघटकों को बता रहे हैं:

प्रथम पीढ़ी के सुधार: 1991–2000 (First Generation Reforms: 1991–2000)[32]

सरकार द्वारा वर्ष 2000–01 में द्वितीय पीढ़ी के सुधारों की घोषणा की गयी तथा उसी वर्ष आरंभ भी कर दिया गया। इस प्रकार इसके पहले के सुधारों को सरकार द्वारा प्रथम पीढ़ी का सुधार माना गया। प्रथम पीढ़ी के सुधारों के प्रमुख नियामक नीचे दिए गए हैं:

(i) निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन (Promotion to Private Sector)

इसके अंतर्गत कई महत्वपूर्ण एवं उदारीकृत कदम उठाये गए यथा–'अनारक्षण', लाइसेंसमुक्तिकरण, एम.आर.टी.पी. सीमा की समाप्ति, चरणबद्ध उत्पादन की बाध्यता की अपर्याप्त, ऋणों का शेयरों में परिवर्तन तथा पर्यावरण संबंधी प्रावधानों का सरलीकरण।

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र सुधार (Public Sector Reforms)

इसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से जुड़े कई सुधार किए गए, यथा–इन्हें लाभोन्मुख एवं दक्ष बनाना, विनिवेश (टोकन) की शुरूआत, इनका संगठनीकरण इत्यादि।

(iii) वैदेशिक क्षेत्र सुधार (External Sector Reforms)

इस क्षेत्र में कई सुधार संबंधी कदम उठाये गये, जैसे–आयात पर से मात्रात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति, विनिमय दर की उत्प्लावित मुद्रा व्यवस्था की शुरूआत, चालू खाते में रुपये को पूर्ण परिवर्तनीयता देना, पूंजीगत खाते में रुपये की परिवर्तनीयता संबंधी उदारीकरण, विदेशी निवेश की मंजूरी एवं 'फेरा' की जगह 'फेमा' की व्यवस्था करना, इत्यादि।

(iv) वित्तीय क्षेत्र सुधार (Financial Sector Reforms)

बैंकिंग क्षेत्र, पूंजी बाजार, बीमा उद्योग, म्युचुअल फंड, इत्यादि से संबद्ध अन्यान्य सुधारवादी कदम उठाये गए।

(v) कर सुधार (Tax Reforms)

इसके अंतर्गत कई नीतिगत पहलों की शुरूआत की गयी जिनका लक्ष्य था–कर प्रणाली का सुगमीकरण, आधार विस्तार, आधुनिकीकरण एवं करों की चोरी पर नियंत्रण इत्यादि।

इस पीढ़ी के सुधारों ने अर्थव्यवस्था को नयी दिशा देने की कोशिश की–'कमांड' (Command) प्रकार की अर्थव्यवस्था बाजार अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हुई जिसमें देशी एवं विदेशी निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाने पर बल रहा।

31. It should be noted here that many economists regard the economic reforms of the mid-1980s as the First Generation reforms. However, the governments of the time have not said anything like that. It was only in the year 2000–01 that India officially talks about the generations of reform for the first time.
32. Based on the ***New Industrial Policy, 1991*** & several ***Economic Surveys*** as well as many announcements by the governments.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

द्वितीय पीढ़ी के सुधार: 2000-01 के बाद (Second Generation Reforms: 2000-01 Onwards)[33]

इस पीढी के सुधारों की शुरूआत सरकार द्वारा वर्ष 2000-01 में की गयी। वर्ष 1990 के प्रारंभ में शुरू किए गए आर्थिक सुधार इच्छित प्रकार घटित नहीं हो रहे थे और कुछ नये सुधारों की आवश्यकता थी। इन्हीं नये सुधारों को द्वितीय पीढ़ी के सुधारों के रूप में प्रारंभ किया गया है। इस पीढ़ी के सुधार सिर्फ गहरे और सूक्ष्म ही नहीं थे बल्कि इन्हें सरकार की तरफ से उच्च राजनीति इच्छा शक्ति के सहयोग की भी आवश्यकता थी। इस पीढ़ी के सुधारों के मुख्य घटक निम्न प्रकार हैं:

(i) कारक बाजार सुधार (Factor Market Reforms)

इसे भारत के आर्थिक सुधारों की सफलता का 'मेरुदंड' कहा जाता है। इसके अंतर्गत प्रशासित मूल्य व्यवस्था (Administered Price Medamism) को विघटित (Dismantle) करने का लक्ष्य है। अर्थव्यवस्था में ऐसे कई उत्पाद थे जिनका उत्पादन निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता था लेकिन इन उत्पादों का मूल्य निर्धारण बाजार के सिद्धांतों के आधार पर नहीं होता था, यथा-पेट्रोलियम, चीनी, उर्वरक, औषधियां, इत्यादि। इन उत्पादों का बिक्री मूल्य सरकार तय करती थी। फलस्वरूप संबंधित निजी उद्योग के लाभ पर प्रतिकूल पड़ता था एवं उनका विस्तार बाधित होता था। निजी क्षेत्र के निवेश को इन उद्योगों की तरफ आकर्षित करना मुश्किल हो रहा था।

वर्तमान में पेट्रोलियम क्षेत्र में सिर्फ कैरोसीन तेल एवं रसोईघरों में इस्तेमाल किए जाने वाले LPG सिलेंडर ही प्रशासित मूल्य पद्धति के अंतर्गत हैं जबकि पेट्रोल, डीजल, स्नेहक एवं उड्डयन ईंधन इससे बाहर आ चुके हैं। इसी प्रकार आयकर अदा करने वाले परिवारों को अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली से चीनी प्राप्त नहीं होती एवं निजी चीनी मीलों पर से 'लेवी' (Levy) की बध्यता को भी पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। कारक बाजार सुधार अभी पूर्ण नहीं हुआ है क्योंकि यह सब्सिडी के तर्क से जुड़कर एक सामाजिक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। आम आदमी की क्रयशक्ति जब तक बाजार आधारित नहीं हो जाती तब तक यह सुधार सफल नहीं हो सकेगा। वैसे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से सरकार इस प्रकार के उत्पादों के बाजार मूल्य के एक करने में संलग्न है।

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र सुधार (Public Sector Reforms)

द्वितीय पीढ़ी के सार्वजनिक क्षेत्र सुधारों का मुख्य बल कई दूसरे प्रकार के पहलूओं पर है-इन्हें बढ़ी हुई प्रकार्यात्मक स्वयत्तता देना, पूंजी बाजार के उपयोग की अधिक स्वतंत्रता, नये वेंचर (Greenfilds) एवं विनिवेश[34] (रणनीतिक) को बढ़ावा, इत्यादि।

(iii) सरकार एवं लोक संस्थानों में सुधार (Reforms in the Government and Public Institutions)

इसके अंतर्गत ऐसे कदम आते हैं जिनसे कि सरकार की भूमिका को 'नियंत्रक' (Controller) से बदलकर 'सुसाध्य परक' (Facilitator) बना सके जिसे प्रशासनिक सुधार की तरह भी देखा जा सकता है।

33. Based on the Ministry of Finance, ***Economic Survey 2000–01 (New Delhi: Government of India, 2001);*** **and *Union Budget, 2001–02*** especially besides other official announcements by the GoI in the coming years.

34. Basically 'disinvestment' started in India in its 'token' form, which is selling of government's minority shares in PSUs. While in the Second Generation, the government went for 'strategic' kind of disinvestment, which basically involved the transfer of ownership of the PSUs from the state to the private sector—MFI2, BALCO, etc., being the firsts of such disinvestments. Once the UPA Government came to power in May 2004, the latter form of disinvestment was put on hold. We will discuss it in detail in the chapter on ***Indian Industry.***

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(iv) वैधानिक क्षेत्र सुधार (Legal Sector Reforms)

वैधानिक क्षेत्र सुधारों की शुरूआत प्रथम पीढ़ी में ही की जा चुकी थी लेकिन इस पीढ़ी में इन सुधारों को गहराई देना तय था तथा नये क्षेत्रों में ले जाने की कोशिश थी–विरोधाभासी कानूनों को निरस्त करना, भारतीय दण्ड संहिता एवं आपराधिक प्रक्रिया संहिता (इंडियन पीनल कोड एवं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर) में सुधार, कंपनी कानून एवं श्रम कानून में सुधार तथा 'साईबर कानून' जैसे नये क्षेत्रों से कानून बनाना।

(v) क्रांतिक क्षेत्र सुधार (Reforms in Critical Areas)

द्वितीय पीढ़ी के सुधारों में कई अन्य क्षेत्रों में भी यथोचित सुधारों की शुरूआत की गयी–आधारभूत संरचना क्षेत्र (यथा– बिजली, सड़क, दूरसंचार के क्षेत्र में तो इसके अच्छे प्रभाव दिखे हैं); कृषि एवं कृषि अनुसंधान; शिक्षा एवं चिकित्सा क्षेत्र, इत्यादि। इन क्षेत्रों में किए जाने वाले सुधारों को सरकार ने '***क्रांतिक क्षेत्र***'[35] कहा है।

इन सुधारों के दो आयाम हैं–पहला आयाम 'कारक बाजार सुधार' की तरह है जिसके अंतर्गत इन्हें बाजार से जोड़ना लक्ष्य है वहीं दूसरा आयाम विस्तृत है, यथा–संगठित कृषि (Corporate farming), कृषि, शिक्षा एवं चिकित्सा तथा सड़क क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना।

उपरोक्त क्षेत्रों के अतिरिक्त इस पीढ़ी में कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुधारात्मक कदम भी उठाए गए:

(a) **सुधार में राज्यों की भूमिका:** पहली बार आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया में राज्यों की भूमिका का विशेष वर्णन किया गया। यह तय किया गया कि आने वाले समय में सुधारों के लिए नए कदम पहले राज्य उठाएंगे तथा केन्द्र सरकार इसमें सहायता प्रदान करने वाली भूमिका निभाएगी।

(b) **राजकोषीय समेकन:** यह 1991 के बाद से ही भारत में सुधार के एक प्रमुख सह–तालमेल था, हालांकि राजकोषीय समेकन के क्षेत्र–एक संवैधानिक प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी हो हाती है। राजकोषीय विवेक देश में शुरू होता है एफआरबीएम अधिनियम नए प्रतिबद्धताओं के एक युग के रूप में राज्यों द्वारा केंद्र की ओर से पारित कर दिया है और राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम (FRAs) का पालन किया जाता है।

(c) **राज्यों को ज्यादा कर का अंतरण:** हालांकि इस प्रकार का राजनीतिक रुझान[36] 1990 के मध्य के दशक से दिखना शुरू हो जाता है, द्वितीय पीढ़ी के सुधारों के पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को बेहतर वित्तीय स्थिति प्रदान करने की कोशिश की शुरूआत की गयी। कर सुधारों में भी ऐसा ही रुझान दिखता है। इसी प्रकार आने वाले वित्त आयोगों की सिफारिशों में भी राज्यों की वित्तीय स्थिति का विशेष ध्यान रखा गया हैं पहली बार वित्त वर्ष 2007–08[37] में राज्यों को निवल राजस्व अधिशेष की प्राप्ति हुई।

(d) **सामाजिक क्षेत्र पर ध्यान:** इस पीढ़ी में सामाजिक क्षेत्र (विशेषकर शिक्षा एवं चिकित्सा) पर सरकारी बल में भारी वृद्धि होती है इसे आने वाले समय में इन पर किए गए व्यय के आकार से स्पष्ट देखा जा सकता है। द्वितीय पीढ़ी के सुधारों के मिश्रित परिणाम आए हैं

35. Ministry of Finance, ***Economic Survery 2000–01.***

36. We see it, especially, when the Coalition Government (i.e., the UF Government) goes to amend the constitution so that the Alternative Method of Devolution (AMD) of the tax suggested by the Tenth Finance Commission becomes a law before the recommendations of the Eleventh Finance Commission. It should be noted that the AMD has increased the gross tax devolution to the states by a hefty 5 per cent.

37. The Comptroller and Auditor General, ***Provisional Report***, May 2007.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

वैसे इन सुधारों पर सरकार अब भी कार्य कर रही है।

सुधारों को जारी रखने हालांकि हम दूसरी पीढ़ी के सुधारों के मिश्रित परिणाम देखते हैं।

तृतीय पीढ़ी के सुधार
(Third Generation Reforms)

आर्थिक सुधारों की तृतीय पीढ़ी का प्रारंभ सरकार द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन (2002) के साथ किया गया। इसके उद्देश्य हैं—आर्थिक विकास तथा आर्थिक सुधारों के लाभ का विकेंद्रीकरण (decentralisation) ताकि इसमें जन-मानस को शामिल किया जा सके। इसके लिए पंचायत राज संस्थानों (PRIs) के सफल कार्यान्वयन पर बल दिया जा रहा है।

एक विकेन्द्रीकृत विकास की प्रक्रिया के लिए संवैधानिक व्यवस्था पहले से ही 1990 के दशक में की गई है, यह सरकार 'समावेशी विकास और विकास' की जरूरत के प्रति आश्वस्त हो जाता है कि 2000 के दशक में किया गया था। आम जनता के विकास की प्रक्रिया में शामिल नहीं कर रहे हैं जब तक, विकास 'शामिल किए जाने के' फैक्टर की कमी होगी, यह समय की सरकार ने निष्कर्ष निकाला गया था। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना भारत में सुधारों की तीसरी पीढ़ी के लिए की जरूरत के बारे में एक ही भावनाओं (केंद्र में राजनीतिक संयोजन बदल गया है, हालांकि) और विचार की पुष्टि करने के लिए चला जाता है।

चौथी पीढ़ी के सुधार
(Fourth Generation Reforms)

भारतीय आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया से जुड़ी यह गैर-आधिकारिक अवधारणा है। वर्ष 2002 में ही विशेषज्ञों ने इस पीढ़ी के सुधारों की चर्चा की। यह पीढ़ी उन सुधारों की संकल्पना करती है, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्णरूपेण सूचना तकनीक पर आधारित होगी।

सुधारों का दृष्टिकोण
(The Reforms Approach)

आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया बीसवीं सदी के अस्सी के दशक (1980s) में प्रारंभ हो चुकी थी (पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के देशों में)। लेकिन 'वाशिंगटन सहमति' का जैसे-जैसे इस्तेमाल बढ़ा विश्व के लगभग सभी देशों द्वारा सुधारों पर बल दिया गया। आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों (यथा WB एवं IMF) एवं विशेषज्ञों द्वारा आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को अपनाने वाले देशों को दो वर्गों में विभाजित करके उनका विश्लेषण किया जाने लगा–**वृद्धिकारी** (Gradualist/incremental) एवं **गैर-वृद्धिकारी** (Non-gradualist/Stop-and-go) सुधारों के दृष्टिकोण को अपनाने वाले देश।

भारत द्वारा प्रारंभ किए गए वर्ष 1991 के सुधारों को विशेषज्ञों ने वृद्धिकारी[38] श्रेणी में डाला है जिससे न सिर्फ रफ्तार कम दिखती है बल्कि संबंधित नीतिगत कदमों को आने वाली सरकारों द्वारा वापस लेने के उदाहरण भी मिलते हैं। माना जाता है कि भारत के सुधारों के इस रुख के लिए कारण जिम्मेदार रहे हैं—केन्द्र में गठबंधन की सरकारों का होना; बहुपक्षीय एवं विविधीकृत राजनीतिक प्रणाली तथा हाल के वर्षों लोकोन्मुख राजनीति पर बल का बढ़ना, इत्यादि–जिन कारणों से भारत की नीति-निर्णय प्रक्रिया पहले से अधिक लोकतांत्रिक हुई है।[39] आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के वृद्धिकारी होने का एक प्रभाव यह

38. **Isher J. Ahluwalia,** *Industry,* in Kaushik Basu & Annemie Maertens edited ***The New Oxford Companion to Economics in India***, Oxford University Press, N. Delhi, India, 2012, Vol. 2, pp. 371-375.
39. **Montek S. Ahluwalia,** *Planning,* in Kaushik Basu & Annemie Maertens edited ***The New Oxford Companion to Economics in India***, Oxford University Press, N. Delhi, India, 2012, Vol. 2, pp. 530-536.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

पड़ा कि आम जनता तक इसका लाभ नहीं पहुंचाया जा सका। भारत का आर्थिक सुधार कुछ अन्य सुधारों की अनुपस्थिति के कारण इच्छित प्रतिफल नहीं दे सका जितनी शुरुआत सरकार दूसरी पीढ़ी के सुधारों (2000-01) के रूप में करती है। वहीं, सुधारों के लाभों को समावेशी (inclusive) बनाने संबंधी नीति की कमी रही जिसकी शुरुआत सरकार तीसरी पीढ़ी के सुधारों (2002-03) के रूप में करती है। कुल मिलाकर आम जनता जैसे सुधारों की प्रक्रिया से विलग रही। भारत को इस कारण से भी वृद्धिकारी सुधारों पर निर्भर रहना पड़ा है।

दूसरी तरफ विश्व के कई अन्य देशों (यथा– ब्राजील, अर्जेंटीना, द. अफ्रीका इत्यादि) द्वारा काफी तेज एवं परिणाम-लक्षित सुधारों को अंजाम दिया गया। इनके सुधारों की प्रक्रिया को गैर-वृद्धिकारी बताया गया, जिसमें किसी भी क्षेत्र में किए गए सुधारों में एक विशेष बात रही-उस क्षेत्र से जुड़े सभी सुधारों को एक साथ करने की कोशिश। इस प्रकार के आर्थिक सुधारों का आथिक निष्पादन वास्तव में काफी उच्च रहा लेकिन इनमें प्रघाती (Shocking) लक्षण भी विद्यमान रहे। भारत प्रघाती सुधारों को अपनाता नहीं दिखता क्योंकि ऐसे सुधारों का सामाजिक-आर्थिक परिणाम स्थायित्व को चुनौती दे सकता है अर्थात् भारत द्वारा सुधारों के आर्थिक पहलू के साथ-साथ इसके सामाजिक एवं राजनैतिक पहलुओं पर भी ध्यान दिया गया। हाल के *आर्थिक सर्वेक्षण (2015-16, 2016-17 एवं 2017-18)* में भी *वृद्धिकारी* सुधारों की कामना की गयी है।

अभी-हम देख रहे हैं कि भारत सरकार 'परिवर्तनकारी सुधारों' पर जोर दे रही है (जैसा कि **केंद्रीय बजट 2017-18** कहता है)। इनमें से कुछ प्रमुख सुधार हैं:

(a) मुद्रास्फीति को लक्षित (targeting) करना और आरबीआई कानून, 1934 को संशोधित कर मौद्रिक नीति समिति गठित करना;

(b) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का 'रणनीतिक विनिवेश' फिर शुरू करना;

(c) बड़े नोटों का विमौद्रीकरण करना (जिसका लक्ष्य भ्रष्टचार, काले धन, नकली नोटों और आतंकवाद पर लगाम लगाना था);

(d) नए बेनामी कानून को लागू करना (लक्ष्य काले धन पर लगाम लगाना है);

(e) दिवालिया कानून (लक्ष्य 'व्यवसाय करने में सहूलियत' को बढ़ाना है), तथा;

(f) आधार कानून को लागू करना (लक्ष्य मौजूदा सब्सिडी व्यवस्था में भ्रष्टाचार को कम करना और तर्कसंगत बनाना है); इत्यादि।

नवीनतम् *आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18* (खंड-1) ने सही ही सरकार को *वृद्धिकारी सुधारों* (incremental reforms) को बड़े स्तर पर कार्य रूप देने की सलाह दी है। इस दिशा में इसके द्वारा वैधानिक सुधारों को प्राथमिकता देने की बात की गई है ताकि अर्थव्यवस्था प्राकृतिक रूप से परिचालित हो और यह अपनी ईष्टतम् क्षमता (optimum potential) को प्राप्त कर सके।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

अध्याय 7

मुद्रास्फीति एवं व्यापार चक्र (INFLATION AND BUSINESS CYCLE)

*मंदी और उछाल के दौर में आर्थिक गतिविधियों के स्तर में उतार-चढ़ाव एक प्रमुख कारक से तय होता है-मुद्रास्फीति से संबंद्ध भविष्य में मांग की संभावनाएं–ये अर्थशास्त्रियों के बीच हमेशा चर्चा का एक दिलचस्प मुद्दा रहा है।**

इस अध्याय में

खण्ड–अ

- ❏ प्रस्तावना
- ❏ परिभाषा
- ❏ मुद्रास्फीति क्यों होती है?
- ❏ मुद्रास्फीति के प्रकार
- ❏ मुद्रास्फीति के अन्य भिन्न रूप
- ❏ अन्य महत्वपूर्ण पद
- ❏ मुद्रास्फीति लक्ष्यन
- ❏ आधार प्रभाव
- ❏ मुद्रास्फीति के प्रभाव
- ❏ भारत में मुद्रास्फीति
- ❏ मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए सरकार के कदम

खण्ड–ब

- ❏ प्रस्तावना
- ❏ मंदी
- ❏ समुत्थान
- ❏ उछाल
- ❏ प्रतिसार
- ❏ संवृद्धि प्रतिसार
- ❏ डबल–डिप रिसेशन
- ❏ अबेनोमिक्स
- ❏ निष्कर्ष

** देखें जोसेफ ई. स्टिग्लिज और कार्ल ई. वाल्श, इकोनॉमिक्स, डब्ल्यू डब्ल्यू नॉर्टन, न्यूयॉर्क, अमेरिका, चौथा संस्करण, 2006, पृष्ठ 494-496. कॉलिन्स इंटरनेट लिंक्ड डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक्स, ग्लासगो, स्कॉटलैंड, ब्रिटेन, 2006, पृष्ठ 48-49*

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

खण्ड-अ

प्रस्तावना (INTRODUCTION)

मुद्रास्फीति किसी अर्थव्यवस्था के 'त्रिक्' (Trinity) में से एक है (इसके दो अन्य तत्व 'विनिमय दर' और 'वृद्धि दर' हैं)। महंगाई (price rise) आम आदमी को प्रभावित करने वाली सबसे विदित आर्थिक अवधारणा है। भारत में यह एक काफी संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा रहा है। महंगाई के फलस्वरूप चुनावों में कई राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को सत्ता से बाहर होना पड़ा है। लेकिन आम आदमी महंगाई बढ़ने या घटने के पीछे विद्यमान कारकों, इसके प्रकार और इसे रोकने संबंधी उपाय के साथ इसके अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों को शायद ही जानता हो। इस अध्याय में हमारा उद्देश्य इन सभी अवधारणात्मक और नीतिगत पहलुओं पर एक नजर डालना है।

परिभाषा (DEFINITION)

कीमतों के सामान्य स्तर में बढ़ोतरी[1], कीमतों के सामान्य स्तर में सतत वृद्धि[2], कीमतों के सामान्य स्तर में लागातार वृद्धि[3], अर्थव्यवस्था में कीमतों के सामान्य स्तर में कुछ समय से लगातार बढ़ोतरी हो रही हो[4], सभी चीजों के दाम बढ़ रहे हों तो ये महंगाई है[5]। ये मुद्रास्फीति की कुछ बेहद प्रचलित किताबी परिभाषाएं हैं। अगर किसी एक चीज के दाम बढ़े हैं तो ये महंगाई नहीं है। मुद्रास्फीति तब है जब अधिकतर चीजों के दाम बढ़ गए हों।[6]

जब दामों के सामान्य स्तर में कुछ समय से गिरावट आ रही हो तो ये अवस्फीति है, यानी महंगाई के विपरीत स्थिति। इसे डिसइंफ्लेशन के तौर पर भी जाना जाता है। हालांकि मौजूदा अर्थव्यवस्थाओं में अवस्फीति या डिसइंफ्लेशन को कीमतों में गिरावट के संकेत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसकी बजाय कीमतों के बढ़ने को 'महंगाई में वृद्धि' और कीमतों में कमी को 'महंगाई में कमी' के तौर पर इंगित किया जाता है। अवस्फीति या डिसइंफ्लेशन आधुनिक सरकारों की मैक्रो इकोनॉमिक्स नीति का हिस्सा बन गया है। नीति के संदर्भ में बात करें तो ये राष्ट्रीय आय और उत्पादकता के स्तर पर कमी दिखाता है, सामान्यत: कीमतों के स्तर में एक गिरावट के साथ। ऐसी नीतियां सरकारें जानबूझकर लाती हैं, जिनका उद्देश्य महंगाई कम करना और आयात की मांग को कम कर भुगतान संतुलन (बीओपी) में सुधार करना होता है। अवस्फीति के उपकरण के तौर पर किसी भी नीति में राजकोषीय उपाय (उदाहरण के लिए करों में बढ़ोतरी) और मौद्रिक उपाय (उदाहरण के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी) होते है।

मुद्रास्फीति दर को मूल्य सूचकांक (Price Indices) के आधार पर मापा जाता है, जो दो प्रकार के होते हैं – थोक मूल्य सूचकांक (Whole sale Price Index– WPI) तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index–CPI)। मूल्य सूचकांक मूल्यों के औसत स्तर की माप होता है अर्थात् इससे किसी एक विशेष वस्तु के वास्तविक मूल्य का पता नहीं चलता है। मुद्रास्फीति दर सामान्य मूल्य स्तर में परिवर्तन की दर होती है, जिसकी माप निम्न प्रकार से की जाती है:

मुद्रास्फीति दर (वर्ष X) = मूल्य स्तर (वर्ष X) - मूल्य स्तर (वर्ष X-1)/ मूल्य स्तर (वर्ष X-1)x 100

1. Samuelson, Paul A. and Nardhaus, William D., ***Economics***, Tata McGraw-Hill, N. Delhi, 2006, p. 439.
2. Mc Cormick, B.J. et.al, ***Introducing Economics***, Penguin Education, Great Britain, 1974, p.609.
3. ***Penguin Dictionary of Economics***, Penguin Books, London, 7th Ed., 2003.
4. ***Collins internet-linked Dictionary of Economics***, Harper-Collins Publishers., Glasgow, 2006.
5. Mathew Bishop, ***Pocket Economist***, *The Economist*, London, 2007, p. 121.
6. Stiglitz, Joseph E. and Walsh, Carl E., ***Economics***, W.W. Norton & Company, New York, 2005, p. 509.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

यह दर प्रतिशत (%) के रूप में दर्शायी जाती है। हालांकि मुद्रास्फीति संख्याओं में भी दर्शायी जाती है। मूल्य सूचकांक अनेक वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों का एक भारयुक्त औसत होता है। सूचकांक में विगत के किसी विशेष वर्ष (आधार वर्ष) में कुल भार को 100 के रूप में लिया जाता है, जबकि इसकी तुलना चालू वर्ष से की जाती है जिसमें चालू वर्ष में मूल्यों में उतार-चढ़ाव को दर्शाया जाता है। आधार वर्ष की तुलना में 100 में उतार या चढ़ाव आता है और इस मुद्रास्फीति को संख्याओं में मापा जाता है।

मुद्रास्फीति को 'बिन्दु-दर-बिन्दु' (Point-to-point) मापा जाता है। इसका अर्थ यह है कि वार्षिक मुद्रास्फीति की संदर्भ तिथि दो लगातार वर्षों में जनवरी 1 से जनवरी 1 होती है। उसी प्रकार साप्ताहिक मुद्रास्फीति दर किसी एक सप्ताह में आये बदलाव को व्यक्त करती है, जिसका संदर्भ सप्ताह के लगातार दो अंतिम दिन होते हैं (जैसे कि भारत में दो शुक्रवारों का अपराह्न 5 बजे का समय)।

मुद्रास्फीति क्यों होती है? (WHY INFLATION OCCURS?)

मुद्रास्फीति क्यों होती है इस मुद्दे पर अर्थविदों में पूरी 19 वीं और 20 वीं सदी में बहस चलती रही और यह बहस अब भी जारी है, लेकिन इस बहस से हमें मुद्रास्फीति होने के पीछे विद्यमान कारणों के बारे में जो ज्ञान प्राप्त हो सका वह महत्वपूर्ण है। इसे हम दो खंडों में बांटकर देख सकते हैं:

1. 1970 के दशक से पूर्व (Pre-1970s)

1970 के दशक से पहले जब मुद्रावादी स्कूल का चलन नहीं आया था, तब तक अर्थशास्त्री महंगाई के दो कारणों को लेकर सहमत थे।

(a) मांगजनित मुद्रास्फीति (Demand-Pull Inflation)

मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन की वजह से दाम बढ़ जाते हैं। या तो मांग आपूर्ति के स्तर तक बढ़ जाती है या फिर आपूर्ति कम होती है मांग के साथ और ऐसे में मांग की वजह से महंगाई बढ़ती है। ये कीन्सवादी विचार हैं। कीन्स स्कूल का मानना है कि कर बढ़ाकर और सरकारी खर्चों में कटौती करके लोगों को व्यय करने से रोका जा सकता है और अतिरिक्त मांग पर काबू पाया जा सकता है।

व्यवहार में सरकारें ऐसी महंगाई को रोकने के लिए मांग और आपूर्ति के ताने-बाने पर नजर रखती हैं। कई बार परिस्थिति के मुताबिक उन चीजों का आयात किया जाता है जिनकी आपूर्ति कम होती है, ऋणों (लोन्स) पर ब्याज की दर बढ़ाई जाती है, मजदूरी को भी संशोधित किया जाता है।

(b) लागत जनित मुद्रास्फीति (Cost-Push Inflation)

कारक इनपुट की लागत (जैसे-मजदूरी, कच्चा माल) में बढ़ोतरी की वजह से चीजों के दाम बढ़ते हैं। यानी किसी चीज के उत्पादन की लागत बढ़ने के फलस्वरूप कीमतों में होने वाला इजाफा लागत की वजह से होने वाली महंगाई होती है। कीन्स स्कूल ने सुझाव दिया कि ऐसी महंगाई पर लगाम के लिए कीमतों और आय पर नियंत्रण सीधा असर डालता है। उनके मुताबिक 'नैतिक उत्तेजना' को रोकने के लिए भी ये कारगर है और इसके अलावा ट्रेड यूनियनों की एकाधिकारिक शक्तियों को कम किया जाना भी एक अप्रत्यक्ष उपाय (मूल रूप से लागत आधारित महंगाई की मुख्य वजह इस दौर के दौरान ट्रेड यूनियनों की ज्यादा मजदूरी की मांग थी) है।

आज दुनिया भर की सरकारें ऐसी महंगाई को रोकने के लिए कई उपाय अपनाती हैं, जैसे-कच्चे माल पर एक्साइज और कस्टम शुल्क में कमी और मजदूरी संशोधन इत्यादि।

2. 1970 के दशक के बाद (Post-1970s)

1970 के शुरुआती दौर में अर्थव्यवस्था के मुद्रावादी स्कूल के उदय के बाद (मुद्रावाद 1945 के बाद कीन्स के मांग प्रबंधन के विरोध के बाद विकसित हुआ) महंगाई की मुद्रावादी व्याख्या उपलब्ध कराई गई, तथाकथित 'मांगजनित

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

मुद्रास्फीति या 'लागत जनित मुद्रास्फीति' जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा के अधिक चलन की वजह से थी।

(a) मांगजनित मुद्रास्फीति (Demand-Pull Inflation)

मांग जनित महंगाई- मांग आधारित मुद्रास्फीति मुद्रावादियों के लिए उपभोक्ता के पास उत्पादन के स्तर के समान रहने के दौरान अधिक क्रय शक्ति आने की वजह से शुरू हुई (ऐसा माइक्रो स्तर पर वेतन के बढ़ने और मैक्रो स्तर पर डिफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से है)। ये विशिष्ट रूप से बिना उत्पादन या आपूर्ति का स्तर समानुपात में बढ़ाए हुए अतिरिक्त मुद्रा लोगों के हाथ में देने का मामला है (चाहे अतिरिक्त नोट छापकर या सार्वजनिक उधारी के जरिये, जैसे– ''रुपया बहुत ज्यादा है लेकिन खरीदने के लिए चीजें कम''–ये मांगजनित मुद्रास्फीति का मुख्य स्रोत है।

(b) लागत जनित मुद्रास्फीति (Cost-Push Inflation)

इसी तरह मुद्रावादियों के लिए लागत जनित मुद्रास्फीति भी महंगाई की कोई स्वतंत्र अवधारणा नहीं है- ये कुछ अतिरिक्त मुद्रा द्वारा वित्त पोषित होती है (ये सरकार द्वारा किया जाता है, मजदूरी के संशोधन से, सार्वजनिक उधारी से या नोट छापकर आदि)। कीमतों में वृद्धि का अपने आप उपभोक्ता की खरीदारी पर असर नहीं पड़ता। बल्कि कुछ अतिरिक्त क्रय शक्ति बनाए जाने की वजह से लोगों के पास अतिरेक हो जाता है और वो ऊंची कीमतों पर भी खरीदारी करने लगते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो लोग अपनी खपत (जैसे– कुल मांग) अपनी क्रय क्षमता के हिसाब से कर लेते और इससे चीजों की समग्र मांग नीचे जा जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब हर लागत जनित मुद्रास्फीति रुपयों की अधिकता- मुद्रा आपूर्ति या आमद के बढ़ने का नतीजा है।

मुद्रावादियों का मानना है कि एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था में तय स्तर के उत्पादन के लिए तय स्तर की मुद्रा की आपूर्ति जरूरी है। उत्पादन के उसी स्तर पर रुपयों की अतिरिक्त आपूर्ति की वजह से मुद्रास्फीति होती है। अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीतिक दबाव की स्थिति को काबू में रखने के लिए उन्होंने समुचित मौद्रिक नीति (मुद्रा आपूर्ति, ब्याज दर, नोटों की छपाई, सार्वजनिक उधारी आदि) भी सुझाई। मुद्रावादियों ने मुद्रास्फीति को लेकर कीन्स के सिद्धांतों को खारिज कर दिया।

3. मुद्रास्फीति नियंत्रण के उपाय (Measures to check Inflation)

मुद्रास्फीति होने के कारणों को जानने के बाद प्रश्न यह उठता है कि सरकारें इसे नियंत्रित करने के लिए कैसे कदम उठा सकती हैं। विश्व की सरकारों द्वारा इसे नियंत्रित करने के लिए हर संभव कदम उठाए जाते हैं जिन्हें हम निम्न प्रकार देख सकते हैं:

(i) **आपूर्ति पक्ष संबंधी उपाय (Supply side measures):** अगर अर्थव्यवस्था महंगाई का कारण कुछ वस्तुओं की आपूर्ति की कमी है तो ऐसी स्थिति में सरकारें उक्त वस्तु का आयात करती है। भारत में 'प्याज'[7] तथा 'चीनी' की कमी को पूरा करने के लिए ऐसा किया जाता रहा है, लेकिन यह लघु-अवधि के उपाय है। मुद्रास्फीति दीर्घावधिक काल में नियंत्रण हो सके इसके लिए उक्त वस्तुओं का देश में उत्पादन ही अंतिम विकल्प है। इसी तरह से इसके अंतर्गत और भी कई उपाय आते हैं, जैसे–भंडारण, परिवहन तथा वितरण की बेहतर व्यवस्था, जमाखोरी (hoarding) पर नियंत्रण, आदि।

(ii) **लागत पक्ष संबंधी उपाय (Cost side measures):** इसके अंतगर्त सरकारें उन वस्तुओं पर लगने वाले अप्रत्यक्ष करों में कमी करती है जिनके मूल्यों में वृद्धि आने से मुद्रास्फीति बढ़ती है। इसके अंतर्गत आयात शुल्क (custom duty), उत्पाद शुल्क (excise duty), राज्यों के 'वैट' इत्यादि में कमी लाकर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है।

7. As per the ***Economic Survey, 1997–98,*** Ministry of Finance, GoI, N. Delhi, p. 89.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

भारत सरकार द्वारा इस तरह के कदम 2003 के मध्य में उठाया गए जब कच्चे तेल और इस्पात के मूल्य में वृद्धि आने लगी।[8] इसी प्रकार वर्ष 2009 एवं 2010 में बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण लगाने के लिए सरकार द्वारा इस प्रकार के कदम उठाके गए खाद्यान्न, चीनी आदि पर आयात शुल्क में कमी; एल. पी. जी. एवं पेट्रोल तथा डीजल पर राज्यों के 'वैट' में कमी आदि।[9] लेकिन उपरोक्त सभी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के छोटी अवधि के उपाय हैं। मुद्रास्फीति करने के छोटी अवधि के उपाय हैं। मुद्रास्फीति रूप से नियंत्रित रहे इसके लिए संबंधित वस्तुओं का आवश्यकतानुसार उत्पादन और उनका बेहतर वितरण ही अंतिम उपाय है।

(iii) **मौद्रिक उपाय (Monetary measures):** उपरोक्त उपायों के अतिरिक्त सरकारें 'मांग-जनित' या 'लागत-जनित' दोनों प्रकार की मुद्रास्फीतियों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए मौद्रिक उपाय का सहारा भी ले सकती है। इसके अंतर्गत इस प्रकार की मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती है ताकि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति/प्रचलन घटायी जा सके अर्थात् उपभोक्ता के पास धन की कमी करके उसकी मांग पर अंकुश लगाने की कोशिश की जाती है ताकि निम्न मांग से मुद्रास्फीति घटे। वर्ष 2009 एवं 2010 में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारत में RBI द्वारा अपनी मौद्रिक एवं साख नीति में कई बार परिवर्तन किया गया जिसके अंतर्गत CRR, SLR, बैंक दर, रिपो दर में वृद्धि की गयी।[10] लेकिन इन उपायों से मुद्रास्फीति को लघु अवधि के लिए ही नियंत्रित किया जा सकता है। इसका बेहतर उपाय है कि जल्द-से-जल्द उक्त वस्तुओं के बेहतर उत्पादन से बढ़ी हुई मांग को पूरी की जाए अन्यथा इसका आर्थिक वृद्धि दर पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है।

पुन: यह उपाय उस स्थिति असफल हो जाती है जब मूल्य वृद्धि दिन-प्रतिदिन की वस्तुओं की मूल्यों में होने वाली वृद्धि के कारण हो रहा हो, क्योंकि इनकी खरीद करने के लिए आम आदमी बैंकों से लिए गए ऋणों पर निर्भर नहीं होता। हां, अगर महंगाई इस्पात, लोहा, सीमेंट इत्यादि की मांग में आयी वृद्धि से बढ़ रही हो तो यह उपाय कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि भवन निर्माण की इन सामग्रियों का आवासीय ऋणों से प्रत्यक्ष संबंध होता है।

यदि सरकार आवश्यक समझे तो मुद्रास्फिति एवं कीमत प्रबंधन नीति को प्रभावी बनाने के लिए उपरोक्त तीनों मात्रकों को उपयोग में ला सकती है।

मुद्रास्फीति के प्रकार (TYPES OF INFLATION)

बढ़त की परास (rang) तथा इसकी गंभीरता के आधार पर मुद्रास्फीति को तीन बृहद कोटियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

1. अल्प मुद्रास्फीति (Low Inflation)

ऐसी मुद्रास्फीति धीमी होती है तथा इसकी पहले से भविष्य की जा सकती है।[11] जिसे लघु अथवा क्रमिक[12] कहा जा सकता है। यह एक तुलनात्मक पद है जिसका विपरीतार्थक द्रुत, दीर्घ तथा भविष्यवाणी नहीं किए जाने योग्य मुद्रास्फीति है। अल्प मुद्रास्फीति लंबी अवधि के दौरान देखने को मिलती है और इसमें वृद्धि सामान्यतया एकल संख्या में

8. As per the ***Economic Survey, 2003–04***, p. 90.
9. As the CRR for banks was revised upward to 6.5 per cent by the RBI in its **Credit and Monetary Policy** for April 2007 onwards and again increased to 7 per cent in the **Review**, July 31, 2007.
10. As the RBI increased the Repo Rate to 7.75 per cent in its ***Credit & Monetary Policy*** announced on March 31, 2007.
11. Samuelson and Nordhaus, ***Economics***, p. 671.
12. ***Collins Dictionary of Economics***, p. 251.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

होती है। ऐसी मुद्रास्फीति को सरकने वाली (Creeping Inflation)[13] भी कहते हैं। हम एक उदाहरण ले सकते हैं, जिसमें किसी देश की मासिक मुद्रास्फीति दर छह महीनों में 2.3 प्रतिशत, 2.6 प्रतिशत, 2.7 प्रतिशत, 2.9 प्रतिशत, 3.1 प्रतिशत तथा 3.4 प्रतिशत। यहां छह महीनों की अवधि के दौरान परिवर्तन का परास 1.1 प्रतिशत बैठता है।

2. सरपट मुद्रास्फीति (Galloping Inflation)

यह अत्यंत उच्च मुद्रास्फीति है जो दोहरी अथवा तिहरी संख्याओं में चलती है (जैसे–20 प्रतिशत, 100 प्रतिशत अथवा 200 प्रतिशत प्रतिवर्ष)।[14] वर्ष 1970 तथा 80 के दशकों में अर्जेंटीना, चिली तथा ब्राजील जैसे लैटिन अमेरिकी देशों में 50 से 700 प्रतिशत तक मुद्रास्फीति की दर हुआ करती थी। 1980 के दशक के अंत में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूसी अर्थव्यवस्था में भी ऐसी ही अत्यंत उच्च मुद्रास्फीति दर दर्ज की गई थी।

समकालीन पत्रकारिता में इस मुद्रास्फीति को उछल-कूद मुद्रास्फीति (Hoping Inflation), उछाल मुद्रास्फीति (Jumping Inflation) तथा दौड़ती-भागती मुद्रास्फीति[15] (Run away/running Inflation) कहा जाता है।

3. अति मुद्रास्फीति (Hyperinflation)

मुद्रास्फीति का रूप 'बड़ा और बढ़ता'[16] हुआ है, जिसकी वार्षिक दर अरबों या खरबों[17] में हो सकती है। ऐसी मुद्रास्फीति में न सिर्फ बढ़त बहुत बड़ी होती है बल्कि ये बहुत कम समय के अंदर हो जाती है दाम रातों-रात बढ़ जाते हैं।

अति मुद्रास्फीति का सबसे अच्छा उदाहरण अर्थशास्त्री 1920 के दशक की शुरूआत में प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का मानते हैं। 1923 के अंत तक दाम दो साल पहले[18] के दामों की तुलना में 36 अरब गुना ज्यादा थे। मुद्रास्फीति इतनी ज्यादा थी कि जर्मन मुद्रा (डॉइच मार्क) का इस्तेमाल लोग वास्तविक मुद्रा[19] के तौर पर न करके चूल्हा जलाने के लिए ईंधन के तौर पर कर रहे थे। 1985 में बोलीविया में (24,000 फीसदी प्रतिवर्ष) और 1993 मे पूर्व यूगोस्लाविया में (20 फीसदी प्रतिदिन)[20] अति मुद्रास्फीति के उदाहरण देखने को मिले।

इस तरह की मुद्रास्फीति से घरेलू मुद्रा बहुत तेजी से अपना भरोसा खो देती है और लोग रुपये के दूसरे विकल्पों को अपनाना शुरू कर देते हैं, उदाहरण के लिए भौतिक वस्तुएं, जैसे–सोना, विदेशी मुद्रा (इन्हें इनफ्लेशन प्रूफ संपत्ति के तौर पर भी जाना जाता है) और लोग लेन-देन के विनिमय को भी अपना लेते हैं।[21]

मुद्रास्फीति के अन्य भिन्न रूप (OTHER VARIANTS OF INFLATION)

I. गत्यावरोध/मार्गावरोध मुद्रास्फीति (Bottleneck Inflation)

ये मुद्रास्फीति तब होती है जब आपूर्ति में अचानक बहुत तेजी से गिरावट आ जाए जबकि मांग अपने पुराने स्तर पर बरकरार रहे। ऐसी स्थिति आपूर्ति पक्ष के अवरोधों, जोखिम या कुप्रबंधन की वजह से बनती है, जिसे 'स्ट्रक्चरल

13. Ibid.
14. Samuelson and Nordhaus, ***Economics***, p. 671.
15. As popularised by ***The Economist, The Wall Street Journal, The Economic Times*** (India), etc.
16. ***Collins Dictionary of Economics***, p. 251.
17. Samuelson and Nordhaus, ***Economics***, p. 671.
18. Thomas Sargent, 'The Ends of Four Big Inflations', in R. Hall, ***Inflations, Causes and Effects*** (as quoted by Stiglitz and Walsh, ***Economics,*** p. 513).
19. Stiglitz & Walsh, ***Economics***, p. 512.
20. Sachs, Jeffery, ***The End of Poverty***, Penguin Books, London, 2005, pp. 92–108
21. Hyperinflation erodes the value of money very fast and that too at a very high scale. We may put it with an example, suppose the annual rate of inflation is 100 per cent, money loses half its value every year. It means that a note of Rs. 100 will have a value of just Rs. 3 after five years.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

इंफ्लेशन' के तौर पर भी जाना जाता है। इसे 'मांग जनित मुद्रास्फीति' की श्रेणी में रखा जा सकता है।

II. मर्म मुद्रास्फीति (Core Inflation)

इसका ये नाम मुद्रास्फीति की गणना करते वक्त वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किए जाने या न किए जाने पर आधारित है। पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में लोकप्रिय कोर मुद्रास्फीति ऊर्जा और खाने के सामानों को छोड़कर सभी वस्तुओं और सेवाओं के दामों में बढ़ोतरी दिखाती है। भारत में साल 2000-01 में इसका पहली बार इस्तेमाल किया गया जब सरकार ने कहा कि ये नियंत्रण में है-यानी औद्योगिक वस्तुओं के दाम नियंत्रण में थे।[22] सरकार विशेषज्ञों ने इसकी इस आधार पर आलोचना की कि सरकार ने खाने-पीने की चीजों और ऊर्जा को मुद्रास्फीति से अलग कर दिया और फिर इस मोर्चे पर संतुष्ट महसूस करने लगी। मूल-रूप से पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में खाना और ऊर्जा जनता की मुश्किल नहीं है जबकि भारत में ये दो पहलू उनके लिए अहम भूमिका अदा करते हैं।

अन्य महत्वपूर्ण पद (OTHER IMPORTANT TERMS)

मुद्रास्फीतिकारी अंतर (Inflationary Gap)

राष्ट्रीय आय के ऊपर कुल सरकारी खर्च के अतिरेक (अर्थात् राजकोषीय घाटा) को मुद्रास्फीतिकारी अंतर कहा जाता है। इसका आशय उत्पादन स्तर को बढ़ाना है, जो कि अंततः इस प्रक्रिया में मुद्रा की अतिरिक्त उत्पत्ति के कारण मूल्यों को बढ़ा देता है।

मुद्रा अवस्फीतिकारी अंतर (Deflationary Gap)

राष्ट्रीय आय के ऊपर कुल सरकारी खर्च में कमी (अर्थात् राजकोषीय अधिशेष), फिजिकल सरप्लस से अर्थव्यवस्था में मुद्रा अवस्फीतिकारी अंतर आता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें मांग से अधिक उत्पादन होता है और अर्थव्यवस्था मांग के स्तर में एक सामान्य गिरावट की ओर उन्मुख होती है। इसे बाह्यगमन अंतर (Output Gap) के रूप में भी जाना जाता है।

22. Ministry of Finance, ***Economic Survey, 2000–01***, (New Delhi: Government of India, 2001).

मुद्रास्फीति कर (Inflation Tax)

मुद्रास्फीति से मुद्रा का अवमूल्यन होता है और इस प्रक्रिया में मुद्रा का उपयोग करने वालों की कठिनाई बढ़ती है। चूंकि सरकार का यह अधिकार होता है कि वह मुद्रा को छापे तथा इसका अर्थव्यवस्था में वितरण करे। जैसा कि घाटे के बजट में होता है, यह क्रिया सरकार के लिए आय का साधन बनती है। इस स्थिति में लोगों की आय की कीमत पर सरकारी खर्च बढ़ता है। इसमें ऐसा प्रतीत होता है मानो मुद्रास्फीति कर के रूप में कार्य कर रही है।[23] इसीलिए मुद्रास्फीति कर को 'सेनोरेज (Seignorage)' कहा जाता है। इसका अर्थ है कि मुद्रास्फीति हमेशा ऐसे स्तर पर रहती है जिसमें कि सरकार घाटे के बजट का रास्ता चुन सकती है - घाटे का बजट अथवा वित्तीयन का स्तर सीधे-सीधे मुद्रास्फीति दर में परिलक्षित होता है।

इसका उपयोग सरकारों द्वारा मूल्य एवं आय संबंधी नीतियों के रूप में भी किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत कंपनियां सरकार द्वारा निर्धारित स्तर के ऊपर वेतन वृद्धि होने पर मुद्रास्फीति कर का भुगतान करे।[24]

मुद्रास्फीति कुंडली (Inflation Spiral)

एक ऐसी मुद्रास्फीतिकारी स्थिति, जो कि वेतन एवं मूल्य के बीच अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया का परिणाम होती है और जिसमें वेतन मूल्यों को ऊपर बढ़ाता है तथा मूल्य भी वेतन को ऊपर खींचते हैं, को मुद्रास्फीति कुंडली कहा जाता है।[25] इसे वेतन-मूल्य कुंडली भी कहा जाता है। वेतन-मूल्य अंतःक्रिया की ऐसी परिस्थिति सन् 1935 में पहली बार अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का कारण बनी थी।[26]

23. Stiglitz and Walsh, ***Economics***, p. 511.
24. ***Penguin Dictionary of Economics***.
25. Ibid.
26. J.K. Galbraith, ***A History of Economics***, (London: Penguin Books, 1991), p. 205, pp. 267–70.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

मुद्रास्फीति लेखा (Inflation Accounting)

कॉरपोरेट मुनाफा लेखा के क्षेत्र में यह पद लोकप्रिय है। मूलतः फर्मो/कंपनियों के लाभ मुद्रास्फीति के कारण बढ़ा-चढ़ा कर अतिरंजित हो जाते हैं। जब एक प्रतिष्ठान मुद्रास्फीति के चालू स्तर के प्रभावों के समायोजन के पश्चात् लाभ की गणना करता है, तब इसे मुद्रास्फीति लेखा कहते हैं। ऐसे लाभ प्रतिष्ठान के वास्तविक लाभ होते हैं, जिनकी तुलना मुद्रास्फीति की ऐतिहासिक दर से भी की जाती है।

मुद्रास्फीति अधिमूल्य (Inflation Premium)

मुद्रास्फीति द्वारा जो बोनस लेनदार तक पहुंचता है उसे मुद्रास्फीति अधिमूल्य कहते हैं। बैंकों द्वारा अपने ऋणों पर जो ब्याज लगाया जाता है, उसे नामिक अथवा नाममात्र की ब्याज दर कहते हैं, जो कि लेनदार द्वारा बैंक को चुकाए गए ऋण का वास्तविक मूल्य नहीं भी हो सकता है। वास्तविक मूल्य की गणना के लिए नामिक ब्याज दर को मुद्रास्फीति प्रभावों के साथ समायोजित किया जाता है और इस प्रकार जो ब्याज दर प्राप्त होती है, वही वास्तविक ब्याज दर होती है। वास्तविक ब्याज दर नामिक ब्याज से हमेशा कम होती है। अगर मुद्रास्फीति की स्थिति जारी रहती है तो अंतर-मुद्रास्फीति अधिमूल्य का होता है।

बढ़ता मुद्रास्फीति अधिमूल्य ऋणदाता संस्थाओं के मुनाफे में गिरावट को दर्शाता है। कई बार मुद्रास्फीति अधि मूल्य के प्रभावों को उदासीन करने के लिए लेनदार नामिक (nominal) ब्याज दर को बढ़ाने का सहारा लेता है।[27] हाल के समय में जुलाई 2003 में भारतीय बैंकों ने अपने घटते ब्याज की स्थिति से बचने के लिए ऐसा किया था, जबकि मुद्रास्फीति 7 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई थी - यह वह स्तर था जबकि बैंकों के पूंजीगत आधार के क्षरण की भी स्थिति पैदा हो गई। तब से भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति के ऊपरी स्तर में स्वस्थ्यकर (परास से अधिक बढ़त 4-5 प्रतिशत भारतीय परिस्थितियों में) की स्थिति में अपने ऋण नीति को कड़ा बना दिया है।

27. Patrick Lane, ***Economics*** (London: The Economist, 199), p. 270.

फिलिप्स वक्र (Phillips Curve)

यह एक ग्राफिक वक्र होता है, जो कि मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है। इस वक्र के अनुसार मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के बीच 'ट्रेड ऑफ' की स्थिति होती है। वक्र यह दर्शाता है कि अगर मुद्रास्फीति कम रहती है तो बेरोजगारी बढ़ती है, जबकि मुद्रास्फीति बढ़ती है तब बेरोजगारी कम रहती है।[28] 1960 के दशक के दौरान यह आधुनिक अर्थशास्त्रियों के प्रमुख सिद्धांतों में शामिल था। इस अवधारणा को उन अर्थशास्त्रियों के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने इसे विकसित किया - अल्बम विलियम (Albam William house go Phillips, 1914-75) (बिल फिलिप्स -प्रचलित नाम) न्यूजीलैंड का एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था और साथ ही इस सिद्धांत के प्रतिपादन के समय लंदन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स में अर्थशास्त्री भी था। '*द रिलेशन बिटविन अनएम्पलायमेंट एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी वेज रेट्स इन द यूनाइटेड किंगडम,* 1861-1957' (*इकोनोमिका* में 1958 में प्रकाशित) में अपने विचारों के समर्थन में उसने अपने आनुभाविक साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।[29]

सन् 1960 के दशक की शुरुआत तक पूरी दुनिया में एक अर्थशास्त्र विवेक जागृत हुआ कि एक खास प्रकार की मौद्रिक नीति का पालन करके बेरोजगारी पर अंकुश लगाया जा सकता है तथा कुछ बढ़ी हुई मुद्रास्फीति की कीमत पर बेरोजगारी को स्थायी रूप से कम किया जा सकता है। विकसित देशों ने इस दिशा में काम करना शुरु किया और मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के अंतर्संबंधों पर आधारित मौद्रिक नीतियों का निर्माण आरंभ किया। यह विचार विकासशील देशों में भी 1960 के दशक तक लोकप्रिय हुआ, हालांकि उनमें एक संभ्रम की स्थिति थी, क्योंकि वे एक साथ उच्च मुद्रास्फीति दर (दोहरी संख्या में) के साथ बेरोजगारी की वृद्धि का भी सामना कर रहे थे।[30]

28. Stiglitz and Walsh, ***Economics***, pp. 821–22.
29. ***Penguin Dictionary of Economics***, pp. 297–98.
30. Gerald M. Meier and James E. Ranch, **Leading Issues in Economic Development** (New Delhi: Oxford University Press, 2006), pp. 37–39.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

सन् 1970 के दशक की शुरुआत तक दो अमेरिकी अर्थशास्त्रियों - मिल्टन फ्रिडमैन (नोबल पुरस्कार विजेता, 1976) तथा एडमंड फेल्प्स ने फिलिप्स वक्र के सिद्धांत को चुनौती दी। उनके अनुसार मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के बीच 'ट्रेड ऑफ' अल्प अवधि के लिए होता है, क्योंकि लोगों को जब उच्च मुद्रास्फीति की प्रत्याशा होती है तो वे उच्च वेतन वृद्धि की मांग करने लगते हैं और इस प्रकार बेरोजगारी बढ़कर अपने नैसर्गिक दर (बेरोजगारी की वह दर जो कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में प्रकट होती है, जबकि अर्थव्यवस्था में क्षमतानुसार उत्पादन होता रहता है, इसे आमतौर पर बेरोजगारी की नैसर्गिक दर कहते हैं)[31] पर पहुंच जाती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के बीच दीर्घकालीन 'ट्रेड ऑफ' नहीं होता। दीर्घकाल में मौद्रिक नीतियां मुद्रास्फीति को प्रभावित कर पाती है। उन्होंने सुझाया कि यदि मौद्रिक नीति बेरोजगारी को उसके नैसर्गिक दर से नीचे रखने की कोशिश करती है तो मुद्रास्फीति उच्चतर स्तर तक पहुंचने लगेगी, जिसे अत्वरित बेरोजगारी मुद्रास्फीति दर (Non-Acclerating Inflation rate of Unemployment—NAIRU)[32] कहते हैं। नेरू (NAIRU) बेरोजगारी की वह दर है जो कि मुद्रास्फीति की स्थिर दर की साम्यता में होती है। इसका अर्थ यह है कि नेरू में मूल्य (मुद्रास्फीति) तथा वेतन (बेरोजगारी) पर ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर बल एक-दूसरे को उदासीन करता रहता है और मुद्रास्फीति दर में परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं होती। हम यह कह सकते हैं कि नेरू न्यूनतम बेरोजगारी दर है जो कि किसी अर्थव्यवस्था में हो सकती है, मुद्रास्फीति दर पर बिना किसी ऊर्ध्वमुखी दबाव के।

प्रतिसारजन्य मुद्रास्फीति (Reflation)

प्रतिसारजन्य मुद्रास्फीति की स्थिति सरकार द्वारा बेरोजगारी घटाने तथा मांग बढ़ाने के लिए जानबूझकर लायी जाती है, जिससे कि आर्थिक वृद्धि की उच्चतर दर प्राप्त की जा सके।[33] सरकारें उच्चतर सार्वजनिक खर्च कर कटौती ब्याज दर कटौती आदि का सहारा लेती है। राजकोषीय घाटा बढ़ता है। उच्च स्तर की वृद्धि पर अतिरिक्त मुद्रा मुद्रित की जाती है, वेतन बढ़ता है तथा बेरोजगारी की स्थिति में लगभग कोई सुधार नहीं होता।

प्रतिसारजन्य मुद्रास्फीति को एक भिन्न दृष्टिकोण से भी समझा जा सकता है - जब अर्थव्यवस्था मंदी चक्र (निम्न मुद्रास्फीति, अधिक बेरोजगारी, अल्प मांग आदि) से गुजर रही होती है तथा सरकार मंदी से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए आर्थिक नीतिगत निर्णय लेती है, तब कुछ वस्तुओं के मूल्य में अचानक तथा अस्थायी वृद्धि होती है। यह मूल्य वृद्धि भी प्रतिसारजन्य मुद्रास्फीति के रूप में जानी जाती है।

स्थगनजन्य मुद्रास्फीति (Stagflation)

अर्थव्यवस्था की वह स्थिति जबकि मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर होते हैं, स्थगनजन्य मुद्रास्फीति कहलाती है। ऐसी स्थिति पहली बार सन् 1970 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई थी (औसत बेरोजगारी दर 6 प्रतिशत के ऊपर तथा औसत मुद्रास्फीति दर 7 प्रतिशत के ऊपर)।[34] साथ ही अन्य यूरो-अमेरिकी अर्थव्यवस्थाओं में भी यह स्थिति देखने को मिली थी। सन् 1973 तथा 1979 में तेल के मूल्य में बढ़ोतरी का यह परिणाम था। स्थगनजन्य मुद्रास्फीति वाली स्थिति 1980 के दशक की शुरुआत तक चलती रही। यह पारंपरिक चिंतन की मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के बीच 'ट्रेड ऑफ' की स्थिति रहती है (यानी कि फिलिप्स वक्र) गलत साबित हुआ तथा कुछ अर्थव्यवस्थाएं वैकल्पिक आर्थिक नीतियों की ओर मुड़ी, जैसे - मौद्रिक तथा आपूर्ति पक्ष वाले अर्थशास्त्र की ओर।

जब अर्थव्यवस्था स्थगनजन्य मुद्रास्फीति के चक्र से गुजर रही होती है (अर्थात् उत्पादक क्षमता के तुलना में अल्प मांग की लंबी अवधि) तथा सरकार आर्थिक नीति को व्यवस्थित कर रही होती है, तब अचानक कुछ वस्तुओं के मूल्य में उछाल आता है - ऐसी मुद्रास्फीति को भी

31. Stiglitz and Walsh, ***Economics***, p. 822.
32. Samuelson and Nordhaus, ***Economics***, pp. 680–87.
33. ***Collins Dictionary of Economics***, p. 446.
34. Stiglitz and Walsh, ***Economics***, p. 478.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

स्थगनजन्य मुद्रास्फीति कहते हैं। स्थगनजन्य मुद्रास्फीति मूलत: उच्च मुद्रास्फीति तथा निम्न वृद्धि का एक समुच्चय है।[35]

मुद्रास्फीति लक्ष्यन (INFLATION TARGETING)

मुद्रास्फीति के लिए एक औपचारिक लक्ष्य परास की घोषणा की जाती है, तब उसे मुद्रास्फीति लक्ष्य भेदन कहते हैं। यह केन्द्रीय बैंक द्वारा उसकी मौद्रिक नीति के तौर पर मुद्रास्फीति के स्थिर दर को प्राप्त करने के लिए कहा जाता है[36] (भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को इस कार्य के लिए 1970 के दशक में ही कहा था)।

भारत ने फरवरी 2015 में मुद्रास्फीति को औपचारिक रूप से लक्ष्य बनाया जबकि इससे संबंधित एक समझौते - मौद्रिक नीतिगत फ्रेमवर्क पर समझौता - पर भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने हस्ताक्षर किए। उक्त समझौता इस प्रकार मुद्रास्फीति को लक्षित करता है—''एक निरंतर जटिल बनती अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक आधुनिक मौद्रिक फ्रेमवर्क का होना जरूरी है। एक ओर मौद्रिक नीति का उद्देश्य प्राथमिक रूप में मूल्यों को स्थिर रखना है तो दूसरी ओर वृद्धि के उद्देश्य को भी ध्यान में रखना है।'' इस समझौते के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं:

1. भारतीय रिजर्व बैंक जनवरी 2016 तक सी.पी.आई.-सी. मुद्रास्फीति को 6 प्रतिशत के नीचे रखने का लक्ष्य निर्धारित करेगा। वित्तीय वर्ष 2016-17 तथा बाद के वर्षों के लिए यह लक्ष्य 4 प्रतिशत रहेगा जिसमें कि 2 प्रतिशत की ऊंच-नीच रहेगी (अर्थात् मुद्रास्फीति 2-6 प्रतिशत के स्वास्थ्यकर परास में रहेगी)।
2. भारतीय रिवर्ज बैंक संचालन लक्ष्य (Operating Target) को प्रकाशित करेगा तथा मौद्रिक नीति की एक संचालन पद्धति भी निर्धारित करेगा ताकि इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। संचालन लक्ष्यों तथा संचालन पद्धति में वृहद वित्तीय दशाओं के मद्देनजर किए गए किन्हीं परिवर्तनों को भी प्रकाशित किया जाएगा।
3. प्रत्येक छह माह पर भारतीय रिजर्व बैंक एक दस्तावेज प्रकाशित करेगा, जिसमें निम्नलिखित विवरण होंगे:
   (a) मुद्रास्फीति के स्रोत, तथा;
   (b) दस्तावेज के प्रकाशन के 6 -18 माह के भीतर की अवधि के लिए मुद्रास्फीति की भविष्यवाणी।
4. भारतीय रिजर्व बैंक को लक्ष्य हासिल करने में तब विफल मान लिया लाएगा, जब मुद्रास्फीति:
   (a) वित्तीय वर्ष 2015-16 तथा बाद के वर्षों में लगातार तीन तिमाहियों के लिए 6 प्रतिशत से अधिक होगी।
   (b) वित्तीय वर्ष 2016-17 तथा बाद के वर्षों के लिए लगातार तीन तिमाहियों तक 2 प्रतिशत से कम होगी।
5. भारतीय रिजर्व बैंक यदि लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहता है तब यह भारत सरकार को एक प्रतिवेदन प्रेषित करेगा, जिसमें:
   (a) समझौते के अंतर्गत निश्चित किए गए लक्ष्य को प्राप्त करने में विफलता के कारणों को स्पष्ट किया जाएगा।
   (b) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी।
   (c) एक निश्चित समयावधि बतायी जाएगी जिसमें लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा - प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाई को ससमय कार्यांवित करने के लिए।
6. समझौते को लागू करने अथवा इसकी व्याख्या संबंधी किसी विवाद का निपटारा भारतीय रिजर्व

35. C. Rangarajan, ***Indian Economy: Essays on Money and Finance***, (New Delhl; UBSPD, 1998), p. 58.
36. Samuelson and Nordhaus, ***Economics***, p. 723.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

बैंक के गवर्नर तथा भारत सरकार मिलकर करेंगे।

ज्ञातव्य है कि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित उर्जित पटेल समिति ने भी 2014 की शुरुआत में मौद्रिक नीति संबंधी ऐसी ही सलाह दी थी। इस प्रकार भारत मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारित करने वाले दुनिया के कुछ देशों में शामिल हो गया, जैसे–अमेरिका, यू.के., यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, इंडोनेशिया और ब्राजील। दुनिया में पहली बार न्यूजीलैंड ने 1989 में मुद्रास्फीति को निर्धारित करने का प्रयास किया था।[37]

तिरछी मुद्रास्फीति (Skewflation)

अर्थशास्त्री आमतौर पर मुद्रास्फीति तथा सापेक्षिक मूल्य वृद्धि में अंतर करते हैं। मुद्रास्फीति से आशय एक स्थिर धरणीय सर्ववस्तु मूल्य में वृद्धि से है, जबकि सापेक्षिक मूल्य वृद्धि एक विशेष वस्तु या वस्तुओं के छोटे समूह में हुई मूल्य वृद्धि से है। इससे एक तीसरी परिघटना भी सामने आती है, जिसमें किसी वस्तु या वस्तुओं के छोटे समूह में निरंतरता के साथ स्थिर कालावधि में बिना किसी पारंपरिक अभिधन (Traditional Destination) के मूल्य वृद्धि हो जाती है। इस कोटि की मूल्य वृद्धि का वर्णन करने के लिए तिरछी मुद्रास्फीति तुलनात्मक रूप से एक नई पदावली है।

भारत में 2009 के अंतिम महीनों में खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ते रहे और यह क्रम वर्ष 2010 के शुरुआत तक चला, जबकि उसी दौरान गैर-खाद्य पदार्थों के मूल्य स्थिर है। चूंकि यह एक अस्वाभाविक परिघटना लगातार जारी रही, इसलिए नीति-निर्धारकों में इस बात को लेकर चिंता हुई कि किस प्रकार इसका अंत हो सकता है। तिरछी मुद्रास्फीति शब्दावली का प्रयोग भारत सरकार के आंतरिक दस्तावेजों में किया गया और फिर *आर्थिक सर्वेक्षण 2009-10* में इसका औपचारिक रूप से उल्लेख हुआ।

भारत में मुद्रास्फीति का तिरछापन अथवा टेढ़ापन 2010 के शुरुआती महीनों में इस तथ्य से भी स्पष्ट था कि अनाजों के मूल्य में वृद्धि 20 प्रतिशत की सीमा पार कर गई, जबकि थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि 11 प्रतिशत से अधिक नहीं हुई। उल्लेखनीय है कि, तिरछी मुद्रास्फीति के कारण एक निम्न कोटिय सामान्यीकृत मुद्रास्फीति का रास्ता तैयार हुआ है (जबकि 2011 के मध्य में अर्थव्यवस्था में 9 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर थी तथा खाद्य एवं गैर-खाद्य पदार्थों के मूल्यों में लगभग समान स्तर पर वृद्धि हो रही थी)।

चूंकि अन्य देशों ने भी इसी प्रकार की समस्याओं का सामना किया, इसलिए यह शब्दावली चल निकली और *इकोनॉमिस्ट* पत्रिका (जनवरी 14, 2011) में छपे एक आलेख में '*प्राइस राइजेज इन चायना : इनफ्लेटेड फियरर्स*' में इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया गया कि क्या चीन भी भारतीय शैली की तिरछी मुद्रास्फीति का सामना करने वाला है?

सकल घरेलू उत्पाद अवस्फीतिकारक (GDP Deflator)

यह चालू मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) तथा स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात है। अगर चालू मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के बराबर है, तब इस स्थिति में सकल घरेलू उत्पाद अवस्फीतिकारक 1 होगा अर्थात् मूल्य स्तर में कोई परिवर्तन नहीं। यदि सकल घरेलू उत्पाद अवस्फीतिकारक 2 रहता है, तब इसका मतलब है कि मूल्य स्तर में 2 के कारक से वृद्धि हुई है और यदि सकल घरेलू उत्पाद अवस्फीतिकारक 4 रहता है, तब इसका अर्थ होगा कि मूल्य स्तर में वृद्धि 4 के कारक से हुई है। सकल घरेलू उत्पाद अवस्फीतिकारक को मूल्य व्यवहार का एक बेहतर माप बताया जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत देश में उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाएं समाविष्ट रहती हैं।

---

37. New Zealand passed a law to do this with a target of 0 to 2 per cent inflation with a provision that the Governor of the Reserve Bank of New Zealand could be fired if inflation crosses the 2 per cent upper limit—now this target range has been revised to 1 to 3 per cent (Stiglitz and Walsh, ***Economics***, p. 849).

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

आधार प्रभाव (BASE EFFECT)

यह पिछले साल कीमतों के स्तर में हुई बढ़ोतरी के चालू वर्ष में कीमतों के स्तर में समरूपी वृद्धि के प्रभाव को संदर्भित करता है। यदि पिछले साल में उसी समयावधि के दौरान मूल्य सूचकांक ऊंची दर से उठा है, जिसकी वजह से महंगाई दर बढ़ी तो थोड़ी संभावित वृद्धि पहले ही आ चुकी है, इसलिए, चालू वर्ष में मूल्य सूचकांक में ठीक वैसी ही बढ़ोतरी के चलते महंगाई दर अपेक्षाकृत कम बढ़ेगी। इसके विपरीत, पिछले साल की इसी अवधि के दौरान महंगाई दर बेहद कम हो तो मूल्य सूचकांक में अपेक्षाकृत मामूली-सी बढ़त भी मौजूदा महंगाई की दर में उच्च बढ़ोतरी कर देगी।

	मूल्य सूचकांक				महंगाई		
	2007	2008	2009	2010	2008	2009	2010
जनवरी	100	120	140	160	20	16.67	14.29

सूचकांक तीन सालों (2008, 2009, 2010) में 20-20 अंक बढ़ गया। हालांकि महंगाई दर (साल-दर-साल की गणना के आधार पर) इन तीन सालों में नीचे की ओर आती दिख रही है। साल 2008 में 20 प्रतिशत से 2010 तक 14.29 प्रतिशत। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हर साल मूल्य सूचकांक में 20 अंक की बढ़ोतरी ने आधार वर्ष के मूल्य सूचकांक में समान मात्रा में वृद्धि कर दी, जबकि मूल्य सूचकांक में पूर्ण वृद्धि एक समान रही।

साल दर साल महंगाई की गणना इस फॉर्मूले से की जाती है:

मौजूदा महंगाई दर= [(चालू मूल्य सूचकांक-पिछले साल का मूल्य सूचकांक)] × पिछले साल का मूल्य सूचकांक] × 100

मुद्रास्फीति के प्रभाव (EFFECTS OF INFLATION)

अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के बहुपक्षीय प्रभाव होते हैं–माइक्रो और मैक्रो दोनों ही स्तरों पर। ये आय का पुनर्वितरण करती है, सापेक्ष मूल्य को विकृत कर देती है, रोजगार, कर, बचत और निवेश नीतियों को अस्थिर कर देती है और अंत में अर्थव्यवस्था में मंदी ला सकती है। हम निम्नलिखित आधार पर मुद्रास्फीति के प्रभावों का एक संक्षिप्त विवरण देख सकते हैं:

1. ऋणदाता और देनदार पर (On Creditors and Debtors)

मुद्रास्फीति संपत्ति ऋणदाता से देनदार को पुनर्वितरण कर देती है, जैसे– उधार देने वाले को नुकसान होता है लेकिन मुद्रास्फीति से उधार लेने वाले को फायदा होता है। अवस्फीति में इसकी ठीक विपरीत असर देखने को मिलता है।

2. उधारी पर (On lending)

मुद्रास्फीति बढ़ने पर उधार देने वाले संस्थानों पर ज्यादा उधार देने का दबाव पड़ता है। संस्थान ब्याज की मामूली दरों में संशोधन नहीं करते क्योंकि उधार की असली लागत' उसी अनुपात में गिर जाती है जिस अनुपात में मुद्रास्फीति बढ़ती है।

3. कुल मांग पर (On Aggregate Demand)

बढ़ती मुद्रास्फीति कुल मांग के बढ़ने का संकेत देती है साथ ही अपक्षाकृत कम आपूर्ति और उपभोक्ताओं के बीच उच्च क्रयशक्ति का संकेत भी देती है। आम तौर पर उच्च मुद्रास्फीति से उत्पादक को ये सुझाव मिलता है कि वो अपना उत्पादन बढ़ाए क्योंकि इस स्थिति को अर्थव्यवस्था में उच्च मांग के संकेत के तौर पर देखा जाता है।

4. निवेश पर (On Investment)

मुद्रास्फीति की वजह से (अल्पावधि में) अर्थव्यवस्था में निवेश दो कारणों से बढ़ता है:

(i) उच्च मुद्रास्फीति उच्च मांग का संकेत करती है और कारोबारियों को सुझाव देती है कि वो अपने उत्पादन का विस्तार करें, और;

(ii) मुद्रास्फीति जितनी ज्यादा होगी, कर्ज की लागत उतनी कम होगी।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

5. आय पर (On Income)

मुद्रास्फीति का व्यक्तियों और संस्थाओं की आय पर एक जैसा प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी से आय की 'नॉमिनल' वैल्यू में थोड़ा इजाफा होता है जबकि आय की 'वास्तविक' वैल्यू उतनी ही रहती है। कीमत के स्तर बढ़ने से अल्पावधि में रुपये की क्रय शक्ति कम हो जाती है लेकिन दीर्घकाल में आय का स्तर भी बढ़ जाता है। इसका मतलब, किसी समयावधि में आय दो वजहों से बढ़ सकती है, जैसे– मुद्रास्फीतिक स्थितियां और कमाई में बढ़ोतरी से। 'जीडीपी अवस्फीतिकारक' (मौजूदा कीमत पर जीडीपी को स्थायी कीमत पर जीडीपी से भाग दिया जाए को परिकल्पना एक समय में आय पर 'मुद्रास्फीतिक प्रभाव' का विचार देती है।

6. बचत पर (On Saving)

अपने पास पैसा रोक कर रखना एक बुद्धिमत्तापूर्ण आर्थिक फैसला नहीं रह गया है (मुद्रास्फीति में हर बढ़ोतरी के साथ रुपया अपनी कीमत खोता जाता है) इसलिए लोग ज्यादा जल्दी-जल्दी बैंक जाते हैं और अपने पास कम-से-कम रुपया रखकर अधिक-से-अधिक रुपया बैंक के बचत खतों में रखने की कोशिश करते हैं। इसे मुद्रास्फीति की शू लेदर कॉस्ट[38] के तौर पर भी जाना जाता है (क्योंकि इसमें अपना जूता घिसते हुए लोगों को बार-बार बैंक जाने में अपना अमूल्य समय खर्च करना पड़ता है। इसका मतलब है कि बचत दर में वृद्धि होती है। लेकिन ऐसा मुद्रास्फीति के अल्पकालिक प्रभाव के तौर पर होता है। लंबी अवधि में उच्च मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में बचत दर को कमजोर कर देती है। जब मुद्रास्फीति कम होती है या कम बचत के साथ गिरावट के लक्षण दिखाती है तो अल्पकाल में इसके ठीक विपरीत स्थिति पैदा होती है और दीर्घकाल में बचत बढ़ती है।

7. खर्च पर (On Expenditure)

मुद्रास्फीति खर्च के दोनों ही प्रकारों– उपभोग और निवेश– को प्रभावित करती है। दाम बढ़ने से हमारे उपभोग का स्तर नीचे आता है क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं के लिए हमें ज्यादा कीमत चुकानी होती है। बढ़ते दाम के प्रभाव को रोकने के लिए हम लोगों में ये प्रवृत्ति देखते हैं कि वो अपने उपभोग के स्तर में कटौती कर लेते हैं, जिससे उपभोग पर होने वाला खर्च कम हो जाता है। इसी तरह जब कीमतें नीचे गिरती हैं तो इसके ठीक विपरीत परिस्थितियां बनती हैं। दूसरी तरफ मुद्रास्फीति 'निवेश' के खर्च को बढ़ा देती है क्योंकि रुपये/वित्त की लागत कम हो जाती है (मुद्रास्फीति उधार लेने वाले के लिए फायदेमंद है–इसे 'इंफ्लेशन प्रीमियम' के तौर पर जाना जाता है)। रुपये की कीमत कम होने की स्थिति में हालात ठीक विपरीत होते हैं।

8. कर पर (On Tax)

अर्थव्यवस्था के कर ढांचे पर मुद्रास्फीति दो तरह की विकृतियां पैदा करता है:

(i) अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर देते समय कर दाताओं को परेशान होना पड़ता है। प्रत्यक्ष कर क्योंकि कुल कीमत पर लगाए जाते हैं, ऐसे में वस्तुओं की बढ़ी कीमतों की वजह से करदाता को ज्यादा अप्रत्यक्ष कर देना होता है (जैसे–भारत में सेनवेट, वैट इत्यादि)। इसी तरह मुद्रास्फीति की वजह से कर दाता पर प्रत्यक्ष कर (आयकर, ब्याज पर कर आदि) का बोझ बढ़ जाता है क्योंकि करदाता की कुल आय इससे बढ़ जाती है और वो आधिकारिक टैक्स स्लैब के ऊपरी स्लैब में पहुंच जाता है (लेकिन मुद्रास्फीति की वजह से रुपये की वास्तविक कीमत नहीं बढ़ती है, अपितु गिर जाती है)। इस समस्या को ब्रैकेट क्रीप कहते हैं।[39] कुछ अर्थव्यवस्थाओं (अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों में) ने प्रत्यक्ष कर दाताओं पर इन विकृतियों के प्रभाव को रोकने के लिए अपने कर प्रावधानों को इसी तरह तैयार किया है।

(ii) जहां तक सरकार के कर संचय की बात है, मुद्रास्फीति से सकल कर राजस्व के मूल्य में मामूली बढ़ोतरी होती है जबकि कर संचयन की वास्तविक कीमत की मुद्रास्फीति की मौजूदा दर

38. Samuelson and Nordhaus, **Economics,** p. 674.

39. Samuelson and Nordhaus, **Economics,** p. 674.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

से तुलना नहीं होती क्योंकि सभी अर्थव्यवस्थाओं में कर संचयन में देरी होती है।

हालांकि सरकारों को अपने उधार पर ब्याज के बोझ के मामले में थोड़ा लाभ मिलता है क्योंकि मुद्रास्फीति से उधार लेने वाला फायदे में रहता है। ये फायदा हालांकि राजकोषीय घाटे के समसामयिक स्तर और कुल राष्ट्रीय कर्ज पर निर्भर करता है।

अगर सरकार उच्च राजकोषीय घाटे की स्थिति में है तो मुद्रास्फीति एक कर के रूप में काम करती है, जैसे–मुद्रास्फीति कर, जिसके जरिये सरकार लोगों के व्यय और उपभोग में कटौती कर अपने खर्च को पूरा करती है।

9. विनिमय दर पर (On Exchange Rate)

हर मुद्रास्फीति के साथ अर्थव्यवस्था में मुद्रा का अवमूल्यन होता है जबकि अर्थव्यवस्था लचीली मुद्रा व्यवस्था को अपनाती हो। यद्यपि ये एक तुलनात्मक मामला है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जिस विदेशी मुद्रा से अर्थव्यवस्था की मुद्रा के विनिमय दर की तुलना की जा रही है उस पर भी मुद्रास्फीतिक दबाव हो।

10. निर्यात पर (On Export)

मुद्रास्फीति के साथ किसी अर्थव्यवस्था के निर्यात योग्य उत्पादों को दुनिया के बाजारों के साथ प्रतिस्पर्द्धात्मक मूल्य का फायदा मिलता है। इसकी वजह से निर्यात का आकार बढ़ता है (ये ध्यान रहे कि यहां निर्यात की वैल्यू घट रही है) और इसलिए निर्यात की आय अर्थव्यवस्था में बढ़ती है। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था के निर्यात वाले भाग को मुद्रास्फीति से फायदा मिलता है। अर्थव्यवस्था के आयात करने वाले भागीदार एक स्थिर विनिमय दर के लिए प्रयास करते हैं क्योंकि उनके आयात बढ़ने लगते हैं और निर्यात घटने लगता है।

11. आयात पर (On Import)

मुद्रास्फीति की वजह से किसी अर्थव्यवस्था को कम आयात और आयात प्रतिस्थापन्न का फायदा मिलता है क्योंकि विदेशी चीजें महंगी हो जाती हैं, लेकिन अनिवार्य आयात (जैसे–तेल, तकनीक, दवा आदि) के मामले में अर्थव्यवस्था को ये लाभ नहीं मिलता और उसे विदेशी मुद्रा बचाने के बजाए ज्यादा खर्च करनी पड़ती है।

12. व्यापार संतुलन पर (On Trade Balance)

विकसित अर्थव्यवस्था के मामले में मुद्रास्फीति व्यापार संतुलन को अनुकूल बनाती है जबकि विकासशील देशों में मुद्रास्फीति उनके व्यापार संतुलन के लिए अनुकूल नहीं है। ऐसा उनके विदेशी व्यापार के संयोजन की वजह से होता है। विकासशील देशों को मुद्रास्फीति की वजह से निर्यात से जितना फायदा नहीं होता उससे ज्यादा नुकसान उन्हें अपने अनिवार्य निर्यात की वजह से उठाना पड़ता है जो मुद्रास्फीति की वजह से महंगा हो जाता है।

13. रोजगार पर (On Employment)

मुद्रास्फीति की वजह से अल्पावधि में रोजगार में इजाफा होता है लेकिन दीर्घकाल में या तो ये बेअसर रहता है या फिर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

14. मजदूरी पर (On Wages)

मुद्रास्फीति की वजह से मजदूरी की नॉमिनल (फेस) वैल्यू बढ़ जाती है जबकि इसकी रीयल वैल्यू (वास्तविक मूल्य) गिर जाती है। यही वजह है कि मुद्रास्फीति का क्रय शक्ति और मजदूरी पाने वाले कर्मचारी के जीवन स्तर पर नकारात्मक प्रभाव होता है। इसी नकारात्मक प्रभाव को खत्म करने के लिए भारत सरकार हर साल अपने कर्मचारियों को दो बार महंगाई भत्ता देती है।

15. स्वरोजगार पर (On Self-employed)

अल्पावधि में स्वरोजगार करने वालों पर मुद्रास्फीति का कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन लंबे समय में उन पर भी इसका असर पड़ता है क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है।

16. अर्थव्यवस्था पर (On Economy)

उपरोक्त में जिन अनुभागों की चर्चा हुई वो सभी अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं, लेकिन हमें अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रभाव जरूर जानने चाहिए। 1980 के दशक में दुनियाभर की अर्थव्यवस्थाओं का अनुभव कहता है कि एक हद तक मुद्रास्फीति किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए स्वस्थ होने की निशानी है। मुद्रास्फीति के इस खास स्तर को 'रेंज' कहते हैं और हर अर्थव्यवस्था को अपनी रेंज की गणना करने की जरूरत होती है। इस

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

रेंज की दोनों सीमाओं से बाहर मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए स्वस्थ नहीं मानी जाती। भारत के मामले में इसे 4 से 5 फीसद माना गया है, जो भारत में मुद्रास्फीति के 'कंफर्ट जोन' के तौर पर भी देखी जाती है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय संघ के लिए स्वस्थ रेंज आज 1 से 3 प्रतिशत है। यही कारण है कि हर अर्थव्यवस्था आज अपनी मौद्रिक नीति के भाग के तौर पर इंफ्लेशन टारगेटिंग का इस्तेमाल करती है।

तय/नियत रेंज की सीमा से आगे जाने पर अर्थव्यवस्था में मंदी आती है।

भारत में मुद्रास्फीति (INFLATION IN INDIA)

हर अर्थव्यवस्था प्रभावी वित्तीय प्रशासन के लिए मुद्रास्फीति की गणना करती है क्योंकि मुद्रास्फीति के बहुपक्षीय प्रभाव ने इसे जरूरी बना दिया है। भारत अपनी मुद्रास्फीति की गणना दो मूल्य सूचियों पर करता है, जैसे—थोक मूल्य सूचकांक (डब्लूपीआई) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई)। थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति जहां मैक्रो लेवल पर नीतियां बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं वहीं सीपीआई मुद्रास्फीति माइक्रो लेवल के विश्लेषण के लिए इस्तेमाल की जाती है। डब्लूपीआई की मुद्रास्फीति, अर्थव्यवस्था की मुद्रास्फीति होती है। दोनों ही सूचियां 'प्वाइंट-टू-प्वाइंट' पद्धति का इस्तेमाल करती हैं और प्वाइंट (संख्या) के साथ ही प्रतिशत में भी दर्शाई जा सकती हैं जो किसी खास आधार वर्ष से जुड़ी हो।

थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index)

भारत में पहली थोक मूल्य सूची 10 जनवरी, 1942 के हफ्ते के लिए बनी थी। इसके लिए 19 अगस्त, 1939=100 को खत्म हो रहे हफ्ते को आधार हफ्ता माना गया था। इसे भारत सरकार (उद्योग मंत्रालय)[40] के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय की तरफ से प्रकाशित किया गया था। स्वतंत्र भारत में भी इसी शृंखला का पालन किया गया और इस सूची में अधिक कमोडिटीज को शामिल किया गया। कमोडिटीज को शामिल किए जाने, उन्हें एक तार्किक महत्व दिए जाने के संदर्भ में कई बदलाव आने वाले वक्त में हुए जिनमें थोक मूल्य सूचकांक के लिए आधार वर्ष का पुनर्लेखन भी शामिल था।

अभी तक थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 7 बार संशोधित किया जा चुका है। आधार वर्ष नीचे इस रूप में दिए गए हैं:

(i) 1952-53 आधार वर्ष (112 वस्तुएं) जून 1952 से जारी।

(ii) 1961-62 आधार वर्ष (139 वस्तुएं) जुलाई 1969 से जारी।

(iii) 1970-71 आधार वर्ष (360 वस्तुएं) जनवरी 1977 से जारी।

(iv) 1981-82 आधार वर्ष (447 वस्तुएं) जनवरी 1989 से जारी।

(v) 1993-94 आधार वर्ष (435 वस्तुएं) जुलाई 1999 से जारी।

(vi) 2004-05 आधार वर्ष (676 वस्तुएं) सितम्बर 2011 से जारी।

(vii) 2011-12 आधार वर्ष (697 वस्तुएं) मई 2017 से जारी।

संशोधित थोक मूल्य सूचकांक (Revised Wholesale Price Index)

आधार वर्ष 2011-12 की नयी थोक मूल्य सूचकांक की शृंखला का सरकार द्वारा घोषणा[41] कर दी गयी है। पुरानी शृंखला का आधार वर्ष 2004-05 था। सकल घरेलू उत्पाद (GDP) तथा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

40. Ministry of Finance, **Economic Survey 2006–07** (New Delhi: Government of India, 2007), p. 85.

41. ***Office of Economic Advisor***, Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), Ministry of Commerce and Industry, GoI, N. Delhi, May 12th, 2017.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(IIP) का वर्तमान आधार वर्ष भी 2011-12 ही है। नयी श्रृंखला संबंधी सलाह देने के लिए सरकार द्वारा मार्च 2012 में एक कार्य दल की स्थापना की गयी थी (तत्कालीन योजना आयोग के सदस्य सौमित्र चौधरी की अध्यक्षता में)। थोक मूल्य सूचकांक की नयी श्रृंखला से जुड़े प्रमुख बिन्दु निम्न प्रकार हैं:

- सूचकांक के तीन प्रमुख समूहों को यथावत् रखा गया है, जो हैं- प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन एवं ऊर्जा तथा विनिर्मित उत्पाद। मदों की संख्या बढ़कर 697 (676 से) हो गयी है, कुल 146 पुरानी मदों को हटाकर इसमें 199 नई मदों को जोड़ा गया है।
- मूल्य कोटेशन (quotation) की संख्या में वृद्धि (52 प्रतिशत) किए जाने से यह सूचकांक पहले से अधिक प्रतिनिधित्वकारी है-कोटेशन की संख्या 5482 से बढ़ाकर 8331 की गयी।
- वस्तुओं के मूल्यों की गणना में *अप्रत्यक्ष करों* (indirect taxes) को शामिल नहीं किया गया हे। इस प्रकार यह सूचकांक अंतराष्ट्रीय तौर पर अवधारणात्मक रूप से उत्पादक मूल्य सूचकांक (Producer Price Index) के समान हो गया है।
- मदों के कुलों (aggregates) की गणना के लिए गुणात्मक माध्य (Geometric Mean) का उपयोग किया गया है जो पुन: एक अंतरराष्ट्रीय मान्य प्रक्रिया है। नये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में भी इसी विधि का उपयोग किया गया है।
- पुरानी एवं नयी श्रृंखला के मदों, उनके भारों एवं कोटेशन संबंधी तथ्यों का तुलनात्मक विवरण **तालिका 7.1** में दिया गया है।

तालिका 7.1

प्रमुख समूह	भार		वस्तुओं की संख्या		प्रचलित मूल्य	
	2004-05	2011-12	2004-05	2011-12	2004-05	2011-12
कुल वस्तुएं	100.00	100.00	676	697	5482	8331
I. प्राथमिक वस्तुएं	20.12	22.62	102	117	579	983
II. ईंधन और ऊर्जा	14.91	13.15	19	16	72	442
विनिर्मित उत्पाद	64.97	64.23	555	564	4831	6906

- खाद्य पदार्थों (प्राथमिक समूह के) एवं खाद्य उत्पादों (विनिर्मित उत्पादों के) को सम्मिलित करके पहली बार एक नये **थोक खाद्य मूल्य सूचकांक** (Wholesale Food Price Index) की शुरुआत की गयी है। सी.एस.ओ. (CSO) द्वारा पहले से जारी किए जा रहे **उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक** (CFPI) के साथ मिलकर यह सूचकांक खाद्य पदार्थों के मूल्यों के प्रबोधन को बेहतर बनाएगा।

अर्थव्यवस्था की बदलती सरंचना के मद्देनजर इस सूचकांक की समीक्षा की एक गतिज व्यवस्था का होना आवश्यक है। इस बात को ध्यान में उखकर सरकार द्वारा इस कार्य के लिए एक उच्चस्तरीय तकनीकी समीक्षा समिति (TRC) की स्थाना की गयी है (पहली बार) जिसकी अध्यक्षता औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग के सचिव द्वारा की जाएगी।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index)

डब्लूपीआई के अलावा भारत उपभोक्ताओं के स्तर पर भी मुद्रास्फीति की गणना करता है, ठीक वैसे ही जैसे दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्थाएं करती हैं। क्योंकि भारत

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

में उपभोक्ताओं की खपत और क्रयशक्ति आदि में व्यापक अंतर दिखाई देता है, एक अकेला उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) अब तक संभव नहीं हो पाया है जो भारत के सभी उपभोक्ताओं को अपने में समेट ले।[42]

उपभोक्ताओं के सामाजिक आर्थिक अंतर पर निर्भर करते हुए भारत में सीपीआई के चार सेट हैं जिनमें अलग-अलग सेट को अलॉट की गई कमोडिटी बास्केट में थोड़ा बहुत अंतर है। यद्यपि आने वाले वक्त में इन चार तरह के सीपीआई को वापल ले लिए जाने का प्रस्ताव है, लेकिन उनके लिए डाटा अभी भी जारी किया जाता है। इन चारों सीपीआई का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:

1. सीपीआई-आईडब्ल्यू (CPI-IW)

औद्योगिक मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) की बास्केट में 260 आइटम (और सेवाएं) हैं और इसका आधार वर्ष 2001 है[43] (पहला आधार वर्ष 1958-59) था। 76 केंद्रों से इसके आंकड़े हर महीने लिए जाते हैं और सूचकांक में एक महीने की देरी (लैग) है।

मूल रूप से ये सूचकांक सरकारी कर्मचारियों (बैंक और दूतावासों में काम करने वालों को छोड़कर) के लिए है। इस सूचकांक में होने वाले बदलावों के आधार पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी/तनख्वाह संशोधित की जाती हैं। महंगाई भत्ता (डीए) साल में दो बार घोषित किया जाता है। जब वेतन आयोग (पे कमीशन) वेतन का पुनरीक्षण करता है तो उसका आधार सीपीआई-आईडब्ल्यू ही होता है।

42. The economies of the Euro-American region have a single CPI as the majority of consumers show the same consumer behaviour (see J.B. Rosser and M.V. Rosser, ***Comparative Economics in a Transforming World Economy*** (Cambridge USA: Prentice Hall, MIT Press, 2004).

43. Ministry of Finance, ***Economic Survey 2006–07,*** p. 90.

2. सीपीआई-यूएनएमई (CPI-UNME)

अर्बन नॉन-मैनुअल इंप्लॉयी के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-यूएनएमई) का आधार वर्ष 1984-85 (पहला आधार वर्ष 1958-59 था) है और इसकी बास्केट में 146-365 कमोडिटी है। इसके लिए देशभर के 59 केंद्रों से आंकड़े लिए जाते हैं। आंकड़े मासिक आधार पर लिए जाते हैं और इसमें दो हफ्तों की देरी (लैग) होती है।[44]

इस मूल्य सूचकांक का सीमित इस्तेमाल है और मूल रूप से इसका इस्तेमाल भारत में संचालन कर रही विदेशी कंपनियों (जैसे-एयरलाइंस, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, दूतावास और दूसरी वित्तीय सेवाएं) के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) के निर्धारण में होता है। इसका इस्तेमाल आयकर अधिनियम के तहत कैपिटल गेन्स के निर्धारण में भी होता है और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भी इसका इस्तेमाल कुछ मामलों में करता है। सी.पी.आई. (यू) के प्रकाशन के बाद इस सूचकांक का जनवरी 2011 से प्रकाशन बंद कर दिया गया है।

3. सीपीआई-एएल (CPI-AL)

खेतिहर मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) का आधार वर्ष 1986-87 है और इसकी बास्केट में 260 कमोडिटी हैं। हर महीने 600 गांवों में इसके लिए आंकड़े जुटाए जाते हैं और इसमें तीन हफ्तों की देरी (टाइम लैग) है। इस सूचकांक का इस्तेमाल विभिन्न राज्यों में खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी के संशोधन के लिए किया जाता है क्योंकि 1986-87 (इसके आधार वर्ष) से खेतिहर मजदूरों के खपत के पैटर्न में बदलाव हुआ है इसलिए लेबर ब्यूरो ने इसके मौजूदा आधार वर्ष में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इस संशोधन के लिए एनएसएसओ द्वारा एनएसएस के 61वें दौर (2004-05) में उपभोक्ता खर्च डाटा के इस्तेमाल का प्रस्ताव है।

44. Ministry of Finance, ***Economic Survey 2001–02,*** p. 90.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

इस सूचकांक में बदलावों के संदर्भ में केंद्र और राज्य सरकारें सजग रहती हैं क्योंकि समाज के सबसे संवेदनशील वर्ग पर दामों के प्रभाव को दर्शाता है। ये वर्ग अपनी कुल कमाई का करीब 75 प्रतिशत हिस्सा खाने की वस्तुओं की खरीद पर खर्च कर देता है। लंबी अवधि में सरकार के इस सूचकांक को स्थिर रखने में विफल रहने पर ये इन्हें राजनीतिक रूप से अस्थिर बना सकता है जो राजनीतिक शिकस्त में बदल सकती है। यही वजह है कि अनाजों के दामों में वृद्धि की स्थिति को देखते हुए एफसीआई को हमेशा सस्ती दर पर आनाजों की आपूर्ति के लिए तैयार रखा जाता है।

4. सीपीआई-आरएल (CPI-RL)

ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आरएल) है, जिसका आधार वर्ष 1983 है। इसके लिए भी 600 गांवों से हर महीने डाटा इकट्ठा किया जाता है और इसमें भी तीन महीने की देरी (टाइम लैग) है। इस सीपीआई बास्केट में 260 कमोडिटी रखी गई हैं।

भारत में खेतिहर और ग्रामीण मजदूर आपस में परस्पर ओवरलैप कर जाते हैं जैसे कई खेतिहर मजदूर खेतों का काम पूरा हो जाने या फिर खेत में काम न होने की सूरत में ग्रामीण मजदूर के तौर पर काम करने लगते हैं। संभवतः इसी कारण से सरकार ने 2001-02 में इस सूचकांक को वापस ले लिया।[45] लेकिन केंद्र में सरकार बदलने के बाद इसे फिर से चालू कर दिया गया।[46]

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) का पुनरीक्षण (Revision in the CPI)

2011 में भारत सरकार ने एक नए सी.पी.आई. की घोषणा की – सी.पी.आई. (ग्रामीण), सी.पी.आई. (शहरी) तथा दोनों को जोड़कर एक राष्ट्रीय सी.पी.आई.-सी (जहां सी 'संयुक्त को' इंगित करता है)। इस बीच पहले से विद्यमान चारों सी.पी.आई. से संबंधित आंकड़े सी.एस.ओ. द्वारा प्रकाशित किए गए। आधार वर्ष में भी परिवर्तन करके 2004-05 को 2010-11 किया गया।

फरवरी 2015 में सी.पी.आई. को सी.एस.ओ. द्वारा पुनः पुनरीक्षित किया गया। इस पुनरीक्षण में आधार वर्ष में परिवर्तन के साथ ही अनेक पद्धति मूलक परिवर्तन भी किए गए ताकि सूचकांकों को अधिक ठोस बनाया जा सके। पुनरीक्षित शृंखला में जिन बड़े परिवर्तनों की शुरुआत की गई, वे हैं :

1. आधार वर्ष 2010- 100 से बदलकर 2012-100 कर दिया गया।
2. सामग्रियों की टोकरी एवं उनका भार-चित्र तैयार किया गया जिसमें संशोधित, मिश्रित संदर्भ अवधि (Modified, Mixed Reference Period–MMRP) आंकड़ों का उपयोग किया गया। ये आंकड़े उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (Consumer Expenditure Survey–CES), 2011-12 द्वारा राष्ट्रीय निदर्शन सर्वेक्षण, एन.एस.एस. की 68वीं बैठक के पश्चात् तैयार किए गए। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय प्रचलनों के अनुरूप साम्यता स्थापित करने के लिए किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकांश खाद्य सामग्रियों के लिए कहीं छोटी संदर्भ अवधि तथा विरल उपभोग वाली वस्तुओं के लिए लंबी संदर्भ अवधि रखने का अंतर्राष्ट्रीय प्रचलन है। सी.पी.आई. की पुरानी शृंखला के भार-चित्र एक समान संदर्भ अवधि (Uniform Reference Period–URF) पर आधारित है, जो कि सी.ई.एस., 2004-05 द्वारा एन.एस.एस. की 61वीं बैठक के बाद बनाए गए।

भार-चित्रों में इस परिवर्तन के साथ भार-संदर्भ वर्ष तथा मूल्य संदर्भ वर्ष (आधार वर्ष) के बीच का अंतर जो कि पुरानी शृंखला के अंतर्गत 6 वर्ष था, वह अब घटकर मात्र 6 माह रह गया। 2004-05 से 2011-12 के बीच उपभोग प्रवृत्ति में बदलाव के कारण भार-चित्र परिवर्तित होगा। पुराने तथा परिवर्तित शृंखला के भार-चित्रों के बीच की तुलना निम्नवत् है (तालिका 7.2):

45. Ministry of Finance, ***Economic Survey 2001–02***, p. 91.
46. Ministry of Finance, ***Economic Survey 2006–07***, p. 90.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

तालिका 7.2 - वर्तमान एवं पुनरीक्षित शृंखला के सी.पी.आई. के भार-चित्रों की तुलना

समूह विवरण	पुरानी शृंखला का सी.पी.आई. (भार गणना का आधार सी.ई.एस. 2004-05)			पुनरीक्षित शृंखला का सी.पी.आई. (भार गणना का आधार सी.ई.एस. 2011-12)		
	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त
खाद्य एवं पेय पदार्थ	56.59	35.81	47.58	54.18	36.29	45.86
पान, तंबाकू एवं नशीले पदार्थ	2.22	1.34	2.13	3.26	1.36	2.38
वस्त्र एवं जूते	5.36	3.91	4.73	7.36	5.57	6.53
आवास	–	22.54	9.77	–	21.67	10.07
ईंधन एवं प्रकाश	10.42	8.40	9.49	7.94	5.58	6.84
अन्यान्य	24.91	28.00	26.31	27.26	29.53	28.32
कुल	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

स्रोत: *सी.एस.ओ. फरवरी 2015*

3. समूहों की संख्या जो कि पुरानी शृंखला में पांच थी, अब बढ़कर छह हो गई है। पान-तबांकू आदि को अब एक नये समूह में रखा गया है। इसलिए 'खाद्य, पेय एवं तंबाकू' को बदलकर अब - 'खाद्य एवं पेय' कर दिया गया है।
4. अंडा जो कि पुरानी शृंखला में 'अंडा, मछली एवं मांस' के उप-समूह के अंतर्गत था अब एक अलग उप-समूह बना दिया गया है। उसी अनुसार पहले के उप-समूह को संशोधित कर अब 'मांस एवं मछली' बना दिया गया है।
5. प्रारंभिक सूचकांकों की गणना ज्यामितीय मान (Geometric Mean–GM) का उपयोग कर की जा रही है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रचलनों के हिसाब से विभिन्न बाजारों के आधार मूल्यों से संबंधित वर्तमान मूल्यों के 'प्राइस रिलेटिव्स' पर आधारित होता है। पुरानी शृंखला में इस कार्य के लिए अंकगणितीय मान (Arithmetic Mean, AM) का उपयोग किया जाता है। ज्यामितीय मान का लाभ यह है कि यह आत्यंतिक मूल्यों से कम प्रभावित होता है और सूचकांकों के व्यापक उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करता है।
6. अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की वस्तुओं का मूल्य भी पी.डी.एस. आयटमों को सूचकांकों में शामिल किया गया है और यह पुरानी शृंखला में ए.पी.एल तथा बी.पी.एल. मूल्यों के अतिरिक्त है।
7. मकान किराया सूचकांक के लिए मकान किराया आंकड़ा एकत्रित करने के लिए निदर्शन के आकार (Sample size), जो कि पहले 6,684 था, को बढ़ाकर दोगुणा यानी 13,368 कर दिया गया।
8. उप-समूह, समूह तथा सामान्य सूचकांक (समस्त समूह) के लिए अखिल भारतीय सी.पी.आई. (ग्रामीण एवं शहरी को मिलाकर) जो कि पुरानी शृंखला के लिए विमुक्त किया गया था, के अलावा अब अखिल भारतीय आयटम, सी.पी.आई. (संयुक्त) को भी उपलब्ध कराया गया।
9. उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (ग्रामीण, शहरी, संयुक्त) को निम्नलिखित उप-समूहों के सूचकांकों के भारयुक्त औसत (Weightage Average) के रूप में संकलित किया गया, जैसा कि पुरानी शृंखला में प्रचलित था (केवल भार को पुनरीक्षित किया गया)।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

तालिका 7.3 – उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक के अंतर्गत विभिन्न उप-समूहों का अखिल भारतीय भार

उप-समूह कूट	उप-समूह विवरण	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त
1	2	3	4	5
1.1.01	अनाज एवं उत्पाद	26.14	22.24	24.77
1.1.02	मांस एवं मछली	9.26	9.23	9.25
1.1.03	अंडे	1.05	1.21	1.10
1.1.04	दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद	16.34	17.98	16.92
1.1.05	तेल एवं वसा	8.90	9.49	9.11
1.1.06	फल	6.10	9.10	7.40
1.1.07	सब्जी	15.78	14.88	15.46
1.1.08	दलहन एवं दलहन उत्पाद	6.25	5.84	6.11
1.1.09	चीनी एवं मिष्ठान	3.61	3.28	3.49
1.1.10	मसाले	6.57	6.05	6.39
सी.एफ.टी.आई. (CFTI) के समस्त उप-समूह		100.00	100.00	100.00

स्रोत: *सी.एस.ओ (उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक) फरवरी 2015*

मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियां (Trends in Inflation)

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही मुद्रास्फीति एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा रही है और यही स्थिति आर्थिक सुधार प्रक्रिया आरंभ होने तक जारी रही। मुद्रास्फीति में प्राय: दोहरी संख्याओं के स्तर तक पहुंचने की प्रवृत्ति रही है और इसके विस्फोटक राजनीतिक परिणाम भी हुए हैं, जिनमें केन्द्र तथा राज्य स्तर की सरकारें तक गिर गई हैं – खाद्य तेल, प्याज, आलू आदि के मूल्यों में वृद्धि के कारण। ऐसी परिस्थितियों में सरकार ऐसे उपाय करती रही है जिनसे कि मुद्रा आपूर्ति में कड़ाई लाकर राज्य स्तर के बाधाओं को पार किया जाए। यद्यपि इससे मुद्रास्फीति कम हुई है तथापि यह उच्च वृद्धि की कीमत पर संभव हो पाया। मूल्य वृद्धि भारत के राजनीतिक मानस में इस प्रकार बैठी है कि सरकार आए दिन के अकालों को रोकने के लिए दीर्घकाल की भूखमरी और कुपोषण को अनदेखा कर दिया।[47] सरकार मुद्रास्फीति तथा वृद्धि के बीच की 'ट्रेड ऑफ' में अच्छा संतुलन बनाने के लिए पर्याप्त राजनीतिक जोखिम नहीं उठाती। वर्तमान काल 2007-08 की स्थिति भी वैसी ही है, जबकि अर्थव्यवस्था को निवेश के लिए अधिक मुद्रा की आपूर्ति की जरूरत है लेकिन सरकार की मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति को 6 प्रतिशत से नीचे रखने का प्रस्ताव करती है तथा अपनी मौद्रिक नीति को इसके लिए कड़ा बनाती है।

भारत में दशकीय मुद्रास्फीति तुलनात्मक रूप से सामान्य दिखाई देती है।[48] लेकिन इसमें कभी-कभार दोहरी संख्या तक पहुंचने की भी प्रवृत्ति दिखाई देती है। खासतौर पर सूखा आदि के कारण आपूर्ति पक्ष में गिरावट आने के कारण। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत तथा युद्धों के कारण निधियों में पथ विचलन के कारण (जैसा कि 1962 तथा 1965-66 तथा 1971 के युद्धों के दौरान हुआ)। भारत में दशकीय मुद्रास्फीति निम्नवत् रही है[49]:

47. Pranab Bardhan agrees to Amartya Sen (How is India Doing?', **New York Review of Books,** December 1982) in: 'A Political Economy Perspective on Development' in Bimal Jalan ed. **Indian Economy Problems and Prospects,** (New Delhi: Penguin Books, 1992), p. 369.

48. Rosser and Rosser, **Comparative Economics in a Transforming World Economy.**

49. Based on Rangarajan, **Indian Economy,** p. 63; Jalan,

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(i) 1950 के दशक में 1.7 प्रतिशत

(ii) 1960 के दशक में 6.4 प्रतिशत

(iii) 1970 के दशक में 9.0 प्रतिशत

(iv) 1980 के दशक में 8.0 प्रतिशत

(v) 1990 के दशक में 9.5 प्रतिशत (हालांकि 1998-99 के दौरान यह दर 0.5 प्रतिशत थी)

(vi) **वर्ष 2000 के दशक के दौरान:** 2000-08 के बीच मुद्रास्फीति निम्न स्तर पर थी (3-5 प्रतिशत) लेकिन 2009 के बाद यह स्थायी प्रवृत्तियों के साथ बढ़ने लगी।[50] 2009-13 के बीच मुद्रास्फीति असहज स्तरों तक बनी रही, प्राथमिक रूप से प्रोटीन समृद्ध वस्तुओं (प्रोटीन मुद्रास्फीति) की अगुआई में खाद्य वस्तुओं (खाद्य मुद्रास्फीति) के कारण जो कि खान-पान के आदतों में परिवर्तन, आय प्रभाव (मनरेगा जैसी योजनाओं के कारण), वेतन बढ़ोतरी, विश्व बाजार में खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में बढ़ोतरी, महंगा चारा, महंगे ईंधन तथा ऊर्जा आदि के कारण संभव हुआ। 2010 के अंत तक भारत में 9-10 प्रतिशत के परास में मुद्रास्फीति वक्र मुद्रास्फीति (Skewflation) की हद तक पहुंच गया।

(vii) **2010 के दशक में:** वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक मुद्रास्फीति उच्च बनी रही जहां WPI पर यह 8 प्रतिशत रही वहीं CPI पर 9.7 प्रतिशत। उच्च मुद्रास्फीति के पीछे खाद्य सामग्रियां एवं 'प्रोटीन युक्त' खाद्य पदार्थ थे जिनकी महंगाई दो अंकों में रही।[51] चूंकि 2014 के मध्य में मुद्रास्फीति नरम पड़ने लगी थी – डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति नकारात्मक रही (अगस्त 2015 तक -5.1 प्रतिशत) और सीपीआई मुद्रास्फीति सकारात्मक (दिसंबर 2016 के अंत में 4.9 प्रतिशत), जो 10 प्रतिशत के 'अंतर' को भी दिखा रही थी।

50. Ministry of Finance, **Economic Survey 2013–14** (New Delhi: Government of India, 2014), pp. 75–77.

51. Ministry of Finance, **Economic Survey 2014–15** (New Delhi: Government of India, 2015), Vol. 2, pp. 69–75.

आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार मुद्रास्फीति की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है:

- **सी.पी.आई.-सी. (CPI-C):** 'हेडलाइन' मुद्रास्फीति पर 2017-18 में (दिसंबर 2017 तक) गिरकर 3.3 प्रतिशत पर आ गयी थी। वर्ष 2014-15 में यह दर 5.9 प्रतिशत, 2015-16 में 4.9 प्रतिशत एवं 2016-17 में 4.5 प्रतिशत थी। इस प्रकार 'हेडलाइन' मुद्रास्फीति 'थ्रेसहोल्ड' (Threshold) दर 4 प्रतिशत के नीचे रही है। दिसंबर 2017 में यह 5.2 प्रतिशत थी (नवंबर 2017 के 4.9 प्रतिशत एवं दिसंबर 2016 के 3.4 प्रतिशत की तुलना में)।
- **खाद्य मुद्रास्फीति (Food Inflation):** बेहतर कृषिगत उत्पादन एवं बेहतर सरकारी प्रबोधन (monitoring) के कारण उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (CFPI) में लगातार कमी आयी है- वर्ष 2016-17 में यह 4.2 प्रतिशत थी (2014-15 के 6.4 प्रतिशत एवं 2015-16 के 4.9 प्रतिशत की तुलना में)। वर्ष 2017-18 (दिसंबर तक) में यह गिरकर 1.2 प्रतिशत के स्तर पर थी (वैसे दिसंबर 2017 में यह 5 प्रतिशत तक बढ़ चुकी थी)। खाद्य मुद्रास्फीति दर में गिरावट के लिए जिम्मेदार उत्पाद मांस, मछली, खाद्य तेल एवं वसा, दलहन एवं मसाले रहे हैं। इसी प्रकार थोक खाद्य मूल्य सूचकांक (WFPI) में भी गिरावट आयी है जो वर्ष 2017-18 (दिसंबर तक) में गिरकर 2.3 प्रतिशत पर आ गया था (वर्ष 2016-17 के 6.3 प्रतिशत की तुलना में)।
- **कोर मुद्रास्फीति (Core Inflation):** जहां 'हेडलाइन' एवं 'खाद्य' मुद्रास्फीति दरों में गिरावट का रुख रहा है वहीं उपभोक्ता मूल्य आधारित 'कोर' मुद्रास्फीति दर (खाद्य एवं ईंधन समूहों को छोड़कर) पिछले चार वित्त वर्षों में 4 प्रतिशत

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

के ऊपर बनी रही है। वैसे यह दर 2017-18 (दिसंबर तक) 4.5 प्रतिशत थी (2016-17 के 4.8 प्रतिशत की तुलना में)। दिसंबर 2017 में कोर मुद्रास्फीति दर 5.2 प्रतिशत थी।

भारत में मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों के विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं होता कि मुद्रास्फीति का कोई एक कारण अर्थशास्त्रियों ने सभी संभावित कारणों का उल्लेख किया है (तथाकथित 'अच्छे' तथा 'खराब') जिसे संक्षिप्त रूप में निम्नवत् देखा जा सकता है:

1. संरचनात्मक मुद्रास्फीति (Structural Inflation)

अपवाद स्वरूप कुछ वर्षों को छोड़ दें तो भारत एक विशेष किस्म के गत्यारोधक मुद्रास्फीति की समस्या का सामना करता रहा है (अर्थात् संरचनात्मक मुद्रास्फीति) और इसका कारण रहे हैं—वस्तुओं की आपूर्ति में कमी, विकासशील अर्थव्यवस्था का सामान्य संकट, बढ़ती हुई मांग लेकिन निवेश योग्य पूंजी के अभाव में वांछित स्तर तक वस्तुओं का उत्पादन न कर पाना[52] आदि। जब कभी उच्चतर निवेश योग्य पूंजी का प्रबंध कर सरकार ने उच्चतर वृद्धि के लिए प्रयास किए, अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति पर दबाव बन गया (विशेषकर 1970 तथा 1980 के दशक में) और इसका परिणाम यह हुआ कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए वृद्धि का बलिदान करना पड़ा।[53] इस प्रकार भारत में उच्च मुद्रास्फीति के लिए आपूर्ति पक्ष का बेमेल रहना एक समस्या रही है। कुछ समय बाद जब सरकार ने अधिक खर्च का प्रबंध किया तब भी इसका बहुलांश गैर-विकासात्मक क्षेत्रों द्वारा सोख लिया गया और उच्च मुद्रास्फीति के साथ धीमी वृद्धि की समस्या बनी रही जो कि एक अवरुद्ध अर्थव्यवस्था का लक्षण है।

52. Desai, Meghnad, 'Development Perspectives' in I. J. Ahluwalia and I.M.D. Little, (eds), ***India's Economic Reforms and Development,*** (New Delhi: Oxford University Press, 1998), p. 41.
53. Jalan Bimal, ***India's Economic Policy,*** (New Delhi: Penguin Books, 1992), p. 52–58.

2. लागत-दबाव मुद्रास्फीति (Cost-Push Inflation)

'मुद्रास्फीति कर' के कारण भारत ने वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य बढ़ता रहा है, क्योंकि सरकार राजस्व प्राप्ति को बढ़ाने के लिए वैकल्पिक उपायों का सहारा लेती रही है।[54] हम कच्चे माल पर अधिक आयात कर लगाने क कारण भी ऐसा होता है।[55] भारत में पूर्व में गैर-वैट (Non-VAT) कर ढांचे के कारण वस्तुओं के मूल्यों पर प्रपाती प्रभाव पड़ता रहा है।[56] सरकार द्वारा अपने नियोजित विकास के वित्तीयन के लिए अधिक राजस्व की जरूरत थी और इसीलिए ऊपर वर्णित कारकों से बचना आसान नहीं था।

3. राजकोषीय नीति (Fiscal Policy)

अर्थव्यवस्था की विकासात्मक जरूरतों के वित्तीय संपोषण के प्रयास में सरकारी अति मुद्रा आपूर्ति की चक्रीय प्रक्रिया में फंस गई। सबसे पहले तो ऐसा बाहरी लेनदारी के कारण हुआ, लेकिन 1960 के दशक के बाद से जबकि घाटे के बजट को विश्व भर में स्वीकृति मिल गई। सरकार ने भारी आंतरिक लेनदारी तथा मुद्राएं छापकर इस स्थिति से पार पाने का प्रयास किया। सरकार की आंतरिक लेनदारी में भारतीय रिजर्व बैंक का बड़ा योगदान होता है, जिससे कि कीमतें बढ़ती हैं।[57] किसी भी सरकारी घाटे के लिए अगर केन्द्रीय बैंक अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद कर रहा है अथवा सरकार के लिए नए अग्रिम सृजन कर रहा है तो इनके सम्मिलित प्रभाव

54. C. Rangarajan, 'Development, Inflation and Monetary Policy', in I.J. Ahluwalia and I.M.D. Little (eds), ***India's Economic Reforms and Development***, (New Delhi: Oxford University Press, 1998), pp. 56–57.
55. Jalan, **India's Economic Policy,** pp. 191–203.
56. ***Chelliah Committee Report,*** 1993.
57. V.M. Dandekar, 'Forty Years After Independence', (New Delhi: Penguin Books, 1992), PP 81–88. in the Bimal Jalan (ed.), ***Indian Economy: Problems and Prospects.***

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

से उच्च मुद्रास्फीति निम्न बचत दर तथा निम्न आर्थिक वृद्धि की स्थिति बनती है, जो कि एक अस्थिर राजकोषीय नीति का दुर्गुण माना जाता है।[58] उच्च राजकोषीय घाटा उच्च ब्याज दर ले आता है, क्योंकि निधि की मांग बढ़ती है और अत्यधिक मांग से अपेक्षित मुद्रास्फीति बढ़ाती है। साथ ही मुद्रा दर में गिरावट में भी बढ़ोतरी होती है।[59] एक बार जब वर्ष 2000-01 की शुरुआत में विदेशी मुद्रा भंडार में तीव्र गति से बढ़ोतरी हुई तो इसकी अनुरक्षण लागत अधिक मूल्य वृद्धि के रूप में सामने आई, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा की खरीद रुपये के समतुल्य मूल्य पर ही करता है, जिससे कि अतिरिक्त मांग सृजित होती है और कीमतें बढ़ जाती हैं।[60]

उच्च राजस्व घाटा (उच्च ब्याज भुगतान, सब्सिडी, तनख्वाह और पेंशन की वजह से) और राजकोषीय घाटे के चलते सरकार और मुद्रा की आपूर्ति करती है जो अर्थव्यवस्था को और उपर की तरफ ले जाता है। एक बार 2003 में जब राजकोषीय और बजट प्रबंधन अधिनियम प्रभावी हुआ उसके बाद से आने वाले समय में इस परिदृश्य में सुधार हुआ। हालांकि 1999 से 2003 के बीच के वक्त में कम मुद्रास्फीति के साथ उच्च वृद्धि दिखाई दी और इस दौरान भारत में ब्याज दर निम्नतम थी।

मुद्रास्फीति का स्वस्थ परास (Healthy Range of Inflation)

1980 के दशक के अंतिम सालों में विकसित अर्थव्यवस्थाओं द्वारा उच्च मुद्रास्फीति एवं उच्च वृद्धि को 'ट्रेड ऑफ' के रूप में प्रश्नांकित किया गया था, क्योंकि उच्च मुद्रास्फीति की आर्थिक एवं सामाजिक लागत के लिए नीतिगत विचार की भी जरूरत होती है - एक महंगा 'ट्रेड ऑफ'।[61] - आने वाले समय में विश्व अर्थव्यवस्थाएं स्थिर मुद्रास्फीति (Inflation Targeting) के पक्ष में आईं। हालांकि इसका विरोध[62] हुआ। भारत में भी इंफ्लैशन स्थिरीकरण (WPI—आधारित मुद्रास्फीति की अनौपचारिक टारगेटिंग) की शुरुआत 1970 के दशक में हुई। 1973 में महंगाई 20 प्रतिशत के दर पर चली गई क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में भारी वृद्धि हुई और इंदिरा गांधी सरकार ने एक जबरदस्त मुद्रास्फीति विरोधी पैकेज का निर्माण किया, जिसके अंतर्गत लोगों की प्रयोज्य आय (Disposable Income) को प्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंधित किया गया (यह उपाय भारत में पहली बार अमल में लाया गया)।[63] इस पैकेज का प्रभाव यह पड़ा कि मार्च 1975 तक मुद्रास्फीति घटकर 5.7 प्रतिशत रह गई। यह वह समय था जबकि भारतीय रिजर्व बैंक को एक नया दायित्व सौंपा गया था - महंगाई स्थिरीकरण का और भारत मौद्रिक नियंत्रणों के दौर में प्रवेश कर रहा था। इंफ्लेशन टारगेटिंग के द्वारा भारत में एक नई बहस की शुरुआत हुई - भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रास्फीति के स्वस्थ्य परास के बारे में। समय-समय पर मुद्रास्फीति के उपर्युक्त परास (Rang) की औपचारिक एवं अनौपचारिक व्याख्या रही है:

(i) **चक्रवर्ती समिति (1985)** ने अर्थव्यवस्था के लिए 4 प्रतिशत मुद्रास्फीति दर को स्वीकार्य माना। उसने यह भी जोड़ा कि इस स्तर पर मूल्य वृद्धि से वांछित स्तर की वृद्धि के लिए निवेश आकर्षित किए जा सकेंगे।

58. Y.V. Reddy, ***Lectures on Economic and Financial Sector Reforms in India*** (New Delhi: Oxford University Press, 2002), pp. 176–77.
59. Ashima Goyal, 'Puzzles in India Performance: Deficits without Diaster' in Kirit S. Parikh and R. Radhakrishna (eds), **India Development Report, 2004–05** (New Delhi: IGIDR and Oxford University Press, 2005), pp. 191–208.
60. Kaushik Basu, **India Emerging Economy: Performance and Prospects in the 1990's and Beyond** (New Delhi: Oxford University Press, 2004), pp. 89–103.
61. S. Fisher, 'Modern Central Banking', in F. Capie etal.,**The Future of Central Banking, The Tercentenary Symposium of the Bank of England** (Cambridge: Cambridge University Press, 1994) pp. 262–308.
62. Paul Krugman, 'Stable Prices and Fast Growth: Just Say No', **Economist** 31 (1996), pp. 15–18.
63. Ahluwalia and Little, ***India Economic Reforms and Development***, p. 2.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(ii) भारत सरकार ने 4 से 6 प्रतिशत महंगाई दर को स्वीकार्य माना और उसने 0 से 3 प्रतिशत के विश्व औसत का हवाला दिया (1997–98)।[64]

(iii) तत्कालीन रिजर्व बैंक गवर्नर **सी. रंगराजन** ने शुरू में मुद्रास्फीति दर को 6 से 7 प्रतिशत तक लाने एवं अंततः अगले वर्षों में औसतन 5 से 6 प्रतिशत तक रखने की वकालत की।[65]

(iv) **तारापोर समिति** ने अगले तीन वर्षों (1997–98 से 1999–2000) में 3 से 5 प्रतिशत मुद्रास्फीति को स्वीकार्य मानने की अनुशंसा की।[66]

जून 2003 के बाद से सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक महंगाई को 5 प्रतिशत तक सीमित रखने की सामान्य नीति पर कायम रहे – किसी भी कीमत पर, मानो 4 से 5 प्रतिशत की महंगाई अर्थव्यवस्था के लिए स्वस्थ परास मानी गई हो।[67]

सरकार का मध्यवर्तीकालीन उद्देश्य महंगाई या मुद्रास्फीति के 4 से 4.5 प्रतिशत तक रखना है।[68] एक बात ध्यान में रखने की है कि महंगाई देश में हमेशा से एक राजनीतिक मुद्दा रहा है। हर बार जब भी भारतीय रिजर्व बैंक ने बढ़ती मुद्रास्फीति को काबू में करने की कोशिश की है। अधिकांश विशेषज्ञों ने इसको न्यून मूल्य स्तरों के लिए वृद्धि का बलिदान कहा है। एक कड़ी मौद्रिक नीति निवेश एवं वृद्धि को धीमा करती है और सामान्य तौर पर मध्य वर्ग एवं विशेष तौर पर उद्यमियों की वृद्धि की संभावनाओं को रोकती है, जबकि दूसरी ओर वेतन भोगी एवं समाज का गरीब तबका कम-से-कम अल्प काल के लिए राहत महसूस करता है।

भारत द्वारा **फरवरी 2015** से, औपचारिक रूप से, मुद्रास्फीति को लक्षित (Inflation Targeting) करने की नीति अपनायी जा रही है। इसके अंतर्गत CPI(C) को **'हेडलाइन मुद्रास्फीति'** (Headline Inflation) माना गया है तथा RBI अपनी मौद्रिक एवं साख नीतियों में इसे ही लक्षित करता है। इस नीति के अनुसार CPI(C) का वार्षिक स्वस्थ परास 2 से 6 प्रतिशत के बीच माना गया है।

उत्पादक मूल्य सूचकांक (Producer Price Index)

योजना आयोग के सदस्य प्रो. अभिजीत सेन की अध्यक्षता में 2003-04 के मध्य में दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक कार्यसमूह गठित किया गया:

(i) डब्ल्यूपीआई (आधार वर्ष 1993-94) की मौजूदा शृंखला का संशोधन, और;

(ii) भारत के लिए एक उत्पादक मूल्य सूचकांक (पीपीआई) की सिफारिश करना जो डब्ल्यूपीआई की जगह ले सके।

इस कार्य समूह की सलाहों की मद्देनजर डब्ल्यूपीआई के लिए नई शृंखला (आधार वर्ष) 2004-05 संशोधित की गई। सरकार की तरफ से 2003 के मध्य में पीपीआई पर (डब्ल्यूपीआई) स्विच करने का प्रस्ताव आया और कार्यसमूह को इस बारे में आईएमएफ से इनपुट मिल रहे थे। पीपीआई उत्पादक के नजरिये से मूल्य में बदलाव को मापता है जबकि सीपीआई इसे उपभोक्ता के नजरिये से देखता है। थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता से ऊंचे दाम

64. Ministry of Finance, **Economic Survey 1997–98** (New Delhi: Goverment of India, 1998), p. 92.
65. Rangarajan, 'Development, Inflation and Monetary Policy, pp. 61–63.
66. We may refer to almost all the credit and monetary policies announced by the RBI during this period.
67. As the RBI put it in its Credit and Monetary Policy Review of July 31, 2007.
68. It should be noted here that the level of inflation was below 5 per cent till the new Government came to power and the outgoing Government was blamed to freeze the inflation data to a more politically digestable level (i.e., below 5 per cent). The new Government in the process of preparing a producer price index (PPI) has also committed to make the inflation data automated like the share indices.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

लेता है, जिसके फलस्वरूप फुटकर विक्रेता उपभोक्ता से ऊंचे दाम वसूलता है और दाम में ये बढ़ोतरी उपभोक्ता दामों में ऊंची दर के तौर पर सामने आता है– इसलिए पीपीआई भविष्य में उपभोक्ता मूल्य के बारे में आइडिया देने में महत्वपूर्ण है।[69] पीपीआई में सिर्फ मूल दामों का इस्तेमाल होता है जबकि कर, ट्रेड मार्जिन और परिवहन लागत को इससे अलग रखा जाता है। इस सूचकांक को महंगाई के आकलन के लिए बेहतर माना जाता है क्योंकि इसमें प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर दामों के अंतर का चीजों के अंतिम उत्पाद के रूप में सामने आने से पहले पता लगाया जा सकता है।[70] इसके बेहतर इस्तेमाल की वजह से कई अर्थव्यवस्थाओं ने पीपीआई को अपना लिया है। इसकी सबसे पुरानी सीरीज अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स ने तैयार की थी। ये सूचकांक थोक विक्रेता या उत्पादक के स्तर पर दामों के आकलन में सक्षम था– इसका इस्तेमाल प्राइस टार्गेटिंग के लिए निजी कारोबारी घरानों ने खूब किया।[71]

एक बार भारतीय अर्थव्यवस्था डब्ल्यूपीआई से पीपीआई पर शिफ्ट हो गई तो ये माना जाए कि अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीति के ट्रेंड्स का ज्यादा बेहतर आइडिया होगा।

देश में पी.पी.ई. को प्रारंभ करने के सिलसिले में सरकार द्वारा गठित कार्य दल (बी.एन. गोलदार की अध्यक्षता में, अगस्त 2014) ने अगस्त 2017 में अपने सुझाव सरकार को सौंप दिए। विशेषज्ञ समिति के इन सुझावों पर सरकार अभी विचार-विमर्श कर रही है।

हाउसिंग प्राइस इंडेक्स
(Housing Price Index)

भारत के आधिकारिक आवासीय मूल्य सूचकांक (एचपीआई) को वित्त मंत्री ने नौ जुलाई, 2007 को मुंबई में लॉन्च किया था। मूल रूप से भारतीय होम लोन नियामक, नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) द्वारा विकसित इस सूचकांक का नाम एनएचबी रेसिडेक्स रखा गया।

वर्तमान में इस सूचकांक का प्रकाशन देश के 50 शहरों के लिए किया जा रहा है। इसका आधार वर्ष 2012-13 है तथा इसे प्रत्येक तिमाही के लिए प्रकाशित किया जाता है। अभी इसमें 18 राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों एवं 37 स्मार्ट सिटीज को शामिल कर लिया गया है। हालांकि एन.एच.बी. द्वारा अखिल भारतीय संयुक्त (Composite) आवासीय सूचकांक की गणना बंद कर दी गयी है फिर भी समानुपातिक जनसंख्या के भारों के आधार पर आंतरिक रूप से इसकी गणना जारी है। अखिल भारतीय सूचकांक के अनुसार आवासों के मूल्यों में गिरावट आयी है (दिसंबर 2016 की तिमाही के बाद से) वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही में यह सूचकांक 4 प्रतिशत तक गिर चुका था (वर्ष 2016-17 के तीसरी तिमाही के 8 प्रतिशत की तुलना में)।

इधर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा 2007 में एक तिमाही आवासीय मूल्य सूचकांक (HPI) की घोषणा प्रारंभ की गयी थी जिसका आधार वर्ष 2002-03 है। सिर्फ मुंबई के लिए शुरू किए गए इस सूचकांक का विस्तार करके इसमें 9 और शहरों को शामिल किया गया है तथा इसका आधार वर्ष अब 2010-11 कर दिया गया है। RBI द्वारा आवासों के लिए एक अखिल भारतीय सूचकांक का भी निर्माण किया जाता है। यह सूचकांक 10 शहरों में आवासीय खरीद-बिक्री के लेन-देन पर आधारित है, जिसमें पंजीकरण प्राधिकारियों से प्राप्त आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। यह सूचकांक वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही में 8.7 प्रतिशित के उच्च स्तर पर था। मार्च 2016 में यह सूचकांक 3 प्रतिशत के निम्न स्तर पर था।

आवासीय मूल्य सूचियों के विभिन्न विचार हैं और निजी और सरकारी तौर पर प्राइस डाटा तैयार करने के लिए कई स्रोत और तरीके हैं। देश दर देश ऐसी सूचियों के निर्माण का तरीका बदलता रहता है और ये इस्तेमाल, उद्देश्य और डाटा की उपलब्धता पर निर्भर करता है कि कौन-सा तरीका चुना गया। 2006-07 में वित्त मंत्रालय के एक सलाहकार की

69. Stiglitz and Walsh, **Economics,** p. 517.
70. Ministry of Finance, ***Economic Survey 2006–07,*** p. 92.
71. Samuelson and Nordhaus, **Economics,** p. 441.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

अध्यक्षता में तकनीकी सलाहकार समूह बनाया गया, जिसमें संबंधित क्षेत्र के सरकारी और निजी निकायों, जैसे- एनएचबी, सीएसओ, आरबीआई, एचडीएफसी, एचयूडीसीडी, एलआईसी हाउसिंह फाइनेंस लिमिटेड, लेबर ब्यूरो, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड और सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट स्टडीज (एसडीएस) से जुड़े सदस्य और विशेषज्ञ शामिल थे। अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचलन में आई श्रेष्ठ पद्धतियों, तौर-तरीके, सैंपलिंग तकनीक, रीयल एस्टेट के निर्माण के लिए प्राइस डाटा के संग्रहण की समीक्षा के बाद तकनीकी सलाहकार समूह ने भारत के लिए समुचित प्रक्रिया का सुझाव दिया।

भारतीय रीयल एस्टेट बाजार में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य के साथ इस सूचकांक के कुछ बेहद महत्वपूर्ण और सामयिक मुद्दों का जवाब देने की उम्मीद हैं:

(i) क्या कोई दलाल शहरों में घरों के लिए बेहद ऊंची कीमत लगा रहा है।

(ii) बैंक/हाउसिंग फाइनेंस निकाय तभी इसका आकलन कर पाएंगे जब संपत्तियों के लिए लोन के आवेदन वास्तविक होंगे।

(iii) इससे हाउसिंग सेक्टर के नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स का भी पता चलेगा।

(iv) और सबसे महत्वपूर्ण ये खरीदारों के लिए एक वास्तविक मूल्य सूचकांक का काम करेगा। (अभी एक खरीदार के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि प्रॉपर्टी की कीमतों में होने वाले इजाफे का देश में मुद्रास्फीति के सामान्य स्तर से कोई लेना देना है भी या नहीं या फिर दाम यूं ही अनाप-शनाप बढ़ा दिए गए हैं। दलालों के अलावा इस क्षेत्र में दावों में बदलाव के आकलन के लिए फिलहाल कोई दूसरा जरिया नहीं है। फिलहाल सिर्फ एक ही सूचकांक सीपीआई (आईडब्ल्यू) हाउसिंह प्राइस में बदलाव के बारे में थोड़ी जानकारी देता है। लेकिन इसके भी राष्ट्रीय सूचकांक होने की वजह से क्षेत्रीय स्तर पर कोई मदद नहीं मिल पाती)।

सेवा मूल्य सूचकांक (Service Price Index)

भारत के जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान पिछले 10 सालों में मजबूत हुआ है और आज ये 60 प्रतिशत से भी ज्यादा है। अर्थव्यवस्था[72] में इस क्षेत्र के बढ़ते प्रभुत्व को देखते हुए भारत में सेवा मूल्य सूचकांक आज जरूरी हो गया है। सेवा क्षेत्र में मूल्यों में बदलाव के लिए अब तक कोई सूचकांक नहीं है। मौजूदा महंगाई सिर्फ जिंस-उत्पादन क्षेत्र के मूल्यों में बदलाव को दिखाता है, यानि ये सिर्फ विनिर्माण और कृषि (प्राथमिक और द्वितीय) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, सेवा (टर्शिएरी) क्षेत्र का नहीं।

इस तरह के सूचकांक की आवश्यकता की अनुशंसा थोक मूल्य सूचकांक (93-94) सीरीज के बदलाव के लिए गठित कार्य समूह की तरफ से भी की गई थी। इस कार्यसमूह की अध्यक्षता योजना आयोग के सदस्य प्रोफेसर अभिजीत सेन ने की थी। सी. रंगराजन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने भी इस पर बल दिया था। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार का ऑफिस देश के लिए विश्व बैंक के सहयोग से आर्थिक सुधार परियोजनाओं से तकनीकी सहायता लेकर क्षेत्र आधारित सेवा मूल्य सूचकांक विकसित करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल, कुछ चुनिंदा सेवाओं के लिए सेवा मूल्य सूचकांक प्रायोगिक स्तर पर तैयार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें सिर्फ सड़क परिवहन, रेलवे, वायु सेवाएं, कारोबार, व्यापार, बंदरगाह, डाक, दूरसंचार, बैंकिंग और बीमा सेवाओं को रखा गया है।

सूचकांक निर्माण का मूलभूत अध्ययन पूरा हो चुका है। सूचकांकों को औपचारिक तौर पर जारी किए जाने से

72. Ministry of Finance, ***Economic Survey 2006–07,*** p. 94.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

पहले माना जा रहा है कि पूरे अध्ययन पर विद्वानों, विशेषज्ञों और उस सेवा का इस्तेमाल करने वालों से विस्तृत चर्चा की जाएगी। उल्लेखनीय है कि, 2005 में इस विषय[73] पर ओईसीडी-यूरोसेट रिपोर्ट आने के बाद अर्थव्यवस्था के लिए सेवा मूल्य सूचकांक की जरूरत और ज्यादा महसूस की गई।

मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए सरकार के कदम (GOVERNMENT STEPS TO CHECK INFLATION)

भारतीय उपभोक्ताओं की विशेष सामाजिक-आर्थिक बनावट के कारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हमेशा ही एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। यही कारण रहा है कि उपभोक्ता मूल्यों को नियंत्रित करना सरकार की प्राथमिकता रही है। वर्ष 2017-18 में सरकार द्वारा इस दिशा में उठाये गए प्रमुख कदम[74] निम्न प्रकार रहे:

- वस्तुओं के मूल्यों एवं उनकी उपलब्धता की उच्चतम स्तर पर लगातार समीक्षा की जाती रही।
- राज्य सरकारों द्वारा जमाखोरी (hoarding) एवं काला बाजार (black marketing) के विरुद्ध कठोर कदम उठाये गए (केन्द्र सरकार की सलाह पर)।
- उत्पादन बढ़ाने एवं खाद्य सामग्रियों की उपलब्धता को बेहतर बनाने के लिए उच्चतर अधिकतम मूल्यों (MSP) की घोषणा की गयी।
- दलहन, प्याज, आदि कृषिगत उत्पादों की मूल्य अस्थिरता (volatility) को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा मूल्य स्थरीकरण कोष (Price Stabilization Fund) योजना पर अमल किया गया।
- प्रभावी बाजार हस्तक्षेप को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा दलहन के 'बफर स्टॉक' (buffer stock) को बढ़ाकर 20 लाख टन कर दिया गया (वर्तमान के 15 लाख टन से)।
- खाद्य तेलों की घरेलू बाजार में उपलब्धि बढ़ाने के उद्देश्य से इन पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (900 अमेरिकी डॉलर प्रति टन) आरोपित किया गया। घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खाद्य तेलों पर ऐसे प्रतिबंध हटा लिए गए (पाम, सरसों एवं सूर्यमुखी तेलों को छोड़कर)।
- अप्रैल 2018 तक के लिए चीनी पर स्टॉक होल्डिंग सीमा लगायी गयी तथा साथ ही इसके निर्यात पर 20 प्रतिशत कर आरोपित किया गया। दूसरी तरफ कच्ची चीनी के आयात को शून्य शुल्क के अंतर्गत रखा गया है (5 लाख टन तक के लिए)।
- प्याज के लिए, दिसंबर 2017 तक के लिए, न्यूनतम निर्यात मूल्य की घोषणा की गयी (850 अमेरिकी डॉलर प्रति टन)। राज्यों को प्याज पर भंडारण सीमा (stock limit) आरोपित करने की सलाह दी गयी तथा उन्हें अपनी भविष्य की जरूरतों की सूचना देने को कहा गया (ताकि

73. 'The number of National Statistical Agencies collecting service producer prices data, though growing, is still small', points out the ***OECD-Eurosat, 2005 Inquiry on National Collection of Services Producer Prices Preliminary Report,*** giving information on 45 such countries. The report further adds that while some such agencies have focused exclusively on the price of services provided to enterprises, others have approached the subject more broadly through the development of services producer price indices with varying approaches and coverage. As per the report, at present, 30 countries collect services producer prices while prelimilary works have started in other countries, particularly the European countries under the auspices of the Eurosat. Other than the developed Euro-American economies some other countries which worked as inspiration for India which have such an index are China, Hong Kong, Czech Republic, Slovak Republic, Poland, Lithuania, Israel and Vietnam.
74. ***Economic Survey 2017-18***, Vol. 2, p. 67, Ministry of Finance, GoI, N. Delhi.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

समय रहते इसके आयात की व्यवस्था की जा सके)।

इन सरकारी कदमों का मुद्रास्फीति नियंत्रण पर काफी धनात्मक प्रभाव रहा। वर्ष 2017-18 (दिसंबर तक) में 'हेडलाइन' मुद्रास्फीति (CPI-C) गिरकर 3.3 प्रतिशत पर आ गयी थी वहीं इसमें आम गिरावट आयी (आवास, ईंधन एवं प्रकाश को छोड़कर)। हेडलाइन मुद्रास्फीति लगातार 12 महीनों तक (नवंबर 2016 से अकतूबर 2017) 4 प्रतिशत के नीचे रही। इसी प्रकार वर्ष 2017-18 (दिसंबर तक) उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (CFPI) औसतन एक प्रतिशत रहा।

खण्ड-ब

व्यापार चक्र

प्रस्तावना (INTRODUCTION)

वृद्धि और विकास पर चर्चा इनकी एक-दूसरे पर परस्पर निर्भरता दिखाती है। अगर किसी अर्थव्यवस्था में जीवन का स्तर सुधारना है तो इस बात की आवश्यकता है कि खाना, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, आश्रय और सामाजिक सुरक्षा आदि के क्षेत्र में खर्च और निवेश करने के लिए एक सजग लोक नीति बनाई जाए।

लेकिन ऐसे खर्च और निवेश के लिए ये जरूरी है कि अर्थव्यवस्था आय के समान स्तर पर भी हो। किसी भी अर्थव्यवस्था में आय को अर्थव्यवस्था में उत्पादन के स्तर को बढ़ाकर ही बढ़ाया जा सकता है, जैसे—वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी)। इसका मतलब विकास के लिए उच्च वृद्धि की आवश्यकता होगी, जैसे-उच्च स्तर की आर्थिक गतिविधियां। सही तरह की आर्थिक नीतियों की मदद से एक अर्थव्यवस्था की सरकार उच्च स्तर की आर्थिक गतिविधियों को बरकरार रखने की कोशिश करती है। लेकिन कई बार अर्थव्यवस्थाएं इस उद्देश्य में विफल होती रहती हैं। और इसलिए अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक गतिविधियों के श्रेष्ठ और बुरे दौर के बीच घूमती रहती हैं जिसे अर्थशास्त्र में क्रमश: उछाल और मंदी कहा जाता है। इसे अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों का विभिन्न चरण भी कहा जा सकता है। उछाल और मंदी के बीच भी आर्थिक गतिविधियों की कई स्थितियां होती हैं, जैसे-ठहराव (स्टैगनेशन), धीमापन (स्लोडाउन), मंदी (रिसेशन) और उबरण (रिकवरी)। मंदी और उछाल के बीच आर्थिक गतिविधियों के स्तर में उतार-चढ़ाव को अर्थशास्त्री व्यापार चक्र (ट्रेड साइकिल) कहते हैं, जिसमें रिसेशन और रिकवरी बीच के दो मुख्य चरण हैं।[75] स्टैगनेशन[76] और स्लोडाउन को भी व्यापार चक्र के बीच के चरण माना जा सकता है। हम यहां बीच के हर स्तर को वास्तविक समझाना चाहते हैं। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक व्यापार चक्र को चार चरणों में बांटा जा सकता है:

(i) मंदी

(ii) प्रतिलाभ

(iii) उछाल

(iv) प्रतिसार

मंदी (DEPRESSION)

यद्यपि वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी सिर्फ एक बार 1929 में ही देखी गई लेकिन अर्थशास्त्रियों ने इसकी पहचान के पर्याप्त लक्षण इंगित किए। मंदी के प्रमुख लक्षणों को निम्निलिखित पंक्तियों में देखा जा सकता है:

(i) अर्थव्यवस्था में कुल मांग का बेहद निम्न स्तर पर पहुंच जाना गतिविधियों की गति रोक देता है।

(ii) मुद्रास्फीति तुलनात्मक रूप से कम हो।

---

75. *Collins internet-linked Dictionary of Economics*, Glasgow, 2006 & *Oxford Business Dictionary*, N. Delhi, 2004.

76. Simon Cox (ed.), **Economics** (London: The Economists, 2007), p. 60.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(iii) रोजगार के अवसर कम होते जाएं जिससे बेरोजगारी की दर तेजी से बढ़े।

(iv) कारोबार जारी रखने के लिए उत्पादकों को जबरन छंटनी करनी पड़े आदि।

मंदी के दौर में आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि सरका का अर्थव्यवस्था पर लगभग कोई नियंत्रण नहीं रह जाता। 1929 की महान मंदी[77] ने इस विचार को बल दिया कि अर्थव्यवस्था में सरकार का मजबूत दखल होना चाहिए,[78] जैसे–डेफिसिट फाइनेंसिंग और मौद्रिक प्रबंधन में।

अगर अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाए तो सरकार क्या करे? दुनिया के पास इसका सीधा सा जवाब है 1929 में अपनाए गए नीतिगत उपायों को दोहराना। मंदी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है इसे आने ही नहीं देना। यही वजह है कि आज हर आधुनिक अर्थव्यवस्था अपनी अर्थव्यवस्था में ऐसे लक्षणों को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतती है जिससे समय रहते एहतियाती उपाय अपनाए जा सकें और मंदी से बचा जा सके।

समुत्थान (RECOVERY)

एक अर्थव्यवस्था कम उत्पादन के दौर से निकलने के लिए प्रयास करती है। कम उत्पादन का दौर मंदी, सुस्ती या बाजार के धीमा पड़ने से हो सकता है। कम उत्पादन को सबसे बुरा माना जाता है और सरकारें मांग और उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई राजकोषीय और मौद्रिक कदम उठाती हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को अंततः फिर से पटरी पर लाया जाता है। रिकवरी का कारोबारी चक्र मुख्य रूप से निम्नलिखित आर्थिक लक्षण दिखा सकता है:

(i) कुल मांग में उछाल जिसके साथ उत्पादन के स्तर में भी बढ़ोतरी हो।

(ii) उत्पादन प्रक्रिया को विस्तार दिया जाए और नए निवेश आकर्षक बनें।

(iii) जब मांग में बढ़ोतरी होगी तो महंगाई में भी उछाल आएगा, जिससे निवेशकों के लिए उधार लेना सस्ता होगा।

(iv) उत्पादन बढ़ने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और बेरोजगारी दर नीचे आएगी, आदि।

उपरोक्त लक्षणों से लोगों की आय में एक निश्चित वृद्धि होगी, जिससे नई मांग पैदा होगी और मांग और उत्पादन (आपूर्ति) का एक चक्र अर्थव्यवस्था की रिकवरी के लिए साथ-साथ शुरू हो जाएगा। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकारें आमतौर पर टैक्स-ब्रेक, ब्याज दरों में कमी और कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने जैसे कदम उठाती हैं। उद्यमियों के नव-प्रयोगों की अनुकूलता और उद्यमी के लिए नए मोर्चों की तलाश भी रिकवरी की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, शर्त ये है कि इन गतिविधियों को शुरुआत में सरकार से प्रोत्साहन मिले।

यूरो-अमेरिकी अर्थव्यवस्थाएं भी ऊपर बताए गए उपायों की मदद से महामंदी से पार पा सकीं। दुनिया में ऐसा कई बार देखा गया जब अर्थव्यवस्थाएं मंदी के दौर से उबरते हुए पटरी पर आईं। इसका वर्तमान समय में सबसे अच्छा उदाहरण भारत है। जब 1997 से 2002 के बीच अर्थव्यवस्था ने सुस्ती और मंदी[79] के कई दौर झेले।

उछाल (BOOM)

आर्थिक गतिविधियों में ऊपर की तरफ होने वाले मजबूत उतार-चढ़ाव को उछाल (बूम)[80] कहते हैं। जब अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक सुस्ती और मंदी से उबरने की कोशिश कर रही होती हैं तब सरकार और निजी क्षेत्र की

77. A very lively description of the Great Depression has been presented by ***Lee Iacocca*** in his autobiography. This is known as the Great Depression due to its length and depth—the economies could recover fully out of it only by the mid-1940s (Stiglitz and Walsh, p. 495).

78. Suggested by John Meynard Keynes in his seminal work ***The General Theory of Employment, Interest and Money*** (New York: Harcourt, 1935).

79. ***Economic Surveys, 1996–97 to 2002–03,*** MoF, GoI, N. Delhi.

80. Stiglitz & Walsh, op. cit., p. 945.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

तरफ से अपनाए गए उपाय आर्थिक गतिविधियों को ऐसी गति दे देते हैं जिन्हें कई बार अर्थव्यवस्था संभाल पाने में नाकाम होती है। ये दौर बूम का होता है। इस बूम के मुख्य आर्थिक लक्षण निम्नलिखित है:

(i) मांग में त्वरित और दीर्घकालिक बढ़ोतरी।

(ii) मांग उस उच्च स्तर तक पहुंचती है जहां वो सतत् उत्पादन के स्तर को भी पार कर जाती है।

(iii) अर्थव्यवस्था में गर्माहट होती है और मांग तथा आपूर्ति का अंतर दिखाई देता है।

(iv) बाजारू ताकतें बेमेल हो जाती हैं (यानि, मांग और आपूर्ति में असंतुलन) और एक ऐसी स्थिति बनने लगती है जहां महंगाई बढ़नी शुरू हो जाती है।

(v) अर्थव्यवस्था के सामने संरचनात्मक संकट आ सकता है, जैसे–निवेश योग्य पूंजी की कमी, कम बचत, जीवन स्तर का नीचे आना और विक्रेता के बाजार की रचना।

रिकवरी के दौर को अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है और जब ये बूम के चरण पर पहुंच जाती है तो इसे और बेहतर माना जाता है। लेकिन बूम का नकारात्मक पहलू भी है। बूम के बाद अक्सर कीमतें बढ़[81] जाती हैं। बूम के दौरान क्योंकि अर्थव्यवस्था में उछाल देखने को मिलता है ऐसे में अर्थव्यवस्था का आपूर्ति पक्ष त्वरित मांग[82] की गति के मुकाबले पीछे छूटता दिखता है। रिकवरी की कश-म-कश हर अर्थव्यवस्था को बूम के रास्ते पर ले जाती है- 1990 के दशक में विकसित देशों में इसका अनुभव किया गया, खासतौर पर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में। यही परिदृश्य भारत में भी देखने को मिला जब अर्थव्यवस्था 1996-97 के मंदी के दौर से उबर रही थी तब साल 2002-03 में महंगाई दर कुछ महीनों तक लगभग 8 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। अधिकतर विशेषज्ञ मानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था उस वक्त बूम के दौर से गुजर रही थी और हमने देखा है कि सरकार महंगाई दर को 5 प्रतिशत के आंकड़े तक रखने के लिए कितनी मुश्किल झेल रही थी। यहां तक की सरकार ने भी माना कि 2007 के मध्य तक अर्थव्यवस्था ओवरहीट हो रही थी। ओवरहीटिंग के लक्षण निम्नलिखित है:

(i) मांग नीचे की ओर आने लगती है और कुल मांग में भी गिरावट आ जाती है।

(ii) जब मांग कम होती है तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर भी कम हो जाता है।

(iii) क्योंकि उत्पादक अपना उत्पादन स्तर गिरा देते हैं, ऐसे में रोजगार के नए अवसर नहीं बनते, इसलिए रोजगार दर गिर जाती है।

(iv) क्योंकि मांग गिर रही होती है, ऐसे में आम तौर पर उत्पादक लागत कम करने के लिए अपने यहां काम कर रहे श्रमिकों की छंटनी शुरू कर देते हैं, जिससे बेरोजगारी की दर बढ़ जाती है।

(v) अगर सरकार मंदी के दौर से अर्थव्यवस्था को बचाने में नाकाम रहती है तो अवसाद (depression) का खतरनाक चरण तार्किक (logical) अनुवर्ती बना रहता है।

(vi) महंगाई दर हमेशा निचले स्तर पर रहती है, जिससे नए निवेश और लेनदार हतोत्साहित रहते हैं।

प्रतिसार (Recession)

ये कुछ हद तक 'मंदी' के दौर सा ही है- हम इसे मंदी की तुलना में थोड़ा कम प्रभावी कह सकते हैं। ये घातक हो सकता है क्योंकि अगर समय रहते इससे सावधानीपूर्वक नहीं निपटा या तो ये मंदी ला सकता है। अमेरिका में 'सब-प्राइम संकट' के समूची यूरो-अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आने वाला आर्थिक संकट वास्तव में वहां गंभीर 'रिसेशनरी' लक्षण लेकर आया। रिसेशन के मुख्य लक्षण काफी हद तक मंदी से ही मिलते-जुलते हैं (सिवाय ऊपर बताए गए मंदी के 4 प्वाइंट के), जिन्हें निम्नलिखित तरीके से समझा जा सकता है:

(i) आर्थिक गतिविधियों के कमजोर होने के चलते मांग में सामान्य कमी।

81. Samuelson and Nordhaus, op.cit. pp. 680–84.

82. Stiglitz and Walsh, op.cit. pp. 495–796.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(ii) मुद्रास्फीति नीचे रहती है और आने वाले वक्त में और नीचे जाने के संकेत देती है।

(iii) रोजगार दर घटती है और बेरोजगारी दर बढ़ती है।

(iv) कारोबार में बने रहने के लिए उद्योगों को 'प्राइस कट' का सहारा लेना पड़ता है।

वित्तीय वर्ष 1996-97 में भारतीय अर्थव्यवस्था रिसेशन के चक्र में फंसी थी- मूल रूप से 1990 के दशक के मध्य में दक्षिण-पूर्व एशियाई मुद्रा संकट की वजह से घरेलू और विदेशी मांग में आई कमी की वजह से।[83] भारत में आर्थिक सुधार की पूरी योजना पटरी से उतर गई थी और 2001-02 के अंत में ही इस दौर से उबर पाई। रिसेशन के दौर से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कोई सरकार क्या करे? इसके सामान्य उपाय निम्नलिखित हैं:

(i) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर घटा दिए जाने चाहिए जिससे उपभोक्ता के पास खर्च करने के लिए ज्यादा रकम हो (प्रत्यक्ष कर न देने से आय बढ़ेगी और अप्रत्यक्ष कर सस्ते होने से वस्तुओं की कीमत घटेगी) इससे मांग के जोर पकड़ने की उम्मीद है।

(ii) प्रत्यक्ष कर के बोझ, खास कर आयकर, लाभांश कर और ब्याज कर को कम किया जाना चाहिए जिससे खर्च करने के लिए आय बढ़े।

(iii) उपभोक्ताओं द्वारा खर्च को बढ़ावा देने के लिए सरकार को सैलरी में संशोधन करना चाहिए। (जैसे–सरकार ने 1996-97 में बिना किसी ज्यादा विचार-विमर्श के बाद पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया था।)

(iv) अप्रत्यक्ष कर, जैसे–कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी (सेनवेट), सेल्स टैक्स आदि को कम किया जाना चाहिए जिससे उत्पादित चीजें बाजार में सस्ते मूल्य पर पहुंचें।

(v) सरकार ब्याज दरों में कटौती कर सस्ते रुपये की नीति को अपनाने लगती है जिससे उधार लेने की प्रक्रिया को ज्यादा उदार बनाया जाता है।

83. ***Economic Survey, 1996–97***, MoF, GoI, N. Delhi.

(vi) उत्पादक क्षेत्रों में नए निवेश पर कर छूट की घोषणा की जाती है।

अर्थव्यवस्था को रिसेशन के चंगुल से बाहर निकालने के लिए 1996-97 में संयुक्त मोर्चा सरकार ने उपरोक्त सभी उपाय अपनाए।[84] 1998-99 में आने वाली सरकार ने भी कुछ और उपाय अपनाए। अंततः सरकार द्वारा उठाए गए कदम और विश्व अर्थव्यवस्था में सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था रिसेशन के दौर से उबरती दिखी। कई विशेषज्ञों ने पहले ही शून्य प्रतिशत मुद्रास्फीति की दर से पहले ही मंदी की आशंका की भविष्यवाणी कर दी थी[85] यद्यपि ये हुआ नहीं।[86]

संवृद्धि प्रतिसार (Growth Recession)

बढ़ती मंदी से अर्थशास्त्रियों का आशय ऐसी अर्थव्यवस्था से है जो बढ़ तो रही है लेकिन ऐसी धीमी गति से जहां नौकरी पाने वालों से नौकरी गंवाने वालों की संख्या ज्यादा है। रोजगार के अवसर पैदा न होने से ऐसा महसूस होता है कि अर्थव्यवस्था मंदी का शिकार है, भले ही अर्थव्यवस्था बढ़ रही हो। बहुत-से अर्थशास्त्री मानते हैं कि 2002-03 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था ग्रोथ रिसेशन (बढ़ती मंदी) के दौर में थी। वास्तव में पिछले 25 सालों के दौरान कई मौकों पर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में ग्रोथ रिसेशन का अनुभव किया गया। यह तब होता है जब वास्तविक जीडीपी में

84. ***Economic Survey, 1996–97,*** MoF, GoI, N. Delhi.

85. It should be noted here that as an impact of recession the rate of inflation (at WPI) had been falling down throughout the mid 1998–99 fiscal finally to the level of 0.5 per cent for a fortnight (***Economic Survey, 1998–99,*** GoI, N. Delhi).

86. The literature of Economics and the empirical world experiences suggest that the phase of recession has all the symptoms of depression except one. Every thing being the same till producers are cutting the labour by force 'involuntarily (***i.e. forced labour cut***) it is the starting of depression—to be competitive in the market every producer starts 'forced labour cuts'—ultimately putting the economy into the grip of a full grown depression.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

बढ़त के बावजूद रोजगार दर या तो नगण्य हो या फिर बेरोजगारी दर की तुलना में कम हो।

विशेषज्ञों ने 2008 से यूरो-अमेरिकी अर्थव्यवस्था में चल रहे वित्तीय संकट के मद्देनजर इसकी समीक्षा की। इस स्थिति को 'दोहरी मंदी' (डबल-डिप रिसेशन) से ज्यादा बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है।

डबल-डिप रिसेशन (Double Dip Recession)

अमेरिका तथा यूरो जोन में मंदी का अर्थ संक्षिप्त और तकनीकी है – सकल घरेलू उत्पाद में दो लगातार तिमाहियों में गिरावट। इसी रूप में इन अर्थव्यवस्थाओं में मंदी को परिभाषित किया जाता है। दोहरी नति मंदी का विचार वास्तव में इसी का विस्तार है। डबल-डिप रिसेशन एक ऐसी मंदी को संदर्भित है जिसके पश्चात थोड़े समय के लिए उत्थान का दौर आता है, लेकिन उसके तुरंत बाद पुनः मंदी आती है – जी.डी.पी. वृद्धि एक या दो तिमाही की धनात्मक वृद्धि के पश्चात् ऋणात्मक हो जाती है। ऐसी मंदी के कारणों में अंतर हो सकता है लेकिन प्रायः इसमें वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में कमी (जिसका कारण छंटनी तथा पिछले उतार में की गई खर्चों में कटौती होती है) होती है। दोहरी नीति, जो कि तिहरी नीति भी हो सकती है, एक ऐसी बदतर तस्वीर पेश करती है जिसमें भय तथा आशंका के कारण अर्थव्यवस्था यहां से पुनः एक गहरी और लंबी मंदी में चली आती है और वहां से बाहर निकलना कठिन हो जाता है। जैसा कि यूरो जोन संकट में हुआ जहां कि 2013 की पहली तिमाही तक ऐसी मंदी का भय था।

अबेनोमिक्स (Abenomics)

यह नई शब्दावली हाल के दिनों में चर्चा में रही है। इस शब्दावली का स्रोत जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे के नाम में है जो कि ऐसे आर्थिक उपायों की ओर संकेत करती है, जिनका उपयोग अबे ने सुस्त जापानी अर्थव्यवस्था को मंदी जैसी परिस्थिति में से बाहर निकालने में किया (दिसंबर 2012 में पुनः प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद)। शिंजो अबे के द्वारा अपनाए गए आर्थिक उपायों को 'अबेनोमिक्स के तीन तीर' (Three Arrows of Abenomics) भी कहा जाता है, जो निम्नवत् हैं:

(i) **राजकोषीय प्रोत्साहन (Fiscal Stimulus):** सरकार ने अर्थव्यवस्था के वांछित क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक राजकोषीय प्रोत्साहन की शुरुआत की है – सार्वजनिक कार्य/आधारभूत संरचना (जो 50 वर्ष पुराने हो चुके हो और जिनमें भारी निवेश की जरूरत हो)। ऐसी निजी क्षेत्र की कंपनियों को वित्तीय रियायत प्रदान करना जो कि अनुसंधान एवं विकास में निवेश करना चाहती हैं, रोजगार सृजित करना चाहती हैं तथा वेतन में वृद्धि करना चाहती हैं।

(ii) **परिमाणात्मक ढील (Quantitative Easing):** बैंक ऑफ जापान बैंक कर्जों को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी औपचारिक ब्याज दर को लगभग शून्य पर रखा है। इसका उद्देश्य 2014 तक प्राप्त धनराशि को दोगुना करना तथा वार्षिक मुद्रास्फीति दर को 2% के लक्ष्य तक को प्राप्त करना है। इसके चलते जापानी मुद्रा येन का अवमूल्यन भी हुआ। इस प्रकार इस उपाय के द्वारा आंतरिक तथा बाहरी मांग को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में वृद्धि की संभावना को मजबूत बनाने की कोशिश की गई। इस उपाय से जहां एक ओर सरकारी खर्च बढ़ा वहीं दूसरी ओर सरकारी कर राजस्व में कटौती भी हुई जिससे कि राजकोषीय घाटा बढ़ गया। इस उपाय का लाभ अर्थव्यवस्था की वर्तमान मजबूती को बनाए रखना है ताकि उच्चतर स्तर की मुद्रास्फीति को 'अवशोषित' किया जा सके, जिसकी वृद्धि प्रक्रिया में एक बड़ी भूमिका है।

(iii) **संरचनात्मक सुधार (Structural Reforms):** इस उपाय में सरकार ने अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार के विनियमनीकरण का वादा किया है, जिनका उद्देश्य प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाना तथा

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

स्थायी वृद्धि को प्राप्त करना है। अब तक सरकार ने एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है जिसमें मुख्यत: बड़ी, मंझोली तथा छोटी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल हैं। यह समूह सरकार को अगले तीन वर्षों में अर्थव्यवस्था की जरूरतों के हिसाब से जरूरी संरचनात्मक सुधारों के लिए उपयुक्त उपाय सुझाएगा। इस उपाय के अंतर्गत एक जापानी योजना टी.पी.पी. (Trans Pacific Partnership) से जुड़ना तथा एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ एक नया मुक्त व्यापार समझौता करना है, जिससे कि निर्यात क्षमता को बढ़ाया जा सके।

अबेनोमिक्स के तीनों तीर ऐसे आर्थिक उपायों का प्रस्ताव करते हैं जिसे किसी भी अर्थव्यवस्था में 'अर्थव्यवस्था का चक्र' के दो चरणों में आजमाया जा सकता है। ऐसे आर्थिक उपायों को पहली बार 1929 की महामंदी के दौरान जे.एम. कीन्स ने सुझाया था। आज इसके सबसे प्रसिद्ध प्रर्वतक नोबेल अर्थशास्त्री पॉल क्रुगमैन हैं। विशेषज्ञों के बीच वैसे अबेनोमिक्स की सफलता की संभावनाओं को लेकर मिश्रित विचार हैं।

निष्कर्ष (CONCLUSION)

व्यापार चक्र मूल रूप से साम्य के स्तर से ऊपर और नीचे अर्थव्यवस्था के उत्पादन स्तर का उतार-चढ़ाव भर हैं।[87] लेकिन अर्थव्यवस्था में उतार-चढ़ाव क्यों आते हैं? विशेषज्ञों के मुताबिक इसके लिए कई कारक जिम्मेदार हैं:

(i) आर्थिक अस्थायित्व और अनिश्चितता (तार्किक और अतार्किक अपेक्षाओं के चलते) निवेश को हतोत्साहित करते हैं जिससे दीर्घकालिक वृद्धि बाधित होती है।

(ii) रचनात्मक प्रयोग (नवप्रयोग) के आभाव में अर्थव्यवस्था में गिरावट आती है, जिससे कुल उत्पादन धीमा हो जाता है।

(iii) महंगाई विरोधी सरकारी नीतियां (खास तौर पर जब आम चुनाव पास हों) निवेशकों का ध्यान अर्थव्यवस्था पर ले आती हैं।

(iv) अकल्पनीय आपदाओं से भी अर्थव्यवस्था में उतार-चढ़ाव आते हैं।

87. Cox, Simon, op. cit., p. 58.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

अध्याय 8

कृषि एवं खाद्य प्रबंधन (AGRICULTURE AND FOOD MANAGEMENT)

*वर्ष 2000 और 2010 के बीच, प्रति व्यक्ति भोजन व्यय में अनाजों और दालों का योगदान 40 प्रतिशत से घटकर 28 प्रतिशत रह गया, जबकि पशु आधारित उत्पादों, फलों और सब्जियों का योगदान 36 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया। खपत प्रतिरूप में इस बदलाव से भारतीय किसानों की उत्पादकता में भी सुधार हुआ और अध्ययन बताते हैं कि वर्ष 2000 और 2010 के बीच प्रति कामगार कृषि उत्पादन बढ़कर दोगुना हो गया। इस छोटी उपलब्धि को छोड़कर, भारत की कृषि स्थिर पैदावार और किसानों की कम आय का एक निराशाजनक परिदृश्य प्रस्तुत करती है।**

इस अध्याय में

- प्रस्तावना
- खरीफ एवं रबी
- भारत का खाद्य दर्शन
- भूमि सुधार
- हरित क्रांति
- फसल पद्धति
- पशुपालन
- खाद्य प्रबंधन
- बफर स्टॉक
- भंडारण
- खेती में सब्सिडी
- खाद्य सुरक्षा
- पीडीएस व खाद्य सब्सिडी
- कृषि विपणन
- कृषि व्यापार की सुरक्षा
- जिंस वायदा बाजार
- ऊर्ध्व प्रवाह एवं अनुप्रवाह की जरूरतें
- आपूर्ति शृंखला प्रबंधन

** देखें थर्ड फूड एंड एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड डिवेलपमेंट एक्शन रिपोर्ट शीर्षक 'इंडिया एज एन एग्रीकल्चर एंड हाई-वैल्यू फूड पावरहाउसः ए न्यू विजन फॉर 2030', सीआईआई और मैकिन्से एंड कंपनी, नई दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई, 12 अप्रैल, 2013 को जारी।*

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

- ऊर्ध्व प्रवाह, अनुप्रवाह एवं आपूर्ति शृंखला प्रबंधन में एफडीआई
- कृषि अपशिष्ट विमर्श
- सिंचाई
- कृषि मशीनीकरण
- बीज विकास
- उर्वरक
- कीटनाशक
- कृषि ऋण एवं किसानों द्वारा आत्महत्या
- कृषि विस्तार सेवाएं
- पीएमएफबीवाई
- सतत् कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन
- विश्व व्यापार संगठन और भारतीय कृषि: संभावनाएं एवं चुनौतियां
- विश्व व्यापार संगठन एवं कृषि छूट
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
- खाद्य प्रसंस्करण
- कृषि आय दोहरीकरण
- महिला किसान
- जलवायु स्मार्ट कृषि
- भविष्य की ओर

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

प्रस्तावना (INTRODUCTION)

यदि हम स्वतंत्रता से पूर्व की अवधि को देखें या उससे बाद के समय को तो पाएँगे कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। यह तथ्य लोगों की उस बड़ी संख्या से प्रमाणित होता है, जो अपनी जीविका के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर हैं। भारतीय कृषि के बारे में चर्चा करने से पहले इसकी कुछ विशेषताओं पर गौर करना आवश्यक है:

(i) मौद्रिक दृष्टि से देखें तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में इसका योगदान 17.4 प्रतिशत है।[1] वित्तीय वर्ष 1950-51 में यह हिस्सा 55.4 प्रतिशत था।

(ii) इस प्रकार राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान घट रहा है, वहीं औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रों का योगदान निरंतर बढ़ता जा रहा है, लेकिन आजीविका के लिए देश की 49 प्रतिशत जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर है।[2] इस कारण से यह औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्रों से अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है (नेपाल तथा तंजानिया में क्रमशः 93 प्रतिशत तथा 81 प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है)। इसका अर्थ यह है कि भारत की 49 प्रतिशत जनसंख्या देश की सकल आय के मात्र 17.4 प्रतिशत से अपना गुजारा कर रही है। यह तथ्य स्पष्ट करता है कि देश में कृषि पर निर्भर करने वाले लोग गरीब हैं। विकसित अर्थव्यवस्थाओं, जैसे-संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्राँस, नॉर्वे, इंग्लैंड तथा जापान में कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में मात्र 2 प्रतिशत का योगदान है तथा मात्र 2 प्रतिशत जनसंख्या ही अपनी आजीविका के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर है।

(iii) कृषि, भारतीय अर्थव्यवस्था का न केवल सबसे बड़ा क्षेत्र है बल्कि सबसे मुक्त निजी क्षेत्र भी है। यह एकमात्र व्यवसाय है, जिस पर व्यक्तिगत आय कर का भार अभी भी नहीं है।

(iv) यह भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है। कृषि असंगठित क्षेत्र के कुल श्रम बल के 90 प्रतिशत से भी अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करती है (भारतीय अर्थव्यवस्था के कुल श्रम-बल का 93.4 प्रतिशत अर्थात् 39.8 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र में संलग्न हैं)।[3]

(v) भारत कुछ उत्पादनों के मामले में महत्वपूर्ण कृषि-निर्यातक देश के तौर पर उभरा है, जो हैं- कपास, चावल, गिरी, तेल, मसाला, चीनी, वगैरह। डब्ल्यूटीओ (World Trade Organisation) के वाणिज्यिक आंकड़ों के अनुसार,[4] 2016 में दुनिया में भारतीय कृषि निर्यात व आयात क्रमशः 2.40 प्रतिशत और 1.46 प्रतिशत थे। 2009-10 में कृषि निर्यात कृषि जीडीपी का 7.95 प्रतिशत था, जो 2016-17 में बढ़कर 12.5 प्रतिशत हो गया। इसी समय में, कृषि आयात भी कृषि जीडीपी का 4.90 से बढ़कर 6.1 प्रतिशत हो गया।

(vi) विशेषज्ञों के अनुसार कृषि का भारत के औद्योगिक विकास तथा राष्ट्रीय आय से गहरा संबंध है- यदि कृषि उत्पादन में 1 प्रतिशत की वृद्धि होती है तो परिणामस्वरूप औद्योगिक

1. ***Ministry of Agriculture***, GoI, N. Delhi, February 2018.
2. ***Ministry of Finance***, GoI, N. Delhi, February 2017.
3. ***Labour Bureau***, Ministry of Labour and Employment, Government of India, N. Delhi, February 2018.
4. ***Trade Statistics***, WTO, Geneva, Switzerland, February 2018.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

उत्पादन में 0.5 प्रतिशत तथा राष्ट्रीय आय में 0.7 प्रतिशत की वृद्धि होगी।[5]

(vii) 1940 के दशक के अन्त में औद्योगिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख प्रेरक शक्ति (Prime Moving Force) के रूप में चुना गया था, लेकिन बाजार के अभाव के कारण यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था को पर्याप्त संवेग नहीं दे पाया। लोगों के आय में वृद्धि नहीं हो पाई, जिसमें अधिकांश कृषि पर निर्भर थे। औद्योगिक क्षेत्र की इस विफलता को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2002 में कृषि क्षेत्र को अर्थव्यवस्था की प्रमुख प्रेरक शक्ति के रूप में चुना।[6]

(viii) यदि भारत के कुल निर्यात में कृषि क्षेत्र के योगदान में 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई हो तो इस क्षेत्र को प्रवाहित होने वाली मुद्रा लगभग 8500 रुपये परिकलित की गई है।[7]

(ix) 2017-18 में अनाज उत्पादन के रिकॉर्ड 277.49 मिलियन टन करने का अनुमान है, जो 2015-16 के कुल उत्पादन (252.23 मिलियन टन)[8] से सात प्रतिशत अधिक होगा।

(x) दुनिया की तुलना में भारत में कई फसलों का उत्पादन घटा है। हालांकि, यह स्थिति धीमी गति से सुधर रही है। चावल, गेहूं और दालों का उत्पादन 2007-08 में क्रमशः 2202 किलोग्राम, 2900 किलोग्राम और 625 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था, जो 2016-17 में बढ़कर क्रमशः 2395 किलोग्राम, 2875 किलोग्राम (2011-13 के 3026 किलोग्राम से गिरकर) और 744 किलोग्राम प्रति हेक्टयर हो गया।[9]

(xi) कम-से-कम 66.1 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र अपनी सिंचाई के लिए अनियमित मानसून पर निर्भर करता है।[10]

खरीफ एवं रबी (KHARIF AND RABI)

भारत की फसल ऋतु को समझने के लिए कुछ विशेष निश्चित पद उपयोग किए जाते हैं। भारत में कृषि फसल वर्ष जुलाई से जून के बीच होता है। भारत के फसल ऋतुओं को दो मुख्य ऋतुओं के नाम से वर्गीकृत किया गया है, जो हैं—खरीफ एवं रबी। ये दोनों मानसून पर आधारित होते हैं। खरीफ फसल ऋतु जुलाई से अक्टूबर के दौरान दक्षिण-पश्चिम/ग्रीष्म मानसून एवं रबी फसल ऋतु अक्टूबर से मार्च के दौरान उत्तर-पूर्व/शीत मानसून में रहती है। फसलें, जो मार्च एवं जून के बीच उपजायी जाती हैं, जायद के नाम से जानी जाती हैं।

पाकिस्तान एवं बांग्लादेश दो अन्य देश हैं, जो अपने कृषि प्रारूप में खरीफ एवं रबी नामक पदों का उपयोग करते हैं। खरीफ एवं रबी नामक पदों का मूल स्रोत अरबी भाषा है जहां खरीफ का अर्थ हेमन्त (Autumn) तथा रबी का अर्थ बसंत (Spring) होता है।

खरीफ की फसलों के अन्तर्गत चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, तिल, गन्ना, सोयाबीन एवं मूंगफली इत्यादि प्रमुख हैं, जबकि रबी की फसलों के अन्तर्गत गेहूं, जौ, चना इत्यादि मटर एवं सरसों इत्यादि प्रमुख हैं।

5. This corelation has been pointed out by many great economists in India since 1960s, for example, by ***Raj Krishna (1976), S. Chakravarty (1974–79)*** and ***C. Rangarajan (1982)*** to quote some of the most important names.
6. Planning Commission, ***Approach Paper to the Tenth Five Year Plan*** (New Delhi: Government of India, 2002).
7. This was the general opinion of the experts throughout the 1990s, but the official document which accepted this contention was the ***Foreign Trade Policy 2002-07,*** of the Ministry of Commerce. This View continued with the govenment in all its forthcoming trade policies till about four decades.
8. ***Ministry of Agriculture***, GoI, N. Delhi, March, 2018.
9. ***Ministry of Agriculture***, GoI, N. Delhi, February 2018.
10. Ministry of Finance, ***Economic Survey 2015-16,*** Vol. 2, p. 103.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

भारत का खाद्य दर्शन (FOOD PHILOSOPHY OF INDIA)

भारत के खाद्य दर्शन को सामान्यत: तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है, जिनके उद्देश्य तथा चुनौतियाँ एक-दूसरे से भिन्न हैं।[11] ये चरण निम्नलिखित हैं:

प्रथम चरण (The First Phase)

इस चरण की अवधि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले तीन दशकों तक थी। इस चरण का उद्देश्य खाद्यान्न की आवश्यकताओं को उत्पादन के जरिए पूरा करना था – इस तरह 'खाद्यान्न तक भौतिक पहुँच' (Physical aceess to foodgrains) प्राप्त करना था।

इस चरण के अंत तक हरित क्रान्ति के विचार ने इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत को आंतरिक आत्मविश्वास दिया। 1980 के दशक के अंत तक भारत इस मामले में आत्मनिर्भर हो गया।

द्वितीय चरण (The Second Phase)

जब भारत अपने पहले चरण की सफलता की खुशी मना रहा था तभी एक नई चुनौती देश के समक्ष उठ खड़ी हुई – "खाद्यान्न तक आर्थिक पहुँच" (Economic access to foodgrains) की चुनौती से स्थिति बदतर होती गई तथा वर्ष 2000 के शुरुआत में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, जहाँ देश में एक ओर सुरक्षित भंडार से तीन गुना अधिक खाद्यान्न के भंडार थे, लेकिन दूसरी ओर कई राज्यों में भुखमरी के कारण लोगों की मौत हो रही थी। यह भारत के कल्याणकारी राज्य होने का तथा हरित क्रांति की सफलता का मजाक था।[12] सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप तब किया जब एक जनहित याचिका पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज (PUCL) द्वारा दायर की गयी। राष्ट्रीय स्तर पर काम के बदले अनाज योजना की शुरुआत की गई (अब इस योजना का विलय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ होगा)। न्यायालय का यह कहना था कि सरकार की जवाबदेही उन मामलों में होगी, जब बाजार में खाद्यान्न की कीमतों के प्रबंधन के लिए उसे भंडार में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा या फिर सागर में नष्ट कर दिया जाएगा या फिर केंद्र गेहूँ को सस्ती कीमतों पर निर्यात करेगा। इस प्रक्रिया में भारत विश्व का **सातवाँ सबसे बड़ा गेहूँ का निर्यातक** बन गया (2002)। वस्तुत: हम गेहूँ के उस हिस्से का निर्यात कर रहे थे, जिसे खाद्यान्न तक आर्थिक पहुँच की कमी के कारण कई भारतीय उपभोग नहीं कर पा रहे थे।

यदि हरित क्रान्ति के निवेश महंगे थे तो स्वभाविक रूप से निर्गत भी महंगे थे। हरित क्रांति द्वारा खाद्यान्न की उपज तो बढ़ी लेकिन इसके उत्पाद अपेक्षाकृत महंगे थे, जो उपभोक्ता की क्रयशक्ति के बाहर होने लगे। इस स्थिति से निपटने के लिए एक समयबद्ध तथा उद्देश्य-अभिमुख समष्टि आर्थिक नीति की आवश्यकता थी, जिससे लोगों के क्रयशक्ति में तुलनात्मक रूप से वृद्धि हो सके ताकि वे खाद्यान्न का खर्च वहन कर सकें। भारत इस संदर्भ में विफल रहा है। स्थिति को सँभालने की कोशिश खाद्यान्न पर अधिक छूट देकर की गई, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की क्रयशक्ति में वृद्धि नहीं हो सकी तथा उनके पास भूख से मृत्यु के सिवाय और कोई विकल्प नहीं बचा था।

भारत अभी भी इस चरण से गुजर रहा है तथा सरकार के द्वारा दो तरीकों से स्थिति से निपटने का प्रयास किया जा रहा है–*पहला* तरीका, लाभकारी रोजगार की संख्या में वृद्धि करना है तो *दूसरा*, खाद्यान्न की कीमतों को घटाना है (यह बायो प्रौद्योगिकी पर आधारित द्वितीय हरित क्रांति द्वारा संभव है)।

यहाँ इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता का सुख भारत के लिए अस्थायी है। 1990 के दशक के मध्य में सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि देश में खाद्यान्न उत्पादन की कमी थी तथा यह जनसंख्या वृद्धि की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा था अर्थात् भारत अभी भी आवश्यकतानुसार

---

11. *Indian Council of Agricultural Research (ICAR)*, N. Delhi, 1998.
12. Publication Division, **India 2000** (New Delhl: Government of India, 2001); Ministry of Finance, ***Economic Survey 2000–01***, (New Delhl: Government of India, 2001).

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

खाद्यान्न की भौतिक पहुँच प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है।

तीसरा चरण (The Third Phase)

1980 के दशक के अंत में विश्व के प्रसिद्ध विशेषज्ञों ने उत्पादन के विभिन्न तरीकों पर प्रश्न चिह्न खड़े किए। कृषीय गतिविधियाँ उनमें से एक थीं, जो अब उद्योगों पर आधारित होती जा रही थीं (रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, ट्रैक्टर, इत्यादि)। सभी विकसित देशों ने कृषि को एक उद्योग घोषित कर दिया था।[13]

यह पीछे मुड़कर देखने तथा आत्मविश्लेषण करने का समय था। 1990 के दशक के शुरुआत से ही कई देशों ने उद्योगों, कृषि तथा सेवा के क्षेत्र में विकास के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल तरीकों की शुरूआत की। हरित क्रांति पारिस्थितिकी रूप से अरक्षणीय थी तथा विश्व ने अब जैव कृषि, हरित कृषि इत्यादि पर जोर देना शुरू किया।

इसका अर्थ यह था कि भारत के समक्ष न केवल ''खाद्यान्न तक भौतिक व आर्थिक पहुंच'' के उद्देश्य को पूरा करने की चुनौती थी बल्कि इस बात पर भी ध्यान रखना जाना था कि बहुमूल्य पारिस्थितिकी तथा जैव-विविधता का किसी भी कीमत पर नुकसान न हो - यह एक नई चुनौती थी। भारत में एक नए किस्म की हरित क्रांति की आवश्यकता थी, जिसके द्वारा खाद्यान्न तक भौतिक, आर्थिक एवं पारिस्थितिकी पहुंच हासिल की जा सकेगी।

भूमि सुधार (LAND REFORMS)

भारत में भूमि संधार पर आधिकारिक स्वरूप एवं प्रभाव की स्थिति में परिवर्तन आने वाले मुद्दों को जगाने का काम किया है, जिसे दो चरणों में देखा जा सकता है:

चरण-I (Phase-I)

यह चरण स्वतंत्रता के ठीक बाद आरंभ होता है।

सभी अर्थव्यवस्थाएं औद्योगीकरण से पहले कृषि पर आधारित थीं सिर्फ उनकी अवधि में अंतर था। ज्योंही प्रजातांत्रिक देश विकास की ओर अग्रसर होने लगे सबसे पहले इन देशों ने कृषि के क्षेत्र में सुधारों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया। चूँकि कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था में भूमि अधिकांश लोगों के लिए आजीविका का साधन था इसलिए इस क्षेत्र में सुधार से अधिकतर लोग लाभान्वित होंगे तथा उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी, जिसमें असमानता व्याप्त थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में ही इस बात की घोषणा की थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद भूमि सुधार लागू किए जाएँगे। अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तरह, जिन्होंने इन सुधारों को पहले लागू किया था। भारत में भी भूमि सुधार के तीन मुख्य उद्देश्य थे:

(i) भारतीय कृषि में विद्यमान संस्थागत विसंगतियों को दूर करना, जिन्होंने कृषि उत्पादन को बाधित किया है, जैसे–जोत क्षेत्र के आकार, भूमि स्वामित्व, भूमि उत्तराधिकार, काश्तकारी सुधार, मध्यस्थों की समाप्ति, आधुनिक संस्थागत सहायता तथा आधुनिकीकरण।

(ii) भूमि सुधार के एक अन्य उद्देश्य का संबंध भारत में सामाजिक-आर्थिक असमानता से था। भूमि स्वामित्व में व्याप्त असमानता का नकारात्मक प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ा तथा यह जाति–व्यवस्था एवं समाज द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठा एवं दर्जों से भी जुड़ा हुआ था।[14] देश में 80 प्रतिशत से अधिक लोगों की जीविका इस कृषि व्यवस्था पर आधारित थी। सरकार इस भूमि स्वामित्व की संरचना को तर्कसंगत और लोक कल्याणकारी बनाना चाहती थी, भूमि सुधार का सामाजिक–राजनीतिक महत्व इसलिए था क्योंकि इसने देश की पुरानी कृषि – व्यवस्था को

13. ***Brundtland Report*** on Sustainable Development after the deliberations at the summit ***"Our Common future",*** 1987.

14. L.I. Rudolph and S.H. Rudolph, ***In Pursuit of Lakshmi: The Political Economy of the Indian State*** (Bombay: Orient Longman, 1987), pp. 45–50.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

विघटित करने का प्रयास किया। देश में भूमि सुधार एक बड़ा मुद्दा बन गया तथा सरकार द्वारा भूमि को कब्जे में लेने तथा उसे भूमिहीनों को आवंटित करने के कारण इसे बदनामी भी मिली।

(iii) भूमि सुधार का तीसरा उद्देश्य प्रकृति से समसामयिक था, जिसे पर्याप्त सामाजिक–राजनीतिक महत्व नहीं मिला इसका उद्देश्य, कुपोषण तथा खाद्यान्न की कमी को कृषीय उत्पादन में वृद्धि कर दूर करना था।

भूमि सुधार के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा तीन मुख्य कदम उठाए गए, जिनके अंतर्गत कई आंतरिक लघु उपाय भी शामिल थे:

1. मध्यस्थों की समाप्ति (Abolition of Intermediaries)

इस कदम के अन्तर्गत देश में लंबे अरसे से चली आ रही जमींदारी, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया।

2. काश्तकारी सुधार (Tenancy Reforms)

इस कदम के अन्तर्गत तीन कार्य किए गए:

(i) ***लगान का नियमन:*** जोतदारों के द्वारा भूमि मालिक को दिए जाने वाले लगान की एक दर नियत कर दी गई।

(ii) ***बटाईदारों के हितों की रक्षा:*** जमीन जोतने वाले (बटाईदार) का जोत अधिकार (Tenure Right) सुरक्षित रहे, इसकी संस्थागत व्यवस्था की गई;

(iii) ***काश्तकारों को स्वामित्व का अधिकार:*** काश्तकारों/बटाईदारों को अंत में उनके द्वारा जोते जा रहे जमीन का स्वामी बनाने की कोशिश की गई।

3. कृषि का पुनर्गठन (Reorganisation of Agriculture)

इस कदम के अंतर्गत कृषि सुधार के लिए कई तर्कसंगत प्रावधानों को शामिल किया गया:

(i) ***भूमि का पुनर्वितरण (Redistribution of Land):*** हदबंदी कानून लागू कर भूमिहीन गरीब लोगों के बीच भूमि का पुनर्वितरण कुछ राज्यों को छोड़कर, जैसे-पश्चिम बंगाल, केरल तथा आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में विफल रहा; शेष भारत में (जहां भी इसे लागू किया गया) सफल रहा।

(ii) ***भूमि की चकबंदी (Consolidation of Land):*** यह हरित क्रांति के क्षेत्र में ही सफल रही (जैसे–हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश) तथा इसमें कई कमियाँ थीं। यह कदम भ्रष्टाचार का भी शिकार है।

(iii) ***सहकारी कृषि*** **(Cooperative Farming)*:*** इस कृषि का सामाजिक, आर्थिक तथा नैतिक आधार था तथा इसका उपयोग बड़े किसानों द्वारा हदबंदी कानून से अपनी भूमि को बचाने के लिए किया गया।

भूमि सुधारों को विशेषज्ञों द्वारा एक असफल कोशिश मानी जाती है। इसे विशेषज्ञों द्वारा मानव इतिहास की सबसे जटिल सामाजिक–आर्थिक समस्या माना जाता है।[15] भूमि सुधार के आँकड़े उत्साहजनक नहीं हैं।[16]

(i) भूमि सुधार द्वारा देश के किसानों को काश्त अधिकार सुनिश्चित किया गया, लेकिन यह भारत की सकल परिचालित भूमि (total operated area) के मात्र 4 प्रतिशत हिस्से पर ही लागू किया जा सका (वर्ष 1992 तक 11 मिलियन काश्तकारों के लिए 14.4 मिलियन हेक्टेयर परिचालित भूमि)।

---

15 This was the view of the majority of experts around the world by the late 1960s.

16. P.S. Appu, ***Land Reforms in India: A Survey of Policy, Legislation and Implementation,*** (Mussouri: Land Reforms Unit, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, 1995), pp. 232–33.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(ii) इसी तरह इस दौरान देश के कुल परिचालित भूमि के मात्र 2 प्रतिशत का ही स्वामित्व पुनर्वितरण किया जा सका (वर्ष 1992 तक 4.76 मिलियन लोगों के बीच 2 मिलियन हेक्टेयर से भी कम क्षेत्र का)।

(iii) इस प्रकार भूमि सुधार का लाभ देश के मात्र 6 प्रतिशत भूमि तक ही पहुँच सका तथा इसका सकारात्मक सामाजिक-आर्थिक प्रभाव भी नगण्य था।

भूमि सुधार की विफलता के कारण ही आने वाले वर्षों में सरकार ने हरित क्रांति की शुरुआत की। सरकार ने उत्पादकता बढ़ाने पर बल दिया, क्योंकि भूमि सुधार इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाए थे।

भूमि सुधारों की विफलता के कारण

(Reasons for Failure of Land Reforms)

विशेषज्ञों के अनुसार भारत में भूमि सुधार की विफलता के कई कारण हैं, इनमें से तीन प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

(i) भारत में भूमि सामाजिक प्रतिष्ठा तथा पहचान का प्रतीक है, जबकि अन्य देशों में जहाँ भूमि सुधार सफल रहा है, यह आय अर्जित करने के लिए एक आर्थिक संपत्ति मात्र है;

(ii) राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण भी भूमि सुधार एक सफल कार्यक्रम में परिवर्तित नहीं हो सका, तथा;

(iii) भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं नेतृत्व की कमी के कारण भी भूमि सुधार विफल रहा।

भूमि सुधार तथा हरित क्रांति

(Land Reforms and Green Revolution)

सरकार ने ज्यों ही हरित क्रांति की शुरुआत की भूमि सुधार का मुद्दा निम्नलिखित कारणों के कारण लगभग हाशिए पर चला गया:

(i) भूमि सुधार तथा हरित क्रांति के बीच अंतर्निष्ठ कटुता है, जहाँ एक ओर हरित क्रांति बड़े जोत क्षेत्रों के अनुकूल था, वहीं भूमि सुधार का उद्देश्य बड़े जोत क्षेत्रों के छोटे-छोटे टुकड़े कर भूमिहीनों के बीच बाँटना था।

(ii) उच्च वर्ग के भूपतियों द्वारा भूमि सुधार का विरोध किया गया, जबकि हरित क्रांति के लिए कोई ऐसा विरोध नहीं था।

(iii) भूमि सुधार का देश पर कोई सकारात्मक सामाजिक - आर्थिक प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि हरित क्रांति में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने की क्षमता थी।

(iv) PL480 के अंतर्गत छूट प्रदान किए गए खाद्यान्न की आपूर्ति के कारण भारत की स्वतंत्र कूटनीति अवरोधित हो रही थी तथा गेहूँ की नियमित आपूर्ति पर संदेह बना हुआ था।

(v) अंतर्राष्ट्रीय दबाव तथा विश्व बैंक के सुझाव एवं अन्य देशों में हरित क्रान्ति की सफलता के कारण भी भूमि सुधार कार्यक्रम दरकिनार हो गया।

चरण-II (Phase-II)

भूमि सुधार के दूसरे चरण की जड़ें आर्थिक सुधारों में ढूंढी जा सकती हैं। आर्थिक सुधारों ने अर्थव्यवस्था को नई और उभरती हुई हकीकतों से रू-ब-रू करवाया जैसे कि भूमि अधिग्रहण और पट्टा, खाद्य-संबंधी मुद्दे और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के कृषि संबंधी प्रावधान। भारत सरकार के भूमि सुधार मुद्दे पर विचार में हमें बदलाव नजर आता है (*आर्थिक सर्वेक्षण 2012-13*), एक स्पष्ट तीन चरणों वाली नीति उभरती दिखती है:

(i) भूमि का सावधानी से मानचित्रण और निर्णायक शीर्षक देना,

(ii) भूमि अधिग्रहण की एक न्याय संगत लेकिन तेज प्रक्रिया तैयार करना, और;

(iii) जमीन के पट्टे की एक पारदर्शी और प्रभावी नीति लागू करना।

देश में संभवत: जमीन सबसे मूल्यवान संपत्ति है। भूमि की तरलता से न सिर्फ कृषि में अधिक संसाधनों

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

का प्रभावी ढंग से फिर से प्रयोग किया जा सकता है, यह भूमि-उपयोग व्यवसाय को स्थापित करने का मार्ग भी प्रशस्त कर सकती है। संभवत: यह भूमि का उधार के सहायक के रूप में प्रयोग संभव बना सकता है।

राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) 2008 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य 12वीं योजना के अंत तक जमीन के रिकॉर्डों का नवीनीकरण और डिजिटलीकरण करना है। अंतत: इरादा आनुमानित अधिकार (जिसमें यह कानूनी रूप से जायज है कि किसी भूमि के पंजीकरण में मालिक का नाम शामिल न हो) से निर्णायक अधिकार (जहां यह होता है) की ओर बढ़ना है। इस प्रक्रिया से जुडे महत्वपूर्ण बिंदुओं को संक्षेप में निम्न प्रकार रखा जा सकता है:

(i) डिजिटलीकरण से जमीन के सौदों की लागत में भारी कमी आ सकती है, जबकि निर्णायक अधिकार से कानूनी अनिश्चितता, भूमि अधिग्रहण और अधिकार को 'साफ' करने के लिए सरकार की मध्यस्थता की जरूरत खत्म होगी।

(ii) कार्यक्रम के महत्व को देखते हुए विभिन्न राज्यों में इसे शुरू किए जाने को तेज करने की जरूरत है- आसान और त्वरित भूमि सौदे विशेषकर छोटे और मध्यम उद्यमों की मदद करेंगे, जिनके पास बड़े उद्यमों जैसा कानूनी और प्रबंधकीय आधार नहीं होता।

(iii) भूमि के पट्टे के निषेधात्मक मानक ग्रामीण से शहर की ओर प्रवास को बढ़ा देते हैं क्योंकि ग्रामीण अपनी जमीन को पट्टे पर देने में असमर्थ होते हैं और प्राय: बंजर छोड देते हैं या परिवार के एक सदस्य को खेती करने के लिए छोड़ देते हैं। प्रतिबंध हटाने से भूमिहीनों (या ज्यादा कुशल जमींदारों) को प्रवास करने वालों से जमीन मिल सकती है। इससे पढ़े-लिखे और कुशल जमीन मालिकों को उद्योग या सेवा क्षेत्र में जाने में सुविधा मिल सकती है।

(iv) पट्टेदारों और जमीन मालिकों का अनिवार्य पंजीकरण पट्टेदारों और जमीन मालिकों को सुरक्षा प्रदान करेगा। इस तरह के पट्टा बाजार की सफलता के लिए मालिकों को यह विश्वास होना चाहिए कि लंबे समय तक पट्टेदारी से उनका मालिकाना हक छिन नहीं जाएगा। एक फलते-फूलते पट्टा बाजार और स्पष्ट मालिकाना हक के बाद मालिकाना अधिकार को मजबूत न किए जाने की बहुत कम वजह रह जाती हैं।

(v) सार्वजनिक उद्देश्यों की बडी परियोजनाओं, जैसे कि राष्ट्रीय उद्योग और निर्माण क्षेत्र, जो छोटे और मध्यम उद्यमों की स्थापना में मदद करेगा, के लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण की जरूरत पड़ेगी।

(vi) यह देखते हुए कि चिन्हित जमीन पर रहने वाले लोगों को भारी कीमत चुकानी पडेगी, जिसमें सपंत्ति और आजीविका का नुकसान शामिल है, आर्थिक विकास और विस्थापित लोगों की चुकाई कीमत के बीच एक संतुलन बनाना होगा।

इस पर आगे बढते हुए भारत सरकार ने 2013 में भूमि अधिग्रहण विधेयक पास कर दिया। *भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना कानून, 2011* में संशोधन के अलावा इस विधेयक में पट्टे और अधिग्रहण से जुड़े भूमि सुधारों की आवश्यकता पर पारदर्शी, प्रभावी और तेज कानून बनाने का प्रस्ताव था। साल 2015 में नई केंद्र सरकार ने एक नया भूमि विधेयक (*भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में पारदर्शिता और न्यायसंगत क्षतिपूर्ति का अधिकार कानून, 2015*) प्रस्तावित किया, जिसका लक्ष्य 2013 के भूमि कानून की कमियों को दूर करना था। इस विधेयक का विपक्षी राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं (संसद को अभी इस विधेयक को पास करना है, हालांकि सरकार इसमें 10 संशोधन कर चुकी है)। देश भूमि अधिग्रहण की तेज प्रक्रिया को तैयार करने में जमीन मालिकों (किसानों) की आर्थिक सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकता- इससे संबंधित कानून को पारदर्शी, न्यायसंगत, प्रभावी और तेज भी होना चाहिए।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

इस चरण के महीन बिंदुओं को संक्षेप में इस तरह रखा जा सकता है[17]:

(i) विगत कुछ वर्षों में भूमि अधिग्रहण के प्रयासों पर भारत के विभिन्न राज्यों में किसानों के विरोध को देखते हुए पट्टा देना एक बेहतर विकल्प लगता है। पुनः, अगर देश को निजी क्षेत्र (घरेलू और विदेशी दोनों) से निवेश आकर्षित करना है तो जमीन का पट्टा देना अधिग्रहण के मुकाबले बेहतर विकल्प है।

(ii) भारत में कॉर्पोरेट कृषि बड़े पैमाने पर शुरू नहीं हो पाई है, विशेषकर खाद्यान्न उत्पादन में, जिसकी भारत को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय अनाज बाजार में प्रतियोगिता के लिए जरूरत है। यह बड़ी आबादी को भोजन का अधिकार दिए जाने के संदर्भ में और महत्वपूर्ण हो गया है।

(iii) 'पट्टा देने' को प्राथमिकता दिए जाने से कई समस्याएं हल हो सकती हैं:

(a) इससे मालिकाना हक मौजूदा किसानों के पास ही रहेगा;

(b) यह किसानों में व्यापक भूमिहीनता और बेरोजगारी को रोकेगा;

(c) किसान को आय का एक नियमित जरिया मिल जाएगा (इस बीच-वे-कोई कौशल विकसित कर उद्योग में बेहतर नौकरी पा सकते हैं), और;

(d) इससे सार्वजनिक और निजी उद्देश्यों के लिए जमीन आसानी से उपलब्ध हो जाएगी।

(iv) वैश्वीकरण के बाद अगर देश को कृषि क्षेत्र तक लाभ पहुंचाने हैं तो इसे अपने कृषि उत्पादन को अतिरिक्त के स्तर तक पहुंचाना होगा और इसके लिए भारत को निजी क्षेत्र की निवेश क्षमताओं का दोहन करना होगा। यह तब तक नहीं हो सकता जब तक देश एक प्रभावी भूमि पट्टा देने और अधिग्रहण की नीति लागू नहीं करती।

(v) पिछले कुछ समय से 'निर्माण क्षेत्र' और 'स्मार्ट सिटी' के विकास (Promotion) पर जोर दिया जा रहा है, जो भूमि अधिग्रहण की सुचारू और तेज प्रक्रिया पर बहुत ज्यादा निर्भर है। उद्योग क्षेत्र का सबसे अच्छे स्तर तक विस्तार किए बिना, कृषि क्षेत्र एक लाभकारी पेशे में बदल सकता है- देश को कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त मानव श्रम को सुचारू रूप से उद्योग क्षेत्र में भेजने की आवश्यकता है।

(vi) भूमि अधिग्रहण के मुद्दे को 'पर्यावरणीय मुद्दे' के साथ एक तार्किक समीकरण बैठाना होगा, ताकि विकास की प्रक्रिया स्थाई रूप से चल सके (नीति आयोग का नजरिया इस संबंध में सही है)।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि जहां भारत सरकार ने अपना ध्यान भूमि सुधारों पर लगा दिया है, भारत के राज्य अब भी पहले चरण के भूमि सुधारों को ही जारी रखने और तेज करने की कोशिश कर रहे है (लेकिन देश के जमीन मालिकों की ओर से पर्याप्त विरोध के चलते यह प्रक्रिया जारी रहती नहीं लग रही है, राजनीतिक कारणों से)।

कृषि संपत्ति/जोत-क्षेत्र (Agriculture Holdings)

भारत में कृषि संपत्ति का औसत आकार जनसंख्या वृद्धि के कारण निरंतर घटता जा रहा है। इन संपत्तियों के बँटने के कारण इनकी संख्या में वृद्धि हुई है तथा इनका आकार भी छोटा हो गया है। नवीनतम कृषि जनगणना 2010-11 के अनुसार :

(i) देश भर में सक्रिय जोतों की संख्या 2005-06 के 158.32 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 2010-11 में 138 मि.हे. (6.61 प्रतिशत की वृद्धि) हो गई।

17. The discussion is based on several volumes of the ***Economic Survey*** and ***India*** published by the Government of India between the period 2010 to 2017 and the **12th Plan**.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(ii) क्रियाशील क्षेत्र में 2005-06 के 158.32 मि.हे. से 2010-11 में 159.18 मि.हे. की मामूली वृद्धि (0.54 प्रतिशत वृद्धि) देखी गई। क्रियाशील क्षेत्र में वृद्धि का कारण झारखंड राज्य का कृषि जनगणना 2010-11 में पहली बार भाग लेना है, क्योंकि यह राज्य वर्ष 2000 में अस्तित्व में आया।

(iii) क्रियाशील जोत का औसत आकार 2005-06 के 1.23 हे. के मुकाबले घटकर 2010-11 में 1.16 हे. रह गया।

(iv) महिला जोतदारों की प्रतिशत हिस्सेदारी में इजाफा हुआ है - 2005-06 में 11.70 से बढ़कर 2010-11 में 12.79, इसी दौरान क्रियाशील क्षेत्र क्रमशः 9.33 तथा 10.36 था।

(v) लघु एवं सीमांत जोत को मिला दें (2.00 हे. से नीचे) तो 2010-11 में यह 84.97 प्रतिशत होता है, जबकि 2005-06 में यह 83.29 था, वर्तमान कृषि जनगणना में 44.31 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ (2005-06 के 41.14 प्रतिशत के मुकाबले)।

(vi) बड़ी जोत (10.00 हे. तथा अधिक) 2010-11 में कुल जोत का 0.73 प्रतिशत थी जबकि इसकी हिस्सेदारी 10.92 प्रतिशत थी। दूसरी ओर 2005-06 की कृषि जनगणना में यह आँकड़ा 0.85 प्रतिशत तथा 11.82 प्रतिशत था।

(vii) भूमि की जोत में विभिन्न सामाजिक समूहों की हिस्सेदारी रही – अनु. जाति के लिए 12.40 प्रतिशत, अनु. जनजाति के लिए 8.71 प्रतिशत, संस्थानिक 0.18 प्रतिशत तथा 78.72 प्रतिशत अन्य के लिए।

(viii) देशभर में 137.76 मि. क्रियाशील जोतों में उत्तर प्रदेश (22.93 मिलियन) सबसे ऊपर है, उसके बाद बिहार (16.19 मिलियन) तथा महाराष्ट्र (13.70 मिलियन) हैं।

(ix) देशभर में कुल 159.18 मिलियन हेक्टेयर क्रियाशील क्षेत्र में से सबसे बड़ा योगदान राजस्थान (21.14 मि. हे) का है तथा उसके बाद महाराष्ट्र (19.84 मि.हे.) तथा उत्तर प्रदेश (17.09 मि.हे.) आते हैं।

कृषि जोत/क्षेत्र संपत्ति को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

1. आर्थिक जोत-क्षेत्र/संपत्ति (Economic Holdings)

यह वह संपत्ति है, जो किसी परिवार के न्यूनतम जीवनस्तर को कायम रखने के लिए आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, आर्थिक जोत-क्षेत्र लाभकारी कृषि के लिए न्यूनतम आवश्यक क्षेत्र है।

2. पारिवारिक जोत-क्षेत्र/संपत्ति (Family Holding)

यह वह जोत-क्षेत्र है, जो किसी औसत आकार के परिवार के लिए न तो बड़ा होता है और न ही छोटा। यह जोत-क्षेत्र परिवार के सभी सदस्यों को रोजगार प्रदान करता है।

3. अनुकूलतम जोत-क्षेत्र/सम्पत्ति (Optimum Holding)

किसी परिवार के स्वामित्व के अधीन अधिकतम जोत-क्षेत्र को अनुकूलतम जोत-क्षेत्र कहते हैं।

हरित क्रांति (GREEN REVOLUTION)

1960 के दशक के आरम्भिक चरण में कृषि में कुछ नए तकनीकों की शुरुआत की गई, जो विश्वभर में हरित क्रांति के नाम से प्रसिद्ध हुई। इन तकनीकों का प्रयोग पहले गेहूँ की खेती के लिए तथा दूसरे दशक में धान की खेती के लिए किया गया। इन तकनीकों के द्वारा खाद्यान्न उत्पादन में क्रांति आई तथा उत्पादकता स्तर 250 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ गया।[18] हरित क्रांति के पीछे सबसे बड़ा हाथ जर्मन कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग का था, जो 1960 के दशक के शुरुआत में मैक्सिको में ब्रिटिश रॉकफेलोर फॉउंडेशन स्कॉलरशिप पर अनुसंधान कर रहे थे। बोरलॉग द्वारा विकसित उन्नत किस्म के गेहूँ के बीजों के द्वारा उत्पादकता 200 प्रतिशत से अधिक बढ़ गई। 1965 तक

18. ***Consultative Group on International Agricultural Research*** (CGIAR), World Bank, Washington DC, 1971.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

इन बीजों का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया तथा खाद्यान्न अभाव वाले देश, जैसे–मैक्सिको, ताइवान आदि में किसानों द्वारा इनका प्रयोग किया जाने लगा।

हरित क्रांति के घटक (Components of Green Revolution)

हरित क्रांति कई आगत/घटक के पर्याप्त आपूर्ति पर आधारित था। हरित क्रांति के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं:

1. उन्नत किस्म के बीज (High Yielding Varieties of seeds)

लोकप्रिय रूप से इन्हें बीजों की 'बौनी' (dwarf) किस्म कहा जाता है। बार-बार उत्परिवर्तन की मदद से बोरलॉग ने बीजों की उन किस्मों को विकसित किया जिन्हें पौधे के अन्य भागों की अपेक्षा अधिक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। इस कारण से ये पौधे छोटे होते थे, लेकिन इनमें दोनों का आकार बड़ा होता था।[19] ये बीज प्रकाश संश्लेषण रहित (non-photo synthetic) थे अर्थात् अपनी उपज के लिए वे सूर्य की किरणों पर निर्भर नहीं थे।

2. रासायनिक उर्वरक (Chemical Fertilizers)

HYV बीज उत्पादकता तभी बढ़ा सकते थे, जब इन्हें उचित मात्रा में पोषक तत्व मिले। इन बीजों के लिए परंपरागत वानस्पतिक खाद पर्याप्त नहीं थी क्योंकि उनमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होती थी। यहाँ परंपरागत उर्वरकों की जगह अधिक उर्वरकों की आवश्यकता थी और इस तरह नाइट्रोजन (N), फॉस्फेट (P) तथा पोटाश (K) की समुचित आपूर्ति आवश्यक हुई।[20]

3. सिंचाई (Irrigation)

उर्वरकों को घोलने तथा फसलों के नियंत्रित विकास के लिए समयानुसार सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई के दौरान इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि फसल क्षेत्र बाढ़ रहित रहे तथा कृत्रिम जलापूर्ति की व्यवस्था का विकास भी हो।[21]

4. रासायनिक कीटनाशक तथा जीवाणुनाशी (Chemical Pesticides and Germicides)

नए बीज वर्तमान देशज किस्मों की अपेक्षा स्थानीय कीड़ों तथा बीमारियों से कम सुरक्षित थे। इसलिए कीटनाशक तथा जीवाणुनाशी का उपयोग सुनिश्चित उपज के लिए आवश्यक था।

5. रासायनिक खरपतवारनाशक तथा अपतृणनाशक (Chemical Herbicides and Weedicides)

इनका उपयोग इसलिए आवश्यक है क्योंकि, महँगे उर्वरकों की खरपतवार तथा अपतृ खपत न कर सकें।

6. साख, भंडारण, विपणन और वितरण (Credit, Storage, Marketing and Distribution)

किसान हरित क्रांति के महँगे आगत का उपयोग कर सकें इसलिए उन्हें सस्ते ऋण की आवश्यकता थी। जिन क्षेत्रों को इस नए किस्म की कृषि के अन्तर्गत लाया गया (जैसे-भारत में हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश) वहाँ वितरण से पूर्व भंडारण की भी व्यवस्था की गई। जिन देशों ने हरित क्राति को अपनाया वहाँ खाद्यान्न की कमी थी तथा वहाँ यह आवश्यक था कि नई उपज का वितरण पूरे देश में किया जाए जिसके लिए विपणन, वितरण तथा समूचित परिवहन व्यवस्था जरूरी थी। इस आधारभूत संरचना को विकसित करने के लिए विश्व बैंक से कम ब्याज पर ऋण भी उपलब्ध कराए गए, जिसका भारत सबसे बड़ा लाभार्थी था।[22]

---

19. ***International Maize and Wheat Improvement Centre*** (CIMMYT), Mexico, 1971.
20. This made it compulsory to use highly concentrate chemical fertilizers, pushing the traditional organic fertilizers (i.e., composte) out of fashion.
21. This was the reason why the GR was implemented firstly in the rainfall deficient regions of India, i.e., Haryana, Punjab and western Uttar Pradesh.
22. Publication Division, India 2002 (New Delhi; Government of India, 2013).

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

हरित क्रांति के प्रभाव
(Impact of the Green Revolution)

हरित क्रांति के विश्व के देशों पर सकारात्मक एवं नकारात्मक सामाजिक - आर्थिक तथा पारिस्थितिकीय प्रभाव पड़े, यहाँ हम विशेषकर भारत पर पड़े प्रभावों की चर्चा करेंगे:

1. सामाजिक-आर्थिक प्रभाव (Socio-economic Impact)

खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हुई (1960 के दशक में गेहूँ के उत्पादन तथा 1970 के दशक में चावल के उत्पादन में) तथा कई देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गए (खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता तथा खाद्य सुरक्षा में स्पष्ट अंतर है), तो कुछ खाद्यान्न निर्यातक देश भी बन गए।

हरित क्रांति के कारण किसानों की आय में विसंगति आई, जिसके फलस्वरूप भारत में अन्तर-वैयक्तिक (Inter-personal) तथा अंतर-क्षेत्रीय (Inter- regional) असमानता बढ़ी।[23] इसके कुछ अन्य नकारात्मक प्रभाव भी थे, जैसे–जलजमाव के कारण मलेरिया से पीड़ित लोगों की संख्या में वृद्धि तथा असंतुलित फसल प्रतिरूप (दलहन, तिलहन, मक्का, जौ, इत्यादि की जगह गेहूँ तथा धान का अधिक उत्पादन)।

2. पारिस्थितिकीय प्रभाव (Ecological Impact)

यह हरित क्रांति का सबसे विध्वंसकारी प्रभाव है। जब इससे जुड़े हुए मामलों को मीडिया, विद्वानों, विशेषज्ञों तथा पर्यावरणवादियों द्वारा उठाया गया तो न तो सरकार और न ही जनता पर इसका कोई असर हुआ (किसानों में शिक्षा की कमी थी इसलिए वे हरित क्रांति के दुष्प्रभावों को समझ नहीं पाए), लेकिन धीरे-धीरे सरकार तथा सरकारी ऐजेन्सियों ने पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरण-संबंधी मुद्दों का अध्ययन एवं सर्वेक्षण शुरू किया। इनमें से मुख्य मुद्दे निम्नलिखित हैं:

(i) **गंभीर पारिस्थितिकीय संकट (Critical Ecological Crisis):** अध्ययनों[24] के आधार पर यह पाया गया कि हरित क्रांति के प्रदेश नाजुक पारिस्थितिकीय संकट से घिरे हुए हैं जो निम्नलिखित तथ्यों से प्रमाणित हो रहे हैं:

(a) **निम्नीकृत मृदा उर्वरता:** पुनावृत्तिजनक (repetitive) फसल पद्धति के कारण हरित क्रान्ति के प्रदेशों में भूमि की उत्पादक क्षमता का ह्रास जारी था। उपयुक्त फसल प्रतिरूप की कमी के कारण मृदा उर्वरता घटती जा रही थी।

(b) हरित क्रांति के प्रदेशों में जल स्तर (Water Table) तीव्र गति से घटता जा रहा था क्योंकि परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीज सिंचाई के लिए कई गुना अधिक जल का प्रयोग करते हैं – 1 किलो चावल के उत्पादन के लिए 5 टन जल की आवश्यकता होती है।

(c) रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों एवं खरपतवारनाशकों के अत्यधिक उपयोग के कारण पर्यावरण तेज गति से प्रदूषित हो रहा है। भारत में इसका मुख्य कारण वेनोन्मूलन तथा कृषि का पारिस्थितिकीय रूप से कमजोर क्षेत्रों में विस्तार है। इसके अतिरिक्त पशुओं का भी वन क्षेत्रों पर अत्यधिक दबाव है, मुख्य रूप से बकरियों तथा भेड़ों का।

(ii) **खाद्य शृंखला में विष का स्तर (Toxic level in food chain):** भारत की खाद्य शृंखला में विष का स्तर अधिक हो गया है तथा यहाँ उत्पादित कोई भी खाद्य-सामग्री मानव उपभोग के लायक नहीं रही है। दरअसल रासायनिक कीटनाशकों तथा घास-पातनाशकों का अनियंत्रित

23. See Various volumes of the ***Economic Surveys,*** specially 1985–86 to 1994–86 to 1994–95, published by the Government of India.

24. Based on various empirical studies in the 1990s conducted separately by ***Vandana Shiva, C.H. Hanumantha Rao, ICAR, Planning Commission, etc.***

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

उपयोग अधिक हो गया है। इनके उपयोग तथा औद्योगिक उत्पादन के कारण भूमि, जल तथा वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई है तथा पूरी खाद्य श्रृंखला में अधिक विषाक्तता फैल गई है।

निष्कर्ष (Conclusion)

ऊपर के अध्ययन पारिस्थितिकीय रूप से अस्थाई कृषि प्रकार को लेकर आंखें खोलने वाले तो हैं ही साथ ही इस पर सवाल भी उठाते हैं। यह ऐसा समय था जब कृषि-वैज्ञानिक सचमुच 'हरी' (पर्यावरण-अनुकूल) हरित क्रांति की सलाह दे रहे थे, जिसे आज विशेषज्ञ और भी कई नामों से जानते हैं- सदाबहार क्रांति, दूसरी हरित क्रांति, हरित कृषि।

फसल पद्धति (CROPPING PATTERNS)

किसी खास इलाके में किसान खेती के लिए जिन फसलों के मिश्रण को चुनते हैं, वह उस क्षेत्र का शस्य प्रतिरूप (खेती का तरीका) होता है। कृषि प्रणाली की बहुतायत भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता रही है और इसकी वजह बारिश पर निर्भर खेती और कृषक समाज की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां हैं।

भारत में समय के साथ खेती के तरीकों में बहुत अंतर आया है। लेकिन कृषि भूमि कमोबेश उतनी ही रहने की वजह से, आबादी और शहरीकरण के चलते बढ़ी खाद्यान्न की मांग ने कृषि भूमि पर दबाव बढ़ा दिया है, जिसके परिणाम हैं—फसलों की गहनता और खाद्यान्न फसलों के साथ व्यावसायिक फसलों का प्रतिस्थापन।

किसी क्षेत्र के खेती के तरीके मोटे तौर पर कई मृदा और जलवायविक परिमापकों पर निर्भर करते हैं, जो पूरे कृषि-पर्यावरण में किसी फसल या फसल के समूह के पोषण और उपयुक्तता को तय करते हैं। हालांकि किसान के स्तर पर किसी फसल या खेती के तरीके को चुनते समय संभावित उत्पादकता और मौद्रिक लाभ दिशा-निर्देशक के रूप में काम करते हैं। फसल और कृषि प्रणाली के चयन के इन फैसलों पर अन्य भी कई चीजों- आधारभूत सुविधाएं, सामाजिक-आर्थिक और तकनीकी कारक; का प्रभाव पड़ता है जो बहुत सूक्ष्म स्तर पर आपस में जुड़े होते हैं। ये कारक हैं:

(i) **भौगोलिक कारक:** मृदा, खेत, पातन (बारिश आदि), नमी, ऊंचाई, आदि।

(ii) **सामाजिक-सांस्कृतिक कारक:** खाने की आदतें, त्यौहार, परंपरा, आदि।

(iii) **आधारभूत वजहें:** सिंचाई, यातायात, भंडारण, व्यापार और विपणन, कटाई के बाद प्रबंधन और प्रसंस्करण, आदि।

(iv) **आर्थिक कारक:** वित्तीय संसाधनों का आधार, भूमि स्वामित्व, आकार और जमीन का प्रकार, घर की खाद्य आवश्वकताएं, चारा, ईंधन, रेशे और वित्त, श्रम की उपलब्धता आदि।

(v) **तकनीकी कारक:** बीज और पौधे की उन्नत किस्में, मशीनीकरण, पौधों की सुरक्षा, सूचना तक पहुंच, आदि।

प्रचलित कृषि प्रणाली (Prevalent Cropping Systems)

कृषि की विविधता अब भी भारतीय कृषि की एक मुख्य विशेषता बनी हुई है। इसके दो मुख्य कारण हो सकते हैं:

(i) अब भी 9.28 करोड़ हैक्टेयर या 65 फीसदी कृषि क्षेत्र बारिश पर निर्भर है। बारिश पर निर्भर और सूखे क्षेत्रों में खेती के तरीकों में भारी विविधता है और बीच की फसल का चलन प्रभावी है।

(ii) प्रचलित सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के कारण (जैसे कि कृषि पर बड़ी आबादी की निर्भरता, कृषि भूमि का छोटा आकार, जनसंख्या का अत्यधिक दबाव आदि)।

भारत के करोड़ों किसानों के लिए अपने परिवार के खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना ही पहली प्राथमिकता बना हुआ है। इनकी खेती की जमीन इस तरह हैं:

(a) 5.61 करोड़ बहुत छोटे किसान (एक हेक्टेयर से कम);

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(b) 1.79 करोड़ छोटे किसान (एक से दो हेक्टेयर), और;

(c) 1.32 करोड़ अर्द्ध-मध्यम (2 से 4 हेक्टेयर)

साथ मिलकर यह संचालित जोत क्षेत्र के 90 फीसदी बन जाते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि अब भी माना जाता है कि भारत में मोटे तौर पर खेती निर्वाह के लिए ही की जाती है, व्यावसायिक गतिविधि के रूप में नहीं। निर्वाह के लिए की जाने वाली खेती की एक खास विशेषता यह है कि ज्यादातर किसान अपनी जोत की जमीन पर कई तरह की फसलें उगाते हैं, मुख्यत: अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए और अलग-अलग खेतों पर फसलों के एक समूह को बदल-बदलकर 3-4 साल की अवधि तक लगाते हैं।

ऊपर दी गई इन सब वजहों के चलते कृषि व्यवस्था समय और स्थान में गतिमान रहती है, जिससे पारंपरिक तरीकों के इस्तेमाल से एक बड़े इलाके पर उसके सही विस्तार को ठीक-ठीक मापना संभव नहीं हो पाता। हालांकि यह अनुमान लगाया गया है कि देश भर में 250 से ज्यादा दोहरी कृषि प्रणालयां अपनाई जाती हैं। देश के हर जिले में कृषि के विस्तृत विवरण के आधार पर **30 प्रमुख कृषि प्रणालियों** को चिन्हित किया गया है- चावल-गेहूं, चावल-चावल, चावल-सरसों, चावल-मूंगफली, बाजरा-चना, बाजरा-सरसों, बाजरा-ज्वार, कपास-गेहूं, कपास-चना, कपास-ज्वार, कपास-कुसुम्भ, कपास-मूंगफली, मकई-गेहूं, मकई-चना, गन्ना-गेहूं, सोयाबीन-गेहूं, ज्वार-ज्वार, अरहर-ज्वार, मूंगफली, ज्वार-चावल, मूंगफली-ज्वार, सोयाबीन-चना।

फसल पद्धति में बदलाव
(Changes in Cropping Patterns)

विभिन्न वजहों से भारतीय किसानों के खेती के तरीकों में समय के साथ बदलाव आया है- हम इसे निम्न तीन चरणों में देख सकत हैं:

हरित क्रांति पूर्व काल: हम देखते हैं कि इस चरण में किसान ऐसी कृषि प्रणाली चुनते हैं (सामान्यत:) जो मुख्यत: सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक वजहों से तय होती है- कमोबेश यह स्थायित्व के करीब होती है क्योंकि इसे उन्होंने अपने पुरखों की प्रयत्न-त्रुटि प्रक्रिया से लंबे समय में विकसित किया है। हरित क्रांति से पहले तक देशभर में किसान कई फसलों के मिश्रण को समझदारी से उगाते रहे थे। यह वह समय था जब बड़ी मात्रा में आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी। खेती के तरीकों का ढांचा इतना हठी था कि वह प्रोत्साहन से बदला नहीं जा सकता था।

हरित क्रांति काल: नई कृषि रणनीति के जादू के तहत, जो हरित क्रांति के नाम से लोकप्रिय है, 1965 के बाद से हम भारतीय किसानों के खेती के तरीकों में बड़ा बदलाव देखते हैं। इस बदलाव की मुख्य शक्तियां आर्थिक, आधारभूत ढांचागत और तकनीकी थीं। उच्च पैदावार देने वाले बीजों की शुरुआत, रसायनों और खेती में लगने वाली अन्य चीजों के लिए वित्तीय सहायता, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के प्रावधान के चलते किसानों के फसलों के चयन में भारी बदलाव आया। हम देखते हैं कि जीआर इलाकों में खेती के तरीकों को बार-बार दोहराया जा रहा है, जिसमें 'गेहूं-चावल' का प्रभुत्व है। आने वाले समय में भारत सरकार ने कई अन्य फसलों के लिए भी एमएसपी घोषित की, जिसने किसानों की फसलों के चुनाव पर अपना असर छोड़ा।

इस काल की एकमात्र प्रेरणा खाद्य उत्पादन में आत्म-निर्भरता हासिल करना थी, जिससे देश खाद्य सुरक्षा हासिल कर सकता था। अस्सी के दशक के उत्तरार्द्ध तक भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता हासिल करने में कामयाब हो गया। जीआर इलाकों में हमें कुछ बड़े किसान उभरते हुए दिखाई देते हैं कम-से-कम जिनके लिए खेती आजीविका भर नहीं रहती-पहली बार भारतीय कृषि में व्यवसायिक आयाम का प्रवेश होता है।

यह ऐसा समय था जब भारत में खेती के पारंपरिक तरीकों में कृषि के नए उपकरणों का प्रवेश हुआ और इसने फसल चयन के भौगोलिक कारण को हल्का कर दिया। जल्द ही (1996-97 तक) सरकार को समझ आया कि जीआर खेती के तरीके पारिस्थितिकी को बर्बाद करने वाले

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

और अरक्षणीय हैं। भारत सरकार ने 1997 में चिरस्थाई कृषि के विचार को अपनाया।

सुधार काल: खेती के तरीकों में एक और बदलाव की लहर 1991 में आर्थिक सुधार शुरू होने के साथ आई, जो कृषि क्षेत्र में नए अवसरों के साथ ही नई चुनौतियां भी लेकर आई:

- खाद्य सुरक्षा के मुद्दे का दबाव नीति निर्माताओं पर बना रहा क्योंकि खाद्यान्न उत्पादन जनसंख्या वृद्धि दर के साथ संगति नहीं बिठा सका। यह स्थिति तब और गंभीर हो गई जब हाल ही में सरकार ने बहुत बड़ी आबादी को आहार का अधिकार (National Food Security—NFS) प्रदान कर दिया।
- भूमंडलीकरण कृषि उत्पाद के निर्यात का नया अवसर लेकर आया साथ ही सस्ते उत्पादन की चुनौती की जिसके लिए खेती का मशीनीकरण अथवा पंजीकरण तथा व्यावसायिक खेती जरूरी हो गई ताकि भारतीय कृषि उत्पाद विश्व बाजार में मुकाबला कर सके। यह डब्ल्यूटीओ के कृषि संबंधी प्रावधानों के अनुसार जरूरी था। इसके चलते कृषि क्षेत्र में बड़े निवेश की जरूरतें महसूस हुई। भारत ने कृषि को उद्योग का दर्जा (2000) देकर कॉरपोरेट तथा ठेके की खेती का रास्ता खोल दिया।
- पारिस्थितिकी रूप से धारणीय कृषि समय की जरूरत बन गई क्योंकि जलवायु परिवर्तन सहित वन्य पर्यावरणीय बाधाएं सामने आईं।
- भारत सरकार ने वर्ष 2002 में दूसरी हरित क्रांति का प्रस्ताव किया, जिसमें आनुवंशिक रूप से संशोधित आहार (GMF) भी शामिल था।

उपरोक्त कारकों के रहते विशेषज्ञ एवं सरकारें देश की उपज पद्धतियों में बड़े परिवर्तनों की अपेक्षा घटने लगीं। अब मुद्दा यह है कि खेती की प्रविधियों एवं उपज पद्धतियों को धारणीय करने की चुनौती से कैसे निपटा जाए। विशेषज्ञों ने इसके लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए (1990 के दशक के अंत तक), जिन्हें योजना आयोग तथा कृषि मंत्रालय ने लगभग मान लिया:

(i) सही कृषि नीति का पालन हो, जिसमें किसानों को सही किस्म की उपज पद्धति का अनुसरण करने को प्रेरित किया था और इसके पुरस्कार एवं दंड के प्रावधान भी हों।

(ii) सही व्यापार नीति का पालन किया जाए जिससे भारतीय कृषि उत्पादों की नकारात्मक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से बचाए निर्यात को बढ़ाया जा सके।

(iii) उपयुक्त श्रम अधिनियम लाए जाएं, साथ ही भूमि पट्टा तथा अधिग्रहण नीतियां बनाई जाएं ताकि देश के कृषि क्षेत्र में भारतीय एवं विदेशी निजी क्षेत्र को प्रवेश मिल सके।

(iv) डब्ल्यूटीओ पर दबाव बनाया जाए जिससे कि एक तटस्थ एवं न्यायोचित कृषि संबंधी प्रावधान लागू हों, जिनमें भारत की यथार्थ परिस्थितियों का ध्यान रखा जाए-निर्वाह कृषि के लिए खेती तथा उच्च कृषि सब्सिडी संबंधी फसलों का, जो कि विकसित देश अपने फार्म क्षेत्र को अग्रसरित करते हैं।

(v) आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य (GMF) की शरूआत के लिए उचित नीतियों का विकास, तथा गैर-जीएमएफ संबंधी शोध एवं विकास को बढ़ाया और इसमें कॉरपोरेट सेक्टर को प्रोत्साहन दिया जाए।

(vi) कृषि नीति फ्रेमवर्क के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को स्थान दिया जाए।

(vii) किसानों की जागरूकता तथा शिक्षा की जरूरत पर जोर दिया जाए, इसमें पंचायती राज संस्थाओं की अंततः भूमिका है।

(viii) पादप संस्करण, कृषि अपशिष्टों पर नियंत्रण, कीट प्रबंधन, वाणिज्यिक उत्पादन एवं शीत इनपुट की वाणिज्यिक उपलब्धता के मुद्दों का समाधान।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(ix) स्थूल और सूक्ष्म स्तर पर कृषि क्षेत्र के लिए ऋण और बीमा पॉलिसियां की सही तरह विकसित हों।

(ix) कृषि क्षेत्र के तत्काल अन्य कारकों का समावेश, जैसे-कृषि उत्पादों के लिए एक राष्ट्रीय बाजार, ऊपरी एवं जमीनी जरूरतें, उपयुक्त आपूर्ति शृंखला प्रबंधन, संचार तंत्र, कृषि-प्रसंस्करण उद्योग, भंडारण इत्यादि।

पशुपालन (ANIMAL REARING)

पशुपालन के आर्थशास्त्र की देश में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में कृषि क्षेत्र मुख्यत: फसल और पालतू पशुओं (जानवर, पक्षी, मछली) के मिश्रण वाली कृषि प्रणाली का प्रभुत्व है। पशुपालन (जिसमें गाय, ऊंट, बैंस, बकरी, सूअर, भेड़ आदि शामिल हैं) राष्ट्रीय आय और सामाजिक-आर्थिक विकास में सीधे योगदान देने के सिवा निम्न भूमिकाएं निभाता है:

(i) परिवार की आय बढ़ाता है और ग्रामीण इलाकों में लाभप्रद रोजगार पैदा करता है।

(ii) विशेष रूप से भूमिहीन श्रमिकों, छोटे और वंचित किसानों और महिलाओं के लिए सहायक होता है (महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण)।

(iii) सस्ता पौष्टिक खाना उपलब्ध करवाता है।

(iv) सूखा, भुखमरी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे अच्छे बीमे के रूप में काम करता है।

(v) स्वभाव से यह शामिल करने चलने वाली प्रवृत्ति का है।

(vi) चिरस्थायी कृषि के सिद्धांत को बल देता है।

इस क्षेत्र के महत्व को निम्न तथ्यों के साथ समझा जा सकता है:

(i) पशुधन क्षेत्र ने कुल मिलाकर 12वीं योजना के दौरान 4.5 फीसदी की वृद्धि दर हासिल की है, जो कृषि क्षेत्र (3.5 फीसदी) और खाद्य उत्पादन (एक फीसदी) से ऊंची है।

(ii) भारत में पशुधन की आबादी करीब 53 करोड़ है। यह पूरे कृषि, मत्स्य और वन क्षेत्र के 26 फीसदी के बराबर है।

(iii) गोश्त उत्पादन की वृद्धि दर 5.7 फीसदी है और कुल उत्पादन 48 लाख टन है (अब भी इस क्षेत्र में मांग-आपूर्ति में भारी अंतर है और इसलिए विस्तार की गुंजाइश भी है)।

दुग्ध क्षेत्र: साल 2015-16 के अंत तक भारत 155.5 करोड़ टन दुग्ध उत्पादन और 326 ग्राम प्रति व्यक्ति उपलब्धता (पीसीए) के साथ (विश्व पीसीए 294 ग्राम है) विश्व में पहले स्थान पर है।

दूध की बढती मांग को पूरा करने के लिए भारत सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं:

- सघन दुग्ध विकास योजना।
- साफ और गुणवत्ता वाले दूध के उत्पादन के लिए आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाना, सहकारी समितियों को सहयोग।
- दुग्ध उद्यमशीलता विकास योजना।
- गोधन और भैंस प्रजनन के लिए राष्ट्रीय परियोजना।

मार्च 2012 में एक नई योजना राष्ट्रीय दुग्ध योजना का पहला चरण, शुरू की गई। इसके उद्देश्य निम्न हैं:

(i) दूध देने वाले जानवरों की उत्पादकता बढाना;

(ii) गांवों के स्तर पर दूध खरीद के ढांचे को मजबूत और इसका विस्तार करना, और;

(iii) दुग्ध क्षेत्र में उत्पादकों की बाजार तक पहुंच बढ़ाना।

सूअर पालन योजना: इस योजना का लक्ष्य अच्छी गुणवत्ता वाले सूअर उत्पादन और ग्रामीण, अर्द्ध-शहरी इलाकों में सूअर के गोश्त के व्यवस्थित वितरण में किसानों/ भूमिहीन श्रमिकों/ सहकारी समितियों और जनजातियों, विशेषकर उत्तर-पूर्व के राज्यों में, की मदद करना था। इस योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे:

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(i) वैज्ञानिक तरीके अपनाकर और आधारभूत सरंचना का निर्माण कर व्यावसायिक सूअर पालन को बढ़ावा देना।

(ii) उन्नत जनन द्रव्य (जर्म प्लाज्म) का उत्पादन और आपूर्ति।

(iii) वैज्ञानिक तकनीक को लोकप्रिय बनाने के लिए सभी पक्षों को संगठित करना।

(iv) मीट उद्योग के लिए आपूर्ति शृंखला तैयार करना।

(v) बेहतर गुणवत्ता के लिए मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना।

दुग्ध उत्पादन को बढाने और जारी आनुवांशिक विकास कार्यक्रम को स्थायित्व देने के लिए पशुधन को चारे और खाने की पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए। भारत में हरे चारे की कमी करीब 34 फीसदी आंकी गई है। केंद्र सरकार ने 2014 से केंद्र की सहायता वाली एक संशोधित फीड एंड फॉडर योजना शुरू की हुई है ताकि राज्यों की चारा उत्पादन में वृद्धि की जा सके। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के एक अंग के रूप में चारा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2011-12 में त्वरित चारा विकास कार्यक्रम भी शुरू किया गया।

पशु स्वास्थ्य: व्यापक संकरण कार्यक्रमों (Extensive cross-breeding programmes) के द्वारा पशुधन की गुणवत्ता में सुधार के साथ अनेक प्रकार की बीमारियों (विदेशज रोगों सहित) के प्रति प्रवणता भी बढ़ी है। रुग्णता एवं मर्त्यता को घटाने के लिए राज्य/संघ शासित सरकारों द्वारा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पॉली क्लीनिक/पशु अस्पताल/डिस्पेंसरी/फर्स्ट-एंड सेंटर आदि के साथ ही मोबाइल वेटेनरी डिस्पेंसरी चलाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बीमारियों की रोकथाम के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की प्रभुता में 27 वेटेनरी वैक्सिन प्रोडक्शन यूनिट्स कार्यरत हैं (28 सार्वजनिक क्षेत्र तथा 7 निजी क्षेत्र के अधीन)। 'पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण' (Livestock Health & Disease Contol) एक केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में चलाया जा रहा है ताकि राज्यों एवं संघशासित प्रदेशों की मदद की जा सके। क्षेत्र के और विकास के लिए निम्नलिखित सुझाव हैं:

(i) कृत्रिम गर्भाधान के लिए संतति परीक्षित वीर्य (Progeny tested semen) का विकास।

(ii) नवाचारी माध्यमों से चारा की उपलब्धता का विस्तार।

(iii) पशु स्वास्थ्य केन्द्रों के सुवधाओं का स्तर उन्नयन, साथ ही रोग नियंत्रण प्रणाली को अधिक प्रभावशाली नया जाए।

(iv) शुष्क भूमि तथा पहाड़ी पारिस्थितिकी की प्रणालियों में पशुधन का योगदान ग्रामीण जनसंख्या के कुल पारिवारिक आय का 50 से 75 प्रतिशत तक है। इस वृहत तथा अत्यधिक विधिता वाले पशुधन को इन क्षेत्रों में पर्याप्त सहयोग-समर्थन का अभाव है।

(v) ग्रामीण गरीबों को अपने पशुधन संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन में क्षमता बढ़ाने तथा इन संसाधनों से सुनिश्चित आय प्राप्त करने के योग्य बनाने में मदद करना।

(vi) विकेन्द्रीकरण तथा इन विकल्पों के लिए नीतिगत समर्थन छोटे किसानों के लिए आजीविका में वैविध्य लाने की दृष्टि से जरूरी है।,

खाद्य प्रबंधन (FOOD MANAGEMENT)

आजादी के बाद से ही घरेलू बाजार में पर्याप्त खाद्य उपलब्धता पर सरकार का विशेष ध्यान रखा है। साथ में भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ ही भारतीयों को अपना आहार खरीदकर उपभोग करने योग्य बनाना भी इसमें शामिल रहा है। गत वर्षों में हम देखते हैं कि सरकार इन दोहरी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अनेक उपायों पर कार्य कर रही है। एक बार जब भारत की डब्ल्यूटीओ (WTO) में शामिल हो गया, एक नई जरूरत महसूस हुई-'अतिरिक्त' (Surplus) का उत्पादन तथा दुनिया से प्रतिस्पर्धा ताकि भूमंडलीकरण का लाभ कृषि क्षेत्र में भी उठाया जा सके। यह खंड खाद्य चुनौती पर केन्द्रित है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Prices - MSP)

न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा बाजार में दखल देने का एक तरीका है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृषि उत्पादों में किसी तेज गिरावट की स्थिति में भी उनके उत्पादकों को न्यूनतम मूल्य मिल सके ताकि वे परेशान होकर बिक्री से बच सकें। कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी, 1985) की सिफारिशों के आधार पर कुछ फसलों के लिए बुआई के समय ही समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी जाती है। इसके मुख्य उद्देश्य किसानों को निराशा में बिक्री से बचाना और सार्वजनिक वितरण के लिए खरीद करना है। अगर भारी उत्पादन की स्थिति में बाजार मूल्य समर्थन मूल्य से कम रह जाता है तो सरकारी ऐजेंसियां किसानों की सारी फसल को घोषित न्यूनतम मूल्य पर खरीद लेती हैं।

'गेहूं' के लिए 1066-77 से शुरू होकर, आज 24 वस्तुओं पर एमएसपी का ऐलान किया जता है जिनमें सात अनाज (धान, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मकई और रागी), पांच दलहन (चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर), आठ तिलहन (मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, तिल, कुसुम्द के बीज, नाइजर के बीज), नारियल (गिरी), कच्चा कपास, कच्चा जूट और वर्जीनिया फ्लू क्योर्ड (वीएफसी) तंबाकू हैं। एमएसपी को प्रोत्साहन स्तर पर तय किया जाता है, ताकि निम्न उद्देश्य हासिल हो सकें:

(i) ताकि किसान खेती के क्षेत्र में निवेश करें;
(ii) ताकि किसानों को उन्नत कृषि उत्पादन तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए, और;
(iii) उत्पादन और फिर किसानों की आय बढ़ाने के लिए।

डर यह है कि इस तरह की सुनिश्चित कीमत के अभाव में किसान अन्य फसलों की तरफ मुड़ जाएंगे, जिससे इन उत्पादों की कमी हो जाएगी। भारत में कृषि मूल्य नीति के उभरने के पीछे खाने की कमी और कीमतों में उतार-चढ़ाव था, जो सूखे, बाढ़ और आयात-निर्यात के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की वजह से आया था।[25]

बाजार हस्तक्षेप योजना (Market Intervention Scheme)

बाजार में हस्तक्षेप डालने वाली योजनाएं (एमआईएस) एमएसपी की तरह ही होती हैं जो खराब हो जाने वाले और बागवानी के उत्पादों की खरीद के लिए राज्य सरकारों के आग्रह पर लागू की जाती हैं, जब इनकी बाजार कीमत गिर जाती है। यह योजना तब लागू की जाती है जब उत्पादन में 10 फीसदी की वृद्धि होती है या पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में कीमतों में 10 फीसदी की गिरावट आती है। एमआईएस का प्रस्ताव राज्य/केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) के विशेष आग्रह पर स्वीकार किया जाता है, अगर राज्य/यूटी नुकसान का 50 फीसदी (उत्तर-पूर्व के राज्यों के मामले में 25 फीसदी) उठाने को तैयार हो जाता है तो इसे लागू किया जाता है।

प्रापण/खरीद मूल्य (Procurement Prices)

न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा सरकार के द्वारा प्रापण/खरीद मूल्य की भी घोषणा की गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार के द्वारा फसलों की बुआई से पहले की जाती थी और प्रापण मूल्य की घोषणा फसल तैयार होने के बाद की जाती है। प्रापण मूल्य हमेशा ही न्यूनतम मूल्य से अधिक रखा जाता था। इसका मूल कारण था—किसानों को अधिक लाभ का लालच देकर सरकारी भंडार में आवश्यकतानुसार खाद्यान्न की कमी को पूरा करना, लेकिन यह मूल्य वृद्धि किसानों के लिए एक प्रेरक के रूप में उपयुक्त नहीं था। बेहतर यह होता कि इस मूल्य की घोषणा बुआई से पहले की जाती न कि फसल तैयार होने के बाद। वित्त वर्ष 1968-69 से सरकार ने केवल न्यूनतम

25. **New Agricultural Strategy, 1965**; Reports of the **CACP** and **Ministry of Agriculture**, GoI, N. Delhi.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जिसे अब प्रापण मूल्य भी माना जाता है।[26]

निर्गम मूल्य (Issue Price)

यह वह मूल्य है, जिस पर सरकार लोगों को भारतीय खाद्य निगम (FCI) के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। यह वह मूल्य है जिस मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम अपने खाद्यान्नों को बेचती है। भारतीय खाद्य निगम को खाद्य छूट (food subsidy)[27] के कारण भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। सरकार द्वारा खरीदे गए खाद्यान्नों का अस्थायी रूप से भण्डारण संबंधित राज्य में किया जाता है तथा बाद में इसका स्थानांतरण निर्धारित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में बफर स्टॉक के रूप में किया जाता है। यहाँ से इन खाद्यान्नों का स्थानान्तरण विक्रय काउण्टरों तक किया जाता है। स्थानांतरण, भंडारण, भारतीय खाद्य निगम का खर्च, इत्यादि खाद्यान्नों की कीमतों को बहुत अधिक बढ़ा देती है, जिसका वहन आम जनता द्वारा नहीं किया जा सकता है। इस कारण निर्गम मूल्य कभी भी बाजार निर्धारित मूल्य नहीं होता है। इस अंतर को भारत में खाद्य छूट (food subsidy) माना जाता है।

बफर स्टॉक (BUFFER STOCK)

भारत की खाद्यान्न का एक न्यूनतम भंडार बनाए रखने की एक नीति है (केवल चावल और गेहूं के लिए) जिससे कि पूरे देश में पूरे साल खरीदी जा सकेने वाली कीमतों पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध रहे। मुख्य आपूर्ति यहां से टीपीडीएस यानी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (1997 में सा.वि.प्र. को ल.लि.नि.प्र. के रूप में पुनर्गठित किया गया था) को जाती है और कभी-कभी बिक्री के लिए खुले बाजार में भी ताकि कीमतें नियंत्रित हों।

पिछले कुछ वर्षों से चल रहे टीपीडीएस की वजह से खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) लागू होने के चलते सरकार ने आरक्षित भंडार मानदंड (2005) को संशोधित[28] (2014 के मध्य में) किया। नए मानदंड नीचे तालिका में दिए गए हैं:

संशोधित आरक्षित भंडार (Revised Buffer Stock)

तारीख	अप्रैल 2005 से मौजूद (मिलियन टन में)	संशोधित
1 अप्रैल	21.2	21.04
1 जुलाई	31.9	41.12
1 अक्टूबर	21.2	30.77
1 जनवरी	25.0	21.41

जैसे ही बीपीएल खंड का आय स्तर बढ़ता है (भविष्य में), खाद्यान्नों के लिए बफर परिपाटी नीचे की दिशा में संशोधित की जाएगी। लेकिन ऐसे स्टॉक को बनाए रखने का तर्क भी काम करता होगा सरकार द्वारा बाजार में हस्तक्षेप के उद्देश्य से।

विकेंद्रीकृत खरीद योजना (Decentralized Procurement Scheme)

विकेंद्रीकृत खरीद (डीसीपी) योजना को भारत सरकार ने 1997 में शुरू कर दिया था (केंद्र के साथ कुछ राज्य सरकारें भी स्थानीय स्तर पर किसानों अनाज खरीदती थीं)। इस योजना के तहत निर्दिष्ट राज्य सरकार अनाज की खरीद करती थी, भंडारण करती थी और टीपीडीएस के तहत वितरण भी करती थी। केंद्रीय निर्गम मूल्य और राज्यों की आर्थिक लागत में अंदर को भारत सरकार राज्यों को सब्सिडी के रूप में लौटा देती थी। खरीद की विकेंद्रीकृत प्रणाली से एमएसपी संचालन के तहत ज्यादा-से-ज्यादा किसानों तक पहुंचा जा सकता था, पीडीएस की कुशलता बढती थी, स्थानीय स्वाद के अनुरूप अनाज की ज्यादा किस्में उपलब्ध होती थीं और एफसीआई का ढुलाई का खर्च भी कम आता था।[29]

26. **New Agricultural Strategy, 1965**; the **CACP, 1967** and **Ministry of Agriculture**, GoI, N. Delhi.
27. **New Agricultural Strategy, 1965**; Reports of the **CACP** and **Ministry of Agriculture**, GoI, N. Delhi.
28. Ministry of Finance, ***Economic Survey 2014–15,*** Vol. 2 (New Delhi: Government of India, 2015), p. 85.
29. Ministry of Finance, ***Economic Survey 2011–12***, (New Delhi: Government of India, 2012).

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

भारत सरकार ने सभी राज्यों को डीसीपी योजना अपनाने को कहा ताकि वितरण लागत कम हो सके और अब तक गरीब रह गए इलाकों में किसानों तक मूल्य समर्थन प्रणाली की पहुंच बढ़ाई जा सके। दैनिक आधार पर खरीद प्रक्रिया के बारे में सूचना के प्रवाह में अंतर को देखते हुए एक ऑनलाइन खरीद निरीक्षण तंत्र (ओपीएमएस) विकसित किया गया है ताकि देश में गेहूं, धान और मोटे अनाज की खरीद प्रक्रिया की दैनिक आधार पर सूचना दी और निरीक्षण किया जा सके।

भारत सरकार के दो फैसले[30] जो चावल और गेहूं की खरीद और भंडारण पर असर डालेंगे, वह हैं:

(i) एमएसपी से ज्यादा और ऊपर बोनस देने की घोषणा कर रहे राज्यों की खरीद को सीमित करना, जो टीपीडीएस और अन्य कल्याण योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) के लक्ष्य की सीमा तक पहुंच गए हैं। गैर-डीसीपी के मामले में बोनस का ऐलान करने वाले राज्यों में एफसीआई एमएसपी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेगा।

(ii) चावल पर कर की दर पर 25 फीसदी की रोक लगाना।

भंडारण (Storage)

खाद्यान्न भंडारण की कुल उपलब्धता क्षमता वर्ष 2014 तक 727 मीट्रिक टन (एम टी) थी, जिसमें 507 एमटी क्षमता वाले ढ़के हुए गोदाम तथा 167 एमटीकी कुरसी (plinth) सुविधा उपलब्ध थी। वर्तमान भंडारण सुविधा न केवल क्षमता के हिसाब से बल्कि कुछ उपजों के लिहाज से भी अपर्याप्त है। भंडारण क्षमता उत्पादन वृद्धि एवं लंबे काल तक मांग के अनुरूप विकसित नहीं हो पाई। भंडारण की चुनौती को *आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15* में भी इस प्रकार रेखांकित किया गया है:

30. Ministry of Finance, ***Economic Survey 2014–15***, p. 84.

(i) 160 लाख एफडी के कैप (CAP) को वैज्ञानिक भंडारण नहीं किया जा सकता।

(ii) सार्वजनिक एजेन्सियों के पास उनके द्वारा खरीदे गए गेहूं और चावल की आधी मात्रा के भंडारण की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(iii) मौसमी मुद्रास्फीति जो कि फलों-सब्जियों में आम है, को नियंत्रित रखने की प्रभावी रणनीति नहीं है।

(iv) सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों के शीत भंडारण (Cold Storage) क्षमता केवल 29 एम टी (योजना आयोग, 2012) है जबकि केवल आलू का उत्पादन 35 एमटी है।

(v) केवल 10 प्रतिशत फलो-सब्जियों के शीत भंडारण की सुविधा है (योजना आयोग 2011)।

वैज्ञानिक भंडारण क्षमता की आवश्यकता एवं उपलब्धता के बीच के अंतर को पाटना समय की मांग है। इसके लिए ऐसी नीतियों को बढ़ाने की जरूरत है जिससे इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित किया जा सके।

खाद्यान्नों की आर्थिक लागत (Economic Cost of Foodgrains)

खाद्यान्नों की आर्थिक लागत के तीन संभाग (Component) होते हैं-एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) केन्द्रीय बोनस सहित (किसानों को चुकाया गया मूल्य), क्रय आनुषंगिक तथा वितरण की लागत। गेहूं एवं चावल, दोनों के लिए आर्थिक लागत में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि हुई है और इसका कारण है—एमएसपी में दूरदृष्टि, साथ ही आनुषंगिक सहित अन्य लागतों में आनुपातिक वृद्धि। सरकार के अनुसार 2017-18 में गेहूं एवं चावल की आर्थिक लागत क्रमश: 32 रुपए तथा 24 रुपए प्रति किलो के लगभग थी (2011 में क्रमश: 20 एवं 15 रु.)।

उच्च आर्थिक लागत के चलते खुले सिरे वाली क्रम नीति की समीक्षा की जरूरत आन पड़ी है, खासकर उन राज्यों में जो एमएसपी के ऊपर उच्च बोनस देते हैं और वे भी ये अधिक कर एवं वैधानिक लेवी आरोपित करते हैं। इसके अलावा भंडारण एवं वितरण नीतियों की भी

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

समीक्षा की जरूरत है। इस संबंध में सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन अगस्त 2014 में किया (अध्यक्ष शांत कुमार) जो यह सुझाव देगी कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को पुनर्गठित किया जाता था इसे समाप्त कर दिया जाए ताकि परिचालनात्मक कुशल तथा वित्तीय प्रबंधन की स्थिति को ठीक किया जा सके।

खुला बाजार बिक्री योजना
(Open Market Sale Scheme)

एफसीआई समय-समय पर खुले बाजार में गेहूं की बिक्री पूर्व निर्धारित मूल्य (आरक्षित मूल्य) पर करता रहता है, जिसे खुले बाजार की बिक्री योजना (ओएमएसएस) कहा जाता है। इसके लक्ष्य निम्न हैं:

(i) अनाज की बाजार आपूर्ति बढ़ाना;

(ii) खुले बाजार की कीमतों पर अधिकता के प्रभाव का इस्तेमाल करना, और;

(iii) अतिरिक्त भंडार को खाली करना।

खुले बाजार में बिक्री की योजना (घरेलू) के तहत सरकार अब अलग-अलग कीमत वाली नीति को अपनाती है ताकि पुराने भंडार की बिक्री को प्रोत्साहित किया जा सके। इस नीति के उद्देश्य हैं:

(i) आरक्षित मूल्य को एमएसपी से ऊपर रखना, लेकिन कमाई के मूल्य या गेहूं के आर्थिक मूल्य से यथोचित कम रखना ताकि कटाई के मौसम में खरीदारों का मंडियों से गेहूं खरीदने के प्रति आकर्षण बना रहे और बाजार प्रतिस्पर्धी बना रहे।

(ii) यह स्थिति बनाए रखना कि कमी के मौसम में भी बाजार मूल्य ज्यादा न बढ़ें और मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहे।

मूल्य स्थिरीकरण कोष
(Price Statisfication Fund)

मार्च 2015 में भारत सरकार ने केन्द्रीय योजना के रूप में मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) की शुरूआत की ताकि खराब होने वाले कृषि-बागवानी उत्पादों के मूल्य नियंत्रण के लिए बाजार-हस्तक्षेप की सहयोग प्रदान किया जा सके। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच समानुपात में लागत को वहन किया जाएगा (उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए अनुपात 75 : 25 होगा)। योजना की शुरूआत केवल फसलों-प्याज तथा आलू में साथ होगी।

खेती में सब्सिडी (FARM SUBSIDIES)

सरकार के बजट का एक अभिन्न अंग है—फार्म सब्सिडी। विकसित देशों में कृषि अथवा खेती सब्सिडी कुल बजटीय व्यय का 40 प्रतिशत तक होती है, जबकि भारत में यह बहुत कम है (जीडीपी का लगभग 7.8 प्रतिशत)। इसकी प्रकृति निम्न है:

प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी (Direct Farm Subsidy): यह ऐसी सब्सिडी होती है जिसमें किसानों को प्रत्यक्ष नकद प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, जिससे कि उनके उत्पादक विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सके। विकसित देश अपने वार्षिक बजट में एक बड़ी राशि कृषि, खेती एवं मत्स्यन (Fisheries) सब्सिडी पर खर्च करते हैं। प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी इसलिए सहायक होती है कि किसानों को इससे सही प्रकार की क्रय शक्ति प्राप्त होती है और इससे ग्रामीण गरीबों का जीवन स्तर सुधारने में मदद मिलती है। इनसे सार्वजनिक कोषों के दुरुपयोग पर नियंत्रण रखने में भी मदद मिलती है। वास्तविक लाभार्थियों की पहचान हो पाती है।

अप्रत्यक्ष कार्य सब्सिडी (Indinet Form Subsidy): ये ऐसी फार्म सब्सिडी हैं, जो सस्ती ऋण सुविधाओं, ऐसी कर्ज माफी, सिंचाई एंव बिजली बिल में कमी उर्वरक दान तथा कीटनाशकों पर सब्सिडी तथा कृषि अनुसंधान, पर्यावरणीय सहायता किसान-प्रशिक्षण आदि के रूप में प्रदान की जाती है। इनका उद्देश्य की विश्व बाजार में फार्म उत्पादों को प्रतिस्पर्धा के लायक बनाना है।

उर्वरकों पर जो सब्सिडी इनपुट सब्सिडी प्रदान की जाती है वह भी अप्रत्यक्ष सब्सिडी के रूप में होती है। लेकिन अगर सरकार किसानों को उर्वरकों के मूल्य में कमी करके प्रोत्साहन देने के स्थान पर उत्पाद पर सीधे नकद प्रोत्साहन देती है तो इसे भी प्रत्यक्ष सब्सिडी कहा जाएगा।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

डब्ल्यू.टी.ओ. (विश्व व्यापार संगठन) ने विकासशील एव विकसित देशों द्वारा प्रदान की जाने वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सब्सिडी की राशि की हदबंदी की है इसलिए कि सब्सिडी मुख्य बाजार की शक्तियों को अवरुद्ध करती है जिसके अपने प्रभाव होते हैं।

पहली सोच उत्साहजनक है। मोंटेक सिंह अहलूवालिया (तत्कालीन उपाध्यक्ष योजना आयोग) की अध्यक्षता में हक पैनल ने अनुशंसा की कि ऊर्जा मंत्रालय की बिजली वितरण कम्पनियों की जगह के किसानों को सब्सिडी एक स्मार्ट कार्ड के माध्यम से होगा जो कि 'आधार' नंबर से सम्बद्ध होगा।

भारत सब्सिडी पर प्रतिवर्ष 1,60,000 करोड़ रुपये अथवा अपने सफल घरेलू उत्पाद (GBP) का कोई 2 प्रतिशत सब्सिडी पर खर्च करता है, सब अप्रत्यक्ष (Indirectly) रूप से । उदाहरण के लिए उर्वरक में जिस पर कुल सब्सिडी का दो-तिहाई खर्च होता है, सरकार ने एक निम्न बिक्री मूल्य तय कर किया है और उत्पादकों को बिक्री मूल्य एवं वास्तविक लागत का अंतर क्षतिपूर्ति यानी सब्सिडी के रूप में प्रदान करती है फार्म सब्सिडी से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण मामले निम्नलिखित हैं:

(i) प्रत्यक्ष सब्सिडी की इसलिए आलोचना होती रही कि इससे बड़े किसानों को, न कि मझोले या छोटे किसानों को, लाभ पहुँचा जिनके लिए यह व्यवस्था की गई थी। ऐसा इसलिए कि धनी किसान बड़ी मात्रा में सब्सिडी-प्राप्त उर्वरक उठा लेते थे क्योंकि लघु एवं सीमांत किसानों के पास खेती की जमीन सिर्फ 39 प्रतिशत है

(ii) अप्रत्यक्ष सब्सिडी उत्पादन प्रक्रिया के सुधार को हतोत्साहित करती है क्योंकि उत्पादकों/विनिर्माताओं को कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए कोई उत्प्रेक्षण का प्रोत्साहन नहीं है। सब्सिडी बिल को कम करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उदाहरण के लिए, उद्योग के आकलन के अनुसार गरीब किसानों पर जो पैसा खर्च होता है। उसे आसानी से 1,00,000 करोड़ से रु. 37000 करोड़ तक लाया जा सकता है।

(iii) नकद सब्सिडी का एक और लाभ है कि इससे वितरण प्रणाली को यह मुख्य कर देता है और लोगों को अवसर मिलता है कि वे अपना माल वहाँ से खरीदे।

अन्य देश (Other Countries): लाभार्थियों को सब्सिडी सीधे, प्रत्यक्षत: प्रदान करने का विचार नीति-निर्माताओं व विकास विचारकों के बीच लोकप्रिय हुआ है। अब तक दुनिया के अनेक देशों की नीति का हिस्सा बन चुका है खासकर लैटिन अमेरिका के 16 देशों के, साथ ही जमैका, फिलीपींस, तुर्की तथा इंडोनेशिया के।

ऐसे कार्यक्रमों में जिसकी सबसे अधिक चर्चा होती है, वह है—ब्राजील का बोल्सा फैमिलिया (Bdsa Familia)। यह 2001 में शिक्षा के एक कार्यक्रम के रूप में आरंभ हुआ। 2003 तक खाद्य एवं ईंधन जैसी अनेक सेवाएँ इसमें शामिल हो गईं और आज उस देश के 26 मिलियन परिवार इससे आरक्षित हैं। सरकार नकद रकम परिवार को आंतरिक करती है, जैसे-स्कूल उपस्थिति, पोषण अनुसरण, प्रसव पूर्व एवं प्रसव पश्चात् की जाँच आदि कुछ शर्तो के साथ अनेक मापमंडों पर यह योजना सफल है। ब्राजील का निर्धनता स्तर 2003 से 2005 के बीच 15 प्रतिशत तक गिर चुका था। इसका श्रेय बोल्सा फैमिलिया को जाता है (अधिक वृद्धि की भी बड़ी भूमिका है)। शताब्दी विकास लक्ष्य, जिसके अंतर्गत वर्ष 2000 में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि 2015 तक गरीबी आधी घटा दी जाए, ने नकद अंतरण (Cash transfer) का उल्लेख तक नहीं किया है लेकिन ब्राजील ने यह लक्ष्य 10 साल पहले पूरा कर लिया और इन अंतरणों की कुल लागत जीडीपी की 0.4 प्रतिशत रही।

बड़ा सवाल यह नहीं है कि प्रत्यक्ष नकद अंतरण ही सटीक हल है बल्कि पहले से विद्यमान प्रणाली से बेहतर है या नहीं। दुनिया के अनेक देशों में इसकी सफलता और अब तक अप्रत्यक्ष सब्सिडी का खराब प्रदर्शन इस बात का प्रमाण है कि यह बेहतर प्रणाली है। इसे देखते हुए भारत सरकार ने अखिल भारतीय स्तर पर सभी प्रकार की सब्सिडी को प्रत्यक्ष वितरित करने की योजना शुरू कर

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

दी है। यह कार्य (Direct Benefit Transfer—DBT) के माध्यम से किया जाएगा - 2015-16 के बाद से।

खाद्य सुरक्षा (FOOD SECURITY)

1980 के दशक के अंत तक भारत ने खाद्य के मामले में आत्म-निर्भरता हासिल कर ली थी। फिर भी खाद्य सुरक्षा की चिंता थी। खाद्य सुरक्षा का मतलब हुआ कि हर समय सस्ती दरों पर, सबको अनाज मिले, बगैर किसी बाधा के। हालांकि, भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की विकास-दर प्रभावशाली है और बीते कुछ दशकों से कृषि उत्पादन में भी वृद्धि आई है, किंतु भुखमरी और तंगहाली अब भी जनसंख्या के निर्धनतम वर्ग में मौजूद है।

खाद्य सुरक्षा की कमी कमजोर तबके की आबादी को पोषक खुराक देने में अड़ंगा डालती है। भारत की बड़ी आबादी, खास तौर पर ग्रामीण इलाके में, कैलोरी और प्रोटीन सामान्य मात्रा से कम लेती है।[31] दुनिया में खाद्य असुरक्षा स्थिति, 2015 (एफएओ) के अनुसार, भारत के पास 19 करोड़, 46 लाख लोगों की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अल्पपोषित आबादी है, जो कि दुनिया की कुल अल्पपोषित आबादी की 15.2 फीसदी है।

भारत की खाद्य सुरक्षा के मामले में दो महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है:

(i) भारत की करीब 27 फीसदी आबादी बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे रह रही है) है और उनकी पारिवारिक आमदनी का बड़ा हिस्सा (एक सूक्ष्म आकलन है कि करीब 75 प्रतिशत) भोजन पर खर्च होता है।

(ii) खाद्यान्न उत्पादन में स्थिरता और खाद्य सुरक्षा के बीच एक मजबूत सह-संबंध है। खाद्यान्न उत्पादन में अस्थिरता खाद्य-आपूर्ति पर असर डालती है और इससे खाद्यान्न की कीमत में जबर्दस्त उछाल आ सकता है, जो सबसे कम आमदनी वाले समूहों पर बुरा असर डालेगा।

इसलिए खाद्य सब्सिडी के प्रावधान के साथ कृषि उत्पादों की कीमत को भी स्थिर रखना जरूरी है, ताकि निर्धन तबकों के लिए खाद्यान्न सुरक्षित रहे। इसका मतलब हुआ कि खाद्य सुरक्षा को आश्वस्त करने के क्रम में भारत को मुख्यत: दो बाधाओं को पार करने की जरूरत है।

(i) ***अपने खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना:*** अगर खाना (यानी खाद्यान्न) सब तक पहुंचाया जाए, तो आज के समय में भारत के लिए तीन करोड़ टन खाद्यान्न कम पड़ जाएंगे। यह भारत की खाद्य असुरक्षा के विभिन्न आयामों को दर्शाता है।

(ii) ***आपूर्ति शृंखला को मजबूत करना:*** भंडारण, परिवहन, उचित रीटेलिंग और बंटे हुए कृषि बाजारों को राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने जैसे मसलों का प्रबंधन करना होता है।

अल्पपोषण के उच्च स्तर और कृषि-कीमतों में अस्थिरता के कारण खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है और इसके लिए भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य योजनाओं में से निम्नलिखित है:

(i) भोजन देने वाले कार्यक्रम, जैसे- समेकित बाल विकास योजना (आईसीडीएस-छह साल से कम उम्र के सभी बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को शामिल करती है)।

(ii) मिड डे मील स्कीम (एमडीएमस)।

(iii) खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम, जैसे–लक्षित सार्वजनिक-वितरण प्रणाली (इसके जरिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू किया गया)।

(iv) अन्नपूर्णा (बेहद गरीबों के लिए 10 किलोग्राम अनाज मुफ्त), और;

(v) रोजगार कार्यक्रम, जैसे–खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (न्यूनतम 100 दिनों की मजदूरी का रोजगार)।

31. 66th Round (2009-10) and 68th Round (2011-12) of the **NSSO**, as quoted by the **Economic Survey 2015-16**, op. cit., Vol. 2, p.117.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

जब तक कि कमजोर आबादी बाजार से जुड़ी क्रय-क्षमता पा नहीं लेती, तब तक ये कार्यक्रम देश में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के मामले में प्रासंगिक रहेंगे। लाभार्थियों को विशेष ध्यान में रखकर इन योजनाओं को चलाने की जरूरत है।

पीडीएस व खाद्य सब्सिडी (PDS & Food Subsidy)

सार्वजनिक-वितरण प्रणाली (1997 में पीडीएस, टारगेटेड पीडीएस में बदला) बीपीएल आबादी को समय पर और सस्ते दामों के जरिये खाद्य सुरक्षा दिलाने के लिए प्रयासरत है, क्योंकि बीपीएल तबका बाजार की कीमत पर अपने लिए अनाज नहीं खरीद सकता। इसमें सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन पर खाद्यान्न खरीदना, खाद्यान्न का भंडारण और उसकी देखभाल करना, उसका समय पर वितरण और आबादी के कमजोर तबके को उचित दामों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना शामिल है।

हालांकि, पीडीएस में कई सारी कमियां हैं, जिनमें गड़बड़ियों से लेकर पूरे तंत्र से लक्षित लाभार्थियों को बाहर रखना तक शामिल है। पीडीएस अनाज खरीद, भंडारण और वितरण की भारी लागत को उठाता है। पीडीएस के कामकाज को दक्ष बनाने और इस लागत को घटाने की गुंजाइश है। फिर भी पीडीएस पर सार्वजनिक खर्च या सब्सिडी का सिर्फ छोटा-सा हिस्सा लाभार्थियों तक पहुंचता है। अनाज व किरोसिन तेल को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए **डीबीटी** (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) को लाने की भी बात है, आंध्र प्रदेश में यह प्रगति पर है। हालांकि, डीबीटी को लागू करने में चुनौतियां हैं।

ताजा ***आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17*** के मुताबिक, विगत कुछ वर्षों में खाद्यान्नों की वसूली बढ़ने के बावजूद पी.डी.एस. से इनकी आपूर्ति (offtake) घटती गयी है। यह बताता है कि पीडीएस में अनाज की प्रचुर उपलब्धता और काफी महंगे अनाज के बावजूद, लोगों की पीडीएस से निर्भरता घटी है। ऐसा सिर्फ दो कारणों से हो सकता है:

(i) पीडीएस द्वारा अनाज समय पर उपलब्ध नहीं कराया जाना, और/या;

(ii) खुले बाजार में उपलब्ध अनाजों की तुलना में पीडीएस द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे अनाज की गुणवत्ता का कमतर होना।

पीडीएस के अंतर्गत जो खाद्य प्रबंधन हैं, उनमें कुछ-कुछ विसंगतियां हैं, जिन पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है:

(i) गेहूं व चावल के आर्थिक मूल्य का प्रतिशत वितरण तेजी से बढ़ रहा है। खाद्यान्न का जमा मूल्य (न्यूनतम समर्थन मूल्य और राज्यों द्वारा प्रस्तावित बोनस का जोड़) गेहूं व चावल के आर्थिक मूल्य का दो-तिहाई हो जाता है। इस कारण भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने खाद्यान्न के आर्थिक मूल्य को बीते कुछ वर्षों में बढ़ाया है।

(ii) मजदूरी, खाद, कीटनाशक दवाइयों और अन्य निवेशों के दाम बढ़ने से साल-दर-साल उत्पादन महंगा होता गया। इसने सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए मजबूर किया।

(iii) खाद्य सब्सिडी बिल में वृद्धि उस दर से निर्धारित होती है, जिस पर गेहूं और चावल का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ता है। यह वृद्धि अनाज को रखने (उनकी खरीद, भंडारण और लक्षित घरों तक वितरण) के आर्थिक मूल्य से भी निर्धारित होती है। खाद्य सब्सिडी बिल को बढ़ाने के पीछे यह सबसे बड़ा कारण है। 2005-06 के पांच प्रतिशत से 2016-17 तक कृषि-जीडीपी के 15 प्रतिशत से भी अधिक खाद्य सब्सिडी बिल में वृद्धि का अनुमान है (सी.ए.सी.पी.)।

(iv) गेहूं व चावल की खरीद का खर्च मंडी-शुल्क व कर, टाट के बोरों की कीमतों, आढ़तिया दलाली, मंडी में मजदूरी, आगे बढ़ाने का शुल्क, अनाज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने व इनका भंडारण करने का खर्च, ब्याज, प्रशासनिक शुल्क व अन्य दामों से तैयार होता है। इन दामों में से मंडी-शुल्क व कर कुल कीमत के 40 प्रतिशत से अधिक हो जाते हैं।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

पीडीएस को चलाने का अवसर मूल्य भी बहुत ज्यादा हो गया है। खाद्य सब्सिडी की पूंजी का अन्य क्षेत्रों में बढ़ते इस्तेमाल के कारण सरकार कृषि क्षेत्र में पर्याप्त निवेश में मदद नहीं कर पाती है। यह इस क्षेत्र में क्षमता-निर्माण को रोकता है।

समय के साथ पीडीएस में कई कमियां आई हैं:

(i) उच्च परिचालन लागत,

(ii) पूंजी रिसाव के कई स्तर,

(iii) उच्च प्रशासनिक लागत,

(iv) भ्रष्टाचार, और

(v) कुप्रबंधन।

रियायतें, यानी कि सब्सिडी कुछ समस्याएं भी खड़ी करती हैं—*पहली,* ये बाजार में विकृतियां लाती हैं, जो घरेलू व बाहरी हितों के लिए रुकावटें हैं। *दूसरी,* सरकारी खजाने का ये जबर्दस्त दोहन करती हैं और भी बड़ी चुनौती तब आती है, जब घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय कीमतें उछाल मारती हैं और सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए बाध्य होना पड़ता है।

कृषि विपणन (AGRICULTURAL MARKETING)

भारत का कृषि व्यापार मौजूदा दौर में राज्यों के जरिए लागू कृषि उत्पादन बाजार समिति (एपीएमसी) कानून के तहत संचालित होता है। तकरीबन 2,477 प्रमुख नियंत्रित कृषि बाजार हैं और 4,843 उप-बाजार क्षेत्र एपीएमसी के तहत भारत में संचालित होते हैं। हालांकि भारत में कोई एक नहीं, 29 भी नहीं (राज्यों की संख्या) अपितु हजारों की संख्या में कृषि बाजार हैं। यह कानून क्षेत्र में उत्पादित होने वाली वस्तुओं जैसे कि अनाज, दालें, खाद्य तेल, फल और सब्जियां यहां तक कि चिकन, बकरी, भेड़, चीनी, मछली आदि तक को अधिसूचित करता है। साथ ही यह कानून व्यवस्था करता है कि इन वस्तुओं की पहली बिक्री एपीएमसी के संरक्षण में एपीएमसी के तहत लाइसेंसधारी दलालों के जरिए ही हो।

एपीएमसी में या इसके चारों ओर मौजूद विशिष्ट सुविधाएं हैं—नीलामी के लिए हॉल, वजन के लिए चबूतरे, गोदाम, थोक विक्रेताओं के लिए दुकान, कैंटीन, सडकें, रोशनी, पेय जल, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, कुएं, माल गोदाम, किसान सहायता केंद्र, टैंक, जल शोधन संयंत्र, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, शौचालय, आदि। मंडी के अंदर संचालित व्यापार पर कई प्रकार के कर, शुल्क और वसूली को भी इस कानून के तहत अधिसूचित किया गया है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 के मुताबिक, राज्यों के एपीएमसी में विविध तरह के बड़े आकार के शुल्कों की उगाही की जाती है, जो अपारदर्शी है और फिर सत्ता की शक्ति के स्रोत के रूप में काम करती है। नीति बनाने वाले और विशेषज्ञों में एपीएमसी की कार्यविधि हमेशा बहस का विषय रही है। इसके प्रमुख मुद्दे इस प्रकार हैं:

- वे खरीदारों से बाजार शुल्क वसूलते हैं, और दलालों से लाइसेंस शुल्क वसूलते हैं, जो खरीदारों और किसानों के बीच मध्यस्थता करते हैं।
- वे इस प्रक्रिया में शामिल सभी इकाइयों एक छोटा लाइसेंस शुल्क भी वसूलते हैं (माल गोदाम के दलाल, ढुलाई के दलाल आदि)।
- इसके साथ ही कमीशन एजेंट यानी दलाल खरीदार और किसानों के बीच लेन-देन पर कमीशन शुल्क वसूलते हैं।
- कर और दूसरे बाजार शुल्क राज्यों द्वारा व्यापक स्तर पर लगाए जाते हैं। वैधानिक कर, मंडी के शुल्क, वैट आदि बाजार को बिगाड़ने के बड़े स्रोत हैं।
- व्यापार के पहले चरण में इस तरह के बड़े कर वस्तु की कीमतों पर बड़ा प्रभाव डालते हैं क्योंकि ये वस्तुएं आपूर्ति श्रृंखला के कई चरणों से होकर गुजरती हैं। चावल के लिए ये सभी शुल्क आंध्र प्रदेश में 14.5 फीसदी तक की ऊंची दर तक पहुंच जाते हैं (राज्य के वैट के अलावा) तथा ओडिशा एवं पंजाब में ये 10 फीसदी तक होते हैं।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

- यहां तक कि आदर्श एपीएमसी कानून (जिसका विवरण आगे दिया गया है) एपीएमसी को राज्य की भुजा की तरह मानता है और उन सेवाओं को मुहैया कराने के एवज में लिए जा रहे शुल्क के अलावा बाजार शुल्क, राज्यों द्वारा लगाए गए कर की व्यवस्था करता है। कृषि उत्पादों में राष्ट्रीय समान बाजार बनाने की दिशा में ये कठिन व्यवस्था अवरोध की तरह काम करती है। इस तरह के प्रावधानों को खत्म कर प्रतिस्पर्धा के रास्ते खोले जा सकते हैं और कृषि उत्पादों के लिए एक समान राष्ट्रीय बाजार का निर्माण किया जा सकता है।
- इससे अधिक, क्योंकि बाजार शुल्क एक कर के रूप में इकट्ठा किया जाता है, एपीएमसी के जरिए हासिल किया गया राजस्व राज्य के खजाने में नहीं जाता और इस प्रकार इकट्ठा किए गए धन के उपयोग के लिए राज्य विधानसभा की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए एपीएमसी की कार्यविधि किसी तरह भी पड़ताल से छिपी रहती है।
- लाइसेंसधारी दलालों के जरिए वसूले जा रहे शुल्क की दर हद से ज्यादा होती है, क्योंकि प्रत्यक्ष करों की तरह न होकर, जो शुद्ध आय पर लगाए जाते हैं, ये उत्पाद को बेचने के संपूर्ण मूल्य पर दलाली वसूलते हैं। बाजार में कार्य कर रहे बहुत सारे परिचालकों की ओर से लिया जा रहा लाइसेंस शुल्क तो साधारण होता है, लेकिन कम संख्या में जारी किए गए लाइसेंस ऐसे लाभांश उत्पन्न करते हैं जिसका भुगतान नकद ही करना होता है।
- माना जाता है कि बाजार समिति (राज्य के स्तर पर) और बाजार बोर्ड, जो बाजार समितियों की निगरानी करता है, में पदों पर व्यापक राजनीतिक रूप से प्रभावित करने वाले लोग भरे पड़े हैं। वे लाइसेंसधारी दलालों से बढ़िया रिश्तों का फायदा उठाते हैं जो तय क्षेत्र में एकाधिकार हासिल कर उसका इस्तेमाल करते हैं, कई बार उत्पादक संघों के द्वारा। एपीएमसी को दोबारा तैयार करने में बाधा कथित तौर पर इन तथ्यों को निकाल कर ही दूर की जा सकती है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (ईसी कानून) का दायरा एपीएमसी की तुलना में व्यापक है। ये कुछ निश्चित वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के लिए केंद्र और राज्य सरकार को अधिक अधिकार देता है, जिसमें मूल्य निर्धारण, माल भंडारण, वह मियाद जब तक भंडार को रखा जा सकता है और कर लगाने के लिए अधिकृत करता है, शामिल हैं। दूसरी तरफ, एपीएमसी एक्ट कृषि उत्पाद की सिर्फ पहली बिक्री को नियंत्रित करता है। खाद्य पदार्थों के अलावा जो कि एपीएमसी एक्ट के तहत आते हैं, इसी एक्ट में आने वाली वस्तुएं हैं—दवाइयां, खाद, कपडे और कोयला।

आदर्श एपीएमसी कानून (Model APMC Act)

चूंकि राज्य एपीएमसी कानून ने कृषि उत्पादों के लिए बिखरे हुए बाजारों की रचना की है और सिर्फ लाइसेंसधारी दलालों और दूसरी इकाइयों जिन्हें एपीएमसी ने लाइसेंस दिया है, के द्वारा ही कृषि पैदावार बेचने की शर्त के साथ अपना उत्पाद बेचने की किसानों की स्वतंत्रता को कम कर दिया है, कृषि मंत्रालय (भारत सरकार) ने आदर्श एपीएमसी कानून, 2003 को बनाया और राज्य सरकारों को अनुमति दी कि वह अपने हिसाब से कानून में बदलाव कर सकती हैं। आदर्श एपीएमसी कानून निम्न व्यवस्था देता है:

(i) किसान अपने कृषि उत्पादों को सीधे ठेके पर कृषि प्रायोजकों को बेच सकते हैं।

(ii) विशिष्ट कृषि उत्पादों के लिए खास बाजार की व्यवस्था करना खासतौर पर जल्द नष्ट होने वाली उपज के लिए;

(iii) निजी व्यक्तियों, किसानों और उपभोक्ताओं को कृषि उत्पादों के लिए नए बाजार के निर्माण की अनुमति देना;

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(iv) बाजार क्षेत्र में बेचे जा रहे कृषि उत्पादों पर एक बाजार शुल्क की व्यवस्था करना;

(v) बाजार में कार्य कर रहे लोगों के लाइसेंस की जगह पंजीकरण की व्यवस्था करना ताकि उन्हें एक या एक से अधिक बाजार में संचालन की अनुमति मिल सके;

(vi) उपभोक्ता और किसानों के लिए बाजार का निर्माण करना; जिसमें उन्हें कृषि उत्पादों को ग्राहकों को प्रत्यक्ष बिक्री की सुविधा मिल सके;

(vii) एपीएमसी के जरिए कमाए गए राजस्व से बाजार के आधारभूत ढांचे का निर्माण करना;

(viii) किसानों को इतनी स्वतंत्रता प्रदान करना कि वह अपनी पैदावार सीधे तौर पर ठेका-प्रायोजकों या निजी लोगों के जरिए स्थापित किए गए बाजार, उपभोक्ता या ग्राहक को बेच सकें;

(ix) बाजार में मध्यवर्ती संस्थाओं के समान पंजीकरण की अनुमति देकर कृषि उत्पाद के बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना;

इनमें से बहुत सारे राज्यों ने आदर्श एपीएमसी कानून के प्रावधानों को आंशिक तौर पर अपनाया है और अपने एपीएमसी कानून में बदलाव किए हैं। कुछ राज्यों ने संशोधन के प्रावधान को लागू करने का नियम नहीं बनाया है, जो राज्य सरकारों की ओर से हिचकिचाहट को दर्शाता है ताकि एपीएमसी के जरिए अपना उत्पाद बेचने की किसानों को स्वतंत्र करने वाली संवैधानिक शर्तों को लागू नहीं किया जा सके। कुछ राज्य (जैसे–कर्नाटक)[32] ने राज्य में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए जरूरी बदलाव किए हैं, जिसे लोकप्रिय तौर पर **कर्नाटक मॉडल** के रूप में जाना जाता है।

केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर घनिष्ठता से मिलकर काम कर रही है ताकि निजी बाजार क्षेत्र/निजी बाजार को स्थापित करने के लिए राज्य के एपीएमसी कानून को फिर से प्रभावी बनाया जा सके। ***संघीय बजट 2017-18*** एवं ***आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17*** के मुताबिक, इस दिशा में की गई कुछ ताजा पहलें इस तरह हैं:

(i) एक विस्तृत परामर्श राज्यों को जारी किया गया है ताकि वे आदर्श कानून के प्रावधानों से आगे जाकर सभी राज्यों को एक ही बाजार घोषित करें, सभी राज्यों में एक ही लाइसेंस मान्य हो और राज्य के सभी कृषि उत्पादों की गति में आने वाली तमाम बाधाओं को दूर करे।

(ii) जुलाई 2015 में सरकार ने कृषि-प्रौद्योगिकी इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एटीआईएफ) के जरिये एनएएम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) की स्थापना की, जो 2017-18 तक चालू होगा। एनएएम राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों (शामिल होने के इच्छुक) में विनियमित थोक बाजार का कॉमन ई-मार्केट प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा। एसएफएसी (लघु कृषक कृषि-व्यापार संघ) इस ई-प्लेटफॉर्म को क्रियान्वित करेगा और 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान क्रमशः 250, 200 और 135 मंडियों को अपने दायरे में लेगा।

डीएसी एण्ड एफडब्ल्यू (कृषि, सहकारिता व किसान कल्याण विभाग) सॉफ्टवेयर पर हुए खर्चों और राज्यों अथवा केंद्रशासित प्रदेशों की विनियमित मंडियों को विशिष्ट रूप से तैयार करने में हुए खर्चों को मुफ्त मुहैया कराएगा। एनएएम के साथ एकीकृत होने के लिए राज्यों अथवा केंद्रशासित प्रदेशों की एपीएमसी को पहले कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी, जो नीचे दी गई हैं:

(a) राज्य भर में एक लाइसेंस मान्य करना होगा।

(b) बाजार शुल्क की एक जगह वसूली करनी होगी

(c) इलेक्ट्रॉनिक नीलामी का प्रावधान करना होगा।

32. Other states like Maharashtra, Tamilnadu and Andhra Pradesh did also for reforms in their APMC's taking clues from the Model APMC Act—making these states also to have some synergy coming into their agriculture market.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

ज्यादातर राज्यों व सभी केंद्रशासित प्रदेशों ने ई-प्लेटफॉर्म से जुड़ने की अपनी रुचि दिखाई है।

(iii) केंद्र सरकार की अपील पर, कई राज्य सरकारों ने फलों और सब्जियों के बाजार को एपीएमसी कानून की परिधि से बाहर जाकर छूट प्रदान की। दिल्ली की एनसीटी ने फलों और सब्जियों को एपीएमसी से बाहर रखा है। छोटे किसान कृषि व्यापार सहायता संघ (एसएफएसी) ने दिल्ली में किसान मंडी को विकसित करने के लिए पहल की, जिससे एफपीओ को अपने उत्पादों को संबंधित खरीदारों को सीधे बेचने के लिए मंच प्रदान किया जा सके, जिससे इस प्रक्रिया में आने वाले गैर-जरूरी मध्यस्थों की परत छांटी जा सके। एसएफएसी की योजना है कि दिल्ली किसान मंडी के अनुभव से मिले ज्ञान के आधार पर दूसरी राज्यों में इस तरह की गतिविधि की जा सके।

कृषि व्यापार की सुरक्षा (SAFEGUARDING AGRITRADE)

हालिया समय में भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने कृषि व्यापार के हितों के संरक्षण को लेकर अधिक सतर्क हो गया है। डब्ल्यूटीओ के 10वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (नैरोबी, दिसंबर 2015) में भारत सरकार ने कृषि व्यापार नीति को लेकर निम्न दृष्टिकोण अपनाया:

(i) विकासशील देशों के लिए एक विशेष सुरक्षा तंत्र यानी स्पेशल सेफगार्ड मैकनिज्म (एसएसएम) हो।

(ii) खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग हो।

(iii) कृषि निर्यातों के लिए निर्यात सब्सिडी खत्म करने की प्रतिबद्धता हो।

(iv) कपास से संबंधित उपाय।

सेवा के क्षेत्र में और एलडीसी देशों से निर्यात करने से क्या उनको कारोबारी वरीयता का फायदा मिलेगा, इस मानदंड पर भी फैसले लिए गए, जो बताता है कि एलडीसी देशों को सम्मेलन में वरीयता मिली थी।

नीति स्थिरता: कृषि व्यापार नीति में बदलाव बाजार की अवधारणा को दिक्कत में डालता है। इसलिए निम्नांकित कारणों से इसको खत्म करने की जरूरत है:[33]

(i) आयात शुल्क एवं न्यूनतम निर्यात मूल्य, वगैरह में बदलाव के जरिये कृषि उत्पादों के कारोबार में नीतिगत पैमानों पर निरंतर बदलाव किए जाते हैं, जो कृषि-प्रसंस्करण उद्योग में किसी भी तरह के निवेश की नीति को अस्थिर बनाता है।

(ii) नीतिगत पैमानों में बदलाव का उपभोक्ता द्वारा चुकाए गए दाम पर सीमित प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उन तक निर्णय को पहुंचने और उस निर्णय को लागू होने में समय लग जाता है।

(iii) यह किसानों पर भी प्रभाव नहीं छोड़ता, जिनके खेत-खलिहान से फसल निकल चुकी होती है और उस समय का उन्हें पारिश्रमिक मिला होता है।

(iv) किसी एक साल में सामान की अधिक कीमत किसान के लिए उसी साल में फायदेमंद नहीं होती। बल्कि वह अगले साल के लिए उम्मीद बढ़ाती है, जो तर्कसंगत नहीं है। वह अगले साल या फसल के मौसम में खेती का रकबा बढ़ाती है, जिनसे जरूरत से ज्यादा फसल बाजार में आ जाती है और इससे कीमत और आमदनी, दोनों कम होती है।

जिंस वायदा बाजार (COMMODITY FUTURES MARKET)

वर्ष 2017 के प्रारंभ तक, 113 सामग्रियां जिन्हें वायदा बाजार में सौदे के लिए अधिसूचित किया गया, इसमें से 43 वस्तुओं का 4 नेशनल एक्सचेंजों में सक्रिय तौर पर

33 Ministry of Finance, ***Economic Survey 2015–16,*** Vol. 2, p. 122.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

व्यापार किया जा रहा था और 6 वस्तुओं का विशिष्ट वायदा बाजार में व्यापार किया जा रहा था। कृषि उत्पादों की कुल बिक्री में वर्ष 2015-16 में 20 फीसदी की हिस्सेदारी रही, जिसमें खाने-पीने से जुडी चीजों (रिफाइंड सोया तेल, सोयाबीन, चना, धनिया, सफेद सरसों, काली सरसों) की हिस्सेदारी 50 फीसदी तक रही। बाकी बची (80 फीसदी) कुल बिक्री में सोना-चांदी, धातु और ऊर्जा से जुडे अनुबंध शामिल हैं।

वित्त मंत्रालय की ओर से एक समिति बनायी गई, जिसने अप्रैल 2014 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसने यह अवलोकन किया कि वस्तुओं के वायदा बाजार में बचाव व्यवस्था की कुशलता धीमी है। वस्तुओं के वायदा बाजार में अच्छी तरह नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए और भारतीय वायदा बाजार को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के लिहाज से अनुवर्ती बनाने के लिए, वायदा बाजार के नियंत्रक ढांचे को जल्द-से-जल्द और मजबूत किए जाने की जरूरत है। भारत सरकार ने यह तय किया कि 2015-16 में वायदा बाजार नियंत्रक, वायदा बाजार आयोग को सेबी में मिला दिया जाए और इसकी प्रभावी नियंत्रक शक्ति को और बेहतर बनाया जाए।

ऊर्ध्व प्रवाह एवं अनुप्रवाह की जरूरतें (UPSTREAM AND DOWNSTREAM REQUIREMENTS)

'ऊर्ध्व प्रवाह' एवं 'अनुप्रवाह' ऐसी व्यवसायिक शब्दावलियां हैं, जो कतिपय विद्यमान उत्पादन प्रक्रिया पर लागू होती है। ऊर्ध्व प्रवाह, अनुप्रवाह तथा मध्य प्रवाह अलग-अलग उद्योगों की उत्पादन प्रक्रियाओं के लिए चरणों को इंगित करते हैं।

***ऊर्ध्व प्रवाह (Upstream)*:** उत्पादन प्रक्रिया के ऊर्ध्व प्रवाह चरण के अंतर्गत कच्चे माल की खोज एवं उनका निष्कर्षण शामिल होता है, यह माल के प्रसंस्करण से संबंध नहीं रखता। ऊर्ध्व प्रवाह में प्राधिकरण केवल कच्चे माल की तलाश और जिसका निष्कर्षण (extration) करते हैं।

इस प्रकार कच्चे माल के निष्कर्षण पर (आधारित उद्योगों को उत्पादन प्रक्रिया के ऊर्ध्व प्रवाह स्तर (upstream state) होता है और भी सरल अर्थों में, ऊर्ध्व प्रवाह से अभिप्राय उत्पादन प्रक्रिया के उस भाग से है जो निष्कर्षण स्तर से सम्मानित होता है।

***अनुप्रवाह (Downstream)*:** उत्पादन क्रिया में अनुप्रवाह स्तर में ऊर्ध्व प्रवाह स्तर पर संग्रह किए गए पदार्थों अथवा कच्चे माल का प्रसंस्करण (processing) कर उसे निर्मित उत्पाद में बदला जाता है। इसके अंतर्गत वास्तविक बिक्री भी शामिल है। उपयोगकर्ता निर्मित उत्पाद के अनुसार अलग-अलग होते हैं। अनुप्रवाह प्रक्रियाओं, चाहे वह कोई भी उद्योग को, ग्राहकों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित होता है निर्मित उत्पाद के माध्यम से।

***मध्य प्रवाह (Midstream)*:** उपरोक्त दोनों बिन्दुओं (ऊर्ध्व प्रवाह एवं अनुप्रवाह) के बीच कुछ बिन्दुओं को मध्य प्रवाह के रूप में स्वीकारा जाता है। यह इस संदर्भ बिन्दु पर निर्भर करता है कि कितने अथवा किस स्तर पर चरण को कोई भी उद्योग मध्य प्रवाह मानता है।

कोई गतिविधि ऊर्ध्व प्रवाह है अथवा अनुप्रवाह यह आपूर्ति श्रृंखला में विश्लेषण के बिन्दु पर निर्भर करता है। एक निर्माता आपूर्तिकर्ताओं को ऊर्ध्व प्रवाह तथा ग्राहकों को अनुप्रवाह मानता है। एक निर्माता (mainufacturer) के यहां आपूर्ति श्रृंखला में गतिविधयों पर नियंत्रण प्रणाली के प्रबंधन का विषय होता है। एक निर्माण गतिविधि जो दूसरी गतिविधि के पहले घटित होती है। ऊर्ध्व प्रवाह गतिविधि कही जाती है। कम्पनी के बाहर की गतिविधियों पर नियंत्रण और कम्पनी वार्ताओं, सहयोग एवं प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। जो प्रतिष्ठान ऊर्ध्व प्रवाह व अनुप्रवाह प्रक्रियाओं में संलग्न होते हैं वे अन्य आयामों पर भी अपनी निगाह रखते हैं, जैसे-रणनीतियां, एकीकरण तथा सुधार।

(i) आपूर्ति श्रृंखला साझेदारों की रणनीति को समझना महत्वपूर्ण है। किसी आपूर्तिकर्ता की आगे बढ़ने, विकसित होने तथा निर्माण प्रकार्यों को शुरू कर अन्य आपूर्तिकर्ता श्रृंखला सदस्यों के व्यापार को अतिक्रमित करने की रणनीति हो सकती है। आपूर्ति श्रृंखला में एक मजबूत खिलाड़ी बने रहने के लिए एक कम्पनी केवल अपने तथा अपने प्रतिद्वंद्वियों के साथ-साथ पर ही केन्द्रित नहीं रह सकता, इसे आपूर्ति श्रृंखला सदस्यों

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

के व्यवसाय को इस प्रकार समझना होगा जैसे वह उसका अपना हो।

(ii) किसी आपूर्ति शृंखला की व्यवसाय प्रक्रियाओं का एकीकरण सदस्यों के आपसी सहयोग पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, एक निर्माता जो किसी पुर्जे को किसी एक आपूर्तिकर्ता से प्राप्त करने का निश्चय करता है। वह उस सप्लायर के साथ व्यवसाय प्रक्रियाओं को नियंत्रित एवं धारारेखित कर सकता है। दो कम्पनियों के बीच व्यवसाय को आसान बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक आपूर्तिकर्ता हर डिलीवरी के लिए एक क्रय आदेश के बदले एक खुले क्रय आदेश को चुन सकता है। जो किसी निर्माता के मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर से मैटीरियल रिक्वायरमेंट प्लान पर आधारित लदान (Shipment) की खोज-खबर रख सकता है। इस प्रार का एकीकरण अवस्थिति में कम ही संभव होता है जब आपूर्तिकर्ता अनेक निर्माताओं को सेवा प्रदान करते हैं।

(iii) निर्माता एक आपूर्ति शृंखला 'बनाओ या खरीदो' का निर्णय लेकर को प्रभावित कर सकते हैं। निर्माता वितरकों का उपयोग करके अतिरिक्त बाजार हथिया सकते हैं अथवा ऐसे बड़े ग्राहकों पर अपने प्रयास केन्द्रित करने का निर्णय ले सकते हैं जिन तक वे सीधे पहुंच सकते हैं। इस प्रकार के सभी संभावित सुधार एक आपूर्तिकर्ता शृंखला की प्रेरणाओं और प्रोत्साहनों पर निर्भर करता है।

उद्योगों को अबाध कार्य-परिचालन ऊर्ध्व प्रवाह तथा अनुप्रवाह की जरूरतों पर बहुत निर्भर करता है। भारत के मामले मे, हम कुछ दोनों प्रक्रियाओं में कुछ अवरोधों को देखते हैं:

(i) निजी क्षेत्र के मामले में अनुप्रवाह प्रक्रिया बेहतर दिखती है, लेकिन ऐसा है नहीं। थोक विक्रय के स्तर पर यह कुछ हद तक संगठित होती है लेकिन खुदरा व्यापार काफी बिखरा हुआ होता है भारत का खुदरा व्यापार बहुत संगठित रूप में नहीं है। संगठित खुदरा बाजार अभी तक विकसित नहीं हो पाया है। इस प्रकार अनिश्चितता के स्तर बाजार तक पहुंच की संभाव्यता तथा अनुसरण एवं विनियमन की स्थिति बहुत कमजोर है।

(ii) ऊर्ध्व प्रवाह प्रक्रियाएं भी संतोषजनक नहीं हैं। बिक्री के स्तर पर तो स्थिति बेहतर दिखती हैं। लेकिन स्थानीय उत्पादकों से कच्च माल प्राप्त करना एक दुष्कर कार्य है। यही कारण है कि अर्थव्यवस्था के ऊर्ध्व प्रवाह वाला भाग अत्यंत कमजोर एवं बिखरा हुआ है।

(iii) औद्योगिक एवं विनिर्माण स्रोत अपने ऊर्ध्व प्रवाह एवं अनुप्रवाह की जरूरतों का प्रबंधन करते रहे हैं लेकिन असंगठित क्षेत्र पर उनकी निर्भरता भारत के लिए एक चुनौती है।

(iv) जहां तक कृषि उत्पादों का मत है, स्थिति और भी खराब है। संस्थाओं के एपीएमसी (APMCs) द्वारा कृषि बाजारों के नियमन के चलते भारत में एक साझा एवं सकल बाजार नहीं बन पाया है। इससे न केवल हालत प्रभावित हुई है बल्कि कृषि क्षेत्र में भी गंभीर समस्या पैदा हुई है। कृषि अब भी अलाभकारी पेशा बना हुआ है।

(v) भारत को विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए ऊर्ध्व प्रवाह एवं अनुप्रवाह प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने की जरूरत है। इसके लिए भारत के लिए उचित होगा कि वह दुनिया भर में सर्वोत्तम प्रचलनों का चुनाव करके खुद को विकसित दुनिया से जोड़ें।

आपूर्ति शृंखला प्रबंधन (Supply Chain Management)

आपूर्ति शृंखला सुविधाओं एवं वितरण विकल्पों का एक संजाल है जो सामग्री की खरीद करती है, इन सामग्रियों

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

का मध्यवर्ती एवं निर्मित उत्पादों में रूपांतरण करती है तथा इन निर्मित उत्पादों का ग्राहकों को वितरण करती है। आपूर्ति शृंखला सेवा एवं विनिर्माण दोनों क्षेत्रों में होती है हालांकि इसकी जटिलता उद्योग से उद्योग तथा प्रतिष्ठान से प्रतिष्ठान भिन्न होती है।

परम्परागत रूप से आपूर्ति शृंखला के साथ लगे विपणन, वितरण, आयोजना, निर्माण तथा क्रम संगठन स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। इन संगठनों और संस्थाओं के अपने उद्देश्य होते हैं, कभी-कभी परस्पर विरोधाभासी भी। उच्च ग्राहक सेवा के नियत लक्ष्य तथा अधिकता बिक्री निर्माण तथा वितरण लक्ष्यों के साथ ठहराते हैं। अनेक निर्माण परिचालनों को कम लागत पर अधिक उत्पादन के लिए डिजाइन किया जाता है इस बात पर ध्यान दिए बिना इसका इनवेंटरी (सम्पत्ति सूची) तथा वितरण क्षमताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। खरीदारी के लिए संविदाएं पिछली क्रय-परिपाटियों मात्र को ध्यान में रखकर तय कर दी जाती है। इन सब कारकों का परिणाम यह होता है कि संगठन (organisation) के लिए कोई एक, एकीकृत व्यवसाय योजना नहीं होती। स्पष्टत: एक प्रक्रिया की जरूरत है जिसके माध्यम से भी अलग-अलग प्रकार्य एकीकृत किया जा सकें। आपूर्ति शृंखला प्रबंधन एक रणनीति है, जिसके माध्यम से ऐसा एकीकरण संभव बनाया जा सकता है।

आपूर्ति शृंखला प्रबंधन पूर्णत: उदग्र रूप से एकीकृत प्रतिष्ठानों, जहां समस्त सामग्री प्रवाह का स्वामित्व एक प्रतिष्ठान के पास होता है तथा उन प्रतिष्ठानों जहां हर चैनल सदस्य स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, के बीच की स्थिति में देखा जाता है। इसलिए शृंखला के विभिन्न खिलाड़ियों के बीच समन्वय इसके प्रभावी प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। आपूर्ति शृंखला प्रबंधन की तुलना एक संतुलित तथा सुव्यवस्थित 'रिले टीम' से की जा सकती है। ऐसी टीम उस समय अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाती है जब प्रत्येक खिलाड़ी मानता है कि 'हैंड-ऑफ' के लिए अपने को कैसे तैयार रखना है। उन खलाड़ियों के बीच संबंध सबसे मजबूत होते हैं जो बैटन को सीधे थमाते हैं जबकि रेस जीतने के लिए पूरी टीम को समन्वित प्रयास करने होते हैं।

आपूर्ति शृंखला प्रबंधन आपूर्ति शृंखला गतिविधियों का ऐसा सक्रिय प्रबंधन है जो ग्राहक मूल्य बढ़ाता है तथा पूतिस्पर्धापूर्ण लाभ को स्थाई बनाता है। यह आपूर्ति शृंखला प्रतिष्ठानों के आपूर्ति शृंखला को अधिक-से-अधिक प्रभावकारी तथा कार्यकुशल बनाने के संबंध में प्रयासों का प्रतिनिधित्व करता है। आपूर्ति शृंखला गतिविधियां हर चीज को आवृत्त करती हैं:

(i) उत्पाद विकास (Product development)

(ii) स्रोत (Sourcing)

(iii) उत्पादन (Production)

(iv) संचार तंत्र (Logistics)

(v) सूचना प्रणाली, उपयुक्त समन्वय के लिए (Information System for Proper Coordination)

जो संगठन आपूर्ति शृंखला बनाते हैं वे एक-दूसरे से मौलिक प्रवाह (Physical flows) तथा सूचना प्रवाह (information flows) के माध्यम से जुड़े रहते हैं। भौतिक प्रवाह के अंतर्गत रूपांतरण, गति तथा वस्तुओं एवं सामग्रियों का भंडारण शामिल रहता है। ये आपूर्ति शृंखला के सबसे दृष्टव्य भाग होते हैं। लेकिन सूचना प्रवाह भी उतने ही महत्वपूर्ण है-सूचना प्रवाह विभिन्न आपूर्ति शृंखला के ऊपर नीचे वस्तुओं एवं सामग्रियों के दिनोंदिन के प्रवाह के नियंत्रण में मदद करते हैं।

ऊर्ध्व प्रवाह, अनुप्रवाह एवं आपूर्ति शृंखला प्रबंधन में एफडीआई (FDI IN UPSTREAM, DOWNSTREAM AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)

भारत में सुधार काल में भी इस क्षेत्र में संगठित ढंग का विकास बहुत कम हुआ है। कृषि उत्पादों के क्षेत्र में उपयुक्त बाजारवादी सुधारों के अभाव में (क्योंकि राज्यों के एपीएमसी विकल का विकास नहीं हो पाया) भंडारण, श्रेणीकरण, पैकेजिंग आदि का कार्य बाधित हुआ। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस क्षेत्र के कॉरपोरेट क्षेत्र की ओर से भारी निवेश की जरूरत है जिसे अभी तक पर्याप्त

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

रूप से आकर्षित नहीं किया गया है। निजी क्षेत्र इस क्षेत्रक में निवेश की अनिच्छा के प्रमुख कारण है। पूंजी, संचार तंत्र, अनुभव का अभाव तथा कृषि बाजार का असहायक नीतिगत ढांचा। यही कारण है कि भारत सरकार ने खुदरा श्रृंखला विकास में एफडीआइ में अधिक आजादी देने का निश्चय किया है। उम्मीद है कि, इच्छुक विदेशी कम्पनियां केवल निधि ही नहीं उपलब्ध कराएंगी बल्कि भारत को इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय अनुभव का भी लाभ मिलेगा।

भूमंडलीकृत विश्व बाजार में बने रहने तथा भूमंडलीकरण का आर्थिक लाभ उठाने के लिए भारत को अपने आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में निम्नलिखित की जरूरत है:

(i) संगठित खुदरा बाजार।

(ii) उपयुक्त स्तर का संचार तंत्र।

(iii) कच्चे माल, उत्पादन, शस्य प्रतिरूप आदि, के पूर्णतया अद्यतन आंकड़े।

(iv) अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पैकेजिंग, पादप-स्वच्छता इत्यादि।

ऐसा माना जाता है कि उपरोक्त का प्रबंध करना, शीर्ष वैश्विक संस्थाओं के लिए कठिन नहीं होगा क्योंकि उनके पास विधि है, अनुभव है और अपने व्यवसाय को दुनिया के आगे बढ़ते इलाकों में विस्तारित करने की इच्छा है।

बाजार को और व्यापक और मजबूत बनाने के लिए वायदा बाजार आयोग, जो वायदा अनुबंध (विनियमन) कानून 1952 के तहत वायदा बाजार में सौदे का नियंत्रक है, ने कई सारी पहल कीं, जैसे:[34]

(i) 2011 में जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया, जैसे कि ***जागो ग्राहक जागो,*** कार्यक्रम के तहत मीडिया में अभियान चलाया गया, जिसमें वायदा बाजार में सौदे में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए के बारे में जानकारी दी गई।

(ii) मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, तमिलनाडु और दिल्ली में डिब्बा व्यापार/अवैध व्यापार के चलते पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

(iii) साझेदारों के समूह, जिनमें प्राथमिक तौर पर किसानों पर ध्यान दिया गया, इनके लिए एक बडा जागरूकता और क्षमता विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

(iv) नियंत्रक के मोर्चे पर, एफएमसी ने वस्तु वायदा बाजार के विकास के लिए जरूरी कदम उठाए, जिसमें कि एक्सचेंज के सदस्यों का प्रभावी परीक्षण सुनिश्चित किया गया और नियंत्रक से जुड़ी व्यवस्था के सभी पहलुओं पर व्यापक तरीके से पहुंचा जा सके।

(v) लेखा परीक्षण से जुड़े अभ्यास को बेहतर बनाने के लिए, ग्राहक कोड संशोधन और व्यापार के निष्पादन के लिए दंड की व्यवस्था को निर्धारित करने के लिए दिशा-निर्देश नियमावली लाई जाए।

(vi) सोयाबीन, तेल बाजार के बचाव के लिए छूट प्रदान की जाए, ग्राहक के खाते के अलगाव के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।

कृषि अपशिष्ट विमर्श (Farm Waste Debate)

सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (CIPHET)[35] के एक नवीनतम अध्ययन में यह अनुमान लगाया गया कि भारत में कृषि अपशिष्ट का मूल्य 92,651 करोड़ रुपए (2014 की कीमतों पर) है जो कि कुल उत्पाद का 9 प्रतिशत है। हालांकि इसमें गेहूं और चावल, दालें एवं तिलहन के अपशिष्ट का प्रतिशत दो-तिहाई है, फलों-सब्जियों की क्षति सबसे अधिक 18 प्रतिशत है (कुल उत्पाद का)।

34. Ministry of Finance, ***Economic Survey 2011–12,*** p. 199.

35. ***Central Institute of Post-Harvest Engineering and Technology (CIPHET),*** ICAR, Ministry of Agriculture, GoI, Ludhiana, Study released in September 2016.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

भंडारण एवं प्रसंस्करण सुविधाओं को बढ़ाकर अपशिष्ट का यह स्तर बहुत कम किया जा सकता है। ऐसा भारत सरकार का विचार है जिससे कि पिछले दो वर्षों की अनाज एवं फलों-सब्जियों की बार-बार की मूल्य वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है।

अति कृषि कार्य के प्रत्येक स्तर पर होती है, लेकिन अध्ययन में खेती, संग्रहण, श्रेणीकरण, सफाई, पैकेजिंग, ढुलाई एवं भंडारण को शामिल किया गया है। अगर इसमें जुताई (Cultivation) के स्तर को भी शामिल कर लिया जाता तो यह आंकड़ा और बड़ा होता। भारत सरकार ने कहा है कि बेहतर तकनीक की उपलब्धता और उपयोग से क्षति में कमी पाई गई है।

सिंचाई (IRRIGATION)

योजना आयोग[36] ने भारत के सिंचाई परियोजनाओं/योजनाओं को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया है:

(i) **वृहद् सिंचाई परियोजनाएँ:** इन परियोजनाओं का खेती योग्य कमांड क्षेत्र (Cultivable Command Area - CCA) 10,000 हैक्टेयर से अधिक होता है।

(ii) **मध्य सिंचाई परियोजनाएँ:** इन परियोजनाओं का खेती योग्य कमांड क्षेत्र 2,000 से 10,000 हैक्टेयर के बीच होता है।

(iii) **लघु सिंचाई परियोजतनाएँ:** इन परियोजनाओं का खेती योग्य कमांड क्षेत्र 2,000 हैक्टेयर या उससे कम होता है।

देश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने के लिए वर्तमान प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण सहित सिंचाई सुविधाओं का विस्तार मूल रणनीति का भाग रहा है। सिंचाई के सतत् और सुचारू विकास के चलते वृहद्, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं के जरिए देश में सिंचाई की क्षमता 22.6 मिलियन हैक्टेयर (1951) से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2006-07 के अंत तक 102.77 मिलियन हैक्टेयर कर दी गई। सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (Rural Infrastructure Development Fund–RIDF) 1995-96 से ही संचालन में है। सरकार ने 1996-97 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (Accelerated Irrigation Benefits Programme—AIBP) की शुरूआत की। यह कार्यक्रम ऐसे राज्यों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था, जिनकी अधूरी वृहद्/मध्यम सिंचाई परियोजनाएं पूरी होने के अग्रिम चरणों में थी।

सिंचित कृषि क्षेत्र को बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही, पानी के समुचित उपयोग के लिए मुनासिब तकनीक अपनानी होगी। इन सबसे देश में कृषि उत्पादन बढ़ेगा।

(i) ऐसे परिदृश्य में, जहां सिंचाई पानी की बरबादी में बदल जाती है, वहां पानी के समुचित उपयोग के लिए सिंचाई प्रौद्योगिकी को अपनाने की जरूरत है।

(ii) पानी की बढ़ती किल्लत के साथ कुशल सिंचाई तकनीक पर जोर जरूरी हो गया है। पानी की कमी के पीछे जलवायु परिवर्तन और कृषि क्षेत्र में पानी की अंधाधुंध बरबादी तथा पानी के दूसरे उपयोग हैं।

कृषि उत्पादों को बढ़ाने के लिए कुशल सिंचाई तकनीक के जरिये 'मोर क्रॉप, पर ड्रॉप' यानी अधिक उपज, प्रति बूंद पर जोर होना चाहिए, जिससे भविष्य में खाद्य व जल सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

सिंचाई संभावना व उपयोग (Irrigation Potential and Use)

सिंचाई पर मौजूदा ताजा आंकड़ों के अनुसार,[37] साल 2012-13 के दौरान सिंचाई क्षेत्र का पूरे भारत में प्रतिशत वितरण कुल फसल क्षेत्र का 33.9 प्रतिशत था। सिंचाई की खेती में यहां एक क्षेत्रीय भेदभाव है। पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में कुल फसल क्षेत्र का 50 प्रतिशत से भी अधिक सिंचाई क्षेत्र है, जबकि बाकी राज्यों में यह

36. ***Planning Commission***, GoI, N. Delhi, 1961.

37. Ministry of Finance, **Economic Survey 2015–16**, Vol. 2, p. 103.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

50 प्रतिशत से कम है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए देश भर में सिंचाई क्षेत्र के विस्तार की जरूरत है।

भारत का कुल यूआईपी (वास्तविक सिंचाई सामर्थ्य) करीब 14 करोड़ हेक्टेयर का है। आईपीसी (निर्मित सिंचाई सामर्थ्य) और आईपीयू (प्रयुक्त सिंचाई सामर्थ्य) के बीच चौड़ी खाई है। आईपीसी की तुलना में आईपीयू में प्रत्यक्ष गिरावट मुख्य रूप इन कारणों से आई है:

(i) उचित परिचालन व रखरखाव का अभाव;
(ii) अपूर्ण वितरण तंत्र;
(iii) सिंचाई परियोजना से क्षेत्र को नहीं जोड़ा जाना;
(iv) खेती के तौर-तरीके बदले हैं, और;
(v) दूसरे कारणों से सिंचित क्षेत्र से अलग पानी का इस्तेमाल होने से।

सिंचाई सामर्थ्य के सही उपयोग की प्रवृत्ति घटती जा रही है, इसे रोकने और बदलने की जरूरत है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) और रोजगार पैदा करने वाली दूसरी योजनाओं को सिंचाई बढ़ाने के काम में लगाया जाना चाहिए। इससे सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण और रखरखाव हो पाएगा, जल-संग्रह करने वाले साधनों, जैसे कि तालाब, वगैरह की तलछट से गाद हटेगी और उनकी सफाई होगी।

सिंचाई क्षमता (Irrigation Efficiency)

सिंचाई क्षमता को बढ़ाकर कृषि उत्पादों को बढ़ाया जा सकता है। समय के साथ कई कारणों से भारत के कई क्षेत्रों में सिंचाई का पारंपरिक तंत्र अलाभकारी बन चुका है:[38]

(i) पानी की कमी बढ़ती जा रही है,
(ii) कई जगहों पर अधिक सिंचाई से पानी की बरबादी होती है, और;
(iii) जमीन में लवण की बढ़ती मात्रा से जुड़ी चिंताएं भी हैं।

सस्ती व तकनीकी रूप से कुशल सिंचाई प्रौद्योगिकियों, जैसे-टपक ***(ड्रिप)*** व छिड़क ***(स्प्रिंकलर)*** सिंचाई पानी के समुचित इस्तेमाल का प्रतिशत बढ़ा सकती है, ऊर्जा खपत तथा मजदूरी लागत घटाकर उत्पादन मूल्य कम कर सकती है। पीएमकेएसवाई (प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना) के उद्देश्यों में से एक है-ड्रिप, स्प्रिंकल आदि सिंचाई प्रयोगों के जरिये स्थान और सामयिक दृष्टिकोण से खेतों में डब्ल्यूयूई (जल उपयोग क्षमता) को बढ़ाना।

सूक्ष्म सिंचाई (एमआई) के अच्छे साधनों ने लागत मूल्य घटाया और सिंचाई कुशलता बढ़ाई है:[39]

(a) गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मूंगफली और कपास की खेती में स्प्रिंकल (छिड़क) सिंचाई को अपनाने से 35 से 40 प्रतिशत सिंचाई पानी की बचत हुई।
(b) सब्जियों की खेती में ड्रिप (टपक) सिंचाई को अपनाने से 40 से 65 प्रतिशत पानी की बचत हुई। ऐसे उदाहरणों को दूसरी जगहों अथवा दूसरी फसलों पर अपनाने की जरूरत है।

जल उत्पादकता (Water Productivity)

भारत में जल उत्पादकता काफी कम है। बड़ी व मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजनाओं की सिंचाई क्षमता करीब 38 प्रतिशत आंकी गई है। ***नीति आयोग*** के अनुसार, सतह सिंचाई प्रणाली को 35-40 प्रतिशत से करीब 60 प्रतिशत तक और भू-जल सिंचाई को 65-70 से 75 प्रतिशत तक करने की जरूरत है। जल उत्पादकता को निम्नांकित तरीकों से बढ़ाया जाना चाहिए:

(i) बचे हुए पानी को निकालना, उसको जमा करना और फिर से उसका इस्तेमाल करना।
(ii) खेतों में बेहतर जल प्रबंधन अभ्यासों को कुशलता से अपनाना।
(iii) सूक्ष्म सिंचाई।

38. NITI Aayog, *Task Force on Agriculture*, 2015, as quoted Ministry of Finance, **Economic Survey 2015–16**, Vol. 2, p. 104.

39. *National Committee on Plasticulture Applications in Horticulture* study has been quoted by Ministry of Finance, **Economic Survey 2015–16**, p. 104

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(iv) बेकार पानी का इस्तेमाल करना।

(v) संसाधन संरक्षण तकनीकों का इस्तेमाल करना।

पानी के विवेकपूर्ण इस्तेमाल से खेती में **'अधिक उपज, प्रति बूंद'** सुनिश्चित हो पाएगी और सूखे से निजात भी मिलेगी। भारत सरकार ने पीएमकेएसवाई योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य हर खेतिहर जमीन को पानी दिलाना है।

कृषि मशीनीकरण (FARM MECHANISATION)

असाध्य परिश्रम कम करने, श्रम व समय बचाने, उत्पादन बढ़ाने, बरबादी कम करने और मजदूरी घटाने के लिए भारत को हर खेतिहर प्रक्रिया में बेहतर औजार लाने होंगे। भारत के मामले में कृषि मशीनीकरण की जरूरत बढ़ती जा रही है:

(i) गांवों से शहरों की तरफ बढ़ते पलायन के कारण खेतिहर कामों के लिए मजदूर घटते जा रहे हैं। लोग कृषि छोड़कर नौकरियों में जा रहे हैं। इसके अलावा, गैर-कृषि कामों में मजदूरों की मांग बढ़ी है। ऐसे में, कृषि कार्यों में श्रम का विवेकपूर्ण इस्तेमाल होना चाहिए, जो कृषि मशीनीकरण के लिए मजबूत आधार बनाता है।

(ii) खेती और प्रसंस्करण चरणों में महिला कार्यशक्ति का अनुपात भारतीय कृषि में काफी ज्यादा है। श्रम-दक्षता की दृष्टि से तैयार औजार व साधन असाध्य मेहनत घटाते हैं, सुरक्षा व सहूलियत बढ़ाते हैं, जो महिला मजदूरों के लिए जरूरी है।

भारत में कृषि क्षेत्र के मशीनीकरण के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं:

(i) हालांकि कृषि उत्पादन में भारत शीर्ष देशों में शामिल है, लेकिन कृषि मशीनीकरण का मौजूदा स्तर, जो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है, 50 प्रतिशत से भी कम है, जबकि विकसित देशों में यह 90 प्रतिशत से भी ज्यादा है (*आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16*)।

(ii) पिछले दो दशकों से भारत में कृषि मशीनीकरण पांच प्रतिशत से भी कम दर से बढ़ रहा है (*आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15*)।

(iii) बड़े किसानों (20 एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों) के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल 38 प्रतिशत होता है, बीच के किसानों (पांच से 20 एकड़ जमीन वाले) के लिए 18 प्रतिशत और हाशिये पर रह रहे किसानों के लिए सिर्फ एक प्रतिशत होता है।[40]

(iv) बेहतर साधन अपनाने का आर्थिक लाभ करीब 83, 000 करोड़ रुपये सालाना है, जो कि पूरे सामर्थ्य का सिर्फ छोटा हिस्सा है (*नीति आयोग, 2016*)।

(v) ग्रामीण युवाओं और कारीगरों के लिए कृषि मशीनीकरण ने रोजगार बढ़ाए हैं, वे मशीनों को बनाने, चलाने और उसकी देखरेख से जुड़े हैं (*आर्थिक सर्वेक्षण 2013-14*)।

इस संबंध में दो महत्वपूर्ण और आज के हिसाब से **योजना-परामर्श**[41] दिए जा सकते हैं:

(i) जमीन की जोत छोटी होती जा रही है और ट्रैक्टर का इस्तेमाल भी कम होता है। ऐसे में, एक बाजार की जरूरत है, जहां छोटे किसानों को ट्रैक्टर कम किराए पर मिलें, उसको कार व सड़क निर्माण साधनों से जोड़कर देखा जाए। इसमें निजी भागीदारी हो।

(ii) उचित खेतिहर औजार, जो कि टिकाऊ, हल्का और कम कीमत का हो, जिससे फसल की कम बरबादी हो, जिसमें स्वदेशी तकनीक अपनाई गई हो, छोटे व हाशिये पर के किसानों को उपलब्ध कराने की जरूरत है।

40. *Agricultural Machinery and Manufacturers Association in India (AMMAI)* was quoted in the **Economic Survey 2015-16**, op. cit., Vol. 2, p. 105.

41. Ministry of Finance, **Economic Survey 2015–16**, Vol. 2, p. 105.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

बीज विकास (Seed Development)

कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए बीज बुनियादी निवेश है। ऐसा आकलन है कि कुल उत्पादन का 20 से 25 प्रतिशत बीज की गुणवत्ता से बढ़ता है।[42] इसलिए भारत में गुणवत्ता युक्त बीज को बढ़ावा देने की जरूरत है। गुणवत्तापूर्ण बीज को अपनाने और बढ़ाने के क्रम में कई सारी चुनौतियां हैं:

(i) नए बीजों के विकास के लिए अपर्याप्त शोध हैं;

(ii) फलों का जल्दी पकना और कीट, नमी, वगैरह से प्रतिरोधी किस्मों का होना;

(iii) छोटे व सीमांत किसानों के लिए बीजों का अधिक मूल्य होना;

(iv) गुणवत्तायुक्त बीजों की आपूर्ति में कमी;

(v) जैनेटिकली मोडिफाइड, यानी आनुवांशिक रूप से संशोधित बीजों के मसले पर अनिर्णय की स्थिति, और;

(vi) कम हिस्सेधारकों के होने से प्रतिस्पर्द्धी माहौल का न बन पाना।

वे **मसले**,[43] जिन पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है:

(i) **सामर्थ्य:** बीजों की खुली परागण किस्मों को किसान अपनी ही फसलों के दौरान तैयार कर सकते हैं। हालांकि, ज्यादा पैदावार वाले संकर बीजों के लिए किसानों को बाजार पर ही निर्भर रहना होता है, जो कि छोटे व सीमांत किसानों के लिए महंगा पड़ता है।

(ii) **उपलब्धता:** गुणवत्तायुक्त बीजों की आपूर्ति में कमी रहती है। जहां एक तरफ गैर-प्रमाणित बीजों पर पाबंदी की मांग हो रही है, वहीं प्रमाण-पत्र गुणवत्तायुक्त बीजों की गारंटी नहीं है। बीज के बाजार में ज्यादा हिस्सेधारकों (सरकारी व निजी) के होने और प्रतिस्पर्द्धी रहने से स्थिति सुधर सकती है।

(iii) **बीज व बीज प्रौद्योगिकी का निर्माण व शोध:** धान व गेहूं के स्वदेशी उन्नत बीजों को पाने के रूप में पहली हरित क्रांति हुई। लेकिन बीते कुछ दशकों में बीज व बीज प्रौद्योगिकी के विकास में अपर्याप्त शोध व जेनेटिक इंजीनियरिंग बाधा बने हुए हैं। इसलिए निजी और सरकारी क्षेत्रों, दोनों में बीज प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने की जरूरत है, ताकि हरित क्रांति का दूसरा चरण शुरू हो सके। इस विकास में सभी कृषि क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए।

(iv) **जीएम फसल और बीज:** इनके सामर्थ्य, पर्यावरणीय और नैतिक प्रभाव, खाद्य श्रृंखला के लिए जोखिम होने की आशंका, रोग फैलने और पार-परागण के मसलों को देखते हुए इसे नहीं अपनाया गया है।

उर्वरक (Fertilisers)

खेतिहर उत्पाद सुधारने की दिशा में खाद एक महत्वपूर्ण और महंगा निवेश है। हरित क्रांति (1960 के दशक के मध्य) से भारत में खाद के इस्तेमाल में काफी तेजी आई। खादों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किसानों को खाद सब्सिडी देनी शुरू की। आज खाद सब्सिडी कुल कृषि जीडीपी का 10 प्रतिशत है।[44]

हालांकि, खाद के इस्तेमाल के अनुरूप कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई। खाद के इस्तेमाल के एवज में उत्पादन का न बढ़ना इस बात का सूचक है कि भारतीय कृषि में इसका अकुशल इस्तेमाल होता है। प्रति किलोग्राम एनपीके खाद इस्तेमाल पर अनाज उत्पादन 1970 में 13.4 किलोग्राम

42. As per the *DAC&FW (Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare)* – as quoted by the **Economic Survey 2015-16**, Vol. 2., p. 105.

43. Ministry of Finance, **Economic Survey 2015–16**, pp. 105-107.

44. Ministry of Finance, **Economic Survey 2015–16**, Vol. 2, p. 107.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

प्रति हेक्टेयर था, जो 2005 में सिंचित क्षेत्र में 3.7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया।

हरित क्रांति के बाद की खेती में खाद के इस्तेमाल में **असंतुलन** आया है, जैसे:

(i) यूरिया पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता हुई, इससे क्षेत्रीय व उपज असंतुलन पैदा हुआ, अन्य खादों के दाम गिरे।

(ii) कूड़ा-खाद, गोबर-खाद और प्राकृतिक रूप से फसल को पोषण देने वाले तरीकों को नजरअंदाज किया गया।

(iii) चक्रीय फसल उत्पादन और दो फसलों के बीच दलहन लगाने के अभ्यास को खत्म कर दिया गया।

(iv) इसके अलावा, सब्सिडीयुक्त खादों का इस्तेमाल गैर-कृषि कार्यों में भी होने लगा।

(v) खादों के अंधाधुंध इस्तेमाल से न केवल उपज सुधरी, बल्कि कई क्षेत्रों में भूमि में लवण की मात्रा बढ़ी और भूमि की उर्वरता भी घटी।

खाद सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने की जरूरत है और इसमें किसी भी विचलन को कम करना होगा। खाद पर सब्सिडी वितरण को डीबीटी के हवाले कर देना चाहिए (भारत सरकार ने आम बजट 2016-17 में प्रक्रिया को शुरू करने की घोषणा), जिससे कि इसका लाभ अधिकतम हो। अगर खाद उद्योग पर लगाए गए तमाम नियंत्रण (आयात भी शामिल है) उठा लिए जाएं, तो भी काफी फायदा होगा। एनबीएस योजना के साथ फॉस्फेट और पोटाश खाद सब्सिडी के मामले में उनमें निहित अवयवों के आधार पर निश्चित राशि की सब्सिडी देनी होगी। भारतीय कृषि क्षेत्र को उपजाऊ बनाने के मामले में कुछ सुधार की जरूरत है, जिनका सार नीचे है:

(i) **फसल संवेदनशील खाद व खाद का संतुलित इस्तेमाल:** मिट्टी की सेहत और उर्वरक स्थिति को देखते हुए खाद के सर्वोत्कृष्ट उपयोग को बढ़ावा देने की जरूरत है। मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड को खाद से जोड़ना होगा, ताकि जमीन को जो खाद चाहिए, वही खाद मिले। अगर जरूरी खाद पर सब्सिडी नहीं हो, तब भी मिले। इससे उपज बढ़ सकती है।

(ii) **सूक्ष्म पोषक व जैविक खाद:** भारत के कई हिस्सों की मिट्टी सूक्ष्म पोषकों (जैसे–बोरॉन, जिंक, तांबा और लोहा) की कमी दर्शाती है। इससे उपज बढ़ नहीं पाती है। ऐसे में, सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करने वाले खाद कमी पूरी कर सकते हैं। इससे 0.3 से 0.6 टन प्रति हेक्टेयर अनाज उत्पादन बढ़ सकता है।[45] जैविक खादों के उपयोग को बढ़ाकर भी यह कमी दूर की जा सकती है। इसके अलावा, जैविक खाद, कूड़ा-खाद और गोबर-खाद का इस्तेमाल सस्ता पड़ता है और इससे मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है। जैविक खादों के उपयोग को बढ़ाने का बड़ा अवसर है, क्योंकि करीब 67 प्रतिशत भारतीय मिट्टी में कम ऑर्गेनिक कार्बन है।

(iii) **पोषण प्रबंधन:** मिट्टी की सेहत और उत्पादकता बढ़ाने, रासायनिक खाद, जैविक खाद व स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ऑर्गेनिक खाद, जैसे–खेतिहर अपशिष्टों से बनी खाद, कूड़ा-खाद, वर्मी कंपोस्ट और हरित खाद के विवेकपूर्ण इस्तेमाल के लिए मिट्टी की जांच जरूरी है।

भारत में 12 करोड़ से अधिक जोतों के साथ मिट्टी की जांच की सुविधा को पाना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को जानना भी जरूरी है। सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से और किसानों को मिट्टी उर्वरता का नक्शा प्रदान कर प्रभावी पोषण प्रबंधन की तरफ काफी दूर तक जाया जा सकता है।

45. As per the conducted by the *Indian Council of Agricultural Research (ICAR)* – quoted by the **Economic Survey 2015-16**, Vol. 2, p.108.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(iv) **खाद खपत में क्षेत्रीय असंतुलनः** खाद की खपत के मामले में भारत में काफी क्षेत्रीय असंतुलन है। यही कारण है कि सिंचाई सुविधा वालों राज्यों में इसकी खपत ज्यादा है (क्योंकि सिंचाई उर्वरक के उचित अवशोषण के लिए जरूरी है)। पर्याप्त मिट्टी-परीक्षण सुविधाओं और नीतिगत उपायों के जरिये इस विषमता को दूर करना जरूरी है।

कीटनाशक (PESTICIDES)

कीटों, कीड़ों, रोगों व चूहों के कारण भारत में उपज को 15 से 25 प्रतिशत तक का नुकसान होता है। हालांकि, उपज बढ़ाने के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल जरूरी है, फिर भी दूसरे देशों की तुलना में भारत में कीटनाशकों का इस्तेमाल तुलनात्मक रूप से कम होता है। वर्तमान समय में भारत प्रति हेक्टेयर सिर्फ 0.5 किलोग्राम कीटनाशक इस्तेमाल करता है, जबकि अमेरिका में यह प्रति हेक्टेयर सात किलोग्राम है, यूरोप में प्रति हेक्टेयर 2.5 किलोग्राम है, जापान में प्रति हेक्टेयर 12 किलोग्राम और कोरिया में 6.6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।

इसके अलावा, देश में कीटनाशकों के इस्तेमाल के मामले में कई चिंताएं हैं:

(i) बगैर उचित दिशा-निर्देशों को अपनाए कीटनाशकों का इस्तेमाल होना,

(ii) कम गुणवत्ता वाले कीटनाशकों का इस्तेमाल होना, और;

(iii) कीटनाशक उपयोग के मामले में जागरूकता की कमी।

इन कारणों से ही भारत में खाद्य उत्पादों में कीटनाशकों की मात्रा पाई जाती है, जो कि इंसान और पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। इस मामले में कुछ **नीतिगत कदमों** के सुझाव नीचे दिए गए हैं:

(i) कीटनाशकों की विषाक्तता और हवाई छिड़काव की उनकी उपयुक्तता के आधार पर कीटनाशकों के वर्गीकरण की जानकारी किसानों को दी जानी चाहिए।

(ii) सीआईबीआरसी (केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड एवं पंजीकरण समिति) ने कीटनाशकों के इस्तेमाल, उनकी मात्रा, उपयोग के बीच के समयांतर और उनकी विषाक्तता के स्तर को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। किसानों के बीच इन सूचनाओं को पहुंचाने की आवश्यकता है।

(iii) आईपीएम (एकीकृत कीट प्रबंधन) पर अपेक्षाकृत रूप से अधिक ध्यान देने की जरूरत है, जिससे सांस्कृतिक, यांत्रिक व जैविक तरीकों के जरिये कीट-प्रबंधन तथा रासायनिक कीटनाशकों की जरूरत आधारित इस्तेमाल के बीच तालमेल रहे। जैविक-कीटनाशकों और बायो-कंट्रोल ऐजेंट के उपयोग को प्राथमिकता देनी होगी।

(iv) कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे किसानों के बीच पर्यावरण मैत्रीपूर्ण, अविषाक्त और कीमत प्रभावी जैव-कीटनाशकों को बढ़ावा देना होगा।

कृषि ऋण एवं किसानों द्वारा आत्महत्या (AGRI–CRDEIT & FORMER'S SUICIDES)

कृषि ऋण खेती में उत्पादन बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। सांस्थानिक ऋण तक पहुंच किसानों को उत्पादन बढ़ाने में सक्षम बनाती है। इसे मशीनरी में निवेश किया जा सकता है और कई खरीदारी, जैसे कि खाद व गुणवत्तापूर्ण बीज की खरीद में लगाया जाता है। साथ ही, यह किसानों को तब तक पूंजी उपलब्ध कराती है, जब तक कि उन्हें अपनी उपज बेचने से आमदनी नहीं हो जाती। अक्सर फसल बेचने में देरी हो जाती है, या मामला अटक भी जाता है। किसानों द्वारा किया गया निवेश कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह से जुड़ा होता है। कृषि-ऋण के संबंध में कुछ चिंताएं नीचे दी गई हैं:

(i) **ऋण के अनौपचारिक स्त्रोतों की प्रबलताः** किसान आज भी 40 प्रतिशत तक की पूंजी अनौपचारिक स्त्रोतों से कर्ज लेते हैं। कुल कृषि ऋण-प्रवाह का 26 प्रतिशत स्थानीय साहूकारों

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

से आता है (जो काफी शोषण करते हैं।)[46] अधिक ब्याज दर के मामले में ब्याज दरों में छूट देने के लिए डीबीटी विचार कर सकता है। कृषि ऋणों के पुनर्वित्त और मध्यस्थकारी मॉडल की पुनर्समीक्षा जरूरी है और इसे डीबीटी से बदलना होगा, जो किसानों द्वारा चुकाए गए ब्याज पर सब्सिडी देगा, न कि वित्तीय संस्थानों को सब्सिडीयुक्त सहायता देगा।

(ii) **कृषि जीडीपी में कृषि ऋण का अनुपात** 1999-2000 में 10 प्रतिशत था, जो 2015-16 तक 40 प्रतिशत हो गया। हालांकि, कृषि में दीर्घकालीन ऋण (पांच साल से अधिक के लिए) 2006-07 में 55 प्रतिशत थे, जो कि 2015-16 में घटकर 37 प्रतिशत हो गए।

कृषि में लंबे समय के ऋण के घटते हिस्से को रोकने और इसे बदलने की जरूरत है।

(iii) **कृषि ऋणों के वितरण में क्षेत्रीय विषमता:** पूर्वोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में इसका विस्तार बहुत कम है।

(iv) **फसल-कर्ज कम समय (15 महीने से कम) के लिए** हैं और इनका मकसद फसल की कटाई से पहले तक के खर्च को पूरा करना है। अपनी इस प्रकृति के कारण यह कृषि क्षेत्र में बड़े निवेश को बढ़ावा देने में सक्षम नहीं है।

तीन लाख तक के कृषि ऋणों का निपटारा 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से किया गया (3 प्रतिशत के अनुदान के बाद प्रभावी ब्याज दर 4 प्रतिशत रह जाती है)। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए **केंद्रीय बजट 2017-18** ने कृषि ऋण को बढ़ाकर 10 लाख करोड रुपए कर दिया है (*आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17* के अनुसार जो वर्ष 2016-17 में 9 लाख करोड़ था)।

किसानों द्वारा आत्महत्या: देश में दिवालियापन और ऋणग्रस्तता को किसानों की आत्महत्या की मुख्य वजह बताया जाता रहा है (किसानों की आत्महत्या का करीब 37 प्रतिशत) जिसके लिए स्थानीय साहूकारों को आमतौर पर खलनायक के रूप में दर्शाया जाता है। लेकिन एनसीआरबी (नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो) के ताजा आंकड़ों के अनुसार 2015 में जिन किसानों ने 'दिवालिएपन या ऋण' की वजह से आत्महत्या की उनमें से 80 फीसदी किसानों ने संस्थागत स्रोतों (बैंक या पंजीकृत लघुवित्त संस्थान) से ऋण लिया था। इसके अलावा देश में सिर्फ एक साल में दिवालिएपन और कर्ज में डूबे होने की वजह से किसानों की आत्महत्या में तीन गुना वृद्धि हुई है (2014 में 1163 से 2015 में 3097)। 2015 में कुल 8007 किसानों ने विभिन्न कारणों से आत्महत्या की। ऐसा पहली बार हुआ है कि एनसीआरबी ने लोन के स्रोतों के आधार पर कर्ज या दिवालिएपन की वजह से किसानों द्वारा आत्महत्या की बात स्वीकार की है।

वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए लगता है कि सरकार ने कृषि ऋण के लिए जो राशि आवंटित की है वह पर्याप्त नहीं है। भारत को कृषि आय बढ़ाने के साथ ही कृषि बीमा को तेज रफ्तार से बढ़ाकर एक अन्य सहायक प्रणाली को मजबूत करने की जरूरत है।

कृषि विस्तार सेवाएं (AGRICULTURE EXTENSION SERVICES)

कृषि क्षेत्र के लिए एक और बड़ी चीज है—कृषि विस्तार सेवाएं (एईएस)। ये सवाएं समय पर परामर्श सेवाएं देकर किसानों का उत्पादन बढ़ा सकती हैं। ये सेवाएं खेती के अच्छे तरीकों, तकनीकों, समस्याओं से निपटने, बाजार की जानकारी देने का काम कर सकती हैं। एईएस (इसे ग्रामीण

46. **NSSO**, 70th Round data quoted by the **Economic Survey 2015-16**, Vol. 2, p. 110.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

परामर्श सेवाएं भी कहते हैं) को इस तरह परिभाषित[47] किया गया है कि, ''किसानों द्वारा मांगी गई व जरूरी सभी सूचनाओं व सेवाओं को उपलब्ध कराना तथा उनके अपने तकनीकी कौशल, सांगठनिक व प्रबंधकीय कौशल के निर्माण में ग्रामीण क्षेत्रों के ही दूसरे किरदारों द्वारा मदद मिलना, ताकि इनका जीवन-स्तर सुधरे और वे संपन्न हों।''

हालांकि, भारत में कई सारी एजेंसियां कृषि परामर्श सेवाएं देती हैं, लेकिन यह तंत्र निम्नांकित कारणों से पूरी तरह सक्षम नहीं हो पाया है:[48]

(i) कामकाजी स्वायत्तता का अभाव;

(ii) सख्त श्रेणीबद्ध संरचना है, जिसके कारण नए तौर-तरीकों को अपनाने में कमी आती है, और;

(iii) कई स्तरों पर सामंजस्य नहीं है।

देश में एईएस को सुधारने के लिए कुछ नीतिगत कदम सुझाए गए हैं:[49]

(i) एक नई योजना को लागू करना होगा या मौजूदा योजना में ही अतिरिक्त खर्च की जरूरत।

(ii) 'वन-स्टॉप-शॉप' की जरूरत है, जो सभी तरह का समाधान दे, ताकि किसानों की आमदनी बढ़े, खास तौर पर छोटे व सीमांत किसानों की।

(iii) एक ऐसे दृष्टिकोण की जरूरत, जो कि 'निवेश, फसल और क्षेत्र से तटस्थ' हो।

(iv) लागत और उत्पादन में कम-से-कम बर्बादी हो, कम-से-कम खेत-खलिहान छोड़ने तक।

(v) फसल कटाई के बाद प्रसंस्करण अथवा मूल्य संवर्द्धित क्रिया-कलापों को बढ़ाने का प्रयास हो।

(vi) उपज बढ़ाने और फसल को कम-से-कम नुकसान के लिए मौसम की जानकारी किसानों तक पहुंचाने की जरूरत है।

(vii) चक्रीय खेती हो और दो फसलों के बीच दलहन फसल को लगाने का काम हो। खेती में जो भी निवेश हुआ हो, उसका समुचित इस्तेमाल किया जाए।

(viii) मांग संचालित कृषि परामर्श सेवाओं की तरफ जाने की जरूरत है।

(ix) सूचना प्रौद्योगिकी (मोबाइल व इंटरनेट) के इस्तेमाल से एक आभासी जुड़ाव तथा कृषि विस्तार सेवाओं को एकीकृत रखने की आवश्यकता है।

समय के साथ भारत सरकार ने देश में एईएस को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं।[50] उनमें से प्रमुख हैं- किसान टीवी की स्थापना, ऑल इंडिया रेडियो द्वारा कृषि सूचनाओं का प्रसारण करना, एग्री-क्लिनिक और एग्री-बिजनेस (कृषि स्नातकों) की शुरुआत, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, बागवानी, पशुपालन, वगैरह के लिए मॉडल ट्रेनिंग कोर्स शुरू, राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के वरिष्ठ व मध्यम श्रेणी के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए शीर्ष संस्थान के रूप में नेशनल सेंटर फॉर मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (संक्षेप में मैनेज) की स्थापना, वगैरह।

पीएमएफबीवाई (PMFBY)

भारत सरकार ने जनवरी 2016 में एक नई कृषि बीमा योजना शुरू की। नई योजना[51] प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को किसानों के कल्याण की राह में युगांतकारी योजना माना गया है। इस योजना के प्रमुख अंश हैं:

47. *GFRAS (Global Forum for Rural Advisory Services)*, 2010 – quoted by the **Economic Survey 2015-16**, Vol. 2, p. 111.

48. NITI Aayog, **Task Force on Agriculture**, 2015.

49. Ministry of Finance, **Economic Survey 2015–16**, Vol. 2, p. 112.

50. Ministry of Finance, **Economic Survey 2015–16**, Pulbication Division, **India 2016;** Ministry of Finance, **Economic Survey 2014–15.**

51. **Government of India**, N. Delhi, January 13th, 2016.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

- सभी खरीफ फसलों के लिए किसानों को सिर्फ दो प्रतिशत प्रीमियम देना होगा और रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत।
- वार्षिक नकदी फसलों व फूलों की खेती के मामले में किसानों को सिर्फ पांच प्रतिशत प्रीमियम देना है।
- किसानों द्वारा चुकाई जाने वाली प्रीमियम-दर काफी कम है और बाकी प्रीमियम सरकार देती है, ताकि फसलों को प्राकृतिक आपदा से किसी भी तरह के नुकसान में पूर्ण बीमा राशि किसानों को मिले।
- सरकारी सब्सिडी की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। अगर बाकी प्रीमियम 90 प्रतिशत तक रहता है, तब भी इसे सरकार देगी।
- दावे की 25 प्रतिशत राशि सीधे किसानों के खाते में जाएगी और पूरे राज्य के लिए एक ही बीमा कंपनी होगी। स्थानीय जोखिम से किसानों की खेती को कितना नुकसान होगा और फसल कटाई के बाद के नुकसान का मूल्यांकन भी यही कंपनी करेगी।
- शुरू में प्रीमियम दर की कैपिंग का प्रावधान था, जिसके कारण किसानों को कम राशि का भुगतान हुआ। यह कैपिंग प्रीमियम सब्सिडी पर सरकार के खर्च को सीमित करने के लिए थी। अब इस कैपिंग (ऊपरी सीमा) को हटा दिया गया और किसान बगैर किसी कटौती के अपनी पूरी बीमा राशि पाएंगे।
- तकनीक के प्रयोग ने काफी हद तक कृषि को प्रोत्साहित किया है। स्मार्ट फोन का इस्तेमाल फसल की कटाई की तस्वीर को अपलोड करने में होने लगा है, जिससे किसानों के दावा भुगतान में देरी न होती। रिमोट सेंसिंग का भी इस्तेमाल होने लगा है।

1999 की एनएआईएस (राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना) और 2011-12 की संशोधित एनएआईएस की जगह[52] पीएमएफबीवाई आई है। योजना को निजी क्षेत्र के साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र (एआईसीआईएल) की बीमा कंपनियां भी लागू कर रही हैं। **केंद्रीय बजट 2017-18** के अनुसार इस योजना के तहत 2018-19 तक कृषि उपज के 50 प्रतिशत को दायरे में लिए जाने का अनुमान है (2016-17 तक 30 प्रतिशत)। लगातार आने वाले सूखे और बाढ़ को देखते हुए ये योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

सतत् कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (National Mission for Sbustainable Agriculture–NMSA)

एन.एम.एस.ए. की शुरुआत 2011-12 में हुई। इसका मकसद यह था कि भारतीय कृषि को जलवायु परिवर्तन के लिहाज से और लचीला बनाने की नीति विकसित करते हुए खाद्यान्न सुरक्षा बढ़ाई जाए[53] और भूमि, पानी, जैव विविधता, आनुवंशिक संसाधन जैसे स्रोतों को संरक्षण दिया जाए (*आर्थिक सर्वेक्षण 2011-12*)।

इकोनॉमिक सर्वे 2011-12 में भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को लेकर निम्न बातें कही गई हैं:

(i) भारतीय कृषि का दो-तिहाई हिस्सा वर्षा के जल पर आधारित है यानी इसके सामने मानसून की अनिश्चितता का खतरा है। इसके अलावा देश

52. Ministry of Finance, **Economic Survey 1990–2000** (New Delhi: Government of India, 2000); Ministry of Finance, **Economic Survey 2010-11** (New Delhi: Government of India, 2011).
53. ***Prime Minister's Council on Climate Change (PMCCC)*** approved the Mission in September 2010 and the Ministry of Agriculture initiated activities under the Mission in 2011–12.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

के कई हिस्सों में खेती पर सूखे और बाढ़ का खतरा है। सूखे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से देश के कई हिस्से जूझते रहते हैं।

(ii) जलवायु परिवर्तन इस खतरे को और ज्यादा बढ़ा देगा। कई इलाकों पर फसल, मिट्टी, पशुधन, मछलीपालन और कीटों से जुड़े प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव के चलते खाद्यान्न सुरक्षा का संकट आ जाएगा। यही वजह है कि जलवायु परिवर्तन का मुद्दा जोखिम भरा है:

(a) जलवायु परिवर्तन के खतरनाक असर से निपटने के लिए क्षमता के अनुरूप निम्न नीतियां तैयार की जानी चाहिए,

(b) ऐसी खेती विकसित हो जो तापमान, नमी और खारेपन को सह सके,

(c) खेती के तरीके में बदलाव करते हुए जल प्रबंधन में बेहतरी लाई जाए,

(d) संसाधनों को संरक्षण देने की तकनीक अपनाई जाए,

(e) फसल में विविधता हो, कीटनाशकों के मामले में बेहतर तरीके अमल में आएं,

(f) मौसम को लेकर समय पर परामर्श मिले,

(g) खेती का बीमा हो, किसानों की देशी जानाकारियां काम में लाई जाएं।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर (एनआईसीआरए) नाम से योजना शुरू की है। इस पहल की योजना कई विषयों और कई संस्थानों के प्रयास के जरिए बनाई जा रही है, जिसमें फसल, पशुधन, मछलीपालन और मुख्य रूप से कृषि पर जलवायु परिवर्तन का असर कम करने पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा 100 जिलों में किसानों की जमीन पर जलवायु से जुड़ी तकनीक का प्रदर्शन भी इस योजना का हिस्सा है। शोध संस्थानों में अत्याधुनिक आधारभूत ढांचे तैयार किए जा रहे हैं ताकि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम करने को लेकर शोध किए जा सकें।

विश्व व्यापार संगठन और भारतीय कृषि: संभावनाएं एवं चुनौतियां (WTO AND THE INDIAN AGRICULTURE: PROSPECTS AND CHALLENGES)

विश्व व्यापार संगठन (WTO) के प्रावधानों के कार्यान्वयन के बाद विश्व के अधिकांश देशों में वैश्वीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। उन देशों ने जिन्होंने प्रारंभ के वर्षों में इसमें शामिल होने से मना कर दिया था बाद में इसमें शामिल होने के लिए कोशिशें जारी कर दी। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों तथा गैर-सदस्य देशों में वैश्वीकरण के लाभ तथा हानि को लेकर दुविधा बनी हुई है। विश्व व्यापार संगठन में सबसे अधिक विचार-विमर्श तथा वाद-विवाद का क्षेत्र कृषि है। यह विकसित तथा विकासशील देशों के लिए अत्यधिक महत्व का विषय है। भारत इसमें अपवाद नहीं है, वास्तव में भारत उन देशों का नेतृत्व कर रहा है जो विश्व व्यापार संगठन के कृषि से संबंधित पक्षपातपूर्ण प्रावधानों के विरोधी हैं।

भारत इस संगठन में शामिल होने से पहले ही इस विषय के बारे में असमंजस में था, लेकिन इस संगठन का हिस्सा बनने के बाद उसने स्थिति का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन शुरू कर दिया तथा गतिरोध को कम करने का प्रयास किया। वैश्वीकरण ने विश्व के विभिन्न देशों के लिए असीमित संभावनाओं के द्वार खोल दिए, लेकिन उनके समक्ष कुछ चुनौतियां भी रखा। यकीनन ये चुनौतियाँ प्रकृति से विकसित तथा विकासशील देशों के लिए भिन्न थीं। हमें यह जानना जरूरी है कि भारतीय कृषि के लिए विश्व व्यापार संगठन ने किन संभावनाओं तथा चुनौतियों को प्रस्तुत किया है।

यदि अग्रणी तथा राजनीतिक रूप से मुखरित विकासशील देशों की कृषि जीविका के लिए नहीं होती तो आज विश्व की दिशा बिल्कुल भिन्न होती। यह वैश्वीकरण की प्रक्रिया तथा विश्व व्यापार संगठन की सफलता में सबसे बड़ा अवरोधक है। अधिकांश अग्रणी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में इस क्षेत्र को उद्योग में परिवर्तित की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसका किसान, राजनीतिक दल तथा गैर-सरकारी संगठन कड़ा विरोध कर रहे हैं।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

संभावनाएँ (The Prospects)

विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के कार्यान्वयन से संबंधित सबसे पुराना तथा सबसे पहला दस्तावेज, जो उरुग्वे दौर (1995-2005) की बातचीत के रूप में जाना जाता है, को संयुक्त रूप से विश्व बैंक, GATT[54] तथा OECD[55] द्वारा तैयार किया था। संयुक्त दस्तावेज में विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों का विश्व व्यापार पर तथाकथित निम्नलिखित सकारात्मक प्रभाव देखे गए:

(i) वर्ष 2005 तक विश्व के वस्तुगत् व्यापार (Merchandise trade) में 745 अरब डॉलर की वृद्धि का अनुमान था।[56]

(ii) GATT सचिवालय के अनुसार, इस अनुमानित व्यापार वृद्धि में विभिन्न क्षेत्रों की भागीदारी निम्नलिखित रूप में होनी थी:

(a) वस्त्रों के क्षेत्र की इस अनुमानित वृद्धि में भागीदारी 60 प्रतिशत होगी।

(b) कृषि, वनों तथा मत्स्य-उद्योग के उत्पादों की भागीदारी 20 प्रतिशत होगी।

(c) खाद्य प्रसंस्करण, पेय पदार्थों की अनुमानित भागीदारी 19 प्रतिशत होगी।

इसका अर्थ यह है कि विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के कार्यान्वयन के कारण ऊपर उल्लिखित क्षेत्रों के अलावा सभी अन्य वस्तुओं के व्यापार में मात्र एक प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जाएगी। यह अत्यधिक बढ़ा–चढ़ा कर प्रस्तुत किया गया, अनुमान था तथा पूरे विश्व में विवाद का विषय बन गया, लेकिन जिन क्षेत्रों के व्यापार में अत्यधिक वृद्धि का अनुमान लगाया गया, वह मात्र अनुमान ही नहीं था। सदस्य राष्ट्रों ने विश्व व्यापार संगठन के प्रभावों के बारे में अपने निजी अध्ययनों, आकलन तथा अनुमानों के प्रक्रियाओं की शुरुआत की, भारत इसमें अपवाद नहीं था। यहाँ हम भारत द्वारा किए गए मूल्यांकन को देखेंगे:

(i) जिन उत्पादों के व्यापार में अधिकतम वृद्धि का अनुमान लगाया गया, भारत में उन उत्पादों की परम्परागत निर्यात क्षमता अधिक थी। इसका अर्थ यह था कि विश्व व्यापार संगठन में कृषि क्षेत्र की संभावनाएँ अधिक थीं क्योंकि अधिकतम वस्तुएँ कृषि क्षेत्र की थीं। यह मानते हुए कि भारत का विश्व के निर्यात में भागीदारी 0.5 प्रतिशत से बढ़कर 1.0 प्रतिशत हो जाएगा तथा भारत उत्पन्न अवसरों का लाभ उठा सकेगा, व्यापार में हुए लाभ का अनुमान संतुलित रूप से 2.7 बिलियन डॉलर (अतिरिक्त निर्यात) प्रतिवर्ष लगाया गया तथा अधिक उदार रूप से 3.5 से 7 बिलियन डॉलर प्रतिवर्ष लगाया गया।[57]

(ii) राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद (NCAER–National Council for Applied Economic Research) के सर्वेक्षण[58] में भारतीय अर्थव्यवस्था पर विश्व व्यापार संगठन के प्रभावों की चर्चा की गई तथा इस मामले में यह सबसे उपयुक्त दस्तावेज है। इस सर्वेक्षण ने इस विषय पर सभी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की, जैसे:

54. General Agreement on Trade and Tariff (GATT) was a multi-lateral arrangement (not an ***organisation*** like WTO whose deliberations are binding on the member countries) promoting multi-lateral world trade. Now the GATT has been replaced by the WTO (***since January. 1995***).

55. ***Organisation for Economic Cooperation and Development*** (OECD) was set up as a world body of the developed economies from the Euro-American region, which today includes countries from Asia, too (such as Japan and South Korea). The first idea of 'globalisation' was proposed by the OECD in the early 1980s at one of its Annual Meet (***at Brussels***).

56. Merchandise trade does not include services.

57. Ministry of Finance, Economic Survey 1994–95 (New Delhi: Government of India, 1995).

58. ***NCAER Survey*** headed by its chairman Rakesh Mohan, GoI, 1994.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(a) विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के लागू होने पर भारत के कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि होगी।

(b) केवल खाद्यान्न का व्यापार उसमें भी मात्र गेहूँ तथा चावल के व्यापार का अनुमान लगभग 270 बिलियन डॉलर लगाया गया।

(c) सर्वेक्षण में यह कहा गया कि विश्व की खाद्यान्न आपूर्ति में होने वाली वृद्धि का 80-90 प्रतिशत मात्र दो देशों भारत तथा चीन से आएगा, क्योंकि इन देशों में उत्पादन बढ़ाने की क्षमता है।

(d) इस सर्वेक्षण के अनुसार भारत के कृषि क्षेत्र की तैयारी दयनीय थी। इस अवसर का लाभ उठाने में चीन, भारत से कहीं आगे था।

(e) इस सर्वेक्षण ने कृषि क्षेत्र की तैयारी के लिए लगभग सभी सुझाव दिए हैं (इसकी झलक भारत के द्वितीय हरित क्रांति में देखने को मिलती है – मूलत: इस क्रांति का मॉडल सर्वेक्षण में दिए गए सुझावों पर आधारित था।

(f) दूसरी तरफ सर्वेक्षण के द्वारा यह भी अगाह कराया गया कि इस दौर में अगर भारत अपनी कृषिगत तैयारी पर सही ढंग से ध्यान नहीं देता है तो वह विश्व में कृषिगत उत्पादों के सबसे बड़े आयातक देश के रूप में उभरेगा। इसके अलावा सस्ते कृषिगत आयात भारतीय कृषि संरचना को नष्ट कर देंगे तथा आयात पर निर्भरता लाखों गरीब भारतीयों के बेहतर जीवन की संभावनाओं को धूमिल कर देगी।

(g) यदि भारत वैश्वीकरण के अवसरों का लाभ नहीं भी उठाना चाहे तो भी उसे अपने कृषि क्षेत्र को उन्नत बनाना होगा, क्योंकि विश्व बाजार भारत के कृषिगत उत्पादों/वस्तुओं की माँग को सन् 2025 के बाद पूरा नहीं कर पाएगा। इसका अर्थ यह है कि केवल भारत ही है, जो भविष्य में भारत की कृषिगत उत्पादों की माँगों को पूरा कर सकेगा, विश्व बाजार भी नहीं।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि विश्व व्यापार संगठन वह अंतिम अवसर है, जिसके द्वारा कृषि के क्षेत्र से प्राप्त आय से जन-समूह के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सही समय से सही किस्म की तैयारी आवश्यक है। नि:संदेह इसकी संभावनाएँ अपार हैं।

चुनौतियाँ (The Challenges)[59]

यदि विश्व व्यापार संगठन भारतीय कृषि के लिए संभावनाओं के द्वार खोलता है तो दूसरी ओर उसके समक्ष कुछ-चुनौतियाँ भी खड़ी करता है। ये चुनौतियाँ एकरूप अर्थव्यवस्थाओं के लिए व्यक्तिगत चुनौतियों तथा संयुक्त चुनौतियों के रूप में देखी जाती हैं। चुनौतियों का पहला वर्ग कृषि क्षेत्र से संबद्ध तैयारी, निवेश व पुनर्संरचना से जुड़ा हुआ है तथा दूसरा वर्ग विश्व व्यापार संगठन के कृषि संबंधित प्रावधानों के संशोधन से जुड़ा हुआ है (जिस पर संगठन की सफलता तथा विफलता आधारित है)। भारतीय कृषि के समक्ष चुनौतियां निम्नलिखित हैं:

(i) **आहार की आत्मनिर्भरता (Self Sufficiency of Food):** वैश्वीकरण द्वारा देश में विश्व बाजार से अपेक्षाकृत सस्ते खाद्यान्न का आयात हो सकता है और भारतीय किसानों का कृषि कार्य अलाभकारी साबित हो सकता है। परिणामस्वरूप किसान लाभकारी कृषि उत्पादों की ओर आकर्षित होंगे और भारत अंतत: अपनी खाद्य आवश्यकताओं के लिए विश्व बाजार पर

59. The challenges and their possible remedies discussed in this sub-topic are based on some of the finest and timely debates and articles which appeared in many renowned journals and newspapers between the period 1994 and 2007. For better understanding of the readers only the consensual as well as the less-complex parts have been provided here.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

निर्भर हो जाएगा। इस प्रकार भारत द्वारा अर्जित की गई खाद्य आत्मनिर्भरता समाप्त हो जाएगी। भारत के लिए इसके गंभीर राजनीतिक तथा नीतिपरक परिणाम होंगे।[60]

(ii) **मूल्य स्थिरता (Price Stability):** यह भारत के हित में नहीं है कि वह कृषि उत्पादों की आपूर्ति के लिए खासकर खाद्यान्नों की आपूर्ति के लिए विश्व बाजार पर निर्भर रहे। प्राकृतिक कारणों के कारण विश्व बाजार में कृषि उत्पादों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव की संभावना रहती है। इससे मूल्य स्थिरता को खतरा बना रहता है। अन्य देशों द्वारा अधिशेष कृषि उत्पादों की 'डंपिंग' की समस्या का भी सामना भारत को करना पड़ रहा है।

(iii) **फसल प्रतिरूप (Cropping Pattern):** फसल प्रतिरूप एक असंतुलित रूप ले सकता है जो पारिस्थितिकी के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि किसान उन फसलों के उत्पादन के पक्ष में रहेंगे जिससे उन्हें अधिक लाभ हो।[61] इन फसलों का चयन भूमि की उर्वरक शक्ति के विपरीत भी हो सकता है।

(iv) **कमजोर वर्ग (Weaker Sections):** वैश्वीकरण का लाभ सभी क्षेत्रों, सभी फसलों तथा सभी लोगों के लिए एकसमान नहीं होगा। यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि किस क्षेत्र को, किस फसल को तथा किन लोगों को किस वर्ष में इससे कितना लाभ होगा। इसके अलावा वैश्वीकरण की प्रक्रिया में लाभ बाजार पर आधारित होता है। पूँजी, निवेश तथा व्यावसायीकरण की कमी के कारण जो लोग उत्पादन नहीं कर पाएँगे उन्हें इससे कुछ लाभ नहीं होगा। वे शुद्ध उपभोक्ता या खरीदार होंगे। भारत में कमजोर वर्ग की जनसंख्या अधिक है (तीसरी दुनिया के देशों की तरह) जो अपनी आय में वृद्धि नहीं कर सकते हैं न ही उन कृषि-उत्पादों को खरीद सकते हैं, जिनमें मूल्य स्थिरता नहीं हो।

इसका अर्थ यह है कि भारत का कमजोर वर्ग इस विकास से वंचित रह जाएगा। यह जरूरी है कि वैश्वीकरण का लाभ इन लोगों तक पहुँचे, यह समाज-अभिमुख लोक नीति द्वारा संभव है, जो एक बड़ी चुनौती है।[62]

(v) **विश्व व्यापार संगठन संबंधी कटिबद्धताएँ (WTO Commitments):** कृषि के क्षेत्र में विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के प्रति भारत की कुछ समय निर्धारित बाध्यकर कटिबद्धताएँ हैं जो लोगों तथा अर्थव्यवस्था दोनों के लिए

60. Almost 50 per cent of the Indian population spends 75 per cent of its total income on the purchase of foodgrains—this is why their standard of life and nutrition depends on the indigenously grown food in a great way. Once the self-sufficiency is lost their lives will depend upon the ***diplomatic uncertainties*** of its regular supply. It will have serious political outcomes for the political scenario of India. Similarly, irregular supply of the foodgrains will create a high ethical dilemma, too.

61. Farmers might go for highly repetitive kind of cropping pattern creating problems for soil fertility, water crisis, etc. This will have highly adverse effects on the agriculture insurance companies, too.

62. The primary examples of corporate and contract farming have given enough hints that economically weaker sections of society have meagre chances of benefitting from the globalisation of agriculture—with major profits going to the corporate houses. Naturally, the governments (centre and states) will need to come up with highly effective policies which could take care of the economic interests of the masses.

The policies may focus on areas such as ***healthcare, education, insurance, housing, social security,*** etc. Already the governments have started emphasising the delivery and performance of the ***social sector*** but in the future, more focused and accountable programmes in the sector will be required.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

हानिकारक हैं। इस चुनौती के दो पहलुओं को हम देखेंगे:

(a) विश्व व्यापार संगठन के प्रावधान के अनुसार कृषि क्षेत्र को सरकार द्वारा दी जाने वाली छूट उसके सकल कृषिगत उत्पाद मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। हालाँकि भारत के लिए यह स्तर अभी 10% से कम है फिर भी आवश्यकता पड़ने पर इसे इस स्तर से नहीं बढ़ाया जा सकता। यह भारत के संप्रभु निर्णय के लिए एक खतरा है। इसके अतिरिक्त यदि किसानों को दी जाने वाली छूट को हटा लिया गया तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

(b) दूसरी तरफ विकसित देशों द्वारा अपने कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली छूट (अलग-अलग शीर्षकों के अंतर्गत) भारत जैसे देश के कृषि क्षेत्र के लिए अत्यधिक हानिकारक हैं। इन उच्च-स्तरीय कृषि छूटों का भी सामना भारत को करना पड़ रहा है।[63]

उपरोक्त चुनौतियों का सामना करना आसान नहीं है। इन चुनौतियों का सामना न केवल भारत बल्कि अन्य विकासशील देशों को भी करना है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत तथा विश्व के विशेषज्ञों द्वारा अनेक उपाय सुझाए गए हैं, जिनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है:

(i) आहार की आत्मनिर्भरता, मूल्य स्थिरता तथा फसल प्रतिरूप जैसे चुनौतियों का सामना करने के लिए उचित प्रकार की कृषि तथा व्यापार नीति समय की माँग है, लेकिन कृषि नीति के मामले में भारत की स्वतंत्रता सीमित है। भारत को कृषिगत् उत्पादों के आयात पर उच्च या आवश्यकतानुसार आयात शुल्क (Tariff) लगाने की छूट नहीं है (WTO का प्रावधान शून्य शुल्क की बात करता है)। अत: विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों में बदलाव अथवा संशोधन जरूरी है।

इसी तरह कृषि छूट (पेटियों) को उचित ढंग से परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि ये पक्षपाती नहीं दिखें। यहाँ भी विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों का संशोधन आवश्यक है।

विशेषज्ञों का यह कहना था कि, विश्व व्यापार संगठन ईश्वर द्वारा प्रदत्त संगठन नहीं है तथा यदि सदस्य देशों द्वारा इस दिशा में सम्मिलित रूप से प्रयास किए जाएं तो इस संगठन के प्रावधानों में बदलाव लाया जा सकता है। एकमत राष्ट्रों को, जो एक ही किस्म की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, एकजुट होकर इन प्रावधानों के संशोधन का प्रयास विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अंतर्गत करना चाहिए। नैतिक तथा व्यावहारिक मुद्दों का उपयोग विकसित देशों तथा विश्व व्यापार संगठन के ध्यान को आकर्षित करने के लिए किया जाना चाहिए।

सतही तौर पर यह सुझाव आसानी से कहा जाने वाला उपदेश है, जिसे चरितार्थ करना कठिन है, लेकिन वर्ष 1995 के बाद विश्व व्यापार संगठन के अंदर ही एकमत राष्ट्रों का ध्रुवीकरण हो गया, जो सिएटल दौर की बातचीत के विफल होने का कारण बना। विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र ने एक बैठक आयोजित करने की कोशिश की, जिसमें वह विफल रहा। यह गरीब देशों की विकसित राष्ट्रों पर नैतिक जीत थी। इस घटना ने विश्व व्यापार संगठन में विकासशील राष्ट्रों के मनोबल को ऊँचा किया।

दोहा दौर के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने बहुपक्षवाद को भुलाकर द्विपक्षवाद के प्रति अपना झुकाव किया। यूरोपीय संघ की भी यही इच्छा थी, लेकिन उसने इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह खुले रूप से उजागर नहीं किया। वर्ष 2002 में यूरोपीय संघ ने नई कूटनीति के तहत इस बात की घोषणा की कि वह विकासशील देशों के कृषि संबंधी

63. Some of the developed economies are still forwarding subsidies to the agricultural areas to the tune of 180–220 per cent! Again, the justification for such high subsidies have been provided by defining agriculture subsidies according to their ease—highly blurring and confusing.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

मुद्दों की अनदेखी नहीं करेगा बल्कि उन पर ध्यान देगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऐसी ही इच्छा यूरोपीय संघ की घोषणा के कुछ दिनों के उपरांत की। विश्व व्यापार संगठन की कैनकुन बैठक से कुछ ही दिनों पहले हाँगकाँग बैठक ने कोई ठोस सुझाव नहीं दिया, लेकिन विकासशील देशों को आशा जरूर दी। वास्तविक स्थिति अगली बैठक में उभर कर सामने आएगी, जिसके लिए दबाव समूहों के बीच बात-चीत जारी है।

विशेषज्ञों द्वारा भारत को अपने कृषि क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाने तथा स्वास्थ्य मानकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाने की सलाह दी गई। इसके लिए कृषि क्षेत्र से जुड़े अनुसंधान और विकास (R & D), जैव-प्रौद्योगिकी, सूचना-प्रौद्योगिकी इत्यादि पर ध्यान देने की सलाह दी गई, जिससे इनके कृषिगत उत्पाद विश्व में सबसे प्रतिस्पर्द्धी उत्पादों में शामिल हो सकेंगे।[64]

विश्व व्यापार संगठन एवं कृषि छूट (WTO AND AGRICULTURAL SUBSIDIES)[65]

सकल सहायता व्यवस्था (AMS)

सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली छूट (घरेलू सहायता) को विश्व व्यापार संगठन द्वारा सकल सहायता व्यवस्था (Aggregate Measure of Support—AMS) कहा जाता है।[66] इसकी गणना उत्पाद (product) तथा आगत (input) छूटों के रूप में की जाती है। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार, किसी देश द्वारा अपने कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली उत्पाद छूटें (जैसे-न्यूनतम समर्थन मूल्य) तथा आगत छूटें (जैसे – ऋण, उर्वरक, सिंचाई, बिजली, इत्यादि) कृषिगत मूल्यों को घटाती हैं और संबंधित देश के कृषि क्षेत्र को अनुचित/अत्यधिक (Undue) वैश्विक पहुँच स्थापित करने में मदद करती हैं। ऐसी छूटें विश्व व्यापार में विसंगति (distortions) उत्पन्न करती हैं। विश्व व्यापार संगठन इस प्रकार की छूटों की सकल मात्रा को एक विशेष सीमा तक की ही मंजूरी देता है - विकसित तथा विकासशील देशों के लिए सीमा उनकी उस वर्ष की सकल कृषि उत्पाद मूल्य का क्रमशः 5% और 10% रखी गई है।

पेटियां (The Boxes)

विश्व व्यापार संगठन की शब्दावली में कृषि छूटों को पेटियों (Boxes) के रूप में संबोधित किया गया है और इन्हें 'ट्रैफिक लाइट' के रंगों द्वारा निरूपित किया जाता है। हरित पेटी (Green Box) का अर्थ स्वीकृति है, पीली पेटी (Amber Box) का अर्थ धीमा जाएँ या कम किया जाना है तथा लाल पेटी (Red Box) का अर्थ पूर्णतः अस्वीकृति है।

कृषि क्षेत्र में कई जटिलताएँ रही हैं तथा विश्व व्यापार संगठन की पेटियों की व्यवस्था ने निश्चित ही इस क्षेत्र को और जटिल बना दिया है। विश्व व्यापार संगठन के कृषि संबंधी प्रावधानों में 'लाल पेटी' जैसी कोई छूट पेटी नहीं है, लेकिन कभी-कभी छूटें उस स्तर से अधिक हो जाती हैं, जिस स्तर से उन्हें घटाने की कटिबद्धता जुड़ी हुई है, इन छूटों को 'पीली पेटी' (Blue Box) के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है। इसी तरह 'नीली पेटी' (Blue Box) के अंतर्गत उन छूटों को रखा गया है, जो उत्पादन के स्तर पर सीमा लगाती हैं। इसके अतिरिक्त विकासशील देशों के लिए अपवाद स्वरूप कुछ विमोचन (exemptions) की भी व्यवस्था की गई है, जिन्हें सामाजिक एवं विकासात्मक पेटी (S & D Box) के नाम से भी जाना जाता है।[67]

64. Because even the agriculture related provisions are modified the global market will always run after the agri-products which are the best—pricewise, qualitywise, etc.
65- A simplified and 'easy-to-understand' analysis done on the basis of the documents of the ***Information and Media Relations Division*** of the World Trade Organisation Secretariat, Geneva, Switzerland, October, 2007.
66. Defined in ***Article 1*** and ***Annexures 3 & 4,*** Agreement on Agriculture (AoA), WTO, 1994.
67. WTO, ***Article 6.2, AoA***, 1994.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

हम इन पेटियों की चर्चा अलग-अलग करेंगे यद्यपि प्रायोगिक रूप में वे एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। प्रत्येक पेटी का वस्तुगत अर्थ तभी स्पष्ट हो सकता है, जब हम अन्य पेटियों का भी अर्थ समझें।

पीली अथवा तृणमणि पेटी (Amber Box)

उन सभी कृषि छूटों, जो उत्पादन तथा व्यापार में विसंगति (distortions) पैदा करती हैं, को इस पेटी में रखा गया है अर्थात् वे सभी कृषि छूटें, जो नीली तथा हरित पेटी के अंतर्गत नहीं हैं।[68] इसके अंतर्गत सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी छूटें शामिल हैं, जो उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से मदद करती हैं, जैसे–न्यूनतम समर्थन मूल्य, बिजली, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक, इत्यादि।

विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के अनुसार किसी सदस्य देश द्वारा इस प्रकार दी जाने वाली छूटों को कम करके एक विशेष स्तर तक लाना तय है। इसकी सीमा उन देशों की सकल कृषि उत्पाद के प्रतिशत के रूप में है – विकसित देशों के लिए 5% प्रतिवर्ष और विकासशील देशों के लिए 10% प्रतिवर्ष। इसका अर्थ यह है कि वह छूट जिसका सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन को प्रोत्साहित करने से है। अनुमानित स्तर से यदि अधिक हो तो (जो या तो नीली पेटी या हरित पेटी के अंतर्गत आते हैं) उसे सरकार द्वारा घटाकर निर्धारित स्तर (prescribed levels) तक कर दिया जाना चाहिए।

विश्व व्यापार संगठन की हाल की वार्ताओं में इन छूटों से संबंधित कई प्रस्ताव रखे गए हैं, जैसे-इन छूटों को किस दर से घटाया जाए या फिर उत्पाद-विशेष छूट निर्धारित की जाए अथवा इसे आज की तरह 'सकल विधि' (Aggregate method) पर ही रखा जाए।

नीली पेटी (Blue Box)

यह शर्तों के साथ पीली पेटी है। इसकी शर्तें व्यापार में आने वाली विसंगतियों (distortions) को कम करने संबंधी हैं। वैसी सभी छूटें, जो सामान्यत: 'पीली पेटी' में होती हैं, को नीली पेटी में तब डाला जाता है, यदि इस प्रकार की छूटें किसानों को किसी ''विशेष उत्पादन स्तर को'' प्राप्त करने के लिए दी जाती हों[69] तो इस प्रकार की छूटें किसानों को प्रत्यक्ष भुगतान के रूप में सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत दी जाती हैं जिसका उद्देश्य कृषि, ग्रामीण विकास, इत्यादि को प्रोत्साहन देना है।

वर्तमान में इस पेटी की छूटों पर कोई सीमा नहीं है। विश्व व्यापार संगठन की वर्तमान बातचीत में कुछ देश नीली पेटी की यथास्थिति को कायम रखना चाहते हैं, कुछ देश इस पर सीमा लगाना चाहते हैं क्योंकि इसका लाभ उठाकर सदस्य देश व्यापार विसंगति पैदा कर सकते हैं, तो कुछ देश नीली पेटी के अन्तर्गत छूटों को पीली पेटी में डालने की वकालत करते हैं।

हरित पेटी (Green Box)

वे कृषिगत छूटें जो व्यापार में अल्पतम या शून्य विसंगतियां लाती हैं, हरित पेटी में रखी गई हैं।[70] इसके अंतर्गत किसी प्रकार की मूल्य सहायता (जैसे–MSP) शामिल नहीं की जा सकती।

इस पेटी में मूलत: वे सभी सरकारी व्यय आते हैं तथा किसानों के लिए वैसे सभी प्रत्यक्ष आय सहायता कार्यक्रम, जो उत्पादन या मूल्यों के वर्तमान स्तर से संबंधित नहीं हों। यह काफी व्यापक पेटी है, जिसमें सभी सरकारी छूटें शामिल हैं, जैसे–खाद्य सुरक्षा के लिए लोक भण्डारण, कीट एवं रोग नियंत्रण, अनुसंधान एवं विस्तारण, कुछ विशेष प्रत्यक्ष भुगतान जो उत्पादन नहीं बढ़ाते (जैसे-कृषि पुनर्संरचना, पर्यावरणीय संरक्षण, प्रादेशिक विकास, फसल एवं आय बीमा, इत्यादि)।

हरित पेटी की छूटों पर कोई सीमा नहीं लगाई जाती है यदि वे नीति विशेष मापदण्डों का पालन करें।[71] इस पेटी के अन्तर्गत आने वाली छूटें परिकलन मुक्त हैं क्योंकि इस तरह के छूटों का उद्देश्य उत्पादन को प्रोत्साहन देना नहीं है और इस तरह वे व्यापार में विसंगति नहीं लाती हैं। इसी कारण से इसे ''उत्पादन तटस्थ पेटी'' (Production

68. WTO, ***Article 6, AoA***, 1994.

69. WTO, ***Article 6***, ***Para 5*** AoA, 1994.
70. WTO, ***Annexure 2, AoA***, and ***Para 1*** AoA, 1994.
71. WTO, ***Annexure 2, AoA***, AoA, 1994.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

Neutral Box) कहा जाता है लेकिन वास्तविकता एक दूसरी गाथा कहती है।[72]

विश्व व्यापार संगठन की वर्तमान बातचीत में कुछ देशों का यह कहना है कि इस पेटी के अन्तर्गत प्रस्तावित कुछ छूटें (विकसित देशों के द्वारा) व्यापार में विसंगति लाती हैं (परिशिष्ट 2 में प्रयुक्त अल्पतम विसंगति के विचार के विपरीत)। यह विकासशील देशों की राय है। इन देशों ने विकसित देशों द्वारा अपने किसानों को विभिन्न कार्यक्रमों, जैसे–आय बीमा,[73] आय सुरक्षा योजना[74], पर्यावरण सुरक्षा, इत्यादि के अन्तर्गत दिए जा रहे प्रत्यक्ष भुगतान पर उंगली उठाई है। कुछ अन्य देशों का विपरीत विचार है तथा उनका मानना है कि वर्तमान मानदण्ड अपर्याप्त हैं तथा इन्हें और लचीला बनाने की आवश्यकता है ताकि इसमें पर्यावरण सुरक्षा तथा पशु कल्याण जैसे गैर-व्यापारिक मुद्दों को भी शामिल किया जा सके।

सामाजिक एवं विकास पेटी (S & D Box)

उपरोक्त अति विवादास्पद पेटियों के अतिरिक्त विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के द्वारा एक अन्य पेटी को परिभाषित किया गया है। इस पेटी को सामाजिक एवं विकास पेटी कहा जाता है (S & D Box)।[75] विकासशील देशों को इसके अन्तर्गत कुछ शर्तों के साथ कृषि छूट देने की अनुमति है। इन शर्तों का सम्बन्ध मानव विकास के मुद्दों से है, जैसे–गरीबी न्यूनतम सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य सहायता, इत्यादि (खासकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए)। इसके द्वारा विकासशील देश अपने सकल कृषि उत्पाद के 5% से कम तक की सीमा तक छूट दे सकते हैं।[76]

निर्यात छूट (Export Subsidies)

निर्यात छूट के लिए विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है:

(i) निर्यात छूट के लिए सकल बजटीय समर्थन में कटौती, तथा;

(ii) निर्यात छूट के अन्तर्गत आने वाली कुल निर्यात की मात्रा में कमी।

विकसित देशों के लिए कटौती की अधिक दर और विकासशील देशों के लिए कटौती की निम्न दर निर्धारित की गई है लेकिन विकसित देशों द्वारा अपने कृषि निर्यात को इतनी अधिक छूट उपलब्ध करायी जाती है कि इस कटौती के बावजूद भी उनके निर्यात विकासशील देशों के निर्यातों से सस्ते हैं। इसलिए विकासशील देशों को इस मुद्दे पर भी आपत्ति है।

स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपाय (Sanitary and Phytosanitary Measures)

डब्ल्यूटीओ के प्रावधानों के मुताबिक उसके सदस्य देश सेहत और सुरक्षा से जुड़े अपने खुद के मानक तैयार करते हैं जो वैज्ञानिक तौर पर तर्कसंगत होते हैं और कारोबार के लिहाज से एकतरफा या असंगत नहीं होते। ये व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय मानकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देती है जबकि विकासशील देशों के लिए इसमें खास बर्ताव होता है।[77]

हालांकि ये प्रस्ताव साबित करते हैं कि विकासशील देशों में अनुचित किस्म के स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपाय हो सकते हैं, विकसित देशों ने सेहत संबंधी अपने नियम वैज्ञानिक आधार से जोड़ते हुए ये काम अच्छे तरीके से कर लिए हैं। इसी वजह से व्यापार का काम इन देशों के पक्ष में चला गया है और विकासशील देशों की खेती को नुकसान पहुंचा है। विकासशील देश आरोप लगाते हैं

72. Basically, a large part of this box is used by the farmers in the USA and the European Union as basic investments in agriculture. India as well as other like-minded countries have this view and want this box to be brought under the AMS i.e. under the reduction commitments. The USA at the Hongkong Ministerial meet (December 2005) announced to abolish such subsidies in the next 12 year commencing 2008. The EU also proposed to reduce its 'trade distorting subsidies' by 70 per cent. None of them used the name green box which shows some internal vagueness.
73. WTO, ***Para 5, Green Box, AoA,*** 1994.
74. WTO, ***Para 7, Green Box, AoA,*** 1994.
75. WTO, ***Para 8*, Green Box, *AoA,*** 1994.
76. WTO, ***Article 6.2, AoA,*** 1994.
77. WTO, ***Article 14, AoA,*** 1994.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

कि इन उपायों से विकसित देश विकासशील देशों के उत्पादों को रोक देते हैं।

नामा (NAMA)

गैर-कृषिगत उत्पाद बाजार पहुँच (Non-Agricultural Product Market Access–NAMA) विश्व व्यापार संगठन के वैसे प्रावधान हैं, जो गैर-कृषिगत उत्पादों को सदस्य देशों के बाजारों में पहुँच स्थापित करने से जुड़े हैं।[78] लेकिन विकासशील देशों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। इस विरोध का कारण विकासशील देशों के उत्पादों पर विकसित देशों द्वारा लगाए जाने वाले ''गैर-शुल्क अवरोध'' (non-tariff barriers) हैं। दोहा मंत्री स्तरीय वार्ता में (नवंबर 2001) गैर-कृषिगत उत्पादों के व्यापार को अधिक उदारीकृत बनाने हेतु बातचीत को आरंभ करने पर सहमति हुई। वर्ष 2002 के शुरूआत में नामा पर वार्ता करने वाले एक दल की स्थापना की गई। वार्ता के दौरान सदस्यों ने गैर-कृषिगत उत्पादों पर लगाए गए सीमा शुल्कों (tariff) को 'स्विस सूत्र' (Swiss formula) के अन्तर्गत कम करने का निर्णय लिया। सदस्य देशों के बीच 'नामा' पर वार्ता अब भी जारी है।

गरीब और पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए सीमा शुल्क की कटौती के समय लचीलेपन का वादा किया गया था। भारत के लिए बाजार तक पहुँच (market access) सिर्फ सीमा शुल्क का ही मुद्दा नहीं है बल्कि इसका अर्थ विकसित देशों के बाजारों में उच्चतम् सीमा शुल्क तथा इसमें हुई वृद्धि को हटाना है। यह 'डम्पिंग विरोधी' कानून के दुरुपयोग तथा सभी गैर-सीमा शुल्क अवरोधकों को हटा देगा, जो विकासशील देशों के निर्यात को जानबूझकर रोकने के लिए बनाए गए हैं।

स्विस सूत्र (Swiss Formula)

सीमा शुल्क में कटौती करने की विभिन्न वैकल्पिक विधियाँ हो सकती हैं-कुछ सामान्य और कुछ विशेष। इनमें से कुछ सूत्रों पर आधारित होती हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि जिस भी सूत्र पर सहमति हुई हो उसका कोई मूल्य तब तक नहीं होगा, जब तक उसे सही ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जाएगा।

स्विस सूत्र[79] वास्तव में सूत्रों के सामंजस्य स्थापित करने वाले (harmonising) वर्ग के अन्तर्गत आता है। यह सूत्र ऊँची दरों में उच्चतर और निम्न दरों में निम्नतर कटौती का प्रावधान करता है, जिस कारण कटौती के उपरांत दो देशों की दरों का अंतर घट जाता है और बेहतर सामंजस्य (harmony) की स्थिति उभरती है।

इस सूत्र का प्रस्ताव गैट के टोक्यो दौर (1973-79) में स्विट्जरलैण्ड द्वारा रखा गया था। वर्तमान समय में स्विट्जरलैण्ड इस सूत्र का विरोध करता है और **उरुग्वे दौर** के सूत्र की सिफारिश करता है।

उरुग्वे दौर की बातचीत (1986-94) में कृषि के क्षेत्र में समझौते पर सहमति हुई, जिसके अन्तर्गत विकसित देशों द्वारा कृषिगत उत्पादों पर लगाए जाने वाले सीमा शुल्कों में कटौती करने का एक नया सूत्र अनुमोदित किया गया था। इसके द्वारा इन देशों के लिए 6 वर्षों की अवधि में सीमा शुल्कों में 36% (प्रतिवर्ष 6%) की कटौती करने का प्रस्ताव रखा गया। इन 6 वर्षों में न्यूनतम कटौती 15% होनी चाहिए, ऐसा भी प्रावधान है। इसे शुल्क कटौती की समतल दर (flat rate) विधि कहा जाता है।[80]

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण द्वारा दिसम्बर 2013 के अंत तक लागू किया गया। यह भारत का सबसे महत्वाकांक्षी तथा विश्व का सबसे बड़ा कल्याण कार्यक्रम है, जिसमें 2 करोड़ लोगों को रियायती खाद्यान्न मुहैया कराया जाएगा – खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में

78. As per the provisions of the WTO ***fishes, fisheries products*** and ***forest products*** don't fall under agriculture and have been classified as the non-agricultural products.

79. WTO, ***"Formula Approaches to Tariff Negotiations"*** (Revised), Oct. 2007.

80. ***Uruguay Round of GATT,*** 1994.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

एक ऐतिहासिक पहल। इस कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

(i) यह कार्यक्रम 75 प्रतिशत ग्रामीण एवं 50 प्रतिशत शहरी आबादी के लिए होगा, अर्थात् कुल आबादी के दो-तिहाई को आच्छादित करेगा। इसमें एक समान रूप से 5 किलोग्राम प्रति माह के हिसाब से भारी रियायत पर रु. 3 रु. 2 तथा रु. 1 प्रति किलो चावल, गेहूँ तथा मोटा अनाज प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया जाएगा। निर्धनों में से भी निर्धन को 35 कि.ग्रा. प्रति परिवार के हिसाब से जो खाद्यान्न अन्त्योदय अन्न योजना भी इसी दर पर मुहैया कराया जाएगा।

(ii) इस कार्यक्रम में महिलाओं एवं बच्चों को पोषण समर्थन प्रदान करने का विशेष प्रावधान किया गया है (गर्भवती एवं शिशुवती स्त्रियों को पोषाहार), वह भी पोषाहार के मानकों के अनुसार। साथ ही रु. 6000/- के मातृत्व लाभ का भी प्रावधान है। 6-14 आयु वर्ग के बच्चे भी पोषाहार मानकों के हिसाब से राशन या पका हुआ गर्म भोजन प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

(iii) 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला को परिवार का मुखिया माना गया है जिसके नाम से राशन कार्ड जारी होगा। अन्यथा की स्थिति में परिवार के सबसे बड़े पुरुष सदस्य को परिवार का मुखिया माना जाएगा।

(iv) कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अधिनियम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में भी सुधार का प्रावधान किया गया है (घर-घर में खाद्यान्न पहुँचाना)। साथ ही सूचना एवं संचार तकनीक (आई.सी.टी.) का उपयोग कर 'एण्ड-टू-एण्ड कम्प्युटराइजेशन', लाभार्थियों की पहचान के लिए 'आधार' का उपयोग तथा टीपीडीएस के अंतर्गत वस्तुओं के वैविध्य का भी प्रावधान किया गया है।

(v) अधिनियम में राज्य एवं जिला स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली का भी प्रावधान है सक्षम अधिकारियों की देखरेख में। राज्यों को वर्तमान मशीनरी के जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी (डीजीआरओ), राज्य खाद्य आयोग, का उपयोग करने की भी स्वतंत्रता है अगर वे खर्च कम करने के लिए ऐसा करना चाहें (नई शिकायत निवारण व्यवस्था स्थापित करने के बदले)। अधिनियम में लोक सेवकों तथा प्राधिकारियों के लिए दण्ड की भी व्यवस्था है यदि वे कानून के उल्लंघन के दोषी पाए गए तथा डीजीआरओ द्वारा अनुशंसित सहायता को लागू करने में विफल रहे।

(vi) पीडीएस, सामाजिक अंकेक्षण के अभिलेखों को प्रकट करने तथा पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने के लिए निगरानी समितियों की स्थापना का प्रावधान भी अधिनियम में है।

योग्य परिवारों की पहचान का जिम्मा राज्यों/संघीय क्षेत्रों पर छोड़ दिया गया है, जो अपनी कसौटी या मापदण्ड सामाजिक-आर्थिक तथा जातीय जनगणना के आँकड़ों का उपयोग करके बना सकते हैं। केन्द्र सरकार राज्यों/संघीय क्षेत्रों को निधि प्रदान करेगी यदि केन्द्रीय पूल में खाद्यान्न आपूर्ति कम पड़ गई हो। योग्य व्यक्तियों को खाद्यान्न अथवा भोजन आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में सम्बन्धित राज्य/संघीय क्षेत्र को खाद्यान्न सुरक्षा भत्ता प्रदान करना होगा जो कि केन्द्र सरकार लाभार्थियों के लिए प्रावधान करे। राज्यों के अतिरिक्त धनराशि के बोझ को कम करने के लिए केन्द्र सरकार राज्यों को अंतर-राज्य परिवहन की लागत, खाद्यान्नों के संभाल तथा रखरखाव और एफ.पी.एस. डीलर्स की मार्जिन के मद पर सहायता प्रदान करेगी। इसके लिए परिपाटी तय की जाएगी।

अधिनियम के लागू होने के समय, मंत्रालय ने 61.23 मीट्रिक टन खाद्यान्न की जरूरत बताई जिस पर 1,24,724 करोड़ रुपये खर्च होंगे। केन्द्रीय बजट 2017-18 (अंतरिम) के अंतर्गत अधिनियम के लिए 1,45,338 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया था।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

खाद्य प्रसंस्करण (FOOD PROCESSING)

भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (FPI)[81] विकसित देशों की गति से आगे नहीं बढ़ सका, इसके कुछ कारण निम्नलिखित हैं:

(i) भारत की शहरी आबादी कम है (लगभग 30 प्रतिशत)।

(ii) शहरी जनसंख्या की खान-पान की आदतें उतनी शहरी नहीं हैं। केवल दूसरी या तीसरी पीढ़ी ही शहरों में रह रही है। इसलिए खान-पान की आदतें आज भी गैर-शहरी या ग्रामीण ही हैं। इससे कृषि-प्रसंस्करित खाद्य पदार्थों के उपयोग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

(iii) हाल के समय में देशभर के लोगों में कृषि प्रसंस्करण उद्योगों के उपयोग किए जाने वाले रसायनों के प्रति पर्याप्त जागरूकता आई है। लोग ऐसे खाद्य पदार्थ से दूर रहना चाहते हैं (उद्योग को 'फास्ट फूड' तथा दूध व मिठाईयों में मिलावट के चलते भारी क्षति पहुंची है)।

(iv) पूरी दुनिया में एक लहर चल रही है, जो 'पौधों का होता है' के पक्ष में, न कि 'पौधों में जो उत्पादित होता है' के पक्ष में। इसी तरह 'स्लो फूड' के पक्ष में भी वातावरण बना है जो फ्रांस से चलकर पूरे यूरोप तथा अन्य देशों में भी प्रचलित हो रहा है।

इनमें भारत की कृषि खाद्य प्रसंस्करण नीति आज निम्नलिखित चालकों से निर्देशित हो रही है:

(i) जैसे-जैसे शहरी जनसंख्या बढ़ती है तथा शहरी खान-पान की आदतें भी विकसित होती हैं, वैसे-वैसे प्रसंस्करित खाद्य पदार्थ की मांग में भी वृद्धि होती है। ऐसे खाद्य पदार्थों की मांग अर्थव्यवस्था में बढ़ रही है और खान-पान की आदतें परिवर्तन की प्रक्रिया में सुधार सकी हैं।

(ii) 1990 के दशक के मध्य तक सरकार द्वारा इसके शहरी आयाम की स्वीकार पर लिए गए। एक संयुक्त गैट-ओईसीडी (GATT-OECD) अध्ययन के अनुसार डब्ल्यूटीओ के प्रावधान लागू होने के बाद प्रसंस्करित खाद्य पदार्थ के व्यापारिक 19 प्रतिशत की वृद्धि संभावित है।

(iii) खाद्य पदार्थों का बड़ा प्रतिशत, जिनकी शेल्फ-लाइफ होती है, भारत में नष्ट हो जाता है, यह ऐसे देश के लिए अच्छा भी माना जाएगा जहां खाद्य आपूर्ति की कमी और भुखमरी की स्थिति है।

महत्व (Importance)

जहां कि बड़ी हुई उत्पादकता जीवंत कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, सुधरा हुआ करनी पश्चात् का रखरखाव तथा प्रसंस्करण मूल्य-योग, अपशिष्ट में कमी तथा बाजार तक अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों का पहुंचना निश्चित करना जरूरी है। फसल बुआई के पश्चात् के खराब व्यवहारों के कारण अक्सर उत्पादन अधिक होने पर भी उत्पादक की आय में गिरावट होती है।

लक्ष्य (Aim)

खाद्य प्रसंस्करण का लक्ष्य है—आहार को अधिक सुपाच्य, पोषक बनाने के साथ उसमें 'शेल्फ-लाइफ में बढ़ोतरी। मौसमी बदलावों के साथ उच्च स्तर पर अवशिष्ट पैदा हो सकते हैं। खाद्य पदार्थों के भण्डारण एवं प्रसंस्करण की समुचित व्यवस्था न होने के कारण खाद्य पदार्थों की कमी हो सकती है। खाद्य प्रसंस्करण में वे सभी प्रक्रियाएं आती हैं, जिससे कि खाद्य पदार्थ खेत से लेकर उपभोक्ता की प्लेट तक से आकर गुजरता है। इसके अंतर्गत सफाई, श्रेणीकरण तथा पैकेजिंग (फलों-सब्जियों के मामले में) तथा अंतिम चरण से पहले कच्चे माल का रूपांतरण भी शामिल है। मूल्य वर्द्धन (Value addition) प्रक्रियाएं, जो कि बेकरी उत्पादकों, तुरंत खाद्यों (instant foods) तथा हेल्थ ड्रिंक्स के लिए जरूरी है, भी इस परिभाषा के अंतर्गत आती हैं।

81. The analyses are based on several volumes of ***Economic Survey, India*** and the relevant documents of the Government of India between the period 2005 and 2015.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

खाद्य प्रसंस्करण यह अवसर प्रदान करता है, जिसमें भारतीय आजीविका तथा ग्रामीण समुदायों का आर्थिक विकास संभव हो सकता है। पिछले कुछ दशकों में इस क्षेत्र का पर्याप्त विकास हुआ है। लगातार बदलती जीवन शैली आहार-आदतें तथा उपभोक्ताओं का स्वाद पूरी दुनिया में इस उद्योग के आयामों को बदल रहा है। खाद्य प्रसंस्करण समाज के सभी वर्गों के लिए फलदायी हैं:

(i) किसानों को बेहतर प्राप्ति, उच्च उत्पादन प्राप्त होता है और जोखिम घटता है।

(ii) उपभोक्ताओं को विविधता प्राप्त होती है, बेहतर मूल्य पर नये उत्पाद मिलते हैं।

(iii) अर्थव्यवस्था को नये व्यवसाय के उत्पन्न होने तथा कार्यबल को रोजगार मिलने का लाभ मिलता है।

व्यापक उत्पादन आधार के साथ भारत विश्व का अग्रणी खाद्य आपूर्तिकर्ता बन सकता है, दूसरी ओर तेजी से बढ़ते घरेलू बाजार की मांग भी पूरी कर सकता है। भारत के बाजार का आकार बढ़ती आय तथा बदलती जीवन शैली के साथ उत्पादकों, प्रसंस्करणकर्ताओं, संयंत्र निर्माताओं, खाद्य टेक्नोलॉजिस्ट तथा सेवादाताओं के लिए अविश्वसनीय अवसर पैदा कर रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की वृद्धि उन लोगों के लिए अनेक अवसर खुलेंगे जिनका कृषि मूल्य शृंखला (agri-value chain) से मजबूत जुड़ाव है। अभी तो आपूर्ति शृंखला प्रबंधन, शीत भंडारण, वित्तीयन, खुदरा बिक्री एवं निर्यात के क्षेत्र में निवेश के अवसरों का लाभ उठाया जाना बाकी है।

ऐतिहासिक रूप से कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उपोग (FPI) क्षेत्र में कुछ बाधक तत्व रहे हैं, जो निम्नलिखित हैं:

(i) अल्प सार्वजनिक निवेश (Low public investment)।

(ii) खराब अधिरचना (Poor infrastructure)।

(iii) अपर्याप्त ऋण उपलब्धता (Inadequate credit availability)।

(iv) अत्यधिक बिखराब।

नियम-विनियम (Rules and Regulations)

इस उद्योग में नियमों विनियमों की स्थिति निम्नवत् है:

(i) अधिकतर खाद्य प्रसंस्करण प्रतिष्ठानों को औद्योगिक लाइसेंस (Industries Development and Regulation Act, 1951) से मुक्त रखा गया है, अपवाह है—बीमार एवं अल्कोहल वाले पेय पदार्थ तथा अन्य वस्तुएं जो लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं।

(ii) विदेशी निवेश के लिए ज्यादातर प्रसंस्करित खाद्य के लिए स्वत: स्वीकृति मिलती है, यहां तक कि 100 प्रतिशत इक्विटी के लिए भी।

(iii) एमएसई (MSEs) के लिए आरक्षित वस्तुओं के उत्पादन के लिए 24 प्रतिशत एफडीआई स्वचालित पक्ष से मिल जाती है।

आकर्षक पैकेजिंग उपभोक्ताओं को अधिक आकर्षित करती है और वे इसके लिए अधिक कीमत देने को भी तैयार हो जाते हैं। सरकार की नीतिगत पहल मेगा फूड पार्क, कोल्ड चेन तथा कृषि-निर्यात जोन खोलने में सहायता देने को भी है। इसमें कौशल विकास तथा शोध एवं विकास भी शामिल हैं। केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अतिरिक्त राज्य सरकारें भी अपना स्वयं की खाद्य प्रसंस्करण प्रोत्साहन नीतियों एवं योजनाओं को लागू कर रही है।

योगदान (Contribution)

यह क्षेत्र जीडीपी (कृषि एवं विनिर्माण क्षेत्र) में लगभग 104 प्रतिशत का योगदान करता है। पिछले पांच वर्षों में एफडीआई सेक्टर लगभग 6 प्रतिशत की दर से वृद्धि कर रहा है-कृषि के 4 प्रतिशत तथा विनिर्माण के 7 प्रतिशत की तुलना में।

अधिरचना विकास (Infrastructure Development)

खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय एक योजना को लागू कर रहा है जिसमें आधुनिक अधिरचना स्थापित करने में सहायता की जाती है, जैसे—मेगा फूड पार्क, कोल्ड चेन तथा शालाओं का निर्माण एवं आधुनिकीकरण भी शामिल हैं।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

मेगा फूड पार्क योजना (Mega Food Park Scheme)

इसका लक्ष्य देश में मजबूत खाद्य प्रसंस्करण अधिरचना तथा कार्यकुशल आपूर्ति शृंखला स्थापित कर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की वृद्धि को तीव्र करना है। इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत के 50 प्रतिशत का पूंजी-अनुदान सामान्य क्षेत्रों में तथा 75 प्रतिशत कठिन एवं एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम (Integrated Tribal Development Programme) अधिसूचित क्षेत्रों के लिए दिया जाता है (अधिकतम सीमा 50 करोड़ रुपए)। प्रत्येक मेगा पार्क के पूर्ण होने के 30-36 माह का समय लगता है।

शीत शृंखला, मूल्य योग एवं संरक्षण (Cold Chain, Value Addition and Preservation)

यह योजना 2008 में स्वीकृत हुई थी जिसका उद्देश्य एकीकृत एवं पूर्ण शीत शृंखला, मूल्य योग एवं संरक्षण संबंधी अधिरचनात्मक सुविधाएं निरतंरता के साथ प्रदान करना था-जल्द खराब होने वाली वस्तुओं के लिए खेत से लोकर उपभोक्ता के हाथों तक। इस योजना में सहायता के अंतर्गत सामान्य क्षेत्रों में संभव एक यंत्रों तथा तकनीकी असैनिक कार्यों की कुल लागत का 50 प्रतिशत, तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों तथा कठिन क्षेत्रों के लिए 75 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता मिलती है (अधिकतम समा 10 करोड़ रुपए)।

वधशालाओं/बूचड़खानों का आधुनिकीकरण (Modernisation of Abattoirs)

पहले चरण में मंत्रालय ने 10 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। दो परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। योजना को और व्यापक बनाने पर विचार चल रहा है।

तकनीकी उन्नयन (Technological Upgradation)

इस योजना के अंतर्गत अधिक्कयन, एफपीआई इकाईयों के आधुनिकीकरण वित्तीय सहायता अनुदान सहायता के रूप में दी जाती है। इसके अंतर्गत नई खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां लगाना भी शामिल है। भारत सरकार अनुदान सहायता के रूप में उद्यमियों को संयंत्र एवं मशीनरी के साथ तकनीकी असैनिक फर्मों की लागत का 25 प्रतिशत (अधिकतम 50 लाख रुपए) सामान्य क्षेत्रों के लिए प्रदान करती है, जबकि 33.3 प्रतिशत (अधिकतम 75 लाख रुपए) कठिन क्षेत्रों के लिए उपलब्ध कराती है। यह योजना अब 12वीं योजना में नेशनल मिशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग की शुरूआत के साथ ही राज्यों को हस्तांतरित कर दी गई है।

गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक तथा शोध एवं विकास तथा प्रोत्साहक गतिविधियां (Quality Assurance, Codex Standard and R & D and Promotional Activities)

आज के विश्व बाजार में गुणवत्ता एवं खाद्य सुरक्षा प्रतिस्पर्धात्मक रूप में बढ़ती दिखाई देती है, जो कि प्रतिष्ठानों के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। खाद्य पदार्थों के लिए घरेलू मानक तय करने के अलावा कोडेक्स खाद्य पदार्थ की सुरक्षा एवं गुणवत्ता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक भी निर्धारित करता है, साथ ही बेहतर निर्माण प्रचलनों का भी स्तर निर्धारित करता है। इसी प्रकार उतना ही महत्व शोध एवं विकास क्षेत्र पर भी किया जाना जरूरी है ताकि उत्पादों, कुल लागत की प्रक्रियाओं तथा कार्यकुशल तकनीक में नवचार स्थापित हो। फूड सेफ्टी कोडेक्स एवं आर एंड डी योजना इस दिशा में सफल रही है।

मानव संसाधन विकास (Human Resource Development)

इस क्षेत्रक में टिकाऊ वृद्धि के लिए मानव संसाधन विकास महत्वपूर्ण है। सघन प्रशिक्षण एवं उद्यमिता विकास को शीर्ष प्राथमिकता मिल रही है:

(i) खाद्य प्रसंस्करण में डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए अधिरचना संबंधी सुविधाएं सृजित की जा रही हैं।

(ii) उद्यमिता विकास कार्यक्रम।

(iii) खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों (FPTC) की स्थापना।

(iv) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय संस्थानों के प्रशिक्षण।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

भारतीय उपज प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान का सुदृढ़ीकरण (Indian Institute of Crop Processing Technology, IICPT)

पूर्व में धान प्रसंस्करण शोध केन्द्र (Paddy Processing Research Centre) के नाम से जाना जाने वाला यह एक स्वशासी संस्थान है जो तंजावुर में स्थित है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अधीन यह संस्थान पिछले तीन दशकों से कार्यरत है। कुछ अन्य पदार्थों, जैसे–ज्वार, दालें, तैलबीज आदि का महत्व बढ़ता जा रहा है, यह देखकर 2001 में इन वस्तुओं को भी संस्थान की कार्य सूची में शामिल कर लिया गया। अब इस संस्थान को एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में विकसित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय मांस एवं कुक्कुट प्रसंस्करण (National Meat and Poultry Processing Board, NMPPG)

भारत सरकार ने 2009 में इसकी स्थापना की। बोर्ड एक स्वशासी निकाय है, भारत सरकार ने शुद्ध आरंभिक दो सालों के लिए इसका विलयन किया था और अब इसका प्रबंधन आयोग स्वयं करेगा। यह उद्योग–चालित संस्था इस क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं एवं मुद्दों के हल के लिए एक नेशनल हब के रूप में कार्य करेगी ताकि इस क्षेत्र का सम्यक विकास हो। बोर्ड एक 'एकल खिड़की' (Single Window) के रूप में उत्पादकों, निर्माताओं तथा मांस एवं मांस उत्पादों के निर्यातकों के लिए सुविधा प्रदायक के रूप में कार्य करता है।

भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड (Indian Grape Processing Board)

भारत सरकार ने 2009 में पुणे में इस बोर्ड की स्थापना की स्वीकृति दी, जो कि अंगूर उत्पादक क्षेत्रों के समीप है। बोर्ड के कार्य एवं उद्देश्य निम्न हैं:

(i) शोध एवं विकास, विस्तार, गुणवत्ता आश्वासन एवं उन्नयन, भारतीय वाइन को घरेलू एवं अंतराष्ट्रीय प्रोत्साहन।

(ii) भारतीय वाइन उद्योग का धारणीय विकास।

(iii) भारतीय वाइन क्षेत्रक की वृद्धि के लिए दृष्टि एवं कार्य योजना का सूत्रण, जिसमें नई प्रौद्योगिकी में गुणवत्ता आश्वासन के लिए शोध एवं विकास भी शामिल हैं।

अपने 3 साल के अस्तित्व में बोर्ड भारतीय वाइन का घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ावा देने पर एकाग्र रहा है। इसके लिए अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक प्रदर्शनियों, मेलों, उपभोक्ता जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि में सक्रिय रूप से भगा लिया। इसमें राज्य सरकारों/संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों का भी सहयोग लिया गया। बोर्ड एक 'ट्रेसेबिलिटी प्रोग्राम', 'लाइन नेट' की शुरूआत करने जा रहा है ताकि वाइन सेक्टर में मानकता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित किए जा सकें।

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (National Institute of Food Technology, Entrepreneurship & Management, NIFTEM)

एक सीमांत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए न केवल विश्वस्तरीय खाद्य टेक्नोलॉजिस्ट की जरूरत है जो अग्रिम क्षेत्रों में शोध एवं विकास को आगे बढ़ाये, नये उत्पाद विकसित करें, नयी प्रक्रियाएं, तकनीक एवं मशीनरी का निर्माण करे। बल्कि ऐसी व्यावसायिक नेतृत्व व प्रबंधकों की भी जरूरत है, जो विश्व खाद्य व्यापार में बड़े अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम हों।

उभरते विश्व परिदृश्य में वैश्विक उत्कृष्टता का एक संस्थान स्थापित कार्य जरूरी है, जो कि बढ़ते खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, हितधारकों, उद्यमियों, निर्यातकों, नीति–निर्माताओं, सरकार तथा शोध संस्थानों की जरूरतों की पूर्ति कर सके। NIFTEM की कल्पना खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने खाद्य विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक विश्वस्तरीय उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में की, जो इस क्षेत्र में सहयोग एवं नेटवर्क का विकास देश के अंदर तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ भी कर सके। संस्थान उत्तम गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक, शोधपरक प्रबंधन कार्यक्रम ऑफर करेगा, खाद्य स्तर पर सलाह देगा, खाद्य क्षेत्र से संबंधित ज्ञान एवं जानकारी का प्रसार करेगा, साथ ही व्यापार शुरू करने की सुविधाएं भी प्रदान करेगा। यह संस्थान 2006 से कुंडली (सोनीपत), हरियाणा में कार्यरत है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (National Mission on Food Processing–NMFP)

भारत को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अपने व्यापक कृषि, दुग्ध, कुक्कुट, बागवानी एवं मत्स्य उत्पादों के विशाल उत्पादन आधार के चलते प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त है। जितनी गति इस क्षेत्र को भारत में मिलनी चाहिए उतनी-गति सुनिश्चित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय अधिरचना विकास, तकनीक उन्नयन एवं आधुनिकीकरण, मानव संसाधन विकास तथा शोध एवं विकास के लिए अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम चला रहा है। 12वीं योजना के संदर्भ में, यह अनुभव किया जाता है कि कार्यान्वयन के विकेन्द्रीकरण की जरूरत है, और इसमें राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को संलग्न करके पहुंच का विस्तार किया जाना चाहिए। इससे पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं रोजगार सृजन की स्थिति भी बेहतर होगी। उसी के अनुसार NMFP की शुरूआत 2012 में एक केन्द्र प्रत्यायोजित योजना के रूप में की गई। मिशन केन्द्रीय स्तर के अलावा राज्य स्तर एवं जिला स्तरीय मिशनों के लिए कार्य करेगा।

चुनौतियां (The Challenges)

सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। हर स्तर पर 'अपशिष्ट' (Wastage) की अनदेखी, साथ ही मूल्य योग (Value addition) में कमी। उच्च खाद्य स्फीति, उच्च पैदावार-पश्चात् अपशिष्ट, खासकर फलों-सब्जियों में, प्रसंस्करण का निम्न स्तर भी इस क्षेत्र की चुनौतियां हैं। इन प्रमुख चिंताओं के समाधान के लिए खाद्यान्नों की बर्बादी को रोकना, शेल्फ लाइफ को बढ़ाना तथा कृषि उत्पादों का मूल्य बढ़ाना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का लक्ष्य होना चाहिए। रोजगार की दृष्टि से क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण है। वर्तमान में इस क्षेत्र के नियोजित लोगों की संख्या लगभग 17 लाख है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, 2011 तथा खाद्य प्रसंस्करण को विशेष महत्व देती है ताकि रोजगार सृजन सुनिश्चित हो सके। समावेशी वृद्धि के साथ औद्योगिक विकास के लिए खाद्य प्रसंस्करण सरकार के लिए प्राथमिकता का क्षेत्र है।

भविष्य के लिए आउटलुक (Outlook for the Future)

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विस्तार एवं विकास अपेक्षित गति से होता रहे। इसके लिए निम्नलिखित पर जोर देना जरूरी है:

(i) बर्बादी (अपशिष्ट) रोकने, मूल्य योग एवं उच्च रोजगार क्षमता के मद्देनजर इस क्षेत्र को अर्थव्यवस्था में इसके योगदान के अनुसार इसे आवंटन निश्चित होना चाहिए।

(ii) बेहतर पहुंच, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के लिए राज्यों की अधिक विसंगतता जरूरी है (केन्द्र सरकार ने इसी आशय से नेशनल मिशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग शुरू किया है)।

(iii) राज्य सरकारों एवं निजी क्षेत्र के पूर्ण सहयोग से अधिरचना निर्माण पर जोर दिया जाना आवश्यक है। फूड पार्क एवं कोल्ड जोन के लिए मुख्य अधिरचना संबंधी योजनाएं वर्तमान में क्लोज एंडेड हैं। इन्हें ओपन हैंडेड यानी खुले सिरे वाले होना चाहिए और मंत्रालय को सभी संभाव्य परियोजनाओं को इस योजना के अंतर्गत धन उपलब्ध कराना चाहिए। परियोजाओं की संख्या को सीमित नहीं करना चाहिए।

(iv) क्षेत्र के ऋण आयात भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

माना जा रहा है कि नीति आयोग के तहत 'टीम इंडिया' के विचार के जरिए खाद्य प्रसंस्करण इंडस्ट्री में नया तालमेल विकसित होगा। इस इंडस्ट्री को सिर्फ संबंद्ध राज्यों की ही सक्रिय सहभागिता नहीं, बल्कि स्थानीय निकायों की भागीदारी की भी जरूरत है। जानकार मानते हैं कि कारोबार को आसान बनाने पर सरकार का जोर इस क्षेत्र की मदद करेगा।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

कृषि आय दोहरीकरण (DOUBLING FARM INCOME)

लाभकारी खेती कृषक समुदाय की समृद्धि का ही एक जरिया नहीं है बल्कि यह कृषि उत्पाद को बढ़ाने का भी सबसे अच्छा तरीका है। इसीलिए पिछले कुछ समय में कृषि आय बढ़ाना सरकार के नीतिगत सरोकारों में लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। हाल ही में कृषि क्षेत्र को लेकर सरकार की रणनीति में एक बदलाव देखा गया है-कृषि उत्पादन बढ़ाने से कृषि आय बढ़ाने की ओर। 2022 तक कृषकों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ भारत सरकार ने एक 'सात बिंदुओं वाली रणनीति' की घोषणा की है। इसका ब्यौरा नीचे दिए गया है:

(i) बड़े बजट के साथ सिंचाई पर ध्यान देना जिसका लक्ष्य होगा 'हर बूंद, ज्यादा फसल।'

(ii) मिट्टी की सेहत के आधार पर अच्छी गुणवत्ता वाले बीज और पोषक तत्वों का प्रावधान करना।

(iii) कटाई के बाद फसल के नुकसान को रोकने के लिए गोदामों और कोल्ड स्टोरेज की श्रृंखला को मजबूत करना।

(iv) खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से उत्पाद की मूल्य वृद्धि को बढ़ाना।

(v) राष्ट्रीय कृषि बाजार बनाना, संबद्ध विकृतियों को दूर करना और ई-प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना।

(vi) वहन करने योग्य लागत में उचित प्रकार के कृषि बीमा के माध्यम से जोखिम को कम करना।

(vii) कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन और मत्स्य पालन जैसी सहायक कृषि गतिविधियां को बढ़ावा देना।

सर्वश्रेष्ठ कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन के साथ कृषि-विशेषज्ञों ने सरकार की पहल की प्रशंसा की है। अच्छी रणनीति, अच्छी तरह तैयार योजनाओं, पर्याप्त संसाधनों और अच्छे प्रशासन के साथ निश्चित समय में किसानों की आय दोगुना करने की चुनौती को पार पाना काफी हद तक संभव है।

महिला किसान (WOMEN FARMERS)

कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। फसलों के उत्पादन से लेकर उनकी तैयारी तक तथा पशुपालन, मछलीपालन, विपणन आदि कृषि कार्य के हर स्तर पर आज इनकी सक्रिय भागीदारी है। इनकी इस भूमिका को महिलाओं पर गठित राष्ट्रीय आयोग (2001) ने भी स्वीकारा है। कृषि के संपोषित विकास एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका अस्वीकारी नहीं जा सकती।

वैश्विक तौर पर इसके प्रमाण मिलते हैं कि 'खाद्य सुरक्षा' एवं 'स्थानीय कृषि-जैवविविधता संरक्षण' के क्षेत्र में महिलाओं की निर्णायक भूमिका है। विविध प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और उनके समन्वित प्रबंधन के लिए ग्रामीण महिलाएं बड़े अर्थों में जिम्मेदार हैं *(फूड एण्ड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन, 2011)*।

लेकिन इस क्षेत्र में भी भारत में उच्च लिंग भेद (gender disparity) है। जनगणना 2011 के अनुसार, कुल महिला कामगारों में 55 प्रतिशत कृषि मजदूर एवं 24 प्रतिशत किसान थीं। लेकिन उनके स्वामित्व में सिर्फ 12.5 प्रतिशत जोतें (holdings) ही थीं। वैसे सीमांत एवं छोटे किसानों की श्रेणी में 25.7 प्रतिशत जोतें इनके स्वामित्व में थीं। गांवों से शहरों की तरफ बढ़ते प्रवसन (migration) के कारण भारत में कृषि क्षेत्र का **महिलाकरण** (feminisation) हो रहा है जिसके अंतर्गत महिलाओं की अन्यान्य रूपों में संख्या बढ़ रही है, यथा-किसान, उद्यमी एवं मजदूर।

कृषि में महिलाओं की बढ़ती भूमिका के मद्देनजर महिलाओं को कृषि संसाधनों की बेहतर पहुंच उपलब्ध कराना काफी जरूरी है। इन संसाधनों में मूलतः भूमि, जल, ऋण, तकनीक एवं प्रशिक्षण शामिल हैं। महिलाओं को स्वामित्व का अधिकार दिये जाने से कृषि उत्पादकता पर उच्च धनात्मक प्रभाव बढ़ेगा। महिलाओं के कृषि अधिकारों को मजबूत करने और उन्हें कृषि क्षेत्र से धार-रेखित (streamline) करने के लिए सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम[82] उठाये गए हैं:

82. ***Economic Survey 2017-18***, Vol. 2, pp. 103-104, Ministry of Finance, Government of India, N. Delhi.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

- वर्तमान में चलाई जा रही सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों में बजटीय आवंटन का 30 प्रतिशत महिला लाभकर्ताओं के लिए सुरक्षित करना।
- महिला केन्द्रित गतिविधियों की पहल करना।
- महिला स्वयं-सेवी समूहों (SHG) पर बल देना तथा इन्हें लघु ऋण एवं सही सूचना की आपूर्ति करना। इसके साथ ही कृषि कार्यों की निर्णय प्रक्रिया में इनकी भागीदारी बढ़ाना।
- कृषि क्षेत्र में महिलाओं की निर्णायक (crucial) भूमिका का सम्मान करते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 15 अक्तूबर को 'महिला किसान दिवस' के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गयी है।

भारतीय कृषि की वर्तमान एवं उभरती स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में इस क्षेत्र के लिए एक लिंग-विशेष नीति फ्रेमवर्क की आवश्यकता हे। इस प्रकार का सूक्ष्म (nuanced) नीति हस्तक्षेप (intervention) देश में न सिर्फ खाद्य सुरक्षा को बेहतर बनाएगा बल्कि इससे लिंग समानता, विस्तारण (extension) सेवाओं, धारणीयता एवं ग्रामीण क्षेत्रों के चौतरफा (all round) विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

जलवायु स्मार्ट कृषि (Climate Smaert Agriculture)

जलवायु परिवर्तन कृषि क्षेत्र को विभिन्न पकार से प्रभावित कर सकता है-तापमान में बढ़ी हुई परिवर्तनीयता, वर्षा एवं चरम मौसमी स्थितियां, जैसे-सूखा एवं बाढ़। इन घटनाओं का अंतत: कृषक समुदाय पर गहरा ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। इन अनिश्चितताओं से निबटने के लिए कृषि व्यवस्था को जलवायु-लोच (climate resilient) बनाने की आवश्यकता है।

इसी पृष्ठभूमि में जलवायु स्मार्ट कृषि नामक नई अवधारणा का उदय[83] हुआ है। इसके अंतर्गत 'कृषि व्यवस्था/पद्धति को कुछ इस प्रकार रूपांतरित (transform) एवं पुनर्मुखी (reorient) बनाने की कोशिश की जाती है जिससे जलवायु परिवर्तन के दौर में खाद्य सुरक्षा एवं विकास की प्रक्रिया को सहारा दिया जा सके। कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी पक्षों को अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार नई कृषि रणनीति की पहचान एवं उनके इस्तेमाल को बढ़ावा देना इस कृषि का लक्ष्य है। इस कृषि के प्रमुखतया **तीन** उद्देश्य हैं:

(i) कृषि उत्पादकता एवं आय में धारणीय उत्थान;

(ii) जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया में अनुकूलन (adaption) एवं लचीलापन (resilience) का विकास, तथा;

(iii) जहां भी संभव है वहां हरित-गृह गैसों के उत्सर्जन को कम करना तथा उनका उन्मूलन।

वैसे भारत में यह अवधारणा अभी नवजात (nascent) चरण में है फिर भी सरकार द्वारा इस दिशा में पहल की जा चुकी है। वर्तमान समय में 'जलवायु-लोच तकनीकों' (climate resilient technologies) का 153 मॉडल गांवों (किसान विकास केन्द्र के अंतर्गत) में प्रदर्शन किया जा रहा है, जो 23 राज्यों में विस्तृत हैं। इसके साथ ही सरकार द्वारा 623 आकस्मिक योजनाओं को तैयार किया गया है, जिनका उद्देश्य है—मौसमी अनिश्चितता से उत्पन्न समस्याओं (यथा—बाढ़, सूखा, तूफान, हिमपात, लू और शीत लहर, इत्यादि) का प्रबंधन करना।

भविष्य की ओर (Looking Ahead)

वैसे तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की सकल मूल्यवर्द्धन (GVA) में हिस्सेदारी घटती जा रही है फिर भी यह क्षेत्र *(आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18)* समेकित विकास (inclusive development) का इंजन है। इस क्षेत्र की मजबूती से न सिर्फ आर्थिक असमानता घटती है बल्कि देश में खाद्य सुरक्षा को भी बल मिलता है।

वर्तमान समय में भारतीय कृषि संरचनात्मक बदलावों के दौर से गुजर रही है, जिसमें नयी चुनौतियां एवं अवसरों का उद्भव जारी है। इस दिशा में की गयी सरकारी पहल बहुउद्देशीय एवं इस क्षेत्र को रूपांतरित करने की है:

- कृषि विपणन।
- तकनीक समावेश।
- छोटे एवं सीमांत किसानों एवं ऋण, आगतों एवं विस्तार सेवाओं की आपूर्ति के लिए 'डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर' (DBT) को अपनाना।

83. ***Economic Survey 2017-18***, Vol. 2, pp. 113-114, Ministry of Finance, GoI, N. Delhi.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

- कृषि विविधीकरण पर जोर ताकि कृषि आय से जुड़े जोखिम को कम किया जा सके (पशुपालन एवं मछलीपालन जैसे उप-क्षेत्रों को प्रोत्साहित करके)।

कृषि क्षेत्र को रूपांतरित करने के लिए *आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18* द्वारा सरकार को निम्न क्षेत्रों से जुड़ी समुचित नीजिगत पहलें करने की सलाह दी गयी:

(i) कृषि उत्पादों का मूल्य किसानों के लिए लाभकारी (remunerative) बना रहे।

(ii) कृषि व्यापार (trade) को ऐसे समन्वित किया जाए ताकि वैश्वीकरण का लाभ किसानों को भी प्राप्त हो सके।

(iii) किसानों की आजीविका एवं उनकी आय की सुरक्षा के लिए जलवायु स्मार्ट कृषि (CSA) को अपनाना।

(iv) छोटे सीमांत एवं महिला किसानों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता।

कृषि कार्य को लाभकारी बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा **संघीय बजट** 2018-19 में एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की गयी है। इसके अनुसार फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (MSPs) को उनकी उत्पादन लागत से 50 प्रतिशत अधिक रखने का निर्णय किया गया है। हालांकि फसलों की उत्पादन लागत की गणना विधि की अभी घोषणा नहीं की गयी है फिर भी विशेषज्ञ इसे एक बड़ी नीतिगत पहल मान रहे हैं। वैसे देश के लगभग 85 प्रतिशत (छोटे किसान जिनकी जोत 5 एकड़ से कम है) किसानों के पास विपणनकारी अतिरेक (marketable surplus) नहीं होता, ऐसे में विशेषज्ञों की राय में 'लागत छूटों' (input subsidies) को बेहतर बनाने का लाभ ज्यादा प्रभावी साबित होगा। इस दिशा में लागत छूटों को तार्किक बनाने तथा उनके प्रत्यक्ष हस्तांतरण पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी होगा।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

अध्याय 9

उद्योग एवं विनिर्माण (INDUSTRY AND INFRASTRUCTURE)

*चीन में मैं औद्योगिक सहकारी समितियों की ओर काफी आकर्षित था-द इंडसको मूवमेंट- और मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कोई अभियान विशेष रूप से भारत के लिए अनुकूल होगा। यह भारतीय पृष्ठभूमि में सटीक बैठेगा, छोटे उद्योगों को एक लोकतांत्रिक आधार देगा, और सहकारिता की आदत को विकसित करेगा। इसे बड़े उद्योगों की सहायता के लिए बनाया जा सकता था। यह याद रखना चाहिए कि भारत में भारी उद्योगों का विकास चाहे जितनी भी तेजी से हुआ हो, छोटे और घरेलू उद्योगों के लिए एक बड़ा मैदान खुला रहेगा। सोवियत रूस में भी मालिक-उत्पादक सहकारिता ने औद्योगिक वृद्धि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।**

इस अध्याय में

❑ प्रस्तावना
❑ 1986 के पूर्व की औद्योगिक नीतियाँ
❑ नई औद्योगिक नीति, 1991
❑ विनिवेश
❑ एमएसएमई क्षेत्र
❑ क्षेत्रीय चिंताएं
❑ प्रत्यक्ष विदेशी निवेशी माप
❑ व्यवसाय करने की सहूलियत
❑ मेक इन इंडिया
❑ स्टार्ट–अप इंडिया
❑ भारतीय अधिसरंचना
❑ उदय योजना
❑ रेलवे
❑ सड़क

** जैसा जवाहरलाल नेहरू ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, छठा संस्करण (पहला संस्करण 1946, ऑक्सफोर्ड, लंदन), नई दिल्ली, 1994, पृष्ठ 406*

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

- नागर विमानन
- समुद्री कार्यसूची
- स्मार्ट सिटी
- निजी क्षेत्र और शहरीकरण
- पीपीपी मॉडल
- पेट्रोलियम क्षेत्र की चिंताएं
- अक्षय ऊर्जा
- संभारतंत्र क्षेत्र
- आवास नीति
- नई चुनौतियां

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

प्रस्तावना (INTRODUCTION)

भारत में स्वतंत्र अर्थव्यवस्था आने से पहले ही कई पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं ने अपने सफल औद्योगीकरण की कहानी दर्ज कर ली थी, जिससे इन देशों में तीव्र वृद्धि एवं विकास हुआ। स्वतंत्र भारत अपनी जीर्ण-शीर्ण अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा प्रदान करना चाहता था। देश के सम्मुख अनेक चुनौतियाँ थीं, जैसे—व्यापक गरीबी, खाद्यान्न की कमी, स्वास्थ्य सुरक्षा इत्यादि जिस पर अधिक ध्यान देना आवश्यक था। अन्य क्षेत्र जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता थी, वे थे—उद्योग, आधारभूत संरचना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा इत्यादि। इन सभी क्षेत्रों के विकास के लिए अत्यधिक पूँजी निवेश की आवश्यकता थी; क्योंकि इन क्षेत्रों पर गत् 150 वर्षों से उपनिवेशीय शासकों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया था। समय की माँग थी कि अर्थव्यवस्था का विकास हो, वह भी तीव्र गति से। मौजूद विकल्पों के लाभ एवं हानियों को देखते हुए देश ने यह निश्चय किया कि 'क्षेत्र उद्योग' (Sector Industry) अर्थव्यवस्था का 'मुख्य प्रेरक बल' (Prime Moving Force–PMF) होगा–(तीव्र विकास (के लिए एक तर्कसंगत चयन) (यह मत उस समय संपूर्ण विश्व भर में व्याप्त था)। 1930 के दशक में स्वतंत्रता सेनानियों के प्रमुख राजनीतिक घटक द्वारा निर्णय लिया गया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था का नेतृत्व द्वितीयक क्षेत्र को करना था।

उस समय की सरकार ने यह निर्णय लिया कि अर्थव्यवस्था में सरकार की सक्रिय भूमिका होगी, स्वभाविक रूप से औद्योगिक क्षेत्र में राज्य का प्रभुत्व कायम रहेगा–सरकारी अधिकृत कंपनियों (अर्थात् सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम) का विस्तार पूर्ण रूप से होगा। यह कहा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास सरकारी क्षेत्र का विकास रहा है। 1990 के दशक के शुरुआत में आर्थिक सुधार द्वारा अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका में मूलभूत परिवर्तन होने के बाद भी सरकार की सक्रियता के अवशेष अभी भी दृष्टिगोचर होते हैं। समय-समय पर सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक नीतियों ने मूलतः अर्थव्यवस्था की प्रकृति एवं संरचना को आकार प्रदान किया। भारतीय अर्थव्यवस्था पर किसी चर्चा की शुरुआत देश के औद्योगिक नीतियों की सर्वेक्षण से होती है। यहाँ हमने अभी तक की सरकारों की औद्योगिक नीतियों की एक संक्षिप्त समीक्षा की है:

1986 के पूर्व की औद्योगिक नीतियाँ (REVIEW OF INDUSTRIAL POLICIES UPTO 1986)

भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छी तरह समझने के लिए यह आवश्यक है कि इनके विविध औद्योगिक नीतियों को देखा जाए। आधिकारिक सूचना के अनुसार प्रत्येक औद्योगिक नीतियों को देखा जाए। आधिकारिक सूचना के अनुसार प्रत्येक औद्योगिक नीति के अंतर्गत कुछ-न-कुछ अवश्य परिवर्तन देखा जाता है। इन नीतियों को समझने के पश्चात् हम इनके अंतर्गत होने वाले महत्वपूर्ण सुधारों के सूक्ष्म पहलुओं को समझ सकते हैं। यहां भारत के कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक नीतियों की चर्चा की गई, जो निम्न है:

1948 की औद्योगिक नीति का प्रस्ताव (Industrial Policy Resolution, 1948)

इसकी घोषणा 8 अप्रैल, 1948 को की गई। यह न केवल भारत की पहली औद्योगिक नीति का विकास था, बल्कि इसने भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप (मिश्रित अर्थव्यवस्था) को भी निश्चित किया। इस नीति के मुख्य अंश निम्नलिखित थे:

(i) भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा।[1]

(ii) कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों को केन्द्र सूची में रखा गया; जैसे-कोयला, पॉवर (बिजली), रेल, नागरिक उड्डयन, अस्त्र एवं युद्धोपकरण, रक्षा इत्यादि।

1. Here this should be noted that India will be a planned economy, was well-decided before this industrial policy which articulated for an ***active role*** of the state in the economy. The main objective of planning pointed out at this time was ***poverty alleviation*** by a judicious exploitation of the resources of the country. Only a 'mixed economy' did fit such a wish (***Conference of State Industry Ministers, 1938***).

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(iii) कुछ अन्य उद्योगों (सामान्यत: मध्य वर्ग के) को राज्य सूची में रखा गया; जैसे—कागज, औषधि, कपड़ा, साइकिल, रिक्शा, दो पहियों वाले वाहन इत्यादि।

(iv) अन्य उद्योगों को (जो केंद्रीय तथा राज्य सूची में शामिल नहीं थे) निजी क्षेत्र के निवेश के लिए रखा गया, जिसमें कई के लिए अनिवार्य अनुज्ञापन (compulsory licensing) का प्रावधान था।

(v) 10 वर्ष उपरांत नीति की समीक्षा।

1956 की औद्योगिक नीति का प्रस्ताव (Industrial Policy Resolution, 1956)

1948 की औद्योगिक नीति के परिणामों से प्रोत्साहित होकर 8 वर्षों बाद भारतीय उद्योग के लिए नई तथा अधिक ठोस नीति की घोषणा की गई। 1956 की नई औद्योगिक नीति के निम्नलिखित मुख्य प्रावधान थे:

1. उद्योगों का आरक्षण

उद्योगों को तीन अनुसूचियों में वर्गीकृत (जिसे ''उद्योगों का आरक्षण'' भी कहते हैं) किया गया है:

(i) अनुसूची A

इस अनुसूची में 17 औद्योगिक क्षेत्र थे, जिन पर केंद्र का संपूर्ण एकाधिकार था। इस प्रावधान के अंतर्गत स्थापित उद्यमों को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (CPSUs) कहते थे, जो बाद में 'PSUs' (सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम) के नाम से प्रसिद्ध हुये। यद्यपि उद्योगों की संख्या मात्र 17 है, तथापि भारत सरकार द्वारा स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (PSUs) की संख्या वर्ष 1991 तक 254 हो गई थी। इनमें वे औद्योगिक इकाइयाँ भी शामिल हैं, जिन्हें सरकार द्वारा 1960 से 1980 के बीच राष्ट्रीयकरण के अभियान द्वारा अधिकृत किया गया।[2] इन उद्योगों को अनुसूची B तथा C में शामिल किया गया (अनुसूची A को छोड़कर)।

(ii) अनुसूची B

इस अनुसूची में 12 औद्योगिक क्षेत्र शामिल थे, जिनमें राज्य सरकार को पहल करना था तथा जिस पर निजी क्षेत्र द्वारा अधिक विस्तृत अनुगामी कार्य किया जाता। इस अनुसूची में अनिवार्य अनुज्ञा-पत्र का भी प्रबंध था। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि न तो राज्य तथा न ही निजी क्षेत्र का इन उद्योगों पर एकाधिकार था, यह अनुसूची A के जैसा नहीं था, जहाँ केंद्र का एकाधिकार था।[3]

(iii) अनुसूची C

इनमें वे सभी औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं, जिन्हें अनुसूची A तथा B में शामिल नहीं किया गया था तथा जिसके तहत निजी उद्यमों को उद्योग स्थापित करने का प्रावधान था। इनमें से कई के लिए अनुज्ञा-पत्र की व्यवस्था थी तथा उन्हें राज्य के सामाजिक तथा आर्थिक नीति के ढाँचे के अनुरूप होना अनिवार्य था एवं वे औद्योगिक विकास तथा नियमन अधिनियम (Industries Development and Regulation Act-IDRA) व अन्य संबद्ध कानून के नियंत्रण और नियमन के अधीन थे।[4]

उद्योगों के उपरोक्त वर्गीकरण में एक अंतर्निहित झुकाव सरकारी कंपनियों (CPSUs) के पक्ष में था, जो नियोजन प्रक्रिया के अनुरूप भी था। इस तरह सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार लगभग आर्थिक नीति का एक निदेशक तत्व बन गया तथा सरकारी कंपनियों (PSUs) का आने वाले समय में विस्तार हुआ।[5]

इसी औद्योगिक नीति के अंतर्गत तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरकारी कंपनियों (PSUs) को 'आधुनिक भारत का मंदिर' (Temples of Modern India) कहा एवं उनके महत्व की ओर संकेत किया।[6] स्वतंत्रता के

2. The nationalisation of industrial units allowed the government to enter the unreserved areas, which consequently increased its industrial presence. Though the nationalisation was provided a highly rational official reason of ***greater public benefit,*** the private sector always doubted it and took it as an insecurity and major unseen future hurdle in the expansion of private industries in the country.

3. The Central government had always the option to set up an industry in any of these 12 industrial areas. This happened in the coming years via two methods—first, through *nationalisation* and second, through the *joint sector*.

4. Industrial Policy Resolution, 1956 (30 October).

5. V. M. Dandekar, ***Forty Years After Independence*** in Bimal Jalan edited ***Indian Economy: Problems and Prospects,*** Penguin Books, New Delhi, 2004, p. 63.

6. The statement we get in the ***Second Five Year Plan (1956–61),*** too.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

शीघ्र बाद एक ऐसा समय आया, PSUs को अर्थव्यवस्था में बचत को बढ़ाने तथा वृद्धि का मुख्य माध्यम माना जाना था।[7] अर्थव्यवस्था में 1988-89 तक हुआ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का तीव्र विस्तार आधे से अधिक सकल घरेलू उत्पाद के लिए जिम्मेदार था।[8]

2. अनुज्ञापत्र का प्रावधान

स्वतंत्र भारत का एक महत्वपूर्ण विकास, अनिवार्य अनुज्ञा-पत्र का प्रावधान इस औद्योगिक नीति में निहित था। अनुसूची B के सभी उद्योग तथा अनुसूची C के अनेक उद्योग इस प्रावधान के तहत आते हैं। इस प्रावधान ने अर्थव्यवस्था में तथाकथित ''लाइसेंस-कोटा-परमिट'' व्यवस्था (राज) की स्थापना की।[9]

3. सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार

इस नीति के अनुसार, तीव्र औद्योगीकरण तथा अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार जरूरी था। इसी औद्योगिक नीति द्वारा सरकारी कंपनियों की प्रशस्ति की गई। इसके तहत भारी उद्योगों पर बल दिया गया।

4. क्षेत्रीय असमानता का समाधान

बढ़ती क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए यह नीति अर्थव्यवस्था के अत्यंत पिछड़े तथा अविकसित क्षेत्रों में नई सरकारी कंपनियों को स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध थी।[10]

7. Bimal Jalan, ***India's Economic Policy*** (New Delhi: Penguin Books, 1992), p. 28.
8. V.M., Dandekar, **'Forty years After Independence'**, p. 64.
9. These industries which were set up after procuring ***'licences'*** from the government had fixed upper limits of their production known as ***'quota'*** and they needed to procure timely 'permit' (i.e., permission) for the supply of, raw materials—that is why such a name was given to the whole system.
10. Such a commitment went completely against the *'theory of industrial location'*.

5. लघु उद्योगों पर बल

इस नीति के तहत **लघु उद्योगों** तथा **खादी एवं ग्रामीण उद्योगों** पर बल दिया गया।

6. कृषि क्षेत्र

इस नीति के तहत **कृषि क्षेत्र** को प्राथमिकता दी गई।

महत्व (Importance)

यह विशेषज्ञों द्वारा भारत की सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक नीति मानी जाती है, क्योंकि इसके द्वारा न केवल औद्योगिक विस्तार को निर्धारित किया गया बल्कि 1991 तक कुछ लघु परिवर्तनों के साथ अर्थव्यवस्था की प्रकृति एवं क्षेत्र को संरचनाबद्ध भी किया गया। सभी औद्योगिक नीतियाँ इस नीति में लघु परिवर्तन मात्र थे, केवल 1991 की नई औद्योगिक नीति को छोड़कर, जिसने इसमें गहरे तथा संरचनात्मक परिवर्तन किए, जिसके द्वारा भारत ने एक वृहत् आर्थिक सुधार की प्रक्रिया की शुरुआत की।

1969 की औद्योगिक नीति
(Industrial Policy Statement, 1969)

यह मूलत: अनुज्ञा-पत्र की नीति (Licensing Policy) थी, जिसका उद्देश्य 1956 की औद्योगिक नीति द्वारा शुरू की गई लाइसेंसिंग नीति की कमियों को दूर करना था। विशेषज्ञों तथा उद्योगपतियों की यह शिकायत थी कि औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति अपने उद्देश्यों के विपरीत काम कर रहा था। सामाजिक आदर्शों तथा राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रेरित होकर लाइसेंसिंग नीति के निम्नलिखित मूलाधार थे:

(i) सभी के विकास के लिए संसाधन का उपयोग।
(ii) संसाधन उपयोग में उद्योगों के लिए प्राथमिकता।
(iii) लाइसेंस प्राप्त उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का मूल्य नियंत्रण।
(iv) आर्थिक शक्ति के केंद्रीयकरण को रोकना।
(v) निवेश को वांछित दिशा में निर्दिष्ट करना (नियोजन प्रक्रिया के अनुसार)।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

वास्तव में लाइसेंसिंग नीति ऊपर दिए गए उद्देश्यों के लिए सही ढंग से काम नहीं कर पा रही थी। एक शक्तिशाली औद्योगिक घराना हमेशा नए लाइसेंसों को प्राप्त करने में सफल रहता था न कि नए उद्यमी। मूल्य नियंत्रण नीति का उद्देश्य लाइसेंसिंग द्वारा लोगों को सस्ते मूल्यों पर सामान प्रदान कर उनकी मदद करना था, लेकिन परोक्ष रूप से यह निजी लाइसेंस प्राप्त-उद्योगों की मदद कर रहा था (इसका कारण केंद्र द्वारा निजी कंपनियों को दी जा रही छूट थी, जिसका लाभ गरीब जनता को सस्ते उत्पादित वस्तुओं द्वारा दिया जाना था)। इसी तरह पुराने तथा सुस्थापित औद्योगिक घरानों को यह सामर्थ्य था कि वे नए उद्यमियों के लिए विभिन्न प्रकार के व्यापार प्रक्रियाओं द्वारा बाधाएँ उत्पन्न कर सकते थे जिसके प्रभाव से उन्हें बेच दिया जाता या बड़े उद्योगों द्वारा उनका अधीनीकरण (take over) किया जाता। सरकार द्वारा अनेक समितियाँ स्थापित की गईं, जो इस विषय का अध्ययन कर उनके निदान के लिए सलाह दे सकें।[11] औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति के पुनरीक्षण के लिए स्थापित समितियों ने नीति की कमियों की ओर संकेत किया, लेकिन औद्योगिक लाइसेंसिंग की उपयोगी भूमिका को स्वीकार भी किया।[12] अंततोगत्वा वर्ष 1969 में नई औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की गई, जिसने इस क्षेत्र में निम्नलिखित मुख्य परिवर्तन किए:

(i) एकाधिकारी तथा प्रतिबंधक व्यापार प्रक्रिया (Monopolistic and Restrictive Trade Practices – MRTP) अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य कंपनियों के व्यापारिक तथा वाणिज्यिक प्रक्रियाओं का नियमन करना तथा आर्थिक सुधार के एकाधिकार एवं केंद्रीयकरण को रोकना था।

(ii) 25 करोड़ रुपये या उससे अधिक की सम्पत्ति रखने वाली कंपनियों पर यह बाध्यता थी कि वे किसी विस्तार, ''ग्रीनफील्ड वेन्चर'' या दूसरी कंपनियों द्वारा अधीनीकरण (MRTP अधिनियम के तहत) से पहले भारत सरकार से अनुमति लें। इन कंपनियों को 'एमआरटीपी कंपनियाँ' कहा गया। इन कंपनियों के लिए ऊपरी सीमा (जिसे 'MRTP' सीमा भी कहते हैं), को 1980 में 50 करोड़ रुपये तथा 1985 में 100 करोड़ रुपये कर दिया गया।[13]

(iii) व्यापार की निषिद्ध तथा प्रतिबंधक प्रक्रियाओं को सामंजित करने के लिए सरकार ने MRTP आयोग की स्थापना की।

1973 की औद्योगिक नीति
(Industrial Policy Statement, 1973)

1973 की औद्योगिक नीति ने अर्थव्यवस्था में कुछ नई विचारधाराओं का समावेश किया, जिनमें कुछ मुख्य निम्नलिखित हैं:

(i) एक नए वर्गीकरण शब्द – 'कोर' अथवा मूलभूत उद्योग की उत्पत्ति हुई। इसके अंतर्गत वे उद्योग आते हैं, जो अन्य उद्योगों के विकास के लिए मूल रूप से महत्वपूर्ण हैं, जैसे–लोहा व इस्पात, सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, तेल परिष्करण तथा बिजली के उद्योग। भविष्य में ये उद्योग देश में मूलभूत उद्योग या **आधारभूत उद्योग** के नाम से जाने जाएँगे।

(ii) इस नीति द्वारा परिभाषित 6 'कोर' उद्योगों में से निजी क्षेत्र उन उद्योगों के लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते थे, जो 1956 की औद्योगिक

11. There were four specific committees set up on this issue, namely ***Swaminathan Committee (1964), Mahalanobis Committee (1964), R.K. Hazari Committee (1967)*** and ***S. Dutt Committee (1969).*** The Administrative Reform Commission (1969) also pointed out the short comings of the industrial licencing policy perpetuated since 1956.

12. ***Dutt Committee*** (New Delhi: Government of India, 1969).

13. The upward revision was logical as it was hindering the organic growth of such companies—neither the capacity addition was possible nor an investment for technological upgrading.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

नीति के अनुसूची A में शामिल नहीं थे।[14] ऐसे अनुज्ञा-पत्रों (लाइसेंस) के आवेदन के लिए किसी निजी कंपनी के कुल संपत्ति को 20 करोड़ रुपये या उससे अधिक होना आवश्यक था।

(iii) कुछ उद्योगों को **आरक्षित सूची** में रखा गया, जहाँ केवल लघु अथवा मध्यम उद्योग ही स्थापित किए जा सकते थे।[15]

(iv) **'संयुक्त क्षेत्र'** (Joint Sector) की अवधारणा विकसित हुई, जिसके द्वारा उद्योग स्थापित करते समय केंद्र, राज्य तथा निजी क्षेत्र के बीच साझीदारी की अनुमति दी गई। सरकारों को यह विवेकाधिकार था कि भविष्य में वे ऐसी साझीदारी से अलग हो सकें। इस तरह सरकार निजी क्षेत्र को राज्य के समर्थन द्वारा प्रोत्साहित करना चाहती थी।

(v) भारत सरकार उस समय विदेशी मुद्रा की कमी के दौर से गुजर रहा था। विदेशी मुद्रा के विनियमन के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (Foreign Exchange Regulation Act—FERA) को 1973 में पारित किया गया।[16] विशेषज्ञों ने इसे एक कठोर अधिनियम (Draconian Act) की संज्ञा दी, जिसने भारतीय उद्योगों के विकास तथा आधुनिकीकरण को बाधित किया।

(vi) विदेशी निवेश के लिए एक सीमित अनुमति बहुराष्ट्रीय कंपनियों (Multi-National Companies—MNCs) को दी गई, जो इस देश में अपने सहायक अथवा उपांग उद्योग लगा सकती थीं।[17]

1977 की औद्योगिक नीति
(Industrial Policy Statement, 1977)

वर्ष 1977 की औद्योगिक नीति एक भिन्न राजनीतिक समूह की देन है तथा उस समय राजनीतिक सरगर्मी भी भिन्न थी। तत्कालीन शासन में इंदिरा विरोधी आवाज का प्रभुत्व था एवं इन नेताओं का झुकाव अर्थव्यवस्था के गांधीवादी-समाजवादी विचारधारा के प्रति था। इस विचारधारा के तत्व 1977 की औद्योगिक नीति में देखे जा सकते हैं:

(i) **अनावश्यक क्षेत्रों** में विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाया गया (यह वर्ष 1973 की औद्योगिक नीति के विपरीत था, जिसने विदेशी निवेश को तकनीकी हस्तांतरण द्वारा उन क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया, जहाँ पूँजी तथा आवश्यक तकनीक की कमी थी)। व्यावहारिक रूप से यदि देखा जाए तो विदेशी निवेश को पूर्ण रूप से नकार दिया गया।[18]

---

14. Out of the six core industries only the cement and iron & steel industries were open for private investment with the rest fully ***reserved*** for the central public sector investment.

15. This is considered a follow up to such suggestions forwarded by the ***Industrial Licensing Policy Inquiry Committee*** (S. Dutt, Chairman) (New Delhi: Government of India, 1969).

16. The FERA got executed on 1 January, 1974. The private sector in the country always complained against this act and doubted its official intentions.

17. This limited permission was restricted to the areas where there was a need of foreign capital. Such MNCs entered the Indian economy with the help of a partner from India—the partner being the major one with 74 per cent shares in the subsidiaries set up for by the MNCs. The MNCs invested via ***technology transfer route.*** Basically, this was an attempt to make up for the loss being incurred by the FERA. This was the period when most of the MNCs had the chances to enter India. Once economic reforms started by 1991, many of them increased their holdings in the Indian subsidiaries with the Indian partner getting the minority shares or a total exit.

18. The permission of working was withdrawn in the case of the already functioning soft drink MNC the ***Coca Cola***. The ongoing process of entry to the computer giant ***IBM*** and automobile major ***Chrysller*** was soon called off. These instances played a highly negative role when India invited FDI in the post-1991 reform era.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(ii) ग्रामीण उद्योगों पर बल दिया गया तथा लघु एवं कुटीर उद्योगों को नए ढंग से परिभाषित किया गया।

(iii) विकेंद्रित औद्योगीकरण पर ध्यान दिया गया ताकि आम लोगों को औद्योगीकरण की प्रक्रिया से जोड़ने का उद्देश्य पूरा हो सके। लघु व कुटीर उद्योगों का विस्तार वृहत् पैमाने पर करने के लिए जिला उद्योग केंद्रों (District Industries Centres – DICs) की स्थापना की गई।

(iv) लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर बल दिया गया तथा खादी व ग्रामीण उद्योगों की पुनर्संरचना की गई।

(v) दिन-प्रतिदिन के उपयोग की आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों तथा उत्पादन स्तर पर गंभीर रूप से ध्यान दिया गया।

1980 की औद्योगिक नीति का प्रस्ताव (Industrial Policy Resolution, 1980)

1980 में काँग्रेस पार्टी की सरकार पुन: केंद्र में वापस आई। नई सरकार ने 1980 की औद्योगिक नीति के प्रस्ताव में 1977 की औद्योगिक नीति को कुछ अपवादों के साथ संशोधित किया। इस नीति द्वारा दिए कुछ मुख्य प्रस्ताव थे:

(i) तकनीकी हस्तांतरण मार्ग द्वारा विदेशी निवेश को फिर से अनुमति प्रदान की गई (यह 1973 की औद्योगिक नीति के प्रावधानों जैसा ही था)।

(ii) 'MRTP सीमा' में संशोधन कर इसे बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया गया ताकि बड़ी कंपनियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा सके।

(iii) जिला उद्योग केंद्रों (DICs) को जारी रखा गया।

(iv) औद्योगिक लाइसेंसिंग को सरल बना दिया गया।

(v) आमतौर पर निजी उद्योगों के विस्तार के उदारवादी रुख अपनाया गया।

1985 तथा 1986 की औद्योगिक नीतियों का प्रस्ताव (Industrial Policy Resolution, 1985 & 1986)

1985 तथा 1986 में सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक नीतियों का प्रस्ताव लगभग एकसमान था। 1986 की औद्योगिक नीति ने 1985 की औद्योगिक नीति को प्रोत्साहित करने की कोशिश की। इन नीतियों के मुख्य आकर्षण निम्नलिखित थे:

(i) विदेशी निवेश को अधिक सरल बना दिया गया तथा अनेक औद्योगिक क्षेत्रों को निवेश के लिए खोल दिया गया। विदेशी निवेश की मुख्य पद्धति पहले जैसी ही थी अर्थात् तकनीकी हस्तांतरण, लेकिन अब बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भारतीय उपांग उद्योगों में 49 प्रतिशत इक्विटी के साझीदार हो सकते थे, अन्य 51 प्रतिशत शेयर इनके भारतीय साझीदार के हाथों में होना था।

(ii) 'MRTP सीमा' को संशोधित किया गया तथा इसे बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया ताकि बड़ी कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सके।

(iii) औद्योगिक लाइसेंसिंग की प्रक्रिया को अधिक सरल कर दिया गया। अनिवार्य लाइसेंसिंग अब मात्र 64 उद्योगों के लिए ही थी।[19]

(iv) 'सनराइज' उद्योगों, जैसे-दूरसंचार, कंप्यूटरीकरण तथा इलेक्ट्रॉनिक पर अधिक ध्यान दिया गया।

(v) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के आधुनिकीकरण तथा लाभ पर अधिक बल दिया गया।

19. A total number of 95 industries had the compulsions of licencing till then. These industries belonged to Schedules B and C of the Industrial Policy Resolution, 1956.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(vi) आयात किए गए कच्चे माल पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिला।[20]

(vii) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA) की व्यवस्था के तहत विदेशी मुद्रा के उपयोग के संदर्भ में कुछ रियायतें दी गईं ताकि आवश्यक तकनीक को भारतीय उद्योग में सम्मिलित किया जा सके एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्राप्त किया जा सके।

(viii) कृषि क्षेत्र पर ध्यान दिया गया तथा इस क्षेत्र के लिए नए वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया गया, सरकार द्वारा इस संदर्भ में अनेक तकनीकी मिशनों की शुरुआत की गई।

सरकार द्वारा इन नीतियों पर विचार उस समय किया जा रहा था, जब विश्व के विकसित देश विश्व व्यापार संगठन के निर्माण पर जोर दे रहे थे तथा एक नई विश्व आर्थिक व्यवस्था सच होती नजर आ रही थी। ज्यों ही विश्व एक वृहत बाजार बनेगा इसकी आपूर्ति मात्र बड़ी कंपनियों द्वारा ही की जा सकेगी। नई औद्योगिक नीति के प्रस्ताव औद्योगिक विस्तार के पारंपरिक व्यवधानों को दूर कर (जो पूर्व की औद्योगिक नीतियों की देन है) वैश्वीकृत विश्व (Globalised World) की तैयारी थी। इन औद्योगिक प्रावधानों का प्रयास अर्थव्यवस्था का उदारीकरण था, यह कार्य बगैर किसी 'आर्थिक सुधार' के नारे के किया जाना था। तत्कालीन सरकार की यह इच्छा थी कि उस प्रकार के आर्थिक सुधारों की शुरुआत की जाए जैसा कि 1991 के पश्चात् हुयी, लेकिन इसके लिए आवश्यक राजनीतिक समर्थन की कमी थी।[21]

सरकार द्वारा अपनाई गई संयुक्त औद्योगिक व व्यापक व्यष्टि-आर्थिक नीति (micro economic policy) में एक प्रमुख त्रुटि यह थी कि यह विदेशी निवेश पर अधिक निर्भर था, जिसके एक बड़े भाग के लिए अधिक लागत की जरूरत थी। जब यह अर्थव्यवस्था अपने औद्योगिक प्रदर्शन पर खरी नहीं उतर पायी तो देश के लिए विदेशी उधार चुकाना मुश्किल हो गया – देश के बाहर की घटनाएँ (खाड़ी युद्ध, 1990–91) स्थिति को और बिगाड़ रही थीं तथा 1980 के दशक के अंत में भारत एक गंभीर भुगतान संतुलन संकट से गुजर रहा था, मुद्रास्फीति दर (13 प्रतिशत से ज्यादा) तथा वित्तीय घाटा (8 प्रतिशत से ज्यादा) इस दौरान काफी अधिक हो गया था।[22] इस गहरी समस्या ने अर्थव्यवस्था को एक वित्तीय संकट में डाल दिया जिस कारण से भारत ने आने वाले समय में आर्थिक प्रबंधन का एक नया तरीका अपनाया।

---

20. This was similar to the policy being followed by Gorbachev in the USSR with the similar fiscal results—a severe balance of payment (BoP) crisis by end 1980s and the early 1990s (J. Barkley Rosser Jin and Marina V. Rosser, ***Comparative Economics in A Transforming World***, (New Delhi: PHI & MIT Press, 2004), pp. 469–75)).

21. The ***Seventh Five Year Plan (1985–90)*** as well as the ***Sixth Five Year Plan (1980–85)*** had already suggested the government to re-define the role of the state in the economy and permit the private sector into those areas of industries where the presence of the government was non-essential, etc. But such a radical approach might not be digested by the country as it was like 'rolling back' the state. This is why the government of the time looks not going for full-scale economic reforms or vocal moves of liberalisation.

22. Vijay Joshi and I.M.D. Little, ***India's Economic Reforms, 1991–2001,*** (Oxford: Clarendon Press, 1996), p. 17.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

नई औद्योगिक नीति, 1991 (New Industirial Policy, 1991)

भारतीय अर्थव्यवस्था के ढांचे और इसकी प्रकृति को आकार पूर्व की औद्योगिक नीतियों की वजह से ही मिला हैं। समय की मांग थी कि नब्बे के दशक की शुरुआत में इसकी प्रकृति और ढांचे को बदला जाए। भारत सरकार ने औद्योगिक नीति के मूल स्वरूप को बदलने का फैसला किया जिससे खुद-ब-खुद अर्थव्यवस्था की प्रकृति और कार्यक्षेत्र बदलाव की ओर अग्रसर होंगे। इस तरह 1991 की नई औद्योगिक नीति आई।

इस नीति के साथ सरकार ने अर्थव्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया को शुरू किया, इसलिए इस नीति को एक नीति के बजाय प्रक्रिया ज्यादा माना गया।

जून 1991 में भारत के समक्ष एक गंभीर भुगतान संतुलन का संकट था। 1990 तथा 1991 में अनेक परस्पर जुड़ी हुई घटनाएँ हुई, जो भारत के आर्थिक हित के विपरीत थीं:

(i) खाड़ी युद्ध (1990-91) के कारण तेल की बढ़ती कीमत भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को तेज गति से खाली कर रही थी।[23]

(ii) विदेश में खासकर खाड़ी क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय श्रमिकों द्वारा भेजे गए धन में खाड़ी युद्ध के कारण आई गिरावट।[24]

(iii) मुद्रास्फीति दर लगभग 17 प्रतिशत तक पहुँच गयी थी।[25]

(iv) केंद्र सरकार का सकल वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 8.4 प्रतिशत था।[26]

(v) जून 1991 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घट कर मात्र दो सप्ताह के आयात के लिए ही पर्याप्त रह गया था।[27]

1991 में भारत सरकार द्वारा बाजार उदारीकरण के लिए उठाए गए कदम का मुख्य कारण गंभीर भुगतान संतुलन का संकट था तथा सरकार ने इस संदर्भ में एक क्रमित नीति अपनाई।[28] चूंकि आर्थिक सुधार का मुख्य कारण भुगतान संतुलन का संकट था, इसलिए इसके प्रारंभिक चरण ने व्यष्टि आर्थिक स्थिरीकरण (Macroeconomic Stablisation) पर बल दिया, वहीं औद्योगिक नीति, व्यापार तथा विनिमय दर नीति, विदेशी निवेश नीति, वित्तीय तथा कर सुधार तथा सार्वजनिक क्षेत्र सुधार के उपायों को शीघ्र ही इसके बाद लागू किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत को 1990–91 के भुगतान संतुलन संकट से लड़ने के लिए वित्तीय सहायता दी गई, इसके बदले में सरकार को कुछ शर्तों को पूरा करना था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की यह शर्त थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक संरचनात्मक पुन: सामंजन (Structural re-adjustment) हो। इस समय तक भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति एवं क्षेत्र को विभिन्न औद्योगिक नीतियाँ प्रवाहित करती थीं इसलिए आर्थिक संरचना में परिवर्तन के लिए यह आवश्यक था कि इसे एक नई औद्योगिक नीति द्वारा परिभाषित किया जाए। 23 जुलाई, 1991 को सरकार द्वारा घोषित की गई नई औद्योगिक नीति ने देश में एक वृहत् आर्थिक सुधार की प्रक्रिया की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक पुन: सामंजन था ताकि

23. Ministry of Finance, Economic Survey 1990–91 (New Delhi: Government of India, 1991); Ministry of Finance, Economic Survey 1991–92 (New Delhi: Government of India, 1992).

24. Jeffrey D. Sachs, Ashutosh Varsheny and Nirupam Bajpai, ***India in the Era of Economic Reform*** (New Delhi: Oxford University Press, 1999), p. 1.

25. Department of Economic Affairs, **'Economic Reforms: Two Years After and the Task Ahead',** Discussion Paper (New Delhi: Government of India, 1993), p. 6.

26. Ibid.

27. Bimal Jalan, ***India's Economic Crisis: The Way Ahead,*** (New Delhi: Oxford University Press, 1991), pp. 2–12.

28. Sach, Varseny and Bajpai, ***India in the Era of Economic Reforms,*** p. 2.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि की शर्तों को पूरा किया जा सके।[29] इस नीति के मुख्य अंश निम्नलिखित हैं:

1. उद्योगों को अनारक्षित करना (De-reservation of Industries)

1956 की औद्योगिक नीति द्वारा केंद्र सरकार के लिए आरक्षित उद्योगों को घटाकर 8 कर दिया गया। आने वाले वर्षों में अनेक अन्य उद्योग निजी क्षेत्र के निवेश के लिए खोल दिये गए। वर्तमान में मात्र 2 उद्योग हैं, जो संपूर्ण या आंशिक रूप से केंद्र सरकार के लिए आरक्षित हैं:

(i) नाभिकीय अनुसंधान तथा संबद्ध गतिविधियाँ, जैसे–रेडियोधर्मी खनिजों का खनन, उपयोग, प्रबंधन, ईंधन निर्माण, निर्यात–आयात, अपशिष्ट प्रबंधन, इत्यादि (विश्व के किसी भी नाभिकीय शक्ति देश ने इन गतिविधियों के लिए निजी क्षेत्र को अनुमति नहीं दी है अत: भारत के संदर्भ में ये अटकलें निराधार साबित होंगी)।

(ii) रेल सेवा (रेल सेवा से संबद्ध अनेक कार्यों के लिए निजी क्षेत्र को अनुमति प्रदान की गई है, लेकिन अभी भी निजी कंपनियाँ इस क्षेत्र में एक पूर्ण विकसित रेल सेवा प्रबंधक के रूप में प्रवेश नहीं कर सकती हैं)।

2. उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग हटाना (De-Licencing of the Industries)

उन उद्योगों की संख्या घटाकर मात्र 18 कर दी गई, जिसके लिए अनिवार्य लाइसेंस जरूरी था (1956 की औद्योगिक नीति प्रस्ताव के तहत अनुसूची B तथा C में दर्ज उद्योग)। इस क्षेत्र में आर्थिक सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया तथा वर्तमान में मात्र **5 उद्योग** ऐसे हैं जिसके लिए अनिवार्य लाइसेंस की जरूरत है।[30] ये उद्योग निम्नलिखित हैं:

(i) वायु आकाश तथा रक्षा से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक,

(ii) बारूद, औद्योगिक विस्फोटक तथा प्रस्फोटक फ्यूज,

(iii) खतरनाक रसायन,

(iv) तंबाकू, सिगरेट तथा अन्य संबंधित उत्पाद,

(v) मादक पेय (ऐल्कोहलिक ड्रिंक)

3. MRTP सीमा का समापन (Abolition of the MRTP Limit)

MRTP सीमा (100 करोड़ रुपये की सीमा) का समापन ताकि उद्योगों का विलय, अधिग्रहण तथा अधीनीकरण संभव हो सके। वर्ष 2002 में एक प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम (Competition Act) पारित किया गया, जिसने MRTP अधिनियम को प्रतिस्थापित किया। MRTP आयोग की जगह प्रतिस्पर्द्धा आयोग ने कार्य करना शुरू किया (यद्यपि प्रतिस्पर्द्धा आयोग के संयोजन, वास्तविक कार्य तथा अधिकार क्षेत्र के संबंध में अभी भी कुछ अड़चनें हैं)।

---

29. Rakesh Mohan, 'Industrial Policy and Control's, in Bimal Jalan (ed.), ***The Indian Economy: Problems and Prospects*** (New Delhi: Penguin Books, 1992), pp. 92–123.

30. In 1985–86 there were just 64 industries under the compulsory licencing provision. By the fiscal 2015–16 the number remained five Publications Division, **India 2016** (New Delhi: Government of India, 2016)). Though the numbers are still five, all these five industries have many internal areas which today carry no obligation of licencing. As for example, the electronic industry was under this provision and entrepreneurs needed licences to produce radio, tv, tape-recorder, etc., what to ask of mobile phones, computers, DVDs and i-pods. Now only those electronic goods carry licencing provision which are related to either the aero-space or the defence sectors—thus we see a great number of electronic industries freed from the licencing provision the item 'electronics' still remains under it. Similarly while 'drug & pharma' still belong to the licenced industries, dozens of drugs and pharmaceuticals have been made free of it. The six industries have gone for high-level internal de-licencing since the reforms started.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

4. विदेशी निवेश को प्रोत्साहन (Promotion to Foreign Investment)

एक सीमित अथवा बंद अर्थव्यवस्था (Closed Economy) के रूप में काम करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था ने भारत में विदेशी पूँजी निवेश की इच्छा कभी नहीं जताई। नई औद्योगिक नीति इस संदर्भ में पथ से हटकर एक नया कदम है। न केवल कठोर अधिनियम (FERA) को सरकार तनुकृत करने के लिए वनचबद्ध थी बल्कि विदेशी निवेश (FI) को दोनों रूपों–प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष, में सरकार ने प्रोत्साहित किया। विदेशी निवेश (FI) के प्रत्यक्ष रूप को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment—FDI) कहा गया है, जिसके तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपने उद्यम स्थापित किए हैं। इन उद्यमों के स्वामित्व में उनका हिस्सा 26 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक था–एनरॉन तथा कोक इसमें अग्रणी थे। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की शुरुआत 1991 में की गई। विदेशी निवेश के अप्रत्यक्ष रूप को (अर्थात् इक्विटी पूँजी में भारतीय कंपनियों की सम्पत्ति) पोर्टफोलियो निवेश योजना (Portfolio investment Scheme—PIS) कहा गया, जिसकी औपचारिक शुरुआत 1994 में हुई।[31] इस योजना के तहत उन विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) को भारतीय प्रतिभूति शेयर बाजार में निवेश करने की अनुमत दी गई, जिनका अन्य जगहों पर प्रदर्शन अच्छा रहा था। विदेशी संस्थागत निवेशकों को अपने आपको (SEBI) में एक स्टॉक ब्रोकर (शेयर दलाल) के रूप में दर्ज कराना अनिवार्य था। इसका अर्थ यह है कि, भारत ने अब तक व्यक्तिगत विदेशी निवेशकों को प्रतिभूति बाजार में निवेश करने की अनुमति नहीं दी है, अभी तक मात्र संस्थागत निवेश को अनुमति दी गई है।[32]

5. FEMA द्वारा FERA का प्रतिस्थापन्न (FERA Replaced by FEMA)

सरकार ने वर्ष 1991 में ही कठोर FERA अधिनियम को उदार FEMA द्वारा प्रतिस्थापित करने की वचनबद्धता जताई थी-इसे वर्ष 2000-01 में कार्यान्वित किया गया, (FERA) के समापन के लिए दो वर्षों की समय सीमा निर्धारित की गयी।[33]

6. उद्योगों की अवस्थिति (Location of Industries)

इससे संबंधित प्रावधानों को इस नीति द्वारा सरल बना दिया गया, जो पहले एक अत्यधिक बोझिल तथा समय लेने वाली प्रक्रिया थी। अब उद्योगों को दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया–'प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग' तथा इसके विपरीत वे उद्योग जो प्रदूषण नहीं फैलाते हों। इन उद्योगों की अवस्थिति को निर्धारित करने के लिए एक अत्यधिक सरल प्रावधान की घोषणा की गई:

(i) उन उद्योगों की स्थापना कहीं भी की जा सकती है, जो प्रदूषण नहीं फैलाते हों।

31. Ministry of Finance, ***Economic Survey, 1994–95,*** (New Delhi: Government of India, 1995).

32. It becomes very complex and tough to regulate the individual foreign investment in the share market though it is an easier way of attracting foreign exchange. It should be noted that the South East Asian economies which faced financial crisis in 1996–97 all had allowed individual foreign investment in their share market. As the Indian security market was learning the art of regulation in its nascent phase, the government decided not to allow such foreign investment. The logic was vindicated after the South East Asian currency crisis when India had almost no shocks (Ministry of Finance, Economic Survey 1996–97 (New Delhi: Government of India, 1997)).

33. The delayed action by the government in the foreign exchange liberalisation was due to the delayed comfort the economy felt regarding the availability of foreign exchange.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(ii) प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को मिलियन नगरों (million cities) से कम-से-कम 25 कि.मी. की दूरी पर स्थापित किया जाना चाहिए।

7. चरणबद्ध उत्पादन की अनिवार्यता का अंत (Compulsion of Phased Production Abolished)

चरणबद्ध उत्पादन की अनिवार्यता के समापन के कारण अब निजी कंपनियाँ अनेक वस्तुओं तथा मॉडलों का उत्पादन एक साथ कर सकती थीं।[34] अब उद्योगों की क्षमता तथा पूँजी का उपयोग पूरी तरह किया जा सकता था।

8. ऋणों को शेयरों में परिवर्तित करने की अनिवार्यता का समापन (Compulsion to Convert Loans into Shares Abolished)

सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण की नीति का प्रारंभ 1960 के दशक के अंत में हुआ तथा यह नीति अधिक सार्वजनिक लाभ पर आधारित थी। इस नीति की उत्पत्ति लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा से हुई है। इस नीति की आलोचना इससे प्रभावित लोगों तथा विशेषज्ञों द्वारा की गई। 1970 के दशक के प्रारंभ में सरकार ने देश के मुख्य बैंकों (उस समय इनकी कुल संख्या 14 थी) को पूर्ण रूप से राष्ट्रीयकृत किया। इन बैंकों को भारत के नियोजित विकास के लिए संसाधन एकत्रित करने थे। निजी कंपनियों ने इन बैंकों से उधार लिया था (जब ये बैंक निजी बैंक थे) तथा अब वे अपने ऋणों को चुकाना चाहते थे। सरकार उन कंपनियों के लिए एक नये प्रावधान के साथ सामने आई जो अपने ऋणों को चुकाने में असमर्थ थीं (ज्यादातर कंपनियाँ ऐसी थीं-वे अपने ऋण की राशि को इक्विटी शेयरों में परिवर्तित कर सकती थीं तथा बैंकों को सुपुर्द कर सकती थीं)। निजी कंपनियाँ, जिन्होंने इस रास्ते को अपनाया (यह एक अनिवार्य विकल्प था), ने अंततः सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां बन गईं, क्योंकि इन बैंकों का स्वामित्व सरकार के हाथों में था। यह निजी कंपनियों को राष्ट्रीयकृत करने का एक अप्रत्यक्ष मार्ग था। ऐसी अनिवार्यता, जिसने भारतीय उद्योगों की वृद्धि एवं विकास को बाधित किया, सरकार द्वारा 1991 में हटा लिया गया।[35]

1991 की नई औद्योगिक नीति को कई विशेषज्ञों, संसद में विपक्ष तथा गणमान्य व्यक्तियों व व्यापार एवं उद्योग-जगत् के लोगों ने सरकार के पीछे हटते कदम माना (Rolling back of the State)। नेहरू की अर्थव्यवस्था में सरकार को प्रदत्त अहम भूमिका को इस नीति ने दरकिनार कर दिया गया। किसी एक धारणा जिसे नई नीति ने चुनौती दी, वह सरकार द्वारा कायम की गई ''नियंत्रण व्यवस्था'' (Control Regime) थी। 'नियंत्रण व्यवस्था' द्वारा संयुक्त रूप से राजनीतिज्ञों, नौकरशाह, बहुराष्ट्रीय व घरेलू कंपनियों

34. This was another hurdle which the private sector industries have been complaining about. As the industrial products were completely new to the Indian market and its consumers alike, the government followed this policy with the logic to provide enough time so that the products become domesticised i.e.,development of awareness about the product and its servicing, maintenance, etc. As for example, the MNC subsidiary Phillips India was allowed to produce a highly simple radio ***Commandar*** and ***Jawan*** models for comparatively longer periods of time then they were allowed to come up with the smaller fashionable radio sets or two-in-ones and three-in-ones. Such provisions hampered their full capacity utilisation as well as achieving the economy of scale had also been tougher. The new industrial policy of 1991 did away with such impediments. By that time, the Indian consumer as well as the market was fully aware of the modern industrial goods.

35. Combined with nationalisation, this ***indirect route*** to nationalisation failed to provide the confidence among the entrepreneurs that the industrial units they are intending to set up will be owned by them. This discouraged entrepreneurship in India while taking risk. The abolition of this compulsion was an indirect indication by the government of no more direct or indirect nationalisation in future. This has served the purpose, there is no doubt in it.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

तथा बड़े औद्योगिक घराने के हितों की रक्षा की जाती थी।[36] इसलिए सरकार को बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा दिया गया ज्ञापन–पत्र जिसमें 'नियंत्रण व्यवस्था' को विघटित करने से रोकने का आग्रह किया गया तथा ''स्वदेशी जागरण मंच'' का शुरुआत असंगत नहीं था, लेकिन सरकार ने राजनीतिक रूप से उचित गति के साथ आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को जारी रखा तथा एक ऐसा समय आया जब वही औद्योगिक घराने सरकार से (2002) आर्थिक सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आग्रह करने लगे। अब भारतीय उद्योग तथा व्यापारिक वर्ग 'खुली अर्थव्यवस्था' (उदारीकरण) तथा एक भिन्न प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था को समझने लगे थे, लेकिन आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को अभी और आगे बढ़ना है ताकि इसका लाभ आम लोगों तक पहुँचे तथा सुधार प्रक्रिया के साथ विकास को एक जन-आंदोलन बनाया जा सकेगा।

इसलिए विशेषज्ञों की यह राय कि यह मात्र मान लेने से कि आर्थिक सुधार से आम लोग लाभान्वित होंगे। राजनीतिक रूप से इसे लागू करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सरकार, प्रशासनिक तन्त्र तथा अर्थशास्त्रियों सभी को इसे सकारात्मक रूप में लोक कल्याण से जोड़ना होगा– इसके लिए उपयुक्त परिस्थिति उत्पन्न करना जरूरी होगा तथा इस विचार के पक्ष में राजनीतिक सहमति बनाना होगा कि निजीकरण तथा तद्नुसार पुनर्संरचित श्रमिक कानून का उद्देश्य मूलतः नए रोजगार उत्पन्न करना है, बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करना, गरीबी उन्मूलन, तथा बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा लोगों तक पहुँचाना है।[37] आने वाले समय में सरकार ने पहली पीढ़ी की सुधार प्रक्रिया से दूसरी पीढ़ी की सुधार प्रक्रिया को लागू किया, प्रत्येक बार नए लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा सुधार प्रक्रिया को सामाजिक-राजनीतिक रूप से मान्य बनाने की कोशिश की गई।

''मानवीय चेहरे के साथ सुधार'' (Reforms with the humanface) यू.पी.ए. सरकार द्वारा ऐसा ही एक प्रयास था, जब उसने केंद्र की सत्ता की बागडोर सँभाली। यह माना जाता है कि सत्ता से बाहर हुई सरकार (एन. डी.ए.) द्वारा दिया गया बदलते भारत की तस्वीर का नारा ''इंडिया शाइनिंग'' सही था, लेकिन इसका प्रभाव शहरों के मध्यम वर्ग के परिवारों तक ही सीमित था।[38] नई सरकार (यू.पी.ए. सरकार) ने इससे प्रेरणा लेकर आर्थिक सुधारों का लाभ गाँव की जनता तक भी पहुँचाने की कोशिश की। इस सरकार का इस सरकार का 'भारत निर्माण' कार्यक्रम (ग्रामीण आधारभूत संरचना पर केंद्रित कार्यक्रम) इस दिशा में एक राजनीतिक प्रयास माना जा सकता है।[39]

आने वाला समय ही यह बताएगा कि सरकार किस हद तक आर्थिक सुधारों के पीछे तर्क को लोगों तक (खासतौर पर मतदाताओं को) पहुँचाने में सफल रही है।

---

36. This nexus of the interests of the vested groups to the control regime of the economy has been beautifully elaborated by Rakesh Mohan in **'Industrial Policy and Controls'** 92–123. He also points out that the control system perpetuating the academic and intellectual ideological leanings negated the very need for re-examination of the system. The 'planners' and the 'bureaucrats' were able to preserve their powers via the control regime did everything to maintain the status quo, Rakesh Mohan further adds.

37. First of the series of such suggestions came from Sach, Varshney and Bajpai, ***India in the Era of Economic Reforms,*** p. 24).

38. It should be noted that ***'reform with the human face'*** was not a new slogan or call given by the UPA Government but this was the same slogan with which the reform programme was launched by the Rao-Manmohan Government in 1991—it has only been 're-called back' by the new government with a new committment to live it up.

39. Point should be noted that **Bharat Niraman** has been the only time-bound programme of infrastructure building in rural areas which is supposed to be completed within four years (the time left out of the total term of the Government when the programme was launched). The UPA naturally, tries to make it a political statement and a point for the next General Elections—development becoming an issue of real politics Let's see what happens.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

विनिवेश (DISINVESTMENT)

विनिवेश वह प्रक्रिया है, जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सरकारी इक्विटी को बेचा जाता है। भारत में विनिवेश तीन मुख्य अतर्संबन्धित क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, जो निम्नलिखित हैं:

(i) सार्वजनिक क्षेत्र में सुधारों के साधन के रूप में।[40]

(ii) आर्थिक सुधारों के एक भाग की शुरुआत 1991 के मध्य में हुई। 'उद्योगों को अनारक्षित करने में' यह एक पूरक भाग के रूप में जरूरी था।[41]

(iii) प्रारंभ में बजट के आवंटन के लिए संसाधनों को बढ़ाने के रूप में इसे प्रोत्साहित किया गया।[42]

अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के सुधारों के लिए अधिक सतर्क दृष्टिकोण अपनाया गया है। भारत ने इसके लिए अत्यांतिक समाधान नहीं अपनाया, जिसके तहत वाणिज्यिक रूप से लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पूर्णतया निजीकरण किया जाता है तथा उन उद्यमों को बन्द कर दिया जाता है, जो वाणिज्यिक रूप से लाभकारी नहीं होते हैं।[43] 1980 के दशक में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के सुधारों के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों की कार्यात्मक स्वायत्तता को बढ़ाने पर बल दिया गया ताकि उनकी कार्यकुशलता बढ़े। आर्थिक सुधार की प्रक्रिया 1990 के दशक के शुरुआत में प्रारंभ हुई तथा विनिवेश सार्वजनिक क्षेत्र के सुधारों का एक भाग बना। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश पर बनी सी. रंगराजन आयोग (1991) ने विश्वभर में विनिवेश के अनुभव को देखते हुए सरकार को इस संदर्भ में एक अत्यधिक सराहनीय व सुव्यवस्थित रूप में सलाह दी। सरकार ने विनिवेश की प्रक्रिया को 1991 में ही आरंभ कर दिया। सरकार ने 1997 में एक विनिवेश आयोग की स्थापना विनिवेश प्रक्रिया के विभिन्न पक्षों पर सलाह देने के लिए की। वित्तीय वर्ष 1999–2000 में सरकार द्वारा विनिवेश को एक राजनीतिक प्रक्रिया बनाने का प्रयास किया गया ताकि इसे देश में आगे बढ़ाया जा सके—पहले एक विनिवेश विभाग तथा बाद में एक पृथक् विनिवेश मंत्रालय

40. Publication Division, **India 1991** (New Delhi: Government of India, 1992).

41. The de-reservation of industries had allowed the private sector to enter the areas hitherto reserved for the Central Government. It means in the coming times in the unreserved areas the PSUs were going to face the international class competitiveness posed by the new private companies. To face up the challenges the existing PSUs needed new kind of technological, managerial and marketing strategies (similar to the private companies). For all such preparations there was a requirement of huge capital. The government thought to partly fund the required capital out of the proceeds of disinvestment of the PSUs. In this way disinvestment should be viewed in India as a way of increasing investment in the divested PSUs (which we see taking place in the cases of BALCO, VSNL, etc.).

42. Right since 1991 when disinvestment began, governments have been using the disinvestment proceeds to manage fiscal deficits in the budget at least up to 2000–01. From 2000–01 to 2002–03 some of the proceeds went for some social sector reforms or for labour security. After 2003 India established National Investment Fund to which the proceeds of disinvestment automatically flow and is not regarded as a ***capital receipt*** of the Union Government. This idea of Indian experiment with disinvestment was articulated by Sach, Varshney and Bajpai, ***India in the Era of Economic Reforms***, pp. 62–63.

43. As was done by **Margaret Thatcher** in the UK in the mid-1980s. Her brand of privatisation was driven by the conviction that government control makes PSUs inherently less efficient and privatisation therefore improves its economic efficiency and is good for the consumers. However, this idea has been rejected around the world on the empirical bases. ***A PSUs could also have comparable economic efficiency even being under full government control.*** This was followed by Mrs. Thatcher (1979–90) forcefully in Great Britain conjoined with the supply-side economics as was done by Ronald Reagan (1981–89) in the United States as discussed by P.A. Samuelson and W.D. Nordhans, ***Economics*** (New Delhl; Tata McGraw Hill, 2005), p. 703.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

स्थापित किया गया।[44] नई यू. पी. ए. सरकार ने विनिवेश मंत्रालय को विघटित कर दिया और अब केवल विनिवेश विभाग ही इस दिशा में काम कर रहा है तथा यह विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

विनिवेश के प्रकार (Types of Disinvestment)

भारत की विनिवेश प्रक्रिया के (जिसकी शुरुआत 1991 में की गई) **अधिकारिक रूप से दो मुख्य प्रकार** हैं, जिनकी चर्चा नीचे की गई है:

(i) सांकेतिक विनिवेश (Token Disinvestment)

भारत में विनिवेश की शुरुआत अत्यंत राजनीतिक सावधानी के साथ हुई–एक सांकेतिक रूप में जिसे 'सांकेतिक विनिवेश' कहा गया (वर्तमान में इसे 'माईनॉरिटी स्टेक सेल' कहा गया है)। सामान्यत: नीति यह थी कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के शेयरों को अधिकतम 49 प्रतिशत तक बेचा जाए (अर्थात् सरकारी स्वामित्व कंपनियों पर कायम रहे), परंतु व्यवहार में 5-10 प्रतिशत शेयर को ही मात्र बेचा गया। यद्यपि विनिवेश के इस चरण ने सरकार को कुछ अतिरिक्त कोष प्रदान किया (जिसका उपयोग वित्तीय घाटे को काम करने के लिए किया गया, इससे हुए लाभ को 'पूंजी प्राप्ति' मानते हुए) परंतु इसके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में उनकी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए नए परिवर्तन नहीं किए गए यह इस विनिवेश प्रक्रिया की मुख्य कमी थी तथा विश्वभर के विशेषज्ञों ने सरकार को इसके लिए यह सलाह दी कि सरकार को ऐसा मार्ग अपनाना होगा, जिससे स्वामित्व सरकार के हाथ से निजी क्षेत्र को हस्तांतरित हो जाए। विशेषज्ञों द्वारा उठाया गया दूसरा मुद्दा विनिवेश के लाभ के उपयोग से संबंधित था।

44. A highly experienced person from the media world, Arun Shourie remained the Minister for the whole term of the NDA government. Some highly accelerated and successful disinvestments were done during this period but not without controversies.

(ii) सामरिक विनिवेश (Strategic Disinvestment)

विनिवेश को एक ऐसी प्रक्रिया बनाने के लिए जिसके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की कार्यकुशलता को बढ़ाया जा सके तथा सरकार अपने आप को उन क्रियाओं से भार-मुक्त कर सके, जिसमें निजी क्षेत्र ने बेहतर कार्यक्षमता विकसित की है (ताकि सरकार उन क्षेत्रों पर ध्यान दे सके जो निजी क्षेत्र के लिए कोई आकर्षण नहीं रखते हों; जैसे–गरीब जनता के लिए सामाजिक क्षेत्र द्वारा दी गई मदद) सरकार ने सामरिक विनिवेश की प्रक्रिया की शुरुआत की। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को 'सामरिक' तथा 'गैर-सामरिक' उद्यमों में वर्गीकृत किया। सरकार ने मार्च 1999 में यह घोषणा की कि वह 'गैर-सामरिक उद्यमों' में अपनी साझीदारी को घटाकर 26 प्रतिशत कर देगी या उससे भी कम यदि जरूरी हुआ तो 'सामरिक' उद्यमों में (अर्थात् अस्त्र-शस्त्र एवं युद्धोपकरण, परमाणु ऊर्जा व संबद्ध क्रियाएँ तथा रेल) सरकार अपनी अधिकांश साझीदारी (Majority Holding) को कायम रखेगी।[45] विनिवेश नीति में भारी बदलाव आया - लाभ देने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कुछ शेयरों को बेचने (अर्थात् सांकेतिक विनिवेश) से लेकर सामरिक बिक्री तक जिसमें दोनों लाभ देने वाले तथा घाटे में चल रहे उद्यमों के प्रबंधन में बदलाव लाया गया। सामरिक विनिवेश का सार निम्नलिखित है:

(i) न्यूनतम 51 प्रतिशत शेयरों का विनिवेश होगा, तथा;

(ii) शेयरों को बड़े पैमाने पर एक 'स्ट्रेटिजिक पार्टनर' (रणनीतिक साझीदार) को बेचा जाएगा, जिसे इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव तथा सुविज्ञता प्राप्त हो।

इस प्रकार के विनिवेश की शुरुआत मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (MFIL) से हुई। इस प्रकार का दूसरा विनिवेश सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम 'बाल्को' में हुआ, जिसका विरोध राजनीतिक दलों (विपक्ष), छत्तीसगढ़ की

45. *Concept Classification of the PSEs,* Government of India, 16.03.1999.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

सरकार तथा विशेषज्ञों ने किया। अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम; जैसे–सी.एम.सी. लिमिटेड, एच.टी.एल., आई.बी.पी.एल., आई.पी.सी.एल., एम.यू.एल. तथा लगान जूट मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड – कुल 13 ऐसे उद्यम थे, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सामरिक विनिवेश के भाग थे।[46] बाद में केंद्र में बनी नई सरकार ने इस प्रकार के विनिवेश को व्यवहारिक रूप में तत्काल रोक दिया तथा इस संबंध में एक नई नीति का निर्माण किया।

वर्तमान विदेश नीति (Current Disinvestment Policy)_

1991 में शुरू होने के बाद से भारत की वर्तमान विनिवेश नीति[47] समय के साथ विकसित हुई है। इसके दो मुख्य तत्व हैं-नीति की 'विचारधारा' और खुद 'नीति'। इस नीति की विचारधारा कहती है:

(i) पीएसयू में लोगों के स्वामित्व को प्रोत्साहित किया जाएगा क्योंकि वे देश की संपत्ति हैं।

(ii) 'सीमित हिस्सेदारी की बिक्री' वाले मामले में सरकार कम-से-कम 51 प्रतिशत शेयर अपने पास रखेगी।

(iii) 50 प्रतिशत तक या अधिक शेयरों को 'रणनीतिक विनिवेश' के तहत बेचे जा सकते हैं।

सरकार जिस वर्तमान विनिवेश नीति का अनुपालन करती है, वह नीचे दी गई है:

1. ***सीमित हिस्सेदारी की बिक्री*** (नवंबर 2009 की नीति जारी रहेगी):
   - सूचीबद्ध पीएसयू को सबसे पहले लिया जाएगा ताकि न्यूनतम 25 प्रतिशत के मानक को हासिल किया जा सके।
   - ऐसे नए पीएसयू को सूचीबद्ध किया जाएगा जिन्होंने लगातार तीन सालों में शुद्ध मुनाफा कमाया है।
   - इसके बाद पूंजी की आवश्यकतानुसार हर मामले के अनुसार सार्वजनिक निर्गम की 'त्वरित दूसरी पारी' शुरू की जाएगी।
   - पीएसयू की पहचान डीआईपीएएम (निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) करेगा और संबंधित मंत्रालयों से विमर्श करके विनिवेश संबंधी परामर्श देगा।
2. ***रणनीतिक विनिवेश*** के अंतर्गत पीएसयू के 50 प्रतिशत या उससे अधिक शेयर बेचना तय है (फरवरी 2016 में घोषित):
   - मंत्रियों/विभागों और नीति आयोग के बीच परामर्श के माध्यम से की जाएगी;
   - नीति आयोग ऐसे पीएसयू की पहचान करेगा और इसके विभिन्न पक्ष पर सलाह देगा; और
   - सीजीडी (विनिवेश पर सचिवों का समूह) नीति आयोग की अनुशंसा को ध्यान में रखेगा जिससे सीसीईए (आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति) के लिए फैसला लेना सुगम हो सके और इसे लागू करने की प्रक्रिया का निरीक्षण/निगरानी करेगा।

विनिवेश नीति को आज सरकार के पीएसयू में निवेश के व्यापक प्रबंधन के एक भाग के रूप में देखा जा रहा है। इसके तहत, आर्थिक संवृद्धि को बढ़ाने के लिए सरकार पीएसयू में अपने निवेश को एक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति मान रही है और निम्न उपायों के माध्यम से ज्यादा-से-ज्यादा लाभ हासिल करने की खातिर उसके बेहतर इस्तेमाल के लिए प्रतिबद्ध है:

- परिसंपत्तियों, पूंजी और वित्तीय नवीनीकरण आदि का अधिक से अधिक लाभ उठाना;
- निवेशकों का आत्मविश्वास बढ़ाकर नए निवेश को प्रोत्साहित करना, तथा;
- निर्णय लेने की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाकर प्रबंधन को कुशल बनाना।

46. Publications Division, ***India 2003*** (New Delhi: Government of India, 2004).
47. **Ministry of Finance**, Department of Investment and Public Asset Management, Government of India, N. Delhi, March 2017.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

विनिवेश से हुई प्राप्ति : इसके उपयोग पर विवाद (Proceeds of Disinvestment: Debate Concerning the Use)

विनिवेश की शुरुआत होने के एक वर्ष बाद ही यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि उससे हुई प्राप्ति का उचित उपयोग कैसे हो (सरकार को यह प्राप्ति सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के शेयरों के बिक्री से होती है)। इस विवाद का क्रम विकास मूलत: तीन चरणों से होकर गुजरा है:

चरण I : यह चरण 1991–2000 के मध्य माना गया है, जिसमें विनिवेश द्वारा हुई प्राप्ति का उपयोग सरकार द्वारा बजट की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया (बेहतर तरीके से यदि कहा जाए तो वित्तीय घाटे को कम करने के लिए इसका उपयोग किया गया)।[48]

चरण II : इस चरण की अवधि बहुत कम थी (2000–2003) तथा इसमें दो नए विकास हुए। सर्वप्रथम, सरकार ने यह प्रथा शुरू की कि प्राप्ति का उपयोग न केवल वित्तीय घाटे को कम करने के लिए किया जाएगा, बल्कि कुछ अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जाएगा; जैसे–सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में पुनर्निवेश, सरकारी ऋण को चुकाने में तथा सामाजिक क्षेत्र में इसका उपयोग। दूसरा यह कि 2000–01 के शुरुआत में एक व्यापक सर्वसम्मति तत्कालीन वित्त मंत्री के एक प्रस्ताव पर हुई।[49] यह प्रस्ताव विनिवेश से हुए प्राप्ति के उपयोग के संदर्भ में था। यह प्रस्ताव नीचे दिया गया है:

विनिवेश से हुए प्राप्ति के कुछ अंश का उपयोग:

(i) विनिवेश किए गए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में ही उसे अधिक उन्नत बनाने के लिए किया जाएगा।

(ii) अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में परिवर्तन के लिए किया जाएगा।

(iii) सरकारी ऋणों की पूर्व-अदायगी/भुगतान के लिए किया जाएगा।

(iv) सामाजिक आधारभूत संरचना (शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा इत्यादि) के लिए किया जाएगा।

(v) श्रम बल के पुनर्वास में किया जाएगा (विनिवेश किए गए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में),

(vi) बजट की आवश्यकताओं को पूरा करने में किया जाएगा।

चरण III: इस चरण में सरकार द्वारा दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:

1. **एक राष्ट्रीय निवेश कोष (National Investment Fund - NIF):** इसकी स्थापना जनवरी 2005 में हुई[50], जिसमें विनिवेश से हुयी प्राप्ति को निम्न प्रकार से निर्दिष्ट किया जाता है:

   (a) यह निधि भारत की संचित कोष (Consolidated Fund of India) से अलग (पूर्व नीति के विपरीत) है।

   (b) राष्ट्रीय निवेश कोष (एनआईएफ) की राशि स्थाई प्रवृत्ति की होगी।

   (c) इस कोष का पेशेवर प्रबंधन होगा, ताकि इस पर निर्भर हुए बिना स्थाई कमाई हो सके। प्रबंधन चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र के म्यूचुअल फंड करेंगे (जो हैं- यूटीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (एसबीआई) फंड्स मैनेजमैंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एलआईसी म्यूचुअल फंड असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड)।

   (d) कोष की 75 फीसदी राशि का इस्तेमाल चुनिंदा सामाजिक क्षेत्र योजनाओं को वित्त

48. Ministry of Finance, Various issue of the ***Economic Survey*** (New Delhi: Government of India).

49. It was proposed by Yashwant Sinha and thus got popularity as the ***'Yashwant Formula'*** of using disinvestment proceeds. Being his personal proposal, the Government of the time was not officially bound to it. However, the idea got support inside and outside of the Parliament and looked having an impact on the government's thinking about the issue.

50. Ministry of Finance, Disinvestment Policy Announcement, Department of Disinvestment (New Delhi: Government of India, 2005).

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

उपलब्ध करवाने के लिए किया जाएगा, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को बढ़ावा देती हैं। बचे हुए 25 फीसदी का इस्तेमाल लाभयोग्य और पुनर्जीवन योग्य पीएसयू की पूंजी निवेश आवश्यकताों को पूरा करने में किया जाएगा, जिससे यथोचित फायदा मिले, ताकि वित्त के विस्तार/विविधीकरण के लिए पूंजीगत आधार बढ़ाया जा सके।

एनआईएफ निवेशों से आय को सामाजिक क्षेत्र की कुछ चुनिंदा योजनाओं में लगाया गया, जो हैं-जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्वास अभियान (जेएनएनयूआरएम), त्वरित सिचांई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई), त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम, इंदिरा गांदी आवास योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस)।

2. **विनिवेश नीति का पुनर्गठन (Restructuring of NIF):** नवम्बर 2009 में सरकार ने विनिवेश प्राप्ति उपयोग की नीतियों में परिवर्तन की स्वीकृति दी। 2008-09 की वैश्विक मंदी तथा 2009-10 के सूखे के कारण पैदा हुई कठिन परिस्थिति के मद्देनजर एन.आई.एफ. में जमा होने वाली विनिवेश प्राप्तियों के लिए एक बार की छूट की स्वीकृति दी गई, जो कि 2009-12 के लिए प्रयोजनीय थी; लेकिन अर्थव्यवस्था की कठिन अवस्था जारी रहने के कारण जिसे 2012-13 तक बढ़ा दिया गया। तीन वर्षों की अवधि की सभी विनिवेश प्राप्तियों का उपयोग चुनिंदा सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं में किया जाएगा।

वर्तमान नीति: जनवरी 2013 में सरकार ने राष्ट्रीय निवेश निधि (National Investment Fund—NIF) को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और यह तय किया कि वित्तीय वर्ष 2013-14 से विनिवेश प्राप्तियों को वर्तमान 'लोक लेखा' (Public Account) में एन.आई.एफ. शीर्ष में जमा कराया जाएगा। यह भी निश्चय किया गया कि एन.आई.एफ. का निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा:

(a) सी.पी.एस.ई. (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा बीमा कंपनियों सहित) द्वारा जारी शेयरों को सब्सक्राइब करना वह भी अधिकार पर आधारित जिससे कि इनमें सरकार का स्वामित्व 51 प्रतिशत तक सुनिश्चित किया जा सके।

(b) प्रोत्साहकों (promoters) को सी.पी.एस.ई. के शेयरों का प्राथमिकता के आधार पर आवंटन, जिससे कि उन मामलों में सरकार की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से कम न हो पाए जहाँ सी.पी.एस.ई. अपने कैपेक्स (Capex)[51] कार्यक्रम के लिए नई इक्विटी जारी करे।

(c) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों का पुनः पूँजीकरण।

(d) सरकार द्वारा आर.आर.बी., आई.आई.एफ.सी.एल., नाबार्ड, एक्जिम बैंक में निवेश।

(e) विभिन्न मेट्रो परियोजनाओं में इक्विटी डालना।

(f) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम तथा यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. में निवेश।

(g) भारतीय रेल में पूँजी व्यय के लिए निवेश।

51. The Prime Minister's Office has been monitoring the CAPEX (Capital Expenditure) programme and investment plans of selected Central Public Sector Enterprises (CPSEs) since 2012-13. The purpose of this exercise was to enhance investment in the economy, utilizing the substantial cash surpluses that are available with some of the CPSEs to drive economic growth.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

एन.आई.एफ के आवंटन सरकार द्वारा **बजट** में निर्धारित किए जाएँगे। इस प्रकार विनिवेश से प्राप्त धनराशि के उपयोग की नीति काफी लचीली हो गयी है जो देश की समकालीन सामाजिक एवं आर्थिक जरूरतों को पूरा करती है।

एमएसएमई क्षेत्र (MSME SECTOR)

एसएमएसई कानून-2006 के अनुसार, एमएसएमई को दो वर्गों में बांटा गया है- विनिर्माण और सेवा उपक्रम; और ये संयंत्र व मशीनरी[52] में निवेश के मामले में परिभाषित होते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम (एमएसएई कंपनियां) अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। ऐसी 3.6 करोड़ इकाइयां 8.05 करोड़ लोगों को नौकरियां देती हैं और देश के सकल घरेलू उत्पाद में उनका 37.5 प्रतिशत का योगदान है। इस क्षेत्र के पास अकूत संभावना है, जिससे वह संरचनात्मक समस्याओं से निपटने में मदद करता है। ये समस्याएं हैं- बेरोजगारी, क्षेत्रीय अस्थिरता, राष्ट्रीय आय व पूंजी का असमान वितरण। अपेक्षाकृत कम पूंजी लागत और दूसरे क्षेत्रों के साथ उसका जुड़ाव, ये दोनों मेक इन इंडिया पहल की सफलता में महत्वपूर्ण किरदार निभाने की ओर अग्रसर हैं।

समय के साथ इस क्षेत्र की अहमियत को महसूस करते हुए सरकार ने नए उद्यमों की स्थापना और मौजूदा उद्यमों के विकास के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं, जैसे:

(i) पीएमईजीपी (प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम)

(ii) सीजीटीएमएसई (क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एण्ड स्मॉल इन्टरप्राइजेज)

(iii) प्रौद्योगिकी सुधार के लिए सीएलसीएसएस (क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम)

(iv) एसएफयूआरटीआई (स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजेनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज) और

(v) एमएसईसीडीपी (माइक्रो एण्ड स्मॉल इन्टरप्राइजेज-कलस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम)

एमएसएमई के विकास और प्रोत्साहन के लिए सरकार ने हाल ही में कुछ पहलें की है, जो हैं:

(i) **यूएएम (उद्योग आधार ज्ञापन):** यूएएम योजना को सितंबर 2015 में अधिसूचित किया गया। इसका ध्येय कारोबार को आसान बनाना है। इसके तहत उद्यमी को एक विशिष्ट उद्योग आधार संख्या (यूएएन) पाने के लिए सिर्फ एक ऑनलाइन ज्ञापन भरना होता है। यूएएन पाने की पुरानी जटिल और बोझिल प्रक्रिया में अब महत्वपूर्ण सुधार आया है।

(ii) **उद्योग जगत के लिए रोजगार केंद्र:** नौकरी चाहने वालों और नौकरी देने वालों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए जून 2015 में (डिजिटल इंडिया की सीध में) एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर इंडस्ट्रीज (उद्योग जगत के लिए रोजगार केंद्र) की स्थापना की गई।

(iii) **एमएसएमई के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए रूपरेखा:** इसके तहत (मई 2015) बैंकों को व्यथित एमएसएमई कंपनियों के लिए एक समिति गठित करने की जरूरत है, ताकि उनके लिए एक सुधारात्मक कार्य-नीति (सीएपी) तैयार की जा सके।

(iv) **एएसपीआईआरई (ग्रामीण उद्योगों व नवाचार को बढ़ावा देना):** मार्च 2015 में इस उद्देश्य के साथ इसे शुरू किया गया कि ग्रामीण और कृषि आधारित उद्योग में उद्यम व नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही, इनमें उद्यमशीलता को गति देने के लिए तकनीकी केंद्रों की स्थापना हो।

---

52. As per the **SMSE Act, 2006**, the classification is – for ***Micro*** enterprises investment up to Rs. 25 lakh in manufacturing & Rs. 10 lakh in services; for ***Small*** enterprises between Rs. 25 lakh to Rs. 5 crore in manufacturing & between Rs. 10 lakh to Rs. 2 crore in services; and for ***Medium*** enterprises between Rs. 5 to Rs. 10 crore in manufacturing & Rs. 2 to Rs. 5 crore in services.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

क्षेत्रीय चिंताएं (SECTORAL CONCERNS)

कई वैश्विक और घरेलू कारणों के चलते दो औद्योगिक क्षेत्र- इस्पात और अलुमिनियम- कुछ चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हालांकि, सरकार ने समय पर कई सारे कदम[53] उठाए, फिर भी वे कई बड़ी चुनौतियों से घिरे हैं।

इस्पात उद्योग (Steel Industry)

वैश्विक और घरेलू कारणों के चलते भारतीय इस्पात उद्योग हाल के समय में कुछ चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। भारत दुनिया में कच्चे इस्पात का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है (कुल उत्पादन 86.5 मीट्रिक टन के साथ स्थापित क्षमता 110 मीट्रिक टन की)। वैश्विक उत्पादन में इसकी पांच प्रतिशत की हिस्सेदारी है। इस्पात की वैश्विक मांग लगभग स्थिर हो गयी है (खास तौर पर चीन में)। इस वजह से 2015 में इसकी वैश्विक कीमतों में 45 प्रतिशत तक की गिरावट आई (भारत में 35 प्रतिशत तक कीमत गिरी)। इससे दुनिया भर के प्रमुख इस्पात उत्पादकों ने भारतीय बाजार में अपने इस्पात उत्पादों को डालना शुरू किया, जिससे दो तरह की चिंताओं ने जन्म लिया:

(i) इस्पात आयात में भारी उछाल आई, और;

(ii) घरेलू इस्पात उद्योग के हितों को चोट लगी।

भारतीय इस्पात उद्योग अधिक उधारी, कच्चे सामान की अधिक कीमत के साथ कम उत्पादन के कारण तुलनात्मक रूप से नुकसान में है। भारत सरकार ने भारी इस्पात आयात को रोकने और घरेलू उत्पादन को स्थायी बनाने के लिए निम्नांकित कदम उठाए हैं:

(i) कुछ प्राथमिक लोह व इस्पात उत्पादों पर 2.5 प्रतिशत का सीमा-शुल्क बढ़ाया गया।

(ii) चीन, मलेशिया और दक्षिण कोरिया से औद्योगिक श्रेणी वाले इस्पातों (180 अमेरिकी डॉलर से लेकर 316 अमेरिकी डॉलर प्रति टन तक) के आयात पर रोक। इसी तरह के उपाय दुनिया के और 40 देशों ने अपनाए हैं।

(iii) तार (Coils) में मिश्र धातु इस्पात व गैर-मिश्र धातु के गरम घुमावदार चपटे उत्पादों पर 20 प्रतिशत का तात्कालिक सीमा-शुल्क लगाना।

(iv) छह महीने के लिए इस्पात उत्पाद पर न्यूनतम आयात मूल्य लगाना।

(v) इस्पात के लिए (30 प्रतिशत से) लौह-अयस्क पर निर्यात शुल्क 10 प्रतिशत घटाया गया।

सरकार के अनुसार, सीमा-शुल्क में किसी भी तरह की बढ़ोतरी संबंधित अन्य उद्योगों पर असर डालेगी, क्योंकि इस्पात अलग-अलग उद्योगों में भी इस्तेमाल होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय इस्पात उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्द्धी होने की जरूरत है और यह उत्पादकता बढ़ाने के साथ उधारी व कच्चे उत्पादों को घटाकर हासिल किया जा सकता है।

एलुमिनियम उद्योग (Aluminium Industry)

वैसे तो वैश्विक एलुमिनियम उद्योग में भारत एक महत्वपूर्ण किरदार निभाता है। लेकिन बीते कुछ वर्षों में इस वैश्विक कारणों से कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया में भारत एलुमिनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक (चीन के बाद) और तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता (चीन के बाद) है। आज भारत करीब चार मीट्रिक टन एलुमिनियम उत्पादन करता है (चीन 21.5 मीट्रिक टन) और 3.8 मीट्रिक टन खपत करता है (चीन 22 मीट्रिक टन, अमेरिका 5.5 मीट्रिक टन)। भारतीय एलुमिनियम उद्योग के सामने निम्नांकित चुनौतियां हैं:

(i) साल 2011 और 2015 के बीच एलुमिनियम की कीमत दुनिया में 41 फीसदी गिरी है। इस दौरान भारत में इसकी कुल मांग (बिक्री और आयात जोड़कर) के अनुपात में आयात काफी बढ़ा है, यह 40 प्रतिशत से बढ़कर 57 प्रतिशत हो गया।

(ii) चीन में विशाल क्षमता विकसित की गई और इसकी वैश्विक वृद्धि सुस्त पड़ गई।

(iii) भारत के लिए इसका उत्पादन लागत अंतर्राष्ट्रीय दामों से अधिक है। भारत के लिए एलुमिनियम

53. Ministry of Finance, ***Economic Survey 2017–18***, Vol. 2, (New Delhi: Government of India, 2018).

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

उत्पाद का लागत धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है, जबकि दुनिया में यह लागत स्थिर है।

(iv) 2014-15 में भारतीय क्षमता काफी बढ़ी है, लेकिन इसके इस्तेमाल में सुधार नहीं आया है। 2013-14 तक इस्तेमाल करीब 100 प्रतिशत था, लेकिन 2015 के आखिर तक इसमें 50 प्रतिशत की गिरावट आई। ऐसा वैश्विक कीमतों में गिरावट के चलते हुआ।

(v) जब तक वैश्विक कीमतों में वृद्धि नहीं होती, भारतीय एलुमिनियम उद्योग कठिनाई का सामना करेगा, क्योंकि अल्पावधि में उत्पादन लागत घटाना असंभव है।

अन्य धातु की कीमतों की तरह, एलुमिनियम की वैश्विक कीमतें भी आवर्ती हैं और यह भविष्यवाणी करना कठिन है कि कब इसमें उछाल आएगा। लेकिन जब वैश्विक उद्योग विकास सुधरेगा, तब इसमें बदलाव आने की उम्मीद है। भारत एलुमिनियम के आयात को घटाने के लिए सीमा-शुल्क त्याग रहा है, क्योंकि इससे संबंधित अन्य क्षेत्रों, जैसे-ऊर्जा, परिवहन और निर्माण क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा खत्म हो सकती है।

वस्त्र-फुटवियर क्षेत्र (Apparel & Footwear Sectors)

औद्योगिक क्रांति के समय से ही, कोई भी देश बिना औद्योगिक शक्ति के बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बन सका। भारत की बात करें तो यहां, औद्योगिक विस्तार न सिर्फ कमजोर था बल्कि व्यापक रूप से पूंजी प्रधान (रोजगार सृजन निवेश के अनुरूप नहीं था) था। जनसांख्यिकीय लाभांश के शीर्ष पर बैठे, भारत को रोजगार सृजन की आवश्यकता है जो औपचारिक, उपयोगी और निवेश के अनुकूल हो। इसके अलावा, विकास, आयात और व्यापक सामाजिक बदलाव को प्रोत्साहित करने के लिए अर्थव्यवस्था को दूसरे विकल्प भी ढूंढ़ने हैं। इस मामले में दो क्षेत्र-वस्त्र एवं चमड़ा तथा फुटवियर मौजूदा समय में पूरी तरह से उचित उम्मीदवार दिखते हैं।[54]

विकास और निर्यातः पूर्वी एशिया में युद्ध के बाद के इतिहास में तकरीबन सभी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं शुरुआती दौर में वस्त्र और फुटवियर निर्यात के तीव्र विस्तार से सम्बद्ध रही हैं। पूर्वी एशिया की सफल अर्थव्यवस्थाएं जहां जीडीपी वृद्धि औसतन 7-10 प्रतिशत के बीच रही, इन दो क्षेत्रों में निर्यात में वृद्धि वहां असाधारण रही-वस्त्र निर्यात में औसत वार्षिक वृद्धि सालाना 20 प्रतिशत से अधिक थी, कुछ में तो 50 प्रतिशत के नजदीक और उसी तरह चमड़ा और फुटवियर क्षेत्र में औसतन 25 प्रतिशत से अधिक। वृद्धि के इस शुरुआती चरण में, पूर्वी एशियाई प्रतियोगियों की तुलना में भारत ने कमतर प्रदर्शन किया। खासतौर पर चमड़ा क्षेत्र में भारत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा।

महिला सशक्तिकरण के माध्यम से सामाजिक बदलावः इन उद्यमों ने बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा कीं, खासतौर पर महिलाओं के लिए-फुटवियर के बाद वस्त्र क्षेत्र में सबसे अधिक कामगारों की जरूरत पड़ती है। ऑटो उद्योग की तुलना में वस्त्र क्षेत्र में 80 गुना अधिक लोगों की जरूरत पड़ती है और स्टील उद्योग की तुलना में 240 गुना अधिक रोजगार सृजन होता है-चमड़े की वस्तुओं से तुलना करने पर यह आंकड़ा क्रमशः 33 गुना और 100 गुना है। विश्व बैंक की रोजगार लोचशीलता के मुताबिक, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इन क्षेत्रों में तीव्र निर्यात वृद्धि तकरीबन 5 लाख अतिरिक्त प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन हर वर्ष कर सकती है। महिलाओं के लिए अवसर बढ़ने का संकेत है कि ये क्षेत्र 'सामाजिक बदलाव के वाहक' हो सकते हैं-वस्त्र क्षेत्र में विस्तार के चलते बांग्लादेश में महिला शिक्षा, सकल प्रजनन दर, महिला श्रमिक भागीदारी सकारात्मक तरीके से बढ़ी है।

54. **Economics Survey 2016-17**, Vol. 1, Ministry of Finance, Government of India, N. Delhi, pp. 128-138.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

एक ऐतिहासिक अवसर: भारत के पास इन क्षेत्रों में निर्यात को प्रोत्साहन देने का अवसर है क्योंकि चीन के बाजार की हिस्सेदारी या तो स्थिर है या घटी है। वस्त्र के मामले में चीन द्वारा रिक्त की हुई इस जगह पर बांग्लादेश और वियतनाम तेजी से कब्जा कर रहे हैं तथा चमड़ा और फुटवियर के मामले में वियतनाम और इंडोनेशिया। फिलहाल भारतीय वस्त्र और चमड़ा व्यवसाय बांग्लादेश, वियतनाम, म्यांमार यहां तक कि इथियोपिया में पुनर्स्थापित हो रहे हैं। लाभ के अवसर घट रहे हैं और इन क्षेत्रों में मार्केट शेयर और प्रतिस्पर्धा वापस हासिल करने के लिए भारत को तेजी से कदम उठाने की जरूरत है।

चुनौतियां: ये क्षेत्र एक समान चुनौतियों से जूझ रहे हैं-कर्मचारियों और माल की व्यवस्था, श्रम अधिनियम, कर और टैरिफ से जुड़ी नीतियां, प्रतियोगियों की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक वातावरण से उत्पन्न नुकसान। इसके साथ ही, चमड़ा और फुटवियर क्षेत्र नीतियों से संबंधित कुछ विशिष्ट चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जो इनके तुलनात्मक लाभ-मवेशियों की अधिकता-को निर्यात के अवसर में बदलने में बाधा डाल रहे हैं। भारत के पास अब भी सस्ते और अधिक श्रम के रूप में तुलनात्मक तौर पर अधिक संभावनाएं हैं, लेकिन ये दूसरे कारकों की वजह से प्रभावहीन हो जाते हैं। चुनौतियों के बारे में संक्षेप में नीचे दिया गया है:

(i) ***कर्मचारियों और माल की व्यवस्था:*** कर्मचारियों और माल की व्यवस्था के बारे में, भारत अपने प्रतियोगियों की तुलना में कई तरह से कमजोर है। माल को फैक्ट्री से लेकर मंजिल तक पहुंचाने में आने वाली लागत और समय अधिक है।

(ii) ***श्रम अधिनियम:*** श्रम की कीमत भारत के लिए एक फायदा है लेकिन यह भी इसके पक्ष में काम नहीं करता। समस्याएं अच्छी तरह पता हैं:

- न्यूनतम ओवर टाइम भुगतान पर अधिनियम (न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 ओवर टाइम मजदूरी के लिए सामान्य दर से दोगुने पर भुगतान का आदेश देता है);
- अंशकालिक कार्य के लिए लचीलेपन का अभाव;
- भारी अनिवार्य अंशदान (कर्मचारी निधि) जो कि छोटे उद्यमों में कम भुगतान किए जाने वाले श्रमिकों के लिए असल में एक तरह का कर बन जाता है जिसका नतीजा ये होता है कि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), श्रमिक कल्याण निधि (एलडब्ल्यूएफ), कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना (ईडीएलआई) और कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) आदि, में उनके अंशदान की वजह से मिलने वाला वेतन सिर्फ 45 फीसदी तक ही रह जाता है, तथा;
- चीन, बांग्लादेश और वियतनाम की तुलना में कहा जाए तो भारत में वस्त्र और चमड़ा उद्यम छोटे हैं (एक अनुमान के मुताबिक भारत में 78 प्रतिशत उद्यमों में 50 से कम कामगार हैं इसके साथ 10 प्रतिशत 500 से अधिक को रोजगार दे रहे हैं। चीन में तुलनात्मक आंकड़ा क्रमश: करीब 15 प्रतिशत और 28 प्रतिशत है)।

(iii) ***कर और टैरिफ नीतियां:*** कर और टैरिफ नीतियां भारत की निर्यात प्रतियोगितात्मकता को नुकसान पहुंचाती हैं। वस्त्र के मामले में, यहां दो तरह की नीतियां हैं, दोनों ही मनुष्य निर्मित वस्त्रों की प्रतियोगितात्मकता में बाधा डालती हैं और इसकी जगह सूती कपड़े पर आधारित निर्यात का पक्ष लेती हैं। यह एक गंभीर मसला है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय रूप से, विश्व की मांग मजबूती से मनुष्य निर्मित कपड़े की ओर बढ़ रही है। इसी तरह, जबकि विश्व का निर्यात चमड़े से गैर-चमड़े फुटवियर की ओर बढ़ रहा है, भारत गैर-चमड़ा फुटवियर पर ऊंचे कर लगाता है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(iv) ***निर्यात बाजारों में भेदभाव:*** वस्त्र, चमड़ा और फुटवियर में भारत के निर्यात प्रतियोगी राष्ट्र शून्य या निम्न टैरिफ के माध्यम से दो बड़े निर्यात बाजारों, जिनके नाम, यूएसए और यूरोपीय संघ (यूरोपियन यूनियन) हैं, में अच्छी पहुंच का आनंद ले रहे हैं:

- बांग्लादेश का निर्यात ईयू में ज्यादातर शुल्क मुक्त प्रवेश करता है (पूर्व में एक कम विकसित देश होने की वजह से), जबकि भारत वस्त्रों के निर्यात पर औसतन 9.1 प्रतिशत टैरिफ का सामना करता है।
- एक बार ईयू-वियतनाम एफटीए (मुक्त व्यापार समझौता) प्रभाव में आ जाए तो वियतनाम भी शून्य टैरिफ आकृष्ट कर सकता है।
- यूएस में, भारत को 11.4 प्रतिशत टैरिफ देना पड़ता है। इथियोपिया, जो कि वस्त्र और चमड़ा क्षेत्र में नया प्रतियोगी है, यू.एस., ईयू और कनाडा में शुल्क मुक्त पहुंच का लाभ मिलता है।
- भारतीय चमड़ा निर्यात भी चमड़े से बनी वस्तुओं और गैर-चमड़ा फुटवियर के निर्यात में साथी देशों के बाजार में ऊंचे टैरिफ का सामना करता है, जापान में महत्वपूर्ण अतिरिक्त हानि के साथ।

(v) ***चमड़ा और फुटवियर क्षेत्र में विशिष्ट चुनौतियां:*** यह क्षेत्र कई जानवरों, जैसे-मवेशी, भैंस, बकरी, भेड़ और दूसरे छोटे जानवर, की खाल और चमड़े का इस्तेमाल करता है। इनमें से, मवेशियों की खाल से बने चमड़े की वैश्विक मांग बहुत अधिक है (इसकी मजबूती, टिकाऊपन और ऊंची गुणवत्ता की वजह से) —मवेशी आधारित वैश्विक निर्यात भैंस आधारित वैश्विक निर्यात से 8 से 9 गुना अधिक है। हालांकि, मवेशियों की बड़ी आबादी होने के बावजूद, वैश्विक मवेशी आबादी में भारत का हिस्सा और मवेशियों की खाल का निर्यात कम है और घट रहा है। भारत में यह रुझान वध के लिए पशुओं की सीमित उपलब्धता का उत्तरदायी हो सकता है। इस तरह मौजूद प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के कम इस्तेमाल के चलते तुलनात्मक रूप से बढ़त की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाता है।

कपड़ा और वस्त्र के लिए जून 2016 में सरकार द्वारा कई तरह के उपायों के पैकेज को अनुमति देने का उद्देश्य ऊपर दी गई चुनौतियों से निपटना है। इसी तरह की व्यवस्था की जरूरत चमड़ा निर्यात के लिए भी है। श्रम कानूनों, कर युक्तिकरण (जीएसटी मददगार होगा), सुरक्षा योजनाओं में कर्मचारियों का अंशदान और नए एफटीए को स्पष्ट करना आदि क्षेत्रों में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश माप (FDI POLICY MEASURES)

प्रत्यक्ष विदेशी निवेशी (एफडीआई) आर्थिक विकास एक महत्वपूर्ण वाहक है, जो कि उच्च विकास दर को बनाए रखने और उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है। वह गैर-ऋण वित्तीय संसाधनों का एक प्रमुख स्रोत है और साथ में रोजगार सृजन में भी मदद करता है। अनुकूल नीति-तंत्र व अच्छा कारोबारी माहौल एफडीआई प्रवाह बढ़ाते हैं।

सरकार ने एफडीआई नीति सरल और उदार बनाने के लिए कई सारे सुधार किए हैं, ताकि देश में कारोबार करने में आसानी हो। इससे भी ज्यादा एफीडीआई प्रवाह होगी। कई सारे क्षेत्रों में उदारीकरण लाया गया, जिनमें रक्षा, निर्माण, प्रसारण, नागरिक उड्डयन, खेती, कारोबार, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग, उपग्रह स्थापना व संचालन तथा क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियां शामिल हैं। वर्ष 2017 के शुरूआत तक भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था में एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए निम्नांकित नीति अपनाई:

(i) बीमा और पेंशन निधि (26 प्रतिशत स्वचालित मार्ग के तहत) तथा रक्षा क्षेत्र में 49 प्रतिशत तक की एफडीआई की अनुमति।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(ii) चिकित्सकीय उपकरणों के निर्माण, व्हाइट लेबल एटीएम और रेलवे आधारभूत ढांचे में 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति।

(iii) भारत में निर्मित व उत्पादित खाद्य उत्पादों के विपणन में 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति *(आम बजट 2016-17)*।

(iv) बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार और सामान्य बीमा कंपनियों की सार्वजनिक लिस्टिंग के लिए एफडीआई नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव।

(v) बीमा एवं पेंशन, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां, स्टॉक एक्सचेंज के क्षेत्र के लिए एफडीआई नीति में सुधार लाए गए *(आम बजट 2016-17)*।

(vi) पीएसयू कंपनियों के प्रबंधन के लिए एक नई नीति लाई गई, जिसमें रणनीतिक विनिवेश शामिल है। इसे एफडीआई के लिए उदार प्रावधान माना गया *(आम बजट 2016-17)*।

विदेशी निवेश को आकर्षित करने में पिछले कुछ वर्षों में भारत का निष्पादन *(आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18* के अनुसार) काफी उत्साहजनक रहा है:

- वर्ष 2016-17 में उठाए गए सुधार कदमों के पश्चात् अब अधिकांश क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) स्वत: अनुमोदित है। वर्ष 2016-17 में FDI का कुल अंतर्प्रवाह 60.08 बिलियन अमेरिकी डालर रहा (पिछले वर्ष से 8% अधिक)। सितंबर 2017 तक इसका प्रवाह 33.75 अरब डालर था।
- मॉरिशस, सिंगापुर एवं जापान तीन शीर्षस्थ विदेशी निवेशक देश रहे जिनका योगदान क्रमश: 36.17%, 20.03% एवं 10.83% रहा (2016-17 में)।
- क्षेत्रवार दृष्टिकोण से सेवाएं (वित्त, बैंकिंग, बीमा, इत्यादि), दूरसंचार एंव कंप्यूटर क्षेत्र अग्रणी रहे जिनकी हिस्सेदारी क्रमश: 19.97%, 12.80% एवं 8.40% रही।

व्यवसाय करने की सहूलियत (EASE OF DOING BUSINESS)

विश्व बैंक समूह का वार्षिक प्रकाशन (2004 से) *डूइंग बिजनेस रिपोर्ट* विश्व के देशों को उनके 'नियमों, जो व्यवसायिक गतिविधियों को विस्तार देते हैं और जो उन पर रोक लगाते हैं' के आधार पर आंकती है। आमतौर पर इसे *'ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट'* कहा जाता है, जो किसी व्यवसाय के 11 क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले नियमों का मापती है:[55]

1. व्यवसाय शुरू करना,
2. निर्माण की अनुमतियों से निपटना,
3. बिजली मिलना,
4. जायदाद का पंजीकरण करवाना,
5. ऋण मिलना,
6. छोटे निवेशकों की सुरक्षा,
7. कर भुगतान,
8. सीमा पार व्यापार,
9. अनुबंधों को लागू करना,
10. दिवालिएपन का समाधान करना, और;
11. श्रम बाजार का नियमन।

डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2017 (अक्टूबर 2016 में जारी हुई) में माना गया है कि भारत ने इसके दस में से चार संकेतकों में सुधार लागू किए हैं-सीमा पार व्यापार, बिजली मिलना, अनुबंधों को लागू करने और कर भुगतान। भारत की स्थिति सुधरी है और इस सूची में शामिल 190 देशों में 130वें स्थान पर आ गया है (2015 में 142वें स्थान से)। दरअसल ये रिपोर्ट सिर्फ उन सुधारों को दर्ज करती है जो दिल्ली और मुंबई में हर साल एक जून तक लागू

55. **Doing Business 2017**, World Bank, Washington DC, 2017 and **Ministry of Commerce and Industry**, Government of India, N. Delhi, Press Release, October 28, 2016.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

किए जाते हैं। इस तरह भारत की सुधार की बहुत-सी कोशिशों (1 जून, 2016 के बाद हुईं) को इस साल की रिपोर्ट में दर्ज नहीं किया गया और ये अगली रिपोर्ट में भारत की स्थिति को बेहतर करेंगी। इस साल की रिपोर्ट में 'श्रम बाजार नियमन' को शामिल नहीं किया गया है।

अगले साल सूची में स्थान के लिए सुधार: सरकार अगले साल की रिपोर्ट (2018) में 50वें स्थान पर आने के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध है और उसने व्यवसाय को शुरू करने, चलाने और बंद करने को आसान बनाने के लिए बहुत-से सुधार किए हैं। इस संबंध में निम्न कार्रवाइयां किए जाने की तैयारी चल रही है:

(i) दिवाला और दिवालियापन संहिता।

(ii) जीएसटी को 1 जुलाई, 2017 तक पूरे देश में लागू करना।

(iii) कंपनी के समावेश, नाम की उपलब्धता और निदेशकों की पहचान संख्या के लिए एकल फॉर्म लागू करना और इसे अनिवार्य बनाना।

(iv) रजिस्ट्रियों का विलयन करना ताकि चल संपत्तियों के सुरक्षा हितों का एक एकीकृत ऑनलाइन डाटा बेस बनाया जाए।

(v) कस्टम क्लियरेंस से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाना, जिसका लक्ष्य प्रक्रिया को तेज और सस्ता करना है।

(vi) अदालती कार्यवाही में कागज मुक्त व्यवस्था लागू करना, जिसमें ई-फाइलिंग, ई-पेमेंट, ई-समन शामिल हैं।

(vii) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, दिल्ली शहरी कला आयोग, दिल्ली मैट्रो रेल निगम, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के रंगों से कूटबद्ध नक्शों को जीआईएस युक्त करना और उन्हें दिल्ली नगर-निगम की एकल खिड़की प्रणाली से जोड़ना।

(viii) प्रार्थना-पत्रों की ऑनलाइन फाइलिंग, मुलाकात के समय का कार्यक्रम और जायदाद के पंजीकरण के लिए शुल्क के भुगतान की अनुमति देना।

(ix) पिछले 30 साल के जमीन के अधिकार के सभी रिकॉर्ड और बाधाओं का डिजिटलीकरण करना और उन्हें ऑनलाइन उपलब्ध करवाना।

(x) उप-रजिस्ट्रार कार्यालय में जमीन के रिकॉर्डों को बिक्री दस्तावेजों के साथ एकीकृत करना।

अन्यान्य संरचनात्मक एवं जटिल सुधार प्रक्रिया के माध्यम से सरकार ने विश्व बैंक की 'डूईंग बिजनेस' रिपोर्ट-2018' में भारत के रैंक को 100वें स्थान पर लाने में सफलता प्राप्त की (वर्ष 2017 के 130वें स्थान से)। सरकार के अनुसार इस दिशा में किए गए गई सुधारों (*आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18* के अनुसार) को विश्व बैंक द्वारा ध्यान में लाना बाकी है-मुंबई एवं दिल्ली के नगर निगमों द्वारा कार्यविधियों (procedures) को कम करके 8 किया गया; निर्माण कार्य संबंधी अनुमोदन की अवधि को घटाकर 60 दिनों का किया गया; दिवालियापन (insolvency) प्रक्रिया को आसान बनाया गया; संविदा (contract) के प्रवर्तन को आसान बनाया गया; इत्यादि।

मेक इन इंडिया (MAKE IN INDIA)

बहुराष्ट्रीय व घरेलू कंपनियों को भारत में ही अपने उत्पाद बनाने को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया का शुभारंभ किया। यह पहल न सिर्फ विनिर्माण, बल्कि प्रासंगिक आधारभूत संरचना और सेवा क्षेत्रों में भी उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए की गई। इस पहल के मुख्य गुण[56] नीचे दिए गए हैं:

दृष्टिकोण: भारत में पूंजीगत व प्रौद्योगिकी निवेश, दोनों को आकर्षित करना, ताकि देश चीन और अमेरिका से भी आगे निकलकर दुनिया की सबसे अधिक एफडीआई वाला देश बन जाए।

उद्देश्य: अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों में रोजगार सृजन और कौशल विकास पर जोर। इसमें ऑटोमोबाइल, उड्डयन, जैव-प्रौद्योगिकी, रक्षा विनिर्माण, विद्युत मशीनरी, खाद्य प्रसंस्करण, तेल व गैस, दवाई, वगैरह शामिल हैं।

56. Government of India launch of the initiative, **Make in India**, N. Delhi, 25 September, 2014.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

लोगोः इसकी प्रेरणा अशोक चक्र से ली गई है। इसमें लंबे डग भरता हुआ एक शेर है, जो दांतेदार पहियों से बना हुआ है। यह विनिर्माण, शक्ति और राष्ट्रीय गौरव का संकेतक है।

इस पहल का एक और लक्ष्य है—उच्च गुणवत्ता वाले मानकों और स्थिरता के आयामों को लागू करना। इसमें अपनाई गई नीतियां हैं- कारोबार को आसान बनाना, पुराने पड़ चुके कानूनों से इनको दूर रखना, 100 स्मार्ट सिटी बनाना, पीएसयू कंपनियों का विनिवेश करना, युवाओं के लिए कौशल और रोजगार की व्यवस्था करना वगैरह। इन पहलों के सामने बड़ी चुनौतियां हैं- एक स्वस्थ कारोबारी माहौल को बनाना, गैर-अनुकूल कारकों को दूर करना, भारतीय एमएसएमई कंपनियों पर अधिक ध्यान देना, विश्व स्तरीय शोध व विकास की कमी को दूर करना और चीन के मेड इन चाइना अभियान से इनकी तुलना करना।

कुछ विशेषज्ञों ने मेक इन इंडिया अभियान से संबंधित कुछ चिंताएं उजागर की हैं। इन चिंताओं पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है:

(i) बेईमानी से पूंजी लगाने के आरोप;

(ii) ऊंची कीमत;

(iii) भारत में संयंत्र लगाने में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक फायदा होना;

(iv) जमीन कब्जा करना, तथा;

(v) काले धन को फिर से प्रवेश मिलना।

यह पहल चार स्तंभों पर आधारित है- नई प्रक्रियाएं, नए बुनियादी ढांचे, नए क्षेत्र और नई सोच। इस संदर्भ में भारत सरकार ने ये महत्वपूर्ण कदम[57] उठाए हैं:

(i) सूचना के प्रसार के लिए और निवेशकों से वार्तालाप के लिए एक संवादमूलक पोर्टल का बनाया जाना, जिसका उद्देश्य देश में निवेश अवसरों और परिदृश्य के बारे में जागरूक करना है, ताकि विदेशी बाजार में भारत को पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में बढ़ावा दिया जा सके और वैश्विक एफडीआई में भारत की हिस्सेदारी बढ़ सके।

(ii) राष्ट्रीय निवेश को प्रोत्साहित और सरलीकृत करने की एजेंसी के रूप में इन्वेस्ट इंडिया की स्थापना।

(iii) देश में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ मेक इन इंडिया पहल के तहत एक पूर्णकालिक इन्वेस्टमेंट फसिलिटैशन सेल (निवेश प्रोत्साहन केंद्र) की स्थापना की गई, जिसका मुख्य काम है, सभी निवेश प्रश्नों को जानने-समझने में मदद करना, साथ ही संभावित निवेशकों की तरफ से विभिन्न ऐजेंसियों से संपर्क करना।

(iv) राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, 2011 में जैसा परिकल्पित है, उसके हिसाब से मेक इन इंडिया सकल घरेलू उत्पाद को 25 प्रतिशत का योगदान और 2022 तक 10 करोड़ नौकरियां दे सकता है।

(v) भारत में कामगारों/ बेरोजगारों के हुनर को बढ़ावा देने के लिए कई सारे कदम उठाए गए हैं, ताकि वे उचित रोजगार पा सकें।

(vi) रचनात्मक संभावना के दोहन और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के क्रम में स्टार्ट-अप इंडिया और स्टैंड इंडिया अभियान की घोषणा की गई।

(vii) भारत में नवाचार और स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने के लिए एक नवाचार प्रोत्साहन मंच शुरू किया गया, जिसका नाम एआईएम (अटल इनोवेशन मिशन) है। इसके अलावा, एक तकनीकी-वित्तीय, ऊष्मायन एवं सुगमता कार्यक्रम लागू किया गया है, जिसका नाम एसईटीयू (सेल्फ एम्प्लॉयड ऐंड टैलेंट यूटिलाइजेशन) है।

(viii) लघु व मध्यम उद्यम क्षेत्रों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने और स्टार्ट अप्स एवं उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया के जरिये कई कदम उठाए गए हैं:

57. Ministry of Finance, **Economic Survey 2015-16**, p. 135.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(a) एमएसएमई क्षेत्र के उद्यम को वित्त पोषण के लिए सिडबी (SIDBI) के तहत इंडिया एस्पाइरेशन फंड की भी स्पाना की गई है।

(b) उदार शर्तों पर भारतीय एसएमई कंपनियों को शर्त आधारित अल्पावधि ऋण व आभाषी इक्विटी देने के लिए सिडबी (एसआईडीबीआई) मेक इन इंडिया लोन फॉर स्मॉल इन्टरप्राइजेज (स्माइल) का शुभारंभ किया गया।

(c) सूक्ष्म इकाइयों को को ऋण देने के लिए वाणिज्यिक बैंक/एनबीएफसी/कॉपरेटिव बैंकों के विकास व पुनर्वित्तीयन के लिए माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा) बैंक की स्थापना की गई। मुद्रा कई अन्य सेवाएं उपलब्ध कराती है, जैसे–वित्तीय साक्षरता और सूचना एवं कुशलता की खाई को भरने का काम। यह उसका *'क्रेडिट प्लस दृष्टिकोण'* है।

मौजूदा समय में भारत के विनिर्माण क्षेत्र के पास बाकी दुनिया की तुलना में ये लाभ हैं *(आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16)*:

(i) अभी कमजोर वैश्विक मांग है। अनिश्चित निवेश माहौल के साथ कमोडिटी कीमतों में कमी है। 2015 से वैश्विक विनिर्माण उत्पाद में गिरावट आई है (करीब दो प्रतिशत विकास दर के साथ)। फिर भी 2015 के अंत तक अमेरिका और यूरोप में वसूली के लक्षण दिखे।

(ii) 2015 में विकासशील व उभरती हुई औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं ने विनिर्माण क्षेत्र में पांच प्रतिशत की विकास-दर दर्ज कराई। हालांकि, 2015 के अंत तक चीन विनिर्माण क्षेत्र में सात प्रतिशत की विकास दर पर था, पर उसकी अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ रही है।

(iii) ऊपर बताए गए वैश्विक परिदृश्य के सामने, भारत ने विनिर्माण क्षेत्र में 12 प्रतिशत तक विकास किया है (दिसंबर 2015 तक)।

'मेक इन इंडिया वर्जन 2.0' के अंतर्गत सरकार द्वारा 'चैम्पियन क्षेत्रों' (Champion Sectors) की पहचान की गयी है जिनमें वैश्विक स्तर पर चैम्पियन बनने की क्षमता है *(आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18* के अनुसार)। इसके अंतर्गत चिन्हित क्षेत्र हैं-पूंजीगत वस्तुएं, वाहन, प्रतिरक्षा एवं अंतरिक्ष-उड्डयन, जैव-तकनीक, औषधि, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन एवं विनिर्माण, चर्म एवं जूता, वस्त्र एवं पोशाक, खाद्य प्रसंस्करण, जवाहरात एवं आभूषण, नवीकरणीय ऊर्जा, निर्माण, जहाजरानी तथा रेलवे।

स्टार्ट-अप इंडिया (Start–Up India)

जनवरी 2016 में स्टार्ट अप इंडिया एण्ड स्टैंड-अप इंडिया के नारे के साथ भारत सरकार ने स्टार्ट-अप इंडिया योजना की शुरुआत की। इसका मकसद है—नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी विकसित करना, संवहनीय आर्थिक विकास करना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित करना। तकनीकी क्षेत्र के अलावा स्टार्ट-अप अभियान ने दूसरे क्षेत्रों में भी धावा बोला है, जिनमें कृषि, विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा शामिल हैं। इसके अलावा, इसने अपनी धमक स्तर-1 से स्तर-2 और 3 के शहरों तक पहुंचाई, जिनमें अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में भी शामिल हैं। कंपनियों के लिए प्रस्तावित कार्य-नीति *(आर्थिक सर्वे 2015-16)* नीचे दी गई हैं:

- नियामक बोझ घटाने और अनुपालन लागत कम रखने के लिए स्व-प्रमाणन पर आधारित एक अनुपालन तंत्र बनाना।
- पूरे स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी के लिए एक संपर्क-सूत्र बने, ज्ञान का आदान-प्रदान हो और पूंजी की प्राप्ति हो, इसके लिए स्टार्ट-अप इंडिया हब की स्थापना करना।
- मोबाइल ऐप और पोर्टल का लगातार इस्तेमाल होना, ताकि शेयरधारकों और नियामक संस्थानों व सरकार से बातचीत के लिए स्टार्ट-अप को एक मंच मिले।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

- सार्वजनिक खरीद के सरल कायदे-कानून।
- कम लागत पर पैटेंट परीक्षा की तेजी से निगहबानी और कानूनी सहायता प्रदान करना, ताकि आईपीआर (बौद्धिक संपदा अधिकार) के प्रति जागरूकता फैले।
- निकासी के तेज और आसान नियम।
- 10,000 करोड़ रुपये की पूंजी के साथ फंड ऑफ फंड्स के जरिये वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- उद्यमशीलता को प्रेरित करने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड।
- पूंजीगत लाभ पर कर छूट।
- तीन वर्षों के लिए आयकर छूट।
- एसईटीयू (सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट ऐंड टैलेंट यूटिलाइजेशन) के साथ एआईएम (अटल इनोवेशन मिशन) कार्यक्रम का आरंभ, ताकि विश्व स्तरीय इनोवेशन हब, स्टार्ट-अप कारोबारों और दूसरे स्व-रोजगार गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच मिले, खास तौर पर तकनीक संचालित क्षेत्रों में।
- शोध व विकास प्रयासों व उनके पोषण को बढ़ावा देने के जरिये सफल इनोवेशन की प्राप्ति हो, इसके लिए राष्ट्रीय संस्थानों में इनोवेशन सेंटर बनाना।
- 7 नए शोध पार्कों (आईआईटी मद्रास के शोध पार्क की तर्ज पर) स्थापना करना।
- जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देना।
- विद्यार्थियों के लिए इनोवेशन केंद्रित कार्यक्रमों को शुरू करना, ताकि विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा मिले।

सरकार द्वारा 'स्टार्ट-अप' (start-up) को प्रोत्साहित करने के लिए हाल में कई कदम उठाए गए (*आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18* के अनुसार):

- विनियमन के बोझ को कम करने के लिए स्व-सत्यापन (self-certification) की शुरूआत की गयी (3 श्रम कानूनों एवं 6 पर्यावरण संबंधी कानूनों के मामले में)।
- ज्ञान के साझेदारी एवं कोष तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए 'एकल बिन्दु' संपर्क **'स्टार्ट-अप इंडिया हब'** (Start-up India Hub) की स्थापना की गयी है।
- लघु औद्योगिक विकास बैंक (SIDBI) के प्रबंधन में एक **'फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्ट-अप'** (Fund of Funds for Startups) की स्थापना - 10,000 करोड़ रु. की क्षमता।
- शैक्षणिक जगत एवं उद्योग की साझेदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाये गए हैं। विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान संस्थानों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए जैव-उद्यमशीलता, जैव-कलस्टर, तकनीक हस्तांतरण कार्यालय, जैव-संपर्क कार्यालयों इत्यादि की स्थापना की जा रही है।
- जैव-तकनीक से जुड़े स्टार्ट-अप के लिए 'सीड फंड' एवं 'इक्विटी फंडिंग' की व्यवस्था की गयी है।

स्टार्ट-अप इंडिया भारतीय नौजवानों को नौकरी तलाश करने वाले से नौकरी देने वाले में बदल देगा। यह भारत में उद्यमशीलता, नवाचार और क्रांतिकारी नए उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देगा, जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के लोग करेंगे। यह पहल भारत को आसमान में उड़ने के लिए पंख देती है।

भारतीय अधिसरंचना (INDIAN INFRASTRUCTURE)

परिचय (Introduction)

जिस प्रकार मानव शरीर के लिए प्रोटीन अनिवार्य है, उसी तरह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए आधारभूत संरचना नितांत आवश्यक है। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए चाहे

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

मुख्य प्रेरक बल (Prime Moving Force) कुछ भी हो (प्राथमिक, द्वितीयक अथवा तृतीयक क्षेत्र), उसके विकास के लिए समुचित आधारभूत संरचना होना एक अनिवार्य पूर्व शर्त है। इस कारण से भारत सरकार क्षेत्र के विकास पक्ष को हर हमेशा प्राथमिकता देती है, लेकिन क्षेत्र के विकास का स्तर अभी भी अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है। आधारभूत संरचना किस क्षेत्र को कहते हैं? मूलत: वैसी वस्तुएँ तथा सेवाएँ जिनमें प्राय: अधिक निवेश की आवश्यकता होती हो तथा जो किसी भी अर्थव्यवस्था के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए जरूरी हों उसे उस अर्थव्यवस्था का आधारभूत संरचना कहा जाता है।[58] ऐसे क्षेत्र के कई उदाहरण हैं, जिसकी किसी अर्थव्यवस्था को आवश्यकता होती है, जैसे–विद्युत, परिवहन, संचार, जल-आपूर्ति, आवास, मल-व्यवस्था, शहरी सुख-सुविधाएँ इत्यादि।

विद्युत, परिवहन तथा संचार ऐसे तीन क्षेत्र हैं, जिसे पूरे विश्व में सभी जगहों पर आधारभूत संरचना माना गया है। चूँकि आधारभूत संरचना का लाभ पूरे अर्थव्यवस्था को होता है इसलिए अर्थशास्त्रियों द्वारा अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि इस क्षेत्र का निधिकरण सरकार के द्वारा कर-वसूली के माध्यम से पूर्णत: नहीं तो फिर अंशत: अवश्य किया जाना चाहिए।

भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रम शुरू होने के बाद आधारभूत संरचना के क्षेत्र पर काफी दबाव है तथा इस क्षेत्र में निवेश की कमी है।[59] अर्थव्यवस्था में अधिक वृद्धि प्राप्त करने के मार्ग में आधारभूत संरचना हमेशा एक अड़चन बनी हुई है। भारत में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में व्यापक रूप से सरकारी तथा निजी निवेश की आवश्यकता है। चूँकि इस क्षेत्र में अत्यधिक निवेश की आवश्यकता है इसलिए निजी तथा सरकारी निवेश एक-दूसरे के विकल्प नहीं बल्कि एक-दूसरे के संपूरक हैं। आधारभूत संरचना के क्षेत्र में सरकारी निवेश सार्वजनिक क्षेत्र में पूँजी उगाहने की क्षमता पर निर्भर करता है। यह उपभोक्ताओं से उपभोग शुल्क (User Charges) वसूल करने की क्षमता पर निर्भर करता है। इस प्रयास में निम्नलिखित तीन कारक महत्वपूर्ण हैं:

(i) विद्युत क्षेत्र में सुधार;

(ii) प्रत्यक्ष रूप में मार्ग कर के द्वारा या अप्रत्यक्ष रूप में पेट्रोल व डीजल पर उपकर लगा कर सड़क उपभोग शुल्क की शुरुआत, तथा;

(iii) रेलवे भाड़े को तर्कसंगत बनाना (Rationalisation of railway fares)।

विशेषज्ञों का यह कहना है कि इस क्षेत्र में सरकारी निवेश में वृद्धि की जानी चाहिए साथ ही साथ निजी निवेश (देशी अथवा विदेशी) को भी आकर्षित करने का पूरा प्रयास किया जाना चाना चाहिए।[60] आधारभूत संरचना के क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक अनुकूल वातावरण की आवश्यकता है, जिसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए:

(i) आधिकारिक अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया का सरलीकरण तथा उनमें पारदर्शिता।

(ii) किसी भी आधारभूत संरचना की परियोजना को अलग-अलग खंडों में विभाजित करना ताकि निजी क्षेत्र उस भाग में निवेश कर सकें, जिसका वहन वे आसानी से कर सकेंगे।

(iii) विश्वसनीय तथा स्वतंत्र नियमन ढाँचा प्रदान करना ताकि निजी क्षेत्र के निवेशकों को कठिनाई का सामना न करना पड़े।

आधिकारिक विचारधारा (Official Ideology)

कुशल तथा कार्यक्षम आधारभूत संरचना भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए नितांत आवश्यक है। अब इस बात पर व्यापक आम सहमति है कि सभी प्रकार की आधारभूत संरचना के लिए सिर्फ सरकार पर ही निर्भर नहीं रहा जा सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र से जुड़ी हुई कई समस्याएँ हैं;

58. ***Oxford Dictionary of Business***, (New Delhi: Oxford University Press, 2004).

59. ***India Infrastructure Report 1994.*** (New Delhi: Government of India, 1994).

60. One of such major suggestion was forwarded by Sachs, Varsheny and Bajpai, ***India in the Era of Economic Reforms,*** p. 79.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

जैसे–पर्याप्त निवेश की कमी, तकनीकी कार्यकुशलता में कमी, उपभोग शुल्क को समूचित रूप से लागू नहीं किया जाना तथा बाजार में प्रतिस्पर्द्धा[61], लेकिन आधारभूत संरचना के लिए निजी क्षेत्र पर पूरी तरह निर्भर रहना, खासकर पर्याप्त नियमन के बिना अपेक्षाकृत नतीजे नहीं दे पाएगा।[62]

भारत में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में एक ओर जहाँ सरकारी निवेश को धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है, वहीं ऐसे उपयुक्त नीतिगत ढाँचे भी तैयार किए जा रहे हैं, जिसके तहत इस क्षेत्र में निजी कंपनियों को व्यापक रूप से निवेश करने का प्रोत्साहन एवं आत्मविश्वास प्राप्त हो सके। साथ-ही-साथ सरकार पारदर्शिता, प्रतिस्पर्द्धा तथा नियमन के द्वारा इस क्षेत्र में अपना नियंत्रण बनाए हुए तथा संतुलन कायम रखे हुए है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र में 14,50,000 करोड़ रुपये (500 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के निवेश की आवश्यकता होगी।[63] यह सरकारी निवेश, सरकारी-निजी क्षेत्र की साझेदारी तथा निजी क्षेत्र के निवेश-तीनों के संयोजन से प्राप्त किया जा सकता है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के हिस्से के रूप में आधारभूत ढांचे में निवेश के 9 फीसदी तक बढ़ने की उम्मीद थी। पहली बार आधारभूत सरंचना के कुल निवेश में निजी क्षेत्र का हिस्सा 30 फीसदी से ज्यादा रहने का अनुमान लगाया गया था। ग्याहरवीं योजना के दौरान, योजना खत्म होने के वर्ष में, आधारभूत ढांचे में कुल निवेश के जीडीपी के 8 फीसदी से ज्यादा होने का अनुमान था, जो 10वीं योजना की तुलना में 2.47 फीसदी ज्यादा था। अनुमान था कि, इस निवेश में कि निजी क्षेत्र की भागीदारी करीब 36 फीसदी होगी।

61. Ministry of Finance, ***Economic Survey,*** 2006–07, (New Delhi: Government of India, 2007).
62. ***India Infrastructure Report 2007*** (New Delhi: Government of India, 2011).
63. Planning Commission, ***Mid Term Appraisal of the 11th Pan*** (New Delhi: Government of India, 2011).

भौतिक रूप से आधारभूत ढांचे के एक विश्लेषण[64] से लगता है, हालांकि पिछली पंचवर्षीय योजनाओं की तुलना में 11वीं योजना के दौरान कुछ क्षेत्रों में उपलब्धियां उल्लेखनीय रहीं लेकिन कुछ क्षेत्रों में चूक रह गई हैं। पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के माध्यम से आधारभूत ढांचे में निजी क्षेत्र के निवेश के संग्रह के लिए इस योजना ने आने वाले सालों में निजी क्षेत्र के धन को लगाने के लिए संतोषजनक ढांचा तैयार करने के लिए मजबूत आधार तैयार कर दिया है। आशा की जाती है कि, पीपीपी से संसाधनों की उपलब्धता तो बढ़ेगी ही आधारभूत ढांचे की सेवाओं में कुशलता भी बढ़ेगी।

योजना आयोग[65] ने अपने दृष्टिकोण पत्र में बाहरवीं योजना (2012-17) के दौरान 45 लाख करोड़ से ज्यादा (करीब 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर) के निवेश का अनुमान लगाया था। यह माना जा रहा था कि इसका कम-से-कम 50 फीसदी निवेश निजी क्षेत्र से आएगा, 11वीं योजना के 36 फीसदी के मुकाबले। सरकारी निवेश को 22.5 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाना होगा, जो 11वीं योजना में 13.1 लाख करोड़ रुपये था। इसलिए आने वाले सालों में आधारभूत ढांचे में धन लगाना एक बड़ी चुनौती होगा और इसके लिए मौलिक विचारों और धन लगाने के नए तरीकों की जरूरत पड़ेगी।

उदय योजना (UDAY SCHEME)

राज्य सरकारों की विद्युत वितरण कंपनियों (डीआईएससीओएम कंपनियों) के प्रदर्शन सुधारे बगैर, गांवों का सौ फीसदी विद्युतीकरण, 24 घंटे, सातों दिनों ऊर्जा आपूर्ति और स्वच्छ ऊर्जा का प्रयास कभी फलीभूत नहीं हो सकता। बत्ती गुल रहना भी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, जैसे कि मेक इन इंडिया व डिजिटल इंडिया, पर बुरा असर डालता है। इसके अलावा, वित्तीय संकट वाली डीआईएससीओएम कंपनियों द्वारा बैंक ऋण चुकाने में दिवालिया होने से भी बैंकिंग

64. ***Planning Commission,*** while announcing the *Approach for the 12th Plan.*
65. Planning Commission, ***Approach to the 12th Plan*** (New Delhi: Government of India,).

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

क्षेत्र और काफी हद तक अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ने की आशंका है।

डीआईएससीओएम के वित्तीय और क्रियात्मक सुधार तथा इस समस्या के स्थायी समाधान को निश्चित करने के लिए भारत सरकार ने नवंबर 2015 में यूडीएवाई (उज्ज्वल डीआईएससीओएम ऐश्युरेंस योजना) शुरू किया गया। इस योजना का एक लक्ष्य डीआईएससीओएम कंपनियों पर से ऋण के बोझ, ऊर्जा की कीमत और उनके कुल प्रसारण व वाणिज्यिक घाटे को घटाना था। परंपरागत मुद्दों के कारण, डीआईएससीओएम कंपनियां परिचालन घाटों के दुष्चक्र में है। 2014-15 तक डीआईएससीओएम पर कुल कर्ज 4.3 लाख करोड़ रुपये था, 14-15 प्रतिशत की ब्याज दर और 22 प्रतिशत तक के कुल प्रसारण व वाणिज्यिक नुकसान के साथ यह योजना अतीत के स्थायी समाधान के साथ इस क्षेत्र में भविष्य के संभावित मसलों के जरिये डीआईएससीओएम कंपनियों की जीवंत व सक्षम बनने का भरोसा दिलाती है। यह अगले दो-तीन वर्षों में डीआईएससीओ कंपनियों को अवसर भुनाने की शक्ति दे सकती है। यह चार पहलों से संभव होगा:

(i) परिचालन क्षमता को सुधार कर

(ii) ऊर्जा लागत घटा कर

(iii) ब्याज लागत में कमी कर

(iv) वित्तीय अनुशासन लागू कर

परिचालन क्षमता इन कदमों से सुधरेगी- अनिवार्य स्मार्ट मीटरिंग, ट्रांसफॉर्मरों व मीटरों को बेहतर करने वगैरह से। ऊर्जा क्षमता सक्षम एलईडी बल्ब, कृषि पंप, पंखे व एयर कंडीशनर, वगैरह लगाकर बढ़ेगी। इन सबसे औसत कुल प्रसारण व वाणिज्यिक घाटा 22 प्रतिशत से घटकर 15 प्रतिशत पर आ जाएगा और 2018-19 तक एआरआर (औसत राजस्व वसूली) व एसीएस के बीच का अंतर खत्म हो जाएगा।

ऊर्जा लागत में कमी को सस्ते घरेलू कोयले की आपूर्ति बढ़ाकर, ऊर्जा संयंत्रों के निकट के कोयला खदानों से कोयला मांगकर व अक्षम संयंत्रों से सक्षम संयंत्रों के लिए कोयले की अदला-बदली कर, जीसीवी (कुल ऊष्मीय मूल्य) के आधार पर कोयला की तर्कसंगत कीमत रखकर, धुले व तोड़े हुए कोयले की आपूर्ति कर और ट्रांसमिशन लाइनों को तेजी से पूरा कर हासिल किया जा सकता है। घरेलू कोयला की अधिक आपूर्ति व कोयले की अदला-बदली व उसकी कीमत को तर्कसंगत बनाने से अनुमान है कि एनटीपीसी अकेले प्रति यूनिट 35 पैसे बचा लेगी, जो कि डीआईएससीओएम तक जाएगा।

इस योजना की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:[66]

- डीआईएससीओएम ऋण का 75 प्रतिशत राज्य उठा लेगा, 2015-16 में 50 प्रतिशत और 2016-17 में 25 प्रतिशत। इससे ब्याज मूल्य 14-15 प्रतिशत से कम होकर 8-9 प्रतिशत कम आ जाएगा।
- वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 में राज्यों के राजकोषीय घाटे की गणना में राज्य द्वारा अपने हाथ में लिए कर्ज को भारत सरकार शामिल नहीं करेगी।
- राज्य गैर-एसएलआर जारी करेंगे, जिसमें संबंधित बैंकों और वित्तीय संस्थानों (एफआई) में सीधे या बाजार में एसडीएल (स्टेट डेवलपमेंट बैंक) लाना शामिल है।
- डीआईएससीओएम के कर्ज, जिनको राज्य ने अपने ऊपर नहीं लिया, बैंकों और एफआई द्वारा ऋण या बॉण्ड में बदल दिए जाएंगे। इनकी ब्याज दर बैंक की आधार दर और 0.1 प्रतिशत के जोड़ से ज्यादा नहीं होती। वैकल्पिक रूप से, यह कर्ज डीआईएससीओएम द्वारा पूरी तरह या आंशिक तौर पर राज्य गारंटेड डीआईएससीओएम बॉण्ड के रूप में वर्तमान बाजार दर पर जारी किया जाता है, जो कि बैंक की आधार दर और 0.1 प्रतिशत के जोड़ के बराबर या कमतर होगी।
- राज्य वर्गीकृत तरीके से डीआईएससीओएम के भविष्य के नुकसान को उठाएंगे।

66. Ministry of Finance, **Economic Survey 2015–16**, Vol. 2, pp. 137–138.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

- राज्य यूडीएवाई को स्वीकारेंगे और परिचालन उपलब्धियों के आधार पर उनको दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), इंटीग्रेटेड पॉवर डेवलपमेंट स्कीम (आईपीडीएस), पॉवर सेक्टर डेवलपमेंट बैंक (पीएसडीएफ) या ऊर्जा मंत्रालय व नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय की ऐसी ही अन्य योजनाओं के जरिये अतिरिक्त पूंजी प्रदान की जाएगी। जो राज्य परिचालन उपलब्धियों को पूरा नहीं करेंगे, वे आईपीडीएस और डीडीयूजीजेवाई अनुदान पर अपने दावे को गंवा बैठेंगे।
- ऐसे राज्यों को सूचीबद्ध दामों पर और उच्च क्षमता उपयोग, एनटीपीसी व अन्य केंद्रीय पीएसयू से कम बिजली लागत के जरिये अतिरिक्त कोयले के साथ मदद की जाएगी।
- यूडीएवाई सभी राज्यों के लिए वैकल्पिक है। हालांकि, राज्यों को जल्द-से-जल्द इसका लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि लाभ उनके प्रदर्शन पर निर्भर करते हैं (2016 के मध्य तक, ज्यादातर राज्य व केंद्र शासित प्रदेश इस योजना से जुड़ेंगे)।

दरअसल, डीआईएससीओएम की वित्तीय ऋण संबंधित राज्यों के आकस्मिक ऋण हैं और इसे इसी रूप में देखे जाने की जरूरत है। डीआईएससीओएम का कर्ज वास्तव में राज्यों पर उधार है, जिसे कानूनी तौर पर उधार के रूप में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि, क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसियां और बहुपक्षीय ऐजेंसियों अपने मूल्यांकनों में इस असल कर्ज के रूप में देखती हैं। 14वें वित्तीय आयोग ने भी यही पाया है।

इसी तरह, नई योजना डीडीयूजीवाई (दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना) को ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए शुरू किया गया। 12वीं और 13वीं योजनाओं में आरजीजीवीवाई (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण) को जारी रखने के लिए बजटीय सहायता देकर भी इस नई योजना को आगे बढ़ाया गया है।

यूडीएवाई पूरे ऊर्जा क्षेत्र में सुधार की प्रक्रिया को तेज करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि ऊर्जा सुलभ, सस्ती और सबके लिए उपलब्ध हो। यूडीएवाई यकीनन एक 'शक्तिशाली' भारत के उदय का अग्रदूत है।

नेशनल एलईडी प्रोग्राम: जनवरी 2015 में भारत सरकार ने 100 शहरों में नेशनल एलईडी प्रोग्राम का आरंभ किया, जिसका उद्देश्य है कि सस्ती दरों पर सबसे सक्षम लाइटिंग टैक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा जाए। इस कार्यक्रम के दो घटक हैं:

(i) डीईएलपी (डोमेस्टिक एफीशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम) का लक्ष्य है कि आम बल्बों (77 करोड़) को एलईडी से बदला जाए (घरेलू उपभोक्ता को एलईडी बल्ब देकर)।

(ii) एसएलएनपी (स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम) का लक्ष्य है कि पुराने स्ट्रीट लाइट (3.5 करोड़) को बेहतर व ऊर्जा बचाने में सक्षम एलईडी स्ट्रीट लाइट से मार्च 2019 तक बदल दिया जाए।

माना जाता है कि यह कार्यक्रम अर्थव्यवस्था को कई तरह से फायदा पहुंचाएगा:

- 21,500 मेगावाट तक बिजली की मांग में कमी आएगी, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं और शहरी स्थानीय निकायों के 45,500 करोड़ रुपये बचेंगे।
- सालाना 85 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन को कम कर यह जलवायु परिवर्तन को रोकने में मदद करेगा। भारत 2030 तक 2005 के स्तर से 33-35 प्रतिशत तक उत्सर्जन तीव्रता प्रति इकाई जीडीपी को घटाने के लिए प्रतिबद्ध है (आईएनडीसी- नियत राष्ट्रीय प्रतिबद्ध अंशदान में उल्लिखित)
- एलईडी बल्ब के घरेलू निर्माण को मदद व प्रोत्साहन देना और इसे मेक इन इंडिया पॉलिसी के अनुकूल बनाए रखना।

इसके अलावा, सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम) की स्थापना को भी मंजूरी दी है, ताकि भारत में स्मार्ट ग्रिड से संबंधित कार्यक्रमों और

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

नीतियों के लागू करने का खाका तैयार हो और इस पर नजर रखी जा सके।

कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (AT&C) घाटा: 'संचरण और विस्तार' (टीएंडडी) कामों में पर्याप्त निवेश के अभाव के चलते टीएंडडी घाटे लगातार भारी रहे और साल 2000-01 में 32.86 फीसदी के स्तर पर पहुंच गए। सरकारी सुविधाओं (एसईबी) को व्यावहारिक बनाने के लिए इन घाटों का कम रहना अनिवार्य हो गया था। चूंकि एएंडडी इस तंत्र में सभी घाटों को पकड़ने में सक्षम नहीं था इसलिए औसत तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) घाटा अवधारणा शुरू की गई। एटीएंडसी घाटा तंत्र में तकनीकी के साथ ही वाणिज्यिक घाटों को भी पकडता है और प्रणाली में सभी घाटों का सही सूचक है।

इस प्रणाली में उच्च तकनीकी नुकसान मुख्य इस वजह से हुए कि कई सालों से प्रणाली के काम में सुधार के लिए अपर्याप्त निवेश किया जा रहा है, जिसका नतीजा ये हुआ कि वितरण क्षेत्र में अनियोजित विस्तार हुआ, ट्रांसफॉर्मर और कण्डक्टर जैसी प्रणाली के तत्वों पर बोझ बढता गया और आवश्यकता के मुताबिक प्रतिक्रियात्मक ऊर्जा सहयोग नहीं मिल पाया।

व्यावसायिक घाटे की मुख्य वजहें:

(i) कम क्षमता वाले मीटर;

(ii) चोरी (Theft), और;

(iii) छोटी चोरियां (Pilferages)।

मीटर की कार्यक्षमता बढ़ाकर, सही तरीके से ऊर्जा का हिसाब रख और ऑडिट कर और बिल और पैसा इकट्ठा करने की कुशलता बढ़ाकर इस सब का निदान किया जा सकता है। उत्तरदायी व्यक्ति/ फीडर मैनेजर की जवाबदेही सुनिश्चित करने से एटीएंडसी के घाटे उल्लेखनीय रूप से कम होने में मदद मिल सकती है।

दिसंबर 2014 में, भारत सरकार ने एक और कार्यक्रम शुरू किया, जिसका नाम आईपीडीएस (इंटीग्रेटेड पॉवर डेवलपमेंट स्कीम) है। निश्चित रूप से यह केंद्र प्रायोजित योजना (सीसीएस) है, जिसमें केंद्रीय अनुदान 60 से 85 प्रतिशत तक है। इसका मुख्य लक्ष्य देश में 24 घंटों, सातों दिन ऊर्जा आपूर्ति करना है, जो कि सब-ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत कर, मीटरिंग, आईटी सेवा, कस्टमर केयर सर्विसेस को सुधार कर होगा। साथ ही, इसके लिए सोलर पैनल के प्रावधान करने होंगे, राज्य डीआईएससीओएम कंपनियों के कुल तकनीकी व वाणिज्यिक लागत को कम करना होगा। इस योजना में 2008 में शुरू योजना आर-एपीडीआरपी (रीस्ट्रक्चर्ड एक्सीलरेटेड पॉवर डेवलपमेंट एण्ड रिफॉर्म्स प्रोग्राम) भी सम्मिलित है।

रेलवे (RAILWAYS)

भारतीय रेलवे (आईआर) कई सारी चुनौतियां का सामना करती रही है। गाड़ी की तीव्रता बढ़ाने की क्षमता के लिए आईआर परियोजना निष्पादन क्षमता को बढ़ाने का महत्व समझती है। रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर में योजना-निवेश के लिए संसाधनों की भारी जरूरत को देखते हुए और सार्वजनिक संसाधनों की सीमाओं को देखते हुए भारतीय रेलवे के पास यह चुनौती है कि वह पर्याप्त आंतरिक बचत कर और वित्त के क्षेत्र में नए-नए तरीकों को ढूंढ़कर अपनी जरूरतें पूरी करे।

अभी लक्ष्य है महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जैसे कि समर्पित फ्रेट कॉरिडोर, काफी तेज गति की रेल, उच्च क्षमता रोलिंग स्टॉक, और बंदरगाहों तक कनेक्टिविटी, वगैरह में निवेश पर प्राथमिकता हो। इसके अलावा, यह भी लक्ष्य है कि मौजूद संसाधनों को पूरा करने के लिए निजी व एफडीआई निवेशों को आकर्षित किया जाए। इस दिशा में भारत सरकार ने निम्नांकित बड़ी पहलें उठाई हैं:

- यात्री सुवधाओं को सुधारने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इसी तरह बुनियादी ढांचे और सेवाओं को भी सुधारने के कदम उठाए गए हैं। ये सब मेक इन इंडिया, फ्रेट इनिशिएटिव, संसाधन संघटन पहल व हरित पहल, वगैरह के तहत किए गए। 48,818 किलोमीटर के रेल मार्ग की मदद के साथ हाई-स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क को अपनी जगह पर रखा गया। चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्टरी ने पहली बार अपनी तरह का पहला स्टेनलेस स्टील का बना ऊर्जा-दक्ष

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

एसी-एसी ट्रांसमिशन 1600 एचपी डीईएमयू ट्रेन सेट बनाया है।

- माल ढुलाई के लिए मोबाइल एप्लीकेशन- परिचालन- को लाया गया है।
- रेलगाड़ी में प्रकाश की व्यवस्था के लिए कोचों के ऊपर भारतीय रेलवे ने सोलर पैनल लगाए गए हैं। भारतीय रेलवे की इमारतों की छतों पर 50 मेगावाट के सोलर पैनल लगाए जाएंगे।
- बड़े मेट्रो शहरों (दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई) से जोड़ने वाली हाई स्पीड रेलवे का हीरक चतुर्भुज नेटवर्क बनेगा।

हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट: दिसंबर 2015 में भारत सरकार ने जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी (जेआईसीए) की व्यावहारिकता रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। इस प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए एक विशेष उद्देश्य वाहन स्थापित किया जाएगा, जिसमें रेल मंत्रालय की 50 प्रतिशत भागीदारी होगी और 50 प्रतिशत महाराष्ट्र व गुजरात की राज्य सरकारों से आएगा। इस प्रोजेक्ट की बड़ी बातें हैं:

- प्रोजेक्ट पूरा होने की लागत करीब 97,636 करोड़ रुपये रखी गई है (इसमें मूल्य वृद्धि, निर्माण के दौरान ब्याज और आयात शुल्क शामिल हैं)। प्रति किलोमीटर निर्माण-कार्य का खर्च 140 करोड़ रुपये आएगा। इसे सात साल में पूरा होना है।
- जापान की ओडीए (आधिकारिक विकास सहायता) 50 साल के लिए 0.1 प्रतिशत ब्याज व 15 साल की अधिस्थगन अवधि के साथ 79,165 करोड़ रुपये होगी (प्रोजेक्ट की लागत का 81 फीसदी)।
- प्रस्तावित कॉरिडोर की कुल लंबाई 508 किलोमीटर होगी, जो कि मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और गुजरात में अहमदाबाद/साबरमती तक होगा। यह 12 स्टेशनों को कवर करेगा, जिसकी अधिकतम डिजाइन गति 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी (320 किलोमीटर प्रति घंटा की परिचालन गति के साथ)।
- मानक गेज के साथ कॉरिडोर का 64 प्रतिशत हिस्सा तटबंध पर बनेगा, 25 प्रतिशत वाहिनी और छह प्रतिशत सुरंग में।
- शुरू में 10 कार वाली ट्रेन (750 सीटें) होगी और भविष्य में 16 कार वाली ट्रेन होगी (1200 सीटें)। 2023 तक प्रतिदिन हर तरफ से 35 ट्रेनें चलेंगी, और 2053 तक हर तरफ से प्रति दिन 105 रेलगाड़ियां चलेंगी।
- 2023 तक दोनों तरफ से रोज के करीब 36,000 मुसाफिर हो जाएंगे, जो कि 2053 तक रोज के दोनों तरफ से 186,000 हो जाएंगे, यानी सालाना छह करोड़ 80 लाख मुसाफिर।

सड़क (Roads)

राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और अन्य सड़कें मिलकर भारत में 52.32 लाख किलोमीटर सड़क बनाते हैं। दुनिया में भारत के पास दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग 1,00,475 किलोमीटर की कुल लंबाई घेरता है और सड़क यातायात का कुल 40 प्रतिशत समाता है।

एनएचडीपी का वित्त पोषण: पेट्रोल तथा डीजल पर लगाए गए ईंधन उपकर का एक भाग एनएचडीपी के कार्यान्वयन हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को आवंटित किया जाता है। एनएचएआई ऋण बाजार से अतिरिक्त निधियां ऋण पर लेने के लिए उपकर प्रवाह का उपयोग करती है। आज की तिथि तक, ऐसे उधारों को 54 ई सी (पूंजी अभिलाभ कर छूट) बॉण्डों से जुटाई गयी निधियों तथा अल्पावधि ओवर-ड्राफ्ट सुविधा तक सीमित कर दिया गया है। सरकार ने एनएचडीपी के अंतर्गत परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक (1,965 मिलियन अमेरिकी डॉलर), एशियाई विकास बैंक (1,605 मिलियन अमेरिकी डॉलर) तथा जापान बैंक फार इंटरनेशनल को-ऑपरेशन (32,060 मिलियन येन) का ऋण भी लिया हुआ है, जो एनएचएआई को आंशिक रूप से अनुदान के तौर पर तथा आंशिक रूप से ऋण के तौर पर दिया गया है। मेनोर एक्सप्रेस वे परियोजना हेतु एनएचएआई ने एडीबी से 149.78 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सीधा ऋण भी प्राप्त किया हुआ है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपीएनई): एसएआरडीपी-एनई का उद्देश्य राज्यों की राजधानियों, जिला मुख्यालयों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के दूर-दराज के इलाकों के सड़क संपर्क का सुधार करना है। इसमें लगभग 4,798 कि॰मी॰ राजमार्ग को दो/चार लेन का करना तथा लगभग 5,343 किलोमीटर राज्य सड़कों को दो लेन वाला बनाना/सुधारना निहित है। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में दो लेन वाले राजमार्गों/दो-लेन वाली राज्य की सड़कों के माध्यम से 88 जिला मुख्यालयों का सम्पर्क सुनिश्चित होगा। इस कार्यक्रम को चरण 'क' तथा चरण 'ख' व अरुणाचल प्रदेश के सड़क तथा राजमार्ग पैकेज में विभाजित किया गया है।

वर्ष 2017 के प्रारंभिक माहों तक, भारत सरकार कुछ और नई पहल करेगी, जैसे–गैर-प्रमुख बंदरगाहों को जोड़ने के लिए भारतमाला कार्यक्रम, पिछड़े इलाकों, धार्मिक स्थानों, पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए कार्यक्रम, 1500 बड़े सेतुओं को बनाने के लिए सेतुभारतम् परियोजना और करीब 9000 किलोमीटर के नए घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए डिस्ट्रिक हेडक्वॉर्टर कनेक्टिविटी स्कीम।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मैदानी इलाकों में 500 व्यक्तियों और इससे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों और पहाड़ी राज्यों, जनजातीय (अनुसूची-ट) क्षेत्रों, रेगिस्तानी (रेगिस्तान विकास कार्यक्रम में यथा अभिज्ञात) क्षेत्रों तथा गृह मंत्रालय द्वारा यथा अभिज्ञात एलडब्ल्यूई-प्रभावित जिलों में 250 व्यक्तियों और इससे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में पात्र, संपर्क रहित बसावटों को सभी मौसमों में सिंगल कनेक्टिविटी देने के लिए आरंभ की गयी थी। ग्रामीण सड़कों को भारत निर्माण के छह संघटकों में से एक माना गया है और इसका लक्ष्य 1000 की आबादी (पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में 500) वाले सभी गांवों को सभी मौसमों वाली सड़कों से संबद्धतता प्रदान करना है।

भारतमाला परियोजना: वर्ष 2015-16 में शुरू की गयी यह उच्चपथों से जुड़ी एक छत्र परियोजना (umbrella scheme) है, जिसका मूल उद्देश्य है-पैसेंजर एवं माल वहन की क्षमता को ईष्टतम् बनाना। इसके अंतर्गत इस क्षेत्र से जुड़ी आधारिक संरचनाओं की कमियों को दूर किया जाएगा, जिसके लिए कई कार्य सुनश्चित किए गए हैं-इकोनॉमिक कॉरिडोर, अंतर-कॉरिडोर, फीडर रूट, राष्ट्रीय कॉरिडोर दक्षता विकास, सीमावर्ती एवं अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़कों, तटीय एवं पत्तन संपर्क सड़कों एवं ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का विकास।

नागर विमानन (CIVIL AVIATION)

वर्ष 2011 में, अवसंरचना विकास का कार्य तेज गति पर बरकरार रहा। कोलकाता तथा चेन्नई विमान पत्तनों के उन्नयन का कार्य, जिनमें नए टर्मिनलों का निर्माण शामिल है, पूरा होने के करीब है। अन्य 18 गैर-मेट्रो विमान पत्तनों पर टर्मिनल भवनों, एपर्न, टैक्सी वे तथा ऐरोब्रिज के विस्तार जैसे उन्नयन कार्य शुरू किए गए हैं। नागर विमानन क्षेत्र, विशेष रूप से एयरलाइन उद्योग की व्यवहार्यता से संबंधित समस्याओं का समाधान करने हेतु 12 दिसंबर, 2011 को सचिव, नागर विमानन की अध्यक्षता में एक कार्य समूह गठित किया गया था। इस समूह ने सिफारिश की है कि:

(i) राज्य सरकारें विमानन टर्बाइन ईंधन (ए टी एफ) पर मूल्य वर्धित कर (वी ए टी) को तर्क संगत बनाएं।

(ii) विदेशी एयरलाइन्स को घरेलू एयरलाइन्स अंडरटेकिंगों में निवेश करने की अनुमति दी जाए।

(iii) अपने उपयोग हेतु एयरलाइन्स को एटीएफ के सीधे आयात की अनुमति दी जाए।

(iv) कार्य समूह ने यह भी निर्णय लिया कि एयरलाइन्स को अपनी दशा बदलने हेतु योजनाएं तैयार करने को कहा गया जिसकी, प्रत्येक एयरलाइन हेतु, सरकार के संबंधित विभागों द्वारा अलग से जांच की जाएगी।

(v) अन्य सिफारिश यह थी कि अपनी प्रचालन लागत वसूल करने के लिए एयरलाइन्स द्वारा किराया ढांचे की समीक्षा की जाए।

(vi) कार्य समूह ने यह निर्णय भी लिया कि अत्यधिक/पूर्व दिनांकित मूल्य लगाने के संबंध

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

में 31 मई, 2012 तक आर्थिक विनियामक ढांचा तैयार किया जाए।

समुद्री कार्यसूची 2010-2020 (MARITIME AGENDA 2010–20)

(i) समुद्रीय कार्यसूची 2010-20 में वर्ष 2020 के लिए 3,130 मीट्रिक टन पत्तन क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस क्षमता का 50 प्रतिशत से ज्यादा गैर-मुख्य पत्तनों में सृजित किया जाना है; क्योंकि इन पत्तनों पर होने वाला यातायात 1,280 मीट्रिक टन तक बढ़ जाने की आशा है।

(ii) सामुद्रिक ऐजेंडे का उद्देश्य केवल अधिक क्षमता सृजित करना नहीं हैं अपितु निष्पादन के संदर्भ में सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय पत्तनों के समकक्ष पत्तनों को स्थापित करना भी है।

(iii) प्रचालन के बढ़े हुए स्तर से लेन-देन संबंधी लागतों के पर्याप्त रूप से कम होने की आशा है और यह भारतीय पत्तनों को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाएगा। 2020 तक मुख्य तथा गैर-मुख्य पत्तनों में कुल प्रस्तावित निवेश लगभग 2,96,000 करोड़ होने की आशा है (इसमें 18,000 करोड़ रुपए की 72 निरंतर रूप से चल रही परियोजनाएं शामिल हैं)।

(iv) इस निवेश का सर्वाधिक भाग निजी क्षेत्र से आएगा जिसमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश शामिल है। पत्तनों के निर्माण और रखरखाव के लिए स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है।

(v) निजी क्षेत्र की भागीदारी पत्तन अवस्थापना में केवल निवेश को ही नहीं बढ़ाएगी बल्कि आशा है कि नवीनतम प्रौद्योगिकी व बेहतर प्रबंधन प्रथाओं के अधिष्ठापन के जरिए पत्तनों के प्रचालनों में सुधार भी करेगी।

(vi) सरकारी निधियां मुख्य रूप से सामान्य प्रयोग की अवसरंचना सुविधाओं के लिए विकसित की जाएंगी, जैसे– पत्तनों के चैनलों की गहरा करना, पत्तनों से भीतरी प्रदेश आदि तक रेल और सड़क संपर्क।

स्मार्ट सिटी (SMART CITY)

शहरी विकास के लिए राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से भारत सरकार ने स्मार्ट सिटीज मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन के उद्देश्य हैं-आर्थिक विकास को बढ़ाना और तकनीकी को काम में लाकर तथा स्थानीय इलाकों के विकास को सक्षम बनाकर लोगों के जीवन-स्तर को सुधारना।

मिशन का लक्ष्य उन शहरों को प्रोत्साहित करना है, जो अपने नागरिकों को बेहतर जीवन-स्तर और इन्फ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराता हैं, जो अपने नागरिकों को टिकाऊ व स्वच्छ पर्यावरण देते हैं और 'स्मार्ट' समाधानों का इस्तेमाल करते हैं। इन सबका मुख्य लक्ष्य संवहनीय व समावेशी विकास है और इसके पीछे सुसंबद्ध क्षेत्र की तरफ देखना और उस मॉडल को अपनाना, जो कि दूसरे अभिलाषी शहरों के लिए प्रकाश-पुंज बने। स्मार्ट सिटी अपने अंदर निम्नांकित अधिसंरचना विकास को समाहित करता है:

- पर्याप्त जल आपूर्ति,
- निश्चित बिजली आपूर्ति,
- स्वच्छता, जिसमें ठोस कचरा प्रबंधन शामिल हो,
- कुशल शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन
- सस्ते घर, खास तौर पर गरीबों के लिए,
- जबरदस्त आईटी कनेक्टिविटी और डिजिटलीकरण
- सुशासन, खास तौर पर ई-गवर्नेंस और नागरिक भागीदारी
- संवहनीय पर्यावरण,
- नागरिकों की सुरक्षा व सलामती, खास तौर पर महिलाओं, बच्चों व बुजुर्गों के लिए, और;
- स्वास्थ्य व शिक्षा

रणनीति: इस मिशन में क्षेत्र आधारित विकास के रणनीतिक घटक हैं:

- शहर की बेहतरी (रेट्रोफिटिंग, यानी मरम्मत)
- शहर का पुनर्नवीकरण (पुनर्विकास)

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

- शहर का विस्तार (हरित क्षेत्र विकास), और;
- पूरे शहर में एक जानदार पहल, जिसमें स्मार्ट समाधान का इस्तेमाल हो

रेट्रोफिटिंग, यानी मरम्मतीकरण वर्तमान निर्मित क्षेत्र में योजना-निर्माण को जगह देता है, ताकि अन्य उद्देश्यों के साथ स्मार्ट सिटी के उद्देश्य को हासिल किया जा सके और वर्तमान क्षेत्र को अधिक कुशल व रहने के योग्य बनाया जा सके। रेट्रोफिटिंग में, 500 एकड़ से अधिक वाले इलाके की पहचान नागिरकों के परामर्श से की जाएगी। पुनर्विकास वर्तमान निर्मित क्षेत्र की पारिस्थितिकी को बदलने का प्रभाव डालेगा और नए ढांचागत विकास के सह-निर्माण में मदद करेगा, जो अधिक घनत्व व मिश्रित भूमि-उपयोग को समाहित करे। पुनर्विकास में 50 एकड़ से अधिक के क्षेत्र को रखा गया है, जिसकी पहचान शहरी स्थानीय निकाय नागरिकों के परामर्श से करेंगे।

हरित क्षेत्र विकास पुराने खाली इलाके (250 एकड़ से अधिक का क्षेत्र) में स्मार्ट समाधानों को लाएगा, जिसमें नए तरीके के योजना-निर्माण, वित्त पोषण-कार्यक्रम और क्रियान्वयन साधनों (जैसे कि जमीन पूलिंग अथवा जमीन पुनर्गठन) के इस्तेमाल होंगे, ताकि सस्ते घरों, खास तौर पर गरीबों के लिए घरों का प्रावधान भी हो सके। बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए शहरों के इर्द-गिर्द हरित क्षेत्र विकास की आवश्यकता पड़ती है।

वित्तः यह मिशन 100 शहरों को अपने दायरे में लेगा, जिसका न्यायसंगत मानदंडों के आधार पर राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के बीच वितरण किया गया है। स्मार्ट सिटी के दर्जे की समीक्षा इस मिशन के लागू होने के दो वर्ष के बाद की जाएगी।

स्मार्ट सिटी मिशन को केंद्र प्रायोजित योजना (सीसीएस) के तहत लागू किया जाएगा और केंद्र सरकार ने पांच वर्ष तक 48,000 करोड़ रुपये तक की वित्तीय मदद देने का प्रस्ताव रखा है, यानी हर साल हर शहर को औसतन 100 करोड़ रुपये। इतनी ही राशि स्मार्ट शहरों के विकास के लिए राज्य/यूएलबी उपलब्ध कराएगी। क्रियान्वयन के पहले चरण में, कार्यक्रम को चलाने के लिए बीस शहरों का चुनाव हुआ है।

गांवों से शहरों की तरफ तेजी से पलायन बढ़ा है। एक नव मध्य वर्ग का उदय हो रहा है, जो बेहतर जीवन स्तर की आकांक्षा रखता है। इस मिशन को सफलतापूर्वक लागू करने की इन तमाम चुनौतियों के बीच नागरिक ही सर्वोपरि है। दूसरे शब्दों में, एक स्मार्ट शहर सभी लोगों की बेहतरी को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करेगा, बगैर सामाजिक दर्जे, उम्र, आय स्तर और लिंग भेदभाव के। और यह तभी होगा, जब शासन व सुधार में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी होगी।

स्मार्ट सिटी मिशन के लिए निर्णय लेने में समझदार लोगों का जुड़ना जरूरी है और यह फैसला स्मार्ट समाधानों के इस्तेमाल, सुधार-कार्यों के अमल, कम संसाधन में अधिक करने में हो सकता है। इसके अलावा, परियोजना के बाद की संरचनाओं की डिजाइनिंग और क्रियान्वयन के दौरान चौकसी बरतने में भी समझदार लोग अपनी भूमिका निभा सकते हैं, ताकि स्मार्ट शहर का विकास टिकाऊ बने।

अन्य शहरी आधारभूत संरचनाः शहरीकरण की वृद्धि के साथ शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी चुनौतियां और अवसर, दोनों बढ़ते जा रहे हैं। इस संदर्भ में 2016 के शुरू तक सरकार ने कई सारे कदम उठाए, ताकि शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधरेः

एसबीएम (स्वच्छ भारत मिशन) का लक्ष्य भारत को खुले में शौच से मुक्त कराना और देश में 100 प्रतिशत 4041 सांविधिक नगरों अथवा शहरों को ठोस अपशिष्टों का वैज्ञानिक प्रबंधन कराना है। 2 अक्तूबर, 2019 तक इस मिशन के लक्ष्य को हासिल करना है।

एचआरआईडीएवाई (नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एण्ड ऑगुमेंटेशन योजना) अथवा हृदय (राष्ट्रीय धरोहर शहर विकास व संवर्द्धन योजना) का लक्ष्य भारत में धरोहर शहरों की अनूठी विशेषता और आत्मा को बनाए व बचाए रखना है। पहले चरण में, इसमें 12 शहर हैं- अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलानकन्नी, कांचीपुरम, गया और वारंगल।

एमआरयूटी (अटल मिशन फॉर रीजुविनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन) अथवा अमृत (अटल शहरी परिवर्तन व कायाकल्प मिशन) का लक्ष्य उन 500 नहरों अथवा शहरों में बुनियादी शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुधारना है, जो

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

मिशन सिटी या टाऊन के नाम से जाने जाएंगे। यह केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें धनराशि भारत सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय देगी।

जारी योजना के योजनागत ढांचे में और भी कई सारे फैसले लिए गए हैं, जैसे–बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स (बीआरटीएस) के जरिये सार्वजनिक परिवहन। इसे जेएनएनयूआरएम (जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवीकरण मिशन) के तहत 11 शहरों में मान्यता मिली है। आईटीएस (इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम) से बसों व मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को सुसज्जित किया जाएगा।

निजी क्षेत्र और शहरीकरण (Private Sector & Urbanisation)

भारत के लिए सही शहरी नियोजन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि ये तेजी से शहरीकृत हो रहा है। सरकार स्मार्ट सिटी योजना को बढ़ावा दे रही है, अतः आवश्यकता इस बात की है कि इस संबंध में हर संभव अभ्यर्थी की क्षमताओं का लाभ उठाया जाए। ऐसा ही एक अभ्यर्थी है निजी क्षेत्र। कुछ ऐसे उदाहरण है जहां हमने देखा है कि इस क्षेत्र ने कुछ प्रशंसा योग्य टाउनशिप विकसित की हैं-कुछ मामलों में तो सरकारी क्षेत्र को भी पछाड़ते हुए-हालांकि उनकी अपनी सीमाएं भी हैं। इस संबंध में *आर्थिक सर्वेक्षण* में भी ऐसे दो मामलों का जिक्र (मामलों को उद्धृत करते हुए)[67] किया गया है, जो दो अलग समय के हैं:

1. **गुड़गांव (वर्तमान गुरुग्राम):** 2001 में हरियाणा सरकार ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया से प्रतिबंध हटा लिए थे और हुडा (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) को शक्तियां दीं और निजी भवन निर्माताओं को पहले कृषि भूमि रही जमीन पर टाउनशिप विकसित करने की अनुमति दी–और फिर आज के गुड़गांव (गुरुग्राम) का विकास शुरू हुआ। आज इस शहर पर हुडा, गुड़गांव नगर निगम (जो 2008 में बनाया गया) और निजी भवन निर्माताओं का नियंत्रण है। गुड़गांव में निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र की बहुत-सी नाकामियों को दूर करने के लिए उतरा और उसे मिश्रित सफलता मिली:

- सरकारी क्षेत्र की नाकामी को दुरुस्त करते हुए निजी क्षेत्र ने सीवेज, पानी, बिजली, सुरक्षा और अग्निशमन सुविधाएं दीं।
- गुड़गांव में रैपिड मैट्रो डीएलएफ और इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसिस लिमिटेड (आईएलएंडएफएस) ने बनाई जिसके लिए आवश्यक जमीन हुडा ने उपलब्ध करवाई।
- सड़कें अच्छी गुणवत्ता की हैं।
- परिवहन सुविधाओं की कमी को निजी क्षेत्र के परिवहन साधनों ने दूर कर दिया।

सकारात्मक बात ये है कि निजी कंपनियों ने ज्यादातर चुनौतियों को दूर कर लिया लेकिन वह अपनी जायदाद की सीमा से बाहर सुविधाएं प्रदान नहीं कर पाए क्योंकि उनके बीच और अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी रही। सरकारी अधिकारियों को शहर को बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाने में बहुत कम ही सफलता मिली। शहर की नाकामियां भी जगजाहिर हैं:

- इसमें एक संबद्ध शहरी नियोजन का अभाव है और इसकी विस्फोटक वृद्धि ने नियोजन की कोशिशों को पीछे छोड़ दिया है (जैसा कि बहुत से अन्य भारतीय शहरों में है)।
- स्थानीय और उच्च अधिकारियों की कई परतों, जिनके पास भूमिकर वसूलने की भारी ताकत है, ने निजी भवन निर्माताओं के लिए काम करने की लागत बढ़ा दी है। ऐसी स्थिति में विभिन्न भवन निर्माताओं को विभिन्न तरह का राजनीतिक संरक्षण

67. **Economic Survey 2016-17** (Vol. 1, p. 313) cites the studies of S. Rajagopalan & A. Tabarrok, ***Lessons from Gurgaon, India's Private City***, in D. Anderson & S. Moroni (Ed.), Cities and Private Planning, Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2014.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

हासिल करना पड़ता है वरना वह काम ही न कर पाएं।

- निजी आपूर्तिकर्ताओं के बीच प्रतियोगिता से दो नाकामियां हाथ लगी हैं:
  (i) पानी, बिजली, सीवेज इत्यादि के मूल्य सीमांत लागत (marginal cost) के आस-पास है लेकिन औसत लागत बहुत ज्यादा है (क्योंकि बड़े पैमाने पर काम करने के फायदे उठाने में नाकामी रही)।
  (ii) प्रतियोगिता के कारण आपूर्तिकर्ताओं ने नकारात्मक काम किए हैं जो नजर आते हैं जैसे कि डीजल जलाने की वजह से अतिरिक्त प्रदूषण, सीवेज का अपशिष्ट एवं जन-संसाधनों का अतिरिक्त दोहन और भूजल का क्षय, जिससे भूजल स्तर अस्थिर हो रहा है। एक जीवंत नागरिक समाज (vibrant civil society) में इन मुद्दों पर रोकथाम की जानी चाहिए थी (लेकिन शहर के काफी युवा होने के चलते ये अब तक गायब है)।

2. **जमशेदपुर:** यह एक निजी उपनगर है और देश में सबसे अच्छी तरह प्रशासित शहरों में से एक है। पूरी तरह से टाटा स्टील के स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, जमशेदपुर यूटिलिटीज एंड सर्विस कंपनी लिमिटेड (जस्को), यहां आधारभूत सुविधाएं देने के लिए जिम्मेदार है। माना जाता है कि इस उपनगर में देश की कुछ सबसे अच्छी आधारभूत सुविधाएं हैं और जस्को को एक आदर्श प्रबंधक माना जाता है। यहां एक विकसित नागरिक समाज है जो शहरी विस्तार के नकारात्मक प्रभावों पर नियंत्रण रखता है। ओआरजी मार्ग नीलसन (वैश्विक बाजार शोध फर्म) ने 2008 में अपने 'जीवन के गुणवत्ता सूचकांक' में इस उपनगर को देश में दूसरा सबसे अच्छा शहर माना था और 2010 में शहर को देश के 441 शहरों और कस्बों में 'स्वच्छता' और 'सफाई' के पैमाने पर शहरी विकास मंत्रालय ने सातवें स्थान पर रखा था।

भारत को ऊपर दिए गए अनुभवों से कुछ महत्वपूर्ण सबक सीखने चाहिए-ताकि निजी क्षेत्र द्वारा विकसित उपनगर आदर्श बनें:

(i) निजी क्षेत्र बहुत प्रतियोगी शहरी केंद्र विकसित कर सकता है।

(ii) अगर शहर का प्रबंधन कई संस्थाएं करेंगीं तो निजी क्षेत्र के लिए काम करने की लागत ज्यादा हो जाएगी। अगर शहर की एक शुरुआती संबद्ध योजना तैयार नहीं की गई तो ये लागत अधिक होगी। विकसित होने के बाद आधारभूत ढांचे की विकास की लागत कहीं अधिक होती है और कई बार निषेधात्मक भी।

(iii) नागरिक समाज (civil society) की सक्रिय भूमिका संसाधनों के अत्यधिक दोहन को रोक सकती है और तीव्र शहरीकरण के साथ जुड़े नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकता है। ये हमें दूसरे उदाहरण में दिखाई देता है लेकिन पहले में गायब है।

पीपीपी मॉडल (PPP MODELS)

आधारभूत ढांचा विकास के लिए पर्याप्त राशि का प्रबंध करना भारत के लिए हमेशा से ही चुनौती रहा है। आर्थिक सुधारों काल में सरकार ने इस क्षेत्र के लिए निजी क्षेत्र से निवेश आकर्षित करने के लिए (घरेलू एवं विदेशी) एक सरकारी-निजी भागीदारी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप–पीपीपी) के विचार पर काम किया। हम देख सकते हैं कि इस मामले में भी निजी क्षेत्र से उत्साहजनक भागीदारी हो रही है। लेकिन 2013-14 तक पीपीपी निजी क्षेत्र के लिए अनाकर्षक हो गया-मुख्यत: पीपीपी मॉडल के अंदर मौजूद कमियों विनियमन (vegulation) संबंधी कारणों

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

से भी-हालांकि बाहरी कारण भी मौजूद थे (पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की वजह से देश की अर्थव्यस्था की रफ्तार भी ढीली हुई)।

आर्थिक सर्वेक्षण के कई खंडों एवं केलकर समिति ने पीपीपी के मौजूदा मॉडल में कई कमियों पर चर्चा की, जो मुख्यत: देश में सड़क परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस पृष्ठभूमि में सरकार ने 2016 की शुरुआत में एक बेहतर पीपीपी मॉडल की घोषणा की-हाईब्रिड एन्युइटी मॉडल (एचएएम-'हैम')। मुख्य पीपीपी मॉडलों की एक संक्षिप्त समीक्षा (इनमें से कुछ गैर-पीपीपी मॉडल भी हैं) नीचे दी गई है:

(i) **बीओटी-टोल:** 'बनाओ-चलाओ-स्थानांतरित करो-टोल' (बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांस्फर-टोल) पीपीपी का सबसे शुरुआती नमूना था। निजी निर्माता को न सिर्फ परियोजना की लागत साझा करनी थी (सरकार के साथ) बल्कि सड़क बनानी थी, रखरखाव करना था और वाहनों के आवागमन पर टोल भी वसूल करना था। नीलामी उसी कंपनी के नाम की जाती थी, जो सरकार को अधिकतम टोल राजस्व देने का प्रस्ताव देती थी। निजी पक्ष 'सभी जोखिमों'-भूमि अधिग्रहण, निर्माण (टूट-फूट), मुद्रास्फीति, विलंब और व्यवसायिक कारणों से लागत बढ़ने-को उठाता था। सरकार सिर्फ विनियमन से जुड़ी अनुमतियां दिलाने का दायित्व उठाती थी।

इसमें मौजूद कमियों की वजह से यह मॉडल निजी कंपनियों के लिए अस्थिर था-याचिकाओं की वजह से भूमि अधिग्रहण में देरी, लागत का बढ़ना और यातायात में अनिश्चितता (व्यवसायिक जोखिम) ने सड़क परियोजनाओं को आर्थिक रूप से अलाभकारी बना दिया था।

(ii) **बीओटी-एन्युटी:** ये बीओटी-टोल मॉडल में एक सुधार था जिसका लक्ष्य निजी क्षेत्र की सड़क परियोजनाओं में घटती रुचि को वापस बढ़ाना था, जो मुख्यत: निजी क्षेत्र का जोखिम कम करके किया जाना था। परियोजना की लागत साझा करने के साथ ही निजी पक्ष को सड़क को बनाना, रखरखाव करना और चलाना था लेकिन यातायात से टोल जमा करने की जिम्मेदारी के बिना। निजी पक्ष को बदले में हर साल एक निश्चित राशि का प्रस्ताव दिया गया था (जिसे वार्षिक वृत्ति-एन्युटी कहते थे), जो सबसे कम 'वार्षिक वृत्ति' की बोली लगाता था उसे ही परियोजना मिल जाती थी। टोल जमा करना सरकार की जिम्मेदारी थी।

यह पुराने मॉडल (बीओटी-टोल) से एक मायने में अलग था-निजी पक्षों को व्यवसायिक खतरा (यातायात) नहीं उठाना पड़ रहा था-लेकिन उन्हें अन्य खतरों का सामना करना ही था (भूमि अधिग्रहण में देरी, मुद्रास्फीति, लागत का बढ़ना, निर्माण)। जिन जोखिमों का निजी क्षेत्र को सामना करना था उनकी वजह से समय के साथ ये ढांचा भी उसके लिए अलाभकर हो गया।

(iii) **ईपीसी मॉडल:** जिस पीपीपी मॉडल को आधारभूत ढांचा परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक बेहतर तरीका माना गया था वह 2010 तक स्पष्ट रूप से नाकाम हो गया था और सरकार निजी पक्ष को सड़क क्षेत्र की ओर लाने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। इसी पृष्ठभूमि में अभियांत्रिकी-अधिप्राप्ति-निर्माण (इंजीनियरिंग -प्रॉक्यूरमेंट-कंस्ट्रक्शन) मॉडल की घोषणा की गई। इस मॉडल में पूरी लागत सरकार को वहन करनी थी (इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक सामान्य अनुबंध था जो बोली लगाने वाले को दिया गया था) और इसके साथ ही ज्यादातर जोखिम भी-भूमि अधिग्रहण, देरी के कारण लागत बढ़ना, मुद्रास्फीति और व्यावसायिक, सरकार को ही वहन् करते थे।

परियोजना को विकसित करने वाले निजी पक्ष से उम्मीद की जाती थी कि वह सड़क परियोजना

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

का प्रारूप तैयार करेगा, निर्माण करेगा और फिर सरकार को सौंप देगा-रखरखाव, संचालन और टोल वसूली सरकार की जिम्मेदारी थी। अनुबंध उन निजी पक्षकारों से किया जाता था जो इच्छित गुणवत्ता के स्तर को न्यूनतम लागत/मूल्य पर देने का वायदा करते थे। इसका अर्थ हुआ कि निजी पक्षकार को इस मॉडल में सिर्फ निर्माण से जुड़े जोखिम उठाने होते थे, जो एक सामान्य जोखिम है, जो किसी भी उस अनुबंध में शामिल होता है जो सरकार किसी निजी पक्षकार को देती है।

ईपीसी मॉडल सड़क परियोजनाओं को विकसित करने का एक अस्थाई या कामचलाऊ तरीका ही हो सकता था क्योंकि इसके लिए सारी राशि सरकार देती थी-सुधार के काल में लक्ष्य एक 'व्यावसायिक मॉडल' के जरिए निजी पक्षकारों से सड़क परियोजनाओं के लिए निवेश आकर्षित करना था और आवश्यकता एक नए पीपीपी मॉडल की थी। इस पृष्ठभूमि में हम देखते हैं कि सरकार सड़क परियोजनाओं के लिए एक नए पीपीपी मॉडल के साथ सामने आती है-हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम)।

(iv) **एचएएम:** हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) ईपीसी और बीओटी-एन्युटी मॉडलों का मिश्रण है। इस मॉडल में परियोजना की लागत सरकार और निजी पक्षकार द्वारा क्रमशः 40:60 के अनुपात में वहन की जाती है। निजी पक्षकार का दायित्व सड़क के निर्माण और उसे सरकार को सौंप देने का होगा, जो टोल वसूलेगी (अगर चाहे तो) वार्षिक वृत्ति के समय तक रखरखाव निजी पक्षकार का दायित्व रहेगा। निजी पक्षकार को आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में सरकार द्वारा एक तय समय के लिए (जो कि सामान्यतः 15 साल होता है) एक निश्चित राशि दी जाती है (जिसे पुराने बीओटी-एन्युटी मॉडल की तर्ज पर वार्षिक वृत्ति कहते हैं)। जो निजी पक्षकार सबसे कम वार्षिक वृत्ति की मांग करता है (बोली में) उसे ही अनुबंध मिलता है।

इस मॉडल में अधिकतर बड़े जोखिम सरकार उठाती है-भूमि अधिग्रहण, अनुमतियां, संचालन, टोल वसूली और व्यवसायिक जबकि मुद्रास्फीति और लागत बढ़ने के जोखिम को परियोजना लागत को साझा करने के अनुपात में दोनों झेलते हैं। लेकिन निजी पक्षकार को अब भी निर्माण और रखरखाव के जोखिमों का सामना करना पड़ता है (सरकारी पक्ष द्वारा अनुमतियों और भूमि अधिग्रहण में देरी की वजह से निजी पक्षकार द्वार वहन किए जाने वाले जोखिम की मात्रा बढ़ जाती है)। लेकिन कुल मिलाकर यह पीपीपी मॉडल पहले की कमियों को दूर करता है। निजी क्षेत्र ने इस मॉडल को लेकर अच्छी प्रतिक्रिया दी है। वर्ष 2018 के प्रारंभ में सरकार द्वारा इस मॉडल को अन्य आधारभूत संरचना क्षेत्रों के लिए भी अधिसूचित कर दिया गया।

(v) **स्विस चुनौती मॉडल:** भारत सरकार ने पहली बार देश में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए इस मॉडल के इस्तेमाल की घोषणा की (2015 के अंत में)। यह अनुबंध किए जाने के मामले में (जैसे-सरकारी खरीद) एक बहुत लोचशील तरीका है जिसे पीपीपी रूप के साथ ही गैर-पीपीपी परियोजनाओं में भी प्रयोग किया जा सकता है।

इसमें सरकार द्वारा एक बोलीकर्ता को उस परियोजना के लिए प्रस्ताव जमा करने के लिए कहा जाता है जिसे सार्वजनिक कर दिया जाता है। उसके बाद कई दूसरे बोलीकर्ता अपने प्रस्ताव जमा करते हैं ताकि मूल (पहली) बोली में सुधार कर और उसे पछाड़ सकें-अंततः एक बेहतर बोली (जिसे प्रति-प्रस्ताव कहते हैं) को चुन लिया जाता है। अगर मूल बोलीकर्ता प्रति-प्रस्ताव का मुकाबला नहीं कर पाता है तो परियोजना प्रति-बोलीकर्ता को दे दी जाती है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

सरकार ने इसे एक ऑनलाइन तरीका बनाया है।

हालांकि, भारत सरकार इस मॉडल का इस्तेमाल पहली बार कर रही है, लेकिन अब तक कई राज्य सड़क और मकान परियोजनाओं के लिए इसका प्रयोग कर चुके हैं-कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब और गुजरात। 2009 में उच्चतम न्यायालय ने अनुबंध करने के इस तरीके को अनुमति प्रदान की थी।

(vi) **अन्य क्षेत्रों के लिए पीपीपी मॉडल:** हालांकि पीपीपी का विचार मूलत: आधारभूत ढांचे के विस्तार के लिए आया था लेकिन हालिया समय में अन्य क्षेत्रों में इसके इस्तेमाल के प्रस्ताव भी आए हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और तो और कृषि। इस मॉडल को देश के स्थानीय निकायों से भी उत्साहित सहयोग मिल रहा है और यह विश्वास है कि स्मार्ट सिटी योजना में यह एक बहुत आकर्षक भूमिका निभाएगा। हाल ही में *आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17* ने सुझाव[68] दिया है कि सरकार को दालों की सरकारी खरीद और नि:स्तारण के लिए पीपीपी की तर्ज पर एक नया संस्थान बनाना चाहिए जो मौजूदा संस्थाओं से प्रतियोगिता करे।

(vii) **पीपीपीपी मॉडल:** विशेषज्ञों ने देश में कुछ क्षेत्रों में सरकारी-निजी-लोगों की साझेदारी (पब्लिक-प्राइवेट-पीपल-पार्टनरशिप 'पीपीपीपी') मॉडल की भी सलाह दी है। हालांकि सिंचाई सहभागिता के विकास के लिए ऐसा मॉडल 2000-2001 से कृषि क्षेत्र इस्तेमाल में है-1974 के कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम (जिसका 2004 में नाम बदलकर कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वॉटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम कर दिया गया)-इसमें खेतों में नालियां और नाले बनाने के लिए किसानों द्वारा व्यक्तिगत वित्तीय भागीदारी की जाती है (कुल लागत का लगभग 15 प्रतिशत)।

माना जाता है कि इस मॉडल द्वारा स्थानीय सार्वजनिक परिसंपत्तियों का विकास, रखरखाव और सुरक्षा बहुत प्रभावी ढंग से की जा सकती है। भविष्य में स्थानीय निकाय-शहरी के साथ ही ग्रामीण भी-सामाजिक और आर्थिक आधारभूत ढांचे के विकास के लिए इस मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं।

पेट्रोलियम क्षेत्र की चिंताएं (CONCERNS OF PETROLEUM SECTOR)

भारत में घरेलू गैस की कीमतों पर नियंत्रण के लिए वैश्विक गैस बाजार का अभाव है। इसलिए कई सुझाव रखे गए हैं। अक्तूबर 2014 से भारत में घरेलू गैस की कीमतों के लिए उत्पादक व उपभोक्ता बाजार के आधार पर एक फॉर्मूला रखा गया है। उम्मीद की जाती है कि यह फॉर्मूला देश में उत्पादकों व उपभोक्ताओं के हितों के बीच संतुलन बनाएगा।

हालांकि घरेलू गैस के लिए प्रभावी नियामक के साथ बाजार आधारित मूल्य निर्धारण (जिसमें दोनों पक्ष तटस्थ भाव तैयार होते हैं) सबसे पहला और सबसे अच्छा हल है। इससे निवेश को पर्याप्त प्रोत्साहन मिलता है और प्रतिस्पर्द्धा का माहौल भी बनता है, साथ में पारदर्शिता रहती है। यह वैकल्पिक ईंधन के संबंध में उचित गैस मूल्य को प्रतिबिंबित कर सकता है। मध्यावधि में, एक बड़े उपभोक्ता के तौर पर भारत इस क्षेत्र में मूल्य निर्धारक बन सकता है। इस क्षेत्र से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए संभावित कदम नीचे दिए गए हैं *(आर्थिक सर्वे 2015-16)*:

68. Basically, the **Economic Survey 2016-17** (Vol. 1, pp. 156 & 170) has supported the advice of the ***Committee on Incentivising Pulses Production Through Minimum Support Price (MSP) and Related Policies*** headed by Arvind Subramanian, Chief Economic Adviser (report submitted in September, 2016)—the expert committee was set up by the government on account of the price volatility of pulses seen during 2015-16.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

- वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को शामिल किया जाना चाहिए, कम-से-कम संविधान संशोधन विधेयक में इसे बाहर करने का संकेत नहीं दिया जाना चाहिए।
- गैस पाइपलाइन के नेटवर्क के निर्माण में जमा उपकर का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो देश के वंचित क्षेत्रों को स्वच्छ ऊर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण होगा। गैस हाईवे प्रोजेक्ट के साथ क्षेत्रों में छोटे उद्योगों के विकास व खाद इकाइयों के पुनरुद्धार को जोड़ने से यह काम अभी रुका हुआ है। विकल्प के रूप में गैस पाइपलाइन नेटवर्क को बढ़ावा देने के क्रम में वाइबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) का इस्तेमाल पाइपलाइन परिसंपत्तियों के निर्माण और विकास में हो सकता है।
- न सिर्फ पूरे देश की पाइपलाइन बनाने में, बल्कि शहर में गैस वितरण के दौरान भी प्रोत्साहन जरूरी है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा बोली लगाने की मौजूदा प्रक्रिया में कई सारी कमियां हैं और इसे दुरुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि इससे गैस नेटवर्क का विकास रुका हुआ है।
- पीएनजी/सीएनजी [संपीड़ित प्राकृतिक गैस (कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस)] नेटवर्क का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों को गैस कनेक्शन दिलाने में मदद कर सकता है।
- एलपीजी सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना अनिवार्य है। घरेलू व वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं पर कर व शुल्क लगाने के बीच हर घर के लिए 10 सब्सिडीयुक्त एलपीजी सिलिंडरों की व्यवस्था उपयोगी साबित हो सकती है, क्योंकि एक घर में इतना ही अधिकतम इस्तेमाल होता है।
- ऊर्जा उद्योग में इस्तेमाल के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के आयात में सीमा-शुल्क की छूट दी गई है, जबकि अन्य सभी उपयोग के लिए पांच प्रतिशत सीमा-शुल्क है। किसी भी क्षेत्र के लिए कोई छूट नहीं होनी चाहिए।
- नेशनल गैस ग्रिड के लिए उत्पादक व उपभोक्ता राज्यों के बीच गैसों के आदान-प्रदान के लिए राजस्व तटस्थ और लागत प्रभावी तंत्र बनाना होगा। इसके लिए केंद्रीय ब्रिकी कर कानून, 1956 के तहत प्राकृतिक गैस की ब्रिकी के लिए विशेष कर प्रावधान बनाना जरूरी है। प्राकृतिक गैस और एलएनजी को घोषित माल के रूप में लिया जा सकता है, ताकि कच्चे तेल के साथ समान कर लगे और सभी राज्यों में कीमत एक समान हो।

इस दौरान, भारत ऊर्जा के गैर-पारंपरिक संसाधन की खोज में बढ़ चला है, जैसे–सीबीएम (कोल बेड मीथेन) और शेल ऑयल व गैस। अनुमानित सीबीएम संसाधन 92 टीसीएफ (ट्रिलियन क्यूबिक फीट) है, जिसमें से 9.9 टीसीएफ की पुष्टि हो चुकी है। मौजूदा उत्पादन करीब 10 लाख क्यूबिक मीटर प्रतिदिन है। शेल ऑयल व गैस के क्षेत्र में अभी 50 ब्लॉकों में मूल्यांकन प्रक्रिया जारी है। इसका वाणिज्यिक उत्पादन होना अभी शेष है।

अक्षय ऊर्जा (RENEWABLE ENERGY)

भारत की अक्षय ऊर्जा की संभावना का आकलन (मध्यावधि में) 8,96,602 मेगावाट हुआ है, जिनमें सौर ऊर्जा (7,48,990 मेगावाट), पवन (1,00,000 मेगावाट), लघु पनबिजली (20,0000 मेगावाट) और बायोमास (26,800 मेगावाट) शक्ति शामिल है।

ग्रिड ऊर्जा जरूरत के अलावा, अक्षय ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल दूरस्थ व दुर्गम क्षेत्रों में रोशनी करने के लिए और मोटर व पंप के लिए भी हो सकता है। स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा के दौर में भारत मेगावाट से गीगावाट की तरफ बढ़ रहा है। भारत सरकार ने विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से लक्ष्य बढ़ाकर साल 2022 तक 175 गीगावाट कर दिया है। इसमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का योगदान क्रमशः 100 गीगावाट और 60 गीगावाट होगा। हाल के

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

वर्षों में सरकार ने निम्नांकित बड़े कदम उठाए हैं (वर्ष 2017 के प्रारंभ तक):

(i) **सोलर रूफटॉप:** नेशनल सौर मिशन (एनसएम) के तहत 2019-20 तक ग्रिड से जुड़ी रूफटॉप प्रणाली आ जाएगी।

(ii) **सोलर पार्क:** अगले पांच वर्षों में (2015-16 से 2019-20 तक) 20,000 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ 25 सोलर पार्क और अल्ट्रा मेगा सोलर पॉवर प्रोजेक्ट लग जाएगा।

(iii) **एनएसएम के तहत सोलर प्रोजेक्ट:** फरवरी 2015 में, सरकार ने घोषणा की कि 2018-19 तक एनएसएम के तहत 15,000 मेगावाट की ग्रिड से जुड़ी सोलर पीवी पॉवर परियोजना स्थापित हो जाएगी।

(iv) **सोलर पंप:** 2016 तक सिंचाई व पेयजल के लिए एक लाख सोलर पंप लगाने का लक्ष्य है।

(v) **सोलर सिटी:** सोलर सिटी प्रोग्राम के विकास के तहत 56 सौर शहरों की परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी मिली हुई है।

(vi) **सूर्य मित्र:** मई 2015 में पांच वर्षों (2015-16 से 2019-20 के बीच) 50,000 प्रशिक्षित कर्मियों को तैयार करने के लिए यह योजना आरंभ की गई।

इन सबके अलावा, मार्च 2016 तक सरकार ने महत्वपूर्ण नीतिगत कदम उठाए हैं:

(i) भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास के लिए 7600 किलोमीटर की तटीय सीमा के दोहन का प्रस्ताव है, इसके लिए नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी 2015 लाई गई।

(ii) प्राथमिक क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा को शामिल किया गया और सौर ऊर्जा संचालित जेनरेटर, बायोमास आधारित जेनरेटर, पवन चक्की, लघु पनबिजली संयंत्र और गैर-पारंपरिक ऊर्जा आधारित सार्वजनिक सुविधाओं, जैसे कि स्ट्रीट लाइटिंग, दूरस्थ गांवों के विद्युतीकरण के लिए 1.5 करोड़ रुपये तक के बैंक लोन की व्यवस्था। एक व्यक्ति के लिए यह 10 लाख रुपये तक है।

(iii) अक्षय ऊर्जा में निवेश स्वत: मार्ग पर है, यानी संयुक्त उद्यम में 74 प्रतिशत तक की विदेशी इक्विटी भागीदारी के लिए किसी की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी के साथ 100 प्रतिशत विदेशी निवेश स्वीकार्य है।

(iv) अक्षय ऊर्जा के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय शुल्क नीति, 2005 (नेशनल टैरिफ पॉलिसी, 2005) में संशोधन को मंजूरी।

संभारतंत्र क्षेत्र (LOGISTICS SECTOR)

संभारतंत्र अर्थव्यवस्था की संभरण श्रृंखला (supply chain) का मेरुदंड है, जिसके माध्यम से उत्पाद अपने निर्माण/उत्पादन केन्द्रों से उपभोक्ताओं तक पहुंचते हैं। इसके अंतर्गत अन्यान्य गतिविधियां शामिल होती हैं, यथा-परिवहन, भंडारण, उत्पाद प्रबंधन, पैकेजिंग एवं सूचनाओं का समन्वय, इत्यादि। भारत में यह क्षेत्र मूलत: 'असंगठित' (unorganised) है, जिसकी संभावनाओं का अभी अन्वेषण किया जाना बाकी है। नवीन *आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18* द्वारा इस क्षेत्र की महत्ता को निम्न प्रकार दर्शाया गया है:

- इस क्षेत्र का भारत में लगभग 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आकार है, जो पिछले 5 वर्षों से 7.8% की वार्षिक दर से वृद्धिमान रहा है।
- जी.एस.टी. (GST) के लागू किए जाने के उपरांत इस क्षेत्र के आकार में भारी वृद्धि होने का अनुमान है, जो वर्ष 2020 तक 215 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक होगी - 10.5% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ।
- इस क्षेत्र द्वारा 2.2 करोड़ लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

- इस क्षेत्र में अगर लागत को 10% कम किया जाए तो देश के निर्यात में 5 से 8% तक की वृद्धि आने का अनुमान है।

वैसे विश्व बैंक के *लॉजिस्टिक परफॉरमेंस इंडेक्स-2016* में भारत के संभारतंत्र का रैंक बेहतर होकर 35वां हो गया है (2014 के 54वें पायदान की तुलना में) इस क्षेत्र के समक्ष कई चुनौतियां खड़ी हैं, जिनके समाधान के लिए सरकार को नये कदम उठाने की आवश्यकता है:

- लागत के उच्च होने से घरेलू एवं वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा में कमी;
- उत्पाद प्रबंधन से जुड़ी आधारभूत संरचनाएं अल्प-विकसित हैं;
- खंडित भंडारण व्यवस्था, जिस पर बहु-नियमन एवं बहु-नीति निकायों का नियंत्रण है;
- अंतर-क्षेत्रीय आवागमन में सीवनहीनता (seamlessness), तथा;
- सूचना तकनीक एवं आधुनिक तकनीकों संबंधी आधारभूत संरचना का अभाव।

सरकार द्वारा इस क्षेत्र के बेहतर विकास के लिए कार्य बिन्दुओं (action points) की पहचान की गयी है-नयी तकनीक को शामिल करना, बेहतर निवेश, कौशल विकास, अवरोधों की समाप्ति, इंटर-मोडल परिवहन का विकास, स्वचलन (automation) पर बल, अनुमोदन के लिए एकल खिड़की पद्धति का विकास तथा प्रक्रियों का सरलीकरण। इस क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा एक 'संभारतंत्र प्रभाग' (division) की स्थापना की गयी है (वाणिज्यिक विभाग के अंतर्गत)। इस क्षेत्र को 'आधारभूत संरचना का उप-क्षेत्र' की श्रेणी भी दे दी गयी है (2017 के अंत में) जिससे इस क्षेत्र को निम्न लाभों की प्राप्ति हो सकेगी-

(i) दीर्घावधिक एवं सस्ते ऋणों की उपलब्धि।

(ii) अनुमोदन की सरलीकृत व्यवस्था (जिससे अंतर्गत परिवहन, भंडारण एवं बहुनोडल संभारतंत्र भी शामिल हैं)।

(iii) बेहतर बाजार कर्तव्यपरायणता (नियामक प्राधिकरण के माध्यम से) और साथ ही इन्हें ऋण एवं पेंशन कोषों का निवेश भी प्राप्त हो सकेगा।

विदेश व्यापार में वृद्धि लाने के अतिरिक्त इस क्षेत्र का 'मेक इन इंडिया' को बल प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसके साथ ही भारत का संभारतंत्र वैश्विक संभारतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग बन सकेगा।

आवास नीति (HOUSING POLICY)

आवासीय क्षेत्र वर्तमान में सरकार की नीति प्राथमिकता है। बढ़ी हुई जनसंख्या तरलता (fuidity) के मद्देनजर देश की आवासीय नीति में क्षैतिज एवं स्थानिक गतिशीलता के साथ सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता का होना जरूरी है ताकि यह शहरों के अंदर (क्षैतिज) एवं इनके बीच (स्थानिक) गतिशीलता के प्रति संवेदनशील हो। इसमें ऊर्ध्वाधर गतिशीलता की संभावनाओं का होना भी जरूरी है ताकि जनसंख्या अपनी सामाजिक-आर्थिक उन्नति के साथ शहरों का चयन कर सके। *आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18* द्वारा इस क्षेत्र से जुड़ी दो महत्वपूर्ण मुद्दों को विशेषतौर पर उजागर किया है। आज जब सरकार 'सबके लिए आवास' (Housing for All) की दिशा में कार्य कर रही है इन बिन्दुओं पर ध्यान देना आवश्यक होगा:

किराये के आवास (Rental Housing)

ऐसे आवास में क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर दोनों ही गतिशीलता (mobiligy) आसान होती है क्योंकि आवास का उपयोग उनके बिना स्वामित्व का किया जा सकता है। आय के प्रत्येक समूह के लिए ऐसे आवास काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं विशेषकर उनके लिए जिनका शहरों में नया आगमन होता है। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों के लिए आवास खरीदना एक सही विकल्प नहीं रहता क्योंकि उनके पास भूमि एवं पशुधन का स्वामित्व पहले से होता है जिनमें उनका निवेश पहले से होता है (पुनः शहरी आवास स्थानीय बाजार के जोखिम के प्रति संवेदनशील भी होता है)।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

वैसे भारत के शहरों में आजादी के बाद से किराये के आवास में गिरावट आती रही है-वर्ष 1961 के 54 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011 में 28 प्रतिशत हुआ। ऐसी कमी सर्वाधिक उत्तरी राज्यों में तीव्र रही है (पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर)। किराये के आवास का प्रचलन शहरों में ज्यादा (31 प्रतिशत) और ग्रामीण क्षेत्रों में काफी कम (5 प्रतिशत) है तथा अधिक नगरीकृत राज्यों में इसकी मात्रा अधिक है (जनगणना 2011)।

खाली आवास (Vacant Housing): जहां एक तरफ शहरी क्षेत्रों में आवास की कमी है (वर्ष 2012 तक यह कमी 1.8 करोड़ से अधिक थी) वहीं दूसरी तरफ खाली पड़े आवासों की संख्या में हाल के वर्षों में बढ़ोतरी हुई है (इनकी संख्या वर्ष 2001 के 65 लाख से बढ़कर 2011 में 1.11 करोड़ पहुंच गयी)। जनगणना 2011 के अनुसार शहरों के कुल आवासों में 12 प्रतिशत आवास खाली पड़े थे। भारत के कुछ प्रमुख शहरों में खाली आवासों की स्थिति कुछ इस प्रकार है- मुंबई में इसकी संख्या सर्वोच्च (4.8 लाख) है वहीं दिल्ली एवं बंगलुरू में क्रमश: 3.3 लाख आवास खाली पड़े हैं।

वैसे खाली पड़े आवासों को अभी पूरी तरह समझना बाकी है फिर भी अस्पष्ट स्वामित्व अधिकार, कमजोर संविदा प्रवर्तन विधान एवं किराये से होने वाली निम्न आय इसके लिए जिम्मेदार महत्वपूर्ण कारक हो सकते हैं। नये आवासीय परिसरों की स्थानिक स्थिति भी इसका एक कारण हो सकता है क्योंकि खाली मकानों की संख्या शहरों के उच्च घनत्व वाले क्षेत्र से दूरी के अनुसार बढ़ती जाती है।

भारत सहित विश्व के अन्य देशों में आवास का स्वामित्व सामाजिक-आर्थिक नीति का एक अंग है और इसे प्रोत्साहित भी किया जाता है। आवास स्वामित्व का प्रोत्साहन कोई गलत नीति नहीं है लेकिन यह बात भी ध्यान में रखना जरूरी है कि किराया बाजार नगरीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। भारत की आवास आवश्यकताएं जटिल हैं तथा इससे संबंधित नीतियों का विशेष ध्यान ज्यादा-से-ज्यादा आवासों के निर्माण एवं उनके स्वामित्व का हस्तांतरण रहा है। हाल के समय में कई कारकों ने आवास बाजार को प्रभावित किया है, यथा-किराया नियंत्रण, अस्पष्ट स्वामित्व अधिकार तथा संविदा (contract) प्रवर्तन से जुड़ी कठिनाईयां। वर्तमान में भारत को ऐसी आवास नीति चाहिए जो इस बाजार से जुड़े अवरोधों को दूर कर सके तथा किराये के एवं खाली आवासों से जुड़े पहलुओं को भी बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सके।

नयी चुनौतियां (RECENT CHALLENGES)

आधारभूत क्षेत्र की कुछ चुनौतियां पुरानी हैं। आर्थिक सुधारों के काल में सरकार द्वारा इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भी साझेदारी बढ़ायी गयी तथा सरकारी-निजी साझेदारी उत्तरोत्तर सुधरती गयी है (बाद के कुछ वर्षों को छोड़कर)। वर्ष 2013-14 तक आते-आते इस क्षेत्र के समक्ष कुछ विशेष एवं नयी चुनौतियां आ खड़ी हुईं। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार इन नयी चुनौतियों को निम्न प्रकार समझा जा सकता है:

(i) परियोजनाओं में होने वाली देरी (delays) का प्रत्यक्ष प्रभाव परियोजना के लागत पर पड़ता है। हालांकि, केन्द्र में नई सरकार के आने के पश्चात् स्थिति में सुधार हुई है लेकिन अभी भी 427 ऐसी परियोजनाएं हैं, जो देरी से चल रही हैं। फरवरी 2018 में सरकार ने ऐसी परियोजनाओं को श्रेणीबद्ध करने का प्रस्ताव लाया गया ताकि इनसे जुड़ी सही सूचना मिल सके-सभी को बाधित (stalled) कहने से कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता (जैसे-ऐसी कुछ परियोजनाओं से निर्माण कंपनियां बाहर निकल चुकी हैं अत: उन्हें 'बाधित' कहना उचित नहीं लगता)।

(ii) भूमि अधिग्रहण के कारण होने वाली देरी एक बहुत बड़ी चुनौती है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2015 के निरस्त होने बाद की गयी 'लैंड पूलिंग' (Land Pooling) व्यवस्था से तेज सुधार जारी है। कुछ राज्यों के पास आज अतिरेक भूमि है (जैसे-आंध्र प्रदेश)।

(iii) धन की कमी के साथ इन परियोजनाओं की लंबी गर्भावधि (gestation period) भी एक समस्या है। आधारभूत निवेश ट्रस्ट, 5/25 पुनर्वित्तपोषण (refinancing) योजना, ऋण

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

पुन:सरंचना इत्यादि उपायों के उपरांत सुधार हुआ लेकिन बहुत नहीं। वित्त वर्ष 2017-18 के अंत में सरकार द्वारा नये दिवालियापन कानून को लागू करने के बाद इस क्षेत्र में सुधार के मजबूत संकेत दिख रहे हैं।

(iv) तात्कालिक सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी (PPP) मॉडल भी प्रभावी नहीं था, जिस कारण भी इस क्षेत्र की समस्याएं बढ़ीं। 'हाइब्रिड एन्युटी मॉडल' (Hybrid Annuity Model) के आने के बाद से इस समस्या का समाधान होता दिख रहा है। सड़क क्षेत्र के लिए लाए गए इस मॉडल को सरकार द्वारा दिसंबर 2017 में अन्य आधारभूत संरचना क्षेत्रों के लिए मान्य बना दिया गया।

(v) अर्थव्यवस्था में सुस्ती (slowdown) का आना। इसकी शुरुआत वैसे तो बाह्य कारणों, जैसे-वर्ष 2008 में विकसित देशों की महान प्रतिसार (great recession) से हुई, वर्ष 2010 से इसमें 'पॉलिसी पैरोलिसिस' (policy paralysis) का घरेलू कारक जुड़ गया। केन्द्र में नई सरकार के आने के बाद घरेलू कारक अब चुनौती नहीं रह गया है लेकिन कई मुद्दे जो पहले से विद्यमान रहे हैं उनका प्रभावी समाधान अब भी जरूरी है (यथा-व्यवसाय करने की आसानी)।

(vi) अर्थव्यवस्था में विद्यमान 'दोहरी बैलेंस शीट का संकट' (Twin Balance Sheet Crisis), जिसकी चर्चा *आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17* में विस्तार से की गई थी। इस समस्या के कारण जहां एक ओर सरकारी बैंक, जिनसे इस क्षेत्र को सर्वाधिक ऋण मिलता है, ऋण आवंटन करने की स्थिति में नहीं हैं वहीं दूसरी ओर देश की अग्रणी निजी क्षेत्रीय कंपनियां (जिनके द्वारा इस क्षेत्र में प्रमुख निवेश हो सकता है) ऋण लेने के लिए योग्य नहीं हैं।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

अध्याय 10

सेवा क्षेत्र
(SERVICES SECTOR)

*भारत का शक्तिशाली सेवा क्षेत्र पिछले दशक में तेजी से बढ़ा है, 2014-15 में देश के जीडीपी में इसका योगदान लगभग 72.4 प्रतिशत रहा है। अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत, भारत की वृद्धि की कहानी की अगुवाई सेवा क्षेत्र में वृद्धि ने की है जो अब दोहरे अंकों में है।**

इस अध्याय में

- ❑ परिचय
- ❑ भारत एवं वैश्विक सेवाएं
- ❑ शोध एवं विकास सेवाएं
- ❑ अंतरिक्ष सेवाएं
- ❑ विनिर्माण बनाम सेवाएं
- ❑ वैश्विक वार्ताएं
- ❑ प्रतिबंध एवं नियमन
- ❑ सुधारों की आवश्यकता
- ❑ भविष्य की रूपरेखा

* *'आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15', वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, खंड 2, पृष्ठ 106.*

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

परिचय (INTRODUCTION)

भारत के सेवा क्षेत्र ने केवल अन्य प्रक्षेत्रों (उद्योग एवं कृषि) को पीछे छोड़ दिया है, बल्कि इसने विश्व व्यापार एवं पूँजी बाजारों से भारत को जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में सेवा क्षेत्र का उदारीकरण एक विषम चुनौती थी, खासकर कुछ उप-प्रक्षेत्रों (sub sectors) में, लेकिन स्वाभाविक रूप में उन सेवाओं को जहां कि व्यापार तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अधिक हुआ, वृद्धि अधिक तीव्र देखी गई और इसका सकारात्मक प्रभाव अर्थव्यवस्था के शेष क्षेत्रों पर भी हुआ।

हालांकि सेवा वृद्धि की सतत्ता के बारे में हमेशा चिंता[1] संदेह रहा है जो कि कौशल आधारित सेवाओं के निर्यात से पैदा होती है। वर्तमान में सेवा क्षेत्र के संबंध में धारणा है कि यह प्रक्षेत्र बाह्य मांग पर निर्भर नहीं रह सकता। यह आंतरिक मांग से भी चालित होना चाहिए। सेवाओं के अंदर की व्यापक-आधार की जरूरत है जिससे कि अधिक संतुलित, समत्वपूर्ण एवं रोजगारोन्मुख वृद्धि सुनिश्चित की जा सके और इससे शेष अर्थव्यवस्था का अग्रगामी एवं पश्चगामी (forward and backward linkages) स्थापित किया जा सके। इस संबंध में सेवा क्षेत्र में और अधिरचनात्मक एवं नियामक सुधारों तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) उदारीकरण के द्वारा भारत के सेवा प्रक्षेत्र में वृद्धि के स्रोतों को विविधता प्रदान करने तथा जरूरी गति प्रदान करने में मदद मिलेगी।

हाल के वर्षों में देश के अंदर इस बात पर बहस होती रही है कि कौन-सा प्रक्षेत्र वृद्धि प्रक्रिया का नेतृत्व कर सकता है। इस बहस के पीछे यह तथ्य रहा है कि 2001-12 के दशक में सेवा प्रक्षेत्र ने देश की सकल घरेलू आय (GDP) में 62 प्रतिशत का योगदान दिया है। अब इस बहस का *आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15* एक तरह से हल प्रदान किया है जिसमें कहा गया है कि विनिर्माण क्षेत्र ही वृद्धि का नेतृत्व कर सकता है। सर्वेक्षण में कतिपय आनुभविक अध्ययनों का हवाला देते हुए सेवा क्षेत्र को निर्माण क्षेत्र से जोड़ने की बात कही गई है जिससे अनेक वास्तविक मुद्दों का समाधान हो सकता है—रोजगार पैदा करने की क्षमता, अकुशल एवं कुशल श्रम बल की जरूरत, प्रक्षेत्र की औपचारिकता एवं अनौपचारिकता आदि। इसके लिए 'मेक इन इंडिया' के रूप में सरकार की आक्रामक पहल सामने आई है। पुन: रेलवे के विस्तार का महत्व तथा इसमें सार्वजनिक व्यय का भी महत्व रेखांकित किया गया है[2] (ये निष्कर्ष हाल के अन्य अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्षों के अनुरूप ही है)।[3]

1. Rupa Chanda, in Kaushik Basu and Annemie Maertens (eds) 'Services-led Growth' ***The New Oxford Companion to Economics in India***, Vol. II (New Delhi: Oxford University Press, 2012), pp. 624–32.

2. For a detailed description See Ministry of Finance, ***Economic Survey 2014–15***, Vol. 1. Though, the theme of the analysis has been included in this book itself, in the Chapter-9 **'Industry and Infrastructure'**.

3. ***India Development Report 2012–13*** (New Delhi: Oxford University Press, 2013), pp. 116–31.

भारत एवं वैश्विक सेवाएं (INDIA AND GLOBAL SERVICES)

पश्चिम की विकसित अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक संकट का सेवा क्षेत्र पर गहरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वैसे वर्ष 2017 में इन देशों में समुत्थान (recovery) के मजबूत संकेत मिले जिसका सेवान्मुख अर्थव्यवस्थाओं पर धनात्मक प्रभाव पड़ा। वैश्विक एवं भारत स्तर पर सेवा क्षेत्र की स्थिति से जुड़ी प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार रहीं:

- नवीन आंकड़ों के अनुसार[4] भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का रैंक 2006 के 14वें स्थान से 2016 में 7वें स्थान पर आ गया। विश्व की 15 अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर के मामले में भारत दूसरे स्थान (7.1%) पर रहा, चीन (9.8%) के बाद। इस मामले में विश्व का तीसरा देश स्पेन (7%) रहा।

4. ***National Accounts Statistics***, UNO, New York, USA, 2017.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

- वर्ष 2016 में भारत में सेवाओं की जी.वी.ए. वृद्धि दर (स्थिर मूल्यों पर) सर्वाधिक रही (7.8%) – चीन का स्थान दूसरा (7.4%) रहा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुमान के अनुसार वर्ष 2016 में सेवा क्षेत्र का वैश्विक स्तर पर सकल रोजगार में दो-तिहाई से अधिक की हिस्सेदारी रही (भारत और चीन को छोड़कर) – भारत में इस क्षेत्र की रोजगार हिस्सेदारी न्यूनतम रही (30.6%)। वर्ष 2006 से 2016 के मध्य सेवा क्षेत्र के रोजगार में सर्वाधिक वृद्धि दर चीन (10.2%) में दिखी जबकि भारत इस मामले में काफी नीचे (5.2%) रहा।
- सेवाओं का वैश्विक एवं भारतीय निर्यात दोनों ही वर्ष 2015 में ऋणातमक हो चला था जो वर्ष 2016 में धनात्मक हो सका (वर्ष 2009 के बाद पहली बार)।
- विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नवीनतम् आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 के पहले 6 महीनों में वैश्विक सेवाओं की निर्यात वृद्धि दर 4.3% रही-भारत के लिए यह दर जहां 9.9% रही वहीं चीन के लिए 0.2% और रूस के लिए 18.4% (सर्वाधिक) रही।

भारत का सेवा निष्पादन
(Services Performance of India)

सी.एस.ओ. के अनुसार वर्ष 2017-18 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 8.3% रहने का अनुमान (प्रथम अग्रिम अनुमान) है (पिछले वर्ष की 7.7% की तुलना में)। भारत के सेवा क्षेत्र के निष्पादन[5] से जुड़ी प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार रहने की संभावना है:

- देश के 32 राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में यह अग्रणी क्षेत्र है, जो 15 राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में उनकी जी.वी.ए. में 50% से भी अधिक का योगदान करता है।
- राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के सेवा जी.वी.ए. इसकी भागीदारी एवं वृद्धि दर में भारी अंतर दिखता है-दिल्ली एवं चंडीगढ़ में जहां इसका योगदान 80% से भी अधिक है वहीं सिक्किम में इसकी सबसे निम्न (31.7%) भागीदारी है।
- सेवा क्षेत्र के जी.वी.ए. में होने वाली वृद्धि दर (2016-17) के मामले में बिहार जहां शीर्ष (14.5%) पर है वहीं उत्तर प्रदेश सबसे नीचे (7.0%) है।

सेवा क्षेत्र में एफ.डी.आई.
(FDI in Services Sector)

भारत में सेवा क्षेत्र में होने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के मामले में अस्पष्टता (ambiguity) है। दस शीर्ष सेवाओं में से वित्तीय एवं गैर-वित्तीय सेवाएं औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग के अंतर्गत आती हैं। इसके अतिरिक्त दूरसंचार; व्यापार; कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर; निर्माण; होटल एवं पर्यटन; अस्पताल एवं डायग्नॉस्टिक केन्द्र; सलाहकारी सेवाएं; समुद्री परिवहन तथा सूचना एवं प्रसारण क्षेत्रों को सेवा क्षेत्र में होने वाले एफ.डी.आई. के अनुमान का सबसे अच्छा संकेतक माना जा सकता है। हालांकि, इनमें कुछ गैर-सेवा क्षेत्र भी शामिल हो सकते हैं। इन क्षेत्रों का वर्ष 2000 से 2017 (अप्रैल-अक्तूबर) के मध्य 56.6% हिस्सा रहा। वर्ष 2017-18 (अक्तूबर तक) इस क्षेत्र को होने वाले एफ.डी.आई. की हिस्सेदारी 65.6% थी।

अगर 5 अन्य सेवाओं या सेवा-संबंधी क्षेत्रों (यथा-खुदरा विक्रय, कृषि सेवाएं, शिक्षा, पुस्तकों की छपाई एवं हवाई यातायात) को जोड़ लिया जाए तो ऊपर दी गयी अवधियों में सेवा क्षेत्र को प्राप्त होने वाले एफ.डी.आई. की हिस्सेदारी सकल एफ.डी.आई. में क्रमशः 58.5% और 69.6% तक पहुंच जाती है।

वर्ष 2016-17 में शीर्ष 10 सेवाओं (निर्माण क्षेत्र सहित) को प्राप्त होने वाली एफ.डी.आई. में 0.9% की कमी आयी थी जबकि सकल एफ.डी.आई. में 8.7% की वृद्धि दर्ज

5. ***Economic Survey 2017-18***, Vol. 2, Ministry of Finance, GoI, N. Delhi, pp. 153-157.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

की गयी थी। वर्ष 2017-18 (अक्तूबर तक) में इन सेवा क्षेत्रों में होने वाली एफ.डी.आई. में तेज वृद्धि दर्ज (15%) की गयी-मूलतः दूरसंचार एवं कंप्यूटर क्षेत्रों में आयी तेजी के कारण।

पिछले तीन वर्षों (2014-2017) में सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए ताकि भारत विदेशी निवेश के लिए एक आकर्षक कन्द्र बन सके। इनमें महत्वपूर्ण पहल निम्न प्रकार रहे:

- राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (IPRs) नीति की घोषणा;
- जी.एस.टी. को लागू करना, तथा;
- 'व्यवसाय करने की आसानी' को प्रोत्साहित करने की दिशा में उठाए गए अन्यान्य कदम जिसके फलस्वरूप भारत की विश्व बैंक की रिपोर्ट (डूईंग बिजनेस) में 30 स्थानों का उछाल आया।

इस क्षेत्र में सुधार के आयाम का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 25 क्षेत्रों में (सेवा क्षेत्र को मिलाकर) सरकार द्वारा एफ.डी.आई. से जुड़े 100 क्षेत्रों में सुधार कार्य को अंजाम दिया गया। कई क्षेत्रों से जुड़ी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की नीतियों में आमूल (radical) सुधार किए गए, यथा-निर्माण क्षेत्र, प्रसारण, खुदरा व्यापार, वायु परिवहन, बीमा एवं पेंशन क्षेत्र। वर्तमान में 90% से अधिक एफ.डी.आई. की 'ई-फाइलिंग' होती है तथा इनकी 'ऑनलाइन' प्रोसेसिंग की जाती है। विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (FIPB) को वर्ष 2017-18 में निरस्त किए जाने के बाद से इस क्षेत्र में और तेजी आयी है। सरकार द्वारा जनवरी 2018 में एकल ब्रांड खुदरा व्यापार में 100% एफ.डी.आई. को स्वतः अनुमोदित श्रेणी में डाला गया। इसी प्रकार वायु यातायात के क्षेत्र में अब विदेशी कंपनियां 49% तक प्रत्यक्ष निवेश कर सकती हैं।

सेवाओं का व्यापार (Services Trade)

भारत से होने वाले सेवा व्यापार में गिरावट के उपरांत वर्ष 2016-17 में तेजी देखी गयी तथा यह धनात्मक हो सका। इस मामले में भारत की वर्तमान स्थिति (*आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18* के अनुसार) निम्न प्रकार है:

- वर्ष 2016 में वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात के मामले में भारत विश्व का **8वां** सबसे बड़ा देश रहा (WTO, 2017) - इस मामले में भारत की हिस्सेदारी 3.4% थी। वहीं वस्तुगत निर्यात में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी 1.7% रही।
- सेवाओं के निर्यात का वस्तुगत निर्यातों में अनुपात वर्ष 2016-17 में 58.2% तक पहुंच चुका था (वर्ष 2000-01 में यह अनुपात 35.8% था)। वर्ष 2006-07 से 2016-17 के मध्य सेवा निर्यात की वृद्धि दर 8.3% रही, जो वर्ष 2015-16 में ऋणात्मक (–2.4%) तथा 2016-17 में 5.7% रही।
- वर्ष 2017-18 (सितंबर तक) सेवा निर्यात में तेज वृद्धि (16.2%) दर्ज की गयी जिसमें यातायात एवं सॉफ्टवेयर की मूल भूमिका रही। पर्यटन क्षेत्र में काफी तेजी आयी (27.7%) - वर्ष 2016-17 के 7.6% की तुलना में। परंपरागत सेवाओं से जुड़े मूल्य संबंधी दबाव तथा चुनौती भरे वैश्विक व्यापार माहौल का घरेलू सॉफ्टवेयर कंपनियों पर गहरा असर रहा फिर भी इस क्षेत्र में इस अवधि में 2.3% की वृद्धि दर्ज की गयी।
- वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में सेवाओं के आयात में उनके निर्यात से अधिक वृद्धि दर्ज की गयी, जिस कारण सेवा व्यापार की शुद्ध प्राप्ति में गिरावट देखी गयी। हालांकि वर्ष 2017-18 (सितंबर तक) में शुद्ध प्राप्ति में 14.6% की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2017-18 के पहले 6 महीनों में भारत के सेवा निर्यातों से इतना अर्जन किया गया कि इस अवधि के वस्तुगत घाटे के 49% का भुगतान हो सका।

सेवा क्षेत्र के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा *सर्विसेस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम (SEIS)* के अंतर्गत प्रापत होने वाले 'इन्सेन्टिव' (Incentive) में 2% की वृद्धि की घोषणा की गयी (विदेश व्यापार नीति 2015-20 की मध्यावधि समीक्षा करते समय)। इस नीति परिवर्तन से सेवा निर्यातक कंपनियों को कुल 1,140 करोड़ रु. का लाभ पहुंचेगा। वैसे वर्ष 2018 में विश्व व्यापार (वस्तुएं एवं

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

सेवाएं दोनों में) वृद्धि आने का अनुमान है। इस क्षेत्र को आने वाले समय में उच्च वैश्विक अनिश्चितता, संरक्षणवादी नीतियों एवं प्रवासन के कठोर नियमों का सामना करना पड़ेगा और भारत का व्यापार निष्पादन इन कारकों पर भारी अर्थों में निर्भर होगा।

परामर्श सेवाएं (Consultancy Services)

भारत में परामर्श सेवाओं का क्षेत्र बड़ी तेजी से उभर रहे सेवा क्षेत्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। भारत में बडी संख्या में परामर्श प्रदाता प्रतिष्ठान एवं व्यक्तिगत परामर्शदाता विभिन्न स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवा उपलब्ध करा रहे हैं।

भारत में परामर्श सेवाओं के कुल बाजार का दो-तिहाई हिस्सा तकनीकी परामर्श के क्षेत्र का है, जबकि प्रबंधन परामर्श के हिस्से बाजार का एक-तिहाई भाग है। भारत में तकनीकी परामर्श, जो कि मुख्य तौर पर अभियंत्रण परामर्श का क्षेत्र है, बाजार के खिलाडियों, परामर्श की योग्यता एवं परामर्शदाता प्रतिष्ठान के आकार आदि के लिहाज से प्रबंधन परामर्श से ज्यादा मजबूत स्थिति में है। भारतीय प्रबंधन परामर्श के बाजार पर मुख्यत: बृहत विदेशी बहुराष्ट्रीय परामर्श प्रदाता प्रतिष्ठानों का दबदबा है।

यद्यपि भारतीय परामर्श उद्योग के विकास की असीम संभावनाएं हैं। तथापि, इसके विकास में कुछ बड़ी रुकावटें भी हैं, जैसे-निम्न ब्रांड इक्विटी, विदेश में कार्यरत भारतीय परामर्शदाता का अपर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय अनुभव, स्थानीय उपस्थिति की कमी, रणनीतिक गठजोड की कमी, योग्य न होने की छवि या पूर्वाग्रह, परामर्श के विदेशी अवसर हासिल करने में बाजार की समझ का अभाव और परामर्शदाता केकौशल साबित करने वाले स्वरूप, जिससे परामर्श संबंधी जिम्मवारियों का प्रभावी निष्पादन किया जा सकता है, का अभाव। भारत सरकार ने परामर्श सेवा को मदद पहुंचाने के लिए कई सार्थक पहलें की हैं:

(i) विपणन विकास सहायता और बाजार में पहुंच बनाने की योजनाएं;

(ii) बडी योजनाओं पर दिशा-निर्देश और परामर्शदाता के चयन की प्रक्रिया, संविदा एवं निगरानी, और;

(iii) घरेलू परामर्शदाताओं के क्षमता विकास की दिशा में लक्षित प्रयास और ग्राहक संगठनों का सुग्राहीकरण।

भारत सरकार द्वारा उठाए गए हाल के कदम जैसे कि मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी का विकास, कौशल विकास योजना आदि के साथ-साथ औद्योगिक नीतियों एवं प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने की दिशा में ध्यान संकेंद्रण जैसे कदमों ने परामर्शदाताओं के लिए प्रचुर अवसर के द्वार खोल दिए हैं।

भारतीय परामर्शदायी प्रतिष्ठानों के लिए असीम संभावनाओं के जो मुख्य क्षेत्र हैं, वे हैं-शहरी एवं परिवहन संबंधी आधारभूत संरचना का निर्माण, ऊर्जा उत्पादन, वैकल्पिक ऊर्जा, बिजली का संचारण एवं वितरण, सड़क एवं पुल, जला आपूर्ति एवं निकासी, आईटी-दूरसंचार, स्वास्थ्य सेवा एवं विनिर्माण आदि। कई उभरते क्षेत्र जैसे कि जैव-प्रौद्योगिकी, नैनो-प्रौद्योगिकी एवं अन्य नवीनतम विधाएं भी परामर्शदाताओं को शानदार मौके उपलब्ध करा रहे हैं। परामर्श सेवाएं नवीनतम सेवाओं से राजस्व उगाही की दिशा में प्रयास कर सकती है। बिग डाटा, क्लाउड, एम2एम और इंटरनेट आज वास्तविकता बन चुकी है।

शोध एवं विकास सेवाएं (Research and Development Services)

भारत में, वर्तमान में शोध एवं विकास के लिए कोई अलग से विषय (head) नहीं है और इसे व्यावसायिक वैज्ञानिक एवं तकनीक (professional scientific and technical) गतिविधियों का एक अंग[6] माना जाता है। इन सेवाओं की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:

- वर्ष 2015-16 में इस क्षेत्र की वृद्धि दर 41.1% रही (2014-15 की 17.5% की तुलना में)। भारत-आधारित शोध एवं विकास कंपनियों (जो

6. This has been done in 2017-18 by the CSO under its new method, as per the ***Economic Survey 2017-18***, Vol. 2, Ministry of Finance, GoI, N. Delhi, pp. 163-165.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

वैश्विक बाजार का लगभग 22% हैं) ने 12.7% की वृद्धि दर्ज की।

- वर्तमान में भारत शोध एवं विकास पर अपने जी.डी.पी. का लगभग 1 प्रतिशत व्यय करता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) -2017 में भारत का रैंक **60वां** है (127 देशों में)-वैसे पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 6 स्थानों की बढ़त दिखा है। ब्रिक्स (BRICS) देशों में दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर बाकी सभी देशों का शोध एवं विकास व्यय भारत से अधिक है।
- विश्व की 500 शोध एवं विकास (अभियांत्रिकी) से जुड़ी कंपनियों का शोध एवं विकास व्यय पिछले दो वर्षो (2015 एवं 2016) में 1.5% की दर से बढ़ा। इस बाजार का वैश्विक आकार 232 अरब अमेरिकी डॉलर था (2016 में), जिसके वर्ष 2021 में बढ़कर 289 अरब अमेरिकी डॉलर हो जाने का अनुमान है।
- सन्निहित (embeded) एवं सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकी की वैश्विक शोध एवं विकास आऊसोर्सिंग में 76% की हिस्सेदारी है। भारत, पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका विश्व की अभियांत्रिकी शोध एवं विकास सेवाओं के बाजार में 75% की भागीदारी करते हैं। भारत के अभियांत्रिकी शोध एवं विकास (ER&D) का वैश्विक बाजार अभी 22 अरब अमेरिकी डॉलर का है जिसके वर्ष 2020 तक बढ़कर 38 अरब अमेरिकी डॉलर होने जाने का अनुमान है।
- *वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा रिपोर्ट, 2017-18* के अनुसार भारत की शोध करने की क्षमता संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, युनाइटेड किंग्डम आदि से निम्न है, लेकिन चीने से बेहतर है।
- विश्वविद्यालय-उद्योग सहयोग (शोध एवं विकास क्षेत्र में) के मामले में भारत 'ब्रिक्स' के अन्य देशों की तुलना में बेहतर है। वैज्ञानिकों एवं इंजीनियर्स की उपलब्धता के मामले में भारत की स्थिति 'ब्रिक्स' से बेहतर है (चीन को छोड़कर)।
- प्रति मिलियन पैटेंट आवेदन (Patent Applications) के मामले में भारत ब्रिक्स देशों में सबसे नीचे है, वहीं कंपनियों द्वारा किए जाने वाले शोध एवं विकास व्यय के मामले में यह चीन से थोड़ा नीचे है।

शोध एवं विकास क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा हाल में कई पहलें की गई हैं:

- नीति आयोग के अंतर्गत अटल इन्नोवेशन मिशन (AIM) की स्थापना।
- स्वास्थ्य एवं साईबर सुरक्षा के क्षेत्र में बिग डाटा एनालिटिक्स (big data analytics) को बढ़ावा देने के लिए भारत-इजरायल समझौता।
- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नई पीढ़ी के प्रशीतकों (refrigerants) के विकास को प्रोत्साहन ताकि वर्तमान में प्रयोग में लाए जाने वाले हाईड्रो-फ्लूरो-कार्बन का बेहतर विकल्प प्राप्त हो सके (आजोन परत संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ा कदम)।

सरकार की सक्रिय सहायता के बल पर भारत के शोध एवं विकास क्षेत्र में आने वाले वर्षों में उच्च वृद्धि की संभावना जताई गई है। प्रबंधन सलाहकारी कंपनी *जिन्नोव* (Zinnov) के एक हाल के अध्ययन के अनुसार *(आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18)* भारतीय अभियांत्रिकी शोध एवं विकास में वर्ष 2020 तक वार्षिक 14% की वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है और उस समय तक इसका बाजाार 42 अरब अमेरिकी डॉलर का होगा।

अंतरिक्ष सेवाएं (Space Services)

अंतरिक्ष कार्यक्रम का भारतीय आर्थिक विकास में बहुआयामी योगदान है। उपग्रह आधारित *मानचित्रण एवं प्रेक्षपण* सेवाओं के क्षेत्र में भारत ने हाल के वर्षों में वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। इस क्षेत्र में भारत के पास ऐसी क्षमता है, जिससे यह भविष्य में एक वैश्विक नेतृत्व प्रदान करने वाला देश बन सकता है। अंतरिक्ष सेवाओं से जुड़ी प्रमुख विशेषताएं *(आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18* के अनुसार) निम्न प्रकार हैं:

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

- उपग्रह मानचित्रण से प्राप्त हाने वाले विदेशी विनिमय के आय में हाल के वर्षों में कमी आई है क्योंकि विश्व की कई अंतरिक्ष ऐजेंसियों ने इन आंकड़ों को मुफ्त उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। इस दिशा में भारत अपने उपभोक्ताओं की संविदाओं (contracts) को नवीकृत (renewal) करने की प्रक्रिया पर कार्य कर रहा है।
- वर्तमान में 'इसरो' (ISRO) द्वारा 'आसियान' (ASEAN) देशों को (म्यांमार सहित) भारतीय दूरसंवेदी उपग्रहों (रिसोर्ससैट एवं ओशनसैट-2) के आंकड़ों के प्रसंस्करण एवं प्राप्त करने संबंधी एक परियोजना पर कार्य कर रहा है, जिसके अंतर्गत अंतरिक्ष तकनीक एवं विज्ञान का प्रशिक्षण भी शामिल हैं
- वर्तमान में भारत विश्व समुदाय को (अंतर्राष्ट्रीय ग्राउंड स्टेशन व्यवस्था के माध्यम से) अपने दूरसंवेदी उपग्रहों के आंकड़ों को उपलब्ध करा रहा है। इसरो की विपणन कंपनी 'अंतरिक्ष' (Antrix) अभी विश्व के महत्वपूर्ण पुनर्विक्रेताओं (resellers) के साथ अपने दूरसंवेदी आंकड़ों के वितरण की व्यवस्था करने पर कार्य कर रहा है, जिसमें यूरोप, यू.एस.ए., लैटिन अमेरिका, अफ्रीका एवं दक्षिण-पूर्व के देश शामिल हैं।
- मार्च 2017 तक भारत अपने उपग्रह प्रक्षेपण यान (पी.एस.एल.वी.) के माध्यम से 254 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण कर चुका था। इन प्रक्षेपणों में 29 देशों के 209 विदेशी उपग्रह भी शामिल थे।
- उपग्रह प्रक्षेपण के माध्यम से भारत की विदेशी विनिमय आय में वर्ष 2015-16 से अच्छी तेजी आयी, जो वर्ष 2016-17 तक 294 करोड़ रु. तक पहुंच चुकी थी। वैश्विक उपग्रह प्रक्षेपण बाजार में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2015-16 में 1.1 प्रतिशत तक पहुंच चुकी थी (2014-15 के 0.3 प्रतिशत की तुलना में)।

विनिर्माण बनाम सेवाएं (MANUFACTURING VS. SERVICES)

भारत का ध्यान कल-कारखानों में उत्पादित वस्तुओं के निर्यात से विचलित हुआ है इसे कम बड़ी बात नहीं कहेंगे।[7] विगत कुछ वर्षों में, यह भारत से सेवाओं का निर्यात ही है, जो काफी अहम तरीके और संभवत: चेतावनीपूर्ण तरीके से परिवर्तित हुआ है। कोई इस बाजार की हिस्सेदारी पर नजर गड़ाए समस्या पर गौर कर सकता है। भारत की विश्व की सेवाओं के निर्यात की हिस्सेदारी मध्य 2000 के उतार-चढ़ाव के बाद सपाट हो गई है।

इस परिवर्तन को जो उलझन भरा बनाता है वह यह कि हाल के वर्षों में भारत के सेवाओं के निर्यात का स्वरूप कल-कारखानों में निर्मित वस्तुओं के निर्यात की अपेक्षा ज्यादा अनुकूल हुआ है। पहले ज्यादातर यूएस जाते थे और अब ज्यादातर का रुख एशिया की ओर है। ऐसा तब जबकि एशिया में ज्यादा तेजी मंदी आई, भारत में वस्तुओं का निर्यात और भी ज्यादा प्रभावित हुआ। इसके अलावा 2015 में डॉलर के मुकाबले रुपया ज्यादा मजबूत हुआ है। इससे भारत के सेवाओं के निर्यात को मदद मिलनी चाहिए।

इस बदलाव की दूरगामी उलझनें हैं। भारत की 8 से 10 प्रतिशत के मध्यम विकास क्षमता की वास्तविकता के मद्देनजर निर्यात में तेज दर से वृद्धि आवश्यक होगी। इसे कितना त्वरित होना चाहिए इस संबंध में भारत के सेवा निर्यात प्रदर्शन की तुलना में चीन के वस्तु निर्यात के प्रदर्शन की तुलना के आधार पर आकलित करने का सुझाव दिया गया है।

चीन के निर्माण निर्यात में विश्व बाजार में हिस्सेदारी की शुरूआत 1991 में हुई और भारत की शुरूआत वर्ष 2003 में हुई, जो मोटे तौर पर एक जैसी ही थी। चुनौती की महत्ता तब प्रमाणिक हो जाती है जब विगत 15 वर्षों में हम चीन के यात्रा पथ का परीक्षण करते हैं।

7. *Economic Survey 2015-16*, Vol. 2, pp. 167-68, Ministry of Finance, GoI, N. Delhi.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

चीन जैसी ही कामयाबी हासिल करने के लिए भारत को ज्यादा प्रतिस्पर्द्धी बनना पड़ेगा, ताकि इसकी सेवाओं का निर्यात जो फिलहाल विश्व निर्यात का लगभग 3 प्रतिशत है, विश्व बाजार के 15 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा जमा सके। यह बड़ी चुनौती है और मौजूदा रुझान बताते हैं कि बेहतर प्रतिस्पर्द्धी बनने के लिए अभी और बड़ी कोशिश करनी होगी। लक्ष्य हासिल करने के लिए यह जरूरी है।

वैश्विक वार्ताएं (GLOBAL NEGOTIATIONS)

भारत का लक्ष्य विश्व सेवाओं के व्यापार में स्वयं को अहम किरदार की भूमिका में बनाए रखने का है। सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई नीतिगत फैसले लिए हैं। भारत से अधिसूचित सेवाओं के निर्यात को बढावा देने के लिए एसईआईएस (सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम) की शुरूआत, जीईएस (ग्लोबल एक्जिविशन्स ऑन सर्विसेस) और सर्विस कॉन्क्लेव (एससी) का शुभारंभ कुछ ऐसी ही पहल है। इसके अलावा कुछ प्रयास पर्यटन एवं नौ-वहन के क्षेत्र में भी लिए गए हैं, जो इसी संदर्भ में हैं। भारत की सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सेवा क्षेत्र में वार्ताएं, चाहे वे बहुपक्षीय हों, द्विपक्षीय हों, या क्षेत्रीय स्तर की; भारत के लिए सभी महत्वपूर्ण हैं। हाल के दिनों में संपन्न कुछ वार्ताएं नीचे प्रस्तुत हैं:[8]

विश्व व्यापार संगठन समझौता (WTO Negotiations)

विश्व व्यापार संगठन (WTO) का 11वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन बिना किसी घोषणा के ही समाप्त हो गया। वैसे इसके 10वें सम्मेलन में भारत के पक्ष में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई थीं (*आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18*):

(i) अल्प विकसित देशों की सेवाओं एवं सेवा प्रदाताओं के पक्ष में प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वयन एवं विभिन्न सेवा व्यापार में अल्प विकसित देशों की भागीदारी में बढोतरी।

(ii) वर्ष 2017 में प्रस्तावित आगामी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के आयोजन तक इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन (ई-कॉमर्स) पर कस्टम ड्यूटी आरोपित नहीं करने की वर्तमान व्यवस्था की यथास्थिति बनाए रखना।

(iii) भारत सहित अन्य 20 सदस्य देशों ने सेवाओं के व्यापार में अल्प विकसित देशों के प्रति प्राथमिकता के आधार पर व्यवहार की अधिसूचना जारी की। भारत ने इसकी पेशकश निम्नलिखित संदर्भों में की:

(a) बाजार में पहुंच;

(b) तकनीकी सहायता एवं क्षमता निर्माण, और;

(c) व्यापार एवं रोजगार के लिए अल्प विकसित देशों के आवेदकों के बीजा शुल्क का परित्याग।

फरवरी 2017 में भारत ने डब्ल्यूटीओ को सेवा व्यापार को उछाल देने के लिए एक वैश्विक समझौते का प्रस्ताव दिया। इन प्रस्तावों-सेवाओं में व्यापार सुविधाएं (ट्रेड फेसिलिटेशन इन सर्विसिस-टीएफएस)-का लक्ष्य मुख्यत: प्रशिक्षित विदेशी कामगारों/पेशेवरों के लिए अल्पकालिक काम के लिए सीमा पार आवाजाही, सामाजिक सुरक्षा के अंशदान की सुवाह्यता, प्रवसन के लिए उचित शुल्क पर बीमा की सुविधा, चिकित्सीय पर्यटन को बढ़ावा देना और सीमा पार सेवाओं की आपूर्ति के लिए संबंधित सूचनाओं के प्रकाशन की उपलब्धता, के आसान नियम बनाना था। सूत्रों के अनुसार, विश्व बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि विश्व की अर्थव्यवस्था में सेवाओं का हिस्सा बढ़ रहा है, वैसे यह सीमा-पार एवं सीमा के अंदर कई तरह के अवरोधों (barriers) पर निर्भर करता है (उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय)।

द्विपक्षीय समझौता (Bilateral Agreements)

भारत ने हाल के दिनों में जिन द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, वे हैं:

(i) सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान और मलेशिया की सरकारों के साथ विस्तृत द्विपक्षीय व्यापार

8. ***Economic Survey 2017-18***, Vol. 2 & Economic Survey 2016-17, Vol. 2, Ministry of Finance, GoI, N. Delhi.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिनमें सेवाओं में व्यापार शामिल है। आसियान (एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन्स) के सदस्य देशों के साथ सेवाओं एवं निवेश में मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। यह 2015 के मध्य से प्रभावी है।

(ii) भारत **आरसीईपी** (रीजनल कम्प्रिहें'सिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप) में शामिल हुआ है। यह एक बहुपक्षीय समझौता है। प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता में दस आसियान देश और इसके छह एफटीए सहयोगी देश जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। आरसीईपी ऐसा एकमात्र बृहत् क्षेत्रीय मुक्त व्यापार संगठन है, जिसका भारत हिस्सा है।

(iii) भारत एक द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता (FTA) संबंधी बातचीत की दिशा में प्रयत्नशील है, जिसमें कनाडा, इजरायल, थाइलैंड, यूरोपीय संघ, ईएफटीए (यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन), ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम के तहत भारत-यूएस के बीच, इंडिया-ऑस्ट्रेलिया जेएमसी (ज्वाइंट मिनिस्ट्रियल कमीशन/संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग) के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, इंडिया-चाइना वर्किंग ग्रुप के तहत भारत और चीन के बीच और इंडिया-ब्राजील ट्रेड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म (टीएमएम) के तहत भारत और ब्राजील के बीच भी वार्ताओं के दौर जारी हैं।

प्रतिबंध एवं नियमन (Restrictions and Regulation)

सेवाओं में एक बड़ा मुद्दा घरेलू बाधाओं और विनियमों का है। डब्ल्यूटीओ की सख्त शर्तों के अनुसार घरेलू विनियमों में लाइसेंसीकरण संबंधी आवश्यकताएँ, लाइसेंसीकरण की प्रक्रिया, अर्हता संबंधी आवश्यकताएं, अर्हता संबंधी प्रक्रियाएँ और तकनीकी मानक शामिल हैं परन्तु वहां अन्य प्रतिबंधों और बाधाओं पर भी विचार किया गया। चूंकि हमारे प्रमुख बाजारों में अनेक घरेलू विनियम हैं जो हमें बाजार की अभिगम्यता से वंचित कर देते हैं और इसलिए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय स्तरों पर इन पर बातचीत की जानी आवश्यक है, भारत में अनेक घरेलू विनियम भी हैं जो इस क्षेत्र की वृद्धि के मार्ग को बाधित करते हैं। चूंकि घरेलू विनियम सेवाओं के विनियमन में प्रशुल्कों की भूमिका निभाते हैं, भारत में उन घरेलू विनियमों की सूची तैयार करने की आवश्यकता है जिन्हें क्षेत्र की वृद्धि और इसके निर्यातों की मदद के लिए समाप्त करने की आवश्यकता है, जबकि उन्हें बनाए रखना जो इस स्तर पर क्षेत्र को विनियमित करने के लिए आवश्यक हैं। भारत में कुछ महत्वपूर्ण घरेलू विनियम जिनकी उपयुक्त नीतिगत सुधारों[9] के लिए जांच की जाने की आवश्यकता है, इनकी निर्देशात्मक सूची निम्नानुसार है:

व्यापार और परिवहन सेवाएँ (Trade and Transport Services)

इन क्षेत्रों की कुछ बाध्यताओं में समान की अंतरराज्यीय आवाजाही पर प्रतिबंध शामिल है जिसे अनेक राज्यों द्वारा कृषि उपज और विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम के प्रतिरूप को अपनाकर उदार बनाया जा सकता है; मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अधिनियम, 1993 जिसमें संशोधन की आवश्यकता है ताकि परिवहन के विभिन्न साधनों के माध्यम से यातायात और प्रलेखन पर मौजूदा प्रतिबंधों, विशेषकर सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रतिबंध जिनके कारण सामान की निर्बाध आवाजाही की अनुमति नहीं है, तथा अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी), कंटेनर मालभाड़ा स्टेशनों (सीएफएस) और बंदरगाहों के

9. H.A.C. Prasad and R. Sathish, Working Paper No. 1/2010-DEA on 'Policy of India's Services Sector, 2010' with updates from concerned Departments and Institutions, as quoted in, Ministry of Finance, (New Delhi: Government of India, 203), p. 228.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

बीच पोतभार को नि:शुल्क लाने ले जाने पर प्रतिबंधों को उदार बनाया जाए।

विनिर्माण विकास (Construction Development)

विनिर्माण क्षेत्र में, कुछ राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, असम, बिहार और पश्चिम बंगाल, जिन्होंने नगर भूमि अधिकतम सीमा और विनियमन अधिनियम (यूएलसीआरए) को निरस्त नहीं किया है, में यूएलसीआरए के अंतर्गत आने वाले प्रतिबंधों के निरंतर बने रहने और अन्य राज्यों द्वारा नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरस्तीकरण अधिनियम, 1999 को पास करके यूएलसीआरए को निरस्त किए जाने के बाद भी भवनों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेने की आवश्यक प्रक्रिया में भ्रांति के कारण मार्गावरोध बने हुए हैं।

भूमि अधिग्रहण नीति में राज्यों की मददगार के रूप में भूमिका भी स्पष्ट नहीं होने के परिणामस्वरूप न्यायिक मुकद्मेबाजी के मामलों की संख्या बढ़ी है, जिसके साथ ही बिल्डरों/परियोजनाओं की प्रोफाइल भी जोखिमपूर्ण हो जाती है इसके परिणामस्वरूप ऋणदाता भी इस तरह के बिल्डरों/परियोजनाओं को वित्त पोषण देने से बचते हैं। अनेक राज्यों में तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर) पर भी प्रतिबंध हैं और उपविधि/विनियमों को लागू करने और इसमें दी गई छूटों जैसे अन्य प्रतिबंध हैं, यथा-एफएआर को बढ़ाना जो कि परियोजना से परियोजना भिन्न-भिन्न हैं और कभी-कभी भेदभावपूर्ण हैं।

लेखाविधि सेवाएँ (Accountancy Services)

जबकि लेखाविधि के पेशेवरों को अब तक या तो साझीदार फर्म के रूप में या अकेले मालिक फर्म के रूप में या अपने ही नाम पर प्रचालन करने की अनुमति दी गई थी, क्योंकि भारतीय विनियमों के तहत एक फर्म के अधीन 20 से अधिक पेशेवरों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी गई है, सीमित देयता साझेदारी (एलएलपी) के गठन के आने से इस अवरोध को दूर किए जाने की संभावना है। तथापि, प्रति साझेदारी कंपनी की वैधानिक लेखा परीक्षाओं की संख्या 20 तक सीमित की गई है।

इस क्षेत्र में एफडीआई की भी अनुमति नहीं है और विदेशी सेवा प्रदाताओं को भारत में कानूनों के उपबंधों के अनुसार कंपनियों की वैधानिक लेखा परीक्षा करने की अनुमति नहीं है। फ्रेंचाइजिंग पर प्रतिबंध और साझेदारी तथा एकल स्वामित्व लेखाकरण फर्मों के लिए एकल लोगों का प्रयोग करना जैसे कुछ अन्य घरेलू विनियम हैं। आऊसोर्सिंग पद्धति द्वारा इन सेवाओं के निर्यात की संभाव्यता को देखते हुए इन विनियमों को उदार और सुप्रवाही बनाने की आवश्यकता है ताकि विदेशी बाजारों से गठजोड़ बनाने और इनमें पहुंच बनाने का कार्य सरल हो सके।

विधि सेवाएँ (Legal Services)

विधि सेवाओं में एफडीआई की अनुमति नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय विधि फर्मों को भारत में विज्ञापन देने और कार्यालय खोलने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया है। विदेशी सेवा प्रदाताओं को न तो साझेदारों के रूप में नियुक्त किया जा सकता और न ही वे विधि दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं तथा न ही अपने क्लाइंट का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। बार परिषद में किसी भी तरीके से विदेशी वकीलों/विधि फर्मों में विदेशी सेवा प्रदाताओं के प्रवेश का विरोध किया जाता है। भारतीय अधिवक्ताओं को भारतीय अधिवक्ताओं से इतर व्यक्तियों के साथ लाभ-हिस्सेदारी संबंधी व्यवस्थाओं में प्रवेश लेने की अनुमति नहीं है।

शिक्षा सेवाएँ (Education Services)

ये सेवाएँ केंद्र और राज्य सरकारों तथा संवैधानिक निकायों द्वारा लगाए गए अनेक नियंत्रणों और विनियमों के साथ समसूची के अंतर्गत आती हैं। चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने के लिए न्यूनतम 25 एकड़ भूमि होने संबंधी विनियम के परिणामस्वरूप दिल्ली जैसे शहरों में भी चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने पर प्रतिबंध है। नए चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने से संबंधित रोगी संख्या कारक संबंधी विनियमों को भी वर्तमान उपस्कर-रोगी गहन चिकित्सा और आधुनिक पद्धतियों तथा चिकित्सीय शिक्षा की प्रणालियों के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

सुधारों की आवश्यकता (NEED OF REFORMS)

भारत के सेवा क्षेत्र में यह संभावना रही है कि वह देश को उठाकर आर्थिक लाभ दिला सकता है, लेकिन अनेक ऐसे सामान्य एवं प्रक्षेत्र संबंधी मुद्दे हैं, घरेलू कानूनों सहित, जो सेवा क्षेत्र की वृद्धि की संभावना सीमित करते हैं। इन मुद्दों का समाधान यदि बुद्धिमानी से कर लिया जाए तो सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था को कुल मजबूती प्रदान कर सकता है। इसके लिए जरूरी नीतिगत सुधारों[10] को निम्नलिखित रूप से रेखांकित किया जा सकता है:

सामान्य मुद्दे (General Issues)

नीतिगत ढांचे से जुड़े कुछ सामान्य से मुद्दे हैं, जिनसे देश में सेवा क्षेत्र के स्वस्थ विकास और विस्तार में व्यवधान आ रहा है। ये व्यापक रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं:

नोडल ऐजेंसी एवं मार्केटिंग: सेवा क्षेत्र के विभिन्न उप सेक्टरों में विस्तार की अपार संभावना के बावजूद सेवाओं के लिए कोई भी एक नोडल विभाग या ऐजेंसी नहीं बनाया गया। इस मामले को देखने के लिए एक अंतरमंत्रालयी समिति गठित की गई है। हालांकि सेवा क्षेत्र की गतिविधियां कारोबार से अलग हटकर भी फैली हुई हैं और इनसे जुड़े अवांछनीय नियमों को हटाने के लिए सक्रियता और समुचित संस्थागत तंत्र की आवश्यकता है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में मौजूद अवसरों का समन्वित तरीके से दोहन करने की जरूरत है। सेवा निर्यात के लिए विज्ञापन संबंधी गतिविधियों को भी अपनाने की जरूरत है, जैसे:

(i) सेवाओं के लिए एक पोर्टल तैयार करना;

(ii) व्यापार प्रदर्शनियों में गैर-सॉफ्टवेयर क्षेत्र में भारत की क्षमता को बेहतर तरीके से पेश करना;

(iii) समर्पित ब्रांड एंबेसडर और विशेषज्ञों की सेवाएं लेना।

विनिवेश: केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के ही अंतर्गत सेवा संबंधी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश करने के लिए बड़ी गुंजाइश है। सेवा संबंधी सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों में विनिवेश में तेजी लाने से न सिर्फ सरकार को राजस्व मिलेगा बल्कि इन सेवाओं के विकास में भी तेजी आएगी।

ऋण संबंधी: यहां शामिल मुद्दों में इस क्षेत्र की नकदी संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए ''संपार्श्विक मुक्त'' उदार ऋण दिया जाता है और ऋण योग्य सेवा फर्मों के लिए संपार्श्विक के तौर पर निर्यात या कारोबारी आदेशों पर विचार करने की संभावना शामिल है।

कर और व्यापार नीति संबंधी: इसमें निर्यात लाभ योजनाओं के लिए विदेशी विनिमय का मानदंड 'सकल' के बजाए 'कुल' होना चाहिए। कर कानूनों में ऐसे बदलावों की जरूरत है, जैसे:

(i) रॉयल्टी की परिभाषा में संशोधन हो जिसमें किसी भी माध्यम से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के लिए भुगतान के अधिकार को शामिल किया जाए।

(ii) रिफंड में देरी से निपटने के लिए कर प्रशासनिक उपाय।

(iii) विदेशी पर्यटकों के लिए वैट (मूल्य संवर्द्धित कर) वापसी का प्रस्ताव, और;

(iv) सेवा में निर्यात संवर्द्धन लाभ का फायदा उठाने के लिए पिछले प्रदर्शन के आधार पर बैंक गारंटी के मुद्दे पर चर्चा करना।

क्षेत्रवार मुद्दे (Sectoral Issues)

सेवा क्षेत्र में क्षेत्र विशेष से जुड़ी नीतिगत बाधाएं भी मौजूद हैं। सामान्य मुद्दों के साथ मिलकर क्षेत्र विशेष की ये नीतिगत बाधाएं इस क्षेत्र को उसकी वास्तविक क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं करने देतीं। ऐसी कुछ प्रमुख बाधाओं को निम्नलिखित बिंदुओं में रेखांकित किया गया है:

10. H.A.C. Prasad, R. Sathish, and Salam Shyamsunder Singh (2014), working paper 1/2014-DEA on 'Emerging Global Economic Situation: Opportunities and Policy Issues for Services Sector' and updates from some ministries and institutions, as quoted in, Ministry of Finance, ***Economic Survey 2013–14*** (New Delhi: Government of India, 2017), p. 190.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र: विश्व पर्यटन से जुड़े नवीनतम आंकड़ों की बात करें तो कई कारणों से भारतीय पर्यटन पर्यटकों को आकर्षित करने को लेकर पर्याप्त तौर पर प्रतिस्पर्द्धी नहीं है। इसकी वजह निम्नलिखित हैं:

(i) साल 2012 में दुनिया भर के पर्यटकों की आवक में भारत की हिस्सेदारी 0.64 फीसदी (41वां नंबर) थी, जबकि 6.47 फीसदी के साथ अमेरिका दूसरे और 5.57 फीसदी के साथ चीन तीसरे पायदान पर था।

(ii) विश्व पर्यटन लागत में भारत का शेयर 1.65 फीसदी या 16वें नंबर के साथ अपेक्षाकृत ऊंचा है। यानी विदेशी पर्यटक भारत में तुलनात्मक रूप से ज्यादा खर्च करते हैं।

(iii) एक छोटे से देश सिंगापुर में साल 2012 में एक करोड़ 11 लाख पर्यटक पहुंचे जबकि भारत जैसा बड़ा देश 2013 के दौरान सिर्फ 69.7 लाख पर्यटकों को ही आकर्षित कर सका।

2014-15 के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक इस क्षेत्र के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार हैं:

(i) विश्वस्तरीय आधारभूत पर्यटन ढांचा तैयार करना, भले ही पीपीपी मॉडल के जरिये।

(ii) कई स्तरों पर टैक्स के मुद्दे का समाधान हो।

(iii) पर्यटकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर युवाओं में कौशल विकास और तौर-तरीकों पर ध्यान दिया जाए।

(iv) पर्यटकों की सुरक्षा और पर्यटक स्थलों की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान।

(v) मनरेगा का इस्तेमाल पर्यटन के लिए आधारभूत ढांचों और सुविधाओं जैसी स्थायी चीजों के विकास के लिए किया जाए।

(vi) प्रमुख पर्यटक स्थलों पर दैनिक आधार पर लघु भारत सांस्कृतिक आयोजन किया जाए, इससे न सिर्फ पर्यटक आकर्षित होंगे बल्कि भारतीय कलाकारों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

(vii) 8 'पूर्व संदर्भों' को छोड़कर 180 देशों के लिए 9 प्रमुख हवाई अड्डों पर वीजा ऑन अराइवल और ई-वीजा सुविधा को तत्काल लागू किया जाए (इस बारे में फैसला पहले ही लिया जा चुका है)।

पत्तन सेवाएँ: भारत में आवश्यक ड्राफ्ट से युक्त विश्व स्तरीय पत्तन नहीं है। परिणामस्वरूप अत्याधुनिक जहाज पोताश्रय में दाखिल नहीं हो पाते हैं और माल को बाहर ही छोटे जहाजों में उतारना पड़ता है, जिससे लागत में बढ़ोतरी हो जाती है। भारत ने विमान पत्तन अवसंरचना विकसित करने में और मेट्रो लाइन बिछाने में बहुत तरक्की की है:

(i) विश्व-स्तरीय सेवाएँ प्रदान करने वाले विश्व स्तरीय पत्तन निर्मित करने पर तत्काल ध्यान देना चाहिए जिससे लागत में और पत्तनों पर वापस जाने के समय (टर्न अराउंड) में कमी लाकर व्यापार क्षेत्र को भी मदद मिलेगी। भारत में अनेक पत्तन प्रभारों जैसे दूसरे मुद्दे भी हैं।

(ii) भारत के पत्तन प्रभार अनेक विकसित देशों के प्रभारों की तुलना में काफी अधिक हैं।

नौवहन, जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत: भारत के बाहर से आने वाले कार्गो से भारतीय जहाजों को मिलने वाले मालभाड़े में तेजी से गिरावट आई है और भारतीय जहाज उम्रदराज भी हो रहे हैं। सरकार के स्वामित्व वाले पोत कारखाने, जैसे–विशाखापट्टनम; कम होते ऑर्डरों की समस्या से जूझ रहे हैं। भारत की पोत निर्माण इंडस्ट्री में क्षमता और काबिलियत है लेकिन उसकी कार्य प्रणाली क्षमता से कमतर है। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सुझाव निम्नलिखित हैं:

(i) पुराने जहाजों की जगह नए जहाजों की जरूरत है।

(ii) जहाजों के बेड़े को बढ़ाने की जरूरत है (वैश्विक मंदी की वजह से दाम कम हो रहे हैं)।

(iii) एक विशेष वित्तीय तंत्र के विकास की जरूरत।

(iv) भारत के पोत निर्माण और मरम्मत कारखानों की क्षमता का इस्तेमाल करना और उन्हें बढ़ाना

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(क्योंकि भारत को बहुत-से पुराने जहाजों को बदलने की जरूरत है और दुनिया में बढ़ते शिप रिपेयर बिजनेस में अपना अलग मुकाम बनाना है)।

रेलवे: भारत सरकार रेलवे क्षेत्र की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को छोड़कर रेल परिवहन में एफडीआई की इजाजत नहीं देती। रेलवे में एफडीआई और निजीकरण अगले चरण के बड़े सुधार हो सकते हैं। विश्वस्तरीय रेल आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए रेलवे में एफडीआई की इजाजत दी जाए। इस उद्देश्य से भारतीय रेलवे की तरफ से एक प्रस्ताव की पहल की गई है, जिससे मौजूदा एफडीआई पॉलिसी में जरूरी बदलाव किए जा सकें। इस प्रस्ताव में निम्नलिखित बातों पर गौर किया गया है:

(i) रेलवे संचालन को छोड़कर रेल क्षेत्र के सभी सेक्टरों में एफडीआई की इजाजत दी जाए।

(ii) रेलवे संचालन में भी, उपनगरीय कॉरीडोर, हाईस्पीड ट्रेन सिस्टम, और डेडिकेटेड फ्रेट लाइंस के पीपीपी प्रोजेक्ट्स में एफडीआई का प्रस्ताव है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 के मुताबिक जापान जैसे कुछ देशों में जहां रेलवे का निजीकरण सफल रहा है वहीं ब्रिटेन जैसे कुछ दूसरे देशों में ये विफल रहा। ऐसे में इस प्रस्ताव पर जल्दी से सावधानीपूर्वक निरीक्षण की जरूरत है, जिससे निजीकरण को लागू किया जा सके और जिन क्षेत्रों में संभव हो वहां एफडीआई की इजाजत दी जा सके।

भविष्य की रूपरेखा (OUTLINING FUTURE)

असीमित अवसरों के साथ, सेवा क्षेत्र किसी अथाह समुद्र की तरह है। अभी भी भारत इसकी क्षमताओं का भरपूर दोहन नहीं कर पाया है। राह की रुकावटों को हटाने की नीति लक्षित है और संभावित सेवाएं उच्च सेवा वृद्धि एवं सेवा निर्यात के रूप में भारी मुनाफे में परिणित हो सकती हैं। यह आर्थिक विकास की गति को रफ्तार प्रदान करने में मददगार साबित हो सकता है। इस क्षेत्र में भावी कदम की रूपरेखा निम्नलिखित प्रकार से तैयार की जा सकती है[11]:

(i) भारत का सेवा क्षेत्र, जो वैश्विक आर्थिक मंदी से विश्व अर्थव्यवस्था के उबरने के बाद लचीला विकास प्रदर्शित कर चुका है और हाल के दिनों में शांत प्रदर्शन कर रहा है। रफ्तार धीमी होने के बावजूद, इस क्षेत्र के कई खंडों में उज्ज्वल भविष्य की उम्मीदें अभी भी कायम हैं।

(ii) भविष्य में, सरकार निम्नलिखित प्रेरक से व्यवस्था संबंधी सेवा उपलब्ध कराने पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी, ऐसी उम्मीद की जाती है:

(a) बुनियादी संरचना का विकास;

(b) अनुकूल नियामक नीतियां, जैसे–प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी मानकों का उदारीकरण;

(c) व्यवस्था संबंधी सेवा उपलब्ध कराने वाले सेवा प्रदाताओं की संख्या में बढोतरी;

(d) थर्ड पार्टी सेवा प्रदाताओं को व्यवस्था संबंधी सेवा प्रदान करने वाले सेवा प्रदाताओं की आउटसोर्सिंग का बढ़ता चलन, तथा;

(e) वैश्विक खिलाड़ियों का प्रवेश।

(iii) *नौवहन (शिपिंग)* सेवा अभी मंथर गति से चल रही है। कच्चे तेल की कम कीमत का फायदा उठाने के लिए पेट्रोलियम, तेल एवं लुब्रिकेंट का भंडार इकट्ठा करने के लिए इसके आयात में बढोतरी, निर्यात का कंटेनरीकरण और कार्गो का आयात, निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ पत्तनों (बंदरगाहों) का आधुनिकीकरण, नौवहन (शिपिंग) एवं बंदरगाह सेवा क्षेत्र की बेहतरी की उम्मीद की जा रही है।

(iv) भारतीय ***विमानन सेवा*** की संभावना बेहतर नजर आ रही है। एक नजर:

11. Ministry of Finance, ***Economic Survey 2015–16, Economic Survery 2016-17*** and ***Economic Survey 2017–18.***

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(a) विमान के ईंधन की कीमत में गिरावट आई है। इससे भारत में विमान सेवा के संचालन खर्च में 40 प्रतिशत की कमी आई है।

(b) नागरिकविमानन के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीतियों का उदारीकरण।

(c) निकट भविष्य में यात्री ट्रैफिक में तेज वृद्धि जारी रहने की उम्मीद।

(v) ***खुदरा उद्योग*** के लिए संभावनाएं हमेशा सकारात्मक रही हैं क्योंकि भारत अभी भी लंबी अवधि तक खुदरा उद्योग की स्थापना के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और ऐसा इस क्षेत्र की राह में रुकावटें डालती रहीं। तमाम चुनौतियों के बावजूद है।

इस क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए निम्नलिखित पहल की उम्मीद की जाती है:

(a) तकनीकी एवं स्टार्ट-अप क्षेत्र में 1000 करोड रुपये का विनियोजन।

(b) रुपे डेबिट कार्ड (RUPay debit cards) के माध्यम से नकदी रहित (कैशलेस) लेनदेन को बढ़ावा।

(c) ई-वाणिज्य का विकास।

(vi) ***पर्यटन क्षेत्र*** पर सरकार के ध्यान संकेंद्रण, जिसमें ई-टीवी के जरिये वीजा का सरलीकरण एवं पर्यटन के विकास लिए जरूरी आधारभूत संरचना शामिल है, से पर्यटन क्षेत्र के अच्छे दिन वापस आ सकते हैं।

(vii) वैश्विक बाजार में चुनौतियों के बावजूद, भारतीय ***सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग*** (आईटी इंडस्ट्री) दो अंकों में या इसके सन्निकट वृद्धि दर की उम्मीद कर रहा है क्योंकि भारत इस उद्योग के विभिन्न अंगों, यथा–आईटी सर्विस, बीपीएम, ईआर एंड डी, इंटरनेट एवं मोबिलिटी और सॉफ्टवेयर उत्पादों को तमाम सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है।

(viii) ***टेलीकॉम*** के क्षेत्र में 4-जी की शुरूआत खेल का रुख बदलने वाला साबित हो सकता है। फाइबर ऑप्टिक्स संयोजन के शामिल किए जाने से संपर्क सुविधा ज्यादा बेहतर और व्यापक हो सकता है। सरकार के सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रम में बैंडविड्थ के साथ मोबाइल का व्यापक इस्तेमाल इस तेजी से बढ़ रहे क्षेत्र को तेज रफ्तार प्रदान कर सकता है।

फरवरी 2016 में वित्त मंत्रालय की कार्य योजना द्वारा कई प्रासंगिक एवं समकालीन सुझाव दिए गए। इसके अंतर्गत पर्यटन, नौवहन एवं बंदरगाह, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सॉफ्टवेयर जैसे क्षेत्रों के संबंध में जिक्र करते हुए गहन एवं प्रभावी सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं।[12]

आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार, पिछले वर्ष की तुलना में 2017-18 में सेवाओं के निष्पादन में सुधार का अनुमान है। इस बेहतरी का संकेत निक्केई/आई.एच.एस. मार्किट सर्विसेज (Nikkei/IHS Market Servies) के परर्चेसिंग मैनेजरर्स इंडेक्स (Purchasing Manager's Index) से भी मिलता है, जो दिसंबर 2017 में 50.9 था (नवंबर 2017 के 48.5 की तुलना में)। कई सेवाओं, यथा–पर्यटन, उड्डयन एवं दूरसंचार में अच्छे तेजी का अनुमान है। सेवाओं के विदेश व्यापार (निर्यात) में भी वृद्धि का अनुमान है क्योंकि कई वर्षों के उपरांत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात धनात्मक हुआ है। वैसे वाणिज्यिक एवं सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात के समक्ष वैश्विक अनिश्चितताओं की चुनौतियां होंगी (कई देशों के व्यापारिक नीतियों के संरक्षणवादी होने से)।

12. A working paper by H.A.C. Prasad and S.S. Singh: **'India's Services Sector: Performance, Some Issues and Suggestions'**, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance (New Delhi: Government of India, 2016).

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

अध्याय 11

भारतीय वित्त बाजार (INDIAN FINANCIAL MARKET)

*शुमपीटर के इस अनुमान की पुष्टि के लिए अब काफी आनुभविक शोध मौजूद हैं कि वित्तीय विकास वास्तविक आर्थिक वृद्धि में सहायता करता है। इस कारण वित्तीय बाजारों की गहराई और विविध उत्पादों की उपलब्धता को केवल सजावट के तौर पर नहीं माना जाना चाहिए बल्कि इन्हें समावेशी वृद्धि के महत्वपूर्ण तत्वों के तौर पर लेना चाहिए।**

इस अध्याय में

- ❑ परिभाषा
- ❑ भारतीय मुद्रा बाजार
- ❑ म्युचुअल फंड
- ❑ डिस्काउंट एण्ड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया
- ❑ भारतीय पूंजी बाजार
- ❑ वित्तीय विनियमन

** जैसा आर्थिक सर्वेक्षण 2011-12 (वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पेज 40) ने ऑस्ट्रेलियाई अर्थशास्त्री जोसफ ए. शुमपीटर (1883-1950) का एक अर्थव्यवस्था में वित्तीय बाजार के महत्व पर जोर देने के लिए संदर्भ दिया है।*

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

परिभाषा (Introduction)

किसी अर्थव्यवस्था में अल्प व अतिरिक्त मुद्रा वाले व्यक्तियों या समूहों के बीच जहां लेन-देन हो उसे वित्तीय बाजार[1] कहते हैं। इस लेन-देन का आधार या तो ब्याज है या फिर लाभांश। अर्थव्यवस्था में इस बाजार के संगठित (संस्थागत) और गैर-संगठित (अनियमित/गैर-संस्थागत) दोनों प्रारूप हो सकते हैं।

आज हर अर्थव्यवस्था के वित्तीय बाजार में दो अलग-अलग भाग होते हैं–*पहला* वह है जहां अल्पावधिक कोष की जरूरतों की पूर्ति की जाती है, जबकि *दूसरे* भाग में दीर्घावधिक कोष[2] की जरूरत पूरी होती है। अल्पावधिक वित्तीय बाजार को मुद्रा बाजार, जबकि दीर्घावधिक वित्तीय बाजार को पूंजी बाजार कहा जाता है। मुद्रा बाजार 364 दिनों (अल्पावधिक) तक के लिए और पूंजी बाजार 364 से ज्यादा दिनों (दीर्घावधिक)[3] तक के लिए कोषों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

भारतीय मुद्रा बाजार (Indian Money Market)

मुद्रा बाजार किसी अर्थव्यवस्था का एक अल्पावधिक वित्तीय बाजार होता है। इस बाजार में मुद्रा का विनिमय व्यक्तियों या समूहों (वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार, कंपनियां आदि) के बीच होता है, जो या तो अल्पमुद्रा या अतिरिक्त मुद्रा वाले हो सकते हैं। इसमें कटौती/छूट दर के आधार पर किया जाता है जो बाजार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और दिन-प्रतिदिन के व्यापार[4] में नकदी की उपलब्धता व मांग द्वारा निर्देशित होते हैं। वर्तमान छूट की दर उस समय की नीतिगत ब्याज दर (रेपो रेट जो भारतीय रिजर्व बैंक तय करता है) से निर्धारित होती है। बाजार में उधार की प्रक्रिया को व्यापारियों का समर्थन मिल भी सकता है या नहीं भी। मुद्रा बाजार में वित्तीय संपदा, जिसको आसानी से मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है और जिसमें कम-से-कम लेन-देन की लागत लगती है, का भी व्यापार[5] किया जा सकता है। अल्पमुद्रा व अतिरिक्त मुद्रा वाले पक्षों के बीच अल्पावधि के लिए लेन-देन की प्रक्रिया को मुद्रा बाजार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

भारत में संगठित व असंगठित प्रणालियों से बाजार संचालित होता है। व्यक्ति से व्यक्ति के बीच शुरू होकर यह टेलीफोन पर लेन-देन में परिवर्तित हो गया। इसके बाद इंटरनेट व सूचना प्रौद्योगिकी के युग में यह ऑनलाइन हो गया। बाजार में लेन-देन बिचौलियों के द्वारा (जिन्हें दलालों के रूप में जाना जाता है) या सीधे व्यापारिक पक्षों के बीच हो सकता है।

मुद्रा बाजार की आवश्यकता: किसी भी आर्थिक प्रणाली की सर्वाधिक जरूरी आवश्यकता आय (अर्थात् वृद्धि) है। आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादक संपत्तियों का निर्माण आसान कार्य नहीं है क्योंकि इसके लिए दीर्घकालिक प्रकृति की निवेश योग्य पूंजी की आवश्यकता होती है। दीर्घकालिक पूंजी को ऋणों, कॉरपोरेट बॉण्ड्स, डिबेंचर अथवा शेयरों (अर्थात् पूंजी बाजार से) के माध्यम से जुटाया जा सकता है। लेकिन एक बार उत्पादक संपत्ति बन जाने और उत्पादन शुरू होने पर दूसरी तरह की पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, कार्यशील पूंजी की प्रतिदिन की कमी को पूरा करने के लिए। इसका अर्थ है कि केवल कंपनियों की स्थापना मात्र से उत्पादन की गारंटी नहीं होती

1. Based on the discussion in P.A. Samuelson and W.D. Nordhaus, Economics (New Delhi: Tata McGrawHill, 2005), pp. 543–45.
2. Based on J.E. Stiglitz and C.E. Walsh, Economics (New York: W.W. Norton & Campany, 2006), pp. 612–14.
3. See Reserve Bank of India, Report on Currency and Finance (New Delhi: Government of India, multiple years).
4. In the capital market, money is traded on interest rate as well as on dividends. Long-term loans are raised on well-defined interest rates, while long-term capital is raised on dividends through the sale of shares.
5. Such financial assets are known as 'close substitutes for money'.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

क्योंकि इन कंपनियों को प्रतिदिन की उत्पादन प्रक्रिया में कोष विसंगति (cash mismatch) का सामना करना पड़ता है। ऐसे कोष की आवश्यकता केवल लघु अवधि (दिनों, पाक्षिकों अथवा कुछ महीनों) के लिए होती है और इनकी जरूरत कार्यशील पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए पड़ती है। इसके लिए वित्तीय बाजार के विभिन्न खण्डों के निर्माण की आवश्यकता होती है जो उद्यमों के लिए ऐसे कोष की लघुकालिक आवश्यकता की पूर्ति कर सकें, इन्हें मुद्रा बाजार अथवा कार्यशील पूंजी बाजार के नाम से जाना जाता है। लघुकालिक अवधि को 364 दिनों तक की अवधि के लिए परिभाषित किया जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा बाजार, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस तथ्य से सिद्ध होता है कि यदि केवल कुछ लाख अथवा करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी समय पर नहीं मिलती है तो इससे कोई फर्म अथवा व्यवसायिक उद्यम बंद होने की स्थिति में पहुंच सकता है। यदि बंदी की स्थिति आती है, तो फर्म अपने भुगतानों में असफल हो सकती है, अपनी पुरानी ऋण-विश्वसनीयता खो देती है और इससे आर्थिक प्रणाली में नकारात्मकता की एक शृंखला बन जाती है। यही कारण है कि एक मजबूत और उन्नत मुद्रा बाजार की उपलब्धता प्रत्येक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है, जिसकी व्यापक भौगोलिक उपस्थिति है। यही कारण है कि यह आज इंटरनेट आधारित है। भारत में संगठित प्रकृति का मुद्रा बाजार मात्र तीन दशक पुराना है। यद्यपि यहाँ इसकी उपस्थिति मौजूद है, लेकिन यह केवल सरकार से प्रतिबंधित है। आज, भारत में मुद्रा बाजार कोई एकीकृत इकाई नहीं है और इसके दो घटक हैं-असंगठित मुद्रा बाजार और संगठित मुद्रा बाजार।

भारत में मुद्रा बाजार: भारत में संगठित मुद्रा बाजार लगभग तीन दशक पुराना है। हालांकि इसकी उपस्थिति पहले भी रही है, लेकिन वह सिर्फ सरकार[6] तक ही सीमित थी। चक्रवर्ती कमेटी (1985) ने पहली बार देश[7] में संगठित मुद्रा बाजार की आवश्यकता पर जोर दिया और वाधुल कमेटी (1987) ने इसके विकास[8] का खाका तैयार किया। आज भारत में मुद्रा बाजार एक एकीकृत इकाई नहीं है और यह दो भागों-असंगठित व संगठित मुद्रा बाजार में बंट गया है:

1. असंगठित मुद्रा बाजार (Unorganised Money Market)

भारत में सरकार द्वारा मुद्रा बाजार का संगठित विकास शुरू करने से पहले से ही प्राचीन काल से इसके अंसगठित रूप का अस्तित्व रहा है। इसके अवशेष अभी भी देश में मौजूद हैं। संगठित मुद्रा बाजार की भांति उनकी गतिविधियां विनियमित नहीं हैं लेकिन उन्हें सरकार से मान्यता प्राप्त है। हाल के वर्षों में, उनमें से कुछ विनियमित संगठित बाजार के अंतर्गत शामिल हुए हैं। उदाहरण के लिए, एन.बी.एफ.सी. को 1997 के आर.बी.आई के विनियामक नियंत्रण के अधीन लाया गया था। भारत में असंगठित मुद्रा बाजार को तीन अलग-अलग श्रेणियों में बांटा जा सकता है:

(i) **अविनियमित गैर-बैंकिंग वित्तीय बिचौलिए:** अविनियमित गैर-बैंकिंग वित्तीय बिचौलिए चिटफंड, निधियों (दक्षिण भारत में संचालित, जो केवल अपने सदस्यों को उधार देते हैं) और ऋण प्रदाता कंपनियों के रूप में काम करते हैं। वे बहुत अधिक ब्याज लेते हैं (अर्थात 36 से 48 प्रतिशत प्रतिवर्ष, इस प्रकार, वे शोषक प्रकृति के होते है और अर्थव्यवस्था में इनकी पहुंच सीमित है।

(ii) **देशी बैंकर:** देशी बैंकर किसी व्यक्ति अथवा किसी निजी कंपनी के रूप में जमा स्वीकारते हैं और धन उधार देते हैं। मूल रूप से देश

6. The only instrument of the money market was the Treasury Bills, which were sold by tender at weekly auctions upto 1965. But later these bills were made available throughout the week at discount rates by the Reserve Bank of India.

7. Sukhomoy Chakravarthy, Review of the Working of the Monetary System (New Delhi: Reserve Bank of India, 1985).

8. M. Vaghul, Working Group on Money Market (New Delhi: Reserve Bank of India, 1987). The committee was set up in 1986, and came to be known as the Vaghul Committee.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

में चार ऐसे बैंकर हैं जो गैर-सजातीय समूहों के रूप में कार्य कर रहे हैं:

(a) *गुजराती श्रॉफ:* ये मुंबई, कोलकाता के साथ-साथ क्षेत्र के औद्योगिक, व्यापारिक और पत्तन शहरों में कार्यरत हैं।

(b) *मुल्तानी अथवा शिकारपुरी श्रॉफ:* ये मुंबई, कोलकाता, असम के चाय बागानों और उत्तर-पूर्वी भारत में कार्यरत हैं।

(c) *मारवाड़ी कायस:* ये मुख्य रूप से गुजरात में कार्यरत हैं साथ ही मुंबई और कोलकाता में भी इनकी थोड़ी-सी उपस्थिति है।

(d) *चोट्टियार:* ये चेन्नई में और दक्षिणी भारत के पतनों पर कार्यरत हैं।

(iii) **साहूकार:** ये भारत में मुद्रा बाजार का सबसे स्थानीय रूप है और ये सर्वाधिक शोषक तरीके से काम करते हैं। इनके दो प्रकार हैं:

(a) *पेशेवर साहूकार* जो अपने स्वयं के धन को एक पेशे के रूप में उधार देकर उसके ब्याज के माध्यम से आय अर्जित करते हैं।

(b) *गैर-पेशेवर साहूकार*, जो व्यापारी भी हो सकते हैं, जो अपना धन उधार देकर उससे एक सहायक व्यापार के रूप में ब्याज आय अर्जित करते हैं।

वर्तमान में, मुद्रा बाजार के आठ संगठित रूप हैं जिन्हें देश में निर्धारित कंपनियों द्वारा उपयोग किया जाता है लेकिन गैर-संगठित मुद्रा बाजार भी साथ-साथ कार्यरत है-इसके पीछे कतिपय कारण[9] है:

(i) भारतीय मुद्रा बाजार अभी तक अविकसित है।

(ii) संगठित मुद्रा बाजार के साधनों की पहुंच और उपस्थिति की कमी।

(iii) मुद्रा बाजार में ऐसे बहुत-से जरूरतमंद ग्राहक हैं जो वर्तमान में संगठित मुद्रा बाजार के दायरे से बाहर हैं।

(iv) संगठित मुद्रा बाजार में इसके ग्राहकों का प्रवेश अभी भी प्रतिबंधात्मक प्रकृति का है, छोटे व्यापारियों को अनुमति नहीं है।

2. संगठित मुद्रा बाजार (Organised Money Market)

चूंकि सरकार ने भारत में संगठित मुद्रा बाजार को 1980 के मध्य में विकसित करना शुरू किया था, हमने व्यापार और औद्योगिक फर्मों की विभिन्न श्रेणियों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए डिजाइन किए गए कुल आठ साधनों का आगमन देखा है। इन साधनों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

(i) ***ट्रेजरी बिल (Treasury Bills/TBs):*** स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही विद्यमान इस संघटक को 1986 में संगठित किया गया। इस समय 91, 182 तथा 364 दिवसीय TBs प्रचलन में हैं। इनका इस्तेमाल केन्द्र सरकार द्वारा अपनी लघु अवधि की धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है। यह बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को छोटी अवधि का निवेश अवसर भी प्रदान करता है। बैंक इसे अपने SLR के स्तरों को विनियमित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। याद रहे कि ट्रेजरी बिल के पांच प्रकार में होते है, जो इस प्रकार है:

(a) 14-दिन (मध्यस्थ ट्रेजरी बिल)

(b) 14-दिन (नीलामियोग्य ट्रेजरी बिल)

(c) 91-दिन ट्रेजरी बिल

(d) 182-दिन ट्रेजरी बिल

(e) 364-दिन ट्रेजरी बिल

ध्यान रहे कि इन पांच रूपों में से सरकार द्वारा वर्तमान में केवल **91-दिन ट्रेजरी बिल 182-दिन ट्रेजरी बिल और 364 दिन ट्रेजरी**

9. Based on the suggestions of experts belonging to the Indian financial market.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

बिल जारी किये जाते हैं अन्य दो रूप 2001 में समाप्त कर दिए गए।[10]

ट्रेजरी बिल (TBs) सरकार को अल्पावधि मदद करने के साथ बैंक और वित्तीय संस्थानों के लिए अल्पावधि निवेश के रास्ते भी खोलते हैं। इसके अलावा यह बैंकिंग संस्थानों के सीआरआर व एसएलआर की जरूरतों के मुताबिक भी काम करता है।

(ii) ***जमा प्रमाण पत्र (Certificate of Deposit/ CD)***: वर्ष 1989 में प्रचलन में आने वाले इस मुद्रा बाजार संघटक का उपयोग भारत के बैंकों द्वारा अपनी तात्कालिक धन की कमी की पूर्ति के लिए किया जाता है। बैंक इसे अपने ग्राहकों को अधिसूचित अवधि के लिए जारी करते हैं। यह 'नेगोशिएबल' (negotiable) और बाजार में 'ट्रेडेबल' (tradable) भी है। वर्ष 1993 में RBI द्वारा अखिल भारतीय वित्त संस्थानों (AIFIs) को भी इसके इस्तेमाल की अनुमति दी गयी। इन संस्थानों द्वारा जारी की गई CDs की परिपक्वता अवधि एक वर्ष से तीन वर्षों तक की होती है। वहीं बैंक इसे 364 दिनों तक के लिए जारी करते हैं।

(iii) ***वाणिज्यिक पत्र (Commercial Paper/CP)***: वर्ष 1990 में संगठित मुद्रा बाजार के इस घटक का उपयोग भारतीय संगठित क्षेत्र (Corporate Sector) द्वारा किया जाता है। उसी फर्म द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है जो स्टॉक एक्सचेंज में 'सूचीबद्ध' (Listed) हो तथा जिसकी कार्यकारी पूँजी (Working Capital) 5 करोड़ रु. से कम न हो। इसे जारी करने वाली कंपनियों को RBI द्वारा मान्यता प्राप्त किसी साख श्रेणी एजेंसी (Credit Rating Agency) से साख प्रमाण-पत्र लेना अनिवार्य है।

(iv) ***वाणिज्यिक बिल (Commercial Bill/ CB)***: मुद्रा बाजार के इस घटक को सरकार द्वारा 1990 में प्रचलन में लाया गया। इस घटक का इस्तेमाल अखिल भारतीय वित्त संस्थानों (AIFIs), गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (NBFCs), अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs), मर्चेंट बैंकों (Merchant Banks), सहकारी बैंकों तथा म्युचुअल फण्ड कंपनियों द्वारा किया जाता हैं। इसके प्रचलन के साथ ही वर्ष 1952 से भारत में प्रचलित 'बिल बाजार' (Bill Market) निरस्त कर दिया गया।

(v) ***कॉल मुद्रा बाजार (Call Money Market/ CMM/Call Market)***: यह एक 'अंतर-बैंक' (inter-bank) मुद्रा बाजार है, जिसका परिचालन RBI के राष्ट्रीयकरण के उपरांत निखरा। साधारणतया इस बाजार में एक-दिवसीय धन का लेन-देन होता है जिसे 'एक रात का उधार' (overnight borrowing) या फिर 'मनी ऍट कॉल' (money at call) कहा जाता है। इस बाजार से अधिकतम 14 दिनों तक भी उधार लिया जाता है, जिसे 'शॉर्ट नोटिस' (Short Notice) कहा जाता है। इस बाजार से उधार प्रतिभूतियों अथवा बिना प्रतिभूतियों[11] के लिए भी लिया जा सकता है। इस बाजार से समान्यतया तीन दिनों तक की ही धन की व्यवस्था की जाती है (अन्यथा यह महँगा हो जाता है)। ब्याज की दर अवधि बढ़ने से बढ़ती है।

10. Ministry of Finance, Economic Survey 2001–02 (New Delhi: Government of India, 2002); Ministry of Finance, Economic Survey 2009–10 (New Delhi: Government of India, 2010).

11. The State Bank of India (operates in this market as lender as it is in a comfortable cash position) lends against government securities, while others lend against the 'deposit receipts' of the borrowing banks. The SBI functions as the 'lender of intermediate resort' (while the RBI functions as the 'lender of last resort').

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

जहां अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एवं सहकारी बैंक इस बाजार में ऋण आवंटित करने के साथ-साथ इससे ऋण लेते भी हैं वहीं LIC, GIC, UTI, IDBI तथा NABARD इस बाजार में केवल ऋण आवंटनकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। इस बाजार के ऋण के ब्याज दर का आधार वैसे RBI द्वारा घोषित 'रेपो दर' (Repo Rate) होता है वास्तव में यह ऊपर नीचे होता रहता है (इसका कारण है इस बाजार में धन की मांग और इसकी आपूर्ति में होने वाला उतार-चढ़ाव)।

(vi) ***मुद्रा बाजार म्युचुअल फंड (Money Market Mutual Fund)***: इसका लोकप्रिय नाम सिर्फ 'म्युचुअल फण्ड' (MF) है। इसे सरकार द्वारा वर्ष 1992 में 'वैयक्तिक' लघु-अवधि निवेश के उद्देश्य से प्रचलित किया गया था। इसके माध्यम से शेयर एवं प्रतिभूति बाजार के संबंध में विशेषीकृत ज्ञान न रखने के बावजूद भी आम आदमी को इस क्षेत्र में निवेश करके लाभ कमाने का अवसर प्राप्त होता है। प्रारंभ में सिर्फ कुछ सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंकों तथा UTI को ही इसमें प्रवेश की अनुमति थी, लेकिन इसके नियम कानून को कई बार संशोधित किया गया तथा आज इसमें निजी क्षेत्र के लब्ध-प्रतिष्ठित तथा बेहतर वित्तीय स्थिति एवं साख वाले बैंकों, वित्तीय संस्थानों, कंपनियों को भी प्रवेश की अनुमति है। मार्च 2000 के बाद इसके नियमन का जिम्मा RBI के साथ-साथ SEBI को भी दिया गया। वर्तमान समय में देश में 42 म्युचुअल फण्ड कंपनियों द्वारा 20.4 लाख करोड़ रु. से भी अधिक कोष का प्रबंधन किया जा रहा है *(मार्च 2018)*।

(vii) ***रेपो एवं प्रतिवर्ती रेपो (Repos and Reverse Repos)***: 'रेपो' एवं 'प्रतिवर्ती रेपो' भारतीय मुद्रा बाजार के सबसे गतिज संघटक हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा वर्ष 1992 में 'रेपो' को तथा वर्ष 1996 में 'प्रतिवर्ती रेपो' को परिचालित किया गया। मुद्रा बाजार के इन संघटकों का उपयोग वे सभी निकाय कर सकते हैं, जो मुद्रा बाजार के किसी भी अन्य संघटकों का इस्तेमाल करते हैं (कोई इसमें वैयक्तिक स्तर पर कार्य नहीं कर सकता)। यह आज काफी प्रचलित है, क्योंकि इसके ब्याज दर अन्य संघटकों से अपेक्षाकृत कम बने रहते हैं।

रेपो के अंतर्गत बैंक और संस्थान RBI से छोटी अवधि का उधार लेते हैं। इसी प्रकार प्रतिवर्ती रेपो के अंतर्गत बैंक एवं संस्थान RBI को छोटी अवधि का ऋण देती हैं (RBI से सरकारी प्रतिभूति की खरीद करते हैं)। रेपो एवं प्रतिवर्ती रेपो के ब्याज दरों की घोषणा RBI द्वारा की जाती है। रिवर्स रेपो में बैंक और वित्तीय संस्थान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदते हैं (वास्तव में यहां आरबीआई बैंक व वित्तीय संस्थानों से उधार लेता है)। सभी सरकारी प्रतिभूतियों पर तारीख डाली जाती है और आरबीआई समय-समय पर रेपो या रिवर्स रेपो लेन-देन के लिए ब्याज दर की घोषणा करता है। रेपो और रिवर्स रेपो के प्रावधान अर्थव्यवस्था में नकदी की समानता को बनाए रखते हैं जिससे बैंक अपनी जरूरत के मुताबिक राशि निकाल सकते हैं और अतिरिक्त निष्क्रिय धन राशि को जमा रख सकते हैं। हाल के वर्षों[12] में ये प्रावधान मौद्रिक व ऋण नीति प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले साधन के रूप में उभरे हैं।

अर्जित पटेल समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2014 (प्रथम द्विमासिक ऋण व मुद्रा नीति

12. Reserve Bank of India, Report on Currency and Finance (New Delhi: Government of India, 1999); Reserve Bank of India, Report on Currency and Finance (New Delhi: Government of India, 2000).

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

2014-15 की घोषणा करते हुए) में मियादी रेपो और मियादी रिवर्स रेपो को लागू करने की घोषणा की। इससे ऐसा माना गया कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न ऋण बाजार में ज्यादा स्थिरता आ सकती है और बेहतर ब्याज दर मिल सकते हैं।

(viii) ***नकद प्रबंधन बिल (Cash Management Bill/CMB)***: अगस्त 2009 में सरकार द्वारा मुद्रा बाजार के एक नये संघटक नकद प्रबंधन बिल (CMB) की घोषणा की गयी। इसकी घोषणा केन्द्र सरकार की तात्कालिक धन की कमी को पूरा करने के लिए की गयी थी। वर्ष 2010-11 में इसका परिचालन आरंभ हो गया। CMB मुद्रा बाजार का एक गैर-मानक (non-standard) तथा पुनर्कटौती (discount) वाला घटक है जिसे 91 दिनों से कम की परिपक्वता अवधि के लिए जारी किया जाता है।

मुद्रा बाजार की स्थिति विकसित अर्थव्यवस्थाओं में काफी सुदृढ़ और प्रखर है। भारत का मुद्रा बाजार इनकी तरह अभी नहीं है, लेकिन विकासशील देशों में इसे अग्रणी माना जाता है। सरकार इस बाजार के महत्व को ध्यान में रखकर इसके विकास के प्रति सदैव सजग है।

सी.एम.बी. ट्रेजरी बिल के जेनेटिक चरित्र के होते हैं (फेस वैल्यू की छूट पर जारी); व्यापार योग्य होते हैं और 'रेडी फॉरवर्ड फेसिलिटी' के लायक होते हैं। इनमें निवेश करना बैंकों द्वारा एल.एल.आर. हेतु सरकारी प्रतिभूतियों में एक योग्य निवेश समझा जाता है। यहां यह नोट किया जाना चाहिए कि मौजूदा ट्रेजरी बिल उसी उद्देश्य की पूर्ति करते हैं लेकिन उन्हें भारत सरकार द्वारा 1997 में डब्ल्यू.एम.ए. (अर्थोपाय अग्रिम) के प्रावधानों के अंतर्गत रखा गया था, ये सरकार के लिए भारत में अपनी इच्छा से धन की लघुकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक विवेकाधीन मार्ग नहीं रह गए हैं।

म्युचुअल फंड (MUTUTAL FUNDS)

सभी निवेश विकल्पों में से म्युचुअल फंड को दीर्घावधि में पैसा कमाने का सर्वोत्तम साधन माना जाता है। ये कई प्रकार के होते हैं, और जिस तरह की संपत्ति श्रेणी में ये फंड निवेश करते हैं उसी के अनुसार जोखिम भी अलग-अलग तरह के होते हैं जैसा कि नाम से पता चलता है। एक म्युचुअल फंड एक ऐसा फंड है जिसका निर्माण तब होता है जब बड़ी संख्या में निवेशक अपना धन इसमें लगाते हैं और इसका प्रबंधन विभिन्न संपत्ति श्रेणियों-शेयर, बॉण्ड्स, मुद्रा बाजार साधनों, जैसे—कॉल मनी, और अन्य संपत्तियों, जैसे-स्वर्ण और प्रॉपर्टी, में निवेश करने का अनुभव रखने वाले योग्य व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। आमतौर पर उनके नाम से पता चलता है कि कोई फंड किस प्रकार की संपत्ति, जिसे योजना कहते हैं, में निवेश करेगा। उदाहरण के तौर पर कोई डाईवर्सिफाईड इक्विटी फंड' बड़ी संख्या में शेयरों में निवेश करेगा, जबकि कोई 'गिल्ट फंड' मुख्य रूप से फॉर्मास्यूटिकल और संबंधित उद्योगों की कंपनियों के शेयर में निवेश करेगा।

म्युचुअल फंड, सबसे पहले मुद्रा बाजार (आर.बी.आई. द्वारा विनियमित) में आए, लेकिन इन्हें पूंजी बाजार में भी व्यापार करने की छूट है। इसलिए इनके दोहरे विनियामक-आर.बी.आई. और सेबी का प्रावधान हैं। म्युचुअल फंड को अनिवार्य रूप से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के पास पंजीकृत कराना होता है, जो प्रतिरक्षा की पहली पंक्ति के रूप में भी काम करता है। जो यह नहीं समझते कि म्युचुअल फंड कैसे काम करते हैं परंतु निवेश करने के इच्छुक होते हैं, उनके लिए सेबी का यह प्रयास एक बड़ी राहत हैं।

प्रत्येक म्युचुअल फंड को योग्य व्यक्तियों के समूह द्वारा चलाया जाता है जो संपत्ति प्रबंधन कंपनी (एएमसी) नामक कंपनी का गठन करते हैं; और एएमसी का संचालन लोगों के एक दूसरे समूह के निर्देशन के अंतर्गत होता है,

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

जिन्हें ट्रस्टी कहा जाता है। दोनों ए.एम.सी. के लोग और ट्रस्टी की ही न्यासीय जिम्मेदारी होती है क्योंकि ये वे लोग होते हैं जिन्हें उन लोगों के मेहनत से कमाए गए पैसे के प्रबंधन का काम सौंपा जाता है जिन्हें पैसे के प्रबंधन की अधिक समझ नहीं है।

कोई फंड हाउस अथवा फंड हाऊस हेतु कार्यरत कोई वितरक (जो कोई व्यक्ति, कंपनी अथवा एक बैंक भी हो सकता है) म्युचुअल फंड बेचने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। फंड हाउस ऐसी कीमत पर एम.एफ. की 'यूनिट' निदेशक को आवंटित करता है जो सेबी द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया द्वारा निर्धारित की गई हो, जो नेट एसेट वैल्यू (एन.ए.वी) पर आधारित होती है। सरल शब्दों में, एन.ए.वी किसी स्कीम में किए गए निवेश की कुल कीमत को उसी स्कीम में निवेशकों को जारी यूनिटों की कुल संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। तथापि, जब भी कोई फंड हाऊस किसी योजना को पहली बार लाता है तो यूनिट 10 रुपए प्रत्येक की दर से बेची जाती है। म्युचुअल फंड द्वारा तीन प्रकार की योजनाएं जारी की जाती है:

(i) **खुली योजनाएं (ओपन एंडेड स्कीम):** खुली योजना वह होती है जो किसी एम.एफ. से जारी रहने के आधार पर उपलब्ध होती है अर्थात्, कोई भी निवेशक अपनी इच्छा से एन.ए.वी. आधारित मूल्य पर जब चाहे खरीद अथवा बेच सकता है। जब निवेशक किसी विशेष खुली योजना में यूनिटों की खरीद-फरोख्त करते हैं, तो जारी की गई यूनिटों की संख्या भी प्रतिदिन बदलती है और इसी तरह योजना के पोर्टफोलियो की कीमत भी बदलती है इस तरह, एन.ए.वी. भी दैनिक आधार पर बदलते रहते है। भारत में, फंड हाउस किसी विशेष योजना की कितनी भी यूनिट बेच सकते है, परंतु कभी-कभी फंड हाउस कुछ समय के लिए किसी योजना की अतिरिक्त यूनिटों की बिक्री को रोक देते हैं।

(ii) **बदं योजनाएं (क्लोज एंडेड स्कीम):** कोई बंद योजना आमतौर पर निवेशकों को एक बार यूनिट जारी करती है जब वे किसी पेशकश की घोषणा करते है, भारत में इसे न्यू फंड ऑफर (एनएफओ) कहा जाता है तत्पश्चात्, ये यूनिटें स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध की जाती है जहां उनका दैनिक आधार पर व्यापार किया जाता है। चूंकि ये यूनिट सूचीबद्ध होती है, कोई भी निवेशक एक्सचेंज के माध्यम से इन यूनिटों को खरीद और बेच सकता ही जैसा कि नाम से पता चलता है, बंद योजनाओं का प्रबंधन फंड हाउसों द्वारा सीमित वर्षों के लिए किया जाता है और इस अवधि की समाप्ति पर या तो निवेशकों को पैसे लौटा दिये जाते है अथवा योजना को खुली योजना बना दिया जाता है तथापि, सावधानी के लिए आमतौर पर बंद योजनाओं की यूनिट, जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होती है, उनकी अपने एन.ए.वी. पर छूट और ट्रेडिंग मूल्य का अंतर कम हो जाता है और योजना के बंद होने के समय यह अंतर खत्म हो जाता है।

(iii) **एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ):** ई.टी.एफ., खुली और बंद योजनाओं का मिश्रण है। बंद योजनाओं की तरह ई.टी.एफ. स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध और इनमें दैनिक आधार पर व्यापार होता है, लेकिन इनका मूल्य इनके एन.ए.बी अथवा स्वर्ण ई.टी.एफ. जैसी अन्तर्निहित संपत्तियों के बहुत पास होता है।

यदि किसी सुप्रबंधित एमएफ में निवेश किया गया है, तो दीर्घावधि में, जो कि दस वर्ष अथवा अधिक हो सकता है, तो लाभ हानि की अपेक्षा अधिक होते है। निवेशकों के लिए अन्य जोखिम मुक्त निवेशों, यथा–एफ.डी., पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश करने की अपेक्षा इनमें पैसा कमाने की संभावना बहुत अधिक होती है। एम.एफ. में निवेश करने के लाभ है:

(a) पोर्टफोलियो की विभिन्नता,

(b) अच्छी निवेश प्रबंधन सेवाएं,

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(c) तरलता,

(d) सरकार से सहायता प्राप्त सुदृढ़ विनियामक मदद,

(e) पेशेवर सेवा, और;

(f) सभी लाभों हेतु कम लागत।

कोई निवेशक, किसी ऐसे म्युचुअल फंड स्कीम में निवेश कर जिसके पोर्टफोलियो में ब्लू चिप स्टॉक हो, अप्रत्यक्ष रूप से इन स्टॉक से भी परिचित होता है। इसकी तुलना में यदि वही निदेशक इन सभी स्टॉक में से प्रत्येक को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहता है तो खरीदने और पोर्टफोलियो का प्रबंधन करने की लागत कहीं अधिक होगी।

म्युचुअल फंड निवेशकों के धन को ऋण और शेयर बाजार दोनों में ही निवेश करते हैं। एम.एफ. की यूनिट के खरीदारों के पास यह पंसद/विकल्प रहता है कि वे एम. एस. के फंड प्रबंधकों द्वारा उसके पीछे को किस तरीके से निवेशकों के निम्नलिखित विकल्प मिलते हैं:

(i) ऋण (फंड का 100 प्रतिशत ऋण बाजार में निवेश किया जाएगा),

(ii) शेयर (फंड का 100 प्रतिशत शेयर बाजार में निवेश किया जाएगा),

(iii) संतुलित (फंड का 60 प्रतिशत ऋण बाजार में निवेश किया जाएगा जबकि शेष 40 प्रतिशत को शेयर बाजार में बाजार की स्थिति के अनुसार; यह प्रावधान बदलता रहता है, एम.एफ. द्वारा स्पष्ट घोषित)।

अक्तूबर 2017 में सेबी (SEBI) द्वारा म्युचअल फंड योजनाओं को 5 वृहत् श्रेणियों में बांटने की घोषणा की गई ताकि इस क्षेत्र की व्यवस्था (clutter) को सुधारा जा सके तथा निवेशकों को एक जैसी दिखने वाली योजनाओं के बारे में बेहतर तुलनीय सूचना प्राप्त हो सके। अब इनकी 5 श्रेणियां हैं– ऋण योजनाएं, इक्विटी योजनाएं, संकर (hybrid) योजनाएं, समाधान उन्मुख (solution-oriented) योजनाएं तथा अन्य (other) योजनाएं।

प्रत्येक श्रेणी को पुन: वर्गीकृत करके अब देश में कुल 36 अलग-अलग प्रकार के ऐसे फंड हो सकते हैं; यथा– डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड जिनका उद्देश्य होता है उन शेयरों में निवेश करना जहां से अधिकतम लाभांश (dividend) की उगाही की जा सके तथा बैंकिंग एवं पी.एस. यू. डेट फंड, जिनके द्वारा अपने सकल कोष का न्यूनतम 80 प्रतिशत सरकारी कंपनियों या सरकारी बैंकों द्वारा जारी किए गए ऋण पत्रों (debt papers) में निवेश किया जाता है। कोई फंड कंपनी किसी एक श्रेणी में एक से अधिक योजनाएं नहीं शुरू कर सकती ताकि पुनरावृत्ति (duplication) पर रोक लगायी जा सके।

डिस्काउंट एण्ड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया (DISCOUNT AND FINANCE HOUSE OF INDIA–DFHI)

DFHI की स्थापना अप्रैल 1988 में RBI द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों एवं सरकारी वित्तीय निवेश संस्थानों[13] (LIC, GIC तथा UTI) के साथ मिलकर एक संयुक्त उपक्रम के रूप में किया गया। भारतीय वित्तीय क्षेत्र की लंबे समय से महसूस की जा रही द्वैध (dual) जरूरतों की पूर्ति के लिए इसकी स्थापना की गयी:

(i) भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में 'तरलता समतुल्यता' (liquidity equilibrium) बहाल करना तथा

(ii) मुद्रा बाजार के संघटकों को तरलता प्रदान करना (उनकी खरीद करके)।

13. It was in 1979 that the Chore Committee for the first time recommended for a discount house to level the liquidity imbalances in the banking system. The government became active after the recommendations of the Working Group on the Money Market (i.e., the Vaghul Committee, 1987) and finally established DFHI in 1988. The Vaghul Committee suggested to set up a discount finance institution which could deal in short-term money market instruments so that liquidity could be provided to these instruments. The committee also recommended the house to operate on 'commercial basis', which was accepted by the government while setting up DFHI.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

वर्ष 2004 में भारतीय रिजर्व बैंक ने डीएफएचआई में अपने कुल शेयर को भारतीय स्टेट बैंक की कंपनी एसबीआई गिल्ट्स लिमिटेड को स्थानांतरित कर दिया। इसका नया नाम एसबीआई डीएफएचआई है। यह अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक आधार पर सबसे बड़े 'प्राथमिक व्यापारी' के रूप में काम करता है। यह बिना किसी ऊपरी आधार के पूंजी बाजार के सभी कार्य करता है। यह देनदार व लेनदार दोनों रूपों में कार्य करते हुए देश के वित्तीय बाजार को जरूरत के अनुसार तरलता व स्थिरता प्रदान करने का अपना उद्देश्य पूरा करता है।

भारतीय पूंजी बाजार (INDIAN CAPITAL MARKET)

किसी अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक वित्तीय बाजार को पूंजी बाजार कहा जाता है। यह बाजार दीर्घकालिक धन (पूंजी) अर्थात कम-से-कम 365 दिन और अधिक की अवधि के लिए जुटाना संभव बनाता है। बिना सुव्यवस्थित पूंजी बाजार के उत्पादक संपत्तियों का निर्माण संभव नहीं है। विश्व की ज्यादातर अर्थव्यवस्थाओं में औद्योगीकरण होने के बाद बाजार को अधिक महत्व मिला। विश्वभर में बैंक पूंजी बाजार के सर्वप्रथम खंड के रूप में उभरे। आने वाले समय में कई अन्य खंड बीमा उद्योग, म्युचुअल फंड और अंत में सबसे आकर्षक और उन्नतशील प्रतिभूति/स्टॉक बाजार इसमें शामिल हुए। पूंजी बाजार के संगठित विकास के साथ इसके लिए सही विनियामक रूपरेखा बनाना अर्थव्यवस्थाओं के लिए सदैव मुश्किल काम रहा है। आज ऐसा माना जाता है कि किसी अर्थव्यवस्था में विकास की दृढ़ संभावनाओं के लिए एक मजबूत और उन्नतिशील पूंजी बाजार की उपस्थिति होना आवश्यक है।

यद्यपि आज भारत का पूंजी बाजार स्वतंत्रता से ठीक पहले के समय से कहीं अधिक मजबूत और बेहतर है तथापि विकास की प्रक्रिया सरल और सुगम नहीं रही है। भारत के द्वारा 'उद्योग' को अपनी मुख्य संचालन शक्ति चुन लेने के बाद पहली चुनौती औद्योगिक प्रतिष्ठानों और उनके विस्तार के दीर्घकालिक कोष जुटाना था। चूंकि भारत में बैंक कमजोर, छोटे और भौगोलिक रूप से बेतरतीब थे, इसलिए वे ऐसी भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं थे जैसा कि उन्होंने पश्चिमी अर्थव्यवस्था के औद्योगीकरण में निभाई। यही कारण है कि सरकार में 'वित्तीय संस्थान' गठित करने का निर्णय लिया जो कि बैंकों की भूमिका (जब तक बैंक सुदृढ़ और व्यवस्थस्थित हों) निभा सकें और 'परियोजना वित्त पोषण के दायित्वों को ले सकें।

परियोजना वित्त पोषण (Project Financing)

स्वतंत्रता के पश्चात्, भारत ने तीव्र वृद्धि और विकास हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण का रास्ता अपनाया। इसके लिए मुख्य दायित्व सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पी.एस.यू.) को दिया गया था। औद्योगीकरण हेतु हमें पूंजी, तकनीक और श्रम की आवश्यकता थी, और भारत के मामले में इनका प्रबंध करना आदर्शतः कठिन था। पूंजी आवश्यकताओं के लिए, सरकार ने अंतरिक और बाहरी स्रोतों पर निर्भर होने का निर्णय लिया। यद्यपि भारत में बैंक थे, लेकिन कम बचत दर और उनके पास कम जमाओं के कारण नये उद्योगों को उनके द्वारा वित्त पोषित नहीं किया जा सकता था। औद्योगिक विकास हेतु मुख्य ऋण प्राप्तकर्ता पी.एस.यू. थे। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की परियोजनाओं की पूंजी आवश्यकताओं के पूरा करने के लिए आने वाले वर्षों में सरकार ने विभिन्न प्रकार के वित्तीय संस्थान स्थापित किए। इन वित्तीय संस्थानों द्वारा औद्योगिक वित्त पोषण को भारत में 'परियोजना वित्त पोषण' कहा गया। भारतीय पूंजी बाजार में निम्नलिखित नये घटक सामने आये:

A. वित्तीय संस्थान (Financial Institutions)

वित्तीय परियोजनाओं की आवश्यकतानुसार भारत को समय-समय पर वित्तीय संस्थानों की जरूरत पड़ती है, जिन्हें आमतौर पर चार वर्गों में बांटा जा सकता है:[14]

(i) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई)

आईएफसीआई (1948), आईसीआईसीआई (1955), आईडीबीआई (1964), एसआईडीबीआई (1990) और

14. *Industrial Finance Corporation of India Act, 1948*, Government of India, New Delhi.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

आईआईबीआई (1997) सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान हैं। इनमें से आईसीआईसीआई को छोड़ सभी सार्वजनिक उपक्रम थे। इनमें भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थानों से प्रारंभिक पूंजी आई जो एक संयुक्त उपक्रम था। सार्वजनिक उपक्रम के वित्तीय संस्थान भारत सरकार के द्वारा पोषित किए जाते हैं।

1980 के दशक तक भारत के सभी बैंकों ने व्यापक पूंजी आधार हासिल कर लिया था। इसके बाद 1990 के शुरुआती दौर में जब शेयर बाजार लोकप्रिय हुआ तो उद्योग जगत को पूंजी बाजार[15] के इन खंडों से सस्ती पूंजी उठाना आसान हो गया। आर्थिक सुधार के इस दौर में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) ने भी नई पूंजी उठाने के लिए वही विकल्प चुना। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) की ब्याज दर आमतौर पर एक-सी होती थी, जबकि अन्य बैंकों ने सस्ती दर पर उधार देने के लिए सस्ती दर पर जमा लेनी आरंभ कर दी। इससे एआईएफआई का अस्तित्व अप्रसांगिक हो गया। हाल के वर्षों[16] में एआईएफआई में भारी गिरावट दर्ज की गई। संकट के इस दौर में सरकार ने उनको विकास बैंकों[17] में बदलने का निर्णय लिया (नरसिम्हा कमेटी-I द्वारा दिया गया सुझाव) जिन्हें अखिल भारतीय विकास बैंक (एआईडीबी) के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2000 में सरकार ने आईसीआईसीआई को रिवर्स मर्जर (जब एक बड़ा उपक्रम छोटे उपक्रम के साथ विलय करता है) करने की अनुमति दी। आईसीआईसीआई बैंक के साथ प्रथम अखिल भारतीय विकास बैंक का उदय हुआ जिसमें वित्तीय परियोजनाओं का कोई दायित्व नहीं था। एसी संस्थाओं को आने वाले समय में यूनिवर्सल बैंक[18] (उन्हें अपनी इच्छा के मुताबिक बीमा, व्यापार बैंक व म्यूचुअल फंड आदि जैसे वित्तीय संस्थानों के गठन की अनुमति होगी) के तौर पर जाना जाएगा। ठीक इसी तरह वर्ष 2002 में आईडीबीआई का आईडीबीआई बैंक के साथ रिवर्स मर्जर हुआ और दूसरे एआईडीबी का उदय हुआ। लेकिन इस विलय में वित्तीय परियोजनाओं के दायित्वों के निर्वहन की जिम्मेदारी थी।

वर्ष 2002 में सरकार ने आईएफसीआई और आईआईबीआई को राष्ट्रीयकृत बैंक पंजाब नेशनल बैंक के साथ विलय का प्रस्ताव रखा जिससे कि एक बड़े यूनिवर्सल बैंक की स्थापना की जा सके। ऐसा माना जाता है कि पंजाब नेशनल बैंक इस विलय के पक्ष में नहीं था क्योंकि ये वित्तीय संस्थान भारी नुकसान में चल रहे थे। नरसिम्हा समिति-II के प्रस्तावों के हिसाब से यह कदम कुछ हद तक सही था (विलय के लिहाज से भारत की थ्री टियर बैंकिंग संरचना के बाद), लेकिन कुछ इसके खिलाफ थे (कमेटी ने सुझाव दिया था कि कमजोर बैंक/वित्तीय संस्थान का विलय कमजोर या मजबूत बैंकों/वित्तीय संस्थानों[19] के साथ न हो)। वर्तमान में सरकार का प्रयास है कि आईएफसीआई और आईआईबीआई अपनी नीतियों में परिवर्तन करते हुए लाभदायी कंपनियों के रूप में उभरें। वे अपनी बकाया राशियों की वसूली और बहीखातों को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं।

इस दौरान, वर्तमान में सिर्फ चार वित्तीय संस्थान नाबार्ड, सिडबी, एक्जिम बैंक और एनएचबी ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) हैं।

(ii) विशिष्ट वित्तीय संस्थान (एसएफआई)[20]

केंद्रीय सरकार ने औद्योगिक विस्तार के क्षेत्र में वित्तीय जोखिम और नवीनता लाने के लिए 1980 के उत्तरार्द्ध में

15. Ministry of Finance, Economic Survey 2000-01, (New Delhi: Government of India, 2010).
16. Ministry of Finance, Economic Survey 2006-07, (New Delhi: Government of India, 2007).
17. Narasimhan Committee on the Financial System (CFS), 1991 suggested for the conversion of the AIFIs into Development Banks.
18. It was the S. H. Khan Committee on Development Financial Institutions (DFIs), 1998 which forwarded the concept/idea of Universal Banking in India.
19. Ministry of Finance, Economic Survey 2011–12 (New Delhi: Government of India, 2011), pp. 115–16.
20. The write-up is based on information available from SEBI, RBI and different announcements/published reports of the Ministry of Finance, since 1996 onwards.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

दो नए वित्तीय संस्थानों का गठन किया। यह वेंचर कैपिटल फंडिंग के क्षेत्र में भारत का एक प्रयास था:

(a) ***आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड (आईएफसीआई वेंचर), 2000:*** आईएफसीआई लिमिटेड ने 1975 में रिस्क कैपिटल फाउंडेशन (आरसीएफ) के रूप में इसे बढ़ावा दिया। एक ऐसी संस्था जो पेशेवरों और तकनीकी उद्यमियों की प्रथम पीढ़ी को वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि वे रिस्क कैपिटल स्कीम के तहत सरल ऋण लेकर अपना उद्यम स्थापित कर सकें।

वर्ष 1988 में आरसीएफ एक कंपनी–रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (आरसीटीसी) के रूप में परिवर्तित हो गई। इसने प्राचीन तकनीकी के विकास और व्यवसायीकरण के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु टेक्नोलॉजी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट स्कीम की शुरुआत की। इसके अलावा रिस्क कैपिटल स्कीम के तहत आरसीटीसी ने प्रत्यक्ष शेयर भागीदारी के माध्यम से उद्यमियों को वित्तीय सहायता देनी आरंभ की। आईएफसीआई उपक्रम की साख और ताकत के आधार पर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (यूटीआई) ने 1991 में एक नए पूंजी कोष उपक्रम, जिसका नाम वेंचर कैपिटल यूनिट स्कीम (वीईसीएयूएस-3) था, आरसीटीसी को सुपुर्द किया। इस उपक्रम के लिए पूंजी यूटीआई और आईएफसीआई से आई। फरवरी 2000 में कंपनी की गतिविधियों में बदलाव दिखाने के लिए आरसीटीसी का नाम बदलकर आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड (आईएफसीआई वेंचर) कर दिया गया।

पूंजी प्रबंधन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वर्ष 2000-01 में आईएफसीआई वेंचर ने रिस्क कैपिटल और टेक्नोलॉजी फाइनेंस स्कीम को रोक दिया और वीईसीएयूएस-3 का प्रबंधन जारी रखा। वर्ष 2007 में जैसे ही यूटीआई ने स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (एसयूयूटीआई) में निहित अपनी गतिविधियों और संपत्ति पर रोक लगाई, वैसे ही वीईसीएयूएस-3 के शेयर जो कि आईएफसीआई के प्रबंधन के तहत थे, एसयूयूटीआई को हस्तानांतरित कर दिए गए।

(b) ***भारतीय पर्यटन वित्त निगम लिमिटेड (टीएफसीआई), 1989:*** भारत सरकार ने योजना आयोग के तत्वावधान में गठित पर्यटन राष्ट्रीय कमेटी (यूनुस कमेटी) की सिफारिश पर 1988 में पर्यटन संबंधित गतिविधियों/ परियोजनाओं को वित्तीय मदद देने के लिए एक स्वतंत्र अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान को बढ़ावा देने का फैसला किया। इस निर्णय के आधार पर अन्य अखिल भारतीय वित्तीय/ निवेश संस्थानों और कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित आईएफसीआई लिमिटेड ने एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसका नाम टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (टीएफसीआई) था, को बढ़ावा दिया। एक विशिष्ट अखिल भारतीय विकास वित्त संस्थान के रूप में इस कंपनी का काम पर्यटन उद्योग की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना था।

टीएफसीआई को 1989 में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में सम्मिलित किया गया और उसी वर्ष से उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद जनवरी 1990 में टीएफसीआई को एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित कर दिया गया। इस कंपनी के प्रमोटर आईएफसीआई का इसमें बड़ा हिस्सा (41.6 फीसदी) था, जबकि शेष शेयर आम जनता (26 फीसदी), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक बीमा कंपनियों और पब्लिक म्यूचुअल फंड (यूटीआई म्यूचुअल फंड लिमिटेड) के नाम थे।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(iii) निवेश संस्थान (आईआई)

अन्य वित्तीय संस्थानों के रूप में तीन निवेश संस्थान एलआईसी (1956), यूटीआइ (1964) और जीआईसी (1971) भी सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल कर लिए गए।

हालांकि वर्तमान समय में ये घरेलू निवेश संस्थान (Domestic Investment Institution–DIIs) या घरेलू वित्तीय संस्थान (Domestic Financial Institution–DFIs) के रूप में जाने जाते हैं। एलआईसी अभी जीवन बीमा से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी है, जीआईसी वर्ष 2000 में सार्वजनिक क्षेत्र पुनर्बीमा कंपनी के रूप में परिवर्तित हो गया, जबकि यूटीआइ वर्ष 2002 में म्यूचुअल फंड कंपनी के रूप में परिवर्तित हो गया। अब ये सारी निवेश संस्थान पहले की तरह नहीं रह गई हैं। एलआईसी अब एक बीमा कंपनी के रूप में जाना जाता है जो भारतीय बीमा उद्योग का ही हिस्सा है। एलआईसी अकेली ऐसी सार्वजनिक संस्था है, जो जीवन बीमा क्षेत्र में निजी बीमा कंपनियों को टक्कर दे रही है। इसी तरह यूटीआइ भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग का एक हिस्सा है, जो इकलौते सार्वजनिक संस्थान के रूप में निजी क्षेत्र के अन्य संस्थाओं को टक्कर दे रहा है। ठीक इसी तरह, चार भूतपूर्व सार्वजनिक क्षेत्र सामान्य बीमा कंपनियां भारत के सामान्य बीमा उद्योग का हिस्सा हैं जो अपने क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कंपनियों से मुकाबला कर रही हैं। ये कंपनियां जीआईसी की अधीनस्थ थीं, जो आज सीधे तौर पर जीओआई के स्वामित्व में हैं और जीआईसी सिर्फ इन कंपनियों के पुनर्बीमा व्यवसाय को देखते है। यही वजह है कि आज हमें जीओआई के किसी भी आधिकारिक दस्तावेजों में आईआई शब्द का इस्तेमाल देखने को नहीं मिलते हैं।

(iv) राज्य स्तरीय वित्त संस्थान (एसएलएफआई)

औद्योगिक विकास में राज्यों की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को अपने वित्तीय संस्थानों के गठन की अनुमति प्रदान कर दी (राज्यों की इस तरह की मांग के बाद)। इस क्रम में दो तरह के वित्तीय संस्थान आए:

(a) ***राज्य वित्त निगम (एसएफसी):*** इसका सबसे पहले पंजाब में गठन हुआ और इसके बाद संबंधित राज्यों के औद्योगिक विकास का अन्य राज्यों ने इसका अनुसरण किया। अभी 18 एसएफसी कार्य कर रहे हैं। यह एक पूर्णतः समर्पित राज्य सार्वजनिक क्षेत्र वित्तीय संस्थान है।

(b) ***राज्य औद्योगिक विकास निगम (एसआईडीसी):*** इस तरह का पहला वित्तीय संस्थान (1960) आंध्र प्रदेश और बिहार में स्थापित किया गया।

इनमें से लगभग सभी एसएफसी और एसआईडीसी इन दिनों भारी नुकसान में चल रहे हैं। इनका एआईएफआई की तर्ज पर पुनर्गठन किया जा सकता है। लेकिन इसको लेकर राज्यों में इच्छाशक्ति का अभाव है और निजी फाइनेंसर भी इन संस्थानों को अपनाने के इच्छुक नहीं हैं।

B. बैंकिंग उद्योग (Banking Industry)

गुजरते समय के साथ, इस उद्योग ने अपना राष्ट्रीयकरण (1969 और 1980) और फिर इसे निजी क्षेत्र के लिए खोलने से (1993-94) लेकर इसके भारतीय वित्तीय तंत्र में सर्वाधिक भरोसेमंद घटक के रूप में सामने आते देखा और इस प्रकार मुख्य आधार बनते हुए देखा। आज इस उद्योग में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर.आर.बी.) और सहकारी बैंक शामिल है- कुल 171 अधिसूचित बैंकों (एस.सी.बी) में से 113 सार्वजनिक क्षेत्र के हैं (19 राष्ट्रीयकृत बैंक 7, बैंक एस.बी.आई. समूह में, एक आईडीबीआइ बैंक लि. और 86 आरआरबी; और बाकी 58 बैंक निजी क्षेत्र के स्वामित्व वाले है (घरेलू और विदेशी बैंकों में एफ.डी.आई. 26 प्रतिशत तक अनुमन्य है)।[21]

आर्थिक सुधारों के परिणामस्वरूप सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र के तीव्र विस्तार का वादा किया लेकिन बैंकिंग क्षेत्र में नये निजी बैंकों के प्रवेश की गति धीमी रही, जिससे क्षेत्र का विकास और विस्तार बाधित हुआ लेकिन अप्रैल 2014 में आरबीआइ ने दो नये निजी बैंकों को अपने

21. Publications Division, India 2014, (New Delhi: Government of India, 2015), p. 326.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

परिचालन शुरू करने की अनुमति दी है। बैंकिंग क्षेत्र पर विस्तृत चर्चा हेतु अध्याय 12 का संदर्भ लें।

C. बीमा उद्योग (Insurance Industry)

स्वतंत्रता के पश्चात, उद्योगों का विस्तार करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा एक के बाद एक जीवन और गैर-जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया। क्रमशः (1956 और 1970 में) और सुरक्षा छतरी और राष्ट्र-निर्माण के क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां बेहतर तरीके से इस उद्देश्य की पूर्ति कर रही हैं। आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र का पुनर्गठन शुरू हुआ था और 1999 में इस उद्योग को निजी कंपनियों के प्रवेश हेतु खोला गया था और आई.आर.डी.ए. (घरेलू और विदेशी- 49 प्रतिशत की एफ.डी.आई. सीमा के साथ) एक स्वतंत्र विनियामक की स्थापना की गई थी। उसके बाद से बहुत-सी निजी कंपनियां इस उद्योग में आई। वर्तमान में, भारतीय बीमा उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमाकर्ता (एल.आई.सी.) और 4 सार्वजनिक क्षेत्र के आम बीमाकर्ता; 2 विशेषीकृत सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा कर्ता (आई.सी.आई.एल.) और (ई.सी.जी.सी.)। सार्वजनिक क्षेत्र की पुनः बीमाकर्ता (जी.आई.सी.) और 37 निजी बीमा कंपनियां (विश्वभर से विदेशी बीमाकर्ताओं के साथ गठबंधन में शामिल है)।[22] सुधार युग के दौरान देश में बीमा का विस्तार और पहुंच में वृद्धि हुई है लेकिन सरकार और विशेषज्ञों की उम्मीदों के अनुसार नहीं। इसके लिए कई कारण जिम्मेदार रहे हैं। (बीमा उद्योग पर विस्तृत चर्चा के लिए अध्याय 13 का संदर्भ लें)।

D. प्रतिभूति बाजार (Security Market)

भारत के प्रतिभूति और स्टॉक बाजार को औपचारिक रूप से संगठित करने के सरकार के प्रयासों के बाद, इस खंड में तीव्र विस्तार दिखाई दिया है। आज, यह विश्व के सर्वाधिक उन्नतशील शेयर बाजारों में से एक है और इसने देश[23] के पूंजी बाजार पर बैंकों के एकाधिकार को चुनौती दी है। भारत के प्रतिभूति बाजार को सेबी के द्वारा विनियमित किया जाता है। भारत ने एक विनियमित 'फॉरवर्ड मार्केट' भी विकसित किया है जहां हजारों वस्तुओं और डेरिवेटिव्स का ऑन स्पॉट और नॉन-स्पॉट आधार पर व्यापार किया जाता हैं—एफ.एम.सी. द्वारा विनियमित।

वित्तीय विनियमन (FINANCIAL REGULATION)

भारत में वित्तीय क्षेत्र में विनियमन के लिए कई तरह के उपाय किए गए हैं। लंबे समय में कई नियामक, अर्द्ध-नियामक और गैर-नियामक, फिर भी नियामक संस्थाओं एक-दूसरे के कार्यक्षेत्र में दख़ल से वित्तीय विनियमन की प्रक्रिया जटिल हो गई है।[24] वित्तीय नियामक ढांचे के बारे में संक्षिप्त जानकारी नीचे दी जा रही है।

नियामक ऐजेंसियां (Regulatory agencies)

भारत में उत्पाद के मुताबिक नियामक हैं- रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया खातों में जमा पैसे से जुड़े मामले, बचत और भेजी हुई रकम, सिक्यूरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, SEBI) निवेश से जुड़े उत्पाद, इंश्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, IRDA) बीमा से जुड़े उत्पाद और पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण, PFRDA) पेंशन से जुड़े उत्पाद पर नियंत्रण रखती हैं। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन (FMC) वस्तु आधारित भावी विनिमय व्यापार या एक्सचेंज ट्रेडेट फ्यूचर्स (जिसका 2015 के अंत में सेबी में विलय कर दिया गया था) को नियंत्रित करती है।

कुछ कंपनियां जो मुख्य तौर पर एक ही क्षेत्र में (बीमा कंपनियां) कुछ दूसरे उत्पाद भी बेचती हैं। इससे उत्पाद पर आधारित नियंत्रण (2010 की शुरुआत में PFRDA-IRDA विवाद के बाद ये सामने आया) में मुश्किल आती है। इसलिए अंत में ज्यादातर नियंत्रण संस्था

22. Ibid, p. 329.
23. Ministry of Finance, Economic Survey 2012–13 (New Delhi: Government of India, 2013), p. 116.
24. Financial Sector Legislative Reforms Commission report, March 2013, N. Delhi.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

आधारित ही होते हैं। एक और उदाहरण को-ऑपरेटिव (सहकारी) बैंकों का है, जो स्वामित्व की संरचना को छोड़कर आम बैंकों जैसे होते हैं। को-ऑपरेटिव बैंक ग्राहकों के पैसे बैंक में जमा रखते हैं और कर्ज भी देते हैं। इसके बावजूद को-ऑपरेटिव बैंकों का नियंत्रण रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव के दायरे में आता है।

अर्द्ध-नियामक एजेंसियां

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक [नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड)], भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक [स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (सिडबी)] और राष्ट्रीय आवास बैंक [नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB)] जैसे कई और सरकारी निकाय अर्द्ध-सरकारी नियामक की तरह कार्य करते हैं। NABARD क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के साथ राज्य और ज़िलों के को-ऑपरेटिव बैंक पर निगरानी रखता है। NHB घर के लिए लोन देने वाली कंपनियों और SIDBI राज्य वित्त निगमों पर नियंत्रण रखता है।

केंद्रीय मंत्रालय

वित्तीय व्यवस्था में कई केंद्रीय मंत्रालय भी नीतियां बनाते हैं। SEBI, IRDA और RBI में अपने प्रतिनिधियों के जरिए वित्त मंत्रालय इसमें प्रमुख तौर पर शामिल है। वित्त मंत्रालय और लघु उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधि SIDBI के बोर्ड में हैं और शहरी विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि NHB के बोर्ड में हैं। वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि सरकारी बैंकों और डेवलपमेंट फायनांशियल इस्टीट्यूशंस (DFI) के बोर्ड में भी होते हैं। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन (FMC), जो कमोडिटी एक्सचेंज और दलालों पर नियंत्रण रखती थी, उपभोक्ता मामलों के विभाग के अंतर्गत आता था जिसका SEBI (वित्त मंत्रालय) में विलय कर दिया गया (सितंबर 2015)।

राज्य सरकारें

रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव के ज़रिए राज्य सरकारें अपने राज्यों में को-ऑपरेटिव बैंकों को नियंत्रित करती हैं। रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव कृषि और सहकारिता विभाग के तहत आते हैं। कुछ मामलों में राज्य सरकारों ने भी नियामक की भूमिका की मांग की है। इस पर राज्य और केंद्र के बीच कभी खुलकर तक़रार सामने नहीं आई लेकिन इसका एक उदाहरण है आंध्र प्रदेश सरकार का वो अध्यादेश जिसमें एनबीएफसी में रजिस्टर्ड और आरबीआई के नियंत्रण वाली कई माइक्रो फायनांस इंस्टीट्यूशंस को निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकारों के ऐसे कदम पहले भी विवाद के मुद्दे रहे हैं और कुछ मामले तो कोर्ट तक भी पहुंचे हैं (आरबीआई बनाम राज्य सरकार पर स्पष्टीकरण के लिए कोर्ट के फैसले सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हैं)।

कुछ मध्यवर्ती वित्तीय संस्थाओं के लिए अलग क़ानून

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इससे जुड़े बैंक (इनके एस.बी. आई. में 2017-18 में समाहित किए जाने से पहले तक), सरकारी बैंक, एलआइसी और जीआइसी जैसी कुछ वित्तीय सेवा देने वाली मध्यवर्ती संस्थाओं के लिए अलग कानून हैं जिनके दायरे में ये संस्थाएं आती हैं। ये कानून ऐसी ही सेवा देने वाली दूसरी कंपनियों की तुलना में इन कंपनियों को विशेष दर्जा देता हैं। पहले आईएफसीआई, यूटीआई, आइडीबीआई के लिए भी अलग कानून थे लेकिन अब उनको मिला विशेष दर्जा ख़त्म कर दिया गया है।

एफएसडीसी की स्थापना

कुछ साल पहले नियामक संरचना में फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट काउंसिल (FSDC) को जोड़ा गया जो कि एक महत्वपूर्ण कदम था। एफएसडीसी कैपिटल मार्केट के लिए बनी उच्चस्तरीय समिति के बदले था। एफएसडीसी का संचालन वित्त मंत्रालय करता था और इसे किसी तरह का वैधानिक अधिकार नहीं था। इस काउंसिल का गठन नियामकों की एक समिति के रूप में किया गया था जिसके अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। काउंसिल का अपना स्थायी सचिवालय होता है।

ये काउंसिल ऐजेंसियों के बीच विवाद को हल करती है। अलग-अलग नियामकों के दायरे में आने वाली वित्तीय कंपनियों के नियंत्रण का काम करती है और कई

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

उत्पादों के साथ व्यापार करने वाली कंपनियों की संपत्ति प्रबंधन का काम करती हैं।

नियामक संरचना और वित्तीय क्षेत्र के संचालन (जस्टिस बी.एन. श्रीकृष्ण के अध्यक्षता में) की जांच के लिए बनी एफएसएलआरसी (फायनांशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन) ने 2013 के शुरुआत में अपनी रिपोर्ट दी। कमीशन ने मुख्य रूप से नियामकों के क्षेत्र के बदले काम के आधार पर विभाजन की सिफारिश की है। कमेटी की मुख्य सिफारिशें हैं:

(i) एक समानांतर ढांचा बनाना जहां हर एजेंसी (जैसे–सेबी, आईआरडीए आदि) एक किस्म के वित्तीय काम और क्षेत्र का पर ध्यान देने के बदले मूल नियंत्रण/ निगरानी का काम यूआईए (यूनिफाइड फायनांशियल ऐजेंसी) करे। इससे नियामकों का एक-दूसरे के काम में दखल घटेगा (जिसके कारण सेबी और आइआरडीए के बीच यूएलआईपी विवाद हुआ)।

(ii) क्षेत्र पर ध्यान दिए बिना ग्राहकों की शिकायतों के लिए एफ.आर.ए. (फायनांशियल रिड्रेसल एजेंसी) का गठन। इसका मतलब नियामक ग्राहकों की शिकायत नहीं देखेंगे।

(iii) पूरे वित्तीय क्षेत्र की अपील के लिए एफएसएटी (फायनांशियल सेक्टर एपीलेट ट्रिब्यूनल) का गठन।

(iv) आरबीआई के अलावा बैंकिंग के लिए तीन दूसरी ऐजेंसियों के गठन का सुझाव।

कमीशन के सुझावों पर सरकार अभी विचार कर रही है, जिनमें से कुछ लागू किए जाने की प्रक्रिया में हैं।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

अध्याय 12

भारत में बैंकिंग
(BANKING IN INDIA)

*बैंक संभवतः सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय प्रतिनिधि हैं। उन्नीसवीं सदी में, बैंक मुख्य तौर पर फर्मों को उनके माल, जिसे गिरवी के तौर पर रखा जाता था, के लिए पूंजी जुटाने में सहायता के लिए धन उधार देते थे, कर्ज न चुकाने के मामलों में बैंक माल जब्त कर लेते थे। धीरे-धीरे बैंकों ने अपनी उधारी की गतिविधियों का विस्तार किया-घरों और व्यावसायिक संपत्ति के लिए पूंजी देने में-इमारतों को गिरवी के तौर पर रखा जाता था। सूचना प्रौद्योगिकी के उभरने से पूंजी देने के इन परंपरागत रूपों के लिए विशेष समस्याएं पैदा हो गई-अगर योजना सफल नहीं होती, तो फर्म दिवालिया हो सकती है, लेकिन कोई चीज गिरवी नहीं है-कर्ज देने वाले के लिए जब्त करने के लिए बहुत कम मूल्य है।**

इस अध्याय में

- ❑ प्रस्तावना
- ❑ एनबीएफसी
- ❑ भारतीय रिजर्व बैंक
- ❑ मौद्रिक एवं साख नीति
- ❑ बेस दर
- ❑ एमसीएलआर
- ❑ संशोधित एलएमएफ
- ❑ भारत में बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण एवं विकास
- ❑ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- ❑ सहकारी बैंक
- ❑ वित्तीय क्षेत्र में सुधार
- ❑ बैंक क्षेत्र में सुधार
- ❑ गैर–निष्पादनकारी एवं दाब परिसम्पत्तियां
- ❑ सार्वजनिक क्षेत्र परिसंपत्ति पुनरुद्धार संस्था (पारा)
- ❑ शोधन–अक्षमता एवं दिवालियापन

* *देखें जोसेफ ई स्टिग्लित्ज और कार्ल ई वाल्श, इकोनॉमिक्स, डब्ल्यू डब्ल्यू नॉर्टन, न्यूयॉर्क, अमेरिका, चौथा संस्करण, 2006, पृष्ठ 205।*

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

- दुराग्रही चूककर्ता
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात
- बेसल समझौता
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा बेसल–III का अनुपालन
- अनिवासी भारतीय जमा
- एटीएम का वर्गीकरण
- निधि
- चिट फंड
- लघु एवं भुगतान बैंक
- वित्तीय समावेशन
- बैंकों का परिसंपत्ति–दायित्व प्रबंधन
- स्वर्ण निवेश की योजनाएं
- मुद्रा बैंक

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

प्रस्तावना (INTRODUCTION)

आज के परिदृश्य में हम जिस अर्थ में बैंकिंग शब्द का प्रयोग करते हैं उसकी उत्पत्ति पश्चिमी दुनिया में हुई थी और भारत का इससे परिचय ब्रिटिश शासकों ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। तबसे बहुत कुछ हो चुका है और आज भारतीय बैंकों को विकासशील दुनिया के सबसे अच्छे बैंकों में गिना जाता है और दुनिया के सबसे अच्छे बैंकों के रूप में उभरने की कोशिश जारी है।

एनबीएफसी (NBFCs)

बैंक एक वित्तीय संस्था है, जिसका प्राथमिक काम उसके खातों में जमा पैसों का इस्तेमाल करना और ऋण देना है। इनके जमा और ऋण काफी विभेदीकृत प्रकृति के होते हैं। बैंकों का विनियमन RBI (भारतीय रिजर्व बैंक) करता है। वित्तीय संस्थाओं की दूसरी श्रेणी गैर-बैंक (नॉन-बैंक) का काम करीब-करीब एक जैसा ही होता है लेकिन मुख्य अंतर ये है कि गैर-बैंक अपने यहां पैसे जमा करने वालों को खाते से पैसे निकालने नहीं देते।

एनबीएफसी (नॉन-बैंकिंग फायनांशियल कंपनी)[1] भारतीय वित्तीय व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण सेगमेंट के तौर पर तेजी से उभर रही है। ये अलग-अलग संस्थाओं का एक समूह (वाणिज्य और सहकारी बैंक के अलावा) है जो पैसे जमा लेने, ऋण देने, लीज देने, किश्तों पर खरीदने जैसी वित्तीय मध्यस्था के काम करते हैं। एनबीएफसी- कृषि, उद्योग और खरीद-बिक्री या अचल संपत्ति के निर्माण जैसे कुछ काम अपने व्यवसाय के तौर पर नहीं कर सकतीं।

एनबीएफसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर लोगों से पैसे जुटाते हैं और उसे ज्यादा खर्च करने वालों को ऋण के तौर पर देते हैं। ये कई थोक और खुदरा व्यापारियों, छोटे उद्योगों और स्व-नियोजित लोगों को ऋण देते हैं। इसलिए एनबीएफसी वित्तीय क्षेत्र के उत्पादों को विस्तार और विविधता दी है। धीरे-धीरे इनकी पहचान बैंकिंग क्षेत्र के पूरक की तरह होने लगी है, क्योंकि:

(i) ग्राहकों की जरूरत के मुताबिक सेवा देते हैं;

(ii) कार्यप्रणाली सरल है;

(iii) जमा राशि पर आकर्षक ब्याज दर, और;

(iv) निर्दिष्ट क्षेत्र की ऋण जरूरतों को समय पर और लचीले तरीके के साथ पूरा करते हैं।

एनबीएफसी के नियामक आरबीआई ने ऐसी कंपनियों की व्यापक परिभाषा दी है। आरबीआई की परिभाषा के मुताबिक एनबीएफसी एक कंपनी के तौर पर बनी ऐसी वित्तीय संस्थाएं है जो किसी भी तरीके से पैसे जमा करने और ऋण देने का काम करती हैं। काम को देखते हुए इन्हें दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है:

(i) जमा लेने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसीडी), और;

(ii) जमा नहीं लेने वाली एनबीएफसी (एनबीएफीस-एनडी)।

एनबीएफसी के लिए राशि जमा लेने वाली कंपनी के तौर पर आरबीआई में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन के लिए इनका कंपनी होना (कंपनी एक्ट 1956 के तहत शामिल) और कम-से-कम 2 करोड़ एनओएफ (net owend fund)[2] होना चाहिए।

अभी आरबीआई में **11781** एनबीएफसी रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 212 एनबीएफसी–एनडी और 11,569 एनबीएफसी-एनडी हैं। इनमें एससीबी (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक) की **14.8** फीसदी संपत्ति और **0.3** फीसदी जमा राशि है।

1. **RBI** update, 11 March, 2016 and the **Business.gov.in**, Government of India, April 2016.

2. The term 'NOF' means, owned funds (*paid-up capital* and *free reserves* minus *accumulated losses, deferred revenue expenditure* and *other intangible assets*) less, (i) investments in shares of subsidiaries/companies in the same group and all other NBFCs; and (ii) the book value of debentures, bonds, outstanding loans and advances, including hire-purchase and lease finance made to, and deposits with, subsidiaries/companies in the same group, in excess of 10 per cent of the owned funds.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

दोहरे नियामक को खत्म करने के लिए एनबीएफसी की कुछ श्रेणी, जिनका नियंत्रण दूसरे वित्तीय नियामक करते हैं, को आरबीआई के नियंत्रण से छूट दी गई है:

(i) वेंचर कैपिटल फंड, मर्चेंट बैंक, स्टॉक ब्रोकिंग फर्म (रजिस्ट्रेशन और विनियमन सेबी के जरिए)।

(ii) इंश्योरेंस कंपनी (रजिस्ट्री और विनियमन आईआरडीए के द्वारा)।

(iii) हाउसिंग फायनांस कंपनी (नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा विनियमित)।

(iv) निधि कंपनी (कंपनी एक्ट 1956 के तहत उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के द्वारा विनियमित)।

(v) चिट फंड कंपनी (चिट फंड एक्ट 1982 के तहत राज्यों के द्वारा विनियमित)।

[Detailed discussion on the Nidhi, Chit, Chitty, Kuri and MNBCs has been presented ahead in this Chapter]

एनबीएफसी के द्वारा राशि जमा लेने से जुड़े कुछ ***महत्वपूर्ण नियम*** हैं:

- लोगों से कम-से-कम 12 और अधिकतम 60 महीने तक जमा राशि स्वीकार करने और/या दोबारा शुरू करने की अनुमति देना।
- मांग जमा (डिमांड डिपॉजिट) स्वीकार नहीं कर सकते (यानी बचत और चालू खाता)।
- आरबीआई की ओर से तय अधिकतम ब्याज दर से ज्यादा की पेशकश नहीं कर सकते।
- राशि जमा करने वालों को गिफ्ट, इंसेंटिव और दूसरे अतिरिक्त फायदे की पेशकश नहीं कर सकते।
- न्यूनतम इनवेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग होना चाहिए।
- जमा राशि का बीमा होना चाहिए।
- एनबीएफसी के द्वारा जमा राशि की वापसी की गारंटी आरबीआई नहीं देती।
- आरबीआई की ओर से बनाए गए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो (सीएआर) को बरकरार रखने की जरूरत।

अपने मुख्य कारोबार के मुताबिक आरबीआई में रजिस्टर्ड एनबीएफसी कई तरह के हैं:

(i) *इक्विपमेंट लीजिंग कंपनी*-उपकरण के लिए ऋण देने वाली कंपनी।

(ii) *हायर परचेज कंपनी*-किराया खरीद।

(iii) *लोन कंपनी*-अग्रिम ऋण देना।

(iv) *इंवेस्टमेंट कंपनी*-शेयर खरीदना और बेचना।

अब इन एनबीएफएस को फिर से **तीन श्रेणियों** में बांटा गया है:

(i) एसेट फायनांस कंपनी (एएफसी);

(ii) इंवेस्टमेंट कंपनी (आईसी), और;

(iii) लोन कंपनी (एलसी)।

इस वर्गीकरण के तहत, एएफसी की जो परिभाषा तय की गई है उसके मुताबिक ये एक ऐसी वित्तीय संस्था है जिसका मुख्य काम देश में भौतिक संपत्तियों के लिए पैसे मुहैया कराना है जो कई उत्पाद और आर्थिक गतिविधियों को सहारा देती हैं। भारत सरकार के मुताबिक ऐसी एनबीएफसी 2016-17 में मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए पैसे जुटाने में अहम भूमिका निभा सकती हैं।

लघु ऋण क्षेत्र में प्रत्यक्षता के माध्यम से वित्तीय समावेश को प्रोत्साहित करने एवं उपभोक्ता संरक्षण को ध्यान में रखकर वर्ष 2017-18 में भारतीय रिवर्ज बैंक (RBI) द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के दो नये प्रारूपों/श्रेणियों की घोषणा की गयी- 'पिअर-टू-पिअर' (Peer to Peer) तथा 'खाता एकत्रक' (Account Agreegator-AAs)। वर्तमान[3] समय में एन.बी.एफ.सी. के पास बैंकों की परिसम्पत्तियों का लगभग 17% और बैंक जमाओं का 0.26% है। इसके बैलेंस शीट का आकार आज 20.7 लाख करोड़ रु. का है। यह क्षेत्र सार्वजनिक फंड पर बड़े रूप से निर्भर है वैसे अपरिवर्तनीय डिबेंचर

3. ***Economic Survey 2017-18***, Vol. 2, Ministry of Finance, GoI, N. Delhi, p. 53.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(non-convertible debentures) भी इनकी बैलेंस शीट का महत्वपूर्ण घटक हैं। सितंबर 2017 तक इस क्षेत्र की पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CRAR) 22.5% तथा गैर-निष्पादनकारी परिसम्पत्तियां (NPAs) 5.5% के स्तर पर थे।

ऋण-पत्र रिडेम्पशन (Debenture Redemption)

एन.बी.एफ.सी. (NBFC), जो कि ऋण पत्रों के माध्यम से पूँजी उगाहता है, के लिए मानकों को कड़ा कर दिया गया है। नया कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू होने के बाद (1अप्रैल, 2014) ये मानक निम्नलिखित हैं:

(i) उन्हें अपने मुनाफे में से एक ऋण पत्र पुनः प्राप्ति कोष (DDR, Debenture redemption reserve) सृजित करने की जरूरत है, जिसका उपयोग ऋण-पत्रों को मुक्ति में होना चाहिए। डीआरआर का यह कॉर्पस ऋण-पत्रों के माध्यम से उगाही गई राशि का 50 प्रतिशत होना चाहिए।

(ii) उन्हें कम-से-कम 15 प्रतिशत का निवेश बैंकों अथवा सरकार अथवा कॉरपोरेट बॉण्ड्स में करना चाहिए और इसका उपयोग केवल ऋण-पत्रों की पुनः प्राप्ति में करना चाहिए।

इन मानकों का लक्ष्य ऋण-पत्रों के खरीदारों के लिए जोखिम को कम करना तथा 'सहारा ओ.एफ.सी.डी.' (Sahara OFCD) जैसी दुर्घटनाओं को रोकना है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RESERVE BANK OF INDIA)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्थापना वर्ष 1935 में (CBI Act, 1934) एक निजी बैंक के रूप में की गयी थी। इसे सामान्य बैंकिंग व्यवसाय के साथ दो अन्य कार्य–भारत में विद्यमान बैंकों का नियमन तथा नियंत्रण करना एवं सरकार के बैंक की भूमिका निभाना भी दिए गए थे। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण (इसके शत प्रतिशत शेयर निजी स्वामित्व से खरीद लिए गए) कर दिया गया तथा इसे विश्व के अन्य देशों की तरह 'केंद्रीय बैंकिंग निकाय' (Central Banking Body) का दर्जा प्रदान किया गया। इसके साथ ही RBI तकनीकी तौर पर एक 'बैंक' नहीं रह गया (अर्थात् यह सामान्य बैंकिंग व्यवसाय नहीं कर सकता)। RBI राष्ट्रीयकरण अधिनियम तथा आने वाले समय की अपनी कई घोषणाओं के माध्यम से सरकार द्वारा इसे कई कार्य (Functions) सौंपे गए, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:[4]

(i) **निर्गम एजेंसी (Issuing Agency):** यह एक रुपये के नोट एवं सिक्कों तथा छोटे सिक्कों को छोड़कर सभी करेंसी नोट एवं सिक्कों का 'निर्गम एजेंसी' का कार्य करता है (एक रुपये के नोट एवं सिक्के तथा एक रुपये से छोटे सिक्के प्रत्यक्षतः वित्त मंत्रालय द्वारा 'निर्गमित' होते हैं।)।

(ii) **वितरणकारी एजेंसी (Distributing Agency):** RBI अपने एवं सरकार (वित्त मंत्रालय) द्वारा निर्गमित नोटों एवं सिक्कों का 'वितरणकर्ता' भी है।

(iii) **सरकार का बैंक (Banker of the Government):** RBI भारत सरकार के बैंक/बैंकर का कार्य किया जाता है। इसके अंतर्गत यह सरकार के ऋण का प्रबंधन, उसके द्वारा किए गए ट्रेजरी बिलों (Treasury Bills) की खरीद इत्यादि कार्य संपादित करता है।

(iv) **अंतिम घड़ी का बैंक (Bank of the Last Resort):** इसके अंतर्गत RBI देश में कार्य करने वाले सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs), वित्तीय संस्थानों को संकट की अवधि में आर्थिक सहायता (ऋण स्वरूप) उपलब्ध कराता है।

(v) **मौद्रिक एवं साख नीति (Credit and Monetary Policy):** RBI द्वारा ही भारत की मौद्रिक एवं साख नीति की 'घोषणा' की जाती है। आमतौर पर इसकी घोषणा वर्ष में दो बार व्यस्त काल (Busy Season) तथा सुस्त काल (Slack

4. Based on the ***RBI Nationalisation Act, 1949*** and further announcements of the, Ministry of Finance, Government of India.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

Season) के प्रारंभ होने के पूर्व की जाती है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इसमें सामयिक परिवर्तन भी होता रहता है।

(vi) **विनिमय दर स्थरीकरण (Exchange Rate Stabilisation):** RBI को भारतीय मुद्रा 'रुपये' के विनिमय दर को स्थिरीकृत रखने का भी कार्य सौंपा गया है।

(vii) **मुद्रास्फीति स्थीरीकरण (Inflation Stabilisation):** मुद्रास्फीति दर के बार-बार उच्च-स्तरीय होने की स्थिति में सरकार ने इसे (1970 के दशक के उत्तरार्द्ध में) मुद्रास्फीति स्थरीकरण का भी कार्य सौंपा। वर्ष 2015 में मुद्रास्फीति 'टारगेटिंग' (CPI–C) कार्य सौंपा गया।

(viii) **विदेशी विनिमय भंडार का संग्रहकर्ता (Keeper of the Foreign Exchange Reserves):** भारत के विदेशी विनिमय भंडार का यह अंतिम संग्रहकर्ता है तथा यह इसका प्रबंधन भी करता है।

(ix) **सरकार का एजेंट (Agent of the Government):** इसके अंतर्गत यह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), इत्यादि में सरकार के एजेंट (प्रतिनिधि) के रूप में कार्य करता है।

(x) **विकास/प्रोत्साहन संबंधी कार्य (Developmental/Promotional Function):** उपरोक्त कार्यों (जो विश्व की लगभग सभी केंद्रीय बैंकों द्वारा किए जाते हैं) के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा इसे अर्थव्यवस्था विकास एवं प्रोत्साहन का भी कार्य सौंपा गया है। अपने इस उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए RBI द्वारा कई विशेषीकृत वित्तीय संस्थानों/ बैंकों की स्थापना की गयी है-भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI), राष्ट्रीय कृषि विकास बैंक (NABARD), राष्ट्रीय आवासीय बैंक (NHB), इत्यादि।

मौद्रिक एवं साख नीति (Credit and Monetary Policy)

किसी अर्थव्यवस्था की वह नीति, जिसके द्वारा उसमें होने वाले मुद्रा प्रवाह/प्रचलन की मात्रा विनियमित होती है उसकी मौद्रिक एवं साख नीति कहलाती है। विश्व के सभी अर्थव्यवस्थाओं में इसकी घोषणा वहाँ के 'केन्द्रीय बैंक' द्वारा की जाती है। कुछ देशों में इस नीति को 'निर्मित' करने का कार्य भी इन्हें ही सौंपा गया है। भारत में स्थिति भिन्न है। यहाँ इस पर अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय (भारत सरकार) का है। वैसे उदारीकरण की अवधि में भारत में इस विषय पर काफी विवाद भी रहा। इस मामले में RBI) को पूरी स्वायत्तता (autonomy) देने की सलाह दी गयी थी (नरसिंहम समिति-I)। सरकार द्वारा ऐसा कुछ किया नहीं गया, लेकिन इस मामले में आज RBI को लगभग 'कार्यकारी स्वायत्तता' (Working Autonomy) प्राप्त है ऐसा माना जाता है।

आरबीआई सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो और रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ रेट, ओमएमओ जैसे कई साधनों से जरूरी क्रेडिट और मॉनेटरी (ऋण या साख और मौद्रिक नीति) को नियंत्रण में रखती है। जिन पर आरबीआई का नियंत्रण है।

नकद आरक्षण अनुपात (Cash Reserve Ratio–CRR)

नकद आरक्षण अनुपात (Cash Reserve Ratio–CRR) भारत में कार्य करने वाले अनुसूचित बैंकों (देशी एवं विदेशी) के सकल जमाओं का वह अनुपात है, जो उन्हें RBI के पास 'नकद' रूप में रखना अनिवार्य है। इस अनुपात की मात्रा क्या होगी इसे RBI तय करती है जो 3 से 15 प्रतिशत के बीच हुआ करता था।[5] सरकार ने एक संशोधन द्वारा (वर्ष 2007) इसके निचले स्तर की सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अतः अब यह 0–15 प्रतिशत के बीच हो सकता है।

5. *RBI Act, 1934,* sub-section (1) of Section 42.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

मार्च 2018 में यह 4 प्रतिशत था तथा इसमें 1 प्रतिशत की वृद्धि से भारतीय बैंकिंग उद्योग से RBI की ओर 98,000 करोड़ रु. प्रवाहित होता है।[6]

वित्तीय व्यवस्था पर नरसिम्हन समिति की सिफारिशों (1991) पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने सीआरआर से संबंधित दो प्रमुख बदलाव किए:

(i) सीआरआर को कम करना एक मध्यम-अवधि के एक लक्ष्य के रूप में तय किया गया और इसे धीरे-धीरे 1992 में इसके शीर्ष 15 फीसदी से जून 2003 तक 4.5 पर ले आया गया।[7] जून 2006 में आरबीआई (संशोधन) कानून के लागू होने के बाद, आरबीआई अब सीआरआर को बगैर किसी न्यूनतम या अधिकतम दर के अनुसूचीबद्ध बैंकों के लिए भी निर्धारित कर सकता था इसलिए तीन फीसदी की वैधानिक न्यूनतम सीआरआर सीमा को हटा दिया गया।[8]

(ii) सीआरआर राशि पर अनुसूचीबद्ध बैंकों को आरबीआई द्वारा ब्याज दिया जाना वित्त वर्ष 1999-2000 में शुरू हुआ (बैंकिग में सुस्ती आने के बाद)। हालांकि आरबीआई ने 2007 के मध्य से ब्याज का भुगतान बंद कर दिया।[9]

सांविधिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio–SLR)

सावधिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio–SLR) भारत में कार्य करने वाले सभी अनुसूचित बैंकों (देशी तथा विदेशी) की सकल जमाओं का वह अनुपात है, जिसे उन्हें अपने ही पास विद्यमान रखना है—यह गैर-नकद (non-cash) भी हो सकता है। इसके स्तर को RBI निर्धारित करती है, जिसे वह 25-40 प्रतिशत के बीच रख सकती है।[10]

यह अनुपात 25 फीसदी तक कम कर दिया गया (सीएफएस सुझावों के बाद अक्टूबर 1997 में किया गया)।[11] यह 38.5 फीसदी तक ऊंचा हुआ करता था। सीएफएस ने सरकार को सलाह दी थी कि वह इस राशि का इस्तेमाल बैंकों को सरकारी सिक्योरिटी (जी-सिक्स) देने के लिए करें। यह सलाह दी गई थी कि इसके बजाय सरकार को बाजार-आधारित ब्याज देना चाहिए। हालांकि सरकार ने इस संबंध में बाद में कोई बात नहीं की। भारत सरकार ने एक संशोधन (2007) के जरिये एसएलआर के लिए न्यूनतम 25 फीसदी को खत्म कर दिया जिससे इसे तय करने के लिए आरबीआई स्वतंत्र हो गया। मार्च 2018 तक यह 19.5 प्रतिशत था।

बैंक दर (Bank Rate)

वह ब्याज दर जिस पर RBI द्वारा अपने ग्राहकों (सरकारों, सरकारी कंपनियों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, इत्यादि) को दीर्घावधिक (long-term) ऋण दिया जाता है, 'बैंक दर' कहलाती है। जो ब्याज दर आरबीआई अपने लंबी-अवधि के ऋणों पर वसूलता है उसे बैंक रेट कहते हैं। जो ग्राहक इस तरह के ऋण लेते हैं वे होते हैं भारत सरकार, राज्य सरकारें, बैंक, वित्तीय संस्थान, को-ऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसी आदि। इस दर का भारतीय वित्त प्रणाली में सक्रिय संबंधित ऋणदाता संस्थाओं के लंबी-अवधि के ऋणों पर सीधा असर पड़ता है। फरवरी 2012 में इस दर को एमएसएफ (मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी) के अनुरूप किया गया था।[12] मार्च 2018 में यह दर 6.25 प्रतिशत थी।

---

6. Reserve Bank of India, **Financial Stability Report**, Government of India, New Delhi, 2017.
7. Reserve Bank of India, ***Economic Survey, 2006–07,*** (New Delhi: Government of India, 2007).
8. ***RBI (Amendment) Act, 2006***, (Mumbai: Government of India, 2007).
9. Reserve Bank of India, ***Credit and Monetary Policy,*** (Mumbai: Government of India, 2015).
10. ***RBI Act, 1934*** and ***Banking Regulation Act, 1949*** Section 24.
11. ***Committee on Financial System*** (CFS) headed by the then RBI Deputy Governor M. Narasimhan, 1991.
12. Through an RBI announcement on 15th February. 2012.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

रेपो दर (Repo Rate)

वह ब्याज दर जिस पर RBI द्वारा अपने ग्राहकों को लघु अवधि (Short-term) ऋण उपलब्ध कराया जाता है उसे भारत में 'रेपो दर' कहते हैं।[13] वास्तव में यह 'पुनर्खरीद दर' (Rate of Repurchase) का लघु रूप है जिसे पश्चिम की विकसित अर्थव्यवस्थाओं में 'पुनर्कटौती दर' (Rate of Discount) कहा जाता है।[14]

व्यवहार में इसे ब्याज दर नहीं कहा जाता बल्कि पुरानी सरकारी सिक्योरिटीज पर छूट माना जाता है, जिन्हें संस्थान कम-अवधि के ऋण के लिए जमा करते हैं। जब उन्हें अपनी सिक्योरिटी आरबीआई से मिल जाती है, उसकी कीमत वर्तमान रेपो रेट की राशि जितनी कम हो जाती है। भारत का कॉल मनी मार्केट या मांग मुद्रा बाजार (अंतर बैंक बाजार) इसी दर पर काम करता है और बैंक इस रास्ते का इस्तेमाल रातों-रात उधार लेने के लिए करते हैं। इस दर का सीधा संबंध उस दर (क्योंकि ये बैंकों की ऑपरेशन कॉस्ट पर असर डालता है) से है जिस पर बैंक ग्राहकों को लोन देते हैं। यह दर मार्च 2018 में 6 फीसदी थी।

अक्टूबर 2013 में एक रात से ज्यादा की नकदी के लिए पहली बार 'टर्म रेपोस' (अलग-अलग तरह के, जैसे 7/14/28 दिन) का इस्तेमाल किया गया। मजबूत मुद्रा बाजार, स्थिरता और ऋण से जुड़े उत्पादों का बेहतर लागत निर्धारण जैसे इसके कई लक्ष्य हैं।

प्रतिवर्ती रेपो दर (Reverse Repo Rate)

वह ब्याज दर, जो RBI अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए लघु अवधि के ऋणों पर दी जाती है 'प्रतिवर्ती रेपो दर कहलाती है जो वर्तमान (मार्च 2018) में 5.75 प्रतिशत थी।

व्यवहार में भारत में काम कर रहे वित्तीय संस्थान अपना अतिरिक्त धन आरबीआई के पास कम-अवधि के लिए लगाकर उससे पैसा कमाते हैं। इसका सीधा असर बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा तरह के ऋणों की ब्याज दरों पर पडता है।

13. **RBI Act, 1934** and **Banking Regulation Act, 1949**.
14. Stiglitz and Walsh, ***Economics***, pp. 629–30.

इस रास्ते का इस्तेमाल आरबीआई ने भारतीय बैंकों को अतिरिक्त मुद्रा आपूर्ति और कम ऋण जारी करने के बाद किया था। यह बैंकों के घाटे और प्रचलित ब्याज दर को कम करने के दोहरे उद्देश्य से किया गया था।[15] यह सस्ते ब्याज वाले शासन-जो सुधार शुरू होने के बाद से आमतौर पर आरबीआई की नीति रही है-की दिशा में चलने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरा है।

मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा [Marginal Standing Facility (MSF)][16]

एमएसएफ एक नई योजना है जिसकी घोषणा आरबीआई ने 2011-12 की मौद्रिक नीति में की, जो मई, 2011 से लागू हो सकती है। इस योजना के तहत, बैंक रातों-रात अपनी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज (एनडीटीएल) का एक फीसदी आरबीआई से उधार ले सकते हैं, वर्तमान रेपो रेट से एक फीसदी (100 बेसिस पॉएंट्स) ज्यादा। रुपये को मजबूत करने और अपनी गिरती हुई विनिमय दर पर नियंत्रण के लिए आरबीआई ने 'रेपो' और 'एमएसएफ' के बीच अंतर तीन फीसदी तक बढ़ा दिया था (जुलाई 2013)।

एमएसएफ रेट को दंडात्मक दर यानी पीनल रेट के रूप में शुरू किया गया था और 2015 के मध्य से आरबीआई ने इसे वर्तमान रेपो रेट से एक फीसदी अधिक रखा है। मार्च 2018 में यह दर 6.25 फीसदी थी जो कि बैंक रेट के जितनी ही थी।

दूसरे साधन (Other Tools)

ऊपर बताए गए साधनों के अलावा आरबीआई क्रेडिट और मॉनेटरी पॉलिसी (ऋण या साख और मौद्रिक नीति) को गतिशील रखने के लिए कई तरह के उपाय करती है:

15. Ministry of Finance, ***Economic Survey 2001–02***, (New Delhi: Government of India, 2002).
16. The write-up is based on the RBI's *Credit & Monetary Policy, 2011-12* (in which the scheme was introduced); and the *European Central Bank*, Frankfurt, Germany and *Federal Reserve System* (also known as the *Federal Reserve*, and informally as the *Fed*) Washington DC, USA

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(i) **कॉल मनी मार्केट:** कॉल मनी मार्केट, मुद्रा बाजार का एक अहम हिस्सा है जहां फंड उधार लेने और देने का काम रातों-रात होता है। आजकल भारत में कॉल मनी मार्केट में हिस्सा लेने वालों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी), को-ऑपरेटिव बैंक (भूमि विकास बैंक के अलावा) बीमा कंपनियां आदि शामिल हैं। कॉल मनी मार्केट में इन सभी के लिए उधार देने और लेने दोनों की एक विवेकसम्मत सीमा आरबीआई ने तय की है। हाल के दिनों में इस बाजार में आरबीआई ने कई बदलाव किए हैं। अप्रैल 2016 तक रेपो रेट पर ओवरनाइट फैसिलिटी के तहत बैंक अपने एनडीटीएल (नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज यानी बैंक की कुल जमा राशि) का सिर्फ एक फीसदी ही उधार दे सकते थे। एनडीटीएल के बाकी 0.75 फीसदी के लिए बैंक अलग-अलग आशय के टर्म रेपो का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मायने में 2013 के अंत से आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए रेपो को इस्तेमाल करने को हतोत्साहित कर रहा है और बदल में टर्म रेपो को बढ़ावा दे रहा है। स्थिरता बढ़ाना और ऋण की बेहतर कीमत इस बदलाव का उद्देश्य है।

(ii) **ओपन मार्केट ऑपरेशंस (ओएमओ):** आरबीआई बाजार में/से सरकारी प्रतिभूति की खरीद/बिक्री के जरिए ओएमओ का संचालन करती है। इसका उद्देश्य बाजार में नकदी की स्थिति को व्यवस्थित करना होता है। ओएमओ आरबीआई का प्रभावी नीतिगत हथियार है लेकिन किसी समय में सरकारी प्रतिभूति के मौजूद स्टॉक के कारण उसकी मजबूरी भी नजर आती है। संस्थानों के अलावा अब अकेला व्यक्ति भी इस बाजार में हिस्सा ले सकता है (वर्ष 2017 के इस निर्णय का कार्यान्वयन अभी होना है)।

(iii) **लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी (एलएएफ):** एलएएफ आरबीआई की मौद्रिक नीति संरचना परिचालन में काफी अहम है। हर दिन आरबीआई तय ब्याद दर (रेपो और रिवर्स रेपो रेट) पर जरूरत के हिसाब से बैंकों से पैसे उधार लेने या देने के लिए तैयार रहता है। बैंकों के फंड में असंतुलन पर नियंत्रण के साथ एलएएफ ऑपरेशन आरबीआई को प्रभावी तरीके से ब्याज दर के संकेत बाजार को भेजने में मदद करता है। रेपो उधार और टर्म रेपो के नियम से जुड़े हालिया बदलाव से (2013 के बाद इस सेवा में काफी बदलाव आया है।

(iv) **मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम (एमएसएस):** मौद्रिक प्रबंधन के लिए एमएसएस 2004 में शुरू किया गया। बड़ी मात्रा में पूंजी के बाजार में आने से ज्यादा समय तक रहने वाली अतिरिक्त नकदी को अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति और राजकोष बिल के जरिए कम किया जाता है। जुटाई गई राशि को रिजर्व बैंक के एक अलग खाते में रखा जाता है। इसलिए इसमें एसएलआर और सीआरआर दोनों की विशेषताएं हैं।

(v) **स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी स्कीम (SDFS):** इस नयी योजना की घोषणा ***संघीय बजट 2018-19*** में की गयी। वैसे इस प्रकार की योजना की आवश्यकता की घोषणा आर.बी.आई. द्वारा नवंबर 2015 में ही की गयी थी। इस योजना का उद्देश्य है—आर.बी.आई. के हाथों में एक ऐसा साधन (tool) प्रदान करना जिसके माध्यम से वह अर्थव्यवस्था में प्रवाहित अतयधिक फंड (मुद्रा) का बेहतर प्रबंधन कर सके। नवंबर 2016 में सरकार द्वारा जब विमुद्रीकरण किया गया था तब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

बेस दर (Base Rate)

बेस रेट वह ब्याज दर है जिसके नीचे अनुसूचीबद्ध व्यवसायिक बैंक (एससीबी) अपने ग्राहकों को कोई ऋण नहीं देंगे-इसका अर्थ यह हुआ कि यह प्राइम लेंडिंग रेट (पीएलआर) की तरह है और पहले की मानदंड पीएलआर है और दरअसल ब्याज की एक न्यूनतम दर है। इसने एक जुलाई, 2010 को बीपीएलआर के मौजूदा विचार की जगह ले ली।[17]

बीपीएलआर प्रणाली (जबकि मौजूदा प्रणाली पीएलआर थी) को 2003 में पेश किया गया, लेकिन यह उधार देने की दरों में पारदर्शिता लाने के अपने मूल उद्देश्य को पूरा करने में नाकाम रही। यह मुख्यत: इस वजह से हुआ कि इस प्रणाली के तहत बैंक बीपीएलआर से नीचे भी ऋण दे सकते थे। इससे कर्जदाता बैंक के साथ मोल भाव करते थे और अंतत: एक कर्जदाता दूसरे के मुकाबले सस्ता ऋण ले लेता था और ऋण व्यापार में पारदर्शिता लाने की कोशिशों को धुंधला कर देता था। इसी वजह से रिजर्व बैंक की नीति दरों (रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट) से लेकर बैंकों की उधार देने की दरों तक संप्रेषण का अनुमान लगाना मुश्किल हो गया था। बेस रेट सिस्टम का उद्देश्य बैंकों की उधार देने की दरों में पारदर्शिता लाना और मौद्रिक नीति के संप्रेषण का अनुमान लगाना बेहतर बनाना था।

2010 में आरबीआई द्वारा इसके विनियमन के बाद बैंक अपना बेस रेट खुद तय करते हैं। इसलिए अलग-अलग बैंकों के बेस रेट उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट के हिसाब से अलग-अलग होते हैं। बैंक अपने बेस रेट से कम दर पर लोन नहीं दे सकते। मार्च 2017 तक बैंकों के बेस रेट 9.25 से 9.65 के बीच थे।[18]

17. ***Reserve Bank of India, Announcement,*** 5 April, 2010 (New Delhi: Government of India).
18. Reserve Bank of India **Bi-monthly Credit & Monetary Policy**, February 2017.

वित्तीय वर्ष 2015-16 तक क्रेडिट और मौद्रिक नीति प्रबंधन के लिए कई नए कदम उठाए गए। प्रमुख कदम नीचे दिए जा रहे हैं:

(i) अब हर दो महीने में एक बार मौद्रिक नीति की समीक्षा।

(ii) अवस्फीति के लिए जाने के रास्ते को मान्यता (ग्लाइड पाथ फॉर डिसइंफ्लेशन) (*उर्जित पटेल समिति* की रिपोर्ट लागू)। इसके तहत सीपीआई-सी को आरबीआई मौद्रिक प्रबंधन के लिए 'हेडलाइन इंफ़्लेशन' (Headline Inflation) के तौर पर इस्तेमाल करती है।

(iii) एक मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क (मौद्रिक नीति ढांचा) बनाया गया है-इसको लेकर भारत सरकार और आरबीआई के बीच 2015 में एक समझौते पर दस्तखत हुए। इस ढांचे के तहत आरबीआई 2 फीसदी के परिवर्तन के साथ 4 फीसदी महंगाई का लक्ष्य रखेगी। इसका ये मतलब हुआ कि महंगाई की दर 2 से 6 फीसदी (सीपीआई-सी की) के बीच ही होनी चाहिए।

(iv) मौजूदा रेपो रूट के अलावा 7, 14 और 28 दिन का टर्म रेपो शुरू किया गया है

(v) आरबीआई धीरे-धीरे बैंकों की नकदी (तय रेपो रेट पर) तक पहुंच कम कर रहा है और टर्म रेपो पर निर्भरता को बढ़ावा दे रहा है। मार्च 2016 तक बैंक कॉल मनी मार्केट से अपने एनडीटीएल का सिर्फ एक फीसदी ही उधार ले सकते थे। रेपो के जरिए 0.25 फीसदी और बाकी 0.75 फीसदी टर्म रेपो के जरिए। आरबीआई का लक्ष्य पूरे इंटरेस्ट रेट स्पेक्ट्रम में नीतियों के प्रभाव का प्रसार बेहतर करना और लोन बाजार को स्थिरता देना है।

(vi) केंद्रीय बजट 2016-17 के मुताबिक आरबीआई ने अब सरकारी प्रतिभूति बाजार में व्यक्तिगत तौर पर भी हिस्सा लने की अनुमति दे दी है (अमेरिका जैसी विकसित अर्थव्यवस्था की तरह ही)।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

एमसीएलआर (MCLR)

देश भर के बैंकों ने 2016-17 के वित्तीय साल से (पहली अप्रैल, 2016 से) उधार देने की अपनी ब्याज दर को तय करने के लिए नई विधि अपनाई है। इस विधि का नाम है-एमसीएलआर (मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट-धन की सीमांत लागत के आधार पर ऋण दर)। इसे भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर, 2015 में जारी किया था। एमसीएलआर के मुख्य विशेषताएं निम्न हैं:

- यह समय आधारित आंतरिक बेंचमार्क होगा, जिसे सालाना तौर पर तय किया जा सकता है।
- वास्तविक ब्याज दर एमसीएलआर में वृद्धि जोड़ने पर तय होगी।
- इसकी प्रत्येक महीने समीक्षा होगी और वह भी पहले से घोषित तिथि को।
- मौजूदा कर्जदार को उसके चुनने का विकल्प होगा।
- बैंक अपने बेस रेट की समीक्षा करते रहेंगे और उसे जारी भी करेंगे। जिस तरह से अब तक करते रहे हैं।

आरबीआई के प्रावधान के मुताबिक मौद्रिक संचरण के लिए ब्याज दरों की पॉलिसी रेट के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। लेकिन यह अभी नहीं हो रहा है। 2015-16 के दौरान रिजर्व बैंक ने रेपो रेट (पॉलिसी रेट) में 1.25 फीसदी की कमी की थी। लेकिन उसकी तुलना में बैंकों ने अपनी दरों में अधिकतम 0.6 प्रतिशत की कटौती की थी। अब से बैंक अपने बेस रेट निर्धारित करने के लिए निम्नांकित तीन तरीकों में से किसी का इस्तेमाल करेंगे:

(a) फंड का औसत मूल्य

(b) फंड का सीमांत मूल्य या

(c) फंड का मिश्रित मूल्य (देनदारी)

भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक एमसीएलआर से निम्नांकित फायदे होंगे:

- पॉलिसी रेट की दर पर ही बैंकों की ब्याज दर होगी।
- बैंकों के ब्याज दर निर्धारित करने की प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी होगी।
- कर्ज का मूल्य लेने वाले उपभोक्ताओं के साथ साथ बैंक के लिए भी अनुकूल होंगे।
- इसके जरिए बैंक ज्यादा प्रतिस्पर्धी होकर काम कर पाएंगे और ये लंबी अवधि के लिहाज से उनके लिए भी बेहतर होगा।

मार्च 2018 में यह दर 7.65 से 7.80 प्रतिशत के बीच थी।

संशोधित एलएमएफ (REVISED LMF)

अगस्त 2014 में आर.बी.आई. ने पुनरीक्षित तरलता प्रबंधन रूपरेखा (Liquidity Management Framework) कर घोषणा की जिससे कि 'इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट' में उठा-पटक की स्थिति पर अंकुश लगाया जा सके, जहाँ कि बैंक एक-दूसरे को ऋण देते हैं, साथ ही ऋणदाताओं को अपनी तरलता जरूरतों का प्रबंधन करने की छूट भी देते हैं। एलएमएफ की प्रमुख विशेषताएँ हैं:

- आर.बी.आई. ने एक पखवाड़े में चार बार 14 दिवसीय सर्वाधिक पुनर्खरीद नीलामी का संचालन शुरु किया-प्रणाली के कुल जमा आधार अथवा एनडीटीएल (Net demand and time liabilities) के 0.75 प्रतिशत राशि के बराबर कुल जमाराशि की सीमा तक।
- पूर्व के विपरीत आर.बी.आई ने इन 14 दिवसीय सावधिक रिपो संचालन (14 day term repo operation) के लिए एक निश्चित कार्ययोजना की घोषणा की है जिसका उपयोग बैंक अपनी दैनंदिन की तरलता जरूरतों की पूर्ति के लिए करते हैं। एनडीटीएल के 0.75 प्रतिशत की कुल धनराशि का एक-चौथाई प्रत्येक चार नीलामियों में से एक में नीलामी के लिए रखी जाएगी, जैसा कि आर.बी.आई. ने एक बयान में कहा।
- बैंक तरलता समायोजन सुविधा (Liquidity Adjustment Facility) खिड़की के माध्यम से निश्चित रिपो दर पर जो धनराशि प्राप्त करते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। वर्तमान में बैंकों को आईएलएफ खिड़की से एनडीटीएल

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

के 0.25 प्रतिशत धनराशि के बराबर कर्ज प्राप्त करने की अनुमति है।

- इसके साथ ही, आर.बी.आई. 'ओवरनाइट बैरिएबल रेट रिपो ऑक्शन' संचालित करता है जो कि प्रणाली में तरलता के आकलन पर तथा उस दिन की नीलामी के लिए उपलब्ध सरकारी नकद संतुलन पर निर्भर करता है।
- एलएमएफ कॉल रेट में भीषण उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए है। इसके अन्य उद्देश्य हैं बेहतर ब्याज संकेत (better interest signalling) तथा ऋण बाजार में मध्यम-सर्वाधिक स्थिरता।

भारत में बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण एवं विकास (NATIONALISATION AND DEVELOPMENT OF BANKING IN INDIA)

भारत में बैंकिंग उद्योग का विकास उसके राष्ट्रीयकरण की कहानी से जुड़ा हुआ है। एक बार जब 1949 में जब भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का राष्ट्रीयकरण हो गया और ये एक केन्द्रीय बैंक के तौर पर स्थापित हो गई तो सरकार ने निम्नलिखित प्रमुख कारणों से कुछ चुने हुए बैंकों के राष्ट्रीयकरण का विचार किया:

(i) बैंक क्योंकि निजी क्षेत्र द्वारा प्रबंधित और संचालित किए जाते थे ऐसे में बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच बेहद सीमित थी-आम लोगों की बैंकिंग सेवाओं तक कोई पहुंच नहीं थी।

(ii) सरकार को संसाधनों को ऐसे निर्देशित करने की जरूरत थी जिससे ज्यादा जनता का फायदा हो सके।

(iii) अर्थव्यवस्था के व्यवस्थित विकास के लिए ये जरूरी है कि अर्थव्यवस्था में आ रही पूंजी पर एक निश्चित हद तक सरकार का नियंत्रण हो। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण निम्नलिखित दो चरणों में हुआ।

एसबीआई का उद्भव (Emergence of the SBI)

1955 में एसबीआई एक्ट को लागू करने के साथ भारत सरकार ने तीन शाही बैंकों (मुख्य रूप से तीन पूर्व सूबों में 466 ब्रांचों के जरिये संचालित) को आंशिक तौर पर राष्ट्रीयकृत कर दिया और उनका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा-इसके साथ भारत में पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक सामने आया। इस आंशिक राष्ट्रीयकरण में आरबीआई ने 92 फीसदी हिस्सेदारी खरीद ली।

इस प्रयोग से संतुष्ट होकर सरकार ने संबंधित कदम उठाते हुए आठ और निजी बैंकों (अच्छी क्षेत्रीय उपस्थिति वाले) को एसबीआई (एसोसिएट) एक्ट, 1959 के जरिये आंशिक रूप से राष्ट्रीयकृत कर दिया और इन्हें एसबीआई के सहयोगी बैंक का नाम दिया। आरबीआई ने इनमें भी 92 फीसद की हिस्सेदारी हासिल कर ली। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर के आपस में विलय के बाद आरबीआई स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर लेकर आया। एसबीआई समूह में अब कुछ 6 बैंक हैं जिनमें एक एसबीआई है और पांच उसके सहयोगी बैंक हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों का उद्भव (Emergence of Nationalised Banks)

आंशिक राष्ट्रीयकरण के प्रयोग की सफलता के बाद सरकार ने बैंकों के पूर्ण राष्ट्रीयकरण का फैसला किया। बैंकिंग राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1969 की मदद से सरकार ने कुल 20 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया:

(i) 50 करोड़ से ज्यादा की जमा पूंजी वाले 14 बैंकों का जुलाई 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया, और;

(ii) 200 करोड़ से ज्यादा की जमा पूंजी वाले 6 बैंकों का अप्रैल 1980 में राष्ट्रीयकरण किया गया।

सितंबर 1993 में घाटे में चल रहे न्यू बैंक ऑफ इंडिया के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में विलय के बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या घटकर 19 हो गई। आज भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के 27 बैंक हैं जिनमें से

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

19 राष्ट्रीयकृत हैं (यद्यपि किसी भी तथाकथित राष्ट्रीयकृत बैंक में सरकार का सौ फीसदी स्वामित्व नहीं है)।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में बैंक खोलने बंद कर दिए हालांकि कुछ निजी विदेशी बैंकों को देश में संचालन की इजाजत दी गई जिससे वो बाह्य मुद्रा में कर्ज उपलब्ध करा सकें।

आर्थिक सुधारों की दिशा में भारत के बढ़ने के बाद सरकार ने वित्त वर्ष 1992–93 में बैंकिंग सिस्टम में समग्र सुधार शुरू किया। इसी से जुडे तीन कदमों से देश में बैंकिंग सेक्टर के और विस्तार को दिशा मिली:

(i) 1993 में एसबीआई (संशोधन) अधिनियम के जरिये एसबीआई को पूंजी बाजार में उतरने की इजाजत मिली। इस अधिनियम के तहत एसबीआई 33 फीसदी तक अपने शेयर बेच सकता था।

फिलहाल भारत सरकार के पास एसबीआई के 59। 73 फीसद शेयर हैं (नौ जुलाई, 2007 को भारत सरकार ने आरबीआई से समूची हिस्सेदारी ले ली थी। इसलिए आरबीआई का अब एसबीआई या उसके सहयोगी बैंकों पर कोई स्वामित्व नहीं है)।

10 अक्टूबर, 2007 को सरकार ने एसबीआई में अपने शेयर को 53 फीसद तक करने के प्रस्ताव का ऐलान किया, जिससे बैंक पूंजीकरण के लिए जा सकें।

(ii) 1994 में सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को भी बैंकिंग कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1994 के जरिये अपने 33 फीसद तक शेयर बेचकर पूंजी बाजार में उतरने की इजाजत दे दी।

इस के बाद से ही अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए कई राष्ट्रीयकृत बैंक पूंजी बाजार का रुख अख्तियार कर चुके हैं। इनमें इंडियन ओवरसीज बैंक अग्रणी था। इन बैंकों को यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहना ही सही होगा (क्योंकि इन बैंकों में भारत सरकार की 50 फीसदी से ज्यादा की हिस्सेदारी है) लेकिन इन्हें अब भी राष्ट्रीयकृत बैंक के तौर पर ही जाना जाता है।

(iii) 1994 में खुद सरकार ने देश में निजी बैंकों को खोलने की इजाजत दे दी। इस नए दौर का पहला निजी बैंक था–यूटीआई बैंक। इसके बाद से देश में अब तक कई दर्जन भारतीय और विदेशी बैंक खुल चुके हैं।

इस लिहाज से हम देख सकते हैं कि 1993–94 के बाद देश में बैंकों को लेकर नीतियों में व्यापक बदलाव हुआ। एक सामान्य सिद्धांत के तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र और राष्ट्रीयकृत बैंकों को निजी क्षेत्र की कंपनियों में बदला जाना है। लेकिन इनमें सरकार की न्यूनतम होल्डिंग क्या हो ये अब भी बहस का विषय है और इसका निर्धारण नहीं हुआ है।[19] बैंकों को सुदृढ़ करने की नीति सरकार अब भी अपना रही है, जिससे ये बैंक अपनी पूंजी के दायरे को विस्तार दे पाएं और ग्लोबल बैंकिंग प्रतिस्पर्धा में महत्वपूर्ण खिलाड़ी के तौर पर उभर सकें।[20] विशेषज्ञों के मुताबिक इसमें होने वाली कोई भी देरी उनके हितों को बाधित करेगी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की स्थापना 2 अक्टूबर, 1975 को की गई थी। तब इनकी संख्या पांच थी। इनका उद्देश्य बैंकिंग सेवा को ग्रामीण जनता के घरों तक पहुंचाने का था, खास–तौर पर दूरदराज के इलाकों में जहां बैंकिंग की कोई सुविधा नहीं थी। इसे दो दायित्वों का निर्वहन् करना था:

(i) समाज के कमजोर वर्ग को सस्ती ब्याज दर पर उधार उपलब्ध कराना जो उससे पहले साहूकारों पर ही नर्भर था, और;

19. As per the ***Strategic Disinvestment Statement of 1999,*** the government had decided to cut its holding in them to 26 percent. The policy was put on hold once the UPA Government came to power.

20. Y.V. Reddy, ***Lectures on Economic and Financial Sector Reforms in India (New Delhi: Oxford University Press, 2002),*** pp. 137–57

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(ii) ग्रामीण इलाकों में बचत को बढ़ावा देना और वहां उत्पादक गतिविधियों में सहयोग देना।

आरआरबी के लिए भारत सरकार, संबंधित राज्य सरकार और उसे प्रायोजित करने वाला बैंक पूंजी साझा करते थे। ये अनुपात क्रमश: 50 फीसदी, 15 फीसदी और 35 फीसदी का रहता है। आरआरबी का संचालन क्षेत्र राज्य में अधिसूचित कुछ जिलों तक ही सीमित होता है।

केलकर समिति की सिफारिशों को मानते हुए सरकार ने 1987 में नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना बंद कर दी। उस समय तक इनकी संख्या 196 थी। सामाजिक बैंकिंग की तरफ अत्यधिक झुकाव और आर्थिक रूप से बेहद कमजोर वर्ग को कर्ज देने के चलते 1980 के दशक की शुरुआत में ये बैंक काफी घाटे में चले गए। इन बैंकों के पुनर्गठन और मजबूती के लिए सरकार ने दो समितियां बनाईं। भंडारी समिति (1994-95) और बासु समिति (1995-96)। 1998-99 में जब सरकार ने कुछ गंभीर फैसले लिए तक 196 में से 171 बैंक घाटे में चल रहे थे। ये फैसले थे:

(i) रियायती लोन की बाध्यता खत्म होगी और आरआरबी अपने कर्ज पर ब्याज की वाणिज्यिक दरें वसूलने लगे।

(ii) लक्षित ग्राहक वर्ग (ग्रामीण जनता, कमजोर वर्ग) को ही कर्ज देने की बाध्यता खत्म यानी अब कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से कर्ज ले सकता था।

उपरोक्त नीतिगत बदलावों के बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लाल निशान/घाटे से उबरने लगे। सीएफएस ने अनुशंसा की कि आरआरबी का उनका प्रबंधन करने वाले राष्ट्रीयकृत या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में विलय कर देना चाहिए और अंतत: उन्हें भारत के होने वाले त्रि-स्तरीय बैंकिंग सेक्टर का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। फिलहाल देश में 40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (एकीकरण के पश्चात्) काम कर रहे हैं यद्यपि उनके एकीकरण की प्रक्रिया जारी है (*भारत 2017*)।

सहकारी बैंक (CO-OPERATIVE BANKS)

भारत में बैंकों को मुख्यत: दो मदों में रखा जा सकता है-व्यावसायिक बैंक और सहकारी बैंक। जहां व्यावसायिक बैंकों (राष्ट्रीकृत बैंक, स्टेट बैंक समूह, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) के पास बैंकिंग व्यवसाय का भारी हिस्सा है वहीं सहकारी बैंक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शुरुआत में इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने वाले स्थानीय स्रोतों, विशेषकर साहूकारों, को हटाने के लिए स्थापित किया गया था, आज ये कृषि और सहायक गतिविधियों, गांव आधारित उद्योगों और कुछ कम स्तर तक शहरी केंद्रों की व्यापार और उद्योग की जरूरतों को पूरा करते हैं। सहकारी बैंकों का एक त्रिस्तरीय ढांचा होता है:

(i) प्राथमिक ऋण संस्थाएं-पीसीएस (कृषि या शहरी),

(ii) जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक-डीसीसीबी, और;

(iii) राज्य सहकारी बैंक-एससीबी (शीर्ष स्तर पर)।

यूसीबी: शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक ऋण संस्थाएं (पीसीएस) जो कुछ निश्चित निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती हैं, आरबीआई को शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) खोलने के लिए बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकती हैं। वह संबंधित राज्य के सहकारी संस्था कानून के तहत पंजीकृत होती हैं और बैंकिंग नियमन कानून, 1949 के तहत संचालित होती हैं और इस तरह दोहरे नियामक नियंत्रण में होती हैं। इन बैंकों के प्रबंधकीय पक्ष-पंजीकरण, प्रबंधन, व्यवस्था, नियुक्ति, एकीकरण, ऋणशोधन, आदि का नियंत्रण राज्य सरकार के पास होता है जबकि बैंकिंग से जुड़े मुद्दों को आरबीआई नियंत्रित करता है।

पारंपरिक रूप से, यूसीबी का कार्यक्षेत्र महानगरों, शहरी या अर्द्ध-शहरी केंद्रों तक सीमित रहता है और ये छोटे ऋणकर्ताओं की जरूरतें पूरी करती हैं, जिनमें एमएसएमई, खुदरा व्यापारी, छोटे उद्यमी, पेशेवर और वेतनभोगी वर्ग शामिल होता है। हालांकि ऐसी कोई औपचारिक बाध्यता नहीं है और यूसीबी उस पूरे जिले में व्यवसाय कर सकते हैं, जिसमें वह पंजीकृत हैं, ग्रामीण क्षेत्रों समेत। 50 करोड़ रुपये तक के जमा वाले ऐसे यूएसबी जिनका प्रबंध बहुत

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

अच्छा है वह अन्य राज्यों में भी काम कर सकते हैं, कुछ निश्चित शर्तों के साथ।

चूंकि वे आरबीआई अधिनियम, 1934 (द्वितीय अनुसूची) के तहत आते हैं इसलिए उनके कुछ अधिकार और दायित्व हैं-आरबीआई से फिर से पैसा और ऋण पाने का अधिकार और दायित्व-जैसे कि आरक्षित नकदी बनाए रखने, मुनाफे को आरबीआई को जमा करना आदि। मौजूदा समय में 29 यूसीबी हैं।

डीसीसीबी और एससीबी: जैसा कि इनके नाम बताते हैं ये जिला और राज्य स्तर पर काम करते हैं। किसी भी जिले में एक से अधिक डीसीसीबी नहीं हो सकता और कई सारे डीसीसीबी, एससीबी को रिपोर्ट करते हैं। पहले ये आरबीआई के निरीक्षण में थे-बाद में ये काम नाबार्ड को सौंप दिया गया।

इन बैंकों की समस्याएं

सहकारी बैंक भारत के वित्तीय ढांचे मे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन उनमें कुछ बहुत गहरी कमियां भी मौजूद हैं-हम संक्षेप में उन पर नजर डाल लेते हैं:

- विनियमन सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है क्योंकि ये दोहरे नियामकों के नियंत्रण में रहते हैं-यूसीबी आरबीआई और सहकारी संस्थाओं के पंजीयक (आरसीएस) के तहत आते हैं जबकि डीसीसीबी और एससीबी नाबार्ड, आरबीआई और आरसीएस के तहत आते हैं। सरकारी बैंकों और राजनेताओं के नजदीकी संबंधों को देखते हुए और इस तथ्य के साथ कि आरसीएस राज्य सरकार के तहत काम करते हैं, वास्तविकता में ये सहकारी बैंकों की ये दोहरी (या तिहरी) निगरानी के चलते व्यवहारिकता में खराब देखरेख और नियंत्रण की ओर ले जाती है। इसके अलावा ज्यादातर सहकारी बैंकों में कौशल और विशेषज्ञता का अभाव होता है।
- ज्यादातर स्तरों पर भर्तियां और नियुक्तियों का राजनीतिकरण होता है।
- व्यावसायिक बैंकों के लिए 90 के दशक की शुरुआत में आय की शिनाख्त और विवेक भरे जिन नियमों को 90 के दशक में शुरू किया था (बैंकिंग सुधारों की प्रक्रिया के तहत) उन्हें अब भी इस क्षेत्र में लाना है।

सहकारी बैंक खबरों में अक्सर फर्जीवाड़े की वजह से रहते हैं। संघीय प्रवृत्ति के ढांचे जिसमें कई नियामक संस्थाएं हैं, में इन बैंकों को उचित मानकों के साथ चलाना मुश्किल हो जाता है। इस बीच भारत सरकार ने निर्णय किया है (*संघीय बजट 2017-18*) कि सहकारी बैंकों को 'मूल बैंकिंग' ढांचे के दायरे में लाया जाए। मूल बैंकिंग ढांचे (सीबीएस) के तहत ग्राहक बैंक की सभी शाखाओं से सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ उसी शाखा में जहां उनका खाता है की बाध्यता नहीं रहती-इससे वे बैंक के ग्राहक बनते हैं ब्रांच के नहीं।

वित्तीय क्षेत्र में सुधार (FINANCIAL SECTOR REFORMS)

वर्ष 1991 में शुरू हुई आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया ने अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका को पुनर्परिभाषित कर दिया है-आने वाले समय में विकास के लिए अर्थव्यवस्था निजी क्षेत्र की भागीदार पर ज्यादा निर्भर करेगी।[21] विकास के प्रति इस बदले हुए नजरिए को अर्थव्यवस्था के निवेश ढांचे के संपूर्ण निरीक्षण की जरूरत थी। अब निजी क्षेत्र वित्तीय प्रणाली से भारी विनियोज्य पूंजी की मांग करने जा रहा था। इस तरह भारत की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली के पुनर्गठन की उभरती जरूरत को महसूस किया गया।

राष्ट्रीयकरण के बाद के तीन दशकों में देश में बैंकिंग प्रणाली का वित्तीय और भौगोलिक विस्तार देखा गया। अस्सी के दशक के उत्तरार्द्ध में पता चला कि इसमें कुछ खास किस्म की कमियां आ गई हैं, यह महसूस किया गया कि इन्हें दूर के बिना वित्तीय प्रणाली एक सक्षम और प्रतियोगी

21. Repeated by the Government of India many times, i.e., the ***New Industrial Policy 1991; the Union Budget 1992–93; Eighth Five Year Plan (1992–97) Draft Approach;*** etc.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा पाएगी।[22] इसलिए 14 अगस्त, 1991 को वित्तीय प्रणाली पर एक उच्च स्तरीय समिति (सीएफएस) का गठन किया गया। इसे वित्तीय प्रणाली के सभी पहलुओं-ढांचा, संगठन, संचालन और प्रक्रिया की पड़ताल करनी थी। इसकी सिफारिशों के आधार पर वित्त वर्ष 1992-93 में बैंकिंग प्रणाली में व्यापक सुधार शुरू किए गए।[23]

सीएफएस की सिफारिशों का आधार कुछ मान्यताएं थीं,[24] जो बैंकिंग व्यवस्था का आधार हैं। इस बारे में भी कोई दो राय नहीं कि इन मान्यताओं के लिहाज से समिति की सिफारिशें तार्किक लगती हैं। यह मान्यता कहती है कि, ''बैंकों' के संसाधन आम जनता से आते हैं और बैंकों द्वारा इस विश्वास के साथ रखे जाते हैं कि उन्हें जमाकर्ताओं के अधिकतम लाभ के लिए लगाया जाएगा।'' इस मान्यता से खुद-ब-खुद यह अर्थ निकलता है:

(i) सरकार को भी आर्थिक नियोजन, सामाजिक बैंकिंग, गरीबी उन्मूलन आदि के लिए बैंकों और संसाधनों का इस्तेमाल करने के बहाने से राष्ट्रीकृत बैंकों की कर चुकाने की क्षमता (सॉलवेन्सी), स्वास्थ्य और क्षमता को खतरे में डालने का अधिकार नहीं है।

(ii) इसके अलावा सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि वह बैंक की राशि को कम ब्याज दर पर ले और उनका इस्तेमाल अपने उपभोग व्यय (मतलब राजस्व और वित्तीय घाटा) के लिए करे और इस तरह जमाकर्ताओं से धोखा करे।

22. Announced by the government while setting up the M. Narasimham ***Committee on Finacial System*** on 14 August, 1991. See also Publication Division, India 2011 (New Delhi: Government of India, 2002).

23. The Narasimham Committee handed over its report in record time within 3 months after it was set up.

24. Reserve Bank of India, ***Committee on Financial Systems,*** 1991.

सीएफएस (नरसिम्हन समिति) की सिफारिशों का लक्ष्य था:

(i) संचालन में एक हद तक लोचनीयता सुनिश्चित करना;

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की निर्णय लेने की प्रक्रिया में आंतरिक स्वायत्तता, और;

(iii) बैंकिंग कार्यों को काफी हद तक पेशेवराना बनाना।

सीएफएस की सिफारिशें (Recommendation of CFS)

सीएफएस की सिफारिशों[25] को मुख्यत: निम्न पांच बिंदुओं में बांटा जा सकता है:

1. प्रत्यक्ष निवेश पर

आरबीआई ने मौद्रिक और ऋण नियंत्रण को मुख्य हथियार के रूप में सीआरआर को इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी है, इसके बजाय खुले बाजार के संचालन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सीआरआर को लेकर दो प्रस्ताव हैं:

(i) सीआरआर को वर्तमान के ऊंचे स्तर 15 फीसदी से धीरे-धीरे कम करते 3 से 5 फीसदी तक लाया जाना चाहिए, और;

(ii) आरबीआई को बैंकों के सीआरआर पर ब्याज देना चाहिए जो आधारभूत न्यूनतम ब्याज दर से ऊपर और बैंकों के एक साल के जमा के ब्याज के बराबर होना चाहिए।

एसएलआर के बारे में सुझाव है कि इसे वर्तमान के उच्च स्तर से अगले पांच साल में न्यूनतम स्तर (मतलब 25 फीसदी) तक ले आना चाहिए। सरकार को यह भी सलाह दी गई थी कि वह बाजार-आधारित ऋण कार्यक्रम की दिशा में बढ़े ताकि बैंकों को एसएलआर निवेशों के आर्थिक फायदे मिल सकें।

25. Ibid.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

इन सुझावों का उद्देश्य बैंकों के पास धन की उपलब्धता बढ़ाना, बेकार पड़े धन को इस्तेमाल में लाना और बैंकों द्वारा ऋणों पर लिए जाने वाले ब्याज की दर में कटौती करना था।

2. प्रत्यक्ष ऋण कार्यक्रम पर

इस उप-शीर्षक के तहत सुझाव बैंकों द्वारा निजी क्षेत्र के ऋणों की विवशता के इर्द-गिर्द केंद्रित हैं:

(i) प्रत्यक्ष ऋण योजना को धीरे-धीरे खत्म कर देना चाहिए। समिति के अनुसार कृषि और लघु उद्योग (एसएसआई) पहले ही विकसित और परिपक्व स्थिति तक पहुंच चुका है और इसे किसी विशेष सहयोग की जरूरत नहीं है, दो दशक तक ब्याज पर सब्सिडी पर्याप्त थे। इसलिए ब्याज दरों में छूट को समाप्त कर देना चाहिए।

(ii) प्रत्यक्ष ऋण एक नियमित कार्यक्रम नहीं होना चाहिए-यह कुछ कमजोर तबकों को असामान्य सहयोग का एक मामला होना चाहिए-इसके अलावा, यह अस्थाई होना चाहिए, स्थायी नहीं।

(iii) पीएसएल की अवधारणा को पुनर्परिभाषित करके इसमें सिर्फ ग्रामीण भारत के कमजोर तबकों, जैसे कि अति गरीब किसान, ग्रामीण शिल्पकार, गांवों और गांव और झोंपड़ी उद्योगों, बहुत छोटे क्षेत्रों आदि को रखना चाहिए।

(iv) 'पुनर्परिभाषित पीएसएल' को बैंकों के औसत ऋण का 10 फीसदी मिलना चाहीए।

(v) पीएसएल की सरंचना की तीन साल बाद समीक्षा होना चाहिए।

3. ब्याज दर के ढांचे पर

ब्याज दर के ढांचे पर मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं:

(i) ब्याज दरें आमतौर पर बाजार की ताकतों से ही तय होनी चाहिए;

(ii) जमा और ऋण की ब्याज दरों पर सारा नियंत्रण हटा दिया जाना चाहिए;

(iii) छोटे आकार के पीएसएल पर रियायती ब्याज दर को धीरे-धीरे समाप्त कर देना चाहिए और आईआरडीपी ऋणों पर सब्सिडी को हटा लेना चाहिए;

(iv) बैंक दर को आधार दर होना चाहिए और अन्य सभी ब्याज दरें इससे नजदीकी से जुड़ी होनी चाहिए, और;

(v) ब्याज दर ढांचे को सरल बनाने के लिए आरबीआई ही अंतिम प्राधिकारी होना चाहिए।

4. बैंक के संरचनात्मक पुनर्गठन के लिए

बैंक के संरचनात्मक पुनर्गठन के लिए कुछ मुख्य सुझाव इस तरह हैं:

(i) बैंक की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए विलय और अभिग्रहण के जरिए पीएसबी की संख्या में पर्याप्त कटौती,

(ii) आरबीआई और (वित्त मंत्रालय के) बैंकिंग संकाय के दोहरे नियंत्रण के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए और बैंकिंग व्यवस्था के नियमन के लिए आरबीआई को प्राथमिक संस्था बनाया जाना चाहिए,

(iii) पीएसबी को स्वतंत्र और स्वायत्तशासी बनाना चाहिए,

(iv) बैंकों को स्वतंत्र और स्वायत्तशासी बनाने के संदर्भ में बैंक व्यवसाय के लिए जारी सभी दिशा-निर्देशों और नीतियों की आरबीआई को पड़ताल करनी चाहिए,

(v) सभी पीएसबी को कार्यविधि और कार्य संस्कृति के मामले में बड़े स्तर पर परिवर्तन करने चाहिए, ताकि वह आंतरिक तौर पर प्रतिस्पर्धात्मक बन सकें और विदेशों में बड़े फलक पर हो रहे नए परिवर्तन से बराबरी कर सकें, और;

(vi) अंत में, बैंक के मुख्य प्रबंधक (सीएमडी) की नियुक्ति के संबंध में सलाह है कि ये राजनीतिक दखल के आधार पर न होकर पेशेवराना अंदाज और समग्रता के आधार पर हो। विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र पैनल की भी सलाह दी जाती है

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

जो कि इस पद के लिए सही उम्मीदवार का सुझाव और चयन कर सके।

5. **परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां कोष**

बैंक और वित्तीय संस्थाओं की भारी अलाभकारी परिसंपत्तियों (एनपीए) के खतरे से निपटने के लिए, समिति की सलाह है कि परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी/कोष की स्थापना की जाए (अमेरिका के अनुभव से सबक लेते हुए)।

रिपोर्ट के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों यानी पीएसबी की खराब स्थिति के लिए समिति भारत सरकार और वित्त मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराती है। इन बैंकों का भारत सरकार, अधिकारियों, बैंक कर्मचारियों और व्यापार संघों द्वारा इस्तेमाल और अपमान हुआ है।

ये सिफारिशें कई मामलों में बेहद क्रांतिकारी थीं और इनका बैंक यूनियन और वामपंथी राजनीतिक दलों द्वारा विरोध किया गया।

समिति के कुछ अन्य मुख्य सुझाव भी थे, जिसके चलते सरकार द्वारा उठाए गए निम्न कदम संभव हो सके:[26]

(i) नए निजी क्षेत्र के बैंकों का खुलना जिसके लिए 1993 में अनुमति दी गई,

(ii) आरबीआई द्वारा तय निष्पक्ष कसौटी के आधार पर आय की पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और बैंकों द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाओं से संबंधित मितव्ययी नियम,

(iii) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पूंजी की प्रचुरता के नियमों की शुरुआत (मतलब, सीएआर का प्रावधान),

(iv) बैंक नियमों का सरलीकरण (जैसे–1994 में वित्तीय देखरेख के लिए समिति बनाना)।

बैंक क्षेत्र में सुधार
(BANKING SECTOR REFORMS)

साल 1991 में सीएफएस के सुझावों के बाद सरकार ने 1992-93 में वित्तीय व्यवस्था में सुधार प्रक्रिया व्यापक स्तर पर शुरू की। दिसंबर 1997 में सरकार ने बैंक व्यवसाय के क्षेत्र में सुधार के लिए एम. नरसिम्हन की अध्यक्षता में एक अन्य समिति का गठन किया।[27] स्थापना के समय ही समिति के उद्देश्यों को कार्यक्षेत्र में स्पष्ट कर दिया गया था:

"बैंक व्यवसाय के क्षेत्र में सुधार की प्रगति का समयबद्ध पुनरीक्षण और वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा बनाना जो भारत की वित्तीय व्यवस्था को मजबूत बनाने और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के काबिल बनाने के लिए जरूरी है।"

नरसिम्हन समिति-2 (आमतौर पर भारत सरकार यही कहती है) ने अप्रैल 1998 में अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें निम्न मुख्य सुझाव दिए गए:[28]

(i) एक मजबूत बैंक व्यवस्था की आवश्यकता जिसके लिए पीएसबी और वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) के विलय की सलाह दी गई–ज्यादा मजबूत बैंक और डीएफआई (वित्तीय विकास संस्था, मतलब–एआईएफआई) का विलय कर दिया जाए जबकि कमजोर और अलाभकारी को बंद कर दिया जाए।

(ii) विलय के बाद त्रि-स्तरीय बैंकिंग संरचना की सलाह दी गई:

(a) स्तर 1-अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दो से तीन बैंक,

(b) स्तर 2-राष्ट्रीय स्तर के 8 से 10 बैंक, और;

(c) स्तर 3-बड़ी संख्या में स्थानीय बैंक।

पहला और दूसरा स्तर अर्थव्यवस्था में कॉर्पोरेट क्षेत्र की बैंकिंग जरूरतों की देखभाल के लिए है।

(iii) जोखिम-वाली-पूंजी के ऊंची शर्तें-भारित प्रचुरता अनुपात (सीआरएआर) को 10 फीसदी तक बढ़ाने की सलाह दी गई;

---

26. Based on Y.V. Reddy, ***Lectures on Economic and Financial Sector Reforms in India, 2002***.

27. Ministry of Finance, ***Economic Survey 1998–99,*** (New Delhi: Government of India, 1999).

28. Based on the Report of the ***Committee on Banking Sector Reforms,*** April 1998 (Chairman: M. Narasimham).

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(iv) पीएसबी के लिए बजट में पूंजीकरण लाभकारी नहीं है और इसे छोड़ना चाहिए;

(v) ऋण वसूली के कानूनी ढांचे को मजबूत बनाया जाना चाहिए (सरकार ने एसएआरएफएईएसआई कानून, 2002 पारित किया था);

(vi) सभी बैंकों के लिए शुद्ध एनपीए में कटौती कर वर्ष 2000 तक 5 फीसदी के नीचे और वर्ष 2003 में तीन फीसदी के नीचे लाने की सलाह दी गई;

(vii) पीएसबी की सभी शाखाओं और कर्मचारियों के परिमेयकरण की सलाह;

(viii) नए निजी बैंकों का लाइसेंस कायम रखना (घरेलू और विदेशी दोनों);

(ix) आरबीआई की देखरेख में बैंक के बोर्ड को राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रखना चाहिए

(x) भारत में संपूर्ण बैंकिंग, वित्त और एनबीएफसी के वित्तीय नियमन और देखरेख के लिए बोर्ड (बीएफआरएस) की स्थापना करनी चाहिए।[29]

डीआरआई (DRI)

ब्याज की अंतरात्मक दर (डीआरआई) एक ऋण कार्यक्रम है जिसे सरकार ने अप्रैल, 1972 में शुरू किया था। इसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों का यह दायित्व बनता है कि वह पिछले साल दिए गए ऋण के एक फीसदी को 'सबसे गरीब' को चार फीसदी सालाना की दर से दें।

प्राथमकिता वाले क्षेत्रों को ऋण (Priority Sector Lending)

सभी भारतीय बैंकों को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण (पीएसएल) के अनिवार्य लक्ष्य को पूरा करना होता है। भारत में पीएसल में-कृषि, छोटे और मध्यम उद्यम (एसएमई), सड़क और जल परिवहन, खुदरा व्यापार, छोटे व्यवसाय, लघु आवास ऋण (10 लाख से ज्यादा नहीं), सॉफ्टवेयर उद्योग, स्वयं-सहायता समूह, कृषि-प्रसंस्करण, छोटे और सीमांत किसान, शिल्पकार, विपदाग्रस्त शहरी गरीब और कर्ज में डूबे गैर-सांस्थानिक कर्जदारों के अलावा अनुसूचित जाति, असूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लोग।[30] साल 2007 में आरबीआई ने पांच अल्पसंख्यक समुदायों को भी पीएसल में शामिल किया-बौद्ध, ईसाई, मुसलमान, पारसी और सिख। मार्च 2015 के नए दिशा-निर्देशों में आरबीआई ने इसमें 'मध्यम उद्यम, स्वच्छता और अक्षय ऊर्जा' को भी जोड़ा।[31] भारत में काम करने वाले बैंकों में पीएसएल के लक्ष्य को निम्न तरह से हासिल किया जाना चाहिए:

(i) **भारतीय बैंकों** को (सार्वजनिक क्षेत्र के साथ ही निजी क्षेत्र के बैंक भी) हर साल अपने कुल ऋणदान का 40 फीसदी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देना होता है। इसका एक उप-लक्ष्य भी है-कुल ऋणदान का 18 फीसदी कृषि क्षेत्र को और कुल ऋणदान का 10 फीसदी या पीएएसएल का 25 फीसदी (जो भी ज्यादा हो) अनिवार्य रूप से कमजोर वर्गों को दिया जाना चाहिए। पीएसएल के अन्य हिस्सों को बची हुई राशि में से-मतलब, कुल ऋणदान का 12 फीसदी-बांटा जाता है।

(ii) **विदेशी बैंकों** (जिनकी 20 से कम शाखाएं हैं) को पीएसएल के सिर्फ 32 फीसदी लक्ष्य को ही पूरा करना होता है। इनके उप-लक्ष्य हैं, निर्यात (12 फीसदी) और छोटे और मध्यम उद्यम (10 फीसदी)। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्हें पीएसएल के अन्य क्षेत्रों के लिए अपने

29. An integrated system of regulation and supervision was suggested by the Committee so that soundness of the financial system could be ensured—the concept of a financial ***super-regulator*** gets vindicated, as opines Y. V. Reddy, in ***Lecturers on Economic and Financial Sector Reforms in India,*** 38.

30. See Publication Division, ***India 2007*** (New Delhi: Government of India, 2008) and **Economic Survey 2016–07**.

31. RBI, **New Guidelines on the PSL,** 2 March, 2015.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

कुल ऋणदान के बचे हुए 12 फीसदी में से देना होता है (बोझ कम है)।

वित्तीय प्रणाली पर समिति (सीएफएस, 1991) का सुझाव था कि इसे तुरंत घटाकर सभी बैंकों के लिए 10 फीसदी कर दिया जाए और अर्थव्यवस्था के, विशेषकर बैंकिंग क्षेत्र के भले के लिए इस नीति को धीरे-धीरे खत्म कर दिया जाए। समति ने यह भी सुझाव दिया था कि पीएसएल के तहत आने वाले क्षेत्रों को हर तीन साल में बदला जाए। सरकार ने विदेशी बैंकों के लिए पीएसएल के लक्ष्य को 40 फीसदी से घटाकर 32 फीसदी करने के सिवा इस पर आगे की कार्रवाई नहीं की (20 से कम बांच वाले बैंकों के लिए 40 प्रतिशत ही रहा)। इस दौरान पीएसएल में कुछ नए क्षेत्र जोड़े गए हैं।

गैर-लाभकारी एवं दाब परिसंपत्तियां (Non-Performing & Stressed Assets–NPAs)

अलाभकारी परिसंपत्तियां (एनपीए) बैंकों के बड़े ऋण (bad debt) हैं जिनकी वसूली मुश्किल हो जाती है। ऐसी संपत्तियों की पहचान की परिभाषा समय-समय पर बदलती रहती है। बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को व्यवहार में लाने और पारदर्शिता के लिए आरबीआई ने वर्तमान पॉलिसी को 2004 में अपनाया। इसके तहत, उस ऋण को एनपीए मान लिया जाता है जो एक अवधि (90 दिन) तक यूं ही पड़ी रहती है। इसे '90 दिन' अतिरिक्त देय नियम के तौर पर जाना जाता है। कृषि ऋण के लिए ये मियाद उस फसल की मियाद के साथ जुड़ा है–जो दो फसल चक्र से लेकर एक साल तक है।[32]

एनपीए को तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है:

(a) **उप-मानक (Sub-standard):** 12 महीनों तक के या इससे कम अवधि के एन.पी.ए.।

(b) **संदिग्ध (Doubtful):** 12 महीनों से अधिक अवधि के एन.पी.ए.।

(c) **हानि परिसंपत्तियां (Loss Assets):** वैसे एन.पी.ए. जिन्हें बैंक की आंतरिक या बाह्य परीक्षकों (जैसे आर.बी.आई.) द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है। यह राशि माफ नहीं की जाती और बैंक के बैलेंस शीट में वर्णित की जाती है।

हाल की वृद्धि (Recent Upsurge)

वित्त वर्ष 2017-18 में बैंकिंग क्षेत्र, विशेषकर सरकारी बैंकों (PSBs) का निष्पादन निम्न बना रहा है। इस वर्ष (मार्च-सितंबर) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) की सकल गैर-निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों (GNPAs) की मात्रा 9.6 प्रतिशत से बढ़कर 10.2 प्रतिशत पहुंच गयी थी। वैसे इस अवधि में इनके पुनर्संरचित मानक परिसम्पत्तियों की मात्रा 2.5 प्रतिशत से घटकर 2.0 प्रतिशत हुई। इन बैंकों की दाब परिसम्पत्तियों (stressed assets) में मामूली हुई जो 2.1 प्रतिशत से बढ़कर 2.2 प्रतिशत हो गयी। इधर सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों (PSBs) के एन.पी.ए. में वृद्धि जारी रही जो सितंबर 2017 तक 13.5 प्रतिशत के उच्च स्तर तक पहुंच चुकी थी (मार्च 2017 में यह 12.5 प्रतिशत थी)। इन बैंको की दाब परिसम्पत्तियां इस अवधि में 16.2 प्रतिशत हो गईं (15.6 प्रतिशत से बढ़कर)। सरकारी बैंकों के उच्च स्तरीय एन.पी.ए. के लिए अन्यान्य कारण बताये गए हैं (वर्ष 2013-14 से अब तक के सरकारी दस्तावेजों के अनुसार) वैसे वर्तमान समय में निम्न कारकों को इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है:[33]

(i) वैश्विक एवं घरेलू स्तर पर व्यापक आर्थिक अस्थिरता के कारण अर्थव्यवस्था में सुस्ती (slowdown) की स्थिति उत्पन्न हुई और कंपनियों की ऋण भुगतान क्षमता में ह्रास हुआ (उनके लाभ में हुई गिरावट के कारण)।

32. Reserve Bank of India, 'Master Circular - Income *Recognition, Asset Classification, Provisioning and Other Related Matters'*, July 2013.

33. As the then RBI Governor Raghuram Rajan said deposing to the ***Parliamentary Accounts Committee*** in September 2016.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(ii) परियोजनाओं के अनुमोदन में विलंब होने से इनके लागत में वृद्धि हुई और ऋण भुगतान शक्ति क्षीण हुई।

(iii) बैंकों द्वारा संगठित क्षेत्र को आक्रामक (aggressive) तरीके से ऋण दिया गया जिन पर बड़े ऋणों का पहले ही उच्च बोझ था।

(iv) ज्ञानकृत चूक (willful default) की उच्च घटनाएं।

(v) ऋण संबंधी धोखाधड़ी।

(vi) बैंकिंग संस्थानों से जुड़े भ्रष्टाचार की घटनाएं।

एनपीए के समाधान (Resolution of the NPAs)

एक तरफ, नए दिशा-निर्देश जारी कर आरबीआई ने बैंकों के एनपीए को बढ़ने से रोकने की कोशिश की, दूसरी ओर, इसने समस्या को सुलझाने के लिए कई कदम भी उठाए। फरवरी 2017 तक (2014-15 से), आरबीआई ने बैंकों की एनपीए समस्या के समाधान की खातिर कई योजनाओं को लागू किया-संक्षेप में नीचे वर्णन है:

5/25 पुनर्वित्त पोषण: बुनियादी ढांचा क्षेत्र और 8 करोड़ उद्यमों में दबाव झेल रही परिसंपत्तियों के पुनर्जीवन के लिए यह योजना एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करती है। इस योजना के तहत कर्जदार ऋण की समय सीमा 25 वर्ष तक बढ़ा सकता था जिसमें ब्याज दरें प्रत्येक पांच वर्ष पर समायोजित की जातीं, ताकि ऋण चुकाने का समय इस क्षेत्र में दीर्घ समयावधि के अनुरूप रहे। अतः इस योजना का मकसद ऋण लेने वाले के क्रेडिट प्रोफाइल और नकदी की स्थिति को बेहतर करना था, जबकि बैंकों को इन ऋणों को अपनी बैलेंस शीट में सामान्य की तरह बरतने की अनुमति दी गई, जिससे एनपीए के लागत को कम रखा जा सके। हालांकि, ये ऋणशोधन लंबे समय तक खिंच गया, इस व्यवस्था का यह मतलब भी था कि कंपनियों पर ऊंची ब्याज दरों का भार पड़ गया, जिन्हें वापस चुकाना उनके लिए मुश्किल हो गया, जिससे मजबूरी में बैंकों को अतिरिक्त कर्ज देना पड़ा (जिसे 'एवरग्रीनिंग' कहा जाता है)। इसकी वजह से शुरुआती समस्या बढ़ गई।

एआरसी (परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियां): एनपीए के भार की समस्या दूर करने के विशेषज्ञ के रूप में एआरसी भारत में सरफेसी अधिनियम (2002) के तहत शुरू की गई। लेकिन एआरसी (ज्यादातर निजी स्वामित्व वाली हैं) ने खरीदे हुए एनपीए का निपटारा मुश्किल पाया, अब ऐसे ऋणों को कम कीमत पर ही खरीदने की इच्छुक हैं। नतीजतन, बैंक बड़ी मात्रा में ऐसे ऋण बेचने के इच्छुक नहीं रहे। चूंकि (2014) एआरसी के फीस की रूपरेखा संशोधित थी (एआरसी से खरीदे हुए ऋणों के बड़े अनुपात को नकद में बैंकों को भुगतान करने की मांग की गई), उनके द्वारा एनपीए की खरीद आगे धीमी पड़ती चली गई-2014-15 और 2015-16 के दौरान कुल एनपीए का सिर्फ 5 प्रतिशत ही बेचा गया।

एसडीआर (रणनीतिक ऋण पुनर्गठन): जून 2015 में, आरबीआई एसडीआर योजना के साथ आया जिसमें बैंकों को कंपनियों (जिनके दबाव वाली परिसंपत्तियों का पुनर्गठन किया गया था लेकिन ऐसे पुनर्गठन के लिए जरूरी शर्तों को वे अंततः पूरा नहीं कर पा रहे थे) के ऋण का 51 प्रतिशत इक्विटी में बदल कर सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचने का मौका दिया-इसमें मालिकाना हक बदलता है। दिसंबर 2016 के अंत तक, ऐसे सिर्फ दो सौदे ही कार्यान्वित हो सके, क्योंकि ज्यादातर उद्यम वित्तीय तौर पर अलाभकारी बने रहे, क्योंकि उनके ऋण का एक छोटा हिस्सा ही इक्विटी में बदल सका।

एक्यूआर (परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा): फंसी हुई परिसंपत्तियों की समस्या के समाधान के लिए ऐसे परिसंपत्तियों की सही परख की आवश्यकता थी। यह पड़ताल करने के लिए कि बैंक ऋणों का मूल्यांकन आरबीआई ऋण वर्गीकरण नियमों के मुताबिक ही कर रहे हैं, आरबीआई ने एक्यूआर पर जोर दिया। ऐसे नियमों में किसी भी तरह की चूक को मार्च 2016 तक जांचना था।

एस4ए (दबाव वाली परिसंपत्तियों की स्थायी संरचना के लिए योजना): जून 2016 में पेश की गई, इसमें, बैंकों द्वारा एक स्वतंत्र एजेंसी को यह निर्णय लेने के लिए नियुक्त किया गया कि कंपनी का दबावयुक्त ऋण का कितना हिस्सा वहन किया जा सकता है। बाकी (वहन न

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

किया जा सकने वाले) हिस्से को इक्विटी और अधिमानी शेयर में बदल देते हैं। एसडीआर समझौते से हटकर, इसमें कंपनी के स्वामित्व में कोई बदलाव नहीं होता।

सार्वजनिक क्षेत्र परिसंपत्ति पुनरुद्धार संस्था (पारा) [Public Sector Asset Rehabilitation Agency (PARA)]

'बैलेंस शीट सिण्ड्रोम' (बैंक के साथ कॉर्पोरेट क्षेत्र की भी) की दोहरी समस्या के समाधान के लिए, *आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17* ने सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र परिसंपत्ति पुनरुद्धार संस्था (पारा) गठित करने का सुझाव दिया–'सिण्ड्रोम' के सबसे बड़े और पेचीदा मामलों के प्रभार सहित। 1990 के मध्य में मुद्रा संकट से ग्रस्त दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में ऐसी पहलकदमियों ने सफलतापूर्वक दोहरी बैलेंस शीट की समस्या को नियंत्रित किया। सर्वेक्षण के मुताबिक, संस्था को सबसे बड़े और सबसे पेचीदा मामलों को सुलझाने का जिम्मा दिया गया। ऋण के समाधान से जुड़ी ज्यादातर बाधाओं को ऐसे उपायों से खत्म किया जा सकता है:

- ऐसे मामले में समन्वय की समस्या, ऋण को एक संस्था में केंद्रित किया जा सकेगा;
- एक तय समयावधि में वसूली को ज्यादा-से-ज्यादा रखने के लिए स्पष्ट आदेश देकर यह यथोचित प्रोत्साहन राशि के साथ गठित किया जा सकता है, और;
- यह ऋण के समाधान की समस्या की प्रक्रिया को बैंक के पूंजी की चिंताओं से अलग करेगा।

सर्वेक्षण ने पारा के गठन के प्रस्ताव को समर्थन देने के लिए सात कारणों को रेखांकित किया है, जो नीचे दिए गए हैं:[34]

(i) *यह सिर्फ बैंक के बारे में नहीं होगा, यह ज्यादातर कंपनियों के बारे में है।* अब तक, एनपीए से जुड़ी चिंताओं बैंकों की पूंजी और उन्हें कैसे धन दिया जाए ताकि वे फिर ऋण देना शुरू कर सकें, के ईर्द-गिर्द ही घूमती थीं। लेकिन ज्यादा अहम मुद्दा कॉर्पोरेट घरानों द्वारा बनाए गए एनपीए का निपटारा करने का तरीका ढूंढ़ना है (तब क्यों वे दबाव में थे)।

(ii) *यह एक आर्थिक समस्या है, कोई कथोपदेश नहीं।* धन को दूसरे कामों में लगाना (जानबूझकर भुगतान नहीं करना) निःसंदेह ऋण का भुगतान नहीं करने के पीछे की एक वजह रहा। लेकिन बड़ी संख्या में ऋण न चुकता कर पाना आर्थिक वातावरण में उम्मीद के विपरीत बदलावों की वजह से हुआ था-समयसारणी, विनिमय दरें, और वृद्धि दर के अनुमान गलत हो गए।

(iii) *दबाव वाले ऋण मुख्यत: अधिक बड़ी कंपनियों के थे।* यह एक अवसर है, क्योंकि अपेक्षाकृत कम संख्या वाले मामलों को सुलझाकर टीबीएस उबर सकेगा। लेकिन यह ज्यादा बड़ी चुनौती पेश करता है क्योंकि बड़ी संख्या वाले मामले सुलझाना स्वाभाविक रूप से ज्यादा मुश्किल है।

(iv) *ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो मौजूदा हालत में ऋण माफी या ऋण को बट्टा खाते में डालने की स्थिति में नहीं है।* पिछले कुछ वर्षों में बड़े दबाव वाली कंपनियों में पूंजी का प्रवाह घट रहा है, इस स्थिति तक कि सामान्य रूप से काम करते रहने के लिए 50 प्रतिशत से अधिक ऋण की वापसी की जरूरत है। इसका एकमात्र उपाय ऋण को इक्विटी में बदलना होगा, कंपनियों को अपने कब्जे में लेना और उन्हें घाटे में बेच देना।

(v) *उनकी मदद के लिए ऐसी योजनाओं के प्रसार के बावजूद बैंक ऐसे मामलों को सुलझाने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं।* दूसरी समस्याओं के बीच, वे कई तरह की समन्वय की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि विभिन्न फायदों के साथ बड़े कर्जदारों के पास कई ऋणदाता हैं। यदि पीएसबी बड़ी मात्रा में ऋण को बट्टा

34. **Economic Survey 2016-17**, Government of India, Ministry of Finance, N. Delhi, Vol. 1, p. 85.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

खाते में डाल देते हैं तो इससे जांच संस्थाओं का ध्यान खिंच सकता है। उसी तरह बड़ी कंपनियों को अपने कब्जे में लेना भी राजनीतिक रूप से मुश्किल होगा।

(vi) *देर करने से और नुकसान होगा।* चूंकि बैंक बड़े मामले नहीं सुलझा सकता, वे आमतौर पर कर्जदारों को दोबारा वित्त मुहैया कराते हैं –जिससे स्थिति और खराब हो जाती है। लेकिन यह सरकार के लिए महंगा पड़ता है, क्योंकि इसका मतलब फंसे हुए कर्ज बढ़ते रहेंगे, सरकार के लिए पुनः पूंजीकरण विधेयक और उससे जुड़ी राजनीतिक कठिनाइयां अंततः बढ़ेंगी। देरी अर्थव्यवस्था के लिए भी महंगी पड़ेगी, क्योंकि अक्षम बैंक अपने कर्ज बढ़ा रहे थे जबकि दबाव में आई कंपनियां अपने निवेश घटा रही थीं।

(vii) *प्रगति के लिए 'पारा' की जरूरत पड़ सकती है।* एआरसी (परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियां) फंसे हुए कर्ज को खत्म करने के लिए बैंकों की तुलना में बहुत ज्यादा सफल साबित नहीं हो पाई हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अनुभव दर्शाता है कि इस बारे में पेशेवर तरीके से चलाई जाने वाली केंद्रीय संस्था, सरकार के सहयोग से (अपनी खुद की मुश्किलों के बिना नहीं) समाधान निकाल सकती है।

फरवरी 2017 के अंत में, सरकार ने पारा के विचार पर अपने रुझान के संकेत दिए। लेकिन इससे पहले कि यह विचार अमली जामा पहने, सरकार द्वारा कई सम्बद्ध मुद्दों को निपटाना होगा, जैसेकि–इसको धन देने की प्रक्रिया; बैलेंस शीट समाधान के लिए कंपनियों का चयन करना; बैंकों के एनपीए की वसूली की प्रक्रिया इत्यादि इनमें से कुछ हैं।

शोधन-अक्षमता एवं दिवालियापन (Insolvency and Bankruptey)

बैंकों की उच्च गैर-निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों के समाधान के लिए सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल के वर्षों में कई कदम उठाये गए लेकिन वे इतने प्रभावी नहीं रहे। एक समय ऐसा आ गया जब अर्थव्यवस्था के समक्ष दोहरी बैलेंस शीट संकट (Twin Balance sheet crisis) की समस्या उत्पन्न हो गयी (वर्ष 2016-17 आते-आते)। स्थिति की गंभीरता और जटिलता को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा दिवालियापन संबंधी कानून में बदलाव का निर्णय लिया गया। ऋण लेने वाली कंपनियों की शोधन-अक्षमता (insovency) की स्थिति का बैंकिंग व्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इधर दिवालियापन स्थापित करने की वैधानिक प्रक्रिया के जटिल एवं लंबी होने से ऐसे मामलों का सही समय पर निपटारा संभव नहीं हो पा रहा था। अंततः ऋणदाता (बैंक एवं वित्तीय संस्थान) एवं ऋण लेने वाला निकाय (निजी क्षेत्र की कंपनियां) दोनों ही पर इसका उच्च वित्तीय कुप्रभाव पड़ता है।

सरकार द्वारा नये शोधन-अक्षता एवं दिवालियापन कानून को नवंबर 2017 में प्रवर्तित कर दिया गया। तब से लेकर इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है-कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (CIRP) का संपूर्ण कार्य तंत्र तैयार किया गया है। इस कार्य के लिए आवश्यक संस्थानों एवं पेशेवरों (Professionals) को तैयार करने के लिए कई नियम-कानूनों की घोषणाएं की गयी हैं। बहुत सारे मामलों को दिवालियापन प्रक्रिया के अंतर्गत लाया गया है जबकि कई मामले इस प्रक्रिया से बाहर भी आ चुके है। जनवरी 2018 तक कॉरपोरेट दिवालियापन के 525 से भी अधिक मामले नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) के समक्ष लाये जा चुके थे (*आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18* के अनुसार)। नये दिवालियापन कानून की उच्च प्राभावशीलता के लिए इसकी न्याय-निर्णय (adjudication) प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक सख्त (strict) समय-सीमा (time limit) का प्रावधान है। इस कारण से दिवालयापन के आवेदनों का द्रुत निपटारा संभव हो पा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में एक बेहतर कानूनी प्रक्रिया का उद्‌भव/विकास हुआ है जो आने वाले समय की कानूनी अनिश्चितता को कम करेगा।

कॉरपोरेट शोधन-अक्षमता समाधान प्रक्रिया में, लेनदारों की समिति (Committee of Creditors) आवेदकों से समाधान योजनाएं आमंत्रित करती है तथा एक योजना का चयन करती है। इस कानून के अंतर्गत सामाधान आवेदकों पर कोई पाबंदी

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

नहीं लगाती लेकिन कुछ आवेदकों को इसके लिए अयोग्य अवश्य ठहराती है:

(i) कोई अमुक्त (undischarged) दिवालिया;

(ii) कोई 'ज्ञानकृत' चूककर्ता' (wilful defaulter);

(iii) एक ऐसा कर्जदार जिसके खाते को एक वर्ष या अधिक के लिए एन.पी.ए. घोषित किया गया हो तथा उसने अब तक अपनी देनदारी नहीं चुकाई हो;

(iv) कोई व्यक्ति जिसे दो या दो अधिक वर्षों के कारावास वाले किसी अपराध में दोषी माना गया है;

(v) कोई व्यक्ति जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एक निदेशक (director) के रूप में अयोग्य घोषित किया गया है;

(vi) कोई व्यक्ति जिसे प्रतिभूतियों (securities) के व्यापार से प्रतिबंधित किया गया हो;

(vii) कोई व्यक्ति जो अवमूल्यित (under valued) या लेन-देन की धोखाधरी के मामले से जुड़ी किसी संस्था का संस्थापक/प्रबंधक रहा हो;

(viii) कोई व्यक्ति जिसने किसी ऐसे, जो समाधान प्रक्रियारत किसी चूककर्ता (defaulter) का लेनदार हो, के लिए कोई प्रवर्तनीय (enforceable) गारंटी दी हो;

(ix) ऊपर लिखित किसी विषय से जुड़ा कोई व्यक्ति जो भारत के क्षेत्राधिकार (jurisdiction) के बाहर हो, या;

(x) कोई व्यक्ति जो किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति से जुड़ा हो जो ऊपर लिखित विषय में अयोग्य ठहराया गया हो।

इस कानून का बल इस बात पर है कि अवांछनीय व्यक्तियों को देनदार (ऋणी) के लिए बोली लगाने (bidding) से रोका जाए। इसके अंतर्गत प्रवर्तकों (promoters) को अपनी ही फर्म के लिए बोली लगाने से रोकने का प्रावधान है। समाधान योजना में वित्तीय तथा परिचालित लेनदारों का मूल्य कटौती (haircut) का प्रावधान किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में बिना किसी गारंटी के बोली लगाने की अनुमति देने से व्यापक विसंगतियां उत्पन्न हो सकती हैं-कोई व्यक्ति जिसने अपनी फर्म को दिवालिया घोषित किया है अपनी फर्म के लिए बोली लगाकर उसे सस्ते मूल्यों में वापस पा सकता है, ऐसे में नैतिक संकट (moral hazard) की स्थिति बन सकती है जिसमें धोखेबाज प्रवर्तकों को एक तरह से पारितोषिक (reward) प्राप्त होगा (अपनी ही कंपनी को सस्ते मूल्यों में वापस पाने से) और दूसरी तरफ ऋणदाओं को दंड मिलेगा (क्योंकि ऋण के एक बड़े भाग से हाथ धोना पड़ सकता है या उन्हें माफ कर देना होगा)।

इस प्रकार इस कानून द्वारा एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास किया गया है ताकि सी.ओ.सी. सभी आवेदकों में से सर्वोत्तम समाधान योजना का चयन करने की अपनी स्वतंत्रता रखते हुए अविवेकपूर्ण (imprudent) समाधानों से बच सके। सरकार के इस दिवालियापन कानून को विशेषज्ञों एवं उद्यमियों दोनों ही द्वारा एक अच्छा कदम माना जा रहा है।

एसएआरएफएईएसई अधिनियम, 2002 (SARFAESI Act, 2002)

जानबूझ कर कर्ज न चुकाने (willful defaulters) वालों पर शिकंजा कसने के लिए आखिरकार भारत सरकार ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रीकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एसएआरएफएईएसआई) कानून, 2002 पास किया।

कानून से बैंकों वित्तीय संस्थाओं को एनपीए के संबंध में काफी अधिकार मिले हैं:

1. कर्ज के एनपीए होने की स्थिति में 75 फीसदी कर्ज वाले बैंक/वित्तीय संस्थान मिलकर उधार लेने वाले के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं:

    (i) कर्ज लेने वालों के खिलाफ 60 दिन के भीतर ऋण चुकाने के लिए डिफॉल्ट का नोटिस जारी कर सकते हैं।

    (ii) कर्जदार अगर बकाया नहीं चुकाता है तो:

        (a) सिक्योरिटी (जमानत) जब्त कर सकते हैं और/या

        (b) कर्ज लेने वाली संस्था के मैनेजमेंट पर कब्जा कर सकते हैं और/या

        (c) संस्थान को चलाने के लिए किसी को नियुक्त कर सकते हैं।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(iii) अगर मामला पहले से ही बीआईएफआर के पास है तो अध्यादेश के नियमों के तहत कुल कर्ज में 75 फीसदी हिस्सा रखने वाले बैंकों वित्तीय संस्थाओं की कार्रवाई स्थगित हो सकती है।

2. अध्यादेश के नियमों के तहत बैंक वित्तीय संस्थाएं शेयर को परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) या प्रतिभूतिकरण को बेच सकते हैं (कुछ साल पहले अमेरिका की तर्ज पर एआरसी के गठन के बारे में सोचा गया था)।

दुराग्रही चूककर्ता (Wilful Defaulter)

बहुत सारे लोग और संस्थाएं है जो कर्ज देने वाली संस्थाओं से ऋण लेते हैं लेकिन चुका नहीं पाते हैं। हालांकि सभी को विलफुल डिफॉल्टर्स नहीं कहा जाता। जैसा कि नाम से ही समझा जा सकता है कि विलफुल डिफॉल्टर वो है जो अपना कर्ज या देनदारी जानबूझकर नहीं चुकाता है, लेकिन इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो विलफुल डिफॉल्टर को परिभाषित करती हैं। आरबीआई के मुताबिक उसे विलफुल डिफॉल्टर माना गया है:

(i) जिसकी कर्ज चुकाने की वित्तीय स्थिति है लेकिन ऐसा नहीं कर रहा,

(ii) या वह व्यक्ति, जो धन जिस काम के लिए लिया गया हो उसके लिए इस्तेमाल न कर उसका इस्तेमाल दूसरे काम के लिए कर रहा हो।

(iii) या उसका धन वहां मौजूद नहीं हो जिस काम के लिए ऋण लिया गया हो यानी उसे दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया हो,

(iv) या उसने उस संपत्ति को बेच दिया हो जिसके एवज में ऋण लिया गया हो।

छोटे समय के ली गई चल पूंजी को लंबे समय की पूंजी के लिए इस्तेमाल करना यानी ऐसी संपत्ति में निवेश करना जिसके लिए ऋण नहीं लिया गया हो, उसे धन का पथांतरण कहते हैं। बेईमानी से धन के स्थानांतरण (साइफनिंग ऑफ फंड) का मतलब है कि धन का ऐसी जगह इस्तेमाल, जिसका ऋण से कोई संबंध न हो और जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति पर असर पड़ता हो।

हालांकि किसी बड़ी संस्था या व्यक्ति को किसी एक केस के आधार पर विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं कर सकते बल्कि उसके भुगतान का ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ता है। यह साबित करना पड़ेगा कि जानबूझ कर कर्ज अदा नहीं किया गया है और इसके बारे में उसे सूचना देनी होगी। इस मुद्दे पर डिफॉल्टर को भी अपना पक्ष रखने का मौका देना होगा। साथ ही विलफुल डिफॉल्ट की श्रेणी में शामिल करने के लिए पूंजी कम-से-कम 25 लाख रुपये होनी चाहिए।

अगर किसी संस्था या व्यक्ति का नाम विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट में शामिल हो जाता है तो उसके ऊपर निम्न प्रतिबंध लागू हो जाते हैं:

(i) पूंजी बाजार में हिस्सा लेने पर रोक लग जाती है।

(ii) नया उपक्रम शुरू करने के लिए बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने पर 5 साल की रोक लग जाती है।

(iii) कर्ज देने वाली संस्थाएं बकाया वसूली के लिए कार्रवाई शुरू कर सकती हैं और जरूरत पड़ी तो आपराधिक कार्रवाई भी कर सकती हैं।

(iv) कर्ज देने वाली संस्थाएं डिफॉल्ट कंपनी से संबंध रखने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरी कंपनी के बोर्ड में भी शामिल होने से रोक सकती हैं।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio)

पहली नजर में लगता है कि बैंक किसी भी अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र में शामिल एक उद्योग या व्यवसाय है। लेकिन किसी भी दूसरे व्यवसाय या उद्योग के मुकाबले बैंक के नाकाम होने का असर अर्थव्यवस्था पर ज्यादा होता है। मूल रूप से पहले की तुलना में आधुनिक अर्थव्यवस्था बैंकों पर बहुत ज्यादा निर्भर है-बैंकों को आज अर्थव्यस्था की रीढ़ कहा जाता है। अर्थव्यस्था की सेहत के लिए जरूरी है कि बैंक सही तरीके से

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

काम करें। बैंकों के लिए ऋणदान का निर्माण (ऋण बांटना) काफी जोखिम वाला व्यवसाय है, क्योंकि बैंकों की ऋण गुणवत्ता जमाकर्ताओं की पूंजी पर निर्भर है। ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी भुगतान प्रणाली चाहे सरकारी हो या निजी, बैंकों पर निर्भर है। एक बैंक के नाकाम होने का मतलब है–पूरी अर्थव्यस्थता में अराजकता फैलना। इसीलिए दुनिया भर की सरकारें बैंकों के नियामक पहलू पर ज्यादा ध्यान देती हैं। बैंकों के लिए हर नियामक नियम साधारण गणित पर काम करता है, जैसे–कैसे बैंकों को कम जोखिम के साथ अधिक ऋणदान की स्थिति पैदा करनी चाहिए और स्थाई रूप से काम करते रहना चाहिए। बैंकिंग व्यवसाय में जोखिम हमेशा मौजूद रहता है और इसे कभी भी शून्य नहीं किया जा सकता; कोई भी ऋण जो किसी व्यक्ति या किसी संस्था को दिया जाता है (चाहे उसकी ऋणदान की क्षमता जो भी हो) उसके खराब कर्ज (भारत में एनपीए) बनने का जोखिम बना रहता है, और ऐसा होने की संभावना 50 फीसदी होती है। लेकिन बैंकों का काम करना जरूरी है ताकि अर्थव्यस्था चलती रहे। और आखिर में, दुनिया भर के केंद्रीय बैंक एक ओर बैंकों के जोखिम को कम करने के लिए नियम बना रहे हैं, तो दूसरी ओर 'कुशन' (झटका झेलने की क्षमता) उपलब्ध करा रहे हैं ताकि बैंकों को 'बस्ट' (दिवालिया होने के बाद बंद होना) होने से रोका जा सके। बैंकों को कुशन उपलब्ध कराने को तीन बड़ी बातों से समझा जा सकता है:[35]

(i) बैंक की कुल पूंजी के हिसाब से नकद अनुपात का प्रावधान (भारत में कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर के तौर पर जाना जाता है),

(ii) बैंकों की ओर से इस्तेमाल होने वाली कुल पूंजी में से कुछ हिस्सा गैर-नकदी के रूप (भारत में इसे एसएलआर के रूप में जाना जाता है) में रखना, और;

(iii) पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) का प्रावधान।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरआर) बैंक नियमन के क्षेत्र में सबसे आखिर में शामिल हुआ जो ऋणदान की अनिश्चितता और संभावित जोखिम से बचाव का मजबूत हथियार है। 1988 में विकसित देशों के केंद्रीय बैंक ऐसी व्यवस्था के लिए तैयार हुए। सीएआर को बेसल समझौते के तौर पर भी जाना जाता है।[36] अंतर्राष्ट्रीय समझौता बैंक (Bank for International Settlements–BIS)[37] की स्विट्जरलैंड के शहर बेसल में हुई बैठक में यह समझौता हुआ था। उस वक्त पूंजी पर्याप्तता अनुपात के लिए बेसल-1 नियम पर समझौता हुआ था–इसके तहत बैंकों के अपनी पूंजी के खास हिस्से को रखना होता था ताकि इसका इस्तेमाल संभावित घाटे या ऋण डूबने के दौरान किया जा सके।[38] 1988 में पूंजी पर्याप्तता अनुपात 8 फीसदी रखने पर समझौता हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बैंक का कुल निवेश और ऋण 100 रुपये है तो बैंक को मुक्त पूंजी[39] के तौर पर उस खास समय में 8 रुपये रखने होंगे। पूंजी पर्याप्तता अनुपात कुल पूंजी के कुल जोखिम का प्रतिशत है।

35. Through various legislations, since the ***RBI Nationalisation Act, 1949*** and the ***Banking Regulation Act, 1949*** were enacted – and further ***Amendments*** to the Acts, Ministry of Finance, Government of India, New Delhi.

36. Simon Cox (ed.), 'Economics', ***The Economist***, 2007, p. 75.

37. The ***BIS*** is today a central bank for central bankers set up in 1930 in a round tower near Basel railway station in Switzerland as a private company owned by a number of central banks, one commercial bank (Citibank) and some private individuals. Today it functions as a meeting place for the bank regulators of many countries, a multilateral regulatory authority and a ***clearing house*** for many nations' ***reserves*** (i.e. foreign exchange). See Tim Hindle, 'Pocket Finance' ***The Economist,*** 2007, pp. 35–36.

38. Investments made and loans forwarded by banks are known as risky assets.

39. The capital of a bank was classified into Tier-I and Tier-II. While Tier-I comprises share capital and disclosed reserves, Tier-II includes revaluation reserves, hybrid capital and subordinated debt of a bank. As per the provision, Tier-II capital should not exceed the Tier I capital. The risk-weighting depends upon the type of assets—for example it is 100 per cent on private sector loans, while only 20 per cent for short-term loans.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

सीएआर बैंकों की पूंजी के जोखिम तय करने का तरीका है जो बैंक के ऋणदान को प्रतिशत में बताता है:

सीएआर = श्रेणी 1 और श्रेणी 2 की कुल पूंजी ÷ जोखिम वाले असेट का भार

इसे पूंजी के लिए जोखिमभारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) के तौर पर भी जाना जाता है। इस अनुपात का इस्तेमाल दुनिया भर में जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा और वित्तीय क्षेत्र में स्थिरता और कुशलता के लिए किया जाता है। बेसल-2 नियमों के तहत 2 तरह की पूंजी का आंकलन किया जाता है श्रेणी– पूंजी, जो बैंक के बिना ठप हुए नुकसान को झेल लेती है और श्रेणी– पूंजी, जो बंद होने की स्थिति में नुकसान झेल सकती है और इसीलिए यह जमाकर्ताओं को थोड़ी कम सुरक्षा देती है। नया नियम (बेसेल-3) तीसरी श्रेणी की पूंजी का सुरक्षा चक्र है जिसे श्रेणी– पूंजी कहते हैं।

आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र सुधार के तहत 1992 में पूंजी के लिए जोखिमभारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) सिस्टम लागू किया। इसे बीआईएस मानदंडों के अनुसार लागू किया गया।[40] आने वाले समय में बेसेल नियम मियाद-ऋणदाता संस्थानों, प्राथमिक वितरक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) पर भी लागू किया जाएगा। इस बीच बीआईएस सीएआर के नए नियमों को पेश किया गया है जिसे बेसल-2 के तौर पर जाना जाता है। भारत में सीएआर नियमों के लिए आरबीआई के दिशा निर्देश नीचे दिए गए हैं:

(i) सीएआर के लिए बेसल-1 नियम सभी भारतीय बैंक मार्च 1997 तक पूरा कर लेंगे।

(ii) 31 मार्च, 2000 से सीएआर बढ़ाकर 9 फीसदी कर दिया गया (नरसिंम्हम समिति-2) ने 1998 में इसे बढ़ाकर 10 फीसदी करने की सिफारिश की थी)[41]

(iii) विदेशी बैंकों के साथ-साथ घरेलू बैंक जिनकी विदेशों में मौजूदगी है उन्हें बेसल-3 नियमों को 31 मार्च, 2008 से अनुपालन आवश्यक हुआ, जबकि बाकी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 31 मार्च, 2009 से इसे मानना अनिवार्य हुआ। बेसल-2 नियमों में सीएआर 12 फीसदी था।[42]

सीएआर बनाए रखना क्यों जरूरी है? (Why to maintain CAR?)

मूल सवाल ये है कि बैंकों को सीएआर नियमों के आधार पर पूंजी रखने की क्या जरूरत है। इसके लिए 2 कारण[43] माने गए हैं:

(i) बैंक पूंजी, बैंकों के नाकाम होने से रोकने में मदद करती है। बैंक जमाकर्ताओं की या दूसरे कर्जदाताओं की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाने की स्थिति में बैंक पूंजी मददगार साबित होती है। व्यवसाय में नुकसान होने पर कम पूंजी वाले बैंकों की शुद्ध संपत्ति नकारात्मक हो जाती है। दूसरे शब्दों यह दिवालिया हो जाते हैं, ऐसे में यह कानून बैंकों के दिवालिया होने की स्थिति में कुशन का काम करती है।

(ii) पूंजी का यह हिस्सा बैंकों के मालिकों (शेयर होल्डर्स) के मुनाफे पर असर डालता है।

बेसल समझौता (BASEL ACCORDS)

बेसल समझौते (यानी बेसल I, II अब III) संधियों का एक समुच्चय है, जो बैंक पर्यवेक्षण पर बेसल समिति

40. The RBI is a member of the Board of the BIS. The financial sector reforms commenced in India in the fiscal 1992–93 after the report submitted by the Narasimham Committee on Financial system (CFS).

41. Ministry of Finance, ***Committee on Banking Sector Reforms*** (M Narasimhan Committee-II), (New Delhi: Government of India, April 1998).

42. Ministry of Finnace, ***Economic Survey 2006–07***.

43. D. M. Nachane, Partha Ray and Saibal Ghosh, ***India Development Report 2004–05*** (New Delhi: Oxford University Press, 2005), pp. 171.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(बीसीबीएस) द्वारा तैयार किया गया है। ये पूंजी जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम के मामले में बैंकिंग विनियम पर सिफारिशें उपलब्ध कराते हैं। इन समझौतों का उद्देश्य यह सुनिश्चित कराना है कि वित्तीय संस्थानों के पास अकाउंट पर पर्याप्त पूंजी है, ताकि अप्रत्याशित हानि की क्षतिपूर्ति हो सके और शर्तों का निर्वहन् हो। बैंकिंग की दुनिया के लिए ये समझौते सबसे अहम हैं। पूरी दुनिया में अभी 100 से अधिक देश इनको मानते हैं। बैंक के क्रेडिट जोखिम के मद्देनजर किफायती पूंजी मानकों में वृहत्तर अंतरराष्ट्रीय समानता लाने के वर्षों के प्रयास के नतीजे के रूप में ये समझौते हैं।[44] इनके उद्देश्य हैं:

(i) अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग तंत्र को मजबूत बनाना;

(ii) राष्ट्रीय पूंजी मानकों पर एक तरह के झुकाव को प्रोत्साहित करना;

(iii) दुनिया भर के देशों के बीच प्रतिस्पर्द्धी विषमता को हटाना।

बेसल 1 कानूनी दस्तावेज नहीं है। यह स्विट्जरलैंड के बेसल में बीआईएस की बैंकिंग सर्वेक्षण बेसल समिति (बीसीबीएस) के सदस्य देशों के अंतरराष्ट्रीय सक्रिय बैंकों पर लागू होने के लिए बनाए गए। इसलिए बेसल-1 जी-10 केंद्रित लगता है।[45]

पहला बेसल समझौता, यानी **बेसल-1** वित्तीय संस्थानों की पूंजी प्रचुरता पर केंद्रित है। पूंजी प्रचुरता जोखिम (अप्रत्याशित हानि के कारण वित्तीय संस्थाएं जोखिम का सामना करते हैं) वित्तीय संस्थानों की परिसंपत्तियों को पांच जोखिम श्रेणियों (0 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 100 प्रतिशत) में बांटता है। अंतरारष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे बैंकों को आठ प्रतिशत या उससे कम जोखिम-भार की जरूरत पड़ती है।

44. Ibid, 172.

45. G-10 comprises Belgium, Canada, France, Germany, Italy, Japan, The Netherlands, Sweden, UK and USA; later the group incorporated Luxembourg, Switzerland and recently Spain into its fold.

दूसरा बेसल समझौता, यानी **बेसल-II** को 2015 तक पूरी तरह से लागू होना है। यह तीन क्षेत्रों पर केंद्रित है-न्यूनतम पूंजी की जरूरत, पर्यवेक्षी समीक्षा और बाजार-व्यवस्था, जो कि तीन स्तंभ कहलाते हैं। इस समझौते का मकसद अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग मांगों को मजबूत बनाना, साथ ही इन मांगों को पूरा करनै और उसकी निगरानी करना है।

तीसरा बेसल समझौता, यानी **बेसल-III** सुधार उपायों का एक विस्तृत समुच्चय है, जिसका मकसद बैंकिंग क्षेत्र का विनिमय, पर्यवेक्षण और जोखिम प्रबंधन है।[46] ये उपाय केंद्रित हैं:

(i) किसी भी स्रोत से आई आर्थिक और वित्तीय विपदा से उबरने की क्षमता बैंक क्षेत्र विकसित करे;

(ii) जोखिम प्रबंधन और प्रशासन को सुधारे, तथा;

(iii) बैंकों की पारदर्शिता और उसके पर्दाफाश को ज्यादा-से-ज्यादा सामने लाए।

बैंकों की पूंजी को तीन वर्गों में बांटा गया है:

टियर 1 पूंजी: यह बैंक की पूंजी प्रचुरता को बताने के संदर्भ में इस्तेमाल होती है। बगैर कारोबार बंद किए, यह नुकसान को अवशोषित कर सकती है। नियामक के नजरिये से यह बैंक की वित्तीय मजबूती का मुख्य उपाय है।

टियर 2 पूंजी: यह भी बैंक की पूंजी प्रचुरता को बताने के लिए इस्तेमाल होती है। यह बंदी के समय में नुकसान को अवशोषित करती है और इसलिए जमाकर्ताओं को अपेक्षाकृत कम सुरक्षा प्रदान होती है। टियर 11 पूंजी बैंक का द्वितीयक बैंक कैपिटल है। यह टियर 1 पूंजी से जुड़ी हुई है। यह नियामक के नजरिये से बैंक की वित्तीय मजबूती का एक उपाय है।

टियर 3 पूंजी: यह भी बैंक की पूंजी प्रचुरता को बताने के लिए होती है। यह बैंक की तृतीय पूंजी है, जिसे बाजार-जोखिम, सामग्री-जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम की स्थिति में सहायता या इन जोखिमों की मांग में इस्तेमाल

46. ***Bank of International Settlemets,*** Basel, Switzerland, 15 May, 2012.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

किया जाता है। यह टियर I और II की तुलना में कई तरह के कर्ज को समाहित करती है।[47]

बेसल-III के प्रावधान (Basel III Provisions)[48]

नए प्रावधानों ने बैंक की पूंजी को अलग तरीके से परिभाषित किया है। ये पहले की तरह ही प्रतिधारित आमदनी और सामान्य इक्विटी को पूंजी का सर्वाधिक घटक मानते हैं, लेकिन ये चीजों के समावेशन को रोकते हैं, जैसे–वित्तीय संस्थानों में विलंबित कर-परिसंपत्ति, मार्गेज-सर्विसिंग अधिकार और निवेश कॉमन इक्विटी कंपोनेंट के 15 प्रतिशत से अधिक न हों। इन नियमों का उद्देश्य पूंजी की गुणवत्ता और मात्रा, दोनों सुधारनी हैं।

हालांकि, नए मानदंड के आधार पर महत्वपूर्ण पूंजी अनुपात को बढ़ाकर जोखिम भरी परिसंपत्तियों का सात प्रतिशत कर दिया गया है लेकिन टियर-I पूंजी को, जो कॉमन इक्विटी और किफायती तथा वरीयता प्राप्त स्टॉक को समाहित करती है, जनवरी 2013 से जनवरी 2015 तक चरणबद्ध तरीके से दो प्रतिशत से बढ़ाकर 4.5 प्रतिशत कर दिया गया। इसके अलावा, भविष्य की विपत्ति के लिए बैंक को अलग से 2.5 प्रतिशत आकस्मिक कोष के तौर पर रखना होगा। बफर की पूर्ति में नाकाम रहे बैंक लाभांश भुगतान में असक्षम हो सकते हैं, हालांकि, उनको नकद उगाही करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

नए मानदंड वृहत्तर-किफायती स्थिरता पर केंद्रीय बैंकरों की नई सोच पर आधारित हैं। व्यवहार में यह बदलाव अमेरिकी सब-प्राइम मार्केट में संकट के बाद आई वैश्विक मंदी से हुआ है। पुराने दिशा-निर्देश, यानी कि बेसल-II वृहत्तर-किफायती विनमय पर केंद्रित था। दूसरे शब्दों में अब, वैश्विक नियामक पूरे तंत्र की वित्तीय स्थिरता पर ध्यान लगा रहा है, न कि किसी बैंक विशेष के सूक्ष्मतापूर्वक संचालन पर।

पश्चिम में बैंक, जो कि ज्यादातर हिस्सों के लिए बाजार के अग्रणी हैं, कम विकास का सामना कर रहे हैं। काफी ऋण-जोखिम और सख्त विनियमन के कारण पूंजी का क्षरण हो रहा है। उनको इक्विटी पर लाभ में आई स्थायी कमी पर ध्यान देना होगा। इसके लिए नए मानदंड के तरहत बढ़ाई गई पूंजी-मांगों को धन्यवाद देना चाहिए। इसके विपरीत, भारतीय बैंक और दूसरे उभरते हुए बाजार, जैसे कि चीन और ब्राजील अपने लाभ कायम रखने में सफल रहे हैं। वित्त मामलों के जानकार राय देते हैं कि बेसल-III आर्थिक परिदृश्य को बदलता दिख रहा है, जहां उभरते हुए बाजारों की तरफ बैंकिंग शक्ति खिसक रही है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा बेसल-III का अनुपालन (Basel III Compliance of the PSBs & RRBs)

भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो (सीआरएआर) पूंजी मार्च 2014 (बेसल-3) में 13.2 प्रतिशत थी, जो सितंबर 2014 में नीचे गिरकर 12.75 प्रतिशत तक पहुंच गई। 2015 में सीआरएआर की नियामक आवश्यकता 9 प्रतिशत की है। हालांकि समग्र स्तर पर पूंजी की स्थिति में गिरावट दरअसल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पूंजी की गिरती स्थिति की वजह से है। सितंबर 2014 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सीआरएआर 12.75 प्रतिशत के हिसाब से जहां संतोषजनक है वहीं बैंकिंग क्षेत्र खास तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के आगे बढने की रफ्तार को देखते हुए नियामक जरूरतों के लिए अतिरिक्त पूंजी बफर से संदर्भ में अच्छी खासी पूंजी की जरूरत होगी।

47. Subordinated debt ranks below other debts with regard to claims on assets or earnings (also known as a 'junior debt'). In the case of default, such creditors get paid out until after the senior debtholders were paid in full. Thus, such capitals of banks are more risky than unsubordinated debt.
48. ***Reserve Bank of India,*** MoF, GoI, New Delhi, May 5, 2012.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बेसल-3 के मानकों[49] के अनुपालन के लिए तैयार करने के उद्देश्य से सरकार 2011-12 से ही रीकैपटिलाइजेशन प्रोग्राम का पालन कर रही है। इस संबंध में एक उच्चस्तरीय समिति का भी गठन किया गया जिसने संसद के विशेष अधिनियम के तहत 'नॉन-ऑपरेटिंग होल्डिंग कंपनी' (होल्डको) बनाने का सुझाव दिया (इस संबंध में कार्रवाई होनी अभी बाकी है)।

इस बीच सरकार मार्च 2015 तक बैंकों में तीन बार पूंजी लगा चुकी है (सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के माध्यम से ही उनके अंतर्गत कार्य करने वाले आर.आर.बी. का भी पूंजीकरण जारी है):

(i) 2012-13 में सार्वजनिक क्षेत्र के 7 बैंकों में 12 हजार करोड रुपये लगाए गए।

(ii) 2013-14 में सार्वजनिक क्षेत्र के 8 बैंकों में 12,517 करोड रुपये लगाए गए।

(iii) 2014-15 में सरकारी बैंकों (पीएसबी) को 6990 करोड़ रुपये दिए गए। ये पैसे कुछ नए मानदंडों—संपत्ति की गुणवत्ता, बैंकों मजबूती और कार्यक्षमता के आधार पर दिए गए।

(iv) 2015-16 के दौरान सरकार ने 13 सरकारी बैंकों (पीएसबी) को 19, 950 (आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16) जारी किए।

(v) 2016-17 के लिए सरकार ने सरकारी बैंकों (केंद्रीय बजट 2016-17) को 25, 000 करोड़ देने का ऐलान किया है।

(vi) सरकार द्वारा इंद्रधनुष (Indradhanush) योजना के अंतर्गत (2015-16 में प्रारंभ) सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों (PSBs) को मार्च 2019 तक 70,000 करोड़ रु. धनराशि प्रदान (infuse) करने की योजना है ताकि 'वैश्विक जोखिम प्रावधानों' (बेसल III प्रावधान) को पूरा करने में मदद मिल सके।

(vii) इनकी पुनर्पूंजीकरण की प्रक्रिया को एक बहुत बड़ा बल मिला जब सरकार द्वारा इस कार्य के लिए 2.11 लाख करोड़ रु. धनराशि के प्रावधान की घोषणा की गयी (फरवरी 2018)। यह धनराशि पी.एस.बी. को अक्तूबर 2019 तक प्राप्त हो जाएगी जिसमें से 1.35 लाख करोड़ रु. के 'रिकैपिटलाइजेशन बॉण्ड' जारी किए जाएंगे तथा बाकी की धनराशि (76,000 करोड़ रु.) की व्यवस्था बैंक बाजार से (विनिवेश प्रक्रिया) तथा बजटीय माध्यम से प्राप्त करेंगे। इस माध्यम से इन बैंकों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio) भी सुधरेगा।

आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार, सितंबर 2017 तक भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का 'पूंजी एवं जोखिम-भारित परिसम्पत्तियों का अनुपात' (CRAR) 13.9 प्रतिशत था (मार्च 2017 के 13.6 प्रतिशत की तुलना में)। इस सुधार का मुख्य कारण निजी क्षेत्र के बैंकों का बेहतर निष्पादन रहा।

मुद्रा का स्टॉक (Stock of Money)

किसी भी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक के लिए ये पता रखना जरूरी है कि अर्थ व्यवस्था में कितना रुपया उपलब्ध है, तभी वो उचित तरह की कर्ज और मौद्रिक नीति बना सकती है। आसान शब्दों में कहें तो किसी भी अर्थव्यवस्था की मौद्रिक और कर्ज नीति दरअसल उस आर्थिक व्यवस्था में पूंजी के प्रवाह के बदलते स्तर से जुडी है। लेकिन ये तभी किया जा सकता है जब हमें रुपये का वास्तविक प्रवाह पता हो। इसलिए ये जरूरी है कि पहले अर्थव्यवस्था में रुपये के प्रवाह के स्तर का मूल्यांकन किया जाए।

1977 में पूंजी की आपूर्ति के दूसरे कार्यसमूह की अनुशंसाओं को मानते हुए आरबीआई ने आरक्षित रुपये के अलावा चार मौद्रिक राशियां (रुपये के अवयव)-एम$_1$, एम$_2$,

49. **Basel III** norms prescribe a minimum regulatory capital of 10.5 per cent for banks by 1 January, 2019. This includes a minimum of 6 per cent ***Tier I*** capital, plus a minimum of 2 per cent ***Tier II*** capital, and a 2.5 per cent capital conservation buffer. For this buffer, banks are expected to set aside profits made during good times so that it can be drawn upon during periods of stress.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

एम$_3$ और एम$_4$ (मूल रूप से मुद्रा-1, मुद्रा-2, मुद्रा-3 और मुद्रा-4 के लिए संकेतक) प्रकाशित की। इन अवयवों का इस्तेमाल रुपये के नकदीकरण के अंतर को थामने केलिए किया गया।

एम$_1$ = लोगों के पास मुद्रा और सिक्के+बैंकों की जमा मांग (चालू और बचत खाता)+ आरबीआइ के दूसरे जमा

एम$_2$ = एम$_1$ + डाकघरों में जमा मांग (जैसे—बचत योजनाओं की रकम)

एम$_3$ = एम$_1$+ बैकों में समय/मियादी जमा (जैसे—रेकरिंग या फिक्स डिपॉजिट में जमा रकम)

एम$_4$ = एम$_3$+ पोस्ट ऑफिस में कुल जमा (मांग और समय/मियादी जमा दोनों)

रुपयों की आपूर्ति पर डॉ. वाई. वी. रेड्डी की अध्यक्षता वाले अपने कार्यसमूह की 1998 में दी गई रिपोर्ट की सिफारिश पर आरबीआइ ने अब नए मौद्रिक अवयवों का प्रकाशन शुरू कर दिया है।[50] इस कार्यसमूह ने अग्रगामी तरलता के आधार पर बैंकिंग सेक्टर की बैलेंस शीट को आधार मानते हुए चार मौद्रिक अवयवों के संकलन की सिफारिश की:

एम$_0$ (मौद्रिक आधार), एम$_1$ (नैरो मनी), एम$_2$ और एम$_3$ (ब्रॉड मनी)।

मौद्रिक अवयवों के अलावा कार्यसमूह ने तीन नकदी अवयवों को संकलन की भी सिफारिश की। ये हैं एल1, एल$_2$ और एल$_3$ जिसमें गैर-अमानती वित्तीय निगमों की वित्तीय जवाबदेही के चुनिंदा आइटम शामिल है। जैसे विकास वित्ती संस्थान और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो डाक घर बचत बैंकों के अलग जनता से जमा स्वीकार करते हैं। नए मौद्रिक अवयव निम्नलिखित हैं:

आरक्षित रकम (एम$_0$) =प्रचलन में मुद्रा + आरबीआई के पास जमा बैंकर की रकम + आरबीआई के पास 'अन्य'[51] जमा।

नैरो मनी (एम$_1$) = जनता के पास रकम + बैंकिंग व्यवस्था में मांग जमा + आरबीआई के पास 'अन्य' जमा।

एम$_2$ = एम$_1$ + पोस्ट ऑफिस जमा बैंकों में जमा बचत।

ब्रॉड मनी (एम$_3$) = एम$_1$ + बैंकिंग व्यवस्था में जमा समय।

एम$_4$ = एम$_3$ + डाक घर जमा बैंक में कुल जमा रकम (राष्ट्रीय बचत पत्र शामिल नहीं)

कार्यसमूह ने जहां रिजर्व मनी और एम$_1$ की परिभाषा में किसी तरह के बदलाव की सिफारिश नहीं की उसने एक बीच के मौद्रिक अवयव का प्रस्ताव दिया, जिसे एनएम$_2$ संदर्भित किया गया। ये मुद्रा और निवासियों के बैंक में अल्पावधि जमा के संदर्भ में था जिस पर एक साल तक या उसे शामिल करते हुए अनुबंधात्मक वयस्कता के साथ आता है। ये नैरो मनी और ब्रॉड मनी के बीच में खडा होगा। मौद्रिक सर्वे में नए ब्रॉड मनी अवयव (जिसे ज्यादा स्पष्टता के लिए एनएम$_3$ संदर्भित किया गया) में एनएम$_2$ के अलावा निवासियों के दीर्घकालिक जमा के साथ ही गैर-बैंकिंग स्रोत से कॉल/टर्म उधारी भी शामिल है। ये बैंकों के मोबिलाइजेशन के लिए संसाधनों का मुख्य स्रोत बन गया है। एम$_3$ और एनएम$_3$ के बीच मुख्य अंतर मुद्रा आपूर्ति संकलन में बैंकिंग व्यवस्था की अनिवासी वापस भेजे जाने योग्य तय विदेशी मुद्रा देनदारियों के ट्रीटमेंट का है। नए मौद्रिक अवयवों में दो मूल बदलाव हैं—*पहला,* क्योंकि पोस्ट ऑफिस बैंक बैंकिंग क्षेत्र का हिस्सा नहीं हैं इसलिए डाक बचत धारकों को अब पैसों की आपूर्ति

50. The working group was set up in December 1997 under the chairmanship of Y. V. Reddy (the then Deputy Governor, RBI) which submitted its report in June 1998.

51. 'Other' deposits with RBI comprise mainly: (i) deposits of quasi-government; other financial institutions including primary dealers, (ii) balances in the accounts of foreign Central Banks and Governments, and (iii) accounts of international agencies such as the International Monetary Fund.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

का हिस्सा नहीं माना जाता जैसा की एम$_2$ और एम$_4$ के मामले में था। दूसरा निवास का मानदंड मौद्रिक अवयवों के संकलन में एक सीमा तक ही अपनाया गया। कार्यसमूह ने निवासी आधारित मौद्रिक अवयवों के संकलन के पक्ष में सिफारिश की थी। निवास वास्तव में आवश्यक रूप से उस देश से जुडा है जहां धारक के आर्थिक हितों का एक केंद्र हो। बाकी दुनिया में अनिवासियों द्वारा मुद्रा और जमा की होल्डिंग को उनके पोर्टफोलियों की पसंद से जाना जाएगा। हालांकि ये लेनदेन भुगतान के बकाया (बीओपी) के हिस्से के तौर पर हैं। मुद्रा और जमा की ऐसी होल्डिंग जरूरी नहीं कि मौद्रिक एसेट की घरेलू मांग से ही जुडी हो। इसलिए ये तर्क दिया जाता है कि इन लेनदेन को बाहरी देनदारियों के तौर पर देखा जाना चाहिए जो बैंकिंग व्यवस्था के विदेशी मुद्रा एसेट में जोड़ी जानी चाहिए। हालांकि भारत जैसे विकासशील देशों के संदर्भ में जहां से बडी संख्या में लोग बाहर कमाने जाते हैं वो अपनी बचत को बैंकों में जमा के तौर पर रखते हैं और ऐसे में ये तर्क दिया जा सकता है कि इन अनिवासियों की आर्थिक हित का केंद्र उनके मूल देश में है जहां से वो आते हैं। हालांकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अकाउंटिंग कार्य ढांचे में सभी अनिवासियों की जमा को घरेलू जमा से अलग किए जाने की जरूरत है और इसे पूंजी के बहाव के तौर पर देखा जाना चाहिए जो दूसरे शब्दों में, आर्थिक सच्चाई को रेखांकित करे। भारत के संदर्भ में अनिवासी जमा की सभी श्रेणियों को घरेलू मौद्रिक अवयवों से अलग करना उचित नहीं होगा क्योंकि अनिवासियों द्वारा जमा रुपये आवश्यक रूप से घरेलू वित्तीय व्यवस्था में समाहित होते हैं। इसलिए नए मौद्रिक अवयव जमा देनदारियों में से सिर्फ वापस जाने योग्य अनिवासी विदेशी मुद्रा की तय जमा को ही अलग रखते हैं और इन्हें बाहरी देनदारियों के तौर पर देखते हैं। इसी तरह से अभी अनिवासी जमा की विभिन्न श्रेणियों में से विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) (एफसीएनआर(बी)) जमा को बाहरी देनदारी के तौर पर वर्गीकृत किया गया है और घरेलू मुद्रा स्टॉक से बाहर रखा गया है। चूंकि एफसीएनआर(बी) जमा का एक बड़ा हिस्सा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा विदेशों में रखा जाता है, तो ऐसे जमा में बदलाव का सही प्रभाव वाणिज्यिक बैंक के कुल विदेशी विनिमय में बदलाव के जरिये ही आंका जा सकता है। इसलिए नए मौद्रिक समग्र एनएम$_2$ और एनएम$_3$ और साथ ही साथ नकदी समग्र एल$_1$, एल$_2$, एल$_3$ पेश किए गए, इनके अवयवों की व्याख्या आगे की गई है:

एनएम$_1$ = जनता के पास मुद्रा +बैंकिंग व्यवस्था में मांग जमा + आरबीआई के पास 'अन्य' जमा।

एनएम$_2$ = एनएम$_1$ + निवासियों की अल्पकालिक जमा (एक साल की अनुबंधात्मक वयस्कता समेत)

एनएम$_3$ = एनएम$_2$ + निवासियों की दीर्घकालिक जमा + वित्तीय संस्थानों द्वारा कॉल/टर्म फंडिंग

एल$_1$ = एनएम$_3$ + पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंकों के पास कुल जमा (राष्ट्रीय बचत पत्र को छोडकर)

एल$_2$ = एल$_1$ + मियादी ऋण संस्थानों और पुनर्वित्त संस्थानों (एफआई) के साथ मियादी जमा + एफआई से ली गई मियादी उधारी + एफआई द्वारा जारी जमा के सर्टिफिकेट

एल$_3$ = एल$_2$ + गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में सार्वजनिक जमा।

एम$_0$ पर आरबीआई साप्ताहिक आधार पर आंकडे जारी करता है, जबकि एम$_1$ और एम$_3$ के लिए पाक्षिक आधार पर। नकदी अवयवों में एल$_1$ और एल$_2$ पर आंकडे मासिक प्रकाशित किए जाते हैं जबकि एल$_3$ के लिए त्रैमासिक आधार पर आंकडे आते हैं। बैंकों और दूसरे संगठित वित्तीय क्षेत्रों के बीच सटीक सामंजस्य के लिए कार्य समूह ने वित्तीय क्षेत्र सर्वेक्षण (फाइनेंशियल सेक्टर सर्वे) के त्रैमासिक प्रकाशन का सुझाव दिया था।

मुद्रा की तरलता (Liquidity of Money)

जब हम एम$_1$ से एम$_4$ की ओर जाएंगे तो धन की तरलता (जड़ता, स्थिरता, खर्च करने की क्षमता) घटेगी और विपरीत दिशा में तरलता बढ़ेगी।

संकीर्ण मुद्रा (Narrow Money)

बैंकों की शब्दावली में, एम$_1$ को संकीर्ण धन कहा जाता है क्योंकि यह अत्यधिक तरल होता है और बैंक इस धन के सहारे कर्ज बांटने का काम नहीं कर सकते।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

विस्तृत मुद्रा (Broad Money)

बैंकों की शब्दावली में एम$_3$ में शामिल धन को विस्तृत धन (ब्रॉड मनी) कहा जाता है। इस धन के साथ (यह धन बैंक के पास ज्ञात समय के लिए होता है) बैंक कर्ज बांटने का अपना प्रोग्राम चलते हैं।

मुद्रा की आपूर्ति (Money Supply)

आम बातचीत में धन की आपूर्ति का मतलब होता है धन का प्रसार (मनी सर्कुलेशन) यानी अर्थव्यवस्था में धन का बहाव। लेकिन बैंकिंग और ठेठ मौद्रिक प्रबंधन शब्दावली में एम$_3$ लेवल और एम$_3$ आपूर्ति को धन की आपूर्ति कहा जाता है। विस्तृत धन (एम$_3$) की विकास दर न सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से दी गई सांकेतिक विकास दर से कम है बल्कि पिछली 7 तिमाहियों से लगातार गिरावट के दौर में है और दिसंबर 2012 तक इसके नियंत्रित होकर 11.2 फीसदी होने की संभावना है। बैंक के कुल जमा का बड़ा हिस्सा विस्तृत धन होता है, इसके 85 फीसदी से ऊपर होने पर सुरक्षित माना जाता है। विस्तृत धन का सबसे बड़ा स्रोत बैंकों की ओर से सरकार और व्यावसायिक क्षेत्र को दिए गए कर्ज होते हैं। यह दोनों क्षेत्र 2012-13 में कुल विस्तृत धन का 100 फीसदी थे जबकि 2009-10 में 89 फीसदी थे।

उच्च शक्ति वाला धन (High Power Money)

सभी देशों के केंद्रीय बैंकों के पास मुद्रा जारी करने की शक्ति होती है। केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की जाने वाली मुद्रा को 'उच्च शक्ति वाला धन' कहा जाता है क्योंकि आमतौर पर इसके पीछे 'आरक्षित निधि' का संबल होता है और जिसकी गारंटी सरकार देती है और ये धन के दूसरे सभी प्रकारों का स्रोत होता है। केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की जाने वाली मुद्रा दरअसल केंद्रीय बैंक और सरकार की देयता होती है और उसके एवज में उसी मूल्य की संपत्तियां रखी जानी अनिवार्य हैं, जो मुख्यत: सोना और विदेशी मुद्रा भंडार होती हैं। व्यवहार में ज्यादातर देशों# ने 'न्यूनतम आरक्षित निधि प्रणाली' को अपना लिया है।

न्यूनतम आरक्षित निधि प्रणाली के तहत केंद्रीय बैंक को एक न्यूनतम मात्रा में सोना और विदेशी प्रतिभूतियां रखनी होती हैं और इसे किसी भी मात्रा तक मुद्रा जारी करने का अधिकार होता है। भारत ने अक्टूबर 1956 को इस प्रणाली को अपनाया था। आरबीआई को 515 करोड़ रुपये की आरक्षित निधि रखने की जरूरत थी, जिसमें 400 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी प्रतिभूतियां और 115 करोड़ रुपये मूल्य का सोना शामिल थे। हालांकि 1957 में न्यूनतम आरक्षित निधि को घटा दिया गया और सिर्फ 115 करोड़ का सोना ही रखने की आवश्यकता रही और बाकी रुपये को प्रतिभूति के रूप में रखा जा सकता है, इसकी मुख्य वजह ये डर रहा कि विदेशी मुद्रा भंडार आवश्यक आयात बिलों की पूर्ति ही न कर पाएं। आज 17,00,000 करोड़ रुपये की मुद्रा चलन में है जिसकी एवज में 115 करोड़ रुपये के सोने के भंडार हैं जो सिर्फ 0.7 प्रतिशत आरक्षित निधि बनते हैं लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। इससे भारतीय मुद्रा प्रणाली एक 'व्यवस्थित कागजी मुद्रा प्रणाली' बन जाती है। भारत में उच्च शक्ति की मुद्रा की आपूर्ति के दो स्रोत हैं:

(i) आरबीआई; और

(ii) भारत सरकार

आरबीआई 2, 5, 10, 20, 50, 100 और 2000 रुपये के नोट जारी करता है जिसे आरबीआई 'आरक्षित धन' कहता है। आरबीआई भारत सरकार की तरफ से एक रुपये का नोट और सिक्के जिनमें कम मूल्य के सिक्के भी शामिल हैं, जारी करता है जो कुल उच्च शक्ति वाले धन का करीब 2 प्रतिशत है।

न्यूनतम संचय (Minimum Reserve)

आरबीआई के लिए 200 करोड़ रुपये के बराबर का सोना और विदेशी मुद्रा अपने पास रखना जरूरी है। इनमें से 115 करोड़ रुपये का सोना होना चाहिए। इस संचय के एवज में

पहले दो और प्रणालियां थीं-पहली ब्रिटेन की थी जिसमें एक निश्चित सीमा तक मुद्रा जारी करने के लिए कोई आरक्षित निधि नहीं रखी जाती थी, जिसे 'विश्वास आधारित प्रणाली' कहा जाता था और दूसरी थी 'आनुपातिक आरक्षित निधि प्रणाली' जिसमें आमतौर पर 40 प्रतिशत आरक्षित निधि रखी जाती थी, जिसे 1928 में फ्रांस और अमेरिका ने अपनाया और 1935-56 तक भारत ने, जिसे अक्टूबर 1956 में 'न्यूनतम आरक्षित निधि प्रणाली' से बदल दिया गया।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

आरबीआई को कितनी भी मुद्रा छापने की छूट मिली हुई है। इसका पालन 1957 से हो रहा है और इसे न्यूनतम संचय प्रणाली (एमआरएस) के तौर पर जाना जाता है।

आरक्षित धन (Reserve Money)

नीचे दिए गए 6 सेग्मेंट के सकल पूंजी को सरकार या अर्थव्यस्था के लिए आरक्षित धन (रिजर्व मनी-आरएम) के तौर पर जाना जाता है:

(i) आरबीआई की ओर से सरकार को दिया गया कुल कर्ज;

(ii) आरबीआई की ओर से बैंकों को दिया गया कुल उधार;

(iii) आरबीआई की ओर से वाणिज्यिक बैंकों को दिया गया कुल उधार;

(iv) आरबीआई के पास मौजूद कुल विदेशी मुद्रा;

(v) सरकार की जनता के लिए मुद्रा की जवाबदेही,

(vi) आरबीआई की कुल गैर-मौद्रिक जवाबदेही

आरएम = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 के मुताबिक प्रसार में चल रही मुद्रा और आरबीआई (बैंकर्स और दूसरे) के पास जमा मुद्रा की वृद्धि में 2014-15 में धीमापन दर्ज किया गया और यह 17.8 फीसदी पर सिमट गया जबकि 2013-14 में यह 4.3 फीसदी था। करीब पूरे समय में मुद्रा का प्रसार 3.258 अरब रुपये रहा। संचित धन का स्रोत, आरबीआई की ओर से सरकार को दी गई ऋणदान और आधार धन की वृद्धि में आरबीआई की भूमिका रही।

मुद्रा गुणक (Money Multiplier)

मार्च 2012 के आखिर तक धन गुणक (मनी मल्टीप्लायर) (एम$_3$ से एम$_0$ का अनुपात) 5.2 था, जो मार्च 2015 के आखिर की तुलना में ज्यादा था। ऐसा सीआरआर में 125 आधार अंक की कटौती की वजह से हुआ। 2012-13 के दौरान सीआरआर में कटौती के चलते धन गुणक एक बार फिर ऊंचा रहा। 31 दिसंबर, 2014 को धन गुणक 5.5 था जबकि उसके पिछले साल (2013 में) 5.2 था (आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15)।

साख सलाह (Credit Counselling)

कर्जदारों को कर्ज के बोझ से छुटकारा दिलाने और उनके धन प्रबंधन कौशल को बेहतर बनाने के बारे में सलाह देने को ही ऋण सलाह देना कहा जाता है। ऐसी पहली संस्था का गठन 1951 में अमेरिका में हुआ जब कर्ज की गारंटी लेने वालों ने नेशनल फाउंडेशन फॉर क्रेडिट काउंसलिंग (एनएफसीसी) का गठन किया।[52]

भारत के प्रधान ऋण का मूल्यांकन करने वाली दुनिया की छह बड़ी मूल्यांकन संस्थाएं हैं:

(i) फिच रेटिंग्स,

(ii) मूडीज इन्वेस्टर्स सेवा,

(iii) स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (एसएंडपी),

(iv) डोमिनियन बॉण्ड रेटिंग सेवा (डीबीआरएस),

(v) जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (जेसीआरए), और

(vi) रेटिंग एंड इनवेस्टमेंट इनफॉर्मेशन इंक. टोकियो (आरएंडआई)

15 जनवरी, 2013 को इनमें से ज्यादातर मूल्यांकन ऐजेंसियों ने भारत को विदेशी और घरेलू मुद्रा के मोर्चे पर 'सुरक्षित' श्रेणी में रखा था। सिर्फ फिच और एसएंडपी ने विदेशी मुद्रा के मोर्चे पर भारत को 'नकारात्मक' श्रेणी में रखा था। *आर्थिक सर्वेक्षण 2012-13* के मुताबिक सरकार ने बड़ी मूल्यांकन ऐजेंसियों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा ताकि मूल्यांकन को बेहतर बनाया जा सके।

साख मूल्यांकन (Credit Rating)

कर्ज लेने वाले (संभावित) के कर्ज चुकाने की क्षमता का मूल्यांकन ही (क्रेडिट रिकॉर्ड, शुद्धता, क्षमता) ही साख मूल्यांकन (क्रेडिट रेटिंग) कहलाता है। आजकल यह किसी व्यक्ति, कंपनी या फिर किसी देश के मामले में किया जाता है। दुनिया की कुछ जानी-मानी संस्थाएं हैं—मूडीज, एसएंडपी। इसकी पहली संकल्पना अमेरिका में जॉन मूडी ने 1909 में की थी। आमतौर पर यहां हिस्सेदारी का

52. Y. V. Reddy, the RBI Gonvernor, ***The Economic Times,*** N. Delhi, 11 September, 2006.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

मूल्यांकन नहीं किया जाता। मूल रूप से निवेशकों की सेवा का मूल्यांकन ही होता है।

भारत में साख मूल्यांकन की शुरुआत 1988 में आईसीआईसीआई और यूटीआइ ने मिलकर में की थी। भारत की बड़ी साख मूल्यांकन संस्थाएं हैं:

(i) क्रिसिल (क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) के संयुक्त प्रमोटर आईसीआईसीआई और यूटीआइ हैं और इसमें एसबीआई, एलआईसी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की भी हिस्सेदारी है। इसकी स्थापना ऋणपत्रों (डेट इंस्ट्रूमेंट)-ऋण-पत्र (डिबेंचर) की मूल्यांकन के लिए हुई थी। 2005 में मैक्ग्रॉ हिल ग्रुप की कंपनी और अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसी एसएंडपी ने इसमें 51 फीसदी हिस्सेदारी खरीद ली।

(ii) इक्रा (इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड) की स्थापना ऋण पत्र (डेट इंस्ट्रूमेंट) की मूल्यांकन के लिए आईएफसीआई, एलआईसी, एसबीआई और कुछ चुने हुए बैंकों और साथ ही वित्तीय संस्थाओं ने मिलकर 1991 में की थी।

(iii) केयर (क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड) की स्थापना सभी तरह के ऋण-पत्रों की मूल्यांकन के लिए 1993 में आईडीबीआई, अन्य वित्तीय संस्थाएं, राष्ट्रीयकृत बैंकों और निजी क्षेत्र की वित्तीय कंपनियों ने मिलकर की थी।

(iv) ऑनिक्रा (ओनिडा इंडिविजुयल क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड) की स्थापना गैर-कॉर्पोरेट ग्राहकों, जैसे–क्रेडिट कार्ड्स, खरीदारी, हाउसिंग फाइनेंस, किराए का अनुबंध और बैंक फाइनेंस के लिए ऋण योग्यता की मूल्यांकन के लिए ओनिडा फाइनेंस (प्राइवेट क्षेत्र की एक वित्तीय कंपनी) ने 1995 में की थी।

(v) एसएमईआरए (स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज रेटिंग ऐजेंसी) की स्थापना लघु और मीडियम उद्योग (एसएमई) जिसे पहले एसएसआई के तौर पर जाना जाता था, की समग्र योग्यता की मूल्यांकन के लिए सितंबर 2005 में की गई थी। मूलरूप से यह मूल्यांकन संस्था नहीं थी लेकिन इसके मूल्यांकन का इस्तेमाल इस काम के लिए भी किया जाता था। यह एसआईडीबीआइ (22 फीसदी के साथ सबसे बड़ी शेयर होल्डर), एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, डन एंड ब्रैडस्ट्रीट (एक अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट इनफॉर्मेशन कंपनी), पांच राष्ट्रीयकृत बैंक (22 फीसदी संयुक्त हिस्सेदारी के साथ पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, यूबीआइ) और सिबिल (क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड) का संयुक्त उपक्रम है।

एक सामान्य साख मूल्यांकन सेवा जो किसी ऋण से नहीं जुड़ी हो उस सेवा का भी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं-भारत में इसे क्रिसिल उपलब्ध करा रही है और इसे साख मूल्यांकन[53] (ऋण का लेखा-जोखा) कहा जाता है। मूडीज और एस एंड पी जैसी अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन संस्थाएं, देशों का प्रधान मूल्यांकन भी करती हैं जिससे उस देश की उधार लेने की क्षमता का निर्धारण होता है।

साख मूल्यांकन में आम लोगों को भी शामिल किया जाता है, जो उपभोक्ता साख फर्मों के लिए काफी मूल्यवान होती हैं। आम लोगों के साख डाटाबेस को संभालने के लिए मई 2004 में क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया (सिबिल) की स्थापना की गई थी, जो ऋण लेने वाले संभावित व्यक्तियों के बारे में जानकारी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को उपलब्ध कराती है।[54]

अनिवासी भारतीय जमा (NON-RESIDENT INDIAN DEPOSITS)

विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमा) विनमय, 2000 अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को आरबीआई द्वारा अधिकृत बैंकों

53. S. Sundararajan, ***Book of Financial Terms,*** (New Delhi: Tata McGraw Hill, 2004), p. 44.

54. As per the latest update by the ***RBI,*** 11 May, 2012.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

और अधिकृत डीलरों के साथ बचत खाता रखने की अनुमति देती है, जिसमें शामिल हैं:[55]

(i) विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाता (एफसीएनआर बी अकाउंट)

(ii) अनिवासी बाह्य खाता (एनआरई अकाउंट)

(iii) अनिवासी सामान्य रुपया खाता (एनआरओ अकाउंट)

अधिकृत डीलर से एनआरआई और विदेशी कॉरपोरेट संघ (ओसीबी) एसीएनआर (बी) खाता खुलवा सकते हैं। खाते मियादी बचत के रूप में खुलवाए जा सकते हैं। पाउंड, स्टेरलिंग, अमेरिकी डॉलर, जापानी येन और यूरो के रूप में फंड जमा करने की अनुमति है। समय-समय पर आरबीआई के दिशा-निर्देशों के आधार पर इसमें ब्याज-दर लागू होती है।

अधिकृत डीलर से एनआरई खाते भी एनआरआआई और ओसीबी खुलवा सकते हैं। ये बचत, चालू, आवर्ती या सावधि जमा के रूप में खुल सकते हैं। किसी भी स्वीकृत मुद्रा में जमा संभव है। समय-समय पर आरबीआई के दिशा-निर्देशों के आधार पर इसमें ब्याज-दर लागू होती है।

भारतीय मुद्रा में वास्तविक लेन-देन के लिए किसी अधिकृत डीलर या अधिकृत बैंक से भारत से बाहर रह रहा निवासी एनआरओ खाता खुलवा सकता है। जब एक निवासी एनआरआई बन जाता है, तो उसका रुपया खाता एनआरओ नामित हो जाता है। ये खाते चालू, बचत, आवर्ती या सावधि जमा खाते के रूप में हो सकते हैं।

प्रचलन में दो और एनआरआई खाते थे-नॉन-रेजिडेंट (नॉन-रेपैट्रिएबल) रुपी डिपॉजिट अकाउंट और नॉन-रेजिडेंट (स्पेशल) रुपी अकाउंट। 2002 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमा) विनियम में संशोधन के जरिये इन दो खातों के रूप में जमा की स्वीकृति को अप्रैल 2002 से निरस्त कर दिया गया। एफसीएनआर (बी) और एनआरई के तहत पूंजी को देश में लाने की अनुमति है।

एफसीएनआर (बी) और एनआरई खातों में फंड स्वदेश भेजने की इजाजत है। इसलिए इन खातों में जमा को भारत के बाहरी कर्ज के बकाये के तौर पर देखा जाता है, जबकि एनआरओ जमा का मूल धन वापस नहीं भेजा जा सकता लेकिन मौजूदा आय और ब्याज से होने वाली आय को स्वदेश भेजा जा सकता है। एनआरओ अकाउंट के खाता धारकों को इस बात की इजाजत होती है कि वो अपने खाते के बैलेंस में से सालाना 10 लाख अमेरिकी डॉलर तक भेज सकते हैं। इसलिए एनआरओ अकाउंट में जमा को भी भारत के बाहरी कर्ज के तौर पर शामिल किया जाता

नए बैंक को लाइसेंस देने संबंधी दिशा-निर्देश (Guidelines for Licensing of New Banks)

22 फरवरी, 2013 को आरबीआई ने निजी क्षेत्रों में नए बैंकों को लाइसेंस देने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। इसकी मुख्य बातें है:

(i) **योग्य संरक्षक:** एक निजी क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र या एनबीएफसी या ईकाई, या समूह पूर्ण स्वामित्व वाली नॉन-ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) के जरिये बैंक की स्थापना के योग्य है।

(ii) **उपयुक्त और उचित अर्हता:** सही साख, ईमानदारी और अच्छी वित्तीय पृष्ठभूमि के पुराने अतीत 10 साल का सफल ट्रैक रिकॉर्ड आवश्यक।

(iii) **एनओएफएचसी की कॉरपोरेट संरचना:** एनओएफएचसी पूरी तरह से संरक्षक या संरक्षक समूह के अधीन होगा, जो बैंक के साथ समूह की दूसरी वित्तीय सेवा इकाइयों के लिए भी जिम्मेदार होगी।

(iv) एनओएफएचसी द्वारा हिस्सेदारी और बैंक के लिए के लिए न्यूनतम वोटिंग इक्विटी पूंजी की जरूरतें-आरंभ में एक बैंक के लिए न्यूनतम प्रदत्त वोटिंग इक्विटी पूंजी[56] पांच अरब होगी।

55. As per the latest update by the ***RBI,*** 11 May, 2012.

56. The part of 'Authorised Capital' (the limit upto which a company can issue shares) which has been actually 'paid' by the shareholders is known as the 'Paid-up Capital' of a company. [For detailed analysis of different kind of 'Capitals' of a company refer the *Chapter 14: Security Market in India*.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

एनओएफएचसी शुरू में बैंक के वोटिंग इक्विटी पूंजी का 40 प्रतिशत हिस्सा रखेगा, जो कि पांच साल के लिए जमा रहेगा, जो अगले बारह साल में ही इसे उतार देगा। बैंक के शेयर कारोबार की शुरुआत के तीन साल के अंदर स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज होंगे।

(v) नियामक ढांचा-बैंक आरबीआई और अन्य नियामकों द्वारा प्रांसगिक कानूनों, व्यवस्थाओं और दिशा-निर्देशों से संचालित होता है। एनओएफएचसी भारतीय रिजर्व बैंक से बतौर एनबीएफसी दर्ज हो जाएगा और आरबीआई द्वारा ही अलग से तैयार दिशा-निर्देशों से संचालित होगा।

(vi) बैंक में विदेशी हिस्सेदारी-पहले पांच साल के लिए 49 प्रतिशत तक विदेशी साझेदारी, बाद में मौजूद नीतियों के मुताबिक।

(vii) एनओएफएचसी का कॉरपोरेट गवर्नेंस-एनओएफएचसी के कम-से-कम पचास प्रतिशत निदेशक निष्पक्ष निदेशक होने चाहिए। कॉरपोरेट ढांचा आरबीआई द्वारा एनओएफएचसी और बैंक के प्रभावी पर्यवेक्षण में बाधा नहीं पहुंचाए।

(viii) **एनओएफएचसी के लिए विवेकपूर्ण मानदंड:** बैंक की ही तर्ज पर एनओएफएचसी पर भी विवेकपूर्ण मानदंड लागू होंगे।

(ix) **निवेश मानदंड:** बैंक या एनओएफएचसी संरक्षक समूह से निवेश की इजाजत नहीं देता, एनओएफएचसी द्वारा संघटित किसी भी वित्तीय संस्था की इक्विटी या ऋण पूंजी प्रपत्र में बैंक निवेश नहीं करेगा।

(x) **बैंक के लिए कारोबारी योजना:** कारोबारी योजना वास्तविक और व्यवहार्य होनी चाहिए। साथ ही, बैंक वित्तीय समावेशन को कैसे पाएगा, इसकी जानकारी भी इसमें होनी चाहिए।

(xi) एनओएफएचसी को बैंक के रूप में प्रोत्साहित या बदलने के लिए अतिरिक्त शर्तें-मौजूद एनओएफएचसी, अगर वह योग्य है, तो उसे एक बैंक के तौर पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए या उसको बैंक में परिवर्तित करना चाहिए।

(xii) बैंक के लिए अन्य शर्तें:

(a) अपनी कम-से-कम 25 फीसदी शाखाएं बैंक रहित ग्रामीण क्षेत्र में खोलें (नवीनतम जनगणना के अनुसार, इलाके की आबादी 9,999 तक हो)

(b) मौजूद घरेलू बैंकों पर लागू प्रायोरिटी सेक्टर लैंण्डिंग लक्ष्यों के साथ उसका भी तारतम्य हो।

(c) ऐसे समूह द्वारा प्रोत्साहित बैंकों को, जो गैर-वित्तीय कारोबार से 40 प्रतिशत या इससे अधिक की परिसंपत्ति रखते हैं, दस अरब से अधिक की वोटिंग इक्विटी पूंजी की उगाही के लिए आरबीआई से पूर्व अनुमति लेनी होती है।

(d) नियमों और शर्तो की किसी तरह की अवहेलना दंडात्मक कार्रवाई का भागी बनाएगा, जिसमें बैंक के लाइसेंस को रद्द भी किया जा सकता है।

दो नए बैंकों को लाइसेंस मिले: अप्रैल 2014 के शुरू में आरबीआई ने दो आवेदकों, आईडीएफसी लिमिटेड और बंधन फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को बैंक खोलने के लिए सैद्धातिक रूप से मंजूरी दी। सैद्धांतिक तौर पर यह मंजूरी 18 महीने के लिए मान्य होगी, इस बीच आवेदकों को नियमों के साथ चलना होगा और तमाम अन्य शर्तें पूरी करनी होंगी। दोनों ही अग्रणी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं। जहां आईडीएफसी इन्फ्रास्ट्रक्चर आर्थिक व्यवस्था का काम देखी है, वहीं, बंधन माइक्रो फाइनेंस से जुड़ी है। पूर्व आरबीआई गवर्नर विमल जालान की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय परामर्श समिति गठित की गई, जिसने 25 आवेदनों से इन दो आवेदकों की सिफारिश की। इंडिया पोस्ट का मामला भारत सरकार से परामर्श के बाद आरबीआई निर्धारित करेगी। आरबीआई ने अधिक नियमित अंतराल पर मांग के अनुरूप और लाइसेंस देने की घोषणा की। आरबीआई के

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

मुताबिक, जिन आवेदकों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं, वे भिन्न लाइसेंसों के लिए आवेदन कर सकते हैं (जब आरबीआई इनके लिए आवेदन आमंत्रित करेगी। कुछ तो भिन्न लाइसेंसों के लिए अधिक उपयुक्त थे, बजाय पूर्ण लाइसेंस के लिए। कथित डिफरेंशिएटेड बैंक (विविध बैंक) विशेषज्ञता प्राप्त संस्थान होते हैं, जैसे–वित्तीय समावेशन पर आरबीआई का एक पैनल, जिसकी अध्यक्षता नचिकेत मोर ने की, पेमेंट बैंक की सिफारिश करता है, ताकि लघु व्यवसायों और कम आमदनी वाले परिवारों के बीच पेमेंट सर्विस और डिपोजिट प्रोडक्ट्स की वृद्धि हो।

एटीएम का वर्गीकरण (Labels of ATM)

ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) की भारत में एंट्री 1980 के आखिर में हुई और आज इनकी मौजूदगी तीन तरह से है:

(i) **बैंकों का अपना एटीएम:** यह बैंकों का अपना एटीएम होता है और संबंधित बैंक इसका संचालन करते हैं और इन पर बैंक का लोगो लगा होता है। बैंक के ग्राहकों को सेवा देने का यह सबसे महंगा तरीका है।

(ii) **ब्राउन लेवल एटीएम (बीएलए):** इसका संचालन थर्ड पार्टी (गैर-बैंकिंग कंपनी) करती है। संबंधित बैंक सिर्फ 'नकद की व्यवस्था' और 'बैंक-एंड सर्वर' कनेक्टिविटी को संभालते हैं। बैंक अपने 'लोगो, का इस्तेमाल करते हैं लेकिन सेवा आउटसोर्स होती है।'

(iii) **व्हाइट लेवल एटीएम (डब्ल्यूएलए):** इसका मालिक थर्ड पार्टी (गैर-बैंकिंग फर्म) होता है और संचालन भी वही करता है। यह उस बैंक का 'लोगो' इस्तेमाल नहीं करते जिनके लिए सेवा (जैसा कि नाम है) देते हैं। यह संचालन करने वाली कंपनी का लोगो इस्तेमाल करते हैं। यह सभी बैंकों के ग्राहकों को सेवा देते हैं और देश के पूरे एटीएम तंत्र से जुड़े होते हैं। संबंधित बैंक की भूमिका सिर्फ एटीएम को संचालित करने वाली कंपनी को अकाउंट की जानकारी देना और बैक-एंड सूचना उपलब्ध कराने तक सीमित होती है। इन कंपनियों के लिए 67 फीसदी एटीएम ग्रामीण इलाकों (श्रेणी III-VI) और 33 फीसदी शहरी इलाकों (श्रेणी I और श्रेणी II शहरों) में लगाना जरूरी है। टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सोल्यूशंस ऐसी पहली कंपनी है जिसे ऐसे एटीएम लगाने की आरबीआई (2013 के मध्य) ने मंजूरी दी है। इसका ब्रांड नाम 'इंडीकैश' है।

ब्राउन/व्हाइट लेवल एटीएम का मुख्य उद्देश्य बैंकों की लागत घटाना और वित्तीय समावेशन है।

नॉन-ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) [Non-Operative Financial Holding Company (NOFHC)][57]

एक कार्योत्पादक कंपनी (ऑपरेटिव कंपनी) और एक नियंत्रक कंपनी (होल्डिंग कंपनी) के बीच अंतर उस दोनों के बुनियादी ढांचे, प्रबंधन और एक-दूसरे से पारस्परिक क्रिया में ही निहित है। दोनों के कारोबारी लक्ष्य बेशक भिन्न होते हैं, और दोनों के कारोबारी तौर-तरीके लाभ के लिए ही होते हैं। लेकिन कुछ हालात में कार्योत्पादक कंपनी के घाटे से भी नियंत्रक कंपनी लाभान्वित हो सकती है।

नियंत्रक कंपनी का मुख्य काम दूसरी उन कंपनियों में निवेश करना होता है, जो सहयोगी होती हैं। नियंत्रक कंपनी आम तौर पर कार्योत्पादक कंपनी के दिन-ब-दिन के कामकाज में शामिल नहीं होती, लेकिन शुरू में उधार देती है या स्टॉक-ब्रिकी या नकद भंडार से वित्तीय सहायता जारी रखती है। और लाभ सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशनल मॉडल के पुनर्गठन में सहायता कर सकती है। नियंत्रक कंपनी आम तौर पर कॉपरेशन्स के तौर पर गठित होती है, ताकि पूंजी की रक्षा कर सके और वित्तीय

57. Though this sub-topic originally belongs to the *Chapter 14: Security Market in India*, it has been discussed here to make the new guidelines of setting-up banks an 'easy-to-understand' thing for the readers.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

घाटों को अवशोषित कर पाए (भारत में इसे लिमिटेड कंपनी कहते हैं)।

ऑपरेटिंग कंपनी, यानी कार्योत्पादक कंपनी नियंत्रक कंपनी के स्वामित्व में होती है। लेकिन यह कंपनी के दिन-ब-दिन के तमाम कामों के लिए जिम्मेदार होती है। जब एक नियंत्रक कंपनी एक कार्योत्पादक कंपनी शुरू करती है या खरीदती है, तो उसे कई बार कारोबार करने की अनुमति भी दे दी जाती है, खासकर तौर पर यदि कंपनी लाभ में है। खर्च के बाद शुद्ध लाभ नियंत्रक कंपनी के हवाले कर दिया जाता है।

ऑपरेटिंग कंपनी का मालिकाना हक, खरीदे जाने पर भी, होल्डिंग कंपनी के पास ही होता है। पुराने मालिकों को, जो बोर्ड में शामिल होते हैं, कभी-कभार कार्यकारिणी प्रबंधन जिम्मेदारी के रूप में ऑपरेटिंग कंपनी का नियंत्रण दिया जाता है, लेकिन उनके पास मालिकाना हक नहीं होता। बड़े खर्चों और लाभ को प्रभावित करने वाले तमाम बड़े फैसले लेने से पहले नियंत्रक कंपनी से मंजूरी जरूरी होती है।

हालांकि, कार्योत्पादक कंपनी का लाभ में होना नियंत्रक कंपनी के लिए उपयुक्त होता है, लेकिन हमेशा यही मामला नहीं रहता। खास तौर पर तब, जब बड़ी नियंत्रक कंपनियां बड़े कर-बोझ से परेशान हो। ऐसे में, उसके अधीन की एक या दो कार्योत्पादक कंपनियों का घाटा स्वामित्व कंपनी को व्यावसायिक घाटे के तौर पर फायदा पहुंचाता है, जब कर देने का समय आता है। यह कार्योत्पादक कंपनी को लाभान्वित नहीं करता, क्योंकि यह कारोबार को चलाने के वास्ते आमदनी के लिए जिम्मेदार है। अगर घाटा बहुत बड़ा हो जाता है, तो ऑपरेटिंग कंपनी दिवालिया हो सकती है। लेकिन तब यह नियंत्रक कंपनी के लिए फायदेमंद स्थिति है, क्योंकि कार्योत्पादक कंपनी सकल लाभ और स्टॉक मूल्यों को संतुलित करने में अपनी भूमिका निभा देती है।

तीन बुनियादी प्रकार की नियंत्रक कंपनियां होती हैं:

(i) विशुद्ध नियंत्रक कंपनी, जो कार्योत्पादक नहीं होती, और अपनी सहयोगी कंपनियों में निवेश और वोटिंग हिस्सेदारी रखकर अस्तित्व में बनी रहती है।

(ii) सामान्य या ऑपरेटिंग होल्डिंग कंपनी, जो सहयोगी कंपनियों के स्वामित्व से मुनाफे के अलावा, सामान और सेवा बेचकर लाभ कमाती है।

(iii) पिरामिड होल्डिंग कंपनी, जो बाकी दो प्रकारों की तुलना में कम पूंजी के निवेश के जरिये अधीनस्थ कंपनियों में नियंत्रक हितों पर अधिकार करती है।

निधि (NIDHI)

भारतीय संदर्भ में निधि का मतलब 'कोष' से होता है। हालांकि, भारतीय वित्त क्षेत्र में इसे किसी म्युचुअल बेनिफिट सोसाइटी[58] से लिया जाता है, जो केंद्र/संघ सरकार द्वारा बतौर निधि कंपनी दर्ज हो। ये मुख्य तौर पर सदस्यों

58. **Mutual Benefit Society** (also known globally as 'benefit society' or 'mutual aid society') is an organisation, or voluntary association formed to provide mutual aid, benefit, or insurance for relief from common difficulties. Such organisations may be formally organised with charters and established customs, or may arise ad hoc to meet unique needs of a particular time and place. They may be organised around a shared ethnic background, religion, occupation, geographical region or other basis. Benefits may include money or assistance for sickness, retirement, education, birth of a baby, funeral and medical expenses, unemployment. Often benefit societies provide a social or educational framework for members and their families to support each other and contribute to the wider community.

A benefit society may have some common features – members having equivalent opportunity in the organisation; members having equivalent benefits; aid goes to needy (stronger helping the weaker); payment of benefits by collection of funds from the members; educating others about a group's interest; preserving cultural traditions; and mutual defence. Examples of benefit societies include trade unions, self-help groups, etc. It is believed that such societies predate human culture are found around the world.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

के बीच मितव्ययिता और बचत को बढ़ावा देने के लिए बनती हैं। कंपनियां निधि व्यवसाय करती हैं, यानी सदस्यों से उधार लेती है और दूसरे सदस्यों को रकम देती है। ये अलग-अलग नामों से भी जानी जाती हैं, जैसे—निधि, परमानेंट फंड, बेनिफिट फंड, म्युचुअल बेनिफिट फंड और म्युचुअल बेनिफिट कंपनी।

निधि दक्षिण भारत में अधिक लोकप्रिय और एक दफ्तर के संस्थान के रूप में भी जगह-जगह मौजूद हैं। ये समाज को परस्पर लाभ पहुंचाती हैं, क्योंकि इनके क्रियाकलाप सिर्फ सदस्यों तक सीमित होते हैं और सदस्यता सिर्फ व्यक्ति को मिलता है। फंड का मुख्य स्रोत सदस्यों का सहयोग होता है। अपेक्षाकृत सस्ती दरों सदस्यों को कर्ज दिया जाता है। ये कर्ज भवन-निर्माण या मरम्मत जैसे कामों के लिए दिए जाते हैं और आम-तौर पर आरक्षित होते हैं।

निधि दरअसल कंपनियां होती हैं, जो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत आती हैं। कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय इसे नियंत्रित करता है। अपनी गतिविधियां सदस्यों के अंदर ही सीमित रखने के कारण इनको अधिनियम के कुछ तय प्रावधानों से दूर रखा गया है।

एनबीएफसी की परिभाषा में भी निधि को शामिल किया गया है, जो मुख्यत: असंगठित पूंजी बाजार को नियंत्रित करती है। हालांकि, 1997 से एनबीएफसी को आरबीआई के नियंत्रण में लाया गया है। गैर-बैंकिंग वित्तीय इकाइयां आंशिक या पूरी तरह से आरबीआई द्वारा नियंत्रित होती हैं और इनमें हैं:

(i) एनबीएफसी शामिल करती है—एक्यूपमेंट लीजिंग (ईएल), हायर परचेज फाइनेंस, लोन और इन्वेस्टमेंट कंपनी, (इसमें प्राइमरी डीलर भी हैं) और आरएनबीसी (RNBCs)।

(ii) म्युचुअल बेनिफिट फाइनेंशियल कंपनी (एमबीएफसी), यानी निधि कंपनी।

(iii) म्युचुअल बेनिफिट कंपनी, यानी संभावित निधि कंपनी, जो निधि कंपनी बनने की राह पर तो है, पर केंद्र सरकार द्वारा घोषित नहीं हो पाई है, के पास दस लाख रुपये का कुल स्वामित्व फंड (एनओएफ) होता है। यह आरबीआई और कंपनी मामलों के विभाग को पंजीकरण के सर्टिफिकेट के लिए आवेदन दे चुकी होती है कि उसको निधि कंपनी के तौर पर दर्ज किया जाए।

(iv) फुटकर गैर-बैंकिंग कंपनी (एमएनबीसी), यानी चिट फंड कंपनी।

चूंकि निधि एनबीएफसी के एक वर्ग के अंदर आती है, इसलिए आरबीआई के पास यह शक्ति है कि वह जमा करवाने की उसकी गतिविधियों के संदर्भ में कोई दिशा-निर्देश जारी करे। हालांकि, इस सच को मानते हुए कि निधि शेयरधारक-सदस्यों के बीच कारोबार करती है, आरबीआई ने दर्ज निधियों को आरबीआई अधिनियम के मूल प्रावधानों और एनबीएफसी पर लागू होने वाले कई दिशा-निर्देशों से दूर ही रखा है। फरवरी 2013 तक आरबीआई के पास निधि के लिए कोई विस्तृत नियामक ढांचा नहीं था।

मार्च 2000 में केंद्र सरकार ने निधि कंपनियों के कामकाज के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए एक समिति बनाई। शब्द 'निधि' को परिभाषित करने वाली कोई सरकारी अधिसूचना नहीं थी। निधि के कामकाज के तरीकों और पी. सबन्यमगम की रिपोर्ट की सिफारिशों पर गौर करने के बाद, साथ ही यह देखते हुए कई लोग कंपनी मामलों के विभाग से अनुमति लिए निधि नाम का दुरुपयोग कर कारोबार कर रहे हैं, समिति ने निधि को परिभाषित किया (इसकी एक परिभाषा नए कंपनी कानून, 2012 की धारा 406 में है):

"निधि एक कंपनी है, जो मितव्ययिता, बचत और नामांकित सदस्यों से रुपये जमा कर और अन्य नामांकित सदस्यों को रुपये कर्ज देकर तमाम सदस्यों के बीच आपसी लाभ-व्यवस्था को बनाए रखने का विशिष्ट उद्देश्य रखती है तथा इसके कामकाज कंपनी मामलों के विभाग (डीसीए) द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश या अधिसूचना से चलते हैं। शब्द निधि बगैर डीसीए की रजामंदी के किसी कंपनी, संघ या कर्ज लेने या देने से जुड़े व्यक्ति के नाम का हिस्सा नहीं होगा और अगर इसमें विरोधाभास देखा गया, तो दोषी दंड के भागी होंगे।"

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

चिट फंड (CHIT FUND)

कुछ वर्ष पूर्व कोलकाता में शारदा चिट फंड घोटाले को प्रकाश में आने के बाद चिट फंड सुर्खियों में आया। मीडिया के ज्यादातर लोग भारत में चिट फंड के विचार से बारीकी तौर पर अवगत नहीं थे। लेकिन उन्होंने चिट शब्द को धड़ल्ले से इस्तेमाल किया, क्योंकि उन्हें घोटाले से जुड़ी खबरें देनी थीं। आइए हम लोग ये चिट क्या हैं और भारत में इसी तरह की दूसरी अवधारणाओं को समझते हैं।

चिंट फंड (चिट्टी, कुरी, फुटकर गैर-बैंकिंग कंपनियों के नाम से भी यह जाना जाता है) वास्तव में बचत संस्थान होते हैं। ये कई रूपों में हैं और इनका कोई मानक रूप नहीं है। चिट फंड के नियत सदस्य होते हैं, जो फंड में आवर्ती अंशदान करते हैं। आवर्ती संग्रह की जिम्मेदारी चिट फंड के किसी सदस्य को दी जाती है, जो पहले से बने मापदंड के आधार पर चुने गए होते हैं। बोली लगवाकर या नंबर अथवा कार्ड उठवाकर या कुछ मामलों में नीलामी या संविदा के जरिये लाभार्थी का चयन होता है। किसी भी स्थिति में चिट फंड का हर सदस्य दूसरे राउंड के शुरू होने से पहले अपनी बारी को लेकर आश्वस्त रहता है और फिर से आवर्ती संग्रह की पात्रता किसी भी सदस्य को मिल जाता है। दरअसल, चिट फंड पूरे विश्व में पाए जाने वाले 'रोटेटिंग सेविंग्स एण्ड क्रेडिट एसोसिएशन' का भारतीय रूपांतरण है।

चिट फंड व्यवसाय केंद्रीय चिट फंड कानून, 1982 के तहत संचालित होता है और इस कानून के अंदर कई राज्य सरकारों ने नियम तैयार किए हैं। चिट फंड के कामकाज के नियम तो केंद्र सरकार ने बनाए ही नहीं हैं। इसलिए चिट फंड का पंजीकरण और विनियमन राज्य सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। कार्यात्मक रूप से चिट फंड भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा एनबीएफसी की परिभाषा के दायरे में आते हैं, उप-शीर्षक फुटकर गैर-बैंकिंग कंपनी, यानी मिसलेनीअस नॉन-बैंकिंग कंपनी (एमएनबीसी) के तहत। लेकिन आरबीआई ने अलग से इनके लिए अलग से नियामक-ढांचा नहीं बनाया है।

आधिकारिक परिभाषा: चिट फंड अधिनियम, 1982 के अनुसार, चिट का मतलब, 'वह लेन-देन, चाहे उसको चिट कहें या चिट फंड, चिट्टी, कुरी या फिर कोई और नाम दें, जिसमें एक व्यक्ति निश्चित संख्या वाले व्यक्तियों के साथ समझौते में आता है और उनमें से हरेक को तय समय अंतराल पर एक निर्धारित राशि (या इसकी बजाय निश्चित अनाज) जमा करानी होती है और बदले में, बोली या नीलामी या संविदा या चिट समझौते में तय तरीके के तहत वे इनाम राशि के हकदार होंगे।' वह लेन-देन चिट नहीं है, अगर उसमें:

(i) भविष्य के अंशदान देने की बगैर किसी जिम्मेदारी के, कोई अकेला, न कि सभी सदस्य इनामी राशि पाए, या

(ii) सभी ग्राहक बारी-बारी से चिट राशि पाएं, इस जवाबदेही के साथ कि भविष्य के अंशदान चुकाने पड़ेंगे।

लघु एवं भुगतान बैंक (SMALL & PAYMENT BANKS)

जुलाई 2014 में आरबीआई ने लघु एवं भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। इनके अनुसार दोनों विभेदीकृत बैंक हैं, जिनका साझा उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है। यह केन्द्रीय बजट 2014-15 (पूर्ण) में की गई घोषणाओं के अनुरूप है। बैंकों के गठन से संबंधी प्रावधान तथा उनके परिचालन मानदंडों संबंधी विवरण निम्नवत् हैं:

दोनों बैंकों के गठन के लिए दिशा-निर्देश समान हैं:

(i) न्यूनतम पूंजी की अनिवार्यता 100 करोड़ रुपये होगी

(ii) प्रोत्साहक (Promoter) का योगदान पहले पाश्च वर्षों में कम-से-कम 40 प्रतिशत होगा। अतिरिक्त शेयरधारण (extra shareholding) को पांचवें साल के अंत तक 40 प्रतिशत तक, दसवें साल के अंत तक 30 प्रतिशत, तथा बारह वर्षों में 26 प्रतिशत तक नीचे जाना चाहिए (व्यवसाय शुरु होने की तिथि से)।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(iii) बैंकों में विदेशी शेयरधारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अनुरूप होगा।

(iv) मतदान का अधिकार निजी बैंकों के लिए निर्धारित दिशा-निर्देश की तर्ज पर होगा।

(v) प्रोत्साहकों के अलावा अन्य व्यक्तियों/संस्थाओं को 10 प्रतिशत से अधिक शेयरधारण का अधिकार नहीं होगी।

(vi) बैंक कॉरपोरेट अभिशासन दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे जिसमें आरबीआई द्वारा जारी निदेशकों के लिए मानदंड भी शामिल है।

(vii) बैंकों का परिचालन पूर्णतया अंतर-जाल चालित (networked) तथा तकनीक चालित होगा-एकदम आरंभ से ही।

लघु बैंक (Small Banks)

लघु बैंक का उद्देश्य मूलभूत बैंकिंग उत्पाद, जैसे–जमा तथा ऋण की आपूर्ति आदि प्रदान करना है, लेकिन सीमित परिचालन क्षेत्र में। लघु बैंकों का लक्ष्य वित्तीय समावेशन बढ़ाना और इसके लिए बचत, वाहन (saving vehicles) आबादी के असेवित वर्गों को प्रदान करना है, छोटे किसानों, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों तथा अन्य असंगठित क्षेत्र की इकाइयों को उच्च तकनीक एवं निम्न लागत वाले परिचालन के माध्यम से ऋण की आपूर्ति करना है। लघु बैंकों की अन्य विशेषताएं निम्नवत् हैं:

(i) लघु बैंकों की स्थापना के लिए प्रोत्साहक वे व्यक्ति हो सकते हैं, जिनका बैंकिंग एवं वित्त सोसाइटी एवं कम्पनी में 10 वर्षों का अनुभव है। एनएफबीसी (NFBC), सूक्ष्म वित्त संस्थाएं तथा स्थानीय बैंक की अपने परिचालन को लघु बैंक के परिचालन में परिणित कर सकते हैं। स्थानीय फोकस तथा छोटे ग्राहकों की सेवा करने की योग्यता ही इन बैंकों के लाइसेंस की प्रमुख कसौटी होगी।

(ii) शुरुआती तीन वर्षों के लिए शाखा विस्तार के लिए पूर्वानुमति लेना अनिवार्य होगा।

(iii) परिचालन क्षेत्र सामान्यत: राज्यों एवं संघशासित प्रदेशों के समरूप समूहों के सशक्त जिलों तक सीमित होगा जिससे कि लघु बैंक 'स्थानीय' होने का बोध कराए। हालांकि जरूरी होने पर इसका परिचालन क्षेत्र संसक्त जिलों के बाहर एक या अधिक राज्यों तक भौगोलिक समीपता के आधार पर विस्तारित किया जा सकेगा।

(iv) बैंक प्राथमिक रूप से मूलभूत बैंकिंग गतिविधियां जैसे-जमा लेना, तथा छोटे किसानों, छोटे व्यवसायों, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों तथा असंगठित क्षेत्र की इकाइयों को ऋण देना आदि चलाएंगे। ये सहयोगी (subsidiaries) संस्थाएं नहीं स्थापित कर सकते जो कि गैर-बैंकिंग सेवा गतिविधियां चलाएं। शुरुआत के पाश्च: स्थिरीकरण के वर्षों में तथा समीक्षा के पश्चात् आरबीआई लघु बैंकों के कार्यक्षेत्र को और व्यापक बना सकता है।

इस बीच आरबीआई ने लघु बैंकों के लिए 72 तथा भुगतान बैंकों के लिए 41 आवेदन प्राप्त किए हैं। आवेदन आरबीआई के विचाराधीन हैं। उम्मीद है कि उनमें से कुछ का अनुमति मिल जाएगी।

(v) अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय सेवा कार्यकलापों के प्रमोटरों को यदि हो तो विशिष्ट बंद घेरे में रहा जाए और बैंकिंग व्यापार के साथ व मिलाया जाए

(vi) एक कड़े जोखिम प्रबंधन ढांचे की आवश्यकता है और बैंक सभी मितव्ययी मानकों और आरबीआई विनियमों के तहत होंगे, जो सीआरआर और एसएलआर के अनुरक्षण सहित विद्यमान वाणिज्यिक बैंकों पर प्रयोज्य होते हैं।

(vii) प्रचालन क्षेत्र के संकेन्द्रण के आलोक में छोटे बैंकों को विविधिकृत ऋण पोर्टफोलियों की आवश्यकता होगी जो इसके प्रचालन क्षेत्रों में फैला होगा।

(viii) एकल/समूह ऋणदाताओं/जारीकर्ताओं के लिए अधिकतम ऋण आकार और निवेश सीमा

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

पूंजीगत निधियों के 15 प्रतिशत तक सीमित होगी।

(ix) मुख्यत: सूक्ष्म उद्यमों को 25 लाख रु. तक के ऋण और अग्रिम में ऋण पोर्टफोलियो का न्यूनतम 50 प्रतिशत होगा।

(x) पहले तीन वर्षों हेतु 25 प्रतिशत शाखाएं बैंकरहित ग्रामीण क्षेत्रों में होगी।

भुगतान बैंक (Payments Banks)

भुगतान बैंकों का उद्देश्य वित्तीय आमेलन को प्रवासी श्रमिकों, कम आय परिवारों, छोटे व्यापारियों, अन्य अंसगठित क्षेत्र उद्यमियों और अन्य प्रयोक्ताओं को लघु बचत खाते, भुगतान/प्रेषण सेवाएं प्रदान कर सुरक्षित प्रौद्योगिकी चालित परिवेश में जमा और भुगतान/प्रेषण सेवाओं में उच्च मात्रा, कम मान लेनदेनों में समर्थ बनाना है।

गैर-बैंक, पीपीआई, एनबीएफसी कार्पोरेट मोबाइल टेलिफोन कंपनियां, सुपर मार्केट चैन, रीयल सेक्टर, सहकारिता कंपनियां और सरकारी क्षेत्र कंपनियां भुगतान बैंक को प्रमोट कर सकती है। यहां तक कि बैंक भी भुगतान बैंकों में इक्विटी ले सकते है।

- भुगतान बैंक मांग जमाएं (केवल चालू और बचत खाता) स्वीकार कर सकते है। इन्हें प्रारंभ में प्रति ग्राहक 100,000 रु. के अधिकतम शेष को रखना होगा। निष्पादनता के आधार पर आरबीआई इस सीमा को बढ़ा सकता है।
- बैंक भुगतान और प्रेषण सेवाएं, प्रीपेड भुगतान उपाय जारी करना, इंटरनेट बैंकिंग प्रदान कर सकता है अन्य बैंकों हेतु व्यापार सहायक हो सकता है।
- भुगतान बैंक एनबीएफसी व्यापार करने के लिए सहायक कंपनियां स्थापित नहीं कर सकते है।
- छोटे बैंकों के मामले में प्रमोटरों के अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय सेवा कार्यकलाप बंद घेरे में होंगे।
- भुगतान बैंक, स्वयं को अन्य बैंकों से पृथक दर्शाने हेतु अपने नाम में भुगतान शब्द का प्रयोग करेंगे।
- भुगतान बैकों हेतु क्रेडिट ऋण स्वीकार्य नहीं है।
- फ्लोट निधियों को केवल एक वर्ष से कम जीएससीएस में रखा जा सकता है।

इस बीच, आरबीआई को छोटे बैंकों के लिए 72 आवेदन और भुगतान बैंकों के लिए 41 आवेदन प्राप्त हुए हैं। यह आवेदन आरबीआई के विचाराधीन है। उम्मीद की जाती है कि जल्द ही उनमें से कुछ को इन आला बैंकों (niche banks) की स्थापना के लिए मंजूरी मिल जाएगी।

वित्तीय समावेशन (FINANCIAL INCLUSION)

वित्तीय समावेशन सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। इसका उद्देश्य है, बहिष्कृत वर्गों, यथा - कमजोर वर्गों, अल्य आय समूहों आदि के लिए विभिन्न वित्तीय सेवाएं, जैसे कि -बचत बैंक खाता, जरूरत आधारित कर्ज, भुगतान सुविधा, बीमा तथा पेंशन के लिए पहुँच सुनिश्चित करे। हाल ही में सरकार ने वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए एक प्रभावी योजना शुरू की है—प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY)।

प्रधानमंत्री जनधन योजना (Pradhan Mantri Jan-DhanYojana)

देश की एक बड़ी असेवित आबादी तक वित्तीय सेवाएं विस्तारित कर वित्तीय समावेशन का उद्देश्य पूरा करने तथा उनकी वृद्धि संभावनाओं को खोलने के लिए प्रधानमंत्री जन-धन योजना 28 अगस्त, 2014 से शुरू की गई। इस योजना के लक्ष्य हैं:

(i) बैंकिंग सुविधाओं तक सर्वजन पहुंच, प्रत्येक परिवार में कम-से-कम एक बेसिक बैंक खाता।

(ii) वित्तीय साक्षरता, ऋण एवं बीमा तक पहुंच।

(iii) लाभार्थियों को एक रुपे डेबिट कार्ड मिलेगा जिसके अंतर्गत एक लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर निहित होगा।

(iv) इसके अतिरिक्त जो पहली बार बैंक खाता खोल रहे हैं-15 अगस्त, 2014 तथा 26 जनवरी, 2015 के बीच तथा जो योजना के लिए निश्चित

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

अहर्ता पूरी करते हैं, को 30,000 रुपए का जीवन बीमा कवर भी प्रदान किया जाएगा।

यह योजना बुक ऑफ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुई है, सबसे अधिक बैंक खाते खोलने के एवज में। 28 जनवरी, 2015 तक 12.31 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से 7.36 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में तथा 4.95 करोड़ शहरी क्षेत्र में हैं। इस योजना के अंतर्गत 28 जनवरी, 2015 तक खोले गए खातों में से 67.5 प्रतिशत खाते शून्य शेष वाले थे।

बैंकों का परिसंपत्ति-दायित्व प्रबंधन (ALM OF BANKS)

हाल के वर्षों में बैंक परिसंपत्ति-दायित्व प्रबंधन (Asset-Liability Management, ALM) की समस्या से जुझते रहे हैं। ऐसा उनके द्वारा अधिरचना, मूलभूत क्षेत्रों तथा रियल स्टेट जैसे क्षेत्रों को दीर्घकालीन ऋण देने के कारण हुआ। पुन: इन क्षेत्रों में नई परियोजनाओं के लिए धन उगाहना बैंकों के लिए दुष्कर हो गया। बैंकों के नॉन-परफार्मिंग परिसंपत्तियों का बड़ा हिस्सा घेरते हैं।

बैंक शेष ऋणों के सावधिक पुनर्वित्तयन के लिए दीर्घकाल के परिशोधन (ऋण चुकाना) की अनुमति मांगते रहे। बैंक संसाधन खड़ा करने के लिए अलग तरह से प्रयास करते रहे हैं। अधिरचना क्षेत्र को ऋण देने के लिए दीर्घकालीन बॉण्ड जारी करने का कोई नतीजा नहीं निकला। अधिरचना एवं मूलभूत औद्योगिक परियोजनाएं वृहत पूंजी निवेश तथा दीर्घ निर्माण अवधि की समस्या से ग्रस्त रही है। ऐसे परियोजना-ऋणों की लंबी परिपक्वता के अंतर्गत आरंभिक निर्माण अवधि तथा परिसंपत्तियों के आर्थिक जीवन भी शामिल रहा है, जिसमें रियायत अवधि (सामान्यत: 25 से 30 वर्ष) अलग से रेखांकित रही है।

संघीय बजट 2015-16 के अनुपालन में आरबीआई ने जुलाई 2015 में बैंकों के एएलएम पर ध्यान देते हुए अपने तौर-तरीकों को कुछ हद तक शिथिल किया:

(i) बैंकों को अनुमति दी गई कि वे दीर्घ अवधि के बॉण्ड (परिपक्वता अवधि 7 वर्ष से कम) के मार्फत धन उगाही करे।

(ii) ऐसे बॉण्डों को अनिवार्य नियामक तौर-तरीकों, जैसे-सीआरआर, एसएलआर तथा पीएसएल से मुक्त रखा गया।

(iii) ऐसे धन को अधिरचना मूलभूत क्षेत्र तथा आवासीय क्षेत्र की दीर्घकालीन परियोजनाओं के वित्तीयन में उपयोग करना है। अफोरडेबल (खर्चा वहन कर सकने योग्य) आवास छह महानगरों (मेट्रोपोलिटन सिटीज) में 65 लाख तक के मकानों के लिए 50 लाख तक का ऋण प्रदान किया जा सकता है। अन्य क्षेत्रों के लिए 50 लाख रुपये तक के मूल्यों के मकान के लिए 40 लाख रुपये का कर्ज दिया जा सकता है।

(iv) बैंक लंबी अवधि के कर्जों के लिए संभावित प्रतिकूलताओं को ध्यान में रखकर उसे लचीला बना सकते हैं जिसे 5/25 स्ट्रक्चर के रूप में जाना जाता है। 5/25 स्ट्रक्चर के अंतर्गत बैंक लंबी देयता अवधि (25 वर्ष) निश्चित कर सकते हैं, जिसमें प्रत्येक 5 वर्ष पर सावधिक पुनर्वित्तीयन की व्यवस्था होगी।

भारत 2017 तक अधिरचना क्षेत्र में 1 ट्रिलियन यू.एस. डॉलर का निवेश करना चाहता है, जिसकी आधी रकम निजी क्षेत्र से अपेक्षित है। आरबीआई द्वारा जारी निर्देश 2015-16 के संघीय बजट की घोषणाओं के अनुरूप है।

स्वर्ण निवेश की योजनाएं (GOLD INVESTMENT SCHEMES)

नवंबर 2015 में भारत सरकार ने सोने में निवेश की दो नई योजनाएं सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स और गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम लॉन्च की। इन योजनाओं के दो उद्देश्य हैं:

(i) सोने की भौतिक मांग कम करना, और;

(ii) हर साल निवेश के उद्देश्य से आयात होने वाले सोने के एक हिस्से को वित्तीय बचत के रूप में बदलना।

योजनाओं की मुख्य विशेषताएं नीचे बताई जा रही हैं:

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

संप्रभु स्वर्ण बॉण्ड (Sovereign Gold Bonds)

भारत सरकार की ओर से आरबीआई इन्हें रुपये और सोने के वजन के आधार पर जारी करता है। पेपर और डीमैट दोनों रूपों में केवल भारतीय नागरिक और भारतीय कंपनियां ही इसे खरीद सकती हैं। प्रति व्यक्ति निवेश की न्यूनतम सीमा एक वित्तीय वर्ष में दो ग्राम और अधिकतम सीमा 500 ग्राम है। इस पर ब्याज की दर 2015-16 के लिए प्रतिवर्ष 2.75 फीसदी थी, जो 6 महीने में एक बार दी जाती है।

ये बॉण्ड 8 साल के लिए होता है, जिससे 5 साल बाद निकलने का विकल्प होता है। सोने के लिए भी केवाईसी (Know Your Customer–KYC) के वही नियम होते हैं। कैपिटल गेंस टैक्स (पूंजीगत लाभ कर) का लाभ भी मिलता है। समय पूरा होने पर उस दौरान सोने की कीमत के हिसाब से रुपये लौटाए जाते हैं।

गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम (Gold Monetisation Scheme)

इस स्कीम के तहत बैंकों की ओर से बीआईएस (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स) द्वारा प्रमाणित सीपीटीसी (कलेक्शन, प्यूरिटी टेस्टिंग सेंटर) बैंकों के बदले (behalf of banks) ग्राहकों से सोना एकत्र करते हैं। इसके तहत कम-से-कम 30 ग्राम (सोना या सोने के गहने) सोना जमा किया जा सकता है और अधिकतम सोना जमा करने की कोई सीमा नहीं है।

गोल्ड सेविंग स्कीम एकाउंट किसी भी अधिकृत बैंक में 1-3 साल की अल्प अवधि, 5-7 साल की मध्यम अवधि और 12-15 साल की लंबी अवधि के लिए खोले जा सकते हैं। बैंक सोना साफ करने वालों और सीपीटीसी से इसके लिए त्रिपक्षीय/द्विपक्षीय कानूनी समझौता करेंगे। 2015-16 के लिए इस योजना में ब्याज दर 2.25 फीसदी अल्प अवधि हेतु और मध्यम अवधि के लिए 2.5 फीसदी तय की गई थी। समय पूरा होने पर अल्प अवधि की योजना के लिए नकद/ सोना और मध्य और लंबी अवधि में नकद पैसे लौटाए जाते हैं।

सरकार के लिए उधार का मौजूदा खर्च और मध्य/ लंबी अवधि के तहत डिपॉजिट पर ब्याज दर का अंतर गोल्ड रिजर्व फंड में जमा होता है।

मुद्रा बैंक (MUDRA BANK)

भारत सरकार के मुताबिक बड़े उद्योग केवल 1.25 करोड़ लोगों को ही नौकरी दे पाते हैं, जबकि छोटी कंपनियां करीब 12 करोड़ लोगों को रोजगार देती हैं। ऐसे 5.75 करोड़ स्व-रोजगारियों (छोटी कंपनियों के मालिक) पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जो सिर्फ 1700 रुपये प्रति इकाई के ऋण के साथ 11 लाख करोड़ के फंड का इस्तेमाल करते हैं । छोटे उद्यमियों के लिए पूंजी बहुत महत्वपूर्ण है। छोटे उद्यमी पूंजी की अपनी जरूरत के लिए साहूकारों पर निर्भर हैं।

ऐसी कंपनियों की अहमियत को देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें फंड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अप्रैल 2015 में माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफायंस एजेंसी बैंक (मुद्रा बैंक) की शुरुआत की। इसे पीएमएमवाई (प्रधानमंत्री मुद्रा योजना) के नाम से शुरू किया गया। मुद्रा बैंक की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- इस बैंकिंग मॉडल के तहत छोटी कंपनियां पुनर्वित्तीयन (सरकारी और निजी सेक्टर के बैंक, एनबीएफसी, एमएफआई, आरआरबी, जिला बैंक आदि से) के रास्ते 10 लाख तक का लोन ले सकती हैं।
- इसके तहत लोन को तीन श्रेणियों, शिशु (50, 000 रुपये तक), किशोर (50, 000 से 5 लाख तक) और तरुण (5 लाख से 10 लाख तक), में बांटा गया है।
- इस योजना के तहत फलों और सब्जियों के व्यापारी आते हैं लेकिन कृषि क्षेत्र में पुनर्वित्तीयन संभव नहीं है।
- इस योजना में ब्याज दर निर्धारित नहीं है। भारत सरकार के मुताबिक फिलहाल बैंक हर साल बेस रेट में एक फीसदी से 7 फीसदी जोड़कर ब्याज दर ले रहे हैं। माना जाता है कि लोन पर ब्याज दर कंपनी के काम के अनुसार खतरे को देखते हुए बदलेगा। अगर लोन किसी दूसरी सरकारी योजना से जुड़ा नहीं तो ब्याज दर कोई सब्सिडी नहीं मिलती।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams
https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

अध्याय 13

भारत में बीमा

(INSURANCE IN INDIA)

बीमा एक प्रकार का प्रतिलोम में जुआ है-‘जोखिम प्रसार’ का एक बड़ा रूप-एक व्यक्ति का जोखिम जो बड़ा है, उसे छोटा करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के लिए प्रसार किया जाता है-इस प्रक्रिया से दो उद्देश्य पूरे होते हैं-लोगों को सामाजिक सुरक्षा का जाल उपलब्ध होता है और निवेश करने योग्य पूंजी उपलब्ध होने से राष्ट्र-निर्माण में सहायता मिलती है। ’

इस अध्याय में

- ❑ परिभाषा
- ❑ बीमा उद्योग
- ❑ ए.आई.सी.आई.एल.
- ❑ बीमा सुधार
- ❑ पुनर्बीमा
- ❑ जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम
- ❑ निर्यात ऋण गारंटी निगम
- ❑ राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता
- ❑ आगे की चुनौतियाँ
- ❑ बीमा प्रवेशन
- ❑ सुधार की नई पहलें
- ❑ नयी बीमा योजनाएं

* देखें पॉल ए. सैमुअल्सन और विलियम डी. नॉरडॉस, ‘इकोनॉमिक्स’, द मैक्ग्रॉ-हिल कंपनी, न्यूयॉर्क, अमेरिका, 2005, पृष्ठ 210-212

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

परिभाषा (DEFINITION)

आर्थिक अवधारणा के अनुसार कोई भी घटक जो जोखिम (Risk) को कम करे उसे बीमा कहते हैं, लेकिन अपने लोकप्रिय उपयोग में बीमा किसी बीमा कंपनी द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली ऐसी सेवा (Service) है, जो दो प्रकार की बीमा पॉलिसी बेचती है– जीवन बीमा और साधारण बीमा। जहाँ जीवन बीमा दुर्घटना से मृत्यु तक का जोखिम वहन करता है वहीं साधारण बीमा (General Insurance), जिसे ***गैर-जीवन बीमा*** भी कहते हैं द्वारा परिसंपत्तियों (Assets) से जुड़े जोखिम का बीमा करता है। इसके पॉलिसी धारकों को बीमा के लिए, जो किश्त-स्वरूप भुगतान करना पड़ता है उसे प्रीमियम (Premium) कहते हैं।

बीमा उद्योग (INSURANCE INDUSTRY)

बीमा का भारत में पुराना इतिहास है। इसका उल्लेख मनु (मनुस्मृति), याज्ञवल्य (धर्मशास्त्र) तथा कौटिल्य (अर्थशास्त्र) की रचनाओं में मिलता है। इन रचनाओं में बीमा का उल्लेख संसाधनों के संग्रह के रूप में किया गया है जिनका पुनर्वितरण संकट के समय (जैसे-अग्निकांड, बाढ़, महामारी तथा अकाल) किया जा सके। आज के बीमा की पूर्वपीठिका यही है। भारत के प्राचीन इतिहास में समुद्री व्यापार ऋणों एवं वाहक संविदाओं के रूप में बीमा के आदि स्वरूप को संरक्षित रखा गया है। समय बीतने के साथ भारत में बीमा का विकास अन्य देशों, विशेषकर ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए हुआ।

भारतीय जीवन बीमा निगम
(Life Insurance Corporation of India)

भारत में जीवन बीमा क्षेत्र को सरकार द्वारा सन् 1956 में राष्ट्रीयकृत किया गया तथा देश में क्रियाशील 245 देशी और विदेशी जीवन बीमा कंपनियों को अधिगृहीत करके एक सरकारी कंपनी 'भारतीय जीवन बीमा निगम' (Life Insurance Corporation of India) की स्थापना की गयी, जो 'LIC' के नाम से लोकप्रिय हुआ। इसी के साथ देश में इस क्षेत्र में निजी कंपनियों के खुलने पर रोक भी लगा दी गयी। भारत सरकार अपने बीमा कंपनी को एक निवेशक संस्थान (Investment Institution) मानती है तथा यह वित्तीय क्षेत्र के पूँजी बाजार का अंग है।

इसके राष्ट्रीयकरण के मुख्यत: दो लक्ष्य थे–*पहला,* बेहतर सामाजिक सुरक्षा के लिए जीवन बीमा के संदेश का प्रचार-प्रसार। *दूसरा,* लोगों की बचत (प्रीमियम स्वरूप) को राष्ट्र निर्माण में लगाना। भारत के नियोजित विकास में LIC देश का सबसे बड़ा निवेशक रहा है। यह सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securities) की खरीदारी करता रहा है जिससे सरकार द्वारा अपने योजनागत व्यय को पूरा किया जाता रहा है। यह प्रक्रिया आज भी जारी है।

साधारण बीमा निगम
(General Insuranc Corporation, GIC)

1971 में सरकार ने निजी क्षेत्र की कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया (107 भारतीय एवं विदेशी कम्पनियों का) जो कि साधारण बीमा के क्षेत्र में सक्रिय थीं और इन्हें मिलाकर एक सरकारी बीमा कम्पनी साधारण बीमा निगम का गठन किया। जीआईसी ने 1 जनवरी, 1973 से अपनी चार धारक कम्पनियों के साथ कार्य करना शुरू कर दिया:

(i) नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि.
(ii) न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लि.
(iii) ओरिएंटल फायर एंड इंश्योरेंस कम्पनी लि.
(iv) युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लि.

सुधारों के दौर में इस क्षेत्र में दो परिवर्तन सामने आए:

(i) नवंबर 2000 में जीआईसी को भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के रूप में अधिसूचित किया गया।[1] इसका नया नाम GIC Re है।
(ii) मार्च 2000 में चारों सार्वजनिक क्षेत्र की साधरण बीमा कम्पनियों की धारक कम्पनी की हैसियत से मुक्त कर दिया गया। अब वे चारों कम्पनियाँ सीधे भारत सरकार के स्वामित्व के अधीन हैं।[2]

1. Publication Division, ***India 2002,*** (New Delhi: Government of India, 2003).
2. Ministry of Finance, ***Economic Survey 2002–03,*** (New Delhi: Government of India, 2003).

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

ए.आई.सी.आई.एल. (AICIL)

सरकार द्वारा दिसंबर 2002 में कृषि बीमा को बढ़ावा देने के लिए नये सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की स्थापना की गयी। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (AICIL) नामक इस उपक्रम ने अप्रैल 2003 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। किसानों की सहायता को समर्पित इस कंपनी का उद्देश्य एक टिकाऊ बीमांकिक (actuarial) व्यवस्था का विकास करना है।

इस प्रकार वर्ष 1999 में शुरू किए गए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) का संचालन AICIL द्वारा किया जाने लगा। इस बीमा योजना को अब **जनवरी 2016** में शुरू की गयी नयी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)[3] में समाहित कर दिया गया है। इस नयी कृषि योजना का संचालन AICIL द्वारा किया जा रहा है।

AICIL सार्वजनिक क्षेत्र बीमा कंपनियों एवं विकास वित्त संस्थानों (DFIs) का एक संयुक्त उपक्रम है। इसमें GIC की शेयरधारिता 35 प्रतिशत, NABARD की 30 प्रतिशत तथा चारों सार्वजनिक क्षेत्र बीमा कंपनियों की शेयरधारिता 8.75 (प्रत्येक) है।

सार्वजनिक क्षेत्र में बीमा कंपनियां (Public Sector Insurance Companies)

वर्तमान में बीमा क्षेत्र में सरकारी कंपनियों की संख्या 6 है। इनमें से एक जीवन बीमा (LIC) तथा चार सामान्य (general) बीमा क्षेत्र में कार्यरत हैं तथा एक कंपनी सिर्फ कृषि बीमा (AICIL) में संलग्न है। इनके अतिरिक्त अभी देश में एक 'पुनर्बीमा' (reinsurance) कंपनी है (GIC Re), जो पूरी तरह सरकारी स्वामित्व में है।

बीमा सुधार (INSURANCE REFORMS)

देश में चल रहे आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के अंतर्गत अप्रैल 1993 में पूर्व RBI गवर्नर ***आर.एन.मल्होत्रा*** की अध्यक्षता में एक बीमा सुधार समिति गठित की गयी। समिति द्वारा अपने रिपोर्ट में निम्न सलाह प्रस्तुत (जनवरी 1994) की गई:[4]

(i) बीमा क्षेत्र का विनियंत्रण (decontrolling insurance sector), अर्थात् भारतीय एवं विदेशी निजी क्षेत्र की कम्पनियों को बीमा क्षेत्र में प्रवेश दिलाना (इरडा अधिनियम पारित करने के समय ही सरकार ने 1999 में इस काम को अंजाम दिया)।

(ii) जीवन बीमा तथा साधारण बीमा का पुनर्गठन करके सरकार की हिस्सेदारी कम करके 50 प्रतिशत कर दी जाए। 2012 के अंत में सरकार ने एलआईसी के शेयरों की बिक्री शुरू की लेकिन केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को-जिसका स्वागत किया चाहिए।

(iii) GIC का इसके नियंत्रण के अधीन की चार कंपनियों से संबंध-विच्छेद (इसे सरकार द्वारा वर्ष 2000 में लागू कर दिया गया)।

(iv) बीमा नियंत्रक (Comptroller of Insurance) की सर्वेक्षकों (surveyors) को लाइसेंस देने के अधिकार का समापन (वर्ष 2000 में लागू)।

(v) शुल्क सलाहकारी समिति (Tariff Advisory Committee) की पुनर्संरचना,

(vi) बीमा क्षेत्र के नियमन के लिए एक नियमन प्राधिकरण की स्थापना (वर्ष 2000 में IRDA स्थापित)।

बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण-इरडा (Insurance Regulatory and Development Authority—IRDA)

भारतीय बीमा क्षेत्र के नियमन के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2000 में बीमा नियमन एवं विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority—IRDA) की स्थापना की गई (IRDA अधिनियम को सन् 1999

3. Ministry of Finance, **Union Budget 2016–17** (New Delhi: Government of India, 2016); and Ministry of Finance, **Economic Survey 2015-16** (New Delhi: Government of India, 2016).

4. R. N. Malhotra headed ***Insurance Reforms Committee,*** Government of India, N. Delhi, January 1994.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

में पारित किया गया)। इसके लिए एक अध्यक्ष और 5 सदस्यों की व्यवस्था है (2 सदस्य पूर्णकालिक तथा 3 सदस्य अंशकालिक), जिनकी नियुक्ति और मनोनयन (nomination) भारत सरकार करती है। यह प्राधिकरण अपने मुख्यालय हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) से काम कर रहा है।

IRDA की नवीनतम् *वार्षिक रिपोर्ट 2014-15* के अनुसार, अभी देश में कुल 52 बीमा कंपनियां कार्यरत हैं जिनमें 24 जीवन बीमा और 28 साधारण बीमा क्षेत्र में हैं। वर्तमान में बीमा उद्योग का विनियमन (regulation) बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 के अनुसार किया जा रहा है।

इस अधिनियम द्वारा बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के स्तर को 26 से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दिया गया है। लेकिन 49 प्रतिशत (जो स्वत: मंजूरी के अंतर्गत आता है) से अधिक के लिए निवेशक को वित्त मंत्रालय से अनुमति लेने का प्रावधान है।

पुनर्बीमा (REINSURANCE)

बीमा एक बहुत ही जोखिम (risk) भरा व्यवसाय है। बीमा कंपनियां जहां बीमा पॉलिसी धारकों के जोखिम को सुरक्षा प्रदान करती हैं वे स्वयं काफी उच्च वित्तीय जोखिम वहन करती हैं। इसी वास्तविकता के मद्देनजर 'पुनर्बीमा' व्यवसाय का उदय हुआ। पुनर्बीमा कंपनी वास्तव में बीमा कंपनियों को उनके वित्तीय जोखिम को बीमित करने का अवसर उपलब्ध कराती है।

पुनर्बीमा की अनुपस्थिति में किसी देश में बीमा क्षेत्र का उचित विकास संभव नहीं है। जब भारत सरकार द्वारा बीमा क्षेत्र में निजी क्षेत्र को प्रवेश करने की अनुमति दी गयी (वर्ष 1999 में) तो सरकार द्वारा स्वयं ही पुनर्बीमा के क्षेत्र में कदम उठाते हुए सार्वजनिक क्षेत्र पुनर्बीमा कंपनी GICRe की स्थापना की गयी (वर्ष 2000 में)। आज यह विश्व की अग्रणी पुनर्बीमा कंपनियों में से एक है। इसका अधिनियमन भी IRDA द्वारा ही किया जाता है।

भारत में पुनर्बीमा प्रवेशन (penetration) काफी निम्न है। इसका एक बहुत बड़ा कारण रहा है—इस व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा का न होना। इस क्षेत्र के विकास और विस्तार के लिए IRDA ने वर्ष 2015 के अंत में इसे विदेशी कंपनियों के प्रवेश के लिए खोलने की घोषणा की गयी। मार्च 2016 में IRDA द्वारा चार विदेशी पुनर्बीमा कंपनियों भारत में कार्य करने की प्रारंभिक मंजूरी दी (इसे अधिनियमन की भाषा में R1 कहा जाता है)। इनमें से दो कंपनियां जर्मनी की हैं (Munich Re एवं Hannover), एक स्विट्जरलैंड (Swiss Re) की तथा चौथी एक फ्रांसीसी कंपनी (Scor) है। जहां Munrich Re विश्व की सबसे बड़ी पुनर्बीमा कंपनी है वहीं Swiss Re दूसरी और Hannovar तीसरी सबसे बड़ी कंपनियां हैं। दो अन्य विदेशी पुनर्बीमा कंपनियां (एक USA की अमेरिकी पुनर्बीमा समूह और दूसरी UK की XL कैटलिन) IRDA की प्रारंभिक अनुमति मिलने की प्रतीक्षा में है। इस क्षेत्र में कार्य करने संबंधी अंतिम अनुमति (जिसे R2 कहा जाता है) मिलने के बाद इन कंपनियों द्वारा अपना औपचारिक परिचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा।

जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION–DICGC)

डीआईसीजीसी का गठन जमा बीमा निगम (1962) तथा ऋण गारंटी निगम (1971) का 1978 में विलय करके किया गया। जमा बीमा की शुरुआत जमाकर्ताओं की सुरक्षा, वित्तिय स्थिरता बैंकिंग व्यवस्था में भरोसा बहाल रखने तथा जमा राशि जुटाने के उद्देश्य से की गई थी। दूसरी ओर क्रेडिट गारंटी निगम की स्थापना यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि उपेक्षित क्षेत्रों की ऋण जरूरतों की पूर्ति की जा सके। बैंकों को उन ग्राहकों को ऋण देने के लिए तैयार करना था, जो कि ऋण प्राप्त करने में इतने सक्षम नहीं थे। विलय के पश्चात् डीआईसीजीसी ऋण गारंटी की तरफ एकाग्र हो गया। इसके पीछे कारण यह था कि ज्यादातर बैंक राष्ट्रीयकृत थे। वित्तीय क्षेत्र सुधार

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

की 1990 के दशक में सुधार के पश्चात् ऋण गारंटी को धीरे-धीरे 'फेज आउट' किया जाने लगा और निगम का ध्यान जमा बीमा के मुख्य कार्य पर केन्द्रित हो गया, ताकि अफरातफरी को रोककर प्रणालीगत जोखिमों को कम कर वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

वित्त वर्ष 2017-18 में सरकार द्वारा वित्तीय समाधान एवं जमा बीमा विधेयक (Financial Resolution and Deposit Insurance Bill) लाया गया, जिसका उद्देश्य है—जमाओं को प्राप्त बीमा एवं साख गारंटी प्रावधानों में सुधार करना। इस विधेयक के एक विशेष प्रावधान (बैंकों के असफल होने की स्थिति में इन्हें देनदारियों को रद्द करने की अनुमति देना) पर विशेषज्ञों द्वारा इसकी कड़ी आलोचना की गयी। वर्तमान में इस विधेयक को एक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को सौंप दिया गया है जिसके विचारों का अभी आना बाकी है। दरअसल, संबंधित विधेयक में प्रावधान (सेक्शन 52) है जिसके अंतर्गत **समाधान निगम** (जिसकी इस विधेयक में स्थापना का प्रस्ताव है) को यह शक्ति देने का प्रावधान है जिसके अंतर्गत असफल (failed) बैंकों की अभिदेयदाओं (liabilities) को इसे निरस्त (write down) करने का अधिकार प्राप्त होगा। इस उपबंध को विश्लेषकों द्वारा 'बेल ईन' (bail in) के प्रावधान के रूप में देखा गया (इसके अंतर्गत वित्तीय सहायता की कोशिश बैंक/वित्तीय सस्थान की आंतरिक पूंजी से की जाती है)। हालांकि, ऐसी शंका को सरकार द्वारा जल्द ही खारिज कर दिया गया।

वर्तमान में जमाकर्ताओं की एक लाख रु. तक की राशि बैंकों की जमाओं में सुरक्षित है (इन्हें DICGC की बीमा सुरक्षा प्राप्त है)। इस जमा बीमा सीमा को वर्ष 1993 के बाद संशोधित नहीं किया गया है। वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के उपरांत अधिकांश देशों ने जमा बीमा के स्तर को बढ़ाया है-संयुक्त राज्य अमेरिका में यह 2.5 लाख डॉलर तक की गयी, वहीं युनाइटेड किंगडम में इसे बढ़ाकर 1.5 लाख अमेरिकी डॉलर किया (प्रति व्यक्ति आय से लगभग 3 से 4 गुणा)। उभरती अर्थव्यवस्थाओं, यथा—ब्राजील एवं चीन में जमा बीमा को प्रति व्यक्ति आय से 9 गुणा रखा गया है भारत के मामले में यह अब भी इसके प्रति व्यक्ति आय (जो *आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18* के अनुसार 1,11,782 रु. अनुमति है) से थोड़ा ही अधिक है।

निर्यात ऋण गारंटी निगम (Export Credit Guarantee Corporation–ECGC)

भारतीय कम्पनियों की वैदेशिक परियोजनाओं को आयात करने वाले देशों में अनेक राजनीतिक एवं वाणिज्यिक जोखिमों का सामना करना पड़ता है। ऐसे प्रतिष्ठानों को यथेष्ठ बीमा आवरण प्रदान करने के लिए सरकार ने ईसीजीसी की स्थापना वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन मध्यम एवं दीर्घकालीन निर्यातों के लिए की है। लेकिन ईसीजीसी की अपनी ही सीमाओं के चलते लंबी पुनर्भुगतान अवधि जैसे मामलों में शुद्ध वाणिज्यिक जोखिमों को आच्छादित करना कठिन हो जाता है। ऐसे मामलों में बड़े मूल्यों वाले ठेके, आयात करने वाले देश की कठिन आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों के साथ-साथ यह तथ्य भी शामिल है कि ऐसी परियोजनाओं के लिए सामान्यत: पुनर्बीमा आवरण उपलब्ध नहीं हो[5] तो कई बार ऐसी परियोजनाएं आयातक देशों के साथ भारत के आर्थिक और राजनीतिक संबंधों के मद्देनजर भी जरूरी मालूम पड़ती है। इसका अर्थ यह हुआ कि ऋण बीमा आवरण की अनुपस्थिति में ऐसी परियोजनाओं को चलाने में भारतीय निर्यातकों की क्षमता एवं योग्यता प्रभावित होती है। ध्यातव्य है कि, अनेक विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ऐसी परियोजनाएं सरकारी स्तर पर आवरित एवं बीमाकृत होती हैं।[6]

राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (National Export Insurance Account–NEIA)

ECGC की सेवाओं की सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार ने मार्च 2006 में इसकी स्थापना की ताकि मध्यम एवं दीर्घकालीन निर्यात उन मामलों में बढ़ाया जा सके जहाँ

5. Due to its underwriting constraint, the ECGC is unable to cover such projects on its own.
6. As for example the USA, France, the UK and many other Euro-American economies underwrite such medium and long-term projects in the governments' account. The SEIA also covers only medium- and long-term export projects.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

कि ईसीजीसी अपने स्तर पर बीमा आवरण प्रदान करने में शुद्ध वाणिज्यिक कारणों[7] में सक्षम नहीं हो सका:

(i) इस खाते में 66 करोड़ रुपये का कार्पस प्रदान किया गया जो कि 2007-08 में बढ़कर 246 करोड़ रुपये हो गया, पुन: 11वीं योजना (2007-12) में इसे बढ़ाकर रु. 2000 करोड़ कर दिया गया।

(ii) एनईआईए के संसाधन होंगे-कार्पस, प्रीमियम आय, ब्याज आय तथा सभी दावों के भुगतान की वसूली।

(iii) प्रावधान के अनुसार कार्पस के दस गुना राशि के बराबर का एक्सपोजर एनईआईए द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

एनईआईए सभी परियोजनाओं को आवरित कर सकता है जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करती हों:[8]

(i) परियोजना वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य एवं वहनीय होनी चाहिए।

(ii) परियोजना भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होनी चाहिए। आयातक देश के साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंधों के परिप्रेक्ष्य में।

(iii) निर्यातक को संविदा को कार्यरूप देने में सक्षम होना चाहिए और यह बात उसके पिछले कार्य-इतिहास से पुष्ट होनी चाहिए।

NEIA के उपयोग एवं लाभ के बारे में लाभुकों के बीच प्रचार किया जाना चाहिए। इसी बीच इंडोनेशिया, वियतनाम, ईरान, सूडान आदि देशों से संबंधित परियोजनाएँ प्रगति पर हैं। NEIA सक्षम परियोजना निर्यात को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में प्रवेश को सुविधाजनक बनाएगा, जैसा कि उससे अपेक्षित है।[9] भूमंडलीकरण के युग में विशेषज्ञों एवं व्यापार क्षेत्र के लोगों ने इस प्रगति का स्वागत किया है।

7. Announced while setting up the NEIA, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, N. Delhi, 9 March, 2006.
8. Ibid.
9. S. Prabhakaran, Executive Director, ECGC, Mumbai in ***Survey of Indian Industry 2007,*** The Hindu, p. 84.

आगे की चुनौतियाँ (THE CHALLENGE AHEAD)

बीमा क्षेत्र के प्रारंभ के समय में, बीमा उद्योग में प्रतिभागियों की संख्या वर्ष 2000 में सात बीमाकर्ताओं (जिनमें भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी सहित), चार सरकारी-क्षेत्रक सामान्य बीमाकर्ता, एक विशेषज्ञता प्राप्त बीमाकर्ता और साधारण बीमा निगम राष्ट्रीय पुन: बीमाकर्ता के रूप में शामिल है, से बढ़कर 30 सितंबर, 2012 को 52 बीमाकर्ता हो गयी है जो जीवन, जीवन-भिन्न और पुन: बीमा खंडों (विशेषज्ञ बीमाकर्ता नामत: निर्यात ऋण गारंटी निगम तथा कृषि बीमा कंपनी (एआईसी) शामिल हैं) में प्रचालन कर रहे हैं। चार साधारण बीमा कंपनियाँ, जैसे–स्टार हेल्थ एंड अलाइंस इंश्योरेंस कंपनी अपोलो मुनिच हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, मैक्स बूपा हैल्थ इंश्योरेंस कंपनी तथा रेलीगेयर हेल्टा इंश्योरेंस कंपनी, स्वतंत्र स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के रूप में कार्य करती है। 23 बीमा कंपनियों में से जिन्होंने अपने परिचालन जीवन खंड में क्षेत्र के शुरू होने के पश्चात् शुरू कर दिए हैं, 21 विदेशी भागीदारों के साथ संयुक्त उद्यम में हैं। 21 निजी बीमाकर्ताओं में से जिन्होंने जीवन भिन्न खंड में परिचालन शुरू कर दिया है, 18 विदेशी भागीदारों के साथ सहयोगी हैं।

बीमा क्षेत्र में राज्य के एकाधिकार के समाप्त होने के पश्चात इरडा की इस क्षेत्र के विकास एवं प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तब भी क्षेत्र अनेक चुनौतियों का सामना का रहा है और स्थिति को सही ढंग से नियंत्रित किए जाने के पश्चात ही यह कहा जा सकता है कि बीमा क्षेत्र बीमा कम्पनियों एवं बीमा धारकों-दोनों के हितों का संवर्धन कर रहा है। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय बीमा क्षेत्र आज निम्नलिखित प्रमुख चुनौतियों से जूझ रहा है:

(i) विविध आकलनों के अनुसार बीमा योग्य भारतीय आबादी का मात्र 20 प्रतिशत का जीवन बीमा हुआ है। भारत की वैश्विक जीवन बीमा में हिस्सेदारी मात्र 0.66 प्रतिशत है, साथ ही बीमा पहुँच वर्तमान में मात्र 2.53 प्रतिशत (2004) है। लोगों के बीच

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

बीमा का संदेश प्रचारित-प्रसारित होना चाहिए, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रसार गरीब तबकों तक होना चाहिए जिनकी प्रीमियम देने की क्षमता नगण्य है।[10]

(ii) विशेषज्ञ सुझाते हैं कि स्वास्थ्य बीमा देश में मानव विकास की स्थिति में सुधार का सबसे महत्वपूर्ण कारक बन सकता है, और इसे एक कार्ययोजना के तौर पर लागू करना चाहिए। अनुमान है कि भारत की लगभग 15 प्रतिशत आबादी कुछ पूर्व-भुगतान स्वास्थ्य मदों पर करती है और इसमें कर्मचारी राज्य बीमा योजना, सीजीएचएस, सशस्त्र बल, केन्द्रीय पुलिस संगठन, रेलवे, नियोक्ता वित्तयित योजनाएँ, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तथा स्वास्थ्य बीमा से आवरित पेंशन आदि से आच्छादित कर्मचारी एवं लाभार्थी शामिल हैं।[11] अभी भारत का 'आउट ऑफ पॉकेट व्यय' (भारतीयों का स्वास्थ्य पर होने वाला निजी व्यय) काफी उच्च है (70 प्रतिशत)। इस स्थिति में स्वास्थ्य बीमा का विस्तार एक उचित कदम माना जा रहा है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार देश में सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की पहुंच काफी निम्न है-इसकी पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों में 13.1 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्रों में मात्र 12 प्रतिशत है।

(iii) साधारण बीमा उद्योग को निजी क्षेत्र के लिए खोले जाने के बाद (2000) सकारात्मक परिणाम मिले हैं।[12] इस क्षेत्र की वृद्धि उभरते अन्य बाजारों की तुलना में संतोषजनक रही है तथा संघ (जीडीपी) के दो-तीन गुणा के वैश्विक मानदंड के अनुरूप है।[13] चूँकि अर्थव्यवस्था मजबूत वृद्धि पथ पर अग्रसर है और विभिन्न उद्योगों के लिए अगले चार-पाँच वर्षों में पूँजीगत व्यय के 9,00,000 करोड़ रुपये के पार जाने का अनुमान है, साधारण बीमा के प्रसार की संभावना भी प्रबल है।[14] वाणिज्यिक एवं निजी स्तर पर साधारण बीमा व्यवसाय सकारात्मक प्रवृत्तियां प्रदर्शित कर रहा है। भारत की 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और संगठित वित्तीय सेवाओं के साथ साधारण बीमा कम्पनियों का भी इन क्षेत्रों में विस्तार हो रहा है।

(iv) लोगों को जीवन में ऐसी वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिसका कुप्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है, यह निर्धन लोगों के साथ बहुत आम है।

यही कारण है कि विशेषज्ञ सूक्ष्म (micro) बीमा का सुझाव देते रहे हैं। यह एक नई अवधारणा है। सूक्ष्म बीमा आज सूक्ष्म वित्त के लाभार्थियों को प्रदान किया जाता है जिसमें वित्तयित राशि को आवरित कर ग्राहक के साथ ही सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के जोखिमों को कम किया जाता है।[15]

सूक्ष्म बीमा की अवधारणा निजी बीमा कम्पनी अबीबा लाइफ इंश्योरेंस (सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के सहयोग से) द्वारा विकसित की गई जिसमें केनरा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, आरआरबी, तथा 23 सहकारी समिति आदि के साथ सूक्ष्म वित्त को बढ़ावा देने के लिए गठबंधन किया है।

10. S. Krishnamurthy, CEO & MD, SBI Life Insurance Co. Ltd. ***Survey of Indian Industry 2007,*** The Hindu, p. 91
11. Aloke Gupta, Health Insurance Consultant, ***Survey of Indian Industry,*** The Hindu, p. 94.
12. Sandeep Bakhshi, CEO & MD, ICICI Lombard General Insurance Company, Mumbai, ***Survey of Indian Industry 2007***, The Hindu, p. 99.
13. Ibid.
14. Ibid.
15. Vivek Khanna, Director, Aviva India, ***Survey of Indian Industry 2007,*** The Hindu, p. 102.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

सूक्ष्म बीमा सूक्ष्म वित्त के क्षेत्र में पिछले दशकों के शोध का परिणाम है और श्रीलंका, फिलीपींस आदि देशों में इसका पर्याप्त विकास हुआ है।[16] यहाँ एनजीओ तथा जन-संगठन स्वयं को सूक्ष्म बीमा कम्पनियों के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं। चूँकि वे स्वयं ही जोखिम कवर करते हैं, उन्हें स्विस री अथवा म्युनिख री जैसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों के साथ पुनर्बीमा की अनुमति मिल जाती है। यही मॉडल भारत के लिए सुझाया जाता है लेकिन इसके लिए वर्तमान कानूनों में परिवर्तन की जरूरत होगी।[17]

(v) अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि बीमा उद्योग से बीमित के अलावा बीमाकर्ता, पुनर्बीमाकर्ता को भी लाभ पहुँचना चाहिए। बीमा के सामाजिक उद्देश्य के पीछे कॉरपोरेट हित बिल्कुल हाशिए पर नहीं डाल दिए जाने चाहिए। यह स्थिति भारत के लिए अच्छी नहीं होगी जहाँ कि मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल की आवश्यकता है।[18]

(vi) भारत में कार्यरत लगभग सभी निजी बीमा कम्पनियाँ माँग करती रही हैं कि सरकारी स्वामित्व की बीमा कम्पनियों का निजीकरण कर दिया जाए। उनका कहना तर्कसंगत है कि सरकारी कम्पनियों की तुलना में उनके पास अधिक आकर्षक बीमा योजनाएँ हैं, तब भी ग्राहक उनकी ओर आकर्षित नहीं हो रहे। इस कारण निजी कम्पनियों को प्रचालनात्मक हानि उठानी पड़ रही है क्योंकि उनके कारोबार का विस्तार नहीं हो पा रहा है और ओवरहेड खर्च भी बढ़ रहा है।[19]

बीमा प्रवेशन (INSURANCE PENETRATION)

बीमा क्षेत्र की वृद्धि की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माप बीमा प्रवेशन (पहुंच) के आधार पर की जाती है। बीमा पहुँच को सकल घरेलू उत्पाद एवं बीमा प्रीमियम के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। उसी प्रकार बीमा घनत्व एक अन्य मान्य कसौटी है जिसे कुल आबादी और बीमा प्रीमियम के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है (तुलना की सुविधा के लिए यूएस डॉलर में मापा जाता है)। भारतीय बीमा व्यवसाय अल्प बीमा पहुँच के कारण पिछड़ रहा है।

वर्ष 2016 में (नवीनतम्)[20] भारत में **बीमा प्रवेशन 3.49** प्रतिशत था (2001 के 2.71 प्रतिशत की तुलना में)–जीवन बीमा क्षेत्र में 2.72 प्रतिशत एवं साधारण बीमा क्षेत्र में 0.77 प्रतिशत। एशिया की कुछ उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बीमा प्रवेशन भारत से कहीं बेहतर है, यथा–चीन (5.42 प्रतिशत), मलेशिया (4.77 प्रतिशत) एवं थाईलैंड (4.15 प्रतिशत)। इस वर्ष वैश्विक बीमा प्रवेशन 3.47 प्रतिशत था।

इस वर्ष (2016) में भारत का **बीमा घनत्व 59.7** अमेरिकी डॉलर था–जीवन बीमा क्षेत्र में 46.5 डॉलर एवं साधारण बीमा क्षेत्र में 13.2 डॉलर। एशिया की कुछ अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति इस मामले में भारत से काफी बेहतर है-मलेशिया (452.2 डॉलर), चीन (337.1 डॉलर) एवं थाईलैंड (323.4 डॉलर)। इस वर्ष का वैश्विक बीमा घनत्व 638.3 अमेरिकी डॉलर रहा (353 डॉलर जीवन बीमा क्षेत्र एवं 285.3 डॉलर साधारण बीमा क्षेत्र के लिए)।

विशेषज्ञों एवं बीमा नियामक के अनुसार भारत में बीमा प्रवेशन के निम्न होने के पीछे कई सामाजिक-आर्थिक कारण जिम्मेदार हैं, इनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं:

16. Ibid.
17. It has been beautifully shown taking example of the Self-employed Women's Association (SEWA) by Renana Jhabvala and Ravi Kanbur in the Kaushik Basu (ed.) ***India's Emerging Economy,*** (New Delhi: Oxford University Press, 2005), pp. 309–110.
18. Biplab Dasgupta, ***Globalisation: India's Adjustment Experience,*** (New Delhi: Sage Publications, 2005), pp. 221–31.
19. G. V. Rao, CMD, Oriental Insurance Co. Ltd., ***Survey of Indian Industry 2007,*** The Hindu, pp. 87–90.
20. ***Economic Survey 2017-18***, Vol. 2, Ministry of Finance, GoI, N. Delhi, p. 55.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(i) बीमा के दावों के निबटारे (Settlement) की जटिल एवं लंबी प्रक्रिया;

(ii) बीमा कंपनियों के नीति-नियमों का अस्पष्ट एवं आसानी से समझ में नहीं आने वाला होना;

(iii) जनसंख्या में शिक्षा एवं जागरुकता का अभाव;

(iv) सामाजिक-सांस्कृतिक कारक;

(v) बीमा उद्योग में बाजार की समान स्थिति का नहीं होना, एवं;

(iv) बीमा नियमन फ्रेमवर्क में गतिजता की कमी।

बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 के लागू होने के बाद विनियमन संबंधी कई कमियों के दूर होने की संभावना है, जिसका बीमा प्रवेशन पर धनात्मक प्रभाव पड़ेगा।

नीतिगत पहलें (Policy Initiatives)

देश में विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्ध सरकार द्वारा बीमा उद्योग (मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट, 1993 की अनुशंसाओं के अनुरूप) के लिए निम्नलिखित नीतियाँ पहले[21] हाल के वर्षों में ली गई हैं:

(i) **स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance):** इरडा द्वारा स्वास्थ्य बीमा के विस्तार के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इसने 2003 में एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्य समूह का गठन किया था जो कि विभिन्न हितधारकों के लिए एक मंच था जहाँ वे समस्याओं एवं इनके हल पर चर्चा करते। इरडा सहायक बीमा उद्योग के साथ प्रमुख शब्दावलियों के मानकीकरण के लिए भी समन्वित प्रयास कर रहा है-पॉलिसी धारकों के हित में। सामान्य बीमा परिषद, जिसमें कि सभी गैर-जीवन बीमाकर्ता शामिल हैं, ने पहले से विद्यमान रोग के लिए एक सर्वमान्य परिभाषा पर सर्वसम्मति विकसित की, जिसकी पहले अनेक परिभाषाओं में अभिव्यक्तियाँ होती थीं जिसके चलते अनेक प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती रहती थीं। ऐसे मानकीकरण (जून, 2008) से बीमित को मदद मिलेगी क्योंकि इससे अस्पष्टता में कमी आएगी, साथ ही विभिन्न स्वास्थ्य बीमा उत्पादों में तुलना करने में आसानी होगी। अक्टूबर 1, 2011 से स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में पोर्टबिलिटी की शुरुआत की गई है, जिसमें अगर बीमित अपने बीमाकर्ता से संतुष्ट नहीं है तो वह अन्य बीमाकर्ता के पास जा सकता है, इस स्थिति में भी उसे वही लाभ मिलते रहेंगे जो पहले उपलब्ध थे।

(ii) **सूक्ष्म बीमा (Micro Insurance):** इरडा द्वारा जारी सूक्ष्म बीमा विनियमों से इसे एक अवधारणात्मक मुद्दे के रूप में प्रचारित करने की सहूलियत बनी है। इन विनियमों में सकारात्मक एवं सहयोगात्मक दृष्टिकोण के चलते यह अपेक्षा की जाती है कि सभी बीमा कम्पनियाँ प्रगतिशील व्यावसायिक नजरिए के साथ आगे आएँगी और विनियमों में अंतर्निहित भावनाओं को आगे बढ़ाती हुई समाज के सभी वर्गों में बीमा पहुँच बढ़ाने में सहायक होंगी। वर्तमान में सूक्ष्म बीमा क्षेत्र में 10,482 सूक्ष्म बीमा ऐजेंट कार्यरत हैं।

सुधार की नई पहलें (New Reform Initiatives)

बीमा कानूनों के पुराने एवं जड़ प्रावधानों को हटाने, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकार (IRDA) को अधिक प्रभावी बनाने, भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी इक्विटी निवेश को बढ़ाने, जिसमें कि भारतीय स्वामित्व एवं नियंत्रण सुरक्षित रहे, हेतु भारत सरकार ने बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 पारित किया है।

इस अधिनियम ने बीमा अधिनियम, 1938 तथा साधारण बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 तथा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकार (इरडा) अधिनियम, 1999 में व्यापक संशोधन का मार्ग प्रशस्त किया है। यह अधिनियम इरडा को अधिक शक्ति

21. Ministry of Finance, ***Economic Survey 2011–12,*** (New Delhi: Government of India, 2012), pp. 128–29.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

संपन्न बनाता है, जिसके द्वारा बीमा नियामक ढांचे को अधिक लचीला, प्रभावी एवं कार्यकुशल बनाया जा सके। अधिनियम में सन्निहित प्रमुख बदलाव निम्नवत् हैं:

(i) **विदेशी निवेश को बढ़ावा (Promotion of foreign Investment):** भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी निवेश 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दिया गया, जिसमें कंपनी का स्वामित्व और नियंत्रण भारतीय कंपनी का ही होगा।

पूंजी सघन बीमा क्षेत्र के लिए अधिक पूँजी की उपलब्धता से असेवित क्षेत्रों में अधिक वितरण किया जा सकेगा, नागरिकों की विविध बीमा जरूरतों की पूर्ति के लिए नवाचारी उत्पादों को सूत्रण किया जा सकेगा, उन्नत वितरण तकनीक तथा समुन्नत ग्राहक सेवा मानकों के माध्यम से सेवा प्रदायगी को अधिक कार्यकुशल बनाया जा सकेगा।

(ii) **सरकारी कंपनियों में पूँजी की आवश्यकता (Capital requirement in government companies):** वर्तमान में 4 सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां साधारण बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 के अनुसार शत-प्रतिशत सरकारी स्वामित्व में है, उन्हें धन उगाहने की अनुमति दी गई है। इससे उन्हें अपना व्यवसाय ग्रामीण/सामाजिक क्षेत्रों में अधिक प्रतियोगितापूर्ण तरीके से विस्तारित करने में सहायता मिलेगी। भारत सरकार का स्वामित्व न्यूनतम 51 प्रतिशत रखा गया है।

(iii) **उपभोक्ता कल्याण (consumer welfare):** इससे ग्राहकों के हितों का संवर्द्धन होगा:

(a) संशोधित कानून में कतिपय ऐसे प्रावधान हैं जिससे कि 1 करोड़ से 25 करोड़ तक का जुर्माना ऐजेंटों/बीमा कंपनियों पर लगाया जा सकता है। अगर वे नियमों का उल्लंघन करे।

(b) पॉलिसी धारकों के हित में उस अवधि को 3 वर्षों तक सीमित कर दिया जाएगा जिसमें कि पॉलिसी को गलत विवरण आदि के आधार पर खारिज कर दिया गया।

(c) संशोधन के अंतर्गत पॉलिसी धारक के नामित को भुगतान की व्यवस्था सरल बनायी गई है।

(d) अब यह बीमा कंपनियों के लिए अनिवार्य है कि वे इरडा विनियमों के अनुसार मोटर वाहन बीमा के लिए तीसरे पक्ष का उल्लेख करना होगा। बीमाकर्ताओं के ग्रामीण एवं सामाजिक क्षेत्र के ग्रामीणों को संशोधित कानून में यथावत् रखा गया है।

(iv) **इरडा का सशक्तीकरण (Empowerment of IRDAI):** यह अधिनियम बीमाकर्ताओं को बीमा एजेंटों की नियुक्ति का दायित्व सौंपता है तथा इरडा को उनकी अर्हता, योग्यता एवं अन्य पक्षों को निश्चित करने की अनुमति प्रदान करता है:

(a) यह ऐजेंटों को विभिन्न व्यावसायिक कोटियों में विभिन्न कंपनियों के साथ काम करने का अवसर प्रदान करता है जिसमें कि हितों के संघर्ष की स्थिति में उपयुक्त विनियमों द्वारा इरडा उनकी सुरक्षा करेगा।

(b) इरडा को बीमा कंपनी के संचालन के ऋण क्षमता, निवेश तथा खर्च आदि जैसे क्षेत्रों के नियमन की शक्ति प्रदान की गई है जिसमें कमीशन का भुगतान तथा प्रबंधन खर्चों पर नियंत्रण भी शामिल है।

(c) यह इरडा को सर्वेक्षकों तथा क्षति आकलनकर्ताओं के कार्यों, आचरण आदि को नियमित करने की भी शक्ति प्रदान करता है। यह बीमा मध्यस्थों के कार्य

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

क्षेत्र का भी विस्तार करता है। इसमें बीमा दलाल, पुनर्बीमा दलाल, बीमा परामर्शी, कॉरपोरेट ऐजेंट तथा तीसरे पक्ष के प्रशासकों, सर्वेक्षकों तथा क्षति आकलनकर्ताओं आदि को शामिल किया जा सके-जैसा कि प्राधिकार समय-समय पर अधिसूचित करे।

(d) पुनः भारत में अब संपत्ति का बीमा इरडा की पूर्वानुमति से किसी विदेशी बीमाकर्ता के द्वारा कराया जा सकता है। इसके लिए पहले केन्द्र सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती थी।

(v) **स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance):** अधिनियम स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत यात्रा एवं व्यक्तिगत दुर्घटना कवर को भी शामिल रखता है और अगंभीर परिचालकों को हतोत्साहित करता है, क्योंकि स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के लिए पूँजीगत जरूरतों को 100 करोड़ रुपये के स्तर तक धारण कर स्वास्थ्य बीमा को एक अलग ऊर्ध्वता (separate verticle) के रूप में बढ़ावा देता है।

(vi) **भारत में पुनर्बीमा व्यवसाय को बढ़ावा (Promoting Reinsurance Business in India):** अधिनियम विदेशी जमाकर्ताओं को भारत में शाखाएँ खोलने के लिए अधिकृत करता है और पुनर्बीमा को एक बीमाकर्ता के जोखिम का बीमा दूसरे जमाकर्ता द्वारा पारस्परिक रूप से स्वीकार्य प्रीमियम पर कराये जाने को पुनर्बीमा के रूप में परिभाषित करता है।

(vii) **उद्योग परिषदों का सुदृढ़ीकरण (strengthing of industry camcils):** जीवन बीमा परिषद तथा सामान्य बीमा परिषद को अब स्व-विनियमित निकाय बन गई है। अब ये परिषदें अपने चुनावों बैठकों तथा सदस्यों से लेवी अथवा शुल्क आदि वसूलने के लिए नियमावली बना सकती है। स्व-सहायता समूहों तथा बीमा समितियों के प्रतिनिधियों को बीमा परिषदों में शामिल कर परिषदों के प्रतिनिधित्व का आधार विस्तृत किया गया है।

(viii) **ठोस अपीलीय प्रक्रिया (Robust Appellate Process):** संशोधित कानून के अंतर्गत कोई बीमाकर्ता अथवा बीमा बिचौलिया अगर इरडा के किसी आदेश से कुप्रभावित है तो वह प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (Securities Appellate Tribunal, SAT) में अपील कर सकता है।

इस प्रकार संशोधनों में बीमा कानूनों को वैश्विक स्तर पर विकसित हो रहे बीमा क्षेत्र के परिदृश्यों को ध्यान में रखा गया है। संशोधनों से नियामक को नवाचार प्रतियोगिता तथा पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक परिचालात्मक फ्रेमवर्क सृजित करने में मदद मिलती है, जिससे कि नागरिकों की बीमा जरूरतों को अधिक संपूर्णता तथा मैत्रीपूर्ण तरीके से पूरा किया जा सके। संशोधनों से यह अपेक्षा की जाती है कि बीमा क्षेत्र अपनी पूर्ण वृद्धि संभावनाओं का दोहन कर अर्थव्यवस्था की वृद्धि तथा रोजगार सृजन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे।

नयी बीमा योजनाएं (New Insurance Schemes)

वित्त वर्ष 2015-16 में भारत सरकार द्वारा दो नयी बीमा योजनाओं की शुरुआत की गयी। इनका उद्देश्य एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था की स्थापना करना है, विशेषकर गरीबों एवं वंचितों (Underpriviledged) के लिए:

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)

यह एक आकस्मिक मृत्यु-सह-अपंगता की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करने वाली योजना है। इस नवीकरणीय (renewable) योजना की सुविधा उन बैंक खाताधारकों को उपलब्ध है जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष है। इस योजना में वार्षिक प्रीमियम राशि 12 रु. प्रतिवर्ष है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

इस बीमा योजना के अंतर्गत आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख एवं स्थाई आंशिक विकलांगता में एक लाख रु. की वित्तीय सुरक्षा (जोखिम) उपलब्ध कराई जाती है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) — यह एक जीवन बीमा योजना है, जो 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लिए है। यह एक वार्षिक रूप से नवीकरणीय योजना है, जो प्रत्येक बैंक खाताधारक को 2 लाख रु. का जीवन बीमा उपलब्ध कराती है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

अध्याय 14

भारत में प्रतिभूति बाजार (SECURITY MARKET IN INDIA)

*अगर कोई प्रतिभूति बाजार नहीं होता-बेशक, वित्तीय बाजार का सबसे आकर्षक हिस्सा-तो दुनिया में कोई भी बड़ी एमएनसी और टीएनसी नहीं होती। दुनिया के एक बार वैश्वीकरण की ओर बढ़ने से, इस बाजार की संभावना बहुत बढ़ी है- संसाधन जुटाने की इसकी क्षमता का कोई भी अनुमान लगा सकता है!**

इस अध्याय में

- ❑ परिभाषा
- ❑ प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार
- ❑ स्टॉक एक्सचेंज
- ❑ सेबी
- ❑ वस्तु व्यापार
- ❑ स्पॉट एक्सचेंज
- ❑ स्टॉक बाजार के महत्वपूर्ण पद
- ❑ विदेशी वित्तीय निवेशक
- ❑ ऐंजल निवेशक
- ❑ क्यूएफआई योजना
- ❑ आरएफपीआई
- ❑ पार्टीसिपेटरी नोट्स (पीएनएस)
- ❑ शॉट सेलिंग
- ❑ राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना
- ❑ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (सीडीएस)
- ❑ प्रतिभूतिकरण
- ❑ भारत में कॉरपोरेट बॉण्ड
- ❑ मुद्रास्फीति–सूचकांकित बॉण्ड
- ❑ स्वर्ण विनिमय व्यापार कोष
- ❑ सीपीएसई ईटीएफ
- ❑ पेंशन क्षेत्र में सुधार
- ❑ भू–भवन संपत्ति एवं अधिसरंचना निवेश न्यास

** डब्ल्यूटीओ के बहुत से दस्तावेजों की तरह, विश्व बैंक और ओईसीडी ने कई बार स्वीकार किया है।*

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

परिभाषा (DEFINITION)

वित्तीय बाजार का वह अंग जहां से शेयर, प्रतिभूति, बॉण्ड, डिबेंचर, म्युचुअल फण्ड इत्यादि के माध्यमों द्वारा दीर्घावधिक (long - term) पूँजी की व्यवस्था (उगाही) की जाती है, उसे प्रतिभूति बाजार कहते हैं अर्थात् प्रतिभूति बाजार पूँजी बाजार का एक अंग है।

भारतीय प्रतिभूति बाजार के कई संघटक हैं; यथा–'सेबी' (जो इसका नियामक है), विभिन्न स्टॉक एक्सचेंज, अनेक शेयर सूचकांक, ब्रोकर, एफ.आई.आई. (FIIs), जॉब्बर्स (Jobbers), इत्यादि। प्रतिभूति बाजार में विभिन्न प्रकार के लेन-देन संपन्न होते हैं, जैसे– 'बदला', 'प्रतिवर्ती बदला', फ्यूचर ट्रेडिंग', 'इनसाइडर ट्रेडिंग', निजी प्लेसमेंट, इत्यादि जिनमें कुछ अवैधानिक भी हो सकते हैं।

प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार (PRIMARY AND SECONDARY MARKETS)

प्रत्येक प्रतिभूति बाजार में पूँजी की उगाही करने के दो पूरक बाजार होते हैं – प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार। अगर पूँजी उगाही के लिए किसी उपकरण (यथा–शेयर, बॉण्ड, आदि) की बिक्री पूँजी उगाहने वाले द्वारा उपकरण खरीदने वाले को प्रत्यक्षतः होता है तो इसे प्राथमिक बाजार का कारोबार कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति या संस्थान द्वारा किसी कंपनी का शेयर सीधे कंपनी से खरीदा जाए तो यह प्राथमिक बाजार का कारोबार है तथा खरीदार को 'प्राथमिक शेयर धारक' कहते हैं। प्रतिभूति बाजार का वह अंग जहाँ प्राथमिक शेयर धारक द्वारा शेयरों आदि की आपस में खरीद-बिक्री की जाती है उसे 'द्वितीयक शेयर बाजार' कहते हैं। किसी भी प्रतिभूति बाजार का अधिकतम कारोबार द्वितीयक बाजार से प्राप्त होता है, क्योंकि प्राथमिक बाजार में कंपनियां अपना शेयर बार-बार नहीं बेचतीं।

स्टॉक एक्सचेंज (STOCK EXCHANGE)

एक संस्थानीकृत वित्तीय संगठन जहां प्रतिभूति बाजार के संघटकों (शेयर, बॉण्ड, डिबेंचर, इत्यादि) की खरीद-बिक्री की जाती है। इसके प्रमुख कार्य (functions) निम्न प्रकार हैं:

(i) प्रतिभूतियों/स्टॉक की खरीद-बिक्री की सुविधा के द्वारा प्रतिभूति बाजार में तरलता उपलब्ध कराता है। द्वितीयक प्रतिभूति बाजार का यह अकेला सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है।

(ii) स्टॉक (शेयर, आदि) के मूल्य का निर्धारण करके यह निवेशकों को इस अति महत्वपूर्ण सूचना को उपलब्ध कराता है।

(iii) संस्थानीकृत नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन द्वारा यह प्रतिभूति बाजार के विभिन्न घटकों की कटिबद्धता की गारंटी प्रदान करता है।

(iv) सूचीबद्ध (listed) कंपनियों को उनके वर्तमान स्टॉकधारकों की सूचना प्रदान करता है (जिसके कंपनियों को कई सुविधा मिलती है तथा लाभांश का वितरण)।

(v) अपने 'सूचकांकों' (Indices) द्वारा प्रतिभूति बाजार की वर्तमान स्थिति, रुझान आदि सूचनाएं उपलब्ध करता है।

विश्व के सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना बेल्जियम (उस समय नीदरलैंड का हिस्सा) के ऐंटवर्प नगर में सन् 1631 में हुई, लंदन स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना सन् 1773 तथा फिलाडेल्फिया स्टॉक एक्सचेंज (आधुनिक युग का पहला) की स्थापना सन् 1790 में की गयी।[1] भारत के प्रथम स्टॉक एक्सचेंज, बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) जिसे 'द नेटिव शेयर एण्ड स्टॉक ब्रोकर्स एसोशिएसन' (The Native share and stock brokers' Association) के नाम से जाना जाता था, की स्थापना सन् 1870 में की गयी थी।[2]

विश्व के 5 सबसे बड़े (बाजार पूंजीकरण के आधार पर) स्टॉक एक्सचेंज हैं-न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज

---

1. Marc Levinson, ***Guide to Financial Markets*** (London: The Economist, 2006), p. 152.
2. V. Raghunathan, ***Stock Exchanges and Investments*** (New Delhi: Tata McGraw Hill, 1994).

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(NYSE), नैसडैक (NASDAQ), टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज (TSE), लंदन स्टॉक एक्सचेंज (LSE) तथा बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE)।[3]

स्टॉक एक्सचेंज के कारोबार कई मध्यस्थों के माध्यम से संपन्न होते हैं, यथा–दलाल (Broker), जॉब्बर (Jobber) तथा 'मार्केट मेकर' (Market Maker) जिनकी चर्चा आगे की गयी है।

ताजा अनुमानों[4] के अनुसार, वर्तमान में भारत में 26 स्टॉक एक्सचेंज कार्यरत हैं, जिनमें 7 राष्ट्रीय स्तर के हैं, तथा 19 प्रादेशिक स्तर के। इनमें से एक, कोयम्बटूर स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता रद्द किए जाने का मामला फिलहाल सेबी (SEBI) के अधीन विचाराधीन है राष्ट्रीय स्तर के स्टॉक एक्सचेंजों का संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार है:

एन.एस.ई. (NSE)

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSEIL) की स्थापना 1992 में की गयी तथा यह 1994 से परिचालन में आ गया। इसका प्रवर्तक (Promoter) IDBI है तथा इसे 'स्पॉन्सर' (Sponsor) करने वालों में IDBI के अतिरिक्त दो अन्य वित्तीय संस्थान भी हैं (LIC एवं GIC)।

इस स्टॉक एक्सचेंज के दो सूचकांक (Index) हैं। पहला सूचकांक S & P CNX-50 तथा दूसरा 'S & P CNX-500' है।

ओ.टी.सी.ई.आई. (OTCEI)

ओवर द काउण्टर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (OTCEI) की स्थापना वैसे सन् 1989 में की गयी इसका परिचालन 1992 से हुआ। भारत के इस सबसे पहले 'पूर्ण कंप्यूटरीकृत' स्टॉक एक्सचेंज का प्रवर्तन UTI, ICICI, SBI Cap तथा अन्य वित्त संस्थानों द्वारा किया गया है। शेयरों के 'सेटलमेंट' में होने वाले विलंब, कई प्रकार की प्रचलित धोखाधरी, छोटी कंपनियों (जिनकी देय पूँजी 30 लाख रु. से 25 करोड़ रु. के बीच है) को शेयर बाजार से जोड़ने तथा पारदर्शिता इत्यादि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसकी स्थापना की गयी थी। देश का सबसे पहला ***'कागजरहित शेयर कारोबार'*** (Paperless Share Trading) इसी स्टॉक एक्सचेंज में संपन्न हुआ था। अर्थात् भारत के शेयर बाजार में ''स्क्रीन आधारित कारोबार'' (कंप्यूटर आधारित) की शुरूआत यहीं हुई। यहाँ पर होने वाले कारोबार में संलग्न मध्यस्थ को 'बाजार निर्माता' (Market Maker) कहते हैं, जिनका 'कमीशन' (Commission) नियत (Fix) होता है।

आई.एस.ई. (ISE)

इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (ISEIL) की स्थापना वर्ष 1998 में की गयी। यह वास्तव में देश के 15 अन्य प्रादेशिक स्टॉक एक्सचेंज (RSEs) का एक अंतर्संबंधित 'कारोबार प्लेटफॉर्म/फ्लोर' है, जो अपेक्षाकृत कम कारोबार कर पाने वाले प्रादेशिक एक्सचेंज को एक बड़े बाजार तक पहुँचने की सुविधा उपलब्ध कराता है। यहाँ कारोबार पूर्णतः कंप्यूटर आधारित है।

बी.एस.ई. (BSE)

बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) भारत का प्रथम एक्सचेंज है जो वर्ष 2002 तक एक प्रादेशिक स्टॉक एक्सचेंज की तरह कार्य करता था। वर्ष 2002 में इसे एक राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज में परिवर्तित कर दिया गया। आज भी भारत के सकल स्टॉक के 75 प्रतिशत का कारोबार इसी के माध्यम से होता है तथा यह विश्व का 5वाँ सबसे बड़ा (बाजार पूँजीकरण के आधार पर) स्टॉक एक्सचेंज है।

वर्तमान समय में BSE) से संबद्ध चार शेयर सूचकांक निम्न प्रकार हैं:

(i) ***सेन्सेक्स (Sensex):*** BSE का 'संवेदी सूचकांक' (Sensex) इसमें अधिसूचित कंपनियों में 30 कंपनियों (जो विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं) का सूचकांक है। वर्ष 2000 में इसमें कंपनियों की संख्या बढ़ाकर 50 कर दी गयी, लेकिन जल्द इसे पुनः 30 पर लाया गया थी। यह सूचकांक काफी महत्वपूर्ण

3. Marc Levinson, ***Guide to Financial Markets,*** pp. 153–54; Ministry of Finance, ***Economic Survey 2005–06*** (New Delhi: Government of India, 2006).
4. MoF, GoI, dated 22 April, 2013.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

है तथा इसे भारतीय स्टॉक बाजार प्रतिनिधि सूचकांक माना जाता है।

(ii) ***बी.एस.ई.-200 (BSE-200):*** यह BSE में अधिसूचित कंपनियों में से 200 कंपनियों (संसेक्स के 30 कंपनियों सहित) का एक अपेक्षाकृत बड़े आधार वाला शेयर सूचकांक है। विदेशी निवेशकों की सुविधा के लिए इसका 'अमेरिकी डॉलर रूपांतरण' भी है, जिसे 'डॉलेक्स' (Dollex) कहते हैं।

(iii) ***बी.एस.ई.-500 (BSE-500):*** वर्ष 1999 में BSE के द्वारा इस नये शेयर सूचकांक को परिचालित किया गया। यह BSE का सबसे बड़े आधार वाला शेयर सूचकांक है जिसमें कई औद्योगिक उप-क्षेत्रकों को भी शामिल किया गया है तथा इसमें सूचना तकनीक (IT) को उच्च भार (weight) प्रदान किया गया है।

(iv) ***राष्ट्रीय सूचकांक (National Index):*** BSE को राष्ट्रीय दर्जा देने के बाद जल्द ही इस 'नेशनल इंडेक्स' की घोषणा की गयी। 'संसेक्स' के छोटे आधार (30 कंपनी) को देखते हुए एक वृहत आधार वाले सूचकांक की आवश्यकता थी जो कि भारतीय शेयर बाजार का ज्यादा वास्तविक चित्र प्रस्तुत कर सके। इसे ध्यान में रखते हुए इस सूचकांक में 100 कंपनियों को शामिल किया गया है (संसेक्स की 30 कंपनियों सहित)।

इसे देश के महत्वपूर्ण प्रादेशिक शेयर बाजारों (मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, इत्यादि) में 'कोट' (Quote) किया जाता है। इसे 'BSE नेशनल इंडेक्स' भी कहा जाता है।

इण्डो-नेक्स्ट (Indo-Next)

छोटी कंपनियों के शेयरों की तरलता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 2005 में BSE एवं 'फिसे' (Federation of India Stock Exchanges) द्वारा इसकी संयुक्त स्थापना की गयी ('फिसे' भारत की 18 प्रादेशिक स्टॉक एक्सचेंज का प्रतिनिधित्व करता है)। इसे 'BSE Indo Next' के नाम से जाना जाता है। प्रादेशिक स्टॉक एक्सचेंज के कारोबार में तेज कमी आने से उनमें अधिसूचित छोटी एवं मझोली कंपनियों के शेयरों में तरलता की कमी आ गयी थी जिसे पुनः तरलता प्रदान करना इसका मूल उद्देश्य है।

समझौता ज्ञापन के अनुसार BSE अपने B_1 एवं B_2 समूहों की अधिसूचित सभी कंपनियों को 'इण्डो-नेक्स्ट' में हस्तांतरित करेगा। इसी प्रकार 18 प्रादेशिक स्टॉक एक्सचेंज द्वारा अपनी सभी अधिसूचित कंपनियों को भी इसमें हस्तांतरित करने का प्रावधान है। इसके साथ ही प्रादेशिक स्टॉक एक्सचेंज को BSE के इंटरनेट आधारित नेटवर्क 'वेबेक्स' (Webex) को भी उपयोग में लाने की अनुमति प्रदान कर दी गयी है।

एस.एम.ई. एक्सचेंज : बी.एस.ई.एस.एम.ई. एवं इमर्ज (SME Exchange: BSESME and EMERGE)[5]

एस.एम.ई. एक्सचेंज लघु एवं मझोले उपक्रमों को समर्पित एक्सचेंज हैं। इनका उदय वर्ष 2012 में हुआ। इनकी स्थापना का मूल कारण था इन उपक्रमों का घटा शेयर कारोबार। माना जाता है कि बड़े उपक्रमों के साथ देश के मुख्य एक्सचेंज में अधिसूचित होने के कारण इन पर शेयर कारोबारियों की नजर नहीं जाती थी।

इन एक्सचेंजों में 'लिस्टिंग' के लिए अहर्ता है कि कंपनी का शेयर जारी होने के बाद सकल देय पूँजी (Paid-up Capital) 25 करोड़ रुपए से अधिक न हो। ज्ञात हो कि बी.एस.ई. एवं एन.एस.ई. (भारत के मुख्य एक्सचेंज) में लिस्टिंग के लिए देय पूँजी का न्यूनतम 3 करोड़ रुपए और 10 करोड़ रुपए होना अनिवार्य है। एस.एम.ई. में अधिसूचित किसी कंपनी के देय पूँजी के 25 करोड़ रुपए पार करने की स्थिति में संबंधित कंपनी के लिए भारत के मुख्य एक्सचेंज अंतरण अनिवार्य हैं। एसएमई एक्सचेंज (शेयर बाजार में लघु एवं मध्यम उद्योग का व्यापार केंद्र) में सूचीबद्ध कंपनियां जब और जैसे ही मुख्य बोर्ड, यानी मुख्य

5. This section is based on various sources—the, SEBI, NSE, BSE, 'World Federation of Exchanges', select issues of *The Economist* and news reportings of *The HT Live Mint, The Business Line and The Economic Times.*

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

एक्सचेंज, की शर्तें पूरी करती हैं, उनको उनमें जाने की अनुमति मिल जाती है। अगर पोस्ट-इश्यू पेड-अप कैपिटल (निर्गम से पहले संबंधित कंपनी की चुकता पूंजी) 25 करोड़ की सीमा से ऊपर जाती दिखाई देती है, तो एसएमई एक्सचेंज से एसएमई कंपनियों का स्थानांतरण होता ही है।

इस प्रकार के एक्सचेंज विश्व के दूसरे देशों में भी विद्यमान है, जिन्हें अलग-अलग व्यवस्थाओं के रूप में पुकारा गया है, यथा—'ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मार्केट्स', 'ग्रोथ इण्टरप्राइजेज मार्केट', 'एस.एम.ई. बोर्ड' इत्यादि। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण एक्सचेंज इस प्रकार हैं-यू.के. तथा 'एम.आई.एम.' कनाडा का 'टी.एस.एक्स. वेन्चर्स'; जापान का 'इमर्जिंग स्टॉक्स'; सिंगापुर का 'कैटेलिस्ट' एवं सबसे नवीन चीन का 'चाइनेक्स्ट' (वर्तमान एवं तुलनात्मक विशेष ज्ञान के लिए 'वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजिज' देखें)।

दुनिया भर के एसएमई एक्सचेंज जिस तरह की बाधाओं का सामना कर रहे हैं, उन्हें देखते हुए कहा जा सकता है कि वे अभी उभर ही रहे हैं। उनके सामने बाधाएं हैं:

(i) सूचीबद्ध स्टॉक का गिरता मूल्य और उनकी अतरलता (बाजार में नकदी का अभाव),

(ii) नए सूचीबद्ध शेयरों में आती कमी और एक्सचेंज में मुनाफा का घटना वगैरह (लंदन स्टॉक एक्सचेंज का सब-मार्केट एआईएम के तीन पूर्ववर्ती रह चुके हैं, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज का कैटेलिस्ट नए नियामकों और सूचीबद्ध शेयरों की जरूरतों के साथ सेस्डैक (SESDAQ) का उत्तराधिकारी बन चुका है।)

(iii) अधिकतर क्षेत्रों में एसएमई के लिए अलग से एक्सचेंज का ख्याल अलाभकारी रह गया है और इसलिए शायद मौजूदा एक्सचेंज को इसके लिए मंच के तौर पर देखने की प्रवृत्ति बढ़ी है, इसमें शायद मुख्य बोर्ड या एक्सचेंज द्वारा छोटी कंपनियों को रियायत मिलना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

भारत में पहले भी इस दिशा में कार्य किया गया है-'ओ.टी.सी.ई.आई.' (1989) और 'इण्डो-नेक्स्ट' (2005) में स्थापित दो इसी प्रकार के एक्सचेंज थे। अंततः 10 मई, 2010 को 'सेबी' ने लघु एवं मझोली कंपनियों को समर्पित स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना को मंजूरी दी। तत्पश्चात् 13 मार्च, 2012 को एक साथ एन.एस.ई. एवं बी.एस.ई. द्वारा अपने-अपने एस.एम.ई. स्टॉक एक्सचेंजों की स्थापना एवं परिचालन किया गया-इनके नाम क्रमशः 'इमर्ज' और 'बी.एस.ई.एस.एम.ई.' हैं।

भारत के ठीक विपरीत, कई दूसरे देशों में ऐसे एसएमई एक्सचेंज वैश्विक स्तर पर संचालित होते हैं। बाजार के छोटे होने के कारण ये घरेलू, साथ में विदेशी कंपनियों को सूचीबद्ध करने की अनुमति देते हैं। हालांकि, इनका नाम बताता है कि ये सिर्फ लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए हैं, लेकिन ये एक्सचेंज शायद ही अपने-अपने संबंधित क्षेत्र में लघु एवं मध्यम उद्योग की परिभाषा का पालन करते हैं। इसके अलावा, इनमें से कई 'स्पॉन्सर-सुपरवाइज' मार्केट मॉडल की तर्ज पर काम करते हैं, जिसमें प्रायोजन या नामित सलाहकार फैसला करते हैं कि क्या आवेदक सूचीबद्ध होने योग्य है या नहीं। यानी इन एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने का कोई स्पष्ट मापदंड नहीं है। लाभ कमाने की क्षमता का ट्रैक रिकॉर्ड या न्यूनतम चुकता पूंजी या कुल मूल्य जैसा कुछ भी नहीं है। इसकी बजाय ये सूचित निवेशकों के लिए 'खरीदार सतर्कता' बाजार के रूप में बनाए गए हैं। सेबी ने भी एसएमई एक्सचेंज को समान रूप दिया है, जिसमें एसएमई एक्सचेंज में स्पष्ट व विस्तृत सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के लिए 'मार्केट मेकिंग' का प्रावधान भी है।

दुनिया भर के मामले में, वैसे इश्यूर्स (जारीकर्ता कंपनियों) को कुछ छूट प्रदान की गई हैं, जिनकी प्रतिभूतियां मुख्य बोर्ड (जैसे—भारत के मामले में बीएसई और एनएसई) में लिस्टिंग मांगों की तुलना में एसएमई एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। इन छूटों में शामिल हैं:

(i) वित्तीय नतीजों का प्रकाशन हर तिमाही की बजाय हर छमाही में हो, इसे प्रकाशन की बजाय अपनी वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जा सकता है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(ii) एक पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट की बजाय, तमाम दस्तावेजों की अहम विशेषताओं वाला एक वक्तव्य भी भेजा जा सकता है।

(iii) शेयरधारकों की न्यूनमत संख्या की हमेशा जरूरत नहीं है। हालांकि, आईपीओ के समय न्यूनतम पचास निवेशक चाहिए होते हैं, आदि।

(iv) दुनिया भर में एसएमई के लिए मौजूदा योग्यता संबंधी मानकों, जैसे–लाभ का ट्रैक रिकॉर्ड, कुल मूल्य या कुल वास्तविक संपत्ति, में पूरी तरह से ढील है।

(v) हालांकि, कॉरपोरेट गवर्नेंस नियमों को लेकर कोई समझौता नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के समान तथ्य (Common Facts About National Stock Exchange)

उपरोक्त 5 राष्ट्रीय प्रकृति के स्टॉक एक्सचेंजों की स्थापना के पहले भारत के सभी एक्सचेंज प्रादेशिक स्तर के थे। अर्थात् भारत के स्टॉक/शेयर बाजार का स्वरूप प्रदर्शित करने वाला कोई भी स्टॉक एक्सचेंज नहीं था। भारतीय शेयर बाजार को एक संगठित (organised) स्वरूप प्रदान करने की शुरुआत 'सेबी' (SEBI) की स्थापना के प्रस्ताव (1988) के साथ प्रारंभ हुई तथा धीरे-धीरे राष्ट्रीय स्तर के स्टॉक एक्सचेंज की भी स्थापना की गयी (जिनकी चर्चा ऊपर की गयी है)। राष्ट्रीय स्तर के स्टॉक एक्सचेंज जिनकी स्थापना को भारत में प्रारंभ किए गए 'स्टॉक बाजार सुधार' का अंग मान सकते हैं, की कुछ 'समान' (Common) जानकारियाँ निम्न प्रकार हैं:

(i) सभी मुंबई में स्थित हैं;

(ii) सभी में 'स्क्रीन आधारित कारोबार' (SBT) होता है अर्थात् सभी कंप्यूटरीकृत हैं;

(iii) सभी का 'ट्रेडिंग टर्मिनल' देश के प्रमुख शहरों में विद्यमान है;

(iv) सभी इंटरनेट–आधारित (web-enabled) हैं;

(vi) इनमें पंजीकृत दलालों (brokers) का इनके स्वामित्व एवं प्रबंधन से कोई संबंध नहीं है;

(v) सभी सीमित अभिदेयता वाली (Limited Liability) कंपनियों के रूप में पंजीकृत हैं;

(vii) इन्हें विश्व के सबसे बेहतर तकनीक से संपन्न स्टॉक एक्सचेंज की श्रेणी में रखा जाता है।[6]

स्टॉक एक्सचेंज के किरदार (Players in the Stock Exchanges)

ब्रोकर

ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज का एक पंजीकृत सदस्य होता है, जो अपने क्लाइंट या ग्राहक की तरफ से शेयर या प्रतिभूति खरीद या बेच सकता है। वह कुल सौदा पर अपनी दलाली या कमीशन लेता है। ऐसे ब्रोकर को कमीशन ब्रोकर भी कहा जाता है।

वैसे ब्रोकर, जो निवेश संबंधी सलाह देते हैं, ग्राहक के पोर्टफोलियो बनाते हैं और कमीशन के अलावा ग्राहक को लाभ में शेयर खरीदने के लिए उधार तक देते हैं, तो उनको फुल सर्विस ब्रोकर कहते हैं। भारत में ऐसे ब्रोकर अब आने वाले ही हैं।

जॉब्बर या आढ़ती

एक जॉब्बर ब्रोकर का भी ब्रोकर होता है। दूसरे शब्दों में, जॉब्बर दूसरे ब्रोकरों की ऋण-पत्र संबंधी जरूरतों को पूरा करने में विशेषज्ञ होता है। भारत में इसे तारावानी वाला (बीएसई[7] में) भी कहते हैं। एक जॉब्बर स्टॉक एक्सचेंज वाले तल के निश्चित ट्रेडिंग पोस्ट पर नियुक्त होता है और कम मूल्य-अंतरों पर खरीद-बेच का काम करते हैं। उसका निवेश कर रहे लोगों से कोई संपर्क नहीं होता।

लंदन स्टॉक एक्सचेंज में उसे मार्केट मेकर कहा जाता है, वहीं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में वह स्पेशलिस्ट कहलाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने यह अनिवार्य कर दिया है कि तीन करोड़ से ऊपर की शेयर पूंजी के साथ

6. P. Chidambaram while presenting the ***Union Budget 2006–07,*** (New Delhl; Government of India, 2006).

7. Surendra Sundararajan, ***Book of Financial Terms*** (New Delhi: Tata McGraw Hill, 2004), p. 117.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

हर कंपनी अपने जॉब्बर या मार्केट मेकर नियुक्त करें, अगर वे बाजार में रहना चाहती हैं। इस तरह का प्रबंध निवेशकों को स्टॉक बाजार में शेयरों की खरीद-बिक्री के लिए सक्षम बनाता है और इससे मुद्रा-प्रवाह यानी बाजार में नकदी बढ़ती है।

मार्केट मेकर

यह प्रतिभूतियों के खरीदने-बेचने के लिए तैयार बाजार में बिचौलिए का काम करता है। वह एक साथ में दो तरह की दरों को उछालता है। उसका काम जॉब्बर की तरह का ही होता है। बस फर्क इतना है कि वह दो तरह की दरों, यानी एक ही समय[8] में बेचने और खरीदने की दरों को रखता है।

ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया (ओटीसीईआई) के मंच पर सिर्फ मार्केट मेकर को बोली लगाने की इजाजत होती है। भारत के इस पूंजी बाजार में डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया (डीएफएचआई) ही प्रमुख मार्केट मेकर[9] होता है।

चूंकि वह किसी खास शेयर को खरीदते समय बेचने का मूल्य भी उछालता है, इसलिए उसका यह नाम है, क्योंकि वह उस शेयर के लिए बाजार बनाता है।

अमेरिका का नैस्डैक मार्केट मेकर स्टॉक एक्सचेंज है, जहां मार्केट मेकर ट्रेडिंग ट्र्मिनल से इंटरनेट के जरिये जुड़े होते हैं।

सेबी (SEBI)

भारतीय प्रतिभूति बाजार को संगठित स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Security and Exchange Board of India/SEBI) की वर्ष 1988 (12 अप्रैल) में एक सरकारी प्रस्ताव द्वारा स्थापना की गयी (एक गैर-संवैधानिक निकाय के रूप में)। सेबी अधिनियम, 1992 द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसकी देय पूँजी (Paid-up) 50 करोड़ रु. है, जो इसके प्रवर्तकों (promoters) – IDBI, IFCI तथा ICICI द्वारा उपलब्ध करायी गयी है।

चेयरमैन के अतिरिक्त इसके बोर्ड में सदस्यों की संख्या 9 है – वित्त तथा कानून मंत्रालयों के एक–एक सदस्य, RBI का एक सदस्य तथा दो की नियुक्ति केन्द्र सरकार करती है। इसके पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या चार है (चेयरमैन सहित)।

सेबी अधिनियम, 1992 द्वारा 'सेबी' को निम्न कार्य/अधिकार सौंपे गए हैं:

(i) स्टॉक एक्सचेंज, मर्चेन्ट बैंक, म्युचुअल फण्ड, अंडरराइटर्स, रजिस्ट्रार, दलालों, उप-दलालों, हस्तांतरण एजेंट, इत्यादि का पंजीकरण करना।

(ii) विभिन्न शुल्क की वसूली करना, उदाहरण के लिए इसके द्वारा शेयर जारी करने वाली कंपनियों के कुल निर्गम (issue) के एक प्रतिशत राशि को 'जमानत' (caution) के तौर पर जमा रखा जाता है। सेबी द्वारा इसे उसी स्टॉक एक्सचेंज में रखने का प्रावधान है जहाँ कंपनी का शेयर अधिसूचित होता है।

(iii) निवेशक शिक्षा का प्रोत्साहन।

(iv) स्टॉक एक्सचेंज तथा अन्य मध्यस्थों की जाँच (inspection) तथा उनकी लेखा–परीक्षा (audit) करना।

(v) उन कार्यों का निष्पादन, जो इसे समयानुसार सौंपे जाएं।

वस्तु व्यापार (Commodity Trading)

वस्तु व्यापार उसी प्रकार होता है जिस प्रकार स्टॉक (शेयर, प्रतिभूति, ऋण-पत्र, बॉण्डों) का व्यापार स्टॉक बाजार में होता है तथापित वस्तुएं वास्तविक भौतिक वस्तुएं, जैसे–अनाज, चांदी, सोना, कच्चा तेल इत्यादि होती हैं। फ्यूचर (वायदा) वस्तुओं के लिए संविदाएं होती है जिनका व्यापार वायदा एक्सचेंजों जैसे शिकाओं बोर्ड ऑफ ट्रेड (सीबीओटी) में होता है वायदा संविदाओं का विस्तार

8. Tim Hindle, op. cit., p. 129.
9. Surender Sundararajan, ***Book of Financial Terms,*** p. 134.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

वस्तुओं से परे भी हुआ है अब वित्तीय बाजारों जैसे विदेशी मुद्रा ब्याज दरों इत्यादि में भी वायदा कारोबार होता है।

किसी भी अर्थव्यवस्थाओं में वस्तु वायदा कारोबार की प्रमुख भूमिका होती है। जैसा कि हम जानते है कि कृषि वस्तुओं के मामले में उनकी कीमतें भारत में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के भविष्य के निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाती हैं इन कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव होता है। कीमतों में उतार-चढ़ाव फसल के खराब होने, खराब मौसम, मांग आपूर्ति असंतुलन इत्यादि के कारण होती है। इस उतार-चढ़ाव से मूल्य जोखिम पैदा होता है वहन मुख्यत: किसानों और उन उद्योगों द्वारा किया जाता है जो कृषिगत वस्तुओं का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते है वस्तु एक्सचेंज वे संगठन होते है; जो नियमों का निर्धारण और प्रवर्तन करते है और वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित करते हैं। एक्सचेंज का प्रमुख उद्देश्य वस्तु में वायदा कारोबार की सुविधा प्रदान कर कीमतों में विपरीत संचलन से भागीदारों को सुरक्षा प्रदान करना है।

यदि भागीदार इस कीमत जोखिम से अपने को सुरक्षित करते हैं तब वे कृषिगत वस्तुओं से संबधिंत कीमतों में निहित उतार-चढ़ाव से अपने आपको बचाने में सक्षम होंगे। कोमोडिटी एक्सचेंज को व्यापार प्लेटफॉर्म के रूप में प्रयोग करना इस प्रकार की पद्धतियों में से एक हो सकता है कीमत जोखिम से हेजिंग करने के अलावा एक कोमोडिटी एक्सचेंज उत्पादन और प्रापण नियोजन में मदद करता है क्योंकि कोई भी कम मात्रा में खरीदारी कर सकता है, इसके अतिरिक्त चूंकि एक्सचेंज में विभिन्न जानकार उद्योग भागीदारी करते हैं अत: मूल्य निर्धारण ज्यादा दक्ष होता है और इसमें स्थानीय और वैश्विक कारक शामिल भी होते हैं।

हम एक साधारण उदाहरण से यह समझ सकते है। कि किस प्रकार कोमोडिटी एक्सचेंज में व्यापार औद्योगिक भागीदारों को मदद करता है? एक किसान जो गेहूं का उत्पादन करता है वह गेहूं का वायदा कोमोडिटी एक्सचेंज में विक्रय कर सकता है। इससे उसे गेहूं की विशिष्ट मात्रा के बिक्री मूल्य को लॉक करने में मदद मिलेगी। अत: किसान अब भविष्य में अपने उत्पाद के लिए सुनिश्चित मूल्य प्राप्त करने में सक्षम होगा और गेहूं की कीमतों में किसी प्रकार की गिरावट से उसकी आय पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरी और एक उपयोगकर्ता उद्योग (उदाहरण के लिए आटा मिल) एक्सचेंज से गेहूं की वायदा खरीद सकता है अत: मिल अब गेहूं की एक विशिष्ट मात्रा के लिए अपने भावी क्रय लागत को निर्धारित करने में सक्षम होगा। इसलिए भविष्य में गेहूं की कीमतों में किसी प्रकार की वृद्धि से इसके उत्पादन लागत पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

तथापि ध्यान में रखने की बात यह है कि कृषक समुदाय वायदा बाजार में मोटे तौर पर कारोबार नहीं करते हैं। यह आंशिक रूप से प्रचलानात्मक कठिनाई और जानकारी के आभाव के कारण है यद्यपि वे वायदा बाजार से उभर कर सामने आने वाली कीमतों के रुझान पर नजर रखते हैं और यह निर्णय लेते हैं कि किस वस्तु का किस अनुपात में उत्पादन करना है।

प्रयोगकर्ता उद्योग के मामले में कोमोडिटी एक्सचेंज उनको अपना उत्पादन और उत्पादन की लागत निर्धारित करने में मदद करते हैं। कोमोडिटी एक्सचेंज कीमत जोखिम को हेज करने का महत्वपूर्ण साधन हैं। तथापि सरकार को बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने एक सजग शासन प्रणाली स्थापित करने इत्यदि की जरूरत है ताकि इन एक्सचेंजों में कारोबार को प्रोत्साहित किया जा सके।

ऑन-लाइन मल्टी-कोमोडिटी एक्सचेंज के पदार्पण के साथ ही वस्तु वायदा कारोबार में काफी धन आना आरम्भ हो गया है। यह वृद्धि तब आरम्भ हुई जब स्टॉक मार्केट सुस्त था और आश्चर्यजनक रूप से संसेक्स के 20,000 का आंकड़ा (2004-06) पार करने के बाद भी थमा नहीं है। अत्यधिक लाभ, कारोबार का लंबा समय और डेरिवेटिव उत्पादों के बारे में अपेक्षाकृत कम जानकारी ने एक विनियामक की भूमिका को रेखाकिंत किया है। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन (एफएमसी), जिसे दशकों से वायदा कारोबार को रोकने को कार्य सौंपा गया था, को वस्तु वायदा बाजार को विकसित करने और विनियमित करने का कार्य सौंपा गया है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

एफएमसी (FMC)

फॉरवर्ड मार्केट कमीशन अग्रिम संविदा (विनियामक) अधिनियम, 1952 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। यह उपभोक्ता मामले विभाग उपभोक्ता मामले, खाद्य और जन-वितरण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत कार्य करता है। वर्ष 2014 में उक्त आयोग को वित्त मंत्रालय में स्थानान्तरित कर दिया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और एक क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता में है, इस आयोग में एक अध्यक्ष और दो सदस्य होते हैं। आयोग विनियामक निरीक्षण उपलब्ध कराता है ताकि निम्नलिखित को सुनिश्चित किया जा सके:

(i) वित्तीय ईमानदारी (अर्थात् एक प्रमुख प्रचालक या प्रचालकों के समूह द्वारा चूक के व्यवस्थागत जोखिम को कम करना);

(ii) बाजार ईमानदारी अर्थात् यह सुनिश्चित करना कि वायदा कीमतें भावी मांग और आपूर्ति शर्तों के साथ सुव्यवस्थित हों, और;

(iii) उपभोक्ताओं/गैर-सदस्यों के हितों की सुरक्षा और संवर्धन।

बाजार स्थितियों के आकलन और कमोडिटी एक्सचेंज के निदेशक मंडल द्वारा किए गए अनुमोदनों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने कोमोडिटी एक्सचेंज के नियमों और विनियमनों का अनुमोदन किया है, जिसके अनुसार कारोबार किया जाएगा। यह विभिन्न संविदाओं में व्यापार आरम्भ करने की अनुमति प्रदान करता है बाजार परिस्थितियों की निरन्तर निगरानी करता है और जहाँ कहीं भी आवश्यक हो विभिन्न विनियामक उपायों के माध्यम से उपचारात्मक उपाय करता है। वर्तमान में वायदा कारोबार के लिए 113 वस्तुएं अधिसूचित हैं और भारत में तीन राष्ट्रीय स्तर के एक्सचेंजों सहित 21 कोमोडिटी एक्सचेंज हैं (अन्य क्षेत्रीय है) जिन्हें वायदा कारोबार करने की मान्यता प्राप्त है, ये तीन राष्ट्रीय एक्सचेंज है:

(i) मल्टी कोमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एमसीएक्स) मुंबई।

इसके प्रमुख प्रवर्तक एफटीआईएल को एफएमसी ने इसे अपना स्वामित्व छोड़ने को कहा है क्योंकि वर्ष 2013 के मध्य में इसे वित्तीय अनियमितताओं में लिप्त पाया गया था (एमसीएक्स में इसकी हिस्सेदारी 24 प्रतिशत है)।

(ii) नेशनल कोमोड़िटी और डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड (एनसीडीईएक्स) मुंबई।

(iii) नेशनल मल्टी कोमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएमसीई), अहमदाबाद।

संयुक्त राज्य अमेरिका में, जहां सबसे बड़ा वस्तु वायदा बाजार है, इक्विटी और वस्तुओं के लिए अलग-अलग विनियामक हैं। चीन, यूके, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, सिंगापुर में एकल नियामक है। जापान में इसके डेरिपेटिव मार्केट के लिए भिन्न मॉडल है जहाँ बहु-उत्पाद के प्रकार पर आधारित विनियामक हैं।

स्पॉट एक्सचेंज (SPOT EXCHANGES)

भारत में स्पॉट एक्सचेंज का तात्पर्य ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से है जो कृषिगत वस्तुओं, धातु और सोने-चांदी सहित विशिष्ट उत्पादों के क्रय और विक्रय को इन वस्तुओं में स्पॉट सुपुर्दगी संविदा उपलब्ध कराकर सुकर बनाते हैं।

यह बाजार खण्ड मुख्य स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूति खण्ड की तरह कार्य करता है। वैकल्पिक रूप से इसे वस्तुओं के विक्रेताओं द्वारा गाण्टीशुदा प्रत्यक्ष विपणन माना जा सकता है। स्पॉट एक्सचेंज वस्तुओं के व्यापार के लिए स्टॉक एक्सचेंज ढांचे में उपलब्ध अद्यतन प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है यह वस्तुओं के व्यापार में अभिनव भारतीय प्रयोग है और 'कोमोडिटी एक्सचेंज', जहाँ वस्तुओं के वायदा कांट्रेक्ट में व्यापार होता है, से भिन्न है।

स्पॉट एक्सचेंज को भण्डागार विकास और विनियामक प्राधिकरण (इलेक्ट्रॉनिक भंडारण प्राप्तियां) विनियमन, 2011 द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निगमित इलेक्ट्रानिक भण्डागार के व्यापार में सहायक, विनियामक या नियंत्रण निकाय निगम के रूप में परिभाषित किया गया है। तथापि वर्तमान स्पॉट एक्सचेंज न केवल भण्डागार रसीदों का व्यापार करता है बल्कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक बाजार है जहां किसान या व्यापारी राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

के मूल्यों की जानकारी प्राप्त कर सकते है और तत्काल (अर्थात् उसी स्थान पर) पूरे देश में किसी के भी साथ वस्तुओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं। एक्सचेंज की सभी संविदाए सुपुर्दगी संविदाएं होती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि, दिन के अन्त में सभी बकाया सौदों को सुपुर्दगी के लिए चिन्हित किया जाता है, जिसका निहितार्थ यह है कि विक्रेता को सुपुर्दगी देनी है और क्रेता को सुपुर्दगी लेनी है।

स्पॉट एक्सचेंज द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाएं सामान्य स्टॉक एक्सचेंज की तरह ही होती हैं, जिनमें निकासी और सौदों का निपटान शामिल होता है, सौदे गारण्टीशुदा आधार पर निपटाए जाते हैं (अर्थात् किसी व्यक्ति द्वारा चूक किए जाने पर एक्सचेंज वस्तु धन के भुगतान की व्यवस्था करता है) और एक्सचेंज विभिन्न प्रकार मार्जिन भुगतान एकत्रित करता है ताकि इसे सुनिश्चित किया जा सके। एक्सचेंज विभिन्न प्रकार की सेवाओं, जैसे–गुणवत्ता प्रमाणन, मण्डागार, भण्डागार रसीद, वित्त पोषण इत्यादि भी उपलब्ध कराता है।

भारत में स्पॉट एक्सचेंज (Sport Exchanges in India)

वर्तमान मे देश में चार स्पॉट एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं:

(i) द नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनटीआईएल) जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिज इंडिया लिमिटेड (एफटीआईएल) और नेशनल एग्रीकचरल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नेफेड) द्वारा प्रवर्तित एक राष्ट्रीय स्तर का वस्तु कोमोडिटी एक्सचेंज स्पॉट एक्सचेंज है। एफटीआईएल के अनियमितताओं में लिप्त पाए जाने के पश्चात् एफएमसी ने मार्च 2014 के अन्त में इसे स्पॉट एक्सचेंज को छोड़ने के लिए कहा।

(ii) एनसीडीईएक्स स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएससी द्वारा अक्टूबर 2006 में स्थापित)।

(iii) रिलायन्स स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (आर-नेक्स्ट)।

(iv) इंडियन बुलियन स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एक ऑन लाइन काउंटर आधारित स्पॉट एक्सचेंज)।

स्पॉट एक्सचेंजों के लाभ (Advantages of Spot Exchanges)

वस्तुओं के परम्परागत व्यापार की तुलना में स्पॉट एक्सचेंज विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करता है:

(i) दक्ष कीमत निर्धारण क्योंकि कीमतों का निर्धारण परम्परागत 'मंडी' जहां कीमत का निर्धारण केवल स्थानीय भागीदारी से तय होता था, के विपरीत पूरे देश के विस्तृत भागों एवं भिन्न लोगों द्वारा होता है।

(ii) कीमत निर्धारण में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है- गुमनाम विभिन्न कीमत अवधारणाओं का सम्मिलन सुनिश्चित करता है क्योंकि क्रेता या विक्रेता केवल बिना लोगों से प्रत्यक्ष रूप से मिले व्यापार करने की इच्छा प्रकट करते हैं।

(iii) पूरे देश के किसानों, व्यापारियों और संसाधन कर्ताओं की बड़ी संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करता है और कार्टेलाइजेशन और वस्तु बाजार में प्रचलित इस प्रकार की अन्य अस्वस्थ प्रथाओं की संभावनाओं को समाप्त करती है।

(iv) यह वस्तु व्यापार में गुणवत्ता के लिए ग्रेडिंग की प्रणाली, जाँच सुविधा के साथ भंडागार अपेक्षाकृत कम मात्रा में व्यापार को सुकर बनाना निम्न सौंदा लागत इत्यादि जैसी सर्वोत्तम प्रथाओं का उपयोग करता है।

(v) आसान शर्तों पर भण्डागार में रखी वस्तुओं पर बैंक वित्त की उपलब्धता, धारण क्षमता में सुधार लाता है और वास्तव में कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित कर सकते हैं और इस प्रकार ग्रामीण निर्धनता में कमी ला सकते हैं।

(vi) चूंकि व्यापार गारण्टीशुदा (एक्सचेंज द्वारा) होता है, अत: विरोधी पक्ष जोखिम से बचा जा सकता है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

प्राथमिक बाजार से पूँजी उगाही (Raising Capital from the Primary Market)

प्राथमिक बाजार से पूँजी की उगाही करने के लिए कंपनियों के पास तीन तरीके हैं:

लोक निर्गम (Public Issue)

प्राथमिक बाजार में शेयर बेच कर पूँजी उगाहना, जिसमें सभी भारतीय नागरिक को शेयर खरीदने की अनुमति होती है। इस बाजार से पूँजी उगाहने का यह न सिर्फ सबसे बड़े आधार वाला तरीका ही है बल्कि यह सबसे प्रतिष्ठित माध्यम भी है। रिलायंस उद्योग लिमिटेड (RIL) इस श्रेणी में भारत की सबसे बड़ी कंपनी है।

अधिकार निर्गम (Rights Issue)

इस निर्गम द्वारा कोई कंपनी अपने पहले से विद्यमान शेयर धारकों को शेयर बेचकर पूंजी की उगाही करती है अर्थात् यह एक तरह का अधिमान्य शेयर (preferential share) बिक्री है जो आम नागरिक के लिए मुक्त नहीं है।

निजी स्थापन (Private Placement)

प्राथमिक बाजार में शेयर की बिक्री द्वारा पूँजी उगाही का यह सबसे द्रुत और कम खर्चीला तरीका है, जिसमें कंपनियां किन्हीं चुनिंदा समूहों (साधारणतया वित्तीय संस्थानों) या व्यक्तियों से विचार-विमर्श करके उन्हें शेयर बेचती हैं। इस तरह से की गयी पूँजी उगाही में संबंधित कंपनी को अपने स्वामित्व पर सर्वाधिक खतरा रहता है, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर शेयर खरीदने वाले वित्तीय संस्थान अपनी निष्ठा (Loyalty) बदल सकते हैं।

भारत में हाल के वर्षों में कई कंपनियों द्वारा विदेशी पूँजी की उगाही के लिए इस माध्यम को अपनाया गया जिसमें उनके द्वारा विदेशी निवेश संस्थानों (FFIs) को निजी स्थापन द्वारा शेयरों की बिक्री की गयी।

स्टॉक बाजार के महत्वपूर्ण पद (Important Terms of Stock Market)

स्क्रिप शेयर (Scrip Share)

वे शेयर जो कंपनी द्वारा अपने पुराने शेयर धारकों को मुफ्त में उपलब्ध कराए जाते हैं। इसे 'बोनस शेयर' भी कहते हैं।

स्वेट शेयर (Sweat Share)

कंपनियों द्वारा अपने कार्मिकों को बिना किसी शुल्क के शेयर उपलब्ध कराना। व्यवहार में यह उच्चस्तरीय कार्मिकों को ही दिया जाता है।

रॉलिंग सैटलमेंट (Rolling Settlement)

भारतीय स्टॉक बाजार की स्टॉक की खरीद-बिक्री के निपटारे (Settlement) की एक व्यवस्था, जिसके अंतर्गत कारोबार का निपटारा महत्तम 5 दिनों के अंदर अनिवार्य बनाया गया है। आज सभी शेयरों का कारोबार निपटारा तीन दिनों के अंदर हो जाने का प्रावधान है। वर्ष 2001 के मध्य से लागू इस प्रावधान द्वारा स्टॉक के कारोबार के वादे को निपटारे में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी गयी है।

बदला (Badla)

जब किसी स्टॉक कारोबार के विलंबन (postponement) की माँग स्टॉक के खरीदार द्वारा की जाती है तो उसे 'बदला' कहते हैं। पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में इसे 'कैन्टैन्गो' (Cantango) कहा जाता है।

औंधा बदला (Undha Badla)

जब किसी स्टॉक कारोबार के विलंबन (postponement) की माँग स्टॉक विक्रेता के द्वारा की जाए तो वह 'औंधा बदला' की स्थिति है। इसे 'प्रतिवर्ती बदला' (Reverse Badla) तथा 'पश्च:गमन' (Backwardation) भी कहा जाता है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

वायदा (Futures)

शेयरों के कारोबार में प्रावधानित एक व्यवस्था, जिसमें शेयर के भविष्य के किसी मूल्य की बोली लगायी जाती है तथा पहले से तय की गयी भविष्य की किसी तिथि को कारोबार का निपटारा (settlement) संपन्न होता है।

न्यासी (Depositories)

सन् 1996 में प्रारंभ की गयी एक व्यवस्था, जिसके अंतर्गत शेयरों के प्रमाण-पत्रों को कागजरहित (paperless) रूप में जमा (deposit) रखने की व्यवस्था की गयी अर्थात् इसमें शेयरों का 'अभौतिकीकरण' (dematerialisation) होता है, जिस कारण इसे 'डीमैट' (demat) भी कहते हैं। भारत में डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की दो कंपनियाँ कार्यरत हैं, जो शेयरों को 'डीमैट' रूप में न्यासी/जमाकर्ता (Depository) के रूप में अपने पास जमा हैं:

(i) नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड (NSDL)

(ii) सेंट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेज लिमिटेड (CDSL)

स्प्रेड (Spread)

शेयर के क्रय और विक्रय मूल्य के बीच के अन्तर को स्प्रेड कहा जाता है। शेयर की तरलता जितनी अधिक होती है उसका स्प्रेड उतना ही कम होता है और इसके विपरीत क्रय से । इसे जॉब्बर के टर्न या मार्जिन या हेयर कट के रूप में भी जाना जाता है।

बाजार के बाहर सौदे (Kerb Dealings)

स्टॉक एक्सचेंज से बाहर स्टॉक का जो लेन-देन होता है, वह अधिकारिक नहीं होता और सामान्य ट्रेडिंग घंटों के बाद ही होता है।

एन.एस.सी.सी. (NSCC)

नेशनल सिक्युरिटीज क्लीयरिंग कॉरपोरेशन (NSCC) की स्थापना वर्ष 1996 में एक सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी के रूप में की गयी। यह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में होने वाले सभी कारोबारों में 'दोनों पक्षों के जोखिम' (counter party risk) का वहन करता है अर्थात् यह स्टॉक क्रेता तथा विक्रेता के बीच एक कड़ी है जो कारोबार के निपटारे में परिवर्तित होने की गारंटी देता है।

असहोपकारीकरण (Demutualisation)

इस प्रक्रिया की शुरुआत 'सेबी' द्वारा वर्ष 2002 में की गयी, जिसके अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के स्वामित्व, प्रबंधन एवं दलालों के बीच संबंध-विच्छेद (demutualisation) करने का प्रावधान है। इसके अनुसार किसी स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड ऑफ डॉयरेक्टर में कोई भी दलाल (broker) शामिल नहीं किया जा सकता।

वर्तमान समय में भारत के सभी स्टॉक एक्सचेंजों में यह प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।

अधिकृत पूंजी (Authorised Capital)

वह ऊपरी सीमा जिस तक किसी कंपनी द्वारा शेयर जारी किए जा सकते हैं, अधिकृत पूंजी कहलाती है। इसे 'सामान्य' (Nominal) या 'पंजीकृत' (Registered) पूँजी भी कहा जाता है। कंपनी अधिनियम के तहत इस पूँजी को 'संगठन ज्ञापन' (Memorandum of Association/MoA) तथा 'संगठन अनुच्छेद' (Article of Association/AoA) में नियत (fix) किया जाता है।

देय पूंजी (Paid-Up Capital)

अधिकृत पूंजी (Authorised Capital) का वह भाग जो किसी कंपनी द्वारा शेयर जारी करके प्राप्त किया जाता है उसे 'देय पूँजी' कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि किसी कंपनी द्वारा अपनी सकल अधिकृत पूँजी को शेयर बेचकर उगाह ही लिया जाए यह आवश्यक नहीं।

पूर्वक्रीत पूंजी (Subscribed Capital)

शेयर धारकों द्वारा वास्तव में भुगतान की गई या अशंदान हेतु उनके द्वारा वायदा की गई धनराशि।

निर्गमित पूँजी (Issued Capital)

अधिकतम पूँजी की वह मात्रा जिसे किसी कंपनी द्वारा शेयरों की बिक्री से प्राप्त करने की घोषणा की जाती

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

है, उसे अभिदत्त निर्गमित पूँजी कहते हैं। इसकी ऊपरी सीमा संबंधित कंपनी की अधिकृत पूँजी (Authorised Capital) होती है।

ग्रीनशू ऑप्शन (Greenshoe Option)

एक प्रावधान, जिसके तहत एक कम्पनी पहली बार शेयर जारी करती है उसे कुछ अतिरिक्त शेयर आमतौर पर 15 प्रतिशत जनता को बेचने की अनुमति दी जाती है जिसे ओवर एलॉटमेंट प्रावधान भी कहा जाता है। इसका नाम प्रथम कम्पनी (यू.एस.ए. की ग्रीन शू कम्पनी), जिसे इस प्रकार के विकल्प की अनुमति दी गई थी, के नाम पर पड़ा है।

पैनी स्टॉक (Penny Stock)

ऐसे शेयर जिनकी कीमत स्टॉक एक्सचेंज में अपेक्षाकृत लम्बे समय तक काफी कम रहता है। सट्टेबाज काफी बड़े लाभ के लिए इसकी जमाखोरी आरम्भ कर सकते है, जैसा कि भारत में वर्ष 2006 के मध्य में देखा गया था। और चूंकि ऐसे स्टॉकों की जमाखोरी होती है अतत: उनके बाजार मूल्य में वृद्धि होती है। सट्टेबाज इन शेयरों का उच्च कीमत पर विक्रय कर मुनाफा अर्जित करते हैं और जो इन शेयरों का क्रय करते हैं उन्हें अन्तत: भारी नुकसान हो सकता है क्योंकि इन स्टॉकों के मूल्य में वृद्धि अनैच्छिक या प्रत्येक जानबूझ कर की गई हेराफेरी के कारण होती है।

ईएसओपी (ESOP)

कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना (ईएसओपी) विदेशी कम्पनियों को अपने शेयर विदेशों में अपने कर्मचारियों को अपना शेयर प्रदान करने में सक्षम बनाता है। भारत में इसकी अनुमति (फरवरी 2005) इस शर्त के साथ दी गई थी कि भारतीय कपंनियों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों (एमएनसी) की हिस्सेदारी कम-से-कम 51 प्रतिशत हो। पूर्व में आरबीआई से अनुमति प्राप्त करने की जरूरत होती थी।

एसबीटी (SBT)

स्क्रीन आधरित कारोबार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अर्थात् कम्प्यूटर मॉनिटर, इंटरनेट इत्यादि पर आधारित स्टॉक का कारोबार है। इस प्रकार का प्रथम व्यापार न्यूयॉर्क में बॉड ब्रोकर केन्टर फिट्जेरेल्ड द्वारा वर्ष 1972 में आरम्भ किया गया था। भारत में इसका आरम्भ ओटीसीईआई में वर्ष 1989 में आरम्भ हुआ। अब इस प्रकार का कारोबार सभी एक्सचेंजों में होता है

ओएफसीडी (OFCDs)

ऋण-पत्र प्रतिभूति बाजार से धन एकत्रित करने के लिए सूचिबद्ध या गैर-सूचीबद्ध फर्मो द्वारा जारी किए जाते हैं ऋण-पत्र कई प्रकार के होते है, जैस-मोच्च, अमोच्च, अंशत: परिवर्तनीय और पूर्णत: परिवर्तनीय। पूर्णत: परिवर्तनीय ऋण-पत्रों के मामले में ऋण-पत्र धारक को एक विकल्प (इसलिए इसे ओएफसीडी अर्थात् वैकल्पिक रूप से पूर्णत: परिवर्तनीय ऋण-पत्र) दिया जाता है जो अपने ओएफसीडी को शेयरों में बदलना चाहते हैं (ऋण-पत्र जारी करने वाले फर्म द्वारा निर्धारित अवधि के पश्चात् जिसे अनिवार्य जमा अवधि कहा जाता है) लेकिन 'दर' कम्पनी द्वारा निर्धारित की जाती है (उदाहरण के लिए कितने ऋण-पत्रों पर कितने शेयर प्रदान किए जाएगे)। ऋण-पत्र धारक को मुनाफा देने वाला और या ज्यादा सुरक्षित हो सकता है, यदि निम्नलिखित में से कोई स्थिति सही हो:

(i) यदि फर्म को अत्यधिक मुनाफा होने वाला है (ताकि शेयर धारक ज्यादा लाभाशं अर्जित कर सकें) या

(ii) शेयर बाजार में फर्म के शेयरों की कीमतों में बढ़ने की संभवना हो (शेयरों की बिक्री कर मुनाफा अर्जित किया जा सकता है)।

यदि मान लिया जाए कि फर्म का तुलन-पत्र (Balance Sheet) कमजोर है (दिवालिया होने वाला है) तब ऋण-पत्र को शेयरों में बदलने के बजाए बनाए रखना बेहतर होगा क्योंकि जब किसी कम्पनी का समापन (उसकी परिसंपत्तियां बेची जाती है) होता है तब ऋण-पत्र धारकों को शेयर धारकों पर भुगतान में प्राथमिकता प्रदान की जाती है। इसका तात्पर्य है कि ओएफसीडी दाव-पेंच पूर्ण होता है और यह प्रतिभूति बाजार में निवेश करने का उपयुक्त रास्ता उन्हीं निवेशकों के लिए है, जिन्हें शेयर की कीमतों, कम्पनी कार्य निष्पादन इत्यादि की कुछ जानकारी और समझ है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

हाल ही में सहारा (आरबीआई की विनियामक नियंत्रणाधीन एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी) कुछ अनियमिताओं के कारण समाचारों में थी। यह ओएफसीडी विनियमन में कुछ कमियों और सहारा द्वारा किए गए कुछ उल्लंघन का मामला था:

(i) वास्तव में ओएफसीडी जारी करने की प्रक्रिया 10 कार्य दिवसों में पूरी करनी होती है (सहारा ने इसे दो वर्ष से ज्यादा समय तक जारी रखा)।

(ii) यदि ओएफसीडी 'प्राइवेट प्लेसमेंट' के माध्यम से जारी किया जाता है तब केवल 50 व्यक्ति/संस्थान ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं (सहारा ने इसे 2 करोड़ तीस लाख लोगों को जारी किया और 24000 करोड़ रु. जुटाए) इस प्रकार का दाव-पेंच पूर्ण ऋण-पत्र भोली-भाली जनता को जारी करना वित्तीय अनियमितता का स्पष्ट मामला था।

(iii) गैर-सूचीबद्ध कम्पनियां सेबी के विनियामक नियंत्रण में नहीं आती हैं, इसकी जगह वे कॉरपोरेट मामले मंत्रालय द्वारा विनियमित होती हैं (ओएफसीडी जारी करने वाली दोनों सहारा फर्में गैर-सूचीबद्ध है), लेकिन सेबी ने यह तर्क दिया कि यह किसी गैर-सूचीबद्ध कम्पनी को भी विनियमित कर सकती है यदि यह ओएफसीडी जारी करती है क्योंकि सेबी अधिनियम, 1992 में ओएफसीडी पद का उल्लेख है वास्तव में विनियमन संबंधी कुछ उहापोह की स्थिति थी। इसलिए सरकार ने हाल में पारित कम्पनी अधिनियम, 2012 में यह 'वाक्यांश' जोड़ा जो सेबी को किसी भी निवेया स्कीम जिसमें 50 से ज्यादा लोग शामिल हों और कंपनी सूचीबद्ध या गैर-सूचीबद्ध है इस पर ध्यान दिए बिना, निर्विवाद क्षेत्राधिकार प्रदान करता है इस बीच सहारा को ओएफसीडी के माध्यम से जुटाई गई कुल पूंजी को 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर के साथ वापस करने का आदेश दिया गया है।

डेरिवेटिव्स (Derivatives)

डेरिवेटिव्स एक एक उत्पाद हैं जिनका मूल्य एक या उससे ज्यादा मूल चरों, जिसे आधार कहा जाता है (निहितत परिसंपत्ति, इंडेक्स या संदर्भ दर), से संविदागत तरीके से प्राप्त किया जाता है। निहित संपत्ति इक्विटी विदेशी मुद्रा, वस्तु या कोई अन्य परिसंपत्ति हो सकती है उदाहरण के लिए गेहूं का उत्पादन करने वाले किसान अपना उत्पाद आने वाले समय में बेचना चाहते हैं ताकि अपने उत्पाद उस समय तक कीमतों में परिवर्तन के जोखिम को समाप्त किया जा सके। इस प्रकार का कारोबार डेरिवेटिव का उदाहरण है। इस डेरिवेटिव की कीमत गेहूं के तात्कालिक मूल्य से प्राप्त किया जाता है, जो 'निहित' होता है।

भारतीय संदर्भ में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 [एससी(आर)ए] डेरिवेटिव को निम्न रूप से परिभाषित करता है, जिसमें शामिल है:

(i) ऋण प्रपत्र, शेयर, ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित जोखिम प्रपत्र या संविदा के लिए भिन्नता या प्रतिभूति के किसी अन्य रूप से प्राप्त प्रतिभूति।

(ii) एक संविदा जो निहित प्रतिभूति के मूल्य या मूल्यों के सूचकांक से अपना मूल्य प्राप्त करता है।

डेरिवेटिव प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम के तहत प्रतिभूति है और इस प्रकार डेरिवेटिव में कारोबार इस अधिनियम के विनियामक ढांचे द्वारा शासित होता है और इसे स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार करने की अनुमति होती है।

भारतीय निपेक्षागार रसीद (Indian Depository Receipts–IDRs)

कम्पनी (भारतीय निपेक्षागार रसीद जारी करने संबंधी) नियम 2014 में दी गई परिभाषा के अनुसार, आईडीआर जारीकर्ता

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

कम्पनी के अन्तर्निहित इक्विटी शेयरों के आधार पर भारत में भारतीय निपेक्षागार द्वारा सृजित निपेक्षागार रसीदों के रूप में एक प्रपत्र है। एक एडीआर में विदेशी कम्पनियां किसी भारतीय निक्षेपागार (उदाहरण के लिए एनएसडीएल) को शेयर जारी करेगी जो इसके बदले में निक्षेपागार रसीद भारत में निवेशकों को जारी करेगा। आईडीआर के रूप में वास्तविक शेयर विदेशी अभिरक्षकों के पास होगा जो भारतीय निक्षेपागार को आईडीआर जारी करने के लिए प्राधिकृत करेगा।

इसे आसान रूप में समझने का प्रयत्न करते हैं आईडीआर एक साधन है जो भारत में निवेशकों को भारतीय रुपये में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों सहित सूचीबद्ध विदेशी कम्पनियों में निवेश की अनुमति प्रदान करता है। आईडीआर धारक को किसी विदेशी कम्पनी में इक्विटी शेयर में हित धारण का अवसर प्रदान करता है। आईडीआर का अंकित मूल्य भारतीय रुपये में होता है और भारत में घरेलू निक्षेपागार द्वारा जारी किया जाता है। वे किसी भी भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो आईपीओ (आरम्भिक सार्वजनिक पेशकश) में निवेश करने की पात्रता रखता है, वह आईडीआर में निवेश करने का पात्र है। दूसरे शब्दों में, भारतीय कम्पनियों के संबंध में जो एडीआर जीडीआर विदेशी निवेशकों के लिए है वही आईडीआर विदेशी कम्पनियों के संदर्भ में भारतीय निवेशकों के लिए है।

लेकिन एक प्रश्न उठता है कि किस प्रकार आईडीआर में निवेश विदेशी एक्सचेजों में सूचीबद्ध विदेशी कम्पनियों के शेयरों में निवेश करने से भिन्न है? कोई भी भारतीय केवल 2,00,000 अमेरिकी डॉलर तक विदेशी एक्सचेंजों में सूचीबद्ध विदेशी कम्पनियों के शेयरों में निवेश कर सकता है और यह प्रक्रिया खर्चीली और बोझिल है क्योंकि निवेशक को भारत के बाहर एक बैंक खाता और डीमैट खाता खोलना पड़ता है और संबंधित कम्पनियों के 'नॉ यौर कस्टमर' (केवाईसी) मानकों का अनुपालन करना पड़ता है। इसमें विदेशी मुद्रा जोखिम भी निहित होता है। आईडीआर के लिए आवेदन करना और इसे रखना भारतीय एक्सचेंजों में किसी इक्विटी शेयर कारोबार की तरह ही है और इसमें इस प्रकार की कठिनाई नहीं होती है।

स्टेनचार्ट भारतीय बाजारों में आईडीआर जारी करने वाली पहली और एकमात्र जारीकर्ता कम्पनी है, जो मई 2010 में अपना आईडीआर बाजार में लेकर आइ और इसके माध्यम से इसने 2500 करोड़ रुपए जुटाए क्योंकि संस्थागत निवेशकों की ओर से इसकी भारी मांग थी और इसे बंबई स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया था। दस स्टेनचार्ट आईडीआर यूके में सूचीबद्ध बैंक के एक अन्तर्निहित इक्विटी के बराबर होते हैं। स्टेनचार्ट के आईडीआरों को जून 2011 में भुनाया जाना था।

जून 2011 में सेबी ने अपने नए दिशा–निर्देश जारी किए जिनमें यह कहा गया था कि आईडीआर जारी होने के एक वर्ष के अन्दर आईडआर को भुनाने की अनुमति केवल तभी प्रदान की जाएगी जब आईडीआर का भारत के स्टॉक एक्सचेंज में काफी कम कारोबार हुआ हो। सेबी के नियम ने यह स्पष्ट कर दिया कि मुनाने के पूर्व के छः केलेण्डर माह में आईडीआर का वार्षिक कारोबार यदि 5 प्रतिशत से कम है केवल तभी कम्पनी को आईडीआर भुनाने की अनुमति होगी। विनियामक ने कहा था कि, आईडीआर जारी करने वानी कम्पनी को प्रत्येक वर्ष जून और दिसम्बर में सामप्त होने वाली छमाही के आधार पर ब्राउजर में प्रपत्र के कारोबार की बारम्बारता को जांचना होगा।

सममूल्य एवं अधिमूल्य पर शेयर
(Shares 'at Par' and 'at Premium')

भारत में एक सामान्य शेयर को आमतौर पर 10 रुपये के सममूल्य (फेस वैल्यू) का माना जाता है, वहीं पहले जारी हुए कुछ शेयर अब भी 100 रुपये सममूल्य के हैं। दरअसल, पार वैल्यू यानी सममूल्य वह मूल्य होता है, जिस पर कोई शेयर बतौर इक्युटी कैपिटल (शेयर पूंजी) बैलेंस शीट में वह मूल रूप से दर्ज होता है। इक्विटी कैपिटल 'सामान्य शेयर पूंजी' जैसा ही होता है। व्यक्तिगत संस्थापकों

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

या उद्यमियों द्वारा स्थापित नई कंपनियों के पब्लिक इश्यू के लिए सेबी ने कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक सभी नई कंपनियों को अपने शेयर सममूल्य, यानी 10 रुपये पर उपलब्ध कराने होते हैं। हालांकि, बाजार में मौजूद कोई कंपनी एक नई कंपनी बनाती है, जिसके पास पांच साल के लगातार लाभ की क्षमता हो, तो वह अपने शेयर प्रीमियम, यानी अधिमूल्य पर जारी कर सकता है।

लेकिन जब कोई कंपनी प्रीमियम पर अपने शेयर जारी करती है, तो वह कम शेयर जारी करके ही लोगों से आवश्यक पूंजी इकट्ठा कर लेती है, जैसे–पहली बार उद्यम में आई एक नई कंपनी अगर एक करोड़ रुपये इकट्ठा करने का इरादा रखती हो, तो उसे सममूल्य पर, यानी कि 10 रुपये प्रति शेयर पर 10 लाख आम शेयर देने होंगे। वहीं पहले से ही मौजूद कंपनी इतनी ही राशि 50 रुपये प्रति शेयर (अपने शेयर के बाजार भाव के करीब) दो लाख शेयर बाजार में लाकर कमाएगी। ऐसे में, यह कहा जाएगा कि इस कंपनी ने अपने शेयर 40 रुपये प्रीमियम (सममूल्य पर ग्राहक मूल्य की अधिकता) पर 50 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्राइस से कमाई। पहली वाली कंपनी के लिए यह ग्राहक मूल्य दस रुपये हुआ। भारत में ऐसी स्थिति को कंपनी के खाते में दस रुपये शेयर कैपिटल अकाउंट के तौर पर दर्शाया जाएगा और 40 रुपये शेयर प्रीमियम अकाउंट के तौर पर। इसका मतलब हुआ कि जितना ज्यादा प्रीमियम होगा, उतना ही कम कंपनी को शेयर लाने पड़ेंगे। इसी कारण, 1993 में मुक्त मूल्य निर्धारण-नीति के तहत, कई कंपनियां इतनी ऊंची कीमत पर बाजार में शेयर लेकर आई कि ज्यादातर मामलों में वे अपने बाजार भाव से कहीं ज्यादा थीं। ऐसे में, खरीदार कम आए। हालांकि, कंपनियां अपने शेयर के उच्च मूल्य-निर्धारण के नुकसान से काफी कुछ तेजी से सीख रही हैं, और अब यह कुछ समय पहले की बात है कि निर्गम मूल्य अधिक यथार्थवादी होते हैं।

वैसे, भारत में किसी भी कंपनी को छूट पर शेयर जारी करने की अनुमति नहीं है, यानी सममूल्य से नीचे के शेयर जारी नहीं होते। अगर भारत में किसी कंपनी ने अपने शेयर जारी किए हैं, तो वह इनके बेस कैपिटल, यानी पूंजी आधार आसानी से घटा नहीं सकती।

इसका मतलब हुआ कि सामान्य शेयर पूंजी कमोबेश पूंजी का स्थायी स्रोत है। आमतौर पर एक कंपनी को इसे निवेशकों को लौटाने के लिए कभी बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक शेयरधारक अगर अपने निवेश को वापस लेना चाहता है, यानी अपनी निवेश पूंजी को निकालना चाहता है, तो वह सेकेंडरी मार्केट में अपने शेयर को बेचकर ही ऐसा कर सकता है। साथ ही, भारत में एक कंपनी को वितरित लाभांश से कर-फायदा नहीं मिलता। दूसरे शब्दों में, कर देने के बाद बची कमाई के बिना पर कंपनी को लाभांश देना होता है और निवेशकों के हाथ में आने के बाद इस पर फिर से कर लगाया जाता है।

विदेशी वित्तीय निवेशक (FOREIGN FINANCIAL INVESTORS)

पोर्टफोलियो निवेश योजना (पीआईएस) के माध्यम से विदेशी वित्तीय निवेशकों (एफआईआई) को भारतीय स्टॉक बाजार में निवेश की अनुमति थी। अच्छे रिकॉर्ड वाले एफआईआई सेबी में ब्रोकर के रूप में अपना पंजीकरण कराते हैं। एफआईआई बाजार में इस आधार पर निवेश करते हैं कि यहां से उन्हें कितना संभावित मुनाफा मिलेगा। उनकी अवधारणा अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित द्वारा प्रभावित होती है:

(i) प्रचलित माइक्रो आर्थिक वातावरण;

(ii) अर्थव्यवस्था में वृद्धि की सम्भावना;

(iii) प्रतिस्पर्धी देशों में निगमों का कार्यनिष्पादन

वर्ष 2012 के दौरान ज्यादा एफआईआई निवेश से भारतीय बाजारों को वर्ष 2011 के निराशाजनक प्रदर्शन से तेजी से उबरकर वर्ष 2012 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बाजारों में से एक बनने में मदद मिली। दिसम्बर 2012 के अन्त में 1,759 एफआईआई सेबी में पंजीकृत थे और उनका कुल एफआईआई निवेश प्रवाह भारत में 31.01 अरब अमेरिकी डॉलर[10] था। यह प्रवाह मुख्यत: इक्विटी प्रवाह (कुल निवेश का 80 प्रतिशत) था, जो उत्साहजनक

10. As per the Ministry of Finance, ***Economic Survey 2012–13***, p. 121.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

रहा जो आमतौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था और खासतौर पर भारतीय बाजारों के अच्छे प्रदर्शन के प्रति एफआईआई के निवेश का दर्शाता है। यूरो क्षेत्र[11] में संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक और राजनीतिक घटनाक्रम का प्रभाव भारत सहित पूरे विश्व के बाजारों पर पड़ता है। यूएस में फिस्कल क्लीफ पर प्रस्ताव का भारत सहित पूरे विश्व के बाजारों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। इसके अलावा हाल ही में सरकार द्वारा आरम्भ किए गए सुधार उपायों का भी बाजार पर अच्छा असर पड़ा है।

विदेशी निवेश के लिए नए नियम

(New Rules of Foreign Investment)

अर्थव्यवस्था में विदेशी फंड प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए आरबीआई ने 24 जनवरी, 2013 को भारतीय प्रतिभूति बाजार में निवेश उपबन्धों को और उदार बनाया है:

(i) एफआईआई और दीर्घकालीक निवेश[12] सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) में निवेश की सीमा में 5 अरब अमेरिकी डॉलर की वृद्धि की गई है (25 अरब अमेरिकी डॉलर किया गया है)।

(ii) उपर्युक्त निकायों द्वारा कारपोरेट बॉण्डों में निवेश की सीमा में 5 अरब अमेरिकी डॉलर की वृद्धि कर (50 अरब अमेरिकी डॉलर) किया गया है।

(iii) आरबीआई ने दिनांकित जी-सेक में प्रथम बार निवेश कर रहे विदेशी निवेशकों के लिए परिपक्वता निर्बंधनों को (पूर्व में प्रथम बार निवेश कर रहे विदेशी निवेशक के लिए तीन वर्ष की अवशिष्ट परिपक्वता अनिवार्य थी) हटाकर कुछ निवेश नियमों में छूट प्रदान की है। लेकिन इस प्रकार के निवेश नियमों में छूट प्रदान की है जिनकी अनुमति अल्पावधि प्रपत्रों, जैसे–ट्रेजरी बिलों, इत्यादि; में नहीं होगी।

(iv) विदेशी निवेशकों को 'मनी मार्केट' प्रपत्र जमा प्रमाण-पत्र (सीडी) और वाणिज्यिक पेपर (सीपी) में निवेश निर्बंधित है।

(v) 50 अरब अमेरिकी डॉलर का कुल निगम ऋण की सीमा, आधारभूत संरचना के लिए और आधारभूत संरचना क्षेत्र से भिन्न बॉण्डों के लिए 25 अरब अमेरिकी डॉलर की उप-सीमा तय की गई है।

(vi) एफआईआई के लिए कम-से-कम एक वर्ष तक आधारभूत संरचना ऋण को बनाए रखने की आवश्यकता संबंधी नियम को समाप्त कर दिया गया है।

(vii) पात्र विदेशी निवेशक (क्यूएफआई) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूति (बिना किसी अनिवार्य जमा अवधि या अपशिष्ट परिवक्वता खण्ड) और म्युचुअल फंड ऋण स्कीम में इस शर्त के अधीन निवेश करने के पात्र रहेंगे कि इसकी

11. **'Fiscal cliff'** is a term used to describe the crisis that the US government faced at the end of 2012, when the terms of the Budget Control Act of 2011 were scheduled to go into effect – a combination of—i). expiring tax cuts and ii). across-the-board government spending cuts scheduled to become effective December 31, 2012. The idea behind the fiscal cliff was that if the federal government allowed *these two* events to proceed as planned, they would have a detrimental effect on an already shaky economy, perhaps sending it back into an official *recession* as it cut household incomes, increased unemployment rates and undermined consumer and investor confidence [As per the conservative estimates by some US experts, it would have meant a tax increase to the size of which the country had never seen in the last in 60 years].

    Who first use the term is not clear – some believe that it was first used by Goldman Sachs economist, *Alec Phillips*, while some others credit Federal Reserve Chairman *Ben Bernanke*, still others credit *Safir Ahmed*, a reporter for the *St. Louis Post-Dispatch*, who in 1989 used the term while writing a story detailing the state's education funding. ***Sources:*** The contemporary news reportings and articles which appeared during the time in *The Economist, The Guardian, The New York Times* and *The Newsweek.*

12. 'Long-term investors' include SEBI-registered 'sovereign wealth funds' (SWFs), multilateral agencies, endowment funds, insurance funds, pension funds and foreign central banks.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

कुल अधिकतम सीमा एक अरब डॉलर होगी (एक अरब अमेरिकी डॉलर की यह सीमा कॉरपोरेट ऋण में निवेश के लिए 50 अरब अमेरिकी डॉलर की संशोधित सीमा के अलावा होगी)।

(viii) आगे और छूट देने के उपाय के रूप में यह निर्णय लिया गया है कि इंफ्रास्ट्रेक्चर कॉपोरेट बॉण्ड में विदेशी निवेश के लिए 25 अरब अमेरिकी डॉलर की सीमा के अन्तर्गत 22 अरब डॉलर की सीमा के लिए एक वर्ष की अनिवार्य जमा अवधि की शर्त को समाप्त कर दिया जाए (जिसमें 12 अरब डॉलर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड की सीमा और आईडीआर में अनिवासी निवेश के लिए 10 अरब डॉलर की सीमा शामिल है)

(ix) इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में विदेशी निवेशकों के लिए 22 अरब डॉलर की समग्र सीमा के लिए आवश्यक अपशिष्ट परिवक्वता अवधि (प्रथम क्रय के समय) को एक समान रूप से 15 माह रखा गया है 3 अरब डॉलर सीमा के अन्तर्गत क्यूएफआई द्वारा निवेश के लिए पांच वर्ष की अवशिष्ट परिपक्वता अवधि की आवश्यकता को तीन वर्ष की मूल परिपक्वता अवधि के रूप में आशोधित किया गया है।

सेबी ने विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) को तीन मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया है और उन्हें सेबी द्वारा घोषित उपबन्धों के अनुसार पीएन जारी करने की अनुमति है:

श्रेणी 1: केन्द्रीय बैंक की ओर से भारतीय प्रतिभूति बाजार में निवेश करने वाले सरकारी निकाय संस्थाएं।

श्रेणी 2: वित्तीय संस्थाएं, म्यूचुअल फंड इत्यादि जो अपने मूल देश में समुचित रूप से विनियमित हैं।

श्रेणी 3: ऐसी वित्तीय संस्थाएं, जो उपर्युक्त दो में से किसी श्रेणी में नहीं आती हैं।

ऐंजल निवेशक (Angel Investor)

संघीय बजट 2013-14 में, भारतीय वित्तीय बाजार में एक नया पद आरम्भ किया गया, जिसमें यह घोषणा की गई कि शीघ्र ही सेबी उन उपबन्धों का निर्धारण करेगा जिसके द्वारा ऐंजल निवेशक की पहचान श्रेणी 1 एआईएफ[13] वेंचर पूंजी फंडों के रूप में की जाएगी।

ऐंजल निवेशक ऐसा निवेशक है जो उद्यमियों को अपना व्यवसाय आरम्भ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऐंजल निवेशक आमतौर पर किसी उद्यमी के परिवार और मित्रों के बीच पाए जाते हैं लेकिन वे बाहर से भी हो सकते हैं उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई पूंजी 'सीडमनी' के रूप में एकमुश्त सहायता हो सकती है या कम्पनी को कठिनाइयों से निकालने के लिए निरन्तर सहायता हो सकती है, जिसके बदले वे व्यवसाय में शेयर लेना पसन्द कर सकते हैं या वे इसे ऋण के रूप में भी प्रदान कर सकते हैं (ऋण को स्थिति में वे अन्य ऋणदाताओं की तुलना में ज्यादा आसान शर्तों पर ऋण प्रदान करते हैं क्योंकि आमतौर पर वे उस व्यक्ति में निवेश कर रहे होते हैं कि व्यवसाय की लाभप्रदता में सेबी के अनुसार (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियमन, 2012 (एआईएफ विनियमन), श्रेणी I एआईएफ है- अर्थव्यवस्था पर पॉजिटिव स्पील ओवर इफेक्ट के साथ वे एआईएफ जिनके लिए सेबी या भारत सरकार या भारत के किसी अन्य विनियामक द्वारा कुछ प्रोत्साहन या छूट प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है और जिसमें वेंचर पूंजी फंड एसएमई फंड, सामाजिक वेंचर फंड, इंफास्ट्रक्चर फंड और ऐसे अन्य विनिर्दिष्ट वैकल्पिक निवेश फंड शामिल होंगे। निवेश योग्य पूंजी के अलावा ये निदेशक तकनीकी परामर्श प्रदान करते है और वे अपने आकर्षक संविदा के जरिए स्टार्टअप' व्यवसाय आरम्भ करने में भी मदद करते हैं।

13. As per the *SEBI (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 (AIF Regulations)*, **Category I AIF** are: those AIFs with 'positive spillover effects' on the economy, for which certain incentives or concessions might be considered by SEBI or the Government of India or other regulators in India; and which shall include *Venture Capital Funds, SME Funds, Social Venture Funds, Infrastructure Funds* and such other *Alternative Investment Funds (AIFs)* as may be specified.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

उनका ध्यान व्यवसाय को सफल बनाने पर केंद्रित होता है न कि अपने निवेश से भारी मुनाफा अर्जित करने पर ऐंजल निवेशक अपने अभिप्राय में उद्यम पूंजीपति के ठीक विपरीत होता है (जिसका ध्यान मुख्य रूप से अत्यधिक मुनाफे पर होता है। लेकिन एक प्रकार से ऐंजल निवेशक और उद्यम निवशेक दोनों उद्यमी के लिए एक ही उद्देश्य की पूर्ति करते हैं (जिसे पूंजी की सख्त आवश्यकता होती है)

क्यूएफआई योजना (QFIs Scheme)

बजट 2011-12 में सरकार ने प्रथम बार पात्र विदेशी निवेशकों (क्यूएफआई) को जो 'अपने ग्राहक को जाने' (केवाईसी) मानकों को पूरा करते थे भारतीय म्युचुअल फंड में निवेश की अनुमति प्रदान की जनवरी 2012 में सरकार ने इस स्कीम का विस्तार किया और क्यूएफआई को भारतीय इक्विटी बाजार में प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति प्रदान की। इस स्कीम को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि बजट 2012-13 में घोषणा की गई थी, क्यूएफआई को कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों और एमएफ ऋण स्कीम में, एक अरब अमेरिकी डॉलर की कुल समग्र सीमा के साथ, निवेश की अनुमति प्रदान की गई।

मई 2012 में, क्यूएफआई को प्रतिभूतियों जिसमें वे निवेश करने के पात्र है, में कारोबार के लिए निधि प्राप्त करने और भुगतान करने भारत में प्राधिकृत डीलर बैंकों में बिना-ब्याज प्राप्त करने वाले व्यक्तिगत रुपया बैंक खाता खोलने की अनुमति प्रदान की गई थी। जून 2012 में क्यूएफआई की परिभाषा का विस्तार देकर खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) और यूरोपीय आयोग के सदस्य देशों के निवासियों को इसमें शामिल किया गया क्योंकि जीसीसी और ईसी वित्तीय कार्य दल (Finaneical Action Task force- FATF) के सदस्य हैं।

भारत में ज्यादा विदेशी निवेश (एफआई) को प्रोत्साहन प्रदान करने के क्षेत्र में तेजी से की जा रही कार्रवाई को दो मुख्य संदर्भो के आलोक में देखा जाना चाहिए:

(i) भारत का बढ़ता चालू खाता घाटा, जो विदेशी मुद्रा भंडार पर अत्यधिक दबाव डाल रहा है (यह मार्च 2013 में अब तक के सर्वाधिक उच्च स्तर 6-7 प्रतिशत को पार कर गया है), और;

(ii) जब पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं मंदी के दौर से गुजर रही हैं तब विदेशी निवेशकों को ज्यादा आकर्षित करने के उद्देश्य से (अवसर का लाभ उठाने के लिए)।

आरएफपीआई (RFPIs)

मार्च 2014 में आरबीआई ने आसान निर्बंधन प्रक्रिया तथा परिचालन पद्धतियाँ अपनाकर विदेशी पोर्टफोलियो निवेश नियमों को सरलीकृत किया है, जिससे कि अंत:प्रवाह (Inflow) को आकर्षित किया जा सके। अब से आगे के लिए जो पोर्टफोलियो निवेशक सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार रजिस्टर्ड होगा, उसे रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टर (आरएफपीआई) कहा जाएगा- अभी वर्तमान में जो पोर्टफोलियो निवेशक वर्ग है, जैसे:

विदेशी सांस्थानिक निवेशक (Foreign Institutional Investor-FII) तथा योग्यता प्राप्त विदेशी निवेशक (Qualified Foreign Investor) अब इसके अंतर्गत समाहित माने जाएंगे। अब आरएफपीआई के लिए नये दिशा-निर्देश निम्नवत् हैं:

(i) वे भारतीय कम्पनियों के शेयर और परिवर्तनीय डिबेंचर खरीद सकते हैं। किसी निबंधित ब्रोकर माध्यम से। साथ ही वे शेयर और परिवर्तनीय डिबेंचर बेच भी सकते हैं जो आम जनता के लिए सेबी की शर्तो पर दिए जा रहे हों।

(ii) ऐसे निवेशक केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी विनिवेश (Disinvestment ofter) की प्रतिक्रिया में शेयर या परिवर्तनीय डिबेंचर खरीद सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं।

(iii) ये संस्थाएं सरकारी सिक्योरिटीज एवं कॉरपोरेट डेबट में निवेश करने के लिए आई होंगी, शर्त यह होगी कि इसकी सीमा आरबीआई और सेवी द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(iv) ऐसे निवेशक को स्टॉक एक्सचेंज पर सूची व्युत्पादित संविदाओं (Derivative Contracts) पर लेन-देन करने की अनमुति होगी, लेकिन इसकी सीमा समय-समय पर द्वारा सेबी निर्धारित की जाएगी।

(v) आरएफपीआई (RFPI) नकद अथवा 'एएए' रेटिंग वाले विदेशी संप्रभु सिक्योरिटीज अथवा कॉरपोरेट बॉण्ड्स अथवा घरेलू सरकारी सिक्योरिटीज को सहवर्ती (Collateral) के रूप में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को उनके नकदी लेन-देन तथा बाजार के व्युत्पादित खंड के रूप में ऑफर कर सकता है।

सभी–निवेश, जो कि एफआईआई/क्यू एफआई द्वारा नियमानुसार किए जाते हैं, वैध माने जाएँगे और कुल योग सीमा (Aggregate Limit) के कम्युटेशन के लिए इनकी विचार किया जाएगा।

पार्टीसिपेटरी नोट्स (पीएनएस) [Participatory Notes (PNs)]

भारतीय संदर्भ में पार्टिसिपेटरी नोट्स (पीएननोट) मुख्यत: एक डेरिपेटिव है, जो सेबी में पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा भारतीय प्रतिभूतियों; भारतीय प्रतिभूति इक्विटी, ऋण, डेरिवेटिव या सूचकांक भी हो सकता है; के आधार पर विदेशी क्षेत्राधिकार में जारी किया जाता है पीएन को विदेशी डेरिपेटिव साधन, इक्विटी संबद्ध नोट, केप्पड् रिटर्न नोट और पार्टिसिपेटिंग रिटर्न नोट इत्यादि के रूप में भी जाना जाता है।

पीएन में निवेश करने वाला निवेशक भारतीय प्रतिभूति का स्वामी नहीं होता है, इसका धारक वह विदेशी निवेशक होता है जो पीएन जारी करता है। इस प्रकार पीएन में निवेश करने वाले निवेशक प्रतिभूति में निवेश करने का आर्थिक लाभ इसका धारक हुए बिना ही प्राप्त करते हैं। वे अन्तर्निहित प्रतिभूति की कीमतों में उतार-चढ़ाव से लाभान्वित होते है, चूंकि पीएन का मूल्य अन्तर्निहित भारतीय प्रतिभूति से संबद्ध होता है। पीएन धारक को पीएन में संदर्भित प्रतिभूति/शेयरों के संबंध में किसी प्रकार के मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

पीएन की लोकप्रियता का कारण (Reason for The Populrity of PNs)

विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय प्रतिभूति बाजार में निवेश का इतना लोकप्रिय साधन होने के कारणों को निम्नलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है:

(i) पीएन (एक 'विदेशी डेरिवेटिव साधन' अर्थात् ओडीआइ) के उभरने के प्राथमिक कारणों में से एक है–विदेशी निवेशकों पर निर्बंधन। उदाहरण के लिए एक विदेशी निवेशक, जो भारत में पोर्टफोलिया निवेश करना चाहता है; को एफआईआई पंजीकरण कराने की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए उसे कुछ पात्रता मान दण्डों को पूरा करने की आवश्यकता पड़ती है। पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता के अभाव ने विदेशी निवेशकों की संभावनाओं की राह में प्रवेश संबंधी बाधाओं को बढ़ाया है। भारतीय सरकार ने ऐसे भावी 'विदेशी वैयक्तिक निवेशकों को जिन पर अब तक भारतीय कम्पनियों को इक्विटी में निवेश करने पर अबतक प्रतिबंध था सीधी पहुंच प्रदान करने का निर्णय लिया है।

(ii) विदेशी डेरिवेटिव बाजार निवेशकों को स्थानीय शेयरों में निवेश का अवसर, प्रत्यक्ष निवेश में लगने वाले समय और लागत के बिना प्रदान करता है। इसके बदले विदेशी निवेशक पीएन जारीकर्ता को कारोबार किए गए पीएन के मूल्य के कुछ दशमलव प्रतिशत के बराबर लागत के रूप में प्रदान करता है उदाहरण के लिए एफआईआई के रूप में भारतीय प्रतिभूति बाजार में प्रत्यक्ष निवेश करने में निवेशक को काफी लागत और समय लगता है। एफआईआई पंजीकरण कराने के अलावा उसे घरेलू ब्रोकर संबंधी एक अभिरक्षक बैंक संबंध स्थापित करने

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

पड़ती है। विदेशी मुद्रा में व्यापार करना और विदेशी मुद्रा की दर में उतार-चढ़ाव के जोखिम को वहन करना, घरेलू की अदा करना और या करे रिटर्न दाखिल करना, निवेश पहचान प्राप्त करना या बनाए रखना पड़ता है। ये निवेशक इसकी बजाए संबंधित बाजार से लागत-प्रभावी रूप में लाभ प्राप्त करने के लिए डेरिवेटिव विकल्प की मदद लेना चाहेंगे।

(iii) कारोबार लागत में कमी करने के अलावा पीएन जोखिम, वित्त पोषण की निम्न लागत और पोर्टफोलियो लाभ में वृद्धि के प्रबन्धन के लिए विशेष साधन भी उपलब्ध कराता है। उदाहरण के लिए, पीएन को एक्सचेंज में खरीद-फरोख्त के लिए आमतौर पर उपलब्ध अवधि से लम्बी परिपक्वता अवधि के लिए भी डिजाइन किया जा सकता है।

(iv) पीएन एफ.आई.आई के रूप में पहले से पंजीकृत किसी विदेशी निवेशक को एक महत्वपूर्ण हेजिंग साधन भी उपलब्ध कराता है। उदाहरण के लिए एफआईआई किसी खास भारतीय प्रतिभूति में लम्बे समय तक बने रहना की इच्छा रख सकता है ऐसी स्थिति में एफआईआई पहले से खरीदी गईं सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में गिरावट को 'नकदी रूप में चुकाए जाने वाले पुट ऑप्शन' का क्रय कर सकता है यद्यपि भारतीय एक्सचेंजज ऑप्शन संविदा की पेशकश करते हैं। इन संविदाओं की अधिकतम जीवन अवधि तीन माह की होती है, जिसके बाद एफआईआई को अपने पोजिशन को रोल ओवर करना पड़ेगा अर्थात् एक नया ऑप्शन संविदा का क्रय करना पडेगा। वैकल्पिक रूप से वह पीएन का लाभ उठा सकता है, जिसका उसकी हेजिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग किया जा सकता हैं।

(v) संभावित निवेशक जो भविष्य में सीधे भारतीय बाजारों में निवेश करना चाहेंगे, पीएन रास्ते के माध्यम से आरम्भिक निवेश कर सकते हैं ताकि भविष्य के प्रत्याशित लाभ का स्वाद चखा जा सके।

(v) इसके अलावा ओडीआई/पीएन में कारोबार विदेशी निकायों को आढ़त आधारित व्यापार मॉडल का अवसर भी प्रदान करता है। यह रास्ता अभिदाताओं को सुविधा प्रदान करता है क्योंकि यह सीधे रास्ते के अलग हटकर है जो उनके लिए संसाधन पर बोझ डालने वाला भी हो सकता है।

(vii) और अन्त में यह 'गैर-लेखा जोखा' यहाँ तक कि गैर-कानूनी धन को भी भारी मुनाफे (अत्यधिक उछाल की अवधि में) के लिए भारतीय प्रतिभूति बाजार में निवेश करने का अत्यन्त सुरक्षित और लाभप्रद' तरीका है। विशेषज्ञों ने यह भी अनुमान लगाया कि यह भारत के 'काले धन' ('हवाला' की तरह गैर-कानूनी चैनलों के माध्यम से भारत के बाहर 'स्विस बैंक' जैसे वित्तीय संस्थानों में विश्व के टैक्स हैवन में जमा) बाजार में पुन: 'आतंकवादी संगठन' भी इस साधन का उपयोग कर रहे हों।

इस प्रकार पीएन ऐसे विदेशी निवेशकों को, जो भारत में निवेश करने में लगने वाले समग्र लागत और समय को बचाना चाहते है सुविधा प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, पीएन में निवेश करने का आकर्षण द (इंफ्रास्ट्रक्चर और समय की दृष्टि से) है, जिसके लिए वे स्थानीय प्रतिभूति के प्रत्यक्ष धारक होने के कुछ लाभों (जैसे- स्वामित्व और मतदान अधिकार) को अन्य जोखिमों को उठाते हुए भी छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं।

पीएन का विनियमन (Regulation of PNs)

पीएन ऐसा बाजार उपकरण है, जिनका विदेशों में सृजन और व्यापार होता है अत: भारतीय विनियाम पीएन को जारी करने से नहीं रोक सकते है तथापि उन्हें विनियमित किया जा सकता है जैसा कि सेबी करता है- जब किसी पीएन का कारोबार किसी विदेशी एक्सचेंज में होता है तब

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

उस क्षेत्राधिकार का विनियामक उस व्यापार को विनिमित करने के लिए प्राधिकृत होता हैं। एफआईआई तब से पीएन का उपयोग करते रहे हैं जब से उन्हें प्रतिभूति बाजार में (1994) निवेश की अनुमति दी गई थी। 2003 तक उनसे विनियमनों के अन्तर्गत विशेष रूप से नही निपटा जाता था। सेबी विनियमन 2004 के अनुसार (जिसे 2008 में संशोधित किया गया था) इस संबंध में विनियमनों को कठोर बनाने के उद्देश्य के साथ:

(i) पीएन केवल उन निकायों को जारी किया जा सकता है जो अपने निगमन के देशों में संगत विनियामक प्राधिकारी द्वारा विनियमित किए जाता है और केवाईसी मानकों अनुपालन के अध्याधीन होते है।

(ii) इस उपकरण का निम्नोत्तर जारी या स्थानान्तरण केवल विनियमित निकायों को ही किया जा सकता है।

(iii) इसके अलावा एफआईआई, जो भारतीय प्रतिभूति के आधार पर पीएन जारी करते है, को निर्धारित प्रपत्र में सेबी को जारी किए गए और बकाया पीएन के बारे में सूचित करना पड़ता है।

(iv) इसके अलावा सेबी एफआईआई से इसके द्वारा जारी किए गए विदेशी डेरिवेटिव उपकरण ओडीआई से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी मांग सकता है।

(v) इन उपकरणों के माध्यम से निवेश को निगरानी के लिए सेबी ने 31 अक्टूबर, 2001 को एफआईआई को उनके द्वारा जारी किए गए डेरिवेटिव उपकरण के संबंध में मासिक आधार पर जानकारी प्रस्तुत करने की सलाह दी। इन प्रतिवेदनों में नाम और पीएन अभिदाता के गठन, उनकी अवस्थिति भारतीय अन्तर्निहित प्रतिभूति इत्यादि की प्रकृति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करना पड़ता है।

(vi) एफआईआई अनिवासी भारतीय (एनआरआई) को पीएन जारी नहीं कर सकता है और पीएन जारी करने वालों को इस आशय का वचन देना पड़ता है।

(vii) सेबी ने यह भी अधिदेश दिया है कि क्यूएफआई, (पात्र, विदेशी निवेशक) जिन्हें हाल ही में विदेशी निवेशक की श्रेणी प्रदान की गई है, पीएन जारी नहीं करेंगे।

सेबी ने सरकार के परामर्श करने के पश्चात अक्टूबर 2007 में एफआईआई और उनके उप-खाते द्वारा पीएन जारी करने पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। यह निर्णय देश में विदेशी पूंजी प्रवाह में तेजी को कम करने और पीएन धारकों के लिए 'अपने-ग्राहक को जाने' संबंधी चिन्ताओं के समाधान के लिए लिया गया था। तथापि यह पाया गया कि इस प्रकार के प्रतिबंध प्रभावकारी नहीं थे। इसलिए सेबी ने अक्टूबर 2008 में अपने पूर्व के निर्णय की समीक्षा की और उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में इन प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय लिया। वस्तुतः प्रभावकारी प्रकटन पर ज्यादा ध्यान दिया गया। अक्टूबर 2013 के सेबी निर्णय के अनुसार श्रेणी-III के एफआईआई को पीएन जारी करने की अनुमति नहीं है।

पीएन संबंधी चिन्ताएं
(The Concerns Related to PNs)

डेरिवेटिव उपकरण और स्वतंत्र रूप से खरीद-फरोख्त किए जाने योग्य होने के कारण पीएन को आसानी से हस्तातंरित किया जा सकता है, जिससे अनेक परतों का निर्माण हो सकता है और इस प्रकार वास्तविक लाभार्थी स्वामी का पता नहीं चलता है। इसी संबंध में अन्तिम लाभार्थी स्वामी की पहचान और निधियों के स्रोत संबंधी चिंताएं प्रकट होती हैं चूंकि ऐसे उपकरण भारत से बाहर जारी किए जाते हैं और ये सौदे भारत से बाहर किए जाते हैं। इसलिए ये सेबी की निगरानी के अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं और एफआईआई ही विदेशों में लघु-एक्सचेंज के रूप में कार्य करता है। अन्तर्निहित प्रतिभूतियों में वास्तविक सौदे एफआईआई द्वारा अपने विवेक के अनुसार, जब और जहाँ आवश्यक हों, किए जाते हैं और अन्तर्निहित उपकरणों और पीएन जारी करने संबंधी सौदों के बीच एक-से-एक का कोई संबंध नहीं होता है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

मासिक आधार पर पीएन के संबंध में एफआईआई पर कार्येत्तर रिपोर्ट प्रस्तुत करने सबंधी लागू किया गया आदेश वास्तव में पीएन सौदों को वास्तविक बाजार निगरानी तंत्र और सेबी के क्षेत्राधिकार से प्रभावकारी रूप से बाहर रखता है।

एक चिन्ता यह भी है कि पीएन के माध्यम से बाजार में आने वाला कुछ धन एफआईआई निवेश के रूप में बिना लेखा-जोखा वाला धन भी हो सकता है। यद्यपि ऐसा अब तक सिद्ध नहीं हुआ है। सेबी वास्तव में उन एफआईआई के खिलाफ कार्रवाई करने में सफल रहा है, जो नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे थे और जिन्होने विदेशी डेरिवेटिव की गलत जानकारी दी थी (ऐसा जब हुआ जब सेबी ने दो एफआईआई बार्कले और जनरल के विरुद्ध क्रमश: दिसम्बर 2009 और जनवरी 2010 में कार्रवाई की थी)।

वर्तमान में पीएन वित्तीय क्षेत्र के बड़े समूहों द्वारा जारी किया जाता है, जिनका वैश्विक निवेश बैंकिंग क्षेत्र में न केवल मजबूत उपस्थिति होती है बल्कि उनका परिसम्पत्ति प्रबन्धन शाखा भी होती है जो वैश्विक रूप से अनेक प्रतिभूति बाजारों में निवेश करता है ये निकाय मूल रूप से यू.के., यू.एस. इत्यादि जैसे सुविनियमित और विकसित क्षेत्राधिकारों में निगमित होते हैं। इसके अलावा इन निकायों के पास पीएन जारी करने की वित्तीय क्षमता होता है और इनके पास दक्ष कार्मिक होते हैं जो जोखिम प्रबन्धन और वित्तीय इंजीनियरी जैसे कार्यकलापों में दक्ष होते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति (International Situation)

पीएन जैसे उत्पादों को से प्रतिबन्धित बाजारों में निवेश के लिए आवश्यक रूप से उपयोग नहीं किया जाता है बल्कि ये जापान, हांगकांग, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया यूएस और यूके जैसी खुली, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में भी उपलब्ध होती है। बाजार में हेराफेरी सबंधी चिन्ताओं के प्रत्युत्तर में दिसम्बर 1999 में ताइवान प्रतिभूति और बदला (फॉरवर्ड) आयोग ने दिसम्बर 1999 में एफआईआई विनियमनों में संशोधन किया और एफआईआई के लिए स्थानीय शेयरों से संबंधित सभी विदेशी डेरिवेटिव कार्यकलापों का आवधिक प्रकटन आवश्यक बना दिया लेकिन इस आवश्यकता को जून 2000 में हटा लिया गया (जैसा कि अशोक लहरी समिति का कहना है उत्पादों संबंधी न्यूनतम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है, 'प्रतिवेदन आवश्यकता' जो उनके द्वारा उपयोग किए गए कोटा पर बल देती है। हांगकांग, जापान और सिंगापुर जैसे अन्य देशों में पीएन संबंधी कोई प्रतिबन्ध या अपेक्षा नहीं है। मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलिपीन्स जो प्रतिबन्धित बाजार है, वहाँ इस संबध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने संबंधी कोई अपेक्षा नहीं है।

हेज फंड (Hedge Fond)

यह पद एन अन्य पद 'हेजिंग' के लिया गया है, जिसका तात्पर्य प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यवसाय अपने आपको मूल्य परिवर्तन[14] की जोखिम से बचाना चाहते है। हेज फंड वास्तव में निवेश योग्य पूंजी है (स्वतंत्र रूप से प्रवाहित पूंजी) जो किसी अर्थव्यवस्था के ज्यादा लाभकारी क्षेत्र की ओर काफी तेजी से आगे बढ़ती है।

वर्तमान में ऐसे फंड एक अर्थव्यवस्था के स्टॉक बाजार से दूसरी अर्थव्यवस्था के स्टॉक बाजार कम लाभकारी से ज्यादा लाभ प्रदान करने वाली की और संचालित होती है। चूंकि स्टॉक बाजार में उतार-चढ़ाव बना रहता है ऐसे फंड तद्नुसार परिवर्तित होते रहते हैं, जिस अवधि के लिए उनका प्रवाह किसी अर्थव्यवस्था में बना रहता है वह स्वभाविक रूप से उसकी अत्यधिक उछाल की अवधि होती है। लेकिन जब वे किसी ज्यादा आकर्षक अर्थव्यवस्था में निवेश के लिए वहाँ से बाहर निकलते हैं तब वह अर्थव्यवस्था विदेशी मुद्रा के बाहर जाने की तेजी को सभांल नहीं सकती है और वहाँ विदेशी मुद्रा संबंधी संकट पैदा होने की आंशका होती है। यह गत दो वर्षो में भारत में सामाचारों में बना हुआ है जहाँ स्टॉक बाजार में अत्यधिक तेजी है जिसका कारण पार्टिसिपेटरी नोट (पीएन) के माध्यम से एफआईआई प्रवाह है।

14. P.A. Samuelson and W.D. Norhdaus, ***Economics*** (New Delhi: Tata McGraw Hill, 2007), p. 207.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

शॉर्ट सेलिंग (Short Selling)

उस शेयर की बिक्री करना जिसकी विक्रेता के पास उपस्थिति/स्वामित्व नहीं हो, 'शॉर्ट सेलिंग' कहलाता है। विक्रेता ऐसा उस शेयर को किसी से उधार लेकर करता है तथा उधार लिए गए शेयर को भविष्य की किसी तिथि को वापस करने का वादा करता है (इस आशा में की उस भविष्य की तिथि को वह उस शेयर को सस्ता खरीदकर अपना वादा पूरा करेगा तथा लाभ की भी प्राप्ति करेगा)। इस प्रक्रिया में जिसके द्वारा शेयरों की खरीद की जाती है वह यह सोचकर शेयर खरीदता है कि भविष्य में उसे वह शेयर महँगा मिल सकता है। भारत में 'सेबी' द्वारा 'शॉर्ट सेलिंग' की अनुमति दे दी गयी है।

मंदड़िया एवं तेजड़िया (Bear and Bull)

वह व्यक्ति जो आने वाले समय में मूल्य में गिरावट की सोच (speculation) के कारण अपने शेयर बेचकर लाभ अर्जित करे उसे 'मंदड़िया' (Bear) कहते हैं। वास्तव में वह शेयर की 'शॉर्ट सेलिंग' करता है और वह व्यक्ति आम तौर पर 'ब्रोकर' होता है।

तेजड़िया (Bull) वास्तव में वह व्यक्ति/दलाल है जो आने वाले समय में शेयर मूल्यों में होने वाली वृद्धि की सोच के साथ या तो उन शेयरों की बिक्री तत्काल रोक देता है या फिर उन्हें वर्तमान में सस्ते मूल्यों पर खरीदना प्रारंभ कर देता है। दोनों ही स्थिति में वह लाभ कमाता है।

इस प्रकार मंदड़ियों के सक्रिय होने से बाजार में शेयरों की मात्रा बढ़ती है तथा शेयर सूचकांक नीचे गिरता है। ठीक इसके विपरीत जब शेयर बाजार में तेजड़ियों द्वारा अपनी सक्रियता बढ़ायी जाती है तो शेयर सूचकांक ऊपर चढ़ता है, क्योंकि उनकी सक्रियता बाजार में शेयरों की कमी पैदा करता है।

ब्रोकर, यानी शेयर दलाल कुछ स्टॉक के लिए मंदड़ियों का किरदार निभाते हैं, तो कुछ के लिए तेजड़ियों का। जहां मदड़िए की कोई पहचान नहीं बनी रहती, वहीं एक तेजड़िया लंबे समय तक याद किया जाता है। हर्षद मेहता को ग्रेट बुल के तौर पर जाना जाता है।

बुक बिल्डिंग (Book Building)

यह सेबी द्वारा अनुमत एक प्रावधान है जिसके तहत सभी आरम्भिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) जिसमें सभी वैयक्तिक निवेशकों के लिए आरक्षण होता है और उनको कम्पनी द्वारा शेयर आवंटित किया जाता है लेकिन जारीकर्ता को मूल्य (जिस पर शेयर आवंटित किए गए हैं, डब्ल्यू का आकार और आम जनता को दिए जाने वाले शेयरों की संख्या) की घोषणा करना पड़ती है।

आई.पी.ओ. (IPO)

जब किसी कंपनी द्वारा अपने शेयरों की बिक्री आम जनता के लिए **पहली बार** की जाती है तो इसे प्रारंभिक आम निर्गम (Initial Public Offer) कहते हैं।

प्राइस बैंड (Price Band)

यह वह प्रक्रिया है, जिसमें कम्पनी एक मूल्य सार्वजनिक शेयर जारी करते समय कीमतों की एक रेंज (जिसे प्राइस बैंड कहा जाता है) प्रदान करती है और यह शेयर आवेदकों को पर छोड दिया जाता है कि वे अपने आवेदनों में अपनी कीमत उद्धृत करें- सबसे ऊँची बोली लगाने वाला शेयर प्राप्त करता है। यह प्रीमियम पर शेयर जारी करने का एक प्रकार है लेकिन इसे ज्यादा सुरक्षित विकल्प माना जाता है।

ई.सी.बी. नीति (ECB Policy)

एक संभावी ऋण लेने वाला बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) को दो मार्गों नामत: 'ऑटोमैटिक मार्ग' और स्वीकृति मार्ग' से प्राप्त कर सकता है। ऑटोमैटिक मार्ग के अंतर्गत न आने वाली ईसीबी को स्वीकृति मार्ग के अंतर्गत आरबीआई द्वारा मामना-दर-मामला आधार पर विचार किया जाता है। ईसीबी संबंधी उच्चस्तरीय समिति ने ईसीबी के विस्तार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सितम्बर 2011 में अनेक निर्णय लिए, जिनमें सम्मिलित हैं:

(i) उच्च नेटवर्थ व्यक्ति (एचएनआई), जो सेबी द्वारा निर्धारित मापदण्ड को पूरा करते है, वे एफडीआई में निवेश कर सकते हैं।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(ii) आईएफसी को दीर्घावधि इंफ्रा श्रेणी कॉर्पोरेट बॉण्डों में एफआईआई निवेश हेतु प्रात्र जारीकर्ताओं के रूप में सम्मिलित किया गया है।

(iii) ईएफसी को अवसंरचना परियोजनाओं के रुपया ऋणों के पुनर्वित्त हेतु स्वीकृति होगी बशर्ते कि ऐसे ईसीबी के न्यूनतम 25 प्रतिशत को उक्त रुपए के पुनर्भुगतान में प्रयोग किया जाए और शेष 75 प्रतिशत को अवसंरचना क्षेत्र की नई परियोजनाओं में निवेश किया जाए (परन्तु केवल स्वीकृति मार्ग के अंतर्गत)।

(iv) अवसंरचना क्षेत्र में कंपनियों द्वारा पूंजी उत्पादों की खरीद हेतु ईसीबी के माध्यम से खरीदार/आपूर्तिकर्ता क्रेडिट के पुनर्वित्त को स्वीवकृति। इसे केवल स्वीकति मार्ग के अंतर्गत मंजूर किया जाएगा यह इस शर्त के अनुसार होगा कि आईडीसी को पूंजी परिणत किया जाए और यह परियोजना लागत का भाग हो।

(v) निर्माण के दौरान ब्याज के लिए ईसीबी (आईडीसी) जोकि बुनियादी ढांचा क्षेत्र की कम्पनियों के लिए परियोजना निष्पादन चरण के दौरान ऋण पर जमा हो जाएगी। यह शर्त के अधीन होगा कि आईडीसी कैपिटल है और परियोजना लागत का हिस्सा है।

(vi) रेनमिनबी (आरएमबी) –चीनी मुद्रा– को ईसीबी जुटाने के लिए 'स्वीकार्य मुद्रा' के रूप में स्वीकृत किया गया बशर्ते कि यह ईसीबी की विद्यमान उच्चतम सीमा 1 बिलियन यूएस डॉलर के भीतर में ही हो (केवल स्वीकृति मार्ग से स्वीकृत)।

(vii) स्वचालित मार्ग के अंतर्गत विद्यमान ईसीबी सीमाओं को पात्र कॉर्पोरेटों के लिए 500 मिलियन डॉलर से बढ़ाकर 750 मिलियन डॉलर किया गया। सेवा क्षेत्रों में उधारकर्ताओं हेतु सीमा को बढ़ाकर 100 मिलियन यूएस डॉलर से बढ़ाकर 200 मिलियन यूएस डॉलृर किया गया और सूक्ष्म वित्त में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों के लिए इसे विद्यमान 5 मिलियन यूएस डॉलर से बढ़ाकर 10 मिलियन यूएस डॉलर किया गया।

विगत दो वर्षों, 2014-15 एवं 2015-16 में सरकार द्वारा ई.सी.बी. से संबंधित प्रावधानों को और सरल एवं सटीक बनाया गया है। इस दिशा में उठाये गए कुछ प्रमुख कदम निम्न प्रकार हैं (**आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 एवं 2014-15**):

(i) विद्युत क्षेत्र में भारतीय कंपनियों हेतु ईसीबी के माध्यम से रुपया ऋण की पुनवित्त हेतु सीमा को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया गया।

(ii) सड़क और राजमार्गों हेतु पथकर प्रणालियों के अनुरक्षण और प्रचालन पर पूंजी व्यय हेतु ईसीबी स्वीकृत करना, जब तक कि ये मूल परियोजना का भाग हो, बशर्ते कि यह कुछ शर्तो का अनुपालन करे, और कम लागत आवास परियोजनाओं हेतु भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

(iii) ईसीबी पर ब्याज भुगतानों पर तीन वर्ष (जुलाई 2012-जून 2015) की अवधि हेतु बनाए गए कर को घटाकर 20 प्रतिशत से 5 प्रतिशत करना।

(iv) विनिर्माण और आधारभूत संरचना क्षेत्र में कंपनियों के लिए 10 अरब डॉलर की एक नई ईसीबी योजना की पहल हो रही है।

(v) लघु उद्योग विकास बैंक (सिडनी) को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए ऋण हेतु ईसीबी अधिगम के लिए पात्र उधारकर्ता के रूप में मंजूरी।

(vi) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) आवास वित्त कंपनियों को कम लागत। वहनीय आवासीय यूनिटों के संभावी स्वामियों के वित्त पोषण हेतु ईसीबी का लाभ लेने की स्वीकृति।

(vii) **दिसंबर 2015** में RBI द्वारा एक नये ई.सी.बी. फ्रेमवर्क की घोषणा की गयी, जो समसामयिक आर्थिक एवं व्यवसाय वातावरण के अनुकूल उठाया गया कदम है। इसके अंतर्गत ई.सी.बी.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

को तीन स्पष्ट श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

(a) मध्यम अवधि के विदेशी मुद्रा ई.सी.बी.,

(b) दीर्घवधिक विदेशी मुद्रा ई.सी.बी., एवं;

(c) भारतीय मुद्रा रुपए धारित ई.सी.बी.।

इन ई.सी.बी. में निवेशकों की स्पष्ट सूची है-विनियमित वित्तीय संस्थान, प्रभु धन कोष, पेंशन निधि, बीमा कंपनी इत्यादि। इसी प्रकार इन ई.सी.बी. को जारी करने वाले घटकों को भी काफी स्पष्ट कर दिया गया है, जिनमें ऋणात्मक सूची काफी छोटी रह गयी है (जो सिर्फ दीर्घावधिक विदेशी मुद्रा ई.सी.बी. एवं भारतीय मुद्रा में जारी ई.सी.बी. पर लागू है)।

(viii) **दिसंबर 2015** में भारत सरकार द्वारा भारत के बाहर भारतीय मुद्रा (रुपए) में जारी किए जाने वाले विदेशी बॉण्ड की अनुमति दे दी गयी। इन बॉण्डों का नाम 'मसाला बॉण्ड' प्रचलित हुआ है।

इन बॉण्डों की परिपक्वता अवधि न्यूनतम 5 वर्षों की होगी तथा इन्हे रीयल एस्टेट एवं पूंजी बाजार में निवेश करने के लिए जारी नहीं किया जा सकेगा। इन पर होने वाले ब्याज की आय पर 5 प्रतिशत विथहोल्डिंग कर आरोपित होगा, लेकिन इन पर कैपिटल गेन्स कर की छूट होगी।

राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना (RGESS)

23 नवम्बर, 2012 को सरकार ने राजीव गाँधी इक्विटी बचत योजना (आर.जी.ई.एस.एस) नामक एक नई कर बचत योजना विशिष्टत: पहली बार प्रतिभूति बाजार में प्रवेश करने वाले निवेशकों के लिए प्रारंभ की गई। यह उन नए निवेशकों को अधिकतम रु. 50,000 तक निवेशों के लिए, कर लाभ देगी जिनकी वार्षिक आय रु. 10 लाख तक है, निवेशक को उस वर्ष के लिए कर योग्य आय में से निवेशित राशि की 50 प्रतिशत छूट मिलेगी। योजना की मुख्य विशेषतायें निम्न हैं:

(i) यह योजना स्थायी खाता संख्या के आधार पर अभिज्ञात नये खुदरा निवशकों के लिए है।

(ii) अनुमत कर छूट आयकर अधिनियम की धारा 80ग के तहत स्वीकृति/अनुमत रु. 1 लाख की सीमा के अतिरिक्त होगी।

(iii) निवेशों के लिए 50 प्रतिशत कर छूट के अलावा, लाभांश आय भी कर मुक्त है।

(iv) बीएसई 100 या सीएनएक्स 100 के तहत सूचीबद्ध स्टॉक के सरकारी-क्षेत्रक उपक्रमों (पीएसयू), जो नवरत्न, महारत्न और मिनिरत्न कम्पनियां है, के स्टॉक योजना के तहत पात्र होंगे। इन कंपनियों की अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकशें (एफपीओ) भी पात्र होंगी।

(v) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, जो संबंधित वित्त वर्ष में सूचीबद्ध करने के लिए अनुसूचित किए गए है और जिनका वार्षिक कारोबार तात्कालिक पूर्व तीन वर्षों में प्रत्येक के लिए रु. 4000 करोड़ से कम नहीं है, भी पात्र होंगे।

(vi) एक्सचेंज-व्यापारित निधियां (ईटीएफ) और म्युचुअल फंड, जिनकी अंतर्निहित आरजीईएमए-पात्र प्रतिभूतियां हैं तथा जो सूचीबद्ध हैं तथा जिनका स्टॉक एक्सचेंजों में व्यापार होता है तथा जिनका निपटान निक्षेपागार प्रक्रम के माध्यम से किया जाता है, को भी विविधीकरण का लाभ तथा परिणामस्वरूप जोखिम न्यूनीकरण का लाभ प्रदान करने के लिए आरजीईएमएम के तहत लाया गया है।

(vii) लघु निवेशकों को लाभ के लिए, उस वर्ष में जिसमें कर दावे किए गए हो, निवेश किश्तों में अनुमत है।

(viii) निवेशों के लिए कुल अवरुद्धता अवधि तीन वर्ष होगी, जिसमें एक वर्ष की प्रारंभिक सर्वव्यापी अवरुद्धता अवधि शामिल है।

योजना के व्यापक प्रावधान और इसके अंतर्गत कर लाभ आय कर अधिनिमय, 1961 की एक नई धारा, 80 गगछ के रूप में वित्त अधिनियम 2012 के द्वारा संशोधित, के अनुसार पहले ही समाविष्ट कर दिए हैं। सेबी द्वारा 6 दिसम्बर, 2012 को परिचालन दिशा-निर्देश जारी किए गए।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (सीडीएस) [Credit Default Swap (CDS)]

भारत में सीडीएस अक्टूबर 2011 से प्रचालन में है, जिसे केवल कॉर्पोरेट बॉण्ड में प्रारंभ किया गया था। पात्र भागीदारों में वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक डीलर, एनबीएफसी, बीमा कंपनियां और म्युचुअल फंड सम्मिलित हैं।

सीडीएस, क्रेडिट डेरिवेटिव लेन-देन है, जिसमें दो पक्ष समझौता करते हैं, जहां एक पक्ष (जिसे संरक्षित खरीदार कहा जाता है) भुगतान करता है और दूसरा पक्ष (संरक्षित विक्रेता कहलाता है) समझौते की निर्दिष्ट अवधि हेतु आवधिक भुगतान करता है। सरंक्षित विक्रेता तब तक कोई भुगतान नहीं करता है जब तक कि पूर्व निर्धारित संदर्भ परिसंपत्ति संबंधी कोई क्रेडिट घटना न हो। यदि ऐसी घटना होती है, तो संरक्षित विक्रेता के समायोजन को प्रवृत्त करता है, जो कि नकद या वास्तविक में से कुछ भी हो सकता है (भारत वास्तविक समायोजन का अनुसरण करता है)। इसका अर्थ है **सीडीएस, क्रेडिट डेरिवेटिव है, जिसका प्रयोग क्रेडिट जोखिम को जोखिम के संपर्क में निवेशक (संरक्षित खरीदार) से जोखिम लेने के लिए इच्छुक निवेशक (संरक्षित विक्रेता) को अतंरित किया जाता है**

यह बीमा पॉलिसी की तरह काम करता है। बीमा पॉलिसी में बीमा कंपनी नीमित पार्टी को क्षति राशि का भुगातन करती है। इसी प्रकार सीडीएस का खरीदार बैंक या संस्थान, जिसने कॉर्पोरेट बॉण्ड इश्यू में निवेश किया हो-हानि को कम करने का प्रयास करता है, जो कि इसे बॉण्ड जारीकर्ता द्वारा डिफॉल्ट के कारण हुआ था। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप एक पक्ष को दूसरे पक्ष से सुरक्षा खरीदना स्वीकृत करता है ऐसी हानियों के लिए जोकि विशिष्ट संदर्भ इन्स्ट्रमेंट (भारत में बॉण्ड इश्यू) द्वारा डिफाल्ट के परिणामस्वरूप हुई हो। सुरक्षा को खरीदने वाला खरीदार विक्रेता को एक प्रीमियम का भुगतान करता है और सुरक्षा को खरीदने वाला खरीदार को नुकसान की स्थिति में क्षतिपूर्ति प्रदान करने की सहमति जताता है। यह घटना (क्रेडिट घटनाओं) में निर्दिष्ट अनेक घटनाओं में से कोई भी हो सकती हैं इस प्रकार सीडीएस खरीदार को यह अवसर प्रदान करता है कि वह अपनी वित्तीय परिसंपत्ति के क्रेडिट जोखिम को परिसंपत्तियों का वास्तविक अंतरण किए बिना इनका अंतरण करें।

आइए इसे एक उदाहरण की मदद से समझने का प्रयास करते हैं; मान लिजिए पंजाब नेशनल बैंक टिस्को द्वारा जारी बॉण्ड में 150 करोड़ रु. का निवेश करता है। यदि पीएनबी को टिस्को के डिफॉल्ट के कारण किसी क्षति के बचाव की आवश्यकता हो, तो पीएनबी, किसी वित्तीय संस्थान मान लीजिए टेम्पलटन से क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप खरीद सकता है। पीएनबी टेम्पलटन को डिफॉल्ट सुरक्षा के बदले निश्चित आवधिक भुगतान करेगा (बीमा पॉलिसी के प्रीमियम की तरह)।

सीडीएस को वित्तीय प्रणाली में विभिन्न प्रयोजनों हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है:

(i) सुरक्षा खरीदार इसे अपने क्रेडिट संपर्क के बचाव के लिए प्रयोग कर सकता है, जबकि सुरक्षा विक्रेता इसे परिसंपत्तियों के वास्तविक स्वामित्व के बिना क्रेडिट बाजार में भागीदारी के लिए प्रयोग कर सकता है।

(ii) सुरक्षा खरीदार क्रेडिट जोखिम को किसी कंपनी को अंतरित कर सकता है, बिना इंस्ट्रूमेंट को अंतरित किए, कम पूंजी प्रभार के सदर्भ में नियमित लाभ का फायदा उठा सकता है क्रेडिट पोर्टफोलियों में विशिष्ट संकेन्द्रणों की कटौती मांग की सकता है और क्रेडिट जोखिम को कम कर सकता है।

(iii) सुरक्षा विक्रेता को अपने पोर्टफोलियो को विविधीकृत करने, किसी विशिष्ट क्रेडिट के संपर्क में आने, ऐसी परिसंपत्ति के संपर्क में आना जो अन्यथा उपलब्ध न हो और अपने पोर्टफोलियो पर लाभ बढ़ाने में मदद मिलेगी।

(iv) बैंक इसे अन्य जोखिम लेने वालों पर जोखिम अंतरित करने के लिए प्रयोग करते है, अधिक ऋण देने हेतु पूंजी निर्माण के लिए प्रयोग करते हैं।

(v) जोखिम को पूर्ण प्रणाली में वितरित करते हैं और जोखिम को संकेन्द्रित होने से रोकते हैं।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

कुछ विश्लेषकों को सीडीएस को लेकर गंभीर आपत्तियां हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता जॉर्ज एकरलोफ ने 1993 में पूर्वानुमान लगाया था कि अगली मंदी सीडीएस द्वारा आएगी। 2003 में प्रसिद्ध निवेशक वॉरेन नफेट ने इन्हें जनसंहार के हथियार बताया। यूएस फेडरल रिजर्व बैंक के पूर्व अध्यक्ष एलेन ग्रीनस्पेन, जिन्होंने सीडीएस पर बड़ा दाव लगाया था, उन्होंने सब-प्राइम संकट के बाद कहा कि सीडीएस खतरनाक है। अग्रणी अमेरिकी सप्ताहिक प्रत्रिका **न्यूजवीक** ने सीडीएस को 'द मॉनस्टर ट्रेड एट वॉल स्ट्रीट कहा। अनेक भारतीय विशेषज्ञों का मत था कि, सीडीएस अर्थव्यवस्था को स्थिर नहीं करेगा बल्कि यह अस्थिरता को जन्म देगा।

सीडीएस संविदा खतरनाक है, क्योंकि इन्हें शरारत के लिए बदला जा सकता है। यह केवल बीमा योग्य ब्याज के लिए है, जो कि अनुमान हेतु ही होता है। कोई डेरिवेटिव जो बीमा संविदा के लिए हो, परन्तु जिसमें बीमा योग्य ब्याज न हो, वह गलत है। परन्तु क्या इन अनुमान लगाने वालों के पास बीमायोग्य ब्याज है? नहीं इनके पास नहीं है। यूएस 'सब प्राइम' संकट ऐसे ही सी एस संविदा के गिरने के कारण हुआ था। एक चूककर्ता और दूसरा सरंक्षण प्रदान करने वाला, जो अंतत: बीमा कंपनी के डिफॉल्टर के रूप में परिवर्तित होता है, परिणामत: रात भर में सबसे बड़ी यूएस बीमा कम्पनी एआईजी दिवालिया थी। अनेक अमेरिका बैंकों के साथ भी यही हुआ।

सीडीएस को सबसे घातत्क पहलू यह है कि एक देश/क्षेत्र का क्रेडिट जोखिम दूसरे देश क्षेत्र को बड़ी आसानी से अंतरित हो जाता है। इसलिए केटेजिन प्रभाव के अवसर होते है।

प्रतिभूतिकरण (SECURITISATION)

यह विपणयोज्य प्रतिभूतियों को जारी करने की प्रक्रिया है जिसे विद्यमान परिसंपत्तियों, जैसे– ऑटो या आवास ऋणों के पूल द्वारा समर्थन प्राप्त होता है। किसी परिसंपत्ति को विपणयोज्य प्रतिभूति में परिवर्तित करने के बाद, इसे किसी निवेशक को बेचा जाता है, जिसे फिर ऋण सेवा से उत्पन्न नकद बहाव से ब्याज और मूलधन प्राप्त होता है। वित्तीय संस्थान, जैसे– एनबीएफसी और सूक्ष्म वित्त कंपनियां अपने ऋणों को विपणनयोज्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करती है और उन्हें निवेशकों को बेचती है । इससे उन्हें परिसंपत्तियों से तरल नकद प्राप्त होता है, जो कि अन्यथा इनके तुलनापत्रों में ही रुका पड़ा था।

वैश्विक अनुभव दर्शाते हैं कि यदि ऐसी परिसपंत्ति का मान गिरता है तो प्रतिभूति की गई परिसंपत्तियों का भी मान गिरता है जैसा कि यूएस सब प्राइम संकट के दौरान हुआ था। आवास ऋणों के बदले प्रतिभूति परिसपंत्तियां बीमा कंपनियों को बेची गई थीं और बैकों के मान में गिरावट आई, जिसने संकट को जन्म दिया। ऐसे संकट को रोकने के लिए आरबीआई ने कुछ बचावात्मक कदम उठाए है इसने कंपनियों से कहा है कि वे एक निश्चित अवधि के लिए प्रतिभूतियों को रोक कर रखें:

(i) यद्यपि एनबीएफसी को परिसंपत्तियों को छह माह तक रोकना होता है न्यूनतम 5-10 प्रतिशत की धरिता आवश्यकता ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतिभूति की गई परिसपंत्तियों की कार्यनिष्पादकता में इनकी अंशधरिता जारी है।

(ii) सूक्ष्म वित्त संस्थानों को इसे तीन माह तक धारित किया जाए।

चूंकि भारत में से इसे आरबीआई द्वारा स्वीकृति किया गया है इसलिए यह खबरों में रहा। क्या प्रतिभूतिकरण न्यासों को इस पर कर देना होगा। इस दौरान संघ बजट 2013-14 ने इस मुद्दे को स्पष्ट किया। यदि न्यास द्वारा वितरित आय ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाती है, जिसे कर से छूट हो तो कोई अतिरिक्त आय-कर नहीं लगेगा। इससे आशा है कि म्युचुअल फण्ड वापस प्रतिभूतिकरण बाजार में लौट आएंगे।

भारत में कॉरपोरेट बॉण्ड (CORPORATE BOND IN INDIA)

परिष्कृत अत्याधुनिक वित्तीय अवसंरचना के साथ युग्मित आर्थिक उत्साहशीलता ने भारत के इक्विटी बाजारों की तीव्र वृद्धि में योगदान दिया है। बाजार लक्षणों एवं गहनता के अर्थ में भारतीय इक्विटी बाजार का स्थान विश्व के सर्वोत्तम बाजारों में आता हैं इसके समानान्तर पिछले वर्षों में सरकारी प्रतिभूति बाजार भी विकास एवं सरकार की बढ़ती हुई उधार अपेक्षाओं को देखते हुए विकास हुआ है। इसके विपरीत, बाजार प्रतियोगिता और सरंचना दोनों के संदर्भ में कॉरपोरेट बॉण्ड बाजार पिछड़ गया है। गैर-बैंक वित्तीय

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

कंपनियां मुख्य निगमकर्ता है एवं कंपनियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप में बहुत कम राशियों जुटाई जाती है। आर्थिक समीक्षा 2010-11 के आधार पर इनके अनेक कारण हैं:

(i) बैंक ऋणों की प्रबलता।

(ii) एफआईआई की प्रतिभागिता सीमित है।

(iii) निवेश विश्वास की कमी के कारण पेंशन एवं बीमा कंपनिया तथा परिवार सीमित भागीदार है

(iv) सरकारी बॉण्डो द्वारा निष्कासित किया जाना।

आर्थिक समीक्षा 2011-12 यह बताती[15] है कि, शूम्पीकर अनुमान, कि वित्तीय विकास वास्तविक आर्थिक वृद्धि को संभव बनाता है, के समर्थन हेतु अब व्यापक अनुभव सिद्ध अनुधान उपलब्ध हैं। वित्तीय बाजारों की मजबूती तथा विविध उत्पादों की उपलब्धता को केवल अलंकरण नहीं समझना चाहिए बल्कि इसे समावेशी विकास का महत्वपूर्ण अंग माना जाना चाहिए।

भारत में, 2000-2001 में बड़ी फर्मों के वित्त पोषण में बैंकों का 14.4% का हिस्सा रहा और वह बाद में बढ़कर 2010-11 तक 17.8 प्रतिशत तक पहुंच गया। दूसरी ओर, बाड बाजार अपेक्षाकृत बहुत छोटा रहा है। बॉण्ड बाजार के छोटे होने की भरपाई काफी हद तक भारतीयों द्वारा लिए गए विदेशी उधार से हुई है, जो पिछले दशक में तेजी से बढ़ा है। इसके अतिरिक्त, भारत प्रतिभूति उधारों की आनुपातिक राशि से जना जाता है। गैर-प्रतिभूमि उधार का कम आकार, पहली नजर में, चिंता का विषय प्रतीत नहीं होगा, परन्तु संविदा लागू करने की कमजोरी तथा पर्याप्त सूचना के अभाव का द्योतक हो सकता है। यदि संविदाओं को तेजी से लागू किया जाए और उधारदाताओं के पास उधार लेने वालों की सूचना हो, तो वे प्रतिभूति ऋण देने के अधिक इच्छुक होंगे। यह वित्तीय बाजार में तीव्रता लाएगा, जो फिलहाल उनमें नहीं हैं इसके बहुत कारण हैं कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए बॉण्ड बाजार जरूरी हैं।

इनमें सबसे प्रमुख कारण यह तथ्य है कि ये अधिक दक्ष उद्यमिता एवं अधिक मूल्य सृजन की ओर ले जाते हैं जब एक उद्यमी ऋण लेता है और बॉण्ड जारी करता है, तो पूर्व निर्धारित अदायगी के अलावा सभी अतिरिक्त लाभ उद्यमी को दे दिए जाते है। अत: उन्हें ठोस निर्णय लेने के लिए बेहतर प्रोत्साहन मिलते हैं। कमजोर बॉण्ड बाजार के चलते, हम शायद इस दक्षता से वंचित हो रहे है एवं इसके अलावा, इस दक्षता अंतराल का यह तात्पर्य हो सकता है कि कम उधार दिए जाएं एवं इसलिए अर्थव्यवस्था में, व्यवहार्य से कम निवेश एवं उद्यमिता होगी। इसके अतिरिक्त जैसे-जैसे भारत अंवसरचना क्षेत्र में निवेश के लिए बारहवीं योजना में निजी क्षेत्र से 500 बिलियन डॉलर जुटाने का प्रयास कर रहा है, तो धन जुटाने के लिए सीधे सक्रिय बाजार एक महत्वपूर्ण स्रोत होगा।

इन लाभों के बावजूद, बॉण्ड बाजार का पर्याप्त विकास न होने के बहुत-से कारण हो सकते हैं। एक कारण वह हो सकता है, जिसे अर्थशास्त्री बहुविध-संतुलन कहते हैं। ऐसी स्थिति पर विचार करें, जहाँ बॉण्ड बाजार छोटा है। यदि आप बॉण्ड खरीदते हैं और बाद में इन्हें बेचना चाहते हैं, तो आपको कठिनाई होगी। चूंकि बॉण्ड बाजार सक्रिय नहीं है तो आप इस कारण से आसानी से बॉण्ड नहीं बेच सकते क्योंकि आपको खरीदार प्राप्त नहीं होंगे। अत: आप पहले तो बॉण्ड खरीदने ही नहीं जाएंगे। यदि हर कोई इस तरह से तर्क देगा, तो बॉण्ड बाजार छोटा ही रहेगा। अत: ऐसे प्रोत्साहन की जरूरत है, जो बाजार को

15. Ministry of Finance, Economic Survey 2011–12 (New Delhi: Government of India, 2012), 34; quotes many contemporary references to bring the point home –

a). R. Rajan, and L. Zingales, 'Financial Dependence and Growth,' *American Economic Review*, vol. 88, 1998; **b).** S. Banerji, K. Gangopadhyay, I. Patnaik, and A, Shah, 'New Thinking on Corporate Debt in India', mimeo.; **c).** C. K. G. Nair, 2012; 'Financial Sector Reforms: Refining the Architecture,' in R. Malhotra (ed.), *A Critical Decade: Policies for India's Development,* (New Delhi: Oxford University Press, 2012) **d).** T. A. Bhavani, and N. R. Bhanumurthy, *Financial Access in Post-Reform India*; **e).** P. Bolton, and X. Freixas, 'How can Emerging Market Economies Benefit from a Corporate Bond Market?', in E. Borzenstein, K. Cowan, B. Eichengreen, and U. Panizza (eds), *Bond Markets in Latin America*, (Massachusetts: MIT Press, 2008).

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

एक और संतुलन की ओर प्रेरित कें। जहाँ लोग बॉण्डों को तत्काल खरीदें, क्योंकि वे जानते हैं कि वे उन्हें आसानी से बेच सकते है और यह आत्मसंतुष्टि की भविष्यवाणी बन जाती है ताथ बड़े बॉण्ड बाजार को सम्पोषित करती है।

पाटील समिति की सिफारिशों की मध्यस्थतता के साथ कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार धीरे-धीरे से विकसित हो रहा है दीर्घावधि अवसंरचना परियोजनाओं के लिए घटते बैंक वित्त के साथ विशेषकर बैंकिंग प्रणाली द्वारा सामना की जा रही परिसंपत्ति देयता समस्याओं के आलोक में, एक मजबूत और गतिशील कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार के और विकास की आवश्यकता पर बल देना अनावश्यक नहीं है। वर्ष 2012-13 के दौरान कॉपोरेट बॉण्ड बाजारों के विकास हेतु उठाए गए ओर कदम नीचे दिए गए है:

(i) बैंकों को कार्पोरेट बॉण्ड बाजारों में स्वामित्व लेन-देनों को लेने के प्रयोजन हेतु सेबी स्वीकृति स्टॉक एक्सचेंजों में सीमित सदस्यता प्राप्त करने की स्वीकृति।

(ii) कॉरपोरेट बॉण्ड बाजार में तरलता बढ़ाने के लिए आईआरडीए ने बीमा कंपनियों को रेपो बाजार में भाग लेने की मंजूरी प्रदान की है, आईआरडीए ने बीमा कंपनियों को (क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप' (सीडीएस) का प्रयोक्ता बनने की भी अनुमति प्रदान की है।

(iii) कॉर्पोरेट ऋण रेपो में न्यूनतम हेयर कट[16] (अर्थात् वह कीमत अंतर जिस पर बाजार निर्माता प्रतिभूति को खरीद और बेच सकता है) को और एएए/एए+/ एप-रेप्ड कॉर्पोरेट बॉण्डों के लिए विद्यमान 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत: 15 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत; 8.5 प्रतिशत; 10 प्रतिशत किया गया है।

(iv) एमएफ को प्रयोक्ता के रूप में कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में सीडीएस में भागीदारी को मंजूरी प्रदान की गई है।

(v) आरबीआई द्वारा कॉर्पोरेट बॉण्डों हेतु सीडीएस संबंधी दिशा-निर्देशों में यह व्यवस्था की गई है कि सूचीबद्ध कॉर्पोरेट बॉण्डों के अतिरिक्त गैर-असूचीबद्ध पर भी सीडीएस मंजूरी हो, परन्तु यह अवंसरचना कंपनियों के अतिरिक्त रेटड कार्पोरेट बॉण्डों पर ही होगा

(vi) प्रयोक्ता को यह अनुमति होगी कि वह अपनी सीडीएस खरीद स्थिति को आपसी सहमति या एफआईएमएमडीए (फिक्सड इनकम मनी मार्केट एण्ड डेरिवेटिवस एसोसिएशन ऑफ इण्डिया)कीमत पर मूल सुरक्षा विक्रेता के साथ अनवांइड[17] को एफआईएमएमडीए कीमत पर मूल सुरक्षा विक्रेता के साथ किया जाता है।

(vii) एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों, जैसे- सीपी जमा प्रमाण पत्र और अपरिवर्तनीय डिवेन्चर जिनकी मूल परिपक्वता एक वर्ष से कम हो पर भी सीडीएस स्वीकृति की जाए।

16. ***Haircut*** is the difference between prices at which a *market maker* can buy and sell a security. The term comes from the fact that market makers can trade at such a *thin spread*. It also means that the percentage by which an asset's market value is reduced for the purpose of calculating capital requirement, margin and collateral. When they are used as collateral, securities will generally be devalued since a cushion is required by the lending parties in case the market value falls.

17. ***Unwind*** is used to close out a position that has offsetting investments or the correction of an error. Unwinds occur when, for example, a broker mistakenly sells part of a position when an investor wanted to add to it. The broker would have to unwind the transaction by selling the erroneously purchased stock and buying the proper stock. One type of investing that features unwind trading is *arbitrage investing (as happens in the CDS)*. If, for the sake of illustration, an investor takes a long position in stocks, while at the same time selling puts on the same issue, he will need to unwind those trades at some point. Of course, this entails covering the options and selling the underlying stock. A similar process would be followed by a broker attempting to correct a buying or selling error.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

मार्च 2017 तक आरबीआई भारत में कॉर्पोरेट बाँड बाजार को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा चुका था। इसने कॉर्पोरेट बांड बाजार में निवेशकों की भागीदारी और बाजार में तरलता बढ़ाने के लिए *खान समिति* (अगस्त 2016) की बहुत-सी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। आरबीआई द्वारा उठाए गए नए कदमों में शामिल हैं:

(i) व्यवसायिक बैंकों को अपनी पूंजीगत आवश्यकताओं और आधारभूत ढांचे और किफायती घरों के वित्तपोषण के लिए विदेशों में रुपयों में मूल्य वाले बांड (मसाला बांड) जारी करने की अनुमति दी गई है।

(ii) सिक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) में पंजीकृत और कॉर्पोरेट बांड बाजार में मार्केट मेकर के रूप में अधिकृत दलालों को कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रेपो/रिवर्स रेपो अनुबंध लेने की अनुमति दी गई है।

(iii) बैंकों को कॉर्पोरेट बांडों को दिए जाने वाले आंशिक ऋण विस्तार को 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत करने की अनुमति दी गई है। इस कदम से कम मूल्यांकन वाले कॉर्पोरेट की भी बांड बाजार में पहुंच बन सकेगी।

(iv) मुख्य डीलरों को सरकारी बांडों के लिए मार्केट मेकर के रूप में काम करने की अनुमति देना जिससे सरकारी प्रतिभूतियां खुदरा निवेशक को उपलब्ध होंगी और इससे उन्हें उछाल मिलेगा।

(v) विदेशी विनिमय बाजार के 'ओवर द काउंटर' (ओटीसी) और एक्स्चेंज-ट्रेडेड व्युत्पन्न मुद्रा के लिए प्रतिरक्षा तक पहुंच को आसान बनाने के लिए विनिमय दर के जोखिम का सामना कर रही इकाइयों को रियायत देने के उद्देश्य से लेन-देन को आसान प्रक्रिया करने की अनुमति दी गई, (तीन करोड़ अमेरिकी डॉलर की सीमा तक किसी भी समय)।

मुद्रास्फीति-सूचकांकित बॉण्ड (INFLATION-INDEXED BOND–IIB)

निवेशकों की कमाई को मुद्रास्फीति की मार से बचाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इन्फ्लेशन इन्डेक्स्ड बॉण्ड (आईआईबी) जारी करने की योजना है-इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2013-14 में की गई है। सरकार को उम्मीद है कि इससे सोना खरीदने के बजाय वित्तीय बचत को बढावा मिलेगा। हालिया वर्षों में ऋण पर निवेश की दर मुद्रास्फीति से कम ही रही है, व्यवहार में जिसका अर्थ हुआ कि मुद्रास्फीति बचत को खा जा रही है। इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉण्ड्स ऐसा प्रतिफल (return) देते हैं जो हमेशा मुद्रास्फीति से ज्यादा होता है, इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि मुद्रास्फीति से बचत का मूल्य खत्म न हो जाए।

2013-14 में आरबीआइ ने दो बॉण्ड जारी किए – एक जून 2013 में जो कि डब्ल्यूपीआई (WPI) के साथ जुड़ा था, जिसका खुदरा रिस्पांस बहुत कमजोर था, और दूसरा सितंबर 2013 में जो कि सीपीआई (CPI) के साथ जुड़ा था। दूसरे को इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड नेशनल सेविंग्स सिक्योरिटीज – क्युमुलेटिव (Inflation Indexed National Savings Securities – Cumulative, IINSS-C) कहते हैं जिसकी अवधि 10 साल होती है। इन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन्फ्लेशन-लिंक्ड सिक्यूरिटीज अथवा सिर्फ लिंकर्स के रूप में जाना जाता है। इन सिक्योरिटीज पर ब्याज दर अंतिम संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक [(CPI) (आधार : 2010 = 100), से जुड़ा होता है। ब्याज दर के दो हिस्से होते हैं – निश्चित दर (1.5 प्रतिशत) तथा मुद्रास्फीति (Inflation) दर – इस प्रकार यदि किसी बॉण्ड का मूल्य दिसम्बर में आकलित किया जाता है तो संदर्भ दर सितम्बर की सीपीआई होगी। इस नये ऑफर से अधिक निवेशक आकर्षित हो सकते हैं क्योंकि यह थोक बिक्री मूल्य सूचकांक (WholeSale Price Index) की बजाए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) से जुड़ा है। सीपीआई को अधिक सही माप माना जाता है। सीपीआई को मुद्रास्फीति

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

का शुद्ध आकलन करने वाला माना जाता है क्योंकि यह शिक्षा खाद्य परिवहन, आवास और चिकित्सा देखभाल की लागत में वृद्धि को संज्ञान में लेता है। डब्ल्यूपीआई में व्यापार वस्तुओं और सामान की कीमतों के मापन पर अधिक बल दिया जाता है।

1997 में भारत में पहली बार इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉण्ड (आईआईबी) जारी किए गए, जिसे कैपिटल इंडेक्स्ड बॉण्ड (सीआईबी) कहा गया। लेकिन इन दोनों बॉण्डों के बीच एक अंतर है। जहां सीआईबी किसी नए उत्पाद के मूलधन को सिर्फ मुद्रास्फीति सुरक्षा प्रदान करता है, वहीं आईआईबी मूलधन और ब्याज भुगतान, दोनों को मुद्रास्फीति सुरक्षा देता है।

स्वर्ण विनिमय व्यापार कोष (Gold Exchange Traded Funds)

गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड फण्ड्स (ईटीएफ) ओपन एंडेड म्युचुअल फण्ड योजना है, जो वास्तविक स्वर्ण की कीमतों पर निकट से निगरानी रखती है। प्रत्येक 0.995 शुद्धता वाले स्वर्ण के एक ग्राम को प्रदर्शित करती है और ईटीएफ को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जाता है। प्रत्येक इकाई की सकल परिसंपत्ति कीमत को उस दिन वास्तविक सोने की कीमतों के आधार पर परिकलित किया जाता है और लाभ प्रदान करने के लिए तैयार किया जाता है, जो कि वास्तविक स्वर्ण से लाभ की निकट से निगरानी करे।

ई-गोल्ड (E-Gold)

ई-गोल्ड एक अन्य खरीद विकल्प है, जिसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडड यूनिटों में निवेश किया जाता है। निवेशक के पास डीमैंट खता होना चाहिए, जो एनएसईएल से संबंद्ध हो। ई-गोल्ड के ब्रोकेज और लेनदेन प्रभार स्वर्ण ईटीएफ कह तुलना में कम है क्योंकि इसमें निधि प्रबंधन प्रभार नहीं है। सोने को प्राप्त किया जा सकता है या इसे एक्सचेंज में बेचा जा सकता है।

परन्तु कर दृष्टि से इसका एक नकारात्मक पक्ष भी है-ई गोल्ड के अंतर्गत इस पीली धातु की धारिता अवधि 36 माह है ताकि दीर्घावधि पूंजी लाभ प्राप्त किए जा सकें और इस पर 20 प्रतिशत कर लगता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) और गोल्ड फंड के लिए, दीर्घकालिक धारण-अवधि सिर्फ एक साल की है। एक साल बाद, ईटीएफ और गोल्ड फंड पर इंडेक्शन (मूल्य सूचकांक द्वारा आय भुगतान को संतुलित करने का तरीका) के बैगर दस प्रतिशत कर लगेगा और इंडेक्शन के बाद 20 प्रतिशत। छोटे निवेशकों के लिए गोल्ड ईटीएफ सबसे बढ़िया विकल्प हो सकता है, क्योंकि वह अलग डीमैट एकाउंट, कर की पेचीदगियों और संपत्ति कर जैसी मुश्किलों के बगैर निवेशकों की जरूरतों को पूरा करता है।

सीपीएसई ईटीएफ (CPSE ETF)

सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (CPSE ETF) के अंतर्गत 10 ब्लू चिप पीएसयू (PSU) को बीएसई और एनएसई में 4 अप्रैल, 2014 को सूचीबद्ध किया गया। भारत सरकार को उम्मीद थी कि इससे 3000 करोड़ का कॉरपस बनाया जा सकेगा, लेकिन इससे 4300 करोड़ रुपये की उगाही की गई।

यह योजना भारत सरकार ने पीएसयू के एक हिस्से के विनिवेश (Disinvestment) के लिए शुरू की गई है। इसका प्रबंधन गोल्डमैन सैच्स ऐसेट मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जो कि एक म्युचुअल फंड कंपनी है और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के प्रबंधन में विशेषज्ञता रखती है।

ईटीएफ (ETF) एक सिक्योरिटी है जो कि एक सूचकांक, एक वस्तु अथवा परिसंपत्तियों के एक 'बास्केट' जैसे इंडेक्स फंड का 'ट्रैक' करता है, लेकिन एक एक्सचेंज पर एक स्टॉक की तरह लेन-देन करता है – सीपीएसई ईटीएफ 'ट्रैक' करता है सीपीएसई इंडेक्स को (10 पीएसयू जो कि ईटीएफ में शामिल हैं)। सीपीएसई इंडेक्स सम्मिलित कंपनियों के द्वारा निर्मित होता है, जो निम्नलिखित कसौटियों को पूरा करती हैं:

(i) 55 प्रतिशत या अधिक का स्वामित्व भारत सरकार के पास हो और एनएसई पर सूचीबद्ध हो,

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(ii) बड़े सार्वजनिक उपक्रम (पी.एस.यू. जिनका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ रुपये हो पिछले छह माह के दौरान, जून 2013 के पहले)।

(iii) स्थिर लाभांश भुगतान रिकॉर्ड हो (कम-से-कम 4 प्रतिशत, जून 2013 के पहले 7 वर्षों के दौरान)।

शीर्ष 10 ब्लू चिप पी.एस.यू. जो कि उपरोक्त शर्तों को पूरा करते हैं, वे हैं – ओएनजीसी (26.72 प्रतिशत), गेल इंडिया (18.48 प्रतिशत), कोल इंडिया (17.75 प्रतिशत), आरईसी (7.16 प्रतिशत), ऑयल इंडिया (7.04 प्रतिशत), आईओसी (6.82 प्रतिशत), पॉवर फाइनांस कॉरपोरेशन (6.49 प्रतिशत), कंटेनर कॉरपोरेशन (6.40 प्रतिशत), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (2 प्रतिशत) तथा इंजीनियर्स इंडिया लि. (1.13 प्रतिशत)।

सीपीएसई ईटीएफ उपरोक्त कंपनियों में कॉरपस का निवेश करेगा उनके भार (Weightage) के अनुसार। इसलिए सीपीएसई ईटीएफ की प्राप्तियाँ (Returns) सीपीएसई इंडेक्स की प्राप्तियों के अनुरूप ही होंगी।

वर्ष 2017-18 में विविध सी.पी.एस.ई. एवं सरकारी अस्तियों को शामिल करके एक नये ई.टी.एफ. की स्थापना करने की घोषणा की गयी है **(संघीय बजट 2017-18)**।

पेंशन क्षेत्र में सुधार (Pension Sector Reforms)

भारत में पेंशन सरकारी नौकरियों का आधारभूत हिस्सा रही है। पेंशन से दो महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक लक्ष्य हासिल होते हैं:

(i) यह विकास के लिए दीर्घकालिक बचत, मतलब-राष्ट्र निर्माण, के प्रवाह की सुविधा देती है, और;

(ii) देश में विश्वसनीय और स्थायी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली स्थापित करने में भी मदद देती है।

नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को एक जनवरी, 2004 के बाद सरकारी सेवा में आने वाले नए कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया। हालांकि संभवतः एनपीएस देश में उपलब्ध सबसे सस्ता वित्तीय उत्पाद है, फिर भी इसे आर्थिक रूप से वंचित तबकों के लिए वहनीय बनाने के लिए सरकार ने 2010 में इसका सस्ता संस्करण शुरू किया। स्वावलंबन योजना नाम की इस योजना के तहत लोगों का समूह काफी कम दाम में एनपीएस में शामिल हो सकता है। एनपीएस के तहत जारी योजनाओं की तरह ही स्वावलंबन योजना का 'अनियोजित क्षेत्र' या 'एनपीएस लाइट' में फायदा उठाया जा सकता है। एनपीएस लाइट एक नमूना है, जो विशेषकर इसलिए तैयार किया गया है कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबकों तक आसानी से एनपीएस को पहुंचाया जा सके। अपनी विशेष रूप से तैयार कार्यविधि के चलते और घटे हुए दामों के चलते यह यह काफी वहनीय और अर्थक्षम है। स्वावलंबन योजना के तहत सरकार हर एनपीएस खाता धारक को सब्सिडी उपलब्ध करवाती है और इस योजना को 2016-17 तक विस्तार दे दिया गया है।

एनपीएस की मूल योजना के एक विशिष्ट रूप से तैयार संस्करण, जिसे एनपीएस कॉर्पोरेट सेक्टर मॉडल, कहा जा रहा है को दिसंबर 2011 में शुरू किया गया ताकि 'संगठित क्षेत्र'की कंपनियां अपने मौजूदा और संभावित कर्मचारियों को कॉर्पोरेट ढांचे के तहत एनपीएस में ला सकें। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को अपनी वेबसाइट में आम लोगों के लिए एनपीएस खाता खोलने के लिए एक लिंक उपलब्ध करवाने को कहा गया है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2012-13 के अनुसार भारत में पेंशन सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय रूप से बडे स्तर पर ध्यान आकर्षित कियाहै लेकिन इससे पहले कि भारतीय समाज के सारे गरीबों को पेंशन तंत्र में शामिल किए जाना एक हकीकत बन पाए, अर्थव्यवस्था को निम्न मुख्य चुनौतियों से पार पाना होगा–

(i) वित्तीय साक्षरता का अभाव, खासतौर पर असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के बीच;

(ii) बहुत मामूली बचत की भी अनुपलब्धता

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(iii) एक सह-अंशदायी स्वावलंबन योजना के प्रति राज्य/यूटीसरकारों की अब तक उदासीन प्रतिक्रिया; और

(iv) एनपीएस को लेकर आपूर्ति पक्ष में जागरुकता की कमी और लोगों के लिए व्यक्तिगत रूप से अपने खाते खोलने के लिए अधिगम स्थलों की कमी, प्रमुख बाधाएं रहीं।

वित्त वर्ष 2015-16 में भारत सरकार द्वारा नयी पेंशन योजना-***अटल पेंशन योजना***-की शुरूआत की गयी। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के वित्तीय सहयोग के आधार पर एक विशेष अवधि के अंतर्गत पेंशन भुगतान की व्यवस्था है। इसमें शामिल होने के अलग-अलग आयु वर्गों एवं वित्तीय सहयोग के आधार पर पेंशन के पांच वर्ग हैं- रु. 1000, 2000, 3000, 4000 एवं 5000 प्रति माह। पेंशन की शुरुआत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करते ही प्रारंभ हो जाने का प्रावधान है।

यह योजना उस हर व्यक्ति के लिए है जिसके पास एक बैंक खाता है। इस योजना में केन्द्र सरकार की भागीदारी सकल भागीदारी की 50 प्रतिशत है (अधिकतम 1000 रु.)। सरकारी सहयोग की अवधि 5 वर्ष की है (वर्ष 2015-16 से 2019-20) तथा इसका लाभ उन्हें ही प्राप्त होगा जिन्होंने इसके अंतर्गत अपना नामांकन जून 1, 2015 से मार्च 31, 2016 तक करा लिया हो। आयकर दाता या किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।

वित्तीय स्थायित्व और विकास परिषद (एफएसडीसी) [Financial Stability Development Council (FSDC)]

भारत सरकार ने दिसंबर 2010 में 'जी-20 प्रस्तावों के अनुरूप' एक शीर्ष स्तर की वित्तीय स्थायित्व और विकास परिषद (एफएसडीसी) की स्थापना की थी, जिसके लक्ष्य मुख्य थे:

(i) वित्तीय स्थायित्व बनाए रखने की प्रणाली को मजबूत और संस्थागत करना;

(ii) अंतर-नियामक सहयोग को विस्तार देना, और;

(iii) वित्तीय-क्षेत्र विकास को बढावा देना।

वित्त मंत्रालय की अध्यक्षता वाली इस परिषद में वित्त-क्षेत्र के नियामक प्राधिकरणों के प्रमुख-वित्त सचिव और/या आर्थिक मामले विभाग के सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार सदस्य के रूप में होते हैं। नियामकों की स्वायत्तता को लेकर किसी पूर्वाग्रह के बिना परिषद निगरानी करती है:

(i) अर्थव्यवस्था की मैक्रो-प्रूडेंशियल (वित्तीय प्रणाली को बचाने के लिए बनाए गए कानूनों, नियमों और स्थितियों) देखरेख, जिसमें बड़े कंपनी संगठनों की कार्यप्रणाली भी शामिल है;

(ii) अंतर-नियामक सहयोग और वित्तीय क्षेत्र के विकास से जुडे मुद्दे, और;

(iii) वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन।

वित्तीय आकलन कार्यक्रम (Financial Sector Assessment Programme–FSAP)

आईएमएफ बोर्ड ने सितम्बर 2010 में भारत सहित 25 तंत्रबद्ध महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं को इसके सदस्यों के साथ तंत्रात्मक रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय क्षेत्रों में जोड़ने के लिए वित्तीय स्थिरता आकलन कार्यक्रम प्रारंभ किया आईएमएफ विश्व बैंक वित्तीय स्थिरता आकलन कार्यक्रम संयुक्त रूप से भारत में जनवरी 2013 में प्रारंभ किया गया, जिसने उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के सबंध में भारतीय वित्तीय प्रणाली का आकलन किया। इस आकलन में पाया गया कि भारतीय वित्तीय प्रणाली इसके मजबूत विनियामक और अधीक्षण तंत्र के कारण मोटे तौर पर स्थिर है तथापि आकलन में[18] कुछ निम्नांकित कमियां भी पाई गईं:

(i) अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू अधीक्षण सूचना बांटना और सहयोग;

(ii) वित्तीय समूहों का समेकित अधीक्षण, और;

(iii) विनियामकों (आरबीआई और आईआरडीए) की पूर्ण स्वतंत्रता पर कुछ सीमाएं।

कुछ मुद्दों पर आपत्तियों के बावजूद, समग्र रूप में एफएसएपी को छोड़कर भारतीय प्राधिकरण, उभरती अंतर्राष्ट्रीय सहमति और भारत-विशिष्ट संदर्भ में

18. RBI, 16th January, 2013

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

इनकी संगतता की जांच के आधार पर विनियामक और अधीक्षण ढांचे को संकट के बाद की अवधि में भारत को एक रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। एफएसबी[19], बीसीबीएस[20] और आईएमएफ[21] के सदस्य के रूप में भारत सक्रिय रूप से जी 20 के तत्वधान में अंतर्राष्ट्रीय विनियामक और अधीक्षण ढांचे के तहत संकट के बाद की अवधि में काम कर रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मानकों और श्रेष्ठ पद्धतियों को चरणबद्ध ढंग और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है जहां आवश्यक हो, क्योंकि यह देश जटिल और विविध सामाजिक, राजनीति और आर्थिक स्थितियों द्वारा परिलक्षित होता है

वित्तीय कार्यवाही कार्य बल
(Financial Action Task Force –FATF)

एफ.ए.टी.एफ. एक अंतर-सरकार नीति-निर्माण निकाय है, जिसके पास मंत्रालयी अधिदेश है कि वह धनशोधन और आतंकवाद हेतु वित्त पोषण कर सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करे। भारत जून 2014 में एफ.ए.टी.एफ के 34वें सदस्य के रूप में सम्मिलित हुआ। वर्तमान में एफ.ए.टी.एफ के 36 सदस्य हैं, जिसमें 34 राष्ट्र और 2 संगठन (यूरोपीय संघ और खाड़ी सहयोग परिषद) सम्मिलित हैं।

---

19. The **FSB** was established in April 2009 as the successor to the Financial Stability Forum (FSF). The FSF was founded in 1999 by the G–7 for enhancing cooperation among the various national and international supervisory bodies and international financial institutions so as to promote stability in the international financial system. In November 2008, the leaders of the G–20 countries called for a larger membership of the FSF. As announced in the G–20 Leaders Summit of *April 2009*, the expanded FSF was re-established as the *Financial Stability Board (FSB)* with a broadened mandate to promote financial stability. The FSB is chaired by *Mark Carney*, Governor of the Bank of Canada. Its secretariat is located in Basel, Switzerland, and hosted by the Bank for International Settlements.

    Its ***objective*** is to coordinate at the international level the work of national financial authorities and international standard setting bodies and to develop and promote the implementation of effective regulatory, supervisory and other financial sector policies. [*Source*: Financial Stability Board Secretariat, Bank for International Settlements, Basel , Switzerland].

20. The **BCBS** (Basel Committee on Banking Supervision) provides a forum for regular cooperation on banking supervisory matters. The Committee's members, today, come from 27 nations including India. The present Chairman of the Committee is *Stefan Ingves*, Governor of Sveriges Riksbank. It is located at the Bank for International Settlements (BIS) in Basel, Switzerland.

    Its ***objective*** is to enhance understanding of key supervisory issues and improve the quality of banking supervision worldwide. It seeks to do so by exchanging information on national supervisory issues, approaches and techniques, with a view to promoting common understanding. At times, the Committee uses this common understanding to develop guidelines and supervisory standards in areas where they are considered desirable. In this regard, the Committee is ***best known*** for its international standards on ***Capital Adequacy*** *(i.e Basel I, Basel II and Basel III, by now)*; the ***Core Principles for Effective Banking Supervision***; and the ***Concordat*** on cross-border banking supervision.

    The *Committee* encourages contacts and cooperation among its members and other banking supervisory authorities. It circulates to supervisors throughout the world both published and unpublished papers providing guidance on banking supervisory matters. Contacts have been further strengthened by an *International Conference of Banking Supervisors (ICBS)* which takes place every two years. [*Source*: BIS, Basel, Switzerland].

21 See **Chapter 16** for detailed discussion on the **IMF** (International Monetary Fund).

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

भू-भवन संपत्ति एवं अधिसरंचना निवेश न्यास (Real Estate and Infrastructure Investment Trusts)

सेबी को भू-भवन संपत्ति निवेश ट्रस्टों (REIT) तथा अधिरचना निवेश ट्रस्ट (InvITs) के प्रशासन के लिए विनियम बनाने हैं। 2008 के लंबित प्रस्तावों के मुताबिक न्यासों का उद्देश्य भू-भवन संपत्ति तथा अधिरचना विकासकर्ताओं को धन तक आसान पहुँच उपलब्ध कराना था।

भू-भवन संपत्ति निवेश न्यास (REITs)

सेबी द्वारा इस न्यास के लिए घोषित प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं :

(i) क्लोज एंडेड भू-भवन संपत्ति निवेश योजना के रूप में परिसंपत्ति में इस उद्देश्य से निवेश करना कि यूनिट धारकों की भी अच्छी प्राप्ति हो।

(ii) प्राप्तियाँ, किराये की आय अथवा भू-भवन संपत्ति से प्राप्त पूँजीगत लाभ से ही प्राप्त की जाएंगी।

(iii) न्यास वाणिज्यिक भू-भवन संपत्ति परिसंपत्तियों में एसपीवी के माध्यम से अथवा सीधे निवेश कर सकती हैं। एसपीवी में न्यास के पास हिस्सेदारी पूँजी का कम-से-कम 50 प्रतिशत का नियंत्रक ब्याज होना चाहिए तथा उन्हें अपनी परिसंपत्तियों का कम-से-कम 80 प्रतिशत धारण करना चाहिए।

(iv) धन उगाही सिर्फ शुरुआती चरण (Initial offering) होना चाहिए तथा न्यास अनिवार्य रूप से स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होना चाहिए।

(v) शुरुआती चरण के समय ट्रस्ट के पास कम-से-कम 500 करोड़ रुपये की परिसंपत्ति होनी चाहिए तथा जारी किया जाने वाला न्यूनतम आकार 250 करोड़ रुपये का होना चाहिए। न्यास की इकाइयों के लिए न्यूनतम अंशदान का आकार दो लाख रुपये का होगा तथा कुल यूनिट्स का 25 प्रतिशत आमजन के लिए होगा।

(vi) न्यास फालो ऑन ऑफर्स, राइट्स इश्यूज अथवा योग्यता प्राप्त संस्थागत पदस्थापन के माध्यम से धन उगाही कर सकेगा तथा ऐसे यूनिट्स के लिए ट्रेडिंग लॉट एक लाख रुपये का होगा।

परिपाटियों के अनुसार, हालाँकि न्यास किसी भी प्रकार के निवेशक चाहे वह भारतीय हो अथवा विदेशी, से धन उगाह सकता है, शुरुआत में इस न्यास के यूनिट्स ऑफर्स का अंशधारक बनने के लिए केवल धनी व्यक्तियों तथा संस्थाओं को ही अनुमति दी जाएगी। बाजार नियामक के अनुसार इस न्यास (REIT) के तीन प्रायोजक हो सकते हैं जो व्यक्तिगत रूप से 5 प्रतिशत तथा सामूहिक रूप से 25 प्रतिशत होल्डिंग सूचीबद्ध होने की तारीख से तीन वर्षों के लिए रख सकते हैं। तद्नंतर प्रायोजकों का संयुक्त होल्डिंग 15 प्रतिशत पर आ जाएगा – न्यास के रहने तक।

अमेरिका, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर तथा अन्य देश जहाँ कि आरईआईटी की उपस्थिति सामान्य है, में चल रही परिपाटी के अनुरूप सेबी ने इन न्यासों को पहले पूर्ण राजस्व-सृजन परिसंपत्तियों में निवेश करने की अनुमति प्रदान की है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरईआईटी सतत आय सृजित कर रहे हैं, सेबी ने कहा है कि, आरईआईटी की 80 प्रतिशत परिसंपत्तियाँ पूर्ण राजस्व-सृजन संपत्तियों में निवेश की जाएँगी। केवल 20 प्रतिशत परिसंपत्ति ही ऐसी संपत्तियों में निवेश की जाएगी जो कि अभी विकासमान है, जैसे–गिरवी बैंक प्रतिभूतियाँ, भू-भवन परिसंपत्ति क्षेत्र में कंपनियों का ऋण ऐसी सूचीबद्ध कंपनियों में इक्विटी शेयर, जो कि अपनी आय का 75 प्रतिशत भू-भवन संपत्ति क्षेत्र (रियल एस्टेट सेक्टर) से प्राप्त करती हैं, सरकारी प्रतिभूतियाँ, अथवा मुद्रा बाजार इंस्ट्रूमेंट आदि। कोई भी आरईआईटी निर्माणाधीन परिसंपत्तियों में 10 प्रतिशत से अधिक का निवेश नहीं कर सकता।

अधिरचना निवेश न्यास (Infrastructure Investment Trusts–InvITs)

सेबी ने अधिरचना निवेश न्यासों की स्थापना की भी घोषणा की, जो कि आरईआईटी से मिलते-जुलते हैं, हालाँकि इनके लिए शुरुआती ऑफर अनिवार्य नहीं होगा तथापि सूचीबद्धता दोनों ही प्रकार के – सार्वजनिक एवं निजी

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

क्षेत्र में स्थापित अधिरचना निवेश न्यासों के लिए अनिवार्य होगा। प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:

(i) ये न्यास अधिरचना परियोजनाओं में निवेश कर सकते हैं। या तो प्रत्यक्षत: अथवा एसपीवी के माध्यम से। सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं (PPP) के लिए निवेश केवल एसपीवी के माध्यम से होगा।

(ii) सूचीबद्धता के समय न्यास के किसी प्रायोजक के पास 'क्लेक्टिव होल्डिंग' कम-से-कम 3 वर्षों के लिए 25 प्रतिशत होनी चाहिए।

(iii) न्यासों के पास परिसंपत्तियों में कम-से-कम 500 करोड़ रुपये की होल्डिंग चाहिए, जबकि इन न्यासों का 'शुरुआती ऑफर्स साइज' कम-से-कम 250 करोड़ रुपया हो।

(iv) कोई भी अधिरचना निवेश न्यास, जो कि पूर्ण एवं राजस्व सृजित करने वाली अधिरचना परिसंपत्तियों में अपनी 80 प्रतिशत तक परिसंपत्ति का निवेश करना चाहता है, उसे यूनिट्स 'पब्लिक इश्यू' के माध्यम से ही धन उगाही करनी होगी, जिसमें 'पब्लिक फ्लोर' 25 प्रतिशत तथा निवेशकों की संख्या 20 हो।

(v) सूचीबद्ध अधिरचना निवेश न्यास का न्यूनतम अंशदान आकार तथा 'ट्रेडिंग लॉट' क्रमश: 10 लाख रुपये तथा 5 लाख रुपये होगा। एक सार्वजनिक तौर पर प्रस्तावित न्यास शेष 20 प्रतिशत का निवेश निर्माणाधीन अधिरचना परियोजनाओं तथा अन्य अनुमान्य निवेशों में कर सकता है।

कोई न्यास जो कि अपनी परिसंपत्ति का 10 प्रतिशत का निवेश निर्माणाधीन अधिरचना परियोजनाओं में करना चाहता है, उसे धन उगाही ऐसे योग्यता प्राप्त सांस्थानिक खरीदारों से निजी स्थापन के माध्यम से करना होगा, जिसमें 1 करोड़ रुपया का 'ट्रेडिंग लॉट' तथा कम-से-कम 5 निवेशक होंगे तथा जहाँ एकल होल्डिंग 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

हाल के घटनाक्रम: रीयल एस्टेट एवं अवसंरचना ट्रस्टों को प्रोत्साहित करने के लिए पिछले दो **संघीय बजटों** (2014-15 एवं 2015-16) में सरकार द्वारा कई कर संबंधी रियायतों की घोषणाएं की गयी हैं। लेकिन इन ट्रस्टों में कोई विशेष गतिजता नहीं देखी गयी है। इसका मूल कारण इन क्षेत्रों में व्याप्त सुस्ती (slowdown) को माना जा रहा है। रीयल एस्टेट एवं अवसंरचना क्षेत्र की ज्यादातर कंपनियों का लाभ स्तर या तो काफी निम्न है या फिर वे घाटे में चल रही हैं- कुछ तो अपने बकाये ऋणों की अदायगी तक नहीं कर पा रही हैं।

इन दोनों क्षेत्रों में 'ट्रस्टों' को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से **मार्च 2016** में प्रतिभूति बाजार नियामक SEBI द्वारा इनमें विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) को मंजूरी दे दी गयी। इस नयी नीति का ट्रस्टों की गतिजता पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा लेकिन विशेषज्ञों की राय में इन क्षेत्रों की गतिजता वास्तव में अर्थव्यवस्था की गतिजता पर निर्भर करेगी जो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों ही प्रकार से पश्चिमी देशों की आर्थिक सुस्ती एवं आर्थिक प्रतिसार (recession) से प्रभावित है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

अध्याय 15

भारत का वैदेशिक क्षेत्र (EXTERNAL SECTOR IN INDIA)

*आज की वैश्वीकरण वाली दुनिया में कोई भी देश वैश्विक अर्थव्यवस्था में घटनाओं के असर से पूरी तरह नहीं बच सकता और भारत इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। देश के तेजी के साथ विश्व के साथ हो रहे समेकन से यह विदेश में घटनाक्रमों से अप्रभावित नहीं रह सकता। यूरो जोन संकट के सामने आने और वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर अनिश्चितता से भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है जिससे वृद्धि में गिरावट आई है, चालू खाता का घाटा बढ़ा है और पूंजी प्रवाह में कमी आई है।**

इस अध्याय में

- ❑ परिभाषा
- ❑ विदेशी मुद्रा भंडार
- ❑ विदेशी ऋण
- ❑ नियत मुद्रा व्यवस्था
- ❑ उत्प्लावित मुद्रा व्यवस्था
- ❑ प्रबंधित विनिमय दर
- ❑ विदेशी विनिमय बाजार
- ❑ भारत में विनिमय दर
- ❑ व्यापार शेष
- ❑ व्यापार नीति
- ❑ मूल्य ह्रास
- ❑ अवमूल्यन
- ❑ पुनर्मूल्यन
- ❑ अधिमूल्यन
- ❑ चालू खाता
- ❑ पूंजी खाता
- ❑ भुगतान संतुलन
- ❑ परिवर्तनीयता
- ❑ लर्म्स
- ❑ सामान्य प्रभावी विनिमय दर

* डब्ल्यूटीओ के अनेक दस्तावेज, जिन्हें विश्व बैंक एवं ओईसीडी ने कई बार स्वीकार किया।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

- ❑ वास्तविक प्रभावी विनिमय दर
- ❑ ईएफएफ
- ❑ भारत पर आईएमएफ की शर्तें
- ❑ कड़ी मुद्रा
- ❑ मुलायम मुद्रा
- ❑ उष्ण मुद्रा
- ❑ ऊष्मित मुद्रा
- ❑ सस्ती मुद्रा
- ❑ महंगी मुद्रा
- ❑ विशेष आर्थिक क्षेत्र
- ❑ जी.ए.ए.आर.
- ❑ विदेशी मुद्रा उधारी में जोखिम
- ❑ भारत का बाह्य निष्पादन
- ❑ व्यापार को बढ़ाने के लिए नए कदम
- ❑ विनिमय दर निगरानी
- ❑ भारत के आरटीए
- ❑ नई विदेश व्यापार नीति, 2015
- ❑ अंतर–प्रशांत भागीदारी
- ❑ ट्रांस अटलांटिक व्यापार एवं निवेश साझेदारी
- ❑ अवैश्वीकरण और भारत

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

परिभाषा (DEFINITION)

किसी अर्थव्यवस्था की वे सभी आर्थिक गतिविधियां जो विदेशी मुद्रा में संपन्न होती हैं उसका वैदेशिक क्षेत्र कहलाता है।[1] निर्यात, आयात, विदेशी निवेश, विदेशी ऋण, चालू खाता, पूँजीगत खाता, भुगतान संतुलन, इत्यादि वैदेशिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण मदें हैं।

विदेशी मुद्रा भंडार (FOREX RESERVES)

किसी अर्थव्यवस्था के समय विशेष में कुल विदेशी मुद्रा को ही **विदेशी मुद्रा परिसम्पत्ति/भंडार कहा** जाता है। फोरेक्स रिजर्व ('फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व'[2] का संक्षिप्त रूप) किसी अर्थव्यवस्था की विदेशी मुद्रा परिसम्पत्ति है जिसमें सोना, एसडीआर (Special Drawing Rights) तथा आईएमएफ में रिजर्व ट्रैंच (Reserve Tranche)[3] हैं। एक अर्थ में वह ऊपरी सीमा है जहाँ तक कोई अर्थव्यवस्था सामान्य समय में विदेशी मुद्रा का प्रबंध कर सकती है।

भारत के विदेशी विनिमय भंडार की वर्तमान (*आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18* के अनुसार)। स्थिति निम्न प्रकार है:

- जनवरी 12, 2018 को भारत का विदेशी विनिमय भंडार 413.8 अरब अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर था (जो मार्च 2017 से अब तक 10.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है)। इसमें भारत का स्वर्ण भंडार (21 अरब अमेरिकी डॉलर) एवं भारत का आई.एम.एफ. का विशेष आहरण अधिकार (SDRs) भी शामिल (13.1 अरब डॉलर, 'रिजर्व ट्रांश' को शामिल करके) है।
- यह भारत को 11.1 महीनों का आयात कवच (import cover) उपलब्ध कराता है (मार्च 2017 में यह 11.7 महीनों का था)।
- जहां विश्व की बहुधा वृहत् अर्थव्यवस्थाएं चालू खाते के घाटे से जूझ रही हैं वहीं भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में विश्व के वृहतम् देशों में से एक है-विश्व का ***छठा*** सबसे बड़ा विदेशी विनिमय भंडार।

ईष्टतम विदेशी मुद्रा-पहेली (Optimum Forex – The Riddle)

हाल के दिनों में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के ईष्टतम स्तर पर एक बहस छिड़ी थी। भारतीय रिजर्व बैंक को विनिमय दर के नकारात्मक जोखिम के बारे में पता है, जैसा कि अमेरिकी डॉलर खरीदने की इसकी कार्रवाई से परिलक्षित होता है। आधिकारिक तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक न तो और न ही किसी एक विदेशी मुद्रा भण्डार को लक्ष्य बनाता है (किसी विशेष विनिमय दर को) और सिर्फ विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिरता कम करने के लिए इसके द्वारा ऐसे हस्तक्षेप किए जाते हैं। लेकिन कमजोर रुपए का समर्थन करने के लिए अंततः आरबीआई को डॉलर खरीदने पड़ते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है। हालांकि वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहाकार ने स्पष्ट रूप से ऐसे अभिवृद्धि भंडार के बारे में बताया जिस पर सरकार विचार कर रही हैं। चीन का उदाहरण देते हुए *आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15* कहता है कि, भारत 750 अरब अमेरिकी डॉलर से 1000 अरब अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार का लक्ष्य बना सकता है।

आज चीन वास्तव में वित्तीय परेशानियों का सामना कर रही सरकारों के लिए अंतिम उपाय के रूप में उधारदाता बन गया है। चीन अपने स्वयं के विधार्मिक और कई मायनों में, अपने भंडार के परिणामस्वरूप आईएमएफ और विश्व बैंक दोनों की भूमिकाएं संभाले हुए है। भारत के लिए सवाल है क्या एक बढ़ती हुई आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में इसे भी अपने भंडार को और बड़ा करने पर विचार करना चाहिए?

1. Based on J.E. Stiglitz and C.E. Walsh, ***Economics***, (New York: W.W. Norton & Company, 2006), pp. 757-58..
2. Based on P.A. Samuelson and W.D. Nordhaus, ***Economics***, (New Delhi: Tata McGraw Hill, 2005), p. 604.
3. Ibid., pp. 605–07.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

जब डॉलर के मुकाबले रुपया अस्थिर हो जाता है तब विदेशी मुद्रा भंडार एक बीमा के रूप में काम करता है, ऐसा करने में लागत लगती है। जब आरबीआई तुरंत डॉलर खरीदता है, इससे प्रणाली में रुपए का संचार होता है जो अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के प्रभाव छोड़ता है चूंकि आरबीआई मुद्रास्फीति दबाव बनाने के लिए इस तरह के कार्य नहीं करता इसलिए यह स्पॉट खरीद को आगे के लिए परिवर्तित कर देता है। इस तरह आगे के प्रीमियम के कारण यह एक प्रत्यक्ष लागत है। यदि आरबीआई अतिरिक्त तरलता के लिए खुले बाजार परिचालन (OMOs) का विकल्प चुनता है तो उसमें भी लागत शामिल होती है।

आरबीआई इन डॉलरों को अमेरिकी ट्रेजरी जैसे साधनों में निवेश करता है, जो कि कम बढ़त के कारण नगण्य रिटर्न देते हैं। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह अपरिहार्य खर्च है डॉलर परिसंपत्तियों की तुलना में रुपए की परिसंपत्तियों से कम रिटर्न मिल पाता है लेकिन आरबीआई निवेश प्रबंधन में नहीं है, बल्कि यह प्रणाली में स्थिरता बनाए रखने के लिए वहां है।

अगस्त 2014 में, तत्कालीन आरबीआई प्रमुख रघुराम राजन ने माना कि विदेशी मुद्रा भंडार पाने के लिए कीमत लगती है भारत को अपने विदेशी मुद्रा भंडारों के लिए कुछ भी नहीं मिलता है वास्तव में इस तरह भारत दूसरे देश को वित्त पोषित करता है जब उसे बहुत अधिक वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। यह बताना मुश्किल है कि आरबीआई द्वारा पर्याप्त समझे जाने वाले विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर क्या है। यद्यपि इसमें लागत शामिल है, फिर भी लाभ प्राप्त करने के लिए लगी लागत की मात्रा को किसी भी मॉडल द्वारा नहीं निर्धारित किया जा सकता। वैश्विक स्तर पर भंडार की पर्याप्तता पर कोई अध्ययन नहीं किया गया है। ऐसे माहौल में, आरबीआई को अनुभवों पर आगे बढ़ना होगा।

विदेशी ऋण (External Debt)

आर्थिक सुधारों के काल में भारत द्वारा अपने भुगतान संतुलन का प्रबंधन कुशलतापूर्वक किया गया है तथा इसका धनात्मक प्रभाव इसके विदेशी ऋण के चरित्र पर भी पड़ा है। वर्ष 2017-18 (मार्च-सितंबर) में भारत के विदेशी ऋण (*आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18* के अनुसार) की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार रहीं:

- सितंबर 2017 तक भारत का सकल विदेशी ऋण 495.7 अरब अमेरिकी डॉलर था (मार्च 2017 से 5.1 प्रतिशत की वृद्धि)।
- दीर्घावधिक ऋणों का हिस्सा 81.3 प्रतिशत (5 प्रतिशत वृद्धि) तथा अल्पावधिक ऋणों का हिस्सा 18.7 प्रतिशत (5.4 प्रतिशत की वृद्धि) था।
- सकल ऋणों में सरकार की हिस्सेदारी 21.6 प्रतिशत (19.4 प्रतिशत की वृद्धि) थी।
- विदेशी ऋणों के 'फॉरेक्स कवर' में सुधार हुआ, जो 80.7 प्रतिशत था (78.4 प्रतिशत से बढ़कर)।
- अल्पावधिक ऋणों का हिस्सा 41.7 प्रतिशत था (41.5 प्रतिशत से बढ़कर)। विदेशी ऋणों के इस हिस्से की जानकारी होना विशेष उद्देश्य की पूर्ति करता है, जिससे अल्प समय (एक वर्ष) में ऐसे ऋणों को चुकाने के लिए कितने विदेशी विनिमय की आवश्यकता पड़ेगी इसका ज्ञान प्राप्त हो पाता है। विदेशी ऋणों की अंतर्राष्ट्रीय तुलना से यह पता चलता है कि (*विश्व बैंक के आंकड़े*) भारत का विदेशी ऋण-सकल राष्ट्रीय आय (GNI) अनुपात अभी विश्व का दूसरा निम्न है (20.4 प्रतिशत)-प्रथम निम्न चीन (12.8 प्रतिशत) है। विदेशी ऋणों के विदेशी विनिमय कवच (cover) के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में **5वां** स्थान है जबकि ऋण सर्विस दर के मामले में **8वां** निम्नतम्।

विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वैसे भारत विदेशी ऋणों के मामले में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में *तीसरा* सबसे बड़ा ऋणी देश है (चीन एवं ब्राजील के बाद) इसके अल्पावधिक ऋणों की मात्रा इसके सकल ऋणों का मात्र 18.6 प्रतिशत है (जून 2017 तक) जबकि चीन के लिए यह अनुपात 60.1 प्रतिशत है (जून 2017 तक)।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

नियत मुद्रा व्यवस्था (FIXED CURRENCY REGIME)[4]

इस व्यवस्था में IMF द्वारा सदस्य देशों की मुद्राओं की विनिमय दरों को विनियमित करने के लिए विश्व के उस समय की 5 सबसे महत्वपूर्ण विदेशी मुद्राओं (यथा—यू.के. का 'पाउंड स्टर्लिंग', यू.एस. 'डॉलर', जापानी 'येन', जर्मन 'ड्यूस मार्क' तथा फ्रांसीसी 'फ्रैंक') के टोकरे (basket) का उपयोग किया गया था। विश्व की मुद्राओं का इस 'टोकरे' के समक्ष एक मूल्य तय कर दिया जाता था, जिसे वैश्विक लेन-देन में मान्यता मिल जाती थी। इस विनिमय दर की समय-समय पर IMF द्वारा समीक्षा भी की जाती थी।

उत्प्लावित मुद्रा व्यवस्था (FLOATING CURRENCY REGIME)[5]

यह मुद्राओं के विनिमय दर निर्धारण की एक ऐसी व्यवस्था है जो बाजार की शक्तियों (market forces) पर टिकी होती है। किसी अर्थव्यवस्था की मुद्रा का विनिमय दर उसके विदेशी विनिमय बाजार में देशी और विदेशी मुद्राओं की मांग और आपूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। इस व्यवस्था का आगमन नियत मुद्रा व्यवस्था के प्रतिरोध स्वरूप हुआ है। बीसवीं सदी के साठ के दशक में (1960s) युनाइटेड किंग्डम (यू.के.) को विदेशी भुगतान का संकट बना रहा जिसके लिए इसने IMF की विनिमय दर निर्धारण की नियत मुद्रा व्यवस्था को दोषी ठहराया। वास्तव में इस मुद्रा व्यवस्था में संबंधित देशों में होने वाली मुद्रास्फीति, मुद्रा की छपाई, अवमूल्यन इत्यादि के प्रभावों को शामिल नहीं किया गया था। विनिमय दर पर इन आर्थिक प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इन कारणों से यू.के. द्वारा 1973 में नियत मुद्रा व्यवस्था का परित्याग कर दिया गया 'उत्प्लावित मुद्रा व्यवस्था' को अपनाने की घोषणा की गयी। इसके बाद IMF द्वारा सदस्य देशों को नियत (fixed) तथा उत्प्लावित (floating) मुद्रा व्यवस्थाओं में से किसी को भी चुन लेने की अनुमति प्रदान कर दी गयी। तब से आज तक अधिकतर देशों द्वारा उत्प्लावित मुद्रा व्यवस्था को ही अपनाया गया है।

अस्थाई विनिमय दर प्रणाली में, घरेलू मुद्रा को कई विदेशी मुद्राओं के मुकाबले उनके विदेशी विनिमय बाजार में कारोबार करने और अपना मूल्य खुद निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है। इस तरह की विनिमय दरों को बाजार संचालित या मूल विनिमय दर भी कहा जाता है, जो कि कई चीजों, जैसे-संबंधित अर्थव्यवस्था में घरेलू और विदेशी मुद्राओं की मांग और आपूर्ति से नियंत्रित होती हैं।

प्रबंधित विनिमय दर (MANAGED EXCHANGE RATE)

प्रबंधित विनिमय दर वास्तव में नियत एवं उत्प्लावित मुद्रा व्यवस्थाओं का एक मिश्रित स्वरूप है, जिसमें सरकारों द्वारा विदेशी मुद्रा की खरीद-बिक्री द्वारा **प्रत्यक्षतः** या मौद्रिक नीति में परिवर्तन द्वारा **परोक्षतः** हस्तक्षेप किया जाता है।[6]

वर्तमान में विश्व के अधिकतर देश इस प्रकार के विनिमय दर व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। अधिकांश देशों द्वारा उत्प्लावित मुद्रा व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन इसमें सरकारी हस्तक्षेप की गुंजाइश रखी गयी है। विनिमय दर में उग्रता (volatility) आने या उनमें अत्यधिक असंतुलन का लक्षण देखने के बाद सरकारें हस्तक्षेप करती हैं। प्रबंधित विनिमय दर व्यवस्था के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:[7]

(i) कुछ देश अपनी मुद्राओं को **'मुक्त उत्प्लावन'** (Free float) की स्थिति में छोड़ देते हैं ताकि विदेशी विनिमय बाजार में मुद्राओं की माँग और आपूर्ति के आधार पर उनकी मुद्राओं का विनिमय दर तय हो सके। इसी विचार से बाद में उत्प्लावित मुद्रा व्यवस्था का उद्भव हुआ।

4. Ibid., pp. 610–11.
5. Ibid., pp. 611–15.
6. Ibid., p. 615.
7. The discussion is based primarily on Samuelson and Nordhaus, ***Economics,*** 613–15 and D. Salvatore, ***International Economics*** (New Jersey: John Wiley & Sons, 2004) pp. 717–22.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

यू.एस. एवं यूरोपीय संघ को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है।

(ii) कुछ अर्थव्यवस्थाओं द्वारा प्रबंधित, लेकिन लचीली व्यवस्था का अनुसरण किया जाता है। आमतौर पर इनके द्वारा उत्प्लावित मुद्रा व्यवस्था अपनायी जाती है, लेकिन विनिमय दर को स्थिरता प्रदान करने के लिए सरकारें विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा की खरीद-बिक्री करती हैं। कनाडा और जापान इस श्रेणी के प्रमुख देश हैं। भारत की **'द्वैध विनिमय दर'** (dual exchange rate) व्यवस्था भी इसी श्रेणी में आती है, जिसे भारत द्वारा वर्ष 1992-93 से अपनाया जा रहा है।[8]

(iii) कुछ अर्थव्यवस्थाओं द्वारा (साधारणतया छोटी अर्थव्यवस्थाएँ) अपनी मुद्रा की विनिमय दर को किसी एक विदेशी मुद्रा या विदेशी मुद्रा के टोकरे से 'पेग' (Peg) कर दिया जाता है। यह नियत मुद्रा व्यवस्था की तरह है, जिसे **'मुद्राओं की पेगिंग'** (pegging of currencies) कहा जाता है। 'पेगिंग' के बावजूद भी संबंधित देश अपनी मुद्रा के विनिमय दर में यथावश्यकता परिवर्तन कर सकता है। हाल का ऐसा उदाहरण चीन है जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है तथा इसने अपनी मुद्रा को अमेरिकी डॉलर से 'पेग' किया हुआ है। यह अमेरिका-चीन विवाद का भी एक मुद्दा बना हुआ है। इसी तरह से मुद्रा की विनिमय दर को **'हार्ड फिक्स'** (Hard Fix) द्वारा भी निर्धारित होने के लिए छोड़ा जाता है, जिसकी निगरानी एक 'करेंसी बोर्ड' (Currency Board) करता है। जहां हांगकांग में करेंसी बोर्ड सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है, वहीं अर्जेंटीना में यह वर्ष 2002 में असफल हो गया।

8. Ministry of Finance, ***LERMS, Union Budget 1992–93,*** (New Delhi: Government of India, 1992).

विदेशी विनिमय बाजार (FOREIGN EXCHANGE MARKET)

वह बाजार जहाँ विभिन्न विदेशी मुद्राओं की खरीद-बिक्री की जाती है, विदेशी विनिमय बाजार कहलाता है।[9] विदेशी लेन-देन को संपन्न किया जा सके इसके लिए विश्व की मुद्राओं की विनिमय दर तय होना आवश्यक है, जो विदेशी विनिमय बाजार द्वारा होता है।[10] यह बाजार एक मुद्रा के दूसरी मुद्रा में मूल्य निर्धारण के लिए एक संस्थागत व्यवस्था है।[11] चाहे किसी देश की मुद्रा व्यवस्था 'नियत' हो या 'उत्प्लावित' या फिर 'हार्ड फिक्स' हो यह महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ का विदेशी विनिमय बाजार निभाता ही है।

भारत में विनिमय दर (EXCHANGE RATE IN INDIA)

भारतीय मुद्रा 'रुपया' (rupee) ऐतिहासिक तौर पर वर्ष 1928 से ही ब्रिटिश 'पाउण्ड स्टर्लिंग' (Pound Sterling) से जुड़ा था। यह व्यवस्था वर्ष 1948 तक कायम रही जब इसे IMF की ***नियत मुद्रा व्यवस्था*** के अनुसार निर्धारित होने के लिए छोड़ दिया गया तथा इसका मूल्य स्वर्ण या यू.एस. डॉलर में तय होने लगा। 1948 में 3.30 रु. को 1 अमेरिकी डॉलर के समकक्ष स्थिर किया गया था।

सितम्बर 1975 में भारत ने इस व्यवस्था की जगह IMF की नियत मुद्रा व्यवस्था को अपनाया तथा रुपये की विनिमय दर विश्व की सबसे बेहतर कड़ी मुद्राओं (Hard Currencies) के टोकरे (यू.एस. डॉलर, ब्रिटिश पाउण्ड स्टर्लिंग, जापानी येन, जर्मन मार्क तथा फ्रांसीसी फ्रैंक) के आधार पर निर्धारित करने लगा। यह एक नियत एवं उत्प्लावित मुद्रा व्यवस्थाओं के बीच की व्यवस्था थी।

वित्त वर्ष 1992-93 में, भारत अपने तरीके से फ्लोटिंग करेंसी के दौर में प्रवेश कर गया, जिसे 'दोहरी

9. Stiglitz and Walsh, ***Economics,*** p. 757.
10. Samuelson and Nordhaus, ***Economics,*** p. 604
11. D. Salvatore, ***International Economics,*** p. 7.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

विनिमय दर'[12] के रूप में जाना जाता है। रुपये के लिए दो विनिमय दरें हैं, एक 'आधिकारिक दर' और दूसरी 'बाजार दर'। यहां यह बात ध्यान रखी जानी चाहिए कि यह रुपये की हर रोज बदलती बाजार आधारित विनिमय दर है जो कि आधिकारिक विनिमय दर को प्रभावित करती है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन रिजर्व बैंक रुपये या विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति के माध्यम से विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप कर सकता है। एक और बात जो ध्यान में रखी जानी चाहिए कि कोई भी अर्थव्यवस्था आज तक फ्री फ्लोटिंग विनिमय दर का पालन नहीं कर सकी है। उन्हें विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए किसी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये बहुत अधिक अव्यावहारिकता वाला बाजार है।

व्यापार शेष (TRADE BALANCE)

किसी देश के एक वर्ष के सकल निर्यात और सकल आयात के अंतर को व्यापार शेष कहते हैं। व्यापार शेष धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। इसके धनात्मक होने पर व्यापार शेष को अनुकूल (favourable) और ऋणात्मक होने पर प्रतिकूल (unfavourable) कहा जाता है।

व्यापार नीति (TRADE POLICY)

किसी देश की वह नीति जो उसके विदेश व्यापार को निर्देशित करती है, व्यापार नीति कहलाती है। इसे 'एक्जिम पॉलिसी' (Exim Policy) या विदेश व्यापार नीति (Foreign Trade Policy) भी कहते हैं। भारत में प्रत्येक 5 वर्षों के लिए एक विदेश व्यापार नीति (FTP) की घोषणा की परंपरा रही है। इस पंचवर्षीय नीति के अंतर्गत सरकार अपनी व्यापार नीति में वैश्विक परिवेश की आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर कई परिवर्तन भी करती है।[13]

मूल्य ह्रास (DEPRECIATION)

मूल्य ह्रास शब्दावली का उपयोग घरेलू और वैदेशिक दोनों ही आर्थिक क्षेत्रों में करते हैं। घरेलू क्षेत्र में इसका उपयोग किसी भौतिक संसाधन के इस्तेमाल के दौरान होने वाली 'टूट-फूट' (wear and tear) को सूचित करने के लिए किया जाता है। वहीं वैदेशिक क्षेत्र में यह घरेलू मुद्रा के किसी विदेशी मुद्रा के समक्ष होने वाले बाजार-आधारित 'मूल्य ह्रास' को दर्शाने के लिए किया जाता है। किसी मुद्रा की विनिमय दर में ह्रास तभी संभव है, जब वह मुद्रा विनिमय दर निर्धारण की उत्प्लावित मुद्रा व्यवस्था के अंतर्गत हो।

अवमूल्यन (DEVALUATION)

जब किसी मुद्रा के मूल्य में किसी विदेशी मुद्रा के समक्ष आधिकारिक तौर पर मूल्य ह्रास कर दिया जाए तो यह अवमूल्यन है अर्थात् आधिकारिक मूल्य ह्रास (depreciation) ही अवमूल्यन है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि, बाजार आधारित अवमूल्यन ही मूल्य ह्रास है। दोनों ही प्रक्रियाओं में घरेलू मुद्रा का किसी विदेशी मुद्रा के समक्ष मूल्य ह्रास होता है।

पुनर्मूल्यन (REVALUATION)

विदेशी-विनिमय बाजार से जुड़ी इस शब्दावली का प्रयोग तब करते हैं जब किसी एक मुद्रा के मूल्य में किसी दूसरी मुद्रा के समक्ष मूल्य वृद्धि हो जाए अर्थात् यह मूल्य ह्रास या अवमूल्यन की विपरीत स्थिति को दर्शाता है, लेकिन अगर यह आधिकारिक रूप से किया गया हो तो उसे अधिमूल्यन (Revaluation) तथा बाजार द्वारा ऐसा हो तो उसे 'एप्रेसिएशन' (Appreciation) कहते हैं। 'एप्रेसिएशन' का हिंदी अर्थ भी अधिमूल्यन ही होता है, लेकिन इन शब्दावलियों का उपयोग अंग्रेजी में करने से ही सही स्थिति का संकेत मिलता है।

12. Ministry of Finance, ***LERMS.***
13. D. Salvatore, ***International Economics,*** pp. 235–36.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

अधिमूल्यन (APPRECIATION)

विदेशी मुद्रा बाजार में यदि फ्री फ्लोटिंग घरेलू मुद्रा विदेशी मुद्रा की तुलना में अपना मूल्य बढ़ाती है तो यह अधिमूल्यन है। घरेलू अर्थव्यवस्था में, एक अचल संपत्ति के मूल्य में वृद्धि देखी गई है तो इसे भी अधिमूल्यन के रूप में जाना जाता है। कोई भी सरकार विभिन्न संपत्तियों के लिए अधिमूल्यन दरें तय नहीं करती है क्योंकि वे कई कारकों पर निर्भर करती हैं जो कि दिखाई नहीं देते हैं।

चालू खाता (CURRENT ACCOUNT)

इसके दो अर्थ होते है—एक बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित होता है और दूसरा बाहरी क्षेत्र से:

(i) बैंकिंग उद्योग में किसी व्यावसायिक कंपनी के बैंक खाते को चालू खाते के नाम से जाना जाता है। खाता किसी अधिकृत व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा किसी कंपनी के नाम से चलाया जाता है, जिसमें जमाओं और निवासियों की सीमा पर खाते से प्रत्येक निकासी चैक के द्वारा होती है। व्यावसायिक कंपनियों के केवल इसी खाते पर बैंक द्वारा ओवरड्राफ्ट सुविधा या नकद-सह-क्रेडिट (सीसी खाता) की सुविधा की पेशकश की जाती है।

(ii) बाहरी क्षेत्र में, इसका अर्थ दुनिया की प्रत्येक सरकार द्वारा रखे जा रहे खाते से है जिसमें प्रत्येक तरह के लेन-देन को दर्शाया जाता है- मूल रूप से इस खाते का रख-रखाव सरकार की ओर से केन्द्रीय बैंकिंग निकाय करता है। दुनिया भर में किसी अर्थव्यवस्था का विदेशी मुद्रा में वर्तमान लेनदेन - निर्यात, आयात, ब्याज भुगतान, निजी प्रेषण और स्थानांतरण हैं।

सभी लेन-देन को आमद या बहिर्वाह (क्रेडिट या डेबिट) के रूप में दर्शाया जाता है। वर्ष के अंत में, चालू खाता सकारात्मक को अधिशेष चालू खाता कहा जाता है और नकारात्मक को घाटा चालू खाता कहा जाता है भारत में लगातार तीन साल (2000-03) की अवधि ही एकमात्र ऐसा समय था।

चालू खाता घाटे को या तो घाटे की कुल मौद्रिक राशि दर्शाकर संख्यात्मक रूप में अथवा संबंधित वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भी दिखाया जाता है। दोनों ही आंकड़ों का विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार विश्लेषण करने में उपयोग किया जाता है। अप्रैल 2014 की आरबीआई की एक विज्ञाप्ति के अनुसार, भारत के लिए चालू खाते के घाटे का वर्तमान टिकाऊ स्तर सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत है।

पूंजी खाता (CAPITAL ACCOUNT)

दुनिया की प्रत्येक सरकार एक पूंजी खाता रखती है, जो बाहरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ अर्थव्यवस्था के पूंजी के लेन-देन को दिखाता है। विदेशी मुद्रा में हर लेन-देन (आमद या निकासी) को पूंजी माना जाता है और इसे इस खाते में दिखाया जाता है-दूसरे देशों को कर्ज देना और उधारी, बैंकों की विदेशी मुद्रा जमाएं, भारत सरकार द्वारा जारी विदेशी बॉण्ड्स, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पीआईएस और क्वालिफाइड विदेशी निवेशकों का शेयर बाजार में निवेश (इस मामले में रुपया पूरी तरह से परिवर्तनीय)।

चालू खाते की तरह इस खाते में कोई घाटा या अधिशेष नहीं होता है।

भुगतान संतुलन (BALANCE OF PAYMENT–BOP)

किसी देश के एक साल में दूसरे देशों को कुल लेन-देन का परिणाम अर्थव्यवस्था का भुगतान संतुलन कहा जाता है।[14] असल में, यह एक अर्थव्यवस्था के वर्तमान और पूंजी खाते का शुद्ध परिणाम है। यह अर्थव्यवस्था के अनुकूल या प्रतिकूल हो सकता है। हालाँकि भुगतान संतुलन के नकारात्मक होने का मतलब यह नहीं है कि यह प्रतिकूल है। नकारात्मक भुगतान संतुलन अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल

14. Samuelson and Nordhaus, ***Economics,*** p. 601.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

है, यदि एक अर्थव्यवस्था नकारात्मकता की खाई को भरने में नाकाम रहती है।

एक अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन की गणना लेखाशास्त्र के सिद्धांतों से की जाती है (दोहरी प्रविष्टि बही खाता)[15] और यह एक कंपनी की बैलेंस शीट की तरह लगती है- हर प्रविष्टि को क्रेडिट (आमद) या कर्ज के रूप में दिखाया जाता है। यदि साल के अंत में परिणाम सकारात्मक हैं तो धन अपने आप ही अर्थव्यवस्था के विदेशी मुद्रा भंडार में स्थानांतरित हो जाता है और यदि परिणाम नकारात्मक हैं, तो इतनी ही विदेशी मुद्रा देश के विदेशी मुद्रा भंडार से निकल जाती है। यदि विदेशी मुद्रा भंडार भुगतान संतुलन से पैदा हुई नकारात्मकता को पूरा करने में सक्षम नहीं है तो इसे भुगतान संतुलन संकट के रूप में जाना जाता है और अर्थव्यवस्था इसे सुलझाने के लिए कई उपाय करती है, जिसमें विदेशी मुद्रा के लिए आईएमएफ के पास जाना अंतिम उपाय है।

परिवर्तनीयता (CONVERTIBILITY)

एक अर्थव्यवस्था चालू और पूंजी खाते में अपनी मुद्रा की पूर्ण या आंशिक परिवर्तनीयता की अनुमति दे सकती है। यदि सभी चालू खाता उद्देश्यों के लिए घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने की अनुमति दी जाती है, तो यह मामला पूरी तरह से चालू खाता परिवर्तनीयता का है। इसी तरह, पूंजी निकलने की स्थिति में, यदि घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में बदलने की अनुमति दी जाती है, तो यह पूरी तरह से पूंजी खाता परिवर्तनीयता का है। यदि स्थिति आंशिक परिवर्तनीयता की है, तो चालू और पूंजी खातों के उद्देश्यों के लिए सरकार द्वारा मंजूर किए गए हिस्से को विदेशी मुद्रा में बदला जा सकता है। यह हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए कि मुद्रा परिवर्तनीयता का मुद्दा सिर्फ विदेशी मुद्रा बर्हिवाह (outflow) से जुड़ा हुआ है।

भारत में परिवर्तनीयता (Convertibility in India)

भारत की विदेशी मुद्रा अर्जन क्षमता हमेशा से ही कमजोर रही है और इसलिए यहां विदेशी मुद्रा आउटफ्लो को नियंत्रित करने के लिए सभी संभव प्रावधान किए गए थे, चाहे यह चालू उद्देश्यों के लिए हों या पूंजी उद्देश्यों के लिए (कठोर फेरा कानून याद करें)। लेकिन स्थिति आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया से बदलकर पहचाने न जाने वाले स्तर तक पहुंच गई है।

चालू खाता (Current Account)

चालू खाता आज पूरी तरह परिवर्तनीय है (19 अगस्त, 1994 से लागू)। इसका अर्थ है कि किसी को वर्तमान प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा की पूरी राशि आधिकारिक विनिमय दर पर उपलब्ध कराई जाएगी और तब विदेशी मुद्रा के आउटफ्लो पर एक रोक लग सकती है (पहले यह आंशिक रूप से परिवर्तनीय था)। आईएमएफ के अनुच्छेद VIII के तहत भारत ऐसा करने के लिए बाध्य है। अनुच्छेद आठ मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन पर विनिमय पाबंदियों को लगने से रोकता है (ध्यातव्य है कि भारत 1991 से ही आईएमएफ की शर्तों को मान रहा है)।

पूंजी खाता (Capital Account)

पूंजी खाता परिवर्तनीयता पर एसएस तारापोर समिति (1997) की सिफारिशों के बाद, भारत इस खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता की अनुमति देने की दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन आवश्यक सावधानियों के साथ। पूंजी खाते में भारत अब भी आंशिक परिवर्तनीयता (40:60) वाला देश है, लेकिन इस समग्र नीति के अंदर, विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं के कुछ स्तरों के लिए पर्याप्त सुधार किए गए हैं, यह वह अर्थव्यवस्था है जो पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता की अनुमति देती है:

(i) भारतीय कंपनियों को 50 करोड़ डॉलर तक के विदेशी वेंचर्स को ऑटोमैटिक मार्ग से पूर्ण

15. It means that each external transaction is recorded/entered twice—once as a credit and once as a debit of an equal amount. This is because every transaction has two sides—we sell something and we receive payment for it, similarly we buy something and we have to pay for it (See Salvatore, ***International Economics,*** p. 432).

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

परिवर्तनीयता की अनुमति है (लिमिटेड कंपनियों को विदेशों में निवेश की अनुमति है)।

(ii) भारतीय कंपनियों को उनकी विदेशी वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) ऑटोमैटिक मार्ग से समय पूर्व चुकाने की अनुमति है यदि कर्ज 50 करोड़ डॉलर से अधिक का है।

(iii) व्यक्तियों को विदेशी संपत्ति, शेयरों इत्यादि में सालाना 2.5 लाख डॉलर निवेश करने की अनुमति है।

(iv) सोने की असीमित मात्रा आयात करने की अनुमति थी (यह चालू खाते के माध्यम से पूंजी खाते को पूर्ण परिवर्तनीयता की मंजूरी देने के बराबर है, लेकिन हर किसी के लिए व्यवहारिक नहीं है) जिसकी कि अब अनुमति नहीं है।

फिर से एसएस तारापोर की अध्यक्षता में पूंजी खाता परिवर्तनीयता पर बनी दूसरी समिति ने अपनी रिपोर्ट सितंबर 2006 में सौंपी, जिस पर रिजर्व बैंक/सरकार विचार कर रही है।

लर्म्स (LERMS)

भारत द्वारा 'उदारीकृत विनिमय दर व्यवस्था प्रणाली' (Liberalised Exchange Rate Mechanism System—LERMS) की घोषणा आम बजट 1992-93 में की गयी तथा इसका परिचालन मार्च 1993 से प्रारंभ हुआ। इस प्रकार भारत रुपये की विनिमय दर के निर्धारण के लिए नियत मुद्रा व्यवस्था (Fixed currency regime) से उत्प्लावित मुद्रा व्यवस्था (floating currency regime) की ओर अग्रसर हुआ।

भारत 'द्वैध विनिमय दर' (dual exchange rate) व्यवस्था को अपनाता है, जिसमें रुपये की दो विनिमय दर होती हैं– एक आधिकारिक तथा दूसरा बाजार आधारित (market driven)।[16] बाजार आधारित विनिमय दर रुपये के वास्तविक विनिमय दर का रुझान दर्शाता है तथा बाजार द्वारा निर्धारित विनिमय दर ही अंततः आधिकारिक विनिमय दर को निर्देशित करती है।

16. Ministry of Finance, **LERMS**, Union Budget 1992-93, GoI, MoF, N. Delhi.

सामान्य प्रभावी विनिमय दर (NEER)

सामान्य प्रभावी विनिमय दर (Nominal Effective Exchange Rate—NEER) भारतीय रुपये का भारत के प्रमुख व्यापार साझेदारों की मुद्राओं के समक्ष भारित औसत (weighted average) विनिमय दर है। इस विनिमय दर का निर्धारण भारत तथा इसके व्यापार साझीदारों की आर्थिक स्थितियों एवं अर्थ नीतियों से प्रभावित होता रहता है।

वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (REER)

जब मुद्रास्फीति को NEER के साथ समायोजित किया जाता है तो हमें रुपये की वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (REER) मिलती है, क्योंकि हाल के महीनों में महंगाई दर ऊंची रही है, इसलिए रुपये की वास्तविक प्रभावी विनिमय दर NEER की तुलना में अधिक है।

ईएफएफ (EFF)

विस्तारित कोष सुविधा (Extended Fund Facility—EFF) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा अपने सदस्य देशों को उपलब्ध करायी जाने वाली एक सेवा/सुविधा है, जिसके अंतर्गत सदस्य देश अपने भुगतान संतुलन के संकट के समाधान के लिए किसी भी मात्रा में ऋण/सहायता ले सकता है, लेकिन इसके लिए सदस्य देश को IMF के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना होता है। इस प्रकार की IMF सहायता शर्तों पर होती है, जिसके अंतर्गत आमतौर पर सदस्य देश को अपनी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार (Structural Reform) करने पड़ते हैं। इस सुधार की आंतरिक मदें संबंधित देश की आर्थिक जांच के बाद तय की जाती हैं अर्थात् 'शर्तें' (conditions) पहले से उद्धृत नहीं होतीं और इन्हें अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन के कारणों की जांच करके तय किया जाता है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

भारत द्वारा IMF के साथ यह ज्ञापन 1981-82 में किया गया। तब से लेकर भारत अपने भुगतान संतुलन के संकट से निपटने के लिए कई बार EFF के अंतर्गत सहायता ले चुका है। ऐसी अंतिम सहायता भारत द्वारा 1990-91 के वित्तीय संकट के समय ली गई थी।

भारत पर आईएमएफ की शर्तें (IMF Conditions on India)

वर्ष 1990-91 की वित्तीय संकट से उत्पन्न भुगतान संतुलन संकट के समाधान के लिए भारत द्वारा IMF की EFF के अंतर्गत आर्थिक सहायता ली गयी। IMF की सुविधा भारत को जिन 'शर्तों' पर प्राप्त हुई, वे निम्न प्रकार हैं:

(i) भारतीय रुपये का 22 प्रतिशत अवमूल्यन (devaluation), जिसे दो लगातार पखवाड़े में किया गया तथा रुपये की विनिमय दर प्रति अमेरिकी डॉलर 21 रु. से गिरकर 27 रु. हुई

(ii) सीमा शुल्क की 'पीक' (peak) दर को 130 प्रतिशत के उच्च स्तर से घटाकर 30 प्रतिशत करना। इसकी पूर्ति भारत द्वारा आने वाले कई वर्षों में की गयी। इसके लाभ को देखते हुए आज भारत इसे घटाकर 20 प्रतिशत कर चुका है।

(iii) सीमा शुल्क में कटौती से होने वाले सरकार के राजस्व की हानि की पूर्ति के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जो अब Central Excise की जगह CENVAT है) को 20 प्रतिशत बढ़ाना। ऐसा करने के लिए सरकार द्वारा कर सुधारों की एक दीर्घ प्रक्रिया शुरू की गयी जो आज भी जारी है।

(iv) सरकारी व्यय (सरकार चलाने के व्यय) में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की कटौती करना (यथा—गैर-योजनागत व्यय में कमी करना – वेतन, पेंशन, सब्सिडी, ब्याज भुगतान, इत्यादि)। इस व्यय में कमी के लिए सरकार द्वारा आज भी प्रयास जारी है– सरकारी नौकरियों में कटौती, विनिवेश, पेंशन सुधार, सब्सिडी का तार्कीकरण इत्यादि।

ऊपर दी गई शर्तें, जो भारत के लिए बाध्यकारी थीं, का भारतीय कॉर्पोरेट जगत, संसद में विपक्ष और अधिकांश भारतीयों ने जोरदार विरोध किया था। लेकिन 1999-2000 के अंत तक, जब भारत ने भुगतान संतुलन की स्थिति मजबूत करने के लिए हर तर्क को देखा तो इसके लिए कोई वैचारिक विरोध नहीं था। यह हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए कि भारत ने जिस तरह के संरचनात्मक सुधार किए हैं, वे आईएमएफ की इन पूर्व शर्तों से निर्देशित और निर्धारित थे।

इस तरह संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था की भुगतान संतुलन की स्थिति को मजबूत करने की प्रक्रिया में किस तरह एक अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक सुधारों की दिशा आईएमएफ ने विनियमित की हैं। भारत ने न केवल इन शर्तों को पूरा किया है, बल्कि वह इन पर आगे भी बढ़ा है।

कड़ी मुद्रा (Hard Currency)

विश्व की वे मुद्राएँ, जिनकी आवश्यकता सभी देशों को होती है, कड़ी मुद्रा कहलाती हैं। इन मुद्राओं में विश्व के देशों द्वारा उच्च विश्वास जताया जाता है तथा इनकी हमेशा कमी बनी रहती है। उन देशों, जिनका न सिर्फ निर्यात उच्च हो बल्कि विविधिकृत हो तथा साथ ही उनका निर्यात विश्व के दूसरे देशों के लिए अनिवार्य आयात (compulsory import) हो, की मुद्रा एक कड़ी मुद्रा होने की सारी शर्तें पूरी करती है। वर्तमान समय में उच्च तकनीकी, प्रतिरक्षा उत्पाद, जीवनरक्षक दवाएँ, पेट्रोलियम एवं इसके उत्पाद ऐसी मदें हैं, जिनका निर्यातक देश विश्व को अपने पर निर्भर रख सकता है तथा फिर सभी देशों को इसकी मुद्रा की जरूरत पड़ेगी (आयात के लिए) और इस प्रकार इसकी मुद्रा 'कड़ी मुद्रा' बन जाएगी।

द्वितीय विश्व युद्ध तक विश्व की सबसे बेहतर कड़ी मुद्रा ब्रिटिश 'पाउण्ड स्टर्लिंग' थी, लेकिन इसके बाद जल्द ही यह दर्जा अमेरिकी 'डॉलर' को प्राप्त हुआ। यूरोपीय संघ (यूरोलैंड) की मुद्रा '**यूरो**' (Euro) के आने के बाद विशेषज्ञों की राय थी कि जल्द ही यह अमेरिकी डॉलर की

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

जगह ले लेगा, लेकिन वैश्विक वित्तीय संकट के पश्चात् इसकी स्थिति भी अच्छी नहीं है। हाल में चीन की मुद्रा 'युआन' (चीनी भाषा में वहां की मुद्रा को 'रेनमिम्बी' कहा जाता है) के भी कड़ी मुद्रा के रूप में उभरने की राय जाहिर की गयी। वर्तमान में अमेरिकी डॉलर ($), ब्रिटिश पाउण्ड स्टर्लिंग (£), जापानी येन (¥) तथा यूरो (€) विश्व की सबसे बेहतर कड़ी मुद्राएँ हैं तथा विश्व के देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार को इन्हीं मुद्राओं में रखना चाहते हैं। इनमें अमेरिकी डॉलर आज भी सबसे आकर्षक कड़ी मुद्रा है।

मुलायम मुद्रा (Soft Currency)

वह मुद्रा जो किसी देश के विदेशी विनिमय बाजार में **आसानी** से उपलब्ध हो, मुलायम मुद्रा है। उदाहरण के लिए भारतीय विदेशी विनिमय बाजार में रुपया। लेकिन इसका उपयोग इस तरह नहीं होता। अगर भारत के विदेशी विनिमय बाजार में रुपये का मूल्य गिर रहा हो तब इसे ऐसा कहना उचित रहता है। कड़ी मुद्रा की स्थिति मुलायम मुद्रा के ठीक विपरीत होती है (यह **मुश्किल** से उपलब्ध होती है)।

उष्ण मुद्रा (Hot Currency)

विदेशी विनिमय बाजार से जुड़ी यह शब्दावली किसी कड़ी मुद्रा का तात्कालिक नाम है अर्थात् यह कड़ी (Hard) मुद्रा है। किसी भी कारण से अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था से कड़ी मुद्रा का बाह्य पलायन (Out Flight) हो रहा हो तो उस समय वह कड़ी मुद्रा उष्ण मुद्रा कही जाती है। उदाहरण के लिए, वित्तीय संकट के बाद विदेशी निवेशकों ने यूनान (ग्रीस), पुर्तगाल तथा स्पेन से अपने निवेश को तेजी से वापस लेना प्रारंभ किया। अमेरिकी डॉलर में होने वाली यह निवेश निकासी (Investment Exit) इन देशों में अमेरिकी डॉलर को उष्ण मुद्रा का दर्जा देती है।

ऊष्मित मुद्रा (Heated Currency)

जब किसी कारण से किसी अर्थव्यवस्था से कड़ी मुद्राओं का तेज पलायन (exit) होने लगे तो घरेलू मुद्रा में तेज मूल्य ह्रास (depreciation) होता है – इस स्थिति में वह घरेलू मुद्रा ऊष्मित मुद्रा कहलाता है। इसे 'करेंसी अंडर हीटिंग' (Currency Under Heating) तथा 'करेंसी अंडर हैमरिंग, (Currency Under Hammering) भी कहते हैं।

सस्ती मुद्रा (Cheap Currency)

इस शब्दावली का प्रयोग अर्थशास्त्री जे. एम. केन्स (J.M. Keynes) द्वारा किया गया था। जब सरकार द्वारा अपने बॉण्ड को उनकी परिपक्वता (maturity) अवधि के पूर्व वापस खरीद की जाए (परिपक्वता मूल्य पर) तो इस प्रक्रिया से अर्थव्यवस्था में जो धन प्रवाहित होता है उसे 'सस्ती मुद्रा' कहते हैं। इसका तात्पर्य यह प्रदर्शित करना है कि उस समय धन जुटाना सरकार के लिए सस्ता बना हुआ है (सरकारी बॉण्ड सरकार द्वारा कर्ज उठाने के लिए जारी किया जाता है)। इसे 'चीप मनी' (Cheap Money) भी कहते हैं। इस शब्दावली का उपयोग बैंकिंग व्यवसाय में भी होता है, जहां यह सस्ती ब्याज दरों की अवधि को सूचित करती है।

महंगी मुद्रा (Dear Currency)

इस शब्दावली को अन्य अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रचलित किया गया (यह जे.एम. केन्स की शब्दावली नहीं है)। जब सरकार बॉण्ड जारी करती है तो जिस मुद्रा का प्रवाह सरकार के कोष में होता है उसे 'महंगी मुद्रा' कहते हैं। यह सरकार के पास धन की कमी की स्थिति दर्शाता है। इसे 'डीयर मनी' (Dear Money) भी कहते हैं।

बैंकिंग व्यवसाय में इस शब्दावली का अर्थ अपेक्षाकृत बढ़ी हुए ब्याज दरों की अवधि दर्शाता है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zone)

विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) नीति की घोषणा सरकार द्वारा वर्ष 2000 में की गई थी जिसे विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम के द्वारा मजबूती प्रदान की गई। इसका मुख्य उद्देश्य देश में विकास एवं वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए मुख्यत: 'निर्यात के केंद्र' का विकास करना है। एक

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

विचार के तौर पर यह कोई नई बात नहीं थी। भारत ने वर्ष 1965 में ही कांडला में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (ईपीजेड) की स्थापना की थी। बाद में इस विचार को 'निर्यातोन्मुख इकाइयों' (ईओयू) के द्वारा एक अलग प्रोत्साहन मिला। जब एक अधिनियम के द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति कार्यरूप में परिणित हुई, तो ईओयू और ईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में परिणित होने के लिए मुक्त थे।

विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना या तो भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा बल्कि यहां तक कि निजी क्षेत्रों के द्वारा, अर्थव्यवस्था के सभी तीन क्षेत्रों, कृषि, उद्योग एवं सेवाओं में की जा सकती है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक, देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के उद्देश्यों में शामिल हैं:

(i) अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का निर्माण;
(ii) माल एवं सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना;
(iii) घरेलू एवं स्वदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा देना;
(iv) रोजगार के अवसरों का सृजन, एवं;
(v) बुनियादी सुविधाओं का विकास।

देश में एसईजेड को मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा हाल के दिनों (मार्च 2017 तक) में उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:[17]

- बहु-उत्पाद एवं क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र के मामलों में नए विशेष आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के लिए जमीन की न्यूनतम आवश्यकता को 50 प्रतिशत कम कर दिया गया।
- एक ही क्षेत्र के अंतर्गत समान एवं संबंधित क्षेत्र को शामिल करने के लिए 'सेक्टोरल ब्रॉड बैंडिंग' का सूत्रपात किया गया।
- एसईजेड में कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नया 'कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण' (वर्ष 2016 के अंत तक खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश की मंजूरी देकर बड़ा सहारा दिया गया और उम्मीद की गई कि इससे इस क्षेत्र को तगड़ी मदद मिल पाएगी) क्षेत्र पेश किया गया।
- एसईजेड का संचालन अपेक्षाकृत ज्यादा व्यवहार्य बनाने के लिए एसईजेड एवं गैर-एसईजेड संस्थाओं द्वारा सुविधाओं के दोहरे, जैसे कि सामाजिक एवं वाणिज्यिक आधारभूत सुविधाएं, के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है।
- व्यापार करना आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए एसईजेड से संबंधित विभिन्न जरूरी प्रक्रियाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई।
- एसईजेड को मदद पहुंचाने के लिए एसईजेड मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया ताकि एसईजेड ऑन लाइन सिस्टम पर पैसों की लेनदेन की अद्यतन स्थिति पता किया जा सके। (जनवरी 2017 से उपयोग में)।

मार्च 2017 तक सरकार एसईजेड की स्थापना के लिए 405 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर चुकी थी (इसके अलावा भारत सरकार के 7 एसईजेड एवं राज्य सरकार एवं निजी क्षेत्र के 11 एसईजेड, जिसकी स्थापना मुख्यत: एसईजेड अधिनियम 2005 के कार्यान्वयन के लिए थी) जिसमें से 206 एसईजेड आज कार्यरत हैं। आज एसईजेड में 4.06 लाख करोड़ रुपयों का निवेश किया जा चुका है और इससे 23 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए जा चुके हैं। इनका भारत के कुल निर्यात में 23 प्रतिशत हिस्सा है।

हाल के दिनों में, एसईजेड ने वैश्विक आर्थिक मंदी की वजह से अपना मूल तालमेल खो दिया है, जिसने विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बड़ी मंदी का पीछा किया। इस बीच, सरकार उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है।

हाल के दिनों में वैश्विक अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती का इन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बहरहाल, सरकार इसे प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है।

17. **Ministry of Commerce and Industry**, Government of India, N. Delhi, March 2017.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

जी.ए.ए.आर. (GAAR)

मूल रूप से प्रत्यक्ष कर संहिता 2010 में प्रस्तावित 'गार' (जनरल एंटी-एवोएडेंस रूल्स) करों से बचने के लिए विशेष रूप से की गई व्यवस्था या लेन-देन पर लक्षित है सरकार ने 'गार' की शुरूआत पहले करने का निर्णय किया था और इसे वित्तीय वर्ष 2013-14 से लागू करने का फैसला किया था। 30 से अधिक देशों में इस तरह की कर चोरी को रोकने के लिए अपने संबधित कर संहिताओं में गार के प्रावधानों को शामिल किया गया है।

गार के प्रावधानों का उद्देश्य सब्सटेंस ऑवर फॉर्म के सिद्धान्त को कूटबद्ध करना है जहां पार्टियों का किसी वास्तविक इरादा और उद्देश्य उस लेन-देन अथवा व्यवस्था के कानूनी ढांचे की परवाह किये बिना कर परिणाम का निर्धारण करने के लिए ध्यान में रखा जाता है

यह ऐसी जगह अनिवार्य रूप से लागू होता जहां व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अथवा मुख्य उद्देश्यों में एक का उद्देश्य कर लाभ प्राप्त करना होता है और जो निम्नलिखित चार परीक्षणों में से कम-से-कम एक को संतुष्ट करता हो:

(i) व्यवस्था अधिकारों और बाध्यताओं का निर्माण कर रही है जो एक हाथ की दूरी पर है;

(ii) इसका परिणाम कर कानूनों के प्रावधानों का दुरुपयोग हो;

(iii) वाणिज्यिक अवयवों की कमी हो अथवा ऐसा समझा जाए कि वाणिज्यिक अवयवों की कमी है, अथवा;

(iv) इसे एक प्रामाणिक ढंग से न किया गया हो।

इस प्रकार, यदि कर अधिकारी संतुष्ट हो कि किसी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अथवा मुख्य उद्देश्यों में से एक का उद्देश्य कर लाभ प्राप्त करना है और यदि उपरोक्त चार परीक्षाओं में एक भी संतुष्ट है, तो कर अधिकारी को इसे अवैध परिहार व्यवस्था घोषित करने का अधिकार है और पूरे लेन-देन को इस तरीके से पुन: चिन्हित करने का अधिकार है, जो कि अधिकतम कर राजस्व के लिए अनुकूल है। इस प्रावधान में बहुत-से ऐसे परेशान करने वाले पहलू है, जो भारत में व्यापार करना कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण बना देंगे, जो कि पहले से ही एक कर परिप्रेक्ष्य से है:

(i) यह माना जाता है कि कर लाभ प्राप्त करना किसी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है जब तक कि करदाता इसे अन्यथा सिद्ध नहीं कर देता। यह एक ऐसा महती बोझ है जिसे कानून के निष्पक्ष नियम के तहत राजस्व कलेक्टर के द्वारा वहन किया जाना चाहिए न कि कर दाता के द्वारा। वास्तव में प्रत्यक्ष कर संबंधी संसदीय स्थाई समिति ने विशेष रूप से यह सिफारिश की है कि कर-परिहार उद्देश्य के मकसद को साबित करने और यह कि किसी व्यवस्था में वाणिज्यिक अवयव की कमी है, की जिम्मेदारी गार लागू करने वाले राजस्व की होनी चाहिए और कर दाता पर नहीं थोपी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि गार जैसे व्यापक पहुंच वाले प्रावधानों को लागू करने से पहले राजस्व अधिकारियों ने समुचित विवेक, मस्तिष्क का समुचित उपयोग किया है और पर्याप्त विश्वसनीय आंकड़े तथा सबूत एकत्र किए हैं।

(ii) गार के अंतर्गत किसी व्यवस्था को वाणिज्यिक अवयव से रहित समझा जाएगा यदि किसी परिसंपत्ति का या लेन-देन का स्थान अथवा किसी पार्टी के निवास का स्थान ऐसी जगह है जिसे कर लाभ हासिल करने के उद्देश्य के सिवा किसी खास वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए वहां स्थापित न किया जाता। फिर से यह एक आश्चर्यजनक विस्तृत प्रावधान है जो भारत के संबंध में किए जाने वाले लगभग प्रत्येक आने वाले अथवा बाहर जाने वाले लेन-देन को चुनौती देने के लिए कर अधिकारियों के शस्त्रागार में एक बड़ा हथियार उपलब्ध कराता है। स्थाई समिति को वित्त मंत्रालय के दिए गए जवाबों में से एक से सरकार का इरादा स्पष्ट

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

तौर पर जाहिर हो जाता है जहां यह स्पष्ट किया गया है कि भारत में कर के भुगतान से बचने के लिए कर दाता द्वारा संधि का लाभ उठाने की जांच गार प्रावधानों द्वारा की जाएगी।

(iii) गार कर अधिकारियों को किसी व्यावसायिक व्यवस्था अथवा लेन-देन को अवैध परिहार व्यवस्था ठहराने की अनुमति देना है यदि उन्हें प्रतीत होता है कि मुख्य रूप से करों से बचने के लिए ऐसा किया गया है। एक बार किसी व्यवस्था को 'अवैध' ठहराने के बाद कर अधिकारी कर लाभ से इंकार कर सकते हैं। ज्यादातर आक्रामक कर परिहार व्यवस्थाओं के सामने अवैध ठहराए जाने का जोखिम होगा। इसमें एक प्रावधान है, जिसके अनुसार किसी व्यवस्था को 'अवैध' ठहराने की जिम्मेदारी कर विभाग की होगी। गार पैनल, जो कानून लागू होने पर निर्णय करने वाली अंतिम ईकाई है, में एक स्वतंत्र सदस्य होगा। यह नियम घरेलू के साथ-साथ विदेशी लेन-देन पर भी लागू होगा

(iv) गार एक विस्तृत आधार वाला प्रावधान है और इसे आसानी से ज्यादातर कर बचाने वाली व्यवस्था पर लागू किया जा सकता है। बहुत से विशेषज्ञ मानते हैं कि इस प्रावधान से कर अधिकारियों को निरंकुश अधिकार प्राप्त होंगे, जिससे वे किसी भी कर बचत वाले सौदे पर सवाल उठा सकेंगे। विदेशी संस्थागत निवेशक भी चिन्हित है कि मॉरीशस के माध्यम से किए जा रहे उनके निवेशों पर भारत मॉरीशस कर संधि के तहत उन्हें मिल रहे कर लाशों से उन्हें वंचित किया जा सकता है। इस प्रस्ताव (8 मई, 2012 को घोषित) ने शेयर बाजार को गिरा दिया क्योंकि चिंताओं की वजह से एफआईआई के धन का प्रवाह कम हो गया और डॉलर के मुकाबले रुपया कम होकर 53.47 रुपए तक चला गया।

पिछले साल लिए गए फैसले के मुताबिक, सरकार ने फरवरी 2017 में वित्तीय वर्ष 2017-18 से गार लागू करने की घोषणा की। अंशधारकों के साथ सभी विमर्श पूरा हो चुका है और इसके लिए नियामक प्रारूप के वर्ष 2017 के मार्च के आखिर तक घोषित होने की संभावना है।

विदेशी मुद्रा उधारी में जोखिम (RISK IN FOREIGN CURRENCY BORROWINGS)

भारत और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में कॉरपोरेट ऋण लेने वाले कम ब्याज और लंबे समय के लिए उधार का लाभ लेने के लिए विदेशी मुद्रा में उधार लेने के लिए उत्सुक रहते हैं। ऐसी उधारी, तथापि, हमेशा सहायक नहीं रहती, खासकर मुद्रा में भारी उतार-चढ़ाव के समय में। अच्छे समय के दौनों घरेलू उधार लेने वाले तीन लाभों का फायदा ले सकते हैं:

(i) कम ब्याज दर;

(ii) लंबे समय तक परिपक्वता, और;

(iii) पूंजीगत लाभ।

घरेलू मुद्रा के सुधार के चलते ऐसा तब होगा जब स्थानीय मुद्रा में भारी आंतरिक पूंजी प्रवाह और स्थानीय मुद्रा में ऋण सेवा उत्तरदायित्व मे कमी के कारण, सुधार होगा। इसका विपरीत तब होता है जब संकटपूर्ण स्थितियों के कारण पूंजी बाहर जाने के चलते स्थानीय मुद्रा का अवमूल्यन होता है, जैसा 2008 की वैश्विक मंदी के दौरान हुआ था।

स्थानीय मुद्रा में भारी गिरावट का अर्थ है—संबंधित ऋण सेवा उत्तरदायित्व में बढ़ोतरी, क्योंकि ऋण सेवा भुगतानों के लिए उसी राशि की विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए अधिक स्थानीय मुद्रा की आवश्यकता होगी। इसके कारण लाभ अंतर में क्षरण होगा और इसके कॉरपोरेट के फिर मार्केट-टू-मार्केट निहितार्थ होंगे। इससे ऋण अधिकता की समस्या भी होगी, क्योंकि स्थानीय मुद्रा संदर्भो में ऋण की मात्रा बढ़ जाएगी। साथ ही, इन कारकों से कॉरपोरेट संकट पैदा हो सकता है। खासकर इसलिए क्योंकि जब भारतीय अर्थव्यवस्था भी दबाव में होगी और कॉरपोरेट राजस्व और मार्जिन भी दबाव में होगे तो रुपए का स्पष्ट रूप से अवमूल्यन होगा।

इस संदर्भ में, यह महसूस किया गया है 2008 के वैश्विक संकट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

सुधार लाने वाले कारकों में से एक कॉरपोरेट बाहरी ऋण का स्तर कम होना था। कॉरपोरेट बैलेंस शीट के लिए रुपए के मूल्य में उल्लेखनीय गिरावट नहीं हुई इसलिए विदेशी मुद्रा उधारी के अनुबंध सतर्कतापूर्वक किए जाने चाहिए, विशेषकर तब जब कोई 'प्राकृतिक बचाव' उपलब्ध न हो। ऐसे प्राकृतिक बचाव तब काम करते है जब किसी विदेशी मुद्रा उधारी प्राप्तकर्ता के पास अपने उत्पादों के लिए निर्यात बाजार भी हो। नतीजे के रूप में, निर्यात प्राप्तियां कम-से-कम कुछ हद तक, ऋण सेवा भुगतान में निहित मुद्रा जोखिम को कम कर देगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रुपए की कीमत मे कमी होने से जिससे ऋण सेवा भुगतान बढ़ता है, की आंशिक प्रतिपूर्ति निर्माता के माध्यम से रुपए की प्राप्तियों की कीमत मे बढ़ोतरी से हो जाती है।

जब निर्यात प्राप्तियां और मुद्रा उधारी भिन्न होती है, तो निगमों के लिए विवेकी दृष्टिकोण से उसी मुद्रा में प्राकृतिक बचाव का निर्माण करने के लिए संपत्ति को और देनदारी को रि-डॉमिनेट करने के लिए मुद्रा विनिमय में प्रवेश करना है। दुर्भाग्य से बहुत सारे भारतीय निगम, जिनका विदेशी मुद्रा अर्जन कम है, विदेशी मुद्रा उधारियों को बिना बचाव के छोड़ देते हैं ताकि उन्हें कम अंतर्राष्ट्रीय ब्याज दरों का फायदा हो सके। ऊपर वर्णित कारणों से यह एक बहुत ही खतरनाक जुआ है और इससे बचना चाहिए।

भारत का बाह्य निष्पादन (INDIA'S EXTERNAL PERFORMANCE)

वर्ष 2017-18 में भारत के बाह्य क्षेत्र का निष्पादन मिश्रित रहा। इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं (अप्रैल-सितंबर) निम्न प्रकार रहीं[18]:

व्यापार परिदृश्य (Trade Scenario)

भारत की निर्यात वृद्धि (गैर-ईंधन), जो वैश्विक निर्यात वृद्धि से साधारणतया अधिक रहा है, वर्ष 2014 में ऋणात्मक क्षेत्र में चली गयी-तत्पश्चात् यह वैश्विक वृद्धि के अनुरूप बना रहा। अन्य ब्रिक्स (BRICS) देशों का प्रदर्शन भी समान रहा है। अगस्त 2017 से निर्यात में तेजी आयी, जिसमें नवंबर माह में तीव्र वृद्धि देखी गयी-लेकिन पुनः दिसंबर में इसमें अत्वरण आई। व्यापार से जुड़े महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव निम्न प्रकार रहे:

- भारत का पण्य (merchandise) निर्यात 2013-14 में 314.4 अरब अमेरिकी डॉलर था, जिसमें आने वाले दो वर्षों (1014-15 एवं 2015-16) में गिरावट दर्ज की गयी; वृद्धि दर क्रमशः 1.3 प्रतिशत एवं 15.5 प्रतिशत गिरी।
- वर्ष 2016-17 के पहले अर्द्ध-मात्रा में निर्यात वृद्धि ऋणात्मक बनी रही (-1.3 प्रतिशत)। वैसे इस वर्ष के दूसरे अर्द्ध-भाग में सुधार हुआ (5.2 प्रतिशत), जो 2017-18 में बढ़कर 12.7 प्रतिशत हुआ।
- भारत का **व्यापार घाटा** (सीमा शुल्क के आधार पर) वर्ष 2014-15 से लगातार घटता रहा है। इस वर्ष के 74.5 अरब डॉलर से घटकर 2016-17 में 43.4 अरब डॉलर हुआ। वैसे 2017-18 में इसमें तेज वृद्धि आयी (46.4 प्रतिशत) और यह 114.9 अरब डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गया-पेट्रोलियम-ऑयल-लुब्रीकेंट (पी.ओ.एल.) में 27.4 प्रतिशत था गैर-पी.ओ.एल. में 65 प्रतिशत की तेजी देखी गयी।

व्यापार साझेदार (Trading Partners)

हाल के वर्षों में भारत के प्रमुख व्यापार साझेदारों से होने वाले व्यापार में सरंचनात्मक बदलाव आते रहे हैं। इससे जुड़े प्रमुख तथ्य निम्न प्रकार हैं:

- पांच देशों जिनके साथ भारत का व्यापार संतुलन ऋणात्मक है वे हैं-चीन, स्वीट्जरलैंड, सऊदी अरब, ईराक एवं द. कोरिया। वहीं उनके साथ जिनके मामले में भारत का व्यापार संतुलन धनात्मक है वे हैं–यू.एस.ए., यू.ए.ई., बांग्लादेश, नेपाल एवं यू.के.।
- भारत का सर्वाधिक व्यापार घाटा चीन के साथ है और इसमें पिछले कुछ वर्षों में तेज वृद्धि भी

18. **Economic Survey 2017-18,** Vol. 2, Ministry of Finance, GoI, N. Delhi, pp. 82-88.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

आयी है। भारत के सकल व्यापार घाटे में इसका व्यापार घाटा वर्ष 2012-13 में 20.3 प्रतिशत, 2016-17 में 47.1 प्रतिशत तथा 2017-18 में 43.2 प्रतिशत था। भारत के चीन से होने वाले प्रमुख **आयात** हैं-टेलिफोन सेट, मोबाईल, स्वचालित डाटा प्रोसेसिंग मशीन, डायोड एवं अन्य सेमीकंडक्टर उपस्कर, इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर, रासायनिक उर्वरक, इत्यादि। वहीं चीन को होने वाले भारत के प्रमुख **निर्यात** हैं-सूती धागे, तांबा, रिफाईंड एवं तांबा मिश्र, पी.ओ.एल. मदें, ग्रेनाइट, एल्युमीनियम अयस्क, अन्य वनस्पति वसा एवं तेल, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, कपास, पॉलीमर्स एवं लौह-अयस्क।

- स्विट्जरलैंड के मामले में भारत का व्यापार घाटा मूलतः **स्वर्ण** आयात के कारण है। वैसे इसमें पिछले दो वर्षों में कमी आयी है और इस आयात का एक हिस्सा भारत निर्यात भी करता है। सऊदी अरब एवं ईराक के साथ भारत का व्यापार घाटा जहां कच्चे तेल के आयात के कारण है वहीं द. कोरिया के साथ यह बिजली मशीनरी एवं उपकरण तथा लौह एवं इस्पात के आयातों के कारण से है।

अदृश्य (Invisibles)

विश्व बैंक के अनुसार (अक्तूबर, 2017) सऊदी अरब में प्रवसित भारत के कार्मिकों की संख्या वर्ष 2015 के 3 लाख से घटकर 2016 में 1.6 लाख हो गयी (यहां से भारत को तीसरा सबसे बड़ा धन प्रेषण प्राप्त होता है। इसी प्रकार यू.ए.ई. (जहां से भारत को सर्वाधिक निजी प्रेषण प्राप्त होता है) में भी भारतीय कार्मिकों संख्या घटकर वर्ष 2016 में 1.6 लाख रह गयी (जो 2015 में 2.2 लाख थी)। बाहर से बाहर जाने वाले कार्मिकों की सकल संख्या 2016 में 5.1 लाख रह गयी, जो 2015 में 7.8 लाख थी। विदेशों में भारत के कार्मिकों की घटती संख्या के लिए कई रंचनात्मक कारक जिम्मेदार हैं-यू.एस.ए. में विदेशी कार्मिकों को काम देने से जुड़े सख्त प्रावधानों का बनाया जाना, खाड़ी सहयोग परिषद् (GCC) में बढ़ती आप्रवास (immigration) विरोधी मनोभावना (जो अन्य देशों में भी बलवती हुई हैं)। अदृश्य क्षेत्र के प्रमुख तथ्य निम्न प्रकार रहे:

- सख्त वीजा नीतियों के कारण भारतीय आई.टी. उद्योग के समक्ष अनश्चितता बनी रही फिर भी वर्ष 2017-18 में भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात में 2.3 प्रतिशत की वृद्धि आयी। विदेशी कार्यरत भारतीय द्वारा निजी प्रेषण (private remittance) लगभग 10 प्रतिशत बढ़ा तथा 2017-18 में 33.5 अरब डॉलर पर पहुंचा।
- वर्ष 2017 में भारत सीमा पार प्रेषण के मामले विश्व का अग्रणी देश रहेगा (विश्व बैंक अनुमान, अक्तूबर 2017); इसके बाद चीन, फिलीपींस एवं मैक्सिको का स्थान रहने का अनुमान है। वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में भारत में होने वाले धन-प्रेषण में वैसे 6.1 प्रतिशत की कमी आयी। इस कमी का मूल कारण क्षेत्र देशों में दबाव में चल रहे श्रम बाजार थे- जी.सी.सी. देशों को कच्चे तेल के मूल्यों में गिरावट से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में भारत की धन-प्रेषण से प्राप्त सकल मात्रा क्रमशः 65.6 अरब डॉलर एवं 61.3 डॉलर रही। वर्ष 2014-15 में भारत की धन-प्रेषण राशि 69.8 अरब डॉलर के उच्च स्तर पर थी।

व्यापार की बनावट (Composition of Trade)

वर्ष 2016-17 में भारत का निर्यात व्यापक आधार वाला रहा जब अधिकांश श्रेणियों में वृद्धि दर्ज की गयी (वस्त्र एवं संबद्ध उत्पादों तथा चर्म उत्पादों को छोड़कर)। वित्त वर्ष 2017-18 (अप्रैल-नवंबर) में निर्यात की स्थिति मिश्रित रही-अभियांत्रिक उत्पादों एवं पेट्रोलियम क्रूड में अच्छी वृद्धि; रसायन एवं वस्त्र क्षेत्र में मध्यम वृद्धि तथा रत्न एवं आभूषण क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गयी। व्यापार की बनावट से जुड़े प्रमुख पहलू निम्न प्रकार रहे:

- पी.ओ.एल. (POL) आयात में 24.2 प्रतिशत की वृद्धि आयी (पिछले वर्ष की 4.8 प्रतिशत की

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

तुलना में)। इसका मूल धारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आयी कच्चे तेल के मूल्यों में तेजी था; यह 2015-16 के 46.2 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 2017-18 में 53.6 डॉलर प्रति बैरल हो गया।

- इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद, खनिज एवं अयस्कों तथा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सभी आयातों की स्थिति या तो निम्न बनी रही या उनमें ऋणात्मक वृद्धि आयी।
- पूंजीगत वस्तुओं के आयात में सीमांत वृद्धि आयी, जबकि परिवहन उपस्कर उप-समूह के आयात में तेज वृद्धि आयी। पूंजीगत वस्तुओं के आयात में इस वर्ष 11.3 प्रतिशत की वृद्धि आयी (औद्योगिक उत्थान के लिए यह एक अच्छा संकेत था)।

आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार, आने वाले वर्ष 2018 में भारत के व्यापार के बेहतर आसार हैं। इस वर्ष के लिए अनुमानित वैश्विक व्यापार वृद्धि दर 4 प्रतिशत है (वर्ष 2017 के लिए यह अनुमान 4.2 प्रतिशत था)। दूसरी तरफ भारत के प्रमुख व्यापार साझेदार देशों की अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक वृद्धि दरों में सुधार के संकेत मिलने का भी भारत के व्यापार पर धनात्मक प्रभाव पड़ेगा। वैसे इससे भारत के धन-प्रेषण का बहिर्प्रवाह भी बढ़ सकता है (जैसा संकेत 2017-18 में प्राप्त हो रहा था)। सरकार द्वारा हाल में उठाये गए कुछ कदमों का भारतीय व्यापार का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ऐसा माना जा रहा है। इनमें जी.एस.टी. को लागू करना, संभारतंत्र (logicstics) तथा व्यापार को सुसाध्य (facilitation) बनाने की दिशा में उठाये गए नए कदम महत्वपूर्ण हैं।

व्यापार को बढ़ाने के लिए नए कदम (New Steps to Promote Trade)

पिछले कुछ समय में भारत सरकार ने व्यापार के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन नए कदमों (*मार्च 2017 तक*) का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाली कार्यप्रणाली लागू करना है। इनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं:

(i) **ई-फाइलिंग और ई-पेमेंट:** कई व्यावसायिक सेवाओं के लिए आवेदन ऑनलाइन भरे जा सकते हैं और आवेदन शुल्क इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के जरिए दिया जा सकता है। आयात और निर्यात के लिए अनिवार्य दस्तावेजों की संख्या घटाकर अब हरेक के लिए मात्र तीन कर दी गई है (जिनकी अंतर्राष्ट्रीय मानकों से तुलना की जा सकती है)।

(ii) **सीमा शुल्क के लिए एकल खिड़की:** इस परियोजना के तहत निर्यातक और आयातक इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने कस्टम्स क्लियरेंस डॉक्यूमेंट्स सीमा शुल्क विभाग के पास एक ही जगह जमा कर सकते हैं। अन्य नियामक संस्थाओं [(जैसेकि पशु संगरोध (animal quarantine), वनस्पति संगरोध (plant quarantine), ड्रग कंट्रोलर और कपड़ा समिति)] से ली जाने वाली अनुमति को ऑनलाइन ही प्राप्त किया जा सकता है इन संस्थाओं से अलग से संपर्क किए बिना।

एकल खिड़की का लक्ष्य निर्यातकों/आयातकों को कस्टम क्लीयरेंस के लिए एक ही जगह उपलब्ध करवाना है जिससे सरकारी संस्थाओं से उनका संपर्क कम होगा और व्यवसाय करने की लागत और समय बचेगा।

(iii) **24×7 कस्टम्स क्लियरेंस:** 24×7 कस्टम्स क्लियरेंस की सुविधा 18 बंदरगाहों और 17 हवाई कार्गो परिसरों में उपलब्ध करवाई गई है। इस कदम का लक्ष्य निर्यात और आयात के लिए अनुमतियां देने को तेज करना, इसमें लगने वाले समय को कम करना और कार्यवाही की लागत को कम करना है।

(iv) **कागजविहीन माहौल:** सरकार का लक्ष्य 24×7 के कागजविहीन क्रियाशील व्यापारिक माहौल की दिशा में बढ़ना है। निर्यातकों और आयातकों के प्रोफाइल में दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए एक नया केंद्र स्थापित किया गया है ताकि निर्यातकों को बार-बार दस्तावेज जमा न कराने पड़ें।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(v) **सरलीकरण:** विभिन्न आयात-निर्यात मंचों के सरलीकरण की ओर भी ध्यान दिया गया है जिससे विभिन्न प्रावधानों के बारे में स्पष्टता आई है, संशयात्मक स्थिति खत्म हुई है और इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन का विस्तार हुआ है। 2015 के उत्तरार्द्ध में डीजीएफटी (विदेश व्यापार महानिदेशक) ने एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लांच किया।

(vi) **प्रशिक्षण/पहुंच बढ़ाना:** 'निर्मल बंधु योजना', जो एक प्रशिक्षण/पहुंच बढ़ाने का कार्यक्रम है का लक्ष्य स्किल इंडिया है-इसे एमएसएमई (सूक्ष्म, छोटे और मंझोले उद्यमों) समूहों में आयोजित किया जाता है जिसमें निर्यात संवर्धन परिषद और अन्य इच्छुक 'भागीदार उद्योग' और 'सूचना भागीदार' मदद करते हैं। डीजीएफटी ने आईआईएफटी (भारतीय विदेश व्यापार संस्थान) के सहयोग से आयात-निर्यात व्यवसाय में एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट कार्यक्रम, 'निर्यात बंधुत्व आपके द्वार', शुरू किया है। मुख्य निर्यात समूहों/शहरों में मौजूद निर्यातकों के लिए वाणिज्य विभाग (डीओसी) ने एक और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इसका जोर निर्यातकों को मुक्त व्यापार अनुबंध (एफटीए) का लाभ उठाने का प्रशिक्षण देने पर है।

(vii) **राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की भागीदारी:** जुलाई 2015 में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों (यूटी) के बीच नियमित संवाद सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापार विकास और संवर्धन परिषद (सीटीडीपी) की स्थापना की गई थी ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने योग्य माहौल के उपायों पर बात कर सकें और भारत के निर्यात को बढ़ाने में सक्रिय भागीदारी निभा सकें।

(viii) प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश के अंतर्प्रवाह का 90 फीसदी अब पूर्णत: ऑनलाइन प्रक्रिया में परिवर्तित होने के साथ स्वचालित पथ के अधीन आ चुका है। सरकार ने **केंद्रीय बजट** 2017-18 में वर्ष के दौरान मल्टी-मिनिस्ट्रीयल बॉडी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) को खत्म करने का निर्णय लिया है। भविष्य में, स्वचालित पथ के अधीन नहीं आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश के प्रस्तावों को या तो संबद्ध मंत्रालय के द्वारा या नियामक बोर्ड द्वारा विनियमित किया जाएगा।

(ix) **केंद्रीय बजट** 2017-18 में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश नीति के संबंध में कालांतर में उदारीकरण के संबंध में वादा किया गया है, जिसके बारे में घोषणा साल के दौरान आने वाले वक्त में की जाएगी।

भारत सरकार ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से आग्रह किया कि अपनी निर्यात रणनीति विकसित करें, निर्यात आयुक्तों को नियुक्त करें, आधारभूत ढांचे की कमियों को दूर करें जो सामान की आवाजाही को बाधित करती हैं, वैल्यू एडेड टैक्स (वैट)/चुंगी/राज्य-स्तरीय सेस की वापसी में सहायता करें, विभिन्न तरह की अनुमतियां देने संबंधी दिक्कतों को दूर करें और निर्यात बढ़ाने के लिए नए निर्यातकों के लिए ढांचा तैयार करें।

विनिमय दर निगरानी (EXCHANGE RATE MONITORING)

हाल के दिनों में भारतीय मुद्रा के विनिमय दर में लगातार अस्थिरता देखी गई है। अतीत के किसी भी समय की तुलना में बाह्य चर ज्यादा मर्तबा बदल रहे हैं। यह भारत को दुनिया भर में विनिमय दर की गतिशीलता, इसके प्रमुख व्यापारिक भागीदारों और अपने निर्यात बाजार में उभरते प्रतिस्पर्धियों पर बारीकी से नजर रखने पर बाधित करता है। भारत को अपने विनिमय दर के नीति दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने की जरूरत है और इसमें बदलाव की ओर अग्रसर होने की आवश्यकता है। यह निम्नलिखित बिंदुओं पर विचारोपरांत और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है[19]:

19. **Economic Survey 2016-17**, Government of India, Ministry of Finance, N. Delhi, Vol. 1, pp. 23-25.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(i) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अवसर तीन प्रमुख घटनाओं के बाद दुर्लभ होते जा रहे हैं–ये हैं वैश्विक वित्तीय संकट, यूरोजोन संकट और चीन के शेयर बाजार में मंदी (2015)। 2011 के बाद से दुनिया का निर्यात–जीडीपी अनुपात घट गया है। आगे बढ़कर देखें तो अमेरिकी डॉलर में तेज वृद्धि से भारत के प्रतिस्पर्द्धियों, विशेषकर चीन और वियतनाम की मुद्राओं में गिरावट आने की उम्मीद है। पहले ही जुलाई 2015 से, डॉलर के मुकाबले यूयान में करीब 11.6 प्रतिशत (जुलाई 2015 से दिसम्बर 2016 के बीच) की गिरावट दर्ज की गई है और इसके परिणामस्वरूप यूयान के मुकाबले भारतीय रुपये के मूल्य में 6 प्रतिशत की बढोतरी हुई है। ऐसी परिस्थिति में भारत पर पूंजी प्रवाह का एक निरंतर दवाब रहा है।

(ii) विकास की उच्च दर को बनाये रखने के लिए भारत को आने वाले समय में निर्यात समर्थन की आवश्यकता होगी। और ऐसा केवल तभी संभव है जब रुपया का विनिमय दर निर्यात बाजार में प्रतिद्वंद्वियों पर प्रतिस्पर्द्धात्मक बढ़त को बनाए रख सके। वियतनाम, बांग्लादेश और फिलीपींस जैसे देशों की वृद्धि चिंता का एक नया विषय है जो भारत के कई विनिर्माण और सेवाओं में प्रतिस्पर्द्धा करता हैं।

(iii) भारत की वर्तमान विनिमय दर प्रबंधन नीति यूएई का असामान्य रूप से (भारत के निर्यात के लिए ट्रांस शिपमेंट प्वांइट होने एवं तेल के उच्च आयात के कारण) काफी तवज्जो देती है। लेकिन इस व्यापार का भारत के निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। वर्तमान में जो नीति है वह क्षेत्रवार स्थितियों और विनिमय दर के साथ उनके संबंधों की जगह समग्र व्यापार पर ज्यादा विचार करती है। इस वजह से भारत यूरो को ज्यादा अहमियत देता है; हालांकि वास्तविकता यह है कि भारत के मुख्य प्रतिस्पर्द्धी एशियाई मुल्क हैं, न कि यूरोपीय देश।

(iv) जब से विकसित देश की अर्थव्यवस्था भयानक सुस्ती की गिरफ्त में आई है, तब से हम देख रहे हैं कि उनमें से ज्यादातर देश अपरंपरागत मौद्रिक नीतियां लागू कर रहे हैं। यहां तक कि प्रभावी ब्याज दर ऋणात्मक भी देखने को मिल रहा है। एक ओर जबकि पश्चिम के केंद्रीय बैंक इसके जरिये मंहगाई और वृद्धि को धकेलने का लक्ष्य साध रहा है तो भारतीय रिजर्व बैंक इसमें संतुलन पैदा करने की कोशिश कर रहा है (मार्च 2017 तक)। ऐसी परिस्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी मौद्रिक नीति के दृष्टिकोण में व्यापक तब्दीली लाने की सलाह देना (मौद्रिक नीति कमेटी के माध्यम से) बिल्कुल सही प्रतीत हो रहा है।

भारत के आरटीए (RTAs BY INDIA)

आमतौर पर बहुपक्षीय व्यापार समझौते वैश्विक व्यापार और विकास को मजबूत करने के लिए सबसे बेहतर समाधान होते हैं क्योंकि वह गैर–भेदभाव के मूल सिद्धांत पर खड़े होते हैं। उधर आरटीए (क्षेत्रीय व्यापार अनुबंध) देशों के प्रयास होते हैं जिसका लक्ष्य आमतौर पर पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक संबंध मजबूत करना होता है और यह मोटे तौर पर राजनीतिक प्रवृत्ति के होते हैं। चूंकि डब्ल्यूटीओ के तहत बहुपक्षीय व्यापार चर्चाएं तकलीफदेह ढंग से धीमी होती हैं और इनके लिए बड़े स्तर पर एक राय बनानी पड़ती है इसलिए आरटीए का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इनका हिस्सा बढ़ रहा है।

हालांकि आरटीए मोटे तौर पर डब्ल्यूटीओ के आदेशों को मानकर चलते हैं और मोटे तौर पर डब्ल्यूटीओ प्रक्रिया का समर्थन करते हैं लेकिन वह दूसरा–श्रेष्ठ समाधान रहते हैं जो गैर–सदस्यों के प्रति स्वाभाविक रूप से भेदभाव करते हैं और गैर–प्रभावी होते हैं क्योंकि कम लागत पर उत्पादन करने वाले गैर–सदस्य सदस्यों के आगे हार जाते हैं। हालांकि द्विपक्षीय आरटीए में तो निष्पक्षता की बात ही नहीं होती, बहु–क्षेत्रीय व्यापारिक समूहों में अगर सदस्यता

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

विविधतापूर्ण है तो कोई जरूरी नहीं कि वह निष्पक्ष हों ही और छोटे देश तो दोनों स्थिति में हार ही जाते हैं। अगर वे इसका हिस्सा हैं तो उनकी बात का ज्यादा वजन नहीं होता और वे नहीं हैं तो हारने के लिए आवाज उठा सकते हैं।

भारत ने हमेशा एक मुक्त, निष्पक्ष, उम्मीद के मुताबिक, गैर-भेदभावपूर्ण और नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली का समर्थन किया है और आरटीए को मुक्त व्यापार के अंतिम उद्देश्य के लिए ढांचा तैयार करने वाला और इसके साथ ही डब्ल्यूटीओ के तहत बहुपक्षीय व्यापारिक प्रणाली का पूरक माना है।

मार्च 2017 तक भारत ने 12 एफटीए (मुक्त व्यापार समझौते) और 6 पीटीए (तरजीही व्यापार समझौते) पर हस्ताक्षर किए हैं और यह सभी लागू हो चुके थे। निर्यात और व्यापार पर आरटीए का शुद्ध प्रभाव मिला-जुला होता है और इसके विस्तृत विश्लेषण की आवश्यकता है। भारत का उत्तरोत्तर नजरिया यह रहा है कि एफटीए की चर्चा की प्रक्रिया को विस्तार दिया जाना चाहिए। फिलहाल, 24 एफटीए (जिनमें समीक्षाएं भी शामिल हैं) पर चर्चा चल रही है।[20]

भारत-थाईलैंड विस्तृत आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए): अर्ली हारवेस्ट स्कीम 82 चीजों पर लागू हो चुकी है। अब तक भारत-थाईलैंड व्यापार वार्ता समिति (आईटीटीएनसी) की 29 बार बैठक हो चुकी है। 29वें दौर की बातचीत जून 2015 में बैंकॉक में हुई थी।

भारत-न्यूजीलैंड एफटीए/सीईसीए: अब तक चर्चाओं के 10 दौर हो चुके हैं। दसवीं दौर की बातचीत दिल्ली में फरवरी 2015 में हुई थी।

भारत-एसएसीयू (दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, लिसोथो, स्वजीलैण्ड और नामीबिया) पीटीए: अब तक पांच दौर की बातचीत हो चुकी है। नौवीं संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग (जेएमसी) की बैठक मार्च 2015 में डर्बन में हुई थी।

बीआईएमएसटीईसी (बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल-बिमटेक) एफटीए: व्यापार वार्ता समिति (टीएनसी) की 20 बैठकें हो चुकी हैं। 20वीं बैठक सितंबर 2015 में थाईलैंड के खोन खाएन प्रांत में हुई थी।

भारत-कनाडा एफटीए: भारत-कनाडा विस्तृत आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) पर चर्चा के 9 दौर अब तक हो चुके हैं। नौवें दौर की बैठक कनाडा के ओटावा में मार्च 2015 में हुई थी।

भारत-ऑस्ट्रेलिया सेसा: अब तक चर्चा के 9 दौर हो चुके हैं। नौवें दौर की बैठक सितंबर 2015 में दिल्ली में हुई थी।

आसियान + छह एफटीए साझीदारों (ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड) के बीच क्षेत्रीय विस्तृत आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) समझौताः नवंबर 2012 में आसियान सम्मेलन के दौरान नेताओं की घोषणा के आधार पर 10 आसियान सदस्य देशों और छह एफटीए साझीदारों के बीच चर्चा मई 2013 में शुरू हुई। अब तक चर्चा के 14 दौर संपन्न हो चुके हैं।

नई विदेश व्यापार नीति, 2015 (NEW FOREIGN TRADE POLICY, 2015)

भारत सरकार ने 1 अप्रैल, 2015 को नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा की। नई पंचवर्षीय विदेश व्यापार नीति, 2015-20 में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात बढ़ाने के साथ-साथ मेक इन इंडिया के साथ तारतम्य बैठाने के लिए देश में रोजगार का सृजन करने और मूल्यवर्धन को बढ़ाने के लिए रूपरेखा उपलब्ध कराती है। नई नीति का ध्यान व्यापार करने में सुगमता पर विशेष बल देने के साथ विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों की ही सहायता करने पर केन्द्रित है। एफटीसी 2015-20 की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:

(i) दी नई योजनाओं की शुरूआत की गई है, यथा

(a) विशेषीकृत वस्तुओं का विशेषीकृत बाजारों में आयात हेतु मर्चेन्डाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआईएस)।

(b) पूर्व में बहुत सारी योजनाओं के स्थान पर योग्यता और उपयोग हेतु विभिन्न शर्तों

20. Ministry of Commerce & Industry, Government of India, N. Delhi, March 2017.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

के साथ अधिसूचित वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने हेतु, सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (एसईआईएस)।

इन योजनाओं के अन्तर्गत जारी की गई रसीदों के साथ कोई शर्तें नहीं जुड़ी हांगी। एमआईएस और एसईआईएस के अंतर्गत जारी ड्यूटी क्रेडिट रसीदों और इन रसीदों के तहत निर्यात किए गए सामान पूरी तरह हस्तांतणीय है। एमईआईएस के अंतर्गत रिवॉर्ड का दायरा 2 से 3 प्रतिशत तक है।

(ii) विशिष्ट निर्यात को सामान्य निर्यात बाध्यता के 75 प्रतिशत तक कम करने के लिए ईपीसीजी योजना के अंतर्गत स्वदेशी विनिर्माताओं से पूंजीगत वस्तुओं की खरीद को आकर्षित करने के उपायों को अपनाया गया है। इससे घरेलू पूंजीगत वस्तुओं के विनिर्माण उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। इस तरह के लचीलेपन से निर्यातकों को स्थानीय और वैश्विक उपभोग हेतु अपनी उत्पादक क्षमताओं को विकसित करने में मदद मिलेगी।

(iii) रक्षा और उच्च तकनीक वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए गए है। साथ ही, हथकरघा उत्पादों, पुस्तकों/पत्रिकाओं चमड़े के जूतों, खिलौनों और अनुकूल फैशन वस्त्रों को कैरियर अथवा विदेशी डाक घर के माध्यम से ई-कॉमर्स निर्यात भी एमईआईएस (25,000 रुपए की कीमत तक) का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इन उपायों से न केवल इन क्षेत्रों में भारत की शक्ति का उपभोग होगा और निर्यात बढ़ेंगे बल्कि रोजगार भी उपलब्ध होगा।

(iv) सेज से निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए, अब सरकार ने दोनों रिवॉर्ड योजनाओं (एमईआईएस और एसआईएस) के लाभों को सेज में स्थापित इकाइयों को भी देने का निर्णय लिया है। यह आशा है कि इस उपाय से देश में सेज के विकास और वृद्धि को नई गति मिलेगी।

(v) व्यापार सुविधा और व्यापार करने को सुगम बनाना अन्य प्रमुख ध्यान केन्द्रित करने वाले क्षेत्र हैं:

(a) नये एफटीपी का एक प्रमुख उद्देश्य 24×7 कागजरहित वातावरण की तरफ कदम बढ़ाना है।

(b) सरकार ने निर्यात और आयात हेतु आवश्यक दस्तावेजों की संख्या घटाकर तीन कर दी है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार है।

(c) निर्यातक/आयातक प्रोफाईल में दस्तावेज अपलोड करने के लिए एक सुविधा का निर्माण किया गया है और निर्यातकों को बार-बार दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(d) विभिन्न आयात-निर्यात फार्मों के विभिन्न प्रावधानों में अस्पष्टता को समाप्त करने और इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन के सरलीकरण पर भी ध्यान दिया गया है।

(e) विभिन्न द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों के अंतर्गत रियायती उपचारों के लिए योग्यता हासिल करने के दृष्टिकोण से विनिर्माताओं को भारत में बने उनके सामानों को स्व-प्रमाणित करने में सक्षम बनाने के लिए अनुमोदित निर्यातक प्रणाली (एईएस) शुरू की गई है। इससे इन निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी से पहुंच बनाने में सहायता मिलेगी।

(vi) 100 प्रतिशत योजनाओं के अंतर्गत निर्यातकों और विनिर्माताओं को प्रोत्साहन देने हेतु कई कदम उठाए गए हैं। इन कदमों में इन इकाइयों के लिए एक फास्ट ट्रैक स्वीकृति सुविधा के साथ उन्हें अवसरंचना सुविधाओं के उपयोग की अनुमति, वस्तुओं और सेवाओं की अन्तर इकाई स्थानांतरण की अनुमति, उन्हें निर्यात के बंदरगाह के निकट भंडारण गृह की स्थापना

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

की अनुमति और प्रशिक्षण उद्देश्य हेतु शुल्क मुक्त उपकरण शामिल हैं।

(vii) विनिर्माण क्षेत्र और रोजगार सृजन में लघु और मध्यम पैमाने के उद्यमों की रणनीतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केंद्रित हस्तक्षेप हेतु एमएसएमई क्लस्टर-108 की पहचान की गई है। ईपीसी और अन्य इच्छुक उद्योग भागीदारों और ज्ञान भागीदारों की सहायता से इन क्लस्टरों पर एक संरचित तरीके से आउटरीच गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।

(viii) स्किल इंडिया के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्यात बंधु योजना का पुनरुद्धार किया गया है। एफटीपी वक्तव्य में बाजार और उत्पाद रणनीति तथा व्यापार को बढ़ावा देने, अवसरंचना के विकास और व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र की समग्र वृद्धि के लिए आवश्यक उपायों का वर्णन किया गया है। इसके लिए भारत को बाहरी वातावरण की चुनौतियों, एक तेजी से उभरती अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वास्तुकला के लिए प्रतिक्रिया करने में सक्षम होना होगा और व्यापार को देश की आर्थिक वृद्धि और विकास में एक प्रमुख भागीदार बनाना होगा। भारत सरकार ने राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए राज्य सरकारों सहित सभी पक्षकारों के साथ नियमित बातचीत करने का वायदा किया है।

बदलाव की जरूरत: वैश्विक व्यापार की नीति के लिए परिवेश ब्रेक्सिट और अमेरिका में चुनाव के बाद संभवत: बदलाव की राह पर है। ब्रेक्सिट यूके में सुरक्षावादी मनोभावों द्वारा अभिप्रेरित है। कुछ ऐसे ही संकेत अमेरिका की नई सरकार से भी मिल रहे हैं। इससे यूएस डॉलर में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। नवंबर-दिसंबर 2016 के दौरान पहले ही इसमें 5.3 प्रतिशत की तेजी का रुझान नजर आ चुका है। यह जनवरी 2017 (सहयोगी मुद्राओं के सूचकांक के विरुद्ध) से 3.1 प्रतिशत ज्यादा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे सुरक्षावादी दौर में (अस्सी के दशक के मध्य से लेकर आखिर तक) डॉलर की कीमत में काफी तेजी देखी गई थी, जो मुख्यत: कठोर मौद्रिक नीति और नरम राजकोषीय नीति के कारण उत्पन्न हुई थी। सुरक्षावादी दबाव के संभावित पुनरुत्थान के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नेतृत्व में एक निर्वात् (vacuum) उत्पन्न किया गया। ऐसे परिदृश्य में खुली बाजार व्यवस्था के प्रोत्साहन एवं घरेलू वृद्धि पर हल्की लगाम लगाने की जरूरत होती है। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) से भी कुछ ऐसी ही पहल की जरूरत है। इस तरीके से, भारत के लिए दो विशेष अवसरों की संभावना[21] दिखाई देती है:

(i) भारत यूके और यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते की सौदेबाजी और श्रम घनिष्ठ निर्यात के प्रोत्साहन से कहीं ज्यादा फायदा उठा सकता है। निर्यात एवं रोजगार के लिए लाभ की संभावना अत्यंत ही व्यापक हैं। अतिरिक्त निर्यात की संभावना 3 बिलियन यूएस डॉलर (विशेष रूप से परिधान, चमड़ा एवं फुटवियर के क्षेत्र में) है तो अतिरिक्त रोजगार की संभावना 1.5 लाख।

(ii) एशिया में ट्रांस पैसिफिक साझेदारी (टीपीपी) और यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रांस-अटलांटिक व्यापार एवं निवेश समझौता (टीटीआईपी) जैसे क्षेत्रीय समझौता पहलों से अमेरिका की संभावित वापसी से विश्व व्यापार संगठन की प्रासंगिकता बढ़ जाना संभव हो सकता है। एक प्रमुख हितधारक के रूप में और भू-राजनीतिक बदलावों के मद्देनजर, भारत को विश्व व्यापार संगठन और बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करने का लगातार सक्रिय प्रयास करना चाहिए।

अंतर-प्रशांत भागीदारी (TRANS–PACIFIC PARTNERSHIP)

टीपीपी (ट्रांस-पेसिफिक पार्टनरशिप या अंतर-प्रशांत भागीदारी) एक नया वृहद-क्षेत्रीय समझौता है। प्रशांत

21. **Economic Survey 2016-17**, Government of India, Ministry of Finance, N. Delhi, Vol. 1, pp. 25-26.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

महासागर के घेरे में पड़ने वाले 12 देश (ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, अमेरिका और वियतनाम) ने 5 अक्टूबर, 2015 को टीपीपी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। माना जा रहा है कि यह वस्तु और सेवा व्यापार के लिए ऊंचे मानक तय करेगा और इसे एक विशाल क्षेत्रीय एफटीए माना जा रहा है, जो कई मायनों में वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापार की सूरत बदल सकता है।

इस क्षेत्र में विश्व की जीडीपी का करीब 40 फीसदी है और करीब 60 फीसदी सामान का व्यापार यहीं होता है। आर्थिक आकार की बात करें तो यह मौजूदा एनएएफटीए (उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार क्षेत्र) से बड़ा है। यह एक बेहद विस्तृत समझौता है और इसमें न सिर्फ चुंगी (टैरिफ) को खत्म करने की संभावना वाला विशाल क्षेत्रीय व्यापार समझौता हो सकता है बल्कि इसके लक्ष्य हैं:

(i) चुंगी-विहीन नाकों के लिए निचले मानकों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ऊंचे वैश्विक मानक तय करना;

(ii) ज्यादा सख्त श्रम और पर्यावरण नियम;

(iii) आईपीआर (बौद्धिक संपदा अधिकार) की अधिक सुरक्षा;

(iv) सरकारी खरीद में अधिक पारदर्शिता और सरकारी उपक्रमों (एसओई) के फायदों को सीमित करना;

(v) स्वास्थ्य सेवा तकनीक, प्रतियोगितात्मकता और आपूर्ति शृंखला में पारदर्शिता, तथा;

(vi) इसमें नए और उभरते हुए व्यापारिक मुद्दे और इंटरनेट और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे क्रॉस कटिंग वाले मसले और वैश्विक व्यापार एवं निवेश में राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों की भागीदारी भी शामिल हैं।

एक बार यह समझौता लागू हो जाने की स्थिति में विशेषज्ञों ने मौजूदा वैश्विक व्यापार के पैटर्न पर इसके गंभीर प्रभाव पड़ने की बात को उजागर किया है। इस बारे में भारत की अपनी एक अलग चिंता है।[22] फिलहाल, हमें *आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16*, में इस पर विस्तृत चर्चा मिली है, जिसे इस संबंध में कई अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों में उल्लिखित किया गया है।

जनवरी 2017 के अंत तक, संयुक्त राज्य अमेरिका (अपने नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के अधीन) ट्रांस पैसफिक पार्टनरशिप (टीपीपी) के लिए जारी बातचीत से अपने कदम पीछे खींच चुका था। एक बार अगर अमेरिका (जो इसके पीछे की एक बड़ी शक्ति है) इससे बाहरे निकलने का निर्णय ले लेता है तो इस समझौते का मूल मकसद ही खत्म हो जाएगा। संभव है कि यह भारत एवं इसके जैसी ही दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के लिए राहत की बात प्रतीत हो, लेकिन यह महज अस्थायी ही होगा, क्योंकि देश के अंदर नियमों की नई व्यवस्था से व्यापार एवं वैश्विकरण जैसे मसलों के संदर्भ में उसके सुरक्षात्मक रुख अख्तियार करने का स्पष्ट संकेत मिलना शुरू हो गया है। यह एक ऐसा मुद्दा है, जो ट्रम्प के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान सर्वाधिक चर्चित रहा था।

ट्रांस अटलांटिक व्यापार एवं निवेश साझेदारी (TRANSATLANTIC TRADE & INVESTMENT PARTNERSHIP)

टीटीआईपी[23] (ट्रांस अटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप), जो टीपीपी (ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप) का एक सहगामी समझौता है जिसे हाल ही में अमेरिका एवं यूरोपीय यूनियन के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौता (एक अलग तरह का क्षेत्रीय समझौता जिसमें निवेश भी शामिल है) है। इसके 2014 में ही धरातल पर ले आने की योजना थी, समझौता अभी भी (मार्च 2017 तक) बातचीत की प्रक्रिया में है। यह समझौता तीन प्रमुख क्षेत्रों को स्पर्श

22 We find a very detailed discussion on it in the **Economic Survey 2015-16**, Government of India, Ministry of Finance, N. Delhi (Vol. 2, pp. 76-78) which quoted several international studies in this regard.

23. Based on the several issues of **The Economist**, London, UK from 2013 to March 2017.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

करती है-बाजार तक पहुंच, विशिष्ट विनियमन एवं सहयोग। इसकी संभावित विशेषता एवं इसके प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में उपलब्ध हैं और इसके अन्य दस्तावेज अधोलिखित हैं:

- इस समझौते के अंतर्गत शामिल मुख्य प्रावधान हैं-व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए विनियामक प्रावधानों का शिथिलीकरण, उदार बैंकिंग विनियामक, ट्रांसनेशनल कंपनियों की उदार भूमिका एवं उन्हें पहुंच प्रदान करना एवं राष्ट्रों की संप्रभु शक्तियों का शिथिलीकरण।
- विशेषज्ञों के मुताबिक, यह वैश्विक व्यापार को एक-तिहाई उदार बना सकता है और रोजगार के लाखों नए अवसर सृजित कर सकता है।
- यूरोपीय यूनियन के एक अनुमान के मुताबिक, यह यूरोपीय यूनियन की अर्थव्यवस्था में 120 बिलियन (यूरो), यूएस की अर्थव्यवस्था में 90 बिलियन (यूरो) और शेष विश्व की अर्थव्यवस्था में 100 बिलियन (यूरो) की बढोतरी ला सकता है।
- पूरे यूरोप के बहुत सारे संगठनों, परमार्थ ट्रस्टों, स्वैच्छिक (गैर-सरकारी) संगठनों और पर्यावरणवादियों ने बार-बार इस समझौते की आलोचना की है और विरोध किया है। आलोचकों ने इसके बारे में कई आशंकाओं पर प्रकाश डाला है, जैसे-रोजगार के शुद्ध अवसरों की संख्या बढ़ने पर सवाल उठाए गए हैं क्योंकि नौकरी जाने का और घरेलू स्तर पर कम आर्थिक लाभार्जन का खतरा कहीं ज्यादा प्रबल मालूम पड़ रहा है। जारी समझौता वार्ता की कोई जानकारी किसी को नहीं है क्योंकि सिर्फ अधिकृत व्यक्ति की ही पहुंच इस जानकारी तक है। इस बारे में हमें जिस किसी टिप्पणियों, प्रतिक्रियाओं या आलोचनाओं की जानकारी है, दरअसल दुनिया के अलग-अलग स्रोतों से छनकर बाहर आई खबरें होती हैं।

जहां तक टीपीपी यानि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप की बात है, बल्कि टीटीआईपी की भी, तो, अमेरिका की नई सरकार, इस समझौते के पीछे की सबसे बड़ी ताकतने ही कदम पीछे खींच लिया (जनवरी 2017 के आखिर तक) है। इस तरह से प्रस्तावित समझौता अंतिम रूप लेने से पहले कमजोर होता नजर आ रहा है। और अमेरिका के बगैर समझौता का पूरा होना न ता मुमकिन है और न ही बहुत ज्यादा औचित्यपूर्ण ही। ऐसे मामले में, यूरोपीय यूनियन बहुत संभव है कि किसी दूसरे राष्ट्र के साथ किसी नए क्षेत्रीय व्यापारिक समझौते की पहल करे। संभव है भारत भी ऐसे किसी एक समझौते को अंजाम दे।

अवैश्वीकरण और भारत (DEGLOBALISATION AND INDIA)

वैश्विक आर्थिक संकट के बाद से वैश्विक कारक अभी भी स्थिर नहीं हुए हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं के लिए संकट से उबर पाना एक बड़ी चुनौती है। यहां तक कि गैर-परम्परागत मौद्रिक नीतियां भी आजमायी गईं (ऋणात्मक ब्याज दर के दौर को बढ़ावा दिया गया)। बहरहाल, इनमें से कई अर्थव्यवस्थाओं से 'सुरक्षात्मक सुर' अलापने, के संकेत मिल रहे हैं। ब्रेक्सिट एक उदाहरण है। अमेरिका में नई सरकार ने पहले ही 'संरक्षणवादी' उपाय के कई निर्णय ले लिए हैं और आने वाले समय में ऐसे कई और उपाय देखने को मिल सकते हैं।

इसके अलावा विगत कई वर्षों में पूरी दुनिया वैश्विकरण प्रक्रिया की त्रुटियों पर बढ़ती बहस का साक्षी रहा है। न केवल विशेषज्ञों के बीच बल्कि कई राष्ट्रों की भी सामान्य धारणा वैश्विकरण के विरोधी होती गई है। विश्व व्यापार संगठन को लेकर होने वाली बातचीत लगभग रुक-सी गई है। वर्ष 2016 का उत्तरार्द्ध पूरे विश्व की तमाम महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में 'संरक्षणवादी भावना' के उबाल का साक्षी रहा।

उपर्युक्त दो परिस्थितियां यह प्रदर्शित करती हैं कि अगर विश्व (या अर्थव्यवस्थाएं, जो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं) ने पूरे तामझाम से आरोपित वैश्विकरण के विचार से धीरे-धीरे ही सही, पर निरंतर दूर होती दिखाई दे रही हैं। वैश्विकरण नहीं, अब अ-वैश्विकरण का विचार दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। बहुपक्षीय व्यापार एवं

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

आर्थिक आत्मनिर्भरता की संभावनाएं लगातार सिकुड़ती जा रही हैं। पुनः, विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के बीच वैश्विकरणोन्मुख चाहत की कमी न तो एक जैसी है, और न ही सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए विश्वव्यापी ही है। बल्कि यूं कहें कि यह चयनात्मक ज्यादा प्रतीत हो रहा है।

भारत की निर्यात की संभावनाएं इसके व्यापारिक भागीदारों के वैश्वीकरण की भारवहन क्षमता पर निर्भर करती है। आज, भारत के लिए, तीन प्रमुख बाह्य कारक महत्वपूर्ण हैं:

(i) बहुत जल्द ही वैश्विक ब्याज दर (यूएस चुनाव और इसकी राजकोषीय नीति एवं मौद्रिक नीति में आए व्यापक बदलाव के परिणामस्वरूप) का प्रभाव भारत के पूंजी प्रवाह एवं विनिमय दर पर पड़ेगा। विशेषज्ञों ने पहले से ही विकसित विश्व का अनुसरण करने के लिए उच्च राजकोषीय प्रोत्साहन, अपरंपरागत मौद्रिक नीति पर पहले से कहीं ज्यादा निर्भरता की उम्मीद लगा रखी है।

(ii) वैश्विकरण के लिए मध्यावधि राजनीतिक दृष्टिकोण एवं विशेष रूप से विश्व के लिए 'वैश्विकरण निमित्त राजनीतिक भारवहन क्षमता' हाल के घटनाक्रम के मद्देनजर परिवर्तित हो सकता है। यूएस डॉलर की मजबूत स्थिति एवं प्रतिस्पर्धात्मकता में आई गिरावट दुनिया के कई देशों को संरक्षणवादी नीतियों का पालन करने को प्रेरित कर सकता है। इससे वैश्विक व्यापार में भारत की मुश्किलें बढ़ेंगी।

(iii) अमेरिका में विकास, खासतौर पर डॉलर की कीमत में बढोतरी का चीन की मुद्रा और मुद्रा नीति पर असरकारी होगा, जो भारत और विश्व को प्रभावित करेगा। अगर चीन अपनी अर्थव्यवस्था को सफलतापूर्वक पुनर्संतुलित करने में सक्षम हो पाता है तो 'स्पिल ओवर इफेक्ट' पॉजिटिव होगा, अन्यथा बिल्कुल निगेटिव। चीन अपनी अंतर्निहित कमजोरियों के बावजूद एक ऐसा देश है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को असंतुलित करने की अपनी क्षमता के लिए पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करता है।

इस मामले में भारत का वस्तु एवं सेवाओं, दोनों का व्यापार महत्वपूर्ण होगा। भारत का सेवा निर्यात में वृद्धि सेवा के क्षेत्र में विश्व की वैश्विकरण भारवहन क्षमता की परीक्षा लेगा जो दो चरों पर विकसित देशों में प्रतिबंध पर निर्भर करता है–*पहला*, श्रम गतिशीलता, और; *दूसरा*, आउटसोर्सिंग।

यह मुमकिन है कि विश्व की भारवहन क्षमता वस्तुतः चीन की वस्तुओं की तुलना में भारत की सेवाओं के लिए वास्तव में बहुत ऊंची हो। आखिरकार विगत दो दशकों में चीन का निर्यात विस्तार कई मायने में असंतुलित था:

- देश ने आयात की तुलना में निर्यात कहीं अधिक किया;
- इसने उन्नत देशों को विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात किया, वहां उत्पादों को विस्थापित किया, लेकिन कच्चे माल का आयात विकासशील देशों से किया; और
- जब इसने उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से आयात किया, तो वस्तुतः वस्तुओं की बजाय सेवाओं का आयात किया गया (हालांकि पूंजीगत वस्तु एक बड़ा अपवाद है)।

परिणामस्वरूप, चीन के विकास से उन्नत देशों में निर्यात उन्मुख नौकरियां अपेक्षाकृत कम सृजित हुई, विनिर्माण के कारण खत्म हुई नौकरियों की क्षतिपूर्ति अपर्याप्त रहीं, और इसने रोजगार के अवसर सृजित किए, उन्नत सेवाओं (जैसे कि वित्त) में, जो विनिर्माण में लगे विस्थापित या छंटनीग्रस्त कर्मियों के लिए हासिल कर पाना मुमकिन ही नहीं था।

इसके विपरीत, भारत का विस्तार अधिक संतुलित साबित हो सकता है:

- भारत में अधिशेष की बजाय चालू खाता घाटा सृजित करने की प्रवृत्ति है, और;

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

- मुमकिन है कि इसका सेवा निर्यात भी उन्नत देशों में कामगारों को विस्थापित कर सकता है उनका कौशल उन्हें अन्य सेवा गतिविधियों में आसानी से वैकल्पिक मौके दिला सकता है। वास्तव में, वे बहुत आसानी से पूरक कार्यों के साथ आगे बढ़कर जुड़ सकते हैं, जैसे–स्वयं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अधिक उन्नत कंप्यूटर प्रोग्रामिंग।
- जबकि दूसरी ओर, चूंकि उन्नत अर्थव्यवस्था में कुशल श्रमिकों को भारतीय प्रतिस्पर्द्धा से अवगत कराया जाएगा, मुमकिन है कि, जनमत को प्रभावित करने की उनकी योग्यता भी श्रेष्ठतर[24] हो।

संक्षेप में कहें तो, उन्नत देशों में वैश्वीकरण के खिलाफ राजनीतिक प्रतिक्रिया एवं अर्थव्यवस्था को पुनर्संतुलित करने में चीन को आ रही कठिनाइयों का भारत पर व्यापक असर हो सकता है और भारत के लिए यह सलाह गौरतलब है कि भारत बदलती वैश्विक गतिशीलता का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करें।

24. Based on the discussion given in the **Economic Survey 2016-17**, Government of India, Ministry of Finance, N. Delhi, Vol. 1, pp. 6-9.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

अध्याय 16

अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन एवं भारत (INTERNATIONAL ECONOMIC ORGANISATIONS & INDIA)

जैसा कि टी. एस. इलियट ने कहा है कि, ''मानव अत्यधिक वास्तविकता बर्दाश्त नहीं कर सकता है, हाल की घटनाएं यह बताती हैं कि विश्व बहुत अधिक वैश्विकरण बर्दाश्त नहीं कर सकता।''

इस अध्याय में

- ❑ अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली
- ❑ ब्रेटन वुड्स विकास
- ❑ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
- ❑ विश्व बैंक
- ❑ भारत का बी.आई.पी.ए.
- ❑ एशियाई विकास बैंक
- ❑ ओ.ई.सी.डी.
- ❑ विश्व व्यापार संगठन
- ❑ नैरोबी वार्ता और भारत
- ❑ ब्यूनस आयर्स सम्मेलन एवं भारत
- ❑ ब्रिक्स बैंक
- ❑ एशियाई अधिसंरचना निवेश बैंक

** आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली, खंड 1,पृष्ठ: 7*

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली (INTERNATIONAL MONETARY SYSTEM)

अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली (IMS) बाह्य भुगतान (external payments) संपादित करने वाली एक व्यवस्था है जो नियमों, साधनों (instruments), सुविधाओं (facilities) एवं संगठनों से बनती है। कभी-कभी IMS को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निर्देश या सत्ता[1] भी कहा जाता है। इस प्रणाली को इस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है कि मुद्राओं की **विनिमय दर** कैसे तय हो रही है (यथा–नियत मुद्रा व्यवस्था, उत्प्लावित मुद्रा व्यवस्था या फिर प्रबंधित विनिमय व्यवस्था द्वारा) या फिर **विदेशी भंडार** किस रूप में (यथा–स्वर्ण मानक, शुद्ध न्यायिक मानक या फिर स्वर्ण-विनिमय मानक में) संचित होती हैं।

अगर IMS निम्न **दो उद्देश्यों**[2] की पूर्ति निष्पक्ष ढंग से कर रहा है तो उसे अच्छा माना जाता है:

(i) विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश का महत्तमीकरण करना, एवं;

(ii) विश्व के राष्ट्रों के बीच व्यापार के लाभ का साम्यिक (equitable) वितरण करना।

IMS का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि वह अपने तीनों ही कार्यों – सामंजस्य, तरलता तथा विश्वास को किस तरह से प्रबंधित कर पा रहा है:

सामंजस्य (Adjustment)

सामंजस्य से तात्पर्य है राष्ट्रों (सदस्यों) के भुगतान संतुलन (BoP) के संकटों का समाधान। एक IMS अच्छा माना जाता है अगर वह BoP पर आने वाले व्यय तथा राष्ट्रों के लिए सामंजस्य में लगे समय को न्यूनतम रखे।

तरलता (Liquidity)

यह सूचित करता है कि किसी IMS के पास कितना विदेशी विनिमय भंडार है। एक अच्छे IMS के पास विदेशी विनिमय का इतना भंडार अवश्य होना चाहिए कि वह राष्ट्रों के भुगतान संतुलन के संकट को बिना स्फीतिपरक (inflationary) प्रभाव के निपटा जा सके।

विश्वास (Confidence)

इसका तात्पर्य है–विश्व के राष्ट्रों का IMS में प्रदर्शित किया जाने वाला विश्वास, जो इस बात से उत्पन्न होता है जब सदस्य देश यह माने कि IMS अपने सामंजस्य की भूमिका अच्छी तरह निभा रहा है तथा विदेशी विनिमय भंडार का निरपेक्ष एवं सापेक्षिक मूल्य टिकाऊ है। इसके लिए IMS को तत्संबंधी सूचनाओं को पारदर्शी बनाना जरूरी होता है।

ब्रेटन वुड्स विकास (BRETTON WOODS DEVELOPMENT)

जहाँ एक तरफ विश्व के शक्तिशाली देश संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) की स्थापना से एक स्थायी विश्व के उभरने की आशा कर रहे थे वहीं उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि द्वितीय युद्ध के उपरांत विश्व की वित्तीय व्यवस्था भी एक स्थायी प्रकार की हो। यही कारण था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की प्रक्रिया के साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका (USA), युनाइटेड किंगडम (UK) तथा अन्य 42 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की USA के न्यू हैम्पशायर स्थित 'ब्रेटन वुड्स' में (जुलाई 1944) एक संगोष्ठी आयोजित हुई, जिसका उद्देश्य था–एक नये अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली (IMS) को कार्यान्वित करने पर विचार करना। संगोष्ठी में लिए गए निर्णय के उपरांत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) एवं विश्व बैंक (WB) की स्थापना की गयी–इन्हें **ब्रेटन वुड्स जुड़वां**[3] (Bretton

1. D. Salvatore, ***International Economics*** (New Jersey: John Wiley & Sons2005), 737–38; Samuelson and Nordhaus, ***Economics*** (New Delhi: Tata McGraw-Hill, 2005) pp. 609–12.
2. D. Salvatore, International Economics, p. 738.
3. For the new international monetary system, basically two plans were presented in the meeting—one by the US delegation led by ***Harry D. White*** (of the US Treasury) and the British delegation led by ***John Meynard Keynes.*** It was the US plan which was ultimately agreed upon.

   J.M. Keynes had proposed a more impartial, practical and over-arching idea via his plan at Bretton Woods. His suggestions basically included three things:

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

Woods Twins) भी कहा जाता है। दोनों ही के मुख्यालय वॉशिंगटन डी.सी, अमेरिका में स्थित हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund)

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की स्थापना यद्यपि जुलाई 1944 में हो चुकी थी तथापि इसके अनुच्छेदों (Articles) का प्रवर्तन 27 दिसंबर, 1945 को हुआ। कभी-कभी आईएमएफ को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली या शासन भी कहा जाता है। इसके मुख्य कार्यों में विनिमय दर, विनियमन, दुनियाभर से सदस्य देशों के लघु अवधि की विदेशी मुद्रा देनदारियों की खरीद। सदस्य देशों को विशेष आहरण अधिकार आवंटित करना (एसडीआर), सबसे महत्वपूर्ण भुगतान संतुलन संकट की स्थिति में सदस्य देशों की सहायता करना और विनिमय दर स्थिरता और विनिमय क्रम व्यवस्था को बढ़ावा देना शामिल है।

IMF के मुख्य कार्य[4] (Functions) निम्न प्रकार हैं:

(i) अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहन;

(ii) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलित विकास एवं विनिमय दरों का स्थरीकरण (stabilisation);

(iii) विनिमय प्रतिबंधों (restrictions) की समाप्ति तथा बहुपक्षीय भुगतान (multi-lateral payments) की व्यवस्था;

(iv) भुगतान संतुलन (Balance of Payment) की समस्या की स्थिति में सदस्य देशों को आर्थिक सहायता की उपलब्धि तथा अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में आने वाले संकट का निपटारा तथा उनकी अवधि में कमी।

वर्तमान में IMF के सदस्य देशों की संख्या 188 है। इस कोष का संचालन एक 'बोर्ड ऑफ गवर्नर्स' द्वारा किया जाता है। जो प्रत्येक सदस्य देश से एक गर्वनर और एक वैकल्पिक गवर्नर से मिल कर बनता है। भारत के लिए बोर्ड में वित्त मंत्री पदेन गवर्नर जबकि रिजर्व बैंक के गवर्नर वैकल्पिक गवर्नर होता है।

आईएमएफ का रोजमर्रा का कामकाज प्रबंध निदेशक देखता है जो कि कार्यकारी निदेशक मंडल का चेयरमैन (वर्तमान में क्रिस्टिन लगार्ड) होता है। आईएमएफ में भारत का प्रतिनिधित्व कार्यकारी निदेशक (वर्तमान में अरविंद विरमानी) करते हैं, जो भारतीय उप-महाद्वीप के तीन और देशों बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान का भी प्रतिनिधित्व करता है।

(i) Proposal to set up an International Clearing Union (ICU), a central bank of all central banks, with its own currency (Keynes named this currency ***'bancor'***)—to mitigate the balance of payment crises of member nations.

This bank was supposed to penalise (***no such provision in the IMF***) the countries holding trade surpluses (with a global tax of one per cent per month) on the ground that such countries were keeping world demand low by under-purchasing the products produced by other countries. The corpus collected via this tax was to be used to maintain an international buffer stock of primary goods (i.e., food articles)—to be used in the periods of food shortages among the member nations. (***In place, under the IMF provisions trade deficit countries are penalised***.)

(ii) For the reconstruction of war-devastated Europe, a ***fund*** was to be set up, on the basis of this plan for Relief and Reconstruction (in place of it the US-sponsored ***Marshall Plan*** took care of the needs of Europe).

(iii) There was a proposal of creating Commodity Buffer Stock to be operated by an International Trade Organization (ITO). This stock of primary goods was to be used to stabilise their prices in the international market.

The operation of this ITO making purchases when the world prices were low and selling when the prices became high. The buffer stock operations, however, were to be helpful to the poor countries, Keynes was primarily interested in stabilising the input prices of the rich countries. (***Though the charter of the ITO was drawn up and other formalities completed, it was never born because of US opposition***.) ***For further readings see*** D. Salvatore, ***International Economics,*** 742–43; B. Dasgupta, ***Globalisation : India's Adjustment Experience*** (New Delhi: Sage, 2005), p. 48.

---

4. ***Basic Facts About the United Nations*** (New York: United Nations, 2000), pp. 55–137.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

भारत का 'कोटा' एवं 'रैंक'
(India's Quota and Rank)

IMF अपने सदस्यों के 'कोटा' (Quota) का प्रत्येक 5 वर्षों में समीक्षा करता है-पिछली समीक्षा दिसंबर 2010 में की गयी। इस समीक्षा के उपरांत भारत का कोटा बढ़कर 2.75 प्रतिशत हो गया है (पहले 2.44 प्रतिशत था) तथा उसका 'रैंक' आठवाँ हो गया है (ग्यारहवाँ से बढ़कर)। ज्ञात हो कि IMF के कुल 24 अंशभूत (Constituency) हैं तथा भारत के अशंभूत में 3 अन्य देश भी शामिल हैं—भूटान, बंग्लादेश एवं श्रीलंका। निरपेक्ष रूप से भारत का बढ़ा हुआ कोटा अब 13,114.4 मिलियन SDR है (पहले 5,821.5 मिलियन SDR था)। इस प्रकार इसमें लगभग 11.5 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 56,000 करोड़ रुपए) की वृद्धि की गयी है, जबकि 25 प्रतिशत हिस्से का भुगतान नकद में किया जाता है (यानी रिजर्व मुद्रा में), शेष 75 प्रतिशत हिस्से का भुगतान प्रतिभूति[5] के रूप में हो सकता है।

एक बार कोई सदस्य देश जब IMF के साथ ईएफएफ (एक्सटेंडेड फंड फेसेलिटी) समझौते पर हस्ताक्षर कर देता है, तब सदस्य देश कर्ज[6] लेना शुरू कर सकता है। भारत ने इस समझौते पर वित्त वर्ष 1981-82 में हस्ताक्षर किए थे। भारत भुगतान संतुलन की नाजुक स्थिति के कारण आईएमएफ से कर्ज लेता रहा है-एक बार 1981-84 के दौरान (एसडीआर 3.9 अरब) और अगली बार 1991 के दौरान (3.56 अरब)। उल्लेखनीय है कि, आईएमएफ से लिया गया पूरा कर्ज चुका दिया गया है। भारत सितंबर 2002 के बाद से आईएमएफ की वित्तीय लेन-देन योजना (एफटीपी)[7] में हिस्सा लेता है और अब आईएमएफ में अंशदाता है-अभी भारत भुगतान संतुलन की मजबूत स्थिति में है और विदेशी मुद्रा भंडार में भी सहज स्थिति में है।

अमेरिका/यूरोपीय संघ का वर्तमान वित्तीय संकट: अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की चुनौतियाँ
(Current US/EU Financial Crises: Challenges Regarding International Payments)

अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों के हालिया वित्तीय संकट ने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की चुनौतियों के सवाल को फिर उठा दिया है। ऐसे महत्वपूर्ण समय में विश्व सभी अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों के लिए एक संचित मुद्रा के विचार को फिर उछाल रहा है। जैसे कि, ऐसी ही मुद्रा का मशहूर कीनेशियन विचार (बैंकोर) पुनर्जीवित होने जा रहा हो। बैंकोर एक ऐसी सुपरनेशनल (देशों की सीमा से परे) मुद्रा थी, जिसकी अवधारणा 1940-42 में जॉन मेनार्ड कीनेस और ई.एफ. शूमाकर[8] ने दी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने इसे शुरू करने का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्तावित मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की एक बहुपक्षीय विनिमय प्रणाली, जिसे इंटरनेशनल क्लियरिंग यूनिट कहा जाना था, की एक इकाई के रूप में काम करना था। इस विनिमय प्रणाली को भी स्थापित किया जाना था। बैंकोर को विनिमय प्रणाली के सहारे रहना था और इसके मूल्य को सोने के वजन में अभिव्यक्त किया जाना था। हालांकि ब्रिटेन का प्रस्ताव अमेरिकी हितों के आगे नहीं टिक सका

5. These securities are non-interest bearing note purchase agreements issued by the RBI which can be encashed by the IMF anytime as per its requirement. They do not entail any cash outgo unless the IMF calls upon India to encash a portion of these notes. The 'Reserve' (paid in 'cash') asset portion of the quots is counted as a part of country's 'Reserves'.
6. Such facility from it is available once the member country has signed the agreement with the IMF called as the Extended Fund Facility (EFF). Popularly, this is known as the ***'Conditionalities of the IMF'*** under which India started its Economic Reform Programme in 1991-92 once it borrowed from the IMF in the wake of the BoP crisis of 1990–91.
7. FTP is the mechanism of the IMF through which it finances/repays its operations—member nations contribute money into it from their 'quota resources' on which they get 'interest'.
8. ***E. F. Schumacher,*** *Multilateral Clearing Economica,* New Series, Vol. 10, No. 38 (May, 1943), pp. 150-165.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

जिसने ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में यह स्थापित कर दिया कि डॉलर ही दुनिया की मुख्य मुद्रा है। मशहूर अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन[9] ने इस बात पर जोर दिया कि कीनेस के सिद्धांत गलत थे, जिन्हें यकीन था, ''मुद्रास्फीति बहुत विनाशक है और इसे सिर्फ मौद्रिक नीति के जरिए नियंत्रित किया जा सकता है और यह भी कि मौद्रिक नीति एक बड़ा औजार है और इसे अल्पकालिक आर्थिक प्रबंधन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।''

2008 में वित्तीय संकट के उभार के साथ ही कीनेस का प्रस्ताव पुनर्जीवित हो गया है। मार्च 2009 में, रिफॉर्म *दि इंटरनेशनल मॉनीट्रि सिस्टम*, नाम के भाषण में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना के गवर्नर जू शियोचुआन ने कीनेस की बैंकोर विचारधारा को दूरदर्शी कहा और 2007–10 के वित्तीय संकट के दृष्टिगत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के विशेष आहरण अधिकारों (एसडीएफ) को वैश्विक संचित मुद्रा के रूप में स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया। उनका तर्क था कि ट्रिफनि डाइलेमा[10] की वजह से कोई एक राष्ट्रीय मुद्रा वैश्विक संचित मुद्रा के लिए उचित नहीं हो सकती यह मुश्किल संचित मुद्रा जारी करने वालों को झेलनी पड़ी थी जब वह एक ही समय अपनी घरेलू मौद्रिक नीति के लक्ष्यों और अन्य देशों की संचित मुद्रा[11] की माँग को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। यही निष्कर्ष संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली[12] में सुधार पर विशेषज्ञों की रिपोर्ट और आईएमएफ के हालिया अध्ययन[13] में व्यक्त किए गए हैं।

9. ***M. Friedman.,*** (1968) *The American Economic Review*, Vol. 58, No. 1, pp. 1-17.
10. ***Zhou Xiaochuan,*** 'Reform the International Monetary System', ***BIS Review 2009***, Bank of International Settlements, Basel, Switzerland, 28 November, 2011.
11. ***Zhou Xiaochuan,*** *Financial Times, 12th Dec. 2011.*
12. Recommendations by the Commission of Experts of the President of the General Assembly on reforms of the international monetary and financial system, UNO, 20th March, 2009.
13. ***Reserve Accumulation and International Monetary Stability,*** *IMF,* Washington DC, 13th April, 2010.

विश्व बैंक (World Bank)

आज विश्व बैंक समूह अपने 5 अंत:संबंधित आर्थिक संस्थानों के द्वारा अपने सदस्य राष्ट्रों में कार्यशील है। इसके संस्थानों का संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार है:[14]

अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (International Bank for Reconstruction and Development–IBRD)

IBRD विश्व बैंक का सबसे पुराना संस्थान है जो वर्ष 1945 से कार्य कर रहा है। इसका मूल उद्देश्य द्वितीय युद्ध में युद्ध जर्जित अर्थव्यवस्थाओं का **पुनर्निर्माण** था। इसके पुनर्निर्माण के पश्चात् इसके द्वारा अन्य सदस्य देशों के विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाने लगा। बहुत कम ब्याज दर (सालाना 1.55 प्रतिशत) पर कर्ज देने का मुख्य उद्देश्य मानव विकास था। प्रमुख क्षेत्रों में कृषि, सिंचाई, शहरी विकास, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, दुग्ध विकास, इत्यादि थे। इसने भारत के लिए कर्ज देना 1949 में शुरू कर दिया था।

विश्व बैंक के 2010 में सुधार प्रक्रिया शुरू करने के बाद, भारत को आईबीआरडी में अतिरिक्त शेयर (अभी 56,739 शेयर्स जिनका मूल्य 684.47 करोड डॉलर है) जारी किए गए। इसके साथ ही भारत आईबीआरडी में सातवां सबसे बड़ा शेयरधारक (11वीं पायदान से ऊपर उठकर) बन गया है जिसके वोटिंग अधिकार 2.91 प्रतिशत हो गए हैं, जो पहले 2.77 प्रतिशत थे।[15]

अंतर्राष्ट्रीय विकास ऐजेंसी (International Development Agency–IDA)

IDA की स्थापना 1960 में की गई। इसके विश्व बैंक की **'उदार खिड़की'** (Soft Window) भी कहा जाता है, क्योंकि विश्व बैंक का कोई भी ऋण इससे 'सस्ता'

14. Based on ***Basic Facts About the United Nations,*** pp. 52–55; Publication Division, ***India 2004*** (New Delhi: Government of India, 2007); Publication Division, ***India 2013*** (New Delhi: Government of India, 2014).
15. Publication Division, ***India 2014*** (New Delhi: Government of India, 2015), p. 322.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

नहीं होता। इसके द्वारा प्रदत्त ऋणों का उद्देश्य सदस्य देशों में **आधारभूत संरचना/आर्थिक सेवाओं** का विकास है। वैसे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $895 से कम है उन्हें इसकी सुविधा उपलब्ध है। ऋणों का किश्त भुगतान सदस्य देशों द्वारा ग्यारहवें वर्ष प्रारंभ होता हैं। आज IBRD और IDA के ऋणों के बीच के उद्देश्यों का अंतर लगभग समाप्त हो गया है।

विश्व बैंक से प्राप्त होने वाला यह सबसे आकर्षक ऋण है। यही कारण है कि योग्य सदस्य देशों द्वारा प्रत्येक वर्ष उच्चस्तरीय राजनयिक प्रयास किए जाते हैं ताकि वे इसका अधिक-से-अधिक हिस्सा अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। स्थापना के समय से भारत IDA का **सबसे बड़ा लाभ प्राप्तकर्ता** रहा है। विश्व बैंक से अब तक भारत को कुल 19.81 बिलियन[16] डॉलर (IBRD + IDA) की सहायता प्राप्त हो चुकी है।

अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (International Finance Corporation–IFC)

IFC की स्थापना वर्ष 1956 में की गई। इसे विश्व बैंक की **'निजी भुजा/शाखा'** (Private Arm) भी कहा जाता है। जहाँ IBRD एवं IDA द्वारा सदस्य राष्ट्रों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं वहीं IFC सदस्य देशों के निजी क्षेत्रीय संगठनों/कंपनियों को वाणिज्यिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

यह अपने सदस्य देशों की निजी क्षेत्र की कंपनियों को कर्ज देता है। वसूली जाने वाली ब्याज दरें व्यावसायिक होती हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से बहुत कम होती हैं। आईएफसी द्वारा दिए जाने वाले कर्ज में कई आकर्षक विशेषताएं हैं। यह निजी निवेशकों के साथ निजी-सार्वजनिक उपक्रमों और परियोजनाओं को कर्ज और सलाह देता है और अपने परामर्श कार्य के जरिए सदस्य देशों की सरकारों के लिए ऐसी स्थितियां बनाने में सहायता करता है जिससे घरेलू और विदेशी निजी बचत और निवेश के प्रवाह में तेजी आए।

यह अपने सदस्य देशों में उत्पादक उद्यमों और कुशल पूंजी बाजार को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने में ध्यान केंद्रित करता है। यह निवेश में तभी भाग लेता है जब यह विशेष योगदान कर सके, जो बाजार निवेशक विदेशी वित्तीय निवेशक (एफएफआई) के रूप में) की भूमिका की पूरक हो।

यह प्रदर्शित करते हुए कि विकासशील दुनिया में भी निवेश करना फायदे का सौदा हो सकता है, यह वहां निजी निवेश को प्रेरित और गतिशील करने में उत्प्रेरक की भूमिका भी निभाता है। हमने भारत में आईएफसी के निवेश में भारी बढ़ोतरी देखी है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर निश्चित तौर पर विदेशी निवेशकों का भरोसा और मजबूत हुआ।

बहुपक्षीय निवेश गारंटी ऐजेंसी (Multilateral Investment Guarantee Agency—MIGA)

MIGA की स्थापना वर्ष 1988 में विकासशील देशों में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए की गई। इसके द्वारा विदेशी निवेशकों को सदस्य देशों में निवेश की मात्रा पर एक बीमा उपलब्ध कराया जाता है जो उनके **गैर-वाणिज्यिक जोखिम** (non-commercial risk) का वहन करता है। मुद्रा हस्तांतरण संबद्ध समस्या, नागरिक उपद्रव, स्वामित्वहरण (expropriation) इत्यादि जोखिमों के प्रति यह एक तरह की 'गारंटी' है। इसके अतिरिक्त यह सदस्य देशों को विदेशी निवेश के अवसरों संबंधी तकनीकी सहायता एवं सूचनाएँ भी उपलब्ध कराता है। भारत इस ऐजेंसी का एक सदस्य है।

अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र (International Investment Dispute Settlement Centre—ICSID)

1966 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केंद्र (आईसीएसआईडी) एक निवेश विवाद निपटान संस्था है जिसके निर्णय सभी पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं। यह 1966 में देशों और दूसरे देशों के नागरिकों के बीच निवेश संबंधी विवादों के सम्मेलन के तहत स्थापित हुआ। हालाँकि इसकी मदद लेना स्वैच्छिक है, लेकिन पक्षों के मध्यस्थता के लिए

16. Publication Division, ***India 2013***, p. 415.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

सहमत होने के बाद, वे अपनी सहमति एकतरफा वापस नहीं ले सकते। यह निवेश करने वाली विदेशी कंपनियों और मेजबान कंपनियों, जिनमें कि निवेश किया गया है, के बीच होने वाले निवेश विवादों को सुलझाती है।

भारत इसका सदस्य नहीं है (यही कारण है कि 'एनरॉन' से जुड़े निवेश विवाद को इसके द्वारा नहीं निपटाया गया था)। विशेषज्ञों की राय में इसकी सदस्यता विदेशी निवेशकों को उस देश में निवेश के लिए प्रोत्साहित करती है। दूसरी तरफ इसकी सदस्यता को सदस्य देश की 'संप्रभुत्ता' (sovereignty) के ह्रास का द्योतक भी माना जाता है।

भारत का बी.आई.पी.ए. (Bilateral Investment Promotion and Protection Agreement–BIPA)

1991 में शुरू किए गए आर्थिक सुधार कार्यक्रम के तहत, भारत सरकार की विदेशी निवेश योजना को उदार किया गया और निवेशकों के पारस्परिक आधार पर निवेश को संरक्षण और बढ़ावा देने के क्रम में कई देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश प्रोत्साहन और संरक्षण समझौता (बीआईपीए) किया गया। भारत सरकार जुलाई 2012 तक 82 देशों के साथ बीआईपीए पर हस्ताक्षर कर चुकी थी, इनमें से 72 बीआईपीए लागू भी हो गए हैं और बाकी बीआईपीए लागू होने की प्रक्रिया में हैं।[17] इसके अतिरिक्त, कई अन्य देशों के साथ भी समझौतों को अंतिम रूप दिया गया है या बातचीत की जा रही है। बीआईपीए का उद्देश्य अपने देश में दूसरे देश के निवेशकों के हितों का संरक्षण और प्रोत्साहन देना है।

इस तरह के समझौते निवेशक को सभी मामलों में व्यवहार के न्यूनतम मानकों का भरोसा देते हुए उनकी सहजता का स्तर बढ़ाते हैं और मेजबान देश के साथ विवादों की न्यायसंगतता प्रदान करते हैं (यहाँ यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि भारत ऐसा ही काम करने वाली विश्व बैंक ग्रुप की संस्था आईसीएसआईडी का सदस्य नहीं है। बीआईपीए भारत का संस्करण है। जहाँ आईसीएसआईडी बहुपक्षीय संस्था है, वहीं बीआईपीए द्विपक्षीय है)।

17. Government of India, **Ministry of Commerce & Industry**, Government of India, N. Delhi, as on April 5, 2016.

एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank)

31 संस्थापक सदस्यों (भारत भी उनमें से एक) के साथ 1966 में आरंभ होकर, आज (मार्च 2017 तक) इसके सदस्य बढ़कर 67 हो गए हैं, जिनमें से 48 सदस्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र से और 19 सदस्य इसके बाहर से हैं। इसका मुख्यालय मनीला, फिलिपींस में अवस्थित हैं।

बैंक का उद्देश्य एशिया और सुदूर पूर्व के क्षेत्र में आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देना है और विकासशील सदस्य देशों के आर्थिक विकास में सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से योगदान करना है। बैंक के छह कार्य निम्नानुसार हैं:

(i) विशेषतौर पर कम विकसित सदस्य देशों में सार्वजनिक एवं निजी दोनों ही क्षेत्रों में निवेश एवं सामंजस्यपूर्ण क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना;

(ii) विकास की नीतियों एवं योजनाओं का समन्वयन (अनुरोध पर); अंतरक्षेत्रीय व्यापार को प्रोत्साहन; वित्त पोषण, निष्पादन एवं परियाजना प्रस्तावों में तकनीकी सहायता प्रदान करना, तथा;

(iii) संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं (सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों) के साथ सहयोग तथा इसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने वाली अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देना एवं जरूरी सेवाएं प्रदान करना।

बैंक के पूंजी हिस्से में भारत की हिस्सेदारी 7.190 प्रतिशत है जबकि मताधिकार में 6.050 प्रतिशत हिस्सा है (2016 की एडीबी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार)।

भारत ने एशियाई विकास बैंक के सामान्य पूँजी संसाधनों (ओसीआर) से ऋण लेना 1986 में शुरू किया। बैंक से मुख्य रूप से ऊर्जा, परिवहन और संचार, उद्योग और सामाजिक ढाँचा क्षेत्र के लिए राशि उधार ली गयी।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

एशियाई विकास बैंक ने भारत को सामान्य पूँजी संसाधनों ओसीआर से जारी ऋणों के अतिरिक्त तकनीकी सहायता भी उपलब्ध करायी है। तकनीकी सहायता के अंतर्गत संस्थागत सुदृढ़ीकरण, प्रभावकारी परियोजना कार्यान्वयन और नीति सुधारों तथा परियोजना तैयारी के लिए सहायता शामिल है।

भारत बैंक के निदेशक मंडल का कार्यकारी निदेशक है। इसके अधिकार क्षेत्र में भारत, बांग्लादेश, भूटान, लाओस पीडीआर और ताजिकिस्तान शामिल हैं। एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में वित्त मंत्री भारत के गवर्नर हैं और सचिव (आर्थिक मामला) इसके वैकल्पिक गवर्नर हैं।

ओ.ई.सी.डी. (OECD)

आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (Organisation for Economic Co-operation and Development–OECD), पेरिस, की स्थापना की जड़ें[18] द्वितीय विश्व युद्ध के विनाशोपरांत के यूरोप में हैं। प्रथम विश्व युद्ध में की गईं अपने पूर्वजों की भूलों से ऊपर उठकर वर्तमान यूरोपीय राजनेताओं द्वारा एक-दूसरे के पुनर्निर्माण में सहायक होने का निर्णय लिया।

1947 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन (OEEC) की स्थापना हुई जिसका मूल कार्य था–अमेरिकी वित्त पोषित 'मार्शल प्लान' द्वारा विश्व युद्ध में विध्वंसित यूरोप का पुनर्निर्माण। इसके तत्वावधान मे एक नये और तेजी से विकासमान यूरोप का उदय हुआ। तत्पश्चात् इस संगठन का एक वैश्विक स्वरूप तक उभरा जब यू.एस.ए. और कनाड़ा को 14 दिसम्बर, 1960 को OECD अभिसमय में सदस्यता मिली। अंततः 30 सिंतबर, 1961 को OECD की औपचारिक स्थापना हुई (तात्कालिक OEEC इस नये संगठन की जड़ बन गया)।

आने वाले वर्षों में अलग-अलग महादेशों से दूसरे देशों ने इसकी सदस्यता हासिल की। इसकी शुरुआत 1964 में जापान में हुई। वर्तमान में इसके कुल 35 देश सदस्य हैं। इसके सदस्य देश वर्षभर में कई बार आपसी मुद्दों, समस्याओं पर विचार-विमर्श के लिए मिलते रहते हैं तथा यथोचित नीतियों के निर्माण की कोशिश करते हैं। विकास के मामले मे इस संगठन की उपलब्धियां अप्रत्याशित रही हैं। पिछले 5 दशकों में यू.एस. की संपन्नता में तीन गुना वृद्धि आई है (प्रति व्यक्ति GDP के आधार पर)। अन्य सदस्य देशों ने भी विकास के नये कीर्तिमान स्थापित किए हैं।

सोवियत ब्लॉक के अधिकतर देशों ने इसकी सदस्यता अर्जित कर ली है। यहाँ तक कि हाल में उभरने वाली विश्व की कुछ अर्थव्यवस्थाओं (चीन, भारत और ब्राजील) द्वारा बिना इस संगठन की सदस्यता लिए इनकी तरह आर्थिक नीतियों में फेरबदल किया गया और काफी सफलता प्राप्त की गई। वर्तमान समय में OECD के 40 देशों का विश्व व्यापार और निवेश में योगदान 80 प्रतिशत से भी अधिक है। यही कारण है कि भारत सहित विश्व के अन्यान्य देश इस संगठन की सदस्यता के लिए इच्छुक हैं।

भारत एवं आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी): भारत को बढ़ी हुई जिम्मेदारी (2007 से) प्राप्त हुई है जो सदस्य बनने से अलग किस्म का है लेकिन इसमें भारत को पूर्ण सदस्यता दिलाने की क्षमता है। इसकी सदस्यता प्राप्ति की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल और दीर्घकालिक है, क्योंकि इसके साथ परीक्षणों की एक लंबी शृंखला जुड़ी हुई है और यह काफी ठोक-बजाकर देखता है कि नीतिगत मामलों के व्यापक विस्तार के सापेक्ष ओईसीडी के मानकों पर देश में खरा उतरने की योग्यता है या नहीं। बहरहाल, 1998 (जब भारत ने इसकी स्टील समिति की सदस्यता ग्रहण की थी) के बाद से ही ओईसीडी के साथ भारत के रिश्तों में प्रगाढ़ता आती चली गई। उसके बाद 2007 से भारत ओईसीडी का मुख्य भागीदार है। वर्ष 2017 के आरंभ से भारत 21 ओईसीडी निकायों में सहयोगी या प्रतिभागी के तौर पर शामिल होता रहा है और ओईसीडी के 9 लीगल इंस्ट्रूमेंट समर्थन करता है। यह ओईसीडी के कई महत्वपूर्ण मामलों, कॉरपोरेट गवर्नेंस से लेकर राजकोषीय मामलों एवं परमाणु ऊर्जा मामलों तक, में अहम योगदान करने वाले देश के रूप में भारत की मान्यता को जाहिर करता है।

18. Publication Division, ***India 2012*** (New Delhi: Government of India, 2013), p. 418.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

विश्व व्यापार संगठन (WORLD TRADE ORGANIZATION–WTO)

वर्ष 1947 में सीमा-शुल्क और व्यापार के लिए सामान्य समझौता (गैट) की स्थापना के बाद से बहुराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के विकास के फलस्वरूप विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। उरुग्वे दौर की बातचीत का लंबा सिलसिला 1986-94 तक चला, जिसकी परिणति विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के रूप में हुई। इस वार्ता में वस्तुओं के व्यापार से संबद्ध बहुपक्षीय नियमों और अनुशासन की पहुँच का भरपूर विस्तार हुआ और कृषि व्यापार (कृषि समझौता), सेवा व्यापार (सेवा व्यापार के बारे में सामान्य समझौता-जी. ए. टी. एस.) के साथ-साथ बौद्धिक संपदा-अधिकार से संबद्ध व्यापार के बारे में बहुपक्षीय नियम लागू हुए। विश्व व्यापार संगठन विवाद निपटारा व्यवस्था तंत्र और व्यापार नीति समीक्षा तंत्र के बारे में भी अलग से सहमति हुई।

विश्व व्यापार संगठन नियम-आधारित, पारदर्शी और सुनिश्चित पहुपक्षीय व्यापार प्रणाली प्रदान करता है। विश्व व्यापार संगठन नियम विश्व व्यापार संगठन के अन्य सदस्यों के बाजारों को भारत के निर्यात को राष्ट्रीय व्यवहार और अत्यधिक वरीयता वाले देश (एम.एफ.एन.) के रूप में भेदभाव रहित व्यवस्था प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय व्यवहार यह सुनिश्चित करता है कि एक बार भारत के उत्पाद विश्व व्यापार संगठन के अन्य सदस्य देश के यहाँ आयात हो गए है तो उस देश के उत्पादों की तुलना में उनसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। एम.एफ.एन. व्यवहार सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि सदस्य देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के बीच भेदभाव नहीं करेंगे। यदि कोई सदस्य देश यह महसूस करता है कि अन्य सदस्य की व्यापारिक नीतियों के कारण उसे निश्चित लाभ नहीं मिल रहा है तो वह विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटारा तंत्र के तहत मामला दायर कर सकता है। विश्व व्यापार संगठन के नियमों में आयात के प्रावधान भी हैं, जिनके सदस्य देशों को भुगतान संतुलन समस्या और आयात में तेजी से वृद्धि करने जैसी आयात स्थितियों से निपटने में मदद मिलती है। घरेलू उत्पादकों को नुकसान पहुँचाने वाले अनुचित व्यापार व्यवहार से निपटने के लिए डंपिंग-विरोधी समझौते और सब्सिडी तथा समतुल्य उपाय समझौता के तहत डंपिंग-विरोधी या समतुल्य कर लगाने का प्रावधान है।

सदस्यता: डब्ल्यूटीओ की वर्तमान सदस्यता[19] 164 है। इसमें शामिल होने वाला अंतिम देश अफगानिस्तान (मार्च 2016) था, जिसे ग्यारह वर्षों की वार्ता प्रक्रिया के उपरांत सदस्यता मिली। इसके सदस्यों के अलावा वर्तमान में 22 पर्यवेक्षक सरकारें भी हैं जिनमें अफगानिस्तान, होली सी (वेटिकन), ईरान, इराक, लीबिया, उज्बेकिस्तान, आदि हैं। डब्ल्यूटीओ के निर्देशों के अनुसार पर्यवेक्षक बनने के पांच साल के अंदर पर्यवेक्षकों को (होली सी के अलावा) शामिल होने के लिए वार्ता करना शुरू करना होगा।

मंत्री स्तरीय सम्मेलन: मंत्रिस्तरीय सम्मेलन डब्ल्यूटीओ की निर्णय करने वाली सर्वोच्च इकाई है जिसे हर दो साल में कम-से-कम एक बार मिलना होता है। ये सम्मेलन सभी सदस्यों को साथ लाते हैं जो देश हैं या अलग सीमाओं वाले क्षेत्र हैं। इन सम्मेलनों के दौरान हर तरह के मामालों से जुड़े फैसले लिए जाते हैं। अब तक ऐसे 11 सम्मेलन हो चुके हैं-11वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स (Buenos Aires) में सम्पन्न (दिसंबर 19-13, 2017) हुआ।

पहले के सम्मेलन: नैरोबी (15-19 दिसंबर, 2015); बाली (3-6 दिसंबर 2013); जिनीवा (15-17 दिसंबर, 2011); जिनीवा (30 नवंबर-2 दिसंबर, 2009); हांगकांग (13-18 दिसंबर, 2005); कैनकुन (10-14 सितंबर, 2003); दोहा (9-13 नवंबर, 2001); सिएटल (नवंबर 30-दिसंबर 3, 1999); जिनेवा (18-20 मई, 1998) और सिंगापुर (9-13 दिसंबर, 1996)।

नैरोबी वार्ता और भारत (NAIROBI NEGOTIATIONS & INDIA)

डब्ल्यूटीओ ने अपना 10वीं मंत्रिस्तरीय सम्मेलन नैरोबी, केन्या में 15-19 दिसंबर, 2015 के बीच किया था। ये ऐसी पहली बैठक थी, जिसकी मेजबानी किसी अफ्रीकी

19. As per the **WTO** website, March 2017.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

देश ने की थी। इस सम्मेलन के निष्कर्षों, जिन्हें नैरोबी पैकेज कहा जाता है, को नीचे दिया गया है:[20]

(i) नैरोबी घोषणा-पत्र में भविष्य की वार्ताओं के लिए दोहा डेवलेपमेंट ऐजेंडा (डीडीए) को आधार बनाने की पुनर्पुष्टि करने के औचित्य पर डब्ल्यूटीओ सदस्यों के विचारों में अंतर नजर आए। यह इसके बावजूद हुआ कि बहुत सारे अन्य विकासशील देशों, जैसे कि जी-33, एलडीसी और अफ्रीकी समूह के साथ भारत भी चाहता था कि दोहा दौर के फैसलों की पुनर्पुष्टि की जाए। हालांकि इन मतभेदों को दर्शाते हुए मंत्री स्तरीय घोषणा-पत्र में यह भी दर्ज किया गया कि 'दोहा के बचे हुए मुद्दों पर वार्ता आगे बढ़ाने के लिए सभी सदस्यों ने दृढ़ निश्चय किया है।' इसमें कहा गया कि डब्ल्यूटीओ के काम में विकास को केंद्र में रखा जाएगा। इसमें यह भी फिर कहा गया कि विशेष और अलग बर्ताव के प्रावधान आधारभूत बने रहेंगे।

(ii) चूंकि दोहा घोषणा-पत्र के भविष्य पर संशय पैदा हो गया था इसलिए भारत ने कोशिश की और खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य से सरकारी भंडारण के मंत्री स्तरीय फैसले की पुनर्पुष्टि करने में सफल हो गया जो बाली मंत्री स्तरीय सम्मेलन और आम सभा के निर्णयों के अनुरूप है। यह निर्णय सदस्यों को इस मुद्दे का स्थायी समाधान ढूंढने के लिए रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध करता है।

(iii) विकासशील देशों का एक बड़ा समूह लंबे समय से कृषि उत्पादों के लिए एसएसएम (विशेष सुरक्षा प्रणाली) की मांग कर रहा था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह मुद्दा डब्ल्यूटीओ के भविष्य की वार्ताओं की कार्यसूची में शामिल रहे। भारत ने एक मंत्री स्तरीय निर्णय करवाया जिसमें यह माना गया है कि विकासशील देशों के पास यह अधिकार होगा कि निर्णय में उल्लिखित किए गए एसएसएम का सहारा ले सकते हैं। सदस्य कृषि पर गठित समितियों के विशेष सत्रों में इसके लिए एक प्रणाली विकसित करने पर चर्चा करते रहेंगे।

(iv) इस पर भी सहमति बनी कि कृषि निर्यात आर्थिक सहायता को खत्म किया जाएगा जो विकसित देशों के लिए विशेष और अलग तरह के व्यवहार जैसे कि कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए परिवहन और मार्केटिंग पर आर्थिक सहायता, को बचाए रखने के लिए है। विकसित देशों ने कुछ कृषि उत्पादों को छोड़कर, निर्यात पर आर्थिक सहायता को तुरंत हटाने का फैसला किया है और विकासशील देश ऐसा 2018 तक करेंगे।

(v) विकासशील देश 2023 के अंत तक कृषि निर्यात के लिए मार्केटिंग और परिवहन आर्थिक सहायता देने के लचीलेपन बनाए रख सकते हैं और एलडीसी और शुद्ध खाद्य-निर्यात करने वाले विकासशील देशों को ऐसी निर्यात आर्थिक सहायता में कटौती करने के लिए और समय मिलेगा। मंत्री स्तरीय निर्णय में ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जो अन्य निर्यात नीतियों को आर्थिक सहायता के रूप में इस्तेमाल किए जाने से रोकती हैं। इन व्यवस्थाओं में शामिल है:

(a) कृषि निर्यातकों को वित्तीय सहायता के फायदों को सीमित किए जाने की शर्तें;

(b) सरकारी उपक्रमों के कृषि व्यापार में शामिल होने को लेकर नियम, और;

(c) खाद्य सहायता घरेलू उत्पादन को नुकसान न पहुंचाएं इसे सुनिश्चित करने की व्यवस्था।

20. Ministry of Finance, **Economic Survey 2015–16** (New Delhi: Government of India, 2016), Vol. 2, pp. 73–75.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(vi) एक निर्णय में औषधि निर्माण क्षेत्र में पेटेंट के 'एवर-ग्रीनिंग' (अतिरिक्त विस्तार) को रोकने के लिए संबंधित प्रावधानों को भी शामिल किया गया है। इस निर्णय से जेनेटिक दवाओं की किफायती और सुलभ आपूर्ति बनाए रखने में मदद मिलेगी।

(vii) भारत ने एलडीसी के हितों के मुद्दों पर निष्कर्षों का स्वागत किया जिनमें एलडीसी में उत्पाद के मूल स्थान के ज्यादा हित पोषण वाले नियम और एलडीसी सेवा प्रदाताओं को प्राथमिकता दिए जाने की बात है। भारत पहले भी सभी एलडीसी को सीमा शुल्क मुक्त, और कोटा-मुक्त पहुंच देता है जिससे उत्पाद को सरल, पारदर्शी और उदार सरंक्षण मिलता है।

(viii) मत्स्य पालन को आर्थिक सहायता का मुद्दा सहमति न बनने के कारण सुलझाया नहीं जा सका। भारत समेत कई अन्य देश (चीन, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया और सऊदी अरब आदि) मस्त्य पालन को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के नियमों में पारदर्शिता के अभाव में उनका विरोध कर रहे थे।

(ix) एंटी-डंपिंग के मुद्दे पर भारत ने एक प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया जो डब्ल्यूटीओ की एंटी-डंपिंग समिति को सदस्य देश के व्यवहार की जांच करने के लिए बड़ी शक्तियां प्रदान करता है। किसी बात पर मतैक्य न होने के कारण इसका कोई परिणाम हासिल नहीं हुआ।

(x) विकसित और विकासशील दोनों देशों वाले 53 डब्ल्यूटीओ सदस्यों के एक समूह में 201 सूचना तकनीक उत्पादों पर चुंगी खत्म करने के एक समझौते को लागू करने की समय-सारणी पर सहमति बन गई। यह चुंगी-रहित बाजार सभी डब्ल्यूटीओ सदस्यों के लिए उपलब्ध होगा (भारत के लिए भी, जो इस समझौते में पक्ष नहीं था)।

(xi) नए मुद्दों को चर्चा में शामिल करवाने के मुद्दे पर घोषणा-पत्र में विचारों में भिन्नता को स्वीकार किया गया है और कहा गया है कि ऐसे किसी भी मुद्दे पर बहुपक्षीय वार्ता शुरू करने के निर्णय के लिए सभी सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। अमीर (विकसित) देश चाहते थे कि उनके हितों वाले नए मुद्दे, जिनमें वैश्विक मूल्य शृंखला, ई-कॉमर्स, प्रतिस्पर्द्धा कानून, श्रम, पर्यावरण और निवेश हैं, को भी वार्ताओं में शामिल किया जाए।

ब्यूनस आयर्स सम्मेलन एवं भारत (BEUNOS AIRES CONFERENCE & INDIA)

विश्व व्यापार संगठन (W.T.O.) का 11वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स (Buenos Aires) शहर में दिसंबर 10 से 13, 2017 में सम्पन्न हुआ। हालांकि यह सम्मेलन बिना किसी मंत्रिस्तरीय घोषणा के ही समाप्त हो गया कुछ मुद्दों पर इस सम्मेलन में आम सहमति कायम रही-सम्मेलन की कार्यवही में पूर्ण खुलेपन एवं पारदर्शिता का पालन किया गया जिसमें सभी पक्षों को अपने विचार व्यक्त करने के अवसर प्राप्त हुए। इस सम्मेलन से जुड़े प्रमुख तथ्य *आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18* के अनुसार निम्न प्रकार रहे:

- इस सम्मेलन में सदस्य देशों की खाद्य सुरक्षा से जुड़ी सरकारी खाद्य भंडारण की व्यवस्था पर स्थायी समाधान के उभरने की संभावना थी। लेकिन एक देश (यू.एस.ए.) के मजबूत विरोध के कारण न तो इस मुद्दे पर कोई विचार नहीं बना और न ही अगले दो वर्षों की कार्य योजना को ही तय किया जा सका। वैसे इस दिशा में सदस्य देश वार्ता करते रहेंगे एवं कृषि के लिए विशेष व्यवस्था के साथ-साथ घरेलू कृषि समर्थन की व्यवस्था बनी रहेगी।
- मत्स्य क्षेत्र में दी जाने वाली छूटों (subsidies) में अनुशासन इस कार्य योजना का अंग होगा-ऐसी

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

सहमति बनी रही (पहले का निर्णय) ताकि 12वें सम्मेलन में इस पर अंतिम निर्णय लिया जा सके।

- ई-कॉमर्स की वर्तमान कार्य योजना जारी रहेगी ऐसी सहमति बनी रही (पहले का निर्णय)।
- वार्ता से जुड़े नये मुद्दों, यथा-निवेश सरलीकरण (facilitation), लघु एवं मझोले उपक्रमों, लिंग एवं व्यापार, इत्यादि पर इस सम्मेलन में कोई सहमति नहीं बन पायी।

पूरी वार्ता प्रक्रिया के दौरान **भारत** अपने निर्णय पर मजबूती से टिका रहा, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल थे-संगठन के मौलिक सिद्धांतों का पालन, बहुपक्षीय व्यवस्था, कानून-आधारित सहमतिपूर्वक निर्णय लेने की प्रक्रिया, स्वतंत्र अपीलीय एवं विवाद निपटारा व्यवस्था, दोहा विकास ऐजेंडा (DDA) पर कार्य तथा विकासशील देशों के लिए विशेष एवं विभेदीकृत प्रावधानों का पालन। फिलहाल, भारत समान सोच रखने वाले सदस्यों के साथ लघु-मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों (mini-Ministerial Conferences) को प्रक्रिया पर अमल करते हुए उन मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश में संलग्न है जिनके कारण यह सम्मेलन बिना किसी निर्णय के ही समाप्त हो गया।

ब्रिक्स बैंक (BRICS BANK)

वैश्वीकरण के साथ ही विश्व की क्षेत्रीय ताकतें अपनी शक्ति को कई तरह के गठबंधनों के जरिए जता रही हैं। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स देश) के राष्ट्राध्यक्षों की फोर्टालेजा घोषणा में (जुलाई के अंत में) ऐसी ही एक कोशिश थी-ब्रिक्स बैंक की स्थापना। यह है, नया विकास बैंक (एनडीबी)। इस बैंक की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं:

(i) बैंक की शुरुआती अंश पूँजी 50 अरब डॉलर होगी, जिसमें सभी पाँचों देशों का समान अंश होगा।

(ii) इसके पूँजीगत आधार का इस्तेमाल शुरुआत में ब्रिक्स देशों में आधारभूत ढाँचे और 'दीर्घकालिक विकास' परियोजनाओं को पैसा देने के लिए किया जाएगा।

(iii) समय बीतने के साथ अन्य गरीब और मध्य आय वाले देश भी इससे पैसा पाने योग्य बन सकते हैं।

(iv) भुगतान समस्याओं के समय संतुलन बनाए रखने के लिए सदस्य देशों की तरलता की रक्षा के लिए 100 अरब डॉलर का एक आकस्मिक संचित प्रावधान (सीआरए) भी तैयार किया जाएगा।

(v) सीआरए की 41 फीसदी राशि चीन और 18-18 फीसदी ब्राजील, भारत और रूस देंगे और पांच फीसदी दक्षिण अफ्रीका।

(vi) इस घोषणा के अनुसार सीआरए 'भुगतान दबाव की वास्तविक या संभावित स्थिति में अल्पकालिक संतुलन बनाने के लिए मुद्रा के विनिमय की व्यवस्था का आधार है।'

फोर्टालेजा घोषणा का महत्व एनडीबी की स्थापना से भी ज्यादा इसलिए है, क्योंकि इसने प्रस्तावित बैंक के लिए 'एक-देश एक-वोट' के नुस्खे को अपनाया। दि ब्रेटन वुड्स (विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) के ढांचे निष्पक्ष नहीं हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार एनडीबी के जन्म की दो वजहें रहीं:

(a) ब्रिक्स देश एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरे हैं और व्यापार के संदर्भ में उभरती बाजारों वाली अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों (ईएमडीसी) से अपने सहयोग को मजबूत किया है और वे ऐसी शक्ति हैं जिसे विश्व अर्थव्यवस्था में पहचाना जाने लगा है।

(b) ब्रेटन वुड्स संस्थाओं के प्रति इनकी निराशा पिछले कुछ सालों से बढ़ती जा रही थी।

फोर्टालेजा घोषणा के दो मुख्य बयान स्थिति को और स्पष्ट कर देते हैं:

(i) हमारा सामना विश्व के विभिन्न संवेदनशील स्थानों में लगातार राजनीतिक अस्थिरता और अपारंपरिक रूप से उभरते खतरों से है। दूसरी

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

तरफ विपरीत शक्ति समीकरणों के साथ बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक ढाँचे तेजी से इस बात कबा संकेत दे रहे हैं कि वे औचित्य और प्रभाव खो रहे हैं। इसके साथ ही प्राय: बहुपक्षवाद की कीमत पर भी अस्थाई और संक्रमणकालीन प्रावधान बढ़ते जा रहे हैं।

(ii) हमारा मानना है कि वर्तमान स्थिति में सुधार और बदलाव कर निष्पक्ष और ज्यादा प्रतिनिधित्वकारी प्रशासन, ज्यादा समावेशी वैश्विक विकास करने में सक्षम और एक स्थाई, शांतिपूर्ण और समृद्ध विश्व कायम करने के लिए ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण शक्ति है।

ब्रिक्स बैंक की स्थापना ऐसे समय में हुई है जब किसी-न-किसी वजह से ब्रेटन वुड्स संस्थाओं में हुए सुधार फलदायी साबित नहीं हो पाए और दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोपीय देश ब्रेटन वुड्स संस्थाओं में ब्रिक्स देशों को ज्यादा जगह देने को तैयार नहीं हो पाए हैं।

ब्रिक्स प्रायोजित एनडीबी ब्रेटन वुड्स के जुड़वां भाइयों का उपयुक्त विकल्प बन पाएगा या नहीं यह कई चीजों पर निर्भर करता है। अन्य बातों के अलावा इसके मुख्य कारकों में से एक इसकी क्षमता होगी:

(i) विवाद के निपटारे की व्यवस्था तैयार करने की,

(ii) साख के आकलन की एक मजबूत व्यवस्था तैयार करने की,

(iii) एक प्रभावी निरीक्षण प्रणाली की स्थापना करने की।

ब्रिक्स प्रायोजित विकास बैंक अकेला और अनोखा प्रयास नहीं है। ब्रेटन-वुड्स जुड़वां के प्रभाव को कम करने के लिए पहले भी ऐसी कई कोशिशें हुई हैं। 1960 में लैटिन अमेरिका का विकास बैंक (एंडियन देशों द्वारा तैयार), एशियाई मौद्रिक संकट की स्थिति में द्विपक्षीय मौद्रिक विनिमय समझौतों के लिए एक नेटवर्क तैयार करने के इरादे से 2000 की शुरुआत में चयांग माई इनिशिएटिव (10 आसियान देशों के साथ चीन, दक्षिण कोरिया और जापान शामिल) की स्थापना और लैटिन अमेरिकी देशों द्वारा 2009 में बैंक ऑफ साऊथ बनाया जाना भी अमेरिकी प्रभुत्व वाले आईएमएफ और विश्व बैंक के प्रति बढ़ते असंतोष का परिणाम था।

एशियाई अधिसंरचना निवेश बैंक (Asian Infrastructure Investment Bank)

एआईआईबी (आसियान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक) का प्रस्ताव पहली बार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अक्टूबर 2013 को दिया था। एक साल बाद 2014 में बीजिंग में इसकी आधिकारिक लॉचिंग के मौके पर 21 आसियान देशों समेत चीन ने भी संस्थापक सदस्यों के रूप में हस्ताक्षर किए। इस समय 21 और देशों ने, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, जर्मनी और फ्रांस शामिल हैं, इसमें शामिल होने की इच्छा जताई है। एक मजेदार निवेदक ताइवान भी है जो एक अप्रैल 2015 की समय सीमा से ठीक पहले इसमें शामिल हुआ है—हालांकि इसकी सदस्यता से जुड़े मुद्दे इस समझौते को उलझा सकते हैं। रूस ने भी अंतिम समय में ही आवेदन किया। चीनी मीडिया की खबरों के अनुसार 42 में से सिर्फ 30 निवेदन ही स्वीकार किए गए।

एआईआईबी का लक्ष्य एक बहुपक्षीय संस्था के रूप में एशिया क्षेत्र में आधारभूत ढाँचा परियोजनाओं के लिए वित्त उपलब्ध करवाना है। इसकी योजना उसी तरह काम करने की है जिस तरह बहुपक्षीय विकास बैंक (एमडीबी), जैसे कि विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) काम करते हैं। और यही बहस के केंद्र में भी है कि क्या एआईआईबी विकास में सहायक संस्थान के बजाय अंशदाता के रूप में देशों वाला एक व्यावसायिक बैंक बनना चाहता है जो मौजूदा संस्थानों का पूरक होगा या उनका प्रतियोगी। एआईआईबी का आधार एक अरब अमेरिकी डॉलर की अधिकृत पूँजी होगी जिसे 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाया जा सकता है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

विशेषज्ञों ने इसे आईएमएफ, विश्व बैंक और एडीबी का प्रतिद्वंद्वी करार दिया है, जिन पर अमेरिका[21] जैसे विकसित देशों का प्रभुत्व माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने एआईआईबी के शुरू होने को वैश्विक आर्थिक प्रशासन की चिंताओं और 'दीर्घकालिक विकास के लिए वित्त की उपलब्धता बढ़ना'[22] कहा है।

जहाँ तक विशेषज्ञों और विश्लेषकों का सवाल है तो उन्हें चीन के इस तरह का प्रयास करने के पीछे कई वजहें लग रही हैं। इनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं:

(i) चीनी सरकार, सुधारों और प्रशासन की सुस्त रफ्तार से हताश हो गई थी। यह विश्व की स्थापित संस्थाओं जैसे कि आईएमएफ, विश्व बैंक में ज्यादा भागीदारी चाहती है—इसके अनुसार जिन पर अमेरिकी, यूरोपीय और जापानी हित हावी हैं।

(ii) एडीबी, मनीला में स्थित क्षेत्रीय विकास बैंक है, जिसे एशिया में आर्थिक विकास के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए बनाया गया था। इसका अनुमान था कि 2010 से 2020 के बीच एशियाई देशों को आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए 80 खरब डॉलर की जरूरत पड़ेगी। इनमें से 25 खरब डॉलर सड़कों और रेलमार्गों के लिए, 41 खरब ऊर्जा संयंत्रों और वितरण के लिए, 11 खरब दूरसंचार के लिए और 4 खरब पानी और स्वच्छता (सैनिटेशन) में निवेश की आवश्यकता होगी।[23]

(iii) ऑक्सफोर्ड के अर्थशास्त्रियों के अनुसार 2025 तक विश्व के आधारभूत ढाँचे पर निवेश का 60 फीसदी इस क्षेत्र में होगा, जिसमें से अकेले चीन का हिस्सा अगले दशक में 22 फीसदी से बढ़कर 36 फीसदी हो जाएगा।

(iv) हाल के दशकों में उल्लेखनीय आर्थिक विकास हासिल करने के बावजूद चीन, भारत और दक्षिण कोरिया जैसे बहुत-से देश गरीबी से ग्रस्त हैं। यहाँ जरूरत की आधुनिक सुविधाओं जैसे कि स्वच्छता, भरोसेमंद ऊर्जा संयंत्र और समुचित परिवहन और संचार नेटवर्क की जबरदस्त किल्लत है।

(v) माना जाता है कि नया बैंक चीनी पूँजी से इन परियोजनाओं को वित्त उपलब्ध करवाने और चीन को अपनी बढ़ती आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के अनुरूप क्षेत्र के आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका निबाहने देने में सहायता करेगा।

जापान और अमेरिका का रुख: अमेरिका, जापान और कनाडा दृढ़ता के साथ इससे दूरी बनाए हुए हैं हालांकि उनके कई नजदीकी सहयोगी हाल ही में स्थान परिवर्तित कर चुके हैं। अमेरिका का कहना है कि एआईआईबी मौजूदा संस्थानों जैसे कि विश्व बैंक और एडीबी का ही हिस्सा बाँट रहा है, लेकिन इसके साथ ही उसने प्रशासन के स्तर और समुचित पारदर्शिता को लेकर संदेह जताया है। हालांकि ऐसा लगता है कि अमेरिका अपने रुख को नरम कर रहा है। जापान का कहना है कि यह समय सीमा से बंधा हुआ नहीं है, लेकिन उसने इसमें शामिल होने की संभावना को खारिज भी नहीं किया है। हालांकि अमेरिका खुलकर इस कदम का विरोध कर रहा है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों को लगता है कि अमेरिका को इसका विरोध करने के बजाय इसके साथ मिलकर काम करना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन एशिया में मूलभूत पूँजी की कमी के हल को बढ़ावा दे रहा है इसका समर्थन करने में कोई बुराई नहीं है।[24]

21. The Guardian, 'Support for China-led development bank grows despite US opposition', UK edition, 13 March, 2015.
22. United Nations Financing for Development Office, 'Global Economic Governance', New York, 20 March, 2015.
23. ***The Economist***, *'An Asian Infrastructure Bank: Only Connect'*, 4 October, 2013; Biswa N. Bhattacharyay, ***Estimating Demand for Infrastructure in Energy, Transport, Telecommunications, Water and Sanitation in Asia and the Pacific: 2010-2020***, Asian Development Bank Institute, 9 September, 2010.
24. ***The Guardian***, October 27, 2014.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

एआईआईबी का आकार: एआईआईबी सबसे बड़े विकास बैंकों में से एक होगा लेकिन फिर भी यूरोपीय विकास बैंक, विश्व बैंक और एडीबी से ठीकठाक छोटा होगा। यह ब्रिक्स विकास बैंक के आकार के साथ ही शुरू होगा जिसकी स्थापना 2014 में चीन के प्रयासों से ब्राजील, रूस, भारत और दक्षिण अफ्रीका ने की थी।

विश्व बैंक और यूरोपीय विकास बैंक के लैंडिंग कैपिटल रेशो के आधार पर एआईआईबी आधारभूत ढांचे पर ऋण को अपनी अंश पूँजी के 100 फीसदी से बढ़ाकर 175 फीसदी तक कर सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह 175 अरब अमेरिकी डॉलर तक का ऋण दे सकता है। पब्लिक-प्राइवेट साझीदारी और बढ़े हुए अंशदान के साथ यह भविष्य में परियोजनाओं के लिए ज्यादा बड़ी राशि दे सकता है।

चीन को बढ़त: इस बैंक से चीन को वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़त मिलने की उम्मीद है। इसकी मुख्य वजहें हैं:

(i) ए.आई.आई.बी. के जरिए चीन अपने विशाल विदेशी मुद्रा भंडार को सही जगह लगा सकेगा जिनसे अभी अमेरिकी ट्रेजरी बॉण्ड्स से नहीं के बराबर कमाई हो रही है। चीन का मानना है कि आधारभूत ढाँचे कि लिए व्यावसायिक रूप से वित्त देना इसे एडीबी जैसे बैंकों से अलग करता है, जिसका मुख्य जोर गरीबी हटाने पर है।

(ii) ए.आई.आई.बी. चीन के अति महत्वाकांक्षी 'सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट' की नीति के रणनीतिक लाभ के लिए भी मददगार है।

(iii) चीन के दीर्घकालिक वित्त के जरिए अल्प विकसित देशों को तकनीक, विकास के अनुभव के स्थानांतरण और औद्योगीकरण में सहायता कर चीन न सिर्फ अपना हाथ ऊपर कर लेगा बल्कि 'बेल्ट एंड रोड' से लगते सभी देशों में समृद्धि बढ़ाएगा बल्कि विदेशों में अपनी असरदार भूमिका की विविधता भी बढ़ाएगा।

(iv) इससे चीन एक बड़ी वैश्विक शक्ति के रूप में उभरेगा जो अमेरिका की नियमों के आधार पर शक्ति के संस्थानीकरण की स्थापित रणनीति को चुनौती देने को बेताब होगा। ए.आई.आई.बी. का मामला बताता है कि चीन अब इस व्यवस्था की अपने हिसाब से व्याख्या करना चाहता है, क्योंकि एशिया में प्रभुत्व लड़ाई अब नियमों और संस्थानों के जरिए लड़ी जा रही है।

(v) कथित 'नियम आधारित व्यवस्था' द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तैयार गई थी जैसे कि ब्रेटन वुड्स संधि जिसने विश्व बैंक और आई.एम.एफ. जैसे संस्थानों पर अमेरिका का प्रभुत्व स्थापित कर दिया और जहाँ चीन की भूमिका बहुत संक्षिप्त है।

ऐतिहासिक रूप से बहुपक्षीय बैंकों के सदस्य को फायदे हासिल होते हैं जैसे कि ऋण के लिए लगी पंक्ति में आगे पहुँच जाना और परियोजनाओं के लिए प्रतियोगिता में अपने देश की फर्म की सफलता की गुंजाइश काफी ज्यादा होना। सीधी-सी बात है, इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि अरबों डॉलर का काम आसानी से चीनी कंपनियों को मिल जाएगा। आखिरी टिप्पणी करने से पहले बेहतर होगा कि नए बैंक के भविष्य के घटनाक्रम पर नजर रखी जाए।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

अध्याय 17

भारत में कर संरचना (TAX STRUCTURE IN INDIA)

*करों के जरिए, सरकार वास्तविकता में यह निर्णय लेती है कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए देश के परिवारों और व्यवसायों से किस तरह संसाधन प्राप्त करने हैं– इस तरह जुटाया गया धन वह 'माध्यम' होता है जिसके द्वारा वास्तविक संसाधन निजी वस्तुओं से सार्वजनिक वस्तुओं को हस्तांतरित किए जाते हैं।**

इस अध्याय में

- ❑ कर
- ❑ कराधान की विधियां
- ❑ एक अच्छी कर व्यवस्था
- ❑ व्यय की विधियां
- ❑ मूल्यवर्द्धित कर
- ❑ वस्तु और सेवा कर
- ❑ वस्तु सौदा कर
- ❑ प्रतिभूति सौदा कर
- ❑ पूंजी लाभ कर
- ❑ न्यूनतम वैकल्पिक कर
- ❑ निवेश भत्ता
- ❑ कर व्यय
- ❑ समाहरण दर
- ❑ 14वां वित्त आयोग
- ❑ वित्त आयोग की सिफारिशें
- ❑ वित्त आयोग : अवधारणाएं एवं परिभाषाएं
- ❑ वैधता और कराधान
- ❑ आय एवं उपभोग विसंगति
- ❑ भविष्य की ओर

** देखें पॉल ए. सैमुअलसन और विलियम डी. नॉरडॉस,' इकोनॉमिक्स', द मैक्ग्रॉ-हिल कंपनी, न्यूयॉर्क, अमेरिका, 2005, पृष्ठ 327-340। यह भी देखें जोसेफ ई. स्टिग्लिट्ज और कार्ल ई वॉल्श, इकोनॉमिक्स, डब्ल्यू डब्ल्यू नॉर्टन, न्यूयॉर्क, अमेरिका, चौथा संस्करण, 2006, पृष्ठ 380-86.*

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

कर (TAX)

आधुनिक अर्थशास्त्र कर को आय के पुनर्वितरण की एक पद्धति के रूप में परिभाषित करता है।[1] इसे देखने के और भी नजरिए हो सकते हैं, लेकिन जन-सामान्य की धारणा यही होती है कि सरकारों द्वारा कर इसलिए लगाए जाते हैं कि वह खर्च से संबंधित अपने दायित्वों की पूर्ति कर सके।[2] एक उदाहरण के जरिए हम देख सकते हैं कि कर किस प्रकार आय का पुनर्वितरण करता है:

मान लें कि किसी अर्थव्यवस्था में आयकर की दर 30 प्रतिशत है। अब दो (कल्पित) व्यक्तियों 'क' एवं 'ख' की आय में अंतर पर इसका प्रभाव देख सकते हैं। 'क' की आय रु. 50,000 तथा 'ख' की आय रु. 80,000 मान लें।

व्यक्ति	न्यूनतम आय	करारोपण के पहले आय में अंतर	करारोपण के बाद आय	करारोपण के बाद आय में अंतर
क	रु. 50,000	रु. 30,000	रु. 35,000	रु. 21,000
ख	रु. 80,000		रु. 56,000	

उपरोक्त सारणी में हम यह स्पष्ट रूप से देखते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच आय का अंतर कर चुकाने के पश्चात किए प्रकार रु. 30,000 से घटकर रु. 21,000 हो जाता है - यह वह पहला स्तर है जब इन व्यक्तियों की आय का पुनर्वितरण होता है।

अब कर से जो रु 39,000 (रु. 15,000 + रु. 24,000) की आय सरकार को प्राप्त होती है वह विभिन्न क्षेत्रों - अधिरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर खर्च की जाएगी, जिसका लाभ विभिन्न सेवाओं के रूप में सभी को समान रूप से मिलेगा। यहाँ आय का पुनर्वितरण दूसरे स्तर का होता है। अब एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना की जाए जो आयकर तो देता है लेकिन अपने 'बच्चों की शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल की सेवाएँ नहीं लेता, न ही स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकारी अस्पताल जाता है और इस व्यक्ति की तुलना उस व्यक्ति से की जाए जिसके पास सरकारी स्कूल-अस्पताल की सेवाएँ लेने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इसका अर्थ यह कि अधिक कर चुकाने वाला सरकार की सेवाएँ नहीं ले रहा, कम कर चुकाने वाला सभी सेवाएँ ले रहा है। यहाँ आय का पुनर्वितरण उपभोग पक्ष की ओर से होता दिखाई देता है।

करापात (Incidence of Tax)

वह बिंदु, जहाँ कर लगता हुआ दिखता है, करापात कहते हैं।[3] उदाहरण के लिए अगर आज किसी वस्तु पर 'वैट' (VAT) में वृद्धि की जाती है तो इसका 'करापात' (Incidence) दुकानदारों पर होता है, अर्थात् यहाँ करापात का बिंदु व्यापारी है।

कराघात (Impact of Tax)

किसी कर के लगाये जाने के उपरांत इसका भुगतान वास्तव में जिसके द्वारा किया जाता है, उस बिंदु पर 'कराघात' हुआ माना जाता है।[4]

प्रत्यक्ष कर (Direct Tax)

वैसा कर, जिसमें करापात और कराघात दोनों एक ही बिन्दू पर हों, उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं।[5] जिसे चोट लगती है खून उसी का बहता है। उदाहरण के लिए आय कर, ब्याज कर आदि।

अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax)

वैसे कर, जिनका 'करापात' और 'कराघात' दो अलग-अलग बिंदुओं/जगहों पर होता है, उन्हें अप्रत्यक्ष कर कहते हैं[6] जिसे चोट लगती है खून उसका नहीं बहता बल्कि किसी दूसरे का बहता है। उदाहरण के लिए भारत में केंद्रीय वैट

1. P.A. Samuelson and W.D. Nordhaus, ***Economics,*** (New Delhi: Tata McGraw Hill, 2005), p. 327.
2. For further reference, J.E. Stiglitz and C.E. Walsh, ***Economics,*** (New York: W.W. Norton & Company, 2006), pp. 378–79.
3. Samuelson and Nordhaus, ***Economics,*** pp. 75–77.
4. Ibid., pp. 75–77.
5. Ibid., p. 329.
6. Ibid., p. 329.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(Cenvat) का करापात होता तो है व्यापारियों पर, लेकिन कराघात आम जनता (उपभोक्ता) पर होता है।

कराधान की विधियां (METHODS OF TAXATION)

अर्थव्यवस्थाओं में करारोपण (कर लगाने की) की तीन विधियाँ हैं, जिनके अपने गुण एवं अवगुण हैं:

प्रगामी कराधान (Progressive Taxation)

इस विधि में कर की दर मूल्य या आयतन/मात्रा बढ़ने के साथ-साथ बढ़ती जाती है।[7] भारत में आय कर की वसूली इसी विधि द्वारा की जाती है, जिसमें अपेक्षाकृत कम आय पर इसकी दर कम और अधिक आय पर इसकी दर अधिक है। इस विधि की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इसके द्वारा अनजाने में निम्न वृद्धि दर को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि इस व्यवस्था में अधिक आय अर्जित करने वाले को एक तरह से दण्ड दिया जाता है और निम्न आय अर्जित करने वाले को पुरस्कृत किया जाता है। दूसरी तरफ इस व्यवस्था में कर की चोरी होने लगती है, लेकिन यह विधि वास्तव में गरीबों के प्रति मित्रवत् है, जिस कारण विश्व में सबसे प्रचलित कराधान का तरीका है। इस विधि को बेहतर बनाने के लिए कर चोरी रोकने संबंधी मजबूत तंत्र की व्यवस्था अच्छी है।

प्रतिगामी कराधान (Regressive Taxation)

यह विधि प्रगामी कराधान के ठीक विपरीत है, जिसमें कर की दर मूल्य या आयतन/मात्रा में वृद्धि के साथ-साथ घटती जाती है।[8] इस प्रकार के करारोपण के लिए कोई क्षेत्र विशेष हमेशा के लिए नहीं चुना जाता है। लघु उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए कई क्षेत्रों में सरकार द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क (जो सेनवैट) की वसूली इस विधि द्वारा की जाती रही है।

जहां एक तरफ इस विधि की ज्यादा उत्पादन और आय अर्जित करने वाले को पुरष्कृत किए जाने के लिए प्रशंसा की जाती है, वहीं दूसरी तरफ इसके द्वारा अपेक्षाकृत कमजोर व्यक्तियों पर कर का अधिक भार डालने के लिए आलोचना भी की जाती है। यह एक लोकप्रिय कराधान नहीं माना जाता। अत: इसका प्रचलन न के बराबर है। आधुनिक जनतांत्रिक सोच के दृष्टिकोण से भी यह एक अलोकप्रिय विधि है।

समानुपाती कराधान (Proportional Taxation)

यह विधि न तो प्रगामी होती है न ही प्रतिगामी। प्रत्येक स्तर की आय एवं उत्पादन के लिए इस विधि में कर की दर समान होती है।[9] साधारणतया अर्थव्यवस्थाओं द्वारा इसे एक स्वतंत्र कराधान विधि के रूप में उपयोग में नहीं लाया जाता। इसे वास्तव में प्रगामी या प्रतिगामी विधियों के 'पूरक' के रूप में उपयोग में लाया जाता है – अगर प्रगामी विधि में एक स्तर के बाद समानुपातिक व्यवस्था नहीं की जाए तो कर की दर बढ़ती ही चली जाएगी और इसी तरह अगर प्रतिगामी कर व्यवस्था को एक सीमा के बाद अगर समानुपातिक नहीं बनाया जाए तो वह घटता ही चला जाएगा, अर्थात् प्रत्येक कर चाहे वह प्रगामी हो या प्रतिगामी एक स्तर के बाद समानुपातिक हो जाता है।

एक अच्छी कर व्यवस्था (A GOOD TAX SYSTEM)

एक अच्छी कर व्यवस्था/प्रणाली की क्या विशेषताएँ हैं? इस विषय पर अर्थशास्त्रियों एवं नीति-निर्माताओं में विवाद चलता रहा है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में यह परस्पर विरोधी मदों के प्रति संतुलन (trade off) के कारण और भी विवादों में रहा है। कर प्रणाली से जुड़े विवादास्पद मुद्दे मूलत: प्रगामी और प्रतिगामी विधियों में चयन, किस कर से अधिक राजस्व उगाही की जाए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, राजस्व घाटा ठीक है या नहीं, इत्यादि रहे हैं। इन विवादों के बावजूद भी अर्थविदों एवं नीति-निर्माताओं में एक अच्छी

7. Samuelson and Nordhaus ***Economics,*** 329; Stiglitz and Walsh, ***Economics,*** p. 380.
8. Ibid.
9. Samuelson and Nordhaus, ***Economics,*** p. 329.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

कर व्यवस्था के निम्नलिखित **पांच सिद्धांतों**[10] पर एक आम सहमति रही है:

(i) न्यायसंगति (Fairman)

हालांकि न्यायसंगति (अच्छी कर व्यवस्था की पहली शर्त) को पारिभाषित करना एक आसान कार्य नहीं है। अर्थविदों ने इसके लिए कर व्यवस्था में दो तत्वों के समावेश पर बल दिया है- 'क्षैतिज' (horizontal) तथा 'ऊर्ध्वाधर' (vertical) समानता। जब समान या समान स्थितियों में व्यक्तियों द्वारा समान कर दिया जाए तो इसे 'क्षैतिज समानता' कहते हैं। इसी तरह अगर आर्थिक रूप से ज्यादा संपन्न व्यक्तियों द्वारा अपेक्षाकृत अधिक कर दिया जा रहा हो तो इसे 'ऊर्ध्वाधर समानता' कहते हैं।

(ii) दक्षता (Efficiency)

दक्षता किसी कर व्यवस्था की वह क्षमता (Potential) है, जिससे वह अर्थव्यवस्था के निष्पादन/दक्षता को प्रभावित करता है। अगर किसी कर व्यवस्था द्वारा अर्थव्यवस्था की बचत, निवेश, व्यय, इत्यादि को बिना प्रभावित किए कर की उगाही की जाती है तो इसमें दक्षता का अंश माना जाता है। करों द्वारा अर्थव्यवस्था की दक्षता को बेहतर भी बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए प्रदूषण या धूम्रपान पर लगाये गए कर से जहां एक ओर कर राजस्व में वृद्धि होती है वहीं इससे एक विस्तृत सामाजिक लक्ष्य की भी प्राप्ति होती है। इसे कर का 'दुहरा लाभांश' (double dividend) कहते हैं।

(iii) प्रशासनिक सरलता (Administrative Simplicity)

कर व्यवस्था में प्रशासनिक सरलता का होना अत्यावश्यक है। इसके अंतर्गत कर की गणना, इसकी फाईलिंग (filing), इसकी वसूली इत्यादि को सरल से सरल बनाने पर बल दिया जाता है। कर की चोरी रोकने के क्षेत्र में भी इसका बड़ा योगदान है। भारत में किए जा रहे कर सुधार प्रक्रिया का ये एक महत्वपूर्ण अंग है (चिल्लैया समिति द्वारा भी इसकी सलाह दी गयी है)।

(iv) लचीलापन (Flexibility)

एक अच्छी कर व्यवस्था में लचीलापन होना अत्यावश्यक है ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसमें समयानुसार संशोधन (Modification) किए जा सकें।

(v) पारदर्शिता (Transparency)

करदाताओं द्वारा कुल कितना कर चुकाया जा रहा है तथा इसके बदले उन्हें सरकार द्वारा लोक सेवाओं के माध्यम से क्या प्राप्त हो रहा है उसे जानना संभव हो (ascertainable), कर व्यवस्था में इस कारक को शामिल करना ही इसमें पारदर्शिता का होना कहा जाता है।

व्यय की विधियां (METHODS OF EXPENDITURE)

कराधान की विधियों की तरह ही सरकार के व्यय की विधि भी तीन तरह की हो सकती है-प्रगामी, प्रतिगामी तथा समानुपातिक।[11]

सामान्य तौर पर ऐसा लगता है कि किसी अर्थव्यवस्था द्वारा विकास की उच्च स्थिति प्राप्त कर लेने के बाद उसके क्षेत्रवार व्यय की बाध्यताओं में कमी आती होगी और उसका व्यय इसके बाद प्रतिगामी हो जाता होगा, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता। विकास के उच्च स्तरों पर अर्थव्यवस्थाओं के व्यय में और वृद्धि होती है। यही कारण है कि सरकारी व्यय की सबसे प्रचलित और अच्छी विधि प्रगामी है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सरकारी व्यय को वैसे भी प्रगामी बनाये रखना पड़ता है, क्योंकि विकास की अनेकानेक आवश्यकताएँ अभी भी अपूर्ण होती हैं।

इस प्रकार कर लगाने की सबसे अच्छी विधि 'प्रगामी कराधान' है तथा सरकारी व्यय की सबसे अच्छी विधि भी 'प्रगामी व्यय' है। इसके द्वारा एक-दूसरे के पूरक की

10. Stiglitz and Walsh, ***Economics,*** p. 382. A comprehensive analysis of good tax structure is also given in ***Meade Committe Report,*** Institute for Fiscal Studies (IFS), Washington DC, 1978.

11. Based on the discussion on Government Expenditure in Samuelson and Nordhaus, ***Economics.***

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

भूमिका निभायी जाती है। आज विश्व का सबसे प्रचलित तरीका प्रगामी कराधान के साथ प्रगामी व्यय ही है।

मूल्यवर्द्धित कर (VALUE ADDED TAX)

जिस कर की वसूली मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण (उत्पादन या वितरण) द्वारा की जाती है, उसे मूल्यवर्द्धित कर (VAT) कहते हैं।[12] इसके नाम से ही यह स्पष्ट होता है कि यह मूल्यवर्द्धन (value addition) पर लगाया गया कर है। भारत में 'वैट' (VAT) आज एक कर का नाम है, जिसे राज्यों द्वारा लगाया जाता है।

कर लगाने की 'वैट' विधि एक बेहतर कर व्यवस्था है। चूंकि इसमें कर की वसूली मूल्यवर्द्धन के प्रत्येक स्तर पर की जाती है, इसे एक 'बहु-बिन्दु कर' (multi-point tax) व्यवस्था भी कहते हैं। गैर-वैट विधि में इसके विपरीत 'एकल-बिंदु कर' (single-point tax) व्यवस्था होती है, जिस कारण 'कर पर कर' (tax upon tax) लगने लगता है, जिसका मुद्रास्फीति पर 'क्रमपाती प्रभाव' (Cascading Effect) पड़ता है और इस कारण महँगाई बढ़ती है। भारत जैसे देश जहाँ की एक बहुत बड़ी जनसंख्या बेहतर जीवन-स्तर से नीचे गुजर-बसर करती है (क्रयशक्ति निम्न होने के कारण) में कर वसूलने की व्यवस्था 'वैट पद्धति' (VAT Method) पर होना अति तर्कसंगत है। यह कर प्रणाली बिना 'धनी-विरोधी' (anti-rich) हुए 'गरीबी-मित्रवत्' (pro-poor) है।

भारत में 'वैट' की आवश्यकता (Need of VAT in India)

विश्व के 160 से अधिक देश अपने अप्रत्यक्ष करों की वसूली मूल्यवर्द्धित (वैट) पद्धति पर ही करते हैं—वैश्वीकरण की प्रक्रिया में हो रही अर्थव्यवस्थाओं की समेकन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए भी भारत को इस प्रणाली को अपनाने की जरूरत प्रतीत हो रही थी। भारत में भी अप्रत्यक्ष करों की वसूली के लिए 'वैट' विधि को अपनाना आवश्यक है। इसे हम निम्न प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं:[13]

(i) चूंकि गैर-वैट पद्धति में कर की वसूली एक ही बिन्दु पर की जाती है। अतः इसके द्वारा मूल्य वृद्धि की जाती है (कर पर कर लगने से), जो गरीब-विरोधी (anti-poor) है। वैट को अपनाने से यह मूल्य वृद्धि नहीं होगी जिससे करीबों की क्रयशक्ति बढ़ेगी तथा उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।[14.]

(ii) भारत एक संघीय राजव्यवस्था है जहाँ केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारों द्वारा भी कई अप्रत्यक्ष करों की वसूली की जाती है। जहां तक केंद्र द्वारा आरोपित अप्रत्यक्ष करों की बात है तो वे पूरी देश में एक समान हैं, लेकिन राज्यों के अप्रत्यक्ष करों (उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, मनोरंजन कर इत्यादि) में हमेशा से भिन्नता रही है। इस कारण भारत के अलग-अलग राज्यों में अप्रत्यक्ष करों का भार भी अलग-अलग है, अर्थात् भारत का बाजार एकीकृत (unified) नहीं है। इस कारण भारत में उत्पादन और व्यापार करना काफी मुश्किल कार्य रहा है। यही कारण था कि 'वैट' के माध्यम से राज्यों के अप्रत्यक्ष कर में समानता लाने के लिए 'राज्य वैट' (वैट) की शुरुआत की गयी, जिसने राज्यों के बिक्री करों की जगह ली तथा इसकी वसूली मूल्यवर्द्धित पद्धति पर प्रारंभ हुई। इस प्रक्रिया को ही 'समरूप वैट' (Uniform VAT) की शुरुआत भी कहते हैं।

(iii) आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के सफलीभूत होने के लिए भारत के बाजार को एक/समरूप करना

12. Ibid., p. 333

13. Derived from the points forwarded by the ***GoI*** and the ***Empowered Group of State Ministers.***

14. Raja C. Chelliah, Pawan K. Aggarwal, Mahesh C. Purohit and R. Kavita Rao, ***Introduction to Value Added Tax*** , in Amaresh Bagchi (ed.). ***Readings in Public Finance*** (New Delhi: Oxford University Press, 2005), pp. 277–78.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

आवश्यक था, जिसकी शुरुआत 'वैट' से की गयी।

(iv) भारतीय संघीय व्यवस्था में आर्थिक रूप से मजबूत संघ एवं कमजोर राज्यों का उद्भव हुआ, जिसके कारण राज्यों के जिम्मे जो स्थानीय विकास कार्य था उसमें निरंतर ह्रास हुआ। चूंकि वैट विधि में राज्यों की कर वसूली बढ़ती है (विश्व का अनुभव यही रहा है जिसकी पुष्टि 'राज्य वैट' द्वारा भारत में भी हो चुकी है) इस कारण से भी इस प्रणाली को अपनाना आवश्यक है।

(v) भारत में अप्रत्यक्ष करों की भारी चोरी होती रही है। वैट विधि के लागू होने से कर चोरी घटी है। इस विधि में किसी स्तर पर किए गए मूल्यवर्द्धन की पुष्टि के लिए पूर्व में की गयी खरीद की रसीद दिखाना आवश्यक है (नहीं तो उसे पहले के मूल्यवर्द्धन के भुगतान की छूट नहीं मिलती है)। इस विधि से करों की 'दुहरी संवीक्षा' (double check) संभव है और कर की चोरी रोकना स्वत: संभव हो जाता है।[15]

(vi) 'राज्य वैट' में राज्यों के अन्य अप्रत्यक्ष करों एवं केंद्र के कई अप्रत्यक्ष करों को शामिल कर दिया जाए तो कर की व्यवस्था काफी 'सरल' (Simple) और 'दक्ष' (Efficient) भी हो जाएगी। ऐसे ही भविष्य के कर को 'एकल वैट' (Single VAT) कहा जाएगा, जिसकी कोशिश 'वस्तु एवं सेवा कर' (Goods and Services Tax—GST) द्वारा करने की कोशिश जारी है।

इन सभी बातों को ध्यान में रखकर कर सुधार (*चेलिया कमेटी* एवं *केलकर कमेटी*) शुरू किए गए जिसमें एक हद तक सफलता भी मिली है, जिससे इसे आगे जारी रखने का प्रोत्साहन मिलता है।

वर्ष 1996 में केन्द्र सरकार ने वैट पद्धति से उत्पाद शुल्क वसूलना शुरू कर दिया और इस कर को एक नया नाम दिया गया – सेनवैट (CENVAT)।

एक अन्य प्रस्ताव राज्यों के उत्पाद शुल्क एवं बिक्री कर को एक कर – राज्य वैट (State VAT) अथवा वैट में मिला देने का था। लेकिन राज्यों की इच्छाशक्ति के अभाव में यह संभव नहीं हो सका। आखिरकार, राज्यों के केवल बिक्री कर का नाम बदलकर वैट कर दिया गया और इसकी वसूली वैट पद्धति पर की जाने लगी। कुछ राज्यों ने इसे लागू नहीं किया जबकि कुछ ने बाद में लागू किया। हालाँकि अनुभव उत्साहजनक रहा।

वैट का अनुभव (Experience of VAT)

अप्रैल 2005 में कुल 20 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों ने (अपने मौजूदा सेल्स टैक्स को छोड़कर) वैट लागू किया। बाकी राज्यों ने 2008-09 में इसे लागू किया। वैट लागू करने के बाद ज्यादातर राज्यों के राजस्व में पहले ही साल में काफी वृद्धि हुई जबकि कुछ राज्यों ने राजस्व में नुकसान के लिए केंद्र से मिलने वाले हर्जाने का सहारा लिया। ये हर्जाना भी सिर्फ एक या दो साल के लिए लिया गया। वैट लागू करने का अनुभव काफी उत्साहित करने वाला रहा है। वित्तीय वर्ष 2016-17 तक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के टैक्स से होने वाली कमाई में हर साल 16 फीसदी वृद्धि दर का अनुमान था।

इस तरह से वैट लागू करने से राज्यों की टैक्स से होने वाली कमाई बढ़ने की बात सच साबित हो रही है। माना जा रहा है कि प्रस्तावित जीएसटी लागू होने का कुछ ऐसा ही असर राज्यों और केंद्र के अप्रत्यक्ष करों से होने वाली कमाई पर पड़ेगा।

वस्तु और सेवा कर (Goods and Services Tax)

राज्यों में वैट लागू करने के बाद भारत सरकार प्रस्तावित जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज ऐक्ट) लागू करना चाहती है। इसके पीछे मंशा केंद्र और राज्यों के अप्रत्यक्ष कर को मिलाकर एक राष्ट्रीय कर लागू करने की है, जिसे आमतौर

15. Ibid.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

पर भारत का **सिंगल वैट** कहा जाता है। पूरे भारत में एक सिंगल मार्केट तैयार करने से व्यवसाय और उद्योगों को काफी फायदा होगा। इस टैक्स के जरिए जीडीपी को 2 फीसदी (कुछ रूढ़िवादी विशेषज्ञों का अनुमान) तक बढ़ाया जा सकता है। राज्यों में वैट लागू होने से बाजार और अर्थव्यवस्था को हुए फायदे जीएसटी में भी एक जैसे ही हैं। जीएसटी के पहले प्रस्ताव[16] में टैक्स व्यवस्था का जो सुझाव था, उसके अनुसार:

(i) वैट के तरीके से ही वसूला जाए (वैट की ही सारी विशेषताएं होंगी)।

(ii) टैक्स में समानता के साथ पूरे भारत में लागू हो। ये कहना सही होगा कि केंद्र और राज्यों के कई अप्रत्यक्ष करों के बदले एक ही अप्रत्यक्ष कर लागू हो।

(iii) केंद्र के चार टैक्स (सेनवैट, सर्विस टैक्स, स्टैंप ड्यूटी और सेंट्रल सेल्स टैक्स) और राज्यों के नौ टैक्स (एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स/वैट, एंट्री टैक्स, लीज टैक्स, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट टैक्स, लग्जरी टैक्स, टर्नओवर टैक्स, ऑक्टरॉय टैक्स और सेस) को जीएसटी में शामिल किया जाए।

(iv) 20 फीसदी टैक्स की एक ही दर (12 फीसदी केंद्र को मिलेगा और 8 फीसदी राज्यों को)।

कार्यान्वयन प्रक्रिया (Implementation Process)

केलकर कमिटी की रिपोर्ट के अध्ययन के पश्चात् वर्ष 2006 में सरकार ने वर्ष 2010-11 से इस नये कर जारी करने का निर्णय लिया। केंद्र एवं राज्य की सरकारों के बीच आम सहमति नहीं बन पाने के कारण प्रक्रिया में देर होती चली गई। विवादास्पद मुद्दों को सुलझाने के लिए एक के बाद एक दो स्वतंत्र विशेषज्ञ समितियों ने सरकार को अपनी सलाह सुपुर्द[17] की। अंततः अगस्त 2016 के आरंभ में संविधान संशोधन (101वां संशोधन) विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई और इसके कार्यान्वयन का रास्ता साफ हो गया। सितंबर 2016 के आखिर में सरकार द्वारा जीएसटी परिषद् (जीएसटीसी) सृजित कर दी गई। परिषद् में केंद्र एवं राज्य सरकार को जीएसटी से संबंधित विभिन्न मुद्दों, जैसे-दर, फ्लोर रेट, एक्जेंप्शन आदि के संबंध में सिफारिश करने की शक्ति प्रदान की गई है।

अंततः जुलाई 1, 2017 को भारत के ऐतिहासिक संघीय अप्रत्यक्ष कर, जी.एस.टी. को सरकार द्वारा लागू किया गया इस कर की प्रमुख विशेषताएं[18] निम्न प्रकार हैं:

(i) इसमें समाहित होने वाले अन्य केन्द्रीय कर हैं-केंद्रीय उत्पाद कर, अतिरिक्त उत्पाद कर, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क (सामान्य तौर पर इसे काउंटरवैलिंग शुल्क के रूप में जाना जाता है), और सीमा का विशेष अतिरिक्त शुल्क (कुल पांच कर)।

(ii) इसमें समाहित होने वाले अन्य कर हैं-राज्य का वैट (राज्य का वेल्यू एडेड टैक्स), मनोरंजन कर (स्थानीय निकायों द्वारा आरोपित कर के अतिरिक्त), केंद्रीय बिक्री कर (केंद्र द्वारा आरोपित एवं राज्य द्वारा संगृहीत), ऑक्टोरी एवं प्रवेश शुल्क, खरीद पर कर, विलासिता कर, और लॉटरी, सट्टेबाजी और जुए पर कर (कुल आठ कर)।

(iii) 'विशेष महत्व के घोषित सामान' की अवधारणा को त्याग दिया गया।

(iv) माल और सेवाओं के अंतरराज्यीय लेनदेन पर एक एकीकृत जीएसटी आरोपित किया जाएगा।

16. *Vijay Kelkar Task Force on the FRBM Act 2003*, Ministry of Finance, **Economic Survey 2004-05**, (New Delhi: Government of India, 2005), p. 40.

17. First it was from the **National Institute of Public Finance and Policy** (NIPFP) followed by the **Subramanian Committee**, during 2016-17.

18. ***Ministry of Finance***, Government of India, N. Delhi, July 2017.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(v) मानव उपभोग के लिए शराब, पेट्रोल एवं पेट्रोलियम उत्पादों पर जीएसटी से छूट (कालांतर में पेट्रोलियम पर यह कर लागू होगा।

(vi) जीएसटी की लेवी से छूट की सीमा सामान्य राज्यों के लिए 10 लाख रुपये एवं विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों के लिए 20 लाख रुपये निर्धारित की गई है।

(vii) कम्पोजिशन स्कीम का लाभ उठाने के लिए सीमा 50 लाख रुपये निर्धारित की गई है। सेवा प्रदाताओं को इससे बाहर रखा गया है।

(viii) राज्यों को जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व नुकसान के लिए 5 वर्षों तक क्षतिपूर्ति (इसके लिए वर्ष 2015-16 को 14 प्रतिशत वृद्धि दर के साथ आधार वर्ष माना जाएगा) दी जाएगी।

(ix) अध्यक्ष से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर नियमों और विनियमों में मामूली बदलावों की अनुमति हो सकती है (हितधारकों या विधि विभाग से प्राप्त सुझावों के कारण), यदि आवश्यकता हो तो।

(x) अप्रत्यक्ष करों पर सभी छूट/प्रोत्साहन जीएसटी को भुगतान करने के दायित्व के साथ आहरित किए जा सकेंगे। अगर उनमें से कोई भी जारी रखता है तो इसे प्रतिपूर्ति तंत्र के माध्यम से प्रशासित किया जाएगा।

(xi) जीएसटी के तहत वस्तुओं का 'बैंड रेट' (प्रतिशत में) 5, 12, 18 और 28 होगा और इसके अतिरिक्त छूट (exempt) वाली वस्तुओं की भी एक श्रेणी होगी। इसके अलावा कुछ वस्तुओं जैसे कि लक्जरी कार, एरियेटेड ड्रिंक्स, पान मसाला और तम्बाकू उत्पादों पर 28 प्रतिशत तक या इससे कहीं ज्यादा की दर पर उपकर लगाया जाएगा (इस रकम से राज्यों को क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा सकेगा)।

(xii) भारत के संघीय ढांचे को ध्यान में रखते हुए, जीएसटी के दो घटक होंगे—*पहला*, केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और *दूसरा*, राज्य जीएसटी (एसजीएसटी)। वस्तु एवं सेवा की प्रत्येक आपूर्ति की मूल्य शृंखला पर केंद्र और राज्य दोनों जीएसटी वसूली कर सकेंगे। राज्य 1.5 करोड़ रुपये से नीचे के टर्नओवर के लिए 90 प्रतिशत वस्तुओं व सेवाओं का आकलन करेंगे, जबकि शेष 10 प्रतिशत केंद्र के जिम्मे होंगे। वे करदाता जिनका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से अधिक है, उनका राज्य और केंद्र के बीच आधा-आधा बंटावारा होगा।

जी.एस.टी. को लागू किए जाने के बाद कई मुद्दों को लेकर अर्थव्यवस्झथा में एक भ्रम की स्थिति बनी रही – कर की दरों, कर जमा करने की जटिल व्यवस्था, व्यापारिक निकायों की संबद्ध शिकायतें, इत्यादि। चूंकि कर भुगतान की पूरी व्यवस्था इंटरनेट-आधारित रखी जाने के कारण कुछ भ्रम इसकी तकनीकी जानकारी के अभाव, इंटरनेट की विश्वसनीयता आदि से भी जुड़े रहे। विशेषज्ञों की राय में आने वाले समय में इससे जुड़े भ्रमों का समाधान हो जाएगा तथा इस संघीय अप्रत्यक्ष कर की सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा।

जी.एस.टी. के माध्यम से अर्थव्यवस्था की समझ (Understanding the Economy through GST)

जी.एस.टी. को लागू करने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण शामिल हैं, यथा—एक भारतीय बाजार का विकास, कर के आधार का विस्तार तथा सहकारी संघवाद को प्रोत्साहन। इससे प्राप्त होने वाला एक लाभ लगभग ध्यानाकर्षित नहीं कर सका है जो है—इसके माध्यम से प्राप्त होने वाली सूचनाओं का भंडार, जो निश्चित तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था की समझ को बदल देगा[19]। इसके माध्यम से प्राप्त आंकड़े हमारे कई दीर्घावधिक एवं मौलिक समझ को स्पष्ट कर सकते हैं। अब तक के आंकड़ों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी कई उत्तेजक (exciting) बातें उजागर हुई हैं (***आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18*** के अनुसार):

19. ***Economic Survey 2017-18***, Vol. 1, Ministry of Finance, N. Delhi, pp. 32-42.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

- अप्रत्यक्ष कारदाताओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, जिसमें ज्यादातर ने स्वेच्छा से जी.एस.टी. को अपनाया है-विशेषकर छोटे उपक्रमों ने ऐसा किया जो बड़ी कंपनियों से खरीद करते हैं (ताकि उन्हें आगत कर क्रेडिट का लाभ प्राप्त हो सके)।
- जी.एस.टी. के वितरण का आधार राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) से जुड़ा है। इससे यह भय समाप्त हो चला है कि प्रमुख उत्पादक राज्यों के सकल कर में कमी आएगी।
- अंतर्राष्ट्रीय निर्यातों से जुड़े आंकड़ों से यह ज्ञात हुआ है कि राज्यों के निर्यात निष्पादन एवं उनके जीवन स्तर में एक मजबूत संबंध है।
- भारत के मामले में एक विशेष बात है कि दूसरे देशों की तुलना में इसके बड़े कंपनियों का इसके निर्यात में काफी छोटा हिस्सा है।
- देश के आंतरिक व्यापार (internal trade) का आकार इसके स.घ.उ. (GDP) का लगभग 60 प्रतिशत (*आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17* के अनुमान से भी अधिक) है, जो विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से तुलनीय स्तर का है।
- भारत का औपचारिक क्षेत्र और गैर-कृषि वेतन (Payroll) हमारी वर्तमान जानकारी से अच्छा खासा बड़ा हैं जी.एस.टी. के अंग होने के दृष्टिकोण से औपचारिक क्षेत्र का वेतन भुगतान गैर-कृषिगत श्रमिकों का लगभग 53 प्रतिशत है। हालांकि, सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों के मामले में यह सिर्फ 31 प्रतिशत है।
- इसी प्रकार औपचारिक क्षेत्र का आकार (सामाजिक सुरक्षा के अंग होने का शुद्ध जी.एस.टी. की मात्रा के आधार पर) निजी गैर-कृषि क्षेत्र में संलग्न सभी उपक्रमों का 13 प्रतिशत है लेकिन सकल टर्न-ओवर (turnover) का 93 प्रतिशत है।

सर्वेक्षण के अनुसार ऊपर चर्चित जानकारियां एक नमूना (sample) भर हैं, जिनसे आने वाले समय में ज्ञात हाने वाले तथ्यों एवं विश्लेषणों का अनुमान लगाया जा सकता है। आने वाले समय में इसके माध्यम से अनुसंधान के महत्वपूर्ण नये आयाम सामने आएंगे।

वस्तु सौदा कर (COMMODITIES TRANSACTION TAX)

संघीय बजट 2013-14 में वस्तु विनिमय कर (CTT) का प्रावधान (बल्कि पुनः प्रावधान) किया गया, केवल गैर-कृषि वस्तुओं के लिए 0.01 प्रतिशत की दर पर। इसके साथ ही वस्तु व्युत्पादितों में विनिमय को सट्टेबाजी से मुक्त घोषित कर दिया गया है। ऐसे लेन-देन से हुई क्षति को किसी अन्य स्रोत से कमाई गई आय के विरुद्ध 'सेट ऑफ' किया जा सकता है (प्रतिभूति बाजार के लेनदेन में भी ऐसे ही प्रावधान लागू होते हैं)।

सभी वित्तीय विनिमय करों की तरह, सीटीटी अत्यधिक सट्टेबाजी को हतोत्साहित करने, जो कि बाजार के लिए घातक है और प्रतिभूति बाजार एवं वस्तु बाजार में साम्यता लाने के लिए लक्षित है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स वित्तीय उपकरण हैं जो मूल्य जोखिम प्रबंधन में प्रयुक्त होते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि उनको प्रमाणित करने वाला नीतिगत फ्रेमवर्क सभी संविदाओं में एक समान हो। सीटीटी का प्रस्ताव सरकार के कर आधार बढ़ाने की सामान्य नीति से ही निकला है।

सीटीटी प्रतिभूति विनिमय कर (Securities Transaction Tax– STT) के समान ही एक कर है जो घरेलू वस्तु व्युत्पादों के लेन-देन पर लगाया जाता है। विश्व में वस्तु व्युत्पादों को वित्तीय संविदा के रूप में माना जाता है। इसलिए सीटीटी को एक प्रकार का वित्तीय विनिमय कर भी माना जा सकता है।

सीटीटी का विचार पहली बार संघीय बजट 2008-09 में सामने आया। उस समय वस्तु विनिमय कर 0.017 प्रतिशत की दर से लगाने का प्रस्ताव किया था। हालाँकि इसे वापस ले लिया गया क्योंकि उस समय बाजार नवजात की सी स्थिति में था और उस समय विनिमय कर को लागू करने से संगठित वस्तु व्युत्पाद बाजार प्रभावित हो सकता था। इससे भारतीय वस्तु विनिमय को वैश्विक स्तर

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

तक (एमसीएक्स दुनिया का नं. 3 वस्तु विनिमय केन्द्र है, एमसीएक्स सोना और चाँदी में नं. 1, प्राकृतिक गैस में नं. 2 तथा कच्चे तेल में नं. 3 है) ले जाने में मदद मिली है।

प्रतिभूति सौदा कर (Securities Transaction Tax)

यह एक प्रकार का वित्तीय विनिमय कर (financial transaction tax) है, जो घरेलू स्टॉक एक्सचेंज में होने वाले लेन देन पर लगाया जाता है। एसटीटी की दरें केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित की जाती हैं। करों की शब्दावली में इसे प्रत्यक्ष कर की कोटि में रखते हैं। यह कर 1 अक्टूबर, 2004 से प्रभावी हुआ। भारत में एसटीटी स्टॉक एक्सचेंज से वसूला जाता है। एसटीटी लगाने के बाद दीर्घ अवधि के पूँजी लाभ कर को शून्य कर दिया गया जबकि लघु पूँजी लाभ कर को घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया (बाद में 2008 से 15 प्रतिशत कर दिया गया)।

एसटीटी फ्रेमवर्क की समीक्षा केन्द्र सरकार द्वारा 2005, 2006, 2008, 2012 तथा 2013 में की गई। 2005 एवं 2006 में इसकी दरें बढ़ाई गईं, लेकिन कुछ प्रभागों में इन्हें कम भी किया गया, 2012 एवं 2013 में। वर्ष 2008 में एसटीटी के प्रावधान इस प्रकार बदले गए कि पेशेवर व्यापारी (दलाल) के लिए एसटीटी एक ऐसे खर्च के रूप में प्रस्तुत किया गया जिसे आय में सीधे घटाया जा सकता हो, बजाए इसके कि उसे चुकाए गए अग्रिम कर के रूप में व्यवहृत किया जाए (2004 के एसटीटी प्रावधान यह व्यवस्था देते हैं कि पेशेवर व्यापारियों, जिनकी व्यवसाय आय प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री से एसटीटी भुगतान उनके कुल कर दायित्व के विरुद्ध आरोपित किया जा सके)।

आज की तारीख में एसटीटी 'प्रेफरेंस शेयर', सरकारी प्रतिभूतियों, बॉण्ड, डिबेंचर, मुद्रा व्युत्पादों (currency derivates), म्युचुल फंड की इकाइयों तथा स्वर्ण विनिमय व्यापार फंड के मामले में लघु-अवधि एवं दीर्घ-अवधि लाभों को सामान्य कानूनी प्रावधानों के अनुसार प्रयुक्त किया जाएगा।

सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों के लेन-देन, जो चाहे स्टॉक एक्सचेंज के फ्लोर पर हों या और कहीं, सेबी (SEBI) के नियमन के अंतर्गत अनिवार्य रूप से संचालित होंगे। प्रतिभूतियों का ऑफ-मार्केट लेने-देन भी एसटीटी के अंतर्गत नहीं आता।

पूंजी लाभ कर (Capital Gains Tax)

यह प्रत्यक्ष कर है और सभी परिसंपत्तियों पर लागू होता है यदि उसके मालिक को उससे कोई मुनाफा होता है – वह कर जो परिसंपत्ति बेचने वाले के लाभ पर आरोपित होता है। यह कर दो वर्गों में बाँटा गया है:

(i) **लघु अवधि पूँजी लाभ (Short term capital gain):** यह उस स्थिति में लागू होता है जबकि कोई परिसंपत्ति खरीदने के 36 महीने के अंदर उसे बेच दिया जाता है। इस मामले में इस कर की दर सामान्य आयकर स्लैब के समान होती है लेकिन शेयर, म्युचुअल फंड, यू.टी.आई. यूनिट्स के मामले में यह अवधि 12 महीने की होती है तथा इस पर कर 15 प्रतिशत लगता है।

(ii) **दीर्घ अवधि पूँजी लाभ (Long term capital gain):** यह उस स्थिति में लागू होता है जबकि कोई परिसंपत्ति खरीदने के 36 महीने के बाद उसे बेच दिया जाता है। इस मामले में कर की दर 20 प्रतिशत होती है। शेयर, म्युचुयल फंड, यूटीआई की युनिट्स तथा 'जीरो कूपन बॉण्ड' के मामले में इस कर से छूट (शून्य कर)। वैसे हाल में सरकार द्वारा 10 प्रतिशत दीर्घावधिक पूंजी लाभ कर लगाया गया है (एक लाख रु. से अधिक के लाभ पर)[20]

न्यूनतम वैकल्पिक कर (Minimum Alteranate Tax)

यह (MAT) एक प्रत्यक्ष कर है, जो 18.5 प्रतिशत की दर से 'जीरो टैक्स' कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ पर लगाया जाता है। इसे पहली बार 1997-98 में आरोपित किया गया था।

20. ***Union Budget 2018-19*** introduced this tax (other than the Security Transaction Tax which these financial instruments already attract).

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

मूलत: आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही भुगतान किया जाता है, लेकिन कंपनियाँ अपने द्वारा अर्जित लाभ की गणना कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार करती हैं। आयकर अधिनियम के अंतर्गत कुल आय पर कई प्रकार की छूटें तथा प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। पुन: कंपनी अधिनियम में प्रावधानित दरों का अवमूल्यन आयकर अधिनियम के मुकाबले अधिक होता है। परिणामस्वरूप इन छूटों के बाद कंपनियाँ अपनी योग्य आय को या तो शून्य अथवा ऋणात्मक रूप में दिखाती हैं और इस प्रकार 'जीरो टैक्स' कंपनियाँ अस्तित्व में आती हैं।

वास्तविकता में, 'जीरो टैक्स' कंपनियाँ उच्च लाभ कमा रही हो सकती हैं और अपने शेयर धारकों को भी उच्च लाभांश दे रही हो सकती हैं। लेकिन शून्य आय दर्ज करने के कारण वे कोई आयकर अदा नहीं करतीं। ऐसी कंपनियों को आयकर अधिनियम के अंतर्गत लाने के लिए आयकर अधिनियम में धारा 115JB जोड़ी गई (1997-98) और उसी अनुसार मैट (MAT) लागू किया गया।

मैट (MAT) कंपनियों को आयकर के रूप में एक न्यूनतम राशि चुकाने के लिए विवश करने का एक तरीका है। यह अधिरचना एवं बिजली प्रक्षेत्रों, मुक्त व्यापार क्षेत्रों, धमार्थ गतिविधियों, बैंचर तथा ऐंजल फंडों के अतिरिक्त सभी कंपनियों पर लागू होता है। वैसी विदेशी कंपनियाँ भी इसकी परिधि में आती हैं जिनके आय स्रोत भारत में हैं। संघीय बजट 2015-16 में विदेशी वित्तीय संस्थाओं से संबंधित प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाया गया और अब उन्हें सिक्योरिटी में लेन-देन से हुए पूँजीगत लाभ पर मैट नहीं छुपाना पड़ता है।

हम एक उदाहरण ले सकते हैं। मान लिया जाए कि एक कंपनी ने 10 लाख रुपये का लाभ कमाया। कटौतियों, छूटों तथा अवमूल्यन के पश्चात इसकी कुल योग आय अगर 6 लाख के नीचे आ जाती है, तो इसकी कर योग्य आय 4 लाख हो जाएगी। इस मामले में प्रयोज्य आय 1.2 लाख रुपए होगी (अगर आय कर की दर 30 प्रतिशत है)। लेकिन कंपनी 1.8 लाख रुपया का मैट चुकाएगी (10 लाख के लाभ पर 18.5 प्रतिशत के दर से)। संबंधित कंपनी को वह कर चुकाना है जो कि उच्चतर है, और यहाँ उसे 1.85 लाख रुपये का कर चुकाना है।

सम्प्रति कर का एकत्रीकरण अग्रिम कर के तौर पर होता है। टैक्स को आगे बढ़ाया एवं आगामी 10 वर्षों की अवधि में नियमित भुगतान कर के विरुद्ध समायोजित (इसे एमएटी क्रेडिट के तौर पर जाना जाता है) किया जा सकता है। देश में इस कर को समाप्त करने की लंबे समय से मांग की जाती रही है। इस बीच, *संघीय बजट 2017-18* में कंपनियों को उपलब्ध छूटों को अप्रैल 2017 से रद्द किए जाने की घोषणा की गई है। ऐसा इसलिए ताकि कंपनियां एमएटी क्रेडिट का इस्तेमाल कर पाने में सक्षम हो सकें। टैक्स को आगे बढ़ाने की तिथि भी बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी गई है।

निवेश भत्ता (INVESTMENT ALLOWANCE)

भारत सरकार ने 2013-14 में कारखाना और मशीनों पर 100 करोड़ या ज्यादा निवेश करने वाली कंपनियों को 15 फीसदी निवेश भत्ता या इनवेस्टमेंट एलाउंस देने का एलान किया था। ये नियम मार्च 2016 तक के लिए ही था। वैश्विक मंदी को देखते हुए उद्योग के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन के तहत ये कदम उठाया गया था।

इस बीच सरकार ने कंपनियों को मिलने वाली कई इंसेंटिव को खत्म करते हुए कॉरपोरेट टैक्स को पुनर्गठित करने की प्रक्रिया शुरू की (संशोधन प्रक्रिया)। पहले चरण में वर्ष में कंपनियों के कॉरपोरेट टैक्स को लेकर दो बदलाव किए गए:

(i) एक मार्च 2016 या उसके बाद से शामिल नई उत्पादन करने वाली कंपनियों को 25 फीसदी (साथ में सरचार्ज और सेस) देने का विकल्प होगा। इस विकल्प का फायदा उठाने वाली कंपनियां मुनाफे से जुड़ी कटौती, अचानक कीमतों में कमी और निवेश भत्ते पर दावा नहीं कर सकेंगी। दूसरी कंपनियों के लिए टैक्स की दर 30 फीसदी (साथ में सरचार्ज और सेस) ही रहेगी।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(ii) छोटी कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स में एक फीसदी की कमी। ऐसी कंपनियों, जिनका टर्नओवर पिछले साल तक 5 करोड़ तक था, को अब 29 फीसदी (साथ में सरचार्ज और सेस) ही कॉरपोरेट टैक्स देना होगा। इसे मौजूदा निवेश भत्ता स्कीम के एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है।

कर व्यय (TAX EXPENDITURE)

भारत में आधिकारिक टैक्स रेट और वास्तविक टैक्स रेट अलग-अलग होते हैं। ये इकट्ठा कुल टैक्स और कुल टैक्स आधार का अनुपात होता है। टैक्स रेट अलग-अलग होने का कारण मुख्य रूप से टैक्स में मिली छूट है। टैक्स एक्सपेंडीचर या कर व्यय को छोड़ा हुआ राजस्व भी कहा जाता है। लेकिन ऐसे छोड़े गए राजस्व का हमेशा ये मतलब नहीं होता कि सरकार की ओर से इसे छोड़ा गया है। इसे कुछ सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए दिए जाने वाले इंसेंटिव के तौर पर देखा जाना चाहिए जिसके नहीं होने पर वो सेक्टर शायद नहीं खड़ा हो पाता।

भारी टैक्स एक्सपेंडीचर (कर व्यय) से टैक्स सिस्टम अनावश्यक रूप से जटिल हो सकता है और इसमें विकृति आ सकती है। टैक्स सिस्टम को आसान बनाने और इसमें सुधार लाने के परिणाम के तौर पर हाल के वर्षों में टैक्स एक्सपेंडीचर में कमी आई है। मौजूदा स्थिति इस प्रकार है:[21]

(i) कॉरपोरेट टैक्स के लिए 15 फीसदी (2007-08 का 32 फीसदी)

(ii) आय कर का 16 फीसदी (2007-08 में 37 फीसदी)

(iii) एक्साइज ड्यूटी के लिए 100 फीसदी (2007-08 में 70 फीसदी)। महंगाई को काबू करने के भारत सरकार की ओर से घोषित टैक्स छूट के कारण ये 2009-10 में 162 फीसदी के उच्च स्तर पर था।

(iv) कस्टम ड्यूटी के लिए 160 फीसदी (2007-08 में 92 फीसदी)। कीमतों पर नियंत्रण के लिए दी गई छूट के कारण 2009-10 में 23 फीसदी के उच्च स्तर पर था।

टैक्स से कितनी कमाई हो सकती है ये जानने के लिए सरकारों को छूट को एक सीमा में रखने के साथ इसके दायरे में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ाने की जरूरत होती है।[22] एक बार देश में प्रस्तावित जीएसटी लागू हो जाए तो टैक्स एक्सपेंडीचर में भारी कमी आएगी। कॉरपोरेट टैक्स के पुनर्गठन (30 से 25 फीसदी करने) की प्रक्रिया के तहत सरकार का उद्देश्य कई उद्योगों को टैक्स में मिलने वाली मौजूदा छूट/इंसेंटिव को भी धीरे-धीरे खत्म करना है। इसका पहला चरण 2016-17 में शुरू हुआ।

समाहरण दर (COLLECTION RATE)

वसूली दर एक साल में कुल कस्टम रेवेन्यू और कुल आयात की राशि का अनुपात होता है। ये आयात पर काउंटरवेलिंग ड्यूटीस यानी प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) और स्पेशल एडिशनल ड्यूटी यानी विशेष अतिरिक्त शुल्क सहित कस्टम के कुल भार का सूचक होता है। अलग-अलग तरह के आयात पर भारत सरकार कस्टम ड्यूटी पर कई तरह के छूट देती है। यही कारण है कि आयात बढ़ने की तुलना में भारत का कस्टम कलेक्शन नहीं बढ़ता है।

2009-13 के बीच पेट्रोल, ऑयल और लुब्रिकेंट और दूसरी चीजों पर भारत सरकार की ओर से दी गई

21. Statement of Revenue Forgone, Budget documents & CSO, MInistry of Finance, **Economic Survey 2015–16**, p. 37.

22. **Grandfather Clause** – a clause in a new law that exempts certain persons or businesses from abiding by it. For example, suppose a country passes a law stating that it is illegal to own a cat. A grandfather clause would allow persons who already own cats to continue to keep them, but would prevent people who do not own cats from buying them. Grandfather clauses are controversial, but they are common around the world. [*Source:* **Farlex Financial Dictionary**, Farlex Inc., N. York, USA, 2012; **Collins English Dictionary-Complete & Unabridged**, HaperCollins, N. York, USA, 2003.]

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

कई तरह की छूटों के कारण कलेक्शन रेट कम रहा है। दुनिया के बाजारों में चीजों की बढ़ती कीमत के साथ भारत में खाद्य महंगाई बढ़ने के कारण सामान्य महंगाई के बढ़ते ट्रेंड पर नियंत्रण के लिए ये छूट दी गई थी। मौजूदा समय में भारत में कलेक्शन रेट 6.1 फीसदी है।[23]

14वां वित्त आयोग (14TH FINANCE COMMISSION)

14वाँ वित्त आयोग 2 जनवरी, 2013 को गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष वाई.बी. रेड्डी भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे जबकि सदस्यों में शामिल थे—प्रो. अभिजीत सेन, सुश्री सुषमा नाथ, डॉ. सुदीप्तो मुंडले। इसकी अनुशंसा 2015-20 की अवधि के दौरान लागू होगी तथा 31 अक्टूबर, 2014 तक इसके द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपी जानी थी।

आयोग के विचारार्थ विषय निम्नलिखित थे:

(i) कर हस्तातंरण एवं अनुदान सम्बन्धी विषय (Tax devolution & Grant related references)

(a) कुल प्राप्तियों का केन्द्र तथा राज्यों के बीच बंटवारा (संविधान के अध्याय 1 खंड × XII के अंतर्गत) तथा राज्यों के बीच उनके अपने हिस्से की प्राप्तियों का आवंटन।

(b) बंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से राज्यों के राजस्व की अनुदान सहायता तथा संविधा के अनुच्छेद 275 के अनुसार जरूरतमंद राज्यों को उनके राजस्व के माध्यम से अनुदान सहायता शासित करने वाले सिद्धांत का निरूपण।

(c) राज्यों के वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के लिए संसाधन की पूर्ति के लिए राज्यों के इंसोलिडेटेड फंड को बढ़ाने के उपाय करना।

23. Department of Revenue Ministry of Finance, Government of India, New Delhi, March 2017.

(ii) केन्द्र एवं राज्यों के वित्त, घाटे एवं ऋण स्तरों की समीक्षा करना तथा एक स्थिर एवं धारणीय राजकोषीय वातावरण का निर्माण करने के उपाय बनाना जो कि समत्वपूर्ण वृद्धि की संगति में से, साथ ही पहले से लागू एफआरबीएमएस (FRBMS) में संशोधन सुझाना। आयोग से कहा गया है कि राज्यों के लिए FRBMA में वर्णित जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहनों एवं हतोत्साहनों पर विचार करे एवं सिफारिशें दे।

(iii) आयोग से अपेक्षा की जाती है कि वह निम्नलिखित पर विचार करे:

(a) केन्द्र सरकार के संसाधन तथा केन्द्र सरकार के संसाधनों पर माँग;

(b) राज्य सरकार के संसाधन एवं ऐसे संसाधनों पर विभिन्न मदों से माँग, जिसमें ऋणग्रस्त राज्यों संसाधन खातों पर प्राप्तियों एवं खर्चो के संतुलन स्थापित करना, बल्कि पूँजी निवेश के लिए 'अतिरिक्त' सृजित कर;

(c) सभी राज्यों और संघ के राजस्व खाते पर प्राप्तियां और व्यय को संतुलित करने का न केवल उद्देश्य, बल्कि पूंजी निवेश के लिए अधिशेष भी पैदा करना;

(d) केन्द्र सरकार तथा प्रत्येक राज्य सरकार के करारोपण तथा अतिरिक्त संसाधन जुटाने के प्रयत्न;

(e) धारणीय एंव समावेशी वृद्धि के लिए जरूरी सब्सिडी तथा केंद्र एवं राज्यों के बीच सब्सिडी की समान हिस्सेदारी;

(f) अनुरक्षण के गैर-वैतनिक खंड पर खर्च तथा पूँजीगत शास्तियों की देखरेख साथ ही प्लान स्कीमों पर गैर-वैतनिक अनुरक्षण खर्च को 31 मार्च, 2015 तक पूरा करना। वे तरीके अधार पर पूँजीगत शास्तियों के अनुरक्षण के लिए विशिष्ट राशि अनुशासित की जाती है, और ऐसे खर्चों का अनुश्रवण;

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(g) सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं जैसे कि पीने के पानी, सिंचाई, बिजली और सार्वजनिक परिवहन से वैधानिक प्रावधानों के माध्यम से नीतिगत उतार-चढ़ाव के मूल्य की इन्सुलेट करने की आवश्यकता;

(h) सार्वजनिक उपक्रमों को प्रतिस्पर्द्धा एवं बाजारोन्मुख बनाने की जरूरत, सूचीबद्धता एवं विनिवेश गैर-प्राथमिकता प्राप्त उपक्रमों को त्यागना;

(i) पारिस्थितिकी, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन को धारणीय आर्थिक विकास के साथ संतुलित करने की जरूरत, तथा;

(j) केन्द्र तथा राज्यों के वित्त पर प्रस्तावित वस्तु एवं सेवाकर का प्रभाव तथा राजस्व क्षति की स्थिति में क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया का निर्याक्षण।

(iv) वर्तमान सार्वजनिक व्यय प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा तथा निम्नलिखित के बारे में अनुशंसा करना:

(a) बजट निर्धारण एवं लेखा मानक एवं उपयोग

(b) प्राप्तियों एवं खर्चो की वर्तमान प्रणाली का वर्गीकरण

(c) उत्पाद एवं परिणामों के व्ययों को सम्बद्ध करना

(d) देश के अंदर और विश्व स्तर पर सर्वोत्तम प्रचलन

(v) आपदा प्रबंधन के वित्तयन की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के आलोक में तथा अनुशंया करना

(vi) उस आधार को इंगित करने के लिए जिस पर यह अपने निष्कर्षों पर पहुंचा है और प्राप्तियां और व्यय का राज्यवार अनुमान उपलब्ध कराएं।

आयोग से अपेक्षा की जाती है कि 1971 की जनगणना की जनसंख्या आँकड़ों को उन मामलों के आधार बनाए। जहाँ जनसंख्या करों एवं शुल्कों तथा अनुदान सहायता के निर्धारण का एक कगार है। हालांकि आयोग 1971 के बाद हुए जनसांख्यिकी बदलावों का भी जायजा ले सकता है।

वित्त आयोग की सिफारिशें (FFC Recommendations)

वर्ष 2015 की शुरूआत में वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसने एक ओर केन्द्र और राज्यों के बीच राजस्व बंटवारे के विषय में दूरगामी परिवर्तनों को सलाह दी है। ये परामर्श 2015-20 की अवधि के लिए हैं, जिनका केन्द्र राज्य सम्बन्धों पर भी प्रभाव पड़ेगा। परामर्शों को सफलतापूर्वक लागू करने से सहकारी संघवाद को बल मिलेगा, जिसे नयी सरकार जो उत्साहपूर्वक आगे बढ़ाना चाहती है। *(आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15)* कुछ प्रभाव अनुसंशाएं निम्नवत् हैं:

(i) इसने करों के केन्द्रीय 'डिविजिबल पूल' (Divisible pool) में राज्यों का हिस्सा 42 प्रतिशत से बढ़कर 32 प्रतिशत कर दिया है, जो कर वितरण में अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि हैं। इसके पहले के दो वित्त आयोगों 12वें (2005-10) एवं 13वें (2010-15) में 30.5 तथा 32 प्रतिशत हिस्सेदारी (राज्यों की) की सिफारिश की थी।

(ii) 'डिविजिबल पूल' के राज्यों के बीच बटँवारे को लेकर एक नया क्षैतिज सूत्र दिया है। सम्मिलित बहिष्कृत चरों तथा उन्हें प्रदान किए गए भारों में भी परिवर्तन किया गया है। 13वें वित्त आयोग के सापेक्ष 14वें वित्त आयोग ने दो नई दरों को अपनाया है:

(a) 2011 की जनसंख्या तथा वनाच्छादन, तथा;

(b) राजकोषीय अनुशासन से सम्बन्धित दर को हटा दिया है।

(iii) इन अनुशासकों को लागू करने से देश राजकोषीय संघवाद की ओर तेजी से अग्रसर होगा, जिसमें राज्यों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता मिलेगी उदाहरण के लिए नाममात्र दो जीडीपी वृद्धि तथा कर उछाल के अनुसार तथा 2015-16 के लिए निर्धारित नीतियों के

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

आधार पर यह अंदाजा लगाया जाता है कि राज्यों के लिए अतिरिक्त राजस्व 2014-15 के मुकाबले 2 लाख करोड़ रुपये होगा। इसमें से एक बड़ा हिस्सा डिविजिबल पूल में राज्यों के हिस्से में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है।

(iv) प्रारम्भिक आकलन दर्शाते हैं कि सभी राज्य एक-सी ट्रांसफर से लाभ में रहने वाले हैं हालांकि जहाँ तक वितरणीय प्रभावों की बात है वृद्धि की आय जनसंख्या कुल राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) वर्तमान बाजार मूल्य पर, अथवा राज्यों की अपने कर राजस्व प्रप्तियों के आधार पर होनी है इसके राज्यों के राजस्व पर निम्नलिखित प्रभाव होंगे:

(a) सबसे अधिक लाभ के विशेष दर्जा वाले राज्य रहेंगे (विशेषकर उत्तर-पूर्व राज्य), तथा;

(b) प्रति व्यक्ति के हिसाब से अधिक लाभ में रहेंगे, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश (साधारण राज्य)। स्पष्ट है कि राज्यों की दरों की बढ़ोतरी केन्द्र के लिए वहनीय है, लेकिन तभी तक जब तक कि राज्यों को केन्द्रीय योजना सहायता में कमी की जाए।

दूसरे शब्दों में, राज्यों को राजस्व एवं व्यय के मामलों में अधिक स्वायत्तता होगी।

(v) यह भी संभव है कि इसका अनुमान लगाया जाए कि वित्त आयोग राज्यों की कुल खर्च क्षमता के बारे में क्या करेगा जहाँ कुल (Net) संदर्भित है अतिरिक्त एफएफसी (FFC) ट्रांसफर तथा घटी हुई केन्द्रीय सहायता के (CAS) के बीच के अंतर को मोटे तौर पर विशेष दर्जा वाले राज्य ही सबसे बड़े लाभकारी होंगे। इसके अतिरिक्त वे सामान्य दर्जा वाले राज्य हैं जिन्हें उनके अपने कर राजस्व के 25 प्रतिशत से अधिक प्राप्त होने की उम्मीद है।

(vi) CAS से FFC से ट्रांसफर की ओर बढ़ने का एक द्विपार्श्विक लाभ यह है कि कुल अग्रसरिता में और सुधार होगा, औसतन कम NSDP वाले राज्यों को अधिक NSDP वाले राज्यों की तुलना में अधिक प्राप्ति होगी। यह इस बात का परिणाम है कि ट्रांसफर की तुलना में कम प्रगतिशील थे।

CAS ट्रांसफर में सभी से संक्रमणकालीन लागत (Transitional Cost) अपरिहार्य होगी, लेकिन स्थान भ्रंश (Dislocation) की संभावना को न्यूनतम किया गया है क्योंकि अतिरिक्त FFC संसाधन उन राज्यों की ओर प्रवारित होंगे जिनके यहाँ सबसे अधिक वित्तीय योजनाएँ हैं।

वित्त आयोग उसकी अनुशंसाओं के दूरगामी प्रभाव नीति आयोग की स्थापना के अतिरिक्त सरकार के सहकारी एवं प्रतिस्पर्द्धा संघवाद की अवधारणा एवं दृष्टि को और विस्तृत करेंगे। एक ओर अत्यंत अनिवार्य कार्य होगा सहकारी एवं प्रतिस्पर्द्धा संघवाद के दायरे में नगरों एवं स्थानीय निकायों को ले आना जो कि एक बड़ी नीतिगत चुनौती होगी।

वित्त आयोग : अवधारणाएं एवं परिभाषाएं (Concept and Definition Related to Finance Commission)

कर अंतरण (Tax Devalution)

संविधान के अनुच्छेद 280 (3)(क) में की गई व्यवस्था के अनुसार, वित्त आयोग के मुख्य कार्यों में से एक मुख्य कार्य करों के शुद्ध आगमों का केन्द्र और राज्यों के बीच वितरण के संबंध में सिफारिश करना है। यह किसी वित्त आयोग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि केन्द्रीय करों के शुद्ध आगमों में राज्य का हिस्सा केन्द्र से राज्यों को किए जाने वाले संसाधन अंतरण का प्रधान माध्यम है।

विभाज्य पूल (Divisible Pool)

विभाज्य पूल सकल कर राजस्व का वह भाग होता है, जो केन्द्र और राज्यों के बीच बांटा जाता है। विभाज्य पूल निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए उद्गृहीत अधिभारों और उप-कर के सिवाय, सभी करों, निवल संग्रहण प्रभार से मिलकर बनता है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

संविधान (80वां संशोधन) अधिनियम, 2000 के अधिनियमित किए जाने से पूर्व, केन्द्रीय कर राजस्व में राज्यों का हिस्सा उस समय लागू अनुच्छेद 270 और 272 के उपबंधों के अनुसार था। संविधान के अस्सीवें संशोधन ने केन्द्रीय करों में विभाजन की प्रक्रिया मूल रूप से बदल दी। इस संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 272 निकाल दिया गया तथा अनुच्छेद 270 में काफी बदलाव कर दिया गया। नया अनुच्छेद 270 में केन्द्रीय सूची में निर्दिष्ट सभी करों और शुल्कों, अनुच्छेद 268 और अनुच्छेद 269 में क्रमशः निर्दिष्ट करों और शुल्कों, तथा अनुच्छेद 271 में निर्दिष्ट करों और शुल्कों पर अधिभार तथा विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उद्गृहीत कोई उप-कर को छोड़कर, के विभाजन की व्यवस्था है।

कर अंतरण की नई व्यवस्था 10वें वित्त आयोग (1995-2000) की सिफारिशों की अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में सामने आया है। जिस वित्त आयेग ने 'कर अंतरण की वैकल्पिक विधि' के रूप में परिभाषित किया था। ऐसी व्यवस्था को प्रभावी करने के लिए वित्त आयोग द्वारा केन्द्र और राज्यों के मध्य सहमति की सलाह दी गई थी। राज्यों को एएमडी में संघ करों में 5 प्रतिशत का अतिरिक्त हिस्सा मिलने जा रहा था, इसलिए उनसे एक गंभीर मांग प्राप्त हुई। अंततः केन्द्र द्वारा एएसडी को स्वीकार किया जाएगा। एएसडी को वापस न किया जाए। इसके लिए भारत सरकार ने संविधान में 80वां संशोधन किया।

सहायता अनुदान (Grants-in-aid)

क्षैतिज असंतुलनों का समाधान वित्त आयोग और कर अंतरण और अनुदानों की पद्धति के माध्यम से किया जाता है, पहले वाली लिखत का प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 275 के अधीन, वित्त आयोगों को सहायता की आवश्यकता वाले राज्यों को, अनुदानों के सिद्धांत और धनराशि की सिफारिश करने का अधिदेश है तथा भिन्न-भिन्न धनराशियां नियत की जा सकेंगी। इस प्रकार अनुदानों की पूर्वापेक्षाओं में से एक पूर्वापेक्षा राज्यों की आवश्यकताओं का आकलन करना है।

पहले वित्त आयोग ने अनुदान के लिए राज्य की पात्रता अवधारित करने के पांच निम्न विस्तृत सिद्धांत निश्चित किए थे:

(i) किसी राज्य का बजट उसकी आवश्यकता की जांच के लिए प्रारंभिक बिन्दु है।

(ii) राज्यों द्वारा क्षमता साकार करने के लिए किया गया प्रयास था।

(iii) सभी राज्यों में मूल सेवाओं के मानकों को समान करने में अनुदानों से मदद मिलनी चाहिए।

(iv) राज्य के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय हितों के कोई विशिष्ट भार या बाध्यताओं को भी ध्यान में रखा जाए।

(v) कम विकसित राज्यों के लिए राष्ट्रीय हितों के किसी फायदे वाली सेवा के लिए अनुदान अवश्य दिए जाएं।

वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान मुख्यतया सामान्य उद्देश्य के अनुदानों के स्वरूप के होते हैं जिनके माध्यम से प्रत्येक राज्य के आयोजना-भिन्न राजस्व मदें आकलित व्यय तथा केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से लक्षित राजस्व के बीच अंतर की पूर्ति की जाती है। इन्हें प्रायः ''अंतर-पूर्त अनुदानों'' के रूप में जाना जाता है।

पिछले वर्षों में राज्य के लिए अनुदानों का क्षेत्र और भी काफी बढ़ गया, जिनसे कि उनकी विशिष्ट सेवाएं शामिल की जा सकें। संविधान में 73वां और 74वां संशोधन करने के पश्चात् वित्त आयोग को स्थानीय निकायों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि में इजाफा करने के उपाय सुझाने का अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपा गया था। इससे वित्त आयोग अनुदानों के क्षेत्र में और विस्तार हो गया है। **10वां वित्त आयोग** पहला आयोग था, जिसने **ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदानों की सिफारिश की**। इस प्रकार, पिछले वर्षों में सहायता अनुदानों के क्षेत्र में काफी विस्तार हुआ है।

राजकोषीय क्षमता (Fiscal Capacity)

राजकोषीय क्षमता (इसे 'आय दूरी' भी कहा जाता है) का मापदण्ड पहली बार 12वें वित्त आयोग द्वारा प्रयोग किया गया था। कर क्षमता में राज्यों के बीच अंतर प्रॉक्सी के रूप में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी द्वारा मापा गया था। जब इस प्रकार प्रॉक्सी

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

किया गया, प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से राज्यों के बीच राजकोषीय क्षमता अंतर को अवधारित करने के लिए एकल औसतन कर - से जीएसडी अनुपात में यह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से लागू की जाती है। 13वें वित्त आयोग ने इस फॉर्मूले में मामूली बदलाव किया और कर क्षमता मापने के लिए अलग-अलग औसत के प्रयोग की सिफारिश की थी—एक सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए और दूसरी विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए।

राजकोषीय अनुशासन (Fiscal Discipline)

राजकोषीय अनुशासन कर अंतरण के लिए मापदण्ड के रूप में राजकोषीय अनुशासन का प्रयोग 11वें और 12वें वित्त आयोग द्वारा किया गया था ताकि राज्यों को अपने वित्त साधन विवेकपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा सके। यह मापदण्ड 13वें वित्त आयोग में बगैर किसी बदलाव के जारी रहा। राजकोषीय अनुशासन के सूचकांक पर किसी राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियों को उसके कुल राजस्व व्यय से सुधारों से तुलना करने पर पहुंचा जा सकता है। इससे सभी राज्यों के तद्नुरूपी औसत से भी तुलना होती है।

सहकर्ता के रूप में योजना आयोग (PC as Collaborator)

जब 12वें वित्त आयोग (2005-10) की स्थापना की जा रही थी तो भारत सरकार ने निर्णय लिया कि योजना आयोग वित्त आयोग के सहकर्ता के रूप में कार्य करेगा। योजना आयोग के एक सदस्य को वित्त आयोग के पैनल में एक अतिरिक्त सदस्य के रूप में शामिल किया गया (वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित चार सदस्य होते है) इस सदस्य को दोनों निकायों के मध्य संपर्क रूप में शामिल किया गया। यह व्यवस्था 13वें और 14वें वित्त आयोग तक चलती रही। यह माना गया कि इस व्यवस्था से राज्यों के राजस्व असंतुलन की बेहतर तस्वीर सामने आ सकेगी। यद्यपि सरकार ने नीति आयोग की स्थापना की थी, इस संबंध में कोई घोषणा नहीं की गई। 15वें वित्त आयोग (2020-25) की स्थापना के समय इस संबंध में कुछ विकास हो सकता है।

वैधता और कराधान (LEGITIMACY AND TAXATION)

आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में भारत ने 1991 में विस्तृत टैक्स सुधार कार्यक्रम की शुरुआत की। टैक्स संरचना को सरल बनाना, टैक्स की दर कम करना, टैक्स अनुपालन को बढ़ाना और टैक्स बेस बढ़ाना इस टैक्स सुधार कार्यक्रम के प्रमुख बिंदु थे।

लेकिन आज भी भारत अपनी लोकतांत्रिक ताकत को अपनी राजस्व क्षमता के अनुसार बदल नहीं सका है। भारत में टैक्स देने वालों की संख्या अब भी पर्याप्त नहीं है। राजस्व क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य की वैधता स्थापित करना जरूरी है। इस बारे में *आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16* में बहुत ही सामयिक और उचित विश्लेषण किया गया है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि, राजस्व क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार को बेहतर टैक्स व्यवस्था तैयार करनी होगी जो तभी संभव है जब सरकार नागरिकों के बीच अपनी वैधता बढ़ाए। इस बारे में सर्वेक्षण में दिए गए कुछ सुझाव हैं:[24]

(i) सरकार की प्राथमिकता उन चीजों पर खर्च करने की हो जिसका इस्तेमाल सभी नागरिक करते हैं, जैसे कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून व्यवस्था, प्रदूषण घटाने और भीड़-भाड़ से निजात दिलाने में।

(ii) भ्रष्टाचार मिटाना बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। ये काफी मुश्किल होगा। इसकी जरूरत सिर्फ योजनाओं को किफायती बनाने के लिए नहीं है बल्कि इससे सरकार की वैधता भी कम होती है। जब नागरिकों को ये लगेगा कि सरकारी पैसे का सही इस्तेमाल कर रही है तो वो टैक्स देने के लिए आगे आएंगे। सही तरीके से सरकारी संपत्तियों की नीलामी के जरिए पारदर्शिता बेहतर

24. **Ministry of Finance**, Department of Revenue, Government of India, N. Delhi, April 2016.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

बनाने से लोगों के बीच सरकार की वैधता बढ़ेगी और लंबे समय में राजस्व क्षमता बढ़ेगी।

(iii) संपन्न लोगों को मिल रही आर्थिक छूट कम करने की जरूरत है। एक अनुमान के मुताबिक वर्तमान समय[25] में ये करीब एक लाख करोड़ है। लोगों का भरोसा जीतने के लिए इसे कम कर आर्थिक सहायता गरीबों को देने की जरूरत है।

इसी तरह से टैक्स में छूट की मौजूदा व्यवस्था से पहले से समृद्ध निजी सेक्टर को फायदा पहुंचता है-इससे गरीबों का सरकार पर भरोसा घटता है। उद्योग, सेवा, रियल एस्टेट, खेती, जहां से भी संपन्न वर्ग की कमाई होती हो, देश में उनके लिए अनुकूल टैक्स प्रावधान की जरूरत है।

(iv) संपत्ति कर निर्धारण पर और काम करने की जरूरत है। भारत संपत्ति कर के व्यवस्थित आंकड़े के मामले में पिछड़ा है और जो भी आंकड़ा है वो बिखरा है। ये दर्शाता है कि इस देश में इस मुद्दे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। संपत्ति कर के क्षेत्र में काफी संभावनाएं है इसलिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये ज्यादा तर्कसंगत लगता है क्योंकि अचल संपत्तियों पर लगने के कारण लोगों का इससे बच पाना मुश्किल लगता है। आज की तकनीक के सहारे ऐसी संपत्तियों की आसानी से पहचान की जा सकती है।

संपत्तियों पर ज्यादा टैक्स (समय-समय पर मूल्य में अपडेट के साथ) स्थानीय सरकार की आय का आधार बन सकती है। इससे स्थानीय नागरिकों के लिए काम किया जा सकता है और लोकतांत्रिक जवाबदेही को मजबूत करने के साथ कारगर विकेंद्रीकरण किया जा सकता है। संपत्ति कर ज्यादा होने से संपत्ति की कीमत से जुड़ी अटकलों पर भी लगाम लगायी जा सकती है। स्मार्ट सिटी को स्मार्ट सरकारी अर्थव्यवस्था की जरूरत है और शहरी भारत के भविष्य के लिए एक सुदृढ़ संपत्ति कर व्यवस्था महत्वपूर्ण होगी।

टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ाने के लिए सबसे आसान उपायों में एक टैक्स छूट की न्यूनतम सीमा को बढ़ाने से बचना होगा और आय में सहज वृद्धि दर को आने देना होगा। सर्वे में इसके लिए एक आसान उपाय सुझाया गया है-निष्क्रियता। **केंद्रीय बजट** 2016–17 में ये प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। व्यक्तिगत इनकम टैक्स की छूट में कोई बदलाव नहीं करने के साथ कॉरपोरेट टैक्स को कम करने और कंपनियों के लिए मौजूदा छूट की व्यवस्था को धीरे-धीरे खत्म करने के लिए योजना चलाई जा रही है।

आय एवं उपभोग विसंगति (INCOME & CONSUMPTION ANOMALY)

भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात में कर बहुत कम है, और अप्रत्यक्ष कर के लिए प्रत्यक्ष कर का अनुपात सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से सर्वोत्कृष्ट नहीं है। सरकार[26] द्वारा जारी आंकड़ों से संकेत मिलता है कि भारत का प्रत्यक्ष कर संग्रहण लोगों की आमदनी और उपभोग के प्रारूप के अनुरूप नहीं है:

कॉरपोरेट कर: अनौपचारिक क्षेत्र (असंगठित क्षेत्र) के छोटे व्यापार कर रहे 5.6 करोड़ व्यक्तिगत एंटरप्राइजेज एवं प्रतिष्ठानों (फर्म) में 1.81 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं। भारत में पंजीकृत 13.94 लाख कंपनियों में, 5.97 लाख कंपनियों ने वर्ष 2016-17 (मूल्यांकन वर्ष) में आयकर रिटर्न दाखिल किए जो कर प्रारूप के सम्मुख निम्नलिखित वार्षिक लाभ प्रदर्शित करता है:

- 2.76 लाख कंपनियों ने घाटा या शून्य मुनाफा प्रदर्शित किया।
- 2.85 लाख कंपनियों का मुनाफा एक करोड़ रुपये से कम था।

25. Ministry of Finance, **Economic Survey 2015–16**, Vol. 1, pp. 105-117.

26. Based on the **Union Budget 2017-18** and **Economic Survey 2016-17**.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

- 28,667 कंपनियों का मुनाफा एक करोड़ से 10 करोड़ रुपये के बीच था।
- केवल 7781 कंपनियों का मुनाफा 10 करोड़ रुपये से अधिक था।

व्यक्तिगत आयकर: एक अनुमान के मुताबिक, 4.2 करोड़ व्यक्ति संगठित क्षेत्र में रोजगार में संलग्न हैं। वेतन से हुई आय के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले व्यक्तियों की संख्या महज 1.74 करोड़ है। वर्ष 2015-16 (मूल्यांकन वर्ष) में, कुल 3.7 करोड़ लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल किया जो निम्नलिखित वार्षिक आय के प्रारूप को प्रदर्शित करता है:

- 99 लाख लोगों ने छूट की सीमा 2.5 लाख से नीचे की आमदनी घोषित की;
- 1.95 करोड़ लोगों ने अपनी आय 2.5 लाख से 5 लाख रुपये के बीच बताई;
- 52 लाख लोगों ने 5 से 10 लाख के बीच अपनी आमदनी घोषित की;
- केवल 24 लाख लोगों ने अपनी आय 10 लाख से अधिक होने के बारे में घोषणा की;
- 76 लाख लोगों ने आपनी आय 5 लाख रुपये (56 लाख लोग वेतनभोगी थे) से अधिक घोषित की, और;
- केवल 1.72 लाख लोगों ने अपनी आय को 50 लाख रुपये से ज्यादा बताया।

विमौद्रीकरण की प्रक्रिया ने लोगों की आमदनी से संबंधित सरकार को नए आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। करीब 1.09 करोड़ खातों में औसत जमा रकम 2 से 80 लाख रुपये के बीच देखा गया। 80 लाख रुपये से ज्यादा जमा रकम 1.48 लाख खातों में जमा किए गए थे, जिसमें औसत जमा रकम 3.31 करोड़ रुपये था। ये आंकड़े भविष्य में सरकार को कर आधार एवं कर राजस्व की बढोतरी में मदद पहुंचाएंगे।

उपरोक्त आंकड़े इस सच्चाई के साथ विरोधाभासी हैं कि विगत पांच वर्षों में 1.25 करोड़ से ज्यादा कारों की बिक्री हुई, और ऐसे भारतीय नागरिकों की संख्या वर्ष 2015 में 2 करोड़ रही जो या तो व्यापार के सिलसिले में या सैरसपाटे के लिए विदेश की हवाई यात्राएं कीं। इन तमाम आंकड़ों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत बड़े पैमाने पर कर के मामले में गैर-अनुपालक समाज है। अर्थव्यवस्था में नकद का पहले से चला आ रहा वर्चस्व लोगों के लिए कर-वंचना को संभव बनाता है। जब बहुत ज्यादा लोग कर की चोरी करते हैं तो यह उन लोगों पर भार बढ़ता है जो ईमानदार और कर अनुपालनकर्ता हैं।

विमौद्रीकरण का प्रभाव (Impact of Demonetisation): अर्थव्यवस्था में औपचारीकरण (formalization) को बढ़ावा देना तथा आयकर के आकार का विस्तार विमौद्रीकरण एवं जी.एस.टी. के लक्ष्यों में शामिल था (*आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18*)। देश में आयकरदाताओं की संख्या मात्र 5.93 करोड़ है (करदाता एवं जिन्होंने 2015-16 में टी.डी.एस. दिया), यह गैर-कृषिगत श्रम शक्ति का सिर्फ 24.7 प्रतिशत है।

करदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी दिखने लगी है! विमौद्रीकरण के बाद के 13 महीनों में (नवंबर 2016 से नवंबर 2017 तक) 1.01 करोड़ नये आयकरदाताओं को शामिल किया जा सका है (पिछले 6 वर्षों में सिर्फ 62 लाख नये आयकरदाताओं को ही शामिल किया जा सका था)। हालांकि इन नये आयकरदाताओं में कई लोगों ने अपनी आय के स्तर को 2.5 लाख रु. सालाना (स्टैण्डर्ड डिडक्शन) के करीब दर्शाया है। आने वाले समय में आय में वृद्धि होने की स्थिति में इनसे आयकर की प्राप्ति भी होगी और सरकार के कर राजस्व पर इसका धनात्मक प्रभाव भी पड़ेगा।

भविष्य की ओर (LOOKING AHEAD)

कर में सुधार देश के अंदर आर्थिक सुधार प्रक्रिया का अभिन्न अंग रहा है। अब तक बहुत सुधार किए जा चुके हैं, इसके बावजूद समय के सापेक्ष सुधार की गति और विकास को बहुत प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता। ऐसा इसलिए भी क्योंकि भारत के सुधार बहुत धीमे व क्रमिक और कर सुधार में लापरवाही को बढ़ाने वाले रहे हैं। अब

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

तक जो विकास हुए हैं, उसकी पृष्ठभूमि में नवीनतम *आर्थिक सर्वेक्षण* द्वारा एक पंचवर्गीय रणनीतिक सुझाव[27] दिए गए हैं:

(i) जीएसटी का आच्छादन व्यापक होना चाहिए ताकि इसमें उन गतिविधियों को शामिल किया जा सके जो काले धन के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, जैसे–जमीन और अन्य अचल संपत्तियां;

(ii) व्यक्तिगत आयकर की दर एवं रियल एस्टेट स्टांप ड्यूटीज में कमी लायी जानी चाहिए;

(iii) आयकर की दर को धीरे-धीरे व्यापक बनाया जाना चाहिए और उत्तरोत्तर इसमें समस्त उच्च आय को शामिल किया जाना चाहिए;

(iv) कॉरपोरेट कर की दर को कम करने की समय सारणी त्वरित की जानी चाहिए, और;

(v) आयकर अधिकारियों की विवेकाधीन शक्तियों में कटौती एवं जवाबदेही में सुधार करके कर प्रशासन को बेहतर बनाया जाना चाहिए।

नई घोषित और अघोषित संपत्तियों (विमौद्रीककरण) के लिए कर संग्रहण की प्रक्रिया में पदसोपान के सभी क्रमों में अधिकारियों द्वारा 'कर-उत्पीड़न' से परहेज किया जाना चाहिए। कर प्रशासकों को अनिवार्य रूप से डाटा के बेहतरीन इस्तेमाल, पुख्ता साक्ष्य आधारित जांच एवं अंकेक्षण, ऑनलाइन मूल्यांकन पर विश्वास व निर्भरता एवं इस क्रम में करदाता एवं कर अधिकारियों के बीच न्यूनतम आमना-सामना की कोशिशों की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। एक बार जीएसटी कार्यान्वित हो जाने के पश्चात् व्यक्तिगत लेनदेन से संबंधित पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध होंगे। इन आंकड़ों का साथ-साथ इस्तेमाल करके केंद्र के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर विभाग आपस में अपार सूचनाओं का आदान-प्रदान कर पाएंगे। राज्य सरकारों के साथ समन्वय के द्वारा, जहां तक प्रत्यक्ष एवं इसके साथ ही अप्रत्यक्ष करों का संबंध है, दंडात्मक साधनों के इस्तेमाल के बगैर ही पुख्ता सूचनाएं साझा की जा सकेंगी। डिजीटल युग की संभावनाओं के माध्यम से देश में कर प्रशासन को बेहतर बनाने में व्यापक तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

संघीय बजट 2018-19 में सरकार द्वारा जारी कर सुधारों के प्रति अपनी कटिबद्धता दर्शायी गयी है। हालांकि, हाल में ही प्रस्तावित प्रत्यक्ष कर सुधार का मसौदा अभी प्रकाशित नहीं किया गया है लेकिन यह माना जा रहा है कि ये कर सुधार एक अलग प्रकार (genre) के होंगे तथा इनके माध्यम से देश की प्रत्यक्ष कर संरचना, इसकी प्रकृति आदि में निदर्शनात्मक (paradigmatic) बदलाव आएंगे।

27. **Economic Survey 2016-17**, Government of India, Ministry of Finance, N. Delhi, Vol. 1, p. 78.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

अध्याय 18

भारत में लोक वित्त (PUBLIC FINANCE IN INDIA)

*आधुनिक सरकारें, उन्हें प्राप्त होने वाले सभी धन-लोक धन का प्रबंधन कैसे करती है, यह लोक वित्त की विषय-वस्तु है। इस संबंध में ली गई नीतिगत स्थिति की घोषणा सरकारों द्वारा सालाना उनकी 'राजकोषीय नीति' के जरिए की जाती है जिसे लोकप्रिय तौर पर बजट के नाम से जाना जाता है।**

इस अध्याय में

❑ प्रस्तावना
❑ बजट
❑ घाटे का वित्त पोषण
❑ राजकोषीय नीति
❑ भारत की राजकोषीय स्थिति : एक परिचिर्चा
❑ सरकारी खर्च को सीमित करना
❑ भारत में राजकोषीय समेकन
❑ शून्य आधारित बजट
❑ प्रभारित व्यय
❑ बजट के प्रकार
❑ कटौती प्रस्ताव
❑ त्रिविधा
❑ राजकोषीय कंप्यूटरीकरण
❑ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
❑ व्यय प्रबंधन आयोग
❑ सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता
❑ वर्तमान राजकोषीय स्थिति

** देखें अमरेष बागची (ईडी), रीडिंग्स इन पब्लिक फाइनेंस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2005. यह भी देखें पॉल ए. सैमुअलसन और विलियम डी. नॉरडॉस, 'इकोनॉमिक्स', द मैक्ग्रॉ-हिल कंपनी, न्यूयॉर्क, अमेरिका, 2005, पृष्ठ 412, 711. यह भी देखें जोसेफ ई. स्टिग्लित्ज और कार्ल ई. वाल्श, इकोनॉमिक्स, डब्ल्यू डब्ल्यू नॉर्टन, न्यूयॉर्क, अमेरिका, चौथा संस्करण, 2006, पृष्ठ 695-697.*

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

प्रस्तावना (Introduction)

लोक वित्त एक विस्तृत विषय है जिसमें वे सभी मामले आते हैं, जो मुद्रा से जुड़े हुए हैं; जैसे–सरकार द्वारा प्राप्त किया गया, खर्च किया गया, उधार लिया गया अथवा छापी गयी मुद्रा। लोक वित्त अथवा सरकारी वित्त को अब **लोक अर्थशास्त्र** (Public Economics) भी कहा जाता है। इस विषय में सिर्फ इस बात की चर्चा नहीं की जाती है कि देश के कितने संसाधन का उपयोग सरकार अपने लिए करेगी बल्कि धन का उपयोग करने की कार्यक्षमता पर भी बल दिया जाता है। लोक वित्त का उल्लेख प्राचीन ऐतिहासिक पुस्तक कौटिल्य कृत ***'अर्थशास्त्र'***[1] में किया गया है, जिसमें राजकोष, राजस्व के स्रोत, लेखा एवं लेखा परीक्षण की विस्तार से चर्चा की गई है। यद्यपि इस विषय का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महत्व बढ़ गया, क्योंकि अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका का विस्तार होने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका का अहसास किया जाने लगा तथा यह माना जाने लगा कि अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बाजार (निजी क्षेत्र) पर नहीं छोड़ा जा सकता है।[2] रक्षा, कानून, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, इत्यादि जैसे विषयों पर सरकार द्वारा ध्यान दिया जाना आवश्यक था। अर्थव्यवस्था में सरकारी भूमिका के बढ़ने के कारण विश्व में सार्वजनिक क्षेत्र का उद्गम हुआ।[3] यहाँ हम लोक वित्त से जुड़ी विशेष अवधारणाओं पर नजर डालेंगें (विशेष रूप से भारत के संदर्भ में)।

बजट (Budget)

किसी भी अर्थव्यवस्था में सरकार के आगामी वर्ष के आय और व्यय के ब्यौरे को 'बजट' कहते हैं, लेकिन इस शब्द का उपयोग निजी कंपनी, कॉर्पोरेशन इत्यादि के लिए भी किया जा सकता है।[4] बजट फ्रांसीसी शब्द 'बुगे' (Bugeut) से बना है, जिसका अर्थ–चमड़े का बैग होता है। ब्रिटेन में 18वीं सदी के मध्य में इस तरह के बैग से सरकारी आय तथा व्यय के ब्यौरों को निकालकर संसद में प्रस्तुत किया जाता था। वर्तमान में इस शब्द को सरकार की वार्षिक आय और व्यय के ब्यौरों के वक्तव्य के लिए करते हैं।

भारत में इस ब्यौरे का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है, जिसे केंद्रीय बजट कहते हैं। इसी तरह का प्रावधान राज्यों के लिए भी है।

बजट के आँकड़े (Data in the Budget)

केंद्रीय बजट में अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र अथवा उप–क्षेत्र के लिए आँकड़ों का **तीन समूह**[5] **(सेट)** होते हैं:

(i) पिछले साल के वास्तविक आंकड़े (यहां पिछले साल का अर्थ उस साल से एक साल पहले है जिसका बजट पेश किया जा रहा है। मान लें कि साल 2016-17 का बजट पेश किया गया, इसमें साल 2015-16 के अंतिम/वास्तविक आंकड़े दिए जाएंगे। आंकड़ों के बाद हम या

1. L. N. Rangarajan (ed.), ***The Arthashastra***, Penguin Books, (New Delhi, 1992).
2. The size of government expenditure for the developed economies stood at almost 10 per cent of their GDPs at the begining of the 20th century—which could rise to 18 per cent only at the outbreak of the Second World War—went for a steep rise by 1980 to 40 per cent. The government expenditure was barely 9 per cent of the GDP in India at the time of Independence, nearly doubled in 1970s and reach 75 per cent in the 1980s—when questions were raised about their sustainability as revenue receipts failed to grow adequately resulting in rising budgetary deficits (see Amaresh Bagchi (ed.), ***Readings in Public Finance,*** Oxford University Press, (New Delhi: 2005) pp. 1–4.
3. It should be noted here that the world which had the form of the state economy (i.e., the Socialist countries at this time, majority of the economic activities were under government control. As the communist form of the state economy emerged by the late 1940s (i.e., Peoples Republic of China, 1949), it had 100 per cent state control over the economic activities.
4. *Collins Dictionary of Economics*, op. cit., & ***Oxford Dictionary of Business***, op. cit.
5. Based on the budgetary documents of the Ministry of Finance, Government of India, New Delhi.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

तो **'ए'** लिखते हैं, जिसका अर्थ वास्तविक/अंतिम आंकड़े होता है या 'कुछ नहीं' लिखते (भारत में 'कुछ नहीं' लिखा जाता)।

(ii) वर्तमान वर्ष के अस्थाई आंकड़े (चूंकि 2017-18 का बजट वित्त वर्ष 2016-17 के अंत में प्रस्तुत किया जा रहा है, इसलिए यह इस साल के लिए अस्थाई अनुमान उपलब्ध करवा देता है। इसे आंकड़ों के साथ कोष्ठक में **'पीई'** लिखा जाता है)।

(iii) आने वाले वर्ष के लिए बजटीय अनुमान (यहां आने वाले वर्ष का अर्थ उस साल के अगले साल से है जिसमें बजट पेश किया जा रहा है या वह साल जिसके लिए बजट पेश किया जा रहा है, यानी कि 2017-18। इसे संबंधित आंकड़ों के साथ कोष्ठक में **'बीई'** चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है)

सरकार के आर्थिक साहित्य में कई और आँकड़े देखने को मिलते हैं; यहां पर इस तरह के तीन प्रकार के आंकड़े दिए गए हैं:

(i) संशोधित अनुमान (Revised Estimates/RE)

संशोधित आकलन मूलत: बजट के आकलन (BE) अथवा अस्थायी आंकड़ों (PE) का वर्तमान आकलन होता है। यह वर्तमान की स्थिति को दर्शाता है। ये अंतरिम आँकड़े हैं।

(ii) द्रुत अनुमान (Quick Estimate/QE)

द्रुत अनुमान एक तरह का संशोधित आकलन है, जो अधिक नवीनतम स्थिति को दर्शाता है तथा कुछ क्षेत्रों एवं उप-क्षेत्रों के भविष्य के अनुमानों को दिखाने में उपयोगी है। ये अंतरिम आँकड़े हैं।

(iii) अग्रिम अनुमान (Advance Estimate/AE)

अग्रिम आकलन एक तरह का तात्कालिक आकलन है, जो अंतरिम चरण (जब आँकड़ों को एकत्र किया जाता है) से पहले किया जाता है। ये अंतरिम आँकड़े हैं।

विकासात्मक तथा गैर-विकासात्मक व्यय (Developmental and Non-Developmental Expenditure)

सरकार द्वारा उठाए गए खर्च को दो भागों में बाँटा जाता है—विकासात्मक तथा गैर-विकासात्मक। वे सभी व्यय जो प्रकृति से उत्पादनकारी होते हैं, विकासात्मक व्यय कहलाते हैं; जैसे—कारखाने, बाँध, पुल, सड़क, रेलवे इत्यादि पर किया गया खर्च यानि सभी निवेश।

वैसा सरकारी खर्च जो प्रकृति से **उपभोगात्मक** होते हैं तथा जिसमें किसी प्रकार का उत्पादन शामिल नहीं होता गैर-विकासात्मक व्यय कहलाता है; जैसे—वेतन, पेंशन, ब्याज अदायगी, छूट, रक्षा इत्यादि पर किया गया खर्च।

इस वर्गीकरण को अब भारतीय लोक वित्त प्रबंधन में नहीं उपयोग किया जाता है (योजनागत तथा गैर-योजनागत व्यय देखें)।[6]

योजनागत तथा गैर-योजनागत व्यय (Plan and Non-Plan Expenditure)

सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किया जाने वाला व्यय योजना व्यय कहलाता है। सामान्यत: सरकारें अपनी कल्याणकारी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अनेक प्रकार की योजनाएँ क्रियान्वित करती हैं; जैसे—शिक्षा संबंधी योजना, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास, सफाई, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, ग्रामीण विकास, बुनियादी संरचना का विकास इत्यादि। इन योजनाओं पर किया जाने वाला सरकारी व्यय योजनागत व्यय कहलता है। योजना व्यय उत्पादक प्रकृति के होते हैं, अत: इन व्ययों के तेजी से बँटने की स्थित में अर्थव्यवस्था के उत्पादन क्षमता में कोई विशेष वृद्धि नहीं होती है।

वित्त वर्ष 1987-88 से भारतीय लोक वित्त के साहित्य में परिवर्तन लाया गया जब विकासात्मक तथा गैर-विकासात्मक व्यय को योजनागत तथा गैर-योजनागत

6. MInistry of Finance, ***Union Budget 1987–88*** (New Delhi: Government of India, 1987).

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

व्यय कहा जाने लगा (इस बदलाव का सुझाव सुखमय चक्रवर्ती समिति ने दिया था)।[7]

इस दौरान सी. रंगराजन (प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष) की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार समिति ने सितंबर 2011 में सिफारिश की कि योजनागत और गैर-योजनागत व्यय को पूंजी और राजस्व व्यय के रूप में पुनर्परिभाषित किया जाए, क्योंकि पहले वाले नाम 'अंतर को धुंधला' कर देते हैं। इससे व्यय को 'नतीजों' से जोड़ने में सुविधा मिलेगी और सरकारी खर्च बेहतर हो सकेगा। समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं:

(i) बजट में योजनागत और गैर-योजनागत का अंतर न सरकारी खर्च के 'विकासात्मक' और 'गैर-विकासात्मक' आयाम का संतोषजनक अंतर उपलब्ध करवाता है, और न ही उचित बजटीय सरंचना। इसलिए यह 'शिथिल' हो गया है।

(ii) योजना आयोग (पीसी) और वित्त मंत्रालय (एफएम) की भूमिकाओं को पुनर्परिभाषित करने की सिफारिश की गई है। इनके अनुसार योजना आयोग को पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए और सालाना बजट तैयार करने का काम वित्त मंत्रालय के पास होना चाहिए।

(iii) योजना आयोग को राज्यों की सालाना योजना की अनुमति देने के प्रयोग से अलग कर देना चाहिए। यह कोई रणनीति बना सकता है या राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कर सकता है।

(iv) सार्वजनिक व्यय को पूंजी और राजस्व दो हिस्सों में बांट देना चाहिए।

(v) सार्वजनिक व्यय के 'प्रबंधन वाला नजरिया' होना चाहिए जो मापने योग्य 'नतीजों' पर आधारित हो। यह संकेत हैं कि इसकी जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय के पास होनी चाहिए।

स्थिति का विश्लेषण: हालांकि बजट से आगे देखने की जरूरत को काफी स्वीकार किया गया है लेकिन कई ऐसे तत्व हैं, जो पंचवर्षीय योजनाओं के एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल की 'कुशलता' और 'औचित्य' पर सवाल उठाते हैं। व्यय का योजनागत और गैर-योजनागत के बीच बंटवारा कृत्रिम है और समस्याएं पैदा करता है, जैसे कि:

(i) योजनागत व्यय को प्राथमिकता दिए जाने का चलन है खासतौर पर तब जबकि वित्तीय मजबूती के लिए समय-समय पर खर्चों में कमी की जा रही हो। गैर-योजनागत खर्चों में कमी कर दी जाती है भले ही यह आर्थिक विकास के लिए अति महत्वपूर्ण हों। उदाहरणार्थ अस्पताल, स्कूल और सिंचाई, बांधों जैसी परिसंपत्तियों की देखरेख आदि, जो बजट के तहत बनाए जाते हैं लेकिन इनकी देखरेख को गैर-योजनागत व्यय माना जाता है।

(ii) योजनाओं की समीक्षा और उन्हें लागू करना वित्त मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम निष्पादन मंत्रालय की सीधे जिम्मेदारी वाले दूसरे क्षेत्र हैं। वित्त मंत्री ने खुद 2005-06 के बजट भाषण में यह सुनिश्चित करने का वायदा किया था कि कार्यक्रम और योजनाएं एक योजनाकाल से दूसरे तक स्वतंत्र और गहरे मूल्यांकन के बिना नहीं चलने दिए जाएंगे। योजना आयोग, जो योजना आवंटन के केंद्र बिंदु के रूप में काम कर रहा है, इस मामले में वित्त मंत्री की भूमिका को हल्का कर देता है।

(iii) 'उत्पादन' और 'नतीजा आधारित बजट बनाना' केंद्र सरकार ने 2005-06 में शुरू किया था। गैर-योजनागत व्यय इसकी परिधि से बाहर ही रहा। उदाहरण के लिए स्कूल और अस्पताल चलाने पर किए गए खर्च के नतीजे का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यह एक बार फिर

7. ***Review of the Working of the Monetary System,*** headed by Sukhomoy Chaktravarthy, Reserve Bank of India, Government of India, New Delhi, 1985.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

योजनागत और गैर-योजनागत खर्चों में कृत्रिम विभाजन का नतीजा है।

यह वर्गीकरण संपूर्ण बजट प्रक्रिया, निर्माण एवं कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता था। इस विसंगति को देखते हुए सरकार ने राजकोषीय वर्ष 2017-18 के समय से ही (जैसा कि *संघीय बजट 2017-18* में घोषित किया गया है) 'योजना' और 'गैर-योजना' व्यय के वर्गीकरण को 'राजस्व' और 'पूंजी' के वर्गीकरण में हस्तांतरित कर दिया है।

राजस्व (Revenue)

किसी कंपनी अथवा सरकार द्वारा पैसों का उपार्जन (आय के रूप में), जिसके कारण सरकार पर वित्तीय भार नहीं पड़ता हो (जैसे–कर से प्राप्त आय, गैर-कर आय तथा विदेशी अनुदान) को राजस्व माना जाता है।

गैर–राजस्व (Non-Revenue)

किसी कंपनी अथवा सरकार के द्वारा वैसे धन की प्राप्ति, जिसे आय अथवा उपार्जन के श्रेणी में नहीं रखा जाता हो, गैर-राजस्व स्रोत कहलाता है; जैसे–ऋण के द्वारा धन की प्राप्ति।

प्राप्तियाँ (Receipts)

राजस्व तथा गैर-राजस्व स्रोतों द्वारा सरकार को प्राप्त होने वाले धन की संभूति को प्राप्ति (Receipt) कहते हैं। उनके योग को कुल प्राप्ति (Total Recepts) कहते हैं।

राजस्व प्राप्तियाँ (Revenue Receipts)

सरकार के राजस्व की प्राप्ति को दो भागों में बाँटा जा सकता है–कर राजस्व प्राप्ति तथा गैर-कर राजस्व प्राप्ति।

कर राजस्व प्राप्तियाँ (Tax Revenue Receipts)

विभिन्न करों (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष) को लागू कर सरकार द्वारा किया गया पैसों का उपार्जन, कर राजस्व प्राप्ति कहलाता है।

गैर-कर राजस्व प्राप्तियाँ (Non-Tax Revenue Receipts)

सरकार द्वारा कर के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उपार्जित पैसों को गैर-कर राजस्व प्राप्ति कहते हैं। भारत में इस किस्म की प्राप्ति में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) लाभ और लाभांश, जो सरकार को इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) से मिलते हैं।

(ii) सरकार द्वारा आगे दिए गए सभी ऋणों, चाहे ये देश के अंदर दिए गए हों (आंतरिक ऋण) या देश के बाहर (बाहरी ऋण) पर मिलने वाला ब्याज। इसका अर्थ यह हुआ कि यह आय दोनों घरेलू और विदेशी मुद्रा में हो सकती है।

(iii) वित्तीय सेवाओं (Fiscal Services) से भी सरकार को आय की प्राप्ति होती है; जैसे–मुद्रा को छापने, डाक-टिकट को छापने इत्यादि।

(iv) सामान्य सेवाओं से भी सरकार को आय की प्राप्ति होती है; जैसे–विद्युत वितरण सिंचाई, बैंकिंग, बीमा, सामुदायिक सेवाएँ इत्यादि।

(v) फीस तथा जुर्माना से सरकार को हुई आय की प्राप्ति।

(vi) सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान–केंद्र सरकार के संदर्भ में यह हमेशा बाह्य होता है तथा राज्य सरकार के संदर्भ में यह हमेशा आंतरिक होता है।

राजस्व व्यय (Revenue Expenditure)

सरकार द्वारा उठाया गया वैसा सभी व्यय, जो राजस्व किस्म (Revenue kind) अथवा बाध्यताकारी किस्म (Compulsive kind) के हों, राजस्व व्यय कहलाते हैं। इस प्रकार के व्यय का मूल पहचान यह है कि वे उपभोगात्मक होते हैं तथा उनमें उत्पादक परिसंपत्ति सृजन करना शामिल नहीं है। इसका उपयोग सरकार को चलाने अथवा एक उत्पादक प्रक्रिया को चालू रखने के लिए किया जाता है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

भारत में इस प्रकार के व्यय में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है:

(i) आंतरिक तथा बाह्य कर्ज पर सरकार द्वारा दिया जाने वाला ब्याज।

(ii) सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन तथा पेंशन।

(iii) सभी क्षेत्रों में सरकार द्वारा दी जाने वाली छूट/रियायत।

(iv) सरकार द्वारा उठाया गया रक्षा खर्च।

(v) सरकार का डाक-घाटा (Postal Deficit)।

(vi) विधि-व्यवस्था पर किया जाने वाला व्यय (पुलिस तथा अर्द्ध-सैन्य बल)।

(vii) सामाजिक सेवाओं तथा आम सेवा प्रदान किए जाने पर किया गया खर्च।

(viii) सरकार द्वारा भारतीय राज्यों तथा अन्य देशों को दिया जाने वाला अनुदान।

राजस्व घाटा (Revenue Deficit)

सरकारी बजट के राजस्व खाते की कुल व्यय यदि कुल आय से अधिक हो तो घाटे की मात्रा राजस्व घाटा कहलाता है। राजस्व व्यय अनिवार्य है तथा तात्कालिक होता है। ऐसे व्यय उपभोगात्मक तथा अनुत्पादक होते हैं। इस प्रकार के व्यय को वित्तीय नीति के क्षेत्र में अपराध माना जाता है। इस घाटे को कम करने के लिए खर्च किए जाने वाले पैसे का उपयोग किसी भी विकासात्मक कार्य के लिए किया जा सकता है। भारत में इस नयी शब्दावली का प्रयोग वित्त वर्ष 1997-98 से प्रारंभ हुआ।[8]

सरकारी बजट के राजस्व खाते की यदि कुल आय कुल व्यय से अधिक हो तो यह आधिक्य राजस्व अधिशेष (Revenue Surplus) कहलाता है। इस तरह की वित्तीय नीति को बेहतर माना जाता है, क्योंकि राजस्व अधिशेष के पैसों का उपयोग उत्पादक क्षेत्रों में किया जा सकता है। दूसरी बात जो ध्यान में रखी जानी चाहिए कि किस प्रकार सरकार ने इस अधिशेष का प्रबंधन किया है तथा इस दिशा में अपनाई गई नीति औचित्यपूर्ण है अथवा नहीं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत राजस्व अधिशेष राज्य बन गया, लेकिन विशेषज्ञों ने इसकी सराहना नहीं की है, क्योंकि प्रभाव अर्थव्यवस्था पर अच्छा नहीं था– कर के अधिक दर हो जाने के कारण कर की चोरी होने लगी तथा भ्रष्टाचार, काला-धन इत्यादि भी अर्थव्यवस्था में व्याप्त हुआ।

किसी भी वित्त वर्ष के राजस्व घाटे को मात्रात्मक रूप अथवा सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। सामान्यत: राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय आकलन के लिए इसे प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है।

प्रभावी राजस्व घाटा (Effective Revenue Deficit)

प्रभावी राजस्व घाटा (ERD) एक नयी अवधारणा है जिसे *संघीय बजट 2011-12* द्वारा पहली बार इस्तेमाल किया गया। परंपरागत रूप से राजस्व घाटा (RD) सरकार की राजस्व प्राप्ति और व्यय के बीच का ऋणात्मक अंतर है। ज्ञात हो कि इस घाटे में केंद्र सरकार के वे व्यय भी शामिल होते हैं जो वह राज्य सरकारों को 'अनुदान' के रूप में देता है और इनसे कई विकासशील परिसंपत्तियों का सृजन होता है। हालांकि इन परिसंपत्तियों का स्वामित्व केंद्र के बजाय राज्यों का होता हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री (वर्ष 2011-12) के अनुसार केंद्र के इस व्यय को 'गैर-विकासात्मक' या 'अनुत्पादक' नहीं माना जा सकता, क्योंकि इनसे प्रत्यक्ष विकासशील निवेश होता है। इस प्रकार यह तर्क रखा गया कि इस कारण केंद्र के राजस्व व्यय में से उन खर्चों को, जिनसे राज्यों में परिसंपत्तियाँ सृजित होती हैं, को घटाकर देखा जाना चाहिए और जो मात्रा बचती है वास्तव में वही केंद्र का राजस्व घाटा माना जाना चाहिए। इसे सूचित करने के लिए ही इस नयी अवधारणा का ERD उपयोग किया गया अर्थात् EDR की प्राप्ति केंद्र के राजस्व घाटे में से उसके 'पूंजीगत अस्तियों संबंधी अनुदानों' को घटाने से

8. Raja J. Chelliah, 'The Meaning and Significance of the Fiscal Deficit', in Amaresh Baghi (ed.), ***Readings in Public Finance,*** (New Delhi: Oxford University Press, 2005), 387–88. Also see Ministry of Finance, ***Union Budget 1997–98,*** (New Delhi: Government of India, 1997).

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

होती है। इन आस्तियों में मुख्यतया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम आदि शामिल थे।

इस 'पद' का प्रयोग उस समय की सरकार द्वारा अपने राजस्व घाटे में कुछ तार्किकता प्रदर्शित करने के लिए किया या था कि ये सभी एक सामान्य राजस्व व्यय (जो अपनी प्रकृति में उपभोग की वस्तु) की तरह नहीं थे और इनमें से कुछ का इस्तेमाल 'पूंजीगत संपत्तियों' के सृजन (हालांकि इन्हें व्यय के 'पूंजी' मद में नहीं प्रदर्शित किया जा सकता था) में भी किया गया था। हालांकि केंद्र की नई सरकार ने इस 'पद' को पूर्व प्रचलित महत्व नहीं दिया है। फिर भी इस आंकड़े को जारी कर रही है।

संघीय बजट 2017-18 प्रभावी राजस्व घाटे में वर्ष 2017-18 में 0.7 प्रतिशत और वर्ष 2018-19 में 0.2 प्रतिशत की कमी लाने के लिए प्रतिबद्ध है (इसके वर्ष 2016-17 में 1.2 प्रतिशत होने का अनुमान था), जबकि बजट में वर्ष 2017-18 के लिए राजस्व घाटा 1.9 प्रतिशत एवं वर्ष 2018-19 के लिए 1.4 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

राजस्व बजट (Revenue Budget)

बजट का वह भाग जिसका संबंध राजस्व के व्यय तथा आय से हो। इस बजट में कुल राजस्व प्राप्ति तथा कुल राजस्व व्यय का वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है। यह अतिरेक (surplus) या घाटे (Deficit) दोनों ही तरह का हो सकता है।

पूँजी बजट (Capital Budget)

यह बजट का वह भाग है, जिसका संबंध पूँजी की प्राप्ति तथा व्यय से है। यह उन साधनों को दर्शाता है जिसके द्वारा पूँजी का प्रबंधन किया जाता है तथा उन क्षेत्रों को दर्शाता है जहाँ पूँजी का व्यय होता है।

पूँजी प्राप्तियाँ (Capital Receipts)

किसी भी सरकार की सभी गैर-राजस्व प्राप्तियों को पूँजी प्राप्ति कहा जाता है। इस प्रकार की पूँजी का उद्देश्य निवेश करना होता है तथा सरकार इसका उपयोग योजना-विकास के लिए करती है। भारत में पूँजी प्राप्ति में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है:

(i) ऋण की वसूली

यह पूँजी प्राप्ति का एक स्रोत है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा दिए गए ऋण (भारत में तथा विदेश में) की अदायगी से पूँजी प्राप्ति होती है तथा सरकार को इन ऋणों पर ब्याज भी प्राप्त होता है, जिन्हें राजस्व प्राप्तियों में शामिल किया जाता है।

(ii) सरकार द्वारा लिया गया कर्ज

सरकार द्वारा लिए गए कर्ज से भी पूँजी की प्राप्ति होती है। इसमें दोनों किस्म के कर्ज शामिल हैं – आंतरिक कर्ज तथा बाह्य कर्ज। आंतरिक कर्ज में सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थानों से लिया गया कर्ज शामिल होता है। इसी तरह बाह्य कर्ज में सरकार द्वारा विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विदेशी बैंक, दूसरे देश की सरकारों, विदेशी वित्तीय संस्थानों इत्यादि से लिया गया ऋण शामिल होता है।

(iii) सरकार की अन्य प्राप्तियाँ

इसमें लम्बी अवधि के पूँजी उपचय शामिल होते हैं, जो सरकार को भविष्य-निधि, लघु बचत योजना, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास-पत्र इत्यादि से प्राप्त होते हैं।

पूँजी व्यय (Capital Expenditure)

वैसे सभी क्षेत्र, जिन्हें सरकार से पूँजी उपचय (accruals) शामिल होते हैं जो सरकार को भविष्य-निधि, लघु बचत योजना, इंदिरा विकास-पत्र, किसान विकास-पत्र, इत्यादि से प्राप्त होते हैं। वैसे सभी क्षेत्र जिन्हें सरकार से पूँजी प्राप्त होती है पूँजी व्यय का भाग होते हैं। भारत में इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) सरकार द्वारा वितरित ऋण

इसमें सरकार द्वारा दिए गए आंतरिक ऋण (राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों इत्यादि को) तथा बाह्य ऋण (अन्य देशों, विदेशी बैंकों इत्यादि) शामिल हैं।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(ii) ***सरकार द्वारा पूर्व में लिए गए ऋणों की अदायगी***

इसमें सरकार द्वारा लिए गए आंतरिक तथा बाह्य ऋणों की अदायगी शामिल है। इन ऋणों पर दिया जाने वाला ब्याज राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है।

(iii) ***सरकार का योजनागत व्यय***

इसके अंतर्गत वे सभी व्यय आते हैं, जिनका उपयोग केंद्र सरकार योजनागत विकास तथा राज्यों के योजनागत विकास को समर्थन देने के लिए करती है।

(iv) ***सरकार द्वारा रक्षा पर किया जाने वाला पूँजी व्यय***

इसमें वे सभी पूँजी खर्च शामिल हैं जो सरकार सेना के लिए करती है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि रक्षा व्यय एक गैर–योजनागत व्यय है, जिसमें पूँजी तथा राजस्व व्यय शामिल होते हैं।

(v) ***सामान्य सेवाओं के लिए***

सामान्य सेवा; जैसे–रेलवे, डाक विभाग, जलापूर्ति, शिक्षा, ग्रामीण विस्तार इत्यादि के लिए भी पूँजी व्यय की आवश्यकता होती है।

(vi) ***सरकार की अन्य अभिदेयताएं***

सरकार की अन्य अभिदेयताएं; जैसे–पेंशन का भुगतान, लघु बचत योजनाओं की अदायगी तथा भविष्य–निधि के भुगतान के लिए भी पूँजी व्यय की आवश्यकता होती है।

(vii) ***सरकार की अन्य देनदारियां***

मूलत: इसके अंतर्गत अन्य प्राप्तियों के पद पर सरकार की सभी पुनर्भुगतान देनदारियां अथवा दायित्व आते हैं। देनदारियों का स्तर इस तथ्य पर निर्भर होता है कि सरकार द्वारा विगत में कितनी प्राप्तियां हासिल की गई हैं। किस साल में कितना भुगतान दायित्व–यह इस बात पर निर्भर करता है कि विगत में किस वर्ष सरकार के पास कितनी परिपक्वता अवधि की प्राप्तियां उपलब्ध कीं। उदाहरण के लिए, भविष्य निधि (PF) देनदारी ऐसी देनदारियों का हिस्सा आजादी के बाद के तीन दशकों तक नहीं रही थी, लेकिन जब सरकारी कार्यकारी सेवानिवृत्त होने लगे, यह देनदारी लगातार बढ़ती चली गई। बाद में (विशेषकर 1960 एवं 1970 के दशकों में) भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) का विस्तार हुआ और इनमें अत्यधिक रोजगार सृजित हुए (श्रम की आवश्यकता के तर्क का अनदेखा कर)। हम 1990 के दशक में जीएफ देनदारियों को भारी मात्रा में बढ़ता देखते हैं। इस दबाव का मुकाबला करने के लिए सरकार ने पीएफ पर ब्याज में कटौती का रास्ता अपनाया या फिर जैसाकि अभी इसे आधार अर्थव्यवस्था के ऊपर छोड़ देने का प्रयास करती दिख रही है। यही हाल पेंशन का हुआ और इसके लिए हम एक बाजार आधारित प्रणाली अपनाने में सफल हुए जबकि पेंशन सुधार की चुनौती सामने आई और इसकी के साथ इस क्षेत्र के लिए पेंशन नियामक प्राधिकार भी अस्तित्व में आया।

पूँजी घाटा (Capital Deficit)

सार्वजनिक वित्त या अर्थशास्त्र में ऐसा कोई शब्द नहीं है। लेकिन व्यवहार में अक्सर यह शब्द पूंजी की कमी, पूंजी की विरलता के अर्थ में रोजमर्रा के आर्थिक समाचारों में सुनने में आता है। दरअसल जिस सरकार का खबरों में जिक्र हो रहा होता है वह सार्वजनिक व्यय के लिए अपेक्षित निधि, धन, पूंजी के प्रबंधन की समस्या से जूझ रही होती है। ऐसे खर्च राजस्व से संबंधित भी हो सकते हैं, या पूंजी से जुड़े हुए भी। विकासशील अर्थव्यवस्था में पूंजीगत व्यय की उच्च आवश्यकता के चलते इस तरह की मुश्किलें हमेशा बनी रहती हैं। क्या इस स्थिति को दर्शाने के लिए अगर कोई उपयुक्त शब्द है, यह स्वाभाविक रूप से पूंजी घाटा रहा है।

राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)

यदि सरकार की कुल प्राप्ति (राजस्व व पूँजी प्राप्ति) तथा कुल व्यय (राजस्व व पूँजी व्यय) का संतुलन नकारात्मक हो तो यह राजकोषीय घाटे को दर्शाता है। इस अवधारणा का उपयोग भारत में वित्त वर्ष 1997–98 से किया जा रहा है।[9]

9. Raja J. Chelliah, 'The meaning and significance of public deficit', 381 & 387. Also see Ministry of Finance, ***Union Budget 1997–98.***

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

राजकोषीय घाटे का अभिप्राय यह है कि सरकार द्वारा किया गया खर्च उनके साधनों से कहीं अधिक है, यानि सरकार अपने आय से अधिक व्यय कर रही है। राजकोषीय घाटे को मात्रात्मक रूप अथवा सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जा सकता है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों के लिए सामान्यत: इसे प्रतिशत में ही दर्शाया जाता है। भारत में प्राय: यह घाटा देखा गया है तथा यह घाटा बहुत अधिक होता रहा है।

वित्तीय घाटे को मात्रात्मक रूप में (यानी कि घाटे का कुल मौद्रिक मूल्य) या उस विशेष वर्ष की जीडीपी के प्रतिशत के रूप में दिखाया जा सकता है। सामान्यत: घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों (यानी कि तुलनात्मक अर्थशास्त्र) में प्रतिशत का इस्तेमाल किया जाता है।

भारत एक ऐसा देश रहा है जहां न सिर्फ नियमित बल्कि भारी वित्तीय घाटा रहा है। इसके अलावा इसके वित्तीय घाटे की सरंचना आलोचना का आसान शिकार भी रही है।

प्राथमिक घाटा (Primary Deficit)

वित्तीय घाटा, एक साल की ब्याज देनदारियां हटाकर, प्राथमिक घाटा है। इस शब्द का इस्तेमाल भारत ने 1997-98 के बजट से करना शुरू किया था।[10] यह उस साल अर्थव्यवस्था के वित्तीय घाटे को दर्शाता है, जिसमें विभिन्न ऋणों और देनदारियों पर ब्याज का भुगतान नहीं करना है। यह मात्रात्मक और जीडीपी के प्रतिशत दोनों रूपों में दिखाया जाता है।

इसे सरकार के व्यय के स्वरूप में ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए एक बहुत कारगर उपकरण माना जाता है। इससे किन्हीं भी दो सालों की तुलना की जा सकती है और बहुत सारी चीजें स्पष्टत: जानी जा सकती हैं।

मौद्रीकृत घाटा (Monetised Deficit)

राजकोषीय घाटे का वह भाग, जिसकी आपूर्ति सरकार को RBI द्वारा की गयी (कर्ज के रूप में) उसे मौद्रीकृत घाटा कहा जाता है। इस नयी अवधारणा को भारत द्वारा वर्ष 1997-98 से उपयोग में लाया जा रहा है।[11] किसी वित्त वर्ष के लिए इसे मात्रात्मक तथा सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है।

इस अवधारणा का विकास एक नयी शुरुआत है जिसके द्वारा भारत सरकार के बाजार ऋणों (Market Borrowings) पर निर्भरता तथा राजकोषीय प्रबंधन में पारदर्शिता लायी जाती है। वास्तव में अपनी दार्घावधिक पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारें बाजार ऋणों (जो आंतरिक ऋण हैं) पर बड़े अर्थों में निर्भर रही है। इस बाजार ऋण का प्रबंध RBI करती है। इसके अतिरिक्त सरकार अपनी प्रतिभूतियों, बॉण्डों आदि से जो बाजार ऋण लेती रही उसका प्राथमिक ग्राहक (Primary) भी RBI ही रहा है (वैसे 2006-07 से अब RBI पर यह बाध्यता नहीं रही)। इन माध्यमों से सरकार भारी मात्रा में आंतरिक ऋणों की उगाही करती रही है तथा भारत की राजकोषीय नीति का यह एक चिंताजनक पहलू रहा था। वर्ष 1991 में शुरू की गई किए राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया के प्रारंभ का यह एक प्रतिफल है कि इस अवधारणा का विकास किया गया। अब सरकार RBI को दीर्घावधिक ऋणों की उगाही के लिए बाध्य नहीं करती है। वह अब इससे सिर्फ अर्थोपाय अग्रिम (Ways and Means Advances) के माध्यम से ही ऋण लेती है, जो छोटी अवधि के ऋण हैं (364 दिनों तक के)।

बजट घाटा तथा बजट अधिशेष (Deficit and Surplus Budget)

सरकारी बजट की कुल आय (राजस्व खाते की आय + पूँजी खाते की आय) यदि व्यय से अधिक हो तो इस

10. Ministry of Finance, ***Union Budget 1997–98.***

11. Raja J. Chelliah, 389. Also see Ministry of Finance, ***Union Budget 1997–98.***

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

आधिक्य को बजट अधिशेष (Budget Surplus) कहते हैं। इसी तरह सरकारी बजट का कुल व्यय (राजस्व खाते का आय + पूँजी खाते का व्यय) यदि कुल आय (राजस्व खाते का आय + पूँजी खाते का आय) से अधिक हो तो यह आधिक्य बजट घाटा (Budget Deficit) कहलाता हैं।[12]

व्यवहार में दुनिया भर की सरकारें अधिशेष वाला बजट पेश नहीं करतीं क्योंकि इसे सरकारों की विकास के प्रति उदासीनता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन राजनीतिक हथियार के रूप में सरकार ऐसा बजट ला सकती है (उदाहरण के लिए 2006-07 का उत्तराखण्ड का बजट एक अधिशेष बजट था)। कोई सरकार किसी विकासशील राज्य में अधिशेष का बजट कैसे ला सकती है जबकि विकसित देशों को भी विकास की जरूरत होती है और वहां घाटे के बजट आ रहे हैं? भारत में केंद्र सरकार के बजट को अभी तक एक अधिशेष बजट के रूप में पेश नहीं किया गया है। पहली बार 1930 में अमेरिका में सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में इस शब्द (घाटे की वित्त व्यवस्था) का इस्तेमाल किया गया था, आज इसका इस्तेमाल कॉर्पोरेट सेक्टर भी कर रहा है और व्यावसायिक रणनीति के तहत किसी कंपनी का वित्तीय प्रबंधन इसका इस्तेमाल भी कर सकता है। किसी बीमार कंपनी को कई साल तक घाटे की वित्तीय व्यवस्था का रास्ता अपनाना पड़ सकता है ताकि वह खतरे के निशान से ऊपर आ सके (यानी कि नुकसान को बंद कर सके)।

12. In the US economy if tax revenue falls short of government expenditures, the government has a *fiscal deficit,* and it means that the government needs to borrow in the capital market to cover the difference. Opposite to it, if the government runs a *fiscal surplus* (i.e., its tax revenues exceed its expenditure) then the government, like the household sector, will be a net saver and will represent a source of saving for the economy (see Stiglitz and Walsh, ***Economics,*** p. 549).

घाटे का वित्त पोषण (DEFICIT FINANCING)

यह सरकार द्वारा बजट घाटे के लिए की गई वित्त प्रबंध की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में सरकार को यह पूर्व से ही मालूम होता है कि उसका कुल व्यय कुल प्राप्ति से अधिक होगा तथा वह ऐसी नीतियों का निर्धारण करती है, जिससे इस घाटे को वहन किया जा सके। इसका पहली बार उपयोग 1930 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में लोक वित्त के क्षेत्र में किया गया।[13] अब इस शब्द का प्रयोग 'कॉर्पोरेट क्षेत्र' में भी किया जाता है।

तीस के दशक की शुरुआत में अमेरिका को पहले घाटे की वित्त व्यवस्था में हाथ आजमाने पड़े और फिर पूरे यूरोप-अमेरिका की सरकारों ने यह रास्ता अपनाया। हालांकि इस रास्ते से विकसित दुनिया महामंदी (1929) के खौफ से बाहर निकल आई। साठ के दशक तक यह विचार पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गया। भारत ने घाटे की वित्त व्यवस्था में अपने हाथ 1969 में आजमाए और 1970 से यह एक नियमित कार्यक्रम बन गया, तब तक जब तक कि यह निराधार और अतार्किक नहीं हो गया और तुरंत सुधार की मांग नहीं करने लगा। भारत में वित्तीय घाटा न सिर्फ अवहनीय स्तर के शीर्ष पर पहुंच गया बल्कि इसकी सरंचना ही न्यायसंगत नहीं थी और अर्थशास्त्र के आधारभूत सिद्धांतों के अनुरूप नहीं थी। अंततः भारत ने वित्तीय सुधारों की धीमी लेकिन सुदृढ़ प्रक्रिया शुरू की जिसे वित्तीय मजबूती की प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है।

घाटे के वित्त पोषण की आवश्यकता (Need of Deficit Financing)

1920 के दशक में इस प्रकार की नीति की आवश्यकता महसूस की गई तथा इस अवधारणा का उद्भव हुआ।

13. J. K. Galbraith, ***A History of Economics,*** (London: Penguin Books, 1987) 226. (*The whole Chapter XVII on J.M. Keynes (pp. 221–36) is interesting to refer on the topic.*)

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

इसकी आवश्यकता तब होती है, जब सरकार को किसी निर्धारित अवधि में विकास हेतु उपार्जन से अधिक खर्च करने की आवश्यकता होती है। विकास होने के बाद आय से अधिक खर्च किए गए पैसों की प्रतिपूर्ति की जाती है—यही सोच इसका आधार है।

1930 के दशक में पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस प्रकार की नीति को अजमाया तथा उसके तुरंत बाद सभी यूरोप-अमेरिकी सरकारों ने इस नीति का अनुसरण किया।[14] इस नीति के द्वारा ही विश्व के विकसित देश 1929 की आर्थिक मंदी से उभर पाए।[15] 1960 के दशक में यह अवधारणा विश्वभर में लोकप्रिय हो गई। भारत ने वित्तीय अभाव की नीति को 1969 में अजमाया तथा 1970 के दशक से यह एक अनिवार्य नीति बन गई। धीरे-धीरे भारत ने राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया को अपनाया, जिसे वित्तीय समेकन (Fiscal Consolidation) की प्रक्रिया कहा जाने लगा।

घाटे के वित्त पोषण के साधन
(Means of Deficit Financing)

जब वित्तीय अभाव की नीति लोक वित्त के क्षेत्र में विश्वभर में एक स्थापित प्रक्रिया बन गई तब समय के साथ-साथ इसके साधन भी विकसित होने लगे। ये साधन निम्नलिखित हैं:

(i) **विदेशी सहायता (External Aids):**[16] यह सबसे उचित साधन है जिसके द्वारा सरकारी घाटे की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है यदि यह निम्न ब्याज के साथ आता हो तो भी। यदि यह सहायता बगैर ब्याज के आता हो तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता।

विदेशी अनुदान (External Grants) इससे भी बेहतर साधन है, क्योंकि न तो इस पर किसी किस्म का ब्याज होता है तथा न ही इसकी अदायगी जरूरी है, यह नि:शुल्क होता है। इस तरह का अनुदान भारत को पोखरण परमाणु परीक्षण (सन् 1975) के बाद मिलना बंद हो गया। कई बार भारत ने इस तरह के अनुदान को नहीं स्वीकार है; जैसे-सुनामी के उपरांत भारत को दिया गया अनुदान (क्योंकि इनमें शर्तें छुपी होती हैं)।

(ii) **विदेशी ऋण (External Borrowings):**[17] विदेशी ऋण वित्तीय घाटे को संभालने का दूसरा सबसे बेहतर तरीका है, बशर्ते कि वे तुलनात्मक रूप से सस्ते तथा लंबी अवधि के हों।

यद्यपि विदेशी ऋण को देश की संप्रभु निर्णय लेने की प्रक्रिया पर हस्तक्षेप माना जाता है, लेकिन इसके अपने फायदे हैं तथा यह आंतरिक ऋण से दो कारणों से बेहतर माना जाता है:

(a) विदेशी ऋण विदेशी मुद्रा के रूप में आता है जिससे सरकारी खर्च को अतिरिक्त फायदा होता है, सरकार चाहे तो इस ऋण का उपयोग देश के अंदर अथवा आयात पर टिकी विकास की आवश्यकताओं के लिए कर सकती है।

(b) यह 'क्राउडिंग ऑउट' (Crowding Out) प्रभाव के कारण भी बेहतर माना जाता है, क्योंकि सरकार यदि देश के बैंकों से

14. For a detailed discussion on the topic one may refer to Joseph. E. Stiglitz, ***Economics of the Public Sector***, (New York: W.W. Norton, 2000).

15. It should be noted here that although the governments had run deficits (i.e., budget deficit) even before the Keynesian idea of the deficit, the pre-Keynesian thinking was that in peacetime the budget should generally be *balanced* (i.e., neither deficit nor surplus), or even in surplus so that the government debt created by wartime deficits could be paid off. For further reference on the topic and its constraints, Stanley Fischer and William Easterly, ***Economics of the Government Budget Constraints***, World Bank Research Observer, Vol. 5, No. 2, July 1990, 127–42; also reproduced in Amaresh Bagchi (ed.), ***Readings in Public Finance***, pp. 301–19.

16. Ibid.

17. Ibid.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

ऋण लेगी तो अन्य निवेश के लिए कहाँ से ऋण लेंगे?

(iii) **आंतरिक ऋण (Internal Borrowings)**[18]: आंतरिक ऋण वित्तीय घाटे को कम करने का तीसरा सबसे बेहतर तरीका है, लेकिन यदि इस किस्म का ऋण अत्यधिक लिया गया तो जनता तथा निजी क्षेत्र के निवेश संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अर्थव्यवस्था पर दोहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है- निम्न निवेश (जिसके कारण निम्न उत्पादन, निम्न सकल घरेलू उत्पाद तथा निम्न प्रति व्यक्ति आय इत्यादि) व निम्न माँग (आम जनता तथा निजी क्षेत्र द्वारा) – अर्थव्यवस्था की गति धीमी पड़ जाती है, जैसा कि 1960, 1970 तथा 1980 के दशकों में देखा गया।

(iv) **मुद्रा छाप कर (Printing Currency)**: यह वित्तीय घाटे को कम करने का अंतिम हथियार है।[19] लेकिन इस साधन की विकलांगता यह है कि सरकार इसके द्वारा वह व्यय नहीं कर सकती है जिसे विदेशी मुद्रा में किया जाना है। मुद्रा छापने के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले अन्य प्रतिकूल प्रभाव निम्नलिखित हैं:

(a) यह आनुपातिक रूप में मुद्रास्फीति में वृद्धि करता है।

(b) यह सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन करने के लिए सरकार को बाध्य करता है जिसके कारण सरकारी खर्च का भार अधिक हो जाता है।

सरकार इन सभी साधनों में से किसी भी साधन का चयन कर अपने वित्तीय घाटे को कम कर सकती है। सामान्यत: सरकारें वित्तीय प्रबंधन के लिए इन सभी साधनों के संयोजन का प्रयोग करती हैं।

राजकोषीय घाटे के संघटक

(Composition of Fiscal Deficit)

वित्तीय अभाव के लिए **जे.एम. केन्स** (J.M. Keynes) की अवधारणा को सामान्यत: सभी तीसरे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं ने अपनाया, लेकिन उसके पूर्ण अर्थों पर अमल नहीं किया गया। यह अवधारणा इस बात पर आधारित थी कि क्यों कोई अर्थव्यवस्था, राजकोषीय घाटे से निपटने के लिए कदम उठाना चाहती है। इस प्रश्न को समझने के लिए राजकोषीय घाटे की बनावट/संघटन का आकलन आवश्यक है।[20]

सरकार के राजस्व एवं पूंजीगत व्यय में निम्नलिखित बनावट का सुझाव दिया गया है:

(i) अधिशेष राजस्व बजट अथवा शून्य राजस्व व्यय के साथ राजकोषीय घाटा सबसे बेहतर संयोजन है तथा वित्तीय अभाव की नीति के लिए सबसे उपयुक्त है।

(ii) निम्न राजस्व व्यय तथा अधिक पूँजी व्यय के लिए घाटे की आवश्यकता इसके लिए दूसरा बेहतर विकल्प है बशर्ते कि राजस्व घाटे को शीघ्र ही मिटा दिया जाए।

(iii) एक अंतिम स्थिति ऐसी हो सकती है जब वित्तीय अभाव को कम करने की नीति का मुख्य भाग राजस्व व्यय की पूर्ति करता है तथा एक लघु भाग पूँजी व्यय के लिए होता है। घाटे का पूरा पैसा राजस्व व्यय में जा सकता है, जो इसका सबसे बदतर रूप हो सकता है।

भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था के पीछे बेहतर कारण कम गैर-योजनागत खर्च या उच्च योजनागत खर्च थे (हालांकि भारत में पूंजीगत व्यय का विशिष्ट लक्षण रहा है जो इस गठजोड़ को घाटे की वित्तीय व्यवस्था का ऐसा प्रकार बना देता है जिसकी सलाह नहीं दी जाती)।

18. Ibid.

19. L.N. Rangarajan, ***The Arthashastra,*** pp.259–62.

20. J. Cullis and P. Jones, ***Public Finance and Public Choice*** (New York: Oxford University Press, 1998).

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

हालांकि विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाएं (भारत समेत) भारी से भारी राजकोषीय घाटे और घाटे की वित्तीय व्यवस्था का इस्तेमाल कर रही थीं लेकिन या तो वे पूंजी और गैर-आय खर्चों के लिए उपयुक्त घाटे को साध नहीं पाईं या साधना नहीं चाहा।

राजकोषीय नीति (FISCAL POLICY)

वित्तीय नीति का वास्तविक अर्थ, महत्त्व तथा प्रभाव महामन्दी (Great Depression) तथा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सामने आया। वित्तीय नीति सरकार की वह नीति है, जिसका संबंध सरकारी क्रय के स्तर, स्थांतरण के स्तर तथा कर संरचना से है–यह संभवत: वित्तीय नीति की सबसे बेहतर परिभाषा है जिसे विशेषज्ञों ने भी माना है।[21] इसके उपरांत समष्टि अर्थव्यवस्था पर राजकोषीय नीति के प्रभाव का बेहतर तरीके से विश्लेषण किया गया।[22] चूँकि इस नीति का अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव होता है इसलिए इस नीति की परिभाषा उस नीति के रूप में दी जाती है, जो सरकारी खर्च तथा कर को संचालित करता है तथा आर्थिक गतिविधियों (जिसे संख्यात्मक रूप में सकल घरेलू उत्पाद से दर्शाया जाता है)[23] को उत्प्रेरित करता है। जे. एम. केन्स पहले अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने राजकोषीय नीति तथा आर्थिक निष्पादन को जोड़ने वाले सिद्धांत का विकास किया।[24]

राजकोषीय नीति को एक अन्य तरीके से भी परिभाषित किया जा सकता है। यह सरकारी व्यय तथा करों में किया जाने वाला बदलाव है, जिसका लक्ष्य समष्टि आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करना है[25] (जैसे–विकास, रोजगार, निवेश इत्यादि)। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि राजकोषीय नीति कर तथा सरकारी व्यय के उपयोग को दर्शाता है।[26]

कर तथा सरकारी व्यय संपूर्ण अर्थव्यवस्था को किस तरह प्रभावित करती है इसकी चर्चा नीचे की गई है।[27] पहले हम **कर तथा अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव** की चर्चा करेंगे:

(i) कर का लोगों की आय, उनकी क्रय शक्ति, उपभोग तथा परिणामस्वरूप उनके जीवन-स्तर पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

(ii) कर का व्यक्तियों, परिवारों तथा कंपनियों की बचत पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, जिससे अर्थव्यवस्था में निवेश प्रभावित होता है– निवेश से सकल घरेलू उत्पाद प्रभावित होता है, जिसका असर प्रति व्यक्ति आय पर पड़ता है।

(iii) कर का वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनका उत्पादन मूल्य प्रभावित होता है।

सरकारी व्यय का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव निम्नलिखित दो रूपों में पड़ता है:

(i) वस्तुओं एवं सेवाओं को यदि सरकार द्वारा खरीदा जाए तो उन पर भी कुछ व्यय होता है; जैसे–सड़कों, रेलवे तथा बंदरगाह का निर्माण, खाद्यान्न की खरीद (वस्तुओं के वर्ग में) तथा सरकारी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान (सेवाओं के वर्ग में)।

21. The acclaimed definition first came up in the widely used work *Macroeconomics* by Dornbusch and Fisher which is now available as R.S. Dornbusch, S. Fisher and Richard Startz, ***Microeconomics,*** (New Delhi: Tata McGraw-Hill, 2002).
22. John Hicks, the British Nobel Laureate did show it referring changes in taxes and government expenditure using the framework of the famous IS-LM model (Ibid).
23. S. R. Maheshwari, ***A Dictionary of Public Administration*** (New Delhi: Orient Longman, 2002) p. 227.
24. In his acclaimed work ***The General Theory of Employment, Interest and Money***, 1936.
25. Stiglitz and Walsh, ***Economics***, p. 729.
26. Samuelson and Nordhaus, ***Economics***, p. 412.
27. Based on the elaboration by Samuelson and Nordhaus, ***Economics***, pp. 412–13.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(ii) सरकार द्वारा गरीबों, बेरोजगारों व वृद्ध व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने में भी कुछ व्यय/खर्च होता है, जिसे सरकारी **अंतरण भुगतान** (Transfer Payments) कहते हैं।

भारत में घाटे का वित्त पोषण (Deficit Financing in India)

स्वतंत्र भारत एक योजनागत अर्थव्यवस्था बना। चूँकि सरकार पर विकास का भार अधिक था इसलिए सरकार को अतिरिक्त धन की आवश्यकता थी, दोनों ही रूपों में – देशी तथा विदेशी मुद्रा। भारत को अपने पंचवर्षीय योजनाओं के लिए निधि एकत्र करने में अत्यंत कठिनाई हुई, क्योंकि समुचित मात्रा में विदेशी निधि तथा आंतरिक संसाधन का प्रबंध नहीं हो पाया।[28]

धीरे-धीरे भारत का वित्तीय घाटा बढ़ता गया तथा सरकार द्वारा इस अभाव को कम करने के लिए घाटे के वित्त पोषण की नीति अपनाई गई। इस प्रक्रिया को तीन चरणों में बाँटा जा सकता है:

प्रथम चरण (1947–70) [The First Phase (1947-1970)]

इस चरण में घाटे के वित्त प्रबंध की कोई अवधारणा नहीं थी, घाटे को बजट घाटे के रूप में दिखाया जाता था। इस चरण के मुख्य पहलू निम्नलिखित थे:

(i) अर्थव्यवस्था के अंदर तथा बाहर ऋण प्रबंध प्रयास करना, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति में चूक जाना।

(ii) 1950 के दशक में कर एकत्रण को बढ़ाने तथा राजस्व व्यय पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। इस कदम से कर की चोरी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला तथा तथा सामाजिक क्षेत्र की स्थिति दयनीय हो गई।

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक से अधिक मात्रा में ऋण लिया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा उन बैंकों के पैसों को सरकार द्वारा योजनाओं में लगाया जा सके। इससे सरकार पर ब्याज का भार बढ़ गया।

(iv) अधिक राजस्व व्यय (वेतन) के साथ सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों की स्थापना।

(v) उपर्युक्त कदम उठाकर भी सरकार निवेश की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाई।

द्वितीय चरण (1970-1991) [The Second Phase (1970-1971)]

इस अवधि को घाटे के वित्त प्रबंध की अवधि माना जाता है, इस चरण में अर्थशास्त्र के अप्रमाणिक सिद्धांतों का अनुसरण किया गया तथा अंततः यह चरण 1990–91 के वित्तीय संकट के रूप में समाप्त हुआ। इस चरण के मुख्य पक्ष निम्नलिखित हैं:

(i) इस चरण में राष्ट्रीयकरण नीति तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विस्तार पर बल दिया गया।

(ii) आने वाले पीएसयू ने सरकार की आय का कुल खर्च और उसके साथ ही पूंजी को बढ़ा दिया।

(iii) मौजूदा पीएसयू अर्थव्यवस्था से अपना देय वसूल रहे हैं-अतार्किक नियुक्तियों ने वेतन, पेंशन, पीएफ का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। उनमें से कई अब तक भारी घाटे में चले गए हैं, लाभ और हानि के विश्लेषण की कमी रही, पीएसयू के अपनी जरूरत के श्रम और उपलब्ध श्रम के बीच कोई संबंध नहीं था। अंततः लाभ या हानि की जिम्मेदारी अधिकारियों की नहीं थी, इसलिए वह जानबूझकर किए गए घाटों और संस्थानिक भ्रष्टाचार के केंद्र बन गए।

(iv) सरकार दोनों ही मोर्चों पर नाकाम रही है-जनसंख्या नियंत्रण और बड़े पैमाने पर रोजगार निर्माण। सब्सिडी का बोझ बढ़ता रहा और उन्हें अप्रबंधनीय और भारी अतार्किक बनाया गया।

28. For a detailed data-based discussion refer to Sudipto Mundle and M. Govinda Rao, '*Issues in Fiscal Policy*' in Bimal Jalan (ed.), ***The Indian Economy: Problems and Prospects*** (New Delhi: Penguin Books, 2004), pp. 258–85.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

स्व-रोजगार कार्यक्रम रफ्तार नहीं पकड़ सके या यह कहना सही रहेगा कि राजनीतिक रूप से अलग-अलग नामों के साथ छोटे टुकड़े वाले दिहाड़ी-रोजगार कार्यक्रम अपनाना सही था।

(v) योजनागत विकास बहुत ज्यादा केंद्रीकृत रहे और स्थानीय आकांक्षाओं के लिए उनमें कोई स्थान नहीं रहा। लोगों की हताशा अतिवादी और कट्टर संगठनों की शक्ल में सिर उठाने लगी जो कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा करने लगे जिस पर भारी खर्च होने लगा। इसका नतीजा है—काम के बोझ से दबे पुलिस बल और फंसा हुआ न्याय तंत्र।

(vi) सरकारें पीएसयू में निवेश करने के योजनागत खर्च के रास्ते पर चल रही थीं, जो लाभ कमाने के प्रति प्रतिबद्ध नहीं थे। पीएसयू के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था का मजबूत अर्थशास्त्रीय आधार नहीं था। इस तरह ज्यादातर योजनागत खर्च एक तरह से गैर-अर्थशास्त्रीय हो गया, यानी कि अंत में गैर-योजनागत खर्च।

ऊपर दिए गए कारणों की वजह से कहना मुश्किल हो रहा था कि भारत में भारी राजकोषीय घाटे के कारण क्या थे।[29]

तीसरा चरण (1991 के बाद)
[(The Third Phase (1991 Onwards)]

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रखी शर्तों (जिनमें से एक राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखना भी थी) पर आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था सरकार के प्रभाव क्षेत्र से बाजार के प्रभाव क्षेत्र की ओर बढ़नी शुरू हुई अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन और सार्वजनिक वित्त के थोड़ा तार्किक होने की जरूरत पड़ी।

29. This was the general feeling among experts, policymakers and the IMF, alike.

भारत की राजकोषीय स्थिति : एक परिचर्चा (INDIAN FISCAL SITUATION: A SUMMARY)

दिसंबर 1985 में भारतीय सरकार ने संसद में एक दीर्घ अवधि के वित्तीय नीति का प्रस्ताव रखा। यह भारत के इतिहास में पहली बार था जब किसी राजकोषीय मुद्दे पर सरकार द्वारा संसद में 'दीर्घावधिक राजकोषीय नीति' (Long-term Fiscal Policy) पर कोई दस्तावेज/पत्र प्रस्तुत किया गया। इसमें सरकारी व्यय की नीति भी शामिल थी। प्रस्ताव ने सुधार के लिए कुछ विशेष लक्ष्य रखा। इस प्रस्ताव के बाद देशभर में इस मुद्दे पर बहस शुरू हो गई तथा वर्ष 1987 में सरकार दो ठोस कदमों के साथ सामने आई:

(i) सरकारी व्यय पर लगभग रोक लगा दी गई, तथा;

(ii) बजट घाटे की ऊपरी सीमा (ceiling) तय की गई।

उपर्युक्त कदमों का स्थिति पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा, लेकिन यह अस्थायी था तथा वर्ष 1988 के मध्य से स्थिति बिगड़ने लगी। वर्ष 1990 के अंत का भुगतान-संतुलन संकट का आंशिक रूप से कारण अधिक राजकोषीय घाटा तथा विदेशी ऋण की बढ़ती मात्रा थी।[30] इस संकट से लड़ने के लिए IMF से सहायता मिली, जो शर्तों के साथ जुड़ी हुई थी। आर्थिक सुधार की प्रक्रिया (जिसकी शुरुआत 1991-92 में की गई) के साथ सरकार

30. The proximate cause of the payment crisis in the mainstream perspective, was faulty macroeconomic policies, specially large fiscal deficits of the government during 1984–91, deficits that spilled over in country's current account of the balance of payment. (See Mihir Rakshit, 'The Micro-economic Adjustment Programme: A Critique', ***Economic and Political Weekly*** 26(34) (August), quoted by Mihir Rakshit, ***'Some Microeconomics of India's Reform Experience'*** in Kaushik Basu (ed.), ***India's Emerging Economy: Performance and Prospects in the 1990s and Beyond*** (New Delhi: Oxford University Press, 2004), p. 84.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

ने यह घोषणा की कि 1990 के दशक के मध्य तक वित्तीय घाटे को कम कर 3-4 प्रतिशत कर दिया जाएगा। अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों में से यह एक था। 1990-91 तक की भारत की राजकोषीय स्थिति को निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है:

(i) केंद्रीय सरकार का राजकोषीय घाटा, जो 1970 के दशक से पहले औसतन 4 प्रतिशत से भी कम था 1980-81 में बढ़कर 5.77 प्रतिशत, वित्त वर्ष 1986-87 में यह 8.47 प्रतिशत तथा वर्ष 1990-91 में 7.85 प्रतिशत हो गया।[31]

(ii) सरकार (केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार संयुक्त रूप से) का राजस्व घाटा 1960 से 1990 के बीच 11.8 प्रतिशत से बढ़कर 23 प्रतिशत हो गया। राजस्व प्राप्ति, जो 1971-75 के मध्य औसतन 14.6 प्रतिशत थी, 1986-1990 तक बढ़कर 20 प्रतिशत हो गई, लेकिन राजस्व प्राप्ति तथा व्यय के बीच अंतर नकारात्मक रहा, जिसके लिए वित्त अधिकतर घरेलू ऋणों से प्राप्त हुआ परिणामस्वरूप घरेलू ऋण पर ब्याज बढ़ गया, 1975-90 के मध्य यह 0.5 प्रतिशत से बढ़कर 2.5 प्रतिशत हो गया।[32] 1979-80 से राजस्व घाटा बढ़ता गया तथा वर्ष 1990-91 में यह 3.26 प्रतिशत हो गया।[33]

(iii) राज्यों की राजकोषीय स्थिति भी ठीक नहीं थी। राज्य सरकारें जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सामाजिक सुविधाएं हैं, उनके औसत राजकोषीय खर्च जीडीपी का 5 फीसदी इन खातों पर था, जबकि सामाजिक और अन्य क्षेत्रों में उनका पूंजीगत व्यय 2.5 फीसदी था।[34] अस्सी के दशक[35] में राज्यों का सामाजिक क्षेत्र पर खर्च कम हो गया जबकि ब्याज का भुगतान बढ़ गया।

विशेषज्ञों के अनुसार राज्यों में कर्ज की स्थिति और खराब हो सकती थी लेकिन केंद्र के विपरीत, राज्य संवैधानिक ओवरड्राफ्ट नियामक योजना[36] के तहत सीधे न तो आरबीआई से ऋण ले सकते हैं और न ही बाजार से। इसलिए उनके घाटे खुद ही नियंत्रण में रहे-जब भी राज्यों ने अपने घाटे कम करने की कोशिश की सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं को नुकसान पहुंचा और पूंजीगत व्यय और राज्य में विकास की संभावनाओं पर भी असर पड़ा।

अब प्रश्न यह उठता है कि आम सहमति होते हुए भी सरकार राजकोषीय घाटे को नियंत्रित क्यों नहीं कर पायी? इसके लिए तीन कारण दिए जा सकते हैं[37]:

(i) **राजनीतिक कारक:** राजनीतिक दबाव, क्षेत्रीय राजनीति तथा सब्सिडी (छूट) इसका प्रमुख कारण है, जिसके कारण सरकारी व्यय बढ़ गया।

(ii) **संस्थागत कारक:** प्रशासनिक आकार तथा अधिक सकेंद्रण इसका कारण है। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं सुपुर्दगी की जगह

31. S. D. Tendulkar and T.A. Bavani, ***Understanding Reforms*** (New Delhi: Oxford University Press, 2007) p. 73.
32. Bimal Jalan, ***India's Economic Policy*** (New Delhi: Penguin Books, 1992) p. 48.
33. ***Handbook of Statistics on the Economy 2002–03,*** Reserve Bank of India, Table 221 (cited by Tendulkar and Bhavani, ***Understanding Reforms,*** p. 74).
34. Bimal Jalan, ***India's Economic Policy,*** p. 50.
35. Reserve Bank of India, ***The Report of Tenth Finance Commission*** (New Delhi, Government of India, 1994) (as quoted in Bimal Jalan, India's Economic Policy, p. 50.
36. This scheme has changed now. After the implementation of the suggestions of the ***12th Finance Commission*** states are now allowed to go for market borrowings to take care of their plan expenditures once they have passed and enacted their Fiscal Responsibility Acts (FRAs) in consonance with the FRBM Act, 2003.
37. Based on the points raised by Bimal Jalan, p. 49.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

रिपोर्टिंग, लेखाकरण तथा पर्यवेक्षण को अधिक महत्व दिया गया।[38]

(iii) **नीतिपरक कारक:** यह एक महत्वपूर्ण कारक रहा, जिसके कारण सरकारी व्यय को आम जन-समर्थन मिलता है। इस प्रकार के व्यय में सब्सिडी (छूट), गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, रोजगार प्रदान करने वाले कार्यक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सेवा शामिल है। इस प्रकार के सरकारी खर्च के पीछे यह तर्क दिया जाता है कि सरकार को गरीबों के संरक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना चाहिए, जिसका अर्थ यह हुआ कि इस प्रकार का सरकारी खर्च गरीबों के हित में है।

वर्ष 2000 में सरकार ने राजस्व तथा राजकोषीय घाटे के दोहरे खतरे पर विशेष ध्यान देना शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप संसद में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन विधेयक, 2000 का प्रस्ताव रखा गया।

एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, 2003

अर्थशास्त्रियों, नीति निर्माताओं तथा IMF सभी द्वारा राजकोषीय नीति को किसी भी अर्थव्यवस्था की आधारशिला मानी जाती है। इस नीति का बेहतर संचालन न सिर्फ अर्थव्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करता है बल्कि उसके संसाधनों का प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आवंटन को भी सुनिश्चित करता है।

अनुत्पादक सरकारी व्यय, कर की विसंगतियां तथा उच्च राजकोषीय घाटे के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी संवृद्धि के सक्षम स्तर तक पहुँचने में असफल होती रही है। आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने के पूर्व 1991 में आयी उच्च मुद्रास्फीति दर एवं भुगतान संतुलन (BoP) के जुड़वाँ (twin) संकट की जड़ में राजकोषीय असंतुलन ही रहा था।[39] तब से (1991 से) राजकोषीय नीति के प्रति सरकार की मध्यम अवधि (medium-term) की सोच निम्न दिशा में रही है:[40]

(i) घाटे को कम करना (राजस्व एवं राजकोषीय दोनों ही);

(ii) व्यय का प्राथमिकता के अनुसार चुनाव तथा इच्छित परिणाम को सुनिश्चित करना;

(iii) कर की दरों को निम्न रखते हुए कर के आधार को बढ़ाकर तथा इसकी चोरी एवं अपवंचन को रोककर संसाधनों में वृद्धि करना।

वर्ष 1991 में सरकार द्वारा प्रारंभ किए राजकोषीय समेकन (Fiscal Consolidation) का इच्छित परिणाम नहीं प्राप्त किया जा सका, क्योंकि इसके प्रति कोई परिभाषित कटिबद्धता नहीं थी। न ही ऐसा करने के लिए कोई संवैधानिक बाध्यता ही थी।[41] इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा 26 अगस्त, 2003 को राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (Fiscal Responsibility and Budget Management Act/ FRBMA) को पारित किया गया ताकि राजकोषीय समेकन के लिए एक मजबूत सांविधिक/बाध्यकारी (statutory/ obligatory) व्यवस्था स्थापित की जा सके। मध्यम-अवधि में राजकोषीय घाटे को प्रबंधित करने के उद्देश्य से पारित इस अधिनियम को 5 जुलाई, 2004 से प्रभावी बनाया गया।

वर्ष 2000 में निर्मित एफ.आर.बी.एम. विधेयक संसद में उपस्थित सभी राजनीतिक दलों के सभी सांसदों के मत द्वारा पारित किया गया, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना थी और यहाँ से भारत में राजकोषीय नीति-निर्माण की दिशा में एक नये युग की शुरुआत हुई। इस अधिनियम (राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003) के प्रमुख अंश निम्न प्रकार हैं:[42]

38. this factor seems getting redressal with the starting of ***outcome*** and ***performance*** budgeting 2004–05 onwards.

39. Ministry of Finance, ***Economic Survey 2006–07,*** (New Delhi: Government of India, 2007), p. 18.

40. Ibid.

41. Ibid.

42. Ministry of Finance, ***Economic Survey 2003–04,*** (New Delhi: Government of India, 2004).

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(i) भारत सरकार द्वारा राजकोषीय एवं राजस्व घाटों को कम करने के लिए कदम उठाते हुए 31 मार्च, 2008 तक राजस्व घाटे को शून्य किया जाना था, जिसे यू.पी.ए.-I सरकार (31 मार्च, 2009) द्वारा इसे एक वर्ष आगे किया गया।

(ii) सरकार द्वारा राजकोषीय एवं राजस्व घाटों, आकस्मिक (Contingent) एवं सकल अभिदेयताओं (Liabilities) को कम करने के **वार्षिक लक्ष्यों** की घोषणा की जाएगी (राजस्व घाटे को प्रतिवर्ष 0.5 प्रतिशत तथा राजकोषीय घाटे को प्रतिवर्ष 0.3 प्रतिशत कम करने का लक्ष्य 2004 में रखा गया)।

(iii) राजकोषीय घाटा तथा राजस्व घाटा विशेष परिस्थितियों में घोषित लक्ष्यों को पार कर सकेंगे; यथा–राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा तथा अपवादात्मक आधार।

(iv) भारत सरकार अर्थोपाय अग्रिम (Ways and Means Advances/WMAs) के अतिरिक्त किसी और प्रकार से RBI से उधार नहीं लेगा।

(v) वर्ष 2006-07 से RBI भारत सरकार द्वारा जारी की गयी प्रतिभूतियों (securities) का प्राथमिक ग्राहक नहीं होगा अर्थात् सरकारी प्रतिभूतियों, बॉण्ड आदि बाजार-आधारित उपकरण होंगे।

(vi) राजकोषीय परिचालन में पारदर्शिता लाने संबंधी कदम उठाए जाएँगे।

(vii) बजट एवं अनुदान की मांग के साथ सरकार द्वारा प्रतिवर्ष निम्न **तीन वक्तव्यों** को संसद में प्रस्तुत किया गया:

(a) राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य (Fiscal Policy Strategy Statement—FPSS),

(b) मध्यम अवधि राजकोषीय नीति वक्तव्य (Medium Term Fiscal Policy Statement—MTFPS), एवं;

(c) समष्टि-अर्थशास्त्रीय रूपरेखा वक्तव्य (Macroeconomic Framework Statement—MFS)।

(viii) वित्त मंत्री द्वारा आम बजट में उद्धृत लक्ष्यों के मद्देनजर सरकार की प्राप्तियों (Receipts) एवं व्यय (Expenditure) की त्रैमासिक (Quarterly) समीक्षा बनाकर उसे संसद में प्रस्तुत की गई।

हाल में हुए बदलाव: FRMBA लागू होने के बाद, राज्यों ने भी आगामी वर्षों में अपने FRAs (राजकोषीय जिम्मेदारी कानूनों) को पारित किए। इसके बाद से दोनों ही सरकारों ने बेहतर राजकोषीय अनुशासन दिखाया है।[43] एक सीमा तक जहाँ तक FRBMA से जुड़े लक्ष्यों का सवाल है, प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। कई बार वित्तीय बढ़त के कारण (प्राकृतिक आपदाओं के कारण या किसी असाधारण वजह से) लक्ष्य हासिल करना मुश्किल रहा, जबकि कई बार वे अनिवार्य लक्ष्यों से भी बेहतर थे। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि इस अधिनियम से सरकारें राजकोष को लेकर अधिक अनुशासित हुईं।[44]

पिछले कुछ वर्षों में एक नजरिया उभरा है, जिसके अनुसार सरकारी खर्च को एक निश्चित आंकड़े में बांधना व्यापक तौर पर अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिकूल हो सकता है। राजकोषीय लक्ष्यों के कठोर अनुशासन के कारण, सरकार की ओर से कई अति आवश्यक खर्च रुक सकते हैं, उदाहरण के लिए-बुनियादी ढाँचे, सामाजिक कल्याण आदि पर खर्च। यही कारण है कि हमें FRBMA के बारे में **केन्द्रीय बजट** 2016-17 में हुई घोषणा में सरकार के बदले हुए रुख का पता चलता है। इसे नया विचार बताते हुए बजट अपने राजकोषीय रोडमैप में दो अहम बदलावों का सुझाव देता है:

(i) राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को एक संख्या (number) के बजाय एक संख्या परास (range) रखा जाए। इससे सरकार को गतिशील स्थितियों

43. ***Economic Survey 2013–14; 2014–15*** and ***2015–16.***

44. The acceptance to the recommendations of the **13th** and **14th Finance Commissions** by the Government of India in this regard have been highly effective.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

से निपटने के लिए आवश्यक नीतियां बनाने में मदद मिलेगी।

(ii) इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि अर्थव्यवस्था में, वित्तीय विस्तार या संकुचन को क्रेडिट विस्तार या संकुचन के साथ संबद्ध रखा जाए।

बजट की राय में, सरकार को राजकोषीय विवेक और समेकन के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए, लेकिन समय आ गया है जब कि FRBMA की कार्यप्रणाली की समीक्षा की जानी चाहिए—विशेषकर अनिश्चितता और अस्थिरता के संदर्भ में, जो कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के नए मानदंड बन गए है।[45] इस बदले हुए रुख की पृष्ठिभूमि में, सरकार द्वारा 2016-17 में FRBMA के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा की गई।

एफआरबीएम समीक्षा समितिः जनवरी 2017 के आखिर में पांच सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, हालांकि रिपोर्ट लोगों के सामने आना अभी भी बाकी है, इस बीच सुझावों के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को *संघीय बजट 2017-18* में रेखांकित किया गया है, जो इस प्रकार हैं:

- इस बारे में काफी व्यापक चर्चा की गई और यह सिफारिश की गई कि स्थायी ऋण पथ हमारी राजकोषीय नीति का प्रमुख मैक्रो इकोनोमिक एंकर होना चाहिए।
- इसमें वर्ष 2023 तक आम सरकार के लिए सकल घरेलू उत्पाद के लिए ऋण 60 प्रतिशत का समर्थन किया या है जिसमें 40 प्रतिशत केंद्र सरकार के लिए एवं 20 प्रतिशत राज्य सरकार के लिए होने की बात की गई है।
- जीडीपी के अनुपात में ऋण ढांचे के भीतर, यह व्युत्पन्न है और आगामी तीन वर्षों के लिए 3 प्रतिशत राजकोषीय घाटा की सिफारिश की गई है।
- इसमें निर्धारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से 0.5 प्रतिशत तक के विचलन के लिए बर्हिगमन या निकासी के उपबंध का भी प्रावधान है। इन बर्हिगमन या निकासी के उपबंध के पथ निर्धारक उपायों में 'अप्रत्याशित राजकोषीय निहितार्थ के साथ अर्थव्यवस्था में दूरस्थ संरचनात्मक सुधार' को एक कारक के तौर पर शामिल किया गया है।

हाल में सरकार द्वारा इस समीक्षा समिति के कुछ प्रमुख सुझावों को मान लिया गया है (*संघीय बजट 2018-19* में):

(i) इसके ऋण नियम (Debt Rule) के अनुसार केन्द्र सरकार के ऋण का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के साथ 40 प्रतिशत का अनुपात रखने की घोषणा की गयी। समिति ने राज्यों के लिए इस अनुपात को 20 प्रतिशत रखने का सुझाव दिया था।

(ii) राजकोषीय प्रबंधन के लिए 'राजकोषीय विसर्पण मार्ग' (fiscal glide path) के पालन का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत राजकोषीय घाटे को लक्षित करने में अब 0.5 प्रतिशत की लोचशीलता (समिति का -एस्केप क्लौज' सुझाव) का पालन किया जाना निर्णीत है। वर्ष 2018-19 में सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 3.3 प्रतिशत बनाया है (तथा वर्ष 2019-20 में 3 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है)।

सरकारी खर्च को सीमित करना (LIMITING GOVERNMENT EXPENDITURE)

निर्वाचित सरकारों में विभिन्न प्रकार के हित समूह तथा गुट संलग्न रहते हैं। कई बार ऐसी सरकारें बिना राष्ट्रीय खजाने की चिंता किए लोकलुभावन तरीके से अपनी आर्थिक नीतियों का उपयोग करती हैं, जिससे कि अधिकाधिक राजनीतिक लाभ उठाया जा सकें। ऐसे प्रयासों के चलते सरकारें आंतरिक एवं बाह्य कर्ज लेने तथा मुद्रा छापने को भी बाध्य हो सकती हैं। सरकारें सामान्यतः कर बढ़ाने अथवा नये कर लगाने से बचती हैं, क्योंकि ऐसे काम अलोकप्रिय होते हैं। दूसरी ओर कर्जदारी अथवा मुद्रा की छपाई से

45. We find similar view being forwarded by the Ministry of Finance, ***Economic Survey 2015–16***, Vol. 1 & Vol. 2 (New Delhi: Government of India, 2016).

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

तत्काल आर्थिक एवं राजनीतिक हानि पहुंचने की संभावना नहीं होती। चुनावी वर्ष में एक सरकार हाथ खोलकर पैसा खर्च करती है, वह भी कर्ज लेकर (भारतीय रिजर्व बैंक से), क्योंकि वास्तव में इसकी भरपाई तो अगली (नयी) सरकार को करनी होती है। ऐसा करने से अतिरिक्त रोजगार पैदा होता है तथा अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में भी वृद्धि होती है। अगर सरकार विस्तार-विरोधी राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियों पर यह सोचकर चलती है कि इससे इसके खर्चे पर रोक लगेगी तो इससे रोजगार भी घटता है और सकल घरेलू उत्पाद (GDP) पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसे निर्वाचित सरकारों की आर्थिक नीतियों में एक पूर्वाग्रह के रूप में देखा जाता है, लेकिन विशेषज्ञों एवं नीति-निर्माताओं के बीच इस बात पर सहमति रही है कि सरकार के धन सृजन की शक्ति (कर्ज लेने अर्थात् नोट छापने) पर कोई-न-कोई बाहरी (सरकार के बाहर) वैधानिक अंकुश होना चाहिए। इसे पूर्वाग्रह को हटाने के उद्देश्य से तथा राजकोषीय नीतियों को चुनावों के प्रति कम-से-कम संवेदी बनाने के लिए कुछ देशों ने कुछ कानूनी प्रावधान दिए हैं, भारत द्वारा एफआरडीएमए (FRDMA) अधिनियमित करने के लिए कुछ कानूनी प्रावधान किए गए। दुनिया भर के ऐसे प्रावधानों के तीन प्रकार देखने को मिलते हैं:

(i) न्यूजीलैंड पहला देश है जिसने सरकार के धन सृजन की शक्ति पर कानूनी अंकुश लगाया। जहां सेंट्रल बैंक कानूनी रूप से यह सुनिश्चित करने को बाध्य है कि सरकार द्वारा धन सृजन मुद्रास्फीति तथ्य (inflation target) की दर से अधिक न हो, इसका अर्थ है कि सेंट्रल बैंक को धन सृजन के क्षेत्र में सरकार के ऊपर अभिभावी (Overriding) शक्ति प्राप्त है।[46]

(ii) दूसरा प्रकार है सरकारी घाटे अथवा सरकार के कर्ज लेने की शक्ति पर कुछ दृढ़ कानूनी अथवा संवैधानिक सीमा तय की जाए। जर्मनी और चिली में ऐसी व्यवस्था की गई है—आज जर्मनी मास्ट्रिक्ट संधि (Mastricht Treaty) द्वारा लागू राजकोषीय सीमा मानने को बाध्य है। 1991 के दशक के उत्तरार्द्ध में सरकार की घाटा सृजित करने की ऊपरी सीमा निश्चित की गई।[47]

(iii) कुछ अन्य देशों ने तथाकथित करेंसी बोर्ड (Currency Board) की तरह की व्यवस्था इन्हीं उद्देश्यों के लिए लागू की है-यह तीसरा प्रकार है। इस व्यवस्था में अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति विदेशी परिसंपत्तियों (शक्तियों) की आपूर्ति से सीधे जोड़ दी गई है—न तो सरकार, न ही सेंट्रल बैंक को धन सृजित करने की स्वतंत्र शक्ति है, क्योंकि विदेशी परिसंपत्तियों में वृद्धि के लिए धन (मुद्रा) की आपूर्ति में वृद्धि की अनुमति नहीं दी जाती।[48]

1994 में भारत ने इस दिशा में कदम उठाया जबकि केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ अपने पदार्थ खजाने निपत्र (Adhere treasury bill) से एक पूर्ण निश्चित धनराशि (6000 करोड़ 1994-95 के लिए) के ऋण के संबंध में एक औपचारिक समझौता किया।[49] हालांकि यह बहुत उदार किस्म का अनुबंध था जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि सरकार एक नया समझौता करके पूर्व निश्चित

46. Opposite to it, in the UK, the government has overriding powers on the central bank and there is absence of any legal checks on money creation powers of the government. Once the UK becomes part of the European Union it will come under such a check through the Maastricht Treaty. Before the enactment of the FRBMA, 2003. India was like the UK, however, the Constitution of India has a provision for imposing a statutory limit on the centre's borrowing powers under *Article 292.* But the Article is not mandatory and has not been invoked by any of the governments till date.

47. By the Congress passing the Balanced Budget Act, 1997 which promised to eliminate federal deficit spending by 2002 (see Nicholas Henry, ***Public Administration and Public Policy*** (New Delhi: Prentice-Hall, 2003), p. 217.

48. Argentina introduced this arrangement in the late 1990s.

49. Ministry of Finance, ***Economic Survey 1994–95*** (New Delhi: Government of India, 1995).

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

धनराशि में संशोधन भी कर सकती थी, लेकिन इस शुरुआत का परिणाम एफआरबीएफए 2003 के अधिनियमित होने के रूप में सामने आया। देश में राजकोषीय विवेक के क्षेत्र में यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी।

भारत में राजकोषीय समेकन (FISCAL CONSOLIDATION IN INDIA)

भारत का राजकोषीय घाटा अपने उच्च स्तर पर होने के लिए हमेशा ही समाचारों में रहा है। इसमें 1975 के बाद तेज वृद्धि हुई। वर्ष 1975 से लेकर 2001 के मध्य भारतीय अर्थव्यवस्था (केंद्र तथा राज्य सरकारों को जोड़कर) का राजकोषीय घाटा 10 प्रतिशत (GDP का) के ऊपर रहा। इस घाटे का 50 प्रतिशत से अधिक राजस्व घाटे के कारण रहा। इस पूरी अवधि में RBI, योजना आयोग, IMF एवं WB द्वारा सरकारों को उच्च राजकोषीय घाटे को कम करने संबंधी सलाह तथा चेतावनी दी जाती रही तथा इसे असंपोषणीय (unsustainable) बताया गया। अंततः वर्ष 1991 में प्रारंभ किए गए आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के अंतर्गत सरकार द्वारा राजकोषीय समेकन की शुरुआत की गयी (यहाँ बाध्यता IMF की शर्तों की थी जो भारत पर भुगतान संतुलन संकट के समय इससे ली गयी सहायता से जुड़े थे।[50] केंद्र सरकार द्वारा इस दिशा में कई कदम उठाए गए जिन्हें राज्यों के राजकोषीय प्रबंधन में शामिल करने की कोशिश की गयी। इन प्रयासों के मुख्य अंश को हम निम्न प्रकार देख सकते हैं:

1. **राजस्व घाटे को कम करने के लिए किए गए नीतिगत प्रयास:**

   (i) **राजस्व व्यय में कटौती संबंधी उपाय:**

   (a) वेतन, पेंशन एवं आकस्मिक निधियों के भार में कमी (सरकारी नौकरियों में कटौती, आकस्मिक निधियों पर ब्याज कटौती, पेंशन सुधार, इत्यादि);

   (b) छूट (subsidies) में कटौती (पेट्रोलियम, चीनी, दवा इत्यादि के प्रशासित मूल्य पद्धति का तार्कीकरण;

   (c) ब्याज में कटौती (निम्नतर उधारी, विदेशी ऋणों की उनकी परिपक्वता के पूर्व अदायगी, विदेशी ऋण बाँटने को प्रोत्साहन, महँगे विदेशी ऋणों से बचना इत्यादि);

   (d) प्रतिरक्षा व्यय में कटौती (इसके लिए सरकार द्वारा पाकिस्तान एवं चीन से द्विपक्षीय वार्ताओं के द्वारा सीमा पर हो रहे प्रतिरक्षा व्यय में कटौती का प्रयास जारी है, इसी प्रकार आंतरिक सुरक्षा, आंतकवाद आदि पर भी कार्य जारी है);

   (e) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (PSUs) को घाटे की स्थिति में सरकार द्वारा विशेष परिस्थितियों में ही बजटीय सहायता दी जाएगी—ऐसा निर्णय लिया गया;

   (f) अन्यान्य क्षेत्रों एवं विभागों में सरकार द्वारा व्यय सुधारों (Expenditure Reforms) की शुरुआत की गयी;

   (g) सामान्य सेवाओं (General Services) की आपूर्ति से जुड़े सरकारी उपक्रमों को लाभकारी बनाने की कोशिश तथा सिर्फ उन्हीं वर्गों को छूट की सुविधा जिन्हें इसकी नितांत आवश्यकता है (रेल यातायात, सड़क, बिजली, जल इत्यादि)

   (h) डाक सेवा से जुड़े घाटे को कम करने के लिए इन्हें दूसरे लाभ अर्जित करने वाले सेवा आपूर्ति क्षेत्रों में प्रवेश कराना;

   (i) उच्चत्तर शिक्षा को प्राथमिकता क्षेत्र से बाहर करके इस पर होने वाले व्यय में कमी (ताकि सरकार प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दे सकें) इत्यादि।

50. IMF imposed some macro-economic conditions on the economy while India borrowed from it for its BoP correction in 1990–91. One among the conditions was cutting down the government expenditure (i.e., salaries, pensions, interest and subsidies, etc.) by 10 per cent every year.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(ii) **राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाने संबंधी उपाय:**

(a) कर सुधारों की शुरुआत (सेनवैट, वैट, सेवा कर, जी. एस. टी. कर की आधार वृद्धि, कर चोरी नियंत्रण इत्यादि);

(b) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का विनिवेश एवं निजीकरण (राजनीतिक सहमति पर निर्भर कदम);

(c) विदेशी विनिमय भंडार (Forex) के अतिरेक (surplus) का विदेशी ऋण आवंटन एवं बेहतर विदेशी बॉण्ड में निवेश;

(d) राज्य सरकारों को अपनी योजनागत व्यय की पूर्ति के लिए बाजार से ऋण लेने की अनुमति इत्यादि।

2. **सरकार के ऋण कार्यक्रम पर नियंत्रण संबंधी उपाय:**

(i) वर्ष 1997 से अर्थोपाय अग्रिम (Ways & Means Advances/WMAs) की शुरुआत, जिसके अंतर्गत सरकार वित्त वर्ष के प्रारंभ में RBI के साथ अपने ऋण कार्यक्रम की मात्रा पर एक समझौता ज्ञापन दिया जाता है। वैसे सरकार द्वारा यथा स्थिति इसमें वृद्धि की जा सकती है फिर भी इससे सरकार के ऋणों की उगाही के बारे में एक पारदर्शिता आती है तथा इस पर एक नैतिक नियंत्रण भी लगता है;

(ii) वर्ष 1997 से भारत सरकार की प्रतिभूतियों/बॉण्डों के निर्गम का RBI प्राथमिक ग्राहक नहीं रहा अर्थात् सरकार ऋण उगाही के इन पत्रों को बाजार में बेचती है (बाजार आधारित ब्याज पर)।

3. **सरकार पर राजकोषीय उत्तरदायित्व:**

(i) वर्ष 2003 में पारित किए गए एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के माध्यम से सरकार के राजकोषीय जिम्मेवारी को एक कानूनी आधार मिला जिसके अंतर्गत राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए सरकार को वार्षिक लक्ष्यों की घोषणा करके उनके पालन के उत्तरदायित्व की व्यवस्था है। इस अधिनियम द्वारा राजकोषीय नीति में पारदर्शिता लाने के लिए कई प्रावधान डाले गए हैं;

(ii) राज्यों की राजकोषीय नीति को भी उत्तरदायी बनाने की कोशिश की गयी है (बारहवें वित्त आयोग की सलाह द्वारा)। वर्तमान में केंद्र सरकार की तरह जिन राज्यों द्वारा अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों (FRAs) को लागू किया गया है, उन्हें कई प्रकार की वित्तीय सुविधा प्राप्त है-अपने योजनागत व्यय को पूरा करने के लिए बाजार से ऋण लेने का अधिकार (बिना केंद्र सरकार की अनुमति के), राजस्व घाटे में प्रतिवर्ष की गई कटौती के बराबर धन सरकार (केंद्र) से पारितोषिक के रूप में प्राप्त करना, पुराने ऋणों का वर्तमान के सस्ते ब्याज दरों पर नवीकरण इत्यादि।

एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के निर्णयों को पालन करने के क्षेत्र में सरकार को मिश्रित परिणाम प्राप्त हुए हैं। इस स्थिति पर विचार-विमर्श करने के बाद वर्ष 2016-17 में सरकार द्वारा इस अधिनियम की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गयी और सरकार द्वारा राज्यकोषीय घाटे के लक्ष्य को 'संख्या' (number) की जगह 'परास' (range) में व्यक्त करने संबंधी विचार प्रकट किया गया। इस समिति के कुछ सुझावों को सरकार द्वारा मानकर उन पर अमल भी प्रारंभ कर दिया गया है (*संघीय बजट 2018-19* के अंतर्गत)। इसमें महत्वपूर्ण हैं-ऋण-जी.डी.पी. अनुपात को 40 प्रतिशत रखना तथा 'राजकोषीय विषर्पण मार्ग' (fiscal glide path) में 0.5 की लोचशीलता रखना। इन बदलावों के बाद सरकार की राजकोषीय प्रबंधन में गुणवत्ता बढ़ने की संभावना है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

शून्य आधारित बजट (ZERO-BASE BUDGETING)

शून्य आधारित बजट (ZBB) की अवधारणा का सूत्रपात बीसवीं सदी के साठ के दशक (1960s) में संयुक्त राज्य अमेरिका के निजी क्षेत्रीय संगठित क्षेत्र (Corporate Sector/Company) में हुआ। यह उस समय प्रचलित प्रबंध श्रेष्ठता (Excellence) एवं सफलता प्राप्त करने के कई तरीकों में से एक था – इस तरह की अन्य अवधारणाएँ 'मैनेजमेन्ट बाई ऑब्जेक्टिव' (MBO), 'मैट्रिक्स मैनेजमेंट', 'पोर्टफोलियो मैनेजमेंट', इत्यादि भी थीं।[51] सरकार की बजटीय प्रक्रिया में इस अवधारणा के प्रयोग का प्रस्ताव **पहली बार** अमेरिकी वित्त विशेषज्ञ **पीटर फीर** (Peter Phyrr) द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा **जिमी कार्टर** (जॉर्जिया के गवर्नर के रूप में) द्वारा इसे पहली बार किसी सार्वजनिक क्षेत्र में उपयोग में लाया गया।[52] किसी राष्ट्र द्वारा ZBB का प्रथम प्रयोग सन् 1979 में अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर द्वारा किया गया (USA के वार्षिक बजट में)।

शून्य-आधारित बजट प्रक्रिया वास्तव में संसाधनों के आवंटन का एक तरीका है, जिसके अंतर्गत ऐजेंसियों को उनके द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों को चलाते रहने का समय-समय पर तर्क प्रस्तुत करना पड़ता है– इसके अंतर्गत निष्पादन की समीक्षा 'शून्य' (Zero) से की जाती है।[53]

51. George R. Terry and Stephen G. Franklin, ***Principles of Management*** (New Delhi: AITBS, 2002), pp. 9–10.
52. See Peter A. Phyrr, 'The zero Base Approach to Government Budgeting', *Public Administration Review, 37 (Jan./Feb., 1977)*, 7; and Thomas P. Lauth, 'Zero-Base Budgeting in Georgia State Government: Myth and Reality', *Public Administration Review*, 38 (Sept./Oct., 1978) 420–30; (cited in Nicholar Henry, ***Public Administration and Public Affairs*** (New Delhi: Prentice-Hall, 2003), p. 217.
53. Nicholas Henry, ***Public Administration and Public Affairs,*** p. 218.

ZBB तीन आवश्यक सिद्धांतों के आधार पर कार्य करता है। कुछ विशेषज्ञ इसे दूसरी तरह भी कहते हैं–किसी भी व्यय को करने के पूर्व निम्न तीन प्रश्नों के वस्तुपरक उत्तर प्राप्त किए जाने चाहिए:

(i) क्या हमें खर्च करना चाहिए?
(ii) हमें कितना खर्च करना चाहिए?
(iii) हमें कहां खर्च करना चाहिए?

इस तरह की बजटीय प्रक्रिया की **तीन विशेषताएँ** हैं, जिनके आधार पर यह परंपरागत बजटीय प्रक्रिया से भिन्न है:

(i) परंपरागत बजटीय प्रक्रिया में "समष्टि विधि" (Aggregate Approach) का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे अन्यान्य कार्यक्रमों के लिए 'एकीकृत' (Aggrergated) एवं 'संयुक्त' (Composite) बजट का निर्माण किया जाता है। इस कारण अनेक अलग-अलग गतिविधियों की 'संवीक्षा' (Scratiny) कठिन, जटिल और लगभग असंभव हो जाती है। इसके विपरीत ZBB प्रक्रिया में प्रत्येक विभाग तथा उनकी गतिविधियों के अस्तित्व में बने रहने के लिए 'औचित्य' (Justification) प्रस्तुत करना होता है। औचित्य प्रस्तुत करने के लिए उन्हें अपनी प्रत्येक गतिविधियों की 'अर्थमिति' (Econometrics) एवं 'लागत-लाभ विश्लेषण' (Cost-benefit Analysis) के आधारों पर 'संवीक्षा' (scrutiny) करनी पड़ती है। औचित्यपूर्ण संवीक्षा के उपरांत ही इन विभागों को पुन: धन का आवंटन किया जाता है।

(ii) 'मितव्यता/किफायत' (economy) इस बजटीय प्रक्रिया का 'मूल उद्देश्य' (raison d'etre) है। यही कारण है कि इसके अंतर्गत सभी कार्यक्रमों एवं लोक व्यय का सूक्ष्म परीक्षण किया जाता है। अंतत: जन-लाभ के स्तर और पहुँच में बिना कमी किए हुए संबंधित व्यय में कटौती की जाती है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(iii) प्रतिस्पर्द्धी (competing) जरूरतों (needs) का 'प्राथमिकीकरण' (Prioritising) इस बजटीय प्रक्रिया की तीसरी विशेषता है। उपलब्ध संसाधनों के आवंटन के पूर्व समसामयिक जरूरतों की उनकी प्राथमिकता के अनुसार सूची तैयार की जाती है तथा पुनः उन्हें 'ऊपर से नीचे की ओर' (from top to bottom) जाते हुए धन आवंटित किया जाता है। चूँकि संसाधन सीमित होते हैं इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि प्राथमिकता सूची में वर्णित नीचे की कुछ मदों को कोई धन की प्राप्ति ही नहीं हो।

उपरोक्त लाभों (benefits) के साथ-साथ ZBB की कुछ सीमाएँ (limitations) भी हैं जिस कारण इसकी इच्छित सफलता में बाधाएं भी पहुँचती हैं। इन सीमाओं के माध्यम से ZBB की आलोचना भी की जाती है। ZBB की सीमाओं को हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं:

(i) कुछ ऐसे व्यय हैं, जो सरकार/संसद की संवीक्षा (scrutiny) के दायरे के बाहर हैं [जैसे कि भारत में 'प्रभारित व्यय' (चार्ज्ड एक्सपेंडिचर)], जिन्हें ZBB द्वारा किफायती बनाना संभव नहीं है।

(ii) कुछ ऐसी लोक सेवाएँ हैं, जिनका 'लागत-लाभ विश्लेषण संभव नहीं है; यथा—प्रतिरक्षा, कानून एवं व्यवस्था, विदेशी संबंध इत्यादि।

(iii) संवीक्षा (scrutiny) एक विषयपरक (subjective) विषय है जिस कारण इसमें पूर्वाग्रह (bias) की स्थिति बन सकती है। अगर संवीक्षा में पूर्ण उपयोगितावादी (utilitarian) सोच है तो लोक नीति एवं दीर्घावधिक उद्देश्यों की प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

(iv) इसके अंतर्गत वित्त मंत्रालय की शक्तियों में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है तथा वह अन्य मंत्रालयों पर ताानाशाही कर सकता है।

(v) नौकरशाही (bureaucracy) द्वारा इसे पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि इसके अंतर्गत इसकी प्रत्येक गतिविधि के सूक्ष्म संवीक्षा की व्यवस्था होती है।

उपरोक्त सीमाओं के बावजूद भी ZBB की प्रक्रिया में मजबूत तर्क है ताकि इसे बजटीय सुधार प्रक्रिया का दीर्घावधिक लक्ष्य बनाया जा सके। इसकी मूल अवधारणा वास्तव में व्यय के लाभ का महत्तमीकरण करना है, जो अपने आप में इसे एक विशिष्ट (exceptional) बजटीय प्रक्रिया प्रमाणित करता है। जहां तक संगठित क्षेत्र की बात है तो वहाँ यह काफी कारगर व्यवस्था साबित हुई है।

भारत में इसकी शुरुआत वित्त वर्ष 1997-98 से मानी जाती है। वैसे इसके लागू होने के बाद देश में 'आउटकम' एवं 'परफॉर्मेन्स' बजट की भी शुरूआत की गयी है। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में ZBB को अपनाने से अच्छी सफलता प्राप्त हुई है।

प्रभारित व्यय (CHARGED EXPENDITURE)

भारत सरकार के लोक व्यय का वह भाग, जो संसद के मतदान अधिकार क्षेत्र के बाहर है तथा जिसका आहरण प्रत्यक्षतः भारत की संचित निधि से होती है।[54] इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्य सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतनमान इत्यादि शामिल हैं।

बजट के प्रकार (TYPES OF BUDGETS)

'गोल्डन रूल' (Golden Rule)

यह अवधारणा कि सरकार को सिर्फ निवेश करने के लिए (भारत में 'पूंजीगत व्यय') ही ऋण लेना चाहिए अपने चालू व्यय (भारत में 'राजस्व व्यय') की पूर्ति के लिए नहीं, लोक नीति का 'स्वर्ण नियम' (Golden Rule) कहलाता है। यह नियम वास्तव में काफी अच्छा और तार्किक है बशर्ते कि निवेश की परिभाषा ईमानदारी से की

54. In the Constitution of India it is deliberated in the *Article 112 (3), a - g,* where it is referred as *'expenditure charged'* on the consolidated fund of India—popular as the 'charged expenditure' (see Ministry of Law, Justice and Company Affairs, ***The Constitution of India,*** Government of India, New Delhi, 1999), pp. 38–39).

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

जाए एवं उसमें दक्षता शामिल हो तथा यह निजी क्षेत्रीय निवेश के लिए अर्थव्यवस्था में धन की कमी नहीं करें (Crowding out)।[55]

संतुलित बजट (Balanced Budget)

जिस बजट की सकल सार्वजनिक क्षेत्र व्यय उसके सकल आय (राजस्व प्राप्तियाँ) के बराबर होती हैं तो वह संतुलित बजट कहलाता है।[56] दूसरी भाषा में अगर किसी बजट का राजस्व घाटा शून्य हो तो वह संतुलित बजट है। इस तरह की बजट प्रक्रिया को लोकप्रिय रूप से 'बैलेंस बजटिंग' कहते हैं।

'जेंडर बजटिंग' (Gender Budgeting)

सरकार द्वारा निर्मित ऐसा बजट, जो संसाधन एवं कार्यों का आवंटन लिंग (Gender) के आधार पर करता है, 'लिंग आधारित बजटीय प्रक्रिया' (Gender Budgeting) है। ऐसी बजटीय प्रक्रिया उन देशों में उपयोग में लायी जाती है, जहाँ सामाजिक आर्थिक असमानता में लिंग के आधार पर विभेद दिखता हो तथा वह चिरकालिक (chronic) भी हो (जैसे–भारत में)।

भारत में इस तरह की बजटीय प्रक्रिया आम बजट 2006-07 से प्रारंभ की गयी।[57]

'आउटकम' एवं 'परफॉर्मेन्स' बजट (Outcome & Performance Budgets)[58]

ये दोनों ही अवधारणाएँ एवं परिणाम-लक्षित बजटीय प्रक्रिया से संबद्ध हैं। जहाँ 'परिणाम' (Outcome) बजट का निर्माण विभिन्न विभागों एवं मंत्रालयों द्वारा किया जाता है, वहीं 'निष्पादन' (Performance) बजट का निर्माण वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है। दोनों ही बजटीय प्रक्रियाओं में निष्पादन के 'मात्रात्मक' (Quantitative) तथा 'गुणात्मक' (Qualitative) प्रगति प्रपत्र (Progress Reports) तैयार किए जाते हैं। जहाँ परिणाम बजट एक 'व्यष्टि-स्तर' (micro-level) प्रक्रिया है, वहीं निष्पादन बजट एक 'समष्टि-स्तर' (macro-level) प्रक्रिया है। किसी एक निष्पादन बजट में कई परिणाम बजट होते हैं।

इस प्रकार की बजटीय प्रक्रियाओं का मुख्य उद्देश्य बजटीय प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है ताकि सरकार राजकोषीय नीति के मामले में जनता तथा सदन के प्रति अधिक जबाबदेह हो सके। इनके द्वारा सरकारी व्यय को परिणाम-लक्षित और ईष्टतम बनाया जाता है।

कटौती प्रस्ताव (CUT MOTION)

लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में सरकार द्वारा बनाए गए बजट में सदन/विपक्ष के द्वारा कटौती प्रस्ताव लाने का प्रावधान है (साधारणतया इस प्रक्रिया में विपक्ष ही भाग लेता है, लेकिन सत्तासीन राजनीतिक दल/गठबंधन में आपसी मतभेद होने पर इसमें सत्तासीन सांसद भी भाग ले सकते हैं)। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की बजट प्रावधानों को तभी लागू किया जा सकता है, जब इसे सदन (कांग्रेस) की मंजूरी मिल जाती है। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में व्यवस्था अमेरिकी व्यवस्था से भिन्न है। सरकार द्वारा बनाए गए बजट को हालाँकि ब्रिटिश सदन द्वारा पारित किया जाता है इसमें वह कोई परिवर्तन नहीं करता। भारत में अमेरिकी एवं ब्रिटिश प्रावधानों का एक मिश्रण दिखाई देता है। यहां बजट पर परिचर्चा होती है, पुनः इस पर सदन मतदान करता है। भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट की माँगों, अनुदानों, आदि पर सदन के परिचर्चा करने के लिए कई संवैधानिक प्रावधानों की व्यवस्था की गयी है:[59]

(i) **प्रतीकात्मक कटौती (Token cut) :** यह प्रस्ताव माँग में 100 रुपये की कमी करने के

55. See Samuelson and Nordhaus, ***Economics***, 710; Stiglitz and Walsh, ***Economics***, pp. 552–54.
56. Mathew Bishop, ***Pocket Economist***, p. 104.
57. Ministry of Finance, ***Union Budget 2006–07***, (New Delhi: Government of India, 2007).
58. Based on the notes released by the Ministry of Finance, Government of India, October 2006 while releasing the ***Quarterly Review*** of the Union Budget 2006–07.
59. Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, Parliament Secretariat, New Dehli.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

लिए लाया जाता है। ऐसा प्रस्ताव भारत सरकार के उत्तरदायित्व के दायरे में आने वाले किसी मामले से संबंधित शिकायत को जगह देने के लिए लाया जाता है। चर्चा प्रस्ताव में उल्लिखित एक विशेष शिकायत पर केंद्रित रहती है।

(ii) **किफायत कटौती (Economy cut):** यह प्रस्ताव किफायत या मितव्ययिता के लिए माँग में विर्निष्ट राशि तक की कटौती के लिए लाया जाता है। ऐसी विर्निदिष्ट राशि माँग में एकमुश्त कटौती अथवा माँग में किसी मद (Item) को हटाने अथवा घटाने के लिए हो सकती है। चर्चा इस विषय पर केंद्रित रहती है कि किफायत किस प्रकार प्रभावी हो।

(iii) **नीतिगत कटौती की अस्वीकृति (Disapproval of Policy Cut):** यह प्रस्ताव माँग में एक रुपये की कमी करने के लिए लाया जाता है। इसका आशय उस नीति के प्रति अस्वीकृति प्रकट करना है जो माँग के पीछे है। चर्चा नीति विशेष पर केंद्रित रहती है और सदस्यों को वैकल्पिक नीति प्रस्तावित करने की सुविधा रहती है।

(iv) **गिलोटीन (Guillotine):** यह वह प्रक्रिया है जिसमें लोक सभाध्यक्ष बजट की सभी बकाया माँगें प्रत्यक्ष मतदान के लिए सदन में रखता है। उन पर चर्चा का अंत करते हुए ताकि बजट पर चर्चा को संक्षिप्त रखा जा सके। इसके माध्यम से लोक सभाध्यक्ष (Speaker) संपूर्ण बजट को मतदान के लिए रख सकता है। हाल के वर्षों में आक्रामक विपक्ष का सामना करने से बचने के लिए यही रास्ता इस्तेमाल किया जाता रहा है।

यह बजट चर्चा का एक छोटा रास्ता है, लेकिन इसके अपने खतरे भी हैं, क्योंकि मतदान प्रक्रिया 'अविश्वास प्रस्ताव' की शक्ल अख्तियार कर सकती है और परिणामस्वरूप सरकार गिर भी सकती है, लेकिन अभी तक भारत में गिलोटीन के कारण सरकार गिरने की नौबत नहीं आई है। इसका एक कारण यह भी है कि भारत ने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया है।

त्रिविधा (TRILEMMAS)

पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक सरकारों के लिए सही प्रकार की राजकोषीय नीति पर चलना सबसे चुनौतीपूर्ण नीतिगत निर्णय रहा है। इससे संबंधित कुछ त्रिविधाएं प्रसिद्ध हैं:

(i) डिर्क शोएनमेकर (Dirk Schoenmaker,[60] 2008) में 'वित्तीय स्थिरता विविधा' का विचार यूरोजोन के आंतरिक असामंजस्य की व्याख्या करने के लिए प्रस्तुत किया:
- एक स्थिर वित्तीय प्रणाली;
- एक समेकित वित्तीय प्रणाली, तथा;
- राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरीकरण नीतियां।

(ii) वर्तमान में यूरोजोन के सबसे 'हाई प्रोफाइल' त्रिविधा का उल्लेख एडवर्ड चान्सलर[61] ने किया, इसकी तीन इच्छाओं के बीच पूर्ण असामंजस्य की स्थिति को लेकर:
- एकल मुद्रा;
- 'वेस आइट्स' के लिए न्यूनतम राजकोषीय योगदान, तथा;
- ईसीबी (ECBs) की निम्न मुद्रास्फीति के प्रति प्रतिबद्धता।

(iii) मार्टिन बुल्फ[62] में अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी को राजकोषीय नीति की त्रिविधा का जिक्र किया:
- बड़े स्तरीय घाटे बर्बाद करने वाले होते हैं;

60. Dirk Schoenmaker, "A New Financial Stability Framework for Europe", ***The Financial Regulator,*** 13 (3), 2009.
61. Edward Chancellor, "Germany's Eurozone Trilemma", ***Financial Times,*** 6 November, 2011.
62. Martin Wolf, "The Political Genius of Supply Side Economics", ***Financial Times,*** 2010.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

- कटौती की इच्छा बराबर बनी रहना, तथा;
- बड़े पैमाने पर खर्च में कटौती के प्रति अनिच्छिा।

(iv) एक भू-त्रिविधा, यानी Earth Trilemma (EEE) भी है, जिसके अनुसार:

- आर्थिक विकास के लिए;
- हमें ऊर्जा खर्च में बढ़ोतरी करनी होगी, तथा;
- लेकिन इससे पर्यावरण का मुद्दा खड़ा होता है।

(v) इन त्रिविधाओं के अंतर्गत अर्थशास्त्र में काद और त्रिविधाओं की भी चर्चा रही है, उनमें सबसे प्रमुख है मुंडेल (Mundell) की 'इम्पॉसिबल ट्रिनिटी'। पुरानी त्रिविधा का जोर है कि किसी देश के एक साथ तीन नीतिगत लक्ष्यों को हासिल नहीं किया जा सकता;

- मुक्त पूंजी प्रवाह;
- निश्चित विनिमय दर, तथा;
- स्वतंत्र मौद्रिक नीति। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी पांच दशक पहले चर्चा में आई जबकि इसका एक ठोस सैद्धांतिक आधार रहा है मुडेल-फ्लेमिंग मॉडल विकास (1960 के दशक में)।

दानी रौड्रिक[63] (Dani Rodrik) ने विचार व्यक्त किया कि अगर कोई देश अधिक भूमंडलीकरण चाहता है, तो इसे या तो लोकतंत्र को अथवा कुछ राष्ट्रीय संप्रभुता को कुछ हद तक छोड़ना होगा। नॉयल फर्ग्युसन (Niall Ferguson)[64] में भूमंडलीकरण के प्रति प्रतिबद्धता, सामाजिक व्यवस्था तथा छोटे राज्य (मतलब राज्य के सीमित हस्तक्षेप) के बीच चुनाव की विविधा को उजागर किया।

63. Dani Rodrik, "The Inescapable Trilemma of the World Economy", 27 June, 2007, *(Erodrik.typepad.com/dani_rodriks_weblog.*

64. *Niall Ferguson*, "Conservatism and the Crisis: A Transatlantic Trilemma", Centre for Policy Studies, Ruttenberg Lecture, 24 March, 2009.

राजकोषीय कंप्यूटरीकरण (TREASURY COMPUTERISATION)

सरकार (Government)

मिशन मोड़ परियोजना[65] ''राज्य राजकोषों का कंप्यूटरीकरण'' के क्रियान्वयन हेतु योजना भारत सरकार द्वारा जून 2010 में राष्ट्रीय ई-अभिशासन योजना (एनईजीपी) के तहत सुव्यवस्थित की गई थी। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से यह अपेक्षित है कि वे 2010-11 से आरम्भ लगभग तीन वर्षों में अपनी परियोजनाएं पूर्ण कर लें। निधियां परिदेय परिणामों के प्रति निर्मुक्त की जाती हैं। यह योजना आधारभूत कंप्यूटरीकरण में सहायता करने के अलावा राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के राजकोष कंप्यूटरीकरण, उन्नयन, विस्तार तथा इंटरफेस आवश्यकताओं में विद्यमान कमियों को दूर करने में उन की सहायता करेंगी। योजना में एक व्यापक क्षेत्र आधार पर नेटवर्क किए गए माहौल में उपयुक्त हार्डवेयर तथा अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर प्रणालियों की संस्थापना करना एवं विभिन्न पणधारकों में आंकड़ा साझेदारी हेतु इंटरफेस निर्माण शामिल हैं।

यह आशा है कि राजकोष कंप्यूटरीकरण की योजना से राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में बजट व्यवस्था प्रक्रिया अधिक दक्ष होगी, नकद प्रवाह प्रबंधन में सुधार होगा, खातों की वास्तविक समय सुमेलता का संवर्द्धन होगा, प्रबंधन सूचना प्रणालियां (एमआईएस) सुदृढ़ होंगी, लेखा तैयारी में यथार्थता एवं समयबद्धता में सुधार होगा, सार्वजनिक परिदाय प्रणालियों में पारदर्शिता तथा दक्षता आएगी, अभिशासन की बेहतर गुणता के साथ बेहतर वित्तीय प्रबंधन करने में सहायता मिलगी। योजना की समग्र अनुमानित लागत पहली अप्रैल 2011 को अस्तित्वाधीन में प्रति जिला एक करोड़ के हिसाब से 626 करोड़ रुपए है। वित्तीय सहायता अनुज्ञेय संघटकों की व्यष्टि परियोजना लागत के 75 प्रतिशत (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 90 प्रतिशत) तक है जो प्रति जिला 75 लाख रुपए (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90

65. Ministry of Finance, ***Economic Survey 2011–12***, p. 69.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

लाख रुपए प्रति जिला) तक सीमित है। निधियां उपयोग प्रमाण-पत्रों की संतोषजनक प्राप्ति के अध्यधीन 40 प्रतिशत, 30 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत प्रत्येक की तीन किस्तों में निर्मुक्त की जाएंगी।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer)[66]

2015 में, केंद्र की नई सरकार ने तकनीकी आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) की शुरुआत की। इसे JAM (जन-धन-आधार-मोबाइल) नंबर समाधान कहा जाता है। इसके तहत सार्वजनिक संसाधनों को प्रभावी तरीके से उन लोगों तक पहुँचाने की संभावनाएं प्रदान की गई हैं जिन्हें इनकी सबसे अधिक आवश्यकता है और इसमें वे सभी लोग शामिल हैं जो इनसे वंचित हैं। कई अर्थों में इसके तहत, लाभार्थी को उनके बैंक या डाकघर के 12 अंकों वाले बायोमीट्रिक पहचान वाले खाते में 'सीधे' पैसा मिल जाएगा, जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने प्रदान किया है। इस विचार को सबसे पहले 2013 में भारत सरकार (यूपीए-II) ने देश के 20 जिलों में सात योजनाओं के लिए पायलट आधार पर शुरू किया था।

तकनीकी मंच के हिस्से-द डिजिटल इंडिया- के माध्यम से उम्मीद है कि आधार के साथ विभिन्न लाभार्थियों के डेटाबेस प्रदान होगा और उचित प्रक्रिया फिर से शुरू होगी, जिसका नतीजा होगा:

- लाभार्थियों की सूची से नकली और डुप्लिकेट प्रविष्टियों को हटाना;
- दुरुपयोग और अपव्यवय की रोकथाम;
- प्रयास, समय, और लागत की पर्याप्त बचत;
- लाभार्थी को धन के प्रवाह का पूरा पता लगाने की क्षमता को सुनिश्चित करना;
- पारदर्शिता के माध्यम से भ्रष्टाचार का पता लगाना;
- धन के प्रवाह की जवाबदेही, तथा;
- खर्च की तर्कसंगत व्याख्या।

इस बीच, आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं के लक्षित विवरण) विधेयक, 2016 को संसद ने पारित किया तथा सरकार ने वर्ष 2016 के अंत तक लागू कर दिया। ये कानून का परिवर्तनकारी अंग था जिससे गरीबों और कमजोरों को लाभ होगा। आधार की वैधानिकता इस परियोजना से जुड़ी अनिश्चितताओं को दूर करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आधार संख्या के उपयोग पर रोक लगा दी थी, लेकिन तब तक जब तक संविधान पीठ ने सरकारी योजनाओं में आधार के इस्तेमाल को अनिवार्य करने और गोपनीयता के नियमों के उल्लंघन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला नहीं दे दिया।

वास्तविक लाभार्थियों को सरकारी सब्सिडी और वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना सरकार की 'न्यूनतम सरकार और अधिकतम अभिशासन' की प्रतिबद्धता का महत्वपूर्ण घटक है। सरकार के अनुसार, रसोई गैस में डीबीटी की सफल शुरुआत के बाद, सरकार ने 2016-17 में इसे कुछ जिलों में उर्वरक सब्सिडी देने के लिए प्रायोगिक आधार पर पेश किया है। इसी तरह, सरकार ने 5.35 लाख (उचित मूल्य की दुकानों) जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आती हैं, के लिए भी स्वचालन सुविधा शुरू की है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 में किसानों को दिए जाने वाले कृषि ऋण और ब्याज सहायता योजनाओं के लिए डीबीटी समाधान का सुझाव दिया गया है। इसमें ये भी कहा गया है कि मौजूदा एमएसपी/खरीद आधारित पीडीएस प्रणाली को डीबीटी से बदला जाना चाहिए जो बाज़ार को घरेलू गतिविधियों और आयात के सभी नियंत्रणों से मुक्त कर देगी। मौजूदा व्यवस्था में यह बाजार की अवधारणा को विकृत करती है और सर्वे के अनुसार कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए इसे बंद कर दिया जाना चाहिए।

संघीय बजट 2017-18 के अनुसार, डीबीटी के संदर्भ में, एलपीजी और केरोसीन उपभोक्ताओं के संदर्भ देश ने एक मजबूत शुरूआत की है। चंडीगढ़ तथा हरियाणा के आठ जिले केरोसीन मुक्त हो चुके हैं। इसके अलावा 84 सरकारी योजनाएं भी डीबीटी के मंच पर मंचासीन हो चुकी हैं। दरअसल डीबीटी का विचार भारत की लेन-देन की 'कैशलैस' अर्थव्यवस्था के लिए कुंजी होगा, जैसा कि

66 Ministry of Finance, ***Economic Survey 2015–16,*** 28, 123, 213; Publication Division, ***India 2016*** (New Delhi: Government of India, 2017) pp. 718.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(*आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16* में उल्लिखित) विमौद्रीकरण के उपरांत पुष्टि हो गई है।

व्यय प्रबंधन आयोग (Expenditure Management Commission)

सितंबर 2014 तक भारत सरकार ने एक संकल्प के माध्यम से व्यय प्रबंधन आयोग (EMC) का गठन किया। ईएमसी सरकार द्वारा शुरू किस गए व्यय सुधारों के विभिन्न पक्षों के साथ ही सार्वजनिक व्यय प्रबंधन से सम्बन्धित विषयों को देखेगा। आयोग का एक पूर्णकालिक, एक अंशकालिक तथा एक पदेन सदस्य होता है। आयोग के अध्यक्ष को मंत्रिमंडलीय स्तर की हैसियत प्राप्त है। विमल जालान इसके पहले अध्यक्ष थे। आयोग का टीओआर (Terms of Reference) निम्नवत् है:

(i) केंद्र सरकार के खर्चों के प्रमुख क्षेत्रों की समीक्षा करना, साथ ही विकासात्मक खर्चों की जरूरत के लिए राजकोषीय खाते में जगह बनाने के बारे में तरीके सुझाना, वित्तीय अनुशासन के प्रति पूरी तरह प्रतिव्रत रहते हुए।

(ii) संस्थानिक व्यवस्थाओं की समीक्षा, बजट निर्माण प्रक्रिया तथा एफआरबीएम रूल्स सहित, ताकि वित्तीय अनुशासन बना रहे। साथ ही स्थिति में सुधार के लिए रास्ते सुझाना।

(iii) मौजूदा व्यय प्रशासकीय प्रणाली में आवंटन संबंधी कुशलता के लिए उपाय सुझाना-पूंजीगत खर्च पर ध्यान रखते हुए।

(iv) खर्चों की प्रशासकीय कुशलता में उपयोग, लक्ष्यों एक परिणामों पर एकाग्रता के माध्यम से सुधार लाने के लिए एक फ्रेमवर्क डिजाइन करना।

(v) यूजर चार्जेज के माध्यम से सेवा क्षेत्र पर खर्च के तर्कसंगत अनुपात की व्यवस्था के लिए प्रभावकारी रणनीति सुझाना।

(vi) बेहद नकद प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से वित्तीय लागत में कमी के उपाय सुझाना।

(vii) व्यय प्रबंधन के लिए आईटी टूल्स के व्यापक उपयोग के लिए सुझाव देना।

(viii) अकाउंटिंग, बजटिंग के संदर्भ में बेहतर वित्तीय सूचना प्रणाली की सलाह राज्यों ने जब से राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून (एफआरए) लागू किए हैं तब से वे अपने राजकोषीय मोर्चों पर बेहतर कर रहे हैं।

(ix) केंद्र सरकार में सार्वजनिक व्यय प्रबंधन से संबंधित अन्य प्रासंगिक विषयों पर विचार करना तथा उपयुक्त अनुशंसाएं करना।

सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता (Need of Public Investment)

केंद्र में नई सरकार कई सुधारों की शुरुआत करती दिख रही है। विशेषज्ञों के साथ भारत सरकार को लगता है कि इसने निवेशकों की भावना जगा दी है। लेकिन वास्तव में निवेश को अभी रफ्तार पकड़नी है, खासतौर पर निजी क्षेत्र को इस स्थिति की वजह को 'बैलेंस शीट सिंड्रोम विद इंडियन कैरेक्टरस्टिक्स' कहा गया है। साल 2014-15 के आर्थिक सर्वेक्षण में इस स्थिति को ज्यादा ब्यौरे के साथ विश्लेषित किया गया है।

ऐसी स्थिति में, अन्य उपायों के साथ, जो सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाने की सिफारिश की गई वह है, 'सरकारी निवेश को बढ़ाना।' ऐसे काम की विशेषता पर अर्द्ध-वार्षिक *आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15* में भी जोर दिया गया है। यह दस्तावेज कहता है कि 'चुनिंदा सरकारी निवेश' अल्पकाल में वृद्धि के इंजन की तरह काम करेगा और निजी क्षेत्र के निवेश के लिए भी रास्ता बनाएगा। इसने सरकारी निवेश को निजी निवेश का विकल्प नहीं बताया बल्कि पूरक और किक स्टार्ट निवेश बताया है जिसके पीछे-पीछे दूसरा निवेश आता है।

सार्वजनिक निवेश की भूमिका (Role of Public Investment)

आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 में भारत एवं भारत के वाटर के कुछ अध्ययनों को उद्धृत करते हुए सार्वजनिक निवेश

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

को लक्षित रूप से बढ़ाने की जरूरत बताई थी। हां 'लक्षित' (Targeted) सार्वजनिक निवेश का अर्थ है–सरकार द्वारा निवेश, जो कि अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा 'उत्पलव प्रभाव' (Spillover effect) पैदा कर सकता है। वर्तमान समय में यह क्षमता रेलवे में सबसे अधिक है। सर्वेक्षण डब्ल्यू.डब्ल्यू. रोस्तोव के इस आकलन से सहमति व्यक्त करता है-''रेलवे ऐतिहासिक रूप से आर्थिक उठान का अकेला सबसे शक्तिशाली प्रारंभक रहा है।''[67] ऐसी नीतिगत कार्यकारी के औचित्य एवं तर्क को निम्नलिखित दस्तावेजों एवं अध्ययनों के माध्यम से रेखांकित किया गया है:

(i) यह पाया गया है कि सार्वजनिक एवं निजी निवेश क बीच एक जुड़ाव (link) रहा है, जिसके चलते वृद्धि दर में बढ़ोतरी या गिरावट आती रही है। केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (Central Statistics Office, CSO) के आंकड़े दर्शाते हैं कि 2004-08 के उच्च वृद्धि दर वाले चरण में निजी कॉरपोरेट निवेश में उछाल के बाद सार्वजनिक निवेश में भी 1.5 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।

इसी प्रकार 2008-13 की अवधि में सार्वजनिक निवेश में 1 प्रतिशत प्वाइंट की गिरावट के बाद निजी कॉर्पोरेट निवेश में भी 6 प्रतिशत प्वाइंट की गिरावट देखी गई। (2009-10 तथा 2010-11 के बीच की वृद्धि को छोड़कर)।

(ii) 'दि वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक-2014' (आईएमएफ रिपोर्ट)[68] ने नोट किया कि यदि सार्वजनिक अधिरचना निवेश को कुशलतापूर्वक कार्यान्वित किया जाए तो अर्थव्यवस्था पर इसका दो तरीके से प्रभाव होता है:

(a) अल्पावधि के रूप में यह कुल मांग में तेजी लाता है तथा निजी निवेश की अधिरचना सेवाओं की पूरक प्रवृत्ति के कारण बढ़ता है।

(b) दीर्घावधिक रूप में अधिरचना-निर्माण ज्यों ही अर्थव्यस्था को उत्पादक क्षमता से पुष्ट करने लगता है (अधिरचना अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा होती है जिसका सकारात्मक प्रभाव सभी क्षेत्रों पर पड़ता है), इसके पार्श्व प्रभाव (Side effect) के रूप में आपूर्ति में भी उछाल आता है)।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का अध्ययन इस बात की पुष्टि करता है कि सार्वजनिक निवेश का उत्पादन पर भी सकारात्मक प्रभाव होता है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए मध्यावधिक सार्वजनिक निवेश गुणक (Medium-term public investment multiplier) अनुमानत: 0.5 तथा 0.9 के बीच होता है, तथापि इसकी परिभाषा कार्यान्वयन की कुशलता एवं दक्षता पर निर्भर करती है।

(iii) सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के रास्ते में दो चुनौतियां हैं:

(a) सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए वित्तीय संसाधनों का संघटन, तथा;

(b) कार्यान्वयन करना।

जहां तक कार्यान्वयन क्षमता का संबंध है, या प्रक्षेत्र के अधिकतम सकारात्मक उत्पल्वन (positive spillover) संभव है, जिसमें द्रुतता से दक्षतापूर्वक निवेश करने की प्रभावित दक्षता हो और इससे बात बन सकती है। ऐसे दो प्रक्षेत्र हैं-ग्रामीण सड़कें एवं रेलवे। सड़क संपर्क बढ़ाने का अर्थव्यवस्था पर भारी उत्पल्वन प्रभाव हो सकता है ऐसा अध्ययनों से प्रमाणित हो

67. W. W. Rostow, ***The Process of Economic Growth*** (Oxford: Clarendon Press, 2nd edition, 1960), pp. 302-303, cited in B. R. Mitchell, 'The Coming of the Railway and United Kingdom Economic Growth), ***The Journal of Economic History*** 24(3), September 1964.

68. International Monetary Fund, ***World Economic Outlook-2014***, Is it Time for an Infrastructure Push? The Macroeconomic Effects of Public Investment, October 2014.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

चुका है।[69] इसके उदाहरण हैं–राष्ट्रीय उच्च पथ विकास परियोजना एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना (2000 के दशक के दौरान)। ऐसी सार्वजनिक निवेश की पहलों से ग्रामीण रोजगार एवं आय में वृद्धि हुई।

सर्वेक्षण का मत है कि, वर्तमान सरकार को अब तक उपेक्षित रेलवे क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश प्रोत्साहित करना चाहिए। इस क्षेत्र में भी वहीं संभावनाएं हैं, जो ग्रामीण सड़क में विगत में अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव के रूप में अनुभव की गई। इस क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने की भी क्षमता है बिना भारत के सार्वजनिक ऋण की गतिकी (Dynamics) को जोखिम में डालें।

(iv) आनुभविक अध्ययनों से यह तथ्य स्पष्ट हुआ है कि सार्वजनिक निवेश का वृद्धि संभावनाओं पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। 1980 के दौरान भारत में उत्पादकता में बढ़ोतरी का कारण अधिसरंचना क्षेत्र के सार्वजनिक निवेश रहा था (इसके मांग पैदा करने वाले प्रभावों के विपरीत)।[70] अध्ययन में एक फ्रेमवर्क[71] का उपयोग करके वृद्धि दर पर उन प्रभावों का विश्लेषण किया है जहां सरकारी अधिरचना सेवाएं किसी उत्पादन के लिए इनपुट थीं। अध्ययन से यह पता चला कि यदि सार्वजनिक अधिरचना व्यय तथा वृद्धि के बीच उपयुक्त 'लैग' (Lag) की अनुमति दी जाए (लगभग पांच वर्ष के लिए) तो सार्वजनिक अधिरचना व्यय कुल वृद्धि का 1.5-2.9 प्रतिशत ठहर सकता है।

(v) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के एक अध्ययन[72] ने दीर्घावधिक गुणक (जीडीपी पर पूंजीगत लागत का) 2.4 बताया है। अध्ययन इस बात की भी पुष्टि करता है कि जीडीपी पर राजस्व खर्च का प्रभाव, हालांकि अधिक होता है, लेकिन पहले साल के बाद इसमें कमी आती है, जिससे खर्चों की पुनः प्राथमिकता निर्धारण से हुआ लाभ दृष्टिगोचर होता है।

इस प्रकार इस सर्वेक्षण ने रेलवे प्रक्षेत्र में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने की अनिवार्यता जताई है। इसकी शुरूआत केवल सार्वजनिक निवेश के रूप में की जा सकती है, लेकिन सरकार द्वारा इस दिशा में आगे बढ़ने के साथ ही इतनी सहूलियतें एवं संभावनाएं पैदा हो जाएंगी कि यह प्रक्षेत्र पर्याप्त मात्रा में निजी क्षेत्र से भी निवेश आकर्षित करने लगेगा। जब ऐसा प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगे तब निवेश प्रोत्साहित करने के कई अन्य संभव विकल्प भी हैं–समर्पित निजी निवेश के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी, पीपीपी। रेलवे के नेतृत्वकारी अधिरचना प्रक्षेत्र होने के कारण अर्थव्यवस्था पर इसके बहुआयामी उत्पल्वनकारी प्रभाव हो सकते हैं। लोगों एवं स्थानों के जुड़ाव से अर्थव्यवस्था में बड़ी संभावनाएं पैदा होती हैं।

वर्तमान राजकोषीय स्थिति (CURRENT FISCAL SITUATION)

भारतीय अर्थव्यवस्था (केन्द्र एवं राज्य सरकारों की) की राजकोषीय स्थिति *आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18* के अनुसार निम्न प्रकार है:

- उदय योजना (uday Scheme) का राज्यों की राजकोषीय स्थिति पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ा हैं यह प्रभाव वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में

69. Sam Asher Paul Novosad, The Employment Effects of Road Construction in Rural India, Working Paper 2014, quoted by the Ministry of Finance, ***Economic survey 2014–15***.
70. D. Rodrik, and D. A. Subramanian, From 'Hindu Growth' to Productivity Surge: The Mystery of the Indian Growth Transition, ***IMF Staff Papers***, 52(2), 2005.
71. Robert Barro, 'Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth", ***Journal of Political Economy***, 98(5) 1990.
72. Reserve Bank of India, *Fiscal Multipliers in India*, Box II.16, ***Annual Report 2011–12***, (New Delhi: Government of India, 2012).

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

उनके जी.डी.पी. का क्रमशः 0.5 प्रतिशत एवं 0.6 प्रतिशत रहा। देश के कुल 26 राज्यों को अपनाया है।

- वर्ष 2017-18 में राज्यों का निवल बाजार ऋण (आर.बी.आई. के अनुसार) 2351.6 अरब रु. था।
- वर्ष 2017-18 में केन्द्र सरकार द्वारा अपनी राजकोषीय घाटे में 0.3 प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया जिसके लिए सरकार द्वारा राजस्व व्यय में सुधार करने एवं पूंजीगत व्यय में साधारण वृद्धि करने की दिशा में कार्य किया गया। *संघीय बजट 2018-19* में केन्द्र सरकार वर्ष 2017-18 के राजकोषीय घाटे के 3.5 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया (इसका बजटीय लक्ष्य 3.2 प्रतिशत रखा गया था)।
- वर्ष 2017-18 की केन्द्र सरकार की राजकोषीय घाटे का निष्पादन इस वर्ष के अंतिम तिमाही की राजस्व प्राप्ति (जी.एस.टी. द्वारा मूलतः) पर निर्भर करेगा।

जी.एस.टी. को लागू करने से जुड़ी जटिलताओं के मद्देनजर वर्ष 2017-18 में सरकारों की राजकोषीय स्थिति बेहतर बनी हुई थी। वैसे इससे जुड़ी संबंधित चुनौतियों, यथा कर की दरें, कर अदा करने की बेहतर व्यवस्था एवं इनके तार्किकीकरण की प्रक्रिया पर अमल किया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार नयी सघीय कर (जी.एस.टी.) के वर्ष 2018-19 में स्थायित्व आने की संभावना है जिसके मद्देनजर इस वर्ष की राजकोषीय स्थितियों का और बेहतर अनुमान मिल सकेगा।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

अध्याय 19

धारणीयता एवं जलवायु परिवर्तनः भारत और विश्व (SUSTAINABILITY AND CLIMATE CHANGE: INDIA AND THE WORLD)

*''यह हमारा इकलौता घर है और पर्यावरणविद कहते रहे हैं कि प्रकृति हमें कोई बेलआउट पैकेज नहीं देने वाली है, लिहाजा हमें विकसित होने के लिए बेहतर तरीका तलाशना होगा।''**

इस अध्याय में

- ❑ परिचय
- ❑ वैश्विक उत्सर्जन
- ❑ सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी)
- ❑ पेरिस समझौता (कॉप 21)
- ❑ ग्रीन फाइनेंस
- ❑ जलवायु वित्त
- ❑ धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तनः भारतीय परिप्रेक्ष्य
- ❑ आईएनडीसीज
- ❑ भारत और जलवायु परिवर्तन
- ❑ भविष्य का परिदृश्य

* *थॉमस एल.फ्रेडमैन, हॉट, फ्लैट एंड क्राउडेड, पेंगुइन बुक्स, लंदन, 2009, पृष्ठ 23*

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

परिचय (INTRODUCTION)

मानवता के जीवन-स्तर में सुधार करते रहना सभी देशों एवं विश्व-संस्थाओं का एकल लक्ष्य रहता चला आया है। दो दशकों तक विकास को भिन्न-भिन्न तरीकों से परिभाषित करते रहने के पश्चात् कहीं जाकर ऐसा प्रतीत होता है कि 'मानव विकास' पर आम राय बनी है, जबकि धरती पर एक बहुत बड़ी जनसंख्या को अभी भी विकास के लिए 'न्यूनतम सुविधाएँ' हासिल नहीं हैं। मानवता आज एक चौराहे पर खड़ी है जहाँ उसे पहली बार एक सर्वथा नई प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है—जलवायु परिवर्तन की चुनौती। विडंबना यह है कि हम अपने विकास के लिए जो कुछ भी करते हैं, प्रभाव और प्रतिक्रिया प्रकृति पर होती ही है। इससे भी बड़ी कठिनाई है—जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया को नियंत्रित, प्रतिबंधित तथा अंतत: पलट देने के बारे में विश्व स्तर पर आम सहमति बनाना।

हम सन् 2012 पर विचार करें, जो कि पर्यावरण और धरणीय विकास संबंधी पहल कदमों के क्षेत्र में उल्लेखनीय रहा है। जून 2012 में **रियो** में आयोजित धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भाग लिया। यह 1992 में आयोजित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन (अर्थ सम्मिट) की बीसवीं वर्षगाँठ का मौका भी था। सम्मेलन में तब से लेकर अब तक हुई प्रगति ही समीक्षा की गई, कार्यान्वयन के स्तर पर हुई चूकों को चिह्नित किया गया तथा नई और उभरती चुनौतियों का आकलन किया गया। इन सबकी परिणति एक राजनीतिक विकास के रूप में हुई—''भविष्य जो हम चाहते हैं'' (दि फ्यूचर वी वांट)। भारत में धरणीय विकास को केन्द्र में रखकर बारहवीं पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। यह और इसके अतिरिक्त धरणीय विकास को लक्षित अन्य नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से देश के अंदर और बाहर के देशों में यह संकेत दिया गया कि भारत धरणीय विकास के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय, तीनों आयामों के प्रति समान रूप से प्रतिबद्ध है।

विश्व स्तर पर तुलनात्मक मत के एक सर्वेक्षण में यह बात स्पष्ट रूप से सामने आई कि न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर के देशों में लोग धरणीय विकास और जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित (*आर्थिक सर्वेक्षण 2012-13* के आधार पर) हैं। हालाँकि चुनौतियाँ वास्तव में विकट और दुर्जेय हैं, विशेषकर वर्तमान आर्थिक दशाओं में अपेक्षित परिमाण के संसाधनों को प्राप्त करने के संदर्भ में। जलवायु विज्ञान ने सार्वजनिक विमर्श में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है जो कि उचित ही है। जलवायु परिवर्तन का विज्ञान, जबकि स्वयं अनिश्चितताओं से जूझ रहा है, दुनिया और अधिक अतिचारी घटनाओं से दो-चार है। तत्काल कदम उठाने की ऐसी अनिवार्यता पहले कभी न थी, लेकिन इसके विपरीत, हालाँकि दिसंबर 2012 में दोहा-जलवायु परिवर्तन पर प्रवेश द्वार में उत्सर्जन (नि:सरण) में कमी लाने के लिए एक बहुपार्श्विक तथा नियम-आधारित व्यवस्था बनाने पर सहमति बनी, लेकिन विकसित देशों ने इस संबंध में जो वचनबद्धता व्यक्त की उसमें इच्छाशक्ति की कमी थी। अब जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी नामसूची (पैनल) का पांचवां आकलन प्रतिवेदन पूर्णता के अंतिम चरण में है। अतिचारी घटनाओं की वृद्धि तथा नागरिकों की बढ़ती माँग को देखते हुए अब इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं कि इस स्थिति से निबटने के लिए दायित्व एवं भार के समान एवं समुचित साझा पर आधारित बहुपार्श्विकता के सिद्धांतों का पालन कर के साथ ही विज्ञान-सम्मत उपायों का सहारा लिया जाए।[1]

2010 के बाद से, दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं और खराब मौसमी हालात की घटनाएं बढ़ी हैं-अक्सर ये खबरें दुनियाभर में सुर्खियों में रही हैं। नीति निर्माताओं को विशेषकर विकासशील देशों में गरीबी और भूख की समस्या के साथ-साथ स्वच्छ हवा, पानी और ऊर्जा की उपलब्धता पर भारी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। हालाँकि भारत की नीतियों में जलवायु और पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं को शामिल किया गया है, हम इन्हें पिछले आधे दशक में बढ़ता हुआ देख रहे हैं। ये 2011-12 के आर्थिक सर्वेक्षण में भी थे, जिसमें इनका उल्लेख 'जलवायु परिवर्तन और सतत् विकास' नामक अध्याय में हुआ था-इस अध्याय को आगामी संस्करणों में भी बनाए रखा गया।

1. Oliver Morton 'Megachange: The World in 2050', in Daniel Franklin and John Andrews, ***The Economist*** in London: 2012) pp. 92–110.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

इससे भारत के नीति-निर्माण में पर्यावरण संबंधी चिंताओं को शामिल किए जाने का पता चलता है।

साल 2015 में दो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हुईं-दिसंबर 2015 में पेरिस में यूएनएफसीसी के तहत ऐतिहासिक जलवायु परिवर्तन समझौता और सितंबर 2015 में एसडीजी (सतत विकास लक्ष्यों) को स्वीकार किया गया। पेरिस समझौते का लक्ष्य वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है, जिससे दुनिया कम कार्बन उत्सर्जन, लचीले और टिकाऊ भविष्य की दिशा में बढ़ेगी, जबकि एमडीजी (मिलेनियम डेवलपमेंट गोल) की जगह लेने वाले सतत् विकास लक्ष्य, अगले 15 वर्षों का विकास ऐजेंडा तय करेंगे। घरेलू मोर्चे पर भी जलवायु संबंधी कुछ अहम कदम उठाए गए हैं, इसमें ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय सौर एलायंस (भारत द्वारा उठाया गया कदम) की शुरुआत और महत्वाकांक्षी आईएनडीसी (राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान करना) शामिल हैं।

वैश्विक उत्सर्जन (GLOBAL EMISSIONS)

डब्ल्यूएमओ (विश्व मौसम विज्ञान संगठन) के अनुसार, 2016 पूर्व-औद्योगिक युग से 1 डिग्री अधिक सेल्सियस के साथ सबसे गरम साल था। इसकी वजह अल नीनो और ग्रीन हाउस गैसों (जीएचजीएस) के कारण उत्पन्न हुई गर्मी थी। औद्योगिक क्रांति के बाद से मानवजनित उत्सर्जन अभूतपूर्व दर से बढ़ रहा है। आईईए (अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा ऐजेंसी) की 2015 की रिपोर्ट के अनुसार, 2014 में वातावरण में कार्बन-डाई-ऑक्साइड मध्य 1800 के मुकाबले 40 प्रतिशत अधिक थी। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे अधिक योगदान ऊर्जा क्षेत्र का है, इसमें से ईंधन के दहन से सबसे अधिक कार्बन-डाई-ऑक्साइड उत्सर्जित होती है। वैश्विक उत्सर्जन प्रोफाइल[2] बताता है कि विभिन्न देशों में उत्सर्जन का वितरण बहुत असमान है:

(i) अगर ऐतिहासिक रूप से 1970 से 2014 के बीच कार्बन-डाई-ऑक्साइड के उत्सर्जन को देखा जाए तो भारत 39.0 जीटी के साथ शीर्ष तीन उत्सर्जकों-संयुक्त राज्य अमेरिका (232 जीटी), यूरोपीय संघ (190.2 जीटी) और चीन (176.2 जीटी) से कहीं पीछे है। उदाहरण के लिए अमेरिका का उत्सर्जन भारत से छह गुना अधिक है।

(ii) यहाँ तक कि अगर ऐतिहासिक स्तरों को नज़रअंदाज भी कर दिया जाए और केवल मौजूदा स्तरों को पूर्ण और प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दोनों मामले में देखा जाए, तब भी भारत तीन प्रमुख कार्बन-डाई-ऑक्साइड उत्सर्जकों से बहुत पीछे है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन और भारत के लिए प्रति व्यक्ति उत्सर्जन क्रमशः 17 टन/व्यक्ति, 7.5 टन/व्यक्ति, 7 टन/व्यक्ति और 2 टन/व्यक्ति है।

(iii) क्षेत्रवार कार्बन-डाई-ऑक्साइड उत्सर्जन में चीन, भारत, यूरोपीय संघ और अमेरिका के लिए सबसे अधिक योगदान ईंधन दहन, बिजली और ऊष्मा उत्पादन से होता है, इसके बाद चीन और भारत के लिए मैन्युफैक्चरिंग उद्योग और अमेरिका और यूरोपीय संघ के लिए परिवहन क्षेत्र सबसे अधिक उत्सर्जन करता है। ये संरचनात्मक पैटर्न इन देशों की विभिन्न प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करते हैं।

सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) [SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)]

सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 17वें सम्मेलन में 17 एसडीजी (सतत् विकास लक्ष्यों) और 169 लक्ष्यों की घोषणा की, जो अगले 15 वर्षों तक उठाए जाने वाले कदमों को प्रोत्साहित करेंगे। ये लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल (एमडीजी) की जगह लेंगे, जो 2015 तक समाप्त हो रहे थे और उन क्षेत्रों में काम करने की कोशिश करेंगे जिन्हें पहले पूरा नहीं किया जा सका था।

2. PBL, **Trends in Global CO_2 Emissions 2015 Report,** Netherlands Environmental Assessment Agency, as quoted by the **Ministry of Economic Survey 2015–16,** Vol. 2 (New Delhi: Government of India, 2016), pp. 177–178.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

एसडीजी को संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में सबसे बड़े परामर्शों में से एक माना जा रहा है। लक्ष्यों को जून 2012 में सतत् विकास (रियो+20) पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। एसडीजी 2016-2030 तक प्रभावी रहेंगे। एसडीजी की प्रमुख विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

(i) गरीबी उन्मूलन;
(ii) असमानताओं का मुकाबला;
(iii) लैंगिक समानता, महिला और बालिका सशक्तीकरण को बढ़ावा;
(iv) स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार;
(v) शहरों को अधिक टिकाऊ बनाना;
(vi) जलवायु बदलाव से मुकाबला;
(vii) महासागरों और जंगलों की रक्षा;
(viii) सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों का एकीकरण;
(ix) सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी;
(x) बेहतर गुणवत्ता माप में हितधारकों की क्षमता को बढ़ाना;
(xi) सतत् विकास पर आंकड़ों और सूचनाओं का संकलन, और;
(xii) अनुवामन (follow-up) एवं समीक्षा (review) की प्रभावी संरचना का विकास।

एम.डी.जी. (MDGs) की तुलना में एस.डी.जी (SDGs) बहुत अधिक व्यापक हैं, जिनके अंतर्गत लक्ष्यों के कुल 169 संकेतक हैं, जिनके लिए एक सही प्रबोधन (monitoring) व्यवस्था की स्थापना करना सभी देशों के लिए एक चुनौती भरा कार्य है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उचित मात्रा में धन/पूंजी की व्यवस्था दूसरी सबसे बड़ी चुनौती होगी।

भारत एवं एस.डी.जी (India & the SDGs)

भारत के सांख्यिकी एवं योजना कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालयों एवं विविध पणधारियों (stakeholders) की सलाहों के माध्यम से एस.डी.जी. संकेतकों के प्रारूप (draft) पर कार्य किया जा रहा है, जो अपना अंतिम रूप प्राप्त करने के उच्च स्तर पर है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार द्वारा इसके लिए एक प्रबोधन एवं रिपोर्टिंग व्यवस्था की स्थापना की जाएगी, जिसके माध्यम में कार्यान्वयन प्रक्रिया पर निगरानी की व्यवस्था तथा इसके माध्यम में विश्वसीय सूचनाओं को एकत्रित किया जाएगा। इस कार्य के लिए 2016 को आधार वर्ष माना जाना तय है। कार्यान्वयन प्रक्रिया में सूचना एकत्रित करना, उनको मान्य घोषित करना तथा सबसे अच्छे व्यवहार का विकास करना नीति आयोग की जिम्मेदारी होगी।

पेरिस समझौता (कॉप 21) [PARIS AGREEMENT (COP 21)]

यूएनएफसीसीसी (जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन) के तहत पार्टियों का 21वां सम्मेलन (कॉप 21) दिसंबर 2015 में पेरिस में आयोजित हुआ। जलवायु परिवर्तन पर 2020 के बाद पेरिस समझौता क्योटो प्रोटोकॉल की जगह लेगा। ये सभी देशों को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई करने की रूपरेखा प्रदान करता है, जो कि क्योटो प्रोटोकॉल में नहीं था। जलवायु न्याय और टिकाऊ जीवन शैली जैसी अवधारणाओं पर जोर देते हुए पेरिस समझौते में पहली बार यूएनएफसीसीसी के तहत सभी देशों को एक वजह के लिए एक साथ लाया गया। समझौते का एक प्रमुख बिंदु है कि धरती के तापमान को दो डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ने देना और इसे औद्योगिक क्रांति से पहले के स्तर पर रखना और कोशिश करना कि तापमान में बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाए।

समझौते में 29 अनुच्छेद शामिल हैं और इसके समर्थन में कॉप के 139 निर्णय भी हैं। इसमें सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिनकी पहचान व्यापक और संतुलित समझौते के लिए अनिवार्य हो। इसमें शामिल है-कमी, अनुकूलन, नुकसान और क्षति, वित्त, प्रौद्योगिकी विकास और हस्तांतरण, क्षमता निर्माण और कार्रवाई में पारदर्शिता और समर्थन।

पिछले समझौते के मुकाबले ये इसकी गहराई है, जिसमें ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए हर देश को उनकी योजना प्रस्तुत करने की इजाजत दी गई

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

है, इसमें क्योटो प्रोटोकॉल की तरह ऊपर से आदेश को थोपा नहीं गया है, जिसमें हर देश को उत्सर्जन घटाने का लक्ष्य थमा दिया गया था। इस समझौते की मुख्य विशेषताएं:[3]

(i) इसमें विकासशील देशों के विकास अनिवार्यताओं को स्वीकार किया गया है। विकासशील देशों के विकास के अधिकार और सबसे कमजोर के हितों की रक्षा करते हुए पर्यावरण के अनुरूप विकास के उनके प्रयासों को स्वीकार किया गया है।

(ii) इसमें विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के आलोक में समानता के सिद्धांत और CBDR (साझा, लेकिन विभेदीकृत जिम्मेदारियां और उनकी क्षमताएं) को दर्शाते हुए कन्वेंशन के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने की बात कही गई है।

(iii) देशों को हर पाँच साल में अपनी जलवायु कार्य योजना, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर चुना गया योगदान (एनडीसी) के रूप में जाना जाता है, के बारे में यूएनएफसीसीसी को बताना होगा। प्रत्येक पक्ष की एनडीसी उस पक्ष के मौजूदा एनडीसी के अलावा उन्नति को दर्शाएगी, जिससे लंबी अवधि में वैश्विक प्रयास और महत्वाकांक्षाएं बढ़ती रहें।

(iv) ये कमी-केंद्रित नहीं है और इसमें कई प्रमुख तत्वों को शामिल किया गया है, जैसे–अनुकूलन, नुकसान और क्षति, वित्त, तकनीकी विकास और हस्तांतरण, क्षमता निर्माण और कार्रवाई में पारदर्शिता और समर्थन।

(v) विकसित देशों से आग्रह किया गया है कि 2020 तक संयुक्त रूप से 100 अरब अमेरिकी डॉलर प्रदान करने का लक्ष्य हासिल करने के लिए पूरे रोडमैप के साथ वे वित्तीय मदद का अपना स्तर बढ़ाएं। ठीक उसके साथ-साथ 2025 से पहले 100 अरब डॉलर पर आधारित एक नया सामूहिक लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा।

(vi) ये विकसित देशों के लिए विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने को जरूरी बनाता है। अन्य देश भी योगदान कर सकते हैं, लेकिन विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक आधार पर।

(vii) विकसित देशों से आग्रह है कि वे जलवायु वित्त की लामबंदी में आगे आएं, जबकि पैसा जुटाने में सार्वजनिक धन की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए उन्हें अपने पहले के प्रयास से अधिक प्रगति का प्रतिनिधित्व करना चाहिए।

(viii) इसमें कार्रवाई और समर्थन दोनों के लिए मजबूत ढाँचा पारदर्शिता शामिल है।

(ix) 2023 से, हर पाँच साल में समझौते के उद्देश्यों और लंबी अवधि के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सामूहिक प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

(x) एक अनुपालन तंत्र की स्थापना, जिसकी देखरेख विशेषज्ञों की एक समिति करेगी (यह सुविधाजनक और गैर-दंडात्मक तरीके से होगा)।

जलवायु परिवर्तन से जुड़ी बहुपक्षीय वार्ताओं का प्राथमिक उद्देश्य पेरिस समझौते[4] (COP 21) को लागू/कार्यान्वित करने के लिए नियमों को निर्णीत करना है। इस उद्देश्य को पूरा करने का काम मोरक्को के माराकेश (**COP 22**, नवंबर 7-19, 2016) में प्रारंभ किया गया जहां देशों के बीच दिसंबर 2018 (**COP 24,** दिसंबर 3-14, 2018) तक नियमों को निर्णीत करने पर सहमति बनी। इस कार्य योजना को जर्मनी के बॉन नगर (**COP 23**, नवंबर 6-17 2017) में आगे बढ़ाया गया। **COP 23** में भारत के लिए निम्न महत्वपूर्ण उद्घोषणाएं हुईं:

(i) जलवायु परिवर्तन संबंधी वर्ष 2020 के पूर्ण की कटिबद्धातों एवं उनके कार्यान्वयन की दिशा में कदम बढ़ाने की ओर निर्णय लिया गया।

3. Ministry of Finance, **Economic Survey 2015-16**, Vol.2, pp. 179–181.

4. ***Economic Survey 2018-19***, Vol. 2, Ministry of Finance, GoI, N. Delhi, p.76.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(ii) यहां के निर्णय में इस बात पर बल रहा कि वर्ष 2020 के पूर्व के कदमों पर उच्च बल दिए जाने से इसके बाद के वर्षों के कदमों के लिए एक मजबूत नींव तैयार की जा सकेगी।

भारत द्वारा इस सम्मेलन में देशों द्वारा किए गए प्रयासों में विभेदीकरण को अपनाया जाए इस बात पर विशेष बल दिया गया। इनमें शामिल महत्वपूर्ण रहे–राष्ट्रीय रूप से निर्णित योगदान; अनुकूलन (adaptation) संवाद; फ्रेमवर्क में पारदर्शिता; वैश्विक निष्पादन; आंकड़ों का एकत्रीकरण; अनुपालन (compliance); तकनीकी फ्रेमवर्क; वित्त की व्यवस्था तथा भविष्य में प्रयासों को जारी रखने के लिए नियमावली, कार्य विधियों एवं दिशा-निर्देशों को तैयार करना।

ग्रीन फाइनेंस (GREEN FINANCE)

पिछले कुछ वर्षों में, ग्रीन फाइनेंस ने दुनियाभर में काफी सुर्खियां बटोरी हैं। इस विचार का उल्लेख पहली बार सतत् विकास (रियो+20 के रूप में भी जाना जाता है) पर 2012 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज में हुआ था। हालाँकि इसके लिए एक सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है, लेकिन ग्रीन फाइनेंस को अधिकांश तौर पर परियोजनाओं में वित्तीय निवेश और उन कदमों के संदर्भ में लिया जाता है जो अधिक स्थाई अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करते हैं।

ग्रीन फाइनेंस की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है, हालाँकि अधिकांश तौर पर इसे सतत् विकास परियोजनाओं पर होने वाले वित्तीय निवेश और अधिक स्थायी अर्थव्यवस्था को विकसित करने वाले कदमों के संदर्भ में लिया जाता है।[5] अब तक, कई परिभाषाएं सामने आ चुकी हैं–चीन की ग्रीन क्रेडिट गाइडलाइंस (ग्रीन बॉण्ड्स का जलवायु बॉण्ड वर्गीकरण, इंटरनेशनल फाइनेंस डेवलपमेंट फाइनेंस क्लब (आईडीएफसी) की ग्रीन निवेश की रिपोर्टिंग की अवधारणा, (वर्ल्ड बैंक/इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन (आईएफसी) की स्थिर फ्रेमवर्क और ब्रिटेन की ग्रीन निवेश बैंक नीतियां। उपयोग में मौजूदा परिभाषाओं में बड़ी भिन्नताएं– क्लीन एनर्जी, ऊर्जा दक्षता; ग्रीन बिल्डिंग्स; टिकाऊ परिवहन; पानी और कचरा प्रबंधन; बैंकिंग प्रणाली को ग्रीन करना, बॉण्ड बाजार और संस्थागत निवेश (साथ ही विवाद के क्षेत्र जैसे कि परमाणु और बड़े पैमाने पर पनबिजली ऊर्जा, जैव ईंधन और पारंपरिक ऊर्जा में दक्षता में बढोतरी)। विश्व बैंक ने विकासशील देशों के नेतृत्व में बैंकिंग नियामकों के एक अनौपचारिक स्थाई बैंकिंग नेटवर्क की स्थापना की है ताकि टिकाऊ ऋण व्यवस्था को प्रोत्साहन मिले। 2015 में, सरकार, बैंक, कंपनियों और व्यक्तिगत परियोजनाओं द्वारा 42 अरब डॉलर के ग्रीन बॉण्ड्स जारी किए गए।

वैश्विक स्तर पर 20 से अधिक स्टॉक एक्सचेंजों ने पर्यावरण डिसक्लोजर को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं, और कई ग्रीन सूचकांक और ग्रीन ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) शुरू हुए हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ चाइना (चीन का औद्योगिक और वाणिज्यिक बैंक) समेत बड़ी संख्या में संस्थाओं ने जलवायु और पर्यावरण नीति में परिवर्तन के वित्तीय प्रभाव का आकलन शुरू कर दिया है। जर्मनी, अमेरिका और ब्रिटेन ने ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए ब्याज सब्सिडी और गारंटी प्रोग्राम शुरू किए हैं और दुनियाभर में एक दर्जन से अधिक सरकार समर्थित ग्रीन इन्वेस्टमेंट बैंक काम कर रहे हैं। जी-20 ने भी हाल ही में जीएफएसजी (ग्रीन फाइनेंस स्टडी ग्रुप) का गठन किया है।

ग्रीन वैश्विक अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए निजी वित्त जुटाने का मुद्दा जी-20 समेत विभिन्न वैश्विक मंचों पर दिखाई दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि, भारत जैसे विकासशील देशों के लिए निजी वित्त आसानी से हासिल नहीं होगा और सार्वजनिक वित्त (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों) को निजी वित्त लाभ उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

भारत और ग्रीन विकास: ग्रीन फाइनेंस ने अभी भारत में जोर नहीं पकड़ा है। महत्वाकांक्षी सौर ऊर्जा लक्ष्य, सौर शहरों का विकास, पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना, स्मार्ट सिटीज का विकास, बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराना, जिसे ग्रीन गतिविधि माना जाता है और क्लीन इंडिया या स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता अभियान, वे सभी गतिविधियां जिनके लिए ग्रीन फाइनेंस की आवश्यकता होगी।

5. ***Green Finance Study Group***—as quoted by the Ministry of Finance, **Economic Survey 2015–16**, Vol. 2, pp. 182-83.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

भारत ने 2010–11 में कोयला उत्पादन/आयात पर सेस लगाकर एनसीईएफ (नेशनल क्लीन एनर्जी फंड) फंड बनाया था। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा पहल को वित्तीय मदद और प्रोत्साहन देना था और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में शोध के लिए धन मुहैया कराना था। इस फंड द्वारा पोषित कुछ परियोजनाओं में शामिल नवीन परियोजनाएं हैं:

(i) पारेषण के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक ग्रीन एनर्जी गलियारा;

(ii) जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन (जेएनएनएसएम) सौर फोटोवोल्टिक की स्थापना और छोटी क्षमता की लाइटें, एसपीवी वॉटर पंपिंग सिस्टम लगाना, एसपीवी ऊर्जा संयंत्र, ग्रिड से जुड़ी छत पर बने एसपीवी ऊर्जा संयंत्र, और;

(iii) पवन ऊर्जा क्षमता का आकलन करने के लिए प्रायोगिक प्रोजेक्ट।

भारत में, मार्च 2018 तक अधिकांश बैंकों ने ग्रीन बॉण्ड्स जारी किए थे। इन बॉण्ड्स से प्राप्त धन अधिकांश रूप से अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं, जैसे–सौर, पवन ऊर्जा और बायोमास परियोजनाओं और अन्य बुनियादी ढाँचा क्षेत्र को वित्तीय मदद देने के लिए है, जिसमें बुनियादी ढांचे और ऊर्जा दक्षता को संपूर्णता में ग्रीन माना जाता है। 2016 के शुरू तक, सेबी (भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड) ने ग्रीन बॉण्ड्स दिशा-निर्देशों को मंजूरी दे दी थी। भारत को ग्रीन वित्त से जुटाए धन से जुड़ी चिंताओं[6] पर ध्यान देने की आवश्यकता है:

(i) भारत जैसे विकासशील देश के लिए गरीबी उन्मूलन और विकास महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और इन विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों को नहीं हटाया जाना चाहिए। ग्रीन वित्त को सिर्फ अक्षय ऊर्जा तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि भारत जैसे देश में कुल बिजली क्षमता का लगभग 60 प्रतिशत कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से आता है। नवीनतम कोयला तकनीकी पर जोर दिया जाना चाहिए। वास्तव में, नवीनतम तकनीकी के विकास और हस्तांतरण के लिए ग्रीन वित्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि विकसित देशों में अधिकतर नवीनतम तकनीकियां निजी हाथों में हैं और बौद्धिक संपदा अधिकार के अधीन हैं।

(ii) ग्रीन बांड को नया एवं उच्च जोखिम वाला माना जाता है और उनकी अवधि भी कम होती है। उन्हें निवेश ग्रेड बनाने के लिए जोखिम को कम करने की आवश्यकता है।

(iii) ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमति पाने वाली एक परिभाषा की भी आवश्यकता है, क्योंकि इसकी अनुपस्थिति में लेखांकन में गड़बड़ी हो सकती है।

(iv) हालाँकि पर्यावरणीय जोखिम मूल्यांकन महत्वपूर्ण है, लेकिन बैंकों को ग्रीन वित्त उपलब्ध कराने के दौरान जोखिम को बहुत ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर नहीं दिखाना चाहिए।

(v) ग्रीन वित्त के रकम का फैसला करते समय खपत की अव्यावहारिक पद्धति पर विचार करना चाहिए, खासकर विकासशील देशों में विशिष्ट खपत और अव्यवहारिक जीवन शैली पर।

जलवायु वित्त (CLIMATE FINANCE)

विश्व जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने की मजबूरी के लिए जिंदा है क्योंकि निरंतर जलवायु परिवर्तन के जोखिम की कीमत अदा नहीं की जा सकती। जीएचसी उत्सर्जन के शमन के समाधान और अनुकूलन के लिए वित्त पोषण के मामले में जटिलता उभरती है। वित्त का प्रावधान सम्मेलन में अंतर्निहित है और विकासशील देशों के अनुकूलन और शमन जरूरतों को संबोधित करने के लिए पेरिस समझौते में भी इसका उल्लेख किया गया है। जलवायु वित्त की ट्रैकिंग भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जलवायु वित्त की स्पष्ट परिभाषा की कमी ने हाल के जलवायु वित्त के अनुमानों के विवादों को प्रेरित किया है।

6. Ibid., Vol. 2, pp. 182–83.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

2013-14 में जलवायु वित्त और ओईसीडी (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन) द्वारा जारी 100 अरब डॉलर की लक्ष्य रिपोर्ट में कहा गया है कि, विकसित और विकासशील देशों से जलवायु वित्त का जुटाव 2014 में 62 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया था। रिपोर्ट में मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक (एमबीडी) के कुल कर्ज मूल्य के साथ-साथ आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए), कुछ निजी वित्त, निर्यात क्रेडिट, आदि शामिल की गई हैं, क्योंकि जलवायु वित्त दोहरी गणना करने के लिए अग्रणी है। इसके अलावा ये वादा, प्रतिज्ञाओं, और बहुवर्षीय प्रतिबद्धताओं को शामिल करता है और वास्तविक संवितरण को जलवायु वित्त के रूप में नहीं। पिछले एक साल में कम विकसित देशों (एलडीसी) को आवंटित ओडीए में गिरावट, को शायद जलवायु संबंधी उद्देश्यों के उच्च आवंटन से जोड़ा जा सकता है, जिसका अर्थ है कि ओडीए को 'जलवायु संबंधित गतिविधियों' के लिए भेज दिया जा रहा है।

पेरिस समझौता एक जनादेश है कि विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों को सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से पारदर्शी और लगातार जानकारी प्रदान करायी जाए। हालांकि जलवायु वित्त की परिभाषा में इस पर कुछ नहीं कहा गया है। हालाँकि जलवायु वित्त के रूप में किसे लिया जाएगा, इसका फैसला बाद में यूएनएफसीसीसी के तहत वित्त संबंधी स्थाई समिति द्वारा किया जाता है, यह महत्वपूर्ण है कि इसे कुछ बुनियादी तत्वों को उजागर करना चाहिए, जैसे:[7]

(i) धन के स्रोत, संसाधनों के अतिरिक्त धन की शर्तों और धन के उद्देश्यों के मामले में प्रतिबद्ध/वितरित/नए हो सकते है।

(ii) जलवायु वित्त को परिभाषित करते हुए, उसे भी परिभाषित किया जाना महत्वपूर्ण है जिसे जलवायु वित्त की तरह नहीं गिना जा सकता।

(iii) विकास के प्रयोजन के लिए सहायता राशि को जलवायु वित्त के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई राशि के संदर्भ में, जलवायु परिवर्तन के लिए प्रदान की गई राशि को जलवायु वित्त के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

(iv) जलवायु वित्त के रूप में ओडीए (ODA) के उपचार या इसकी दोहरी गणना की जांच के लिए सिस्टम को तैयार किया जाना चाहिए।

अनुकूलन वित्त पर नजर रखने और इसे विकास राशि से पूरी तरह अलग करने में यहाँ बहुत बड़ा अंतर है- परिणामस्वरूप, बहुत बार एक परियोजना के लिए आवंटित पूरी राशि को अनुकूलन वित्त के रूप में ले लिया जाता है। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए किसी भी जलवायु वित्त ट्रैकिंग व्यवस्था को सावधानीपूर्वक देखने की आवश्यकता है।

वैश्विक जलवायु कोष (Global Climate Fund)

भाग लेने वाले देशो के आधार पर वैश्विक जलवायु कोष या तो बहुपक्षीय या द्विपक्षीय हो सकता है। कोषों को उनके क्षेत्रों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे–शमन, अनुकूलन या आरईडीडी (वनों की कटाई और वनों की कमी से उत्सर्जन को कम करना)। वर्तमान में, ग्रीन जलवायु कोष (जीसीएफ) सबसे बड़ा है, जिसमें 10.2 अरब डॉलर की राशि का वादा किया गया है। दूसरा सबसे बड़ा कोष क्लीन टेक्नोलॉजी कोष है, जिसमें 5.3 अरब डॉलर राशि का वादा किया गया है। जीसीएफ के पूंजीकरण और सीटीएफ के सनसेट क्लॉज के अनुसार 2020 के बाद जलवायु वित्त संरचना को लेकर सीटीएफ की भूमिका के बारे में अस्पष्टता है।

जीसीएफ (GCF)

इसे 2011 में यूएनएफसीसीसी के वित्तीय तंत्र की संचालन इकाई के रूप में स्थापित किया गया था और उम्मीद जताई गई थी कि ये विकसित देशों से विकासशील देशों को जलवायु वित्त मुहैया कराने का एक प्रमुख चैनल बनेगा। इसमें 38 सरकारों ने अब तक 10.2 अरब डॉलर की राशि जमा की है। सबसे अधिक राशि 3 अरब डॉलर देने की घोषणा अमेरिका द्वारा की गई है, इसके बाद जापान (1.5 अरब डॉलर), ब्रिटेन (1.2 अरब डॉलर), फ्रांस (1.03 अरब डॉलर) और जर्मनी (1 अरब डॉलर) का स्थान

7. Ibid., pp. 185–86.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

है। प्रारंभिक संसाधन जुटाने की अवधि 2015 से बढ़ाकर 2018 तक कर दी गई है। 11वीं जीसीएफ बोर्ड बैठक (नवंबर 2015) में, बोर्ड ने कुछ शर्तों के अधीन आठ विशेष परियोजनाओं के लिए 16.8 करोड़ डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई है। बोर्ड का लक्ष्य 2016 में अतिरिक्त परियोजनाओं के लिए 2.5 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता को मंजूरी देना है।

जीईएफ (GEF)

जीईएफ (दि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी) की स्थापना पर्यावरण संरक्षण के लिए एक पायलट कार्यक्रम के रूप में की गई थी। मौजूदा परियोजना चक्र वर्ष 2014-18 के लिए जीईएफ-6 है। 1992 में जब रियो डी जनेरियो में जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन समझौता हुआ, जीईएफ को विकासशील देशों को उनके जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को हासिल करने में वित्तीय सहायता देने के लिए एक वित्तीय तंत्र के रूप में अपनाया गया। नवंबर 2015 तक जीईएफ ने प्रत्यक्ष तौर पर 167 देशों में 3946 परियोजनाओं पर 14.5 अरब डॉलर निवेश किए हैं।

धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन: भारतीय परिप्रेक्ष्य (Sustainable Development and Climate Change in the Indian Context)

पिछले दो दशकों में पर्यावरणीय क्षेत्र की चुनौतियाँ विषम रही हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की पर्यावरण संस्थिति रिपोर्ट पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को पाँच वर्गों में विभाजित करती है:

(i) जलवायु परिवर्तन
(ii) खाद्य सुरक्षा
(iii) जल सुरक्षा
(iv) ऊर्जा सुरक्षा
(v) नगरीकरण का प्रबंधन

जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक परिस्थितिकी प्रणाली बिगड़ रही है और इसका दुष्प्रभाव भारत पर विशेष रूप से पड़ सकता है, मुख्यत: कृषि क्षेत्र पर। भारत की 58 प्रतिशत आबादी की आजीविका कृषि है। हिमालयी हिमनदों (ग्लेशियर्स) में जल भंडारण, जो कि लगभग सभी हिमालयी नदियों के स्रोत हैं, भूगर्भ जल का पुनर्भरण, समुद्र-स्तर में चढ़ाव तथा लंबी समुद्री तट-रेखा और वासस्थलों पर इसका दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। जलवायु परिवर्तन अतिचारी घटनाओं की आवृत्ति (बारम्बारता) में भी वृद्धि कर सकता है, जैसे कि बाढ़ और सूखा। इनसे भारत की खाद्य सुरक्षा तथा जल-सुरक्षा की स्थिति को भी क्षति पहुँचेगी। यू.एन.एफ. सी.सी.सी को भारत द्वारा सौंपे गए 'दूसरे राष्ट्रीय संवाद' (Second National Communication) में प्रक्षेपित किया गया है कि शताब्दी के अंत तक वार्षिक औसत सतही वायु का तापमान 3.5° से 4.3° तक पहुँच सकता है, जबकि समुद्र-स्तर भारतीय तट रेखा में 1.3 मि.मी./वर्ग की दर से ऊँचा उठ रहा है। जलवायु में ऐसे परिवर्तनों से मानव स्वास्थ्य, कृषि, जल संसाधन, पारिस्थितिकी प्रणाली तथा जैव विविधता पर दुष्प्रभाव अवश्य होगा।

जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से उत्पन्न संकट के कारण भारतीय नीति-निर्धारक प्रतिष्ठानों में धरणीयता तथा पर्यावरण को प्रमुख स्थान प्राप्त हो गया है। भारत 94 अंतर्राष्ट्रीय संधियों में सहभागी है। भारत इस बात के लिए भी वचनबद्ध है कि 2005 के स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के उत्सर्जन की तीव्रता में 2020 तक 20-25 प्रतिशत तक की कमी लाएगा। यहाँ कृषि क्षेत्र द्वारा उत्सर्जन की गणना नहीं की जाएगी। भारत पहले से ही निम्न कार्बन स्तर पर धरणीय विकास के रास्ते चल रहा है, क्योंकि इसके सकल घरेलू उत्पाद के कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता में गिरावट आई है और निम्न कार्बन युक्तियों के इस्तेमाल से और भी गिरावट आएगी। अनुमानत: 2031 तक भारत में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन की मात्रा वैश्विक प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के औसत से भी कम ही होगी- 4 टन कार्बन-डाइ-ऑक्साइड समतुल्य, जबकि 2005 में प्रति व्यक्ति वैश्विक औसत 4.22 टन कार्बन-डाइ-ऑक्साइड समतुल्य था।

विभिन्न प्रक्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करने के साथ-साथ भारत इस बात को स्वीकार करता है कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से ग्रामीण क्षेत्र भी समान रूप से प्रभावित होते हैं और दबावों का सामना करते हैं। इस

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

संदर्भ में ग्रामीण विकास तथा आजीविका संबंधी योजना एवं कार्यक्रमों का विशेष महत्व है। मनरेगा के अंतर्गत लिए गए कार्यों का बहुलांश भूमि, मृदा एवं जल से जुड़ा हुआ है। मनरेगा के अंतर्गत कुछ और कार्यक्रम भी हाथ में लिए गए हैं, जैसे—इमारती लकड़ी रहित वनोपज आधारित आजीविका, जैविक तथा अल्प रसायन का इस्तेमाल करने वाली खेती तथा कृषि आधारित जीविकोपार्जन को बढ़ावा देने के लिए मृदा के स्वास्थ्य एवं उर्वरता को बचाने और बढ़ाने संबंधी गतिविधियाँ और कार्य आदि। इन योजनाओं से सामुदायिक संस्थाओं को प्राकृतिक संसाधनों का दीर्घकालीन एवं सतत् उपयोग करने में सहायता मिलती है, साथ ही उनकी क्षमता और भी बढ़ाई जा सकती है।

ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में धरणीयता को सम्मिलित करने के अतिरिक्त भारत धरणीयता के तीन स्तंभों को एकीकृत कर अपनी राष्ट्रीय नीतियों में स्थान देने के लिए भी प्रयासरत है। वास्तव में पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रावधान हमारे संविधान में भी हैं [अनुच्छेद 48ए तथा 51ए(जी)] वन, प्रदूषण नियंत्रण, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा तथा समुद्री एवं तटीय पर्यावरण के विविध क्षेत्रों में अनेक नीतियों को कार्यान्वित किया जा रहा है। इन नीतियों में से कुछ प्रमुख हैं—संयुक्त वन प्रबंधन, एकीकृत वासस्थल मूल्यांकन के लिए हरित मूल्य निर्धारण; तटीय क्षेत्र विनियमन प्रक्षेत्र, 'ईको लेबलिंग' तथा 'एनर्जी एफीशिएंसी लेबलिंग' तथा ईंधन कार्यकुशलता मानक आदि। पिछले कुछ समय में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक स्थिर सांगठनिक ढाँचा तैयार किया गया है।

आईएनडीसीज (INDCs)

आईएनडीसी (इंटेडेड नेशनली डिटरमिंड कंट्रीब्यूशन) सरकारों की वे योजनाएं हैं जिनकी सूचनाएं वे यूएनएफसीसीसी को देती हैं कि वे घरेलू स्तर पर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही हैं। कॉप 19 (वारसॉ 2013) के अनुसार सभी पक्षों से योगदान की कानूनी प्रकृति के प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समझौते के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में आईएनडीसी तैयार करने और कॉप 21 के पहले सूचित करने का आग्रह किया गया था।

भारत की INDC: भारत ने यूएनएफसीसीसी को अपनी आईएनडीसी अक्टूबर 2015 से पहले सौंप दी थी। ये व्यापक है और इसमें सभी तत्वों को शामिल करती है जैसे अनुकूलन, कमी, वित्त, प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण। भारत का लक्ष्य समग्र उत्सर्जन तीव्रता को कम करना और समय के साथ अपनी अर्थव्यवस्था की ऊर्जा दक्षता में सुधार करना है। ये समाज के असुरक्षित क्षेत्रों और वर्गों की रक्षा की चिंताओं का भी ख्याल रखता है। भारत की INDC की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं[8]:

(i) परंपराओं, मूल्यों के संरक्षण एवं आधुनिकता पर आधारित जीवन जीने के स्वस्थ और स्थाई रास्ते पर आगे बढ़ना और इसे फैलाना।

(ii) आर्थिक विकास के इसी स्तर पर अब तक दूसरों द्वारा अपनाए गए रास्तों के मुकाबले जलवायु के अनुकूल और स्वच्छ रास्ता अपनाना।

(iii) 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से जीडीपी का 33 से 35 प्रतिशत कम करना।

(iv) तकनीकी हस्तांतरण और ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) समेत कम लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय वित्त की मदद से 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित संसाधनों से 40 प्रतिशत संचयी विद्युत ऊर्जा क्षमता की स्थापना करना।

(v) 2030 तक अतिरिक्त वन और पेड़ लगाने से 2.5 से 3 अरब टन के बराबर की कार्बन-डाई-ऑक्साइड का अतिरिक्त 'कार्बन सिंक' (Carbon Sink) तैयार करना।

(vi) जलवायु परिवर्तन के लिए असुरक्षित क्षेत्रों विशेषकर कृषि, जल संसाधनों, हिमालय क्षेत्र, तटीय क्षेत्रों, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन के विकास कार्यक्रमों में निवेश बढ़ाकर इन्हें जलवायु परिवर्तन के लिए अनुकूल बनाना।

(vii) संसाधनों की आवश्यकता और संसाधनों की खाई को देखते हुए कमियों को दूर करने और अनुकूलन

8. Ibid., pp. 183–84.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

कार्यों को लागू करने के लिए विकसित देशों से घरेलू और नए और अतिरिक्त धन जुटाना।

(viii) क्षमता निर्माण करने, भारत में बहुत पुरानी जलवायु तकनीकी को जल्द हटाने और भविष्य की ऐसी तकनीकियों के लिए एक संयुक्त सहयोगत्मक अनुसंधान और विकास के लिए घरेलू रूपरेखा और एक अंतर्राष्ट्रीय स्थापत्य तैयार करना।

भारत की चुनौतियां और प्रयास: भारत में पूरी दुनिया का 30 प्रतिशत गरीब हैं, 24 प्रतिशत आबादी के पास बिजली नहीं है, 9.2 करोड़ लोगों के पास पीने का साफ पानी नहीं है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में ये बताता है कि सतत् विकास के ऐजेंडे के बीच संतुलन साधने के मामले में भारत के सामने विकट और जटिल चुनौतियां हैं। ये जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, इसने गरीबी और खाद्य सुरक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करते हुए स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और कम उत्सर्जन तीव्रता के मामले में एक महत्वाकांक्षी योजना[9] तैयार की है:

(i) भारत आईएनडीसी में अक्षय ऊर्जा में मुख्य तौर पर सौर और पवन ऊर्जा में महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करता है। 100 गीगावॉट से अधिक की क्षमता के साथ, 2022 तक पवन ऊर्जा से 60 गीगावॉट और सौर ऊर्जा से 100 गीगावॉट ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है। यह ध्यान में रखते हुए कि 2014 में पूरी दुनिया में सौर ऊर्जा क्षमता 181 गीगावॉट थी, यह लक्ष्य बेहद महत्वाकांक्षी है और स्पष्ट तौर पर भारत को अक्षय ऊर्जा के प्रमुख उत्पादक के रूप में रखता है (वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, अक्टूबर 2015)।

(ii) भारत ने ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) बनाया है, जिसमें सौर संसाधन संपन्न देशों के गठबंधन की परिकल्पना की गई है जो अपनी विशेष जरूरतों को पूरा करेंगे और एक साझा और सहमति वाले दृष्टिकोण के अंतर की पहचान कर एक मंच प्रदान करेंगे।

(iii) हालाँकि यहाँ अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने पर काफी जोर दिया गया है, आईएनडीसी स्पष्ट तौर पर कहती है कि भविष्य में भी बिजली उत्पादन में कोयला मुख्य स्रोत बना रहेगा। हालाँकि आईएनडीसी ने कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की दक्षता में सुधार करने के लिए और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। भविष्य में बिजली उत्पादन की मांग को पूरा करने के लिए स्वच्छ कोयला तकनीकी महत्वपूर्ण होगी।

(iv) शमन (mitigation) आधारित गतिविधियों के अतिरिक्त, आईएनडीसी ने अनुकूलन आधारित गतिविधियों को भी शामिल किया है। भारत में जलवायु परिवर्तन पर आठ राष्ट्रीय मिशनों में से पाँच का जोर कृषि, जल और वानिकी जैसे क्षेत्रों के अनुकूलन पर है।

भारत द्वारा निर्धारित किए गए महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वित्त जुटाना महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक अनुमान बताते हैं कि आईएनडीसी के तहत अब और 2030 के बीच भारत के जलवायु परिवर्तन कार्य को पूरा करने के लिए कम-से-कम 2.5 खरब डॉलर (2014-15 के मूल्यों पर) की आवश्यकता होगी। हालाँकि देश का जलवायु परिवर्तन के लिए वित्त का अधिकतम हिस्सा बजट स्रोतों से आता है, लेकिन भारत सिर्फ उन पर निर्भर नहीं रह रहा है और विनियामक और वित्तीय उपायों के साथ मिलकर बाज़ार तंत्र के एक मिले-जुले ढाँचे का प्रयोग कर रहा है। हालाँकि, इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि जलवायु कार्ययोजना को बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्त जुटाना महत्वपूर्ण है।

(v) जून 2014 के बाद, जब अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतें घटनी शुरू हुई थीं, भारत ने दिसंबर 2016 में ब्रांडेड पेट्रोल का उत्पाद शुल्क 15.5

9. ***Economic Survey 2016-17***, Vol. 1 and ***Economic Survey 2015-16***, Vol. 2, Government of India, Ministry of Finance, N. Delhi.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 22.7 रुपये प्रति लीटर और ब्रांडेड डीजल का उत्पाद शुल्क 5.8 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 19.7 रुपये प्रति लीटर कर दिया। यह जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध दुनिया के प्रमुख जी-20 के देशों और भारत की कोशिशों का परिणाम था। भारत में पेट्रोल के ऊपर कर में बढ़ोतरी 150 प्रतिशत से भी ज्यादा की गई। इसके विपरीत, दुनिया के ज्यादातर विकसित देशों की सरकारें बस उपभोक्ताओं तक लाभ बढ़ाभर देती हैं और जलवायु परिवर्तन के उत्तरदायी कारकों में कटौती उपाय पीछे छूट जाता है। परिणामस्वरूप, भारत अब पेट्रोल और डीजल पर करारोपण के मामले में यूरोप के कुछेक देशों को छोड़कर बेहतर प्रदर्शनकारी देशों में शुमार है।

(vi) कार्बन सब्सिडी के दौर से निर्णायक रूप से आगे बढ़ते हुए, वस्तुतः अब पेट्रोलियम उत्पादों पर लगभग 150 अमेरिकी डॉलर प्रति टन की दर से कार्बन टैक्स आरोपित किया गया है जो 'जलवायु परिवर्तन के बारे में स्टर्न रिव्यू' के अनुशंसित स्तर से लगभग छह गुना ज्यादा है।

(vii) जीवाश्म ईंधन पर भारत की निर्भरता चीन (सबसे प्रासंगिक प्रतिस्पर्द्धी) की तुलना में तो काफी कम है ही, विकास के तुलनीय चरणों में अमेरिका, चीन और यूरोप से भी नीचे है। इससे विकसित देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन कभी भी बढ़ने नहीं देने की भारत की प्रतिबद्धता प्रतिध्वनित होती है।

भारत द्वारा तय लक्ष्यों की प्राप्ति में वित्त जुटाना अहम है। प्रारंभिक अनुमान बताते है कि अभी से लेकर और 2030 तक आईएनडीसी के अंतर्गत भारत के जलवायु परिवर्तन कार्य को पूरा करने हेतु 2.15 ट्रिलियन यूएस डॉलर की आवश्यकता होगी (2014-15 कीमतों पर)। यद्यपि देश के वर्तमान जलवायु वित्त का अधिकतम भाग बजटीय सहायता से आता है, भारत केवल इसी पर निर्भर नहीं है और बाजार तंत्र को वित्तीय उपायों और विनियामक हस्तक्षेप से मिलाकर इस बात पर बल दिए जाने की आवश्यकता है कि जलवायु कार्यवाही में तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त अहम समर्थक है।

भारत और जलवायु परिवर्तन (INDIA AND CLIMATE CHANGE)

भारत जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित है और 1997 से ही इसकी नीतियों में इस दिशा में कार्रवाई दिखने लगी थी जब इससे आधिकारिक तौर पर सतत् विकास के विचार को स्वीकार कर लिया था। तब से, देश ने कई क्षेत्रों में पहल की है। 2008 तक, भारत ने जलवायु परिवर्तन पर अपने आठ राष्ट्रीय मिशन शुरू कर दिए थे। समय के साथ, भारत ने न केवल अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गतिशील भूमिका निभाई, बल्कि इस दिशा में घरेलू मोर्चे पर कई सराहनीय प्रयास भी किए।[10]

एनएपीसीसी (NAPCC)

जलवायु परिवर्तन के खिलाफ भारत की घरेलू कार्रवाई में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना (एनएपीसीसी) एक प्रमुख घटक है। वर्ष 2017-18 में, जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की परिषद (पीएमसीसीसी) एनएपीसीसी के तहत मिशन को अनुकूलन, शमन और क्षमता निर्माण के संबंध में अपनी महत्वाकांक्षाएं बढ़ाने और इनकी प्राथमिकताएं फिर से निर्धारित करने के निर्देश दिए, इसके अलावा मौजूदा आठ मिशनों के अतिरिक्त कुछ नए मिशन स्थापित करने की सिफारिश की:

(i) जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित प्रतिकूल प्रभावों को देखते हुए, एक नया मिशन 'जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य पर मिशन' अभी तैयार हो रहा है और एक जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य पर एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है।

10. Based on various documents of the Government of India including the ***Economic Survey 2015–16*** and ***Economic Survey 2016–17.***

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(ii) प्रस्तावित 'अपशिष्ट से ऊर्जा मिशन' कचरे से ऊर्जा के दोहन की दिशा में प्रयासों को प्रोत्साहित करेगा और इसका उद्देश्य बिजली उत्पादन के लिए कोयला, तेल और गैस पर निर्भरता को कम करना है।

(iii) 'तटीय क्षेत्रों पर राष्ट्रीय मिशन' (एनएमसीए) पूरी तटरेखा (लगभग 7000 किलोमीटर) पर एक एकीकृत तटीय संसाधन प्रबंधन योजना और नक्शे तैयार करेगा।

(iv) 'विंड मिशन' भारत के अक्षय ऊर्जा मिश्रण में पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसे वर्ष 2022 तक 50,000-60,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का शुरुआती लक्ष्य दिए जाने की संभावना है।

एसएपीसीसी (SAPCC)

जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना (एसएपीसीसी) का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए संस्थागत क्षमताएं तैयार करना और क्षेत्रीय गतिविधियों को लागू करना है। इन योजनाओं में शमन के साथ अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित किया गया है ताकि क्षेत्रों, जैसे-जल, कृषि, पर्यटन, वानिकी, परिवहन, आवास और ऊर्जा को सहयोग का लाभ मिल सके। अब तक, 28 राज्यों और 5 केंद्रशासित प्रदेशों ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अपने एसएपीसीसी सौंपे हैं। इनमें से, 32 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के एसएपीसीसी का MoEFCC में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससीसी) द्वारा समर्थन किया गया है।

एनएएफसीसी (NAFCC)

वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए 1350 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान के साथ जलवायु परिवर्तन के लिए एक राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (एनएएफसीसी) बनाया गया है। इसका उद्देश्य उन असुरक्षित क्षेत्रों, जो विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन की चपेट में है, की राष्ट्रीय और राज्य स्तर के अनुकूलन उपायों की लागत को पूरा करने में सहायता करना है।

इस कोष का समग्र लक्ष्य अनुकूलन गतिविधियों को समर्थन करने के लिए है जो जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहे ऐसे समुदायों, क्षेत्रों और राज्यों पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभावों को कम करती है, जो राज्यों और केंद्र में चल रही योजनाओं के दायरे में नहीं आते। समुदाय और क्षेत्र के स्तर पर असुरक्षा के जोखिम को कम करने की दिशा में अनुकूलन परियोजनाएं योगदान करती हैं।

कोयला सेस और राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (Coal Cess and the National Clean Energy Fund)

भारत दुनिया के कुछ देशों में शामिल है, जिसने कोयले पर सेस के रूप में कार्बन टैक्स लगाया है। भारत ने न केवल ऐसा सेस लगाया है, बल्कि उसने इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि की है (2010 में 50 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 20-15-16 में 200 रुपये प्रति टन)। एनसीईएफ (राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष) जिसे कोयले का सेस मिलता है, को स्वच्छ ऊर्जा के कदमों, स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान और किसी अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए आर्थिक सहायता और बढ़ावा देने के लिए बनाया गया।

परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड (Perform Achieve and Trade)

संवर्द्धित ऊर्जा दक्षता पर राष्ट्रीय मिशन के तहत इस PAT (परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड) योजना को ऊर्जा गहन उद्योगों में विशिष्ट ऊर्जा की खपत कम करने के लिए एक साधन के रूप में पेश किया गया था। यह बाजार आधारित व्यवस्था ESCerts (एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट) की कारोबार की इजाजत देते हैं। भारत सरकार द्वारा जारी ESCerts का देश में पावर एक्सचेंजों के माध्यम से कारोबार होता है।

अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy)

भारत के लिए, अक्षय ऊर्जा प्रमुख केंद्रित क्षेत्र बन गया है। भारत सरकार ने 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से 40 प्रतिशत संचयी बिजली क्षमता को प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत अभी दुनिया में अक्षय ऊर्जा क्षमता का सबसे बड़ा विस्तार कार्यक्रम चला रहा है। इससे जुड़ी **प्रमुख विशेषताएं** निम्न हैं:

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(i) वर्ष 2022 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता लक्ष्य बढ़ाकर 175 गीगावाट कर दिया गया है, जिसमें से 100 गीगावाट सौर, 60 गीगावाट पवन, 10 गीगावाट बायोमास और 5 गीगावाट लघु पनबिजली परियोजनाओं से है।

(ii) पहली RE-INVEST (रिन्यूवबल एनर्जी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन मीट एंड एक्सपो) फरवरी 2015 में आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य वैश्विक निवेश समुदाय को भारत में निवेश के लिए मंच प्रदान करना था।

RE-INVEST सम्मेलन एक्सपो की श्रृंखला का उद्देश्य भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता और सरकार के प्रयासों को दिखाना है जैसे कि कैसे सरकार सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी तरीकों से राष्ट्रीय ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता को बढ़ा और विकसित कर रही है। इन सम्मेलनों में 273,000 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा के साथ 62,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा निर्माण के समझौते हुए:

(i) भारत ने ISA (अंतर्राष्ट्रीय सौर ऐजेंसी) को पेरिस में (कॉप 21 में दिसंबर 2015 में) शुरू किया। ISA पूरे या आंशिक तौर पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पड़ने वाले 121 सौर ऊर्जा संसाधन संपन्न देशों के लिए आपसी सहयोग का विशेष मंच प्रदान करेगी। ISA का सचिवालय भारत में होगा।

(ii) सौर शहरों के विकास का कार्यक्रम भारत की एक और महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत 56 सौर शहरी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

(iii) सौर पार्क (*मार्च* 2016 तक 25 ऐसे पार्क स्वीकृत हुए), प्रत्येक की क्षमता 500 मेगावाट और अधिक।

(iv) विभिन्न राज्यों में अगले पाँच वर्षों में अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं को विकसित किया जाना है।

(v) राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति, 2015 एक प्रमुख अक्षय ऊर्जा नीति पहल है। इसका उद्देश्य देश या देश से सटे इलाकों, 200 समुद्री मील की दूरी पर समुद्र में और बेसलाइन से विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं और जल में अनुसंधान और विकास परियोजनाएं स्थापित करने के साथ अपतटीय पवन ऊर्जा विकास में मदद करना है।

(vi) पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए त्वरित मूल्य ह्रास लाभ योजना को भारत सरकार द्वारा 2016 में फिर बहाल कर दिया गया (जिसे *जुलाई* 2014 में वापस ले लिया गया था)। ये देश में पवन टर्बाइनों के लिए एक मजबूत विनिर्माण आधार बनाने में मदद मिलेगी।

(vii) निवेश की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराना, भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्षय ऊर्जा को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए पीएसएल (ऋण के लिए प्राथमिक क्षेत्र) में शामिल किया है।

(viii) बिजली के लिए नई राष्ट्रीय शुल्क नीति (जनवरी 2016) के प्रमुख प्रावधानों में पर्यावरणीय पहलुओं पर ज्यादा ध्यान (*आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17*) केंद्रित किया गया है, जैसे;

- वर्ष 2022 तक खपत के लिए 8 प्रतिशत बिजली (पनबिजली को छोड़कर) सौर ऊर्जा से आएगी;
- नई कोयला/लिग्नाइट आधारित तापीय ऊर्जा इकाई की स्थापना/प्राप्ति/खरीद की जाएगी।
- ऐसी ऊर्जा इकाइयां, जिनसे विद्युत खरीद समझौतों की समय सीमा समाप्त हो गई है या जिसने अपना उपयोगी जीवनकाल पूरा कर लिया होय से ऊर्जा प्राप्त कर पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा का एकत्रीकरण;
- सौर एवं पवन ऊर्जा के लिए कोई अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन शुल्क नहीं;
- 'अपशिष्ट से ऊर्जा' इकाइयों से उत्पादित बिजली की 100 प्रतिशत खरीद, तथा;
- पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार निमित्त ग्रिड ऑपरेशन का समर्थन करने के लिए सहायक सेवाएं, आदि।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

भविष्य का परिदृश्य (FUTURE OUTLOOK)

वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक ***(GCRI), 2018*** के अनुसार भारत विश्व के 6 सर्वाधिक भेद्य (valnerable) देशों[11] में से एक है। देश के क्षेत्र जो जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील हैं वहां की जनसंख्या में गरीबी का स्तर भी उच्च है और उनके पेशे भी जलवायु के प्रति संवेदनशील हैं। ऐसी स्थिति में जलवायु परिवर्तन भारत के लिए जीवन स्तर से जुड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी कर सकता है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव इसके प्रति संवेदनशीलता के स्तर एवं वहां की जनसंख्या एवं समुदायों की इसके प्रति अनुकूलन (adaptation) की आंतरिक शक्ति पर निर्भर करेगा।

भारत द्वारा संपोषित विकास एवं जलवायु परिवर्तन की दिशा में उठाए गए कदमों के कई धनात्मक परिणाम सामने आए हैं। इस कार्य के लिए वित्त की व्यवस्था देश के लिए काफी चुनौती भरा कार्य रहा है फिर भी सरकार द्वारा इस कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। 15वें वित्त आयोग द्वारा भी जलवायु परिवर्तन को नीति निर्माण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक बताया गया है।

इस दिशा में वैश्विक बहुपक्षीय वित्त की व्यवस्था का प्रयास कोई अर्थपूर्ण परिणाम नहीं दे सका है। वित्त की अनिश्चितता जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के प्रयासों के लिए अच्छी नहीं है। इस मामले में भारत की सोच स्पष्ट रही है-विकसित देशों को अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारियों के अनुरूप कटिबद्धता दर्शानी चाहिए तथा इस मामले में समान सिद्धांत पर अमल करना उतना ही आवश्यक है जितना विभेदीकृत लक्ष्यों पर कार्य करना।

उपसंहार (Epilogue)

किसी भी उपलब्धि में अगर निरंतरता की संभावना नहीं है तो इसे आर्थिक समझ की कमी ही मानी जाएगी। वृद्धि और विकास 'निश्चित उद्देश्यों' से ही संभव हो सकते हैं, इन्हें असीमित हद तक नहीं खींचा जा सकता। आखिर परिमित धरती मनुष्य जाति की अपरिमित भौतिक जरूरतों की पूर्ति किस प्रकार कर सकती है? यह तथ्य 1972 में क्लब ऑफ रोम द्वारा सामने लाए जाने के बहुत पहले तीस के दशक में ही गाँधी जी ने कहा था, ''धरती हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें काफी कुछ प्रदान करती है, लेकिन हर आदमी के लालच के लिए कुछ भी नहीं।'' मनुष्य जाति को अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को ही नहीं बल्कि उनको पूरा करने के तरीकों पर भी आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त हमें अपनी 'जरूरतों' और 'आकांक्षाओं' के बीच अंतर करने की जरूरत है।

हमारी भौतिक जरूरतों का सीधा संबंध संसाधनों से है जिनका हमें उपयोग करना है। यदि मनुष्य जाति को जीवित रहना है तो उसे अपनी गतिविधियों की प्रकृति पर पड़ने वाले कुप्रभावों के प्रति सचेत रहना होगा।[12]

11. ***Economic Survey 2018-19***, Vol. 2, Ministry of Finance, GoI, N. Delhi, p.79.

12. These virtuous opinions can be seen in a number of contemporary thinkers and writers since 1970s:
E. F. Schumacher, 'The Economics of Permanence', ***Resurgence,*** 3(1), May/June 1970, reprinted in Robin Clarke, Editor, ***'Notes for the Future: An Alternative History of the Past Decade'*** (London: Thames & Hudson, 1975. Schumacher invoked Gandhi while advocating for the 'economics of permanence'.
Jeffery Sachs, ***Common Wealth: Economics for a Crowded Earth*** (London: Penguin Books, 2009, pp. 29–35, pp. 55–155.
Jeffery Sachs, ***The End of Poverty,*** Penguin Books, 2005, pp. 280-284.
Tim Harford, ***'The Undercover Economist',*** Abacus, GB, London, 2006, pp. 90-104.
Thomas L. Friedman, ***'The World is Flat',*** Penguin Books, GB, London, 2006, pp. 383-385, pp. 495-504
Ramachandra Guha, ***' The Ecology of Affluence'*** in ***'The Ramachandra Guha Omnibus',*** Oxford University Press,N. Delhi, 2005, pp. 69-97.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

अध्याय 20

भारत में मानव विकास (HUMAN DEVELOPMENT IN INDIA)

''विकास का मूल उद्देश्य लोगों के पास उपलब्ध विकल्पों को बड़ा बनाना है। सिद्धांत रूप में ये विकल्प अपरिमित हो सकते हैं और समय के साथ बदल सकते हैं। लोग अक्सर ऐसी उपलब्धियों को महत्व देते हैं जो कि फौरन अपना कोई प्रभाव नहीं छोड़ती हैं, न आय में, न ही वृद्धि आंकड़ों में – ज्ञान तक अधिक पहुंच, बेहतर पोषण तथा स्वास्थ्य सेवाएं, अधिक सुरक्षित आजीविका, अपराध एवं दैहिक हिंसा से सुरक्षा, संतुष्टिदायक अवकाश, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता, तथा सामुदायिक गतिविधियों में सहभागिता। विकास का उद्देश्य लोगों के लिए एक ऐसे वातावरण का सृजन करना है जो उनके जीवन को सुदीर्घ, स्वस्थ्य तथा सृजनशील बनाने में सहायक हो।'' *

इस अध्याय में

- ❏ परिचय
- ❏ एच.डी.आर. 2016
- ❏ लैंगिक मुद्दे
- ❏ गरीबी का प्राक्कलन
- ❏ समावेशी वृद्धि को बढ़ावा
- ❏ जनसांख्यिकी
- ❏ सामाजिक–आर्थिक एवं जाति जनगणना
- ❏ शैक्षणिक परिदृश्य
- ❏ रोजगार परिदृश्य
- ❏ श्रम सुधार
- ❏ बाल श्रम
- ❏ स्वास्थ्य परिदृश्य
- ❏ रोगों का बोझ
- ❏ स्वच्छ भारत मिशन
- ❏ स्वास्थ्य व्यय
- ❏ सामाजिक क्षेत्र व्यय
- ❏ नीतिगत सुझाव

* *महबूब-उल-हक (1934–1998), ह्युमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के फाउंडिंग एडिटर, यूएनडीपी 1990*

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

परिचय (INTRODUCTION)

आर्थिक वृद्धि अभी भी विश्व अर्थव्यवस्थाओं के लिए सबसे तात्कालिक प्राथमिकता बनी हुई है। लेकिन आर्थिक वृद्धि किसी देश में वांछित विकास तभी ला सकती है जबकि इसके पीछे एक सचेत लोक नीति एवं नीतिगत ढांचे में सुशासन उपस्थित हों। कल्याण अर्थशास्त्र की बढ़ती स्वीकार्यता के पश्चात् जीवन-स्तर विकासात्मक उपलब्धियों को मापने का सबसे लोकप्रिय पैमाना बन गया है। यह विचार यू.एन.डी.पी. के द्वारा उच्चारित 'मानव विकास की अवधारणा' से एकदम मिलता-जुलता है।[1] हाल के समय में विकास को आगे बढ़ाने में लोगों की प्रवृत्तिमूलक तथा व्यवहारमूलक आयामों की भूमिका को भी स्वीकार किया गया है।[2] पुनः विभिन्न राष्ट्रों के बीच अपने नागरिकों को 'प्रसन्नता' तथा 'जीवन संतुष्टि' प्रदान करने के प्रति भी स्वीकार्यता बनी है।[3] इसका आशय यह है कि, हाल के कुछ दशकों में अर्थव्यवस्थाओं के अंतिम लक्ष्य को लेकर एक कायांतरण की स्थिति बनी है।

मानव विकास, लोगों की अधिक भलाई तथा खुशहाली भारत में विकास नियोजन का अंतिम लक्ष्य रहा है। लोगों की भलाई के लिए विकास के लाभों का समत्वपूर्ण वितरण की जरूरत होती है। इसलिए विकास प्रक्रिया के अंतर्गत लोगों के जीवन-स्तर तथा गुणवत्ता में व्यापक सुधार के लिए लगातार कोशिश चलती रहती हैं और इसके लिए एक समावेशी विकास रणनीति अपनाई जाती है जो आय तथा गैर-आय वाले आयामों को भी ध्यान में रखता है। वृद्धि एवं विकास को सीमांत तथा वंचित वर्गों (अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व., अल्पसंख्यक एवं महिला) तक पहुंचना देश की समावेशी वृद्धि की औपचारिक नीति है।[4]

असल चुनौती है—ऐसी समावेशी योजनाओं का सूत्रण, जिनसे कि क्षेत्रीय, सामाजिक तथा आर्थिक असमानताओं को पाटा जा सके। 12वीं योजना (2012-17) का दृष्टिकोण पत्र उचित ही अधिक अधिरचनात्मक निवेश की जरूरत पर बल देता है, जिससे कि तीव्र धरणीय तथा अधिक समावेशी वृद्धि का लक्ष्य हासिल किया जा सके। भारत सरकार सामाजिक क्षेत्र के विकास को लेकर सचेत रही है जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, आश्रय, सामाजिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा आदि समाहित है। अर्थव्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया शुरू होते ही सामाजिक क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण पर ध्यान दिया जाने लगा। इसके लिए सामाजिक अधिरचना का विस्तार किया गया।[5] लेकिन भारत अनेक प्रकार के अंतर्संबंधित तथा आश्रित पराश्रित मुद्दों एवं चुनौतियों से जुझता रहा है, जैसे—समावेशन, विस्तारण कार्यान्वयन, उत्तरदायित्व अभिशासन तथा विकेन्द्रीकरण इत्यादि।[6]

साल 2020 तक भारत को आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र देखा गया है। यह 'युवा उभार' भारत को बड़े अवसर उपलब्ध कराता है और साथ ही चुनौतियां भी। युवा लोगों को स्वस्थ, सुशिक्षित और पर्याप्त कौशलयुक्त बनाने की जरूरत है, ताकि ये देश की अर्थव्यवस्था में अपना अधिकतम योगदान दें।[7] आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार, साल 1991 से 2013 के दौरान भारत की आर्थिक रूप से सक्रिय आबादी (25-59 साल) 57.7 प्रतिशत से बढ़कर 63.3 प्रतिशत हो गई। अगर भारत को आने वाले वर्षों में इस जनसांख्यिकी लाभांश का फायदा उठाना है, तो यह जरूरी हो जाता है कि वांछित शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधी नतीजों को पाने के लिए पर्याप्त तरीके से सामाजिक आधारभूत संरचना में निवेश हो।

---

1. Amartya Sen, ***Development as Freedom***, Oxford University Press, N. Delhi, 2000, pp. 3-11.
2. ***World Development Report 2015: Mind, Society, and Behaviour***, world Bank, Washigton DC, 2015.
3. ***World Happiness Report-2012 & 2013***, Sponsored by the UNO, N. York, 2013 & 2014.
4. ***Eleventh Five Year Plan (2007–12)***, Planning Commission, GoI, N. Delhi.
5. Increased allocations of fund as well as enhanced performance is reported by the ***Economic Surveys of 1991–92 to 2014–15***, MoF, GoI, N. Delhi.
6. Amartya Sen and Jean Dreze, ***An Uncertain Glory: India and its Contradictions***, Allen Lane, Penguin Books, London, 2013, pp. vii-xiii.
7. ***Economic Survey 2014–15***, MoF, GoI, N. Delhi, pp. 131–146.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

सामाजिक आधारभूत संरचना तक लोगों की पहुंच न होने की खाई को पाटने के लक्ष्य के साथ भारत को बहु-आयामी रणनीति बनानी होगी। इसके लिए नई-नई तकनीकों का उचित इस्तेमाल करना होगा, ताकि मानवीय पूंजी का इस्तेमाल जीवन-स्तर को सुधारने और कई क्षेत्रों में उत्पादक रोजगार पैदा करने में हो। इस मामले में नागरिक समाज, मीडिया और समाज के अन्य हिस्सेधारकों को जागरूक कर एक बड़ी सार्थक भूमिका निभानी होगी।

एच.डी.आर. 2016 (HDR 2016)

नवीनतम् *मानव विकास रिपोर्ट 2016* (HRD 2016) में भारत का 131वां रैंक है (पिछले वर्ष से एक स्थान नीचे)। विश्व के 188 देशों को यू.एन.डी.पी. द्वारा उनके जीवन स्तर, जीवन प्रत्याशा एवं ज्ञान की प्राप्ति के आधार पर श्रेणीबद्ध किया गया है। मानव विकास से जुड़ी प्रमुख विशेषताएं (1990-2015 की अवधि के लिए) निम्न प्रकार हैं:[8]

- विश्व के तीन शीर्ष देश हैं-नॉर्वे, आस्ट्रेलिया एवं स्विट्जरलैंड, जिन्हें मानव विकास सूचकांक (NDI) में क्रमशः 0.949, 0.939 एवं 0.939 अंक प्राप्त हुए हैं।
- भारत का HDI मूल्य 0.624 है और यह 'मध्यम मानव विकास' श्रेणी में आता है-कांगो, नामीबीया एवं पाकिस्तान के साथ। वैसे सार्क (SAARC) देशों में इसका स्थान **तीसरा है (लेकिन** BRICS देशों में सबसे नीचे), यह श्री लंका (73वां) एवं मालदीव (105वां) से काफी नीचे है।
- इस अवधि में भारत मानव विकास के क्षेत्र में बढ़ी उपलब्धियां हासिल कर सका है-जीवन प्रत्याशा में 10.4 वर्षों की वृद्धि, स्कूलिंग के माध्य वर्षों में 3.3 वर्षों की वृद्धि, स्कूलिंग की अनुमानित अवधि में 4.1 वर्षों की वृद्धि, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में 223.4 प्रतिशत की वृद्धि।
- भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य सकल घरेलू उत्पाद के 1.4 प्रतिशत के निम्न स्तर पर रहा। वैसे इस अवधि में भारत की जीवन प्रत्याशा 10.4 वर्ष बढ़ी तथा बाल कुपोषण भी 10 प्रतिशत घटा।
- मानव विकास में विद्यमान असमानता के कारण भारत के NDI मान में 27 प्रतिशत का क्षय (loss) होता है।
- भारत एवं पाकिस्तान में 1-5 वर्ष के आयु वर्ग में लड़कों की तुलना में लड़कियों की मृत्यु की संभावना 30 से 50 प्रतिशत तक अधिक है।
- रिपोर्ट के अनुसार अलक्षित छूटों (untargeted subsidies) से न सिर्फ सरकार के बहुमूल्य संसाधनों की बरबादी होती है बल्कि इन लोगों को इनका लाभ भी नहीं मिल पाता, जिन्हें इनकी नितांत जरूरत है। इसके अनुसार वर्ष 2014 में देश के 20 प्रतिशत धनी वर्ग ने इन छूटों के 16 अरब अमेरिकी डॉलर का लाभ उठाया-मात्र 6 उत्पादों पर मिलने वाली छूटों के माध्यम से (रसोई गैस, रेल यातायात, उड्डयन ईंधन, स्वर्ण एवं किरोसिन के माध्यम से)। रिपोर्ट में भारत की कुछ बातों की प्रशंसा भी की गयी है, जैसे-**आरक्षण नीति** (हालांकि इस के द्वारा जाति आधारित अपवंचन का समाधान नहीं प्राप्त करा सका है फिर भी इसके अच्छे धनात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं-सिविल सेवाओं में दलितों की भागीदारी इसके माध्यम से 1965 के 2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2001 में 11 प्रतिशत हुई); ग्रामीण मजदूरी गारंटी योजना; सूचना का अधिकार; शिक्षा का अधिकार; राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत एवं मजदूर किसान शक्ति संगठन के कार्य (जिसके माध्यम से सरकारी योजनाओं के 'सामाजिक लेखांकन' को लोकप्रिय बनाया गया है)।

इस रिपोर्ट के अनुसार, मानव विकास की दिशा तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत् विकास लक्ष्यों, 2030 (जिसे वर्ष

8. Human Development Report 2016, UNDP, N. York, USA, March 2017.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

2015 में घोषित किया गया) की दिशा में भारत की उपलब्धि कुछ नये सरकारों योजनाओं (स्किल इंडिया, डिजीटल इंडिया, मेक इन इंडिया तथा 'बेटी बचाओ एवं बेटी पढ़ाओ') की सफलताओं पर निर्भर करेगा।

लैंगिक मुद्दे (GENDER ISSUES)

भारत के अपने सामाजिक ताने-बाने में ही लैंगिक भेदभाव सन्निहित है। यह ज्यादातर क्षेत्रों में दिखता है, जैसे—शिक्षा को पाने से लेकर सामाजिक व आर्थिक अवसरों में। लैंगिक समानता और न्याय के लिए कानून तंत्र पर निर्भरता है, जो कि एक समय तक नहीं बन पाया। इससे भी आगे अपर्याप्त क्षेत्र, परिव्यय, अक्षमता और वितरण-तंत्र में त्रुटियों के चलते महिलाओं की सामाजिक आर्थिक और कानूनी स्थिति में कई संकेतकों के हिसाब से कम ही सुधार हुए। हम भारत में कई स्तरों पर लैंगिक भेदभाव पाते हैं:

(i) कोख से ही यह शुरू हो जाता है, लैंगिक जांच और कन्या भ्रूण की हत्या तक;

(ii) बालिका को पोषण देने के मामले में भी भेदभाव किया जाता है;

(iii) भाइयों की तुलना में लड़कियों को स्कूली पढ़ाई से जोड़े रखने के समय और स्कूल के स्तर को लेकर अंतर रहता है;

(iv) उच्च शिक्षा से वंचित रखा जाना या अपर्याप्त उच्च शिक्षा दिलाना;

(v) रोजगार के अवसरों और मेहनताने में भेदभाव, और;

(vi) पैतृक संपत्ति में असमान हिस्सेदारी।

इन भेदभाव में से हरेक से निपटने के लिए समाज और सरकार कानूनी मार्ग पर निर्भर है, बिना उनका सामाजिक ताने-बाने या सभी सामाजिक क्षेत्रों के नेताओं द्वारा बनाए रोल मॉडल से मिलान किए हुए। कानून के रास्ते में भी कई बाधाएं हैं, खासतौर पर न्याय दिलाने में लगने वाले समय के संदर्भ में। ऊपर बताए गए सभी भेदभावों में से हरेक के लिए कानून हैं, इसलिए भेदभाव के तमाम कृत्य गैर-कानूनी हैं। फिर भी उनके पालन के लिए काफी कुछ किए जाने की जरूरत है।

महिला की निजता (Privacy of Women)

भारत में महिलाएं और लड़कियां स्वच्छता संबंधी कमियों का पुरुषों की तुलना में गैर-समानुपातिक[9] बोझ वहन करती हैं, जिससे उन्हें अपने निजता के मौलिक अधिकार के साथ समझौता करना पड़ता है। यह-खुले में शौच के लिए जाने के दौरान जीवन और सुरक्षा की चुनौती, शौचालय उपयोग के लिए घर से बाहर निकलने की जरूरत को कम करने के लिए खाने की चीजों और पानी के उपयोग में कमी, प्रदूषित पानी की वजह से शिशु जन्म से संबंधित संक्रमण से महिलाओं और बच्चों की हो रही मौतें, जैसे अनेक स्वरूपों में हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि महिला की व्यक्तिगत स्वच्छता बेहतर स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है लेकिन इसकी भी आवश्यकता होती है कि वह अपने शरीर पर नियंत्रण रखते हुए—निजता के अधिकार के साथ स्वतंत्रता की अनुभूति कर सके।

2011 की जनगणना में स्वच्छता की व्यापक कमी का उल्लेख किया गया है। देश की आधी से ज्यादा आबादी खुले में शौच करती है। हालिया आंकड़े बताते हैं कि, ग्रामीण घरों के करीब 60 प्रतिशत (पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय-2017; एनएसएस-2015 के अनुसार 45 प्रतिशत से बढ़कर) और 89 फीसदी शहरी घरों (एनएसएसओ-2016) में शौचालय की सुविधा है—यह जनगणना से बेहतर स्थिति दर्शाता है। *आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17* के लिए विशेष रूप से किए गए एक 'त्वरित अध्ययन' (*वाश इंस्टीट्यूट* एवं *संबोधि* द्वारा 2016 में), ने कुछ नई जानकारी दी:

(i) बिना शौचालय वाले बहुतायत घरों के बारे में कुछ चिंताजनक रुझान मिले—इन सुविधाओं के

9. ***Economic Survey 2016-17*** (MoF, GoI, N. Delhi, Vol. 1, pp. 27-30). The **Economic Survey**, for the last two years, featured very useful analyses on "women issues". While in *2014-15* it covered 'violence against women related coercive family planning methods', in *2015-16* it featured the importance of government interventions to ensure long-term wellbeing of women and child under the topic 'mother and child'. Continuing with the process, the *2016-17* issue has covered the issue of "women's privacy".

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

उपयोग के लिए 76 प्रतिशत महिलाओं को एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है जबकि खुले में जाने के दौरान 33 प्रतिशत महिलाओं को निजता और हिंसा संबंधी चिंताओं से जूझना पड़ता है। इन खतरों की वजह से, ऐसी महिलाओं की संख्या जो खाने व पीने की चीजों में कमी करती हैं क्रमशः 33 प्रतिशत और 28 प्रतिशत है, जबकि तात्कालिक तौर पर इससे बीमारी, कमजोरी और हीनता जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। दूरगामी तौर पर यह नवजात शिशुओं और विशेषकर बालिकाओं के समग्र स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। अन्य अध्ययनों में प्राकृतिक तत्वों, जैसे–सांप के काटने, आदि, के प्रभावों से संबंधित चिंताओं का भी उल्लेख किया गया है।

(iv) शौचालयों वाले घरों में, महिलाएं इनका कहीं ज्यादा उपयोग करती हैं, जिससे महिलाओं के लिए इनकी उच्च आवश्यकता का संकेत मिलता है। अध्ययनों से पता चला है कि, घरों के लोग विभिन्न कारकों (विशेष रूप से जाति और शुष्क शौचालय) की वजह से खुले में शौच को प्राथमिकता देते हैं। 'त्वरित अध्ययन' के मुताबिक, शौचालय उपयोग के तरीके पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए ज्यादा बेहतर हैं (2016 के एनएसएसओ सर्वेक्षण में भी इसकी पुष्टि की गई थी)।

(iii) ग्रामीण और शहरी घरों में–महिलाएं और लड़कियां, पुरुषों की तुलना में शौचालय का ज्यादा उपयोग करती हैं। शौचालय उपयोग का यह तरीका एक अति महत्वपूर्ण तथ्य की ओर इशारा करता है–महिला और लड़कियां स्वच्छ भारत के शौच मुक्त समुदायों के निर्माण में (घरों के पुरुषों और लड़कों को उनके अपने शौच संबंधी व्यवहारों को बदलने के लिए दबाव बनाकर) एक प्रमुख नेतृत्वकारी भूमिका अदा कर सकती हैं।

(iv) स्वच्छता सेवाओं तक पहुंच हासिल करने के बाद महिलाएं सकारात्मक व्यवहारगत तरीकों को प्रदर्शित करती हैं। वहीं इन सेवाओं की अनुपस्थित में, उन्हें काफी असुरक्षा और पोषण संबंधी खतरों का सामना करना पड़ता है।

ऊपर व्यक्त किए कारणों से, स्वच्छ भारत के उद्देश्यों को सुरक्षित और उपयुक्त स्वच्छता को सुनिश्चित करना एक गंभीर नीतिगत मुद्दा बनकर उभर रहा है–आखिरकार इसे निजता के मौलिक अधिकार से जो जोड़ा गया है।

जनसंख्या नीति के कुप्रभाव
(Fallouts of Population Policy)

एक ऐसी जनसंख्या नीति जो जन्म पर नियंत्रण पर ही एकाग्र हो, का नकारात्मक प्रभाव घटते शिशु लिंग अनुपात के रूप में भी सामने आता है - अगर प्रत्येक परिवार में कम बच्चे पैदा होने हैं तो यह चिंता घेर लेती है कि उनमें से कम-से-कम एक पुरुष शिशु हो। इस स्थिति में सरकार के किए पर पानी फिर जाता है, अपेक्षित स्तर के परिणाम के लिए लक्ष्य निर्धारित किए बिना महिला बंध्याकरण तथा जन शिविरों की व्यवस्था के लिए प्रोत्साहनों को वापस लेना संभव नहीं। इसके अतिरिक्त *आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15* सरकार के लिए निम्नलिखित कार्यवाहियां सुझाता है:

(i) परिवार नियोजन कार्यक्रम की समीक्षा कर इसे इस प्रकार का नया स्वरूप दिया जाए कि इसे महिला के जनन अधिकारों तथा भारत की आबादी की जरूरतों से जोड़ा जा सके।

(ii) गुणवत्तापूर्ण सेवाओं, स्थिर परिवार नियोजन क्लिनिक तथा गुणवत्तापूर्ण अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण की व्यवस्था हो।

(iii) युवाओं की जरूरतों की पूर्ति हो, यौन-स्वास्थ्य के लिए अधिक परामर्शदाता हों, तथा जन्म में अंतर रखने के उपायों की पर्याप्त आपूर्ति हो।

गरीबी का प्राक्कलन
(POVERTY ESTIMATES)

भारत ने जब से आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन सम्बन्धी नीतियों में बड़ा परिवर्तन आया - वेतन रोजगार से हटकर ध्यान अब स्वरोजगार पर

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

आ गया है, जिससे कि 'लाभकारी रोजगार' पैदा किए जा सकें तथा गरीबी स्थायी रूप से मिटाई जा सके।[10]

योजना आयोग गरीबी के आकलन के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (National Sample Survey) कार्यालय द्वारा संचालित घरेलू उपभोक्ता खर्चों के बड़े नमूना सर्वेक्षणों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करता है, प्रत्येक पांच वर्ष पर। यह गरीबी रेखा को परिभाषित करता है मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च के आधार पर। गरीबी का आकलन करने की पद्धति विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर योजना आयोग द्वारा अपनाई गई। हाल के आंकड़े एक विशेषज्ञ समूह की अनुशंसाओं के आधार पर हैं, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर सुरेश डी. तेंदुलकर ने की थी और अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2009 में दी। इस पद्धति के अनुसार, साल 2004-05 से 2011-12 तक गरीबी का आकलन (एनएसएसओ, 68वां दौर, 2011-12) निम्नांकित था:

(i) कुल गरीबी 37.2 प्रतिशत से कम होकर 21.9 प्रतिशत हो गई है।

(ii) ग्रामीण गरीबी 41.8 प्रतिशत से घटकर 25.7 प्रतिशत हुई है।

(iii) शहरी गरीबी 25.7 प्रतिशत से घटकर 13.7 प्रतिशत हो चुकी है।

गरीबी रेखा के मानदंड को लेकर उठते विवाद और उलझन को देखते हुए, साल 2015 के उत्तरार्द्ध में नीति आयोग के उपाध्यक्ष (अरविंद पनगढ़िया) की अगुवाई में भारत सरकार ने एक कार्यबल की स्थापना की, जो गरीबी आकलन का एक नया तरीका सुझाएगा।

समावेशी वृद्धि को बढ़ावा (PROMOTING INCLUSIVE GROWTH)

भारत के नियोजित विकास का पूरा ध्यान ऐसे कार्यक्रमों एवं नीतियों के सूत्रण पर रहा जिनका लक्ष्य 'सीमांत एवं निर्धन' वर्गों को मुख्यधारा में लाना था। सरकार सामाजिक और आर्थिक समावेशन के अनेक कार्यक्रमों को लागू रही है। लेकिन लाभ के समुचित वितरण के लिए एक व्यवस्थित प्रणाली होनी चाहिए जिससे कि वास्तविक वित्तीय सशक्तीकरण हो, अनुश्रवण भी आसान बने, साथ ही स्थानीय निकायों को भी और उत्तरदायी बनाया जा सके। प्रधानमंत्री जन-धन योजना, जो कि अगस्त 2014 में शुरु की गई तथा 'रुपे कार्ड' (Rupay Card) जो कि एक भुगतान समाधान है, इस दृष्टि से महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। ये दोनों योजनाएं एक-दूसरे की पूरक हैं, जिनसे अनेक उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है, जैसे – वित्तीय समावेशन, बीमा पहुंच तथा डिजिटीकरण।

हाल के वर्षों में अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण पर सरकार का जोर ज्यादा बढ़ा है। इस संदर्भ में हाल में अनेक नई योजनाएं शुरू की गईं—अल्पसंख्यक महिला के नेतृत्व विकास के लिए 'नई रोशनी' योजना; अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए देश से बाहर जाकर पढ़ने के लिए शिक्षा ऋण पर ब्याज अनुदान की 'पढ़ो परदेश' योजना; अल्पसंख्यकों में कौशल विकास के लिए 'सीखो और कमाओ' (लर्न एंड अर्न), यूएसटीटीएडी (विकास के लिए पारंपरिक कलाशिल्प में कौशल सुधार और प्रशिक्षण) और 'नई मंजिल'।

आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार, सरकार को समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने से जुड़े कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, आर्थिक संवृद्धि की बढ़ोतरी एवं बाजार की दक्षता को बेहतर बनाने के साथ-साथ इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि नागरिकों तक आपूर्ति की पहुंच स्थापित हो सके।

सुगम्य भारत अभियान (Accessible India Campaign)

भारत में दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या पूरी आबादी का 2.2 प्रतिशत (जनगणना 2011) है। यह अत्यंत आवश्यक है कि इनके लिए सभी मानव अधिकारों और मौलिक आजादी एवं उनके आत्मसम्मान को सुनिश्चित किया जाए (दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन)। इस दिशा में, दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) ने 'दिव्यांग व्यक्तियों की सर्वसुलभता के लिए' एक देशव्यापी कार्यक्रम शुरू किया (सुगम्य भारत अभियान) जिसके अंतर्गत त्रिस्तरीय कार्यक्रम शुरू किया गया है—माहौल निर्मित करना, सार्वजनिक परिवहन और आईसीटी (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी)।

10. *Economic Survey*, 1999–2000, Ministry of MoF, GoI, N. Delhi.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

सरकार ने इस अभियान के हिस्से के तौर पर एक 'समावेशी और सुगम्यता सूचकांक' की शुरुआत की है। यह सूचकांक उद्योगों और कॉरपोरेट जगत को दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडीएस) की कार्यस्थलों तक पहुंच आसान बनाने के लिए उनके स्वैच्छिक मूल्यांकन की तैयारी के अभियान में हिस्सेदारी में मददगार होगा। सूचकांक संगठनों को दिव्यांगों की मदद में अपनी समावेशी नीतियों और सांगठनिक संस्कृति के आत्मावलोकन, दिव्यांगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस तरह के कार्यबल और संयोजन का समायोजन करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा, सरकार ने दिव्यांगों के अधिकारों और पात्रता की संरक्षा व मजबूती के उद्देश्य से दिव्यांगों का अधिकार अधिनियम, 2016 लागू किया (इसमें सरकारी नियुक्तियों में 3 प्रतिशत से 4 प्रतिशत तक आरक्षण बढ़ाने का प्रावधान शामिल है)।

पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाना

(Strengthening the PRIs)

73वां और 74वां संविधान संशोधन भारत में विकेन्द्रीकृत शासन, योजना और विकास के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक घटना है क्योंकि इन संशोधनों के माध्यम से संघीय ढ़ांचे में महिलाओं और वंचित समूहों के लिए अवसर सृजित करने के साथ सरकारी व्यवस्था के तीसरे स्तर के पंचायत निकायों को उचित शक्ति और अधिकार प्रदान किए गए। एक अन्य पंचायत अधिनियम, 1996 (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए) के माध्यम से विकेन्द्रीकृत लोकतंत्र का विस्तार पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों तक किया गया जिसने न केवल ग्राम सभा को अधिक मजबूत बनाया बल्कि जल, जंगल और जमीन संबंधी अधिकार को इसके नियंत्रण में ला दिया।

वैसे इन केन्द्रीय अधिनियमों को राज्य सरकारों के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया गया है। इन अधिनियमों के अनुच्छेद 243जी और 243डब्ल्यू अज्ञप्ति (decree) करते हैं कि राज्य का विधान मंडल कानून बनाकर पंचायतों / नगरपालिकाओं को ऐसे अधिकार और शक्तियां प्रदान कर सकते हैं जो स्व-शासन की संस्थाओं के रूप में उनके कार्यों को करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों। ऐसे कानून में उन्हें सौंपे जाने वाले आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय संबंधी ऐसी योजनाओं को तैयार करने और कार्यान्वयन करने के संबंध में अधिकार और जिम्मेदारी देने के लिए प्रावधान भी शामिल हो सकते हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक विकास और मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करने संबंधी स्कीमें और योजनाएं शामिल हो सकती हैं, जो संविधान की ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं।

74वें संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 जेड डी के तहत प्रत्येक जिले में राज्य सरकार द्वारा जिला योजना समितियों (डीपीसी) के गठन का उपबंध किया गया है जो लोगों की भागीदारी के साथ विकेन्द्रीकृत योजना बनाने के क्रम में मील का पत्थर है। इन समितियों से आशा की जाती है कि ये जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार योजनाओं का समेकन करें और समग्र रूप से जिले के लिए प्रारूप विकास योजना तैयार करें। अधिकांश राज्यों में डीपीसी का गठन कर लिया गया है। पंचायत संबंधी इन अधिनियमों के अधिकांश कार्यान्वयन कार्य, यथा—पंचायत निकायों के साथ सत्ता में भागीदारी, को राज्यों पर छोड़ दिया गया है। इन वर्षों में योजनाओं को तैयार करने और सूचीबद्ध विषयों के संबंध में कार्यकरण, वित्त और अधिकारियों के संबंध में पंचायती निकायों को सुदृढ़ नहीं किया गया है। *आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15* में पीआरआई को मजबूत करने की दिशा में निम्न कदमों का सुझाव दिया गया है:

(i) यदि राज्य एकमत हों तो सरकार के 'न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन' के नारे को लागू करने के लिए पंचायत निकाय के पास वास्तविक माध्यम बनने की क्षमता है।

(ii) स्थान केन्द्रित कार्यक्रमों के परिव्यय को परिणाम में परिवर्तित करने के लिए इन संस्थाओं में अधिक जागरुकता, जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व की आवश्यकता है जिससे कि ये आम आदमी के साथ इन कार्यक्रमों को बेहतर तरीके से जोड़ सकने में समर्थ हों।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(iii) चरणबद्ध तरीके से कार्यकरण, वित्त और अधिकारियों के संबंध में पंचायतों और नगरपालिकाओं को अधिकाधिक अधिकार हस्तांतरण समय की मांग है।

(iv) अधिकांश पंचायत/नगरपालिका केन्द्रित कार्यक्रमों के पास जागरूकता सृजन और क्षमता वर्धन के लिए निर्धारित निधि है। सभी मंत्रालयों के इन निधियों को पंचायती राज मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय के तत्वावधान में एक जगह किए जाने की आवश्यकता है ताकि पंचायतों और नगरपालिकाओं की अवसंरचना और क्षमता वर्धन कार्य को सतत और नियमित बनाया जा सके।

इन कदमों से स्थानीय निकायों में निम्नलिखित संभावनाएं सृजित होंगी:

(a) इन कदमों से वे न केवल अपनी भूमिका और अधिकारों बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को भी समझ पाएंगे और इससे वे विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्था एवं अभिशासन में सुधार लाने के लिए अधिक जवाबदेह होंगे।

(b) इससे वे जीवंत संस्थाओं के रूप में परिवर्तित होंगे और वे भागीदारीपूर्ण, योजना, कार्यान्वयन, निष्पादन , निगरानी और पर्यवेक्षण कार्यों में अपनी उल्लिखित भूमिका निभाने में समर्थ होंगे पंचायत एवं नगरपालिका पर केन्द्रित कार्यक्रमों की सामाजिक संपरीक्षा भी कर पायेंगे।

सरकार ने समावेशी वृद्धि के विचार (जैसा कि 11वीं योजना, 2007-12 द्वारा रेखांकित किया गया है) के माध्यम से 'समावेशन' और आर्थिक सुधारों के तीसरे दौर (10वीं योजना, 2002-07 के आरंभ में शुरुआत) को उच्च प्राथमिकता प्रदान की और पीआरआई को मुख्य उपकरण के तौर पर उपयोग करने के बारे में आधिकारिक रूप से तय किया। इस तरह, सरकार (केंद्र और राज्य दोनों) के लिए यह आवश्यक है कि वे पीआरआई की अब तक उपयोग में न लाई जा सकी क्षमता को जमीनी स्तर तक की वृद्धि और विकास के लाभ पहुंचाने के उपकरण के तौर पर उपयोग करें। इसके लिए पीआरआईज (PRIs) को मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में सरकारों के बीच व्यापक सहमति बनाने में नव सृजित थिंक टैंक, एनआईटीआई (अपने मंच, गवर्निंग काउंसिल के माध्यम से) महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

जनसांख्यिकी (DEMOGRAPHICS)

हाल के दशकों में भारत की जनसंख्या में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं, जिनके कारण भारत का जनसंख्यात्मक स्वरूप बदल गया है। साथ ही इससे अनेक नई संभावनाएं तथा चुनौतियां प्रस्तुत हुई हैं:

(i) जनगणना 2011 के अंतरिम परिणामों से भारत की जनसंख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आते हैं। सन् 2001-11 स्वतंत्र भारत का पहला दशक है, जिसमें भारत की जनसंख्या में कुल योग पिछले दशकों के मुकाबले 0.86 मिलियन कम रहा। वर्तमान में दुनिया में लगभग 6 व्यक्तियों में से 1 भारतीय है।

(ii) नमूना निबंधन प्रणाली, 2013 (Sample Registration System- SRS) के आंकड़ों के अनुसार:

(a) 1971-81 के बीच 0-14 के आयु समूह की जनसंख्या 41.2 से घटकर 38.1 प्रतिशत रह गई, जबकि 1991-2013 के बीच 36.3 से घटकर 28.4 प्रतिशत रह गई। इस प्रकार इस आयु समूह की कुल जनसंख्या में भागीदारी धीरे-धीरे घट रही है।

(b) दूसरी ओर आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या का हिस्सा (15-59 वर्ष) का आयु समूह की भागीदारी बढ़ रही है। 1971-81 के बीच 53.4 से बढ़कर 56.3 प्रतिशत तथा 1991-2013 के बीच 57.7 से बढ़कर 63.3 प्रतिशत हो गई। इसी स्थिति को जनसंख्यात्मक लाभांश (Demoraphic Dividend) कहा जाता है।

(c) बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं तथा जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के कारण बुजुर्गों (60+)

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

का प्रतिशत क्रमशः 5.3 से 5.7 तथा 6.0 से 8.3 उपरोक्त अवधि में हो चुका है।

(d) श्रम शक्ति की वृद्धि दर 2021 तक जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक बनी रहेगी।

(iii) भारतीय श्रम प्रतिवेदन (Indian Labour Report) के अनुसार (Time Lease, 2007):

(a) 2025 तक 300 मिलियन युवा श्रम बल (Labour force) में जुट जाएंगे तथा अगले 3 वर्षों में दुनिया के कुल श्रमिकों का 25 प्रतिशत भारतीय श्रमिक होंगे।

(b) जनसंख्यात्मक प्रक्षेपण इंगित करते हैं कि, 2020 में भारतीय जनसंख्या में औसत आयु संसार भर में सबसे कम होगी यानी 29 वर्ष, जबकि चीन तथा अमेरिका में 37 वर्ष, पश्चिम यूरोप में 45 वर्ष तथा जापान में 48 वर्ष होगी।

(c) परिणामस्वरूप जहां विश्व अर्थव्यवस्था 2020 तक युवा जनसंख्या में 56 मिलियन की कमी का सामना करेगी। वहीं भारत ही अकेला देश होगा जहां युवाओं की अतिरिक्त 47 मिलियन जनसंख्या होगी *(Report on Education, Skill Development and Labour Force, 2013-14, Vol. - 3 Labour Bureau, 2014)।*

आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 के अनुसार, असल मुद्दा रोजगार प्रदान करना नहीं बल्कि श्रम बल को रोजगार योग्य बनाना है और इसका दारोमदार ज्ञान तथा कौशल विकास पर निर्भर करता है जिसका एकमात्र माध्यम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा प्रशिक्षण है। इस प्रकार समस्या का हल बेहतर शिक्षा एवं प्रशिक्षण की प्रणाली है, जिसके माध्यम से इन उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। निम्न रोजगार योग्यता की समस्या का मूल कारण शिक्षा में गुणवत्ता की कमी है और यह इस बात से भी स्पष्ट है कि बहुत कम विद्यार्थी देश में उच्च शिक्षा के प्रति रुचि रखते हैं। जनसंख्यात्मक लाभांश का लाभ उठाने के लिए आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित नीतिगत पहलू की अनुशंसा करता है:

(i) 0-14 आयु समूह की जनसंख्या में गिरावट का प्रभाव प्रारंभिक शिक्षा (5-14 आयु समूह) तथा उच्च शिक्षा (15-29 आयु समूह) को प्रभावित करेगी। प्रारंभिक शिक्षा को पुनः प्राथमिक (5-9 आयु समूह) तथा मध्य/उच्च प्राथमिक (10-14 आयु समूह) में उप-विभाजित किया जा सकता है। प्रभाव के पहले चरण में प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन घटेगा। जैसा कि पहले कहा गया है, प्राथमिक विद्यालयों में कुल नामांकन 2013-14 में घटा है जबकि उच्च प्राथमिक में बढ़ा है। भारत के लिए निर्भरता अनुपात (Dependancy Ratio) के 2010 में 54 प्रतिशत से 2020 में 49 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है। इस परिदृश्य में अगर अंतर्प्रांतीय असमानताओं को भी जोड़ लें तो उन राज्यों को जो कि पहले से ही यह स्थिति झेल रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में नीतिगत उपायों को अमल में लाने की जरूरत है, जिनमें प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ाने पर जोर नहीं हो बल्कि निम्नलिखित बातों पर बल दिया जा रहा हो:

(a) वरिष्ठ विद्यार्थियों के बीच उच्च छीजन (dropout) दर को देखते हुए शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना।

(b) विशेषकर उच्च आयु समूह में, वह भी ग्रामीण क्षेत्रों में लैंगिक असमानता को दूर करना।

(c) शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, जिसमें विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात तथा विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं का विस्तार शामिल है।

(ii) विभिन्न राज्यों के बीच जनसांख्यिक संक्रमण में पिछड़ेपन की स्थिति के कारण अलग-अलग राज्यों के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नीतियां बनाने की जरूरत है, जिससे कि जनसांख्यिक लाभांश का अधिकतम लाभ उठाया जा सके। दक्षिण में पिछले दो दशकों में जन्म दर में गिरावट के कारण वह उत्तर

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

के मुकाबले जनसांख्यिकी संक्रमण में आगे है। उदाहरण के लिए 2020 में प्रक्षेपित 29 वर्ष की औसत आयु कुछ राज्यों, जैसे–केरल (33 वर्ष), गोवा (32.3 वर्ष), तमिलनाडु (31.3 वर्ष), हिमाचल प्रदेश (30.4 वर्ष), पंजाब (29.9 वर्ष), आंध्र प्रदेश (29.3 वर्ष) तथा पश्चिम बंगाल (29.1 वर्ष) में पहले ही आगे जा चुकी है। जनसांख्यिक संक्रमण में विभिन्न देशों के बीच का यह अंतर घटती जनसंख्या की समस्या से निपटने के दृष्टिकोण में एक बड़ा वरदान सिद्ध हो सकता है। यहां भारत की स्थिति अन्य देशों की तुलना में बेहतर है। इस, राज्यों के लिए प्रकार नीतिगत पहलुओं के दो सेट उभरकर सामने आते हैं:

(a) वे राज्य जो जनसांख्यिक दृष्टि से बेहतर स्थिति में हैं, अपने यहां बढ़ते श्रम बल को ध्यान में रखकर रोजगार सृजन की नीतियों को अमल में लाएं।

(b) उन राज्यों जो उपरोक्त स्थिति तक पहुंचने वाले हैं, को शिक्षा, स्वास्थ्य (जनन स्वास्थ्य सहित), लैंगिक मुद्दों तथा रोजगार सृजन की नीतियों को साथ-साथ चलाने और लागू करने की जरूरत है।

सामाजिक–आर्थिक एवं जाति जनगणना (SOCIO-ECONOMIC AND CASTE CENSUS)

वास्तविक लाभार्थियों की पहचान किसी भी लक्षित दृष्टिकोण के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी दृष्टिकोण से डॉ. एन.सी. सक्सेना समिति का गठन ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता रेखा से नीचे की जनगणना की पद्धति पर सलाह देने के लिए किया गया था। जून 2011 से पहली बार सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना शुरू की जा रही है, जिसमें कि ग्रामीण तथा शहरी भारत में घर-घर जाकर जरूरी सूचनाएं प्राप्त की जा रही है। इसमें विभिन्न जातियों एवं वर्गों की सामाजिक-आर्थिक दशाओं तथा शैक्षिक स्थिति से संबंधित जानकारियां भी शामिल हैं।

यह प्रक्रिया 2016 के अंत तक पूरी की गई और वर्तमान में, शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गलतियों की वजह से अभी तक जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा सकी है। एक बार जब जनगणना पूरी तौर पर तैयार हो जाएगी, गरीबी का स्तर चिन्हित करने, अनुदान (subsidy) की लक्षित आबादी, शैक्षिक छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था पेंशन, वर्तमान आरक्षण नीति को नए सिरे से अनुकूल बनाना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, मनरेगा को (लाभार्थियों की सटीक पहचान द्वारा) बेहतर तरीके से लागू करना आदि में इसके निष्कर्षों का उपयोग किया जा सकेगा।

शैक्षणिक परिदृश्य (EDUCATIONAL SCENARIO)

जनसांख्यिकी लाभांश को साकार करने की प्रक्रिया में, देश में शिक्षा और कौशल को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। इसलिए भी सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा क्षेत्र है। शिक्षा से जुड़ी मौजूदा चिंताएं संक्षेप में दी गई हैं:[11]

नामांकन रुझान: असर (एएसईआर) 2014 के मुख्य तथ्य नीचे हैं:

- ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्कूलों में दाखिले का प्रतिशत घटा है। 2007 में यह 72.9 प्रतिशत था, जो कम होकर 2014 में 63.1 प्रतिशत हो गया। लगता है कि यह कमी प्राइवेट स्कूलों के बढ़ने से हुई है, इसी दौरान ग्रामीण इलाकों में प्राइवेट स्कूलों में दाखिला 20.7 प्रतिशत से बढ़कर 30.7 प्रतिशत हो गया। सरकारी स्कूलों में घटते दाखिले से जुड़ी चिंता पर गौर करने की जरूरत है और इसे दूर भी किया जाना चाहिए। सरकारी स्कूलों में दाखिले में आई कमी

11. Based on the *Annual Status of Education Report (ASER) 2014*; *Educational Statistics at a Glance 2014*, Ministry of HRD—as quoted by the **Economic Survey 2015-16** and **Economic Survey 2016-17**, Vol. 1, pp. 162-163.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

और कुछ हद तक प्राइवेट स्कूलों की तरफ बढ़ते रुझान के पीछे काफी हद तक यह तथ्य जिम्मेदार है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता खराब हुई है, क्योंकि यहां शुल्क रहित या मामूली शुल्क पर शिक्षा दी जाती है।

- सरकारी और निजी स्कूलों, दोनों की पांचवीं कक्षा के वैसे छात्रों की संख्या तेजी से घटी है, जो कक्षा दो की पाठ्य-पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। सरकारी स्कूलों में यह गिरावट 2007 के 56.7 प्रतिशत से 2014 में 42.2 प्रतिशत हो गई और ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा पांचवीं में भाग कर लेने वाले छात्रों का प्रतिशत 2007 के 41 प्रतिशत से गिरकर 2014 में 41 प्रतिशत हो गया।
- इसी तरह प्राइवेट स्कूलों की कक्षा पांच के वैसे छात्रों का प्रतिशत घटा है, जो कक्षा दो की किताबें पढ़ सकते हैं।
- प्राइवेट स्कूलों के शैक्षणिक नतीजे में आई कमी भी समान रूप से चेतावनी देती है, क्योंकि देश भर में शिक्षण और शिक्षा के क्षेत्र में निजी हिस्सेदारी बढ़ी है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के मुताबिक, स्कूली शिक्षा के संदर्भ में 'सीखने की मात्रा में कमी' की एक महत्वपूर्ण चिंता अक्सर जताई जाती है। इसका उल्लेख विभिन्न अध्ययनों (*एएसईआर, 2014* समेत) में किया गया है। हालांकि, पहुंच और अवधारणा में सुधार हुआ है, अधिसंख्य बच्चों के लिए सीखने की मात्रा अभी भी गंभीर चिंता का कारण है। प्राथमिक क्षेत्र में शिक्षा की नीची गुणवत्ता के पीछे निम्नलिखित कारण बताए गए हैं:

(i) शिक्षकों की अनुपस्थिति, और;

(ii) पेशेवर योग्य शिक्षकों की कमी।

यद्यपि सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के कुल बजट में शिक्षक संघटक का हिस्सा लगातार बढ़ते हुए वर्ष 2011-12 में 35 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 59 प्रतिशत तक पहुंच चुका था, शिक्षकों की अनुपस्थिति और पेशेवर योग्य शिक्षकों की कमी अभी भी एक प्रमुख मुद्दा है, जिसे सुलझाया जाना है। शिक्षकों की बॉयोमीट्रिक (निशान से पहचान की पद्धति) उपस्थिति की जानकारी समुदायों और अभिभावकों द्वारा सार्वजनिक कर दिया जाना इस संदर्भ में कुछ उपयोगी साबित हो सकता है। उपयुक्त शिक्षण सहायता, रिकॉर्ड किए हुए व्याख्यानों आदि से शिक्षकों की अनुपस्थिति की पूर्ति की जानी चाहिए। शिक्षा ग्रहण करने का परिणाम संपूर्ण अभ्यास का हिस्सा होना चाहिए। पूरा ध्यान 'गुणवत्तापूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण' के पहलू पर दिया जाना चाहिए।

पेशेवर योग्यता और प्रशिक्षण: भारत में स्कूली शिक्षा 2014-15 पर यू-डीआईएसई (एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, देश में सिर्फ 79 प्रतिशत शिक्षक पेशेवर तौर पर योग्य हैं। उच्च माध्यमिक स्तर के लिए करीब 69 प्रतिशत शिक्षक योग्य हैं। योग्य शिक्षकों का प्रतिशत बढ़ाए जाने की जरूरत है और साथ ही योग्य और कम योग्य शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने की भी आवश्यकता है।

लैंगिक बराबरी: मानव विकास एवं संसाधन मंत्रालय की शैक्षणिक सांख्यिकी के अनुसार, 2014-15 तक स्कूली शिक्षा के कई स्तरों पर लिंग समता सूचकांक (जीपीआई) सुधरा है, सिवाए कुल विद्यार्थियों और अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के मामले में उच्च शिक्षा में। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के मामले में, स्कूल के तमाम स्तरों पर और उच्च शिक्षा में लड़का-लड़कियों के बीच समता हासिल नहीं हो पाई है। साफ है, कुल विद्यार्थियों और अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के बीच उच्च शिक्षा में लैंगिक गैर-बराबरी की खाई को पाटने की जरूरत है। और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के तमाम स्तर पर भी इस लैंगिक गैर-बराबरी को खत्म करना होगा।

समाज के सभी वर्गों में निहित लैंगिक भेदभाव को देखते हुए मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने मार्च 2015 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर *डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवॉन्सिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया* को लॉन्च किया। यह एटलस उस साधन पर आधारित है, जो यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रेन्स फंड (यूनीसेफ) के साथ मिलकर तैयार किया गया है, ताकि लड़कियों के लिए कम प्रदर्शन करने वाले भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान में मदद मिले, खासतौर पर हाशिये पर रह रहे समूहों की। यह

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

सालों के लिंग आधारित सूचकांकों के तुलनात्मक विश्लेषण से हासिल हुआ है।

सरकार का जोर एक समावेशी समाज बनाने का है, जिसके लिए वंचित, असुरक्षित और हाशिये पर रह रहे लोगों, जैसे कि एससी, एसटी और अन्य पिछड़ी जातियों, अल्पसंख्यकों और दूसरे आर्थिक तौर पर पिछड़े तबकों को विभिन्न कार्यक्रमों के जरिये शिक्षित करना होगा। कई सारी छात्रवृत्ति योजनाएं जारी हैं, जो विभिन्न समूहों के बीच छात्रों के दाखिले को प्रोत्साहित करती हैं और उनमें सीखने की प्रवृत्ति बढ़ाती हैं।

रोजगार परिदृश्य (EMPLOYMENT SCENARIO)

भारत सरकार की प्राथमिकताओं में रोजगार से जुड़े मुद्दे हमेशा से रहे हैं। इसे गरीबी उन्मूलन का सबसे बढ़िया हथियार माना जाता है, इसलिए इस क्षेत्र पर और महत्व देने की जरूरत है। अद्यतन रोजगार परिदृश्य[12] और संबंधित चिंताएं नीचे दी गई हैं:

- आईटी/बीपीओ, टेक्सटाइल और धातु क्षेत्रों के योगदान से समग्र रोजगार 1.35 लाख तक बढ़ा है, जबकि जवाहरात और आभूषण, हैंडलूम तथा पावरलूम, चमड़ा, ऑटोमोबाइल व परिवहन जैसे क्षेत्रों में रोजगार में कमी देखी गई है।
- श्रम बल हिस्सेदारी दर (एलएफपीआर) अनुमानित 50.3 प्रतिशत–महिलाओं के लिए 23.7 प्रतिशत और पुरुषों के लिए 75.0 प्रतिशत थी। आमतौर पर उत्तर-पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में उत्तरी राज्यों के निचले स्तर के मुकाबले उच्च महिला एलएफपीआर देखने को मिलता है।
- एलएफपीआर के मामले में बड़े पैमाने पर अंतर्राज्यीय विभिन्नता के साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की बेरोजगारी दर (8.7 प्रतिशत) पुरुषों (4.0 प्रतिशत) की तुलना में अधिक थी।
- रोजगार वृद्धि धीमी रही है। इसके अलावा, नीची रोजगार दर वाले राज्यों में भी उत्पादन की दर सामान्यतया अधिक होती है, जबकि निवेश आकर्षित करने वाले राज्य सुविधाओं के प्रस्तावों, नई नौकरियों की संख्या को प्रोत्साहन से जोड़ने और लगातार कोशिश करते रहने में प्रतियोगिता करते हैं, उन्हें रोजगार बढ़ाने की उपकरण के रूप में देखा जाना चाहिए।
- रोजगार का प्राथमिक क्षेत्र से माध्यमिक और तृतीय क्षेत्रों में स्थानांतरण स्पष्ट दिखता है। श्रेणी के हिसाब से आकस्मिक श्रम और ठेका श्रमिकों दोनों में बढ़ोतरी दिखती है। इसका 'अस्थायी' प्रकृति के रोजगार करने वाले कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा, मजदूरी, रोजगार के स्थायित्व सब पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इससे यह भी पता चलता है कि नियोक्ताओं द्वारा श्रम कानूनों को धता बताने के लिए नियमित/औपचारिक रोजगार से दूर करने को प्राथमिकता दी जाती है।
- श्रम कानूनों की अधिकता और उनके पालन में कठिनाई औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन में एक बड़ी बाधा हैं।

महिलाओं के अवैतनिक कार्य (Women's Unpaid Work)

पारंपरिक रोजगार और बेरोजगारी सर्वे कई अवैतनिक कामकाज को पकड़ नहीं पाते हैं, भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाएं घर के अंदर और बाहर इस तरह के कामकाज में व्यस्त रहती हैं। दुनिया भर में वैतनिक कामकाज में पुरुषों की हिस्सेदारी महिलाओं के बजाए 1.8 गुना अधिक है, जबकि अवैतनिक कामकाज के मामले में महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों की तुलना में तीन गुना है। इसलिए वैतनिक कामकाज, जो कि दिखता है और जो राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (एसएनए) में दर्ज है, में पुरुषों का वर्चस्व है, वहीं अवैतनिक कामकाज, जो कहीं दर्ज नहीं

12. The latest and the *5th Annual Employment and Unemployment Survey (EUS)-2015-16*, Labour Bureau, Ministry of Labour & Employment—as quoted by the **Economic Survey 2016-17**, MoF, GoI, N. Delhi, pp. 161-162.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

होता है, में महिलाएं ज्यादा हैं और इस तरह के कामकाज को मान्यता नहीं मिलती।

जिस काम के लिए पैसे नहीं मिलते, उनका भी दाम लगाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे कई क्रियाकलापों के अंदर महिलाओं का काम शामिल हो जाता है। जुलाई 1998 से जून 1999 के बीच प्रायोगिक रूप से देश के छह राज्यों में टाइम यूज सर्वे (टीयूएस) को अमल में लाया गया। सर्वे के नतीजों ने अर्थव्यवस्था में महिलाओं की छिपी हुई भागीदारी को इस तरह उजागर किया:

(i) हफ्ते के 168 घंटों में पुरुष एसएनए निर्धारित क्रियाकलापों में 42 घंटे बिताते हैं, जबकि महिलाएं सिर्फ 19 घंटे देती हैं। हालांकि, विस्तारित एसएनए क्रियाकलापों में, महिलाएं 34.6 घंटे बिताती हैं, जिनमें घर और बाहर के अवैतनिक कामकाज शामिल है, जबकि पुरुष सिर्फ 3.6 घंटे गुजारते हैं।

(ii) पारंपरिक सर्वे में महिलाओं की घटी हिस्सेदारी दर के पीछे अवैतनिक कामकाज में उनका काफी हद तक जुड़ा रहना है। प्रायोगिक टीयूएस से प्राप्त तथ्यों के आधार पर एनसीएटीयूएस (नेशनल क्लासीफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज फॉर टाइम यूज स्टडीज) का निर्माण किया गया, जो कि अवैतनिक क्रियाकलापों का एक वर्गीकरण देता है। यह अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमका को जानने के लिए अहम है।

कौशल भेद (Skill Gap)

जनसंख्या को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए कौशल विकास सबसे बढ़िया तरीका है। इसे व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण से उभारा जा सकता है। हालांकि, यह धारणा है कि व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास उन लोगों के लिए होता है, जो कि मुख्यधारा की पढ़ाई से जुड़ने में नाकाम रहते हैं। औपचारिक शिक्षा पाने वाले की तुलना में व्यावसायिक शिक्षा पाने वालों को कम मेहनताना दिए जाने से यह धारणा और मजबूत हुई।

एनएसडीसी (राष्ट्रीय कौशल विकास निगम) के अनुसार, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण क्षेत्र में प्रशिक्षकों की संख्या और उनकी गुणवत्ता में भारी कमी है। 2017 तक व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षकों और गैर-शिक्षकों की यह कौशल रिक्ति 211,000 के आंकड़े को छू लेगी। 2022 तक 320,000 कार्यशक्ति की जरूरत पड़ने का अनुमान है।

रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण क्षेत्र में कौशल रिक्ति की खाई को भरने के लिए सरकारी निवेश की आवश्यकता है। पूरे उद्योग क्षेत्र और उनके उप-क्षेत्रों में अधिक कौशल रिक्ति है, जिसे पर्याप्त कौशल विकास योजनाओं के जरिये भरा जाना चाहिए, जो सार्वजनिक पहलों के साथ निजी क्षेत्रों को फायदा पहुंचाए। इस मामले में उठाए गए कुछ हालिया कदम हैं:

- एनएसडीसी की स्थापना के साथ, कौशल रिक्ति के बारे में जागरूकता विकसित होने लगी है और भारतीय जनता के साथ-साथ सरकारी व निजी क्षेत्रों के कर्मचारियों के कौशल विकास पर जोर पड़ा है। नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) की स्थापना से भी कौशल विकास योजनाओं को अपनाने की सुविधा बढ़ेगी, साथ ही उच्च शिक्षा और कौशल विकास के बीच प्रगति के रास्ते खुलेंगे।
- एक बहुआयामी रणनीति अपनाने से भारत में पूरे कौशल क्षेत्र पर एक बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है, जो कौशल विकास को सक्षम बनाएगी, न कि सिर्फ सेक्टर स्किल कांउसिल (एसएससी) की स्थापना जैसी पहलों तक सीमित रहेगी। इसके अलावा, वह एनएसक्यूएफ का खाका तैयार करेगी। अधिकृत मानकों को परिभाषित करेगी और स्टैंडर्ड ट्रेनिंग एण्ड एसैस्मेंट रिवॉर्ड (स्टार) जैसी फंडिंग पहलों को भी बढ़ावा देगी।
- एनएसडीसी के जरिये एसएससी (SSCs) स्वायत्त उद्योग संचालित निकायों की तरह काम करेगी और इस क्षेत्र में किसी भी तरह की नौकरी के

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

लिए नेशनल ऑक्युपेशनल स्टेंण्ड्र्स (एनओएस) और क्वॉलीफिकेशन पैक्स (क्यूपी) तैयार करेगी। इससे प्रतिस्पर्द्धी ढांचा विकसित होगा, प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण मिलेगा, कौशल रिक्ति अध्ययनों को अपनाया जाएगा और उन सबका मूल्यांकन स्वतंत्र ऐजेंसियों द्वारा किया जाएगा।

- पीएमकेवीवाई (प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना) का उद्देश्य है–24 लाख भारतीय युवा को सार्थक, उद्योग-प्रासंगिक, हुनर आधारित प्रशिक्षण देना और प्रशिक्षण पा लेने की सरकारी मान्यता दिलाना, साथ ही यह सुनिश्चित करना कि उन्हें बेहतर भविष्य की खातिर एक सही रोजगार मिले। इस पहल की वास्तविक सफलता का अंदाजा उन प्रशिक्षित कर्मियों की संख्या से लगाया जा सकता है, जिन्हें रोजगार मिला है और इस संदर्भ में भी आकलन की जरूरत है और समय-समय पर रिपोर्ट की।
- डीडीयू-जीकेवाई (दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना) का भी शुभारंभ हुआ है, जो कि ग्रामीण युवाओं (गरीबों) के लिए नौकरी संबंधित कौशल विकास योजना है। यह राष्ट्रीय रोजगार आजीविका मुहिम (एनआरएलएम) के कौशल विकास घटक के तौर पर भी है।
- कौशल और प्रशिक्षण के लिए नेशनल एक्शन प्लान (एनएपी) का शुभारंभ किया गया, जिसके पीछे दृष्टिकोण है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं। इसके अंतर्गत सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों से प्रशिक्षण साझेदारों की अगुवाई में कौशल प्रशिक्षण प्रदाता का एक नेटवर्क जरूरी है। इसमें व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र भी शामिल होगा। योजना का लक्ष्य अगले तीन वर्षों में (2017-18 तक) पांच लाख विकलांग व्यक्तियों को हुनरमंद बनाना है। योजनाएं ये भी बन रही हैं एक ऑनलाइन कौशल-प्रशिक्षण मंच के साथ एनएपी को विस्तार दिया जाए, इस मकसद के साथ कि हर साल पांच लाख विकलांग व्यक्तियों को कौशल-प्रशिक्षण मिले।
- नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट ऐंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015 का लक्ष्य है कि उच्च मानकों के साथ बड़े पैमाने पर लोगों को हुनरमंद बनाना और उद्योग आधारित इनोवेशन की संस्कृति को बढ़ावा देना, ताकि स्थायी आजीविका सुनिश्चित हो। इसी तरह, एक नीति क्रियान्वयन इकाई (पीआईयू) सभी हिस्सेधारकों को पहचानेगी और जवाबदेह ऐजेंसी को कार्रवाई के लिए झंडी दिखाएगी।

यह देखते हुए कि भारत दुनिया की सबसे युवा जनसंख्या वाले देशों में से एक है, हुनरमंद व्यक्तियों के लिए विदेश में भी रोजगार के भारी अवसर होने की संभावना है। 2016-17 के दौरान एनएसडीसी के जरिये इस अवसर का नक्शा तैयार किया जाना है।

श्रम सुधार (LABOUR REFORMS)

भारत में औद्योगिक शांति की स्थिति में काफी सुधार देखने को मिलता है। हड़तालों एवं तालाबंदियों से मानव दिवसों की क्षति में लगातार कमी आई है - 2009 में 17.6 मिलियन से दिसम्बर 2014 में 1.79 मिलियन। श्रम कानूनों की बहुलता एवं उनके पालन में कठिनाई को भारत के औद्योगिक विकास में अवरोध के रूप में देखा जाता रहा है। यही कारण है कि श्रम सुधार आर्थिक सुधार प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा रहा है। अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा व्यावसाय में आसानी बढ़ाने के लिए सरकार ने अनेक श्रम सुधार उपायों की शुरुआत की है। श्रम कानूनों में संशोधन प्रस्तावित कर उन्हें बदल रहे श्रम बाजार की मंशा के अनुरूप बनाने का प्रयास किया गया है। कुछ राज्यों, जैसे–राजस्थान, ने अपने स्तर पर तीन श्रम कानूनों में व्यापक सुधार किए हैं - औद्योगिक विवाद अधिनियम,

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

कारखाना अधिनियम तथा संविदा श्रमिक अधिनियम। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने इस दिशा में कई नई पहलें[13] की हैं, जो नीचे संक्षेप में दी गई हैं:

1. **प्रशिक्षु अधिनियम, 1961** में दिसम्बर 2014 में संशोधन कर इसे उद्योग तथा युवा की जरूरतों के अनुरूप बनाया गया। प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना की शुरुआत करके निर्माण क्षेत्र में प्रशिक्षुओं को बहाल करने की कोशिश की गई। एमएसएमई सेक्टर के लिए एकल एकसमान कानून लाने के लिए सरकार प्रयासरत है, जिससे कि परिचालानात्मक दक्षता तथा उत्पादकता में सुधार के साथ-साथ व्यापक पैमाने पर रोजगार सृजन सुनिश्चित किया जा सके।
2. **एकीकृत श्रम पोर्टल स्कीम:** 'श्रम सुविधा पोर्टल' की शुरुआत शिकायतों के समाधान तथा औद्योगिक विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण के निर्माण के लिए की गई है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं:
   - (i) यूनीक लेबर आइडेंटिफिकेशन नम्बर (LIM) 0.7 मिलियन ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा देने वाली इकाइयों को आवंटित किया गया।
   - (ii) स्व-हस्ताक्षरित सरलीकृत एकल ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने की व्यवस्था उद्योगों के लिए की गई, जबकि पूर्व में 16 अलग-अलग रिटर्न दाखिल किए जाते थे।
   - (iii) पारदर्शी श्रम निरीक्षण योजना कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से जोखिम आधारित कोटी के अनुसार की गई है तथा श्रम निरीक्षकों द्वारा 72 घंटे के अंदर निरीक्षण रिपोर्टों को अपलोड करना सुनिश्चित कराया गया है।
3. **कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC)** की परियोजना 'पंचदीप' में आंतरिक एवं बाह्य प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण किया गया है, जिससे कि कार्यकुशलता के साथ-साथ नियोक्ताओं एवं बीमित व्यक्तियों को जरूरी सेवाएं प्रदान की जा सके।

   पोर्टल नियोक्ताओं को मासिक अंशदान फाइल करने, अस्थायी पहचान-पत्र निकालने तथा मासिक अंशदान चालान ऑनलाइन सृजित करने, तथा बीमित व्यक्तियों को पहचान-पत्र जारी कर द्रुत एवं सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करने के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। आई.पी. पोर्टल के माध्यम से बीमित व्यक्ति अपने नियोक्ता द्वारा अंशदान भुगतान पारिवारिक विवरण, विभिन्न लाभों की पात्रता तथा दावों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसकी सेवाओं के एकीकरण से व्यवसाय में आसानी होगी तथा लेनदेन की लागत में कमी आएगी।
4. **कर्मचारी भविष्य निधि (EPF)** के अंतर्गत 42.3 मिलियन ईपीएफ अंशदाताओं के संपूर्ण डाटा बेस के डिजिटलीकरण तथा प्रत्येक सदस्य को यूनिवर्सल एकाउंट नम्बर (UAN) आवंटित किया गया है। यूएएन के अंतर्गत बैंक खाता, आधार कार्ड तथा अन्य केवाईसी विवरण दिए जाते हैं जिससे कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिल सके। ईपीएफ खाते तक प्रत्यक्ष पहुंच से सदस्यों को पूर्ववर्ती खातों तक पहुंच बनेगी तथा वे खातों का समेकन (Consolidation) कर सकेगी।

   ऑनलाइन पेंशन भोगी अपने खाते तथा लेनदेन के विवरणों को ऑनलाइन देख सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत वेतन की सीमा बढ़ाकर रु. 15,000 प्रति माह कर दी गई है तथा कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत सितम्बर 2014 से न्यूनतम रु. 1,000 प्रति माह पेंशन का प्रावधान किया गया है।

13. **Ministry of Labour & Employment**, GoI, N. Delhi, March 2017 and **Economic Survey 2016-17**, MoF, GoI, N. Delhi, Vol. 1, pp. 162.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

5. **असंगठित श्रमिकों के लिए (For unorganised workers):** 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' 'असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008' के अंतर्गत एक योजना है। यह स्मार्ट कार्ड आधारित नकदरहित स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसमें मातृत्व लाभ भी शामिल है और जो असंगठित क्षेत्र के बीपीएल परिवारों को रु. 30,000 प्रति परिवार प्रतिवर्ष की सुरक्षा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को सभी अंसगठित क्षेत्रों में तरीके से लागू करने का प्रस्ताव है।
6. **राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रबंधन सूचना प्रणाली परिषद् (National council for vocational training Management Information System- NCVT-MIS):** इस पोर्टल का विकास औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, प्रशिक्षु योजना तथा सभी एनसीवीटी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को एक धाराबद्ध करने, सरल और कारगर बनाने के लिए किया गया है।
7. **नेशनल केरियर सर्विस पोर्टल:** सरकार को अपने नागरिकों के लिए मुक्त रोजगार सेवा दिलाने का जनादेश हासिल है। जुलाई 2015 में नेशनल केरियर सर्विस पोर्टल (एनसीएस) के आरंभ के साथ इसने आकार लिया है। एनसीएस एक डिजिटल पोर्टल की तरह है, जो नौकरी तलाश करने वालों और नौकरी देने वालों के लिए एक राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है।
8. **बोनस भुगतान संशोधन कानून 2015:** यह कानून दिसंबर 2015 में पास हुआ, जिसने मासिक 10,000 रुपये से लेकर 21,000 रुपये तक के बोनस के साथ बोनस भुगतान योग्यता को पुनर्परिभाषित किया। इसने न केवल कर्मचारियों के बोनस भुगतान बढ़ाए, बल्कि बोनस पाने के ज्यादा योग्य भी बनाया।

भारत में श्रम कानूनों की अधिकता और उनके अनुपालन से औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन बाधित हुए हैं। इस स्थिति से उबरने की दिशा में काम करते हुए सरकार ने आने वाले दिनों में 39 केंद्रीय श्रम कानूनों के समूह को 'चार या पांच' श्रम संहिताओं में समेटने का प्रस्ताव (मार्च 2017 में) प्रस्तुत किया है। इसके अलावा, देश में श्रम नियमन व्यवस्था के सरलीकरण की दिशा में कई अन्य नए उपायों पर विचार किया जा रहा है।

बाल श्रम (CHILD LABOUR)

भारत बाल श्रम की समस्या से जूझ रहा है। एक बहु-आयामी रणनीति जरूरी है, जो कि मजदूरी से हटाए गए बच्चों को खास योजनाओं और समान बुनियादी शिक्षा के जरिये पुनर्वास दे। इसमें उनके परिवारों को भी आर्थिक पुनर्वास प्रदान करने की जरूरत है।

2015 में भारत सरकार ने नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट (एनसीएलपी) का शुभारंभ किया, जिसके तहत मजदूरी से मुक्ति पाए 9-14 साल के बच्चों का नामांकन एनसीएलपी विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में कराया जाता है और उन्हें वहां मुख्यधारा की शिक्षा-प्रणाली में भेजने से पहले शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, दिन का खाना, वजीफा, स्वास्थ्य सुविधा वगैरह दी जाती है। 5-8 साल के बच्चों को सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) से तालमेल बिठाकर सीधे औपचारिक शिक्षण प्रणाली से जोड़ जाता है।

सरकार ने, बाल श्रम (निषेध और नियमन) अधिनियम, 1986 में एक और संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिसका मकसद 14 साल से कम उम्र के बच्चों को रोजगार से पूर्ण मुक्ति देना है, साथ ही निषेध की उम्र को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के बाल अधिकार की आयु से जोड़ना है। संशोधन में नौकरी देने वालों के खिलाफ सख्त सजा के प्रावधान भी हैं।

स्वास्थ्य परिदृश्य (HEALTH SCENARIO)

साल 2012 में बारहवीं योजना में सबसे पहले सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा का विचार रखा गया। चूंकि इसमें फंडिंग की स्थिति बहुत अच्छी थी, इसलिए सरकार ने इसे शुरू करने के बारे में नहीं सोचा। उस समय पश्चिमी मंदी के कारण विकास दर गिर रही थी और कई सारे घरेलू कारण भी थे। हालांकि, सर्वसुलभ, सस्ती और न्यायसंगत स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना सरकार के मुख्य उद्देश्यों में से एक है, खास तौर पर हाशिये पर रह रही आबादी और असुरक्षित

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

लोगों के लिए। देश में प्रभावी स्वास्थ्य सेवा को प्रदान करने की दिशा में कई सारी चुनौतियां हैं, खासतौर पर संसाधनों की कमी और स्वास्थ्य क्षेत्र में आवश्यकताओं की अधिकता को देखते हुए। जन-स्वास्थ्य सामाजिक और पर्यावरणीय निर्धारकों से भी काफी हद तक प्रभावित होता है, जैसे-शादी की उम्र, पोषण, प्रदूषण, पेयजल और साफ-सफाई की स्थिति से।

भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी और निजी प्रदाता, दोनों हैं। निजी क्षेत्र की स्थिति बदलती रहती है और इसी तरह स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता में भी बदलाव आता रहता है। इसमें अनौपचारिक प्रदाता भी हैं, जैसे-नीम हकीम, तो किसी डॉक्टर द्वारा चलाया जा रहा नर्सिंग होम भी है और बड़े पॉलीक्लिनिक सेंटर भी। मल्टीप्लैक्स अस्पताल भी इसमें हैं। स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता और उसकी कीमत को लेकर नियम-नियंत्रण का अभाव ज्यादातर राज्यों में है। जहां तक सरकारी क्षेत्र का सवाल है, तो वहां स्वास्थ्य सेवा कई सुविधा-तंत्र के नेटवर्क से मिलती है। सामुदायिक स्तर पर इसमें आशा है (स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता)। इसके बाद स्वास्थ्य उपकेंद्र (एचएससी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), जिला अस्पताल, सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल और राज्य व केंद्र सरकार की मदद से चलने वाले एम्प्लयॉज स्टेट इन्श्युरेंस (ईएसआई) अस्पताल और डिस्पेंसरी। समुदाय स्तर पर और इससे बाहर एचएससी स्तर पर आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और सहायक दाई (एएनएम) के तालमेल से स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं।

रोगों का बोझ (BURDEN OF DISEASES)

'इंडिया: हेल्थ ऑफ द नेशंस स्टेट्स-2017' भारत की ऐसी रिपोर्ट[14] है, जिसमें देश के राज्यों में रोगों के विस्तार एवं उनसे जुड़े जोखिमों के बारे में व्यापक (comprehensive) सूचना प्राप्त होती है। वर्ष 1990 से 2016 तक की अवधि से जुड़ी इस रिपोर्ट का आधार *'डिसेबिलिटी' एडजेस्ट लाईफ ईयर्स (DALY)*[15] नामक अवधारणा पर आधारित है। यह अवधारणा समयपूर्ण मृत्यु से जुड़े जीवन हानि एवं रोगों की वजह से होने वाली अशक्तता (disability) के कारण उत्पादक जीवन की हानि का योग है। एक *डेली* (DAILY) पूर्ण स्वस्थ स्थिति के एक वर्ष के बराबर क्षय (loss) का प्रतिनिधित्व करता है। इस रिपोर्ट के प्रमुख अंख निम्न प्रकार हैं:

- संबद्ध अवधि में स्वास्थ्य की स्थिति में अच्छे सुधार हुए हैं तथा जीवन प्रत्याशा में लगभग 10 वर्षों की वृद्धि आयी। जीवन प्रत्याशा एवं 'डेली' दरों के बीच विद्यमान प्रतिलोम (inverse) संबंध से अवधारणा (डेली) के स्वास्थ्य नीति निर्माण के संकेतक (indicator) होने के महत्व का पता चलता है।
- इस अवधि में प्रति व्यक्ति रोगों के बोझ में 36 प्रतिशत की कमी आयी-जनसंख्या की आयु सरंचना को समायोजित (adjust) के उपरांत।
- रोगों का 61 प्रतिशत बोझ संक्रामक (communicable), मातृवंश (maternal) नव-शिशु संबंधी (neonatal) एवं पोषण (nutrition) के कारण था (वर्ष 1990 में), जो 2016 में

14. The ***India: Health of the Nation's States-2017*** report is a collective effort of Indian Council of Medical Research (ICMR), PHFI and IHME, University of Washington (as per the ***Economic Survey 2017-18,*** Vol. 2, pp. 176-183).

15. DALYs express the premature death and disability attributable to a particular cause, and are made up of two components: years of life lost (YLLs) and years of life lived with disability (YLDs). YLLs measure all the time people lose when they die prematurely, before attaining their ideal life expectancy. Ideal life expectancy is based on the highest life expectancy observed in the world for that person's age group. YLDs measure years of life lived with any short- or long-term condition that prevents a person from living in full health. They are calculated by multiplying an amount of time (expressed in years) by a disability weight (a number that quantifies the severity of a disability). Adding together YLLs and YLDs yields DALYs, a measure that portrays in one metric the total health loss a person experiences during their life.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

घटकर 33 प्रतिशत हुआ। इन रोगों को एक साथ CMNNDs कहा जाता है।

- दूसरी तरफ असंक्रामक रोगों में वृद्धि देखी गयी-वर्ष 1990 के 30 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2016 में इनका बोझ 55 प्रतिशत हो गया। इस बीच चोटों (injuries) का बोझ 9 प्रतिशत से बढ़कर 12 प्रतिशत हुआ।
- रोगों से जुड़े जोखिम असामयिक मृत्यु एवं अशक्तता के मूल कारक हैं। भारत की राष्ट्रीय नीति-2017 में भी 'डेली' अवधारणा को स्वास्थ्य के संकेतक के रूप में इस्तेमाल करने की बात कही गयी है।
- वर्ष 2016 में भी कुपोषण रोगों के बोझ का सबसे बड़ा (14.6 प्रतिशत) जोखिम था, वैसे 1990 से इसमें कमी आयी है।
- नव-शिशु विकार, पोषण की कमी, डायरिया एवं श्वसन संबंधी रोगों के बोझ के लिए मातृ एवं बाल कुपोषण की स्थितियां जिम्मेदार हैं।
- रोगों के बोझ में *वायु प्रदूषण* का योगदान इस अवधि में वैसे घटा है (11.1 प्रतिशत से घटकर 9.8 प्रतिशत) फिर भी भारत की स्थिति वैश्विक स्तर पर उच्च जोखिम वाले देशों में है। इसकी वजह से असंक्रामक एवं छूत (infections) के रोगों का बोझ बढ़ता है (यथा—कार्डियोवैस्कुलर, श्वसन संबंधी रोग, आदि)। घर के अंदर होने वाले वायु प्रदूषण को सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) द्वारा नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है।
- असंक्रमक रोगों के बढ़ते बोझ के कारण भारत में व्यावहारिक (behavioural) एवं उपापचयी (metabolic) जोखिम काफी उच्च हैं। आहार से जुड़ी (dietary) अव्यवस्था भारत के रोगों के बोझ (वर्ष 2016 में) से जुड़ा *तीसरा* सबसे बड़ा जोखिम कारक है- इसके बाद उच्च रक्त दाब (*चौथा*) एवं उच्च रक्त शर्करा (*पांचवा*) का स्थान है। आहार की अव्यवस्था का मूल कारण आहार में फलों एवं सब्जियों की कमी, पूर्ण अनाज की कमी तथा वसा एवं नमक के उच्च तथा उपभोग स्तर के कारण है।
- असुरक्षित जल, साफ-सफाई एवं हाथों का धोना (Wash), जो वर्ष 1990 में रोगों का *दूसरा* सबसे बड़ा जोखिम धारक था, में सुधार हुआ है-वर्ष 2016 में इसका स्थान इस मामले में *सातवां* था। अभी भी इस घटक के कारण उपाज्य जीवन के 5 प्रतिशत का क्षय होता है। वैसे इस दिशा स्वच्छ भारत मिशन (SBM) एक सशक्त सरकारी प्रयास है।

राज्यों की स्थिति भी समान है:

- राज्यों के मामले में भी जीवन प्रत्याशा एवं 'डेली' दरों में प्रतिलोम संबंध पाया गया है। वैसे गैर-संक्रामक रोगों के स्तर में तेज गिरावट आयी है लेकिन जिन राज्यों की 'डेली' दरें उच्च हैं उनमें असंक्रमक रोगों में उच्च वृद्धि रुझान देखा गया है।
- गैर-संक्रामक रोगों में सर्वाधिक बोझ मधुमेह (diabetes) के मामले में (80 प्रतिशत) तथा इस्कीमिक (ischemic) हृदय रोग (34 प्रतिशत) का रहा (1990-2016 के मध्य)। दिल्ली, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं असम को छोड़कर अन्य राज्यों में छूत (infection) से जुड़े से कहीं अधिक संक्रामक रोगों का बोझ था।
- राष्ट्रीय स्तर पर जीवन प्रत्याशा में सुधार होने के बावजूद भी राज्यों में इस मामले में अब भी असमानता विद्यमान है-जहां उत्तर प्रदेश में यह 64.5 वर्षों की है वहीं केरल में 75.2 वर्षों की।
- *राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2017* ने राज्यों के बजटीय व्यय के 8 प्रतिशत भाग को स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च करने की सलाह दी है (वर्ष 2020 तक बढ़ाते हुए)। राज्यों द्वारा किए गए जाने वाले स्वास्थ्य व्यय का 'डेली' दरों पर पड़ने वाले प्रभावों एवं क्षमता को समझने की आवश्यकता है ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को बेहतर ढंग से निर्देशित किया जा सके।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

स्वच्छ भारत मिशन (SWACHH BHARAT MISSION)

अक्तूबर 2, 2014 में प्रारंभ की गयी इस योजना का उद्देश्य है–वर्ष 2019 तक देश को खुले में शौच के प्रचलन से पूर्णतः मुक्त करना तथा सार्वभौमिक साफ–सफाई की व्यवस्था करना। इसके अंतर्गत ठोस अपशिष्ट (solid waste) एवं तरल अपशिष्ट (liquid waste) के प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं की पहल करना भी शामिल है-नगरीय एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में। इस मिशन का निष्पादन प्रशंसनीय रहा है[16]:

- जनवरी 2018 तक ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच करने वाले लोगों की संख्या घटकर 25 करोड़ हो गयी थी (अक्तूबर 2015 के 55 करोड़ के उच्च स्तर से गिरकर)। यह कमी इसके पहले की अवधि से कहीं तीव्र है।
- आठ राज्य एवं दो केन्द्रशासित प्रदेश (सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरल, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, दमन एवं दीव तथा चंडीगढ़) खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं-इसमें 296 जिले एवं 307,349 गांव शामिल हैं।
- *शौचालयों तक पहुंच:* प्राप्त जनसंख्या में इन्हें इस्तेमाल[17] करने का स्तर 90 प्रतिशत था (वर्ष 2016 एवं 2017 की तुलना में)।

सतत् विकास लक्ष्यों (SDG-3) की प्राप्ति के लिए जनसंख्या के हर आयु वर्ग में स्वस्थ जीवन एवं उनकी देखभाल की व्यवस्था अनिवार्य होगी। इसी कारण से इन लक्ष्यों को भारत की नयी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2017) से भी जोड़ा गया है।

स्वास्थ्य व्यय (HEALTH EXPENDITURE)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य अकाउण्ट्स 2014-15 के अनुसार वर्तमान में सरकारी स्वास्थ्य व्यय सकल व्यय का 23 प्रतिशत है तथा इस मामले में निजी क्षेत्र की भागीदारी काफी उच्च है। सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों को शामिल करके वर्तमान स्वास्थ्य व्यय में फार्मेसी व्यय 29 प्रतिशत है।

भारत जैसे विकासशील देश में 'आऊट ऑफ पॉकेट व्यय' (Out of Pokcet Expenditure) के उच्च होने का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर गहरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हालांकि भारत के आऊट ऑफ पॉकेट व्यय (OoPE) में वर्ष 2004-05 से 2014-15 के बीच 7 प्रतिशत की कमी आयी है तथापि यह अब भी 62 प्रतिशत के उच्च स्तर पर है।

चिकित्सा व्यवस्था में निदान-शास्त्र (diagnostics) की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ताकि सही चिकित्सीय सलाह प्रदान की जा सके। रोग प्रबंधन एवं उचित चिकित्सीय सेवाओं में निदान शास्त्रीय व्यय के वहन का निम्न स्तर एक बहुत बड़ी बाधा है। घरेलू स्वास्थ्य व्यय सर्वेक्षण (HHES) के अनुसार देश के आऊट ऑफ पॉकेट व्यय का लगभग 10 प्रतिशत निदान-शास्त्र की मद में होता है (वर्ष 2013-14 की अवधि में)

हाल में ही सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में एक अति महत्वाकांक्षी पहल की गयी है-*संघीय बजट 2018-19* ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (NHPS) का कार्यान्वयन। इस 'फ्लैगशिप' योजना के माध्यम से 10 करोड़ गरीब एवं असुरक्षित (vuluerable) परिवारों (लगभग 50 करोड़ लोगों) को 5 लाख रु. तक के स्वास्थ्य व्यय की सुरक्षा का उद्देश्य है। विश्व की अब तक की सर्वाधिक बड़ी इसी स्वास्थ्य योजना द्वारा अस्पतालों के द्वितीयक एवं तृतीयक स्तरों के व्यय का वहन किया जाना तय है।

सामाजिक क्षेत्र व्यय (SOCIAL SECTOR EXPENDITURE)

पिछले कुछ वर्षों में (2008-2016 के दौरान) सामाजिक क्षेत्र पर भारत का व्यय किसी बड़ी वृद्धि को नहीं दर्शाता

16. As per baseline survey conducted by Ministry of Drinking Water and Sanitation, as quoted by the ***Economic Survey 2017-18***, Vol 2, p. 183, Ministry of Finance, GoI, N. Delhi.
17. According to the surveys conducted by *National Sample Survey Office* (NSSO, 2016) and *Quality Council of India* (QCI, 2017), as quoted by the ***Economic Survey 2017-18***, Vol 2, p. 183, Ministry of Finance, GoI, N. Delhi.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

है। दरअसल, व्यय में वृद्धि हमेशा पर्याप्त परिणामों और उपलब्धियों को सुनिश्चित नहीं करती। अब तक हुए खर्च की दक्षता का मूल्यांकन विभिन्न सामाजिक सूचक के जरिये सामाजिक क्षेत्रों के प्रदर्शन से हो सकता है। उपलब्धियों के मामले में सामाजिक क्षेत्र में खर्च का कुल मूल्यांकन बताता है कि शैक्षणिक और स्वास्थ्य परिणामों की दिशा में चौड़ी खाई अब भी है। इस तरफ बहुत सुधार की जरूरत है और देश में गैर-बराबरी को खत्म करना भी जरूरी है।

वर्ष 2017-18 (बजट अनुमान) के लिए सामाजिक क्षेत्र पर भारत के सामान्य सरकारी खर्चों (अर्थात् केंद्र और राज्य दोनों जोड़कर) के संबंध में नवीनतम आंकड़े[18] नीचे दिए गए हैं:

(i) कुल खर्च–जीडीपी का 26.4 प्रतिशत (पहले के वर्ष में 26.7 प्रतिशत)।

(ii) सामाजिक सेवाओं पर खर्च–जीडीपी का 6.6 प्रतिशत (पिछले वर्ष में 6.5 प्रतिशत)।

(iii) शिक्षा पर खर्च–जीडीपी का 2.7 प्रतिशत (पिछले वर्ष में 2.6 प्रतिशत)।

(iv) स्वास्थ्य पर खर्च जीडीपी का 1.4 प्रतिशत (पिछले वर्ष में 1.5 प्रतिशत)।

नीतिगत सुझाव (POLICY SUGGESTIONS)

सामाजिक आधारभूत संरचना का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देश के आर्थिक विकास और कल्याण में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह पूरी तरह से साबित हो चुका है और बड़े पैमाने पर मान्य है कि एक अर्थव्यवस्था की वृद्धि को शिक्षा और स्वास्थ्य प्रभावित करते हैं। शिक्षा, कौशल विकास, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रावधान बढ़ाने के रास्ते मानव पूंजी में निवेश कार्यशक्ति की उत्पादकता बढ़ाता है और जनसंख्या का कल्याण करता है। इस संदर्भ में, सरकार के लिए सामयिक दस्तावेज निम्नांकित कदम सुझाते हैं:[19]

(i) स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में कदम जरूरी है, ताकि सरकारी स्कूलों में घटते दाखिले को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के शैक्षणिक नतीजों को सुधारना आवश्यक है। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए कुशल शिक्षकों की संख्या बढ़ानी होगी।

(ii) सेवाओं की आपूर्ति के नए-नए मॉडलों के जरिये भारत को अपने विकास के क्रम में आने वाली बाधाओं से निपटना होगा। दहाई अंक के विकास की दिशा में भारत के कदम में यह महत्वपूर्ण किरदार निभाएगा।

(iii) सामाजिक आधारभूत संरचना को सुधारे बगैर एक देश का विकास अधूरा है। जनसांख्यिकी मोर्चे पर भारत को जो फायदा है, उसके दोहन के लिए सामाजिक आधारभूत संरचना को नए तरीके से प्रोत्साहित करने की जरूरत है। अपनी विविधतापूर्ण आबादी के बीच शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवा और दूसरी सामाजिक सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए, जिनमें हाशिये पर रह रहे तबके, महिलाएं और विकलांग लोग शामिल हैं, सरकार ने प्रौद्योगिकी मंच की संभावना को पहचाना है। इससे पूरी प्रणाली में भारी पैमाने पर दक्षता बेहतर हो सकती है।

(iv) सब्सिडी व्यवस्था को तेजी से दुरुस्त करना जरूरी है। इसमें सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना ही शामिल नहीं है, बल्कि सेवा वितरण तंत्र में दूसरे कई लाभों को लाना भी है। इसमें जरूरी

18. Latest data from the *Reserve Bank of India* quoted by the **Economic Survey 2017-18**, MoF, GoI, N. Delhi, Vol. 2, pp. 168.

19. The suggestions are based on the documents—**World Happiness Report-2015 (SDSN, UNO); World Development Report- 2015 & 2016 (World Bank); Economic Survey 2015-16, 2016-17 and 2017-18 (GoI); India Development Report-2017;** and the **NITI Aayog (GoI).**

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

आबादी को शामिल करना होगा, फर्जी खातों को हटाना होगा, भ्रष्टाचार और कमियों को मिटाना होगा, सही व्यक्ति तक सामान पहुंचाना होगा, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी।

इसमें प्रौद्योगिकी आधारित नकद लाभ हस्तांतरण (डीबीटी), यानी जेएएम (जन धन-आधार-मोबाइल) संख्या का विचार बदलाव लाने वाला कदम माना गया है।

(v) भारत को अपने नीति-निर्माण के ढांचे में लक्षित आबादी के व्यावहारिक आयामों को भी शामिल करने की जरूरत है, ताकि सामाजिक आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने के क्षेत्र में इच्छित नतीजों को पाया जा सके। स्वच्छता अभियान में भारत ने इस आयाम को छुआ है (खासतौर पर खुले में शौच को रोकने की पहल कर)। अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी यह करने की जरूरत है।

(vi) केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के सामाजिक क्षेत्र की पहलों को एक-दूसरे से जोड़ने की आवश्यकता है। इस मामले में नया थिंक टैंक नीति आयोग उचित किरदार निभा सकता है।

(vii) स्थानीय निकायों को मजबूत करने से न सिर्फ सामाजिक क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि नागरिक जागरूकता और नागरिक भागीदारी के मंच पर सकारात्मक असर पड़ेगा। उसके लिए भारत सिविल सोसायटी और एनजीओ की मदद ले सकता है।

(viii) इस उद्देश्य के लिए निजी क्षेत्र (कॉरपोरेट सेक्टर) को भी उन्मुख करना जरूरी है। इसमें उनके जुड़ाव से न सिर्फ इस क्षेत्र को पूंजी मिलेगी, बल्कि देश सामाजिक आधारभूत संरचना को बढ़ावा देने में अपने विशेषज्ञों का इस्तेमाल भी कर पाएगा।

आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 द्वारा तत्संबंधी अध्याय की समाप्ति *विश्व आर्थिक फोरम-2017* के एक विशेष वक्तव्य को उद्धृत करके किया गया है-"विश्व के देशों, जिनके समक्ष निम्न वृद्धि, उच्च असामना या फिर दोनों ही समस्याएं हों, को समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी नीतियों एवं संस्थानिक व्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करनी होगी। ऐसा करना चौथी औद्योगिक क्रांति में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए एक आवश्यक शर्त होगी।"

सरकार द्वारा समावेशी विकास से जुड़ी नीतियों एवं संस्थानिक व्यवस्थाओं को 'डिजीटलीकृत' किया जा रहा है ताकि अभिशासन व्यवस्था को रूपांतरित (transform) किया जा सके। इसके लिए सरकार द्वारा लिंग संवेदनशीलता तथा वित्तीय समावेश पर बल दिया जा रहा है ताकि आर्थिक समावेश के साथ-साथ देश में सामाजिक समावेश को भी प्रोत्साहित किया जा सके।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

अध्याय 21

ज्वलंत सामाजिक-आर्थिक मुद्दे (BURNING SOCIO-ECONOMIC ISSUES)

''भारतीय योजनाओं ने गरीबी को कम करने और अन्य सामाजिक उद्देश्यों की अनदेखी करते हुए अपने आप में एक अंत के रूप में विकास का पीछा किया।'' *

इस अध्याय में

1. बुरे बैंक
2. जनसांख्यिकीय लाभांश
3. दोहरी बैलेंस शीट का संकट
4. सबके लिए स्वास्थ्य देखभाल
5. विमौद्रीकरण के उत्तरप्रभाव
6. असमानता पर ध्यान संकेंद्रण
7. सार्वभौम मूल आय (यूबीआई)
8. राज्य में वैधता एवं सामाजिक-आर्थिक रूपांतरण
9. कृषि ऋणग्रस्तता एवं कृषि नीति
10. वैश्वीकरण उत्तरप्रभाव

** जगदीश भगवती और अरविंद पनागारिया, भारत की ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, कोलिन्स बुक्स, नई दिल्ली, 2014, पृष्ठ 9.*

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

1. बुरे बैंक (Bad Bank)

परिचय (Introduction)

बुरे कर्ज का भार जैसे कि बैंकों के फंसे हुए कर्ज (एनपीए), विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी), पिछले कुछ वर्षों से हर गुजरती तिमाही के साथ बढ़ता जा रहा है, जिसके विभिन्न कारण हैं। मार्च 2017 के अंत तक बैंकिंग व्यवस्था की संकटग्रस्त परिसंपत्तियां उनके कुल कर्ज के 12 फीसदी से अधिक थीं। पीएसबी, जिनके पास बैंकिंग परिसंपत्तियों के तकरीबन 70 फीसदी का स्वामित्व होता है, के संकटग्रस्त ऋण का अनुपात तकरीबन 16 फीसदी था। यही मुख्य वजह है कि पिछली कई तिमाही से बैंक नए कर्ज देने के इच्छुक नहीं हैं। 2016-17 की आखिरी तिमाही के अंत में, ऋण वृद्धि नकारात्मक रही है और पिछले दो दशकों के निम्नतम स्तर पर है। ऊंचे एनपीए की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) पिछले कुछ वर्षों में कई योजनाएं लेकर आया- आधारभूत ढांचे के आसान पुनर्वित्तीयन (5/25 योजना), परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी), रणनीतिक ऋण पुनर्निर्माण (एसडीआर), परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) और संकटग्रस्त परिसंपत्तियों का स्थायी निर्माण (एस4ए), लेकिन ये उपाय बैंकों के लिए बहुत राहत लेकर नहीं आए। खतरे को दूर करने में जब व्यवहारिक उपचार असफल दिख रहे हैं, एक थोड़ा कम व्यवहारिक उपचार अपनी जगह बना रहा है, जो सरकार को बुरे बैंक स्थापित करने की सलाह देता है।

अवधारणा (Concept)

सैद्धांतिक रूप से बुरे बैंक[1] साधारण अवधारणा पर काम करते हैं, जैसे कि, बैंकों के कर्ज दो श्रेणियों में विभाजित होते हैं—अच्छे और बुरे। बुरे बैंक द्वारा बैंकों के बुरे कर्ज खरीदे या अधिकार में लिए जाते हैं, जबकि अच्छे कर्ज बैंक के पास ही छोड़ दिए जाते हैं। इस तरह से, बुरे कर्ज बैंकों की अच्छी परिसंपत्तियों को नहीं बिगाड़ते। फिर बुरे कर्ज की समस्या से जूझ रहे बैंक वित्तीय तौर पर मजबूत स्थिति में आ जाते हैं, वे कर्ज देने की प्रक्रिया को फिर चालू कर देते हैं, जबकि बुरे बैंक की अवधारणा साधारण है, इसे लागू करना अत्यंत पेचीदा हो सकता है। इसका खाका तैयार करने के लिए कई तरह के संगठनात्मक और वित्तीय विकल्प हैं। आरबीआई ने भी अब इस तरह के बैंक स्थापित करने के पक्ष में संकेत दिए हैं, इसने 'खाका ठीक तरह से तैयार हो' के संबंध में विशेष ध्यान दिया है।

बुरे बैंक के मॉडल (Models of Bad Bank)

हमें जरूरत के हिसाब से विश्व में बुरे बैंक के चार अलग तरह के मॉडल मिलते हैं, जो संक्षेप में नीचे बताए गए हैं:

1. **बैलेंस शीट की गारंटी:** इस मॉडल में, संकटग्रस्त बैंक अपनी निवेश सूची (जैसे कि बुरी परिसंपत्तियां) के लिए सरकार से घाटे की गारंटी लेता है। यह सरल है और कम खर्चीला तरीका है और जल्दी से लागू किया जा सकता है। वैसे बुरे कर्ज सरकार की गारंटी लेते हैं, वे बैंक की बैलेंस शीट पर बने रहते हैं। इसका मतलब कि जब बैंक अपनी बुरी परिसंपत्तियों को लेकर निश्चिंत हो जाते हैं, तब भी वे नए कर्ज देने की स्थिति में नहीं होते हैं। यह मॉडल भारत की मौजूदा जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त नहीं है।
2. **आंतरिक नवीनीकरण इकाई:** यह मॉडल संकटग्रस्त बैंक के अंदर ही बुरा बैंक बनाने जैसा है। बैंक अपने बुरे कर्ज को अपनी खुद की वित्तीय व्यवस्था के भीतर एक 'अलग इकाई' में रखते हैं और बुरी परिसंपत्तियों को नियंत्रित करने के लिए अलग प्रबंधन टीम बनाते हैं- टीम को अलग प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यह बैंक को पारदर्शिता बढ़ाने (ताकि बुरे कर्ज से जुड़े आंकड़े सार्वजनिक हों) और उनके शेयरधारकों के बीच

1. The write-up is based on the **Economic Survey 2016-17**, documents of the RBI and other Government sources.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन यह भी बैंकों को नए कर्ज देने में सक्षम बनाने में सफल नहीं होता। यह मॉडल भी भारत के लिए उपयुक्त नहीं लगता।

3. **विशेष उद्देश्य इकाई:** यह मॉडल ऊपर वर्णित दो मॉडलों से थोड़ा अलग है। बैंकों के बुरे कर्ज का बोझ बैलेंस शीट से 'हटा लिया' जाता है और एक तरह की निधि में प्रतिभूतिकरण किया जाता है जिसे वित्तीय व्यवस्था में निवेशकों के विभिन्न समूहों को बेचकर निपटा दिया जाता है। भारत के मामले में प्रतिभूतिकृत किए गए बुरे कर्ज क्षेत्र-विशेष वाले स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) के माध्यम से चलाए जा सकते हैं। चूंकि एनपीए की समस्या कुछ क्षेत्रों (जैसे कि आधारभूत ढांचा और धातुओं) में केंद्रित है, यह मॉडल पर्याप्त उपयोगी दिखता है। चूंकि यह प्रक्रिया 'बाजार' (प्रतिभूतिकृत बुरे कर्ज की कीमत के लिए) को शामिल करती है, इस मॉडल में पीएसबी को कम दोष मिलेगा। बैंकों की बैलेंस शीट साफ-सुथरी रहेगी, जिससे वे नए कर्ज देना शुरू कर सकते हैं।

4. **बुरे बैंक स्पिन ऑफ:** यह पूरे विश्व में अपनाया जाने वाला सबसे प्रचलित मॉडल है। इस प्रारूप में, संकटग्रस्त बैंक अपने बुरे कर्ज को एक अलग बैंकिंग निकाय में हस्तांतरित कर देते हैं (जैसे कि बुरे बैंक)। इस तरह बुरे कर्ज का जोखिम आसानी से संकटग्रस्त बैंक की बैलेंस शीट से बुरे बैंक को हस्तांतरित हो जाता है जो बैंक को नए कर्ज देने में सक्षम बनाता है। इसलिए यह प्रारूप भारत की स्थिति को देखते हुए सबसे अधिक उपयुक्त दिखता है। वैसे इसकी स्थापना के लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं किए जाने की आवश्यकता है, जैसे कि अलग से एक निकाय का गठन, जरूरी प्रबंधन कौशल को लाना, सूचना व्यवस्था और समुचित नियामक व्यवस्था सबसे अहम हैं। यह एक महंगा मॉडल भी है। आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 द्वारा सुझाई गई सार्वजनिक क्षेत्र परिसंपत्ति पुनरुद्धार संस्था (पारा-पीएआरए) इसी श्रेणी के तहत आती है। हालांकि, पारा का कुछ दूसरी तरह की समस्याओं पर भी असर होना अपेक्षित है, जैसे-कुछ निजी क्षेत्रों की कॉर्पोरेट इकाइयों की संकटग्रस्त बैलेंस शीट पर।

निष्कर्ष (Conclusion)

बैंकिंग व्यवस्था में बुरे कर्ज की स्थिति उस स्तर पर पहुंच गई है जो अब अर्थव्यवस्था में निवेश की संभावना को चोट पहुंचाने लगी है, *आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17* के मुताबिक इस पर सरकार को तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम सर्वेक्षण के सुझावों को मानें, सरकार के लिए 'पारा' की तर्ज पर एक अलग निकाय गठित करने की दिशा में विचार करना उपयुक्त दिखता है। बुरे बैंक का गठन सिर्फ बैंकों के बुरे कर्ज की समस्या पर काम करेगा और उन्हें नए कर्ज देने के लिए दुरुस्त करेगा। लेकिन यह अर्थव्यवस्था में निवेश की वजहों को प्रोत्साहित नहीं करेगा क्योंकि कुछ बड़े कॉर्पोरेट कर्ज लेने के लिए ठीक हालत में नहीं हैं (जिन पर निवेश की संभावनाएं निर्भर करती हैं)। इसका मतलब भारत को इन कॉर्पोरेट इकाइयों को भी लाभ वाली स्थिति में लाना होगा। केंद्रीय बजट 2017-18 पेश करने के बाद, सरकार ने आने वाले महीनों में इस तरह का निकाय बनाने की इच्छा जतायी है। तब तक, भारत में व्यापार, उद्योग और बैंक इस मामले में सरकार की पहल का इंतजार कर रहे हैं।

2. जनसांख्यिकीय लाभांश (DEMOGRAPHIC DIVIDEND)

परिचय (Introduction)

विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान दोनों ही लगातार ये बात कह रहे हैं कि अब भारत की इसके जनसांख्यिकीय लाभांश[2]

2. The write-up is based on the analyses presented in the ***Economic Survey 2016-17; 2015-16*** and ***2012-13.***

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

का फायदा उठाने की बारी है। इस चर्चा के चरम पर *आर्थिक सर्वेक्षण 2012-13* द्वारा एक इस विषय पर एक अलग अध्याय प्रकाशित किया गया है। चूंकि भारत की निर्भरता का अनुपात तेजी से गिर रहा है, भारत जल्द ही अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का आनंद लेने के शीर्ष पर पहुंच जाएगा- कार्यशील जनसंख्या (डब्ल्यू ए) की शीर्ष स्थिति का अर्थव्यवस्था में सबसे ऊंचा योगदान। यह ध्यान में रखना चाहिए कि जनसंख्या संभावित मौके उपलब्ध कराती है और यह नियति नहीं है (जैसे कि *आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17* और *2015-16* याद दिलाते हैं)। भारत को यह समय अपने कई बड़े आर्थिक अंतर को भरने में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की आवश्यकता है जिसका सामना वह कई दशकों से कर रहा है। हालिया अध्ययन दर्शाते हैं कि भारत इस समय अलग स्थिति में है- जनसांख्यिकीय लाभांश के मौके के आने का इंतजार करने के समय से और जल्द ही भारत इस स्थिति को पीछे छोड़ते हुए भी देखेगा- यह मौका बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए।

संक्रांति काल

वैश्विक जनसांख्यिकीय आंकड़ों के अनुसार 2016 में बदलाव का समय दिखा था- 1950 के बाद से पहली बार, अग्रिम देशों की संयुक्त डब्ल्यूए जनसंख्या (15-59 वर्षों के आयु वर्ग वाली) गिर रही है। यूएनओ के अनुमानों के मुताबिक, अगले तीन दशकों के लिए चीन और रूस अपने डब्ल्यूए को 20 फीसदी से अधिक गिरता हुआ देखेंगे, जबकि भारत अपनी डब्ल्यूए आबादी के साथ जनसांख्यिकीय रूप से फायदे की स्थिति में दिखता है- इसी अवधि में एक तिहाई बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है। पिछले दो दशकों के आर्थिक शोध बताते हैं कि पूर्वी एशिया में ऊंची वृद्धि दर जनसांख्यिकीय बदलावों द्वारा आयी। अधिक डब्ल्यूए जनसंख्या वाले देश अधिक लाभ वाली स्थिति में दिखाई पड़ते हैं क्योंकि युवा जनसंख्या:

- अधिक उद्यमशील होती है (उत्पादन क्षमता में वृद्धि को जोड़ते हुए);
- अधिक बचत करने वाला वह वर्ग प्रतियोगितात्मक प्रभाव की अगुवाई कर सकती है, और;
- वृद्धि की वजह से, उनके पास बड़ा राजकोषीय आधार है, निर्भर रहने वालों की कम संख्या और मदद के लिए सरकार।

सैद्धांतिक आधार पर माना जाता है कि जनसांख्यिकीय लाभांश में लाने वाला विशिष्ट कारक, गैर-कार्यशील आबादी (एनडब्ल्यूए) की तुलना में कार्यशील आबादी का अनुपात है.

भारत के जनसांख्यिकीय आंकड़े (India's Demographics)

भारत की विशिष्टता: भारत, ब्राजील, कोरिया और चीन के लिए 1970 और 2015 के बीच डब्ल्यूए/एनडब्ल्यूए के अनुपात की तुलना (यूएनओ के अनुमानों पर आधारित) भारत की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल के बारे में तीन विभिन्न विशेषताएं दर्शाती है, जिनका भारत और इसके राज्यों की वृद्धि की संभावनाओं पर असर पड़ता है:

1. दूसरे देशों की तुलना में भारत का जनसांख्यिकीय चक्र करीब 10-30 वर्ष पीछे है। इससे पता लगता है कि भारत के पास अगले कुछ दशकों में तीनों देशों के प्रति व्यक्ति आय के स्तर तक पहुंचने का मौका है।
2. भारत का डब्ल्यूए और एनडब्ल्यूए अनुपात अधिकतम 1.7 पर रह सकता है, ब्राजील और चीन की तुलना में कहीं कम, इन दोनों में ही 1.7 से अधिक का अनुपात कम-से-कम 25 वर्ष तक रहा।
3. दूसरे देशों की तुलना में भारत अपने डब्ल्यूए और एनडब्ल्यूए के अधिकतम अनुपात के आस-पास कहीं अधिक समय के लिए बना रहेगा।

भारत के 'विशिष्ट' जनसांख्यिकीय ढांचे का एक कारण भी है और इसके *असर* भी हैं:

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

कारणः इन सभी देशों में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का समय लगभग एक समान, बहुत अधिक कुल प्रजनन दर (टीएफआर) के साथ शुरू हुआ था। चीन और कोरिया में, टीएफआर तब तेजी से निम्न जनसंख्या स्तर (एक स्त्री पर दो से कम बच्चे) के नीचे गिरी, जिसकी वजह से 2000 की शुरुआत तक डब्ल्यूए जनसंख्या वाला हिस्सा बढ़ा, इसके बाद जब बढ़ती उम्र वाली जनसंख्या का दौर आने लगा तो ये गिरनी शुरू हुई। हालांकि भारत में टीएफआर में गिरावट कहीं अधिक नियमित रही।

परिणामः जनसांख्यिकीय लाभांश के चलते पूर्वी एशियाई देशों ने जिस बड़े पैमाने पर तरक्की को अनुभव किया भारत को उस तरह की वृद्धि में तेजी या वृद्धि में गिरावट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए और संभव है कि भारत वृद्धि के ऊंचे स्तर को लंबे समय के लिए स्थायी बनाने में सक्षम हो।

स्थान संबंधी विशिष्टताः भारत के पास उसके जनसांख्यिकीय प्रोफाइल और विकास के मामले में राज्यों के बीच बड़ी विविधता है- यहां प्रायद्वीपीय भारत (पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश) और आंतरिक प्रदेश (मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार) के बीच एक स्पष्ट विभाजन है:

- डब्ल्यूए जनसंख्या में सटीक वृद्धि और गिरावट के साथ प्रायद्वीपीय राज्य चीन और कोरिया के निकट स्वरूप प्रदर्शित करते हैं, यह अंतर, नि:संदेह, ज्यादातर प्रायद्वीपीय राज्यों के डब्ल्यूए अनुपात के उच्चतम स्तर पर पूर्वी एशिया (पश्चिम बंगाल कोरिया के उच्चतम स्तर के नजदीक है, इसके बहुत नीचे टीएफआर की वजह से) में देखे गए स्तरों से नीचे रहेगा।
- इसके उलट, डब्ल्यूए जनसंख्या में कुछ समय की वृद्धि के साथ भीतरी प्रदेश अपेक्षाकृत युवा और गतिशील बने रहेंगे.

राज्यों के बीच में यह अंतर उनके अलग-अलग टीएफआर की वजह से है। इसका मतलब, जनसांख्यिकीय तौर पर, भिन्न नीतिगत चिंताओं के साथ यहां दो तरह के भारतीय हैं:

1. एक भारत जो जल्द ही बूढ़ा होने लगेगा, बुजुर्गों और उनकी आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत के साथ, और;
2. युवा भारत, जिन्हें शिक्षा, कौशल और रोजगार के मौके उपलब्ध कराने पर होगा।

नि:संदेह, भारत के अंदर इस तरह की विविधता अधिक श्रम गतिशीलता के माध्यम से सुलझाना फायदेमंद होगा, जिसके प्रभाव से यह जनसांख्यिकीय असंतुलन घट सकता है.

वृद्धि के प्रभावः भारत के विशिष्ट जनसांख्यिकीय ढांचे के दो महत्वपूर्ण वृद्धि-निष्कर्ष रहेंगे:

1. भारत के लिए जनसांख्यिकीय लाभांश का उच्चतम स्तर तेजी से पास आता दिखाई दे रहा है- 2020 की शुरुआत में उच्चतम स्तर तक- प्रायद्वीपीय भारत 2020 के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएगा जबकि आंतरिक प्रदेशों में यह 2040 के आसपास पहुँचेगा।
2. विकास का प्रभाव भी पूरे भारत में अलग-अलग तरह का रहेगा, मौजूदा गरीब राज्यों की प्रति व्यक्ति जीडीपी धनी राज्यों की तुलना में अधिक होगी। इसका मतलब, राज्यों के बीच जनसांख्यिकीय लाभांश आय को बढ़ाने का एक मौका लाएगा।

आउटलायर्स (केंद्र बिंदु से दूर कुछ राज्य)

कुल मिलाकर प्रोत्साहन देने वाला ढांचा कुछ 'रुचिकर आउटलायर्स' बनाएगा जिनका क्षेत्र पर और वहां रहने वाले लोगों पर अपना खुद का प्रभाव पड़ेगा:

- बिहार, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र सकारात्मक आउटलायर्स हैं जिनमें आने वाले वर्षों में अत्यधिक जनसांख्यिकीय लाभांश की उम्मीद कर सकते हैं, जिसका अनुमान उनकी आय के उनके मौजूदा स्तर के आधार पर लगाया जा

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

सकता है। यह अतिरिक्त लाभांश बिहार को बदलने में मदद करेगा, जबकि पहले से धनी हरियाणा और महाराष्ट्र को भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय से कहीं आगे ले जाएगा।

- वहीं दूसरी ओर, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल नकारात्मक आउटलायर्स हैं। उनका भावी लाभांश उनकी आय के स्तर से अपेक्षाकृत कम है.

यदि मुखर (Robust) सुधार और तेजी के माध्यम से इसे समायोजित नहीं किया जाता तो यह गरीब राज्यों को और पीछे करेगा, जबकि अपेक्षाकृत धनी केरल संभवत: औसत में बदल जाएगा क्योंकि इसकी वृद्धि की गति तेजी से नीचे गिर रही है।

निष्कर्ष (Conclusion)

भारत की डब्ल्यूए आबादी बढ़ने के नजदीक है। इसलिए, अगले पांच वर्षों में आर्थिक वृद्धि में बढ़त शीर्ष स्तर पर रहने की संभावना है। पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्था की तुलना में, भारत का डब्ल्यूए अनुपात कहीं अधिक नियमित तरीके से नीचे आएगा– यही वजह है कि भारत वृद्धि में तेज गिरावट से बचने में सक्षम रह सकता है (जैसे कि इससे पूर्व के मामलों में देखा गया)।

इसके साथ ही, भारत के प्रायद्वीपीय और भीतरी राज्यों में स्पष्ट जनसांख्यिकीय विभिन्नता इसके शीर्षतम् स्तर पर पहुंचने के समय में बड़ा अंतर पैदा करेगी, इसके साथ ही अत्यधिक श्रम गतिशीलता के माध्यम से जनसांख्यिकीय असंतुलन को कम करने का मौका देगी। भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश के शीर्ष पर पहुंचने के लिए अधिक समय तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है– यह कहना अच्छा रहेगा कि मौका 'जल्द ही निकलने वाला' है। इसलिए सदी में एक बार आने वाला यह मौका चूकना नहीं चाहिए, यह आवश्यक सुधारों, नीतियों और उपयुक्त कार्रवाई को जितना जल्दी संभव हो सके एक साथ लाने का बहुप्रतीक्षित समय है।

3. दोहरी बैलेंस शीट का संकट (Twin Balance Sheet Crises)

परिचय (Introduction)

बैंकों की फंसी हुई संपत्तियां (एनपीए), खासतौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी), पिछले कुछ वर्षों से अत्यधिक ऊंची होने की वजह से खबरों में रहीं। आरबीआई द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम संकट को सुलझाने में तकरीबन असफल रहे। इस दौरान, कर्ज से दबी हुई निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियां अपनी कमाई में गिरावट के चलते खबरों में रहीं। आधारभूत ढांचे से लेकर स्टील एवं रियल एस्टेट तक फैली हुई ये कॉर्पोरेट इकाइयां बैंकों के एनपीए की बड़ी वजह हैं। इसका मतलब उपचार सिर्फ बैंकों को संकट मुक्त बनाने तक सीमित नहीं है बल्कि इसी तरह के उपचार की निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र को भी आवश्यकता है।

समस्या (The Problem)

यद्यपि, भारत इस समय विश्व में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, पिछले कुछ वर्षों में कुछ वित्तीय मामले बद से बदतर होते गये हैं। 2007 के वैश्विक वित्तीय मंदी (जीएफसी) के बाद, भारत 'दोहरी बैलेंस शीट' (टीबीएस)[3] की समस्या की जकड़ से मुक्त होने की कोशिश कर रहा है:

1. पीएसबी के ऊंचे एनपीए, और;
2. निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की ऊंची संकटग्रस्त बैलेंस शीट।

बैंकों के बुरे कर्ज को बहाल और नियंत्रित करने के लिए भारत अब तक कई कदम उठा चुका है लेकिन वे बहुत प्रभावी नहीं रहे और बैंक अब भी बहुत संकट में हैं। दूसरी तरफ, भारत कॉर्पोरेट क्षेत्र की बैलेंस शीट के अच्छी हालत में आने का इंतजार करता रहा लेकिन

3. The write-up is based primarily on the **Economic Survey 2016-17**; articles and interviews of **Arvind Subramanian**, Chief Economic Advisor, Government of India and other **official releases**.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

यह नहीं हो पाया। इस दौरान समय के साथ हालात और बिगड़ते गए:

- पहले से संगटग्रस्त निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र अपने संचालन के लिए और अधिक ऋण लेने पर मजबूर रहे, क्योंकि उनकी कमाई और भी खराब हो चुकी थी। जीएफसी के समय से सितंबर 2016 तक, 10 शीर्ष संगटग्रस्त कॉर्पोरेट समूहों का कर्ज पांच गुना-7.5 लाख करोड़ से भी अधिक हो गया था। ये कंपनियां अपने कर्ज का न्यूनतम भुगतान करने में भी कठिनाइयां झेल रही हैं।
- फिलहाल, पीएसबी के कुल ऋण का करीब 12 फीसदी एनपीए में बदल गया है। यदि निजी क्षेत्र के कुछ अनुमानों पर विश्वास किया जाए तो ये एनपीए कहीं ऊंचे हैं (करीब 16 फीसदी)।

समाधान (The Solution)

टीबीएस ने अर्थव्यवस्था पर अपना नकारात्मक प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है- निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र को अपने निवेश को नियंत्रित करना पड़ा है जबकि बैंकों को अपने ऋण का आकार कम करना पड़ा हैं। स्थायी वृद्धि के लिए, इन रुझानों को पलटने की जरूरत है। यह करने का एकमात्र तरीका मौजूदा बैलेंस शीट समस्या का समाधान करना ही है। टीबीएस के मुद्दे को सुलझाने के लिए आर्थिक समीक्षा 2016-17 अलग उपाय अपनाने का सुझाव देता है। केंद्रीकृत 'सार्वजनिक क्षेत्र परिसंपत्ति पुनरुद्धार संस्था' पारा (PARA) के मुताबिक संस्था बड़े और सबसे मुश्किल मुद्दों का जिम्मा ले सकती है, और ऋण को कम करने के लिए कठोर राजनीतिक फैसले ले सकती है।

अब तक, टीबीएस को सुलझाने की औपचारिक रणनीति (एक 'विकेंद्रिकृत दृष्टिकोण') अपनायी जाती रही है, जिसके तहत बैंकों को ही 'पुनर्निर्माण' के फैसलों की जिम्मेदारी दी गई थी। आरबीआई द्वारा इस तरह की कई योजनाएं लाई गईं। ज्यादातर समय यह वास्तव में यह एक बेहतर रणनीति रही। लेकिन मौजूदा हालात में, इसकी प्रभावशीलता भ्रमित करने वाली साबित हुई है क्योंकि बैंक इस समस्या के विशाल आकार के तले दब गए हैं। संभवत: समय आ गया है कि एक 'केंद्रीकृत उपाय' - पारा के समर्थन में कुछ बिंदु नीचे दिए गए हैं:

बैंकों के साथ कंपनियां भी: साधरणतया, बुरे कर्ज की चर्चा आमतौर पर बैंक की पूंजी पर केंद्रित होती है, जैसे कि टीबीएस मामले को सुलझाने में मुख्य बाधा पीएसबी की जरूरत की खातिर धन जुटाना है (हम सरकार को 2012-13 से ही बैंक को पुन: पूंजी मुहैया कराते देखते हैं)। यदि इस पूंजी को गतिशील कर दिया जाए (संभव है जीडीपी का तीन फीसदी तक हो) तो यह सिर्फ बैंकों को खतरे से बाहर आने में मदद करेगा लेकिन संकटग्रस्त निजी कॉर्पोरेट इकाइयों को नहीं (जो इस संकट के पीछे हैं)। इन कॉर्पोरेट के लिए भी स्थायी उपचार की जरूरत है।

आर्थिक न कि नैतिक समस्या: जब भी टीबीएस समस्या पर आम चर्चा शुरू होती है, यह 'क्रोनी' कैपिटलिज्म (अपने फायदों के लिए उद्यमियों और सरकारी अधिकारियों के बीच घनिष्ठ रिश्तों से बनी आर्थिक व्यवस्था) के मुद्दे से जुड़ी होती है और यह ठीक भी दिखता है क्योंकि कई बार निधि के छितराव की वजह से कर्ज के पुनर्भुगतान की समस्या आती है। लेकिन दूसरे आयाम को भी ध्यान में रखना चाहिए- समस्या की मुख्य वजह 'आर्थिक माहौल में उम्मीद के विपरीत आए बदलाव' हैं, जैसे कि, कर्ज की समय सीमा, विनिमय दर और वृद्धि दर के अनुमान बुरी तरह से गलत साबित हुए। इसलिए समस्या नैतिक नहीं बल्कि आर्थिक है। 'क्रोनी' कैपिटिलिज्म की बात बार-बार दोहराने से हो सकता है कि कुछ को दंड मिल जाए लेकिन यह हमें प्रोत्साहन-आधारित उपचारों की दिशा में विचार करने में असफल कर देगा।

चिंताजनक कर्ज: संकटग्रस्त कर्ज बड़े पैमाने पर बड़ी कंपनियों में केंद्रीभूत हैं, जो कि एक मौके की तरह लगता है क्योंकि अपेक्षकृत कम संख्या में मामलों को सुलझाने

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

की जरूरत है। लेकिन बड़े मामले सुलझाना स्वाभाविक रूप से बहुत कठिन है और ये एक तरह की चुनौती होंगे।

कर्ज में कटौती: इनमें से बहुत-सी कंपनियां कर्ज के मौजूदा स्तर पर बेहद कमजोर हैं और इनके कर्ज को कम किए जाने की जरूरत है। यह माना गया कि उनको वापस खड़ा करने के लिए करीब 50 फीसदी तक कर्ज कम किए जाने (Write off) की आवश्यकता है।

बैंकों की मुश्किल: एनपीए के मामलों को सुलझाने में बैंकों ने मुश्किलें झेली हैं, हालांकि आरबीआई ने उन्हें कई विकल्प दिए हैं। दूसरे मुद्दों के अलावा, वे समन्वय की बड़ी कमी की समस्या का भी सामना करते हैं, चूंकि बड़े देनदारों के कई सारे लेनदार होते हैं जिनके अपने-अपने हित होते हैं। अगर पीएसबी बड़े कर्ज में कटौती (Write off) देने के बारे में विचार करें तो यह जांच ऐजेंसियों का ध्यान खींच सकता है। कर्ज की भुगतान सूची दोबारा बनाने के लिए, कर्ज को इक्विटी में बदल कर या कंपनियों का अधिग्रहण कर और आगे उन्हें किसी भावी खरीदार को बेचा जा सकता है लेकिन वे इसे घाटे में बेचते हैं तो ये राजनीतिक रूप से कठिन होगा।

एआरसी का व्यर्थ सिद्ध होना: परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (एआरसी) बुरे कर्ज के विघटन में बैंकों से ज्यादा सफल सिद्ध नहीं हुईं और बड़े मामलों को निपटाने के लिए बहुत छोटी हैं। एआरसी और बैंक काफी विकृत हो सकते हैं, उदाहरण के तौर पर, बुरे कर्ज को निपटाने के लिए एआरसी प्रबंधन शुल्क लेती रहती हैं, तब भी जब वे उन्हें निपटा नहीं पातीं। नए दिवालिया कानून (2016-17 में बना कानून) के तहत अभी काम शुरू होना है- इसके तहत काम शुरू करने के बाद भी बड़े मामलों से निपटने के लिए यह तैयार हो सकें, इससे पहले आवश्यक समय की जरूरत होगी।

देर महंगी पड़ती है: चूंकि बैंक बड़े मामलों को नहीं सुलझा सकते इसलिए उन्होंने कर्जदारों को केवल दोबारा वित्त मुहैया करा देते हैं और दरअसल 'समस्या के प्रति आंखें मूंद लेते हैं। लेकिन यह सरकार के लिए महंगा पड़ता है, क्योंकि इसका मतलब होता है बुरे कर्ज का बढ़ते रहना, बैंकों को धन मुहैया कराने पर सरकार के लिए लागत बढ़ना और इससे जुड़ी राजनीतिक कठिनाइयां भी।

'पारा' की कार्यपद्धति (Functioning of PARA)

मोटे तौर पर सिद्धांत साधारण है हालांकि इसके संभावित नतीजे कई हैं। यह बैंकों से विशिष्ट कर्ज को खरीदेगा (उदाहरण के तौर पर, कर्ज में डूबी बड़ी आधारभूत ढांचों से जुड़ी इकाइयों से सम्बद्ध) और उस पर काम करेगा, यह मूल्य को बढ़ाने की रणनीति के पेशेवर आकलन पर निर्भर करता है। एक बार कर्ज पीएसबी के खातों से बाहर हो जाए तो सरकार उन्हें दोबारा धन दे सकती है, इसके बाद उन्हें नए कर्ज के लिए अपने संसाधनों (वित्तीय और मानव) को इस्तेमाल करने की अनुमति दी जा सकती है। इसी तरह, एक बार जब कर्ज में डूबे उपक्रम दोबारा वित्तीय तौर पर मजबूत हो जाएं तो वे अपने कार्य-संचालन पर दोबारा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, (अपनी वित्तीय व्यवस्था के बजाय) और वे नए निवेश और कर्ज के लिए वित्तीय तौर पर सक्षम हो जाएंगे।

नैतिक बाधाएं: निःसंदेह इस तरह के कदम को नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ता है, इस सबकी कीमत चुकानी पड़ती है जो नुकसान को स्वीकार करना और उसके लिए भुगतान करना है। लेकिन यह कीमत चुकानी ही है। कर्ज पहले ही लिए जा चुके हैं, नुकसान भी हो चुका है और क्योंकि पीएसबी प्रमुख ऋणदाता हैं, बोझ का काफी हिस्सा सरकार पर पड़ेगा (यद्यपि संकटग्रस्त उपक्रमों में शेयरधारकों को उनकी हिस्सेदारी खोनी पड़ेगी)। समाधान की किसी भी रणनीति (पारा या विकेंद्रित) के लिए मुद्दा ये नहीं है कि सरकार को नई देनदारी लेनी चाहिए बल्कि ये है कि देनदारी को कैसे कम-से-कम किया जाए जो बुरे ऋण की समस्या को जितना संभव हो प्रभावी तरीके से सुलझाने की वजह से सामने आई है और दरअसल यही पारा के निर्माण का उद्देश्य है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

आवश्यकताएं: इसके लिए बड़ी पूंजी की जरूरत होगी, जिसका प्रबंध निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है:

- इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सरकार (प्रतिभूतियां जारी कर) हो सकती है;
- दूसरा स्रोत पूंजी बाजार हो सकता है (यदि पीएसबीएस में शेयर बेचे जाएं या निजी क्षेत्र पारा में हिस्सेदारी खरीदें),
- पूंजी का तीसरा स्रोत आरबीआई हो सकता है (केंद्रीय बैंक कुछ सरकारी प्रतिभूतियां पीएसबी और पारा को स्थानांतरित कर सकता है – इससे आरबीआई की पूंजी कम हो जाएगी और पीएसबीएस, पारा की पूंजी बढ़ जाएगी। इससे मौद्रिक नीति पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई नया धन सृजित नहीं किया गया है)।

जोखिम और कठिनाइयां: पारा का निर्माण बिना इसकी अपनी कठिनाइयों और जोखिमों के नहीं हुआ, देश का इतिहास सार्वजनिक क्षेत्र के प्रयासों के पक्ष के अनुकूल नहीं है। फिर भी, कोई यह पूछ सकता है कि भारत कब तक हालिया विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण के साथ चल सकता है, जो जीएफसी के आठ वर्षों के बाद भी अब तक इच्छित परिणाम नहीं दे सका है, जबकि पूर्व एशियाई देश अपनी ज्यादा बड़ी टीबीएस समस्याओं को दो वर्ष के भीतर सुलझाने में सक्षम हो गए। वास्तव में एक कारण यह था कि पूर्व एशियाई देश कहीं अधिक दबाव में थे जिसकी वजह से वे संकट में थे, जबकि भारत की वृद्धि दर उच्च बनी रही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण था कि इसने एक केंद्रीकृत रणनीति अपनाई, जो सार्वजनिक संपत्ति पुनर्वास कंपनियों का उपयोग कर ऋण की समस्याओं को सुलझाने की अनुमति प्रदान करती है। परिणामत:, हालिया प्रयास टीबीएस समस्या सुलझाने में सफल नहीं हो सके। नए समाधान तलाशने की जरूरत है। संभवत: भारत को फिलहाल पारा को एक समाधान के तौर पर देखना चाहिए।

यह पद्धति ऋण समाधान में तकलीफ दे रही मौजूदा अधिकतर बाधाओं को खत्म कर सकती है:

- कर्जों के एक ऐजेंसी में केंद्रीकृत होने से यह समन्वय की समस्या को सुलझा सकता है,
- एक तय समय सीमा में अधिकाधिक वसूली के लिए एक सुस्पष्ट आदेश देकर इसे समुचित प्रोत्साहन के साथ स्थापित किया जा सकता है,
- यह बैंक पूंजी संबंधी चिंताओं से ऋण समाधान प्रक्रिया को अलग कर सकता है।

मध्य-2017 में सरकार ने इस दिशा में पहल करने का संकेत दिया था हालांकि *संघीय बजट 2018-19* इस मामले में कोई खुलासा नहीं करता है। फिलहाल सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों को पुनर्पूंजीकृत करने की प्रक्रिया पर कार्य किया जा रहा है-अक्तूबर 2017 में घोषित इस योजना के अंतर्गत बैंकों को 2.11 लाख करोड़ की पूंजी दिए जाने की व्यवस्था है। यह प्रक्रिया दोहरे बैलेंस शीट संकट के अर्द्ध-भाग (बैंकों की) की दिशा में कुछ समाधान ला सकेगा।

4. सबके लिए स्वास्थ्य देखभाल (UNIVERSAL HEALTHCARE)

प्रस्तावना (Introduction)

12वीं योजना पहली आधिकारिक दस्तावेज थी, जिसमें सबके लिए स्वास्थ्य सेवा (सार्वभौम स्वास्थ्य) के पक्ष में सुझाव दिया गया था, जिसके लिए जीडीपी के करीब 2.5 प्रतिशत का कुल आवंटन अनुमानित था। इस सुझाव को इसलिए लागू नहीं किया जा सका क्योंकि तत्कालीन सरकार आवश्यक धनराशि (अनुमानित आवंटन जीडीपी का अधिकतम 1.6 प्रतिशत) देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं रह सकी। वर्तमान में, सरकार (केंद्र और राज्य) का स्वास्थ्य सेवा पर कुल खर्च जीडीपी का 1.4 प्रतिशत खर्च (*आर्थिक समीक्षा 2016-17*) है। देश में स्वास्थ्य सेवा से संबंधित कठिनाइयां हमेशा गंभीर चिंता का विषय रही हैं; निजी व्यय (Outof poket expenditure) पूरी दुनिया में सर्वाधिक खर्चों में से एक (कई दशकों से यह 70 प्रतिशत तक) है। यह विचार सार्वजनिक बहस का एक मुख्य मुद्दा रहा है। पिछले आम चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के वादों में ये प्रमुखता के साथ गूंजता रहा।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

चुनौतियां (The Challenges)

संसाधनों की कमी की वजह से सबके लिए स्वास्थ्य देखभाल के लिए काम करना व्यवहारिक स्तर पर सरकार के लिए काफी दुरूह लक्ष्य था। ऐसी नीति लागू करने के लिए सरकार के पास कई भौतिक और गैर-भौतिक समर्थनकारी व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे कि, बड़ी संख्या में अस्पताल, आवश्यकता के अनुरूप कर्मचारी, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग संस्थान, स्वास्थ्य बीमा, टीकों और दवाइयों का सार्वजनिक वितरण, इत्यादि। सरकारों के लिए ऐसी किसी नीति को लागू करने के लिए आवश्यक आर्थिक संसाधन जुटाना सबसे बड़ी चुनौती बन गई। एक आर्थिक मॉडल विकसित करना आज की जरूरत है।

समाधान के लिए आगे बढ़ना (Going for the Idea)

विभिन्न पक्षकारों के साथ करीब दो वर्षों के विचार-विमर्श के बाद भारत सरकार ने अंततः सबके लिए स्वास्थ्य देखभाल की दिशा में निर्णायक कदम के रूप में मार्च 2017 के मध्य में 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017' की घोषणा की गई। नीति का जोर मुख्यतः 'निवारक तथा संवर्द्धक स्वास्थ्य देखभाल और बेहतर गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सबकी पहुंच' पर है। नीति[4] के मुख्य बिंदुओं पर नीचे चर्चा की गई है।

प्राथमिक उद्देश्यः नीति का प्राथमिक उद्देश्य है—स्वास्थ्य व्यवस्था में सरकार की भूमिका को प्राथमिकता के आधार पर मजबूत एवं स्पष्ट करना। नीति के पहलू हैं- स्वास्थ्य में निवेश, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए वित्त पोषण, बीमारियों की रोकथाम और विभागीय कार्रवाइयों के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य का संवर्द्धन, प्रौद्योगिकी उपलब्धता, मानव संसाधनों का विकास, चिकित्सा बहुलता को प्रोत्साहन, बेहतर स्वास्थ्य के लिए आवश्यक ज्ञान आधार निर्मित करना, वित्तीय सुरक्षा रणनीतियां और स्वास्थ्य के लिए नियमन व उन्नत बीमा में स्वास्थ्य व्यवस्था। नीति का जोर देशभर में सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों का पुनर्संयोजन और मजबूत करना है ताकि मुफ्त दवाओं, निदान और अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक सबकी पहुंच बन सके।

दृष्टिकोण परिवर्तनः इस नीति में सरकार चिकित्सा देखभाल, शमनकारी देखभाल और पुनर्वास देखभाल सेवाओं समेत अत्यंत चुनिंदा से लेकर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तक में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा करती है। नीति संसाधनों के बड़े हिस्से (दो-तिहाई या उससे अधिक) को प्राथमिक उपचार के लिए आवंटित करने की वकालत करती है, उसके बाद माध्यमिक व तृतीय श्रेणी देखभाल आते हैं। यह नीति बहुत सारी माध्यमिक देखभाल को जिला स्तर पर उपलब्ध कराने का लक्ष्य करती है, जो अभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के स्तर पर उपलब्ध कराई जाती है।

व्यापक सिद्धांतः नीति का व्यापक सिद्धांत है व्यावसायिकता, ईमानदारी, नैतिकता, हिस्सेदारी, वहनीयता, सार्वभौमिकता, मरीज की सहज और गुणवत्तापूर्ण देखभाल, जवाबदेही तथा बहुलता।

वहनीयताः यह नीति मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने वालों से स्वास्थ्य देखभाल में गिरावट वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक अस्पतालों और रणनीतिक खरीदारी के संयोजन के माध्यम से गुणवत्ता वाली माध्यमिक व तृतीयक देखभाल सेवाओं की व्यापक पहुंच व वहनीयता सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च की वजह से क्षमता से अधिक खर्च में उल्लेखनीय कमी लाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था में नए सिरे से विश्वास पैदा करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों के साथ जुड़ाव में चिकित्सा प्रौद्योगिकी की तरह निजी स्वास्थ्य देखभाल उद्योग के संचालन व वृद्धि को प्रभावित करना चाहती है।

बहुलतावादी खाकाः बहुलतावादी स्वास्थ्य देखभाल विरासत का फायदा उठाने के लिए, यह नीति विभिन्न स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मुख्य धारा में लाने का प्रस्ताव करती है। नीति आयुष के सामर्थ्य को मुख्यधारा में लाने की दिशा में सार्वजनिक सुविधाओं में सह-स्थापन के माध्यम से

4. The write-up is based on the **Economic Survey 2016-17**, press release from the **Government of India** and other Government sources (till March 2017).

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

आयुष उपचार तक बेहतर पहुंच की परिकल्पना करती है। अच्छे स्वास्थ्य के संवर्धन के हिस्से के तौर पर स्कूलों और कार्यस्थलों में ज्यादा वृहद स्तर पर योग का विस्तार करना भी इसमें शामिल है।

पूर्व उपचारात्मक देखभाल पर ध्यान: यह नीति शिशु और किशोर के स्वास्थ्य के इच्छित स्तरों को हासिल करने के लिए पूर्व उपचारात्मक देखभाल के प्रति प्रतिबद्धता (बीमारी होने से पहले ही उपचार करने के लक्ष्य के साथ) दिखाती है। यह नीति स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम पर अधिक ध्यान देने की जरूरत और स्वास्थ्य और स्वच्छता को स्कूल के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए जाने पर बल देती है।

वित्त पोषण: यह नीति एक समयबद्ध तरीके में जीडीपी के 2.5 प्रतिशत तक सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च बढ़ाने का प्रस्ताव करती है। इसका उद्देश्य एचडब्ल्यूसीएस (स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र) के माध्यम से सुनिश्चित व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए वृहद पैकेज उपलब्ध कराना है।

निजी भागीदारी: सबके लिए स्वास्थ्य देखभाल का सुझाव समय के अनुरूप अत्यंत यथार्थवादी है, जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को सकारात्मक और सक्रिय तरीके से मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है जो नीति के लक्ष्यों को हासिल करने में मददगार होगा। यह रणनीतिक खरीदारी, क्षमता निर्माण, कौशल विकास कार्यक्रमों, जागरूकता बढ़ाने, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए समुदाय के लिए टिकाऊ नेटवर्क विकसित करने और आपदा प्रबंधन के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग पर विचार करता है। नीति निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय और गैर-प्रोत्साहक उपायों की भी वकालत करती है।

मात्रात्मक लक्ष्य: स्वास्थ्य का स्तर और कार्यक्रम का प्रभाव, स्वास्थ्य व्यवस्था का निष्पादन तथा व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए बीमारी के फैलने/घटने की कमी के उद्देश्य से यह नीति विशेष मात्रात्मक लक्ष्य तय करती है। यह स्वास्थ्य, निगरानी व्यवस्था की मजबूती और सार्वजनिक स्वास्थ्य महत्व की बीमारियों के लिए 2020 तक पंजीकरण स्थापित करना चाहती है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों के साथ चिकित्सा उपकरणों और औजारों के लिए अन्य नीतियों को भी संबद्ध करना चाहती है।

विनियामक तंत्र: नीति स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था की दक्षता और परिणाम में सुधार के लिए डिजिटल उपकरणों की सघन तैनाती की वकालत करती है और एनडीएचए (नेशनल डिजिटल हेल्थ अथॉरिटी) की स्थापना का प्रस्ताव करती है ताकि देखभाल के सभी अविच्छिन्नकों में विनियमन, विकास तथा डिजिटल स्वास्थ्य की तैनाती की जा सके।

स्वैच्छिक सहायता: नीति एक 'समाज को वापस देने' (Giving back to society) की पहल के तहत मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों द्वारा ग्रामीण इलाकों और उन क्षेत्रों में जहां सुविधा उपलब्ध नहीं है, स्वैच्छिक निःशुल्क सेवा की मदद लेने का समर्थन करती है।

पृष्ठभूमि: भारत सरकार ने स्वास्थ्य नीति बनाने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया अपनाई, जिसका मसौदा 30 दिसंबर, 2014 को सार्वजनिक किया गया। पक्षकारों और राज्य सरकारों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद इसे और ज्यादा परिष्कृत किया गया। अंततः फरवरी 2016 के अंत तक इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (सर्वोच्च नीति-निर्माता संस्था) की केंद्रीय परिषद की स्वीकृति प्राप्त हो गई। सन 2000 में घोषित पिछली स्वास्थ्य नीति के बाद से देश में सामाजिक-आर्थिक और महामारी वाली संक्रामक बीमारियों की स्थिति में काफी बदलाव आ चुका था। इसके अतिरिक्त, कई ज्वलंत तात्कालिक चुनौतियां भी उभरकर सामने आई थीं। इन चुनौतियों से पूरी तौर पर और प्रभावी तरीके से निपटने के लिए सरकार को एक नए प्रारूप और आज की जरूरतों के अनुरूप स्वास्थ्य नीति की जरूरत थी- इसी का परिणाम एनएचपी 2017 है।

सरकार द्वारा हाल में घोषित (*संघीय बजट 2018-19*) राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (NHPS) इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत देश के 10 करोड़ गरीब एवं असुरक्षित परिवारों (लगभग

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

50 करोड़ जनसंख्या) को द्वितीयक एवं तृतीयक स्तरों की चिकित्सा सुविधाओं के लिए प्रति परिवार 5 लाख रु. की सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है।

5. विमौद्रीकरण के उत्तरप्रभाव (AFTEREFFECTS OF DEMONETISATION)

परिचय (Introduction)

नवंबर 2016 के प्रारंभ में सरकार ने अर्थव्यवस्था के गंभीर निहितार्थ एक ऐतिहासिक उपाय की घोषणा की। इसके तहत् 500 और 1000 रुपये की उच्च मूल्य वाली मुद्राओं के चलन पर रोक लगा दी गई। इस प्रकार, बाजार में संचारित नकदी के 86 प्रतिशत हिस्से को अमान्य करार दे दिया गया। सरकार के मुताबिक, इससे चार मुख्य उद्देश्यों[5] की पूर्ति होगी:

1. भ्रष्टाचार पर लगाम लगायी जा सकेगी;
2. नकली मुद्राओं के चलन पर रोक लगाई जा सकेगी;
3. आतंकवाद पर नकेल कसी जा सकेगी (क्योंकि आतंकवादी ऊंची कीमत की नकदी का इस्तेमाल करते हैं), तथा;
4. काला धन के संचय पर रोक लगाई जा सकेगी।

इस कार्रवाई के पूर्व अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए प्रयासों की एक वृहत श्रृंखला शुरू की जा चुकी थी। वर्ष 2014 में विशेष जांच दल (एसआईटी) का निर्माण किया गया था। काला धन एवं कर इम्पोजिशन अधिनियम 2015, बेनामी लेन-देन अधिनियम 2016, स्विट्जरलैंड के साथ सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए समझौता, मॉरीशस, साइप्रस और सिंगापुर के साथ कर संधि में परिवर्तन और आय घोषणा योजना, इत्यादि। यह कोई अभूतपूर्व प्रयास था, ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि इसके पहले वर्ष 1946 एवं 1978 में ऐसे ही प्रयास किए जा चुके थे। बाद वाले प्रयास[6] का नकदी पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा था।

नौकरियों के चले जाने की खबरें हैं। खेती से होने वाली आमदनी में गिरावट की बातें कही जा रही हैं और साथ ही सामाजिक मुश्किलों की भी बातें सामने आईं, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र (जो नकदी पर ज्यादा निर्भर करते है) में, जो कि अर्थव्यवस्थाओं का गहन हिस्सा है। बहरहाल आंकड़ों के अभाव में एक व्यवस्थित अध्ययन अभी भी संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। विमौद्रीकरण या नोटबंदी से होना वाले फायदों को केवल आने वाले वर्षों में ही महसूस किया जा सकेगा। यह मुहिम वास्तव में तात्कालिक लाभों की बजाय दीर्घकालिक लक्ष्यों के प्रति लक्षित था। हम अर्थव्यवस्था पर विमौद्रीकरण के प्रभावों एवं इसके व्यावहारिक पहलुओं का संक्षिप्त विश्लेषण इस प्रकार कर सकते हैं:

दीर्घकालिक लाभ: आने वाले लंबे समयकाल के संदर्भ में बदलाव की दिशा और परिमाण की पैमाईश अभी जल्दबाजी होगी। काला धन के मामले में नकदी के अवैध लेन-देन एवं वित्तीय बचत पर विमौद्रीकरण या नोटबंदी के प्रभावों को देख पाने में अभी कई साल लगेंगे। लेकिन कुछ संकेत हैं, जो बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं:

(i) **डिजीटलीकरण:** विमौद्रीकरण का एक प्राथमिक उद्देश्य कम नकदी या 'कैश-लाइट' (Cash-lite) अर्थव्यवस्था सृजित करना भी है। इससे न केवल वित्तीय व्यवस्था में ज्यादा बचत के प्रति रुझान बढ़ेगा बल्कि कर अनुपालन में भी सुधार आएगा। फिलहाल इन उद्देश्यों से भारत अभी कोसों दूर है। वतल समिति ने हाल ही में यह अनुमान लगाया था कि सभी उपभोक्ताओं के भुगतान के लिए अभी करीब 78 प्रतिशत नकदी उपयोग में लायी जा रही है। प्राइस वॉटर

5. The write-up is primarily based on the Economic Survey 2016-17 and the primary sources of the Government of India released till March 2017.

6. In 1970, a Committee headed by former Chief Justice K.N. Wanchoo, in its interim report, recommended demonetisation of the 10, 100, and higher denomination notes to combat the scourge of black money. These denominations accounted for 86.6 percent of the then money stock.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

हाउस कूपर्स (2015) के मुताबिक, दूसरे देशों की तुलना में भारत में उपभोक्ताओं में नकद लेन-देन की प्रबलता कहीं ज्यादा देखने को मिलती है (मूल्यों की दृष्टि से कुल लेन-देन का 68 प्रतिशत एवं मात्रा के हिसाब से 98 प्रतिशत)।

लोग कई कारणों से नकद लेन-देन करना ही पसंद करते हैं क्योंकि यह सुविधाजनक है, इसे हर जगह स्वीकार किया जाता है और जन-साधारण के लिए इसका उपयोग लगभग लागत-रहित है (निश्चित तौर पर व्यापक रूप से पूरे समाज के लिए कतई नहीं)। नकदी उपयोगकर्ता की गोपनीयता को अक्षुण्ण रखती है, जो तब तक बुरा नहीं है जब तक कि कर की चोरी (कर वंचना) के लिए इसका अवैध रूप से किसी तिकड़म के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। डिजिटलीकरण व्यापक तौर पर समाज के तीन वर्गों पर प्रभाव डाल सकता है- गरीब तबका, जो डिजिटल अर्थव्यवस्था के दायरे से पूरी तरह बाहर है; कम अमीर, जो कि अपने अर्जित जन-धन खाता और RuPay (रुपे) कार्ड के इस्तेमाल से डिजिटल अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन रहा है और संपन्न, जो कि क्रेडिट कार्ड के व्यापक इस्तेमाल से डिजिटल अर्थव्यस्था के साथ पूरी तरह एकीकृत हो चुके हैं।

(ii) **रियल एस्टेट:** इस क्षेत्र में व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। अतीत में, जमा किए गए काले धन का बहुत बड़ा हिस्सा अंततः संपत्ति बिक्री पर करों को छिपाने के लिए इस्तेमाल में लाया गया था। अचल संपत्तियों की कीमत में कमी वांछनीय है क्योंकि इससे मध्य वर्ग के लिए सस्ते मकान का सपना पूरा हो पाएगा और इससे पूरे भारत में श्रम गतिशीलता संभव हो पाएगी, जो फिलहाल मकान किराये की अत्यधिक ऊंची दर के कारण बाधित है।

अल्पकालिक प्रभाव: विमौद्रीकरण अर्थव्यवस्था पर अल्पकालिक लागत आरोपित करेगा, जिसकी पैमाइश उचित आंकड़ों के पर्याप्त न होने के कारण अब भी मुश्किल है क्योंकि इस प्रक्रिया ने वृहत् संरचानात्मक झटका दिया है। अतीत के अंतर्निहित व्यवहार के मानदंड भविष्य के व्यवहार के लिए अपूर्ण संकेतक होंगे और इस प्रकार परिणाम भी। हालांकि अल्पावधि के प्रभाव की रूपरेखा रेखांकित की जा सकती है:

(i) **सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर प्रभाव:** आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय भी प्रभावित हुआ है। लेकिन यह केवल तात्कालिक है। संभव है कि सकल घरेलू उत्पाद 0.25 से 0.5 प्रतिशत कम होकर 7 प्रतिशत के आस-पास रहे। विमौद्रीकरण के तत्काल बाद जीएसटी एवं अन्य संरचनात्मक सुधार भारत की वृद्धि दर को 8 से 10 प्रतिशत सीमा विस्तार के बीच की गति प्रदान कर सकता है। यही भारत की जरूरत भी है।

(ii) **आय का पुनर्वितरण:** संसाधनों के पुनर्वितरण का सरकार के राजकोषीय खाते पर भी निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा:

- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया/सरकार अप्रत्याशित संपत्ति प्राप्ति से कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- बैंकों में काला धन के जमा होने से आय कर ऊपर की ओर जा सकता है।

विमौद्रीकरण के तीन नकारात्मक प्रभाव हैं- *पहला,* नई करेंसी की छपाई की लागत *दूसरा,* बैंकिंग व्यवस्था में (बाजार स्थिरीकरण के योजना बॉण्ड्स में असंतुलन) में वृद्धि की अपरिहार्यता को निष्फल करने की लागत पर रोक, और *तीसरे,* अगर सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट आती है, तो केंद्र के कॉर्पोरेट और अप्रत्यक्ष कर राजस्व में भी गिरावट आ सकती है, लेकिन अब तक इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

संभावनाओं का दोहन (Tapping the Prospects)

सरकार को विमौद्रीकरण के दीर्घावधि लाभ को अधिकतम करने की और छोटी अवधि के खर्च को कम करने की जरूरत है। इस प्रयोजन के लिए, निम्न उपाय उपयोगी दिखाई देते हैं:

(i) पुनर्मौद्रीकरण (Remonetisation) की प्रक्रिया तेजी से होनी चाहिए।

(ii) 'अप्रसारित नकदी' से उत्पन्न होने वाला कोई भी अप्रत्याशित लाभ का इस्तेमाल पूंजीगत प्रकार के खर्च के तौर पर होना वाहिए न कि राजस्व प्राप्ति से होने वाले खर्च की तरह। चूंकि यह आय 'एक बार' (One-off) होगी, इसका इस्तेमाल भी एक बार होना चाहिए.

(iii) डिजिटलीकरण अवश्य ही मध्यम अवधि में जारी रहेगा, हालांकि न तो यह कोई रामबाण है और न ही नकद अर्थव्यवस्था खराब है। भुगतान के दोनों ही प्रारूपों का संतुलन और लागत समझदारी भरा कदम होगा। डिजिटलीकरण की ओर हमारे कदम अवश्य ही धीरे-धीरे बढ़ने चाहिए और समावेशी होने चाहिए। डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करना चाहिए और प्रोत्साहन-समर्थित नकदियों को निष्प्रभावी करना चाहिए। प्रोत्साहन की लागत अनिवार्यरूपेण सार्वजनिक क्षेत्र (सरकार/आरबीआई) को वहन करनी चाहिए (उपभोक्ताओं या वित्तीय बिचौलियों द्वारा नहीं)।

(iv) नए घोषित (और अघोषित या अज्ञात) धन पर कर उगाही की कोशिश पदसोपान के किसी भी क्रम के अधिकारियों द्वारा कर उत्पीड़नोन्मुखी नहीं होना चाहिए। आंकड़ों के बेहतर इस्तेमाल, पुख्ता साक्ष्य आधारित जांच व लेखा परीक्षण, करदाताओं एवं कर-अधिकारियों के बीच कम अंतर्व्यवहार के साथ ऑनलाइन मूल्यांकन पर अधिक निर्भरता की ओर क्रमिक बदलाव आज की आवश्यकता है। कर अनुपालन में अभिवृद्धि के लिए गैर-दंडात्मक साधन विकसित किए जाने चाहिए।

(v) इस तरह से, विमौद्रीकरण वास्तव में व्यवहार में लंबे समय तक चलने वाले परिवर्तनों के लिए उत्प्रेरक साबित हुआ है, इसके लिए विमौद्रीकरण के साथ-साथ अन्य गैर-दंडात्मक, प्रोत्साहन-अनुपूरक उपायों की जरूरत होगी जो कर वंचना (करों की चोरी) वृत्ति के लिए प्रोत्साहन को कम करते हों। विमौद्रीकरण एक कड़ा कदम था अब पूरक तौर पर इसे थोड़े राहतपूर्ण उपायों का भी साथ मिलना चाहिए। एक पांच आयामी रणनीति अपनाई जा सकती है:

(a) जीएसटी में उन गतिविधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए जो काले धन का स्रोत मानी जाती हैं, जैसे—भूमि और अन्य अचल संपत्तियां।

(b) व्यक्तिगत आयकर दरों और रियल एस्टेट स्टाम्प शुल्क घटाए जा सकते हैं;

(c) आयकर का आधार धीरे-धीरे बढ़ाया जा सकता है और संवैधानिक व्यवस्था के साथ संगत किया जा सकता है और उत्तरोत्तर सभी उच्च-आय को इसमें शामिल किया जा सकता है;

(c) कॉरपोरेट टैक्स की दर को कम करने के लिए समय सारिणी को त्वरित किया जा सकता है, तथा;

(d) विवेकाधिकार को कम करने और जवाबदेही को बेहतर करने के लिए, कर प्रशासन में सुधार की आवश्यकता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

विमौद्रीकरण की वास्तविक लागत क्या रही, इस बारे में वर्ष 2016-17 के वित्तीय वर्ष के अंत तक ही जाना जा सकेगा, जबकि इसके अल्पकालिक लाभ की प्रकृति भी

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

सीमित होगी। इस कदम की सफलता मुख्य रूप से इसके दीर्घकालिक प्रभावों से ही जानी जाएगी। हालांकि, इसके लाभ को अधिकतम करने के लिए सरकार को बतौर पूरक इसके लिए कई अन्य समयानुकूल और तर्कसंगत कदम उठाने की जरूरत है। इस प्रकार, आर्थिक सुधारों की दिशा में जो कदम बढ़ाया जा चुका है उसकी गति धीमी नहीं होनी चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था विमौद्रीकरण से होने वाले फायदे को महसूस कर सके।

6. असमानता पर ध्यान संकेंद्रण (Addressing Inequality)

परिचय

भारत में असमानता सरकार के लिए पहले से ही एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय रहा है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के मद्देनजर, यह बहस और भी तेज हुई। इस बीच, कुछ हालिया वैश्विक रिपोर्ट (2017 की शुरुआत) ने वैश्विक बहस के शीर्ष पर भारत की असमानता की चिंता को रखा है। इस मुद्दे से संबंधित कई प्रश्न विशेषज्ञों और नीति-निर्माताओं के बीच बहस का मुख्य केंद्र बन गए- असमानता के दर्द से पीड़ित कौन है, इसकी सबसे ज्यादा पीड़ा किन्हें है तथा इस समस्या से निजात कैसे मिले वगैरह-वगैरह।[7]

असमानता से संबंधी चिन्ताएं (Inequality Concerns)

नवीनतम न्यू वर्ल्ड वेल्थ (जोहान्सबर्ग स्थित एक कंपनी) की रिपोर्ट में कहा गया है कि, वैश्विक स्तर पर भारत दुनिया का दूसरा सबसे असमानता वाला देश बन गया है, जहां धनपति देश की कुल परिसंपत्ति का 54 प्रतिशत नियंत्रित करते हैं। 5,600 बिलियन यूएस डॉलर की कुल व्यक्तिगत परिसंपत्तियों के साथ, यह दुनिया के 10 सबसे अमीर देशों में से एक है। फिर भी, औसत भारतीय अपेक्षाकृत गरीब हैं। यदि हम भारत की जापान के साथ तुलना करें तो जापान की (दुनिया का सबसे समानता वाला देश) स्थिति भी बदतर दिखती है, जहां धनपतियों के हाथों में केवल 22 प्रतिशत परिसंपत्तियों का ही नियंत्रण है। हम भारत की असमानता से संबंधित 'क्रेडिट सुइस' (Credit Suisse) के नवीनतम आंकड़ों पर नजर डाल सकते हैं:

- सबसे धनी एक प्रतिशत हाथों में देश की 53 प्रतिशत परिसंपत्ति का नियंत्रण है।
- सबसे धनी 5 प्रतिशत हाथों में देश की 68.6 प्रतिशत परिसंपत्तियों का नियंत्रण है, जबकि शीर्ष के दस पूंजीपतियों के हाथों में 76.3 प्रतिशत परिसंपत्तियों का नियंत्रण है।
- पिरामिड के दूसरे सिरे पर देश के जो अपेक्षाकृत गरीब लोग हैं उनके हाथों में देश की कुल परिसंपत्तियों का महज 4.1 प्रतिशत हिस्सा है।
- वर्ष 2000 में भारत के सबसे धनी 1 प्रतिशत लोगों के हाथों में देश की कुल परिसंपत्तियों के 36.8 प्रतिशत हिस्से का नियंत्रण था, जबकि सबसे शीर्ष 10 प्रतिशत लोगों की हिस्सदारी 65.9 प्रतिशत थी। उसके बाद से देश की परिसंपत्तियों में इनकी हिस्सेदारी में क्रमिक रूप से धीरे धीरे इजाफा होता रहा। शीर्ष 1 प्रतिशत की हिस्सेदारी बढ़कर अब 50 प्रतिशत हो गई है।
- भारत की स्थिति अमेरिका के मुकाबले खराब दिखती है जहां देश की कुल परिसंपत्ति में सबसे अमीर 1 प्रतिशत लोगों का हिस्सा 37.3 प्रतिशत है।
- भारत के धनपतियों को अभी लंबा सफर तय करना पड़ेगा तब कहीं रूस की बराबरी कर पायेंगे जहां देश के शीर्ष धनी 1 प्रतिशत लोगों के पास सर्वाधिक 70.3 प्रतिशत परिसंपत्तियों का नियंत्रण है।

नवीनतम भारत मानव विकास सर्वेक्षण (आईएचडीएस), जिसने आय असमानता से संबंधित आंकड़े पहली बार पेश

7. The write-up is based on several contemporary reports and Government releases such as–the **Economic Survey 2016-17, Union Budget 2017-18, World Economic Forum, Oxfam reports, Credit Suisse,** etc.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

किए हैं, के अनुसार भारत की आय समानता रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और ब्राजील के मुकाबले कम और केवल दक्षिण अफ्रीका की तुलना में अधिक समतावादी है।

असमानता पर निगरानी रखने की जरूरत है (Inequality Needs to be Checked)

हालांकि असमानता सर्वव्यापी है, इसकी चरम स्थिति अर्थव्यवस्थाओं को बहु-आयामी नुकसान पहुंचाता है। ऑक्सफैम के अनुसार, भारत में और दुनिया भर के दूसरे देशों में असमानता में तेजी से वृद्धि नुकसानदायी है और देश की सरकारों को इसे रोकने के प्रयास करने की जरूरत है। बढ़ती असमानता के राष्ट्रों में कई नकारात्मक परिणामकारी होंगे–गरीबी उन्मूलन की गति धीमी हो सकती है, आर्थिक विकास की स्थिरता को चुनौती मिल सकती है, पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता को कई गुना बढ़ा सकती है और स्वास्थ्य, शिक्षा जीवन की समग्र संभावनाओं में असामानता बढ़ा सकती है।

विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) का 'वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2016' (श्रृंखला में तीसरी बार) में आने वाले दशक में 'गंभीर आय असमानता' को शीर्ष वैश्विक जोखिमों में से एक होने की आशंका जताई गई है। साक्ष्य यह भी दर्शाया है कि आर्थिक असमानता मानसिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक समस्याओं, जैसे–मानसिक रुग्णता एवं हिंसक अपराध, से भी जुड़ी हैं। यह अमीर और गरीब दोनों देशों के लिए सच है। मूल रूप से, असमानता केवल गरीबों को ही नहीं, बल्कि सभी को आहत करती है।

समाधान की तलाश (Searching for the Remedies)

लेकिन सवाल यह है कि क्या असमानता अपरिहार्य है? जवाब है 'नहीं'। यह नीति विकल्पों का परिणाम है। सरकार कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाकर असमानता में अभिवृद्धि की स्थिति को उलट सकती है, जैसे–बाजार कट्टरवाद को खारिज करना, शक्तिशाली अभिजात वर्ग के विशेष हितों का विरोध करना और इस स्थिति में नेतृत्व करने वाले नियमों और प्रणालियों को बदलना। सरकारों को ऐसे सुधारों को लागू करने की आवश्यकता है जो धन और शक्ति को पुनर्वितरित करे, और असमानता के उबड़-खाबड़ मैदान समतल कर सके। दो मुख्य क्षेत्र ऐसे हैं जहां नीति में परिवर्तन आर्थिक समानता को प्रोत्साहित कर सकता है, ये हैं कराधान और सामाजिक खर्चः

(i) **प्रगतिशील कराधानः** इस संबंध में प्रगतिशील कराधान विधि काफी प्रभावी साबित हुई है। कराधान नियमों की इस पद्धति में निगम और सबसे अमीर व्यक्ति अपनी आय पर राज्य को अधिक कर देते हैं। आय पर कर से प्राप्त आय में अभिवृद्धि सरकारों को संपूर्ण समाज में गरीब लोगों के लिए संसाधनों को पुनर्वितरित करने में सक्षम बनाता है। इसी तरह, बेहतर अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था सरकार की आमदनी को बड़े पैमाने पर बढ़ा सकते हैं- जैसा कि भारत के प्रस्तावित जीएसटी से किया जा रहा है। असमानता को कम करने में कराधान की भूमिका को ओईसीडी और विकासशील देशों में अब तक एक बहुत ही तार्किक तरीके से प्रलेखित किया गया है। इस प्रकार, समुचित कराधान इस दिशा में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है।

नवीनतम ऑक्सफैम रिपोर्ट (2017 के प्रारंभ में) के अनुसार, कर के मामले में भारत का प्रदर्शन अपेक्षाकृत खराब रहा है। भारत का कुल कर संग्रह सकल घरेलू उत्पाद का 16.7 प्रतिशत है, जबकि इसकी क्षमता 53 प्रतिशत है। इसकी कर संरचना बहुत प्रगतिशील नहीं है क्योंकि कुल कर में प्रत्यक्ष कर की हिस्सेदारी केवल एक-तिहाई है। तुलनात्मक रूप से, दक्षिण अफ्रीका ने करों के रूप में जीडीपी के 27.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, जिनमें से 50 प्रतिशत प्रत्यक्ष कर हैं। वैसे भारत सरकार ने प्रत्यक्ष कर की हिस्सेदारी को बेहतर करने के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में इसमें कुल कर संग्रहण के लगभग 60 प्रतिशत अभिवृद्धि का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(ii) **सामाजिक व्ययः** सार्वजनिक सेवाओं पर सरकारों द्वारा किया गया खर्च असमानता को कम करने में चमत्कार कर सकते है। भारत में, सरकार द्वारा किए गए ऐसे किसी भी खर्च को सामाजिक क्षेत्र में हुए खर्च के रूप में इंगित किया जाता है, जिसमें शिक्षा, पोषण, भोजन, स्वच्छता, सामान्य स्वास्थ्य की देखभाल और सामाजिक संरक्षण पर निधि आवंटन शामिल हैं। ऑक्सफैम ने 150 देशों (अमीर एवं गरीब) से भी अधिक से संकलित तीन दशकों के साक्ष्यों से प्रमाणित किया है कि सार्वजनिक सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा में समग्र निवेश असमानता से निपट सकते हैं। समूह ने, विगत कई वर्षों से पूरे देश में स्वतंत्र और सार्वभौमिक सार्वजनिक सेवाओं के लिए अभियान चलाया है।

ऑक्सफैम की नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक, स्वयं के सामाजिक क्षेत्र के खर्च (केंद्र और राज्यों को एक साथ रखा गया) के सामने भारत का प्रदर्शन खराब है। भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3 प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र में और लगभग 1.1 प्रतिशत स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में (हालांकि यह आंकड़ा 1.4 प्रतिशत तक बढ़ा है) खर्च करता है। तुलनात्मक रूप से देखें तो, दक्षिण अफ्रीका शिक्षा (6.1 प्रतिशत) पर दो गुना से भी ज्यादा और स्वास्थ्य पर तीन गुना से भी ज्यादा (3.7 प्रतिशत) खर्च करता है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका भारत की तुलना में अधिक असमानता वाला देश है, यह असमानता को कम करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में बेहतर प्रदर्शन करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

हाल के वर्षों में, भारत सरकार देश में चिंताजनक उच्च असमानता के मुद्दे पर अधिक संवेदनशील हो गई है और इसे बढ़ने से रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। न सिर्फ कुछ प्रभावी अधिकार-आधारित योजनाएं हाल ही के दिनों में शुरू की गई हैं बल्कि सरकार ने आधार, जन-धन योजना और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण आदि की मदद से लाभार्थियों और वितरण की उचित पहचान से संबंधित मुद्दों को हल करने की कोशिश की है। सरकार पहले से ही कर व्यवस्था में सुधार के रास्ते पर है। हाल ही में उच्च मूल्य वाले मुद्रा नोटों के विमौद्रीकरण को भी हम इसी श्रेणी में रखते हैं, जबकि 2016-17 के *आर्थिक सर्वेक्षण* से आने वाली सार्वभौमिक मूल आय (यूबीआई) का प्रस्ताव बहुत नवोन्मेषी है (मार्च 2017 के शुरुआत में, सरकार ने इसके प्रति भी अपनी सद्इच्छा दिखाई है)। चरम गरीबी को समाप्त करना चूंकि स्थायी विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में से एक है, यह प्रतीत होता है कि असमानता को दूर करने की दिशा में यह उचित समय पर उठाया गया सही कदम है।

7. सार्वभौम मूल आय (यूबीआई) (UNIVERSAL BASIC INCOME)

परिचय

पिछले कुछ सालों में, हमने कई विशेषज्ञों को देखा है जो भारत के लिए एक सार्वभौमिक मूल आय (यूबीआई) के लिए सुझाव देते रहे हैं। इस विचार को और मजबूती मिली जब 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण में कुछ ऐसा ही प्रस्ताव रखा गया। इसके पक्ष में काफी स्पष्ट तर्क अभिव्यक्त किए गए। हालांकि आगामी केंद्रीय बजट 2017-18 इस बारे में मौन ही रहा लेकिन हाल में सरकार की ओर से इसके पक्ष में संकेत आने शुरू हो गए हैं। ऐसी योजना के 2017 के अंत तक संचालित होने की और वर्ष 2018-19 से इसके सीमित पैमाने पर लागू होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। यद्यपि, ऐसी योजना[8] लागू करने से पहले भारत सरकार को इसके साथ जुड़ी कई चिंताओं का समाधान करना होगा।

8. The write-up is based on primary sources such as the **Economic Survey 2016-17,** releases of the **Union Ministry of Finance**, the **NITI Aayog** and few issues of the journal **The Economist,** mainly.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

एक प्रभावी विचार

सार्वभौम मूल आय (यूबीआई) के विचार को हमने प्रजातांत्रिक से लेकर गैर-प्रजातांत्रिक देशों, फ्रांस से लेकर फिनलैंड और चीन (जहां इसके जैसी ही योजना, 'dibao' लागू की जा चुकी है) तक में धरातल पर उतरते देखा है और वहां से यह विचार हम तक पहुंचा है। सामान्य तौर पर ऐसी योजनाओं के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता। इस योजना में व्यक्तिगत आधार पर एक निश्चित रकम ससमय सभी को हस्तांतरित कर दी जाती है। इस विचार के पीछे यह सुनिश्चित करने की भावना छिपी है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को एक निश्चित स्वतंत्रता एवं गरिमा के साथ जीवन व्यतीत करने के साधन प्राप्त हों और उपार्जन की क्षमता या रोजगार की उपलब्धता के मुकाबले ये स्वतंत्र हों। यह विचार बेहद आकर्षक प्रतीत हो रहा है क्योंकि इसमें गरीबी और असमानता दोनों को कम करने की क्षमता अंतर्निहित है।

भारत में पहले भी वर्ष 2010 में मध्य प्रदेश में इस तरह की एक योजना संचालित की जा चुकी है। *आर्थिक सर्वेक्षण, 2016-17* में 7,620 रुपये की राशि प्रत्येक वर्ष यूबीआई के लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित करने का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि किसी को अपने जीवन-यापन के लिए जितनी रकम की आवश्यकता होती है यह उससे काफी कम है, लेकिन यह गरीबी को 22 प्रतिशत से 0.5 प्रतिशत तक कम कर देगी! सैद्धांतिक रूप से, यूबीआई को भारत सरकार द्वारा संचालित लगभग 950 कल्याणकारी योजनाओं (जीडीपी के लगभग 5 प्रतिशत की लागत से) से 'पुनर्चक्रित कोष' (रीसाइक्लिंग फंड) के माध्यम से वित्त पोषित करने का प्रस्ताव है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा जरूरतमंदों को रियायती दर पर भोजन, जल, उर्वरक और कई अन्य चीजें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऐसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सरकार की रियायतों (सब्सिडी) का एक बड़े हिस्से का आनंद अभी भी देश के अमीर लोग (*आर्थिक सर्वेक्षण 2015-17* के अनुसार) उठा रहे हैं।

योजना के कार्यान्वयन की रूपरेखा (Working Out the Scheme)

इससे पहले कि भारत में इस योजना की शुरूआत की जाए, ऐसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनका निपटारा जरूरी प्रतीत होता है। इसके जुड़े प्रमुख मुद्दों पर एक संक्षिप्त सर्वेक्षण नीचे दिया गया है:

वित्तीय प्रारूप (मॉडल): पहला और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इसके लिए पर्याप्त फंड जुटाना है। यदि हम *'आर्थिक सर्वेक्षण, 2016-17'* के प्रस्ताव की ओर अपना रुख करें तो भारत सरकार द्वारा संचालित मौजूदा केंद्रीय क्षेत्र और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के धन को पुनर्चक्रित करने की सलाह दी गई है। लेकिन यूबीआई शुरू करने के लिए ऐसी योजनाएं बंद नहीं की जा सकतीं। यह केवल चरणबद्ध तरीके से ही किया जा सकता है। तब तक भारत सरकार को इसके लिए बजटीय या गैर-बजटीय स्रोतों से अतिरिक्त धन जुटाने की जरूरत होगी। ऐसा अनुमान व्यक्त किया गया है कि प्रस्तावित जीएसटी जुलाई 2017 से लागू हो जाने पर, टैक्स संग्रह में वित्तीय कमी का अनुमान 66,000 करोड़ रुपये (कई उपकर और अधिभार में कटौती के कारण) के करीब है। बजटीय समर्थन कोई बहुत व्यवहार्य विकल्प नहीं दिखता है। हालांकि कुछ अन्य सकारात्मक उपाय भी कतार में शामिल हैं, जैसे-कम नकदी पर जोर देने के कारण कर में वृद्धि, नकद लेन-देन पर प्रस्तावित सीमित रोक, आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार एवं पैन संख्या के साथ इसकी संबद्धता एवं रकम लेन-देन को आधार से जोड़ना आदि प्रमुख हैं। जीएसटी के कार्यान्वित होने से कर संग्रह में बढ़ोतरी की उम्मीद है (हालांकि मध्यम अवधि में)। इसके साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की चोरी पर रोक की उम्मीद है।

लाभार्थियों का चयन: नाम से जो संकेत मिल रहे हैं उससे इसके सब पर लागू होने का पता चलता है, लेकिन सर्वेक्षण सहित भारत सरकार से प्राप्त हो रहे संकेतों से जाहिर होता है कि इस योजना को आंशिक रूप से ही

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

लोकार्पित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में, लक्षित जनसंख्या को गरीबी रेखा के निचले स्तर से शामिल किया जा सकता है। नीति आयोग के सीईओ ने आरंभिक दौर में इसके लिए गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रही 20 प्रतिशत की आबादी को शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। इसे सामाजिक न्याय के सामान्य नीति ढांचे से भी जोड़ा जा सकता है। यह न केवल वित्तीय आवश्यकताओं को निचले स्तर तक सीमित रखेगा बल्कि कई बार सरकार को कई कल्याणकारी योजनाओं, चाहे वह सरकार द्वारा संचालित हों या फिर प्रायोजित हो, से धन को पुनर्चक्रित भी करने देगा। भारत सरकार की ओर से एक सुझाव परिवार की महिला प्रमुख के बैंक खाते में नकदी को स्थानांतरित करने सम्बन्धी आया है।

हस्तांतरण की राशि: कितना धन स्थानांतरित किया जाना चाहिए यह अब भी संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निर्दिष्ट होता है। लाभार्थियों पर इसका असर दिखाने के लिए इसे बहुत बड़ा दिखना चाहिए। एक प्रस्ताव के रूप में, नीति आयोग के सीईओ ने मासिक आधार पर 1000 रुपये की राशि प्रस्तावित की है, जबकि सर्वेक्षण के प्रस्ताव (उदाहरण के तौर पर अधिक) में कुल मिलाकर 7,620 रुपये मासिक का उल्लेख किया गया है। आम तौर पर, यह माना जाता है कि बिना पर्याप्त धन हस्तांतरण के (जो कि लाभार्थियों के सुकूनदायी हो सकता है) स्थानांतरित किए बिना, यह योजना प्रभावी नहीं रह सकती है। यद्यपि, कम-से-कम अंतरण हस्तांतरण के साथ शुरू करना अच्छा लगता है।

वित्तीय एवं आर्थिक समावेशन, एवं बहिष्करण, विनियमन और मूल्यांकन, आदि संबंधित अन्य मुद्दे हैं जो इसमें शामिल हैं। यह योजना वर्तमान समय में भारत सरकार के परीक्षणाधीन एवं अध्ययनाधीन है। उपर चर्चित मुद्दों से जुड़ी स्पष्टता इस योजना की घोषणा के बाद ही सामने आएगा।

फायदे (The Benefits)

भारत में कार्यान्वित कल्याणकारी योजनाएं कुछ आम समस्याओं जैसे कि, धन के गलत विनियोजन, अपव्यय और रिसाव, सम्मिलन और बहिष्करण कारकों, भूत-लाभार्थियों, भ्रष्टाचार, संचालन की लागत आदि प्रमुख मुद्दों का सामना कर रहे हैं। इस कारण से और अन्य कारणों से भी यूबीआई की अवधारणा पर गंभीरता से विचार करने का तर्क दिया गया है। इसमें ऐसी कई योग्यताएं होंगी जो वर्तमान पुनर्वितरण योजनाओं में शामिल नहीं होंगी, जैसे:

(i) यह उपरोक्त मौजूदा योजनाओं की कई कमजोरियों को कम करके लागू किया जाएगा।

(ii) इसमें बहिष्करण त्रुटियों का खतरा होने की आशंका कम है।

(iii) बैंक खातों में सीधे धन हस्तांतरण करके और नौकरशाही के कई स्तरों को पीछे छोड़कर, 'आउट ऑफ सिस्टम' से लीकेज की संभावना (सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 45 फीसदी तक होने की स्थिति में) काफी कमतर होगी।

निष्कर्ष (Conclusion)

कार्यान्वयन की पर्याप्त चुनौतियां हैं, जिस पर यूबीआई के लिए जाने से पहले समुचित तरीके से विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। लेकिन ये चुनौतियां असंभव नहीं हैं। तथा इससे पार पाने के कई संभव तरीके भी उपलब्ध हैं। चूंकि इस विचार के लिए समर्थन एक व्यापक वैचारिक स्पेक्ट्रम (broad ideological spectrum) से आया है, ऐसा लगता है जैसे देश में इस योजना के लिए समय आ चुका है, इसलिए हमें इस दिशा में सक्रियता के साथ विचार करना चाहिए।

8. राज्य में वैधता एवं सामाजिक-आर्थिक रूपांतरण (LEGITIMACY IN STATE AND SOCIO-ECONOMIC TRANSFORMATION)

परिचय (Conclusion)

विश्व के प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं के अस्तित्व में आने के बाद से अब तक काफी विकास हुआ है। भारत इस क्लब में देर से शामिल हुआ है, हालांकि यह दुनिया की सबसे जीवंत लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, ताकतों और कमजोरियों के साथ। देश के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

को भारत की सबसे प्रमुख आकांक्षा माना जा सकता है। समान अनुगूंज हमें स्वतंत्रता संग्राम की संपूर्ण अवधि में, संविधान सभा और भारत के संविधान की बहस में भी सुनाई देती है। इस दिशा में सरकार द्वारा कई प्रयास किए गए हैं, हालांकि प्रदर्शन वांछित स्तरीय नहीं रहे हैं। इसके लिए कई छोटे-मोटे कारण जिम्मेदार हैं, लेकिन इसके आगे न बढ़ पाने का सबसे प्रमुख कारण वित्तीय संसाधनों की कमी है। सरकारों को करों के जरिए प्राप्त होने वाला राजस्व केवल आय का ही एक रूप नहीं है, बल्कि यह देश की राजकोषीय संभावनाओं व क्षमताओं के संवर्द्धन का एक उपाय भी है। भारत अब तक अपनी वास्तविक राजकोषीय संभावनाओं को छू पाने में सक्षम नहीं हो सका है। हालांकि कर संग्रह की इसकी संभावना जीडीपी के 53 प्रतिशत होने का अनुमान है, लेकिन यह अभी केवल 17 प्रतिशत ही संगृहीत करता है। इसका अर्थ है कि एक विशाल राजकोषीय क्षमता अभी भी अनुपलब्ध है। देश के सम्मुख संसाधन संकट को देखते हुए, यह अर्थव्यवस्था की वित्तीय क्षमता को बढ़ाने की दिशा में देश द्वारा बढाए गए कदमों की दृष्टि से महत्वपूर्ण घड़ी है।

भारत के मामले में, 'आय पुनर्वितरण' (2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा यूबीआई का हालिया प्रस्ताव) के बारे में कहा जाता है कि यह सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन को बढ़ावा देने का एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, बशर्ते कि सरकार पुनर्वितरण की प्रक्रिया के लिए पर्याप्त मात्रा में निधि की व्यवस्था कर पाए। अर्थव्यवस्था के राजकोषीय क्षमता का दोहन करने के लिए एक बहुत ही कमजोर कड़ी राज्य[9] में कम वैधता रही है।

वैश्विक अनुभव (Global Experience)

राज्य में उच्च वैधता सामान्य रूप से लोकतंत्र को मजबूत करती है। अर्थव्यवस्था की वित्तीय क्षमता के दोहन के मामले में राज्य में वैधता को सबसे महत्वपूर्ण चरों के रूप में पाया गया है। इस संबंध में, विकसित देशों का इतिहास दो महत्वपूर्ण चीजों का सुझाव देता है:

(i) राज्य के सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य 'आवश्यक सेवाओं' जैसे कि भौतिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, बुनियादी ढांचा आदि की आपूर्ति करना है।

(ii) राज्य की पुनर्वितरक की भूमिका बाद में आती है।

ऊपर वर्णित अनुक्रमण (Sequencing) आकस्मिक नहीं है। जब तक समाज में मध्यम वर्ग को यह महसूस नहीं होता कि इसे सरकार/राज्य से कुछ फायदे की प्राप्ति होगी, वह आय पुनर्वितरण के लिए चलाए जा रहे सरकार के किसी भी मुहिम का समर्थन (यानी वित्त) करने के लिए तैयार नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, हम यह कह सकते हैं कि सरकार को अपनी सार्वजनिक सेवा वितरण की प्रभावशीलता से आय को पुनर्वितरित करने के लिए वैधता कमाने की जरूरत है।

अगर सरकार सार्वजनिक सेवाओं के प्रभावी वितरण की गारंटी के बिना आय का पुनर्वितरण करने की कोशिश करती है, तो मध्यम वर्ग 'राज्य से बाहर निकलना' (अल्बर्ट हर्शमैन, 1978 का प्रसिद्ध विचार) आरंभ कर देगा। आखिरकार मध्यम वर्ग आय पुनर्वितरण की योजनाओं के वित्त पोषण से दूर हो जाएगा। करदाताओं की कम संख्या, बर्हिगमन का एक महत्वपूर्ण संकेत है। भारत के मामले में यह बहुत ही अधिक स्पष्ट है। राज्य पर दबाव कम करने से, मध्यम वर्ग के बाहर निकलने से इसकी कड़वाहट कम हो जाएगी और इसकी वैधता आगे की दिशा में बढ़ेगी, जिससे भविष्य में और अधिक निकास हो जाएगा। एक राज्य जिसे अक्षम पुनर्वितरण के लिए मजबूर किया जाता है, उसके अपर्याप्त पुनर्वितरण, कम वैधता, कम संसाधन, गरीब मानव पूंजी निवेश, कमजोर क्षमता और आगे भी ऐसे ही बहुत सारे दुष्चक्रों में फंसने का जोखिम बढ़ जाता है। केंद्रीय बजट 2017-18 में आय और खपत की विसंगति विशेष रूप से उजागर की गई है जहां विभिन्न आय समूहों के अनुपात में करदाता छोटे हैं।

आज के लिए सुझाव (Suggestions for Today)

यह सुझाव दिया जाता है कि राज्य में वैधता को बढ़ावा देने के लिए देश की सरकारों को अपने कार्यों का निष्पादन

9. The write-up is primarily based on the **Economic Survey 2016-17** and **2015-16** together with the **Union Budget 2017-18** and other releases of the Government of India.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

अधिकतम प्रतिबद्धताओं के साथ करना चाहिए। कुछ प्रमुख कदम जो राज्य द्वारा उठाए जा सकते हैं, निम्नलिखित हैं:

- आम नागरिकों से जिस किसी भी अनिवार्य नागरिक सेवाओं को उपलब्ध कराने का वादा किया गया हो वह उन तक स्थायी आधार पर एक प्रभावी, पारदर्शी और अत्यधिक भेदभावरहित तरीके से अवश्य पहुंचाया जाना चाहिए।
- क्रोनी (Crony) पूंजीवाद के दृश्यमान उदाहरणों की अनिवार्यत: जांच होनी चाहिए, जिसके तहत कई बार सरकारी संपत्तियां कॉर्पोरेट घरानों के एक चुनिंदा समूहों को औने-पौने दामों पर सौंप दी जाती हैं।
- सुशासन का मुद्दा केवल कागज पर नहीं रहना चाहिए बल्कि नागरिकों को यह दिखाना चाहिए कि सरकार अच्छे प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए कितनी प्रतिबद्ध है।
- भ्रष्टाचार के खतरे को पारदर्शिता की मदद से, शक्ति के अधिक से अधिक वितरण के द्वारा और हितधारकों के बड़े समूह को शामिल कर, निश्चित तौर पर जड़-मूल से समाप्त किया जाना चाहिए।
- सरकार के द्वारा लोगों की भागीदारी को तेजी से बढ़ाया जाना चाहिए.

निष्कर्ष (Conclusion)

पिछले कुछेक सालों में, हमने उपर्युक्त क्षेत्रों पर भारत सरकार का जोर पहले से कहीं ज्यादा होते देखा है। 'न्यूनतम सरकार और अधिकतम सुशासन' के विचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार न सिर्फ सुशासन के कारक को बढ़ावा दे रही है बल्कि आम जनता को भी सशक्त बना रही है। राज्यों को 'नीति आयोग' को (राज्य स्तर पर सुशासन कहीं ज्यादा नाकाम रही है) 'सुशासन के पहिए' के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार पारदर्शिता को बढ़ावा देने, व्यवस्था से भ्रष्टाचार को दूर करने एवं शासन-प्रशासन में गति लाने के लिए सूचना-प्रौद्योगिकी के विभिन्न उपकरणों का उपयोग हर संभव क्षेत्र में कर रही है। ठीक इसी तरह, टैक्स अनुपालन बढ़ाने के लिए एवं 'कैशलेस अर्थव्यवस्था' को बढ़ावा देने के लिए ध्यान अब गैर-दंडात्मक उपायों पर पहले से कहीं ज्यादा केंद्रित किया गया है। सार्वजनिक संपत्तियों की नीलामी पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया बन गई है, जिसका उद्देश्य क्रोनी पूंजीवाद की समस्या पर लगाम लगाना है। इसके अलावा, सरकार नागरिकों के जीवन में खुशी के स्तर को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों के बीच एवं सरकार और जनता के बीच 'सामाजिक विश्वास' और 'सहयोग' को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। देश में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के वांछित उद्देश्यों को हासिल करने के लिए लोगों के व्यवहार को संशोधित करने के पक्ष में एक घोषित बदलाव देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में हाल की नीतिगत क्रियाओं से राज्य में निश्चित रूप से वैधता के स्तर में सुधार होगा।

9. कृषि ऋणग्रस्तता एवं कृषि नीति (FARM INDEBTEDNESS AND AGRIPOLICY)

परिचय (Introduction)

काश्तकार या खेतिहर समुदाय की ऋणग्रस्तता हमेशा से सरकार के लिए एक बड़ी चिंता का विषय रही है। जब किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं की संख्या खतरनाक स्तर तक बढ़ी, फिर समुदाय के बीच ऋणग्रस्तता एक बार फिर से आमजनों के लिए सार्वजनिक बहस का मुद्दा बनकर सामने आ गया है। आज जबकि ऋणग्रस्तता को किसानों द्वारा आत्महत्या करने के सबसे बड़े कारण के रूप में देखा जाता है, कृषि क्षेत्र के संबंध में सरकार की नीतियों के पुनर्मूल्यांकन एवं कृषि नीति के ढांचे को पुनर्गठित[10] करने की आवश्यकता दिखायी देती है।

10. The write-up is primarily based on the **Economic Survey 2016-17** and **2015-16** together with the latest **NCRB** report (2015), the latest **NSSO** report (2014) and other releases of the Government of India.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

किसानों की ऋणग्रस्तता (Farm Indebtedness)

किसानों द्वारा आत्महत्या के लिए ऋणग्रस्तता एवं बैंक से लिया गया कर्ज नहीं लौटा पाने की असमर्थता को एक बड़े कारण के रूप में उल्लिखित किया जाता रहा है। किसानों के द्वारा की गई 37 प्रतिशत आत्महत्याएं कर्ज में फंसे होने की वजह से की गईं। आमतौर पर सूद पर कर्ज उपलब्ध कराने वाले स्थानीय महाजन का चित्रण इसमें खलनायक के तौर पर किया गया है, लेकिन राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो-एनसीआरबी) के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2015 में आत्महत्या करने वाले किसानों के 80 प्रतिशत मामलों में किसान ने ऋण प्रदान करने वाले संस्थागत स्रोतों (बैंक एवं पंजीकृत माइक्रो फाइनेंस संस्थान) से कर्ज लिया था। इसके अलावा, देश किसानों द्वारा आत्महत्या की दर में तीन गुनी वृद्धि (वर्ष 2014 में 1163 आत्महत्या के विरुद्ध वर्ष 2015 में 3097) का साक्षी रहा है। वर्ष 2015 में कुल 8007 किसान अलग-अलग कारणों से आत्महत्या करने को मजबूर हुए। इस साल पहली बार राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो ने ऋण के स्रोतों के आधार पर कर्ज या ऋण न चुका पाने की असमर्थता के कारण होने वाली किसानों की आत्महत्या को वर्गीकृत किया। कुछ इसी तरह के निष्कर्ष एनएसएसओ की नवीनतम रिपोर्ट 'भारत में खेतिहर घरों के स्थिति आकलन सर्वेक्षण' से भी आए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि, भारत में करीब 52 फीसदी खेतिहार परिवार कर्जदार (ऋणाग्रस्त) हैं और रिपोर्ट के मुताबिक, कर्ज का स्तर आंध्र प्रदेश में 93 फीसदी और तेलंगाना में 89 फीसदी है।

कृषि आत्महत्याओं के बारे में बदली हुई समझ कम-से-कम एक चीज स्पष्ट करती है और वह यह कि कृषि ऋण के विस्तार के लिए और अधिक धनराशि का आवंटन ही पर्याप्त उपाय नहीं है।

किसानों की आमदनी (Farm Income)

एनएसएसओ की नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक, देश में किसानों की आमदनी की स्थिति अभी भी दयनीय ही है। एक खेतिहर परिवार को इस प्रकार परिभाषित किया गया है- वह परिवार जिसका कम-से-कम एक सदस्य कृषि कार्यों में स्वयं नियोजित हो एवं उस परिवार में कृषि से 3000 रुपये से अधिक मूल्य के कृषि उत्पाद की प्राप्ति हो रही हो। यह बड़े हैरत की बात है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक, 56% सीमांत जमीन वाले परिवारों (0.01 हेक्टेयर से कम भूमि) की आमदनी का मुख्य जरिया मजदूरी और वेतन रोजगार है न कि कृषि। अन्य 23 प्रतिशत परिवारों की आय का प्रमुख स्रोत इस रिपोर्ट में पशुधन को बताया गया है।

प्रति खेतिहर परिवार औसत मासिक आय 6,426 रुपये होने का अनुमान लगाया गया है जबकि प्रति खेतिहर परिवार कृषि व्यवसाय से शुद्ध प्राप्ति (खेती एवं मवेशी पालन) औसत मासिक आय का 60 प्रतिशत बताई गई है। वहीं मजदूरी एवं वेतन से होने वाली आमदनी औसत मासिक आय का 32 प्रतिशत होने की बात कही गई है।

देश में अनुमानित खेतिहर परिवारों में से करीब 44 प्रतिशत परिवारों में रोजगार गारंटी योजना या मनरेगा जॉब कार्ड था। हालांकि, सबसे निम्न भूमि श्रेणी (0.01 हेक्टेयर से कम) में जॉब कार्ड केवल 38 प्रतिशत परिवारों में था। इसके अलावा, खेतिहर परिवारों के 12 प्रतिशत में और सीमान्त भूमि वाले 13 प्रतिशत परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं था, जो उन्हें सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न के लिए पात्र बनाता।

संस्थागत और गैर-संस्थागत ऋण (Institutional and Non-Institutional Loans)

अब तक यह धारणा थी कि गैर-कृषि कारकों को छोड़कर वास्तव में कृषि संकट के कारण किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती थी। यहां तक कि अगर कुछ आत्महत्याएं ऋणग्रस्तता की वजह से हुईं भी तो यह स्थानीय कर्जदाता महाजनों, जिन पर किसान कर्ज के रूप में आर्थिक सहयोग के लिए अत्यधिक निर्भर रहा करते हैं, की ऊंची ब्याज दरों और शोषणपूर्ण व्यवहार के कारण था। आधिकारिक तौर पर यह महसूस किया गया था कि एक बार संस्थागत ऋण देने की व्यवस्था चाक-चौबंद हो जाती है तो इस समस्या का सही निराकरण भी हो जाएगा। लेकिन नवीनतम आंकड़ों से पूरी तरह से अलग कहानी बयां होती है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

बहुसंख्यक किसान, जो आत्महत्या करने को मजबूर हुए, उन्होंने संस्थागत स्रोतों से ऋण लिए थे। इसे निम्नलिखित तरीके से समझा जा सकता है:

- संस्थागत स्रोतों में, माइक्रो-फाइनेंस ऐजेंसियां हाल के वर्षों में बहुत तेजी से फैली हैं। सरकार उन्हें सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने और विशेष रूप से कृषि समुदाय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उदारीकृत नीतिगत माहौल प्रदान करती है।
- हालांकि माइक्रो-फाइनेंस ऐजेंसियां आसानी से सुलभ हैं, लेकिन स्थानीय महाजनों की तुलना में उनकी ब्याज दरें भी कम शोषक नहीं हैं।
- इसके अलावा, इन ऐजेंसियों की ऋण वसूली पद्धति में एक 'मानवीय संवेदना' का अभाव है, जो स्थानीय महाजनों के मामले में देखने को मिलता है। ऐसा समान समाज या गांव से ताल्लुक रखने की उनकी भावना की वजह से होता है।
- सामान्य बैंक की भी बात करें तो उनकी स्थिति तब तक कोई बहुत अच्छी नहीं है जब तक कि वहां ब्याज में कोई रियायत नहीं बरती जा रही हो। फसल नुकसान होने या फिर किसी अन्य कारणों से किसानों के सामने ऋण का भुगतान करने और यहां तक कि जीवन को बनाए रखने का कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता है। किसी अन्य वित्तीय समर्थन व्यवस्था के अभाव की स्थिति में ऐसे किसानों के आत्ममहत्या कर लेने की आशंका अत्यधिक प्रबल रहती है।

संभावित निदान (Possible Remedies)

वर्तमान स्थिति को देखते हुए, कृषि ऋण के लिए धन का अत्यधिक आवंटन अपने उद्देश्यों को पूरा करता नहीं दिखाई दे रहा है-इससे जहां एक तरफ सरकारी खजाने पर वित्तीय बोझ बढ़ रहा है वहीं दूसरी तरफ इससे किसान दिवालिया होने और कर्ज के कुचक्र में फंसने से भी वास्तविक अर्थों में नहीं बच पाए हैं। परिवर्तित परिदृश्य में, संकट को संभालने के लिए निम्नलिखित कदम अधिक उपयुक्त प्रतीत होते हैं:

- औपचारिक / संस्थागत ऋण देने (जिसमें विगत एक दशक के दौरान चार गुना वृद्धि हुई है) पर जोर देने के अलावा, कृषि समुदाय के लिए 'पूरक आय' सहायता प्रणाली को स्थापित करने की आवश्यकता है। मानसून और जलवायु से संबंधित परिवर्तनशीलता को देखते हुए, यह और भी अधिक उपयुक्त दिखता है।
- ज्यादातर कमजोर और सीमांत किसान ऋण के संस्थागत स्रोतों से लाभ उठाने में नाकाम रहे हैं। इसका समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन को सभी कमजोर किसानों को समाहित करने में सक्षम होना चाहिए।
- किसानों के लिए आय के अतिरिक्त स्रोत बनाने के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, 'कौशल संवर्द्धन' की मौजूदा योजना के साथ स्थानीय स्तर पर कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने की भी आवश्यकता है। 'स्मार्ट शहरों' की योजना को किसानों से प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा जाना चाहिए।
- डेयरी, कुक्कुट पालन, मत्स्य-पालन आदि जैसी कृषि संबद्ध गतिविधियों को एक लक्षित तरीके से बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- किसानों के बीच कृषि बीमा के बारे में जागरूकता उच्च प्राथमिकता के साथ बढ़ाया जाना चाहिए।
- बैंकों और सूक्ष्म-वित्त पोषण संस्थानों के कार्यो की सभी संभव नजरिए से स्थानीय स्तर पर भी निगरानी की जानी चाहिए।
- एनएसएसओ की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, एक बार यूबीआई (सार्वभौमिक बुनियादी आय) का प्रस्तावित विचार पर अमल शुरू होने भर की

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

देर है, छोटे और सीमांत किसानों को इसमें सबसे पहले जगह मिल जाने की उम्मीद की जानी चाहिए (यदि यह सार्वभौमिक रूप से शुरू नहीं किया गया है, जैसा कि भारत सरकार ने संकेत दिया है)।

- सामान्य तौर पर, 'कृषि की परेशानियों/संकट' के कारणों का पुनर्परीक्षण किया जाना चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर उपयुक्त नीतिगत कार्रवाई के साथ इसके समाधान की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए। कृषि क्षेत्र के लिए अपेक्षाकृत अधिक समग्र नीतिगत ढांचा आज की आवश्यकता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

नवीनतम रिपोर्ट हमें यह बताती है कि पिछले एक दशक में किसानों के लिए परिस्थितियां थोड़ी बदल-सी गई हैं (विगत एक दशक के दौरान किसानों की आत्महत्याओं के मामले हरित क्रांति के परंपरागत क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहे हैं, जहां के किसानों को अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध और आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित माना गया है) इससे स्पष्टतः यह साबित होता है कि कृषि क्षेत्र, जिस पर आधा देश निर्भर है, अभी भी सरकारी नीतियों के ध्यान संकेद्रण से बाहर है। हालांकि, पिछले दो सालों में हमने भारत सरकार को खेती के क्षेत्र पर अधिक ध्यान देते हुए देखा है।

10. वैश्वीकरण–उत्तरप्रभाव (DEGLOBALISATION–THE AFTEREFFECTS)

परिचय (Introduction)

1995 में तमाम देश वैश्वीकरण की राह पर आगे बढ़े और अत्यंत वैध वैश्विक निकाय, विश्व व्यापार संगठन के तहत एकजुट हुए। विकासशील देशों की आशंकाएं जल्द ही कम हो गई क्योंकि उन्होंने इसका आर्थिक लाभ प्राप्त करना शुरू कर दिया था। यद्यपि वैश्वीकरण की प्रक्रिया उतार-चढ़ाव भरी (Chequereh) रही है। इससे उभरती अर्थ-व्यवस्थाओं को लाभ प्राप्त हुआ है, यही वजह है कि ये अब भी प्रकिया की विश्वस्त समर्थक हैं। लेकिन अचानक ऐसा लग रहा है मानो विश्व ने उल्टी दिशा की राह पकड़ ली हो और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विपरीत-वैश्वीकरण (गैर-वैश्वीकरण)[11] की प्रकिया की ओर उन्मुख है (मार्च 2017 तक के संकेतों के आधार पर) है। इस राह पर सफर के निश्चित तौर पर विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर अलग-अलग दीर्घकालिक और लघुकालिक प्रभाव पड़ेंगे। बहरहाल उभरती या संभावनाशील बाजार अर्थव्यवस्था को इसके कारण कुछ अलग ही चुनौतियों का सामना करना होगा।

विश्व की बदलती रूपरेखा (Changing Global Contours)

गैर-वैश्वीकरण की बीज की तलाश वर्ष 2007-08 के वैश्विक वित्तीय संकट एवं विकसित अर्थव्यवस्था के इससे उबर पाने की नाकामी में तलाशी जा सकती है। इन अर्थव्यवस्थाओं में महा प्रतिसार (Great Recession) से उबर पाना काफी कठिन था। यहां तक कि अपरंपरागत मौद्रिक नीतियों पर चलने तक की कोशिश की गई (नकारात्मक ब्याज दर के दौर को भी आजमाया गया) लेकिन ये उपाए परिणामकारक नहीं रहे। इसके मद्देनजर कई अर्थव्यवस्थाओं ने 'संरक्षणवादी' सुर आलापने शुरू कर दिए हैं। 'ब्रेक्सिट' से शुरू होकर यूएस में 'संरक्षणवादियों का उदय' (ट्रम्प के आगमन के बाद के दौर में) वैश्वीकरण की प्रक्रिया के 'यू-टर्न' ले लेने का बड़ा संकेत है।

वैश्वीकरण की प्रक्रिया के यू-टर्न ले लेने के वजह की बुनियाद दरअसल 1995 के आरंभ हुई वैश्वीकरण के पश्च प्रभावों में अंतर्निहित है। वैश्वीकरण का अनुभव विभिन्न सदस्य राष्ट्रों के लिए एक जैसा या एकल नहीं रहा। कुछ देशों ने भारी लाभ कमाए जबकि कई दूसरों ने अपने व्यापारिक साझेदार के साथ बड़े भारी नुकसान का अनुभव प्राप्त किया। विगत एक दशक के दौरान कृषि, लोक खाद्यान्न भंडारण,

11. The write-up is based on the **Economic Survey 2016-17**, various issues of **The Economist** and other media sources.

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

दवाओं का पेटेंट एवं जलवायु जैसे तमाम विवादास्पद मामलों के अलावा दुनिया में तेजी से बढ़ती जा रही आय की असमानता, पर्यावरण पर प्रतिकूल असर और वैश्वीकरण के 'नकारात्मक पक्ष' जैसे कुछ बड़े मसलों पर पूरे विश्व में खूब जोर-शोर से चर्चाएं की गईं। इन कारणों से वैश्वीकरण की प्रक्रिया के प्रति विकसित अर्थव्यवस्थाओं में कुछ हद तक नकारात्मक भावनाएं बढ़ती जा रही हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि ऐसे अंदेशे विकासशील देशों ने जाहिर किए थे वह भी तब जब WTO की स्थापना पर परिचर्चा का दौर था।

जी-20 शिखर सम्मेलन (बाडेन, जर्मनी, मार्च 2017 के मध्य) में भूमंडलीकरण के खिलाफ जोरदार स्वर सुनने को मिला। अमेरिकी ने जी-20 के प्रमुख देशों जैसे कि जर्मनी और चीन के साथ बढ़ते जा रहे व्यापारिक घाटों पर अपनी चिंताएं व्यक्त की थीं। हालांकि इसने व्यापार युद्धों (Trade wars) में उतरने की अपनी किसी इच्छा से इनकार किया, लेकिन अपेक्षाकृत उचित व्यापार का जोरदार रूप से आह्वान किया। इतना ही नहीं, शिखर सम्मेलन के आखिर में, अमेरिका ने स्पष्ट रूप से न केवल नाफ्टा (NAFTA) के साथ, बल्कि डब्ल्यूटीओ (WTO) के साथ भी फिर से बातचीत करने की इच्छा प्रकट की। संरक्षणवादी के रूप में अमेरिका के उदय ने न केवल जी -20 शिखर सम्मेलन को लगभग विफल कर दिया बल्कि वैश्वीकरण के सफर को उल्टी दिशा दे दी। वैश्वीकरण का सफर अब पूरी तरह से अनिश्चित होता दिखाई दे रहा है।

उपरोक्त परिघटनाएं यह बताती हैं कि विश्व (या कम-से-कम वे अर्थव्यवस्थाएं जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं) ने जोरशोर से अपनाए गए वैश्वीकरण के विचार से धीरे-धीरे मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है और अब पूरा विश्व अ-वैश्वीकरण के दायरे में सिमटने जा रहा है। इससे बहुपक्षीय व्यापार और आर्थिक अंतनिर्भरता की संभावनाएं घटती जा रही हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उम्मीदें बची ही नहीं हैं। विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में वैश्वीकरण कि इच्छाशक्ति प्रत्येक अर्थव्यवस्था के लिए सार्वभौमिक या समान तीव्रता वाली नहीं हैं। बेहतर होगा कि हम कहें कि यह चयनात्मक लगता है।

क्षेत्रीय व्यापारिक समझौतों का असर
(Impact of Regional Trade Agreements)

बहुत उम्मीद से किए क्षेत्रीय व्यापार समझौते, राष्ट्रों में, विशेष रूप से विकसित अर्थव्यवस्थाओं के बीच संरक्षणवादी मुहिम के उदय के कारण अप्रासंगिक हो रहे हैं। कुछ ऐसे ही सबसे महत्वाकांक्षी समझौते - ट्रांस-अटलांटिक पार्टनरशिप- पीछे लगी सबसे बड़ी ताकत (USA) के पीछे हटने से बेपटरी हो गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इससे समझौता प्रक्रिया से अपने कदम खींच लिए हैं। यह अमेरिका के बिना कैसे अस्तित्व में आएगा, अभी भी स्पष्ट नहीं है या यह फिर अस्तित्व में आने से पहले ही दम तोड़ देगा, आज इस बारे में कोई बस अनुमान ही लगा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूके से संबद्ध ज्यादातर क्षेत्रीय व्यापार समझौते (उदाहरण के लिए, नाफ्टा, साफ्टा, आदि) संक्रमण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं दूसरी तरफ विकासशील देश अंतर-क्षेत्रीय और बहुपक्षीय व्यापारों को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक हैं क्योंकि इनसे उन्हें लाभ की संभावना है। भारत और ब्रिक्स के मामले में वैश्वीकरण की राह को सुदृढ़ करना अत्यधिक ही जरूरी है। विशेष रूप से भारत के मामले में, सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की धारा व्यापक रूप से वैश्वीकरण की सफलता पर निर्भर करती है।

बहुपक्षीयवाद का भविष्य
(The Future of Multilateralism)

विशेषज्ञों का मानना है कि बहुपक्षीयवाद का भविष्य अब उभरते बाजार अर्थव्यवस्थाओं के कार्यों और कदमों पर निर्भर करेगा। विशेषज्ञों का एक वर्ग इसे इतिहास की पुनरावृत्ति मान रहा है-ऐसा लग रहा है कि दुनिया एक बार फिर से अपनी वही पुरानी राह पकड़ ली है, जो 1970 के दशक के अंत तक GAAT (जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड एंड टैरिफ-जीएटी) के अवसान का कारण बना था। वैश्वीकरण के भाग्य पर फैसले देना अभी संभव नहीं है, लेकिन तब यह है कि इसके पक्ष में चीजें बहुत कमजोर लगने लगी हैं।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

भारत का मामला (India's Case)

विशेषज्ञों के दृष्टिकोणों और *आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17* के अनुसार, भारत को गरीबी उन्मूलन, विकास दर को बढ़ाने और विकसित दुनिया के समूह में शामिल होने की अपनी सामाजिक-आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक जीवंत बहुपक्षीय व्यापारिक दुनिया की जरूरत है। इसलिए देश को बहुपक्षीय दुनिया के समर्थन में आगे बढ़ने की जरूरत है। इसके लिए प्राथमिकता के आधार पर वैश्वीकरण के रुझान रखने वाले देशों के साथ बातचीत करने की आवश्यकता है। साथ ही, इसके लिए कुछ बेहद आकर्षक क्षेत्रीय और अधिमान्य व्यापारिक समझौतों की रूपरेखा को तैयार करना होगा। अपनी वृद्धि दर को 10 प्रतिशत के स्तर तक बढ़ाने के लिए, भारत को निर्यात के सक्रिय समर्थन की आवश्यकता है।

यदि विकसित देशों को चीन के साथ व्यापार करने पर आशंका है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे भारत को लेकर भी बहुत सशंकित हैं। भारत विकसित देशों को स्वयं के साथ आगे बढ़ने के (वृद्धि) लिए मदद कर सकता है। वर्तमान में जब चीन अपनी अर्थव्यवस्था और व्यापार को फिर से संतुलित करने में व्यस्त है (यह मुश्किल भी है), भारत को इस संबंध में अपने इरादों को साफ करने और इस कार्रवाई को प्राथमिकता देने से संबंधित कोई मौका हाथ से नहीं निकलने नहीं देना चाहिए। भारत गैर-वैश्वीकरण (न ही अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं) को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अतः भारत को बहुत हद तक भूमंडलीकरण का सख्ती से समर्थन करना चाहिए। विकसित दुनिया में व्यावहारिक भागीदारों को तलाश पाने की उच्च संभावनाएं मौजूद हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)

वैश्वीकरण की संभावना अब पूरी तरह समाप्त हो गयी है ऐसी बात नहीं है। ऐसे लाभों के बारे में भी अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है, जो अमेरिका या यूके के वैश्वीकरण के विपरीत संरक्षणवादी होने से होंगे। संभव है कि संरक्षणवाद का रसास्वादन करने के पश्चात् वे पुनः वैश्वीकरण की राह पर वापस लौट आएं। चूंकि विकसित देशों ने विश्व व्यापार संगठन के प्रचारित भूमंडलीकरण के प्रभाव का गलत अनुमान लगाया है, यहां यह भी सम्भव है कि संरक्षणवादी हो जाने के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव की गणना में भी वे एक विफल हो जायें, इसका मतलब यह है, कि, वैश्वीकरण के ऊपर जो फैसला लिया गया है, वह अंतिम नहीं है।

फिलहाल, भारत वैश्वीकरण की प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करने की दिशा में उच्च प्रयास कर रहा है। इस दिशा में काम करते हुए जहां यह एक ओर प्रस्तावित 'क्वाड' (Quad) पर जापान, आस्ट्रेलिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से वार्ता में संलग्न है (इसे 'एशियाई नाटो' भी कहा जा रहा है) वहीं दूसरी तरफ दक्षिण-पूर्व एशिया प्रदेश में यह प्रादेशिक व्यापक आर्थिक सहयोग (RCEC) की दिशा में भी प्रयासरत है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

अध्याय 22

आर्थिक अवधारणाएं तथा शब्दावलियां (ECONOMIC CONCEPTS AND TERMINOLOGIES)

(REFERENCE TO SELECTED TERMS RELATED TO ECONOMICS AND INDIAN ECONOMY)

*कोई भी परिकल्पना विचारों से बनती है- इसमें कई मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं, जैसे—वर्गीकरण, अनुमान लगाना, याददाश्त, सीखना और निर्णय करना शामिल हैं।**

** इरिक मार्गोलिस और स्टीफन लॉरेंस की कांसेप्ट देखें, एडवर्ड एन. जाल्टा द स्टनफर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी, मेटा फीजिक्स रिसर्च लैब, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड इनफोर्मेशन (सीएसएलआई), स्टनफर्ड, यूएसए, 2012*

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

प्रभुत्व का दुरुपयोग (ABUSE OF DOMINANCE)

एक ऐसी स्थिति जब एक प्रभुत्वशाली फर्म/कंपनी (या कंपनियों का समूह) अपने बाजार को प्रोत्साहित करने के लिए 'प्रतिस्पर्द्धा विरोधी' (anti-competitive) तरीकों का उपयोग करता है, जैसे–अपने उत्पादों का मूल्य काफी कम कर देना, अपने उत्पादों का अतार्किक मूल्य रखना, इत्यादि। ऐसी गतिविधियां बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा का दमन करती हैं और अपेक्षाकृत छोटी कंपनियां अंततः बंद तक हो जाती हैं। कुछ समय पूर्व यह अमेरिकी कंपनी 'माइक्रोसॉफ्ट' पर चल रहे मुकदमे ('एंटी-ट्रस्ट' कानून) के कारण समाचारों में था।

वैसे भारत कंपनियों की ऐसी गतिविधियों को नियंत्रित/प्रतिबंधित करता रहा है (MRTP Act, 1969 के अधीन)। लेकिन भारत में इस अवधारणा का प्रचलन नहीं था। वर्ष 2002 में लागू किए प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 (जो कि MRTP अधिनियम के स्थान पर लाया गया था) में 'प्रभुत्व के दुरुपयोग' का स्पष्ट वर्णन किया गया है।

सक्रियता दर (ACTIVITY RATE)

देश के श्रम बल को सक्रियता दर अथवा भागीदारी दर कहा जाता है। यह प्रतिशत में होता है तथा देश की कुल आबादी का हमेशा एक अनुपात होता है–आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या। यह दर अलग-अलग देशों में भिन्न होती है तथा कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे–विद्यालय छोड़ने की उम्र, सेवानिवृत्ति की उम्र, उच्च शिक्षा की लोकप्रियता, सामाजिक प्रथाएँ, रोजगार के अवसर इत्यादि।

ए.डी.आर. (ADRs)

ए. डी. आर. का अर्थ है–अमेरिकी न्यासी रसीद (American Depository Receipt—ADR), जिसके द्वारा अमेरिकी निवेशक गैर-अमेरिकी कंपनियाँ के शेयरों में निवेश कर सकते हैं, जिनका व्यापार अमेरिकी शेयर बाजार में नहीं होता है। वस्तुतः अमेरिकी दलाल विदेशी कंपनियों के शेयरों को खरीदते हैं, जैसे–इन्फोसिस के शेयरों को। अमेरिकी दलाल इन शेयरों को अपने ग्राहकों के नाम पर खरीदते हैं। फलस्वरूप ए.डी.आर. अमेरिकी शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हो जाते हैं।

ए.डी.आर. प्रवर्तित तथा अप्रवर्तित होते हैं। प्रवर्तित ए.डी.आर. में कंपनी सक्रिय रूप से भाग लेती है। अमेरिका में ए.डी.आर. की शुरूआत सबसे पहले 1920 के दशक में की गई। कई भारतीय कंपनियों ने भी ए.डी. आर. का उपयोग किया है। कभी-कभी ए.डी.आर. तथा ए.डी.एस. का प्रयोग एक-दूसरे के लिए किया जाता है। ए.डी.आर. के अंतर्गत व्यक्तियों के शेयरों को ए.डी.एस. (American Depository Shares—ADS) अथवा अमेरिकी न्यासी शेयर कहा जाता है।

ऐसी कंपनियाँ जो ए. डी. आर. जारी करते हैं, उन्हें अमेरिकी बाजार में प्रवेश करने का अवसर मिलता है। इस तरह कंपनी, अतिरिक्त राजस्व जुटा सकती है। अमेरिकी निवेशकों के लिए ए.डी.आर. ऐसी कंपनियों में निवेश करने का अवसर प्रदान करता है, जो अमेरिकी शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं होतीं।

ए.डी.एस. परिवर्तन प्रस्ताव (ADS CONVERSION OFFER)

किसी कंपनी के स्थानीय शेयरों को अमेरिकी न्यासी शेयरों में परिवर्तित किया जाना ए.डी.एस. परिवर्तन प्रस्ताव कहलाता है। इसका संचालन निवेश बैंक करते हैं, खासकर बड़े निवेश बैंक, जिन्हें भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार का अनुभव होता है। ऐसे प्रस्ताव स्थानीय निवेशकों के शेयर को ए.डी.एस. में परिवर्तित करते हैं ताकि उन्हें अमेरिकी बाजार में बेचा जा सके। अमेरिकी बाजार में बेचे गए शेयरों से हुए लाभ को इस प्रक्रिया में हुए खर्च को काटकर भारतीय निवेशकों को रुपये के रूप में वितरित कर दिया जाता है। कंपनी नए शेयर जारी नहीं करते हैं। वर्तमान शेयरों को ही ए.डी.एस. में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस तरह की योजना का प्रस्ताव भारतीय तथा अमेरिकी बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा ही किया जा सकता है, जैसाकि कई बड़ी भारतीय कंपनियों के मामले में है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

इससे कंपनी को नए निवेशक मिलते हैं और अमेरिकी शेयर बाजारों पर दृश्यता बनती है। वे स्थानीय निवेशकों को भारतीय शेयर बाजारों में उपलब्ध कीमतों के मुकाबले उनके शेयर ऊंचे दामों पर बेचने का मौका देकर संतुष्ट भी करते हैं।

प्रतिकूल चयन (ADVERSE SELECTION)

बीमा के व्यवसाय से जुड़ी हुई दो प्रकार की बाजार विफलता होती है–नैतिक संकट (Moral Hazards) तथा प्रतिकूल चयन। प्रतिकूल चयन का अर्थ है–ऐसे लोगों के साथ व्यापार करना, जिनसे बचा जा सकता था।

प्रतिकूल चयन की समस्या तब उत्पन्न होती है, जब किसी बीमा योजना के संदर्भ में खरीदार तथा विक्रेता दोनों की जानकारी के बीच असहमति हो, चूँकि बीमा योजना ऐसे मामले में लाभकारी नहीं हो सकता है जब खरीदारों को उनके दावे से जुड़े जोखिमों के बारे में बेहतर जानकारी हो। आदर्श मामले में, आबादी के बीमित वर्ग (जैसे कि 40 साल के धूम्रपान करने वाले पुरुष) से अनियमित क्रम से चुने गए व्यक्ति के जोखिम के आधार पर बीमा प्रीमियम निर्धारित किया जाता है।

बाजार की विफलता का अन्य प्रकार की बीमा के साथ जुड़ा नैतिक ख़तरा है।

कृषीय विस्तार (AGRICULTURAL EXTENSION)

यदि लोगों के द्वारा की जा रही खेती उनके दिन–प्रतिदिन के घरेलू जीवन तथा सामुदायिक जीवन में कृषि अनुसंधान तथा विकास का उपयोग किया जाता हो तो यह कृषीय विस्तार कहलाता है। यह सामुदायिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक दो तरफा प्रणाली है, जो ग्रामीण लोगों को न केवल नए वैज्ञानिक विधियों की जानकारी देती है, बल्कि उनकी समस्याओं को भी वैज्ञानिक संस्थानों तक पहुँचाती है ताकि उन पर और अधिक अनुसंधान हो सके।

अन्य विकासशील देशों की तरह भारत में कृषीय विस्तार की भूमिका शैक्षिक से कहीं अधिक है तथा इसे ग्रामीण क्षेत्र में मानव संसाधन विकास से भी जोड़ा जाना चाहिए। इस तरह कृषीय विस्तार विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में और अधिक जटिल कार्य है। इस क्षेत्र में सूचना–प्रौद्योगिकी का विस्तार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

कृषि श्रमिक (AGRICULTURAL LABOUR)

वह व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति की जमीन पर मजदूरी के लिए काम करता है, चाहे वह पैसे के रूप में घटक के रूप में अथवा हिस्सेदारी के रूप मे हो, कृषि मजदूर कहलाता है। उसके लिए भूमि पर कोई जोखिम नहीं होता, वह केवल मजदूरी के लिए दूसरे व्यक्ति की भूमि पर कार्य करता/करती है। कृषि श्रमिक का उस भूमि पर पट्टे अथवा ठेके (संविदा) का कोई अधिकार नहीं होता जिस पर वह कार्य करता है।

अल्पाइन परिवर्तनीय बंधपत्र (ALPINE CONVERTIBLE BOND)

अल्पाइन परिवर्तनीय बंधपत्र (ACB) एक विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड (FCCB) है, जिसे एक भारतीय कंपनी द्वारा विशेष रूप से स्विस निवेशकों के लिए जारी किया जाता है।

एमोर्टाइजेशन (AMMORTISATION)

यदि कर्जदार किसी ऋण का किस्तों में भुगतान करें तो यह एमोर्टाइजेशन कहलाता है। यह प्राय: एक सम्मत अवधि में किया जाता है तथा प्रत्येक किस्त में ऋण का एक भाग तथा ब्याज शामिल होता है।

एण्डियन संधि (ANDEAN PACT)

यह एक क्षेत्रीय संधि है, जो एक साझा बाजार स्थापित करने के उद्देश्य से की गई। इस साझा बाजार की शुरुआत 1969 से की गई है। वर्तमान में इस साझा बाजार के सदस्य पेरू, इक्वाडोर, बोलीविया तथा वेनेजुएला हैं। 1980 के दशक के मध्य तक क्षेत्रीय, आर्थिक तथा राजनीतिक

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

अस्थिरता के कारण यह संधि लगभग विफल हो गई तथा इसकी पुनः शुरुआत 1990 में की गई (इस संधि के प्रारंभिक सदस्य चिली को हटा दिया गया तथा नए सदस्य वेनेजुएला को शामिल किया गया)।

एनीमल स्प्रिट (Animal Spirit)

आर्थिक सम्पन्नता का एक अनिवार्य अवयव 'आत्मविश्वास' है, जिसे जे. एम. कीनेस ने 'एनीमल स्प्रिट' (जिंदादिली) कहा है। कीनेस के अनुसार, यह एक 'सहज आशावाद' (naive optimism) है, जिसके द्वारा एक उद्यमी घाटे के सत्य को दरकिनार कर देता है, उसी तरह जिस तरह एक स्वस्थ व्यक्ति मृत्यु का अनुमान नहीं लगाता है लेकिन इस तरह के आत्मविश्वास के आधार का पता लगाना कठिन है।

लेकिन, यह आक्रामकता (एनिमल स्प्रिट) कहां से आई, यह एक रहस्य है-क्या यह बाहर से कृत्रिम तरीके से तैयार की गई है या यह एक सहज बात है, जिसके साथ कोई पैदा होता है, आदि।

एण्टीट्रस्ट (Antitrust)

यह बाजार के एकाधिपत्य से निपटने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई नीति है। ऐसे कानून बड़े निजी कंपनियों को बाजार से अत्यधिक लाभ कमाने से रोकते हैं तथा निजी कंपनियों के विलय एवं अधिग्रहण पर भी रोक लगाते हैं ताकि बाजार में किसी निजी कंपनी के एकाधिकार को बढ़ावा नहीं मिले। अमेरिका में ऐसे कानून प्रचलन में हैं।

मूल्य वृद्धि (Appreciation)

अर्थशास्त्र में मूल्य वृद्धि का उपयोग दो संदर्भों में किया जाता है:

(i) इसका उपयोग समय के साथ सम्पत्ति के मूल्य में हो रही वृद्धि के लिए किया जाता है, जैसे-जमीन, फैक्टरी की इमारत, घर, दफ्तर, इत्यादि के मूल्य में वृद्धि के लिए। इस तरह की मूल्य वृद्धि को पूँजी मूल्य वृद्धि (Capital Appreciation) कहा जाता है।

(ii) यह विदेशी मुद्रा की तुलना में किसी भी मुद्रा के मूल्य में वृद्धि है। इस प्रकार की मूल्य वृद्धि बाजार आधारित होती है, यदि अर्थव्यवस्था मुक्त मुद्रा विनिमय दर प्रणाली (Floating — Currency Exchange — Rate System) प्रदान करे तो।

विवाचन (Arbitrage)

एक ही समय में अलग-अलग बाजारों में एक उत्पाद की कीमतों में अंतर से मुनाफा कमाना आर्बिट्रेज है। उदाहरण के लिए विभिन्न बाजारों/अर्थव्यवस्थाओं में किसी उत्पाद, वित्तीय प्रतिभूति (जैसे–बॉण्ड्स) या विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री। जैसा कि भूमंडलीकरण सीमाओं के पार दुनियाभर में वस्तुओं और सेवाओं के चलन को बढ़ावा दे रहा है, आर्बिट्रेज आज प्रचलित है। आर्बिट्रेज से बचने के लिए विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश (यानी भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के अधिकृत देश) एक जैसी आर्थिक नीतियां और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जैसे मौके देने के लिए बाध्य हैं।

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (ARCs)

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (Assets Reconstruction Companies—ARCs) बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ (Non Performing Assets) प्राप्त करती है, जिसके साथ-साथ अद्यःशायी प्रतिभूतियाँ भी होती हैं, जिन्हें कर्जदार द्वारा उधारदाताओं/साहूकारों के पास बंधक के रूप में रखा जाता है। इसके उपरान्त परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ बैंकों से प्राप्त किए गए ऐसी गैर-निष्पादकारी परिसंपत्तियों का प्रबन्धन करने की कोशिश करती हैं। परिसंपत्तियों को पुनर्निर्मित करने के लिए ऐसी कंपनियाँ अतिरिक्त निधि का प्रबंधन कर सकती हैं। यदि पुनर्निर्माण संभव नहीं हो तथा कर्जदार ऋण की अदायगी नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में कंपनी प्राप्त की गई परिसंपत्तियों को बेच भी सकती है।

हालांकि ए.आर.सी. का मूल सिद्धांत पर कहीं एक ही है-खराब कर्ज का अर्जन कर उसका समाधान करना, लेकिन

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

ए.आर.सी. के स्वामित्व को लेकर अंतर होता है-सार्वजनिक या निजी। एशियाई संकट के पश्चात् इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया तथा थाईलैंड जैसे देशों ने सरकार के स्वामित्व एवं वित्तीयन वाली ए.आर.सी. को अपनाया जबकि फिलीपींस ने निजी ए.आर.सी. को। भारत में भी निजी क्षेत्र वाले ए.आर.सी. गैर-सरकारी तौर पर स्थापित किए जाते हैं, प्राय: बैंकिंग क्षेत्र के एवं अन्य निवेशकों के सहयोग से। भारत ने बहुलित ए.आर.सी. को भी अपनाया है जिससे खराब कर्ज के बेहतर मूल्य-निधारण में मदद मिलती है। आरबीआई ने पहले ही तीन ए.आर.सी. के लिए लाइसेंस जारी कर किया है तथा कुछ अन्य बैंक ए.आर.सी. को शुरू करने पर विचार कर रहे हैं।

ए.आर.सी. एनपीए (Non Performing Assets) का 'वास्तविक विक्रय' (true sale) के माध्यम से अर्जन करते हैं, यानि की एक बार जब एनपीए की बिक्री हो जाती है, विक्रयकर्ता की उसमें कोई रुचि नहीं रह जाती।

ए.आर.सी. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूमिकरण तथा प्रतिभूति एवं पुर्निर्माण हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, SARFAESI Act) के ही उत्पाद हैं। इसी अधिनियम से उन्हें शास्ति समाधान की शक्ति प्राप्त होती है।

परिसम्पत्ति (ASSET)

किसी व्यक्ति अथवा कंपनी के पास मौजूद ऐसी कोई भी चीज जिसका 'मौद्रिक मूल्य' हो परिसंपत्ति कहलाता है। यह तीन प्रकार का होती है:

(i) **मूर्त परिसंपत्ति (Tangible Assets):** ऐसी परिसंपत्तियाँ जिन्हें देखा, छुआ तथा अनुभव किया जा सकता है, जैसे-भूमि, भवन, मशीनरी, उपभोक्ता वस्तुएं (रेफ्रिजिरेटर, कार, टी.वी., रेडियो, इत्यादि)। इन परिसंपत्तियों का भौतिक रूप होता है।

(ii) **अमूर्त परिसंपत्ति (Intangible Assets):** इन परिसंपत्तियों का भौतिक अस्तित्व नहीं होता अर्थात् इनका आन्तरिक मूल्य कुछ नहीं होता किंतु इनका मूल्य स्वामित्व एवं कब्जे (Ownership and Possession) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों से प्राप्त किया जाता है, जैसे– व्यापारिक चिह्न, ख्याति, ज्ञान, पेटेण्ट, कॉपीराइट इत्यादि।

(iii) **वित्तीय परिसंपत्तियाँ (Financial Assets):** मूर्त परिसंपत्ति तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के अतिरिक्त वित्तीय रूप से मूल्यवान वस्तुएँ, जैसे-मुद्रा, बैंक खाते, बॉण्ड, प्रतिभूति, शेयर, इत्यादि; वित्तीय परिसम्पत्ति कहलाती हैं।

अभ्यर्पित राजस्व (ASSIGNED REVENUE)

यह शब्दावली विभिन्न करों/शुल्कों/उपकरों/अधिशुल्कों आदि प्राप्तियों के लिए प्रयुक्त होती है। सरकार द्वारा (परम्परागत रूप से) स्थानीय निकायों (पंचायती एवं संस्थाओं) की तरफ से वसूला जाता है और बाद में पंचायती राज संस्थाओं को अभ्यर्पित अथवा उनके लिए समायोजित कर दिया जाता हैं। ऐसे राजस्व का संग्रह स्थानीय निकायों के लिए प्रासंगिक कानूनों से शासित होता है।

भारत में अभ्यर्थित राजस्व के कुछ उदाहरण हैं-मनोरंजन कर, स्टॉफ शुल्क पर अधिशुल्क, भू-राजस्व पर स्थानीय उपकर, खातों एवं खनिजों की पट्टे की राशि, सामाजिक वानिकी की क्रिय प्राप्तियां आदि। राज्य वित्त आयोगों ने स्थानीय निकायों को वस्तुनिष्ठ कसौटी पर अथ्यर्थित राजस्व के प्रतिनिधायन (devolution of assigned revenue) की अनुशंसा की है।

ऑटार्कि (AUTARKY)

यह आत्मनिर्भरता और एक देश द्वारा कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करने का विचार है। दुनिया का कोई भी देश अपने लोगों को प्रतिस्पर्द्धात्मक कीमतों पर सभी वस्तुएं या सेवाएं उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है, हालाँकि कुछ ने अक्षमता और तुलनात्मक गरीबी की कीमत पर जीवन जीने की कोशिश की है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

मंदी बदला (BACKWARDATION)

मन्दी बदला वायदा व्यापार से संबंधित एक शब्द है, जिसका अर्थ है–किसी वस्तु का मूल्य वायदे के सौदे (वायदा बाजार) की तुलना में वर्तमान में (नकद बाजार) अधिक होता है। यदि स्थिति विपरीत हो तो उसे कॉन्टैंगो (Contango) कहते हैं।

बैक-टू-बैक लोन (BACK-TO-BACK LOAN)

यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उपयोग किया जाने वाला एक शब्द है, जिसके अंतर्गत भिन्न-भिन्न अर्थव्यवस्थाओं (देश) की दो कम्पनियाँ एक-दूसरे की मुद्रा उधार में लेती हैं तथा एक निर्धारित समय के अंदर ऋण अदायगी पर सहमत होती हैं। प्रत्येक कंपनी को अदायगी के ही दिन ऋण की पूरी मात्रा उनकी घरेलू मुद्रा में प्रदान की जाती है, जिसमें विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण हुई हानि का कोई खतरा नहीं होता। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में विनिमय दर से उत्पन्न खतरे को कम करने में यह एक कारगर उपाय साबित हुआ है। इस प्रकार के ऋण को **समानांतर ऋण (Parallel Loan)** भी कहा जाता है।

बैड बैंक (BAD BANK)

ऐसा बैंक जो मौजूदा बैंकों के अनुपयुक्त कर्ज (जिन्हें भारत में 'गैर-निष्पादित संपत्तियां' यानी एनपीए कहा जाता है) खरीदने के लिए विशेष तौर पर बनाया गया बैंक होता है ताकि ऐसे कर्ज निपटाए जाएं। इस तरीके से एनपीए वाले बैंक अपनी 'बैलेंस शीट' साफ-सुथरी करके और ग्राहकों को दोबारा कर्ज देना शुरू कर देते हैं। बैड बैंक अब फंसे हुए कर्जों को वसूलने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने कानूनी ढंग से खरीदे हैं। ऐसे बैंक 20वीं सदी में यूएसए में स्थापित किए गए थे और हाल ही में ये दोबारा इस्तेमाल में तब आए जब यूएस सेंट्रल बैंक के प्रमुख (बेन बर्नानके) ने देश में निजी बैंकों के 'सब-प्राइम' कर्ज के निपटारे के लिए सरकार द्वारा संचालित बैड बैंकों के इस्तेमाल का सुझाव दिया (2007 के सब-प्राइम संकट को देखते हुए)।

भारत में यह समाचारों में तब आया जब *आर्थिक समीक्षा 2016-17* ने भारत सरकार को इस तरह की संस्था-सार्वजनिक क्षेत्र संपत्ति पुनरुद्धार संस्था (पारा- पीएआरए) गठित करने का सुझाव दिया, जिससे 'दोहरी बैलेंस शीट' (टीबीएस) की समस्या का समाधान किया जा सके जिसका देश सामना कर रहा है। एक तरफ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बड़े पैमाने पर एनपीए का सामना कर रहे हैं जबकि दूसरी ओर देश का निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र (जो इन बैंकों का कर्जदार है) भी ऋणात्मक बैलेंस शीट की समस्या से जूझ रहा है (सेवाएं देने या उन पर देय कर्ज को खत्म करने में असमर्थ है)। माना जा रहा है कि, 'पारा' (पीएआरए) बैंकों के साथ ही साथ कॉर्पोरेट क्षेत्र की बैलेंस शीट को साफ सुथरा करेगा। समीक्षा ने दक्षिण-पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्था को उद्धृत किया है जहां 1996-97 के मुद्रा संकट के दौरान ऐसी संस्थाओं का प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया गया। मार्च 2017 तक, ऐसा दिखता था कि सरकार इस तरह की संस्था (बैंक) गठित करने को तैयार है।

बुरा ऋण (BAD DEBT)

यह शब्द लेखाकरण (Accounting) में उपयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है–वे ऋण जिनकी वसूली संदिग्ध हो अथवा संभव नहीं हो। ऐसा तब होता है, जब कर्जदार दिवालिया बन जाता है। बैंक ऐसे ऋणों को व्यापार में हुए खर्च के रूप में प्रस्तुत करता है।

बदला (BADLA)

यह कॉन्टैंगो (Contango) के लिए एक भारतीय शब्द है। कॉन्टैंगो का संबंध स्टॉक बाजार से संबंधित व्यापार से है, जिसमें या तो शेयर के खरीदार भुगतान का स्थगन कर देते हैं या फिर भुगतान किए जाने पर शेयर उपलब्ध कराने वाला व्यक्ति अपना विचार बदल लेता हो।

संतुलित बजट (BALANCED BUDGET)

संतुलित बजट एक ऐसा बजट है, जिसमें सरकार का कुल व्यय करों तथा अन्य आय के समान होता है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

अधिकांश सरकारें असंतुलित बजट प्रस्तुत करती हैं – घाटा बजट (Deficit Budget) अथवा अधिशेष बजट (Surplus Budget)। इसमें या तो सरकारी व्यय करों तथा अन्य आय से अधिक होता है (घाटा बजट) या फिर उनसे कम (अधिशेष बजट)। इस प्रकार के बजट आर्थिक क्रियाकलापों को नियंत्रित करते हैं।

भुगतान संतुलन (Balance of Payment)

यह किसी भी अर्थव्यवस्था का एक तुलन-पत्र (Balance Sheet) होता है, जो विश्वभर से उस देश के हुए सभी सौदों को दर्शाता है। यह प्रत्येक वर्ष तैयार किया जाता है तथा इसका परिकलन लेखाकरण के सिद्धांतों के अनुसार होता है।

बलून भुगतान (Ballon Payment)

यदि किसी कर्ज/ऋण का अंतिम भुगतान पिछले भुगतान से अधिक हो तो वह बलून भुगतान कहलाता है।

स्थान आधारित मूल्य व्यवस्था (Basing Point Price System)

यह मूल्य निर्धारण की एक विधि है, जिसमें किसी एक उत्पाद के लिए भिन्न-भिन्न जगहों के उपभोक्ताओं के लिए भिन्न-भिन्न मूल्य होता है। यदि उपभोक्ता नजदीक हो तो उत्पाद सस्ता होता है। दरअसल उत्पाद का मूल्य परिवहन व्यय पर आधारित होता है।

बेलवेदर स्टॉक (Bellwether Stock)

एक ऐसा शेयर, जो सम्पूर्ण शेयर बाजार की स्थिति को दर्शाता हो। शेयर बाजार से जुड़े विशेषज्ञ प्राय: ऐसे शेयरों का लेखा-जोखा रखते हैं तथा भविष्य में इस बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव का अनुमान लगाते हैं।

वित्तीय निरीक्षण बोर्ड (BFS)

भारतीय वित्तीय व्यवस्था की निगरानी एवं निरीक्षण के उद्देश्य से रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय निरीक्षण बोर्ड की स्थापना नवंबर 1994 में की गई। यह बोर्ड वाणिज्यिक बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFCs), वित्तीय संस्थानों, प्राथमिक विक्रेताओं तथा भारतीय समाशोधन कॉर्पोरेशन (Clearing Corporation of India— CCI) का निरीक्षण करता है।

ब्लैक स्कोल्स (Black Scholes)

वित्तीय व्युत्पत्रों तथा विकल्पों के मूल्य-निर्धारण के लिए बनाया गया सूत्र, जिसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में 1970 के दशक की शुरुआत में उनमें तेज गति से वृद्धि संभव हुयी।

माइरोन स्कोल्स तथा रॉबर्ट मरटोन को इस सूत्र के लिए अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार भी प्रदान किया गया – इस समय तक उनके एक सहयोगी, फिशर ब्लैक (1995) की मृत्यु हो चुकी थी।

बॉण्ड (Bond)

बॉण्ड अथवा बंधपत्र सरकार तथा निजी कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं। यह लंबी-अवधि के ऋण लेने के घटक स्वरूप जारी किए जाते हैं। इन्हें जारी करने वाले संस्थान धारकों को एक निश्चित दर से ब्याज देते हैं (जिसे 'कूपन' कहा जाता है)।

सामान्यत: बॉण्डों की एक भुगतान तिथि (Maturity Period) होती है। यद्यपि कुछ बॉण्डों की निश्चित परिपक्वता अवधि अथवा भुगतान तिथि नहीं होती है, जिन्हें चिरस्थायी बॉण्ड अथवा "Perpetual Bond" कहा जाता है।

बॉण्डों को सुरक्षित समपार्श्व (Collatoral) द्वारा रखा जाता है, जो अचल संपत्ति के रूप में होता है (स्थायी परिसंपत्ति) डिबेन्चर जिसका उपयोग लंबी अवधि के ऋण लेने के लिए किया जाता है, को समपार्श्व का समर्थन नहीं होता है।

बुक बिल्डिंग (Book Building)

यह किसी कंपनी के इक्विटी शेयरों का सार्वजनिक प्रस्ताव होता है। इस प्रक्रिया में कंपनी द्वारा निर्धारित मूल्य सीमा में निवेशकों द्वारा लगायी गयी बोली को एकत्र किया जाता है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

शेयरों के जारी किए जाने वाले मूल्य का निर्धारण बोली लगाने की अवधि समाप्त होने पर किया जाता है तथा यह इस बात पर निर्भर करता है कि विभिन्न मूल्यों पर बोली की संख्या कितनी थी। वैसी कंपनी जिसे शुरुआती सार्वजनिक प्रस्ताव (Initial Public Offer) जारी करना होता है। एक व्यापारिक बैंकर को 'बुक रनर' (Book runner) के रूप में नियुक्त करती है। कंपनी एक ऐसी विवरणिका जारी करती है, जिसमें कंपनी के पूरे व्यवसाय का विवरण दिया जाता है तथा भविष्य की योजनाओं का उल्लेख किया जाता है। इस विवरणिका में शेयरों के मूल्यों का जिक्र नहीं होता है। एक निश्चित अवधि को बोली लगाने की अवधि के रूप में निर्धारित किया जाता है। बुक रनर एक ऐसी माँग पुस्तक (Order Book) तैयार करता है, जिसमें शेयरों की माँग तथा निवेशकों की बोली का विवरण होता है। 'बुक रनर' तथा कंपनी शेयरों के मूल्यों का निर्धारण करते हैं तथा प्रत्येक सदस्य को शेयर आवंटन किए जाने पर निर्णय लेते हैं।

ब्रैकेट क्रीप (BRACKET CREEP)

मुद्रास्फीति के कारण आय में बढ़ोतरी होने से (महँगाई भत्ता बढ़ने के कारण लोगों की आय बढ़ जाती है) लोग आयकर के उच्च वर्ग में आ जाते हैं, जबकि उनकी स्थिति पहले से बदतर हो जाती है (चूँकि उनकी वास्तविक आय में वृद्धि नहीं होती है तथा उनकी निःस्तारणीय आय यानि कर भुगतान के बाद वास्तविक आय, दरअसल घट जाती है); यह प्रक्रिया 'ब्रैकेट क्रीप' कहलाती है।

वृहत आधार वाला फंड (BROAD BASED FUND)

यह निधि (fund) भारत के बाहर स्थापित की गई थी जिसके कम-से-कम 20 निवेशक हैं और किसी भी निवेशक के पास 49 प्रतिशत से अधिक इसके शेयर या यूनिट नहीं हैं। यदि वृहत आधार वाले फंड का सांस्थानिक निवेशक है तो इसके लिए आवश्यक नहीं कि इसके 20 निवेशक हों। पुनः अगर कोई सांस्थानिक निवेशक है जिसके पास 49 प्रतिशत से अधिक शेयर हैं, तो उस स्थिति में वह निवेशक ही 'ब्रॉड बेस्ट फंड' बन जाता है।

भारत में जो लोग 'ब्रॉड बेस्ट फंड' की तरफ से निवेश करना चाहते हैं, वे एफआईआई (FIIs) के स्थान पर (On behalf) पंजीकृत होने के लिए अर्द्ध माने जाते हैं, वे हैं-(i) शास्ति प्रबंधन कम्पनियां (Asset Management Companies), (ii) निवेश प्रबंधक/सलाहकार (Investment Manager/Advised), (iii) सांस्थानिक पोर्टफोलियो प्रबंधक (Institutional Portfolio Manager), (iv) एक न्यास के न्यासी (Trustee of a Trust), तथा; (v) बैंक।

ब्राऊनफील्ड लोकेशन (BROWNFIELD LOCATION)

एक परिव्यक्त औद्योगिक क्षेत्र, जिसे तोड़कर नए उद्योगों को बसाया जाता है। यह ग्रीनफील्ड लोकेशन के बिल्कुल विपरीत होता है, जहाँ एक नए क्षेत्र में नए उद्योगों को स्थापित किया जाता है।

बबल (BUBBLE)

किसी भी संपत्ति के मूल्य में हुई वृद्धि जो अर्थशास्त्र के सिद्धांतों से परे हो तथा लोग ऐसी संपत्ति को अपने पास रखने के इच्छुक होते हैं। बबल की समाप्ति के बाद संपत्ति का मूल्य अपने वास्तविक दाम पर पहुँच जाता है।

बजट लाइन (BUDGET LINE)

द्विविध अक्ष आलेख (Dualaxis Graph) पर बनी एक रेखा, जो वस्तुओं के ऐसे वैकल्पिक संयोजन को दर्शाती है जिसे उपभोक्ता द्वारा एक निश्चित आय के साथ निश्चित मूल्यों पर खरीदा जा सकता है।

बुलेट पुनर्भुगतान (BULLET REPAYMENT)

बुलेट पुनर्भुगतान का अर्थ है—परिपक्वता पर समूची ऋण राशि (Loan amount) का एकमुश्त भुगतान। बैंकिंग नियामकों (भारत में आर.बी.आई.) को एनपीए की तेज वसूली के लिए ऐसी व्यवस्था लागू करनी चाहिए। इसके

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

माध्यम से विवादग्रस्त परिसम्पत्तियां (Distressed assets) बैंक में वापस आती हैं, भले ही उनसे मुनाफे की उम्मीद कम हो।

इस आशय की घोषणा आरबीआई ने 2014-15 में की थी, जिसमें स्वर्णाभूषणों आदि के एवज में दिए गए कर्ज के बुलेट पुनर्भुगतान की अनुमति दी गई, बशर्ते उसका उपयोग कृषि को छोड़कर अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया हो।

सर्राफा/बुलियन (Bullion)

बहुमूल्य धातुओं, जैसे–सोना, चाँदी तथा प्लैटिनम, का व्यापार निवेश के उद्देश्य के लिए सिल्लियों तथा सिक्कों के रूप में किया जाता है तथा आभूषण बनाने में इनका उपयोग आधार धातु (Base Metal) के रूप में किया जाता है।

व्यावसायिक चक्र (Business Cycle)

इस शीर्षक से सम्बन्धित अध्याय को देखें।

व्यस्त एवं मंद मौसम (Busy & Slack Season)

भारत के लिए व्यस्त मौसम नवंबर से अप्रैल के मध्य होता है। इस अवधि के दौरान अत्यधिक कृषि कार्य–कलाप होते हैं, खासतौर पर खरीफ फसल के बाद, जिसका प्रभाव अर्थव्यवस्था की बैंकिंग प्रक्रिया तथा औद्योगिक क्षेत्र पर पड़ता है। इसी कारण से इसे व्यस्त मौसम कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मंद मौसम (Slack Season) मई से अक्टूबर के बीच होता है, जिस दौरान कृषि कार्य-कलापों में कमी आने के कारण बैंकिंग तथा औद्योगिक क्षेत्र पर भी असर पड़ता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में मई के आरंभ से सितंबर के अंत तक सुस्त मौसम रहता है जबकि अक्टूबर के आरंभ से अप्रैल के अंत तक 'व्यस्त मौसम' होता है। सुस्त मौसम में फसल की रोपाई होती है। खेती-बाड़ी तथा इससे संबंधित व्यवसाय धीमे रहते हैं तथा पिछले व्यस्त मौसम में लिए गए कर्जों की अदायगी का भी यही समय होता है। परिणामस्वरूप पैसे की वृद्धि दर धीमी एवं ऋणात्मक होती है। सरकार सामान्यत: सुस्त मौसमों में कर्जदारी करती है क्योंकि वाणिज्यिक क्षेत्र से कर्ज की मांग बहुत मजबूत नहीं होती। चूंकि अभी नई फसल बाजार में नहीं पहुंची होती है जबकि उसकी मांग बनी रहती है, सुस्त मौसमों में वस्तुओं के मूल्य चढ़े हुए होते हैं।

अक्टूबर से व्यस्त मौसम शुरू होता है तथा कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन उच्च स्तर पर रहता है। चूंकि नई फसल बाजार में पहुंचती है और आपूर्ति की स्थिति सुधरती है इसलिए मूल्य भी उतार पर होते हैं। मौसम बाजार में फसल की पहुंच में मौसमी अंतर के कारण पूरे वर्ष दाम में उतार-चढ़ाव बना रहता है, जबकि मांग लगभग स्थिर बनी रहती है।

लेकिन उपरोक्त परिपाटी में हाल के वर्षों में भारी बदलाव हुआ है। अब सरकार सुस्त एवं व्यस्त दोनों मौसमों में उधार देती है। उद्योग भी दोनों मौसमों में सक्रिय रहते हैं। भंडारण एवं संग्रहण सुविधाओं में बढ़ोतरी के कारण कृषि उत्पादों के प्रवाह में उतार-चढ़ाव कम होता है। पैसे की आपूर्ति लगातार बढ़ती रहती है तथा दाम पूरे समय चढ़े हुए रहते हैं।

क्रेता बाजार (Buyer's Market)

जब किसी वस्तु की माँग कम होती है तथा आपूर्ति अधिक होती है तो विक्रेता की तुलना में क्रेता बेहतर स्थिति में होता है। ऐसे बाजार को क्रेता बाजार कहते हैं।

खरीद (Buyouts)

कंपनियाँ के खरीद में निजी इक्विटी निवेशक (Private Equity Investors) दो प्रकार से भाग लेते हैं (निजी इक्विटी समर्थित खरीद का अर्थ है कि निजी इक्विटी निवेशक की कंपनी में एक नियंत्रक भूमिका होगी, अर्थात् कंपनी में उनकी साझेदारी 50-100 प्रतिशत के बीच होगी):

(i) **प्रबंधन खरीद (Management Buyont):** इस प्रकार की खरीद में निजी इक्विटी निवेशक प्राय: कंपनी के प्रबंधन को मदद करते हैं ताकि कंपनी के प्रवर्तकों (promoters) को खरीदा जा सके। बदले में निजी इक्विटी निवेशक को

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

कंपनी में सबसे अधिक साझीदारी प्राप्त होती है।

(ii) **उत्तोलक खरीद (Leveraged Buyont):** इस प्रकार की खरीद में कंपनी के अधिग्रहण में उपयोग की गई निधि का एक बड़ा भाग ऋण के द्वारा प्राप्त किया जाता है – सामान्य अनुपात है– 70 प्रतिशत ऋण तथा 30 प्रतिशत इक्विटी।

कैमलस (CAMELS)

यह एक परिवर्णी शब्द (Acronym) है, जो पूँजी की पर्याप्तता (Capital Adequacy - C), संपत्ति की गुणवत्ता (Asset Quality - A), प्रबंधन (Management - M), उपार्जन (Earnings - E), तरलता (Liquidity - L) तथा नियंत्रण के तंत्र (Systems for Control - S) जैसे शब्दों से बना हुआ है। विश्वभर के बैंकों के संचालन तथा प्रदर्शन को आँकने के लिए इस शब्द का प्रयोग एक तकनीक के रूप में किया जाता है।

पूँजी (CAPITAL)

पूँजी उत्पादन के तीन कारकों में से एक है (अन्य दो श्रम तथा प्राकृतिक संसाधन हैं)। पूँजी दो प्रकार की होती है–(i) भौतिक पूँजी (Physical Capital), जैसे–फैक्टरी, मशीन, दफ्तर इत्यादि, तथा; (ii) मानव पूँजी (Human Capital), जैसे–प्रशिक्षण, कारीगरी, इत्यादि।

संयुक्त स्टॉक कंपनियों में शेयर पूँजी (Share Capital) के अलग-अलग रूपों को दर्शाने के लिए विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है:

(i) **पूँजी (Authorised Capital):** यह शेयर पूँजी की वह मात्रा है, जिसे साझीदारी की विज्ञप्ति (Memorandum of Association—MoA) तथा साझेदारी के अनुच्छेद में निर्धारित किया जाता है, जैसा कि कमानी अधिनियम के अंतर्गत जरूरी है। इस प्रकार की पूँजी को सांकेतिक (Nominal) अथवा पंजीकृत पूँजी (Registered Capital) भी कहा जाता है। यह पूँजी की वह अधिकतम मात्रा है, जिस सीमा तक कोई कंपनी अपने शेयर जारी कर सकती है। यह आवश्यक नहीं कि कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों का मूल्य अधिकृत पूँजी के बराबर रही हो– यह अधिकृत पूँजी के बराबर या उससे कम तो हो सकता है, किंतु अधिक नहीं।

(ii) **शोधित पूँजी (Paid-up Capital):** कंपनी के अधिकृत पूँजी का वह भाग, जिसका भुगतान शेयरधारकों द्वारा किया गया हो। एक अंतर उत्पन्न हो सकता है, यदि सभी अधिकृत शेयर जारी नहीं किए गए हों अथवा जारी किए गए शेयरों का भुगतान आंशिक हो तो।

(iii) **अभिदत्त पूँजी (Subscribed Capital):** वह पूँजी, जिसका वास्तविक रूप में भुगतान शेयर धारकों द्वारा किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि अभिदत्त पूँजी दरअसल वसूल की गयी शोधित पूँजी है (शोधित पूँजी में अभिदत्त पूँजी तथा शेयरधारकों के ऊपर उधार/ऋण, दोनों ही शामिल होते हैं)।

(iv) **प्रचालित पूँजी (Issued Capital):** किसी कंपनी द्वारा शेयरों के जारी करने से पूँजी प्राप्ति की अनुमानित मात्रा को प्रचालित पूँजी कहते हैं (इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह अधिकृत पूँजी से अधिक न हो)।

(v) **प्रतिदेय पूँजी (Called up Capital):** चरणबद्ध भुगतान नियमों के अन्तर्गत शेयर पूँजी की वह मात्रा, जिसका शेयरधारकों को अब तक भुगतान करना पड़ता है, प्रतिदेय पूँजी कहलाता है। सामान्यत: यह शोधित पूँजी के समान होती है, केवल उन मामलों को छोड़कर, जहाँ कुछ शेयर धारक अपने बाकी किस्तों को चुका नहीं पाते हैं।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

पूँजी पर्याप्तता अनुपात (CAPITAL ADEQUACY RATIO)

वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए एक विनियमन, जिसके द्वारा निवेश तथा कर्ज के मामले में होने वाले संभावित घाटे से बचने अथवा उसके प्रभाव को कम करने के लिए ये संस्थान पूँजी की एक विशेष मात्रा अपने पास रखते हैं।

यह अंतर्राष्ट्रीय समझौता बैंक, बेसल (Bank for International Settlements) द्वारा बनाई गई अवधारणा है, जिसका कार्यान्वयन भारत में 1992 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया।

पूँजी उपभोग (CAPITAL CONSUMPTION)

वह पूँजी, जिसका उपभोग अर्थव्यवस्था अथवा किसी कंपनी द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया में किया जाता है। इसे अवमूल्यन (Depreciation) भी कहा जाता है।

पूँजी निर्गत अनुपात (CAPITAL OUTPUT RATIO)

यह अतिरिक्त पूँजी की उस मात्रा का मापन है, जो निर्गत की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए आवश्यक है। यदि दूसरी तरह से सोचा जाए तो यह जोड़ी गई प्रत्येक अतिरिक्त पूँजी की इकाई पर उत्पादित निर्गत की अतिरिक्त मात्रा है।

3:1 का पूंजी-उत्पादन अनुपात (Capital-output ratio) 4:1 से बेहतर है क्योंकि इसमें मात्र 3 इकाई अतिरिक्त पूंजी से अतिरिक्त उत्पाद प्राप्त हो जाता है जबकि 4:1 अनुपात में प्रत्येक अतिरिक्त इकाई उत्पाद के लिए 4 इकाईयों की जरूरत पड़ती है।

कार्बन क्रेडिट (CARBON CREDIT)

कार्बन क्रेडिट की अवधारणा जलवायु परिवर्तन पर हुए क्योटो संधि का एक भाग है। कार्बन क्रेडिट उन देशों को जारी किए गए प्रमाण-पत्र हैं, जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की मात्रा को कम करते हैं, जिसके कारण विश्व के तापमान में वृद्धि हो रही है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 60-70 प्रतिशत ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन सीमेंट, इस्पात, वस्त्र तथा उर्वरक उद्योगों में ईंधन के जलने के कारण होता है। कुछ ग्रीन हाउस गैसें, जैसे-हाइड्रो-फ्लोरोकॉर्बन, मीथेन तथा नाइट्रस-ऑक्साइड उद्योगों में उप-फल के रूप में उत्पादित होती हैं।

कार्बन ट्रेडिंग का कारोबार दो शेयर बाज़ारों में होता है-शिकागो क्लाइमेट एक्सचेंज और यूरोपियन क्लाइमेट एक्सचेंज। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग खुले बाज़ार में भी हो सकती है। यूरोपीय देश और जापान कार्बन क्रेडिट खरीदने वाले प्रमुख देश हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत ग्लोबल वॉर्मिंग पोटेंशियल (जीडब्ल्यूपी) एक इंडेक्स है जो ग्लोबल वॉर्मिंग के लिए जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैसों की एक-दूसरे से तुलना करता है। कारोबार की दृष्टि से एक क्रेडिट को एक टन कार्बन-डाई-ऑक्साइड कम छोड़ने के बराबर माना जाता है।

कैरी ट्रेड (CARRY TRADE)

किसी एक मुद्रा में उधार लेकर दूसरी मुद्रा में निवेश करने को 'कैरी ट्रेड' कहते हैं। हाल ही के वर्षों में जापान कैरी ट्रेड का एक अच्छा बाजार साबित हुआ है। इसका मुख्य कारण 'येन' का कमजोर होना है तथा उधार लेने पर ब्याज लगभग नगण्य है। उधार अथवा कर्ज पर लिए गए पैसे को ऐसे बाजार में निवेश किया जाता है, जहाँ ब्याज दर अधिक होती है या फिर इनका निवेश इक्विटी में किया जाता है। ऋण निवेश की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैण्ड तथा आस्ट्रेलिया पसंदीदा देश हैं तथा इक्विटी निवेश के लिए भारत एक उभरता बाजार है।

कैश काउ (CASH COW)

एक लाभकारी व्यवसाय अथवा कंपनी जो निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के हो सकते हैं तथा जिसके द्वारा उस कंपनी के मालिक को निरंतर नकद की प्राप्ति होती है, कैश काउ' कहलाता है। इसका मुख्य कारण कंपनी द्वारा उत्पादित वस्तुओं की निरंतर माँग हो सकती है अथवा उपभोक्ता को

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

उत्पाद खरीदने की बाध्यता। उदाहरण के लिए एण्टीसेप्टिक लोशन 'डेटोल' निजी क्षेत्र में रिकेट एण्ड कोलमैन के लिए कैश काउ है तथा घरेलू गैस, उसके उत्पादन तथा विपणन करने वाली सरकारी कंपनियों के लिए एक कैश काउ है (बशर्ते कि उस पर सब्सिडी नहीं दी जाए)।

केवईट एम्पटर (Caveat Emptor)

एक लैटिन वाक्यांश, जिसका अर्थ होता है–'खरीदार सावधान।' सरल शब्दों में यदि देखा जाए तो इसका अर्थ यह होता है कि आपूर्तिकर्ता पर कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती है कि वह खरीदार को इस बात की सूचना दे कि उसके द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं अथवा सेवाओं में किस तरह की कमी है। इस बात की जिम्मेदारी खरीदार पर होती है कि वह उत्पादों की उपयोगिता तथा कमियों को समझे।

सेटीरस पेरीबस (Ceteris Paribus)

यह एक लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ होता है–'अन्य चीजें समान हैं।' इस शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्रियों द्वारा अपने पूर्वानुमानों को ढंकने के लिए किया जाता है।

चीनी दीवार (Circiut Wall)

ग्राहकों के हित के संरक्षण के लिए किसी वित्तीय संस्थान के विभिन्न गतिविधियों (जैसे-शेयर दलाली, वित्त प्रबंधन, इत्यादि) का वियोजन चीनी दीवार कहलाता है।

सर्किट सीमा (Circuit Limit)

विश्वभर के शेयर बाजारों में शेयर सूचकांकों में आने वाली नियमित गिरावट की एक सीमा, जिसके बाद शेयर बाजारों को आगे व्यापार करने के लिए रोक दिया जाता है। उदाहरण के लिए मुंबई स्टॉक बाजार में सर्किट सीमा 10 प्रतिशत तक निर्धारित किया गया है। यदि इस बाजार में शेयरों का मूल्य निरंतर गिरता रहा और यह 10 प्रतिशत तक पहुँच गया तो शेयर बाजार को आगे व्यापार करने के लिए रोक दिया जाता है। इस तरह की सीमा शेयर बाजारों को होने वाले भारी नुकसान से बचाता है।

पुरातन अर्थशास्त्र (Classical Economics)

अर्थशास्त्र की वह विचारधारा, जो स्मिथ, रिकार्डो तथा मिल के विचारों पर आधारित है। यह विचारधारा विश्वभर में वर्ष 1870 तक कायम रही, जब उपांतीय विद्रोह (Marginalist Revolution) की घटना घटी।

क्लीन कोल (Clean Coal)

भूमिगत कोयले का गैसीकरण तथा द्रवीकरण, जिसके द्वारा कोयले को तरल तथा गैसीय ईंधन विकल्पों में परिवर्तित किया जाता है। यह एक मान्यता प्राप्त 'क्लीन कोल' प्रौद्योगिकी है। यह कोयले के परत से ऊर्जा निष्कर्षण की एक कारगर विधि है, जिसका खनन परम्परागत विधि से नहीं किया जा सकता है।

संपार्श्विक (Collateral)

कोई वस्तु/परिसम्पत्ति जो किसी दूसरी प्राथमिक वस्तु परिसम्पत्ति के पूरक/सहगामी के रूप में इस्तेमाल में आए उसे संपार्श्विक कहते हैं। इस अवधारणा का उपयोग बैंकिंग उद्योग द्वारा ऋण आवंटन के लिए किया जाता है। ऋण लेते समय ऋण लेने वाला व्यक्ति/फर्म इनका उपयोग ऋण की गारंटी के रूप में करता है, जिसे द्वितीयक/अधीनस्थ प्रतिभूति (Secondary/subordinate security) माना जाता है (यथा–भूमि, भवन आदि)। मुख्य/प्राथमिक प्रतिभूति (principal/primary security) साधारणतः ऋण लेने वाले की व्यक्तिगत गारण्टी होती है या किसी व्यापार में नकद प्रवाह होता है। अगर ऋण के आवेदक की साखधारिता उच्च नहीं है तो बैंक ऐसे ग्राहकों से संपार्श्विक की मांग करता है। ऋण की अदायगी की प्रक्रिया के उल्लंघन की स्थिति में बैंक संपार्श्विक को जब्त करने का अधिकार रखता है।

क्लोज्ड शॉप (Closed Shop)

किसी कंपनी की यह शर्त कि उसके सभी कर्मचारी एक ही मजदूर संघ के सदस्य हों, क्लोज्ड शॉप कहलाती है। यह श्रम की आपूर्ति को सीमित करने तथा शक्तिशाली

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

श्रमिक संघ द्वारा माँगे गए उच्च वेतमान को कायम रखने की एक विधि है।

सामूहिक उत्पाद (Collective Product)

एक ऐसा उत्पाद, जिसकी आपूर्ति किसी समूह को की जाती है। सरकार द्वारा प्रदत्त कई वस्तुएँ तथा सेवाएँ इस वर्ग के तहत आती हैं—राष्ट्रीय रक्षा, पुलिस प्रशासन इत्यादि।

प्रतिबद्ध व्यय (Committed Expenditure)

सरकारों का वैसा व्यय जिसे वे नकार नहीं सकतीं (क्योंकि उन्होंने ऐसा वादा किया हुआ है) उसे प्रतिबद्ध व्यय कहते हैं। ऋणों के 'ब्याज' तथा कर्मचारियों की 'पेंशन' इसके बेहतर उदाहरण हैं।

वित्त वर्ष 2015-16 में सरकार का ऐसा व्यय उसके सकल गैर-योजनागत व्यय का 41.5 प्रतिशत पहुंच चुका था। वहीं सरकार के सकल व्यय में गैर-योजनागत व्यय का हिस्सा 73.8 प्रतिशत था। वर्ष 2017-18 से भारत सरकार द्वारा अपने व्यय का वर्गीकरण 'योजनागत' एवं 'गैर-योजनागत' की जगह 'पूंजी' एवं 'राजस्व' मदों में किया जाएगा।

कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (Commodities Transaction Tax)

(अध्याय 17 देखें, *भारत में कर संरचना*)

वस्तु मुद्रा (Commodity Money)

ऐसा उत्पाद जिसका उपयोग पारंपरिक वस्तु विनिमय प्रणाली में भुगतान के साधन के रूप में किया जाता है, वस्तु मुद्रा कहलाता है। इस तरह की पद्धति तब उपयोग में आती है, जब वास्तविक मुद्रा में विश्वास घट गया हो (उदाहरण के लिए अधिक मुद्रास्फीति तथा अधिक अवमूल्यन के दौर में)।

समुदायीकरण (Communitisation)

बगैर निविदा प्रक्रिया के सार्वजनिक सेवा वितरण के निजीकरण की पद्धति समुदायीकरण कहलाती है। इसमें उपभोक्ता समुदाय को शक्तियों का हस्तांतरण होता है, जिसमें वित्तीय शक्तियाँ भी शामिल हैं। उपभोक्ता समुदाय राजस्व एकत्रण का कार्यभार सँभाल लेता है तथा सेवा वितरण को प्रभावी रूप से लागू करता है। यह मॉडल लाभ के उद्देश्य से वंचित है इसलिए अधिक पारदर्शी है। विगत वर्षों में सामुदायिक प्रारंभिक विद्यालयों तथा स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में सेवा वितरण में सुधार आया है।

नागालैंड में 2002 में सुधार शुरू करने के बाद सामुदायिक प्राथमिक विद्यालयों और स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में सेवाओं के स्तर में भारी सुधार आया है और बिजली बिलों के संग्रहण में 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

तुलनात्मक लाभ (Comparative Advantage)

इसका संबंध उन क्रियाकलापों की पहचान करने से है जो एक व्यक्ति, एक कंपनी अथवा एक देश साथ रहकर अधिक कार्यकुशलता के साथ कर सकते हैं।

इस अवधारणा का श्रेय डेविड रिकार्डो को दिया जाता है तथा यह मुक्त व्यापार का समर्थन करता है। यह अवधारणा इस बात का सुझाव देती है कि देश एक-दूसरे से व्यापार कर अधिक लाभ उठा सकते हैं। यह लाभ तब भी उठाया जा सकता है, जब इनमें से किसी एक की सभी किस्म की आर्थिक गतिविधियों में कार्यक्षमता अधिक हो।

कंसोल (Consols)

यह संचित स्टॉक (Consolidated Stock) का संक्षिप्त रूप है। ऐसे सरकारी बॉण्ड, जिनकी कोई भुगतान तिथि नहीं होती है तथा जो अनिश्चित अवधि के लिए होती है, का व्यापार शेयर बाजारों में किया जाता है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

संकाय (Consortium)

कंपनियों, सरकारों, इत्यादि का एक तदर्थ समूह, जिन्हें किसी विशेष परियोजना के लिए एकजुट किया जाता है तथा जिसमें वे अपने संसाधनों तथा दक्षता का उपयोग करते हैं।

टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएँ (Consumer Durables)

ऐसी वस्तुएँ, जिनका उपयोग उपभोक्ता एक लंबे अवधि के लिए करते हैं, जैसे—कार, घर, रेफ्रिजरेटर इत्यादि।

गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएँ (Consumer Non-Durables)

ऐसी वस्तुएँ, जिसका उपयोग मात्र उपभोग के समय हो गैर–टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएँ कहलाती हैं (टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के विपरीत); उदाहरण के लिए फल, सब्जियां, अचार, पनीर, मुरब्बा इत्यादि।

ध्यानाकर्षी उपभोग (Conspicuous Consumption)

यदि कोई उपभोग उपयोगिता के बजाय प्रदर्शन के उद्देश्य से किया जाए तो यह ध्यानाकर्षी उपभोग कहलाता है, उदाहरण के लिए हीरा जड़ित चप्पलों, घड़ियों, कलमों इत्यादि का उपयोग।

संसर्ग (Contagion)

एक ऐसी स्थिति, जिसमें एक देश की आर्थिक समस्या दूसरे देशों में फैलती है, संसर्ग कहलाता है। इसे डोमिनो प्रभाव भी कहते हैं।

कॉण्ट्रेरियन (Contrarian)

किसी दी गयी अवधि में यदि किसी व्यक्ति की निवेश नीति सामान्य निवेशकों के बिल्कुल विपरीत हो तो वह कॉण्ट्रेरियन कहलाता है। उदाहरण के लिए जब कोई शेयर निवेशकों द्वारा बेचा जाता है तो कॉण्ट्रेरियन उसे लगातार खरीदता रहता है। इसके पीछे तर्क यह है कि शेयरों के बिक्री से उनका मूल्य मूलभूत मूल्य से भी कम हो जाएगा तथा इसलिए भविष्य में इन शेयरों से लाभ की उम्मीद रखी जा सकती है।

कोर निवेश कंपनियाँ (Core Investment Companies–CICs)

वैसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFCs), जिनके द्वारा शेयरों एवं प्रतिभूतियों का अधिग्रहण (Acquisition) निम्न शर्तों पर किया जाता है CICs है (भारत में) अधिग्रहण कुल परिसंपत्ति के 90% से कम न हो; समूह कंपनी में इसका शेयर निवेश कम-से-कम 60% हो; इसके द्वारा समूह कंपनी में विनिवेश (dilution) के अलावा किसी अन्य स्थितियों में शेयर या ऋण 'ट्रेडिंग' नहीं की जा रही हो; इसके द्वारा बैंक जमा, मुद्रा बाजार संघटकों, सरकारी प्रतिभूतियों एवं समूह कंपनी के ऋण या शेयर के अतिरिक्त कहीं और निवेश नहीं किया जा रहा हो।

कंपनी धारणीयता सूचकांक (Corporate Sustainability Index)

बॉम्बे स्टॉक बाजार द्वारा प्रस्तावित कंपनी धारणीयता सूचकांक (CSI) एक संभावित नया स्टॉक बाजार होगा, जो कंपनियों के धारणीय उपलब्धियों के द्वारा उनमें विश्वास व्यक्त करेगा। इस किस्म का यह एशिया में पहला सूचकांक होगा।

संशुद्धि (Correction)

स्टॉक बाजार में उपयोग किया गया एक शब्द, जो शेयरों के मूल्यों के उत्क्रमण को दर्शाता है। यह पूर्व में शेयरों के मूल्यों में हुए अत्यधिक उछाल अथवा गिरावट की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है।

प्रतिकारी शुल्क (Countervailing Duty)

प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) आयात करने वाले राष्ट्र द्वारा आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है यदि निर्यात करने वाला देश अपने निर्यात पर निर्यात सब्सिडी देता पाया

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

जाता है। इस उपाय का उद्देश्य आयात के साथ घरेलू उत्पादों की कीमत में संतुलन कायम करना है। यह शुल्क इस तरह से लगाया जाता है जिससे आयातित वस्तु भी प्रतिस्पर्द्धा में बनी रहे।

जब निर्यात करने वाला राष्ट्र न्यायोचित बाजार कीमत से नीचे निर्यात करता पाया जाता है (इसका मतलब निर्यात करने वाला राष्ट्र अपनी वस्तुओं को आयात करने वाले देश में 'डंप' रहा है) तो इसी तरह का, इसी उद्देश्य के साथ आयात करने वाले राष्ट्र की ओर से लगाए जाने वाले शुल्क को 'डंपिंग विरोधी' शुल्क कहा जाता है।

दोनों ही शुल्क डब्ल्यूटीओ के प्रावधानों के मुताबिक जांच-पड़ताल के उचित प्रावधान को पूरा करने के बाद लगाया जाता है।

रचनात्मक ध्वंस (Creative Destruction)

वह प्रक्रिया, जिसके द्वारा कोई उद्यमी जोखिम लेते हुए आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए पुराने तकनीकों को प्रतिस्थापित कर नई तकनीकों का उपयोग करता है। जोसेफ ए. स्कमपीटर के अनुसार रचनात्मक ध्वंस आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, लेकिन ऐसे परिवर्तनों में अनियमितता के कारण व्यवसाय चक्र के पुनः बाद आर्थिक संकट अथवा मंदी देखी जाती है *(J.A. Schumpeter, Capitalism Socialism and Democracy, 1942)*।

घोर पूँजीवाद (Crony Capitalism)

कारोबार करने का तरीका, जब कंपनी अपने खुद के लोगों (यानी परिवारों और मित्रों) पर ध्यान देते हुए अपना ही ख्याल रखती है। नकारात्मक अर्थों में प्रयुक्त।

क्रॉस सब्सिडी (Cross Subsidy)

इस प्रक्रिया में किसी एक उप-क्षेत्र को रियायत अथवा छूट दूसरे उप-क्षेत्र से हुए लाभ की मदद लेकर की जाती है। उदाहरण के लिए, भारत में किरोसिन तेल में छूट पेट्रोल तथा विमानन ईंधन से हुए लाभ की मदद लेकर दी जाती है।

जन-समूह कोषण (Crowdfundiug)

यह वित्त पोषण का एक तरीका है, जिसमें किसी कार्य में निवेश किए जाने वाले कोष की व्यवस्था सामूहिक प्रयास के माध्यम से की जाती है। इस विधि का प्रयोग विशेषकर नयी कंपनियों की स्थापना के लिए किया जाता है जो किसी काफी अच्छे व्यावसायिक विचार को धन की कमी के कारण प्रारंभ करने में सक्षम नहीं हैं।

इसके दो प्रकार हैं-*पहला* 'सामुदायिक' *दूसरा* 'वित्तीय लाभ' जन-समूह कोषण। पहले प्रकार में जन-समूह धन का योगदान तो जाता है लेकिन उसे कोई वित्तीय लाभ प्रप्ति नहीं होती वहीं दूसरे प्रकार में धन के योगदान के बदले में उसे वित्तीय लाभ की प्राप्ति होती है।

क्रॉउडिंग आउट इफेक्ट (Crowding - Out - Effect)

सार्वजनिक वित्त की एक अवधारणा, जिसके तहत सरकारी व्यय में वृद्धि होती है तथा इसके प्रभाव से निजी क्षेत्र का खर्च कम हो जाता है।

कंपनियों का सामाजिक दायित्व (Corporate Social Responsibility—CSR)

कंपनियों के सामाजिक दायित्व की अवधारणा पूरे विश्व में लोकप्रिय होती जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह दायित्व निजी कंपनियों द्वारा पहले से निभाए जा रहे निश्चेष्ट लोकोपकार (Passive Philan Thropy) से भिन्न है। मूल रूप से इस अवधारणा का यह मानना है कि कंपनियाँ जिस क्षेत्र में कार्य करती हैं, उस क्षेत्र के लोगों के विकास के प्रति उनका एक दायित्व होता है। कंपनियों को उस क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, क्षेत्र के विकास की योजनाओं को वित्त तथा अन्य संसाधनों का समर्थन प्रदान किया जाना चाहिए, खासकर पिछड़े वर्गों को सहायता प्रदान की जानी चाहिए। यह व्यवसाय के लम्बे समय के हितों के लिए अत्यावश्यक है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

ऋण-पत्र/डिबेंचर (DEBENTURE)

यह एक ऐसा ऋण-पत्र है, जिसे निजी कंपनियाँ ऋण लेने के घटक स्वरूप जारी किया करती हैं। डिबेंचर को जारी करने वाली कंपनियाँ, इनकी एक परिपक्वता अवधि रखती हैं। किसी कंपनी के परिसमापन की स्थिति में डिबेंचर धारकों का कंपनी की परिसम्पत्ति तथा उपार्जन पर सबसे पहला दावा होता है।

ऋण प्रतिप्राप्ति न्यायाधिकरण (DEBT RECOVERY TRIBUNAL - DRT)

बैंक तथा वित्तीय संस्थानों को उन ऋणों की वसूली करने में कठिनाई होती है, जहाँ कर्जदार ऋणों की अदायगी नहीं करते हैं। ऋण वसूली की प्रक्रिया को तेज करने की दृष्टि से वित्तीय व्यवस्था पर गठित समिति, जिसके अध्यक्ष श्री नरसिम्हन थे, ने एक विशेष अदालत स्थापित करने का सुझाव दिया, जिसके पास विशेष निर्णायक शक्तियाँ होंगी। वित्त क्षेत्र में सुधारों को गति प्रदान करने के लिए यह जरूरी था। चूँकि वर्तमान में भारतीय विधि व्यवस्था पर अधिक भार है इसलिए कई बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋणों की वसूली नहीं की जा रही है। इससे बैंकों के तुलन-पत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, क्योंकि भुगतान नहीं किए गए राशि की मात्रा बहुत अधिक है।

यह विचार किया गया कि इस प्रकार के ऋणों से निपटने के लिए एक स्वतंत्र निकाय की आवश्यकता है। वर्ष 1993 में एक अधिनियम पारित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के ऋणों की वसूली करना था।

ऋण प्रतिप्राप्ति न्यायाधिकरण की स्थापना केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है। सरकार ने इस अदालत के अधिकार क्षेत्र का भी निर्धारण किया है। इस अदालत में एक प्रधान अधिकारी होता है जो इस अदालत का संचालन करता है। इस अधिकारी की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके की जाती है। प्रधान अधिकारी नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम-से-कम जिला न्यायाधीश होना जरूरी है।

विसंबंधन सिद्धांत (DECOUPLING THEORY)

'विसंबंधन सिद्धांत' (Decoupling Theory) का मानना है कि एशियाई अर्थव्यवस्थाएँ, विशेषकर उभरती अर्थव्यवस्थाएँ, अब अभी आर्थिक संवृद्धि के लिए यू.एस. अर्थव्यवस्था पर निर्भर नहीं करतीं और इनमें वहाँ की हाल की मंदी (Recession) के प्रतिरोधक (Insulating) लक्षण आ गए हैं। लेकिन ऐसी स्थिति वर्ष 2008 के कुछ ही महीनों तक कायम रही। मंदी का असर गहराते ही एशियाई शेयर बाजारों और संवृद्धि दोनों में ही गिरावट देखी गयी, फिर भी अभी भी एवं यूरोपीय वित्तीय संकट की स्थिति में भी इन अर्थव्यवस्थाओं ने अच्छा प्रदर्शन जारी रखा है। इस प्रकार इस अवधारणा की सच्चाई तो सत्यापित नहीं हो पायी, लेकिन यह वर्ष 2013-14 में भी विशेषज्ञों के बीच एक गर्म मुद्दा बना हुआ है।

वि-औद्योगीकरण (DEINDUSTRIALISATION)

किसी अर्थव्यवस्था के कुल निर्गत (सकल घरेलू उत्पाद) में द्वितीयक क्षेत्र की घटती भागीदारी वि-औद्योगीकरण कहलाती है।

डीमेट खाता (DEMAT ACCOUNT)

यह प्रतिभूतियों को भौतिकता से अलग अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने का एक तरीका है। शेयरों के डीमेट रूप का व्यापार ऑनलाइन भी हो सकता है। इस तरह शेयरों का सौदा तेज गति से होता है तथा निवेशक किसी भी मात्रा में शेयर खरीद अथवा बेच सकते हैं। इससे शेयरों की बिक्री में हुई जालसाजी, उनके दुरुपयोग आदि से बचा जा सकता है। यदि आवेदन को स्वीकृति नहीं मिली हो तो इस खाते के जरिए पैसे की वापसी अतिशीघ्र हो जाती है। डीमेट खाते बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं तथा इन्हें नेशनल सिक्युरिटी डिपॉजिट्री लिमिटेड (CSDL) में जमा रखा जाता है। निवेशक को डीमेट खाता खोलने के लिए आवेदन प्रपत्र भरना होता है, आवश्यक दस्तावेज जमा

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

करने पड़ते हैं तथा निर्धारित शुल्क भी अदा करना पड़ता है।

डीमर्जर (DEMERGER)

किसी कंपनी का टूट कर अनेक अलग-अलग कम्पनियां बनना। सामान्यत: ऐसी कंपनियों का निर्माण विलय (Merger) से ही होता है।

डिरेवेटिव (DERIVATIVES)

वैसी वित्तीय परिसंपत्ति, जो अपना मूल्य अन्य परिसंपत्ति से प्राप्त करती हैं, जैसे–शेयर, डिबेंचर, बॉण्ड, प्रतिभूति इत्यादि।

घरेलू संस्थागत निवेशक (DIIS)

घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई) भारतीय मूल के वित्तीय संस्थान हैं जो भारत में विभिन्न डेरिवेटिव्स जैसे शेयर, प्रतिभूति, कॉर्पोरेट बॉण्ड्स आदि में निवेश करते हैं। वे सार्वजनिक/सरकारी या निजी स्वामित्व वाले हो सकते हैं-भारत में म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स और बीमा (जीवन) कंपनियां प्रमुख हैं।

प्रत्यक्ष मूल्य (DIRECT COST)

किसी भी उत्पाद का प्रत्यक्ष भौतिक तथा श्रम मूल्य, जो कुल निर्गत के अनुपात में बदलते रहता है।

प्रत्यक्ष निवेश (DIRECT INVESTMENT)

भौतिक परिसंपत्ति (जैसे-संयंत्र, मशीनरी, इत्यादि) पर हुए खर्च को प्रत्यक्ष निवेश कहते हैं।

डर्टी फ्लोट (DIRTY FLOAT)

विदेशी विनिमय प्रबंधन में प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द जब कोई देश मुक्त मुद्रा व्यवस्था के अंतर्गत अपने विनिमय दर में इस तरह जोड़-तोड़ करता है कि विदेशी व्यापार का लाभ उठाया जा सके तो यह डर्टी फ्लोट कहलाता है।

छूट घर (DISCOUNT HOUSE)

एक वित्तीय संस्थान, जो मुद्रा बाजार की लघु-अवधि (एक वर्ष से कम) के साधनों के रूप में खरीद-बिक्री में विशेषज्ञता हासिल करे, छूट घर (Discount House) कहलाता है।

डिसगोर्जमेन्ट (DISGORGEMENT)

विकसित देशों के बाजार में यह एक सामान्य शब्द है, यद्यपि भारत में बाजार के अधिकांश साझीदारों के लिए यह एक नया शब्द है। इस शब्द का अर्थ है–दोषकर्ताओं द्वारा अवैध लाभ की क्षतिपूर्ति। ऐसी निधि जिसकी प्राप्ति अवैध तथा अनैतिक व्यवसायों द्वारा की गई हो 'डिसगोर्जड' कहलाता है तथा यह प्रभावित संस्था/व्यक्ति को ब्याज सहित वापस कर दिया जाता है। भारत में पहली बार पूँजी बाजार विनियंत्रक, सेबी (SEBI) ने 'डिसगोर्जमेन्ट' पर अपना आदेश जारी किया है। विश्व स्तर पर यह अधिकार बाजार विनियंत्रक के साथ दीवानी अदालतों (Civil Courts) को भी है।

समर्पण भुगतान एक दंडात्मक सिविल कार्रवाई की तुलना में एक उपचारात्मक सिविल कार्रवाई है। अमेरिका में प्रतिभूति और विनिमय आयोग के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या कंपनी को जुर्माने के साथ-साथ समर्पण भुगतान करना पड़ता है। जुर्माना दंडात्मक है, जबकि समर्पण भुगतान प्रतिभूति नियमों के उल्लंघन से कमाए गए लाभ को वापस करना है।

दिलचस्प ये है कि समर्पण भुगतान सिर्फ उन्हीं से नहीं मांगा जाता है जिन्होंने प्रतिभूति नियमों का उल्लंघन किया है। अमेरिका में, कोई भी व्यक्ति जो अवैध या अनैतिक गतिविधियों से मुनाफा कमा रहा हो उसे अपना मुनाफा समर्पित करना पड़ सकता है। उल्लंघन करने वाले पक्षों से ली गई समर्पित राशि का उपयोग एक फेयर फंड बनाने में किया जाता है-उन निवेशकों के लिए फंड जिन्हें नियमों के उल्लंघन के कारण नुकसान होता है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

बचत-ह्रास (DISSAVING)

एक ऐसी स्थिति, जहाँ किसी परिवार में वर्तमान आय से अधिक उपभोग हो–इस अंतर की पूर्ति पूर्व के जमाराशि/बचत से पैसे निकालकर की जाती है।

डोमिनो प्रभाव (DOMINO EFFECT)

एक ऐसी स्थिति, जहाँ किसी एक जगह पर हुई कोई आर्थिक घटना, अन्य जगहों पर होने वाली इसी तरह की घटनाओं को एक-एक कर प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि वर्ष 2008 के शुरुआत में विश्व में शेयर सूचकांकों के गिरने में संयुक्त राज्य अमेरिका के सब-प्राइम संकट (Sub-prime Crisis) का मुख्य हाथ था। इसी तरह की एक घटना वर्ष 1996 के मध्यम में घटी, जब दक्षिण-पूर्वी एशिया के मुद्रा संकट का प्रभाव विश्व के सभी शेयर बाजारों पर पड़ा।

डाउ-जोन्स सूचकांक (DOW JONES INDEX)

यह संयुक्त राज्य अमेरिका का शेयर सूचकांक है, जो न्यूयॉर्क शेयर बाजार में सूचीबद्ध सभी कंपनियाँ के शेयरों के मूल्यों को मॉनीटर करता है। अमेरिका में कुछ उच्च-तकनीक वाली कम्पनियाँ नैस्डैक (NASDAQ) शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं। भारत में डाउ-जोन्स सूचकांक का समकक्ष बी.एस.ई. सूचकांक है।

डंपिंग (DUMPING)

किसी वस्तु को एक ऐसे मूल्य पर निर्यात करना, जो घरेलू बाजार में उसके मूल्य से कम हो, डंपिंग कहलाता है। डंपिंग के प्रभाव को कम करने के लिए निर्यात करने वाला देश, ऐसे निर्यात पर अधिशुल्क लगा देता है, जिसे एंटी-डंपिंग ड्यूटी कहते हैं।

डच बीमारी (DUTCH DISEASE)

जब शुद्ध निर्यात में किसी एक रूप में बढ़ोतरी से देश के विनिमय दर पर असर पड़ता है तो इसे डच बीमारी कहते हैं। ऐसे उदाहरण अन्य निर्यातों को विश्व बाज़ार में गैर-स्पर्द्धी बना देते हैं और घरेलू उत्पादों की विदेशी उत्पादों के साथ स्पर्द्धा की क्षमता को नुकसान पहुँचाते हैं।

माना जाता है कि यह नाम प्राकृतिक गैस के भंडार मिलने के बाद नीदरलैंड्स की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव से पड़ा।

ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम (DUTY DRAWBACK SCHEME)

सरकार ने निर्यात को प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने के लिए निर्यात प्रोत्साहन कदमों के तहत ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम को शुरू किया है। निर्यातकों को निर्माण और निर्यात करने में उपयोग आने वाले सामान पर केंद्रीय उत्पाद कर (सेनसेट) और सीमा शुल्क वापस मिल जाता है। जो निर्यातक ड्यूटी एंटाइलमेंट पासबुक स्कीम (डीईपीएस) के दायरे में आते हैं। को ये सुविधा नहीं मिली है। ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम की दरें समय-समय पर घोषित होती रहती हैं।

ड्यूटी एंटाइलमेंट पासबुक स्कीम (DUTY ENTITLEMENT PASSBOOK SCHEME)

ड्यूटी एंटाइलमेंट पासबुक स्कीम भारत सरकार के निर्यात को बढ़ावा देने की एक योजना है जिसके तहत निर्यातकों को निर्यात किए गए मूल्य के बराबर क्रेडिट (विदेशी व्यापार महानिदेशक द्वारा पहले से तय) मिलता है, जिसका उपयोग वे भविष्य में आयात पर करते हैं और इस प्रकार सभी कर निष्प्रभावी हो जाते हैं। इसमें कोई नकद भुगतान नहीं होता (ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम की तरह) 14 साल तक लागू रखने के बाद भारत सरकार ने इसे 1 अक्टूबर, 2011 को खत्म कर दिया, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों को इस तरह की योजनाओं को चलाने की अनुमति नहीं है।

ई-बिजनेस (E-BUSINESS)

किसी भी व्यवसाय में कंप्यूटरों तथा इंटरनेट का उपयोग आंतरिक संचालन (किसी व्यवसायिक कंपनी के विभिन्न विभागों/भागों के बीच संचार तथा सौदा) तथा बाह्य संचालन (पूर्तिकारों तथा उपभोक्ताओं के साथ कंपनी का संबंध)

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

के मध्य संपर्क स्थापित करने के लिए किया जाए तो उसे ई-बिजनेस कहते हैं।

ई-कॉमर्स (E-COMMERCE)

इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं तथा सेवाओं के बिक्री एवं खरीद की विधि – यह प्रत्यक्ष किस्म विपणन का एक प्रकार है, इस प्रकार के विक्रय में किसी किस्म के मध्यस्थ की जरूरत नहीं होती है।

मापक्रम का आर्थिक सिद्धांत (ECONOMICS OF SCALE)

यदि किसी कंपनी के निर्गत (उत्पादन) में बढ़ोतरी हो रही हो तो उसका औसत् अथवा प्रति इकाई खर्च घट जाता है। इसके विपरीत स्थिति को 'डिस्कोनोमिज ऑफ स्केल' कहा जाता है।

क्षेत्र-विविधा का आर्थिक सिद्धांत (ECONOMIES OF SCOPE)

यदि किसी कंपनी के क्षेत्र में अधिक विविधिता आती है तथा उसके क्रियाकलापों में वृद्धि होती है तो इस कंपनी का औसत इकाई खर्च घट जाता है।

एजबर्थ बॉक्स (EDGEWORTH BOX)

यह एक ऐसी अवधारणा है, जिसका उद्देश्य दो व्यक्तियों अथवा देशों के बीच संभव संबंध का विश्लेषण करना है। यह अनधिमान वक्र (Indifference Curve) की मदद से किया जाता है।

यह अवधारणा फ्रांसिस सिदरो एजवर्थ (1845-1926) द्वारा दी गई, जिन्हें अनिधिमान वक्र तथा संविदा वक्र (Contract Curve) जैसे विश्लेषणात्मक उपकरण का भी श्रेय जाता है।

प्रभावी राजस्व घाटा (EFFECTIVE REVENUE DEVICIT)

(अध्याय 18 देखें, भारत में सार्वजनिक वित्त)

एन्जेल का सिद्धांत (ENGEL'S LAW)

यह सिद्धांत यह कहता है कि सामान्यत: लोग बढ़ती आय के साथ अपने बजट का एक लघु भाग ही खाने पर खर्च करते हैं। यह अवधारणा अर्नेस्ट एन्जेल (रूसी सांख्यिकीविद्) द्वारा 1857 में दी गई।

पर्यावरणीय लेखाकरण (ENVIRONMENTAL ACCOUNTING)

कारण लेखाकरण की वह विधि, जिसके द्वारा आर्थिक गतिविधियों के कारण हुई पारिस्थितिकीय तथा पर्यावरणीय क्षति को मौद्रिक रूप में व्यक्त किया जाता है। एकीकृत पर्यावरण तथा आर्थिक (हरित) लेखाकरण सामाजिक-आर्थिक प्रदर्शन करता है तथा पर्यावरण से संबंधित चिंताओं को मुख्य आर्थिक नियोजन तथा नीति के साथ जोड़ता है। किसी अर्थव्यवस्था के हरित सकल घरेलू उत्पाद (Green GDP) को इसी विधि से मापा जाता है जैसा कि कोस्टारिका, मैक्सिको, नीदरलैण्ड, नॉर्वे इत्यादि में देखा गया है। सांकेतिक आकलन के अनुसार परम्परागत रूप से मापा गया सकल घरेलू उत्पाद प्राकृतिक संसाधन ह्रास तथा पर्यावरणीय निम्नीकरण के लिए समंजित सकल घरेलू उत्पाद से अधिक होता है, यह अंतर 1.5 से 10 प्रतिशत के बीच होता है।

पर्यावरणीय लेखा परीक्षण (ENVIRONMENTAL AUDIT)

किसी कंपनी/सार्वजनिक निकाय की गतिविधियों के कारण पर्यावरण पर हुए प्रभाव के आकलन को पर्यावरणीय लेखा-परीक्षण कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदूषण को कम करना है।

पर्यावरणीय कर (ENVIRONMENTAL TAX)

पर्यावरण के प्रबन्धन में आदेश तथा नियंत्रण अभिगम (Command and Control Approach) की जगह आर्थिक अथवा बाजार आधारित उपकरण (Economic or Market Based Instruments—MBIs) अभिगम प्रदूषण फैलाने वाले निकायों को आर्थिक संकेत भेजते हैं कि वे अपनी

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

गतिविधियों में परिवर्तन करें। पर्यावरणीय करों के लिए उपयोग किए गए आर्थिक अथवा बाजार आधारित उपकरणों (MBIs) में प्रदूषण शुल्क, बाजार के लिए अनुज्ञा-पत्र/परमिट, जमा वापसी व्यवस्था, निवेश कर उत्पाद शुल्क, अंतरीय कर की दरें, प्रदूषण कटौती छूट (जो गुणवत्ता तथा मूल्य पर आधारित हो) शामिल हैं। भारत में पहले से ही जल अधिनियम तथा वायु अधिनियम के अंतर्गत जल तथा वायु पर कर लगाए जाते हैं।

इक्विटी संबंधित बचत योजना (Equity Linked Savings Scheme)

इक्विटी संबंधित बचत योजना म्यूचुअल फण्ड द्वारा जारी की गयीं विविधापूर्ण इक्विटी योजनाएँ हैं, जो वित्त विधेयक 2005-06 में शामिल नए अनुच्छेद 80 C के अंतर्गत कर लाभ प्रदान करती हैं।

कर लाभ के अलावा यह योजना प्रमुख कंपनियों के शेयरों में निवेश करती है तथा लंबी-अवधि तक मूल्यवृद्धि का लाभ देती है। इसका अर्थ है कि सुनिश्चित लाभ जैसा कि लोक भविष्य निधि अथवा राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र द्वारा प्रदान किया जाता है, इस योजना में नहीं होता है, लेकिन इक्विटी बाजार का लाभ उन्हें प्राप्त होता है।

अन्य म्युचुअल फण्ड योजनाओं से भिन्न इन योजनाओं में निवेश के लिए तीन वर्ष की अभिबंधन अवधि (lock in period) होता है। इन योजनाओं का लाभ शेयर बाजार से जुड़ा हुआ है। यह अधिक जोखिम तथा अधिक लाभ के वर्ग में आता है।

इन योजनाओं में प्राप्तियां स्टॉक मार्केट के 'भाग्य' से जुड़ी होती हैं। यह 'उच्च जोखिम एवं उच्च प्राप्ति' कोटि के अंतर्गत आती है। निवेशकों को निवेश करने के पहले जोखिमों के बारे में सचेत रहना चाहिए।

इक्विटी शेयर (Equity Share)

किसी कंपनी द्वारा उन लोगों को जारी की गयी प्रतिभूति, जिन्होंने पूँजी के द्वारा उस कंपनी के निर्माण में योगदान किया है। यह कंपनी में ऐसे लोगों के स्वामित्व को दर्शाता है।

ऐसे शेयर बोनस शेयर, परिवर्तनीय डिबेंचर तथा आम बिक्री के लिए उपलब्ध शेयरों के रूप में जारी किए जा सकते हैं तथा इनका व्यापार शेयर बाजार में किया जा सकता है।

सभी दावों के भुगतान के बाद ऐसे शेयरधारकों का कंपनी के उपार्जन एवं परिसंपत्ति पर दावा होता है। इसीलिए ऐसे शेयर धारकों को 'रेसिड्युअल ओनर्स' कहा जाता है।

एस्क्रो अकाउंट (Escrow Account)

सरल रूप में 'एस्क्रो अकाउंट' तीसरे पक्ष का अकाउंट है। यह पैसा रखने का एक अलग खाता है जो दूसरों के लिए होता है और जहां जमा पैसे एक अनुबंध के अधीन कतिपय शर्तों को पूरा करने के पश्चात् ही निकाला जाता है। पद 'एस्क्रो' फ्रेंच शब्द 'escrone' से लिया गया है, जिसका अर्थ कागज का टुकड़ा अथवा 'रद्दी कागज' है-एक समझौते का संकेतक, जो कि किसी तीसरे पक्ष द्वारा किया जाता है जब तक कि लेन-देन पूर्ण नहीं हो जाता।

एस्क्रो खाता 'विक्रयकर्ता' (Seller) की 'क्रेता' (Buyer) से सुरक्षा की एक व्यवस्था है-वस्तुओं और सेवाओं से जुड़े भुगतान संबंधी जोखिमों, जो कि विक्रेता क्रेता को विक्रय करता है। ऐसे नकद प्रवाह पर खरीदार का नियंत्रण हटाकर एक स्वतंत्र ऐजेंट को ठेका दिया जाता है। स्वतंत्र एक यानी एस्क्रो खाताधारक, यह सुनिश्चित करेगा कि नकद प्रवाह लेन देन करने वाले पक्षों के बीच स्वीकृत शर्तों के अनुसार हुआ है। एस्क्रो खाता विभिन्न लेन-देन एवं व्यापारिक करारों के लिए मानक बन चुका है। भारत में एस्क्रो खाता सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PFP) परियोजनाओं में व्यापारिक रूप से प्रयुक्त होता है। आरबीआई ने बैंकों (Authorised dealer category) किसी भारतीय कम्पनी के अधिग्रहण/शेयरों के अंतरण। परिवर्तनीय को भरोसे के लिए अप्रवासी भारतीयों की तरफ से एस्क्रो खाता खोलने के लिए अधिकृत है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (Employee Stock Option Plans–ESOPs)

कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना एक ऐसा प्रावधान है, जिसके अंतर्गत एक विदेशी कंपनी (एम.एन.सी अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनी) बाहर के देशों में काम कर रहे अपने कर्मचारियों को शेयर प्रदान करती है। फरवरी 2005 तक स्थानीय कंपनियों के मामले में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को ई.एस.ओ.पी. आवंटित करने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति की आवश्यकता होती थी लेकिन इसके उपरांत कंपनी को अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, बशर्ते कंपनी का उसकी भारतीय शाखा में कम-से-कम 15 प्रतिशत की हिस्सेदारी हो।

एक्सप्लोडिंग आर्म (Exploding Arms)

रेहन व्यवसाय (mortagage business) से संबंधित यह शब्द वर्ष 2007 के अमेरिकी सब-प्राइम संकट के बाद अत्यन्त लोकप्रिय हो गया। एक्सप्लोडिंग आर्म ऐसे रेहननामा (बंधक पत्र) होते हैं, जिसमें शुरुआती निम्न, स्थायी ब्याज दर होती है, लेकिन दो या तीन वर्ष की अवधि के बाद एक उच्च तथा अस्थायी ब्याज दर इसमें देखी जाती है।

बाह्यताएँ (Externalities)

ऐसे कारक, जो अर्थव्यवस्था की सकल आय में शामिल नहीं हैं, लेकिन लोक कल्याण को प्रभावित करते हैं। ऐसे कारक सकारात्मक (जैसे–कर्मचारियों को प्रशिक्षण) अथवा नकारात्मक (जैसे-प्रदूषण) हो सकते हैं।

विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड (Foreign Currency Convertible Bond—FCCB)

विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड किसी भारतीय कंपनी द्वारा लंबे-अवधि तक ऋण लेने का एक असुरक्षित उपकरण है, जो एक पूर्व निर्धारित दर पर शेयरों में परिवर्तित होते हैं। इसे विदेशी कर्ज के एक भाग के रूप में गिना जाता है। यह किसी कंपनी के लिए विदेशी मुद्रा उगाहने का एक सुरक्षित मार्ग है।

संघीय निधि दर (Federal Fund Rate)

संघीय निधि दर (जिसे 'फेड फंड रेट' अथवा 'फेड रेट' भी कहते हैं) वह ब्याज दर है, जिसका भार संयुक्त राज्य अमेरिका में बैंक एक-दूसरे पर रात भर के लिए दिए गए ऋण पर डालते हैं। यह दर संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय बैंक 'फेडरल रिजर्व' द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह भारत के 'रिपो रेट' जैसा होता है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक निर्धारित करती है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई मंदी के कारण फेडरल रिजर्व ने इस दर में बार-बार कटौती की।

सब-प्राइम संकट से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को हुए भारी नुकसान के परिप्रेक्ष्य में, फेड की ये कटौती समय से और भविष्य में संभावित मंदी के खतरे को कम करने के लिए थी।

न्यासीय प्रचालन (Fiduciary Issue)

सरकार द्वारा जारी की गई मुद्रा, जिसका मेल स्वर्ण प्रतिभूतियों द्वारा नहीं होता है, इसे कागजी मुद्रा (Fiat money) भी कहा जाता है।

फाइनेंशियल क्लोजर (Financial Closure)

फाइनेंशियल क्लोजर वह स्थिति है जब फंड्स की शुरुअती उपलब्धता से पहले सभी तरह के वित्तीय समझौते पूरे कर लिए गए हों। फंड्स के लिए बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के साथ समझौतों और कर्ज लेने की शुरुआती शर्तों को पूरा करने बाद ये स्थिति बनती है।

सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) परियोजनाओं में, फाइनेंशियल क्लोजर रियायती अवधि शुरू होना बताता है-यानि जिस दिन फाइनेंशियल क्लोजर हुआ है, वह वो तारीख है जिसे रियायती अवधि शुरू होने की तारीख माना जाएगा। इस शब्द को एकरूपता देने के लिए, रिजर्व बैंक ने 'ग्रीनफील्ड' (नई परियोजनाओं) की परिभाषा तय की है, फाइनेंशियल क्लोजर 'परियोजना के लिए कर्ज देने और जुटाने के लिए शेयर धारकों और कर्ज देने वालों के लिए

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

कानूनी प्रतिबद्धता है। इस तरह के वित्त पोषण परियोजना लागत के महत्वपूर्ण भाग के लिए होनी चाहिए जो कि परियोजना के निर्माण को सुनिश्चित करते हुए परियोजना की कुल लागत से 90 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।'

वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FINANCIAL STABILITY BOARD—FSB)

वित्तीय स्थिरता फोरम (Financial Stability Forum, FSF) की स्थापना 1999 में वित्त मंत्रियों एवं सेंट्रल बैंक के गवर्नरों ने को की थी ताकि वित्तीय बाजार के सर्वेक्षण एवं निगरानी में अधिकाधिक सूचनाओं का समझकर तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को प्रोत्साहित किया जा सके। मार्च 2009 में सम्पन्न पूर्ण बैठक में इसने निर्णय लिया कि जी-20 के सदस्य देशों-अर्जेंटीना, ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका तथा तुर्की को भी आमंत्रण देकर अपनी सदस्यता को बढ़ाएगा। एफएसएफ को ही 2 अप्रैल 2009 में वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB) के रूप में पुनः स्थापित किया गया एक परिवर्तन के तौर पर, यह जताने के लिए एफएसएफ भविष्य में इस दिशा में और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अपनाएगा।

वित्तीय बाधा (FISCAL DRAG)

अर्थव्यवस्था के विस्तार पर प्रगामी कराधान के कारण निरोधक प्रभाव – यह अर्थव्यवस्था की माँग के अनुरूप होता है। चूँकि लोग निम्न कर वर्ग से उच्च कर वर्ग में बढ़ते जाते हैं तथा सरकार की कर रसीद में वृद्धि होती रहती है। इस नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा व्यक्तिगत कर भत्ते में वृद्धि की जाती है।

वित्तीय तटस्थता (FISCAL NEUTRALITY)

सरकार की नीति का एक कदम जब कराधान तथा सार्वजनिक व्यय का वास्तविक प्रभाव तटस्थ रहता है – यह माँग को न तो प्रोत्साहित करता है और न ही उनके लिए बाधा उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए इसी तरह का प्रयास वित्तीय नीति का संतुलित बजट है जहाँ कुल-कर राजस्व कुल सार्वजनिक व्यय के समान होता है।

फिशर प्रभाव (FISHER EFFECT)

यह अवधारणा इरविंग फिशर (1867-1947) द्वारा विकसित की गई, जो मुद्रास्फीति तथा ब्याज दर के बीच संबंध को दर्शाता है। इस संबंध को प्रसिद्ध फिशर सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, अर्थात् किसी ऋण पर सांकेतिक ब्याज दर (Nominal Interest Rate) वास्तविक ब्याज दर तथा ऋण की अवधि के लिए अनुमानित मुद्रास्फीति की दर की कुल योग होती है:

$$R = r + F$$

जहाँ R = सांकेतिक ब्याज दर, r = वास्तविक ब्याज दर तथा F = वार्षिक मुद्रास्फीति दर

यह अवधारणा मुद्रास्फीति तथा सांकेतिक ब्याज दर के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध को व्यक्त करता है—यदि मुद्रास्फीति के दर में बदलाव आता है तो सांकेतिक ब्याज दर में भी अनुरूप परिवर्तन आता है।

इस प्रभाव को बैंक की जमाओं पर आसानी से देखा जा सकता है जमाओं पर बैंक जो ब्याज देता है उसे 'सांकेतिक ब्याज दर' (Nominal Interest Rate) कहा जाता है, लेकिन जमाकर्ता को इस ब्याज की वास्तविक प्राप्ति नहीं होती-उसे 'वास्तविक ब्याज दर' (Real Interest Rate) की प्राप्ति होती है। उदाहरण के लिए अगर सांकेतिक ब्याज दर 8% है और उस समय मुद्रास्फीति दर 5% है तो वास्तविक ब्याज दर मात्र 3% (8-5 प्रतिशत) होगी। अर्थात् जमाकर्ता का जमा प्रथमतः 8% की वृद्धि दर्ज करता दिखता है, वास्तव में उसमें सिर्फ 3% की ही वृद्धि आ रही होगी।

फ्लैग ऑफ कन्वीनियन्स (FLAG OF CONVENIENCE)

सागरों तथा महासागरों में नौपरिवहन अधिकार अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से नियमित होता है। यदि इस समझौते में शामिल कोई सदस्य देश एक गैर-सदस्य राष्ट्र को बेड़ा ध्वज

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(Shipping flag) प्रदान कर उसके नौपरिवहन की वैधता को स्थापित करता हो तो यह 'फ्लैग ऑफ कन्वीनियन्स' कहलाता है।

बाध्य बचत (FORCED SAVING)

किसी अर्थव्यवस्था में उपभोग में प्रवर्तित कटौती बाध्य बचत कहलाती है। यह प्रत्यक्ष रूप में हो सकती है, जब सरकार करों में वृद्धि करती है अथवा अप्रत्यक्ष रूप में अधिक मुद्रास्फीति के कारण। यह एक उपकरण है, जिसका उपयोग विकासशील देश निवेश के लिए अतिरिक्त निधि उत्पन्न करने के लिए करते हैं। इसे अनैच्छिक बचत (Involuntary Saving) भी कहते हैं।

एफ.ओ.बी. (FOB)

जब भुगतान संतुलन के लेखाकरण में वस्तुओं के निर्यात तथा आयात में मात्र उनका मूल मूल्य (जिसमें भारण खर्च भी शामिल है) ही गिना जाता हो तो वह 'फ्री ऑन बोर्ड' (FoB) कहलाता है। इसमें लागत बीमा वहन शुल्क (Cost Insurance Freight) को नहीं गिना जाता है जो वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश ले जाने पर लगाए जाते हैं।

जीवन बीमा कंपनी का रूप (FORM OF A LIFE INSURANCE COMPANY)

जीवन बीमा कंपनी एक 'ज्वाइन्ट स्टॉक' अथवा एक अन्योन्य इकाई (Mutual Enlity) हो सकता है। यदि यह ज्वाइन्ट स्टॉक हो तो इसके पास शुरुआती पूँजी होना आवश्यक है। म्युचुअल फण्ड कंपनी के पास ऐसा होना जरूरी नहीं है। प्रडेन्शियल, जो यूनाइटेड किंग्डम में दूसरी सबसे बड़ा बीमा कंपनी है कुछ वर्ष पहले एक म्युचुअल फण्ड कंपनी थी, जिसके पास कोई पूँजी नहीं था। स्टैण्डर्ड लाइफ, एक अन्य बड़ी कंपनी कुछ समय पहले एक म्युचुअल कंपनी थी। यदि ऐसी बड़ी कम्पनियाँ हाल तक बगैर पूँजी के काम कर रही थी तो भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्य नहीं करने का कोई कारण नहीं है।

पॉलिसी धारक म्युचुअल फण्ड कंपनी के मालिक होते हैं तथा पूरा मुनाफा उन्हें ही जाता है। 'ज्वाइन्ट स्टॉक' कंपनी में आमदनी का एक बड़ा भाग शेयर धारकों को जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम का स्वामित्व भारत सरकार के हाथ में है तथा इसके निजीकरण का दबाव बढ़ता जा रहा है ताकि इसकी भारी आमदनी का लाभ कुछ लोग उठा सकें।

अग्रवर्ती अनुबन्ध (FORWARD CONTRACT)

किसी वस्तु का एक सहमत मूल्य पर व्यापार अनुबन्ध जिसके द्वारा दोनों विक्रेता तथा खरीदार भविष्य के एक तिथि पर किसी वस्तु के भुगतान तथा उसके सुपुर्दगी के लिए बाध्य हैं। जिस मूल्य पर सहमति हुई है उसे अनुवर्ती दर (Forward Rate) कहा जाता है।

अग्रवर्ती व्यापार (FORWARD TRADING)

कुछ शेयरों के लिए व्यापार की एक ऐसी पद्धति (भारत में सेबी की अनुमति पर) जिसके अन्तर्गत विक्रेता तथा खरीदार को क्रमश: भुगतान तथा सुपुर्दगी स्थगित करने की अनुमति होती है, ऐसा कुछ शुल्क अदा कर किया जा सकता है। यदि खरीदार स्थगन चाहता हो तो उसे बदला कहा जाता है (कन्टैन्गी के लिए भारतीय शब्द) तथा यदि विक्रेता स्थगन चाहता हो तो उसे औंधा बदला अथवा मंदी बदला कहा जाता है (बैकवर्डेशन के लिए भारतीय शब्द)।

आंशिक बैंकिंग (FRACTIONAL BANKING)

यह एक ऐसी बैंकिंग व्यवस्था है, जिसमें दिन-प्रतिदिन व्यवसाय हेतु ग्राहकों की नकद माँग के लिए बैंक एक न्यूनतम सुरक्षित सम्पति अनुपात (Minimum reserve asset ratio) कायम रखते हैं (भारत में एम. एल. आर. एक ऐसा प्रावधान है)।

मुक्त वस्तुएँ (FREE GOODS)

वैसी वस्तुएँ, जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों (जैसे-वायु तथा जल) तथा जिसे विरल अथवा दुर्लभ आर्थिक वस्तुएँ नहीं माना जाता है। इसलिए वस्तुओं का शून्य आपूर्ति मूल्य होता है तथा उनका उपयोग बड़ी तादाद में होता है, जिसके

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

कारण पर्यावरण में प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है (यहाँ यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आज जल तथा वायु को प्ररूपी मुक्त वस्तुएँ नहीं कहा जा सकता। कम-से-कम 'शुद्ध वायु' तथा 'शुद्ध जल' को)।

मुक्त व्यापार (FREE TRADE)

यदि देशों के बीच सहमति के साथ बगैर किसी अवरोध (सीमा-शुल्क, विदेशी मुद्रा नियंत्रण, कोटा इत्यादि) के व्यापार हो रहा हो तो वह मुक्त व्यापार कहलाता है। इस किस्म के व्यापार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देशों को लाभ होता है।

मुक्त बन्दरगाह (FREE PORT)

एक ऐसा बन्दरगाह, जहाँ आयात के लिए बिना शुल्क अनुमति प्रदान की जाती है, बशर्ते उनका पुन: निर्यात किया जाए (अर्थात् ऐण्ट्रेपोट)। यदि यह शर्त किसी क्षेत्र के लिए भी पूरी की जाए तो उसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहते हैं।

अनुषंगी लाभ कर (FRINGE BENEFIT TAX)

वित्त अधिनियम, 2005 के द्वारा कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले 'अनुषंगी लाभ' पर 30 प्रतिशत आय कर आरोपित किया गया।

अनुषंगी लाभ (fringe benefits) की सही परिभाषा जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके अंतर्गत आने वाली वस्तुएं एवं लाभ ही करारोपण के उद्देश्य से समाविष्ट की जाएंगी। इसका अर्थ है काई भी विशेषाधिकार, सेवा, सुविधा जो कि नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध आई जाती है। इसके अंतर्गत पूर्ण कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाएं भी शामिल हैं। अनुषंगी लाभ में नियोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से प्रदत्त प्रतिपूर्ति (reimbursement) भी शामिल है। नियोक्ता द्वारा दी गई यात्रा टिकट को भी अनुषंगी लाभ माना जाएगा जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारी एवं उसके परिवार को दी जाती है। यहां तक कि किसी स्वीकृत सेवानिवृत्ति कोष में नियोक्ता का अंदशन भी अनुषंगी लाभ माना जाताा है।

यह कर सभी समकक्ष (deemed) लाभों पर लागू किया गया, यथा—मनोरंजन, पर्व समारोह उपहार, मनोरंजन केन्द्र सुविधाओं का उपयोग, आतिथ्य सुविधाएं, अतिथि ग्रह की तरह के किसी अवासन की देखरेख, सम्मेलन, कर्मचारी कल्याण, हेल्थ क्लब का उपयोग, खेलकूद एवं समरूप गतिविधियां, बिक्री प्रोत्साहन प्रचार सहित, वाहन से कैरिज एवं यात्रा, विदेश यात्रा सहित, होटल, ठहरना एवं योजना व्यवस्था, मरम्मत, मोटरकार चलाना एवं रखरखाव, वायुयान उड़ाना एवं रखरखाव, ईंधन का उपयोग, औद्योगिक ईंधन को छोड़कर, टेलीफोन का उपयोग, कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति आदि।

इस कर को वर्ष 2009-10 से निरस्त कर दिया गया।

गैलप पॉल (GALLOP POLL)

सर्वेक्षण की एक विधि, जिसमें किसी विषय अथवा मुद्दे पर जनमत अथवा लोगों की जागरूकता का एक निरूपक नमूना लिया जाता है तथा उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। इस विधि को विकसित करने का श्रेय अमेरिकी पत्रकार तथा सांख्यिकीविद् जॉर्ज एच. गैलप (1901-84) को जाता है, जिन्होंने 1935 में अमेरिकी जनमत संस्थान (American Institute of Public Opinion) स्थापित किया। इस विधि का उपयोग व्यावसायिक घरानों द्वारा बाजार अनुसंधान के लिए किया गया तथा चुनाव-विश्लेषकों (Psephologist) द्वारा चुनावों के नतीजों का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है।

'गेम' सिद्धांत (GAME THEORY)

ऐसी स्थिति का विश्लेषण, जहाँ दो या दो से अधिक निर्णयकर्ता शामिल हों (वे व्यक्ति, कंपनी, देश इत्यादि हो सकते हैं) तथा जिनका उद्देश्य एक-दूसरे से मेल नहीं खाता हो। इस तकनीक में तार्किक निगमन (Logical deduction) का उपयोग का प्रतिस्पर्द्धात्मक हितों वाले घटकों द्वारा अपनाई गई विभिन्न नीतियों के परिणामों की छान-बीन की जाती है।

'गेम सिद्धांत' अनुप्रयुक्त गति का एक भाग है, जो ऐजेन्टों के मध्य परस्पर सामरिक क्रियाओं का अध्ययन करता

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

है। इस सिद्धांत का उपयोग बाजार विश्लेषण के लिए किया जाता है (जैसे-आपूर्ति तथा माँग मॉडल विकसित करना)। इस सिद्धांत का विकास 1944 में जॉन वॉन न्यूमेन तथा ऑस्कर मॉर्गनटर्न द्वारा किया गया (Theory of Games and Economic Behaviour)। न्यूमेन एक गणितज्ञ थे तथा मॉर्गनटर्न एक अर्थशास्त्री। इस सिद्धांत का उपयोग अर्थशास्त्र के अतिरिक्त कई क्षेत्रों में किया जा रहा है, जैसे–नाभिकीय नीति का प्रतिपादन, राजनीतिशास्त्र, नीतिशास्त्र तथा विकासवादी सिद्धांत।

यह क्षेत्र 1944 से पहले के जॉन वॉन न्यूमैन (John Von Noumann and OSKAR Morgentern) द्वारा प्रतिपवादित शास्त्रीय सिद्धांत *'थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनोमिक बिहेवियर'* (प्रिंस्टन यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यू जर्सी, 1944 एवं 2004) के समय का है। न्यूमैन एक गणितज्ञ या तथा मॉर्गटर्न एक अर्थशास्त्री और यह पुस्तक न्यूमैन के द्वारा पूर्व में किए गए शोध पर आधारित थी जो कि 1928 में *थ्योरी ऑफ पार्लर गेम्स* (जर्मन में) में प्रकाशित हुआ।

इस सिद्धांत का उपयोग अर्थशास्त्र से इतर अनेक क्षेत्रों में भी हुआ जिनमें न्यूक्लियर स्ट्रेटजिज, नीतिशास्त्र, राजनीतिशास्त्र तथा उद्विकास के सिद्धांत भी शामिल हैं।

जी.डी.आर. (GDRs)

अमेरिकी न्यासी रसीद (ADRs) को डॉलर से दर्शाया जाता है तथा इनका व्यापार अमेरिकी शेयर बाजार में होता है, उसी तरह वैश्विक न्यासी रसीद (EDRs) को डॉलर अथवा यूरो में दर्शाया जाता है तथा वे सामान्यतः यूरोपीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होते हैं। निवेशक स्थानीय तथा विदेशी बाजार के बीच मूल्य के अंतर का लाभ उठा सकते हैं। कुछ समय पहले अमेरिकी न्यासी रसीद तथा वैश्विक न्यासी रसीद एक तरह से प्रतिमोच्य थे अर्थात् विदेशी निवेशक अपने ए. डी. आर./जी. डी. आर. को शेयरों में परिवर्तित कर उन्हें स्थानीय बाजार में बेच सकते हैं, लेकिन स्थानीय शेयर बाजार में खरीदे गए शेयरों को वे ए.डी.आर./जी.डी.आर. में पुनः परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। वर्ष 2002 में दो तरफा प्रतिमोच्यता की अनुमति दी गई। इस नियम के अन्तर्गत उन न्यासी रसीदों को पुनः जारी करने की अनुमति प्रदान की जाती है, जिन्हें शेयरों में परिवर्तित कर घरेलू बाजार में बेचा जाता है।

गिफ्फिन वस्तु (GIFFEN GOOD)

वैसी वस्तुएँ, जिनकी मूल्य वृद्धि पर उनकी माँग भी बढ़ जाती है। आमतौर पर किसी वस्तु की मूल्य वृद्धि पर उसकी माँग घट जाती है। इन वस्तुओं का नाम टोबर्ट गिफ्फिन (1837-1910) के नाम पर है। इस किस्म के वस्तुओं के अन्तर्गत घरेलू उपयोग की अनेक वस्तु आती हैं, जैसे–आटा, चावल, दाल, नमक, प्याज, आलू इत्यादि। इन वस्तुओं के मूल्य वृद्धि के कारण एक नकारात्मक आय प्रभाव पड़ता है जो सामान्य प्रतिस्थापन्न प्रभाव को पार कर जाता है तथा लोग अधिक वस्तु खरीदने लगते हैं। लोगों को यह आशंका रहती है कि मूल्य–वृद्धि और अधिक न हो जाए।

गिनी गुणांक (GINI COEFFICIENT)

किसी भी अर्थव्यवस्था में असमानता के सूचक को गिनी गुणांक कहते हैं। यह सूचक शून्य से लेकर एक के बीच होता है। 'शून्य' गिनी गुणांक संपूर्ण समानता की स्थिति को दर्शाता है (प्रत्येक परिवार का आय एक समान होता है) लेकिन 'एक' पूर्ण असमानता की स्थिति को दर्शाता है (एक परिवार अर्थव्यवस्था में पूरी आय का उपार्जन करता है)।

गोल्डन हैण्डशेक (GOLDEN HANDSHAKE)

यदि किसी कर्मचारी द्वारा अपनी नौकरी को सेवाकाल पूरा होने से पहले ही छोड़ दिया जाता है तो उन्हें कंपनी द्वारा एक अधिक उदार भुगतान प्राप्त होता है।

'गोल्डन हैण्डकफ'' (GOLDEN HANDCUFF)

कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को दिया गया बोनस/रॉयल्टी ताकि वे कंपनी छोड़कर न जाएँ, गोल्डन हैण्डकफ कहलाता है। इस तरह कर्मचारियों को प्रलोभन देकर अन्य कंपनियों में जाने से रोका जाता है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

''गोल्डन हैलो'' (GOLDEN HELLO)

नए कर्मचारियों को आकर्षित करने के लिए कंपनी द्वारा एक बड़ी राशि प्रदान की जाती है। इस प्रक्रिया को गोल्डन हैलो कहते हैं।

गोल्डन रूल (GOLDEN RULE)

एक ऐसी वित्तीय नीति, जिसके अनुसार पूरे आर्थिक चक्र में सरकार ऋण मात्र निवेश के लिए लेती है तथा वर्तमान खर्च के लिए नहीं। इस नियम के अंतर्गत ही संतुलित बजट, शून्य आधारित बजट (Zero-based budget) तैयार करने का प्रयास किया गया।

गुडहर्ट नियम (GOODHART'S LAW)

गुडहर्ट का नियम यह कहता है कि, केंद्रीय बैंक (जैसे-भारत में रिजर्व बैंक) द्वारा कुछ नियंत्रण लगाकर अन्य बैंकों के उधार देने के स्तर को नियमित किया जाता है, जिससे बचने के लिए बैंक विकल्पों की तलाश करते हैं।

गो-गो फण्ड (GO-GO FUND)

एक अत्यधिक अनिश्चित म्यूचुअल फण्ड, जिसका संचालन संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है तथा जिसका उद्देश्य पूँजी मूल्य वृद्धि से अधिक लाभ पाना है। इस उद्देश्य के लिए यह फण्ड जोखिम भरी नीतियों को अपनाता है (जैसे-अप्रमाणित छोटे शेयरों में निवेश करना इत्यादि)। इस तरह की निधि को प्रफोरमेन्स फण्ड' भी कहते हैं।

'ग्रेटर फूल' सिद्धांत (GREATER FOOL THEORY)

स्टॉक/शेयर के तकनीकी विश्लेषकों द्वारा विकसित किया गया सिद्धांत जिसके अनुसार कुछ लोग अधिक मूल्य वाले शेयरों को इस विश्वास के साथ खरीदते हैं कि उन्हें उनसे भी अधिक मूल्यों पर उन शेयरों को खरीदने वाला (Greater Fool) कोई मिल जाएगा। इस सिद्धांत को लोकप्रिय रूप से 'Castle-in-the air' (हवाई किला) सिद्धांत कहा जाता है।

ग्रीनफिल्ड निवेश (GREENFIELD INVESTMENT)

किसी कंपनी द्वारा नए उत्पादन संयंत्र, कार्यशाला, दफ्तर इत्यादि में किया गया निवेश।

ग्रीनफील्ड अवस्थिति (GREENFIELD LOCATION)

अप्रयुक्त अथवा कृषि भूमि वाला एक क्षेत्र (ग्रीनफील्ड), जिसका विकास नए औद्योगिक संयंत्रों को स्थापित करने के लिए किया जाता है।

हरित क्रांति एवं संस्थान (GREEN REVOLUTION & INSTITUTIONS)

विश्वभर में हरित क्रांति की सफलता का एक राज अनेक संस्थानों तथा सरकारों द्वारा दिया गया समर्थन है। अंतर्राष्ट्रीय मक्का तथा गेहूँ सुधार केंद्र (The International Maize and Wheat Improvement Centre) मैक्सिको, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (International Rice Reserch Institute), मनीला तथा विश्व बैंक के समर्थन से वाशिंगटन में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर गठित सलाहकार समूह (The Consultative Group on International Agricultural Research) ने हरित क्रांति में एक अहम भूमिका निभाई है।

1971 में स्थापित 'कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च (CGIAR) की हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इसने सीआईएमएमवाईटी (CIMMYT) तथा आईआरआरआई (IRRI) के कार्यों में सहयोग दिया था। आज 16CGIAR सहयोग समूह दुनिया भर में कृषि तकनीक और नवीन ज्ञान का सृजन कर रहे हैं। इसके शोध-उत्पाद 'वैश्विक सार्वजनिक वस्तुएं' (Global Public Goods) हैं, जो नि:शुल्क सबके लिए उपलब्ध हैं।

ग्रीनशू विकल्प (GREENSHOE OPTION)

प्रतिभूति/शेयर बाजार से जुड़ा हुआ एक शब्द। यह किसी कंपनी द्वारा शेयरों की शुरुआती बिक्री के लिए किए गए

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

समझौते की एक धारा है, जिसके अंतर्गत कंपनी को लोगों को अतिरिक्त शेयर बेचने की अनुमति होती है (सामान्यत: 15 प्रतिशत) यदि शेयरों की माँग अनुमान से अधिक हो तथा शेयरों का व्यापार अधिक हो रहा हो। इसका नाम ग्रीन शू कंपनी के नाम पर रखा गया है, जो पहली ऐसी कंपनी थी, जिसे इस तरह के विकल्प की अनुमति प्रदान की गई (संयुक्त राज्य अमेरिका की इस कंपनी को अनुमति 20वीं सदी की शुरुआत में प्रदान की गई)। इसे अतिरिक्त आवंटन प्रावधान (Over-Allotment Provision) भी कहा जाता है।

कंपनी (ग्रीनशू विकल्पों में से) लिस्टिंग के बाद की अवधि में बाजार में किसी तरह की गिरावट आने पर शेयर के इश्यू मूल्य के नीचे जाने से रोकने के लिए इस विकल्प का लाभ उठाती है (ऐसे मामलों में उक्त कंपनी रकम का इस्तेमाल बाजार से अपने ही शेयर खरीदने में करती है-जैसे ही मांग बढ़ती है, इसके शेयरों का भाव चढ़ने लगता है)।

ग्रेशम का नियम (GRESHAM'S LAW)

एक ऐसी आर्थिक अवधारणा कि 'बुरी मुद्रा' 'अच्छी मुद्रा' को संचलन से बाहर कर देती है – इस नियम का नाम सर थॉमस ग्रेशम के नाम पर है, जो ब्रिटेन की महारानी ऐलीजाबेथ-I के सलाहकार थे। यह नियम उन अर्थव्यवस्थाओं पर लागू नहीं है, जहाँ कागजी मुद्रा संचलन में है, बल्कि उन अर्थव्यवस्थाओं में लागू है, जहाँ धात्विक सिक्के (स्वर्ण, रजत, ताँबा इत्यादि) संचलन में हैं तथा जहाँ लोग इन सिक्कों की जमाखोरी करते हैं।

ग्रीनस्पैन पुट (GREENSPAN PUT)

वित्तीय बाजार में उपयोग किया गया एक शब्द, जिसका नाम अमेरिकी केंद्रीय बैंक के पूर्व अध्यक्ष के नाम पर है। यह शेयर बाजार में आई एक बड़ी गिरावट से निपटने का एक तरीका है, जिसके अंतर्गत ब्याज दर को कम कर दिया जाता है।

ग्रे मार्केट (GREY MARKET)

नए जारी किए शेयरों का यह एक अनधिकृत बाजार है, जिसके बाद ही उन्हें औपचारिक रूप से सूचीबद्ध किया जाता है तथा शेयर बाजार में उनका व्यापार होता है।

वृद्धि ह्रास (GROWTH RECESSION)

यह अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रयुक्त एक अभिव्यक्ति है ऐसी अर्थव्यवस्था के बारे में बताने के लिए, जो इतनी धीमी गति से वृद्धि कर रही है कि जितने रोजगार पैदा हो रहे हैं, उससे ज्यादा खत्म हो जा रहे हैं। रोजगार सृजन के अभाव में ऐसा अनुभव होता है कि अर्थव्यवस्था मंदी की गिरफ्त में है जबकि वास्तव में वह आगे बढ़ रही होती है। अनेक अर्थशास्त्री यह मानते हैं कि 2002 एवं 2003 के बीच अमेरिका की अर्थव्यवस्था 'वृद्धि ह्रास' अथवा 'वृद्धि-मंदी' के दौर में थी।

वास्तव में पिछले 25 वर्षों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था अनेक बिन्दुओं पर वृद्धि ह्रास का अनुभव करती रही है। इसका अर्थ यह कि जीडीपी के वास्तविक बढ़त के बावजूद रोजगार वृद्धि या तो अनुपस्थित थी या फिर रोजगार खोने की दर अधिक थी।

हेज निधि (HEDGE FUNDS)

हेज निधि मूलत: म्यूचुअल फण्ड होते हैं, जिनका निवेश विभिन्न प्रतिभूतियों में किया जाता है ताकि खतरों से बचा अथवा उन्हें नियंत्रित किया जा सके। ये निवेश के ऐसे साधन हैं, जो व्यापक परिसंपत्तियों पर बड़े दाव लगाते हैं तथा निवेश के परिष्कृत तकनीक में विशेषज्ञता हासिल करते हैं। विश्व की अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में ये अनियमित हैं (उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत) तथा खतरों से भरे हैं क्योंकि वे धनी तथा अति विशेषज्ञों निवेशकों से निवेश प्राप्त करते हैं। वर्ष 2009 तक भारत के संदर्भ में यह माना जाता है कि भारतीय शेयरों में विदेशी निवेश (लगभग 75 प्रतिशत) में एक बड़ा हिस्सा ऐसे

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

निधियों का है—सहभागिता नोट (Participatory Notes) के मार्ग से हुए निवेश (शेयरों में विदेशी निवेश का 52 प्रतिशत भाग) का।

हाल ही में हेड फण्ड्स (Hedge funds) चर्चा में आए क्योंकि उनमें से कुछ को बाजार संचालन में गलत रास्ते पर पकड़ा गया उनमें से कुछ को जटिल ऋणों की खरीद के कारण भी भारी क्षति उठानी पड़ी।

हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण हेज फण्ड ध्वस्त हो गए। लौंग टर्म कैपिटल मैनजमेंट अमेरिका में 1998 के ही विफल हो चुका था और इसने अमेरिकी वित्तीय व्यवस्था की स्थिरता को ही चुनौती दी थी। 2006 में यूएस में एक और हेज फण्ड ध्वस्त हो गया, एमेरेन्थ (Amaranth) जिसे प्राकृतिक गैस बाजार में 1 महीने के अन्दर 6.5 बिलियन डॉलर की क्षति हुई।

हरफिनडाहल सूचकांक (HERFINDAHL INDEX)

यह किसी बाजार में विक्रेता के संकेन्द्रण स्तर का माप है जो कंपनियाँ की कुल संख्या तथा कुल बाजार निर्गत में उनके तुलनात्मक शेयरों को ध्यान में रख कर मापा जाता है। इसे हरफिनडाहल हर्सच्मैन सूचकांक भी कहा जाता है।

अप्रत्यक्ष मूल्य कटौती (HIDDEN PRICE REDUCTION)

किसी उत्पाद में बगैर कीमत को बदले हुए यदि गुणात्मक अथवा मात्रात्मक वृद्धि की जाए तो उसे अप्रत्यक्ष मूल्य कटौती कहते हैं। बाजार में बेचे जा रहे अनेक वस्तुओं में हम यह देख सकते हैं जहाँ उनकी कीमतों को बगैर बदले उनकी मात्रा में 20 अथवा 33 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है।

अप्रत्यक्ष मूल्य वृद्धि (HIDDEN PRICE RISE)

यदि किसी उत्पाद में बगैर कीमत को बदले हुए गुणात्मक अथवा मात्रात्मक कमी की जाए तो उसे अप्रत्यक्ष मूल्य वृद्धि कहते हैं।

गुप्त/अप्रत्यक्ष कर (HIDDEN TAX)

यदि बगैर उपभोक्ता को सूचित किए किसी वस्तु अथवा सेवा में अप्रत्यक्ष कर की वृद्धि की जाए तो उसे गुप्त कर कहते हैं। उदाहरण के लिए तंबाकू तथा मादक उत्पादों पर उत्पाद शुल्क इतना अधिक होता है कि उन्हें उत्पादों के मूल्य में जोड़ दिया जाता है।

ऐतिहासिक मूल्य (HISTORIC COST)

किसी संपत्ति (जैसे—भूमि, मशीन, इत्यादि) को खरीदने के लिए हुए प्रारंभिक खर्च को ऐतिहासिक मूल्य कहते हैं। यह मूल्य कंपनी के तुलन-पत्र पर दिखाया जाता है, जिसके साथ सम्पत्ति के प्रतिस्थापन्न मूल्य का सामंजन भी होता है।

जमाखोरी (HOARDING)

मुद्रा अथवा उत्पादों का अनुत्पादक अवरोधन जमाखोरी कहलाता है।

होग चक्र (HOG CYCLES)

वैसे चक्र जिसमें उत्पादों का अतिरेक अथवा आवश्यकता से कम उत्पादन होता है, होग चक्र कहलाता है। इसका मुख्य कारण उत्पादन प्रक्रिया में समयांतर है – ऐसा विशेषकर कृषीय उत्पादों के मामले में होता है।

असाध्य त्रयी (IMPOSSIBLE TRINITY)

'असाध्य त्रयी' के सिद्धान्त के अनुसार किसी भी अर्थव्यवस्थक में तीन चीजें एक साथ संभव नहीं हैं:

1. एक मुक्त अर्थव्यवस्था;
2. एक स्थायी विनिमय दर, तथा;
3. एक स्वतंत्र मुद्रा नीति।

भारत की संप्रभु रेटिंग (INDIA'S SOVEREIGN RATING)

वर्तमान में भारत को छह अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसियों–स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (S&P), मूडीज इनवेस्टर्स सर्विसेज, फिच,

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

डोमिनियम बॉण्ड रेटिंग सर्विस (DBRS), जापानी क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसी (JCRA) और रेटिंग एंड इनवेस्टमेंट इनफॉर्मेशन इंक टोक्यो TIM रेटिंग देती हैं। इन क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसियों को सूचना के प्रवाह को सुव्यवस्थित किया गया है।

अनधिमान वक्र (Indifference Curve)

आलेख पर एक वक्र जो दो उत्पादों के वैकल्पिक संयोजनों को दर्शाता है जिनमें प्रत्येक समान रूप से उपयोगिता/संतोष प्रदर्शित करता हो।

प्रेरित निवेश (Induced Investment)

निवेश का वह भाग, जो राष्ट्रीय आय के स्तर में आए परिवर्तन के कारण बढ़ता या घटता है, प्रेरित निवेश कहलाता है।

आई.आई.एफ.सी.एल. (IIFCL)

भारतीय आधारभूत संरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (The India Infrastructure Finance Company Ltd.) भारत सरकार की एक कंपनी है, जिसकी स्थापना 2006 में की गई। यह दूरसंचार के क्षेत्र को छोड़कर आधारभूत संरचना के सभी क्षेत्रों में यह सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश तथा सरकारी निजी साझीदारी को प्रोत्साहन देती है।

निष्कृष्ट उत्पाद (Inferior Product)

वैसी वस्तु अथवा सेवा, जिसके लिए आय प्रत्यास्थता माँग नकारात्मक हो (इसका अर्थ है कि आय बढ़ने के साथ उपभोक्ता कम उत्पाद खरीदने लगते हैं)। ऐसे उत्पादों के मूल्य में यदि कटौती की गई तो उनकी माँग भी घट जाती है।

मुद्रास्फीति (Inflation)

मुद्रास्फीति की परिभाषा, इसके प्रकार के लिए मुद्रास्फीति का अध्याय देखें।

अंतरंगी व्यापार (Insider Trading)

शेयर बाजार में उपयोग किया गया एक शब्द, जिसका अर्थ है–उन व्यक्तियों द्वारा किया गया शेयरों का व्यापार, जिन्हें कंपनियों की गोपनीय सूचनाओं के बारे में जानकारी रहती है। इन व्यक्तियों को ऐसी सूचनाओं से वित्तीय लाभ होता है (ऐसे व्यक्ति शेयर जारी करने वाली कंपनी के निदेशक, कर्मचारी, इत्यादि हो सकते हैं) शेयरों का होने वाला इस किस्म का व्यापार विश्वभर में गैर-कानूनी होता है।

दिवाला/दिवालियापन (Insolvency)

यह एक ऐसी स्थिति है जब किसी व्यक्ति अथवा कंपनी द्वारा लेनदार से लिया गया ऋण उसकी परिसंपत्ति से अधिक हो जाता है अर्थात् ऋण को मौजूद परिसंपत्ति की मदद से चुका पाने में असमर्थता।

सम्पत्ति-सूची/सामान-सूची (Inventory)

किसी कंपनी द्वारा तैयार की गई वस्तुओं का भंडार, वैसी वस्तुएँ जिनका उत्पादन हो रहा हो तथा कंपनी में मौजूद कच्चे पदार्थों को सम्मिलित रूप से कंपनी का संपत्ति-सूची (Inventory) कहा जाता है।

इनविजिबल हैण्ड (Invisible Hand)

एडम स्मिथ द्वारा अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना (*दि वेल्थ ऑफ नेशन्स*, 1776) में दिया गया एक शब्द, जो इस बात को दर्शाता है कि किस तरीके से बाजार की क्रियाविधि (मूल्य व्यवस्था) बगैर किसी बाहरी हस्तक्षेप के खरीदारों तथा विक्रेताओं के निर्णयों का समन्वय करता है। उनके अनुसार इससे व्यक्तियों का कल्याण सबसे अधिक होता है।

आई. पी. ओ. (Initial Public Offer—IPO)

किसी कंपनी द्वारा पहली बार सार्वजनिक बिक्री हेतु अपने शेयरों को जारी करना। ऐसे शेयर निवेशकों को प्रत्यक्ष

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

मूल्य (Face value) पर उपलब्ध हो सकते हैं या फिर एक प्रीमियम के साथ। ऐसे शेयरों का बाजार में प्रदर्शन कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे-कंपनी के प्रोत्साहकों का इतिहास, व्यवसाय चलाने का अनुभव, शेयरों के साथ जारी किए गए दस्तावेज में सूचीबद्ध जोखिमों के कारक, उद्योग की प्रवृत्ति, संबद्ध उद्योग से जुड़ी सरकार की नीति, विगत वर्षों में उस क्षेत्र का प्रदर्शन इत्यादि।

एक आईपीओ का प्रदर्शन कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे कि प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड, कारोबार चलाने का अनुभव, प्रस्तावित दस्तावेज में सूचिबद्ध जोखिम, उद्योग की प्रकृति, पिछले सालों में इस क्षेत्र के उद्योग प्रदर्शन से जुड़ी सरकार की नीतियां, और निकट भविष्य के लिए उद्योग के लिए उपलब्ध पूर्वानुमान।

आई.एस. सूची (I-S SCHEDULE)

यहाँ आई. एस. का अर्थ है-निवेश बचत (Investment Saving)। यह लेखाचित्रीय सूची राष्ट्रीय आय के स्तर तथा ब्याज दर के संयोजन को चित्रित करता है तथा यह दिखाता है कि वास्तविक अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति (निवेश = बचत) कहाँ है।

इस्लामिक बैंकिंग (ISLAMIC BANKING)

यह बैंकिंग व्यवस्था इस्लामिक नियमों पर आधारित है तथा इसे शरीयत कानून में नियत किया गया है। इसे फिक-अल-मुआमलात कहा गया है (व्यापार पर बने इस्लामिक नियम)। इस्लामिक कानून के अनुसार ऋण तथा बचत, दोनों पर ब्याज वर्जित है। ब्याज को इस्लाम में रीबा कहा जाता है। ब्याज के विरुद्ध दिया गया तर्क यह है कि मुद्रा कोई वस्तु नहीं है तथा लाभ हमेशा वस्तु तथा सेवा पर अर्जित किया जाता है, न कि मुद्रा के नियंत्रण पर।

यह इस सिद्धांत पर काम करता है जिसके अनुसार कर्ज लेने वाले तथा कर्ज देने वाले दोनों को मुनाफे के साथ एक जोखिम का भी साझा करना चाहिए। ऐसे में जमाकर्ता ब्याज के रूप में नियत नहीं मिलता रह सकता जैसाकि पारम्परिक बैंकिंग में होता है।

लेकिन बैंकों को छूट हैं कि वैरिएबल प्राइजेज अथवा बोनस के हक में इन जमा पूंजी पर प्रोत्साहन (incentive) दे सकते हैं।

एक जमाकर्ता जो कि पारम्परिक बैंकिंग व्यवस्था में जोखिम लेने से डरता है, यहां पूंजी प्रदायक बन जाता है और इस बैंक के जोखिमों में साझीदारी करता है, जो इसे ऋण देता है।

इन बैंकों द्वारा निवेश वित्त की 'मुशरका' (Musherka) के माध्यम से ऑफर किया जाता है जहां कि बैंक एक संयुक्त उद्यम के साझेदार के रूप में परियोजना में भागीदारी करता है और मुनाफे और नुकसान का साझा करता है। निवेश वित्त मुदाभा (Mudabha) के माध्यम से भी ऑफर दिया जाता है जहां कि बैंक वित्त का योगदान करता है तथा ग्राहक विशेषज्ञता, प्रबंधन तथा श्रम का, और मुनाफे में हिस्सेदारी पूर्ण निर्धारित अनुपात में होती है जबकि क्षति का वहन बैंक करता है।

बैंकों द्वारा व्यापार वित्त (Trade finance) भी कई तरीके से ऑफर किया जाता हैं। एक रास्ता है मेयर अप (Mare up) का जहां बैंक ग्राहक के लिए एक वस्तु (item) खरीदता है और ग्राहक उस राशि को सहमत अंश के मुनाफे के साथ बाद में बैंक को लौटा देता है) बैंक पट्टा (lesing), भाड़ा खरीद (hire purchase) तथा बिक्री एवं पुनर्क्रय (sell and buyback) के तौर पर भी वित्त प्रदान करता है। ग्राहक को कर्ज देना (Consumer lending) बिना ब्याज के होता है, लेकिन बैंक उस चार्ज की पूर्ति एक सेवा शुल्क लगाकर करता है। इसके अतिरिक्त बैंक शुल्क आधारित (Fee-based) उत्पादों, जैसे-पैसे का अंतरण, बिल संग्रह तथा विदेशी मुद्रा व्यापार आदि भी ऑफर करता है जहां कि बैंक द्वारा अर्जित पैसा शामिल नहीं किया जाता।

इस्लामिक बैंक 1970 के दशक की शुरूआत में अस्तित्व में आए। दुनिया भर में लगभग 30 इस्लामिक बैंक यूरोप, एशिय, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में कार्यरत हैं और लगभग पारम्परिक बैंकिंग प्रणाली के आधार पर ही काम करते हैं। ईरान में समूची बैंकिंग प्रणाली 1980 के बाद से इस्लामिक बैंकिंग प्रणाली में बदल गई और पाकिस्तान भी बैंकिंग व्यवस्था का इस्लामीकरण कर रहा है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

अनेक यूरोपीय एवं अमेरिकी बैंक अब इस्लामिक बैंक उत्पाद न सिर्फ मुस्लिम देशों बल्कि यूनाइटेड किंगडम जैसे विकसित बाजारों में भी ऑफर कर रहे हैं। यह अवधारणा अब मलेशिया और दुबई में भी जोर पकड़ रही है।

इस्लामी विशेषज्ञों के अनुसार अनेक सरकारों की बढ़ती ऋण ग्रस्तता और कर्ज का बड़ा हिस्सा पिछला कर्ज चुकाने में जाते रहने और साथ ही ब्याज दी बड़ी रकम के कारण इसे पारम्परिक बैंकिंग के एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। जहां कहीं भी यह चलन में हैं, अध्ययन यह दर्शाते हैं कि लाभ की दर प्रायः तुलनीय और कभी-कभी पारम्परिक बैंकों द्वारा प्रदत्त ब्याज दर से अधिक होती है।

भारत में अभी तक ऐसा कोई बैंक नहीं है, जो पूरी तरह से 'इस्लामिक बैंकिंग' के सिद्धांत पर कार्य करता हो लेकिन मुंबई एवं बंगलुरु में इस सिद्धांत पर कार्य करने वाले कुछ गैर-बैंकिंग संस्थान अवश्य हैं। वैसे स्वतंत्रता-प्राप्ति के पहले भी ऐसी सहकारी संस्थाओं के साक्ष्य मिलते हैं, जो इस प्रकार की वित्तीय गतिविधियां किया करती थीं। वर्ष 2015-16 में RBI के विशेषज्ञ दल ने इस प्रकार के बैंकों के पक्ष में सलाह दी थी। जून 2016 तक इस दिशा में RBI ने कोई घोषणा नहीं की थी।

सममूल्य रेखा (Isocost Line)

द्विअक्षीय आलेख पर एक रेखा, जो कारक निवेशों (Factor Inputs) के संयोजन को दर्शाती है, जिसे समान मुद्रा द्वारा खरीदा जा सकता है।

सममूल्य वक्र (Isocost Curve)

आलेख पर एक वक्र, जो उत्पादन के कारकों (श्रम, पूँजी, इत्यादि) के विभिन्न संयोजनों को दर्शाता है, जिसका उपयोग एक दी गई तकनीक से किसी वस्तु की दी गई मात्रा के उत्पादन के लिए किया जाता है।

जे.-वक्र प्रभाव (J-curve Effect)

किसी देश के भुगतान संतुलन के घाटे की प्रवृत्ति, जो शुरुआत में मुद्रा के अवमूल्यन के कारण घटती है तथा बाद में बचत की ओर बढ़ जाती है।

जॉबर (Jobber)

एक व्यक्ति जो शेयर बाजार में सक्रिय रहता है तथा शेयरों की खरीद/बिक्री अपने खाते के द्वारा करता है, जॉबर कहलाता है। जॉबर के लाभ को जॉबर्स स्प्रेड कहते हैं। मुंबई शेयर बाजार में इन्हें तरावणीबाला कहते हैं।

जॅन्क बॉण्ड (Junk Bond)

एक अनौपचारिक शब्द जो किसी कंपनी/बोली लगाने वाले (Bidder) द्वारा जारी किए गए वित्तीय प्रतिभूतियों को निर्दिष्ट करता है। इन प्रतिभूतियों को ऋण लेने के साधन के रूप में उपयोग किया जाता है ताकि उनके द्वारा किसी अन्य कंपनी को अपने अधिकार में (Takeover bid) लिया जा सके। ऐसे प्रतिभूतियों में सामान्यतः अधिक जोखिम, अधिक ब्याज दर वाले ऋण शामिल होते हैं इसलिए इन्हें 'जॅन्क' बॉण्ड कहा जाता है। इसे (Mezzanine debt) मैजेनाइन ऋण भी कहा जाता है।

कर्ब डीलिंग (Kerb Dealings)

शेयर बाजार के बाहर होने वाले सभी व्यापार को कर्ब डीलिंग कहते हैं।

खिलजी प्रभाव (Khilji Effect)

दिल्ली सल्तनत के शासकों को औपचारिक वृहद अर्थशास्त्र की समझ भले ही न हो, एक पाठ उन्हें स्पष्ट था, ''यह जरूरी है कि सरकार अपेक्षाओं को नियंत्रण में रखने की अपनी इच्छा का संकेत करे।'' अलाउद्दीन खिलजी बाजारों का स्वयं निरीक्षण करता था और इसका परिणाम भी सामने आता था-कीमतें नियंत्रित रहती थीं। बाजार पर सरकार के इस प्रभाव को 'खिलजी प्रभाव' कहते हैं।

भारत में भारत सरकार ने 2014-15 के इस सबक का अनुसरण किया-केन्द्रीय मंत्री यह बयान देते रहे कि 'आलू' और 'प्याज' की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध रहने के कारण स्थिति नियंत्रण में है। इन दोनों वस्तुओं को सरकार ने अनिवार्य वस्तुओं में शामिल कर लिया (अनिवार्य वस्तु

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

अधिनियम)। इससे सरकार की कीमतों पर नियंत्रण की मजबूत इच्छा शक्ति जाहिर हुई।

हालांकि, ऐसे रूटीन बयानों से जिनमें कीमतों के बढ़ने का दावा किया जाता था, मुद्रास्फीति की स्थिति पर दबाव ही बनता रहा (ऐसे बयान तत्कालीन कृषि मंत्री बार-बार दोहराते रहते थे)।

क्लेप्टोक्रैसी (KLEPTOCRACY)

एक ऐसी सरकार, जो भ्रष्ट हो तथा जिसमें राजनीतिज्ञ तथा नौकरशाह दोनों राज्य की शक्तियों का दुरुपयोग कर लाभ प्राप्त करते हैं उसे क्लेपटोक्रैसी कहा जाता है। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस को इस तरह की व्यवस्था का एक उदाहरण माना जाता है, जब माफिया के पक्ष की सरकार ने निजीकरण के बाद सरकारी कंपनियों के शेयरों का आवंटन किया।

कोनड्राटिफ चक्र (KONDRATIEFF WAVE/CYCLE)

यह एक 50 वर्ष का व्यावसायिक चक्र है, जिसका नाम रूसी अर्थशास्त्री निकोलाई कोनड्राटिफ के नाम पर रखा गया है (जिसने इस चक्र की चर्चा अपनी पुस्तक '*The Long waves in Economic Life*' में की)।

उनका यह तर्क था कि पूँजीवाद एक स्थायी व्यवस्था है (50 वर्ष के व्यावसायिक चक्र में यह अंतर्निहित है)। यह मार्क्सवादी मत के बिल्कुल विपरीत है, जो यह कहता है कि पूँजीवाद आत्मनाशी तथा अस्थायी है।

तरलता समंजन सुविधा (LIQUIDITY ADJUSTMENT FACILITY—LAF)

यह सुविधा वित्तीय नीति का एक भाग है, जो बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की जाती है। इस सुविधा की शुरुआत जून 2000 में हुई, जिसके अंतर्गत भारत में कार्य कर रहे बैंक अपनी निधि को रिजर्व बैंक के पास अल्पकालिक अवधि (एक वर्ष से कम, सामान्यत: एक से सात दिन) तक रख सकते हैं। इसे रिवर्स रिपो कहा जाता है। रिजर्व बैंक के पास ऐसी जमाराशि पर बैंकों को वर्तमान में 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज मिलती है।

लाफेर वक्र (LAFFER CURVE)

अर्थशास्त्री अर्थर लाफेर द्वारा 1974 में रचित यह वक्र औसत कर दर को कुल कर राजस्व से जोड़ता है। इस वक्र के अनुसार अधिक कर दर शुरूआत में राजस्व में वृद्धि करती है लेकिन एक समय के बाद कर दर में अधिक वृद्धि राजस्व को घटाता है (जैसे—लोगों को कार्य करने से हतोत्साहित करता है), लेकिन यह जानना कठिन है कि किस अर्थव्यवस्था में लाफेर वक्र लागू होता है, क्योंकि अधिक कर दर के कारण करों की चोरी भी होती है।

झूठा ऋण (LIAR LOANS)

यह शब्द अमेरिकी वित्तीय संकट (वर्ष 2007 के सब-प्राइम संकट) के दौरान खबरों में बना रहा। ये वैसे ऋण हैं, जिसमें कर्जदार, लेनदार कर्ज लेने के लिए अपने आय, उसके स्रोतों की गलत सूचना प्रदान करता है। इस तरह की धोखेबाजी की सूचना कई अमेरिकी रेहननामों में पायी गयी हैं देनदार भी ऋण की शर्तों, उनकी विशेषता के बारे में गलत विवरण प्रदान करते हैं। ऐसे रेहननामा ऋणों (mortgageloans) को 'झूठा ऋण' कहा जाता है।

लिबोर (LONDON INTERBANK OFFERED RATE—LIBOR)

लिबोर डॉलर तथा अन्य विदेशी मुद्रा जमाराशि पर दी जाने वाली वह ब्याज दर है, जिस दर पर बड़े बैंक यूरो मुद्रा बाजार में इन मुद्राओं का उधार लेने तथा देने के लिए तैयार रहते हैं। दर अंतर्राष्ट्रीय फंड्स के लिए बाजार की स्थितियों को दर्शाती हैं और बैंकों द्वारा कारोबारी ग्राहकों के लिए अमेरिकी डॉलर और विदेशी मुद्रा ऋणों पर ब्याज दरों के निर्धारण करने के लिए एक आधार के रूप में उपयोग की जाती हैं।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

जीवन-चक्र परिकल्पना (Life Cycle Hypothesis)

यह विचार यह कहता है कि वर्तमान उपभोग उपभोक्ताओं के वर्तमान प्रयोज्य आय पर ही मात्र निर्भर नहीं है बल्कि उनके जीवनकाल की अनुमानित आय से भी संबंधित है। इस परिकल्पना का उपयोग व्यवहारिक जीवन में आर्थिक प्रबंधन के लिए किया जाता है।

जीवन बीमा से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण शब्द/अवधारणाएँ (Life Insurance: Some Important Terms)

वृत्तिदान नीति (Endowment Policy)

ऐसी बीमा पॉलिसी, जिसमें एकमुश्त राशि पॉलिसी अवधि के अंत में तथा बीमा अवधि के दौरान बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु पर प्रदान की जाती है।

लाभार्थी (Beneficiary)

एक व्यक्ति अथवा संगठन जो वैध रूप से लाभ का हकदार हो।

सीमित जीवन बीमा (Term Life Insurance)

सीमित जीवन बीमा एक निर्धारित समय तक लोगों को जीवन बीमा का लाभ प्रदान करता है, उदाहरण के लिए 30 वर्ष की अवधि तक। इस योजना के अंतर्गत बीमा का लाभ तभी मिलता है, यदि इस सीमित अवधि के दौरान बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो।

पूर्ण जीवन बीमा (Whole Life Insurance)

यह पॉलिसी किसी व्यक्ति को बीमा सुरक्षा उसके पूरे जीवन काल के लिए उपलब्ध कराती है, जो एक निर्धारित बीमा किस्त (Premium) अदा करके प्राप्त किया जाता है। इसके साथ एक निवेश घटक भी होता है। शेयरों तथा बॉण्डों में निवेश किए जा सकते हैं, जिससे नकद मूल्य में वृद्धि होगी। सार्वभौम जीवन बीमा, पूर्ण जीवन बीमा से अधिक लचीली पॉलिसी होती है तथा पॉलिसी धारक यदि चाहे तो वह बीमा तथा पॉलिसी के बचत घटक के बीच पैसों का हस्तांतरण कर सकती है।

परिवर्ती सार्वभौम जीवन बीमा पॉलिसी (Variable (Insurance Policy Insurance Policy)

यह पूर्ण जीवन बीमा पॉलिसी का एक रूप है तथा यह उन लोगों के लिए है, जिन्हें जीवन में अधिक खतरे की आशंका रहती है। यह नकद मूल्य (Cash Values) प्रदान करती है, जो निवेश खाते में म्यूचुअल फण्ड के आधार पर घटते-बढ़ते रहता है। इक्विटी बाजार में प्रीमियम के इस निवेश के साथ अनिश्चितता का तत्व जुड़ा होता है।

बीमा किस्त (Premium)

यह वह राशि है, जो पॉलिसी धारक बीमा कंपनी को अदा करता है। भुगतान की प्रायिकता धारक द्वारा निर्धारित की जाती है। बीमा–किस्त अदा करने की प्रक्रिया मासिक, त्रैमासिक, अर्द्ध-वार्षिक तथा वार्षिक होती है।

वार्षिक भ्रति (Annuity)

जीवन बीमा कंपनी द्वारा किया गया एक समझौता जो पॉलिसी धारक को स्थायी अथवा परिवर्ती भुगतान करता है, यह भुगतान या तो शीघ्र या फिर भविष्य के एक निर्धारित तिथि को किया जाता है।

समूह जीवन बीमा (Group Life Insurance)

एक समूह जीवन बीमा पॉलिसी जो लागों के एक समूह के लिए जारी की जाती है, सामान्यत: एक नियोक्ता (Employer) के द्वारा।

समापन (Lapse)

बीमा-किस्त की अदायगी या भुगतान नहीं करने से बीमा पॉलिसी का समापन हो जाता है। इस विषय में एक सूचना पॉलिसी धारक को दी जाती है।

एकमुश्त भुगतान (Lump Sum)

यदि पॉलिसी से होने वाला लाभ धारक को एकमुश्त दिया जाए न कि चरणों में तो उसे एकमुश्त भुगतान कहते हैं। अधिकांशत: जीवन बीमा पॉलिसी द्वारा एकमुश्त भुगतान किया जाता है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

परिसमापन (Liquidation)

इस प्रक्रिया द्वारा एक संयुक्त स्टॉक कंपनी का वैधानिक इकाई के रूप में समापन हो जाता है।

तरल संपत्ति (Liquid Asset)

मौद्रिक सम्पत्ति, जिसका उपयोग प्रत्यक्ष रूप से भुगतान के लिए किया जाता है।

तरलता (Liquidity)

किसी संपत्ति को शीघ्र ही किस हद तक पूर्ण रूप में मुद्राओं तथा सिक्कों में परिवर्तित किया जाता है, तरलता कहलाता है।

तरलता व्याप्ति अनुपात (Liquidity coverage Ratio)

एल.सी.आर. (LCR) बैंकों के बेहतर विनियमन का 'बेसल III' से संबद्ध एक प्रावधान है (बेसल स्थित बैंक फॉर इंटरनेशनल सैटलमेंट द्वारा प्रस्तावित)। इसके अंतर्गत बैंकों द्वारा अपनी अल्पावधिक (अगले 30 दिनों के लिए) तरलता की व्यवस्था रखना प्रावधानित है ताकि वे अर्थव्यवस्था के समक्ष आने वाले तीव्र (acute) वित्तीय संकट का सामना कर सकें।

तरलता प्राथमिकता (Liquidity Preference)

कुछ लोग पैसों को निवेश करने के बजाय उन्हें रोक कर रखना पसंद करते हैं। इसे तरलता प्राथमिकता कहते हैं।

तरलता जाल (Liquidity Trap)

एक ऐसी स्थिति, जहाँ ब्याज दर इतनी घट जाती है कि लोग पैसे को निवेश करने के बजाय रोक कर रखना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में निवेशक निवेश में वृद्धि नहीं करते हैं, चाहे ऋणों पर ब्याज दर घट गई हो, तो भी।

एल.एम. सूची (L.M. Schedule)

यहाँ एल. एम. का अर्थ है–तरलता धन (Liquidity Money)। यह सूची राष्ट्रीय आय तथा ब्याज दर के स्तर के संयोजनों को दर्शाती है तथा यह दिखाती है किस जगह मौद्रिक अर्थव्यवस्था की संतुलन स्थिति है (अर्थात् L = M)।

स्थानीय क्षेत्र बैंक (Local Area Bank)

केन्द्रीय बजट 1996-97 में इसकी घोषणा की गई। यह बैंक एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में कार्य करता है, जिसमें तीन जुड़े हुए जिले होते हैं। निजी क्षेत्र को भी इस इलाके में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है।

संचलनशील सिद्धांत (Locomotive Principle)

यह अवधारणा कि विश्वव्यापक मंदी के दौर में किसी एक अर्थव्यवस्था के कुल माँग में वृद्धि के कारण विदेशी व्यापार के द्वारा अन्य अर्थव्यवस्थाओं में भी आर्थिक गतिविधियाँ प्रोत्साहित होती हैं।

लॉरेन्ज वक्र (Lorenz Curve)

एक आलेख, जो किसी अर्थव्यवस्था अथवा किसी दी गई जनसंख्या में आय तथा धन में असमानता की मात्रा को दर्शाता है। यदि आय पूर्ण रूप से समान हो तो लॉरेन्ज वक्र एक सीधी रेखा होगी तथा वक्र में झुकाव के साथ असमानता का अनुपात बढ़ता जाता है। गिनी गुणांक इस असमानता की मात्रा को मापता है।

एल.ओ.यू. (LoU)

लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (Letter of Undertaking-LoU) किसी बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा जारी की गयी किसी कंपनी की साख योग्यता (credit worthiness) की गारंटी देता है। इसके माध्यम से वह कंपनी देश या देश के बाहर बैंकों/वित्तीय संस्थानों से घोषित स्तर तक ऋण प्राप्त कर सकती है। कंपनी द्वारा ऋण के भुगतान में विफलता की स्थिति में इसे जारी करने वाला बैंक/वित्तीय संस्थान हर्जाना देने के

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

लिए वैधानिक रूप से बाध्य होता है। देश में यह अवधारणा तब चर्चा में रही (फरवरी 2018) जब इससे जुड़ा पंजाब नेशनल बैंक में एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया।

श्रम भ्रांति का पिंड (LUMP OF LABOUR FALLACY)

अर्थशास्त्र में यह भ्रांति कि किए जाने वाले कार्य की मात्रा निश्चित अथवा निर्धारित (अर्थात् श्रम का पिंड) है–इसे अलग-अलग तरीके से बाँटा जाता है ताकि अर्थव्यवस्था में अधिक अथवा कम काम (नौकरी) हो। अर्थशास्त्री डी. एफ. स्कलोस (D.F. Schloss) ने 1891 में इसे श्रम भ्रांति का पिंड कहा, क्योंकि वास्तव में किए जाने वाले कार्य की मात्रा निर्धारित नहीं होती है।

समष्टि तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र (MACRO & MICRO ECONOMICS)

अर्थशास्त्री, अर्थव्यवस्था को दो तरीके से देखते हैं– समष्टि अर्थशास्त्र तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र (यूनानी भाषा में 'मैक्रो' का अर्थ वृहद होता है) अर्थव्यवस्था की गतिविधियों को एक समग्र रूप में देखता है, जैसे–मुद्रास्फीति, रोजगार की दर, आर्थिक विकास, व्यापार संतुलन, इत्यादि। व्यष्टि अर्थशास्त्र (यूनानी भाषा में व्यष्टि का अर्थ 'छोटा' होता है) इकाइयों की गतिविधियों का अध्ययन है, जैसे–व्यक्ति, परिवार, कम्पनियाँ, एक विशेष उद्योग; जो मिलकर एक अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं।

मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MARGINAL STANDING FACILITY)

पहले से चालू लिक्विडिटी एजस्टमेंट फैसिलिटी (Liquidity Adjustment Facility, LAF-Repo) की तर्ज पर इसे मई 2011 में शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने 'नेट डिमांड एण्ड टाइम लायबिलिटीज के (Net Demand and Time liabilities, NDTL) का एक प्रतिशत तक प्राप्त कर सकते है, जो कि दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंत पर बकाया होता है। यह फैसिलिटी उस ब्याज पर प्राप्त की जाती है, जो कि एलएएफ रेपो रेट के 100 बेसिस प्वाइंट ऊपर होती है, अथवा भारतीय रिजर्व बैंक खाता समय-समय पर निर्धारित की जाती है।

सीमान्त उपयोगिता (MARGINAL UTILITY)

किसी निर्धारित समय अवधि में उत्पाद के अतिरिक्त इकाई से उपभोक्ता को उससे होने वाला संतोष। उपयोगिता घटती जाती है (ह्रासमान सीमांत उपयोगिता)।

बाजार पूँजीकरण (MARKET CAPITALISATION)

प्रतिभूति बाजार में उपयोग किया गया एक शब्द, जो कंपनी के शेयरों का बाजार मूल्य बताता है। यह शेयरों के वर्तमान मूल्य को कंपनी द्वारा जारी शेयरों की कुल संख्या से गुणा कर परिकलित किया जाता है।

बाजार निर्माता (MARKET MAKER)

सैकेंडरी बाजार में एक मध्यस्थ (कोई व्यक्ति या फर्म हो सकती है) जो दोतरफा दरों का हवाला देते हुए प्रतिभूतियों/शेयरों को खरीदता और बेचता है। उदाहरण के लिए इकलौते 'मार्केट मेकर' ओवर काउंटर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (OTCEI) को ही इसे संचालित करने की अनुमति दी गई है। भारत के मनी मार्केट में डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया (SBI DFHI) एकमात्र मार्केट मेकर है।

सैकेंडरी बाजार को स्थिरता और तरलता प्रदान में मार्केट मेकर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

बहुउपयोगी स्मार्ट कॉर्ड (MULTI APPLICATION SMART CARDS—MASCS)

योजना आयोग कार्यसमूह ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में प्रक्रियाओं के सरलीकरण की सुविधा और सरकारी योजनाओं की दक्षता बढ़ाने के लिए मल्टीएप्लीकेशन स्मार्ट कार्ड्स (MASCs) प्रणाली की सिफारिश की थी। स्मार्ट कार्ड (MASCs) को विभिन्न केंद्रीय योजनाओं, जैसे–सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इंदिरा आवास योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाओं, को लागू करने में उपयोगी पाया गया है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

वेब-सक्षम सूचना प्रणाली पर आधारित स्मार्ट काड्र्स यूनीक आईडी, साझा आईडी, मल्टीएप्लीकेशन और एक्सेस सिस्टम पर आधारित होंगे। पूरी प्रणाली में फ्रंट, मिडिल और बैक एंड शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड प्रणाली का फ्रंट एंड होगा जो कि मुख्य बिंदु होगा जहां स्मार्ट कार्ड को पढ़ा और इस्तेमाल किया जाएगा। मिडिल एंड का अर्थ कार्यालय से है, ये फ्रंट एंड से बैक एंड और बैक एंड से फ्रंट एंड के बीच आवश्यक और मांगी गई जानकारियों के आधार पर कार्ड को समय-समय पर (यानि मासिक, तिमाही, सालाना) बदलने और अपडेट करने के लिए जिम्मेदार होगा। बैंक एंड कार्यालय कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड, दिशा-निर्देश, खाते और प्रबंधन सूचना प्रणाली रखेगा। इस प्रणाली के लिए रिकॉड्र्स का पूरा डिजिटाइजेशन आवश्यक हो जाएगा।

मार्शल योजना (MARSHALL PLAN)

यह अंतर्राष्ट्रीय सहायता की योजना है, जिसका नाम अमेरिकी विदेश मंत्री जेनेरल जॉर्ज मार्शल के नाम पर रखा गया। इस योजना के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका अपने सकल घरेलू उत्पाद का एक प्रतिशत हिस्सा अंशदान के रूप में पश्चिमी यूरोप को देता रहा (1948 से 1952 तक) ताकि द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित उसकी अर्थव्यवस्था फिर से व्यवस्थित हो सके।

मेन्यू खर्च (MENU COST)

किसी कंपनी द्वारा अपने उत्पादों के मूल्य में परिवर्तन करने के लिए वहन किए जाने वाले व्यय को मेन्यू व्यय कहते हैं। इसमें विक्रेताओं का पुनः प्रशिक्षण, नयी मूल्य सूची को पुनः छापना, नए मूल्य को उत्पादों पर अंकित करना तथा ग्राहकों को इस बारे में सूचित करना शामिल होता है।

मिड-कैप निधि (MID-CAP FUNDS)

म्यूचुअल फण्ड निवेश को आकर्षित करने के लिए क्षेत्र विशेष निधि जारी करते हैं। इसी तरह मिड-कैप शेयरों में निवेश करने के उद्देश्य से वे निवेशकों से संसाधन एकत्र करते हैं। निधि प्रबंधक मिड-कैप शेयरों का चयन करते हैं, जो पत्राधान का भाग बन जाता है।

एम.एफ.बी.एस. (MFBS)

अगस्त 2007 में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय तथा बैंकिंग सांख्यिकी पर एक नियमावली (Manual on Financial and Banking Statistics—MFBS) जारी की। यह अपने किस्म की पहली संदर्भ पुस्तक है तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के सांख्यिकीय सूचकों के संग्रहण के लिए एक व्यवस्थित ढाँचा प्रदान करता है।

मिड-कैप शेयर (MID-CAP SHARES)

मिड-कैप शेयरों का कोई संस्थापित परिभाषा नहीं है। मिड कैप का उद्‌गम मध्यम पूँजीकृत (Medium Capitalised) शब्द से है। यह शेयरों के बाजार पूंजीकरण पर आधारित है। बाजार पूँजीकरण का परिकलन कंपनी द्वारा जारी किए शेयर अथवा अशोधित शेयरों को वर्तमान शेयर मूल्य से गुणा कर किया जाता है।

भारत के मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मिड कैप यूनिवर्स को ऐसे स्टॉक के रूप में परिभाषित करता है जिसका औसतन 6 माह का मार्केट कैपिटलाइजेशन 75 करोड़ से 750 करोड़ रुपये के बीच होता है यू.एस.में मिड कैप शेयर्स ने स्टॉक होते है, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 9000 करोड़ से 45000 करोड़ के बीच होता है, भारत के ये शेयर लार्ज कैप शेयर्स की कोटि में रखे जाएंगे। इस प्रकार शेयरों का लार्ज कैप मिड कैप तथा स्मॉल कैप में वर्गीकरण किसी देश के बाजार के सापेक्षिक आधार कर निर्भर होता है यू.एस. मार्केट का कुल मार्केट कैपिटालाइजेशन 15 ट्रिलियन डॉलर है। भारत में सूचीबद्ध कम्पनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 600 बिलियन यूएस डॉलर है।

मूल सिद्धांत यह है कि, लार्ज कैप शेयर की वृद्धि क्षमता कम होती है क्योंकि टर्नओवर तथा मुनाफा बड़ी कम्पनियों का हमेशा बड़ा होता है। दूसरी और मिड कैप शेयर को अधिक आकर्षक माना जाता है निवेश के लिए क्योंकि उनकी वृद्धि दर लेन होती है। यह उभरते बाजार तथा 40/4RG बाजार दोनों के लिए एक सदृश होता है

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

हालांकि फ्लिप साइड पर मिड कैप शेयर छोटी कम्पनियों के होते है; जिनमें राजस्व तथा मुनाफा बड़ी कम्पनियों के मुकाबले अधिक उतार-चढ़ाव भरे हो सकते हैं। वहीं द्वितीयक बाजार में ट्रेडिंग के लिए शेयर की उपलब्धता भी सीमित होती है- लार्ज कैप शेयर्स की तुलना में।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक सूचकांक (index) सी एन एक्स मिडकैप 200 का प्रबंध करता है ऐसे सूचकांक का उद्देश्य मिड कैप शेयर खंड में मूवमेंट को प्रेक्षण करना है।

व्यापारिक बैंकिंग (MERCHANT BANKING)

यह वित्तीय क्षेत्र का व्यवसाय है, जो उधार देने के अतिरिक्त कई वित्तीय सेवाएँ भी प्रदान करता है, जैसे–ऋण संघटक प्रबंधन, विलय तथा अधिग्रहण संबंधी सेवाएँ इत्यादि।

मेजानाइन फाइनेंसिंग (MEZZANINE FINANCING)

मेजानाइन फाइनेसिंग को एक ऐसे फाइनेंशियल इन्स्ट्रूमेंट के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि ऋण, तर्क और इक्विटी फाइनेंस का एक मिश्रण है यह एक श्रेष्ट कैपिटल है यानी ऋण पूंजी है जो कि ऋणदाता को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह अपनी में स्वामित्व अथवा इक्विटी हित को रूपांतरित कर सके। यह तह शाहित अथवा इसी सम्पत्ति के रूप में सूफीबल होता है कंपनी के बैलेंस शीट पर। चूंकि यह कम्पनी की बैलेंस शीट पर एक शाक्ति के रूप में सूचीबद्ध होता है, यह कम्पनी को अन्य पारम्परिक वित्तीय स्रोतों का उपयोग भी करने देता है।

ऋणियों (eseditors) के पदानुक्रम में मेजानाइन फाइनेंस सीनियर डेब्ट्स के अधीनस्थ लेकिन इक्विटी के ऊपर होता है मेजानाइन फाइनेंस पर लाभ डेब्ट फाइनेंस की तुलना में अधिक लेकिन इक्विटी फाइनेंस की तुलना में निम्नतर होता है। यह कर्णधार को शीघ्रता से उपलब्ध होता है या तो बिना या थोड़ा सह-पर्श्विकता के साथ। मेजानाइन फाइनेंस का उपयोग मुख्यत: लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए अधिरचना तथा भू-सम्पत्ति में हो रहा है। मेजानाइन वित्त की यह अवधारणा भारत में धीरे-धीरे पैर जमा रही है। आई सी आई सी आई वेंचर्स मेजानाइन फंड भारत में मेजानाइन वित्तीय अवसरों की तलाश करने वाला पहला फंड था।

मिबिड (MIBID)

मुंबई अंतर-बैंकिंग दर (Mumbai Interbank Bid - MIBID) वह भारित औसत ब्याज दर है, जिस दर पर मुंबई के कुछ बैंक माँग मुद्रा बाजार से पैसे उधार ***लेने*** को तैयार रहते हैं।

मिबोर (MIBOR)

मुंबई अंतर-बैंकिंग प्रस्ताव दर (The Mumbai Inter Bank Offer Rate—MIBOR) वह भारित औसत ब्याज दर है जिस दर पर मुंबई के कुछ बैंक/संस्थान उधार **देने** को तैयार रहते हैं।

मध्यम वर्ग (MADDLE CLASS)

हम प्राय: 'मध्यम वर्ग' शब्दावली का उपयोग करते है। लेकिन मध्मम वर्ग कौन है? अभी तक मध्मम वर्ग को परिभाषित करने की कोई सर्वमान्य कसौटी नहीं है। सामान्य रूप में देखे तो वे न धनी है न की निर्धन। यहाँ तक कि आय की कसौटी भी निश्चित या स्थापित नहीं है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च (NCAER) के अनुसार एक परिवार जिसकी आय 3.4 लाख रुपये से 17 लाख रुपये सालाना (2009-10 के मूल्य स्तर पर) है, वह मध्यम वर्ग की कोटि में आता है। एनसीएईआर के अनुसार 2015-16 तक भारत 53.3 मिलियन मध्यम वर्गीय परिवारों का देश बन गया, यानी 277 मिलियन जनसंख्या इन कोटि में आ गयी।

सूक्ष्म ऋण (MICRO CREDIT)

छोटे एवं जरूरत मंद लेनदारों को जो कि व्यावसायिक बैंकों की पहुँच के बाहर हैं, को उत्पादक गतिविधियाँ चलाने के लिए लघु ऋण या छोटा कर्ज देना।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

कष्ट सूचकांक (Misery Index)

आर्थिक कष्ट का सूचकांक किसी अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी दरों का योग है-इसका मूल्य जितना अधिक होगा कष्ट ऋण उतना ही बड़ा होगा।

मौद्रिक उदासीनता (Monetary Neutrality)

वह विचार जिसके अनुसार मुद्रा आपूर्ति का वास्तविक आर्थिक करों (जैसे कि उत्पाद, वास्तविक ब्याज दरों, बेरोजगारी आदि) पर कोई प्रभाव नहीं होता। अगर मुद्रा आपूर्ति 10 प्रतिशत बढ़ती है ऐसा मान ले, तो मूल्य भी उसी स्तर तक बढ जाएगा।

पारंपरिक अर्थव्यवस्था एक अहम विश्वास का विचार 18वीं सदी में डेविड ह्यूम ने प्रस्तुत किया था। आज इसे एक वैध विचार नहीं माना जाता है।

मुद्रा भ्रांति (Money Illusion)

यह शब्द जे. एम. कीनेस द्वारा दी गयी, जो लोगों के उस भ्रांति को निर्दिष्ट करता है कि लोग मुद्रास्फीति के कारण धनी होते जाते हैं, जबकि वास्तविकता में मुद्रा का मूल्य घट जाता है।

इस शब्द का उपयोग कई अर्थशास्त्रियों द्वारा यह तर्क देने के लिए किया जाता है कि लघु मात्रा में मुद्रास्फीति बुरा नहीं है तथा लाभकारी भी हो सकता है, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था के चक्र को सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करता है तथा यह भावना विकसित होती है कि लोग धनी हो रहे हैं।

नैतिक संकट (Moral Hazard)

यह दो किस्मों की बाजार विफलता में से एक है जिसका सम्बन्ध बीमा क्षेत्र से है। इसका अर्थ है कि वैसे लोग जिन्हें बीमा-आवरण प्राप्त है, अधिक जोखिम उठा सकते हैं। दूसरे किस्म की बाजार विफलता प्रतिकूल चयन (Advers Selections) है, जो बीमा व्यवसाय से ही संबंधित है।

सबसे पंसदीदा राष्ट्र (Most Favoured Nation, MFN)

डब्लू.टी.ओ. समझौते के अनुसार सदस्य देश सामान्यत: अपने व्यापारिक साझेदारों के बीच भेदभाव नहीं कर सकते। अगर कोई देश एक देश को विशेष दर्जा देता है, जैसे कि किसी वस्तु के सीमा शुल्क में कमी, तो यह सुविधा अन्य सदस्य देशों को भी देनी पड़ेगी। यह सिद्धांत ही सबसे पंसदीदा राष्ट्र (MEN) दे रूप में जाना जाता है।

एमएफएन 6 जीएटीएस (General Agreement on Trade in Services) तथा एटीआरआईपीएस (Agreement on Trade Related Asots of Intellectual Property) के अंतर्गत की एक प्राथमिकता है तथापि डब्लू टी ओ समझौते में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो एक सदस्य देश को अनुमति देते हैं कि वे:

(i) एक 'मुक्त व्यापार समझौता करें जो समूह दे अंतर्गत बाद के व्यापार पर टी लागू होगा (बाहर की वस्तुओं से भेदभाव)।

(ii) विकासशील देशों को अपने बाजारों तक विशेष पहुंच प्रदान करें

(iii) इन उत्पादों को रोकें जिनका कि कुछ विशेष देशों द्वारा न्यायोचित से व्यापार नहीं किया गया।

(iv) सीमित परिप्रेक्षण एवं परिस्थितियों के सेवाओं (Services) में अंतर करने का व्यापार (Diserimination) करें।

लेकिन समझौते के अंतर्गत उपर्युक्त अपवादों को बड़ी शर्तों पर ही लागू किया जाता है। सामान्य रूप से एम एफ एन का अर्थ है कि वह कर एक रेखा का व्यापार प्रतिबंध शिथिल करे अथवा बाजार को खोले।

संकीर्ण बैंकिंग (Narrow Banking)

जोखिम रहित सम्पत्ति में लघु-अवधि के लिए उधार देना सीमित बैंकिंग कहलाता है। इस तरह के बैंकिंग की सिफारिश 1991 में वित्तीय व्यवस्था पर बनी समिति (Committeeion Financial System - CFS) ने की थी।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

नैश सन्तुलन (NASH EQUILIBRIUM)

खेल सिद्धांत (Game Theory) की एक अवधारणा, जिसका नाम गणितज्ञ तथा नोबल पुरस्कार जीतने वाले अर्थशास्त्री जॉन नैश के नाम पर है। यह स्थिति तब घटित होती है, जब प्रत्येक खिलाड़ी अपने सबसे बेहतर रणनीति का अनुसरण करते हैं तथा अन्य खिलाड़ी के रणनीति का भी पूर्ण ज्ञान रखते हैं। जब संतुलन की स्थिति कायम हो जाती है तो किसी भी खिलाड़ी को अपनी रणनीति में परिवर्तन करने का कोई प्रोत्साहन नहीं रहता है।

नव-शास्त्रीय अर्थशास्त्र (NEO-CLASSICAL ECONOMICS)

अर्थशास्त्र की विचारधारा, जो अल्फ्रेड मार्शल (1842-1924) के लेखन पर आधारित है तथा जिसने 19वीं सदी तक श्रेण्य अर्थशास्त्र को प्रतिस्थापित कर दिया। इसे सीमांत क्रांति (Marginal Revolution) भी कहते हैं।

शुद्ध आय (NET INCOME)

यह सीमित दायित्व वाली फर्म/कंपनी (जैसे कि लिमिटेड) से संबंधित है। यह एक समय विशेष (आम तौर पर एक वर्ष) में कुल राजस्व में से कंपनी के खर्चों को काटकर निकाला जाता है। यदि आय कर और ब्याज नहीं घटाया जाता है, तक इसे 'परिचालन लागत वाला मुनाफा' (या घाटा, जैसा भी मामला हो) कहा जाता है। शुद्ध आय को कमाई, शुद्ध कमाई या शुद्ध लाभ भी कहा जाता है।

निवल स्थायी निधियन अनुपात (NET STABLE FUNDING RATIO)

निवल स्थायी निधियन अनुपात (NSFR) बैंकिंग व्यवस्था को बेहतर तरीके से विनियमित करने का 'बेसल III' प्रावधानों (स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में स्थित 'बैंक फॉर इंटरनेशनल सैटलमेंट' द्वारा प्रस्तावित) का अंग है। इसके अंतर्गत बैंकों को अपने दीर्घावधिक (एक वर्ष तक) धन की आवश्यकताओं की व्यवस्था रखना अनिवार्य है ताकि वे अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पन्न किसी वित्तीय संकट का सामना कर सकें।

शुद्ध मूल्य (NET WORTH)

किसी कम्पनी के लिए शुद्ध मूल्य कुल आस्तियों (arsets) में से कुल देयकारी (Liabilities) को घटाकर निकाला जाता है। यह किसी कम्पनी की साख का एक महत्वपूर्ण निर्धारक होता है क्योंकि इसके अंतर्गत वह सब धन आता है जो इसकी शुरूआत के समय से ही निवेशित होता चला आया है, साथ ही इसके परिचालन की अवधि में उपार्जित आय भी इसमें शामिल होती है। शुद्ध मूल्य का उपयोग कंपनी की ऋण-योग्यता (credit worthiness) के निर्धारण में भी होता है क्योंकि इससे कंपनी के निवेश-इतिहास की एक झलक भी मिलती है। इसे ओनर्स इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी अथवा शुद्ध आस्ती (net asset) भी कहा जाता है।

जहाँ तक एक व्यक्ति का सम्बन्ध है, शुद्ध मूल्य एक व्यक्ति की शक्तियों का मूल्य है (नकद सहित) घटाव कुल देनदारी यानी वह राशि जिसके चलते व्यक्ति की आस्ति उसकी देनदारी से ऊपर ठहरती है उस व्यक्ति का शुद्ध मूल्य कहलाती है।

नयी पेंशन योजना (NEW PERSION SCHEME)

भारत में पेंशन सुधार सरकारी पेंशन प्रणाली में सुधार की जरूरत से पैदा हुआ है। इसे परिभाषित लाभ से परिभाषित अंशदान की ओर परिवर्तन के रूप में डिजाइन किया गया है और इसके लिए सरकारी सेवकों के पेंशन के प्रति सरकार जिम्मेदार ठहराया गया है। नई पेंशन प्रणाली (New Pension System) के परिणामस्वरूप, केन्द्र सरकार तथा केन्द्रीय तर्कशास्त्री निकायों के सभी कर्मचारी (सशस्त्र सेना को छोड़) अब इस परिभाषित अंशदान प्रणाली से 1 जनवरी, 2004 से जुड़ गए है। इसके पश्चात 27 राज्य सरकारें अधिसूचना जारी कर इस पेंशन योजना से जुड़ गई हैं। 1 मई, 2009 से यह नई पेंशन प्रणाली देश के सभी नागरिकों के लिए स्वैच्छिक आधार पर खोल दी गई।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

चुनौती है—एनपीएस तथा वृद्धावस्था में आय की सुरक्षा का संदेश प्रस्तावित करना, खासकर असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए।

पेंशन फंड मैनेजर तीन अलग योजनाओं का प्रबंधन करते है, जिनमें तीन शस्ति वर्ग होते हैं—(i) इक्विटी, (ii) सरकारी प्रतिभूतियां, तथा; (iii) कर्ज जोखिम उठाने वाले सुनिश्चित आय इंस्ट्रूमेंट्स, और जो इक्विटी में 50 प्रतिशत के कैप के साथ निवेश करते हैं।

निंजा (NINJA)

यह रेहननामा व्यवसाय से सम्बंधित एक शब्द है, जो वर्ष 2007 के मध्य में अमेरिकी सब-प्राइम संकट के बाद अति लोकप्रिय हुआ। यह परिवर्णी शब्द ऐसे उधार लेने वालों को निर्दिष्ट करता है, जिसके पास कोई आय या रोजगार अथवा परिसम्पत्ति नहीं हो।

सांकेतिक मूल्य (NOMINAL VALUE)

किसी भी वस्तु का मूल्य अगर वर्तमान दामों पर परिकलित किया जाए तो उसे सांकेतिक मूल्य कहते हैं। इस मूल्य में मुद्रास्फीति का प्रभाव नहीं शामिल किया जाता है तथा यह एक भ्रामक मूल्य होता है।

गैर-श्रमिक (NON-WORKERS)

भारत की जनगणना गैर-श्रमिक के उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसके संदर्भित अवधि में कोई अर्थ न किया हो। इस कोटि के अंतर्गत आते हैं:

(i) विद्यार्थी, जिन्होंने किसी आर्थिक गतिविधि में भुगतान प्राप्त करके या बिना भुगतान किए भाग नहीं लिया।

(ii) घरेलू कार्य, जैसे—भोजन पकाना, बर्तन धोना, बच्चों की देखभाल, पानी लाना आदि में सलंग्न व्यक्ति जो कि बिना भुगतान वाले पारिवारिक फार्म, खेती या दूध दुहने जैसे कार्यों में भी सहायता करते हैं,

(iii) आश्रित व्यक्ति, जैसे—नवजात अथवा वृद्ध;

(iv) पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी जो किसी आर्थिक गतिविधि में सलंग्न नहीं हैं।

(v) भिखारी, आवारा, वेश्याएँ तथा ऐसे व्यक्ति जिनकी आय का स्रोत ज्ञात नहीं हो तथा जिनके जीवन निर्वाह का स्रोत अविनिर्दिष्ट हो तथा जो किसी आर्थिक रूप से उत्पादक गतिविधि में सलंग्न नहीं हों,

(vi) अन्य, जिसके अंतर्गत वे सभी अश्रमिक शामिल हैं, जो उपरोक्त कोटियों के नहीं आते, जैसे-किराएदार, अन्य प्रकार की प्राप्तियों (remittances) कृषि अथवा गैर-कृषि रॉयल्टी पर निर्भर व्यक्ति, जेल में बंद अभियुक्त दाण्डिक, मानसिक अथवा धर्मार्थ संस्थानों के संवासी, जो किसी प्रकार का कार्य भुगतान युक्त या भुगतान रहित नहीं करते तथा ऐसे व्यक्ति जो काम चाहते है अथवा काम के लिए उपलब्ध हैं।

नोरका (NORKA)

भारतीय निवेशों में कार्य करते है और अपनी कमाई का बड़ा मांग वापस घर भेजते है। केरल ऐसा राज्य है जहाँ अप्रवासी राज्यों के संसाधनों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। राजस्व के इस महत्वपूर्ण स्रोत को ध्यान के रखना केरल सरकार ने अप्रवासी केरलवासी मामलों का विभाग (Non-resident Keralites' Affairs) की स्थापना 1996 में की ताकि अनिवासी केरल के व्यक्तियों (Non-resident Keralition) की शिकायतों का समाधान किया जा सके। नोरका किसी भारतीय राज्य का अपनी तरह का यह पहला प्रयास है।

नोरका एसी शिकायतों को दूर करता है जिनमें अप्रवासी केरल के व्यक्तियों के केरल में रह रहे परिवारजनों के जीवन या सम्पत्ति को खतरा उत्पन्न हो, विदेशों में खो गए व्यक्तियों, प्रयोजकों से क्षतिपूर्ति, नियुक्ति एजेंटों की धोखाधड़ी अप्रवासी केरल व्यक्तियों के बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाएँ, अधिक उड़ानों की व्यवस्था, फँसे हुए केरलवासियों को मदद पहुंचाने का मामला बनता हो।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

सामान्य वस्तुएँ (NORMAL GOODS)

वैसी वस्तुएँ, जिनकी माँग आय में वृद्धि के साथ बढ़ती है। ये निकृष्ट वस्तुओं (Inferiar goods) के बिल्कुल विपरीत होती हैं।

अकृत परिकल्पना (NULL HYPOTHESIS)

एक धारणा जिसकी जाँच की जाती हो। अर्थमिति में विशेषज्ञ अकृत परिकल्पना से शुरुआत करते हैं, अर्थात् एक विशेष चर एक विशेष संस्था के बराबर होता है, तथा आँकड़ों को लेकर सांख्यिकीय महत्व के विधि के अनुसार उन्हें सत्यापित करते हैं। चयन की गयी परिकल्पना अक्सर प्रयोगकर्ता के विचार के बिल्कुल विपरीत होती है।

सांख्यिकीय महत्व मतलब कि संयोग से परिणाम मिलने की संभावना बहुत कम है। इसका सबसे अधिक प्रयोग आमतौर पर ऐसे होता है कि परिणाम सही होने की संभावना 95 प्रतिशत है और रेंडम आधार पर सिर्फ 20 में से एक परिणाम घट रहा है।

न्यूमरेर (NUMERAIRE)

यह एक मौद्रिक इकाई है, जिसका उपयोग किसी उत्पाद के अंतर्राष्ट्रीय विनिमय तथा सामान्य आधार पर वित्तीय परिशोधन के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिकी डॉलर का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय तेल व्यापार में न्यूमरेर के रूप में किया जाता है।

गैर-मतदान शेयर (NON-VOTING SHARES)

गैर-मतदान शेयर वैसे इक्विटी शेयर होते हैं, जिन्हें कंपनी के सामान्य बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होता है। यद्यपि इस प्रकार के शेयरों पर मताधिकार वाले शेयरों की अपेक्षा अधिक लाभांश मिलता है। भारत में कोई भी कंपनी अधिक- से-अधिक 25 प्रतिशत ऐसे शेयर जारी कर सकती हैं तथा ऐसे शेयरों पर मताधिकार वाले शेयरों की अपेक्षा 20 प्रतिशत से अधिक लाभांश प्राप्त नहीं हो सकता है।

ऑयल बॉण्ड (OIL BONDS)

यह भारत सरकार द्वारा जारी किया गया बॉण्ड (ऋण पत्र) है जिन्हें सरकारी तेल विपणन (marketing) में संलग्न कंपनियों को उनके घाटे की रकम की पूर्ति के लिए जारी किया जाता है। सरकारी तेल कंपनियों पर अपने उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि करने की स्थिति बनती है अगर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल का मूल्य बढ़ गया हो। लेकिन सरकार उन्हें करने की अनुमति देती (मुद्रास्फीति दर को बढ़ने से रोकने के लिए) अर्थात् इन कंपनियों को तेल की बिक्री से लाभ के बदले हानि उठानी पड़ती है। ताकि इन्हें अदायगी (Payments) की समस्या न आ जाए सरकार इन्हें 'ऑयल बॉण्ड' देती है। ऑयल बॉण्ड भारत की संप्रभुता शक्ति से समर्थित वित्तीय बाजार में बिकने वाली एक प्रतिभूति है।

ओकुन का सिद्धान्त (OKUN'S LAW)

यह सिद्धांत ऑर्थर ओकुन (1928-80) के अनुसंधान पर आधारित है। यह सिद्धान्त अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी तथा विकास दर के बीच संबंध का वर्णन करता है। इस सिद्धान्त के अनुसार यदि सकल घरेलू उत्पाद 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष हो तो बेरोजगारी दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि विकास दर इससे अधिक हो तो 3 प्रतिशत के अतिरिक्त प्रत्येक 1 प्रतिशत पर बेरोजगारी दर आधा प्रतिशत घट जाएगी। इसी तरह 3 प्रतिशत से कम की विकास दर इसी अनुपात में बेरोजगारी दर को बढ़ा देगी।

हालांकि यह नियम अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए उस अवधि के लिए बिल्कुल सही था, जिसका अध्ययन ओकुन ने किया था, आज की तारीख में यह स्वयं अमेरिका के लिए भी सही नहीं हो सकता। लेकिन सामान्य रूप में यह नियम अब भी विशेषज्ञों तथा नीति-निर्माताओं द्वारा व्यवहार में लाया जाता है। वृद्धि दर तथा रोजगार सृजन के बीच संबंधों के अध्ययन के लिए।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

मुक्त बाजार संचालन (OPEN MARKET OPERATION)

यह मौद्रिक नीति का एक साधन है, जिसके अंतर्गत सरकारी राजकोषीय विधेयकों तथा बॉण्डों का बिक्री होती है। यह क्रय मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में होता है।

अवसर मूल्य (OPPORTUNITY COST)

आर्थिक मूल्य का मापन, जिसमें दुर्लभ संसाधन का उपयोग कर किसी वस्तु/सेवा का उत्पादन किया जाता हो। यह मापन, पूर्व निश्चित विकल्प के सम्बन्ध में किया जाता है। इसे आर्थिक मूल्य (Economic Cost) भी कहा जाता है।

ओवर दी काउंटर (OVER THE COUNTER)

वित्तीय दस्तावेज/प्रतिभूति, जो किसी वित्तीय विनिमय (Financial Exchange) के बजाय एक निजी विक्रेता अथवा बैंक द्वारा खरीदा अथवा बेचा जाता है। गैर-वित्तीय क्षेत्र में भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे—डॉक्टर को दिखाए बगैर मेडिकल स्टोर से दवाई खरीदना।

समानांतर आयात (PARALLEL IMPORTING)

यह एक तरह का अंतरपणन है, जहाँ एक स्वतंत्र आयातक किसी उत्पाद को एक विशेष पूर्तिकार से कम मूल्य पर किसी देश में खरीदता है तथा दूसरे देश में पूर्तिकार के वितरकों के साथ प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्द्धा में उस उत्पाद को अधिक मूल्य में बेचता है। यह मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन देता है तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अवरोधों को कम करता है।

पेरेटो सिद्धांत (PARETO PRINCIPLE)

समुदाय के आर्थिक कल्याण का अधिकतम सीमा तक बढ़ना। इसका नाम इटली के अर्थशास्त्री विलफ्रेडो पेरेटो (1843-1923) के नाम पर रखा गया, यह एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है, जब किसी के स्थिति में सुधार दूसरे की स्थिति को बिगाड़कर ही लाया जा सकता है। पेरेटो का कहना है कि परिवर्तन हर हमेशा हारे हुए व्यक्ति तथा जीते हुए व्यक्ति के रूप में नजर आता है। लेकिन संसाधनों का उपयोग यदि निपुणता के साथ किया जाए तो ऐसी स्थित नहीं आती है अर्थात् बगैर किसी को क्षति पहुँचाए किसी का कल्याण किया जा सकता है।

पार्किंसन सिद्धांत (PARKINSON'S LAW)

सी. नॉर्थकोट पार्किंसन द्वारा दिया गया सिद्धान्त, जिसके अनुसार कार्य का विस्तार उस उपलब्ध समय के अनुसार होता है जिस समय में उसे किया जाना है।

पेनी स्टॉक (PENNY STOCKS)

छोटी कंपनियों का निम्न मूल्य का शेयर, जिनका बाजार पूँजीकरण कम होता है। भारत में यह शब्द चर्चा वर्ष 2006 में के मध्य में रहा जब कुछ पेनी स्टॉक का बी.एस.ई. तथा एन.एस.ई. पर मूल्य अधिक हो गया।

फिलिप्स वक्र (PHILLIPS CURVE)

एक आलेखी वक्र, जो बेरोजगारी के स्तर तथा वेतन के दर में परिवर्तन के बीच संबंध के आनुभविक प्रेक्षण को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि यह मूल्यों के परिवर्तन दर को दर्शाता है। वर्ष 1958 में न्यूजीलैण्ड के अर्थशास्त्री ए. डब्ल्यू. फिलिप्स (1914-75) ने कहा कि मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के बीच में संबंध है— यदि बेरोजगारी की दर कम होती है तो मुद्रास्फीति की दर अधिक होती है।

पिग्गीबैक ऋण (PIGGYBACK LOAN)

यह शब्द रेहन व्यवसाय से संबंधित है तथा वर्ष 2007 के मध्य में अमेरिकी सब-प्राइम संकट के कारण प्रसिद्ध हुआ। पिग्गीबैक ऋण एक दूसरा रेहन है, जिसके द्वारा कर्जदार कम अथवा बगैर किसी इक्विटी के घर खरीद सकता है।

पिगऊ प्रभाव (PIGOU EFFECT)

इस प्रभाव का नाम ऑर्थर सेसिल पिगऊ (1877-1959) नाम पर है, यह अपस्फीति (deflation) के कारण होने

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

वाला एक धन प्रभाव (Wealth Effect) है। मूल्यों के घटने के कारण लोगों के पैसों का वास्तविक मूल्य बढ़ जाता है तथा वे धनी हो जाते हैं तथा और अधिक खर्च करते हैं। माँग बढ़ने के कारण रोजगार में वृद्धि होती है।

अधिमान्य शेयर (PREFERENCE SHARES)

वैसे शेयर जो एक निश्चित लाभांश देते हैं तथा जिन्हें इक्विटी शेयर से अधिक प्राथमिकता दी जाती है (लाभांश तथा परिसंपत्ति के मामले में)। इसे मिश्रित प्रतिभूति (Hybrid Securities) भी कहते हैं (चूँकि उनमें इक्विटी शेयर तथा प्रतिभूति दोनों का गुण होता है)।

मूल्य-अर्जन अनुपात (PRICE-EARNING RATIO)

शेयर बाजार में उपयोग की गई एक अवधारणा, जो शेयरों की तुलना करती है। यह अनुपात शेयर के बाजार मूल्य को प्रति शेयर लाभांश से भाग देकर निकाला जाता है।

प्राथमिक तथा द्वितीयक बाजार (PRIMARY AND SECONDARY MARKET)

यदि शेयरों को शुरुआती दौर में (सार्वजनिक बिक्री हेतु) खरीदा जाए तो उसे प्राथमिक बाजार कहा जाता है। द्वितीयक बाजार में एक निवेशक, दूसरे निवेशक से बाजार अथवा सहमत मूल्य पर शेयर खरीदते हैं।

प्राथमिक विक्रेता (PRIMARY DEALER)

प्राथमिक विक्रेता एक मध्यस्थ होता है, जो सरकारी प्रतिभूतियों तथा राजकोषीय बिल (Treasury Bills) की नीलामी में भाग लेता है, मध्यस्थ के द्वारा ये प्रतिभूतियाँ द्वितीयक बाजार तक पहुँचते हैं। माँग मुद्रा बाजार तथा नोटिस मुद्रा बाजार में प्राथमिक विक्रेता को भाग लेने की अनुमति है।

बंदी की दुविधा (PRISONER'S DILEMMA)

खेल सिद्धांत का एक लोकप्रिय उदाहरण, जो इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता है कि क्यों विभिन्न पक्षों के बीच सहयोग मुश्किल है, यद्यपि यह उनके लिए लाभकारी होता है। वास्तव में कंपनियाँ बंदी की तरह पेश आती हैं तथा एक-दूसरे पर विश्वास नहीं करती हैं। वे चाहें तो किसी उत्पाद का मूल्य अधिक रख सकती हैं। यदि दूसरी कंपनी को विश्वास में ले। एक-दूसरे पर विश्वास किए बगैर उनकी स्थिति बदतर हो जाती है।

इस परिस्थिति में तीन संभावित परिणाम हो सकते हैं:

(i) कोई एक अपना दोष स्वीकार कर दूसरे के विरुद्ध गवाही देने को तैयार हो जाए- सरकारी गवाह के रूप में बदले में उसे हल्की सजा होगी जबकि उसकी साथी बंदियों को भारी दंड मिलता है।

(ii) वे कुछ भी करने को तैयार नहीं हो और सौभाग्य से उन्हें हल्की सजा किले, यहां तक कि पुष्ट प्रभावों के अभाव में बरी कर दिए जाएँ।

(iii) ये दोष की मान लें और हल्की वैयक्तिक सजा पर हैं, उस नियति अलग जिसमें एक को बिना कुछ कहे भी सजा हो जाती और दूसरा उसके खिलाफ गवाही दे देता।

दूसरा संभावित परिणाम दोनों कैदियों के लिए सर्वोत्तम दिखता है हालांकि यह जोखिम के दूसरा दोष स्वीकार कर सारणी गवाह बन जाएगा, दोनों गवाहों को दोष स्वीकार के लिए प्रोत्साहित करेगा, परिणामस्वरूप दोनों सजा के हकदार हो जाएंगे जिससे चुप रहकर बच सकते थे।

वास्तविकता में, प्रतिष्ठान इन्हीं कैदियों की तरह व्यवहार करते हैं कीमतों को उतना ऊँचा नहीं रखते जितना कि वे रख पाते अगर उन्हें यह भरोसा होता कि दूसरे प्रतिष्ठान अपने दाम घटा नहीं देंगे। आखिरकार सभी प्रतिष्ठानों/कंपनियों को यह स्थिति झेलना पड़ती है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

जनसंख्या जाल (POPULATION TRAP)

यदि जनसंख्या विकास दर, आर्थिक विकास दर से अधिक हो तो गरीबी उन्मूलन अत्यधिक मुश्किल हो जाता है—इस तरह की स्थिति में सरकार को यह सुझाव दिया जाता है कि उसे जनसंख्या नियंत्रण उपायों का कार्यान्वयन करना चाहिए।

गरीबी जाल (POVERTY TRAP)

एक ऐसी स्थिति, जहाँ बेरोजगारी भत्ता पाने वाले बेरोजगारों को नौकरी पाने के लिए प्रोतसाहित नहीं किया जाता है क्योंकि कर चुकाने के बाद उनका उपार्जन बेरोजगारी भत्ते से कम होता है, इसे बेरोजगारी जाल भी कहते हैं।

प्रेडेटरी प्राइसिंग (PREDATORY PRICING)

किसी कंपनी की मूल्य-निर्धारण नीति, जिसके द्वारा प्रतिद्वंद्वियों को हानि पहुंचायी जाती है तथा उपभोक्ता से अनुचित लाभ उठाया जाता है। उत्पादों के मूल्यों को गिराकर पहले प्रतिद्वंद्वियों को बाजार से बाहर किया जाता है तथा कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं से अनुचित लाभ उठाया जाता है, क्योंकि उत्पाद की आपूर्ति पर उस कंपनी का एकाधिकार होता है।

क्रय शक्ति समानता (PURCHASING POWER PARITY—PPP)

क्रय शक्ति समानता (PPP) किसी मुद्रा के सही/वास्तविक मूल्य को परिकलित करने की एक विधि है, जो मुद्रा के बाजार विनिमय दर से भिन्न हो सकती है। इस विधि का उपयोग कर एक सामान्य मुद्रा में विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है।

यह विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के लोगों के जीवन स्तर के अध्ययन के लिए एक लोकप्रिय पद्धति है, जिसका उपयोग विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करते हैं। इसे पहली बार वर्ष 1990 में उपयोग में लाया गया। पीपीपी एक मुद्रा के लिए भिन्न विनियम दर प्रदान करती है, जिसे अर्थव्यवस्थाओं की राष्ट्रीय आय की आय का आधार हो बनाया जा सकता है। इसी आधार पर भारत का सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) अमेरिका, जापान तथा चीन के बाद चौथे स्थान पर है, जबकि रुपए के बाजार विनियम दर के आधार पर इसका स्थान तेरहवाँ है।

क्रय शक्ति समानता (Purenasing Power parity, PPP) की अवधारणा यूरोपीय रूढ़िवादी अर्थशास्त्री गुस्तान कैसल (1866-1944) ने विकसित की गई। अवधारणा इस धारणा या अनुमान पर कार्य करती है कि बाजार एक मूल्य के नियम (law of one price) पर काम करता है। मानी कि समान वस्तुओं के मूल्य विभिन्न बाजारों के समान होंगे जब उन्हें साझी मुद्रा (Common ewrency) में मापा जाएगा। यदि ऐसा नहीं है तो इसका अर्थ यह होगा कि की मुद्राओं की क्रय शक्ति भिन्न-भिन्न है।

एक उदाहरण लें। मान ले कि चीनी अमेरिका में 1 डॉलर तथा भारत में 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है, तब पीपीपी आधारित रुपए की विनियम दर होगी 1 डॉलर = रु. 20। इसी प्रकार से लंदन के द *इकनोमिस्ट* ने 'बिग मैक सूचकांक' तैयार किया है (इसमें मैक डोनाल्ड बर्गर के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में मूल्य शामिल हैं।

सिद्धांतत: मुद्राओं का मूल्य उनकी बाजार विनियम दर के रूप में पीपीपी के रूप में उनके मूल्य के साथ मिल जाना चाहिए-दीर्घावधि में। लेकिन अनेक कारणों, जैसे-मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव मुद्रा आपूर्ति का स्तर, एक्सचेंज रेट रेंजाम्स के फॉलो अप आदि से ऐसा नहीं हो सकता।

पीपीपी की गणना के लिए समान गुणवत्ता वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलनीय बकेट का चयन किया जाता है, जो कि अत्यंत कठिन काम है। पीपीपी के संगठन में दूसरी कठिनाई एक मूल्य सिद्धांत से जुड़ी है। परिवहन, लागत, स्थानीय वन उत्पादन स्तर आदि में भिन्नता के कारण एक मूल्य संभव नहीं रह जाता। विभिन्न बाजारों के वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य एक समान नहीं हो सकता यह भले ही सिद्धांत रूप में सही दिखे, व्यवहार में असंभव है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

क्रय कर (Purchase Tax)

वह कर जो भारत में राज्यों द्वारा वस्तुओं पर वसूला जाता है। यह व्यापारियों/उत्पादकों द्वारा की गई खरीद पर लागू होता है- अमूमन विक्रेता द्वारा लिया गया और संबंधित राज्य को दिया गया कर होता है। जब व्यापारी/उत्पादक राज्य को मूल्य वर्धित कर (वैट) का भुगतान करते हैं तब यह उसमें से काट दिया जाता है क्योंकि वैट खरीदी-बिक्री निर्मित वस्तुओं की कीमत के अंतर पर चुकाया जाता है। यह कर उन आठ करों में से है जिसे आने वाले अप्रत्यक्ष कर, जीएसटी (GST) में समाहित किया जाना है।

सीमित संस्थागत नियोजन (Qualified Institutional Placement—QIP)

सीमित संस्थागत नियोजन (QIP) भारतीय शेयर बाजार से संबंधित एक नीति है, जिसमें इक्विटी शेयर जारी कर पूंजी एकत्र की जाती है। सीमित संस्थागत नियोजन के नए रूप का आकर्षण इसलिए है क्योंकि इसे पूँजी एकत्र करने की विस्तृत प्रक्रिया से होकर गुजरना नहीं पड़ता है।

क्यू सिद्धान्त (Q Theory)

नोबल पुरस्कार विजेता (1981) अर्थशास्त्री जेम्स टोबिन (1918-2002) द्वारा प्रस्तावित कंपनियों के लिए एक निवेश सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कंपनियाँ उस हद तक निवेश कर सकती हैं, जब तक कंपनियों के शेयर का मूल्य उनके परिसंपत्ति के प्रतिस्थापन्न मूल्य से अधिक होता है। उन्होंने सिद्धांत दिया कि फर्म तब तक निवेश करती रहेगी जब तक उनके शेयरों का मूल्य उनकी परिसम्पत्ति की प्रतिस्थापन्न लागत से अधिक रहता है। एक फर्म (प्रतिष्ठान) का बाजार मूल्य तथा फर्म की जन-सम्पत्तियों की कुल प्रतिस्थापन्न लागत कर अनुपात 'टोबिन ब्लू' (Tobina) के रूप में जाना जाता है यदि क्यू ये अधिक है, तब इससे फर्म के निवेश में विस्तार होना चाहिए क्योंकि अपनी परिसम्पत्तियों से जिस मुनाफे की उसे अपेक्षा है (जो कि शेयर मूल्यों में प्रतिबिम्बिंत होता है) वह परिसम्पत्तियों की लागत से अधिक होता है।

अगर क्यू 1 से कम है, फर्म के लिए बेहतर होगा कि वह परिसम्पत्तियों की विंडो करें क्योंकि उसका मूल्य शेयरधारकों द्वारा अपेक्षित लाभ से अधिक होगा जो कि फर्म को उन्हें अपने पास रखने पर हासिल होगा।

रैण्डम वॉक् (Random Walk)

यह स्थिति तब उत्पन्न होती है, जब अगले कदम का अनुमान लगाना संभव नहीं होता है। कार्यक्षम बाजार सिद्धांत (Efficient Market Theory) के अनुसार वित्तीय परिसम्पत्ति (जैसे-शेयर) का मूल्य यादृच्छिक मार्ग का अनुसरण करता है। अगले मूल्य परिवर्तन के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। इस सिद्धांत के अनुसार, वे सभी सूचनाएँ, जो किसी निवेशक को मूल्य सम्बन्धी अगले कदम के लिए प्रेरित करती हैं, वास्तव में वर्तमान मूल्य में ही निहित होती हैं।

रेड लाइनिंग (Redlining)

इस कदम के अंतर्गत वैसे व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध नहीं कराया जाता है जो किसी किस्म के गरीब अथवा अशांत क्षेत्र में रहते हैं। इन क्षेत्रों को मानचित्र पर लाल रेखा से अंकित किया जाता है।

किराया (Rent)

अर्थशास्त्र में इसका दो अर्थ है:

(i) किसी भूमि अथवा अन्य टिकाऊ वस्तुओं को किराये पर लेने के कारण आय का उपार्जन।

(ii) यह बाजार की शक्ति (Market Power) का मापन है (इसे आर्थिक किराया भी कहते हैं) – उत्पादन के किस कारक का भुगतान किया जाता है तथा वर्तमान उपयोग में रहने के लिए कितना भुगतान किया जाना चाहिए के बीच का अंतर।

उदाहरण के लिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी को टीम से खेलने के लिए हर सप्ताह 40,000 रुपये का भुगतान किया जाए, जबकि वह अपनी इच्छा से 10,000 रुपये

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

में खेलने के लिए तैयार था, इस तरह आर्थिक किराया 30,000 रुपए प्रति सप्ताह हुआ।

किराये का प्रयत्न (RENT SEEKING)

यह शब्द अर्थशास्त्री गोर्डोन टुलोक द्वारा दिया गया। इसके अंतर्गत कंपनियाँ द्वारा समय तथा पैसों का खर्च वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन पर नहीं किया जाता है बल्कि उनका प्रयत्न यह होता है कि सरकार अपनी नीति बदले ताकि उनका व्यवसाय अधिक लाभकारी हो।

किराया पेक्षी व्यवहार (RENT-SEEKING BEHAVIOUR)

वह व्यवहार जो किसी की कुशलता में वृद्धि कर दे किसी और की कीमत पर, तो यह किराया में और व्यवहार माना जाता है। संरक्षण रैकेट इसका चरण उदाहरण है, जिसमें एक समूह (संक्षित समूह) अपनी स्थिति में सुधार करता है बिना अपनी भलाई में वृद्धि के लिए कोई योगदान दिए।

प्रतिस्थापन्न मूल्य (REPLACEMENT COST)

किसी संपत्ति (जैसे-मशीनरी) का प्रतिस्थापन्न मूल्य। यह ऐतिहासिक मूल्य (सम्पत्ति खरीदने का वास्तविक मूल्य) के विपरीत होता है। यह मुद्रास्फीति के प्रभावों का समंजन करता है।

अवशिष्ट जोखिम (RESIDUAL RISK)

यदि किसी सम्पत्ति से सभी साझे खतरों को हटा दिया जाए तो बाकी बचे खतरे को अवशिष्ट खतरा कहा जाता है। इसे अल्फा (a) भी कहा जाता है। विविधिकरण द्वारा इस खतरे को कम किया जा सकता है।

खुदरा बैंकिंग (RETAIL BANKING)

बैंकिंग व्यवसाय का एक तरीका, जहाँ बैंक कंपनियाँ की जगह व्यक्तियों को ऋण देना पसंद करते हैं। इसे हाइस्ट्रीट बैंकिंग भी कहते हैं। इस तरह के बैंकिंग में उपभोक्ता ऋण, निजी ऋण इत्यादि पर बल दिया जाता है।

पश्चगमन (RETROECSSION)

इस शब्दावली का तीन अर्थों के उपयोग होता है:

(i) पुनर्बीमा (Nicnsurance) की किसी पुनर्बीमा कंपनी द्वारा खरीद भारत के मामले में साधारण बीमा निगत GIC उन पुनर्बीमा को प्रदान किया हैं। इससे यह जोखिम सीमित हो जाता है एक पुनर्बीमा कंपनी किसका सामना कर सकती है, चूंकि इसने बीमा की खरीद एक 'घटना' (esent) के विरुद्ध की है जो उस कम्पनी को प्रभावित कर सकती है, जिसने उसे पुनर्निर्मित किया है। अगर एक पुनर्जीवित कंपनी बीमा की खरीद जारी रखती है, यह आनेजाने के अपने जोखिमों को वापस खरीद भी कर रही हो सकती है, जिसे स्पाइटैलिंग (Spiralling) कहते हैं।

(ii) रूपान्तरित सम्पत्ति को किसी व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति को स्वेच्छा से लौटाना, जो कि वास्तव में इस आश्य के अनुरोध का परिणाम भी हो सकता है। लेकिन परिभाषा के अनुसार यह किसी 'जबरन' लेन-देन का परिणाम नहीं होता। यू.के. द्वारा चीन को 1997 में हांगकांग लौटाना इसका श्रेष्ठ उदाहरण है।

(iii) परिसम्पत्ति को एक जगत करके उसका 'विकेदाकरण' करना एवं 'विविधता' प्रदान करके उसे अनेक हितभागियों के बीच विभाजित कर देना- ऐसा करने में 'पश्चगमन' का खतरा अवश्य होता है (अर्थात् खत्म कर देना या एकदम कम कर देना)। ऐसा सामान्यत: 'हेज फंड' द्वारा उनके दैनदिन के पोर्ट फोलियो मैनेजमेंट में किया जाता है।

विपरीत हस्तांतरण (REVERSE TAKEOVER)

इस शब्द का प्रयोग दो तरीके से किया जाता है:

(i) यदि किसी सार्वजनिक कंपनी को काई निजी कंपनी खरीद ले, तथा;

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(ii) यदि किसी बड़ी कंपनी को एक छोटी कंपनी खरीद ले।

अवशिष्ट बेरोजगारी (Residual Unemployment)

वैसे लोगों की बेरोजगारी जो पूर्ण रोजगार के दौर में भी बेरोजगार रह जाते हैं (जैसे-एक अत्यधिक अपंग व्यक्ति की बेरोजगारी)।

विपरीत रेहन (Reverse Mortage)

भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बजट 2007-08 में घोषित एक योजना, जिसके द्वारा वरिष्ठ नागरिक अपने घर को बैंकों के पास गिरवी रख सकते हैं तथा बैंक यदि चाहे तो उन्हें पैसा किस्तों में अथवा एकमुश्त दे सकते हैं। विपरीत रेहन (Reverse mortage) के लिए दिशा-निर्देशों की घोषणा राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) द्वारा मई 2007 में की गई थी। इसमें बंधक रखने की अवधि 15 वर्ष निर्धारित है एक बार जब बंधक अवधि पूर्ण हो जाती है, या तो आवास खाली हो जाना चाहिए या फिर बैंक उस आवास को बाजार दर पर बेच देगा, जिससे बैंक के कर्ज का समाधान हो जाएगा। अगर मकान का मूल्य कर्ज की राशि से अधिक है तो अंतर का भुगतान वरिष्ठ नागरिकों अथवा उनके उत्तराधिकारियों को कर दिया जाता है अगर उत्तराधिकारी मकान का स्वामित्व लेना चाहता है तो उसे कर्ज चुकाना होगा।

विपरीत लाभ अन्तर (Reverse Yield Gap)

इक्विटी से अधिक दोषी प्रतिभूतियों से लाभ होना। यह अधिक मुद्रास्फीति के दौर में होता है, क्योंकि इक्विटी मुद्रास्फीति की क्षतिपूर्ति के लिए पूँजीगत अभिलाभ प्रदान करते हैं, लेकिन दोषपूर्ण प्रतिभूतियाँ ऐसा नहीं करती हैं।

उद्घाटित प्राथमिकता (Revealed Preference)

यह धारणा कि कोई व्यक्ति क्या चाहता है वह इस बात से उद्घाटित होता है कि वह क्या करता है न कि वह क्या कहता है—कार्य शब्दों से अधिक प्रभावी होता है।

रिकार्डियन समानता (Ricardian Equivalence)

यह विचार सबसे पहले डेविड रिकार्डो (1772-1823) द्वारा दिया गया तथा बाद में इस विचार का समर्थन बेरो ने भी किया। इसके अनुसार सरकार घाटा अर्थव्यवस्था में कुल माँग के स्तर को प्रभावित नहीं करता है। इसका कारण यह है कि करदाता यह जानते हैं कि किसी भी घाटे का भविष्य में भुगतान करना होगा तथा अधिक कर अदायगी के लिए वे अपनी बचत में वृद्धि करते हैं।

ऐसा इसलिए होता है क्योंकि करदाता यह जानते हैं कि अभी का घाटा भविष्य में भुगतान करना होगा। अत: वे भविष्य में कर भार के बढ़ने के अंदेशे से अपना बचत बढ़ाना शुरू कर देता है। इस प्रकार कर में कटौती एवं सार्वजनिक व्यय को बढ़ाकर जब अर्थव्यवस्था को गतिमान करना चाहती है तो निजी क्षेत्र का यह कार्य इसे शक्तिहीन कर देता है।

इस समतुल्यता की स्थिति यह विचारधारा उभरी कि अर्थव्यवस्था पर सिर्फ वास्तविक चरों (variables), जैसे—खपत एवं उत्पादन का ही प्रभाव पड़ता है तथा वित्त पोषण की इच्छा से संबंधित निर्णयों का एक बेहतर ढंग से कार्यरत बाजार पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

रिस्क सीकिंग (Risk Seeking)

इस क्रिया द्वारा निवेश वैसे निवेश को पसंद करते हैं, जिसमें लाभ अनिश्चित होता है। वे ऐसे निवेशों को उन

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

निवेशों की जगह प्राथमिकता देते, जिनमें अनुमानित लाभ निश्चित होता है।

अँगूठे का नियम (RULE OF THUMB)

एक काम चलाऊ निर्णय लेने का साधन, जो किसी समस्या के लिए लगभग सटीक हल प्रदान करता है। जहाँ एक ओर परिष्कृत निर्णय लेने की प्रक्रिया महँगी होती है (सूचना एकत्रण तथा प्रोसेसिंग के संदर्भ में) वहीं ऐसी कामचलाऊ विधि कारगर होती है।

राउण्डिंग एरर (ROUNDING ERROR)

दशमलव के आँकड़ों को पूर्ण करने में जो त्रुटि आती है, उसे राउण्डिंग एरर कहा जाता है, जैसे–3.6 की जगह 4 तथा 3.4 की जगह 3 । ऐसे आँकड़े गणितानुसार सही नहीं होते हैं।

वेतन (SALARY)

किसी संगठन, कंपनी, इत्यादि के कर्मचारियों को किया गया भुगतान। यह उत्पादन में उनके श्रम के योगदान के एवज में दिया जाता है। यह मजदूरी (wage) से निम्नलिखित रूप में भिन्न है:

(i) यह मजदूरी की तरह घंटों के आधार पर नहीं दिया जाता है।

(ii) यह मासिक आधार पर दिया जाता है, जबकि मजदूरी दैनिक अथवा साप्ताहिक आधार पर दी जाती है।

संतोषजनक सिद्धांत (SATISFICING THEORY)

इस सिद्धांत के अनुसार, कंपनियों का मात्र संतोषजनक लाभ ही उद्देश्य नहीं है बल्कि अधिकतम् लाभ उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त कंपनियाँ अन्य उद्देश्यों की भी पूर्ति करना चाहती हैं, जैसे–आकार में वृद्धि, बिक्री में वृद्धि इत्यादि।

से का नियम (SAY'S LAW)

फ्रांसिसी अर्थशास्त्री जीर बैपराइज से (1767–1832) के नाम पर बना यह कानून प्रस्तावित करता है कि कुल आपूर्ति (Aggregate Supply) स्वयं अपने लिए कुल मांग (Aggregate Demand) पैदा करती है।

इस कानून का तर्क यह है कि उत्पदन की क्रिया शुरू होते ही एक आय सृजित होती है (मजदूरी, वेतन, मुनाफा आदि के रूप में) जो कि उत्पाद (Output) के बिल्कुल बराबर होती है जिसे अगर खर्च कर दिया जाए तो उससे सम्पूर्ण उत्पादित उत्पाद (Output) को खरीदा जा सकता है अंततः इससे एक संकेत मिलता है-पूर्ण रोजगार का स्थिति को प्राप्त करने के लिए जलयोग आपूर्ति (Aggregate Supply) को बढ़ाने भी की जरूरत है।

इस कानून के पीछे मूल धारणा यह है कि, आर्थिक व्यवस्था आपूर्ति आधारित (Supply-led) होती है, और यह कि समस्त आय खर्च हो जाती है लेकिन व्यवहार में यह देखने में आता है कि आय का कुछ हिस्सा बजट कर आदि में चला जाता है और इसकी कोई स्वतः गारंटी नहीं है। समस्त आय खर्च (Spending) के रूप में वापस, अतः घोषित (injected back), हो जाती है यही कारण है कि कई अन्य अर्थशास्त्री माँग-आधारित अर्थव्यवस्था करते हैं जिसमें माँग सृजन की पूर्ति पूरी तत्परता से की जाती है।

दूसरा सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत (SECOND BEST THEORY)

यह विचार रिचर्ड लिपसे तथा केल्विन लेनकास्टर द्वारा 1956 में दिया गया। यह एक ऐसी स्थिति से रास्ता निकालता है, जब किसी आर्थिक मॉडल के लिए सभी मान्यताएँ पूरी नहीं होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार दूसरी सर्वश्रेष्ठ स्थिति तब होगी, जब अधिक-से-अधिक मान्यताओं को यथासंभव पूरा किया जा सके।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

सिक्युरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (SECURITIES TRANSACTION TAX)

(अध्याय 17 देखें, *भारत में कर संरचना*)

सेन्नोरेज (SEIGNORAGE)

सरकार द्वारा संसाधन उत्पन्न करने की एक विधि, जिसमें नयी नोट मुद्रायें छापी जाती हैं। सरकारी खर्च का भुगतान करने के लिए अधिक तेज गति से नोट/मुद्रा छापने से मुद्रास्फीति बढ़ती हैं, जिसके कारण सरकार अतिरिक्त संसाधन का प्रयास करती है। यद्यपि उसे 'मुद्रास्फीति कर' भी कहा जाता है।

जब्ती (SEQUESTRATION)

वह प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत एक तीसरा पक्ष विवादित परिसम्पत्ति का एक भाग अपने कब्जे में रखता है जब तक विवाद का निपटारा न हो जाए।

छाया बैंकिंग (SHADOW BANKING)

ऐसा कोई वित्तीय संस्थान, जो कर्ज तो बैंक की तरह प्रदान करे लेकिन वह बैंकिंग विनियमन के अंतर्गत नहीं आये वह 'छाया बैंकिंग' में संलग्न माना जाता है। 'हेज कोष' इसका एक बेहतर उदाहरण है। इसी प्रकार विनियमित वित्तीय संस्थानों के अविनियमित वित्तीय कारोबार को भी इसी श्रेणी में रखा जाता है। हाल में समाचारों में रहने वाला इसका सबसे अच्छा उदाहरण 'क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप' (CDS) है, जिसमें एक विनियमित संस्थान ऋण उपलब्ध कराने वाले बैंक को ऋण संरक्षण (Protection) प्रदान करता है और इस प्रकार बैंक अपने व्यापार के जोखिम को आसानी से एक गैर-बैंक पर डाल देता है, जिसका विनियमन RBI नहीं करता है।

चूंकि ऐसे संस्थान बैंकों की तरह किसी से कोई जमा (deposit) नहीं लेते अतः बैंकिंग नियमन की नीतियों से वे आसानी से बच जाते हैं अर्थात् उन्हें बैंकों की तरह किसी 'आरक्षित औसत' (यथा–CRR एवं SLR) की भी पूर्ति नहीं करनी पड़ती है जिस कारण किसी वित्तीय दबाव के वक्त इनके लिए धन की व्यवस्था करना लगभग असंभव हो जाता है।

वर्ष 2007-08 के अमेरिकी 'सब-प्राईम' संकट के बाद से 'शैडो बैंकिंग' हमेशा ही समाचारों में रही है तथा वैश्विक स्तर पर इनके बेहतर नियमन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

शार्पे अनुपात (SHARPE RATIO)

यह विचार बिल शार्पे (नोबल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री) द्वारा दिया गया। यह इस बात की जाँच करता है कि निवेश का प्रतिलाभ उनके लिए उठाए गए जोखिमों के लायक है कि नहीं। इसके लिए शार्पे ने प्रतिलाभ के पिछले आँकड़ों का उपयोग किया तथा परिकलन मानक विचलन विधि का उपयोग कर किया।

शॉर्ट सेलिंग (SHORT SELLING)

शेयरों को बगैर प्रोसेसिंग किए बेचना। इसे 'बियर ऑपरेशन' भी कहते हैं। ऐसा शेयरों के मूल्य गिरने पर किया जाता है।

बंद उत्पादन मूल्य (SHUT DOWN PRICES)

कंपनी के किसी उत्पाद का मूल्य, जिस मूल्य पर उसका उत्पादन बंद किया जाता है, क्योंकि उसके उत्पादन से कंपनी को कोई लाभ नहीं होता है।

स्किमिंग मूल्य (SKIMMING PRICE)

जब उपभोक्ता मूल्य के प्रति सजग नहीं हो तो कंपनियाँ उत्पादों से अधिक लाभ कमाती हैं। इस तरह से मूल्य को स्किमिंग मूल्य कहते हैं।

स्मर्फिंग (SMURFING)

स्वामी की वास्तविक पहचान गुप्त रखने के लिए बहुत सारे बैंकों में थोड़ा-थोड़ा धन रखने को स्मर्फिंग कहा जााता है। इसे 'स्ट्रकचरिंग' भी कहा जाता है तथा इसे 'मुद्रा धोवन' (Money Laundering) के एक तरीके के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। भारत में आर्थिक सुधारों

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

के काल में बैंकिंग नियमन के बेहतर नीति-नियमों की वजह से ऐसी गतिविधियां घटी हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति यह कार्य करता है उसे 'स्मर्फर' या 'मनी म्यूल' (Money Mule) कहते हैं।

सामाजिक मूल्य (Social Costs)

कंपनियाँ की आर्थिक गतिविधियों के कारण समाज पर बढ़ता भार सामाजिक मूल्य कहलाता है। प्रदूषण इसका एक प्रमुख उदाहरण है।

संपन्नता मात्रा (Solvency Margin)

शुरुआत में जीवन बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित शर्त यह थी कि बीमा किए जाने वाले व्यक्ति की परिसंपत्ति का मूल्य उस पर मौजूद भारत के मूल्य से अधिक न हो। इस मात्रा को संपन्नता मात्रा कहा जाता है।

अनेक देशों में निर्यातकों ने यह महसूस किया कि परिसम्पत्ति का मूल्य देशदारी के मूल्य से अधिक होना चाहिए कुछ निश्चित स्तर तक यह मार्जिन (अंतर) जो कि 'सॉल्वेंसी मार्जिन' (सम्पन्नता अंतर) के रूप में जाना गया। एक बेहतर एवं उपयागी युक्ति बन गया जिसके द्वारा सिकी जीवन बीमा कम्पनी के शेयर धारक को विवश किया जा सकता है कि वह या तो मुनाफे का एक भाग सुरक्षित रखते अथवा अतिरिक्त पूँजी लाए अगर अदृश्य आकस्मिकताओं के लिए पर्याप्त मुनाफा नहीं हो रहा। यूरोपीय संघ ने एक आनुभविक सूत्र विकसित किया जिससे कि जरूरी मार्जिन की मात्रा निर्धारित की जा सके। आई आर डी ए (IRDA) के अनुसार देनकारी पर परिसम्पत्ति की अधिकतर (पूँजी सहित) 150 प्रतिशत के 'सॉल्वेंसी मार्जिन' से कम नहीं होना चाहिए।

सरकार से खतरा (Sovereign Risk)

यदि सरकार अपने ऋणों की अदायगी नहीं करे तथा वैसी स्थिति में भी चूक करे जहाँ ऋणों की गारंटी उसके द्वारा प्रदान की जाती है।

नकद मूल्य (Spot Price)

किसी भी व्यापार में जब भुगतान तथा सुपुर्दगी की जानी हो तो उद्धत मूल्य को नकद मूल्य कहा जाता है।

फैलाव (Spread)

वित्त बाजार में प्रयुक्त शब्दावली जो कि दो चीजों के बीच का अंतर होता है, उदाहरण के लिए फैलाव (यानी अंतर) जो एक अंडरटाइटर एक कंपनी से जारी बॉण्ड के लिए भुगतान करता है तथा जो मूल्य वह लोगों से वसूलता है इसी प्रकार की अलग बॉण्डों पर प्राप्तियाँ, अगर ये भिन्न हैं तो जो अंतर होगा उसे फैलाव या स्प्रेड कहते हैं।

मानक विचलन (Standard Deviation)

यह एक सांख्यिकीय तकनीक है, जिसके द्वारा यह मापा जाता है कि एक चर समय के साथ अपने औसत मूल्य से कितना दूर जाता है।

स्टैंडिंग जमा सुविधा योजना (Studing Deposit Facility Scheme)

एस.डी.एफ.एस. (SDFS) भारतीय रिवर्ज बैंक को दिया गया एक नया मौद्रिक साधन (monetary tool) है (*संघीय बजट 2018-19* में घोषित)। इस तरह का सुविधा प्रस्ताव भारतीय रिवर्ज बैंक द्वारा नवंबर 2015 में लाया गया था। आर.बी.आई. के पास एक ऐसे साधन की कमी महसूस की जा रही थी जिसके माध्यम से वह अर्थव्यवस्था की अत्यधिक तरलता (excess fund) का बेहतर प्रबंधन कर सके।

नवंबर 2016 में सरकार द्वारा विमौद्रीकरण (500 एवं 1000 की मुद्राओं का) किए जाने के बाद भारतीय बैंकों में अचानक अत्यधिक तरलता का आगमन हुआ था। तत्काल आर.बी.आई. द्वारा बैंकों के सी.आर.आर. (CRR) को उचित मात्रा में बढ़ाकर इस स्थिति से निबटने की कोशिश की गयी थी।

दूराव कर (Stealth Tax)

यह एक अस्पष्ट कर वृद्धि के लिए दिया गया लोकप्रिय नाम है, उदाहरण के लिए संपत्ति कर, मुद्रांक-शुल्क इत्यादि।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

इनका कार्यान्वयन महीनों बाद होता है, जब वे लोगों के स्मरण से लगभग मिट जाते हैं।

प्रसंभात्य प्रक्रिया (Stochastic Process)

यह प्रक्रिया यादृच्छिक व्यवहार को दर्शाता है। उदाहरण के लिए ब्राउनियन गति का उपयोग विशेषज्ञों द्वारा शेयर मूल्यों में हो रहे परिवर्तन को दर्शाने के लिए किया जाता है।

सब-प्राइम संकट (Sub-Prime Crisis)

'सब-प्राइम' शब्द का प्रयोग वैसे कर्जदारों के लिए किया जाता है, जिनके ऋण आदायगी का इतिहास अच्छा नहीं होता है। सब-प्राइम संकट का उद्गम अमेरिकी आवासीय बाजार में वर्ष 2007 के मध्यम में हुआ तथा इसे नई सहस्राब्दि का मुख्य वित्तीय संकट माना जाता है।

वास्तव में पिछले कुछ वर्षों के अंतर्राष्ट्रीय ब्याज दरों में धीरे-धीरे नरमी आती गई है। साथ ही आसान तरलता दशाओं के साथ दुनिया में निदेशक (बैंकों, वित्तीय संस्थाओं आदि) प्रेरित हुए हैं कि वे 'सब-प्राइम' मार्केट (Sub prime matket) में भी अपनी उपस्थिति का विस्तार करें। सब-प्राइम लोन से जुड़े जोखिमों को विभिन्न भागों में बाँटकर प्रतिभूतियों के जमघट में चैक दिया, जिन्हें 'एसेंट-बैक्ड सिक्यूरिटीज' तथा 'कोलैटेराइज्ड डेब्ट ऑब्लिगेशन' के नाम से से संबंधित किया जाता है। क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसियों ने इन्हें रिस्क रैंक (AAA, BBB आदि) प्रदान किया है जिससे कि वे अपनी विपणन योग्यता बढ़ा सके। इन नये उत्पादों की जटिल प्रकृति के कारण मध्यस्थ (जैसे–हेज फंड, पेंशन फंड, बैंक आदि) जो इन्हें अपने पोर्ट फोलियो में रखते थे, ये इनसे जुड़े जोखिमों से अनभिज्ञ था। जब ब्याज दर बढ़ने के कारण आवास प्रक्षेत्र में संकट आया, कर्ज का मूल्य। परिणामस्वरूप संस्थाएं अतरलता युक्त तथा मूल्यशील इंस्ट्रूमेंट्स के कारण तरलता संकट का शिकार हो गईं। पूँजी बाजार के इस संकट तद्नुसार मुद्रा बाजार को भी ग्रस किया।

अमेरिका एवं यूरो क्षेत्र में नीतिगत अनुक्रिया तरलता बढ़ाने के मामले के समाधान को लेकर दी, साथ ही यह चिंता की थी कि वित्तीय व्यवस्था में भरोसा बढ़ाया जाए। सब-प्राइम संकट ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं को भी प्रभावित किया।

भारत इस संकट के प्रभाव से कमोबेश अछूता रहा। भारत के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं का सब-प्राइम तथा परिपक्व बाजार से सम्बंधित परिसम्पत्तियों से उतना जुड़ाव नहीं रहा। पुनः भारत के वित्त क्षेत्र का सुधार की ओर धीरे-धीरे अग्रसर होना तथा स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था के निर्माण ने भारत को इस धक्के से बचाने में बहुत महत्वपूर्ण व सकारात्मक भूमिका निभाई।

सब्सिडी के लिए बोली लगाना (Subsidy Bidding)

कंपनियाँ किसी क्षेत्र में सेवा उपलब्ध कराने के लिए न्यूनतम मूल्य पर बोली लगाती हैं। यहाँ मुख्य प्रलोभन सब्सिडी तथा अन्य लाभ होता है। यह प्रणाली किसी प्रतिस्पर्द्धी या तकनीकी को दूसरे पर बढ़त पाने का मौका दिए बिना सब्सिडियों के प्रबंधन का तरीका है। लेकिन प्रतिस्पर्द्धी बोली का गैर-प्रतिस्पर्द्धी प्रभाव होता है क्योंकि ये किसी एक अर्थव्यवस्था को विशेष लाभ पहुँचाती है। नियामक को उपभोक्ता की पसंद की प्रणाली को अपनाना चाहिए जिसके तहत हर ऊंची लागत के ग्राहक के लिए उसे सब्सिडी मिलती है। यदि ग्राहक किसी प्रतिस्पर्द्धी के पास चला गया, तो सब्सिडी भी चली जाएगी।

प्रतिस्थापन्न प्रभाव (Substitution Effect)

मूल्यों में परिवर्तन के कारण यदि किसी उत्पाद को दूसरे उत्पाद से प्रतिस्थापित किया जाए तो इसे प्रतिस्थापन्न प्रभाव कहते हैं।

डूबती लागत (Sunk Costs)

व्यावसायिक गतिविधियों में वह लागत जो खर्च होती है और जिसे वापस नहीं पाया जा सकता। विज्ञापन, अनुसंधान और विकास, आदि पर खर्च इसके उदाहरण हैं। डूबती लागत नए प्रतिस्पर्द्धी के लिए व्यावसायिक दुनिया में उतरने के लिए बड़ी बाधा है क्योंकि उपक्रम के विफल होने के

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

बाद उस पर हुए खर्च को वापस नहीं पाया जा सकता–यहाँ कोई दो तरह की प्रक्रिया नहीं है।

विनिमय/अदला-बदली (SWAP)

किसी एक चीज को दूसरे से बदलने की प्रक्रिया। आर्थिक क्षेत्र में इसके कई रूप होते हैं; जैसे–(i) मुद्रा विनिमय (ii) ऋण विनिमय (iii) ब्याज दर विनिमय (iv) उत्पाद विनिमय।

मुद्रा की आदला-बदली (Currency Swap)

विदेशी मुद्रा की एक साथ खरीद एवं बिक्री भविष्य में मुद्रा की अदला-बदली को 'स्पॉट' कर सकती है। यह बहुराष्ट्रीय निगमों (Mnes) द्वारा विभिन्न दरों में परिवर्तन से हुए घाटे को कम करने के लिए उपयोग में लाया जाता है।

ऋण अदला-बदली (Debt Swap)

एक ऋण की दूसरे से अदला-बदली जो कि पुनर्भुगतान शेड्यूल की बढ़ती अघटन अवधि के लिए पूर्व की ब्याज दरों अथवा कम ब्याज दरों पर होती है।

ब्याज दर अदला-बदली (Interest Rate Swap)

एक विशेष ब्याज दर वाले ऋण का दूसरे, कहीं कम ब्याज दर वाले ऋण से अदला-बदली।

उत्पाद की अदला-बदली (Product Swap)

एक उत्पाद की दूसरे से अदला-बदली, जैसे–गेहूं के लिए दूध (वस्तु विनिमय की तरह)।

स्विफ्ट (SWIFT)

सोसायटी फॉर वर्ल्डवाईड इंटर-बैंक टेलीकम्युनिकेशन (SWIFT) एक संदेश नेटवर्क है जिसके द्वारा विश्व के बैंक एवं वित्तीय संस्थान जुड़े हुए हैं। वैश्विक वित्तीय लेन-देन की सूचना इसी नेटवर्क के माध्यम से संचालित होती है। फरवरी 2018 में जब लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoU) संबंधी एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया (पी.एन.बी. में) तो साथ में यह नेटवर्क भी समाचारों में रहा। इसके उपरांत आर.बी.आई. द्वारा देश के सभी बैंकों को अपनी कोर (core) बैंकिंग व्यवस्था को इस नेटवर्क से जोड़ने की सलाह दी गयी है ताकि भविष्य में होने वाले ऐसी धोखेबाजी से बचा जा सके।

संप्रभु धन निधि (SOVEREIGN WEALTH FUNDS–SWFs)

संप्रभु धन निधि वैसी विदेशी मुद्रा निधि है, जिसे विश्व के विभिन्न देशों की सरकारों ने रोक कर रखा है, खासकर एशिया तथा पश्चिम एशिया के देश की सरकारों ने। लगभग 25 ट्रिलियन डॉलर की कुल ऐसी निधि विश्व के विभिन्न देशों में हैं।

पहले ऐसे फंड सिंगापुर और नॉर्वे में पैदा होते थे लेकिन अब हम चीन, रूस तथा मध्य-पूर्व को नई उभरती एसडब्लूएफ (SWF) अर्थव्यवस्थाओं के रूप में देख रहे हैं। ऐसे फंड, जो कि अनुमानतः 25 ट्रिलियन डॉलर के बराबर हैं, उच्च लाभ एवं अधिक जोखिमों वाली परिसम्पत्तियों के विविधिकरण की तरह देख रहे हैं। कोई भी तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था, जिसकी विदेशी पूंजी के प्रति खुला एवं उदार रुख है और जो निवेश का अवसर चाहती है, ऐसी विधियों के अंतर्प्रवाह के लिए तैयार खुद को तैयार कर सकती है। भारत की ऐसी ही एक अर्थव्यवस्था है।

ऐसे फंड को पर्याप्त अध्ययन करके सावधानीपूर्वक इन्हें प्रवेश किया जा सकता है क्योंकि वे अपने साथ गैर-बाजारी तथा विशेषकर कारक भी ले आती हैं जिनका राजनय, रणनीति तथा संप्रभुता पर संभावित प्रभाव हो सकता है। नवंबर 2007 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने ऐसे फंड के प्रति आंशका प्रकट की थी।

स्विस फॉर्मूला (SWISS FORMULA)

शुल्क कटौती के सूत्र रेखीय अथवा गैर-रेखीय होते हैं। स्विस फॉर्मूला गैर-रेखीय सूत्र है। रेखीय सूत्र में शुल्क में कटौती समान प्रतिशत से होता है चाहे शुरुआती शुल्क कितना भी अधिक क्यों न हो। गैर-रेखीय सूत्र में शुल्क में कटौती शुरुआती शुल्क दर के अनुलोम अनुपाती अथवा व्युत्क्रमानुपाती हो सकती है।

स्विस फॉर्मूला में, शुल्क में कटौती उन शुल्कों से आनुपालिक रूप से उच्चतर होती है जो कि शुरूआत में

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

उच्चतर होते हैं। उदाहरण के लिए किसी देश में एक उत्पाद पर 30 प्रतिशत का शुरूआती शुल्क लगता है, तो उसे अधिक कटौती करनी होगी या उस देश के मुकाबले जहाँ उसी उत्पाद पर 20 प्रतिशत शुल्क लगता है।

डब्ल्यू.टी.ओ में चल रहे बहुपाश्विर्क व्यापारिक वार्ताओं ने यह तय किया गया है औद्योगिक उत्पादों पर आयात शुल्क कम करने के लिए स्विस फॉर्मूला आजमाया था। लंबी चर्चाओं के पश्चात सर्वसम्मत निर्णय लिया गया कि दो सेट गुणांक मानी कोफिशिएंट्स (Coefficients) होंगे-एक विकसित देशों के लिए और दूसरा विकासशील देशों के लिए। कोफिशिंएट के मूल्य पर काफी निर्णय देना शेष है।

भारत में औसत शुल्क विकसित देशों में लागू शुल्कों के मुकाबले बहुत अधिक हैं। अगर शुल्क में कमी का एक एकरेखीय फॉर्मूला उपभोग में लाया जाए तो दूसरा घटोतरी का बोझ विकसित देशों के समानुपात में हो सकेगा। हालांकि स्विस फॉर्मूला के उपयोग से भारत शुरूआती शुल्कों वाले विकसित देशों के मुकाबले अधिक कटौती के लिए प्रतिबंद्ध हो सकेगा।

व्यवस्थात्मक खतरा (SYSTEMATIC RISK)

इसके द्वारा पूरे वित्तीय व्यवस्था को क्षति पहुँचती है। आधुनिक वित्तीय विश्व व्यवस्था में यदि कोई एक बैंक विफल होता है तो पूरे विश्व के वित्तीय व्यवस्था को उससे नुकसान पहुँचता है।

अधिग्रहण (TAKEOVER)

यदि किसी कंपनी को दूसरी कंपनी अपने अधीन ले अथवा खरीद ले तो उसे अधीनीकरण अथवा अधिग्रहण कहते हैं। यह विलय के विपरीत होता है जो पारस्परिक समझौते का नतीजा होता है। वित्तीय विश्व में अधीनीकरण प्रतिपक्षीय कदम माना जाता है।

अधिग्रहण को मोटे दौर पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

(i) क्षैतिज अधिग्रहणों में वे कंपनियां शामिल हैं जिनके एक बाज़ार में प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्द्धी हैं;

(ii) वर्टिकल अधिग्रहण में वे कंपनियां शामिल हैं जिनमें आपूर्तिकर्ता-ग्राहक का संबंध होता है, और;

(iii) कॉन्गलोमिरेट अधिग्रहण में वे कंपनियां शामिल हैं जो असंबंधित बाज़ारों में संचालित होती हैं, लेकिन विविधिकरण का इरादा रखती हैं।

अधीनीकरण हेतु बोली लगाना (TAKEOVER BID)

यह किसी एक कंपनी द्वारा किसी दूसरे कंपनी के अधिकांश शेयरों को प्राप्त करने का प्रयत्न होता है। इस प्रक्रिया में कई शब्द कंपनी द्वारा अपनाए गए नीति को दर्शाते हैं; जैसे–**ब्लैक नाइट** (जब किसी अधीनीकरण की कल्पना नहीं की गई हो), **गोल्डन पैराशूट** (अधीनीकरण की शर्त जिसके तहत कर्मचारियों को नौकरी से हटाना अत्यधिक खर्चीला कदम होता है), **ग्रीन मेल** (जब कंपनी के शेयरों को खुद कंपनी के निदेशक ही खरीदते हैं) इत्यादि।

ब्लैक नाइट (Black Knight)

एक ऐसे अधिग्रहण की शुरूआत, जिसका स्वागत नहीं किया गया हो (जैसे–निकट अतीत में मित्तल द्वारा आर्सेलर का अधिग्रहण)।

गोल्डन पैराशूट (Golden Parachute)

एक उदार विच्छेद प्रावधान जो निदेशों (प्रतिष्ठान के) की नियोजन संविदा/सेवा शर्तों में उल्लिखित रहता है, जिसके कारण प्रतिष्ठता के अधिग्रहण के बाद उन्हें पद से हटाया काफी महँगा साबित होता है।

ग्रीन मेल (Green Mail)

अधिग्रहण के दौरान एक स्थिति जब एक संभावित बोली लगाने वाले (Bidder) द्वारा खरीदे गए शेयर वास्तव में फर्म के निदेशकों द्वारा खरीदे गए होते हैं।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

'लिवरेज्ड बिड' (Leveraged Bid)

किसी अधिग्रहण के लिए बोली लगाना जिसका वित्तीयन प्राथमिक रूप से ऋण द्वारा किया गया हो।

पैक-मैन डिकेंस (Pac-man Defence)

एक स्थिति जिसमें जिस प्रतिष्ठान की बोली लग रही हो वह बोली लगाने वाले प्रतिष्ठान की बोली लगाए–इसे प्रतिलोम अधिग्रहण बोली (Reverse takerover bid) कहते हैं।

जहरीली गोली (Poison Pill)

एक मुक्ति जिसमें वह प्रतिष्ठान जिसकी बोली लगभग रही है किसी अन्य प्रतिष्ठान दे साथ विलय करे ताकि वह संभावित बोली लगाने वाले की नजरों में कम आकर्षक (वित्तीय एवं सरंचनात्मक रूप से) बन जाए।

पोर्क्यूपाइन (Porcupine)

किस प्रतिष्ठान की बोली लग रही है उसकी उसके आपूर्तिकर्ताओं, कर्जदारों आदि के साथ हुए समझौते, जो इतने जटिल हो कि अधिग्रहण के पश्चात् बोली लगाने वाला प्रतिष्ठान के लिए कठिनाई पैदा हो।

शार्क रेपेलेंट्स (Shark Repellants)

उपाय जो अधिग्रहण कर्ताओं को विसल्साद करने के लिए ही डिजाइन किए गए हो (जैसे–प्रतिष्ठान के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को दल देना ताकि शेयरधारकों के वोटों का अनुपात बढ़ जाए-50 प्रतिशत के सामान्य ढंग से ऊपर)।

व्हाइट नाइट (White Knight)

किसी अधिग्रहण प्रयास के तीसरे पक्ष (फर्म) का हस्तक्षेप जो या तो शिकार (Victim) प्रतिष्ठान जैसे साथ विक्षय कर लेता है, अथवा किसी अनचाहे विचार से उसे बचाने के लिए उसका अधिग्रहण कर ले

कर प्रतीपन (TAX INVERSION)

यह कर व्यवस्था की एक स्थिति है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कोई कंपनी अपने मुख्यालय (headquarters) को किसी निम्न कर लगाने वाले देश में तथा अपने परिचालन (operations) को उच्च कर वाले देशों में विद्यमान रखती है। इस प्रकार कंपनियां अपने कर की देनदारी को निम्न बनाती हैं। ऐसा करना वैधानिक रूप से सही है तथा यह कर अपवंचन (tax avoidance) का एक तरीका है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां (MNCs) ऐसा आमतौर पर करती हैं-1970 एवं 1980 के दशकों तक कई अमेरिकी कंपनियों ने अपना मुख्यालय संयुक्त राज्य से बाहर स्थानांतरित किया गया था (विशेषकर इन्होंने इंग्लैंड में अपने मुख्यालयों की स्थापना की थी)।

वर्तमान में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां विश्व की बड़ी कंपनियों के मुख्यालय स्थित हैं (कर की दर के अपेक्षाकृत निम्न होने के कारण), जैसे–बरमूंडा, वर्जिन आइलैंड्स, आदि जिन्हें 'कर हैवेन्स' (tax hawens) भी कहा जाता है।

टेलर का नियम (TAYLOR'S RULE)

अर्थव्यवस्था की मुद्रास्फीति दर एवं उसके केन्द्रीय बैंक द्वारा घोषत सांकेतिक (nominal) ब्याज दर के बीच के संबंध से जुड़ा एक नियम/अवधारणा। जॉन बी. टेलर (1946) द्वारा प्रतिपादित इस अवधारणा के अंतर्गत यह विश्लेषित करने की कोशिश की गयी है कि मुद्रास्फीति दर में एक प्रतिशत वृद्धि हो तो केन्द्रीय बैंक अपनी सांकेतिक ब्याज दर में एक प्रतिशत से अधिक वृद्धि करता है। हालांकि इसके माध्यम से इस संबंध का सही विश्लेषण संभव नहीं है फिर भी इसका अपना एक शैक्षणिक महत्व है।

तकनीकी बेरोजगारी (TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT)

उत्पादन को स्वचालित करने के कारण उत्पन्न बेरोजगारी अर्थात् लोगों का प्रतिस्थापन्न मशीनों से होता है।

तीसरे पक्ष का बीमा (THIRD PARTY INSURANCE)

भारत में वाहन अधिनियम के अन्तर्गत तीसरे पक्ष का बीमा कराना अनिवार्य है। यह बीमा न तो वाहन के मालिक को और न ही बीमा कंपनी को लाभ पहुँचाता है बल्कि

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

उस तीसरे व्यक्ति को लाभ पहुँचाता है, जो दुर्घटना का शिकार होता है।

तीसरे पक्ष बीमा अथवा तीसरे पक्ष का बीमा मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत भारत में एक वैधानिक जरूरत है जिसे 'एक्ट बनली कवर' भी कहा जाता है। मोटर वाहन खरीदने वाले व्यक्ति के यह अनिवार्य बीमा कराना पड़ता है, जिसका लाभ तीसरे व्यक्ति (न वाहन मालिक, न ही बीमा कंपनी)- जो वाहन से दुर्घटना में पीड़ित होता है, को मिलता है।

31 दिसंबर, 2005 तक बीमा का प्रीमियम टैरिफ एडवाइजरी (इटडा का एक अंग) निश्चित करती थी, अब सीधे इरडा (IRDA) करता है हालांकि व्यापक सुरक्षा (कवर) के लिए मूल्य का निर्धारण करने के लिए बीमा कंपनियां स्वतंत्र हैं।

क्षतिपूर्ति की राशि पीड़ित व्यक्ति की आय अर्जन क्षमता के आधार पर निश्चित होती है।

तीसरा मार्ग (Third Way)

एक आर्थिक दर्शनशास्त्र जो न तो पूँजीवाद न ही समाजवाद पर विश्वास करता है बल्कि एक तीसरे मार्ग (व्यावहारिक) पर यकीन करता है।

20वीं सदी में यह विचार प्रसिद्ध हुआ तथा बिल क्लिंटन तथा टोनी ब्लेयर जैसे नेताओं का इसे समर्थन मिला। हालाँकि इसकी स्पष्ट व्याख्या करना मुश्किल है इसे पहले स्वीडन के आर्थिक मॉडल का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था।

कठोर मुद्रा (Tight Money)

जब मुद्रा एकत्र करना मुश्किल हो-यह कीमती मुद्रा को दर्शाता है, जब ब्याज दर तुलनात्मक रूप से अधिक होती है।

दराज मुद्रा (Till Money)

उपभोक्ताओं की प्रतिदिन की जरूरतों के लिए नोटों तथा सिक्कों, जो वाणिज्यिक बैंकों के पास उपलब्ध हों, को दराज मुद्रा कहा जाता है।

टोबिन कर (Tobin Tax)

यह नोबल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जेम्स टोबिन (1918-2002) द्वारा प्रस्तावित किया गया। यह प्रस्तावित लघु कर सभी विदेशी विनिमय सौदों पर लगाया जाता है ताकि विदेशी विनिमय बाजार में अस्थिरता को रोका जा सके।

नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री जेम्स टोविन (James Tobin 1918-2002) द्वारा प्रस्तावित कर दुनिया भर में कहीं भी कार्यान्वित नहीं किया गया।

संपूर्ण उत्पाद (Total Product)

एक मुख्य उत्पाद, जो सभी परिधीय उत्पाद/सेवाओं द्वारा समर्थित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए एक कार के लिए ऋण सुविधा, बीमा इत्यादि परिधीय सेवा है।

व्यापार सृजन (Trade Creation)

व्यापार अवरोधों (कोटा, सीमा शुल्क इत्यादि) को हटाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि करना।

सामान्यों की त्रासदी (Tragedy of the commons)

सम्पत्ति अधिकारों के अभाव के कारण संसाधनों के अत्यधिक दोहन के खतरे को संदर्भित 'सामान्यत:' वे संसाधन हैं जो न तो निजी, न ही सरकारी स्वामित्व के अधीन हैं, बल्कि हर किसी के उपयोग के लिए खुले हैं। ऐसे संसाधानों के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए इन पर एक कर लगाने की सलाह दी गयी।

यह अवधारणा 19वीं सदी के गैर-व्यावसायिक गणितज्ञ कोर्स्टर लॉयड ने प्रस्तावित की थी।

हस्तांतरित भुगतान (Transfer Payments)

वैसे सरकारी व्यय जिसके बदले राज्य को किसी वस्तु या सेवा की प्राप्ति नहीं होती उदाहरण के लिए कर वसूली,

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

सामाजिक क्षेत्र, बेरोजगारी भत्ता इत्यादि पर होने वाले व्यय। किसी उत्पाद की प्राप्ति नहीं होने के कारण इस प्रकार के व्यय को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है।

हस्तांतरित अर्जन (TRANSFER EARNINGS)

अर्जन की वह मात्रा, जो किसी परिसंपत्ति को किसी दूसरे बेहतर वैकल्पिक इस्तेमाल से बचाती है। हस्तांतरित अर्जन की मात्रा से होने वाले अधिक अर्जन को 'आर्थिक लगान' (Economic Rent) कहा जाता है।

हस्तांतरित मूल्य (TRANSFER PRICE)

अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की एक शब्दावली, जो मूल्य तय करने की एक विशेष विधि है। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपनी आय में वृद्धि के लिए इस मूल्य पद्धति का उपयोग करती हैं। इसमें एक कंपनी किसी दूसरे देश में अवस्थित अपनी ही शाखा/भुजा को अपने उत्पाद निम्न मूल्यों पर निर्यातित करती है ताकि दूसरे देश के उच्च कर (आयात शुल्क) से बचा जा सके। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस पद्धति का इस्तेमाल होता रहा था।

यूलिप एवं एमएफएस (ULIPs & MFS)

यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी (ULIP) उन ग्राहकों के लिए बीमा के साथ निवेश का भी अवसर प्रस्तावित करती हैं, जो कि सुरक्षा के लिए बड़ी बीमा राशि चाहते हैं और इसके लिए थोड़ी अधिक कीमत चुकाने को तैयार हैं हालांकि म्युचुअल फंड के विपरीत यूलिप दीर्घकालीन निवेश लक्ष्यों की पूर्ति करता है अनिवार्य रूप से यूलिप को दीर्घकालिक निवेश (15+वर्ष) के रूप में व्यवहृत करना चाहिए।

जोखिम वर्गों के अनुरूप प्राप्तियाँ अलग-अलग होती हैं। जोखिमों को यूलिप तथा एमएफ दोनों के लिए तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। उच्च जोखिम वाले तुलनीय उत्पाद इक्विटी फंड, मध्यम जोखिम वाले उत्पाद वैलेंस्ड फंड तथ निम्न जोखिम वाले उत्पाद डेबिट इंस्ट्रूमेंट होते है।

अंडरराइटिंग (UNDERWRITING)

किसी वित्तीय सौदे के वित्तीय जोखिम को वहन करने की किसी वित्तीय संस्थान द्वारा दी जाने वाली स्वीकृति की प्रक्रिया को 'अंडरराइटिंग' कहते हैं। इसके लिए वित्तीय संस्थान को 'फीस' (fees) मिलती है। यह एक तरह का बीमाकरण है। उदाहरण के लिए शेयरों के निर्गम में अंडरराइटिंग की व्यवस्था होती है, जहां अंडरराइटिंग संस्थान (मर्चेंट बैंक) यह वादा करता है कि वह उन शेयरों को खरीद लेगा, जिनकी बिक्री जन-निर्गम (public offer) में नहीं हो सकेगी।

असुरक्षित ऋण (UNSECURED LOAN)

ऐसा ऋण जो सिर्फ कर्ज लेने वाले की 'साख योग्यता' (Creditworthiness) के आधार पर दिया गया हो उसे असुरक्षित ऋण कहते हैं। इसे 'हस्ताक्षर ऋण' या 'पर्सनल ऋण' भी कहा जाता है। अगर किसी ऋण का समर्थन किसी संपार्श्विक (Collateral) द्वारा किया जा रहा हो (जैसे–भूमि, भवन, स्वर्ण, इत्यादि) तो वह ऋण 'सुरक्षित ऋण' (Secured Loan) कहलाता है।

बैंकों द्वारा ऋण आवंटन के लिए दो प्रकार की प्रतिभूतियों (Securities) का प्रयोग किया जाता है-कर्ज लेने वाले की साख योग्यता (जिसे 'प्राथमिक प्रतिभूति' कहते हैं) तथा संपार्श्विक (जिसे 'द्वितीयक प्रतिभूति' कहते हैं)।

सूदखोरी (USURY)

ब्याज का अत्यधिक दर वसूलना या सिर्फ ब्याज लेना भी सूदखोरी कहलाता है। प्राचीन दार्शनिकों एवं कई धर्मों द्वारा इसकी भर्त्सना की गयी है लेकिन आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं द्वारा ब्याज की दर को विनियमित करके इसकी अनुमति प्रदान की गयी है। आधुनिक अर्थशास्त्र में ब्याज को ऋणदाता द्वारा ऋण देने में संबद्ध जोखिम को वहन करने का पारितोषिक (reward) माना जाता है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

वीजीएफ (VGF)

वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) भारत सरकार द्वारा आधारभूत संरचना क्षेत्र में प्रवेश करने वाले निजी क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता है। आधारभूत संरचना क्षेत्र में प्रवेश को इच्छुक निजी क्षेत्रीय कंपनियों के द्वारा लगाये जाने वाले उपक्रमों को आर्थिक रूप से 'व्यवहार्य' (Viable) बनाने के उद्देश्य से इसके अंतर्गत आर्थिक अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इसके अंतर्गत भारत सरकार महत्तम 20 प्रतिशत तक की (परियोजना लागत का) आर्थिक मदद करती है। वैसे संबंधित मंत्रालय इसके अतिरिक्त भी आर्थिक अनुदान दे सकता है (20 प्रतिशत से अधिक नहीं)। इस प्रकार ऐसा अनुदान परियोजना की कुल लागत का 40 प्रतिशत तक हो सकता है।

वर्ष 2006 में प्रारंभ की गई इस सुविधा का मूल उद्देश्य था–सामाजिक एवं आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निजी निवेश को आकर्षित करना। आधारभूत संरचना क्षेत्र के कई क्षेत्र आर्थिक रूप से अव्यवहार्य (Non-Viable) थे जिस कारण उनमें निजी क्षेत्र के लिए निवेश का कोई आकर्षण नहीं था। इस सुविधा के उपरांत ऐसे क्षेत्रों में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जा सका था।

वेबलेन प्रभाव (VEBLEN EFFECT)

बाजार की एक विशेष स्थिति, जब मूल्य वृद्धि होने से उपभोक्ताओं की माँग में कमी की बजाय वृद्धि होती है। ऐसा वास्तव में सिर्फ विशिष्ट उत्पादों के मामले में ही होता है। इस अवधारणा का नामकरण इसके प्रतिपादक अमेरिकी अर्थशास्त्री थॉर्स्टन बी. वेबलेन (1857-1929) के नाम पर हुआ है।

आईएमएफ एवं विश्व बैंक के लिए तैयार एक दस्तावेज (18 अक्टूबर, 2007) यह दर्शाता है कि वर्तमान में ऐसे गरीब देशों के खिलाफ 1.8 विलियन डॉलर के मुकदमे चल रहे हैं, जोकि डॉलर प्रतिदिन से भी कम आय पर जीवित हैं। 24 देश ऐसे हैं, जो फोर ऋणग्रस्त गरीब देशों के लिए पहल (Hoavily Indebted Poor Countries Initiatire) के अंतर्गत कर्जमाफी कर चुके है। 11 देशों को ऐसे कर्जदाताओं द्वारा निशाना बनाया गया है और उन्हें बिलियन डॉलर से भी कम रकम मिली है जो स्कूलों और अस्पतालों को जा चुकी है। वे विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार मुकदमे करने वाले कर्जदाता अमेरिका में संकेन्द्रित हैं, साथ ही यू.के. तथा ब्रिटिश वर्णित आइलैड्स में भी जो कि यू.के. का प्रोटेक्टोरेट टैक्स हैवेन (Proteetorate tax haven) है।

प्रसार की गति (VELOCITY OF CIRCULATION)

एक अर्थव्यवस्था में एक साल में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं की ख़रीद पर हर बार खर्च किए गए पैसे को औसत आधार पर मापना।

वेंचर पूँजी (VENTURE CAPITAL)

वेंचर पूंजी एक निजी स्वामित्व वाली अंशधारी वित्त संस्थान है, जो उद्यमियों को अन्वेषणकारी निवेश के लिए पूँजी उपलब्ध कराती है–ऐसे क्षेत्रों में निवेश के लिए परंपरागत वित्त संस्थान पूंजी उपलब्ध नहीं कराते हैं।

विकसित अर्थव्यवस्थाओं में अलग-अलग क्षेत्रों में कार्य करने के लिए ऐसी विशिष्ट कंपनियों की मजबूत उपस्थिति है। भारत सरकार द्वारा इस दिशा में पहली शुरूआत वर्ष 1998 में की गयी, जब इंडस्ट्रियल फाइनेंस कंपनी ऑफ इंडिया वेंचर कैपिटल फंड (IVCF) की स्थापना की गयी। आज भारत में कई देशी एवं विदेशी 'वेंचर फंड' कार्यशील हैं।

वल्चर फण्ड (VUALTURE FUND)

वल्चर फण्ड (गिद्ध कोष) वास्तव में एक निजी स्वामित्व वाली वित्तीय कंपनी है, जो गरीब देशों के ऋणों को सस्ते मूल्यों में खरीदती है तथा इन देशों के विरुद्ध मुकदमे दायर करके (आमतौर पर लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस में) इन ऋणों की वसूली करती है।

विश्व मुद्रा कोष/विश्व बैंक के लिए तैयार किए गए एक शोध पत्र (18 अक्टूबर, 2007) के अनुसार अब गरीब देशों, जहां लोग एक डॉलर प्रतिदिन से कम पर

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

गुजारा करते हैं, के खिलाफ 18 अरब डॉलर के मुकदमे हैं। भारी कर्जदार गरीब देशों (एचआईपीसी) पर प्रस्ताव के तहत 24 देशों को कर्जमाफी दी गई, 11 को ऐसे ऋणदाताओं (मतलब वीएफ) ने चिन्हित क्या है और उन्हें करीब एक अरब डॉलर की राशि दी गई है। जो पैसा स्कूलों और अस्पतालों के लिए गया है; यह विश्व मुद्रा कोष/विश्व बैंक के अच्छे काम को बेअसर कर रहे हैं। विश्व मुद्रा कोष के अनुसार मुकदमा करने वाले ऋणदाता अमेरिका, ब्रिटेन और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (बीवीआई) में केंद्रित हैं-ब्रिटेन के सरंक्षण वाले टैक्स हैवन। 100 सांसदों के हस्ताक्षर वाले एक प्रस्ताव के जरिए अमेरिका पर दबाव बना जा रहा है कि वे उस कानून को बदले जो राष्ट्रपति अमेरिकी अदालतों में मुकदमे करने का दबाव बनाता है-वीएफ अमरिका विदेश नीति के विपरीत हैं।

वोस्ट्रो अकाउंट (Vostro Account)

वोस्ट्रो एक खाता है, जिसे एक पार्टी स्वयं के लिए जारी रखती है। अधिक ऑपरेशनल लीवे (Operational Leeway) प्रदान करने के लिए आर.बी.आई ने पूर्वानुमति की जरूरत को खत्म कर दिया जो अप्रवासी केन्द्रों (non-resident exchange houses) के भारत में वोस्ट्रो अकाउंट खोलने एवं चलाने के लिए जरूरी थी। यह बैंकों के साथ रुपी ड्राइंग एग्रीमेंट्स के रूप में अब स्वीकृत डीलर बैंक ऐसी अनुमति पहली बार खाडी देशों, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया आदि देशों के नॉन-रेजीडेंट एक्सचेंज हाउसेज के साथ पहली बार अनुबंध करते समय लेते हैं। तद्नंतर के आरडीए (Rupee Drawing Agreement) करके आर बी आई को तुरंत सूचित कर सकते हैं।

वॉलरस नियम (Walras' Law)

इस नियम के अनुसार, किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की सकल मांग का मूल्य वस्तुओं की सकल आपूर्ति के मूल्य के समान होता है। ऐसा होने के लिए उस अर्थव्यवस्था का समतुल्यता (equilibirium) की स्थिति में होना अनिवार्य है। इस नियम का एक अर्थ यह भी है कि अगर किसी बाजार में किसी वस्तु की अतिरिक्त (excess) आपूर्ति है तो किसी दूसरे बाजार में उस वस्तु की अतिरिक्त (excess) मांग होगी। यहां 'दूसरे में बाजार' का तात्पर्य किसी दूसरी अर्थव्यवस्था से नहीं बल्कि एक ही अर्थव्यवस्था से है (उदाहरण के लिए-सेब का बाजार, अंगूर का बाजार, आदि)। लेकिन यह नियम तभी सही ठहरता है जब अर्थव्यवस्था वस्तु विनिमय (bartor) पर आधारित हो क्योंकि जहां विनिमय के लिए किसी मुद्रा का प्रयोग हो रहा हो यह गलत हो जाता है।

इस विचार का प्रतिपादन फ्रांस के गणितज्ञ अर्थशास्त्री *मेरी-स्प्रिट-लियोन वॉलरस* (1834-1910) द्वारा 'सामान्य समतुल्यता सिद्धांत' के परिप्रेक्ष्य में किया गया था।

अपव्ययी परिसम्पत्ति (Wasting Asset)

प्राकृतिक संसाधन जिसका सीमित किन्तु अनिर्धारित जीवन काल है, जो उसकी कारण-दर पर निर्भर करता है, जैसे –कोयला तेल इत्यादि।

भाररहित अर्थव्यवस्था (Weightless Economy)

किसी अर्थव्यवस्था में वह स्थिति जब उत्पादन लगातार बौद्धिक पूँजी से बढ़ रहा हो, न कि भौतिक संपदा से-लौह एवं इस्पात, भारी यंत्र आदि को छोड़ माइक्रोप्रोसेसर्स, फाइबर ऑप्टिक्स तथा ट्रांजिस्टर आदि का उत्पादन। यही भार रहित अर्थव्यवस्था है, अर्थात् वह नई अर्थव्यवस्था अमेरिका में 20वीं सदी के अंत में पहुँची।

कल्याणकारी अर्थशास्त्र (Welfare Ecomomics)

अर्थशास्त्र की वह शाखा जो कि आर्थिक कल्याण को बढ़ाने वाली कार्मिक गतिविधियों के संयोजन से जुड़ी है। यह व्यक्तियों के साथ-साथ देशों के कल्याण पर भी लागू होता है।

यह मानकी अर्थशास्त्र (non-meative economies) है, अर्थात् यह मूल्य निर्णय (Valni judgment) पर आधारित है। इसे हृदय वाला अर्थशास्त्र (Ecomomies

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

with heart) भी कहा जाता है। यह समत्व के साथ-साथ कार्यकुशलता के प्रश्नों पर एकाग्र होता है।

यह मूल्य निर्णय करता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाना चाहिए, जैसे–उत्पादन को संयोजित करना चाहिए, आय एवं धन का वितरण किस प्रकार हो वर्तमान में भी और भविष्य में भी। चूँकि विभिन्न समुदायों के विभिन्न व्यक्तियों का अलग-अलग मूल्य निर्णय होता है (जो कि उनकी मनोवृत्ति, धर्म, दर्शन तथा राजनीतिक से निर्देशित होता है), इसलिए अर्थशास्त्रियों के लिए वे सर्वसम्मत राय से सरकारों को नीति-निर्माण में सलाह दें, यानी कल्याण की कसौटियों (Welfare eriteria) का निर्धारण करें। अर्थशास्त्री एवं दार्शनिक अपने-अपने ढंग की कल्याण कसौटियों पर बल देते आए हैं उनमें विल्फ्रेड परेटो, विदोलस कैल्डोर, जॉन डिक्स, स्कीटोस्की, अमर्त्य सेन कुछ प्रमुख नाम है।

वाइल्डकैट स्ट्राईक (Wildcat Strike)

कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली ऐसी हड़ताल, जिसे उनके संगठित श्रमिक संघ (Trade Union) का समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

विलियमसन ट्रेड-ऑफ मॉडल (Williamson Trade]–Off Model)

एक प्रस्तावित विलय (Merser) से संभावित लाभों के मूल्यांकन का मॉडल जिसका कि विवेकाधीन प्रतिस्पर्द्धा नीति को लागू करने में उपयोग किया जा सके। यह मॉडल ऑलिवर विलियम्सन द्वारा विकसित किया गया था।

विनर्स कर्स (Winner's eurse)

वह संभावना कि विजेता बिडर किसी नीलामी में एक सम्पत्ति के लिए बहुत कुछ लगा देता है, चूँकि सबसे बड़ी बोली लगाने वाला सम्पत्ति की सबसे अधिक कीमत आँकता है।

कर रोकना (Withholding Tax)

एक कर, जो कि एक विदेशी पोर्ट फोलियो (निवेश) की आय पर लगाया जाता है यह कर विदेशी निवेश को हतोत्साहित करता है जिससे कि घरेलू निवेश प्रोत्साहित हो तथा सरकार के लिए पैसा उगाही हो सके।

श्रमिक (जनगणना की परिभाषा) [Worker (Census Definition)]

पहली बार श्रमिक की परिभाषा जनगणना द्वारा 1872 में दी गई थी। समय बीतने के साथ 'कार्य' एवं 'श्रमिक' की जनगणना की परिभाषा मे परिवर्तन होते रहे हैं ताकि 'कार्य' को बदलते आयामों के साथ समायोजित किया जा सके। 'कार्य' किसी अतिथि रूप से उत्पादक कार्य में क्षतिपूर्ति, वेतन अथवा मुनाफा सहित या रहित सहभागिता है। ऐसी सहभागिता शारीरिक अथवा मानसिक प्रकृति की हो सकती है। कार्य में केवल वास्तविक कार्य ही शामिल नहीं होता बल्कि इसमें निम्नलिखित कार्य सम्मिलित हैं:

(i) कार्य का प्रभावी पर्यवेक्षण एवं निदेशन;

(ii) फर्म, पारिवारिक उपक्रम अथवा किसी अन्य आर्थिक गतिविधि में अंशदायिक अथवा भुगतान रहित कार्य, तथा;

(iii) खेती-बाड़ी अथवा दुग्ध उत्पादन भले ही वह पूरी तरह घरेलू उपभोग के लिए है।

भारत की जनगणना के अनुसार सभी व्यक्ति जो ऐसे कार्य में संलग्न है, जो कि आर्थिक रूप से उत्पादक गतिविधि से जिसके लिए क्षतिपूर्ति, वेतन अथवा मुनाफे का भुगतान हुआ हो अथवा नहीं। कोई व्यक्ति अधिक श्रमिक है अथवा नहीं इसके निर्धारण की संदर्भ अवधि गणना की विधि से एक वर्ष पूर्व तक है।

जनगणना श्रमिकों का दो समूहों में वर्गीकरण करती है-मुख्य श्रमिक (Main Worker) जो कि संदर्भ अवधि के बृहत्तर अंश तक कार्य करते रहे हों, यानी 6 माह

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

या अधिक समय तक तथा सीमांत श्रमिक (Marginal Worker), जो कि संदर्भ अवधि के बृहत्तर अंश तक यानी 6 माह से कम समय तक कार्य करते रहे हों। मुख्य श्रमिकों को औद्योगिक कोटि के अनुसार चार कोटियों में बांटा गया है- (i) कृषक, (ii) कृषि श्रमिक, (iii) घरेलू उद्योग श्रमिक, तथा; (iv) अन्य श्रमिक।

श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WORKERS POPULATION RATIO)

रोजगार से जनसंख्या अनुपात को अर्थव्यवस्था की कामकाजी उम्र की जनसंख्या, जो कि रोजगार में है, के रूप के परिभाषित किया जाता है एक संकेतक के रूप में यह अनुपात अर्थव्यवस्था की रोजगार सृजन की क्षमता है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है: प्रति हजार व्यक्तियों में रोजगार में नियुक्त व्यक्तियों की संख्या (WPR = No. of employed persons × 1000/ Total population)। श्रमिक जनसंख्या अनुपात का संकेतक के रूप में देश में रोजगार की स्थिति का विश्लेषण के लिए भी होता है। इससे यह जानने में भी मदद मिलती है कि जनसंख्या का कौन-सा भाग अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में योगदान कर रहा है।

कार्यमेला (WORKTARE)

सरकारी कार्यक्रम जिनमें बेरोजगारी से सम्बन्धित लाभों (जैसे–बेरोजगारी भत्ता) का वितरण किया जाता है, कुछ स्थानीय कार्ययोजना में सहभागिता की शर्त पर।

एक्स-इनएफिशिएंसी (X-INEFFTICIENCY)

एक प्रतिष्ठान द्वारा उस अंतर (gap) की ग्राफिक प्रस्तुति जिसके द्वारा वह अपने उत्पाद की आपूर्ति की वास्तविक तथा न्यूनतम लागत प्रदर्शित करती है। आपूर्ति के परम्परागत सिद्धांत के अनुसार कम्पनियाँ हमेशा न्यूनतम प्राप्त करने योग्य लागत (Attainable east) पर काम करती है। इसके विपरित एक्स-इनएफिशियंसी के अनुसार कंपनी अपने न्यूनतम प्राप्त करने योग्य लागत से हमेशा ऊंची लागत पर काम करती है। यह अनेक प्रकार की अकुशलताओं (Irefficiencies) के कारण होता है, जैसे–कार्य दो संगठित करना, प्रेरणा का अभाव, नौकरशाही की कठोरता आदि। बड़ी कम्पनियाँ साधारणत: इस समस्या का सामना करती हैं। क्योंकि उनमें प्रभावी प्रतिस्पर्द्धा का अभाव रहता है, जिससे कि वे पर्याप्त सचेत और सजग नहीं रह पातीं।

यील्ड अंतर (YIELD GAP)

एक अर्थव्यवस्था में बॉण्ड्स और शेयरों के प्रदर्शन की तुलना करने का तरीका। यह शेयरों पर औसत रिटर्न और बॉण्ड्स के औसत रिटर्न के अंतर को परिभाषित करता है।

जीरो कूपन बॉण्ड (ZERO-COUPON BOND)

एक प्रकार का बॉण्ड, जिसकी बिक्री 'शून्य' कूपन दर पर होती है (अर्थात् इसमें ब्याज का प्रावधान नहीं होता)। इसकी बिक्री इस पर अंकित मूल्य (face value) से कम पर होती है। इस प्रकार के बॉण्ड का इस्तेमाल सरकारों द्वारा दीर्घावधिक ऋणों की व्यवस्था करने के लिए किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक अगर 'रिपो दर' घटाता है तो इस बॉण्ड का मूल्य बढ़ जाता है तथा इसका व्यापार (trading) बढ़े हुए मूल्यों पर होती है। अगर 'रिपो दर' घटाया गया हो तो विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है।

जीरो सम गेम (ZERO–SUM GAME)

गेम थ्योरी में वह सिद्धांत जब आर्थिक लेन-देन में विजेता का लाभ हारने वाले के नुकसान के बराबर हो। गेम थ्योरी में इसे विशेष मामला माना गया है। अधिकतर आर्थिक लेन-देन कुछ अर्थों में सकारात्मक सम गेम्स होते हैं। लेकिन आर्थिक मामलों के लोकप्रिय विचार-विमर्श में, गलत जीरो-सम मानसिकता के उदाहरण अक्सर दिए जाते हैं, जैसे कि वेतन बचाकर मुनाफ़ा आता है, 'उच्च उत्पादकता का मतलब कम नौकरियां', और 'आयात मतलब यहां कम नौकरियां।'

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

शून्य खेती (Zero Tilling)

अपेक्षाकृत नई खेती उत्पादन प्रक्रिया, जो एक समय संचालित होती है, जिसमें एक छोटे छेद में बीज को डाला जाता है और एक छोटे मार्ग में खाद को, इससे किसान के समय और संसाधन की काफी बचत होती है। इसका पहला उपयोग हरियाणा में 1999–2000 में किया गया था, अब यह अन्य गेहूं उत्पादक राज्यों, जैसे–पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, और बिहार तक फैल गई है। यह तकनीकी गेहूं की परंपरागत खेती के मुकाबले अपेक्षाकृत अधिक (5 प्रतिशत से अधिक) अधिक उपज देती है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819
https://t.me/PDF4Exams
https://t.me/PDF4Exams
https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

अध्याय 23

चयनित बहुविकल्पीय प्रश्न (आर्थिक एवं सामाजिक विकास)

(SELECTED MULTIPLE CHOICE QUESTIONS) (ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT)

*सिद्धांत के रूप में कोई चीज सुंदर हो सकती है लेकिन अभ्यास के तौर पर उसे अपनाना अच्छा नहीं हो सकता। सिद्धांत के तौर पर कोई चीज खराब हो सकती है लेकिन अभ्यास के तौर पर वही चीज बेहतरीन साबित हो सकती है।**

इस अध्याय में

- सेट–1 (स्पष्टीकरण सहित उत्तर कुंजी)
- सेट–2 (स्पष्टीकरण सहित उत्तर कुंजी)
- सेट–3 (स्पष्टीकरण सहित उत्तर कुंजी)
- सेट–4 (स्पष्टीकरण सहित उत्तर कुंजी)
- सेट–5 (स्पष्टीकरण सहित उत्तर कुंजी)
- सेट–6 (स्पष्टीकरण सहित उत्तर कुंजी)

* इरिक मार्गोलिस और स्टीफन लॉरेंस की कांसेप्ट देखें, एडवर्ड एन. जाल्टा द स्टनफर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी, मेटा फीजिक्स रिसर्च लैब, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड इनफोर्मेशन (सीएसएलआई), स्टनफर्ड, यूएसए, 2012

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

सेट–1

1. 'स्टैंडिंग जमा सुविधा योजना' हाल में समाचारों थी। इससे जुड़े सत्य कथन/कथनों को नीचे दिए गए कूट द्वारा चुनें:

1. एक नयी लघु जमा योजना (एस.एस.एस.), जिसकी घोषणा सरकार द्वारा संघीय बजट 2018-19 में की गयी।
2. इसके माध्यम से आर.बी.आई. 'असहवर्ती जमा' (uncollateralised deposit) के माध्यम से तरलता प्रबंधन कर सकता है।

कूट:

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2
(d) 1 या 2 में से कोई नहीं

2. सड़क परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा हाल में घोषित 'हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल' (हैम) से जुड़े सत्य कथनों का नीचे दिए गए कूट के माध्यम से चयन करें:

1. यह वर्तमान 'इंजीनियरिंग-प्रोक्यूरमेंट-कंस्ट्रक्शन' (ई.पी.सी.) पी.पी.पी. मॉडल का संशोधित रूप है।
2. इसमें सरकार एवं निजी क्षेत्र की निवेश भागीदारी 40:60 के अनुपात में हैं।
3. इसमें 'टोल' की वसूली सरकारी की जिम्मेदारी होगी तथा निजी निवेशकों को एक विशेष अवधि तक 'एन्यूटी' का भुगतान किया जाएगा।
4. मंजूरी से लेकर हर्जाने, वाणिज्यिक एवं ट्रैफिक संबंधी जोखिम स्वयं सरकार वहन करेगी।

कूट:

(a) 1 और 2 (b) 1, 2 और 4
(c) 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

3. भारत द्वारा हाल में अपनायी गयी राष्ट्रीय खातों की नयी पद्धति से जुड़े सत्य कथनों का नीचे दिए गए कूट की मदद से चयन करें:

1. भारत अब राष्ट्रीय आय की गणना 'बाजार मूल्य' पर करता है।
2. आर्थिक संवृद्धि की गणना अब 'जी.डी.पी. स्थिर बाजार मूल्य' पर की जाती है।
3. 'सकल मूल्यवर्द्धन' में 'उत्पाद करों' को जोड़ने से 'बाजार मूल्य' प्राप्त होता है।
4. 'उत्पाद कर' अंततः वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोक्ताओं को चुकाना पड़ता है।

कूट:

(a) 1 और 2 (b) 1, 2 और 4
(c) 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

4. किसी देश की 'व्यापार की शर्तें' (Terms of trade) के बारे में निम्न पर विचार करें :

1. यह विक्रेता एवं क्रयकर्ता के बीच बिक्री की संविदात्मक शर्त होती है।
2. यह विदेशी सामग्री एवं सेवाओं की वह मात्रा है जो एक देश अपनी सामग्री एवं सेवाओं की बिक्री के द्वारा क्रय कर सकता है।
3. यह किसी देश के व्यापारिक प्रभाव (Trading Clout) की माप है जो कि नियति मूल्य सूचकांक एवं आयात मूल्य सूचकांक के अनुपात के रूप में अभिव्यक्त होता है।

दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें :

(a) केवल 1 (b) 2 एवं 3
(c) 1 एवं 3 (d) 1, 2 एवं 3

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

5. **निम्न कथन पर विचार करें:**

"विश्व के अधिकांश गरीब लोग अपनी आजीविका कृषि से प्राप्त करते हैं, अत: अगर हम कृषि के अर्थशास्त्र को जाने तो गरीब होने के अर्थशास्त्र का काफी ज्ञान जान जाएंगे।"

हाल में प्रकाशित निम्न में से किस दस्तावेज में नोबेल अर्थशास्त्री थ्योडोर शुल्ज की इस उक्ति का उदाहरण दिया गया है?

(a) खाद्य एवं कृषि संगठन रिपोर्ट-2017 (यू.एन.ओ.)
(b) आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 (भारत सरकार)
(c) संघीय बजट 2017-18 (भारत सरकार)
(d) विश्व विकास रिपोर्ट-2016 (विश्व बैंक)

6. **'टेलर रूल' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :**

1. ऐसा नियम जिसके द्वारा मुद्रास्फीति एवं रोजगार दर जैसे आर्थिक कारकों के आधार पर ब्याज दर का समुचित समायोजन किया जाता है।
2. यह नियम यह दर्शाता है कि यदि मुद्रास्फीति अथवा रोजगार दर अपेक्षा से अधिक ऊँची है, तब ब्याज दर भी इन दशाओं के प्रत्युत्तर में बढ़ाई जानी चाहिए तथा विपरीत दशाओं के अनुरूप विपरीत कार्यवाही की जानी चाहिए।

निम्नलिखित ***कूटों*** का उपयोग करके गलत उत्तर का चयन करें :

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 एवं 2 दोनों (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

7. **'लैफर कर्व' (Laffer Curve) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :**

1. यह वह वक्र (curve) होता है, जो दर्शाता है कि किसी अर्थव्यवस्था में कर राजस्व को अधिकतम सीमा तक बढ़ाने के लिए अधिकतम आय कर आरोपित किया जाता है।
2. यदि आयकर को इस स्तर के नीचे तक रखा जाए, तब कर बढ़ाने से कर राजस्व बढ़ता है।
3. यदि आयकर इस स्तर के ऊपर रखा जाए, तब कर कम करने से कर राजस्व बढ़ता है।

निम्नलिखित ***कूटों*** का उपयोग कर गलत कथन का चयन करें :

(a) 1 एवं 2 (b) 2 एवं 3
(c) 1 एवं 3 (d) 1, 2 एवं 3

8. **हाल ही में अपनाई गई 'बीमा निधान प्रणाली' (Insurance Repository System) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :**

1. बीमा पॉलिसियाँ इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में होंगी।
2. इससे नीतियों के पुनरीक्षण एवं परिवर्तन में तेजी के साथ-साथ परिशुद्धता भी आएगी।
3. इरडा (IRDA) ने पाँच प्रतिष्ठानों को बीमा निधानों (insurance repositorirs) के रूप में कार्य करने का लाइसेंस दिया है।
4. विधानों से अपेक्षा की जाती है कि उनसे प्रत्येक बीमा पॉलिसी की लागत वर्तमान लागत की 1/5वाँ रह जाएगी।

निम्नलिखित ***कूटों*** का उपयोग करके सही कथनों का चयन करें :

(a) 1, 2 एवं 3 (b) 2, 3 एवं 4
(c) 1, 3 एवं 4 (d) 1, 2, 3 एवं 4

9. **'समावेशी वृद्धि' के विचार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :**

1. 'समावेशी वृद्धि' का विचार ग्यारहवीं योजना के साथ आयोजना के स्तर पर समाविष्ट कर लिया गया।
2. यह मात्र आर्थिक ही नहीं, बल्कि 'सामाजिक समावेशिता' के बारे में भी है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

3. समावेशी वृद्धि के विचार के पीछे मूल उद्देश्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं को देश की विकास प्रक्रिया से जोड़ना है।
4. तीसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधार समावेशी वृद्धि के समानांतर चल रहे हैं।

निम्नलिखित ***कूटों*** का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें :

(a) 1, 2 एवं 3 (b) 2, 3 एवं 4
(c) 1,3 एवं 4 (d) 1, 2, 3 एवं 4

10. 'बैड बैंक' हाल ही में खबरों में थे- नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए, इस बारे में सही वक्तव्य चुनें:

1. यह एक बैंक है, जो बैंकों के बुड़े ऋणों को खरीदता है।
2. वर्तमान में भारत सरकार इस तरह का बैंक गठित करने का विचार कर रही है।
3. यह भारत को दोहरी बैलेंस शीट की समस्या से निपटने में मदद करेगा।

कूट:

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(a) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

11. लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एल.ओ.यू.), जो हाल में समाचारों में था, से जुड़े सत्य कथन/कथनों का नीचे दिए गए कूट के माध्यम से चुनें:

1. इसे किसी ग्राहक द्वारा किसी बैंक या वित्तीय संस्थान के नाम से जारी किया जाता है।
2. यह किसी कंपनी को जारी किया जाता है, जो बैंकों द्वारा उनकी साख योग्यता की गारंटी देता है।

कूट:

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (c) न 1 न ही 2

12. 'प्रभावी राजस्व घाटा' (Effective Revenue Deficit) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. प्रभावी राजस्व घाटा सार्वजनिक वित्त प्रबंधन का एक पश्चिमी विचार है, जिसे भारत ने पहली बार 2011-12 के संघीय बजट में इस्तेमाल किया।
2. यह राजस्व घाटा का एक संशोधित प्रकार है जिसमें राजस्व का वह भाग शामिल नहीं किया जाता जिससे परिसम्पत्ति सृजित की गई हो।

नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें :

(a) सिर्फ 1 (b) सिर्फ 2
(c) 1 एवं 2 (d) दोनों में कोई नहीं

13. 'फॉर्म सब्सिडी' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे कि उर्वरक, अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आते हैं।
2. बिजली एवं सिंचाई बिलों में कमी किसानों को दी जाने वाली प्रत्यक्ष फॉर्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है।
3. विश्व व्यापर संगठन यद्यपि प्रत्यक्ष फॉर्म सब्सिडी की अनुमति देता है, लेकिन अप्रत्यक्ष सब्सिडी का निषेध करता है।
4. भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली हर सब्सिडी अप्रत्यक्ष कोटि के अंतर्गत ही आती है।

नीचे दिए गए ***कूटों*** का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें :

(a) 1 एवं 2 (b) 2 एवं 3
(c) 3 एवं 4 (d) 1 एवं 4

14. द्विपक्षीय निवेश प्रोत्साहन एवं संरक्षण समझौता (Bilateral Investment Promotion and Protection Apseement- BIPA) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

1. यह समझौता विश्व बैंक के निवेश से सम्बन्धित विवादों के समापन के लिए अंतरराष्ट्रीय केन्द्र (International Centre for Settlement of Investment Disputes) का एक अंग है।
2. यह भारत के बाहर निवेश करने वाले भारतीयों के हितों को बढ़ावा देता है और सुरक्षा करता है।
3. भारत में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना एवं संरक्षण देना इसका एक उद्देश्य है।
4. यह समझौता अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के सहयोग एवं साझेदारी से कार्य करता है।

नीचे दिए गए ***कूटों*** का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें :

(a) 1 एवं 2 (b) 2 एवं 3
(c) 3 एवं 4 (d) 1 एवं 4

15. हाल ही में समाचारों में रहे एन.एस.ई.एल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. यह एन.एस.ई. (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज) द्वारा समर्थित वस्तु (commodity) 'स्पॉट ट्रेडिंग' प्लेटफार्म है।
2. 'एनसीडीई एक्स स्पॉट' तथा आर. नेक्सट' अन्य दूसरे प्लेटफार्म हैं।
3. भारत में वस्तु विनिमय का नियमन उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत फॉरवर्ड कॉण्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, 1989 द्वारा किया जाता है।
4. अधिनियम के अनुसार 'स्पॉट कॉण्ट्रैक्ट्स' को 11 दिनों के अंदर पूर्ण करना होता है।

नीचे दिए गए ***कूटों*** का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें :

(a) 1 एवं 2 (b) 2 एवं 3
(c) 3 एवं 4 (d) 1 एवं 4

16. हाल ही में 'पार्टिसिपेटरी नोट्स' (पी-नोट्स) खबरों में थे। इनके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. सेबी ने पी-नोट्स जारी करने वाले एफ-आई.आई. का तीन संभावित कोटियों में वर्गीकरण किया है।
2. कोटि-I के अंतर्गत देश के केन्द्रीय बैंक की ओर से निवेश करने वाले विदेशी (off shore) सरकारी संस्थाएँ आती हैं।
3. कोटि-II के अंतर्गत विनियमित संस्थाएँ, जैसे– म्युचुअल फंड, आती हैं, जिनका पर्यवेक्षण उनके मूल देशों के विनियामक निकायों द्वारा किया जाता है।
4. कोटि-III वाली संस्थाएँ न तो कोटि-I न ही कोटि-II के अंतर्गत आती हैं जिन्हें हाल ही में सेबी ने पी-नोट्स जारी करने से मना किया।

निम्नलिखित ***कूटों*** का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें :

(a) 1, 2 एवं 3 (b) 2, 3 एवं 4
(c) 1,3 एवं 4 (d) 1, 2, 3 एवं 4

17. एबेनॉमिक्स (Abenomies) के 'तीन तीरों की' (Three Arrows) हाल में समाचारों में चर्चा रही है, इनके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. मुद्रास्फीति बढ़ाने के लिए परिमाणात्मक छूट (Quantitative easing) द्वारा सक्रिय की गई व्यापक वित्तीय अनुप्रेरणा।
2. रोजगार तथा अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निर्माण में निवेश में वृद्धि।
3. देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए संरचनात्मक सुधार।
4. यह जे.एम. कीन्स द्वारा प्रतिपादित विचारों का अनुसरण करता है, जिसके आज के दिनों के भारी प्रशंसक हैं–नोबल अर्थशास्त्री पॉल क्रुगमैन।

नीचे दिए गए ***कूटों*** का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें:

(a) 1, 2 एवं 3 (b) 2, 3 एवं 4
(c) 1,3 एवं 4 (d) 1, 2, 3 एवं 4

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

18. निम्न में से कौन-सा कथन स्विफ्ट (Swift) के बारे में सही है, जो हाल में समाचारों में था?

(a) बैंकों का एक वैश्विक संगठन, जो विश्व स्तर पर ऋणों की गारंटी देता है।
(b) बैंक इसके माध्यम से ऋण लेने वाले की साख योग्यता की गारंटी देता है।
(c) बैंकों द्वारा लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को इस वैश्विक संगठन द्वारा गारण्टी प्रदान की जाती है।
(d) इनमें से कोई नहीं।

19. अगर अर्थव्यवस्था में ब्याज दर बढ़ती है तो:

(a) अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय में वृद्धि आती है।
(b) सरकार की कर वसूली घटती है।
(c) अर्थव्यवस्था में बचत में कमी आती है।
(d) अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय में कमी आती है।

20. निम्न संघटकों की उनकी 'बढ़ती तरलता' के अनुसार नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सजाएं:

1. बैंकों की बचत जमाएं
2. जनता के पास करेंसी नोट एवं सिक्के
3. बैंकों की मांग जमाएं
4. बैंकों की सावधिक जमाएं

कूट:

(a) 4, 1, 3, 2 (b) 2, 3, 4, 1
(c) 3, 4, 1, 2 (d) 1, 2, 3, 4

21. 'स्विस चैलेंज' हाल में समाचारों में था। इस अवधारणा से जुड़े सत्य कथनों को नीचे दिए गए कूट की माध्यम से चयनित करें:

1. यह एक निविदा का सरकारी तरीका है।
2. इसमें निविदाकर्ताओं को प्रथम निविदा से बेहतर करने की चुनौती होती है।
3. निविदा की इस नयी विधि का भारत में यह पहला उपयोग है।
4. इस विधि का उपयोग पी.पी.पी. एवं गैर-पी.पी. पी. दोनों ही प्रकार की परियोजनाओं में किया जा सकता है।

कूट:

(a) 1 और 3 (b) 1, 2 और 4
(c) 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

22. दिए गए कूट का उपयोग करते हुए, नीचे दी गई सूची में से सही व्यक्तव्य चुनें:

1. 2017-18 की शुरुआत में देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में फंसी हुई संपत्तियों में सबसे अधिक हिस्सेदारी बुनियादी ढांचा क्षेत्र की है।
2. 2001 से 2016-17 तक बैंकों द्वारा बुनियादी ढांचा क्षेत्र में दिया गया कर्ज सालाना तकरीबन 40 फीसदी बढ़ा है।

कूट:

(a) सिर्फ 1 (b) सिर्फ 2
(c) 1 और 2 (d) न तो 1 न ही 2

23. विनिवेश प्राप्तियों के उपयोग से संबंधित चालू प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित विषयों पर विचार करें :

1. एन.आई.एफ. के लिए आवंटन केन्द्रीय बजट द्वारा तय किया जाएगा।
2. एन.आई.एफ. के मुनाफों का ही उपयोग किया जा सकेगा, वह भी केवल सामाजिक क्षेत्र में।
3. 2013-14 के दौरान सरकार ने एन.आई.एफ. आवंटनों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनः पूँजीकरण के लिए खर्च करने की स्वीकृति दी।
4. एन.आई.एफ. की निधि मैट्रो परियोजनाओं में इक्विटी डालने के लिए उपयोग में लायी जा सकती है।

निम्नलिखित ***कूटों*** का उपयोग करके सही कथनों का चयन करें :

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(a) 1, 2 एवं 3 (b) 2, 3 एवं 4
(c) 1,3 एवं 4 (d) 1, 2, 3 एवं 4

24. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में प्रावधानित राज्य खाद्य आयोगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. पाँच सदस्यीय आयोग में दो सदस्य महिलाएँ तथा एक-एक सदस्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के होंगे।
2. आयोग अधिकारिता के उल्लंघनों का स्वत: संज्ञान भी ले सकता है अथवा शिकायत मिलने पर सिविल कोर्ट की शक्तियों का उपयोग कर सकता है।
3. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यह आयोग वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा जो कि विधान मंडल में प्रस्तुत किया जाएगा।
4. आयोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार द्विस्तरीय परिवार निवारण ढाँचे के एक निकाय के रूप में कार्य करेगा।

निम्नलिखित ***कूटों*** का उपयोग करके सही कथनों का चयन करें :

(a) 1, 2 एवं 3 (b) 2, 3 एवं 4
(c) 1,3 एवं 4 (d) 1, 2, 3 एवं 4

25. एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में नयी सोच के अंतर्गत निम्न में किस प्रकार के बदलाव की जरूरत महसूस की गयी? अपने उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट के माध्यम से करें:

1. राजकोषीय घाटे के परास की जगह पर एक अंक को लक्षित करना बेहतर है।
2. इस अधिनियम की वर्तमान व्यवस्था से देश के समाजिक-आर्थिक स्वार्थों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था।

कूट:

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न 1, न ही 2

स्पष्टीकरण सहित उत्तर कुंजी
(Answer Keys with Explanation)

1. *(b)* ऐसी सुविधा का प्रस्ताव आर.बी.आई. द्वारा नवंबर 2015 में रखा गया था, जिसे संघीय बजट 2018-19 में स्थापित करने की घोषणा कर दी गयी। यह आर. बी.आई. के पास उपलब्ध एक नया मौद्रिक साधन (tool) होगा, जिसके माध्यम से वह अर्थव्यवस्था में प्रवाहित होने वाले अतिरेक धन का बेहतर प्रबंधन कर पाएगा। नवंबर 2016 में विमौद्रीकरण के उपरांत ऐसे साधन की कमी महसूस की गयी थी।

2. *(c)* 'हैम' (HAM) एक पी.पी.पी. मॉडल है, जबकि ई.पी.सी. का वित्तीय संपोषण सिर्फ भारत सरकार करती थी। निजी क्षेत्र की जिम्मेदारी सड़क के निर्माण की है जिसके उपरांत सड़क सरकार को सौंपी जाएगी। इस मॉडल में परियोजना के निर्माण की जिम्मेदारी सबसे कम 'एन्यूटी' मांगने वाली निजी कंपनी को सौंपी जाती है। इस मॉडल की घोषणा सरकार ने जनवरी 2016 में की।

3. *(d)* राष्ट्रीय आय की गणना की इस नयी विधि का उपयोग वर्ष 2015-16 से किया जा रहा है। इसकी सलाह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा वर्ष 2008 में ही दी गयी थी। 'उत्पाद कर' के कुछ उदाहरण हैं-सेनवैट, एक्साइज, बिक्री कर, वैट, सेवा कर, इत्यादि। वैसे उत्पाद कर उत्पादकर्ताओं पर आरोपित होता है किंतु इसका भुगतान उपभोक्ताओं को करना पड़ता है (यह एक अप्रत्यक्ष कर है)।

4. *(b)* यह विक्रेता एवं खरीदार के बीच की संविदात्मक शर्त (या दशा) नहीं होती, बल्कि विदेशी वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा होती है जो कि एक देश अपनी वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री की प्राप्तियों से क्रय कर सकता है। यह किसी देश के ट्रेडिंग क्लाउट (trading clout) की माप होता है जो कि निर्यात मूल्य सूचकांक एवं आयात मूल्य सूचकांक के अनुपात में अभिव्यक्त होता है।

5. *(b)* भारत में कृषि क्षेत्र की महत्ता को दर्शाने के लिए *आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16* ने पहले महात्मा गांधी

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(भारत गांवों में बसता है) और फिर थ्योडोर शुल्ज को उद्धृत किया है। संघीय बजट 2016-17 में भारत सरकार द्वारा कृषि विकास के लिए भारी धन का आवंटन किया गया है।

6. *(d)* नियम के संबंध में दोनों कथन सही हैं। यू.एस. फेडरल रिजर्व बोर्ड इस नियम को विचारार्थ स्वीकार करता है लेकिन हमेशा इसकी सलाहों का पालन नहीं करता है - ब्याज दर के समायोजन में। यह नियम जॉन टेलर द्वारा विकसित किया गया था जो कि बीसवीं सदी का एक अर्थशास्त्री था।

7. *(d)* वक्र (curve) के बारे में सभी कथन सही हैं। यद्यपि यह सिद्धांत दावा करता है कि कर दरों का एक एकल महत्तम बिन्दु (Single maximum point) होता है जिसकी गति इस बिन्दु से किसी भी दिशा में होती है, जिससे राजस्व घटता है, वास्तव में यह एक अनुमान है। यह सीमांत कर दर तथा कुल कर संग्रह के बीच के संबंधों का एक लेखाचित्रीय प्रतिनिधित्व है। अमेरिकी अर्थशास्त्री प्रोफेसर आर्थर लैफर के नाम पर इसका नामकरण किया गया, जिन्होंने प्रस्थापना दी थी कि कम कर दर अतिरिक्त आपूर्ति को प्रोत्साहित करता है, जिससे कुल आय बढ़ती है।

8. *(d)* वर्तमान में प्रत्येक बीमा पॉलिसी की प्रबंधन लागत 120 रु. है, जो कि 25 रु. तक नीचे जाएगी, जबकि रिपॉजिटरी काम शुरू कर देते हैं। इरडा (IRDA) ने पाँच फर्मो को रिपॉजिटरी के रूप में काम करने का लाइसेंस दिया है (कर्वी इंश्योरेंस रिपॉजिटरी, एनएसडीएल डाटाबेस मैनेजमेंट लि. सेंट्रल इंश्योरेंस रिपॉजिटरी लि. एसएचसीआइएल प्रोजेक्ट्स लि. तथा सीएएमएस रिपॉजिटरी सर्विस लि.)। 52 बीमा फर्मो में से केवल 20 प्रतिशत के पास ही रिपॉजिटरी के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक अधिरचना है - भारत सरकार द्वारा इसे 2014-15 में अनिवार्य बना दिया गया।

9. *(d)* तीसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधारों ने 'विकेन्द्रित' विकास आयोजना की बात समावेशी विकास के संदर्भ में की है। इस अवधारणा का संदर्भ तब बना जब सरकार ने दूसरी और तीसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधारों की शुरूआत (2000-01) लेकिन सुधार के लाभ समावेशी प्रकृति के नहीं थे।

10. *(d)* *आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17* सरकार को ऐसी संस्था गठित करने का सुझाव देता है जिसे 'सार्वजनिक क्षेत्र संपत्ति पुनर्निर्माण संस्था' (पारा)' कहा जाता है। यह संस्था दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करती है- एक तरफ तो यह सरकारी बैंकों की 'फंसी हुई संपत्तियों' (जैसे कि फंसे हुए कर्ज) को खरीदेगी जबकि दूसरी तरफ यह देश के निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र को 'रेड' (उनकी बैलेंस शीट अस्थिर है) से बाहर निकलने में मदद करेगी- इस तरह यह 'दोहरी बैलेंस शीट' (टीबीएस) की समस्या से भारत को निकलने में मदद करेगी।

11. *(b)* एस.ओ.यू. द्वारा कोई बैंक/वित्तीय संस्थान किसी कंपनी की साख योग्यता की गारंटी देता है, जिसके माध्यम से संबंधित कंपनी देश में या देश के बाहर बैंकों/वित्तीय सस्थानों से संबद्ध सीमा तक प्राप्त कर सकती है। कंपनी द्वारा ऋण को नहीं चुकाए जाने की स्थिति में एल.ओ.यू. जारी करने वाला बैंक/वित्तीय संस्थान हर्जाने का भुगतान करता है। हाल ही में (फरवरी 2018) में यह पी.एन.बी. से जुड़े एक बड़े वित्तीय धोखाधड़ी की वजह से समाचारों का (संबंधित कंपनी 'गीतांजलि' के कारण)।

12. *(b)* भारत सरकार ने 2011-12 के संघीय बजट में इस विचार का उपयोग किया, लेकिन इसे पश्चिमी देशों से उधार नहीं लिया गया। यह एक भारतीय विचार था।

13. *(d)* डब्लू.टी.ओ. के कृषि प्रावधान ने फार्म सब्सिडी पर हदबंदी लगा दी है (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों सब्सिडी पर)। सब्सिडी ने कृषि उत्पादों के मुक्त बाजार मूल्यों को बिगाड़ दिया है।

14. *(b)* बी.आई.पी.ए. (BIPA) एक प्रकार से आई.सी.एस. आई.डी. (ICSID) का विकल्प है, लेकिन इसका

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

संबंध न तो आई.सी.एस.आई.डी. से है, न ही आई.एम.एफ. से। अब तक भारत ने 82 देशों के साथ समझौते किए हैं।

15. *(c)* एन.एस.ई.एल एक निजी फर्म द्वारा प्रोमोट किया जा रहा है (जिसके पास इसका 99 प्रतिशत है) – फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया लि. तथा नैफेड (NAFED) को स्पॉट ट्रेडिंग के लिए अधिकृत किया गया है जो कि 2008 से कार्यरत है। एन.सी.डी.ई.एक्स. (NCDEX) तथा आर. नेक्स्ट को एन.एस.ई (NSE) तथा रिलायंस कैपिटल प्रोमोट करते हैं। फरवरी 2012 से 'स्पॉट कॉन्ट्रेक्ट्स' फॉरवर्ड मार्केट कमीशन देख रहा है – जो कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट (रेगुलेशन) एक्ट 1952 के अंतर्गत एक नियामक है।

16. *(d)* पी-नोट्स के बारे में सभी कथन सही है।

17. *(d)* एबेनोमिक्स, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे द्वारा सुझाए गए आर्थिक उपायों की एक मंजूषा है, जो उन्होंने दिसंबर 2012 में अपने पुनर्चुनाव के बाद वृद्धि में तेजी लाने के लिए अपनाए थे – मंदी से जूझती पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में ऐसे उपाय संभव नहीं है (जापान में मुद्रास्फीति और राजकोषीय घाटा का स्तर अपेक्षाकृत कम है)।

18. *(b)* 'स्विफ्ट (सोसायटी फॉर वर्ल्ड वाईड इंटर-बैंक वित्तीय टेलीकम्यूनिकेशन एक संवाद नेटवर्क है जिसके माध्यम से जुड़े बैंक/वित्तीय संस्थान अपने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन-देन की सूचना पहुंचाते हैं। फरवरी 2018 में पी.एन.बी. बैंक से जुड़े एक वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में यह समाचारों में था।

19. *(d)* ब्याज दर के बढ़ने से निवेश में कमी आती है क्योंकि धन की लागत बढ़ जाती है।

20. *(d)* मांग जमाएं बचत जमाओं से ज्यादा तरल हैं क्योंकि इसमें बैंकों के चालू खाते (सबसे अधिक तरलता वाली जमा राशि) शामिल होते हैं।

21. *(b)* भारत सरकार इस विधि का प्रयोग पहली बार करने जा रही है (आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, इत्यादि राज्यों ने इसका पहले भी प्रयोग किया है)। जनवरी 2016 में भारतीय रेल द्वारा 400 रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए इसी माध्यम द्वारा निविदा मांगी गयी थी। वैसे आधारभूत संरचना के पी.पी.पी. मॉडल पर गठित विशेषज्ञ समिति (विजय केलकर की अध्यक्षता में) द्वारा इस विधि को उपयोग में नहीं लाने की सलाह दी गयी है (इसकी रिपोर्ट जनवरी 2016 में सौंपी गयी)।

22. *(c)* दोनों ही व्यक्तव्य सही हैं।

23. *(c)* जनवरी 2013 में सरकार ने राष्ट्रीय निवेश निधि (National Investment Fund) को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और यह तय किया कि 2013-14 से विनिवेश प्राप्तियों को पहले से विद्यमान 'पब्लिक अकाउंट' में जमा करा दिया जाएगा – एन.आई.एफ. शीर्ष में। यह तय किया गया कि एन.आई.एफ. का उपयोग सीपीएसई के शेयर्स खरीदने में किया जाएगा जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी शामिल हैं और बीमा कंपनियाँ भी। इससे इनमें सरकार की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सकेगी-सरकार के आर.आर. बी., आई.आई.एफ.सी.एल., नाबार्ड, एक्जिम बैंक में सरकारी निवेश, विभिन्न मेट्रो परियोजनाओं में इक्विटी डालना, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि. तथा यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. में निवेश, रेलवे में पूँजीगत व्यय के लिए निवेश के माध्यम से।

24. *(d)* दो-स्तरीय परिवाद निवारण ढाँचे के लिए एम.एफ. एस.ए. के प्रावधान – राज्य खाद्य आयोग तथा जिला परिवाद निवारण अधिकारी। जिला परिवाद निवारण अधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अगर कोई शिकायतकर्ता उसके निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह राज्य खाद्य आयोग (SFC) में अपील कर सकेगा। एस.एफ.सी. को दंड देने का अधिकार होगा, यदि डीजीआरओ के आदेश का पालन नहीं किया जाता तो संबंधित अधिकारी पर पाँच हजार का जुर्माना हो सकता है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

25. *(d)* इस अधिनियम द्वारा (इसमें संशोधन के पहले, 2018) सरकारों को आवश्यकता पड़ने पर राजकोषीय घाटे को प्रबंधित करने के मामले में कोई स्वच्छंदता (लचीलापन) प्राप्त नहीं थी। इस प्रकार जरूरतों की स्थिति के राजकोषीय घाटे (संख्यात्मक) में फेर-बदल संभव नहीं था। वर्ष 2018-19 से इसमें अब 0.5 प्रतिशत की लोचशीलता आ गयी है (अधिनियम पर गठित समीक्षा समिति के सुझाव को अपनाने के बाद)।

सेट–2

1. **निम्न में से कौन 'तरलता व्याप्ति अनुपात' के बारे में सत्य है, जो हाल में समाचारों में था?**
   (a) संगठन हाऊस इसके माध्यम से अपनी कार्यकारी पूंजी की आवश्यकता की माप करते हैं।
   (b) इसके अंतर्गत बैंक अपने अगले 30 दिनों की तरलता की व्यवस्था करते हैं।
   (c) आर.बी.आई. इसके माध्यम से देश के मुद्रा बाजार में तरलता की आपूर्ति की माप करता है।
   (d) यह अर्थव्यवस्था में उपलब्ध अल्पावधिक एवं दीर्घावधिक तरलता का अनुपात है।

2. **निम्न में से किन कार्यों के लिए भारतीय रुपये को पूर्ण परिवर्तनीयता दी गयी है। अपने उत्तर नीचे दिए गए कूट के माध्यम से चुनें:**
   1. प्रेषण का प्रत्यावर्तन
   2. विदेशी ऋणों का ब्याज भुगतान
   3. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
   4. अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश
   5. व्यापार

   कूट:
   (a) 1, 3 और 5 (b) 1, 2, 4 और 5
   (c) 3, 4 और 5 (d) 2, 4 और 5

3. **वर्ष 2016-17 से RBI द्वारा बैंकों की ऋण दरों के निर्धारण के लिए एक नयी विधि को परिचालित किया गया है-'मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट' (MCLR)। इस विधि को अपनाने के पीछे जो लक्ष्य हैं उन्हें नीचे दिए गए कथनों में से कूट की मदद से चुनें :**
   1. नीति दरों के बैंक के ब्याज दरों में बेहतर पारेषण (Transmission)
   2. बैंकों के ऋणों के ब्याज दरों के निर्णय की विधि में पारदर्शिता को प्रोत्साहन
   3. बैंक ऋणों को ऐसे दरों पर उपलब्ध कराना जो ऋण लेने वाले और बैंक दोनों के लिए निष्पक्ष (fair) हो।
   4. बैंकों और प्रतिस्पर्द्धी बनाना एवं उनके दीर्घकालिक मूल्य को बढ़ाना।

   कूट:
   (a) 1 और 3 (b) 1, 2 और 4
   (c) 1, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

4. **मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :**
   1. एम.एस.एफ बैंकों के लिए अल्पकालीन ऋण प्राप्त करने के अंतिम उपाय के रूप में काम करता है।
   2. एम.एस.एफ. पहले से विद्यमान एल.ए.एफ (LAF) की तरह काम करता है और उसका एक अंग है।
   3. एक दंड दर के रूप में एम.एस.एफ रेपो के मुकाबले महँगा रास्ता है।
   4. एम.एस.एफ. बैंकों की वास्तविक कुल भाग तथा समयबद्ध दायित्वों से सीधे जुड़ा है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) 1, 2 एवं 3 (b) 2, 3 एवं 4

(d) 1, 3 एवं 4 (c) 1, 2, 3 एवं 4

5. भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में भारत में 'प्रायोरिटी सेक्टर लैण्डिग' (Priority Sector Lending) के तौर-तरीकों में संशोधन करने की घोषणा की है। इस घोषणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. विदेशी बैंकों के पी.एस.एल. (PSL) लक्ष्यों को 40 प्रतिशत बढ़ाकर भारतीय बैंकों के समकक्ष कर दिया है, इसमें उनकी शाखाओं की संख्या का ध्यान नहीं रखा गया है।
2. खाद्य एवं कृषि-प्रसंस्करण तथा नो-फ्रिल अकाउंट (No-frill account) में 50,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट इसमें शामिल कर लिया गया है।
3. 'ऑफ-ग्रिड' सौर ऊर्जा तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों को व्यावसायिक शिक्षा सहित अब पी.एस.एल. के अंतर्गत रखा गया है।
4. दो करोड़ रुपये तक का एम.एस.ई. ऋण भी अब बैंकों के पी.एस.एल. लैण्डिंग में जोड़ दिया गया है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) 1, 2 एवं 3 (b) 2, 3 एवं 4

(c) 1, 3 एवं 4 (d) 1, 2, 3 एवं 4

6. निम्नलिखित में से किस खंड (Segment) की मुद्रा को भारतीय रिजर्व बैंक के 'अन्य' जमा ('Other' Deposits) के रूप में जाना जाता है?

1. अर्द्ध-सरकारी निकायों के जमा को।
2. अन्य वित्तीय संस्थाओं एवं प्राथमिक डीलर्स को।
3. विदेशी केन्द्रीय बैंकों एवं सरकारों के खातों में अधिशेष (balance) को।
4. अंतरराष्ट्रीय ऐजेंसियों के खातों को।

निम्नलिखित ***कूटों*** का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें :

(a) 1, 2 एवं 3 (b) 2, 3 एवं 4

(c) 1, 3 एवं 4 (d) 1, 2, 3 एवं 4

7. रिजर्व बैंक के नये मौद्रिक पूर्ण योग (New monetary aggregates) के अनुसार निम्नलिखित में से कौन 'ब्रॉड मनी' नहीं माना जाता?

1. आर.बी.आई. में बैंकर का जमा
2. बैंकों का डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट
3. आर.बी.आई. में अन्य जमा
4. जनता के पास की मुद्रा एवं सिक्के
5. प्रचलन में मुद्रा
6. डाक घरों की बचत

निम्नलिखित ***कूटों*** का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें :

(a) 1, 2 एवं 4 (b) 1, 4 एवं 6

(c) 1, 5 एवं 6 (d) 2, 3 एवं 4

8. निम्न में से कौन-सा कथन 'व्युत्क्रमित सीमा शुल्क' (inverted custom duty) के बारे में सत्य है?

(a) जब सीमा शुल्क तैयार उत्पाद पर कम और इनके कच्चे मालों पर अधिक हो।

(b) जब कुछ विशेष छूटों की वजह से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों पर घरेलू कंपनियों की तुलना में कम हो।

(c) जब निम्न कर प्रावधान वाले देशों द्वारा निर्यात पर उच्च छूट दी जाती है, जिससे घरेलू उद्योग को व्यापार में हानि होती है।

(d) उपरोक्त में कोई नहीं।

9. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) की शेयर पूँजी भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक तथा अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों द्वारा क्रमशः 50 प्रतिशत, 35

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

प्रतिशत एवं 15 प्रतिशत के अनुपात में प्रायोजित किया जाता है।

2. इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र के सांस्थानिक जमा (institutional credit) का विस्तार करना है।
3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारत सरकार द्वारा व्यास समिति की अनुशंसाओं के आलोक में पुनर्गठित किया जा रहा है।
4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में नियुक्तियाँ प्रायोजक अनुसूचित बैंकों द्वारा की जाती है; जो कि आई. बी.पी.एस. नियुक्ति प्रक्रिया के बाहर होता है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) 1 एवं 2 (b) 2 एवं 3
(c) 1 एवं 3 (d) 1 एवं 4

10. 'बैंक रन' (bank run) के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

(a) किसी दिन व्यवसाय के अंत में बैंक के चेस्ट में बचा पैसा।
(b) घबराहट वाली एक स्थिति, जबकि खातेदार बैंक से अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं।
(c) बैंक की कुल परिसम्पत्ति तथा कुल दायित्यों का अनुपात।
(d) वह अवधि जिसमें बैंक बाजार में सबसे अधिक जमा सृजित करता है।

11. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. बढ़ी हुई मुद्रास्फीति से बॉण्ड धारक और जमाकर्ता दोनों को क्षति होती है।
2. आर.बी.आई. द्वारा ट्रेजरी बिल में किए गए निवेश से मुनाफा बढ़ी हुई मुद्रास्फीति की स्थिति में गिरता है।
3. बॉण्ड धारकों की आय बढ़ती है बढ़ती हुई मुद्रास्फीति से - इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉण्ड में।
4. अपस्फीति (deflation) की परिस्थितियों में सरकार के बाजार में उधारी बढ़ती है।

उपरोक्त में से कौन-सा कथन सही है?

(a) 1, 2 एवं 3 (b) 2, 3 एवं 4
(c) 1, 3 एवं 4 (d) 1, 2, 3 एवं 4

12. भारत में विभिन्न मुद्रा बाजार संघटकों (money market components) के परिचालन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. एक बार जब मुद्रास्फीति काफी बढ़ जाती है तब कामकाजी पूँजी उधार लेने के लिए कमर्शियल पेपर रूट लाभकारी होता है।
2. मुद्रास्फीति बढ़ने पर कॉल मनी मार्केट में बैंकों की परिचालन लागत गिर जाती है।
3. मुद्रास्फीति बढ़ने पर मनी मार्केट म्युचुअल फंड से आय में कमी होती है।
4. मुद्रास्फीति के घटते स्तर पर कैश मैनेजमेंट बिल पर भारत सरकार का ब्याज भुगतान दायित्व बढ़ जाता है।

निम्नलिखित ***कूट*** का उपयोग कर सही कथनों का चयन करें :

(a) 1, 2 एवं 3 (b) 2, 3 एवं 4
(c) 1, 3 एवं 4 (d) 1, 2, 3 एवं 4

13. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. जब मुद्रास्फीति अधिकतम होती है तब सरकार के ऋण अदायगी लागत न्यूनतम होती है।
2. बढ़ती मुद्रस्फीति से सरकार का कर संग्रह बढ़ जाता है।
3. सीनोरेज (seignorage) सरकार की आय बढ़ाने की दुधारी तकनीक है।

निम्नलिखित ***कूटों*** का उपयोग कर सही कथनों का चयन करें :

(a) 1 एवं 2 (b) 2 एवं 3
(c) 1 एवं 3 (d) 1, 2 एवं 3

14. भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

1. ऋण एवं मौद्रिक नीति (credit & monetary policy) के संबंध में अंतिम निर्णय केन्द्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा लिया जाता है।
2. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुला बाजार परिचालन (open market operation) उसके स्वशासी शक्तियों के अंतर्गत आता है।
3. भारत में नये करेंसी नोट जारी करने संबंधी अंतिम शक्ति भारतीय रिजर्व बैंक के पास है।
4. भारतीय रिजर्व बैंक को अखिल भारतीय वित्त संस्थाओं के नियमन के लिए पूरी स्वायत्तता प्राप्त है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन गलत हैं?

(a) 1, 2 एवं 3 (b) 2, 3 एवं 4
(c) 1, 3 एवं 4 (d) 1, 2, 3 एवं 4

15. 'मार्केट मेकर' संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. मार्केट मेकर भारतीय प्रतिभूति बाजार में एक प्रकार का दलाल (ब्रोकर) है, जो सिक्यूरिटीज के लिए दोतरफा मूल्य 'कोट' करता है।
2. 'ओवर दि काउंटर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.' (OTCEI) के प्लेटफॉर्म पर लेन-देन के लिए केवल मार्केट मेकर है।
3. 'डिस्काउंट एंड फाइनांस हाउस ऑफ इंडिया' (DFHI) भारतीय मुद्रा बाजार का प्रमुख मार्केट मेकर है।
4. दलालों के लिए सिक्यूरिटीज के दोतरफा मूल्य (two-way prices) 'कोट' करने की कोई बाध्यता नहीं होती, हालांकि वे स्वैच्छिक रूप से ऐसा कर सकते हैं।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) 1, 2 एवं 3 (b) 2, 3 एवं 4
(c) 1, 3 एवं 4 (d) 1, 2, 3 एवं 4

16. ''कॉमोडिटी फ्युचर ट्रेडिंग इन इंडिया'' के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. यह वस्तुओं के मूल्य में स्थिरता के लिए सर्वोत्तम उपकरण है।
2. कॉमोडिटी एक्सचेंज में प्राइस डिस्कवरी स्थानीय एवं वैश्विक कारकों को 'प्राइस सर्च' की प्रक्रिया में छूट प्रदान करता है।
3. यह भारत में कृषि-वस्तुओं के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है जहाँ कि विभिन्न प्राकृतिक एवं मानव जनित कारणों से मूल्यों में सबसे अधिक उतार-चढ़ाव होता है।
4. प्राय: भारत सरकार कुछ कृषि वस्तुओं के व्यापार पर रोक लगा देती है क्योंकि तात्कालिक रूप से इससे मूल्यों में भारी उछाल आ सकता है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) 1 एवं 2 (b) 2 एवं 3
(c) 1 एवं 3 (d) 1, 2 एवं 3

17. प्राथमिक प्रतिभूति बाजार से पूँजी उगाही के लिए 'निजी स्थापन' मार्ग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. शेयर निवेशकों के एक विशेष चयनित समूह को बेचे जाते हैं प्रत्यक्ष वार्ता की प्रक्रिया के माध्यम से।
2. यह पब्लिक इश्यू मार्ग के बिल्कुल विपरीत है जहाँ कि निवेशकों से कोई वार्ता नहीं होती।
3. विदेशी और घरेलू वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त व्यक्ति भी इसमें भाग ले सकते हैं।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) 1 एवं 2 (b) 2 एवं 3
(c) 1 एवं 3 (d) 1, 2 एवं 3

18. सीमित दायित्व वाले फर्म (limited liability firm) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. किसी कम्पनी का 'नॉमिनल कैपिटल' (नामिक पूँजी) ही वह सीमा है जहाँ तक कि एक कम्पनी अपने शेयर जारी कर सकती है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

2. किसी कम्पनी के 'रजिस्टर्ड कैपिटल' तथा 'ऑथोराइज्ड कैपिटल' समानार्थक हैं।
3. पेड-अप कैपिटल कभी भी किसी कम्पनी के इश्यूड कैपिटल (Issued capital) से अधिक नहीं हो सकता।
4. किसी कम्पनी के पेड-अप कैपिटल की ऊपरी सीमा ही उसका ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है।

निम्नलिखित कूटों का उपयोग कर सही कथनों का चयन करें :

(a) 1, 2 एवं 3 (b) 2, 3 एवं 4
(c) 1, 3 एवं 4 (d) 1, 2, 3 एवं 4

19. एंजेल इन्वेस्टर (Angel Investor) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. ऐसे निवेशकों का ध्यान इस पर केन्द्रित रहता है कि वे व्यवसाय की सफलता के लिए सहायता दें, न कि अपने निवेश से भारी मुनाफा कमाएँ।
2. सिद्धांत रूप में, मुनाफा की प्रेरणा में, वे 'वेंचर कैपिटलिस्ट' से बिल्कुल उलट होते हैं।
3. वे सामान्यत: 'व्यक्ति' के लिए निवेश करते हैं न कि व्यवसाय की व्यवहार्यता (viability) के लिए।
4. भारत में वे 'वेंचर कैपिटल फंड' की कोटि में वर्गीकृत किए जाते हैं।

निम्नलिखित कूटों का उपयोग कर सही कथनों का चुनाव करें :

(a) 1, 2 एवं 3 (b) 2, 3 एवं 4
(c) 1, 3 एवं 4 (d) 1, 2, 3 एवं 4

20. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स (IDRs) भारतीय निवेशकों को विदेशी कम्पनियों में रुपये में निवेश करने की अनुमति देती हैं।
2. ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स (GDRs) विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय कम्पनियों में उनकी अपनी मुद्रा में निवेश करना संभव बनाती है।
3. आई.डी.आर. भारत में एक घरेलू डिपॉजिटरी द्वारा जारी होते हैं।
4. यद्यपि भारत में आई.डी.आर. के प्रावधान हैं, विदेशी कम्पनियाँ द्वारा भारत में आई.डी.आर. जारी किया जाना अभी बाकी है।

निम्नलिखित कूटों का उपयोग कर सही कथनों का चयन करें :

(a) 1, 2 एवं 3 (b) 2, 3 एवं 4
(c) 1, 3 एवं 4 (d) 1, 2, 3 एवं 4

21. 'निवल स्थायी फंडिंग अनुपात' (NSFR) जो हाल में समाचारों में था, के बारे में निम्न में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है?

(a) यह बेसल III प्रावधानों का एक अंश है, जिससे बैंकों का नियमन होता है।
(b) भारतीय बैंकों के लिए इसे मानना अनिवार्य है।
(c) यह एक फंड का अनुपात है, जिसके माध्यम से बैंकों की दीर्घावधिक धन की जरूरतों पूर्ति का अनुमान प्राप्त होता है।
(d) भारत इस प्रावधान को मानने के लिए कटिबद्ध नहीं है।

22. हाल ही में भारत सरकार द्वारा एक नई विनिवेश नीति की घोषणा की गई थी। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए, इससे संबंधित सही व्यक्तव्य चुनें:

1. नई नीति के तहत पीएसयू का अब निजीकरण किया जा सकता है।
2. भारत सरकार पीएसयू के शेयर 100 फीसदी तक भी बेच सकती है
3. पीएसयू का इस्तेमाल अर्थव्यवस्था में अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए किया जाएगा।

कूट:

(a) सिर्फ 1 (b) 2 और 3
(c) सिर्फ 2 (d) 1, 2 और 3

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

23. 'पूँजी उपभोग' (capital consumption) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. वह स्थिति जिसमें एक कम्पनी को एक के बाद साल में हानि उठाने के कारण अपने चालू खर्चों के लिए भुगतान के लिए अपने पूँजी आधार (capital base) का इस्तेमाल करना पड़ता है।
2. वह स्थिति, जिसमें सूचीबद्ध फर्म हानि या क्षति के बारे में प्रतिवेदित करती हैं जिससे कि वे मंदी का अधिक-से-अधिक लाभ उठा सकें।
3. वह प्रक्रिया, जिसमें एक कम्पनी अपने परिचालन में अधिक हानि के कारण अपने शेयर धारकों को लाभांश देने की स्थिति में नहीं होती।

उपरोक्त में से कौन-सा कथन गलत है?

(a) 1 एवं 2 (b) 2 एवं 3
(c) 1 एवं 3 (d) 1, 2 एवं 3

24. भारत में 'सूक्ष्म वित्त' (micro finance) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. सूक्ष्म वित्त एक लघु स्तरीय मध्यस्थता है, जिसमें बचत, ऋण, बीमा, व्यावसायिक सेवाएँ तथा तकनीकी सहयोग जरूरतमंद ऋणी को दिया जाता है।
2. सूक्ष्म वित्त पहल का जोर उत्पादन एवं उपभोग ऋण को संभावित ऋण प्राप्तकर्ता को उसके अवशोषण क्षमता के आधार पर प्रणालीबद्ध करने पर रहता है।
3. इसका विकास विभिन्न कालों में विभिन्न मॉडलों का अनुसरण करके हुआ है – 'एक दान आधारित मॉडल' से 'मितव्ययिता आधारित मॉडल' और अंत में 'भरोसा एवं ऋण योग्यता (trust and credit worthiness) मॉडल' तक।
4. सूक्ष्म वित्त संस्थाओं और औपचारिक वित्तीय संस्थाओं के बीच जुड़ाव आस्ट्रेलिया में बना और विकसित हुआ।

निम्नलिखित ***कूटों*** का उपयोग कर सही कथनों का चयन करें :

(a) 1, 2 एवं 3 (b) 2, 3 एवं 4
(c) 1, 3 एवं 4 (d) 1, 2, 3 एवं 4

25. 'क्रिप्टो-करेंसी' हाल में समाचारों में थी। इससे जुड़े सत्य कथन/कथनों का नीचे दिए गए कूट के माध्यम से चयन करें:

1. भारत सरकार 'क्रिप्टो-करेंसीज' को एक वैधानिक संविदा नहीं मानती है।
2. सरकार इसक इस्तेमाल को समाप्त करना चाहती है।

कूट:

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न 1, न ही 2

स्पष्टीकरण सहित उत्तर कुंजी
(Answer Key with Explanation)

1. *(b)* यह बेसल III प्रावधानों का एक अंग है, जिसके माध्यम से बैंकिग व्यवस्था को बेहतर ढंग से अधिनियमित करने की कोशिश की जाती है।

2. *(b)* भारतीय रुपया इन कार्यों के लिए पूर्ण परिवर्तनीय है-ब्याज भुगतान, प्रेषण, अनुदान, व्यापार एवं *प्रत्यक्ष विदेशी निवेश* (हालांकि यह पूंजीगत खाते का अंग है)।

3. *(d)* नयी विधि के बारे में सभी कथन सत्य हैं। MCLR बैंकों की एक आंतरिक प्रधान दर होगी तथा वास्तविक ब्याज दर इससे अधिक हो सकती है। बैंक अपनी इस नयी दर को प्रतिमाह एक तय दिनांक को प्रकाशित करेंगे तथा इसके साथ वे अपने 'बेस रेट' (Base Rate) की भी घोषणा करते रहेंगे।

   RBI के अनुसार (अप्रैल 2016), मौद्रिक पारेषण के लिए बैंकों की ऋण दरों का नीति दरों (Policy Rates) के प्रति संवेदनशील होना आवश्यक है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पा रहा था। अब तक बैंकों को अपनी प्रधान ब्याज दर (बेस रेट) को तय करने के लिए नीचे दिए गए तीनों तरीकों में से किसी एक तरीके को चुनना था (जो अब संभव नहीं है)–(i) धन की औसत लागत; (ii) धन की सीमांत लागत, तथा; (iii) धन की मिश्रित लागत।

4. *(c)* आर.बी.आई. ने 2011-12 में बैंकों के लिए इस 'रूट' को ऋण प्राप्त करने के लिए 'पेनल रूट' घोषित किया जबकि उनके सभी उधारी विकल्प समाप्त हो जाएँ, यानी रेपो रूट। एम.एस.एफ दर आर.बी.आई. द्वारा नियमित होती है - चालू रेपो दर के ऊपर। बैंकों द्वारा यह रूट सिर्फ 'ओवरनाइट बौरोइंग' के लिए उपयोग किया जा सकता है और यह उनकी कुल मांग तथा सामाजिक देनदारियों से जुड़ा नहीं है।

5. *(b)* केवल उन विदेशी बैंकों को पीएसएल के मामले में देशी बैंकों के समकक्ष रखा गया है जिनकी देश में 20 या अधिक शाखाएँ हैं। 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के लिए 32 प्रतिशत के प्राथमिक क्षेत्र के ऋण लक्ष्य के अंतर्गत कोई उप-लक्ष्य नहीं हैं। यह एक ज्ञात तथ्य है कि अगस्त 2011 में आर.बी.आई. ने चालू वर्गीकरण की जाँच के लिए एक समिति गठित की थी। इसे पीएसएल एवं संबंधित मामलों में सलाह देनी थी। समिति के अध्यक्ष एम.वी. नायर थे। फरवरी 2012 में समिति ने रिपोर्ट दी।

6. *(d)* आर.बी.आई. के पास 'अन्य जमा' के रूप में मौजूद पैसे का स्टॉक तरलता (liquidity) के रूप में दैनंदिन के उपयोग के लिए होता है, इसका दीर्घकालीन उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। अंतरराष्ट्रीय एजेन्सियों में खाते का अर्थ है–आई.एम.एफ. एवं इस जैसी अन्य संस्थाएँ।

7. *(c)* नया मौद्रिक सकल (मॉनेटरी एग्रीगेट) एम$_3$ एक तरह से विस्तृत मुद्रा है। (पुराने की तरह ही)। बैंकर्स डिपॉजिट एक तरह से रिजर्व मनी का हिस्सा है, जबकि डाकघरों के बचत खाते (इनमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट शामिल नहीं) एम$_4$ का हिस्सा है। दूसरे डिपाजिट के लिए प्रश्न संख्या 8 का जवाब देखें।

8. *(a)* यह एक ऐसी स्थिति है, जब विनिर्मित उत्पादों पर लगने वाला सीमा शुल्क उनके उत्पादन में लगने वाले पदार्थों पर लगने वाले सीमा शुल्क से कम होता है। ऐसी स्थिति में घरेलू उत्पादकर्ताओं को हानि होती है। भारत के मामले में यह विसंगति सिर्फ सीमा शुल्क के कारण नहीं बल्कि अन्य शुल्कों की वजह से भी आती है।

9. *(b)* आर.आर.बी. की शेयर पूँजी भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से रखी जाती है, प्रायोजक अनुसूचित व्यावसायिक बैंक (SCBs) तथा संबंधित राज्य सरकार का अनुपात क्रमशः 50, 35 तथा 15 होता है। दिसंबर 2012 से आर.आर.बी. में नियुक्तियाँ इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सलेक्शन (IBPs) के माध्यम से होती है। अब तक 64 आर.आर.बी. अस्तित्व में हैं - मूलतः 196 ऐसे बैंक 1996 तक स्थापित किए गए थे, जबकि भारत सरकार ने यह संख्या और नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया।

10. *(b)* यह तब होता है जब यह डर हो कि बैंक के पास अपर्याप्त निधि है - जमाकर्ता भरोसा खोने लगते हैं और अपना जमा पैसा निकालने लगते है। यह शब्दावली समकालीन पत्रकारिता में युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भारी क्षति उठाने की स्थिति में प्रयुक्त की गई थी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सब-प्राइम संकट के दौरान 300 से अधिक बैंक बंद कर दिए गए थे।

11. *(c)* यह प्रश्न उस परिस्थिति पर आधारित है जब 'उधार लेने वालों को बढ़ी हुई मुद्रास्फीति में लाभ होता है जबकि, उधार देने वालों को नुकसान (इन्फ्लेशन प्रीमियम)। इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉण्ड्स मुद्रास्फीति से उदासीन रहते हैं, यदि कोई व्यक्ति मुद्रास्फीति के दबाव वाली परिस्थितियों में ये बॉण्ड लेता है, तो उसके ब्याज के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

12. *(d)* यह प्रश्न इस विचार पर आधारित है कि 'मुद्रास्फीति' और 'वास्तविक ब्याज दर' जो कि ऋणी अपने ऋण के लिए भुगतान करता है, के बीच क्या संबंध है। मुद्रा बाजार के अव्यव (components) वित्त बाजार से अल्पकालीन (यानी कामकाजी पूँजी) उधारी के उपकरण के रूप में कार्य करते हैं – इस प्रकार मुद्रास्फीति उन्हें भी समान रूप से प्रभावित करती है।

13. *(d)* यह विचार 'इन्फ्लेशन प्रीमियम' के जैसा ही है। सिगनोरेज (Seignorage) एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा सरकार अपने कर राजस्व में नये करेंसी नोट जारी कर वृद्धि करती है। इससे सरकार के पास दो प्रकार से अतिरिक्त नकद आ जाता है – एक तो मुद्रित मुद्रा (currency) के माध्यम से और दूसरा कर आय में बढ़ोतरी से।

14. *(b)* आर.बी.आई. को इसके परिचालन में स्वायत्तता प्राप्त नहीं है, हालांकि नरसिम्हन समिति-1 ने 1991 में महत्व के क्षेत्रों में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तरह स्वायत्तता की राय दी थी। ऐसा माना जाता है कि आर.बी.आई. को ऋण एवं मुद्रा नीति (credit and monetary policy) में कामकाजी स्वायत्तता दी गई है।

15. *(d)* चूँकि मार्केट मेकर सिक्युरिटीज के लिए दोतरफा मूल्य वोट करते हैं, ऐसा लगता है, वे ही बाजार बना रहे हैं। संबंधित सिक्यूरिटीज कम ओटीसीईआई (OTCEI) को नैस्डैक (NASDAQ, USA) की तर्ज पर एसएमई की सूचीबद्धता के लिए खड़ा किया गया है जो कि अपने शेयर के लेन-देन में कमतर तरलता का सामना करते हैं। डीएफएचआई भारतीय मुद्रा बाजार में दो लेन-देन के लिए एक समर्पित निकाय है, जो 1998 से ही परिचालन में है।

16. *(d)* सभी कथन सही हैं। भारत की कृषि वस्तुओं के मामले में ऐसी ट्रेडिंग ठीक से काम नहीं करती क्योंकि अन्य संबंधित सांस्थानिक विकास समय पर पूरे नहीं हो पाते और किसान अब भी वस्तु विनिमय (commodity exchange) के क्षेत्र में सक्रिय नहीं हैं (अंशत: परिचालन संबंधी कठिनाइयों के कारण, छोटे पूँजी आधार तथा ज्ञान की कमी के कारण)। एक बार जब बड़े किसान (ठेका/कॉर्पोरेट किसान) उभर कर सामने आ जाएँ तो यह अच्छी तरह काम करने लगेगा।

17. *(d)* प्राथमिक बाजार से पूँजी उगाही के अन्य मार्ग – (क) पब्लिक इश्यु तथा (ख) राइट्स इश्यु।

18. *(d)* सभी विकल्प सही हैं।

19. *(d)* ऐसे निवेशक प्राय: उद्यमियों के घरानों से संबंधित होते हैं, हालांकि वे बाहर के भी हो सकते हैं जो उद्यमियों को नया व्यवसाय शुरू करने में सहायता दें। संघीय बजट 2014-14 में उनके लिए एक प्रावधान है। सेबी (वैकल्पिक विदेश फंड) विनियमन, 2012 के अनुसार कोटि -1 ए.आई.एफ. (category 1 AIF) वे ए.आई.एफ है जिनका अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक 'स्पिल ओवर' प्रभाव है, और इसके लिए कुछ प्रोत्साहन व रियायतों पर सेबी या सरकार द्वारा विचार किया जा सकता है। इसमें शामिल होंगे – वेंचर कैपिटल फंड, एस.एम.ई. फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तथा अन्य वैकल्पिक निवेश फंड (AIFs)।

20. *(a)* स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एकमात्र कम्पनी है जिसने भारत में आईडीआर (IDRs) जारी किए। मई 2012 में इसने इस मार्ग से 2500 करोड़ रुपये उगाहे।

21. *(d)* इसके अंतर्गत बैंक अपने अगले एक वर्ष तक की तरलता की व्यवस्था के बारे में निश्चित होना चाहते हैं। हालांकि यह प्रावधान किसी देश को उसके पालन के लिए बाध्य नहीं करता लेकिन भारत इसका पालन कर रहा है।

22. *(d)* 2016-17 में भारत सरकार द्वारा घोषित नई नीति के तहत, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) में कितनी भी मात्रा में शेयर बेचे जा सकते हैं। विनिवेश को अब 'पीएसयू में सरकार के निवेश के व्यापक प्रबंधन' के रूप देखा जा रहा है।

23. *(d)* पूँजी उपभोग 'अवमूल्यन' के लिए एक अन्य शब्दावली है। इनके उपयोग की प्रक्रिया में

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

सावधि परिसम्पत्ति (fixed assets) का अवमूल्यन सरकार द्वारा तय दर पर कराया जाता है – अलग अर्थव्यवस्थाओं में यह दर अलग-अलग हो सकती है। राष्ट्रीय आय की गणना की नयी विधि (जो IMF द्वारा सुझाई गई है) का CFC (Consumption of Fixed Capital) नाम से उपयोग किया गया है। इस नयी विधि को वित्तीय वर्ष 2015-16 से अपनाया गया है।

24. *(d)* सूक्ष्म वित्त एक लघु वित्तीय माध्यम है, जिसमें बचत, ऋण, बीमा, व्यावसायिक सेवाएँ तथा तकनीकी सहायता जरूरतमंद ऋणी (borrower) को दी जाती है। सूक्ष्म वित्त पहल का जोर संभावित ऋण प्राप्तकर्ता की अवशोषण क्षमता पर आधारित उत्पादन एवं उपभोग ऋण को प्रणालीबद्ध करना है। यहाँ यह माना जाता है कि ऋण प्राप्तकर्ता के पास मूलभूत वित्तीय साक्षरता है और उसमें यह क्षमता है कि वह स्वनिर्धारित आर्थिक उपक्रमों को लाभ में चला सकता है। औपचारिक रूप से सूक्ष्म वित्त 1972 में अस्तित्व में आया। आयरलैंड में इसका एक दान आधारित मॉडल के रूप में विकास हुआ। बाद में जर्मनी में मितव्ययिता आधारित मॉडल का विकास हुआ – बचत निधियों की स्थापना के साथ। बांग्लादेश का ग्रामीण मॉडल गरीबों के भरोसा एवं ऋण योग्यता के सिद्धांत पर विकसित हुआ है और इसमें बाध्यकारी एवं स्वैच्छिक दोनों बचत योजनाएँ शामिल हैं। 'द फाउंडेशन फार को आपरेशन' (FDC) ऑफ आस्ट्रेलिया ने एक शोध परियोजना चलायी– 'द बैंकिंग बिद द पूअर' (BWP) जिसमें सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को औपचारिक वित्तीय संस्थाओं से जोड़ा गया।

25. *(a)* सरकार द्वारा ऐसी घोषणा *संघीय बजट 2018-19* में स्पष्ट रूप से की गयी है। सरकार इसके माध्यम से होने वाले सभी अवैधानिक लेन-देन को समाप्त करने के प्रति कटिबद्ध है।

सेट–3

1. **निम्न में से कौन-सा समीकरण भारत के बाजार मूल्यों पर एन.एन.पी. की माप के बारे में सत्य है?**
   (a) सकल जी.वी.ए., आधारिक मूल्यों पर + उत्पाद कर (उत्पादन छूटों को बाद करके)
   (b) सी.ई. + एम.आई. + सी.एफ.सी. + उत्पाद कर + उत्पादन कर (उत्पाद एवं उत्पादन छूटों को बाद करके)
   (c) आधारिक मूल्यों पर सकल जी.वी.ए. + उत्पाद एवं उत्पादन कर (सभी छूटों को बाद करके)
   (d) सी.ई. + एम.आई. + सी.एफ.सी. + उत्पाद कर (उत्पाद छूटों को बाद करके)

2. **हाल ही में खबरों में रहे 'कोच मित्र' के बारे में निम्न में से क्या सही है?**
   (a) कोच संबंधित सभी शिकायतों और आवश्यकताओं के लिए भारतीय रेलवे द्वारा प्रस्तावित एक सिंगल विण्डो इंटरफेस
   (b) रेल यात्रियों को सफर में मनोरंजन और इंटरनेट पाने में मदद करने के लिए एक 'ऐप' आधारित सेवा व्यवस्था
   (c) सेल्फ सर्विस विंडो जहां से रेल और प्लेटफॉर्म टिकट खरीदे जा सकेंगे।
   (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

3. **मूल्य संवर्द्धित कर (वैट) और केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए।**
   1. सीएसटी केन्द्र का गंतव्य आधारित कर है जबकि वैट राज्यों का उत्पत्ति आधारित कर है।
   2. सीएसटी वैट के साथ असंगत है।
   3. सीएसटी निरंतर प्रकार का कर है और वैट में इसकी छूट नहीं मिलती है।

   नीचे दिए **कूट** का प्रयोग कर सही कथन/कथनों को चुनिए:

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(a) केवल 1 (b) 1 और 2
(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

4. राजसहायता (सब्सिडी) के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए।

1. ये सरकारी नीति का अहम भाग है, कुछ हद तक ये तदर्थ व्यवस्था है।
2. यद्यपि हर किसी को इसका लाभ मिलता है, इनका सभी द्वारा भुगतान नहीं किया जाता।
3. राजसहायताओं के पूंजीगत भाग को सरकार के योजनागत व्ययों में गिना जाता है।

नीचे दिए **कूट** का प्रयोग कर गलत कथन चुनिए:

(a) 1, 2 और 3 (b) 1, 3 और 4
(c) 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

5. निम्नांकित में कौन सरकारी व्यय नहीं है/हैं?

1. 'खपत' के रूप में वर्गीकृत व्यय
2. निवेश और पूंजी निर्माण के रूप में व्यय
3. सरकार चलाने में व्यय
4. बाह्य अनुदान प्रदान करने में व्यय

नीचे दिए **कूट** का प्रयोग कर गलत कथन चुनिए:

(a) 1, 2 और 3 (b) 1, 3 और 4
(c) 2, 3 और 4 (d) 1,2,3 और 4

6. यदि भारतीय रिर्जव बैंक (आरबीआई) विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाता है, तो वह निम्नांकित में से क्या नहीं करेगा?

1. सीआरआर में कटौती और अनुकूलतम एसएलआर।
2. एमएसएफ दर में वृद्धि।
3. बैंक दर में कटौती और रिवर्स रेपो दर में वृद्धि।

नीचे दिए **कूट** का प्रयोग कर गलत कथन चुनिए:

(a) 1 और 2 (b) केवल 1
(c) 2 और 3 (d) केवल 2

7. यदि सरकार आर्थिक असमानता को कम करना चाहती है तो वह निम्नांकित में से कौन-सी पुनर्वितरण नीतियों को नहीं अपनाएगी?

1. राजसहायता को युक्तियुक्त करना।
2. प्रगतिशील कर नीतियां।
3. प्रत्यावर्ती व्यय।

नीचे दिए **कूट** का प्रयोग कर गलत कथन चुनिए:

(a) 1 और 2 (b) केवल 2
(c) 2 और 3 (d) केवल 3

8. जब अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीतियां दबाव से गुजर रही हों तो निम्नांकित में इसके परिणाम क्या होंगे?

1. घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन होगा।
2. निर्यात कम प्रतिस्पर्धी हो जाएगा और आयात मंहगा हो जाएगा।
3. ऋण लागत घटेगी।
4. बॉण्ड धारकों को लाभ होगा।

नीचे दिए **कूट** का प्रयोग कर गलत कथन चुनिए:

(a) 1 और 2 (b) केवल 2
(c) 1 और 3 (d) केवल 3

9. जी.आई.सी.आर.ई. के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए :

1. सरकारी क्षेत्र पुनर्बीमा कंपनी देश में जीवन और गैर–जीवन बीमा कंपनियों को पुनर्बीमा में सहायता प्रदान करती है।
2. यह समुदाय जलयान पूल, भारतीय आंतकवाद बीमा पूल और भारतीय बीमा उद्योग की ओर से वाणिज्यिक वाहनों हेतु इंडिया मोटर थर्ड पार्टी पूल का भी प्रबंधन करता है।
3. यह एफ्रो–एशियाई क्षेत्र में पसंदीदा पुनर्बीमा करने वाली कंपनी के रूप में उभरी है।
4. यह विश्व में तीसरी सबसे बड़ी विमानन पुनर्बीमा कंपनी है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) 1, 2 और 3 (b) 1, 3 और 4
(c) 2, 3 और 4 (d) 1,2,3 और 4

10. आरबीआई की मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए।

1. यह वित्तीय संस्थानों हेतु रेपो दर के समान ही है।
2. यह नकदी समायोजन सुविधा की तर्ज पर है और इसका भाग है।
3. यद्यपि निधियों की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने का यह मंहगा मार्ग है, यह दण्डात्मक दर नहीं है।
4. बैंक इस मार्ग का तभी प्रयोग करते हैं तब वे सभी चैनलों से अल्पाविधि निधि सृजित में असफल रहते हैं।

नीचे दिए ***कूट*** का प्रयोग कर गलत कथन चुनिए:

(a) 1, 2 और 3 (b) 1, 3 और 4
(c) 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

11. खेल सिद्धांत के सबंध में निम्नाकिंत कथनों में से कौन-सा एक गलत है?

(a) यह अर्थशास्त्र की एक शाखा है, जो देशों, व्यक्तियों और संगठनों के मध्य बातचीत के अध्ययन हेतु मॉडलों का प्रयोग करती है।

(b) इसे 1944 में जॉन वोल न्यूमैन और ऑस्कर मॉर्गेनस्टर्न द्वारा तैयार किया गया था।

(c) इसे प्राय: देशों के मध्य विरोधों को स्पष्ट करने के लिए राजनीतिक या सैन्य संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, परन्तु हाल ही में इसका प्रयोग व्यापार जगत की प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए किया जा रहा है कि, समूह मूल्यों को कैसे बेचते हैं और कंपनियां नए बाजार में अपने सामान और सेवाओं को कैसे बेहतर कर सकती हैं।

(d) इस सिद्धांत पर कार्य करने के लिए रॉबर्ट जे. आमन और थॉमस सी. शैलिंग को 2005 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था।

12. 'प्रतिकारी शुल्क' के बारे में सही व्यक्तव्य चुनें:

(a) निर्यात करने वाले देश द्वारा प्रस्तावित निर्यात सब्सिडी के लाभ को प्रभावहीन करने के लिए आयात करने वाले देश द्वारा आयात पर कर लागू करना।

(b) डंपिंग विरोधी शुल्क का दूसरा नाम।

(c) यह डब्ल्यूटीओ की समीक्षा के तहत नहीं आता है।

(d) यह आयात शुल्क के विपरीत है।

13. कुछ निश्चित कारणों से एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के लिए यह कठिन हो जाता है कि वह भारत से प्रारंभ होने वाले मध्यम और लंबी अवधि निर्यातों का वास्तविक वाणिज्यिक जोखिमों को कवर कर सकें। ये कौन-से कारण हैं?

1. लंबी पुनर्भुगतान अवधि।
2. संविदाओं की अधिक कीमत।
3. आयात करने वाले देशों में कठिन आर्थिक और राजनीतिक स्थितियां।
4. ऐसी बाह्य परियोजनाओं हेतु पुनर्बीमा की अनुपलब्धता।

नीचे दिए ***कूट*** का प्रयोग कर गलत कथन चुनिए:

(a) 1, 2 और 3 (b) 1, 3 और 4
(c) 2, 4 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

14. भारत में डेरिवेटिव्स के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार करिए:

1. ऋण, शेयर, सुरक्षित या असुरक्षित ऋण से प्राप्त प्रतिभूति।
2. ऐसी संविदा जो अपना मान निहित परिसंपत्तियों के मूल्यों या सूचकांक से प्राप्त करती है।
3. विनिमय दरों और ब्याज दरों से प्राप्त प्रतिभूति।
4. यह मानसून पूर्वानुमान से प्राप्त की जा सकती है।

नीचे दिए ***कूट*** का प्रयोग कर गलत कथन चुनिए:

(a) 1, 2 और 3 (b) 1, 3 और 4
(c) 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

15. 'शुद्ध आय' शब्द हाल ही में खबरों में आया- निम्न में से क्या इसके बारे में सही है?

(a) यह कंपनी की कुल आय और कुल व्यय से बची रकम है।

(b) यह कॉर्पोरेट कर चुकाने के बाद कंपनी का मुनाफा है।

(c) वह रकम जो कंपनी द्वारा अपने घाटे और ब्याज के भुगतान के बाद कमाई गई है।

(d) घाटे को बिना निकाले कंपनी की आय।

16. 'एंजेल निवेशकों' के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए :

1. ऐसे निवेशक जो उद्यमियों को उनके व्यापार को प्रारंभ करने में वित्तीय बैंकिग प्रदान करते हैं।
2. ये सकरात्मक स्पिलओवर प्रभावों वाले निवेशक हैं।
3. ये नए व्यापार में ऋण या शेयर पूंजी के रूप में वित्त प्रदान कर सकते हैं।
4. ये सामान्यत: व्यापार की आर्थिक व्यवशर्यता के बजाय व्यक्ति में निवेश करते हैं।
5. ये सामान्यत: उद्यमी का परिवार और मित्र होते हैं, परन्तु ये बाहर से भी हो सकते हैं।
6. जोखिम पूंजी निधियां भी समान प्रयोजन को पूरा करती हैं उस स्तर तक जहां तक कि निवेश योग्य पूंजी का संबंध है।

नीचे दिए ***कूट*** का प्रयोग कर गलत कथन चुनिए:

(a) 1, 2 और 5

(b) 2, 3 और 4

(c) 3, 5 और 6

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

17. भारत के पूंजी खाते के संबंध में निम्नांकित मदों पर विचार कीजिए :

1. बैंकों की विदेशी मुद्रा जमाएं।
2. निजी प्रेषण।
3. आरएफबीआई और क्यूएफआई द्वारा प्रतिभूति बाजार निवेश।
4. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश।
5. भारत सरकार द्वारा जारी बाह्य बॉण्ड।
6. मर्चेन्डाइज व्यापार संतुलन।
7. बाह्य ऋणों की ब्याज देयताएं।

उपरोक्त मदों में से कौन-सी मदें भारत के पूंजी खाते से संबंधित हैं?

(a) 1, 3, 4 और 5 (b) 2, 4, 6 और 7

(c) 1, 5, 6 और 7 (d) 1, 3, 6 और 7

18. भारत समग्र नवाचार निधि के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए :

1. इसका उद्देश्य पिरामिड के तल (बैंक ऑफ पिरामिड-बीओपी) से नवाचारी उद्यम निर्मित करना।
2. यह निधि जोखिम निधि प्रदान करेगी ताकि ऐसे समाधानों को निर्मित किया जा सके, जो बीओपी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए लक्षित हों।
3. यह बीओपी केन्द्रित उद्यमिता के ईद-गिर्द क्षमता निर्माण के तंत्र को प्रारंभ कर सामाजिक प्रभाव उद्देश्यों को संबोधित करेगा।
4. दी जाने वाली आवश्यक क्षमताओं को प्रदान कर आर्थिक लाभ उद्देश्यों को संबोधित करेगा
5. इसके लिए निधियां सरकार सरकारी क्षेत्र उपक्रमों, कार्पोरेट क्षेत्र, जोखिम निधियों, एंजेल निवेश और निवेश फर्मों द्वारा जुटाई जाएंगी।

नीचे दिए ***कूट*** का प्रयोग कर सही कथनों को चुनिए:

(a) 1, 2, 4 और 5 (b) 2, 3, 4 और 5

(c) 1, 3, 4 और 5 (d) 1, 2, 3, 4 और 5

19. आरबीआई के परिपत्र (Circular) के अनुसार कोर निवेश कंपनियों के संबंध में क्या सही है?

(a) वे सब कंपनियां, जिनकी प्रस्त पूंजी 1000 करोड़ रु. से अधिक होती है और जो मुख्यत: कोर उद्योगों में निवेश करती हैं।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(b) वे सब एनबीफसीएस, जो गैर-व्यापार प्रयोजनों हेतु शेयरों और प्रतिभूतियों के रूप में अपनी कुल परिसंपत्तियों के न्यूनतम 90 प्रतिशत का निवेश करती हैं।

(c) सभी कॉर्पोरेट घराने, जिन्होंने न्यूनतम 10 वर्षों हेतु कोर क्षेत्र में अपनी कुल स्वामित्व निधि का न्यूनतम 1000 करोड रु. निवेश किया हो।

(d) सभी संस्थागत विदेशी निवेशकों (एफआईआई) जो न्यूनतम 1000 करोड़ रुपये की पूंजी का निवेश कर रहे हैं उन्हें अपने निवेश की 80 प्रतिशत राशि दीर्घकालीन उद्देश्यों के लिए कोर इंडस्ट्रीज में निवेश करना होगा।

20. हाल ही में सरकारी क्षेत्र बैंकों के एनपीए में एक उछाल देखा गया इसका कारण है :

1. देश में निम्न आर्थिक वृद्धि।
2. विगत में बैंकों द्वारा ऋण देने में आक्रमकता, विशेषकर अच्छे समय के दौरान।
3. सही ऋण-वसूली विधिक उपबंधों की कमी।
4. बैंक, एनपीए की तंत्र आधारित पहचान को अपना रहे हैं।

नीचे दिए गए ***कूट*** में से इस हेतु उत्तरदायी कारकों को चुनिए:

(a) 1, 2 और 3 (b) 2, 3 और 4
(c) 1, 2 और 4 (d) 1, 3 और 4

21. जब सरकार अपनी परिपक्वता अवधियों से पूर्व अपने बॉण्डों को पुनः खरीदना प्रारंभ करती है, तो निम्नांकित में से कौन-सा गलत है?

1. विस्तारवादी मौद्रिक नीति को बढ़ावा।
2. अर्थव्यवस्था की बचत दर में वृद्धि करने का प्रयास।
3. बढ़ती अर्थव्यवस्था को रोकने का एक उपाए।
4. बैंकों द्वारा क्रेडिट निर्माण को बढ़ावा।

नीचे दिए ***कूट*** का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

(a) 1, 2 और 3 (b) 1, 3 और 4
(c) 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

22. 'नैरो बैंकिंग' के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए :

1. एक बैंकिंग कार्य जिसमें बैंक एक छोटी अवधि हेतु जोखिम मुक्त ऋण देते हैं।
2. रिटेल बैंकिंग का एक प्रकार, जिसमें बैंक एक छोटी अवधि हेतु ओपन-एंडेड ऋण देते हैं।
3. जब बैंक कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए छोटी अवधि हेतु क्लोजड-एंडेड ऋण देता है।
4. एक बैंकिंग कार्य जिसमें बैंक जनता के लिए दीर्घ-अवधि कोलेटरल ऋण देता है।

नीचे दिए ***कूट*** का प्रयोग कर गलत कथनों को चुनिए:

(a) 1, 2 और 3 (b) 1, 3 और 4
(c) 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

23. सीमित देयता फर्म के 'सामान्य शेयरों' के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए :

1. ये व्यापार जोखिम से संबंधित अधिकतम उद्यमिता जोखिम लेते हैं।
2. इन शेयरों का कंपनी के मामलों में कोई मतदान अधिकार नहीं होता है।
3. यदि कोई कंपनी बंद होने जा रही हो तो इन शेयरों को अपना दावा बैंक ऋणों को चुकाने के बाद और वरीयता शेयरों से पहले मिलता है।
4. कंपनी कानून के अंतर्गत कंपनियों के बंद होने की स्थिति में इन्हें कोई निवेश दावा नहीं दिया जाता।

नीचे दिए ***कूट*** का प्रयोग कर गलत कथनों को चुनिए:

(a) 1, 2 और 3 (b) 1, 3 और 4
(c) 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

24. अनाज बैंक के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए :

1. इन्हें जनजातीय मंत्रालय और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जनजातीय और गैर-जनजातीय ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जाता है।
2. बसावटों को रेहन पर रखकर खाद्यान्नों को उधार लिया जा सकता है।
3. इसकी स्थापना खाद्य कमी वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा और कम उत्पादन अवधि के दौरान सबको भुखमरी से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से की जाती है।
4. सिविल सोसायटी निकाय भी इसे चला सकते हैं।

नीचे दिए कूट का प्रयोग कर गलत कथनों को चुनिए:

(a) 1, 2 और 3 (b) 1, 3 और 4
(c) 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

25. किसानों को उनके कृषि उत्पादों के लाभकारी मूल्य प्राप्त हों इसके संदर्भ में नीति आयोग द्वारा हाल ही में एक नयी विधि-'मूल्य कमी भुगतान'-का सुझाव दिया गया है, जो भारत की विश्व व्यापार संगठन के प्रति इसकी कृषि संबंधी कटिबद्धताओं के अनुरूप है। इसी नयी विधि से जुड़े सत्य कथनों का नीचे दिए गए कूट के माध्यम में चयन करें :

1. इसके अंतर्गत किसानों को घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर एक बोनस के भुगतान की व्यवस्था है जो फसलों के बाजार मूल्य से अधिक नहीं होगा।
2. इस विधि में राज्यों के कृषि उत्पाद बाजार समितियों (APMCs) द्वारा विनियमित मंडियों के भावों को संदर्भ बनाया जाएगा।
3. किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बाजार मूल्य के अंतर का महत्तम भुगतान किया जाएगा।
4. इसके लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) तकनीकी प्लेटफार्म का इस्तेमाल किया जाएगा।

कूट:

(a) 1 और 2 (b) 1, 2 और 4
(c) 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

स्पष्टीकरण सहित उत्तर कुंजी
(Answer Key with Explanation)

1. *(b)* राष्ट्रीय आय की माप का सही फॉर्मूला यही है।
2. *(a)* रेलवे के लिए केंद्रीय बजट 2017-18 की घोषणाओं में से एक। वर्तमान में रेल कोच की सफाई के लिए एक ऐप आधारित सेवा (जिसे 'क्लीन माई कोच सर्विस' कहते हैं) चल रही है।
3. *(d)* सीएसटी, सीएसटी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अंतर्गत अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान सामानों की बिक्री पर केन्द्र द्वारा संघ सूची की प्रविष्टी 92क के द्वारा लगाया जाता है परन्तु इसे राज्यों को ही लेने दिया जाता है, जिसके भीतर कर लिया जाना हो, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 269 के उपबंधों के द्वारा किया जाता है। इसलिए सीएसटी और वैट असंगत है (इसी प्रकार यह प्रस्तावित जीएसटी से भी असंगत होगा) इसीलिए केन्द्र और राज्यों के मध्य व्यापक विचार-विमर्श के बाद 31 मार्च, 2010 (अधीन जीएसटी को प्रारंभ करने से पूर्व तिथि तक इसे चरणबद्ध रूप से समाप्त करने की रूपरेखा तैयार करने हेतु) यह तिथि स्वत: ही आगे बढ़ गई चूंकि इस तिथि तक जीएसटी को लागू नहीं किया गया था। तद्नुसार सीएसटी को चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने की प्रक्रिया 1 अप्रैल, 2007 से सीएसटी को 4 प्रतिशत से घटाकर तीन प्रतिशत करने के साथ प्रारंभ हुई और आगे 1 जून, 2008 से इसे 2 प्रतिशत किया गया। जीएसटी लागू करने में होने वाले विलंब के कारण इसमें और कटौती नहीं की जाएगी। राज्यों

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

को केन्द्र से सीएसटी को समाप्त करने के कारण होने वाले नुकसानों हेतु क्षतिपूर्ति मिल रही है।

4. *(d)* मूलतः राजसहायताओं से कुछ लोगों को लाभ होता है जबकि इनका भुगतान अर्थव्यवस्था की संपूर्ण जनसंख्या द्वारा किया जाता है। राजसहायताओं की सलाह अर्थशास्त्रियों द्वारा दी जाती है, बशर्ते कि इनका प्रयोग अल्पावधि उपायों के रूप में किया जा सके – यदि अर्थव्यवस्था इन्हें दीर्घवधि उपाय के रूप में प्रयोग करती है तो ये जनसंख्या को उस पर निर्भर बना देते हैं (जिन्हें यह प्राप्त होती है)। राजसहायता दर्द के लिए सही उपचार की बजाए दर्द की दवा देने के समान है। इसीलिए अर्थशास्त्री हमेशा सुझाव देते हैं कि राजसहायता देने के अतिरिक्त एक प्रभावी और समयबद्ध दीर्घावधि नीति होनी चाहिए ताकि राजसहायता का लाभ ले रही जनसंख्या को बाजार के अनुसार खरीद क्षमता प्रदान की जा सके। सभी राजसहायताएं गैर-योजना व्यय के अंतर्गत आती हैं। एफआरबीएम अधिनियम में राजसहायता के सबंध में कोई प्रत्यक्ष उपबंध नहीं है – यह केवल राजस्व और राजकोषीय घाटे से सबंधित है।

5. *(d)* सरकार द्वारा किया गया कोई भी व्यय लोक व्यय का भाग होता है चाहे फिर यह योजना, गैर-योजना, विकासात्मक, गैर-विकासात्मक, राजस्व या पूंजी हो।

6.(d) विस्तारवादी नीति को बढ़ावा देने का अर्थ है अर्थव्यवस्था में धन का परिचालन बढ़ाना। यहां सिवाए एमएसएफआर वृद्धि के, सभी उपाय प्रणाली में नकदी वृद्धि के लिए समर्पित हैं।

7. *(d)* प्रत्यावर्ती व्यय प्रयोजन को कभी पूरा नहीं करेगा। सरकार को उच्च आय वर्ग पर करों की उच्च दर लगानी होगी और राजसहायताओं को युक्तियुक्त बनाना होगा, ताकि ये केवल जरूरतमंद तक पहुंचे और पर्याप्त मात्रा में पहुंचे। भारत सरकार द्वारा इन सभी उपायों को पहले से ही लागू किया जा रहा है।

8. *(c)* मुद्रास्फीति को घरेलू अर्थव्यवस्था में समानुपातिक क्षरण में सीधे परिवर्तित होने के रूप में देखा जाता है। ऐसी स्थिति में अन्य देशों के लिए निर्यात सस्ता हो जाता है (जो इसे विदेशी बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाता है), इसके अलावा आयात महंगा हो जाता है (चूंकि बाह्य मुद्रा के समक्ष घरेलू मुद्रा का मान घटता है)। ऋण की वास्तविक लागत का निर्धारण 'ब्याज/ऋण की आंशिक दर' से मुद्रास्फीती की वर्तमान दर (जो अधिक हो) का पता लगाकर किया जाता है। (अर्थात् ऋण की किसी श्रेणी पर बैंक द्वारा घोषित ब्याज दर)। बॉण्ड-धारकों ने वस्तुतः ऋण दिया होता है, इसलिए उन्हें नुकसान होता है- ब्याज में कुछ कमी आती है।

9. *(b)* यह केवल बीमा कारोबार के गैर-जीवन खण्ड का पुनर्बीमा करता है और विश्व में पांचवीं सबसे बड़ी विमानन पुनर्बीमा करने वाली है। हाल ही में इसे फेडरेशन ऑफ एफ्रो-एशियाई इंश्योरस एण्ड टीइंश्योरस (एफएआईआर) द्वारा समर्थन प्राप्त नेट केट पूल हेतु प्रबंधक के रूप में चुना गया है। जीआईसीआईई वित्तीय दृष्टि से मजबूत है और इसे एएम बेस्ट द्वारा 'ए' (बहुत अच्छा) रेटिंग और केयर (CARE) द्वारा एएए रेटिंग दी गई है। वर्ष 2016-17 में सरकार द्वारा विदेशी पुनर्बीमा कंपनियों के प्रवेश को मंजूरी दे दी गयी।

10. *(a)* यह एलएएफ की तर्ज पर केवल बैंकों के लिए मार्ग है, परन्तु यह इसका भाग नहीं है। यह दण्डात्मक दर है, इसलिए हमेशा रेपो दर से अधिक रहती है। इस मार्ग को लाते हुए आरबीआई ने बैंकों को अपनी निवल मांग और समय देयताओं के अधिकतम एक प्रतिशत तक ऋण लेने की अनुमति प्रदान की थी, जबकि आने वाले कुछ वर्षों में इसे कम भी कर दिया गया था। इसी प्रकार यह वर्तमान रेपो दर से 4 प्रतिशत उच्च दर के साथ प्रारंभ हुआ परन्तु समय के साथ यह वर्तमान दर से 3 प्रतिशत तक अधिक हो गया (मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया में, वर्ष 2013 की समाप्ति तक)।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

11. *(a)* गेम सिद्धान्त अनुप्रयुक्त गणित की एक शाखा है, जो देशों, व्यक्तियों और संगठनों के मध्य बातचीत के अध्ययन मॉडल का प्रयोग करता है। इसे अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्रियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग किया गया है।

12. *(a)* डंपिंग विरोधी शुल्क ऐसे ही मामलों में लगाया जाता है लेकिन निर्यात करने वाले देश द्वारा दी गई निर्यात सब्सिडी की वजह से नहीं, बल्कि 'न्यायोचित बाजार मूल्य के नीचे' जब देश कुछ निर्यात (डंपिंग) कर रहा होता है। दोनों ही करों में डब्ल्यूटीओ द्वारा छानबीन का प्रावधान किया गया है।

13. *(d)* भारतीय कंपनियों को विदेशी परियोजनाओं में आयातक देशों में अनेक राजनीतिक और व्यवसायिक जोखिमों का सामना करना पड़ता है ऐसी कंपनियों को पर्याप्त ऋण बीमा कवर प्रदान करने के लिए सरकार ने मध्यम और दीर्घावधि निर्यातों हेतु वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ईसीजीसी की स्थापना की है।

14. *(a)* भारत में डेरिवेटिवस को अपना मान मौसम पूर्वानुमान से प्राप्त करने की अनुमति नहीं है (यह अनेक विकसित अर्थव्यवस्थाओं में स्वीकृत है, उदाहरण, अमेरिका)।

15. *(a)* शुद्ध आय एक समय विशेष (अमूमन एक वर्ष) में कुल आमदनी में से कंपनी के खर्चों को निकालकर हासिल की जाती है। यह कमाई, शुद्ध कमाई या शुद्ध मुनाफा भी कहलाता है।

16. *(d)* एंजेल निवेशकों के संबंध में सभी कथन सही हैं-संघीय बजट 2013-2014 में पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया गया था। सेबी इन्हें पॉजिटिव स्पिलओवर इफेक्ट्स के साथ श्रेणी-1 एआईएफ (अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फण्ड) में रखता है। जोखिम पूंजी निधियां भी इसके अंतर्गत आती हैं। जोखिम निधि, व्यक्ति की बजाए व्यवसाय में निवेश करती है (एंजेल निवेशक के विपरीत)।

17. *(a)* निजी प्रेषणों, विदेशी ऋणों की ब्याज देयताओं और व्यापार संतुलन को चालू खाते से दर्शाया जाता है।

18. *(d)* यह विचार भारतीय नवाचार परिषद द्वारा राजकोषीय वर्ष 2011-12 हेतु प्रस्तावित किया गया था। यह निधि उद्यमिता को बढ़ावा देने में समग्रता के विचार पर आधारित है इसका अर्थ है कि यह सोशल रिटर्न मॉडल पर बल देती है, जैसे कि विश्व में सबसे प्रसिद्ध मॉडल द्वारा मदों पर नवाचारों को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जो कि अमीरों हेतु है। संघीय बजट 2014-15 (अंतरिम) में इस निधि हेतु 100 करोड़ की निधि प्रस्तावित की गई है।

19. *(b)* सीआईसी मूलतः एनबीएफसी हैं, जो शेयरों और प्रतिभूतियों के अधिग्रहण का कार्य करते हैं, जो कुछ शर्तों को पूरा करते हैं अर्थात् इसके पास इस रूप में इसकी कुल परिसंपत्तियों का न्यूनतम 90 प्रतिशत होना चाहिए; समूह कंपनियों में इक्विटी शेयरों में इसका निवेश इसकी कुल परिसंपत्तियों का न्यूनतम 60 प्रतिशत होना चाहिए, यह अपने निवेशों में शेयरों, ऋण या समूह कंपनियों में ऋणों में कमी या विनिवेश के प्रयोजन हेतु ब्लॉक सेल के सिवाए व्यापार नहीं करेगा और यह बैंक जमाओं, मनी मार्केट इस्ट्रूमेंटस, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश, समूह कंपनियों के लिए ऋण और में निवेश के सिवाए कोई अन्य वित्तीय कार्यकलाप नहीं करेगा।

20. *(c)* एनपीए में वृद्धि हेतु कुछ अन्य कारक भी उत्तरदायी थे अर्थात् विगत में बढ़ी हुई ब्याज दरें, देश में वर्तमान माइक्रो-इकोनॉमिक स्थिति।

21. *(c)* सरकार से प्रणाली में प्रवेश करने वाले धन को जे.एम. कीन्स द्वारा चीप करैन्सी कहा गया था। सरकार इसके द्वारा आर्थिक कार्यकलापों को बढ़ावा देती है, जो व्यवसाय और व्यापार को सहायता प्रदान करता है।

22. *(c)* यह शब्द बैंकिंग क्षेत्र सुधारों के लिए गठित नरसिम्हा समिति-II द्वारा भारत में निर्मित किया गया था (यह रिपोर्ट अप्रैल 1998 में आई थी) समिति द्वारा यह सुझाव उस समय कमजोर बैंकों के लिए दिया गया था।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

23. *(d)* इन शेयरों को इनके सटीक समानुपात में मतदान अधिकार मिलते हैं चूंकि ये अधिकतम जोखिम को कवर करते हैं – एक प्रकार से यह क्षतिपूर्ति ही है। चूंकि कंपनी द्वारा सारे भुगतान करने के बाद इन शेयरों को बांटा जाता है – इसी प्रकार यदि कंपनी बंद हो जाती है, तो उन्हें उनके निवेश सबसे बाद में मिलते हैं – जब वे कर्मचारियों, ऋण देने वालों, सरकार वरीयता शेयरों इत्यादि के दावों को पूरा कर देते हैं। अत: किसी व्यापार के दौरान और उसके समाप्त होने, दोनों ही स्थितियों में 'सामान्य शेयर धारकों' को उनका दावा अंत में प्राप्त होता है।

24. *(a)* जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 1996-97 में प्रारंभ इस केन्द्र प्रायोजित स्कीम को 2004-05 में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को अंतरित कर दिया गया था। यह लक्षित जनसंख्या (हाशिए पर चलसख्या) को बिना किसी रेहन के खाद्यान्न ऋण पर देती है। बैंक एनजीओ, स्वयं सहायता समूह और ग्राम सभा द्वारा चलाया जा सकता है।

25. *(c)* यह सुझाव नीति आयोग के अंतर्गत गठित 'कृषि टॉस्क फोर्स' द्वारा दिया गया (वर्ष 2015 के अंत में)। इसके द्वारा यह सलाह दी गयी है कि किसानों को किसी उत्पाद को उपजाने में प्रोत्सहित करने के लिए फसल के बाजार मूल्य और मंडियों के मूल्य के अंतर एक विशेष प्रतिशत का भुगतान किया जा सकता है। ऐसा करके जहां भारत एक ओर किसानों को उपज बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर सकेगा, वहीं WTO के किसी कृषि प्रावधान का उल्लंघन भी नहीं होगा।

सेट–4

1. भारत में राष्ट्रीय आय को मापने की नयी विधि से जुड़े सत्य कथन/कथनों का चयन नीचे दिए कूट की सहायता से करें:

1. इसमें छूटों को नहीं जोड़ा जाता है।
2. उपक्रमों की आय को उनकी घिसावट को बाद करने जोड़ा जाता है।

कूट:

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न 1, न ही 2

2. डब्ल्यूटीओ से संबंधित समूहों के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए :

1. जी-33, विश्व के कृषि उत्पाद आयातक देशों का समूह है।
2. बी-4, कपास व्यापार सुधारों हेतु गठजोड़ कर रहे उप-सहारा देशों का समूह हैं।
3. क्रेन्स समूह कृषि उत्पाद निर्यातक देशों की लॉबी है।

नीचे दिए **कूट** का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) 1, 2 एवं 3 (b) 2, 3 एवं 4
(c) 1, 3 एवं 4 (d) 1, 2, 3 एवं 4

3. भारत में विकासात्मक और गैर-विकासात्मक व्ययों के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए :

1. भारत में सरकार का सर्वाधिक विकास व्यय योजना व्यय है।
2. पिछले वर्षों के योजना व्यय द्वारा निर्मित परिसंपत्तियों का अनुरक्षण व्यय भी विकासात्मक व्यय माना जाता है।
3. योजना आयोग मुख्यत: योजना व्ययों से संबंधित था, परन्तु व्यवहार में यह गैर-योजना व्ययों हेतु भी निधियां प्रदान करता था।

नीचे दिए **कूट** का प्रयोग कर गलत कथनों को चुनिए:

(a) 1 एवं 2 (b) 2 एवं 3
(c) 1 एवं 3 (d) 1 एवं 4

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

4. अवमूल्यन के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए :

1. सावधि परिसंपत्तियों का मौद्रिक मान कुछ समय के बाद घट जाता है।
2. विदेशी मुद्रा की तुलना में घरेलु मुद्रा के मान में कमी आती है।
3. प्रयोग के कारण संयंत्र के उपस्करों के मौद्रिक मान में कमी आती है।
4. यह गैर-सावधि परिसंपत्तियों के मामले में नहीं होता है।

नीचे दिए **कूट** का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) 1, 2 एवं 3 (b) 2, 3 एवं 4
(c) 1, 3 एवं 4 (d) 1, 2, 3 एवं 4

5. घाटा वित्तीयन से सामान्यतः मुद्रास्फीती बढ़ती है, परन्तु इसे रोका जा सकता है, यदि:

(a) सरकारी व्यय के कारण कुल मांग के अनुपात में कुल आपूर्ति में वृद्धि हो।
(b) केवल कुल मांग में ही वृद्धि हो।
(c) सभी व्यय केवल राष्ट्रीय ऋण भुगतान हेतु ही प्रयोग किए जाएं।
(d) घाटा वित्तीयन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई मुद्राएं प्राप्त की जाएं।

6. निम्नांकित विकल्पों पर विचार कीजिए यदि अर्थव्यवस्था में सभी बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया जाता है और एकाधिकार बैंक में परिवर्तित किया जाता है :

1. नए बैंक में जमाएं घट जाएंगी।
2. नए बैंक में जमाएं बढ़ जाएंगी।
3. बचत दर या ऋण दर पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा।

नीचे दिए **कूट** में से सही विकल्पों को चुनिए:

(a) 1 एवं 2 (b) 2 एवं 3
(c) 1 एवं 3 (d) 1 एवं 4

7. सकल घरेलू पूंजी निर्माण (जीडीसीएफ) के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए :

(a) अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक को बढ़ाने या बनाए रखने हेतु समर्पित व्यय।
(b) केवल वास्तविक परिसंपत्तियों पर किया गया व्यय घाटा वित्तीयन के मामले में भी।
(c) उत्पादन स्तर कुल मांग से अधिक होकर निर्यात अतिरेक निर्मित करे।
(d) अवमूल्यन के प्रभावों को समायोजित करने के बाद अर्थव्यवस्था के स्टॉक में वृद्धि।

8. अर्थव्यवस्था के चालू खाते में अतिरेक हेतु निम्नांकित में से कौन-से कारक उत्तरदायी हैं?

1. इसके निर्यात अन्य अर्थव्यवस्थाओं के लिए अनिवार्य आयात हैं।
2. यह निम्न प्रौद्योगिकी मदों का आयात और उच्च-प्रौद्योगिकी मदों का निर्यात करता है।
3. इसका बड़ा घरेलू बाजार है।
4. इसके आयात प्रकृति में गैर-अनिवार्य हैं।

नीचे दिए **कूट** का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

(a) 1, 2 एवं 3 (b) 2, 3 एवं 4
(c) 1, 3 एवं 4 (d) 1, 2, 3 एवं 4

9. यदि आरबीआई नकदी आरक्षित अनुपात में कटौती करता है तो अर्थव्यवस्था पर निम्नांकित प्रभाव पडेंगे:

1. बैंकों का तरलता के संबंध में अधिक प्रभाव होगा।
2. अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखी जा सकती है।
3. अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति का विस्तार हो सकता है।
4. वास्तविक ब्याज दरों में कमी आ सकती है।

नीचे दिए **कूट** का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) 1, 2 एवं 3 (b) 2, 3 एवं 4
(c) 1, 3 एवं 4 (d) 1, 2, 3 एवं 4

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

10. कंपनी के तुलना पत्र में निम्नांकित में से कौन-सी मदें दिखाई देंगी?

1. कंपनी के पास कच्चे माल का मूल्य।
2. कंपनी के चालू खाते में बैंकों में रखी नकदी।
3. कंपनी का बिक्री राजस्व।
4. कंपनी की जारी (Issue) पूंजी

नीचे दिए **कूट** का प्रयोग कर सही कथनों को चुनिए:

(a) 1, 2 एवं 3 (b) 2, 3 एवं 4
(c) 1, 3 एवं 4 (d) 1, 2, 3 एवं 4

11. अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रयुक्त 'करैन्सी कन्वर्टिबिलिटी' की उत्पत्ति निम्नांकित में से किसमें हुई थी?

(a) मार्शल योजना
(b) वॉशिंगटन सहमति
(c) आईएमएफ योजना
(d) इनमें से कोई नहीं

12. निम्नांकित में से कौन-सा कथन इंश्योरेन्स पेनेट्रेशन को परिभाषित करता है?

(a) किसी अर्थव्यवस्था में प्रति सौ जनसंख्या पर बीमित लोगों की संख्या।
(b) किसी अर्थव्यवस्था में प्रति हजार जनसंख्या पर जीवित और बीमित लोगों की संख्या।
(c) किसी अर्थव्यवस्था में प्रति सौ जनसंख्या पर जीवित और बीमित लोगीं की संख्या।
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं।

13. मुद्रा की विनिमय दर इसके विदेशी विनिमय बाजार में किस पर निर्भर करती है?

1. इसके ट्विन डेफिशिट
2. मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था विनिमय निर्धारण का अनुसरण करती है।
3. मुद्रास्फीति, नई मुद्राओं का मुद्रण, विदेशी विनिमय के स्तर

नीचे दिए **कूट** में से सही उत्तर चुनिए:

(a) 1 एवं 2 (b) 2 एवं 3
(c) 1 एवं 3 (d) 1 एवं 4

14. चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता की स्थिति के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए :

1. सरकार द्वारा सभी दृश्यमान और अदृश्य आयातों हेतु विनिमय की सरकारी दर पर 100 प्रतिशत विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराई जाती है।
2. पूंजी खाते के इश्यू के द्वारा भारतीय प्रतिभूति बाजार में विदेशी निवेश को परिवर्तनीयता प्रयोजन हेतु चालू खाते का मामला माना जाएगा।
3. विदेशी अनुदानों के मामले में रुपया भारत में अंशत: परिवर्तनीय है।
4. रुपए को पूर्णत: परिवर्तित किया जा सकता है, यदि किसी को विदेश में उपचार लेने के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता हो।

नीचे दिए **कूट** का प्रयोग कर गलत कथनों को चुनिए:

(a) 1, 2 एवं 3 (b) 2, 3 एवं 4
(c) 1, 3 एवं 4 (d) 1, 2, 3 एवं 4

15. भारतीय रिजर्व बैंक धन आपूर्ति के चार घटकों का परिकलन करता है अर्थात् एम$_1$, एम$_2$, एम$_3$ और एम$_4$। निम्नांकित में से गलत जोड़े को चुनिए:

1. एम$_1$ जनता के पास मुद्रा और सिक्के हैं, बैंकों की मांग जमाएं और आरबीआई की अन्य जमाएं।
2. एम$_2$ में एम$_1$ और डाकघर जमाएं आती हैं।
3. एम$_3$, एम$_1$, एम$_2$ का योग है।
4. एम$_4$ में एम$_3$ का योग और मांग सहित डाकखानों की सावधि जमाएं सम्मिलित हैं।

नीचे दिए **कूट** का प्रयोग कर सही कथन चुनिए:

(a) 1, 2 एवं 3 (b) 2, 3 एवं 4
(c) 1, 3 एवं 4 (d) 1, 2, 3 एवं 4

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

16. इन कथनों के हिसाब से ऐसी स्थिति कब पैदा होती है जब मुद्रा का अवमूल्यन होता है?

1. मुद्रा के मूल्य में गिरावट के साथ-साथ विदेशी मुद्रा के मूल्य में गिरावट दर्ज हो;
2. निर्यात कम प्रतिस्पर्द्धी हो;
3. कारोबारी साझेदारों के निर्यात में कमी हो;
4. आयात महंगा होने लगे।

सही कथनों का चयन नीचे दिए विकल्पों में करें:

(a) 1, 2 एवं 3 (b) 2, 3 एवं 4
(c) 1, 3 एवं 4 (d) 1, 3 एवं 4

17. क्रय कर हाल ही में खबरों में था- नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही व्यक्तव्य चुनें:

1. आने वाले जीएसटी में यह राज्य कर सम्मिलित है।
2. कर जो वर्तमान में व्यापारियों और उत्पादकों द्वारा उनकी खरीद पर चुकाया जाता है।
3. राज्यों को वैट के भुगतान के दौरान यह कर घटाया जाने वाला होता है।

कूट:

(a) सिर्फ 1 (b) 2 और 3
(c) 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

18. ग्राहक हेतु 'इक्वीलिबिरियम' की अवस्था का अर्थ है :

(a) ग्राहक हेतु अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर के बराबर बचत दर।
(b) ग्राहक हेतु शून्य बचत और पूर्ण व्यय की स्थिति।
(c) ग्राहक दी गई आय में आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है।
(d) ग्राहक दी गई आय में आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ है।

19. आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं कर को परिभाषित करती हैं :

(a) आयु पुनर्वितरण की विधि।
(b) अंतरण मूल्यकरण को प्रभावी करने का तरीका।
(c) सरकारी व्ययों हेतु संसाधनों को जुटाने का तरीका।
(d) आधुनिक सरकारों के सामाजिक दायित्वों को पूरा करने का यंत्र।

20. सेंसेक्स के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यह भारतीय स्टॉक बाजार का प्रतिनिधि शेयर सूचकांक हैं।
2. इसमें वृद्धि का अर्थ है– बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह के शेयरों के मूल्य में समग्र वृद्धि।
3. इसमें रखे गए शेयर उच्च निवल-लागत वाली कंपनियों के होते हैं।
4. इस 30-शेयर सूचकांक में होना विशेषाधिकार है।

नीचे दिए गए ***कूट*** का प्रयोग कर गलत कथन/कथनों को चुनिए:

(a) केवल 1 (b) 1 और 2
(c) केवल 2 (d) इनमें से कोई नहीं

21. सरकार द्वारा भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के अंतर्गत घोषित उपायों की दो श्रेणियों में से एक (ढांचागत सुधार उपाय थे) ये उपाय किससे संबंधित हैं?

1. अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को पुनर्परिभाषित करना।
2. निजी-पूंजी-भारतीय और विदेशी की अधिक भागीदारी का प्रयास।
3. अर्थव्यवस्था में कुल आपूर्ति में वृद्धि।
4. अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति का कारण बनने वाली अतिरेक मांग को रोकना।

नीचे दिए गए ***कूट*** का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

(a) 1, 2 एवं 3 (b) 2, 3 एवं 4
(c) 1, 3 एवं 4 (d) 1, 2, 3 एवं 4

22. 'एक्स-फैक्ट्री प्राइस' के संबंध में निम्नांकित में से कौन-सा सही है?

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(a) यह केन्द्र और राज्य के सभी अप्रत्यक्ष करों के साथ जोड़ी गयी फैक्ट्री प्राइस है।

(b) यह प्रत्यक्ष करों के भार को हटाने के बाद एक्स-शोरूम प्राइस है।

(a) यह मुद्रास्फीति की चालू दर के भार सहित फैक्टर कॉस्ट (कारक लागत) है।

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं।

23. निम्नांकित में से कौन-सा कथन 'डेब्ट ट्रेप' की अवधारणा को सही रूप में वर्णित करता है?

(a) अर्थव्यवस्था की वह स्थिति, जिसमें पूर्व उधार के भुगतान हेतु उधार लिया जाता है।

(b) ऐसी अवस्था जब अर्थव्यवस्था अपने पूर्व उधार के भुगतान हेतु उच्च दर पर ले रही हो।

(c) ऐसी अवस्था जब अर्थव्यवस्था अपने पूर्व उधार के ब्याज तक के भुगतान हेतु उधार ले रही हो।

(d) ऐसी स्थिति जब अर्थव्यवस्था की विदेशी मुद्रा विनिमय वृद्धि दर इसके बाह्य ऋणों की वृद्धि के पीछे रहना प्रारंभ कर दे।

24. सरकार अवस्फीति स्थिति में मांग को बढ़ाने और अर्थव्यवस्था की सहायता हेतु सामान्यतः निम्नांकित में से कौन-सा नीति कदम उठाएगी?

1. प्रत्यक्ष करों में कटौती के साथ ब्याज दरों को घटाना।
2. बचतों पर बल देना और वेतन बढ़ाना।
3. सरकारी व्यय को बढ़ाना।
4. राजकोषीय वृद्धि के प्रयासों को बढ़ावा देना।

नीचे दिए ***कूट*** का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) 1 एवं 2 (b) 2 एवं 3

(c) 1 एवं 3 (d) 1 एवं 4

25. हाल में सरकार द्वारा भारत में एक नये प्रकार के फर्म (firm) के स्थापना की अनुमति प्रदान की गयी-एल.एल.पी.। इस नये फर्म से जुड़े सत्य कथनों का नीचे दिए गए कूट की मदद से चयन करें:

1. यह एक साझेदारी में स्थापित फर्म है।
2. साझेदारों की देनदारी उनकी व्यक्तिगत संपत्तियों पर लागू नहीं होती।
3. यह अपने नाम पर 'ठेका' (Contract) ले सकते हैं तथा संपत्तियों के स्वामी हो सकते हैं।
4. यह छोटी फर्म होते हुए भी अधिक साख प्राप्त कर सकती है।

कूट:

(a) 1 और 2 (b) 1, 2 और 4

(c) 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

स्पष्टीकरण सहित उत्तर कुंजी
(Answer Key with Explanation)

1. *(a)* राष्ट्रीय आय के लेखांकन की नयी विधि में छूटों को नहीं जोड़ा जाता है (इसकी गणना 'छूटों को बाद करके' की जाती है)।

2. *(b)* यह डब्ल्यू.टी.ओ. के सदस्य देशों का समूह/लॉबी है, जो अपने हितों के लिए लॉबी करता है और बहुपक्षीय व्यापार निकाय के मंचों पर व्यापार सुधारों हेतु दबाव बनाता है। जी-33 को कृषि में (फ्रेंड्स ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट) भी कहा जाता है और यह विकासशील राष्ट्रों का गठबंधन है, जो कृषि उत्पादों हेतु इनके बाजार के लिए सीमित पहुंच हेतु दबाव बनाता है।

3. *(b)* वर्ष 2017-18 से भारत सरकार व्ययों को 'राजस्व' एवं 'पूंजी' वर्गों में विभाजित करेगी (*संघीय बजट 2017-18* के अनुसार)।

4. *(d)* यह स्थिर/अचल परिसंपत्ति के प्रयोग के कारण इसकी टूट-फूट है, विभिन्न परिसंपत्तियों हेतु अवमूल्यन की दरें देशों द्वारा घोषित की जाती हैं- ये दरें भिन्न देशों में भिन्न हो सकती हैं। देशों द्वारा अवमूल्यन का प्रयोग आर्थिक नीति के यंत्र के रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए भारी वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने वाहनों के अवमूल्यन की दर को दो गुणा कर दिया है (20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत)।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

5. *(a)* घाटा वित्त पोषण की स्थितियों में मूल्य वृद्धियों का मुख्य कारण सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था की मांग और आपूर्ति में संतुलन बिठाने में असफलता है।

6. *(a)* एकाधिकार जमाकर्ताओं को बैंक में धन रखने से हतोत्साहित करेगा। बैंक के ऋण कार्यकलापों के साथ अर्थव्यवस्था की बचत दर भी प्रभावित होगी।

7. *(a)* इसका अर्थ राष्ट्रीय स्टॉक में 'निम्न' वृद्धि है। अर्थव्यवस्था की भावी वृद्धि जीडीसीएफ पर निर्भर करती है।

8. *(d)* बड़ा घरेलू बाजार चालू खाते का कभी भी सकारात्मक समर्थन नहीं करता है, यह खाते को नकारात्मक रूप में प्रभावित कर सकता है, यदि इसके ग्राहक ऐसी अधिक मदों की मांग करें, जो अर्थव्यवस्था द्वारा आयात की जाती है। भारत के मामले में आयात बाध्यकारी है और इसके अधिकतर निर्यात इसके व्यापार भागीदारों हेतु गैर-बाध्यकारी हैं।

9. *(d)* सीआरआर बैंकों के हाथ में अधिक धन देता है, जो कि निवेश और अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाने हेतु दिया जा सकता है। बैंकों को धन की आपूर्ति बढ़ने से, वे ब्याज दरें घटा सकते हैं।

10.(c) विनिर्मित मदों की बिक्री से कंपनी को प्राप्त राजस्व को कंपनी के तुलना पत्र में नहीं दर्शाया जाता हैं।

11. *(d)* 'करैन्सी कन्वर्टेबिलिटी' का विचार ब्रेटन वुड्स, न्ये हैम्पशायर, यूएसए में उत्पन्न हुआ था, जहां दो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक अस्तित्व में आए इस कारण से इन दोनों संस्थाओं को 'ब्रेटन वुड्स जुडवां' भी कहा जाता है।

12. *(d)* इन्श्योरेन्स पेनेट्रेशन को दिए गए वर्ष में अंडररिटर्न प्रीमियम और अर्थव्यवस्था की जीडीपी के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है।

13. *(d)* मुद्रा की विनिमय दय कई चरों पर निर्भर करती है, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। यदि अर्थव्यवस्था विनिमय दर के निर्धारण हेतु 'फ्लोटिंग करेन्सी स्कीम' का अनुसरण करे तो विनिमय दर उन सभी कारकों से सीधे संबद्ध होती है, जो अर्थव्यवस्था में घरेलू और विदेशी मुद्राओं की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं; जितनी विदेशी मुद्रा की आपूर्ति अधिक होगी उतनी ही घरेलू मुद्रा का मान अधिक होगा और इसके विपरीत।

14. *(c)* विदेशी निवेश दो प्रकार के होते हैं—एक प्रत्यक्ष रूप में और दूसरा अप्रत्यक्ष रूप में (अर्थात् प्रतिभूति बाजार), दोनों को पूंजी आवक माना जाता है। परन्तु परिवर्तनीयता के मामले में विदेशी निवेश के प्रतिभूति निवेश भाग को चालू खाते का भाग माना जाता है, ताकि इससे नकदी बनाई जा सके, जिसमें रुपया पूरी तरह परिवर्तनीय है (अन्यथा शेयर बाजार में निवेश करने के लिए कोई विदेशी निवेशक नहीं आएगा। विदेश जाना चालू खाते का मामला है, अतः इस हेतु रुपया पूरी तरह से परिवर्तनीय है।

15. *(c)* एम$_3$, एम$_1$ और बैंकों की कुल जमाओं (अर्थात् बैंकों की मांग और समय जमाओं) का योग है। भारत में धन के इन संघटकों को 1972 में आरबीआई द्वारा गठित मनी स्टॉक संबंधी दूसरे कार्य समूह द्वारा परिभाषित किया गया था। मनी स्टॉक संबंधी तीसरे कार्य समूह ने 1998 में आरबीआई को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके अनुसार भारत में धन के नए संघटक हैं -एम$_1$, एम$_2$ और एम$_3$। धन के नए स्टॉक के साथ कार्य समूह ने स्टॉक हेतु लिक्विडिटी सूत्र भी सुझाया है नामतः एल$_0$, एल$_1$, एल$_2$ और एल$_3$।

16. *(c)* यद्यपि मुद्राओं में अवमूल्यन को हतोत्साहित और देश के व्यापार भागीदारों के अत्यधिक दबाव से नकारा जाता है यह अंततः विश्व बाजार में देश के उत्पादों को सस्ता करता है -अर्थव्यवस्था को निर्यात से लाभ होता है। निर्यात में लाभ निर्यात की मात्रा बढ़ने से होता है (परन्तु वस्तुतः निर्यातक विदेशी मुद्रा की समान राशि को कमाने के लिए अधिक समान देते हैं। चूंकि विदेशी मुद्रा महंगी हो जाती है, देश के आयात में कमी आती है (बशर्ते इसके आयात प्रकृति में गैर-बाध्यकारी हों)।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

17. *(d)* यह राज्य के आठ करों में से एक है जिसे नए संघीय अप्रत्यक्ष कर, जीएसटी (GST) में समाहित होना है।

18. *(d)* यद्यपि इस आदर्श स्थिति को केवल सिद्धान्तों में ही प्राप्त किया जा सकता है – बदलते समय के साथ ग्राहक न केवल नई वस्तुओं और सेवाओं की मांग करते हैं, परन्तु नए समय के साथ नए विकल्प भी आते हैं।

19. *(a)* नागरिकों की आय कर के बाद पुनर्वितरित हो जाती है – यह दो स्तरों पर होता है – एक कर भुगतान के बाद जब सरकार इस धन का प्रयोग जनता को अनिवार्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कराती है गरीब जनता अमीरों की तुलना में सरकारी सेवाओं का अधिक प्रयोग करता है। विकल्प *(c)* भी सही हैं परन्तु क्रम में बाद में आता है।

20. *(b)* इस सूचकांक में होने मात्र से कंपनी को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होता यहां रखे गए शेयर केवल कंपनी के प्रतिनिधित्व प्रयोजन मात्र हैं।

21. *(a)* सरकार ने कभी मांग को रोकने का प्रयास नहीं किया इसमें सुधारों के सैट का प्रयास किया गया जिसे मैक्रो-इकॉनॉमिक स्टेबलाइजेशन मेनरस कहा गया जो अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने का प्रयास करते हैं।

22. *(a)* 'एक्स-फैक्ट्री प्राइस' और 'एक्स-शोरूम प्राइस' दोनों समान हैं, फैक्ट्री प्राइस मूलतः फैक्टर कॉस्ट है।

23. *(c)* उप-सहारा अफ्रीका में ज्यादातर देश अत्यधिक ऋणी देश (एचआईसी) हैं। वे इस श्रेणी में आते हैं। भारत भी 2000 के प्रारंभ में इस स्थिति के काफी निकट था।

24. *(c)* कथन 2 का अर्थव्यवस्था पर विरोधाभासी/तटस्थ प्रभाव होगा चूंकि बचत से मांग घटती है और वेतन वृद्धि से मांग बढ़ती है। सरकार द्वारा 1996-99 के मध्य भारत में ये सब उपाए किए गए थे, जब अर्थव्यवस्था में कुल मांग काफी नीचे के स्तर पर आ गई थी और एक समय मुद्रास्फीति केवल 0.5 प्रतिशत थी (दिसम्बर 1999 के उत्तरार्द्ध में)। राजकोषीय वृद्धि के प्रयासों को बढ़ावा देने से अर्थव्यवस्था में मांग कम हो जाएगी क्योंकि यह बाजार से नकदी को निकाल लेगी।

25. *(d)* इस फर्म के बारे में दिए गए सभी कथन सत्य हैं। इस फर्म की स्थापना एल.एल.पी. अधिनियम, 2008 (Limited Liability Partnership Act, 2008) के अंतर्गत की गई है। मई 2016 तक देश में 36,000 से भी अधिक ऐसी फर्में स्थापित हो चुकी थीं। इस फर्म में जहां एक तरफ 'लिमिटेड कंपनी' जैसी वैधानिक स्वरूप का लाभ मिलता है वहीं 'प्रोपरायटरशिप' फर्म की तरह कार्य करने की आसानी (ease) उपलब्ध है।

सेट–5

1. **राष्ट्रीय आय की गणना की नयी विधि में कारक लागत पर जी.वी.ए. की माप करने के लिए निम्न में किस समीकरण का उपयोग होता है?**
   (a) सी.ई. + एम.आई. + सी.एफ.सी. + उत्पादन छूटें
   (b) सी.ई. + एम.आई. + सी.एफ.सी. + उत्पादन कर
   (c) सी.ई. + एम.आई. + सी.एफ.सी. + उत्पादन छूटें
   (b) सी.ई. + एम.आई. + सी.एफ.सी. + उत्पादन कर

2. **'शॉर्ट सेलिंग' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :**
   1. शॉर्ट सेलिंग उन शेयरों को बेचने की अनुमति देती है जिन पर भविष्य में स्वामित्व होगा।
   2. शॉट सेलिंग शेयर उधार लेकर इस अनुमान के साथ की जाती है कि भविष्य में उस शेयर के मूल्य में गिरावट आएगी।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

3. शॉर्ट सेलिंग किए गए शेयरों के मूल्य में वृद्धि का रूझान होने पर अल्प विक्रेता हो हानि होती है।

नीचे दिए गए ***कूट*** का प्रयोग करते हुए गलत कथन चुनिए:

(a) केवल 1 (b) 1 और 2
(c) केवल 3 (d) इनमें से कोई नहीं

3. हाल में स्थापित चिंतक निकाय नीति आयोग से जुड़े सत्य कथनों का नीचे दिए गए कूट की मदद से चयन करें :

1. इसे अच्छे अभिशासन के वाहन के रूप में कार्य करना है।
2. इसे केन्द्र, राज्यों एवं स्थानीय निकायों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकास के एक संपूर्ण (holistic) एवं समग्र (inclusive) मॉडल का विकास करना है।
3. एक तरह से इसकी गवर्निंग परिषद ने पुराने निकाय राष्ट्रीय विकास परिषद को समाहित कर लिया है जो इसे उच्च वैधता (legitinacy) प्रदान करता है।
4. इसके तीन विशेषीकृत 'विंग' (wing) हैं, यथा-अनुसंधान, संघर्ष समाधान एवं 'टीम इंडिया'।

कूट:

(a) 1 और 2 (b) 1, 2 और 4
(c) 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. किसी अर्थव्यवस्था में मांग किए गए कुल सामान का मूल्य हमेशा आपूर्ति किए गए सामान के कुल मूल्य के बिल्कुल बराबर होता है।
2. कथन 1 केवल आधुनिक अर्थव्यवस्था के मामलें में सही है, वहां विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा का प्रयोग हो, परन्तु यह विनिमय अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है।

नीचे दिए गए ***कूटों*** का प्रयोग करते हुए सही कथन/ कथनों को चुनिए

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 (d) इनमें से कोई नहीं

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो 'वाइल्ड कैट स्ट्राइक (Wildcat Strike)' को परिभाषित करता हो :

1. कार्य के बीच में मजदूरों द्वारा बुलाई गई हड़ताल।
2. जो हड़ताल प्रबंधन को सूचित किए बिना बुलाई गई हो।
3. जिस हड़ताल को बाहर के व्यापार संघ का समर्थन प्राप्त हो।
4. जिस हड़ताल को फर्म के संगठित व्यापार संघ का समर्थन प्राप्त नहीं हो।

नीचे दिए गए ***कूटों*** का प्रयोग करते हुए गलत कथन को चुनिए:

(a) 1, 2 एवं 3 (b) 2, 3 एवं 4
(c) 1, 3 एवं 4 (d) 1, 2, 3 एवं 4

6. अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक सरकार को निम्नलिखित में से कौन-से नीति/निर्णयों को लेना चाहिए?

1. अपनी मुद्रा को चालू तथा पूंजी खातों में पूर्णतया परिवर्तित करे की अनुमति प्रदान करना।
2. 'विदहोल्डिंग टैक्स' को कम करना अथवा वापस लेना।
3. विदेशी निवेशों के लिए अपने राष्ट्रिकों के लिए निषेधात्मक कानून।

नीचे दिए गए ***कूट*** का प्रयोग करते हुए अपना उत्तर चुनिए:

(a) 1 एवं 2 (b) 2 एवं 3
(c) 1 एवं 3 (d) 1, 2 एवं 3

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

7. अर्थव्यवस्था नीचे दी गई नीतियों का पालन करती है :

1. स्व-रोजगार स्रोतों का तेजी से निर्माण करना।
2. वेतन, राजसहायता तथा पेंशन के शीर्ष पर होने वाले व्यय को कम करना।
3. बुनियादी ढाँचा क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ाना।

इस प्रकार की नीतियों से अर्थव्यवस्था को अपेक्षित नतीजों में से सही नतीजा चुनिए :

(a) पूंजी व्यय की लागत पर राजस्व व्यय को प्रोत्साहित करना।

(b) पूंजी व्यय को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्व व्यय घटाना।

(c) कल्याण को जोखिम लिए बिना विकास व्यय को प्रोत्साहित करना।

(d) (b) और (c) दोनों

8. 'जीरो-कूपन बॉण्ड' के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए:

(a) जीरो कूपन दर के साथ एक बॉण्ड जिसे इसके प्रत्यक्ष मूल्य से कम मूल्य पर बेचा गया हो तथा निवेशक को परिपक्वता पर प्रत्यक्ष मूल्य प्राप्त हो।

(b) एक बॉण्ड जिसकी ब्याज दर शून्य हो परन्तु द्रवता का मूल्य सबसे अधिक हो जिसके लिए निवेशकों को अन्य छूट मिलेंगी जैसे कि टैक्स ब्रेक।

(c) एक विशिष्ट श्रेणी के बॉण्ड को अर्थव्यवस्था की तत्काल आवश्यकताओं को वित्त पोषित करने के लिए 'एक्सप्रेस मनी' के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसका ब्याज शून्य होता है परन्तु निवेशकों को उनकी आयकर विवरणी में कर ऋण देता है।

(d) यह एक प्रकार का बॉण्ड है, जिसे सामान्य तौर पर सरकार द्वारा वित्तीय संकट के समय उच्च आय समूह के नागरिकों को किया जाता है, जिसका कोई ब्याज नहीं होता है परन्तु निवेशकों को इसमें निवेश करने के लिए कर में छूट मिलती है।

9. घाटे का बजट तैयार करने, जिसका एक अर्थव्यवस्था पालन करती हो, के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनें :

(a) स्थिर मूल्य पर किसी उत्पाद का 'फैक्टरी मूल्य' वर्तमान मूल्य पर इसके 'कारक लागत' से हमेशा कम होता है।

(b) वर्तमान मूल्य पर किसी उत्पाद का 'फैक्टरी पूर्व मूल्य' स्थिर मूल्य पर इसके 'बाजार लागत' की तुलना में हमेशा कम होता है।

(c) किसी उत्पाद का 'अधिकतम खुदरा मूल्य' वर्तमान मूल्य पर इसके 'शोरूम पूर्व मूल्य' की तुलना में हमेशा अधिक होता है।

(d) 'कारक लागत' तथा 'बाजार लागत' की गणना स्थिर तथा वर्तमान दोनों मूल्यों पर की जा सकती है।

10. 'संकेतात्मक योजना' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. योजना प्रक्रिया में अनिवार्य नीतियों की प्रधानता
2. प्रोत्साहन आधारित तथा संयोजक नीतियों का समावेशन।
3. राज्य तथा मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं के योजनाबद्ध विकास के लिए उचित।
4. भारत में आर्थिक सुधारों के साथ इस प्रकार की योजना आरंभ की गई।

नीचे दिए गए ***कूट*** का प्रयोग करते हुए गलत कथन चुनिए:

(a) 1, 2 एवं 3 (b) 2, 3 एवं 4
(c) 1, 3 एवं 4 (d) 1, 2, 3 एवं 4

11. 'वल्चर फंड्स' के बारे में सही कथन चुनिए :

(a) निजी स्वामित्व वाली निधियाँ, जो दुनिया भर में अधिग्रहण की विरोधी बोलियों के लिए पूंजी उधार देती हैं, जो ब्याज के रूप में ऊँचा प्रतिफल लेती हैं।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(b) निजी स्वामित्व वाली वित्तीय फर्म, जो अत्यधिक ऋणग्रस्त देशों के संप्रभु ऋण उसके मूल्य के अंश पर खरीदती हैं तथा कानूनी हस्तक्षेप द्वारा पूर्ण राशि संगृहीत करती हैं।

(c) निजी निधियों की विशाल मात्रा, जो दुनिया के प्रमुख कर मुक्त देशों में संचित हो गई है वह तथाकथित 'हेज' निधियों के रूप में तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर प्रहार करती है।

(d) निजी स्वामित्व वाले इक्विटी पूंजी, जिसमें पुनर्भुगतान का बहुत अधिक जोखिम शामिल होता है क्योंकि गुप्त संगठनों, जो राष्ट्र राज्यों के विरुद्ध लड़ने के लिए गुप्त समूहों को उधार देते हैं, की वर्तमान में अधिकतर आंतकवादी संगठनों को प्रोत्साहित करने में मुख्य भूमिका मानी जाती है।

12. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. हेजिंग बीमा के समान है।
2. बदला में, एक खरीदार सौदा को स्थगित करना चाहता है – पश्चिमी अर्थव्यवस्था में इसे काण्टेन्गो (Contango) कहते हैं।
3. औंधा बदला में, बेचने वाला सौदे को स्थगित करना चाहता है – पश्चिमी अर्थव्यवस्था में इसे बेकवारडेशन (Backwardation) कहा जाता है।
4. स्वेट शेयर का एक और नाम सक्रिय शेयर है।

नीचे दिए गए ***कूटों*** का प्रयोग करते हुए सही कथन चुनिए:

(a) 1, 2 एवं 3 (b) 2, 3 एवं 4
(c) 1, 3 एवं 4 (d) 1, 2, 3 एवं 4

13. 'प्राइवेट प्लेसमेंट' द्वारा शेयर जारी करने की प्रक्रिया के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए :

1. यह तीन मार्गों में से एक है, जिसके द्वारा एक कंपनी शेयर जारी करके प्रमुख बाजार में पूंजी एकत्र करती है।
2. कंपनी निवेशकों के साथ सीधे बातचीत करती है, जो कि एक वित्तीय संस्था भी हो सकती है तथा कोई व्यक्ति भी।
3. यह शेयर जारी करने के पब्लिक इश्यू मार्ग से बिल्कुल विपरीत है।

नीचे दिए गए ***कूटों*** का प्रयोग करते हुए सही कथन को चुनिए:

(a) 1 एवं 2 (b) 2 एवं 3
(c) 1 एवं 3 (d) 1, 2 एवं 3

14. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. पब्लिक इश्यू द्वारा पूंजी एकत्र करना सबसे अधिक व्यापक आधार वाला माध्यम है, यद्यपि यह सबसे अधिक समय लेने वाला भी है।
2. पूंजी एकत्र करने का सबसे कम समय लेने वाला माध्यम प्राइवेट प्लेसमेंट है, परन्तु यह सबसे अधिक जोखिम वाला माध्यम भी है।

नीचे दिए गए ***कूटों*** का प्रयोग करते हुए सही कथन/कथनों को चुनिए:

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 एवं 2 (d) 1, 2 में से कोई नहीं

15. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के उपबंधों द्वारा भारत में 'ट्रेड क्रिएशन' हुआ है।
2. औद्योगिक अर्थव्यवस्था की वृद्धि गाथा 'क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन' का नतीजा है।
3. 'क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन' से 'ट्रेड क्रिएशन' हो सकता है।

नीचे दिए गए ***कूटों*** का प्रयोग करते हुए सही कथनों को चुनिए:

(a) 1 एवं 2 (b) 2 एवं 3
(c) 1 एवं 3 (d) 1, 2 एवं 3

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

16. अंतरण भुगतान (ट्रांसफर पेमेंट) के बारे में क्या सही है?

(a) ऐसा भुगतान जो ऊँची ब्रैकेट प्रत्यक्ष करदाताओं से अप्रत्यक्ष रूप में सब्सिडी आधारित क्षेत्रों में आता है, जिसका उपभोग अन्य द्वारा किया जाता है।

(b) सरकार द्वारा किया जाने वाला व्यय जिसके लिए इसे कोई सामान अथवा सेवा प्राप्त नहीं होती है, जैसे कि कर संग्रहण, बेरोजगारी भत्ता आदि।

(c) एक परिसम्पत्ति को न्यूनतम प्रतिफल अवश्य अर्जित करना चाहिए ताकि इसके अगले सबसे अच्छे वैकल्पिक प्रयोग में अंतरण को रोका जा सके।

(d) कर आय पुर्निकरण का एक माध्यम है, जिसके द्वारा भुगतान प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अथवा दोनों रूपों में उच्च से निम्न आय समूह में अंतरित होता रहता है।

17. 'जोखिम पूँजी निधि' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. नवीन उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए पूँजी का एक समर्पित संग्रह।
2. यह सार्वजनिक स्वामित्व वाला भी हो सकता है अथवा निजी स्वामितव वाला भी।
3. आईवीसीएफ भारत की इस प्रकार की पहली निधि थी जिसे निजी स्वामित्व के अंतर्गत स्थापित किया गया था।

नीचे दिए गए ***कूटों*** का प्रयोग करते हुए सही कथन को चुनिए:

(a) 1 एवं 2 (b) 2 एवं 3
(c) 1 एवं 3 (d) 1, 2 एवं 3

18. आधिकारिक विकास सहायता के रूप में भारत को मिलने वाले बाह्य रियायती ऋणों के बारे में निम्न में से क्या सही है?

(a) सिर्फ केंद्र सरकार इसे इस्तेमाल कर सकती है।

(b) केंद्र के साथ राज्य भी इस तरह के ऋण का इस्तेमाल कर सकते हैं।

(c) ऐसे ऋण केंद्र, राज्य एवं निजी क्षेत्र तीनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं।

(d) ये सिर्फ सामाजिक क्षेत्र में ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

19. 'बेरोजगारी के जाल' के बारे में सही कथन का चुनाव कीजिए :

(a) अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति जब रोजगार वृद्धि की दर बेरोजगार जनसंख्या में वृद्धि की दर से कम हो।

(b) घर्षणात्मक (Frictional) बेरोजगारी की एक स्थिति जब प्राथमिक से द्वितीयक क्रिया-कलापों की ओर श्रम शक्ति की भारी भीड़ हो।

(c) एक स्थिति जब वर्तमान नौकरी की हानि नई नौकरियों के सृजन से अधिक हो।

(d) एक स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था की बेरोजगार जनसंख्या रोजगार पाने के लिए प्रोत्साहित महसूस नहीं करती हो।

20. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. विदेशी ऋण के मोर्चे पर सरकार के चूकने के जोखिम को सार्वभौम जोखिम (सोवरेन रिस्क) कहा जाता है।
2. निजी कंपनियों द्वारा सभी प्रकार के विदेशी उधार प्रधान जोखिम (सोवरेन रिस्क) का भार भी उठाया जाता है।
3. एक सदस्य राष्ट्र वर्ल्ड बैंक आर्म मल्टीलेटरल इंश्योरेंस गारंटी एजेंसी के साथ इसके प्रधान जोखिम को बीमित कर सकता है।

नीचे दिए गए ***कूटों*** का प्रयोग करते हुए सही कथन को चुनिए:

(a) 1 एवं 2 (b) 2 एवं 3
(c) 1 एवं 3 (d) 1, 2 एवं 3

21. यूरोपियन निवेश बैंक से भारत को मिलने वाले बाह्य ऋणों के बारे में निम्न में से क्या सही व्यक्तव्य है?

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(a) ये ऋण सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है।

(b) ये ऋण जनता के साथ निजी क्षेत्र द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है।

(c) ये ऋण भारत को बाहरी देशों से मिलने वाले आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) से अधिक रियायती हैं।

(d) भारत के सिर्फ निजी क्षेत्र की कंपनियां ही ये ऋण हासिल करती हैं।

22. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. विज्ञापन, शोध तथा विकास पर किए जाने वाले व्यय को 'आवश्यक लागत' कहा जाता है।
2. वेतन अनुषंगी लाभ, पेंशन तथा भविष्य निधि पर होने वाले व्यय को 'संक लागत' कहा जाता है।

निम्नलिखित ***कूटों*** का प्रयोग करते हुए गलत कथन चुनिए:

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 (d) इनमें से कोई नहीं

23. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. 'प्रोडक्ट स्वैप' विनिमय प्रणाली के बिल्कुल विपरीत है।
2. 'करेंसी स्वैप' विनिमय दर उतार-चढ़ाव के विरुद्ध एक बचाव का माध्यम है।
3. 'सब्सिडी स्वैप' दो उत्पादों के क्रॉस सब्सिडाइजिंग का एक तरीका है।

निम्नलिखित ***कूटों*** का प्रयोग करते हुए सही कथन चुनें:

(a) 1 और 2 (b) केवल 2

(c) 2 और 3 (d) केवल 3

24. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. 'बाजार लागत' 'फैक्टरी मूल्य' होता है जिसमें सभी अप्रत्यक्ष कर जोड़े जाते हैं।
2. 'बाजार लागत' तथा 'एक्स-फैक्टरी मूल्य' अलग-अलग बातें हैं।
3. 'अधिकतम खुदरा मूल्य' तथा 'बाजार लागत' एक ही बात है।

निम्नलिखित ***कूटों*** का प्रयोग करते हुए सही कथन/कथनों का चुनाव करें :

(a) केवल 1 (b) 1 और 2

(c) केवल 3 (d) 1 और 3

25. विदेशी ऋण के भारत के मौजूदा बनावट के बारे में नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही व्यक्तव्य चुनें:

1. रियायती हिस्सा करीब 10 फीसदी है।
2. फॉरेक्स रिजर्व (आरक्षित निधि) इसे करीब 77 फीसदी सुरक्षा राशि मुहैया कराता है।
3. ऋण का दीर्घकालिक हिस्सा करीब 83 फीसदी है।

कूट:

(a) सिर्फ 1 (b) सिर्फ 3

(c) 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

स्पष्टीकरण सहित उत्तर कुंजी
(Answer Key with Explanation)

1. *(a)* इसमें 'उत्पादन करों' को जोड़कर (तथा उत्पादन छूटों को बाद करके) जी.वी.ए. के आधारिक मूल्यों की माप की जाती है।

2. *(d)* शॉर्ट सेलिंग कार्यवाही के सम्बन्ध में सभी विकल्प सही हैं। अल्प विक्रेता मुख्यतः अनुमान लगाते हैं कि अल्प बिक्री शेयरों के मूल्य भविष्य में गिरेंगे। इसलिए वे उन शेयरों को उधार लेते हैं (इसका अर्थ है वे इन्हें नहीं खरीदते हैं) और लाभ दर्शाते हैं। यदि मूल्य गिरने की बजाय बढ़ते है तो अल्प विक्रेता हानि दिखाते हैं (चूंकि उधार पर लिए गये शेयरों को अब उच्च मूल्य पर उनके मूल स्वामी को सौंपा जाता है)।

3. *(b)* हालांकि राष्ट्रीय विकास परिषद् (NDC) अब भी विद्यमान है, दिसंबर 2012 से अब तक इसकी संगोष्ठी नहीं बुलायी गयी है। ऐसा माना जा रहा है

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

कि आने वाले समय में या तो NDC को निरस्त कर दिया जाएगा या फिर इसे नीति आयोग के गवर्निंग परिषद् में विलय कर दिया जाएगा। नीति आयोग के तीन विशेषीकृत विंग हैं—अनुसंधान, परामर्श एवं 'टीम इंडिया'। 'संघर्ष समाधान' इसका एक कार्य है।

4. *(a)* इसे 'वॉलरस का नियम' कहा जाता है, जो केवल बार्टर, यानि वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था के मामले में सही है। यह इसलिए है क्योंकि जिन अर्थव्यवस्थाओं में विनिमय प्रणाली मुद्रा के रूप में होती है, मुद्रा आपूर्ति कई कारकों पर निर्भर करती है और न कि अर्थव्यवस्था में उत्पादित समान और सेवाओं के स्तर पर निर्भर करती है। इसका श्रेष्ठ उदाहरण मुद्रास्फीति की घटनाओं द्वारा दर्शाया जा सकता है।

5. *(a)* यह हड़ताल कंपनी के संगठित मजदूर संघ द्वारा समर्थित नहीं होती है। कई बार ऐसी हड़तालों को मजदूर संघ द्वारा बाहर से समर्थन दिया जाता है।

6. *(a)* तीसरा कथन विदेशी मुद्रा को अकर्षित करने और इसके संवर्द्धन के मुद्दे पर तटस्थ है। एक बार जब घरेलू मुद्रा पूरी तरह से पूंजी खाते में परिवर्तनीय हो जाती है, तो ऐसे प्रतिषेधात्मक कानून संभव नहीं हैं। यही कारण है कि भारत ऐसी परिवर्तनीयता को पूर्ण स्तर पर स्वीकार नहीं करता है। चूंकि अर्थव्यवस्था नहीं चाहती कि विदेशी मुद्रा अर्थव्यवस्था से दूर चली जाए (चूंकि अर्थव्यवस्था स्वयं इसे आकर्षित करती है)।

7. *(b)* भारत सरकार भी यही करना चाहती है परन्तु इसकी राजसहायता को तर्कपूर्ण बनाने के कार्यक्रम अपेक्षित रूप में नहीं हुए हैं।

8. *(a)* जी-सैक भारत सरकार द्वारा इस मार्ग के माध्यम से भी जारी किए जाते हैं।

9. *(b)* वर्तमान मूल्य पर किसी चीज का मूल्यकरण इसके स्थिर मूल्य से अधिक होना चाहिए, चूंकि वर्तमान मूल्य में वर्तमान मुद्रास्फीति का भार भी सम्मिलित होता है।

10. *(c)* भारत सुधार अवधि के दौरान पहले से संसूचक है। आवश्यक नीतियां राज्य अर्थव्यवस्थाओं (पूर्व सोवियत संघ, चीन, मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्रवेश से पूर्व) में प्रचलित लक्षित योजना के संकेतक हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं की योजना तभी लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है, जब निजी क्षेत्र भी प्रक्रिया में सम्मिलित हो इसके लिए प्रोत्साहनों का उपबंध और सरकार द्वारा संयोजन होना चाहिए।

11. *(b)* ये निधियां लंदन, न्यूयॉर्क और पेरिस में वास करती हैं और गरीब राष्ट्रों के राष्ट्रीय ऋणों के पूर्ण फेस मान और ब्याज को एकत्रित करती हैं – अनेक देश अत्यधिक ऋणी गरीब देशों की श्रेणी में आते हैं। आईएमएफ के अनुसार ये निधियां अमेरिका, इंग्लैण्ड सहित ब्रिटिश वर्जिन आइलैण्ड (यूके संरक्षित कर हेवल) में संकेन्द्रित हैं, इन देशों में इन निधियों को बंद करने के लिए पर्याप्त राजनीतिक दबाव होता है चूंकि इनके कार्यकलाप अमेरिका और इंग्लैण्ड की विदेश नीतियों की आत्मा के विरुद्ध होते हैं।

12. *(a)* स्क्रीप शेयर विद्यमान शेयरधारकों को बिना किसी परिवर्तन के दिए जाते हैं और 'बोनस शेयर' कहलाते हैं। ये शेयर कंपनी के कर्मचारियों (विशेषकर शीर्ष अधिकारियों) को बिना किसी परिवर्तन के दिए जाते हैं, ये स्वेट शेयर कहलाते हैं।

13. *(d)* 'पब्लिक इश्यू' में कंपनी सीधे जनता के साथ तोलमोल नहीं करती है, जो शेयर खरीदना चाहती है।

14. *(c)* पब्लिक इश्यू कंपनी के शेयर-स्वामित्व को व्यापक आधार प्रदान करती है, परन्तु यह जटिल और अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया है, यद्यपि प्रतिभूति बाजार से पूंजी प्राप्त करने का सबसे तेज उपाय निजी प्लेसमेंट है, कंपनी अधिग्रहणों के जोखिम को इसमें कवर करती है (प्रतिस्पर्धी कंपनी में अंशधारकों की निष्ठा परिवर्तित होने के कारण)।

15.(d) अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि, व्यापार अवरोधों की समाप्ति या कमी के कारण होती है (जैसे– कोटा,

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

सीमा शुल्क, अधिभार इत्यादि), इसे व्यापार निर्माण कहते हैं। नवाचार को क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कहते हैं (इस शब्द को आस्ट्रेलियाई अर्थशास्त्री शूम्पटर द्वारा निर्मित किया गया था)।

16. *(b)* सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र के शीर्ष में किए जाने वाले सभी हानि वाले कार्यकलाप-गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि किए जाते हैं।

17. *(a)* आईवीसीएफ एक सरकारी स्वामित्व जोखिम पूंजी निधि (वीसीएफ) है, जिसकी स्थापना 1998 में की गई थी। भारत में पहली ऐसी निधि में आईआईएफसीआई हेतु है (भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में की गई थी।, यह भारत सरकार के स्वामित्व में पूर्णत: स्वामित्व विशेषीकृत वित्तीय संस्थान (एसएफआई) है।

18. *(b)* निजी क्षेत्र इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। हालांकि कोई क्षेत्रीय बाध्यता नहीं है लेकिन फिर भी जब ऋण लिया जाता है तो क्षेत्र को रेखांकित किया जाता है।

19. *(d)* यह 'पॉवर्टी ट्रेप' हेतु अन्य शब्द है। ऐसी स्थिति उस अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होती है जहां बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है - खर्च करने वाली आय प्राप्त होने वाले भत्ते से कम हो जाती है।

20. *(a)* विश्व बैंक की सहायक शाखा एमआईजीए बीमा सेवाएं प्रदान करती है परन्तु कंपनियों के लिए जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में जाता है—यह गैर-वाणिज्यिक जोखिम को कवर करती है।

21. *(d)* ये ऋण ओडीए के मुकाबले रियायती हैं, लेकिन अधिक लोचशील भी हैं क्योंकि इन्हें केंद्र, राज्य और निजी क्षेत्र सभी इस्तेमाल कर सकते हैं।

22. *(c)* कथन 1 में वर्णित की गई मदों पर व्यय 'सिंक कास्ट' हैं। व्यवसाय अर्थव्यवस्था में 'एसेन्सियल कॉस्ट' जैसा कुछ नहीं है।

23. *(b)* प्रोडेक्ट स्वैप बार्टर के समान है, जबकि लोक वित्त प्रबंधन में 'सब्सिडी स्वैप' जैसा कुछ भी नहीं है।

24. *(a)* मार्केट कॉस्ट और 'एक्स-फैक्ट्री प्राइस' समान हैं। व्यापारी लाभ के साथ मॉर्केट कास्ट और वर्तमान मुद्रास्फीति का प्रभाव अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) है।

25. *(d)* सितंबर 2016 तक भारत का कुल विदेशी ऋण 484.3 अरब अमेरिकी डॉलर था जबकि विदेशी विनिमय भंडार 360 अरब अमेरिकी डॉलर था *(आर्थिक समीक्षा 2016-17)*।

सेट–6

1. नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उन अंशों को चुनें, जो भारत अपने चालू खाते में दर्शाता है:

1. निर्यात के चलते अंतर्वाह (इन्फ्लो) और आयात के चलते बहिर्वाह (आउटफ्लो)।
2. आय के देश-प्रत्यावर्तन अंतर्वाह और बहिर्वाह।
3. विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के चलते अंतर्वाह और बहिर्वाह।
4. बाह्य ऋण देना और ऋण लेना।

कूट:

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 3 और 4 (d) 2 और 4

2. वह कथन चुनिए जो 'कारक लागत' और 'फैक्टरी मूल्य' के बीच अंतर को सही रूप में पारिभाषित करता है :

(a) 'कारक लागत' किसी भी उत्पाद का विनिर्माण मूल्य है जबकि 'फैक्टरी मूल्य' में उत्पाद पर लगने वाले अप्रत्यक्ष करों का बोझ भी शामिल होता है।

(b) किसी उत्पाद की 'फैक्टरी मूल्य' में मुद्रास्फीति की मौजूदा दर शामिल होती है जबकि कारक लागत में ऐसा नहीं होता।

(c) 'कारक लागत' में राज्य कर जोड़े जाने पर 'फैक्टरी मूल्य' बन जाती है।

(d) इनमें से कोई नहीं।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

3. हस्तांतरण अर्जन की अवधारणा के संबंध में क्या सही है?

(a) वह प्रतिफल जो एक आस्ति के लिए उसे अगले सर्वोत्तम विकल्प में जाने से रोकने के लिए अर्जित करना आवश्यक है।

(b) किसी अर्थव्यवस्था के विदेशों में रहने वाले राष्ट्रिकों द्वारा हस्तांतरित आय अंश की सहायता से किसी अर्थव्यवस्था का निजी संप्रेषण अर्जन।

(c) कंपनियों को उनके द्वारा निर्यात की गई वस्तुओं पर लगने वाले अप्रत्यक्ष करों की संपूर्ण राशि की वापसी, जिसे आम बोलचाल में 'शुल्क वापसी योजना' कहा जाता है, से होने वाली आय।

(d) 'दोहरे कराधान' समझौते के अंतर्गत किसी कंपनी द्वारा एक अर्थव्यवस्था से उस कंपनी के दूसरे अंग को दूसरी अर्थव्यवस्था में आय का हस्तांतरण।

4. नीचे दिए गए विकल्पों से लोकप्रिय स्टॉक मार्केट पद 'व्युत्क्रम प्राप्ति अंतराल (Reverse Yield Gap) के बारे में सही कथन का चयन कीजिए :

(a) ऐसी स्थिति जब सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल इक्विटी से अधिक होते हैं।

(b) ऐसी स्थिति जब पूंजी लाभ इक्विटी प्रतिफल पर मुद्रास्फीति के नकारात्मक प्रभावों की प्रतिपूर्ति करता है।

(c) अपेक्षाकृत रूप से उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति जो निवेशकों के सरकारी बॉण्डों से मिलने वाले प्रतिफलों को कम कर देती है।

(d) वह स्थिति जब दीर्घावधि के कारण सरकारी प्रतिभूतियों पर पूंजी लाभ कर प्रतिफल अधिक हो जाते हैं।

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. 'तरलता जाल' वह स्थिति है जब लोग धन का निवेश करने के स्थान पर उसे रोकने को प्राथमिकता देते हैं।
2. 'तरलता प्राथमिकता' वह स्थिति है जब लोग धन को रखने के स्थान पर उसके निवेश करने को प्राथमिकता देते हैं।
3. 'तरलता अल्पता' धन बाजार में धन की अल्प-आपूर्ति की स्थिति है।
4. 'ऋण अल्पता' ऋण बाजार में धन की अल्प-आपूर्ति की स्थिति है।

नीचे दिए गए **कूट** का सहायता से सही कथनों का चयन कीजिए :

(a) 1, 2 एवं 3 (b) 2, 3 एवं 4
(c) 1, 3 एवं 4 (d) 1, 2, 3 एवं 4

6. 'लॉरेंज वक्र' के बारे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. इस पर एक सीधे रेखा आय की पूर्ण समानता दर्शाती है।
2. इसमें वक्रता अधिक होने पर, आय की असमानता आनुपातिक रूप से बढ़ती है - यह असमानता 'गिनी गुणांक' द्वारा मापी जाती है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए, गलत कथन/कथनों का चयन कीजिए।

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 (d) कोई नहीं

7. अमेरिकी उप-प्राथमिक संकट के पश्चात वित्तीय जगत में आम हो चुके शब्द 'निंजा' से क्या तात्पर्य है?

(a) बैंक द्वारा ऋण-योग्यता के झूठे दावों के आधार पर ऋण दिया जाना।

(b) संपत्ति विहीन, आय विहीन अथवा रोजगार विहीन उधार लेने वाला।

(c) वित्तीय आधारभूत नियमों की अनदेखी करने वाला ऋण प्रदायगी का अत्यंत प्रतियोगी रूप।

(d) ऐसे व्यक्ति को ऋण दिया जाना, जो दीवालिएपन के कगार पर है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

8. मुद्रास्फीति की दर में गिरावट का सही प्रभाव चुनें:

(a) सरकार का ब्याज भुगतान का उत्तरदायित्व बढ़ता है।

(b) बचत बैंक खातों पर ब्याज से होने वाली आय गिरती है।

(c) उधार और बैंक का व्यापार बढ़ता है।

(d) बॉण्डधारियों की आय घटती है।

9. 'पैरेटो ईष्टतमता (Pareto Optimality)' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. इसका संबंध किसी अर्थव्यवस्था में मौजूदा कराधान के ईष्टतम स्तर पर उस अर्थव्यवस्था में वितरण से है।
2. इससे ऐसा आभास मिलता है कि कोई व्यक्ति किसी को गरीब बनाकर स्वयं अमीर हो सकता है।
3. यह विचार सीमित निधियों को खर्च करने के तरीकों के बारे में निर्णय लेने में वित्त प्रबंधकों के मार्गदर्शन का कार्य करता है।

नीचे दिए गए **कूट** की सहायता से सही कथनों का चयन कीजिए :

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3

(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

10. 'पेनी स्टॉक' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध ऐसे शेयर जो सापेक्ष रूप से शेयरों की कम मात्रा के साथ उच्च बाजार पूंजीकरण दर्शाते हैं।
2. ऐसे शेयर जो एक रुपए के सममूल्य पर जारी किए जाते हैं।
3. उनके मूल्य में अत्यधिक उतार-चढ़ाव रहता है।

नीचे दिए गए **कूट** की सहायता से गलत कथन का चयन कीजिए :

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3

(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

11. भारत में 'प्राथमिकता शेयरों' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. इन शेयरों पर एक निर्धारित लाभांश रहता है।
2. इक्विटी शेयरों की तुलना में इन्हें प्राथमिकता दी जाती है।
3. ऐसे शेयर एक वर्ष से कम अवधि के लिए ही जारी किए जा सकते हैं।

नीचे दिए गए **कूट** की सहायता से सही कथन का चयन कीजिए :

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3

(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

12. हाल में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना के लिए एक नयी विधि की शुरुआत की गयी है। इस विधि में करों को 'उत्पाद' एवं 'उत्पादन' नामक दो वर्गों में विभाजित किया गया है। इन करों से जुड़े सत्य कथनों को नीचे दिए गए कूट की मदद से चयनित करें:

1. दोनों ही करों का आरोपण उत्पादनकर्ताओं पर होता है।
2. जहां उत्पाद कर विभेदीकृत हैं वहीं उत्पादन कर नियत (fixed) हैं।
3. भू-राजस्व, व्यवसाय शुल्क, स्टैम्प एवं पंजीकरण शुल्क भारत में उत्पादन कर के उदाहरण हैं।
4. बिक्री कर, एक्साइज ड्यूटी, सेवा कर, निर्यात-आयात कर भारत में उत्पाद कर के कुछ उदाहरण हैं।

कूट:

(a) 1 और 2 (b) 1, 2 और 3

(c) 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

13. 'अवस्फीति' की प्रक्रिया के बारे में सही व्यक्तव्य चुनें:

(a) शीर्ष मुद्रास्फीति की स्वस्थ परास की ऊपरी सीमा की ओर कीमतें गिरती हैं।

(b) मुद्रास्फीति की स्वस्थ रेंज की निम्नतम सीमा से नीचे गिरना।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(c) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एकल अंक के नीचे गिरता है।

(d) यह अपस्फीति के समान है।

14. निम्नलिखित में से कौन-सा निर्णय 'प्रिजनर्स' उलझन के आधार पर लिया जाता है :

1. इस विश्वास में कि अन्य कंपनियां कम मूल्य निर्धारित नहीं करती, किसी कंपनी द्वारा अपने उत्पादों का मूल्य उस स्तर से नीचे निर्धारित करना जिस पर वह कर सकती थी।
2. अंततः यह उलझन उस कंपनी को बाधित करती है जो उच्चतर मूल्य निर्धारित करती है।

नीचे दिए गए ***कूट*** की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए:

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 (d) कोई नहीं

15. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन किसी अर्थव्यवस्था में 'जनसंख्या जाल' की स्थिति को पारिभाषित करता है?

(a) जब अर्थव्यवस्था की जनसंख्या नियंत्रण नीतियां लगभग विफल हो जाती हैं और उनमें तीव्र जनसंख्या वृद्धि की स्थिति आ जाती है।

(b) जब एक अर्थव्यवस्था की जनसंख्या 'प्रतिस्थापन्न स्तर' प्राप्त करने के पश्चात बढ़ने लगती है।

(c) जब एक अर्थव्यवस्था की 'वृद्धि की स्वाभाविक दर' में 'प्रतिस्थापन्न स्तर' से नीचे अत्यधिक गिरावट आरंभ हो जाती है।

(d) इनमें से कोई नहीं।

16. 'गरीबी का जाल' को पारिभाषित करने वाली सही स्थिति का चयन कीजिए :

(a) जब तक अर्थव्यवस्था की 'राष्ट्रीय आय' में वृद्धि के बावजूद जनसंख्या गरीब रहती है।

(b) जब मुद्रास्फीति गरीब लोगों की आय में वृद्धि को निष्प्रभावी कर देती है।

(c) जब मुद्रास्फीति के साथ-साथ बेरोजगारी दर में भी वृद्धि होती है।

(d) जब बेरोजगार जनसंख्या बेरोजगारी भत्ता मिलने के कारण रोजगार करने के लिए प्रोत्साहित नहीं होती।

17. नीचे दिए गए कूट के माध्यम से निम्न में से सत्य कथन/कथनों का चयन करें:

1. नये सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की स्थापना करना आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया की आत्मा के प्रतिकूल है।
2. विनिवेश की प्रक्रिया के माध्यम से प्रति-राष्ट्रीयकरण नहीं भी हो सकता है।

कूट:

(a) केवल 2 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

18. 'हाई स्ट्रीट बैंकिंग' के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

1. जब बैंक खुदरा ऋणों पर बल देते हैं।
2. जब बैंक कॉर्पोरेट ऋणों पर बल देते हैं।
3. जब बैंक दीर्घावधि लेकिन जोखिम-रहित ऋणों पर बल देते हैं।
4. जब बैंक लघु अवधि, कम ब्याज और जोखिम रहित ऋणों पर बल देते हैं।

नीचे दिए गए ***कूटों*** की सहायता से सही कथन का चयन कीजिए :

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3

(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

19. निम्न कथनों को देखें:

1. किसी भी कंपनी की प्रदत्त पूंजी कभी भी अधिकृत पूंजी से ज्यादा नहीं हो सकती।
2. किसी भी कंपनी की ओर से जारी पूंजी अधिकतम कंपनी की अधिकृत पूंजी तक हो सकती है।
3. किसी भी कंपनी की अभिदत्त पूंजी कभी भी कंपनी की ओर से जारी पूंजी से ज्यादा नहीं हो सकती।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

सही कथनों का चुनाव नीचे दिए गए विकल्पों में करें:

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3

(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

20. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. ऐसी स्थिति जब लोग समझते हैं कि मुद्रास्फीति के दौरान वे अमीर हो रहे हैं, 'मनी इल्यूजन' कहलाती है।
2. ऐसा विश्वास किया जाता है कि 'मनी इल्यूजन' के निचले स्तर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं।

नीचे दिए गए ***कूटों*** का प्रयोग करते हुए सही कथन/कथनों का चयन कीजिए :

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1, 2 दोनों (d) कोई नहीं

21. ''काला धन' 'सफेद धन' को जबरदस्ती परिचालन से बाहर कर देता है।'' -ग्रेशम का नियम:

1. इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में 'काले' धन के परिचालन का विश्लेषण किया जाता है - सामान्यतया हवाला माध्यम से कर मुक्त देशों में जमा कराकर।
2. वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार में चीनी मुद्रा युयान अमेरिकी डॉलर के प्रमुख का स्थान लेने की ओर अग्रसर है।

कानून की रोशनी में, नीचे दिए गए ***कूटों*** का प्रयोग करते हुए गलत कथन/कथनों का चयन कीजिए :

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) कोई नहीं

22. विश्व में खुशहाली से जुड़े सत्य कथन/कथनों का नीचे दिए गए कूट की मदद से चयन करें:

1. धनी देशों में दु:ख का सबसे बड़ा कारण दिमागी रोग है।
2. खुशहाली आय के कई उपादानों पर निर्भर करती है।

कूट:

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न 1, न ही 2

23. 'अर्थ ट्राइलेमा' (वैश्विक तिहरी उलझन) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. आर्थिक विकास के लिए दुनिया में अधिक ऊर्जा व्यय की आवश्यकता है लेकिन इससे पर्यावरणीय मुद्दे उत्पन्न होते हैं।
2. 'ईईई' तिहरी उलझन इसी का पर्यायवाची है।
3. उपभोग के स्तरों को सीमित किए बिना, एक व्यवस्था के रूप में, दुनिया नहीं चल सकती।
4. पृथ्वी को बचाए रखने के लिए तीन मुद्दों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है - कम उपभोग, अधिक बचत और संरक्षण की प्रवृत्ति।

नीचे दिए ***कूटों*** की सहायता से सही कथनों का चयन कीजिए :

(a) 1 और 2 (b) 3 और 4

(c) 1 और 4 (d) 1 और 3

24. 'असंभव तीन' (Impossible Trinity) के बारे में कौन-सा कथन सही है?

(a) कोई देश तीनों नीतिगत उद्देश्य पूरे रहीं कर सकता – स्थिर वित्तीय बाजार, वैश्विक समेकन और स्थिर विनियम दर।

(b) कोई देश तीनों नीतिगत उद्देश्य पूरे रहीं कर सकता – मुक्त पूंजी प्रवाह, स्थिर विनियम दर और एक स्वतंत्र मौद्रिक नीति।

(c) कोई देश तीनों नीतिगत उद्देश्य पूरे रहीं कर सकता – स्थिर विनिमय दर, वैश्विक समेकन और सतत् आर्थिक वृद्धि।

(d) कोई देश तीनों नीतिगत उद्देश्य पूरे नहीं कर सकता – कम वित्तीय घाटे, सामाजिक कल्याण और उच्च आर्थिक वृद्धि।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

25. नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए केंद्रीय क्षेत्र और भारत सरकार द्वारा संचालित केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बारे में सही व्यक्तव्य चुनें:

1. वर्तमान में, ऐसी 950 योजनाएं हैं।
2. आज इन पर बजटीय आवंटन देश के जीडीपी का तकरीबन पांच फीसदी है।
3. यदि देश 'सार्वभौम आधारिक आय' को लागू करने का विचार बनाता है तो इसे दुरुस्त करने की सलाह दी जाती है।

कूट:

(a) सिर्फ 1 (b) सिर्फ 2
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

स्पष्टीकरण सहित उत्तर कुंजी

(Answer Key with Explanation)

1. *(a)* विदेशी पोर्टफोलियो निवेश और ऋण पूंजी खाते के हिस्से होते हैं।

2. *(d)* कारक लागत और फैक्टरी मूल्य का एक ही अर्थ है उन सभी आदानों की लागत जो किसी उत्पाद के उत्पादन के लिए आवश्यक हैं (यथा– कच्चा माल, श्रम, विद्युत, ब्याज, किराया, रख-रखाव आदि)।

3. *(a)* हस्तांतरण आय से ऊपर कोई भी आय आर्थिक लागत कहलाती है।

4. *(d)* ऐसी स्थिति उच्च मुद्रास्फीती की अवधियों में उत्पन्न होती है, क्योंकि इक्विटी से पूंजी लाभ प्राप्त होता है जो उस पर मुद्रास्फीती के नकारात्मक प्रभाव की प्रतिपूर्ति कर देता है जबकि सरकारी प्रतिभूतियों में ऐसा नहीं होता है। यही कारण है कि उच्चतर मुद्रास्फीति के दौरान सरकारी बॉण्डों के स्थान पर इक्विटी में निवेश का सुझाव दिया जाता है (बशर्ते कि प्रतिभूति बाजार अच्छी स्थिति में हो)।

5. *(c)* 'तरलता जाल' और 'तरलता प्राथमिकता' पर्यायवाची रूप से प्रयोग किए जाते हैं। बाजार और पूंजी बाजार में धन की अल्प आपूर्ति ही तरलता की कमी है।

6. *(d)* 'लॉरेंज वक्र' संपदा वितरण का ग्राफ रूप में प्रदर्शन है (अमेरिकी अर्थशास्त्री मैक्स लॉरेंज, 1905) जिसमें एक सीधी तिर्यक रेखा संपदा वितरण की पूर्ण समानता प्रदर्शित करती है – लॉरेंज वक्र उसके नीचे होता है जो संपदा का वास्तविक वितरण दर्शाता है। सीधी रेखा और वक्र रेखा के बीच अंतर संपदा वितरण की असमानता को दर्शाता है, जिसकी व्याख्या 'गिनी' गुणांक द्वारा की जाती है। इस वक्र का प्रयोग यह दर्शाने के लिए किया जाता है कि एक राष्ट्र के कितने प्रतिशत निवासियों के पास कितनी प्रतिशत संपदा है।

   'गिनी' गुणांक (इटली के सांख्यिविद् और समाजविज्ञानी द्वारा 1972 में प्रतिपादित) एक अर्थव्यवस्था में आय की असमानता का मापक है इसे गिनी सूचकांक अथवा गिनी अनुपात भी कहा जाता है। यह एक राष्ट्र के निवासियों सांख्यिकीय वितरण का मापन है। यह एक आवृत्ति वितरण उदाहरणार्थ आय के स्तर के मानों में असमानता दर्शाता है-शून्य 'गिनी' गुणांक पूर्ण समानता दर्शाता है जहां सभी मान बराबर है (उदाहरणार्थ जहां प्रत्येक व्यक्ति की आय बराबर है) एक मान (अर्थात् 100 प्रतिशत) वाला गिनी गुणांक मानों में अधिकतम असमानता दर्शाता है (उदाहरणार्थ, जहां सारी आय एक ही व्यक्ति के पास है)। लेकिन यदि कुछ व्यक्ति सकल आय में ऋणात्मक योगदान दर्शाते हैं (अर्थात् उनकी ऋणात्मक आय अथवा संपदा है) तो एक से अधिक मान हो सकता है। व्यवहारत: वृहत्तर समूहों के लिए एक के आसपास अथवा उससे अधिक मान संभव नहीं है। यह सामान्यत: आय अथवा संपदा की असमानता की माप के रूप में प्रयोग किया जाता है।

7. *(b)* बैंक ऋण मांगने वालों को स्थिर आय स्रोत अथवा पर्याप्त समपार्श्विक प्रस्तुत करने के लिए कहते हैं, 'निंजा' ऋण में सलापन प्रक्रिया की अनदेखी की जाती है। 'निंजा' ऋण अक्सर रेहन बाजार में पाया जाता है। सामान्यत: ऐसे ऋणों में आरंभ में

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

ब्याज दर नीची रहती है और बाद में बढ़ाई जाती है। ऋण लेने वाले को उसकी संपत्ति में वृद्धि होने पर ऋण चुकाने की आशा रहती है। लेकिन, यदि संपत्ति के मूल्यों वृद्धि नहीं होती तो अनेक ऋण प्राप्तकर्ता पुनर्भुगतान में चूक करते हैं। यही कारण है कि ऐसे ऋणों में ऋणदाताओं के लिए बहुत जोखिम होता है।

8. *(a)* मुद्रास्फीति में गिरावट के कारण 'ऋण की वास्तविक लागत' बढ़ती है जिससे सरकार का ऋण भुगतान महंगा हो जाता है। अन्य विवरण ठीक उसके उलट लिखे गए हैं ।

9. *(b)* यह अवधारणा कराधान से संबंधित नहीं है। इटली के अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो पेरेटो (1843-1923) का यह सिद्धान्त कहता है कि, "किसी को गरीब बनाए बिना किसी दूसरे को अमीर नहीं बनाया जा सकता।"

10. *(d)* ये छोटी कंपनियों के कम मूल्य के शेयर होते हैं जिनमें बाजार पूंजीकरण बहुत धीरे होता है। हाल ही में वे सुर्खियों में थे क्योंकि उनमें से कुछ ने प्रतिभूति बाजारों में व्यापार मूल्य में अत्यधिक उछाल दर्शाया था।

11. *(a)* ऐसे शेयरों को तब भी लाभांश मिलता है यदि कंपनी घाटे में भी हो और इन्हें 10 वर्षों की अवधि हेतु जारी किया जाता है।

12. *(d)* प्रश्न में दिए गए चारों कथन सत्य हैं। सभी कर उत्पादकर्ताओं पर ही अरोपित होते हैं लेकिन इनका भुगतान अंततः उपभोक्ता करता है। जहां उत्पाद कर की मात्रा उत्पाद की मात्रा के अनुसार बदलती रहती है वहीं उत्पादन कर के साथ ऐसी बात नहीं है (अर्थात् इस कर को उत्पादकर्ता के उत्पादन की मात्रा से कोई संबंध नहीं है)।

13. *(a)* उदाहरण के लिए भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ऊपर के 6 फीसदी स्तर (जैसे कि 7 या 8) नीचे की ओर 6 फीसदी तक गिर गया है (जो भारत में मुद्रास्फीति की स्वस्थ परास की उच्चतम सीमा है)।

14. *(a)* यह 'खेल सिद्धांत' का प्रसिद्ध उदाहरण है, जो यह निष्कर्ष प्रदान करता है कि सहयोग क्यों कठिन होता है, फिर चाहे यह दोनों पक्षों के लिए लाभकारी ही क्यों न हो, यह अंततः सम्मिलित पक्षों के लिए खराब स्थिति को जन्म देता है।

15. *(d)* यह जनसंख्या वृद्धि दर (अर्थात् वृद्धि की प्राकृतिक दर) की स्थिति है, जो कि अर्थव्यवस्था में प्रायः वृद्धि दर से अधिक होती है।

16. *(d)* ऐसी स्थितियां तब उत्पन्न होती हैं, जब कर आय अर्थात् खर्च करने वाली आय के बाद रोजगार प्राप्त को बेरोजगारी भत्ते के लाभ से कम प्राप्त होता है।

17. *(b)* नये सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की स्थापना का आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया से कोई विरोधाभास नही है। फरवरी 2016 में घोषित सरकारी परिसंपत्तियों को प्रबंधित करने संबंधी नयी नीति की घोषणा के उपरांत यह स्थिति अब बदल गयी है।

18. *(a)* यह रिटेल लैंडिंग हेतु अन्य शब्द है - ऐसे ऋणों में बैंक कुछ कॉर्पोरेट (गैर-व्यक्तिक अर्थात् समूह) को उधार देने की बजाय इसी धन को बड़ी संख्या में व्यक्तिगत उधार लेने वालों को देते हैं, यद्यपि इसमें अधिक जोखिम है और यह बोझिल भी है।

19. *(d)* कंपनी द्वारा शेयर जारी करने की सीमा इसकी अधिकृत पूंजी (वह पूंजी, जो कि इसके संगम-ज्ञापन में लिखी गई हो) है।

20. *(c)* यह उद्धरण अर्थशास्त्री जे.एम. कीन्स द्वारा दिया गया था।

21. *(b)* ये ऋण ओडीए के मुकाबले रियायती हैं- लेकिन अधिक लोचशील क्योंकि इन्हें केंद्र, राज्य और निजी क्षेत्र सभी इस्तेमाल कर सकते हैं।

22. *(c)* दोनों कथन विश्व खुशहाली रिपोर्ट-2017 से लिए गए हैं। इसी कारण से रिपोर्ट में विश्व के देशों को 'सामाजिक बुनियाद' को मजबूत करने की सलाह

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

दी गयी है (जो हैं 'स्वस्थ्य जीवन' एवं 'सामाजिक विश्वास')।

23. *(a)* 'ईईई' ट्राईलेमा को 'अर्थ ट्राईलेमा' भी कहा जाता है, जिसके अनुसार आर्थिक विकास हेतु मानव को ऊर्जा खपत में भी वृद्धि करने की आवश्यकता है, परन्तु इससे पर्यावरणीय क्षरण होता है। इसका अर्थ है कि ऊर्जा मॉडल पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है।

24. *(b)* अर्थशास्त्रियों द्वारा तैयार किए गए सभी तीन ट्राईलेमाओं का यही मुख्य आधार है। इसे मंडेक्स की असंभव तीन दशाएं कहा जाता है, जिनका आधार 1960 के दशक में विकसित मंडेल-फ्लेमिंग मॉडल व सैद्धांतिक विचारों से हैं।

25. *(d)* बहुत सारी योजनाएं बहुत पुरानी हैं और उनके लिए पूंजी का आवंटन भी बहुत कम है। उदाहरण के तौर पर, एक योजना (पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण) 96 वर्ष पुरानी है। सरकार को 'सार्वभौम आधारिक आय' लागू करने की दिशा में विचार करने का सुझाव देते हुए, *आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17* ने इन योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का सुझाव दिया है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

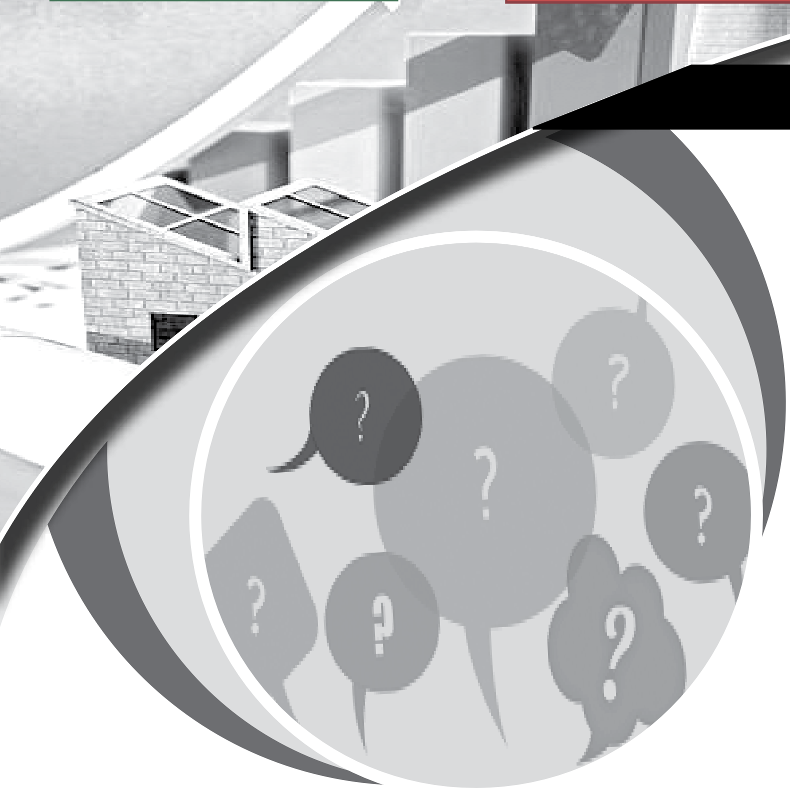

अध्याय 24

चयनित प्रश्नों के उत्तर*

(MODEL ANSWERS TO SELECTED QUESTIONS)

*अध्ययन किसी को पूर्ण इंसान बनाता है, कॉन्फ्रेंस तैयार व्यक्ति बनाती हैं जबकि लेखन सटीक इंसान बनाता है।***

* कुछ सवालों के जवाब विस्तार से दिए गए हैं। पाठकों से उम्मीद है कि वे सवाल के मुताबिक अपने जवाब को संक्षिप्त रखें। सिविल सेवा की परीक्षाओं में सवाल टुकड़ों में पूछे जाते हैं-मसलन, बजटीय उपाय, आर्थिक उपाय, प्रशासनिक उपाय इत्यादि।

** फ्रांसिस बेकन (1561-1626) 'ऑफ स्टडीज' ऐसेज, लंदन, यूके, 1625

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

प्रश्न 1. ''सरकार की राजकोषीय स्वच्छंदता पर लगाया गया कठोर अंकुश अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह हो सकता है।'' इस कथन के आलोक में राजकोषीय एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (FRBM Act) से जुड़ी बदली सोच की चर्चा करें।

उत्तर. राजकोषीय समेकन को ध्यान में रखकर भारत सरकार द्वारा वर्ष 2003 में FRBM अधिनियम पारित किया गया। जल्द ही राज्यों ने भी अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों (FRAs) को पारित किया। जहां तक इस अधिनियम के लक्ष्यों को पूरा करने का प्रश्न है तो सरकारों का निष्पादन मिश्रित रहा है। कई बार जहां इन लक्ष्यों की पूर्ति हुई वहीं कई बार निष्पादन लक्ष्यों से अधिक भी हुआ। वहीं कई वर्षों में लक्ष्यों की पूर्ति नहीं की जा सकी (प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी वैधानिक कारणों से)। इस अधिनियम को अब तक तीन बार टाला भी जा चुका है। लेकिन इस अधिनियम के माध्यम में सरकारों में राजकोषीय अनुशासन बढ़ा इसमें कोई शक नहीं है।

हाल के कुछ वर्षों में एक नयी सोच उभरी है जिसका मानना है कि सरकारों की राजकोषीय स्वच्छंदता पर कठोरता से अंकुश लगाना अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक भी हो सकता है। किसी कठोर अंकुश के कारण कई बार सरकारें काफी आवश्यक व्यय करने से वंचित रह सकती हैं जिसका अर्थव्यवस्था पर काफी ऋणात्मक सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है-उदाहरण के लिए आधारभूत संरचना, कल्याणकारी कार्य, आदि। यही कारण है कि भारत सरकार राजकोषीय समेकन के मुद्दे पर एक नयी सोच रखने को इच्छुक दिखती है। इस तरह, हमने देखा है कि सरकार ने एफआरबीएम शासनादेश में दो महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव दिया है (2016-17 में), जो हैं:

1. 'संख्या' के स्थान पर राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के लिए एक 'परास' (range) का प्रावधान, और;
2. 'राजस्व के विस्तार या संकुचन' को 'उधार के विस्तार या संकुचन' के साथ जोड़ना।

इस पृष्ठभूमि मे, सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था जिसने जनवरी 2017 के अंत में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इस रिपोर्ट (जो अभी सार्वजनिक नहीं हुई है) का सरकार सावधानीपूर्वक अध्ययन करेगी (केंद्रीय बजट 2017-18 के अनुसार) और बाद में निर्णय लिए जाएंगे।

प्रश्न 2. मौद्रिक एवं साख नीति को सुवाही (streamline) करने के लिए RBI द्वारा हाल में उठाये गए कदमों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत करें।

उत्तर. पिछले ढाई वर्षों में RBI द्वारा कई विशेष कदम उठाये गए हैं जिसका उद्देश्य रहा है मौद्रिक एवं साख नीति को मजबूत एवं बेहतर बनाना। इनमें से प्रमुख कदम कुछ इस प्रकार रहे हैं :

- अब इस नीति की घोषणा प्रत्येक दो माह पर होती है।
- RBI मुद्रास्फीति दर को स्थायित्व प्रदान करने के लिए CPI-C (WPI की जगह पर) को लक्षित करती है। इसे ही देश का 'हेडलाईन' मुद्रास्फीति मान लिया गया है।
- वर्तमान 'रिपो' व्यवस्था के साथ-साथ 7, 14 और 28 दिवसीय 'टर्म रिपो' (term repos) की भी शुरुआत की गयी है।
- बैंकों की एक-दिवसीय (जिसे 'ओवरनाईट' भी कहते हैं) धन पर निर्भरता को कम करके उन्हें 'टर्म रिपो' पर निर्भर रहने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मार्च 2016 तक बैंकों को मुद्रा बाजार से अपने सकल जमा (NDTL) का एक प्रतिशत तक उठाने (उधार लेने) की अनुमति थी। इसमें 'रिपो' के माध्यम से 0.25 प्रतिशत एवं 'टर्म रिपो' के माध्यम से 0.75 प्रतिशत ही संभव था। इसका उद्देश्य है ऋण बाजार में स्थायित्व प्रदान करना तथा नीति दरों का बैंकों के ऋण दरों में बेहतर पारेषण (Transmission) करना।
- RBI जल्द ही सरकारी प्रतिभूतियों में व्यक्तिगत निवेश की अनुमति प्रदान करेगा। (संघीय बजट

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

2016-17 की घोषणा)। विकसित देशों में ऐसी व्यवस्था पहले से है)।

- वर्ष 2016-17 से बैंकों द्वारा 'धन के सीमांत लागत पर आधारित ऋण दर' (MCLR) की घोषणा की शुरुआत। इस नयी पहल का उद्देश्य है RBI द्वारा की गई नीति दरों के परिवर्तन को बैंकों के ऋण दरों में द्रुत संचार करना।

प्रश्न 3. वर्ष 2016-17 से परिचालित RBI की 'मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट' (MCLR) के उद्देश्यों की संक्षिप्त चर्चा करें।

उत्तर. RBI द्वारा घोषित नये दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 से बैंकों द्वारा अपने ऋण दरों का निर्णय एक नयी विधि MCLR के आधार पर करना होगा। इससे संबंधित प्रमुख तथ्य निम्न प्रकार हैं:

- MCLR एक सावधिक प्रधान ऋण दर होगी जिसकी प्रकृति आंतरिक होगी।
- बैंकों की वास्तविक ऋण दर MCLR में एक फैलाव (Spread) को जोड़कर तय किया जाएगा।
- बैंकों द्वारा विभिन्न परिपक्वता की अवधि वाले ऋणों के लिए MCLR की घोषणा प्रत्येक माह की जाएगी (एक पूर्व-घोषित दिनांक को)।
- वर्तमान ऋणों को भी इस नयी ऋण दरों को चुनने की छूट होगी (बैंक और ऋण लेने वालों की आपसी समझ के अनुसार)।

बैंकों द्वारा पहले की तरह अपने 'बेस रेट' (Base Rate) की घोषणा जारी रहेगी।

भारतीय बैंकों को अपने ऋण दरों की गणना के लिए अब तक निम्न तीन में से किसी एक विधि को चुनने की छूट थी (जो अब नहीं रही):

(a) धन के औसत लागत के आधार पर,

(b) धन के सीमांत लागत के आधार पर, या फिर

(c) धन के मिश्रित (Blended) लागत के आधार पर।

हाल के दस्तावेज के अनुसार RBI का मानना है कि मौद्रिक पारेषण (Transmission) के लिए यह आवश्यक है कि बैंकों की ऋण दर 'नीति दरों' (Policy Rates) के प्रति संवेदनशील हों। ऋण दर की नयी विधि (MCLR) बैंकिंग उद्योग में निम्न लाभों की पूर्ति करने को लक्षित है:

- नीति दरों का बैंकों के ब्याज दरों में बेहतर पारेषण।
- बैंकों द्वारा ब्याज दरों को तय करने में अपनायी गयी विधि में बेहतर पारदर्शिता।
- बैंकों के ऋणों की ब्याज दरों को ऋण लेने वाले एवं बैंक दोनों ही के दृष्टिकोण से बेहतर स्तर तक लाना।
- बैंकों को और अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाना तथा उन्हें अपनी दीर्घावधिक मूल्य में बढ़ोतरी करने के लिए प्रोत्साहित करना।

प्रश्न 4. ''नीति आयोग ने देश के विकास योजना प्रक्रिया को एकदम नया आयाम प्रदान किया है।'' टिप्पणी करें।

उत्तर. भारत सरकार द्वारा जनवरी 2015 में स्थापित किये गए नये चिंतक निकाय, नीति आयोग में भारत के विकास नियोजन की प्रक्रिया को बदलने की क्षमता और कल्पनाशीलता दोनों ही मौजूद हैं। इस तथ्य को हम हाल में उठाये गए कुछ कदमों की मदद से समझ सकते हैं:

- पहली बार केन्द्रीय नियोजन प्रक्रिया में केन्द्र, राज्यों एवं स्थानीय निकायों के दृष्टिकोण से 'साझा राष्ट्रीय ऐजेंडा' की अवधारणा रखी गयी है जिसमें तीनों स्तरों के एकीकरण (integration) पर बल दिया गया है। इसके माध्यम से देश में विकेन्द्रीकृत नियोजन की एक नयी प्रक्रिया की शुरुआत होगी तथा भारत 'टॉप-डाऊन' के बदले 'बॉटम-अप' के दृष्टिकोण से विकास को बढ़ावा देगा।
- यह पहली बार होगा जब नियोजित विकास के लिए जिम्मेदार संस्था (नीति आयोग) को विकास के एक ऐसे प्रारूप (Model) का विकास करना

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

है, जिसकी प्रकृति सिर्फ एकीकृत ही न हो बल्कि समग्र भी हो तथा जहां एक तरफ भारत की संस्कृति के समानांतर हो वहीं विश्व के बेहतर विचारों के प्रति उदार भी हो।

- चिंतक निकाय द्वारा प्रस्तावित 'टीम इंडिया' का विचार भारत जैसी संघीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए काफी उचित है क्योंकि बिना केन्द्र राज्य सहभागिता के न तो इसके विकास की प्रक्रिया पूरी हो सकती न ही भारत अपनी विविधताओं में छुपी क्षमताओं का ही इस्तेमाल कर पाएगा।
- नियोजित विकास की दिशा में इसके द्वारा कुछ ऐसे नये कदम उठाये जाने हैं जिससे नियोजन प्रक्रिया न सिर्फ 'परिणाम-लक्षित' होगी बल्कि यह बदलते समय के साथ न्याय भी कर सकेगी-संघर्ष समाधान, 'साऊंडिंग' बोर्ड, 'विजन' एवं 'सिनेरियो' नियोजन, इत्यादि।
- 'शासी परिषद्' (Governing Council) में राज्यों के मुख्यमंत्रियों को स्थान देकर केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को न सिर्फ नियोजित विकास में अधिक जिम्मेदारी दी है बल्कि उन्हें राष्ट्रीय विकास में बहुत बड़ी भूमिका प्रदान की है। ज्ञात हो कि नीति आयोग के निर्णयों में इस परिषद् की बहुत बड़ी सक्रिय भूमिका है।
- नीति आयोग की कार्य प्रणाली देश में सामाजिक-राजनैतिक विकास की दिशा में भारी परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है क्योंकि अब नियोजन एक 'सामाजिक-आर्थिक' प्रक्रिया बन गयी है (पहले योजना आयोग सिर्फ आर्थिक नियोजन तक सीमित था)।

प्रश्न 5. ''मुद्रा बैंक का उद्देश्य दोहरा है-एक तो राजकोषीय समेकन और और दूसरा संवृद्धि प्रोत्साहन।'' इस कथन के आलोक में मुद्रा बैंक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत करें।

उत्तर. भारत सरकार के अनुसार देश के बड़े उद्योग सिर्फ 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं जबकि छोटे उद्योग (micro units) 12 करोड़ से भी अधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराते हैं। इन 5.75 करोड़ स्वरोजगारियों पर ध्यान देना काफी आवश्यक है, जो लगभग 11 लाख करोड़ की पूंजी से व्यापार करते हैं तथा जिन पर औसतन 17,000 रुपये का (प्रति उद्योग) ऋण है। छोटे उद्यमियों के लिए पूंजी की उपलब्धि एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। इन्हें भारत के वित्तीय बाजार से धन मिल सके (उचित मात्रा में एवं उचित समय पर) ऐसी व्यवस्था अभी तक नहीं की जा सकी थी।

इन छोटे औद्योगिक निकायों की महत्ता को समझते हुए भारत सरकार द्वारा मुद्रा बैंक की घोषणा की गयी (अप्रैल 2015 में), जिसका उद्देश्य है उन गैर-संगठनात्मक उपक्रमों को धन/पूंजी प्रदान करना जिन्हें इसकी कमी है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के रूप में की गयी। मुद्रा बैंक के प्रमुख घटक निम्न प्रकार हैं :

- इस बैंकिंग मॉडल में इन उपक्रमों को महत्तम 10 लाख रु. तक के ऋण की व्यवस्था है (पुनर्वित्त मार्ग द्वारा)। ऋण की प्राप्ति सरकारी एवं निजी बैंकों के साथ-साथ NBFCs, माइक्रो फाईनान्स संस्थानों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, जिला बैंकों, इत्यादि के माध्यम से होगी।
- इसके अंतर्गत तीन ऋण प्रकारों की व्यवस्था है-*शिशु* (50 हजार रु. तक), *किशोर* (50 हजार से 5 लाख रु. तक) एवं *तरुण* (5 लाख से 10 लाख रु. तक)।
- वैसे इसके अंतर्गत फलों एवं सब्जियों के व्यापरियों को शामिल किया गया है, कृषि क्षेत्र इसके बाहर है।
- इस योजना के अंतर्गत कोई नियत ब्याज दर नहीं है वैसे बैंक ऋण से संबद्ध जोखिम के आधार पर ब्याज दर तय करने के लिए मुक्त होंगे। इसके अंतर्गत ब्याज दर पर कोई छूट की व्यवस्था नहीं है बशर्ते कि यह किसी अन्य सरकारी योजना से संलग्न न हो।

इस प्रकार मुद्रा बैंक के जुड़वां उद्देश्य हैं:

(i) इसके माध्यम से छोटे उपक्रमों की एक बहुत बड़ी तादाद को पूंजी की उपलब्धि होगी जो अब तक संस्थानिक स्तर पर वंचित थे-इस

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

प्रकार यह 'वित्तीय समावेशन' की दिशा में एक सशक्त प्रयास होगा।

(ii) छोटी इकाइयों को पूंजी उपलब्ध कराने से इनकी आय में संवृद्धि होगी जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव इनमें संलग्न 12 करोड़ से भी अधिक लोगों पर पड़ेगा। आजीविका के प्रोत्साहन में इस बात का दूरगामी अप्रत्यक्ष प्रभाव भी पड़ेगा।

प्रश्न 6. बहुपक्षीय व्यापार निकाय विश्व व्यापार संगठन के 11वें मंत्रिमंडलीय सम्मेलन के परिणाम पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखें। किस प्रकार से यह भारत की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असफल रहा?

उत्तर. विश्व व्यापार संगठन (WTO) का 11वां मंत्रीमंडलीय सम्मेलन अर्जेन्टीना के ब्यूनस आयर्स में बिना किसी ठोस परिणाम के समाप्त हो गया (दिसंबर 2017)। इस सम्मेलन में सदस्य देशों की खाद्य सुरक्षा एवं कृषि से जुड़े कुछ अन्य मुद्दों पर निर्णय लिया जाना तय था। दुर्भाग्य से एक देश के अड़ियल रुख के कारण (यू.एस.ए.) इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। वैसे सदस्य देश इस दिशा में वार्ता करते रहेंगे ऐसी स्थिति कायम रही।

अगर इसके परिणाम से भारत की खाद्य सुरक्षा को कोई तात्कालिक नुकसान नहीं हुआ तो यह एक गहरा धक्का जरूर रहा। वास्तव में भारत को WTO के द्वारा प्रावधानित 'नीली पेटी' (Blue Box) में कुछ छूट की आशा है ताकि वह कृषि क्षेत्र में दी जाने वाली वर्तमान छूटों को कृषिगत जी.डी.पी. के 10 प्रतिशत से अधिक करके खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी मात्रा में खाद्यानों का सार्वजनिक भंडारण कर सके।

वैसे इस सम्मेलन के दौरान भारत विश्व व्यापार संगठन के मौलिक सिद्धांतों पर मजबूती से टिका रहा था जिसमें कानून आधारित प्रभावी विवाद निपटारा व्यवस्था, अपीलीय व्यवस्था की पारदर्शिता, बहुपक्षीय एवं सर्वसहमति से निर्णय लेने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण हैं।

फिलहाल भारत समान विचार रखने वाले देशों के साथ वार्ताओं को आगे बढ़ा रहा है, खासकर उन पहलुओं पर जिनकी वजह से पिछला मंत्रिमंडलीय सम्मेलन विफल रहा।

प्रश्न 7. ''कृषि को लाभकारी बनाने के लिए भारत को पहले संतोषप्रद औद्योगिक विस्तार करना होगा।'' भारतीय अर्थव्यवस्था की बदली आकृति के आलोक में उक्त कथन पर अपने विचार प्रस्तुत करें।

उत्तर. देश के कृषि क्षेत्र को लाभकारी (remunerative) बनाने की आवश्यकता पर आम चर्चा होती रही है। विगत कुछ वर्षों में किसानों की आत्महत्या भी बढ़ गयी है। किसानों की लगभग 43 प्रतिशत आत्महत्याएं कृषि क्षेत्र से जुड़ी रही हैं (NCRB, 2015)–प्रत्यक्षत: या परोक्ष रूप से। विशेषज्ञों द्वारा कृषि जगत से जुड़ी अनेक समस्याओं को किसान की आत्महत्या से जुड़ा बताया गया है। कृषि कार्यों का पिछले दशकों में धीरे-धीरे गैर-लाभकारी (Non-remunerative) हो जाना कृषि जगत की एक बहुत बड़ी समस्या मानी जा रही है। कृषि कार्यों के अलाभकारी होने के लिए भी अनेक कारण विद्यमान हैं लेकिन एक बहुत बड़ा कारण अर्थव्यवस्था की संरचना (Structure) से जुड़ा है–देश के औद्योगिक क्षेत्र का सही समय पर विस्तार (expansion) नहीं हो पाना। कृषि को लाभकारी बनाने के लिए पहले औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार आवश्यक है यह विचार पिछले कुछ वर्षों में काफी लोकप्रिय बनता चला गया है। इस विचार को हम निम्न बिन्दुओं के माध्यम से समझ सकते हैं:

- वर्तमान समय में जहां कृषि क्षेत्र देश की 48.9 प्रतिशत जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराता है वहीं देश की आय में इसकी भागीदारी मात्र 17.4 प्रतिशत है *(आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16)*। इससे कृषि कार्यों की अलाभकारी स्थिति का पता चलता है।
- कृषि कार्यों पर निर्भर जनसंख्या को चूंकि कोई अन्य रोजगार का अवसर प्राप्त नहीं हुआ अत: बढ़ती ग्रामीण जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर ही बोझ बनती गयी।
- किसानों (विशेषकर भूमिहीन किसान मजदूर) का ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर प्रवसन

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(migration) होता रहा है लेकिन यह इतना नहीं रहा कि कृषि पर निर्भर जनसंख्या में कोई भारी कमी आ सके।

- अगर भारत के औद्योगिक क्षेत्र का सही समय पर सही स्तर तक विस्तार हुआ होता तो कृषि पर बोझ बनती जनसंख्या औद्योगिक क्षेत्र की ओर प्रवसित होती (जैसाकि विश्व के विकसित देशों में हुआ) जिससे कृषक समाज की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती।

भारत कृषि को लाभकारी बनाने की दिशा में कई दशक गंवा चुका है और इसके लिए यथाशीघ्र एक सटीक रणनीति की आवश्यकता है। इस दिशा में उठाये जाने योग्य कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्न प्रकार हैं:

- भारत को वैसे उद्योगों का तेज विस्तार करना चाहिए जिनसे द्रुत और बड़ी संख्या में रोजगार सृजन किया जा सके। विनिर्माण (Manufacturing) उद्योग को बढ़ावा देना इस दिशा में एक सही कदम होगा–सरकार की नई विनिर्माण नीति, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, मुद्रा बैंक, इत्यादि इस दिशा में उठाये गए अच्छे कदम हैं।
- कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना इस क्षेत्र से जुड़ा एक ऐसा कदम होगा जिसका अर्थव्यवस्था को (और विशेषकर कृषि क्षेत्र को) बहुआयामी लाभ मिलेगा–किसानों को अतिरिक्त आय की प्राप्ति; कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में कमी; ग्राम्य नगर प्रवसन में कमी; शहरी व्यवस्था पर पड़ने वाले उच्च भार में कमी; इत्यादि।
- किसानों को गैर-कृषि क्षेत्र में लाभकारी रोजगार की प्राप्ति हो सके इसके लिए एक प्रभावी नीति को अमल में लाना आवश्यक है। इस दिशा में दो बातों पर ध्यान देना जरूरी होगा। पहला यह कि कृषक समाज में सही प्रकार के रोजगार कौशल का विकास तथा उचित मात्रा में रोजगार के अवसर का सृजन। दूसरी जरूरी बात यह होगी कि इस समाज के लिए रोजगार के अवसर स्थानीय रूप से किए जाने चाहिए ताकि नियोजित विकास में सामाजिक एवं सांस्कृतिक घटक भी शामिल रह सकें। सरकार की 'स्मार्ट सिटी' की नीति इस दिशा में एक अच्छा प्रयास है।
- हाल के वर्षों में भूमि अधिग्रहण एक काफी विवादास्पद मुद्दा बन गया है। देश को जल्द ही इसके लिए ऐसी नीति अमल में लानी होगी जो कि द्रुत, प्रभावी और पक्षपातरहित हो। जमीन को पट्टे (Leasing) पर प्राप्त करने की नीति इस दिशा में एक काफी अच्छा प्रयास होगा। इस प्रकार उद्योग जगत के विस्तार को तेज किया जा सकता है।

इस प्रकार विशेषज्ञों का मानना है कि कृषि कार्यों को लाभकारी बनाने का रास्ता औद्योगिक विस्तार से होकर गुजरता है।

प्रश्न 8. ''बदले हुए वैश्विक परिदृश्य में भारत को विनिमय दर की निगरानी के नीतिगत दृष्टिकोण को बदलना चाहिए।'' टिप्पणी करें।

उत्तर. भारतीय मुद्रा ने हाल ही में- बदलते बाहरी प्रभावों के अनुसार, लगातार विनिमय दर में अस्थिरता को झेला है। इसने भारत को विश्व, अपने प्रमुख व्यापार साझीदारों और अपने निर्यात बाजार में उभरते प्रतियोगियों की विनिमय दर की गतिशीलता की ध्यानपूर्वक निगरानी करने पर मजबूर किया है। भारत को अपनी विनिमय दर नीति के दृष्टिकोण पर निम्न मुख्य कारणों की वजह से, पुनर्विचार करना चाहिए और इसमें बदलाव करना चाहिए:

- अमेरिकी डॉलर में तीव्र वृद्धि की उम्मीद है जिससे भारत के प्रतिद्वंद्वियों, मुख्यत: चीन और वियतनाम, की मुद्रा में गिरावट आएगी। पहले ही डॉलर के मुकाबले युआन का 11/6 फीसदी अवमूल्यन हो चुका है (जुलाई 2015-दिसंबर 2016 की अवधि में) और इसके फलस्वरूप रुपया युआन के मुकाबले 6 फीसदी बढ़ गया है। इसकी वजह से पूंजी के भारत से बाहर जाने की चिंता लगातार बनी रहती है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

- उच्च विकास दर को निर्यात का समर्थन चाहिए होता है और ये तभी संभव है जब रुपये की विनिमय दर प्रतियोगी रहे। वियतनाम, बांग्लादेश और फिलीपीन्स जैसे देशों का उभार एक और चिंता का विषय है जो बहुत-से उत्पादों और सेवाओं में भारत से प्रतियोगिता कर रहे हैं।
- भारत की मौजूदा विनिमय दर प्रबंधन नीति आमतौर पर यूएई को बहुत महत्व देती है (भारी मात्रा में तेल के निर्यात और भारत के निर्यात के लिए पोत-अंतरण स्थान होने की वजह से)। लेकिन इस व्यापार का भारत की निर्यात प्रतियोगितात्मकता से लगभग कोई लेना-देना नहीं है। अभी यह नीति कुल व्यापार को ध्यान में रखती है बजाय इसके कि क्षेत्रवार परिस्थितियों और विनिमय दर से उनके संबंध पर विचार करे। इसकी वजह से भारत यूरो को बहुत महत्व देता है, हालांकि वास्तविकता ये है कि एशियाई देश भारत के मुख्य प्रतिद्वंद्वी हैं (यूरोप नहीं)।
- जब से विकसित देश महा प्रतिसार (great recession) की चपेट में आए हैं, हमने देखा है कि उनमें से ज्यादातर ने 'गैर-पारम्परिक मौद्रिक नीति' को बढ़ावा दिया है- और प्रभावी ब्याज दर नकारात्मक तक रही है। जहां पश्चिमी देशों के केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को बढ़ावा देने और इसके माध्यम से वृद्धि पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, आरबीआई उन्हें संतुलित करता रहा है (मार्च 2017 तक)। इन परिस्थितियों में, आरबीआई को यह सलाह देने की जरूरत लगती है ('मौद्रिक नीति समिति' के माध्यम से) कि उसे अपनी मौद्रिक नीति को लेकर दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करना चाहिए।

प्रश्न 9. ''अमेरिकी चुनाव और ब्रेक्सिट के बाद के हालात में आधारभूत बदलाव के चलते भारत के व्यापारिक दृष्टिकोण में एक नीतिगत बदलाव की जरूरत है।'' विश्लेषण करें।

उत्तर. ब्रेक्सिट और अमेरिकी चुनाव के बाद के हालात वैश्विक व्यापार नीति में संभवत: आधारभूत बदलाव आए हैं (*आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17*)। ब्रिटेन में सरंक्षणवादी भावना के चलते ही ब्रेक्सिट की प्रेरणा मिली थी। इसी तरह के संकेत नई अमेरिकी सरकार ने भी दिए हैं। इसकी वजह से अमेरिकी डॉलर के मूल्य में तीव्र वृद्धि हो सकती है- यह पहले ही नवंबर-दिसंबर 2016 में 5/3 फीसदी बढ़ गया है और जनवरी 2017 तक 3.1 फीसदी अधिक पर जाकर थमा है (साथी मुद्राओं की एक तालिका के अनुपात में)। अमेरिका का सबसे सरंक्षणवादी काल में (अस्सी के दशक के मध्य से अंत तक) डॉलर में तीव्र वृद्धि दिखाई दी थी, जो सख्त मौद्रिक नीति और उदार राजकोषीय नीति का परिणाम थी।

दूसरी ओर, सरंक्षणवाद के उभार की आशंका के चलते पैदा हुए दबाव से अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक नेतृत्व में एक खालीपन (निर्वात्) बन रहा है। ऐसी परिस्थिति में भारत को मुक्त बाजार को और अपनी घरेलू वृद्धि को बढ़ावा देने की जरूरत है। इसी तरह के कदम उभरते बाजार वाली अर्थव्यवस्थाओं (एसएमई) को भी उठाने की आवश्यकता है इस तरह, भारत के लिए दो विशिष्ट अवसर उभरते हैं:

1. भारत को 'श्रम आधारित निर्यात' और ब्रिटेन और यूरोप के साथ 'मुक्त व्यापार अनुबंध पर चर्चा' को बढ़ावा देकर काफी लाभ मिल सकता है। निर्यात और रोजगार में वृद्धि की संभावना बहुत अच्छी हैं-3 खरब अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त निर्यात (विशेषकर कपड़ा, चमड़ा और फुटवियर क्षेत्र में) और 1.5 लाख अतिरिक्त नौकरियां।
3. अमेरिका के क्षेत्रीय संगठनों से पीछे हटने, जैसे कि एशिया में ट्रांस-पैसिफिक-पार्टनरशिप (टीपीपी) और यूरोपीय संघ के साथ ट्रांस-अटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप (टीटीआईपी), से संभव है कि डब्ल्यूटीओ का महत्व बढ़ जाए। एक मुख्य पक्षकार होने और भू-राजनैतिक बदलावों को देखते हुए, भारत को आगे बढ़कर डब्ल्यूटीओ और बहुपक्षवाद को वापस जिंदा करने की कोशिश करनी चाहिए।

इन परिस्थितियों में भारत को अपनी विदेश व्यापार नीति

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

के दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करना चाहिए ताकि वह वैश्विक बदलावों के कुप्रभावों को कम-से-कम कर सके और अपने लिए लाभों को अधिकतम कर पाए।

प्रश्न 10. अधिमान्य व्यापार समझौतों (Preferential Trade Agreements) एवं मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreements) की वैधता (legitimacy) की संक्षिप्त चर्चा करें। भारत के इस मामले में अनुभवों की समीक्षा करें तथा स्थिति को भारत के पक्ष में करने के लिए अपने सुझाव दें।

उत्तर. विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने की दिशा में बहुपक्षीय व्यापार समझौते सबसे अच्छे कदम हैं क्योंकि इनका मूल सिद्धांत भेदभावरहित होता है। वहीं प्रादेशिक व्यापार समझौते (आर.टी.एज) का मूल उद्देश्य आपस में आर्थिक संबंधों को प्रगाढ़ (गहरा) बनाने को लक्षित होता है और उन्हें सामान्यतया पड़ोसी देशों द्वारा स्थापित किया जाता है। इनकी प्रकृति राजनैतिक होती है। विश्व व्यापार संगठन की प्रक्रिया के काफी धीमी होने के कारण आर.टी.ए. की संख्या बढ़ी है और विश्व व्यापार में आज इनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है।

वैसे आर.टी.ए. विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के अनुरूप होते हैं गैर-सदस्यों से इनका रिश्ता भेदभावपूर्ण होता है तथा उन्हें व्यापार में क्षति होती है।

भारत हमेशा से भेदभावरहित विश्व व्यापार व्यवस्था का पक्षधर रहा है तथा आर.टी. एज को व्यापार उदारीकरण के अंतिम लक्ष्य की तैयारी की प्रक्रिया का अंग मानता है। *मध्य-2016* तक भारत द्वारा 10 एफ.टी.एज (FTAs) एवं 6 पी.टी.एज (PTAs) पर हस्ताक्षर किया जा चुका था। अधिकारिक सूत्रों के अनुसार *(आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16)* के अनुसार, इन समझौतों के साथ भारत का अनुभव इतना स्पष्ट नहीं रहा है:

- भारत के निर्यात एवं व्यापार निष्पादन पर इनका अंतिम प्रभाव अब भी विस्तृत विश्लेषण का विषय है।
- अन्य एफ.टी.एज. की तुलना में आसियान (ASEAN) के साथ व्यापार काफी अधिक रहा है जो विशेषकर धातुओं के आयात के मामले में सबसे अधिक रहा है।
- एफ.टी.एज के माध्यम से सिले-सिलाए कपड़ों में अच्छी गतिजता देखी गयी है (आसियान बाजारों में)।
- सरकारी विश्लेषण के अनुसार पी.टी.एज द्वारा व्यापार को बिना अदक्ष बनाये व्यापार में बढ़ोतरी की गयी है।

स्थिति को भारत के पक्ष में करने संबंधी सुझाव:

(i) वर्तमान में विश्व व्यापार में कमी आ रही है जहां वैश्विक स्तर पर उत्पादन क्षमता आवश्यकता से अधिक सृजित हो चुकी है। इस कारण विश्व में व्यापार संबंधी नियमों का उच्चस्तरीय उल्लंघन हो रहा है। ऐसी स्थिति में अगर भारत इन समझौतों के अंतर्गत कार्य करना चाहता है तो व्यापार की सुरक्षा के लिए WTO सम्मत प्रावधानों को बेहतर बनाना होगा (यथा-बेहतर एंटी-डंपिंग व्यवस्था)।

(ii) सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि भारत को एफ.पी.एज को जारी रखना चाहिए या नहीं। वहीं किन देशों के साथ ऐसे समझौते किए जाएं, यह अगला प्रश्न है। इनमें सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि विश्व के उभरते नये बृहत प्रादेशिक व्यापार समझौतों (जैसे टी.पी.पी.) के परिपेक्ष्य में भारत को अपनी 'स्थिति' क्या रखनी चाहिए।

(iii) बहुपक्षीय वैश्विक व्यापार को प्रोत्साहित करने संबंधी विश्व व्यापार संगठन (WTO) की कोशिश ऐसा प्रतीत होता है जैसे अधिमान्य (Preferential) समझौतों द्वारा पीछे छोड़ दी गयी है। ऐसी स्थिति में भारत को रणनीतिक निर्णय लेने की आवश्यकता है-इसे भी अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए ऐसा ही करना चाहिए अर्थात् इसे भी पी.टी.एज को बेहतर बनाना चाहिए। ऐसे में अपवर्जित (excluded) रह जाना कभी भी एक अच्छा सुझाव नहीं होगा।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

प्रश्न 11. 'जलवायु स्मार्ट कृषि' की संक्षित चर्चा करें तथा सरकार द्वारा इस दिशा में उठाये गए कदमों की सोदाहरण चर्चा प्रस्तुत करें।

उत्तर. 'जलवायु स्मार्ट कृषि' एक नयी विधा है जिसके अंतर्गत कृषि के रूपांतरत की कोशिश की जाती है ताकि जलवायु परिवर्तन की स्थिति में कृषि कार्य को सहायता प्रदान की जा सके एवं खाद्य सुरक्षा की प्राप्ति की जा सके। इसके अंतर्गत कृषि कार्य से जुड़े समुदायों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नयी कृषि रणनीति का सुझाव उपलब्ध कराया जाता है। इस कृषि द्वारा प्रमुखतया तीन उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में कार्य किया जाता है:

(i) कृषि उत्पादकता एवं आय में संपोषित वृद्धि;

(ii) जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन एवं लोच (resistence) का विकास, तथा;

(iii) जहां भी संभव हो वहां हरित-गृह गैसों के उत्सर्जन में कमी।

जलवायु परिवर्तन कृषि क्षेत्र को विभिन्न प्रकार से प्रभावित कर सकता है-तापमान की परिवर्तनीयता, वर्षण, चरम मौसमी स्थितियां, यथा-बाढ़ एवं सूखा। इन अनिश्चिताओं के प्रति लोच का विकास आज की आवश्यकता है।

हालांकि भारत में यह अवधारणा अभी नवजात स्थिति में है फिर भी सरकार द्वारा इस दिशा में कदम उठाये जा रहे हैं। वर्तमान समय में जलवायु-सोच तकनीकों का 153 मॉडल गांवों में (किसान विकास केन्द्रों के अंतर्गत) अभी प्रदर्शन कार्य किया जा रहा है-ये गांव 23 राज्यों में फैले हैं तथा यह कार्य नेशनल इन्नोवेशन ऑन क्लाइमेट रिसिलीएंट कृषि (NICRA) के तत्वावधान में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा सूखा, बाढ़, तूफान, हिमपात, लू एवं शीत लहर की स्थितियों के प्रबंधन के लिए 623 आकस्मिक योजनाओं को तैयार किया गया है।

प्रश्न 12. भारत द्वारा हाल में अपने विदेशी व्यापार को बढ़ाने संबंधी अच्छे प्रयास किए गए हैं-तत्संबंधी नवीनतम पहलों की चर्चा करें।

उत्तर. देश के विदेश व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा हाल में (मध्य 2016 तक) कई कदम उठाये गए, जो इस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीनतम व्यवहार (Practice) रहे:

- 'ई-फाइलिंग' एवं 'ई-भुगतान' की शुरुआत की गयी। निर्यात-आयात के लिए आवश्यक दस्तावेजों की संख्या को घटाकर मात्र तीन कर दिया गया है (जो विश्व में सबसे अच्छा नियम एवं व्यवहार है)।
- सीमा शुल्क के लिए 'सिंगल विण्डो' एवं 'ऑनलाइन' व्यवस्था, जो सातों दिन चौबिसों घंटे उपलब्ध है। इससे व्यापार सम्पन्न करने की समयावधि और लागत दोनों ही में कमी आएगी।
- पूरे विदेश व्यापार को 'कागज रहित' (Paperless) तथा 'सातों दिन एवं चौबिसों घंटे' (24×7) सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में कदम का बढ़ाया जाना।
- 'आयात-निर्यात फॉर्म' को सरल एवं स्पष्ट बनाने के साथ-साथ 'ई-अभिशासन' की तरफ मजबूत कदम का बढ़ाया जाना। इसके लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा वर्ष 2015 के अंत में एक 'मोबाईल ऐप' (Mobile App) भी उपलब्ध कराया गया।
- प्रशिक्षण को लक्षित 'निर्यात बंधु योजना' की शुरुआत की गयी जो 'स्किल इंडिया' का हिस्सा है।
- देश के निर्यात को बढ़ावा देने की प्रक्रिया में राज्यों एवं संघशासित प्रदेशों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जुलाई 2015 में सरकार द्वारा 'व्यापार विकास एवं प्रोत्साहन परिषद्' (CTDP) की स्थापना की गयी।
- निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्यों एवं संघशासित प्रदेशों के द्वारा तत्संबंधी कई नये कदमों का उठाया जाना, यथा-निर्यात रणनीति बनाना; निर्यात कमिशनर की नियुक्ति; वस्तुओं के आवागमन के लिए आधारभूत संरचना संबंधी अवरोधों में कमी करना; वैट, चुंगी एवं राज्यस्तरीय अधिभार (Cess) तथा संबंधित करों की वापसी संबंधी सुविधा की व्यवस्था करना।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

भारत की आर्थिक राजनयिक नीति (economic diplomacy) पिछले कुछ वर्षों में काफी गतिज हुई है। विश्व अर्थव्यवस्थाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों द्वारा भारत में विश्वस्तरीय आर्थिक क्षमता को स्वीकारा गया है। ऐसे में भारत को अपने वैदेशिक क्षेत्र को बेहतर तरीके से अभिशासित करने की आवश्यकता है।

प्रश्न 13. ''गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs) भारतीय वित्त व्यवस्था की एक तेजी से उभरती घटक हैं तथा बैंकिंग क्षेत्र की पूरक की भूमिका निभाने लगी है।'' इस कथन के आलोक में इनके विनियमन व्यवस्था की चर्चा करें।

उत्तर. वर्तमान में एन.बी.एफ.सी. (NBFCs) तेजी से उभर रही हैं। ये वास्तव में एक विषम (neterogenous) समूह हैं (वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंकों को छोड़कर), जो कई तरह से 'वित्तीय मध्यक्षता' करती हैं, यथा-जमा स्वीकारना, ऋण देना, लिजिंग, हायर-परचेज, इत्यादि। इनके द्वारा छोटे उद्योगों, थोक विक्रेताओं, खुदरा व्यापारियों एवं स्वरोजगारियों को ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है। इन्हें कुछ गतिविधियों की मान्यता नहीं है (अपने मूल व्यवसाय के रूप में), जैसे-कृषिगत एवं औद्योगिक कार्य तथा अचल संपत्तियों का निर्माण या खरीद-बिक्री। इसी तरह इनके द्वारा मांग जमाएं (demand deposits) स्वीकृत नहीं की जाती हैं (बचत एवं चालू खाते)। कुछ विशेष कारणों से, धीरे-धीरे इन्हें इनकी विविधीकृत वित्तीय गतिविधियों के कारण भारत की बैंकिंग व्यवस्था का एक पूरक भाग माना जाने लगा है।

- उपभोक्ता लक्षित सेवा;
- सरलीकृत प्रक्रिया;
- जमाओं पर आकर्षक ब्याज दर, एवं;
- किसी क्षेत्र की आवश्यकतानुसार काफी लोचशीलता के साथ समयानुरूप ऋण की व्यवस्था।

उनका नियमन RBI करता है जिसने उनको काफी विस्तृत एवं मुक्त रूप से परिभाषित किया है-''एक वित्तीय संस्थान जिसे कंपनी की तरह गठित किया गया हो जो किसी भी रूप में जमा स्वीकारता हो या ऋण उपलब्ध करता हो।'' इन्हें दो वर्गों में विभाजित किया गया है:

(a) जमा स्वीकारने वाली कंपनियां (NBFC-D); तथा

(b) जमा नहीं स्वीकारने वाली कंपनियां (NBFC-ND)

जमा स्वीकारने वाली ऐसी कंपनियों के लिए RBI में अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसके लिए उन्हें 'कंपनी' (कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत) के रूप में स्थापित होना आवश्यक है तथा 2 करोड़ रु. की निवल पूंजी स्वामित्व जरूरी है।

कुछ अन्य प्रकार के NBFCs भी हैं, जिनका नियमन दूसरे वित्तीय नियामकों द्वारा किया जाता है, जैसे-वेंचर फंड, मर्चेंट बैंक तथा स्टॉक ब्रोकिंग फर्म (SEBI); निधि कंपनियां (कॉरपोरेट मामला मंत्रालय एवं कंपनी अधिनियम) तथा चिट फंड कंपनियां (संबंधित राज्य सरकारें एवं चिट फंड अधिनियम, 1982)।

सरकार द्वारा इन कंपनियों को और मजबूत बनाने की बात कही गयी है तथा इनके द्वारा आने वाले समय में देश में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए धन उपलब्ध कराने में बड़ी भूमिका निभाने की संभावना जतायी गयी है।

प्रश्न 14. सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों की गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों में हाल में आयी तेज वृद्धि के पीछे विद्यमान कारकों की चर्चा करें तथा इसके समाधान के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदमों की चर्चा करें।

उत्तर. वर्ष 2017-18 में सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों का निष्पादन निम्न बना रहा। इनकी सकल निष्पादनकारी परिसंपत्तियां (GNPA) मार्च 2017 के 12.5 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2017 तक 13.5 प्रतिशत हो गयीं। दूसरी तरफ इनकी दाब (stressed) परिसंपत्तियां भी इस दौरान बढ़कर 16.2 प्रतिशत हुईं (15.6 प्रतिशत से बढ़कर)। गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों में इस वृद्धि के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 से अन्यान्य कारणों को जिम्मेदार बताया गया है वैसे वर्तमान में इसके लिए निम्न कारकों को विशेष रूप से उद्धृत किया जा रहा है (*तत्कालीन आर.बी.आई. गवर्नर रघुराम राजन ने इसकी जानकारी संसदीय लेखा समिति को दी थी, सितंबर 2016*):

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(i) वैश्विक एवं घरेलू कारणों से आयी आर्थिक सुस्ती ने ऋण लेने वाली कंपनियों की ऋण अदायगी क्षमता को कमजोर बनाया।

(ii) परियोजनाओं के अनुमोदन में होने वाली देरी, जिसके कारण परियोजनाओं में निवेश की मात्रा बढ़ी और इसका प्रत्यक्ष प्रभाव ऋण की अदायगी पर पड़ा।

(iii) उच्च रूप से ऋणी निजी क्षेत्रीय कंपनियों को बैंकों द्वारा आक्रामक तरीके से ऋण दिया गया।

(iv) ज्ञानकृत चूक (willful defaults) की उच्च घटनाएं।

(v) ऋणों से जुड़ी धोखाधड़ी।

(vi) बैंकिंग संस्थानों से जुड़ी भ्रष्टाचार की घटनाएं।

सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए बहु-आयामी कदम उठाये गए हैं लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं मिल पाये हैं।

इंद्रधनुष योजना के अतिरिक्त (जिसके अंतर्गत इन बैंकों को मार्च 2019 तक 70,000 करोड़ रु. की पूंजी दिए जाने की व्यवस्था है) सरकार द्वारा (फरवरी 2018 में) 2.11 लाख करोड़ रु. की एक बड़ी रकम द्वारा इनके पुनर्पूंजीकरण की घोषणा की गयी। इन प्रक्रियाओं के द्वारा बैंकों की पूंजी की कमी के एक बड़े भाग की पूर्ति हो पाएगी। दूसरी तरफ सरकार द्वारा नई शोधन-अक्षमता एवं दिवालियापन (Insolvency and Bankruptcy) कानून के माध्यम से भी इसके समाधान की दिशा में द्रुत कार्य किया जा रहा है।

प्रश्न 15. विनिवेश प्राप्तियों के इस्तेमाल के सबंध में वर्तमान नीति पर एक टिप्पणी लिखिए और इसे न्यायोचित ठहराएँ।

उत्तर. निवेश प्राप्तियों के इस्तेमाल संबंधी वर्तमान नीति जनवरी 2013 में लागू की गई। वित्तीय वर्ष 2013-14 से विनिवेश प्राप्तियों को एनआईएफ शीर्ष के अंतर्गत विद्यमान 'लोक खाते' में जमा किया जाता है और यह राशि इसमें तब तक जमा रहती है जब तक कि इसे स्वीकृत प्रयोजन हेतु निकाला/निवेश न किया जाए। इस प्रयोजन का निर्धारण केन्द्रीय बजट में किया जाता है। वर्तमान में प्राप्तियों को निम्नलिखित प्रयोजन हेतु प्रयोग किया जाता है:

(i) सहकारी क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों सहित सीपीएसई द्वारा जारी किए जा रहे शेयरों को अधिकार आधार पर खरीदना ताकि सरकारी स्वामित्व का 51 प्रतिशत सुनिश्चित किया जा सके।

(ii) सहकारी क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों का पुनर्पूंजीकरण।

(iii) सरकार द्वारा आरआरबी, आईआईएफसीएल, नाबार्ड, एक्जिम बैंक में निवेश।

(iv) विभिन्न मेट्रो परियोजनाओं में इक्विटी प्रवेश।

(v) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड और यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में निवेश।

(vi) पूँजी व्यय के लिए भारतीय रेल में निवेश।

संघीय बजट 2017-18 के प्रस्तुतीकरण तक सरकार द्वारा विनिवेश से प्राप्त धन राशि को ऊपर दी गई नीति के अनुरूप ही इस्तेमाल किया जा रहा है। नयी परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए (अर्थात् पूंजीगत व्यय के लिए)। यह नीति आज के समय के लिए काफी उचित प्रतीत होती है जब निजी क्षेत्र के द्वारा अर्थव्यवस्था में स्वस्थ स्तर का निवेश नहीं किया जा पा रहा है (उनके लाभों के निम्न होने एवं भारी कर्ज में दबे होने के कारण)। वैसे चूंकि यह नीति संघीय बजट द्वारा तय की जाती है इसलिए इस धन को इस्तेमाल करने की उच्च लोचशीलता उपलब्ध है।

प्रश्न 16. स्वैच्छिक चूककर्ता, शब्द के संबंध में अधिकारिक मापदंड पर टिप्पणी लिखिए और ऐसे व्यक्तियों/कंपनियों पर लागू होने वाले विनियामक मानकों पर भी चर्चा करें।

उत्तर. ऐसे अनेक व्यक्ति/कंपनियाँ होती हैं, जो ऋण देने वाले संस्थानों से धन उधार लेते हैं, परंतु इसका भुगतान करने में असफल रहते है। यद्यपि, इनमें से प्रत्येक को

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

स्वैच्छिक चूककर्ता (willful defaulter) नहीं कहा जाता है। आरबीआई के उपबंधों के अनुसार स्वैच्छिक चूककर्ता वह है जो अपने ऋण या भुगतान का पुनर्भुगतान नहीं करता है, परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य बातें स्वैच्छिक चूककर्ता को परिभाषित करती हैं:

(i) जो पुनर्भुगतान करने में आर्थिक रूप से सक्षम हो, परंतु फिर भी ऐसा न करे;

(ii) या वह जो जिस प्रयोजन के लिए निधियाँ प्राप्त की गई हों, उसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु इनका प्रयोग करें;

(iii) या जिसके पास निधियाँ आस्तियों के रूप में उपलब्ध न हों, चूंकि निधियाँ अन्यत्र प्रयोग की गई हों;

(iv) या जिसने उस संपत्ति को बेच या निपटान कर दिया हो, जिसे ऋण प्राप्त करने के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रयोग किया गया था।

निधियों के विपथन में ऐसे कार्यकलाप सम्मिलित हैं, जैसे–अल्पावधि कार्य पूँजी की दीर्घवधि प्रयोजनों हेतु प्रयुक्त करना, ऐसी आस्तियों का अधिग्रहण करना जिस हेतु ऋण न लिया गया हो और अन्य कंपनियों के लिए निधियाँ अंतरित करना। निधियों के अन्यत्र उपयोग का अर्थ हैं कि निधियों उस प्रयोजन के लिए प्रयोग की गई थीं, जो ऋणी से संबंधित नहीं था और जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता हो यदि किसी कंपनी या व्यक्ति का नाम स्वैच्छिक चूककर्ताओं की सूची में आता है, तो उन पर निम्नलिखित प्रतिबंध लगेंगे:

(i) पूँजी बाजार में भाग लेने से प्रतिबंधित।

(ii) किसी और बैंकिंग सुविधा को लेने से प्रतिबंधित और किसी नए जोखिम को प्रारंभ करने के प्रयोजन हेतु पाँच वर्षो के लिए किसी वित्तीय संस्थान से अधिगम पर प्रतिबंध।

(iii) ऋणदाता पूर्व वेग से वसूली की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है और यदि आवश्यक हो तो आपराधिक प्रक्रिया भी प्रारंभ कर सकता है और यदि आवश्यक हो तो आपराधिक प्रक्रिया भी प्रारंभ कर सकता है।

(iv) ऋणदाता संस्थान, चूककर्ता कंपनी से संबंधित किसी व्यक्ति को किसी अन्य कंपनी का बोर्ड सदस्य बनना स्वीकृत नहीं करते।

प्रश्न 17. सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों की पूँजी पर्याप्तता की वर्तमान स्थिति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और इन्हें बेसल III मानकों का अनुपालन करने के लिए सरकार के प्रयासों की भी चर्चा करें।

उत्तर. मार्च 2014 तक भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) के लिए पूँजी 12.5 प्रतिशत थी, जो सितंबर 2015 तक घटकर 11.3 प्रतिशत हो गई (बेसल-III)। वर्ष 2016 हेतु सीआरएआर विनियामक आवश्यकता 9 प्रतिशत है। सकल स्तर पर पूँजी स्थिति में गिरावट, इसका कारण रहा। यद्यपि सितंबर, 2015 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सीआरएआर 11.3 प्रतिशत पर संतोषजनक था, आगे बढ़ते हुए बैंकिंग क्षेत्र विशेषकर पीएसबी को अतिरिक्त पूँजी बफरों के संबंध में विनियामक आवश्यकता होगी।

पीएसबी और आरआरबी को बेसल- III मानकों का अनुपालन कराने के लिए सरकार 2011-12 से पुनर्पूंजीकरण कार्यक्रम का अनुसरण कर रही है। सरकार द्वारा इस मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित की गई थी, जिसने संसद के विशेष अधिनियम के अंतर्गत (गैर-प्रचालन धारक कंपनी) (होल्ड को) के विचार का सुझाव दिया था। (इस संबंध में अभी कार्यवाही की जानी है)

फिलहाल सरकार द्वारा सरकारी बैंकों में पुनर्पूंजीकरण (recapitalisation) किया जा रहा है (वर्ष 2011-12 से) तथा उन्हें निम्न प्रकार पूंजी प्रदान की गयी है:

(i) वर्ष 2014-15 में इनमें 6,990 करोड़ रु. की पूंजी निवेशित की गयी-बैंकों की मजबूती, परिसम्पत्ति गुणवत्ता एवं दक्षता के आधार पर।

(ii) वर्ष 2015-16 में सरकार द्वारा 19,950 करोड़ रु. की धनराशि उपलब्ध करायी गई

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(13 सरकारी बैंकों के लिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16)।

(iii) जारी वर्ष 2016-17 में सरकार द्वारा कुल 25,000 करोड़ रु. की व्यवस्था कराने का प्रस्ताव है (*संघीय बजट 2016-17*)।

(iv) वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है (केंद्रीय बजट 2017-18)।

(vi) इंद्रधनुष योजना के अंतर्गत सरकार मार्च 2019 तक इनमें 70,000 करोड़ रु. की पूंजी का निवेश करेगी। इसके माध्यम से इन्हें बेसल III संबंधी पूंजी पर्याप्तता को हासिल करने में मदद मिलेगी।

(vii) पहले से चलाई जा रही पूंजीकरण की प्रक्रिया को मजबूती से आगे बढ़ाते हुए सरकार द्वारा इसके लिए 2.11 लाख करोड़ रु. के अतिरिक्त धन की व्यवस्था की घोषणा की गयी (फरवरी 2018)। इनमें 1.35 लाख करोड़ रु. की धनराशि पुनर्पूंजीकरण बॉण्ड एवं बाकी की धनराशि (76,000 करोड़ रु.) की व्यवस्था बैंकों द्वारा पूंजी बाजार (विनिवेश) एवं बजटीय सहायता से पूरा किया जाना तय है। इस माध्यम से भी इन बैंकों को बेसल प्रावधानों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

नवीनतम् *आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18* के अनुसार देश के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की पूंजी पर्याप्तता अनुपात सितंबर 2017 में 13.9 प्रतिशत था (मार्च 2017 के 13.6 प्रतिशत से बढ़कर)। इस वृद्धि का मुख्य कारण निजी बैंकों का बेहतर निष्पादन रहा।

प्रश्न 18. वित्त आयोग द्वारा संसाधनों के अंतरण संबंधी (विभाज्य पूल) अवधारणा पर संक्षिप्त चर्चा करें और हाल ही के समय में हुए परिवर्तनों को भी इंगित करें।

उत्तर. 'विभाज्य पूल' सकल कर राजस्व का वह भाग है, जिसे केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित किया जाता है। विभाज्य पूल में सभी कर सिवाए अधिभार और विशिष्ट प्रयोजनों हेतु लगाए गए उपकर, संग्रहण प्रभारों का कुल सम्मिलित होते हैं।

80वें संविधान संशोधन (2000) से पूर्व, संघ कर राजस्वों को उस समय विद्यमान अनुच्छेद 270 और 272 के उपबंधों के अनुसार राज्यों के साथ बाँटा जाता था, इस संशोधन ने मौलिक रूप में संघ करों को बाँटने के पैटर्न को बदल दिया, जिसके तहत अनुच्छेद 272 को समाप्त किया गया और अनुच्छेद 270 में काफी परिवर्तन किया गया। नया अनुच्छेद 270 संघ सूची में संदर्भित सभी करों और शुल्कों 'विभाज्य पूल' में रखता है। इसके कुछ अपवाद-संविधान के अनुच्छेद 268 और 269 में सदंर्भित कर और शुल्क, अधिभार और करों एवं शुल्कों पर उपकरों (अनुच्छेद 271 में संदर्भित) तथा विशिष्ट प्रयोजनों हेतु उगाही किया गया कोई उपकर-इस 'पूल' के अंर्तत नहीं आता है।

कर अंतरण की नई व्यवस्था 10वें वित्त आयोग (1995-2005) की सिफारिशों के अनुसरण के रूप में आई, जिसे वित्त आयोग ने कर अंतरण की 'वैकल्पिक विधि' (एएमडी) के रूप में परिभाषित किया है। ऐसी व्यवस्था को प्रभावी करने के लिए वित्त आयोग द्वारा संघ और राज्यों के मध्य सहमति की सलाह दी गई थी। राज्यों को एएमडी में संघ करों का प्रतिशत अतिरिक्त हिस्सा मिलने जा रहा था, इसलिए उनकी ओर से एक गंभीर माँग आई-अंततः केंद्र द्वारा एएमडी को स्वीकार किया गया। एएमडी को बदला न जा सके, इसके लिए भारत सरकार ने संविधान में 80वां संशोधन किया।

प्रश्न 19. हाल ही में आएबीआई द्वारा स्थापित संशोधित लिक्विडीटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क (एलएमएफ) पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस पुनरीक्षण के पीछे तर्क को भी वर्णित करें।

उत्तर. अगस्त 2014 में, आरबीआई ने संशोधित लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क (एलएमएफ) की घोषणा की थी।

एलएमएफ की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

- आरबीआई ने एक पखवाड़े में चार बार 14 दिवस टर्म रिपरचेज नीलामियों का आयोजन प्रारंभ किया, जिसकी कुल राशि सिस्टम के जमा आधार या कुल माँग और समय देयताओं (एनडीटीएल) के 0.75% के बराबर हो।
- इस बार आरबीआई ने इन 14 दिवस टर्म रेपो प्रचालनों के लिए एक निश्चित समय सूची घोषित की है। जिनका प्रयोग बैंकों द्वारा अपनी दैनिक लिक्विडिटी आवश्यकताओं के लिए किया जाता है। एनडीटीएल के 0.75 प्रतिशत की कुल राशि का एक-चौथाई चार नीलामियों में नीलामी के लिए रखा जाएगा, आरबीआई ने अपने एक कथन में कहा।
- समय की निश्चित रेपो दर पर लिक्विडिटी समायोजन सुविधा (एलएएफ) विंडो से बैंकों द्वारा अधिगम राशि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। बैंकों को वर्तमान में एलएएफ विंडों से अपने जमा आधार या एनडीटीएल के 0.25 प्रतिशत तक ऋण लेने की अनुमाति है।
- इसके अतिरिक्त आरबीआई प्रणाली में लिक्विडिटी के आकलन और उस दिन के लिए नीलामी हेतु उपलब्ध सरकारी नकद बकाये के आधार पर ओवरनाइट वेरियबल दर रेपों की नीलामियाँ भी करता है।

  अंतर-बैंक कॉलमनी मार्केट में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए संशोधित नीति ढांचा तैयार किया गया है, जहाँ बैंक एक-दूसरे को ऋण देते हैं और ऋणदाताओं को अपनी लिक्विडिटी आवश्यकताओं के बेहतर प्रबंधन को भी स्वीकृत करते हैं। बेहतर ब्याज संकेत और ऋण बाजार में मध्यम टर्म स्थिरता इसके कुछ अन्य उद्देश्य हैं।

प्रश्न 20. टैक्स हैवन क्या हैं और ये भारत में भ्रष्टाचार को कैसे बढ़ा रहे हैं?

उत्तर. टैक्स हैवन ऐसे राष्ट्र-राज्य या डोमिनियन हैं जो निजी और कॉर्पोरेट आय पर कम या कोई कर नहीं लगाते हैं और इसके परिणामस्वरूप समृद्ध व्यक्तियों और कार्पोरेटों को आकर्षित करते हैं, जो अपनी कर देयताओं को कम करना चाहते हैं। कर बचाने के अलावा ये हैवन विभिन्न देशों में **'काले धन'** को रखने के सुरक्षित स्थान के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। ओईसीडी के आँकड़ों के अनुसार इस समय विश्व में ऐसे 70 स्थान हैं-इनमें प्रसिद्ध हैं—ब्रिटिश वर्जिन द्वीप, केमेन द्वीप, कुक द्वीप, दुबई, अजल ऑफ मॉर, लिचेन्टनसटाइन मार्शल द्वीप, सैंट किट्स एंड नेविस, स्विट्जरलैंड, मॉरीशस, यूएस वर्जिन द्वीप इत्यादि।

टैक्स हैवन भारत में कई प्रकार से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं:

(i) ये भारत में कमाए गए धन को रखने के सुरक्षित केंद्रों के रूप में सामने आए हैं।

(ii) चूंकि ये धन रखने के ऐसे केंद्र हैं व्यक्तियों और कॉर्पोरेटों द्वारा भारत में कमाए गए धन को आसानी से यहां रखा जा सकता है और पकड़े जाने का भी कोई खतरा नहीं होता है।

(iii) अनेक भारतीय कॉर्पोरेटों के ऐसे स्थानों में खाते हैं, जिसे वे अंतरण मूल्य के लिए प्रयोग करते हैं।

(iv) चूंकि भारत में अत्यधिक भ्रष्टाचार है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि राजनीतिज्ञ भी अपने काले धन को यहां रखते हैं।

(v) ये भारत में हवाला, घूसखोरी इत्यादि को बढ़ावा देते हैं।

हाल ही में कई पीड़ित राष्ट्रों, जैसे—अमेरिका, जर्मनी और अनेक ओईसीडी राष्ट्रों द्वारा अपनी यहाँ रखी निधियों का पता लगाने के लिए कुछ प्रभावी कार्यवाहियाँ की गई हैं। भारत सरकार ने भी हाल ही में ऐसे प्रयास प्रारंभ किए हैं।

प्रश्न 21. 'ह्यूमन फेस के साथ आर्थिक सुधार' इसके तर्क की जाँच करें और संभावी परिणाम बताएँ।

उत्तर. यूपीए सरकार ने इस कथन के साथ आर्थिक सुधारों के लिए प्रतिबद्धता की घोषणा की और इस सूक्ति

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

ने मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। राजनीतिक बुद्धिजीवी यह मानते हैं कि आर्थिक सुधार की प्रक्रिया ने जन मानस का ध्यान नहीं रहा है, इसलिए प्रक्रिया का भावी रूप इस पर केंद्रित होगा।

ह्यूमन फेस के साथ सुधार एक खाली सूक्ति नहीं है चूँकि यह स्पष्ट वास्तविकताओं और सही तर्क पर आधारित है। जैसा कि हम जानते हैं, सुधारों के युग में अर्थव्यवस्था बाजार अर्थव्यवस्था की ओर जा रही है, जिसमें माँग/आपूर्ति और मूल्य तंत्र की मुख्य भूमिका है। चूंकि एक बड़ी जनसंख्या के पास क्रय शक्ति नहीं है, यह प्रक्रिया गरीब-विरोधी लगती है और तद्नुसार अमीरों के अनुरूप लगती हैं। ऐसी सुधार प्रक्रियाएँ उच्चतर आर्थिक वृद्धि ला सकती हैं, परंतु सम विकास हेतु समग्र वृद्धि के लिए सचेत प्रयास आवश्यक है।

जिस जन मानस में खरीद क्षमता के वास्तविक स्तर की कमी है, उसे सूक्ष्म स्तर वृद्धि होने तक राजसहायता प्राप्त सामान और सेवाएँ प्रदान की जानी चाहिए। इसीलिए सरकार सामजिक क्षेत्र पर बल दे रही है और 'सार्वजनिक उत्पादों' (शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय इत्यादि) की सुपुर्दगी पर अपने व्यय को बढ़ा रही है।

वर्ष 2016-17 में भारत सरकार की राजकोषीय नीति के बारे में एक नये विचार का आगमन हुआ। सरकार द्वारा अपने रुख (Stance) को 'संगठन-समर्थक' (Pro-Corporate) और 'गरीब-समर्थक' (Pro-Poor) दोनों ही बताया गया (स्वयं वित्त मंत्री के अनुसार)। भारत जहां एक तरफ कल्याणकारी रुख को स्पष्ट करते हुए छूटों (Subsidies) को जारी रखने की बात करता है वहीं इनकी बर्बादी को रोकने के लिए उनके तार्कीकरण करने एवं इसके प्रत्यक्ष अन्तरण (DBT) के लिए कटिबद्धता दर्शाता है। दूसरी तरफ व्यवसायिक वर्ग को कार्य करने का उचित माहौल प्राप्त हो सके इसके लिए हरसंभव प्रयास करने की तत्परता जाहिर की गई ('इज ऑफ डुईंग बिजनेस' में सुधार)। जाहिर है कि जनसंख्या के कल्याण के लिए सरकार एवं अर्थव्यवस्था दोनों के आय के स्तरों को तेज करने की आवश्यकता है। यह राजकोषीय रुख उचित प्रतीत होता है।

प्रश्न 22. रुपए की चालू और पूँजी खाता परिवर्तनशीलता के संबंध में वर्तमान स्थिति पर एक टिप्पणी लिखिए।

उत्तर. संघ बजट 1992-93 में उदारीकृत विनिमय दर तंत्र प्रणाली (एलईआरएमएस) की घोषणा की गई थी। तब से भारत हमेशा अधिक रुपया परिवर्तनशीलता की दिशा में भारत हमेशा आगे बढ़ रहा है, जिसे निम्नानुसार देखा जा सकता है:

(i) अगस्त 1994 में रुपया चालू खाते में पूर्णतः परिवर्तनीय हो गया।

(ii) अगस्त 1994 में रुपया पूँजी खाते में अंशतः परिवर्तनीय (60:40) हो गया।

(iii) भारत में पूंजी खाता परिवर्तनीयता के सबंध में वर्तमान नीति निम्नानुसार है:

- (a) भारतीय कॉर्पोरेटों के प्रस्ताव पर 500 मिलियन यूएस डॉलरी तक के विदेशी निवेश पर रुपया को पूर्णतः परिवर्तनीयता प्राप्त हुई इसे स्व-चालित मार्ग स्वीकृति पर रखा गया।
- (b) कॉर्पोरेटों द्वारा अपने 500 मिलियन यूएस डॉलर के बाह्य वाणिज्यिक ऋणों के पूर्वभुगतान के मामले में रुपया पूर्णता परिवर्ततनी हो गया-स्वचालित मार्ग।
- (c) मई 2015 में सरकार ने प्रति वर्ष 2.5 लाख यू.एस. डॉलर की उच्चतम सीमा के साथ व्यक्तियों को विदेश में निवेश की अनुमति प्रदान की।

चूंकि भारत विदेशी मुद्रा अर्जित करने में आत्म-निर्भर बन रहा है, आशा है कि निकट भविष्य में सरकार पूँजी खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता की घोषणा कर सकती है। भारत द्वारा पूर्ण पूँजी खाता परिवर्तनीयता के लिए ध्यानपूर्वक उठाए गए कदमों की आईएमएफ द्वारा भी सराहना की गई है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

प्रश्न 23. 'भुगतान शेष' क्या है? भारत में भुगतान शेष (बीओपी) प्रबंधन की वर्तमान नीतियों पर टिप्पणी लिखिए।

उत्तर. भुगतान शेष या बीओपी सामान्यत: एक वर्ष की अवधि के दौरान भारत का शेष देशों के साथ आर्थिक लेनदेन का समग्र विवरण है। यह विवरण विश्व से प्राप्तियों और विश्व के लिए भुगतानों को मूलत: चालू और पूँजी खातों में दर्शाता है। यह विवरण लेखाकरण के नियमों पर आधारित हैं- किसी कंपनी के तुलन पत्र के समान। यह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। यदि यह नकारात्मक हो और कंपनी इसका भुगतान करने में असमर्थ हो तो इसे बीओपी संकट कहा जाता है। ऐसी स्थिति में आईएमएफ बचाव का अंतिम साधन है।

- भारत को 1973, 1979, 1981 और 1991 में आवधिक बीओपी संकट का सामना करने के लिए विदेशों से आपातकालीन प्रचालनों पर आश्रित होना पड़ा था परंतु आर्थिक सुधार प्रक्रिया के प्रारंभ होने के बाद स्थिति में सुधार प्रारंभ हो गया।

1991 के बाद भारत में बाह्य क्षेत्र सुधारों के भाग रूप में उदारीकरण के साथ इसका बीओपी प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष के साथ बेहतर होना चला गया। इस संबंध में मुख्य नीतियों को निम्नानुसार सारबद्ध किया जा सकता है:

(i) विदेशी निवेश के अच्छे स्तरों हेतु अर्थव्यवस्था को खोलने की दिशा में कदम एफआईआई सहित एफडीआई।

(ii) चालू और पूँजी खातों में रुपए की परिवर्तनीयता के ईष्टतम स्तर।

(iii) विदेशी बोलीकर्ताओं के लिए 'सामरिक बिक्री' सहित संभावित पीएसयू का त्वरित विनिवेश।

(iv) 1992-93 में एलईआरएमएस (उदारीकृत विनिमय दर प्रणाली) का अनुसरण।

(v) फेरा का फेमा में परिवर्तन।

(vi) सुधारों के अपेक्षित प्रकारों धन बाजार, बैंकिंग, बीमा, शेयर बाजार इत्यादि के इनपुटों के साथ वित्तीय बाजार का विवेकपूर्ण प्रबंधन।

(vii) व्यापार नीति इत्यादि का अपेक्षित प्रकार।

प्रश्न 24. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए हाल ही में घोषित विनिवेश नीति की आलोचनात्मक समीक्षा करो।

उत्तर. सरकार ने फरवरी 2016 में एक नई विनिवेश नीति की घोषणा की थी, जो 'रणनीतिक विनिवेश' की वकालत करती है। इसे 2009 की मौजूदा नीति में एक बदलाव कहना बेहतर रहेगा। सरकार के अनुसार, ये नीति 'पीएसयू में सरकार की हिस्सेदारी का अच्छा-खासा हिस्सा, 50 फीसदी या ज्यादा बेचना और प्रबंधन पर नियंत्रण को भी स्थानांतरित' करने की बात करती है। इस नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. इसे विभिन्न मंत्रियों, विभागों और नीति आयोग से सलाह लेने की प्रक्रिया का पालन कर लागू किया जाएगा।
2. नीति आयोग पीएसयू को चिन्हित करेगा और बिक्री के प्रकार, बेचने के लिए शेयर के प्रतिशत और मूल्यांकन का तरीका बताएगा।
3. विनिवेश पर सचिवों का विशिष्ट समूह (सीजीडी) होगा, जो आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (सीसीईए) के रणनीतिक विनिवेश पर लिए निर्णय को लागू करने के लिए नीति आयोग की सिफारिशों पर विचार-विमर्श करेगा और क्रियान्वयन की प्रक्रिया की देखरेख करेगा।

विनिवेश नीति को लेकर सरकार का बदला हुआ रवैया विनिवेश के पिछले अनुभवों से लिया गया है। भारत सरकार द्वारा रणनीतिक तरीके से विनिवेश 1999-00 में शुरू किया गया था, जिसे वर्ष 2004 में अगली सरकार द्वारा रोक दिया गया। नई सरकार ने एक नई नीति की घोषणा की जिसमें भारत सरकार के पास विनिवेश किए गए पीएसयू में कम-से-कम 51 फीसदी हिस्सेदारी रखना तय था, ये नीति इस सिद्धांत को मानती थी कि राष्ट्रीय संपत्तियों पर मालिकाना हक जनता का अधिकार है। नई नीति ने इस आदर्श में बदलाव नहीं किया लेकिन ज्यादा बेहतर रवैया अपनाया है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

विनिवेश की नई नीति को, 'पीएसयू में सरकारी निवेश का व्यापक प्रबंधन' की नई प्रक्रिया की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। इसके तहत, सरकार ने पीएसयू में निवेश को महत्वपूर्ण संपत्ति के रूप में स्वीकार किया है और इससे अर्थव्यवस्था में निवेश आकर्षित करने और कुशल उपयोग के द्वारा लाभ को अधिकतम करने का लक्ष्य रखा है।

प्रश्न 25. संभार-तंत्र के महत्व को समझाते हुए देश के इस क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों पर एक संक्षिप्त चर्चा प्रस्तुत करें। इस दिशा में मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को भी रेखांकित करें।

उत्तर. संभार-तंत्र आपूर्तिश्रृंखला का मेरुदंड होता है। इसी के माध्यम से उत्पादों की उत्पादन स्थल से उनके उपभोग स्थलों तक पहुंच स्थापित करायी जाती है। *आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18* के अनुसार इस क्षेत्र से जुड़ी स्थिति निम्न प्रकार हैं:

- इस उद्योग का आकार अभी 160 अरब अमेरिकी डॉलर का है तथा इसमें पिछले वर्षों से प्रति वर्ष 7.8 प्रतिशत सालाना वृद्धि दर्ज की गयी है।
- जी.एस.टी. को लागू किए जाने के बाद इस उद्योग का आकार वर्ष 2020 में बढ़कर 215 अरब अमेरिकी डॉलर के हो जाने का अनुमान है (10.5 प्रतिशत की सालाना वृद्धि के साथ)।
- इसके माध्यम से 2.2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है।
- संभार-तंत्र व्यय में 10 प्रतिशत की कटौती से निर्यात में 5 से 8 प्रतिशत की वृद्धि आने का अनुमान है।

विश्व बैंक के *लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस सूचकांक-2016* में वैसे भारत का पायदान ऊपर उठकर 35वां हो गया है (वर्ष 2014 के 54वें पायदान से), इस क्षेत्र के समक्ष कई चुनौतियां हैं, जिन पर ध्यान देना काफी आवश्यक है:

- लागत के उच्च होने से घरेलू एवं वैश्विक दोनों प्रतिस्पर्द्धाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;
- पदार्थों की हैंडलिंग से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं का अल्प-विकसित होना;
- भंडारण की असमेकित व्यवस्था तथा विनियमन की बहुधा व्यवस्था एवं नीति-निर्णायक निकाय;
- विभिन्न घटकों में आवागमन की व्यवस्था में समेकन का अभाव, तथा;
- समेकित सूचना तकनीक एवं आधुनिक तकनीक का अभाव।

इस क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कई कार्य बिन्दुओं की पहचान की गयी है, यथा-नयी तकनीक का समावेश, कौशल विकास, रुकावटों का समाधान, अंत: परिवहन व्यवस्था की मजबूती, स्वाचलन पर बल, अनुमोदन के लिए एकल खिड़की की व्यवस्था, इत्यादि। इस क्षेत्र में उठाये गए कुछ नये कदम (*आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18* के अनुसार) निम्न प्रकार हैं:

- वाणिज्य विभाग के अंतर्गत एक नये 'संभार-तंत्र प्रभाग' की स्थापना।
- इस क्षेत्र को 'आधारभूत संरचना' क्षेत्र का दर्जा दिया गया है (2017 के अंत में) ताकि इन्हें सस्ते एवं लंबी परिपक्वता के ऋण प्राप्त हो सके।
- अनुमोदन में सरलीकृत प्रक्रिया की व्यवस्था, जिनसे संभार-तंत्र पार्क, परिवहन एवं भंडारण को बल मिलेगा।
- विनियमन प्राधिकरण के माध्यम से इनमें बेहतर बाजार कर्तव्य परायणता का विकास, जिसके माध्यम से अब इनमें ऋण एवं पेंशन फंड का निवेश हो सकता है।

इस क्षेत्र को बेहतर बनाने का धनात्मक प्रभाव भारत के व्यापार के साथ-साथ 'मेक इन इंडिया' योजना पर भी पड़ेगा तथा इस प्रकार भारत वैश्विक संभार-तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग बन पाएगा।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

प्रश्न 26. ''भारत की आय और व्यय के ढांचे में बड़ी अनियमितता (anomaly) दिखती है।'' उपयुक्त उदाहरण के साथ विश्लेषण करें।

उत्तर. जीडीपी के अनुपात में भारत का कर बहुत कम है और सामाजिक न्याय के नजरिये से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर का अनुपात भी अच्छा नहीं है। सरकार द्वारा हाल में जारी किया गए आंकड़े (*संघीय बजट 2017-2018*) संकेत देते हैं कि भारत का प्रत्यक्ष कर संकलन लोगों की आय और व्यय के अनुरूप नहीं है:

- 'कॉर्पोरेट कर' जमा करने का ढांचा बहुत कमजोर है- 5.6 करोड़ अनौपचारिक उपक्रमों में से, सिर्फ एक-तिहाई ने ही टैक्स जमा किया। इसी तरह, कुल पंजीकृत कंपनियों (13.94 लाख) में से तकरीबन आधी कम्पनियों ने ही टैक्स जमा किया- उनमें से 20 फीसदी ने शून्य आय दिखाई और सिर्फ 7,781 कंपनियों ने ही 10 करोड़ रुपए से अधिक का मुनाफा दर्शाया।
- 'व्यक्तिगत आय कर' के मामलों में भी स्थिति बेहतर नहीं है- संगठित क्षेत्र (औपचारिक क्षेत्र) के 4.2 करोड़ कर्मचारियों में से, तकरीबन 45 फीसदी ने आय कर जमा किया। सिर्फ 3.4 करोड़ भारतीयों ने आय कर जमा किया, जिनमें से आधों की आय छूट की सीमा के नीचे है; सिर्फ 24 लाख लोगों की आय 10 लाख रुपये से अधिक थी और सिर्फ 1.72 लाख की आय 50 लाख के अधिक थी।
- ऊपर दिए गए आंकड़े इस तथ्य के विरोधाभासी हो सकते हैं कि पिछले पांच सालों में, देश में 1.25 करोड़ से ज्यादा कारें बेची गई हैं, 2015 में विदेश जाने वाले भारतीयों (व्यापार या पर्यटन के लिए) की संख्या दो करोड़ थी।

ऊपर गिए गए तथ्यों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत बड़े पैमाने पर कर न जमा करने वाला समाज है। अर्थव्यवस्था में नकद का प्रभुत्व लोगों का कर भुगतान से बच निकलना संभव बनाता है। जब बहुत सारे लोग कर से बच निकलते हैं, उनके हिस्से का भार उन लोगों पर पड़ता है जो ईमानदार और अनुपालनकर्ता हैं। नोटबंदी की प्रक्रिया ने सरकार को लोगों की आय से संबंधित नए आंकड़े दिए हैं और यह माना जा रहा है कि आंकड़ों की पड़ताल भविष्य में सरकार को कुल कर और कर राजस्व बढ़ाने में मदद करेगी।

प्रश्न 27. भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने संबंध चुनौतियों पर चर्चा करें।

उत्तर. भारत के स्वास्थ्य संसूचक अनेक कारणों से कम रहे हैं और ये भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र के लिए अभी भी गंभीर चिंता का मामला है। उच्च आर्थिक वृद्धि के बावजूद स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति व्यय, बिस्तरों/अस्पतालों की संख्या और आईएमआर जैसे मानकों के संदर्भ में चीन और श्रीलंका जैसे देशों की तुलना में भारत का प्रदर्शन खराब है। इसके अतिरिक्त देश के भीतर क्षेत्रों/राज्यों, लिंग ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों इत्यादि में यह विकास काफी असंतुलित है। भारत में स्वस्थ्य प्रणाली सरकारी और निजी क्षेत्रों का मिश्रण हैं जिसमें गैर-सरकारी संगठनों की छोटी भूमिका है। सार्वजनिक देखभाल प्रदान करने में देश को निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है:

हाल में सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (NHPs) नामक फ्लैगशिप योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया (*संघीय बजट 2018-19* के द्वारा)। देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों के माध्यम से यह योजना लगभग 50 करोड़ जनसंख्या को द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर की चिकित्सीय सेवा के लिए प्रति परिवार 5 लाख रु. की सुरक्षा प्रदान करने को लक्षित है। इस प्रकार यह विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना होगी। वर्तमान की राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सिर्फ 30,000 रु. तक का बीमा प्रदान कर पाती है।

प्रश्न 28. 'जनसांख्यिकीय लाभांश' के संबंध में दोहन संबंधी भारत के नीतिगत कदमों पर लघु नोट लिखिए।

उत्तर. भारत में आश्रिता अनुपात (काम करने वाली जनसंख्या पर आश्रितों का अनुपात) में निरंतर गिरावट आई है। यह अनुपात 1991 में 0.8 से घटकर 2001 में 0.73 पर आ गया और 214 तक इसमें अत्यधिक गिरावट के

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

बाद इसके 0.59 होने की संभावना है। यह कमी औद्योगिक देशों में जनसांख्यिकीय प्रवृत्ति के विरुद्ध हैं और चीन के भी विपरीत है, जहाँ यह अनुपात बढ़ रहा है। ऐसा अनुमान है कि भारत में कार्य करने वाले आयु समूह (अर्थात् 15-64 वर्ष में 2006 के 62.9 प्रतिशत से वृद्धि होकर यह 2026 में 68.4 प्रतिशत हो जाएगा।

कम आश्रितता अनुपात और काम करने वाली जनसंख्या का उच्च अनुपात भारत को तुलनात्मक रूप से लागत लाभ प्रदान करता है और क्रमिक रूप में निम्न आश्रिता अनुपात वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा। भारत सरकार इस लाभ से पूरी तरह अवगत प्रतीत होती है और इसलिए 11वीं योजना (2007-12) जनसांख्यिकीय लाभांश को प्राप्त करने के लिए तीन-मुखी कार्यनीति को लागू कर रही है:

(i) सभी के लिए उचित देखभाल सुनिश्चित करना।

(ii) क्षमता विकास (ज्ञान उद्योग) पर बल देना और

(iii) श्रम आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन।

वर्ष 1991-2013 के बीच देश की सक्रिय जनसंख्या (15-59 वर्ष आयु वर्ग) में 57.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है (*NSSO* के नवीनतम आंकड़ो के अनुसार)। आधिकारिक अनुमान के अनुसार यह जनसंख्या 2035-2040 तक वृद्धिमान रहेगी अर्थात् जनसांख्यिकीय लाभांश के लिए भारत के पास अगले 25 वर्षों का समय है (*आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16*)। यह लाभांश 'एक मौका है भाग्य (destiny) नहीं-इस लाभ को फलीभूत करने के लिए भारत को समुचित तैयारी करनी पड़ेगी।

प्रश्न 29. शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था के मध्य संबंध पर एक लघु टिप्पणी लिखिए

उत्तर. 1980 के दशक के अंत में भारत सरकार द्वारा व्यवस्थित शेयर बाजार की दिशा में प्रांरभ किए गए कदमों के बाद आज इस क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। पिछले दशक से भारतीय शेयर बाजार ऊँचाइयाँ छू रहा है। आज यह दो विरोधाभासी कारणों के कारण चर्चा में है। प्रथम, पिछले अनेक हफ्तों से मुख्य स्टॉक सूचकांकों के कम निष्पादन से बढ़ती निराशा और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मत और सर्वेक्षणों द्वारा भारतीय शेयर बाजार को विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में रखना। शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था के संबंध का आकलन करने का यह सही समय है। यद्यपि विशेषज्ञों में इस मुद्दे पर पूर्ण सहमति नहीं है, हम इनके मध्य संबंध को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं:

(i) इक्विटी मूल्य परिवार आय को प्रभावित कर सकते हैं। इनमें वृद्धि द्वारा परिवार स्वयं को समृद्ध महसूस करते हैं, जैसे ही इनकी इक्विटी धारिता का मूल्य बढ़ता है और यह 'समृद्ध प्रभाव' फिर उच्च खपत में परिवर्तित होकर अंततः अर्थव्यवस्था में माँग और निवेश दोनों को बढ़ाता है। इसकी विपरीत गति धीमी कर और यहां तक कि मंदी और मंद निवेश को प्रवृत्त करता है।

(ii) इक्विटी मूल्यों का अर्थव्यवस्था में व्यापार आत्मविश्वास पर सीधा असर पड़ता है।

(iii) एक मजबूत और गतिशील शेयर बाजार बैंकों और वित्तीय संस्थानों में परिसंपत्तियों के मान को गिरवी रखकर उधार क्षमता को बढ़ाता है।

(iv) इक्विटी मूल्यों में वृद्धि किसी सूचीबद्ध कंपनी के बाजार पूँजीकरण को इसकी वर्तमान आस्तियों के बदलने की लागते के सापेक्ष बढ़ाती है (इसे टोबिन क्यू कारक कहा जाता है, जो उद्यमियों को क्षमता बढ़ाने के लिए प्रवृत्त करता है)।

1951-2016 के मध्य विश्व में ऐसे अनेक वास्तविक उदाहरण देखने को मिले हैं, जो सिद्ध करते हैं कि गतिशील और बढ़ते शेयर सूचकांक संबंधित अर्थव्यवस्थाओं हेतु उच्च वृद्धि दर लाते हैं।

प्रश्न 30. सब-प्राइम संकट पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए और भारत को इससे क्या सीख मिली?

उत्तर. सब-प्राइम संकट संयुक्त राज्य गिरवी बाजार संकट से संबंधित है, जो कि जुलाई 2007 में सबसे पहले उजागर हुआ। सरल शब्दों में कह सकते है कि, यह उधार लेने वालों की चूक से उत्पन्न वित्तीय संकट है। इसका अर्थ है—यह भारत में गैर-निष्पादनकारी अस्तियों (एनपीए) संकट के समान है। परंतु स्थिति का विश्लेषण और इसमें

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

सम्मिलित वित्त पोषणकारी इसे अधिक जटिल बनाता है। आइए पूरे मामले पर निम्नलिखित कदमों में नजर डालते हैं:

चरण 1: विश्व के कुछ अग्रणीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा खराब या क्रेडिट रिकार्डो से कम मानक वाले उधारकर्ताओं को ऋण लेने के लिए प्रेरित किया गया (इसलिए इसे सब-प्राइम कहा गया)।

चरण 2: मूल ऋण देने वाले बैंकों और संस्थानों द्वारा इन सब-प्राइम ऋणों को फिर अन्य निवेश बैंकों को बेचा गया।

चरण 3: निवेश बैंकों (जिन्होंने सब-प्राइम ऋणें को मूल उधारकर्ताओं से लिया था। ने इससे बदले इन्हें (ऋण पत्रों को) विपणन योग्य जटिल वित्तीय साधनों में जोखिम प्रसार और लिक्विडिटी प्रबंधन (अर्थात् निधि) के लिए बदल दिया।

चरण 4: जब सब-प्राइम उधारकर्ताओं ने गिरवी ऋणों के अपने पुनर्भुगतान में चूक की तो वित्तीय संकट प्रारंभ हुआ–जिसे विश्व में सब-प्राइम संकट के नाम से जाना जाता है

वस्तुत: वित्तीय नवाचार के नाम पर और वित्तीय बाजार में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के चलते यह जोखिम हमेशा रहाता है कि बैंक अत्यधिक जोखिमपूर्ण, जटिल और संदेहास्पद वित्तीय पद्धतियों को बढ़ावा दे। दो दीर्घगामी उपाए ऐसे संकट को पुन: होने से रोकेंगे:

(i) वित्तीय साधनों का अत्यधिक पारदर्शी बनाया जाना चाहिए और उधारकर्ताओं को आसानी से सूचित किया जाना चाहिए, और;

(ii) खरीदार को न्यूनतम यह ज्ञान होना चाहिए कि ये साधन केसे काम करते है और इनमें क्या जोखिम सम्मिलित है।

भारतीय बैंकों में भी इस प्रकार की प्रवृत्ति देखी गयी थी-उदाहरण के लिए SBI के द्वारा दिया जाने वाला 'टीजर लोन' (teaser loan) जो आवास खरीदने के लिए दिए गए ऋणों को पहले दो वर्षों तक कुछ कम ब्याज दर उपलब्ध करा रहा था (ऋणों को आकर्षक बनाने के लिए)। इस दौरान कुछ ऐसे ऋण भी दिए गए जिनके गुणवत्ता मानक नहीं थे *(आर्थिक सर्वेक्षण 2008-09)*। वर्ष 2016-17 तक, RBI द्वारा बैंकिंग नियमन के फ्रेमवर्क को काफी दुरुस्त कर दिया गया है और वर्तमान समय में बैंकों को 'बैसेल-III' प्रावधानों के मद्देनजर काफी सजगता से विनियमित किया जा रहा है।

प्रश्न 31. दोहरा कराधान क्या है? भारत द्वारा अपनाए जा रहे दोहरे कराधान नीति की स्थिति पर समकालिक नोट लिखिए।

उत्तर. दोहरे कराधान की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी व्यक्ति को विभिन्न देशों में उसी आप, परिसपंत्ति या वित्तीय संव्यवहार्थ के लिए दो या दो से अधिक करों के लिए कर भुगतान करना होता है और यह मुख्यत: तब जब कर नियम और देश के विनियम परस्पर व्याप्त हो जाते हैं। जहाँ वह अपना व्यापार करता है। जब एक भारतीय व्यापारी को कुछ लाभ होता है या किसी अन्य देश में उसे कुछ अन्य प्रकार की कर प्राप्ति होती है तो वह ऐसी स्थिति में हो सकता है जहाँ उसे भारत तथा उस देश में जहाँ आप प्राप्त हुई है कर का भुगतान करना पड़ सकता है भारतीय करदाताओं को इस अनुचित व्यवहार से बचाने के लिए भारत सरकार ने अमेरिका, कनाडा, यूके जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूएई और स्विट्जरलैण्ड सहित 65 देशों के साथ दोहरा कराधान परिहार समझौता (डीटीएए) किया है डीटीएए यह सुनिश्चित करता है कि भारत का अन्य देशों के साथ व्यापार और सेवाएँ एवं पूँजी कर संचलन पर कुप्रभाव न पड़े। ऐसे कराधान को दोहरा कर परिहार समझौते के नाम से जाना जाता है एवं इसे कर समझौता (टीटी) भी कहा जाता है। ऐसा समझौता सांविधिक प्राधिकारी कर सकता है तथा आयकर अधिनियम की धारा 90 के समविष्ठ उपबंधों में इसकी शक्ति केंद्र सरकार में निहित है।

दोहरे कराधान के बढ़ते आयकर राहत दो तरीकों से प्रदान किया जाता है:

(i) **एक पक्षीय राहत:** भारत सरकार धारा 91 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को दोहरे कराधान से

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

राहत दे सकती है भले ही भारत और संबंधित देश के बीच डीटीएए हो। किसी करदाता को एकसमान राहत दिया जा सकता है:

(a) यदि पिछले वर्ष व्यक्ति भारत का निवासी है या कंपनी भारत में रही हो।

(b) यदि करदाता द्वारा पिछले वर्ष में भारत के बाहर समान आय प्रोद्भूत हुई है और प्राप्त हुई है।

(c) यदि आप पर भारत और अन्य किसी देश में जहाँ कर समझौता नहीं है कर लगाया गया है।

(d) यदि व्यक्ति अथवा कंपनी ने संगत विदेशी कानून के अंतर्गत कर का भुगतान किया है।

(ii) **द्विपक्षीय राहत:** भारत सरकार धारा 90 के अंतर्गत परस्पर स्वीकार्य शर्तों के आधार पर अन्य देश के साथ डीटीएए करके दोहरे कराधान से सुरक्षा प्रदान करती है। ऐसी राहत दो तरीकों से दी जा सकती है:

(a) ***छूट पद्धति:*** यह कर परस्पर संयोजन का पूर्ण परिहार करना सुनिश्चित करता है।

(b) ***कर साख पद्धति:*** यह भारत में कर-दाताओं को देय कर से कटौती प्रदान कर राहत प्रदान करता है।

इस सिलसिले में भारत द्वारा वर्ष 2010 में एक नये नियम की घोषणा की गयी-जेनरल एंटी-एव्याडेंस रूल (GAAR)। लेकिन कई कारणों एवं विवादों के कारण इसे संबंधित वर्ष में लागू नहीं किया गया। तब से इसे अगले वर्षों के लिए बार-बार टाला गया है। सरकार के अनुसार अब इसे वित्त वर्ष 2017-18 में लागू करने का प्रस्ताव है (*संघीय बजट 2016-17* के अनुसार)।

प्रश्न 32. ''भारत की आर्थिक नीतियाँ नव-उदारवादी हैं।'' जाँच करें।

उत्तर. भारत द्वारा 1991 में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया आईएमएम (इसके द्वारा वाशिंगटन सहमति, 1985 द्वारा अपनाई गई) के माध्यम से नव-उदाहरवाद के वर्तमान विश्व द्वारा प्रभावित उदारवादी नीतियों के अनुसरण में थी। इसलिए सुधार प्रक्रिया के आलोचक भारतीय आर्थिक नीतियों को नव-उदारवादी कहते हैं (उच्चतम न्यायालय द्वारा 2012 के अपने एक निर्णय में भी यही टिप्पणी की गई थी)

सुधार के माध्यम से भारत ने अर्थव्यवस्था में राज्य की आर्थिक भूमिका पुनर्परिभाषित करनी प्रारंभ की—निजी क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई थी, परंतु आज राज्य की भूमिका भिन्न और बड़ी है। हम कुछ उदाहरण देकर बता सकते हैं कि आज भी भारत की नीतियाँ नव-उदारवादी क्यों हैं:

(i) आज भी राष्ट्र की सरकारी क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) में मुख्य अंशधारिता है और अनेक काफी बड़ी पीएसयू नव स्थापित की गई हैं।

(ii) विनियमन का उच्च स्तर सरकार को अधिक आर्थिक प्राधिकार प्रदान करता है।

(iii) उदारीकरण के बाद भी, भारत को एक उदारवादी अर्थव्यवस्था में काफी नीचे क्रम दिया गया है, तो नव-उदारवादी अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहा जाए।

(iv) राजसहायताएँ अभी भी बड़ी मात्रा में दी जाती हैं।

(v) 1991 के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सुरक्षा पर सरकारी व्यय काफी बढ़ा है।

(vi) यहाँ तक कि सरकार की उदारवादी नीतियों को भी अनेक शासकीय जाँचों और नियंत्रणों से गुजरना पड़ता है।

(vii) यदि भारत ने नव-उदारवादी नीतियाँ अपनाई होती तो इसे भी यूएस सब-प्राइम संकट के बाद कुछ वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा होता। अतः भारत की आर्थिक नीतियों को नव-उदारवादी या उदारवादी नहीं कहा जा सकता।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

वर्ष 2016-17 में हम भारत सरकार की राजकोषीय नीति के संदर्भ में एक नये विचार को देखते हैं (संघीय बजट 2016-17 के अनुसार):

(i) अब सरकार हर कल्याणकारी गतिविधियों को करने के प्रति सकारात्मक सोच रखती है। साथ ही सरकार द्वारा छूटों को तार्किक बनाने की दिशा में भी मजबूती से कार्य किया जा रहा है तथा उन्हें 'आधार' से जुड़े लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष अंतरण (DBT) की व्यवस्था पर बल दिया जा रहा है।

(ii) दूसरी तरह सरकार द्वारा देश में वाणिज्य एवं व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए 'उचित माहौल' (ease of doing business) बनाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

सरकार द्वारा अपने इस नये विचार को 'संगठन-समर्थक' (Pro-Corporate) एवं 'गरीब-समर्थक' (Pro-poor) बताया गया है। वास्तव में कल्याणकारी गतिविधियों को उचित स्तर तक प्रभावी बनाने के लिए अधिक धन की आवश्यकता पड़ेगी जिसे सरकार देश में वाणिज्य एवं व्यापार को प्रोत्साहित करके प्राप्त करना चाहती है। यह नीति काफी उचित प्रतीत होती है।

प्रश्न 33. हालिया समय में सरकार द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनकारी सुधारों पर चर्चा करें।

उत्तर. हमने सुधार की आवश्यकता को लेकर सरकार के रवैये में बड़ा बदलाव देखा है- सुधार के कई कदम उठाए गए हैं जिन्हें परिवर्तनकारी (transformational) कहा जा सकता है। ये सुधार इस रूप में 'परिवर्तनकारी' हैं कि इनका लक्ष्य नीति निर्माण के दृष्टिकोण को ही परिवर्तित करना है और ये दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में लिए गए हैं। इसमें हमें ये मुख्य बातें नजर आती हैं:

(a) मुद्रास्फीति को नियोजित करना और आरबीआई एक्ट, 1934 में संशोधन के द्वारा मौद्रिक नीति समिति का गठन करना;

(b) पीएसयू के 'रणनीतिक विनिवेश' को फिर शुरू करना;

(c) ऊंचे मूल्य वर्ग वाले मुद्रा नोट का विमौद्रीकरण (जिसका लक्ष्य भ्रष्टाचार, काले धन, कर चोरी, नकली नोटों और आतंकवाद पर लगाम कसना था);

(d) नया बेनामी कानून लागू करना (जिसका लक्ष्य काले धन पर लगाम कसना है);

(e) दिवालिया कानून (जिसका लक्ष्य 'काम करने की सहूलियत' को बढ़ाना है);

(f) आधार कानून को लागू करना (जिसका लक्ष्य मौजूदा सब्सिडी ढांचे को तार्किक बनाना और इसमें भ्रष्टाचार को रोकना है);

(g) नागरिकों के 'व्यवहार के तरीके' को प्रभावित करने की दिशा में कोशिशें ताकि सामाजिक-आर्थिक कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके, आदि।

संघीय बजट 2017-18 में इन्हें साफ तौर पर परिवर्तनकारी सुधार कहा गया है क्योंकि इन सुधारों का लक्ष्य दीर्घकालिक लाभ है, हालांकि इनकी वजह से कुछ राजनीतिक हानि हो सकती है। लेकिन इसी तरह अर्थव्यवस्थाएं विकसित और परिपक्व होती हैं। ताजा *आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17* में की गई टिप्पणियां इस संबंध में एकदम सही लगती हैं- आर्थिक सुधार निहित स्वार्थों से मुक्त होना नहीं है, या सिर्फ इनसे मुक्त होना नहीं है, ये उत्तरोत्तर समस्याओं और उनके समाधान का साझा बयान और परिकल्पना भी हैं।

प्रश्न 34. बैंकिंग क्षेत्र में उभरती व्यापार संभावनाओं के अलोक में सरकार क्षेत्र बैंकों द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों पर चर्चा करें।

उत्तर. 1990 दशक के प्रारंभ में, भारत द्वारा बैंकिंग क्षेत्र में सुधार प्रारंभ करने के बाद, बैंकिंग क्षेत्र में बहुआयामी वृद्धि हुई है, जहाँ नए निजी बैंकों को लाइसेंस दिए गए, विदेशी बैंकों को प्रवेश दिया गया वैश्विक बैंकिंग इत्यादि संभव हुई। इससे पूर्व सरकारी बैंकों (सरकारी क्षेत्र बैंक-पीएसबी) के एकाधिकार के कारण बैंकिंग क्षेत्र बिल्कुल बंद (closed) था और अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा था। निजी क्षेत्र

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

बैंकों ने आधुनिक सुविधाओं के साथ इस क्षेत्र में प्रवेश प्रारंभ किया और पीसबी को प्रतिस्पर्द्धा करना कठिन हो गया। पीएसबी के लिए निकट भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण चुनौती अपने मानव संसाधन प्रबंधन को लेकर होगी। वित्तीय क्षेत्र और विशेषकर बैंकिंग में बाजार नए उत्पादों और सेवाओं के साथ वृद्धि देश रहा है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

(i) क्रेडिट कार्ड, उपभोक्ता वित्त और रिटेल एवं पर वेल्थ मैनेजमेंट, और;

(ii) होलसेल क्षेत्र में शुल्क आधारित आय और निवेश बैंकिंग इसके लिए बिक्री और विपणन, क्रेडिट और प्रचालनों में नए कौशलों की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त आयु वर्ग और परिवार आय में परिवर्तनों के जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को देखते हुए उपभोक्ता बैंकों से सेवाओं की संवर्द्धित संस्थागत क्षमताओं और स्तरों की अधिक मांग करेंगे। पीएमबी को विशेषकर बिक्री और विपणन, सेवा प्रचालनों, जोखिम प्रबंधन और समग्र संस्थागत कार्य निष्पादनता में अपनी संस्थागत काशैल स्तरों को मूलतः सुदृढ़ करना होगा।

निम्नलिखित कदम (आरबीआई और विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए) पीएसबी को इन चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकते हैं:

(i) स्टाक की कमी द्वारा निर्मित अंत को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग और समग्र जनशक्ति दक्षता में सुधार।

(ii) बैंकों द्वारा नेतृत्व पदों हेतु प्रतिभा पूल का निर्माण किया जाना चाहि ताकि प्रशिक्षण द्वारा प्रतिभाशाली अधिकारियों को भावी नेतृत्व भूमिकाओं को ग्रहण करने में मदद की जा सके।

आने वाले समय में पीएसबी (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक) को नई चुनौतियों के लिए तैयार होना पड़ेगा, जैसे कि-बढ़ता डिजिटलीकरण, भुगतान व्यवस्था को सरल बनाना, अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा तंत्र विकसित करना, नए खिलाड़ियों, पेमेंट बैंकों और निजी 'वॉलेट' फर्मों, से होड़ करना। सरकार के पीएसबी के एकीकरण को बढ़ावा देने से, यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में इन चिंताओं से परिस्थिति के अनुरूप निपटा जा सकेगा। *(आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 और केंद्रीय बजट 2017-18)*।

प्रश्न 35. बीमा क्षेत्र सुधारों के शुरू किए जाने के ढाई दशकों के बाद भी भारत में बीमा पहुंच काफी निम्न है। इसके लिए जिम्मेवार कारकों की चर्चा करें।

उत्तर. भारत द्वारा बीमा क्षेत्र सुधार का प्रारंभ 1990 के दशक के पूर्वाद्ध में ही कर दिया गया था। वैसे बीमा उद्योग की वार्षिक वृद्धि दर अच्छी रही है, बीमा पहुंच अब भी काफी निम्न बना हुआ है। वर्तमान समय में जहां भारत की बीमा पहुंच (Insurance Penetration) इसके GDP का वर्ष 2016 में (नवीनतम् आंकड़े) भारत का बीमा व्यापन (penetration) 3.49 प्रतिशत था, जबकि इसका वैश्विक औसत 3.47 प्रतिशत था। वैसे एशिया की अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत का बीमा व्यापन अब भी काफी नीचे है-मलेशिया, थाईलैंड एवं चीन के लिए यह क्रमशः 4.77 प्रतिशत, 5.42 प्रतिशत एवं 4.15 प्रतिशत है। भारत का बीमा घनत्व वर्तमान में (2016 में) 59.7 अमेरिकी डॉलर है, जबकि इसका वैश्विक औसत 638.8 अमेरिकी डॉलर है। एशिया की कुछ उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह भारत से काफी बेहतर है-मलेशिया, थाईलैंड एवं चीन के लिए यह क्रमशः 452.2, 323.4 एवं 337.1 अमेरिकी डॉलर है।

बीमा क्षेत्र विशेषज्ञों एवं बीमा नियामक (IRDA) के अनुसार भारत में बीमा पहुंच के निम्न बने रहने के लिए बहुत सारे कारक विद्यमान हैं, इनमें से प्रमुख की चर्चा निम्न प्रकार है:

(i) बीमा दावों (claims) के निपटारे की जटिल एवं विलंबित प्रक्रिया;

(ii) बीमा कंपनियों की अस्पष्ट एवं जटिल नियमावली;

(iii) शिक्षा एवं जागरूकता की आम कमी;

(iv) जनसंख्या की प्रति व्यक्ति आय का निम्न होना;

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

(v) कई सामाजिक-सांस्कृतिक कारक;

(vi) बीमा उद्योग में प्रतिस्पर्द्धा में समानता की कमी; एवं

(vii) बीमा नियमन फ्रेमवर्क में निम्न गतिजता।

ऐसा माना जाता है कि भारत के बीमा क्षेत्र में पहुंच बढ़ाने की भारी संभावना है। लेकिन इसके लिए सही दिशा में सही कदम उठाने की जरूरत है। बीमा संशोधन अधिनियम, 2015 के लागू होने के बाद स्थिति में सुधार की आशा की गयी है।

प्रश्न 36. ''राजकोषीय क्षमता के निर्माण के लिए भारत में राज्य में वैधता सृजित करने की आवश्यकता है।'' परिचर्चा करें।

उत्तर. कर एवं राजकोषीय नीति में सुधार भारत के आर्थिक सुधार प्रक्रिया के अभिन्न अंग रहे हैं। राजकोषीय क्षमता के निर्माण में कर की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है लेकिन भारत का कर आधार (tax base) अभी भी उपयुक्त नहीं है। कर के आधार का विस्तार करके उच्च राजकोषीय क्षमता का विकास न सिर्फ बेहतर कर व्यवस्था द्वारा होती है बल्कि नागरिकों में सरकार की वैधता (legitimacy) की स्थापना से होती है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 द्वारा इस दिशा में उठाये जाने वाले कुछ कदमों की चर्चा निम्न प्रकार की गयी है:

- सरकार के *व्यय प्रावधानों* में उन आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिनका इस्तेमाल सभी नागरिकों द्वारा किया जाता है। अर्थात् सार्वजनिक आधारभूत संरचना, कानून एवं व्यवस्था प्रदूषण में कमी तथा भीड़भाड़, इत्यादि मुद्दों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- *भ्रष्टाचार को कम करना* एक उच्च प्राथमिकता का विषय होना चाहिए। ऐसा करना सिर्फ आर्थिक कारणों से आवश्यक नहीं है बल्कि भ्रष्टाचार राज्य (State) की वैधता को न्यून एवं कमजोर करता है। जैसे-जैसे लोगों में यह विश्वास उत्पन्न होगा कि लोक धन की बर्बादी कम हो रही है वैसे-वैसे लोगों में कर अदायगी के लिए उच्च इच्छा पनपेगी। सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की नीलामी (auctioning) में पारदर्शिता बढ़ने से जनता में सरकार के प्रति एक विश्वास जगेगा जिससे राजकोषीय क्षमता के मजबूतीकरण में सहायता मिलेगी।
- *धनी वर्ग को छूटों* का मिलना सरकार की वैधता को आंतरिक रूप से कमजोर करता है और इसे कम किया जाना चाहिए। वर्तमान में ऐसी छूटों की राशि प्रतिवर्ष लगभग एक लाख करोड़ रुपये के आस-पास है। इसकी जगह पर अगर गरीबों के लिए छूटों की व्यवस्था की जाए तो इससे राज्य की वैधता बलवती होती है।
- *सम्पत्तियों* पर लगने वाले करों को विकसित करने की आवश्यकता है। जैसा कि सम्पत्ति कर प्रगामी (Progressive) है ऐसा करना उचित होगा। इस कर की चोरी काफी मुश्किल है क्योंकि इसे अचल परिसम्पत्तियों पर लगाया जाता है। आई.टी. माध्यम से इस कर की चोरी को बड़ी आसानी से रोका और आरोपित किया जा सकता है। इस कर से प्राप्त राजस्व से राज्य के स्थानीय निकायों को वित्त पोषित किया जा सकता है तथा स्थानीय लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करायी जा सकती हैं। इस धन का उपयोग स्थानीय निकाय 'स्मार्ट सिटी' योजना में भी कर सकते हैं। इस प्रकार यह विकास की प्रक्रिया को विकेन्द्रीकृत बनाने की दिशा में एक सशक्त राजकोषीय पहल बन सकता है।

विकसित देशों के अनुभवों के आधार पर सरकारों को यह सलाह दी गई है कि राज्य/सरकार की वैधता (legitimacy) के स्तर को बढ़ाया जाए ताकि मध्यवर्ग (जो भारत के विकास की मुख्य ताकत है) को औपचारिक आर्थिक ढांचे से 'बाहर जाने' से रोका जा सके। हम देख सकते हैं कि कम से कम केंद्र सरकार इस दिशा में सचेत है लेकिन भारत को राज्य सरकारों को भी इसे लेकर संवेदनशील बनाना होगा। (*आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 और 2015-16*)।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

प्रश्न 37. ''सरकार द्वारा हाल में घोषित की गयी 'हाइब्रिड एन्वीटी मॉडल' सड़क परियोजनाओं के वर्तमान मॉडल का एक संशोधित पी.पी.पी. प्रारूप है।'' सोदाहरण चर्चा करें।

उत्तर. सड़क परियोजनाओं का कार्यान्वयन देश के लिए एक बड़ी चुनौती बना रहा है। राजमार्गों को निजी निवेश के लिए मुक्त करने के उपरांत सरकार द्वारा इस क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रारूपों को लाया गया है लेकिन सभी के साथ कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती रही हैं। *जनवरी 2016* में भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र के लिए 'हाइब्रिड एन्वीटी मॉडल (Hybrid Annuity Model) नामक नये पी.पी.पी. प्रारूप की घोषणा की गयी। इस सामयिक संशोधन की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:

- निजी एवं सरकारी निवेश भागीदारी का औसत 60:40 के अनुपात में होगा।
- निजी क्षेत्र सड़क का निर्माण करके उसे सरकार को सौंप देगा।
- 'टोल' (Toll) वसूली की जिम्मेदारी सरकार की होगी।
- सरकार द्वारा निजी क्षेत्र को एक नियत 'एन्वीटी' (वार्षिकी) का भुगतान किया जाएगा।
- निजी क्षेत्र का चयन बोली (bidding) प्रतिस्पर्धा द्वारा किया जाएगा। न्यूनतम वार्षिकी की मांग करने वाले को परियोजना के विकास की जिम्मेवारी दी जाएगी।
- इन परियोजनाओं में अधिकतर जोखिमों (risks) का वहन सरकार करेगी। वैधानिक मंजूरी (Clearance), भूमि अधिग्रहण, हर्जाना, ट्राफिक तथा वाणिज्यिक।
- निजी क्षेत्र पर सिर्फ निर्माण एवं रख-रखाव का जोखिम होगा।

यह प्रारूप वर्तमान समय के दो प्रारूपों ई.पी.सी. (इंजीनियरिंग-प्रोक्यूरमेंट- कंस्ट्रक्शन) एवं बी.ओ.टी.-एन्वीटी (बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर-वार्षिकी) का एक मिश्रित (hybrid) स्वरूप है। जहां ई.पी.सी. में सरकार द्वारा परियोजना के लिए शत-प्रतिशत धन उपलब्ध कराया जाता था वहीं सभी जोखिमों का वहन स्वयं सरकार करती थी (निर्माण संबंधी जोखिम को छोड़कर) तथा इसमें 'टॉल' वसूलने की जिम्मेदारी भी सरकार की थी (अगर सरकार चाहे)। इस प्रकार, यह एक पी.पी.पी. मॉडल नहीं था।

दूसरी तरफ 'बी.ओ.टी.-वार्षिकी' (जो कि वर्ष 2010 तक उपयोग में था) में निजी क्षेत्र पर वाणिज्यिक एवं ट्रॉफिक जोखिम नहीं डाला गया था। वैसे यह एक पी.पी.पी. मॉडल था। मूलत: सड़क क्षेत्र के लिए लाये गए इस मॉडल को सरकार द्वारा जनवरी 2018 में अन्य आधारभूत संरचना क्षेत्रों के लिए भी मान्य घोषित कर दिया गया।

प्रश्न 38. ''एक धारणा है कि व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास उन लोगों के लिए है जो शिक्षा की मूल धारा में शामिल नहीं हो सके।'' इस कथन के आलोक में भारत में विद्यमान 'कौशल अंतर' तथा सरकार द्वारा इस दिशा में उठाये गए कदमों पर एक चर्चा प्रस्तुत करें।

उत्तर. 'कौशल' रोजगार को प्रोत्साहित करने का सबसे अच्छा तरीका है। इसे व्यावसायिक (Vocational) शिक्षा एवं प्रशिक्षण के माध्यम से किया जा सकता है। लेकिन एक आम धारणा है कि ऐसे उपाय उनके लिए हैं जिन्हें शिक्षा की मूल धारा से नहीं जोड़ा जा सका है। इस धारणा को और बल इस यथार्थ से प्राप्त हुआ है कि मजदूरी के भुगतान के मामले में औपचारिक रूप से शिक्षितों की स्थिति व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त लोगों से अधिक रही है।

भारत में न सिर्फ कौशल का अंतर है बल्कि व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षकों की भी भारी कमी है (NSDC के अनुसार)। 'स्किल इंडिया' को सफल करने के लिए इन प्रशिक्षकों की व्यवस्था करना भी एक चुनौती भरा कार्य होगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 तक कौशल अंतर (skill gap) को कम करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण के लिए 211,000 लोगों की जरूरत होगी जो वर्ष 2022 तक बढ़कर 320,000 तक पहुंच जाएगी। सरकार द्वारा इस दिशा में उठाये गए **प्रमुख कदम** निम्न प्रकार हैं:

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा इस दिशा में प्रभावी कदम उठाया गया है। इसके राष्ट्रीय कौशल पात्रता फ्रेमवर्क (NSQF) का लक्ष्य उच्च शिक्षा में कौशल अंतर को कम करना है।
- संबद्ध क्षेत्रों में उचित कौशल के विकास के लिए सरकार द्वारा सेक्टर कौशल परिषदें (SSCs), राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (NOSs) तथा पात्रता पैक (QP) की व्यवस्था की गयी है। इनके माध्यम से कौशल विकास से जुड़े प्रशिक्षकों से लेकर कौशल की गुणवत्ता के मानकों का प्रमाणीकरण (Certification) की व्यवस्था की जानी है।
- देश के 24 लाख युवाओं को उपयुक्त कौशल उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) की शुरुआत की गयी है।
- ग्रामीण युवाओं के लिए 'कौशल विकास-सह-प्लेसमेंट' को लक्षित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY) की शुरुआत की गयी है।
- अलग तरह से योग्य (Differently-abled) व्यक्तियों को कौशल एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक 'राष्ट्रीय कार्य योजना' तैयार की गयी है।
- आजीविका के सतत्ता की गारंटी देने एवं आविष्कार की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक कौशल विकास एवं उच्च मानकता की प्राप्ति को लक्ष्य बनाकर एक वृहत् स्तरीय 'राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता नीति-2015' की घोषणा की गयी है।

भारत के पास अभी विश्व में युवातम् जनसंख्या की सर्वाधिक उपलब्धि है। इस प्रकार इस जनसंख्या में विदेशों में रोजगार प्राप्त कर पाने की भारी क्षमता है। NSDC द्वारा इस संभावना का भी पता लगाया जा रहा है।

प्रश्न 39. ''सामाजिक क्षेत्र के निष्पादन को बेहतर बनाने से भारत को एक प्रयास में तीन लक्ष्यों की प्राप्ति करा सकता है-राजकोषीय समेकन, बेहतर मानव पूंजी का निर्माण तथा उच्चतर कल्याण।'' इस कथन पर चर्चा करें तथा सामाजिक क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव दें।

उत्तर. सरकारों द्वारा किए जाने वाले सामाजिक कल्याण के व्ययों को सामाजिक क्षेत्र के ऊपर किया गया व्यय माना जाता है। इसका देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है। आर्थिक संवृद्धि और विकास में मानव पूंजी (human capital) एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है और इसके लिए अर्थव्यवस्थाओं को अपने सामाजिक क्षेत्र पर बल देने की सलाह दी जाती है। इस क्षेत्र के अंतर्गत अन्यान्य विषय आते हैं, जिनमें प्रमुख हैं-शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, इत्यादि। इस सिलसिले में समसामयिक दस्तावेजों द्वारा भारत को निम्न सलाह दी गयी है:

- शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना ताकि सरकारी विद्यालयों में घटते नामांकन को बढ़ाया जा सके। योग्य शिक्षकों की व्यवस्था करना इस दिशा में बड़ी भूमिका निभा सकता है।
- सेवाओं की सुपुर्दगी (Service Delivery) के लिए नये मॉडल का विकास एक बेहतर कदम होगा।
- जनसांख्यिक लाभ के लिए मानव पूंजी में गुणवत्ता का होना अनिवार्य होगा-अतः शिक्षा, कौशल विकास एवं स्वास्थ्य क्षेत्र पर ध्यान देने की जरूरत है।
- छूटों की व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। इसे न सिर्फ तार्किक बनाने की आवश्यकता है बल्कि इनके अंतरण (transfer) की भी एक बेहतर तकनीक का विकास करना आवश्यक है।

सरकार द्वारा हाल में शुरू किए तकनीक आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer), जिसे 'जैम नंबर ट्रिनिटी' के नाम से पुकारा गया

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

है, इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा। इससे विभिन्न लाभ प्राप्त होने की संभावना है, यथा-जरूरतमंद जनसंख्या की पहचान; नकली लाभार्थी की पहचान; भ्रष्टाचार एवं छूटों की बर्बादी पर नियंत्रण; अंतरण की सूचना प्राप्ति; पारदर्शिता एवं कर्तव्य परायणता में वृद्धि; इत्यादि।

- सेवा क्षेत्र की सुपुर्दगी से जुड़ी नीतियों में जनसंख्या के व्यवहार संबंधी (behavioural) पहलू को शामिल करने से बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
- सेवा क्षेत्र में किए जाने वाले केन्द्रीय, राज्य-स्तरीय एवं स्थानीय निकायों द्वारा किए जाने वाले प्रयासों को एकीकृत (integration) करने की जरूरत है।
- इस क्षेत्र में स्थानीय निकायों (यथा पंचायती राज संस्थानों) की शक्ति का विकास न सिर्फ सेवा क्षेत्र के कार्य को बेहतर बनाएगा बल्कि इससे एक जागरूक और सहभागिता वाली नागरिकता की संरचना होगी। भारत स्थानीय निकायों के माध्यम से सिविल समाज एवं एन.जी.ओ. के सहयोग को भी बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकेगा।
- इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र (विशेषकर लिमिटेड कंपनियां) को कार्य करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। इनकी सहभागिता से न सिर्फ आवश्यक संसाधनों (धन) की पूर्ति होगी बल्कि देश और समाज को इनकी विशेषज्ञता (expertise) का लाभ भी प्राप्त होगा।

इस प्रकार हम पाते हैं कि सेवा क्षेत्र के बेहतर निष्पादन से तीन लाभ प्राप्त होते हैं-राजकोषीय समेकन (छूटों को तार्किक बनाने से सरकारी व्यय में कमी); बेहतर मानव पूंजी का निर्माण (बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, इत्यादि के माध्यम से); तथा सामाजिक कल्याण में बढ़ोतरी (सेवाओं के उपयुक्त सुपुर्दगी के कारण)।

प्रश्न 40. ''स्वच्छता का सीधा संबंध महिलाओं के निजता के मूलभूत अधिकार से है।'' पड़ताल करें।

उत्तर. भारत में स्वच्छता की कमी का महिलाओं और लड़कियों पर ज्यादा बोझ पड़ता है जिससे उनके निजता (Privacy) के मूलभूत अधिकार का हनन होता है। साफ-सफाई स्वयं ही स्वास्थ्य को बेहतर करती है लेकिन इससे भी अधिक ये अपने शरीर पर अधिकार प्रदान करती है और महिलाओं के निजता के अधिकार को बढ़ावा देती है। इसके न होने पर, 'लिंग-आधारित स्वच्छता को लेकर असुरक्षा' पैदा हो सकती है। स्वच्छता की कमी से कई प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं, जिनमें शामिल हैं- खुले में शौच के लिए जाने के समय सुरक्षा और मौत का खतरा हो सकता है, खाने और पीने की चीजें कम लेने की आदत ताकि शौचालय के लिए घर से बाहर न जाना पड़े, प्रदूषित पानी जिसकी वजह से महिलाओं और बच्चों की प्रसव के दौरान होने वाले संक्रमण से मौत हो जाती है।

2011 की जनगणना में बड़े पैमाने पर स्वच्छता की कमी दर्ज है- देश की आधे से ज्यादा आबादी खुले में शौच करती है। हालिया आंकड़े बताते हैं कि करीब 60 फीसदी ग्रामीण घरों में (एनएसएस 2015 के अनुसार 45 फीसदी तक) और 89 फीसदी शहरी घरों में (एनएसएसओ 2016) में शौचालय हैं- ये जनगणना के मुकाबले एक बेहतर स्थिति है। *आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17* के लिए किया गया एक 'त्वरित अध्ययन' 'शौचालय विहीन घरों' को लेकर चिंताजनक रुझान दिखाता है:

- 76 फीसदी महिलाओं को इन सुविधाओं के लिए अच्छी-खासी दूरी तय करनी पड़ती है;
- 33 फीसदी महिलाओं ने बाहर शौच के लिए जाते समय निजता संबंधी चिंताओं और हमले की बात कही है। इन खतरों के चलते बहुत-सी महिलाओं ने खाने और पानी का सेवन क्रमश: 33 फीसदी और 28 फीसदी तक घटा दिया है।
- अल्पकाल में ये बीमारी, कमजोरी और हीनता जैसी समस्याएं पैदा करती हैं; दीर्घकाल में ये संपूर्ण स्वास्थ्य और नवजातों, विशेषकर लड़कियों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

- अन्य अध्ययनों में प्राकृतिक तत्वों, जैसे कि सांप के काटने आदि का शिकार बनने के बारे में भी उल्लेख है।

ऐसी परिस्थितियों में ये अत्यावश्यक है कि स्वच्छता के मुद्दे को प्राथमिकता के साथ हल किया जाए। इससे न सिर्फ सबके स्वास्थ्य में सुधार होगा बल्कि ये महिलाओं और लड़कियों को उनके निजता के मूलभूत अधिकार को हासिल करने में एक बड़ा योगदान देगा।

प्रश्न 41. ''जल उत्पादकता एवं सिंचाई दक्षता में सुधार भारत के कृषि विकास में चमत्कार कर सकता है।'' 'प्रति बूंद अधिक फसल' नारे के आलोक में कथन पर चर्चा करें।

उत्तर. भारतीय कृषि में सिंचाई सुविधाओं की भारी कमी है-मात्र एक-तिहाई कृषि क्षेत्र को यह सुविधा प्राप्त है। जब तक सिंचाई की अतिरिक्त क्षमता का सृजन हो सके तब तक उपलब्ध सिंचाई सुविधाओं की दक्षता (efficiency) में सुधार करके कृषि उत्पादकता को चमत्कारी तरीके से बढ़ाया जा सकता है।

समय के साथ सिंचाई की परंपरागत व्यवस्था तीन कारकों से अव्यवहार्य (Non-Viable) हो गयी है (*नीति आयोग के कृषि टॉस्क फोर्स, 2015* के अनुसार):

(i) जल की कमी में बढ़ती वृद्धि,

(ii) अधि-सिंचाई के कारण जल की हानि, तथा

(iii) मृदा का लवणीकरण।

आर्थिक एवं तकनीकी रूप से ज्यादा दक्ष सिंचाई के माध्यमों, जैसे-'टपक' (drip) एवं 'छिड़क' (Sprinkler) सिंचाई द्वारा न सिर्फ सिंचाई को अधिक दक्ष बनाया जा सकता है बल्कि इससे उत्पादन मूल्य में भारी कटौती की जा सकती है। इससे श्रम के व्यय और बिजली की खपत दोनों ही पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। *आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16* ने इस तथ्य को आंकड़ों के माध्यम से दर्शाया है:

- गुजरात, कर्नाटक एवं आन्ध्र प्रदेश राज्यों में मूंगफली तथा कपास की खेती में 'स्प्रिन्कलर सिंचाई' (छिड़क सिंचाई) के माध्यम से सिंचाई जल में 35 से 40 प्रतिशत तक की कटौती की जा सकी है।
- इसी तरह 'ड्रिप सिंचाई' (टपक सिंचाई) के माध्यम से बागवानी फसलों की खेती में 40 से 65 प्रतिशत तथा सब्जियों की खेती में 30 से 47 प्रतिशत तक की सिंचाई जल में कटौती की गयी है।

भारत में जल की उत्पादकता भी निम्न है। भारत के वृहत एवं मझोली सिंचाई परियोजनाओं की सिंचाई दक्षता 38 प्रतिशत के आसपास है। भूतल सिंचाई (Surface irrigation) में 35 से 40 प्रतिशत तक की दक्षता सुधार की संभावना है। इसी तरह भूमिगत जल (Underground water) सिंचाई की दक्षता में 60 प्रतिशत के सुधार की गुंजाइश है (*नीति आयोग, 2015*)। जल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए निम्न विधियों के उपयोग की आवश्यकता है:

- जल का उचित दोहन, संचयन (harvesting) एवं पुनः आवर्तन (recycling);
- खेतों में दक्ष जल प्रबंधन;
- सूक्ष्म (micro) सिंचाई (यथा 'टपक' एवं 'फुहार' सिंचाई तकनीकों);
- अपजल/गंदे जल (waste water) का उपयोग; तथा
- संसाधन संरक्षण (conservation) से जुड़ी तकनीकों का इस्तेमाल।

सरकार द्वारा हाल ही में जल के 'प्रति बूंद अधिक फसल' (More Crop per drop) के नारे के साथ एक नयी सिंचाई योजना की शुरुआत की गयी (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-PMKSY)। कृषि कार्यों को सूखे से सुरक्षा प्रदान करने को ध्यान में रखकर लागू की गयी इस योजना का मूल उद्देश्य संपूर्ण कृषि क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा पहुंचाना है। इस लक्ष्य प्राप्ति को सफल बनाने के लिए भारत को जल की उत्पादकता और सिंचाई दक्षता दोनों ही पर ध्यान देना होगा।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

प्रश्न 42. ''क्रमिक आर्थिक सुधारों को अपनाने का भारत को एक अलग लाभ प्राप्त हुआ है।'' कथन पर सोदाहरण चर्चा प्रस्तुत करें।

उत्तर. आर्थिक सुधारों की शुरुआत वैसे तो 1980 के दशक के मध्य में हो चुकी थी (उत्तरी अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप में), यह विश्व के दूसरे देशों में विश्व व्यापार संगठन (WTO) के आने के बाद अगले दशक तक पहुंची। विश्व के देशों, जिन्होंने सुधार प्रक्रिया को अपनाया, के अंतर स्पष्ट करने के उद्देश्य से वैश्विक आर्थिक संगठनों (जैसे विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) एवं विशेषज्ञों द्वारा इन्हें दो वर्गों में रखकर देखा जाने लगा-सुधारों की 'क्रमिक' (gradualist/incremental) विधि या 'अक्रमिक' (Stop-and-go/non-gradualist) विधि को अपनाने वाले देश।

भारत की आर्थिक सुधार प्रक्रिया क्रमिक रही है। हम भारत की सुधारों में आर्थिक नीतियों के पश्यगमन (पीछे हटने) के लक्षण पाते हैं। वहीं सुधारों के प्रति हम उचित राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव भी पाते हैं। अलग-अलग गठबंधन की सरकारों में सुधारों के मामले में मत भिन्नता आम बात रही है। माना जाता है कि भारतीय राजव्यवस्था की नीति-निर्णय प्रक्रिया हाल में अधिक लोकतांत्रिक एवं सहभागिता वाली हुई है, जिस कारण आर्थिक सुधारों संबंधी नीति-नियम देश की सामाजिक-आर्थिक वस्तुस्थिति के काफी करीब पहुंचने लगे हैं।

इस प्रकार के सुधार की प्रक्रिया अपनाने से भारत को भले ही सुधारों के आर्थिक परिणाम कम/विलंब से प्राप्त हुए लेकिन अगर सुधारों की प्रक्रिया को भारत की सामाजिक-आर्थिक कसौटी पर रखकर देखा जाए तो यह काफी अच्छी विधि लगती है। इस प्रकार के सुधारों से भारत को प्राप्त होने वाले लाभों को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं:

- चूंकि भारत एक कल्याणकारी राज्य है इसमें सुधारों के लक्ष्य को सिर्फ आर्थिक (या सम्पत्ति निर्माण) नहीं रखा जा सकता।
- देश में चूंकि गरीबों एवं वंचितों (Marginalised) की जनसंख्या बहुत बड़ी है इनके लिए सरकार द्वारा कल्याणकारी कार्य करना (जो मूलतः छूटों पर आधारित होता है) अत्यावश्यक हो जाता है। ऐसा करने से सुधार की गति में अवरोध उत्पन्न होता है (छूटों के कारण 'बाजार सुधार' प्रभावित होता है)।
- भारतीय अर्थव्यवस्था में 'बाजार की शक्तियां' बहुत सारी आर्थिक चुनौतियों का समाधान उपलब्ध नहीं करा सकतीं।
- माना जाता है कि इस प्रकार के सुधार को अपनाने से भारत कई आर्थिक संकटों को टालने में सफल रहा है-दक्षिण पूर्व वित्तीय संकट (वर्ष 1996-97) तथा हाल की (2007-08) पश्चिमी देशों में व्याप्त महान प्रतिसार (Great Recession)। विशेषज्ञों का मानना है भारत की क्रमिक सुधार प्रक्रिया ने भारत को नव-उदारवादी (neo-liberal) आर्थिक नीतियों को अपनाने से रोकता रहा जिसका देश पर संकट का प्रभाव नहीं पड़ा।

इस बीच, क्रमिकतावादी सुधारों की ओर ज्यादा झुकाव भी अर्थव्यवस्था के विकास की संभावनाओं को हानि पहुंचा सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि केंद्र की नई सरकार आवश्वयक सुधारों को तेजी से लागू करने के प्रति कटिबद्ध है-कई बार, बड़े राजनीतिक खतरे उठाते हुए भी।

प्रश्न 43. ''भारतीय कृषि में यंत्रीकरण सिर्फ जरूरी है ऐसा नहीं है बल्कि इसमें वह क्षमता है जिससे, आमतौर पर गैर-लाभकारी माने जाने वाले कृषि व्यवसाय को उच्च लाभांश प्राप्त हो सकता है।'' चर्चा करें।

उत्तर. भारतीय कृषि क्षेत्र में बेहतर एवं आधुनिक उपकरणों तथा यंत्रों (machines) की सर्वथा कमी रही है। कृषि यंत्रीकरण से इस क्षेत्र को विभिन्न प्रकार के लाभ मिलेंगे-मजदूरी की कठोरता में कमी, समय एवं श्रम की बचत, कृषि दक्षता में वृद्धि, उत्पादकता वृद्धि, इत्यादि। वर्तमान समय में कृषि यंत्रीकरण की निम्न स्थिति है (कई सरकारी दस्तावेजों के अनुसार) :

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

- वैसे भारत कृषिगत उत्पादों के मामले में विश्व के अग्रणी देशों में है इसके कृषि यंत्रीकरण का औसत 50 प्रतिशत से भी कम है जो विकसित देशों में 90 प्रतिशत से भी अधिक है *(आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16)*। इस मामले में राज्यवार अंतर भी काफी उच्च है।
- पिछले दो दशकों में कृषि यंत्रीकरण की वृद्धि दर 5 प्रतिशत से भी कम रही है।
- देश में ट्रैक्टर पहुंच काफी निम्न है-बड़े किसानों (20 एकड़ से अधिक जोत आकार) के लिए यह 38 प्रतिशत, मझोले (5 से 20 एकड़ जोत आकार) के लिए 18 प्रतिशत तथा सीमांत किसानों के लिए मात्र एक प्रतिशत है।
- देश में जहां कृषि यंत्रीकरण हुआ है वहां ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के नये अवसर सृजित हुए हैं (यंत्रों के उत्पादन, परिचालन एवं रख-रखाव इत्यादि कारणों से)।
- कृषि कार्य के लिए बेहतर उपकरणों के इस्तेमाल से होने वाला वार्षिक लाभ लगभग 83,000 करोड़ रु. होने का अनुमान है (नीति आयोग, 2016)। यह आर्थिक लाभ कृषि यंत्रीकरण के वास्तविक क्षमता से काफी कम है। वर्तमान में कृषि यंत्रीकरण की आवश्यकता दो अन्य कारणों से भी आवश्यक हो गया है:
  (a) ग्राम्य-नगर प्रवसन (migration) तथा श्रम की गैर-कृषि क्षेत्रों से बढ़ती हुई मांग कृषि क्षेत्र में श्रम की कमी कर रहा है। आने वाले वर्षों में इसमें और तेज कमी आने की संभावना है (सरकार की विनिर्माण उद्योगों, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी, इत्यादि योजनाओं की वजह से)।
  (b) भारतीय कृषि में महिला मजदूरों की बहुत बड़ी संख्या संलग्न रही है लेकिन इसमें इस्तेमाल होने वाले यंत्र इस दृष्टिकोण से नहीं विकसित हो सके हैं।

इस सिलसिले में दो नीतिगत सलाह दी जा सकती है *(आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16)*:

(i) भारत में कृषि जोत का आकार घटता गया है तथा ऐसा होने से प्रत्येक किसान तक ट्रैक्टरों की व्यवस्था आर्थिक रूप से अलाभकारी हो गयी है। इस दिशा में निजी क्षेत्र की मदद से ट्रैक्टरों को 'किराये' पर उपलब्ध कराया जा सकता है।

(ii) छोटे एवं सीमांत किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखकर भारत को अपनी परंपरागत कृषि यंत्र बनाने की तकनीक से सुधार करना चाहिए।

प्रश्न 44. ''हाल ही में भारत को भी यह एहसास हुआ है कि सामाजिक प्रतिमानों को प्रभावित करने से बहुत सारे सामाजिक आर्थिक लाभ मिलेंगे।'' समसामयकि उदाहरणों द्वारा व्याख्या करें।

उत्तर. मानव मूलतः एक सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रतिफल (byproduct) हैं अर्थात् हमारे क्रियाओं (actions) पर सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है अर्थात् मानव के कार्यकलाप को सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक बदलावों द्वारा प्रभावित भी किया जा सकता है। हाल के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों द्वारा इस बात की प्रयोग आधारित पुष्टि की गयी है। हाल में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी विश्व के देशों को अपनी लोक नीतियों में अपनी जनसंख्या के व्यवहारिक आयामों (behavioural dimensions) को शामिल करने की सलाह दी जा रही है।

हमारे व्यवहार का अर्थव्यवस्था की वृद्धि एवं विकास से कई तरह के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संबंध हैं। उदाहरण के तौर पर भारत में मातृ स्वास्थ्य के लिए सामाजिक प्रतिमानों (norms) को एक बड़ा कारक माना गया है—युवा महिलाओं (लड़कियों को भी) को संयुक्त परिवार में निम्न प्रस्थिति (status) मिली है। इसके साथ ही परिवार के अतर्गत सदस्यों को मिलने वाले पोषण में भी विभिन्नता पाई जाती है। हाल के एक अध्ययन के अनुसार *(आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16)* भारत के संयुक्त परिवारों में सबसे छोटे भाई के बच्चों के कम वजन (under-weight) के साथ जन्म लेने की ज्यादा संभावना है। ऐसा इसलिए होता

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

है क्योंकि सबसे छोटी बहू (daughter-in-law) की परिवार में प्रस्थिति निम्न होती है।

अन्य देशों की भांति भारत ने विकास के अन्यान्य क्षेत्रों में सामाजिक मानदंडों (norms) को प्रभावित करने के परिणाम को महत्व देना प्रारंभ कर दिया गया है:

- धनी लोगों को उन छूटों (subsidies) को परित्याग करने के लिए प्रेरित (motivate) करना जिनकी उन्हें जरूरत नहीं है;
- नागरिकों को वृद्ध लोगों की देखभाल के लिए प्रेरित करना;
- लोगों के दिलों में दूसरों के लिए अच्छा करने तथा परोपकार (philanthropy) करने की भावना को बढ़ावा देना;
- लड़कियों के प्रति सामाजिक पूर्वाग्रहों (prejudices) में कमी लाने के दिशा में प्रेरणा देना;
- सार्वजनिक स्थानों को साफ-सुथरा रखने से मिलने वाले लाभों के प्रति जनसंख्या को संवेदनशील बनाना, तथा;
- लोगों को खुले में शौच परित्याग न करने के लिए प्रेरित करना। इस सिलसिले में भारत द्वारा किए गए प्रयासों की विश्व बैंक द्वारा भी सराहना की गयी है *(WDR–2015)*।

सामाजिक प्रतिमानों को विकास को बढ़ावा देने एवं समाज को बेहतर बनाने के लिए परिवर्तित करने की दिशा में सरकारों की प्रगामी (progressive) भूमिका है। यही कारण है कि आज विश्व की सरकारों द्वारा अपनी जनसंख्या के व्यवहारों का अध्ययन किया जा रहा है तथा इच्छित सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उनके परिवर्तन लाने की कोशिश की जा रही है।

प्रश्न 45. ''दिवालिएपन और कर्ज में डूबने की वजह से किसानों की आत्महत्याओं को रोकने में संस्थागत ऋण से कोई फायदा नहीं मिलता है।'' इस बयान की पड़ताल करें।

उत्तर. किसानों द्वारा आत्महत्या देश के लिए चिंता का एक बड़ा विषय रहा है। दिवालिएपन और कर्ज में डूबने को इसकी मुख्य वजह माना जाता है- ताजा आंकड़ों के अनुसार (एनसीआरबी-2015), यह किसानों की सभी आत्महत्याओं में से 37 फीसदी के लिए जिम्मेदार है। सर्वेक्षणों और अध्ययनों में स्थानीय साहूकारों को आमतौर पर खलनायक के रूप में दिखाया जाता है।

लेकिन ताजा आंकड़ों के अनुसार 2015 में जिन किसानों ने 'दिवालिएपन या कर्ज' की वजह से आत्महत्या की उनमें से 80 फीसदी किसानों ने संस्थागत स्रोत (बैंक या पंजीकृत लघु वित्त संस्थान) से ऋण लिया था। इसके अलावा देश में सिर्फ एक साल में दिवालिएपन और कर्ज में डूबे होने की वजह से किसानों की आत्महत्या में तीन गुना वृद्धि हुई है (2014 में 1163 से 2015 में 3097)। 2015 में कुल 8007 किसानों ने विभिन्न कारणों से आत्महत्या की। ऐसा पहली बार हुआ है कि एनसीआरबी ने लोन के स्रोतों के आधार पर कर्ज या दिवालिएपन की वजह किसानों द्वारा आत्महत्या को वर्गीकृत किया है।

इसका अर्थ ये हुआ कि, ये विश्वास कि संस्थागत ऋण स्थानीय साहूकारों से बेहतर होता है आंशिक रूप से गलत साबित हुआ है- ऐसे ऋण भले ही अधिक विस्तृत हो सकते हैं लेकिन किसानों के लिए ये उतने ही बुरे (या उससे भी अधिक बुरे) हो सकते हैं। एक संस्थागत ऋण में मानवीय पक्ष का अभाव होता है और इसकी कठोर प्रवृत्ति स्थानीय साहूकार की तुलना में अधिक हो सकती है।

वर्तमान परिदृश्य में सरकार द्वारा कृषि ऋण के लिए आवंटित राशि का आकार पर्याप्त नहीं लगता है। भारत को अन्य सहायक प्रणालियों को भी मजबूत करने की आवश्यकता है, जैसे कि कृषि आय को बढ़ाना और कृषि बीमा का तेजी से विस्तार करना।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819
https://t.me/PDF4Exams
https://t.me/PDF4Exams

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

अध्याय 25

आर्थिक सर्वेक्षण 2017–18 (ECONOMIC SURVEY 2017–18)

इस अध्याय में

- ❑ 2017–18 में जीडीपी में वृद्धि
- ❑ मुख्य क्षेत्रों में सकल मूल्यवर्द्धन की वृद्धि
- ❑ तिमाहीवार सकल मूल्यवर्द्धन में वृद्धि
- ❑ प्रति व्यक्ति आय
- ❑ सकल घरेलू उत्पाद और इसके घटक
- ❑ अंतिम उपभोग व्यय
- ❑ बचत और निवेश
- ❑ बचत
- ❑ निवेश
- ❑ लोक वित्त
- ❑ कीमतें और मौद्रिक प्रबंधन
- ❑ मौद्रिक प्रबंधन एवं वित्तीय हस्तक्षेप
- ❑ विदेशी क्षेत्र
- ❑ भारत का वाणिज्यिक व्यापार
- ❑ भुगतान शेष
- ❑ अदृश्य घटक
- ❑ वर्ष 2017–18 की पहली छमाही में बीओपी का पूंजी/वित्त खाता
- ❑ विदेशी मुद्रा भंडार
- ❑ विनिमय दर
- ❑ विदेशी कर्ज
- ❑ व्यापार नीति
- ❑ वर्ष 2018–19 के लिए विकास की भावी संभावनाएं
- ❑ क्षेत्रवार घटनाक्रम
- ❑ उद्योग, कॉरपोरेट और अवसंरचना निष्पादन
- ❑ अवसंरचनात्मक कार्य निष्पादन
- ❑ सेवाएं
- ❑ सामाजिक अधिसंरचना
- ❑ धारणीय विकास, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन
- ❑ जलवायु परिवर्तन पर वर्तमान बहुपक्षीय वार्ताएं

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

वर्ष 2016-17 में लगातार तीसरे वर्ष 7 प्रतिशत से अधिक जीडीपी वृद्धि दर्ज करने के पश्चात भारत की अर्थव्यवस्था कुछ धीमी वृद्धि की ओर अग्रसर हुई, जो केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2017-18 में 6.5 प्रतिशत होने का अनुमान है। यह हालिया घटनाक्रमों के आधार पर वर्तमान में पूर्वानुमानित 2017-18 में 6.5 प्रतिशत से 6.75 प्रतिशत के दायरे से थोड़ा-सा कम है। 2017-18 के लिए इस कमतर वृद्धि के साथ भी, 2014-15 से 2017-18 की अवधि के लिए जीडीपी वृद्धि का औसत 7.3 प्रतिशत रहा है, जो विश्व के प्रमुख देशों में सबसे अधिक है। यह तथ्य कि, यह वृद्धि कम मुद्रास्फीति, बेहतर चालू खाता शेष और जीडीपी के अनुपात में राजकोषीय घाटे में उल्लेखनीय कमी के चलते हासिल की गई, इसे और अधिक सराहनीय बनाता है। जीएसटी (माल और सेवा कर) शुरू करने के अलावा, इस वर्ष बैंकों की अनर्जक आस्तियों से संबंधित समस्याओं के समाधान, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को और अधिक उदार बनाने आदि के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, इस प्रकार सुधारों की गति और तेज की गई। दो वर्षों के लिए ऋणात्मक स्थिति में रहने के बाद, 2016-17 में निर्यात वृद्धि में दुबारा उछाल आया और 2017-18 में इसकी स्थिति और अधिक मजबूत हो गई। जनवरी, 2018 की स्थिति के अनुसार, विदेशी मुद्रा भंडार के स्तर में बढ़ोतरी हुई और यह लगभग 414 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आस-पास रही।

कुछ देशों में बढ़ती संरक्षणवादी प्रवृत्ति के बारे में चिंता व्यक्त की गई है और अभी यह देखना बाकी है कि ऊंट किस करवट बैठता है। इसके अलावा, कच्चे तेल की औसत कीमतें (भारतीय समूह) अब तक 2017-18 (जनवरी 2018 के मध्य में) वर्ष 2016-17 की तुलना में लगभग 14 प्रतिशत बढ़ी हैं। यदि हम हालिया प्रवृत्ति के अनुसार देखें तो मौजूदा वित्त वर्ष में कच्चे तेल की औसत कीमत प्रति बैरल 56-57 अमेरिकी डॉलर के आस-पास रहेगी और 2018-19 में और 10-15 प्रतिशत बढ़ सकती है। आने वाले वर्ष में इनमें से कुछ कारकों से जीडीपी की वृद्धि दर मन्द हो सकती है। तथापि, चूंकि 2018 में वैश्विक वृद्धि में साधारण सुधार होने की संभावना है, अन्य बातों के साथ-साथ जीएसटी में अधिक स्थिरता की आशा, निवेश स्तर में संभावित सुधार और चालू अवसंरचनात्मक सुधार उच्चतर वृद्धि में सहायता करेंगे। कुल मिलाकर, देश के आर्थिक प्रदर्शन में 2018-19 में सुधार आना चाहिए।

2017-18 में जीडीपी में वृद्धि

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि का औसत 2014-15 और 2016-17 के बीच 7.5 प्रतिशत से अधिक रहने से, इस मानदण्ड पर भारत को विश्व में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले देशों में गिना जा सकता है। पिछले 3 वर्षों के वैश्विक विकास औसत से यह वृद्धि 4 प्रतिशतांक से अधिक है और उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों द्वारा हासिल की गई औसत वृद्धि से लगभग 3 प्रतिशतांक अधिक है (चित्र 1)। यद्यपि 2017-18 में वृद्धि कम होकर 6.5 प्रतिशत रह सकती है, जो 4 वर्ष के औसत को 7.3 प्रतिशत पर ला देगी। भारत की जीडीपी वृद्धि की गाथा में, जो मोटे तौर पर विश्व के अधिकांश देशों की तुलना में अधिक होने की है, कोई फेर-बदल नहीं होगा। यह वृद्धि पिछले 3 वर्षों की वैश्विक औसत वृद्धि से लगभग 4 प्रतिशतांक अधिक है और उभरते बाजारों एवं विकासशील देशों द्वारा हासिल औसत वृद्धि से लगभग 3 प्रतिशतांक अधिक है (चित्र 1)।

सारणी-1: मुख्य संकेतक

सारणी- प्रमुख संकेतक	ईकाई	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
जीडीपी और संबंधित संकेतक					
जीडीपी (2011-12 कीमतों पर)	₹ करोड़	10536984	11381002	12189854[पीई]	12985363[एई]
वृद्धि दर	%	7.5	8.0	7.1	6.5
आधार कीमतों पर जीवीए (2011-12 कीमतों पर)	₹ करोड़	9719023	10490514	11185440[पीई]	11871321[एई]
वृद्धि दर	%	7.2	7.9	6.6	6.1
बचत दर	% of जीडीपी	33.1	32.3	एनए	एनए
पूंजी निर्माण (दर)	% of जीडीपी	34.4	33.3	एनए	एनए
प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (मौजूदा कीमतों पर)	₹	86454	94130	103219	111782
उत्पादन					
खाद्यान्न	मिलियन टन	252.0	251.6	275.7[']	134.7[#]

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (वृद्धि)	%	4.0	3.3	4.6	3.2बी
बिजली उत्पादन (वृद्धि)	%	14.8	5.7	5.8	4.9बी
कीमतें					
मुद्रास्फीति (डब्ल्यूपीआई) (औसत)	% परिवर्तन	1.2	-3.7	1.7	2.9सी
मुद्रास्फीति (सीपीआई) (संयुक्त) (औसत)	% परिवर्तन	5.9	4.9	4.5	3.3सी
वैदेशिक क्षेत्र					
निर्यात वृद्धि (अमेरिकी डॉलर)	% परिवर्तन	-1.3	-15.5	5.2	12.1सी
आयात वृद्धि (अमेरिकी डॉलर)	% परिवर्तन	-0.5	-15.0	0.9	21.8सी
मौजूदा लेखा शेष (कैब)/जीडीपी	%	-1.3	-1.1	-0.7	-1.8डी
विदेशी मुद्रा भण्डार	अमेरिकी डॉलर बिलियन	341.6	360.2	370.0	409.4ई
औसत विनिमय दर	₹/अमेरिकी डॉलर	61.14	65.46	67.07	64.49सी
मुद्रा और ऋण					
स्थूल मुद्रा (एम 3) (वार्षिक)	% परिवर्तन	10.9	10.1	10.1	10.5एफ
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ऋण (वृद्धि)	% परिवर्तन	9.0	10.9	8.2	9.3जी
राजकोषीय संकेतक (केन्द्र)					
सकल राजकोषीय घाटा	जीडीपी का %	4.1	3.9	3.5	3.2बीई
राजस्व घाटा	जीडीपी का %	2.9	2.5	2.1	1.9बीई
प्राथमिक घाटा	जीडीपी का %	0.9	0.7	0.4	0.1बीई

टिप्पणियां :

एनए-उ.न.
एई-प्र.अ.अं.
ख-अप्रैल-अक्तूबर-2017
घ-अप्रैल-नवंबर-2017
च-बजट अनुमान

पीई-अ.अ.
क-आधार (2011-12.100)
ग-अप्रैल-दिसंबर-2017
ङ-अप्रैल-सितंबर-2017
छ-अनंतिम (वास्तविक) (गैर-लेखांकित)

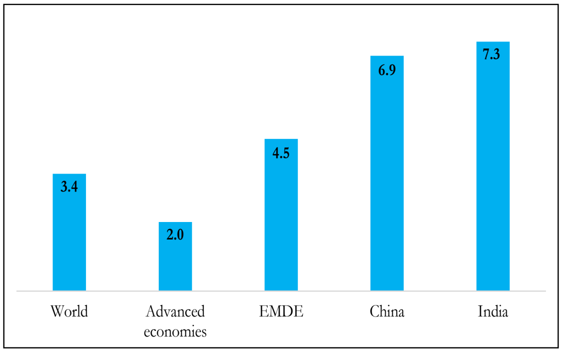

चित्र-1 *2014-17 के दौरान जीडीपी की औसत तुलनात्मक वृद्धि (प्रतिशत)*

स्रोत: *आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउट लुक डाटा बेस पर आधारित (अक्तूबर-2017)*

केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार सतत् बुनियादी मूल्य पर सकल मूल्यवर्द्धन वृद्धि दर 2017-18 में 6.1 प्रतिशत अनुमानित है, जबकि 2017-18 में यह 6.6 प्रतिशत थी। यह कृषि और सम्बद्ध तथा उद्योग के क्षेत्र में कम वृद्धि के कारण हुई थी। आशा है कि, इनमें क्रमश: 201 प्रतिशत और 4.4 प्रतिशत वृद्धि हो सकती है। 2017-18 में 2016-17 के 7.7 प्रतिशत की तुलना में सेवा क्षेत्र में 8.3 प्रतिशत वृद्धि काफी वृद्धि हो सकती हैं। सेवा क्षेत्र के भीतर केवल लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवा क्षेत्र की वृद्धि 2017-18 में गिर सकती है।

2012-13 में जीडीपी में 5.5% की निम्न वृद्धि से अगले 3 वर्षों तक लगातार सुधार हुआ और 2015-16 में यह शिखर पर पहुंच गयी, विशेष रूप से चौथी तिमाही में जब इसमें 9.1% की वृद्धि दर्ज की गई (2015-16 की चौथी तिमाही में सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) में भी हुई) बहरहाल, 2016-17 की प्रथम तिमाही से वृद्धि में

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

सारणी-2: वास्तविक मूल्यवर्द्धित और जीडीपी में वृद्धि (प्रतिशत)

आधार मूल्य पर जीवीए	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (1st AE)
कृषि, वानिकी व मत्स्यपालन	**-0.2**	**0.7**	**4.9**	**2.1**
उद्योग	**7.5**	**8.8**	**5.6**	**4.4**
खनन तथा खनन कार्य	11.7	10.5	1.8	2.9
विनिर्माण	8.3	10.8	7.9	4.6
विद्युत गैस एवं जल आपूर्ति और अन्य आवश्यक सेवाएं	7.1	5.0	7.2	7.5
निर्माण	4.7	5.0	1.7	3.6
सेवाएं	**9.7**	**9.7**	**7.7**	**8.3**
व्यापार, होटल, परिवहन, भण्डारण, संचार एवं प्रसारण से संबधित सेवाएं	9.0	10.5	7.8	8.7
वित्तीय, स्थावर संपदा एवं पेसेवर सेवाएं	11.1	10.8	5.7	7.3
लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं	8.1	6.9	11.3	9.4
आधार मूल्य पर जीवीए	**7.2**	**7.9**	**6.6**	**6.1**
बाजार मूल्य पर जीडीपी	**7.5**	**8.0**	**7.1**	**6.5**

स्रोत: *केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त आकड़ों पर आधारित*

कमी आने लगी। 2016-17 की चौथी तिमाही में जीडीपी और जी वी ए में वृद्धि और कम होकर क्रमश: 6.1%, 5.6% रह गई। 2017-18 की प्रथम तिमाही में जीडीपी में वृद्धि और कम होकर 5.7% हो गई। तथापि 2017-18 की दूसरी तिमाही से जीडीपी वृद्धि की गिरावट की प्रवृत्ति में उलट-फेर हुआ और बढ़कर 6.3% हो गई। 2017-18 की दूसरी तिमाही में जीडीपी और जीवीए की मामूली वृद्धि

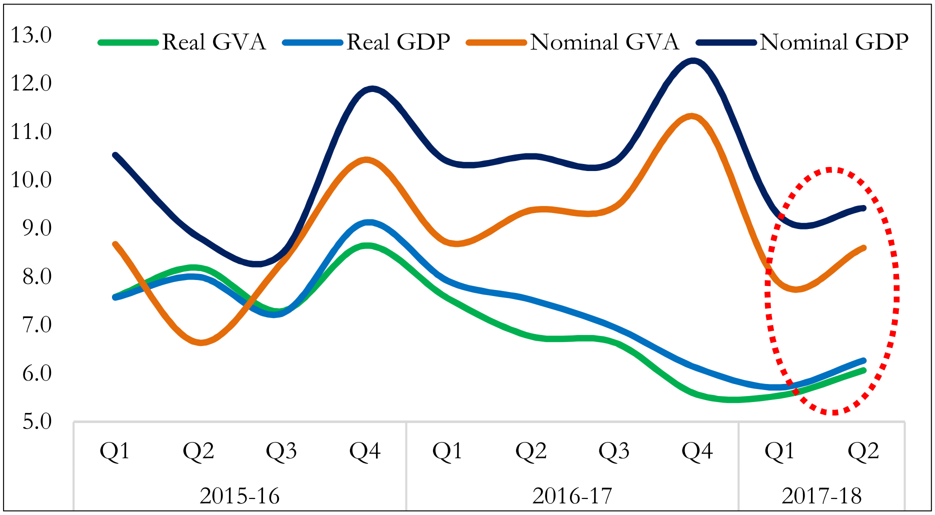

चित्र-2 *2011-12 कीमतों पर जीडीपी और जीवीए में वृद्धि (प्रतिशत)*

स्रोत: *केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन*

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

में तेजी आई और क्रमशः 9.4 प्रतिशत तथा 8.6 प्रतिशत पर आ गई (चित्र 2)।

प्रथम अग्रिम अनुमानों के तहत, 2017-18 में जीडीपी में वृद्धि 6.5% होने की आशा है, जबकि आधार कीमतों पर वास्तविक जीवीए में 6.1% वृद्धि होने की आशा है। मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में जीडीपी और जीवीए में वृद्धि क्रमशः 6.0% और 5.8% होने से, वर्ष की दूसरी तिमाही में अंतर्निहित वृद्धि क्रमशः 7% और 6.4% बैठती है, जो कि अर्थव्यवस्था में बेहतरी को दर्शाती है, जिसका श्रीगणेश 2017-18 की दूसरी छिमाही में ही हो चुका था। प्रमुख वृहत संकेतक, जैसे– सकल नियत निवेश और निर्यातों में भी 2017-18 के पहली छमाही की तुलना में दूसरी छमाही में वृद्धि तीव्रतर होने की आशा है।

हालिया वर्षों में वास्तविक और मौद्रिक जीडीपी वृद्धि की खाई में भी कमी आई है। 2012-13 और 2014-15 के दौरान वास्तविक जीडीपी में औसतन वृद्धि 6.4% रही, इसी अवधि में मौद्रिक वृद्धि 12.5% थी, इसकी तुलना में 2015-16 से 2017-18 तक तीन वर्ष की अवधि के दौरान वास्तविक और मौद्रिक जीडीपी में औसत वृद्धि क्रमशः 7.2% और 10.1% होने की संभावना है, जो कि बाद की अपेक्षा पूर्वावधि में उच्चतर अंतर को दर्शाता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं: पूर्वावधि में मुद्रास्फीति उत्तरवर्ती अवधि की तुलना में काफी अधिक थी।

2016-17 में जीडीपी में मामूली वृद्धि 11% होने की संभावना है और 2017-18 में निम्नतर वास्तविक वृद्धि और अपस्फीतिक के कम अधिमूल्य के कारण 2017-18 में जीडीपी 9.5% होने की आशा है। इन दो वर्षों में मौद्रिक जीवीए की वृद्धि 9.7% और 9.0% होने की आशा है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान मौद्रिक जीवीए और जीडीपी की वृद्धि में अंतर भी बढ़ा है। यह जीडीपी में निवल अप्रत्यक्ष करों के हिस्से में वृद्धि दर्शाता है।

मुख्य क्षेत्रों में सकल मूल्यवर्धन की वृद्धि

जैसी कि अपेक्षा थी सामान्य बारिश होने के कारण कृषि क्षेत्र में पूर्ववर्ती दो वर्षों की तुलना में वर्ष 2016-17 में उल्लेखनीय उच्च वृद्धि पर देखने को मिली। खाद्यान्न उत्पादन के चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार यह अनुमान लगाया गया था कि वर्ष 2016-17 में खाद्यान्नों की पैदावार 275.7 मिलियन टन होगी और खाद्यान्न तथा दालें, दोनों का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच जाएगा। अधिकांश अन्य फसलों और गैर-फसल कृषि क्षेत्र में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली। वर्ष 2016-17 में लोक प्रशासन, रक्षा तथा अन्य सेवाओं से जुड़े क्षेत्रों ने भी दो अंकों में वृद्धि दर्ज की, जो सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण वेतन तथा बकाया राशियों के उच्च भुगतान के कारण थी। तथापि, पिछले वित्त वर्ष में उद्योग सेक्टर की वृद्धि में 3 प्रतिशत बिंदु की कमी आई।

वर्ष 2017-18 की पहली छमाही में जीवीए वृद्धि 5.8 प्रतिशत थी, दोनों तिमाहियां अलग-अलग तस्वीर पेश कर रही थीं। जीवीए में पिछली कुछ तिमाहियों में देखी गई कमी की प्रवृत्ति वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही में रुक गई, जिसमें वही वृद्धि दर दर्ज की गई जो वर्ष 2016-17 की चौथी तिमाही में थी। 2017-18 की दूसरी तिमाही में यह कमी की प्रवृत्ति की स्थिति विपरीत हो गई और जीवीए वृद्धि 6.1 प्रतिशत हो गई, यह पहली तिमाही की तुलना में 0.5 प्रतिशत बिंदुओं का सुधार था। यह मुख्यतः औद्योगिक क्षेत्र के कारण हुआ। विनिर्माण क्षेत्र में सुधार नजर आया जो पहली तिमाही में 1.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही में 7.0 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2017-18 के दूसरी छमाही के लिए जीवीए की अन्तर्निहित वृद्धि 6.4 प्रतिशत है। अर्थव्यवस्था के तीन प्रमुख क्षेत्रों नामतः कृषि और संबद्ध उद्योगों और सेवा क्षेत्रों के तीनों प्रमुख क्षेत्रों में दूसरी छमाही में अन्तर्निहित वृद्धि क्रमशः 2.2 प्रतिशत, 5.1 प्रतिशत और 8.7 प्रतिशत रही है, जो 2017-18 की पहली छमाही से बेहतर है (चित्र 3)। विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि वर्ष 2017-18 की पहली छमाही में 4.0 प्रतिशत से सुधर कर दूसरी छमाही में 5.1 प्रतिशत होने की आशा है। व्यापार, परिवहन, होटल, भंडारण, संचार तथा प्रसारण से जुड़ी सेवाओं का सेक्टर एकमात्र वह सेक्टर है जिसके वर्ष 2017-18 की पहली छमाही की तुलना में दूसरी छमाही में वृद्धि में कमी आने की संभावना है (चित्र 3)।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

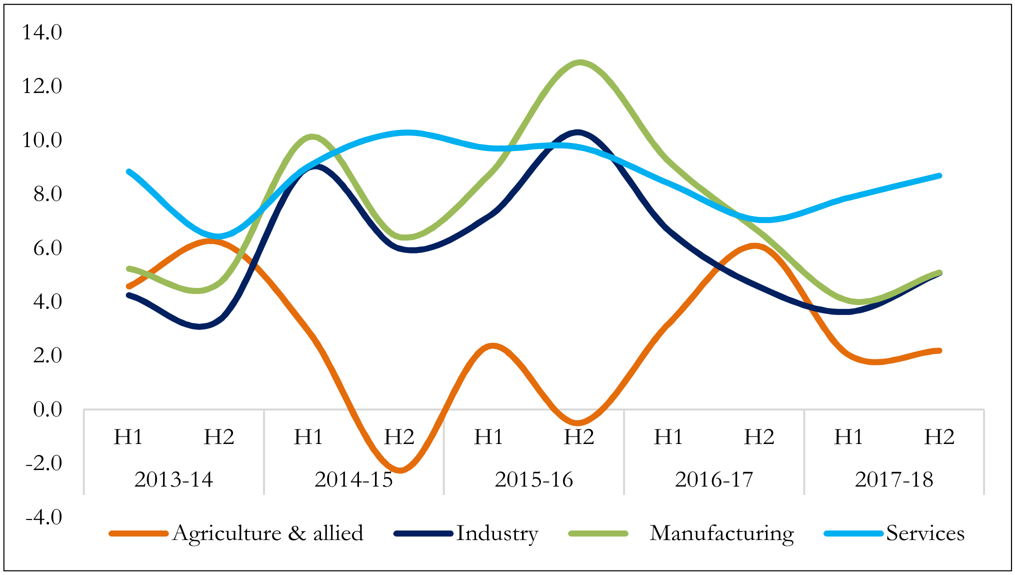

चित्र-3 *वर्ष (2011-12) के बुनियादी मूल्यों पर जीवीए में छमाही वृद्धि*

स्रोत: *सीएसओ से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित।*

टिप्पणी: *2017-18 की दूसरी छमाही एई और 2017-18 की दूसरी तिमाही अनुमानों पर आधारित है।*

वर्ष 2016-17 में जीवीए वृद्धि की एक प्रमुख विशेषता यह रही है कि दो क्षेत्रों (सेक्टरों) नामत: कृषि और संबद्ध 'लोक प्रशासन, रक्षा तथा अन्य सेवाओं' ने अर्थव्यवस्था की कुल वृद्धि में लगभग एक-तिहाई अंशदान किया। इन दोनों क्षेत्रों के अधिक अंशदान का कारण वर्ष 2016-17 में इन दोनों सेक्टरों मे उच्च वृद्धि का होना था। इन क्षेत्रों ने 2012-13 से 2015-16 की अवधि (चित्र 4) के बीच जीवीए वृद्धि के लगभग 1/6 भाग का औसत अंशदान किया। वर्ष 2012-13 से 2015-16 के बीच सेवाओं (लोक प्रशासन, रक्षा आदि को छोड़कर) कुछ जीवीए वृद्धि का लगभग 57 प्रतिशत योगदान किया। वित्तीय, स्थावर संपदा और व्यावसायिक सेवा सेक्टर में कम वृद्धि के कारण 2016-17 में कम होकर यह 41 प्रतिशत रह गई। वर्ष 2016-17 में लोक प्रशासन रक्षा तथा अन्य सेवाओं[1] की कुल वृद्धि का योगदान, वर्ष 2012-13 और 2015-16 के बीच औसत योगदान का लगभग दोगुना था। दूसरी ओर, 2013-14 से सकल मूल्यवर्द्धन वृद्धि में वित्तीय सेवाओं, स्थावर संपदा और व्यावसायिक सेवाओं के योगदान में लगातार गिरावट आई (यह वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान 32.7 प्रतिशत औसत से घट कर 2016-17 में 18.8 प्रतिशत रह गयी।

वर्ष 2017-18 में सकल मूल्यवर्द्धन वृद्धि में कृषि क्षेत्र का योगदान वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि के बीच में उलट गई। वर्ष 2017-18 में 'लोक प्रशासन, रक्षा तथा अन्य सेवाओं' के योगदान में कुछ गिरावट आई क्योंकि इस सेक्टर की वृद्धि की गति धीमी रही। वर्ष 2017-18 में विकास में औद्योगिक क्षेत्र के योगदान की कमी आई, जो मुख्यत: पहली छमाही और विशेष रूप से पहली तिमाही में इस क्षेत्र हुई अपेक्षाकृत कम वृद्धि के कारण रहा।

तिमाहीवार सकल मूल्यवर्द्धन में वृद्धि

पिछली कुछ तिमाहियों में जीवीए वृद्धि कम रहने के बाद यह वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही में बढ़कर 6.1 होंगे। वर्ष 2015-16 की आखिरी तिमाही से कृषि एवं सम्बद्ध

1. अन्य सेवाओं में समुदाय सेवाएं, जैसे–कोचिंग संटर, शिक्षा, वैयक्तिक सेवाएं आदि शामिल हैं।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

चित्र-4 सकल मूल्यवर्द्धन वृद्धि में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

क्षेत्र की जीवीए वृद्धि की बढ़ोतरी की प्रवृत्ति 2016-17 की चौथी तिमाही से पलट गई। वर्ष 2016-17 की पहली तिमाही में उद्योगों की वृद्धि में गिरावट आना शुरू हो गई थी और चौथी तिमाही में विशेष रूप से यह वृद्धि कम थी। हालांकि 2017-18 की दूसरी तिमाही में उद्योग क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई। 2015-16 की चौथी तिमाही से बाद की प्रत्येक तिमाहियों में विनिर्माण क्षेत्र के सकल मूल्यवर्द्धन में गिरावट आई, (2016-17 की तीसरी तिमाही को छोड़कर) 2017-18 की पहली तिमाही तक जब वह 1.2 प्रतिशत पर पहुंच गई थी। 2017-18 की दूसरी तिमाही में 7 प्रतिशत पर इसमें तेजी से सुधार हुआ। औद्योगिक विकास इतना धीमा क्यों रहा होगा इसका एक कारण क्रेडिट वृद्धि में आई कमी हो सकती है। वर्ष 2015-16 में उद्योग में नियोजित किए गए क्रेडिट वृद्धि (बकाया) में उल्लेखनीय रूप से आई कमी 2016-17 में नकारात्मक हो गई, और 2017-18 की पहली छमाही में ऐसी ही बनी रही। यह कहना कठिन है कि क्या यह गिरावट क्रेडिट की कम मांग के कारण थी अथवा क्या यह अनर्जक आस्तियों (एनपीए), की समस्या को पहचानने के कारण है, जिन्होंने उधार देने में बैंकों का और अधिक सचेत बनाया होगा, तथापि, 24 नवम्बर, 2017 को औद्योगिक क्षेत्र का बकाया क्रेडिट 25 नवम्बर, 2016 के बकाया क्रेडिट से 1 प्रतिशत अधिक था। यद्यपि, निर्माण क्षेत्र में वर्द्धित मूल्य में प्रसारण से संबधित 2016-17 की चौथी तिमाही में कमी हुई थी, फिर इसमें आगामी तिमाहियों में सुधार हुआ। सेवा क्षेत्र का विकास जो 2016-17 की तीसरी तिमाही में कम हो गया था, 'लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं' के क्षेत्र में वास्तविक संदर्भ में 17 प्रतिशत की वृद्धि के कारण ही मुख्यतया चौथी तिमाही में जरा-सा बढ़ गया। व्यापार, परिवहन, भण्डारण, संचार आदि' क्षेत्रों में विकास, आंशिक रूप से उच्च आधार प्रभाव (वर्ष 2015-16 की चौथी तिमाही में इस क्षेत्र का विकास 12.8 प्रतिशत था) के कारण कम था। वर्ष 2016-17 की चौथी तिमाही में 6.5 प्रतिशत था। 'वित्तीय सेवाएँ, स्थावर संपदा तथा पेशेवर सेवाएँ' तथा 'व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण सेवाओं' के क्षेत्र में उच्च वृद्धि के बल पर-2017-18 की पहली छमाही तथा 2016-17 की दूसरी छमाही में सेवाओं की वृद्धि पर में कुछ सुधार हुआ है। दूसरी तरफ,

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

सारणी-3: तिमाहीवार वास्तविक जीवीए और जीडीपी वृद्धि

	2016-17				2017-18	
क्षेत्र	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही
बुनियादी मूल्यों पर जीवीए	7.6	6.8	6.7	5.6	5.6	6.1
कृषि और सहबद्ध क्षेत्र	2.5	4.1	6.9	5.2	2.3	1.7
उद्योग	7.4	5.9	6.2	3.1	1.6	5.8
जिसमें (विनिर्माण)	10.7	7.7	8.2	5.3	1.2	7.0
सेवाएं	9.0	7.8	6.9	7.2	8.7	7.1
बाजार मूल्यों पर जीडीपी	7.9	7.5	7.0	6.1	5.7	6.3

स्रोत: *सीएसओ से प्राप्त आकड़ों पर आधारित*

लोक प्रशासन, रक्षा तथा अन्य सेवाओं के क्षेत्र में वृद्धि दर 2016-17 की तीसरी और चौथी तिमाही की तुलना में 2017-18 की पहली दो तिमाहियों में कम रही है। (सारणी 3)।

प्रति व्यक्ति आय

वास्तविक प्रतिव्यक्ति आय (2011-12 के स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय के संदर्भ में मापित) किसी भी देश के लोगों के कल्याण का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यह आय 2015-16 के 77,803 रुपए से बढ़कर 2017-18 में 86,660 रुपए हो जाने की संभावना है, जो 5.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की द्योतक है। मौद्रिक रूप में इसमें औसतन 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई और यह 2015-16 के 94,130 रुपए से बढ़कर 2017-18 में 111,782 रुपए हो गई।

सकल घरेलू उत्पाद और इसके घटक

उपभोग व्यय 2012-13 और 2015-16 के बीच कुल जीडीपी वृद्धि का लगभग 60 प्रतिशत रहते हुए अर्थव्यवस्था का प्रमुख प्रेरक रहा है। यह अंशदान बढ़कर 2016-17 में 95 प्रतिशत से अधिक हो गया, जिसकी वजह निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) और सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई) दोनों में हुई उच्च वृद्धि को माना जा सकता है। विशेषकर, जीएफसीई की वृद्धि 2012-13 से 2015-16 के दौरान 3.5 प्रतिशत की औसत वृद्धि की तुलना में वास्तविक संदर्भ में लगभग 21 प्रतिशत बढ़ी। इसकी वजह मुख्यत: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद सरकारी कर्मचारियों को अधिक वेतन का भुगतान है। पीएफसीई और जीएफसीई दोनों की वृद्धि 2016-17 की तुलना में 2017-18 में कम हाने की संभावना है। जीडीपी में निवेश का हिस्सा और विशेषकर स्थिर निवेश का हिस्सा 2011-12 और 2016-17 के बीच निरंतर गिरता रहा। जहां 2011-12 के स्थिर निवेश जीडीपी का 34.3 प्रतिशत था, यह गिरकर 2016-17 में 27.1 प्रतिशत रह गया। हालांकि, 2016-17 की तुलना में 2017-18 में स्थिर निवेश के तीव्र दर पर बढ़ने की संभावना है (जो निवेश में कुछ सुधार इंगित करता है), फिर भी यह जीडीपी में स्थिर निवेश के हिस्से में और गिरावट रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। माल और सेवाओं का निर्यात 2014-15 में लगभग गतिरुद्ध रहने और 2015-16 में गिरने के बाद 2016-17 में बढ़ना शुरू हुआ। आयातों में भी वृद्धि हुई लेकिन धीमी रफ्तार पर, फिर भी इससे 2016-17 में चालू खाता घाटे को कम करने में मदद मिली। वर्ष 2017-18 में निर्यातों में 4.5 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है, वहीं आयातों में अपेक्षाकृत तीव्र गति से वृद्धि होने की संभावना हैं। परिणामात्मक जीडीपी में माल और सेवाओं के निवल निर्यात का हिस्सा (जैसाकि राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में दिखाया गया है) 2016-17 के (-)0.7 प्रतिशत से गिरकर 2017-18 में (-)1.8 प्रतिशत हो जाने की संभावना है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

अंतिम उपभोग व्यय

वर्ष 2011-12 और 2016-17 के बीच 6 वर्षों में, कुल जीडीपी में पीएफसीई का औसत हिस्सा 57.5 प्रतिशत रहा और इस अवधि में इसकी वृद्धि औसतन 6.8 प्रतिशत रही। पीएफसीई जीडीपी की वृद्धि का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक रहा है और विशेष रूप से ऐसा 2016-17 में हुआ है जब पीएफसीई ने जीडीपी वृद्धि के लगभग दो-तिहाई का योगदान किया। इसके अतिरिक्त, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई) का योगदान 29 प्रतिशत था। वर्ष 2017-18 के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, जीडीपी वृद्धि में पीएफसीई और जीएफसीई का योगदान क्रमश: 54.3 प्रतिशत और 14.4 प्रतिशत होने का अनुमान है। जहां पीएफसीई का योगदान 2011-12 से 2015-16 में हासिल औसत स्तरों पर लौट आया, वहीं जीएफसीई का योगदान उस औसत से अधिक बना रहा है।

पीएफीसीई का आगे ब्यौरा (केवल 2015-16 तक उपलब्ध है) दर्शाता है कि, गैर-टिकाऊ वस्तुओं का हिस्सा (जिसमें अधिकांश खाद्य पदार्थ है) 2011-12 और 2015-16 के बीच (2013-14 के बाद) (चित्र 5) कुछ-कुछ गिर गया। यह गिरावट प्रत्याशित है क्योंकि आय के स्तरों में वृद्धि के साथ खाद्य उत्पादन का हिस्सा, विशेषकर खाद्यान्नों के हिस्से, में गिरावट का रुझान रहता है (ऐंजल का लोचशीलता पर आधारित विश्लेषण, बॉक्स 1.1 देखें)। स्थिर कीमतों के संदर्भ में इस हिस्से में अधिक तीव्र गिरावट इस अवधि में अन्य मद समूहों की तुलना में कुछ खाद्य उत्पादों, जैसे-मछली और सी-फूड, फल इत्यादि के संबंध में अपस्फीतिकारकों के अपेक्षाकृत कम मूल्य (अर्थात् अधिक मूल्य वृद्धि) से जुड़ी है।

बचत और निवेश

इस तथ्य के बावजूद कि, भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2014-15 और 2017-18 के बीच 4 वर्षों में भारी वृद्धि दर्ज की है, अर्थव्यवस्था में बचत और निवेश की कहानी दिलासा देने वाली नहीं रही है। अर्थव्यवस्था में निवेश दर (सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के हिस्से के रूप में सकल पूंजी निर्माण (जीएसएफ)) 2011-12 और 2015-16 के बीच लगभग 5.6 प्रतिशत बिंदु कम हुई है। जैसाकि सारणी 4 में देखा जा सकता है, वर्ष 2013-14 में मुख्य कमी हुई हैं जब निवेश दर लगभग 5 प्रतिशत बिंदु कम हो गयी थी। यह बहुत-से कारकों के कारण थी, जैसे-भूमि अधिग्रहण में कठिनाईयाँ, विलंबित और रुकावट वाली पर्यावरण संबंधी

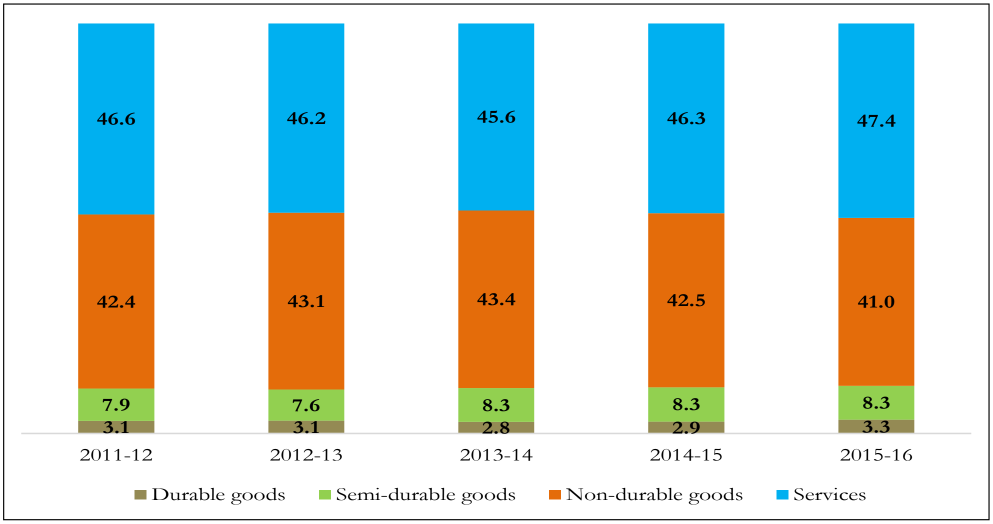

चित्र-5 वर्तमान मूल्यों पर निजी उपयोग व्यय का हिस्सा (प्रतिशत)

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

बॉक्स 1.1 पीएफसीई के संबंध में मुख्य वस्तु समूहों की ऐंजल की लोचशीलता

उपभोक्ता के व्यवहार का विश्लेषण करने का एक तरीका ऐंजल का लोचशीलता है। नीचे दी गई सारणी में चुनिंदा वस्तु समूहों के लिए ऐंजल की लोचशीलता दी गई है। यह उल्लेखनीय है कि, यहां परिकलित ऐंजल की लोचशीलता 2011-12 के स्थिर कीमतों पर समग्र निजी अंतिम उपभोग व्यय के प्रति किसी विशेष वस्तु समूह के निजी अंतिम उपभोग व्यय की अनुक्रियाशीलता दर्शाती है।

घरेलू बाजार में निजी अंतिम खपत व्यय का सीएजीआर और ऐंजल लोचशीलता

मद का वर्णन	सीएजीआर 2011-12 से 2015-16	पीएफसीई के संदर्भ में लोचशीलता
भोजन और गैर-एल्कोहलिक पेय-पदार्थ	4.1	0.61
कपड़ा और फुटवियर	9.6	1.44
आवास, पानी, बिजली, गैस तथा अन्य ईंधन	5.2	0.78
साज-सज्जा, घरेलू उपस्कर और रखरखाव,	9.3	1.39
स्वास्थ्य	13.1	1.95
परिवहन	6.5	0.98
संचार	7.3	1.09
शिक्षा	6.3	0.93
घरेलू बाजार में निजी अंतिम उपभोग व्यय	6.7	

स्रोतः *राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, सीएसओ*

जैसीकि आशा थी, भोजन संबंधी मदों की ऐंजल लोचशीलता काफी कम है, जो इस परिकल्पना की पुष्टि करती है, कि जैसे–आय का स्तर बढ़ता है, भोजन पर व्यय समानुपात से कम बढ़ता है। भोजन के अंतर्गत अंडा, मांस और मछली, सब्जी आदि जैसे उत्पादों की लोचशीलता ब्रैड, अनाज और दालों जैसी मदों से अधिक है, जबकि स्वास्थ्य पर व्यय की लोचशीलता एक से काफी अधिक है, परंतु शिक्षा पर यह आश्चर्यजनक रूप से एक से थोड़ी कम है।

स्वीकृतियाँ, अवसंरचना क्षेत्र में समस्याएँ आदि। यद्यपि ऐसी बहुत-सी समस्याएँ विद्युत की बेहतर स्थिति बनाकर, अवसंरचना संबंधी अड़चनों को कम करके दूर कर दी गई हैं, फिर भी निवेश दर (मुख्यतः स्थिर निवेश) नहीं बढ़ी है। वर्ष 2011-12 और 2013-14 के बीच बचत दर (जीडीपी के हिस्से के रूप में सकल बचत) भी लगभग ढाई प्रतिशत बिंदु कम हुई हैं तथा उसके बाद कमोबेश स्थिर रही है। बचत दरों की तुलना में निवेश दर में तीव्र गिरावट के कारण 2013-14 से 2015-16 तक चालू खाता घाटे का स्तर (बचत-निवेश अंतर) अपेक्षाकृत कम रहा है।

बचत

अर्थव्यवस्था में बचत सामान्य प्रशासन सहित परिवारों, निजी कॉरपोरेट क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र से होती है। अर्थव्यवस्था की संपूर्ण बचत के अनुरूप 2011-12 तथा 2015-16 के बीच जीडीपी के अनुपात के रूप में परिवार क्षेत्र की

सारणी-4: बचत, निवेश दर (प्रतिशत में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
निवेश दर	39.0	38.7	33.8	34.4	33.3
बचत दर	34.6	33.9	32.1	33.1	32.3
एस-आई अंतर	-4.3	-4.8	-1.7	-1.3	-1.0

स्रोतः *सीएसओ के आँकड़ों पर आधारित*

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

बचत सामान्यत: कम हुई है यह जीडीपी के 23.6 प्रतिशत से घटकर 19.2 प्रतिशत रह गई, जबकि इसी अवधि के दौरान निजी कॉरपोरेट क्षेत्र की बचत निरंतर रूप से बढ़ी है (चित्र 6)। सामान्य प्रशासन की बचत में सुधार दिख रहा है, (यद्यपि यह नकारात्मक क्षेत्र में ही बनी रही है), वर्ष 2014-15 तक सरकारी बचत में कमी का कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की बचत के निम्न स्तर का होना हो सकता है।

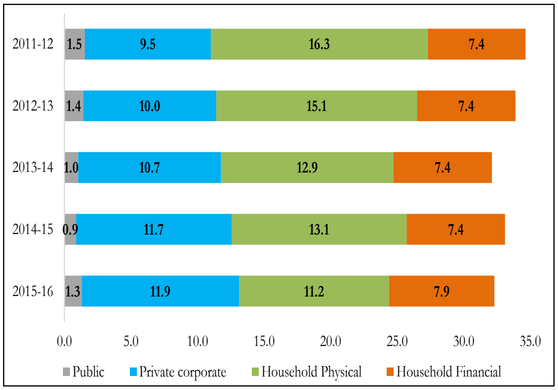

चित्र-6 जीडीपी के हिस्से के रूप में सकल बचत (प्रतिशत)

स्रोत: *सीएसओ के आंकड़ों पर आधारित।*

टिप्पणी: *सरकारी क्षेत्र में सामान्य सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम और विभागीय उद्यम शामिल हैं।*

परिवार क्षेत्र बचत के बड़े परिमाण का हिस्सा रखता है, तथापि, कुल बचत में परिवार बचत का हिस्सा 2011-12 में लगभग 68 प्रतिशत से 2015-16 में 59 प्रतिशत के नजदीक तक गिर गया था। परिवारों की बचत के वर्ग में वास्तविक परिसम्पत्तियों से वित्तीय परिसम्पत्तियों की ओर रुझान हुआ है, जिससे कुल घरेलू बचत में वास्तविक परिसम्पत्तियों का हिस्सा 10 प्रतिशतांक बिन्दुओं से ज्यादा कम हो गया। सरकारी बचत 2011-12 में जीडीपी के 1.5 प्रतिशत से गिरकर 2014-15 में 0.9 प्रतिशत रह गई थी, जबकि यह 2015-16 में फिर वृद्धि होने लगी है। अंशत: इस की व्याख्या पेट्रोलियम उत्पादों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्तियों में वृद्धि तथा सब्सिडी में कमी द्वारा हो सकती है, जिसमें निजी निगम क्षेत्र का सकल बचत में अंश 2011-12 में जीडीपी के 9.5 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में लगभग 12 प्रतिशत पर पहुंच गया। वर्ष 2015-16 के बाद के सकल बचत के लिए आंकडे उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, 2016-17 के लिए परिवार क्षेत्र की वित्तीय बचत हेतु प्रारंभिक सूचना भारतीय रिजर्व बैंक से उपलब्ध है।[2] परिवार द्वारा की गई वित्तीय बचत मुख्य रूप से करेंसी, बैंक जमाएं, जीवन बीमा निधि, भविष्य एवं पेंशन निधि के रूप में तथा कई वर्षो से शेयरों तथा डिबेंचरों के रूप में रखी जाती है। वर्ष 2011-12 और 2015-16 के बीच बैंक खातों में जमा राशि सकल वित्तीय बचत का 50 प्रतिशत थी। वर्ष 2015-16 में बैंक जमा खातों और जीवन बीमा निधियों में वित्तीय बचत किए जाने के अनुपात में पर्याप्त कमी देखी गई तथा मुद्रा, भविष्य निधि और पेंशन निधियों, सरकार के दावों (मुख्यत: लघु बचत में) के हिस्से में बढ़ोतरी हुई। शेयरों और डिबेन्चरों में बचत दोगुना से ज्यादा हो गई तथा शेयरों और डिबेन्चरों के भीतर म्युच्युअल फंड हिस्से में पिछले वर्ष की तुलना में 2015-16 में 126% की बढ़ोतरी हुई।

पारिवारिक वित्तीय बचतों का स्वरूप, पिछले 5 वर्ष की तुलना में वर्ष 2016-17 में पर्याप्त रूप से भिन्न था। जबकि परिवारों की समग्र वित्तीय बचत में वर्ष 2016-17 में 20% से अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई (पिछले 5 वर्ष में तथा इसके स्वयं के वास्तविक बचत अनुमानों के आधार पर वित्तीय बचत की सूचना जारी करेगा। देखी गई बढ़ोतरी से भी अधिक), मुद्रा के रूप में बचत में 250% से अधिक कमी हुई (लगभग 5 लाख करोड़ रु.)। यह कमी मुख्य रूप से नवम्बर 2016 में उच्च मूल्य वाली मुद्रा के नोटों के वापस ले लिए जाने तथा मार्च 2017 के अन्त तक आंशिक पुन: मौद्रीकरण के कारण हुआ। बैंक जमा खातों, जीवन बीमा निधियों और शेयरों तथा डिबेन्चरों में बचत धन राशि 2016-17 में क्रमश: 82%, 66% तथा

2. सीएसओ जनवरी 2018 के अंत पर वर्ष 2016-17 के लिए अर्थव्यवस्था की संपूर्ण बचत का अनुमान लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से उपलब्ध सूचना।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

345% बढ़ गई (चित्र 7)। शेयरों और डिबेन्चरों की श्रेणी के भीतर, म्युच्युअल फंडों में बचत में, वर्ष 2015-16 की 126% वृद्धि के मुकाबले, 400% से अधिक बढ़ोतरी दर्ज हुई। अतः 2 वर्ष के समय में, म्युच्युअल फंड के रूप में बचत में 11 गुणा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह उस समय हुआ जब बीएसई सेन्सेक्स लगभग 1.5% प्रति वर्ष की औसत से बढ़ा, जिसका और अधिक विस्तार से विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है।

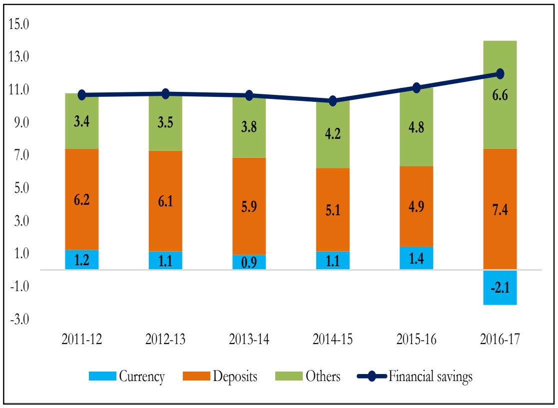

चित्र-7 जीडीपी के हिस्से के रूप में पारिवारिक वित्तीय बचत

स्रोत: *भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों पर आधारित*

टिप्पणी: *सरकारी क्षेत्र में सामान्य सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम और विभागीय उद्यम शमिल हैं।*

निवेश

वर्ष 2015-16, अर्थात् वह अद्यतन वर्ष, जिसके सम्बन्ध में सकल पूंजीगत निर्माण के बारे में सूचना उपलब्ध है, में निवेश दर में 2011-12 में 39% से 2015-16 में 33.3% तक सतत् गिरावट आई है। तथापि, वर्ष 2016-17 और 2017-18 के सम्बन्ध में निवेश के मुख्य घटकों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध है अर्थात् सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जिसमें जीसीएफ का समग्र अनुपात आता है, स्टॉक और बहुमूल्य वस्तुओं के स्टॉक में परिवर्तन) 2011-12 और 2015-16 के बीच मियादी निवेश दर (जीडीपी के हिस्से के रूप में जीएफसीएफ) में 5% की गिरावट आई। यह 2016-17 में 2 प्रतिशत और गिर गई। वर्ष 2017-18 के प्रथम अग्रिम अनुमान यह सुझाते हैं कि यद्यपि स्थिर निवेश की वृद्धि दर 2016-17 में 2.4 प्रतिशत से सुधरकर 4.5 प्रतिशत होने की उम्मीद है, स्थिर निवेश दर अपनी गिरावट के रुझान को बरकरार रखेगी। हाल ही के वर्षों में स्थिर निवेश में धीमी बढ़ोतरी, दोहरे तुलन-पत्र के कारण हो सकती है। इस रुझान को यथाशीघ्र वापस लाया जाना है ताकि आने वाले वर्षों में 8% से अधिक की भारी संभवित वृद्धि को हासिल किया जा सके। वर्ष 2011-12 से बहुमूल्य वस्तुओं का हिस्सा सामान्यतः कम होता जा रहा है। तथापि, इसके वर्ष 2016-17 के जीडीपी के 1.1% की तुलना में वर्ष 2017-18 में जीडीपी के 1.5% होने की संभावना है।

अर्थव्यवस्था में निवेश के संस्थावार ब्यौरे में पिछले कुछ वर्ष में पर्याप्त परिवर्तन हुए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र (जिसमें और सामान्य प्रशासन आते हैं) में निवेश वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक लगातार गिरता रहा। हालांकि यह वर्ष 2015-16 में बढ़कर जीडीपी का 7.5% हो गया। यह वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय पर दिए गए अधिकतर ध्यान की तर्ज पर है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी द्वारा उपलब्ध सूचना के अनुसार सामान्य प्रशासन द्वारा पूंजीगत व्यय की वृद्धि दर, (चालू कीमतों पर) वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान औसत 7% से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 21% से अधिक हो गयी। कुल निवेश में निजी-कॉरपोरेट क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2011-12 के 36% से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 41% हो गया और यह अब घरेलू क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए अर्थव्यवस्था में निवेश का सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया है। पारिवारिक क्षेत्र (परिवारों की सेवा कर रही लाभेतर संस्थाओं सहित) का निवेश 2011-12 में जीडीपी के 15.9 प्रतिशत से लगभग 5 प्रतिशतांक घटकर 2015-16 में 10.9 प्रतिशत रह गया (चित्र 8)।

स्थिर निवेश कुल निवेश का लगभग 90 प्रतिशत बैठता है। स्थिर निवेश में उन्नत जैविक संसाधनों (सीबीआर) से प्राप्त होने वाले लघु अंशदान के साथ-साथ आवासों, मशीनरी एवं उपस्कर और बौद्धिक संपदा उत्पादों (आईपीपी) सहित विभिन्न आस्तियां शामिल हैं (सारणी 4)।1.25 आवास पर निवेश स्थिर निवेश का

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

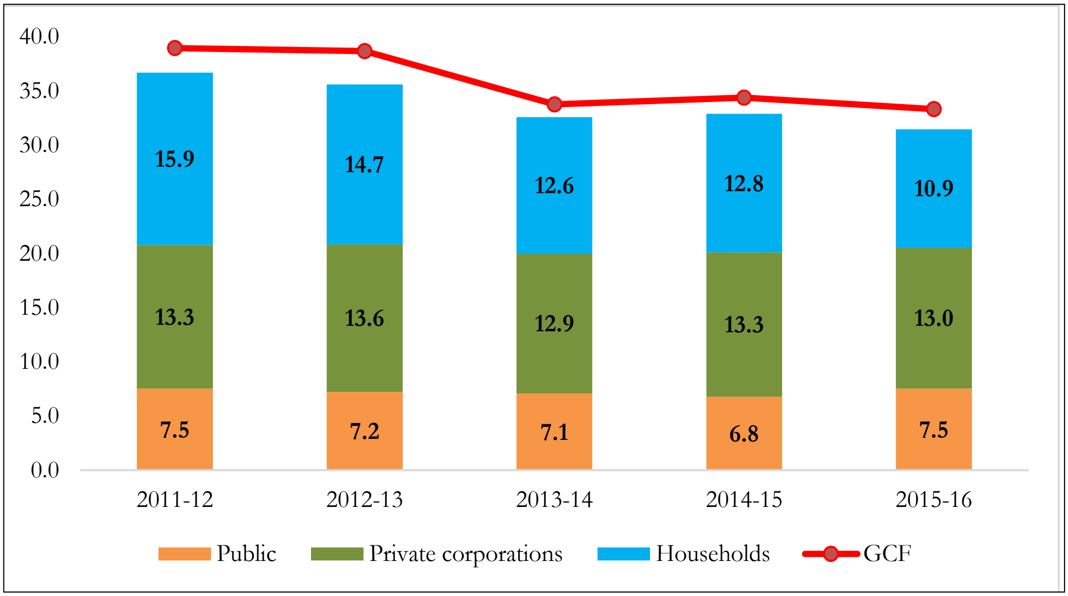

चित्र-8 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल निवेश में विभिन्न संस्थाओं द्वारा निवेश (प्रतिशत)

स्रोत: *एनएएस, सीएसओ पर आधारित*

टिप्पणी: *विभिन्न क्षेत्रों के निवेश में कीमती वस्तु और भूल-चूक शामिल नहीं है, इसलिए जीसीएफ तक नहीं शामिल करें*

सारणी-5: कुल स्थिर निवेश के हिस्से के रूप में संस्थागत क्षेत्र द्वारा आस्तिवार स्थिर निवेश आंकडें

		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
जीएफसीएफ	आवास	57.5	56.6	57.7	58.6	57.1
	मशीनरी और उपकरण	35.0	34.5	31.9	31.6	32.5
	अन्य	7.6	9.0	10.5	9.9	10.5
सरकारी क्षेत्र (सामान्य प्रशासन सहित)	आवास	12.0	12.3	12.7	13.4	16.1
	मशीनरी और उपकरण	8.1	7.3	8.0	7.4	8.1
	अन्य	1.4	1.5	2.0	1.3	1.1
निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र	आवास	8.0	9.6	9.5	10.0	10.4
	मशीनरी और उपकरण	18.7	18.4	19.6	17.9	18.2
	अन्य	6.0	7.2	8.3	8.3	9.1
परिवार क्षेत्र	आवास	37.4	34.7	35.5	35.2	30.6
	मशीनरी और उपकरण	8.2	8.9	4.3	6.4	6.2
	अन्य	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

स्त्रोत: *एनएएस, सीएसओ।*

टिप्पणी: *अन्य में आईपीपी और सीबीआर शामिल है।*

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

लगभग 57-58 प्रतिशत बैठता है और यह हिस्सा 2011-12 तथा 2015-16 के बीच उचित रूप से स्थिर बना हुआ है। तथापि, आवासों में परिवारों का निवेश काफी घट गया है, जिसका संभावित कारण भौतिक आस्तियों के रूप में परिवारों की बचत के हिस्से में ह्रास होना है। दूसरी ओर, सार्वजनिक क्षेत्र के स्थिर निवेश में प्राय: समस्त बढ़त आवासों में है। स्थिर निवेश के मशीनरी खंड के हिस्से में ह्रास ही परिवार क्षेत्र में अधिकांश ह्रास का कारण है। 'अन्य' (सीबीआर के साथ-साथ आईपीपी) का हिस्सा निजी कॉरपोरेट क्षेत्र द्वारा इस श्रेणी में उच्च निवेश करने के कारण बढ़ गया।

लोक वित्त

अधिकांश राजकोषीय संकेतकों, जैसे-राजस्व उत्प्लावन, व्यय गुणवत्ता, कर अंतरण एवं घाटा-में प्रत्यक्ष सुधारों द्वारा प्राप्त दृढ़ आंकड़ों के आधार पर, सरकार ने राज्यों की साझेदारी से, चिरप्रतीक्षित वस्तु और सेवा कर जीएसटी व्यवस्था को जुलाई 2017 से प्रारंभ किया। जीएसटी का प्रवर्तन व्यापक तैयारियों एवं बहुस्तरीय परामर्श के बाद किया गया, तथापि, इस पूर्णतया परिमाणपरक परिवर्तन का अभिप्राय यह था कि, आगामी अनिश्चितता और संभावित लागतों का प्रबंध सावधानीपूर्वक किए जाने की जरूरत है। सरकार इस संभावना कि अंतिम माह (मार्च 2018) के जीएसटी संग्रहणों का पर्याप्त भाग अगले वर्ष में जमा हो सकता है, के साथ परिवर्तन एवं चुनौतियों के संबंध में मार्गदर्शन कर रही है।

केंद्र सरकार के वित्तीय संसाधनों के आंकड़े महालेखा नियंत्रक (सीजीए) से नवंबर 2017 तक उपलब्ध हैं। इन आंकड़ों के आधार पर, राजस्व मोर्चे पर, चालू वर्ष के प्रथम आठ माह में तीन विशिष्ट प्रवृत्तियाँ देखी गईं। प्रत्यक्ष कर संग्रहण उचित रूप से पटरी पर है; कर-भिन्न राजस्व का निष्पादन अल्प रहा है और ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां, मुख्यत: विनिवेश से आय, सही दिशा में हैं।

केंद्र के प्रत्यक्ष कर[3] संग्रहण में 13.7 प्रतिशत की वृद्धि पिछले वर्ष जैसी ही रही। पूर्ण वित्त वर्ष 2017-18 के लिए अप्रत्यक्ष करों में बजट विहित वृद्धि मात्र 7.6 प्रतिशत है; नवंबर तक यह वास्तविक वृद्धि 18.3 प्रतिशत है। इस वर्ष के दौरान अप्रत्यक्ष करों में अंतिम प्राप्ति केंद्र-राज्यों के बीच जीएसटी लेखों के अंतिम निपटान पर निर्भर करेगी और यह सम्भावना है कि ग्यारह महीनों में केवल करों (आयात पर आईजीएसटी को छोड़कर) की वसूली की जाएगी। 2017-18 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान राज्यों का कर-हिस्सा लगभग 25.2 प्रतिशत बढ़ा, जो केन्द्र के निवल कर राजस्व में हुई 12.6 प्रतिशत वृद्धि तथा सकल कर राजस्व में हुई 16.5 प्रतिशत वृद्धि से बहुत अधिक है।

वर्ष 2017-18 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान सरकार का कुल व्यय 14.9 प्रतिशत बढ़ा जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 12.6 प्रतिशत था। चालू वर्ष के प्रथम आठ महीनों के दौरान राजस्व व्यय 13.1 प्रतिशत और पूंजीगत व्यय 29.3 प्रतिशत तक बढ़ गया। बजट चक्र और इसकी प्रक्रिया को लगभग एक महीने आगे बढ़ाने से व्ययकर्ता ऐजेंसियों को वित्तीय वर्ष में अग्रिम रूप से योजना बनाने और कार्यान्वयन को शीघ्र शुरू करने का व्यापक अवसर मिल गया, जिसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय व्यय में तीव्र गति से प्रगति हुई। कुछ व्ययों के आगे जुड़ने और बढ़े हुए ब्याज व्यय के साथ इसने राजकोषीय घाटे पर और दवाब डाला जो नवम्बर 2017 तक बजट अनुमान के 112 प्रतिशत तक बढ़ गया। यह जैसे-जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा यह वृद्धि कुछ हद तक सामान्य हो जाएगी।

विगत दो वर्षों के दौरान राज्यों के राजकोषीय सन्तुलन में 'उदय' यूडीएवाई-उत्प्रेरित असामान्य कमी के पश्चात् राज्यों ने वर्तमान वर्ष में सुदृढ़ता हासिल करने का लक्ष्य रखा। 21 राज्यों की सरकारों की स्थिति, जो कुल जीएसडीपी के लगभग 86 प्रतिशत के बराबर है और जिसके लिए तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध हैं, यह प्रदर्शित करती है कि उनकी राजस्व प्राप्तियों ने वृद्धि की दृष्टि से और तदनुरूप बजट अनुमानों के संबंध में विगत वर्षों के साथ तालमेल दर्शाया है। यदि नवम्बर 2017 तक के संकेतक बरकरार रहते हैं तो मौजूदा वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा सभी राज्य मिलकर एक साथ मिलकर राज्यों की पहुँच के भीतर हो सकता है।

3. प्रत्यक्ष कर में वैयक्तिक आय कर एवं कारपोरेट कर शामिल है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

जीएसटी से प्रत्याशित राजस्व के और अधिक स्पष्ट हो जाने के साथ, बजट अनुमान की तुलना में केन्द्रीय सरकार का राजकोषीय संतुलन चौथी तिमाही में राजस्व व्यय की उभरती प्रवृत्तियों पर निर्भर करेगा।

कीमतें और मौद्रिक प्रबंधन

कीमतें एवं मुद्रास्फीति

वर्ष 2017-18 के दौरान देश में मुद्रास्फीति धीमी बनी रही। उपभोक्ता कीमत सूचकांक-संयुक्त (सीपीआई-सी) के अनुसार हेडलाइन मुद्रास्फीति वर्ष 2016-17 की इसी अवधि की 4.8 प्रतिशत की दर से घटकर वर्ष 2017-18 (अप्रैल-नवम्बर) में 3.3 प्रतिशत रह गई। वर्ष 2017-18 की प्रथम तिमाही में खाद्य पदार्थों की निम्न महंगाई दर के कारण सीपीआई मुद्रास्फीति 3.0 प्रतिशत से कम रही, विशेषकर दालों और सब्जियों की महंगाई में मामूली वृद्धि हुई और यह वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही में 3.0 प्रतिशत रही। उपभोक्ता खाद्य कीमत सूचकांक (सीएफपीआई) के संबंध में खाद्य पदार्थ मुद्रास्फीति वर्ष 2016-17 (अप्रैल-दिसम्बर) में 5.1 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान 1.2 प्रतिशत रह गई। सीपीआई-आधारित मुख्य (खाद्य-भिन्न, ईंधन-भिन्न) मुद्रास्फीति भी वर्ष 2016-17 (अप्रैल-दिसम्बर) में 4.8 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसम्बर) में 4.5 प्रतिशत रह गई। आवास तथा ईंधन एवं प्रकाश समूहों को छोड़कर, सीपीआई-सी के सभी मुख्य उप-समूहों की मुद्रास्फीति में वर्ष 2016-17 (अप्रैल-दिसम्बर) की तुलना में वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसम्बर) में गिरावट आई। खाद्य और पेय पदार्थों में इस गिरावट की दर सबसे तेज रही।

थोक कीमत सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.) पर आधारित औसत मुद्रास्फीति वर्ष 2016-17 (अप्रैल-दिसम्बर) में 0.7 की तुलना में वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसम्बर) में 2.9 प्रतिशत रही। कई महीनों तक मंद रहने के बाद डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति कच्चे तेल के वैश्विक मूल्य में आई अचानक तेजी के कारण फरवरी और मार्च 2017 के दौरान बढ़ गई। इसके पश्चात्, विश्व में कच्चे तेल के मूल्य में गिरावट आने के साथ जून 2017 में 0.9 प्रतिशत के निम्न स्तर तक पहुंचते हुए मुद्रास्फीति भी जुलाई तक अगले चार महीनों के दौरान सामान्य रही। बाद के महीनों में कच्चे तेल की कीमत में पुन: उछाल आने और इसके बढ़ते जाने तथा बढ़ती खाद्य कीमतों के साथ दिसम्बर 2017 में मुद्रास्फीति भी बढ़ी और 3.6 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई।

डब्ल्यूपीआई आधारित खाद्य मुद्रास्फीति वर्ष 2016-17 की अवधि की 6.3 प्रतिशत की तुलना में घटकर वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसम्बर) में 2.3 प्रतिशत रह गई। डब्ल्यूपीआई, ईंधन एवं विद्युत मुद्रास्फीति पूर्व वर्ष की (-)6.5 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसम्बर) में बढ़कर 9.7 प्रतिशत हो गई। डब्ल्यूपीआई आधारित मुख्य स्फीति (गैर-खाद्य विनिर्मित उत्पाद) बढ़कर वर्ष 2016-17 (अप्रैल-नवम्बर) के 1.0 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसम्बर) में 2.6 प्रतिशत रही। तथापि, डब्ल्यूपीआई के सम्पूर्ण वर्ग (बास्केट) में 64.2 प्रतिशत का भार रखने वाली विनिर्मित पदार्थ स्फीति 2.6 प्रतिशत के आस-पास बनी रही।

मौद्रिक प्रबंधन एवं वित्तीय हस्तक्षेप

वर्ष 2017-18 के दौरान संशोधित सांविधिक ढांचे के अंतर्गत मौद्रिक नीति का संचालन किया गया जो 5 अगस्त, 2016 से प्रभावी हुई। वर्ष 2017-18 के लिए तृतीय द्विमासिक मौद्रिक नीति विवरण (अगस्त 2017) में मौद्रिक नीति समिति ने 6.0 प्रतिशत नीतिगत रेपो रेट के 25 आधार बिन्दु तक घटाने का निर्णय लिया। इसने अक्तूबर और दिसम्बर 2017 दोनों माह में इन दरों में कोई बदलाव नहीं किया।

पुन: मौद्रीकरण प्रक्रिया के साथ तालमेल बिठाते हुए, 17 नवम्बर, 2017 से एक अनुकूल आधार प्रभाव निर्धारित करने के साथ, प्रचलन मुद्रा और आरक्षित मुद्रा (एमओ) दोनों की वर्ष दर वर्ष (वाईओवाई) वृद्धि तीव्र रूप से सकारात्मक बनी रही और पिछले वर्ष की अपनी संबंधित वृद्धि दरों से उच्च रही। नवम्बर 2016 की शुरूआत में विमौद्रीकरण के पश्चात्, पारम्परिक और गैर-पारम्परिक, दोनों विलेखों का मिश्रित रूप से उपयोग करते हुए रिजर्व बैंक

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

ने अपने नकदी समावेशन कार्यों को गति प्रदान की। नकदी की स्थिति आधिक्य की अवस्था में बनी रही। उत्तरोतर पुनर्पूंजीकरण के साथ इसका प्रभाव धीरे-धीरे सामान्य होता गया।

बैंकिंग क्षेत्र, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों, के कार्य निष्पादन में चालू वित्तीय वर्ष में नरमी बनी रही। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर-निष्पादनकारी अग्रिम (जीएनपीए) मार्च 2017 और सितम्बर 2017 के बीच 9.6 प्रतिशत से बढ़कर 10.2 प्रतिशत हो गया। नवम्बर, 2016 में 4.8 प्रतिशत की तुलना में खाद्य-भिन्न क्रेडिट (एनएफसी) नवम्बर 2017 में बढ़कर 8.9 प्रतिशत हो गया। सेवाओं और निजी ऋण खंड को बैंक ऋण का उधार, समग्र एनएफसी वृद्धि के लिए प्रमुख योगदानकर्ता बना रहा।

विदेशी क्षेत्र

वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी आ रही है और वर्ष 2016 में यह 3.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018 में 3.7 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है। विश्व व्यापार का परिमाण वर्ष 2016 में 2.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2017 में 4.2 प्रतिशत तथा वर्ष 2018 में 4.0 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। पिछले वर्षों की गिरावट के विपरीत वस्तुओं की कीमत (ईंधन और ईंधन भिन्न) भी बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। अब तक, भारत का विदेशी क्षेत्र वर्ष 2017-18 में लोचशील और सुदृढ़ बना रहा है तथा जीडीपी के 1.8 प्रतिशत पर चालू खाता घाटा (सीएडी), वाणिज्यिक निर्यात में 12 प्रतिशत की वृद्धि, निवल सेवा प्राप्तियों में 14.6 प्रतिशत की वृद्धि, निवल विदेशी निवेश में 17.4 प्रतिशत की वृद्धि तथा वर्ष 2017-18 में एच1 में बेहतर विदेशी ऋण संकेतकों के साथ भुगतान शेष (बीओपी) की स्थिति संतोषप्रद बनी हुई है।

भारत का वाणिज्यिक व्यापार

नकारात्मक वृद्धि के दो वर्षों के पश्चात वर्ष 2016-17 को वाणिज्यिक निर्यात में सकारात्मक वृद्धि वाले वर्ष के रूप में दर्ज किया गया था। इसी प्रकार नकारात्मक वृद्धि के तीन वर्षों के पश्चात् वर्ष 2016-17 में वाणिज्यिक आयात में भी सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2012-13 में निर्यात 491 बिलियन अमेरिकी डॉलर से लगभग 107 बिलियन अमेरिकी डॉलर घटकर वर्ष 2016-17 में 384 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया। मुख्य रूप से यह गिरावट 77 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर के कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात मूल्य में कमी तथा इस अवधि के दौरान सोने और चांदी के आयात में 26.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक कमी के कारण आई। इस प्रकार लगभग इन दो सामग्रियों के समूह के कारण ही आयात में 97 प्रतिशत की कमी आई। आयात में सामग्री में गिरावट को अन्तरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्यों में तेजी से आई गिरावट के कारण माना जा सकता है। कच्चे तेल के भारतीय समूह की आयात कीमत वर्ष 2012-13 में 108 अमेरीकी डॉलर प्रति बैरल के औसत से गिरकर वर्ष 2016-17 में 47.6 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल रह गयी। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कमी आने से पीओएल निर्यातों की कीमत में भी कमी आ गई, जो 2012-13 में लगभग 61 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 2016-17 में 32 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर आ गई। पीओएल-भिन्न निर्यात 2012-13 में 239.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2016-17 में 244.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गए। इन वर्षों में कुल व्यापारिक निर्यातों में लगभग 24.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की गिरावट आई।

निर्यातों की कीमत के मुकाबले आयातों की कीमत में आई अधिक कमी व्यापारिक कारोबार के संतुलन में महत्वपूर्ण सुधार लाने में मददगार रही, जो 2012-13 में 190 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 2016-17 में 108.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गई (चित्र 9)। इस अवधि में व्यापार घाटे में कमी ने चालू खाता घाटे की स्थिति में कुछ सुधार लाने में काफी योगदान दिया, जो 2012-13 में जीडीपी के 4.8 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में जीडीपी का लगभग 0.7 प्रतिशत रह गया। पूंजी प्रवाह अच्छे स्तरों पर बने रहने से, विदेशी मुद्रा भंडार मार्च 2013 के अंत में 292 बिलियन अमेरिकी डॉलर से तेजी से बढ़कर मार्च

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

2017 के अंत में 370 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया।

2016-17 की पहली छमाही में भारत की निर्यात वृद्धि (-)1.3 प्रतिशत पर नकारात्मक बनी रही। तथापि, 2016-17 की दूसरी छमाही में, इसमें सुधार आना शुरू हुआ और वर्ष 2016-17 में इसमें 5.2 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। वर्ष 2017-18 (अप्रैल-नवंबर) में, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में निर्यात वृद्धि में और तेजी आई और यह 12.1 प्रतिशत पर पहुंच गई। भारत की निर्यात परिमाण वृद्धि, जो मार्च 2016 से सकारात्मक हो गई थी, में अप्रैल 2017 तक उछाल आया, परंतु इसके बाद इसमें गिरावट आनी शुरू हो गई थी। यद्यपि यह अभी भी सकारात्मक बनी हुई है। वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसम्बर) में, आयातों में 21.8 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई। मुख्यतया कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के कारण पीओएल आयात वृद्धि 24.2 प्रतिशत थी और स्वर्ण तथा चांदी आयातों में 52 प्रतिशत की वृद्धि के कारण पीओएल-भिन्न आयातों में 22.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। पीओएल-भिन्न और स्वर्ण-भिन्न और चांदी आयात 18.1 प्रतिशत तक बढ़ गए। भारत का व्यापार घाटा, जिसमें वर्ष 2014-15 और 2016-17 से लगातार गिरावट दर्ज की गई थी, वर्ष 2016-17 में पहली छमाही में 43.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2017-18 की पहली छमाही में 74.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसम्बर) में, व्यापार घाटा 114.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया।

भुगतान शेष

भारत की भुगतान शेष की स्थिति, जोकि वर्ष 2013-14 से सुसाध्य रही है, प्रथम छमाही में सीएडी में कुछ वृद्धि के बावजूद, वर्ष 2017-18 की प्रथम छमाही तक वैसी

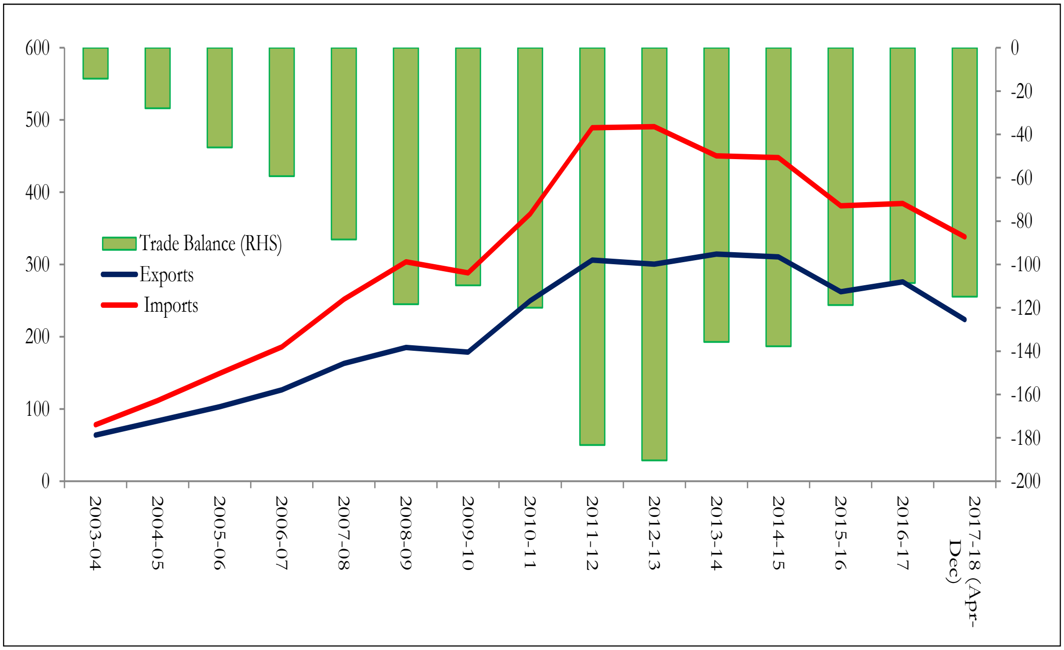

चित्र-9 निर्यात, आयात और व्यापार घाटा (बिलियन अमेरिकी डॉलर)

टिप्पणी: 2016-17 और 2017-18 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

ही बनी रही है। 18 (अप्रैल-दिसंबर) व्यापार घाटा 114.9 बिलियन तक बढ़ गया। भारत का सीएडी में वर्ष 2016-17 की पहली छमाही में 3.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर, सकल घरेलू उत्पाद का 0.4 प्रतिशत था, जो वर्ष 2017-18 की पहली छमाही में 22.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया (सकल घरेलू उत्पाद का 1.8 प्रतिशत), जिसका प्रमुख कारण निर्यातों के संगत मर्केंडाइज आयातों में अधिक वृद्धि थी, जो उच्च व्यापार घाटा है। सोने के आयात में हुई तीव्र वृद्धि और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल कीमतों में हुई वृद्धि के कारण आयातों में उछाल आया है। वर्ष 2016-17 की पहली छमाही की तुलना में वर्ष 2017-18 की पहली छमाही में व्यापार घाटे में वृद्धि हुई है, जिसका कारण 'अदृश्य' बैलेंस में सुधार के साथ-साथ विदेशी निवेश द्वारा निवल पूंजी प्रवाह की अधिकता थी और साथ ही बैंकिंग पूंजी व्यापार घाटे को वित्त प्रदान करने के लिए पर्याप्त से अधिक थी, जिससे वर्ष 2017-18 की पहली छमाही में विदेशी मुद्रा भंडार में प्रामाणिक वृद्धि दिखाई थी।

अदृश्य घटक

वर्ष 2017-18 की पहली छमाही में निवल सेवाओं और निवल निजी अंतरणों में वृद्धि के कारण निवल अदृश्य अतिरेक में 52.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जबकि वर्ष 2016-17 की पहली छमाही में यह 45.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। वर्ष 2017-18 की पहली छमाही के दौरान वर्ष-दर-वर्ष आधार पर निवल सेवा प्राप्तियों में मुख्यत: यात्रा और दूरसंचार तथा कंप्यूटर और सूचना सेवाओं से हुई निवल आय में वृद्धि होने से 14.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2017-18 की प्रथम छमाही में निजी अंतरण प्राप्तियां मुख्यत: विदेशों में नौकरी करने वाले भारतीयों द्वारा प्रेषित धन, पूर्व वर्ष की संगत अवधि की तुलना में 10 प्रतिशत की वृद्धि दिखा रही हैं। निवल निवेश आय के संबंध में होने वाला बर्हिगमन, जो पिछले दो वर्षों में लगातार बढ़ रहा था उसमें 2017-18 की पहली छमाही में वृद्धि बरकरार रही और वह 2016-17 की पहली छमाही में 14.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 15.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

वर्ष 2017-18 की पहली छमाही में बीओपी का पूंजी/वित्त खाता

वर्ष 2017-18 की पहली छमाही में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) अंत:प्रवाह में गिरावट के होते हुए भी भारत के पोर्टफोलियो निवेश में वृद्धि के चलते निवल विदेशी निवेश में 17.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही में एफडीआई प्रवाह में मंदी के कारण पूर्व वर्ष की संगत अवधि के दौरान इसके स्तर में वर्ष 2017-18 की पहली छमाही में एफडीआई प्रवाह में 7.3 प्रतिशत की समेकित गिरावट आई है। तथापि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में वर्ष 2016-17 की पहली छमाही में 8.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुई थी, जिसमें 78.0 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि के साथ वर्ष 2017-18 की पहली छमाही में बढ़कर 14.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता के बारे में एक सकारात्मक संकेत है।

विदेशी मुद्रा भंडार

दिसंबर 29, 2017 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अपने सर्वाधिक उच्चस्तर के साथ 409.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। दिसंबर 2016 के अंत से वर्ष-दर-वर्ष आधार पर यह वृद्धि 14.7 प्रतिशत थी, जबकि मार्च 2017 के अंत से दिसंबर 2017 के अंत में यह वृद्धि 10.6 प्रतिशत (370.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर) हो गई। सामान्य शब्दों में विदेशी मुद्रा भंडार में (मूल्य निर्धारण प्रभावों सहित) वर्ष 2017 की पहली छमाही के दौरान 30.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई जबकि पूर्ववर्त्ती वर्ष की इसी अवधि के दौरान 11.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई। नवंबर 2017 के अंत तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का आयात कवर में 12.2 महीने हो गया, जबकि मार्च 2017 के अंत में यह 11.3 महीने थी।

विनिमय दर

वर्ष 2017-18 के दौरान (दिसंबर 2017 तक) अमेरिकी डॉलर की तुलना में सामान्यत: रुपए का कारोबार वृद्धिमान

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

बॉक्स. 1.2: अमेरिकी डॉलर की तुलना में रुपए की स्थिरता

हाल के वर्षों में, बाह्य सेक्टर में हुए विकास की मुख्य विशेषता रुपए और डॉलर की विनियम दर की स्थिरता और उस वर्ष के दौरान उतार-चढ़ाव की दर में कमी रही है। 2011-12 और 2013-14 के बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए के मूल्य में 21 प्रतिशत का मूल्य ह्रास हुआ था, जबकि 2014-15 और 2016-17 के बीच इसमें 8.8 प्रतिशत का मूल्य ह्रास हुआ है। 2016-17 के बाद 2017-18 में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में औसतन मूल्य में वृद्धि हुई है। वार्षिक औसत दर से औसत दैनिक रुपए-डॉलर के विनिमय दर में होने वाले घट-बढ़ के संबंध में उस वर्ष के दौरान उतार-चढ़ाव की माप की गई है। और उस वार्षिक औसत के घटबढ़ के गुणांक के द्वारा इसे दर्शाया गया है। पिछले चार वर्षों में (2014-15 से 2017-18 (दिसंबर के अंत तक) घटबढ़ का गुणांक बहुत कम रहा है जो एक अधिक स्थिर वर्ष के दौरान (कम घटबढ़) रुपए-डॉलर विनिमय दर को दर्शाता है।

सारणी-1 : रुपए-डॉलर विनिमय दर

	रुपए/डॉलर विनिमय दर (वर्ष का औसत)	मानक घट-बढ़	घट-बढ़ का गुणांक (प्रतिशत)
2011-12	47.92	3.03	6.32
2012-13	54.41	1.25	2.29
2013-14	60.50	3.06	5.05
2014-15	61.14	1.19	1.94
2015-16	65.46	1.69	2.57
2016-17	67.07	0.71	1.06
2017-18 (दिसंबर की समाप्ति तक)	64.49	0.42	0.65

स्रोत: *आर.बी.आई. से उपलब्ध दैनिक विनिमय दर से प्राक्कलित*

दर पर हुआ हालांकि सितंबर 2017 में कुछ-कुछ गिरावट भी दर्ज की गई थी। दिसंबर 2017 के दौरान 64.24 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंचने से रुपए में 2.6 प्रतिशत की मजबूती आई, जबकि मार्च 2017 के दौरान एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 65.88 रुपए थी, जिसका कारण अत्यधिक पूंजी प्रवाह था। अमेरिकी डॉलर की तुलना में अधिमूल्यन की प्रवृत्ति जनवरी में जारी रही है। वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान, औसत आधार पर, अमेरिकी डॉलर के साथ-साथ अन्य मुख्य मुद्राओं के मुकाबले में भी रुपए की मूल्य वृद्धि हुई है। औसतन रूप से (अप्रैल-दिसंबर 2017 में) अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त अन्य मुख्य मुद्राओं के मुकाबले भी रुपए के मूल्य में वृद्धि हुई है। रुपए के मूल्य में वृद्धि होना (वास्तविक प्रभावी विनिमय दर आरईईआर के संदर्भ में) यह दर्शाता है कि भारत का निर्यात अपेक्षाकृत कम प्रतिस्पर्द्धात्मक हो गया है।

पिछले कुछ वर्षों में, अमेरिकी डॉलर की तुलना में रुपए का मूल्य अपेक्षाकृत स्थिर रहा है। 2014-15 और 2016-17 की तुलना में 2011-12 और 2013-14 के बीच मूल्य ह्रास का स्तर बहुत अधिक रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस वर्ष उतार-चढ़ाव की दर में भी कमी आई है (बॉक्स 1.2 देखें)।

विदेशी कर्ज

मार्च 2017 के अंत से सितंबर 2017 के अंत तक भारत के विदेशी कर्ज के स्टॉक में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे यह कर्ज बढ़कर 495.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। मुख्य रूप से वाणिज्यिक ऋण में शामिल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश बढ़ जाने के कारण दीर्घावधि के ऋण में वृद्धि हुई है। मुख्यत: व्यापार से संबंधित क्रेडिटों में हुई वृद्धि के कारण अल्पावधि के ऋण में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मुख्यत: सरकार के अन्य विदेशी कर्ज

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

के अंश के कारण मूल ऋण में सरकार के हिस्से का ऋण, जो मार्च 2017 की समाप्ति में 19.4 प्रतिशत था, वह सितंबर 2017 तक बढ़कर 21.6 प्रतिशत हो गया है जो सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी विशेष निवेश के बढ़ते स्तर को दर्शाया है। विदेशी कर्ज को मार्च 2017 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार का 78.4 प्रतिशत था, वह सितंबर 2017 में बढ़कर 80.7 प्रतिशत हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार के वास्तविक परिपक्वता के द्वारा अल्पावधि के ऋण का अनुपात, जो मार्च 2017 के अंत में 23.8 प्रतिशत था वह सितंबर 2017 के अंत में घटकर 29.2 प्रतिशत हो गया है।

व्यापार नीति

वर्ष के दौरान व्यापार नीति में होने वाले दो महत्वपूर्ण सुधार हैं—विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) की मध्यावधि समीक्षा तथा दिसंबर 2017 में आयोजित विश्व व्यापार संगठन की हालिया बहुपक्षीय वार्ता। व्यापार संभारिकी के मोर्चे पर तथा डंपिंग-रोधी उपायों के संबंध में कुछ प्रगति हुई है। अधिसूचित सेवाओं हेतु टेक्सटाइल क्षेत्र के दो उप-सेक्टरों के लिए एमईआईएस (मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रोम इंडिया स्कीम) और एसईआईएस (सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम) प्रोत्साइनों में 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसके साथ-साथ दिसंबर 2017 में सरकार द्वार लेदर एवं फुटवियर क्षेत्र में रोजगार निर्माण हेतु एक विशेष पैकेज अनुमोदित किया गया है, जिससे इन क्षेत्रों से होने वाले निर्यातों में मदद मिलने की संभावना है।

भारतीय संभारिकी (लॉजिस्टिक) बाजार के वर्ष 2019-20 में लगभग 215 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। बढ़ते हुए निर्यातों पर संवर्द्धित संभारिकी का व्यापक प्रभाव है। सरकार ने संभारिकी क्षेत्र के एकीकृत विकास की आवश्यकता को स्वीकार किया है।

वर्ष 2018-19 के लिए विकास की भावी संभावनाएं

केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) का प्राक्कलन है कि वर्ष 2017-18 में जीडीपी विकास की दर 6.5 प्रतिशत पर रहेगी। हालांकि, कुछ ऐसे संकेतक हैं जो विगत कुछ दिनों के दौरान सामने आए हैं, जैसे—विनिर्माण सेवाएं, पीएमआई, औद्योगिक क्षेत्र का विकास जैसाकि उच्चतर आईआईपी द्वारा परिलक्षित हुआ है, ऑटोमोबाइल विक्रय, इत्यादि, जिनसे यह आवश्यक प्रतीत होता है कि वर्ष 2017-18 के लिए जीडीपी विकास दर सीएसओ के प्राक्कलन की तुलना में थोड़ा-सा अधिक हो सकती है (यह 6.5 प्रतिशत से 6.75 प्रतिशत के बीच रह सकती है)। वर्ष 2018-19 के लिए संवृद्धि में अनेक कारकों के आधार पर बढ़ोतरी हो सकती है। सकारात्मक पक्ष पर, अक्टूबर 2017 में विमोचित आईएमएफ के वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक के अनुसार वैश्विक वृद्धि दर वर्ष 2017 में 3.6 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2018 में 3.7 प्रतिशत पर आने की उम्मीद है। इससे भारत के निर्यातों में अतिरिक्त तेजी आने की संभावना है जिसने चालू वर्ष में तेजी को पहले ही दर्शा दिया है। धनप्रेषणों, जिन्होंने चालू वर्ष की प्रथम छमाही में पुनः प्रवर्तन का संकेत दिया है, में तेजी आने की आशा की जा सकती है, विशेष रूप से यदि तेल की कीमतें चालू वर्ष के अनुरूप ही बढ़ती हुई प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती रहें।

देश में निवेश गतिविधियों के पुनः प्रवर्तन के संकेत मिल रहे हैं और स्थिर निवेश की वृद्धि में हालिया उछाल के आगामी वर्ष में यही गति बनाए रखने की अपेक्षा की जा सकती है। यदि महंगाई दर अपने मौजूदा स्तरों से अधिक ऊपर नीचे नहीं होती है तो नीतिगत दरों के पूरी तरह स्थिर बने रहने की आशा की जा सकती है। यह, वैश्विक बाजारों में प्रचलित अभी तक अनुकूल ब्याज दर व्यवस्था के साथ निवेश के वातावरण को और अधिक निश्चितता प्रदान कर सकती हैं। वर्ष 2017-18 में किए गए सुधारात्मक उपायों के वर्ष 2018-19 में भी और सुदृढ़ होने और विकास की गति को बल देने की अपेक्षा की जा सकती है। दूसरी ओर, उच्च वृद्धि को होने वाले अधोवर्ती जोखिम उच्चतर कच्चे तेल की कीमत से होते हैं, जिनके (वर्तमान संकेतों के अनुसार), वर्ष 2017-18 के लिए लगाया 56-57 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल (भारतीय बाजार के लिए) के संभावित औसत के ऊपर अधिक

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

सारणी 6: कृषि क्षेत्र-प्रमुख संकेतक

मद	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (PE)	2017-18 (AE)
कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में जीवीए वृद्धि (2011-12 में वर्तमान कीमतों पर)	1.5	5.6	-0.2	0.7	4.9	2.1
कुल जीवीए में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का हिस्सा (वर्तमान कीमतों पर)	18.2	18.6	18.0	17.5	17.4	16.4
कुल जीसीएफ में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का हिस्सा, जिसमें से	7.7	9.0	8.3	7.8	एनए	एनए
फसल की हिस्सेदारी*	6.5	7.7	6.9	6.5	एनए	एनए
पशुधन की हिस्सेदारी*	0.8	0.9	0.8	0.8	एनए	एनए
वानिकी और लट्ठे बनाने का क्षेत्र*	0.1	0.1	0.1	0.1	एनए	एनए
मछली पालन का हिस्सा*	0.4	0.5	0.5	0.5	एनए	एनए

नोट: कुल जीसीएफ में हिस्सेदारी, जो कि राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, 2017 तथा वर्ष 2017-18 के प्रथम अनुमानों पर आधारित हैं। एनए: उपलब्ध नहीं

स्रोत: *केंद्रीय सांख्यकी संगठन*

से अधिक लगभग 10-15 प्रतिशत की वृद्धि की अपेक्षा की जा सकती है। कुछ देशों में संरक्षणवादी नीतियां निर्यात-वृद्धि को प्रभावित कर सकती हैं, जबकि विकसित देशों में मौद्रिक शर्तों को कड़ा करने की संभाव्यता से पूंजी के अंत:प्रवाहों में कमी आ सकती है। इस मौद्रिक कठोरता से वित्तीय संकट की संभावना भी हो सकती है और अधोवर्ती जोखिम हो सकता है। इसके समाधान पर वर्ष 2018-19 में संवृद्धि दर के उच्चतर रहने की मजबूत संभावना है और यह वर्ष 7.0 से 7.5 प्रतिशत के बीच में जीडीपी संवृद्धि दर पर समाप्त होने की संभावना है।

क्षेत्रवार घटनाक्रम

कृषि एवं सहायक सेक्टर

आमतौर पर अन्य बातों के साथ-साथ विकास की प्रक्रिया में जीवीए में कृषि की हिस्सेदारी में गिरावट आती है, जो कि भारत में भी देखा जा रहा है। जीवीए में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2012-13 में 18.2 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2016-17 में 17.4 प्रतिशत हो गया (वर्तमान कीमतों पर)। हालांकि हिस्सेदारी में गिरावट रोजगार, जीविका और खाद्य सुरक्षा से संबंधित क्षेत्र के महत्व को नकारता नहीं है। इसके अलावा, कृषि क्षेत्र स्वयं भी हाल के वर्षो में क्रमिक संरचनात्मक परिवर्तन का साक्षी बन रहा है। कृषि के जीवीए में पशुधन की हिस्सेदारी वर्ष 2011-12 से लगातार बढ़ रही है, जबकि फसल क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 2011-12 में 65 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 60 प्रतिशत हो गई है।

कृषि, सहयोग और किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी किए गए चतुर्थ अग्रिम प्राक्कलन के अनुसार भारत ने वर्ष 2016-17 के दौरान खाद्यान्न का लगभग 275.7 मिलियन टन रिकॉर्ड उत्पादन किया। वर्ष 2017 के खरीफ सीजन के दौरान अधिकांश फसलों का अनुमानित उत्पादन पिछले पांच वर्षो के उनके सामान्य उत्पादन की तुलना में अधिक रहने का अनुमान लगाया है। 22 सितंबर, 2017 को जारी किए गए प्रथम अग्रिम प्राक्कलन (एई) के अनुसार, वर्ष 2017-18 के दौरान खरीफ सीजन के लिए खाद्यान्न का उत्पादन 134.7 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

था, जो कि वर्ष 2016-17 की तुलना में 3.9 मिलियन टन कम था। वर्ष 2017-18 के दौरान चावल का कुल उत्पादन 94.5 मिलियन टन होने का अनुमान व्यक्त किया गया है जबकि वर्ष 2016-17 के दौरान चावल का कुल उत्पादन 96.4 मिलियन टन हुआ था। वर्ष 2017-18 के दौरान दलहन का कुल उत्पादन 8.7 मिलियन टन, गन्ने का 337.7 मिलियन टन, तिलहन का 20.7 मिलियन टन और कपास की 170 किलो ग्राम की 32.3 मिलियन गांठों का अनुमान है।

यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे, 2017 के मुताबिक भारत विश्व में निवल फसली क्षेत्र (179.8 एमएचए) के 9.6 प्रतिशत के साथ पहले स्थान पर है। अतः भारत में विविध फसल उगाने और कृषि को एक टिकाऊ एवं लाभदायक आर्थिक गतिविधि बनाने की जबर्दस्त क्षमता है। हालांकि फसलों का पैटर्न विभिन्न कारकों, जैसे–कृषि जलवायु, जोत का आकार, कीमतें, लाभप्रदता और सरकारी नीतियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। सरकार एक अत्यधिक विविधीकृत फसल पैटर्न को प्राप्त करने के लिए मूल हरित क्रांति वाले राज्यों, जैसे–पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फसल विविध करण कार्यक्रम को लागू कर रही है ताकि धान के क्षेत्रों का सदुपयोग करते हुए वहां जल की कम आवश्यकता वाली फसलें उगाई जा सकें। यह किसानों को लगने वाले कीमत संबंधी झटकों और उत्पादन/फसल हानियों के जोखिमों को कम करने में मदद करता है।

कृषि उत्पादकता महत्वपूर्ण इनपुट, जैसे–सिंचाई, बीज, खाद, क्रेडिट, मशीन, प्रौद्योगिकी और विस्तार सेवाओं के उपयुक्त प्रयोग से निर्धारित की जाती है। इनपुट सर्वे (2011-12) के अनुसार कुल परिचालित जोतों में से केवल 9.4 प्रतिशत प्रमाणित बीजों का उपयोग करते हैं, 27.0 प्रतिशत अधिसूचित किस्मों के बीज का उपयोग करते हैं और केवल 9.8 प्रतिशत हाइब्रिड (संकर) बीजों का उपयोग करते हैं। कुल फसली क्षेत्र निवल सिंचित क्षेत्र का अखिल भारतीय प्रतिशत वर्ष 2014-15 में 34.5 प्रतिशत था जो वर्षा जल पर निर्भर भारत में कृषि का बड़ा हिस्सा बनाता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) सिंचाई क्षेत्र की कवरेज और कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए चरणबद्ध रीति से 76.0 लाख हैक्टेयर को शामिल करते हुए 99 मुख्य और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कमान एरिया विकास की सहायता से मिशन तरीके से कार्यान्वित की जा रही है।

एनएसएसओ रिपोर्ट (जुलाई 2012-जून 2013) से संकेत प्राप्त हुआ है कि फसल उत्पादन से संबंधित क्रियाकलापों में कार्यरत परिवारों का बहुत ही छोटा हिस्सा अपनी फसलों का बीमा करवाता था। कृषि संबंधित कामकाज में लगे हुए परिवारों को फसल बीमा के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है। इस संबंध में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), जो उपज सूचकांक आधारित बीमा योजना है, और 2016 में शुरू की गई थी, पूर्व की स्कीमों की तुलना में अधिक भूमि को शामिल करते हुए महत्वपूर्ण प्रगति की है। खरीफ 2016 के मौसम के दौरान 23 राज्यों ने पीएमएफबीवाई को कार्यान्वित किया और 2016-17 के रबी के मौसम के दौरान 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पीएमएफबीवाई को कार्यान्वित किया। दिसंबर 2017 को यथास्थिति, पीएमएफबीवाई, 116 लाख किसानों (आवेदनों) के लिए कुल 13292 करोड़ रुपए के दावे अनुमोदित किए गए हैं और 12020 करोड़ रु. का भुगतान किया जा चुका है।

उद्योग, कॉरपोरेट और अवसंरचना निष्पादन

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी), जो कि आधार वर्ष 2011-12 के साथ एक परिमाणात्मक सूचकांक है, दर्शाता है कि औद्योगिक उत्पाद में, अप्रैल-नवंबर 2017-18 के दौरान, पूर्ववर्ती वर्ष की संगत अवधि की तुलना में 3.2 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। यह विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में 5.2 प्रतिशत की जबर्दस्त वृद्धि तथा खनन एवं विनिर्माण क्षेत्र में क्रमशः 3.0 प्रतिशत और 3.1 प्रतिशत की संयत वृद्धि का समग्र प्रभाव है। आठ प्रमुख अवसंरचना सहायक उद्योगों, यानी कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पैट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, फर्टिलाइजर्स, इस्पात, सीमेंट और बिजली, जिनका आईआईपी में कुल लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा है, में अप्रैल-नवंबर 2017-18 के दौरान 3.9 प्रतिशत की संचयी वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान, कोयला, प्राकृतिक

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

गैस, रिफाइनरी उत्पाद, इस्पात, सीमेंट और बिजली के क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि धनात्मक रही। इस्पात उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई जबकि कच्चे तेल और फर्टिलाइजर उत्पादन में उक्त अवधि के दौरान सीमांत गिरावट हुई। नवंबर 2017 में आईआईपी ने 8.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की और पूर्ववर्ती वर्ष की संगत अवधि के दौरान अप्रैल से नवंबर में यह वृद्धि 3.2 प्रतिशत थीं।

भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2017 के अंत में उद्योगों में नामिक बकाया क्रेडिट वृद्धि में नवम्बर 2016 के अंत तक हुई वृद्धि की तुलना में 1 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई थी। ऋण क्षेत्र की मंदी के संदर्भ में भारतीय फर्मों द्वारा की गई निधियों की मांग को कुछ हद तक वैकल्पिक स्रोतों, जैसे कि कॉरपोरेट बॉण्ड, विदेशी वाणिज्यिक उधारियां और वाणिज्यिक प्रपत्र इत्यादि द्वारा पूरा किया गया है।

विश्व बैंक की अद्यतन *''डूइंग बिजनेस रिपोर्ट-2018''* में भारत ने अपनी पूर्ववर्ती 130 रैंक से 30 पायदान की छलांग लगाई है। मूडी इंवेस्टर्स सर्विस ने भी भारत की रेटिंग को नीचे से उठाते हुए Baa 3 से Baa 2 के ग्रेड में रेटिंग की है। यह सब माल और सेवा कर, शोधन अक्षमता और दिवालियापन कोड और बैंक पुनर्पूंजीकरण की घोषणा के कार्यान्वयन को शामिल करते हुए सरकार द्वारा किए गए अनेक उपायों के कारण हुआ है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम, स्टार्ट-अप इंडिया और बौद्धिक अधिकार नीति सहित औद्योगिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कई सुधार किए गए हैं।

क्षेत्रवार की गई पहल

- **इस्पात:** चीन, दक्षिण कोरिया और यूक्रेन से किए जाने वाले सस्ते स्टील के आयात की डंपिंग की समस्या से निपटने के लिए, सरकार ने सीमा शुल्क में वृद्धि की है और एंटी-डंपिंग शुल्क अधिरोपित किया है। इसी प्रकार, एक वर्ष की अवधि के लिए फरवरी 2016 में कुछ मदों पर न्यूनतम आयात कीमत (एमआईपी) शुरू की। इन उपायों से घरेलू उत्पादकों को मदद मिली और निर्यातों में वृद्धि हुई। फरवरी 2017 में सरकार ने विविध स्टील उत्पादों पर एंटी-डंपिंग शुल्क और प्रतिकारी शुल्कों की अधिसूचना जारी की। सरकार ने मई 2017 में एक नई इस्पात नीति की शुरूआत की।
- **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र:** एमएसएमई सेक्टर की बड़े उद्योगों की तुलना में अपेक्षाकृत कम पूंजी लागत पर बड़े पैमाने पर रोजगार अवसर प्रदान करने में और ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका है। सूक्ष्म औद्योगिक यूनिटों से संबंधित गतिविधियों के लिए पुन: वित्तीयन करने और उनका विकास करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की लागू की है।
- **वस्त्र और परिधान:** परिधान फर्मों के सम्मुख आई कुछ समस्याओं के निवारण के लिए, कैबिनेट ने जून, 2016 को परिधान सेक्टर के लिए 6000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। इसमें यह पाया गया था कि जून 2016 में इसके लागू होने से, पैकेज का मानव निर्मित धागों (फाइबर) से बने रेडीमेड गारमेंन्टस (आरएमजी) के निर्यात पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था, जबकि इसका ऊन के सिवाय अन्य प्राकृतिक धागों से रेडीमेड गारमेन्ट्स पर सांख्यिकीय तौर पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा था। समय के साथ-साथ पैकेज का प्रभाव पड़ा और क्षीणन का कोई लक्षण दिखाई नहीं दिया। सरकार ने दिसंबर 2017 में वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की अवधि के 1300 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए योजना अनुमोदित की।
- **चमड़ा क्षेत्र:** चमड़ा क्षेत्र अत्यंत श्रम आधारित क्षेत्र भी है। दिसंबर 2017 में चमड़ा और फुटवियर क्षेत्र में नियोजन को बढ़ावा देने के प्रयोजन से, 2600 करोड़ रुपए के परिव्यय

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

वाली स्कीम की तीन वित्तीय वर्षों 2017-18 से 2019-2020 के लिए घोषणा की गई।

- **रत्न और आभूषण:** भारत रत्नों और आभूषणों के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। इस क्षेत्र में निर्यात की वृद्धि 2014-15 में 0.7 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 12.8 प्रतिशत हो गई है। इस क्षेत्र को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिनके लिए आभूषण का डिजाइन तैयार करने, रिफाइनरी हॉल मार्क केन्द्र स्थापित करने आदि तथा विविध आभूषण पार्क तैयार करने में प्रशिक्षण के लिए सरकारी-निजी भागीदारी अपेक्षित होगी।

अवसंरचनात्मक कार्य निष्पादन

भारत के दीर्घकालीन विकास में सहायता करने के लिए सरकार भवन अवसंरचना पर निवेश में बढ़ोतरी कर रही है। कुछ महत्वपूर्ण अवसंरचना क्षेत्रों के निष्पादन पर आगे चर्चा की गई है।

- **सड़क:** इस सेक्टर में सरकार के प्राथमिक ऐजेंडा में नए राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) बनाने और राज्य राजमार्गों (एसएच) को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने की व्यवस्था है। सितम्बर, 2017 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई में 115530 किमी. लंबी सड़कें और अन्य राजमार्ग में 1,60,235 कि.मी. लम्बी सड़कें तथा 52,07,044 कि.मी. लम्बी अन्य सड़कें शामिल हैं। विलंबित परियोजनाओं के तुरन्त समापन के उद्देश्य से, भूमि अर्जन और पर्यावरण संबंधी अनुमति को सरल और कारगर बनाने के लिए विविध कदम उठाए गए हैं। नव-व्यापक कार्यक्रम ''भारतमाला परियोजना'' का उद्देश्य एक आदर्श राजमार्ग विकास के लिए अनुकूल संसाधन नियतन प्राप्त करना है।
- **रेलवे:** अप्रैल-सितम्बर 2017 के दौरान, भारतीय रेलवे ने पिछले वर्ष की समरूपी अवधि के दौरान 531.2 मिलियन टन माल ढुलाई की तुलना में 558.1 मिलियन टन राजस्व अर्जक माल की ढुलाई की है, जो इस अवधि के दौरान 5.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। सरकार ने रेलवे अवसंरचना विकास पर जोर दिया है। ब्रॉड गेज (बीजी) लाइनों को चालू करने और विद्युतीकरण के कार्य समापन की गति को त्वरित किया गया है। भारत सरकार की वित्तीय सहायता से, दिसम्बर, 2017 में, यथास्थिति, संपूर्ण भारत के विविध शहरों में 425 कि.मी. की मेट्रो रेल प्रणालियां चालू है और लगभग 684 कि.मी. की मेट्रो रेल प्रणाली निर्माणाधीन है।
- **पत्तन (बन्दरगाह):** वर्ष 2017-18 में (31-12-2017 तक) प्रमुख बंदरगाहों पर संचालित कार्गो यातायात वर्ष 2016-17 की समान अवधि के दौरान संचालित 481.8 मिलियन टन कार्गो यातायात की तुलना में 499.4 मिलियन टन हो गया है। सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत, जिसका उद्देश्य भारतीय तट रेखा के किनारे पत्तन आधारित विकास को बढ़ावा देना है, 2.17 लाख करोड़ रुपये मूल्य की 289 परियोजनाएं कार्यान्वयन और विकास के विभिन्न चरणों में हैं।
- **दूरसंचार:** 'भारत नेट' एवं 'डिजिटल इंडिया' जैसे कार्यक्रम भारत को एक डिजिटल अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के लिए हैं। सितम्बर 2017 के अंत में, कुल ग्राहकों की संख्या 1207 मिलियन हो गई जिसमें से 502 मिलियन कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्रों में थे और 705 मिलियन कनेक्शन शहरी क्षेत्रों में थे।
- **नागर विमानन:** अप्रैल-सितम्बर 2017 में, घरेलू एयरलाइनों में 57.5 मिलियन यात्रियों ने यात्रा की, जो पिछले वर्ष की उसी अवधि के दौरान 16 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाता है। सरकार हवाई सेवाओं के उदारीकरण, विमान पत्तन विकास और उड़ान स्कीम के माध्यम से क्षेत्रीय जुड़ाव जैसी पहल कर रही है।
- **विद्युत:** अखिल भारतीय स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 30 नवम्बर, 2017 की स्थिति के अनुसार

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

330,861 मेगावाट पहुंच गई है। 1 अप्रैल, 2015 को यथास्थिति, कुल 18,542 गाँव अविद्युतीकृत थे जिनमें से 30 नवम्बर, 2017 की स्थिति के अनुसार, 15183 ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो गया है। उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (यूडीएवाई) में ब्याज भार, बिजली की लागत और सकल तकनीकी व वाणिज्यिक हानियों को को कम करके डिस्कामों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने पर बल दिया गया है। सौभाग्य नामक एक नई स्कीम (प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना) सितम्बर 2017 में प्रारंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बाकी सभी इच्छुक परिवारों (घरों) का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना था।

सेवाएं

भारत की सकल मूल्य वृद्धि (जीवीए) में 55.2 प्रतिशत के हिस्से के साथ सेवा क्षेत्र भारत की आर्थिक संवृद्धि का महत्वपूर्ण संचालक बना हुआ है, जो वर्ष 2017-18 में सकल मूल्य की वृद्धि का लगभग 72.5 प्रतिशत है। यद्यपि वर्ष 2017-18 में इस क्षेत्र की संवृद्धि के 8.3 प्रतिशत होने की उम्मीद की जाती है, किन्तु सेवा निर्यातों और निवल सेवाओं में वृद्धि 2017-18 की प्रथम छमाही में क्रमशः 16.2 प्रतिशत और 14.6 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है। 32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों, जिनके लिए नव आधार (2011-12) सीरीज हेतु डेटा सीएसओ द्वारा जारी किए जाते हैं, उनमें से सेवा/सर्विस क्षेत्र 15 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सकल राज्य मूल्य वृद्धि (जीएसवीए) के आधे से अधिक योगदानकर्ता प्रबल क्षेत्र है। इन 32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में, सर्विस क्षेत्र जीवीए शेयर के संदर्भ में दिल्ली एवं चंडीगढ़ सबसे ऊपर है, जिनका हिस्सा 80 प्रतिशत है और सिक्किम सबसे नीचे है, जिसका हिस्सा 31.7 प्रतिशत है।

वर्ष 2016-17 में, सेवा क्षेत्र (निर्माण सहित शीर्ष 10 क्षेत्र) में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) इक्विटी अंतर्वाहों में 0.9 प्रतिशत कम होने पर वह 26.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गए हैं, भले ही, समग्र एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह 8.7 प्रतिशत तक बढ़ा है तथापि, वर्ष 2017-18 (अप्रैल-अक्टूबर) के दौरान, पूर्ववर्ती वर्ष की संगत अवधि में कुल एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह की तुलना में इन क्षेत्रों के कुल एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह में, मुख्यत: दो क्षेत्रों अर्थात् दूरसंचार तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर क्षेत्र में उच्च एफडीआई के कारण, 15.0 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।

वर्ष 2016 में भारत विश्व में वाणिज्यिक सेवाओं में आठवां सबसे बड़ा निर्यातक (डब्ल्यूटीओ, 2017) रहा जिसका हिस्सा 3.4 प्रतिशत है और यह विश्व में भारत के पण्य निर्यातों के हिस्से का दोगुना है। भारत की सेवा निर्यात वृद्धि वर्ष 2016-17 में 5.7 प्रतिशत वृद्धि दर के साथ सकारात्मक क्षेत्र में लौट आयी, जो कि वर्ष 2015-16 में (-)2.4 प्रतिशत थी। अप्रैल-सितम्बर 2017 के दौरान सेवा निर्यात में 16.2 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि दर्ज की गई और यात्रा एवं सॉफ्टवेयर सेवाओं जैसे कुछ प्रमुख क्षेत्रों में कुछ मोड़ आया। भारत के सेवा क्षेत्र में निर्यातों में भी अप्रैल-सितम्बर 2017 में 17.4 प्रतिशत की अत्यधिक उच्च वृद्धि दिखाई दी। निवल सेवा प्राप्तियों में वर्ष 2016-17 की प्रथम छमाही की तुलना में वर्ष 2017-18 के अप्रैल-सितम्बर के दौरान 14.6 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। सेवाओं में निवल बचत से वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही में भारत के लगभग 49 प्रतिशत पण्य व्यापार घाटे का लिए वित्तीयन हो गया और इससे चालू खाता घाटे को सहारा मिला।

भारत में, आने वाले विदेशी पर्यटकों (एफटीए) की संख्या के वर्ष 2016 में 8.8 मिलियन तक पहुंचने के कारण पर्यटन क्षेत्र में जबरदस्त उछाल आया है। वर्ष 2016 में विदेशी मुद्रा आय (एफ.ई.ई) में 22.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आय में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पर्यटन मंत्रालय के अनंतिम डाटा के अनुसार वर्ष 2017 के दौरान 10.2 मिलियन विदेशी पर्यटकों के साथ 15.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि वर्ष 2016 के दौरान पर्यटन संबंधी विदेशी मुद्रा आय में 27.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ 20.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। हॉल ही के वर्षों में पर्यटन में जबरदस्त उछाल आया है। वर्ष 2015 के दौरान भारत से

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

विदेश जाने वाले भारतीयों की संख्या 20.4 मिलियन थी, जो वर्ष 2016 के दौरान 7.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बढ़कर 21.9 मिलियन हो गई। यह संख्या भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या के दोगुने से भी अधिक हैं। घरेलू पर्यटकों की संख्या जहां वर्ष 2015 में 1432 मिलियन थी वहीं वर्ष 2016 में यह संख्या 12.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बढ़कर 1614 मिलियन हो गई।

एनएएसएससीओएम डाटा के अनुसार भारत का सूचना प्रौद्योगिकी-बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट (आईटीबीपीएम) उद्योग वर्ष 2016-17 में 8.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 139.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर (ई-कॉमर्स तथा हार्डवेयर के अलावा) हो गया। वर्ष 2016-17 के दौरान आईटी-बीपीएम निर्यात में साथ 7.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 116.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। वर्ष 2016-17 के दौरान ई-कामर्स बाजार में 33 19.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाने का अनुमान लगाया गया। तथापि भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2016-17 के दौरान सॉफ्टवेयर निर्यात में 0.7 प्रतिशत का संकुचन हुआ है। वर्ष 2017-18 की पहली छमाही में इसमें 2.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आईटी-आईटीईएस संबंधी कुल निर्यात में लगभग 90 प्रतिशत की भागीदारी अमेरिका, यूके तथा यूरोपीय संघ की रही। इन परंपरागत भौगोलिक परिस्थितियों में नई-नई चुनौतियों के आने से एशिया-प्रशांत के देशों (एपीएसी), लैटिन अमेरिका और मध्य-पूर्व एशिया से मांग बढ़ने से महाद्वीपीय यूरोप, जापान, चीन और अफ्रीका में नए-नए अवसरों का विस्तार हो रहा है।

स्थावर संपदा क्षेत्र, में (आवास स्वामित्व सहित) की वर्ष 2015-16 में भारत के समग्र जीवीए में 7.7 प्रतिशत की भागीदारी रही। गत तीन वर्षों के दौरान इन क्षेत्र स्वामित्व की वृद्धि में गिरावट का आना है। वर्ष 2013-14 में जहां यह वृद्धि 7.1 प्रतिशत थी वहीं वर्ष 2015-16 में गिरकर 3.2 प्रतिशत रह गई। एनएचबी के रेजीडैक्स इंडेक्स के अनुसार 50 मुख्य शहरों में से 36 शहरों में अप्रैल-जून 2017 के दौरान मकानों की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई थी जब 13 शहरों में गिरावट दर्ज की गई।

वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान अनुसंधान और विकास सेवाओं सहित प्रोफेशनल वैज्ञानिक और तकनीकी कार्यकलापों में क्रमशः 17.5 प्रतिशत और 41.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। भारत में कार्यरत अनुसंधान और विकास सेवा कंपनियों, जिनकी वैश्विक बाजार में भागीदारी लगभग 22 प्रतिशत है, में 12.7 प्रतिशत की रफ्तार में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। तथापि अनुसंधान और विकास में भारत का कुल व्यय बहुत कम है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद के केवल 1 प्रतिशत के लगभग है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) के मामले में भारत वर्तमान में 127 देशों की सूची में 60वें स्थान पर आ गया है, जबकि वर्ष 2016 में 66वें स्थान पर था। *ग्लोबल कंपीटिटिवनेस रिपोर्ट, 2017-18* के अनुसार इनोवेशन के संबंध में भारत की क्षमता अमेरिका, यूके, दक्षिण कोरिया जैसे कई देशों से बहुत कम है लेकिन चीन से बेहतर स्थिति में है। तथापि, प्रति मिलियन आबादी के हिसाब से पेटेंट आवेदनों के मामले में भारत ब्रिक्स के अन्य देशों से बहुत अधिक पीछे है और अनुसंधान और विकास पर कंपनी खर्च के मामले में भारत चीन से मामूली पीछे है।

मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार उपग्रह प्रक्षेपण के मामले में पीएलएलबी में 254 उपग्रहों का सफलता पूर्वक प्रक्षेपत्र किया। उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं के निर्यात से भारत की विदेशी मुद्रा आय में हाल ही में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप वैश्विक उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं में भारत की भागीदारी में भी 2014-15 में 0.3 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 1.1 प्रतिशत हो गई।

सरकार ने विभिन्न सेवा क्षेत्रों, जैसे कि डिजीटलीकरण, ई-वीजा, संभार तंत्र संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट्स, स्टार्ट अप इंडिया और हाउसिंग क्षेत्र आदि से संबंधित योजनाओं, में अनेक कदम उठाए हैं जिससे सेवा क्षेत्र में उछाल आने की संभावना है। पर्यटन, विमानन और दूरसंचार जैसे उप-सेक्टरों के अच्छे प्रदर्शन के कारण संभावनाएं उज्ज्वल प्रतीत हो रही हैं। तथापि, सॉफ्टवेयर और व्यावसायिक सेवा क्षेत्रों को बाहरी कारकों से उत्पन्न जोखिम मौजूद है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

सामाजिक अधिसंरचना

सामाजिक अधिसंरचना पर व्यय

भारत में 2012-13 से 2014-15 के दौरान समाज सेवा पर किया जाने वाला व्यय जी.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में 6 प्रतिशत की रेंज में स्थिर रहा है तथा यह 2015-16 में 5.8 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 (बी.ई.) में 6.6 प्रतिशत हो गया।

सभी 29 राज्यों द्वारा तीन वर्षों (अर्थात् 2014-15 से 2016-17 (बजट अनुमान) में जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में समाज सेवा पर किया जाने वाला राज्यवार व्यय 6 प्रतिशत से 6.9 प्रतिशत तक की वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाता है। हालाँकि, राज्यों के बजट का विश्लेषण यह दर्शाता है कि समाज सेवा पर किए जाने वाले व्यय के अंश में अंतर-राज्य अंतर बहुत अधिक हैं। 2016-17 में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, तथा जम्मू और कश्मीर ने समाज सेवा पर जीएसडीपी के सर्वाधिक अंश का व्यय किया है, जबकि महाराष्ट्र, पंजाब और एनसीटी दिल्ली इस क्षेत्र में सबसे निचले स्थान पर रहा है।

शिक्षा की स्थिति

शिक्षा का अधिकार सूचकांक, जो शिक्षा की सर्वव्यापकता की प्रभावोत्पादकता को दर्शाता है, के अनुसार, अधिकांश राज्यों में पीटीआर (छात्र-शिक्षक अनुपात) प्रतिमानकों द्वारा अनुपालित विद्यालयों के प्रतिशत में वृद्धि दर्ज की गई है। जीपीआई (लैंगिक समानता सूचकांक) महिलाओं को शिक्षा देने में किए जाने वाले भेदभाव को दर्शाता है। 'बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ' जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के नामांकन में जीपीआई में काफी हद तक सुधार हुआ है। हालांकि, उच्च शिक्षा में नामांकन के क्षेत्र में लैंगिक असमानता अभी भी विद्यमान है, जिसके संबंध में, उच्च शिक्षा में महिलाओं के निवल दाखिले की दर में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों की शुरूआत की जा रही है। '*भारत : देश में राज्यों का स्वास्थ्य रिपोर्ट, 2017*' में पहली बार वर्ष 1990 से 2016 तक की देश के सभी राज्यों से संबंधित बीमारियों और जोखिम घटकों पर निष्कर्षों का व्यापक सेट दिया गया है। कुपोषण अभी भी सर्वाधिक जोखिम घटक (14.6 प्रतिशत) है, जिसका परिणाम देश में बीमारी बोझ के रूप में पड़ता है, भले ही इसमें वर्ष 1990 से पर्याप्त गिरावट आ रही है। भारत में कुल बीमारी बोझ का 33 प्रतिशत हिस्सा वर्ष 2016 में संक्रामक, मातृक, नवजात, और कुपोषण संबंधी बीमारियों (जिन्हें संक्रामक एवं अनुषंगी बीमारियां कहा जाता है) के कारण था। गैर-संक्रामक बीमारियों के योगदान में वर्ष 1990 में 30 प्रतिशत कुल बीमारी बोझ वर्ष 2016 में बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया है और चोट का योगदान 9 प्रतिशत से बढ़कर 12 प्रतिशत हो गया है। लगभग 5 प्रतिशत स्वास्थ्य हानि असुरक्षित पेयजल, स्वच्छता और हाथ धोने की पद्धतियों के कारण थी जिसका निवारण सरकार स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के माध्यम से करने का प्रयास कर रही है।

ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन

कई अध्ययनों से पता चला है कि, खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) क्षेत्र होने से स्वास्थ्य और आर्थिक क्षेत्र में लाभ हुआ है। भारत को स्वच्छता सुविधाओं के अभाव के कारण सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत से अधिक की लागत वहन करनी पड़ती है। स्वस्थ जीवन में स्वच्छता की भूमिका को स्वीकार करते हुए और सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज के प्रयासों को गति प्रदान करने के लिए सरकार ने 2 अक्टूबर, 2014 को 'स्वच्छ भारत मिशन' की शुरूआत की। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा किए गए आधारभूत सर्वेक्षण के अनुसार, अक्टूबर 2014 में खुले में शौच करने वाले व्यक्तियों की संख्या 55 करोड़ थी जो अक्टूबर 2017 में घटकर 30 करोड़ रह गई; जोकि वर्ष 2014 से पूर्व देखी गई प्रवृत्ति की तुलना में एक तीव्रतर गति से बदलाव हुआ है।

श्रम सुधार

भारत में रोजगार सेक्टर अपनी संरचना के अनुसार बड़ी-बड़ी चुनौतियों का सामना करता है जिस पर अनौपचारिक कामगारों, बेरोजगारी के उच्च स्तरों, कौशल की कमी तथा

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

कठोर श्रम कानूनों और संस्थाओं से युक्त श्रम बाजारों का प्रभाव है। इस संदर्भ में सरकार मौजूदा कानूनों के संगत प्रावधानों को तैयार कर चार श्रम संहिताएं यानी, मजदूरी संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण संहिता तथा संरक्षा एवं काम की दशाओं पर संहिता, बनाकर 38 श्रम अधिनियमों को तर्कसंगत बनाने की प्रक्रिया में है।

धारणीय विकास, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन

धारणीय विकास लक्ष्य

भारत द्वारा चुने गए विकास पथ और संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित धारणीय विकास के लक्ष्यों के बीच बहुत-सी समानताएं हैं। संयुक्त राष्ट्र धारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी), जिन्हें सितंबर 2015 में विश्व समुदाय द्वारा अंगीकृत किया गया है, में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं को व्यापक रूप से सम्मिलित किया गया है और इनमें सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (एमडीजी) भी निर्धारित किए गए हैं। ऐसे कुल 17 एसडीजी हैं, जिनके तहत वर्ष 2030 तक 169 लक्ष्य प्राप्त किए जाने निश्चित किए गए हैं।

न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में धारणीय विकास पर उच्चस्तरीय राजनीतिक फोरम (एचएलपीएफ) में 19 जुलाई, 2017 को एसडीजी के कार्यान्वयन पर भारत ने अपनी प्रथम स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (वीएनआर) प्रस्तुत की। यह वीएनआर रिपोर्ट देश में विभिन्न कार्यक्रमों एवं कदमों के तहत हुई प्रगति के विश्लेषण पर आधारित है। वीएनआर रिपोर्ट में 7 एसडीजी पर फोकस किया गया, जो हैं–एसडीजी 1 (गरीबी उन्मूलन); 2 (शून्य भूख); 3 (उत्तम स्वास्थ्य और बेहतर जीवन); 5 (लिंग-समानता); 9 (उद्योग, नवीकरण और अवसंरचना); 14 (जलीय जीवन) और 17 (लक्ष्यों हेतु साझेदारी)।

शहरी भारत और धारणीय विकास

एसडीजी 11 का नारा है, ''शहरों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और धारणीय बनाएं।'' भारत अब ग्रामीण से शहरी जीवन की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आज की सबसे जरूरी मांग यह है कि शहरों के निवासियों को सार्वजनिक सेवाएं मुहैया कराई जाएं। हालांकि, धारणीय शहरी रूपांतरण के लिए आवश्यक परिमाण में संसाधनों की प्राप्ति एक भयंकर चुनौती सिद्ध हो रही है। अधिकांश शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में औसत लागत वसूली 50 प्रतिशत से कम है। इसके आगे विभिन्न नवीन वित्तीय साधनों जैसे कि म्यूनिसिपल बॉण्ड्स, पीपीपी, क्रेडिट जोखिम गारंटी आदि के माध्यम से संसाधन जुटाने में यूएलबी के समक्ष उत्पन्न चुनौती से निपटने की बात है।

धारणीय ऊर्जा की उपलब्धता

वहनीय विश्वसनीय, धारणीय और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच का अन्य समस्त लक्ष्यों के साथ गहरा अंतर्संबंध है। यह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर अन्य धारणीय विकास उद्देश्यों, जैसे कि उत्तम स्वास्थ्य एवं बेहतर जीवन, लैंगिक समानता, उद्योग, नवीकरण और अवसंरचना धारणीय शहर एवं समुदायों आदि से भी संबंधित है।

भारत में परिवारों की महिलाएं सदस्यों पर जलावन लकड़ी और पानी लाने और खाना पकाने का बोझ गैर आनुपातिक रूप से अधिक रहा है। जो महिलाएं और बच्चे खाना बनाने के कार्य में सीधे लगे हुए हैं अथवा जिनका अत्यधिक समय घरों में ही व्यतीत होता है उन पर घर के भीतर वायु प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभावों में भी गैर-आनुपातिक रूप से गिरावट आ रही है। यद्यपि अनेक वर्षों में देश में स्वच्छ भोजन पकाने के विकल्पों तक परिवारों की पहुंच मुहैया कराने में पर्याप्त प्रगति हुई है, फिर भी अभी भी ऐसे व्यक्तियों की संख्या अधिक है जिनकी पहुंच भोजन पकाने के स्वच्छ ईंधनों तक नहीं है। इस प्रकार से आधुनिक ऊर्जा स्रोतों तक पहुंच सुनिश्चित होने से जलावन लकड़ी को इकट्ठा करने के लिए नष्ट हुए समय को कम किया जा सकता है और ऐसा करके बालिकाओं की शिक्षा और रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव डाला जा सकता है।

जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण के पिछले संस्करण में रिपोर्ट दी गई है, भारत सरकार ने मई 2016 में ''प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना'' (पीएमयूवाई) शुरू की थी और इसे उन्नत किया गया है, जिससे कि गरीबी रेखा से नीचे रहने

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

वाले परिवारों को वर्ष 2020 तक 80 मिलियन एलपीजी कनेक्शन दिए जा सकें। उपर्युक्त स्कीम को पूरा करने के लिए सरकार ''उज्ज्वला प्लस'' नामक अन्य पहलों को भी लाई है, जिससे ऐसे वंचित व्यक्तियों की रसोई संबंधी आवश्यकताओं का निवारण होगा जो सामाजिक-आर्थिक जाति गणना (एसईसीसी), 2011 के तहत नहीं आते हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान 3.25 करोड़ नए एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए थे जिसमें प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जारी किए गए 2 करोड़ कनेक्शन भी शामिल हैं। इसके अलावा, भारत सरकार 2019 तक सभी उपभोक्ताओं को 24 घंटे विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है। शत-प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए वर्ष 2015 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) की शुरूआत की गई थी और देश के ग्रामीण और शहरी प्रत्येक घर में बिजली पहुंचाने के लिए बिजली रहित सभी घरों में बिजली पहुंचाने के लिए 25 सितम्बर, 2017 को सौभाग्य स्कीम शुरू की गई थी। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के पोर्टल सौभाग्य के अनुसार देश के 18.1 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 14.2 करोड़ (78 प्रतिशत) ग्रामीण परिवारों में बिजली पहुंचा दी गई है (16 जनवरी, 2018 की यथास्थिति)। भारत की कुल संस्थापित विद्युत क्षमता में से 18 प्रतिशत विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों प्राप्त की गई थी (30 नवंबर, 2017 की यथास्थिति)।

इंटरनेशनल सोलर एलाइंस (आईएसए) का प्रभावी होना: 30 नवम्बर, 2015 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति श्री फ्रैंकोइस होलांडे द्वारा शुरू किए गए आईएसए ने 6 दिसम्बर, 2017 से कार्य प्रारंभ कर दिया। आईएसए सौर संसाधनों से सम्पन्न राष्ट्रों का संगठन है, जो पूर्णत: या अंशत: कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पड़ते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा का दोहन करके ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करना है। आईएसए पहला ऐसा अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संधि आधारित संगठन है, जिसका मुख्यालय भारत में है। वर्तमान समय तक में 46 देश इस पर सहमति दर्ज करा चुके हैं, जिनमें से 19 देशों ने आईएसए फ्रेम वर्क एग्रीमेंट का अनुसमर्थन किया है। आईएसए में सौर ऊर्जा के लिए ट्रिलियन डॉलर के अवसर मौजूद हैं। परिणामस्वरूप 121 आईएसए सदस्य देशों में उपलब्ध व्यावसायिक अवसरों से अर्थव्यवस्था और उद्योग दोनों को लाभ हो सकता है।

भारत और जलवायु परिवर्तन

भारत ने घरेलू स्तर पर अपनी पर्यावरणीय कार्रवाइयों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न नीतियां लागू की हैं और संस्थागत तंत्र की स्थापना की है। भारत सरकार विविध अन्य प्रयासों के अलावा जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) कार्यान्वित कर रही है, जिसमें सौर, ऊर्जा दक्षता, कृषि, जल, सतत् पर्यावास, वानिकी हिमालय पारिस्थितिकी की प्रणाली तथा ज्ञानयुक्त आठ राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। इन कार्यों से पर्यावरण परिवर्तन संबंधी समस्या का सामना करने के प्रति सरकार की वचनबद्धता प्रतिबिंबित होती है।

जलवायु परिवर्तन पर वर्तमान बहुपक्षीय वार्ताएं

वर्तमान में जलवायु परिवर्तन पर बहुपक्षीय वार्ता मुख्यत: पेरिस करार को लागू करने के लिए नियमों एवं विनियमों को बनाने पर केंद्रित है। यूएनएफसीसीसी (सीओपी 23) में पक्षकार देशों के सम्मेलन के 23वें सत्र में इन देशों ने पेरिस करार के अधीन कार्य से संबंधित कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। भारत के लिए सीओपी 23 की मुख्य उपलब्धि यह रही की 2020 के पूर्व जलवायु परिवर्तन के एजेंडा से संबंधित प्रतिबद्धताएं और कार्यान्वयन को सीओपी 23 के निष्कर्षों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि 2020 से पूर्व कार्रवाई एवं योजना पर भावी कदम उठाए जाएं। इस निर्णय में 2020 से पूर्व की विस्तारित योजना पर जोर दिया गया है जो कि 2020 के बाद की विस्तारित योजना के लिए मजबूत आधार रख सकता है। भारत पेरिस एग्रीमेंट वर्क प्रोग्राम के विभिन्न तत्वों पर अनौपचारिक टिप्पणियों/पाठों पर अपने मत को स्थापित करने में सफल रहा है, जिनमें पेरिस करार के लिए राष्ट्रीय अंशदान, अनुकूलन संचार, निष्पक्षता ढांचा, अनुपालन, प्रौद्योगिकी ढांचा, वित्त और नियमों, पद्धतियों और दिशा-निर्देशों का समता निर्माण भी सम्मिलित हैं।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

अध्याय 26

संघीय बजट 2018–19 (UNION BUDGET 2018–19)

इस अध्याय में

- प्रशासन अर्थव्यवस्था तथा विकास
- निवेश–व्यय तथा नीतिगत पहल
- स्वास्थ्य शिक्षा तथा सामाजिक संरक्षण
- मध्यम, लघु तथा सूक्ष्म उद्यम एवं रोजगार
- आधारभूत सुविधाओं तथा वित्तीय क्षेत्र में हुए विकास
- संस्थाओं का निर्माण तथा सार्वजनिक सेवाओं की सुपुर्दगी में सुधार
- राजकोषीय प्रबंधन
- कर प्रस्ताव
- कृषि के संबंध में फसल कटाई के उपरांत क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए कर प्रोत्साहन
- रोजगार सृजन
- रियल एस्टेट के लिए प्रोत्साहन
- सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमियों को प्रोत्साहन
- वेतनभोगी कर दाताओं को राहत
- वरिष्ठ नागरिकों को राहत
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) के लिए कर–प्रोत्साहन
- नकदी अर्थव्यवस्था के नियंत्रण हेतु किए गए अन्य उपाय
- दीर्घावधिक पूंजी लाभ (एलटीसीजी) का यौक्तिकीकरण
- स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर
- ई–निर्धारण
- अप्रत्यक्ष कर

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

प्रशासन अर्थव्यवस्था तथा विकास

(वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए बजट प्रस्तुत करते समय दिए गए वित्त मंत्री अरुण जेटली के भाषण से साभार)

चार वर्ष पहले हमने भारत के लोगों को इस राष्ट्र को एक ईमानदार, स्वच्छ तथा पारदर्शी सरकार देने का वचन दिया था। हमने एक ऐसा नेतृत्व देने का वादा किया था, जो कठिन निर्णयों को करने में और भारत की अर्थव्यवस्था में विश्वास को बहाल करने में सक्षम हो।

मई 2014 में हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। हमारी सरकार के पहले 3 वर्षों में भारत में आर्थिक विकास की औसत दर 7.5 प्रतिशत पर पहुच गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था अब 2.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है तथा विश्व की सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आशा है कि, भारत शीघ्र ही विश्व की पांचवीं सबसे बडी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। क्रय शक्ति समानता (पीपीपी) आधार पर हमारा देश पहले से ही विश्व की तीसरी सबसे बडी अर्थव्यवस्था वाला देश है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी हालिया रिपोर्ट ने यह अनुमान लगाया है कि आगामी वर्ष के दौरान भारत की विकास दर 7.4 प्रतिशत होगी। हम 8 प्रतिशत से भी अधिक की उच्च विकास दर को प्राप्त करने के पथ पर मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। विनिर्माण क्षेत्र भी विकास के तीव्रतर पथ पर लौट आया है। सेवा क्षेत्र, जो हमारे विकास का एक मुख्य क्षेत्र है, में भी 8 प्रतिशत से भी अधिक की उच्च दर से वृद्धि हो रही है। वर्ष 2017-18 में हमारे निर्यात ने 15 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने का अनुमान है।

हमारे प्रधानमत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा से ही अच्छे प्रशासन के महत्व पर बल दिया है। आपने "न्यूनतम सरकार तथा अधिकतम शासन" की अवधारणा पर बल दिया है। इस अवधारणा से सरकारी ऐजेंसियां नियमों, नीतियों तथा प्रक्रियाओं में सैकड़ों सुधार लाने के लिए प्रेरित हुई हैं। यह बदलाव भारत द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैक की रिपोर्ट '*ईज ऑफ डूइंग बिजनेस'* में शामिल देशों की रैंकिंग में 42 स्थानों का सुधार आने से प्रदर्शित होता है। भारत पहली बार इस सूची में शीर्षस्थ 100 देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है

हमारी सरकार अब "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' से आगे बढ़कर देश के जन-सामान्य, विशेषकर गरीब और मध्यम वर्ग की जिंदगी को आसान बनाने के लिए, उनकी 'ईज ऑफ लिविंग' पर जोर दे रही है। गुड गवर्नेंस का आधार भी यही है कि देश के आम नागरिक के जीवन में सरकारी दखल कम-से-कम हो।

निवेश-व्यय तथा नीतिगत पहल

कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था

मेरी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। दशकों से देश की कृषि नीति तथा कार्यक्रम उत्पादन केन्द्रित रही थी। हम इसमें एक मौलिक संकल्पनात्मक बदलाव लाए हैं। माननीय प्रधानमत्री ने वर्ष 2022 तक जबकि भारत अपना 75वां स्वतत्रता दिवस मना रहा होगा, किसानों की आय को दोगुना करने के संबंध ने आह्वान किया है। हमारा बल किसानों के लिए अधिक आय सृजित करने पर है। हम कृषि को एक उद्यम मानते हैं और किसानों को उसी भू-खण्ड से अपेक्षाकृत कम लागत पर अधिक उत्पादन करने तथा अपने उत्पादों के लिए अधिक मूल्य प्राप्त करने में सहायता करना चाहते हैं। हम किसानों तथा भूमिहीन परिवारों के लिए उत्पादक तथा लाभकारी ऑन-फार्म एव नॉन-फार्म रोजगार सृजित करने पर भी बल दे रहे हैं।

देश के किसानों के अथक परिश्रम का परिणाम है कि आज देश में कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है। वर्ष 2016-17 में लगभग 275 मिलियन टन खाद्यान्न और लगभग 300 मिलियन टन फलों एव सब्जियों का ऐतिहासिक उत्पादन हुआ है।

हमारे दल के घोषणा-पत्र में यह संकल्प है कि कृषि को लाभकारी बनाने के लिए किसान भाईयों को उनकी उत्पादन की लागत से कम-से-कम 50 प्रतिशत अधिक अर्थात्

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

लागत से डेढ़ गुना दाम मिले। सरकार इस संकल्प के प्रति संवेदनशील रही है। रबी की अधिकांश घोषित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से कम-से-कम डेढ़ गुना तय किया जा चुका है। यह वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुणा करने में मदद करेगा।

हमारी सरकार किसी भी विषय को टुकडों-टुकडों में नहीं, समग्रता में सुलझाने की अप्रोच के साथ काम करती है। खाली न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा देना पर्याप्त नहीं है। यह अधिक महत्वपूर्ण है कि घोषित MSP का पूरा लाभ किसानों को मिले। इसके लिए यह आवश्यक है कि यदि बाजार में दाम MSP से कम हो तो सरकार या तो MSP पर खरीदी करें या किसी अन्य व्यवस्था के अंतर्गत किसान को पूरी MSP मिलें। नीति आयोग, केंद्र एव राज्य सरकारों के साथ चर्चा कर एक पुख्ता व्यवस्था तैयार करेगा, जिससे किसानों को उनकी फसल के उचित दाम दिलाए जा सकें।

बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए यह अवश्यक है कि किसान किसी फसल की बुआई के संबंध ने अपने निर्णय उसकी कटाई के बाद उसके संभावित मूल्य को ध्यान में रखते हुए करें। सरकार मूल्य तथा मांग के संबंध में पूर्वानुमान लगाने, भावी तथा वैकल्पिक बाजार के प्रयोग, माल-गोदाम (वेयर हाउस) निक्षेपण प्रणाली के विस्तार तथा विशिष्ट निर्यात एवं आयात संबंधी उपायों के संबंध में निर्णय लेने हेतु उपयुक्त नीतियों एव पद्धतियों को विकसित करने के लिए सभी संबधित मंत्रालयों के सहयोग से एक संरथागत तंत्र सृजित करेगी।

पिछले वर्ष मैंने ई-नैम को सुदृढ़ बनाने तथा ई-नैम के कवरेज को 585 एपीएमसी तक पंहुचाने के संबंध में घोषणा की थी 470 एपीएमसी ई-नैम नेटवर्क से संयोजित कर दिए गए हैं तथा शेष को मार्च 2018 तक इस नेटवर्क से संयोजित कर दिया जाएगा।

हमारे 86 प्रतिशत से भी अधिक किसान अभी भी लघु एव सीमांत किसान हैं। ये हर बार एपीएमसी में या अन्य थोक बाजारों में सीधे अपने उत्पादों को बेचने की स्थिति में नहीं होते। हम मौजूदा 22000 ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजारों के रूप में विकसित तथा उन्नत करेंगे। इन ग्रामीण कृषि बाजारों ने महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) और अन्य सरकारी स्कीमों का प्रयोग करके भौतिक अवसंरचना को सुदृढ़ किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई-नैम से जुड़े तथा एपीएमसी के विनियमों से छूट प्राप्त ये ग्रामीण कृषि बाजार किसानों को सीधे उपभोक्ताओं एवं थोक खरीदारों को अपने उत्पाद बेचने की सुविधा उपलब्ध कराएंगे।

22000 ग्रामीण कृषि बाजारों तथा 585 एपीएमसी में कृषि विपणन अवसंरचना के विकास तथा उन्नयन के लिए 2000 करोड़ रुपये की स्थायी निधि के साथ एक कृषि बाजार अवसंरचना कोष की स्थापना की जाएगी।

सभी मौसमों में प्रयोग में लाईजाने वाली सड़क अवसंरचना से युक्त सभी पात्र निवास स्थानों को जोड़ने का काम काफी हद तक पूरा हो गया है तथा इस संबंध में लक्ष्य को मार्च 2022 के स्थान पर मार्च 2019 तक प्राप्त करना निर्धारित किया गया है। अब ग्रामीण निवास स्थानों को कृषि एवं ग्रामीण बाजारों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा अस्पतालों से जोड़ने वले बडे लिंक मार्गों को शामिल करके इसकी परिधि को और अधिक सुदृढ़ एव विस्तृत करने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण-III में इन सभी लिंक मार्गों को शामिल किया जाएगा।

हम वर्षों से यह कहते रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है वैसे ही देश के जिले भी किसी-न-किसी कृषि उत्पाद के लिए जाने जा सकते हैं। लेकिन हमने इस पर विशेष ध्यान अब तक नहीं दिया है। जैसे उद्योग जगत के लिए क्लस्टर बेस्ड विकास का मॉडल अपनाया गया वैसे ही हमारे जिलों में कृषि उत्पाद को चिन्हित कर, वैज्ञानिक तरीके से क्लस्टर मॉडल पर विकास की आवश्यकता है।

कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय, खास प्रंसस्करण मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय तथा अन्य संबद्ध मंत्रालयों के

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

साथ मिलकर अपनी चालू स्कीमों की समीक्षा करेगा तथा कृषि-जिन्सों एवं संबंधित क्षेत्रों के समूह आधारित विकास को बढ़ावा देगा।

हमारी सरकार ने जैविक कृषि को बढ़ावा दिया है। इसके लिए बड़े समूहों में, जिनमें से प्रत्येक 1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल का हो, कृषि उत्पादक संगठनों एवं ग्रामीण उत्पादक संगठनों द्वारा जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। महिला स्व-सहायता समूहों को भी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम के अंतर्गत समूहों में जैविक कृषि करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

हमारी सरकार संगठित कृषि एव संबद्ध उद्योग को सहायता उपलब्ध कराएगी। मैं इस प्रयोजनार्थ 200 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के लिए आवंटन की राशि 2017-18 के संशोधित अनुमान के 715 करोड़ रुपये से लगभग दोगुना करके 2018-19 में 1400 करोड़ रुपये की जा रही है। सरकार इस क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त कृषि प्रसंस्करण वित्तीय संस्थाओं को स्थापित करने को बढ़ावा देगी।

टमाटर प्याज और आलू ऐसी प्रमुख सब्जियां है, जिन्हें पूरे वर्ष प्रयोग में लाया जाता है। तथापि, इन शीघ्र नष्ट हो जाने वाले जिन्सों के मौसमी एवं क्षेत्रीय उत्पादन के कारण एवं उपभोक्ताओं दोनों को संतुष्ट करते हुए उनके बीच पारस्परिक संपर्क स्थापित करना चुनौतीपूर्ण है।

हमारी सरकार का प्रस्ताव 'ऑपरेशन फ्लड' की तर्ज पर 'ऑपरेशन ग्रीन्स' शुरू करने का है। 'ऑपरेशन ग्रीन्स' किसान उत्पादक संगठनों, कृषि संभारतंत्र, प्रंसस्करण सुविधाओं तथा व्यावसायिक प्रबंधन को अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगा। मैं इस प्रयोजनार्थ 500 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

भारत से कृषि उत्पादों के निर्यात की संभावना काफी अधिक है, जो 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक हो सकती है जबकि मौजूदा निर्यात 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का किया जाता है। इस संभावना को प्रयोग में लाने के लिए कृषि जिन्सों के निर्यात को उदार बनाया जाएगा। मैं सभी 42 मेगा फूड पार्कों में अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने का भी प्ररताव करता हूँ।

मैं, किसान क्रेडिट कार्डों की सुविधा मत्स्यन एवं पशुपालन से जुड़े किसानों को भी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूँ ताकि वे अपनी कार्य चालन पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इस व्यवस्था से छोटे और सीमांत किसानों को अधिक लाभ मिलेगा।

बांस 'हरित सोना' है। हमने वन क्षेत्र से बाहर उगे बांस को पेडों की परिभाषा से अलग कर दिया है। अब मैं बांस क्षेत्र को एक सम्पूर्ण रूप में बढ़ावा देने के लिए 1290 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ।

अनेक किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए सौर जल पंपों को संस्थापित कर रहे हैं। सौर विद्युत उत्पादन द्वारा किसान अपने खेतों का प्रयोग करके सौर ऊर्जा का संचयन करते है। भारत सरकार इस संबंध में आवश्यक उपाय करेगी तथा राज्य सरकारों को एक ऐसा तंत्र विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जिससे उनके अधिशेष सौर विद्युत को विद्युत वितरण कंपनियों या लाइसेंस धारकों द्वारा उचित लाभकारी मूल्यों पर खरीद लिया जाए।

हमारी सरकार ने सिंचाई निर्माण कार्यो की वित्त संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नाबार्ड में एक दीर्घावधिक सिंचाई कोष (एलटीआईएफ) स्थापित किया है। इस कोष के स्कोप को विस्तारित करके विशिष्ट कमान क्षेत्र विकास परियोजनाओं को कवर किया जाएगा।

मत्स्य क्षेत्र के लिए मत्स्य क्रांति अवसंरचना विकास कोष (बीआरआईडीएफ) तथा पशुपालन क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता के वित्त पोषण के लिए पशुपालन हेतु आधारभूत सुविधा विकास कोष (एएचआईडीएफ) स्थापित करने की घोषणा करता हूँ। इन दोनों कोषों की कुल स्थायी निधि 10,000 करोड़ रुपये होगी।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

हमारी सरकार कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण की राशि ने वर्षानुवर्ष निरंतर वृद्धि करती रही है और यह राशि 2014-15 के 8.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2017-18 में 10 लाख करोड़ रुपये कर दी गई है। मैं अब इस राशि को वर्ष 2018-19 में 11 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ।

नीति आयोग राज्य सरकारों से परामर्श करके भू-स्वामियों के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पट्टाधारी किसानों को ऋण सुलभ कराने के लिए एक उपयुक्त तंत्र विकसित करेगा।

सरकार किसानों को अपने आदानों की आवश्यकता, फार्म सेवाओं, प्रसंस्करण तथा विक्रय प्रचालनों से संबंधित आवश्यकता ज्ञात करने में सहायता के लिए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों के लिए अनुकूल कराधान व्यवस्था लागू करेगी। इस संबंध में मैं अपने भाषण के भाग-ख में ब्यौरा प्रस्तुत करूंगा।

एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण चिंता का विषय रहा है। वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करने तथा फसल अवशिष्ट के खेत में ही प्रबंधन के लिए आवश्यक मशीनरी हेतु सब्सिडी प्रदान करने के लिए हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकारों के द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष स्कीम लागू की जाएगी।

गरीब महिलाओं को लकडी के धुएं से मुक्ति मिले, इसलिए हमने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की थी। शुरुआत में हमने 5 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा था। लेकिन इस योजना की गति देखकर और महिलाओं में इसकी लोकप्रियता देखकर हम इसका लक्ष्य बढ़ाने जा रहे है। अब सरकार उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देगी।

देश के हर गरीब के घर में रोशनी पहुँचाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत देश के 4 करोड़ गरीबों के घरों को बिना कोई शुल्क लिए बिजली कनेक्शन से जोड़ा जा रहा है। इस योजना पर 16 हजार करोड रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

गरीब को सरकार के स्वच्छ भारत मिशन से भी बड़ा लाभ पहुचा है। इस मिशन के तहत सरकार अब तक 6 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण करा चुकी है। इन शौचालयों का सकारात्मक प्रभाव नारी की गरिमा, बेटियों की शिक्षा और पूरे परिवार की स्वास्थ्य सुरक्षा पर स्पष्ट रूप से पड़ रहा है। अगले वित्तीय वर्ष में हमारा लगभग दो करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 2017-18 में 51 लाख और वर्ष 2018-19 में 51 लाख यानि एक करोड़ से ज्यादा घर सिर्फ ग्रामीण इलाकों में बनाए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में 37 लाख मकान बनाने के लिए मदद स्वीकृत की गई है।

हमारी सरकार राष्ट्रीय आवास बैंक में समर्पित सस्ती आवासन निधि की भी स्थापना करेगी, जिसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को देय उधार में हुई कमी से और भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत पूर्णतः शोधित बॉण्डों द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।

मैं 2018-19 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम के आवंटन को पर्याप्त रूप से बढ़ाकर 5750 करोड रुपए का प्रस्ताव करता हूं।

'प्रधानमंत्री हर खेत को पानी योजना' के तहत भू-जल सिंचाई स्कीम, सिंचाई से वंचित 96 जिलों में शुरू की जाएगी जहां वर्तमान में 30 प्रतिशत से भी कम खेतों की सिंचाई सुनिश्चित हो पाती है। इस प्रयोजन के लिए मैंने 2600 करोड़ रुपए आवंटित किए है।

अगले वर्ष सरकार का ध्यान रोजी-रोटी, कृषि और संबद्ध कार्यकलापों और ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के निर्माण पर और अधिक धनराशि खर्च करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अधिक-से-अधिक अवसर उपलब्ध कराने पर होगा। वर्ष 2018-19 में, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका और आधारभूत सुविधाओं के सृजन के लिए मंत्रालयों द्वारा खर्च की जाने वाली राशि 14.34 लाख करोड़ रुपये होगी, इसमें 11.98 लाख करोड रुपये के अतिरिक्त बजटीय संसाधन शामिल हैं। खेती संबंधी कार्यकलापों और स्व-रोजगार के कारण रोजगार

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

के अलावा, इस खर्च से 321 करोड़ मानव दिवस के रोजगार 3.17 लाख किलोमीटर ग्रामीण सडकों, 51 लाख नए ग्रामीण मकानों, 1.88 करोड़ शौचालयों का सृजन होगा और इससे कृषि को प्रोत्साहन मिलने के अतिरिक्त 1.75 करोड़ नए परिवारों को बिजली के कनेक्शन प्राप्त होंगे।

स्वास्थ्य शिक्षा तथा सामाजिक संरक्षण

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम पर आवंटन 2018-19 में 9975 करोड़ रुपए रखा गया है।

हमने जमीनी हकीकत का मूल्यांकन करने के लिए 20 लाख से अधिक बच्चों का राष्ट्रीय सर्वेक्षण कराया गया है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता ने सुधार लाने के लिए जिलावार रणनीति तैयार करने ने मदद मिलेगी। अब हमारा प्रस्ताव नर्सरी पूर्व से कक्षा 12 तक बिना किसी विखंडन के शिक्षा को व्यवहार्य माने जाने का है।

- अध्यापकों की गुणवत्ता सुधारने से देश में शिक्षा की गुणवत्ता भी जरूर बढ़ेगी। शिक्षकों के लिए एक एकीकृत बी.एड कार्यक्रम प्रारम्भ करेंगे। सेवा के दौरान शिक्षकों का प्रशिक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमने 13 लाख से अधिक अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने ने समर्थ बनाने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन किया है।

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने में प्रौद्योगिकी सर्वाधिक उपयोगी संचालक होगी। हमारा प्रस्ताव शिक्षा में डिजिटल तीव्रता बढ़ाने और धीरे-धीरे 'ब्लैक बोर्ड' से 'डिजिटल बोर्ड' की दिशा में बढ़ने का है। हाल ही में संचालित 'दीक्षा' डिजिटल पोर्टल के जरिए शिक्षकों के कौशल उन्नयन के लिए प्रौद्योगिकी का भी प्रयोग किया जाएगा।

सरकार जनजातीय बच्चों को अपने स्वयं के माहौल में अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अभियान को आगे ले जाने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2022 तक, अनुसूचित जनजाति की 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या वाले और कम-से-कम 20,000 आदिवासी व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय होगा। एकलव्य विद्यालय, नवोदय विद्यालय के समतुल्य होगा और इसमे खेलकूद और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा स्थानीय कला और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए विशेष सुविधाएं होंगी।

स्वास्थ्य संस्थानों सहित, प्रमुख शैक्षाणिक संस्थानों में अनुसंधान और संबंधित अवसंरचना में निवेश की गति में तेजी लाने के लिए, मैं अगले चार वर्षों में 1,00,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ "2022 तक शिक्षा ने आधारभूत सुविधाओं और प्रणालियों को पुनः जानदार बनाने हेतु 'राइज' नामक एक बडी पहल प्रारम्भ करने का प्रस्ताव करता हूं।"

सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में संस्थानों द्वारा इस पहल की जबर्दस्त प्रतिक्रिया रही है। हमें 100 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। हमने बड़ोदरा में विशिष्ट रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भी कदम उठाए हैं।

हम चुनौती विधि पर चयन किए जाने वाले आयोजना और स्थापत्य कला के दो नए पूर्णतः सुसज्जित स्कूलों की स्थापना का प्रस्ताव करते हैं। इसके अतिरिक्त आईआईटी/एनआईटी में 18 नए एसपीए की भी चुनौती विधि से स्वायत्त निकायों के रूप में स्थापना की जाएगी।

इस वर्ष सरकार 'प्रधानमत्री अंनुसधान अध्येता (पीएमआरएफ)' नामक पहल प्रारंभ करेगी। इस पहल के अंतर्गत, हम श्रेष्ठ संस्थानों से हर वर्ष 1,000 उत्कृष्ट बी.टेक छात्रों की पहचान करेंगे और उन्हें एक अच्छी अध्येतावृत्ति के साथ आईआईटी/आईआईएससी में पी.एच.डी करने के लिए सुविधाएं प्रदान करेंगे। आशा है कि, ये उदीयमान युवा साथी उच्च शैक्षाणिक संस्थानों में स्वेच्छा से पढ़ाने के लिए सप्ताह में कुछ घंटे देंगे।

अब मैं स्वास्थ्य क्षेत्र पर आता हूं। "*सर्वेभवन्तुः सुखिन, सर्वे संतुः निरामया*" हमारी सरकार का मार्गदर्शक सिद्धांत है। केवल स्वस्थ भारत ही समृद्ध भारत बन सकता है। यदि भारत के नागरिक स्वास्थ नहीं होंगे तो इसके बिना अपना देश युवा साथियों का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता।

मैं, निवारण और स्वास्थ्य संवर्द्धन दोनों को शामिल करके प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक देख-रेख प्रणाली में स्वास्थ्य समस्या से व्यावहारिक ढंग से निपटने के लिए पथ

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

अवरोधक हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से बनाए गए 'आयुष्मान भारत' के भाग के रूप में दो प्रमुख पहलों की घोषणा करता हूं।

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की नींव के रूप में स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों की परिकल्पना की गई है। ये 1.5 लाख केंद्र स्वास्थ्य देख-रेख प्रणाली को लोगों के घरों के पास लाएंगे। ये स्वास्थ्य केन्द्र असंचारी रोगों और मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य सेवाओं सहित व्यापक स्वास्थ्य देख-रेख उपलब्ध कराएंगे। ये केन्द्र आवश्यक दवाइयां और नैदानिक सेवाएं भी मुफ्त उपलब्ध करवाएंगे। मैं इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए इस बजट ने 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान करने के लिए वचनबद्ध हूं। मै इन केंद्रों को अपनाने में सीएसआर और लोकोपकारी संस्थाओं के जरिए निजी क्षेत्र को योगदान के लिए आमंत्रित करता हूं।
- हम 10 करोड से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों (लगभग 50 करोड लाभार्थी) को दायरे ने लाने के लिए एक फ्लैगशिप राष्ट्रीय स्वास्थ्य सरंक्षण योजना प्रारम्भ करेंगे, जिसके तहत द्वितीयक और तृतीयक देख-रेख अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक का कवरेज प्रदान किया जाएगा। यह विश्व का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य देख-रेख कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।

आयुष्मान भारत के तहत ये दो दूरगामी पहलें वर्ष 2022 तक एक नए भारत का निर्माण करेंगी और इनसे संवर्द्धित उत्पादकता और कल्याण में वृद्धि होगी और इनसे मजदूरी की हानि और दरिद्रता से बचा जा सकेगा। इन योजनाओं से, खासकर महिलाओं के लिए रोजगार के लाखों अवसर भी सृजित होंगे। सरकार सर्वजन स्वास्थ्य कवरेज के लिए स्थायी रूप से किंतु निश्चित रूप से उत्तरोत्तर अग्रसर है।

हमारी सरकार टीबी से पीड़ित सभी रोगियों को उनके उपचार की अवधि के दौरान 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से पोषणाहार सहायता प्रदान करने के लिए 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित करती है।

गुणवत्तायुक्त चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य देख-रेख की पहुंच ने और वृद्धि करने के उद्देश्य से, हम देश में मौजूदा जिला अस्पतालों को अपग्रेड करके 24 नए सरकारी चिकित्सा कॉलेजों और अस्पतालों की स्थापना करेंगे। इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक 3 संसदीय क्षेत्रों के लिए कम-से-कम एक चिकित्सा कॉलेज और देश के प्रत्येक राज्य में कम-से-कम एक सरकरी चिकित्सा कॉलेज है।

हमारे गांवों को खुले में शौच से मुक्त करने के हमारे संकल्प का उद्देश्य अपने गांवों के जीवन को बेहतर बनाना है। हम जानवरों के गोबर और ठोस अपशिष्ट को कम्पोस्ट उर्वरक, बायो गैस और बायो-सीएनजी के रूप में बदलने के लिए खेतों में इसके प्रबंधन और रूपांतरण हेतु गाल्वेनाइनिंग ऑर्ग्रेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन (गोबर-धन) नामक योजना प्रारम्भ करेंगे।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) से केवल 330 रुपये प्रतिवर्ष के प्रीमियम के भुगतान पर 5.22 करोड परिवार 2 लाख रुपये के जीवन बीमा कवर से लाभान्वित हुए हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 12 रुपये प्रतिवर्ष के प्रीमियम के भुगतान पर 13 करोड़ 25 लाख व्यक्तियों को 2 लाख रुपये के व्यक्तिगत दुर्घटना कवर के साथ बीमित किया गया है। सरकार सभी गरीब परिवारों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों सहित, को इसके तहत एक मिशन मोड में शामिल करने का प्रयास करेगी।

सरकार समस्त सात करोड़ बुनियादी खातों को प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत लाकर इसके दायरे का विस्तार करेगी और इन खातों के जरिए सूक्ष्म बीमा और असंगठित क्षेत्र पेंशन योजनाओं की सेवा प्रदान करने हेतु उपाय करेगी।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

सरकार ने केन्द्रित ध्यान देने और समावेशी समाज का सपना पूरा करने के लिए विकास के विभिन्न आयामों को ध्यान में रखते हुए ऐसे 115 महत्वाकांक्षी जिलों की पहचान की है। सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषाहार कौशल उन्नयन, वित्तीय समावेशन जैसी सामाजिक सेवाओं तथा सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, स्वच्छ पेयजल जैसी आधारभूत सुविधाओं तथा तीव्र गति व समयबद्ध तरीके से शौचालयों तक पहुंच में निवेश करते हुए इन जिलों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। हमें आशा है कि, ये जिले विकास के मॉडल बनेंगे।

हमारी सरकार ने 279 कार्यक्रमों में अनुसूचित जातियों के लिए कुल अलग से रखा गया आवंटन 2016-17 में 34,334 करोड़ रुपये से बढ़ाकर सं. अ. 2017-18 में 52,719 करोड़ रुपये कर दिया है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजातियों के लिए 305 कार्यक्रमों के लिए अलग से रखा गया आवंटन 2016-17 में 21,811 करोड़ रुपये से बढ़ाकर सं.अ. 2017-18 में 32,508 करोड रुपये कर दिया गया है। मैं, ब.अ. 2018-19 में अलग से रख गया आवंटन अनुसूचित जातियों के लिए 56619 करोड़ रुपये और अनुसूचित जनजातियों के लिए 39,135 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ।

सरकार का स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर अनुमानित स्कीमवार बजटीय व्यय 2017-18 में 1.22 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय की तुलना ने 2018-19 में 1.38 लाख करोड़ रुपये है।

मध्यम, लघु तथा सूक्ष्म उद्यम एवं रोजगार

लघु और मध्यम उद्यम देश की प्रगति तथा रोजगार के प्रमुख वाहक हैं। मैंने एमएसएमएमी क्षेत्र को ऋण सहायता, पूंजी और ब्याज सब्सिडी तथा नवोन्मेष के लिए 3794 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। विमौद्रीकरण और जीएसटी लागू होने के पश्चात् देश में लघु और मध्यम उद्यमों के व्यवसायों का प्रभावशाली आकार बढ़ रहा है।

यह प्रस्ताव है कि, सरकारी क्षेत्र के बैकों और कॉरपोरेटों को ट्रेड इलैक्ट्रॉनिक रिसिवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम पर ऑनबोर्ड किया जाए और इसे जीएसटीएन के साथ जोड़ा जाए। यह एमएसएमई को बृहत् वित पोषण में सक्षम बनाएगा और उनके द्वारा सामना की जा रही नकदी प्रवाहों की चुनौतियों को काफी सुखद भी बनाएगा। बैंकों द्वारा शीघ्र निर्णय लेने के लिए एमएसएमई हेतु ऑनलाइन ऋण स्वीकृति सुविधा सुधारी जाएगी ।

अप्रैल 2015 में शुरू की गई मुद्रा योजना में 10.38 करोड़ मुद्रा ऋणों से उधार के लिए 4.6 लाख करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। ऋण के 76 प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं और 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछडें वर्गों से संबंधित हैं। पिछले सभी 3 वर्षों ने लक्ष्य से अधिक सफलता प्राप्त करने के पश्चात् 2018-19 में मुद्रा के अंतर्गत उधार देने के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित करने का प्रस्ताव है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने विमौद्रीकरण के पश्चात् एमएसएमई का वित्त-पोषण बढाया है। एनबीएफसी मुद्रा के अतर्गत ऋण देने के लिए बहुत शक्तिशाली साधन हो सकती हैं। एनबीएफसी बेहतर वित्त पोषण हेतु मुद्रा द्वारा निर्धारित पुनर्वित्त पोषण नीति और पात्रता मापदंडों की पुनरीक्षा की जाएगी।

वित्त पोषण की गुंजाइश में फिनटेक का प्रयोग एमएसएमई के विकास में सहायता करेगा। वित्त मंत्रालय में एक समूह इस नीति और भारत ने बढ़ने के लिए फिनटेक कंपनियों हेतु अच्छा माहौल बनाने हेतु जरूरी संस्थागत विकासात्मक उपायों की जांच कर रहा है।

नौकरी के अवसर सृजित करना और रोजगार सृजन को सुगम बनाना, हमारे नीति-निर्माण का केन्द्र बिन्दु रहा है। पिछले तीन वर्ष के दौरान, हमने देश में रोजगार सृजन बढाने के अनेक उपाय किए है। इन उपायों में ये शामिल है:

- सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए कर्मचारी भविष्य निधि में नए कर्मचारियों का 8.33 प्रतिशत अंशदान।
- कपड़ा और चमड़ा तथा फुटवियर जैसे-बडी संख्या में व्यक्तियों को रोजगार देने वाले क्षेत्रों में तीन वर्ष के लिए नए कर्मचारियों की कर्मचारी भविष्य निधि में 12 प्रतिशत का अंशदान।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

- आयकर अधिनियम के अंतर्गत नए कर्मचारियों को अदा किए गए पारिश्रमिक के 30 प्रतिशत की अतिरिक्त कटौती।
- सरकार द्वारा 2020 तक 50 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए वजीफा देते हुए राष्ट्रीय प्रशिक्षु स्कीम शुरू करना और बुनियादी प्रशिक्षण का खर्च बांटना।
- परिधान और फुटवियर क्षेत्र हेतु नियत कालिक रोजगार की शुरुआत करना।
- क्रेचों की व्यवस्था के साथ ही सवेतन मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना।

इन कदमों ने परिणाम दिखाने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में किए गए स्वतंत्र अध्ययन ने दर्शाया है कि इस वर्ष 70 लाख औपचारिक नौकरियां सृजित होंगी।

इस गति को बढ़ाने के लिए मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी है कि सरकार अगले तीन वर्ष तक सभी क्षेत्रों की कर्मचारी भविष्य निधि में नए कर्मचारियों के वेतन के 12 प्रतिशत का अंशदान करेगी। इसके अतिरिक्त, नियत काल के रोजगार की सुविधा सभी क्षेत्रों तक दी जाएगी।

अनौपचारिक क्षेत्र में अधिकाधिक महिलाओं के रोजगार को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें अपेक्षाकृत अधिक निवल वेतन प्राप्त करने के लिए भविष्य निधि में महिला कर्मचारियों के अंशदान को प्रथम तीन वर्षों के लिए विद्यमान 12 प्रतिशत अथवा 10 प्रतिशत से अब मालिक के अंशदान में किसी परिवर्तन के बिना 8 प्रतिशत करने के लिए मैं कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 में संशोधन करने का प्रताव करता हूं।

सरकार प्रधानमत्री कौशल केन्द्र कार्यक्रम के अंतर्गत देश के हर जिले में मॉडल महत्वाकांक्षी कौशल केन्द्र स्थापित कर रही है। ऐसे केन्द्रों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण देने के लिए 306 प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र खोले गए हैं।

परिधान और तैयार संघटकों को बढ़ावा देने के लिए 2016 में 6,000 करोड़ रुपये का व्यापक कपड़ा क्षेत्र पैकेज अनुमोदित किया गया था। मैं अब वस्त्र क्षेत्र के लिए 2018-19 के लिए 7148 करोड़ रुपये का परिव्यय उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूँ।

आधारभूत सुविधाओं तथा वित्तीय क्षेत्र में हुए विकास

आधारभूत सुविधाएं अर्थव्यवस्था के विकास की चालक हैं। हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोत्तरी करने, सड़कों, हवाई अड्डों, रेलवे, बंदरगाहों और अतर्देशीय जलमार्गों के नेटवर्क से देश को जोड़ने व एकीकृत करने तथा अपने नागरिकों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना में 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के अनुमानित भारी भरकम निवेशों की जरूरत होगी।

हमने रेल व सड़क क्षेत्रों में अब तक का सबसे ज्यादा आवंटन किया है। हम सरकारी निवेश और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विद्युत हेतु कोयला, रेलवे हेतु विद्युत और कोयले के लिए रेलवे रेक जैसे मुख्य संपर्कों की व्यवस्था युक्तिसंगत और बहुत सक्षम बनाई गई है। प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से नियिमत आधार पर विनिर्माण क्षेत्रों में लक्ष्यों और उपलब्धियों की पुनरीक्षा करते हैं। अकेला प्रगति की ऑनलाइन मॉनीटरिंग प्रणाली का प्रयोग करते हुए 9.46 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं सुगम व तीव्र गति ने लाई गई हैं।

भारत की सुरक्षा के लिए हम सीमावर्ती क्षेत्रो में संपर्कता आधारभूत सुविधाओं का विकास कर रहे हैं। लद्दाख क्षेत्र को सभी मौसमों ने जोड़े रखने के लिए रोहतांग सुरंग पूरी हो चुकी है। 14 किमी. से अधिक लम्बी जोजिला पास सुरंग के निर्माण का ठेका सही प्रगति कर रहा है। मैं अब सेला पास के तहत सुरंग का निर्माण शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ। सरकार पर्यटन और आपातकालीन चिकित्सा सेवा के संवर्द्धन हेतु समुद्री प्लेन के कार्यकलापों में निवेश बढ़ाने के लिए आवश्यक ढांचा बढ़ाएगी ।

शहरीकरण अवसर और हमारी प्राथमिकता हैं। मेरी सरकार ने परस्पर जुड़े दो कार्यक्रम-स्मार्ट शहर मिशन और अमृत-शुरू किए है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

स्मार्ट शहर मिशन का लक्ष्य 100 शहरों को आधुनिक सुविधाओं वाला बनाना है। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि 2.04 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से 99 शहरों का चयन किया गया है । इन शहरों ने स्मार्ट कमांड और नियंत्रण केन्द्रों, स्मार्ट सडकों, सौर छतों, इंटेलिजेंट परिवहन प्रणालियों, स्मार्ट पार्कों जैसी। विभिन्न परियोजनाओं को क्रियान्वित करना शुरू कर दिया है।

भारत में पर्यटन स्थलों की प्रचुरता है। यह प्रस्ताव है कि दस प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को आधारभूत सुविधाओं व कौशल विकास वाला व्यावहारिक दृष्टिकोण, प्रौद्योगिकी का विकास, निजी निवेश आकर्षित करके, ब्रांडिंग व विपणन का अनुसरण करते हुए आदर्श पर्यटन गंतव्यों में विकसित किया जाए। इसके अतिरिक्त, आगंतुकों का अनुभव बढ़ाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 100 आदर्श स्मारकों में पर्यटन सुविधाओं का उन्नयन किया जाएगा।

मेरा मंत्रालय सामरिक और बड़े सामाजिक लाभ वाली शैक्षणिक और स्वास्थ्य आधारभूत सुविधाओं में निवेशों सहित आधारभूत सुविधा परियोजनाओं के वित्तपोषण में सहायता करने के लिए इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कॉरपोरेशन लि. को शक्ति प्रदान करेगा।

एनएचएआई अपनी तैयार सड़क आस्तियों हेतु बाजार से इक्विटी जुटाने के लिए अपनी सड़क आस्तियों को विशेष प्रयोजनी साधन बनाने और टोल, चलाओ और अंतरण तथा आधारभूत सुविधा निवेश निधियों, जैसे–नए मौद्रीकरण ढ़ांचों का प्रयोग करने पर विचार करेगा।

रेलवे नेटवर्क मजबूत करना और रेलवे की ढुलाई क्षमता बढ़ाना, सरकर का प्रमुख केन्द्र बिंदु रहा है। वर्ष 2018-19 के लिए रेलवे कैपेक्स 1,48,528 करोड़ रुपये रखा गया है। कैपेक्स का बड़ा हिस्सा क्षमता सृजन के लिए है। 18000 किलोमीटर के दोहरीकरण/तीसरी/चौथी लाइन के निर्माण कार्य और 5000 किलोमीटर के गेज परिवर्तन क्षमता के अवरोधों को समाप्त कर देंगे और लगभग समूचे नेटवर्क को ब्रॉड गेज में बदल देंगे।

वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त करने ने भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। हम लोग रेलवे नेटवर्क के ईष्टतम विद्युतीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे है। वर्ष 2017-18 के दौरान 4000 किलोमीटर के प्रारंभण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल भाड़ा गलियारों से संबंधित कार्य जोर-शोर से चल रहा है। वर्ष 2018-19 के दौरान पर्याप्त चल स्टॉक 12000 वैगनों, 5160 कोचों और लगभग 700 लोकोमोटिव की खरीदारी की जा रही है। माल शेडों में अवसंरचना को सुदृढ़ करने तथा निजी साइडिंग के फास्ट ट्रैक शुरू करने के लिए एक वृहत् कार्यक्रम शुरू किया गया है।

चालू राजकोषीय वर्ष में रेल की लगभग 3600 किमी. पटरियों के नवीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अन्य प्रमुख कदमों में फाग सेफ तथा 'ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वॉर्निंग सिस्टम'' जैसी प्रौद्योगिकियों का प्रयोग बढ़ाना शामिल है। अगले दो वर्षों में 4267 मानवरहित लेवल क्रॉसिंग को समाप्त कर बीजी नेटवर्क में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है।

इडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेट कपनी लि. द्वारा 600 प्रमुख रेलवे स्टेशनों को पुन विकसित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। 25,000 से अधिक आंगतुकों वाले सभी स्टेशनों में एस्कलेटर होंगे। सभी रेलवे स्टेंशनों और रेलगाडियों में वाई-फाई सुविधा प्रदान की जाएगी। सभी स्टेशनों पर और रेलगाड़ियों में सीसीटीवी उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि यात्रियों की संरक्षा बढ़ाई जा सके इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, पेराम्बूर ने उन्नत सुविधाओं और विशेषताओं से युक्त आधुनिक ट्रेन-सेट तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे पहले ट्रेन सेटों का प्रारंभण वर्ष 2018-19 के दौरान किया जाएगा।

लगभग 40000 करोड़ रुपये की लागत से 150 किमी. के अतिरिक्त उप-नगरीय नेटवर्क की योजना बनाई जा रही है, जिसमें कुछ खंडो में ऊंचे उठे हुए गलियारे शामिल हैं।

बेंगलुरू मेट्रोपोलिस के विकास की जरूरतों को पूरा करने लिए 17,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर लगभग 160 किलोमीटर के उपनगरीय नेटवर्क की योजना बनाई जा रही है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

भारत की पहली अत्यधिक गति (हाई स्पीड) वाली रेल परियोजना, मुम्बई-अहदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की आधारशिला 14 सितम्बर, 2017 को रखी गई। 'हाई स्पीड' रेल परियोजनाओं के लिए आवश्यक जनशक्ति को प्रशिक्षण देने के लिए बड़ोदरा में एक संस्थान स्थापित किया जा रहा है।

पिछले तीन वर्षों में घरेलू हवाई यात्री यातायात प्रतिवर्ष 18 प्रतिशत बढ़ा और हमारी एयरलाइन कंपनियों ने 900 से अधिक एयरक्राफ्टों की खरीद के लिए ऑर्डर प्लेस किए हैं।

अच्छी अंतर्राष्ट्रीय परिपाटियां विकसित करके, सुनम्य आधारभूत सुविधा विकास के लिए समुचित मानक और विनियामक तंत्र विकसित करने के लिए आपदा लोचनीय आधारभूत सुविधा पर सहमिलन स्थापित करने का हमारा प्रयास भली-भांति कार्य कर रहा है। वर्ष 2018-19 में इस पहल को शुरू करने के लिए 60 करोड़ रुपये आवंटित करने का मेरा प्रस्ताव है।

सरकार ने अभी बाजार विनियामकों के भारत में आधारभूत सुविधाओं निवेश न्यास (आईएनवीआईटी) और वास्तविक निवेश न्यास (आरईआईटी) जैसे मौद्रीकरण वाहनों के विकास के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। अगले वर्ष से सरकार इनविट का प्रयोग करते हुए चुनिंदा सीपीएसई आरित्तयो के मौद्रीकरण की पहल करेगी।

चालू वर्ष में हमने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रज्जुमार्ग (रोपवे) को शामिल किया, रेलवे स्टेशनों और लॉजिस्टिक पार्कों के आस-पास की वाणिज्यिक भूमि के विकास को शामिल करने के लिए रेलवे आधारभूत सुविधा के दायरे का विस्तार किया ताकि उन्हें आधारभूत सुविधा की सुमेलित सूची में शामिल किया जा सके।

भारतीय रिजर्व बैंक ने कॉरपोरेट पहुंच बॉण्ड बाजार को टहोका देने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए है। सेबी भी बड़े कॉरपोरेटों से शुरू कर अधिदेश देने पर विचार करेगा ताकि उनकी एक-चौथाई वित्तीय जरूरतें बॉण्ड बाजारों से पूरी की जा सकें।

बीबीबी रेटिंग वाले कॉरपोरेट बॉण्ड या समकक्ष निवेश ग्रेड हैं। भारत में अधिकांश विनियामक (रेगुलेटर) केवल एए रेटिंग बॉण्डों को ही निवेश के उपयुक्त मानकर उनकी अनुमति देते हैं। अब समय आ गया है कि एए से ए ग्रेड रेटिंग की ओर बढ़ा जाए। सरकार और संबंधित विनियामक इस संबंध में आवश्यक कदम उठाएंगे।

राज्यों से परामर्श कर हम वित्तीय प्रतिभूति संव्यवहार से संबंधित स्टांप ड्यूटी व्यवस्था के संबंध में सुधारात्मक कदम उठाएंगे और भारतीय स्टांप अधिनियम में आवश्यक संशोधन करेंगे।

गिफ्ट सिटी में प्रचालित हो चुके अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (आईएपाएससी) के पूर्ण विकास के लिए एक सशक्त और समेकित विनियामक ढांचे की जरूरत है ताकि वह अपतट वित्तीय केन्द्रों से प्रतिस्पर्द्धा कर सके। भारत में आईएफएससी की सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए सरकार एक एकीकृत प्राधिकरण स्थापित करेगी।

हमारे प्रयासों को अनुप्रयोगों के अनुसंधान और विकास सहित कृत्रिम आसूचना के क्षेत्र निर्देशित करने के लिए नीति आयोग एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ करेगा।

साइबर और भौतिक प्रणालियों के संयुक्त रूप देने में न केवल नवोन्मेषी पारिस्थितिकी प्रणाली को रूपांतरित करने की क्षमता है बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी जीवन शैली में भी बदलाव लाने की क्षमता है। अनुसंधान, रोबोटिक्स, कृत्रिम इण्टेलिजेन्स, डिजिटल विनिर्माण, बड़े आंकड़ों के विश्लेषण, क्वांटम कम्युनिकेशन और इंटरनेट जैसी बातों में प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के उत्कृष्ट केन्द्रों की स्थापना को सहयोग देने के लिए साइबर भौतिक प्रणाली एक मिशन शुरू करेगा।

मैनें 2018-19 ने डिजिटल इडिया कार्यक्रम के लिए आवंटन को दोगुना करते हुए 3073 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है।

सरकार का विचार पांच लाख वाई फाई हॉटस्पाट

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

स्थापित करने का भी है, जिनमें पांच करोड़ भारतीयों को ब्रॉडबैंड की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। मैंने 2018-19 में दूरसंचार अवसंरचना के सृजन और संवर्द्धन के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

उदीयमान नई प्रोद्योगिकियों, विशेषकर 'फिफ्थ जनरेशन' (5जी) प्रौद्योगिकियों और इनको अपनाने को गति देने के लिए दूरसंचार विभाग, आईआईटी, चेन्नई ने स्वदेशी 5जी टेस्टबेड स्थापित करने ने सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।

डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर सिस्टम या ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी में मध्यवर्तियों की जरूरत के बिना रिकॉर्डो या संव्यवहार की श्रृंखला के आर्गनाइजेशन की अनुमति होती है। सरकार क्रिप्टो-करेंसी लीगल टेंडर या क्वाइन पर विचार नहीं करती है और अवैध गतिविधियों को धन उपलब्ध कराने अथवा भुगतान प्रणाली के एक भाग के रूप में इन क्रिप्टो परिसंपत्तियों के प्रयोग को समाप्त करने के लिए सभी प्रकार के कदम उठाएगी। डिजिटल अर्थव्यवस्था शुरू करने के लिए सरकार ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के प्रयोग की संभावना तलाशने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करेगी।

सड़क स्थित टोल प्लाजा पर भौतिक रूप से नकद में टोल टैक्स भुगतान की प्रणाली का शीघ्र ही फास्टेग्ज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियां स्थान लेने जा रही हैं। इससे सड़क मार्ग से यात्रा निर्बाध होगी। फास्टेग्ज की संख्या दिसम्बर 2016 में लगभग 60,000 से बढ़कर वर्तमान में 10 लाख से अधिक हो चुकी है। दिसम्बर 2017 से 'एम' और 'एन' श्रेणी के सभी वाहन फास्टेग्ज के साथ ही बेचे जा रहे हैं। सरकार टोल प्रणाली को 'प्रयोग की तरह भुगतान' आधार पर प्रारम्भ करने के लिए एक नीति लाएगी।

रोजगार सृजन और सहायता वृद्धि के उद्देश्य से, वर्ष 2018-19 के लिए आधारभूत सुविधा पर सरकार के अनुमानित बजटीय और अतिरिक्त बजटीय व्यय को वर्ष 2017-18 में 4.94 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय के मुकाबले बढ़ाकर 5.97 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। ब्यौरा अनुबंध-III में दिया गया है।

संस्थाओं का निर्माण तथा सार्वजनिक सेवाओं की सुपुर्दगी में सुधार

प्रत्येक छोटे या बड़े उद्यम को भी विशिष्ट पहचान (यूनिक आईडी) की आवश्यकता है। सरकार भारत में प्रत्येक उद्यम को अलग से एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने की स्कीम लाएगी।

'ईज आफ डूइग बिजनेस' के लिए व्यावसायिक सुधारो को देश के और भीतर तक तथा प्रत्येक राज्य में पहुंचाने के लिए, भारत सरकार ने व्यवसाय के 372 विशिष्ट कार्यक्रमों की पहचान की है। सभी राज्यों ने इन सुधारों को और सरल बनाने की प्रक्रियाओं के एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए एक अभियान के रूप में लिया है। इस कार्यक्रम के अतर्गत कार्य के निष्पादन का मूल्याकंन अब प्रयोगकर्ता से प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाएगा।

भारतीय खास निगम के पूंजीगत ढांचे को पुनः तैयार किया जाएगा ताकि इसकी स्थाई कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इक्विटी को बढ़ाया जा सके और लबी अवधि के ऋणों को उगाहा जा सके।

इक्विटी ने भारत सरकार के अंशदान और राज्य सरकारों द्वारा संचालित मेट्रो उद्यमों के ऋण की बजट प्रक्रिया को कारगर बनाया जाएगा।

वाणिज्य विभाग सभी स्टेकधारकों को आपस ने जोड़ने के लिए एक सिंगल विंडो ऑनलाइन मार्केट प्लेस के रूप में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल तैयार करने जा रहा है।

सरकार ने दो बीमा कंपनियों सहित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 14 उद्यमों को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने का अनुमोदन किया है। सरकार ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 24 उद्यमों में सामरिक विनिवेश की प्रक्रिया भी प्रारंभ की है। इसमें एयर इंडिया का सामरिक निजीकरण भी शामिल है।

ओएनजीसी द्वारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अधिग्रहण की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण हो गई है। सरकारी क्षेत्र की तीन साधारण बीमा कंपनियों, नेशनल इंश्योरेंस कपनी

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

लिमिटेड, यूनाइटेड इडिया एश्योरेस कपनी लि. और ओरियंटल इडिया इन्श्योरेंस कंपनी लि., को एक बीमा कंपनी में आमेलित किया जाएगा और बाद में इसे सूचीबद्ध किया जाएगा।

सरकार ने 14,500 करोड़ रुपये जुटाने के लिए एक्सचेंज ट्रेडड फंड भारत-22 को शुरू किया है, जिसके अंतर्गत सभी ओर से अपेक्षा से कहीं अधिक रकम जुटाई गई। दीपम ऋण ईटीएफ सहित ईटीएफ के और अधिक पेशकश लाएगा।

विनिवेश के लिए वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान अब तक के उच्चतम स्तर 72,500 करोड़ रुपये पर स्थिर रहे। मुझे सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हम बजट अनुमानों के लक्ष्य से आगे निकल गए हैं। 2017-18 में 1,00,000 करोड़ रुपये की प्राप्तियों का अनुमान लगा रहा हूँ। इसलिए 2018-19 के लिए 80,000 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य रख रहा हूँ।

बैक पुन:पूंजीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है जिसके अंतर्गत इस वर्ष 80,000 करोड रुपये के बॉण्ड जारी किए जा रहे है। इस कार्यक्रम को एक एनहानस्ड एक्सेस एंड सर्विसेज एक्सीलेंस (ईज) कार्यक्रम के दिशा-निर्देश के तहत एक महत्वाकांक्षी सुधार ऐजेंडे के साथ समेकित किया गया है। इस पुन:पूंजीकरण प्रक्रिया से 5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण देने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों का मार्ग प्रशस्त होगा।

सुदृढ लाख वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बाजार से पूंजी जुटाने की अनुमति देने का प्रस्ताव है ताकि इन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अपनी साख को और बढ़ाने ने सक्षम बनाया जा सके।

राष्ट्रीय आवास बैंक की इक्विटी को भारतीय रिजर्व बैंक से सरकार को अंतरित करने के लिए राष्ट्रीय अवास बैंक अधिनियम को संशोधित किया जा रहा है।

भारतीय डाकघर अधिनियम, भविष्य निधि अधिनियम और राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र अधिनियम को समामेलित किया जा रहा है और इसमें कुछ लोक हितैषी उपाय जोड़े जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैक को अधिक नकदी व्यवस्थित करने के साधन उपलब्ध कराने और असंपार्श्विक जमा सुविधा को संस्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम को संशोधित किया जा रहा है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, अधिनियम, 1992, प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 को संशोधित किया जा रहा है ताकि न्याय निर्णयन प्रक्रियाओं को कारगर बनाया जा सके और कुछ उल्लंघनों के लिए दंड का प्रावधान किया जा सके। ये प्रस्ताव इस वित्त विधेयक में रखे गए हैं।

सभी विस्तृत अनुदान मांगों को सरलता से उपलब्ध कराने के लिए इनके लिंक india.gov.in पर दिए जाएंगे। सरकार प्रकट की गई राजकोषीय सूचना को मशीन रीडेबल फार्म में उपलब्ध कराने की व्यावहारिकता पर भी विचार करेगी।

सरकार संघीय मंत्रालयों और विभागों में ई-ऑफिस और ई-गवर्नेंस से संबंधित पहलों को शुरू करते हुए अपने कार्यचलन के सुचारू निपटान की पद्धति में बदलाव ला रही है। इन पहलों को अनुबंध-IV में सूचीबद्ध किया गया है ।

सरकार सोने को एक आस्ति की श्रेणी में लाने के लिए एक व्यापक गोल्ड पॉलिसी बनाएगी। सरकार देश में सोने के विनियमित आदान-प्रदान की उपभोक्ता हितैषी और व्यापार दक्ष प्रणाली भी स्थापित करेगी। सोना मौद्रीकरण स्कीम को पुन: सुदृढ़ किया जाएगा ताकि लोग गोल्ड डिपॉजिट खाता बिना किसी परेशानी के खोल सकें।

भारत की अेर से बहिर्गामी प्रत्यक्ष निवेश (ओडाआई) प्रतिवर्ष 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। सरकार मौजूदा दिशा-निर्देश और प्रक्रियाओ की समीक्षा करेगी और एक सुसंगत और समेकित बहिर्गामी प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) नीति लाएगी।

विभिन्न उपयुक्त क्षेत्रों में, विशेषकर स्टार्टअप और उद्यमी पूंजीगत फर्मों के लिए, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए मिले-जुले साधन उपयुक्त हैं।

राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और राज्यपालों की परिलब्धियों ने पिछली बार 1 जनवरी, 2006 से संशोधन किया गया गया

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

था। इन परिलब्धियों में संशोधन करने और माननीय राष्ट्रपति के लिए प्रतिमाह 5 लाख रुपए, उप-राष्ट्रपति के लिए प्रतिमाह 4 लाख रुपए तथा राज्यपालों के लिए प्रति माह 3.5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है।

ससंद सदस्यो को भुगतान की जाने वाली परिलब्धियों के संबंध में जनता के बीच वाद-विवाद होता रहा। मौजूदा कार्यपद्धति ने प्राप्तकर्ताओं को अपनी खुद की परिलब्धि निर्धारित करने की अनुमति है, जिससे आलोचना होती है। अंत, मैं 1 अप्रैल, 2018 से संसद सदस्यों को भुगतान योग्य वेतन, चुनाव क्षेत्र भता, कार्यालयी व्यय, बैठक भत्ता पुन: निर्धारित करने के लिए आवश्यक परिवर्तन लाने का प्रस्ताव रखता हूँ। विधि में भी मुद्रास्फीति के अधिसूचक के रूप में प्रत्येक 5 वर्षों में परिलब्धियों के संशोधन का प्रावधान होगा। मुझे विश्वास है कि सदस्य इस पहल का स्वागत करेंगे और भविष्य में उन्हें ऐसी आलोचना नहीं झेलनी पड़ेगी।

हमारे देश ने 2 अक्टूबर, 2019 से 2 अक्तूबर 2020 तक राष्ट्रपिता महात्मा गाधी की 150वीं जंयती मनाई जाएगी। स्मरण समारोह से संबंधित क्रिया-कलापों के लिए वर्ष 2018-19 के लिए मेरी सरकार ने डेढ सौ करोड़ रुपए अलग से रखे है।

राजकोषीय प्रबंधन

अब मैं 2017-18 के लिए राजकोषीय कुल उत्पादन और 2018-19 के लिए राजकोषीय अनुमानों की ओर आता हूँ।

2017-18 में, केन्द्रीय सरकार को 12 महीने के बजाए केवल 11 महीने के लिए जीएसटी राजस्व प्राप्त होगा। इसका राजकोषीय प्रभाव पडेगा। कुछ घटनाक्रम के कारण कर-भिन्न राजस्व में कुछ कमी भी आई, जिनमें स्पेक्ट्रम नीलामी का स्थगन शामिल है। इस कमी के कुछ भाग की भरपाई उच्चतर प्रत्यक्ष कर राजस्व और अधिक विनिवेश प्राप्तियों के द्वारा की गई है।

2017-18 में व्यय के लिए कुल संशोधित अनुमान 21.47 लाख करोड रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 21.57 लाख करोड़ रुपए (राज्यों को अंतरित जीएसटी प्रतिपूर्ति को घटाकर) है।

हमारी सरकार ने मई 2014 में कार्यभार सभाला, जब राजकोषीय घाटा बहुत उच्च स्तर की ओर बढ़ रहा था। 2015-14 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4 प्रतिशत था। प्रधानमंत्री और सरकार विवेकशील राजकोषीय प्रबंधन और राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने को हमेशा उच्च प्राथमिकता देती है। जैसा कि माननीय सदस्यों को स्मरण होगा, हम 2014 में लगातार राजकोषीय कमी समेकन के पथ पर आगे बढ़े हैं। 2014-15 में, राजकोषीय घाटा कम करके 4.1 प्रतिशत और 2015-16 में 59 प्रतिशत पर लाया गया तथा 2016-17 में 3.5 प्रतिशत कर दिया गया। 2017-18 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटे का अनुमान 5.95 लाख करोड़ रुपए है, जो जीडीपी का 3.5 प्रतिशत है। वर्ष 2018-19 के लिए मैं जीडीपी के 3.3 प्रतिशत राजकोषीय घाटे का अनुमान लगा रहा हूँ।

संशोधित राजकोषीय मार्गदर्शन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के प्रति असंदिग्ध विश्वसनीयता लाने के लिए ऋण नियम को अगीकार करने और जीडीपी अनुपात की तुलना में केन्द्रीय सरकार के ऋण को 40 प्रतिशत नीचे लाने से संबंधित राजकोषीय सुधार और बजट प्रबंधन समिति की प्रमुख सिफारिशों को स्वीकार करने का प्रस्ताव करता हूँ। सरकार ने भी राजकोषीय घाटा लक्ष्य को प्रमुख प्रचालनात्मक मानदण्ड के रूप में उपयोग करने की सिफारिश मान ली है। आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव वित्त विधेयक में हैं।

कर प्रस्ताव

सरकार द्वारा नकदी की अर्थव्यवस्था घटाने तथा कर ढांचे में अधिकाधिक लोगों को शामिल करने के लिए किए गए प्रयासों से काफी अधिक लाभ प्राप्त हुए हैं।

वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 में प्रत्यक्ष करों की वृद्धि दर पर्याप्त रही है। हमने पिछले वर्ष 12.6 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की थी तथा चालू वर्ष के दौरान 15 जनवरी, 2018 तक प्रत्यक्ष कर की वृद्धि दर 18.7 प्रतिशत है। इन दो वर्षों से पूर्व के सात वर्षों के दौरान व्यक्तिगत आय कर में औसत वृद्धि का आंकड़ा रहा है। साधारण शब्दों में कर

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

में 1.1 के उछाल का अर्थ है कि यदि देश ये जीडीपी की नाममात्रिक वृद्धि दर 10 प्रतिशत हो तो व्यक्तिगत आयकर की वृद्धि दर 11 प्रतिशत होगी। तथापि वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 (सं.अ.) ये व्यक्तिगत आयकर में उछाल का आंकडा क्रमश: 1.95 और 2.11 दर्ज किया गया है। इससे यह सूचित होता है कि गत दो वित्त वर्षों के दौरान आयकर से संगृहीत अधिक राजस्व की राशि 2016-17 से पूर्व की औसत वृद्धि की तुलना ये कुल लगभग रु. 90,000 करोड़ है तथा इसका श्रेय सरकार द्वारा किए गए कर वंचन रोधी उपायों को दिया जा सकता है।

इसी प्रकार कर दाताओं द्वारा दर्ज कराई गई विवरणियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 85.51 लाख नए कर दाताओं ने अपनी आय विवरणी दर्ज कराई है, जबकि इससे ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में 66.26 लाख व्यक्तियों ने अपनी विवरणी दर्ज कराई थी।

प्रभावी करदाता आधार के संबंध ये यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2014-15 के आरंभ के 6.47 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2016-17 की समाप्ति पर 8.27 करोड़ हो गया।

हम अपने उपायों की सफलताओं के लिए स्वयं को उत्साहित महसूस करते हैं तथा वचन देते हैं कि हम भविष्य में वे सभी उपाय करना जारी रखेंगे जिनसे काले धन पर रोक लगाई जा सके तथा ईमानदार कर दाताओं को पुरस्कृत किया जा सके। केवल यही एकमात्र कारण है कि ईमानदार कर दाताओं द्वारा विमौद्रीकरण का "ईमानदारी के उत्सव" के रूप में भारी स्वागत किया गया।

अनुपालन को सरल बनाने के लिए सरकार ने रु. 2 करोड़ से कम के वार्षिक टर्न ओवर वाले छोटे व्यापारियों तथा उद्यमियों के लिए अनुमानित आय योजना को उदार बनाया था तथा जिन व्यावसायिकों का वार्षिक टर्न ओवर रु. 50 लाख से कम था, उनके लिए भी इसी प्रकार की योजना आरंभ की थी, जो इस उम्मीद से की गई थी कि सरकार की इस योजना के अनुपालन में पर्याप्त वृद्धि होगी। हरा योजना के अंतर्गत इस वर्ष के दौरान 41 प्रतिशत अधिक विवरणी दर्ज कराई गई, जिससे यह पता चलता है कि सरलीकृत योजना के अंतर्गत अन्य बहुत-से लोग शामिल हुए। तथापि, दर्शाया गया टर्न ओवर अभी भी उत्साहवर्द्धक नहीं है। विभाग को निर्धारण वर्ष 2017-18 के दौरान व्यक्तिगत कर दाताओं और रु. 17.97 लाख के कम औसत टर्न ओवर वाले हिन्दू अविवाहित परिवार (एचयूएफ) तथा फर्मों से 44.72 लाख विवरणियां प्राप्त हुई हैं, जिनका औसत कर भुगतान मात्र रु. 7,000 है। व्यावसायियों द्वारा बेहतर कर अनुपालन आचरण प्रदर्शित नहीं किया गया है। विभाग को निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए अनुमानित आय योजना के अंतर्गत 5.68 लाख विवरणियां प्राप्त हुई हैं तथा औसत सकल प्राप्तियां मात्र रु. 5.73 लाख हैं। इनके द्वारा भुगतान किया गया औसत कर मात्र रु. 35000 है।

कृषि के संबंध में फसल कटाई के उपरांत क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए कर प्रोत्साहन

वर्तमान में प्राथमिक कृषि क्रियाकलापों में जुटे अपने सदस्यों को सहायता प्रदान करने वाली सहकारी समितियों के लाभ के संबंद्ध में शत-प्रतिशत कर कटौती की अनुमति दी गई है। गत कुछ वर्षों के दौरान सहकारी समितियों की तर्ज पर अनेक किसान उत्पादक कंपनियां स्थापित की गई हैं जो अपने सदस्यों को इसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। कृषि में फसल कटाई के उपरांत मूल्यवर्द्धन ये व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए उन्हें विगत वर्ष 2018-19 से पांच वर्षों की अवधि तक ऐसे क्रियाकलापों से प्राप्त लाभ के संबंध में रु. 100 करोड़ तक के वार्षिक टर्न ओवर वाली किसान उत्पादक कंपनियों के रूप में पंजीकृत इन कंपनियो को शत-प्रतिशत कर कटौती अनुमत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस उपाय से मैंने पूर्व में जिसे मिशन ऑपरेशन ग्रीन्स की घोषणा की थी उसे प्रोत्साहन प्राप्त होगा तथा संपदा योजना को बढ़ावा मिलेगा।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

रोजगार सृजन

वर्तमान में वर्ष के अंतर्गत न्यूनतम 240 दिनों की अवधि तक काम करने वाले पात्र नए कर्मचारियों को उनकी परिलब्धियों पर आयकर अधिनियम की धारा 80 के अंतर्गत 100 प्रतिशत सामान्य कर कटौती के अतिरिक्त 30 प्रतिशत की कटोती की अनुमति प्रदान की जाती है। तथापि, परिधान उद्योग के मामले में रोजगार की न्यूनतम अवधि कम करके 150 दिन कर दी गई है। नए रोजगार सृजन को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए मैं इस छूट को जूते एवं चमड़ा उद्योग में भी लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं यह प्रस्ताव भी करता हूँ कि पहले वर्ष के दौरान न्यूनतम से कम अवधि तक रोजगार में रहें किसी नए कर्मचारी, जो परवर्ती वर्ष में न्यूनतम अवधि तक रोजगार में बना रहता है, के संबंध में लाभ की अनुमति प्रदान करके 30 प्रतिशत की इस कटौती को युक्ति-संगत बनाया जाए।

रियल एस्टेट के लिए प्रोत्साहन

वर्तमान ये अचल संपत्ति के सौदों के संबंध ये पूंजीगत प्राप्तियों, व्यावसायिक लाभों तथा अन्य स्रोतो से आय के लिए कर का निर्धारण करते समय प्राप्त प्रतिलाभ सर्किल दर मूल्य जो भी अधिक हो, को स्वीकार किया जाता है तथा अंतर का क्रेता और विक्रेता दोनों के हाथ में पहुंची आय के रूप ये परिकलन किया जाता है। कभी-कभी भूखंड की आकृति तथा अवस्थिति सहित अनेक कारणों से एक ही क्षेत्र में स्थित भिन्न-भिन्न संपत्तियों के मूल्य में अंतर हो सकता है। रियल एस्टेट सौदों में कठिनाई को न्यूनतम करने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जिस मामले में सर्किल दर मूल्य तथा भूखंड के निर्धारित मूल्य 5 डिग्री से अधिक न हो उसमें कोई समायोजन नहीं किया जाएगा।

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमियों को प्रोत्साहन

केन्द्रीय बजट, 2017 में मैंने जिन कंपनियों का टर्न ओवर वित्त वर्ष 2015-16 में रु. 50 करोड़ से कम था उनके लिए कॉरपोरेट कर दर घटाकर 25 प्रतिशत करने की घोषणा की थी। इससे कर विवरणी जमा करने वाली कुल कंपनियों में से 96 प्रतिशत को लाभ पहुँचा। कॉरपोरेट कर दर को चरणबद्ध रूप में घटाने के लिए मैंने जो वचन दिया था उसे पूरा करते हुए मैं अब प्रस्ताव करता हूँ कि इस घटाई गई 25 प्रतिशत दर का लाभ उन कंपनियों को भी दिया जाए जिन्होंने वित्त वर्ष 2016-2017 में रु. 250 करोड़ तक टर्न ओवर होने की सूचना दी है। इससे संपूर्ण श्रेणी के सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों, जिनकी संख्या कर विवरणी भरने वाली समस्त कंपनियों का लगभग 99 प्रतिशत है, को लाभ पहुँचेगा। इस उपाय के कारण परित्यक्त राजस्व वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान रु. 7,000 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। इसके बाद कर विवरणी भरने वाली लगभग 7 लाख कंपनियो में से लगभग 7000 कंपनियां हैं जो कर विवरणी भरती हैं तथा जिनका टर्न ओवर रु. 250 करोड से अधिक है, 30 प्रतिशत के स्लैब में रहेंगी। 99 प्रतिशत कंपनियों के लिए कॉरपोरेट आयकर की कम दर होने से उन्हें अधिक मात्रा में निवेश योग्य अधिशेष राशि प्राप्त होगी, जिससे अधिक रोजगार सृजित होंगे।

वेतनभोगी कर दाताओं को राहत

सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान व्यक्तिगत आय कर की दरों में अनेक लाभकारी परिवर्तन किए हैं। अत: मैं व्यक्तिगत आयकर के दर-ढांचे में किसी और बदलाव का प्रस्ताव नहीं करता हूँ। समाज में एक सामान्य विचार व्याप्त रहा है कि वेतनभोगी वर्ग की तुलना में व्यक्तिगत व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों की आय बेहतर होती है। तथापि, आयकर आंकडों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि व्यक्तिगत आय कर संग्रहण का मुख्य भाग केवल वेतनभोगी वर्ग से ही आता है।

निर्धारण वर्ष 2016-17 के दौरान 1.89 करोड़ वेतनभोगी व्यक्तियों ने अपनी कर विवरणी जमा कराई है तथा कुल रु. 1.44 लाख करोड़ का कर भुगतान किया है, जो प्रति व्यक्ति औसतन रु. 76306 कर भुगतान बनता है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

इसके मुकाबले, व्यावसायिकों सहित 1.88 करोड़ व्यक्तिगत व्यवसाय से जुड़े कर दाताओं ने इसी निर्धारण वर्ष के लिए अपनी विवरणी भरी तथा कुल रु. 48,000 करोड़ का कर भुगतान किया, जो औसतन प्रति व्यक्ति व्यावसायिक करदाता रु. 25753 बनता है।

वेतनभोगी करदाताओं को राहत प्रदान करने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि परिवहन भत्ता के संबंध ये मौजूदा छूट तथा विविध चिकित्सीय व्यय की प्रतिपूर्ति के बदले में रु. 40,000 तक की मानक कटौती की अनुमति दी जाए। तथापि, दिव्यांग व्यक्तियों को वर्धित दर पर परिवहन भत्ता देना जारी रखा जाए। इसके अतिरिक्त, सभी कर्मचारियों के संबंध में अस्पताल में भर्ती होने के दौरान कराए गए उपचार आदि के संबंध में अन्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति लाभ जारी रहेंगे। कागजी कार्यवाही को कम करने तथा इसके अनुपालन के लिए इससे मध्यम श्रेणी के कर्मचारियों को उनकी कर योग्यता में कमी के रूप में कहीं अधिक लाभ पहुँचेगा। मानक कटौती किए जाने के इस निर्णय से पेंशनभोगियों को भी पर्याप्त लाभ पहुँचेगा जिन्हें परिवहन तथा चिकित्सा व्यय की मद से कोई छूट नहीं प्राप्त हाती है। इस निर्णय की राजस्व लागत लगभग रु. 8,000 करोड़ है। इस निर्णय से लाभान्वित होने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों की कुल संख्या लगभग 2.5 करोड़ है।

वरिष्ठ नागरिकों को राहत

गरिमा के साथ जीवन यापन करना हरेक व्यक्ति और विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों का अधिकार है। जिन लोगों ने हमारी देखभाल की उनकी देखभाल करना उन्हें सर्वोच्च सम्मान प्रदान करना है। इन्हें एक गरिमापूर्ण जीवन देने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहनों की घोषणा करने का प्रस्ताव करता हूँ:

- बैंकों तथा डाकघरों में जमा राशि पर ब्याज आय में छूट रु. 10000 से बढ़ाकर रु. 50000 करना तथा ऐसी आय पर धारा 194क के अंतर्गत स्रोत पर आयकर की कटौती की जाएगी। यह लाभ सावधि जमा योजनाओं तथा आवर्ती जमा योजनाओं में प्राप्त होने वाले ब्याज के लिए भी उपलब्ध होगा।
- धारा 80घ के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और/या चिकित्सा व्यय हेतु कटौती सीमा को 30,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए तक करना। अब सभी वरिष्ठ नागरिक किसी स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और/या किए गए किसी सामान्य चिकित्सा के संबंध में 50,000 रुपए प्रतिवर्ष तक कटौती के लाभ का दावा कर सकेंगे।
- धारा 80घघख के तहत कतिपय गंभीर रुग्णता के संबंध में चिकित्सा व्यय के लिए कटौती सीमा को वरिष्ठ नागरिकों के मामले में 60,000 रुपए से और अति वरिष्ठ नागरिकों के मामले में 80,000 रुपए से बढ़ाकर सभी नागरिकों के संबंध ये 1 लाख रुपए तक करना।

इन रियायतों से वरिष्ठ नागरिकों को 4000 रुपए का अतिरिक्त कर लाभ प्राप्त होगा। इन कर रियायतों के अतिरिक्त मैं, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का मार्च 2020 तक विस्तार किए जाने का प्रस्ताव करता हूँ, जिसके अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 8 प्रतिशत सुनिश्चित प्रतिलाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत प्रति वरिष्ठ नागरिक 7.5 लाख रुपए की मौजूदा निवेश सीमा भी बढाकर 15 लाख रुपए तक की जा रही है।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) के लिए कर-प्रोत्साहन

सरकार ने भारत में एक विश्वस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र विकसित करने का प्रयास किया था। हाल के वर्षों में, उस उद्देश्य को पूरा करने के उद्देश्य से कर प्रोत्साहनों सहित विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए, मैं, आईएफएससी को दो और रियायतें प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। (i) आईएफएससी में

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

स्थित स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा व्युत्पन्नों और कतिपय प्रतिभूतियों के अंतरण को पूंजी लाभ कर से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। (ii) इसके अलावा, आईएफएससी में संचालन करने वाले कॉर्पोरेट-भिन्न करदाताओं पर कार्पोरेट के लिए अनुप्रयोग्य न्यूनतम वैकिल्पक कर (मेट) के बराबर 9 प्रतिशत की रियायती दर पर वैकल्पिक न्यूनतम कर (एएमटी) प्रभारित किया जाएगा।

नकदी अर्थव्यवस्था के नियंत्रण हेतु किए गए अन्य उपाय

वर्तमान में, न्यासों और संस्थाओं को आयकर सें छूट प्राप्त है, यदि वे अपनी आय का आयकर अधिनियम के प्रासंगिक उपबंधों के अनुसार अपने उद्देश्यों के लिए उपयोग करें। तथापि, इन संस्थाओ पर नकद व्यय करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इन संस्थाओं द्वारा किए गए व्यय की लेखा परीक्षा जांच कराने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव है कि ऐसी संस्थाओं को 10,000 रुपए से अधिक भुगतानों को नकद में करने की अनुमति नहीं होगी और ये कर के अध्यधीन होंगी। इसके अलावा, इन संस्थाओं द्वारा टीडीएस अनुपालन में सुधार लाने के उद्देश्य से मैं यह प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूँ कि कर-कटौती न किए जाने पर 30 प्रतिशत धनराशि की अनुमति नहीं होगी और इस पर कर लगेगा।

दीर्घावधिक पूंजी लाभ (एलटीसीजी) का यौक्तिकीकरण

फिलहाल, सूचबद्ध इक्विटी शेयरों, इक्विटी उन्मुख निधि की यूनिटों और व्यवसाय न्यास की यूनिटों के अंतरण से प्रोद्भूत दीर्घावधिक पूंजी लाभ कर से छूट प्राप्त हैं। सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए सुधारों और अभी तक दिए गए प्रोत्साहनों के साथ इक्विटी बाजार में उछाल आया है। निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए प्रस्तुत की गई विवरणियों के अनुसार सूचीबद्ध शेयरों और यूनिटों से छूट प्राप्त पूंजी लाभ की राशि लगभग 3,67,000 करोड़ रुपए है। इस लाभ का बड़ा भाग कॉर्पोरेट और एलएलपी को गया है। इससे विनिर्माण के प्रति झुकाव भी सृजित हुआ है, जिसकी वजह से वित्तीय परिसंपत्तियों में और अधिक कारोबारी अधिशेष राशि का निवेश किया जा रहा है। इक्विटी में निवेश पर प्रतिलाभ कर छूट के बगैर भी पहले से ही काफी आकर्षक है। अतः सूचीबद्ध इक्विटियों से दीर्घावधिक पूंजी लाभ को कर के दायरे में लाना आवश्यक है। तथापि, इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि आर्थिक वृद्धि के लिए गतिशील इक्विटी बाजार आवश्यक है मैं मौजूदा व्यवस्था में केवल एक छोटा-सा बदलाव करने का प्रस्ताव करता हूँ।

मैं 1 लाख रुपए से अधिक के ऐसे दीर्घावधिक पूंजी लाभों पर किसी सूचकांकन के बिना 10 प्रतिशत की दर से कर लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। तथापि, दिनांक 31 जनवरी, 2018 तक के सभी लाभ इस प्रकाश संरक्षित होंगे। उदाहरणार्थ यदि कोई इक्विटी शेयर 31 जनवरी, 2018 को छह माह पूर्व 100 रुपए पर खरीदा जाता है और इस शेयर के संबंध ये 31 जनवरी, 2018 को उद्भूत उच्चतम मूल्य 120 रुपए है तो यदि यह शेयर इसकी खरीद की तारीख से एक वर्ष पश्चात् बेचा जाता है, तक 20 रुपए के लाभ पर कोई भी कर नहीं लगेगा। तथापि, 31 जनवरी, 2018 के पश्चात अर्जित 20 रुपए से अधिक के किसी लाभ को 31 जुलाई, 2018 के बाद बेचे जाने पर 10 प्रतिशत की दर से कर लगेगा। एक वर्ष तक धारित इक्विटी शेयर से लाभ अल्पावधिक पूंजी लाभ रहेगा और इस पर 15 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता रहेगा।

इसके अतिरिक्त, मैं इक्विटी उन्मुख म्युच्युल फण्ड द्वारा वितरित आय पर 10 प्रतिशत की दर से कर प्रारंभ करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। यह समस्त वृद्धि उन्मुख निधियों और लाभांश संवितरण निधियों के लिए समान कार्यक्षेत्र उपलब्ध कराएगा। संरक्षित किए जाने के दृष्टिगत, पूंजी लाभ कर में यह बदलाव पहले वर्ष में लगभग 20,000 करोड रुपए का सीमांत राजस्व लाभ लाएगा। बाद के वर्षों ये यह राजस्व अधिक हो सकता है।

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर

वर्तमान ये व्यक्तिगत आयकर और निगम कर पर तीन प्रतिशत उपकर प्राथमिक शिक्षा पर दो प्रतिशत उपकर और माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिशत उपकर सहित है। बीपीएल और ग्रामीण परिवारों की शिक्षा और स्वास्थ्य की जरूरतों को ध्यान में रखने के लिए मैंने अपने भाषण के भाग 'क' में कार्यक्रमों की घोषणा की है। वित्तपोषित करने के लिए, मैं उपकर को एक प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। विद्यमान तीन प्रतिशत शिक्षा उपकर के स्थान पर देय कर पर लगाए जाने वाला चार प्रतिशत ''स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर'' प्रतिस्थापित किया जाएगा। इससे हम 11,000 करोड़ रुपए की अनुमानित अतिरिक्त धनराशि संगृहीत करने ये समर्थ होंगे।

ई-निर्धारण

हमने वर्ष 2016 ये प्रायोगिक आधार पर ई-निर्धारण प्रारंभ किया है और 2017 में विभाग और करदाताओं के बीच इंटरफेस ये कमी लाने के उद्देश्य से 102 नगरों तक इसका विस्तार किया है। अभी तक प्राप्त हुए अनुभव से अब हम ई-निर्धारण को पूरे देश में लागू करने के लिए तैयार हैं, जो आयकर विभाग की काफी पुरानी कर निर्धारण प्रक्रिया और उस विधि को रूपांतरित कर देगी जिसमें वे करदाताओं और अन्य हितधारकों के साथ व्यवहार करता था। तद्नुसार मैं निर्धारण के लिए एक नई योजना को अधिसूचित करने के लिए आयकर अधिनियम को संशोधित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें कर निर्धारण इलेक्ट्रॉनिक विधि से किया जाएगा, जिससे व्यक्ति-दर-व्यक्ति से संपर्क करने की प्रक्रिया का उन्मूलन हो जाएगा, जिससे कार्यदक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी।

प्रत्यक्ष कर संबंधी अन्य कर प्रस्ताव मेरे भाषण के अनुबंध-V में सूचीबद्ध किए गए हैं।

अप्रत्यक्ष कर

अप्रत्यक्ष कर के संबंध में, माल और सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के पश्चात् यह पहला बजट है। आयात पर तदनुरूप शुल्क) के साथ, उत्पाद शुल्क को काफी हद तक और सेवा कर को जीएसटी में मिला दिया गया है। अतः मेरे बजट प्रस्ताव मुख्य रूप से सीमा शुल्क के संबंध में हैं।

इस बजट में, मैं विगत दो दशकों से चली आ रही मूलभूत नीति से आंशिक रूप से विचलन कर रहा हूँ जिसमें सीमा शुल्क को कम करने पर अधिक बल दिया गया था कुछ क्षेत्रों खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो घटक फुटवियर और फर्नीचर, में घरेलू मूल्यवर्द्धन की व्यापक संभावनाएं हैं। ऐसे कुछ क्षेत्रों में घरेलू मूलवर्द्धन और मेक-इन-इंडिया को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए, मैं कुछ मदों पर सीमा शुल्क को बढ़ा रहा हूँ। मैं मोबाइल फोनों पर सीमा शुल्क को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने उनके कुछ पुर्जो और सहायक सामग्री पर 15 प्रतिशत तक और टी. वी. के कतिपय पुर्जों पर 15 प्रतिशत तक सीमा शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। इस कदम से देश में नौकरियों के और अधिक अवसर उत्पदन्न होंगे। सीमा शुल्क की दरों में और उत्पाद शुल्क के ढांचे में किए गए कतिपय बदलावों का ब्यौरा मेरे भाषण के अनुबंध 6 में दिया गया है।

काजू प्रसंस्करण उद्योग की सहायता के लिए, मैं कच्चे काजू पर सीमा शुल्क को 5 प्रतिशत से घटा कर 2.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

मैं आयातित वस्तुओं पर शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा उपकर को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूँ और इसके स्थान पर आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क की समग्र ड्यूटियों का 10 प्रतिशत की दर से सामाजिक कल्याण अधिभार लगाने का प्रस्ताव करता हूँ ताकि सरकार की सामाजिक कल्याण की स्कीमों के लिए प्रावधान किए जा सकें। तथापि, वे वस्तुएं जो अब तक आयात पर

https://t.me/TheHindu_Zone_official

https://t.me/IAS201819 https://t.me/PDF4Exams https://t.me/PDF4Exams

शिक्षा उपकारों से छूट-प्राप्त थीं, इस अधिभार से मुक्त होंगी। इसके अतिरिक्त, मेरे भाषण के अनुबंध 6 ये दी गई कतिपय विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर केवल सीमा शुल्क के समग्र शुल्कों पर 3 प्रतिशत की दर से प्रस्तावित अधिभार लगाया जाएगा।

मैं सीमा पार व्यापार में ईज ऑफ डूइंग बिजनस में और सुधार लाने तथा व्यापार सुगमता करार के अंतर्गत इसके कतिपय उपबंधों को इसकी वचनबद्धताओं के अनुरूप बनाने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 ये कुछ परिवर्तन करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। विवादों को निपटाने की प्रक्रिया को सरल बनाने और मुकदमेबाजी को कम करने के लिए कुछ संशोधन किए जा रहे हैं ताकि नोटिस भेजने से पहले परामर्श, फेसले के लिए निश्चित समय सीमा और इन समय सीमाओं का पालन नहीं किए जाने पर मुकदमे को पूरी तरह बंद करने का प्रावधान किया जा सके।

जीएसटी को लागू किए जाने के मद्देनजर मैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) का नाम बदलकर केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) करने का प्रस्ताव रखता हूँ। इसके लिए कानून में आवश्यक परिवर्तनों का प्रस्ताव वित्त विधेयक में किया गया है।

इस वर्ष के बजट में प्रस्ताव करते समय हमें कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार एमएसएमई और भारतीय अर्थव्यवस्था की अवसंरचना के क्षेत्र को विशेष रूप से सुदृढ़ करने के मिशन द्वारा मार्गदर्शन मिला है। मुझे विश्वास है कि जिस नए भारत का निर्माण करने की हम आकांक्षा रखते हैं वह जरूर आएगा। स्वामी विवेकानन्द ने भी यूरोप की यात्रा के दौरान के अपने संस्मरण ये दशकों पहले कल्पना की थी। ''आप स्वयं को उस रिक्ति में विलय कर दें और विलुप्त हो जाएं तथा अपने स्थान पर नए भारत का सृजन होने दें। उसे किसानों की कुटिया से हल के जुए से.... झोंपड़ी से उत्पन्न होने दें। उसे किराना दुकानदार की दुकान से तथा पकौड़ा, फल या सब्जी बेचने वाले के चूल्हें की बगल से सृजित होने दें। उसे कारखानों से, हाटों से, बाजारों से उभरकर आने दें। उसे बाग-बगीचों से पहाडियों से तथा पर्वत शृंखलाओं से विकसित होने दें।''

https://t.me/TheHindu_Zone_official